उत्तर प्रदेश
2019

उत्तर प्रदेश-2019

(वर्ष 2018-2019 के तथ्यों पर आधारित)

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उ.प्र.
लखनऊ

ISBN : 978-81-7678-319-4

प्रस्तुति एवं परिकल्पना : शिशिर
निदेशक-सूचना

सम्पादकीय मार्गदर्शन : श्री विनोद कुमार पाण्डेय-संयुक्त निदेशक,
श्री हेमंत कुमार सिंह-संयुक्त निदेशक,
श्री त्रिलोकी राम- उप निदेशक,
श्री राम मनोहर त्रिपाठी- सहायक निदेशक
श्री एस.पी. श्रीवास्तव- सहायक निदेशक/प्रभारी सूचना ब्यूरो
श्री ललित मोहन श्रीवास्तव-सहायक निदेशक,
श्री ओ.पी. राय-सहायक निदेशक,
श्री चन्द्र विजय वर्मा- सूचना अधिकारी
एवं सूचना ब्यूरो के समस्त अधिकारी।

विशेष सहयोग : श्री शिव राम सिंह- सहायक शोध अधिकारी
श्री सुधीर कुमार निगम (गैर सरकारी सदस्य)
श्रीमती वोल्गा तिवारी (आउटसोर्स)
श्री अनिरुद्ध आनन्द देव शर्मा (आउटसोर्स)
श्री अशोक कुमार यादव- लैब अटेण्डेण्ट

संस्करण : 2019

मूल्य : रु. 325/-

प्रकाशक : भारत बुक सेन्टर
17, अशोक मार्ग, लखनऊ
फोन : (0522) 2288381, (0522) 4041222

सर्वाधिकार : सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

मुद्रक : ए पी पी प्रेस, लखनऊ

प्राक्कथन

संदर्भ ग्रन्थ 'वार्षिकी उत्तर प्रदेश' शृंखला की अगली कड़ी के रूप में वार्षिकी **'उत्तर प्रदेश–2019'** के हिन्दी संस्करण के प्रकाशन पर अत्यन्त प्रसन्नता एवं गर्व की अनुभूति हो रही है। यह संदर्भ ग्रन्थ उत्तर प्रदेश सरकार का एक महत्त्वपूर्ण प्रकाशन है। बुद्धिजीवियों, प्रतियोगी छात्र–छात्राओं, शोधकर्ताओं एवं प्रबुद्ध नागरिकों के लिए वार्षिकी अपनी संदर्भीय उपयोगिता तथा प्रासंगिकता सिद्ध कर चुकी है।

वार्षिकी में वित्तीय वर्ष 2018–2019 के प्रदेश सरकार के विकास कार्यक्रमों एवं योजनाओं तथा नीतियों की जानकारियों के अतिरिक्त प्रदेश की भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन आदि से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण सामग्री का समावेश किया गया है। प्रदेश की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति से सम्बन्धित प्रमाणिक आंकड़ों के साथ–साथ जनपदों की प्रमाणिक जानकारियों एवं राष्ट्रीय महत्त्व की संदर्भ सूचनाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य व इन्द्रधनुषी साझी संस्कृति देश–विदेश में आकर्षण का केंद्र रही है।

'उत्तर प्रदेश–2019' के माध्यम से प्रदेश की गौरवपूर्ण विरासत से परिचित कराने का सार्थक प्रयास किया गया है, साथ ही बहुआयामी, बहुरंगी और विविधताओं वाले इस विराट प्रदेश को देखने और जानने की कोशिश की है। इस स्थायी महत्त्व के प्रकाशन के माध्यम से हम शासन और जनता के बीच सेतु की अपनी भूमिका को और अधिक अर्थवत्ता प्रदान करने का विनम्र प्रयास कर रहे हैं। इसमें प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, साहित्यकारों, संगीतज्ञों एवं कलाकारों, खिलाड़ियों, पद्म पुरस्कारों, परमवीर चक्र, अशोक चक्र एवं महावीर चक्र से सम्मानित विभूतियों के अतिरिक्त प्रदेश के पर्यटन एवं विकास सम्बन्धी चित्रों और ग्राफों के माध्यम से इसे और अधिक सारगर्भित एवं उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है। इस अंक में उत्तर प्रदेश जिन क्षेत्रों में देश में अग्रणी है, उसका भी विवरण प्रस्तुत किया गया है।

अपर मुख्य सचिव, सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी के हम हृदय से आभारी हैं जिनके कुशल मार्गदर्शन से इस महत्त्वपूर्ण संदर्भ ग्रन्थ का प्रकाशन सफलतापूर्वक सम्पन्न हो सका।

मुझे पूरा विश्वास है कि वार्षिकी **'उत्तर प्रदेश–2019'** शोधकर्ताओं, प्रतियोगी छात्र– छात्राओं, पत्रकारों एवं विषय विशेषज्ञों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों की अपेक्षाओं को पूर्ण करने में सहायक सिद्ध होगा। इसके सम्पादन एवं प्रकाशन कार्य में सम्पादक एवं सम्पादक मण्डल द्वारा पर्याप्त सजगता एवं सावधानी बरतने का हर सम्भव प्रयास किया गया है। फिर भी यदि कहीं कोई कमी रह गई हो तो सुधी पाठकों के सहयोग से उसे भविष्य में परिपूर्ण बनाने का प्रयास किया जायेगा। आशा है कि पुस्तक की विषय वस्तु एवं इसमें संग्रहीत सूचनाएं ज्ञानवर्धक होंगी।

(शिशिर)
सूचना निदेशक

आभार

सन्दर्भ ग्रन्थ वार्षिकी उ0प्र0–2019 का सम्पादन एक वृहद, जटिल, श्रमसाध्य एवं पूर्णकालिक कार्य है, जिसका प्रारंभ नये वित्तीय वर्ष के साथ हो जाता है। जुलाई 2019 में बजट सामग्री उपलब्ध होने के बाद उसका अनुशीलन एवं सम्पादन विभाग के संयुक्त निदेशक सूचना श्री विनोद कुमार पाण्डेय एवं श्री हेमंत कुमार सिंह के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ है। संक्षिप्तीकरण/संपादन कार्य में विभागीय दृष्टिकोण के अनुसार वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रद्युम्न तिवारी (पूर्व राज्य ब्यूरो प्रमुख, अमर उजाला), श्री रतिभान त्रिपाठी राज्य ब्यूरो चीफ, देश बन्धु, श्री सुरेन्द अग्निहोत्री ब्यूरो चीफ दैनिक भास्कर एवं डॉ. सुधीर कुमार निगम सेवानिवृत्त अर्थ एवं संख्या अधिकारी ने श्रमसाध्य सहयोग करते हुए इस महत्त्वपूर्ण संदर्भ ग्रन्थ के रूपायन में अपना अमूल्य योगदान किया है।

इस पुस्तक के प्रकाशन में सम्पादकीय सहयोग देने के लिए सम्पादक मण्डल के सदस्य एवं सामग्री संकलन में सहयोग के लिए सूचना ब्यूरो के अधिकारियों की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रही है और प्रभारी सूचना ब्यूरो श्री एस.पी. श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में सहयोग देने वाले सूचना ब्यूरो के समस्त अधिकारीगण प्रकाशन की सफलता में भागीदार हैं। इसके अलावा संदर्भ शाखा के मेरे समस्त सहयोगियों ने भी मुझे भरपूर सहयोग किया है। इसके लिए मैं सभी महानुभावों का हृदय से आभारी हूँ।

संपादक मण्डल

प्रकाशकीय

यह हमारे लिए प्रसन्नता एवं गर्व की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार के महत्त्वपूर्ण एवं प्रतिष्ठित प्रकाशन वार्षिकी **"उत्तर प्रदेश- 2019"** को प्रकाशित करने का अवसर हमें सोलवीं बार दिया गया। उत्तर प्रदेश सूचना विभाग का यह सन्दर्भ ग्रन्थ, सन्दर्भीय उपयोगिता की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी प्रकाशन हो गया है। हम **सूचना निदेशक श्री शिशिर जी** के हृदय से आभारी हैं कि उन्होंने इस प्रतिष्ठित पुस्तक को प्रकाशित करने के लिये हमें उपयुक्त पात्र समझा।

इस संदर्भ ग्रन्थ के प्रकाशन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने का जो अवसर उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें दिया है, हम उसके लिए सरकार के पुनः हृदय से आभारी हैं। उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित इस महत्त्वपूर्ण संदर्भ ग्रन्थ के प्रकाशन में मुद्रण एवं प्रूफ सम्बन्धी त्रुटियाँ न रहने पायें इसके लिए विशेष प्रयास किया गया है। सन्दर्भ ग्रन्थ के प्रकाशन में तमाम सावधानियों के बावजूद मुद्रण एवं प्रूफ सम्बन्धी त्रुटियों का रह जाना स्वाभाविक है, अतः उन्हें बहुत महत्त्व न देकर संदर्भ ग्रन्थ की विषयवस्तु, उसका उद्देश्य, उसकी उपयोगिता एवं उसके संयोजन को महत्त्व देना ही समीचीन होगा।

वीरेन्द्र बाहरी
प्रकाशक

अनुक्रम

उत्तर प्रदेश बजट– 2019-2020		(xi-xxii)
उत्तर प्रदेश : एक नजर में		(xxi-xxii)
जिलों का क्षेत्रफल : जनसंख्या और मुख्यालय		(xxiii-xxiv)
☐	**प्रथम खण्ड : सामान्य**	
1.	उत्तर प्रदेश परिचय (भौगोलिक, प्राकृतिक एवं जनगणना)	1-8
2.	इतिहास	9-50
3.	संवैधानिक प्रणाली	51-56
4.	उ0प्र0 नवनिर्मित दर्शनीय स्थल एवं विभूतियाँ	57-98
5.	प्रदेश के जनपदवार दर्शनीय स्थल	99-116
6.	हिन्दी साहित्य और उर्दू अदब	117-127
7.	हिन्दी और उर्दू पत्रकारिता	128-150
8.	सांस्कृतिक विरासत	151-177
9.	उत्तर प्रदेश और सिनेमा	178-183
10.	दर्शनीय स्थल एवं मेले	184-203
11.	अर्थ व्यवस्था/आर्थिक समीक्षा	204-244
12.	सामाजिक स्थिति	245-252
☐	**द्वितीय खण्ड : वित्त एवं नियोजन**	
13.	नियोजन	253-260
14.	वित्त	261-294
☐	**तृतीय खण्ड : कराधान**	
15.	राजस्व	295-309
16.	आबकारी	310-318
17.	संस्थागत वित्त	319-323
18.	वाणिज्य कर/मनोरंजन कर	324-328
19.	स्टाम्प एवं निबन्धन	329-333
☐	**चतुर्थ खण्ड : कृषि एवं ग्राम्य विकास**	
20.	कृषि	334-356
21.	ग्राम्य विकास	357-374
22.	पंचायती राज	375-380
23.	सिंचाई एवं जल संसाधन	381-396
24.	पशुधन	397-412
25.	दुग्ध विकास	413-418
26.	मत्स्य विकास	419-426
27.	सहकारिता	427-433
28.	वन एवं वन्य जीव	434-444
29.	लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल	445-452

30.	उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण	453-469
31.	परती भूमि विकास	470-474
32.	ग्रामीण अभियंत्रण	475-476
☐	**पंचम खण्ड : सार्वजनिक सेवाएँ**	
33.	बेसिक शिक्षा	477-488
34.	माध्यमिक शिक्षा	489-497
35.	उच्च शिक्षा	498-503
36.	प्राविधिक शिक्षा	504-513
37.	चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण	514-528
38.	व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास	529-539
39.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	540-548
40.	आयुष	549-554
41.	परिवार कल्याण	555-568
42.	नगर विकास	569-579
43.	नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	580-582
44.	जल सम्पूर्ति	583-595
45.	आवास एवं शहरी नियोजन	596-608
46.	खाद्य एवं रसद तथा उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप	609-621
47.	उ.प्र. राज्य भण्डारण निगम	622-626
☐	**षष्ट खण्ड : लोक कल्याण**	
48.	समाज कल्याण	627-642
49.	अनुसूचित जनजाति कल्याण	643-652
50.	महिला कल्याण तथा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार	653-670
51.	अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक़्फ़	671-678
52.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	679-682
53.	दिव्यांगजन सशक्तिकरण	683-696
54.	सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास	697-703
55.	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण एवं राजनीतिक पेंशन	704-705
56.	श्रमिक कल्याण एवं सेवायोजन	706-721
57.	खेल	722-733
58.	प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण	734-740
☐	**सप्तम खण्ड : अवस्थापना विकास**	
59.	लोक निर्माण	741-749
60.	राज्य सम्पत्ति	750-752
61.	ऊर्जा	753-758
62.	अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत	759-762
63.	राज्य सड़क परिवहन	763-771
64.	नागरिक उड्डयन	772-775

☐	**अष्टम खण्ड : औद्योगिक विकास**	
65.	औद्योगिक विकास	776-785
66.	लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन	786-799
67.	सार्वजनिक उद्यम	800-801
68.	भूतत्व एवं खनिकर्म	802-805
69.	हथकरघा तथा वस्त्रोद्योग	806-814
70.	खादी एवं ग्रामोद्योग	815-823
71.	रेशम विकास	824-833
72.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	834-837
73.	गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग	838-843
74.	पर्यटन	844-852
75.	पर्यावरण	853-856
76.	उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	857-864
77.	सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स	865-884
78.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	885-895
☐	**नवम खण्ड : लोक प्रशासन**	
79.	कानून एवं व्यवस्था	896-906
80.	कारागार प्रशासन एवं सुधार	907-915
81.	न्याय प्रशासन	916-918
82.	लोक आयुक्त	919-921
83.	लोक सेवा प्रबन्धन	922
84.	सामान्य प्रशासन एवं प्रशासनिक सुधार	923-927
85.	होमगार्ड्स	928-929
86.	सचिवालय प्रशासन	930-932
87.	नियुक्ति एवं कार्मिक	933
88	अप्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ	934-935
89.	विधायी विभाग	936
☐	**दशम खण्ड : विविध**	
90.	संस्कृति	937-951
91.	राष्ट्रीय एकीकरण	952-954
92.	भाषा	955-966
93.	सूचना एवं प्रचार	967-986
94.	उ.प्र. नागरिक सुरक्षा संगठन	987-988
95.	धमार्थ कार्य	989-991
96.	भारत सरकार के संस्थान, संगठन एवं कार्यालय	992
☐	**एकादश खण्ड : जनपद एक नजर में**	
97	उत्तर प्रदेश के जनपद : एक नजर में	993-1027
☐	**द्वादश खण्ड : परिशिष्ट**	
98.	भारत के राष्ट्रपति	1028
99.	भारत के उपराष्ट्रपति	1029

100.	भारत के प्रधानमंत्री	1030
101.	उत्तर प्रदेश के राज्यपाल	1031
102.	उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री	1032-1033
103.	उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष	1034
104.	उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के सभापति	1035
105.	इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश	1036-1037
106.	उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य	1038
107.	उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय	1039-1041
108.	उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त	1042
109.	उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव	1043-1044
110.	भारत के मुख्य न्यायाधीश	1045-1046
111.	भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त	1047
112.	संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष	1048
113.	मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश	1049
114.	राज्य निर्वाचन आयुक्त	1050
115.	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त	1050
116.	उ.प्र. के समस्त निगम/आयोगों के अध्यक्ष	1051
117.	कमाण्डर इन चीफ/चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (थल सेना, नौ सेना, वायु सेना)	1052-1054
118.	केन्द्रीय मंत्रिमण्डल	1055-1056
119.	उत्तर प्रदेश से 16वीं लोक सभा के सदस्य	1057
120.	उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य	1058
121.	उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल	1059-1060
122.	उत्तर प्रदेश विधान सभा सदस्य	1061-1066
123.	उत्तर प्रदेश से विधान परिषद के सदस्य	1067-1068
124.	भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति	1069-1070
125.	नोबेल पुरस्कार विजेता (भारतीय)	1071-1072
126.	प्रमुख राष्ट्रीय पर्व एवं अन्तर्राष्ट्रीय दिवस	1073
127.	उ.प्र. विधानसभा की स्थायी समितियाँ	1074
128	उ.प्र. सरकार द्वारा वर्ष 2019 में सम्मानित हिन्दी साहित्यकार एवं विद्वान	1075
129.	ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत उत्तर प्रदेश के रचनाकार	1076
130.	यशभारती सम्मान	1076-1082
131.	उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बन्धित वेबसाइट्स	1083-1084

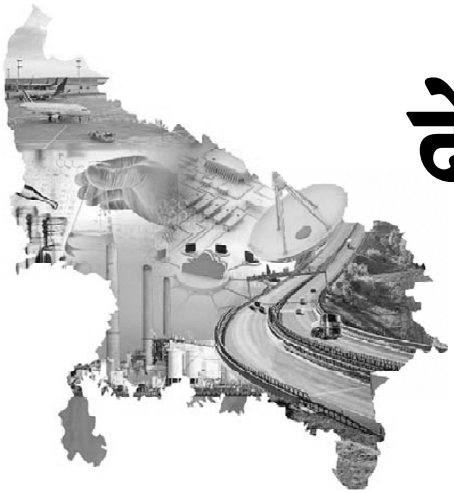

देश में अग्रणी...

- तीन वर्षों में 90 हजार करोड़ रुपये का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान।
- गन्ना एवं चीनी उत्पादन में देश में लगातार दूसरी बार प्रथम स्थान।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) में 30 लाख से अधिक आवास निर्मित/स्वीकृत कर उत्तर प्रदेश देश में प्रथम।
- गेहूँ, गन्ना, आलू, हरी मटर, दुग्ध, आम एवं आंवला उत्पादन में प्रथम स्थान।
- स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शौचालय (इज्जतघर) निर्माण में प्रथम स्थान।
- उज्ज्वला योजना के तहत 1.47 करोड़ परिवारों को गैस कनेक्शन देकर देश में प्रथम।
- सौभाग्य योजना में रिकार्ड विद्युत संयोजन के लिए उत्तर प्रदेश पुरस्कृत।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना में प्रथम स्थान।
- जनधन योजना लागू करने में प्रथम स्थान।
- 10 राज्यों में लागू ई-प्रासीक्यूशन प्रणाली के उपयोग में प्रदेश का प्रथम स्थान।
- डी.बी.टी. के माध्यम से किसानों को अनुदान के भुगतान में प्रथम स्थान।
- बी.एल.सी. घटक आवास निर्माण में प्रथम स्थान।
- अटल पेंशन योजना के क्रियान्वयन में देश में प्रथम।
- उत्तर प्रदेश द्वारा लागू डिजिटल भूमि प्रबन्धन को स्वर्ण पुरस्कार।
- सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए 01 करोड़ रु. का प्रोत्साहन पुरस्कार।
- सर्वाधिक तिलहन उत्पादन के लिए 02 करोड़ रु. का कृषि कर्मण पुरस्कार।
- एक जिला-एक उत्पाद (ओ.डी.ओ.पी.) योजना को मिली राष्ट्रीय पहचान।
- सर्वाधिक चिकित्सा शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं संचालन में पूरे देश में अग्रणी।

- सर्वाधिक 126.10 करोड़ ली. एथनॉल की वार्षिक उत्पादन व आपूर्ति क्षमता।
- मातृ मृत्यु दर में 30 प्रतिशत रिकार्ड गिरावट लाने के लिए एम.एम.आर. अवॉर्ड।
- मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य।
- सड़क व हवाई कनेक्टीविटी में सर्वश्रेष्ठ।
- ईज आफ डूइंग बिजनेस में एचीवर्स श्रेणी में उत्तर प्रदेश आया।
- 'स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण' में सर्वाधिक जन भागीदारी के लिये पुरस्कार।
- औद्योगीकरण के लिये भूमि उपलब्धता व आवंटन में शीर्ष 5 राज्यों में शामिल।
- स्वच्छ सर्वेक्षण-2019 में राष्ट्रीय स्तर पर 14 निकाय सम्मानित।
- सर्वश्रेष्ठ प्राफिट मेकिंग एस.टी.यू. के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार।
- स्टार्टअप रैकिंग के तहत एस्पायरिंग लीडर के रूप में पुरस्कार।
- वृक्षारोपण महाकुम्भ में 22.59 करोड़ पौधों का रोपण। प्रयागराज में निश्चित अवधि में 76824 निःशुल्क पौध वितरण कर 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड' में नाम दर्ज।
- उत्तर प्रदेश की 'द मिलियन फार्मर्स स्कूल' योजना को अभिनव प्रयाग मानते हुए इण्टरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वॉशिंगटन द्वारा अन्य देशों में लागू करने की अनुशंसा।
- ई-चालान व्यवस्था लागू कर उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना।
- माइक्रो एण्ड स्मॉल इण्टरप्राइजेज फैसिलिटेशन काउन्सिल का पुरस्कार।
- गणतन्त्र दिवस पर उत्तर प्रदेश की झांकी पुरस्कृत।
- दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को 05 राष्ट्रीय पुरस्कार।
- पोषण माह में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सोशल मीडिया कैटेगरी में सर्वोच्च पुरस्कार।
- आंगनबाड़ी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए 12 कार्यकर्त्रियाँ राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित।
- ई-मार्केट प्लेस 'जेम' (GeM) पोर्टल में जेम टॉप बायर पुरस्कार।
- कौशल विकास नीति लागू करने वाला पहला राज्य।
- ई-प्रोक्योरमेंट में प्रथम स्थान एवं 'बेस्ट परफार्मिंग स्टेट' पुरस्कार।
- ई-टेण्डरिंग प्रणाली के शत-प्रतिशत कार्योन्वयन हेतु पुरस्कार।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में 59 लाख लोगों का बीमा कराने का रिकार्ड।
- अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम में 05 लाख से अधिक दीप जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में नाम दर्ज।

●

उत्तर प्रदेश बजट

आय–व्ययक 2019–2020

निम्नलिखित विवरण-पत्र में आय-व्ययक अनुमान 2019-2020 की स्थिति का सारांश दिया गया है

(रु. करोड़ में)

मद	आय-व्ययक अनुमान 2018-2019	पुनरीक्षित अनुमान 2018-2019	आय-व्ययक अनुमान 2019-2020
1	2	3	4
प्रारम्भिक शेष	669.29	10173.49	8225.47
1.समेकित निधि			
(1) प्राप्तियाँ			
(क) राजस्व लेखे की प्राप्तियाँ-	348619.37	380021.72	391734.40
(ख) पूँजी लेखे की प्राप्तियाँ-			
(प) ऋणों से प्राप्तियाँ	67115.00	54338.46	**73268.48**
(पप) ऋणों और अग्रिमों की वसूलियाँ	5165.09	5165.09	5681.60
योग-(ख)- पूँजी लेखे की प्राप्तियाँ	72280.09	59503.55	78950.08
योग-(1)- प्राप्तियाँ	420899.46	439525.27	470684.48
(2) व्यय-			
(क) राजस्व लेखे का व्यय-	321520.27	332774.06	363957.04
(ख) पूँजी लेखे का व्यय-			
(प) पूँजीगत परिव्यय	74243.61	88528.15	77641.13
(पप) ऋणों का प्रतिदान	30546.74	20546.73	35374.48
(पपप) ऋण और अग्रिम	2073.90	7724.35	2728.45
योग-(ख)- पूँजी लेखे का व्यय	106864.25	116799.23	115744.06
योग-(2)- व्यय	428384.52	449573.29	479701.10
समेकित निधि में घाटा(-)/बचत(+)	(-) 7485.06	(-) 10048.02	(-) 9016.62
2- आकस्मिकता निधि (शुद्ध)	0.00	0.00	0.00
3- लोक लेखा (शुद्ध)	8100.00	8100.00	9500.00
समस्त लेन-देनों का शुद्ध परिणाम	614.94	(-) 1948.02	483.38
अन्तिम शेष	1284.23	8225.47	8708.85

भारतीय रिजर्व बैंक में राज्य के खाते के अनुसार।

वित्तीय वर्ष 2019-2020 के बजट के मुख्य बिन्दु

- प्रस्तुत बजट का आकार 4 लाख 79 हजार 701 करोड़ 10 लाख रुपये (4,79,701.10 करोड़ रुपये) है, जो वर्ष 2018-2019 के बजट के सापेक्ष 12 प्रतिशत अधिक है।
- बजट में 21 हजार 212 करोड़ 95 लाख रुपये (21,212.95 करोड़ रुपये) की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं।

कानून व्यवस्था

- प्रदेश के 36 नये थानों के निर्माण, पुलिसकर्मियों एवं पी.ए.सी. के प्रशिक्षण क्षमता में विस्तार तथा पुलिसकर्मियों के लिए बैरक निर्माण हेतु 700 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- पुलिस विभाग में टाइप-ए एवं टाइप-बी के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 700 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- प्रदेश में नवसृजित जनपदों में 07 पुलिस लाइनों के निर्माण हेतु 400 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- प्रदेश में 57 फायर स्टेशनों पर आवासीय तथा अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपयें का प्रावधान।
- पुलिस आधुनिकीकरण हेतु 204 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास

- सरकारी क्षेत्र की बन्द पड़ी चीनी मिलों के पुनर्संचालन हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- सहकारी क्षेत्र की बंद चीनी मिलों को पी.पी.पी. पद्धति से पुनर्संचालित किये जाने हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

कृषि एवं सहकारिता

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 892 करोड़ रुपये का प्रविधान।
- नेशनल क्रॉप इन्श्योरेंस प्रोग्राम हेतु 450 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- उर्वरकों के पूर्व भण्डारण योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 के बजट में 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- विपणन वर्ष 2019-2020 हेतु 1840 रुपये प्रति कुन्तल की दर से 6000 क्रय केन्द्रों के माध्यम से गेहूँ क्रय किया जाना प्रस्तावित।
- वर्ष 2019-2020 में 60.51 लाख कुन्तल बीज वितरण का लक्ष्य।
- इसी तरह 77.26 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य।

कृषि विपणन

- भण्डारण की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिये 40 मण्डी स्थलों में प्रत्येक 5 हजार मीट्रिक टन के भण्डार गृह राज्य भण्डारण निगम की पार्टनरशिप में निर्मित कराने का कार्य आरम्भ।
- प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में लग रहे 500 हाट-पैठ का विकास 150 करोड़ रुपये की लागत से मण्डी परिषद द्वारा कराए जाने का निर्णय।

पशुपालन एवं दुग्ध विकास

- प्रदेश में गौ वंश संवर्द्धन हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। इस हेतु पशपालन एवं दुग्ध विकास के अलावा अन्य विभागों का भी सहयोग लिया जा रहा है। प्रदेश में मदिरा की बिक्री पर विशेष फीस अधिरोपित की गई है जिससे प्राप्त होने वाले अनुमानित राजस्व 165 करोड़ रुपये का उपयोग प्रदेश के निराश्रित एवं बेसहारा गौ वंश के भरण-पोषण हेतु किया जायेगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में गौ वंश के रख-रखाव एवं गौशाला निर्माण कार्य हेतु 247.60 करोड़ रुपये।
- शहरी क्षेत्रों में **कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना** हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

- **पं. दीनदयाल उपाध्याय लघु डेयरी योजना** के संचालन हेतु 64 करोड़ रुपये की व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत 10 हजार इकाइयों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित।
- मथुरा में नई डेयरी की स्थापना हेतु 56 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
- **उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति, 2018** के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 के बजट में 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- दुग्ध संघों तथा समितियों का सुदृढ़ीकरण, पुनर्गठन एवं विस्तारीकरण, कृषक प्रशिक्षण, तकनीकी निवेश, पशु प्रजनन तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम योजनाओं हेतु 93 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

मत्स्य

- **मत्स्य पालक फण्ड** हेतु 25 करोड़ रुपये।
- **मत्स्य पालक विकास अभिकरण** को वित्तीय सहायता हेतु लगभग 8 करोड़ 82 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

ग्राम्य विकास

- **प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण** हेतु वर्ष 2019-2020 के बजट में 6,240 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना** के क्रियान्वयन हेतु 3,488 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- बुन्देलखण्ड, विन्ध्य क्षेत्र एवं गुणता प्रभावित ग्रामों में पाइप पेयजल योजना हेतु 3,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम** हेतु 2,954 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन** हेतु 1,393 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)** हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 के बजट में 429 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन** हेतु 224 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-2020 में 1008 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था विकास कार्यों हेतु एवं 201 करोड़ 60 लाख रुपये की व्यवस्था जी.एस.टी. के भुगतान हेतु प्रस्तावित।

पंचायती राज

- **स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण** हेतु 6,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 750 पंचायत भवनों का निर्माण कराये जाने हेतु 14 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **काँजी हाउस की स्थापना एवं पुनर्निर्माण** कराये जाने हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को खेल और रचनात्मक कार्यों के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु **युवक मंगल दल योजना** के लिए 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

लघु सिंचाई

- **निःशुल्क बोरिंग योजना** हेतु 55 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **मध्यम गहरे नलकूप योजना** के अंतर्गत 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में सिंचाई हेतु **सामुदायिक ब्लास्ट कूपों** के निर्माण तथा जीर्णोद्धार हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास

- **एक्सप्रेस-वे** के निर्माण के लिए कुल 3194 करोड़ रुपये की व्यवस्था, जिसमें **पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे** हेतु 1194 करोड़ रुपये, **बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे** हेतु 1,000 करोड़ रुपये तथा **गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे** हेतु 1,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे** के साथ **डिफेन्स कॉरिडोर** विकसित किये जाने के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 500 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
- **आगरा-लखनऊ प्रवेश नियंत्रित 06 लेन एक्सप्रेस-वे (ग्रीन फील्ड) परियोजना** के सुदृढ़ीकरण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- **अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012** के क्रियान्वयन हेतु 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- नई औद्योगिक नीति "**औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति, 2017**" हेतु 482 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003** हेतु 120 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- **औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना, 2012** हेतु 180 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग

- **एक जनपद एक उत्पाद योजना** हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- प्रदेश में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु **मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना** हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
- प्रदेश के परंपरागत कारीगरों यथा- बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, नाई, मोची, राजमिस्त्री के उत्थान के लिए **विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना** प्रारम्भ की गई है जिसके लिये 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2017** के क्रियान्वयन हेतु 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग

- पावरलूम बुनकरों को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराये जाने हेतु 150 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
- **उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल्स एण्ड गारमेंटिंग पॉलिसी, 2017** हेतु 50 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

खादी एवं ग्रामोद्योग

- **मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना** हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- प्रदेश में मिट्टी के कार्य करने वाले शिल्पियों के परम्परागत व्यवसाय को नवाचार के माध्यम से संरक्षित एवं सवंर्द्धित करने हेतु **उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड** का गठन किया गया है। माटी कला समन्वित विकास कार्यक्रम के संचालन हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- "**आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन**" योजना हेतु 1,298 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना** हेतु 291 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन योजना की सुविधा से वंचित पात्र लाभार्थियों के लिये राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से आच्छादित करने हेतु 111 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

- प्रदेश के जनपदों में 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालयों की स्थापना हेतु 47 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था।

चिकित्सा शिक्षा

- प्रदेश के चिह्नित जिला चिकित्सालयों को मेडिकल कॉलेजों में उच्चीकृत किये जाने की योजना के अंतर्गत 908 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ के विभिन्न कार्यों हेतु 907 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
- जनपद बलरामपुर में किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ के सेटेलाइट सेण्टर की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- एस.जी.पी.जी.आई. लखनऊ के विभिन्न कार्यों हेतु 854 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
- डॉ. राम मनोहर लोहिया संस्थान के विभिन्न कार्यों हेतु 396 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान, सैफई हेतु 357 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- कैंसर संस्थान, लखनऊ के विस्तार एवं विकास हेतु 248 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- प्रदेश में एक आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

नागरिक उड्डयन

- प्रदेश में हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण हेतु 1000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- जेवर एयरपोर्ट हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- अयोध्या में एयरपोर्ट हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 तथा रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत वायुसेवा उपलब्ध कराये जाने हेतु 150 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।

वन एवं पर्यावरण

- इस वर्ष मनरेगा वित्त पोषित वृक्षारोपण की 3 नई योजनाएं **''मुख्यमंत्री सामुदायिक वानिकी योजना,'' ''मुख्यमंत्री फलोद्यान योजना'' एवं ''मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना''** प्रारम्भ की गई हैं।
- **उत्तर प्रदेश प्रतिकारात्मक वनरोपण निधि प्रबन्ध योजना** के क्रियान्वयन हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- 22 करोड़ पौध रोपण का लक्ष्य।

राजस्व

- वित्तीय वर्ष 2019-2020 में प्रदेश के विभिन्न मण्डलों, जनपदों तथा तहसीलों के अनावासीय तथा आवासीय भवनों के चालू निर्माण कार्य, नवनिर्माण एवं पुनर्निर्माण तथा भूमि क्रय एवं भवनों के रख-रखाव हेतु 237.95 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **आपदा मोचन निधि** में 1820 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना** हेतु 845 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

लोक निर्माण

- वित्तीय वर्ष 2019-2020 में लोक निर्माण विभाग के अधीन सड़कों के निर्माण हेतु 13,135 करोड़ रुपये की व्यवस्था तथा सड़कों के अनुरक्षण हेतु 3,522 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- पुलों के निर्माण एवं रख-रखाव हेतु 2,100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

- ग्रामों तथा बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2019-2020 में कुल 850 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित मार्गों एवं अन्य महत्त्वपूर्ण मार्गों का चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण किया जाना है। इसके लिए वर्ष 2019-2020 में 1,174 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- वित्तीय वर्ष 2019-2020 में केन्द्रीय मार्ग निधि योजना हेतु 2,010 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित **उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना** के अन्तर्गत मार्ग निर्माण कार्यों हेतु 350 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- एशियन डेवलपमेन्ट बैंक की सहायता से प्रस्तावित **उत्तर प्रदेश मुख्य जिला विकास परियोजना** के अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु 614 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- नाबार्ड वित्त पोषित **आर.आई.डी.एफ. योजना** के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में मार्गों के नवनिर्माण, चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण एवं सेतुओं के निर्माण हेतु 702 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
- **विशेष क्षेत्र कार्यक्रम** के अन्तर्गत पूर्वांचल की विशेष योजनाओं हेतु 300 करोड़ रुपये तथा बुंदेलखण्ड की विशेष योजनाओं के लिए 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

सिंचाई

- **मध्य गंगा नहर योजना-द्वितीय चरण** हेतु 1,727 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- **सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना** के कार्यों हेतु 1812.56 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **अर्जुन सहायक परियोजना** हेतु 953 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **सरयू नहर परियोजना फेज-3 समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्ध कार्यक्रम** हेतु 500 करोड़ रुपये तथा **अर्जुन नहर परियोजना समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्ध कार्यक्रम** हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी परियोजनाओं हेतु 1100.61 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **कनहर सिंचाई परियोजना** हेतु 500 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
- **बाण सागर परियोजना** हेतु 122 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

आवास एवं शहरी नियोजन

- अवस्थापना सुविधाओं के विकास संबंधी कार्यों हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **कानपुर मेट्रो रेल परियोजना तथा आगरा मेट्रो रेल परियोजना** हेतु 175-175 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- **वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, प्रयागराज एवं झाँसी में मेट्रो रेल परियोजनाओं** के प्रारम्भिक कार्यों हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- **दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना** हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

नगर विकास

- **प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)** हेतु 5,156 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **अमृत योजना** हेतु 2,200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- **स्मार्ट सिटी मिशन योजना** हेतु 2,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- **स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)** योजना हेतु 1,500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **'मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना** हेतु 426 करोड़ रुपये

की व्यवस्था प्रस्तावित।

- **पं. दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना** हेतु 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

नियोजन

- बुंदेलखण्ड की विशेष योजनाओं के लिए वर्ष 2019-2020 में रुपये 810 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **त्वरित आर्थिक विकास योजना** के लिए 1,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

बेसिक शिक्षा

- **समग्र शिक्षा अभियान** हेतु 18,485 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- **मध्याह्न भोजन कार्यक्रम** हेतु 2,275 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क 01 जोड़ी जूता, 02 जोड़ी मोजा तथा 01 स्वेटर उपलब्ध कराये जाने हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क यूनीफॉर्म वितरण हेतु 40 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
- वनटांगिया ग्रामों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- वित्तीय वर्ष 2019-2020 में स्कूल बैग वितरण हेतु 110 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

माध्यमिक शिक्षा

- सैनिक स्कूलों की स्थापना हेतु 26 करोड़ 57 लाख रुपये की व्यवस्था।
- राजकीय इण्टर कॉलेजों (बालक तथा बालिका) की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- संस्कृत की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संस्कृत पाठशालाओं को सहायक अनुदान उपलब्ध कराये जाने के लिए 242 करोड़ रुपये की व्यवस्था तथा सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान हेतु 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

उच्च शिक्षा

- समस्त कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में वाई-फाई की सुविधा योजना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान** के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों हेतु 160 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में **''गुरु श्री गोरक्षनाथ शोधपीठ''** की अवस्थापना मदों के लिये 63 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में **अटल सुशासन पीठ** की स्थापना हेतु 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में डी.ए.वी, कॉलेज, कानपुर में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- सहारनपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- संस्कृत की उच्च शिक्षा हेतु काशी विद्यापीठ को अनुदान दिये जाने के लिये 21 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

- सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय हेतु 21 करोड़ 51 लाख रुपये की व्यवस्था।

प्राविधिक शिक्षा

- **भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ** की स्थापना पी.पी.पी. मोड के अन्तर्गत की जा रही है। इसके लिए वर्ष 2019-2020 के बजट में 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- जनपद मिर्जापुर एवं प्रतापगढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना हेतु क्रमशः 8 करोड़ रुपये एवं 4 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था।
- **हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर** के सुदृढ़ीकरण एवं विकास हेतु 11 करोड़ रुपये की व्यवस्था।

महिला एवं बाल कल्याण

- बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में वृद्धि करने तथा उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने तथा महिलाओं के प्रति सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाने एवं उनके प्रति सम्मान भाव जागृत करने के उद्देश्य से आगामी वित्तीय वर्ष से **कन्या सुमंगला योजना** लाई जा रही है। इसके लिए 1200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।
- **पुष्टाहार कार्यक्रम** हेतु 4,004 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण तथा उनके बच्चों की शिक्षा हेतु अनुदान** की मद में 1,410 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
- आँगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को मानदेय के भुगतान हेतु 1,988 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **नेशनल न्यूट्रिशन मिशन** हेतु 335 करोड़ रुपये तथा **शबरी संकल्प अभियान** हेतु 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था।
- **किशोरी बालिका योजना** हेतु 156 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- **महिला सम्मान कोष** हेतु 103 करोड़ 70 लाख रुपये की व्यवस्था।

समाज कल्याण

- **विभिन्न वर्गों के निर्धन छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना** हेतु कुल 4,433 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। इसमें अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं हेतु 2037 करोड़ रुपये, पिछड़ा वर्ग हेतु 1516 करोड़ रुपये, सामान्य वर्ग हेतु 850 करोड़ रुपये तथा अनुसूचित जनजाति हेतु 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था सम्मिलित।
- **वृद्धावस्था एवं किसान पेंशन योजना** के अन्तर्गत 2,579 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु सभी वर्गों के लिये **मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना** हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **राष्ट्रीय परिवारिक लाभ योजना** के अन्तर्गत 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

पिछड़ा वर्ग कल्याण

- **शुल्क प्रतिपूर्ति योजना** के अन्तर्गत बजट में 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

अल्पसंख्यक कल्याण

- अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना हेतु 942 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- अरबी-फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण हेतु 459 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

दिव्यांगजन कल्याण

- दिव्यांगों को भरण-पोषण अनुदान हेतु 621 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित।

- कुष्ठावस्था विकलांग भरण-पोषण अनुदान हेतु 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- **मानसिक, मंदित आश्रय गृह** स्थापित कराये जाने की योजना है। तीन केन्द्र स्थापित हैं तथा 07 केन्द्रों की स्थापना हेतु 18 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

धर्मार्थ कार्य

- जनपद वाराणसी स्थित **श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण योजना** के क्रियान्वयन हेतु श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद का गठन किया गया है। गंगा तट से विश्वनाथ मंदिर तक मार्ग के विस्तारीकरण एवं सौन्दर्यीकरण हेतु 207 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में **''वैदिक विज्ञान केन्द्र''** की स्थापना हेतु 16 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

संस्कृति

- मथुरा-वृन्दावन के मध्य ऑडिटोरियम के निर्माण हेतु 8 करोड़ 38 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- सार्वजनिक रामलीला स्थलों में चहारदीवारी निर्माण हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- वृन्दावन शोध संस्थान के सुदृढ़ीकरण हेतु 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

पर्यटन

- उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ में अवस्थापना सुविधाओं हेतु 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- अयोध्या के प्रमुख पर्यटन स्थलों के समेकित विकास हेतु 101 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।
- गढ़ मुक्तेश्वर के पर्यटन स्थलों के समेकित विकास हेतु 27 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- पर्यटन नीति-2018 के क्रियान्वयन हेतु 70 करोड़ रुपये तथा प्रो-पुअर टूरिज्म के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- इसके अलावा प्रयागराज में ऋषि भारद्वाज आश्रम एवं श्रृंगवेरपुर धाम, विन्ध्याचल एवं नैमिषारण्य का विकास, बौद्ध परिपथ में सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर, कपिलवस्तु, कौशाम्बी एवं संकिसा का विकास, शाकुम्भरी देवी एवं शुक्रताल का विकास, राजापुर चित्रकूट में तुलसी पीठ का विकास, बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्थल एवं चित्तौरा झील का विकास तथा लखनऊ में बिजली पासी किले का विकास किया जाना प्रस्तावित है।

न्याय

- प्रदेश के नवसृजित जनपदों एवं नवसृजित न्यायालयों मे आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण के लिये भूमि अधिग्रहण हेतु 1,075 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- माननीय उच्च न्यायालय, प्रयागराज में मल्टीलेवेल पार्किंग एवं एडवोकेट चैम्बर के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 के बजट में 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था।
- वाणिज्यिक विवादों के शीघ्र निस्तारण हेतु कॉमर्शियल कोर्ट्स के संचालन के लिये 10 करोड़ 86 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित।

राजकोषीय सेवाएं

राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्द्धित कर

- राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा 'मूल्य संवर्द्धित कर' से राजस्व प्राप्ति का अनुमान 77 हजार 640 करोड़ रुपये निर्धारित।

आबकारी शुल्क

- आबकारी शुल्क से राजस्व प्राप्ति का अनुमान 31 हजार 517 करोड़ 41 लाख रुपये।

स्टाम्प एवं पंजीकरण

- स्टाम्प एवं पंजीकरण से 19 हजार 179 करोड़ रुपये की प्राप्ति अनुमानित।

वाहन कर

- वाहन कर से 7 हजार 863 करोड़ रुपये की प्राप्ति अनुमानित।

प्राप्तियाँ

- वर्ष 2019-2020 में 04 लाख 70 हजार 684 करोड़ 48 लाख रुपये (4,70,684.48 करोड़ रुपये) की कुल प्राप्तियाँ अनुमानित।
- कुल प्राप्तियों में 03 लाख 91 हजार 734 करोड़ 40 लाख रुपये (3,91,734.40 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्तियाँ तथा 78 हजार 950 करोड़ 08 लाख रुपये (78,950.08 करोड़ रुपये) की पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।
- राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 02 लाख 93 हजार 39 करोड़ 17 लाख रुपये (2,93,039.17 करोड़ रुपये) है। इसमें स्वयं का 'कर' राजस्व 01 लाख 40 हजार 176 करोड़ रुपये (1,40,176 करोड़ रुपये) तथा केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 01 लाख 52 हजार 863 करोड़ 17 लाख रुपये (1,52,863.17 करोड़ रुपये) सम्मिलित है।

व्यय

- कुल व्यय 04 लाख 79 हजार 701 करोड़ 10 लाख रुपये (4,79,701.10 करोड़ रुपये) अनुमानित।
- कुल व्यय में 03 लाख 63 हजार 957 करोड़ 04 लाख रुपये (3,63,957.04 करोड़ रुपये) राजस्व लेखे का व्यय है तथा 1 लाख 15 हजार 744 करोड़ 06 लाख रुपये (1,15,744.06 करोड़ रुपये) पूँजी लेखे का व्यय है।

राजस्व बचत

- वर्ष 2019-2020 में 27 हजार 777 करोड़ 36 लाख रुपये (27,777.36 करोड़ रुपये) की राजस्व बचत अनुमानित है।

राजकोषीय घाटा

- वित्तीय वर्ष 2019-2020 में 46 हजार 910 करोड़ 62 लाख रुपये (46,910.62 करोड़ रुपये) का राजकोषीय घाटा अनुमानित है जो वर्ष 2019-2020 के लिये अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.97 प्रतिशत है।
- राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 29.98 प्रतिशत अनुमानित।

समेकित निधि

- समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात 09 हजार 16 करोड़ 62 लाख रुपये (9,016.62 करोड़ रुपये) का घाटा अनुमानित।

लोक लेखा

- लोक लेखे से 09 हजार 500 करोड़ रुपये (9,500 करोड़ रुपये) की शुद्ध प्राप्तियाँ अनुमानित।

समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम

- वर्ष 2019-2020 में समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम 483 करोड़ 38 लाख रुपये (483.38 करोड़ रुपये) अनुमानित।

अन्तिम शेष

- वर्ष 2019-2020 में प्रारम्भिक शेष 08 हजार 225 करोड़ 47 लाख रुपये (8,225.47 करोड़ रुपये) को हिसाब में लेते हुए अन्तिम शेष 8 हजार 708 करोड़ 85 लाख रुपये (8,708.85 करोड़ रुपये) होना अनुमानित।

●

उत्तर प्रदेश : एक नजर में

भौगोलिक विशेषताएँ

क्षेत्रफल	- 2,40,928 वर्ग किमी.
प्रमुख नदियाँ	- गंगा, यमुना, रामगंगा, राप्ती (अचिरावती), गोमती, घाघरा (सरयू), बेतवा और केन
राजधानी	- लखनऊ
सीमावर्ती प्रदेश/देश	- उत्तराखण्ड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखण्ड, बिहार और नेपाल

मौसम

ग्रीष्म	वर्षा	शीत
मार्च से जून तक	मध्य जून से सितम्बर तक	अक्टूबर से फरवरी तक

प्रमुख फसलें- धान, गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्द, मूँग, अरहर, चना, गन्ना आदि।

प्रमुख फल- आम, अमरूद।

प्रमुख खनिज- चूना, पत्थर, डोलोमाइट, सिलिका सैन्ड, पाइरोफिलाइट, डायस्पोर, बाक्साइट तथा राक फास्फेट

प्रमुख उद्योग- सीमेन्ट, वनस्पति तेल, सूती कपड़ा, सूती धागा, चूड़ी व काँच उद्योग, चीनी, जूट एवं कालीन।

प्रमुख हस्तशिल्प- चिकन का काम, जरी का काम, लकड़ी के खिलौने व फर्नीचर, मिट्टी के खिलौने, कालीन, सिल्क तथा पीतल का काम।

प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल- पिपरहवा, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ (वाराणसी), कुशीनगर, चित्रकूट, लखनऊ, आगरा, झाँसी, मेरठ आदि।

प्रमुख धार्मिक तीर्थस्थल- काशी, प्रयाग, अयोध्या, मथुरा, नैमिषारण्य, शक्तिपीठ विन्ध्यवासिनी देवी मंदिर, देवीपाटन, देवाशरीफ, हस्तिनापुर, चित्रकूट, शाहजहाँपुर- "हनुमतधाम" आदि।

प्रमुख लोकगीत- बिरहा, चैती, कजरी, फाग, रसिया, आल्हा, पूरन भगत, भर्तृहरि।

प्रमुख लोकनृत्य- चरकुला, करमा, पंडव, पाईडण्डा, थारू, धोबिया, राई और शैरा आदि।

जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)

सकल जनसंख्या	-	199,812,341
जनसंख्या का घनत्व	-	829 प्रति वर्ग किमी.
महिलाएँ	-	95,331,831
पुरुष	-	104,480,510
स्त्री-पुरुष अनुपात	-	912:1000
ग्रामीण	-	15.53 करोड़
नगरीय	-	4.45 करोड़
दशकीय वृद्धि	-	20.23 प्रतिशत

*प्रशासनिक इकाइयाँ

मण्डल	(2017-18)	18
जनपद	-	75
तहसील	-	350
नगर एवं नगर समूह	-	915
सामुदायिक विकास खण्ड	-	821
न्याय पंचायतें	-	8,135
ग्राम पंचायत	-	59,073
आबाद ग्राम	-	97,814
कुल ग्राम	-	106,774
नगर पंचायत	-	438
नगर निगम	-	17
नगर पालिका परिषद	-	198

साक्षरता

सकल	67.7%
पुरुष	77.3%
स्त्री	57.2%
ग्रामीण	65.5%
नगरीय	75.1%

कर्मकर (कुल कर्मकरों में प्रतिशत - 2011)

कृषक	29.0%
कृषि श्रमिक	30.3%
पारिवारिक उद्योग धन्धों में लगे कर्मकर	5.9%
अन्य कार्यों में लगे कर्मकर	34.8%

राज्य आय (2017-18)

कुल आय [प्रचलित भावों पर] - 1224672 करोड़ रुपये।

प्रति व्यक्ति आय [प्रचलित भावों पर] - 55456 रुपये।

औद्योगिक स्रोतानुसार राज्य आय का प्रतिशत अंश [2011-12 के भावों पर]

प्राथमिक खण्ड 2017-18	25.6%
माध्यमिक खण्ड 2017-18	25.9%
तृतीयक खण्ड 2017-18	48.5%

वानिकी

वनों के प्रकार : तराई के नम क्षेत्र वाले वन, विन्ध्य के शुष्क जलवायु के वन, बीहड़ व भाभर वन सामाजिक तथा पंचायती वन

वन्य जीव विहार (2017)	26
राष्ट्रीय उद्यान (2017)	1
प्राणि उद्यान (2017)	3
कुल वृक्षावरण एवं वनावरण	22121 वर्ग किमी.

प्रमुख वन्य जीव : बाघ, जंगली हाथी, गैंडा, बारहसिंगा, हिरन, सुइस (डाल्फिन), घड़ियाल, अजगर एवं 650 प्रजातियों के पक्षी।

कृषि

शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल (2014-15)		16,598 हजार हेक्टेयर
कुल बोया गया क्षेत्रफल	"	26,147 हजार हेक्टेयर

उत्पादन (हजार मी0 टन)

खाद्यान्न	(2016-17)*	55,747
दालें	"	2,395
तिलहन	"	1,029
गन्ना	"	1,56,949
आलू	"	13,956

सिंचाई (2014-15)

शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल (2014-15)	14,389 हजार हेक्टेयर
सकल सिंचित क्षेत्रफल (2014-15)	20,965 हजार हेक्टेयर
कुल सृजित सिंचन क्षमता (2015-16)*	36,700 हजार हेक्टेयर
सिंचन क्षमता कुल उपयोग (2015-16)*	24,693 हजार हेक्टेयर
विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण	
(क) नहर (2014-15)	17.2%
(ख) नलकूप	70.8%
(ग) तालाब, झील, पोखर तथा कुँआ (अनुमानित)	1.3%
(घ) अन्य	0.5%

*अनुमानित उपलब्ध

परिवहन एवं संचार

लोक निर्माण विभाग		
द्वारा संधृत पक्की सड़कें (2017-18)		234581 किमी0
कुल पंजीकृत मोटर गाड़ियाँ 2017-18		29394816
राजकीय बसें	2017-18	11,947
कार्यरत टेलीफोन	2017-18	5,68,962
डाकघर	2017-18	17,671
दूरदर्शन केन्द्र		3
आकाशवाणी केन्द्र		13

#अनुबन्धित बसें भी सम्मिलित हैं

शिक्षा (2017-18)

प्राथमिक विद्यालय	1,64,319
उच्च प्राथमिक विद्यालय	80,583
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	25,896
महाविद्यालय	6,681
विश्वविद्यालय	45
पालीटेक्निक	155
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	337
राजकीय इंजीनियरिंग कालेज	12
निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग कालेज	222
मेडिकल कालेज	18
कृषि विश्वविद्यालय	3

*नर्सिंग/फार्मेसी/आयुर्वेदिक/होम्यो/यूनानी कालेज सम्मिलित नहीं हैं।

सहकारिता (2017-18)

प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ	7,479
जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक	50
उ. प्र. राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम विकास बैंक (शाखाएँ)	323

संयुक्त स्कन्ध कम्पनियाँ तथा बैंकिंग

संयुक्त स्कन्ध कम्पनी (2017-18)	
(क) कार्यरत कम्पनी कुल	70,135
(ख) अनुसूचित व्यावसायिक बैंक शाखाएँ	16,913

उद्योग (2017-18)

31 मार्च को उद्योग निदेशालय में निबन्धित औद्योगिक इकाइयों की संख्या	118627
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (2017-18) (2004-05=100)	137.89 प्रतिशत
इच्छा पत्र की संख्या (2017-18) जारी किये गये	7718

विद्युत (2017-18)

अधिष्ठापित क्षमता	7,159 मेगावाट
उत्पादन	3305 करोड़ कि.वा./घंटा
प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग	399 कि.वा./घंटा
विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या (2017-18)	97,814
राजस्व वसूली दक्षता	90 प्रतिशत

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

# जन्मदर (प्रति हजार जनसंख्या पर) (2016)	26.2 प्रति हजार
मृत्यु दर (प्रति हजार जनसंख्या पर) (2016)	6.9 प्रति हजार
एलोपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय (2017-18)	5117
आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय एवं औषधालय (2017-18)	2,370
होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय (2017-18)	1,575

परिवार कल्याण (2017-18)

अनुर्वरीकरण (हजार) पुरुष	3.96
(हजार) महिला	255.05
लूप निवेशन (हजार)	1043.89

जनप्रतिनिधि

उत्तर प्रदेश से लोक सभा सदस्य	80
उत्तर प्रदेश से राज्य सभा सदस्य	31
उत्तर प्रदेश के विधान सभा सदस्य	404
उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सदस्य	100

स्रोत : नियोजन विभाग (उ.प्र.)
*अनन्तिम

जिलों का क्षेत्रफल, जनसंख्या और मुख्यालय

(2011 की जनगणना के अनुसार)

क्र.सं.	जिला	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	जनसंख्या	मुख्यालय
1.	आगरा	4,041	44,18,797	आगरा
2.	अलीगढ़	3,650	36,73,889	अलीगढ़
3.	प्रयागराज	5,482	59,54,391	प्रयागराज
4.	आजमगढ़	4,054	46,13,913	आजमगढ़
5.	बहराइच	5,237	34,87,731	बहराइच
6.	बलिया	2,981	32,39,774	बलिया
7.	बांदा	4,408	17,99,410	बांदा
8.	बाराबंकी	4,402	32,60,699	बाराबंकी
9.	बरेली	4,120	44,48,359	बरेली
10.	बस्ती	2,688	24,64,464	बस्ती
11.	बिजनौर	4,561	36,82,713	बिजनौर
12.	बदायूँ	4,234	31,27,621	बदायूँ
13.	बुलंदशहर	4,512	34,99,171	बुलंदशहर
14.	देवरिया	2,540	31,00,946	देवरिया
15.	एटा	2,431	17,74,480	एटा
16.	इटावा	2,311	15,81,810	इटावा
17.	अयोध्या	2,341	24,70,996	अयोध्या
18.	अम्बेडकरनगर	2,350	23,97,888	अकबरपुर
19.	फतेहपुर	4,152	26,32,733	फतेहपुर
20.	फर्रुखाबाद	2,181	18,85,204	फतेहगढ़
21.	गाजियाबाद	910	33,43,334	गाजियाबाद
22.	गौतमबुद्ध नगर	1,282	16,48,115	नोएडा
23.	गाजीपुर	3,377	36,20,268	गाजीपुर
24.	गोंडा	4,003	34,33,919	गोंडा
25.	गोरखपुर	3,321	44,40,895	गोरखपुर
26.	हमीरपुर	4,021	11,04,285	हमीरपुर
27.	हरदोई	5,986	40,92,845	हरदोई
28.	जालौन	4,565	16,89,974	उरई
29.	जौनपुर	4,038	44,94,204	जौनपुर
30.	झांसी	5,024	19,98,603	झांसी
31.	कानपुर देहात	3,021	17,96,184	अकबरपुर माती
32.	कानपुर (नगर)	3,155	45,81,268	कानपुर
33.	लखीमपुर खीरी	7,680	40,21,243	खीरी
34.	ललितपुर	5,039	12,21,592	ललितपुर
35.	लखनऊ	2,528	45,89,838	लखनऊ
36.	मैनपुरी	2,760	18,68,529	मैनपुरी
37.	मथुरा	3,340	25,47,184	मथुरा
38.	मेरठ	2,559	34,43,689	मेरठ

39.	मिर्जापुर	4,405	24,96,970	मिर्जापुर
40.	मुरादाबाद	2,271	31,26,507	मुरादाबाद
41.	मुज़फ्फरनगर	2,796	28,29,865	मुजफ्फरनगर
42.	पीलीभीत	3,686	20,31,007	पीलीभीत
43.	प्रतापगढ़	3,717	32,09,141	प्रतापगढ़
44.	रायबरेली	4,043	29,03,507	रायबरेली
45.	रामपुर	2,367	23,35,819	रामपुर
46.	अमरोहा	2,249	18,40,221	अमरोहा
47.	सहारनपुर	3,689	34,66,382	सहारनपुर
48.	शाहजहांपुर	4,388	30,06,538	शाहजहांपुर
49.	सीतापुर	5,743	44,83,992	सीतापुर
50.	उन्नाव	4,558	31,08,367	उन्नाव
51.	सुल्तानपुर	2,673	24,31,491	सुल्तानपुर
52.	वाराणसी	1,535	36,76,841	वाराणसी
53.	मऊ	1,713	22,05,968	मऊ
54.	सिद्धार्थनगर	2,895	25,59,297	नवगढ़
55.	फिरोजाबाद	2,407	24,98,156	फिरोजाबाद
56.	सोनभद्र	6,905	18,62,559	राबर्ट्सगंज
57.	महाराजगंज	2,952	26,84,703	महाराजगंज
58.	संत रविदास नगर	1,015	15,78,213	भदोही
59.	महोबा	3,144	8,75,958	महोबा
60.	हाथरस	1,840	15,64,708	हाथरस
61.	कौशांबी	1,779	15,99,596	मंझनपुर
62.	कुशीनगर	2,905	35,64,544	पडरौना
63.	चंदौली	2,541	19,52,756	चंदौली
64.	बलरामपुर	3,349	21,48,665	बलरामपुर
65.	श्रावस्ती	1,640	11,17,361	श्रावस्ती
66.	चित्रकूट	3,216	9,91,730	चित्रकूट
67.	बागपत	1,321	13,03,048	बागपत
68.	कन्नौज	2,093	16,56,616	कन्नौज
69.	औरैय्या	2,016	13,79,545	औरैय्या
70.	संत कबीर नगर	1,646	17,15,183	खलीलाबाद
71.	कासगंज	1,955	14,36,719	कांशीराम नगर
72.	अमेठी	2,329	18,67,678	गौरीगंज
73.	शामली	1,212	13,13,647	शामली
74.	हापुड़	660	13,38,311	हापुड़
75.	संभल	2,453	21,99,774	सम्भल
		2,40,928	**19,98,12,341**	

स्रोतः सांख्यिकीय डायरी उ.प्र. 2018

उत्तर प्रदेश

(परिचय, प्राकृतिक, भौगोलिक स्थिति तथा जनगणना)

उत्तर प्रदेश एक भौगोलिक इकाई ही नहीं, संस्कृतियों का संगम भी है और गंगा-जमुनी संस्कृति का एक अनूठा प्रतीक। इसीलिए वह एक विशिष्ट जीवन शैली, व्यवहार, चिंतन परंपरा, ऐतिहासिकता, सहिष्णुता, सार्थक सकारात्मक प्रतिद्वन्द्विता, विचार-विनिमय व मनुष्य के हक की लड़ाई का केन्द्र भी है। विविधता में एकता तथा 'जियो और जीने दो' का व्यावहारिक स्वरूप यहाँ की पहचान है।

देश की स्वाधीनता की पहली लड़ाई यहीं की जनता, किसान, मजदूरों ने लड़ी और स्वाधीनता के बाद उत्तर प्रदेश ने नाम हासिल किया। इससे पहले इस क्षेत्र के अनेक नाम रहे। ईसा से छह शताब्दी पहले भारत के 16 महाजनपद थे जिनमें आठ– काशी, कोशल, मल्ल, चेदि, वत्स, कुरु, पांचाल और शूरसेन इसी क्षेत्र में थे, वे अब उत्तर प्रदेश हैं। कोशलों की पहली राजधानी अयोध्या थी, फिर श्रावस्ती हुई। कपिलवस्तु इसी जनपद में था। बाद में कुछ क्षेत्र अवध, कान्यकुब्ज, काशी आदि नाम से जाने जाते रहे और कभी रुहेलखण्ड, बुन्देलखण्ड, अवध आदि। अंग्रेजों की अमलदारी में इसका नाम पड़ा– 'संयुक्त प्रान्त' आगरा व अवध। यह 'संयुक्त' ही इसका सही नाम लगता है– मिला-जुला, सबका शामिल प्रान्त, संयुक्त संस्कृतियों का क्षेत्र।

सन् 1857 के स्वाधीनता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने जिस प्रकार के दमन और अत्याचार किए उससे चंगेज़ खाँ और नादिरशाह भी शरमा जाते। सैकड़ों लोगों को फाँसी पर लटका दिया गया, हजारों का कत्ल कर दिया गया, गाँव के गाँव फूँक दिये गये, शहरों और कस्बों में कहर ढाए गये, पर स्वाधीनता की ललक और संकल्प में कोई अन्तर नहीं आया।

उत्तर प्रदेश का इतिहास वास्तव में राष्ट्रीय एकीकरण और शांति-पूर्ण सह-अस्तित्व का इतिहास है। यहाँ बौद्ध, जैन, इस्लाम, सिख एवं सनातन सभी धर्मों के अनुयायी एक साथ रहे और एक-दूसरे के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व धार्मिक जीवन को प्रभावित, समृद्ध करते रहे। हिन्दू कवियों ने कर्बला पर मर्सिये लिखे, मुसलमान कवियों ने राम और कृष्ण के गीत गाये।

विचारों और जीवन-शैली का प्रभाव वेशभूषा, खान-पान, भाषा, संगीत, कला, वास्तुकला पर भी पड़ा। सूफियों ने भी भक्त कवियों का साथ दिया, कहा कि 'ईश्वर एक है, उसे चाहे जिस नाम से पुकारो।' लखनऊ, आगरा, देवां, रुदौली, बरेली, बहराइच, इलाहाबाद व अन्य अनेक स्थानों पर दरगाहों में लाखों हिन्दू आज भी जाते हैं; होली, ईद, दीवाली सभी मिलकर मनाते हैं। समन्वय की यह प्रक्रिया वास्तुकला तक में देखी जा सकती है। पन्द्रहवीं शताब्दी के आरम्भ की जौनपुर की अटाला मस्जिद, सीकरी का पंचमहल, सिकन्दरा में अकबर की कब्र, सभी में बौद्ध विहारों की झलक दिखाई देती है। आगरा के दीवान-ए-खास में विष्णु के सिंहासन की झलक देखी जा सकती है। कमल, कलश, जंजीर और घंटा आदि, जिन्हें हिन्दू वास्तुकला की पहचान माना जाता है, सीकरी में भी देखे जा सकते हैं। शेख सलीम चिश्ती की मजार पर सर्पिल 'ब्रैकेट' जैन प्रभाव को दर्शाते हैं। अरब, ईरानी या तुर्क गुम्बदों से भिन्न ताजमहल के गुम्बद हिन्दू-बौद्ध वास्तुकला की अनुकृति लगते हैं।

जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी इस सांस्कृतिक संश्लेषण को देखा जा सकता है। हिन्दुओं ने भी मंदिरों के

निर्माण में इसको अपना लिया। संगीत में अमीर खुसरो ने त्रितंत्र वीणा और पखावज के नये संस्करण– सितार और तबला दिये। हिन्दुस्तानी संगीत में खयाल के अलावा अनेक नयी प्रवृत्तियाँ समायोजित कीं। संगीत के क्षेत्र में ठुमरी और गज़ल इस संश्लेषण की विशिष्ट देन हैं। कथक भक्ति नृत्य के रूप में मथुरा-वृन्दावन में विकसित हुआ और लखनऊ ने उसमें भाव और अभिनय के नये रंग भरे। एक ही उत्स से यहाँ हिन्दी (खड़ी बोली) और उर्दू का जन्म हुआ और कालान्तर में वे दो भाषाएँ हो गयीं– दो अत्यन्त समृद्ध भाषाएँ। यह तुलसी, सूर, कबीर, जायसी, रहीम, रसखान का ही क्षेत्र नहीं है, यह मीर और ग़ालिब, रतननाथ सरशार और चकबस्त का भी क्षेत्र है। दोनों भाषाओं ने एक-दूसरे को बहुत कुछ दिया है– दोनों सहोदरा हैं। सदियों से एक साथ रहकर दोनों समुदायों ने सामाजिक जीवन में भी एक-दूसरे से बहुत कुछ लिया-दिया है। जन्म, विवाह, मृत्यु आदि की रस्मों पर भी प्रभाव पड़ा है, वेशभूषा और परिधान पर भी, खान-पान और व्यंजनों पर भी।

हिन्दुस्तानी संगीत में उत्तर प्रदेश की देन उल्लेखनीय है। किराना, अहरौली, आगरा, सहसवान, रामपुर, बनारस आदि घरानों का उद्‌भव क्षेत्र यही है। अब्दुल करीम खाँ, अल्लादित्ता खाँ, फैयाज खाँ, मुश्ताक हुसैन खाँ, वजीर खाँ, रामदास आदि उन कलावन्तों की लम्बी शृंखला की कुछ कड़ियाँ हैं जो यहाँ उभरीं। अहमद जान थिरकवा, कण्ठे महाराज भी यहीं के हैं और विलायत खाँ भी।

शास्त्रीय संगीत के अलावा सुगम संगीत पर भी उत्तर प्रदेश ने अपनी छाप छोड़ी है। ठुमरी का नाम, रूप और तत्व यहीं का है। बनारस ने 'पृथ्वी अंग' प्रचारित किया तो लखनऊ ने अपना रंग उसे दिया। मोतीबाई, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी (सभी बनारस की) और बेगम अख्तर (लखनऊ) ने अपनी-अपनी शैलियों की विशिष्टता स्थापित की। महादेव प्रसाद मिश्र, गिरिजा देवी व अन्य अनेक गायक परम्पराओं के रक्षक हैं। शहनाई वादक बिस्मिल्ला खाँ अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के हैं। ग़ज़ल के अलावा भजन व दादरा के कद्रदान यहाँ रहे हैं। वाजिद अली शाह के दरबार में कालिका महाराज व बिन्दादीन महाराज ने जो कथक की परम्परा शुरू की, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, शम्भू महाराज और अब बिरजू महाराज ने इस सम्पन्न-समृद्ध धरोहर को नये आयाम दिये। लोक संगीत में भी उत्तर प्रदेश पीछे नहीं है। बुन्देल खण्ड में ईसुरी का फाग, आल्हा, ब्रज का रसिया, पूर्वी जिलों की कजली, बिरहा और चैती जैसी अनेक धाराएँ लोक जीवन को आनन्दित करती रही हैं।

शिल्प के क्षेत्र में भी यह प्रदेश पीछे नहीं रहा। बनारस का रेशम और जरी, लखनऊ की जामदानी, जरदोजी व चिकन, भदोही के कालीन, सहारनपुर का लकड़ी का काम, मुरादाबाद का पीतल और फिरोजाबाद का काँच का काम सदियों से विश्व के अनेक देशों का मन मोहते रहे हैं। आज भी ये शिल्प अरबों रुपये की विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं।

यह एक अद्‌भुत प्रदेश है। मानव जाति के जन्म से शुरू हुई इसकी सभ्यता निरन्तर समृद्ध होती रही है। यहाँ की संस्कृति ने एक ऐसी मानसिकता को जन्म दिया है, एक ऐसी विचार-शैली दी है, एक ऐसा जीवन-दर्शन दिया है, जिसने सारे देश को अपनी ओर आकृष्ट किया, जिसमें पूरे विश्व कल्याण के तत्त्व मौजूद हैं।

उत्तर प्रदेश भारत का बहुत महत्त्वपूर्ण राज्य है। राष्ट्रीय योगदान के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी भूमिका उल्लेखनीय रही है। चाहे कुल जनसंख्या का सवाल हो या संसद में सांसदों की संख्या का इसमें उत्तर प्रदेश का स्थान सर्वोपरि है। उत्तर प्रदेश को यह श्रेय प्राप्त है कि उसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री दिए। पिछले 72 वर्षों में चालीस से अधिक वर्षों तक इसी राज्य के लोग प्रधानमंत्री होते आये हैं। सिर्फ राजनीति ही नहीं संस्कृति, इतिहास एवं सामाजिक आर्थिक भौगोलिकता की दृष्टि से भी यह राज्य भारत में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। कृषि प्रधान इस राज्य के कुल 240928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर 199812341 लोग निवास करते हैं, जिसमें 10.45 करोड़ पुरुष और 9.53 करोड़ महिलाएं हैं। इनमें से 67.7 प्रतिशत लोग साक्षर हैं।

कुल 97,814 आबाद गांवों तथा 915 नगरों में विभाजित इस प्रांत को अपना नाम 24 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के ऐन पहले प्राप्त हुआ। 1937 से 1950 तक इसे संयुक्त प्रांत

(युनाइटेड प्राविन्सेज) के नाम से जाना जाता था।

अंग्रेजी राज की स्थापना के प्रथम चरण में यह प्रांत (अवध के अतिरिक्त) बंगाल प्रेसीडेन्सी का ही एक हिस्सा था सुविधानुसार इसे कभी 'पश्चिमी प्रांत' के नाम से पुकार लिया जाता था। बाद में 'आगरा प्रेसीडेन्सी' का निर्माण कर इसे 'बंगाल प्रेसीडेन्सी' से अलग किया गया। 1836 में एक बार पुनः इसका नामकरण किया गया। अब इसका नाम 'उत्तर पश्चिम प्रांत' (नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज) हुआ। मुख्यालय आगरा बना। 7 फरवरी 1856 को अवध को भी ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। उस समय अवध में लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, गोण्डा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ तथा रायबरेली नामक बारह जिले शामिल थे। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में लार्ड कैनिंग ने पूरे उत्तरी पश्चिमी प्रान्त को एक ले. गवर्नर के द्वारा शासित प्रांत बना दिया। इस प्रांत का मुख्यालय आगरा से इलाहाबाद कर दिया गया। 1875 में उच्च न्यायालय को भी आगरा से इलाहाबाद स्थानान्तरित कर दिया गया। अवध और उत्तर पश्चिमी प्रांतों का प्रशासनिक तथा न्यायिक विभाजन 1877 तक बना रहा। अवध का प्रशासनिक एवं न्यायिक मुख्यालय लखनऊ रहा तथा उत्तर पश्चिमी प्रांतों का इलाहाबाद। सन् 1877 में इन दोनों प्रांतों के ले. गवर्नर और मुख्य आयुक्त का पद समाप्त कर 'आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत' (युनाइटेड प्राविन्सेज आफ आगरा एण्ड अवध) कर दिया गया। तब ले. गवर्नर का पद ही इस एकीकृत प्रांत का सर्वोच्च प्रशासनिक पद बना।

भारत सरकार अधिनियम 1919 के अन्तर्गत ले. गवर्नर के पद को गवर्नर के पद की मान्यता प्राप्त हो गयी तथा 1920 के चुनावों के बाद इस प्रांत की सरकार एक बार पुनः इलाहाबाद से लखनऊ स्थानान्तरित कर दी गयी। 1921 में लखनऊ में ही विधान परिषद् की स्थापना की गयी तथा 1935 तक प्रान्तीय सचिवालय के इलाहाबाद से लखनऊ स्थानान्तरण का कार्य पूरा होने के बाद लखनऊ को इस प्रान्त की राजधानी घोषित कर दिया गया। 1937 में इस प्रांत का नाम एक बार फिर बदलकर 'संयुक्त प्रांत' (यूनाइटेड प्राविन्सेज) कर दिया गया।

सन् 2000 में प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को अलग करके नये राज्य उत्तरांचल (अब उत्तराखंड) का गठन किया गया तो यहां की लगभग 55 हजार वर्ग किलोमीटर भूमि और लगभग एक करोड़ आबादी यहां से अलग हो गयी है। इसके बावजूद नया उत्तर प्रदेश अभी भी देश के सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है और देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य।

प्राकृतिक रूपरेखा

उत्तर प्रदेश भारत का सीमान्त प्रदेश है। इसकी उत्तरी सीमा नेपाल को छूती है। उत्तराखंड के गठन से पूर्व इसकी सीमाएं चीन के तिब्बती क्षेत्र को भी छूती थीं लेकिन अब यह क्षेत्र उत्तराखंड में चला गया है। प्रदेश के उत्तर में अब नेपाल सीमा के साथ उत्तरांचल की शिवालिक पर्वत श्रेणियां हैं। पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी सीमा पर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान हैं तथा दक्षिण में मध्य प्रदेश और पूर्वी सीमा बिहार से लगी हुई है। इन सीमाओं को प्राकृतिक तौर पर देखा जाय तो उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणियां, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण में यमुना नदी तथा विन्ध्याचल और पूर्व में गंडक नदी है।

उत्तराखंड के गठन से पूर्व राज्य के तीन भूभाग थे- पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। लेकिन उत्तराखंड गठन के बाद अब पूरा पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश से अलग हो गया है। अब इस पर्वतीय क्षेत्र से लगा हुआ तराई- भाभर क्षेत्र ही बचा हुआ है। अब प्रदेश के प्राकृतिक स्वरूप को हम इस रूप में देख सकते हैं:-

भाभर और तराई क्षेत्र

पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया तक एक पतली सी पट्टी भाभर और तराई कहलाती है। सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत जिलों में भाभर का क्षेत्र शिवालिक पहाड़ियों के इर्द-गिर्द सिमटा हुआ है। पहाड़ों

से उतरने वाली नदियों एवं वेगवती धाराओं की गति यहां आकर कुछ मन्द पड़ जाती है। पहाड़ से अपने साथ बहाकर लाये गये प्रस्तर खण्डों तथा विभिन्न रसायनों को वे छोड़ती जाती हैं। पश्चिम में यह क्षेत्र 34 कि.मी. चौड़ा है, किन्तु जैसे-जैसे पूरब की ओर बढ़ते हैं, क्षेत्र सँकरा होता जाता है। छोटे-मोटे नदी-नालों का बाढ़ के समय को छोड़कर, प्रस्तर खण्डों के बीच उसका अस्तित्व क्षीण-सा ही रहता है किन्तु थोड़ी दूरी के बाद वे फिर उसी रूप में दिखायी देते हैं। दलदल वाले तराई क्षेत्र का निर्माण इसी प्रकार हुआ है।

जंगली और ऊँची घनी घासों से ढका हुआ तराई क्षेत्र कभी 80 से 90 किलोमीटर तक चौड़ा था। इसके अन्तर्गत सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, खीरी, बहराइच, गोण्डा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया एवं पडरौना जिलों के भाग आते थे। भूमि सुधार के बाद किसानों को इसमें काफी उपजाऊ जमीन प्राप्त हो गयी है। अब यहां गन्ना, गेहूँ और धान की फसलें रिकार्ड पैदावार दे रही हैं। अनेक जगहों पर जूट की भी अच्छी खेती हो रही है।

मैदानी क्षेत्र

भाभर और तराई के बाद प्रदेश का पूरा मैदानी क्षेत्र नदियों से लायी गयी मिट्टी से बना है और खूब उपजाऊ है। यमुना पार, आगरा और मथुरा जिलों के उन भू-भागों को छोड़कर जहाँ अरावली पहाड़ियों के पूर्वी छोर पर अनेक खार और लाल पत्थरों वाली पहाड़ियाँ मिलती हैं, यह समग्र भू-भाग समतल है। मैदान का पश्चिम अंचल उत्तर से दक्षिण की ओर ढलुआ है और पूर्वांचल की ढाल पश्चिमोत्तर से दक्षिणपूर्व की तरफ है। यह गंगा,यमुना और उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र है।

दक्षिण के पहाड़ और पठार

प्रदेश के दक्षिण में पठारी भू-भाग की उत्तरी सीमा यमुना और गंगा नदी द्वारा निर्धारित है। इसके अन्तर्गत झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर और बांदा, इलाहाबाद जिले की मेजा और करछना तहसीलें, गंगा के दक्षिण में पड़ने वाला मिर्जापुर का हिस्सा तथा वाराणसी जिले की चकिया तहसील आती है। यह क्षेत्र दक्कन के पठार का ही प्रसरण है। भू-गर्भ शास्त्रियों के अनुसार इसका निर्माण अत्यन्त प्राचीनकाल में प्रवाहमान समुद्री निरक्षेप द्वारा हुआ। पठार की सामान्य ऊंचाई 300 मीटर के आसपास है। कुछ स्थानों पर यह ऊंचाई 450 मीटर से भी अधिक है। मिर्जापुर, सोनभद्र की पहाड़ियां लगभग 600 मीटर तक ऊँची हैं।

चित्रकूट जिले की कर्वी तहसील में विन्ध्य पर्वत श्रेणियां हैं। यहां जल प्रवाह सामान्यतः उत्तर पूर्व की तरफ है। बेतवा और केन नदियां, जो बुन्देलखण्ड से होकर गुजरती हैं, यमुना में आकर मिली हैं। इस पूरे क्षेत्र में वर्षा कम होती है। यहां की मुख्य फसलें ज्वार, तिलहन, चना और गेहूँ हैं।

जलवायु

उत्तर प्रदेश की पूरी जलवायु गर्म है। तराई क्षेत्रों में यह नमी लिए रहती है और दक्षिण पठारी क्षेत्र में गर्मी में नमी का नामोनिशान नहीं रहता। ग्रीष्म ऋतु में कुछ जगहों का तापमान 47 डिग्री सेन्टीग्रेड तक जाता है। जाड़े की ऋतु में तापमान मैदानी क्षेत्रों में 8.5 से 17.5 डिग्री सेन्टीग्रेड तक रहता है। अप्रैल, मई और जून गर्मी के महीने हैं, जब प्रदेश के अधिकांश भागों में लू चलती है।

सामान्यतः वर्ष में तीन ऋतुएँ होती हैं। अक्टूबर से फरवरी तक जाड़ा, मार्च से जून तक गर्मी और इसके बाद सितम्बर तक बरसात होती है। गर्मी आगरा और झांसी में सबसे अधिक, बरेली में सबसे कम पड़ती है। मध्य जून से मध्य सितम्बर तक प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून के फलस्वरूप प्रमुख रूप से वर्षा होती है। जाड़ों में उत्तर पश्चिम से उठने वाले तूफानों के कारण कुछ जगहों पर वर्षा का औसत 60 और 100

सेन्टीमीटर के बीच रहता है जबकि पूर्वी भाग के जिलों में 100 से 120 सेन्टीमीटर के बीच रहता है। जौनपुर जिले के पश्चिमी हिस्सों में वर्षा कुछ कम होती है। प्रदेश में लगभग 83 प्रतिशत वर्षा जून से सितम्बर के मध्य और 17 प्रतिशत जाड़ों में होती है। मैदानी क्षेत्र में गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है जिसका औसत 184.7 सेमी. है और मथुरा में सबसे कम, जिसका औसत 54.4 सेमी. है।

नदियाँ और जल प्रवाह

गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख नदियाँ हैं। इनका बहाव उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में विन्ध्याचल द्वारा निर्धारित है। गंगा उत्तराखण्ड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। सहारनपुर जनपद से यह उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में आते ही यह धीरे-धीरे दक्षिण से पूर्व की तरफ बहने लगती है। इसके दोनों किनारों पर और भी सहायक नदियां आकर मिलती हैं– रामगंगा, गोमती, घाघरा (शारदा), राप्ती और गण्डक। यमुना का उद्‌गम भी उत्तराखण्ड में यमुनोत्री ग्लेशियर है। चम्बल, सिन्ध, बेतवा और केन यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं। गंगा-यमुना की इन सहायक नदियों के अलावा जल प्रवाह की अनेक छोटी-छोटी नदियां हैं जैसे– कोसी, सई, कल्याणी, चन्द्रप्रभा, कर्मनाशा, रिहन्द, बेलन और धसान, हिन्डन। ये नदियाँ जगह-जगह गंगा व यमुना में मिल जाती हैं। इलाहाबाद में गंगा, यमुना भी आपस में मिल जाती हैं।

विन्ध्याचल की तरफ से जो पानी गंगा में आता है उसका आधे से अधिक यमुना की सहायक नदियां चम्बल, सिन्ध, बेतवा और केन लाती हैं इसमें चम्बल सबसे बड़ी है। यह विन्ध्याचल से निकलती है और आगे चलकर इसमें अनेक सहायक नदियां मिलती हैं। दक्षिण से आकर गंगा में मिलने वाली दो अन्य प्रमुख नदियां हैं टॉस और सोन। इनमें सोन बड़ी है। यह सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। इसका उद्‌गम स्थल नर्मदा और महानदी के उद्‌गम स्थानों के पास ही है। उत्तर प्रदेश में हिमालय से निकलने वाली नदियां लगभग वर्ष भर भरी रहती हैं जबकि विंध्याचल से निकलने वाली नदियां गर्मियों में अक्सर सूख जाती हैं। इसका कारण है हिमालय से निकलने वाली नदियों में बर्फ पिघलने से गर्मियों में भी पानी कम नहीं होता। एक और कारण हिमालय में विन्ध्याचल से अधिक बरसात का होना है।

प्रदेश की मिट्टी

प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, बरेली जिले में एक तरह की मिट्टी है। यहां की मिट्टी अधिकांश गहरी भूरी और कहीं पर चिकनी है। यह मिट्टी छिछली है, इसमें कंकड़ पत्थर काफी पाये जाते हैं। सामान्यतः यह मिट्टी अम्लीय है। प्रदेश के पश्चिमी मैदानों में मिट्टी (सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ) गहरी और सामान्य से अधिक उर्वरा है। थोड़ा पूर्व की ओर आगे चलकर (बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत) मिट्टी अधिक चिकनी है। पीलीभीत से आगे की ओर तो मिट्टी अम्लीय है किन्तु बाकी मिट्टी में थोड़ा क्षारत्व है।

प्रदेश के केन्द्रीय क्षेत्र खीरी, हरदोई, लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, आजमगढ़, कानपुर के आसपास चिकनी और बलुई चिकनी मिट्टी है, जिसमें थोड़ा अम्ल भी है।

प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में गोरखपुर, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर तथा गोण्डा क्षेत्र में दो प्रकार की मिट्टियाँ पायी जाती हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में 'मांट' और 'बंजर' कहा जाता है।

नदी किनारे की मिट्टी को 'ढूह' कहते हैं। 'मांट' मिट्टी चिकनी-बलुई होती है और उसमें चूना अधिक होता है इसकी जलधारण शक्ति अधिक होती है। 'बंजर' मिट्टी चिकनी और बलुई चिकनी दोनों प्रकार की होती है। इसमें चूना अपेक्षाकृत कम होता है। उत्तरी पश्चिमी भाग में पायी जाने वाली मिट्टी में फास्फेट कम होता है। जौनपुर, आजमगढ़, मऊ जिलों में पोटाश की कमी है। शुष्कतर भागों में ऊसर तथा रेह है। अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, सीतापुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली और लखनऊ की मिट्टी ऊसर तथा रेह से प्रभावित है।

प्रदेश के झांसी तथा चित्रकूट धाम मण्डल, मिर्जापुर, सोनभद्र जिले एवं इलाहाबाद की करछना व मेजा तहसील, वाराणसी की चकिया तहसील में मिश्रित लाल और काली मिट्टी पायी जाती है। काली मिट्टी चिपचिपी तथा कैल्केरिया युक्त और उर्वरा होती है। भीगने पर फैलती है और सूखने पर सिकुड़ती है। इन जिलों के ऊपरी पठारी भागों में लाल मिट्टी पायी जाती है। यह दो प्रकार की होती है 'परवा' और 'राकर'। परवा हल्की बलुई अथवा बलुई चिकनी होती है जबकि राकर अपक्षरित मिट्टी होती है।

वन्य क्षेत्र

उत्तरांचल (अब उत्तराखंड) गठन से पूर्व प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 294411 वर्ग किलोमीटर था जिसमें 33994 वर्ग किमी. अर्थात् 11.54 प्रतिशत भाग वनाच्छादित था। अब 23243 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र उत्तराखण्ड में चला गया तथा उत्तर प्रदेश में 10751 वर्ग किलोमीटर वनाच्छादित क्षेत्र ही बचा है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 4.46 प्रतिशत भू-भाग ही वनाच्छादित रह गया है।

इस समय उत्तर प्रदेश में पायी जाने वाली वनस्पतियों के आधार पर यहां के वनों को तीन भागों में बाँट सकते हैं :-

1. उष्ण प्रदेशीय आर्द्र पर्णपाती वन 2. उष्ण प्रदेशीय शुष्क पर्णपाती वन
3. उष्ण प्रदेशीय कटीले वन

आर्द्र पर्णपाती वन तराई के नमी वाले क्षेत्रों में पाये जाते हैं। प्रदेश के यह वन ऐसे क्षेत्रों में हैं जहाँ वर्षा 100 से 150 सेमी. वार्षिक होती है। यहाँ वनों की विशेषता है कि ऊँचे क्षेत्रों में अनिश्चित आकारों वाले पर्णपाती वृक्ष होते हैं। निचले भागों में अन्य प्रजातियां जिनमें बांस, लताओं और बेंत के साथ हरी भरी झाड़ियाँ होती हैं। इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं साल, बेर, गूलर, झिंगल, पलास, महुआ, सेमल, ढाक, आंवला, जामुन आदि।

शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश के सभी मैदानी भागों आमतौर पर मध्यपूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में होते हैं। ये प्रायः पर्णपाती प्रजाति के होते हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में प्रकाश नीचे तक पहुंचता है इसलिए यहां झाड़ियों और घासों की उपज भी अच्छी होती है। ऐसे वनों के बहुत बड़े क्षेत्र की खेती के लिए सफाई कर दी गयी है। यहां पैदा होने वाले वनों में साल, पलास, अंजीर, सागौन प्रमुख हैं। नीम, पीपल, आम, जामुन, महुआ, बबूल आदि भी नदियों के आसपास या नमी वाले स्थानों पर होते हैं।

कटीले वन ज्यादातर दक्षिण पश्चिमी भागों में पाये जाते हैं। ऐसे वन प्रदेश के उन भागों में स्थित हैं जहाँ वर्षा कम (वर्ष में 40 से 60 सेमी.) होती है। इन क्षेत्रों में दूर-दूर तक कटीले बौने वृक्ष मुख्यतः बबूल, कटीले, फलदार पौधे, सांहुड की पैदावार प्रमुख है। वर्षा ऋतु में यहां छोटी-छोटी घास उग जाती है। यहां प्रायः छोटे-छोटे पौधे हैं जो खुले शुष्क वनों का रूप धारण कर चुके हैं। इनमें फुलाई, खैर, कोक्के, धामन, डनझा, नीम आदि सम्मिलित हैं। इन पेड़ों से कई तरह की लीसा और गोंद प्राप्त होता है।

खनिज सम्पदा

उत्तर प्रदेश यूँ तो कृषि प्रधान राज्य है लेकिन यह प्रदेश खनिज सम्पदा का भी धनी है। प्रदेश के विंध्य क्षेत्र की पर्वत श्रृंखला के बीच विभिन्न प्रकार की खनिज सम्पदा दबी हुई है। उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर, डोलोमाइट, सिलिका सैण्ड, पाइरोफिलाइट, डायस्पोर, मैग्नेसाइट, साफ्टस्टोन, तांबा, जिप्सम, ग्लास-सैड, संगमरमर, नान प्लास्टिक फायर क्ले, यूरेनियम, वेराइट्स, एडालूसाइट प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश के सात दक्षिणी जिले खनिज पदार्थों के लिए खासतौर पर जाने जाते हैं। ये जिले हैं– आगरा, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, बाँदा, इलाहाबाद, मिर्जापुर एवं सोनभद्र। अच्छे किस्म का चूना पत्थर सोनभद्र और मिर्जापुर में पाया जाता है। डोलोमाइट भी सोनभद्र और मिर्जापुर में मिलता है। तांबा ललितपुर में प्राप्त होता है। ग्लास– सैड इलाहाबाद, बाँदा और चित्रकूट जनपद में मिलता है। संगमरमर मिर्जापुर और सोनभद्र में पाया जाता है। मिर्जापुर के बांस मकरी खोह क्षेत्र में नानप्लास्टिक फायर क्ले प्राप्त होती है। जनपद ललितपुर में यूरेनियम के भण्डार हैं।

जनगणना

जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 1,998 लाख है, जो भारत की वर्ष 2011 की कुल जनसंख्या (12,106 लाख) का 16.5 प्रतिशत है। प्रदेश की कुल जनसंख्या में 1,044.81 लाख पुरुष तथा 953.32 लाख महिलाएं हैं। प्रदेश में कुल जनसंख्या 1,998 लाख में 1,553.17 लाख (77.73 प्रतिशत) ग्रामीण जनसंख्या है तथा 444.95 लाख (22.27 प्रतिशत) नगरीय जनसंख्या है। प्रदेश की कुल ग्रामीण जनसंख्या में 809.92 लाख पुरुष तथा 743.24 लाख महिलाएं तथा कुल नगरीय जनसंख्या में 234.87 लाख पुरुष तथा 210.07 लाख महिलाएं हैं।

प्रदेश की कुल जनसंख्या में 1593.1 लाख (79.8 प्रतिशत) हिन्दू, 384.8 लाख (19.3 प्रतिशत) मुस्लिम, 3.6 लाख (0.2 प्रतिशत) ईसाई, 6.4 लाख (0.3 प्रतिशत) सिक्ख, 2.1 लाख (0.1 प्रतिशत) बौद्ध,2.1 लाख (0.1 प्रतिशत) जैन एवं 6.0 लाख (0.3 प्रतिशत) अन्य एवं अवर्णित धर्म के व्यक्ति निवास करते हैं। प्रदेश के 75 जनपदों में इलाहाबाद की जनसंख्या (59.54 लाख) सबसे अधिक है तथा जनपद महोबा में (6.90 लाख) सबसे कम जनसंख्या है।

जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001–2011 की अवधि में कुल जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर प्रदेश का भारत के राज्यों में ग्यारहवां स्थान रहा। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या के वर्ष 2001–2011 की अवधि में में दशकीय वृद्धि दर 20.2 प्रतिशत थी जो उवत अवधि में भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.7 प्रतिशत से अधिक रही।

जनसंख्या घनत्व

एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाली कुल लोगों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में यह 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व गाजियाबाद (3674) इसके बाद क्रमशः वाराणसी (2395), हापुड़ (2028), लखनऊ (1816), संत रविदास नगर (भदोही) (1555) तथा कानपुर नगर (1452) तथा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जनपद ललितपुर (242) है।

लिंग अनुपात

प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। प्रदेश में प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 912 है जबकि वर्ष 2001 में यह 898 ही थी। भारत में वर्ष 2011 में लिंगानुपात 943 है जबकि वर्ष 2001 में यह 933 थी।

साक्षरता दर

वर्ष 2011 उत्तर प्रदेश की जनगणना के अनुसार प्रदेश भर में साक्षरों की संख्या 1144 लाख है। जिनमें 684 लाख पुरुष तथा 462 लाख महिलाएं साक्षर हैं। वर्ष 2011 में प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 67.7 भारत के सम्वादी अवधि का साक्षरता प्रतिशत 73.0 से कम रहा। प्रदेश में कुल साक्षरता प्रतिशत 67.68 में पुरुषों का 77.28 प्रतिशत तथा महिलाओं का प्रतिशत 57.18 हैं। प्रदेश में गौतमबुद्धनगर की साक्षरता दर सबसे अधिक 80.12 प्रतिशत है इसके बाद कानपुर नगर 79.65 प्रतिशत, औरैया 78.95, इटावा

78.41 प्रतिशत तथा गाजियाबाद 78.07 प्रतिशत का स्थान है। प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है। यहाँ की साक्षरता दर मात्र 46.74 प्रतिशत है। इसके बाद बहराइच 49.36 प्रतिशत, बलरामपुर 49.51 प्रतिशत, बदायूँ 51.29 तथा रामपुर 53.34 प्रतिशत है।

साक्षरता दर 1951 से 2011 तक

वर्ष	कुल साक्षरता	पुरुष साक्षरता	महिला साक्षरता
1951	12.02	19.07	4.07
1961	20.87	32.08	8.36
1971	23.99	35.01	11.23
1981	32.65	46.65	16.74
1991	40.71	54.82	24.37
2001	57.36	70.23	42.98
2011	67.68	77.28	57.18

इतिहास

राजनैतिक इतिहास

पुरातन काल में उत्तर प्रदेश मध्य-देश के नाम से प्रसिद्ध था। उत्तर-पश्चिम से आने वाले आक्रामकों के रास्ते में पड़ने के कारण तथा दिल्ली और पटना के बीच के उपजाऊ मैदान का हिस्सा होने के कारण इसके इतिहास का उत्तर भारत के इतिहास से निकटतम संबंध है। यद्यपि हमें इसके प्रागैतिहासिक अथवा आदि-ऐतिहासिक काल के सम्बन्ध में बहुत कम जानकारी है, पर मिर्जापुर और बुन्देलखंड क्षेत्र में खुदाई के फलस्वरूप प्राचीन एवं नवीन पाषाणकाल के जो औजार-हथियार आदि मिले हैं और मेरठ जिलान्तर्गत आलमगीरपुर में हड़प्पाकालीन जो वस्तुएँ मिली हैं वे हमें सुदूर भूतकाल का स्मरण कराती हैं।

ऋग्वेद के समय से कुछ संश्लिष्ट ऐतिहासिक वृत्तान्त मिलते हैं। आर्यों ने सबसे पहले भारत में ''सप्तसिंधु'' या सात नदियों द्वारा सिंचित प्रदेश (आधुनिक पंजाब) में बस्तियाँ बनायीं। ये नदियाँ हैं- इण्डस (सिंधु), वितस्ता (झेलम), असिक्नी (चिनाब), परुश्नी (राबी), विपासा (व्यास), शुतुद्री (सतलज), और सरस्वती (जो अब राजस्थान के रेगिस्तान में विलुप्त हो चुकी है)। शुरू में कुछ प्रमुख घरानों के नाम थे पुरू, तुर्वसु, यदु, अनु और द्रुह्य। ये पाँच घराने 'पंचजन' कहलाते थे। इनके अतिरिक्त एक और प्रमुख वर्ग ''भरत'' कहलाता था।

धीरे-धीरे आर्यों ने अपने क्षेत्र का पूरब में विस्तार किया। 'शतपथ ब्राह्मण' में कोशल (अवध) और विदेह (उत्तरी बिहार) को ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों द्वारा इन्हें जीतना उसका रोचक वर्णन है। सीमाओं के विस्तार का परिणाम यह हुआ कि नये राज्य बने, नये लोग सामने आये और नये केन्द्रों का प्रादुर्भाव हुआ। धीरे-धीरे ''सप्तसिन्धु'' का महत्व कम होता गया और संस्कृति का केन्द्र बना सरस्वती तथा गंगा के बीच का मैदान जहाँ कुरु, पांचाल, काशी एवं कोशल (अवध) राज्य थे।

पहले प्रयाग तक फैला हुआ यह पूरा क्षेत्र मध्य देश के नाम से अभिहित हुआ। वर्तमान उत्तर प्रदेश की सीमाएँ भी लगभग वही हैं। हिन्दू कथा-साहित्य में यह देश पवित्र माना जाता है, क्योंकि रामायण और महाभारत में जिन महान् व्यक्तियों और देवताओं का वर्णन है वे यहीं के थे। यहाँ के निवासी सर्वाधिक सुसंस्कृत आर्य माने जाते थे। उनकी बोल-चाल और उनका व्यवहार आदर्श माना जाता था। वे लोग धार्मिक रीति-रिवाजों के पूरी तरह जानकार थे और बिना किसी त्रुटि के बलि, पूजा आदि कर सकते थे।

इन राज्यों के कुछ शासक, विशेषतः पांचाल के राजा प्रवहण जैवालि, अपने सुकर्मों के कारण अमर हो गये। बाद का इतिहास एक लम्बे समय तक के लिए, हिन्दुओं की धार्मिक पुस्तकों और पुराणों के आख्यानों से मिश्रित हो गया, जिससे ऐतिहासिक वृत्तान्त की कड़ी टूट गयी। जब अंधकार छँटता है तथा ईसापूर्व छठी शताब्दी में इतिहास की रेखाएँ फिर से उभरती दिखायी पड़ती हैं तो हम देखते हैं कि 16 महाजनपदों में गहरी प्रतिस्पर्धा रही। तत्कालीन राज्य और उनकी राजधानियों के नाम थेः-

1. कुरु (मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर); राजधानी इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली के पास इन्द्रपाल)।
2. पाँचाल (बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद); राजधानी अहिच्छत्र (बरेली के पास रामनगर) तथा काम्पिल्य (फर्रुखाबाद के पास कम्पिल)।

3. शूरसेन (मथुरा के आस-पास का क्षेत्र); राजधानी मथुरा।
4. वत्स (प्रयागराज और आस-पास); राजधानी कौशाम्बी (प्रयागराज के पास कोसम)।
5. कोशल (अवध); राजधानी साकेत (अयोध्या) और श्रावस्ती (गोंडा जिले में सहेट-महेट)।
6. मल्ल (जिला देवरिया); राजधानी कुशीनगर (कसिया) और पावा (सम्भवतः पडरौना)।
7. काशी (वाराणसी); राजधानी बनारस।
8. अंग (भागलपुर); राजधानी चम्पा।
9. मगध (दक्षिण बिहार); राजधानी गिरिब्रज (राजगृह, बिहार-शरीफ के पास राजगीर)।
10. वृज्जि (जिला दरभंगा और मुजफ्फरपुर); राजधानी मिथिला जनकपुर (नेपाल सीमा पर) और वैशाली (जिला मुजफ्फरपुर में बसरा)।
11. चेदि (बुन्देलखंड); राजधानी शुक्तिमती (सम्भवतः बांदा के पास स्रोतासोढ़ा)।
12. मत्स्य (जयपुर); राजधानी विराट (जयपुर के पास)।
13. अस्मक (गोदावरी घाटी) राजधानी पांडन्य (स्थान की जानकारी नहीं)।
14. अवन्ती (मालवा); राजधानी उज्जयिनी (उज्जैन)।
15. गांधार (पश्चिमोत्तर क्षेत्र, जो पाकिस्तान में है); राजधानी तक्षशिला (रावलपिण्डी के पास)।
16. कम्बोज; राजधानी राजापुर (स्थान की जानकारी नहीं)।

उपर्युक्त 16 महाजनपदों में से 8 (क्रम संख्या 1 से 7 तक तथा 11) वर्तमान उत्तर प्रदेश में ही स्थित थे। इनमें से अधिक विख्यात काशी, कोशल और वत्स थे। इन राज्यों के अतिरिक्त वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्रान्तर्गत ही कतिपय गणतंत्रात्मक राज्य भी थे, जैसे कपिलवस्तु का शाक्य राज्य, समसुमेरगिर का भग्गा राज्य और पावा तथा कुशीनगर का मल्ल राज्य।

सभी राज्यों में हमेशा युद्ध होता रहता था– एक-दूसरे पर राजनीतिक प्रभाव के लिए। कोशल ने काशी पर अधिकार कर लिया और अवन्ती ने वत्स का राज्य छीन लिया। कोशल और अवन्ती एक-एक करके मगध के अधीनस्थ हो गये और मगध पूरे क्षेत्र में सर्वाधिक शक्तिशाली हो गया। मगध में क्रमशः हरयांक, शिशुनाग और नन्द वंश का राज्य रहा।

नन्द वंश का साम्राज्य पंजाब और सम्भवत; बंगाल को छोड़कर पूरे उत्तर भारत में फैला हुआ था। नन्दों के शासनकाल में सिकन्दर ने ईसा से 326 वर्ष पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। इतिहास के अनेक विद्वानों का मत है कि मगध के शक्तिशाली राज्य की सेनाओं से मुकाबला न कर पा सकने का डर ही सिकन्दर की सेना द्वारा व्यास नदी के आगे न बढ़ने के निश्चय के मूल में था। इस प्रकार सिकन्दर को बाध्य होकर वापस लौटना पड़ा था।

सिकन्दर की वापसी के साथ ही साथ भारत में एक महान क्रान्ति हुई। इसके बाद नन्द शासकों के हाथ से (ईसा से 323 वर्ष पूर्व) शासन की बागडोर चन्द्रगुप्त मौर्य के पास आ गयी। चन्द्रगुप्त मौर्य पिप्पलीवन के क्षत्रिय कुल ''मौर्य'' का वंशज था। वर्तमान उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र चन्द्रगुप्त मौर्य, उसके लड़के बिन्दुसार और पोते अशोक के शासन-काल में सुख और शान्ति का अनुभव करता रहा। अशोक द्वारा सारनाथ में निर्मित स्तम्भ पर सिंहों की जो आकृति बनी है, स्वतंत्र भारत की सरकार ने उसे ही अपना राजकीय चिह्न बनाया है। अशोक-स्तम्भ और शिलालेख सारनाथ, प्रयागराज, मेरठ, कौशाम्बी, संकिस्सा, बस्ती और मिर्जापुर में भी पाये गये हैं। ये सभी स्थान उत्तर प्रदेश में हैं। चीनी यात्री फाह्यान और ह्वेनसांग ने अन्य अनेक शिलालेख आदि भी देखे थे। सारनाथ के धूमेख का स्तूप का भी निर्माण अशोक ने करवाया था।

ईसा पूर्व 232 वर्ष में अशोक की मृत्यु होते ही मगध राज्य का ह्रास प्रारम्भ हो गया। उसके पोते दशरथ

और सम्प्रति ने सारा राज्य आपस में बाँट लिया। नर्मदा के दक्षिण का पूरा क्षेत्र शीघ्र ही स्वतन्त्र हो गया और ईसा पूर्व 210 वर्ष में पंजाब पर अन्य लोगों का शासन हो गया। इस वंश का अन्तिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी (ईसा पूर्व 185 वर्ष में)। पुष्यमित्र ने उसके बाद मगध का राज्य बनाये रखा। पतंजलि के महाभाष्य में एक उल्लेख साकेत (अयोध्या) का यवनों (यूनानियों) द्वारा घेरे जाने का आता है। मेनेन्डर और उसके भाई ने ईसा से लगभग 182 वर्ष पूर्व एक भारी आक्रमण किया। आक्रामक सेनाओं ने सुदूर दक्षिण-पश्चिम में काठियावाड़, सांकल (स्यालकोट, पाकिस्तान के पंजाब में) और मथुरा पर अधिकार कर लिया। इसके बाद आक्रामकों ने साकेत (अयोध्या) को घेर लिया तथा गंगा की घाटी में बहुत दूर तक बढ़ आये। इस आक्रमण का आखिर में पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र ने गंगा के किनारे मुकाबला किया तथा यवनों को हरा दिया। यूनानी पीछे हट गये और उन्होंने सांकल (स्यालकोट) में अपनी राजधानी बनायी। मथुरा बहुत समय तक मेनेण्डर के साम्राज्य का प्रमुख नगर रहा। मेनेण्डर ने ईसा से लगभग 145 वर्ष पूर्व तक राज्य किया। बाद में छोटी-छोटी अनेक इण्डो-ग्रीक एवं यूनानी रियासतें पंजाब में ईसा की प्रथम ईसवी तक बनी रहीं।

इसी बीच मगध में शुंग वंश के स्थान पर कण्व वंश की स्थापना हुई। कहा जाता है कि शुंग वंश का अन्तिम राजा देवभूति दुश्चरित्र था। इस कमजोरी का लाभ उठाकर उसके मंत्री वासुदेव ने राजा देवभूति की हत्या कर दी। वासुदेव ने ईसा से 73 वर्ष पूर्व कण्व वंश की स्थापना की। यह राजवंश 45वर्ष तक चला और ईसा से 28 वर्ष पूर्व सिमूक ने, जो सातवाहन या आंध्र वंश के संस्थापक थे, इसको समाप्त कर दिया।

कण्व वंश का साम्राज्य कहाँ तक फैला था यह कहना कठिन है, किन्तु ऐसे सिक्के जिन पर ''मित्र'' शब्द से समाप्त होने वाले राजाओं के नाम खुदे हैं, खुदाई में पूरे उत्तर प्रदेश में मिले हैं। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ईसा से एक शताब्दी पूर्व और बाद तक पूरा उत्तर प्रदेश उन लोगों के अधिकार-क्षेत्र में था, जो शुंग वंश से सम्बद्ध थे।

यह वह समय था जब मध्य एशिया के शकों का ध्यान पहली बार भारत की ओर आकर्षित हुआ। ईसा के 60 वर्ष पूर्व तक इन लोगों ने मथुरा में अपने क्षत्रप स्थापित कर लिये थे। प्रथम शक राजा मायुस हुआ जिसकी ईसा पूर्व लगभग 58वें वर्ष में मृत्यु हुई थी। शकों के बाद पार्थियन लोगों ने उत्तरी भारत पर आक्रमण किये और ईसा के बाद प्रथम शताब्दी आरम्भ होने तक उन लोगों ने शकों को परास्त करना शुरू कर दिया था। फिर ईसा से लगभग 40 वर्ष पूर्व कुषाण लोगों के भी आक्रमण हुए। ये भी मध्य एशिया की पाँच जातियों में से एक थी। शीघ्र ही कुषाण राजाओं ने मध्य एशिया से लेकर सिन्धु नदी तक के क्षेत्र में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। धीरे-धीरे इन लोगों ने पूरे उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया।

कुषाण राज्य-वंश की स्थापना ''कुजुला कदफिसेस'' या कदफिसेस प्रथम ने की थी। इसका पुत्र और उत्तराधिकारी विमा कदफिसेस या कदफिसेस द्वितीय गंगा की घाटी तक घुस आया था। इसका उत्तराधिकारी था कनिष्क प्रथम जो निःसन्देह सभी कुषाण राजाओं में श्रेष्ठ था। चीनी और तिब्बती इतिहासकारों ने कनिष्क की सोकेद (साकेत) के राजा से लड़ाई की गाथाएँ सुरक्षित रखी हैं तथा अनेक उत्कीर्ण प्रलेख एवं खुदाई से प्राप्त सिक्के आदि, जो उत्तर प्रदेश के विस्तृत भाग में मिले हैं, इस बात की ओर संकेत करते हैं कि यह भूभाग किसी समय कुषाण साम्राज्य का अंश था। उस समय मथुरा कला का प्रसिद्ध केन्द्र था।

कनिष्क का राज्यकाल और कुषाण राजाओं की वंश-परम्परा अनिश्चित है। कुछ विद्वानों का मत है कि कनिष्क का राज्याभिषेक ईसा के 78 वर्ष बाद हुआ और कुछ का यह कि कनिष्क प्रथम ने सम्भवतः ईसा बाद 120 और 144 वर्ष के बीच राज्य किया था। उसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर में थी और उसके राज्य के अन्तर्गत गांधार, कश्मीर तथा सिन्धु एवं गंगा नदी की घाटियों का क्षेत्र था। कनिष्क के पुत्र हुविष्क ने अपने पिता के बाद राजकाज सँभाला और उसके बाद उसका पुत्र वासुदेव गद्दी पर बैठा।

वासुदेव के समय में कुषाण साम्राज्य बहुत छोटा हो गया था तथा उसके बाद छिन्न-भिन्न होकर अनेक छोटे-छोटे सीमान्त राज्यों में बँट गया। ईसा के बाद तीसरी सदी आते-आते कुषाणों का प्रभुत्व मध्यदेश से समाप्त

हो चुका था तथा उसके स्थान पर बहुत से दूसरे छोटे-छोटे राज्य स्थापित हो चुके थे। यद्यपि इस समय के इन राजाओं में कुछ के नाम अभी भी समुद्रगुप्त (ईसा बाद चौथी सदी) द्वारा इलाहाबाद के स्तम्भ पर खुदवाये जाने के कारण ज्ञात हैं। मथुरा और कान्तिपुरी (मिर्जापुर में कान्तित) इस वंश के शासकों के मुख्यालय रहे। इसी अवधि में नागों की ही एक जाति ''भारशिव'' भी प्रभुत्वशाली बनी। इन लोगों की शक्ति तथा इनके साम्राज्य का आभास इसी से लग जाता है कि इन्होंने दस अश्वमेध यज्ञ किये और गंगा के पवित्र जल से इनके राज्याभिषेक हुए।

ईसा बाद चौथी सदी में गुप्त वंश का प्रादुर्भाव होने पर भारत में राजनीतिक एकता फिर स्थापित हुई तथा लगभग दो सौ वर्षों के उनके शासन काल में मध्यदेश (उत्तर प्रदेश) उनके शासनान्तर्गत अन्य क्षेत्रों के साथ शान्ति और समृद्धि का भागीदार बना।

गुप्त राज्य के पराभव के बाद एक बार फिर सत्ता विकेन्द्रित हो गयी। कुछ समय तक मध्यदेश के विस्तृत भाग पर कन्नौज के मौखरियों का शासन रहा। इन्हें मालवा के गुप्त राजाओं का कड़ा मुकाबला करना पड़ा। इनका अन्तिम राजा गृहवर्मन ईसा के लगभग 606 वर्ष बाद मालवा के राजा देवगुप्त द्वारा पराजित हुआ तथा मार डाला गया। इसके अनन्तर गृहवर्मन के मंत्रियों ने प्रशासन की बागडोर गृहवर्मन के साले हर्षवर्धन को सौंप दी। हर्षवर्धन थानेश्वर का राजा था।

हर्ष के राज्याभिषेक से थानेश्वर और कन्नौज के राज्यवंश आपस में मिल गये। कन्नौज उत्तर भारत का प्रमुख नगर बन गया। कई शताब्दियों तक उसका वही मान रहा जो उससे पहले पाटलिपुत्र का था। उसकी शान-शौकत तथा समृद्धि के फलस्वरूप उसे ''महोदय श्री'' नाम मिला तथा हर्ष के बाद (ईसा 647 वर्ष बाद) के हिन्दू राजाओं का उसे अपने अधिकार में लेने का लक्ष्य रहा करता था। उस समय आये चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कन्नौज की समृद्धि का वर्णन किया है।

हर्ष के बाद उत्तर भारत में फिर उथल-पुथल मच गयी। उपलब्ध सामग्री के आधार पर इस काल का कोई संश्लिष्ट इतिहास तैयार करना सम्भव नहीं है। केवल कुछ घटनाओं का उल्लेख किया जा सकता है।

आठवीं सदी के प्रथम चतुर्थांश में यशोवर्मन ने कन्नौज में अपना आधिपत्य जमा लिया था। उसने लगभग पूरे भारत को जीत लिया और कन्नौज को फिर से वैभवशाली नगर बना दिया। कश्मीर के ललितादित्य मुक्तपीड़ के सहयोग से उसने तिब्बत में भी सेना भेजी थी और सफलता पायी थी। किन्तु बाद में ललितादित्य ने उसे गद्दी से उतार दिया और मार डाला (ईसा से 740 वर्ष बाद)। बाद के आयुधवंशीय राजाओं के काल में कन्नौज पर आधिपत्य के लिए बंगाल के पाल, दक्षिण के राष्ट्रकूटों तथा पश्चिमी भारत के गुर्जर प्रतिहारों के बीच बहुत दिनों तक प्रतिस्पर्धा चली जिसमें अन्तिम सफलता गुर्जर प्रतिहारों को मिली। इन लोगों ने जो साम्राज्य स्थापित किया वह विस्तार और ख्याति की दृष्टि से किसी भी गुप्त-वंशीय राजा या सम्राट हर्ष के साम्राज्य से कम नहीं था। गुर्जर प्रतिहार पूरी नवीं एवं दसवीं शताब्दी में उत्तर भारत पर छाये रहे। इनको सन् 1018-19 में महमूद गजनवी ने परास्त किया। जेजाकभुक्ति या वर्तमान बुन्देलखंड में चन्देल राजाओं ने महमूद गजनवी के आक्रमणों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया था। उनका गढ़ कालिंजर अजेय बना रहा। इन लड़ाइयों में दो चन्देल शासकों, धंग और विद्याधर ने बड़ा शानदार योगदान किया था।

प्रतिहारों के पराभव के बाद मध्यदेश में फिर से अराजकता फैल गयी; किन्तु इसी समय गहरवार राजवंश के उदय से शांति एवं सुव्यवस्था पुनः स्थापित हुई और इस क्षेत्र में समृद्धि का नया युग प्रारम्भ हुआ। दो प्रमुख गहरवार राजा थे गोविन्द चन्द्र (सन् 1104 से 1154 तक) और जयचन्द्र (सन् 1170 से 1193) तक। जयचन्द्र की अदूरदर्शिता से चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय की 1192 में तराइन में मोहम्मद गोरी के हाथों पराजय हुई और फिर अगले वर्ष जयचन्द्र स्वयं भी चन्दवार (इटावा) में हारा और मारा गया। इसके बाद मेरठ, कोइल (अलीगढ़), असनी, कन्नौज और बनारस शीघ्र ही आक्रमणकारियों के शिकार हुए। जेजाकभुक्ति (अब बुन्देलखण्ड) में सन् 1203 में चन्देल राजा परमर्दिदेव (लोकगाथाओं का वीर परमाल) एक युद्ध में कुतुबुद्दीन

ऐबक से हार गया और मारा गया। चन्देलों ने बाद में स्थिति सँभाल ली और लगभग दो शताब्दी से भी अधिक समय तक राज्य करते रहे। यह और बात है कि उनका राज्य-क्षेत्र छोटा हो गया था। इसी प्रकार सुदूर उत्तर का पहाड़ी भाग भी आक्रामकों से सुरक्षित रहा।

सन् 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और वहीं से गुलाम वंश का प्रारम्भ हुआ। गुलाम वंश के राजाओं और उनके बाद खिलजियों तथा तुगलक वंश के बादशाहों ने धीरे-धीरे दिल्ली सल्तनत की सीमा बढ़ायी। वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र लगभग प्रारम्भ से ही इन लोगों के साम्राज्य का अंग रहा। सम्भल, कड़ा और बदायूं प्रमुख जागीरदारों को सौंप दिये गये थे, तथापि पूरा प्रदेश बराबर दिल्ली के सुल्तानों का विरोध करता रहा। विरोध करने वाले क्षेत्रों में कटेहर, कम्पिल, भोजपुर और पटियाली के नाम उल्लेखनीय हैं।

तेरहवीं और चौदहवीं शताब्दी में मध्य-देश का इतिहास शौर्यपूर्ण प्रतिरोध और बर्बरतापूर्ण दमन का इतिहास रहा है जिसकी एक दो झाँकियाँ उस समय के इतिहासकारों की कृतियों में दिखलायी पड़ती हैं। इस अवधि के समाप्त होने से पहले ही दिल्ली के तुगलकों का साम्राज्य तेजी से विघटित होने लगा था और सन् 1394 में इस क्षेत्र के पूर्वांचल में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो गयी। यह शर्की साम्राज्य था और इसकी स्थापना जौनपुर में नासिरुद्दीन तुगलक के विद्रोही सूबेदार मलिक सरवर ख्वाजाजहां ने की थी। शर्की शासकों ने 84 वर्षों तक दिल्ली की सल्तनत का जमकर प्रतिरोध किया और कन्नौज एवं अन्य सीमान्त जिलों पर दिल्ली का प्रभुत्व नहीं माना।

जौनपुर के अलग हो जाने के चार वर्ष बाद अर्थात् सन् 1398 में भारत पर समरकन्द के एक चुँगताई तुर्क ने, जिसे तिमुर या तैमूरलंग या तमरलेन कहा जाता है, आक्रमण किया। यद्यपि मुख्य रूप से दिल्ली और पंजाब का क्षेत्र तैमूरलंग की बर्बरता तथा पाशविकता का शिकार बना किन्तु दोआब का क्षेत्र भी अछूता न बचा। उदाहरण के लिये मेरठ, हरिद्वार तथा कटेहर को भी इस आक्रमण की कटुता का अनुभव हुआ।

तैमूर की चढ़ाई ने तुगलक वंश का शासन समाप्त कर दिया। सन् 1412 में मुहम्मद तुगलक (अन्तिम तुगलक बादशाह) की मृत्यु हो गयी और उसी समय से दिल्ली में तुगलक राजवंश की समाप्ति हो गयी।

सन् 1414 से 1526 तक सैयद और लोदियों ने दिल्ली साम्राज्य के बचे-खुचे भाग पर राज्य किया। लोदी राज-वंश के संस्थापक बहलोल लोदी ने सन् 1478 में जौनपुर पर अधिकार कर लिया किन्तु दोआब का अधिकांश भाग अनेक हिन्दू एवं मुसलमान सरदारों के अधीन बना रहा। तत्कालीन इतिहास की एक प्रमुख घटना यह रही कि सिकन्दर लोदी ने आगरा को अपनी उप-राजधानी बनायी।

बाबर ने पानीपत की लड़ाई में सन् 1526 में लोदियों के अन्तिम बादशाह इब्राहीम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया किन्तु इसके बाद भी अफगानों ने गंगा की घाटी में और सम्भल, जौनपुर, गाजीपुर, कालपी, इटावा और कन्नौज में अपना प्रतिरोध जारी रखा तथा कड़ी लड़ाई के बाद ही आत्मसमर्पण किया। बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी किन्तु उसके लड़के हुमायूँ को अफगान वीर शेरशाह सूरी के हाथों करारी हार खानी पड़ी थी। शेरशाह सूरी मुगलों के विरुद्ध भारतीय मुसलमानों के विरोध का प्रतीक था। मुगलों और शेरशाह सूरी के बीच हुई लड़ाइयों में चुनार, चौसा तथा बिलग्राम प्रमुख रणस्थल थे। शेरशाह सूरी स्वयं सन् 1545 में कालिंजर के प्रसिद्ध किले पर अधिकार करने के प्रयास में चन्देलों से लड़ते हुए मारा गया।

उसकी मृत्यु से मानो मध्ययुगीन इतिहास के गगन का एक विलक्षण सितारा अस्त हो गया। इसके उपरान्त महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमारम्भ हुआ। हुमायूं फिर से दिल्ली के तख़्त पर बैठा। उसकी मृत्यु के बाद पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। सन् 1556 में अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा और भारतीय इतिहास में एक नवीन युग का आरम्भ हुआ। यह युग था शांति, समृद्धि सुदृढ़ प्रशासन का, उदारता, सहिष्णुता और हिन्दू एवं मुसलमान संस्कृतियों के समन्वय का।

समन्वय की यह प्रक्रिया अकबर के उत्तराधिकारियों-जहाँगीर एवं शाहजहाँ के समय में भी चलती रही।

उत्कर्ष के इस युग में "हिन्दुस्तान" का, जैसा कि तत्कालीन मुसलमान इतिहासकार उत्तर प्रदेश को कहते थे महत्त्वपूर्ण अंशदान रहा है। अकबर के दो प्रसिद्ध मंत्री टोडरमल और बीरबल इसी क्षेत्र के थे और जब तक शाहजहाँ के समय में दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया गया था तब तक आगरा ही मुगल साम्राज्य की राजधानी रही।

औरंगजेब द्वारा उदारता की नीति का परित्याग करने से मुगल साम्राज्य को भारी धक्का लगा। परिणाम यह हुआ कि उसकी मृत्यु के कुछ ही दशकों में शक्तिशाली मुगल साम्राज्य नष्ट हो गया। औरंगजेब के शासनकाल में ही बुन्देलखण्ड ने वीर छत्रसाल के नेतृत्व में विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। बुन्देलों की यह लड़ाई रुक-रुक कर लगभग 50 वर्षों तक चली। छत्रसाल को पेशवा वाजीराव की सहायता स्वीकार करनी पड़ी। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में मराठों के पैर जमे। स्वयं अवध का स्थानीय सूबेदार सादात खाँ सन् 1732 में स्वतंत्र हो गया और उसके बाद उसके उत्तराधिकारी सन् 1856 तक राज्य करते रहे। लगभग इसी समय रुहेलों ने भी स्वतंत्र राज्य कायम कर लिया और सन् 1774 तक रुहेलखण्ड में अधिपति बने रहे। उक्त वर्ष अवध के नवाब ने उन्हें ईस्ट इंडिया कम्पनी की सहायता से परास्त किया। कुछ समय तक मराठों ने गंगा-जमुना दोआब पर अपना आधिपत्य जमाने के प्रयास किये किन्तु 1761 में पानीपत में हुई हार ने उनकी इस विस्तार-भावना का अन्त कर दिया। इस अवसर से लाभ उठाकर अंग्रेजों ने दोआब में अपनी स्थिति सुदृढ़ बना ली।

अवध के तीसरे नवाब शुजाउद्दौला (सन् 1754 से 1775 तक) के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी अवध के शासकों के सम्पर्क में आयी। शुजाउद्दौला ने बंगाल से भागे हुए नवाब मीर कासिम से सन् 1764 में अंग्रेजों के विरुद्ध इकरारनामा कर रखा था किन्तु बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ और उसे कड़ा एवं इलाहाबाद अंग्रेजों को दे देना पड़ा। इसके बाद अंग्रेजों ने कभी धमकी देकर कभी फुसलाकर नवाब से बड़े-बड़े क्षेत्र हड़पने की नीति बना ली।

सन् 1775, 1798 और 1801 में नवाबों से जो क्षेत्र अंग्रेजों ने प्राप्त किये और सन् 1803 में ग्वालियर के सिंधिया से जो क्षेत्र लार्ड लेक ने जीते वे सब शुरू में बंगाल के प्रान्त से सम्बद्ध कर दिये गये थे और इन्हें जीते हुए या मिले प्रदेश की संज्ञा दी गयी। सन् 1816 में सुगौली की संधि द्वारा वर्तमान कुमाऊँ, गढ़वाल और देहरादून के जिले गुरखा आक्रमणकारियों से लेकर ब्रिटिश राज्य में मिला लिये गये। इस प्रकार से जो विस्तृत क्षेत्र बना उसे सन् 1836 में उत्तर-पश्चिम प्रान्त के नाम से एक प्रशासनिक इकाई में बदल दिया गया। अन्त में सन् 1856 में राज्य हड़पने की नीति का अनुसरण करते हुए डलहौजी ने अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया तथा उसे एक चीफ कमिश्नर की अधीनता में रख दिया। आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने कलकत्ता भेज दिया और उसे पेंशन दे दी। इसी समय झाँसी का राज्य भी अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया था।

अवध के नवाबों और ईस्ट इंडिया कम्पनी के बीच जैसे सम्बन्ध थे वे एक तरफ तो नवाबों की दुर्बलता का तथा दूसरी तरफ अंग्रेजों की उद्दण्डता, शक्ति और विश्वासघात का स्मरण दिलाते हैं। अतः सन् 1856 में जब अंग्रेजों ने अवध की नवाबी हड़प ली तो यह स्वाभाविक था कि राष्ट्रीय स्तर पर विद्रोह की अग्नि भड़क उठे और सन् 1857 में यही हुआ। उक्त विद्रोह में , जो राष्ट्र की आजादी के लिए किया गया प्रथम स्वतंत्रता-संग्राम था, वर्तमान उत्तर प्रदेश के किसानों, मजदूरों, महिलाओं, दलितों तथा सभी धर्मों व वर्गों के लोगों ने शानदार भूमिका अदा की। झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई, अवध की बेगम हजरत महल, बख्त खाँ, नाना साहब, मौलबी अहमदउल्ला शाह, राणा बेनीमाधव सिंह, अजीमउल्ला खाँ तथा अन्य अनेक राष्ट्रभक्तों ने उक्त ऐतिहासिक संघर्ष में जिस कर्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया उससे वे अमर हो गये।

सन् 1858 में दिल्ली डिवीजन उत्तरी-पश्चिमी प्रदेश से जुदा कर दिया गया और प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद स्थानान्तरित कर दी गयी। उसी वर्ष 1 नवम्बर को एक शाही घोषणा द्वारा राजनीतिक सत्ता ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथों से लेकर सीधे महारानी विक्टोरिया को सौंप दी गयी।

सन् 1877 में उत्तर-पश्चिमी प्रदेश के लेफ्टिनेन्ट गवर्नर का पद तथा अवध के चीफ कमिश्नर का पद एक में मिला दिया गया। उसी समय से उक्त वृहत्तर क्षेत्र को उत्तर-पश्चिम प्रदेश, आगरा और अवध, कहा जाने लगा। सन् 1902 में इस नाम को भी बदल कर संयुक्त प्रदेश आगरा और अवध कहा जाने लगा। सन् 1921 से यहाँ गवर्नर नियुक्त होने लगा और कुछ समय बाद राजधानी लखनऊ स्थानान्तरित हो गयी। सन् 1937 में इसका नाम छोटा करके मात्र संयुक्त प्रान्त कर दिया गया। आजादी मिलने के लगभग ढाई वर्ष बाद अर्थात् 24 जनवरी, 1950 को इस क्षेत्र का वर्तमान नाम उत्तर प्रदेश हुआ। इसके तुरन्त बाद पास-पड़ोस के अनेक छोटे-छोटे क्षेत्र इसमें मिला लिये गये। 26 जनवरी, 1950 को जब स्वतंत्र भारत का संविधान लागू हुआ तो उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य बन गया।

इसमें सन्देह नहीं कि अंग्रेजों के राज्यकाल में या उसके बाद की अवधि में उत्तर प्रदेश का इतिहास पूरे भारत के इतिहास से पृथक नहीं रहा, किन्तु यह तथ्य सर्वविदित है कि राष्ट्रीय आन्दोलनों में यहाँ के लोगों का योगदान महत्वपूर्ण है। सी.वाई. चिन्तामणि, तेज बहादुर सप्रू, मदनमोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, गोविन्द वल्लभ पन्त, लालबहादुर शास्त्री तथा रफी अहमद किदवई ये सब राष्ट्र के नेता रहे हैं और सब उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। यह भी कम गौरव की बात नहीं है कि इस प्रदेश से अनेक प्रधान मंत्री राष्ट्र को मिले हैं- पं. जवाहरलाल नेहरू, श्री लालबहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गाँधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, वी.पी. सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी एवं वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इत्यादि।

स्वाधीनता आन्दोलन : उत्तर प्रदेश की भूमिका

औरंगजेब की मृत्यु के उपरान्त पचास वर्षों में कुल आठ मुगल शासक दिल्ली की गद्दी पर बैठे। 1757 तक वर्तमान उत्तर प्रदेश में पाँच स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे। मेरठ तथा बरेली के उत्तर में नाजिब खान नामक पठान सरदार, मेरठ तथा दोआब क्षेत्र में रुहेलों के अन्तर्गत रुहेलखण्ड, फर्रुखाबाद के नवाब के अन्तर्गत मध्य दोआब का क्षेत्र, वर्तमान अवध तथा पूर्वी जिलों पर अवध के नवाब तथा बुन्देलखण्ड पर मराठों का शासन स्थापित था। दिल्ली में मुगलों के पराभव के साथ ही इन सभी स्वतंत्र राज्यों में वर्चस्व का संघर्ष जारी हो गया। 1761 के तीसरे पानीपत के युद्ध में मराठों, जाटों तथा राजपूतों की पराजय ने तथा बक्सर के युद्ध (1764) में ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम की पराजय ने उत्तर भारत का भाग्य निर्धारित कर दिया। अंग्रेज प्रयागराज तक बढ़ आये थे। अवध के नवाब ने मराठों को बुन्देलखण्ड से सहायता के लिए बुलाया परन्तु कानपुर के निकट जाजमऊ में नवाब व मराठों की सम्मिलित सेना अंग्रेजी सेना से पराजित हो गयी। निर्वासित मुगल सम्राट शाह आलम को प्रयागराज तथा कोरा (प्रयागराज, कानपुर तथा फतेहपुर) के साथ-साथ बंगाल के राजस्व से 26 लाख वार्षिक का कर दान देना ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने तय किया। जबकि अवध के नवाब ने अंग्रेजों को 50 लाख का मुआवजा देना स्वीकार किया।

1773 में अंग्रेजों ने रुहेलखण्ड में मराठों को पराजित कर दिया तथा उन्हें दोआब से निष्कासित कर दिया। प्रयागराज अवध के नवाब को इस आधार पर सौंप दिया गया कि शाह आलम ने इसे मराठों को सौंप दिया था। 1774 में अंग्रेजी सेनाओं ने रुहेल सरदार रहमत खान को शाहजहाँपुर में पराजित कर रुहेलखण्ड को अवध के नवाब को सौंप दिया।

1775 में शुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात् आसफउद्दौला अवध का नवाब बन गया। अंग्रेजों के साथ की गयी एक नई संधि में उसने बनारस क्षेत्र का आधिपत्य अंग्रेजों को सौंप दिया। बनारस क्षेत्र इस समय राजा चेत सिंह के अधिकार में था। राजा चेत सिंह ने 1780 में जब सैनिक टुकड़ियों तथा धन की अतिरिक्त माँग को ठुकरा दिया तब गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स राजा को सबक सिखाने स्वयं बनारस पहुँच गया। राजा चेत सिंह के नेतृत्व में हुये बनारस विद्रोह को दबाकर अंग्रेजों ने महीप नारायण सिंह को बनारस का राजा बना दिया। इसके साथ ही बनारस पर ब्रिटिश प्रशासन सुनिश्चित हो गया।

सन् 1797 में आसफउद्दौला की मृत्यु हो गयी। तत्पश्चात् उसका भाई सादात अली अवध का नवाब बन गया। उसने प्रयागराज का किला अंग्रेजों को सौंप दिया तथा बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के बदले में प्रतिवर्ष 76 लाख रुपये ईस्ट इण्डिया कम्पनी को देने का आश्वासन भी प्रदान कर दिया।

19वीं सदी के प्रारम्भ पर अंग्रेजों के पास इस प्रान्त में सिर्फ बनारस क्षेत्र (मिर्जापुर के अतिरिक्त) तथा प्रयागराज का किला था। 1801 में अवध के सादात अली ने सुरक्षा की गारन्टी के एवज में गोरखपुर क्षेत्र, रुहेलखण्ड क्षेत्र, प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, एटा, दक्षिणी मिर्जापुर तथा कुमायूँ का तराई परगना अंग्रेजों को प्रदान कर दिया। अगले ही साल फर्रुखाबाद के नवाब ने अपना इलाका भी अंग्रेजों को दे दिया। इस प्रकार इस समय तक उत्तर को छोड़ कर शेष सभी तरफ से अवध अंग्रेजों द्वारा शासित क्षेत्रों से घिर चुका था। 1803 में लार्ड लेक ने मराठों को पराजित कर अलीगढ़, दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध के परिणामस्वरूप अंग्रेजों ने मराठों से मेरठ, आगरा, झाँसी के पड़ोसी जिले बाँदा, हमीरपुर, जालौन, गोहाड़ तथा ग्वालियर का क्षेत्र भी हथिया लिया। परन्तु बाद में अंग्रेजों ने गोहाड़ तथा ग्वालियर सिन्धिया को वापस कर दिया। 1816 के गोरखा युद्ध में अंग्रेजों को कुमायूँ तथा देहरादून भी प्राप्त हो गये।

इस समय तक यह सारा क्षेत्र बंगाल प्रेसीडेन्सी का ही हिस्सा रहा तथा इस पर गर्वनर जनरल का ही शासन बना रहा। 1833 में इसे बंगाल प्रेसीडेन्सी से अलग कर आगरा प्रेसीडेन्सी का नाम दिया गया साथ ही एक गर्वनर की नियुक्ति भी कर दी गई। 1836 में जब इस प्रान्त का नाम उत्तर पश्चिमी प्रान्त किया गया तब इस प्रान्त में आगरा, झांसी, जालौन के साथ-साथ दिल्ली तथा अजमेर के क्षेत्र भी शामिल थे। बाद में मारवाड़, बुन्देलखण्ड तथा हमीरपुर भी इसमें शामिल कर लिये गये। 1856 में अवध को भी इसमें शामिल कर लिया गया। 1857 की क्रान्ति के बाद दिल्ली पंजाब को, तराई के कुछ हिस्से नेपाल को, बरेली तथा मुरादाबाद के कुछ इलाके रामपुर के नवाब को तथा सागर मध्य प्रान्त को दे दिये गये। 1871 में अजमेर व मारवाड़ भारत सरकार को हस्तान्तरित कर दिये गये।

1857 की क्रान्ति

अंग्रेजी शासन के स्थापना वर्ष 1757 के ठीक सौ वर्ष बाद1857 में उत्तरी भारत की जनता ने विदेशी शासन के विरुद्ध एक महान विद्रोह किया। इस विद्रोह का प्रारम्भ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कम्पनी के भारतीय सैनिकों के गदर से हुआ। कम्पनी की सेना मुख्य रूप से तीन अंगों में विभाजित थी– बंगाल, बाम्बे तथा मद्रास सेना। इनमें बंगाल सेना सबसे बड़ी थी, जिसमें कुल 1,70,000 सैनिकों में से 1,40,000 भारतीय सैनिक थे जो मुख्यतया अवध, बिहार तथा उत्तरी-पश्चिमी प्रान्तों के निवासी थे। ये सभी अपने अपने गाँव के छोटे-छोटे जमींदार अथवा किसान परिवार से आये थे। यद्यपि उन्हें सन्तोषजनक वेतन प्राप्त होता था परन्तु ये कभी भी सार्जेन्ट से ऊपर का पद नहीं प्राप्त कर पाते थे।

1857 में प्लासी के युद्ध को सौ साल पूरा होना था। इस अवसर पर ब्रिटिश राज को समाप्त कर देने की छिटपुट योजनाएँ बनने लगी थीं। परन्तु कोई संगठित योजना अभी तक नहीं बन सकी थी। इनका प्रयास कुछ संन्यासी तथा वहाबी आन्दोलनकर्ता अवश्य कर रहे थे। इसका थोड़ा बहुत प्रभाव सैनिकों पर भी था। पिछले कुछ वर्षों से यह आम धारणा बनने लगी थी कि कम्पनी सरकार हिन्दू और मुसलमान दोनों को ईसाई बनाना चाहती थी। इसके कारण सैनिकों में एक आक्रोश व्याप्त था। इसी मध्य अंग्रेजों ने नये-नये अविष्कृत, एनफिल्ड रायफिलों के लिए एक नये प्रकार का कारतूस प्रयोग करना आरम्भ किया। चूँकि प्रयोग करते समय इसे मुँह से खोलना पड़ता था, हिन्दू और मुस्लिम दोनों धर्मों के सैनिकों में यह धारणा बन चुकी थी कि उनके खोल सुअर एवं गाय की चर्बी से बनाए गए थे। इन कारतूसों के प्रयोग ने सैनिकों के आक्रोश को विस्फोट में बदल दिया। 26 फरवरी, 1857 को कलकत्ता से 120 मील दूर स्थित बरहामपुर के 19वीं देशी सैनिक टुकड़ी ने दगाऊ टोपी पहनकर परेड में जाने से मना कर दिया। उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गयी। इसके

तत्काल बाद कलकत्ता के निकट स्थित बैरकपुर के 34वीं देशी सैनिक छावनी के मंगल पाण्डे ने 21 मार्च को खुला विद्रोह कर दिया। उत्तर प्रदेश के निवासी मंगल पाण्डे ने उस दिन अपने एडजुडेन्ट लेफ्टिनेंट हेनरी बाग पर गोली चला दी तथा उस पर तलवार से भी वार किया। 7 अप्रैल को ही उन्हें बैरकपुर में फाँसी दे दी गयी। मंगल पाण्डे की शहादत ने उत्तर भारत के समस्त सैनिक छावनियों में विद्रोह की आग भड़का दी। इससे पहले से भारतीय जनता में ब्रिटिश शासकों की लूट, अत्याचार, हत्या, देशी उद्योगों को नेस्तनाबूद करने के कारनामों, अकाल, भूख, किसानों-मजदूरों पर बेइंतहा जुल्म आदि को लेकर विरोध व प्रतिरोध का लावा उबल रहा था। मंगल पाण्डेय की फाँसी ने इसमें घी का काम किया और व्यापक जनविद्रोह उभर पड़ा। सैनिकों के विद्रोह के साथ जन-विद्रोह भी शामिल हो गया जिसने देश की स्वाधीनता के पहले विद्रोह, मुक्ति की लड़ाई का स्वरूप लिया। अम्बाला के 60वीं व 5वीं सैनिक छावनी के सभी सैनिकों ने 9 मई को विद्रोह कर दिया। यह प्रथम ऐसा सैनिक विद्रोह था जिसमें किसी छावनी के समस्त सैनिकों ने भाग लिया था। अंग्रेजों ने इस पर तत्काल काबू पा लिया, पर इसके बाद मेरठ में होने वाला विद्रोह अंग्रेजी सैनिक क्षमता के बूते से बाहर सिद्ध हुआ। 24 अप्रैल की परेड में मेरठ की देशी सेना ने उन कारतूसों को छूने से भी मना कर दिया। अंग्रेजी सेना ने 9 मई को 90 में से 85 सैनिकों की वर्दी उतरवा ली। दूसरे दिन ही पूरी छावनी के सैनिकों में विद्रोह की आग भड़क उठी। उन्होंने अपने सैनिकों व साथियों को जेल से छुड़ा लिया तथा सभी अंग्रेज अधिकारियों, उनकी पत्नियों और बच्चों को मार दिया। 11 मई को इन्हीं सैनिकों ने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया। इन सैनिकों ने तत्कालीन भारत के पेंशनयाफ्ता सम्राट बृद्ध बहादुरशाह जफर द्वितीय को मजबूर किया कि वह उनको नेतृत्व प्रदान करें। 6 सैनिकों तथा 4 नागरिकों की एक मिली-जुली समिति ने 'जलसा' के नाम से दिल्ली का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया।

इस सैनिक विद्रोह से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला क्षेत्र अवध तथा बुन्देलखण्ड का था। यहाँ के किसानों ने तत्काल विद्रोही सैनिकों के साथ विद्रोह में हिस्सा लेना प्रारम्भ कर दिया था। नये जमींदारों को भगा दिया गया अथवा उनकी हत्या कर दी गयी। स्थानीय सरकारी कार्यालयों पर हमला बोल दिया गया। लगान देना बन्द कर दिया गया। उत्तरी भारत के दोआब क्षेत्र ने भी इस विद्रोह में सक्रिय योगदान दिया। इन्होंने अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, कानपुर तथा प्रयागराज को स्वतंत्र कराने के बाद वहाँ अपनी सरकारें स्थापित कर ली थीं। बरेली का प्रशासन 'खान बहादुर खान' नामक रोहिल्ला सैनिक अधिकारी ने अपने हाथ में ले लिया था। कानपुर के प्रशासन पर पेशवा बाजी राव द्वितीय के दत्तक पुत्र 'वहाबी' विद्रोही का अधिकार था।पटना में विद्रोह का नेतृत्व पीर अली नामक एक पुस्तक विक्रेता कर रहे थे। इन नगरों के साथ इटावा, मैनपुरी, रुड़की, एटा, मथुरा, शाहजहाँपुर, बदायूँ, आजमगढ़, सीतापुर, बाराबंकी, वाराणसी, झाँसी, अयोध्या, फतेहपुर तथा हाथरस जैसे अपेक्षाकृत छोटे-छोटे शहरों में भी विद्रोह का विस्तार हो चुका था।

इस बीच दिल्ली में कानून और व्यवस्था की समस्या खड़ी हो चुकी थी। विद्रोही सैनिकों में इस समय जिस अनुशासनिक भावना की आवश्यकता थी उसको उत्पन्न करने में तत्कालीन विद्रोही नेता असफल रहे। बिना किसी पूर्व तैयारी, सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि तथा निश्चित नेतृत्व के बिना ही विद्रोह प्रारम्भ हो जाने के कारण दिल्ली में एक ऐसी अराजक स्थिति उत्पन्न हो गयी जिसमें किसी को भी यह नहीं पता था कि आगे क्या करना है। अनुशासन की यही समस्या कानपुर में भी खड़ी हुई। यहाँ नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व सम्भाल रखा था। इस समय नगर में लगभग 10,000 सैनिक तथा कृषक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्षरत थे। कानपुर के निकट लखनऊ में भी विद्रोह प्रारम्भ हो चुका था। लगभग 50,000 नागरिक इसमें हिस्सा ले रहे थे। इनका नेतृत्व बेगम हज़रत महल कर रही थीं। यहाँ पर विद्रोहियों ने रेजीडेन्सी का घेरा डाल रखा था, जिसमें अंग्रेज सैनिकों, अधिकारियों तथा उनके परिवारों ने शरण ले रखी थी। कानपुर तथा लखनऊ में ब्रिटिश सेना अधिकारी कैम्पबेल, जनरल हैवलाक तथा विन्दम ने अपनी समस्त सैनिक योग्यता तथा नेतृत्व के बल पर विद्रोह को कुचलने का प्रयास एक लम्बे समय तक जारी रखा। इन सभी के विरुद्ध विद्रोहियों के पक्ष में केवल एक तात्या

टोपे ही योग्य सेनापति थे। 6 माह के लगातार प्रयासों तथा एक माह के लम्बे युद्ध के बाद अंग्रेज अन्त में लखनऊ पर पुनः अधिकार करने में सफल हो गये। कानपुर तथा लखनऊ के बाद अंग्रेजों ने मई में बरेली पर भी अधिकार कर लिया। इसके बाद वे जनरल ह्यूरोज़ के नेतृत्व में झाँसी की ओर बढ़े। यहाँ पर उन्हें झाँसी की युवा रानी लक्ष्मीबाई का सामना करना पड़ा जो अब वीरतापूर्वक विद्रोह का नेतृत्व कर रही थीं। झाँसी की पराजय के बाद लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे की सहायता से ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई अपने समस्त पराक्रम के बाद भी पराजित हुईं और इस युद्ध में उन्होंने वीरगति पायी। इसके पश्चात् अप्रैल 1859 में तात्या टोपे भी पकड़ लिये गये और उन्हें फाँसी दे दी गयी।

इसी मध्य ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया ने 1 नवम्बर, 1858 को अपने घोषणा पत्र में ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथों से समस्त अधिकार ले लिये। इस घोषणा में साम्राज्ञी ने विद्रोह से हाथ खींच लेने वाले रजवाड़ों, सामन्तों तथा जमींदारों को आम माफीनामा देने का आश्वासन भी दे दिया। परिणामस्वरूप, जो थोड़े बहुत जमींदार और सामन्त अभी भी विद्रोह से जुड़े हुए थे, उन्होंने तत्काल विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अपने अन्तिम दौर में विद्रोह पूरी तरह से नेतृत्व विहीन हो चुका था। अतः इसको दबा देना अंग्रेजों के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं था।

राष्ट्रवाद का अंकुरण

1857 की क्रान्ति के कारण अंग्रेजी राज का रवैया इस प्रान्त के प्रति पक्षपातपूर्ण हो गया था। परिणामस्वरूप, शिक्षा तथा सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में यह प्रान्त बंगाल, बम्बई तथा मद्रास आदि से पिछड़ता चला गया। इसके साथ ही साथ धार्मिक व सांस्कृतिक आन्दोलनों के मामले में भी यह प्रान्त पिछड़ा ही रहा। जिस दौर में बंगाल, ब्रह्म समाज तथा रामकृष्ण मिशन, पंजाब, आर्यसमाज तथा बम्बई व पूना, प्रार्थना समाज व सत्यशोधक मण्डल जैसी सामाजिक-बौद्धिक संस्थाओं के कारण सांस्कृतिक व बौद्धिक रूप से उद्वेलित हो रहे थे, उत्तर प्रदेश एक सांस्कृतिक शून्य के दौर से गुजर रहा था। इस दौर में आर्य समाज की सिर्फ दो शाखाएँ उत्तर प्रदेश में स्थापित हो सकी थीं। इस अपेक्षाकृत शान्त माहौल में भी बनारस के भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अपने 'कवि वचन सुधा' नामक पत्रिका के माध्यम से बंगाल के स्वदेशी आन्दोलन के समर्थन में मुहिम जारी रखे हुए थे।

इसी दौर में सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के बीच एक प्रगतिशील आन्दोलन की नींव रखी। 1869 में ब्रिटेन से लौटने के बाद उन्होंने 'तहजीब उल अखलाक' नामक पत्रिका के माध्यम से मुस्लिम समाज के मध्य पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। 1875 में उन्होंने अलीगढ़ में 'मोहम्मडन एंग्लो ओरियंटल विद्यालय' की स्थापना की जो बाद में अलीगढ़ विश्वविद्यालय बन गया। 'अलीगढ़ आन्दोलन' के नाम से विख्यात यह आन्दोलन उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण अध्याय है।

सोमवार 28 दिसम्बर, 1885 को 'गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कालेज, बम्बई', में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन सम्पन्न हुआ। इस स्थापना अधिवेशन के कुल 72 प्रतिनिधियों में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व गंगा प्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पंडित, मुंशी ज्वाला प्रसाद, जानकीनाथ घोषाल, रामकली चौधरी, बाबू जमुनादास, बाबू शिव प्रसाद चौधरी तथा लाला बैजनाथ आदि ने किया था।

कलकत्ता में सम्पन्न कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों की संख्या 74 पहुँच गयी थी। दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में प्रारम्भ इस अधिवेशन में कुल 431 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। कांग्रेस के दूसरे ही अधिवेशन में इतना अधिक प्रतिनिधित्व बढ़ जाने का कारण सुरेन्द्रनाथ बनर्जी द्वारा कांग्रेस में सम्मिलित हो जाने के लिए राजी हो जाना था। सुरेन्द्र नाथ बनर्जी तथा इण्डियन एसोसियेशन द्वारा अधिवेशन में सम्मिलित होने का निर्णय लेते ही बंगाल के अन्य राजनैतिक संगठनों ने भी इसमें खुलकर हिस्सा लिया। ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का महासचिव बनाया गया तथा कांग्रेस की स्थानीय समितियों को गठित करने का निर्णय लिया गया। इस अधिवेशन

में कांग्रेस ने सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े प्रश्नों पर विचार के लिए सत्रह सदस्यीय समिति का गठन किया जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश से पाँच सदस्यों को चुना गया था। लखनऊ के गंगाप्रसाद वर्मा, प्राणनाथ, मौलाना हामिद अली तथा नवाब रज़ा अली खान और प्रयागराज के मुंशी काशी प्रसाद इस समिति में शामिल थे।

मद्रास के तीसरे अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब अली द्वारा घोषित सब्जेक्ट कमेटी में उत्तर प्रदेश से राजा रामपाल सिंह, मौलवी हामिद अली, रामकली चौधरी एवं पं. मदनमोहन मालवीय को सम्मिलित किया गया था। कांग्रेस के इसी सत्र में पार्टी के संविधान तथा कार्यपद्धति को निर्धारित करने के लिए एक विधि समिति का निर्माण भी किया गया था जिसमें लखनऊ के गंगा प्रसाद वर्मा, विशन नारायण व मौलाना हामिद अली को शामिल किया गया था। यह अधिवेशन अपने पूर्ववर्ती दोनों अधिवेशनों से अधिक सफल सिद्ध हुआ। इसमें 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा पहली बार प्रतिनिधियों के रहने के लिए एक सभास्थल स्वीकार कर लिया गया। इसी अधिवेशन से कांग्रेस को एक जन संगठन बनाने का प्रयास प्रारम्भ हुआ।

कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जार्ज यूल की अध्यक्षता में प्रयागराज में सम्पन्न हुआ। इस प्रान्त के गवर्नर सर आकलैण्ड कॉल्विन ने जी जान से यह कोशिश की कि इस प्रान्त में न तो कांग्रेस का प्रचार ही होने पाये और न वह आवश्यक चन्दे का ही संग्रह कर सके। और तो और, प्रयागराज में अधिवेशन के लिये कांग्रेस को कोई जगह भी न मिल पाये, यह भी प्रयास किया गया। अंग्रेजी शासन के इस कड़े रुख के कारण मद्रास के तीसरे अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा अंग्रेजी प्रशासन के विरुद्ध की गयी कटु आलोचनाएँ ही थीं। अंग्रेजों के इस कड़े रुख के साथ-साथ सर सैय्यद अहमद खाँ तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद 'सितारे हिन्द' ने भी कांग्रेस का विरोध प्रारम्भ कर दिया था। सर सैय्यद अहमद ने मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रहने को कहा। परन्तु उनके विरोध के बाद भी भारतीय मुस्लिम समाज में कांग्रेस के प्रति आकर्षण निरन्तर बढ़ ही रहा था। इसके अधिवेशनों में मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 1885 में 2, 1886 में 33 और 1887 में 79 तक बढ़ चुकी थी। कांग्रेस में मुसलमानों के बढ़ते प्रभाव को देखकर सर सैय्यद ने 'मुहम्मडन एज्यूकेशनल कांग्रेस' और 'यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन' नामक दो संस्थाओं की स्थापना कर कांग्रेस के विरुद्ध प्रचार प्रारम्भ कर दिया। सर सैय्यद के साथ-साथ राजा शिवप्रसाद 'सितारे हिन्द' ने भी कांग्रेस के विरुद्ध प्रचार में उनका पूरा साथ दिया। 'ब्रिटिश इण्डियन एसोसिएशन' तथा सर दिनशा मानक जी पेटिट जैसे धनिक पारसियों ने भी कांग्रेस को कमजोर करने की पूरी कोशिश की। इन बाह्य विरोधों के बाद भी प्रयागराज का अधिवेशन पहले तीन अधिवेशन से अधिक सफल सिद्ध हुआ। इसमें कुल 1248 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इनमें 964 हिन्दू, 222 मुसलमान, 7 पारसी, 11 जैन, 6 सिक्ख, 16 ईसाई, 2 यूरोपियन और 20 अमरीका निवासी भारतीय थे। इन प्रतिनिधियों में से 11 नवाब, 1 शहजादा, 2 मुगल राजकुमार, 3 अन्य राजकुमार, 388 जमींदार, 448 वकील, 77 पत्रकार, 143 आयुक्त, 58 शिक्षक तथा 10 किसानों ने हिस्सा लिया था। यद्यपि संख्या की दृष्टि से प्रयागराज का अधिवेशन एक सफल अधिवेशन था परन्तु इसमें सामन्तों तथा अभिजात्यवर्गीय प्रतिनिधित्व का वर्चस्व इतना अधिक बढ़ गया कि अंग्रेजी राज के प्रति कांग्रेस का रुख पहले की तुलना में अधिक नरम होने लगा। इस नरम रुख का नेतृत्व रानाडे और गोखले आदि कर रहे थे। इस नरम रुख के परिणास्वरूप ही 1892 का अधिवेशन लंदन में करने का निर्णय लिया गया था हालाँकि बाद में इसे प्रयागराज में करने का निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का यह दूसरा अधिवेशन था। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1899 में लखनऊ में हुआ, जिसमें कांग्रेस के संविधान को स्वीकार किया गया तथा इसी अधिवेशन में प्रादेशिक कमेटियों के गठन का निर्णय भी लिया गया।

कांग्रेस के इस नरम रुख के विरुद्ध कांग्रेस के अन्दर ही एक उग्रवादी धारा प्रवाहित होने लगी जिसका नेतृत्व तिलक तथा अरविन्द घोष कर रहे थे। बम्बई से प्रकाशित होने वाले 'इन्दु प्रकाश' में अरविन्द घोष ने कांग्रेस के इस नये रुख के विरुद्ध जमकर लिखा। 1895 के पूना कांग्रेस में तिलक ने यह सीधा आरोप लगा दिया कि वह इसे आम जनता तक नहीं ले जाना चाहते हैं। 1905 तक कांग्रेस पर यद्यपि नरम और गरम

पंथियों का ही वर्चस्व स्थापित रहा परन्तु धीरे-धीरे तिलक की बढ़ती लोकप्रियता ने नरम और गरम पंथ के मध्य दूरी को बढ़ाना प्रारम्भ कर दिया था। 1905 के बंगाल विभाजन ने कांग्रेस के इस आन्तरिक मतभेद को अत्यधिक बढ़ा दिया। बंग भंग आन्दोलन में दिये गये बहिष्कार, स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा के नारे के प्रश्न पर कांग्रेस में तीखे मतभेद उत्पन्न हो चुके थे। ऐसे माहौल में कांग्रेस का 25वाँ अधिवेशन बनारस में हुआ। इन दोनों समूहों में पहला टकराव बनारस में ही हुआ। इस विवाद का प्रथम कारण 'प्रिंस आफ वेल्स' का स्वागत प्रस्ताव था। नरम पंथी इस प्रस्ताव को पारित कराना चाहते थे, जबकि तिलक आदि इसके विरुद्ध थे। बाद में 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जब तिलक दल ने 'बहिष्कार' आन्दोलन को अखिल भारतीय स्तर पर प्रारम्भ करने का प्रस्ताव किया तो नरम दल ने इसका जमकर विरोध किया। इस अधिवेशन का प्रारम्भ ही कटुताओं से हुआ था। वास्तव में, गरम दल वाले लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि नरम दल ने 81 वर्षीय दादाभाई नौरोजी को ब्रिटेन से बुलाकर तीसरी बार कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया था। इसका विरोध गरम दल न कर सका था। 'स्वदेशी' आन्दोलन को लेकर भी दोनों दलों में विरोध प्रारम्भ हो गया था। इन सब का परिणाम 1907 के सूरत कांग्रेस में उस समय सामने आया जब यह विरोध अपनी चरम सीमा में पहुँच गया तथा कांग्रेस दो हिस्सों में विभाजित हो गयी।

इस समय स्वदेशी, बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा के आन्दोलनों के विरुद्ध सरकारी दमन चक्र भी अपने चरम सीमा पर था। तिलक को 24 जून 1908 को केसरी में प्रकाशित दो लेखों के लिए 6 वर्ष की सजा दे दी गयी। बंगाल के प्रसिद्ध नेताओं अश्विनी कुमार दत्त और कृष्ण कुमार मित्र को देश निकाला दे दिया गया। कांग्रेस अब पूरी तरह नरम दल वालों के हाथ में आ चुकी थी क्योंकि विपिनचन्द्र पाल तथा अरविन्द घोष भी सक्रिय राजनीति से निकल गये थे।

यू.पी. कांग्रेस कमेटी

उत्तर प्रदेश (यूनाइटेड प्राविंसेज़) में कांग्रेस कमेटी का पहला सम्मेलन पं. मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुआ। 1907 के सूरत विभाजन में उत्तर प्रदेश के पं. मोतीलाल नेहरू तथा पं. मदनमोहन मालवीय ने नरम पंथियों का साथ दिया था। 1909 में प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन पुनः मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आगरा में शुरू हुआ। 1910 तक कांग्रेस संगठन का विस्तार प्रदेश के अनेक जिलों तक हो चुका था। 1907 में गरम दल के निष्कासन से 1914 के प्रथम विश्वयुद्ध के प्रारम्भ तक कांग्रेस नरम दल वालों के हाथ में रही।

इस बीच तिलक बर्मा के माण्डले जेल में रहे। जून 1914 में तिलक के छूटने तथा गोखले व फिरोजशाह मेहता की मृत्यु के बाद गरम दल फिर से कांग्रेस में प्रवेश पा गया। सितम्बर 1914 में प्रथम विश्वयुद्ध प्रारम्भ हो गया और नवम्बर में आटोमन खलीफा ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध केन्द्रीय शक्तियों का साथ देना स्वीकार कर लिया था। तुर्की द्वारा जर्मनी का साथ देने का निर्णय लेते ही पूरे ब्रिटिश साम्राज्य के मुस्लिम समाज में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का संचार प्रारम्भ होने लगा था।

भारत में भी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना मुहम्मद अली और शौकत अली जैसे नेताओं के प्रयास से मुस्लिम लीग ने अपने उद्देश्यों व नीतियों में थोड़ा परिवर्तन किया और ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की जगह पर भारत में स्वशासन की स्थापना को मुस्लिम लीग का उद्देश्य घोषित कर दिया। इसके साथ ही तिलक, एनी बेसेन्ट तथा जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ मुम्बई में हुआ। इन दोनों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से हिन्दू-मुस्लिम भोज का आयोजन किया। इन्होंने चाँद और कमल दोनों चिह्नों वाले बैज लगा रखे थे जो हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। जिन्ना इस समय तक 'हिन्दू-मुस्लिम एकता के राजदूत' कहे जाने लगे थे।

अगले वर्ष 1916 में एक बार फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ लखनऊ में सम्पन्न हुआ। इस समय मुस्लिम लीग के नेता स्वयं जिन्ना थे जो 1904 से ही कांग्रेस के नेता थे। लखनऊ कांग्रेस के अध्यक्ष अम्बिका चरण मजुमदार थे। यहाँ पर कांग्रेस और लीग की एकता ने मूर्त रूप धारण किया। इन दोनों ने मिलकर जो योजना तैयार की वह 'कांग्रेस-लीग समझौता' के नाम से प्रसिद्ध हुई। कांग्रेस का यह अधिवेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि 1907 के बाद पहली बार तिलक कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित हो रहे थे। तिलक की लोकप्रियता इस सीमा तक पहुँच चुकी थी कि लखनऊ स्टेशन से अधिवेशन स्थल तक उन्हें जिस घोड़ागाड़ी में लाया गया उसे घोड़ों के बदले लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों ने खींचकर पाण्डाल तक पहुँचाया था।

इस समय तक भारतीय राजनीति में एक ऐसे व्यक्ति का पदार्पण हो चुका था जो भारत की आजादी का मसीहा बनने वाला था। मोहनदास करमचन्द गांधी नामक इस महात्मा ने दक्षिणी अफ्रीका में अप्रवासी भारतीयों के अधिकारों के संघर्ष का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी के प्रवेश के साथ ही भारतीय राष्ट्रवाद में एक नयी दिशा का दौर प्रारम्भ हो गया। गांधीवादी राष्ट्रवाद मात्र भारत के राजनैतिक आजादी तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसने भारत की आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक क्रांति का नवीन दर्शन भी निरूपित किया। भारत की राजनैतिक आजादी मात्र इसकी पहली सीढ़ी थी। इस सर्वांगीण क्रान्ति के दर्शन को गांधी ने ''अहिंसा'' के चरखे पर ''सत्य'' के धागों से बुना था। गांधी के इस क्रान्तिकारी खादीवाद समाज में औद्योगिक, राजनीतिक तथा धार्मिक पूँजीवाद के लिए कोई स्थान नहीं था। इस समाज तक पहुँचने का एकमात्र मार्ग ''सत्याग्रह'' था।

सन् 1914 में गांधी भी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ चुके थे। उनके आने के पूर्व ही उनके सत्य, अहिंसा व सत्याग्रह की ख्याति भारत पहुँच चुकी थी। चम्पारण में नील की खेती करने वाले किसानों पर गोरों द्वारा किये जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध तथा गुजरात के खेड़ा जिले के अकालग्रस्त किसानों पर लगने वाले लगान के विरुद्ध गांधी ने सत्याग्रह प्रारम्भ कर दिया। फरवरी 1919 में सरकार द्वारा ''रौलट कमेटी'' की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा के बाद गांधी ने क्षण भर भी इन्तजार नहीं किया। इस कानून के अन्तर्गत क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उन्हें बिना कारण बताये गिरफ्तार किया जा सकता था तथा भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत नज़रबंद व्यक्तियों को कानून समाप्त हो जाने के बाद भी बन्द रखा जा सकता था। इसमें किसी प्रकार की अपील की संभावना नहीं थी। विश्वयुद्ध के समाप्त हो जाने के बाद भी इस कमेटी के प्रस्तावों को स्वीकार करने के विरुद्ध गांधी ने सत्याग्रह सभाओं की स्थापना कर 30 मार्च से देशभर में हड़ताल तथा उपवास की घोषणा कर दी। बाद में हड़ताल का दिन 6 अप्रैल 1919 कर दिया गया। गांधी की सत्याग्रह सभाओं ने जवाहरलाल नेहरू सहित अनेक युवकों को अपनी तरफ आकर्षित किया।

अक्टूबर 1920 में यू.पी. कांग्रेस का प्रान्तीय सम्मेलन मुरादाबाद में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉ. भगवान दास ने की। सम्मेलन में गांधी, मालवीय, मोतीलाल, जवाहरलाल, श्रद्धानंद, हकीम अजमल खाँ, मौलाना शौकत अली, मौलाना मुहम्मद अली तथा मौलना हसरत मोहानी जैसे राजनीतिक हस्तियों की उपस्थिति ने इसे एक महत्वपूर्ण सम्मेलन बना दिया था। इस सम्मेलन ने गांधी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दिसम्बर 1920 का नागपुर अधिवेशन गांधीमय अधिवेशन में बदल चुका था। उनके असहयोग का प्रस्ताव यहाँ बहुमत से पारित हो गया। इस सम्मेलन में कांग्रेस का एक नया संविधान भी स्वीकार किया गया जिस पर गांधी की नीतियों का प्रभाव स्पष्ट था। कांग्रेस के अन्दर खादी, अस्पृश्यता निवारण, नशाबन्दी तथा राष्ट्रीय शिक्षा जैसे रचनात्मक सामाजिक कार्यों का प्रारम्भ यहीं से हुआ। भारत के इतिहास में पहली बार किसी एक व्यक्ति के आह्वान पर पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। छात्रों ने स्कूल छोड़ दिये और सरकारी नौकरों ने अपनी नौकरियाँ। राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए पटना, अहमदाबाद तथा पूना की तरह बनारस में काशी

विद्यापीठ और अलीगढ़ में मुस्लिम विद्यापीठ की स्थापना की गई। मोतीलाल नेहरू, देशबन्धु चितरंजन दास, बाबू राजेन्द्र प्रसाद, आसफ अली तथा राजगोपालाचारी जैसे प्रमुख वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। विदेशी कपड़ों की होली जलायी जाने लगी। हजारों की संख्या में सत्याग्रही गिरफ्तार कर लिये गये। गांधी को छोड़कर देश के सभी बड़े-बड़े नेता गिरफ्तार कर लिये गये। गांधी को गिरफ्तार करने का साहस अंग्रेजी शासन नहीं कर पा रहा था। उन्होंने प्रान्तीय समितियों को स्थानीय स्तर पर सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्भ करने की स्वीकृति दे दी। बिहार और उड़ीसा की तरह उत्तर प्रदेश में अवध प्रान्त के किसानों ने भी गैर कानूनी उगाही के विरुद्ध आन्दोलन कर दिया। इसी समय ब्रिटेन के राजकुमार वेल्स ने भारत यात्रा प्रारम्भ की। अक्टूबर 1921 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन मौलाना हसरत मोहानी की अध्यक्षता में आगरा में प्रारम्भ हुआ। इस सम्मेलन में ब्रिटिश युवराज के बहिष्कार को पूरी तरह सफल बनाने का निश्चय किया गया।

जनवरी 1922 के सर्वदल सम्मेलन के अनुरोध पर गांधी ने एक माह के लिए आन्दोलन स्थगित करवा दिया, परन्तु सरकारी दमन जब फिर भी नहीं रुका तब गांधी ने बारडोली में सामूहिक आन्दोलन प्रारम्भ करने का निर्णय लिया। परन्तु बारडोली का आन्दोलन आरम्भ होने के पूर्व ही उत्तर प्रदेश के चौरीचौरा नामक स्थान पर एक ऐसी घटना हो गयी जिसने स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को एक नया मोड़ दे दिया।

उत्तर प्रदेश (संयुक्त प्रान्त) के गोरखपुर जिले के एक छोटे से कस्बे चौरीचौरा में 5 फरवरी 1922 को सत्याग्रहियों का एक जत्था अपराह्न में आयोजित होने वाली एक जनसभा में भाग लेने के लिए सभा-स्थल की तरफ जा रहा था। यहाँ पर सायंकाल तक एक राष्ट्रीय नेता के आने की सूचना थी। सत्याग्रही अत्यन्त उत्साहित थे। स्वयंसेवक खादी की बनी टोपियाँ खरीद और बेच रहे थे। थाने के सिपाहियों द्वारा गाली देने पर इस जत्थे और पुलिसवालों में झगड़ा हो गया। सिपाहियों ने इस जत्थे के सत्याग्रहियों को पीटना प्रारम्भ कर दिया। सभास्थल पर एकत्रित लोगों को इसकी सूचना मिलते ही क्रोधित भीड़ ने सिपाहियों को घेर लिया। सिपाहियों ने तत्काल गोली चलानी प्रारम्भ कर दी। गांधी जी के शब्दों में, ''उनके (पुलिस) पास थोड़े से कारतूस थे; वे चुक गये। तब वे सुरक्षा के लिए थाने में घुस गये। मेरे संवादप्रेषक की सूचना के अनुसार भीड़ ने तब थाने में आग लगा दी। थाने के अन्दर बन्द सिपाहियों को तब अपनी जान बचाने के लिए बाहर आना पड़ा और तब उनके टुकड़े-टुकड़े कर दिये गये और उनकी लाश के लोथड़ों को आग में झोंक दिया गया।''

इन सिपाहियों की कुल संख्या 22 थी। इस घटना ने गांधी को अत्यन्त आहत किया। उन्होंने इस घटना को अपने सिद्धान्तों तथा कार्यक्रमों के विपरीत बताया तथा 12 फरवरी को बारडोली में कांग्रेस की बैठक बुलाकर तत्काल प्रत्येक प्रकार के आन्दोलन को समाप्त कर देने की घोषणा कर दी। कांग्रेस का कोई भी नेता इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। सभी ने गांधी के निर्णय का विरोध किया। चितरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चन्द्र बोस आदि सभी गांधी के इस निर्णय से हक्के-बक्के रह गये। निश्चय ही अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए इतना बड़ा त्याग करने का साहस मात्र गांधी में ही था। इस अवसर का लाभ उठाकर गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया तथा छह वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया।

स्वराजवादी

आन्दोलन के प्रारम्भ से ही गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह में पूर्ण आस्था न रखने वाले भी गांधी के साथ जुड़ने पर मजबूर हो गये थे परन्तु गांधी की गिरफ्तारी तथा आन्दोलन की वापसी के बाद इस वर्ग ने 1922 के गया कांग्रेस अधिवेशन में विधान परिषदों में प्रवेश का प्रस्ताव रखा। यह असहयोग के घोषित कार्यक्रम के विपरीत एक प्रस्ताव था। चितरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में इस वर्ग की यह दलील थी कि आन्दोलन के वापस हो जाने के बाद आन्दोलन के कार्यक्रम भी समाप्त हो गये। अब यह वर्ग विधान

परिषदों में पुनः प्रवेश कर अन्दर से संघर्ष जारी रखने की नीति अपनाना चाहता था। इनके विपरीत दूसरा वर्ग गांधी की अनुपस्थिति में आन्दोलन के किसी कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहता था। इस प्रकार गया कांग्रेस परिवर्तनवादियों और परिवर्तन विरोधियों नामक दो घटकों में विभाजित हो गया। परिवर्तन विरोधियों का नेतृत्व राजगोपालाचारी तथा राजेन्द्र प्रसाद आदि कर रहे थे। चितरंजन दास का प्रस्ताव 860 के विरुद्ध 1740 मतों से गिर गया। चितरंजन दास ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया तथा मोतीलाल नेहरू, विट्ठलभाई पटेल, मदनमोहन मालवीय और जयकर को लेकर कांग्रेस के अन्दर ही एक अन्य दल ''स्वराज पार्टी'' की स्थापना कर दी।

इस दल ने 1923 के चुनाव में हिस्सा लिया। मध्य प्रान्त में इस दल ने बहुमत प्राप्त किया। बंगाल में भी इसे दूसरा स्थान मिला। परन्तु संयुक्त प्रान्त तथा बंगाल में इसे स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सका। केन्द्रीय विधान परिषद् में इन्होंने 101 जगहों में से 42 जगह प्राप्त कीं। सरकार के समक्ष स्वराजियों ने माँग रखी कि सभी राजनीतिक बन्दियों को रिहा कर दिया जाय, क्रूर कानूनों को निरस्त किया जाय तथा प्रान्तों को स्वायत्तता प्रदान कर परिषदों द्वारा सरकार चलायी जाय। इसके लिए इन्होंने गोलमेज सभा आयोजित करने की माँग रखी।

फरवरी 1924 में गांधी जी स्वास्थ्य के आधार पर जेल से रिहा कर दिये गये। जेल से छूटने के बाद उन्होंने स्वराजवादियों के चुनाव लड़ने के निर्णय को अपना समर्थन दे दिया। परिवर्तन विरोधियों के अनुसार स्वराजवादियों के समक्ष यह गांधी का आत्मसमर्पण था। 16 जून 1925 को चितरंजन दास की मृत्यु के बाद मोतीलाल नेहरू स्वराजवादियों के एकमात्र नेता बन गये। परन्तु मदनमोहन मालवीय से उत्पन्न उनके मतभेद ने स्वराजवादियों को विभाजित कर दिया। मालवीय ने जयकर तथा लाजपत राय के साथ मिलकर ''नेशनलिस्ट पार्टी'' के नाम से एक नयी पार्टी बना ली। 1926 के चुनावों में इसे संयुक्त प्रान्त में काफी सीटें प्राप्त हुईं और स्वराजवादी पूरी तरह टूट गये। मोतीलाल नेहरू के अनुसार मालवीय-लाला गैंग कांग्रेस पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा था और उसे बिड़ला की धनशक्ति का भी सहयोग प्राप्त था।

अक्टूबर 1927 में ब्रिटेन की सरकार ने 1919 के भारत सरकार अधिनियम की उपलब्धियों की जाँच के लिए एक आयोग की नियुक्ति की जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। इस आयोग के अध्यक्ष सर साइमन थे। इस आयोग में किसी भी भारतीय के न होने के कारण कांग्रेस ने आयोग के विरोध का निर्णय कर लिया। फरवरी 1928 में यह आयोग मुम्बई पहुँचा। हर नगर में ''साइमन वापस जाओ'' के नारे गूँजने लगे। एक बार फिर से असहयोग का वातावरण जीवन्त हो उठा। कांग्रेस ने मार्च 1928 में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया तथा इसमें साइमन आयोग के बहिष्कार के साथ-साथ मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इस समिति को 1 जुलाई 1928 से पहले भारत के संविधान के सिद्धान्तों का प्रारूप तैयार करना था। 'नेहरू रिपोर्ट' के नाम से प्रसिद्ध इस प्रारूप में अधिराज्य अथवा औपनिवेशिक स्वराज को आधार बनाया गया था।

अगस्त में एक बार फिर सर्वदलीय सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन राजा महमूदाबाद के भव्य महल के बाग में आयोजित किया गया। 'नेहरू रिपोर्ट' के विरोध स्वरूप जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष बोस ने इस सम्मेलन में न कोई प्रस्ताव रखा, न बहस में हिस्सा ही लिया। जवाहरलाल तथा सुभाष चन्द्र बोस ने ''इंडिपेन्डेन्स फॉर इंडिया लीग'' की स्थापना की थी। पिछले कुछ वर्षों में संगठन ने अनेक युवकों, मजदूरों तथा कृषक संगठनों को अपनी ओर आकर्षित किया था। सोवियत क्रान्ति की सफलता से उत्साहित तथा मार्क्स-लेनिन के सिद्धान्तों से चमत्कृत नेहरू इस विद्रोही युवा वर्ग के नेता बन चुके थे। उनके नेतृत्व में इस समूह ने नेहरू रिपोर्ट का जमकर विरोध किया। अपने पिता के निर्देशों पर जिस रिपोर्ट को उन्होंने स्वयं लिखा था उसी को जवाहरलाल नेहरू ने इस सम्मेलन में पूरी तरह खारिज कर दिया कि यह रिपोर्ट हिन्दू सम्प्रदायवादियों

की जीत के समान है न कि प्रतिक्रियावादी ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की। खिलाफत आन्दोलन के समापन तथा उसके बाद प्रारम्भ हिन्दू-मुस्लिम दंगों के कारण अली बन्धु का मोह भी अब कांग्रेस से पूरी तरह समाप्त हो चुका था। मोतीलाल नेहरू ने बहुत प्रयास किया कि जिन्ना उनकी रिपोर्ट का समर्थन कर दें, परन्तु जिन्ना उनके पुत्र नहीं थे जो अपने पिता की भाँति तत्परता से विचार परिवर्तन कर दिया करते थे। मोतीलाल नेहरू तथा हिन्दू महासभा के उनके समर्थकों ने जिन्ना की इस माँग को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया कि केन्द्रीय विधान सभा में मुसलमानों को एक तिहाई प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

30 अक्टूबर 1928 को साइमन आयोग के पंजाब आगमन के विरोध में एक बहिष्कार जुलूस का आयोजन लाहौर में किया गया था। इस जुलूस का नेतृत्व 64 वर्षीय लाला लाजपत राय कर रहे थे। इस जुलूस पर पुलिस द्वारा किये गये लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय इतने घायल हो गये कि कुछ सप्ताहों बाद हृदय गति रुक जाने से उनकी मृत्यु हो गयी। उनके असामयिक मृत्यु से पूरा देश शोकग्रस्त व क्रोध से भर उठा।

नवम्बर के अन्तिम दिनों में साइमन आयोग को लखनऊ आना था। उसी समय लखनऊ विश्वविद्यालय में उपाधि वितरण समारोह भी होना था जिसमें आयोग के समारोह में बहिष्कार करने की अपील की। लखनऊ में आयोजित आयोग विरोध जुलूस का नेतृत्व करते हुए उन्हें भी पुलिस की लाठियाँ खानी पड़ीं। अगले दिन रेलवे स्टेशन पर किये गये विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भी जवाहरलाल ने किया। यहाँ भी उन्हें पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ा। लखनऊ में पुलिस की लाठियाँ खाने के बाद नेहरू की राजनीतिक प्रतिष्ठा को चार चाँद लग गये।

दिसम्बर 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में बोस ने रिपोर्ट में संशोधन पेश कर कांग्रेस के लक्ष्य को पूर्ण स्वाधीनता करने का प्रस्ताव रखा। नेहरू ने इसका समर्थन किया। परन्तु गांधी के हस्तक्षेप के बाद यह समझौतापरक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया कि यदि 31 दिसम्बर 1929 तक भारत को औपनिवेशिक स्वराज न प्रदान किया गया तो कांग्रेस असहयोग आन्दोलन तथा करबन्दी का आन्दोलन प्रारम्भ कर देगी। इस एक वर्ष में सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वासन तक नहीं प्राप्त हो सका। इसी बीच 28 दिसम्बर 1926 को लखनऊ में ए.आई.सी.सी. की बैठक हुई जिसमें जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अगला अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अन्ततोगत्वा दिसम्बर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में प्रारम्भ हुआ। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया तथा नेहरू रिपोर्ट को रद्द कर दिया गया। 31 दिसम्बर की आधी रात को प्रतिनिधियों ने पण्डाल से बाहर निकलकर पूर्ण स्वाधीनता का झण्डा फहराया। एक बार फिर पूरा देश गांधी की तरफ देखने लगा था।

क्रान्तिकारी आन्दोलन और संयुक्त प्रान्त

सन् 1917 से 1921 के मध्य का काल भारत में कम्युनिस्ट आन्दोलन की तैयारी का समय था। 1917 की सोवियत क्रान्ति तथा मानवेन्द्रनाथ राय, अवनिनाथ मुखर्जी, वीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय व भूपेन्द्रनाथ दत्त के प्रयासों से भारत में साम्यवादी दल की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया था। कानपुर के ''प्रताप'' तथा ''प्रभु'' नामक अखबार बोल्सेविज्म के प्रचार में जोर-शोर से लगे थे। सितम्बर 1924 में कानपुर के एक पत्रकार सत्यभक्त ने ''भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी'' की स्थापना कर दी थी। इस दल ने यह घोषणा की कि इसका कोई भी सम्बन्ध कामिनतर्न तथा विदेशों में सक्रिय क्रान्तिकारी दलों से नहीं है। इस दल का पहला सम्मेलन दिसम्बर 1925 में कानपुर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता पेरियार ने की। पार्टी के दूसरे अधिवेशन तक इसमें कामिनतर्न के साथ सम्बन्धों के प्रश्न पर पर्याप्त मतभेद उत्पन्न हो चुका था। कलकत्ता के इस अधिवेशन में सत्यभक्त ने यह घोषणा की कि पार्टी अपना राष्ट्रीय चरित्र बनाये रखेगी। परन्तु प्रतिनिधियों का बहुमत इसके विरुद्ध था फलस्वरूप सत्यभक्त ने त्यागपत्र देकर ''राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी'' की स्थापना कर दी। इसके विपरीत

''भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी'' ने अपना लक्ष्य क्रान्तिकारी संगठन की स्थापना तथा साम्राज्य विरोधी नीति को बनाया।

संयुक्त प्रान्त में गांधी का आन्दोलन प्रारम्भ होने के पूर्व लखनऊ तथा लखनऊ के आस-पास के जिलों में किसानों के बीच एक जनान्दोलन चल रहा था। ''एका'' आन्दोलन नामक इस जनान्दोलन का नेतृत्व किसान मदारी पासी कर रहे थे। यह आन्दोलन लखनऊ, मलिहाबाद, हरदोई, उन्नाव, फतेहपुर तथा फर्रुखाबाद तक फैला हुआ था। इस आन्दोलन का उद्देश्य किसानों के बीच साम्प्रदायिक एकता बनाए रखना तथा एकजुट होकर जमींदारों के शोषण का विरोध करना था। इस आन्दोलन से जुड़े मुखिया कृषकों को अपनी बैठकों में निमंत्रित करने के लिए सुपारी का उपयोग करते थे। इन बैठकों को मदारी पासी संबोधित करते थे। यह सभी किसानों को गीता तथा कुरान पर हाथ रखकर आपसी एकता बनाये रखने तथा बन्दी कृषक परिवारों को सहायता प्रदान करने की शपथ दिलवाते थे। सरकारी दमन के कारण यह आन्दोलन बहुत शीघ्र ही समाप्त हो गया। इसी दौर के प्रारम्भ में गांधी के असहयोग आन्दोलन ने अवध के किसानों तथा शहरी निम्न मध्यम वर्ग के नवयुवकों को अपनी तरफ आकर्षित करना प्रारम्भ कर दिया था। परन्तु चौरीचौरा काण्ड के बाद जब गांधी ने असहयोग आन्दोलन वापस ले लिया तो इन निराश निम्न मध्यमवर्गीय युवाओं को क्रान्तिकारी सैन्यवाद ने अपनी तरफ आकर्षित करना प्रारम्भ कर दिया। परिणामस्वरूप बंगाल, पंजाब तथा संयुक्त प्रान्त में क्रान्तिकारी गतिविधियाँ जोर पकड़ने लगीं।

संयुक्त प्रान्त में इन्हीं क्रान्तिकारी गतिविधियों का परिणाम था 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी ट्रेन डकैती की सुप्रसिद्ध घटना। इस घटना के तत्काल बाद पूरे संयुक्त प्रान्त में क्रान्तिकारियों की धरपकड़ प्रारम्भ हो गयी। इसके अभियुक्तों रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खाँ तथा रोशन सिंह को फाँसी की सजा हुई तथा रामप्रसाद खत्री, मन्मथनाथ गुप्त सहित अनेकों क्रान्तिकारियों को लम्बे कारावास की सजायें सुनायी गयीं। क्रान्तिकारियों की तरफ से इस मुकदमे को बिना फीस लिये लड़ने के लिए जब कोई बड़ा वकील नहीं तैयार हुआ, तब चन्द्रभानु गुप्त नामक युवा वकील ने अपनी निःशुल्क सेवाएँ अर्पित कीं। बाद में यही चन्द्रभानु गुप्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने।

गिरफ्तारी से बचे क्रान्तिकारियों ने दिल्ली में फिरोजशाह कोटला के खण्डहरों में एक गुप्त बैठक आयोजित की। इनका उद्देश्य बिखर चुके क्रान्तिकारियों को पुनः संगठित करना था। इस ऐतिहासिक बैठक में संयुक्त प्रान्त का प्रतिनिधित्व शिववर्मा, जयदेव कपूर, सुरेन्द्र पाण्डे तथा विजय कुमार सिन्हा ने किया था। अन्य प्रतिनिधियों में पंजाब से सरदार भगत सिंह और सुखदेव, राजस्थान से कुन्दन लाल तथा बिहार से फणीन्द्र घोष व मनमोहन बनर्जी ने हिस्सा लिया। बंगाल से कोई भी प्रतिनिधि नहीं आ सका था। कोटला बैठक के समय एकत्रित क्रान्तिकारी संयुक्त प्रान्त व पंजाब के दो समूहों में विभाजित थे। इन दोनों समूहों ने एक सामूहिक नेतृत्व में कार्य करने का निर्णय लिया। इस समूह का नाम ''हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन'' (एच.एस.आर.ए.) रखा गया तथा चन्द्रशेखर आजाद को इस संगठन का सेनापति चुना गया। एक केन्द्रीय समिति का निर्वाचन भी किया गया जिसमें पंजाब से भगत सिंह व सुखदेव, संयुक्त प्रान्त से शिव वर्मा व विजय कुमार सिन्हा, राजस्थान से कुन्दनलाल तथा बिहार से फणीन्द्र घोष चुने गये। संगठन का मुख्यालय आगरा को बनाया गया तथा नीतिगत रूप से यह स्वीकार किया गया कि धन एकत्रित करने के लिए आम नागरिकों के यहाँ डकैतियाँ नहीं डाली जाएंगी।

साइमन आयोग के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर जिस प्रकार पुलिस ने लाठियाँ बरसायी थीं और जिसके कारण उनका देहावसान हो गया था, उसे एच.एस.आर.ए. ने एक राष्ट्रीय अपमान माना तथा उसका बदला लेने का निर्णय लिया। 19 दिसम्बर, 1928 को सरदार भगत सिंह ने जे.पी. साण्डर्स नामक पुलिस अधिकारी की हत्या कर इस अपमान का बदला लिया। इस क्रान्तिकारी कार्य में भगत सिंह के साथ

चन्द्रशेखर आजाद व राजगुरु आदि भी शामिल थे। साण्डर्स की हत्या के बाद एच.एस.आर.ए. के सदस्यों ने गुप्त रूप से लाहौर में स्थान-स्थान पर इस आशय का हस्तलिखित पोस्टर भी चिपकाया जिसमें उस राष्ट्रीय अपमान का बदला लेने की बात घोषित की गयी थी। यह पोस्टर एच.एस.आर.ए. के सेनापति की तरफ से जारी किया गया था।

भारत में क्रान्ति के लिए आवश्यक जनता का सहयोग प्राप्त करने का ध्येय बनाकर इन क्रान्तिकारियों ने अपनी गतिविधियों का स्वरूप बदलने का निर्णय किया। गुप्त रूप से कार्य करने की अपेक्षा अब इन्होंने जनता के बीच में कार्य करने का विचार बनाया। इस नीति के अन्तर्गत केन्द्रीय विधान मण्डल में बम फेंक कर भारत की सोयी जनता को जगाने का निर्णय लिया गया। इस कार्य की जिम्मेदारी सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर डाली गयी। हालांकि, इस मिशन पर भगत सिंह को भेजने के पक्ष में कोई नहीं था क्योंकि यह सभी को पता था कि उनको भेजने का अर्थ उन्हें मौत के मुँह में भेजने के समान था। साण्डर्स हत्याकाण्ड में पुलिस को उनकी तलाश थी। उनके पकड़े जाने का अर्थ उन्हें फाँसी के तख्ते पर भेजने जैसा ही था। परन्तु भगत सिंह का मानना था कि पकड़े जाने पर क्रान्तिकारियों के पक्ष को उनसे बेहतर अन्य कोई नहीं रख सकता था। मजबूर होकर संगठन ने इस कार्य की जिम्मेदारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त पर डाली। 9 अप्रैल 1926 को इन दोनों क्रान्तिकारियों ने केन्द्रीय विधान मंडल में बम फेंक दिया। यह बम ''श्रमिक विवाद प्रस्ताव'' तथा ''जन सुरक्षा संशोधन प्रस्ताव'' की घोषणा के विरुद्ध फेंका गया था। बम के साथ-साथ इन दोनों ने पर्चे भी फेंके तथा नारे भी लगाये। भागना संभव होने पर भी इन दोनों ने गिरफ्तार हो जाना उचित समझा जो उनकी पूर्व निर्धारित नीतियों का ही एक अंग था।

भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के इस मिशन में सहयोग हेतु जिन दो अन्य क्रान्तिकारियों को चुना गया था वे दोनों संयुक्त प्रान्त के थे। इन दोनों को विधान मंडल के बाहर तक पहुँचाने का कार्य शिव वर्मा तथा जयदेव कपूर ने किया था। इसके तत्काल पश्चात् शिव वर्मा भगत सिंह का एक फोटोग्राफ तथा सुखदेव के नाम पर एक पत्र लेकर लाहौर चले गये। वह फोटोग्राफ 7 अप्रैल की शाम को ही लाहौर प्रेस को सौंप दिया गया था, जिसने 8 अप्रैल के बम काण्ड के बाद इसे सर्वप्रथम प्रकाशित किया था।

भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त दोनों पर बम फेंकने और भगत सिंह पर साण्डर्स की हत्या का मुकदमा कायम किया गया। पूरे देश में क्रान्तिकारियों की गिरफ्तारी का दौर प्रारम्भ हो गया। शिव वर्मा तथा जयदेव कपूर को सहारनपुर में क्रान्तिकारियों द्वारा संचालित बम फैक्ट्री के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। ''द्वितीय लाहौर षड्यंत्र मुकदमे'' के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध इस मुकदमे में इन चारों के अतिरिक्त सुखदेव, राजगुरु, डॉ. गया प्रसाद कटियार, विजय कुमार सिन्हा, किशोरी लाल तथा कुन्दनलाल आदि भी अभियुक्त थे। चन्द्रशेखर आजाद अन्त तक नहीं पकड़े गये। 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में वह एक पुलिस मुठभेड़ में बहादुरी के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फाँसी दे दी गयी। शेष सभी उपरोक्त अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी। इस मुकदमे के दौरान क्रान्तिकारियों ने अपने बयानों से पूरे देश की सहानुभूति व समर्थन अर्जित करने में सफलता पा ली थी।

इस समय तक भारत में गांधीवादी आन्दोलन का दूसरा दौर आरम्भ हो चुका था। क्रान्तिकारी संगठनों की गतिविधियों में जो ठहराव अब आया वह गांधीवादी राष्ट्रवाद के दूसरे दौर के कारण फिर अपनी पुरानी तीव्रता नहीं पा सका। परन्तु इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन बहादुर क्रान्तिकारियों के साहसिक कारनामों ने जनचेतना को आन्दोलित कर दिया था।

नमक आन्दोलन

1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य घोषित किया था। गांधी ने

वायसराय इरविन के सामने एक 11 सूत्री माँगपत्र रखा। इरविन से निराश होने के बाद उन्होंने सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करने का निर्णय लिया। उन्होंने 12 मार्च 1930 को प्रातःकाल साबरमती आश्रम से कूच किया। उनके साथ कुल 78 सत्याग्रही थे। 24 दिन में 200 मील की यह महान यात्रा पूरी कर वह 6 अप्रैल को डांडी के समुद्र तट पर पहुँचे। नियत समय पर डांडी तट से नमक उठाकर उन्होंने सर्वशक्तिमान ब्रिटिश साम्राज्य के नमक कानून को तोड़कर उसे खुली चुनौती दे डाली। इस अवसर पर दुनिया भर के प्रेस रिपोर्टर वहाँ उपस्थित थे। केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व की नजर इन 24 दिनों तक गांधी पर टिकी रही थी। गांधी द्वारा नमक कानून का उल्लंघन होते ही पूरे देश में बिजली सी कौंध गयी। लोग स्थान-स्थान पर नमक बनाकर यह कानून तोड़ने लगे। गांधी के इस अहिंसक सत्याग्रह ने एक क्रान्तिकारी रूप धारण कर लिया। पुलिस का दमन चक्र भी बढ़ता चला गया। कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 5 मई को गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया।

25 जनवरी 1931 को गांधी सहित कांग्रेस के सभी नेता रिहा कर दिये गये। 4 मार्च 1931 को गांधी व इरविन के मध्य समझौता हो गया। तत्पश्चात् 31 मार्च को कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन अत्यन्त कटुतापूर्ण माहौल में करांची में प्रारम्भ हुआ। भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फाँसी के केवल 6 दिन बाद प्रारम्भ होने वाले इस सम्मेलन में गांधी का स्वागत गांधी विरोधी नारों के साथ किया गया। जो भी हो, इस अधिवेशन ने गांधी-इरविन सन्धि पर अपनी मोहर लगा दी। करांची अधिवेशन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा कांग्रेस की आर्थिक नीतियों के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करना था। 17 अप्रैल 1931 को इरविन के स्थान पर लार्ड विलिंगडन ने वायसराय का पद लिया। 29 अगस्त को गांधी लन्दन में आयोजित होने वाले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत से रवाना हो गये। इसी मध्य जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद में करबन्दी का आन्दोलन प्रारम्भ करने का निर्णय ले लिया था। इस समय तक नेहरू के सहयोगी के रूप में जयप्रकाश नारायण और लालबहादुर शास्त्री नेहरू के साथ जुड़ चुके थे। हालांकि, गांधी ने उन्हें फिलहाल इंतजार करने की हिदायत दे रखी थी तथा वल्लभभाई पटेल ने भी गांधी के भारत वापसी तक ऐसा करने से रोका था। गांधी के वापस लौटने के एक दिन पूर्व ही 26 दिसम्बर को ही वह गिरफ्तार किये जा चुके थे। गांधी ने अपनी गिरफ्तारी के एक दिन पूर्व वायसराय को आन्दोलन प्रारम्भ करने की मजबूरी से अवगत करा दिया था। इस बार जो आन्दोलन प्रारम्भ किया गया, उसने अलग-अलग प्रान्तों में अलग-अलग स्वरूप ग्रहण कर लिया। संयुक्त प्रान्त तथा बिहार में करबन्दी का आन्दोलन चलाया गया। इसी प्रकार अन्य कई प्रान्तों में भी आन्दोलन प्रारम्भ हो गये।

ब्रिटिश सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने इसी बीच साम्प्रदायिक अधिनिर्णय (कम्युनल एवार्ड) की घोषणा कर दी। इस घोषणा में दलितों (अछूतों) के लिए पृथक् निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गयी थी। इस घोषणा ने दलितों को एक अल्पसंख्यक वर्ग मानकर पृथक् निर्वाचन का हकदार मान लिया था। यरवदा जेल में बंदी गांधी ने इसके विरुद्ध 20 सितम्बर से आमरण अनशन की घोषणा कर दी परन्तु उन्होंने पृथक् निर्वाचन को मुद्दा नहीं बनाया। उनका कहना था कि सवर्ण हिन्दू जातियाँ अपनी कट्टरता से बाज आएं। हिन्दू नेताओं ने एक सम्मेलन किया जिसमें सप्रू जयकर, राजगोपालाचारी, राजेन्द्र प्रसाद, एम.सी. राजा, डॉ. अम्बेडकर, सर चिमनलाल सितलवाड, एन.एस. एनी, डॉ. मुंजे, पी. बालू, कुजरू व ए.वी. ठक्कर सहित लगभग सौ प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि किसी भी कीमत पर गांधी के जीवन की रक्षा करनी है तथा शीघ्रातिशीघ्र अस्पृश्यता के धब्बे को मिटा देना है। मंगलवार 20 सितम्बर को गांधी ने अपना अनशन प्रारम्भ किया। गांधी हरिजनों के लिए पृथक् निर्वाचन के क्षेत्रों के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन के क्षेत्रों में ही अधिक प्रतिनिधित्व देने की माँग कर रहे थे। इस बार के अनशन में गांधी की हालत बहुत शीघ्र ही तेजी से गिरने लगी थी। छह दिनों में ही उनकी हालत एक मरणासन्न व्यक्ति जैसी हो गई। हरिजनों

के प्रतिनिधि के रूप में डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने गाँधी जी से विचार-विमर्श कर पृथक निर्वाचन मण्डल बनाए जाने की माँग छोड़ दी। यह डॉ. अम्बेडकर का दलितों के मध्य बढ़ता प्रभाव ही था जिसमें सवर्ण हिन्दू नेताओं की अस्पृश्यता मिटाने का निर्णय लेने के लिए बाध्य किया। यरवदा जेल के अन्दर ही 24 सितम्बर 1932 को गांधी-अम्बेडकर समझौता हुआ और 26 सितम्बर को ब्रिटिश सरकार की कैबिनेट ने भी इस समझौते को अपनी मंजूरी देते हुए साम्प्रदायिक अधिग्रहण की घोषणा वापस ले ली। यह सूचना प्राप्त होने के बाद गांधी ने अपना अनशन तोड़ दिया। पूना पैक्ट या यरवदा पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध इस समझौते के बाद गांधी ने हिन्दू समाज में छुआछूत की अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के लिए ''मन्दिर प्रवेश'' का आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। इस आन्दोलन के कारण सनातनी हिन्दू वर्ग गांधी से काफी नाराज हो गया। जेल से छूटने के बाद गांधी राजनीति से अलग हो गये तथा अछूतोद्धार जैसे सामाजिक कार्यों में लग गये। उन्होंने सविनय अवज्ञा आन्दोलन भी वापस ले लिया। वास्तव में गांधी कांग्रेस के अन्दर बन चुके वाम व दक्षिणपन्थी गुटों की आपसी खींचतान से अत्यन्त खिन्न हो चुके थे। अक्टूबर 1934 में तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ने तक की घोषणा कर दी।

कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी

पूरी दुनिया में इस समय समाजवाद का दौर चल रहा था। 1917 की रूसी क्रान्ति के बाद मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद का प्रभाव यूरोप सहित उपनिवेशवाद से ग्रसित समस्त देशों में युवा वर्ग को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। कांग्रेस भी इसके प्रभाव से अछूती नहीं बची थी। इस समय नेहरू भी समाजवाद के रोमांस से आप्लावित थे। फरवरी 1927 में वे ब्रूसेल्स में अन्तर्राष्ट्रीय दमित राष्ट्रीयताओं का सम्मेलन भी कर चुके थे। अपने क्रान्तिकारी व वामपंथी विचारों के कारण वह कांग्रेस के अन्दर समाजवाद से प्रभावित युवा वर्ग के नेता बन चुके थे। इस बीच जुलाई 1931 में जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा तथा राहुल सांकृत्यायन ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कर ली थी। इसका उद्देश्य भारत में एक ऐसे समाजवादी राज्य की स्थापना करना था जिसमें निजी सम्पत्ति के लिए न कोई स्थान था न भूमि व पूँजी पर व्यक्ति के स्वामित्व का। इसी तर्ज पर संयुक्त प्रान्त में सम्पूर्णानन्द, परिपूर्णानन्द, कमलापति त्रिपाठी तथा तारापद भट्टाचार्य ने और युसुफ मेहर अली, एम.आर. मसानी, अच्युत पटवर्धन तथा कमला देवी चट्टोपाध्याय ने बाम्बे में समाजवादी दलों की स्थापना कर ली थी। 1933 में नासिक जेल में बन्द कांग्रेस के अनेक युवा समाजवादियों ने कांग्रेस के अन्दर एक अखिल भारतीय समाजवादी संगठन बनाने का विचार किया। इस विचार को प्रारम्भ करने वालों में प्रमुख थे– जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, एम.आर. मसानी, एन.जी. गोरे, अशोक मेहता, एस.एम. जोशी तथा एम.एल. दाँतवाला। अप्रैल 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य सम्पूर्णानन्द ने बनारस में एक पर्चा लिखा। भारत के लिए एक प्रायोगिक समाजवादी दल निर्मित करने की आवश्यकता पर बल दिया। यह कांग्रेस में प्रभावशाली हो चुके पूँजीवादी और सामन्तवादी तत्वों को चुनौती देने के लिए आवश्यक था। इसमें यह बात भी स्पष्ट रूप से उल्लिखित थी कि जब कभी भी समाजवादियों के हाथ में सत्ता आयेगी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया जाएगा तथा उद्योगों, बैंकों व भूमि का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। 1934 में कांग्रेस के एक समूह के द्वारा विधान परिषदों में प्रवेश का समर्थन करने के बाद कांग्रेस के समाजवादियों ने एक अलग दल बनाने का मन बना लिया। 17 मई 1934 को आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में समाजवादियों का एक सम्मेलन पटना में आयोजित किया गया। अपने अध्यक्षीय भाषण में आचार्य जी ने कांग्रेस के अन्दर नये स्वराजवादी दल के स्थापना की आलोचना करते हुए कांग्रेस समाजवादी दल की प्रासंगिकता को स्पष्ट किया। इस दल के सचिव की हैसियत से जयप्रकाश नारायण ने अन्य प्रान्तों में भी इसके प्रचार के लिए देश का दौरा प्रारम्भ कर दिया।

कांग्रेस समाजवादी दल का प्रथम वार्षिक सम्मेलन 21-22 अक्टूबर 1934 को सम्पूर्णानन्द की

अध्यक्षता में बम्बई में हुआ इसमें 13 प्रान्तों के 150 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जयप्रकाश नारायण (मुख्य सचिव), एम.आर. मसानी, मोहनलाल गौतम, एन.जी गोरे तथा ई.एम.एस. नम्बूदरीपाद (सहायक सचिव) तथा आचार्य नरेन्द्र देव, सम्पूर्णानन्द, श्रीमती कमला चट्टोपाध्याय, पुरुषोत्तमदास, त्रिकमदास, पी.वी. देशपाण्डे, राममनोहर लोहिया, एम.एम. जोशी, अमरेन्द्र प्रसाद मिश्रा, चार्ल्स मस्करिनास, नवकृष्ण चौधरी तथा अच्युत पटवर्धन (सदस्य) निर्वाचित किये गये। इस सम्मेलन में दल का संविधान तथा कार्यक्रम भी तय किया गया। यद्यपि जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चन्द्र बोस ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना का समर्थन किया परन्तु दोनों में से किसी ने भी इसकी सदस्यता नहीं ग्रहण की। कांग्रेस के दक्षिणपन्थी गुट ने इसका जमकर विरोध किया। वल्लभभाई पटेल ने इसे एक मूर्खतापूर्ण कार्य बताया।

कांग्रेस समाजवादी आन्दोलन के प्रति कृषकों, मजदूरों व छात्रों का आकर्षण तेजी से बढ़ने लगा। प्रो. एन.जी. रंगा, इन्दुलाल याज्ञनिक, स्वामी सहजानन्द आदि के प्रयासों से लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन 1936 में किया गया। इस सम्मेलन में सामन्तवाद के उन्मूलन तथा लगान व कर्जों में छूट की माँग रखी गयी। इस प्रकार कांग्रेस के अन्दर समाजवाद के प्रति आस्था रखने वालों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी थी। इसके साथ ही कांग्रेस स्पष्ट रूप से वामपंथी व दक्षिणपंथी गुटों में लामबन्द होने लगी। वामपंथियों का नेतृत्व यदि नेहरू कर रहे थे तो दक्षिणपंथियों का पटेल। गांधी यद्यपि समाजवादियों के मार्क्सवादी और लेनिनवादी रुझान के कारण उनकी आलोचना कर रहे थे परन्तु वह दक्षिणपंथियों के साथ भी नहीं थे। यही कारण है कि उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे देना ही उचित समझा था।

इसी बीच 2 अगस्त 1935 को ब्रिटिश संसद ने 1935 के अधिनियम को मंजूरी दे दी थी। यद्यपि कांग्रेस ने सर्व सम्मति से इस अधिनियम को खारिज कर दिया था परन्तु अब यह स्पष्ट हो चुका था कि कांग्रेस का दक्षिणपंथी गुट इसके अन्तर्गत पदों को स्वीकार करने का मन बना बैठा था। जबकि समाजवादियों के नेतृत्व में कांग्रेस का वामपंथी गुट इस अधिनियम के विरुद्ध असहयोग आन्दोलन चलाने तक की बात कर रहा था। कांग्रेस के इसी गुटबंदी के दौर में इसका वार्षिक सम्मेलन अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुआ। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सम्पन्न इस सम्मेलन ने यद्यपि 1935 के अधिनियम की कड़ी आलोचना की परन्तु इसके अन्तर्गत चुनावों में हिस्सा लेने की बात को भी इसने स्वीकार कर लिया। कांग्रेस के अन्दर समाजवादियों की यह एक करारी हार थी।

1937 का प्रान्तीय मंत्रिमंडल

कांग्रेस का 50वाँ वार्षिक अधिवेशन 27-28 दिसम्बर, 1936 को फैजपुर (महाराष्ट्र) में सम्पन्न हुआ। इस अधिवेशन के लिए एक बार फिर जवाहरलाल नेहरू को ही पुनः अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इसमें कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र स्वीकार किया गया। चुनाव प्रचार लखनऊ के सम्मेलन के बाद ही प्रारम्भ हो गया था। उन चुनावी सभाओं में नेहरू को सुनने के लिए नहीं बल्कि देखने के लिए अगर भीड़ जुटती थी। राजतंत्र की मानसिकता से ग्रस्त, भारत की निर्धन एवं अनपढ़ जनता, खूबसूरत और प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक नेहरू में अपने भावी शासक के दर्शन के लिए उमड़ रही थी, न कि उनके वैज्ञानिक समाजवाद से ओत-प्रोत भाषणों को सुनने के लिए, जिसे समझने में वह पूरी तरह असमर्थ थी। जो भी हो, जनवरी 1937 में सम्पन्न प्रान्तीय विधानसभाओं के चुनाव में कांग्रेस को भारी सफलता हाथ लगी। सभी प्रान्तों के कुल 1585 स्थानों में से 714 पर कांग्रेस ने विजय प्राप्त की। संयुक्त प्रान्त के कुल 228 में से 134 स्थानों पर कांग्रेस को सफलता हाथ लगी। इन 228 स्थानों में 64 मुस्लिम और 164 सामान्य (24 विशेष) स्थान थे।

1935 के अधिनियम के अन्तर्गत भारत के प्रान्तों में नयी संवैधानिक योजना को 1 अप्रैल 1937 तक लागू कर देना था। तत्कालीन संवैधानिक प्रावधानों में शामिल गर्वनर के अपार अधिकारों का विरोध कर

रही कांग्रेस सरकार बनाने को तैयार नहीं थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेसी बहुमत वाले प्रान्तों में 1 अप्रैल को अल्पमत की सरकारों का गठन कर दिया। संयुक्त प्रान्त के राज्यपाल सर हैरी हेग ने नवाब छतारी के नेतृत्व में यहाँ भी एक अल्पमत की सरकार का गठन कर दिया। इस मंत्रिमंडल में सलेमपुर के राजा भी शिक्षा मंत्री के रूप में शामिल थे। अन्त में गवर्नर-जनरल लार्ड लिनलिथगो ने 22 जून को एक समझौतापरक परन्तु अस्पष्ट वक्तव्य देकर कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए राजी कर लिया।

संयुक्त प्रान्त में चुनाव के पूर्व से ही इस प्रकार की संभावना बनने लगी थी कि यहाँ कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की मिली-जुली सरकार बन सकती है। हालांकि औपचारिक रूप से ऐसा कुछ तय नहीं हुआ था परन्तु चुनावों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद कांग्रेस ने किसी भी प्रकार के गठबन्धन की संभावना को पूरी तरह नकार दिया। यद्यपि संयुक्त प्रान्त में मोहनलाल सक्सेना जैसे कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता अभी भी मुस्लिम लीग के साथ गठबन्धन के पक्षधर थे परन्तु जवाहरलाल नेहरू इसके बिल्कुल विरुद्ध थे। संयुक्त प्रान्त में मुस्लिम लीग के सुप्रसिद्ध व प्रभावशाली नेता चौधरी खलिकजुमा 12 मई 1937 को नेहरू से मिलने इलाहाबाद भी गए। नेहरू ने भारत के हिन्दू-मुस्लिम समस्या के पीछे चन्द पढ़े-लिखे सामन्ती मुसलमानों का हाथ बताते हुए मुसलमानों के लिए किसी अन्य दल की आवश्यकता को पूरी तरह नकार दिया था। इसी बीच झांसी से निर्वाचित के.बी. हबीबुल्ला की मृत्यु के बाद वहाँ जून 1937 में जो उपचुनाव हुआ उसमें जमातुल उलेमा के विरोध के बावजूद मुस्लिम लीग का प्रत्याशी विजयी हो गया। इस समय तक जमात तथा कांग्रेस में समझौता हो चुका था। इस प्रकार कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य दूरी और अधिक बढ़ गयी।

22 जून को गवर्नर जनरल द्वारा दिये गये वक्तव्य के बाद 5 जुलाई को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक वर्धा में सम्पन्न हुई जिसमें कांग्रेस ने सरकार बनाने का निर्णय कर लिया। इस बैठक में जाते समय गोविन्दवल्लभ पंत ने लखनऊ में रुककर चौधरी खलिकजुमाँ से मुलाकात की तथा यह पूछा कि यदि कांग्रेस और मुस्लिम लीग की गठबन्धन सरकार बनती है तो वह कैबिनेट में कितने स्थान का दावा करेंगे। चौधरी ने जवाब दिया 9 में 3 या 6 में 2 अर्थात् कुल संख्या का एक तिहाई। वर्धा की कार्यकारिणी की बैठक के बाद मौलाना आजाद लखनऊ आए और 12 जुलाई को चौधरी खलिकजुमाँ से मिले। उन्होंने चौधरी से गठबन्धन सरकार में शामिल होने वाले दूसरे सदस्य के बारे में बात की। चौधरी ने बताया कि वह नवाब इस्माइल खाँ होंगे। 15 जुलाई को मौलाना और गोविन्दवल्लभ पन्त दोनों चौधरी से मिले। उन्होंने चौधरी से इस वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने को कहा जिसमें यह लिखा था कि संयुक्त प्रान्त विधान सभा में मुस्लिम लीग एक अलग गुट के रूप में कार्य नहीं करेगा। चौधरी ने उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य पड़े इस दरार ने आगे चलकर एक विकराल रूप ले लिया जिसका परिणाम बाद में भारत विभाजन के रूप में सामने आया।

अन्त में कांग्रेस ने संयुक्त प्रान्त में अकेले ही सरकार बनायी। इस सरकार में प्रधानमंत्री गोविन्दवल्लभ पन्त के साथ रफी अहमद किदवई, कैलाश नाथ काटजू, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित, प्यारे लाल शर्मा तथा मोहम्मद इब्राहिम शामिल थे। लक्ष्मीनारायण को संसदीय सचिव बनाया गया। इस प्रकार संयुक्त प्रान्त में कांग्रेस की सरकार ने जुलाई के दूसरे सप्ताह से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया। कांग्रेस कार्य समिति ने अपनी वर्धा बैठक (27 फरवरी से 1 मार्च 1937) में कांग्रेस के मंत्रिमंडलों के लिए एक चौदह सूत्री कार्य आचार संहिता का निर्माण किया था। इसके साथ ही गांधी 'हरिजन' में अपने वक्तव्यों के द्वारा समय-समय पर इन्हें निर्देश दिया करते थे।

कांग्रेस सरकारों का सबसे पहला उत्तरदायित्व 1935 के अधिनियम के विरुद्ध प्रस्ताव पारित करना था जिसके अन्तर्गत स्वयं इन सरकारों की स्थापना हुई थी। संयुक्त प्रान्त में यह प्रस्ताव स्थानीय निकाय मंत्री श्रीमती विजयलक्ष्मी ने 2 सितम्बर 1937 को विधानसभा में रखा। 2 अक्टूबर को इस विषय पर होने वाली बहस में प्रधानमंत्री पन्त ने सभी संशोधनों का जवाब दिया जिसमें एक संशोधन मुस्लिम लीग ने भी रखा था। यह प्रस्ताव

अपने मूल रूप में ही उसी दिन पारित हो गया। 29-31 अक्टूबर 1937 को कलकत्ता में सम्पन्न अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि सभी कांग्रेस प्रान्तों में 1935 के अधिनियम में प्रस्तावित संघीय योजना के विरुद्ध प्रस्ताव पारित होना चाहिए। इसी प्रस्ताव के अनुरूप संयुक्त प्रान्त में भी 20 जनवरी 1938 को एक प्रस्ताव पारित किया गया।

कांग्रेस के चुनाव घोषणा-पत्र में राजनैतिक बन्दियों की रिहाई प्रारम्भ करने की बात सोची गई परन्तु इस प्रश्न को लेकर संयुक्त प्रान्त तथा बिहार में समस्या उत्पन्न हो गई। फरवरी 1938 तक संयुक्त प्रान्त में अभी भी 15 राजनैतिक बन्दियों का मामला विचाराधीन था। इन दोनों प्रान्तों के राज्यपाल इनकी रिहाई के पूर्व यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि प्रान्त की शान्ति व्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा। 1935 के अधिनियम की धारा 126 (5) के अन्तर्गत गवर्नर जनरल ने भी उन राज्यपालों को यह निर्देश दे दिया कि वे किसी भी राजनीतिक दबाव के आगे आत्मसमर्पण न करें। परन्तु इन दोनों प्रान्तों के प्रधानमंत्रियों ने सभी बन्दियों को एक साथ रिहा करने के अपने अधिकार पर जोर दिया जिसे राज्यपालों ने नहीं माना और इन दोनों मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया।

यह संकट उस समय सामने आया जब 19-21 फरवरी 1938 को हरिपुरा में कांग्रेस का 51वाँ अधिवेशन चल रहा था। कांग्रेस ने इन दोनों मंत्रिमंडलों के निर्णयों को स्वीकार कर लिया। गांधी ने सरकार के इस रवैये के विरुद्ध एक वक्तव्य भी जारी किया। 22 फरवरी को गवर्नर जनरल ने अपनी स्थिति साफ करते हुए एक वक्तव्य जारी किया, जिसके बाद 23-24 फरवरी को संयुक्त प्रान्त के प्रधानमंत्री ने राज्यपाल से मिलकर इस संकट के समझौतापरक उपायों पर विचार किया। दोनों पक्षों ने मिलजुल कर एक स्वस्थ परम्परा निर्मित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस प्रकार यह संकट किसी प्रकार टल सका। अन्त में मार्च 1938 तक सभी राजनैतिक बन्दी रिहा कर दिये गये।

संयुक्त प्रान्त की इस सरकार ने अक्टूबर 1939 में एक विस्तृत अधिनियम के द्वारा काश्तकारों की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया। इस अधिनियम के द्वारा आगरा और अवध क्षेत्रों के भूमिधरी अधिकारों में समरूपता लाने का प्रयास किया गया। इस सरकार ने प्रान्त में कुटीर उद्योगों के विकास की नींव रखने के लिए भी कुछ कदम उठाये। गांधी के घोषित आदेशों के अनुरूप प्रान्त में मद्य निषेध लागू करने के लिए सर्वप्रथम 1 अप्रैल 1938 को एटा व मैनपुरी जिलों को चुना गया। इसके साथ ही साथ जौनपुर, बिजनौर, प्रयागराज तथा लखनऊ में आबकारी दूकानों को सीधे आबकारी विभाग के अन्तर्गत कर दिया गया। हालांकि मद्य निषेध की यह नीति पूरी तरह असफल सिद्ध हुई। इसी प्रकार बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में किये जाने वाले चन्द प्रयास भी सफल न हो सके। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इस सरकार ने इतना अवश्य किया कि काशी विद्यापीठ तथा जामिया मिलिया की उपाधियों को अन्य विश्वविद्यालयों के स्नातक उपाधि के समकक्ष मान्यता प्रदान करा दिया।

1937 से 1939 के मध्य कांग्रेस प्रशासन के दौरान हरिपुरा (गुजरात) तथा त्रिपुरी (मध्य प्रान्त) में कांग्रेस के दो वार्षिक अधिवेशन हुए। 19 से 21 फरवरी 1938 को सम्पन्न हरिपुरा के 51वें अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चन्द्र बोस ने की थी। मार्च 1939 में होने वाले अगले अधिवेशन के लिए अध्यक्ष का चुनाव कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़े संकट के रूप में सामने आया। कांग्रेस का दक्षिणपंथी गुट सुभाष चन्द्र बोस के पुनर्निर्वाचन का विरोधी था। इस गुट ने पट्टाभि सीतारमैया को अपना प्रत्याशी बनाया था। जबकि स्वयं बोस इस पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को चाहते थे जो 1935 के अधिनियम में प्रस्तावित संघीय योजना का विरोधी हो। अपने पुनर्निर्वाचन का विरोध होने पर उन्होंने इस पद के लिए आचार्य नरेन्द्र देव का नाम भी सुझाया था। परन्तु नेहरू ने अपनी तरफ से मौलाना आजाद का नाम गांधी को सुझा दिया था। बाद में जब मौलाना ने अपना नाम वापस ले लिया तो बोस व पट्टाभि सीतारमैया के मध्य चुनाव हुआ। 29 जनवरी 1939 के इस चुनाव में बोस को 1850 तथा पट्टाभि सीतारमैया को 1277 मत प्राप्त हुए। बोस के पुनर्निर्वाचित होने के बाद कार्यसमिति

के 15 में से 12 सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया। नेहरू ने अपना त्यागपत्र अलग से दिया। 10 मार्च 1939 को त्रिपुरा में अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। गांधी राजकोट के आन्दोलन में व्यस्त होने के कारण यहाँ नहीं आ सके थे। अध्यक्ष सुभाष चन्द्र बोस स्वयं बीमार थे। ऐसे में गांधी की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर तथा बिना उन्हें बताए यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि बोस अपनी कार्यसमिति के सदस्यों का चुनाव गांधी की इच्छानुसार ही करें। इस प्रस्ताव ने ही बोस द्वारा कांग्रेस को त्यागने की भूमिका लिखी। यह प्रस्ताव संयुक्त प्रान्त के प्रधानमंत्री पन्त ने रखा था। बोस अपनी कार्यसमिति का चुनाव करने में असमर्थ रहे क्योंकि गांधी ने उन पर अपनी राय लादने से मना कर दिया था। फलस्वरूप बोस के पास त्यागपत्र के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता शेष नहीं बचा था।

1 सितम्बर 1939 को जर्मनी ने पोलैण्ड पर आक्रमण कर दिया। इसके साथ ही ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यूरोप में युद्ध प्रारम्भ होते ही वायसराय लिनलिथगो ने एक उद्घोषणा में भारत को भी इसमें शामिल कर लिया। इस घोषणा के पूर्व उन्होंने किसी भी राजनैतिक दल से कोई सलाह तक नहीं ली थी। 5 सितम्बर को वायसराय ने गांधी से मुलाकात की। गांधी ने व्यक्तिगत रूप से मित्र राष्ट्रों के प्रति अपनी सहानुभूति दिखायी परन्तु कांग्रेस की तरफ से कुछ भी कहने से मना कर दिया। कांग्रेस कार्यसमिति ने फासीवाद तथा नात्सीवाद की भर्त्सना तो की लेकिन साथ में यह भी कहा कि ब्रिटिश सरकार ''युद्ध के उद्देश्यों'' को स्पष्ट करे। ब्रिटिश सरकार ने 17 अक्टूबर के अपने श्वेत पत्र में एक ''परामर्शदायी गुट'' की स्थापना तथा भविष्य में कभी ''औपनिवेशिक दर्जा'' देने की बात कही। साथ ही साथ 1935 के संविधान को निरस्त कर दिया गया। भारत में एक व्यक्ति का शासन लागू हो गया। इसके जवाब में कांग्रेस ने 29 अक्टूबर को सविनय अवज्ञा आन्दोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके साथ ही साथ कांग्रेस की सभी आठों सरकारों ने त्यागपत्र दे दिया। सरकार ने इन विधानसभाओं को भंग नहीं किया क्योंकि वह इस अवसर पर चुनाव का खतरा नहीं मोल लेना चाहती थी। उन्होंने उन्हें सिर्फ मुअत्तल कर दिया तथा समस्त अधिकार अपने हाथों में ले लिया।

भारत छोड़ो आन्दोलन तथा बलिया की अस्थायी सरकार

इस यूरोपीय युद्ध ने शीघ्र ही विश्वयुद्ध का रूप ले लिया। यूरोप में जर्मनी का विजय अभियान जारी था। लंदन स्वयं नाजी बमवर्षकों के निशाने पर आ चुका था। जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ हिटलर का नस्लवादी अत्याचार अपनी चरम सीमा पर था। मित्र राष्ट्र हर मोर्चे पर पीछे हटने को मजबूर हो रहे थे। ऐसे में नेहरू सहित पूरे कांग्रेस में सहयोग विरोधी अभियान तेज होता जा रहा था। उन्हें जुलाई में गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी की अहिंसा इस युद्ध में किसी भी प्रकार के भौतिक सहयोग के विरुद्ध थी। उनका अन्तःकरण धीरे-धीरे एक स्वरूप ग्रहण करने लगा था। अभी तक वह सहयोग के विरुद्ध नहीं थे परन्तु अचानक वह पूरी तरह से युद्ध में सहयोग को हिंसा मानने लगे थे। उन्होंने कांग्रेस से अपना नाता तक तोड़ लिया। कांग्रेस के एक गुट ने एक और प्रयास किया और सरकार के समक्ष राष्ट्रीय सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा। राजगोपालाचारी का यह फार्मूला राष्ट्रीय स्वाभिमान के बिल्कुल विरुद्ध था परन्तु इसी बहाने नाजीवाद से लड़ने का अवसर प्राप्त हो जाने की उम्मीद में नेहरू ने इसे स्वीकार कर लिया। इसी बीच चैम्बरलेन के स्थान पर चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन चुके थे और जेटलैण्ड के स्थान पर एमरी भारत के सचिव बन चुके थे। सरकार ने कांग्रेस के इस फार्मूले को भी अस्वीकार कर दिया।

एक बार फिर कांग्रेस के सामने गांधी के अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष नहीं बचा। गांधी को पुनः कांग्रेस का निर्विरोध नेता मान लिया और कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारम्भ कर दिया। धीरे-धीरे कांग्रेस के सभी नेताओं की गिरफ्तारी प्रारम्भ हो गयी। बोस ने जेल में ही अनशन प्रारम्भ कर दिया। उन्हें जेल से निकालकर घर में ही नजरबन्द कर दिया गया, तभी जून 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के बाद भारत के साम्यवादी नाजीवाद और फासीवाद के सबसे बड़े विरोधी बन गये। इसी

माह सुभाष बाबू अंग्रेजों के अजेय चक्रव्यूह को चकमा देकर काबुल के रास्ते देश के बाहर निकल गये। उनका उद्देश्य किसी प्रकार जर्मनी तथा जापान का सहयोग प्राप्त कर भारत को आजाद कराना था। सुभाष बाबू का पलायन अपने समय का सबसे बड़ा धमाका था। देखते-ही-देखते वह देश के सर्वाधिक चर्चित नेता हो गये। दिसम्बर 1941 में पर्ल हार्बर पर जापानी हमले के साथ ही इस युद्ध ने एशिया में भी प्रवेश किया। युद्ध सीमाओं के निकट आता जा रहा था। इस अवसर पर अप्रैल 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स आयोग को भारत भेजा। परन्तु इस आयोग के पास भारत को देने के लिए कुछ भी नहीं था। क्रिप्स के जाने के बाद कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक प्रयागराज में हुई। इसमें मीरा बेन द्वारा प्रस्तुत गांधी के प्रस्ताव ने सभी को सकते में डाल दिया। इस प्रस्ताव में गांधी ने स्पष्ट किया था कि जापान को भारत से कोई दुश्मनी नहीं है। वह भारत पर यदि आक्रमण करेगा तो इसलिए कि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन यदि भारत छोड़ दे तो स्वयं भारत की अस्थायी सरकार, अपनी पूरी ताकत से, अपनी रक्षा के लिए, संयुक्त राष्ट्रों के साथ सहयोग करेगी। इस प्रस्ताव को वर्धा में अन्तिम रूप दिया गया। यही प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को ''भारत छोड़ो'' प्रस्ताव के रूप में बम्बई के अखिल भारतीय कांग्रेस सम्मेलन में पारित किया गया। इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद गांधी ने ''अंग्रेजों भारत छोड़ो'' तथा ''करो या मरो'' का नारा दिया। गांधी ने अपने भाषण में यह स्पष्ट किया कि जापान यदि भारत पर हमला करता है तो उसकी असली कीमत जनता को ही चुकानी होगी। युद्ध की उस भयंकरता में अहिंसा के लिए कोई स्थान नहीं होगा। हिंसा के उस तांडव से मुक्ति का एक अवसर अभी शेष बचा था कि अंग्रेज भारत छोड़ दें तो जापान संभवतः आक्रमण न करे। इस एक अवसर का उपयोग करने के लिए ही उन्होंने ''करो या मरो'' का नारा देते हुए बताया कि कुछ न करने का अर्थ सिर्फ मौत है चाहे वह जापानियों के हाथ से आये या अंग्रेजों के। गांधी ने इस प्रकार दुविधा की इस अभूतपूर्व स्थिति में भी अहिंसा का मार्ग तलाश ही लिया। वास्तव में गांधी प्रारम्भ से ही इसी अहिंसा की बात कर रहे थे जो कायरों की नहीं बहादुरों की अहिंसा थी।

अगले ही दिन सुबह गांधी समेत कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लोहिया किसी तरह बच निकले और भूमिगत हो गये। पूरा भारत करो या मरो के नारे से गूँजने लगा। नेताओं की अनुपस्थिति में स्थानीय लोगों, विशेषकर छात्रों ने आन्दोलन की कमान थाम ली थी। यूँ तो देश का हर प्रान्त आन्दोलित हो चुका था लेकिन कुछ जिलों में तो आन्दोलनकारियों ने पूरे ब्रिटिश प्रशासन को ही समाप्त कर अस्थायी रूप से स्वतंत्र प्रशासन की स्थापना कर दी थी। संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) में बलिया, महाराष्ट्र में सतारा तथा बंगाल के तुमलुक आदि ऐसे स्थान थे जहाँ ब्रिटिश सेना को इन्हें पुनः विजित करना पड़ा।

बम्बई में गांधी की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही 10 अगस्त को बलिया नगर में हड़ताल हो गई। सभी स्कूल-कालेज बन्द हो गये। 11 अगस्त को लगभग 15000 लोगों के एक जुलूस ने बलिया कचहरी की तरफ कूच कर दिया। इस जुलूस पर हुए पुलिस हमले ने लोगों को आपे से बाहर कर दिया। 13 से 16 अगस्त के बीच अनेकों रेलवे स्टेशन जला दिये गये तथा पुलिस थानों पर अधिकार कर लिया गया। 16 अगस्त को बलिया जेल से कैदियों को छुड़ा लिया गया तथा कांग्रेस के स्थानीय नेता चित्तू पाण्डे के नेतृत्व में बलिया में एक अस्थायी सरकार की स्थापना कर दी गई। इस सरकार ने शपथ ग्रहण करने के बाद 20 अगस्त को हनुमानगंज कोठी में एक सार्वजनिक बैठक की। आम लोगों ने सरकार को चलाने के लिए हजारों रुपये एकत्रित किये तथा सरकारी अधिकारियों को पुलिस लाइन में बन्द कर दिया गया। इस नयी सरकार को जनता का अपार नैतिक समर्थन प्राप्त था। इस नैतिक सत्ता के आधार पर ही इस सरकार ने एक जाँच कमेटी का गठन कर लोगों से यह अपील की कि सभी प्रकार की लूटी हुई सम्पत्ति सरकार को वापस कर दें। लोगों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब यह देखा गया कि लोगों ने न केवल अपनी भूलों को स्वीकार किया बल्कि लूटी गयी सम्पत्ति भी वापस कर

दी। रेवती क्षेत्र की एक विधवा ने इस सरकार से अपील की कि उसके रु. 3000/- मूल्य के जेवरात लूट लिये गये हैं तथा पुलिस चोरों का पता नहीं लगा सकी है। नयी सरकार ने न केवल इस लूट का पता लगा लिया बल्कि उसके जेवरात भी वापस दिला दिये। यह नयी सरकार कुछ ही दिन चल सकी लेकिन इस बीच न किसी सरकारी अधिकारी की सम्पत्ति लूटी गई न किसी के साथ दुर्व्यवहार ही किया गया। इस समय सरकारी खजाने में डेढ़ लाख रुपये जमा थे परन्तु किसी ने भी इस पैसे के अवैधानिक उपयोग की बात सोची भी नहीं।

22 अगस्त से बलिया पर अंग्रेज सरकार का दमन प्रारम्भ हो गया। विद्रोहियों के घरों को लूट लिया गया और सैकड़ों घरों को जला दिया गया। आम जनता पर 12 लाख का आम जुर्माना लगाया गया परन्तु 29 लाख से अधिक की वसूली की गई। 17 स्थानों पर गोली चलायी गयी जिसमें 46 से अधिक लोगों की जान चली गयी। 1000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनमें से अधिसंख्य को 5 से 7 वर्ष की सजायें सुनायी गईं। बलिया पर सेना की सहायता से पुनः अधिकार कर भारत की ब्रिटिश सरकार ने लंदन को यह सूचित किया कि बलिया को पुनर्विजित कर लिया गया।

सरकार की दमन नीति के विरुद्ध गांधी ने 10 फरवरी 1943 को 21 दिन का उपवास प्रारम्भ कर दिया। इस उपवास में गांधी की हालत अत्यन्त खराब हो गई थी परन्तु उन्होंने 3 मार्च को 21 दिन पूरे होने पर ही उपवास तोड़ा। जनता और सरकार दोनों ने राहत की साँस ली। इस समय पूरे देश में लगभग 1 लाख लोगों को जेलों में बन्द किया जा चुका था। पुलिस का दमन बढ़ने के बाद अब गुप्त रूप से चलने वाले इस आन्दोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली जैसे युवा समाजवादी करने लगे थे। यह आन्दोलन ब्रिटिश भारत के साथ-साथ देशी रियासतों में भी फैल चुका था। 1857, 1920 और 1930 के बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का यह चौथा महान विस्फोट था।

1943 के अन्त तक भारत छोड़ो आन्दोलन पूरी तरह बिखर चुका था। चारों तरफ निराशा का वातावरण छा गया था। इस वर्ष बंगाल में अकाल से होने वाली 40,000 लोगों की मौत ने निराशा के इस माहौल को और अधिक धूमिल कर दिया था। तभी जुलाई 1943 में सिंगापुर पहुँच चुके नेताजी ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाने की घोषणा कर लोगों में एक नयी जान फूँक दी। यहीं पर उन्होंने ''दिल्ली चलो'' का नारा भी दिया। दिसम्बर 1943 में उन्होंने अण्डमान पहुँचकर इस द्वीप का नाम शहीद व स्वराज रख दिया। एक विमान दुर्घटना में उनकी अचानक मौत हो गई। इस समय तक मित्र राष्ट्रों को सभी मोर्चों पर विजय मिलनी प्रारम्भ हो गई थी।

15 अगस्त 1945 को जापान ने मित्र राष्ट्रों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। युद्धोपरान्त ब्रिटेन में मजदूर दल सत्ता में आ गया। प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता हस्तांतरण के सम्बन्ध में ब्रिटिश नीतियों की घोषणा कर दी। 2 सितम्बर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अन्तरिम सरकार गठित हुई जिसमें शामिल होने की घोषणा मुस्लिम लीग ने भी 15 अक्टूबर को कर दी। 24 मार्च 1947 को लार्ड माउण्टबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया। नये वायसराय ने अत्यन्त चतुराई से कांग्रेस और लीग की कटुता का लाभ उठाकर भारत विभाजन की नींव पक्की कर दी। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हो गया लेकिन यह आजादी भारत विभाजन की कीमत पर प्राप्त हो सकी।

आजादी के इस पूरे संघर्ष काल में संयुक्त प्रान्त की जनता ने 1857 से लेकर आजादी तक बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। 1857 का संग्राम हो, क्रान्तिकारियों का गुप्त आन्दोलन हो या गांधी का सत्याग्रह, इस प्रान्त की जनता ने उसमें अग्रणी भूमिका निभाई। आजादी के बाद इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनने वाले कांग्रेस के नेता पं. जवाहरलाल नेहरू इसी प्रदेश के थे। आजादी के बाद भी, आज तक भारत की राष्ट्रीय मुख्यधारा का नेतृत्व उत्तर प्रदेश ही करता रहा है।

ऐतिहासिक परिदृश्य

प्राचीन काल (विशिष्ट तथ्य)

मिर्जापुर, सोनभद्र, बुन्देलखण्ड, प्रतापगढ़ के सरायनाहर राय से उत्खनन में प्राचीन एवं नव पाषाणकाल के औजार-हथियार मिले हैं।

आलमगीरपुर से हड़प्पाकालीन वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं, यह हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार को प्रकट करता है।

आलमगीरपुर से कपास उपजाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।

शतपथ ब्राह्मण में कोशल (अवध) का उल्लेख प्राप्त होता है।

प्राचीन काल में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो गंगा के मैदान में स्थित था 'मध्य देश' कहलाता था।

मध्य देश (आधुनिक उत्तर प्रदेश) में कुरु, पांचाल, काशी, कोशल, शूरसेन, चेदि, वत्स, कुशीनगर के मल्ल, आदि महाजन पद स्थापित थे।

कुरु महाजनपद की राजधानी इन्द्रप्रस्थ थी। यह मेरठ से दिल्ली तक विस्तृत था।

पांचाल महाजनपद बरेली, बदायूँ, फर्रुखाबाद क्षेत्र में स्थापित था। पांचाल महाजनपद के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी अहिच्छत्र थी तथा पांचाल महाजनपद के दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी काम्पिल्य थी।

शूरसेन महाजनपद मथुरा के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थापित था। इसकी राजधानी मथुरा थी।

वत्स महाजनपद (प्रयागराज के समीपवर्ती क्षेत्र में स्थापित था) की राजधानी कोसम (कौशाम्बी) थी।

कोशल महाजनपद अवध क्षेत्र में स्थापित था, इसकी राजधानी श्रावस्ती थी।

मल्ल महाजनपद (देवरिया-गोरखपुर क्षेत्र में स्थापित था) की राजधानी कुशीनगर (कसिया) तथा पावा (पडरौना) थी।

काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी।

चेदि महाजनपद की राजधानी शुक्तिमती (बाँदा के समीप) थी।

ह्वेनसांग (चीनी यात्री) ने अपने यात्रा विवरण में अतरंजीखेड़ा को 'पि-लो-शा-न' कहा है।

अतरंजीखेड़ा में गैरिक मृदभाण्ड तथा कृष्ण लोहित मृद्भाण्ड संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं।

अतरंजीखेड़ा उत्तर-वैदिक युग से सम्बद्ध स्थल स्वीकार किया गया है।

अतरंजीखेड़ा से शुंगों, कुषाणों तथा गुप्त शासकों से सम्बद्ध अवशेष प्राप्त हुए हैं।

बौद्ध परम्परा के अनुसार अशोक ने एक स्तूप का निर्माण अयोध्या में कराया था।

जैन ग्रन्थों में उल्लिखित है कि आदिनाथ सहित पाँच तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या थी।

रघुवंशी भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या नगरी थी।

अहिच्छत्र से ई.पू. 100 से 300 ई. के मध्य वाले स्तरों से मृण्मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं।

अहिच्छत्र से 'मित्र' उपाधि वाले राजाओं के सिक्के (200-300ई.) प्राप्त हुए हैं।

अहिच्छत्र के शासक अच्युत को गुप्त नरेश समुद्रगुप्त ने पराजित किया था।

अहिच्छत्र से गुप्तकालीन 'यमुना' की एक मूर्ति प्राप्त हुई है।

कालसी में संस्कृत पदों से उत्कीर्ण ईंटों की एक वेदी मिली है, जो 300 ई. के शासक शीलवर्मन के अश्वमेध यज्ञ स्थल का साक्ष्य है।

अहिच्छत्र से 350 ई. से 750 ई. के मध्य के मन्दिर, देवकक्ष प्राप्त हुए हैं।

कुशीनगर में 483 ई.पू. में भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था।

कन्नौज की सर्वांगीण उन्नति पुष्यभूति शासक हर्षवर्द्धन के समय (606-647 ई.) हुई थी।

हर्षवर्द्धन का 628 ई. का ताम्रदानपट्ट लेख बांसखेड़ा से प्राप्त है जो तत्कालीन इतिहास जानने का मुख्य स्रोत है।

अतरंजीखेड़ा से 1000 ई. पू. के लौह प्रयोग, धान की खेती, वृत्ताकार अग्निकुण्ड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।

प्राचीन काल में कन्नौज 'कान्यकुब्ज' के नाम से प्रसिद्ध था।

कन्नौज में पहली बस्ती के साक्ष्य उत्तरी काले मृद्भाण्ड युग से कुषाण युग तक के प्राप्त हुए हैं।

कन्नौज गुप्त शासकों तथा मौखरियों के समय प्रमुख नगर था।

हर्षवर्द्धन के काल में कन्नौज 'नगरमहोदयश्री' कहलाता था।

कन्नौज पर अपनी प्रभुता स्थापित करने हेतु गुर्जर-प्रतिहारों, पालों एवं राष्ट्रकूटों के मध्य दीर्घकाल तक त्रिदलीय संघर्ष हुआ था।

गुर्जर-प्रतिहारों ने कन्नौज पर सर्वाधिक समय तक शासन किया था।

1018-1019 ई. में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था।

1028 ई. में महमूद गजनवी ने मथुरा के मन्दिरों को ध्वंस कर लूटपाट की थी।

मुहम्मद गोरी के आक्रमणों के समय कन्नौज का शासक जयचन्द गहड़वाल था।

बौद्ध काल में कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। कपिल ऋषि के वास (स्थान) से इस स्थल का नाम कपिलवस्तु पड़ा था।

कपिलवस्तु श्रावस्ती-वाराणसी मार्ग तथा वैशाली-पुरुषपुर मार्ग का केन्द्र स्थल था।

महावस्तु के अनुसार कपिलवस्तु में अनेक प्रकार के शिल्प विकसित थे।

काम्पिल्य प्राचीन काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केन्द्र रहा था। जैन ग्रन्थों, बौद्ध जातक साहित्य व महाभारत में काम्पिल्य का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है।

कुशीनगर की विस्तृत जानकारी, दिव्यावदान, दीघनिकाय, अशोक के आठवें वृहद् शिलालेख, कनिष्क के सिक्कों तथा फाहियान एवं ह्वेनसांग के यात्रा-विवरणों से मिलती है।

कुशीनगर मल्ल गणराजय की राजधानी थी।

कुशीनगर प्रमुख व्यापारिक मार्ग श्रावस्ती-वाराणसी मार्ग का प्रमुख केन्द्र स्थल होने के कारण प्रसिद्ध व्यापारिक नगर भी था।

हूणों के कुशीनगर पर आक्रमण के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं।

कौशाम्बी को आद्य-नगरीय स्थल भी कहा जाता है। यह वत्स महाजनपद की राजधानी था।

कौशाम्बी को मघों ने राजधानी बनाकर दूसरी-तीसरे शताब्दी ई. में इसे राजनीतिक, आर्थिक महत्व प्रदान किया था।

कौशाम्बी को हूण नेता तोरमाण से विशेष क्षति पहुँची थी।

कौशाम्बी थेर पंथ का प्रमुख केन्द्र था।

कालसी में अशोक का चौदहवाँ शिलालेख प्राप्त हुआ है।

काशी छठी शताब्दी ई.पू. में सोलह महाजनपदों में चर्चित महाजनपद था, जिसकी राजधानी वाराणसी थी।

काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में प्राप्त होता है।

महाभारत के अनुसार काशी की स्थापना दिवोदास ने की थी।

एटा जिले के 'कंटिगरा' गाँव के टीलों से पाँच हजार वर्ष पुरानी सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। गुप्तकाल, कुषाणकाल तथा समकालीन महाभारत काल के चित्रित भांड 'पेटेड ग्रेवियर' मिले हैं। इससे पूर्व इन

टीलों से राम-रावण युद्ध, बाली-सुग्रीव युद्ध तथा राम-सीता की मूर्तियाँ भी निकाली जा चुकी हैं।
गढ़वा में कुमारगुप्त प्रथम के दो शिलालेख तथा स्कन्दगुप्त का एक लेख प्राप्त हुआ है।
1194 ई. में चन्दावर के युद्ध में मुहम्मद गोरी ने गहड़वाल नरेश जयचन्द को पराजित किया था।
देवगढ़ से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों से गुप्तकाल के विशेष स्थापत्य एवं मूर्तिकला के साक्ष्य मिले हैं। मन्दिरों में दशावतार मन्दिर बहुत उल्लेखनीय है। देवगढ़ से जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की पुत्री ब्राह्मी द्वारा उत्कीर्णित लिपियों का अभिलेख मिला है। देवगढ़ से चन्देल शासकों के अभिलेख मिले हैं।
प्रयाग के अशोक स्तम्भ पर हरिषेण द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त है।
गुप्तों के पतन के पश्चात् हर्षवर्द्धन, गुर्जर-प्रतिहार, चन्देल, गहड़वाल शासकों ने प्रयाग पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था।
हर्षवर्द्धन प्रति पाँचवें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद् का आयोजन करता था।
बाँसखेड़ा अभिलेख में हर्ष की वंशावली, प्रशासनिक संरचना, सैनिक अभियानों का उल्लेख है।
बांसखेड़ा अभिलेख में हर्षवर्द्धन द्वारा अहिच्छत्र भुक्ति के मर्कटसागर गाँव को कर-मुक्त करके दो ब्राह्मणों को दान देने का उल्लेख प्राप्त होता है।
बांसखेड़ा अभिलेख में हर्ष के हस्ताक्षरों की अनुलिपि उत्कीर्ण है।
हर्षवर्द्धन की राजधानी कन्नौज (कान्यकुब्ज) थी।
गुप्तकालीन मन्दिरों में भीतरगाँव का मन्दिर छोटी-पकी ईंटों से निर्मित है, इसे चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में बनवाया गया था। इस मन्दिर की विशेषता शिखर का होना तथा ऊँचे चबूतरे पर निर्मित होना माना जाता है। इस मन्दिर की छत पिरामिडाकार है। मन्दिर की दीवारों को देवी-देवताओं की मूर्तियों से उकेरा गया है।
महाजनपद युग में मथुरा शूरसेन महाजनपद की राजधानी थी।
मथुरा कृषाणों के पूर्वी साम्राज्य की राजधानी थी। कुषाणों के सिक्के बहुतायत से मिले हैं।
समुद्रगुप्त ने मथुरा के गणपति नाग को पराजित किया था।
मौर्योत्तर युग में मथुरा एशिया से सम्बद्ध रेशम मार्ग से जुड़ा हुआ था।
मथुराशाटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केन्द्र था। मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। मथुरा श्वेताम्बर जैन मत का केन्द्र थी। मथुरा में बौद्धमत की सर्वास्तिवादी विचारधारा का उद्भव व विकास हुआ था। मथुरा में मथुरा कला शैली में बुद्ध की प्रथम मूर्ति निर्मित हुई थी। मथुरा 'मथुरा कला शैली' का प्रमुख केन्द्र लगभग 300 वर्षों तक बनी रही थी।
भरतपुर राज्य की राजधानी 'मथुरा' थी, जिसकी घोषणा सूरजमल जाट ने की थी।
राजघाट (वाराणसी के समीप) से उत्तरी काले मृद्भाण्ड संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
श्रावस्ती तीन प्रमुख व्यापारिक मार्गों (उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्यपथ) के केन्द्र में स्थित होने के कारण राजनीतिक-व्यापारिक गतिविधियों का स्थल केन्द्र थी। श्रावस्ती भगवान बुद्ध की प्रिय नगरी थी। श्रावस्ती के साहूकार अनाथपिंडक ने जेतवन महाविहार बौद्धों को अनुदान में दिया था।
जैन तीर्थंकर सम्भवनाथ एवं चन्द्रप्रभु श्रावस्ती से सम्बद्ध थे।
आजीवक सम्प्रदाय के प्रवर्तक मक्खलि गोसाल की जन्मभूमि श्रावस्ती थी।
श्रावस्ती से कनिष्क के दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं।
संकिसा महाजनपद युग को पांचाल जनपद में प्रमुख नगर था। बौद्ध परम्परा के अनुसार संकिसा में भगवान बुद्ध इन्द्र व ब्रह्मा के साथ स्वर्ग से धरती पर आये थे।
महात्मा बुद्ध ने संकिसा में स्त्रियों की प्रव्रज्या को संघ में अनुमति दी थी।

भिक्षुणी उत्पलवर्णा दीक्षा पाने वाली प्रथम स्त्री थी।
संकिसा में स्कन्दगुप्त का एक सिक्का भी मिला है।
सारनाथ प्राचीनकाल में इसिपत्तन मिगदाय (ऋषिपत्तन मृगदाव) के नाम से प्रसिद्ध था।
सारनाथ में भगवान बुद्ध का धर्मचक्र प्रवर्तन हुआ था।
मौर्य सम्राट अशोक ने सारनाथ में एक सिंह स्तम्भ बनवाया था, स्वतन्त्र भारत का राजचिह्न इसी सिंह शीर्ष स्तम्भ को अपनाया गया है।
सारनाथ की सिंह, शीर्ष स्तम्भ मौर्य प्रस्तर कला का उत्कृष्ट उदाहरण है।
ह्वेनसांग के समय सारनाथ थेरवाद का प्रमुख केन्द्र था।
सारनाथ में गुप्तकालीन धमेख स्तूप निर्मित है; फाहियान ने इसका विस्तृत उल्लेख किया है।
सोहगौरा से उत्तरी काली ओपदार मृद्भाण्ड संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सोहगौरा से मौर्योत्तर काल के सिक्के, कुषणों के सिक्के प्राप्त हुए हैं।
हस्तिनापुर से ऊपरी गंगाघाटी की संस्कृतियों के अनुक्रम की जानकारी मिलती है। हस्तिनापुर से मृद्भाण्ड संस्कृतियों से लेकर मौर्योत्तर युग तक के साक्ष्य मिले हैं।
हस्तिन नामक शासक ने हस्तिनापुर की स्थापना की थी। महाभारत युग में यह कौरवों की राजधानी थी।
मौर्योत्तर युग में निर्मित प्रस्तर प्रतिमाएँ, मथुरा के दत्तवंशी शासकों के सिक्के, कुषाणों के सिक्के, यौधेयों की मुद्राएँ हस्तिनापुर के उत्खनन में मिली हैं।
हड़प्पायुग से सम्बद्ध अवशेष हुलास से मिले हैं।
हुलासखेड़ा से कुषाणकाल से गुप्तयुग तक के भौतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। हुलासखेड़ा से कुषाणकालीन 200 मीटर लम्बी सड़क, सुनियोजित जल निकासी की व्यवस्था, कार्तिकेय की स्वर्णप्रतिमा, चॉदी के आहत सिक्के, कुषाणों के ताम्र सिक्के मिले हैं। हुलासखेड़ा से गुप्तकालीन दुर्ग के भग्नावशेष, ताँबे-चाँदी के सिक्के, गुप्तलिपि में उत्कीर्ण मुहरें, हाथी दाँत की कंघी, मोहरछापे प्राप्त हुए हैं।

मध्यकाल (विशिष्ट तथ्य)

मध्ययुग में राजस्थान तथा दक्षिण में मालवा की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण आगरा का राजनीतिक, आर्थिक व व्यापारिक महत्व स्थापित था।
मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था।
अकबर ने आगरा में किले का निर्माण कराया था।
जहाँगीर के काल में नूरजहाँ ने आगरा में अपने पिता एत्मादुद्दौला का मकबरा बनवाया था।
शाहजहाँ द्वारा निर्मित आगरा में 'ताजमहल' तथा मोती मस्जिद स्थापत्य कला के श्रेष्ठ प्रतीक हैं।
मुगलकाल में आगरा शिक्षा का प्रमुख केन्द्र था।
मुगलकाल में आगरा के समीपवर्ती क्षेत्र में नील की खेती होती थी।
यूरोपियन यात्री राल्फ फिच, वर्नियर ने आगरा के वैभव की प्रशंसा की है।
सल्तनतकाल व मुगलकाल में कड़ा महत्वपूर्ण इक्ता (सूबा) समझा जाता था।
सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी था।
831 ई. में महोबा में चन्देलों ने अपनी राजधानी स्थापित की थी।
कड़ा से ही अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ई. में अपना सफल अभियान (देवगिरि अभियान) सम्पन्न

किया था।
1022 ई. में महमूद गजनवी ने कालिंजर को पदाक्रान्त किया था।
1018 ई. में महमूद गजनवी ने बरन को पदाक्रान्त किया था।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ई. में कोइल पर अधिकार स्थापित कर लिया था।
1193 ई. में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बरन को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था।
1194 ई. में कन्नौज के गहड़वाल नरेश जयचन्द को चन्दावर के युद्ध में मुहम्मद गोरी ने पराजित किया था।
1202 ई. में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चन्देल शासक परमार्दिदेव को कालिंजर में पराजित किया था।
1296 ई. में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा में करवा दी थी।
कड़ा क्षेत्र में सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने स्वर्गद्वारी की स्थापना की थी।
जौनपुर की स्थापना सुल्तान फीरोजशाह तुगलक ने 1358 ई. में मुहम्मद तुगलक उर्फ जौना खाँ के सम्मान में की थी।
भक्त सन्त मलूकदास की जन्मस्थली कड़ा थी।
पूर्व मध्य युग में कालिंजर पर राजपूतों का शासन स्थापित था।
बारहवीं शताब्दी ई. के पश्चात् कालिंजर तुर्कों, अफगानों, मुगलों के आक्रमण से प्रभावित रहा था।
1435 ई. में मालवा के हुशंगशाह ने कालपी पर अधिकार कर लिया था।
1492 ई. में सुल्तान सिकन्दर लोदी ने जौनपुर को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था।
आगरा की स्थापना सुल्तान सिकन्दर लोदी ने 1504 ई. में की थी।
1531 ई. तक गढ़कुण्डार बुन्देलों की राजधानी रही थी।
1545 ई. में कालिंजर के सैन्य अभियान के दौरान बारूद विस्फोट से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गयी थी।
मुगल सम्राट अकबर ने 1569 ई. में कालिंजर के शासक रामचन्द्र को पराजित कर आधिपत्य स्थापित कर लिया था।
1573 ई. से 1588 ई. तक फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी रही थी।
दसवीं शताब्दी ई. में कालपी में चन्देलों का शासन स्थापित था।
बारहवीं शताब्दी के अन्त में कुतुबुद्दीन ऐबक ने काल्पी को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था।
फीरोजशाह तुगलक के पश्चात् कालपी एक स्वतन्त्र मुस्लिम राज्य बन गया था।
राजा बीरबल कालपी से सम्बद्ध था। कालपी में बीरबल का रंगमहल तथा मुगल टकसाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
भारत में तुर्कों के आगमन के समय कोइल (कोल) पर राजपूतों का प्रभुत्व स्थापित था।
सुल्तान बहलोल लोदी के समय कोइल का स्थानीय शासक ईसा खाँ था, जिसने बहलोल लोदी की अधीनता स्वीकार कर ली थी।
5 जनवरी, 1659 ई. को औरंगजेब ने खजुहा के युद्ध में शाहशुजा को पराजित कर उत्तराधिकार युद्ध में निर्णायक सफलता प्राप्त की थी।
पूर्व मध्यकाल में गढ़कुण्डार पर परमारों ने आधिपत्य स्थापित किया था।
आठवीं शताब्दी ई. में चन्देलों ने गुढ़कुण्डार पर शासन स्थापित किया था।
पृथ्वीराज चौहान के समय गढ़कुण्डार का चन्देल शासक परमाल था।
चन्देलों को पराजित कर पृथ्वीराज चौहान ने गुढ़कुण्डार पर अधिकार कर लिया था।

पृथ्वीराज के सेनानायक खेतसिंह ने गुढ़कुण्डार में खंगार राज्य की स्थापना की थी।
सुल्तान बलबन के समय गढ़कुण्डार पर बुन्देलों ने अधिकार कर लिया था।
चौदहवीं शताब्दी ई. में चुनार पर चन्देलों का शासन स्थापित था।
मुगल सम्राट् बाबर ने चुनार पर अधिकार स्थापित कर लिया था।
शेरशाह सूरी के दमन के क्रम में हुमायूँ ने चुनार के किले की घेराबन्दी की थी, परन्तु शेरशाह ने ही चुनार पर अपना नियन्त्रण स्थापित रखने में सफलता प्राप्त की थी।
तुगलक वंश के पतन के दौर में जौनपुर मलिक हुसैन शर्की के नेतृत्व में स्वतन्त्र हो गया और शर्की सल्तनत की जौनपुर में स्थापना हुई।
साहित्य, स्थापत्य कला, संगीत कला के लिए जौनपुर के शर्की सुल्तानों का चिरस्मरणीय योगदान रहा था। अटांला मस्जिद शर्की स्थापत्य कला की श्रेष्ठ प्रतीक है। इन्हीं विशेषताओं के कारण जौनपुर को 'शीराज-ए-हिन्द' कहा जाता था।
झाँसी की स्थापना 1613 ई. में ओरछा शासक बीर सिंह बुन्देला ने की थी।
1732 ई. में जैतपुर युद्ध के बाद झाँसी स्थानीय ओरछा शासक छत्रसाल द्वारा पेशवा बाजीराव प्रथम को सौंप दी गयी थी।
रानी लक्ष्मीबाई झाँसी के स्वतन्त्र राज्य के शासक गंगाधर राव की पत्नी थीं, जिन्होंने 1857 ई. के महान विप्लव में अपनी वीरता व साहस का लोहा अंग्रेजों से स्वीकार करा कर भारत के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में वीरगति प्राप्त की थी।
झाँसी में लक्ष्मीबाई का महल, महादेव मन्दिर, मेंहदी बाग आज भी विद्यमान हैं।
अकबर बादशाह ने प्रयाग की पुनर्स्थापना कर 'इलाहाबाद' (अब 'प्रयागराज') नाम दिया था।
इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') के किले का निर्माण भी अकबर ने कराया था।
अकबर फतेहपुर सीकरी को शेख सलीम चिश्ती के कारण पवित्र भूमि मानता था।
सलीम (जहाँगीर) का जन्म फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम की खानकाह में हुआ था।
फतेहपुर सीकरी के शानदार स्थापत्य प्रतीकों में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलन्द दरवाजा, जामा मस्जिद, जोधाबाई का महल, दीवाने खास, बीरबल का महल, मरियम का महल, पंचमहल बहुत प्रसिद्ध हैं।
दिल्ली सल्तनत काल में बदायूँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण इक्ता थी।
सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूँ का इक्तादार था।
सूफी सन्त शेख निजामुद्दीन औलिया का सम्बन्ध बदायूँ से था।
इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूँनी का सम्बन्ध बदायूँ से था।
बदायूँ व्यापारिक मार्ग (दिल्ली-लखनौती मार्ग) का प्रमुख केन्द्र स्थल था।
प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी बरन का निवासी था।
मथुरा सूरजमल जाट द्वारा भरतपुर राज्य की राजधानी के रूप में गौरवान्वित थी।
चन्देलों का राज्य जेजाकभुक्ति (जुझौती) के नाम से चर्चित था।
तेरहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में महोबा पर तुर्कों का आधिपत्य स्थापित हो गया था।
मध्यकाल में राजपूत सरदार हरदत्त ने मेरठ में एक किला निर्मित कराया था।
बारहवीं शताब्दी के अन्त में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरठ को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लिया था।

फीरोजशाह तुगलक ने अशोक स्तम्भ मेरठ से उठवाकर दिल्ली में स्थापित कराया था

लखनऊ की प्रसिद्धि उत्तर मुगल काल में प्रारम्भ हुई, जब अवध के सूबेदार सआदत खाँ ने अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित की थी

नवाब आसफुद्दौला के समय अवध की राजधानी फैजाबाद (अब अयोध्या) से लखनऊ स्थानान्तरित हो गयी

लखनऊ के अन्तिम नवाब वाजिद अली शाह थे, जिन्हें 1856 ई. में अंग्रेजों ने पदच्युत कर अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था

लखनऊ की चर्चित इमारते हैं- इमामबाड़ा, भूलभुलैय्या, छतरमंजिल

लखनऊ कत्थक नृत्य का केन्द्र था

सम्भल सल्तनत काल में महत्वपूर्ण इक्ता के रूप में चर्चित था

सम्भल का क्षेत्र हुमायूँ ने अपने भाई मिर्जा अस्करी को प्रदान कर दिया था

सम्भल में मुगल बादशाह बाबर ने मस्जिद का निर्माण कराया था

सिकन्दरा में मुगल सम्राट अकबर ने अपना मकबरा बनवाया था जिसे 1613 ई. में सम्राट जहाँगीर ने पूर्ण कराया था

29 मई, 1658 ई. को सामूगढ़ के युद्ध में दारा के नेतृत्व में शाही सेना की पराजय औरंगजेब व मुराद की संयुक्त सेना के हाथों हुई थी। युद्ध में विजय प्राप्त करने पर औरंगजेब ने शाहजहाँ को आजीवन नजरबन्द कर दिया था, मुराद को छल से बन्दी बना लिया था और अपने को बादशाह घोषित कर दिया था

10 मई, 1857 ई. को भारत मे महान् विद्रोह का विस्फोट मेरठ से हुआ था

1857 ई. के महान् विप्लव की प्रमुख वीरांगना बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अंग्रेजों से लोहा लिया था

औरंगजेब की मृत्यु (1707 ई) से 1757 ई. (प्लासी के युद्ध) तक वर्तमान उत्तर प्रदेश में पाँच स्वतन्त्र राज्य स्थापित हो चुके थे।

मेरठ तथा बरेली के उत्तर में नाजिब खान नामक पठान नेता का राज्य था।

दोआब क्षेत्र में रुहेलों के अन्तर्गत रुहेलखण्ड राज्य स्थापित था।

फर्रुखाबाद के बंगश नवाब के अन्तर्गत मध्य दोआब का राज्य स्थापित था।

अवध व पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों पर अवध के नवाब का राज्य था।

बुन्देलखण्ड पर मराठों का राज्य स्थापित था।

1773 ई. में अंग्रेजों ने रुहेलखण्ड में मराठों को पराजित कर उन्हें दोहाब से निष्कासित कर दिया था।

1774 ई. में अंग्रजों ने रुहेला सरदार रहमत खान को शाहजहाँपुर (कटरा) में पराजित कर रुहेलखण्ड को अवध के नवाब को सौंप दिया था।

1775 ई. में शुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात् आसफउद्दौला अवध का नवाब बना।

आसफउद्दौला ने अंग्रेजों से सन्धि कर के बनारस (अब 'वाराणसी') का क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया था।

बनारस ('वाराणसी') के राजा चेतसिंह ने 1780 ई. में अंग्रेजों द्वारा अधिकाधिक धन माँगे

जाने का विरोध किया, फलस्वरूप अंग्रेजों ने राजा चेतसिंह के विरोध को कुचलकर महीप नारायण सिंह को बनारस का राजा बनाया। बनारस (अब 'वाराणसी') पूर्णतः अंग्रेजों के संरक्षण में स्थापित हो गया।

1797 ई. में आसफउद्दौला की मृत्यु के पश्चात् उसका भाई सादात अली अवध का नवाब बना, उसने इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') का किला अंग्रेजों को सौंप दिया तथा बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के बदले में प्रति वर्ष 76 लाख रुपये ईस्ट इण्डिया कम्पनी को देने का वचन दिया।

आधुनिक काल (विशिष्ट तथ्य)

अंग्रेजी राज्य की स्थापना के प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश 'बंगाल प्रेसीडेन्सी' का ही अंग था। बंगाल प्रेसीडेन्सी का भाग होने के समय इस क्षेत्र को 'पश्चिमी प्रान्त' भी कहते थे।

उत्तर प्रदेश के प्रमुख जैन तीर्थ-स्थल

अयोध्या : जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभनाथ, द्वितीय तीर्थंकर भगवान अजितानाथ, चतुर्थ तीर्थंकर भगवान अभिनन्दनाथ एवं पंचम तीर्थंकर भगवान सुमतिनाथ का जन्म-स्थल।

वाराणसी : सप्तम तीर्थंकर भगवान सुपार्श्वनाथ एवं तेईसवें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का जन्म-स्थल।

कौशाम्बी : जनपद के ग्राम पभोसा में छठे तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु से सम्बन्धित स्थल।

श्रावस्ती : तृतीय तीर्थंकर भगवान सम्भवनाथ एवं विख्यात शोभनाथ मन्दिर से सम्बन्धित।

देवगढ़ : 'देवताओं के किले' के रूप में विख्यात, प्राचीन जैन मूर्तियों एवं शिल्प-कला हेतु सुप्रसिद्ध स्थल।

महोबा : 'गोखर पहाड़' पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात।

काकण्डी : नवें तीर्थंकर भगवान सुविधानाथ का निवास-स्थल।

आगरा प्रेसीडेन्सी बनने पर उत्तर प्रदेश का क्षेत्र बंगाल प्रेसीडेन्सी से निकालकर आगरा प्रेसीडेन्सी में सम्मिलित कर दिया गया था।

1836 ई. में इस प्रदेश का नाम 'उत्तर-पश्चिम प्रान्त' (नार्थ-वेस्टर्न प्राविन्सेज) हो गया तथा मुख्यालय आगरा बनाया गया।

7 फरवरी, 1856 ई. को अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया था।

अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित करते समय अवध में बारह जिले (लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद (अब अयोध्या), गोण्डा, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली) थे।

1857 ई. की विद्रोह (प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम) की लड़ाई के पश्चात् 1858 ई. में वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने पूरे उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त को एक ले. गवर्नर के द्वारा शासित प्रान्त बना दिया था।

1858 ई. में उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त का मुख्यालय इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') बनाया गया था।

1868 ई. में उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त का उच्च न्यायालय भी आगरा से इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') स्थानान्तरित कर दिया गया था।

1877 ई. तक अवध का प्रशासनिक व उच्च न्यायिक मुख्यालय लखनऊ रहा था तथा उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त का इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज')।

1877 ई. में इन दोनों प्रान्तों (अवध व उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त) को ले. गवर्नर तथा मुख्य आयुक्त का पद समाप्त कर ''आगरा व अवध का संयुक्त प्रान्त'' (यूनाइटेड प्राविन्सेज ऑफ आगरा एण्ड अवध) कर दिया गया था।

ले. गवर्नर का पद इस एकीकृत प्रान्त (यूनाइटेट प्राविन्सेज ऑफ आगरा एण्ड अवध) का सर्वोच्च प्रशासनिक पद बन गया था।

भारत सरकार अधिनियम, 1919 के अन्तर्गत ले. गवर्नर के पद को गवर्नर के पद की मान्यता प्राप्त हो गयी।

1920 ई. के चुनावों के पश्चात् संयुक्त प्रान्त आगरा-अवध (यूनाइटेड प्राविन्सेज ऑफ आगरा एण्ड अवध) की सरकार इलाहाबाद (प्रयागराज) से लखनऊ स्थानान्तरित कर दी गयी थी।

1921 ई. में लखनऊ में विधान परिषद् की स्थापना की गयी थी।

1935 ई. तक प्रान्तीय सचिवालय के इलाहाबाद (प्रयागराज) से लखनऊ स्थानान्तरण का कार्य पूरा करने के बाद लखनऊ को इस प्रान्त की राजधानी घोषित किया गया था।

1937 ई. में यूनाइटेड प्राविन्सेज ऑफ आगरा एण्ड अवध का नाम परिवर्तित कर 'संयुक्त प्रान्त' (यूनाइटेड प्राविन्सेज) रख दिया गया था।

उन्नीसवीं शताब्दी ई. के प्रारम्भ में इस प्रान्त में बनारस (अब 'वाराणसी') क्षेत्र मिर्जापुर तथा इलाहबाद (अब 'प्रयागराज') का किला अंग्रेजों के आधिपत्य में स्थापित थे।

1808 ई. में अवध के नवाब सआदत अली ने सुरक्षा की गारण्टी के बदले में गोरखपुर क्षेत्र रुहेलखण्ड क्षेत्र, इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') क्षेत्र, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, एटा क्षेत्र अंग्रेजों को प्रदान कर दिये थे।

1809 ई. में फर्रुखाबाद के नवाब ने अपना क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिया।

1803 ई. में लार्ड लेक ने मराठों को पराजित कर अलीगढ़, आगरा पर अधिकार कर लिया था।

1836 ई. में इस प्रान्त का नाम उत्तरी-पश्चिमी प्रान्त रखा गया था, उस समय इस प्रान्त में दिल्ली तथा अजमेर के क्षेत्र भी सम्मिलित थे।

1856 ई. में अवध इस प्रान्त में सम्मिलित कर लिया गया था।

1857 ई. के विद्रोह के पश्चात् दिल्ली, पंजाब को; तराई के क्षेत्र नेपाल को; बरेली तथा मुरादाबाद के कुछ क्षेत्र रामपुर के नवाब को; सागर का क्षेत्र मध्य प्रान्त को दे दिया गया था।

1857 की क्रान्ति तथा राष्ट्रीय आन्दोलन में उत्तर प्रदेश का योगदान

1857 ई. में उत्तरी भारत की जनता ने तथा जमींदारों, राजाओं ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक महान् विद्रोह कर दिया; यह एक स्व-स्फूर्त विद्रोह था, जिसे सावरकर ने भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहा था।

कोलकाता (तत्कालीन 'कलकत्ता') के निकट स्थित बैरकपुर के 34वीं देशी सैनिक छावनी के मंगल पाण्डे (उत्तर प्रदेश निवासी) ने 21 मार्च, 1857 ई. को खुला विद्रोह कर अपने एडजुडेण्ट लेफ्टीनेण्ट हेनरी बाग पर गोली चला दी; इस घटना के फलस्वरूप मंगल पाण्डे को 7 अप्रैल, 1857 ई. को बैरकपुर में फाँसी पर चढ़ा दिया गया था।

मंगल पाण्डे की फाँसी ने भारतीय सैनिकों को उत्तेजित कर दिया क्योंकि उसने नये आविष्कृत

एनफिल्ड रायफलों के लिए नये प्रकार के कारतूसों के प्रयोग करने का विरोध किया था। इन कारतूसों को प्रयोग करते समय इसे मुँह से खोलना पड़ता था। हिन्दू और मुस्लिम दोनों धर्मों के सैनिकों में यह धारणा परिपक्व हो चुकी थी कि कारतूसों के खोल में सुअर एवं गाय की चर्बी लगायी गयी है; अतः सैनिकों में आक्रोश था। यह आक्रोश ही मंगल पाण्डे की घटना बन गया था।

24 अप्रैल, 1857 ई. को मेरठ की देशी सेना ने नये कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया। इससे क्रुद्ध अंग्रेज अधिकारियों ने 9 मई, 1857 ई. को सैनिकों की वर्दी उतरवा ली, फलस्वरूप 10 मई, 1857 ई. को पूरी छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया; विद्रोही सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी।

11 मई, 1857 ई. को मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार कर भारत के (पेंशनयाफ्ता) वृद्ध सम्राट (मुगलों के अन्तिम बादशाह) जो अंग्रेजों द्वारा दयनीय स्थिति में रख दिये गये थे, को अपना शासक घोषित करते हुए उसके (बहादुरशाह द्वितीय) नेतृत्व में लामबन्द हो गये।

विद्रोही सैनिकों ने दिल्ली में 6 सैनिकों तथा चार नागरिकों की एक मिली-जुली समिति 'जलसा' के नाम से गठित की, जिसने दिल्ली का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया था।

1857 ई. के इस विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र था अवध और बुन्देलखण्ड।

1857 ई. के इस व्रिदोह में दोआब क्षेत्र ने भी सक्रिय योगदान किया था।

1857 ई. के इस विद्रोह में शीघ्र की अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') को स्वतन्त्र कराने के बाद विद्रोही सैनिकों व जमींदारों ने वहाँ अपनी सरकारें स्थापित कर ली थीं।

1857 ई. के इस महान् विप्लव में बरेली का प्रशासन 'खान बहादुर खान' नामक रोहिल्ला सैन्य अधिकारी ने ग्रहण कर लिया था।

1857 ई. के इस महान् विप्लव में कानपुर के प्रशासन पर 'नाना साहब' का अधिकार था।

1857 ई. के इस महान् विप्लव में इलाहाबाद ('प्रयागराज') पर एक अध्यापक 'मौलवी लियाकत अली' का अधिकार था।

1857 ई. के इस महान् विप्लव का विस्तार इटावा, मैनपुरी, एटा, मथुरा, शाहजहाँपुर, बदायूँ, आजमगढ़, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, वाराणसी, फैजाबाद, फतेहपुर, हाथरस, आदि छोटे-छोटे- नगरों व कस्बों में हो गया था।

कानपुर (बिठूर) में नाना साहब विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, उनके अधीन दस हजार सैनिक तथा कृषक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्षरत थे।

लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरतमहल कर रही थीं, इसमें 50 हजार नागरिक बेगम हजरतमहल के नेतृत्व में संघर्षरत थे।

कानपुर तथा लखनऊ में ब्रिटिश सैन्य अधिकारी कैम्पबेल, जनरल हैवलाक विन्दम ने विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया था।

1857 के विद्रोह में तात्या टोपे विद्रोहियों के प्रमुख योद्धा थे।

लगभग छह माह के कठिन संघर्ष के उपरान्त ही अंग्रेजों ने लखनऊ, कानपुर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी।

मई 1857 ई. में अंग्रेजों ने बरेली पर पुनः अधिकार कर लिया था।

झाँसी में विद्रोह का नेतृत्व महारानी लक्ष्मीबाई ने किया था; इस विद्रोह के दमन में जनरल रोज को सक्रिय किया गया था।

रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता से संघर्ष करते हुए वीरगति प्राप्त की थी।

1 नवम्बर, 1858 ई. को ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया ने अपने घोषणा पत्र में ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथों से सत्ता अधिकृत कर ली तथा भारत में शान्ति की स्थापना की।

1857 का महान् विद्रोह अन्ततः असफल हो गया।

1857 के विद्रोह की असफलताओं से भावी राष्ट्रवाद के बीज अंकुरित हुए थे।

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में बनारस (अब वाराणसी) के भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अपनी पत्रिका 'कवि वचन सुधा' में स्वदेशी आन्दोलन का समर्थन किया।

सर सैयद अहमद खाँ ने भी प्रगतिशील आन्दोलन का पथ प्रशस्त किया।

1857 ई. में सर सैयद अहमद खाँ ने अलीगढ़ में 'मोहम्मडन एंग्लो ओरियण्टल विद्यालय' की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया।

अलीगढ़ आन्दोलन के नाम से चर्चित सर सैयद अहमद खाँ का आन्दोलन उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है।

सोमवार, 28 दिसम्बर, 1885 ई. को 'गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, बम्बई' में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन सम्पन्न हुआ था, जिसमें सम्पूर्ण भारत से 72 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व गंगाप्रसाद वर्मा, प्राणनाथ पण्डित, मुंशी ज्वाला प्रसाद, जानकीनाथ घोषाल, रामकली चौधरी, बाबू जमुनादास, बाबू शिव प्रसाद चौधरी, लाला बैजनाथ ने किया था।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन कोलकाता (तत्कालीन 'कलकत्ता' में सम्पन्न) में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों की संख्या 74 थी।

कोलकाता (तत्कालीन 'कलकत्ता') अधिवेशन (1886 ई.) में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े प्रश्नों पर विचार करने के लिए एक सत्रह सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश के पाँच सदस्यों को चुना गया था ये सदस्य थे : (1) लखनऊ के गंगाप्रसाद वर्मा, (2) प्राणनाथ, (3) मौलाना हामिद अली, (4) नवाब रजा अली खान, (5) मुंशी काशी प्रसाद।

मद्रास अधिवेशन (1887 ई.) में विधि समिति का निर्माण कर लखनऊ के गंगाप्रसाद वर्मा, बिशन नारायण दर, मौलाना हामिद अली को सम्मिलित किया गया था, इन्होंने जन संगठन को व्यापक बनाने पर बल दिया था।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') में सम्पन्न हुआ था।

1888 ई. में इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') के कांग्रेस अधिवेशन के समय प्रान्त के गवर्नर सर आकलैण्ड कॉल्विन थे, जिन्होंने अधिवेशन न होने देने का प्रयत्न किया था।

1888 ई. में अंग्रेजों के कांग्रेस विरोध ने सर सैयद अहमद खाँ को प्रेरित किया था कि वे भी कांग्रेस विरोध को स्वर दें और वे कांग्रेस विरोधी बन गये थे।

बनारस (अब 'वाराणसी') के राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द भी कांग्रेस के विरोधी तथा अंग्रेजों के पक्षधर थे।

उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1947 ई. तक निम्न अधिवेशन हुए थे :

	वर्ष	स्थान	अध्यक्ष
1.	1888 ई.	इलाहाबाद ('प्रयागराज')	जॉर्ज यूल
2.	1892 ई.	इलाहाबाद ('प्रयागराज')	डब्ल्यू. सी. बनर्जी
3.	1899 ई.	लखनऊ	रोमेश चन्द्र दत्त
4.	1905 ई.	बनारस ('वाराणसी')	गोपाल कृष्ण गोखले
5.	1910 ई.	इलाहाबाद ('प्रयागराज')	सर विलियम वेडरबर्न
6.	1916 ई.	लखनऊ	अम्बिका चरन मजूमदार
7.	1925 ई.	कानपुर	श्रीमती सरोजिनी नायडू
8.	1935 ई.	लखनऊ	पं. जवाहरलाल नेहरू
9.	1946 ई.	मेरठ	आचार्य जे.बी. कृपालानी

उत्तर प्रदेश (तत्कालीन नाम 'यूनाइटेड प्राविन्सेज') में कांग्रेस कमेटी का पहला सम्मेलन पं. मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था।

1909 ई. में प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन पुनः मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में आगरा में हुआ था।

1916 ई. में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन एक साथ लखनऊ में सम्पन्न हुआ था; मुस्लिम लीग का नेतृत्व मुहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस और लीग की एकता ने मूर्त रूप धारण किया था। इसे ही 'कांग्रेस-लीग समझौता' कहा गया है।

अक्टूबर, 1920 ई. में यू.पी. कांग्रेस का प्रान्तीय सम्मेलन मुरादाबाद में आयोजित हुआ था, इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉ. भगवानदास ने की थी। इस सम्मेलन को महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, स्वामी श्रद्धानन्द, हकीम अजमल खाँ, मौलाना शौकत अली, मौलाना मुहम्मद अली तथा मौलाना हसरत मोहानी जैसी राजनीतिक हस्तियों की उपस्थिति ने उल्लेखनीय बना दिया था। सम्मेलन में महात्मा गांधी के असहयोग आन्दोलन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था।

असहयोग आन्दोलन के दौरान बनारस (अब 'वाराणसी') में राष्ट्रीय शिक्षा के विकास हेतु काशी विद्यापीठ की स्थापना की गयी थी।

असहयोग आन्दोलन के दौरान अवध प्रान्त के किसानों ने गैर-कानूनी उगाही के विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया था।

अक्टूबर 1921 ई. में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का राजनीतिक सम्मेलन मौलाना हसरत मोहानी की अध्यक्षता में आगरा में सम्पन्न हुआ था जिसमें ब्रिटेन के युवराज (प्रिन्स ऑफ वेल्स) की भारत यात्रा का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया था।

5 फरवरी, 1922 ई. को चौरी-चौरा कस्बे में (यू.पी. के गोरखपुर जिले में) सत्याग्रहियों के जत्थे ने थाने के सिपाहियों (कुल संख्या 22) को जीवित जला दिया। इस घटना ने महात्मा गांधी को अत्यन्त आहत कर दिया। उन्होंने इस घटना को अपने सिद्धान्तों तथा कार्यक्रमों के विपरीत बतलाया तथा प्रत्येक प्रकार के आन्दोलन को समाप्त कर देने की घोषणा कर दी थी।

सितम्बर 1924 ई. में कानपुर के एक पत्रकार सत्य भक्त ने 'भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी' की स्थापना की थी।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन दिसम्बर, 1925 में पेरियार की अध्यक्षता में कानपुर में हुआ था।

1926 ई. के चुनावों में संयुक्त प्रान्त में 'नेशनलिस्ट पार्टी' को अधिकाधिक सीटें प्राप्त हुई थीं।

अगस्त, 1928 ई. में सर्वदलीय सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया था। यह सम्मेलन राजा महमूदाबाद के भव्य महल के बाग में आयोजित किया गया था।

नवम्बर, 1928 ई. के अन्तिम दिनों में साइमन आयोग का लखनऊ में बहिष्कार किया गया था। विरोध का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था।

कानपुर के 'प्रताप' तथा 'प्रभु' नामक अखबार बोल्शेविज्म के प्रचार-प्रसार में संलग्न थे।

संयुक्त प्रान्त में लखनऊ के समीपवर्ती क्षेत्रों में 1924-1930 के मध्य किसानों के मध्य जन-आन्दोलन चल रहा था; इस जन-आन्दोलन का नेतृत्व मदारी पासी नामक किसान कर रहे थे। यह आन्दोलन लखनऊ, मलिहाबाद, हरदोई, उन्नाव, फतेहपुर तथा फर्रुखाबाद तक फैला हुआ था। इस आन्दोलन का उद्देश्य किसानों के मध्य साम्प्रदायिक एकता बनाए रखना तथा एकजुट होकर जमींदारों के शोषण का विरोध करना था। इस आन्दोलन से जुड़े मुखिया कृषकों को अपनी बैठकों में निमन्त्रित करने के लिए 'सुपारी' का उपयोग करते थे। इन बैठकों को मदारी पासी सम्बोधित करते थे। वह सभी किसानों को गीता तथा कुरान पर हाथ रखकर आपसी एकता बनाए रखने तथा बन्दी कृषक परिवारों को सहायता प्रदान करने की शपथ दिलवाते थे।

असहयोग आन्दोलन की वापसी के पश्चात् निराश मध्यवर्गीय युवाओं ने क्रान्तिकारी सैन्यवाद की गतिविधियों को प्रारम्भ किया। संयुक्त प्रान्त में इन्हीं क्रान्तिकारी गतिविधियों का परिणाम '9 अगस्त, 1925 ई.' को लखनऊ के निकट काकोरी ट्रेन डकैती की घटना थी।

काकोरी ट्रेन डकैती घटना के अभियुक्तों में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकउल्ला खाँ, रोशनसिंह को फाँसी की सजा हुई थी। रामकृष्ण खत्री, मन्मथनाथ गुप्त आदि को दीर्घकालीन कारावास का दण्ड मिला था।

काकोरी ट्रेन डकैती केस के अभियुक्तों की पैरवी 'चन्द्रभानु गुप्त' नामक युवा वकील ने अपनी निःशुल्क सेवाओं द्वारा की थी। यही चन्द्रभानु गुप्त उत्तर प्रदेश के (स्वतन्त्रता के पश्चात्) मुख्यमन्त्री बने थे।

'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' के सेनापति चन्द्रशेखर आजाद चुने गये थे।

'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' का मुख्यालय आगरा बनाया गया था।

क्रान्तिकारी शिव वर्मा, डॉ. गया प्रसाद कटियार तथा जयदेव कपूर को सहारनपुर में क्रान्तिकारियों द्वारा संचालित बम फैक्टरी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था।

27 फरवरी, 1931 ई. को इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') के अल्फ्रेड पार्क में चन्द्रशेखर आजाद एक पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गये थे।

1931 ई. में जवाहरलाल नेहरू ने इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') में करबन्दी का आन्दोलन प्रारम्भ किया था। इस आन्दोलन में जयप्रकाश नारायण, लालबहादुर शास्त्री, नेहरू जी के अनन्य सहयोगी के रूप में जुड़े थे।

संयुक्त प्रान्त में सम्पूर्णानन्द, परिपूर्णानन्द, कमलापति त्रिपाठी, तारापद भट्टाचार्य ने समाजवादी दल की स्थापना की थी।

अप्रैल, 1934 ई. में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य सम्पूर्णानन्द ने बनारस (अब 'वाराणसी') में एक पर्चा प्रकाशित किया। इस पर्चे का नाम "भारत के लिए एक प्रायोगिक समाजवादी कार्यक्रम" था। इसमें जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, उद्योगों व बैंकों व भूमि के राष्ट्रीयकरण पर बल दिया गया था।

प्रो. एन.जी. रंगा, इन्दुलाल याज्ञनिक, स्वामी सहजानन्द के प्रयासों से लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन 1936 ई. में किया गया था। इस सम्मेलन में सामन्तवाद के उन्मूलन तथा लगान व कर्जों में छूट की माँग रखी गयी थी।

1937 ई. के निर्वाचनों में संयुक्त प्रान्त की विधानसभा में निर्वाचित होकर आनेवाले कुल 64 मुस्लिम स्थानों में मुस्लिम लीग को 29, स्वतन्त्रों को 24, कांग्रेस को 1, नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ आगरा को 7 तथा नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ अवध को 3 स्थान प्राप्त हुए थे। 164 सामान्य सदस्यों में कांग्रेस के 134, नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ आगरा के 6, नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी ऑफ अवध के 9, लिबरल 1 तथा स्वतन्त्र 14 सदस्य निर्वाचित हुए थे।

1 अप्रैल, 1937 ई. को संयुक्त प्रान्त के राज्यपाल सर हैरी हेग ने नवाब छतारी के नेतृत्व में एक अल्पमत सरकार गठित की थी।

संयुक्त प्रान्त में मोहनलाल सक्सेना कांग्रेस का मुस्लिम लीग से गठबन्धन चाहते थे। परन्तु जवाहरलाल नेहरू इस गठबन्धन के पूर्णतः विरुद्ध थे।

संयुक्त प्रान्त में मुस्लिम लीग के सुप्रसिद्ध व प्रभावशाली नेता चौधरी खलिक जुमा ने 12 मई, 1937 ई. का इलाहाबाद ('प्रयागराज') में जवाहरलाल नेहरू से भेंट की, परन्तु मुस्लिम लीग व कांग्रेस के मध्य मतभेद समाप्त न हुए तथा दोनों के बीच दूरी और बढ़ गयी।

मुस्लिम लीग व कांग्रेस के मध्य मतभेदों को समाप्त करने के उद्देश्य से गोविन्द बल्लभ पन्त ने चौधरी खलिक जुमा से भेंट की; लखनऊ में हुई इस भेंट का भी कोई परिणाम नहीं निकला था।

मुस्लिम लीग व कांग्रेस के मध्य मतभेदों को दूर करने के लिए 12 जुलाई, 1937 ई. को मौलाना आजाद तथा चौधरी खलिकुज्जमा से लखनऊ में भेंट की परन्तु परिणाम व्यर्थ रहा।

संयुक्त प्रान्त में 1937 ई. में कांग्रेस ने सरकार गठित की। इस सरकार में प्रधानमन्त्री गोविन्द बल्ल्भ पन्त के साथ रफी अहमद किदवई, डॉ. कैलाशनाथ काटजू, श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित, प्यारे लाल शर्मा, मोहम्मद इब्राहीम सम्मिलित थे। लक्ष्मीनारायण, संसदीय सचिव बनाये गये थे।

संयुक्त प्रान्त की कांग्रेस सरकार ने अक्टूबर, 1939 ई. में एक विस्तृत अधिनियम के द्वारा काश्तकारों की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया था। कुटीर उद्योगों पर बल दिया था।

अक्टूबर, 1939 ई. में गान्धी जी द्वारा आन्दोलन का प्रस्ताव पारित करते ही संयुक्त प्रान्त की कांग्रेस सरकार ने देश की अन्य कांग्रेसी सरकारों के साथ त्याग-पत्र दे दिया।

1942 ई. के भारत छोड़ो आन्दोलन के दौर में संयुक्त प्रान्त में बलिया में (10 अगस्त, 1942 ई.) को प्रबल जन-आन्दोलन हो गया जिसमें अनेक रेलवे स्टेशन, डाकखाने, थाने जला दिये गये। इस आन्दोलन में बलिया के स्थानीय कांग्रेसी नेता चित्तू पाण्डे के नेतृत्व में बलिया में एक अस्थायी सरकार की स्थापना कर दी गयी थी।

22 अगस्त, 1942 ई. से बलिया में अंग्रेज सरकार का दमन प्रारम्भ हुआ; आम जनता से भारी जुर्माना वसूला गया; हजारों निर्दोष लोगों को बन्दी बनाया गया तथा प्रताड़ित किया गया; अन्ततः

बलिया को सेना ने पुनः विजित किया और ब्रिटिश सरकार ने लन्दन को यह टेलीग्राम दिया कि ''बलिया को पुनर्विजित कर लिया गया है।''

15 अगस्त, 1947 को भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त होते ही संयुक्त प्रान्त में स्वतन्त्र भारत की प्रथम कांग्रेसी सरकार का इस महत्वपूर्ण प्रान्त में पं. गोविन्दवल्लभ पन्त के नेतृत्व में गठन हो गया था।

1857 की क्रान्ति की प्रमुख घटनाएँ

तिथि	घटना
29 मार्च, 1857 ई.	बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बीयुक्त कारतूसों के प्रयोग करने से इन्कार कर दिया; संयुक्त प्रान्त के मंगल पाण्डे नामक सैनिक ने क्षुब्ध होकर अपने एडजुडेण्ट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी।
10 मई, 1857 ई.	मेरठ में सैनिकों का विद्रोह।
10-30 मई, 1857 ई.	दिल्ली, अलीगढ़, इटावा, बुलन्दशहर, नसीराबाद, बरेली, मुरादाबाद, खीरी, सीतापुर, शाहजहाँपुर एवं अन्य के क्षेत्रों में विद्रोह प्रारम्भ।
12 मई, 1857 ई.	मेरठ के विद्रोही सैनिकों द्वारा दिल्ली में बहादुरशाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया गया।
1 जून, 1857 ई.	ग्वालियर, भरतपुर, झाँसी, इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज'), फैजाबाद (अब अयोध्या), सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर (बिठूर) में विद्रोह प्रस्फुटित।
5 जून, 1857 ई.	नाना साहब को कानपुर (बिठूर) का पेशवा घोषित किया गया।
जुलाई, 1857 ई.	संयुक्त प्रान्त में प्रत्येक जगह विद्रोह प्रारम्भ।
अगस्त, 1857 ई.	संयुक्त प्रान्त में स्थानीय जनता (किसानों) ने विद्रोह में भाग लेना प्रारम्भ किया।
सितम्बर, 1857 ई.	दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार; संयुक्त प्रान्त में अंग्रेजों द्वारा दमन-चक्र प्रारम्भ।
अक्टूबर, 1857 ई.	संयुक्त प्रान्त में प्रत्येक स्थान पर अंग्रेजों से संघर्ष।
नवम्बर, 1857 ई.	विद्रोहियों ने अंग्रेज जनरल विण्डहम को कानपुर के निकट पराजित किया।
6 दिसम्बर, 1857 ई.	कानपुर का युद्ध सर कॉलिन कैम्बल ने विजय किया; तात्या टोपे पराजित होकर झाँसी पहुँचे; महारानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध भयंकर संघर्ष प्रारम्भ किया; अंग्रेज सेना में दूसरे प्रान्तों से सहायता टुकड़ियाँ पहुँचीं।
मार्च, 1858 ई.	लखनऊ पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार स्थापितः बेगम हजरत महल अपने बेटे नवाब बिरजिस कद्र के साथ नेपाल की ओर पलायन कर गयीं।
3 अप्रैल, 1858 ई.	सर ह्यूरोज ने झाँसी पर आक्रमण कर पुनः अधिकार स्थापित कर लिया।
16 अप्रैल, 1858 ई.	संयुक्त प्रान्त में प्रत्येक स्थान पर अंग्रेज प्रभावी।
मई, 1858 ई.	अंग्रेजों ने बरेली, काल्पी को पुनः विजित किया; भारतीय विद्रोहियों ने रुहेलखण्ड में छापामार आक्रमण प्रारम्भ किया।
जून, 1858 ई.	संयुक्त प्रान्त में विद्रोह लगभग समाप्त।
जुलाई-दिसम्बर 1858 ई.	सभी स्थानों पर अंग्रेजी सत्ता पुनः स्थापित।

अवध के नवाब-राजा (कालक्रम)

पहला नवाब	सआदत खाँ (बुरहानुल्मुल्क) (अवध में नवाबी का संस्थापक	1732 से 1739 ई.
द्वितीय नवाब	सफदरजंग	1739 से 1753 ई.
तृतीय नवाब	शुजाउद्दौला	1753 से 1775 ई.
चतुर्थ नवाब	आसफउद्दौला	1775 से 1797 ई.
पाँचवाँ नवाब	वजीर अली (मात्र चार माह सिंहासन पर रहा, तत्पश्चात् हटा दिया गया)	1797 से 1798 ई.
छठवाँ नवाब	सआदत अली खाँ	1798 से 1814 ई.
सातवाँ नवाब	गाजीउद्दीन हैदर (1819 ई. में ब्रिटिश सरकार ने उसे राजा की उपाधि से सम्मानित किया और वह अपने खानदान का पहला राजा कहलाया)	1814 से 1819 ई.
पहला राजा	गाजीउद्दीन हैदर	1819 से 1827 ई.
द्वितीय राजा	नासिर-उद्दीन हैदर	1827 से 1837 ई.
तृतीय राजा	मुहम्मद अली शाह	1837 से 1842 ई.
चतुर्थ राजा	अमजद अली शाह	1842 से 1847 ई.
पाँचवाँ (अन्तिम राजा)	वाजिद अली शाह (फरवरी, 1856 ई. में राजा को च्युत कर अंग्रेजों ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया)	1847 से 1856 ई.

संवैधानिक प्रणाली

भारतीय संविधान के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में एक राज्यपाल तथा दो सदनों का विधान मण्डल है। एक सदन विधानसभा तथा दूसरा विधान परिषद् कहलाता है। राज्य में एक उच्च न्यायालय भी है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है और उसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार या तो स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। राज्यपाल, जो भारत का नागरिक हो तथा 35 वर्ष से कम आयु का न हो, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल, राष्ट्रपति की संतुष्टि तक अपना पद धारण करता है। उसकी कार्यावधि पद ग्रहण की तिथि से पाँच वर्ष की होती है, किन्तु वह इस अवधि के समाप्त होने पर भी अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पदासीन रह सकता है। राज्यपाल न तो संसद के किसी सदन का और न ही राज्य विधान मण्डल के किसी सदन का सदस्य होता है। वह अन्य लाभ के पद धारण नहीं कर सकता है और बिना किराया दिये सरकारी आवास का प्रयोग कर सकता है। साथ ही वह संविधान की द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित वेतन, भत्तों व विशेषाधिकारों का उपयोग कर सकता है। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष संविधान और विधि के परीक्षण और संरक्षण के लिए तथा जन-कल्याण के लिए अपनी सेवायें अर्पित करने की शपथ लेता है। राज्यपाल को, राज्य कार्यपालिका शक्ति के अन्तर्गत, किसी अपराध में अथवा किसी विधि के विरुद्ध सिद्ध-दोष व्यक्ति के दण्ड को क्षमा, प्रतिलम्बन, विराम या परिहार करने का अथवा दण्डादेश के निलम्बन या लघुकरण (कम करने) का अधिकार है।

राज्यपाल को उसके कार्य संचालन में सहायता अथवा मंत्रणा देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक मंत्रि-परिषद् होती है। यह परिषद्, ऐसे मामलों को छोड़कर जिनमें विधान के अन्तर्गत राज्यपाल को स्वविवेक से निर्णय लेना हो, शेष सभी कार्यों में उसकी सहायता करती है। यदि कभी यह प्रश्न उठता है कि कोई मामला ऐसा है अथवा नहीं जिसमें राज्यपाल को संविधान के अन्तर्गत स्वविवेक से निर्णय लेना चाहिए, तो इस विषय पर राज्यपाल द्वारा स्वविवेक से निर्णय लिया गया निर्णय ही अन्तिम माना जाता है। इस सम्बन्ध में उसके कार्य के औचित्य पर आपत्ति नहीं उठायी जा सकती।

राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा तथा अन्य मंत्रिगण मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। सभी मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त अपना पद धारण करते हैं। मंत्रि-परिषद् राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। राज्यपाल किसी मंत्री को पद ग्रहण करने से पहले संविधान की तीसरी अनुसूची में दिये हुए परिपत्रों के अनुसार पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। यदि कोई मंत्री निरन्तर छह माह की अवधि तक राज्य के विधानमण्डल का सदस्य न रहे तो उस अवधि की समाप्ति पर वह मंत्री पद पर नहीं रह सकता। मंत्रियों को समय-समय पर राज्य के विधान मण्डल द्वारा विधि के अन्तर्गत निर्धारित वेतन तथा भत्ते देय होते हैं। वे अन्य लाभों के भी अधिकारी होते हैं। उन्हें निःशुल्क सुसज्जित आवास, यात्रा तथा चिकित्सा सुविधाएँ प्राप्त हैं। राज्य की कार्यपालिका से सम्बन्धित सारी कार्यवाही राज्यपाल के नाम से की जाती है। मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन सम्बन्धी मंत्रि-परिषद् के समस्त निर्णयों तथा विधान के लिए प्रस्तावित सभी मामलों की सूचना राज्यपाल को देता है। साथ ही मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन सम्बन्धी तथा विधान के लिये प्रस्तावित उन मामलों की जानकारी भी राज्यपाल को देता है जिनकी सूचना राज्यपाल स्वयं मांगते हैं। यदि किसी मामले में किसी एक मंत्री ने एकपक्षीय निर्णय लिया है तो राज्यपाल मंत्रि-परिषद् से उस पर पुनर्निर्णय लेने के लिये कह सकता है। इस कार्य के लिये वह सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकता है। वह विधान मण्डल के किसी भी सदन में लम्बित किसी विधेयक के विषय में सम्बन्धित सदन को संदेश भेज सकता है। जिस सदन को ऐसा संदेश भेजा जाय, उसे उस पर यथा सुविधानुसार विचार करना होगा।

प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के पश्चात् तथा प्रत्येक वर्ष विधानमण्डल के प्रथम सत्र के आरम्भ होने के पूर्व राज्यपाल दोनों सदनों को एक साथ संबोधित कर उन्हें अवगत कराता है कि विधान मण्डल की बैठक किन कार्यों के निष्पादन के लिए बुलाई गयी है। राज्यपाल विधान मण्डल द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी स्वीकृति देता है या उन्हें राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखता है। जब तक ऐसी स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक कोई विधेयक अधिनियम नहीं बन सकता। यह विधान परिषद् के लिये 12 सदस्यों तथा विधानसभा के लिए एक एंग्लो-इण्डियन को मनोनीत करता है। राज्यपाल प्रतिवर्ष दोनों सदनों के समक्ष सम्बन्धित वर्ष का वित्तीय विवरण, लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन और भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक का राज्य से सम्बन्धित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। विधान मण्डल सत्र में न होने के समय यदि वह संतुष्ट है की स्थिति होती है कि तुरन्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है तो उसे अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार जारी किया हुआ अध्यादेश विधान मण्डल की बैठक होते ही उसके समक्ष रखा जाता है। विधान मण्डल चाहे तो उसे स्वीकार अथवा अस्वीकार भी कर सकता है।

विधानसभा

उत्तर प्रदेश विधानसभा में मनोनीत एंग्लो-इण्डियन सदस्यों को मिलाकर 404 सदस्य हैं। सन् 1967 तक एंग्लो-इण्डियन सदस्य को मिलाकर विधानसभा के 431 सदस्य होते थे। परिसीमन आयोग की सिफारिश के अनुसार, जो प्रत्येक जनगणना के पश्चात् गठित किया जाता है, पूरे राज्य को 425 निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। उत्तराखंड के गठन के बाद यह संख्या 404 रह गयी है। विधान सभा का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से पाँच साल का होता है, बशर्ते कि वह उससे पहले विघटित न कर दी जाय। निर्वाचन 'एक वयस्क एक वोट' के आधार पर किया जाता है।

सदन अधिनियम

विधानसभा को अपने कार्य संचालन के विनियमन तथा प्रक्रिया के लिए नियम बनाने का अधिकार है। विधानसभा के समक्ष आये सारे प्रश्न बहुमत द्वारा निर्णीत होते हैं और सभा की बैठक गणपूर्ति के लिये उसके सदस्यों की सम्पूर्ण संख्या का दशांश आवश्यक होता है। विधान सभा का कार्य संचालन अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष संचालित करता है। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर चुने जाते हैं। विधानसभा का मुख्य कार्य, अधिनियम बनाना, सरकार को व्यय के लिए धन स्वीकृत करना, प्रश्नों, प्रस्तावों व संकल्पों द्वारा अविलम्ब महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा करके सरकार की कार्य-विधियों पर नियंत्रण रखना है। उसका कार्य हिन्दी भाषा में व देवनागरी लिपि में किया जाता है।

विधि सम्बन्धी सरकारी या गैर सरकारी प्रस्ताव विधेयक के रूप में सदन के समक्ष सदन की पूर्व अनुज्ञा से रखे जाते हैं। उसके पश्चात् या तो सीधे सदन में ही विचारार्थ ले लिये जाते हैं अथवा प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिये जाते हैं। सदन द्वारा विभिन्न उपबन्धों पर विचारोपरान्त यह विधेयक को अस्वीकार कर सकती है या उसे संशोधनों सहित पारित कर सकती है। इनमें से किसी भी स्थिति में विधानसभा विधेयक को पुनः विचारार्थ विधान परिषद् भेज सकती है। यदि इस प्रकार विधानसभा द्वारा दोबारा पारित विधेयक परिषद् के भेजने के बाद, विधानसभा सहमत न हो या ऐसा विधेयक एक मास की अवधि तक परिषद् अपने यहाँ लम्बित रखती है, तो यह समझा जायेगा कि वह विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया है और उसे राज्यपाल को उनके अनुमोदन के लिए भेज दिया जायेगा। धन विधेयक, जो किसी कर का आरोपण, उगाही, परिहार, परिवर्तन या विनियमन करता हो, विधान परिषद् द्वारा उसे प्राप्त होने के बाद 14 दिन से अधिक लम्बित कर दे, तो यह समझा जायेगा कि ऐसा विधेयक दोनों सदनों से पारित हो गया है और वह राज्यपाल को अनुमोदन के लिये भेज दिया जायेगा।

अन्य प्राक्कलन सदन में मतदान के लिये प्रस्तुत किये जाते हैं। नियमानुसार सदन अन्य प्राक्कलनों पर

मतदान के लिये पाँच दिन की सामान्य बहस के अतिरिक्त 24 दिन का समय ले सकता है। प्राक्कलित व्ययों के अनुमोदन के समक्ष राज्यपाल की सिफारिश पर प्रस्ताव के रूप में सम्बन्धित विभागों के मंत्रियों द्वारा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं। वे विभागवार मांग प्रस्ताव के रूप में होते हैं। विपक्ष कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। संविधान में इस बात की भी पर्याप्त व्यवस्था कर दी गयी है कि यदि स्वीकृत धनराशि कम पड़ती है या व्यय की धनराशि से बढ़ जाती है, तो आवश्यकता पड़ने पर अनुपूरक, अतिरिक्त या अपर अनुदान भी सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

समितियाँ

सदन के पास सभी मुद्दों पर पूरा विचार करने का समय या सुविधा नहीं रहती। इसलिये सम्यक विचार के लिये कुछ समितियां गठित की गई हैं, जैसे कि विधेयकों सम्बन्धी प्रवर समिति या शासन द्वारा अधिनियमों में दी गई शक्ति या संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति के अन्तर्गत बनाये गये नियमों, नियमावलियों तथा उपविधियों पर विचार करने वाली प्रत्यायोजित विधि निर्माण समिति। इसके अतिरिक्त सदन की तीन महत्वपूर्ण वित्तीय समितियाँ भी हैं, जो प्राक्कलन समिति, लोकलेखा समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति कहलाती हैं। प्राक्कलन समिति का कार्य सदन को प्रस्तुत प्राक्कलनों की परीक्षा करना है। लोक लेखा समिति का कार्य भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक के इस राज्य से सम्बन्धित प्रतिवेदनों पर विचार करना है और यह देखना है कि जो धन व्यय किया गया है, जिसके लिये सदन ने अपना मत व्यक्त किया था। उत्तर प्रदेश ने अन्य प्रदेशों के मुकाबले सर्वप्रथम यह सिद्धांत स्वीकार किया कि लोक लेखा समिति का सभापति विरोधी पक्ष से निर्वाचित किया जाय। उत्तर प्रदेश में यह परम्परा सन् 1948 से चली आ रही है, जबकि लोकसभा ने इसको सन् 1967 के बाद अंगीकृत किया है। सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति की स्थापना अभी हाल में राज्य के अनेक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना के उपरान्त की गयी है। चूँकि इन संस्थाओं की स्वायत्तता के साथ-साथ इन्हें विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी बनाये रखना आवश्यक है, अतः सार्वजनिक उपक्रम समिति इन उपक्रमों की कार्यप्रणाली की जाँच करती तथा उन्हें निर्देश देती है ताकि वे कुशलता, मितव्ययिता और अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप के बिना कार्य कर सकें।

विशेष समितियाँ

उपर्युक्त विधि सम्बन्धी तथा वित्तीय समितियों के अलावा सदन के कार्य संचालन में सहायता के लिये अन्य समितियाँ भी हैं। आश्वासन समिति सदन में समय-समय पर दिये गये आश्वासनों की जाँच करती है। विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाये जाने पर विशेषाधिकार समिति उनको देखती है। याचिका समिति उन याचिकाओं पर विचार करती है, जो समय-समय पर जनता द्वारा सदन के सम्मुख प्रस्तुत की जाती हैं। सदन की एक समिति हाउस कमेटी भी होती है, जो सदस्यों की आवास, भोजन व्यवस्था की सुविधाओं पर विचार करती है। इसके अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण समिति कार्य की परामर्शदात्री समिति भी गठित की गयी है, जो सदन के समक्ष आने वाले कार्य के लिये समय का आवंटन व नियमन करती है। उत्तर प्रदेश को कुछ वर्ष एक संसदीय अध्ययन समिति के गठन का श्रेय भी है। यह संसदीय मामलों का अध्ययन कर उन पर अपने सुझाव देती है। इसने सदस्यों के विशेषाधिकार, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार, सदन की वित्तीय तथा अन्य समितियों में विधान परिषद् के सदस्यों के सम्मिलित होने तथा समिति की अपनी कार्यप्रणाली आदि विषयों से सम्बद्ध महत्वपूर्ण कार्य किया है। अनुसूचित जाति/जनजाति व विमुक्त जाति से सम्बद्ध कल्याणकारी कार्यों की देख-भाल के लिये नयी समिति का गठन भी किया गया है। वास्तव में सदन का कार्य मुख्यतया इन समितियों द्वारा ही होता है। उक्त समितियों के अतिरिक्त प्रदेश में मंत्रियों को परामर्श देने के लिये 27 स्थायी समितियाँ भी हैं।

विधान परिषद्

प्रदेश में सन् 1937 से दो सदनों का विधान मण्डल है। उच्च सदन विधान परिषद् कहलाता है और यह स्थायी सदन है। इसके सदस्य 6 साल के लिये निर्वाचित या मनोनीत किये जाते हैं और उनमें से एक तिहाई प्रति दूसरे साल निवृत्त हो जाते हैं। विधान परिषद् के सदस्यों की संख्या 108 है जिसमें से 12 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किये जाते हैं, 39 स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं, 39 विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं तथा स्नातकों और अध्यापकों द्वारा 9-9 सदस्य निर्वाचित होते हैं। उत्तराखंड राज्य का गठन हो जाने के बाद विधान परिषद् सदस्यों की संख्या 100 हो गयी है। विधान परिषद् को न तो अनुमोदन पर मतदान करने का अधिकार है और न ही कोई धन विधेयक उसमें पेश किया जा सकता है। अन्य कोई विधेयक उस समय तक अधिनियम नहीं बन सकता, जब तक दोनों सदनों से पारित न हो जाय। विधान परिषद् के पीठासीन अधिकारी सभापति एवं उपसभापति कहलाते हैं और उनका निर्वाचन विधानसभा के पीठासीन अधिकारियों की ही भांति होता है, जो उन्हीं की भांति अपने पदों पर बने रहते हैं। विधान मण्डल के सदनों के पृथक्-पृथक् अपने सचिवालय और सचिव हैं, जिनकी कार्यप्रणाली राज्य सरकार के सचिवालय और सचिवों से पूर्णतया स्वतंत्र है। दोनों सचिवालयों को विभिन्न अनुभागों में विभाजित किया गया है, जो संसदीय, लेखा कार्यवाही और समितियों का कार्य देखते हैं। विधान मण्डल के सदस्यों के प्रयोग के लिए एक विधान मण्डल पुस्तकालय भी है। यह देश के विधानमण्डल पुस्तकालयों में सबसे बड़ा पुस्तकालय है। दोनों सदनों के सदन की समितियों के सदस्यों का वही विशेषाधिकार, शक्तियाँ और उन्मुक्तियाँ प्राप्त हैं, जो इंग्लैण्ड के हाउस ऑफ कामन्स के सदस्यों को मिली है। इसके अतिरिक्त सदन में भाषण देने से सम्बन्धित किसी बात पर उनके विरुद्ध न्यायालय में कोई अभियोग नहीं चलाया जा सकता है।

नेता विरोधी दल

उत्तर प्रदेश ने एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम के अन्तर्गत विरोधी दल के नेता के लिए कार्यालय की स्थापना कर प्रजातंत्र प्रणाली में एक विशिष्ट योगदान किया है। विरोधी दल के नेता को इस नयी व्यवस्था के अन्तर्गत मंत्री के समकक्ष प्रतिष्ठा दी गई है। नेता, विरोधी दल के लिये मंत्री के बराबर वेतन और सुसज्जित, निःशुल्क आवास का प्रावधान है। उसे वाहन भत्ता, कार्यालय के लिए कर्मचारी और अन्य सुविधाएं, जो उसके पद के अनुरूप हों, दी जाती हैं। अधिनियम के अनुसार सदन में मान्यता प्राप्त विरोधी दलों में सबसे अधिक संख्या वाले दल के नेता को विरोधी दल के नेता के रूप में स्वीकार किया जाता है, किन्तु ऐसे दल के सदस्यों की संख्या कम-से-कम गणपूर्ति की संख्या के बराबर होनी चाहिए।

कार्यपालिका

मंत्रि-परिषद् संयुक्त रूप से राज्य विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। उसके परामर्श और सहायक के लिए लखनऊ में एक सुव्यवस्थित सचिवालय है। मुख्य सचिव इसका प्रधान होता है और अन्य प्रमुख सचिव एवं सचिव अपने-अपने विभागों के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। सचिव अपने विभाग को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए जिम्मेदार हैं और शासकीय नियमों तथा संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तरदायी हैं। उनके इस कार्य में विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अनुसचिव तथा अन्य अधिकारी सहायता करते हैं। विभागों के कार्य निस्तारण की मुख्य जिम्मेदारी मंत्री की है, जो समय-समय पर कार्य निस्तारण के लिये उचित स्थायी आदेश तथा निर्देश देता रहता है। इन्हीं स्थायी आदेशों के अधीन यह भी निश्चित होता है कि कौन से कार्य सचिव द्वारा या उससे नीचे के अधिकारियों द्वारा निपटाये जा सकते हैं और कौन से ऐसे मामले हैं, जो मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किये जाने चाहिए।

सचिवालय

सचिवालय के अधिकतर विभागों में उनके नियंत्रणाधीन विभागाध्यक्ष अथवा मुख्य कार्यालयाध्यक्ष होते

हैं, जो शासन की कार्यपालिका शक्ति के रूप में कार्य करते हैं। सारे आदेश राज्यपाल के नाम से प्रसारित किये जाते हैं, किन्तु वे सचिव अथवा उसके अधीन अनुसचिव पद तक के किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाते हैं। शासन का कार्य हिन्दी भाषा एवं देवनागरी लिपि में किया जाता है। प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव तथा अनु सचिव साधारणतया केन्द्रीय या प्रदेशीय प्रशासनिक सेवाओं से नियुक्त किये जाते हैं। कुछ उप सचिव और अनुसचिव सचिवालय की स्थायी सेवाओं से भी नियुक्त किये जाते हैं। न्याय एवं विधायिका विभाग में अधिकारियों की नियुक्ति न्यायिक सेवाओं से की जाती है।

जिला एवं मण्डल प्रशासन

जिला एवं मण्डल प्रशासन का कार्य मोटे तौर पर निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। 1. कर्मचारी वर्ग से सम्बद्ध प्रशासन, 2. वित्तीय प्रशासन, 3. न्यायिक और विधि से सम्बद्ध मामले, 4. शान्ति व्यवस्था से सम्बद्ध मामले, 5. कर की वसूली और रोपण, 6. आर्थिक विकास और प्रदेश की सम्पदा के स्रोतों का संरक्षण, 7. सामाजिक सेवायें, 8. जनता के उपयोग में आने वाली सेवायें, 9. मण्डलायुक्त।

सचिवालय तथा विभागाध्यक्षों के बाद महत्वपूर्ण स्थान मण्डलायुक्त का होता है, जो अपने मण्डल में शान्ति-व्यवस्था, राजस्व तथा अन्य मामलों के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होता है। मण्डलायुक्त को जिलाधिकारियों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, नियोजन तथा विकास के कार्यों की देखभाल करनी होती है। इस समय प्रदेश में 18 मण्डलायुक्त हैं।

प्रत्येक कमिश्नरी या मण्डल में कुछ जिले होते हैं, जिनका प्रशासनिक अध्यक्ष जिलाधिकारी होता है। वह जिला मजिस्ट्रेट या उप मण्डलायुक्त तथा कलैक्टर भी कहलाता है। जिलाधिकारी पूरे जिले के प्रशासन की धुरी है। वह अपने जिले में शान्ति-व्यवस्था के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होता है और उसको विस्तृत प्रशासनिक, पुलिस और राजस्व सम्बन्धी अभिलेखों को सुरक्षित रखने के अतिरिक्त भूमि सुधार, नियोजन और विकास से सम्बद्ध कार्यों की देख-भाल करनी होती है। प्रशासन की सुविधा, राजस्व की वसूली तथा विकास कार्यों की प्रगति को ध्यान में रखकर जिले का विभाजन तहसीलों, विकास खण्डों और गांवों में किया गया है।

न्यायपालिका

दीवानी और फौजदारी के मामलों से सम्बद्ध राज्य में एक उच्च न्यायालय है। राजस्व के मामलों के लिये सबसे बड़ा न्यायालय राजस्व परिषद् है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, जिसका तात्पर्य यह है कि इसके कार्य तथा कार्यवाहियाँ शाश्वत साक्ष्य हैं। इसके अभिलेखों को इतना उच्च स्थान प्राप्त है कि उनकी सत्यता को नीचे की किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। अभिलेख न्यायालय के रूप में इसे अपनी अवमानना के दोषी व्यक्तियों को दण्ड देने का भी अधिकार प्राप्त है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अन्य न्यायाधीशों को वह मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियुक्त करता है। न्यायाधीश पद के लिए ऐसे ही व्यक्ति योग्य माने जाते हैं जो भारत के नागरिक हों और जिन्होंने भारत के किसी उच्च न्यायालय के सामने अधिवक्ता के रूप में या किसी न्यायिक सेवा के पद पर कम से कम 10 वर्ष तक कार्य किया हो। उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या अधिकारी को संविधान में उल्लिखित मूल अधिकारों की रक्षा करने के ध्येय से आदेश देने में सक्षम है।

अधीनस्थ न्यायिक सेवा

अधीनस्थ न्यायिक सेवा को दो भागों में विभाजित किया गया है— उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा, और उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा। उसमें पहले के अन्तर्गत मुन्सिफ और लघुवाद न्यायाधीश को मिलाकर सिविल जज, दूसरे के अन्तर्गत सिविल एण्ड सेशन्स जज (अब अतिरिक्त जिला सेशन जज) आते हैं। जिले के स्तर पर जिला न्यायाधीश अधीनस्थ न्यायिक सेवा का नियंत्रण होता है। प्रदेश 71 न्यायिक जिलों में बंटा है,

जिसमें प्रत्येक का नियंत्रण एक जिला न्यायाधीश के अधीन है। मुंसिफ को जुडीशियल मजिस्ट्रेट के अधिकार दिये गये हैं और सिविल जज पदेन असिस्टेन्ट सेशन जज भी होता है।

दीवानी के मामले में सबसे नीचे का न्यायालय, मुंसिफ का न्यायालय होता है। उसके बाद सिविल जज और जिले में सबसे ऊपर का न्यायालय जिला जज का होता है। राजस्व के मामलों में सहायक कलेक्टर और कमिश्नर होते हैं। राजस्व मामलों में राजस्व परिषद् ही सर्वोच्च न्यायालय है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज एक्ट के अन्तर्गत न्याय पंचायतों का भी गठन किया गया है। इनका कार्य क्षेत्र सिविल है और ये कुछ निर्दिष्ट मामलों में 500 रुपये तक के मूल्य के वादों की सुनवाई कर सकती हैं। इनको फौजदारी के निर्दिष्ट छोटे-छोटे मामलों में भारतीय दण्ड विधान तथा अन्य कानूनों के अन्तर्गत दण्ड देने का अधिकार है। न्याय पंचायतों को कारावास का दण्ड देने का अधिकार नहीं है। वे 100 रुपये तक जुर्माना कर सकती हैं।

उत्तर प्रदेश लोकसेवा प्राधिकरण

सरकारी कर्मचारी की सेवाओं से सम्बन्धित मामलों की संख्या अदालतों में निरंतर बढ़ती जा रही थी। ऐसे मुकदमों में राज्य सरकार के कर्मचारियों, अधिकारियों, निगमों और कम्पनियों के धन और समय का अपव्यय होता था। इसलिए 1976 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए स्थापित किये गये। इनकी स्थापना का उद्देश्य कर्मचारियों को शीघ्र और सस्ता न्याय उपलब्ध कराना है।

भारत रत्न से सम्मानित उत्तर प्रदेश की प्रमुख विभूतियाँ

भगवान दास

जवाहर लाल नेहरू

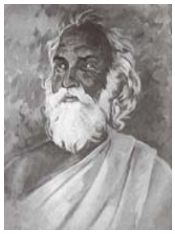
पुरुषोत्तम दास टण्डन

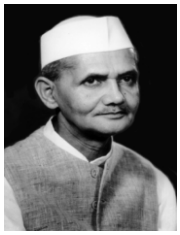
लाल बहादुर शास्त्री

राजीव गाँधी

पं0 मदन मोहन मालवीय

श्रीमती इन्दिरा गांधी

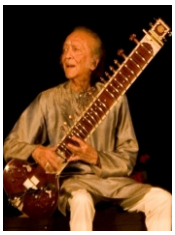
पं. रविशंकर

उस्ताद बिस्मिल्लाह खान

अटल बिहारी बाजपेयी

परमवीर चक्र विजेता

वीर अब्दुल हमीद

लेफ्टि. मनोज पाण्डेय

नायक जदुनाथ सिंह

ग्रेनेडियर योगेन्द्र सिंह यादव

महावीर चक्र विजेता

ब्रिगेडियर मो. उस्मान

कै. महेन्द्रनाथ मुल्ला

अशोक चक्र विजेता

कांस्टेबल कमलेश कुमारी

मेजर मोहित शर्मा

स्रोत : इंटरनेट

उ.प्र. में सक्रिय रहे क्रान्तिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

नाना साहब पेशवा

प्रिंस बिरजिस कदर

कुँवर सिंह

राणा बेनीमाधव सिंह

अजीमुल्लाह खाँ

ब्रिगेडियर ज्वाला प्रसाद

राजा जयलाल सिंह

अज़ीज़न बाई

बेगम हजरतमहल

तांत्या टोपे

रानी लक्ष्मीबाई

मंगल पाण्डे

चन्द्रशेखर आजाद

भगत सिंह

राज गुरू

सुखदेव

उ.प्र.में सक्रिय रहे क्रान्तिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

रोशन सिंह

राजेन्द्रनाथ लाहिड़ी

अशफाक उल्ला

चित्तू पाण्डे

योगेशचन्द्र चटर्जी

रामकृष्ण खत्री

कैप्टन रामसिंह

मोनी शील

रामप्रसाद बिस्मिल

महावीर सिंह

यतीन्द्रनाथ दास

भगवती चरण वोहरा

डॉ.गया प्रसाद कटियार

गणेश शंकर विद्यार्थी

डॉ. जयदेव कपूर

शचीन्द्र नाथ सान्याल

उ.प्र.में सक्रिय रहे क्रान्तिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

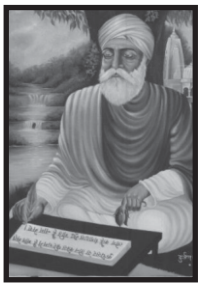

गंगादास

जीनत महल

ऊदा देवी

झलकारी बाई

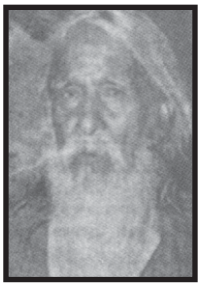

पं. परमानन्द

विजय कुमार सिन्हा

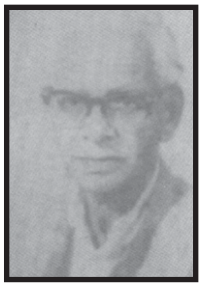

शिव वर्मा

दुर्गा भाभी

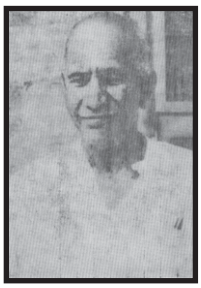

कुन्दन लाल गुप्त

कैप्टन लक्ष्मी सहगल

शहनवाज खाँ

विजय लक्ष्मी पंडित

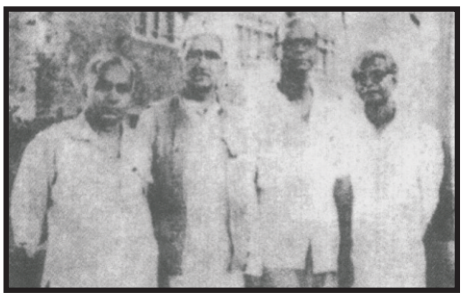

बायें से पंडित किशोरी लाल, मास्टर आज्ञाराम,
अजय कुमार घोष, शिव वर्मा

बसन्त लाल खन्ना

उ.प्र.में सक्रिय रहे क्रान्तिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी

रफी अहमद किदवई

विशम्भर दयाल त्रिपाठी

राव रामबक्श सिंह

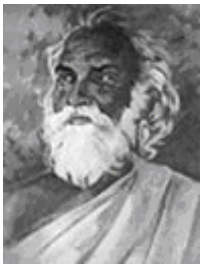
पुरुषोत्तम दास टण्डन

जयप्रकाश नारायण

मौलाना मोहम्मद अली

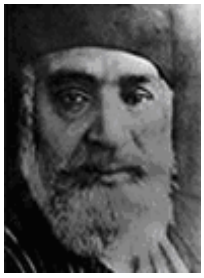
मौलाना शौकत अली

गोविन्द बल्लभ पंत

महावीर त्यागी

मुख्तार अहमद अन्सारी

तेज बहादुर सप्रू

राम मनोहर लोहिया

स्रोत : इंटरनेट

उत्तर प्रदेश में हिन्दी साहित्य की प्रमुख विभूतियाँ

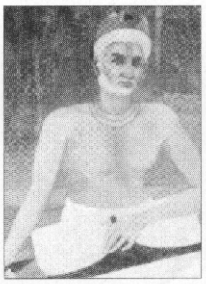
कबीर

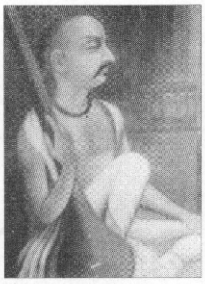
सूरदास

मीराबाई

तुलसीदास

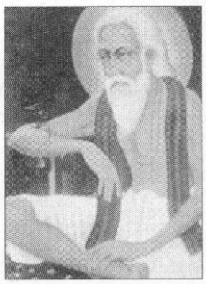
रविदास

पद्माकर

मलिक मुहम्मद जायसी

रहीम

चन्द्रबरदाई

बिहारी दास

केशव दास

रसखान

संत कवि बैजनाथ

अमीर खुसरो

आ.महावीरप्रसाद द्विवेदी

राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द

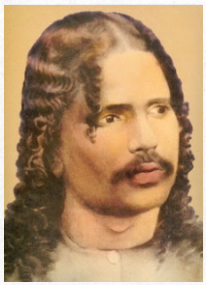
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

बालकृष्ण भट्ट

बाबू श्यामसुंदर दास

मुंशी प्रेमचंद

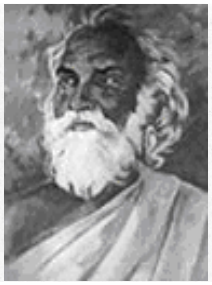

पुरुषोत्तम दास टंडन

अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध'

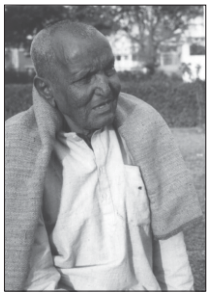

पंडित बंशीधर शुक्ल

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल

जगन्नाथ दास रत्नाकर

मैथिलीशरण गुप्त

जयशंकर प्रसाद

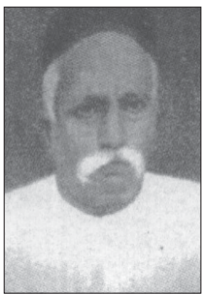

देवकीनंदन खत्री

सम्पूर्णानन्द

सोहनलाल द्विवेदी

रायकृष्णदास

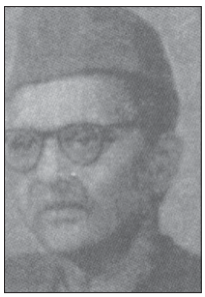

शिवपूजन सहाय

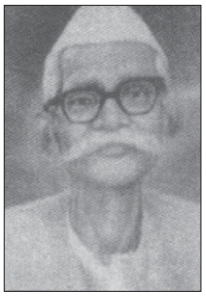

परशुराम चतुर्वेदी

कृष्णदेव प्रसाद गौड़

सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'

पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र'

प्रतापनारायण मिश्र

पं. राहुल सांकृत्यायन

यशपाल

शांतिप्रिय द्विवेदी

नंददुलारे वाजपेयी

महादेवी वर्मा

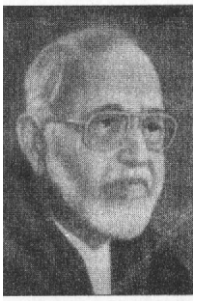
'अज्ञेय'

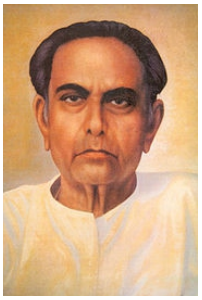
अमृतलाल नागर

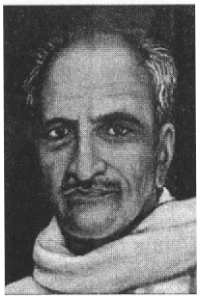
वृन्दावन लाल वर्मा

भगवतीचरण वर्मा

बनारसीदास चतुर्वेदी

डॉ. रामकुमार वर्मा

अमृतराय

आ.हजारीप्रसाद द्विवेदी

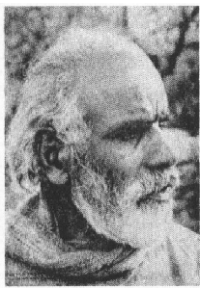

त्रिलोचन

नामवर सिंह

हरिवंश राय बच्चन

नरेश मेहता

धर्मवीर भारती

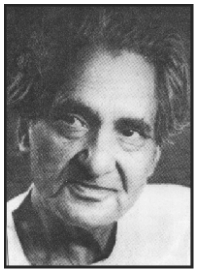

गोपालदास नीरज

विष्णु प्रभाकर

कुँवर नारायण

डॉ. शिवप्रसाद सिंह

कमलेश्वर

लक्ष्मीकान्त वर्मा

रवीन्द्र कालिया

भारत भूषण

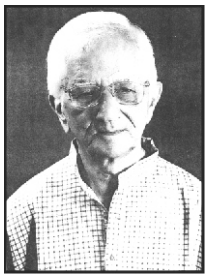

मार्कण्डेय

सोम ठाकुर

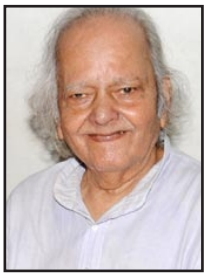

अमरकान्त

डॉ. जगदीश गुप्त

डॉ. रमा सिंह

रघुवीर सहाय

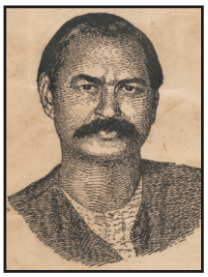

सुदामाप्रसाद पांडेय 'धूमिल'

केदारनाथ अग्रवाल

राही मासूम रज़ा

राजेन्द्र यादव

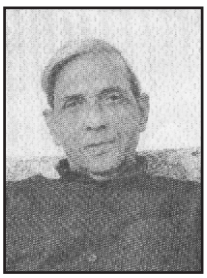

डॉ .परमानन्द श्रीवास्तव

अब्दुल बिस्मिल्लाह

मुद्राराक्षस

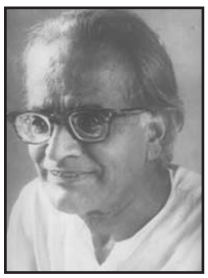

शमशेर बहादुर सिंह

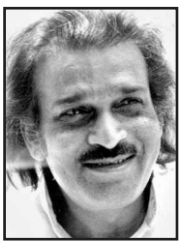

सर्वेश्वर दयाल सक्सेना

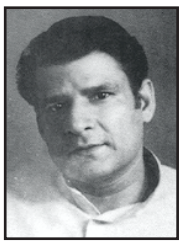

दुष्यन्त

केदारनाथ सिंह

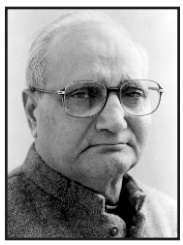

श्रीलाल शुक्ल

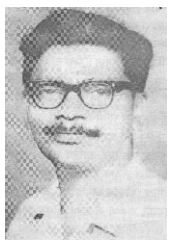

प्रबोध मजूमदार

उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार

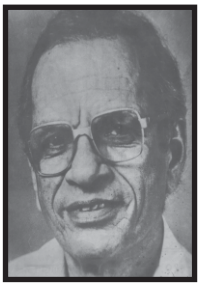

बीर राजा

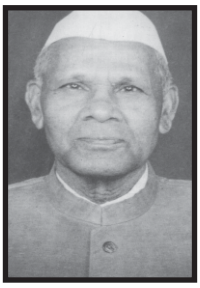

माता प्रसाद

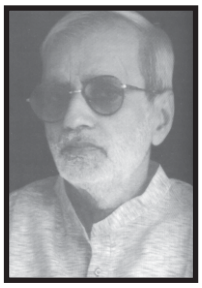

दूधनाथ सिंह

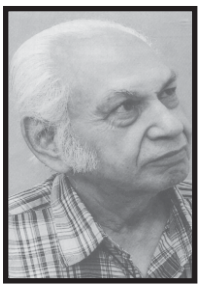

रमेश कुन्तल मेघ

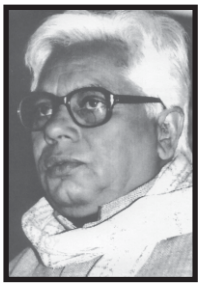

कामता नाथ

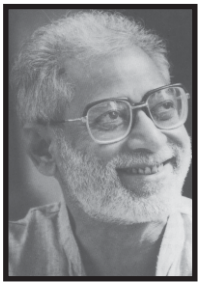

काशीनाथ सिंह

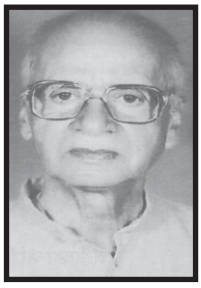

विवेकी राय

कन्हैयालाल नन्दन

डॉ० भवदेव पाण्डेय

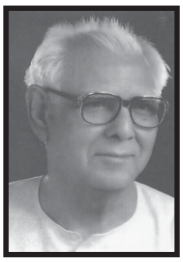

रामदरश मिश्र

विद्यानिवास मिश्र

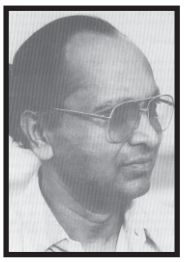

गिरीराज किशोर

गोरख पाण्डे

ठाकुर प्रसाद सिंह

लीलाधर जगूड़ी

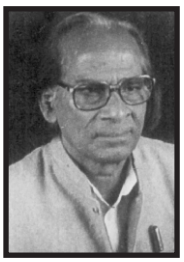

शंकर सुल्तानपुरी

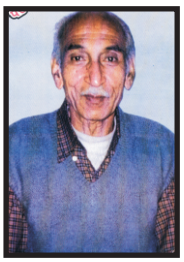

मोहन थपलियाल

विभूतिनारायण राय

उत्तर प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार

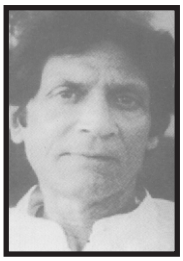
से.रा. यात्री

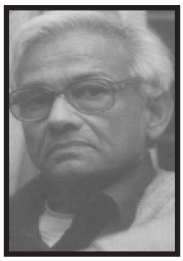
नरेश सक्सेना

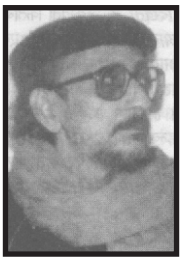
ज्ञानेन्द्रपति

मैत्रेयी पुष्पा

के.पी. सक्सेना

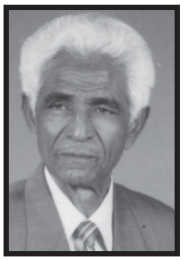
रामस्वरूप 'सिन्दूर'

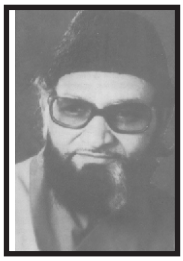
बेकल उत्साही

हृदयेश

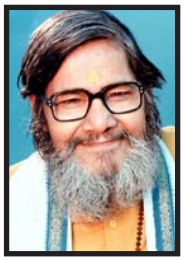
काका हाथरसी

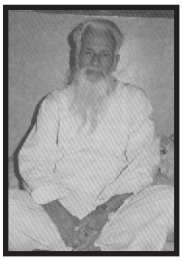
वचनेश त्रिपाठी

इन्दु जैन

चित्रा मुद्गल

गिरीशचन्द्र श्रीवास्तव

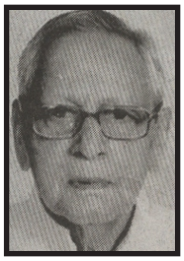
लीलाधर शर्मा 'पर्वतीय'

हरीओम शुक्ला'ओमी'

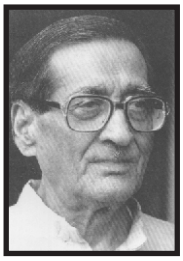
लक्ष्मीशंकर मिश्र 'निशंक'

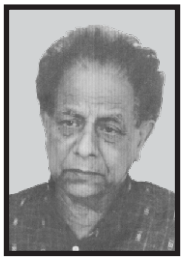
किशन सरोज

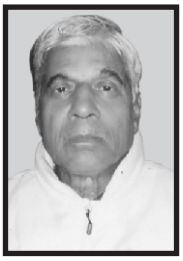
ओम प्रकाश अडिग

श्रीमती उर्मिला श्रीवास्तव

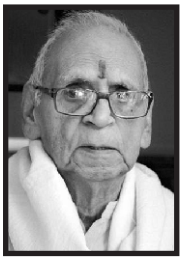
मनु शर्मा

गौरा पंत शिवानी

बाबू गुलाब राय

सुभद्रा कुमारी चौहान

आचार्य कुबेरनाथ राय

शिवमंगल सिंह 'सुमन'

अनिल जनविजय

डॉ. रामविलास शर्मा

जैनेन्द्र कुमार

असगर वजाहत

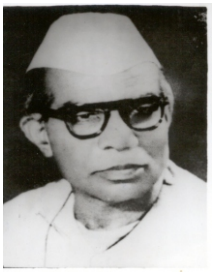
जगदम्बिका प्रसाद मिश्र

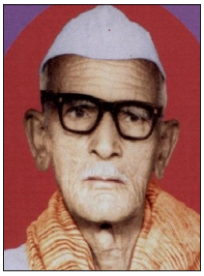
रमई काका

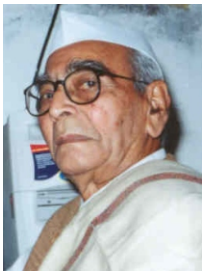
भूपेन्द्रनाथ शुक्ल

सुमित्रा नन्दन पंत

जर्नादन दास

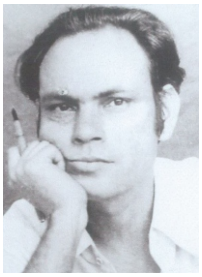
गोपाल उपाध्याय

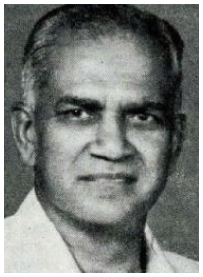
श्याम लाल गुप्ता

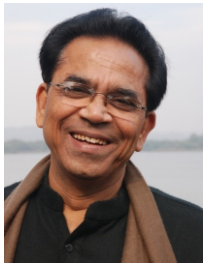
अशोक चक्रधर

बलबीर सिंह रंग

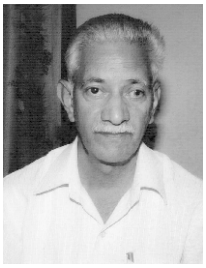
डॉ० शिवओम अम्बर

गया प्रसाद शुक्ला सनेही

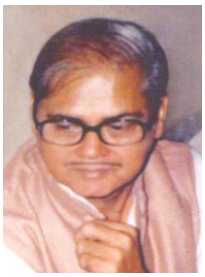
कौशलेन्दर पाण्डेय

महीप सिंह

मुंशी अजमेरी 'प्रेम'

प. राम रनेश त्रिपाठी

प. श्रीनारायण चतुर्वेदी

श्याम नरायण पाण्डे

विनोद चन्द्र पाण्डेय

उत्तर प्रदेश में उर्दू साहित्य की प्रमुख विभूतियाँ

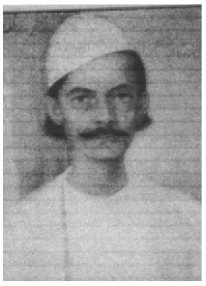
मीर अनीस

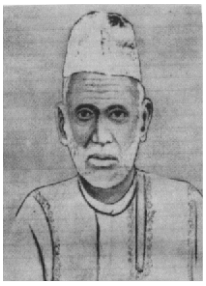
मिर्जा दबीर

अकबर इलाहाबादी

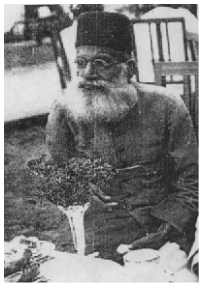
हसरत मोहानी

सफी लखनवी

अब्दुल माजिद दरियाबादी

डॉ. अब्दुल अलीम

सज्जाद ज़हीर

नुरुल हसन हाशमी

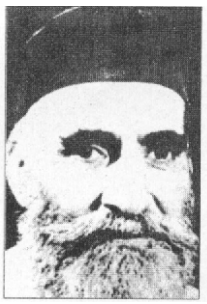
मौ.इम्तियाज अली अर्शी

आनन्द नारायण मुल्ला

अली अब्बास हुसैनी

सागर निज़ामी

चौ.मो. अली रुदौलवी

कुर्तुल एन हैदर

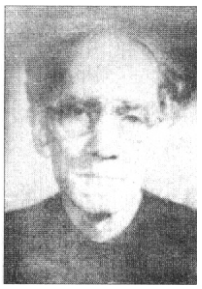
मजनूं गोरखपुरी

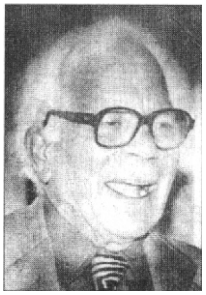

आले अहमद सुरुर

रज़िया सज्जाद ज़हीर

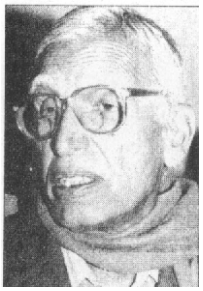

ज्ञान चन्द्र जैन

मसूद हसन रिज़वी 'अदीब'

एहतेशाम हुसैन रिज़वी

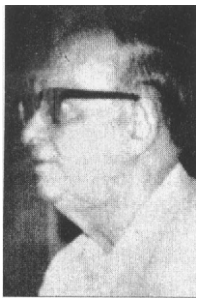

मसूद हुसैन खाँ

इस्मत चुगतई

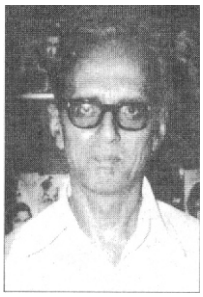

खलीलुलर्रहमान आज़मी

मोहम्मद हसन

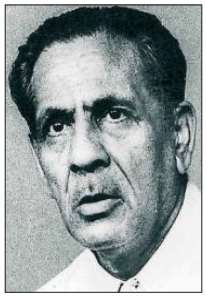

फ़िराक गोरखपुरी

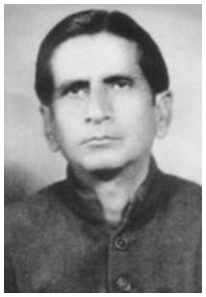

मजाज़ लखनवी

कैफ़ी आज़मी

रशीद अहमद सिद्दीकी

मुइन अहसन ज़ज्बी

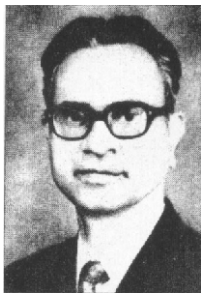

मसीह उज़ ज़मा

वामिक जौनपुरी

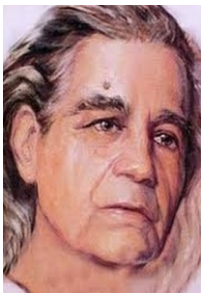
अली सरदार जाफ़री

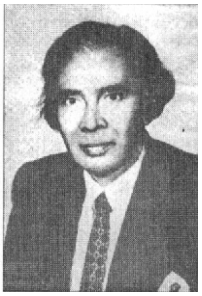
सलाम संदेलवी

गुलाम रब्बानी ताबाँ

क़ाज़ी अब्दुस्सत्तार

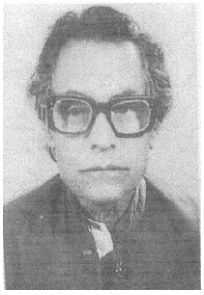
ख़ुमार बाराबंकवी

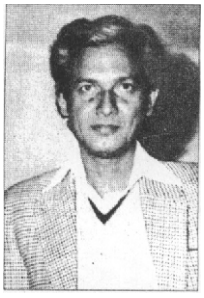
शहरयार

एजाज़ हुसैन

अली जव्वाद **ज़ैदी**

वजाहत अली संदेलवी

सलाम मछली शहरी

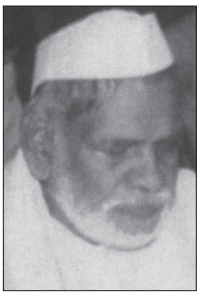
चौधरी सिब्ते मोहम्मद

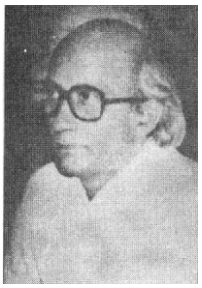
मोहम्मद अक़ील रिज़वी

रशीद हसन खाँ

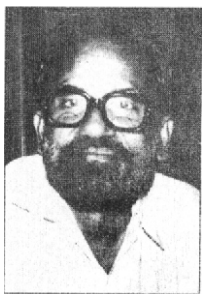
महमूद इलाही

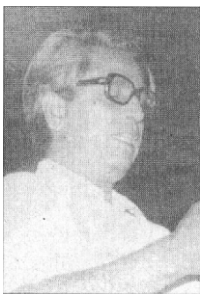
क़मर रईस

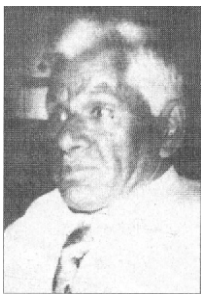
महमूदुल हसन रिज़वी

कृष्ण बिहारी नूर

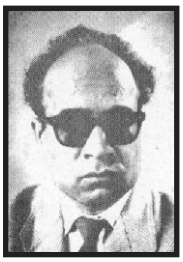
रामलाल

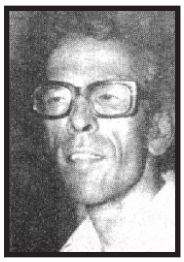
नैयर मसूद

काज़िम अली खाँ

आबिद सुहेल

फ़ज़ल इमाम रिज़वी

अहमद जमाल पाशा

हनीफ़ नक़वी

मंजुर सलीम

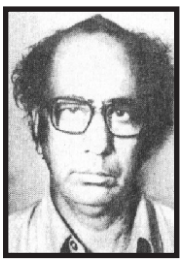
मलिक ज़ादा मंजूर अहमद

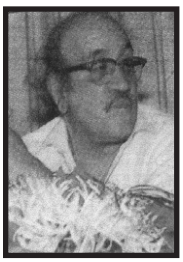
बाक़र मेंहदी

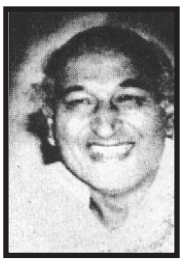
बशेशर प्रदीप

मसीहुल हसन रिज़वी

इरफ़ान सिद्दीक़ी

नाज़िश प्रतापगढ़ी

बशीर बद्र

आरजू लखनवी

हूरमत उल एकराम

अनवर मिर्जा पुरी

डॉ० वसीम बरेलवी

सीमाब अकबराबादी

शौकत थानवी

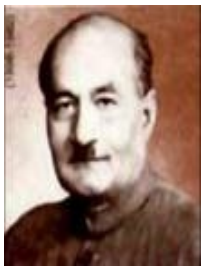
जोश मलिहाबादी

इब्ने सफी

जिगर मुरादाबादी

मंजूर हाशमी

डॉ. रफीक हुसैन

ज्ञानपीठ अवार्ड्स

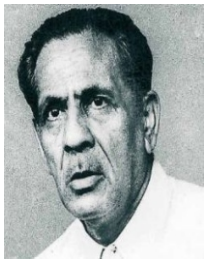
फिराक गोरखपुरी

महादेवी वर्मा

कुर्रतुल–ऐन–हैदर

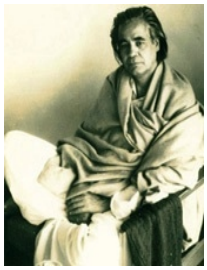
अली सरदार जाफरी

शहरयार

श्री अमरकान्त

श्री लाल शुक्ल

कुंवर नारायण
साहित्य

उत्तर प्रदेश की प्रमुख संगीत एवं नृत्य विभूतियाँ

बिस्मिल्ला खाँ

बेगम अख्तर

विष्णुनारायण भातखण्डे

हरि प्रसाद चौरसिया

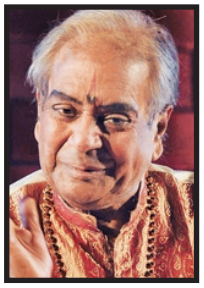
बिरजू महाराज

गिरिजा देवी

लच्छू महाराज

शम्भू महाराज

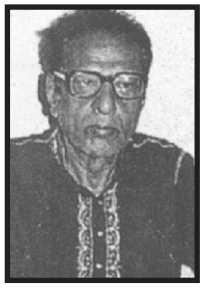
गोदई महाराज

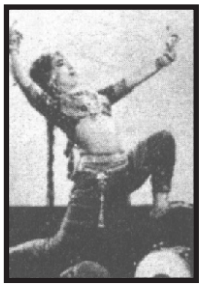
सितारा देवी

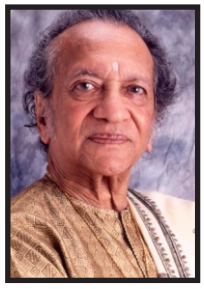
रवि शंकर

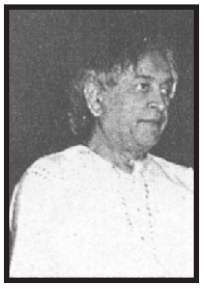
पं. किशन महाराज

पागलदास

कन्छे महाराज

सविता देवी

कुमकुम धर

अजिता श्रीवास्तव

मालिनी अवस्थी

सुश्री ऊषा गुप्ता

पं. विकास महाराज,

श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी

श्री छन्नू लाल मिश्र

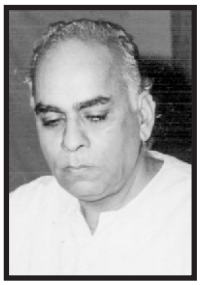

डॉ. लालमनी मिश्रा

श्री गोपाल शंकर मिश्रा

श्री गोपी कृष्ण

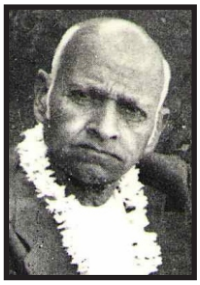

पं. कांथे महाराज

पं. समता प्रसाद

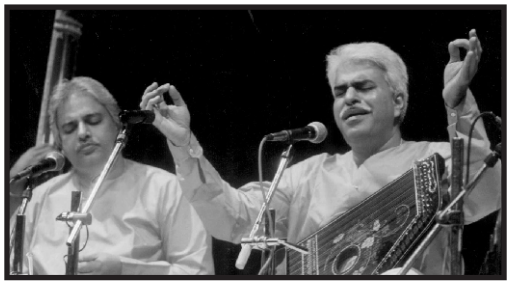

राजन मिश्र, साजन मिश्रा

उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीतकार एवं नाट्यकर्मी

नैमि चन्द्र जैन

राधेश्याम दीक्षित

रतन थियम

रोमेश मेहता

शिवचरण लाल "प्रेम"

सुदेश शर्मा

सुरेन्द्र कौशिक

सुरेन्द्र माथुर

विश्वनाथ मिश्र

स्वामी श्रीराम शर्मा

गुलाब बाई

के.बी. चन्द्रा

ललित मोहन तिवारी

विनोद रस्तोगी

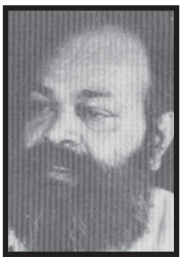
सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ

विजय दीक्षित

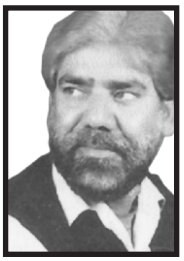
जरीफ़ मलिक आनन्द

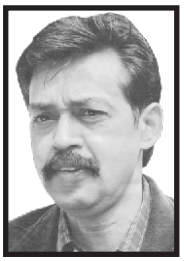
डॉ० बृजेश्वर सिंह

उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीतकार एवं नाट्यकर्मी

आगा हश्र कश्मीरी

अनूप जलोटा

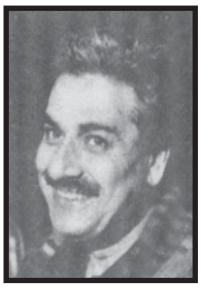
बंसी कौल

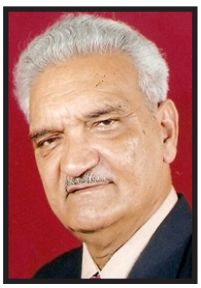
डॉ. अनिल रस्तोगी

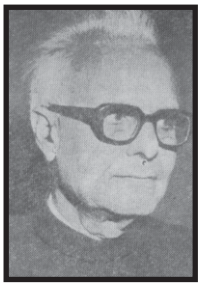
डॉ. भानुशंकर मेहता

डॉ. पुरु दधीच

डॉ. सुरेश अवस्थी

मास्टर फ़िदा हुसैन नरसी

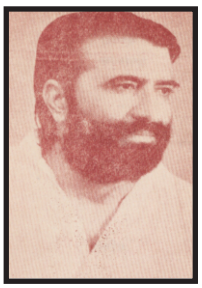
ज्ञानदेव अग्निहोत्री

हरिकृष्ण अरोड़ा

हीरालाल यादव

कृष्णा मिश्रा

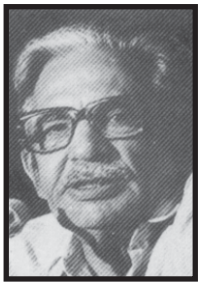
कृष्ण नारायण कक्कड़

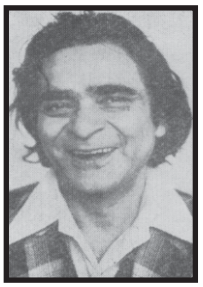
मोहन उपरैती

मुकेश सान्याल

नादिरा ज़हीर बब्बर

उत्तर प्रदेश के प्रमुख सिने विभूतियाँ

कमाल अमरोही

के. आसिफ

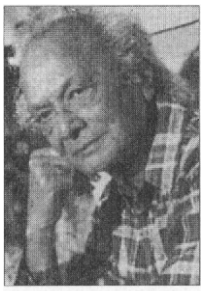
नौशाद

शैलेन्द्र

जद्दन बाई

कैफी आजमी

के.एल. सहगल

नरगिस

इन्दीवर

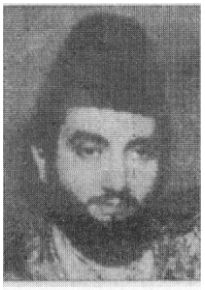
भारत भूषण

मजरूह सुल्तानपुरी

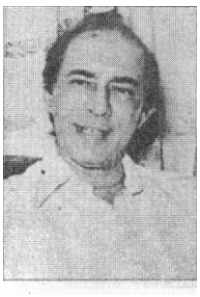
तलत महमूद

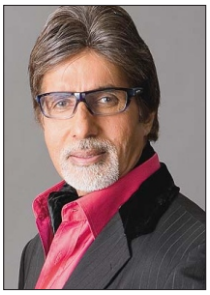
अमिताभ बच्चन

रवीन्द्र जैन

शबाना आजमी

शकील बदायूंनी

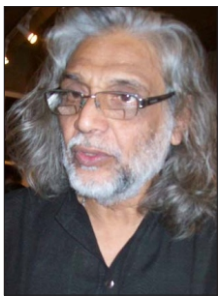
मुजफ्फर अली

योगेश

राज बब्बर

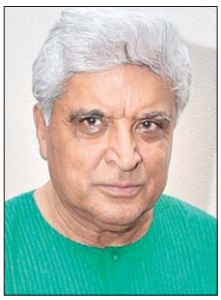
जावेद अख्तर

रेहाना

अचला नागर

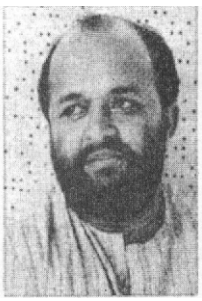
समीर

रेहाना सुल्तान

कैलाश खेर

राजा बुन्देला

अभिजीत

माया गोविन्द

नसीरुद्दीन शाह

मंसूर खान

शाहरूख मिर्जा

उमा देवी 'टुनटुन'

विशाल भारद्वाज

शाद अली

प्रकाश मेहरा

अनुराग कश्यप

राजपाल यादव

कन्हैया लाल

निम्मी

मार्क जुबेर

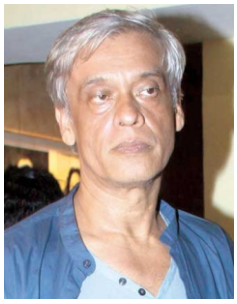

सुधीर मिश्रा

कब्बन मिर्जा

सुशान्त सिंह

सितारा देवी

युनुस परवेज

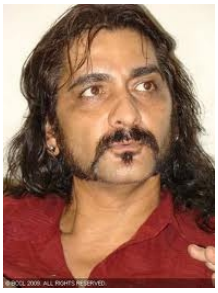

निर्मल पाण्डेय

सपना अवस्थी

डेविड धवन

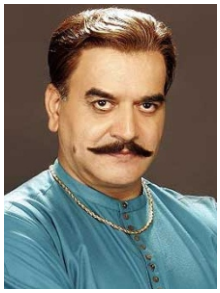

सुरेन्द्र पाल

रजा मुराद

जोहरा सहगल

उत्तर प्रदेश के प्रमुख चित्रकार

आर.एस. बिष्ट

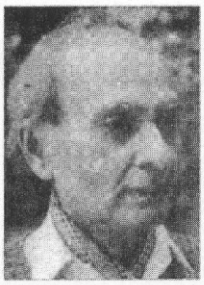
नित्यानंद महापात्र

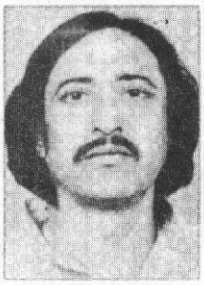
बी.एन. आर्य

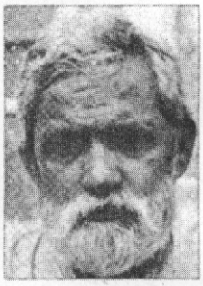
एस.जी. श्रीखण्डे

के.वी. जेना

जयकृष्ण अग्रवाल

असद अली

ए.पी. गज्जर

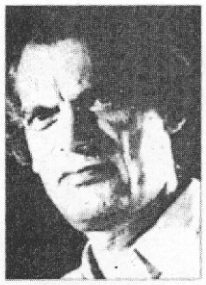
एस. अजमत शाह

आर.एस. धीर

सनत कुमार चटर्जी

सतीश चन्द्रा

दिलीपदास गुप्ता

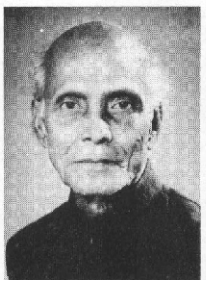
श्रीधर महापात्र

पम्मी लाल

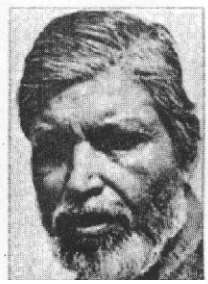
उमेश शर्मा

उत्तर प्रदेश के प्रमुख चित्रकार

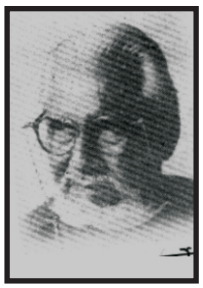
गोपाल मधुकर चतुर्वेदी

विश्वनाथ खन्ना

अश्विनी कुमार शर्मा

बालदत्त पाण्डेय

एस.एन.सक्सेना

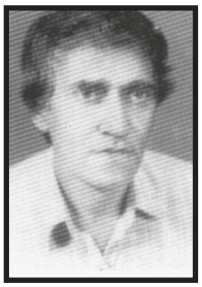
मुहम्मद सलीम

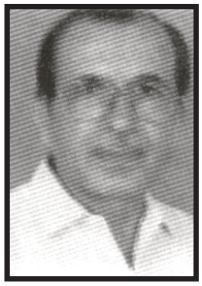
बी.पी.कम्बोज

पुष्पलता शर्मा

बैजनाथ प्रसाद गुप्ता

एन. खन्ना

योगेन्द्र नाथ योगी

जमील अख्तर

एन.एन.राय

रंजीत चक्रवर्ती

शुकदेव श्रोत्रीय

डॉ. कुसुम दास

उत्तर प्रदेश के प्रमुख चित्रकार

कामता प्रसाद

हृदय गुप्ता

अमरनाथ शर्मा

अवधेश मिश्र

पूर्णिमा तिवारी

आलोक कुमार

हीरालाल प्रजापति

इन्दु जोशी

मृदुला शाह

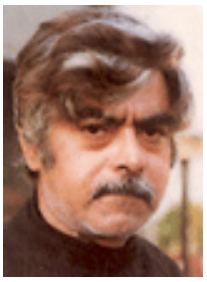
भैंरोनाथ शुक्ल

भारत भूषण

जगदीश गुप्त

राधेश्याम अग्रवाल

रेखा कक्कड़

आर.एस. शाक्य

साधना लाल

स्रोत : इंटरनेट

उत्तर प्रदेश के प्रमुख चित्रकार

संतोष वर्मा

सीमा जावेद

शिवेन्द्र सिंह

स्नेह मोहन

शरद पाण्डेय

उमेश कुमार सक्सेना

विनोद कुमार सिंह

विष्णु स्वरूप सिंह

ज़ेबा हसन

गोगी सरोज पाल

डॉ० नन्दिता शर्मा

स्रोत : इंटरनेट

उत्तर प्रदेश की प्रमुख खेल विभूतियाँ

मेजर ध्यान चन्द

के.डी. सिंह बाबू

मोहम्मद शाहिद

आशीष विंस्टन जैदी

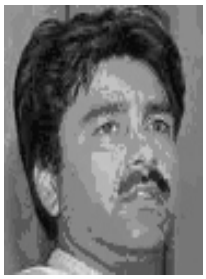
मनोज प्रभाकर

अरुण लाल

मो. कैफ

सुरेश रैना

आर.पी. सिंह

चेतन चौहान

हेमलता काला

ज्ञानेन्द्र पाण्डेय

पीयूष चावला

नरेन्द्र हीरवानी

सुरिन्दर अमरनाथ

रमन लाम्बा

उत्तर प्रदेश की प्रमुख खेल विभूतियाँ

रविकान्त शुक्ला

प्रवीण कुमार

अभिन्न श्याम गुप्ता

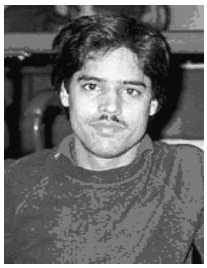

सैयद मोदी

गौस मोहम्मद खान

निखिल चोपड़ा

लाला अमरनाथ

मोहिन्दर अमरनाथ

अर्जुन अवार्ड

अभिन्न श्याम गुप्ता

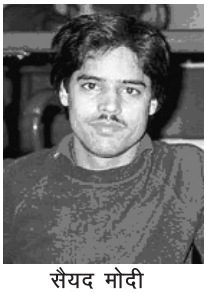

सैयद मोदी

आशीष सिंह राष्ट्रमण्डल खेल स्वर्ण पदक विजेता

अरूणिमा सिन्हा
(एवरेस्ट फतेह करने वाली
प्रथम भारतीय विकलांग खिलाडी)

उत्तर प्रदेश के प्रमुख वरिष्ठ पत्रकार

गणेश शंकर विद्यार्थी

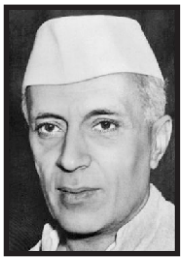

पं. जवाहरलाल नेहरू

पं.मदन मोहन मालवीय

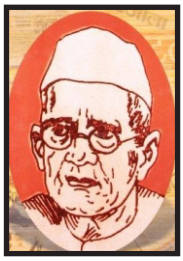

बाबूराव विष्णु पराड़कर

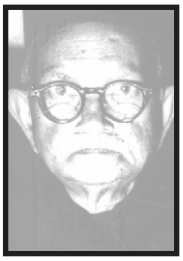

अम्बिका प्रसाद बाजपेयी

एम.चेलापति राव

के. रामा राव

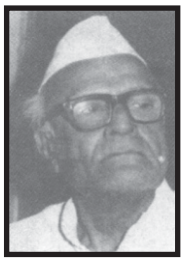

हयातुल्ला अंसारी

सी.वाई.चिन्तामणि

एस.एन.घोष

सच्चिदानन्द सिन्हा

इशरत अली सिद्दीकी

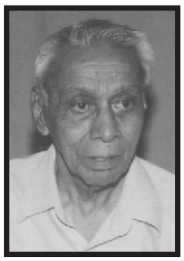

एस.एम.जाफर

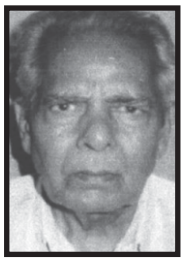

एस.एन.जायसवाल

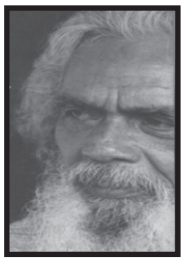

अखिलेश मिश्र

के. विक्रम राव

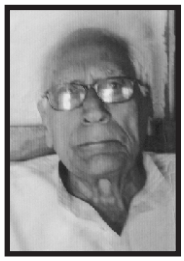

डॉ० धर्मपाल गुप्त 'शलभ'

आनन्द मोहन पाण्डेय

ओंकार 'मनीषी'

श्री प्रभात सिंह

मृणाल पाण्डेय

नरेन्द्र मोहन

घनश्याम पंकज

राम बहादुर राय

पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित विभूतियाँ

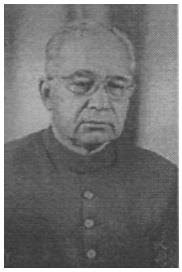
हकीम सै. जिलुर रहमान
(यूनानी औषधि–2006)

मुजफ्फर अली
(फिल्म निर्देशक–2005)

के.पी. सक्सेना
(लेखक–2000)

के.डी. सिंह बाबू
(खिलाड़ी–1958)

गोपालदास नीरज
(हिन्दी साहित्य–2007)

भारत भूषण
(साहित्य एवं शिक्षा - 1991)

मोहम्मद शाहिद
(हाकी खिलाड़ी–1986)

डॉ. जयपाल मित्तल
(विज्ञान एवं यांत्रिकी–2003)

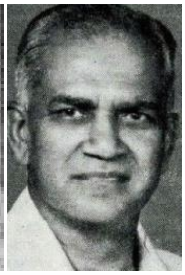
श्याम लाल गुप्ता
साहित्यकार (कवि)

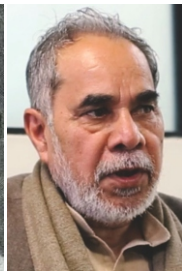
राम बहादुर राय
पत्रकारिता

बेगम अख्तर
(गजल गायिकी)

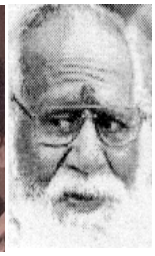
आचार्य गिरिराज किशोर
(राजनीतिज्ञ)

अली जवाद जैदी
(उर्दू साहित्य)

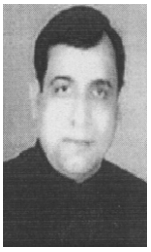
रविन्द्र कुमार
(साहित्य एवं शिक्षा–2001)

मालिनी अवस्थी
(लोक संगीत पद्मश्री - 2016)

कृष्णा राम चौधरी
शहनाईवादन

पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित विभूतियाँ

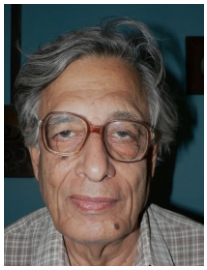
इरफान हबीब

कुर्रतुल–ऐन हैदर

पं. किशन महाराज

रामकिंकर उपाध्याय

भगवतीचरण वर्मा

अमरनाथ झा

मैथिलीशरण गुप्त

जोश मलिहाबादी

रामेश्वरी नेहरू

महादेवी वर्मा

आबिद हुसैन

हजारी प्रसाद द्विवेदी

राय आनन्द कृष्णा

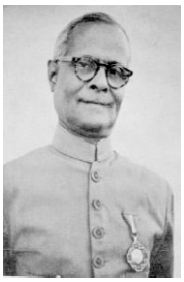
पं. श्रीकृष्णनारायण रतनजंकर

विजय आनन्द

कुंवर नारायण
साहित्य

गिरिजा देवी
संगीत

भगवान सहाय

राधाकमल मुखर्जी

राहुल सांकृत्यायन

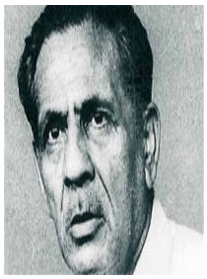
फिराक गोरखपुरी

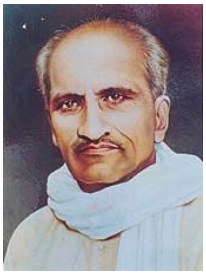
वृन्दावन लाल वर्मा

पं. हरिभाऊ वाकणकर

रवि शंकर

जय कृष्णा

महेश प्रसाद मेहरे

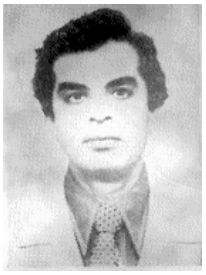
पिताम्बर पन्त

निसार हुसैन खान

अमृत लाल नागर

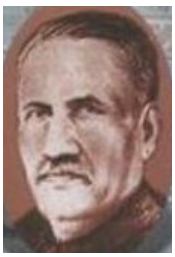
बनारसी दास चतुर्वेदी

जयदेव सिंह

बेगम अख्तर

कैलाश नाथ कौल

पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित विभूतियाँ

डॉ. जाकिर हुसैन
(सामाजिक कार्य–1954)

विजय लक्ष्मी पंडित
(लोकसेवा–1962)

राय आनन्द कृष्णा
(लोकसेवा–1980)

पं. रविशंकर
(कला–1981)

बिरजू महाराज
(कला–1986)

महादेवी वर्मा
(साहित्य एवं शिक्षा–1988)

उमाशंकर दीक्षित
(सामाजिक कार्य–1989)

कैप्टन लक्ष्मी सहगल
(सामाजिक कार्य–1998)

मिर्जा हमीदुल्ला बेग
(सामाजिक कार्य–1988)

पं. किशन महाराज
(कला–2002)

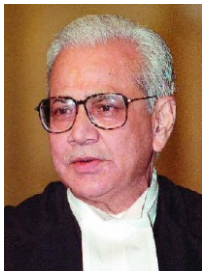

वी.एन. खरे
(कानून/समाज कार्य, 1980)

डॉ. पुरुषोत्तम लाल
(औषधि–1981)

गोविन्द नारायण
(सामाजिक कार्य–2009)

गिरिजा देवी
संगीत

मुरली मनोहर जोशी
समाजिक कार्य

यश्पाल
विज्ञान एवं अभियंत्रिकी

जगतगुरू राम भद्राचार्य

आदर्श सेन आनन्द
जनहित कार्य

साहित्य एकेडमी अवार्ड से सम्मानित विभूतियाँ

राहुल सांकृत्यायन
(1958–इतिहास)

भगवती चरन वर्मा
(1961–उपन्यास)

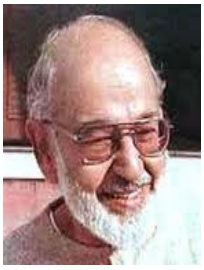

अज्ञेय
(1964–कविता)

जैनेन्द्र कुमार
(1964–उपन्यासकर)

अमृतलाल नागर
(1967–उपन्यास)

हरिवंशराय बच्चन
(1968–कविता)

श्रीलाल शुक्ल
(1969–उपन्यासकार)

रामविलास शर्मा
(1969–उपन्यासकार)

नामवर सिंह
(1971–साहित्य आलोचक)

भवानी प्रसाद मिश्र
(1972–कविता)

हजारी प्रसाद द्विवेदी
(1973–लेखक)

कुंवर नारायण
साहित्य

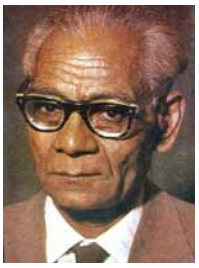

यशपाल
(1976–उपन्यास)

धूमिल
(1979–उपन्यास)

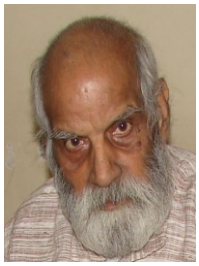

त्रिलोचन
(1981–उपन्यास)

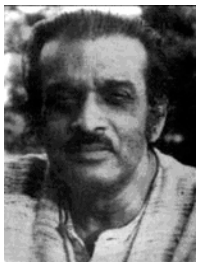

सर्वेश्वर दयाल सक्सेना
(1983–कविता)

शिवमंगल सिंह 'सुमन'
(1974–कविता)

केदारनाथ सिंह
(1989–कविता

केदारनाथ अग्रवाल
(1986–कविता)

रघुवीर सहाय
(1984–कविता)

लीलाधर जगूड़ी
(1997–उपन्यास)

सुरेन्द्र वर्मा
(1996–उपन्यास)

गिरिराज किशोर
(1992–उपन्यास)

विष्णु प्रभाकर
(1993–उपन्यास)

दादासाहब फाल्के अवार्ड्स

नौशाद अली

मजरूह सुल्तानपुरी

प्रदेश के जनपदवार दर्शनीय स्थल

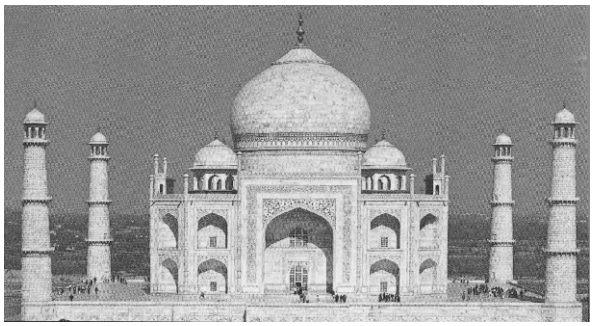

ताजमहल, आगरा

वृन्दावन मंदिर, मथुरा

खानकाह रशीदिया, मैनपुरी

बर्ड सैंक्च्यूरी
जलेसर, एटा

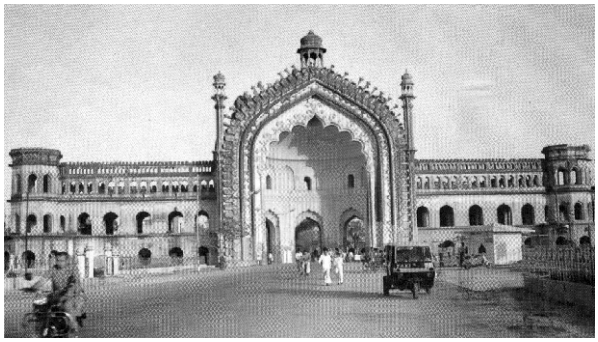

रूमी दरवाजा, लखनऊ

गोला गोकरननाथ मंदिर,
लखीमपुर खीरी

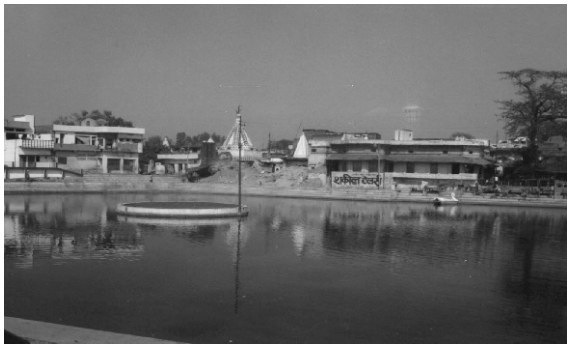

प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर, उन्नाव

चक्रतीर्थ नैमिषारण्य, सीतापुर

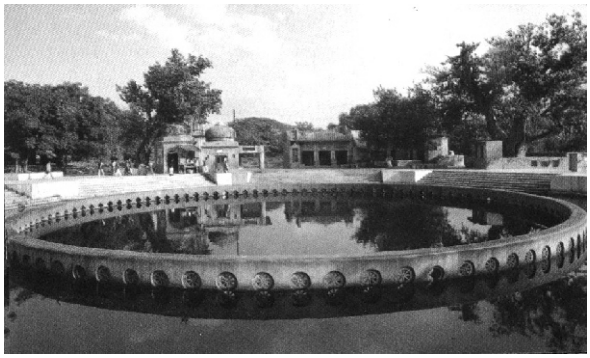

आनन्द भवन, प्रयागराज

कड़क शाह बाबा की मज़ार, कौशाम्बी

शहीद स्थल बावनी इमली, फतेहपुर

कनक भवन, अयोध्या

कन्नौज में संरक्षित अनूठी
कलाकृति, सप्तमातृका की प्रतिमा

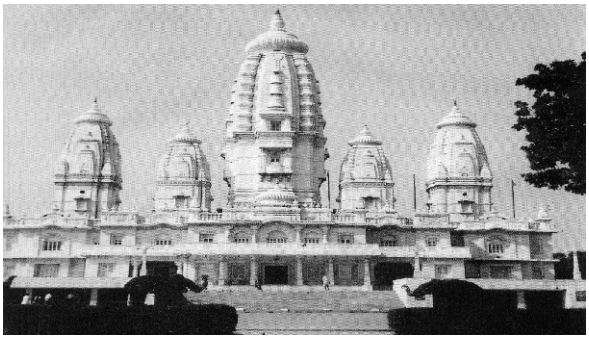

जे० के० मन्दिर, कानपुर नगर

आसई किले से प्राप्त
दिगम्बर जैन मूर्तियाँ, इटावा

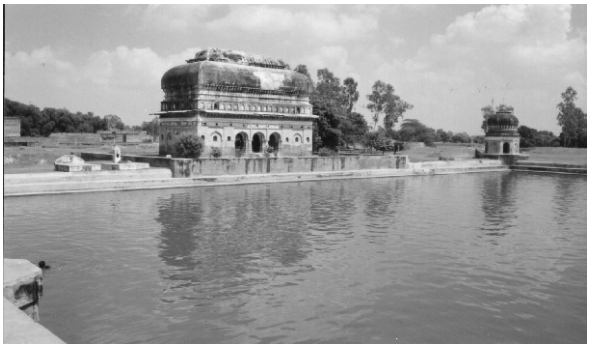

शुक्ल तालाब, अकबरपुर
रमाबाई नगर (कानपुर देहात)

गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर

शहीद स्मारक, महराजगंज

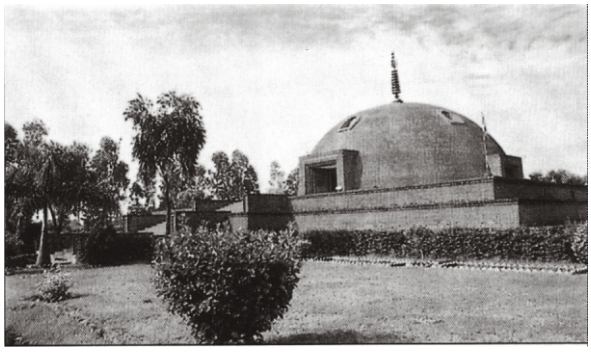

बौद्ध स्तूप, कुशीनगर

बाबा सोमनाथ जी का भव्य मन्दिर, देवरिया

शहीद स्थल छावनी, बस्ती

सन्त कबीर की निर्वाण स्थली,
मगहर (सन्त कबीर नगर)

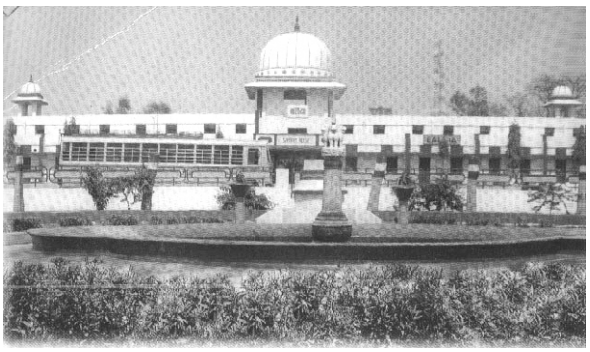

बलिया का रेलवे स्टेशन

चाइना मन्दिर, श्रावस्ती

रानी महल, झांसी

मकरबई मन्दिर, महोबा

कामदगिरि पर्वत, चित्रकूट

कालिंजर दुर्ग, बाँदा

रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर

शिबली एकेडमी, आजमगढ़

शहीद स्मारक, मऊ

घंटाघर, बदायूँ

घंटाघर, बहराइच

देवी पाटन मन्दिर, बलरामपुर

अरगा पार्वती का मन्दिर, गोण्डा

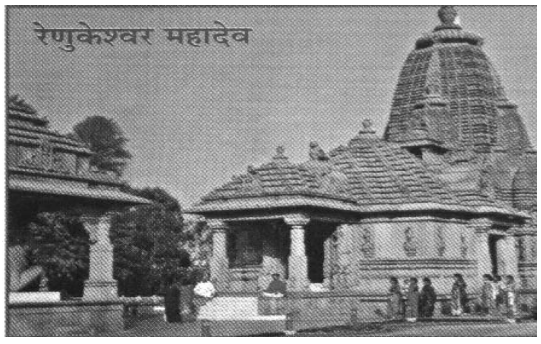

रेणुकेश्वर महादेव मंदिर, सोनभद्र

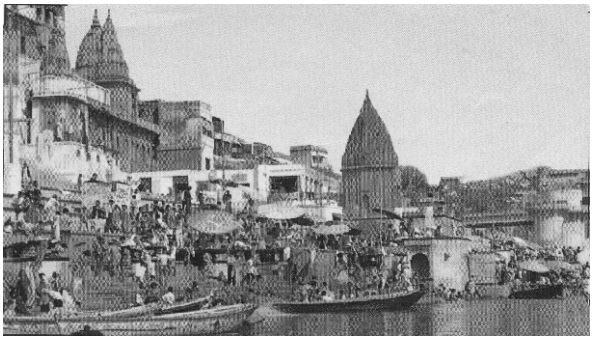

गंगा घाट, वाराणसी

सीताकुण्ड घाट, सुल्तानपुर

सीतामढ़ी धार्मिक पर्यटन स्थल,
संतरविदास नगर, भदोही

घंटाघर, मिर्जापुर

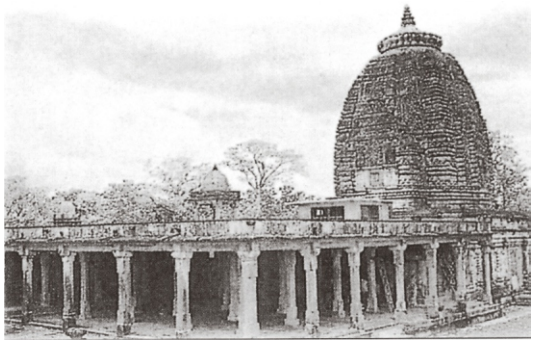

जैन मन्दिर, ललितपुर

चौरासी गुंबद, कालपी (जालौन)

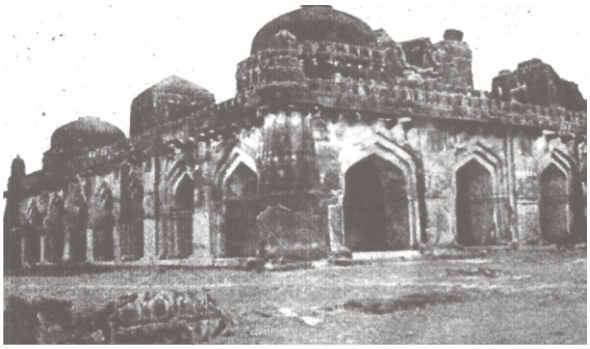

हिन्दी भवन, जौनपुर

प्रसिद्ध बेल्हा देवी मंदिर,
प्रतापगढ़

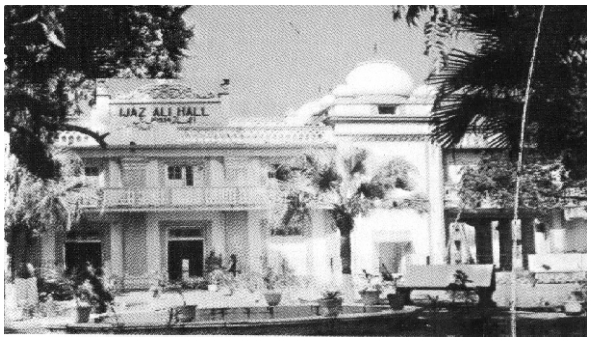

एजाज अली हॉल, बिजनौर

शुक्रताल स्थित प्राचीनतम शिव मंदिर, मुजफ्फर नगर

धानपुर शहीद स्मारक चंदौली

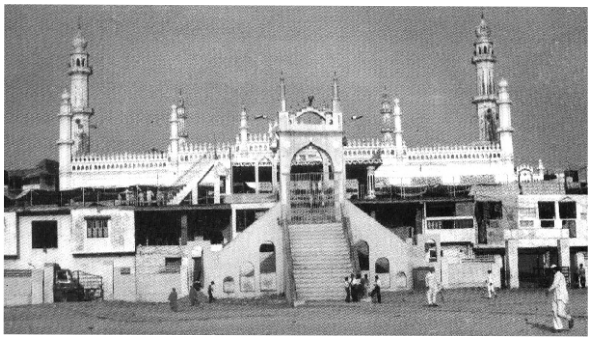

ऐतिहासिक जामा मस्जिद, मुरादाबाद

लार्ड कार्नवालिस का मकबरा
गाजीपुर

घंटाघर, बुलंदशहर

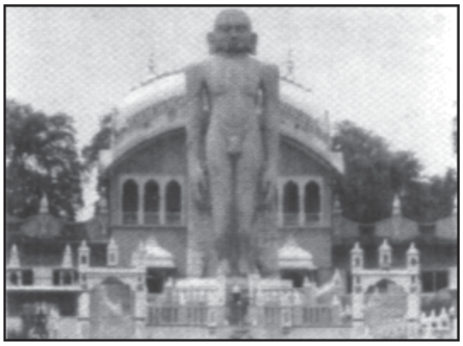

जैन मन्दिर- फिरोजाबाद

श्री सनातन धर्म मन्दिर
गौतमबुद्ध नगर

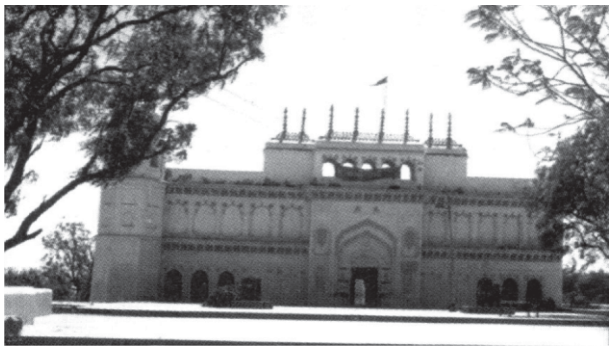

देवकली मन्दिर, औरैय्या

विक्टोरिया हाल,
घण्टाघर, हरदोई

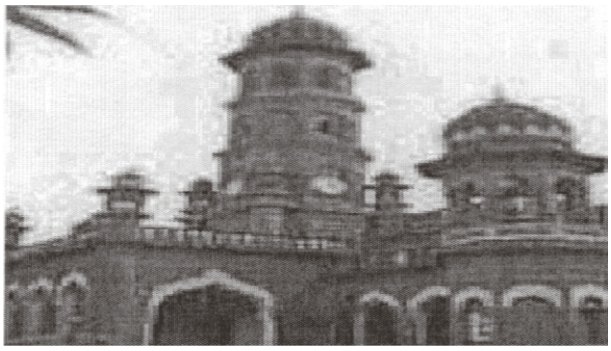

यज्ञशाला, बागपत

प्रसिद्ध मन्दिर
महामायानगर

मुगल घाट, कम्पिल
फर्रुखाबाद

अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी,
अलीगढ़

बुद्धा स्तूप, पिपरहवा
कपिलवस्तु

औघढ़नाथ मन्दिर
सरधना, मेरठ

देवा शरीफ, बाराबंकी

जायसी स्मारक, रायबरेली

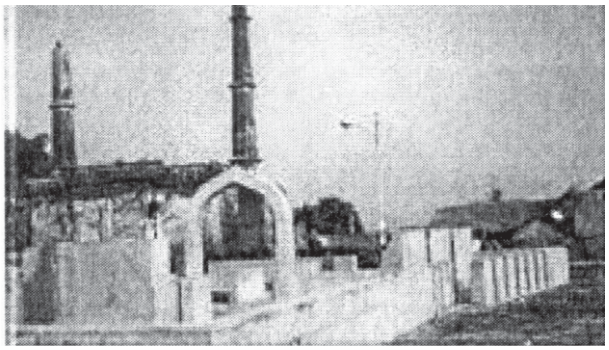

अशफाक उल्ला की मजार शाहजहाँपुर

हनुमतधाम, शाहजहाँपुर

श्री दाओजी महाराज
हसायन, हाथरस

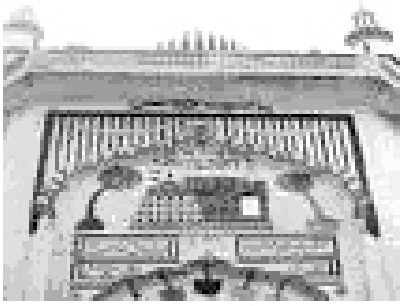

किछौछा शरीफ, अम्बेडकर नगर

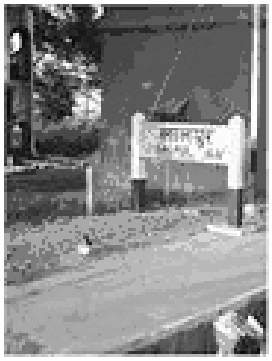

लालपुर
रेलवे स्टेशन
जालौन

प्राचीन श्री गंगा मन्दिर
गढ़मुक्तेश्वर, गाजियाबाद

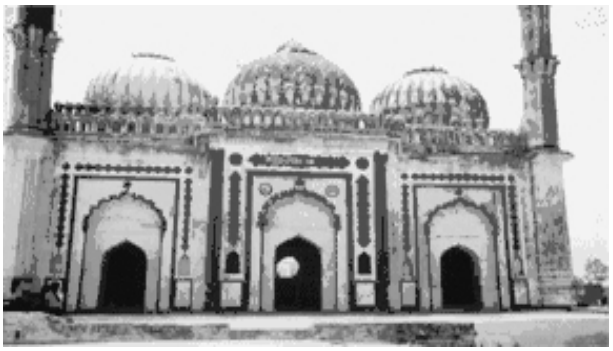

बादशाही मस्जिद, सुल्तानपुर

आनन्द आश्रम, बरेली

कल्पवृक्ष, हमीरपुर

बौद्ध स्तूप, सिद्धार्थनगर

माता शाकुम्बरी देवी मन्दिर,
सहारनपुर

जायसी स्मारक,
छत्रपति शाहूजी महाराज नगर

नदरई का पुल,
कांशीरामनगर

हिन्दी साहित्य और उर्दू अदब

उत्तर प्रदेश में पछुआ और पुरवा दोनों हवाएँ तेज़ चलती हैं, जो यहाँ की जलवायु और संस्कृति को वैविध्यपूर्ण बनाती हैं। भस्म कर देने वाली लू और हड्डियों को कंपाने वाली, ख़ून जमा देने वाली ठंडक, यहाँ के संस्कृति कर्मियों और रचनाकारों को न तो अधिक भावुक बनाती है और न अधिक वस्तुवादी। तटस्थ होकर जीवन और जगत के प्रश्नों पर सोचने-विचारने की गहरी सम्पृक्ति उत्तर प्रदेश, जो कि मध्यदेश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, में मिलती है। अमीर खुसरो से लेकर अब्दुल बिस्मिल्लाह तक में खुश्की और तरी का मत आश्चर्यजनक जादू का काम करता है, और फिर यह मत ऐन्द्रजालिकता, 'मुगलों ने सल्तनत बख्श दी', के तम्बू की तरह फैलता ही जाता है। आगरा, मेरठ और बुलन्दशहर की भाषा कैसे काव्य भाषा बनी ? उसमें राजसत्ताओं की भौतिक आवश्यकताएँ और बाजार का तर्क तो है ही इसके अलावा संतों-सूफियों और भक्तों द्वारा विकसित किया जा रहा एक ऐसा भाषा का माध्यम भी है जो प्रमुख सांस्कृतिक कारण है। समाज की छोटी-छोटी इकाइयों के भेदों को बिना समाप्त किये, एक बड़े माध्यम और मूल्य के लिए जीना सिखाती है। अमीर ख़ुसरो की क़व्वालियाँ, शेर और मुकरियाँ, कबीर की साखियों और पदों, तुलसी के दोहा-चौपाइयों और कवित्त, सवैयों तथा मुल्ला दाउद, कुतुबन और जायसी की सूफी रचनाओं ने यही किया। अपनी कृतियों के द्वारा इन रचनाकारों ने केवल उत्तर प्रदेश को ही नहीं, बल्कि हिन्दी को भी गौरवान्वित किया है। कबीर ने काव्यभाषा हिन्दी के प्राक् रूप का प्रयोग किया। कबीर ने अपने समय की वर्णाश्रम धर्म आश्रित विषमतामूलक संस्कृति, नैतिक और सामाजिक संस्था और विचार तंत्रों को चुनौती दी। तत्कालीन सत्ता के सोपानात्मक ढांचे के आधार को ही उन्होंने हिला दिया। प्रेम की अनन्यता और सर्वोपरिता को स्थापित करते हुए कबीर ने अपने अनुभव से प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हुए हर प्रकार की पोथियों को वास्तविकता से दूर मानते हुए अपने समय के निर्गुण मुहावरे में साखियों और सबदों की ऐसी सहज और निश्छल बानी प्रवाहित की कि वे बनारस की सीमाओं को लाँघकर पूरे भारत वर्ष को प्रभावित करने लगे। कबीर सामाजिक आन्दोलन के अगुआ के रूप में प्रमुखता से आगे दिखते हैं। रवीन्द्रनाथ टैगोर की 'गीतांजलि' से ही नहीं एजरा पाउन्ड द्वारा उनकी कविताओं के किए गए अनुवाद से भी उस प्रभाव का पता चलता है। तुलसीदास समग्र हिन्दी भाषी जनता के कंधे पर हाथ रखने वाले ऐसे सजग कवि हैं जो लोक कल्याण को जीवन-मूल्यों के रूप में स्थापित करते हैं। अपने मूल्यों के प्रति तुलसी भी आग्रही हैं। कवित्त और सवैया छन्दों को उन्होंने हिन्दी का जातीय छंद बना दिया। कवि के रूप में अपने पात्रों के प्रति पूर्ण समर्पण तुलसी के अतिरिक्त शायद कहीं नहीं मिलता। जायसी हिन्दू-मुसलमान को एक साथ रहने और निरर्थक लड़ाई से विरत रहने का मानवीय संदेश देते हुए 'पद्मावत' में अत्यन्त विषादपरक ढंग से पृथ्वी के झूठे होने का संकेत करते हैं। 'पद्मावत' का सारा संकेत समग्र जीवन्तता, आश्चर्यजनक जागतिकता, अलाउद्दीन का आक्रमण आदि ''लीन्ह उठाई छार इकमूठी दीन्ह उड़ाई पिरथिवी झूठी'' में समाप्त होता है। अर्थात् अकाट्य यथार्थ यदि यह है तो धर्म, वासना, अहंकार, सत्ता, चीख-पुकार किसलिए ? क्यों आपस में लड़ते हो, अपने स्वधर्म का पालन करो। सूफियों ने प्रेम की पीर का जो शास्त्र रचा और लौकिक विश्वासों तथा मान्यताओं को मिलाकर जैसा आख्यान रचा, निश्चय ही उसने हिन्दी भाषी क्षेत्र की जनता को काफी सहनशील और मिली-जुली संस्कृति वाला बनाया। जौनपुर के शर्की राजाओं के काल में सूफियों द्वारा रचे गये आख्यान साहित्य ने हिन्दी को ही नहीं बांग्ला आदि भाषाओं को भी प्रभावित किया। बंगाल

में 'पद्मावत' का व्यापक प्रभाव पड़ा है। विजयदेव नारायण साही तो 'जायसी' को हिन्दी का सबसे बड़ा कवि मानते हैं। जायसी एकमात्र कवि हैं जो अपने समय के इतिहास और मिथक तथा लोक और अलोक के प्रश्नों से मानव परिस्थितियों के संदर्भ में एक कवि के रूप में जूझते हैं। 'सूरदास' के लिए प्रेमैक्यता ही मुख्य विषय है। प्रेम-स्वीकृत समाज ही सत्य है। शायद ही दुनिया में कोई कवि होगा जो माता और बालक दोनों के हृदय का इतना मार्मिक ज्ञाता हो। बाल सुलभ चेष्टाओं का इतना सहज और संवेदनशील वर्णन दुर्लभ है। बाल-मनोविज्ञान को समझने के लिए सूरदास पहले कवि हैं जो सहायक सिद्ध हुए हैं। उत्तर प्रदेश के भक्तिकालीन इन रचनाकारों के अलावा रसखान, केशवदास, रहीम, मुल्ला दाउद, मंझन उस्मान और नूर मुहम्मद की रचनाएँ कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। कहा जाता है कि अब्दुल रहीम ख़ानख़ाना ने जौनपुर की सूबेदारी के समय में ही 'बरवै नायिका भेद' ग्रंथ की रचना की। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने तुलसीदास, सूरदास और कबीरदास पर कविताएँ लिखी हैं और तुलसी को कवियों का कवि कहा है। रचना का ग्रंथ बनना आसान नहीं है। केशवदास– जिन्हें गालियाँ ही मिलीं, भाषा के सजग कवि थे। केशव ने व्यवस्थित रूप से कविता का शास्त्र रचा। रामचन्द्र शुक्ल के आरोपों के बावजूद 'रामचंद्रिका' में कौशल्या, लक्ष्मण और दशरथ आदि का चरित्रांकन केशव ने मानवीय धरातल पर करने का आश्चर्यजनक प्रयत्न किया है, बल्कि काफी सीमा तक देवत्वकरण को समाप्त किया। शब्द के प्रति कवि की खोज का जो उल्लेख केशव ने ''सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर'' कहकर किया है, उसकी दाद तो अज्ञेय ने 'केशव की कविताई' लेख में दी ही है। एक अर्थ में केशव प्रयोगवादियों के आचार्य हैं।

बुलंदशहर के रहने वाले सेनापति, पद को चुन-चुनकर रचने का उल्लेख इस गर्व के साथ करते हैं कि उनकी कविता में श्लेष के माध्यम से कर्म अर्थ में है। चमत्कार के इस प्रदर्शन के अलावा प्रकृति के अनेक पक्षों का यथार्थपरक जो चित्र सेनापति ने प्रस्तुत किया है, वह पूरे रीतिकाल में नहीं है।

हिन्दी गद्य को धार्मिक टीकाओं और खतों-फरमानों से अलग व्यावहारिक प्रयोगों के लिए विकसित करने का श्रेय मुंशी इंशा अल्ला ख़ाँ (लखनऊ), लल्लू जी लाल (आगरा) और सदासुख लाल नियाजी (प्रयाग) को है। 'भाखापन' और 'मुअल्लापन' से अलग ठेठ हिन्दी में लिखी कहानी 'रानी केतकी की कहानी', 'प्रेमसागर' और राजनीति तथा 'सुखसागर' ने लगभग 19वीं शताब्दी भर हिन्दी गद्य को मानकीकृत करने का प्रयत्न किया। 'प्रेमसागर' वर्षों तक सरकारी विद्यालयों में पाठ्यपुस्तक बना रहा। इनके बाद दूसरा प्रमुख साहित्यिक प्रयत्न 'इटावा' से राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा मूल संस्कृत से हिन्दी में 'शकुन्तला' के अनुवाद द्वारा शुरू हुआ। राजा लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद 'सितारे हिन्द' ने हिन्दी भाषा को विकसित और समृद्ध करने का कार्य किया। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अपने गुरु शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह से हटकर हिन्दी भाषा को साहित्य और संस्कृति के साथ विमर्श की भाषा बनाने का अप्रतिम प्रयास किया। आगरा, बरेली, वाराणसी और प्रयागराज में स्थापित सभाओं, समाजों और इन्स्टीट्यूटों ने जातीय जागरण के लिए हिन्दी को अधिकाधिक प्रयुक्त करने का व्यापक प्रयत्न किया। भारतेन्दु और उनके युग के रचनाकारों में बालकृष्ण भट्ट (प्रयागराज), राधाचरण गोस्वामी (मथुरा), राधा मोहन गोकुल (आगरा), काशीनाथ खत्री (प्रयागराज), राधाकृष्ण दास (वाराणसी), श्री निवास दास (मथुरा), रतनानाथ (इटावा), राम गोपाल विद्यान्त (लखनऊ), प्रताप नारायण मिश्र (कानपुर), बदरी नारायण चौधरी 'प्रेमघन' (मिर्ज़ापुर), राधा चरण गोस्वामी (मथुरा), तोताराम वर्मा (अलीगढ़) ने हिन्दी भाषा और साहित्य को न केवल समृद्ध किया, बल्कि हिन्दी जाति को नये सामाजिक-राजनैतिक प्रश्नों तथा परिवर्तनों के प्रति सजग और सचेष्ट भी किया। इन लेखकों ने हिन्दी क्षेत्र में लेखों, पर्चों, नाटकों के अभिनयों, बहसों और टिप्पणियों से हिन्दी को सारे उत्तर भारत में राष्ट्रीय जागरण के प्रतीक के रूप में स्थापित किया। इन लेखकों ने ब्रज भाषा, संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेज़ी से हिन्दी में रूपान्तरण करके उसकी व्यापकता की वृद्धि की तथा राष्ट्रीय भावनाओं को धारण करने में समर्थ किया।

भारतेन्दु के समय में ही ब्रजभाषा में बल्लभ, चैतन्य, निम्बार्क, राधावल्लभी हित हरिवंश आदि सम्प्रदाय

के अनेक कवि या तो पैदा उत्तर प्रदेश में हुए या यहीं आकर बस गये। इन रचनाकारों ने सामान्य गृहस्थों के जीवन से लेकर सामंती जीवन तक की अनेक स्थितियों को आदर्शीकृत कर दिया। मध्यकाल के कठोर सेन्सरशिप के युग में दोहरी अर्थ व्यंजना की इस आश्चर्यजनक पद्धति का आविष्कार योरोपीय मध्यकाल के अनेक कवियों में भी मिलता है। श्रृंगार और अध्यात्म का यह संकेतात्मक रचना-विधान, कृष्ण लीलाओं के बहुमुखी रूपों में पाया जाता है। रस-मुहावरे का उत्तर प्रदेश में जन्म तो नहीं हुआ परन्तु अनेक रूपों में विकास यहीं हुआ।

रीतिकाल को प्रायः दरबारी और रूढ़िबद्ध लक्ष्यपरक काव्य कहकर हेय और त्याज्य माना गया है, परन्तु यही वह काल है जिसने कला माध्यम के द्वारा एक प्रकार की आश्चर्यजनक धर्मनिरपेक्षता विकसित की। पूरे हिन्दी क्षेत्र में एक ही काव्यभाषा में कवित्त और सवैया छंदों में ऐन्द्रिय बोध का ऐसा काव्य रचा गया, जिसको पढ़कर यह पता ही नहीं चलता है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ अनेक धार्मिक मतावलम्बी हैं। ऐहिकता को रचना का माध्यम इस सीमा तक बनाना कि अज्ञानी और अशिक्षित से लेकर पढ़े-लिखे पंडित तक रसिकता में डूब जायें इसी समय संभव हुआ। संगीत चित्र और काव्य कलाओं की पारस्परिकता से विकसित इस काल के रचनाकारों में बिहारी (मथुरा), देव (मैनपुरी), चिन्तामणि (कानपुर), मतिराम (कानपुर), भिखारीदास (प्रतापगढ़), भूषण (कानपुर), पद्माकर (बांदा), ग्यास (मथुरा), तोष (प्रयागराज), कुलपति मिश्र (आगरा), बेनी (असनी, फतेहपुर), सुरति मिश्र (आगरा), सुखदेव मिश्र (डुमरियागंज, रायबरेली), श्रीधर उपाध्याय (प्रयागराज), श्रीपति (कालपी, जालौन), रसलीन (बिलग्राम, हरदोई), दूलह (अवध), जगत सिंह (गोण्डा), प्रताप शाही (चरखारी), बेनी प्रवीन (लखनऊ), मुबारक अली (बिलग्राम, हरदोई), गुरुदत्त सिंह भूपति (अमेठी, सुल्तानपुर) आदि कवियों ने रीतिकालीन कविताओं द्वारा ऐसा वातावरण विकसित किया कि कविता सर्व संभव ही नहीं बनी बल्कि शादी-विवाह में एक रस्म के रूप में कला मर्मज्ञता और काव्य कला के ज्ञान को प्रदर्शित करने के लिए रूढ़ि तक बन गई। उत्तर प्रदेश की कुछ जातियों से स्वरचित या किसी अन्य कवि की कवित्त-कविता या सवैया सुनाना वर-कन्या के लिए अनिवार्य सा बन गया। इस प्रकार का काव्य 20वीं शताब्दी तक रचा जाता रहा। डॉ. जगदीश गुप्त की छंदशती में नवीन उद्भावनाएँ और बिम्ब विधान भी हैं। भक्ति के बरक्स इस प्रकार के धर्म निरपेक्ष काव्य का सृजन अपने आप में कम महत्वपूर्ण नहीं है। श्रीधर पाठक (प्रयागराज), मिश्रबन्धु (लखनऊ) और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सतर्क तेजस्विता के साथ गद्य और पद्य की भाषा एक होनी चाहिए इस तर्क से तो रीतिवाद का विरोध किया ही, कविता से अलंकार, श्रृंगार रस और नायिका भेद की परम्परा के बहिष्कार पर भी लिखा। सबसे पहले श्रीधर पाठक ने हिन्दी प्रदीप में एक लेख लिखकर देश प्रेम आदि आधुनिक विषयों पर लिखने और इसे छोड़ने का आग्रह किया। श्रीधर पाठक खड़ी बोली हिन्दी में प्रकृति को नये रूप में प्रस्तुत करने वाले 'नयी चाल' के कवि ही नहीं हैं, बल्कि पहले स्वछंदतावादी रचनाकार हैं जिन्होंने कांग्रेस के पहले 'जयहिन्द' का नारा दिया जैसा कि हरिवंशराय बच्चन ने लिखा है। पाठक जी के प्रयागराज स्थित पद्मकोट में ही एक प्रकार से स्वच्छन्दतावाद से छायावाद का विकास हुआ। सुमित्रानन्दन पंत और महादेवी वर्मा प्रायः यहाँ आते रहते थे। पंत और पाठक जी का संबंध 1909 से ही बहुत गहरा था। मैथिलीशरण गुप्त (चिरगांव, झांसी) के प्रकृति वर्णन और पाठक जी के प्रकृति-वर्णन में अंतर को ध्यान से देखने पर हिन्दी कविता के प्रारम्भ में विद्यमान संभावनाओं का पता लगता है। भाषा को मानकीकृत और व्यवस्थित करने के साथ ही साथ देशप्रेम, राष्ट्रीयता और नये विचारों के प्रति ग्राह्यशीलता का नवजागरणकालीन आग्रह महावीर प्रसाद द्विवेदी की 'सरस्वती' का अग्रणी तत्त्व था। मैथिलीशरण गुप्त की कविताओं का सती तत्त्व और प्रेमचन्द का सत्याग्रही व यथार्थवादी तत्त्व– दोनों ने मिलकर हिन्दी भाषा और कथा-साहित्य को लोकोन्मुखी बनाया। लोक-जागरण के साहित्य को सशक्त माध्यम बनाने का कार्य और राष्ट्रीय आन्दोलन को पूर्णतः राजनैतिक स्वतंत्रता की ओर उन्मुख करने का प्रबल आग्रह एक साथ सक्रिय हुआ। गया प्रसाद शुक्ल सनेही, रूप नारायण पांडे, जगदम्बा प्रसाद हितैषी,

पढ़ीस, राय देवी प्रसाद पूर्ण और कवि मौन आदि की रचनाएँ बकौल निराला खड़ी बोली को समर्थ काव्यभाषा बनाने वाली रचनाएँ हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध' के 'प्रिय प्रवास' की राधा, 'साकेत' की सीता, 'कामायनी' की श्रद्धा, 'सेवासदन' की सुमन, 'गोदान' की मालती, 'कर्मभूमि' की सुखदा आदि स्त्रियाँ भारतीय समाज के आदर्शवादी यथार्थवादी दौर का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रेमचन्द और मैथिलीशरण गुप्त दोनों अपने समय को जिस रूप में परिभाषित करते हैं वह सत्याग्रह युग की ही प्रश्नाकुलता का परिणाम है। प्रेमचन्द के 'गबन' और 'गोदान' तथा 'सद्गति', 'गुल्लीडंडा', 'आहुति', 'कफ़न', 'पूस की रात', 'नशा', 'ठाकुर का कुंआ', 'सवा सेर गेहूँ' आदि कहानियों में सामाजिक यथार्थ का जो आन्तरिक उद्घाटन होता है वह हिन्दी क्षेत्र में नहीं हिन्दी के बाहर भी अन्तर्ध्वनित होता है। हिन्दी के कथा साहित्य पर प्रेमचन्द की छायाएँ आज भी छायी रहती हैं यद्यपि प्रेमचन्द के औपन्यासिक शिल्प और सामाजिक समझ से भिन्न उपन्यास भगवतीचरण वर्मा, यशपाल और अज्ञेय ने लिखे। जैनेन्द्र, इलाचंद जोशी ने मानव मन को केन्द्र में रखकर अनेक उपन्यास लिखे। जैनेन्द्र ने कथा-साहित्य को समर्थ भाषा दी और जोशी ने मन के उद्घाटन की शक्ति। इन कथाकारों ने अपनी कहानियों और उपन्यासों में अनेक नैतिक और सामाजिक प्रश्नों को जिस रूप में रखा, उसके पहले वे उस रूप में नहीं थे। 'त्यागपत्र', 'चित्रलेखा', 'टेढ़े-मेढ़े रास्ते', 'झूठा सच', और 'शेखर एक जीवनी' की दुनिया, प्रेमचंद, प्रसाद की दुनिया नहीं है। कथा साहित्य के क्षेत्र में हिन्दी में लखनऊ का एक खासा दबदबा रहा है। अमृतलाल नागर, श्रीलाल शुक्ल, भगवती बाबू, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिन्दी के कथा समयों का वैसे ही निर्माण किया है जैसे प्रेमचंद ने। उत्तर प्रदेश के शिव प्रसाद सिंह का 'अलग-अलग वैतरणी', विवेकी राय का 'बबूल', राम दरश मिश्र का 'जल टूटता हुआ' तथा अब्दुल बिस्मिल्लाह का 'झीनी झीनी बीनी चदरिया' देशकाल की फांस की ओर संकेत करने वाले उपन्यास हैं। गिरिराज किशोर, बी.राजन, मदन मोहन, देवेन्द्र, प्रियंवद, मुद्राराक्षस, कामतानाथ, अखिलेश आदि ने अपनी रचनाओं से राष्ट्रीय स्तर पर न केवल अपनी छवि निर्मित की है बल्कि अपने प्रयोगों को मनुष्य के सामाजिक और आत्मिक संकट की विसंगतियों सहित रूपायित करने का प्रयत्न किया है। ये वे रचनाकार हैं जिन्होंने अपने भौगोलिक समय और स्थान को फैलाया है। संजीव का 'धार', शैलेश मटियानी का 'मुठभेड़', विभूतिनारायण राय का 'कफ़र्यू' और कमलाकांत द्विवेदी का 'पातीघर', नीलकांत का 'बंधुआ मजदूर रामदास', राजकृष्ण मिश्र का 'दारुलशफ़ा', मैत्रेयी पुष्पा का 'इदन्नमम',वीरेन्द्र सारंग का 'वज्रांगी' महत्वपूर्ण उपन्यास हैं जिनसे पाठक संपृक्त और सजग हुआ है। ऐसे दर्जनों लेखक व उनकी रचनाएँ हैं पर उनका नामोल्लेख न कर पाना हमारी स्थान सीमा है।

हिन्दी नवजागरण के महान रचनाकारों और छायावाद के उन्नायकों में सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला', सुमित्रानन्दन पंत, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा ने उत्तर प्रदेश और हिन्दी दोनों को अपनी रचनाओं से एक प्रकार सनातनत्व प्रदान किया। पंत का पद विन्यास, निराला की क्रान्तिकारी प्रयोगधर्मिता और मौलिकता, जयशंकर प्रसाद का समरसतावादी समाधान और नाटकों में व्याप्त समतावादी राष्ट्रीय जागरण की गहरी दृष्टि तथा महादेवी की मानवीय नारीपरक व यथार्थवादी आध्यात्मिक दृष्टि, गहरी सामाजिक राजनैतिक अन्तर्दृष्टि ने पूरी सृष्टि को मानवीय बना डाला। सब कुछ में प्राण संचार करने वाली हिन्दी के रस छायावाद की भूमि, जिसे काव्य पारिभाषिक दृष्टि से मुश्किल से बहुत छोटा छह-सात वर्ष ही माना जा सकता है, उत्तर प्रदेश ही हो सकता था। 'सरस्वती', 'इन्दु', 'हिन्दी प्रदीप', 'ब्राह्मण', 'भारतेन्दु', 'कवि वचन सुधा', 'बाला बोधिनी', 'स्त्रीदर्पण', 'विज्ञान', 'व्यापार', 'हरिश्चन्द्र मैगजीन', 'स्वराज्य', 'मर्यादा', अभ्युदय', 'माधुरी', 'चांद', सुधा, 'हंस', 'रूपाभ', 'स्वदेश', 'माडर्न', 'दिव्य', 'प्रवासी' आदि पत्रिकाओं ने देश भर में एक ऐसे बौद्धिक वर्ग का निर्माण किया जो व्यापक अर्थ में मानवीय था। ये पत्रिकाएँ छठीं शताब्दी से लेकर स्वतंत्रता के पूर्व के हिन्दी मानस और कुछ सीमा तक भारतीय मानस का निर्माण करती रही हैं।

'क्षितिज के उस पार' या 'कौन तम के पार रे' आदि प्रश्नों को टालकर इस पार को महत्व देने वाले प्रत्यक्षवादियों ने हिन्दी काव्य को नई दिशा दी। बच्चन, नरेन्द्र शर्मा, अंचल और भगवती चरण वर्मा ने वर्जित

रचना क्षेत्र जैसा रवैया छोड़ दिया; उन्मुक्तता और सहजता को कविता के मर्म में स्थापित किया। उत्तर प्रदेश के इन रचनाकारों के गीतों में चिंतनशीलता के बजाय आवेग, स्वच्छंदता और तड़प है। यथार्थ को निरावृत रूप में मन की मौज में ग्रहण करने के कारण इन कवियों ने भाषा में एक विशेष प्रकार की सोच और आकर्षण पैदा किया। हिन्दी को नये प्रतीक प्रदान किये। निराला और पंत की कविताओं में भी युगान्त और युगवाणी की ध्वनि गूँजी। 1936 के प्रगतिशील लेखक संघ के लखनऊ अधिवेशन के बाद जिसे प्रेमचन्द ने सम्बोधित किया था हिन्दी कविता में भारतीय समाज के शोषण और अत्याचार के विविध चित्रों को प्रस्तुत किया गया। प्रगतिशील रचनाकारों में त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, शीलजी उस समय के प्रसिद्ध लेखकों में हैं जिन्होंने हिन्दी काव्य को निरंतर प्रौढ़ बनाया। शमशेर बहादुर सिंह प्रारंभ में इसी दौर से सम्बद्ध थे। अज्ञेय को यदि जन्मस्थान (कुशीनगर) की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का मान लिया जाय तो कहा जा सकता है कि इस दौर के प्रभाव में वे भी थे। इन कवियों ने हिन्दी भाषा को तद्भव शब्दों और नयी अनुभूतियों से सम्पन्न किया। पत्र-पत्रिकाओं ने भी इसमें महत्त्वपूर्ण योगदान किया। 'प्रतीक' (प्रयागराज) के प्रकाशन के साथ हिन्दी कविता में नया दौर प्रारम्भ होता है। 'तार सप्तक' का प्रकाशन एक घटना है, इसमें रामविलास शर्मा, भारतभूषण अग्रवाल उत्तर प्रदेश के रचनाकार हैं परंतु दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक में प्रदेश के कई महत्वपूर्ण रचनाकार शामिल हैं। बल्कि कहा जा सकता है कि दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक तक प्रयोगवाद और नयी कविता के दौर के अनेक लेखन-आन्दोलन ही चूँकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से प्रारंभ हुए, इसीलिए वे रचनाकार इसी प्रदेश के हैं। शमशेर, नरेश मेहता (जन्म मध्य प्रदेश, रचना क्षेत्र- प्रयागराज), कुँवर नारायण, धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर, रघुवीर सहाय, विजयदेव नारायण साही, लक्ष्मीकांत वर्मा, विपिन कुमार अग्रवाल, मलयज, केदारनाथ सिंह इस प्रदेश की ही विभूतियाँ हैं, जिनके कारण यह प्रान्त अपनी सीमा के बाहर भी जाना जाता है।

छठे दशक के इन रचनाकारों का प्रभाव इधर लिख रहे अनेक रचनाकारों में पाया जाता है। देवेन्द्र कुमार, श्रीराम वर्मा, शिवकुटी लाल वर्मा, अजित कुमार, कीर्ति चौधरी आदि रचनाकारों ने कविता को सम्पन्न करने का कार्य किया परन्तु धूमिल ने कविता के स्थिर मुहावरे को तोड़ा। धूमिल ने यथार्थ के स्थिर और अपेक्षाकृत आदर्शीकृत काव्यात्मक मुहावरे के स्थान पर अनुभव और संवेदना के द्वन्द्वात्मक रिश्ते से विकसित एक नया मुहावरा दिया, जिससे कविता कटघरे में खड़े आम आदमी का बयान करने लगती है। धूमिल के मुहावरे की अपनी सीमा थी परन्तु उसका प्रभाव सातवें और आठवें दशक पर व्यापक रूप से पड़ा। विशेषकर उन पर जो कविता को क्रान्ति का एक महत्वपूर्ण माध्यम मानते रहे हैं। भावुक प्रतिक्रियाओं के इस दौर के बाद हिन्दी में अनेक नये कवि इस प्रदेश में आठवें और नवें दशक में हैं। कविता के क्षेत्र में कवि कम कवि यशः प्रार्थी अधिक हैं। नीलाभ, प्रभात, राजेश, वीरेन डंगवाल, नरेश सक्सेना, देवी प्रसाद मिश्र, बोधिसत्व, मान बहादुर सिंह, कात्यायनी, बद्रीनारायण, हरीशचन्द्र पाण्डे, अनिल श्रीवास्तव जैसे सैकड़ों कवियों ने अपनी कविताओं से अपने समय के संकट और सामर्थ्य को चिन्तनशील भावना के साथ व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश का योगदान अधूरा ही माना जाएगा अगर कविता और साहित्य को प्रतिष्ठान का रूप देने वाले उन अनेक गीतकारों और रचनाकारों का उल्लेख न हो जिन्होंने गीत विधा में विविध प्रयोग करके उसे सम्मेलनी स्तर से उठाकर महज गले का कमाल नहीं रहने दिया है। विसंगतियों, विद्रूपों और व्यंजनाओं का गहरी सम्प्रेषण क्षमता के साथ प्रयोग इन कवियों ने किया है। इसमें उमाकान्त मालवीय, रमानाथ अवस्थी, मोहन अवस्थी, नीरज, रामस्वरूप सिन्दूर, सोम ठाकुर, महेश्वर तिवारी, के.पी. सक्सेना, कैलाश गौतम, उमाशंकर तिवारी, गुलाब सिंह, यश मालवीय, अमरनाथ श्रीवास्तव विशेष उल्लेखनीय हैं। इन रचनाकारों ने बाजारूपन और कृत्रिम गंभीरता से कविता को यथासंभव बचाया है। हिन्दी गजल को एक विधा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले दुष्यन्त कुमार उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। वैसे प्रयोग तो भारतेन्दु ने भी किया और निराला ने भी परन्तु दुष्यंत के अलावा शमशेर, विजयदेवनारायण साही, अदम गोंडवी, गोरख पांडे और एहतराम इस्लाम ने हिन्दी में ग़ज़ल को व्यापक

अर्थवत्ता प्रदान की है। शमशेर और साही तो काफिया रदीफ की दृष्टि से भी अत्यंत चौकन्ने गजल लिखने वाले हैं। संसार की अन्य भाषाओं की तरह आत्मविमर्शात्मक स्वरूप वाली अनेक महत्वपूर्ण कविताएँ हिन्दी में भी हैं। इन्हें भक्ति अध्यात्म या धर्मानुभूति के खांचे में डालना कठिन है। निराला के आराधना और अर्चना के गीतों से लेकर गोविन्द चन्द्र पांडे की 'किसका', केशव कालीधर की 'समर्थ रीति', लक्ष्मीकांत वर्मा की 'कंचनमृगा', नरेश मेहता की 'उत्सवा' तक एक भिन्न प्रकार का आस्वाद है जो समकालीन प्रश्नों का शाश्वत उत्तर देने का प्रयत्न है।

कहानी विधा एक अर्थ में अंकुरित, पल्लवित और पुष्पित उत्तर प्रदेश में ही हुई। प्रेमचन्द से लेकर दीपक श्रीवास्तव तक उसका सर्जनात्मक तेवर वाला इतिहास है। प्रेमचन्द्र, प्रसाद, यशपाल, अश्क, अज्ञेय आदि पूर्वजों के बाद कहानी विधा विविध आन्दोलनों और परिवर्तनों के दौर से गुजरती रही है। इस दौर में जिन्होंने इसे सम्पन्न बनाया उन लोगों में उत्तर प्रदेश के लेखकों को यदि प्रदेश के माध्यम से जाना जाता हुआ माना जाय– तो मार्कण्डेय, राजेन्द्र यादव, कमलेश्वर, अमरकान्त, शैलेश मटियानी, रामलाल, शेखर जोशी, हृदयेश, दूधनाथ सिंह, विभूतिनारायण राय, ज्ञानरंजन, गिरिराज किशोर, गोविन्द मिश्र, मैत्रेयी पुष्पा, नीलकान्त, शिवमूर्ति, संजीव, शिवानी, ममता कालिया, नमिता सिंह, शिव प्रसाद सिंह, काशीनाथ सिंह, कामतानाथ, रघुवीर सहाय, वसु मालवीय, शैलेन्द्र सागर, प्रियंवद, अखिलेश, मुद्राराक्षस, मनोज पाण्डे, वीरेन्द्र सारंग, लक्ष्मीशंकर मिश्र 'निशंक', से.रा. यात्री तथा अन्य दर्जनों नाम, ने अपनी कहानियों से कहानी को सर्जनात्मक विधा ही नहीं बनाये रखा, बल्कि इस विधा के माध्यम से मनुष्य और यथार्थ दोनों को न केवल उद्घाटित किया, बल्कि संवेदनाओं के ऐसे क्षेत्रों की ओर संकेत किया जो बिल्कुल नया था। ऐसे अंधेरे की ओर संकेत किया जहाँ मणियाँ थीं और ऐसे प्रकाशित स्थलों को दिखाया, जहाँ अंधेरा ही अंधेरा था। नये कथ्य, नयी भाषा और नये यथार्थ और नये शिल्प की दृष्टि से इन रचनाकारों का स्थायी योगदान है। इधर कहानियों में सूचनाओं के जंजाल का तंत्र लक्षणवादी तंत्र से अधिक विकसित हुआ है। कुछ ऐसे लेखक, कवि जो उत्तर प्रदेश में स्थायी रूप से बस गए हैं उनमें से मास्टर कहानीकार उपेन्द्रनाथ अश्क, बलवन्त सिंह, रवीन्द्र कालिया, सतीश जमाली और ज्ञानेन्द्रपति का उल्लेख आवश्यक है। इनमें से कालिया और सतीश के लगभग सभी संकलन उत्तर प्रदेश आवास के बाद छपे हैं। अश्क और बलवन्त सिंह के उपन्यासों और कहानियों से हिन्दी भाषा समृद्ध ही नहीं हुई, बल्कि कथा-साहित्य में जीवनानुभव के विस्तृत वर्णन और रोमांस से यथार्थ का एक नया ही रूप उद्घाटित हुआ है।

नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का योगदान अग्रणी है। बालकृष्ण भट्ट, देवकीनन्दन त्रिपाठी, शीतला प्रसाद, गोपाल दास, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, राधाकृष्ण दास और माधव शुक्ल हिन्दी नाटक और रंगमंच के प्रजापति हैं। प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी के रंगकर्मियों ने विक्टोरिया और अलबर्ट थियेटर कम्पनियों के समानांतर रंगमंच का विकास किया। 1870 के आस-पास प्रयाग रेलवे थियेटर में 300 दर्शकों के प्रमाण मिलते हैं। लखनऊ की विद्यान्त नाट्यशाला में बंगला से अनूदित और मूल हिन्दी नाटकों के 1877 तक खेले जाने के प्रमाण हैं। 1885 में भारतेन्दु के हरिश्चन्द्र के पांच प्रदर्शन हो चुके थे। माधव शुक्ल ने तो कलकत्ता में भी हिन्दी रंगमंच का आन्दोलन चलाया। इन नाटककारों के सामाजिक, समस्यामूलक, ऐतिहासिक, प्रतीकात्मक और देशप्रेमपरक नाटकों के बाद प्रसाद के नाटकों का दौर आता है, जो पठनीय अधिक, अभिनेय कम माने जाते हैं। प्रसाद के नाटकों का अनुकरण बड़े पैमाने पर नहीं हुआ परन्तु वे नाटक राष्ट्र जागरण के ही नहीं राजनैतिक स्वतंत्रता के नाटक हैं। 'ध्रुवस्वामिनी' तो सामाजिक स्वतंत्रता का भी नाटक है। प्रसाद के बाद के समय में ही लक्ष्मीनारायण मिश्र और भुवनेश्वर के नाटक छप रहे थे। इन दोनों ने हिन्दी नाटक को सामाजिक प्रश्नों के सामने खड़े होने और मनुष्य तथा समाज में होने वाले मानसिक भौतिक परिवर्तनों को केन्द्र में रखकर नाटक की भाषा और विधान को बदला। पश्चिम के इब्सन, गाल्सवर्दी और शॉ का प्रभाव ग्रहण कर राम कुमार

वर्मा, जगदीशचन्द्र माथुर, लक्ष्मीकांत वर्मा, लक्ष्मीनारायण लाल, विपिन कुमार अग्रवाल ने हिन्दी नाटक में अनेक संभावनाओं का विस्तार किया। नाटक में अभिनय संभावनाओं का विस्तार भुवनेश्वर से प्रारंभ हुआ। विपिन कुमार, मुद्राराक्षस, लक्ष्मीनारायण लाल, सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ, उर्मिल कुमार थपलियाल, राजेश कुमार, सुलतान अहमद रिज़वी और सत्यव्रत सिन्हा ने उसे समर्थ और समकालीन बनाया। सुरेन्द्र वर्मा, मोहन राकेश के बाद जो सर्वाधिक चर्चित नाटककार हैं वे भी उत्तर प्रदेश में ही जन्मे हैं।

विष्णु प्रभाकर वैसे तो उपन्यासकार और कहानीकार हैं, 'अर्द्धनारीश्वर' पर साहित्य अकादमी सम्मान भी मिला है परन्तु प्रसिद्धि उन्हें नाटकों से ही मिली है। लगभग 10 खंडों में नाटक प्रकाशित हैं। नेमिचंद जैन और गिरीश रस्तोगी का नाट्य आन्दोलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। 'नटरंग' के बगैर नाटक के विकास की चर्चा अधूरी रह जाती है। सत्यमूर्ति और कृष्णनारायण कक्कड़ को भी रंगकर्म और नाटकों के लिए भुलाना असंभव है। गो कि कक्कड़ जी ने कविता आलोचना, चित्रकला-विमर्श, चित्रकला-अनुवाद में भी समान रूप से योगदान दिया। नाटक के माध्यम से रंगमंच पर सत्य को परिभाषित करने का कार्य जो भारतेन्दु के समय से प्रारंभ हुआ उसे इस प्रदेश के रंगकर्मियों और नाटककारों ने सीमाहीन क्षेत्रों में फैलाया।

आलोचना और पुस्तक समीक्षा दोनों की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई। भारतेन्दु, बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमधन' और बालकृष्ण भट्ट इसके आरंभकर्ता हैं। संयोगिता स्वयंवर नाटक जिसकी पहली समीक्षा हिन्दी में लिखी गई, उसके लेखक श्रीनिवास दास मथुरा के थे। प्रसिद्ध आलोचक मिश्र बन्धु और रामचन्द्र शुक्ल ने न केवल हिन्दी आलोचना की भाषा विकसित की बल्कि पहली बार व्यवस्थित रूप से कुछ मान (कैनन) भी विकसित किये जिसका लोहा लोग आज भी मानते हैं। रामबिलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद गुप्त, नामवर सिंह, विजयदेव नारायण साही, लक्ष्मीकान्त वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉ. रघुवंश, दूधनाथ सिंह, परमानन्द श्रीवास्तव, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, राजेन्द्र कुमार, डॉ. अजय तिवारी, मधुरेश, विश्वनाथ त्रिपाठी, नित्यानंद तिवारी, अजित कुमार, वागीश शुक्ल, वीरेन्द्र यादव, सुशील सिद्धार्थ, पंकज चतुर्वेदी, कृष्णमोहन, अनिल सिन्हा, प्रणय कृष्ण और मूलचन्द गौतम ने हिन्दी आलोचना को अनेक रूपों में समृद्ध किया है। रामविलास शर्मा जलती मशाल की तरह विद्वत्ता और मूल्यांकन की अद्‌भुत क्षमता से युक्त समर्थ ऐतिहासिक आलोचक हैं। 'निराला की साहित्य साधना' तो जीवनी और आलोचना दोनों का प्रमाण है ही। नयी कविता और अस्तित्ववाद, स्थायी मूल्य और साहित्य रामचन्द्र शुक्ल और हिन्दी आलोचना, 'भारतेन्दु और हिन्दी भाषा की विकास परम्परा' रामचन्द्र शुक्ल के बाद सबसे समर्थ आलोचना के गौरवग्रंथ हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भाषा को मानकीकृत करके हिन्दी को गद्य और पद्य की एक भाषा ही नहीं बनाया, बल्कि हिन्दी भाषियों की चेतना का अपूर्व संस्कार किया। उन्होंने मनोरंजन और उद्देश्य दोनों को साहित्य का लक्ष्य माना। समीक्षाएँ लिखीं भी और लिखवायीं भी। मिश्र बन्धुओं के 'हिन्दी नवरत्न' की समीक्षा आधुनिक रचना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी के प्रमुख शिष्य नन्ददुलारे वाजपेयी (उन्नाव) ने शुक्ल जी से हटकर छायावाद की प्रमुख कृतियों का ही नहीं 'साकेत', 'शेखर एक जीवनी', 'कामायनी', 'गोदान' आदि पर महत्वपूर्ण निबंध लिखे। छायावाद को प्रतिष्ठित करने का कार्य तो किया ही हिन्दी साहित्य बीसवीं शताब्दी की विवृत्ति आलोचना का महत्वपूर्ण प्रतिमान है। सच तो यह है कि शुक्ल जी के बाद वाजपेयी जी कला मर्मज्ञ सामाजिक दृष्टि के सबसे सशक्त आलोचक हैं।

साही की 'जायसी और छठवां दशक', नामवर सिंह की 'कविता के नये प्रतिमान', विपिन कुमार की 'आधुनिकता की पहल', रामस्वरूप चतुर्वेदी की 'भाषा और संवेदना', रमेश कुंतल मेघ का 'अथातो सौन्दर्य जिज्ञासा', परमानन्द श्रीवास्तव की 'शब्द और मनुष्य' तथा वागीश शुक्ल के 'पूर्वग्रह' तथा 'आलोचना' में प्रकाशित लेख प्रतिमानात्मक कृतियाँ हैं। काल्पनिक और अकाल्पनिक गद्य में हिन्दी आलोचना प्रायः दरिद्र है। उत्तर प्रदेश के कुछ लोगों ने प्रयत्न किया है जैसे जगदीश नारायण श्रीवास्तव का 'उपन्यास की शर्त', नेमिचंद जैन (आगरा) की प्रसिद्ध पुस्तक 'अधूरे साक्षात्कार' अभी भी आदर्श बनी हुई है।

यात्रावृत्तान्त, आत्मकथा, जीवनी और संस्मरण आदि विधाओं में ऐतिहासिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश में पैदा हुए रचनाकार अग्रणी रहे हैं। श्यामसुन्दर दास की 'मेरी आत्म कहानी' कई अर्थों में आत्मकथा विधा का व्यवस्थित स्वरूप है। हरिवंश राय बच्चन की चार खंडों में प्रकाशित 'क्या भूलूँ क्या याद करूँ', 'नीड़ का निर्माण', 'बसेरे से दूर' और 'दशद्वार से सोपान तक' एक प्रकार से महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। रचनाकारों ने आत्मकथाएँ प्रायः कम लिखी हैं। यात्रा वृत्तान्तों की दृष्टि से अज्ञेय का 'अरे यायावर रहेगा याद', भाषा की संक्षिप्तता और सटीकता तथा वस्तु की जीवंतता का चरम उदाहरण है। जीवनी की दृष्टि से प्रारम्भ तो भारतेन्दु युग में हो चुका था परन्तु इस विधा की व्यवस्थित और प्रभावपूर्ण प्रयोग 'आवारा मसीहा' में विष्णु प्रभाकर ने किया है। अमृत राय का 'कलम का सिपाही', उस अर्थ में और भी महत्वपूर्ण है कि प्रेमचन्द लेखक के पिता भी थे, लेखक के लिए आवश्यक दूरी बनाना कठिन था। यद्यपि इसके पहले चरित्रों और वृत्तान्तों की लम्बी परम्परा मिलती है परन्तु नरेन्द्र शर्मा लिखित 'महात्मा गांधी', राधामोहन गोकुल लिखित 'नेपोलियन बोनापार्ट', रामचन्द्र वर्मा लिखित 'महात्मा गांधी'। हिन्दी लेखकों की जीवनियों की महत्वपूर्ण शुरुआत श्याम सुन्दर दास ने 'हिन्दी कोविद रत्नमाला' से की। इधर डॉ. रामकमल राय ने प्रसिद्ध कवि अज्ञेय पर 'शिखर से सागर तक' शीर्षक से महत्वपूर्ण और एक अर्थ में एकमात्र प्रमाणित जीवनी लिखी है। संस्मरणों में बनारसी दास चतुर्वेदी, श्रीनारायण चतुर्वेदी, कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर', रामनरेश त्रिपाठी और अज्ञेय का विशेष महत्व है। एक प्रकार से इन रचनाकारों ने इसे सर्जनात्मकता प्रदान की। अमृतराय की 'जिनकी याद सदा हरी रहेगी' तथा जगदीश माथुर की 'जिन्होंने जीना जाना' ऐसी पुस्तकें हैं जो भाषा के सांकेतिक और सटीक प्रयोग के कारण संस्मरण में गहरी संवेदनात्मक क्षमता पैदा करती हैं। रेखाचित्रों में महादेवी जी की 'अतीत के चलचित्र' और 'स्मृति की रेखाएँ' अभी भी अन्यतम हैं। एक शब्द का भी अनावश्यक प्रयोग नहीं मिलेगा।

रवीन्द्र कालिया, काशीनाथ सिंह, दूधनाथ सिंह शिवमूर्ति के इधर प्रकाशित संस्मरणों में सर्जनात्मक ऊर्जा के कारण पाठक को आनन्द मिलता है। दूधनाथ सिंह का 'लौट आ ओ धार' और काशीनाथ सिंह का 'काशी का अस्सी' संस्मरण से हटकर एक प्रकार का संस्मरणात्मक गल्प है। यह पुस्तक विधात्मक नयेपन के कारण ही नहीं अपनी बुनावट के कारण भी लीक से हटकर है।

सृजनात्मक चिंतन और ललित निबंधों की दृष्टि से हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ, विवेकी राय, कन्हैया लाल मिश्र 'प्रभाकर', डॉ. रघुवंश, युगेश्वर और कृष्णनाथ का योगदान अविस्मरणीय है। आचार्य द्विवेदी जैसी मर्मवेधनी मानवीय दृष्टि और शोषितों तथा गरीबों के प्रति सहानुभूति का तो अभाव हुआ है, परन्तु प्रकृति मात्र के प्रति व्यापक दृष्टि तथा मानवीय चिन्ता निबंधकारों का मुख्य विषय है।

रचनाकार किसी भी प्रदेश के हों वे मूलतः किसी न किसी भाषा के लेखक होते हैं और भाषाएँ भारत में एक भाषिक क्षेत्र के अन्तर्गत होने के कारण एक दूसरे को कितना कुछ सम्पन्न करती रहती हैं, कहना कठिन है। इस अर्थ में हिन्दी क्षेत्र का व्यापक महत्व है। हिन्दी के अधिसंख्य लेखक उत्तर प्रदेश के हैं परन्तु हिन्दी को इतना व्यापक बनाने का श्रेय उन लेखकों को अपेक्षाकृत अधिक है जो अन्य भाषा क्षेत्रों से हैं। उत्तर प्रदेश के रचनाकारों में से भी अनेक अन्य प्रान्तों में बसे हैं, फलतः बहुआयामों के कारण अनुभव और भाषा का नया संश्लेष पैदा कर सके हैं।

उर्दू अदब

उर्दू भाषा के विकास में उत्तर प्रदेश का विशेष योगदान रहा है। तेरहवीं सदी में यद्यपि अमीर ख़ुसरो ने, जिनका जन्म पटियाली (जिला एटा) पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ था, कुछ पद्यात्मक रचनायें कीं पर उर्दू गद्य का वास्तविक विकास अठारहवीं सदी से प्रारम्भ हुआ था। उर्दू के महान शायर ग़ालिब, मीर तथा नज़ीर अकबराबादी, जिनका दृष्टिकोण धर्मनिरेपक्ष रहा, का जन्म स्थान आगरा था। मीर ने अपने आखिरी दिन लखनऊ में बिताये थे। नज़ीर अकबराबादी आगरा में ही रहे और वहीं उनका देहान्त हुआ। आसिफ़ुद्दौला स्वयं उच्चकोटि के शायर

थे, फलतः लखनऊ उर्दू शायरी का केन्द्र बन गया।

उधर दिल्ली से लखनऊ बहुत सारे शायर आए क्योंकि दिल्ली दरबार उजड़ रहा था। ऐसे आने वाले महान शायरों में फ़ुगाँ, मीर तक़ी मीर, सौदा, मीर ज़ाहिक़ और मीर हसन का उल्लेख किया जा सकता है। इनके बाद मुसहफी, इंशा और जुरअत आये। समय और स्थान के परिवर्तन का प्रभाव यह हुआ कि दिल्ली शायरी की नैराश्यमय एवं उपालम्भपूर्ण शैली का स्थान लखनऊ की सुगम, अलंकारिक एवं ललित शैली ने ले लिया। लखनऊ शैली के दो प्रमुख शायर थे, नासिख़ और आतिश। ग़ज़ल के अतिरिक्त उर्दू शायरी की अन्य विधाओं जैसे मसनवी का सुन्दर उदाहरण मीर हसन, दयाशंकर 'नसीम', नवाब मिर्ज़ा 'शौक़' तथा अहमद अली शौक क़िदवई ने प्रस्तुत किया। इनकी रचनाओं के नाम हैं– 'सहरूलबयान', 'गुलज़ारे नसीम', 'ज़हरे इश्क' और 'आलमेख़्याल'। रेख़ती में जान साहब ने कमाल दिखाया तथा एक पूरा दीवान यादगार छोड़ा। कुछ उर्दू शायरों को रामपुर, फ़र्रुखाबाद में आश्रय मिला। दाग़, असर, अमीर, जलाल और तस्लीम उन प्रसिद्ध शायरों में से थे, जिन्हें रामपुर दरबार की तरफ से मदद मिली।

उर्दू शायरी की एक विधा 'मर्सिया' है जिसे मीर अनीस एवं मिर्ज़ा दबीर और उनके समकालीन शायरों ने उत्कर्ष पर पहुँचाया। अब इस विधा को एक नया आयाम देते हुए जदीद मर्सिये लिखे जा रहे हैं। जोश मलिहाबादी, अली मेंहदी बलरामपुरी, समर हतनौरी, तय्यब काज़मी, तबस्सुम ऐजाज़ी, नासिर लखनवी ने नये मर्सिये को नया रंग दिया। उर्दू नाटककारों में अवध नरेश वाजिद अली शाह 'अख़्तर' ने 'राधा-कन्हैया' का रहस्य लिखकर तथा आगा हसन अमानत ने 'इन्द्रसभा' लिखकर उर्दू साहित्य के इतिहास में नाम पैदा किया। आधुनिक युग में आग़ा हश्र कश्मीरी ने सुविख्यात एवं लोकप्रिय नाटक लिखे। इस परम्परा को विलायत जाफ़री, ज़ैनुद्दीन आदि आगे बढ़ा रहे हैं।

बीसवीं सदी के प्रारम्भ में बृजनारायण 'चकबस्त', सफ़ी, अज़ीज, साक़िब और जलाल ने अपनी ग़ज़लों और नज़्मों में नये विषयों का समावेश किया तथा लखनवी शायरी को नयी दिशा दी । ब्रजनारायण 'चकबस्त' इस संदर्भ में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, क्योंकि उन्होंने उर्दू शायरी में राष्ट्र प्रेम की भावना का सूत्रपात किया। उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य प्रख्यात शायरों में सुरूर जहानाबादी, मौ. मोहम्मद अली 'जौहर', बिशन नारायण दर, नौबतराय नज़र, द्वारिका प्रसाद उफ़ुक़, हसरत मोहानी, यगाना चंगेज़ी, असगर गोंडवी, अकबर इलाहाबादी, आरज़ू लखनवी, फ़ानी बदायूंनी, रियाज़ खैराबादी, मुज़तर खैराबादी, जाफ़र अली खां 'असर' और सिराज लखनवी आदि उल्लेखनीय हैं। इन सब शायरों ने उर्दू ग़ज़ल और शायरी को नया आयाम दिया। उर्दू शायरी में उपालम्भों की शुरुआत और उक्त शैली का विकास भी उत्तर प्रदेश में हुआ।

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध से 'अवधपंच' में उपहासात्मक कवितायें तथा लेखादि छपा करते थे। इस कोटि के सबसे सफल कवि अकबर इलाहाबादी तथा ज़रीफ़ लख़नवी थे। बाद में गद्य लिखने वालों में रशीद अहमद सिद्दीक़ी, शौकत थानवी, अहमद जमाल पाशा, वजाहत अली सन्दीलवी आदि ने नाम कमाया।

उर्दू गद्य को भी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण देन रही है। गद्य लिखने वाले सर्वप्रथम लेखकों में लखनऊ के मिर्ज़ा रजब अली बेग 'सुरूर' का नाम आता है। उन्होंने अवध के शासक नसीरुद्दीन हैदर के शासनकाल में 'फ़सान-ए-अजायब' लिखा। कतिपय अन्य रचनायें भी इनके नाम से हैं। इनकी शैली अलंकारिक और दुरूह है। शब्दाडम्बर भी अधिक है।

सन् 1857 के स्वतंत्रता आन्दोलन के बाद मौलाना अब्दुल हलीम 'शरर' तथा पण्डित रतननाथ 'सरशार' के उपन्यासों में उर्दू गद्य लेखन की सरल शैली दिखायी पड़ी। उर्दू साहित्य में नयी परम्परायें प्रारम्भ करने वालों में मिर्जा हादी 'रुसवा', मुंशी सज्जाद हुसैन, मौलाना शिबली, अल्लामा नियाज़ फ़तेहपुरी, अब्दुल माजिद दरियाबादी आदि ने साहित्य और अन्य विषयों पर जो कुछ लिखा, वह अविस्मरणीय है। अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले सर सैय्यद अहमद खां, जो दिल्ली के रहने वाले थे, किन्तु उत्तर

प्रदेश में बस गये थे, ने अपने लेखों आदि में अनेक विषयों का समावेश कर उर्दू साहित्य को नयी दिशा प्रदान की तथा भाषा को सरल और आसान बनाया। उन्होंने समाज सुधार, इतिहास, जीवनी, शिक्षा, राष्ट्रीयता और राजनीति से सम्बद्ध विविध विषयों पर लेख लिखे। उनके विस्तृत ज्ञान की उनके समकालीन लेखक अवहेलना नहीं कर सके। इस प्रकार लेखकों के सामने ऐसे विषय आये, जिनकी तरफ पहले उनका ध्यान ही नहीं गया था। इतिहासकारों में इसी प्रदेश के कमालुद्दीन हैदर हसनी उल हुसैनी, राजा दुर्गा प्रसाद मेहर संदीलवी और मौलवी नजमुल ग़नी रामपुरी ने अवध के इतिहास पर बुनियादी कार्य किया तथा उच्चकोटि की पुस्तकें यादगार के रूप में छोड़ीं। देश के उर्दू पुस्तकों का सबसे महत्वपूर्ण प्रकाशन केन्द्र मुंशी नवल किशोर ने लखनऊ में स्थापित किया था। उर्दू के प्रति इस प्रकाशक की सेवायें अविस्मरणीय हैं। इन्होंने ही 'अवध अखबार' जारी किया था। पं. रतननाथ सरशार का सुविख्यात उपन्यास 'फसान-ए-आज़ाद' इसी अखबार में किश्तवार छपा करता था। सैय्यद जालिब का सुविख्यात अख़बार 'हमदम' लखनऊ से प्रकाशित होता था।

उत्तर प्रदेश से बहुत सारे अदबी रिसाले भी प्रकाशित होते थे। इनमें खदंग-ए-नज़र, उर्दू-ए-मुअल्ला, दिलगुदाज़, ज़माना, अदीब, अल-नाज़िर, निगार, माअरिफ़, नया दौर और किताब उल्लेखनीय हैं। इनमें से 'माअरिफ़' और सूचना विभाग से प्रकाशित 'नया दौर' आज भी प्रकाशित हो रहे हैं।

उर्दू में प्रगतिशील साहित्य को बढ़ावा देने में भी उत्तर प्रदेश आगे रहा है। प्रगतिशील लेखक संघ की प्रथम कांफ्रेंस 1936 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही आयोजित हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सुविख्यात उर्दू-हिन्दी कहानीकार मुंशी प्रेमचन्द ने की थी। प्रगतिशील साहित्य में मजदूरों, किसानों और समाज के अन्य दबे-कुचले वर्गों की समस्याओं के चित्रण पर बल दिया गया और साहित्य द्वारा जनता में अपनी मौलिक समस्याओं और अपने अधिकारों के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करने के चित्रण पर ज़ोर दिया गया। साथ ही साहित्य द्वारा जनता की मौलिक समस्याओं के निराकरण की कोशिश की गई। प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापकों में सज्जाद ज़हीर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो एक महत्वपूर्ण साहित्यकार भी थे। इनका संबंध भी उत्तर प्रदेश से था। सुप्रसिद्ध प्रगतिशील समालोचक प्रो. सैय्यद एहतेशाम हुसैन रिज़वी भी उत्तर प्रदेश के थे। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश ने ही उर्दू साहित्य को प्रो. मसूद हसन रिज़वी अदीब, मजनूँ गोरखपुरी, प्रो. एजाज़ हुसैन, डॉ. मसीहउज़्ज़मा, प्रो. आले अहमद सुरूर, प्रो. फज़ले इमाम, अली सरदार जाफ़री और डॉ. इबादत बरेलवी जैसे आलोचक भी दिये। जो अन्य महत्वपूर्ण साहित्यकार, कहानीकार और कवि उत्तर प्रदेश ने उर्दू को दिये, उनमें क़ुअर्तुल ऐन हैदर, इसमत चुगताई, अली अब्बास हुसैनी, उपेन्द्रनाथ अश्क, बलवंत सिंह, हयातुल्लाह अन्सारी, रामलाल, चौधरी मोहम्मद अली, जोश मलिहाबादी, मजाज़, फिराक़ गोरखपुरी, जिगर मुरादाबादी, वामिक़ जौनपुरी, अली सरदार जाफ़री, मोइन एहसन जज़बी, बाक़र मेंहदी, ख़लीलुर्रहमान आज़मी, सलाम मछली शहरी, मजरूह सुल्तानपुरी, कैफ़ी आज़मी, बेकल उत्साही, नज़ीर बनारसी, इरफान सिद्दीकी, शहरयार, बशीर बद्र, वसीम बरेलवी, एहसन रिज़वी, उमर अंसारी, गुलाम रिज़वी गर्दिश, कृष्ण बिहारी 'नूर' और ख़ुमार बाराबंकवी, मन्ज़र सलीम, दाराबबानो 'वफ़ा' आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उर्दू शायरी के सशक्त प्रतिनिधि के रूप में इरफ़ान सिद्दीकी ने पिछले एक दशक में अपना लोहा मनवाया। भारत ही नहीं पूरी उर्दू दुनिया में उनकी शायरी आधुनिक और प्रगतिशीलता के समागम के रूप में प्रसिद्ध हुई। 'ज्ञानपीठ' से पुरस्कृत 'उमराव जान' फिल्म के गीतकार एवं मशहूर शायर 'शहरयार' ने भी उर्दू शायरी में प्रदेश का नाम बुलन्दियों तक पहुँचाने में बड़ा योगदान दिया।

उत्तर प्रदेश के लिए यह भी कम गर्व का विषय नहीं है कि साहित्य के सर्वोच्च सम्मान 'ज्ञानपीठ' से पुरस्कृत होने वली उर्दू की चार महान विभूतियाँ हैं। उर्दू शायरी को उत्कर्ष पर पहुँचाने वाली महान शख्सियत व मशहूर शायर 'फ़िराक़' गोरखपुरी, विख्यात उपन्यासकार व कथाकार क़ुअर्तुल ऐन हैदर, मशहूर प्रगतिशील शायर अली सरदार जाफ़री एवं शहरयार भी उत्तर प्रदेश के ही हैं।

इसके बाद जिन दो साहित्यकारों को 'सरस्वती सम्मान' से नवाज़ा गया वे भी उत्तर प्रदेश के हैं। इनमें पुरस्कृत समालोचक, लेखक शम्सुर्रहमान फ़ारूकी को पहले और उसके बाद मशहूर कथाकार नैय्यर मसूद को सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया। भारत में अभी तक किसी भी अन्य प्रदेश के उर्दू साहित्यकार को सरस्वती सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। इनके अलावा और भी महान एवं महत्वपूर्ण लेखक तथा कवि उत्तर प्रदेश ने उर्दू को दिये हैं।

सन् 1960 में और उसके पश्चात् भारत के उर्दू साहित्य में आधुनिक अभिव्यक्ति (जदीदियत) की जो बात चली, उसे आगे बढ़ाने में सबसे अधिक योगदान उत्तर प्रदेश के शहर इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली उर्दू की साहित्यिक पत्रिका 'शबखून' का रहा। इस पत्रिका के माध्यम से सुविख्यात आधुनिक साहित्यकार शम्सुर्रहमान फ़ारुकी ने, जो उत्तर प्रदेश के ही हैं, आधुनिकता की व्याख्या की और उसे आगे बढ़ाया। आधुनिकता के अन्तर्गत साहित्य में प्रतीकात्मक और एब्सट्रेक्ट अभिव्यक्ति पर ज़ोर दिया गया और कहानी, कविता और ग़ज़ल में आज के युग के व्यक्ति की सामाजिक समस्याओं पर कम, मनोवैज्ञानिक समस्याओं के चित्रण पर अधिक ज़ोर दिया गया।

उर्दू साहित्य में शोध कार्य करने वालों तथा समालोचकों में प्रो. महमूद इलाही, प्रो. नूरुल हसन हाशमी, काज़िम अली खाँ, डॉ.सै.मु.अकील रिजवी, डॉ.जाफर रजा, प्रो. शारिब रुदौलवी, प्रो. मुजाविर हुसैन रिज़वी, अली जवाद जैदी तथा डॉ. मुहम्मद हसन, प्रो. कमर रईस, प्रो. हनीफ़ नकवी, प्रो. अकबर हैदरी कश्मीरी, वारिस किरमानी, अनीस अशफाक, वक़ार नासिरी आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसी प्रकार नैयर मसूद, आबिद सुहेल, बशेषर प्रदीप, ज़ुबेर रिज़वी, मलिक ज़ादा मन्जूर अहमद, वक़ार नासिरी, मसरूर जहाँ, अनीस अंसारी, अम्बर बहराइची, फय्याज रफत, विलायत जाफ़री, मुनव्वर राना (जिन्हें हाल ही में साहित्य अकादमी के एवार्ड से सुशोभित किया गया है), रबाब रशीदी, तसनीम फारुक़ी, बशीर फ़ारुकी, इक़बाल मजीद, काज़ी अब्दुल सत्तार, तारिक़ छतारी, खालिद जावेद, सबीहा अनवर, आयशा सिद्दीक़ी, तसकीन ज़ैदी आदि कहानीकार एवं शायर उर्दू अदब की खिदमत कर रहे हैं। नए साहित्यकारों में कई अहम नाम सामने आए। मसलन शायरी में अज़रा परवीन, कमर अदीब, आमिर रियाज, शाहिद कमाल, संजय मिश्रा 'शौक' और कहानी में गज़ाल जैगम उल्लेखनीय रहीं। इनके अलावा मोहसिन खाँ, शाहिद अख़्तर, इश्रत जफ़र, आरिफ़ अय्यूबी, सुहेल वहीद, क़ायद हुसैन कौसर, असरार जोधा आदि ने कई अच्छे अफसाने लिखकर अपना नाम दर्ज कराया है। अनुवाद कार्य में हैदरी जाफरी सैय्यद और शकील सिद्दीक़ी का नाम विशेष तौर पर लिया जा सकता है। डॉ. वज़ाहत हुसैन रिज़वी, डॉ. रेशमा परवीन, डॉ. अतहर मसूद आदि ने भी तहक़ीक़ व आलोचना के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।

इस तरह हम देखते हैं कि उर्दू भाषा एवं साहित्य के विकास और उसकी समृद्धि में उत्तर प्रदेश ने हर युग में योगदान दिया है और अपनी विशेष भूमिका निभाई है। विशेष रूप से उर्दू भाषा को निखारने, संवारने और सुन्दर बनाने में लखनऊ का जो योगदान रहा है, वह अविस्मरणीय है। उर्दू साहित्य की समृद्धि में उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका निभा रहा है। यहाँ के कतिपय समालोचकों, लेखकों और शायरों का उर्दू साहित्य में बड़ा ऊँचा स्थान है। यह प्रदेश उर्दू के पालन-पोषण का एक मुख्य केन्द्र रहा है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है और उर्दू के विकास एवं प्रसार के लिए आवश्यक क़दम उठाये हैं। ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है।

●

हिन्दी और उर्दू पत्रकारिता

हिन्दी पत्रकारिता की प्रथम किरण बंगाल में प्रस्फुटित हुई। हिन्दी का प्रथम पत्र 30 मई, 1826 को कोलकाता से निकला, जिसका नाम 'उदन्त मार्तण्ड' था। यह साप्ताहिक था। इसके सम्पादक पंडित युगुल किशोर शुक्ल कानपुर के थे। उत्तर प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता का ऐतिहासिक अध्ययन करते समय निम्न काल विभाजन करना उपयुक्त होगा– (1) प्रारम्भिक युग (1845-1867 तक), (2) भारतेन्दु युग (1867-1900 तक), (3) द्विवेदी युग (1900 से 1920 तक), (4) गांधी युग या छायावाद युग (1920-1947 तक), (5) स्वातन्त्र्योत्तर युग (1947 से आज तक)।

प्रारम्भिक युग (1845-1867 तक)

उत्तर प्रदेश से प्रकाशित पत्रों में 'बनारस अखबार' पहला हिन्दी पत्र (साप्ताहिक) था। यह जनवरी 1845 में काशी (वाराणसी) से प्रकाशित हुआ। यह हिन्दी भाषी प्रान्तों का प्रथम हिन्दी पत्र था। इसे राजा शिवप्रसाद 'सितारे हिन्द' ने प्रकाशित कराया था। इसके सम्पादक थे– श्री गोविन्द रघुनाथ थत्ते। राजा शिवप्रसाद 'सितारे हिन्द' उर्दू के हिमायती थे। इसी कारण हिन्दी का पत्र होने पर भी 'बनारस अख़बार' की भाषा हिन्दी न होकर उर्दू थी। 'बनारस अख़बार' के बाद काशी (वाराणसी) से ही 1850 ई. में श्री तारामोहन मित्र द्वारा 'सुधाकर' (साप्ताहिक) का प्रकाशन हुआ। यह साप्ताहिक पत्र बंगला तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। तीन वर्ष बाद यह केवल हिन्दी में प्रकाशित होने लगा। आगरा से 'बुद्धिप्रकाश' का प्रकाशन पत्रकारिता की दृष्टि से ही नहीं, भाषा एवं शैली के विकास के विचार से भी विशेष महत्त्व रखता है। इसका प्रकाशन वर्ष 1852 है। इसके सम्पादक थे– मुंशी सदासुखलाल। आगरा से 'सर्वहितकारक' नामक साप्ताहिक का प्रकाशन 1855 में हुआ। इसके सम्पादक थे– शिवनारायण। इसमें हिन्दी और उर्दू दोनों भाषाएँ रहती थीं पर हिन्दी ही इसकी मुख्य भाषा थी।

शिक्षा के प्रचार-प्रसार के फलस्वरूप हिन्दी पत्रकारिता का विकास भारतीय स्वतंत्रता संग्राम (1857) तक उतनी तेजी से नहीं हुआ जितनी अपेक्षा थी। इसी समय 13 जून, 1857 को प्रेस सम्बन्धी एक कानून जिसे 'गैंगिग ऐक्ट' कहते हैं, लागू किया गया। 1857 की क्रांति की विफलता के परिणामस्वरूप भारतीयों की मनःस्थिति अवसादमय हो गयी थी। इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश की सामाजिक, राजनीतिक स्थिति के साथ ही साथ हिन्दी पत्रकारिता के विकास पर भी पड़ा। दमनकारी प्रेस सम्बन्धी कानून की अवधि समाप्त होने एवं राजनीतिक भूकम्प के शान्त होने पर उत्तर प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता में नई जागृति उत्पन्न हुई। 1861 में उत्तर प्रदेश से कई पत्र निकले। इनमें 'सूरज प्रकाश' आगरा से प्रकाशित हुआ। सम्पादक थे– गनेशीलाल। इस पत्र के उर्दू भाग का नाम था– 'आफ़ताबे आलमताब'। 'सर्वोपकारक' और 'ज्ञानप्रकाश' भी आगरा से निकले। 'सर्वोपकारक' के सम्पादक थे– शिवनारायण। 1865 में सर्वोपकारक का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व कायम हो गया। इसी वर्ष इटावा से 'प्रजाहित' का प्रकाशन हुआ। यह पाक्षिक था। सम्पादक थे– हकीम जवाहरलाल। इसके उर्दू और अंग्रेजी संस्करण भी प्रकाशित हुए। 'लोकमित्र' का प्रकाशन 1 जनवरी, 1863 को आगरा से हुआ। यह ईसाइयों का मासिक पत्र था। इसका प्रकाशन शुद्ध हिन्दी में होता था। 1864 में आगरा से 'भारतखण्डामृत' नाम का पत्र निकला। इसके हिन्दी अंश का नाम 'भारतखण्डामृत' और उर्दू का नाम 'आबेहयात' हुआ। सम्पादक थे– पंडित वंशीधर वाजपेयी। 1865 में बरेली से 'तत्वबोधिनी पत्रिका' का प्रकाशन हुआ। यह

गुलाब शंकर के संपादकत्व में निकली। यह शुद्ध हिन्दी पत्रिका थी। पत्रिका ब्रह्म समाज के सिद्धान्तों का प्रचार करती थी।

भारतेन्दु युग (1867-1900)

1867 ई. में आगरा से 'सर्वजनोपकारक' का प्रकाशन हुआ। पंडित पूर्णचन्द्र इसके सम्पादक थे। इसी वर्ष आगरा से एक और पत्र 'धर्मप्रकाश' निकला। ज्वाला प्रसाद सम्पादक थे। यही 1890 में रुड़की से हिन्दी, उर्दू और संस्कृत में निकलने लगा। 1913 में यह जालौन जिले के कोंच से निकला और 1921 में इसका प्रकाशन कानपुर से होने लगा। भारतेन्दु युग में भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अपने सहधर्मियों का एक मंडल बनाया, जिसे 'भारतेन्दु मंडल' कहा गया। तभी से हिन्दी पत्रकारिता के विकास को नई गतिशीलता प्राप्त हुई। 15 अगस्त, सन् 1867 ई. को भारतेन्दु ने काशी से 'कविवचन सुधा' मासिक पत्र का प्रकाशन आरम्भ किया। इसके प्रकाशन के साथ ही हिन्दी पत्रकारिता के नये युग का सूत्रपात हुआ। आरम्भ में इसमें प्रसिद्ध कवियों की कविताओं का प्रकाशन होता था। भारतेन्दु इसके माध्यम से भारतीय जनता को हिन्दी कविता की परम्परा से परिचित कराना चाहते थे। यह पत्रिका कुछ ही दिनों के बाद मासिक से पाक्षिक हो गई। पाक्षिक 'कविवचन सुधा' में आधुनिक विषयों तथा समाज नीति, राजनीति पर लेख एवं समाचार भी प्रकाशित होते थे। 1875 में यह साप्ताहिक हो गई। 1868 में प्रयाग से विविध विषय भूषित 'वृत्तान्त दर्पण' नामक पत्र सदासुखलाल के सम्पादकत्व में निकला। यह मासिक था। दो वर्ष बाद ही यह कानून का पत्र बना दिया गया। 1869 में 'मंगल समाचार' मेरठ से प्रकाशित हुआ। सम्पादक थे ठाकुर गिरिप्रसाद सिंह। यह हिन्दी-उर्दू में एक साथ निकलता था। इसी वर्ष आगरा से 'जगत्समाचार', जगदानंद और 'पापमोचन' हिन्दी-उर्दू का पत्र था। इसके सम्पादक कृष्णचन्द्र थे। इसका अपना लीथो प्रेस था। 'जगत्प्रकाश' मुरादाबाद से निकला। पाक्षिक 'विद्यादर्श' और 'समय विनोद' भी इसी वर्ष निकले। 'विद्यादर्श' मेरठ से प्रकाशित होता था। इसका उर्दू संस्करण भी था। इसमें विद्या की चर्चा रहती थी।

'आगरा एजूकेशनल गजट' का प्रकाशन भी 1869 में हुआ। इसके उर्दू संस्करण के सम्पादक यूसुफ अली और हिन्दी संस्करण के सम्पादक अमीरउद्दीन थे। उर्दू की 150 और हिन्दी की 50 प्रतियाँ छपती थीं। 'ब्रह्मज्ञान प्रकाश' ब्रह्मसमाजी विचारों का पत्र बरेली से निकला था। सम्पादक थे– केशवचन्द्र सेन। 'आगरा अखबार' और 'आर्य दर्पण' का प्रकाशन आगरा तथा शाहजहाँपुर से हुआ। आर्य दर्पण के सम्पादक थे– मुंशी बख्तावर सिंह। यह मासिक पत्र था। आर्य समाज आन्दोलन को गति देने के लिए इसका प्रकाशन किया गया। इन दोनों पत्रों का प्रकाशन वर्ष 1870 था। 1871 में प्रकाशित होने वाले पत्र थे– 'हिन्दू प्रकाश' (कानपुर), 'प्रयाग दूत' (प्रयाग), 'बुन्देलखण्ड अखबार' (ललितपुर), 'म्यूरगजट (मेरठ) और 'सोल्जर्स गजट' (सहारनपुर)। 'प्रेम पत्र' का प्रकाशन 1872 में आगरा से हुआ। यह पाक्षिक था। इसके सम्पादक पंडित रुद्रदत्त शर्मा थे। 'प्रेमपत्र' ही वह प्रथम पत्र है जिससे पंडित रुद्रदत्त का सम्पादकीय जीवन आरम्भ हुआ। 'हरिश्चन्द्र मैगज़ीन', 'हरिश्चन्द्रिका', 'भारत-पत्रिका' और 'मर्यादा परिपाटी समाचार' पत्रिकाओं का प्रकाशन वर्ष 1873 है। इनमें 'हरिश्चन्द्र मैगज़ीन' हिन्दी भाषा और साहित्य की प्रमुख पत्रिका थी। यह मासिक थी। 15 अक्टूबर, 1873 को इसका प्रथम अंक निकला। इसमें पुरातत्व, उपन्यास, कविता, आलोचना, ऐतिहासिक, राजनैतिक, साहित्यिक तथा दार्शनिक लेख, कहानियाँ एवं व्यंग्य आदि का प्रकाशन होता था। इसका प्रकाशन स्थल काशी ही था। 'हरिश्चन्द्रिका' साप्ताहिक हिन्दी पत्रिका थी। इसके अतिरिक्त पत्रिका में राजनीतिक लेख और समाचार भी छपते थे। इसके सम्पादक जयराम थे। 'भारत पत्रिका' का प्रकाशन लखनऊ से हुआ। यह उर्दू-हिन्दी में निकलता था। पत्र का प्रकाशन अवध के ताल्लुकेदारों की संस्था– 'ब्रिटिश इण्डियन एसोसिएशन' ने किया था। 'मर्यादापरिपाटी समाचार' नामक मासिक पत्र का प्रकाशन आगरा से हुआ। यह हिन्दी और संस्कृत में निकलता था। सम्पादक थे पंडित दुर्गाप्रसाद शुक्ल। यह सनातनी पत्र पुरानी मर्यादा की रक्षा हेतु प्रकाशित किया गया।

'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका', 'बालाबोधिनी', 'नाटक प्रकाश', 'नागरी प्रकाश' और 'भारत बंधु' का प्रकाशन स्थल क्रमशः काशी, प्रयाग, मेरठ और अलीगढ़ है। इसके अलावा 'सुदर्शन समाचार', 'प्रयाग धर्मपत्रिका' का प्रकाशन प्रयागराज से हुआ। इन पत्रों का प्रकाशन वर्ष 1874 है। इनमें 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका', 'हरिश्चन्द्र मैगजीन' का संशोधित नाम है। यह पत्रिका भी अत्यधिक लोकप्रिय हुई। पत्रिका ने साहित्य और पत्रकारिता के माध्यम से राष्ट्रीय सम्मान की भावना जगाने, साहित्यिक रुचि फैलाने, हिन्दी साहित्य के विविध भागों को समृद्ध करने और हिन्दी भाषा को देश के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में उचित स्थान दिलाने के लिए संघर्ष किया। सरकार इसकी सौ प्रतियाँ खरीदती थी। 'बालाबोधिनी' पत्रिका का प्रकाशन 1 जून, 1874 को हुआ। यह स्त्रीजनों की प्यारी मासिक पत्रिका स्त्री शिक्षा के प्रचारार्थ प्रकाशित की गई थी। 'नाटक प्रकाश' 26 जून, 1874 को प्रयागराज से निकला था। यह नाटकों का मासिक पत्र था। इसके सम्पादक प्रयागराज हाईकोर्ट के वकील रतनचन्द्र थे। 'नागरी प्रकाश' का प्रकाशन मेरठ से हुआ। यह मासिक पत्र था। इसका उद्देश्य नागरी या हिन्दी अक्षरों का विकास करना था। 'भारतबन्धु' साप्ताहिक के सम्पादक तोताराम वर्मा थे। यह मोटे और भद्दे टाइप में छपता था। पत्र का स्वर राजनीतिक अधिक और साहित्यिक कम था। 'धर्म प्रकाश' (प्रयाग), 'आनंद लहरी' (बनारस), 'सुदर्शन समाचार' (प्रयागराज), 'आर्य पत्रिका' (मिर्जापुर), 'मंगल समाचार' (अलीगढ़), 'काशी पत्रिका' (वाराणसी) का प्रकाशन वर्ष 1875 था। 'आनंद लहरी' और 'काशी पत्रिका' साहित्यिक थीं। 'काशी पत्रिका' का प्रकाशन भारतेन्दु की ही प्रेरणा से हुआ था। इसमें 'सत्य हरिश्चन्द्र', 'कर्पूर मंजरी' आदि हरिश्चन्द्र के कई नाटक छपे। यह साप्ताहिक पत्रिका थी। सम्पादक थे– बालेश्वर प्रसाद। 'प्रयाग धर्म प्रकाश' (प्रयागराज) और 'आर्यभूषण' (शाहजहाँपुर) का प्रकाशन 1876 ई. में हुआ।

'अजाब' (शाहजहांपुर), 'हिन्दी प्रदीप' (प्रयागराज) से दोनों पत्र 1877 में निकले। 'हिन्दी प्रदीप' मासिक पत्र का प्रकाशन भारतेन्दु मंडल के वरिष्ठ सदस्य पंडित बालकृष्ण भट्ट ने किया। यह साहित्यिक पत्र था। पत्रकारिता की दृष्टि से 'हिन्दी' का जन्म हिन्दी साहित्य के इतिहास में क्रांतिकारी घटना है। इसने पत्रकारिकता को नयी दिशा दी। भट्ट जी का राजनीतिक दर्शन भारतेन्दु की तरह राष्ट्रीयता और स्वदेशी से परिपूर्ण था। उसमें अकाल, बेरोजगारी एवं सांस्कृतिक संघर्षों पर भी लेख होते थे। इसके अतिरिक्त नाटक, प्रहसन, निबंध और कविताएँ भी प्रकाशित होती थीं। 'हिन्दी प्रदीप' का राष्ट्रीय स्वर निर्भीकता तथा तेजस्विता से परिपूर्ण था। हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार में 'हिन्दी-प्रदीप' का बराबर सहयोग रहा। 'कायस्थ समाचार' (प्रयाग), 'ज्ञानचन्द्र' (प्रयागराज), 'आर्यमित्र' (काशी), 'दिनकर प्रकाश' (लखनऊ) और 'शुभचिंतक' (कानपुर) का प्रकाशन 1878 ई. में हुआ। 1879 ई. में 'सज्जनकीर्ति सुधाकर' (आगरा) और 'भारतसुदशा प्रवर्तक' फर्रुखाबाद से निकले। प्रवर्तक के सम्पादक थे– पंडित गणेश प्रसाद शर्मा। इसमें वैदिक धर्म प्रचार, सामाजिक कुरीतियों का निवारण, दलितोद्धार, स्त्री-शिक्षा और मादक द्रव्य निवारण आदि विषयों पर लेख छपते थे। 1881 ई. में 'भारती विलास' (आगरा), 'भारतदीपिका' (लखनऊ) और 'आनन्द कादम्बिनी' (मिर्जापुर) पत्र निकले, जिनका हिन्दी पत्रकारिता में विशिष्ट स्थान है। 'आनंद कादम्बिनी' के सम्पादक थे– पंडित बदरी नारायण चौधरी 'प्रेमधन', 'आनन्दकादम्बिनी' के स्तम्भ बड़े आकर्षक और साहित्यिक हुआ करते थे। यथा– सम्पादकीय, 'सम्मति समीर', 'साहित्य सौदामिनी', 'वृतान्त बलाकावली' और 'प्राप्ति स्वीकार' अथवा 'समालोचना सीकर' आदि। पत्रिका के प्रकाशन का मूल उद्देश्य था– साहित्य, समाज, धर्म, राजनीति आदि में परिवर्तन लाना। 1882 में 'प्रयागराज समाचार' (प्रयागराज), 'बालदर्पण' (प्रयागराज), 'देवनागरी प्रचारक' (मेरठ), 'भारतेन्दु' (वृन्दावन) आदि पत्र निकले।

'काशी समाचार' (काशी), 'सत्य प्रकाश' (बरेली), 'दिनकर प्रकाश' (लखनऊ) और 'ब्राह्मण' (कानपुर) का प्रकाशन 1883 में हुआ। 'ब्राह्मण' का प्रथम अंक होली के दिन (15 मार्च, 1883) निकला। पत्र का सिद्धान्त वाक्य था– ''शमोरपिगुणावाच्या दोषा वाच्या गुरोरपि''। इसमें सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक विषयों पर बड़े उत्कृष्ट लेख होते थे। यह अपने समय का निर्भीक पत्र था। इसने देशोन्नति में बाधक

विचारों और कार्यों की कटु आलोचना करने का व्रत ले रखा था। पत्रिका के सम्पादक थे– प्रसिद्ध निबन्धकार पंडित प्रतापनारायण मिश्र।

सन् 1885 से 1895 के बीच प्रकाशित होने वाले महत्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाओं में 'हिन्दोस्थान' (कालाकांकर), 'नागरी नीरद' (मिर्जापुर), 'भारतप्रकाश' (मुरादाबाद), 'भारतोदय' (कानपुर), 'रसिक पंच' एवं 'प्रयाग मित्र' (प्रयागराज), 'विचार पत्र' (इटावा), 'भारत भानु' (बनारस), 'बुद्धि प्रकाश' (लखनऊ), 'हिन्दी मंच' (अलीगढ़), 'देवनागरी गजट' (मेरठ), 'खिचड़ी समाचार' (मिर्जापुर), 'भारतहितैषी' (फर्रुखाबाद), 'ब्रजवासी' (मथुरा), 'भारत प्रताप' (मुरादाबाद), 'रसिक पत्रिका' एवं 'रसिक पंच' (कानपुर), 'भारतभूषण' (बनारस), 'बुन्देलखण्ड पंच' एवं 'संसार दर्पण' (झाँसी), तथा 'स्वतंत्र' (लखनऊ), 'सनाढ्योपकारक' (आगरा), 'माहेश्वरी' (हापुड़), 'वनिता हितैषी' (कानपुर), 'नाट्यपत्र' (प्रयागराज), 'सर्वहितैषी' (मुरादाबाद), 'वैश्यहितकारी' (मेरठ), 'जैन गजट' (सहारनपुर), 'जैन समाचार' (लखनऊ), 'ब्राह्मण समाचार' (हरदोई), 'दीनबन्धु' (फर्रुखाबाद), 'प्रश्नोत्तर' और 'कुसुमांजलि' (काशी), 'एलोपैथिक डाक्टर' (प्रयाग), 'विश्वकर्मा' (मथुरा), 'चतुर्वेदी' (आगरा) आदि पत्र प्रकाशित हुए। इन पत्रों में दैनिक 'हिन्दोस्तान' और 'नागरी नीरद' दोनों ने अपनी महत्ता के लिए पत्रकारिता के इतिहास में अक्षुण्ण भूमिका अदा की है। पत्र का प्रथम अंक 1885 में निकला। महामना पंडित मदनमोहन मालवीय इसके प्रधान सम्पादक थे। दैनिक हिन्दोस्तान पत्र का वार्षिक मूल्य रुपये दस था। दैनिक 'हिन्दोस्तान' के माध्यम से महामना मालवीय जी ने हिन्दी पत्रकारिता को मूल्यवान बना दिया। हिन्दी भाषा तथा देवनागरी लिपि का सबल समर्थन इस पत्र द्वारा निरंतर होता रहा।

इसी वर्ष 'नागरी-नीरद' नामक साप्ताहिक पत्र 'प्रेमधन' जी ने मिर्जापुर से निकाला। पत्रिका के स्तम्भों के नाम साहित्य, वर्षा और ऋतु सम्बन्धित हुआ करते थे। यथा– 'सम्पादकीय समिति समीर', 'हास्य हरितांकुर', 'काव्यामृतवर्षा', 'विज्ञापन वीर बहूटियाँ', 'नियम निर्घोष', 'सौदामिनी संदेश', 'अनुवादाम्बुप्रवाह', 'संग्रहसुरेन्द्रायुध' आदि। पत्र में राजनीति, सामाजिक, साहित्यिक, शैक्षणिक आदि विषय चर्चित होते थे। हास-परिहास के लिए प्रहसन, चुटकुले तथा प्रश्नोत्तर होते थे। नागरी का प्रचार इस पत्र का मुख्य उद्देश्य था। 'गौड़ हितकारक' (मुरादाबाद), 'सनातन धर्मपताका' (मुरादाबाद), 'कवि और समालोचक' (बलिया), 'चन्द्रिका' (लखनऊ), 'त्रिवेणी तरंग' (प्रयागराज) का प्रकाशन वर्ष 1886 है। 1897 में 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका' का प्रकाशन हुआ। यह शोध पत्रिका थी इसने हिन्दी पत्रकारिता और साहित्य को नया जीवन प्रदान किया। यह त्रैमासिक थी। 1898 में 'आर्यमित्र' (मुरादाबाद) और 'कान्यकुब्ज हितकारी' (कानपुर) का प्रकाशन हुआ। 1899 में 'मथुरा-वैश्य सुखदायक' (मथुरा) और 'देशहितकारी' (मेरठ) पत्र निकले।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि इस युग की पत्रकारिता ने युग चेतना का पर्याय बनकर नये युग का प्रवर्तन किया। हिन्दी भाषा के उत्थान-विकास और भारतीय समाज के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक अर्थात् समग्र चेतना के विकास में इस युग की पत्रकारिता का योगदान स्तुत्य है।

द्विवेदी युग (1900-1920)

हिन्दी साहित्य का द्विवेदी युग (महावीर प्रसाद द्विवेदी) अपनी साहित्यिक आदर्शवादिता के लिए प्रसिद्ध हुआ। इस युग की हिन्दी पत्रकारिता का मूल स्वर साहित्यिक होते हुए भी राष्ट्रीयता के उन्नयन की दृष्टि से ब्रिटिश सरकार के प्रति प्रहारात्मक और राष्ट्रभक्ति से परिपूर्ण था। इस युग की साहित्यिक पत्रिका 'सरस्वती' का प्रकाशन पत्रकारिता के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक घटना है। तीसरे वर्ष में इसके सम्पादन का भार पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उठा लिया। द्विवेदी जी ने इस पत्रिका का सम्पादन लगभग पन्द्रह वर्षों तक किया। उनके सम्पादन काल में 'सरस्वती' का सर्वांगीण विकास हुआ। यह वही अवधि है जिसको बाद में द्विवेदी युग की संज्ञा दी गई। 'सरस्वती' का प्रकाशन लगभग 80 वर्षों तक होता रहा। इसके अन्य सम्पादकों में– पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, पंडित देवीदत्त शुक्ल और पंडित श्रीनारायण चतुर्वेदी प्रमुख हैं।

'सरस्वती' ने हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित किया। इसने लेखकों को लिखने की

कला का प्रशिक्षण दिया। सम्पादन तकनीक से लोगों को अवगत कराया। साहित्य, समाज और राजनीति से सम्बन्धित समस्त विषयों के लेखों का प्रकाशन किया। इस वर्ष के अन्य प्रकाशित पत्रों के नाम हैं– 'काव्यकलानिधि' (मिर्जापुर), 'सुदर्शन' (काशी), 'अवध समाचार' (लखनऊ), 'कर्तव्यसुधानिधि' (प्रयागराज), 'नूतन व्यापारी' (मेरठ), 'मित्र' (बनारस), 'जाट हितकारी' (आगरा), 'भारतहितोपदेशक मित्र' (बाराबंकी) और 'गोपाल पत्रिका' (लखनऊ) आदि। 'वसुन्धरा' का प्रकाशन वाराणसी से 1902 में हुआ। सम्पादक थे– रामदास वर्मा। सन् 1903 में 'कायस्थ कुल भास्कर' (इटावा), 'धर्मोपदेशक (बरेली), 'वाणिज्य सुखदायक' (काशी), 'रसिक लहरी' (कानपुर), 'सिपाही' (कानपुर), 'अंबला हितकारक' (मुरादाबाद), 'स्त्री दर्पण' (प्रयागराज), 'कवीन्द्र वाटिका' (प्रयागराज), 'धर्मपंच' (मेरठ), 'ब्राह्मण सर्वस्व' (इटावा) आदि पत्र निकले। सन् 1906 ई. में 'कनवजिया' (कानपुर), 'कलवार गजट' (मिर्जापुर), 'रसिक रहस्य' (जौनपुर), 'विनोद वाटिका' (काशी), 'छात्रहितैषी' (अलीगढ़), 'बालप्रभाकर' (बनारस), 'संसार मित्र' और 'वैदिक सर्वस्व' (प्रयाग) से प्रकाशित हुए।

सन् 1907 में प्रयागराज से मदनमोहन मालवीय के सम्पादकत्व में 'अभ्युदय' साप्ताहिक का प्रकाशन हुआ। 'अभ्युदय' प्रदेश में उदार विचारों का प्रमुख पत्र बन गया था। कालान्तर में यह स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रवाह में प्रवाहित होकर क्रांतिकारियों का पक्षधर बन गया। इस पत्र के सम्पादकों में मालवीय जी के अलावा– पुरुषोत्तम दास टण्डन, सत्यानंद जोशी, कृष्णकांत मालवीय, वेंकटेशनारायण तिवारी, पद्मकांत मालवीय और पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी इसके सम्पादक रहे। 'अभ्युदय' ने अनेक राष्ट्रभक्त पत्रकारों को प्रशिक्षण प्रदान किया। इसी वर्ष 'अभ्युदय' के अतिरिक्त साप्ताहिक 'आनन्द' का प्रकाशन लखनऊ से हुआ। सम्पादक थे– पंडित शिवनाथ शर्मा। ये बड़े आनन्दी व्यक्ति थे। हँसी-दिल्लगी का लेख लिखने वाला उनके समान कोई नहीं हुआ। 1917 में यह दैनिक हो गया था। इस वर्ष अन्य प्रकाशित पत्रों में 'दयानन्द पत्रिका' (मेरठ), 'नागरीप्रचारक' (लखनऊ), 'सदुपकारी' (बरेली) और 'भारतभूमि' (मुरादाबाद) आदि हैं।

'सम्राट' (कालाकांकर), 'कलवार मित्र' (प्रयाग), 'खत्री हितकारी' (काशी), 'क्षत्रिय' (मेरठ) तथा 'व्यापारी व कारीगर' (काशी) पत्र सन् 1908 में निकले। सन् 1909 में 'कर्मयोगी' (प्रयागराज), 'देहाती' (आगरा), 'जहावी' (चुनार), 'कवि' (गोरखपुर), 'स्त्रीधर्मशिक्षक' (प्रयाग), और 'इन्दु' (वाराणसी) का प्रकाशन हुआ। उत्तर प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता को उग्र स्वर प्रदान करने वाले पंडित सुन्दरलाल हैं। इन्हीं के सम्पादकत्व में 'कर्मयोगी' निकला। इसमें ऐसी रचनाएँ छपती थीं, जिसमें भूतकाल के भारत की महानता और उसकी वर्तमान स्थिति को दर्शाया गया हो। 'इन्दु' मासिक का प्रथम अंक 1909 में निकला। यह उच्च कोटि का साहित्यिक पत्र था। सम्पादक थे– प्रसाद जी के भांजे श्री अंबिका प्रसाद गुप्त। 'इन्दु' पत्रिका को हिन्दी-साहित्यिक-संसार में लाने का श्रेय 'प्रसाद जी' को है, क्योंकि यह उन्हीं की प्रेरणा का फल था। प्रसाद का अधिकांश प्रारम्भिक साहित्य इसी पत्रिका के माध्यम से सामने आया। इसमें उनकी कविताएँ, लेख, कहानी, नाटक आदि प्रकाशित हुए। यहीं से उनके स्वच्छन्दतावादी जीवन-दर्शन एवं काव्यान्दोलन का निर्माण होता है। प्रसाद की काव्य साधना के विकास में 'इन्दु' का अविस्मरणीय योगदान है। इसने हिन्दी कविता की नई धारा के पथ को प्रशस्त किया। इसलिए हिन्दी काव्य विकास की धारा को ठीक से समझने के लिए 'इन्दु' की फाइलों का अनुशीलन अनिवार्य है।

'प्रताप' (कानपुर), 'कुलश्रेष्ठ' (अलीगढ़), 'नवजीवन' (काशी), 'प्रजाबंध' (मथुरा), 'सुधांश' (आगरा) का प्रकाशन सन् 1910 में हुआ। इसमें 'प्रताप' एक तेजस्वी पत्र था। इसके सम्पादक बाबू गणेश शंकर विद्यार्थी उत्साही नवयुवक थे। उन्होंने कुछ साथियों की सहायता से इसे निकाला था। थोड़े ही समय में 'प्रताप' ने हिन्दी पत्रकारिता में अपना स्थान बना लिया था। प्रताप का आफिस क्रान्तिकारियों का अड्डा था। अपने नीति-विषयक आदर्शों एवं उद्देश्यों से प्रतिबद्ध 'प्रताप' ने आगे चलकर ब्रिटिश शासन को कदम-कदम पर चुनौती दी और इसके लिए दण्ड भी भोगा।

'श्री सरयूपारीण' (प्रयागराज), 'वैष्णव सर्वस्व' (वृन्दावन), 'जमीनदार' (काशी), 'स्त्रीचिकित्सक' (प्रयागराज), 'भास्कर' (मेरठ), 'जीवन' (कानपुर), 'मर्यादा' (प्रयागराज) का प्रकाशन वर्ष सन् 1911 है। 'मर्यादा' का प्रकाशन पंडित मदन मोहन मालवीय के पुत्र कृष्णकान्त मालवीय ने किया था। कृष्णकान्त ही 'मर्यादा' के प्रथम सम्पादक थे। यह पत्रिका अपने नाम के गुणानुसार सामाजिक मर्यादा और राष्ट्रीय समस्याओं को अभिव्यक्त करते हुए विज्ञान विषयक सामग्री का भी प्रकाशन करती थी। 'आकाश दर्शन' स्तम्भ में ज्योतिष के आधार पर ग्रह नक्षत्रों की गणना मासिक रूप में की जाती थी। पत्रिका को नया स्वरूप प्रदान किया था बाबू सम्पूर्णानन्द ने। इनके द्वारा लिखे गये राजनीतिक लेख उस समय बहुत चर्चित हुए। इन्होंने छद्म नाम से भी लिखा। 'मर्यादा' में छपने वाले विशिष्ट नाम हैं– अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिऔध', प्रेमचन्द, महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, रामदास गौड़ और कृष्णबिहारी मिश्र। जब सम्पूर्णानन्द जेल गये तो इसके सम्पादन का दायित्व प्रेमचन्द ने उठाया। प्रेमचन्द ने अपनी राजनीतिक एवं सामाजिक दृष्टि से 'मर्यादा' के कलेवर को सँवारा। पत्रिका का प्रकाशन सन् 1923 में बंद हो गया। सन् 1912 में 'प्रेम' (वृन्दावन), 'साहित्य समालोचक' (गोरखपुर) और 'वैश्व' (कानपुर) का प्रकाशन हुआ।

'कानपुर गजट' (कानपुर), 'यादवमित्र' (शिकोहाबाद), 'भारत महिला' (मेरठ), 'भारत नारी हितकारी' (मैनपुरी), 'स्त्री शिक्षा' (कानपुर), 'कन्या मनोरंजन' (प्रयागराज), 'कन्या सर्वस्व' (प्रयागराज), 'आरोग्य सिन्धु' (अलीगढ़), 'वनौषधि प्रकाश' (मेरठ), 'सम्मेलन पत्रिका' (प्रयागराज), 'देहाती' (उरई), 'प्रियंवदा' (मिर्जापुर) और 'हिन्दी साहित्य' (काशी) का प्रकाशन सन् 1913 ई. में हुआ। इन पत्रिकाओं में 'सम्मेलन पत्रिका' और 'प्रभा' का योगदान अविस्मरणीय है। यह हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज से पंडित रामनरेश त्रिपाठी के सम्पादकत्व में प्रकाशित हुई। पत्रिका की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसका प्रकाशन आज भी अबाध गति से हो रहा है। यह शोध पत्रिका है। इसका लोक संस्कृति विशेषांक बहुत ही चर्चित हुआ। इसके विशेषांकों में 'कला विशेषांक', 'गांधी-टण्डन स्मृति विशेषांक', 'श्रद्धांजलि विशेषांक', 'साहित्य-संस्कृति भाषा विशेषांक', 'जन्मशती विशेषांक' प्रमुख हैं। पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, पंडित कामता प्रसाद गुरु और पंडित पद्मसिंह शर्मा आदि साहित्य की अमूल्य निधि हैं।

'प्रभा' मासिक राजनीतिक पत्रिका थी। इसके सम्पादकों में गणेश शंकर विद्यार्थी, देवदत्त शर्मा और कृष्णदत्त पालीवाल थे। सन् 1914 में 'अवधवासी' (लखनऊ), 'राजभक्त' (काशी), 'अवध केसरी' (अयोध्या), 'देवनागर' (मेरठ), 'विद्यार्थी' (प्रयागराज), 'डिस्ट्रिक्ट गजट' (बुलन्दशहर), 'हलवाई वैश्य हितैषी' (काशी), 'गूजर हितकारी' (सहारनपुर), 'कृषि सुधार' (मैनपुरी) और 'कलाकुशल' (प्रयागराज) का प्रकाशन हुआ।

'प्रहलाद' (काशी), 'ब्रह्मभट्ट हितैषी' (कानपुर), 'हलवाई वैश्य संरक्षण' (काशी), 'पालीवाल ब्रह्मणोदय' (आगरा), 'चतुर्वेदी' (आगरा), 'विज्ञान' (प्रयागराज), 'डाक्टर' (मथुरा), 'सत्य समाचार' (वृन्दावन), 'तरंगिणी' (काशी), 'व्यापारी' (कानपुर) और 'बालबोध' (बनारस) का प्रकाशन 1915 में हुआ। 'विज्ञान' सार्वजनिक हित का एक अच्छा मासिक पत्र था। इसके सम्पादक थे– कवि पंडित श्रीधर पाठक। इस पत्रिका के अन्य सम्पादकों में– गोपाल प्रसाद भार्गव, ब्रजराज, रामदास गौड़, सत्यप्रकाश युधिष्ठिर भार्गव और गोरखनाथ के नाम हैं। इसका प्रकाशन प्रयागराज की विज्ञान परिषद् करती थी। हिन्दी भाषा वालों को विज्ञान का ज्ञान कराने में पत्रिका का महत्वपूर्ण योगदान है।

सन् 1916 में 'मथुरा समाचार' (मथुरा), 'वैद्य सम्मेलन पत्रिका' (प्रयागराज), 'सुधावर्षक' (अलीगढ़), 'सर्वशिक्षक' (प्रयागराज), 'माथुर वैश्य हितकारी' (आगरा), और 'जैन मार्तण्ड' (हाथरस) पत्र निकले। 'आनन्द' दैनिक (लखनऊ), 'निर्बल सेवक' (बिजनौर), 'भारतबन्धु' (हाथरस), 'बालसखा' (प्रयागराज), 'समाज' (प्रयागराज), 'स्कूल मास्टर' (अलीगढ़), और 'चिकित्सक' (कानपुर) पत्रों का प्रकाशन वर्ष सन् 1917 है। सन् 1918 में प्रकाशित होने वाले पत्रों के नाम हैं– 'सूर्य' (काशी), 'आनन्द प्रचारक' (मथुरा), 'कानपुर समाचार' (कानपुर), 'ब्रह्मऋषि' (मेरठ), 'उत्साह' (जालौन), 'मथुरा गजट' (मथुरा), 'सत्यसेतु'

(शाहजहाँपुर), 'कालिन्दी' (रामनगर, बनारस), 'भारतीय' (लखनऊ), 'ललिता' (मेरठ), 'विश्वविद्या प्रचारक' (लखनऊ), 'ब्रह्मशक्ति' (बनारस), 'आर्य महिला' (बनारस), 'सत्यवादी' (आगरा), 'अहीर समाचार' (शिकोहाबाद), 'जैनपथ प्रदर्शक' (आगरा), 'जैसवाल जैन' (आगरा), 'कायस्थ महिला हितैषी' (अयोध्या) आदि। 'भविष्य' (प्रयागराज), 'गौड़ समाचार' (मैनपुरी), 'संन्यासी' (प्रयागराज), 'व्यापार' (लखनऊ), 'अग्रवाल बन्धु' (आगरा), 'बरनवाल चन्द्रिका' (मुरादाबाद), 'त्यागी ब्राह्मण' (मेरठ), 'धर्माभ्युदय' (आगरा), 'बिजली' (इटावा), 'सेवा' (प्रयागराज), 'संसार' (कानपुर), 'किसान' (फतेहपुर), 'प्रहलाद' (काशी), 'औदुम्बर' (काशी), 'स्वदेश' (गोरखपुर) आदि पत्र 1919 में निकले। इसी वर्ष के उल्लेखनीय मासिकों में– काशी से 'स्वार्थ' और कानपुर के 'हिन्दी मनोरंजन' का हिन्दी पत्रकारिता में विशिष्ट स्थान है।

राष्ट्रीय आन्दोलन को वाणी देने वाला पत्र 'स्वदेश' का प्रकाशन 6 अप्रैल, 1919 को गोरखपुर से हुआ। उग्र विचारों एवं स्वतंत्रता के प्रति समर्पण की भावना के कारण 'स्वदेश' को जन्म से मृत्यु तक सरकारी कोप दृष्टि का शिकार होना पड़ा। प्रकाशन के पूर्व ही इससे 500 रुपये की जमानत माँगी गई थी। इस प्रकार द्विवेदी युगीन हिन्दी पत्रकारिता का इतिहास स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास से अधिक निकट है। इस युग ने आन्दोलन के विभिन्न स्वरूपों यथा– समाचारों, नेताओं के संदेशों, दमन और अत्याचारों और स्वयंसेवकों की गिरफ्तारियों के विवरण के प्रकाशन के साथ ही हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में उत्प्रेरित करने वाले लेखों, कविताओं, कहानियों और सम्पादकीय टिप्पणियों, अग्रलेखों के माध्यम से लोक भावना को उत्तेजित कर उसे स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने का श्रेय प्राप्त किया। इस युग की हिन्दी पत्रकारिता ने साहित्य के क्षेत्र में भी नये-नये प्रयोग किये।

गांधी या छायावाद युग (1920-1947)

सन् 1920 में प्रकाशित होने वाले पत्रों के नाम हैं– 'आज' (वाराणसी)), 'वर्तमान' (कानपुर), 'लोकमत' (कानपुर), 'सुधाकर' (आगरा), 'हिन्दुस्तानी अखबार (प्रयागराज), 'स्वराज्य' अर्द्धसाप्ताहिक (बिजनौर), 'जुझोतिया प्रभा' (झाँसी), ''वैश्यबन्धु' (काशी), 'अग्रवाल लोहिया हितैषी' (आगरा), 'स्वार्थ' (काशी), 'प्रेमबन्धु' (कानपुर), 'विश्वभूषण' (अयोध्या), 'किसान' (उन्नाव), 'आर्यदर्श' (बस्ती), 'अहिंसा समाचार' (काशी) और 'अवध प्रकाश' या 'स्वदेशेन्दु' (अयोध्या), 'भविष्य दैनिक' (प्रयागराज) आदि।

उत्तर प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता को उन्नत और विकसित करने, उसके आदर्श स्वरूप की प्राप्ति करने तथा स्वतंत्रता संग्राम के महायज्ञ में पूर्ण आहुति देने हेतु काशी से हिन्दी दैनिक 'आज' का प्रकाशन 5 सितम्बर 1920 को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ था। इसके जन्मदाता श्री शिवप्रसाद गुप्त थे। गुप्तजी 'आज' को लंदन के 'टाइम्स' जैसा बनाना चाहते थे। पत्र के प्रथम सम्पादक थे श्रीप्रकाश जी। उन्होंने दो वर्षों तक इसका सम्पादन किया। इसके बाद बाबूराव विष्णु पराड़कर ने 1923 से 1955 की जनवरी तक सम्पादन कार्य संभाला। तत्पश्चात् पत्र के सम्पादकों में थे–पंडित कमलापति त्रिपाठी, श्रीकांत ठाकुर, रामकृष्ण, रघुनाथ खाडिलकर, विद्याभास्कर, सत्येन्द्र कुमार गुप्त और शार्दूल विक्रम गुप्त। दैनिक 'आज' राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख पत्र था। सन् 1920 से 1947 तक के बीच यह स्वतंत्रता आन्दोलन का एक दस्तावेज है। 'आज' हिन्दी भाषा और वर्तनी में एकता लाने हेतु सतत प्रयत्नशील था। पत्रकारिता में समाचार लिखने की समस्त तकनीक का जीता-जागता उदाहरण है 'आज'। केवल काशी से निकलने वाला 'आज' अब भी कई स्थानों से निकल रहा है। ज्ञान मण्डल काशी से निकलने वाला 'स्वार्थ' भी अद्वितीय पत्र था। पत्र का विषय अर्थशास्त्र से सम्बन्धित हुआ करता था। इससे पूर्व इस विषय पर कोई स्वतंत्र पत्र नहीं था। सम्पादक थे– पंडित जीवन शंकर याज्ञिक।

'वर्तमान' दैनिक के सम्पादक– पंडित रमाशंकर अवस्थी थे। सरकारी सूत्र के अनुसार 'वर्तमान' का प्रकाशन 22 अक्टूबर, 1920 को असहयोग आन्दोलन को व्यापक समर्थन प्रदान करने हेतु हुआ था। सरकार ने इस पत्र को उग्रवादी पत्रों की सूची में रखा था। यह उग्रवादी प्रकाशनों के लिए विख्यात था। राजनीतिक जागृति के परिणामस्वरूप जहाँ पत्रों के प्रकाशन में तेजी आई वहीं उनकी प्रसार संख्या में भी वृद्धि हुई। 1920

में 'आज' और 'भविष्य' की दो-दो हजार तथा 'प्रताप' और 'वर्तमान' की तीन-तीन हजार प्रसार संख्या हो गई थी। फलस्वरूप जन-जीवन में राजनीतिक जागरूकता की वृद्धि हुई। 'कर्तव्य' (इटावा), 'किसान' (प्रयागराज), 'महिला समाचार' (फतेहपुर), 'नाई मित्र' (झाँसी), 'राष्ट्रीय अध्यापक' (कानपुर), 'नाई ब्राह्मण' (कानपुर), 'तिलक' (आगरा) और 'शिल्प समाचार' (कन्नौज) पत्र सन् 1921 में निकले। इनमें ऐसा कोई पत्र नहीं था, जिसकी दृष्टि का विस्तार विस्तीर्ण हो। सन् 1922 में 'अध्यापक' (मुरादाबाद), 'ब्रजवासी' (मथुरा), 'हिन्दुस्तान' (अलीगढ़), 'जैन केसरी' (हाथरस), 'जीवन' (मथुरा), 'क्षत्रिय वीर' (पौड़ी), 'लोकमान्य' (बाँदा), 'लोकमत' (उरई), 'मातृभूमि' (कानपुर), 'सत्यवादी' (अलीगढ़), 'विक्रम' (कानपुर), 'कवि' (गोरखपुर), 'निर्भय' (मैनपुरी), 'परिवर्तन' (कानपुर), 'नवयुग' (प्रयागराज), 'हिन्दू गजट' (सहारनपुर), 'देवेन्द्र' (लखनऊ), 'हिन्दी आउटलुक' (लखनऊ), 'स्वाधीन' (झाँसी), 'देवदर्शन' (प्रयाग), 'महान लोधी राजपूत धर्मपताका' (आगरा), 'झाँसी समाचार' (झाँसी), 'मिर्जापुर समाचार' (मिर्जापुर), 'भारत धर्मनेता' (काशी), 'रजकबन्धु' (प्रयागराज), 'मस्ताना जोगी' (कानपुर), 'कपटसखा' (कानपुर), 'छात्र हितैषी' (अलीगढ़), 'उद्यम' (झाँसी), 'मार्तण्ड' (कानपुर), 'मुनि' (झाँसी), 'माधुरी' (लखनऊ) और 'चाँद मासिक' (प्रयागराज) का प्रकाशन हुआ था।

स्वदेशी और असहयोग आन्दोलन के समर्थन में हुआ था 'ब्रजवासी' का प्रकाशन। पत्र की नीति उदारवादी होते हुए भी कभी-कभी उग्र हो जाती थी। 'कवि' मासिक एक साहित्यिक पत्रिका थी। 'लोकमान्य' राजनीति प्रधान पत्र था। सम्पादक थे, नंदकिशोर वर्मा। उन्हें असहयोग आन्दोलन के प्रसंग में एक वर्ष के कारावास का दण्ड मिला था। 'लोकमत' और 'नवयुग' दोनों असहयोग आन्दोलन तथा गांधी जी के आन्दोलन के प्रसार हेतु निकले थे। इसी वर्ष जुलाई, 1922 से मासिक पत्रिका 'माधुरी' का प्रकाशन लखनऊ से हुआ। नवलकिशोर प्रेस के मालिक विष्णुनारायण भार्गव की प्रेरणा से यह पत्रिका निकली। पत्रिका पूर्णरूपेण साहित्यिक थी। इसका उद्देश्य था– उच्च कोटि के स्थायी साहित्य को प्रस्तुत करना। पत्रिका के मुखपृष्ठ पर 'विविध विषय– विभूषित, साहित्य-सम्बन्धी सचित्र मासिक' लिखा जाता था। साप्ताहिक 'चाँद' इसी वर्ष नवम्बर से मासिक हो गया था। मासिक 'चाँद' के प्रथम सम्पादक श्री रामरख सिंह सहगल थे और संचालिका थी– श्रीमती विद्यावती सहगल। यह प्रयाग से निकला था। पत्र के प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था।

पत्र के सम्पादकों के नाम हैं– श्री नन्द किशोर तिवारी, शुकदेवराय, चण्डीप्रसाद 'हृदयेश', मुंशी नवजादिकलाल श्रीवास्तव और महादेवी वर्मा। चाँद ने प्रथम बार विशेषांकों की धूम मचा दी थी। इनमें प्रमुख विशेषांक हैं– 'गेल्पांक', 'महिला अंक', 'विधवांक', 'शिशु अंक', 'प्रवासी अंक', 'अछूतांक', 'पत्रांक', 'फाँसी अंक', 'मारवाड़ी विशेषांक', 'विदुषी अंक' और 'भारत वर्ष अंक' आदि। 'चाँद' ने साहित्यिकता के आवरण में राजनीतिक, स्त्री-शिक्षा, सामाजिक सुधार आदि विषयों पर उत्कृष्ट सामग्रियों का प्रकाशन कर प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता में एक नये कीर्ति स्तम्भ की स्थापना की। प्रारम्भ में पत्र का स्वर राजनीतिक कम, सामाजिक सुधार का अधिक था, परन्तु बाद में स्वतंत्रता संग्राम के उग्र प्रवाह में यह क्रांतिकारी विचारों की प्रमुख पत्रिका हो गई। पत्र के 'फाँसी अंक' का प्रकाशन एक ऐतिहासिक घटना थी।

सन् 1923 में प्रकाशित होने वाले पत्र हैं– 'वंदे मातरम्' (फतेहपुर), 'लक्ष्मण' (लखनऊ), 'उत्साह' (झाँसी), 'बुन्देलखण्ड केसरी' (बाँदा), 'स्वच्छन्द' (अलीगढ़), 'स्वाधीन' (फर्रुखाबाद), 'सुखमार्ग' (अलीगढ़), 'अरुणोदय' (मिर्जापुर), 'राष्ट्र' (लखनऊ), 'पुरुषार्थ' (बाराबंकी), 'नैया' (झाँसी), 'नवयुग' (आगरा), 'महिला सुधार' (कानपुर), 'कृषक राजबंधु' (सीतापुर), 'भारतवर्ष' (गोरखपुर), 'झाँसी समाचार' (झाँसी), 'ग्रामवासी' (इलाहाबाद), 'हमदर्द' (कानपुर), 'देशभक्त' (आगरा), 'देहाती' (उरई), 'दीपक' (अयोध्या), 'मातृभूमि' (मेरठ), 'भारत धर्म' (काशी) आदि। 'प्रेत' (लखनऊ), 'मजदूर' (कानपुर), 'किसान' (कानपुर), 'वीर' (बिजनौर), 'साहस' (झाँसी), 'ब्राह्मण हितैषी' (मैनपुरी), 'देशदूत' (काशी), 'कैलाश' (मुरादाबाद), 'ब्रजवासी' (मथुरा), 'भविष्य' (कानपुर), 'महावीर' (सहारनपुर), 'लोकमान्य' (बाँदा), 'वीरेन्द्र' (जालौन), 'हलधर'

(इटावा), 'स्वाधीन' (झाँसी), 'नवयुग' (कानपुर), 'स्वास्थ्य', 'आरोग्य' (कानपुर), 'सिविल सर्जन' (सहारनपुर), 'अध्यापक' (बाराबंकी), 'भूगोल' (प्रयागराज), 'कवीन्द्र' और 'सहारनपुर' (कानपुर), 'हिन्दी पुष्कर' (बरेली), 'रंगमंच' (बरेली), 'मनोरमा' (प्रयागराज), 'साम्यवादी' (कानपुर), 'महिलासर्वस्व' (अलीगढ़), 'उत्साह' (काशी), 'योग प्रचारक' (काशी), 'साहित्य' (कानपुर), 'कृषक राज बन्धु' (लखनऊ), 'मजदूर' (कानपुर), 'शैतान' (लखनऊ) आदि पत्र सन् 1924 में प्रकाशित हुए।

इन पत्रों में 'मनोरमा' साहित्यिक पत्रिका थी। इसके सम्पादक थे श्री ज्योतिप्रसाद मिश्र 'निर्मल'। यह विविध विषय विभूषित 'सचित्र मासिक' पत्रिका थी। इस पत्रिका में लेखों के विषय अत्यन्त गंभीर होते थे। शिक्षाप्रद कविताएँ, सुन्दर तिरंगे भावपूर्ण चित्र, कार्टून तथा पहेलियाँ, मनोरंजक कहानियाँ, वैज्ञानिक विचार और प्रहसन इत्यादि अधिक सुन्दर और मनोरंजक निकलते थे। महिलाओं और बालकों के मनोरंजन हेतु इसमें विशेष सामग्री प्रकाशित होती थी। पत्रिका में प्रकाशित होने वाले स्तम्भों के नाम हैं – बालवाटिका, कुसुमकुंज, वनिता विनोद, संगीत आदि।

सन् 1925 में प्रकाशित होने वाले पत्रों के नाम हैं– 'आर्यमित्र' (आगरा), 'नवयुग' (कानपुर), 'जाटवीर' (आगरा), 'प्राणरक्षा' (मथुरा), 'जीवन' (मथुरा), 'सैनिक' (आगरा), 'यादव' (गोरखपुर), 'अध्यापक' (मुरादाबाद), 'ग्राम सुधार' (मैनपुरी), 'मिर्जापुर गजट' (मिर्जापुर), 'भारत पुत्र' (हाथरस), 'हरदोई डिस्ट्रिक्ट गजट' (हरदोई), 'कुर्मी क्षत्रिय दिवाकर' (काशी), 'मौर्य भाष्कर' (लखनऊ), 'माथुर पत्रिका', 'माथुर क्षत्रिय' (आगरा), 'विश्वकर्मा' (कानपुर), 'वैश्यहितकारी' (मेरठ), 'आयुर्वेद केसरी' (कानपुर), 'आयुर्वेद समाचार' (मेरठ), 'धनवन्तरि' (अलीगढ़), 'वैद्यकल्पद्रुम' (हमीरपुर), 'आधुनिक धन्वन्तरि' (कानपुर), 'राजवैद्या' (प्रयाग), 'डाक्टर' (बरेली), 'कला-कौशल' (कानपुर), 'मातृभूमि' (झाँसी), 'खद्दर' (कानपुर), 'व्यापारिक संसार' (हाथरस) आदि।

इन पत्रों में 'सैनिक' का निकलना हिन्दी पत्रकारिता के लिए गौरव की बात है। 'सैनिक' का प्रकाशन आगरा से श्री कृष्णदत्त पालीवाल ने जून, 1925 को आरम्भ किया था। प्रारम्भ में इसका स्वरूप साप्ताहिक था और यह स्वराज्य पार्टी का पत्र था। इसमें राजनीतिक एवं किसान सभा के विवरण प्रकाशित होते थे। कालान्तर में यह स्वतंत्रता संग्राम का संवाहक बना। सरकार की निगाह इस पत्र पर लगी रहती थी। इस विचार-धारा के पोषक अन्य पत्र थे– 'नवयुग', 'भारतपुत्र', 'मातृभूमि' और 'खद्दर' आदि। सन् 1927 में निकलने वाले प्रमुख पत्रों के नाम हैं– 'सुधा', 'विवेक', 'भारतवर्ष', 'समय'। 'सुधा' का प्रथम अंक अगस्त, 1927 में प्रकाशित हुआ था। यह मासिक पत्रिका थी। सम्पादक थे– पंडित रूपनारायण पाण्डेय और दुलारेलाल भार्गव। यह मुख्यतः साहित्यिक पत्रिका थी, पर राजनीतिक, सामाजिक आदि विषयों पर भी लेख छपते थे। 'सुधा' के प्रत्येक महीने में व्यंग्य-चित्रावली अवश्य रहती थी। इनके विषय कभी सामाजिक, कभी साहित्यिक एवं कभी धार्मिक और कभी संस्कृति से संबंधित होते थे। यह पत्रिका राजनीति के प्रति कितनी जागरूक थी, इसका पता उसके 'कार्टून विशेषांक' का अवलोकन करने से पता चलता है। वैसे तो इस विशेषांक में लेख, कहानी, कविता एवं हास्य-व्यंग्य पर सामग्री पर्याप्त रूप से थी, फिर भी कार्टूनों (व्यंग्य चित्रों) की अधिकता ने इस अंक को 'कार्टून विशेषांक' बना दिया। राष्ट्रीय भावधारा का प्रबल समर्थक साप्ताहिक 'समय' का प्रकाशन जौनपुर से बाबू रामेश्वर प्रसाद सिंह के सम्पादकत्व में 25 अक्टूबर, 1927 को हुआ था। 'समय' एक प्रगतिशील राजनीतिक विचारों का संवाहक पत्र था।

सन् 1928 में पत्रकारिता के प्रकाशन में एक नया निखार आया जिसके नाते प्रदेश के विभिन्न अंचल से अनेक उत्कृष्ट पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। इसी वर्ष लीडर प्रेस प्रयागराज से 'भारत' (साप्ताहिक), बलिया से 'बलिया गजट', उरई से 'लोकमत', इटावा से 'सुधाकर', मिर्जापुर से 'माधव' और झाँसी से धार्मिक पत्र 'अहिंसा' का प्रकाशन हुआ था। काव्य पत्रिका 'सुकवि' का प्रकाशन भी इसी वर्ष अप्रैल 1928 में शुरू हुआ। पत्रिका में उच्च कोटि के कवियों की कविताएँ प्रकाशित होती थीं। कुछ दिनों बाद 'सुकवि' स्वतंत्रता संग्राम

के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रवादी एवं स्वतंत्रता प्रेमियों का मंच बन गया। उग्र कविताओं का प्रकाशन होता था। वैसे तो 'सुकवि' पूर्ण काव्य पत्रिका थी। पर तत्कालीन पत्रिकाओं ने अपने समय की आवश्यकता के अनुरूप अनेक विषयों से संबंधित सामग्री प्रकाशित की। साप्ताहिक 'मजदूर' का प्रकाशन वर्ष 1928 ही है। सम्पादक थे– गणेश शंकर विद्यार्थी। यह साम्यवादी विचारों से प्रभावित पत्र था। इसी वर्ष झाँसी से 'क्रान्तिकारी' का प्रकाशन हुआ। सम्पादक कृष्ण गोपाल शर्मा के प्रकाशित निम्न विचारों से पत्र की रुझान समझ में आ जाती है– ''हम क्रान्तिकारी हैं। हम क्रान्ति की शपथ ले चुके हैं। अब हम विश्व में एक नई आग को दहकायेंगे। हम अन्याय के शासन को उखाड़ फेकेंगे और पाप की नौका को समुद्र में डुबा देंगे। भाइयों जागो ! बहुत सो चुके। आलस्य छोड़ो और हमारे झण्डे के नीचे आओ। विरोधियों ध्यान रहे, हमारे सामने मत आओ, हमारे मार्ग में व्यवधान मत बनो।'' हिन्दी पत्रकारिता के विकास की दृष्टि से सन् 1929 का वर्ष और ही अनुकूल माना गया। इस वर्ष प्रकाशित होने वाले पत्र हैं– 'कांग्रेस समाचार' (प्रयागराज), 'खिचड़ी समाचार' एवं 'लहरी' (काशी), मासिक 'माया' (प्रयागराज), 'मतवाला' (मिर्जापुर), 'समय' (जौनपुर), 'संसार' (बलिया), 'सुदर्शन' (एटा) और 'श्रीकृष्ण संदेश' (काशी) आदि। सन् 1930 में 'हंस' (काशी), 'सत्याग्रह समाचार' (प्रयागराज), 'भविष्य' (प्रयागराज) और साइक्लोस्टाइल क्रान्तिकारी पत्रों में 'रणभेरी' (बनारस), 'रणडंका', 'रणचण्डी', 'बहिष्कार', 'चण्डिका', 'ज्वालामुखी', 'चिनगारी', 'तूफान', 'शंखनाद' आदि का प्रकाशन हुआ।

'हंस' का सम्पादन मार्च, 1930 में बनारस से लोकमानस को परखने वाले कथाकार प्रेमचन्द के सम्पादकत्व में हुआ। इसके सम्पादकों में श्रीमती शिवरानी देवी, जैनेन्द्र कुमार और श्रीपत राय प्रमुख थे। 'हंस' का जन्म भी स्वाधीनता के उद्देश्य से प्रेरित था। इस पत्रिका के तीन विशेषांक– 'आत्मकथांक', 'काशी अंक' और 'आचार्य द्विवेदी अभिनन्दनांक' अपने में एक से बढ़कर एक हैं। इसके 'रेखाचित्रांक', 'स्वदेशांक' नामक दो विशेषांक और प्रकाशित हुए। 'हंस' अपने प्रारम्भिक दो दशकों तक निकलता रहा। तदोपरान्त बंद होने पर फिर 1985 से बराबर निकल रहा है। 'सत्याग्रह समाचार' का प्रकाशन मार्च-अप्रैल 1930 में इलाहाबाद से हुआ था। सत्याग्रह कमेटी, प्रयागराज का यह दैनिक पत्र था। सम्पादक श्री बैजनाथ कपूर थे। ये कानून के विशेषज्ञ थे। पत्र की साप्ताहिक प्रसार संख्या 1500 थी। इसकी अधिसंख्य प्रतियाँ ग्रामीण अंचलों में प्रसारित होती थीं। इसका मुख्य उद्देश्य सस्ते मूल्य पर गाँवों में सविनय अवज्ञा आन्दोलन के समाचारों को प्रसारित करना और कांग्रेस की गतिविधियों के प्रति जनसमर्थन जुटाना था।

इसी वर्ष साप्ताहिक 'भविष्य' का प्रकाशन प्रयागराज से श्री रामरख सिंह सहगल के सम्पादकत्व में हुआ। पत्र प्रकाशन का उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में आहुति देना था। सन् 1930 में ही प्रेस आर्डिनेन्स के परिणामस्वरूप सभी हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन स्थगित हो गया था। उस समय प्रदेश के विभिन्न अंचलों से जनता को देश-दशा से अवगत रखने एवं प्रेरणा देने के लिए भूमिगत पत्रकारिता प्रारम्भ की गई। 1930 में जमानत माँगे जाने के फलस्वरूप 'आज' और 'सत्याग्रह समाचार' नाम से निकले तो, पर ये साइक्लोस्टाइल रूप में थे। प्रान्तीय सरकार ने साइक्लोस्टाइल 'सत्याग्रह समाचार' से भी 9 जून 1930 को 2,000 रुपये की जमानत माँगी। बाद में जब इस तरह के साइक्लोस्टाइल पत्रों से भी संबंधित एक और प्रेस अध्यादेश की घोषणा की गई। इसके अनुसार सरकारी अधिकारियों को तलाशी, पत्र-पत्रिकाओं की जब्ती, उन्हें नष्ट करने और अघोषित छापाखानों को जब्त करने आदि का भी अधिकार प्रदान किया गया। साइक्लोस्टाइल पत्रों में सर्वाधिक महत्व 'रणभेरी' का है। 'रणभेरी' का समस्त मैटर पराड़कर जी लिखते थे। दाम एक पैसा था। इसके संचालन एवं लेखन मंडल में – रामचन्द्र वर्मा, विश्वनाथ शर्मा, दुर्गा प्रसाद खत्री, दिनेश दत्त झा, उमाशंकर, आचार्य नरेन्द्र देव और कालिका प्रसाद तथा अन्य रूप से सम्बद्ध कई लोग थे। 'रणभेरी' पत्र और उसके उपकरण का पता लगाने के लिए पुलिस ने एड़ी-चोटी का पसीना एक कर दिया था, परन्तु उसे सफलता नहीं मिली। बनारस से ही 'रणडंका' का भी प्रकाशन हुआ था। इसका सम्पादक एक सैनिक था।

'चिनगारी' पत्र ने भी युवकों का आह्वान किया था– ''समर की रणभेरी बज रही है। वीर सैनिक तिरंगा

राष्ट्रीय झंडा लिए हुए युद्ध क्षेत्र में वीरतापूर्वक बढ़ रहे हैं। भारत के नवयुवकों को यह निश्चय करना है कि युद्ध क्षेत्र में उनका स्थान कहाँ है ? और उस स्थान पर डट जाना है। इसलिए प्रश्न है कि भारत माँ का बंधन कौन काटेगा ? कौन रोती माँ के आँसू पोछेगा।'' इस प्रकार स्वतंत्रता आन्दोलन में इन साइक्लोस्टाइल पत्रों का योगदान अविस्मरणीय है। स्वतंत्रता प्राप्ति की अदम्य लालसा ने उत्तर प्रदेश के हिन्दी पत्रों को कष्ट सहन करने की अद्‌भुत शक्ति और साहस प्रदान कर दिया था जिसके नाते सन् 1932 में उत्तर प्रदेश से 11 पत्रों का प्रकाशन हुआ– 'आदर्श' (खीरी), 'आदेश' (आगरा), 'जागरण' (बनारस), 'जाग्रति' (गोरखपुर), 'कुमार' (कालाकांकर), 'अवध' (प्रतापगढ़), 'प्रताप दैनिक' (कानपुर), 'संदेश' (मेरठ), 'त्रिशूल' (कानपुर), 'वीरभूमि' (झाँसी) और 'वोटर' (कानपुर)। इसमें पाक्षिक एवं साप्ताहिक 'जागरण' का विशेष महत्व है। पाक्षिक 'जागरण' का प्रकाशन 11 फरवरी सन् 1932 को हुआ। सम्पादक थे– आचार्य शिवपूजन सहाय। इसके मुखपृष्ठ पर 'साहित्यिक-पाक्षिक पत्र' लिखा होता था। पाक्षिक 'जागरण' एक वर्ष निकलने के बाद साप्ताहिक रूप में प्रेमचन्द के सम्पादकत्व में निकला। पत्र का प्रकाशन स्थल काशी था। साप्ताहिक 'जागरण' का प्रथम अंक 22 अगस्त, 1932 को निकला। राजनीतिक विचारों के प्रकाशन के लिए इसमें कहानियाँ प्रकाशित होती थीं। 26 अक्टूबर, 1932 के अंक में 'उसका अंत' शीर्षक क्रांतिकारी कहानी प्रकाशन के कारण 'जागरण' से भी जमानत माँगी गई। इस वर्ष हिन्दी के 24 पत्रों का प्रकाशन हमेशा के लिए बंद हो गया। 'जागरण' साप्ताहिक भी अधिक दिनों तक नहीं चल सका। 21 मई, 1934 को वह हमेशा के लिए बन्द हो गया। 'जागरण' अपने दोनों रूपों में शुद्ध साहित्यिक पत्र था।

सन् 1933 में उत्तर प्रदेश से 31 नयी पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ, जिनमें प्रमुख हैं– 'अभिनव' (कानपुर), 'अधिकार' (लखनऊ), 'आशा' (अलीगढ़), 'विशनोई समाचार' (बिजनौर), 'बुन्देलखण्ड केशरी', 'दलितोदय' (कानपुर), 'हिन्दू' (कानपुर), 'जन्मभूमि' (इटावा), 'क्षत्रिय सेवक' (आगरा), 'क्षत्रिय वीर' (आगरा), 'मदारी' (प्रयागराज), 'मातृभूमि' (झाँसी), 'मिलन' (बुलन्दशहर), 'निर्भीक' (हरदोई), 'निष्काम' (मेरठ), 'पालीवाल एवं प्रभात' (अलीगढ़), 'प्रभात' (बलिया), 'राजपूत' (आगरा), 'स्वदेशी' (प्रयागराज), 'तपोभूमि' (मेरठ), 'विकास' (सहारनपुर), 'विश्वबंधु' (सहारनपुर), 'विश्ववाणी' (शाहजहाँपुर) आदि। हिन्दी पत्रकारिता के विकास की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण वर्ष 1936-37 है। इस वर्ष 41 पत्रों का प्रकाशन हुआ, जिसमें प्रमुख हैं– 'आजकल' (प्रयागराज), 'आलोक' (सहारनपुर), 'बिगुल' (लखनऊ), 'चन्द' (सहारनपुर), 'दिग्विजय' (इटावा), 'दूत' (प्रयागराज), 'ग्रामसेवक' (खीरी), 'हिन्दी मिलाप' (बाराबंकी), 'जीवन' (आगरा), 'कर्मधर्म' (झाँसी), 'किसान बंधु' (गोरखपुर), 'नई दुनिया' (आगरा), 'अवधवासी' (बाराबंकी), 'प्रभाकर' (आगरा), 'प्रभात' (मेरठ), 'प्रेमसुधा' (आगरा), 'पंच' (प्रयागराज), 'रोटी' (बिजनौर), 'सत्यवक्ता' (झाँसी), 'शंकर' (गोरखपुर), 'स्वतंत्र' (प्रयागराज), 'उदय' (कानपुर), 'उत्थान' (प्रयागराज), 'वसुंधरा' (बनारस), 'विजय' (लखनऊ) आदि महत्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाएँ हैं। सन् 1937 ई. में उत्तर प्रदेश से हिन्दी के अनेक पत्रों का प्रकाशन हुआ, जिनमें– 'दरबार' (प्रयागराज), 'दर्शक' (उरई), 'ग्राम संदेश' (रायबरेली), 'संग्राम' (उन्नाव), 'संघर्ष' (लखनऊ), 'शंखनाद' (कानपुर), 'विश्वबन्धु' (सुलतानपुर) एवं 'विश्वास' (सहारनपुर) आदि पत्र-पत्रिकाएँ उल्लेखनीय हैं। ये सभी पत्र कांग्रेस नीति के समर्थक थे।

1938 में उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों से अत्यधिक महत्वपूर्ण पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। इस वर्ष दैनिक 'आज' का साप्ताहिक रूप 18 जुलाई, 1938 से श्री मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव के सम्पादकत्व में निकला। साप्ताहिक 'आज' उस समय का सर्वश्रेष्ठ साप्ताहिक पत्र था, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर लेख होते थे। विदेशी समाचारों से सम्बन्धित दो नेताओं या प्रसिद्ध व्यक्तियों के चित्र होते थे। व्यंग्य चित्रों का प्रकाशन भी होता था। इस वर्ष का दूसरा साप्ताहिक पत्र 'देशभक्त' प्रयाग से श्रीनाथ सिंह के सम्पादकत्व में निकला। पत्र के प्रथम अंक में पत्र की नीति का निर्धारण करते हुए लिखा– ''इसमें संसार के समाचारों का सार, विचारों का निचोड़ और व्यक्तियों आदि की चर्चा के साथ-साथ भारत के राष्ट्रीय और प्रगतिशील जीवन की झाँकी रहेगी।''

पत्र के विशेषांकों में प्रमुख विशेषांक हैं– 'किसान अंक', 'कांग्रेस अंक', 'साक्षरता अंक'। प्रयागराज से इसी वर्ष प्रकाशित होने वाले अन्य पत्र हैं– 'पंच', 'विजय', 'न्याय'। इस वर्ष 'अधिकार' साप्ताहिक का प्रकाशन फतेहगढ़ से हुआ। इसके मुखपृष्ठ पर तिलक का उद्घोष 'स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है' मुद्रित होता था। यह किसानों और मजदूरों की पत्रिका थी, जिसमें क्रान्तिकारी के चित्र तथा उन पर विशेष सामग्री का प्रकाशन होता था। 'विप्लव' का प्रकाशन भी इसी वर्ष हुआ। यह लखनऊ से प्रसिद्ध क्रान्तिकारी यशपाल के सम्पादकत्व में निकली। यह अति उग्र विचारों की राजनीतिक पत्रिका थी जिसके मुखपृष्ठ पर 'तुम करो शांति-समता प्रसार, विप्लव का अपना अनल गान' नीति वाक्य छपता था। पत्र का 'चन्द्रशेखर आजाद अंक' जो क्रांति गाथाओं से परिपूर्ण था, निःसंदेह संग्रहणीय है। इसका प्रकाशन अप्रैल 1940 तक होता रहा है।

सन् 1939 में 'कर्मयोगी' का प्रकाशन प्रयागराज से रामरख सहगल के सम्पादकत्व में हुआ। यह मासिक पत्र था। साप्ताहिक 'वीरभारत' का प्रकाशन बस्ती से हुआ। इसमें राष्ट्रीय विचारों के लेख एवं कविताएँ प्रकाशित होती हैं। मुखपृष्ठ पर 'आवो प्यारे वीरों आवो, मातृभूमि पर बलि-बलि जावो' शीर्षक पंक्तियाँ पत्र की राष्ट्रीय भावना की परिचायक हैं। इस वर्ष के अन्य पत्रों में– 'कमला', 'अग्रगामी', 'मेरठ टाइम्स' (मेरठ), 'नवसंदेश' (आगरा), 'चकल्लस' (लखनऊ), 'हलचल' (गोण्डा), 'प्रकाश' (लखनऊ), 'ताजा तार' (आगरा), 'सत्यप्रकाश' (काशी) आदि महत्वपूर्ण हैं। सन् 1940 में अनेक हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित हुईं। इन पत्रिकाओं में प्रमुख हैं– 'सिद्धांत' (काशी), 'अग्रगामी' (सीतापुर), 'चातक' (प्रतापगढ़), 'स्वदेश' (अलीगढ़), 'जीवन' (सहारनपुर), 'सूत्रधार' (सीतापुर), 'आनन्द' (उरई), 'अखंड ज्योति' (आगरा), 'मेल' (काशी) और 'विप्लवी ट्रैक्ट' (लखनऊ) आदि। 'सूत्रधार' साप्ताहिक राष्ट्रीय विचारों का पत्र था। 'मेले' दैनिक पत्र 14 मई, 1940 को काशी से निकला। इसके सम्पादक महावीर प्रसाद गहमरी थे। इसका प्रकाशन केवल एक माह हुआ था। 'काशी समाचार' (काशी), 'अमृत' (लखनऊ), 'नवीन भारत' (एटा) और 'संदेश' (आगरा) का प्रकाशन सन् 1941 में हुआ। इस युग की हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं का इतिहास स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता ने स्वतंत्रता आन्दोलन के दौर में जनमत का निर्माण कर जनता की आकांक्षाओं को उजागर करने में महान् योगदान किया। इस आन्दोलन में पत्रों ने एक जागरूक सैनिक की भूमिका निभाई। पत्र-पत्रिकाओं ने दिशा-निर्देशन के साथ-साथ जनचेतना को भी झंकृत किया। साहित्य की नवीन विधाओं की स्थापना भी की इन पत्रिकाओं ने।

स्वातन्त्र्योत्तर युग (1947 से आज तक)

स्वतंत्रता के बाद केवल सामाजिक परिवेश ही नहीं बदला बल्कि लोक कर्तव्यों और अधिकारियों को नवीन दिशा बोध भी हुआ। इस समय देश के सामने राष्ट्र-निर्माण का महान कार्य उपस्थित हुआ। इस कार्य को सफल बनाने के लिए जनमत-निर्माण आवश्यक था। परिणामतः सबसे अधिक भार पत्रकारों पर आया। राष्ट्र जीवन के सभी अंगों के विकास में समुचित सहायता प्रदान करना पत्रकारों का दायित्व बन गया। इससे पत्र-पत्रिकाओं की संख्या में और उनकी प्रसार संख्या में आशातीत वृद्धि हुई। उत्तर प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता के परिप्रेक्ष्य में देखने से पता चलता है कि यहाँ के दैनिक पत्रों ने पत्रकारिता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वैसे तो आजादी से पहले निकलने वाले पत्रों में 'आज' का एक प्रमुख स्थान है। यह 1920 से लेकर आज तक हिन्दी पत्रकारिता की श्रीवृद्धि कर रहा है। 1947 से लेकर अब तक जिन प्रतिष्ठित हिन्दी दैनिक पत्रों का प्रकाशन उत्तर प्रदेश से हो रहा है या हुआ है वे हैं– 'आज', भारत, सैनिक, जनवाणी, अमर उजाला, महाराष्ट्र, सत्ता सुधार प्रभात, हिन्द, चिंगारी, विश्व परिवार, 'स्वतंत्र भारत', 'दैनिक जागरण', 'नवजीवन', स्वदेश, तरुण भारत, 'नवभारत टाइम्स', 'राष्ट्रीय सहारा', 'हिन्दुस्तान', 'अमृत प्रभात', 'जनसत्ता', 'जनसत्ता-एक्सप्रेस', 'वायस आफ लखनऊ', 'गाण्डीव', 'जनमोर्चा', 'राष्ट्रीय स्वरूप तथा अन्य अनेक अखबार। इनके अतिरिक्त सांध्य दैनिकों की भी संख्या काफी है।

उत्तर प्रदेश में साहित्य तथा पत्रकारिता के एक बड़े हिस्से के आधार भी धर्म और अध्यात्म रहे हैं जिनसे पुरातन भारतीय सांस्कृतिक चेतना के प्रसार में मदद मिली। प्रदेश की पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन का उद्देश्य राष्ट्रीय चेतना को जाग्रत करना था। 'कल्याण' तथा 'अखण्ड ज्योति' का प्रकाशन धार्मिक साहित्य के क्षेत्र में

बेजोड़ घटना है। कल्याण का प्रथम अंक अगस्त 1926 में बम्बई (मुम्बई) से प्रकाशित हुआ था। इसका पहला विशेषांक श्री भगवन्नामांक में महात्मा गांधी का राम-नाम की महत्ता पर सारगर्भित लेख छपा था। 'कल्याण' ने लागत से भी कम मूल्य पर हिन्दू संस्कृति अंक, गोअंक, तीर्थांक, संत अंक, भक्त चरितांक तथा विभिन्न पुराणों का विशेषांक रूप में प्रकाशन कर धर्म तथा अध्यात्म के क्षेत्र में जो सेवा की, उसे भुलाया नहीं जा सकता। 'कल्याण' ने 70 से अधिक विशेषांक प्रकाशित किए हैं। हनुमान प्रसाद पोद्दार, चिम्मनलाल गोस्वामी तथा स्वामी रामसुख दास जी जैसी विभूतियों ने 'कल्याण' का सम्पादन किया। स्वतंत्रता के बाद प्रकाशित धार्मिक पत्र हैं– 'भक्त भारत' (वृन्दावन), 'भैरवी' (काशी), 'श्री अमर भारती' (आगरा), 'श्रीकृष्ण संदेश' (मथुरा-1965), 'अध्यात्म ज्योति' (कानपुर-1966), 'भागवत पत्रिका' (मथुरा), 'भगवत दर्शन' (वृन्दावन), 'धर्मदूत' (पिलखुवा-1982), 'आचार्य' (बरेली), 'श्री शंकराचार्य संदेश' (प्रयाग), 'मानस हंस' (हाथरस) आदि। 'अखण्ड ज्योति' का प्रकाशन शान्ति कुंज, मथुरा से होता रहा है। ये सभी धार्मिक पत्र-पत्रिकाएँ अपने आप में एक संस्था हैं। कई तो अब सम्बद्ध संस्थान की पत्र-पत्रिकाएँ हैं– संस्थानों की अपनी अलग भूमिकाएँ हैं।

मानव के लिए सबसे आवश्यक है– स्वास्थ्य। इस क्षेत्र में दिन-प्रतिदिन नये-नये अनुसंधान हो रहे हैं। इसकी जानकारी हेतु अनेक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है। उत्तर प्रदेश से निकलने वाले प्रमुख पत्र हैं– 'आरोग्य' (गोरखपुर-1957), 'आयुर्वेद संदेश' (लखनऊ-1967), 'आपका स्वास्थ्य' (वाराणसी-1987), 'प्राकृतिक जीवन' (लखनऊ-1991) और 'धनवंतरी' (अलीगढ़-1988) आदि। उद्योग में नित नये-नये उद्योग धंधों का आविष्कार हो रहा है। पर, उत्तर प्रदेश में उसके प्रचार-प्रसार हेतु ठोस इंतजाम नहीं है। हिन्दी भाषा के माध्यम से कुछ पत्रिकाएँ निकल रही हैं– 'अलीगढ़ उद्योग समाचार' (अलीगढ़), 'व्यापार संदेश' और 'उद्योग विकास' (गाजियाबाद-1993) आदि। अमर उजाला समूह ने हिन्दी का सर्वप्रथम वृहद रूप में आर्थिक दैनिक अखबार 'अमर उजाला कारोबार' निकाला। इन दिनों समूह ने इसके प्रकाशन को स्थगित कर रखा है। समय को देखते हुए इस क्षेत्र में अनेक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जा सकता है। 'बाल पत्रकारिता' के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान उत्तर प्रदेश का ही है, क्योंकि सर्वप्रथम बाल पत्र सन् 1882 में प्रयागराज से प्रकाशित 'बाल दर्पण' मासिक था। भारतेन्दु युग का पत्र बच्चों के लिए एक नवीन प्रयोग था। 1891 में लखनऊ से 'बाल हितकारक' मासिक निकला था। इलाहाबाद से ही फिर 1902 में 'आर्य बाल हितैषी' पत्र प्रकाशित हुआ। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश से अनेक बाल पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ है जिनमें प्रमुख हैं – 'लल्ला' (प्रयागराज-1948), 'जीवन शिक्षा' (वाराणसी-1957), 'राजा बेटा' (वाराणसी-1958), 'बेसिक शिक्षा' (सहारनपुर-1959), 'विज्ञान लोक' (आगरा-1960), 'ज्ञान भारती' (लखनऊ-1962), 'शिशु बंधुर' (लखनऊ-1966), 'मनमोहन' (प्रयागराज-1967), 'बच्चों की पुकार' (लखीमपुर खीरी-1968), 'चमाचम' (लखनऊ-1972), 'बालरुचि' (लखनऊ-1975), 'बालदर्शन' (कानपुर-1975), 'चिल्ड्रन टाइम्स' (लखनऊ-1981), 'नन्हीं मुस्कान' (कानपुर-1981), 'बालनगर' (प्रयागराज-1982), 'लल्लू जगधर' (लखनऊ-1982), 'अच्छे भइया' (प्रयागराज-1986) आदि।

स्वतंत्रता से पूर्व कृषि को केवल पेट भरने का एक साधन माना जाता था, पर आज कृषि कार्य प्रत्येक देश में सर्वोत्तम माना जाता है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्थान के लिए अनेक विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। इन विश्वविद्यालयों में नित नये शोध कार्य किये जा रहे हैं। इन शोध कार्यों के विषय में जनमानस को जानकारी देने के लिए अनेक पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है। कृषि और ग्रामीण पत्रकारिता के क्षेत्र में अभी भी कोई संतोषजनक कार्य नहीं हुआ है। स्वतंत्रता के बाद कृषि पत्रों में प्रमुख हैं– 'कृषि सेतु' (सुल्तानपुर-1978), 'खेती किसानी' (अयोध्या-1972), 'किसानोत्थान' (लखनऊ-1972), 'गाँव की बात' (कानपुर-1991), 'देहाती' (आजमगढ़-1933) और कृषक क्रांति (मेरठ-1994) आदि। सन् 1947 के बाद राजनीति के विषय को लेकर बहुत सारी पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। उत्तर प्रदेश से निकलने वाले राजनीतिक पत्र हैं– 1947 में राष्ट्रधर्म लखनऊ मासिक का प्रकाशन शुरू हुआ इसके प्रथम संपादक थे अटल बिहारी वाजपेयी (पूर्व प्रधानमंत्री), 'माया' (प्रयागराज), 'विकास' (सहारनपुर), 'नया जीवन' (सहारनपुर), 'राष्ट्रधर्म', 'पाञ्चजन्य' (लखनऊ), 'अवकाश' (वाराणसी),

'उ.प्र. संदेश', 'जन' (अयोध्या), उत्तर प्रदेश (मासिक) 'दायित्वबोध' (लखनऊ) आदि। राष्ट्रधर्म के युगान्तर, राष्ट्ररक्षा, हम सबके अटल जी, नमामि गंगे, महापर्व कुम्भ विशेषांक महत्त्वपूर्ण है। 'सांस्कृतिक पत्रकारिता' द्वारा संस्कृति की रक्षा एवं उसका प्रचार-प्रसार किया जाता है। उ.प्र. की संस्कृति और उसकी सांस्कृतिक पत्रकारिता दोनों ही अपने-आप में बेजोड़ हैं। इन पत्रिकाओं में प्रमुख हैं– 'नीहारिका' (आगरा-1962), 'साथी' (मुरादाबाद-1960), 'संगीत' (हाथरस) 'गीत संगीत' (प्रयागराज-1987), 'पुराकल्प' (वाराणसी-1992), 'मालिनी' (प्रयाग-1995), 'संस्कृति' (लखनऊ-1995) समकालीन जनमत (प्रयागराज, 2002) 'कलादीर्घा' (लखनऊ 2000) और 'कला वसुधा' (लखनऊ) आदि। साहित्यिक पत्रकारिता के अन्तर्गत इस पत्रकारिता का भी समावेश हो सकता है, पर साहित्य के अन्तर्गत इसने एक विधा के रूप में अपना अस्तित्व बना रखा है, इसलिए ऐसे पत्रों का एक संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है– 'गुरू जासूस' (प्रयागराज), 'घीसूलाल' (झाँसी), 'घुटाला' (झाँसी), 'घोटाला' (आगरा), 'उखाड-पछाड़' (मथुरा), 'क्या कहाँ' (अलीगढ़), 'काक दृष्टि' (कानपुर), 'खुल्लमखुल्ला' (गाजीपुर), 'चर्चिका' (हरदोई), 'जीजी' (जालौन), 'जागो और जगाओ' (बुलन्दशहर), 'झकझक' (मेरठ), 'झुनझुना' (आगरा), 'टहलमहल' (कानपुर), 'डरो मत' (हाथरस), 'फक्कड़' (कानपुर), 'बम बम' (कानपुर), 'भड़ते' (मथुरा), 'लतियाव' (रामपुर), 'लाल बुझक्कड़' (बलिया), 'भ्रष्टभूत' (हरदोई), 'आफतमेला' (अलीगढ़) आदि पत्रों ने स्थानीय नागरिकों का मनोरंजन किया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि उ.प्र. की हास्य-व्यंग्य पत्रकारिता अपने ढंग की निराली है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पत्रिकाओं की संख्या में निरंतर अभिवृद्धि होती गई। लघु पत्रकारिता आन्दोलन भी इसी समय आया। साहित्य की विधि-विधाओं को मंडित करने में 'कथा' (मार्कण्डेय, प्रयागराज), 'कथानक' (सुनील, कानपुर), 'कथा दशक' (सतीश जमाली, प्रयागराज), 'जन संस्कृति' (अवधेश प्रधान, वाराणसी), 'कहानीकार' (कमलगुप्त, वाराणसी), 'नयी रचना' (मदन मोहन, गोरखपुर), 'प्रयोजन' (वीरेन्द्र यादव, लखनऊ), 'वर्तमान साहित्य' (विभूति नारायण राय, गाजियाबाद), 'दस्तावेज' (डॉ. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, गोरखपुर), 'जनपक्ष' (शैलेश मटियानी, प्रयागराज), 'सम्पर्क' (रामस्वरूप द्विवेदी, प्रयागराज), 'प्रतिज्ञा प्रतीक' (डॉ. सावित्री मिश्र, प्रयागराज), 'तेजस्वी' (बालकृष्ण पाण्डेय, प्रयागराज), 'अतएव' (हिन्दी संस्थान, लखनऊ), तद्भव (अखिलेश, लखनऊ) 'कथ्यरूप' (अनिल श्रीवास्तव, प्रयागराज), नूतन कहानियां (सुरेन्द्र अग्निहोत्री प्रयागराज) 'निष्कर्ष' (गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव, गोरखपुर), 'समकालीन दस्तावेज' (प्रशांत कुमार, लखनऊ), 'साखी' (केदारनाथ सिंह, गोरखपुर), 'कुंदनशील' (सतीश राज पुष्करणा, मेरठ), 'समकालीन तीसरी दुनिया' (आनंद स्वरूप वर्मा, नोएडा, गाजियाबाद), कथाक्रम (शैलेन्द्र सागर, लखनऊ), 'समकालीन एकलव्य' (लखनऊ), 'समकालीन सोच' (गाजीपुर), 'संदर्श' (शाहजहाँपुर), 'कथासमवेत' (शोभानाथ शुक्ल, सुलतानपुर), (सरवर हसन, गाजियाबाद), 'अन्तर्दृष्टि' (विनोददास), प्रिय संपादक (उग्रनाथ नागरिक, लखनऊ), नागरिक उत्तर प्रदेश (लखनऊ), सामधेनी (राज बहादुर विकल, शाहजहाँपुर), रचना संवाद (पंकज मिश्र, शाहजहाँपुर) पत्रकार सदन (अफ़ज़ाल अंसारी, लखनऊ), विश्व पत्रकार सदन (आबिद हुसैन, मुख्य संपादक- योगीन्द्र द्विवेदी लखनऊ), दलित एशिया, ड्डे (सुरेश पंजक, लखनऊ), अकार (गिरिराज किशोर, कानपुर), परिवेश (मूलचंद गौतम, मुरादाबाद), भारतीय लेखक (भीमसेन त्यागी, नोएडा), अभिनव कदम (जयप्रकाश धूमकेतु, मऊनाथ भंजन), परख (कृष्ण मोहन, प्रतापगढ़), उन्नयन (श्री प्रकाश मिश्र, प्रयागराज), आशय, (बी.के. सोनकिया, लखनऊ), थाती (यतीन्द्र मिश्र, अयोध्या), कल के लिए (डॉ0 जयनारायण, बहराइच), नया मानदण्ड (वाराणसी), उज्ज्वल ध्रुवतारा (जी.पी. मिश्र, कानपुर) आदि पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है। इन पत्रिकाओं के अतिरिक्त कुछ और साहित्यिक पत्रिकाएँ भी प्रकाशित हुई हैं या हो रही हैं। जिनकी सूची न दे पाना स्थान की सीमा है।

इस विवरण व विवेचना से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न रुचि, योग्यता, उद्देश्य आदि से प्रेरित होकर प्रज्ञा क्षेत्र के विभिन्न व्यक्तित्व अपनी पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन से हिन्दी पत्रकारिता के विविध आयाम प्रस्तुत कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त सैकड़ों दैनिक व साप्ताहिक पत्र अपने जिलावार व क्षेत्रवार विभिन्न संस्करण

प्रकाशित कर उत्तर प्रदेश की हिन्दी पत्रकारिता को कस्बाई, स्थानीय व राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। पत्रकारिता से सम्बद्ध दैनिकों, साप्ताहिकों के विविध प्रयोग व समय-समय पर बढ़ते संस्करण इस बात की ओर इशारा करते हैं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में धन का काफी लाभ है तथा सरकार और जनता (पाठक वर्ग) दोनों ही इस लाभ में सकरात्मक भूमिका का निर्वाह करते हैं। सरकार पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए हर प्रकार की आर्थिक मदद देने का प्रयास करती रहती है पर अब बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विज्ञापन ज्यादा आकर्षण का केन्द्र व उद्यम हैं।

आज के समय में जब 'संचार क्रान्ति' का बिगुल भारत में भी बजने लगा है तब केवल अख़बारों, पत्र-पत्रिकाओं (प्रिन्ट मीडिया) पर चर्चा करने से ही पत्रकारिता पर बात पूरी नहीं होती। अब जरूरी है कि ब्राडकास्ट व विजुअल मीडिया का भी सामान्य-सा परिचय ले लिया जाय। दरअसल अब मीडिया (पत्रकारिता) का क्षेत्र इतना बड़ा और विविध हो गया है कि उसके आयामों का विस्तार हुआ है। अब तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि विज्ञापन के क्षेत्र में काम करने वाले भी अपने को मीडिया क्षेत्र का ही मानते हैं। पत्रकारिता, विज्ञापन व प्रसार विभाग अब एक दूसरे में हस्तक्षेप करते हैं और पत्रकारिता की स्वीकृत व प्रचलित परम्परा को अपने ढंग से रूप देने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि आज कई संस्थानों में 'ब्राण्ड मैनेजर्स' की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो गई है। सम्पादक क्रमशः मैनेजर के रूप में सगर्व तब्दील हो गये हैं। संचार क्रान्ति के इस युग में अब खबर संस्थानों में काम करने वालों के पदों के नाम बदल गए हैं और सम्पादकों का अस्तित्व बदल गया है। इसीलिए विजुअल मीडिया (दृश्य समाचार माध्यम) व ब्राडकास्टिंग मीडिया (श्रवण व उद्घोषणा समाचार माध्यम) के बारे में भी दो-चार परिचयात्मक बातें कर लेना जरूरी लगता है।

ब्राडकास्टिंग मीडिया यानी बोलचाल की भाषा में रेडियो की अवधारणा बिल्कुल दूसरी तरह की थी। वह एक साथ समाचार, मनोरंजन, विविध प्रकार की जानकारियाँ देने का एक सम्पूर्ण माध्यम था लेकिन उसे मीडिया का दर्जा प्राप्त नहीं था। जब से दृश्य माध्यमों (टी.वी.) के सम्पूर्ण खबरिया चैनलों ने अपने को ब्राडकास्टिंग यानी रेडियो (आकाशवाणी) की भूमिका में लाना शुरू किया है तब से मीडिया को ब्राडकास्टिंग मीडिया का स्वरूप दिया जा रहा है। टी.वी. के खबरिया चैनलों के कार्यक्रमों पर हम ध्यान दें तो लगेगा हम एक तरह से रेडियो देख रहे हैं (रेडियो सुन नहीं रहे हैं)। यह परिवर्तन ही हमें इस ओर ध्यान दिलाता है कि लखनऊ आकाशवाणी के अतिरिक्त प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर आदि तमाम केन्द्रों ने किस प्रकार राष्ट्रीय व स्थानीय समाचारों की श्रृंखला तैयार कर और राजनीति तथा समाज के तमाम मुद्दों पर परिचर्चाएँ आयोजित कर पूरे उत्तर प्रदेश में अपने ढंग से समाचारों व मुद्दों को पहुँचा रहे हैं, साथ ही जब डाक तार विभाग की मदद से इसकी शुरुआत मुम्बई में 'द टाइम्स ऑफ इण्डिया' ने शुरू कराई तो केवल संगीत का ही बहुत सीमित क्षेत्रों में प्रसारण शुरू हो सका। दूसरे विश्वयुद्ध से पहले 1933 में एक बार इसका स्वरूप बदला, फिर दूसरे विश्वयुद्ध के समय और 1947 के बाद स्वाधीनता मिलने पर और आज तो इसका स्वपरूप, कार्यक्रम, विस्तार और प्रभाव सब कुछ बदल चुका है। इस दृष्टि से इसने पत्रकारिता का बिल्कुल नया स्वरूप सामने लाकर रख दिया है। यह पत्रकारिता का एक ऐसा माध्यम शुरू से ही रहा जिसने चाहे यह जब निजी हाथों में था या फिर सरकार के हाथ में इसने अपने चलाने वालों को लाभ-ही-लाभ पहुँचाया। आज रेडियो (ब्राडकास्टिंग) पत्रकारिता का विस्तार सबसे ज्यादा है और सम्भवतः सरकार को वित्तीय लाभ भी सबसे ज्यादा !

दृश्य माध्यम की पत्रकारिता (टी.वी. के खबरिया चैनल)

इस माध्यम की पत्रकारिता का विकास लगभग उसी तरह हुआ जैसे रेडियो का हुआ। बड़ा फर्क यह आया कि इस माध्यम ने सबसे तेजी से विकास किया और पूँजीवादी बाजार तथा भूमंडलीकरण के प्रयासों के कारण भारत सरकार को दूरदर्शन के अलावा अनेकानेक पूँजीपतियों को निजी तौर पर अपने चैनल चलाने की छूट दे दी। आज पूरा अंतरिक्ष विभिन्न सैटेलाइट, वेबसाइट से भरा हुआ है। यह एक तरह से अंतरिक्ष खरीदने की होड़ का समय है तो इस माध्यम की पत्रकारिता भी इस होड़ से प्रभावित, संचालित है।

भारत में टी.वी. की शुरुआत यूनेस्को के प्रयासों या कि दबावों से सितम्बर 1959 में हुआ। इसके पीछे फोर्ड फाउन्डेशन की मूल परिकल्पना थी। शिक्षा के विस्तार के नाम पर यहाँ टी.वी. माध्यम की शुरुआत हुई– टी.वी. क्लब बने जो इसके मूल-संचालक शक्ति थे– बिरादरी पूँजीपतियों को भी सहयोग सरकार का था– आज ये दोनों बिरादियाँ अपने खुले तौर पर सफलता का जश्न मना रही हैं।

इस शुरुआत की सीमा थी, बहुत कम क्षेत्रों में टी.वी. की पहुँच हो पाई। चूँकि यूनेस्को का प्रयास था और नेहरू का जमाना था इसलिए शिक्षा के व्यापक प्रसार के नाम पर टी.वी. कार्यक्रम स्कूलों से शुरू हुए फिर ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाने का और कृषि-समस्याओं को बताने-समझाने का प्रयास हुआ। सन् 1959 के बाद इसके कार्य क्षेत्र के पड़ाव सन् 1961, 1963, 1965, 1972, 1975, 1976, 1982, 1984 रहे।

सीमित क्षेत्रों में सही पर 1965 से भारत में रेगुलर टी.वी. सर्विस (सेवा) शुरू हुई। 1972 में बम्बई टी.वी. स्थापित हुआ, 1973 में श्रीनगर, अमृतसर, 1975 में लखनऊ, मद्रास व कलकत्ता। टी.वी. के भारतीय इतिहास में 1976 इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस साल से टी.वी. पर कामर्शियल (विज्ञापन) सेवा शुरू हुई और 15 अगस्त 1982 से 'नेशनल प्रोग्राम' आने शुरू हुए तथा टी.वी. रंगीन हुई और कार्यक्रम भी।

सन् 1984 भारत में टी.वी. सेवा का रजत जयन्ती वर्ष था। इसी साल लोकसभा चुनाव होने वाला था– सबकुछ का रंगीन प्रसारण मीडिया-लोक का एक रंगीन समय था। सन् 1960 के दशक से लेकर 1980 के दशक तक अनेकानेक कमेटियों के सुझावों, बहसों, सेमिनारों आदि के बाद 'दूरदर्शन' अपने नए कदम बढ़ा रहा था। कहना चाहिए कि 'यूनेस्को' की दृश्य-अदृश्य जकड़बन्दी से मुक्त हुआ लेकिन इन पच्चीस वर्षों में सरकार, व्यापारियों, पूँजीपतियों तथा जनता को पता लग चुका था कि दूरदर्शन (टी.वी.) का प्रभाव व महत्त्व क्या है। गौर करें तो पता चलेगा कि दूरदर्शन तथा तमाम टी.वी. चैनलों का बड़ी तीव्र गति से सन् 1984 के बाद से ही विकास शुरू हुआ है।

जिस तरह आकाशवाणी अपनी प्रारम्भिक अवस्था पार करते हुए आज एक निश्चित स्वरूप ले चुका है और हर केन्द्र हर घंटे समाचार प्रसारण के साथ आकाशवाणी के राष्ट्रीय क्रम के अन्तर्गत के समाचारों के साथ स्थानीय समाचार, कृषि समाचार, बातचीत, शिक्षा समाचार आदि देते रह रहे हैं उसी तरह दूरदर्शन ने भी समाचारों की अपनी शृंखला बनाई है। अब तो दूरदर्शन ने चौबीस घंटे समाचार देने वाले चैनल बना रखे हैं (दूरदर्शन समाचार, डी.डी. न्यूज)। इस कारण समाचार-संकलनकर्ताओं की एक बड़ी फौज दूरदर्शन ने तैयार की है, ठीक उसी तरह जिस तरह आकाशवाणी ने किया है। इस तरह दूरदर्शन ने समाचार-संकलन के लिए एक जाल बिछा रखा है जो समाचार पत्र (प्रिंट मीडिया) नहीं कर सका है। यहाँ पत्रकारिता की गुणवत्ता की बात नहीं की जा रही है उसकी व्यापकता व कार्यविधि से परिचित हुआ जा रहा है। प्रिन्ट मीडिया अभी फैक्स, इण्टरनेट के जरिये खबरें इकट्ठा कर लेता है पर दूरदर्शन और तमाम टी.वी. के खबरिया चैनलों के पास ओबीसी वैन (आउटडोर ब्राडकास्टिंग वैन) जैसे समाचार संकलन उपकरण हैं जिनके द्वारा उनके पत्रकार (संवाददाता) खबरों और सम्बद्ध तस्वीरों से चैनल को अपडेट किए रहते हैं।

लखनऊ दूरदर्शन और अन्य स्थानों के ट्रान्समिटिंग केन्द्रों के द्वारा उत्तर प्रदेश में दृश्य माध्यम से यहाँ की जनता को अन्तर्राष्ट्रीय, स्थानीय समाचार तो मिल ही रहे हैं इनके अतिरिक्त विभिन्न ज्वलन्त मुद्दों पर बातचीत व बहसें भी मिल रही हैं। यानी समाचार और विचार (मनोरंजन आदि के अतिरिक्त) दोनों ही लोगों को उपलब्ध हो रहे हैं। उनके विकास के कई कार्यक्रमों पर अभी विचार भी जारी है। लोकसभा चैनल का अपना अलग महत्त्व है।

ऐसे सरकारी खबरिया चैनल या कार्यक्रमों के अतिरिक्त निजी पूँजीपतियों के खबरिया चैनल आज बहुतायत से उपलब्ध हैं, जो समाचार देने में हम आगे का हर समय दावा करते हुए 'ब्रेकिंग न्यूज' दिखाते रहते हैं। ऐसे कुछ खबरिया चैनल हैं– एन.डी.टी.वी., सी.एन.एन., आई.बी.एन.-7, आज तक, स्टार न्यूज,

जी.टी.वी. न्यूज,, इंडिया टी.वी., राष्ट्रीय सहारा, सहारा उ.प्र., ई.टी.वी., जनमत, जैन टी.वी., बी.बी.सी. न्यूज,, सी.एन.एन., स्टार वर्ल्ड, सी.एन.बी.सी., न्यूज़ नेशन, समाचार प्लस, न्यूज़ एक्सप्रेस इत्यादि हैं। इनके अतिरिक्त पूर्णतः खेल और व्यापार पर आधारित चैनल भी हैं जैसे ईएसपीएन, टेनस्पोर्टस आदि। इनके अतिरिक्त चैनलों में घुसे कुछ खबरों के कार्यक्रम जैसे– 'आँखों देखी'। दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर इनके मालिकों ने आधे घंटे का समय अपनी ख़बर दिखाने के लिए खरीद रखे हैं।

वास्तव में टी.वी. चैनल पर खबरें देने का तरीका प्रिन्ट मीडिया की तुलना में दूसरी तरह का है। खबरों का एक चंक बनता है जो कुछ घंटे लगातार विज्ञापनों के बीच-बीच में चलता रहता है। यानी खबरें फिर विज्ञापन फिर खबरें– कुल मिलाकर विज्ञापनों और खबरों का प्रतिशत बराबर रहता है या विज्ञापनों का प्रतिशत ज्यादा। टीवी संवाददाताओं की कलमें हैं आमतौर पर फोन, ओबी वैन, अत्याधुनिक कैमरा आदि। इनकी शब्दावली भी प्रिन्ट मीडिया से भिन्न है जैसे– आउटपुट, रन डाउन, इनपुट, एसाइनमेंट, डेक, पैकेज, बाइट, वीओ, फोनो, टिकटैक, इनजस्ट आदि इत्यादि। पदों के नाम भी अलग हैं जैसे असिस्टेंट प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, एक्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, मैनेजिंग एडीटर, एंकर, एक्जीक्यूटिव एडीटर, सी.ई.ओ., डायरेक्टर (न्यूज़) आदि-इत्यादि। गनीमत है कि अभी संवाददाता पद यहाँ पर बचा हुआ है और अधिकारियों के आगे एडीटर शब्द भी जुड़ा है। वास्तविकता यह है कि अखबार संस्थानों ने जब से पत्रकारों के लिए बनाए गए कानून के अन्तर्गत और पालेकर अवार्ड आदि की रिपोर्ट के अनुसार स्वीकृत सम्पादकीय विभाग के पदनामों को अस्वीकार कर स्वतन्त्र वेतनमान, सेवा शर्तें और सम्पादकीय कर्मियों के पदनाम अपने ढंग से नये रूप में लेकर आए उन्होंने नए पदनाम, वेतनमान व सेवाशर्तें लागू कीं। विजुअल मीडिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जिसने पत्रकारिता के सारे स्थापित मानक तोड़ दिए और बंधुआ पत्रकारों की एक नई जमात पैदा की जिसको हमेशा इस आशंका में जीना पड़ता है कि थकान उतारने या घर के बहुत जरूरी काम के लिए दो दिन भी लगातार छुट्टी लेनी पड़ी तो वह ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा, उसका प्रमोशन, नौकरी सब कुछ दाँव पर। इन कार्य स्थितियों का प्रभाव इन पत्रकारों के काम और स्वास्थ्य दोनों पर ही पड़ रहा है। यानी विजुअल मीडिया जान हथेली पर रखवाकर काम करा रहा है। इससे हो यह रहा है कि वास्तव में जिन आम जनों की जान हथेली पर है। पत्रकार उनकी हकीकत बयान नहीं कर पाते। दृश्य मीडिया एक तरह से लीपापोती की पत्रकारिता के आदर्शों को निभाते हुए काम करने की अपार संभावनाएँ हैं, खुले रास्ते हैं पर लीपापोती में जो सुख और लाभ हैं वे हकीकत में जाने में कहाँ ! इसलिए दृश्य मीडिया के बिल्कुल एक नए ढंग की पत्रकारिता के लिए आम लोगों को अभ्यस्त होना होगा, जिसकी शुरुआत हो गई है। इस तरह विजुअल मीडिया हमें एक और नए भूमंडलीकरण तथा नए बाजार की चकाचौंध वाली पत्रकारिता में ले जा रहा है इसीलिए पेज थ्री का कान्सेप्ट पत्रकारिता में आया है जहाँ कारपोरेट घरानों की पत्रकारिता है।

इस पत्रकारिता का विस्तार तेजी से हो रहा है। 'डी.डी. उत्तर प्रदेश', 'आज तक', 'न्यूज 18 इण्डिया', 'हिन्दी खबर', 'ए.एन. आई.', 'ए.बी.पी. न्यूज', 'ए.पी.एन. न्यूज चैनल', 'इण्डिया टी.वी.', 'इण्डिया वायस न्यूज चैनल', 'इण्डिया न्यूज चैनल', 'इनाडु टी.वी', 'आई.बी.सी.-24', 'ओ.के. इण्डिया न्यूज चैनल', 'एन.डी. टी.वी.', 'जी. न्यूज', 'सी.एन.एन.-न्यूज 18', 'के. न्यूज 24X7', 'गुलिस्तां टी.वी', 'न्यूज 24', 'न्यूज-1, इण्डिया', 'न्यूज एक्स टी.वी.', 'न्यूज इण्डिया 24X7', 'न्यूज एक्सप्रेस', 'न्यूज वर्ल्ड इण्डिया चैनल', 'टोटल टी.वी.', 'जे.के. न्यूज', 'टी.वी.-100', 'टाइम्स ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग', 'भारत समाचार न्यूज चैनल', 'सहारा इण्डिया टी0वी0 नेटवर्क', 'समाचार प्लस', 'चैनल 1 न्यूज चैनल', 'साधना प्राइम न्यूज', 'नेशनल वायस', 'न्यूज नेशन न्यूज चैनल', 'रिपब्लिक टीवी', 'लाइव टुडे', 'साधना प्लस न्यूज', 'सुदर्शन टी.वी.', 'न्यूज वर्ल्ड' इत्यादि इसके प्रमाण के तौर पर हैं। अखबारों के ग्रामीण संस्करणों की तरह वे छोटे-छोटे शहरों-कस्बों तक में घुसकर खबरें निकाल लाते हैं। इसलिए वह पत्रकारिता के नए दर्शक भी बना रहा है। आप उत्तर प्रदेश की छोटी-छोटी जगहों में घुसकर इक्कीसवीं शताब्दी के विज्ञान-विकसित समय की हकीकत दे सकते हैं।

यहाँ हर ख़बरिया चैनल के विवरण में जाने की जगह नहीं है केवल पत्रकारिता के बदलते चेहरे से परिचित होना है। उत्तर प्रदेश की नई पत्रकारिता ऐसी है जो देश की पत्रकारिता की ही झलक पेश करती है। भारत की सभी भाषाओं में विजुअल खबरिया चैनल का जाल फैला है या ऐसी पत्रकारिता वहाँ पहुँच रही है इसलिए ऐसा नहीं है कि यह स्थिति केवल उत्तर प्रदेश की है। दरअसल अब बिल्कुल नई पत्रकारिता

का युग है चाहे वह किसी विधा में हो– प्रिन्ट या इलेक्ट्रानिक (रेडियो, टीवी)। इसके पत्रकारों के नाम गिनाना उचित नहीं।

उत्तर प्रदेश में उर्दू पत्रकारिता

हमारे सांस्कृतिक इतिहास की यह अजब विडम्बना है कि 'उर्दू' का पहला अख़बार 'जामे जहांनुमा' उर्दू भाषा व साहित्य के किसी परम्परागत प्रतिष्ठित केन्द्र अर्थात् लखनऊ, हैदराबाद या दिल्ली से नहीं बल्कि बांग्ला बहुल क्षेत्र कोलकाता से निकला। यह घटना मार्च 1822 ई. की है। यद्यपि इन सभी जगहों पर प्रेस मौजूद थे। यह बात दीगर है कि इसके संस्थापक-सम्पादक सदासुख लाल उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर के रहने वाले थे, जहाँ से बाद में कई अख़बार निकले, मुख्यतः नागरी लिपि में; इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, भारतीय नवजागरण, स्वाधीनता आन्दोलन तथा विभिन्न सामाजिक-बौद्धिक आन्दोलनों में अग्रणी भूमिका निभाने वाली उर्दू पत्रकारिता की शुरुआत का श्रेय आज विराट हिन्दी क्षेत्र के रूप में बार-बार चर्चा में आने वाले उत्तर प्रदेश को जाता है। इसे संयोग कहिये या ईस्ट इण्डिया कम्पनी के दूरअंदेश अधिकारियों की सुनियोजित कोशिश कि हिन्दी का पहला नागरी लिपिधारी समाचार पत्र 'उदंत मार्तण्ड' प्रथम उर्दू अखबार के चार साल बाद (मई 1826) कोलकाता से ही प्रकाशित हुआ। इसके संस्थापक-संपादक पं. जुगल किशोर शुक्ल भी उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के निवासी थे। यानी उर्दू-हिन्दी दोनों के प्रथम प्रकाशन का श्रेय उत्तर प्रदेश को ही है। 'जामे जहांनुमा' तो कलकत्ता में था लेकिन उसके कान लखनऊ की आहटों पर लगे रहते थे। लखनऊ के समाचार उसमें प्रमुखता से छपते थे।

इसी प्रकार थोड़े अर्से बाद ही बम्बई और फिर पंजाब के पेरिस माने जाने वाले शहर लाहौर से प्रकाशित होने वाले क्रमशः दो और एक अख़बारों के सम्पादकों का सम्बन्ध भी उत्तर प्रदेश से था। यह भी इस प्रदेश के अवध क्षेत्र से। खास तौर से बम्बई के 'अखबारे सिकन्दरी', यह था तो फ़ारसी का अख़बार लेकिन उसमें कुछ पृष्ठ 'उर्दू' के लिए मख़्सूस होते थे, लखनऊ की गतिविधियाँ उसमें प्रमुखता से जगह पाती थीं।

उर्दू का पहला अखबार हैदराबाद, दिल्ली से या मुम्बई से या लखनऊ से क्यों नहीं निकला, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह कि उर्दू पत्रकारिता की प्रस्थान यात्रा प्रतिरोध तथा जन सम्बद्धता की तीखी आँच में तपकर अस्तित्व में आई थी। वह ईस्ट इण्डिया कम्पनी की बर्बर लूट तथा दमन की क्रूरतापूर्ण कार्यवाहियों के ख़िलाफ जन भावनाओं का उत्तेजक बयान बनकर उभरी थी। वह अपनी सीमाओं में एक सांस्कृतिक अभियान की तरह तो थी ही, स्वाधीनता के पक्ष में गुलामी के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया भी थी। 'जामे जहांनुमा' के बाद जिसकी सर्वाधिक मुखर नुमाइन्दगी उर्दू के पहले बाकायदा अख़बार 'दिल्ली उर्दू अखबार' ने की, जिसका प्रकाशन मई 1837 ई. से प्रारम्भ हुआ। साहित्य के सामाजिक उद्देश्य का प्रारम्भिक दौर दर्शा देने वाले विशिष्ट साहित्यकार मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के विद्वान पिता मौलवी मोहम्मद बाक़र इसके सम्पादक थे। इस अखबार ने अपने स्वरूप से 'उत्तर प्रदेश' की उर्वर भूमि से भविष्य में विकसित होने वाली उर्दू पत्रकारिता के लिए कुछ सिद्धान्त निर्धारित कर दिये थे। यह अख़बार भी लखनऊ के घटनाक्रम पर गहरी नजर रखता था।

इस अख़बार ने अवध के बारे में और भी खबरें छापीं, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारनामा 1857 के महासंग्राम में ज़ालिम अंग्रेज़ों के खिलाफ़ एक मुस्तक़िल मोर्चा खोल देना था। इससे ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अधिकारी इतना क्षुब्ध हुए कि उन्होंने मौलवी मोहम्मद बाक़र को दिल्ली गेट में सरेआम फाँसी पर लटका दिया। इस जुनूनी कृत्य के पीछे 'दिल्ली उर्दू अखबार' के सम्पादक को अंग्रेज विरोध का दण्ड तो देना ही था, साथ ही उस काल में अंग्रेज़ों के अत्याचार का विरोध करने वाले अखबारों को आतंकित करना भी था, जो संभव नहीं हो पाया। मौलवी मोहम्मद बाक़र अभिव्यक्ति की आज़ादी के पहले शहीद थे। उनके द्वारा चिह्नित स्वतंत्रता एवं प्रतिरोध की दिशा ही उत्तर प्रदेश में विकसित हुई और पत्रकारिता की विशिष्ट पहचान बनी। इसमें सामाजिक एकता का पक्ष अवश्य बाद में बहुत मज़बूत हुआ। इस आधार के निर्माण में उर्दू के पहले अख़बार 'जामे जहांनुमा' की उन साहसपूर्ण अभिव्यक्तियों का उल्लेख भी आवश्यक है जो उसने मैसूर विजय के बाद लार्ड

वेलेजली द्वारा प्रेस पर बोले गये हमले तथा देशी भाषाओं के नये अख़बारों के प्रकाशन पर लगाई गई पाबन्दी के ख़िलाफ शब्दबद्ध की थी। इस मुद्दे पर अवध के सदासुख लाल तथा बंगाल के ब्रह्मसमाजी राजा राममोहन राय एक स्वर थे। भारत में फ़ारसी का पहला अखबार इन्हीं ब्रह्मसमाजी महाशय राजा राममोहन राय ने निकाला था। बाद में वह वाजिद अली शाह के दूत बनकर लन्दन भी गये थे। अवध तथा देश के दूसरे हिस्सों से भी नये अखबार 'दिल्ली उर्दू अखबार' के समान 1836 ई. में नये अखबारों के प्रकाशन पर लगी पाबन्दी हटने के बाद ही निकल सके। इसमें कुछ योगदान 'जामे जहांनुमा' का ज़रूर है।

उत्तर प्रदेश से उर्दू का पहला अखबार 'सदरुल अखबार' 1848 में आगरा कालेज के प्रोफेसर सीफेन्क ने आगरा से ही जारी किया। यह सहकारिता के आधार पर निकाला गया पहला अखबार था। आगरा से ही 1847 में मुंशी क़मरुद्दीन ने नहले पर दहला मारते हुए 'असदुल अखबार' साप्ताहिक पत्र जारी किया, ये दोनों अखबार अवध के नवाब की गतिविधियों के समाचार प्रमुखता से छापते थे। दृष्टिकोण में कुछ भिन्नता अवश्य थी।

भाषा के मामले में 'हिन्दुस्तानी' के प्रबल पक्षधर राजा शिव प्रसाद 'सितारे हिन्द' ने 'बनारस अख़बार' के नाम से नागरी लिपि में उर्दू का पहला अखबार जारी करके उर्दू पत्रकारिता को नई दिशा दिखाई। यह 1845 की घटना है। वर्तमान में 'जदीद मरकज़' लखनऊ इसी दिशा का पथिक है। यद्यपि अनेक विद्वान नागरी लिपि में होने के कारण 'बनारस अखबार' को हिन्दी अखबार मानते हैं। बहरहाल– 1850 में 'सुधाकर' इसकी प्रतिक्रिया में ही निकला था।

यहाँ यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि उर्दू-हिन्दी दोनों भाषाओं की पत्रकारिता को गहरे संकट के समय उन लोगों ने बहुत सहारा दिया, परम्परा से जिनकी भाषा उर्दू या हिन्दी नहीं थी। 'बनारस अख़बार' के सम्पादक यदि मराठी भाषी गोविन्द नाथ थत्ते थे तो 'सुधाकर' के सम्पादक बंगभाषी तारामोहन मैत्रेय। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में उर्दू पत्रकारिता को सहारा देने वालों में यदि एक ओर अंग्रेजी भाषी सीफेन्क हैं तो दूसरी ओर वे लोग, जिनकी मातृभाषाएँ अवध, ब्रज, डोगरी या भोजपुरी हैं। यह परम्परा बहुत आगे नहीं बढ़ सकी लेकिन 1847 ई. में लालजी ने लखनऊ से उर्दू का पहला अखबार 'लखनऊ अखबार' तथा 1858 में मुंशी नवल किशोर ने 'अवध अखबार' जैसा महत्वपूर्ण अखबार निकालकर उर्दू पत्रकारिता के जो आयाम निर्मित किये, उनके विशद अध्ययन की आवश्यकता है। इसी प्रकार 1849 में लखनऊ के सभी छापेखाने बन्द कर दिये जाने का शाही हुक्म क्यों जारी हुआ, इसकी पड़ताल भी जरूरी है। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर देखें तो तत्कालीन सामाजिक जीवन तथा पत्र जगत में जैसा तहलका 'अवध पंच' ने पहली बार अंग्रेजी अख़बारों की नक़ल में कार्टून छापने का सिलसिला शुरू कर किया वह यादगार क़दम था।

लखनऊ तथा उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से यों तो बीसवीं सदी आरम्भ होने से पहले कई अखबार निकले, लेकिन मुसलमानों के लिए अंग्रेजी शिक्षा के प्रबल पक्षधर सर सैय्यद अहमद खाँ के साइंटिफिक सोसाइटी (1866 ई.) तथा 'तहज़ीबुल अख़लाक' (1870 ई.) अलीगढ़ ने एक बड़े शून्य को तो भरा ही, उर्दू-भाषी मुस्लिम समाज तथा उर्दू पत्रकारिता के लिए नयी राहें भी खोलीं। सर सैय्यद के अख़बार उनके द्वारा आरम्भ किये गये आधुनिक शिक्षा के ऐतिहासिक आन्दोलन का अनिवार्य हिस्सा थे, जो एक खास लयबद्धता की तड़प लिए हुए थे। सर सैय्यद के शिक्षा आन्दोलन के समान यथास्थितिवादी तथा निहित स्वार्थ वाले लोगों द्वारा उनके अख़बारों का भी विरोध किया गया। कानपुर से 'नूरुल आफ़ाक़' और 'नूरुल अनवार', मुरादाबाद से 'लौहे महफूज' तथा आगरा से 'तेरहवीं सदी' नामक पत्र सर सैय्यद के आन्दोलन की काट के उद्देश्य से ही प्रकाशित हुए पर सर सैय्यद कहाँ हार मानने वाले थे।

मुक्ति के पक्ष में निर्मित हुई आधुनिकता की यह थाती तो 'मुस्लिम ग़ज़ट' तथा 'हमदम' का संबल पाकर अधिक सुदृढ़ तथा आभामयी हुई। ये दोनों अखबार लखनऊ से निकलते थे। अपने समय के विशिष्ट पत्रकार

हसन वासिफ उसमानी का मानना था कि ''लखनऊ की पत्रकारिता में एक महत्वपूर्ण स्थान 'मुस्लिम ग़ज़ट' का है। मीर जान साहब के इस पत्र ने गंभीर विचारों एवं साहित्यिक लेखों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।'' मुस्लिम ग़ज़ट ने सामाजिक जीवन में उठने वाली जिज्ञासाओं को तो मंच दिया ही, रूढ़िगत शब्दावली से पत्रकारिता की भाषा को मुक्त करने का प्रयास भी किया।

इसी प्रकार दैनिक 'हमदम' (अक्टूबर 1916) ने, जो अपने समय का निश्चित ही बड़ा अखबार था, जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए समाचारों की प्रस्तुति में आधुनिक मापदण्डों को प्राथमिकता दी। 'हसन वासिफ उसमानी' ने ठीक ही लिखा है कि– ''उर्दू पत्रकारिता में धर्म, हंगामी राजनीति एवं भावुकता के स्थान पर चिंतन और दृष्टि को स्वीकृति दिलाने में 'मुस्लिम गजट' और 'हमदम' ने लाहौर के 'पैसा अखबार' की तरह समकालीन मानदण्डों को बढ़ावा दिया। समकालीन ज्ञान के सम्प्रेषण को अपना ध्येय और मिशन बनाया। पढ़ने वालों की रुचि बनाये रखने के लिए और उनकी जेहनी तरबियत के लिए साहित्यिक कृतियों के अंश भी प्रकाशित किये और हास्य-व्यंग्य के कालम भी शुरू किये।'' उन्हीं के अनुसार लखनऊ के दैनिक 'हक़ीक़त' व 'हक' ने भी इस परम्परा को आगे बढ़ाया।

विचारणीय तथ्य है कि 1857 के बाद विशेष रूप से 20वीं सदी के आरम्भिक दशकों में समूचे उत्तर भारत में पंजाब सहित मौलाना आजाद के 'अलहिलाल' तथा 'ज़फ़र अली खाँ' के 'ज़मींदार' का जोर था। ऐसे में उत्तर भारत के उर्दू अखबारों ने जो भूमिका निभाई वह बहुत महत्वपूर्ण है। इससे उर्दू अखबारों का साम्राज्यवाद विरोधी तेवर अधिक रचनात्मक हो सका।

आगे चलकर साम्राज्यवाद विरोधी तेवर अधिक तीखा और व्यापक हुआ। 1857 के संग्राम की कड़वाहट शेष थी, तो इस्लामी मुल्कों में जो कुछ घट रहा था, उसका असर भी उर्दू अखबारों पर पड़ रहा था। उर्दू अखबारों की दुनिया में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, अब्दुल हलीम शरर, शिबली नोमानी, सैय्यद जालिब, खलीक हसन निजामी, मोहम्मद मजीद हसन बिजनौरी, नियाज़ फ़तेहपुरी, मुंशी दया नारायण निगम और सरदार दीवान सिंह मफ़्तून जैसी बड़ी शख्सियतें सक्रिय थीं। साथ ही वहीदुद्दीन, अनीस अहमद अब्बासी, अब्दुल रऊफ अब्बासी तथा अब्दुल माजिद दरियाबादी भी।

इस महाप्रभामण्डल में उत्तर प्रदेश का वैशिष्ट्य यह है कि 'उर्दू-ए-मुअल्ला' जैसी पत्रिका (1903), 'मुस्तक़िल' जैसे दैनिक (1928) और इनके सम्पादक मौलाना हसरत मोहानी ने, जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के स्नातक थे, अत्यन्त दृढ़ता से राष्ट्रवाद को व्यापक स्वीकृति दिलाने की मुहिम चलाकर साम्राज्यवाद विरोधी दृष्टिकोण को अधिक प्रखर बनाया। रूस की सर्वहारा क्रान्ति का उत्साहपूर्वक स्वागत करने वाले इन महाशय ने आधुनिक चेतना के विस्तार को भी अपनी मुहिम से जोड़ा तथा गैर धार्मिक जनान्दोलनों से एकजुटता प्रदर्शित की। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ लगातार सक्रिय रहने के कारण हसरत मोहानी तथा उनके प्रकाशनों को बार-बार दमन का निशाना बनना पड़ा पर किंचित डिगे या घबराये नहीं। उन्होंने दृढ़ निश्चय का परिचय दिया।

ख़िलाफत आन्दोलन ने उर्दू पत्रकारिता के सम्मुख नई चुनौतियाँ प्रस्तुत कीं, उसके विकास की नई संभावनाएँ भी निर्मित कीं, साथ ही उर्दू पत्रकारिता में भावनात्मक अतिरेक की प्रवृत्ति भी बढ़ी। जो अखबार सर सैय्यद के दृष्टिकोण का अनुकरण करते हुए ब्रिटिश शासन की खुली आलोचना से बच रहे थे, उन्हें भी अपना रवैया बदलना पड़ा। बिजनौर से 1 मई, 1912 को प्रारम्भ होने वाला 'मदीना' ऐसा ही अखबार था। यह अखबार कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाले जंगे आजादी का हमनवा था। इसने विशाल पाठक वर्ग तो तैयार किया ही, साथ ही मौलाना आज़ाद व मौलाना हसरत मोहानी के अखबारों के समान अलगाववादी प्रवृत्ति के प्रभाव से भी अपने को बचाकर रखा। डॉ. इक़बाल, अकबर इलाहाबादी, जफर अली खाँ, हसरत मोहानी वगैरा तो इसमें नियमित रूप से लिखते ही थे, साथ ही उस दौर के तक़रीबन सभी बड़े शायरों की रचनाएँ भी इसमें बराबर छपती थीं। यह अखबार भी उर्दू के अन्य अखबारों के समान स्वदेशी तहरीक का ज़बरदस्त हिमायती था। अपनी

साहसिक अभिव्यक्तियों के कारण इसे भी कई बार सरकारी दमन का शिकार बनना पड़ा। पंजाब प्रान्त में इसके प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। महिला रचनाकारों की रचनाएँ भी अक्सर इसमें जगह पाती थीं। बिजनौर से 'दस्तूर' व 'अलअमान' जैसे अखबार भी निकले।

सूफीवादी अध्यात्म पर अपने महत्वपूर्ण काम के लिए अत्यधिक प्रतिष्ठा अर्जित करने वाले ख़लीक हसन निजामी ने मेरठ से 'तौहीद' (अप्रैल 1913) निकालकर उर्दू पत्रकारिता के इतिहास में नया अध्याय जोड़ा। सुहैल वहीद ने अपनी चर्चित पुस्तक 'सहाफती ज़बान' में इस अखबार की विस्तार से चर्चा की है। उनका मानना है कि इस पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर के सम्पादन में प्रकाशित होने वाले 'कामरेड' तथा 'हमदर्द' का खासा प्रभाव था। मौलाना मोहम्मद अली विद्वान व्यक्ति थे, उस वक्त के सभी बड़े अंग्रेजी समाचार पत्रों में उनके लेखादि छपा करते थे, अतः वह उर्दू अखबारों को भी अंग्रेजी अखबारों की ऊँचाई देने के आकांक्षी थे, जिसकी प्रारम्भिक कोशिशें लखनऊ के 'अवध अखबार' तथा सर सैय्यद के 'तहज़ीबुल एख़लाक़' कर चुके थे। जिस प्रकार उपनिवेशवाद विरोधी लेखन में तीखापन बढ़ते जाने के कारण मौलाना मोहम्मद अली तथा उनके सम्पादन में निकलने वाले साप्ताहिकों को लगातार सरकारी दमन का शिकार होना पड़ा, उसी प्रकार 'तौहीद' पर भी सेंसर बिठा दिया गया। परिणामस्वरूप अखबार बन्द हो गया।

1918 में मुरादाबाद से जारी होने वाले 'रहनुमा' ने इस परम्परा को अधिक समृद्ध किया। मोहम्मद अशफ़ाक हुसैन इसके सम्पादक थे। यह पाक्षिक अखबार था तथा समाचारों की अपेक्षा विचार पर अधिक जोर देता था। स्वाधीनता के पक्ष में उर्दू अखबारों द्वारा साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद विरोधी परम्परा को इस अखबार ने भी आगे बढ़ाया। पत्रकारिता के लिए अधिक सृजनात्मक भाषा के निर्माण की दिशा में भी इस अखबार ने उल्लेखनीय काम किया।

उर्दू पत्रकारिता को समृद्ध करने, विशेष रूप से इसके कलात्मक व वैचारिक पक्ष तथा जागरण में इसकी भूमिका को धारदार बनाने में उत्तर प्रदेश के जिन अन्य अखबारों का उल्लेख ज़रूरी है, वह हैं 'दिलगुदाज़' (अब्दुल हलीम शरर), 'खदंगेनज़र' (मुंशी नौबतराय), 'अलनदवा' (मौलाना अबुल कलाम आजाद), 'मंजिल' (हसरत मोहानी), 'मसावत चिंगारी' (सज्जाद ज़हीर), 'हिन्दुस्तान वीकली' (हयातुल्लाह अंसारी), 'रिफार्मर' (ला. मेहर दयाल) और 'स्वराज वीकली'। स्वराज प्रयागराज से और रिफार्मर लखनऊ से प्रकाशित होता था। जफ़रुल मुल्क अलवी के 'अलनाजिर तथा मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी के साप्ताहिकों– सच, सिद्क़ तथा सिद्केजदीद की चर्चा भी ज़रूरी है। अलनाज़िर ने जहाँ साहित्यिक पत्रकारिता को नई ऊँचाई दी, वहीं अब्दुल माजिद दरियाबादी ने उर्दू पत्रकारिता को गद्य का नया वैभव दिया। हसन वासिफ उसमानी ने इन्हें राष्ट्रीय स्तर का अख़बार माना है। पूर्वी संस्कृति के भावुक पक्षधर बनते हुए इन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन के सांस्कृतिक आयाम का प्रवक्ता बनने का प्रयास भी किया, जिसके सन्दर्भ निश्चित ही सीमित थे।

सामाजिक जीवन में पत्रकारिता के हस्तक्षेप को व्यापक और प्रभावपूर्ण बनाने तथा राष्ट्रीय आन्दोलन में उसकी भूमिका के सैद्धान्तिक आधार को सुदृढ़ करने की उर्दू अखबारों द्वारा बीसवीं सदी के आरम्भ में कायम की गयी रिवायत को दो साहित्यिक पत्रिकाओं– 'ज़माना' (मुंशी दया नारायण निगम) तथा 'निगार' (नियाज़ फतेहपुरी) ने नये आयामों को सम्पन्न करने की हर संभव कोशिश की। इन्होंने किसी हद तक उर्दू पत्रकारिता की बौद्धिक धारा को नये ज्ञान की तपिश दी। साहित्यिक पत्रकारिता के शिखर तो इन्होंने निर्मित किए ही, भावनात्मकता पर विवेक को प्रमुखता दिलाने के क्रम में इन दो पत्रिकाओं ने जो कोशिशें कीं, उसे भी भुलाया नहीं जा सकता।

प्रतिरोध की क्षमता को तीव्र करते तथा वैचारिक अभियानों को शक्ति व ऊर्जा देते हुए उर्दू पत्रकारिता जिस गहरे भाव से भाषा व साहित्य के सरोकारों से सम्बद्ध हुई, वह भारतीय पत्रकारिता के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश, उसमें भी राजधानी लखनऊ के योगदान का उल्लेख प्रमुखता से हुआ

है। 'अवध अख़बार' द्वारा स्थापित पत्रकारिता और साहित्य के रिश्तों को मजबूत करने की परम्परा का अनुकरण बंगलौर के धार्मिक अख़बार 'नशेमन' को छोड़कर भारत के सभी अख़बारों ने किया। भाषा में संवेदनात्मक लालित्य के हस्तक्षेप की परम्परा भी लखनऊ के अखबारों ने विकसित की और यह पत्रकारिता के सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए, भाषा के अपेक्षानुरूप गढ़ने-बनाने के साथ हुआ। अन्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की भाषा भी उत्तरोत्तर बदलती गई। पंडित जवाहर लाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई के प्रयासों से 1945 में लखनऊ से जारी हुए दैनिक 'क़ौमी आवाज़' का योगदान इस सम्बन्ध में ऐतिहासिक महत्व रखता है। सदी के चौथे दशक में उभरे बहुचर्चित कथाकार हयातुल्ला अंसारी लम्बे काल तक इसके सम्पादक रहे। साम्प्रदायिक उबाल वाले कठिन दिनों में उन्होंने इसे न सिर्फ मुस्लिम लीग की नकारात्मक राजनीति का विकल्प बनाया, बल्कि अंग्रेजी अख़बारों के समक्ष खड़े हो सकने वाले एक उर्दू दैनिक की कमी को भी पूरा किया। उन्होंने विचार और टेक्नोलॉजी, दोनों की आधुनिकता को अखबारी तंत्र का हिस्सा बनाया। सामान्य पाठकों तक में सम्पादकीय के प्रति ख़बर जैसी जिज्ञासा उत्पन्न करने तथा स्तरीयता के नये शिखरों को छूते हुए अख़बार को समूचे परिवार की जरूरत बनाने का महान कार्य भी उन्होंने किया। यह पहला अख़बार था, जिसने साप्ताहिक परिशिष्ट निकाला तथा इसके लिए योग्य सम्पादक जुटाये। अन्सारी साहब के बाद इशरत अली सिद्दीकी और उनके बाद उस्मान ग़नी ने क़ौमी आवाज़ के सम्पादक की ज़िम्मेदारी संभाली और अंसारी साहब की परम्परा को आगे बढ़ाया।

उर्दू पत्रकारिता को समूची दुनिया के घटनाक्रम से जोड़ने का श्रेय भी क़ौमी आवाज़ को जाता है। आज़ादी के बाद बदले हुए हालात में इस अखबार ने जिस रचनात्मक पत्रकारिता का सुबूत दिया, वह भी याद रखा जाने वाला कारनामा है। अफसोस कि यह अखबार 1997 में बन्द हो गया है।

आज पत्रकारिता के मापदण्ड बदल गये हैं। एक दौर था जब अकबर इलाहाबादी का यह शेर लोगों की ज़बान पर था और उस पर पत्रकार अमल भी करते थे।

'खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो,
जब तोप मुक़ाबिल हो, तो अख़बार निकालो।'

उत्तर प्रदेश की उर्दू पत्रकारिता की चर्चा करते हुए सामाजिक एकता, भारतीय जनवाद, लोकतंत्र तथा स्त्री-शिक्षा के क्षेत्र में इसकी सेवाओं को भी रेखांकित किये जाने की आवश्यकता है। धार्मिक सवालों पर कुछ खास क्षणों में भावुक हो उठने के बावजूद उर्दू अखबारों ने धार्मिक-जातीय द्वेष और घृणा को कभी शक्ति नहीं दी। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग के अखबारों 'वहदत' (दिल्ली), 'मंशूर' (कानपुर) को कभी वैसी लोकप्रियता नहीं मिल सकी, जैसी मुस्लिम लीग विरोधी राष्ट्रवाद समर्थक उर्दू अखबारों ने अर्जित की। ठीक उसी तरह जैसे मुस्लिम लीग के आन्दोलन को बड़े मुस्लिम नेताओं और उलेमा का वैसा समर्थन नहीं मिल सका, जैसा राष्ट्रवादी आन्दोलन को मिला। यही कारण है कि सामाजिक एकता के पक्ष में तथा रूढ़िवाद के खिलाफ़ उर्दू अख़बारों ने जो मुहिम चलाई, वो कुछ विशेष क्षणों में भले क्षीण होती तो दिखाई पड़ी हो पर रुकी कभी नहीं।

निःसंदेह अन्य भाषाओं के समाचार पत्रों के समान उर्दू अखबारों ने भी भारतीय समाज की कुछ त्रासद वास्तविकताओं की अनदेखी की। फिर भी स्त्री शिक्षा को सामाजिक स्वीकृति दिलाने के अभियान से जुड़कर उन्होंने अपनी सामाजिक भूमिका को विस्तार दिया। उत्तर प्रदेश के उर्दू अखबारों ने न केवल स्त्री रचनाओं को प्रकाश में आने का अवसर दिया बल्कि स्त्री शिक्षा के पक्ष में लेख-टिप्पणियाँ भी छापीं। महिला पत्रिकाओं के प्रकाशन का सिलसिला भी यहीं से शुरू हुआ। इस सम्बन्ध में 'अंगारे' की प्रसिद्ध कथाकार रशीद जहाँ के पिता शेख मोहम्मद अब्दुल्ला (अलीगढ़) द्वारा जुलाई, 1904 में आरम्भ की गई मासिक पत्रिका 'ख़ातून' का उल्लेख आवश्यक है। मुस्लिम लड़कियों के लिए उत्तर प्रदेश का पहला स्कूल (1907) भी इस पत्रिका के सम्पादक द्वारा ही स्थापित किया गया, जो आज स्त्री शिक्षा का बड़ा केन्द्र है।

यह भी रोचक संयोग है कि धार्मिक पत्रकारिता के उच्चादर्श यहाँ कायम हुए। यहाँ के धार्मिक पत्रों ने बहुत स्तरीय व गंभीर पत्रकारिता की मिसालें पेश की हैं। इसका कारण शायद इन अख़बारों में मौलाना आज़ाद, शिबली नोमानी, अब्दुल माजिद दरियाबादी, सुलेमान नदवी, खलीक़ हसन निज़ामी, मौलाना अबुल हसन अली नदवी तथा मोहम्मद आसिफ किदवई जैसे अनेक विद्वानों का सम्बद्ध होना था। इस पत्रकारिता ने भी उर्दू गद्य को समृद्ध किया तथा विश्व की बड़ी भाषाओं से उर्दू में श्रेष्ठ और आसान अनुवाद की परम्परा को मजबूत बनाया। अलनदवा, सिद्के जदीद, सरफ़राज, तामीरे हयात तथा निदाये मिल्लत, तौहीद, इत्यादि साप्ताहिकों के नाम इस सम्बन्ध में प्रमुखता से लिये जा सकते हैं। वाराणसी से प्रकाशित मासिक पत्रिका 'अलजवाद' एवं लखनऊ से प्रकाशित 'इस्लाह' और 'शोआएअमल' भी महत्व रखते हैं।

उर्दू अख़बारों ने अपने पाठकों को सीमित संदर्भों वाला सही पर अन्तर्राष्ट्रीय बोध अवश्य दिया। हम इन अख़बारों की आलोचना या प्रशंसा करते हुए इस पृष्ठभूमि को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस समय प्रदेश से राष्ट्रीय सहारा, सहाफ़त, इन दिनों, सियासत जदीद, अवधनामा, आग, इन्क़लाब, अखबारे मश्रिक, अनवारे क़ौम, आवाज़े मुल्क, जदीद अमल, वारिसे अवध मताए आख़रत आदि उर्दू दैनिक अखबार भी प्रकाशित हो रहे हैं। यह अखबार हिन्दी एवं अंग्रेजी अखबारों की भाँति पत्रकारिता के सिद्धान्तों को पूरी तरह बरत रहे हैं। साथ ही नये कलेवर एवं आधुनिक टेक्नालजी से परिपूर्ण नज़र आते हैं।

इसी कड़ी में उर्दू दैनिक 'राष्ट्रीय सहारा' के बहुसंस्करणीय शृंखला में लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों से 'इंकलाब' दैनिक का प्रकाशन भी उर्दू पत्रकारिता में बहुत बड़ा योगदान साबित हुआ है। 1947 से मुम्बई से प्रकाशित होने वाले 'इंकलाब' ने उर्दू पत्रकारिता के नये-नये आयाम गढ़े हैं। उत्तर भारत में जो हैसियत उर्दू दैनिक 'कौमी आवाज़' की रही है, वही स्थान 'इंकलाब' का महाराष्ट्र में हो रहा है। इसने भी उर्दू के कई बड़े पत्रकारों को स्थापित किया है। दैनिक 'अवधनामा' और 'आग' में अन्तर्राष्ट्रीय खबरों विशेषकर मध्य पूर्व की ख़बरों का संकलन भी उर्दू पत्रकारिता में योगदान कहा जाएगा।

जहाँ तक साहित्यिक पत्रिकाओं का सम्बन्ध है, इस क्रम में पिछले 70 वर्षों से सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित उर्दू मासिक पत्रिका 'नया दौर' अपने स्तर को बरकरार रखते हुए उर्दू भाषा, साहित्य एवं सांस्कृतिक विरासत की तर्जुमानी करती आ रही है। हाल ही में 'नया दौर' के द्वारिका प्रसाद 'सफ़ुन्द' और अली बिदरान विशेषांक ने पत्रकारिता के मैदान में अपना विशिष्ट स्थान स्थापित किया है। 'नया दौर' के लगभग सभी विशेषांक एक दस्तावेज़ की हैसियत रखते हैं। उत्तर प्रदेश से निकलने वाली अन्य पत्रिकाओं में शबखूं, तहजीबुल अख्लाक, इमकान, लारैब, सबक-ए-उर्दू, ख़बरनामा, गुलबन आदि हैं।

उर्दू पत्रकारिता के क्षेत्र में अनीस अब्बासी (हक़ीक़त), नसीम इन्हौन्वी (हरीम), सलामत अली मेहदी, जमील मेहदी (अज़ाएम), इसहाक इल्मी (सियासत), वजीहउद्दीन (पैग़ाम), मसीहउलहसन रिजवी, ज़ोय अंसारी, हसन वासिफ़ उस्मानी, मौलाना अब्दुल वहीद सिद्दीकी, परवाना रुदौलवी, हफीज़ नोमानी, अहमद इब्राहीम अल्वी, हसन कमाल, हारुन रशीद, आलिम नकवी, चौधरी सिब्ते मोहम्मद नक़्वी, आबिद सुहेल, हसन अब्बास 'फ़ितरत', शाहनवाज़ कुरैशी, हुसैन अमीन, शाफ़े किदवाई, क़ुतुबुल्लाह, ओबेदुल्लाह नासिर, अल्लामा ज़मीर नक़वी, हुसैन अफ़सर, तारिक क़मर, डॉ. वज़ाहत हुसैन रिज़वी आदि का उल्लेख न करना नाइंसाफी होगी।

सांस्कृतिक विरासत

संगीत

इतिहास गवाह है कि उत्तर प्रदेश संस्कृति, धर्म और राजनैतिक गतिविधियों का केन्द्र रहा है। आर्यों के आगमन से आज तक धर्म, राजनीति और संस्कृति के क्षेत्रों में जितने उतार-चढ़ाव उत्तर प्रदेश ने देखे, उतने किसी और प्रदेश को नहीं देखने पड़े। बहुत सारी कठिनाइयों के बावजूद उत्तर प्रदेश के संगीत ने देश की सांस्कृतिक गतिविधियों में अपने लिए एक विशिष्ट स्थान बनाया है। गंगा और यमुना के बीच का यह क्षेत्र, जो प्राचीन समय में 'तपोभूमि' या 'ऋषि-मुनियों की कर्मभूमि' के रूप में जाना जाता रहा, वैदिक काल से ही 'स्वर गुंजार' का केन्द्र रहा है। ऋग्वेद की ऋचाओं ने यहीं 'सामवेद' का रूप ले लिया। वाल्मीकि से यहीं शिक्षा पाकर लव-कुश ने वीणा पर राम का चरित्र गाया था, जिसे सुनकर अयोध्यावासी अभिभूत हो उनके पीछे चल पड़े थे। यहीं कृष्ण की वंशी ने जड़-चेतन यानी समस्त चराचर जगत में प्राण फूँके। रास-नृत्य, भाव-नृत्य यहीं उपजे, पनपे। गुप्त और हर्ष के काल में भारतीय संगीत अपने शिखर पर था। इस विषय पर अनेक पुस्तकें भी लिखी गई हैं। इसी कालखण्ड में विश्व में अपने ढंग की एकमात्र पुस्तक 'भरतमुनि का नाट्यशास्त्र' की रचना हुई जो उत्तरी भारत के संगीतज्ञों की बाइबिल है।

मुस्लिम काल में संगीत दो अलग-अलग शैलियों में बँट गया। एक को दरबारों से प्रोत्साहन मिला और यह शैली राज्याश्रय में विकसित हुई, जबकि दूसरी का आधार भक्ति था, जिसे सामान्य जन ने अपनाया क्योंकि वह लोगों के लिए जीवन की प्रेरणा देने वाला संगीत था। उस समय के दरबारी संगीत, जिसे उस काल का शासकीय संगीत भी कह सकते हैं– के केन्द्र थे आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ, जौनपुर, वाराणसी, अयोध्या, बाँदा, दतिया और अन्य कई राजाओं के दरबार। भक्तिकाल के प्रमुख केन्द्रों में मथुरा, वृन्दावन, अयोध्या आदि थे। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने पुष्टि सम्प्रदाय की स्थापना की जिसमें उपासना का मुख्य विषय 'कृष्णलीला' था। आठ वीणाओं के स्वर प्रार्थना में उठे। इनमें से सबसे मधुर स्वर सूरदास की वीणा का था। कृष्णलीला के सुन्दर गीत रचकर सूरदास ने उन्हें अपनी सुमधुर आवाज दी। इस तरह सूरदास ने साकार भक्ति के अनुरूप स्वरूप को अभिव्यक्ति दी।

ये शैलियाँ आज भी उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं हालांकि बदलती परिस्थितियों के साथ-साथ इनके स्वरूप और क्षेत्र में भी परिवर्तन आते रहे हैं। बनारस, लखनऊ, रामपुर, प्रयागराज के साथ कानपुर, आगरा, बरेली, मेरठ आदि शास्त्रीय संगीत के प्रमुख केन्द्र कहे जा सकते हैं। भजन गीतों की, जो आज भी उत्तर प्रदेश की विशेषता है, अपनी विशिष्टताएँ और खूबियाँ हैं। तुलसी के 'रामचरित मानस' को इतनी अधिक शैलियों में इतनी अधिक बार, इतने भिन्न-भिन्न तरीकों से गाया गया है कि अगर इसकी सारी धुनें इकट्ठी करने लगें तो संगीत का एक अलग ग्रंथ ही तैयार हो जायेगा। शास्त्रीय और भक्ति संगीत के अलावा उत्तर प्रदेश में लोक संगीत का प्रचुर खजाना मौजूद है। सामान्य आदमी के लिए इस विराट खजाने के विस्तार का अनुमान तक लगाना कठिन है। यहाँ के हरेक क्षेत्र में लोकगीतों का ऐसा अद्‌भुत खजाना मौजूद है कि मोटे तौर पर भी इनका लेखा-जोखा संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोकगीतों को कला की दृष्टि से भी लिपिबद्ध करना जरूरी है क्योंकि इनमें संगीत के विभिन्न तत्त्व पाये जाते हैं जैसे 'नौटंकी' और 'रास' जो बड़े 'लोक ऑपेरा' हैं और जिनकी परम्परा बड़ी पुरानी है। होली, बारहमासा, कजली, रसिया आदि ने शास्त्रीय संगीत में अपना योगदान दिया है। उत्तर प्रदेश के लोक संगीत ने काफी, पीलू, वृंदावनी, सारंग जैसे रागों को जन्म दिया है। इसलिए, यह कहना सर्वथा

उचित होगा कि संगीत के क्षेत्र में अपने बहुरंगी, बहुआयामी और मूल्यवान योगदान के कारण उत्तर प्रदेश का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण है।

यह सच है कि वर्तमान संगीत के पुनर्जागरण की अलख जगाई महाराष्ट्र में पं. विष्णु दिगम्बर पलुस्कर और पं. विष्णुनारायण भातखण्डे ने, परन्तु उनका प्रयास फलीभूत हुआ उत्तर प्रदेश में। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि उत्तर प्रदेश की संगीत परम्परा न केवल प्राचीनतम है बल्कि सबसे अधिक समृद्ध भी। उत्तर प्रदेश में देशी और मार्गी दोनों संगीत परम्पराएँ मिलती हैं। एक ओर आगरा, रामपुर, बनारस, लखनऊ (अवध) संगीत को आश्रय देने वाली प्रमुख रियासतें थीं तो दूसरी ओर भरतपुर, प्रयागराज, दतिया, फर्रुखाबाद, मेरठ आदि संगीत के केन्द्र थे। काशी, मथुरा, अयोध्या के मन्दिरों में भक्ति प्रधान ध्रुवपद गायन, भजन-कीर्तन की समृद्ध परम्परा मिलती है। लोक-जीवन तो जीवन के प्रत्येक क्षण में संगीतमय हो उठता है– चाहे वर्षा की फुहार हो, चाहे होली का फाग हो, चाहे चैत की बयार हो और चाहे फसल की बहार। सम्भवतः यही रहा है संगीत की समृद्धि का रहस्य। प्रदेश के अड़ोस-पड़ोस में भी संगीत कला के प्रमुख आश्रयदाताओं एवं पारखी महाराजों की रियासतें थीं जैसे ग्वालियर, दिल्ली, रीवाँ, मैहर, खैरागढ़, दरभंगा आदि जहाँ प्रदेश में संगीतज्ञों के आने-जाने का क्रम बना रहता था।

भारतीय मिथक परम्परा में देवी-देवताओं को जो स्वरूप दिया गया है उसमें कृष्ण ने संगीत को सहज मार्ग रूप में प्रतिपादित किया है। सम्मोहिनी वंशी के रूप में कृष्ण स्वयं संगीत के प्रतिरूप थे। स्वभावतः उनकी जन्म एवं लीलाभूमि मथुरा-वृन्दावन में संगीत प्रधान अर्चना पद्धति प्रचलित एवं लोकप्रिय हुई। वल्लभाचार्य ने संगीतबद्ध भजन, पदों के गायन को मन्दिरों में अर्चना पद्धति के रूप में प्रचलित किया। उनके शिष्य विट्ठलनाथ ने कृष्ण लीला गान सम्प्रदाय के रूप में अष्टछाप कवियों की स्थापना की। इन कवियों में उल्लेखनीय थे– सूरदास, नन्ददास, परमानन्ददास, कुम्भनदास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविन्द स्वामी एवं कृष्णदास। यह सभी भक्त रचनाकार एवं संगीतकार दोनों थे, जो गेय पदों की रचना करने के साथ सुर-ताल निबद्ध रूप में गाते भी थे। कृष्णभक्ति सम्प्रदाय में अष्टप्रहर उपासना का विशेष प्रचलन हुआ। प्रत्येक प्रहर की लीला के पद अवसर एवं समयानुकूल रागों, तालों में निबद्ध करके गाये जाते थे। स्वरों एवं भावों का यह मणिकांचन संयोग अद्‌भुत था। प्रातःकालीन पद भैरवी (जागो मोहन प्यारे), भैरव, ललित (उठे नन्दलाल...) आसावरी आदि रागों में गाये जाते तो परवर्ती पद बिलावल, रामकली आदि राग-रागिनियों में निबद्ध किये जाते थे। मध्याह्नकालीन लीला सम्बन्धी पद सारंग जैसे रागों में मिलते तो संध्याकालीन पद यमन, धनाश्री, पूरिया धनाश्री, केदार, मालकौस, कान्हरा आदि राग-रागिनियों में निबद्ध होते थे। यही नहीं, इन पदों को सरपरदा, साजगिरि, झीलफ जैसी राग-रागिनियों में बाँधा गया। केवल 'सूरसागर' के लिए ही समीक्षकों का कहना है, ऐसी कोई राग-रागिनी न होगी जो छूट गयी हो। सूरदासी मल्हार के प्रणेता स्वयं सूरदास माने जाते हैं। इन पदों का कहरवा, दादरा, तीनताल में गायन होता था परन्तु ध्रुवपद शैली की प्रधानता थी। इस प्रकार ध्रुवपद गायन शैली, मात्र मृतप्राय शैली न होकर सम्मान प्राप्त एवं जीवन्त शैली का रूप थी। संगीत प्रधान अर्चना पद्धति इतनी अधिक लोकप्रिय हुई कि अन्य कृष्ण भक्तों ने राग एवं तालबद्ध ध्रुवपद गायन को धार्मिक अर्चना का अभिन्न अंग बना लिया।

परमानन्द दास के गायन से वल्लभाचार्य के और गोविन्द स्वामी के गायन माधुर्य से तानसेन के आत्मविभोर होने का उल्लेख मिलता है। श्रेष्ठ संगीतज्ञ होने के कारण स्वामी हितहरिवंश को कृष्ण की वंशी का अवतार माना जाता था। हितहरिवंश ने 84 पदों को 14 राग-रागनियों में निबद्ध किया।

निम्बार्क सम्प्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास संगीत एवं मथुरा-वृन्दावन दोनों के पर्याय आज भी माने जाते हैं। उन्होंने स्वयं 'श्रीकेलिमाल' तथा 'अष्टादश' पदों की रचना की। उनकी रचनाओं में संगीत का व्यापक प्रभाव परिलक्षित होता है। उनके द्वारा रचित 110 पदों का राग विभाजन निम्न प्रकार है :–

कान्हरा 30, मल्हार 22, गौड़ 2, कल्याण 12, बसंत 5, सारंग 11, गौरी 6, विभास 10, नट 2, बिलावल 2।

इसी प्रकार अष्टादश पदों में 4 विभास, 1 बिलावल, 7 आसावरी तथा 6 कल्याण राग में निबद्ध हैं। अनेक विद्वान स्वामी हरिदास को ध्रुवपद की डागुर बानी का प्रवर्तक ही नहीं मानते बल्कि उनकी मान्यतानुसार स्वामी हरिदास ने मन्दिरों में ध्रुवपद गायन द्वारा अर्चना-पद्धति का श्रीगणेश किया। आज भी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को हरिदास जयन्ती समारोह कई दिन चलता है जिसमें विरक्त साधु परम्परागत ध्रुवपद की शैली में गाते हैं। इन संगीतज्ञ भक्तों ने ब्रजभाषा प्रधान ध्रुवपदों को परिष्कृत रूप में प्रस्तुत किया।

स्वामी हरिदास को राग-रागिनियाँ सिद्ध थीं। कहते हैं उनके दीपक राग गाने से दीपक स्वयं प्रदीप्त हो उठते तो मेघ से बादल असमय भी घुमड़ कर बरसने लगते, 'श्री' राग में गायन करते ही प्रकृति पर बसन्त की बहार छा जाती। उनके संगीत से प्रसन्न होकर बाँके बिहारी ने मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी संवत् 1567 को निधिवन में उन्हें दर्शन दिया था, यह किंवदन्ती आज भी प्रचलित है। श्री बाँके बिहारी के प्राकट्य की वह तिथि आज भी विहार पंचमी अथवा श्री पंचमी नाम से प्रसिद्ध है, इसी दिन निधिवन में विशेष संगीत समारोह होता है। कहते हैं स्वामी हरिदास ने तानसेन को दीपक, बैजू बावरा को मेघ और गोपाल नायक को मालकौंस में सिद्धि शक्ति दी थी। हरिदासी सम्प्रदाय के पाँच मुख्य संगीत अर्चना केन्द्र थे :–

(1) बाँके बिहारी का मन्दिर– जहाँ स्वामी हरिदास को दर्शन हुए; (2) निधिवन– स्वामी हरिदास तथा उनके शिष्यों के आश्रम एवं स्वामी जी की समाधि; (3) गोरेलाल का मन्दिर– स्वामी जी की शिष्य परम्परा में नरहरि देव के उपास्य; (4) श्री रसिक बिहारी– स्वामी रसिक देव के ठाकुर; (5) थट्टी स्थान– स्वामी ललित मोहिनी देव द्वारा स्थापित।

स्वामी जी के पदों से तत्कालीन संगीत परम्परा का परिचय मिलता है। तत् वाद्यों में किन्नरी, वीणा, अर्द्धवीणा, अवनद्ध वाद्यों में मृदंग, डफ, घनवाद्यों में झाँझ-मजीरा एवं सुषिर वाद्यों का उल्लेख है। औघट ताल की चर्चा मिलती है। वाद्यों के संदर्भ में स्वामी जी ने लाग, डाट, टिरिप, चन्द्रागति, घात, नृत्य के प्रसंग में ताण्डव, लास्य, भेद-विभेद, अंगहार जैसे पारिभाषिक शब्दों, नृत्य के बोलों 'ता थेई, तत्ता थेई' का विस्तृत उल्लेख किया है। कथक नृत्य को कृष्ण लीला प्रसंगों की प्रेरणा संभवतः इसी संगीतमय लीला पद्धति से मिली होगी। स्वामी हरिदास की परम्परा में अनेक संत-संगीतज्ञ हुए जिन्होंने अर्चना के माध्यम से संगीत परम्परा को समृद्ध किया। इनमें श्री विट्ठल विपुल देव, स्वामी बिहारी शरण, सरसदेव, नरहरि देव, रसिक देव, ललित किशोरी देव तथा ललित मोहिनी देव अष्टाचार्य नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके अतिरिक्त स्वामी पीताम्बर देव जी, रूपसखी, चरणदास, किशोरदास, रसिकदेव, बिहारी बल्लभ, शीतलदास, सहचरिशरण, गोवर्द्धन शरण देव, हरिकृष्ण शरण, राधाशरण देव, राधा प्रसाद देव, स्वामी अग्रदास ने मन्दिरों में पल्लवित संगीत परम्परा को समृद्ध किया। आज भी कृष्ण लीला का वर्णन होता है। मथुरा में स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन एवं ध्रुवपद मेला होता है जिसमें श्रेष्ठ संगीतज्ञ दूर-दूर से बड़ी श्रद्धापूर्वक भाग लेने के लिए आते हैं।

मीरा की भाँति ब्रज में कृष्ण भक्ति से ओत-प्रोत ताज बेगम का नाम प्रसिद्ध है जो श्री विट्ठलनाथ से दीक्षा लेकर गिरिधर के रंग में ऐसी रंग गयी कि ब्रज में ही बस गयी और एक दिन होली के अवसर पर श्रीनाथ जी के सम्मुख धमार गाते-गाते श्रीनाथ जी की प्रतिमा में लुप्त हो गयी। बल्लभ सम्प्रदाय के मन्दिरों में आज भी होली के अवसर पर ताज द्वारा रचित ध्रुवपद एवं धमार गायी जाती है।

उपर्युक्त संत परम्परा के साथ अनेक श्रेष्ठ संगीतज्ञ हो गये हैं जिनमें ग्वारिया बाबा, भूरे उस्ताद रासधारी, मदनमोहन पखावजी, मक्खन लाल पखावजी, गणेशी लाल चौबे, गजानन मिश्र, चौथ्या रासधारी, भवानी दास, जीवन लाल, बालकृष्ण, गोपाल लाल, घनश्याम लाल, बौली बाबा उल्लेखनीय हैं। अम्बा जी चतुर्वेदी तो दाऊजी के मन्दिर में नियमित रूप से कीर्तन-भजन गाया करते थे। उनके पुत्र चन्दन चौबे ने ध्रुवपद गायन में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। बाला जी, राजा भइया, कमलनयन ने भी मथुरा की ध्रुवपद परम्परा को समृद्ध किया।

वाराणसी में मन्दिरों की अर्चना और संगीत का अभिनव सम्बन्ध रहा है। वाराणसी में बल्लभ सम्प्रदाय,

अष्टछाप, अष्टाचार्य जैसे संत कवियों, गायकों की नियमित परम्परा नहीं रही है, परन्तु आराध्य के चरण कमलों में कला का पूर्ण समर्पण, साधना की चरम परिणति मानी जाती रही है। कलाकारों ने इस मान्यता का अपने जीवन में निरन्तर अनुशीलन किया है। फलस्वरूप काशी के मन्दिरों में श्रेष्ठतम कलाकार भी आराध्य के सम्मुख घंटे-दो-घंटे नियमित अथवा यदा-कदा ही गाने-बजाने में अपने को कृतकृत्य अनुभव करते हैं। उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ के पूर्वज और बिस्मिल्ला खाँ स्वयं डुमराँव के बाला जी मन्दिर में प्रतिदिन प्रातःकाल नियमपूर्वक शहनाई वादन करते थे। काशी विश्वनाथ मन्दिर में प्रातःकाल शहनाई वादन की परम्परा आज भी प्रचलित है। सत्यनारायण मन्दिर, संकटमोचन, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, विश्वनाथ मन्दिर में समारोह प्रायः होते रहते हैं जिनमें कलाकार विशुद्ध आराधना के भाव से स्वयं आकर निःशुल्क कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं और श्रोता बिना किसी शुल्क, भक्ति भाव से शास्त्रीय संगीत का आनन्द लेते हैं। सावन में तो प्रत्येक मन्दिर में विशेषतः हर सोमवार के दिन विशेष शृंगार होता है और इसके साथ गायन, वादन एवं नृत्य के श्रेष्ठ कार्यक्रम भी। संकटमोचन मंदिर के महन्त अमरनाथ जी अपने युग के श्रेष्ठ पखावज वादकों में से एक थे। संकटमोचन मन्दिर में आज भी प्रत्येक वर्ष तीन दिनों का विशाल संगीत सम्मेलन होता है जिसमें काशी के अतिरिक्त दूर-दूर से आए श्रेष्ठ कलाकार भाग लेते हैं। गत अनेक वर्षों से अस्सी घाट के खुले प्रांगण में गंगा तट पर स्व. डॉ. लालमणि मिश्र एवं उनके सहयोगियों के प्रयास से आरम्भ किया गया ध्रुवपद मेला आज भी शिवरात्रि के अवसर पर आयोजित होता है। यह संगीत समारोह अपने ढंग का अद्‌भुत है। ध्रुवपद जैसी तथाकथित अप्रचलित शैली का सम्मेलन, कोई टिकट नहीं, परन्तु पारखी रसिक श्रोताओं का अपार समूह जो स्वयं ताल एवं स्वर ज्ञान में पारंगत है मंच पर पं. रविशंकर, बलराम पाठक, गजानन राव, सियाराम तिवारी, फहीउद्दीन डागर, पागलदास पखावजी आदि जैसे उच्च कोटि के परन्तु निःशुल्क कार्यक्रम देने वाले कलाकार। सारी रात चलने वाला संगीत सम्मेलन। यह परम्परा आज भी जीवन्त है।

अयोध्या वैष्णव भक्ति परम्परा में रामभक्ति शाखा का प्रमुख केन्द्र रही है। यद्यपि राम का चरित्र पराक्रम प्रधान है उसमें वंशी, संगीत के लिए कोई स्थान नहीं है तथापि कृष्ण भक्ति सम्प्रदाय की संगीतात्मकता ने राम भक्ति धारा को भी प्रभावित किया और राम मन्दिरों में भी संगीतमय भजन, कीर्तन की पद्धति चल पड़ी। वैसे रामायण काल में भी अयोध्या की सम्पन्न संगीत परम्परा, नट, नर्तकों-गायकों, वीणा, माल, वाद्य, विशारद, विलम्बित, मध्य, द्रुत गतियों का उल्लेख मिलता है जो गुप्तकाल तक फलती-फूलती रही। बाद में आराध्य की अष्टयाम (प्रातः जागरण से रात्रि शयन तक) संगीतात्मक उपासना का शुभारम्भ हुआ जो वल्लभ सम्प्रदाय के नामी भक्तों में अब भी प्रचलित है। रामानन्द के शिष्य सुरसुरानन्द जी ने 500 ध्रुवपद बन्दिशों की रचना की थी जो आज भी रामानन्दी ध्रुवपद नाम से प्रचलित है। सुरसुरानन्द जी के सम्बन्ध में प्रचलित है कि वह दीपक राग गाते थे तो आरती के दीपक स्वयं प्रज्ज्वलित हो उठते थे, फिर दीपक राग द्वारा प्रदीप्त दीपों से वह आराध्य की आरती करते थे। बड़ी छावनी तथा विद्याकुण्ड में आज भी इनके अनुयायी हैं जो गले में मृदंगार कंठी दानों की माला धारण करते हैं और ध्रुवपद धमार शैली में ही गाते हैं। बरेली के सुप्रसिद्ध ध्रुवपद गायक राम पदारथ जी अयोध्या क्या आए कि बस यहीं रम गये। तत्कालीन अयोध्या नरेश राजा ददुआ ने राजाश्रय दिया। संत-संगीतज्ञ राम पदारथ जी ने पं. संत शरण, बलदेव चतुर्वेदी तथा बाबा धनुषधारी को संगीत की शिक्षा दी। बाबा धनुषधारी इतने प्रतिभा सम्पन्न थे कि उनका गायन अयोध्या के कोने-कोने में प्रचलित हो गया। अयोध्या के विरक्त साधु आज भी बाबा धनुषधारी द्वारा रचित तथा उन्हीं की शैली में बधाई, नवाह, मानस गायन आदि प्रेम से प्रस्तुत करते हैं। बाबा धनुषधारी ने बधाई, मानस गायन को शास्त्रीय संगीत का पुट दिया। उनके शिष्यों सियाराम दास, छेदा सूर, संतशरण ने ध्रुवपद धमार के क्षेत्र में बड़ा यश अर्जित किया। अन्य ध्रुवपद धमार गायकों में थे लालजी भाई सत्य स्नेही, बाबा गौरी शंकर, राम आसरे शरण, चन्द्र प्रकाश मिश्र जो साधु-संतों की भाँति रहते थे। कोदऊ सिंह मृदंगवादक बहुत समय तक अयोध्या में रहे। उनके शिष्य मनमोहन उपाध्याय दतिया में मृदंग, पखावज सीखकर अयोध्या आए जहाँ राजा अयोध्या ने दर्शनेश्वर मन्दिर में उन्हें नियुक्त कर दिया। कोदऊ सिंह के दूसरे अन्य शिष्य वैरागी रामकुमार दास ने अवध बिहारी मन्दिर में सात वर्षों तक मृदंग वादन की अनवरत

साधना की और हनुमान गढ़ी में रहते थे। राम कुमार दास जी ने मृदंग के अतिरिक्त अवध की पखावज एवं तबलावादन परम्परा का सूत्रपात किया। रामकुमार दास के तीन प्रमुख शिष्य थे स्वामी रामदास, ठाकुर दास तथा राममोहिनी शरण। रामदास जी की शिष्य परम्परा में रामध्यान दास तथा छत्रपति सिंह और ठाकुर दास के शिष्यों में श्री महाबीर दास, गोपाल दास एवं पागलदास उल्लेखनीय हैं। ठाकुर दास के अन्य शिष्य यमुना चौधरी (दरभंगा), गोपालदास (मुंगेर), जगदीश सिंह एवं भीषम सिंह (रायगढ़) बाहर बस गये। राममोहिनी शरण के शिष्यों में स्वामी भगवान दास तथा किशोरी दास का नाम लिया जाता है। बाद में स्वामी पागलदास भी इन्हीं के शिष्य हो गये तथा देश के सर्वोच्च पखावज वादकों में उनका स्थान है। अन्य शिष्यों में सरयूदास तथा वसुमित्र शास्त्री तथा इनके अतिरिक्त अवध किशोर चतुर्वेदी उल्लेखनीय हैं। इटावा के कल्लू उस्ताद के ही अनेक शिष्य अयोध्या में रहते थे। शास्त्रीय गायन वादन की यह परम्परा बीसवीं शताब्दी पूर्वार्द्ध में शिथिल होने लगी। मंदिरों में ध्रुवपद धमार गायन का स्थान जै सियाराम जै-जै सियाराम कीर्तन तथा मानस ने गान ले लिया। कुछ दिन कीर्तन अपनी विशिष्ट कीर्तन लोक शैली में होते थे परन्तु इधर फिल्मी प्रभाव के कारण कीर्तन भी फिल्मी गीतों की धुन की पैरोडी बनते जा रहे हैं। कीर्तन सुनकर लगता है कि भक्ति संगीत की अपेक्षा फिल्मीगीत सुन रहे हैं। झूलन आदि उत्सवों पर गायन के साथ नृत्य की परम्परा भी अयोध्या में प्रचलित रही है। नर्तक राम कथा को लेकर चार-जामा पहिने तथा शलमा लगाकर कथक नृत्य करते थे परन्तु इसका स्वरूप शास्त्रीय नहीं था। इधर संत गोपाल मिश्र स्वर्गद्वार के निकट कथक कला केन्द्र खोलकर नृत्य की शिक्षा देने में लगे रहे। पुराने कथक कलाकारों में लोटन जी, नानक जी उल्लेखनीय हैं। कुछ कथक परिवारों का सम्बन्ध वीरू मिश्र, अनोखेलाल तथा अच्छन महाराज से भी है। अयोध्या के तीन मन्दिर शास्त्री नगर, स्वर्गद्वार तथा बेतिया– कथक परिवारों के पास हैं। इसके अतिरिक्त रामप्रिया दास, गुलाब दास, सरस्वती दास, लालदास, तुलसीदास (तपसी छावनी), भगवतदास (रामलीला विहार कुंज), हनुमान दास ने रामलीला थियेटर कम्पनियों द्वारा नाट्य संगीत का प्रचार किया। अयोध्या में शास्त्रीय संगीत की विशुद्ध घराना परम्परा के रूप में प्रतिष्ठा का श्रेय धनुषधारी जी तथा स्वामी रामशंकर दास उर्फ पागलदास को तथा उनके अनेक योग्य शिष्यों को है जिन्होंने अयोध्या में शास्त्रीय संगीत का वातावरण बनाया।

उत्तर प्रदेश की संगीत परम्परा के मध्यकालीन इतिहास में तीन नगण्य स्थानों का महत्त्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गाँव में सन् 1223 ई. में अमीर खुसरो का जन्म हुआ। विलक्षण प्रतिभा सम्पन्न अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन बलबन के ज्येष्ठ पुत्र मुहम्मद सुल्तान, अवध के सूबेदार अमीर अली कैकुवाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुब मुबारकशाह तथा पंजाब के गाजी खाँ गयासुद्दीन के दरबारों में नौकरी की तथा विभिन्न विषयों पर लगभग सौ पुस्तकें लिखीं। अमीर खुसरो की पुस्तकों में लगभग 22 फारसी ग्रन्थ तथा कुछ फुटकर रचनाएँ ही आज प्राप्त हैं।

अमीर खुसरो ने संगीत पर भी अनेक पुस्तकें लिखीं जो प्राप्त नहीं हैं। प्रचलित मान्यतानुसार अमीर खुसरो ने ईरानी संगीत रागों में भारतीय प्रचलित रागों का मिश्रण करके अनेक श्रुतिमधुर रागों का आविष्कार किया जो आज भी बड़े लोकप्रिय हैं। पूर्वी, गौड़, कांगली तथा एक अन्य राग के सम्मिश्रण से साजगिरी अथवा साजगरी, हिंडोल तथा नैरेज के मिश्रण से प्रस्तुत यमन, सारंग, पतवल और रास्त को मिलाकर बनाये सरपरदा शाहनाज, पटराग के मिश्रण से बने ज़ीलफ अथवा ज़िल्फ, गारा आदि ऐसे आविष्कारों में उल्लेखनीय हैं। खुसरो ने ईरानी शैली के अंदाज में कव्वाली, तराना, कौलकलबाना, नक्शेगुल आदि शैलियों का प्रचलन किया। उनके द्वारा बनाये गये झूमरा आदि ताल आज भी प्रचलित एवं लोकप्रिय हैं। खुसरो को ही तबला तथा सितार वाद्यों के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। खुसरो के पुत्र फीरोज़ खाँ ने सितार वादन को अपनाया और उनके पौत्र मसीत खाँ ने सितार की मसीतखानी (विलम्बित) वादन शैली का प्रचलन किया। खुसरो ने ही अपने समय में प्रचलित ध्रुवपद गायन शैली में उल्लेखनीय ईरानी संगीत का मिश्रण, संशोधन करके नयी शैली का प्रचलन किया जो उनके जीवन काल के पश्चात् ख्याल गायन शैली के नाम से न केवल लोकप्रिय हुई बल्कि जिसने आगे चलकर ध्रुवपद का स्थान ले लिया। बिलावल सप्तक पर आधारित इस नयी शैली ने भारतीय संगीत पद्धति को

अपनी विशेषताओं के कारण दो भिन्न गायन-वादन पद्धतियों में विभाजित कर दिया; उत्तर भारत में प्रचलित हिन्दुस्तानी संगीत पद्धति तथा दक्षिण भारत में प्रचलित कर्नाटक संगीत पद्धति। उत्तर प्रदेश के एटा जैसे नगण्य स्थान में जन्म लेने वाले अमीर खुसरो ने संगीत को समृद्ध करने के साथ वर्तमान रूप दिया। इसी प्रकार जौनपुर के सुलतान हुसैन शर्की ने ख्याल गायकी को व्यापक रूप में लोकप्रिय बनाने के साथ टप्पा शैली का प्रचलन किया जिसे संगीतज्ञों ने विशेष उत्साह के साथ अपनाया।

निधिवन, वृन्दावन (मथुरा) के स्वामी हरिदास के केलिमाल संग्रह के माध्यम से अर्चना प्रधान ध्रुवपद गायन तथा अपनी शिष्य परम्परा से संगीत को समृद्ध किया। स्वामी हरिदास ने कृष्णोपासना प्रधान ध्रुवपद शैली को परिष्कृत तथा आध्यात्मिक रूप में सुरक्षित रखा। ग्रंथ 'नाद विनाद' में स्वामी हरिदास के आठ शिष्यों का उल्लेख किया गया है : बैजू, गोपाल लाल, मदन राय, रामदास, दिवाकर पंडित, सोमनाथ पंडित, तानसेन, सौरसेन। स्वामी हरिदास ने प्रचलित वीणा में अठारह के स्थान पर बाइस अथवा चौबीस परदे लगाकर इसके चार तारों पर मध्य, मन्द तथा तार सप्तक के स्वरों को बजाने की शैली तथा शुष्क वादन (अलापचारी) गीतांगय, नृत्यांगय तथा नृत्य एवं संगीत गायन के साथ वीणावादन शैली प्रचलित की। थट्टी सम्प्रदाय के श्याम-श्यामा उपासक स्वामी हरिदास के शिष्यों में तानसेन तथा बैजू विभिन्न दरबारों से सम्बद्ध रहे। तानसेन ने स्वामी हरिदास से वीणा वादन की भी शिक्षा प्राप्त की। तानसेन के संदर्भ में ग्वालियर घराने तथा ग्वालियर में बनी उनकी समाधि का उल्लेख करते हुए उन्हें मध्य प्रदेश से जोड़ा जाता है परन्तु उनकी संगीत शिक्षा-दीक्षा वृन्दावन के निधिवन में स्वामी हरिदास द्वारा हुई तथा उनकी साधना स्थली, कर्मभूमि बनी आगरा की धरती, जहाँ अकबर के दरबार में तानसेन का संगीत परवान चढ़ा और वह अन्तिम समय तक आगरा में ही रहे। सोनिया अथवा बीनकार घराना नाम से प्रसिद्ध उनकी शिष्य परम्परा में नौबत खाँ, नियामत खाँ (सदारंग), वजीर खाँ, हाफिज अली खाँ, अलाउद्दीन खाँ के नाम लिये जा सकते हैं। इसी प्रकार तानसेन घराने की गायकी परम्परा प्रचलित हुई। इन दोनों परम्पराओं के आदि स्रोत निधिवन, वृन्दावन के स्वामी हरिदास ही थे।

सुप्रसिद्ध ध्रुवपद संगीतज्ञों डागर परिवार का सम्बन्ध डागुर बानी गायक स्वामी हरिदास से जोड़ा जाता है। इस मत के समर्थक स्वामी हरिदास की शिष्य परम्परा में स्वामी सत्यदेव, गोपाल स्वामी, गिरधर स्वामी, शिवदत्त, ब्रज नारायण, इमाम बख्श, बहराम खाँ, मुहम्मद जान खाँ, अलाबन्दे खाँ तथा जाकिरुद्दीन, मोइनुद्दीन डागर आदि से डागर बन्धुओं का सम्बन्ध जोड़ते हैं। अनेक विद्वान मानते हैं कि डागुर बानी के गायक हरिदास अकबरकालीन स्वामी हरिदास से भिन्न हैं, स्वामी हरिदास का सम्बन्ध डागुर बानी से था ही नहीं। स्वामी हरिदास की ध्रुवपद गायन शैली गोबरहार थी जिसे उनके शिष्य तानसेन ने सर्वोपरि माना। हरिदास डागुर स्वामी हरिदास से भिन्न तथा तानसेन के परवर्ती शाहजहाँ, औरंगजेब के समकालीन माने गये हैं तो कतिपय अन्य विद्वान हरिदास डागुर को ग्वालियर वासी ज्ञान खाँ का शिष्य मानते हैं। विषय, रचना, शैली, रचना-पद्धति की दृष्टि से भी दोनों में पर्याप्त अंतर है। इसी क्रम में अन्य विद्वान डागर परिवार शिष्य परम्परा का सम्बन्ध आदि गुरु हरिदास डागुर से जोड़ते हैं। शाहजहाँ के समकालीन कालिदास डागुर की शिष्य परम्परा में मसनद अली खाँ, फतेह अली खाँ, रहीमुद्दीन खाँ, फहीमुद्दीन खाँ डागर आदि कलाकार हुए। रसिक शिरोमणि स्वामी हरिदास तथा हरिदास डागुर अथवा कालिदास डागुर भले ही अलग-अलग व्यक्ति हों, परन्तु इससे इनके वृन्दावन, उत्तर प्रदेश वासी होने के सम्बन्ध में कोई मतभेद, विवाद अब तक सामने नहीं आया है। इस दृष्टि से नासिरुद्दीन खाँ, बहराम खाँ, अलाबंदे खाँ, डागर बन्धुओं ज़िया फहीमुद्दीन खाँ डागर की सुप्रसिद्ध एवं लोकप्रिय शिष्य परम्परा उत्तर प्रदेश संगीत परम्परा की महत्वपूर्ण देन है।

फैज़ाबाद के नवाब अवध की राजधानी बनने पर अयोध्या के अनेक कलाकार अवध दरबार में आ गये। नवाब शुजाउद्दौला के समय तक यहाँ कलाकारों का अच्छा-खासा जमघट हो गया। इनमें उल्लेखनीय थे शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली की प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले कथक खुशी महाराज, पंजाब के शोरी मियाँ। आसफुद्दौला द्वारा राजधानी लखनऊ ले जाने के बाद भी यहाँ की संगीत परम्परा पनपती रही। अयोध्या में मेंहदी उस्ताद, रहीमुद्दीन खाँ, मुश्तरी बाई जैसे श्रेष्ठ संगीतज्ञ थे। शम्भू महाराज ने रहीमुद्दीन खाँ से अनेक वर्षों तक

ठुमरी की शिक्षा प्राप्त की। मलिकाए ग़ज़ल बेगम अख्तर ने विश्व के संगीत जगत में अयोध्या का सम्मान बढ़ाया।

वाराणसी की संगीत परम्परा प्रदेश में सबसे अधिक बहुमुखी एवं समृद्ध रही है। इसका कारण है काशी की माटी, जिसका कण-कण संगीत के रस से सराबोर है और है संगीत पारखी आश्रयदाता काशीराज का दरबार। यही कारण है कि काशी की स्थानीय परम्परा के अतिरिक्त वाराणसी ने दूर-दूर से कलाकारों को आकर्षित किया। जो काशी में एक बार आया तो आने वाली पीढ़ियों तक के लिए वहीं बस गया। सुप्रसिद्ध सारंगीवादक मीरजापुर के पंडित शम्भूनाथ मिश्र काशी में आकर बस गये तो कालिका प्रसाद जी हंडिया तहसील, प्रयागराज छोड़कर वाराणसी में रहने लगे। नृत्याचार्य सुखदेव महाराज ने नेपाल छोड़ा तो काशी को अपना घर बना लिया। दिल्ली दरबार छोड़कर ध्रुवपदिये उस्ताद निसार अली खाँ, बीनकार उस्ताद वारिस अली खाँ, ख्याल गायक उस्ताद सादिक अली खाँ, टप्पा गायक उस्ताद अकबर अली खाँ, तानसेन घराने के प्यार खाँ, भूपत खाँ, नेपाल से ही मुहम्मद खाँ (बड़कू मियाँ), लखनऊ से निर्मलशाह काशी आकर इस नगरी पर ऐसे रीझे कि बस यहीं के होकर रह गये। बिस्मिल्ला खाँ के मन में काशी ऐसी बसी कि डुमराँव गाँव पीछे छूट गया। जो काशी छोड़कर बाहर भी रहने लगा उसके तन-मन में काशी ऐसी रम गयी कि अन्तिम क्षण तक उसने काशी को नहीं छोड़ा। सुप्रसिद्ध सुरबहार वादक मुश्ताक अली खाँ भले ही कलकत्ता में जाकर बसे थे परन्तु वह सदैव अपने को ठेठ बनारसी कहते थे। उस्ताद मुश्ताक अली खाँ के पूर्वज सेनिया घराने के बीनकार वारिस अली खाँ, टप्पा गायक अकबर अली खाँ, ध्रुवपद गायक निसार अली खाँ तथा ख्याल गायक सादिक अली खाँ, अन्तिम मुगल सम्राट बहादुर शाह के समय में ही बनारस आकर बस गये थे। मुश्ताक अली खाँ, सेनिया घराने के बरकतुल्ला के शिष्य आशिक अली खाँ के सुपुत्र थे। उदयशंकर, रविशंकर संसार के किसी कोने में भ्रमण करते रहे हों परन्तु काशी उनके मन में हर क्षण बसी रही, कभी ओझल नहीं होने पाई। पंडित रविशंकर ने तो 'रिम्पा' के रूप में काशी को अपने कार्यक्रमों का केन्द्र बनाया।

काशी की गायिकाओं की अपनी विशिष्ट परम्परा रही है। ये गायिकायें मन्दिरों में भी गाती थीं, दरबार और रईसों की महफिलों में भी। ठुमरी, टप्पा से लेकर ख्याल, ध्रुवपद धमार की कठिन बन्दिशें प्रस्तुत करने में ये गायिकायें बेजोड़ थीं। इन गायिकाओं में विद्याधरी, सरस्वती, छोटी मैना, बड़ी मैना, मोती केसर, राजेश्वरी, बड़ी मोती, गौहर, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी देवी, बागेश्वरी देवी, कृष्णदेवी, गिरिजा देवी, शान्ती देवी की प्राचीन परम्परा रही है। सितारा देवी तथा अलखनन्दा ने कथक नृत्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया।

काशी की वर्तमान संगीत परम्परा लगभग दो सौ वर्ष पुरानी है। ध्रुवपद धमार गायन में पं. रामसेवक मिश्र, पशुपति नाथ, शिवसेवक मिश्र, ज्वाला प्रसाद मिश्र, गुरु प्रसाद मिश्र, शिवनारायण मिश्र, प्रसिद्ध मनोहर, शिवा-पशुपति युगल कलाकारों की विशेष ख्याति रही है। आज भी राजन-साजन तथा अमरनाथ-पशुपतिनाथ अपने युगल गायन के लिए संगीत जगत में लोकप्रिय हैं। काशी के कथक परिवारों में पं. शिवनन्दन मिश्र, उनके पुत्र बड़े रामदास, रामदास जी के श्वसुर पंडित जैकरन मिश्र, छोटे रामदास, पं. हरिशंकर मिश्र, पं. महादेव प्रसाद मिश्र का गायन के ध्रुवपद, धमार, ख्याल के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा है। स्थानीय कथक परिवारों ने संगीत, नृत्य के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हस्तियाँ दी हैं। जैसे उदाहरणार्थ नाम बताने के ख्याल से– कथक में अभयशंकर मिश्र, तबला तथा संगीत समीक्षा में पं. विजय शंकर मिश्र, सितार में अशोक मिश्र जैसे नाम लिए जा सकते हैं। अभय अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के कथक नर्तक हैं। इनके अतिरिक्त अन्य नगरों से काशी में आकर रहने वाले और कुछ बस जाने वाले संगीतज्ञों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनमें उल्लेखनीय हैं– भावे बुवा, भैयाजी लाडे, सोमनाथ, गरुड़कर, सोमनाथ बेहरे, वेदमूर्ति नारायण भट्ट, मुकुन्द विष्णु कालविन्त, अघोर चक्रवर्ती, दामोदर विष्णु कालविन्त, भालचन्द्र चिन्तामणि दामले, उपेन्द्र बाबू। जगदीप जी तथा मौजुद्दीन खाँ द्वारा आंगिक अभिनय की अपेक्षा स्वर माधुरी, बनारसी पुट, भाव प्रधान पूरब अंग की ठुमरी शैली इस ढंग से प्रस्तुत की गयी कि सारे देश पर छा गयी। इधर टप्पा के सुप्रसिद्ध गायक अकबर अली खाँ और शोरी मियाँ के शागिर्द गम्मू खाँ और उनके पुत्र शादे खाँ ने टप्पा का वाराणसी में प्रचार किया। शादे खाँ ने इमाम बाई तथा चित्रा बाई को टप्पा

गायन की शिक्षा दी और टप्पा बनारसी गायकी का अभिन्न अंग बन गया। लक्ष्मी प्रसाद मिश्र, शिव सेवक मिश्र तथा रामसेवक मिश्र के पास टप्पे की दुर्लभ बंदिशों का अपार भण्डार था। बड़े रामदास जी ठुमरी गायकी, ख्यालों की तानों की तैयारी के लिए टप्पे का अभ्यास कराते थे। रसूलन बाई टप्पा गायन के लिए दूर-दूर तक प्रसिद्ध थीं। इमामबादी के पुत्र रमजान खाँ तथा उनके शिष्य नागेन्द्रनाथ भट्टाचार्य ने टप्पा को काशी से कलकत्ते तक पहुँचाया। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में संगीत विभाग खुल जाने के कारण बाहर से अनेक संगीतज्ञ संगीताध्यापन के लिए यहाँ आकर रहने लगे जिनका संगीत परम्परा में योगदान उल्लेखनीय है। इस परम्परा में अनेक नाम लिये जा सकते हैं – पंडित ओमकार नाथ ठाकुर, बलवन्तराय भट्ट, डॉ. लालमणि मिश्र, प्रदीप कुमार दीक्षित, डॉ. एम.आर. गौतम, डॉ. पाटेकर, श्रीकान्त ठकार, डॉ. (कुमारी) प्रेमलता शर्मा, श्रीमती एन.राजम।

खुले चक्करदार बोल, परन, गतों, लड़ियों की प्रधानता के लिए प्रसिद्ध बनारसी राग की परम्परा का प्रवर्तन पंडित राम सहाय द्वारा सन् 1830 के आस-पास माना जाता है। राम सहाय जी ने तबलावादन शैली को ऐसा रूप दिया कि स्वतंत्र वादन के अतिरिक्त ध्रुवपद, धमार, ख्याल, ठुमरी, टप्पा, नृत्य, सितार, सरोद सभी के साथ समान रूपेण सफल संगत की जा सके। रामसहाय जी द्वारा बनाई चक्करदार टेढ़ी परनों में गज परन, सिद्ध परन, चक्करदार परन, कृष्ण परन, रासलीला परन, काली परन, दुर्गा परन, शंकर परन, गणेश परन उल्लेखनीय हैं। राम सहाय जी की शिष्य परम्परा में जानकी सहाय, गौरी सहाय, गौरी सहाय के सुपुत्र भैरव सहाय, बलदेव सहाय, बलदेव सहाय के पुत्र दुर्गादास सहाय, भाँजे पंडित कंठे महाराज, पंडित किशन महाराज, शारदा सहाय के नाम उल्लेखनीय हैं। दूसरी ओर तिरकिट-घिरकिट की कड़ी के लिए प्रसिद्ध तीन चार हजार कायदों, गतों, फर्द, पेशकार, रेलों, टुकड़ों पर पूरा अधिकार रखने वाले भैरव प्रसाद जी के लगभग 400 शिष्यों में प्रमुख थे पंडित मौलवी राम मिश्र, बागेश्वर प्रसाद, पंडित अनोखे लाल, महावीर भट्ट। प्रताप अथवा परतप्पू महाराज की शिष्य परम्परा में उनके पुत्र जगन्नाथ जी, पौत्र शिव सुन्दर और प्रपौत्र बलमोहन महाराज तबले के खलीफा माने जाते थे। कहते हैं शिवसुन्दर के अनुज वाचा मिश्र ने देवी को तबला वादन से प्रसन्न करके तबला वादन में सिद्धि प्राप्त कर ली थी। वाचा मिश्र के पुत्र पंडित सामता प्रसाद गुदई महाराज ने पिता के अतिरिक्त बिस्सू मिश्र जी से भी संगीत शिक्षा प्राप्त की। गुदई महाराज के प्रमुख शिष्यों में हुए कुमार मिश्र, कैलाश मिश्र। पंडित भगवान प्रसाद के पुत्र एवं विश्वनाथ जी के शिष्य पंडित वीरू मिश्र ने तबला वादन, बनारसी बाज में दूर-दूर तक प्रसिद्धि प्राप्त की। अनेक संगीत सम्मेलनों, रियासतों द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। कबीर चौरा के मौलवी राम मिसिर का बनारसी राज अपना अलग था। भैरव प्रसाद मिश्र की परम्परा को इधर प्रतिष्ठा मिली पं. अनोखे लाल द्वारा जिनकी तैयारी, सफाई और नाधिन धिन्ना बोलों का जवाब नहीं था। इनके अतिरिक्त बनारसी राज के युवा कलाकारों में सर्वश्री ईश्वरलाल मिश्र, छोटे लाल मिश्र तथा रामजी मिश्र के नाम लिये जा सकते हैं। तबले के अतिरिक्त ध्रुवपद धमार की लोकप्रियता के कारण काशी में पखावजवादन की समृद्ध परम्परा रही है। इनमें प्रमुख थे मन्नू जी, भोलानाथ पाठक, वृन्दावन दास, मदन मोहन, रामदेव पाण्डेय, संकट मोचन मन्दिर के महन्त पंडित अमरनाथ मिश्र।

तबले की भाँति काशी में सारंगी वादन के तीन घराने प्रचलित रहे हैं– पंडित राम बख्श जिनके पुत्रों गणेश जी, शीतल जी तथा आगे चलकर पंडित हनुमान प्रसाद मिश्र एवं गोपाल मिश्र ने अपने श्रेष्ठ सारंगीवादन से देश-विदेश में सारंगी और बनारस घराने की धाक जमा दी। मीरजापुर से वाराणसी में आकर बसे पंडित श्यामधर मिश्र के पुत्रों सुमेरू (सुमेरनाथ) तथा सियाजी ने सारंगी वादन से सारे देश में प्रसिद्धि प्राप्त की। रामनारायण मिश्र की अपनी सारंगी वादन शैली अलग थी। इनके पुत्रों भवानी भीख जी तथा शम्भूनाथ मिश्र के पुत्र पण्डित सरयू प्रसाद मिश्र तथा पौत्रों पण्डित विश्वनाथ मिश्र, गोपीनाथ मिश्र तथा बैजनाथ मिश्र ने सारंगीवादन परम्परा को समृद्ध किया। बनारस के अन्य श्रेष्ठ सारंगी वादन कलाकारों में तमाकू जी, नारायण मिश्र, भगवान मिश्र, बिरई जी, ठाकुर प्रसाद, सीताराम, पन्नालाल मिश्र, मुंशीराम, आशिक अली खाँ, वंशी महाराज, काशी प्रसाद किन्नर आदि के नाम लिये जा सकते हैं जो स्वतंत्र वादन के अतिरिक्त ध्रुवपद, धमार, ख्याल, टप्पा, ठुमरी

की चतुरंग एवं सफल संगत करने में सिद्धहस्त थे। इन कलाकारों के सम्बन्ध में अनेक किंवदन्तियाँ प्रसिद्ध हैं। सियाजी महाराज की सारंगी पालकी में राजसी ठाठ के साथ जहाँ भी वे जाते, ले जायी जाती। तबला एवं मृदंग वादकों के लिए प्रसिद्ध था कि वह गजपरन बजा कर पागल हाथी को शान्त कर देते थे।

वायलिन वादन में श्रीमती एन. राजम तथा सितारवादक राजभान सिंह के बिना काशी की चर्चा अधूरी रहेगी जो अब काशी में ही रहने लगे हैं। शहनाई वादन में उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ बनारस के पर्याय रहे हैं। उनके अतिरिक्त पंडित नन्दलाल, ख़ादिम अली ने वाराणसी की संगीत परम्परा को समृद्ध किया। पंडित रविशंकर, उस्ताद मुश्ताक अली खाँ ने सितार में, श्री उदयशंकर एवं गोपीकृष्ण ने नृत्य के क्षेत्र में वाराणसी का गौरव बढ़ाया। डॉ. लाल मणि मिश्र ने स्वयं विचित्र वीणा वादक होने के साथ देश-विदेश में ध्रुवपद प्रचार-प्रसार, संगीताध्ययन एवं शिक्षा को अधिक वैज्ञानिक, शोधपरक और रचनात्मक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिय। ठाकुर जयदेव सिंह दर्शन एवं धर्म के अतिरिक्त संगीत शास्त्र के भीष्म पितामह के रूप में सम्मानित किये जाते हैं। वाराणसी की संगीत परम्परा आज भी जीवन्त एवं समृद्ध है।

रामपुर रियासत के नवाब हामिद अली स्वयं संगीत प्रेमी थे और स्वयं तत्कालीन मूर्धन्य संगीतज्ञ उस्ताद वजीर खाँ के शिष्य थे। वजीर खाँ सुप्रसिद्ध ख्याल गायक बड़े मुहम्मद खाँ के भाँजे तथा उस्ताद निज़ाम खाँ के सुपुत्र थे जो अपने युग के श्रेष्ठतम ध्रुवपद गायक थे। वज़ीर खाँ ने पिता से ध्रुवपद गायन और मामा से ख्याल गायन की शिक्षा प्राप्त की। उस समय रामपुर में देश के कोने-कोने से आए श्रेष्ठतम संगीतज्ञों का जमघट था जो उस्ताद वजीर खाँ से सीखते थे। इनमें उल्लेखनीय थे उस्ताद मुहम्मद हुसैन, उस्ताद अलाउद्दीन खाँ, उस्ताद मुश्ताक हुसैन खाँ, उस्ताद सादिक अली खाँ आदि। उस समय रामपुर दरबार का संगीत के क्षेत्र में वही स्थान था जो संस्कृत एवं धर्मशास्त्र के क्षेत्र में काशी पण्डित समाज का स्थान था। रामपुर में कलाकारों को मुँहमाँगा पुरस्कार मिलता था।

आसफुद्दौला द्वारा अवध की राजधानी अयोध्या से लखनऊ ले जाने के साथ अनेक कलाकार लखनऊ जाकर बस गये। नवाब वाजिद अली शाह न केवल संगीत मर्मज्ञ, कला प्रेमी बल्कि स्वयं श्रेष्ठ संगीतज्ञ थे। उनके राज्य काल को अवध की कला की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जा सकता है। बिन्दादीन जैसे कथक नृत्य के आचार्य, कोदऊ सिंह जैसे पखावजी वाजिद अली शाह के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। दरबार में ठुमरी, भाव एवं श्रृंगार प्रधान बन्दिशों का विशेष प्रचलन था जो अधिकतर भैरवी, खम्माज, काफी, देश, झिंझोटी आदि राग-रागिनियों तथा दीपचन्दी (14 मात्रा) जल ताल, कहरवा आदि तालों में गाई जाती थीं।

ख्याल, ध्रुवपद गायन की दृष्टि से लखनऊ संगीत का प्रमुख केन्द्र रहा है जहाँ देश के मूर्धन्य कलाकारों का जमघट होता था। उस्ताद सादिक अली खाँ के शिष्य उस्ताद खुर्शेद अली खाँ, लखनऊ गायकी के पितामह माने जाते हैं। उनके शिष्यों में प्रमुख थे लखनऊ के राजा नवाब अली, गुलाम हुसैन, बब्बन साहब, चिन्मय लाहिड़ी, भैया गनपत राव, नसीर खाँ, श्री कृष्ण रातंजकर आदि। ख्याल गायकी को लखनऊ में लोकप्रिय बनाने वाले श्रेष्ठ कलावन्तों में उल्लेखनीय हैं सूरज खाँ, चाँद खाँ, मुराद अली, अमीर अली, छज्जू खाँ, बासत खाँ, हैदर खाँ, गुलाम हुसैन, दूल्हे खाँ, अहमद खाँ, मुहम्मद खाँ, नवाब कासिम अली, अमराव खाँ, तारब अली, रहीम खाँ, यूसुफ खाँ, वजीर खाँ आदि। गुलाम रसूल के पुत्र मियाँ गुलाम नबी शोरी ने टप्पा शैली का प्रवर्तन किया। लखनऊ परम्परा के अनेक संगीतज्ञों ने उनसे टप्पा गायन सीखा। लखनऊ परम्परा को अनेक गायिकाओं ने भी समृद्ध किया। इनमें रहीमन बाई, शराफो बाई, धन्नो बाई, जयसुख बाई, खुर्शेद बाई, चन्द्रा बाई, जसोबाई के नाम लिये जा सकते हैं।

लखनऊ बाज की अपनी विशेषता, शैली रही है। प्यार खाँ, जाफर खाँ, बासत खाँ, बहादुर खाँ, काजिम अली जैसे रबाबिये हुए तो गुलाम मुहम्मद, रहीम सेन, गुलाम हुसैन खाँ, बरकत अली, हसन खाँ डाढ़ी, नवाब अली, वकी खाँ, हशमत जंग, हामिद हुसैन जैसे श्रेष्ठ सितारवादकों को लोग आज भी आदर से याद करते हैं। लखनऊ के ही रज़ा खाँ ने सितार की मध्य, द्रुतलय, प्रधान रजाखानी गत शैली का प्रवर्तन किया। सादिक अली खाँ वीणावादन तथा एवज़ अली खाँ सारंगी वादन में बेजोड़ थे। उस्ताद सुधार खाँ के पौत्रों मोदू

खाँ तथा बख्शू खाँ (पुत्र मम्मन खाँ) ने तबले के लखनऊ घराने का सूत्रपात किया। मोदू खाँ के प्रिय शिष्य पण्डित रामसहाय ने बनारस बाज घराने का प्रवर्तन किया। मम्मन खाँ के तीसरे पुत्र उस्ताद मुहम्मद खाँ के पुत्र मुन्ने खाँ खलीफा की परम्परा में वाजिद हुसैन खाँ, आफाक हुसैन खाँ हुए तो दूसरी ओर आबिद हुसैन की शिष्य परम्परा में वीरू मिश्र, जहाँगीर खाँ, हीरेन्द्र गांगुली, महबूब खाँ आदि जैसे ख्याति प्राप्त तबला वादक हुए। लखनऊ में कोदऊ सिंह, पण्डित सखा राम, पण्डित अयोध्या प्रसाद जैसे पखावजी प्रसिद्ध हुए।

वाजिद अली शाह 'रहस' नृत्य का विशाल आयोजन करते और कृष्ण की भूमिका स्वयं प्रस्तुत करते थे। उन्होंने कैसरबाग में विशाल बारादरी, नहरें, फव्वारे, उद्यान बनवाए जो हर समय केसर की फुहार से गमकते और नूपुरों की झंकार से गूँजते रहते। इसी युग में कथक नृत्य और ठुमरी को विशेष लोकप्रियता प्राप्त हुई। नवाबी प्रभाव के कारण लखनऊ की गायकी में ग़ज़ल एवं शायरी की प्रधानता थी। नृत्य ही नहीं वाजिद अली शाह ने स्वयं 'अख्तर पिया' और बिन्दादीन ने 'सनद पिया' उपनाम से ठुमरी की अनेक बंदिशें तैयार कीं। इसी समय अन्य कलावन्तों ने कदरपिया, चाँदपिया, ललनपिया नाम से ठुमरी की बन्दिशें तैयार कीं, जो बड़ी लोकप्रिय हुईं। अवध दरबार में होलिकोत्सव विराट संगीत समारोह के रूप में मनाया जाता जो दिन-रात चलता रहता। बिन्दादीन के अतिरिक्त शम्भू महाराज, लच्छू महाराज और बिरजू महाराज ने लखनऊ कथक शैली को नई दिशा दी। इधर श्रीकृष्ण रातंजकर को मौरिस कॉलेज का प्रधानाचार्य बनाया गया। इसी क्रम में उस्ताद दूल्हे खाँ, उस्ताद सखावत हुसैन खाँ (सरोद), सादिक अली खाँ (बीनकार), उमर खाँ, इलियास खाँ (सितार), जी.एन. गोस्वामी (वायलिन), युसुफ अली खाँ, ध्रुवतारा जोशी (सितार), डॉ. सुरेन्द्र शंकर अवस्थी ने लखनऊ की संगीत परम्परा को समृद्ध किया। शासकीय स्तर पर उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कलाकारों को सहायता-सम्मान देने की दिशा में कार्य करती है। लखनऊ महोत्सव में संगीत-सम्मेलन का आयोजन होता है।

आगरा मुगलकाल में संगीत का सबसे बड़ा केन्द्र था। मुगल बादशाह अधिकतर आगरा में ही रहते थे। आगरा के पड़ोस में एक ओर ग्वालियर रियासत थी तो दूसरी ओर दिल्ली दरबार जहाँ से संगीतज्ञों का आना-जाना लगा रहता था। अतः जहाँ ग्वालियर घराने के नत्थन खाँ, पीर बख्श, हद्दू खाँ, हस्सू खाँ, मुहम्मद खाँ, रहमत खाँ, कृष्णराव शंकर, विनायक राव पटवर्द्धन, मेंहदी हुसैन खाँ, नज़ीर खाँ, हफीज़ खाँ, कल्लन खाँ, बालकृष्ण बुआ, इचलकरंजीकर, बन्ने खाँ, गनपत राव आदि जैसे संगीतज्ञों की दमदार, गम्भीर गायकी और तैयारी ने आगरे की गायकी को प्रभावित किया वहीं दूसरी ओर दिल्ली दरबार के संगीतज्ञ थे जिनकी ध्रुवपद एवं ख्याल गायकी अपने ढंग की थी। दिल्ली घराने के संगीतज्ञों में लाल खाँ, बाबा रामदास, हाजी सुजान खाँ, सदारंग, अदारंग, काले मिर्जा, तानरस खाँ, उमराव खाँ, हुसैन अली, फतेह अली की गायकी ने आगरा घराने की गायकी को बहुत अधिक प्रभावित किया। मथुरा पड़ोस में होने के कारण ब्रज भाषा और कृष्णलीला की आगरा घराने की बन्दिशों पर स्पष्ट छाप दृष्टिगोचर होती है। आगरा घराने का सूत्रपात श्यामरंग और सरसरंग से माना जाता है। आगरा घराने के संगीतज्ञों में घग्घे खुदाबख्श, सुप्रसिद्ध ख्याल गायक शेर खाँ, गुलाम अब्बास, गुलाम हैदर खाँ (कल्लन खाँ), नत्थन खाँ, नन्हें खाँ कड़क एवं चमक वाली तानों के लिए प्रसिद्ध मुहम्मद सिद्दीक खाँ, तसद्दुक हुसैन खाँ, अनवर हुसैन खाँ, लताफत हुसैन खाँ, विलायत हुसैन खाँ, स्वामी बल्लभदास, भास्कर बुवा बारवले, दिलीप चन्द्र वेदी, श्री कृष्ण रातंजनकर, जगन्नाथ बुवा पुरोहित के नाम लिये जाते हैं। परन्तु आगरा घराने की गायकी को सबसे अधिक यश मिला आफताबे मौसी की उस्ताद फैय्याज खाँ की लोकप्रियता के कारण। वैसे तो उस समय देश में रज्जब अली खाँ, अल्लादित्ता खाँ, अब्दुल करीब खाँ, बन्दे अली खाँ जैसे अनेक श्रेष्ठ संगीतज्ञ थे परन्तु ख्याल, ध्रुवपद, होरी, धमार सभी शैलियों पर समान अधिकार, अलाप, बढ़त, राग-रागिनी के स्वरूप की अवधारणा और मधुर भावाभिव्यक्ति आदि दृष्टियों से फैयाज खाँ अद्वितीय थे। भैरवी में ''बाजूबन्द खुल-खुल जाय'' और ''ब्रज होली खेलन को रसिया'' से लेकर ध्रुवपद ख्याल तक जब फैयाज खाँ प्रस्तुत करते तो रस की फुहारों से श्रोता भावविभोर हो जाते। आगरा घराने की दूसरी शाखा में ख्याल एवं ठुमरी गायन की प्रधानता थी। इस परम्परा में इमदाद खाँ, हमीद खाँ, प्यार खाँ, लतीफ खाँ के नाम लिये जा सकते हैं। आगरा घराने को कव्वाल बच्चा घराना भी कहा जाता है। वैसे तो फैय्याज खाँ अपने

गायन के बीच-बीच में ''हाँ, हाँ, अरे हाँ'' जैसे शब्दों का भी प्रयोग करते थे, जो ख्याल गायन शैली का नहीं है, परन्तु कव्वाल बच्चों का अपना अलग घराना था जो तानों की पेंचदार फिरत, बल एवं फन्दे वाली तानों के लिए प्रसिद्ध रहा है। इस घराने के प्रतिनिधियों में मुहम्मद खाँ, रहमत खाँ, मुबारक अली खाँ, सादिक अली खाँ, फजले अली खाँ, करम अली, दिलावर अली उल्लेखनीय हैं।

मुगलकाल में, विशेषतः अकबर-काल में फतेहपुर सीकरी का आगरे अथवा दिल्ली की अपेक्षा अधिक महत्व था और अकबर का अधिकांश समय फतेहपुर सीकरी में ही व्यतीत होता था। अतः फतेहपुर सीकरी में संगीतज्ञों का जमघट और परम्परा का सूत्रपात स्वाभाविक था। इस घराने के संगीतज्ञों में जैनू खाँ, जोरावर खाँ, गुलाम रसूल खाँ, छोटे खाँ पखावजी, मदारबख्श के नाम लिये जाते हैं।

सहारनपुर घराने के प्रवर्तक खलीफा मुहम्मद जमाँ सूफी सन्त थे तथा गायन के अतिरिक्त बीन, रबाब और सितार वादन में अद्वितीय माने जाते थे। सहारनपुर के गुलाम तकी खाँ और गुलाम जाकिर खाँ होरी ध्रुवपद गायन के लिए संगीत जगत में प्रसिद्ध थे। बन्दे अली खाँ के जोड़ के बीनकार पूरे देश में इने-गिने थे। इस परम्परा के गुलाम आज़म, गुलाम कासिम, गुलाम जामिन, बहराम खाँ की ख्याति दूर-दूर तक थी। बहराम खाँ ने भारतीय संगीत के अध्ययन की दृष्टि से हिन्दी-संस्कृत का अध्ययन किया और उन्हें पण्डित की उपाधि से अलंकृत किया गया। बहराम खाँ की शिष्य परम्परा में गौसी बाई, फरीद खाँ, मौला बख्श सांखड़ वाले तथा जाकिरुद्दीन खाँ एवं अलाबन्दे खाँ थे। जाकिरुद्दीन खाँ तथा अलाबन्दे खाँ के ध्रुवपद एवं होरी गायन की पूरे देश में धूम थी। सभी रियासतों से इन दोनों के लिए प्राप्त होने वाले निमंत्रण पत्रों का ताँता लगा रहता था। सन् 1915-16 में बड़ौदा संगीत सम्मेलन के मंच पर जब क्लीमेण्ट ने अपना बनाया हारमोनियम प्रस्तुत करते हुए दावा किया कि उनके हारमोनियम में सभी श्रुतियाँ निकल सकती हैं तो उनकी चुनौती जाकिरुद्दीन खाँ एवं अलाबन्दे खाँ ने सफलतापूर्वक स्वीकार की और गाकर बतलाया कि श्रुतियाँ गले से ही निकल सकती हैं। इनमें गले की हरकतें हारमोनियम पर निकालने में असफल होने पर श्री क्लीमेण्ट ने अपना वाद्य और दावा वापस ले लिया। वस्तुतः वर्तमान ध्रुवपद परम्परा को इस घराने का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। अलाबन्दे खाँ के पुत्रों नसीरुद्दीन खाँ, रहीमुद्दीन खाँ, इमामुद्दीन खाँ डागर एवं मोहनुद्दीन डागर ने ध्रुवपद, धमार, होरी गायन के क्षेत्र में सहारनपुर घराने की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। अब्बन खाँ गायन के साथ संगीत शास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान थे। उन्होंने अनेक राग-रागिनियों पर शोध कार्य भी किया था।

बहादुर हुसैन खाँ तथा हद्दू खाँ के शिष्य इनायत हुसैन खाँ सहसवान घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनायत हुसैन नेपाल, ग्वालियर, रामपुर, हैदराबाद दरबार में रहे और सम्मानित किये गये। इनके शिष्यों रामकृष्ण, बाजे बुआ, छज्जू खाँ, नजीर खाँ ने सहसवान की संगीत परम्परा को समृद्ध किया। इमदाद खाँ, मुश्ताक हुसैन खाँ, फिदा हुसैन के पुत्र उस्ताद निसार हुसैन खाँ, मुश्ताक हुसैन खाँ के पुत्र इश्तियाक हुसैन और हारमोनियम नवाज़ इशाक हुसैन के कारण सहसवान संगीत परम्परा का नाम आदर के साथ लिया जाता है।

जब तक रसिक पारखी चाँद खाँ और काले खाँ का ध्रुवपद धमार गायन के क्षेत्र में नाम रहेगा, अतरौली घराने का नाम भी अमर रहेगा। इनके पूर्वज शाण्डिल्य गोत्र के ब्राह्मण थे जिन्होंने आगे चलकर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। इस परम्परा के दुल्लू खाँ और छज्जू खाँ ध्रुवपद की गोबरहार अथवा गोहार बानी के लिए प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय थे। हुसैन खाँ, शाहाब खाँ, ध्रुवपद धमार गायन में बेजोड़ थे तो मानतोल खाँ डागुर बानी के विशेषज्ञ कलाकार माने जाते थे। गुलाम गौस खाँ के परिवार में गोहार बानी की परम्परा चल रही थी परन्तु गुलाम गौस खाँ की रुचि डागुर बानी में थी। अतः उन्होंने अपनी प्रतिभा और लगन से डागुर बानी के संगीतज्ञों में शीर्षस्थ स्थान प्राप्त किया। खैराती खाँ के खण्डारी बानी को ध्रुवपद गायन में अपनाया। करीम बख्श ने भी खण्डारी बानी का अभ्यास किया। चिम्मन खाँ, करीम बख्श खाँ, जहाँगीर खाँ, जुहूर खाँ ने ध्रुवपद धमार के साथ ख्याल गायन के क्षेत्र में भी अतरौली घराने का सम्मान बढ़ाया। जहूर खाँ तो इतना अच्छा गाते थे कि एक बार रास्ते में इन्हें डाकुओं ने घेर लिया लूटने के लिए। तानपूरा देखकर डाकुओं ने गाने के लिए कहा। जहूर बख्श का गायन सुनकर डाकू ऐसे मंत्रमुग्ध हुए कि उन्होंने न केवल क्षमा माँगी बल्कि भारी धनराशि देकर

सुरक्षित पहुँचा दिया। भूपत खाँ, इमाम बख्श, गुलाम खाँ, हस्सू खाँ, दौलत खाँ, अतरौली वाले अल्लादिया खाँ, अली अहमद खाँ, ख्वाजा अहमद खाँ, अज़मत हुसैन खाँ ने ध्रुवपद, धमार, होरी, ख्याल, दादरा सभी शैलियों में भागलपुर, मुंगेर, बनारस, पटना, कलकत्ता दूर-दूर तक अनेक रियासतों में यश प्राप्त किया।

बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद में रमज़ान खाँ, कुतुब बख्श, मुहम्मद अली खाँ, अजमत उल्ला खाँ, कुदरत उल्ला खाँ, जहूर खाँ, फिदा हुसैन खाँ, बदरुज़्ज़माँ मुजफ्फर खाँ जैसे श्रेष्ठ ध्रुवपद एवं ख्याल गायकों का जमघट था। कुतुबबख्श सितारवादन में भी प्रवीण थे। कुतुब अली खाँ के कार्यक्रम के पश्चात् किसी अन्य कलाकार का कार्यक्रम जमना कठिन होता था। मुहम्मद अली खाँ को राजसी सम्मान प्राप्त था। कुदरत उल्ला खाँ, तराने की गायकी के अतिरिक्त कव्वाली गायन में सारे देश में बेजोड़ थे तथा अपनी सुरीली, बुलन्द एवं पाटदार आवाज के लिए संगीत जगत में प्रसिद्ध थे। भास्कर बुवा बारवले इनके प्रिय शिष्य थे। बदरुज़्ज़माँ शास्त्रीय संगीत के अतिरिक्त ठुमरी, दादरा आदि ऐसे सुरीले ढंग से गाते कि सुनने वाले ठगे से रह जाते।

खुर्जा (अलीगढ़) घराने का आरम्भ नत्थे खाँ के पुत्र जोधे खाँ से माना जाता है जो दिल्ली दरबार से आकर खुर्जा में बस गये। इमाम खाँ, गुलाम हुसैन खाँ, ज़हूर खाँ, अलताफ हुसैन खाँ, गुलाम हैदर खाँ ऐसे संगीतज्ञ थे जिनका ध्रुवपद, धमार, ख्याल, तराना, ठुमरी, टप्पा, तिरवट, चतुरंग पर समान अधिकार था तथा इन लोगों की गायकी बुलन्द परन्तु पेंचदार मानी जाती थी। ज़हूर खाँ की बनाई ध्रुवपद, ख्याल छन्द, प्रबन्ध, चतुरंग, सरगम की अनेक बंदिशें अभी तक प्रचलित हैं। इसी घराने के गफूर बख्श श्रेष्ठ सितारवादक थे। ये सभी कलाकार अपने को खुर्जा घराने का प्रतिनिधि कहने में गर्व का अनुभव करते थे। ऐसा लगता है कि दिल्ली दरबार की स्थिति डाँवाडोल होने पर कलाकार आस-पास खुर्जा, अतरौली, बुलन्दशहर आदि स्थानों में बसते गये। वहाँ संगीत परम्परा ने जन्म लिया। जौनपुर के सुल्तान हुसैन शर्की के संगीत में योगदान से सभी सुपरिचित हैं।

मथुरा के ध्रुवपद में कृष्णभक्ति सम्प्रदाय मन्दिरों, विरक्त साधुओं के अतिरिक्त सूबेदार नवाब अली खाँ के दरबार से संगीतज्ञों की अलग परम्परा मिली है। कौड़ी रंग और पैसारंग दोनों भाई ध्रुवपद धमार एवं ख्याल के बड़े प्रसिद्ध गायक थे। पानखाँ को इन सभी शैलियों पर समान अधिकार था और नवाब से इन्हें ज़ागीर मिलती थी। बुलाकी खाँ श्रेष्ठ गायक होने के साथ संगीत शास्त्र के प्रकाण्ड विद्वान थे और अधिकतर मथुरा के मन्दिरों में ही गाते थे। मथुरा के ही अहमद खाँ (गुलदीन खाँ) सितारवादन में इतने निपुण थे कि गुजरात के लूनावडा दरबार में एक-एक स्वर सटीक लगाने पर एक दिन के कार्यक्रम में इन्हें कई महीनों, वर्ष भर का वेतन पुरस्कार स्वरूप मिल जाता। काले खाँ ने 'सरस पिया' नाम से ख्याल ठुमरी, ध्रुवपद की अनेक रचनाएँ कीं जो आज भी लोकप्रिय एवं प्रचलित हैं। गुलाम रसूल खाँ ने अपने संगीत शिक्षण की यात्रा का शुभारम्भ मथुरा से ही किया लेकिन जाकर बस गए बड़ौदा दरबार में। फैयाज़ खाँ सितार वादन में अद्वितीय थे। मुन्नन खाँ ने भी सितारवादन में बड़ी ख्याति अर्जित की लेकिन मुर्शिदाबाद अपने श्रेष्ठ गायन के लिए देश भर में प्रसिद्ध थे। दोनों संस्कृति के अच्छे विद्वान थे। कहते हैं आज से 80-90 वर्ष पूर्व इन कलाकारों को नेपाल आदि स्थानों में एक-एक कार्यक्रम के लिए एक लाख रुपये तथा बहुमूल्य हीरे-जवाहरात पुरस्कार स्वरूप मिलते थे।

उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद की अपनी विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण संगीत परम्परा रही है। इसके परवर्ती प्रतिभा सम्पन्न कलाकार उस्ताद इनायत खाँ के गौरीपुर रियासत (बंगाल) में बस जाने के कारण सितार वादन का यह अनूठा घराना गौरीपुर घराना के नाम से भी प्रसिद्ध था। विशिष्ट वाद्य शैली के श्रेष्ठ प्रतिनिधि इमदाद खाँ की लोकप्रियता के कारण पारखी संगीत प्रेमी इसे इमदादखानी बाज नाम से भी जानते थे। सितार वाद्य पर गायकी, विशेषतः किराने घराने की गायकी, हूबहू प्रस्तुत करने के कारण अनेक संगीत समीक्षक इस परम्परा को किराना घराना के अन्तर्गत मानते हैं। 'बाज एक, नाम अनेक' इसकी सबसे बड़ी विशेषता है।

इटावा की सितार वादन संगीत परम्परा सात पीढ़ियों से भी अधिक पुरानी है। इस घराने के पूर्वजों में मलूकदास के राजपूत वंशज सुरजन सिंह, सुरजन सिंह के पुत्र तुराब खाँ, पौत्र साहबदाद खाँ, प्रपौत्र इमदाद खाँ, इमदाद खाँ के दो पुत्र इनायत खाँ, वहीद खाँ, इनायत खाँ के पुत्र विलायत खाँ, इमरत खाँ तथा वंशजों में रईस

खाँ उल्लेखनीय हैं। ध्रुवतारा जोशी इसी परम्परा के प्रतिनिधि हैं। बीनकार अंग के फलस्वरूप सितार सुरबहार पर ग्वालियर, आगरा तथा किराने घराने की गायकी सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने की अद्‌भुत क्षमता के अतिरिक्त इटावा संगीत परम्परा की इस बात की अपनी विशेषताएँ रही हैं। विशुद्ध बाज अंग, मींड़ का विस्तार, झाले की विविधता तथा माला जैसी लड़ी, स्वरों की शुद्धतायुक्त तैयारी, सपाट तान, कूटतान, तिहाई आदि संगीत के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण तथा साधुसंत जैसा उदासीन जीवन इस संगीत परम्परा की दूसरी विशेषता रही है।

उस्ताद विलायत खाँ ने अपनी अथक साधना तथा विलक्षण प्रतिभा से इटावा की संगीत परम्परा को विशेष समृद्ध किया। उनकी लगभग तेरह-चौदह वर्ष की आयु थी, जिस समय पिता उस्ताद इनायत खाँ के आकस्मिक निधन से घराने तथा उसकी विशिष्ट शैली परम्परा के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लग गया। उस्ताद विलायत खाँ ने चुनौती स्वीकार की, वर्षों अपने को कमरे में बन्द करके पूर्वजों और उनके बाज का मनन करते हुए पन्द्रह-सोलह घंटे प्रतिदिन सितार सुरबहार पर रियाज (अभ्यास) करते रहे और अन्ततः संगीत में जैसे सिद्धि प्राप्त कर ली। उन्होंने सितार सुरबहार में दो के स्थान पर एक ही तुम्बा रखा। सितार सुरबहार पर हृदयस्पर्शी, सुमधुर, सटीक मींड़ लेने में उस्ताद विलायत खाँ अद्वितीय हैं। एक ही परदे पर पूरे सप्तक की मींड़ लेने, अद्‌भुत लयकारी, अति द्रुत लय के बावजदू माधुर्य, स्वरों की शुद्धता उनकी विशेषता है। विलायत खाँ के दादा इमदाद खाँ इन्दौर में रहे तो चाचा वहीद खाँ कलकत्ता में और पिता इनायत खाँ गौरीपुर में रहे। शहनाई जैसे गायकी प्रधान सुषिर वाद्य के साथ अपने वाद्य सितार की अनेक वाद्यगत सीमाओं तथा कठिनाई को पार करते हुए बिस्मिल्ला खाँ के साथ सही अर्थों में सफल जुगलबंदी उस्ताद विलायत खाँ की विलक्षण प्रतिभा की द्योतक है। यदि बिस्मिल्ला खाँ ने हेय समझे जाने वाले लोकवाद्य को शास्त्रीय संगीत वाद्यों के सर्वोच्च सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया तो विलायत खाँ ने सितार सुरबहार वादन को नया अनुकरणीय आयाम दिया। मुम्बई में कई दशक रहने के पश्चात् महानगरी की चमक-दमक, प्रचार-प्रसार, चकाचौंध छोड़कर नगर के कोलाहल से दूर उत्तर प्रदेश के देहरादून के सुरम्य वनखण्ड, प्रकृति के बीच संगीत के माध्यम से एकान्तवास, आध्यात्मिक साधना, नाद ब्रह्म चिंतन के रूप में जीवन में शान्ति की रसात्मक साधना में तल्लीन विलायत खाँ ने इटावा परम्परा विशेषतः अपने पिता, पितामह के जीवन दर्शन का अनुशीलन किया।

कासगंज (एटा) के ख्वाजा बख्श श्रेष्ठ गायक होने के साथ प्रसिद्ध सितारवादक भी थे और दिल्ली दरबार के पतन तक बहादुरशाह जफर के दरबार में ही रहे।

शाहजहाँपुर घराना सरोद वादन के क्षेत्र में विशेष प्रसिद्ध रहा है। उस्ताद काजिम अली के शिष्य, इंसाफ अली रबाबिया तथा इनायत अली खाँ सरोदिया ने अपने-अपने क्षेत्र में बड़ी ख्याति अर्जित की। इनायत खाँ के पौत्र सखावत खाँ (पुत्र शफात खाँ) ने उस्ताद मीरू खाँ, उस्ताद करामत उल्ला तथा प्रोफेसर कौकब से सीखकर सरोदवादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व ख्याति प्राप्त की तथा भातखण्डे संगीत विद्यालय, लखनऊ में अध्यापन कार्य करते रहे। उस्ताद सखावत खाँ के पुत्र उस्ताद इलियास खाँ सितारवादन के क्षेत्र में प्रतिष्ठा एवं लोकप्रियता का कीर्तिमान रहे हैं। इलियास खाँ की शिष्य परम्परा में सितार तथा सरोद वादन की परम्पराएँ चल रही हैं।

बनारसी अंग और लखनऊ कथक नृत्य शैलियों की भाँति तबले की वादन शैलियों ने तबले के विभिन्न घरानों का रूप लिया। चाँटी स्याही के अधिक प्रयोग, पेशकार, कायदों-तिनक तिन, केन, धिनगिन, धिड़ान आदि बोलों की बहुलता के कारण मेरठ जनपद के अजराड़ा घराने ने अपना विशिष्ट स्थान बना लिया। इस शैली के प्रवर्तकों, प्रमुख कलाकार प्रतिनिधियों मुहम्मदी बख्श, कल्लू खाँ, चाँद खाँ, हस्सू खाँ, शम्भू खाँ और हबीबुद्दीन खाँ आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

इसी प्रकार दिल्ली से आकर उस्ताद मोदू खाँ और बख्शू खाँ लखनऊ में बस गये। उन्होंने कथक नृत्य के अनुरूप परन, नृत्य की आत्मा लिए चक्करदार टुकड़ों, धिड़नग, धतिन्न आदि बोलों की प्रधानता के साथ विशिष्ट शैली का प्रचलन किया जो लखनऊ शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। खलीफा मम्मू खाँ, मुहम्मद खाँ, मुन्ने खाँ, वाजिद हुसैन खाँ (खलीफा पूरब), आबिद हुसैन खाँ, वीरू मिश्र, जहाँगीर खाँ, महबूब खाँ की समृद्ध परम्परा के कारण लखनऊ के बाज को तबला वादन के क्षेत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। उधर बख्शू खाँ ने टुकड़ों,

रेलों, परनों के अतिरिक्त त्तिधिड़ान, किट, धिड़नग, दिनतक, धिंता आदि बोलों के साथ बोलों की तैयारी, सफाई और मिठास को महत्व दिया। उनकी शैली फर्रुखाबाद घराने के नाम से प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय हुई। फर्रुखाबाद के घराने के कलाकारों में हाजी खाँ, हुसैन अली खाँ, मुनीर खाँ, अहमद जान थिरकवा, अमीर हुसैन, गुलाब हुसैन, नन्हें खाँ, मसीत खाँ तथा करामत हुसैन के नाम लिये जा सकते हैं। पहले कलाकार अशिक्षित अवश्य होते थे परन्तु गुणी एवं अपनी कला में पारंगत थे। कहते हैं रामपुर के बहादुर हुसैन खाँ, छम्मन साहब और जानी साहब ने थाट पद्धति, आधारभूत कल्याण थाट, पूर्वांग, उत्तरांग, राग वर्गीकरण के सिद्धान्त का बहुत पहले प्रतिपादन किया था जो भातखण्डे थाट एवं राग सिद्धान्त पद्धति से बहुत कुछ मिलता-जुलता है।

प्रयागराज कोई रियासत नहीं थी परन्तु संगीत प्रेम, रईस ज़मींदारों के कारण यहाँ देश भर के शीर्षस्थ संगीतज्ञों का जमघट बना रहता। विलायत खाँ, बिस्मिल्ला खाँ आदि जैसे कलाकारों ने मंच प्रदर्शन का शुभारम्भ प्रयाग के संगीत सम्मेलन से किया। देश का शायद ही कोई ऐसा श्रेष्ठ संगीतज्ञ होगा जिसने प्रयागराज के संगीत सम्मेलन में भाग न लिया हो। जिसे प्रयागराज संगीत सम्मेलन के पारखी श्रोताओं की 'वाह-वाह' मिल गयी, वह देश का सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ बन गया। यही कारण है कि सभी संगीतज्ञ प्रयागराज के संगीत सम्मेलन में अवसर मिलने के लिए लालायित रहते और प्रदर्शन का अवसर मिलने पर गर्व का अनुभव करते। यहाँ संगीत सम्मेलन चार-पाँच दिनों तक दिन-रात चलते। न कलाकार थकते और न श्रोता। प्रयागराज के संगीत प्रेमी शिक्षित समाज के प्रयास का ही फल था कि शिक्षित एवं सम्भ्रान्त परिवारों में अस्पृश्य एवं त्याज्य समझी जाने वाली संगीत कला एवं कलाकार को प्रतिष्ठित स्थान मिला। प्रयाग संगीत समिति आज परीक्षार्थियों तथा केन्द्रों की संख्या की दृष्टि से देश की सबसे बड़ी संगीत संस्थाओं में से एक है।

प्रयागराज में गायक-गायिकाओं की अपनी परम्परा रही है। टीपदार, तेज परन्तु मीठी आवाज वाली जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी के मोहक संगीत को संगीत के पारखी आज तक भूल नहीं सके हैं। जानकी बाई प्रयागराज की शान थीं। बिस्मिल शायर ने उनके लिए ठीक ही लिखा था :–

हर ग़ज़ल अब ख़त्म हो इस टीप पर उस्ताद की,
मेरा नाम जानकी बाई और इलाहाबाद की।

यह मिसरा जानकीबाई को इतना पसन्द आया कि जब उनके गायन की कोई रिकार्डिंग होती तो वह उस राग व ताल विशेष में निबद्ध बोल के पहिले गातीं ''मेरा नाम जानकीबाई इलाहाबाद'' और फिर अपना गायन आरम्भ करतीं। यही मिसरा उनके रिकार्ड की पहचान (ट्रेड मार्क) जैसा बन गया था। उन दिनों जब रेकार्ड बनाने का प्रचलन नहीं हुआ था जानकी बाई के सैकड़ों रेकार्ड बन गये थे। इनके रेकार्ड्स के विज्ञापनों में लिखा रहता ''जिनका गायन सुनकर मुर्दे जिंदा हो गये'' और सचमुच उनका गायन ऐसा ही बतलाया जाता है। बनारसी अंग की गायिकायें विद्याधरी, रसूलन बाई, सिद्धेश्वरी, गौहरजान (कलकत्ता) बराबर प्रयागराज आया करती थीं। पंडित विष्णु दिगम्बर के शिष्य विष्णु ए. कशालकर, बी.एन. ठकार प्रयाग में ही बस गये और आजीवन यहीं रहे। श्री एन.एल. गुणे (गायन), एस.आर. मावलंकर (सितार) ने प्रयाग को अपना स्थायी निवास बनाया। सरोदवादन में उस्ताद करामत उल्ला खाँ का घराना प्रसिद्ध था जिनके शिष्यों में उस्ताद चुन्ने खाँ तथा पंडित गणेश प्रसाद द्विवेदी, बनवारी लाल सितार में उल्लेखनीय हैं। तबलावादन के क्षेत्र में उस्ताद यूसुफ खाँ, प्रोफेसर लाल जी के नाम लिये जा सकते हैं। सारंगी वादन में नजीर खाँ का नाम उल्लेखनीय है। तबलावादन के क्षेत्र में उस्ताद यूसुफ खाँ, प्रोफेसर लालजी के नाम लिये जा सकते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया तथा रघुनाथ सेठ ने बाँसुरीवादन में बम्बई और देश के कोने-कोने तक प्रयाग की संगीत परम्परा का सम्मान बढ़ाया है।

अन्य पुराने कलाकारों में तत्कालीन ख़लीफा पण्डित भोला भट्ट का नाम आता है जो अलोपीबाग में रहते थे। भट्ट के पास ध्रुपद, होरी, ख्याल, ठुमरी, टप्पा की दुर्लभ बन्दिशों का अपार भण्डार था। गगन बाबू वायलिन वादन में अद्वितीय थे। लय पर उनका अभूतपूर्व अधिकार था। उनके शिष्यों में श्रीराम श्रीवास्तव तथा

जोई श्रीवास्तव ने वायलिन वादन के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की। हारमोनियम वादक नीलू बाबू को लोग आज भी याद करते हैं। उन्होंने इतना अधिक अभ्यास किया था कि अभ्यास करते-करते हाथों की उंगलियाँ टेढ़ी हो गयी थीं। किसी समय में केसरबाई की समस्त रियासतों के संगीत सम्मेलनों में धाक थी। वह जानकी बाई के साथ गाती थीं। पैंसठ वर्ष से भी अधिक आयु वाली कृष्णा देवी सात वर्ष की आयु से ही गायन द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त करने लगी थीं। उन्होंने लोकप्रियता का कीर्तमान स्थापित किया। अब तक बादशाही मण्डी स्थित उनके निवास से कभी भोर में तैरती पंक्तियाँ ''कब लोगे खबर मोरी राम'' मन को स्पर्श कर जाती हैं और स्वर्णिम अतीत की याद दिलाती हैं। किराना घराने के हबीब खाँ की शिष्या मुनीर खातून बेगम ने न केवल अपने देश के कोने-कोने में बल्कि पाकिस्तान एवं अन्य देशों में अभूतपूर्व लोकप्रियता प्राप्त की।

प्रयाग में संगीत सम्मेलनों की परम्परा संगीत कला की प्रतिष्ठा एवं संगीत समिति की स्थापना में मेजर रंजीत सिंह, बैजनाथ सहाय तथा डी.आर. भट्टाचार्य का विशेष योगदान रहा है। श्री प्रोजेश बनर्जी ने संगीत की दिशा में पर्याप्त कार्य किया तो श्री महेश नारायण सक्सेना ने संस्थागत पद्धति के लिए भी शास्त्र पर अनेक पुस्तकें लिखीं। संगीत सदन से संगीत संबंधी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुईं।

उत्तर प्रदेश का प्रत्येक अंचल संगीत के अतिरिक्त प्रत्येक क्षेत्र के अपने लोकगीत हैं। ब्रज की होली, रासनृत्य, मीरजापुर-बनारस की कजरी, बिरहा, कानपुर में श्रीकृष्ण पहलवान और हाथरस में पंडित नत्थाराम शर्मा की नौटंकी परम्परा, प्रदेश के ग्रामों में आल्हा, सावन आदि जैसी शैलियाँ, रामलीला मण्डलियाँ, पर्वतीय प्रदेश का संगीत– इन सबसे समस्त प्रदेश संगीत रस से आप्लावित होता रहता है। वस्तुतः उत्तर प्रदेश की संगीत परम्परा अत्यन्त प्राचीन और देश में सबसे अधिक समृद्ध रही है अतः इसे सरस प्रदेश कहना उपयुक्त प्रतीत होता है।

उत्तर प्रदेश की संगीत परम्परा की अपनी विशेषताएँ रही हैं और योगदान भी ऐतिहासिक रहा है। शायद इसका कारण इस प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, इसकी माटी के कण-कण में बसी संगीतात्मकता है। इटावा, अतरौली, सहसवान, किराना से लेकर रामपुर, आगरा, बनारस, लखनऊ, प्रयागराज तक और इनके अतिरिक्त मथुरा, वृन्दावन, अयोध्या के कोने से सुरीले स्वरों की झंकार, उसकी अनुगूँज सुनाई देती है। शायद इस कारण इस प्रदेश का संगीतज्ञ पारसमणि कहा जाता है, जिसे जिसने स्पर्श कर लिया वह लोहे से सोना बन गया।

लखनऊ परम्परा के जनक गुलाम रसूल के प्रपौत्र (पुत्र उस्ताद मक्खन खाँ), नत्थन पीर बख्श ग्वालियर चले गये तथा लखनऊ की गायन शैली में अपने ढंग से परिवर्तन करके नयी शैली के साथ ग्वालियर घराने का सूत्रपात किया, जिसने हद्दू खाँ, हस्सू खाँ जैसे संगीतज्ञों के कारण संगीत की घराना गायकी में अपना प्रमुख स्थान बना लिया। नत्थन पीर बख्श के प्रपौत्र हस्सू खाँ के शिष्य पंडित वासुदेव राव जोशी तथा जोशी के शिष्य पंडित बालकृष्ण बुवा, इचलकरंजीकर की शिष्य परम्परा में पंडित विष्णु दिगम्बर जी के यशस्वी शिष्य हुए। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के नत्थन पीर बख्श से ग्वालियर घराने तथा पण्डित विष्णु दिगम्बर पलुस्कर की शिष्य परम्परा का सूत्रपात हुआ। गुलाम रसूल के दूसरे प्रपौत्र (पुत्र उस्ताद शक्करा खाँ) बड़े मुहम्मद खाँ जयपुर चले गये।

उस्ताद बड़े मुहम्मद खाँ तथा उनके पुत्र मुबारक अली खाँ की गायकी ने उस्ताद अल्ला दित्ता खाँ को बड़ा प्रभावित किया, वह उनके शिष्य बन गये। इस परम्परा में केसर बाई केरकर, भुर्जी खाँ, मंजी खाँ, मल्लिकार्जुन मंसूर, किशोरी अमोनकर जैसे श्रेष्ठ संगीतज्ञ हुए। वैसे उस्ताद अल्लादित्ता खाँ स्वयं अतरौली (जिला अलीगढ़) के थे और आगे चलकर बम्बई में रहने लगे। सहारनपुर के सुप्रसिद्ध ध्रुवपद, होरी गायक सूफी संत खलीफ मुहम्मद जमा की शिष्य परम्परा में बीनकार बन्दे अली खाँ, ध्रुवपद गायकों नासिरुद्दीन खाँ, जाकिरुद्दीन खाँ, रहीमुद्दीन खाँ, नसीर मोइनुद्दीन, नसीर अमीनुद्दीन तथा नसीर फैयाजुद्दीन के नाम उल्लेखनीय हैं। सहारनपुर के निकट किराना नामक ग्राम निवासी अब्दुल वसीम खाँ ने जिस गायकी का प्रचलन किया, वह किराना घराने के नाम से लोकप्रिय हुई। इसी घराने में बालकृष्ण बुवा, हीराबाई बड़ौदकर, बहरे बुवा, रामभाऊ

कुंदगोलकर, श्रीमती गंगूबाई हंगल, सुरेश बाबू माने, रोशन आरा बेगम, भीमसेन जोशी जैसे यशस्वी संगीतज्ञ हुए। इसी प्रकार मुरादाबाद जिले में बिजनौर में उस्ताद दिलावर हुसैन के पुत्र छज्जू खाँ, नजीर खाँ तथा खादिम हुसैन खाँ बम्बई के भिण्डी बाजार मुहल्ले में जाकर बस गये। उनके हृदयग्राही अलाप, सूत, मींड, गमक, मेरुखण्ड पद्धति पर आधारित तानों के कारण यह लोकप्रिय गायकी भिण्डी बाजार घराना नाम से प्रसिद्ध हुई। इस घराने की शिष्य परम्परा में मम्मन खाँ, शमीर खाँ (शिष्य उस्ताद अमीर खाँ), मुहम्मद खाँ, कप्तान बख्श, झण्डे खाँ, जान खाँ, चाँद खाँ, अंजनीबाई मालपेकर, अमान अली खाँ, रमेश नादकर्णी, बसन्त राव देशपाण्डे जैसे श्रेष्ठ कलाकार हुए।

स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर ने अमान अली से कई वर्षों संगीत की शिक्षा प्राप्त की। भिण्डी बाजार घराने से संबंधित प्रकाशन में इसका उल्लेख किया गया है। इटावा के सितार नवाब इनायत खाँ गौरीपुर (बंगाल) चले गये तो सितार का गौरीपुर घराना प्रचलित हो गया जिसके प्रमुख प्रतिनिधि हुए उस्ताद इनायत खाँ, उस्ताद विलायत खाँ, जयपुर के पंडित जयलाल जी ने पंडित बिन्दादीन जी से दस वर्ष कथक नृत्य की शिक्षा प्राप्त की तथा लौटने पर बिन्दादीन जी द्वारा सिखलाई शैली में तोड़ा, परन की प्रधानता का समावेश करके कथक के जयपुर घराने का नाम दिया। इस घराने की शिष्य परम्परा उल्लेखनीय है– सोहन लाल, मोहन लाल, दुर्गा लाल, रोशन कुमारी, कार्तिकेय। इस प्रकार यह कथन कि ''वर्तमान हिन्दुस्तानी संगीत मुख्यतः उत्तर प्रदेश की देन है'' कहना अनुचित न होगा और न अतिशयोक्तिपूर्ण।

रंगकर्म

उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों की बोली, बानी और संस्कृति की विविधता ने लोकनाट्य एवं लोक संगीत (गायन, वादन, नर्तन) को अनन्तरूपता प्रदान कर प्रदेश की संस्कृति को अनगिनत रूपों में सजा-सँवार कर हमें वैभवशाली सांस्कृतिक संपदा का स्वामी बनाया है। नागरसभा, भरथरी, धोबिया राग, स्वांग सपेड़ा, रावला, गुलाबो-सिताबो (पुतुल नाट्य), ख्याल, स्वांग, भगत, सांगीत (नौटंकी), धनुष यज्ञ, रामलीला, रासलीला आदि प्रदेश के विविध पारम्परिक नाट्य रूपों में से बीसवीं शताब्दी के अंत तक शनैः शनैः अनेक रूपों का क्षरण हो चला और उन्हें लुप्तप्राय की संज्ञा से अभिहित किया जाने लगा– उपभोक्ता संस्कृति, भूमंडलीकरण और इलेक्ट्रानिक मीडिया के आतंक की मार खाते हुए 21वीं सदी की देहरी में जिन रूपों को लेकर हम दाखिल हो सके हैं उनमें मुख्यतः रामलीला, रासलीला और नौटंकी ही प्रदेश के प्रतिनिधि लोकनाट्य के रूप में अभिहित किये जा सकते हैं। रामलीला का अपना कोई एक मानक रूप नहीं है। प्रदेश की प्राचीन एवं प्रतिनिधि रामनगर (वाराणसी) की रामलीला आज भी पूरे नगर के विभिन्न क्षेत्रों को अपनी लीला स्थली बना लेती है– रामलीला समिति प्रायः प्रदेश के छोटे-बड़े सभी नगरों में होती है कुछ नगरों में मंच बनाकर किसी एक केन्द्रीय स्थल पर एक ही रामलीला समिति द्वारा और किन्हीं नगरों में अनेक समितियों द्वारा अलग-अलग रामलीलाएँ होती हैं। रासलीला आज भी अपनी रूढ़िगत परम्परा एवं अनुशासन से बंधे होने के कारण अपनी गायकी और अभिनय की पारम्परिक शैली में ही निबद्ध है।

नौटंकी का स्वरूप मूलतः वीथि नाटक का है, किन्तु पिछली शताब्दी के उत्तरार्द्ध से शनैः शनैः इसके प्रदर्शन औपचारिक प्रेक्षागृह और मंच पर भी होने लगे हैं। फिल्म और टी.वी. की बढ़ती हुई लोकप्रियता की चकाचौंध में इस विधा ने आधुनिकता का जामा फूहड़पन के साथ ओढ़ना शुरू कर दिया जिसके फलस्वरूप इस विधा और इसके कलाकारों के अस्तित्व पर भी संकट के घने बादल घिरने लगे हैं। नौटंकी कलाकारों के वजूद को कायम रखने के लिए **नौटंकी कला केन्द्र** नामक संस्था सचेष्ट है।

उत्तर प्रदेश के आधुनिक रंगेतिहास की चर्चा करते समय प्रायः 1843 में लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह द्वारा लिखित **किस्सा राधा कन्हैया** तथा 1853 में उन्हीं के संरक्षण में सैय्यद आगा हसन अमानत लखनवी कृत **इन्दरसभा** के मंचन का जिक्र किया जाता है किन्तु भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का यह मत निर्विवाद लगता है कि विशुद्ध नाटक रीति से पात्र-प्रवेशादि नियम रक्षण द्वारा उनके पिता बाबू गोपालचन्द्र (उपनाम गिरधरदास)

द्वारा 1857-58 में लिखित भाषा का प्रथम नाटक **नहुष** था। वाराणसी में 3 अप्रैल, 1868 को शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत **जानकी मंगल** के मंचन को आधुनिक विधि से सम्पन्न प्रथम मंच प्रयोग कहना सर्वमान्य है। हिन्दी नाट्यलेखन के साथ ही नाटकों के मंच प्रयोग की परम्परा के पहले अलमबरदार भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ही थे अतः उन्हें आधुनिक हिन्दी रंगमंच का जनक कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है। उनकी प्रेरणा से कानपुर में पंडित प्रतापनारायण मिश्र ने रंगमंच का अलख जगाया। 1870 में वाराणसी में जन्मे आगा मुहम्मद शाह ने जब होश संभाला तो उन्होंने नौटंकियाँ भी देखीं, भारतेन्दु के नाटक भी देखे और व्यावसायिक पारसी थियेट्रिकल कंपनियों के नाटक भी देखे और कालान्तर में नाट्यलेखक के रूप में वे आगा हश्र काश्मीरी के नाम से व्यावसायिक रंगमंच के क्षेत्र में यशस्वी हुए। उनकी देखरेख में चरखारी (महोबा) के महाराज ने चरखारी (महोबा) में एक थियेटर कम्पनी कायम की जो कुछ दिन चली। उनके समकालीन पंडित राधेश्याम कथावाचक तथा नारायण प्रसाद बेताब ने भी नाटककार के रूप में यश अर्जित किया तथा पारसी हिन्दी रंगमंच की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान किया। इसके विपरीत 1881 को प्रयागराज में जन्मे कवि-सेनानी पंडित माधव शुक्ल ने अपने नाट्यलेखन एवं विशिष्ट नाटकों के सफल निर्देशन द्वारा राष्ट्रीय भावधारा को अग्रसारित करने के साथ ही विभिन्न नगरों में हिन्दी नाट्य समितियों की स्थापना की। निस्संदेह हिन्दी रंगमंच के द्वितीय उत्थान काल में उनके योगदान का स्मरण करते हुए उन्हें हिन्दी रंगमंच का उन्नायक कहना सटीक है। 19वीं शताब्दी के सातवें दशक में पारसी थियेट्रिकल कम्पनियों के अतिरिक्त बंगला के नाट्य दलों द्वारा भी वृन्दावन, आगरा, कानपुर, प्रयागराज और लखनऊ आदि में नाट्य प्रदर्शन करने के संदर्भ मिलते हैं– छतर मंजिल, लखनऊ में कलकत्ता के **ग्रेट नेशनल थियेटर** द्वारा 1875 में बंगला नाटक **नीलदर्पण** के प्रदर्शन के दौरान एक अंग्रेज द्वारा नाट्य दल के कलाकारों से हुई मारपीट, 1876 की ड्रामा परफारमेन्स एक्ट लागू होने का एक कारण बनी। मजे की बात यह है कि लखनऊ की इस घटना के 78 वर्ष बाद 1953 में लखनऊ के रिफ़ा-ए-आम क्लब के हॉल में इप्टा, लखनऊ द्वारा खेले गए मुंशी प्रेमचंद की कहानी **ईदगाह** के बेगम रज़िया सज्जाद ज़हीर कृत नाट्य रूपान्तर के अमृतलाल नागर के निर्देशन में हुए मंचन के विरुद्ध तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा इसी ड्रामा परफारमेन्स एक्ट के तहत चलाये गए मुकदमे का ऐतिहासिक फैसला 1956 में उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति, प्रसिद्ध शायर पंडित आनन्दनारायण मुल्ला ने किया और स्वाधीनता के बाद इस धारा को निरस्त करने की व्यवस्था दी।

बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध के चौथे दशक में बोलपट (सिनेमा) के आने तक लखनऊ, वाराणसी, प्रयाग, कानपुर, आगरा, गोरखपुर, मेरठ आदि में पारसी थियेट्रिकल कम्पनियों का ही बोलबाला रहा। नाटकों का मंचन शौकिया रंगमंच के रूप में कतिपय नाट्य संस्थाओं अथवा स्कूलों कॉलेजों एवं कुछ विश्वविद्यालयों के वार्षिकोत्सवों में ही होता रहा, बोलपट के आते ही थियेट्रिकल कम्पनियों का बाजार खत्म हो गया। द्वितीय महायुद्ध के बाद 1943 में वामपंथी एवं प्रगतिशील कलाकारों तथा बुद्धिजीवियों द्वारा स्थापित इप्टा (भारतीय जननाट्य संघ) की शाखाएँ आगरा, मेरठ, कानपुर, लखनऊ आदि नगरों में राजेन्द्र सिंह रघुवंशी, महावीर स्वामी, ललितमोहन अवस्थी, बाबूलाल वर्मा, गोकुलचन्द्र रस्तोगी आदि के प्रयास से कायम हुई जो प्रायः छठे दशक तक अधिक सक्रिय रहीं। प्रेमचन्द की कहानियों और उपन्यासों के नाट्य रूपान्तर इप्टा की शाखाओं द्वारा खूब खेले गए। इस काल में कुछ अपवादों को छोड़कर आमतौर से नाटककार मंचन के लिए नहीं पाठ्यक्रम के लिए ही नाटक लिखते रहे। कालेजों के शौकिया मंच की आवश्यकता प्रायः रामकुमार वर्मा, उपेन्द्रनाथ अश्क, जगदीश चन्द्र माथुर, लक्ष्मीनारायण लाल तथा कृष्ण चन्दर आदि के नाटक ही पूरी करते रहे। आल इण्डिया रेडियो के लिए लिखे गए विष्णु प्रभाकर और चिरंजीत के नाटक भी मंच पर खेले गए।

स्वाधीनता के बाद भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत गीत नाट्य प्रभाग कायम किये गए इन्हीं की तर्ज़ पर सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा भी नाटक एवं रंगमंच की गतिविधियाँ आरम्भ हुईं जिनमें नाटक प्रतियोगिता तथा प्रचार-प्रसार हेतु नाट्य दल की स्थापना मुख्य है, 1963 में उ.प्र. संगीत नाट्य भारती (राज्य की संगीत नाटक

अकादमी) कायम हुई जो अप्रैल 1968 के पूर्व रंगमंच के क्षेत्र में सक्रिय न हो सकी। 1961 में रवीन्द्र शतवार्षिकी के उपलक्ष्य में भारत सरकार के सहयोग से राज्यों में आरम्भ की गई रवीन्द्र रंगशालाओं के निर्माण की योजना के अन्तर्गत 1964 में प्रदेश की राजधानी में निर्मित रवीन्द्रालय ने राजधानी के रंगान्दोलन को गति प्रदान करने में मुख्य भूमिका का निर्वाह किया। प्रायः इन्हीं-आठवें दशकों में इलाहाबाद में मेहता प्रेक्षागृह, वाराणसी में नागरी नाट्य मंडली का प्रेक्षागृह, आगरा में सूरसदन, कानपुर में लाजपत भवन आदि सर्वसुविधा सम्पन्न प्रेक्षागृह तैयार हुए। प्रेक्षागृहों के निर्माण के फलस्वरूप रंगकर्मी उत्साहित हुए, सभी नगरों में नाट्य संस्थाएँ गठित होने लगीं, राज्य अकादमी द्वारा आयोजित नाट्य कार्यशालाओं, नाट्य प्रतियोगिताओं, समारोहों के आयोजनों, केन्द्रीय संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय (अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय), उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं ने रंगमंच की गतिविधियों को विगत चार दशकों में बहुत बढ़ावा दिया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नाट्य कला के स्नातकों तथा 1975 में उत्तर प्रदेश में स्थापित भारतेन्दु नाट्य अकादमी में प्रशिक्षित नाट्यकर्मियों द्वारा नित नए नाट्य प्रयोगों से रंगचेतना के विकास में सहयोग मिला। आज उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, मेरठ, गोरखपुर सदृश महानगर ही नहीं वरन् मथुरा, उरई, रायबरेली, उन्नाव, अयोध्या, बस्ती, गाजीपुर, बरेली, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, गाजियाबाद आदि अनेक नगरों में रंगमंच की गतिविधियाँ प्रायः होती रहती हैं– इन नाट्य केन्द्रों में एकाधिक सक्रिय नाट्य संस्थाएँ कार्यरत हैं। दर्पण, भारतीय जननाट्य संघ, मेघदूत, यायावर, थियेटर आर्ट्स वर्कशाप नव चेतना सांस्कृतिक संगठन (लखनऊ), रूपान्तर (गोरखपुर), भारतीय जननाट्य संघ (आगरा), स्वास्तिक (मथुरा), नागरी नाट्य मंडली, श्री नाट्यम (वाराणसी), समानान्तर इटीमेट थियेटर, प्रयाग रंगमंच दस्ता, (प्रयागराज), माध्यम नाट्य संस्थान (गाजीपुर), साधना नाट्य कला केन्द्र (गाजियाबाद) आदि संस्थाएँ अपने कार्यकलापों के स्तर और नैरंतर्य को बनाए रखने में सचेष्ट दिखती हैं। उत्तर प्रदेश में विगत दशकों में प्रतिभाशाली रंगकर्मियों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई है– प्रथम पंक्ति के जिन नाट्य निर्देशकों ने अपनी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है और जो रंगमंच के विकास में सक्रिय हैं उनमें उर्मिल कुमार थपलियाल, राज बिसारिया, सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ (लखनऊ), श्रीमती गिरीश रस्तोगी (गोरखपुर) के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रादेशिक स्तर पर ख्याति अर्जित करने वाले नाट्य निर्देशकों एवं अभिनेता-अभिनेत्रियों के नामों की सूची बहुत बड़ी है।

पिछली शताब्दी के उत्तरार्द्ध में रंगमंच की कसौटी पर खरी उतरने वाली नाट्य कृतियाँ देने वाले उत्तर प्रदेश के नाट्य लेखकों में सत्यव्रत सिन्हा, लक्ष्मीनारायण लाल, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, गोविन्दबल्लभ पन्त, शम्भुनाथ सिंह, सर्वेश्वरदयाल सक्सेना तथा सर्वश्री विनोद रस्तोगी, सिद्धेश्वर अवस्थी, उर्मिल कुमार थपलियाल, राजेश कुमार, मुद्राराक्षस, नरेश सक्सेना, नीलाभ, अजित पुष्कल, गिरिराज किशोर, सुशील कुमार सिंह, रंजीत कपूर, परिमल दत्ता, श्याम नारायण, श्रीमती मृणाल पाण्डेय उल्लेखनीय हैं। स्वाधीनता के उपरान्त उत्तर प्रदेश के नाट्यान्दोलन को गति प्रदान करने में जिन रंगकर्मियों ने अपनी संगठन क्षमता अथवा कल्पनाशीलता अथवा समीक्षाओं अथवा अन्य प्रकार से उल्लेखनीय भूमिका अदा की उनमें अमृतलाल नागर, द्विजेन्द्रनाथ सान्याल, सत्यमूर्ति, हरिमोहन सैम्पसन, सरनबली श्रीवास्तव तथा सर्वश्री कुंवर नारायण, डॉ. भानुशंकर मेहता, कृष्णनारायण कक्कड़, के.बी. चन्द्रा, स्वदेश बन्धु, डॉ. शरद नागर, दयाप्रकाश सिन्हा, डॉ. शिवमूरत सिंह, डॉ. अनिल रस्तोगी, डी. बैकुण्ठनाथ शर्मा, सतीश चित्रवंशी के नाम उल्लेखनीय हैं।

उत्तर प्रदेश में नुक्कड़ नाटकों की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका है जिसने यहाँ के मात्र मनोरंजक व फूहड़ नाटकों पर हमला करते हुए जाति-विद्वेष, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता, व्यक्तिवाद, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, कुरीतियों के विरुद्ध जनता को तैयार किया, संदेश दिया ताकि आदमी-आदमी के बीच प्रेम का व्यवहार पैदा हो तथा विसंगतियों, विडम्बनाओं व शोषण के विरुद्ध जागरूकता पैदा हो। प्रतिबद्धता ही नुक्कड़ नाटकों की असली पहचान है। प्रयागराज, वाराणसी गोरखपुर, लखनऊ, आजमगढ़, अलीगढ़, जौनपुर, कानपुर सहित

उ.प्र. के विभिन्न छोटे व ग्रामीण इलाकों में बनी विभिन्न नाट्य व सांस्कृतिक संस्थाओं ने वर्षों तक नुक्कड़ नाटक किये स्थिति यहाँ तक आई कि नवचेतना सांस्कृतिक संगठन की नाट्य टीम द्वारा निशातगंज सब्जी मंडी (लखनऊ) के पास नुक्कड़ नाटक करते समय निशातगंज (लखनऊ) पुलिस ने रंगकर्मियों के सीने पर बंदूक रख दी और गाजियाबाद क्षेत्र में 'सहमत' के सफदर हाशमी को गुंडों ने मौत के घाट उतार दिया। नुक्कड़ नाटकों का राष्ट्रीय नाटक समारोह वर्षों तक नैनीताल (जब वह उ.प्र. में था) में होता रहा जिसकी सर्वत्र चर्चा होती थी। कुछ समय के विराम के बाद नुक्कड़ नाटकों का दौर फिर इन्हीं जगहों पर शुरू होता दिखायी दे रहा है जिसे हम उ.प्र. के नाटय आंदोलन में एक नया चरण मान सकते हैं। दूसरी तरफ भारतेन्द्र नाटय अकादमी (बी.एन.ए.) के छात्रों व अकादमी की ओर से भी नाट्य गतिविधियाँ (मंचन, निर्देशन संगोष्ठी आदि) बढ़ी हैं बहुत सारे सरकारी प्रचारात्मक कार्यक्रमों को लेकर भी नुक्कड़ नाटक किए जा रहे हैं, जो विधा को बढ़ाने की दृष्टि से एक शुभ संकेत है।

लगभग 25 वर्षों से प्रदेश में बाल रंगमंच को एक अलग पहचान देने की दिशा में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा पहल की गई, केन्द्रीय संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय तथा संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश ने भी विगत दो दशकों से इस ओर ध्यान दिया जिसके फलस्वरूप बाल रंगमंच के विकास के लिए अनेक संस्थाओं द्वारा कुछ नगरों में ग्रीष्मावकाश में नाट्य शिविरों आदि के आयोजन होते रहते हैं। इन संस्थाओं में भारतीय जन नाट्य संघ (आगरा), साधना नाट्यकला केन्द्र (गाजियाबाद), यायावर (लखनऊ), साक्षात्कार का बाल रंगमंच प्रभाग, ए.बी.सी.डी., तथा नेहरू बाल भवन प्रयागराज, अभिनय ज्योति (वाराणसी) उल्लेखनीय हैं। इन संस्थाओं तथा बाल रंगमंच के प्रति जागरूक प्रदेश के वयोवृद्ध नाट्यकर्मी ललितमोहन थपलियाल (गाजियाबाद) तथा बाल रंगमंच विशेषज्ञ श्रीमती रेखा जैन एवं अनुभवी पोखरिया, चित्रा मोहन (लखनऊ) आदि ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

उत्तर प्रदेश में रंग प्रयोगों की विशद समीक्षाएँ छठे-सातवें दशक तक अंग्रेजी के अखबारों लीडर, द पायोनियर और नेशनल हेराल्ड में ही प्रकाशित होती थीं। 1964-65 से दैनिक नवजीवन में कुशीलव की विशद समीक्षाएँ प्रकाशित होने लगीं। शनैः शनैः प्रदेश के हिन्दी-अंग्रेजी के प्रायः सभी दैनिक समाचार पत्रों में रंग गतिविधियों की सचित्र चर्चा प्रमुखता से होने लगीं। उत्तर प्रदेश से रंगमंच विषयक पहली डिमाई आकार की पत्रिका 1953-54 में इप्टा (भारतीय जननाट्य संघ) आगरा ने **रंगमंच** शीर्षक से प्रकाशित की जो बाद में **अभिनय** के नाम से प्रकाशित हुई। 1972 में नक्षत्र, लखनऊ ने पहले चक्र मुद्रित पत्र **रंगमंच समाचार** शुरू किया जिसके कुछ अंक टैबलायड आकार में छपे। अगस्त 1973 से इसका प्रकाशन डॉ. झ.ला. सुल्तानिया 'अज्ञात' के सम्पादन में मासिक पत्रिका **रंगभारती** के रूप में हुआ। दर्पण संस्था ने काफी समय तक **दर्पण दृश्य** अंतर्देशीय नाट्य पत्र प्रकाशित किया। 1976 में बन्धु कुशावर्ती ने **बाल रंगमंच** का प्रकाशन आरम्भ किया। नौटंकी कला केन्द्र ने डॉ. कृष्णमोहन सक्सेना के सम्पादन में नौटंकी एवं लोक प्रदर्शनकारी कलाओं पर केन्द्रित पत्रिका **नौटंकी कला** का प्रकाशन किया। इन सभी पत्रिकाओं का जीवन कुछ महीनों से लेकर चंद सालों का ही रहा। जुलाई 1977 से उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ने प्रदर्शनकारी कलाओं को समर्पित त्रैमासिक **छायानट** आरम्भ किया जिसका प्रकाशन अब तक नियमित रूप से हो रहा है– भारतेन्दु नाट्य अकादमी ने अपने रजत जयंती वर्ष (2000 ई.) से **भरतरंग** अर्द्धवार्षिक का प्रकाशन आरम्भ किया है– सुदूर गाजीपुर से **माध्यम नाट्य संस्थान** की ओर से डॉ. शिवमूरत सिंह के सम्पादन में वार्षिक नाट्य पत्रिका **रंगप्रभा** का प्रकाशन कुछ वर्षों से हो रहा है। 2000 ई. में **वर्तमान साहित्य (गाजियाबाद)** द्वारा संग्रहणीय शताब्दी नाटक विशेषांक प्रकाशित किया गया। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ.प्र. की मासिक पत्रिका **उत्तर प्रदेश** भी प्रदेश की रंग गतिविधियों को प्रायः प्रमुखता से रेखांकित कर रही है, एक अल्पविराम के बाद 2001 ई. में इसका 29वें वर्ष में प्रवेश अभिनन्दनीय है। इसी वर्ष (2001 ई.) से प्रमुख संस्कृति कर्मी शाखा वंद्योपाध्याय के सम्पादन में प्रदर्शनकारी कलाओं पर केन्द्रित सुंदर साज-सज्जा एवं सारगर्भित सामग्रीयुक्त

त्रैमासिक **कला वसुधा** की सांस्कृतिक मंच पर आमद स्वागत योग्य है। इसमें रंगकर्म पर भी सामग्री रहती है।

कला

ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश में कला-परम्परा का लम्बा और प्राचीन इतिहास है। होशंगाबाद, जोगीमारा, मिर्जापुर की सोनकढ़ा, रियासत रायगढ़, मानिकपुर आदि विभिन्न पर्वत श्रेणियाँ जो कई राज्यों के बीच से गुजरती हुई गई हैं, उनकी गुफाओं में शैल चित्रकला का प्राचीन और वैभवशाली विकास देखने को मिलता है। इसी तरह ग्रामीण लोक कलाओं में भी संस्कृति व रीति-रिवाजों के अनुसार चित्रकला का भारतीय स्वरूप देखने को मिलता है जिसमें ईश्वर से लेकर समाज में फैले विभिन्न रूपों व प्रतीकों की छवि मिलती है। विभिन्न स्थानों पर प्रस्तर प्रतिमाएँ व टेराकोटा के रूप भी दिखाई देते हैं। वाराणसी, जौनपुर, गोरखपुर, कुमायूँ, गढ़वाल (अब उत्तराखंड राज्य में), अवध क्षेत्र– पूर्वांचल और पश्चिमांचल, प्रयागराज, मिर्जापुर आदि विभिन्न ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कला जगत का विशिष्ट भारतीय गुणों व चरित्रों, परम्पराओं व रूढ़ियों, अंधविश्वासों व प्रतीकों से भरा कला का एक विशिष्ट, निजी व पुरातन इतिहास बिखरा पड़ा है। कहते हैं जीने के लिए विभिन्न उपाय करने की जब जरूरत मनुष्य को पड़ी तब आदिकाल से उसकी कल्पना शक्ति व जीवन की जरूरतों ने विभिन्न प्रकार के आविष्कार व निर्माण की ओर प्रेरित किया। मनुष्य की इसी कल्पना शक्ति ने उसे बाद में विभिन्न रीति-रिवाजों को प्रस्तुत करने व उनका आनन्द लेने के लिए मूर्तियों, चित्रों, गीतों व संगीत की रचना की प्रेरणा दी। प्रारम्भ में उनमें अनगढ़ता चाहे जितनी रही हो पर जीवन के स्पंदन से वह खदबदाता रहता था। जीवन में ऐसी रुचि लेने और उसे निरंतर आनंदमय बनाने की स्वाभाविक प्रेरणा ने मनुष्य से चित्रकला व मूर्तिकला का विकास करवाया। विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति के विकास के साथ-साथ इन कलाओं का रूप भी बदलता गया। आज जिसे हम आधुनिक कला या चित्रकला के नाम से जानते हैं उस कला की जड़ें यहाँ प्राचीन काल से ही किसी न किसी रूप में मौजूद रही हैं। कला हर समय में आधुनिक रही है। जो भी नया रचा जाता है वह आधुनिक होता है। राजपूत, मुगल व पहाड़ी शैलियों में उसका बीसवीं सदी से विकास हुआ जिसे हम आधुनिक चित्रकला के नाम से जानते हैं।

ब्रिटिश शासकों ने यहाँ की मेधा के दोहन के लिए एकेडेमिक व इण्टेलेक्चुअल अभियान शुरू किये। इसी अभियान के तहत उन्होंने 1907 में औद्योगिक कांफ्रेन्स की जिनमें विविध बौद्धिक जगत में प्रवेश के लिए संस्थाओं की स्थापना पर विचार किया गया। राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय, लखनऊ की 1911 में स्थापना के उद्देश्य के पीछे अंग्रेजों की यही मंशा थी बाद में स्वाधीनता के बाद यह संस्थान लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध होकर लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालय हो गया है।

इस प्रकार उत्तर प्रदेश में कला के क्षेत्र में आधुनिकता का प्रवेश होता है। इस महाविद्यालय की स्थापना के बाद भारतीय चित्रकला का आधुनिक दुनिया में लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश का भी, प्रवेश होता है। लेकिन यहाँ हम जिस हिस्से पर संकेत करेंगे वह है प्राचीन और आधुनिक कला परिदृश्य का वह हिस्सा जो स्वाधीनता के बाद शुरू होता है।

मानव सभ्यता के विकास में संस्कृति एक ऐसा आयाम है जिसे काल के अनुसार बिल्कुल अलग करके नहीं देखा जा सकता। यानी पिछले अध्याय, पिछली प्रवृत्तियाँ, पिछली अभिरुचियों का प्रभाव अगले अध्याय पर पड़ता-ही-पड़ता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। इसीलिए जब हम स्वाधीनता के बाद के उत्तर प्रदेश की कला के पचास वर्षों पर नजर डालते हैं तो उसे पिछली कला-परम्पराओं और प्रभावों से बिल्कुल मुक्त या अकेला नहीं पाते। वास्तव में यह कला की जीवंतता व विकास का प्रमाण भी है। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश की कला पिछले पचास वर्षों में अपना विशिष्ट विकास करते हुए भी अपने अतीत की छाया या प्रभाव से बिल्कुल मुक्त नहीं है। पिछली छायाओं, प्रभावों से सर्वथा मुक्त हुआ भी नहीं जा सकता। इनमें से बहुत सारे प्रसिद्ध कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के शासनकाल से उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट कालेज आफ आर्ट्स एण्ड क्रॉफ्ट, लखनऊ से काम शुरू किया और स्वाधीनता के बाद इनके काम में नया परिवर्तन आया। उनकी जो कला-धारा

थी वह अपने अनुसार ही विकसित होती रही। जैसे वीरेश्वर सेन, ललित मोहन सेन, हरिहर लाल मेढ़, बी.एन. जिज्जा, सुधीर रंजन खास्तगीर इत्यादि। इन सभी चित्रकारों ने उत्तर प्रदेश में रहते हुए भी प्रदेश की सीमा लांघकर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कला जगत में अपना स्थान बनाया। इस संदर्भ में चित्रकार एन. खन्ना का एक उद्धरण दृष्टव्य है– ''प्रदेश की कला में आधुनिक आयामों की ऊर्जा के लिए लखनऊ कला महाविद्यालय की एक बहुत बड़ी भागीदारी रही है। 1911 से 1925 तक नेथोलियन हर्ड ने प्रधानाचार्य के पद पर रहकर भी अंग्रेजी सत्ता से देशज कला को आहत नहीं होने दिया। 1925 में प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य के रूप में आचार्य असित कुमार हाल्दार का आगमन हुआ। उस समय उनकी हैसियत आधुनिक भारतीय कला में पहली पंक्ति के मजबूत स्तम्भ सी थी। उन्होंने नए प्रयोगों के लिए वाश व टेम्परा माध्यम से सरलता व सादगी के अस्तित्व का मंत्र दिया। बंगाल की राष्ट्रीय चेतना से चले हाल्दार से पहले 1918 में लघु दृश्य चित्रों के प्रख्यात वीरेश्वर सेन (1897-1974) विद्यालय में पहले ही आ चुके थे। सौभाग्य से 1945 में वहीं की शाखा के ललित मोहन सेन (1900-1954) को प्राचार्य का पद संभालने को मिला। दस वर्षों तक पदीय सेवा के दौरान, उन्होंने पेस्टल व ऑयल पेस्टल से नैसर्गिक सौन्दर्य तथा आकृतियों, विशेषकर मुखाकृतियों में सजीव बोधगम्यता के लिए प्रयोगों की दिशाओं में विस्तार किया। उन्होंने ग्राफिक के तकनीकी पक्ष एवं रचना प्रक्रिया में बौद्धिक चिंतन का सूत्र दिया। फिर दो वर्षों तक ललित कला विभाग के अध्यक्ष प्रो. हरिहर लाल मेढ़ (1909-1974) जो स्वयं प्राकृतिक सौन्दर्य एवं छविचित्रों के अध्यापन के लिए प्रख्यात थे, ने उस समय पुनः 1963-64 में कार्यकारी प्राचार्य के रूप में कार्य किया। 1956 में दून स्कूल से आमंत्रित सुधीर रंजन खास्तगीर (1907-1974) के आगमन से विद्यालय को स्वर्णकाल का सूर्य मिला।

इससे स्पष्ट है कि स्वाधीनता के समय तक उत्तर प्रदेश में कला का एक मुकम्मिल वातावरण बन चुका था और पूरे देश में अपनी विशिष्टता के कारण यहाँ का कला स्कूल अपनी पहचान बना चुका था। स्वाधीनता प्राप्ति के पूर्व से ही उत्तर प्रदेश में आधुनिक कला प्रवृत्तियों ने प्रवेश करना शुरू किया था। वास्तव में यह नया कला आन्दोलन था। कला उपकरणों का विकास तो हो ही रहा था लेकिन कला के काम में आधुनिक जीवन की समस्याएँ व विसंगतियाँ प्रवेश करने लगी थीं। दो विश्व युद्धों को झेल लेने के बाद कला परिदृश्यों में चिंतन का विकास एकदम से यथार्थ और मानवीय संवेदनाओं तथा त्रासदी के आधार पर शुरू हो गया था। कला का काम केवल रम्य रचना नहीं है, वह केवल विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है बल्कि वह कुछ सामाजिक दायित्व भी निभाती है। इस तरह कला की दुनिया में एक नए धरातल ने अपनी जगह बनाई जिसमें मनुष्य और उसका यथार्थ, उसका शोषण व संघर्ष, उसकी बदहाली व मानसिक दशा सब कुछ आ गया। एक तरफ प्रकृति का सुरम्य सौन्दर्य था तो दूसरी ओर भूख-पीड़ा, उपेक्षा, आक्रमण की दशाओं की अभिव्यक्ति भी कला के काम में आना शुरू हो गई थी। यानी कला के काम की विषय वस्तु में परिवर्तन हुआ, उसके सरोकार और सामाजिक उत्तरदायित्व बदले।

इन सारी स्थितियों का प्रभाव उत्तर प्रदेश के कला-विकास को भी एक रूप देता है। उत्तर प्रदेश में कला की चाहे विभिन्न परम्पराएँ विभिन्न क्षेत्रों में पहले से ही मौजूद रही हों लेकिन स्वाधीनता के बाद एक नया आयाम इस प्रकार आया कि लखनऊ कला महाविद्यालय तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से निकले हुए तमाम कलाकार प्रदेश के विभिन्न भागों में छा गए। विभिन्न निजी और सरकारी शिक्षण संस्थाओं में कला शिक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। वे नौकरी भी करते रहे और अपना मूल काम चित्रकला, मूर्तिकला आदि भी करते थे और नई विषय-वस्तु, कला-तकनीक आदि के साथ सामने आ रहे थे। उन्हें बढ़ने में या स्वयं को और विकसित करने में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने भी अपने राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, शिविरों, छात्रवृत्तियों आदि के द्वारा विभिन्न अवसर दिए।

दरअसल स्वाधीनता के बाद उत्तर प्रदेश में कला का विकास विभिन्न माध्यमों से हुआ। मुख्य माध्यम तो लखनऊ का कला और शिल्प महाविद्यालय ही था। कला के क्षेत्र में इसकी एक महत्वपूर्ण परम्परा रही है। इसी तरह विभिन्न विश्वविद्यालयों में कला के विभाग खुले। चित्रकला, मूर्तिकला और व्यावसायिक कला की पढ़ाइयाँ

शुरू हुईं। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में कला का एक पूरा विभाग ही खुला। इसी प्रकार इलाहाबाद विश्वविद्यालय, आगरा विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, पंतनगर आदि में कला-शिक्षण का काम शुरू हुआ। औद्योगिक नगर होने के बावजूद कानपुर और अलीगढ़ में भी कला के विभाग खुले और विभिन्न स्तरों पर कला-शिक्षण आरम्भ हुआ। स्कूलों, इंटर कॉलेजों, डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालय स्तर पर कला शिक्षण का जो विकास स्वाधीनता के बाद हुआ उसने उत्तर प्रदेश में कला-विकास किया। इनके अतिरिक्त विभिन्न नगरों में विभिन्न कलाकारों के सामूहिक और निजी प्रयास से कई संस्थाएँ स्थापित हुईं जिनमें वरिष्ठ चित्रकारों/कलाकारों से लेकर युवतर कलाकारों की भी किसी-न-किसी रूप में हिस्सेदारी रही। इन संस्थाओं ने कला को एक नया परिदृश्य देने, युवा कलाकारों में काम करने की ऊर्जा भरने में बड़ी मदद की।

राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय ललित कला अकादमी की तरह यहाँ भी कल्चरल अफेयर्स एण्ड साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट उ.प्र. की देखरेख में 8 फरवरी 1962 को एक स्वायत्त कला संस्था यू.पी. स्टेट ललित कला अकादमी की स्थापना लखनऊ में हुई जिसका मूल उद्देश्य प्रदेश में कला एवं कलाकारों की प्रोन्नति करना था। अकादमी आज भी अपने कार्य में समर्पित है। इसके प्रथम अध्यक्ष डॉ. सम्पूर्णानन्द थे।

यही नहीं केन्द्रीय ललित कला केन्द्र ने भी 1984 में अपना क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में स्थापित किया जिसका मूल उद्देश्य उत्तर प्रदेश में कला के एक नए वातावरण का सृजन, कलाकारों को काम करने की जगह उपलब्ध कराना, उनकी कलाओं की सामूहिक तथा एकल प्रदर्शनी आयोजित करना, देश के विभिन्न भागों की कला विशिष्टताओं, नए कलाकारों से यहाँ के कलाकारों का परिचय कराना, विभिन्न राज्यों के युवा कलाकारों को अत्यन्त सामान्य नियमों के आधार पर केन्द्र में दाखिला देकर काम करने की जगह व अवसर प्रदान करना आदि था।

जाहिर था उत्तर प्रदेश में कलाकारों की संख्या जिस तरह बढ़ रही थी और कलाकार अपना काम आम दर्शकों के बीच भी ले जाना चाहते थे तथा अन्य राज्यों के युवा तथा वरिष्ठ चित्रकारों, कलाकारों के काम से परिचित होना चाहते थे उनके लिए उ.प्र. राज्य ललित कला अकादमी तक राष्ट्रीय ललित कला केन्द्र पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं करा पा रहे थे। उनकी अपनी सरकारी सीमाएँ, नियम-कानून थे और पूरी तरह कला का वातावरण तैयार करना तथा निरन्तर कला गतिविधियों की खोज करते हुए, नए कलाकारों को प्रोत्साहित करते रहना संभव नहीं था।

इन स्थितियों में युवा चित्रकारों/कलाकारों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए यह आवश्यक हो गया था कि यहाँ भी कुछ लोग निजी प्रयासों से कला दीर्घाओं को चालू करें। इसकी एक बड़ी परम्परा भारत के महानगर मुम्बई, दिल्ली, मद्रास आदि में पहले ही स्थापित हो चुकी थी। अतः उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों जैसे– लखनऊ में 'सृष्टि आर्ट गैलरी' का उद्घाटन अगस्त 1994 में हुआ और बाद में– 'गैलरी डी आर्ट' नाम से एक कला दीर्घा 11 मई 1997 को उद्घाटित हुई। इनमें से 'सृष्टि' बन्द हो गई है। वाराणसी में भी इस ढंग के कुछ कला केन्द्र निजी, सामूहिक व छात्रों के प्रयासों से सक्रिय हैं; जैसे ए.बी.सी. आर्ट गैलरी, कला केन्द्र, आर्य भाषा संस्थान, वर्किंग आर्टिस्ट्स-आफ वाराणसी आदि। कानपुर की संस्थाएँ– चिकितुषी, शिल्पी कला केन्द्र आदि। गोरखपुर की संस्था– 'सृजन' आदि। इसी तरह आगरा की संस्था– 'संकल्प आर्ट सोसाइटी' और अलीगढ़ की संस्था– 'उत्कर्ष फनकार सोसाइटी', प्रयागराज की जैसी विभिन्न संस्थाएँ इस प्रदेश में हैं जो अपने स्तर से विभिन्न कला गतिविधियाँ करती हैं।

स्वाधीनता के बाद के उत्तर प्रदेश के कला परिदृश्य को देखने के लिए मुख्य रूप से तीन-चार बिन्दुओं पर गौर करना जरूरी है। पहली बात है कि स्वाधीनता के बाद उत्तर प्रदेश (विशेष तौर पर लखनऊ) में कला के जितने सरकारी, गैर सरकारी व निजी संस्थान स्थापित हुए उन्होंने क्या गतिविधियाँ कीं ? यहाँ से कितने कलाकार बाहर गए ? यहाँ कला प्रशिक्षण करते हुए कलाकारों ने किस ढंग से काम किया तथा आत्मशिक्षित कलाकारों की क्या भूमिका रही ? फ्रीलांस आर्टिस्ट के रूप में कलाकारों की क्या भूमिका रही ? फिर कला

संबंधी कोई पत्र-पत्रिका प्रकाशित हुई कि नहीं तथा यहाँ दैनिक पत्र-पत्रिकाओं में कला-समीक्षाओं की क्या स्थिति रही ? किस दिशा व कितनी वस्तुपरकता के साथ वे सामने आईं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पिछले पचास वर्षों में उत्तर प्रदेश में कला गतिविधियों के विकास के अनेकानेक चरण रहे हैं।

राज्य ललित कला अकादमी ने यहाँ से 'कला त्रैमासिक' नाम से पत्रिका कुछ वर्षों तक निकाली। लगभग छह साल के बाद यह स्थगित हो गई और अब फिर निकलना शुरू हुई है। इसके शुरुआती दौर के संपादक मंडल में पी.सी. लिटिल, कृष्णनारायण कक्कड़ आदि थे। इस पत्रिका से प्रदेश की विभिन्न कला गतिविधियों की एक झलक मिलती थी और कई बार कला संबंधी कुछ सूचनात्मक व महत्वपूर्ण लेख भी सामने आते थे, जिनसे उत्तर प्रदेश का कला परिदृश्य समझने में कुछ सहायता मिलती थी। इधर 'कला दीर्घा' नामक कला पत्रिका का प्रकाशन भी शुरू हुआ है। वैसे साहित्यिक पत्रिका भी कला को स्थान देती हैं। पत्रिका के बाद उन गतिविधियों का महत्व होता है जो विभिन्न कला संस्थाएँ करती रहती हैं क्योंकि इनसे पता चलता है कि प्रदेश में कला और कलाकार की दिशा क्या है तथा वे किस ढंग से काम करते हैं।

स्वाधीनता के प्रारंभिक काल में शांति निकेतन, कलकत्ता, मद्रास, मुम्बई, अहमदाबाद, बड़ौदा आदि देश के प्रमुख कला केन्द्रों में ज्यादातर कलाकारों ने यथार्थवादी व प्रभाववादी शैली में आकृतिमूलक या दृश्य चित्रों को लेकर ही विभिन्न प्रयोग किए। भारतीय चित्रकला पर ईरानी, जापानी, चीनी, तिब्बती और बाद में यूरोपीय कलाओं का प्रभाव रहा है। इससे प्रभावित होकर यहाँ के वरिष्ठ व शताब्दी के शुरुआती दौर के चित्रकारों ने काफी काम किए लेकिन बाद में अपनी निजी शैली व विषयवस्तु का प्रयोग भी शुरू किया। उत्तर प्रदेश में भी कला का परिदृश्य चूँकि वही था इसीलिए इन सारे प्रभावों व प्रयोगों के बावजूद यहाँ के चित्रकारों, कलाकारों ने अपने ढंग से काम किया। इन पर आधुनिक कला परिदृश्य और निजी प्रयास स्पष्ट है। वरिष्ठ चित्रकार मदनलाल नागर ने ठीक टिप्पणी की है कि– ''उत्तर प्रदेश में भी सन् 1949-50 ई. के लगभग कुछ नयी पीढ़ी के कलाकार लीक से हटकर नये प्रयोगों की ओर अग्रसर हुए।'' ऐसे कलाकारों में हम सुरेश्वर सेन, विश्वनाथ खन्ना, रमेश चन्द्र साथी, आर.एस. बिष्ट, मदनलाल नागर, विजय चक्रवर्ती, कांजीलाल, नित्यानंद महापात्र, अजमत शाह, एस.पी. चड्ढा, बी.एन. आर्य, फ्रैंक वैसली, योगेन्द्रनाथ योगी– जैसे तत्कालीन पुराने नए कलाकारों का नाम ले सकते हैं। इनमें मूर्तिकार जयनारायण सिंह का अपना एक विशेष महत्व है। अवतार सिंह पँवार शांति निकेतन से आए थे। राम किंकर बैज का उन पर प्रभाव था। उन्होंने मूर्तिकला में नयी शैली ईजाद की। 1945 में उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था साथ ही न्यूड फोटोग्राफी में कलात्मक प्रयोग किए। उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास की तस्वीर वास्तव में लखनऊ कला महाविद्यालय तथा विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी कला संस्थाओं, ग्रुपों व निजी कला दीर्घाओं में विभिन्न कलाकारों के काम की होने वाली प्रदर्शनी से पता चलता है।

शुरू में लखनऊ कला महाविद्यालय में होने वाली वार्षिक कला-प्रदर्शनी का विशेष महत्व रहा है। इन्हीं कलाकारों में से ज्यादातर कलाकार बाहर निकले हैं या अपने काम को विशिष्ट बनाते हुए राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के हुए हैं। ऐसी संस्थाओं में उत्तर प्रदेश कलाकार संघ का एक विशेष महत्व है जो 1936 में स्थापित होकर अपनी कुछ गतिविधियाँ चलाकर फिर निष्क्रिय पड़ गया पर 1948 में यह पुनः सक्रिय हो गया और सभी कलाकारों ने इसमें अपनी हिस्सेदारी दिखाई। इसके अन्तर्गत लखनऊ सहित आगरा, वाराणसी, कानपुर, अल्मोड़ा, रानीखेत, मसूरी, नैनीताल आदि विभिन्न स्थानों पर विभिन्न कलाकारों के काम की प्रदर्शनियाँ आयोजित होती रहीं जिनसे स्पष्ट हुआ कि यहाँ के कलाकार किस ढंग से काम में जुटे हुए हैं। बल्कि ऐसे ही कलाकारों में एक रणदा उकील भी अपने विशिष्ट काम और बाद में दिल्ली में चित्रकला स्कूल की स्थापना के लिए प्रसिद्ध हुए। यह एक ऐसा विशिष्ट स्कूल सिद्ध हुआ जिसमें कई महत्वपूर्ण चित्रकारों ने अभ्यास किया, दीक्षा ली। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण चित्रकार कवि शमशेर बहादुर सिंह ने भी यहाँ चित्रकला की शिक्षा ली और यथार्थवादी चित्रकला परम्परा में काफी महत्वपूर्ण काम किया। वह हिन्दी के अत्यन्त महत्वपूर्ण कवि हैं अतः जब उन्होंने चित्र बनाना शुरू किया (अनियमित रूप से) तो उनके काम में गहरी संवेदना, मानव-जीवन के विभिन्न

यथार्थवादी और सेन्सुअस चित्र मिलते हैं। टूटी खाट, एक छोटा सा कमरा, एक छत, एक रेल क्रासिंग से लेकर पुष्ट स्तनों का सौन्दर्य उनके चित्रों में देखते बनता है। उनका महत्व इसलिए भी है कि उन्होंने स्वाधीनता के इन पचास वर्षों में एक-एक कर मानों अपने कवि कर्म के लिए विशेष ऊर्जा लेने के लिए चित्रकला के काम किये। एक अद्भुत लयात्मकता से उनका काम भरा है जहाँ मानव जीवन के विभिन्न रूप अपनी पूरी ऊष्मा के साथ मौजूद हैं। कवि-चित्रकार की चर्चा चल रही है तो दो-तीन अन्य महत्वपूर्ण ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी चर्चा के बिना उत्तर प्रदेश का कला इतिहास कभी पूरा नहीं हो सकता। ये हैं– महादेवी वर्मा, बिपिन कुमार अग्रवाल, जगदीश गुप्त, श्रीपत राय, घनश्याम रंजन आदि।

जब हम कला संस्थाओं की बात करते हैं तो कानपुर के इन्टरनेशनल सेंटर, लखनऊ की 'सोशल वेल्फेयर सोसाइटी', विजुअल आर्ट सोसाइटी, ग्रुप आफ नाइन आर्टिस्ट्स आदि को भुलाया नहीं जा सकता। सोशल वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक सदस्य व सचिव थे गजनफर हुसैन सिद्दीकी और संयुक्त सचिव जे.एन. सिंह। समाज कल्याण के साथ इस संस्था ने कला के क्षेत्र में भी अपने ढंग से बिल्कुल अलग काम किया। विभिन्न शहरों में अनेक कला-प्रदर्शनियाँ आयोजित कीं जिनमें जे.एन. सिंह की कृतियों की प्रदर्शनी पोलिश कला प्रदर्शनी, ब्रिटिश मास्टर पीसेज थ्रू द एजेज, रूमानियन शिल्प के अन्तर्गत विशिष्ट प्रदर्शनियाँ आयोजित कीं और सुधीर खास्तगीर की एकल प्रदर्शनी भी आयोजित की। इन आयोजनों से उत्तर प्रदेश में कला को लेकर एक विशिष्ट प्रकार की चेतना व उत्सुकता का विकास हुआ। दुनिया की विभिन्न कला शैलियों से यहाँ के कलाकार परिचित हुए, वाश शैली की विशिष्टता व कोमलता को आत्मसात किया और अपने काम के लिए नई ऊर्जा, तकनीक व विषय वस्तु प्राप्त किए। ग्रुप-5, लखनऊ ने 1969 में प्रदर्शनियाँ आयोजित कीं फिर 1970 में ग्रुप-9 की स्थापना करके गतिविधियाँ कीं। इन दोनों ग्रुपों के संस्थापक सदस्य जे.एन. सिंह, घनश्याम रंजन, सतीश द्विवेदी, के.के. श्रेष्ठ आदि मुख्य थे। लखनऊ ग्रुप की स्थापना 1981 में हुई थी। वाराणसी में वर्किंग आर्टिस्ट आफ वाराणसी का गठन 90 के दशक में किया था। फिर लखनऊ में यू.पी. वर्किंग आर्टिस्ट एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर, 2000 में हुई थी।

आज उत्तर प्रदेश में जितने चित्रकार/मूर्तिकार काम कर रहे हैं उन सबका नामोल्लेख करना तो संभव नहीं है लेकिन स्वाधीनता के इन पचास वर्षों में कुछ महत्वपूर्ण कलाकारों का नाम लिए बिना यहाँ का कला-परिदृश्य व सांस्कृतिक विकास की रूपरेखा स्पष्ट नहीं होगी। इसलिए ऐसे कुछ नाम इस प्रकार हैं– क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार, सी. बरतरिया, सुखवीर सिंहल, श्रीराम वैश्य, सुधीर खास्तगीर, रामचन्द्र शुक्ल, मदनलाल नागर, आर.एस. बिष्ट, बी.एन. आर्य, सतीश चन्द्र, जयकृष्ण, मोहम्मद सलीम, अजमत शाह, डी.पी. धूलिया, श्रीमुनि सिंह, नारायण कुमार मिश्र, रणवीर सक्सेना, सुमानव, रथिन मित्रा, दिलीप दास गुप्ता, आर.सी. साथी, आर.एस. धीर, असद अली, पम्पीलाल, पी.सी. लिटिल, श्रीपत राय, नरेन्द्रनाथ राय, एस. दास गुप्त, नन्द किशोर खन्ना, गोपाल कृष्ण, गज्जर, सतीश द्विवेदी, शंखो चौधरी, तूफान रफाई, गोपाल मधुकर चतुर्वेदी, एस.एन. सक्सेना, मो. हनीफ, नित्यानंद महापात्र, अवतार सिंह पवार, विमला विष्ट, कृष्ण शंकर, प्रभा पंवार, सुधा अरोड़ा, बलवीर सिंह कट्ट, अखिलेश निगम, घनश्याम रंजन, बालादत्त पाण्डेय, एन. खन्ना। ये स्वाधीनता बाद के ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने विविध शैली में अपने काम किए और उ.प्र. की एक खास पहचान बनाई। राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति हासिल की। आज भी इनमें से ज्यादातर कलाकार अपने काम में लगे हुए हैं।

इनके बाद चित्रकारों की अगली पीढ़ी आई जिसने अपने काम को नए आयाम दिये। पहले की तुलना में इस पीढ़ी में मूर्तिकार भी ज्यादा थे और चित्रकार भी। इनमें से कई ऐसे थे जिन्होंने समय-परिवर्तन और बाजार की स्थिति को देखते हुए मूर्तियाँ बनाईं। इनमें ओम झिंगरन (1994 में निधन, 37 साल की उम्र में), पवन कुमार 'निर्धन', उमेश सक्सेना, नानक वर्मा, मो. शकील, शरद पाण्डेय, राजेन्द्र प्रसाद, राजेन्द्र प्रसाद गोण्ड, बी.एन. शुक्ला, डी.पी. मोहन्ती, अजीत वर्मा, अवधेश मिश्र, राजीव मिश्र, आर.एस. शाक्या, आशुतोष निगम, सनत कुमार चैटर्जी, राम कंवर, राजेन्द्र 'करन', नवाज, कृष्ण कुमार सिंह, विमल बालचन्द्र, राजीव मंडल, विमल रमैया, वंदना राजदान, विश्वनाथ, सैयद, आजाद सोनकर, अनीता नारायण, रीना पंवार,

चन्द्रकांत कुमार पालीवाल, खालिद अहमद, दशरथ, अरुण कुमार गुप्ता, रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, धर्मेन्द्र कुमार, अशोक भौमिक, रमेश राय, मकबू अंसारी, बृजेश कटियार, जफर, रोशन, योगेन्द्र देव सिंह, विनोद कुमार सिंह, रातुलचन्द्र गोगोई, मुकुल पंवार, अरविन्द कुमार सिंह, अमित कुमार जायसवाल, अभय, अरुण सिंह, अशोक कुमार उपाध्याय, राघवेन्द्र प्रताप सिंह, अमित कुमार शर्मा, अजीत कुमार सिंह, असित कुमार पटनायक, ईश्वर चन्द्र गुप्ता, उमेन्द्र प्रताप सिंह, कमलेश कुमार, चंदन कुमार, टंकेश कुमार, दलसिंगार प्रजापति, दिनेश कुमार, नवीन श्रीवास्तव, नरेन्द्रजीत सिंह, पंकज शर्मा, पंकज सरोज, प्रह्लाद सिंह, बी.आर. नरेन्द्र, भारतभूषण, राजेन्द्र प्रसाद यादव, शिवनाथ राम, शत्रुघ्न प्रसाद, शशि प्रकाश, सुनतराम चौधरी, संजय कुमार साहनी, संतोष कुमार खन्ना, हृदय गुप्ता, ज्ञानेन्द्र कुमार मिश्र, सुशील कन्नौजिया, आलोक कुमार, पुरुषोत्तम सिंह, प्रदीप शर्मा, शिवेन्द्र सिंह, तिलोक कुमार शर्मा, संजय कुमार, नवरतन लाल गुप्ता, रामहृदय, पंकज, पी. मदन गुप्ता, धर्मराज सिंह, दिलीप कुमार, ब्रह्म स्वरूप, शिव बालक, राम बाबू आदि अनेकानेक चित्रकारों/मूर्तिकारों के नाम लिए जा सकते हैं। इनमें से अधिसंख्य कलाकार ऐसे हैं जो फ्रीलांस भी हैं और पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं।

महत्वपूर्ण बात है कि जिस प्रकार उपरोक्त कलाकार पूरे उत्तर प्रदेश में प्रचलित कला प्रवृत्ति की एक तस्वीर पेश करते हैं, उसी प्रकार महिला कलाकारों की भी एक लम्बी परम्परा यहाँ विकसित हुई। उत्तर प्रदेश में काफी पहले से ही कला की तरफ एक विशेष रुचि महिलाओं में दिखाई पड़ी। बल्कि कहना तो यह चाहिए कि विशिष्ट और यथार्थ की गहरी पकड़, उपेक्षित समाज व महिला वर्ग की गहरी संवेदना की चित्रकार अमृता शेरगिल गोरखपुर की ही थीं। उनके पति वहाँ डॉक्टर थे। अप्रत्यक्ष रूप से अमृत शेरगिल का प्रभाव आधुनिक भारत के बहुत सारे चित्रकारों पर पड़ा है। प्रभा पंवार, सुधा अरोड़ा, विमला बिष्ट, अपर्णा सचान, चित्रलेखा सिंह, पुष्पा गुप्ता, किरन राठौर, करुणा सिब्बू, अलकनंदा मुखर्जी, अर्चना वर्मा, अनुसूया सिंह, अनीता नारायण, आराधना, इंदिरा पुनिया, कृष्णा बैराठी, कुसुम दास, कीर्ति वर्मा, प्रेरणा सिंह, प्रेमा मिश्रा, पुष्पा खन्ना, पूर्णिमा तिवारी, प्रेम कुमारी श्रीवास्तव, पुष्पा सिंह, मृदुला सिन्हा, मंजू प्रसाद, मंजुला चतुर्वेदी, मनीषा दोहरे, मंजू शुक्ला, मालविका कपूर, दीपा पाठक, नीता कुमार, नीलम यादव, निशी कुमारी, रंजना शर्मा, रेशमा जाफरी, रेखा कक्कड़, रेखा निगम, रोली सिंह, रूपम त्रिपाठी, वर्षा जौहरी, वसुधा योगी, वंदना, वंदना राजदान, शीला, संध्या जायसवाल, सिरताज सालेहा, फातिमा काजमी, सुषमा अग्रवाल, साधना लाल, इन्दु रस्तोगी, रेणु सिंह, प्रेमलता सिंह, सीमा जावेद, सावित्री पाल, दीपा खरे, ज्योति शुक्ला, किक्षा श्रीवास्तव, रुकइया सुल्ताना, विभावरी सिंह, विधि निगम, रेखा यादव, स्नेह मोहन, संगीता शर्मा, रंजना सिन्हा, वीणा श्रीवास्तव, मीना सिंह, इंदु रस्तोगी, शुभ्रा नाग, सारिका बाला, हेमा पांडेय, श्वेता शर्मा, अमृत मेहरोत्रा इत्यादि अनेक उल्लेखनीय नाम हैं जिन्होंने अपने-अपने ढंग से कला विकसित की है।

यहाँ जितने भी कलाकारों के नाम लिए गए हैं उनमें आकारादि क्रम और उम्र का ध्यान नहीं रखा गया है। वे कहाँ के हैं यह भी नहीं लिखा है लेकिन लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, सुल्तानपुर, जौनपुर, बरेली, मिर्जापुर, सीतापुर आदि स्थानों के कलाकार हैं। यानी स्वाधीनता के बाद ये पूरे-पूरे उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1947 के बाद जैसे-जैसे वर्ष आगे निकलते गए और लखनऊ के कलाकारों का परिचय तथा जानकारी बाहर के कलाकारों, उनके काम और गतिविधियों से हुआ इन कलाकारों ने जीवन, समाज, राजनीतिक और मनोलोक की विभिन्न स्थितियों को पकड़ने की कोशिश की है। अकारण नहीं है कि इनके कार्यों की प्रदर्शनियाँ ललित कला अकादमी दीर्घा से लेकर सृष्टि कला दीर्घा, गैलरी दी आर्ट तक में आए दिन लगती रहती हैं। इनको देखने से लगता है कि उत्तर प्रदेश में काम काफी हो रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी पहचान बन रही है। अफसोस है कि 'सृष्टि' आर्ट गैलरी बन्द हो गई और गैलरी 'द आर्ट' लगभग कला वस्तुओं की एक दुकान में बदल चुकी है।

उत्तर प्रदेश में, खास तौर से लखनऊ में, कला-समीक्षाएँ भी नियमित होती हैं। यहाँ के प्रमुख कला समीक्षकों में कृष्ण नारायण कक्कड़, अनिल सिन्हा, अखिलेश निगम, घनश्याम रंजन, एन. खन्ना आदि हैं

जिन्होंने कला-समीक्षा को व्यावहारिक व ठोस आधार दिया है तथा उत्तर प्रदेश की कला की व्याख्या कर रहे हैं। वैसे यहाँ के सभी दैनिक पत्रों में कला प्रदर्शनियों पर संवाद लिखने वाले नए-पुराने उत्सुक और उत्कर्ण संवाददाता हैं जो निरंतर अपने को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। कला-समीक्षक वास्तव में उस उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं जिससे प्रदेश की आधुनिक कला व सांस्कृतिक परिदृश्य तथा विकास की तस्वीर स्पष्ट होती है। इनमें खास तौर से दो-एक ऐसे कला समीक्षक हैं जिन्होंने कला-समीक्षा का, एक तरह से उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा है और समीक्षा की एक सर्वथा नई स्थापना की है, जिससे केवल कला प्रदर्शनियों का विवरण ही नहीं मिलता बल्कि कला के आधुनिक संदर्भ में जितने भी सवाल पैदा हो सकते हैं उन्हें वे उठाते रहे हैं और उन पर चर्चा करते रहते हैं। आज यह परिदृश्य बदल गया है। 2007 तक आते-आते कला समीक्षा की स्थिति समाप्तप्राय है। शेष अखबारों में कला-प्रदर्शनी की सूचनाएँ छपती हैं।

उत्तर प्रदेश का कला परिदृश्य तथा इसके विकास की रेखाएँ किस प्रकार फैली हैं इसे इस तथ्य से भी जाना जा सकता है कि यहाँ से कितने कलाकार बाहर गए और महत्वपूर्ण कलाकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए, उदाहरण के तौर पर श्याम शर्मा पटना में हैं, बलदेव गंभीर अमृतसर में, सुरेन्द्र जोशी और राम अवतार जायसवाल जयपुर में, अशोक भौमिक, मामून नोमानी व राजीव लोचन, रमेश बिष्ट, मुकुल पंवार, श्याम शर्मा (चित्रकार) दिल्ली में, संपत कुमार शांति निकेतन में तो हरीश राम शिमला कला महाविद्यालय के प्राचार्य। यह चर्चा अधूरी रह जाएगी अगर चित्रकार यशोधर मठपाल की चर्चा न की जाय। एक आदर्शवादी भूदानी की तरह यशोधर मठपाल ने स्वयं तो समय-समय पर चित्रकला का उत्कृष्ट काम किया ही है भीमताल में इन्होंने अपना एक बड़ा व विविध कला-संग्रहालय भी स्थापित किया है जो इनके अथक परिश्रम और खोजी दृष्टि का परिणाम है। पहाड़ क्षेत्र की कलात्मक संपदा और कलात्मक प्रतिमाओं का संयोजन, संकलन इनके संग्रहालय का उद्देश्य है। वास्तव में उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में स्वाधीनता के बाद कला और संस्कृति का जो विकास हुआ है उसकी एक झलक यहाँ मिलती है। वास्तव में यह एक 'कला आश्रम' है।

यही नहीं उत्तर प्रदेश के कलाकार फिल्मी दुनिया व राजनीति में भी गये और अपनी जगह बनाई। मिसाल के तौर पर ललित नाग और मुजफ्फर अली को लिया जा सकता है। नाग ने फिल्मों में कला निर्देशन किया और कार्टून फिल्मों के निर्माण में महारथ हासिल की। मुजफ्फर अली की गहरी रुचि चित्रकला में थी, शुरू में काफी काम उन्होंने किए, कई प्रदर्शनियों में शामिल हुए तथा उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी से पुरस्कृत भी हुए। बाद में राजनीति और फिल्म में सक्रिय हुए लेकिन आज भी उनके मन में चित्रकला के लिए गहरा लगाव है।

ये सारी स्थितियाँ स्पष्ट करती हैं कि उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक विकास के साठ वर्ष किन-किन राहों से गुजरे हैं। 1957-58 में बनी 'फोर आर्टिस्ट ग्रुप' (फैग) तथा 1960 में ग्रुफ आफ यंग पेंटर्स एंड स्कल्पटर्स (जिण्स)। सूचना विभाग की तत्कालीन सहायक निदेशक सरला साहनी ने फैग और विभिन्न कलाकारों श्री मुनि सिंह, विजय चक्रवर्ती, एस.जी. श्रीखण्डे आदि का अपूर्व योगदान रहा, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कला का एक वातावरण तैयार किया। चित्रकार अखिलेश निगम, जो अपनी प्रिंटाज शैली के रूप में विशेष तौर पर जाने जाते हैं, कहते हैं– ''1975-76 में क्रमशः दो और कला संस्थाओं ने, 'विजुअल आर्ट सोसाइटी' और 'यू.पी. आर्ट कौंसिल'– के नाम से जन्म लिया परन्तु क्रमशः ललित कला अकादमी की कला वीथिका में (दस चित्रकारों और मूर्तिकारों की कृतियों की) एक-एक प्रदर्शनी आयोजित कर ये संस्थाएँ आगे न बढ़ सकीं। अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष में 'तरनी' नाम से प्रभा पंवार की अध्यक्षता में एक महिला चित्रकार संस्था का जन्म हुआ जिसने काफी समय तक प्रदर्शनियों सहित कला संबंधी कई कार्यक्रम आयोजित किये। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद संग्रहालय, भारत कला भवन-वाराणसी, राज्य संग्रहालय-लखनऊ, अल्मोड़ा के अतिरिक्त म्यूनिसिपल आर्ट गैलरी, लखनऊ और लोक कला संग्रहालय लखनऊ का महत्वपूर्ण योगदान है।

इस विवेचन से यह तस्वीर उभरती है कि आजादी के बाद के उत्तर प्रदेश की कला चेतना ने कई तरह की विकास रेखाएँ पार की हैं जिनमें उ.प्र. राज्य ललित कला अकादमी, केन्द्रीय ललित कला केन्द्र, सृष्टि कला

दीर्घा सहित अनेक कला संस्थाओं का योगदान है। अकादमी ने अपने 23 सूत्रीय कार्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रतिभाशाली कलाकारों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियाँ, कला आयोजन के लिए आर्थिक सहायता, कला संबंधी पुस्तकों-पत्रिकाओं, मोनाग्राफ, पोर्टफोलियो, पिक्चर पोस्ट कार्ड, पोस्टर आदि के प्रकाशन सहित डॉ. राधाकमल मुखर्जी व्याख्यानमाला तथा व्याख्यान, सेमिनार व कला गोष्ठियों आदि से उत्तर प्रदेश में कला के विकास के लिए बहुमुखी कार्य किए जाते हैं। इसी तरह राष्ट्रीय ललित कला केन्द्र में जहाँ बाहर के और स्थानीय कलाकार काम करते हैं, वहीं प्रदर्शनियाँ, कार्यशालाएँ और मदनलाल नागर व्याख्यानमाला साठ वर्षों का यह संक्षिप्त कला परिदृश्य अभी अन्य आयामों में विकसित होगा, इसकी पूरी संभावना है क्योंकि नयी-नयी कला शैलियाँ विकसित हो रही हैं। जरूरत है कि उत्तर प्रदेश में कला के विविध आयामों पर स्वतंत्र रूप से कार्य योजनाएँ बनाई जाएँ।

कलाकर्म के इस विकास में कलाकारों के सामने आर्थिक समस्याएँ या कि जीवन यापन की समस्याएँ विकराल रूप में सामने आ रही हैं इसलिए उन्हें छद्म काम करने, ठेके पर काम लेने, महत्त्वपूर्ण चित्रों की अनुकृति बनाने, चित्रकार/मूर्तिकार बनने की अद्म्य व शौक रखने वाले पैसे वाले लोगों के लिए काम कर देने उत्सव/मेले/त्यौहारों को ध्यान में रखकर मूर्तियाँ बनाने, लकड़ी में कला को सँवारने, कुछ चित्रकारी का काम करने की मजबूरी पैदा हो रही है। कुछ समय तक इस मजबूरी में काम करने के बाद ऐसे कलाकारों की आदत व स्वभाव में ये चीजें घर करती जा रही हैं जिनसे उबरना उनके लिए संभव दिखायी नहीं देता। उत्तर प्रदेश के कला परिदृश्य पर पिछले दो दशकों से छाए व घने होते जा रहे इस धुंधलके ने यहाँ की गरिमा को काफी क्षति पहुँचायी है। इसका एक अन्य बड़ा कारण है उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी तथा केन्द्रीय ललित कला केन्द्र के स्वायत्त चरित्र का निरंतर गिरते हुए लगभग एक सरकारी संस्थान में बदल जाना। चित्रकार सतीश चंद्र के अकादमी अध्यक्ष रहते हुए अकादमी जो नई कला दीर्घाएँ बनी तथा पुरानी का नवीनीकरण किया गया तथा अकादमी की वित्तीय सहायता राशि बढ़ी और कला-गतिविधियाँ भी, वे अब वहीं रुकी हुई हैं बल्कि वित्तीय सहायता में तो निरंतर कटौती हो रही है; छवि कुछ ऐसी बन गई है कि अकादमी के पास कला गतिविधियों की परिकल्पना करना मुश्किल हो रही है इसलिए स्वीकृत राशि भी पूरी तरह खर्च नहीं हो पा रही तो वित्तीय कटौती का आधार बन गयी। यही कारण है कि अकादमी में कला गतिविधियों के नाम पर अपना रजिस्टर पूरा कर रही है। लगभग ऐसा ही हाल राष्ट्रीय ललित कला केन्द्र की लखनऊ शाखा का भी है सिवा इसके कि 47वीं राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के अवसर पर यहाँ कुछ आधुनिक कला दीर्घाएँ उद्घाटित की गई जिनमें कला गतिविधियाँ जारी रहने की उम्मीद है। 2005 के लिए उ.प्र. कला जगत को केन्द्र की ओर से यह एक वस्तु परक तोहफा है। कला गतिविधियों का स्वरूप, निरंतरता ही इस तोहफे को सार्थक बना सकती है। इसकी उम्मीद केन्द्र की इस शाखा से बनी हुई है।

●

उत्तर प्रदेश और सिनेमा

बीसवीं शताब्दी में सिनेमा भारतवर्ष में सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन के एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरकर सामने आया। मनोरंजन-उद्योग होने के नाते इसने देश के लोगों के सामाजिक व्यवहार को प्रभावित किया है। जन संस्कृति के विकास में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है। सिनेमा के साथ उत्तर प्रदेश की भागीदारी विकास काल से रही है। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ फिल्मों का सबसे ऊँचा बाजार है। इसी कारण हर वर्ष फिल्मों में छाया रहता उत्तर प्रदेश का रंग। उत्तर प्रदेश और मुम्बई फिल्म नगरी दोनों ही एक दूसरे पर काफी हद तक आश्रित हैं। अगर हम इस आशय को नापतौल कर देखें तो उत्तर प्रदेश का ही पलड़ा भारी पड़ेगा। राज्य की विशाल जनसंख्या मुम्बई फिल्म नगरी को हिन्दी फिल्मों का सबसे बड़ा बाजार तो उपलब्ध कराती ही है, साथ ही वहाँ काम करने वालों में एक बड़ा प्रतिशत उत्तर प्रदेश का ही है। कहा जाता है कि एक समय बॉलीवुड में दखल के मामले में उत्तर प्रदेश अव्वल नम्बर पर था। फिल्मों में शायद ही कोई क्षेत्र अछूता बचा हो जहाँ उत्तर प्रदेश के लोगों ने अपनी सार्थक मौजूदगी दर्ज न करायी हो।

उत्तर प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग के लिए अत्यन्त मनोरम स्थल भी हैं लेकिन अब तक अधिकांश फिल्मों की शूटिंग यहाँ नहीं होती थी परन्तु पिछले कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से यहाँ शूटिंग कार्य शुरू हो गया, जिनमें सबसे सफलतम फिल्मों के रूप में 'गदर', 'इश्कजादे', 'बुलेट राजा', 'तनु वेड्स मनु' रहीं। हाल के वर्षों में राजधानी लखनऊ में तथा आसपास, दावत-ए-इश्क, बाबर, रंगदारी, डेढ़ इश्किया, जॉली एलएलबी-2, दोस्ती जिन्दाबाद रेड, आईएम. नॉट ए देवदास बनारस में राझड़ा, टप्पा आदि प्रमुख फिल्मों की शूटिंग हुई है। बॉलीबुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने फिल्म गुलाबो-सिताबो की शूटिंग राजधानी लखनऊ में एक माह से अधिक समय रह कर की है। अछूती व अनूठी लोकेशन की मौजूदगी के कारण उत्तर प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग का दौर भी लौट रहा है। बीते वर्षों में 200 से अधिक हिन्दी, भोजपुरी तथा दक्षिण भारतीय भाषा की फिल्मों की शूटिंग प्रदेश के विभिन्न नगरों में हो चुकी है। आज हमारे पास तकनीकी ज्ञान, नयी मशीनें व अत्याधुनिक कैमरे उपलब्ध हैं। इन्हीं सब खूबियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को बॉलीवुड बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। प्रदेश में फिल्म निर्माण की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 'फिल्म बन्धु' का गठन किया गया है जिसमें फिल्म निर्माण में आने वाली कठिनाइयों का निराकरण किया जा रहा है। 'फिल्म बन्धु' के माध्यम से क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण के लिए अवस्थापना सुविधा प्रदान की जा रही है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश ने बड़ा दिल दिखाते हुए हिन्दी और उसकी सहयोगी भाषाओं ही नहीं अपितु तमिल, तेलुगू सहित दक्षिण भारतीय भाषाओं की फिल्मों की शूटिंग प्रदेश में करने पर फिल्म बन्धु अनुदान देगा। इस शुभ समाचार के बाद तमिल फिल्म की शूटिंग प्रदेश के आंगन में सम्पन्न हो चुकी है।

माना जाता है कि 'आलम आरा' (1931) के निर्देशक उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले बी.पी. मिश्रा थे। एक बार पृथ्वीराज कपूर ने पत्रकारों के समक्ष यह स्वीकार किया था कि बी.पी. मिश्रा ही 'आलम आरा' के निर्देशक थे। 'इम्पीरियल' फिल्म कम्पनी ने इसका निर्माण किया था। यह कम्पनी इससे पहले मूक फिल्मों का निर्माण किया करती थी और बी.पी. मिश्रा इसी कम्पनी के जाने-माने निर्देशक थे। मूक फिल्मों के जमाने में उनके निर्देशन में 'मिड नाइट राइडर', 'नाहर सिंह डाकू', 'शीशमहल', 'अलीबाबा चालीस चोर' आदि फिल्में इम्पीरियल कम्पनी में बनी थीं। दुर्भाग्य से असमय ही उनकी मृत्यु हो गयी।

सन् 1931 में चलती फिरती तस्वीरों को स्वर भी मिल गये। 'आलम आरा' से आरम्भ हुआ आवाज का यह सफल अभियान अब तक भारत की लगभग सभी क्षेत्रीय भाषाओं में गूँजता रहा है। लेकिन अब जब बात लोकप्रियता की हो तो हिन्दी फिल्मों का कोई सानी नहीं है। उत्तर प्रदेश ने सिनेमा को सिर्फ दर्शक ही नहीं

दिये बल्कि गुणी और प्रतिभावान कलाकार भी दिये हैं जो पर्दे पर और पर्दे के पीछे अथक मेहनत से सिल्वर स्क्रीन में रंग भरते रहे हैं। हिन्दी सिनेमा को पहाड़ी सान्याल, मोतीलाल, अजीत जैसा खलनायक, चित्रगुप्त तथा रवि जैसे संगीतकार व देवेन्द्र गोयल, भीमसेन तथा बासु चटर्जी, त्रिलोक जेटली आदि निर्माता-निर्देशक इसी प्रदेश ने दिये हैं। यहाँ के विभिन्न लोकनृत्य, शास्त्रीय नृत्य और गीत की शैलियों ने हिन्दी सिनेमा के गीत-संगीत को समृद्ध किया है। इन दिनों अमेठी के मनोज मुंतशिर के गीतों की धूम मची हुई है। जोश मलिहाबादी, पंडित नरेन्द्र शर्मा, मजाज लखनवी, शकील बदायूँनी, इंदीवर, कैफी आज़मी, मजरूह सुल्तानपुरी, हरिवंशराय बच्चन, जॉ निसार अख्तर, शैलेन्द्र, नीरज, अन्जान, खुमार बाराबंकवी, योगेश, समीर, अली सरदार जाफरी, हसन कमाल, अन्जुम पीलीभीती, शहरयार, संतोष आनन्द, देव कोहली, शबनम गोरखपुरी, नूर बिजनौरी, शबाब मेरठी, बहजाद लखनवी, जलाल मलिहाबादी, अहमद वसी, प्रवीण भारद्वाज, फैज अनवर, पंछी जालौनवी, मनोज यादव, नितिन रैकवार, राम भारद्वाज प्रसिद्ध गीतकारों में हैं। गीतकार, पटकथाकार जावेद अख्तर का बचपन लखनऊ में अपनी ननिहाल में बीता। शकील बदायूँनी ने 'मदर इण्डिया', 'आन' और 'उड़न खटोला' के अमर गीत लिखे। झाँसी के शशिधर मुखर्जी, शंकर मुखर्जी और सुबोध मुखर्जी ने फिल्मकार के तौर पर हिन्दी सिनेमा को समृद्ध किया। जैनेन्द्र कुमार ने लेखन तथा इफ्तिखार ने पुलिस अधिकारी के रूप में स्क्रीन पर अपनी प्रभावपूर्ण उपस्थिति दर्ज करायी। मजरूह सुल्तानपुरी ने बोलती फिल्मों के प्रारम्भिक दौर से गीत लिखना शुरू किया था। आगे चलकर पॉप गीतों के जमाने में भी उनकी कलम का जादू कम नहीं हुआ। ए.आर. कारदाह की 'शाहजहाँ' से लेकर अपने बेटे अन्दलीब की फिल्म 'जानम समझा करो' तक के लम्बे सफर में मजरूह सुल्तानपुरी ने 'धीरे-धीरे वो हमारे दिल' और नौजवानों के लिए 'पापा कहते हैं' जैसे गीतों से हर फिल्मी दृश्य को सँवारते रहे। उत्तर प्रदेश से हिन्दी सिनेमा को कई कहानीकार, पटकथा लेखक में मिले। नरोत्तम व्यास, पं. राधेश्याम कथावाचक, नारायण प्रसाद बेताब, मुंशी प्रेमचन्द, भगवतीचरण वर्मा, अमृतलाल नागर, उपेन्द्रनाथ 'अश्क', भगवती प्रसाद बाजपेयी, धर्मवीर भारती, इस्मत चुगताई, शौकत कैफी, डॉ. राही मासूम रजा, कमलेश्वर, ज्ञान अग्निहोत्री, राजेन्द्र यादव, कुशवाहा कान्त, गुलाब रत्न बाजपेयी गुलाब, जैनेन्द्र जैन, माया गोविन्द, गौहर कानपुरी, डॉ. अचला नागर, अतुल तिवारी, के.पी. सक्सेना, कमल पाण्डेय उत्तर प्रदेश के ख्याति प्राप्त पटकथा लेखकों में से हैं।

अभिनय के सरताज बने अमिताभ बच्चन इलाहाबाद के हैं। यहाँ की मीठी बोली का असर उनकी संवाद अदायगी की शैली बन गया जिसने उन्हें बुलन्दियों पर बैठा दिया। 'ताजमहल' की नायिका बीना राय लखनऊ के ही आई.टी. कालेज की छात्रा थीं। अभिनय कला में संस्थान बन चुके नसीरुद्दीन शाह का सम्बन्ध भी उत्तर प्रदेश से है। गुलजार की फिल्म 'माचिस' में अभिनय के जौहर दिखाने वाले चन्द्रचूड़ सिंह अलीगढ़ के रहने वाले हैं। फैजाबाद में जन्मी अनुष्का शर्मा, कानपुर में पूनम ढिल्लो, बरेली में पली-बढ़ी प्रियंका चोपड़ा, इटावा की पिया बाजपेयी जैसे अनेक नाम हैं। निर्देशक रामगोपाल वर्मा की बहुचर्चित फिल्मों 'सत्या' और 'कौन' के खूबसूरत छायांकन के बाद लखनऊ के मजहर कामरान का नाम अब फिल्मी दुनिया में नया नहीं है। 'सत्या' की सिनेमैटोग्राफी पहले एक हालीवुड के छायाकार कर रहे थे। मेरे महबूब, मेरे हुजूर, चौदहवीं का चाँद, शतरंज के खिलाड़ी, पाकीजा, उमराव जान को देखना तो वैसे लखनऊ शहर को एक शताब्दी पहले देखना जैसा है। लखनऊ के अलावा अन्य कई धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल भी हिन्दी फिल्मों के प्रिय शूटिंग स्थल हैं। आगरा के ताजमहल के दर्शन तो बहुत सी फिल्मों में होते रहे हैं। इस शहर के अन्दर की तस्वीर बासु भट्टाचार्य की 'सारा आकाश' में दिखती है। वाराणसी का चित्रण अनगिनत फिल्मों में हुआ है। मर्चेन्ट आइवरी की अंग्रेजी फिल्म 'द गुरू' की कहानी वाराणसी के इर्द-गिर्द घूमती है। महाश्वेता देवी के उपन्यास पर आधारित 'संघर्ष' वाराणसी के पण्डों के आपसी वैमनस्य की कहानी थी। प्राकृतिक, सांस्कृतिक हर तरह से समृद्ध होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में शूटिंग उन शहरों में न होकर वैसे ही सेट लगाकर, माहौल तैयार कर, कर ली जाती है। पिछले कुछ समय से मुम्बई के बड़े निर्माताओं ने सरकार की पहल पर यहाँ आकर प्रदेश की फिल्म नीति से जुड़े

मसलों पर चर्चा की थी। इन फिल्मकारों ने इसमें दिलचस्पी दिखाकर उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण की संभावना को पुख्ता किया है। नये छविगृहों का निर्माण कराना, सस्ते दामों पर मनोरंजन उपलब्ध कराना तथा रचनात्मक एवं उद्देश्यपूर्ण फीचर फिल्मों के निर्माण को ध्यान में रखकर 10 सितम्बर 1975 को उ.प्र. चलचित्र निगम की स्थापना की गयी थी। गाजियाबाद और दिल्ली के बीच स्थित नोएडा छोटी फिल्म नगरी मानी जाती है। क्षेत्रीय सिनेमा के रूप में भोजपुरी फिल्मों को पूर्वांचल के गोरखपुर, वाराणसी मंडलों में विस्तार मिला है।

फिल्म वितरण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश क्षेत्र, दिल्ली, यू.पी. सर्किल के नाम से मशहूर है। सर्वाधिक दर्शकों वाले इस क्षेत्र में मनोरंजन कर सबसे अधिक है। फिल्म नीति पर सरकार और फिल्म प्रतिनिधियों के बीच गहन विचार-विमर्श हुआ। शादी में जरूर आना, मंजूनाथ, रामभजन, इश्क के परिन्दे, दो दूनी चार, बर्फी, पति-पत्नी और वो, मिर्जापुर-2, मिलियन डॉलर आर्मी सहित अनेक फिल्मों की शूटिंग राजधानी के आस-पास हुई है।

पिछले कुछ वर्षों की सरकारी पहल को देखते हुए ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सिर्फ दर्शक और कलाकार ही नहीं देगा बल्कि स्वयं उद्देश्यपूर्ण फिल्मों का निर्माता बनने की ओर अग्रसर होगा।

उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख सिने व्यक्तित्व

उत्तर प्रदेश में जन्मे या यहाँ की मिट्टी में रहकर बॉलीवुड में अपना तथा प्रदेश का नाम रोशन करने वाले विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कुछ लोगों की सूची इस प्रकार भी है :–

आर.एन. शुक्ला, के. आसिफ, बासु चटर्जी, भीमसेन, कमाल अमरोही, ए.एन. अंसारी, त्रिलोक जेटली, देवी शर्मा, रवि नगाईच, शंकर मुकर्जी, सुबोध मुकर्जी, नासिर हुसैन, नजीर हुसैन, अनवर हुसैन, ताहिर हुसैन, प्रकाश मेहरा, रामशंकर चौधरी, शेखर, आर चन्द्रा, सिप्ते हसन रिजवी, याकुब हसन रिजवी, आर.डी. माथुर, अनिल शर्मा, गोविन्द मूनिस, शिव कुमार, मुजफ्फर अली, सुधीर मिश्रा, विशाल भारद्वाज, बोनी कपूर, अनुराग कश्यप, तिग्मांशु धुलिया, माहरूख मिर्जा, शहरूख सुल्तान, मेराज सुनील बत्रा, राकेश साहू, चन्दू सिंह, सनोज मिश्रा, अनुभव सिन्हा, राम बुन्देला, चन्द्रपाल सिंह आदि।

नरगिस, तलत महमूद, निर्मला देवी, शमा जैदी, जद्दन बाई, रेहाना सलमा सिद्दीकी, कुन्दनलाल सहगल, मदन सहगल मुकेश, गोपीकृष्ण, भारत भूषण, लच्छू महाराज, हरि प्रसाद चौरसिया, सुजीत कुमार, हीरालाल, कन्हैयालाल, लीला मिश्रा, शबाना आजमी, कुमकुम, उमादेवी (टुनटुन), सितारा देवी, यूनुस परवेज, रेहाना सुल्तान, राज बब्बर, सुरेन्द्र पाल, राजा बुन्देला, रंजीत कपूर, अन्नू कपूर, सुल्तान अहमद, हुमायूँ मिर्जा, नसीरूद्दीन शाह, संतोष सरोज, के.के. सिंह, मंदाकिनी, निशा गोयल, दीप्ती भटनागर, लारा दत्ता, मंसूर खान, आमिर खान, शक्तिमान, हसन कमाल, मुशीर रियाज, प्रेम कपूर, मोतीसागर, प्रीति सागर, नाजनीन, तारिक, नदीन खान, जमील खान, अदिति शर्मा, जोया अफरोज, पूजा बत्रा, श्वेता तिवारी, साहिल शेख, पुलकित सिंह, संदीप नाथ, इंदर ठाकुर, राकेश पाण्डेय, साधना सिंह, आयुष कुमार, विश्वनाथ मिश्रा, शाहीन सुल्ताना, ब्रज गोपाल, मोहन भण्डारी, राजकुमार त्रिवेदी, राजेन्द्रनाथ मिश्रा, विनय श्रीवास्तव, कविता चौधरी, रहमान, नौशाद, समीर, रानी मुखर्जी, जया भट्टाचार्या, राम गोविन्द, ललित तिवारी, सपना अवस्थी, राजेश कुमार सिंह, रवीन्द्र जैन, अपूर्व अग्निहोत्री, अरुण गोविल, सूरज कुमार वर्मा, मुश्ताक अली, अनूप जलोटा, बाबा आजमी, स्नेहा सांगवान, सुनिधि चौहान, कनिका कपूर, मालिनी अवस्थी, रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश यादव निरहुआ, मनोज मिहिर, अनुपम श्याम, राजू श्रीवास्तव, तनवीर जैदी, सौरभ दुबे, राजपाल यादव, आदित्य शर्मा, उदय यादव, कैलाश खेर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बीरेन्द्र सक्सेना, मुकुल नाग आदि।

उ.प्र. फिल्म बन्धु तथा फिल्म नीति

प्रदेश के गौरवशाली इतिहास, इसकी वैभवपूर्ण वास्तुकला तथा स्थानीय संस्कृतियों की विविधता आदि फिल्म निर्माण के लिए आवश्यक तत्व के सदुपयोग से पर्यटन विकास को नये आयाम मिले तथा रोजगार सृजन के नये साधन उपलब्ध कराने हेतु यद्यपि 1999 में फिल्म नीति की घोषणा की गयी थी,

तथापि इसमें अन्य आवश्यक सुसंगत प्रावधानों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कतिपय संशोधन किए गये हैं, ताकि उ.प्र. में उपलब्ध असीम संभावनाओं को फिल्मांकित करने का समुचित उपयोग हो सके। उ.प्र. में न केवल बड़े पैमाने पर शूटिंग का कार्य सम्पन्न हो सके, बल्कि फिल्म निर्माण के विविध पक्षों से जुड़ी गतिविधियों का भी समग्र विकास हो सके। इस नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में फिल्म उद्योग के समग्र विकास हेतु एक सुसंगठित ढाँचा एवं उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि उत्तर प्रदेश फिल्म निर्माण के लिए महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में विकसित हो सके। प्रदेश के अद्भुत मनोहारी तथा रमणीय पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी मिले, एवं पर्यटकों को आकर्षित करना। प्रदेश की सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक विरासत एवं गौरवशाली परम्परा को देश एवं विदेश में प्रचारित-प्रसारित किया जा सके। प्रदेश में अभिनय व फिल्म निर्माण की प्रतिभाओं को विकास के अवसर मिलें। प्रदेश में रोजगार सृजन के अवसर सुलभ हों। फिल्म उद्योग के माध्यम से अतिरिक्त पूँजी निवेश आकर्षित करने के साथ साथ देश व प्रदेश की जनता को स्वस्थ एवं अपेक्षाकृत सस्ता मनोरंजन उपलब्ध हो सके। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा उ.प्र. फिल्म बन्धु का गठन किया गया है। प्रदेश में फिल्म निर्माण के लिए उपयुक्त वातावरण सृजन करने के लिए निम्न प्रयास किये जायेंगे– प्रशासनिक सहायता, वित्तीय प्रोत्साहनों का आकर्षण पैकेज, अपेक्षित सुविधाएँ उपलब्ध कराना, सुयोग्य प्रकरणों में वित्तीय समर्थन की आकर्षक प्रणाली तथा सिनेमा के प्रचार-प्रसार से जुड़े गैर-सरकारी संगठनों को बढ़ावा देना आदि। फिल्मों के विकास के लिए आवश्यक अवस्थापना को सामान्य तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। शूटिंग तथा फिल्म निर्माण के लिए अवस्थापना जैसे स्टूडियो एवं प्रोसेसिंग प्रयोगशालाएँ। फिल्म प्रदर्शन के लिए अवस्थापना उपकरण, कलाकारों, तकनीशियनों तथा विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता की प्रशिक्षण सुविधाएँ।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में नोएडा में फिल्म सिटी का विकास किया गया था जो शनैः शनैः अब उत्तरी भारत में बन रहे टी.वी. सीरियल्स फिल्म नगरी में उपलब्ध सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, ताकि यह फिल्म नगरी उत्तरी भारत में फिल्म निर्माण के केन्द्र के रूप में विकसित हो सके। प्रदेश में उपलब्ध संभावनाओं को पूर्ण सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञ एजेन्सी के माध्यम से एक सम्भाव्यता अध्ययन कराया जाएगा। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र में नवीन फिल्म नगरी/नगरियों/फिल्म लैबोरेटरी की स्थापना के लिए सम्भावनाओं का मूल्यांकन करना होगा। यह अध्ययन 'फिल्म बन्धु' द्वारा कराया जाएगा तथा इसकी रिपोर्ट के आधार पर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर उसे क्रियान्वयन हेतु निजी क्षेत्रों को प्रस्तुत किया जाएगा। प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के लिए भी विस्तृत कार्य योजना बनायी जायेगी।

उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से क्रियाशील फिल्म नगरी/नगरियों की स्थापना होने तथा स्थानीय सिनेमा उद्योग का पर्याप्त विकास होने तक राज्य सरकार द्वारा विभिन्न शासकीय विभागों यथा– शिक्षा, सूचना तथा संस्कृति में उपलब्ध उपकरण फिल्म निर्माताओं को किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे। फिल्म निर्माताओं की आवश्यकता के अनुरूप इन उपकरणों के वर्तमान भण्डार को बढ़ाया जायेगा। इन उपकरणों के अर्जन तथा उनके रखरखाव के लिए 'फिल्म विकास निधि' का उपयोग किया जाएगा। इस कार्य हेतु फिल्म बन्धु, 'नोडल एजेंसी' के रूप में कार्य करेगा तथा समस्त उपकरणों का एक 'पूल', फिल्म बन्धु में स्थापित किया जाएगा। उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 'फिल्म बन्धु' शासकीय विभागों के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में भी पूल बना सकेगा।

शूटिंग स्थलों का विकास

प्रदेश में उपलब्ध प्रचुर नैसर्गिक सुन्दरता, समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराओं तथा ऐतिहासिक स्मारकों की पृष्ठभूमि का पर्यटन विभाग निरन्तरता के आधार पर प्रदेश में आउटडोर शूटिंग के लिए स्थलों का चयन कर उनका विकास करेगा तथा सक्रियता से प्रचार करेगा। इसके लिए ट्रांसपैरेन्सीज, लघु फिल्में, प्रचार-साहित्य, जैसे– ब्रॉशर्स इत्यादि विकसित किये जायेंगे। प्रदेश में नयी 'पर्यटन नीति' के तहत निजी क्षेत्र को इस बात के

लिए उत्प्रेरित किया जाएगा कि वे इन शूटिंग स्थलों पर होटल्स, मोटल्स, रेस्टोरेन्ट तथा कैम्पिंग सुविधाओं की स्थापना करें।

कलाकारों तथा तकनीशियनों का प्रशिक्षण

फिल्म उद्योग के उपयुक्त विकास के लिए यह परम आवश्यक है कि प्रतिभा-सम्पन्न कलाकार तथा प्रशिक्षित तकनीशियन सुगमता से उपलब्ध हों। उत्तर प्रदेश में फिल्म तथा टेलीविजन इंस्टीट्यूट की एक शाखा खोलने के लिए राज्य सरकार, भारत सरकार से समन्वय स्थापित करेगी ताकि उन प्रतिभाशाली नवयुवकों की आकांक्षा पूर्ति हो सके जो कि देश के उत्तरी भाग में फिल्मों को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। इस शाखा की स्थापना होने तक प्रदेश की प्रख्यात भारतेन्दु नाट्य अकादमी का विकास, 'राज्य फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान' के रूप में किया जायेगा।

फिल्म तकनीशियनों को चुने हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित किया जायेगा। इस उद्देश्य से सम्बन्धित पाठ्यक्रम कुछ संस्थानों में प्रारम्भ किए जाएँगे। राज्य सरकार द्वारा निजी क्षेत्र को भी फिल्म सम्बन्धी व्यवसायों एवं पाठ्यक्रमों के साथ प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे तथा सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता में उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षणरत विद्यार्थियों को वार्षिक छात्रवृत्ति रु. 25,000/- दी जाएगी। छात्रवृत्तियों की अधिकतम संख्या दोनों संस्थानों में प्रत्येक के लिए अलग-अलग होगी। इस कार्य पर व्यय होने वाली धनराशि का वहन 'फिल्म विकास निधि' से किया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में 'परफॉर्मिंग आर्ट्स' के पाठ्यक्रम आरम्भ किए जाएंगे ताकि प्रदेश के युवा वर्ग को अपनी प्रतिभा विकसित एवं मुखरित करने का अवसर प्राप्त हो सके।

फिल्म इकाइयों के लिए आवासीय सुविधा

प्रदेश में आउटडोर शूटिंग करने वाली इकाइयों को उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के होटल्स/मोटल्स में कमरों के किराए में 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। लोक निर्माण विभाग, वन विभाग तथा सिंचाई विभाग एवं राज्य सम्पत्ति विभाग के अतिथि गृह/विश्रामालय भी इन फिल्म इकाइयों को नियमित भुगतान पर उपलब्ध होंगे।

सरकारी हवाई पट्टियों का प्रयोग

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न भागों में स्थित हवाई पट्टियों के प्रयोग की सुविधा आउट-डोर शूटिंग करने वाली फिल्म इकाइयों को निर्धारित शुल्क के भुगतान पर अनुमन्य करायी जा सकें।

फिल्मों का वित्त पोषण

फिल्म उद्योग के विकास में फिल्मों का वित्त पोषण एक महत्वपूर्ण कारक है। भारत सरकार फिल्मों को उद्योग का दर्जा देने के लिए राजी हो गयी है तथा व्यावसायिक बैंकों से फिल्मों के वित्त पोषण की प्रक्रिया निर्धारण करने हेतु 'कानन समिति' का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश की राज्य वित्तीय संस्थाएँ पहले से ही स्टूडियो तथा उपकरणों जैसे– हार्डवेयर के लिए नियमित व्यावसायिक शर्तों पर वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध करा रही है। 'कानन समिति' की अनुशंसाएँ प्रस्तुत होने पर तथा भारत सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार कर लेने पर राज्य सरकार उन्हें अंगीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध है। 'कानन समिति' की रिपोर्ट आने तक फिल्मों का वित्त पोषण 'फिल्म बन्धु' द्वारा 'फिल्म विकास निधि' के माध्यम से किया जायेगा। प्रदेश 'नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन' पिकप अथवा बैंकों के साथ संयुक्त ऋण योजना में प्रतिभागी बनेगा, किन्तु यह वित्त पोषण केवल उन्हीं फिल्मों को अनुमन्य होगा जो 75 प्रतिशत से अधिक उत्तर प्रदेश में फिल्मांकित की जायेंगी तथा प्रदेश की छवि को उभारेंगी।

फिल्म निधि

फिल्म तथा फिल्म सम्बन्धी अवस्थापना के विकास की विभिन्न योजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए

सिनेमा टिकटों पर 50 पैसे का शुल्क चार्ज किया जायेगा। यह शुल्क प्रत्येक जिले के कोषागार में फिल्म निधि के नाम से जमा किया जायेगा। इस प्रकार से एकत्र की गयी धनराशि समेकित रूप में कर एवं निबन्धन विभाग से ज्ञात कर उसके समतुल्य धनराशि प्रत्येक वर्ष सूचना विभाग के आय-व्ययक में अलग लेखा शीर्षक खोलकर प्रावधानित करायी जायेगी तथा उसे अनुदान के रूप में 'फिल्म बन्धु' को स्वीकृत की जायेगी जिसे फिल्म बन्धु के अधीन स्थापित फिल्म विकास निधि में जमा किया जायेगा। इसका संचालन ''उत्तर प्रदेश फिल्म बन्धु'' द्वारा किया जायेगा। इसके साथ ही फिल्म विकास निधि में अनुदान के अतिरिक्त फिल्म उपकरणों के किराये, फिल्म महोत्सव के आयोजन में टिकटों से होने वाली आय को भी जमा किया जायेगा।

सूचना विभाग

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के सांस्कृतिक, पर्यटन, कृषि, साहित्यिक, औद्योगिक, ग्राम्य विकास तथा अन्य विकास सम्बन्धी विषयों पर वृत्त चित्र एवं वर्तमान घटना क्रम पर समाचार चित्र निर्मित करने का कार्य किया जाता है। अधिसंख्य वृत्त चित्र तथा समाचार चित्र का फिल्मांकन प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में किया जाता है। अब तक इस विभाग द्वारा 95 समाचार चित्र तथा 165 वृत्त चित्र तैयार किये जा चुके हैं। इनमें 28 रंगीन वृत्त चित्र सम्मिलित हैं। उल्लेखनीय है कि इस विभाग द्वारा निर्मित उत्तर प्रदेश समाचार संख्या 54 को 26वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह 1979 में पुरस्कृत भी किया गया है। इस विभाग द्वारा निर्मित वृत्त चित्र 'फूलों की घाटी' तथा 'बदरी-केदार' पर बने चित्रों को देश की 14 भाषाओं में डबिंग कराकर अखिल भारतीय सर्किट में विभिन्न सिनेमा घरों में प्रदर्शित किया गया। अब तक निर्मित वृत्त चित्रों में 'कार्बेट नेशनल पार्क', 'लखनऊ मेरा लखनऊ', 'महात्मा गांधी और उत्तर प्रदेश', 'चोर-चोर', 'फूलों की घाटी', 'बदरी-केदार', 'नैमिषारण्य', 'ब्रज में होली', 'ग्राम्या', 'कुम्भ मेला', 'भागीरथी', 'सुमित्रानन्दन पंत', 'महादेवी वर्मा', 'प्रेमचन्द', 'बुन्देलखण्ड', 'विकास की चमक हर आँख में' इत्यादि वृत्त चित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

फिल्म पत्रकारिता

उत्तर प्रदेश में फिल्म पत्रकारिता का जहाँ तक प्रश्न है तो इस क्षेत्र में पहला नाम 1930 के दशक में उमाशंकर जोशी का उभरता है। इसके बाद फिर रामकृष्ण, कपिलकुमार, धर्मेन्द्र गौड़, ओंकार शरद, विनोद भारद्वाज, कुंवर नारायण, सतीश सिंह, जिनेन्द्र जैन, महादेव शर्मा, नेत्र सिंह रावत ने फिल्म पत्रकारिता में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इस सिलसिले को आगे बढ़ाया मंगलेश डबराल, मोहित थपलियाल, धीरेन्द्र अस्थाना, राजेन्द्र प्रसाद काण्डपाल, ओम प्रकाश गुप्ता, विवेक चटर्जी, प्रवीण श्रीवास्तव, हेमंत शुक्ल, वीर विनोद छाबड़ा, अवधेश नारायण 'प्राण', सुरेन्द्र अग्निहोत्री, गौतम चटर्जी आदि ने।

दर्शनीय स्थल, मेले एवं प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति

युगों की प्राचीन परम्परा के इस प्रदेश में बहुत से ऐसे स्थान हैं, जिनका धार्मिक महत्व है। बहुत से ऐसे स्थल भी हैं, जिन्हें तीर्थ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से उनका बड़ा महत्व है। हमारा प्रदेश ऐसे सांस्कृतिक केन्द्रों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार के कुछ स्थान इस प्रकार हैं:–

सोरों (जिला एटा)– सोरों या शूकर क्षेत्र की गणना भारत के पवित्र तीर्थों में होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम पृथ्वी का आविर्भाव यहीं हुआ था। इस तीर्थ में वराह भगवान का एक अति प्राचीन दर्शनीय मन्दिर है। इस मन्दिर में भगवान वराह की विशाल प्रतिमा स्थापित है और निकट ही हरिपदी पर वराह घाट है। शूकर क्षेत्र में प्राचीन काल से भगवान वराह की पुण्य स्मृति में मार्गशीर्ष का मेला लगता है।

काशी (वाराणसी)– यह भारत के ही नहीं, संसार के प्राचीनतम नगरों में से एक है। यह नाम वरुणा और अस्सी, दो नदियों से मिलकर बना है। वर्तमान काशी में दर्शनीय मन्दिर विश्वनाथ, अन्नपूर्णा, संकटमोचन, दुर्गा मन्दिर, तुलसी मानस मन्दिर, विश्वविद्यालय का विश्वनाथ मन्दिर, आदि विश्वेश्वर, साक्षी विनायक और पांचरत्न आदि हैं। कुण्डों तथा वापियों में दुर्गा कुण्ड, पुष्कर कुण्ड, पिशाचमोचन, कपिलधारा, लोलार्क, मानसरोवर तथा मन्दाकिनी उल्लेखनीय हैं। यहाँ घाटों की संख्या बहुत है। इनमें अस्सी, तुलसी, हरिश्चन्द्र, अहिल्याबाई, दशाश्वमेध तथा मणिकर्णिका घाट आदि विशेष प्रसिद्ध हैं।

देवबन्द (जिला सहारनपुर)– मुजफ्फरनगर से 24 कि.मी. दूर देवबंद रेलवे स्टेशन है। यहाँ दुर्गा जी का मन्दिर है। मन्दिर के समीप देवी कुण्ड सरोवर है।

शाकम्भरी देवी– यह मन्दिर सहारनपुर से 41.6 कि.मी. दूर है। शाकम्भरी देवी का मन्दिर चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ नवरात्र में मेला लगता है।

हस्तिनापुर (जिला मेरठ)– यह नगरी मेरठ से 35.2 कि.मी. दूर है। यह पाण्डवों की राजधानी थी। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ बड़ा मेला लगता है। यह प्रसिद्ध जैन तीर्थ भी है। आदि तीर्थंकर ऋषभदेव जी को राजा श्रेयांस ने यहीं इक्षुरस का दान दिया था। इसलिए इसे 'दानतीर्थ' कहा जाता है। यहाँ से पास ही भसूमा गाँव में प्राचीन जैन प्रतिमाएँ हैं।

गढ़मुक्तेश्वर (जिला गाजियाबाद)– मेरठ से 42 कि.मी. दूर गंगा के दाहिने तट पर स्थित गढ़मुक्तेश्वर प्राचीन काल में हस्तिनापुर नगर का एक मोहल्ला था। यहाँ मुक्तेश्वर शिव का मन्दिर है। मन्दिर के पास ही झारखंडेश्वर नाम का एक प्राचीन शिवलिंग है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ मेला लगता है।

शृंगीरामपुर– यह फर्रुखाबाद जिले में गंगा के दक्षिणी तट पर स्थित है। यहाँ शृंगी ऋषि का मन्दिर है। कार्तिक पूर्णिमा तथा दशहरा को यहाँ मेला लगता है।

शृंगवेरपुर– जिला प्रयागराज से 48 कि.मी. दूर राम चौरा रोड स्टेशन से 3 मील की दूरी पर शृंगवेरपुर है। यहीं पर भगवान राम ने वन जाते हुए निषादराज का आग्रह मानकर रात्रि में विश्राम किया था।

विन्ध्याचल (जिला मिर्जापुर)– यहाँ विन्ध्यवासिनी देवी का प्रसिद्ध मन्दिर है। नवरात्र में यहाँ मेला लगता है।

लोधेश्वर– यह बाराबंकी जिले में है। यहाँ लोधेश्वर जी का मन्दिर है।

देवीपाटन (जिला गोण्डा)– यहाँ पाटेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मन्दिर है। कहा जाता है कि यहाँ पर देवी की स्थापना महाराज विक्रमादित्य ने की थी। यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है।

मगहर (जिला बस्ती)– कबीरदास जी ने यहीं पर शरीर छोड़ा था। संत कवि कबीर की समाधि और मजार, हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में यहीं स्थित है। उनके पुत्र कमाल की समाधि भी यहीं है। कबीर पंथियों का यह पवित्र तीर्थस्थल है।

भृगु मन्दिर (बलिया)– ब्रह्माजी के पुत्र भृगु के शिष्य दरदर मुनि की यह तपस्थली रही है। इन्हीं के नाम पर यहाँ भारत का विख्यात ददरी मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रतिवर्ष लगता है।

मथुरा– सप्त महापुरियों में इसकी गणना होती है। इसका प्राचीन नाम मथुरा था। वर्तमान मथुरा के समीप मधुवन में पहले मधु और उसके पुत्र लवण का शासन था। मधु के नाम पर मधुरी या मधुपुरी नगरी बसी थी। श्रीराम के भाई शत्रुघ्न ने लवण को मारकर इस नगरी को नया रूप दिया था। चन्द्रवंश की यादव शाखा में श्रीकृष्ण का जन्म यहीं हुआ था। मथुरा में द्वारिकाधीश मन्दिर और विश्राम घाट के दर्शन के लिए लाखों यात्री प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। मथुरा में निम्न दर्शनीय स्थल हैं-

- **वृन्दावन** (जिला मथुरा) – वृन्दावन, मथुरा से 9.6 कि.मी. पर स्थित है। यहाँ करीब 4 हजार मन्दिर, घाट और सरोवर हैं। गोविन्द देव मन्दिर बड़ा भव्य और सुन्दर है। जयपुर के महाराज मानसिंह ने सन् 1590 में इसे बनवाया था। गोविन्द देव मन्दिर के सामने द्रविण शैली में निर्मित सफेद पत्थर का बना रंगनाथ का विशाल मन्दिर स्थित है। बिहारी जी का मन्दिर, राधाबल्लभ जी का मन्दिर, राधारमण जी का मन्दिर, गोपीनाथ जी का मन्दिर, शाहजी का मन्दिर, अष्टसखी मन्दिर आदि वृन्दावन के प्रसिद्ध मन्दिर हैं। निधिवन और सेवाकुंज प्रसिद्ध वन स्थलियाँ हैं। वंशीवट, कालीदह और केशघाट यमुना के प्रसिद्ध घाट हैं।
- **नन्दगाँव** (जिला मथुरा)– मथुरा से 48 कि.मी. उत्तर-पूर्व में एक पहाड़ी की तलहटी में नंदगाँव स्थित है। नंद बाबा का घर जिस स्थान पर था, वहाँ पहाड़ी के ऊपरी भाग में एक विशाल मंदिर स्थित है। यह हिन्दुओं का एक पवित्र स्थल है।
- **गोवर्धन** (जिला मथुरा)– गोवर्धन, मैदान से सौ फुट की ऊँचाई पर स्थित है। यह मथुरा से 23 कि.मी. दूर पड़ता है और मथुरा से डीग (भरतपुर) जाने वाली सड़क पर स्थित है। यहाँ के विशाल पक्के सरोवर (पवित्र मानसी गंगा) के पास हरिदेव का मनोहर मन्दिर है, जिसे अकबर के राज्यकाल में अम्बर के राजा भगवान दास ने बनवाया था।
- **बरसाना** (जिला मथुरा)– बरसाना गाँव गोवर्धन से 24 कि.मी. उत्तर में कोसी (आगरा-दिल्ली सड़क पर) के 16 कि.मी. दक्षिण में स्थित है। इसे भगवान कृष्ण की प्रिया राधाजी का जन्मस्थान होने का गौरव प्राप्त है। बरसाना का मूल नाम ब्रह्मासारिणी था। यह एक पहाड़ी की ढाल पर स्थित है। पहाड़ी के चार प्रमुख शिखर चतुर्मुखी देवत्व के प्रतीक माने जाते हैं और लाड़ली जी, जो राधाजी का स्थानीय नाम है, के सम्मान में निर्मित मन्दिरों से सुशोभित है। यहाँ प्रतिवर्ष राधाष्टमी के अवसर पर मेला लगता है।
- **दाऊजी** (जिला मथुरा)– दाऊजी मथुरा से लगभग 21 कि.मी. की दूरी पर है। नगर के मध्य में भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ (दाऊजी) का प्रसिद्ध मन्दिर बना हुआ है। यहाँ वर्ष में दो मेले लगते हैं। इनमें एक भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को लगता है, जिसे देवछठ कहते हैं तथा दूसरा अगहन की पूर्णिमा को लगता है।

बिठूर (जिला कानपुर) – कानपुर नगर से लगभग 24 कि.मी. उत्तर-पश्चिम में गंगा के किनारे बसा हुआ यह स्थान ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। इसका प्राचीन नाम ब्रह्मावर्त तीर्थ है। यहीं रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का आश्रम बताया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ मेला लगता है।

चित्रकूट– (जिला बाँदा) बाँदा से झाँसी-मानिकपुर रेलवे लाइन द्वारा चित्रकूट लगभग 75 कि.मी. दक्षिण-पूरब में स्थित है। चित्रकूट के पास मन्दाकिनी बहती है। वन जाते समय श्रीराम यहाँ ठहरे थे। जनश्रुति के

अनुसार महर्षि वाल्मीकि भी यहाँ रहे थे। बहुत से पवित्र स्थल, छोटी-छोटी पहाड़ियाँ मन्दाकिनी के किनारे पाई जाती हैं। मन्दाकिनी, जिसे पयस्विनी भी कहते हैं, चित्रकूट के सुरम्य जंगलों से होकर बहती है। इस नदी के बायें तट पर कामतानाथ से लगभग 2.4 कि.मी. पर सीतापुर है, जहाँ नदी के किनारे-किनारे 24 घाट हैं। इनमें से राघव प्रयाग, कैलाश घाट, रामघाट और घृतकल्प घाट विशेष रूप से पवित्र माने जाते हैं। सीतापुर में अनेक प्राचीन मन्दिर हैं। रामघाट के समीप स्थित पर्णकुटी के विषय में कहा जाता है कि राम ने यहाँ निवास किया था। यहाँ से लगभग 30 कि.मी. की दूरी पर सती अनुसूया और महर्षि अत्रि का आश्रम है। एक पहाड़ी के अंचल में अनुसूया, अत्रि, दत्तात्रेय और हनुमान जी के मंदिर हैं। इसे मन्दराचल कहते हैं। यहीं से मन्दाकिनी निकलती है। सीतापुर से 3.30 कि.मी. की दूरी पर रमणीक जानकी कुण्ड है। यहाँ नदी की धारा श्वेत पत्थरों के ऊपर से होकर बहती है। जानकी कुण्ड से 3.2 कि.मी. पर स्फटिक शिला है। यहाँ दो बड़ी चट्टानें हैं। कहा जाता है कि राम, लक्ष्मण और सीता ने यहाँ पर विश्राम किया था। चित्रकूट में भरत कूप भी है। इसके सम्बन्ध में कथा यह है कि श्रीराम के राजतिलक हेतु सभी पवित्र नदियों से एकत्र जल को इस कुँए में डाला गया था।

राजापुर (जिला बाँदा) – बाँदा से 99.2 कि.मी. और चित्रकूट से 38.4 कि.मी. की दूरी पर राजापुर नामक स्थान है। कहा जाता है कि महाकवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म यहीं हुआ था। यहाँ तुलसी स्मारक समिति की ओर से एक सुन्दर स्मारक का निर्माण हुआ है।

देवा शरीफ (जिला बाराबंकी) – बाराबंकी से लगभग 12 कि.मी. दूर स्थित देवा में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार है। उनके वार्षिक उर्स के अवसर पर कार्तिक में देवा में एक बड़ा मेला लगता है।

महोबा– चन्देलों के वैभवशाली समय में वर्तमान बुन्देलखण्ड का नाम 'जेजाक युक्ति' था तथा इसकी राजधानी महोबा थी। इसी महोबा में वीर शिरोमणि आल्हा और ऊदल का जन्म हुआ था। **दर्शनीय**– कीरत सागर, चन्देल कालीन स्मारक।

बहराइच– यहाँ सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह है। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आये थे।

गोला गोकर्णनाथ (जिला लखीमपुर खीरी) – त्रेता युग में रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण को लंका में शिवलिंग स्थापित करने का आदेश दिया था। शिवलिंग को भूमि पर रखना निषेध था। रावण ने मार्ग में शिवलिंग को एक भक्त के पास कुछ देर के लिए छोड़ा, लेकिन वह उसका भार सहन न कर सका और उसने उस शिवलिंग को भूमि पर रख दिया। शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। लौटकर रावण यह देखकर क्रोधित हुआ और लिंग को अंगूठे से दबा दिया जो कान के आकार का हो गया। इसी आधार पर इस स्थान का नाम गोला गोकर्णनाथ पड़ा। यह स्थान लखीमपुर-खीरी से लगभग 35 कि.मी. दूर है।

कम्पिल (जिला फर्रुखाबाद)– अपने अंतःस्थल में देश के लम्बे इतिहास की रहस्यपूर्ण रोचकता छिपाये हुए यह छोटी सी भाव-मुग्धा नगरी अति प्राचीन काल से आज तक दर्शन, धर्म और संस्कृति की मनोहर मंजूषा के रूप में विख्यात रही है। विष्णु पुराण, जातक, रामायण तथा उत्तराध्ययन सूत्र एवं अनेक ग्रन्थों व रिपोर्टों में इस नगरी का उल्लेख विभिन्न रूपों, प्रसंगों और परिवेशों में किया गया है। पतित पावनी गंगा नदी के दायें तट पर कायमगंज तहसील के कस्बे से 10 कि.मी. पश्चिम में सड़क द्वारा सम्बद्ध यह तीर्थ स्थान जैन धर्म के प्रवर्तक तेरहवें तीर्थंकर भगवान विमलनाथ, महासती द्रौपदी तथा गुरु द्रोणाचार्य की जन्मस्थली है। द्रौपदी का स्वयंवर भी यहीं हुआ था। हमारी अमूल्य सांस्कृतिक निधि के प्रमुख दिग्दर्शक, जो कम्पिल में विद्यमान हैं, उनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :–

- ***मुगलघाट***– द्रौपदी कुण्ड के समीप ही मुगल बादशाह औरंगजेब ने गंगा नदी के किनारे गुम्बदनुमा चार घाटों का निर्माण कराया था।
- ***कपिलमुनि का आश्रम***– यहाँ खुदाई करते समय एक गुफा मिली है, जिसमें कुछ मूर्तियाँ और पूजा-पाठ की सामग्री उपलब्ध हुई है।
- ***रामेश्वरधाम मन्दिर***– कहा जाता है कि भरत के छोटे भाई शत्रुघ्न ने भगवान राम द्वारा लंका से लाये

शिवलिंग को, जिसकी पूजा सीताजी लंका निवास के समय अशोक वाटिका में प्रतिदिन करती थीं, इसी स्थान पर प्रतिष्ठित किया था।

- ***जैन श्वेताम्बर मन्दिर***– इस भव्य मन्दिर के मूल नायक भगवान विमलनाथ हैं जो मन्दिर में ऊँचे आसन पर विराजमान हैं। मंदिर के चारों कोनों पर चार कल्याणकों के स्मारक हैं।
- ***जैन दिगम्बर मन्दिर***– इसमें भगवान विमलनाथ की मूल नायक प्रतिमा विद्यमान है। अनुमान है कि यह प्रतिमा कई सौ वर्ष पुरानी है।
- ***भेदकुण्ड***– कम्पिल ग्राम से 3 मील पूर्व में स्थित है। कहा जाता है कि अर्जुन ने इसी स्थान पर द्रौपदी के वरण हेतु मीन वेध किया था। हमारी संस्कृति के प्रतीक इन मन्दिरों के अतिरिक्त कम्पिल में अनेक छोटे-छोटे मंदिर, खण्डहर, प्राचीन कुँए आदि हैं, जो पर्यटकों, तीर्थयात्रियों, शिल्पियों, शोध-छात्रों आदि के लिए आकर्षण और महत्व के केन्द्र हैं।
- ***संकिस्सा–*** प्राचीन काल में इसे संकास्य कहते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने इसका उल्लेख 'कपित्थ' नाम से किया है। वर्तमान संकिस्सा जिला फर्रुखाबाद में है। इसके एक टीले पर, जो पूर्व से पश्चिम तक 455 मीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 303 मीटर है, कतिपय भग्नावशेष हैं। बौद्ध मतानुयायियों के अनुसार भगवान बुद्ध देवलोक से पृथ्वी पर यहाँ अवतरित हुए थे। यह स्थान हिन्दुओं के लिए भी पवित्र है। प्रतिवर्ष यहाँ श्रावणी मेला लगता है।

नैमिषारण्य (जिला सीतापुर)– पृथ्वी पर सत्य की स्थापना के लिए देवताओं ने यहीं पर वृत्तासुर के वध हेतु अस्त्र बनाने के लिए महर्षि दधीचि से प्रार्थना की थी। नैमिषारण्य आध्यात्मिक विकास का केन्द्र रहा है। यह अट्ठासी हजार ऋषियों की तपस्थली रही है। यहाँ तीस हजार तीर्थस्थल हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर साधना करने वाले की सिद्धि-प्राप्ति निश्चित है। नैमिषारण्य में अनेक पुण्य तीर्थ हैं जिनकी यात्रा के लिए भारत के कोने-कोने से लाखों यात्री आते हैं। महर्षि दधीचि की पुण्य स्मृति में चौरासी कोस की परिक्रमा फाल्गुन महीने की अमावस्या से प्रारम्भ होकर पूर्णिमा को मिश्रिख में समाप्त होती है। यहाँ के कुछ तीर्थ हैं :–

- ***चक्रतीर्थ***– नैमिष के तीर्थों में चक्रतीर्थ सर्वोपरि है। इसके समान पृथ्वी तल पर दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। प्रसिद्ध है कि ब्रह्माजी की मानसिक शक्ति से निर्मित दिव्य चक्र के पृथ्वी पर गिरने से एक गोलाकार कुण्ड बन गया जो चक्रतीर्थ कहलाया।
- ***व्यास गद्दी***– चक्रतीर्थ के निकट व्यास गद्दी तीर्थ है, जहाँ व्यास ने वेद को चार भागों में विभाजित किया तथा पुराणों की रचना की थी।
- ***सूत गद्दी***– यहाँ सूत और शौनक संवाद हुआ था।
- ***श्री ललिता देवी का मन्दिर*** – यह स्थान चक्रतीर्थ के निकट ही है। कहते हैं कि ब्रह्माजी के आदेश से यहाँ ललिता नामक शक्ति ने अवतरित होकर ब्रह्मा जी के चक्र की शिखा पकड़कर उसे स्तंभित कर दिया था। भक्तजनों में इस मंदिर का बहुत महत्व है।
- ***श्री हनुमान गढ़ी एवं पंच पाण्डव***– यहाँ हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति है। जनश्रुति के अनुसार हनुमान जी अहिरावण का वध कर श्रीराम तथा लक्ष्मण को लेकर इसी स्थान पर पाताल तोड़कर प्रकट हुए थे। यहीं पर पाण्डवों का भी मंदिर है। पाण्डवों ने अज्ञातवास के समय यहीं निवास किया था।
- **मिश्रिख**– नैमिषारण्य से 10 कि.मी. दूरी पर मिश्रिख स्थित है। कथा है कि यहाँ पर महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थि दान करने के पूर्व समस्त तीर्थों के जल से स्नान किया था, जिससे इसका नाम मिश्रित अथवा मिश्रिख पड़ा। यहाँ महर्षि दधीचि आश्रम और सीताकुण्ड दर्शनीय है।

गोरखनाथ मन्दिर (गोरखपुर)– जिस स्थान पर महायोगी गोरखनाथ जी ने खिचड़ी का प्रसाद बाँटा था और चमत्कार दिखाया था, उसी स्थान पर गोरखनाथ जी का मन्दिर स्थापित है। इस नगर का नाम तभी से महायोगी के नाम पर गोरखपुर पड़ा। महायोगी जी की यह तपस्थली है और नाथ सम्प्रदाय की सिद्धपीठ है।

शुक्रताल (जिला मुजफ्फरनगर)– यहाँ वट वृक्ष के नीचे बैठकर महर्षि शुक्राचार्य जी ने राजा परीक्षित को महाभारत की कथा सुनाई थी। कार्तिक में पूर्णमासी एवं एकादशी पर हजारों भक्त दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। प्रायः प्रत्येक मास में भागवत सप्ताह का आयोजन होता है। यहाँ अनेक धर्मों के अनुयायियों के मन्दिर हैं।

भरत कुण्ड– जिला अयोध्या से 25 कि.मी. दूर नन्दिग्राम के नाम से यह स्थान प्रसिद्ध है। यहाँ पर भरत जी ने श्री रामचन्द्र जी के वनवास की अवधि में 14 वर्ष तक तपस्या की थी।

किछौछा (जिला अयोध्या)– यहाँ मुस्लिम संत सैयद महमूद शाह अशरफ जहाँगीर की दरगाह है।

बांगरमऊ– यह जिला उन्नाव में एक छोटा सा कस्बा है। इसकी प्रसिद्धि का कारण यहाँ स्थित राजराजेश्वरी श्री विद्या का मन्दिर है। इसमें जगदम्बा की एक बड़ी सुन्दर प्रतिमा है, जो अष्ट धातुओं के मिश्रण से बनी है। मन्दिर कुण्डलिनी-योग विचारधारा पर आधारित है तथा स्थापत्य कला की दृष्टि से विशिष्ट महत्व का है।

बांसा– बाराबंकी से लगभग 16 कि.मी. दूर स्थित बांसा मुसलमानों के लिए सुप्रसिद्ध सूफी संत सैयद शाह अब्दुल रज्जाक की दरगाह के कारण एक तीर्थ स्थान बन गया है।

बाराबंकी– लखनऊ से लगभग सत्ताइस कि.मी. की दूरी पर जनपद बाराबंकी है, जहाँ महादेवा, किन्तूर, कोटवाधाम आदि प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं। यहाँ महादेव की स्थापना, कहा जाता है कि स्वयं महाराज युधिष्ठिर ने की थी। किन्तूर ग्राम में महारानी कुन्ती द्वारा स्थापित कुन्तेश्वर मन्दिर है। इसी जनपद के ग्राम बदोसराय में हिन्दू-मुस्लिम एकता की प्रतीक सलामत शाह की मजार है।

अतरंजीखेड़ा : अतरंजीखेड़ा उत्तर प्रदेश में काली नदी के तट पर एटा जिले में स्थित है। यहाँ से गैरिक मृदभाण्ड संस्कृति से लेकर गुप्त युग तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ह्वेनसांग (चीनी यात्री) ने अपने यात्रा विवरण में 'अतरंजीखेड़ा' को 'पि-लो-शा-न' कहा है। अतरंजीखेड़ा से गैरिक मृदभाण्ड तथा कृष्ण लोहित मृद्भाण्ड संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ से प्राप्त अवशेष मुख्यतया चित्रित धूसर मृद्भाण्ड संस्कृति से सम्बद्ध हैं। इस युग में 1000 ई.पू. के लौह-प्रयोग, धान की खेती, वृत्ताकार अग्निकुण्ड तथा कटे निशान वाले पशुओं की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। इस युग को उत्तर वैदिक युग से सम्बद्ध स्वीकार किया जाता है। उत्तरी काली ओपदार मृद्भाण्ड संस्कृति के चरण में अतरंजीखेड़ा एक नगर के रूप में उभरा था। यहाँ के लोग प्रायः कृषिजीवी और स्थिर प्रवृत्ति के थे। अतरंजीखेड़ा से शुंगों, कुषाणों तथा गुप्तों से सम्बद्ध अवशेष भी प्राप्त हुए हैं।

अयोध्या : अयोध्या उत्तर प्रदेश में अयोध्या जिले में सरयू नदी के तट पर स्थित है। इसका प्राचीन नाम अयाज्सा था। अयोध्या उत्तर प्रदेश के उपजाऊ मैदान में स्थित है, इस कारण अयोध्या की एक आर्थिक पृष्ठभूमि भी रही है। यही कारण है कि अयोध्या में उत्तरी काली ओपदार मृद्भाण्ड संस्कृति से लेकर गुप्तकाल तक के साक्ष्य मिले हैं। महाजनपद युग में अयोध्या कोशल जनपद की प्रमुख नगरी थी। बौद्ध परम्परा के अनुसार यहाँ अशोक ने एक स्तूप का निर्माण कराया था। जैन ग्रन्थों में आदिनाथ सहित पाँच तीर्थंकरों का जन्मस्थल अयोध्या को ही माना गया है। अयोध्या नगरी भारत की सप्तमहापुरियों में से एक है। इस नगरी को भगवान श्री राम के जन्म स्थान का गौरव प्राप्त है। यह नगरी बहुत समय तक इक्ष्वाकुवंशी राजाओं की राजधानी रही। इस नगरी में श्री राम, सीता और दशरथ से सम्बन्धित अनेक स्थान हैं। अयोध्या पर बैक्ट्रियाई यूनानियों के आक्रमण हुए थे। अयोध्या से पुष्यमित्र शुंग का एक लेख प्राप्त हुआ है। गुप्तों के काल में अयोध्या प्रमुख नगरी थी। साकेत इस क्षेत्र का ही नाम है। ह्वेनसांग ने अयोध्या में अनेक बौद्ध मन्दिरों का उल्लेख किया है।

अहिच्छत्र : अहिच्छत्र की समता (पहचान) उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में स्थित रामनगर से की गयी है। उत्तर प्रदेश के उपजाऊ मैदान में स्थित होने के कारण अहिच्छत्र में नागरिक विकास के तत्व उभरे थे, इस कारण यहाँ से मृद्भाण्ड संस्कृतियों से लेकर गुप्तोत्तर युग तक के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अहिच्छत्र से चित्रित धूसर मृद्भाण्ड तथा लाल मृद्भाण्ड संस्कृति के अवशेष मिले हैं। महाजनपद युग में यह उत्तरी

पांचाल की राजधानी थी। अशोक ने यहाँ एक स्तूप का निर्माण कराया था। ई.पू. 100 से 300 ई. के मध्य वाले स्तरों से मृण्मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इसी समय के 'मित्र' उपाधि वाले राजाओं के सिक्के भी मिले हैं। कुषाणों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। गुप्तकाल में अहिच्छत्र एक नगर के रूप में प्रसिद्ध था। अहिच्छत्र के शासक अच्युत को सम्राट समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। यहाँ से गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। 350 ई. से 750 ई. के मध्य के मन्दिर, देवकक्ष भी प्राप्त हुए हैं।

आलमगीरपुर : आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ के समीप स्थित है। आलमगीरपुर के उत्खनन से प्राप्त अवशेष सैन्धव सभ्यता के पूर्वी विस्तार की पुष्टि करते हैं। यह स्थल उत्तर-हड़प्पा सभ्यता का भी केन्द्र था। आलमगीरपुर से कपास उत्पादन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।

आगरा : आगरा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर स्थित महानगर है। आगरा की स्थापना 1504 ई. में सुल्तान सिकन्दर लोदी ने की थी, उसने इसे सामयिक महत्व का स्थान घोषित कर सैनिक-राजनीतिक केन्द्र बनाया था। मध्य युग में राजस्थान तथा दक्षिण में मालवा की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित होने के कारण आगरा का राजनीतिक-आर्थिक-व्यापारिक महत्व स्थापित था। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने आगरा को ही अपनी राजधानी बनाया था। मुगल सम्राट अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब की भी यह राजधानी रही थी। जहाँगीर के काल में नूरजहाँ ने आगरा में अपने पिता एत्मादद्दौला का शानदार मकबरा निर्मित कराया था। शाहजहाँ ने किले में अनेक भव्य भवन निर्मित कराकर आगरा को वैभव प्रदान किया था। इन भवनों में जहाँगीरी एवं अकबरी महल प्रमुख थे। शाहजहाँ द्वारा निर्मित ताजमहल एवं मोती मस्जिद स्थापत्यकला के सर्वश्रेष्ठ प्रतीक हैं। मुगलकाल में आगरा मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केन्द्र था। यह व्यावसायिक केन्द्र के रूप में समस्त भारत में चर्चित था। आगरा के समीपवर्ती क्षेत्रों में नील की खेती होती थी। सभी यूरोपियन यात्रियों (राल्फ फिच, बर्नियर, आदि) ने आगरा के वैभव की प्रशंसा की है।

कन्नौज : प्राचीन भारत में कान्यकुब्ज के नाम से चर्चित कन्नौज उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण नगरों में स्वीकार किया जाता है। वर्तमान में यह प्रदेश का जनपदीय नगर है और गंगा नदी तट पर स्थित है। गंगा-यमुना दोआब क्षेत्र में स्थित होने के कारण कन्नौज का आर्थिक महत्व ईसा पूर्व शताब्दियों से रहा था। कन्नौज का उल्लेख टॉलेमी के 'द ज्योग्राफी' एवं पतंजलि के महाभाष्य तथा सभी पुराणों, महाभारत एवं चीनी यात्रियों (फाह्यिान, ह्वेनसांग) के यात्रा-विवरणों में प्राप्त होता है। कन्नौज में पहली बस्ती के साक्ष्य उत्तरी काले मद्भाण्ड युग से कुषाण युग तक के प्राप्त हुए हैं। गुप्तों और मौखरियों के समय यह प्रमुख नगर था। पुष्यभूति शासक हर्षवर्द्धन के समय कन्नौज की सर्वांगीण उन्नति हुई थी। ह्वेनसांग ने तत्कालीन वैभव की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। उस समय कन्नौज 'नगरमहोदय श्री' कहलाता था। हर्षोत्तर युग में कन्नौज पर अपनी प्रभुता स्थापित करने के लिए गुर्जर-प्रतिहारों, पालों एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुए त्रिदलीय संघर्ष का कारण इस नगर का वैभव व आर्थिक-राजनीतिक महत्ता थी। प्रतिहारों ने सर्वाधिक समय तक अपना प्रभुत्व कन्नौज में स्थापित रखा था। 1018-1019 ई. में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। मुहम्मद गोरी के समय कन्नौज का शासक जयचन्द गहड़वाल था। कन्नौज शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का ऐतिहासिक केन्द्र लगभग 1000 वर्षों तक बना रहा था। यहाँ हिन्दू व बौद्ध दोनों प्रकार की शिक्षा-विधि प्रचलित रही थी। यहाँ के बौद्ध महाविद्यालय में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अध्ययन-अध्यापन किया था। राजशेखर, भवभूति, वाण कन्नौज से सम्बद्ध रहे थे। ह्वेनसांग के अनुसार कन्नौज में अशोक ने स्तूप निर्मित कराया था। इस प्रकार कन्नौज प्राचीन व मध्यकाल का चर्चित नगर था। यहाँ हजारों वर्ष पुराने खण्डहर, मंदिर और मस्जिद पर्यटकों के आकर्षण के केन्द्र हैं। इनमें से कुछ हैं :–

क्षेमकली देवी का मन्दिर– यह अब भी जिले के पूर्वी किनारे पर एक चबूतरे पर सुशोभित है। क्षेमकली देवी राजमहल की प्रमुख देवी थीं। इनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही कोई कार्य प्रारम्भ किया

जाता था। इसी स्थान पर सम्राट जयचन्द्र की तोप रखी रहती थी।

पद्मावती सती मन्दिर– कन्नौज से 5 कि.मी. की दूरी पर दक्षिण-पश्चिम दिशा में देवरिया ताल के पूर्वी तट पर लाखन की रानी पद्मावती सती हुई थीं जिनकी पुण्य स्मृति में पद्मावती सती मन्दिर बना हुआ है। सावन के महीने में यहाँ मेले का आयोजन भी होता है।

जयचन्द्र के किले के अवशेष– राजा जयचन्द्र के किले की अवशेष यहाँ पाये जाते हैं।

राजा जयचन्द्र की सोलहद्वारी तथा बारहद्वारी– कन्नौज से 3 कि.मी. की दूरी पर यह वह स्थान है जहाँ आल्हा और ऊदल की कचहरी लगती थी। यहाँ आज भी प्राचीन भवनों के अवशेष उपलब्ध हैं। चिन्तामणि मन्दिर, गौरीशंकर मन्दिर, मकदून जहानियाँ की मस्जिद, हाजी शरीफ मंदिर, अजयपाल, जामा मस्जिद, बालापीर, फूलवती देवी का मंदिर आदि दृष्टव्य हैं।

कपिलवस्तु : कपिलवस्तु की पहचान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के पिपरहवा से की गयी है। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी (नेपाल) इसके समीप ही है। यह क्षेत्र तराई में है। कपिलवस्तु के विषय में पालि एवं संस्कृत ग्रन्थों तथा पुरातात्विक अवशेषों से विशेष प्रकाश पड़ता है। कपिलवस्तु का अर्थ कपिल ऋषि के वास (स्थान) से लगाया गया है। बौद्धकाल में कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य की राजधानी थी। यहाँ उत्तरी काली ओपदार मृद्भाण्ड युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मौर्य सम्राट अशोक ने इस पवित्र स्थल की यात्रा की थी। कुषाणों के सिक्के कपिलवस्तु के उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। कपिलवस्तु श्रावस्ती-वाराणसी मार्ग तथा वैशाली-पुरुषपुर मार्ग का प्रमुख केन्द्र स्थल रहा था, इसलिए कपिलवस्तु में आर्थिक-व्यापारिक सक्रियता के साक्ष्य मिलते हैं। महावस्तु के अनुसार कपिलवस्तु में अनेक प्रकार के शिल्प प्रचलित थे।

कुशीनगर : कुशीनगर की पहचान उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित कसिया स्थल से की गयी है। दिव्यादान, दीघनिकाय, अशोक के आठवें वृहद् शिलालेख, कनिष्क के सिक्कों तथा फाहियान एवं ह्वेनसांग के यात्रा-विवरणों से कुशीनगर की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण (483 ई.पू.) कुशीनगर में ही हुआ था। गुप्तकाल तथा कुशीनगर का प्रमुख महत्व स्थापित रहा था। श्रावस्ती-वाराणसी मार्ग का प्रमुख केन्द्र होने के कारण इसका आर्थिक-व्यापारिक महत्व स्थापित था। प्रमुख बौद्ध नगरी होने के कारण अशोक के समय में कुशीनगर में अनेक स्थापत्य कृतियाँ निर्मित हुई थीं। यह स्थापत्य निर्माण गुप्तकाल में भी खूब रहा था। अशोक ने यहाँ स्तूप व विहार निर्मित कराये थे। कुशीनगर से कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कुमारगुप्त के समय हरिबल ने भी स्तूप एवं विहार निर्मित कराये थे। कुशीनगर के व्यापारियों एवं शिल्पियों के द्वारा मुद्रा-परिचालन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। हूणों के कुशीनगर पर आक्रमण के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं।

कौशाम्बी : कौशाम्बी की पहचान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के समीप यमुना नदी के तट पर स्थित कोसम नामक गाँव से की गयी है। वर्तमान में यह जनपद के रूप में जाना जाता है। जैन, बौद्ध साहित्य तथा पुरातात्विक अवशेषों से कौशाम्बी पर विस्तृत प्रकाश पड़ता है। फाहियान तथा ह्वेनसांग के यात्रा-विवरणों में कौशाम्बी की विस्तृत चर्चा की गयी है। कौशाम्बी को आद्य-नगरीय स्थल भी स्वीकार किया जाता है। महाजनपद युग में कौशाम्बी वत्स महाजनपद की राजधानी थी। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के पश्चात् कौशाम्बी आर्थिक तथा धार्मिक महत्व का केन्द्र स्थल बन गयी थी। कौशाम्बी उत्तरापथ और दक्षिणापथ का पड़ाव स्थल थी। मौर्योत्तर युग तक यह महत्वपूर्ण नगर रहा था; यहाँ से विमकडफिसस तथा कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं। मघों ने कौशाम्बी को राजधानी बनाकर दूसरी-तीसरी शताब्दी ई. में इसे राजनीतिक-आर्थिक महत्व प्रदान किया था। कौशाम्बी को हूण नेता तोरमाण के आक्रमण से विशेष क्षति पहुँची थी। इस प्रकार दीर्घकाल तक कौशाम्बी का सांस्कृतिक-आर्थिक-राजनीतिक-सामयिक महत्व स्थापित रहा था। बुद्ध की यह कार्यस्थली के रूप में सदैव चर्चित रही थी। यह थेरपन्थ का प्रमुख केन्द्र

थी। घोषितारामविहार, अशोक का प्रयाग स्तम्भ इसके सांस्कृतिक महत्व के साक्ष्य हैं।

कड़ा : कड़ा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से 64 किमी. पश्चिम में गंगा तट पर स्थित है। गंगा-यमुना दोआब तथा प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर अवस्थित होने के कारण कड़ा का आर्थिक महत्व रहा था। इस कारण सल्तनत काल एवं मुगल काल में कड़ा महत्वपूर्ण इक्ता (सूबा) था। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी था। कड़ा से ही अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ई. में अपना सफल अभियान (देवगिरि अभियान) सम्पन्न किया था। 1296 ई. में ही कड़ा में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई थी और अपने को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान घोषित कर दिया था। कड़ा क्षेत्र में सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने स्वर्गद्वारी की स्थापना की थी। शाहजादा सलीम ने 1602 ई. में अकबर के विरुद्ध विद्रोह करके कड़ा दुर्ग में ही शरण ली थी। 1765 ई. में सन्धि के अनुसार अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अंग्रेज कम्पनी को कड़ा सौंप दिया था। भक्त सन्त मलूकदास की जन्मस्थली कड़ा थी।

कालिंजर : उत्तर प्रदेश के बाँदा जनपद में कालिंजर दुर्गीकृत स्थल है। पूर्वमध्य युग में कालिंजर में राजपूतों का शासन था। बारहवीं शताब्दी के बाद से कालिंजर तुर्कों, अफगानों, मुगलों के आक्रमणों से प्रभावित रहा था। 1022 ई. में महमूद गजनवी ने कालिंजर को पदाक्रान्त किया था। 1202 ई. में कुतुबुद्दीन ऐबक ने चन्देल शासक परमार्दिदेव को कालिंजर में पराजित किया था। 1545 ई. में कालिंजर के सैन्य अभियान में बारूद विस्फोट से शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गयी थी। मुगल सम्राट अकबर ने 1569 ई. में कालिंजर के शासक रामचन्द्र को पराजित कर कालिंजर पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। कालिंजर का सदैव सामयिक महत्व स्वीकार किया जाता रहा था।

कालपी : काल्पी उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित है। गंगा-यमुना के दोआब क्षेत्र में स्थित होने के कारण इसका आर्थिक महत्व स्वीकार किया जाता रहा था। दसवीं शताब्दी ई. में काल्पी में चन्देलों का शासन स्थापित था। बारहवीं शताब्दी के अन्त में कुतुबुद्दीन ऐबक ने काल्पी को दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया था। फीरोजशाह तुगलक के पश्चात् काल्पी एक स्वतन्त्र मुस्लिम राज्य बन गया था। 1435 ई. में मालवा के हुशंगशाह ने काल्पी पर अधिकार कर लिया था। अकबर के समय काल्पी प्रमुख नगर था। राजा बीरबल काल्पी के ही थे। काल्पी में बीरबल का रंगमहल तथा मुगल टकसाल के अवशेष प्राप्त हुए हैं।

कोइल : कोइल अथवा कोल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है। भारत में तुर्कों के आगमन के समय कोइल पर राजपूतों का प्रभुत्व स्थापित था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ई. में कोइल पर अधिकार स्थापित किया था। इब्नबतूता कोइल के नगर वैभव की प्रशंसा करता है। सुल्तान बहलोल लोदी के समय कोइल का स्थानीय शासक ईसा खाँ था, जिसने बहलोल की अधीनता स्वीकार कर ली थी।

गढ़कुण्डार : उत्तर प्रदेश के झाँसी जिले में अवस्थित गढ़कुण्डार मध्यकालीन अवशेषों, ऐतिहासिक साक्ष्यों को संजोए हुए है। पूर्व मध्यकाल में परमारों ने गढ़कुण्डार पर आधिपत्य स्थापित कर रखा था। आठवीं शताब्दी के अन्त में यहाँ चन्देलों का शासन हो गया; पृथ्वीराज चौहान के समय गढ़कुण्डार का चन्देल शासक परमाल था। चन्देलों को पराजित कर पृथ्वीराज ने गढ़कुण्डार पर अधिकार कर लिया था। पृथ्वीराज चौहान के सेनानायक खेतसिंह ने यहाँ खंगार राज्य की स्थापना की थी। सुल्तान बलबन के समय (1265-1287 ई.) गढ़कुण्डार पर बुन्देलों ने अधिकार कर लिया था। 1531 ई. तक गढ़कुण्डार बुन्देलों की राजधानी रही थी।

गढ़वा : गढ़वा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित है। यहाँ से गुप्त शासकों, कुमारगुप्त प्रथम के दो शिलालेख तथा स्कन्दगुप्त का एक लेख प्राप्त हुए हैं। कुमारगुप्त के शिलालेखों में गुप्त संवत् 98 की तिथि अंकित है। शिलालेखों से दानगृह को दान देने की सूचना प्राप्त होती है। स्कन्दगुप्त के

शिलालेखों में गुप्त संवत् 148 की तिथि अंकित है। इस लेख से विष्णु की प्रतिमा की स्थापना एवं पूजा के लिए दान दिये जाने की सूचना मिलती है।

चुनार : चुनार उत्तर प्रदेश में विन्ध्य के पहाड़ी क्षेत्र में गंगानदी के तट पर मिर्जापुर जिले में स्थित है। मध्यकाल में चुनार सामयिक महत्व के कारण सदैव चर्चित रहा था; चुनार से पूर्वी भारत पर नियन्त्रण रखा जा सकता था। चौदहवीं शताब्दी में चुनार में चन्देलों का शासन स्थापित था। मुगल सम्राट बाबर ने चुनार पर अधिकार कर लिया था। शेरशाह सूरी के दमन के क्रम में हुमायूँ ने चुनार के किले की घेराबन्दी की थी परन्तु शेरशाह ने ही चुनार पर अपना नियन्त्रण स्थापित कर लिया था। यहाँ के दुर्ग में आदि विक्रमादित्य का बनवाया हुआ भर्तृहरि का मन्दिर है। पास ही बल्लभ सम्प्रदाय का कूप मन्दिर है, जहाँ श्री विट्ठलनाथ जी की गद्दी है।

जौनपुर : उत्तर प्रदेश में गोमती नदी के तट पर स्थित जौनपुर जिला मुख्यालय है। जौनपुर की स्थापना सुल्तान फीरोजशाह तुगलक ने 1358 ई. में मुहम्मद तुगलक उर्फ जौना खाँ के सम्मान में की थी। तुगलक वंश के पतन के समय जौनपुर मलिक हुसैन शर्की के नेतृत्व में स्वतन्त्र हो गया और शर्की सल्तनत की जौनपुर में स्थापना हुई। 1492 में सिकन्दर लोदी ने पुनः जौनपुर को दिल्ली सल्तनत को अंग बना लिया था। जौनपुर अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों एवं स्थापत्य कला के लिए चर्चित रहा था। साहित्य, स्थापत्य कला (अटाला मस्जिद), संगीत कला के लिए जौनपुर के शर्की सुल्तानों का योगदान चिरस्मरणीय रहा। इसी विशेषता के कारण जौनपुर को 'शीराज-ए-हिन्दी' कहा जाता था।

झाँसी : उत्तर प्रदेश का जिला नगर झाँसी मध्यकालीन नगर है; झाँसी की स्थापना 1613 ई. में ओरछा शासक बीर सिंह बुन्देला ने की थी। 1732 ई. में जैतपुर युद्ध के बाद झाँसी स्थानीय ओरछा शासक छत्रसाल द्वारा पेशवा बाजीराव प्रथम को सौंप दी गयी थी। तत्पश्चात् झाँसी पर मराठों का प्रभुत्व स्थापित रहा था। रानी लक्ष्मीबाई झाँसी के स्वतन्त्र राज्य के शासक गंगाधर राव की पत्नी थी, जिन्होंने 1857 ई. के महान् विद्रोह में अपनी वीरता व साहस का लोहा अंग्रेजों से स्वीकार कराकर भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में वीरगति प्राप्त की थी। झाँसी में लक्ष्मीबाई का महल, महादेव मन्दिर, मेंहदी बाग प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक अवशेष सुरक्षित हैं।

देवगढ़ : देवगढ़ उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। देवगढ़ से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों से गुप्तकाल के विशेष स्थापत्य एवं मूर्तिकला संस्कृति की जानकारी ज्ञात होती है। देवगढ़ में मूर्तियों सहित मन्दिर प्राप्त हैं जो गुप्तकालीन हैं। इनमें दशावतार मन्दिर सर्वाधिक उल्लेखनीय है, यह भगवान विष्णु का मन्दिर ईंट-स्थापत्य का सुन्दर प्रतीक है। देवगढ़ से जैन तीर्थंकर ऋषभदेव की पुत्री ब्राह्मी द्वारा उत्कीर्णित लिपियों का अभिलेख मिला है। यहाँ से चन्देलों के अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं।

प्रयागराज : प्रयागराज (पूर्व में इलाहाबाद) उत्तर प्रदेश में गंगा-यमुना के संगम पर स्थित है। मौर्योत्तर युग के पश्चात् के कालखण्ड में जब व्यापारिक ठहराव की स्थति रही, उस समय दोआब की उपजाऊ भूमि में स्थित प्रयाग का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक महत्व बहुत बढ़ता चला गया। गुप्त युग से प्रयाग का धार्मिक-राजनीतिक महत्व बहुत बढ़ गया था। प्रयागराज से अशोक स्तम्भ पर हरिषेण द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रशस्ति लेख प्राप्त हुआ है। प्रयाग-प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की सैनिक एवं कलात्मक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। एस.आर. गोयल का कथन है कि पाटलिपुत्र के पूर्व प्रयागराज गुप्त सामन्तों की राजधानी भी रही थी। गुप्तों के सम्राट बनने के उपरान्त प्रयाग उनकी धार्मिक-सांस्कृतिक राजधानी बनी रही। गुप्तों के पतन के पश्चात् हर्षवर्द्धन गुर्जर-प्रतिहारों, चन्देलों, गहड़वालों का आधिपत्य प्रयागराज पर स्थापित रहा था। अकबर बादशाह ने प्रयाग की पुनर्स्थापना कर 'इलाहाबाद' नाम दिया जो आज सर्वाधिक प्रचलित-चर्चित है। प्रयागराज का धार्मिक महत्व (त्रिवेणी संगम) के कारण सदैव रहा है। इसे तीर्थराज कहा जाता है। हर्षवर्द्धन प्रति पाँचवें वर्ष प्रयागराज में महामोक्ष परिषद् का आयोजन करता था। कालिदास, कल्हण, अल्बरूनी ने प्रयागराज के धार्मिक-सांस्कृतिक महत्व की चर्चा की है।

फतेहपुर सीकरी : फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के आगरा के समीप स्थित है। मध्यकाल में अकबर ने इसे प्रसिद्धि प्रदान की थी; अकबर यहाँ के प्रसिद्ध शेख सलीम चिश्ती के कारण इसको पवित्र भूमि मानते थे। सलीम (जहाँगीर) का जन्म यहीं हुआ था। तत्पश्चात् अकबर ने यहाँ शानदार स्थापत्य स्मारक बनवाये। 1573 ई. से 1588 ई. तक फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी रही थी। फतेहपुर सीकरी के शानदार स्थापत्य प्रतीकों में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, बुलन्द दरवाजा, जामा मस्जिद, जोधाबाई का महल, दीवाने खास, बीरबल का महल, मरियम का महल, पंच महल, आदि बहुत प्रसिद्ध हैं।

बाँसखेड़ा : उत्तर प्रदेश में शाहजहाँपुर जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित बांसखेड़ा से प्राप्त हर्षवर्द्धन का 628 ई. का ताम्रदानपट्ट लेख इतिहास स्रोत है। इससे हर्ष की वंशावली, प्रशासनिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है। बांसखेड़ा, अभिलेख में पुष्यभूति के अतिरिक्त हर्ष के समस्त पूर्वजों का उल्लेख है। राज्यवर्द्धन के सैनिक अभियानों का भी वर्णन है। इस अभिलेख में प्रशासनिक इकाइयों, अधिकारियों एवं दातव्य गाँवों पर लगने वाले करों की जानकारी मिलती है। इस अभिलेख में हर्षवर्द्धन द्वारा अहिच्छत्र भुक्ति के मर्कटसागर गाँव को कर-मुक्त करके दो ब्राह्मणों को दान देने का उल्लेख है, साथ ही इस अभिलेख में हर्ष के हस्ताक्षरों की अनुलिपि उत्कीर्ण है।

बदायूँ : बदायूँ उत्तर प्रदेश का जिला मुख्यालय है। दिल्ली सल्तनत काल में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण इक्ता स्वीकार की जाती थी। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश बदायूँ का ही इक्तादार था। सूफी सन्त शेख निजामुद्दीन औलिया बदायूँ के ही थे। अकबर के समय का प्रमुख इतिहासकार अब्दुल कादिर बदायूँनी भी बदायूँ का था। दिल्ली-लखनौती मार्ग का यह प्रमुख केन्द्र स्थल था अतः इसका व्यापारिक-आर्थिक महत्व था। दोआब का प्रमुख क्षेत्र होने के कारण इसका कृषि उपज में भी महत्व स्थापित था।

बरन : वरन उत्तरप्रदेश के बुलन्दशहर जिले में स्थित है। यहाँ के राजपूत शासकों ने मुस्लिम आक्रान्ताओं का डटकर मुकाबला किया था। 1018 ई. में महमूद गजनवी ने बरन को पदाक्रान्त किया था। 1193 ई. में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बरन के शासक को पराजित कर अधिकार कर लिया था। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी बरन का ही निवासी था।

भीतरगाँव : भीतरगाँव उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है; इसका सम्बन्ध गुप्तकालीन मन्दिर निर्माण शैली से है। गुप्तकाल में छोटी-पकी ईंटों एवं पत्थरों से निर्मित यहाँ का मन्दिर का अवशेष ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह मन्दिर चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में बना था। भीतरगाँव के मन्दिर की उल्लेखनीय विशेषता इसमें शिखर का होना तथा ऊँचे चबूतरे पर निर्मित होना है। मन्दिर की छत पिरामिडाकार है, इसकी बाहरी दीवारों को देवी-देवताओं की मूर्तियों से उकेरा गया है।

मेरठ : उत्तर प्रदेश के जिला नगर के रूप में चर्चित मेरठ प्राचीन काल से ऐतिहासिक घटनाओं से सम्बद्ध रहा है। मध्यकाल में राजपूत सरदार हरदत्त ने यहाँ एक किला निर्मित कराया था। बारहवीं शताब्दी के अन्त में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरठ को दिल्ली सल्तनत का भाग बना लिया था। फीरोजशाह तुगलक ने अशोक स्तम्भ मेरठ से उठवाकर दिल्ली में स्थापित कराया था। 10 मई, 1857 को भारत के महान विद्रोह का विस्फोट मेरठ से ही हुआ था।

राजघाट : राजघाट उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में गंगा नदी के तट पर स्थित है। राजघाट ऐतिहासिक महत्व से युक्त जानकारियों से सम्बद्ध पुरातात्विक प्रमाण प्रस्तुत करता है। वर्तमान में राजघाट वाराणसी नगर का उपभाग है। राजघाट से उत्तरी काले मृद्भाण्ड संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वाराणसी महाजनपद युग में काशी महाजनपद की राजधानी थी। यहाँ के शिल्प और व्यापारी समृद्ध थे, जिन्होंने नगर में अपने सिक्के प्रचलित किये थे। विविध प्रकार के शिल्पों का यहाँ विकास हुआ था। पतंजलि ने यहाँ के रेशम-वस्त्र शिल्प का उल्लेख किया है। यह मध्य एशिया और यूनानी-रोमन संसार से व्यापारिक सम्पर्क रखता था। ह्वेनसांग ने भी यात्रा-विवरण में इसका विस्तृत उल्लेख किया है। गुप्तकाल में इसका

अत्यधिक राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक महत्व था। शिक्षा, दर्शन का केन्द्र स्थल थाः अल्बरूनी भी इसके सांस्कृतिक प्रभाव से मुग्ध था।

सरायनाहर राय : सरायनाहर राय उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के आधार पर इस स्थानीय सभ्यता की तिथि लगभग 8000 ई.पू. मानी गयी है। मध्यपाषाण युग तथा स्तम्भगर्त के सर्वाधिक प्राचीन साक्ष्य यहाँ से मिले हैं।

श्रावस्ती : श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का जिला है। श्रावस्ती की पहचान बहराइच-गोण्डा जिलों के मध्य सेहट-मेहट गाँव से हुई है। श्रावस्ती से महाजनपद युग से गुप्तोत्तर युग तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। महाजनपद युग में कोशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। श्रावस्ती तीन प्रमुख व्यापारिक मार्गों (उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्यपथ) के केन्द्र में स्थित होने के कारण आर्थिक, सामयिक एवं राजनीतिक महत्व रखती थी। श्रावस्ती भगवान बुद्ध की प्रिय नगरी थी। यहाँ के साहूकार अनाथपिण्डक ने जेतवनमहाविहार बौद्धों को अनुदान में दिया था। जैन तीर्थंकर सम्भवनाथ एवं चन्द्रप्रभु श्रावस्ती से सम्बद्ध थे। आजीवक सम्प्रदाय के महान् प्रवर्तक मक्खलि गोसाल की जन्मस्थली श्रावस्ती थी। श्रावस्ती से कनिष्क के दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं। फाहियान तथा ह्वेनसांग ने अपने यात्रा-विवरणों में श्रावस्ती का विस्तृत उल्लेख किया है।

सारनाथ : उत्तर प्रदेश में वाराणसी नगर से 12 किमी. दूर स्थित सारनाथ प्राचीनकाल में इसिपतन मिगदाय (ऋषिपत्तन मृगदाव) के रूप में प्रसिद्ध था। यह बौद्ध सम्प्रदाय एवं मौर्यकला से सम्बद्ध स्थल है। भगवान बुद्ध का धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में हुआ था। मौर्य सम्राट अशोक ने सारनाथ में एक सिंह-शीर्ष प्रस्तर स्तम्भ बनवाया था। स्वतन्त्र भारत का राज चिह्न इसी सिंह-शीर्ष को अपनाया गया है। यह मौर्य प्रस्तर कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। सारनाथ के स्तम्भ पर अशोक का लघु लेख भी उत्कीर्ण है। फाहियान ने सारनाथ की यात्रा की थी, इसका विस्तृत उल्लेख उसने अपने यात्रा-विवरण में दिया है। ह्वेनसांग के समय सारनाथ थेरवाद का प्रमुख केन्द्र था; अपने यात्रा-विवरण में ह्वेनसांग ने इसका वर्णन किया है। मध्य युग में गहड़वाल शासक की रानी कुमारदेवी ने यहाँ विहार और संघाराम बनवाये थे। उत्खनन में सारनाथ से गुप्तकालीन धमेख स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं।

सोहगौरा : सोहगौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। यहाँ से उत्तरी काली ओपदार मृद्भाण्ड संस्कृति के तथा मौर्योत्तर काल के सिक्के भी मिले हैं। कुषाणों के सिक्के तथा लौह वस्तुएँ भी प्राप्त हुई हैं।

सम्भल : उत्तर प्रदेश सम्भल जिला मध्यकालीन भारत में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल था। सल्तनत काल में यह महत्वपूर्ण इक्ता मानी जाती थी। मुगलकाल में भी सम्भल महत्वपूर्ण स्थल था, इसका सामयिक महत्व सदैव बना रहा था। बाबर की मृत्यु के बाद सम्भल का क्षेत्र हुमायूँ ने अपने भाई अस्करी को प्रदान कर दिया था। बाबर ने यहाँ एक जामा मस्जिद का निर्माण कराया था।

सामूगढ़ : उत्तर प्रदेश में आगरा से 16 किमी पूर्व में स्थित सामूगढ़ शाहजहाँ के उत्तराधिकार संघर्ष का प्रमुख स्थल रहा था। 29 मई, 1658 ई. को यहाँ हुए युद्ध में औरंगजेब-मुराद की संयुक्त सेना को विजय प्राप्त हुई थी तथा दारा के नेतृत्व में शाही सेना की पराजय हो गयी थी; युद्ध में विजय प्राप्त होने के उपरान्त औरंगजेब ने शाहजहाँ को आजीवन नजरबन्द कर दिया था तथा अपने को बादशाह घोषित कर दिया था।

सिकन्दरा : उत्तर प्रदेश में आगरा के समीप स्थित सिकन्दरा मुगल बादशाह अकबर के मकबरे के लिए चर्चित है। अकबर ने अपने जीवनकाल में इसका निर्माण प्रारम्भ कर दिया था परन्तु 1613 ई. में इसे जहाँगीर के राज्यकाल में पूरा निर्मित किया जा सका था। इस मकबरे में बौद्ध कला की स्थापत्य शैली का प्रभाव भी दृष्टिगत होता है।

हुलास : हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। यहाँ से उतर हड़प्पा युग से सम्बद्ध अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तरी काली ओपदार मृद्भाण्ड संस्कृति के प्रमाण भी मिले हैं। शुंगों और कुषाणों के समय में भी हुलास में आवासीय बस्तियाँ थीं।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती तट पर स्थित है। जनश्रुति है कि इस नगर को भगवान श्रीराम के भाई लक्ष्मण ने बसाया था और इसका प्राचीन नाम लक्ष्मणपुरी था। यहाँ एक पुराना टीला है, जो लक्ष्मण टीला के नाम से प्रसिद्ध है। लखनऊ की प्रसिद्धि उत्तर मुगल काल से प्रारम्भ हुई, जब अवध के सूबेदार सआदत खाँ ने अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित की थी। नवाब आसफउद्दौला के समय अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानान्तरित हो गयी और तब से 1856 ई. तक (वाजिद अली शाह तक) लखनऊ सांस्कृतिक गतिविधियों का केन्द्र रही थी। आसफुद्दौला ने रूमी दरवाजा और इमामबाड़ा बनवाया। आसफी मस्जिद, दौलतखाना, रेजीडेंसी, बिबियापुर कोठी और चौक बाजार का निर्माण भी आसफुद्दौला ने ही करवाया था। गाजीउद्दीन हैदर ने शाहनजफ, मोतीमहल, मुबारक मंजिल, सआदत अली और खुर्शीदजादी के मकबरे बनवाये। उसने नगर के दक्षिण में एक नहर भी बनवायी। मोहम्मद अली शाह ने हुसैनाबाद का इमामबाड़ा, बड़ी जामा मस्जिद, हुसैनाबाद बारादरी आदि इमारतें बनवाईं। प्रसिद्ध छतर मंजिल का निर्माण नसीरुद्दीन हैदर ने करवाया। स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों के सम्मान में यहाँ बनवाया गया शहीद स्मारक, चिड़ियाघर और नेशनल बोटेनिकल गार्डन भी दर्शनीय हैं। यहाँ प्रसिद्ध मुस्लिम संत शाहमीना की मजार है। शाहमीना लगभग 500 वर्ष पूर्व दिवंगत हुए और मुस्लिम महीने 'रजब' के प्रथम गुरुवार को इनका वार्षिक उर्स मनाया जाता है। हिन्दू और मुसलमान, दोनों ही उनके भक्त हैं। बसन्त पंचमी को आयोजित 'बसन्त की नौचन्दी' में दोनों ही भाग लेते हैं। कत्थक का यह केन्द्र रहा है। 1857 के महान् विद्रोह की प्रमुख वीरांगना बेगम हजरत महल ने इतिहास रचा था। लखनऊ महानगर शिया सम्प्रदाय का प्रमुख केन्द्र है। ईरान में इस्लामी क्रान्ति के नेता इमाम खुमैनी के पूर्वज लखनऊ से ईरान गये थे। हिन्दुस्तान में रहने के कारण उन्हें ईरान में 'हिन्दल' कहा जाता था। आज भी लखनऊ, बाहर से आने वाले शिया सम्प्रदाय के लिए एक पवित्र नगर है।

दर्शनीय स्थल (लखनऊ)

लखनऊ में 21वीं सदी के प्रथम दशक में सौन्दर्य के नये प्रतिमान जुड़े हैं। इनमें प्रमुख रूप से डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल द्वार, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विहार, समतामूलक चौक, सामाजिक परिवर्तन गैलरी, डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मारक दृश्य स्थल, सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय, मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल, डॉ. राममनोहर लोहिया पार्क, जनेश्वर मिश्र पार्क ऐतिहासिक एवं दर्शनीय स्थल हैं।

- **डॉ. राममनोहर लोहिया पार्क, गोमती नगर**

लखनऊ की प्रतिष्ठित गोमतीनगर योजना के विपिन खण्ड में लगभग 80 एकड़ क्षेत्रफल पर डॉ. राममनोहर लोहिया पार्क विकसित किया गया है। इस पार्क में 100 से अधिक प्रजाति के वृक्ष लगाये गये हैं तथा शरद, वसन्त एवं वर्षा ऋतु के समय 50 से अधिक प्रजाति के पक्षी इस पार्क में निवास करते हैं। पार्क में विशाल वाटरबाडी, वृहद् लॉन, फाउन्टेन व म्यूजिकल फाउन्टेन इसके स्वरूप को नया आयाम प्रदान करते हैं। महान समाजवादी डॉ. राममनोहर लोहिया की स्मृति में विकसित इस विशाल पार्क का मुख्य भ्रमण पथ एक किमी. लम्बाई में पार्क के उत्तरी छोर को दक्षिण-पश्चिमी छोर से जोड़ता है। मुख्य भ्रमण पथ पर रफ कोटा स्टोन फिनिश तथा शेष सभी पाथवे पर विट्रीफाइड टाइल्स लगायी गयी हैं। पार्क के मध्य में एक विशालकाय पैडेस्टल पर डॉ. राम मनोहर लोहिया की 18 फीट ऊँची कांस्य प्रतिमा स्थापित है, जिसके पार्श्व में 25 मीटर ऊँचाई के चार पिलर स्थापित किए गये हैं, जो कि डॉ. लोहिया के चौखम्भा सिद्धान्त को प्रतिपादित करते हैं। मुख्य स्मारक के निकट विकसित अर्द्ध चन्द्र पथ पर डॉ. लोहिया के छह निकट सहयोगियों के

जीवन वृत्तान्त अंकित करते हुए स्मृति स्तम्भ निर्मित किए गए हैं। पार्क में बच्चों के प्रयोग हेतु झूले, जन सुविधाओं के दृष्टिकोण से टायलेट, बेंच आदि सुविधाएँ स्थापित की गयी हैं। सभी पाथवे पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था की गयी है, जिस पर प्रातः व सायंकाल भ्रमण के समय कर्णप्रिय एवं मधुर संगीत बजाया जाता है।

- **डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल**

लखनऊ में गोमती नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित 'डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल' 107 एकड़ (4,33,417 वर्ग मी.) क्षेत्रफल में निर्मित है। स्मारक से बढ़कर निकलने पर डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय, सामाजिक परिवर्तन गैलरी और सामाजिक परिवर्तन स्तम्भ दर्शनीय है।

- **श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल**

श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल 60 एकड़ (2,42,811 वर्ग मी.) में विकसित है।

- **बौद्ध विहार शान्ति उपवन**

31 एकड़ (1,25,710 वर्ग मी.) के क्षेत्रफल में विकसित यह उपवन 1.2 कि.मी. की लम्बाई में है और शारदा नहर तथा वी.आई.पी. रोड के पार्श्व में है। इस उपवन के किनारे पर संरचनाएँ और विस्तृत बगीचे हैं। इसके पार्श्व में मेल खाती हुयीं सामाजिक परिवर्तन के नायकों की प्रतिमाएँ हैं। इससे आबद्ध ध्यान कक्ष और विस्तृत पुस्तकालय है।

- **श्री कांशीराम जी ग्रीन (इको) गार्डेन**

श्री कांशीराम जी स्मारक के समीप श्री कांशीराम जी ग्रीन (इको) गार्डेन है। लगभग 112 एकड़ क्षेत्रफल में निर्मित इस गार्डेन के अन्दर भ्रमण हेतु आने वाले आगन्तुकों की सुरक्षा एवं सुरक्षित हरित क्षेत्र उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। पार्क के अन्दर प्रवेश, पूर्वी एवं पश्चिमी चहारदीवारी पर स्थित विशाल एवं भव्य प्रवेश द्वारों द्वारा नियंत्रित किया गया है। सेन्ट्रल माउन्ड के चारों ओर एक विशाल जलाशय बनाया गया है, जिसमें फौव्वारे एवं पशु-पक्षियों की 500 से अधिक प्रतिमायें लगायी गयी हैं।

- **राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल एवं ग्रीन गार्डन**

राजधानी दिल्ली से सटे जनपद गौतमबुद्ध नगर के अति महत्वपूर्ण नोएडा के सेक्टर-95 में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल एवं ग्रीन गार्डेन यमुना नदी के किनारे 3.32 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में महान सन्तों, गुरुओं व महापुरुषों के आदर-सम्मान में बनाया गया है।

हुलासखेड़ा : हुलासखेड़ा उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद में स्थित है। हुलासखेड़ा से कुषाणकाल से गुप्त युग तक के भौतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। कुषाणकालीन अवशेषों में सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं- 200 मीटर लम्बी सड़क, सुनियोजित जल-निकासी की व्यवस्था, कार्तिकेय की स्वर्णप्रतिमा, चाँदी के आहत सिक्के और तीन कुषाण शासकों के ताम्र सिक्के। हुलासखेड़ा से जो गुप्तकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनमें दुर्ग के भग्नावशेष, ताँबे-चाँदी के सिक्के, गुप्तलिपि में लिखी कुछ मुहरें, हाथीदाँत की कंघी, मोहर छापे, 17 छड़ों वाली लोहे की अण्डाकार वस्तुएँ प्रमुख हैं।

पर्व और मेले

प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में लगभग 2,250 मेले लगते हैं। सबसे अधिक मथुरा में (86) और उसके बाद कानपुर में (79) तथा हमीरपुर में (79) मेले लगते हैं। झाँसी में 78, आगरा में 72 तथा फतेहपुर में 70 मेले प्रतिवर्ष लगते हैं।वाराणसी नगर महापालिका में फातमा (चेतगंज) में लगभग 1,00,000 आदमी मुहर्रम के दसवें दिन एकत्र होते हैं।

प्रति बारहवें और छठे वर्ष कुम्भ एवं अर्द्ध कुम्भ मेला प्रयागराज तथा हरिद्वार में लगता है। इनमें बहुत विशाल संख्या में लोग आते हैं।

सूर्य एवं चन्द्र-ग्रहण के अवसरों पर गंगा स्नान के लिए भी बहुत बड़ी संख्या में लोग वाराणसी एवं अन्य तीर्थ स्थानों पर एकत्र होते हैं।

राज्य में विभिन्न सम्प्रदायों के लोगों द्वारा लगभग 40 त्योहार मनाये जाते हैं। हिन्दुओं द्वारा मनाये जाने वाले प्रमुख त्योहार हैं :– शीतला-अष्टमी, रक्षाबन्धन, वैशाखी पूर्णिमा, बरगदी अमावस्या, ज्येष्ठ दशहरा, गुरु पूर्णिमा, नाग पंचमी, हलषष्ठी, कृष्ण जन्माष्टमी, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, अनन्त चतुर्दशी, पितृ विसर्जनी अमावस्या, दुर्गा-नवमी, दशहरा, करवा चौथ, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भय्या दूज, देवोत्थानी एकादशी, कार्तिक पूर्णिमा, सकट चौथ, मकर संक्रांति, वसन्त पंचमी, शिवरात्रि और होली।

बौद्ध बुद्ध पूर्णिमा, जैन महावीर जयन्ती तथा सिख गुरु नानक जन्मदिवस मनाते हैं। इन त्योहारों में हिन्दू भी बड़ी संख्या में भाग लेते हैं।

मुसलमानों के प्रमुख त्योहार हैं– रमजान, ईदुज्जुहा, मोहर्रम, ईदुलफितर, बारावफात और शब-ए-बरात। ईसाइयों के मुख्य पर्व हैं– नववर्ष दिवस, गुड-फ्राइडे, ईस्टर और क्रिसमस।

पर्यटन उत्सवों पर लगने वाले मेले

	स्थान	उत्सव		स्थान	उत्सव
1.	लखनऊ	लखनऊ महोत्सव	2.	वाराणसी	वाराणसी पर्यटन उत्सव
3.	वाराणसी	संकट मोचन संगीत उत्सव	4.	वाराणसी	गंगा महोत्सव
5.	प्रयागराज	कुम्भ मेला	6.	प्रयागराज	अर्द्धकुम्भ मेला
7.	प्रयागराज	माघ मेला	8.	प्रयागराज	वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल
9.	प्रयागराज	पर्यटन उत्सव	10.	आगरा	ताज महोत्सव
11.	आगरा	कैलाश मेला	12.	आगरा	बटेश्वर मेला
13.	आगरा	राम बारात	14.	बटेश्वर (आगरा)	ऊँट मेला
15.	मथुरा	होलिकोत्सव	16.	मथुरा (मथुरा सर्किल गोकुल)	श्रीकृष्ण जन्माष्टमी
17.	वृन्दावन (मथुरा)	मुड़िया मेला	18.	बरसाना ब्रज (मथुरा)	लठ्ठमार होली
19.	अयोध्या	परिक्रमा मेला	20.	अयोध्या	रामायण मेला अयोध्या
21.	देवा (बाराबंकी)	देवा मेला	22.	मगहर (बस्ती)	कबीर मेला
23.	कम्पिल (फर्रुखाबाद)	कम्पिल पर्यटनोत्सव	24.	फर्रुखाबाद	राम नगरिया मेला श्रमीरामपुर मेला
25.	कन्नौज	कन्नौज पर्यटनोत्सव	26.	चित्रकूट	रामायण मेला
27.	मेरठ	नौचँदी मेला	28.	सरधाना (मेरठ)	सरधाना महोत्सव
29.	झाँसी	झाँसी आयुर्वेद महोत्सव	30.	बाँदा	कालिन्जर मेला
31.	कानपुर	बिठूर गंगा महोत्सव	32.	एटा	सोरों मेला
33.	गोरखपुर	खिचड़ी मेला	34.	उत्तर प्रदेश	गंगा दशहरा
35.	उत्तर प्रदेश	नकैया चेतगंज	36.	सैफई (इटावा)	सैफई महोत्सव

उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति

कबीर : कबीर का जन्म 1425 ई. में वाराणसी में हुआ था। कहते हैं वे एक विधवा ब्राह्मणी की सन्तान थे, जिन्हें लोकलाज के भय से उन्हें जन्मते ही लहरतारा तालाब के समीप छोड़ दिया गया था। निःसन्तान जुलाहा दम्पति (नीरू व नीमा) ने उसे पाला-पोसा और उसका नाम 'कबीर' रखा था जिसका अर्थ होता है 'महान'; इस प्रकार कबीर का प्रारम्भिक जीवन मुस्लिम परिवेश में व्यतीत हुआ। कबीर की शिक्षा किसी विद्यालय में नहीं हुई थी, उनका ज्ञान जीवन के गहन अनुभवों पर आधारित था। ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वामी रामानन्द को अपना गुरु बनाया। कबीर ने तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था पर कठोर आघात किया तथा समाज-सुधार करने की लोगों को प्रेरणा दी थी। मध्ययुगीन समाज-सुधारकों में कबीर का व्यक्तित्व व कृतित्व अनुपम रहा था। वे मात्र भक्त ही नहीं अपितु एक युगस्रष्टा, समाज-सुधारक, महात्मा तथा उच्च गुणों से युक्त महामानव थे। कबीर ने युग-युग से प्रताड़ित समाज के निम्न वर्ग को अपनी ओजस्वी वाणी द्वारा सम्मानजनक स्थान तक पहुँचाने की चेष्टा की थी, उनके आत्म-सम्मान को जगाया था।

निजामुद्दीन औलिया : निजामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूँ में हुआ था। 1236 ई. में जन्मे निजामुद्दीन औलिया का प्रारम्भिक जीवन कष्टप्रद था। 1256 ई. में निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य बन गये थे। उन्हीं के प्रभाव से निजामुद्दीन औलिया ने चिश्ती सम्प्रदाय को अपनाया तथा उसका प्रचार करना प्रारम्भ किया। शेख निजामुद्दीन औलिया ने सभी वर्ग के व्यक्तियों को अपना शिष्य बनाया था, प्रत्येक व्यक्ति के लिए उनके यहाँ के दरवाजे खुले थे। निजामुद्दीन औलिया ने अपना सम्पूर्ण जीवन सूफी धर्म के प्रचार में लगाया था। 1325 ई. में शेख निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो गयी।

बाणभट्ट : बाणभट्ट हर्षवर्द्धन के दरबार में सम्मानित कवि व विद्वान के रूप में इतिहास में चर्चित हैं। बाणभट्ट ने 'हर्षचरित' व 'कादम्बरी' नामक ग्रन्थों की रचना की थी, दोनों ग्रन्थों में तत्कालीन भारत की जानकारी प्राप्त होती है। समकालीन इतिहास को जानने के लिए ये दोनों ग्रन्थ महत्वपूर्ण स्रोत हैं। कन्नौज में रहने वाले इस महान् विद्वान की प्रशंसा स्वयं सम्राट हर्षवर्द्धन तथा चीनी यात्री ह्वेनसांग ने की थी।

जियाउद्दीन बरनी : जियाउद्दीन बरनी बरन (बुलन्दशहर जिले में स्थित) का निवासी था, उसकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना तारीख-ए-फीरोजशाही' 1265 ई. से लेकर 1358 ई. तक के इतिहास की घटनाओं को अभिव्यक्त करती है। इतिहासकार बरनी के सम्बन्ध सुल्तानों से रहे थे, मुहम्मद तुगलक, फीरोज तुगलक के सम्पर्क में वह रहा था, अतः उसकी कृति समकालीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। अधिकांश घटनाओं का वह चश्मदीद साक्षी रहा था। बरनी की दूसरी महत्वपूर्ण कृति 'फतवा-ए-जहांदारी' तत्कालीन राज्य-व्यवस्था का महत्वपूर्ण ग्रन्थ है।

अमीर खुसरो : अमीर खुसरो का जन्म 1253 ई. में पटियाली में हुआ था। वह फारसी भाषा का महान् कवि व इतिहासकार था, उसने हिन्दी (हिन्दवी) में भी रचनाएँ की थीं। वह अपने को भारतीय तोता कहता था। उसे भारतीय होने का गर्व था। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। वह सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहा था। वह सम्पूर्ण भारत का भ्रमण कर चुका था। उसकी प्रसिद्ध रचनाएँ तत्कालीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये रचनायें हैं- केरानुस्सादैन, मिफताहुल फुतूह, नूह सिपेहर, दिवलरानी-खिज्र खाँ, तुगलकनामा, खजाइनुल फुतूह।

शेख फैजी : शेख फैजी का जन्म 1547 ई. में आगरा में हुआ था। अकबरकालीन प्रसिद्ध विद्वान शेख मुबारक का पुत्र था। वह बचपन से कविता करने लगा था। मुगल सम्राट अकबर शेख फैजी की प्रशंसा से मुग्ध हो गया था। अकबर ने शीघ्र ही शेख फैजी को दरबार में स्थान प्रदान किया। शेख फैजी स्वतन्त्र विचारों वाला विद्वान था। धर्मान्धता का विरोध होने के कारण अकबर का कृपापात्र था। शेख फैजी अकबर के काल का श्रेष्ठ कवि व विद्वान था। बदायूँनी ने फैजी की अत्यधिक प्रशंसा की है तथा उसे काव्य, इतिहास, चिकित्साशास्त्र निबन्ध रचना में अद्वितीय बताया है। अकबर द्वारा स्थापित दीन-ए-इलाही का शेख फैजी सदस्य था। 1595 ई. में शेख फैजी की मृत्यु हो गयी थी।

अबुल फजल : अबुल फजल का जन्म 1550 ई. में आगरा में हुआ था। अबुल फजल शेख मुबारक का पुत्र व शेख फैजी का छोटा भाई था। अबुल फजल बहुत योग्य था तथा अपनी योग्यता के कारण ही वह अकबर का परामर्शदाता बन गया था। अबुल फजल की दो प्रमुख रचनाएँ 'अकबरनामा' व 'आइने-अकबरी' अकबरकालीन इतिहास के मुख्य स्रोत हैं। अबुल फजल तुर्की, फारसी, संस्कृत, अरबी, हिन्दी का विद्वान था। अबुल फजल ने दक्षिणी अभियान का अकबर के साथ नेतृत्व किया था। 1602 ई. में दक्षिण से वापसी के मार्ग में वीरसिंह बुन्देला ने, शाहजादा सलीम के परामर्श से जो उसका विरोधी था, अबुल फजल की हत्या कर दी थी।

राजा टोडरमल : राजा टोडरमल का जन्म सीतापुर जिले के लहरपुर गाँव में हुआ था। वह बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि का था अतः युवा होने पर शेरशाह सूरी की सेवा में कार्यरत हो गया था। सूरवंश के पतन के पश्चात् उसने मुगलों की सेवा प्रारम्भ की तथा अपनी योग्यता से वह अकबर का दीवान बन गया था। अन्ततः अकबर उसकी राजस्व व्यवस्था से प्रभावित हुआ और उसे प्रधानमन्त्री का पद प्रदान किया। टोडरमल ने अपनी योग्यता व परिश्रम से मुगलों की भू-व्यवस्था को नवीन स्वरूप प्रदान कर व्यवस्थित किया। इसी कार्य से वह इतिहास में चर्चित हो गया। टोडरमल ने दहसाला बन्दोबस्त व्यवस्था स्थापित की थी। भूमि की नाप कराकर, उपज का सही मूल्यांकन करने के लिए उसका वर्गीकरण किया गया था। भूमि के आधार पर ही भूमिकर निर्धारित किया गया था, इस भू-व्यवस्था से किसानों को लाभ प्राप्त हुआ और राजस्व में वृद्धि हुई। टोडरमल एक योग्य वित्तमन्त्री के साथ-साथ कुशल सैन्य संचालक भी था। 1565 ई. में उसने उजबेगों के दमन में, 1568 ई. के रणथम्भौर अभियान में उसने अपनी सैन्य प्रतिभा का परिचय दिया था। टोडरमल 1589 ई. को इस संसार से विदा हो गया और अपनी अक्षयकीर्ति को सदैव के लिए छोड़ गया था।

बीरबल : बीरबल का जन्म काल्पी (जिला जालौन) में 1528 ई. में हुआ था। वह जन्म से ब्राह्मण थे, उनका मूल नाम महेशदास था। वह प्रारम्भ से ही तीक्ष्ण बुद्धि का कवि हृदय का हास्यप्रिय व्यक्ति थे। उनकी प्रतिभा से प्रभावित रीवां नरेश रामचन्द्र बघेल ने उनको अपने दरबार में स्थान दिया था तत्पश्चात् उन्हें आमेर के राजा भगवानदास ने आश्रय दिया, जहाँ से वह अकबर के दरबार में नौ-रत्नों में सम्मिलित किये गये थे। बीरबल ने दीन-ए-इलाही को स्वीकार कर लिया था। 1583 ई. में बीरबल दीवानी न्याय विभाग के प्रमुख अधिकारी नियुक्त किये गये। अकबर ने बीरबल की सेवा से प्रसन्न होकर 2,000 का मनसबदार बनाया था तथा 'कविराज' की उपाधि दी थी। 1586 ई. में बीरबल युसुफ जाइयों के साथ युद्ध में मारे गये।

तात्या टोपे : तात्या टोपे का मूल नाम 'रामचन्द्र' था। तात्या उन्हें स्नेह से कहा जाता था, अतः वह तात्या कहे जाने लगे। बिठूर में अंग्रेजों द्वारा पेन्शन प्राप्त पेशवा बाजीराव द्वितीय ने उनका पालन-पोषण किया था; वे उन्हें तात्या टोपे कहते थे, इसी नाम से वे चर्चित हुए। पेशवा बाजीराज द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब मोरोपन्त की पुत्री मनु (लक्ष्मीबाई के नाम से चर्चित) भी पेशवा बाजीराव द्वितीय के महल (बिठूर में) में रहती थी अतः तीनों को साथ-साथ अपना बचपन बिताने का अवसर प्राप्त हो गया; उन तीनों में एक-दूसरे के प्रति असीम स्नेह उत्पन्न हो गया था और वे सदैव एक साथ सहयोगी की भाँति रहे थे। तात्या टोपे ने सदैव नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई की सेवा की थी। 1857 ई. के महासमर में उसने (तात्या टोपे ने) अपनी गनीमी कावा रणनीति (छापामार रणनीति), अद्वितीय साहस वीरता से अंग्रेजों को भयभीत कर दिया था। अन्ततः अंग्रेजों ने कूटनीति का सहारा लिया तथा नरवर के राजा मानसिंह की सहायता से तात्या टोपे को छल से 7 अप्रैल, 1859 ई. को गिरफ्तार कर लिया और 15 अप्रैल, 1859 ई. को शिवपुरी के सैनिक न्यायालय में मुकदमा चलाकर 18 अप्रैल, 1859 ई. को फाँसी पर चढ़ा दिया। निःसन्देह कानपुर, बिठूर, झाँसी, काल्पी सभी स्थानों पर उसने अंग्रेजों को 1857 ई. के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम में धूल चटा दी थी। अंग्रेज उसके नाम से थर्राते थे। भारत के इतिहास में तात्या टोपे का नाम

स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा।

महारानी लक्ष्मीबाई : महारानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनु था। उनका पालन-पोषण बिठूर के महल में पेशवा बाजीराव द्वितीय की देख-रेख में हुआ था। वह मोरोपन्त की पुत्री थी। पेशवा बाजीराव स्नेह से 'छबीली' कहते थे; पेशवा के स्नेह से ही उसने घुड़सवारी, तलवार चलाने की कला सीखी। सयानी होने पर उसका विवाह झाँसी के महाराज गंगाधर से हो गया और तब मनू (मणिकर्णिका) का नाम महारानी लक्ष्मीबाई हो गया। परन्तु वह कुछ ही समयोपरान्त विधवा हो गयीं; अंग्रेज गवर्नर जनरल डलहौजी ने अपनी 'हड़प नीति' द्वारा झाँसी राज्य को उत्तराधिकार से वंचित करते हुए 7 मार्च, 1854 को अंग्रेजी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी स्वीकार कराने का कम्पनी सरकार से प्रयास किया परन्तु असफल रहीं। अतः वे अंग्रेजों के प्रति क्षोभ व क्रोध से दग्ध हो गयी थीं। अन्ततोगत्वा 1857 ई. के महासमर में उन्होंने झाँसी में अंग्रेजों को भयंकर टक्कर दी। 7 जून, 1857 ई. को झाँसी पर महारानी लक्ष्मीबाई का अधिकार हो गया। लगभग दस माह बाद मार्च 1858 ई. में नये अंग्रेज सेनानायक जनरल ह्यूरोज ने पुनः संघर्ष प्रारम्भ किया। महारानी लक्ष्मीबाई ने अद्वितीय साहस व वीरता का परिचय दिया, इसमें अंग्रेज जनरल बहुत प्रभावित हुआ। परन्तु अल्प साधनों द्वारा वे अधिक समय तक विस्तृत अंग्रेजी साधनों का सामना करने में असमर्थ हो गयीं; फिर भी उसने आत्म-समर्पण नहीं किया, अन्ततः उनके इस महासंघर्ष में सभी सैनिक शहीद हुए और महारानी लक्ष्मीबाई ने भी 18 जून, 1858 ई. को युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की। भारतीय इतिहास में इस वीरांगना का नाम सदैव स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। उसने अपने देश की रक्षा व गौरव के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी; रानी लक्ष्मीबाई की वीरता व साहस से अंग्रेज भी प्रभावित थे। महारानी लक्ष्मीबाई के वीरगति प्राप्त होने की जानकारी मिलने पर स्वयं उनके विरुद्ध आक्रमण का नेतृत्व करने वाले अंग्रेज जनरल ह्यूरोज ने कहा था, ''विद्रोहियों में अगर कोई जवांमर्द था तो वह झाँसी वाली रानी थी।''

नाना साहब : नाना साहब का नाम भारतीय राष्ट्रीय स्वातन्त्र्य संघर्ष में चिरस्मरणीय है। नाना साहब का प्रारम्भिक नाम गोविन्द था परन्तु वे अपने परिवार में 'घोड़ोपन्त' के नाम से चर्चित थे। उनका पालन-पोषण बिठूर में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपने दत्तक पुत्र के रूप में किया था तथा प्यार में वे 'नाना' कहलाने लगे थे। पेशवा बाजीराव को प्राप्त पेन्शन से नाना को वंचित कर दिया गया था, अतः उन्होंने कम्पनी सरकार के विरुद्ध अपील करने हेतु अजीमुल्ला को इंग्लैण्ड भेजा परन्तु असफलता ही हाथ लगी, फलस्वरूप 1857 के महासमर में उन्होंने अंग्रेजों से डटकर संघर्ष किया। अंग्रेज सरकार ने नाना को पकड़ने हेतु एक लाख रुपये की घोषणा की थी, परन्तु उन्हें पकड़ा नहीं जा सका; वे अन्तिम दौर तक संघर्षरत रहे यद्यपि अंग्रेजों के विस्तृत साधनों के समक्ष वे सफल न हो सके। अन्ततः वे नेपाल के जंगलों की ओर पलायन कर गये, परन्तु अपनी वीरता, साहस की गाथा अपने भारतीय लोगों के लिए छोड़ गये जो उन्हें अनुप्राणित करती रही और सदैव प्रेरित करती रहेगी।

बेगम हजरत महल : 1857 ई. के सैनिक विद्रोह व प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान लखनऊ में हुए विद्रोह का नेतृत्व अवध की महारानी बेगम हजरत महल ने किया था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह अंग्रेजों की कैद में कोलकाता (तत्कालीन कलकत्ता) में थे, अतः अवध के प्रशासन की बागडोर बेगम हजरतमहल के हाथों में थी। उसने अपने नाबालिग बेटे बिरजिस कद्र को अवध का नवाब घोषित किया और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध प्रारम्भ कर दिया। इस संघर्ष में बेगम हजरतमहल ने अवध के किसानों तथा जमींदारों का अपूर्व सहयोग प्राप्त किया था। अवध में 30-31 मई, 1857 ई. को भीषण संघर्ष का सूत्रपात हो गया; संघर्ष व्यापक हो गया और अंग्रेजों को भागना पड़ गया। परन्तु बेगम हजरत महल के साधन अल्प थे, अंग्रेजों को पंजाब व नेपाल से सहायता प्राप्त हो गयी और उन्होंने सितम्बर 1858 ई. में लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। बेगम हजरत महल ने पराजित होने पर भी आत्म-समर्पण नहीं किया, वे नेपाल पलायन कर गयीं, परन्तु अपनी वीरता, साहस तथा देशभक्ति से सम्पूर्ण भारतवासियों

को गौरव पथ पर चलने के लिए प्रेरणा की स्रोत बन गयीं। इतिहास में वे सदैव स्वर्णअक्षरों में अंकित रहेंगी।

अजीजन बेगम : 1857 ई. के स्वतन्त्रता संग्राम की बलिदानी महिलाओं में कानपुर की नाचने-गाने वाली महिला अजीजन बेगम का नाम विशेष चर्चित है। उनका जन्म लखनऊ में हुआ था, दुर्भाग्य की थपेड़ों से वे कानपुर आईं और उस समय की मशहूर तवायफ उमराव जान अदा के साथ नाचने-गाने का काम करने लगीं; यहीं उनका सम्पर्क क्रान्तिकारियों से हुआ। नाना साहब के आह्वान पर अजीजन बेगम ने अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए महिलाओं को संगठित किया; शीघ्र ही वे महिला सशस्त्र दल की नेता बन गयीं। प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार सर जॉर्ज ट्रेवेलियन ने अजीजन बेगम को एक योद्धा के रूप में वर्णित करते हुए लिखा है, ''घोड़े पर सवार सैनिक वेश-भूषा में अनेक तमगे लगाये और हाथ में पिस्तौल लिए अजीजन बिजली की तरह अंग्रेज सैनिकों को रौंदती चली जाती थी, उसके साथ महिलाओं की घुड़सवार टुकड़ी भी घूमा करती थी। सैनिकों को हथियार देना, प्यासे सैनिकों को पानी पिलाना एवं घायलों की देखभाल करना, उसके प्रमुख कार्य थे।'' पं. सुन्दरलाल ने अपनी पुस्तक 'भारत में अंग्रेजी राज' में लिखा है कि कानपुर पर विद्रोहियों का अधिकार होने के बाद बंदी अंग्रेज स्त्रियों व बच्चों की हत्या के लिए विद्रोहियों को उकसाने वाली अजीजन बेगम ही थी। सम्भवतः ऐसा उसने अंग्रेजों के अमानवीय अत्याचारों के कारण क्रोध और घृणा के आवेश में किया होगा। अन्ततः अजीजन को गिरफ्तार कर अंग्रेज कमाण्डर सर हेनरी हेवलाक के समक्ष लाया गया। एक मुस्लिम क्रान्तिकारी (अजीमुल्ला खाँ) का पता बताने की शर्त पर उसे माफी देने का वायदा किया गया। अजीजन ने ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया फलस्वरूप उसे गोली से उड़ा दिया गया। गोली लगने से ठीक पहले उसने जयघोष किया, ''हिन्दुस्तान अमर रहे'' और फिर शहीदों की टोली में मिल गयीं।

सर सैयद अहमद खाँ : सर सैयद अहमद खाँ का जन्म 1817 ई. में दिल्ली में हुआ था। 1839 ई. में उन्होंने आगरा के अंग्रेज कमिश्नर की अधीनता में सेवा प्रारम्भ की। 1857 ई. में वह सदर अमीन नियुक्त थे। 1876 ई. में सर सैयद अहमद खाँ सरकारी सेवा से निवृत्त होकर समाज-सुधारक बने। वे मुस्लिम समाज में सुधार चाहते थे। मुसलमानों में नयी शिक्षा का प्रसार चाहते थे। इसी उद्देश्य से उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन ऐंग्लो ओरियंटल स्कूल स्थापित किया व 1878 ई. में मोहम्मडन ऐंग्लो ओरियंटल कॉलेज की स्थापना की थी। सर सैयद अहमद खाँ ने मुसलमानों की स्थिति सुधारने के लिए अलीगढ़ आन्दोलन चलाया था। 1898 ई. में उनकी मृत्यु हो गयी।

मोतीलाल नेहरू : पं. मोतीलाल नेहरू का जन्म 1861 ई. में हुआ था। उन्होंने शिक्षा प्राप्ति के उपरान्त इलाहाबाद (अब 'प्रयागराज') में वकालत प्रारम्भ की, जिसमें वे पूर्ण सफल हुए। उनकी गणना भारत के महान् वकीलों में की जाती थी। स्वदेशी आन्दोलन के दौर में उन्होंने राजनीति में सक्रियता प्रदर्शित की थी। 1919 ई. में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। असहयोग आन्दोलन के अन्तर्गत उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। असहयोग आन्दोलन के स्थगित हो जाने के उपरान्त उन्होंने स्वराज दल गठित किया। साइमन कमीशन के विरोध करने के पश्चात् नेहरू रिपोर्ट तैयार की जो आधुनिक संविधान का ब्लू प्रिण्ट स्वीकार की जाती है। 1930 ई. में उनकी मृत्यु हो गयी थी। मृत्यु से पूर्व उन्होंने कहा था, ''मैं स्वाधीन भारत में मरना चाहता था, परन्तु मेरी इच्छा पूर्ण न हो सकी।''

पं. मदन मोहन मालवीय : पं. मदन मोहन मालवीय का जन्म इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में 27 दिसम्बर, 1861 ई. को हुआ था; शिक्षा प्राप्ति के उपरान्त वे शिक्षक बने तथा समाज सेवा भी प्रारम्भ की। 1902 ई. में वे संयुक्त प्रान्त की विधान परिषद् के लिए निर्वाचित हुए थे। 1910 ई. से 1920 ई. तक वे केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य रहे थे। उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन (लन्दन में आयोजित) में भाग लिया था। 1934 ई. में 'साम्प्रदायिक निर्णय' का उन्होंने घोर विरोध किया था। मालवीय जी देशभक्ति को धर्म का एक अंग मानते थे। मालवीय जी भारत के पिछड़ेपन का कारण भारतीयों की निरक्षरता

को मानते थे अतः उन्होंने भारतीयों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया। इसी उद्देश्य से उन्होंने बनारस (अब 'वाराणसी') में 'बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय' की स्थापना की (1918 ई. में)। 1946 ई. में मालवीय जी की मृत्यु हो गयी थी।

पं. जवाहरलाल नेहरू : स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री पं. जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवम्बर, 1889 ई. को इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में हुआ था। उनके पिता पं. मोतीलाल नेहरू भारत के प्रतिष्ठित वकील थे। पं. जवाहरलाल नेहरू पर उनके शिक्षक ब्रुक्स का बहुत प्रभाव था। ब्रुक्स ने उन्हें मानवता का पाठ बहुत लगन से पढ़ाया था। जवाहरलाल की उच्च शिक्षा इंग्लैण्ड में हुई थी; उन्होंने इंग्लैण्ड से बी.ए. तथा कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। छात्र जीवन से ही उन्हें राजनीति में रुचि थी। 1912 ई. में भारत वापस आकर इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में वकालत प्रारम्भ की व इसी समय से उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में सम्मिलित होना प्रारम्भ कर दिया। 1916 ई. में उनका विवाह कमला से हुआ व इसी वर्ष वे महात्मा गांधी के सम्पर्क में आये। 1923 ई. में जवाहरलाल को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था। 1927 ई. में उन्होंने रूस की यात्रा की जिससे उनके समाजवादी विचारों में दृढ़ता आयी। 1928 ई. में लखनऊ में साइमन आयोग के बहिष्कार के दौरान वे लाठियों से मर्माहत हुए। 1929 ई. में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया जहाँ उन्होंने घोषणा की ''हमारा लक्ष्य स्वाधीनता है। स्वाधीनता का अर्थ है- पूर्ण स्वतन्त्रता।'' जवाहरलाल ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन में तथा 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया तथा जेल गये। 1946 ई. में उन्होंने भारत की अन्तरिम सरकार का गठन किया तथा भारत के स्वतन्त्र होने पर स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। इस पद पर वे मृत्यु-पर्यन्त (27 मई, 1964 ई.) कार्यरत रहे। पं. जवाहरलाल नेहरू एक राजनीतिज्ञ, प्रशासक, देश भक्त तथा उच्च कोटि के लेखक थे। उन्होंने 'भारत की खोज', 'विश्व इतिहास की झलक', 'आत्मकथा' लिखीं जो साहित्य व इतिहास की अमूल्य निधियाँ हैं। वे समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। उनका विश्वास था कि आर्थिक स्वतन्त्रता के बिना राजनीतिक स्वतन्त्रता अधूरी है। डॉ. राधाकृष्णन ने उनके बारे में लिखा था, ''स्वाधीनता संग्राम के योद्धा के रूप में वे यशस्वी थे और आधुनिक भारत के निर्माण के लिए उनका योगदान अभूतपूर्व था।''

लालबहादुर शास्त्री : लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर, 1904 ई. को मुगलसराय में हुआ था। महात्मा गान्धी से प्रभावित होकर उन्होंने 1921 ई. में राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लिया था। 1951 ई. में लालबहादुर शास्त्री कांग्रेस के महामन्त्री बने थे, उसके उपरान्त उन्होंने अनेक पदों पर कार्य किया। पं. जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु (1964 ई.) के पश्चात् वे भारत के प्रधानमन्त्री बने थे। 1965 ई. में भारत-पाक युद्ध में विजय श्री प्राप्त करने का श्रेय उन्हें प्राप्त है। 11 जनवरी, 1966 ई. को ताशकन्द में उनकी मृत्यु हो गयी थी

चन्द्रशेखर आजाद : चन्द्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई, 1906 ई. को हुआ था। उन्होंने काशी (अब 'वाराणसी') में संस्कृत का अध्ययन किया था। वे महात्मा गांधी के असहयोग आन्दोलन से प्रभावित हुए और अपनी शिक्षा को रोककर आन्दोलन रत हो गये, उस समय उनकी आयु मात्र 14 वर्ष की थी। इस आन्दोलन में गिरफ्तार होने पर वे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किये गये जहाँ अपनी वीरता व साहस की देदीप्यमान मिसाल से वे लोकप्रिय तथा चर्चित हो गये। कलेक्टर के पूछने पर उन्होंने अपना नाम 'आजाद', पिता का नाम 'स्वतन्त्र', निवास स्थान 'जेल' बतलाया; इस पर क्रोधित होकर मजिस्ट्रेट ने 15 बैंत मारने का आदेश दिया। प्रत्येक बैंत पर वे 'वन्देमातरम्' व 'महात्मा गांधी की जय' के नारे लगाते रहे थे। इस घटना के पश्चात् वे सम्पूर्ण भारत में सर्वाधिक प्रिय बन गये थे। उन्होंने शीघ्र ही अंग्रेजों

के विरुद्ध क्रान्तिकारियों का एक संगठन बनाया जिसे 'हिन्दुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन' कहा गया। इस संगठन में शचीन्द्रनाथ सान्याल, योगेशचन्द्र चटर्जी, रामप्रसाद बिस्मिल, राजेन्द्र लाहिड़ी, इत्यादि प्रमुख क्रान्तिकारी सम्मिलित थे। संगठन को धन की आवश्यकता अनुभव होने पर सितम्बर 1925 ई. में सरकारी खजाने को लूट लिया जो 'काकोरी घटना' के नाम से इतिहास में अंकित है। पुलिस उन्हें बन्दी नहीं बना सकी थी। 1928 ई. में पुलिस अधिकारी साण्डर्स की हत्या में वे संलग्न थे क्योंकि इस पुलिस अधिकारी ने निर्दोष भारतीयों का बर्बरता से उत्पीड़न किया था; इस बार भी पुलिस उन्हें गिरफ्तार न कर सकी और वे क्रान्तिकारियों तथा आन्दोलनकर्ताओं को सहयोग करते रहे थे। परन्तु 27 फरवरी, 1931 ई. को इलाहाबाद (अब प्रयागराज) के अल्फ्रेड पार्क में वे पुलिस की गोलियों से घिर गये तथा बन्दी बनाये जाने के पूर्व ही उन्होंने अपनी पिस्टल से स्वयं को गोली मार ली और शहीद हो गये। अन्त तक वे आजाद रहे। इस साहस व वीरता तथा अटूट देशभक्ति की भावना से वे प्रत्येक भारतीय के लिए परम आदरणीय बन गये तथा भारत के स्वातन्त्र्य संघर्ष के इतिहास में देदीप्यमान नक्षत्र की भाँति जगमगाते रहेंगे।

●

अर्थव्यवस्था/आर्थिक समीक्षा

उत्तर प्रदेश भारत के विशालतम राज्यों में से एक है जो कि 25°-31° उत्तरी अक्षांश तथा 77°-84° पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थिति है। इसके उत्तर में नेपाल राष्ट्र एवं उत्तराखण्ड राज्य, दक्षिण में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, पूर्व में बिहार एवं झारखण्ड तथा पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली एवं राजस्थान की सीमाएं मिलती हैं। इस प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी. है, जो भारत के सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल 3287 हजार वर्ग किमी. का 7.33 प्रतिशत है। क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान (10.41 प्रतिशत), महाराष्ट्र (9.36 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (9.03 प्रतिशत), आन्ध्र प्रदेश (8.37 प्रतिशत) के बाद उत्तर प्रदेश (7.33 प्रतिशत) का स्थान भारत के पाँचवे विशाल राज्य के रूप में है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में प्रथम स्थान है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 1998 लाख है, जो भारत की वर्ष 2011 की कुल जनसंख्या (12106 लाख) का 16.5 प्रतिशत है।

उत्तर प्रदेश में 18 मण्डल हैं तथा इन मण्डलों में कुल 75 जनपद हैं। प्रदेश को नियोजन के दृष्टिकोण से चार आर्थिक क्षेत्रों यथा- पूर्वी, पश्चिमी, केन्द्रीय एवं बुन्देलखण्ड में विभक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान तथा ग्राम्य विकास कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में 821 सामुदायिक विकास खण्ड भी बनाये गये हैं।

उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति सम्बन्धी आर्थिक सम्भागवार कुछ प्रमुख संकेतक

क्र. सं.	मद	आर्थिक सम्भाग				
		पूर्वी	बुन्देलखण्ड	पश्चिमी	केन्द्रीय	उत्तर प्रदेश
1.	जनसंख्या का घनत्व (2011)	931	329	930	785	829
2.	कुल जनसंख्या में मुख्य कर्मकरों का प्रतिशत (2011)	19.12	27.19	24.28	24.17	22.34
3.	कृषि में लगे मुख्य कर्मकरों का कुल मुख्य कर्मकरों से प्रतिशत (2011)	59.42	69.44	51.28	59.51	56.74
4.	फसल सघनता (2014-15)	142.44	198.10	149.14	155.61	157.53
5.	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल से प्रतिशत (2014-15)	157.82	142.07	163.95	154.69	157.53
6.	प्रति हेक्टेयर सकल बोये गये क्षेत्रफल पर कुल उर्वरक वितरण किलोग्राम (2015-16)*	160.53	137.50	170.03	161.87	161.78

7. प्रति व्यक्ति कृषि उपज का सकल मूल्य रु. प्रचलित भावों पर (2015-16) आधार वर्ष	2558	5267	13474	10496	3997
8. प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन का सकल मूल्य ह. रु. (2014-15)	4308	3358	34974	14341	17471
9. प्रति लाख जनसंख्या पर पंजीकृत कारखानों में लगे व्यक्तियों की संख्या (2014-15)	102	96	850	372	426
10. कुल उपभुक्त विद्युत में से कृषि से उपभुक्त विद्युत का प्रतिशत (2017-18)	20.41	27.30	21.61	13.25	20.10
11. प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग की मात्रा (कि.वा. प्रति घं.) (2017-18)	268.56	259.84	550.89	383.65	398.99
12. ऋण जमा अनुपात (मार्च 2018)	28.24	50.73	53.81	34.82	40.91
13. प्रति लाख जनसंख्या पर संस्थानुसार स्कूलों की संख्या (2017-18)					
क. जूनियर बेसिक**	53	70	45	55	51
ख. सीनियर बेसिक**	21	39	19	21	21
ग. हायर सेकेण्डरी	12	10	12	11	12
14. प्रति लाख जनसंख्या पर संस्थानुसार विद्यार्थियों की संख्या (2017-18)					
क. जूनियर बेसिक**	5864	10543	4345	5576	5285
ख. सीनियर बेसिक**	1757	2982	1355	1886	1688
ग. हायर सेकेण्डरी	6799	5263	5998	5772	6233
15. प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या (2017-18)	2.44	3.15	2.02	1.97	2.23
16. प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों में शैय्याओं की संख्या (2017-18)	39.61	50.38	34.28	45.33	39.15
17. प्रति हजार आबाद मजरों पर नल द्वारा पेयजल युक्त मजरों की सं. (2017-18)	998.1	999.3	999.4	999.7	1000.0
18. प्रति लाख जनसंख्या पर लोक नि.वि. के अधीन पक्की सड़कों की लम्बाई कि.मी. (2016-17)	120.18	146.67	93.59	98.38	107.63

* सकल बोया गया क्षेत्रफल वर्ष 2014-15 पर आधारित है।

** केवल परिषदीय विद्यालय सम्मिलित हैं।

19. प्रति हजार वर्ग किमी. क्षेत्रफल पर लोक नि.वि. की पक्की सड़कों की लम्बाई (2016-17)	1211.05	518.73	948.88	841.85	970.25
20. विद्युतीकृत ग्रामों का कुल आबाद ग्रामों से प्रतिशत (2017-18) 2001 के आबाद ग्रामों के आधार पर	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

स्रोत :- सांख्यिकीय डायरी उ.प्र. 2018, अर्थ एवं संख्या प्रभाग उ.प्र.

राज्य की अर्थव्यवस्था

राज्य आय के वर्ष 2017-18 के जारी त्वरित अनुमान के अनुसार वर्ष 2017-18 में स्थिर (2011-12) भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की वृद्धि दर 7.0% रही है। वर्ष 2017-18 में स्थिर (2011-12) भावों में सकल राज्य घरेलू मूल्य वर्धन (जीएसवीए) में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक खण्डों की वृद्धि दर क्रमशः 7.8%, 3.7%, 8.3% रही है। प्रचलित भावों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) के सन्दर्भ में वर्ष 2017-18 की प्रति व्यक्ति आय रु. 55456 आंकलित हुई है जो गत वर्ष से 8.9% की वृद्धि दर को दर्शाता है। वर्ष 2017-18 में प्रचलित भावों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) का खण्डवार वितरण इस प्रकार है- (क) प्राथमिक खण्ड-27.0%, (ख) द्वितीयक खण्ड-25.0% तथा (ग) तृतीयक खण्ड- 48.0%। प्रदेश के राज्य आय के वर्ष 2017-18 के जारी त्वरित अनुमानों का विस्तृत विवरण निम्नवत् है :

सकल राज्य मूल्य वर्धन (स्थायी भावों पर)

आधार वर्ष 2011-12 पर जारी वर्ष 2017-18 के त्वरित अनुमानों के अनुसार बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2011-12 में रु. 681895 करोड़, वर्ष 2012-13 में रु. 716339 करोड़, वर्ष 2013-14 में रु. 754331 करोड़, वर्ष 2014-15 में रु. 780937 करोड़, वर्ष 2015-16 में रु. 851033 करोड़ तथा वर्ष 2016-17 में रु. 910436 करोड़ तथा वर्ष 2017-18 में 973493 करोड़ रहा है, जो वर्ष 2012-13 में 5.1%, वर्ष 2013-14 में 5.3%, वर्ष 2014-15 में 3.5%, वर्ष 2015-16 में 9.0%, वर्ष 2016-17 में 7.0% तथा वर्ष 2017-18 में 6.9% की वृद्धि दर को दर्शाता है।

सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक खण्डों की वृद्धि दर वर्ष 2012-13 में क्रमशः 4.4%, 2.8% तथा 6.8%, वर्ष 2013-14 में क्रमशः (-) 0.1%, 7.9% तथा 7.1%, वर्ष 2014-15 में क्रमशः (-) 0.9%, (-) 2.0% तथा 9.2%, वर्ष 2015-16 में क्रमशः 5.6%, 15.3%, 7.5%, वर्ष 2016-17 में 6.7%, 9.9% तथा 5.5% एवं वर्ष 2017-18 में क्रमशः 7.8%, 3.7% तथा 8.3% रही है।

खण्डवार विश्लेषण (स्थायी भावों पर)

प्राथमिक खण्ड : इसके अन्तर्गत कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन तथा खनन और उत्खनन उपखण्ड शामिल हैं। नवीन शृंखला में प्राथमिक खण्ड के अन्तर्गत फसल तथा पशुपालन के अनुमान पृथक-पृथक आंकलित किये गये हैं जबकि पुरानी शृंखला में यह कृषि तथा संवर्गीय क्षेत्र के अन्तर्गत एक साथ आंकलित किये जाते थे।

- प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में फसल उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17 तथा वर्ष 2017-18 में क्रमशः 5.0%, (-) 2.3%, (-)5.4%, 4.9%, 7.2% तथा 9.1% की वृद्धि हुई है।

- पशुपालन उपखण्ड के अन्तर्गत प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17 तथा वर्ष 2017-18 में क्रमशः 4.9%, 4.7%, 5.6%, 3.7%, 2.4%, तथा 1.6% की वृद्धि हुई है।
- मत्स्य उपखण्ड के अन्तर्गत प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में क्रमशः 4.7%, 3.3%, 6.4%, 2.1%, 22.4% तथा 1.8% की वृद्धि हुई है।
- खनन एवं पत्थर निकालना उपखण्ड के अन्तर्गत प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष, 2015-16, वर्ष 2016-17 तथा वर्ष 2017-18 में क्रमशः (-) 0.6%, 10.1%, 28.2%, 32.4%, 21.2% तथा 25.5% की वृद्धि हुई है।

माध्यमिक खण्ड : माध्यमिक खण्ड के अन्तर्गत विनिर्माण, विद्युत गैस तथा जल सम्पूर्ति एवं निर्माण कार्य उपखण्ड शामिल हैं। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में द्वितीयक खण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में क्रमशः 2.8%, 7.9%, (-) 2.0%, 15.3%, 9.9% तथा 3.7% की वृद्धि हुई है।

प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में विनिर्माण उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17 तथा वर्ष 2017-18 में क्रमशः 4.1%, 13.7%, (-)10.0%, 26.4%, 16.9% तथा 2.6% की वृद्धि हुई है।

प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में विद्युत गैस तथा जल सम्पूर्ति के अन्तर्गत वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17 तथा वर्ष 2017-18 में क्रमशः 5.8%, 13.0%, 6.0%, 6.3%, 12.5% तथा 7.8% की वृद्धि हुई है।

प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में निर्माण उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17 तथा वर्ष 2017-18 में क्रमशः 1.0%, 1.1%, 6.5%, 5.2%, 1.0% तथा 4.6% की वृद्धि हुई है।

तृतीयक खण्ड : अर्थव्यवस्था के तृतीयक खण्ड के अन्तर्गत "परिवहन-संचार-व्यापार", "वित्त तथा स्थावर सम्पदा" एवं "सामुदायिक तथा निजी सेवायें" उपखण्ड सम्मिलित हैं। प्रदेश के सकल राज्य मूल्य वर्धन में सेवा उपखण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17 तथा वर्ष 2017-18 में क्रमशः 6.8%, 7.1%, 9.2%, 7.5%, 5.5%, तथा 8.3% की वृद्धि हुई है।

सकल राज्य मूल्य वर्धन (प्रचलित भावों पर)

बुनियादी मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धन वर्ष 2011-12 में रु. 681895 करोड़ तथा वर्ष 2012-13 में रु. 777206 करोड़, वर्ष 2013-14 में रु. 885565 करोड़ तथा वर्ष 2014-15 में रु. 948993 करोड़, वर्ष 2015-16 में रु.1057053 करोड़, तथा वर्ष 2016-17 में रु. 1157943 करोड़ तथा वर्ष 2017-18 में रु. 1271858 करोड़ रहा है।

प्राथमिक खण्ड का सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2011-12, वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17 तथा वर्ष 2017-18 में क्रमशः रु.189787 करोड़, रु. 219964 करोड़, रु. 246724 करोड़, रु. 254845 करोड़, रु. 283769 करोड़, रु. 311355 करोड़ तथा रु. 343853 करोड़ रहा है।

द्वितीयक खण्ड का सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2011-12, वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17 तथा वर्ष 2017-18 में क्रमशः रु. 181781 करोड़, रु. 200719 करोड़, रु. 231544 करोड़, रु. 238000 करोड़, रु. 269234 करोड़, रु. 299782 करोड़ तथा रु. 317780 करोड़ रहा है।

तृतीयक खण्ड का सकल राज्य मूल्य वर्धन वर्ष 2011-12, वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17 तथा वर्ष 2017-18 में क्रमशः रु. 310326 करोड़, रु.356522 करोड़, रु.407297 करोड़, रु. 456148 करोड़, रु. 504051 करोड़, रु. 546806 करोड़ तथा रु. 610226 करोड़ अनुमानित रहा है।

अर्थव्यवस्था की खण्डीय संरचना

राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न खण्डों के अंशदानों एवं निश्चित अवधि में हुए परिवर्तनों से यह बोध होता है कि विभिन्न आर्थिक क्षेत्र किस प्रकार विकसित हो रहे हैं। वर्ष 2017-18 के त्वरित अनुमानों के अनुसार प्राथमिक खण्ड का स्थायी (2011-12) भावों पर राज्य के निवल मूल्य वर्धन में योगदान जो वर्ष 2011-12 में 29.0 प्रतिशत था, वो घटकर वर्ष 2017-18 में 25.6 प्रतिशत रह गया है। इस अवधि में राज्य की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक खण्ड में कृषि (फसल) का योगदान 18.5 प्रतिशत से घटकर 15.3 प्रतिशत रह गया है। वर्ष 2017-18 में पशुपालन खण्ड का योगदान 6.4 प्रतिशत तथा वन उद्योग एवं लट्ठे बनाना खण्ड का योगदान 1.5 प्रतिशत है। इस प्रकार प्राथमिक खण्ड के अन्तर्गत फसल खण्ड का योगदान अभी भी सर्वाधिक है।

माध्यमिक खण्ड का राज्य के निवल मूल्य वर्धन में योगदान वर्ष 2011-12 में 25.9 प्रतिशत था जो वर्ष 2017-18 में भी 25.9 प्रतिशत है। इस खण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में विनिर्माण उपखण्ड का योगदान 13.6 प्रतिशत तथा निर्माण उपखण्ड का योगदान 11.5 प्रतिशत रहा है।

तृतीयक खण्ड का राज्य के निवल मूल्य वर्धन में योगदान वर्ष 2011-12 में 45.1 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 48.5 प्रतिशत हो गया है। इस खण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में सर्वाधिक योगदान स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यावसायिक उपखण्ड का 13.0 प्रतिशत रहा है। वर्ष 2017-18 में व्यापार, होटल एवं जलपान गृह का योगदान 11.3 प्रतिशत तथा परिवहन संग्रहण तथा संचार खण्ड का योगदान 8.1 प्रतिशत आंकलित हुआ है। खण्डीय संरचना के इस परिवर्तन से यह संकेत मिलता है कि वर्ष 2011-12 से राज्य की अर्थव्यवस्था कृषीय से अकृषीय की ओर निरन्तर अग्रसर होती जा रही है तथापि राज्य की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था में कृषि की प्रधानता है।

प्रति व्यक्ति आय

वर्ष 2017-18 के त्वरित अनुमान के अनुसार प्रदेश की निवल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011-12 में रु. 32002 थी जो बढ़कर वर्ष 2017-18 में रु. 55456 हो गयी है। वर्ष 2016-17 तथा वर्ष 2017-18 में प्रति व्यक्ति आय में क्रमशः 8.2% तथा 8.9% प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुई है। प्रदेश की निवल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में स्थायी भावों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2011-12 में रु. 32002 थी जो बढ़कर वर्ष 2017-18 में रु. 41082 हो गयी है। वर्ष 2016-17 तथा वर्ष 2017-18 में प्रति व्यक्ति आय में क्रमशः 5.5 प्रतिशत तथा 5.4 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुई है जैसे कि निम्न तालिका में दृष्टव्य है:

तालिका

प्रदेश की निवल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में प्रति व्यक्ति आय (रु.में)

वर्ष	प्रचलित भावों पर	गतवर्ष में प्रतिशत वृद्धि	स्थायी भावों पर	गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि
2011-12	32002	-	32002	-
2012-13	35812	11.9	32908	2.8
2013-14	40124	12.0	34044	3.5
2014-15	42267	5.3	34583	1.6
2015-16	47062	11.3	36923	6.8
2016-17	50942	8.2	38965	5.5
2017-18	55456	8.9	41082	5.4

प्रदेश के राज्य आय तथा अखिल भारतीय राष्ट्रीय अनुमानों का विश्लेषण

केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के वर्ष 2017-18 के संशोधित अनुमान के अनुसार राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में प्रचलित भावों पर वर्ष 2011-12 में प्राथमिक तथा द्वितीयक खण्ड का योगदान क्रमशः 21.7 प्रतिशत व 29.3 प्रतिशत था जो घटकर वर्ष 2017-18 में 19.5 प्रतिशत व 27.0 प्रतिशत हो गया है। इसके विपरीत तृतीयक खण्ड का योगदान वर्ष 2011-12 में 49.0 प्रतिशत था जो बढ़कर वर्ष 2017-18 में 53.5 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2017-18 में राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान 16.4 प्रतिशत विनिर्माण खण्ड का है। उक्त अवधि में प्रदेश में भी प्राथमिक खण्ड के योगदान में कमी आई है जबकि तृतीयक खण्ड का योगदान 45.5 प्रतिशत से बढ़कर 48.0 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2017-18 में राज्य की अर्थव्यवस्था में अभी भी कृषि खण्ड की प्रधानता है।

वर्ष 2017-18 में स्थायी (2011-12) भावों पर सकल घरेलू उत्पाद में अखिल भारतीय स्तर पर 7.2 प्रतिशत तथा राज्य स्तर पर 7.0 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुई है।

वर्ष 2011-12 से वर्ष 2017-18 की अवधि में प्रचलित भावों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय निवल घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में रु. 32002 से बढ़कर 55456 हो गयी जबकि अखिल भारतीय स्तर पर रु. 63462 से बढ़कर रु. 114958 हो गयी है। वर्ष 2011-12 से वर्ष 2017-18 तक प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय का लगभग 48.2 प्रतिशत रही है।

लोक निधि-

प्रदेश की विकासशील अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण संसाधनों की सृजन क्षमता सीमित है। ऐसी स्थिति में प्रदेश के विकासात्मक गतिविधियों हेतु सीमित संसाधनों के दृष्टिगत प्रदेश का विकास किया जाना एक बड़ी चुनौती है।

1. राजस्व प्राप्ति-

राज्य के संसाधन मुख्य रूप से राज्य के अपने संसाधन तथा केन्द्र सरकार से अन्तरण के आधार पर प्राप्त होते हैं। राज्य के राजस्व आय के प्रमुख स्रोत हैं- कर, करेत्तर राजस्व तथा केन्द्र सरकार से अन्तरण। केन्द्रीय अन्तरण के स्रोत हैं केन्द्रीय करों के विभाज्य अंश में राज्य का अंश तथा केन्द्र से अनुदान। वर्ष 2017-18 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश को रु. 3,05,028.87 करोड़ के कुल राजस्व आय में राज्य के कर एवं करेत्तर राजस्व से रु. 1,12,461.04 करोड़ तथा केन्द्र से करों के विभाज्य अंश में तथा केन्द्रीय

अनुदानों के रूप में रु. 1,92,567.83 करोड़ प्राप्त हुआ। राज्य के गत पाँच वर्षों की राजस्व प्राप्तियों को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका

राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति से आय के स्रोत का प्रतिशत **(करोड़ रु. में)**

वर्ष	राज्य का स्वयं का राजस्व		केन्द्रीय संक्रमण		कुल राजस्व प्राप्तियाँ
	राज्य कर तथा शुल्क	राज्य करेत्तर राजस्व	केन्द्रीय करों में अंश	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	
2013-14	66582.11	16449.81	62776.66	22405.17	168213.75
2014-15	74172.98	19934.80	66622.35	32691.48	193421.61
2015-16	81106.29	23134.66	90973.66	31861.33	227075.94
2016-17	85966.25	28944.07	109427.96	32536.87	256875.15
2017-18(पु.अ.)	94958.92	17502.12	121406.51	71161.32	305028.87

(नोट - वर्ष 2014-15 से केन्द्रीय योजनाओं हेतु केन्द्र सरकार द्वारा सीधे विभागों को उपलब्ध कराये जाने वाले अनुदान को राज्य सरकार के बजट के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है जिस कारण अप्रत्याशित वृद्धि केन्द्रीय अनुदान में परिलक्षित हो रही है।)

राज्य की राजस्व आय में राज्य के कर एवं करेत्तर राजस्व का अंश वर्ष 2016-17 के वास्तविक आकड़ों के अनुसार 44.7 प्रतिशत था अर्थात राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति में लगभग 45 प्रतिशत अंश राज्य अपने संसाधनों से ही एकत्रित करता है। संसाधनों में वृद्धि के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

2. राजस्व व्यय-

राजस्व व्यय के मुख्य भाग हैं- राज्य करों की वसूली पर व्यय, ब्याज का भुगतान, प्रशासनिक तथा सामान्य सेवाओं पर व्यय तथा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय। वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 की अवधि में राजस्व प्राप्ति तथा सामान्य, सामाजिक, आर्थिक सेवाओं एवं स्थानीय निकायों के अनुदान पर होने वाले व्यय को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका

राजस्व व्यय के मुख्य घटक **(करोड़ रु. में)**

वर्ष	कुल राजस्व व्यय	राजस्व व्यय के घटक			
		सामान्य सेवायें	सामाजिक सेवायें	आर्थिक सेवायें	स्थानीय निकायों को अनुदान
2013-14	158146.87	61983.49	60756.28	25710.72	9696.38
2014-15	171027.33	64305.73	60905.78	34885.24	10930.58
2015-16	212735.95	72227.92	82486.46	47881.28	10140.29
2016-17	236592.26	88254.82	91861.12	45834.16	10642.16
2017-18(पु.अ.)	286513.57	107367.01	95314.70	72253.71	11578.15

सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर होने वाला व्यय विकासात्मक श्रेणी में तथा सामान्य सेवाओं पर किया जाने वाला राजस्व व्यय विकासेत्तर व्यय कि श्रेणी में आता है। वर्ष 2013-14 में राजस्व व्यय का विकासात्मक कार्यों में किया जाने वाला व्यय 54.7 प्रतिशत था जो वर्ष 2015-16 में बढ़कर 61.3 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गया यद्यपि वर्ष 2017-18 में इसके घटकर 58.5 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है।

3. वेतन, पेंशन, ब्याज-

राज्य के व्यय का एक बड़ा भाग राज्य कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन के रूप में व्यय हो जाता है। यह राज्य सरकार का वचनबद्ध व्यय है जिसे राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना अनिवार्य है। इन मदों में किये जाने वाले व्यय का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका

वेतन, पेंशन एवं ब्याज पर राजस्व व्यय (करोड़ रु. में)

वर्ष	वेतन	पेंशन	ब्याज	वेतन+ पेंशन+ ब्याज
2013-14	54,363.41	19,521.21	17,412.44	91,297.06
2014-15	61,557.74	22,304.61	18,864.44	1,02,726.72
2015-16	73,795.79	24,149.57	21,447.87	1,19,393.23
2016-17	84,591.85	28,226.94	26,935.67	1,39,754.46
2017-18(पु.अ.)	85,919.61	37,338.99	30,277.74	1,53,536.34

4. पूँजीगत परिव्यय

पूँजीगत परिव्यय राज्य की विकासात्मक गतिविधि को प्रदर्शित करने वाला व्यय है तथा प्रदेश का विकास पूँजीगत परिव्यय पर ही निर्भर होता है। पूँजीगत परिव्यय का यद्यपि कोई मानक निर्धारित नहीं किया जाता है अपितु यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में जितना अधिक होगा, उतना राज्य के लिए बेहतर माना जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार द्वारा लघु एवं सीमान्त किसानों की वर्षों से चली आ रही ऋण की समस्या के दृष्टिगत व्यापक स्तर पर ऋण राहत के एक बड़े अंश का मोचन किया गया जिसके कारण पूंजीगत परिव्यय में वर्ष 2017-18 में वर्ष 2016-17 की तुलना में कमी परिलक्षित हो रही हैं। राज्य सरकार का यह कदम वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दुगनी करने की दशा में एक सकारात्मक पहल है तथा इसका दीर्घकालीन अनुकूल प्रभाव प्रदेश की वृद्धि दर पर पड़ेगा।

5. ऋण का उपयोग-

परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु राज्य सरकार द्वारा कतिपय माध्यमों से ऋण लिया जाता है तथा वित्तीय अनुशासन के अभाव में लिया जाने वाला ऋण अनियंत्रित होकर पूरी अर्थव्यवस्था को चरमरा सकता है। लोक वित्त के सिद्धान्त के अन्तर्गत व्यय को वहन करने के लिए ऋण लेना बुरा नहीं है। बशर्ते उस ऋण का उपयोग परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए किया जाये।

6. राजकोषीय घाटा-

किसी भी राज्य की वित्तीय स्थिति को आंकने का सबसे महत्त्वपूर्ण संकेतक राजकोषीय घाटा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत होता है जिसमें उल्लेखनीय सुधार परिलक्षित हो रहा है। वर्ष 2013-14 में यह 2.77 प्रतिशत के स्तर पर था जिसके वर्ष 2017-18 में 2.984 प्रतिशत के स्तर पर रहने का अनुमान है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 की अवधि हेतु 13वें वित्त आयोग द्वारा 3.0 प्रतिशत की सीमा भी निर्धारित की गयी थी। राज्य सरकार द्वारा आयोग की

संस्तुति के अनुसार उक्त वर्षों में राजकोषीय घाटा को निर्धारित 3 प्रतिशत के स्तर से नीचे ही बनाये रखे जाने के प्रयास किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16 से 14वें वित्त आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनः 3 प्रतिशत की सीमा निर्धारित की गयी परन्तु दो शर्तों यथा- ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 25 प्रतिशत से कम होने तथा ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्ति के 10% से कम होने पर आगामी वर्ष में क्रमशः 0.25-0.25 प्रतिशत की लोचनीयता प्रदान की गयी अर्थात शर्त पूर्ण करने की स्थिति में राज्य अधिकतम 3.5 प्रतिशत तक राजकोषीय घाटा की सीमा तक जा सकते हैं।

7. राज्य की कुल ऋण ग्रस्तता-

प्रदेश में विकासात्मक योजनाओं एवं सामाजिक उत्थान के अनेक कार्यों हेतु राज्य सरकार को अपने सीमित संसाधनों के दृष्टिगत ऋण लेने की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश राज्य की व्यवस्था विकासशील है जिस कारण अनेक स्रोतों से राज्य सरकार द्वारा ऋण की उगाही की जाती है। राज्य सरकार की कुल ऋणग्रस्तता को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका

राज्य की कुल ऋण ग्रस्तता **(करोड़ रु. में)**

वर्ष	बाजार ऋण	अल्प बचत	भविष्य एवं पेंशन निधियाँ	अन्य*	कुल ऋण ग्रस्तता
2013-14	89,157.44	59,119.36	44,297.81	49,111.26	2,41,685.87
2014-15	1,02,666.91	65,444.26	45,480.38	53,229.14	2,66,820.69
2015-16	1,27,967.87	69,782.94	47,014.66	79,170.19	3,23,935.66
2016-17	1,64,872.26	65,251.36	48,733.64	94,560.07	3,73,417.33
2017-18(पु.अ.)	2,01,450.26	60,608.32	50,962.89	93,452.84	4,06,474.31

*अन्य में वित्तीय संस्थाओं से ऋण, पॉवर बाण्डस, भारत सरकार से ऋण, जमा एवं अग्रिम अन्य देयतायें शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था विकासशील हैं जिस कारण अनेक स्रोतों से राज्य सरकार द्वारा ऋण की उगाही की जाती है। राज्य सरकार की कुल ऋणग्रस्तता उक्त तालिका के अनुसार वर्ष 2016-17 तक कुल ऋणग्रस्तता रु. 3,73,417.33 करोड़ तक पहुंच गयी है तथा वर्ष 2017-18 के अन्त तक इसके रु. 4,06,474.31 करोड़ तक होने का अनुमान है।

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि कुल ऋण ग्रस्तता लगातार बढ़ती जा रही है, परन्तु किसी भी राज्य की ऋण ग्रस्तता का आंकलन उसकी कुल ऋण ग्रस्तता से नहीं अपितु सकल राज्य घरेलू उत्पाद से प्रतिशत के रूप में किये जाने पर ही राज्य की सही स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में कतिपय केन्द्रीय वित्त आयोगों द्वारा राज्य एवं संघ के लिए ऋण एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए निर्धारित अनुपात की संस्तुति की जाती रही है तथा यदि राज्य अथवा संघ अपने निर्धारित प्रतिशत अनुपात की सीमा के अन्दर हैं तो राज्य की ऋण स्थिति नियन्त्रित मानी जाती है।

प्रदेश में बैंकिंग नेट वर्क

प्रदेश में मार्च 2018 तक कुल 18320 बैंक शाखायें कार्यरत हैं जिनके माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

उत्तर प्रदेश में मार्च 2018 तक कुल कार्यरत बैंक शाखायें

क्र.सं.	बैंक का प्रकार	बैंक शाखाओं की संख्या
1.	सार्वजनिक बैंक	11183
2.	निजी बैंक	1250
3.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	4303
4.	सहकारी बैंक	1584
	कुल	**18320**

बैंकों की वार्षिक जमा– प्रदेश में व्यवसायिक बैंकों (ग्रामीण बैंकों सहित) में मार्च 2018 तक रु. 916098.94 करोड़ की धनराशि जमा है।

बैंकों की वार्षिक ऋण योजना– कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में ऋण वितरण करने हेतु प्रत्येक जनपद के लिए प्रतिवर्ष वार्षिक ऋण योजना तैयार करायी जाती है। वर्ष 2017-18 के दौरान वार्षिक ऋण योजनान्तर्गत कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में रु. 200958.26 करोड़ के ऋण वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष मार्च 2018 तक रु. 167611 करोड़ (83 प्रतिशत) का ऋण बैंकों द्वारा वितरित किया गया।

कृषि एवं सम्वर्गीय सेवा

कृषि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्म निर्भर बनाने, जनता को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा प्रदान करने, राज्य को राष्ट्र के खाद्य भण्डार के रूप में सम्पन्न बनाने तथा ग्रामीण जनता की आर्थिक उन्नति एवं सम्पन्नता सुनिश्चित कर ग्राम्य जीवन में गुणवत्तायुक्त सुधार लाने के लिए कृषि नीति के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा सप्तक्रान्ति प्रसार, सिंचाई एवं जल प्रबन्धन, विपणन, मशीनीकरण एवं शोध तथा कृषि विविधीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है।

राज्य आय के त्वरित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2017-18 में प्रचलित भावों पर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद 1376324 करोड़ रु. में कुल कृषीय फसलों का अंश 212354 करोड़ रुपये था। वर्ष 2017-18 में प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं सम्वर्गीय क्षेत्र का योगदान 25.7 प्रतिशत रहा जिसमें कृषीय फसलों का योगदान 16.7 प्रतिशत रहा।

वर्ष 2016-17 में स्थायी भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर 5.8 प्रतिशत थी जो कि वर्ष 2017-18 में 6.5 प्रतिशत हो गयी है। इसी प्रकार फसलों की वृद्धि दर जो कि वर्ष 2016-17 में 7.2 प्रतिशत थी वर्ष 2017-18 में 9.1 प्रतिशत हो गयी।

कृषि में कार्यरत कर्मकरों की स्थिति

वर्ष 2011 की जनगणनानुसार उत्तर प्रदेश में कुल 658.15 लाख कर्मकर थे, जिसमें 190.58 लाख कृषक एवं 199.39 लाख कृषि श्रमिक थे। कुल कर्मकरों में कृषकों एवं कृषि श्रमिकों का प्रतिशत अंश 59.3 था। वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणनानुसार उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकरों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका

उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकरों की संख्या तथा उनका प्रतिशत विवरण

क्र. सं.	मद	इकाई	कर्मकरों की संख्या		कर्मकरों का प्रतिशत	
			वर्ष 2001	वर्ष 2011	वर्ष 2001	वर्ष 2011
1.	कृषक	लाख	221.68	190.58	41.1	29.0
2.	कृषि श्रमिक	लाख	134.01	199.39	24.8	30.3
3.	पारिवारिक उद्योग	लाख	30.31	38.99	5.6	5.9
4.	अन्य	लाख	153.84	229.19	28.5	34.8
	योग		**539.84**	**658.15**	**100.0**	**100.0**

उक्त तालिका में दो जनगणना वर्षों के आंकड़ों की तुलना से स्पष्ट है कि कृषकों की संख्या घट रही है तथा कृषि श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है।

भूमि उपयोगिता

वर्ष 2014-15 के भू-उपयोग सांख्यिकीय के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 24170 हजार हेक्टेयर है जिसमें 1659 हजार हे. वन क्षेत्र, 462 हजार हे. ऊसर और खेती के अयोग्य भूमि, 3046 हजार हे. खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग में आने वाली भूमि, 405 हजार हे. कृष्य बेकार भूमि, 65 हजार हे. स्थायी चरागाह एवं अन्य चराई की भूमि, 305 हजार हे. अन्य वृक्षों, झाड़ियों आदि की भूमि, 1122 हजार हे. वर्तमान परती तथा 509 हजार हे. भूमि अन्य परती की है। वर्ष 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 26147 हजार हे. कुल बोया गया क्षेत्रफल है जिसमें 16598 हजार हे. वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल तथा 9549 हजार हे. एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल है।

जोतों का आकार

कृषि गणना 2005-06 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल जोतों में एक हे. से कम आकार वाली जोतों का प्रतिशत 78.0 था जो कि वर्ष 2010-11 में बढ़कर 79.5 प्रतिशत हो गया। स्पष्ट है कि प्रदेश में जोतों का औसत आकार घटता जा रहा है। वर्ष 2010-11 की कृषि गणना के अनुसार प्रदेश में कुल कृषकों की संख्या 233.25 लाख है जिसमें से 215.68 लाख (92.5 प्रतिशत) कृषक लघु एवं सीमान्त श्रेणी के हैं। उनके पास प्रदेश के कुल कृषित क्षेत्रफल का 64.8 प्रतिशत कृषि क्षेत्रफल है अर्थात प्रदेश के कृषि विकास का भविष्य प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों के विकास के साथ जुड़ा हुआ है किन्तु इन कृषकों की जोतों का आकार छोटा है अतः गहन खेती को बढ़ावा देकर कृषि को लाभप्रद बनाया जा सकता है। प्रदेश में कृषक परिवार तथा उनके अधीन जोतों के क्षेत्रफल की तुलनात्मक स्थिति निम्नवत् हैः

तालिका

प्रदेश में कृषक परिवार तथा उनके अधीन जोतों का क्षेत्रफल

क्र.सं.	वर्गीकरण	कृषक परिवार (लाख)	क्षेत्रफल (लाख हे. में)	क्षेत्रफल प्रति परिवार (हे.)
01.	सीमान्त कृषक	185.32	71.71	0.39
	क. सीमान्त कृषक (0.5 हे. से कम)	135.70	36.99	
	ख. सीमान्त कृषक (0.5 हे.-0.1 हे. से कम)	49.62	34.72	

02	लघु कृषक (0.1 हे.-0.2 हे. तक)	30.36	42.43	0.27
	लघु कृषक (0.2 हे. तक)	215.68	114.13	
03	अन्य कृषक (0.2 हे. व उससे अधिक)	17.58	62.08	3.53
	कुल योग	**233.25**	**176.22**	**0.76**

प्रदेश में वर्ष 2000-2001 से वर्ष 2017-2018 तक फसलों के अन्तर्गत आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गई है :

तालिका

फसल	आच्छादन (लाख हे.)		उत्पादन (लाख मी.टन में)		उत्पादकता कु./ हे.	
	वर्ष 2000-01	वर्ष 2017-18	वर्ष 2000-01	वर्ष 2017-18	वर्ष 2000-01	वर्ष 2017-18
चावल	59.04	58.98	116.72	154.42	19.77	26.18
गेहूँ	92.39	97.53	251.68	356.47	27.24	36.55
धान्य	176.16	176.49	405.76	551.83	23.03	31.27
दलहन	26.92	22.62	21.61	22.01	8.03	9.73
खाद्यान्न	203.08	199.11	427.37	573.84	21.04	28.82
तिलहन	8.92	10.87	7.10	13.62	8.25	10.54

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि धान्य फसलों का कुल आच्छादन वर्ष 2000-01 में 176.16 लाख हे. था, जो वर्ष 2017-18 में बढ़कर 176.49 हे. हो गया। दलहनी फसलों का आच्छादन वर्ष 2000-01 के 26.92 लाख हे. से घटकर वर्ष 2017-18 में 22.62 लाख हे. हो गया जबकि तिलहन के अन्तर्गत आच्छादन 8.92 लाख हे. से बढ़कर 10.87 लाख हे. हो गया।

इन फसलों के उत्पादन की स्थिति का विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि धान्य फसलों का उत्पादन वर्ष 2000-01 के 405.76 लाख मी.टन से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 551.83 लाख मी.टन हो गया। दलहन के औसत उत्पादन में वृद्धि हुई है और यह वर्ष 2000-01 के 21.61 लाख मी.टन से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 22.01 लाख मी.टन हो गया। तिलहन के अन्तर्गत उत्पादन विगत 18 वर्षों में बढ़ा है। यह वर्ष 2000-01 के 7.10 लाख मी.टन से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 13.62 लाख मी.टन हो गया है।

इसी प्रकार इन फसलों की उत्पादकता की स्थिति का विश्लेषण करने से स्पष्ट है कि धान्य फसलों की उत्पादकता वर्ष 2000-01 में 23.03 कुन्टल प्रति हे. से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 31.27 कु. प्रति हे. हो गयी। दलहन फसलों की उत्पादकता वर्ष 2000-01 के 8.03 कु. प्रति हे. से बढ़कर 9.73 कु. प्रति हे. हो गयी तथा तिलहन फसलों की उत्पादकता वर्ष 2000-01 के 8.25 कु. प्रति हे. से बढ़कर 10.54 कु. प्रति हे. हो गयी।

उर्वरक

कृषि उपज बढ़ाने के लिए सिंचाई के साधनों की पर्याप्त आवश्यकता के साथ ही साथ रासायनिक उर्वरकों का भी अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है। विभिन्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए रासायनिक उर्वरकों का समुचित मात्रा में प्रयोग वांछित है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2016-17 में 42.61 लाख मी.टन रासायनिक उर्वरकों का उपभोग किया गया जो वर्ष 2017-18 (अनन्तिम) में बढ़कर 46.55 लाख मी.

टन हो गया। उत्तर प्रदेश में विभिन्न वर्षों के अन्तर्गत रासायनिक उर्वरकों की खपत का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका

उत्तर प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों की खपत

(हजार मी.टन में)

वर्ष	नाइट्रोजन (एन.)	फास्फेट (पी.)	पोटाश (के.)	योग
2011-12	3067	1024	167	4258
2012-13	3352	1166	133	4651
2013-14	2972	765	105	3842
2014-15	3169	915	187	4272
2015-16	2930	1098	202	4230
2016-17	2890	1134	238	4261
2017-18*	3224	1192	239	4655

*अनन्तिम

बीज वितरण

कृषि उत्पादन में वृद्धि उन्नतिशील बीजों पर निर्भर करती है। उन्नतशील बीजों के उत्पादन के साथ-साथ इनका ससमय वितरण भी महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2015-16 में 6310.0 हजार कुन्तल बीज वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष 4812.80 हजार कुन्तल बीजों का वितरण किया गया, वहीं वर्ष 2016-17 में 5553.00 हजार कुन्तल बीज वितरण के लक्ष्य के सापेक्ष 5093.59 हजार कुन्तल बीजों का वितरण किया गया। वर्ष 2017-18 में 5563.60 हजार कुन्तल बीज वितरण लक्ष्य के सापेक्ष 5468.17 हजार कुन्तल बीजों का वितरण किया गया। वर्ष 2018-19 में 5622.17 हजार कुन्तल बीज वितरण का लक्ष्य है।

वन

वृक्षों से ही भूमि संरक्षण, जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित होती है। दुर्लभ वन्य जीव प्रजातियों का वन प्राकृतिक वास है। उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षारोपण का कुल क्षेत्रफल 22,121 वर्ग किमी. है जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी. के सापेक्ष मात्र 9.18 प्रतिशत है। यह राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के मानक स्तर 33.33 प्रतिशत से कम है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2014-15 में कुल प्रतिवेदित क्षेत्र 241.70 लाख हे. था। वनों का क्षेत्रफल प्रदेश के प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 6.9 प्रतिशत है जबकि भारत में यह लगभग 23 प्रतिशत है। सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2017-18 (त्वरित अनुमान के अनुसार) में वनों का अंश प्रचलित भावों पर रु.15414.54 करोड़ है, जो कि सकल राज्य आय का 1.2 प्रतिशत है। वर्ष 2017-18 में वन क्षेत्र की विकास दर 0.8 प्रतिशत है।

प्रदेश में मुख्य/गौण वनोपज

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017-18 में 188 हजार घन मीटर इमारती लकड़ी, 3 हजार घन मी. चट्टा जलाने की लकड़ी, 53 हजार कौड़ी बांस, 183 हजार मानक बोरी तेंदू पत्ता तथा 01 हजार कुन्तल भाभड़ घास का उत्पादन हुआ। विभिन्न वर्षों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश की मुख्य/गौण वनोपज का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका

उत्तर प्रदेश की मुख्य/गौण वनोपज

मद	वर्ष 2011-12	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17	वर्ष 2017-18#
1. इमारती लकड़ी (हजार घन मी.)	193	228	174	188
(क) साल	27	32	18	19
(ख) सागौन	8	8	7	9
(ग) शीशम	12	14	16	16
(घ) खैर	3	3	3	3
(च) असना	-	1	1	1
(छ) यूकेलिप्टस	111	112	71	78
(ज) विविध	32	58	58	62
2. जलाने की लकड़ी (हजार घन मी.)	3	4	1	3
3. बांस (हजार कौड़ी)	40	25	52	53
4. तेंदू पत्ता (हजार मानक बोरी)	175	186	180	183
5. भाभड़ घास (हजार कुन्तल)	2	1	1	1

अनन्तिम

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2016-17 की अपेक्षा वर्ष 2017-18 में सभी इमारती लकड़ियों का उत्पादन बढ़ा है। इसी प्रकार वर्ष 2017-18 में गत वर्ष 2016-17 की अपेक्षा बांस तथा तेंदू पत्ता का उत्पादन भी बढ़ा है।

पशुधन

पशु सम्पदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक समृद्ध राज्य है। देश के कुल पशुधन का 13.4 प्रतिशत पशु सम्पदा उत्तर प्रदेश में है। प्रदेश की लगभग 80 प्रतिशत जनता ग्रामीण अंचल में निवास करती है जिसके जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत कृषि एवं पशुपालन है। वर्ष 2017-18 के त्वरित अनुमान के अनुसार वर्ष 2017-18 में स्थायी भावों पर पशुपालन खण्ड की वृद्धि दर 1.6 प्रतिशत रही है, जबकि वर्ष 2016-17 में 2.4 प्रतिशत थी। वर्ष 2011-12 में प्रचलित भावों पर राज्य के सकल मूल्य वर्धन में पशुधन क्षेत्र का योगदान 6.4 प्रतिशत था, जो वर्ष 2017-18 में बढ़कर 7.4 प्रतिशत हो गया।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012 की पशु गणनानुसार कुल पशुओं की संख्या 687.16 लाख थी। इसमें गायों की संख्या 90.69 लाख तथा भैसों की संख्या 154.32 लाख थी, जो कुल पशुधन का क्रमशः 13.2 प्रतिशत व 22.5 प्रतिशत है। कुल गायों एवं भैसों की संख्या में दूध देने वाली गायों एवं भैसों की संख्या क्रमशः 64.9 प्रतिशत तथा 68.3 प्रतिशत रही। वर्ष 2007 एवं 2012 की पशुगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पशुधन को निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका

उत्तर प्रदेश में पशुधन संख्या

(हजार में)

मद	वर्ष 2007	वर्ष 2012	वृद्धि दर प्रतिशत में
1. कुल गोजातीय	19097	19557	2.41
(क) गाय*	6558	9069	38.29

	1. दूध दे रही	4546	5883	29.41
	2. दूध नहीं दे रही	1404	2372	68.95
2.	कुल महिष जातीय	26440	30625	15.83
	(ख) भैंस*	12869	15432	19.92
	1. दूध दे रही	9186	10538	14.72
	2. दूध नहीं दे रही	2575	3412	32.50
3.	भेड़	1400	1354	(-)3.29
4.	बकरी	14829	15586	5.10
5.	सूकर	1987	1334	(-)32.86
6.	अन्य पशुधन	212	260	22.64
	कुल पशुधन	63966	68716	7.43
	कुल कुक्कुट	17880	18668	4.41

* इसमें दुधारू, एक बार न व्यायी तथा अन्य मादाएं सम्मिलित हैं।

प्रदेश में पशु चिकित्सा सेवा

वर्तमान में प्रदेश में पशु चिकित्सा एवं नस्ल सुधार हेतु 2202 पशु चिकित्सालय, 2575 पशु सेवा केन्द्र, 268 द श्रेणी पशु औषधालय, 25 सचल पशु चिकित्सालय, 05 पालीक्लीनिक, 01 केन्द्रीय प्रयोगशाला, 10 मण्डलीय प्रयोगशाला, 5043 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, 03 अतिहिमीकृत वीर्य उत्पाद केन्द्र एवं 01 पशु जैविक औषधि उत्पादन संस्थान मुख्य रूप से पशुपालन के क्षेत्र में पशुपालकों को अपनी सेवायें प्रदान कर रहे हैं।

पशु उत्पाद एवं उत्पादकता

प्रदेश में वर्ष 2015-16 में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दुग्ध उपलब्धता 335 ग्राम थी, जो वर्ष 2017-18 में बढ़कर 350 ग्राम प्रति दिन हो गयी है। उत्तर प्रदेश माँस उत्पादन में देश में अग्रणी प्रदेश है जिसके द्वारा लगभग देश का 60 प्रतिशत मांस का निर्यात किया जाता है। विभिन्न वर्षों में पशु उत्पादों की प्रगति निम्न तालिका में दर्शायी गयी है:

उत्पादकता की तुलनात्मक स्थिति

	उत्पाद	उत्पादकता की स्थिति			
		वर्ष 2015-16	**वर्ष 2016-17**	**वर्ष 2017-18**	**वर्ष 2018-19 लक्ष्य**
1.	दूध (लाख कुन्तल)	2638.7 (4.7)	2759.2 (4.6)	2905.2 (4.6)	3512.0
2.	अण्डा (लाख)	21928.5 (5.6)	22889.4 (4.4)	24398.05 (6.6)	29186.8
3.	ऊन (हजार किग्रा.)	1264.0 (-15.4)	1286.1 (1.7)	1299 (1.0)	1430
4.	माँस (लाख किग्रा.)	14178.8 (1.5)	13461.1 (-5.1)	11511.24 -(14.5)	-

कोष्ठक में वृद्धि दर दर्शायी गयी है।

मत्स्य पालन

उत्तर प्रदेश का कुल अन्तर्स्थलीय मत्स्य उत्पादन 4.94 लाख मीट्रिक टन रहा है, जो आन्ध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल के बाद भारत में तीसरा स्थान है। मत्स्य पालन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बेकार पड़ी कृषि हेतु अनुपयुक्त भूमि/तालाब/पोखरों/जलाशयों का उपयोग करके अतिरिक्त आय अर्जित की जा सकती है तथा ग्रामीण अंचल में बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार का साधन जुटाने तथा सामाजिक व आर्थिक दशा सुधारने का एक अच्छा अवसर सुलभ कराया जा सकता है। मत्स्य विकास कार्यों को कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 116.98 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है।

प्रदेश में 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में समस्त स्रोतों से आंकलित मत्स्य उत्पादन 4.50 लाख मी. टन था जो 12वीं पंचवर्षीय योजना काल के तृतीय वर्ष 2015-16 में 5.05 लाख मी.टन, वर्ष 2016-17 में 6.18 लाख मी. टन तथा वर्ष 2017-18 में 6.29 लाख मी.टन के स्तर तक पहुँच गया। प्रदेश में मत्स्य उत्पादन की त्रैमासिक गणना की जाती है। वर्ष 2018-19 में वार्षिक लक्ष्य 6.50 लाख मी. टन मत्स्य उत्पादन निर्धारित किया गया है।

तालिका

अनुमानित मत्स्य उत्पादन एवं औसत मत्स्य उत्पादकता

वर्ष	अनुमानित मत्स्य उत्पादन (लाख मी.टन) उपलब्धि	औसत मत्स्य उत्पादकता (किग्रा./हे./वर्ष) उपलब्धि
2011-12	4.30	3335
2012-13	4.50	3402
2013-14	4.64	3600
2014-15	4.94	4140
2015-16	5.04	4140
2016-17	6.18	4155
2017-18	6.29	4400

औद्योगिक विकास

प्रदेश सरकार द्वारा जारी राज्य आय के वर्ष 2017-18 के त्वरित अनुमानों के अनुसार वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में स्थायी भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विर्निमाण क्षेत्र की वृद्धि दर क्रमशः 4.1%, 13.7%, (-) 10.0%, 26.4%, 16.9% तथा 2.6% रही है। वर्ष 2017-18 में संगठित एवं असंगठित विनिर्माण क्षेत्र में क्रमशः 2.5 प्रतिशत तथा 3.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है। वर्ष 2017-18 में कुल विनिर्माण में संगठित एवं असंगठित क्षेत्र का योगदान क्रमशः 64.4 प्रतिशत एवं 35.6 प्रतिशत आंकलित किया गया है। प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान वर्ष 2011-12, वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में क्रमशः 12.9%, 12.3%, 12.8%, 11.1%, 12.4% तथा 13.4% तथा 12.9% रहा है। जब कि खनन क्षेत्र एवं निर्माण क्षेत्र का सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2017-18 में योगदान क्रमशः 1.4 प्रतिशत तथा 9.9 प्रतिशत दृष्टिगोचर हुआ है। खनन क्षेत्र की वृद्धि दर वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में क्रमशः (-) 0.6, 10.1, 28.2, 32.4 तथा 21.2 प्रतिशत तथा 25.5 प्रतिशत रही है।

वहीं निर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर वर्ष 2012-13, वर्ष 2013-14, वर्ष 2014-15, वर्ष 2015-16, वर्ष 2016-17 एवं वर्ष 2017-18 में क्रमशः 1.0 प्रतिशत, 1.1 प्रतिशत, 6.5 प्रतिशत, 5.2 प्रतिशत, 1.0 प्रतिशत एवं 4.6% रही है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

प्रदेश के औद्योगिक उत्पादन सम्बन्धी मदों में हुई प्रगति का आंकलन करने के लिए निम्नतालिका दी गई है। तालिका से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश का व्यापक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (2004-05= 100) वर्ष 2016-17 में 130.43 था जो 5.7 प्रतिशत अधिक होकर वर्ष 2017-18 में 137.9 हो गया। सबसे अधिक वृद्धि (33.7 प्रतिशत) पेय तम्बाकू एवं तम्बाकू के उत्पाद वर्ग में हुई। गत वर्ष 2016-17 की अपेक्षा वर्ष 2017-18 में यातायात उपकरण एवं पुर्जे वर्ग के उत्पादन सूचकांकों में कमी परिलक्षित हुई।

तालिका

उत्तर प्रदेश का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (2004-05= 100)

क्रमांक	उद्योग वर्ग	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा
		2016-17	2017-18	प्रतिशत वृद्धि
1.	खाद्य विनिर्माण	212.98	243.23	14.2
2.	पेय तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद	140.39	187.66	33.7
3.	सूती कपड़ा	124.43	124.54	0.1
4.	रसायन (पेट्रोलियम तथा कोयला के अतिरिक्त)	111.34	113.84	2.2
5.	मूल एवं मिश्रित धातु उद्योग	102.48	106.08	3.5
6.	यातायात उपकरण एवं पुर्जे	207.53	176.49	(-)15.0
7.	अन्य	94.15	96.64	2.6
	विनिर्माण सूचकांक	**130.43**	**137.89**	**5.7**

उत्तर प्रदेश के पारम्परिक उद्योगों में उत्पादन की प्रवृत्ति

सीमेंट, चीनी, वनस्पति एवं वस्त्र उद्योग आदि की गिनती प्रदेश के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उद्यागों में की जाती है। ये उद्योग लोगों को रोजगार तो सुलभ कराते ही हैं, साथ ही उनके उत्पाद से दैनिक जीवन की बहुत सी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इन उद्योगों का सुदृढ़ होना प्रदेश के आर्थिक स्तर को ऊँचा करता है। इन मदों से सम्बन्धित आंकड़े निम्न तालिका में दृष्टिगत हैं:

तालिका

उत्तर प्रदेश के पारम्परिक उद्योगों में उत्पादन की प्रवृत्ति

वर्ष	चीनी# (हजार मी.टन)	सीमेन्ट (हजार मी.टन)	वनस्पति तेल** (हजार मी.टन)	सूती कपड़ा (लाख वर्ग मी.)	सूत (हजार मी.टन)
2004-05	5037	4228	301	263	83
2005-06	5784	4881	283	268	51
2006-07	8475	5141	258	252	51
2007-08	7320	5298	261	122	46
2008-09	4064	6033	302	43	38
2009-10	5179	5875	200	6	41

2010-11	5887	7052	145	-	-
2011-12	6974	7021	113	-	-
2012-13	7485	-	-	51	40
2013-14	6495	-	-	49	40
2014-15	7100	-	-	30	39
2015-16	6855R	-	-	43	42
2016-17	8773	-	68	102	35

R- संशोधित

\+ केवल मिल क्षेत्र

\# अक्टूबर से सितम्बर तक

** नवम्बर से अक्टूबर तक

उपरोक्त तालिका से विदित होता है कि चीनी के उत्पादन में वृद्धि और कमी की मिश्रित प्रवृत्ति रही है। चीनी के उत्पादन में वर्ष 2016-17 (8773 हजार मी.टन) में वर्ष 2015-16 (6855 हजार मी.टन) की तुलना में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार सीमेन्ट का उत्पादन वर्ष 2004-05 से वर्ष 2008-09 तक निरन्तर वृद्धि को प्रदर्शित करता है। सीमेन्ट के उत्पादन में वर्ष 2009-10 (5875 हजार मी.टन) में वर्ष 2008-09 (6033 हजार मी.टन) की तुलना में तथा वर्ष 2011-12 (7021 हजार मी. टन) में वर्ष 2010-11 (7052 हजार मी.टन) की तुलना में कमी आई है। वर्ष 2007-08 एवं वर्ष 2008-09 को छोड़कर वनस्पति तेल का उत्पादन विगत वर्षों की तुलना में कमी को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2016-17 में वनस्पति तेल का उत्पादन 68 हजार मी. टन हो गया। प्रदेश में सूती कपड़े एवं सूत के उत्पादन में वृद्धि और कमी की मिश्रित प्रवृत्ति रही है।

खनिज

आर्थिक विकास में खनिजों का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्रदेश में मुख्य खनिजों तथा उप खनिजों के खनन के फलस्वरूप प्रदेश को न केवल भारी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति हो रही है, अपितु बड़ी संख्या में लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

प्रदेश में मुख्य खनिज पदार्थों के अन्तर्गत बाक्साइट, डायस्पोर, डोलोमाइट, जिप्सम, चूने का पत्थर, मेग्नेसाइट ओकर (गेरू), फास्फोराइट, पायरोफाइलाइट सिलिका सैण्ड, गन्धक, स्टीटाइट तथा कोयला आदि की गणना की जाती है, जबकि साधारण बालू, इमारती पत्थर, ईंट बनाने की मिट्टी, मौरंग, बजरी, कंकड़ शोरा, संगमरमर तथा लाइमस्टोन की गणना उप खनिज पदार्थों के अन्तर्गत की जाती है।

उत्तर प्रदेश के मुख्य खनिज पदार्थों के उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण से सम्बन्धित आंकड़े निम्न तालिका में दिये गये हैं:

तालिका

उत्तर प्रदेश में मुख्य खनिज पदार्थों के उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण के आंकड़े

क्र.सं.	खनिज पदार्थ	उत्पादन का मूल्य (लाख रु.में) वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा प्रतिशत	परिमाण ('000 मी.टन) वर्ष		गतवर्ष की की अपेक्षा प्रतिशत
		2016-17	2017-18*	वृद्धि	2016-17	2017-18*	वृद्धि
1.	स्टीटाइट	-	-	-	-	-	-
2.	गन्धक	-	-	-	42013	43016	2.39

3.	कोयला	–	–	–	14401	16659	15.68
4.	चूने का पत्थर	3776	5268	39.5	2443	2139	(-) 12.44

* अनन्तिम

उप खनिज पदार्थों की भी अपनी महत्ता है। इन पदार्थों की उपलब्धता भी देश/प्रदेश के आर्थिक स्तर के लिए काफी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इनके उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण के आंकड़े निम्न तालिका में दिये गये हैं:

तालिका

उत्तर प्रदेश में उप खनिज पदार्थों के उत्पादन का मूल्य एवं परिमाण के आंकड़े

क्र० सं०	उप खनिज पदार्थ	उत्पादन का मूल्य (लाख रु. में)			परिमाण (लाख घन मी.)		
		2016-17	2017-18*	गत वर्ष की अपेक्षा % वृद्धि	2016-17	2017-18*	गत वर्ष की अपेक्षा % वृद्धि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	साधारण बालू	13061.70	39311.79	200.97	36.28	59.94	65.21
2.	स्लैब स्टोन	3204.00	7253.80	126.40	0.71	2.23	214.08
3.	मिट्टी	578653.22	6009.25	(-)98.96	526.05	11.79	(-)97.76
4.	ग्रेनाइट	4961.25	5746.20	15.82	0.18	0.25	38.89
5.	ईंट बनाने की मिट्टी	395622.50	112548.80	71.55	791.25	-	-
6.	मौरंग	23169.65	503374.20	2072.56	23.17	26.21	13.12
7.	बजरी	286.36	204.70	(-)28.52	0.38	0.05	(-)86.84

* अनन्तिम

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2016-17 की अपेक्षा वर्ष 2017-18 में गिट्टी तथा बजरी को छोड़कर शेष उप खनिज पदार्थों के उत्पादन के मूल्य में वृद्धि परिलक्षित हुई है। सर्वाधिक वृद्धि (2072.56 प्रतिशत) मौरंग के मूल्य में वृद्धि हुई है। इसी प्रकार गत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2017-18 में गिट्टी एवं बजरी को छोड़कर शेष खनिज पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

सेवा क्षेत्र

राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकीय वर्गीकरण के अनुसार सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत परिवहन संग्रहण तथा संचार, व्यापार होटल एवं जलपान गृह, बैंक व्यापार तथा बीमा, स्थावर सम्पदा, आवास गृहों का स्वामित्व तथा व्यवसायिक सेवाएं, सार्वजनिक प्रशासन एवं अन्य सेवाएं खण्ड सम्मिलित हैं।

सेवा खण्ड का निष्पादन

आधार वर्ष 2011-12 पर जारी प्रदेश के वर्ष 2017-18 के त्वरित अनुमानों के अनुसार सेवा क्षेत्र जो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकीय के वर्गीकरण के तृतीयक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, का प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में स्थायी भावों पर लगभग 48.9 प्रतिशत का अंशदान है जबकि प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र का योगदान क्रमशः 24.4 प्रतिशत तथा 26.7 प्रतिशत है। इस प्रकार सेवा क्षेत्र का महत्त्व स्वयं सिद्ध है।

वर्ष 2016-17 व वर्ष 2017-18 में इस क्षेत्र की वृद्धि दर क्रमशः 5.5 प्रतिशत तथा 8.3 प्रतिशत रही है। प्रचलित भावों पर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान वर्ष 2011-12 में 45.5 प्रतिशत था जो बढ़कर वर्ष 2017-18 में 48.0 प्रतिशत हो गया है।

प्रदेश में सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर तथा प्रतिशत वितरण

स्थायी भावों पर

मद	वर्ष					
	2011-12	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17***	**2017-18#**
वृद्धि दर	-	7.1	9.2	7.5	5.5	8.3
प्रतिशत वितरण	45.5	47.0	49.6	48.9	48.3	48.9

* अनन्तिम, # त्वरित अनुमान

परिवहन

परिवहन एवं व्यापार सम्बन्धी क्रिया-कलापों का विकास एवं विस्तार सड़कों के विकास पर निर्भर करता है। कृषि एवं औद्योगिक विकास में सड़क एवं संचार जैसी अवस्थापनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कच्चे मालों की आपूर्ति तथा निर्मित उत्पादों के विक्रय के लिए परिवहन का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है।

सड़क

सड़क नेटवर्क अर्थव्यवस्था के निरन्तर और समावेशी विकास के लिए महत्त्वपूर्ण घटक है। यह देश भर में यात्रियों की आवाजाही और माल ढुलाई की सुविधा प्रदान करता है। परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच सड़क परिवहन अपनी लास्टमाईल कनेक्टीविटी की भूमिका की वजह से महत्त्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में भारत में यात्रियों की आवाजाही तथा माल की ढुलाई का कार्य तेजी से सड़क परिवहन क्षेत्र की ओर स्थानान्तरित हुआ है।

प्रदेश के विकास के लिए अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराने में मार्गों एवं सेतुओं की विशेष भूमिका है। उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा संधृत मार्गों की कुल लम्बाई सम्बन्धी आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं:

तालिका

रोड नेटवर्क की वर्तमान स्थिति

क्र.	मार्ग का वर्गीकरण	31.3.2014 तक	31.3.2015 तक	31.3.2016 तक	31.3.2017 तक	वर्तमान स्थिति
1.	राष्ट्रीय मार्ग (किमी.)	7550	7572	7572	7633	7896
2.	राज्य मार्ग (किमी.)	7543	7597	7147	7202	6892
3.	प्रमुख जिला मार्ग (किमी.)	7338	7338	7637	7486	7377
4.	अन्य जिला मार्ग (किमी.)	42434	43512	46006	47576	49405
5.	ग्रामीण मार्ग (किमी.)	141593	149193	163035	169051	168692
	योग	**206458**	**215212**	**231397**	**238948**	**240268**

स्रोत- लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।

सड़क परिवहन

सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदेशवासियों को सस्ती एवं सुगम परिवहन सेवायें सुलभ कराने के उद्देश्य से उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गयी है। इन सेवाओं से सम्बन्धित आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं:

तालिका

उत्तर प्रदेश में राजकीय सड़क परिवहन परिचालन के आंकड़े

क्र. सं.	मद	वर्ष				
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2016-17 की अपेक्षा वर्ष 2017-18 में प्रतिशत वृद्धि
1.	औसत परिचालित बसें (सं.)	9128	9269	10526	11862	12.7
2.	वर्ष के अन्त में परिचालित मार्ग (सं.)	2384	2357	2711	2933	8.2
3.	वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गों की औसत लम्बाई (किमी.)	236	224	251	258	2.8
4.	वर्ष के अन्त में परिचालित मार्गों की कुल लम्बाई (हजार किमी.)	562	529	681	757	11.2
5.	दैनिक कुल परिचालित दूरी (हजार किमी.)	3169	3238	3703	4092	10.5
6.	प्रतिदिन ले जाये गये यात्री (लाख)	14.90	15.19	15.47	17.15	10.9
7.	दुर्घटनाएं (प्रति लाख किमी.)	0.08	0.07	0.06	0.06	0.0
8.	कुल दुर्घटनाएं (सं.)	726	630	648	741	14.4

प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि के कारण आवागमन एवं यातायात की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप मार्गों पर चलने वाली गाड़ियों की संख्या में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। इस परिप्रेक्ष्य में राजकीय एवं निजी क्षेत्रों की गाड़ियों से सम्बन्धित आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका

उत्तर प्रदेश में सड़क पर चल रही मोटर गाड़ियां

क्र.सं.	मद	मोटर गाड़ियों की संख्या 31 मार्च को वर्ष			वर्ष 2016-17 की अपेक्षा वर्ष 2017-18 में प्रतिशत वृद्धि
		2015-16	2016-17	2017-18*	
1.	मोटर साइकिल	19258791	21127282	23911791	13.2
2.	कार	2330459	2594197	2777553	7.1
3.	बस	57939	75309	77752	3.2

4.	टैक्सी	380024	429245	524345	22.2
5.	ट्रक	494714	549526	609143	10.8
6.	ट्रैक्टर	1276927	1338243	1339980	0.1
7.	अन्य	137512	151444	154252	1.9
	कुल	**23936366**	**26265246**	**29394816**	**11.9**

*अनन्तिम

विद्युत

विद्युत सुविधा की सुदृढ़ एवं व्यापक व्यवस्था के बिना समग्र आर्थिक विकास सम्भव नहीं है। राज्य सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन की दिशा में अनेक प्रयास किये जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में विद्युत का उत्पादन एवं उपभोग से सम्बन्धित आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं:

तालिका

उत्तर प्रदेश में विद्युत का उत्पादन एवं उपभोग

क्र.सं.	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा
		2016-17	**2017-18**	**प्रतिशत वृद्धि**
1.	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	7159.0	7159.0	0.0
2.	उपभोग (मिलियन यूनिट)	78308.0	88110.0	12.5
3.	कुल उत्पादन (मिलियन यूनिट)	30171.0	33049.0	9.5
4.	उपभोक्ताओं की संख्या (हजार में)	18013.5	19922.2	10.6

स्रोत- उ.प्र. पावर कारपोरेशन लिमिटेड, नियोजन स्कन्ध, लखनऊ

उत्तर प्रदेश एवं कुछ अन्य प्रमुख राज्यों में प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन/उपभोग की संख्या सम्बन्धी आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाय गये है:

तालिका

उत्तर प्रदेश एवं भारत के कुछ अन्य प्रमुख राज्यों में प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन/उपभोग की संख्या सम्बन्धी आंकड़े वर्ष 2016-17

क्र. सं.	राज्य	प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन (कि. वाट घंटा)	प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग (कि. वाट घंटा)
1.	आन्ध्र प्रदेश	642	538
2.	बिहार	4	163
3.	झारखण्ड	211	588
4.	गुजरात	1404	1358
5.	हरियाणा	842	1032
6.	कर्नाटक	751	936
7.	केरल	126	551

8.	मध्य प्रदेश	634	552
9.	छत्तीसगढ़	2214	714
10.	महाराष्ट्र	983	1006
11.	ओडिशा	664	394
12.	पंजाब	1431	1523
13.	राजस्थान	79	70
14.	तमिलनाडु	781	1189
15.	पश्चिम बंगाल	404	459
16.	उत्तर प्रदेश	296	365
17.	उत्तराखण्ड	963	1050
18.	हिमांचल प्रदेश	1533	1191
19.	असम	49	194
20.	गोवा	0	1648
	भारत	96	709

स्रोत- केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार।

विद्युतीकृत ग्राम

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार उत्तर प्रदेश में विद्युतीकृत ग्रामों (राजस्व) की संख्या वर्ष 2017-18 में 97814 है। प्रदेश में अनुसूचित जाति बस्तियों की दशा सुधारने के लिए उनमें विद्युतीकरण हेतु यथोचित प्रयास किये जा रहे हैं। वर्ष 2017-18 के अन्त तक 99462 अनुसूचित जाति बस्तियों में विद्युतीकरण कार्य कराया जा चुका है।

वैकल्पिक ऊर्जा

ऊर्जा के परम्परागत स्रोतों में निरन्तर कमी होने एवं उनके अधिकाधिक उपयोग से बढ़ते पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या के निदान हेतु ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोतों के उपयोग को प्रभावी बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा अनेक कदम उठाये जा रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1983 में प्रदेश में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अधिकरण (यू.पी. नेडा) का गठन किया गया। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति हेतु अभिकरण द्वारा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा एवं ऊर्जा संरक्षण जैसे अनेक ऊर्जा स्रोतों के दोहन हेतु उपयुक्त तकनीकी के विकास एवं प्रचार के लिए प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों/योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना (वर्ष 2012-2017) में रु.1500 करोड़ का परिव्यय स्वीकृत है जिसमें से वर्ष 2012-13 में रु. 33.82 करोड़, वर्ष 2013-14 में रु 41.35 करोड़, वर्ष 2014-15 में रु. 99.30 करोड़, वर्ष 2015-16 में रु. 452.67 करोड़ एवं वर्ष 2016-17 में रु 259.60 करोड़ रुपये की धनराशि विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों में व्यय की गयी।

सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2013 प्रख्यापित की गयी। इस नीति के अन्तर्गत मार्च 2017 तक कुल 500 मेगावाट क्षमता की ग्रिड संयोजित सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की अधिस्थापना लक्षित है जिसके सापेक्ष प्रदेश में कुल 500 मेगावाट क्षमता की ग्रिड संयोजित सौर पावर परियोजनाओं की स्थापना की जा रही है। वर्ष 2017-18 में 25 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत परियोजनायें स्थापित की गयीं।

संचार

संचार माध्यमों के अन्तर्गत डाकघरों का अत्यधिक महत्त्व है, क्योंकि इनके माध्यम से जनसामान्य को सस्ती एवं सुलभ संदेशवाहन सेवा उपलब्ध होने के साथ ही अल्प बचत कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन में भी सहायता मिलती है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2014-15 में कुल डाकघरों की संख्या 17655 थी जिनमें 1925 डाकघर नगरीय क्षेत्र में तथा 15730 डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत थे। वर्ष 2017-18 में इनकी संख्या बढ़कर 17671 हो गई जिनमें 1924 डाकघर नगरीय क्षेत्र में तथा 15747 डाकघर ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध थे। उत्तर प्रदेश में डाकघरों की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गयी है:

तालिका

उत्तर प्रदेश डाकघरों की संख्या (31 मार्च को)

मद	वर्ष			
	2014-15	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**
डाकघरों की संख्या	17655	17662	17670	17671
(क) नगरीय	1925	1933	1935	1924
(ख) ग्रामीण	15730	15729	15735	15747

दूरभाष

दैनिक जीवन में तथा व्यापारिक, वाणिज्यिक एवं व्यवसायिक क्रियाकलापों में दूरभाष सेवाओं का बड़ा महत्त्व है। उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन, टेलीफोन एक्सचेंज, इण्टरनेट सब्सक्राइबर एवं मोबाइल कनेक्शन की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गयी है:

तालिका

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन, टेलीफोन एक्सचेंज, इन्टरनेट सब्सक्राइबर एवं मोबाइल कनेक्शन की स्थिति

वर्ष	बेसिक टेलीफोन कनेक्शन की संख्या	टेलीफोन एक्सचेंज की संख्या	इन्टरनेट सब्सक्राइबर की संख्या	मोबाइल कनेक्शन की संख्या (हजार में)
2016-17	619110	3087	192569	15311
2017-18	568962	3068	57096	11845

स्रोत- चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, उ.प्र. तथा मुख्य महाप्रबन्धक दूरसंचार भारत संचार निगम लि. उ.प्र. पूर्वी एवं पश्चिमी परिमण्डल।

शिक्षा

प्रदेश के विकास में शिक्षा का महत्त्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का प्रमुख साधन है। शिक्षित व्यक्ति ही राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को वास्तविक गति प्रदान कर सकते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 67.7 है जिसमें पुरुषों में साक्षरता प्रतिशत 77.3 तथा महिलाओं में साक्षरता प्रतिशत 57.2 है जबकि इसी अवधि में भारत का साक्षरता प्रतिशत 73.0 है। वर्ष 2011 की जनगणनानुसार देश में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक केरल राज्य में (94.0 प्रतिशत)

रहा, जो भारत के साक्षरता प्रतिशत (73.0) से भी अधिक है। अन्य राज्यों हिमांचल प्रदेश (82.8 प्रतिशत), महाराष्ट्र (82.3 प्रतिशत), तमिलनाडु (80.1 प्रतिशत) एवं उत्तराखंड (78.8 प्रतिशत) आदि की तुलना में उत्तर प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत (67.7 प्रतिशत) कम है।

उत्तर प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में साक्षरता प्रतिशत का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि इनमें विषमताएं देखने को मिलती हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक बुन्देलखण्ड क्षेत्र में (69.3) तथा सबसे कम पूर्वी क्षेत्र में (67.4) है। उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत में सुधार हुआ है- जहाँ वर्ष 1991 में उ.प्र. में साक्षरता 40.07 प्रतिशत थी वहीं 15.06 प्वॉइन्ट बढ़कर वर्ष 2001 में 56.03 प्रतिशत एवं वर्ष 2011 में 67.7 प्रतिशत हो गयी किन्तु अभी भी प्रदेश एवं राष्ट्र स्तर की साक्षरता में 5.3 प्रतिशत प्वॉइन्ट का अन्तर है।

तालिका

उत्तर प्रदेश विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में साक्षरता प्रतिशत

क्र.सं.	आर्थिक क्षेत्र	साक्षरता प्रतिशत वर्ष 2001			साक्षरता प्रतिशत वर्ष 2011		
		व्यक्ति	पुरुष	स्त्री	व्यक्ति	पुरुष	स्त्री
1.	पूर्वी	54.3	68.6	39.1	67.4	78.1	56.2
2.	पश्चिमी	57.4	68.8	44.0	67.5	76.5	57.2
3.	केन्द्रीय	57.6	68.1	45.5	68.3	76.3	59.3
4.	बुन्देलखण्ड	59.3	73.1	43.1	69.3	79.9	57.1
5.	उत्तर प्रदेश	56.3	68.8	42.2	67.7	77.3	57.2
	भारत	64.8	75.3	53.7	73.0	80.9	64.6

प्रदेश में शिक्षण सुविधायें

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2016-17 में जूनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या 167049 थी जो वर्ष 2017-18 में घटकर 164319 हो गयी। इसी प्रकार सीनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या वर्ष 2016-17 में 77284 थी जो वर्ष 2017-18 में बढ़कर 80583 हो गयी। वर्ष 2016-17 में हायर सेकेन्डरी विद्यालयों की संख्या 25896 थी जो वर्ष 2017-18 में यथावत 25896 ही रही।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2016-17 में जूनियर बेसिक विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 672 हजार थी जो वर्ष 2017-18 में 66.5 प्रतिशत घटकर 225 हजार हो गयी। इसी प्रकार वर्ष 2016-17 में सीनियर बेसिक विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 323 हजार थी जो वर्ष 2017-18 में 60.4 प्रतिशत घटकर 128 हजार हो गयी। वर्ष 2016-17 में हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या 286 हजार थी जो वर्ष 2017-18 में 3.5 प्रतिशत बढ़कर 296 हजार हो गयी।

प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में विद्यालयों/विद्यार्थियों की संख्या

वर्ष 2017-18 में प्रति लाख जनसंख्या पर जूनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सर्वाधिक 70 थी, जबकि प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में यह सबसे कम 45 थी और इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर जूनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या 51 थी।

इसी प्रकार वर्ष 2017-18 में प्रति लाख जनसंख्या पर सीनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या सर्वाधिक 39 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा सबसे कम 19 पश्चिमी क्षेत्र में रही, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या 21 रही। वर्ष 2017-18 में प्रति लाख जनसंख्या पर हायर सेकेण्ड्री विद्यालयों की संख्या पश्चिमी

एवं पूर्वी क्षेत्र में 12 तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सबसे कम 10 रही जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या 12 थी।

वर्ष 2017-18 में जूनियर बेसिक विद्यालयों में प्रति अध्यापक छात्र संख्या सर्वाधिक (58) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा सबसे कम (51) पूर्वी क्षेत्र में रही, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या 52 रही। सीनियर बेसिक विद्यालयों में प्रति अध्यापक छात्र संख्या वर्ष 2017-18 में सर्वाधिक (33) बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा सबसे कम (26) पश्चिमी क्षेत्र में रही, जबकि इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह संख्या 29 रही। वर्ष 2017-18 में हायर सेकेन्ड्री विद्यालयों में प्रति अध्यापक छात्र संख्या सर्वाधिक (50) पूर्वी क्षेत्र में तथा सबसे कम (42) केन्द्रीय क्षेत्र में रही, जबकि उत्तर प्रदेश में यह संख्या 46 रही।

तालिका

उत्तर प्रदेश में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में प्रति लाख जनसंख्या पर विद्यालयों/ प्रति अध्यापक पर विद्यार्थियों की संख्या (2017-18)

क्र.सं.	आर्थिक क्षेत्र	प्रति लाख जनसंख्या पर विद्यालयों की संख्या			प्रति अध्यापक पर विद्यार्थियों की संख्या		
		जूनियर बेसिक	सीनियर बेसिक	हायर सेकेण्ड्री	जूनियर बेसिक	सीनियर बेसिक	हायर सेकेण्ड्री
1.	पूर्वी	53	21	12	51	30	50
2.	बुन्देलखण्ड	70	39	10	58	33	44
3.	पश्चिमी	45	19	12	52	26	45
4.	केन्द्रीय	55	21	11	53	32	42
	उत्तर प्रदेश	51	21	12	52	29	46

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था की एक मजबूत कड़ी है जो देश के समृद्ध भविष्य का निर्माण करती है। प्रदेश सरकार ने बालक एवं बालिकाओं की शैक्षिक गुणवत्ता के सम्वर्द्धन हेतु प्रासंगिक पाठ्यक्रम तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अनेक अभिनव प्रयास किये हैं जिससे माध्यमिक शिक्षा उपर्युक्त लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित कर सके। माध्यमिक शिक्षा बेसिक शिक्षा (आधारिक शिक्षा) एवं उच्च शिक्षा के बीच सेतु के रूप में कार्य करती है। यहाँ बालक बालिकाओं को गुणात्मक शिक्षा प्रदान कर समाज के विभिन्न क्षेत्रों हेतु, सुशिक्षित, चरित्रवान सुयोग्य मानव संसाधन के रूप में विकसित कर आगे बढ़ाने का कार्य सम्पन्न किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में 2152 राजकीय, 4535 अशासकीय सहायता प्राप्त एवं 19209 वित्त-विहीन कुल 25896 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं।

उच्च शिक्षा

प्रदेश के नियोजित विकास में उच्च शिक्षा का विशेष योगदान है। सरकार उच्च शिक्षा के विकास एवं गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु कटिबद्ध है। लोक कल्याण को वरीयता देते हुए शैक्षिक रूप से अविकसित तथा पिछड़े क्षेत्र में विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों की स्थापना की गयी है। प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों को आधुनिकतम संसाधनों से परिपूर्ण किया जा रहा है, साथ ही इस बात पर विशेष बल दिया जा रहा है कि छात्र/छात्राओं को व्यवसायपरक एवं कौशल विकास से परिपूर्ण शिक्षा प्रदान की जाये जिससे प्रदेश का युवा वर्ग स्वावलम्बी बन सके। प्रदेश में स्नातक एवं परास्नातक स्तर के शिक्षण संस्थान एवं विद्यार्थियों से सम्बन्धित आंकड़े निम्नवत् हैं:

तालिका

उत्तर प्रदेश में डिग्री स्तर की शिक्षण संस्थाओं एवं विद्यार्थियों की संख्या

क्र.सं.	संस्था	वर्ष		
		2015-16	2016-17	2017-18
1.	विश्वविद्यालयों की संख्या	38	45	45
	(क) राज्य विश्वविद्यालय	14	16	16
	(ख) मुक्त विश्वविद्यालय	01	01	01
	(ग) डीम्ड विश्वविद्यालय	01	01	01
	(घ) निजी विश्वविद्यालय	22	27	27
2.	महाविद्यालयों की संख्या	5158	5866	6681
	(क) राजकीय महाविद्यालय	158	158	158
	(ख) अशासकीय महाविद्यालय	331	331	331
	(ग) स्ववित्त पोषित महाविद्यालय	4689	5377	6192
3.	महाविद्यालय में छात्र संख्या (हजार में)	5188	5520	5575
	(क) छात्र	2462	2726	2798
	(ख) छात्राएं	2726	2794	2777

प्राविधिक शिक्षा

वर्तमान युग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उत्कर्षकाल है। नित्य नई प्राविधियाँ विकसित हो रही हैं तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्पर्धा से श्रेष्ठता व गुणवत्ता के नवीन आयाम जन्म ले रहे हैं। विकास के ऐसे क्रान्तिक परिदृश्य में प्राविधिक शिक्षा की विशेष प्रासंगिकता है। प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा सुलभ कराने हेतु डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाण-पत्र स्तर की त्रिस्तरीय शिक्षा की व्यवस्था की गयी है।

इसके अतिरिक्त दिव्यांगों एवं अल्पसंख्यक के कल्याणार्थ राज्य के विभिन्न जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान (एम.एस.डी.पी.) के अन्तर्गत केन्द्र के आर्थिक सहयोग से पालीटेक्निक स्थापित किये जा रहे हैं। प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी पालीटेक्निकों की स्थापना की जा रही है।

तालिका

उत्तर प्रदेश में डिग्री/डिप्लोमा स्तर के प्राविधिक संस्थाओं की प्रगति

क्र.सं.	संस्थाएं	वर्ष		
		2015-16	2016-17	2017-18
1.	इंजीनियरिंग कालेजों की संख्या	13	12	12
	(क) प्रवेश क्षमता	2949	3518	2777
	(ख) वास्तविक प्रवेश	2507	3021	2758
2.	डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं की संख्या	120	145	155
	(क) प्रवेश क्षमता	37170	37170	37170
	(ख) वास्तविक प्रवेश	29672	34890	33157

नोट :- उपर्युक्त आंकड़े केवल प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के नियंत्रणाधीन संस्थाओं से सम्बन्धित हैं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

लोक कल्याणकारी राज्य की मुख्य प्राथमिकता जनसाधारण को बेहतर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। प्रदेश में सरकारी एवं निजी क्षेत्र के सम्मिलित प्रयासों के फलस्वरूप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का निरन्तर विस्तार हो रहा है।

स्वास्थ्य सम्बन्धी इन्डिकेटर की दृष्टि में प्रदेश

प्रदेश सरकार के सतत प्रयास से स्वास्थ्य एवं जनांकिकीय संकेतकों में पर्याप्त सुधार आया है। अभी भी उत्तर प्रदेश इन संकेतकों में राष्ट्रीय औसत से पीछे है, जैसा कि निम्न तालिका से परिलक्षित हो रहा है:

तालिका

प्रदेश में जन्म दर, मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर सम्बन्धी आंकड़े

क्र.सं.	मद	वर्ष			
		2015		2016	
		उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत
1.	जन्म दर	26.7	20.8	26.2	20.4
2.	मृत्यु दर	7.2	6.5	6.9	6.4
3.	शिशु मृत्यु दर	46	37	43	34

स्रोत : एस.आर.एस. बुलेटिन महारजिस्ट्रार, भारत सरकार।

प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु दर में कमी लाना सम्पूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य है। मातृत्व मृत्यु दर से तात्पर्य प्रतिवर्ष एक लाख जीवित जन्म पर माताओं की मृत्यु दर से है। अद्यतन एस.आर.एस. बुलेटिन के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर मातृत्व मृत्यु दर वर्ष 1997-98 में क्रमशः 606 एवं 398 थी जो घटते हुए वर्ष 2014-2016 में क्रमशः 201 तथा 130 हो गयी। स्पष्ट है कि प्रदेश में मातृत्व दर अभी भी राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

तालिका

भारत एवं प्रदेश में मातृत्व मृत्यु दर सम्बन्धी आंकड़े

वर्ष	मातृत्व मृत्यु दर	
	उत्तर प्रदेश	भारत
1997-98	606	398
1999-01	593	327
2001-03	517	301
2004-06	440	254
2007-09	359	212
2010-12	292	178
2011-13	285	167
2014-16	201	130

वर्ष 2017-18 में उत्तर प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या सर्वाधिक 3.15 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में तथा सब से कम 1.97 केन्द्रीय क्षेत्र में रही। प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों/औषधालयों में उपलब्ध शैय्याओं की संख्या सर्वाधिक 50.38 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एवं सबसे कम 34.28 पश्चिमी क्षेत्र में रही। प्रति लाख जनसंख्या पर आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या सर्वाधिक 2.87 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एवं सबसे कम 1.40 पश्चिमी क्षेत्र में रही। प्रति लाख जनसंख्या पर आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों में शैय्याओं की संख्या सर्वाधिक 7.21 बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एवं सबसे कम 4.00 पश्चिमी क्षेत्र में रही। जैसा कि तालिकागत आंकड़ों से स्पष्ट है:

तालिका

प्रदेश में प्रति लाख जनसंख्या पर चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या (2017-18)

आर्थिक सम्भाग	प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या	प्रति लाख जनसंख्या पर एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों में शैय्याओं की संख्या	प्रति लाख जनसंख्या पर आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या	प्रति लाख जनसंख्या पर आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों में शैय्याओं की संख्या
1. पूर्वी	2.44	39.61	1.99	5.25
2. बुन्देलखण्ड	3.15	50.38	2.87	7.21
3. पश्चिमी	2.02	34.28	1.40	4.00
4. केन्द्रीय	1.97	45.33	1.84	5.14
उत्तर प्रदेश	2.23	39.15	1.79	4.86

उत्तर प्रदेश में चिकित्सा सेवाएं

प्रदेश के निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेश में विभिन्न प्रकार के राजकीय चिकित्सालयों/औषधालयों से सम्बन्धित कुछ प्रमुख मदों के आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं:

तालिका

उत्तर प्रदेश में राजकीय चिकित्सालयों एवं औषधालयों का विवरण

क्र.सं.	मद	एलोपैथिक		आयुर्वेदिक एवं यूनानी वर्ष		होम्योपैथिक	
		1.1.17	1.1.18	2016-17	2017-18	2016-17	2017-18
1.	चिकित्सालयों/औषधालयों की संख्या	5117	5117	2370	2370	1575	1575
2.	शैय्याओं की संख्या	86729	86881	11077	11077	388	438
3.	चिकित्सित रोगियों की संख्या (हजार में)	1171.65	9645.30	30525	31772	25697	27896

ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा

राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण/स्थापना की नीति निर्धारित की गई है जिसके अनुसार 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं एक लाख की आबादी पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण/स्थापना की नीति निर्धारित है। वर्तमान में 821 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 3621 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रियाशील हैं।

102 नेशनल एम्बुलेंस सेवा- यह सुविधा पूरे प्रदेश में गर्भवती महिलाओं एवं एक वर्ष की आयु तक के शिशुओं को निःशुल्क घर से चिकित्सालय तथा चिकित्सालय से घर तक तथा एक चिकित्सा इकाई से दूसरे चिकित्सा इकाई तक लाभार्थी को परिवहित करने में भी प्रयोग की जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एम्बुलेंस पहुँचने का अधिकतम समय 30 मिनट तथा शहरी क्षेत्रों में 20 मिनट निर्धारित किया गया है। यह सुविधा प्रदेश के सभी जनपदों में 24 घण्टे उपलब्ध है।

108 एम्बुलेंस सेवा- रोगियों को आकस्मिक परिस्थितियों में अविलम्ब निकटवर्ती चिकित्सा इकाई तक पहुँचाये जाने हेतु आकस्मिक चिकित्सीय परिवहन सेवा प्रदान करने हेतु प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत 988 एम्बुलेंसों का संचालन पूर्णतया निःशुक्ल टोल फ्री नम्बर '108' के माध्यम से किया गया है। प्रदेश के किसी भी कोने से निःशुल्क टोल फ्री नम्बर '108' पर कॉल करने पर शहरी क्षेत्र में 20 मिनट में तथा ग्रामीण क्षेत्र में 30 मिनट में एम्बुलेंस को रोगी तक पहुँचाये जाने की व्यवस्था की जाती है तथा उक्त एम्बुलेंस के द्वारा रोगी को निकटवर्ती राजकीय चिकित्सा इकाई तक पहुँचाकर चिकित्सा सेवा सुलभ करायी जाती है। प्रदेश में वर्ष 2017-18 में अप्रैल 2018 से सितम्बर 2018 तक कुल 31.7 लाख लोगों को 108 एम्बुलेंस सेवा से एवं 59455 लोगों को एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम युक्त एम्बुलेंस सेवा से लाभान्वित कराया गया।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

बढ़ती हुई जनसंख्या देश एवं प्रदेश के विकास में एक प्रमुख अवरोधक है। अतः इसको नियंत्रित करने तथा जन सामान्य को इससे होने वाले लाभ से अवगत कराने हेतु परिवार नियोजन एवं मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017-18 में कुल 259.01 हजार व्यक्तियों ने नसबन्दी करायी गई जो वर्ष 2016-17 के 294.32 हजार की तुलना में 12.0 प्रतिशत कम था। इनमें वर्ष 2017-18 में नसबन्दी कराने वाले पुरुषों की संख्या 3.96 हजार थी जो गत वर्ष 8.22 हजार की तुलना में 51.8 प्रतिशत कम था। इसी प्रकार वर्ष 2017-18 में महिला नसबन्दी की संख्या 255.05 हजार थी जो गतवर्ष 286.1 हजार की तुलना में 10.9 प्रतिशत कम था।

प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य साधनों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों में वर्ष 2016-17 में लूप निवेशन तथा कापर टी, ओरल पिल्स एवं सी.सी. का प्रयोग करने वाली महिलाओं की संख्या क्रमशः 1441.97 हजार, 345.03 हजार तथा 600.44 हजार थी। वर्ष 2017-18 में लूप निवेशन तथा कापर टी, ओरल पिल्स एवं सी.सी. का प्रयोग करने वाली महिलाओं की संख्या क्रमशः 1043.89 हजार, 267.00 हजार तथा 537.23 हजार हो गयी।

महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को टिटनेस एवं बच्चों को काली

खांसी, पोलियो इत्यादि के टीके लगाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2016-17 में उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत 45.77 लाख टी.टी., 40.71 लाख डी.टी.पी., 43.95 लाख पोलियो, 49.57 लाख बी.सी.जी. एवं 45.46 लाख मीजिल्स के टीके लगाये गये। वर्ष 2017-18 में टिटनेस, पोलियो, बी.सी.जी. एवं मीजिल्स के टीकों की संख्या क्रमशः 48.47 लाख, 46.60 लाख, 48.98 लाख एवं 46.01 लाख हो गयी।

स्वच्छ पेयजल एवं जलोत्सारण सुविधा

जन सामान्य के स्वस्थ जीवन हेतु स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छ वातावरण की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017-18 में पेयजल सुविधा युक्त नगरों की संख्या 635 तथा इससे लाभान्वित जनसंख्या 445 लाख थी। इसी प्रकार वर्ष 2017-18 में पेयजल सुविधायुक्त पूर्ण आच्छादित मजरों की संख्या 260110, आंशिक आच्छादित मजरों की संख्या शून्य तथा इससे लाभान्वित जनसंख्या 1723 लाख थी। प्रदेश में वर्ष 2017-18 में वातावरणीय स्वच्छता हेतु जलोत्सारण सुविधायुक्त नगरों की संख्या 58 तथा इनसे लाभान्वित जनसंख्या 44 लाख थी।

श्रम शक्ति एवं सेवायोजन

श्रम शक्ति का अभिप्राय 15-59 वय वर्ग की जनसंख्या से लगाया जाता है और इसी वय वर्ग के व्यक्तियों से रोजगार हेतु उपलब्ध रहने की अपेक्षा की जाती है।

प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणनानुसार 658.15 लाख कुल कर्मकर थे, जिनमें 190.58 लाख कृषक, 199.39 लाख कृषि श्रमिक, 38.99 लाख पारिवारिक उद्योगों तथा 229.19 लाख अन्य कार्यों में लगे कर्मकार थे। कुल कर्मकरों में मुख्य तथा सीमान्त कर्मकरों की संख्या क्रमशः 446.35 लाख तथा 211.79 लाख थी।

प्रदेश में कुल कर्मकारों का विवरण (2011 जनगणनानुसार) तालिका में दिया जा रहा है-

मद	कर्मकर	कर्मकरों का प्रतिशत
1	2	3
1. कृषक (लाख)	190.58	29.0
2. कृषि श्रमिक (लाख)	199.39	30.3
3. पारिवारिक उद्योग (लाख)	38.99	5.9
4. अन्य (लाख)	229.19	34.8
कुल कर्मकर	**658.15**	**100.00**

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में कुल कर्मकरों में 29.0 प्रतिशत कृषक के रूप में, 30.3 प्रतिशत कृषि श्रमिक के रूप में, 5.9 प्रतिशत पारिवारिक उद्योग धन्धों में तथा 34.8 प्रतिशत अन्य कार्यों में कर्मकर लगे हैं।

सेवायोजन सेवा

सेवायोजन सेवाओं के अन्तर्गत सेवायोजन कार्यालयों द्वारा मुख्य रूप से बेरोजगार अभ्यर्थियों का रोजगार हेतु पंजीयन तथा उन्हें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में वैतनिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु अधिसूचित रिक्तियों की पूर्ति हेतु सम्प्रेषित करना, व्यवसाय मार्ग निर्देशन कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार बाजार में उपलब्ध प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा के अवसरों के सम्बन्ध में बेरोजगार अभ्यर्थियों को सम्यक् एवं उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराना, स्वतः नियोजन के क्षेत्र में अपना उद्योग स्थापित करने हेतु बेरोजगार

अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करना एवं ऋण सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध कराने में उनकी सहायता करना, समाज के निर्बल वर्ग के अभ्यर्थियों की सेवानियोजकता तथा कौशल में वृद्धि करना, रोजगार/बेरोजगारी के विभिन्न आयामों के सम्बन्ध में सूचनाओं का एकत्रीकरण, संकलन, प्रचार एवं प्रसार आदि कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। बेरोजगारों को सेवायोजन सहायता प्रदान करने हेतु प्रदेश में 106 सेवायोजन कार्यालय, 16 जनपदों में विकलांगों हेतु विशिष्ट सेवायोजन कार्यालय, 13 विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र, 03 नगर सेवायोजन कार्यालय तथा मुख्यालय स्तर पर 01 व्यवसायिक एवं प्रबन्धकीय सेवा-योजन कार्यालय स्थापित हैं। सेवायोजन से सम्बन्धित कुछ प्रमुख मदों के आंकड़े निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं:

तालिका

उत्तर प्रदेश में सेवायोजन कार्यालयों द्वारा रोजगार सृजन सम्बन्धी आंकड़े

क्र.सं.	मद	वर्ष		गतवर्ष की अपेक्षा
		2016-17	2017-18	प्रतिशत वृद्धि
1.	पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या	619704	326280	(-)47.35
2.	अधिसूचित रिक्तियों की संख्या	963	931	(-)3.32
3.	अधिसूचित रिक्तियों में सम्प्रेषण	9459	7386	(-)21.92
4.	सवेतन रोजगार में लगाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	68521	47930	(-)30.05
5.	स्वतः रोजगार में लगाये गये अभ्यर्थियों की संख्या	325	426	31.8
6.	वर्ष के अन्त में सक्रिय पंजिका पर उपलब्ध अभ्यर्थियों की संख्या (हजार में)	3178	2647	(-)16.71

प्रदेशवासियों को सवैतनिक रोजगार सुलभ कराने में सार्वजनिक क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में सेवायोजनाओं से सम्बन्धित आंकड़ा निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र के सेवायोजकों की संख्या

क्र.सं.	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा
		मार्च 2016	मार्च 2017	प्रतिशत वृद्धि
1.	केन्द्र सरकार	722	727	0.69
2.	राज्य सरकार	8379	8456	0.92
3.	अर्द्ध सरकार (केन्द्र)	5571	5621	0.90
4.	अर्द्ध सरकार (राज्य)	1602	1608	0.37
5.	स्थानीय निकाय	1326	1332	0.45
	योग	**17600**	**17744**	**0.82**

केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या निम्न तालिका में दर्शाया गया है-

तालिका

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

क्र.सं.	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा
		मार्च 2016	मार्च 2017	प्रतिशत वृद्धि
1.	केन्द्र सरकार	307875	307718	(-)0.05
2.	राज्य सरकार	701507	705319	0.54
3.	अर्द्ध सरकार (केन्द्र)	160258	162500	1.40
4.	अर्द्ध सरकार (राज्य)	333142	333192	0.02
5.	स्थानीय निकाय	108687	107731	(-)0.88
	योग	**1611469**	**1616460**	**(-)0.31**

उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी

उत्तर प्रदेश में निजी क्षेत्र में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या में मार्च 2017 में गत वर्ष 2016 की अपेक्षा 5.95 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर हुई। निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के आंकड़े निम्नतालिका में दर्शाये गये हैं:

तालिका

उत्तर प्रदेश के निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या

क्र.सं.	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा
		मार्च 2016	मार्च 2017	प्रतिशत वृद्धि
1.	एक्ट अधिष्ठान	618807	658083	6.35
2.	नान एक्ट अधिष्ठान	49363	49874	1.04
	योग	**668170**	**707957**	**5.95**

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारी

प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या मार्च 2017 में गत वर्ष 2016 की अपेक्षा 0.2 प्रतिशत तथा निजी क्षेत्र में 8.1 प्रतिशत अधिक रही जबकि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को मिलाकर देखने से इनमें उक्त अवधि में गत वर्ष की अपेक्षा 2.8 प्रतिशत की वृद्धि दृष्टिगोचर होती है। गत वर्ष की अपेक्षा निजी क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियो की संख्या में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या से तुलनात्मक रूप से अधिक वृद्धि परिलक्षित हुई। इन्हें निम्न तालिका से देखा जा सकता है-

तालिका

उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या

क्र. सं.	मद	वर्ष		गत वर्ष की अपेक्षा
		मार्च 2016	मार्च 2017	प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5
1.	सार्वजनिक क्षेत्र	206424	206884	0.22
2.	निजी क्षेत्र	99734	107848	8.14
	योग	**306158**	**314732**	**2.80**

प्रदेश के विकास की चुनौतियाँ तथा प्राथमिकताएँ

उत्तर प्रदेश देश का असीम संभावनाओं वाला प्रदेश रहा है और विशाल भी इतना कि विकास का सफर तय करना प्रदेश के नेतृत्व के लिये हमेशा से बड़ी चुनौती रहा है। समाज के सभी वर्गों और राज्य के प्रत्येक नागरिक व क्षेत्र के विकास के लिए सरकार कृत संकल्प है। प्रदेश की समस्त जनता की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश वासियों को उत्कृष्ट एवं प्रभावी जनसेवाएं उपलब्ध कराना है।

उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और यहां किसानों की बेहतरी भी राज्य सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। उस दिशा में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने आते ही वादे के मुताबिक किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्त किया और अब उनकी कोशिश है कि किसान को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य कैसे मिले। इस हेतु वर्तमान सरकार किसान के उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिये फसल की खुद खरीद के अभियान में जुटी है।

वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के विचार सामने लाकर नयी संभावनाओं के द्वार सरकार ने खोले। दुनिया भर के निवेशकों को राजधानी लखनऊ में हुई 'इन्वेस्टर्स समिट' में जुटा कर सरकार ने सौभाग्य की नयी इबारत लिखने की कोशिश की है।

समग्र विकास हेतु विभिन्न सेक्टरों के अन्तर्गत चिन्हित चुनौतियों तथा प्रदेश विकास की रणनीति निम्नवत प्रस्तुत है:

चुनौतियाँ

- **अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार तथा परिवहन**
  1. समस्त ग्रामों/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ना।
  2. नगरीय यातायात को सुविधाजनक एवं सरल बनाना।
  3. नये विद्युत उत्पादन इकाइयों के निर्माण की बाधाओं को दूर करना।
  4. क्रियाशील विद्युत उत्पादन इकाइयों की क्षमता में वृद्धि।
  5. पारेषण लाइनों का विस्तार।
  6. विद्युत आपूर्ति में सुधार।
  7. लाइन हानियों में कमी लाना।
  8. वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देना।
- **कृषि तथा सम्वर्गीय क्षेत्र**
  1. प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना।
  2. कृषकों की आय वर्ष 2022 तक दोगुनी किया जाना।
  3. किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य दिलाना।

4. किसानों को गुणवत्तायुक्त कृषि निवेशों की समय से उपलब्धता को सुनिश्चित करना।
5. मृदा स्वास्थ्य में गिरावट को रोकना।
6. कृषकों के खेतों की मिट्टी की नियमित जांचोपरान्त संतुलित उर्वरक प्रयोग की संस्तुति प्रदान किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
7. विभिन्न फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि करना।
8. कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार तथा उत्पादन लागत को कम करना।
9. लघु एवं सीमान्त कृषकों के आर्थिक हितों के दृष्टिगत छोटी जोतों को लाभकारी बनाना।
10. उन्नतिशील बीजों के उत्पादन के साथ-साथ इनका ससमय वितरण।
11. कृषि पर निर्भरता कम करने हेतु रोजगार सृजन के लिए कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना।
12. कृषि उत्पादों विशेषकर औद्योगिक फसलों का समुचित विपणन तथा भण्डारण।
13. प्रदेश में वन क्षेत्र का विस्तार तथा वृक्षारोपण का आच्छादन बढ़ाना प्रमुख चुनौती है।
14. प्रदेश में वनों के अवैध कटान की रोकथाम चुनौती पूर्ण कार्य है।

- **पशुपालन तथा सम्वर्गीय क्षेत्र**
  1. बीमारियों से बचाव हेतु प्रदेश के सभी पशुओं का शत-प्रतिशत टीकाकरण।
  2. 240 लाख प्रजनन योग्य पशुधन में से केवल 70 से 80 लाख प्रजनन योग्य पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। इस क्रिटिकल गैप को दूर करने के लिए कृत्रिम गर्भाधान का आच्छादन बढ़ाया जाये।
  3. अति हिमीकृत वीर्य का उत्पादन बढ़ाना।
  4. पशु आहार/पशु चारा का उत्पादन बढ़ाना।
  5. प्रदेश को अण्डा उत्पादन एवं ब्रायलर चूजा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना।
  6. कुक्कुट तथा मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करना।
  7. स्थापित दुग्धशालाओं/अवशीतन केन्द्रों की क्षमता का कम उपयोग हो पा रहा है।
  8. सहकारी क्षेत्र की डेयरियों का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार करना।
  9. दुग्ध उत्पादन एवं विपणन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण।
- **उद्योग**
  1. औद्योगिक विकास हेतु आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना।
  2. निजी पूँजी निवेश को आकर्षित करना।
  3. निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना।
  4. कुशल मानव संसाधन का विकास करना।
  5. औद्योगिक उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना।
  6. हस्तशिल्प तथा दस्तकारी इकाइयों को जीवनक्षम बनाना।
  7. सम्यक रूप से औद्योगिक वातावरण में सुधार।
- **सेवा क्षेत्र**
  1. सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न आर्थिक क्रिया-कलापों में संलिप्त इकाइयों का आंकड़ा आधार तैयार करना।
  2. सेवा क्षेत्र में संलग्न श्रम शक्ति का कौशल विकास।
  3. विभिन्न सेवाओं के मूल्य वर्धन का आंकलन।
- **प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा**
  1. 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बालक-बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करना।

2. विभिन्न वर्गों में साक्षरता अन्तराल को कम करना।
3. ड्रॉप आऊट दर को कम करना।
4. विद्यालय के प्रबन्धन में समुदाय की सक्रिय भागीदारिता सुनिश्चित करना।
5. शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक, शैक्षिक तथा लैंगिक भेद को समाप्त करना।
6. प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय विषमता को दूर करना।
7. प्रत्येक विकास खण्ड में बालिकाओं हेतु कम से कम एक हाईस्कूल स्तर का विद्यालय खोला जाना।
8. समग्र शैक्षिक गुणवत्ता की अभिवृद्धि।

- **उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा**
  1. शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं विस्तार।
  2. शिक्षा को रोजगार से जोड़ना।
  3. ई-लर्निंग/स्मार्ट क्लासेस।
  4. समग्र शैक्षिक गुणवत्ता की अभिवृद्धि।
- **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य**
  1. प्रदेश में उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थानों की स्थापना।
  2. चिकित्सा क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करना।
  3. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार।
  4. जन्मदर, मृत्युदर, शिशु मृत्युदर तथा मातृत्व मृत्युदर में कमी लाना।
  5. सुरक्षित प्रसव।
  6. लिंगानुपात को बढ़ावा।
  7. टीकाकरण का विस्तार।
- **ग्राम्य विकास**
  1. पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना।
  2. ग्रामीण समाज के समस्त वर्गों की पंचायती राज संस्थाओं में भागीदारी सुनिश्चित करना।
  3. ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता हेतु जागरूकता उत्पन्न करना।
  4. ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना संसाधनों का निर्माण।
  5. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना।
  6. योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ लक्षित समूह/जन सामान्य को पहुँचाना।
  7. योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाना।
- **सामाजिक कल्याण**
  1. समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना।
  2. छात्रवृत्ति तथा पेंशन सम्बन्धी लाभार्थी परक योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता लाना।
- **लोक निधि**
  1. प्रदेश में निवेश हेतु बेहतर माहौल उपलब्ध कराया जाना।
  2. प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजित करना।
  3. सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों तथा लघु एवं सीमान्त किसानों को फसली ऋण माफी योजना आदि के कारण राज्य सरकार पर बढ़े वित्तीय व्यय-भार के फलस्वरूप प्राथमिक घाटा, राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा आदि वित्तीय संकेतकों को नियन्त्रण में रखना कठिन चुनौती है।

प्राथमिकतायें एवं सुधारात्मक कदम

- **अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार तथा परिवहन-**
  1. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 'संकल्प सेवा' नाम से 50 नयी बसों का एक्सक्लूसिव संचालन किया जा रहा है।
  2. वाहन चालान की कार्यवाही को पारदर्शी बनाये जाने के उद्देश्य से ई-चालान व्यवस्था लागू। इस व्यवस्था को लागू करने वाला उ.प्र. देश का पहला राज्य है।
  3. "मिशन मोड प्रोजेक्ट" के अन्तर्गत वन नेशन एण्ड वन आर.टी.ओ. की संकल्पना पर एनआईसी द्वारा तैयार वेबसाइट वाहन 4.0 ट्रान्सपोर्ट एप्लीकेशन सिस्टम (एचटीटीपीः//परिवहन.जीओवी.इन/वाहन सर्विस) प्रदेश के सभी 76 परिवहन कार्यालयों में लागू।
  4. निर्भया फण्ड- उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसे निर्भया फण्ड योजना के तहत धनराशि उपलब्ध कराये जाने के लिए चयनित किया गया है। निर्भया फण्ड के माध्यम से निगम की सभी 12500 बसों में पैनिक बटन एवं सी.सी.टी.वी. कैमरे लगेंगे, जिससे महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
  5. प्रदेश की समस्त सड़कों को 31 अक्टूबर 2018 तक गड्ढा-मुक्त करने हेतु अभियान चलाकर 10217 किमी. सड़कें गड्ढामुक्त की गयीं।
  6. जिला मुख्यालयों को चार लेन की सड़कों से जोड़ना।
  7. प्रमुख तीर्थ स्थलों के लिए हैलीकाप्टर सेवा शुरू करना।
  8. प्रदेश के अन्य शहरों में एयरपोर्ट बनाने का काम किया जाना।
  9. लखनऊ में मेट्रो रेल का संचालन एवं कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, आगरा, वाराणसी तथा गोरखपुर में भी मेट्रो रेल चलाने के लिए डी.पी.आर. तैयार करने के निर्देश।
  10. हर जिला मुख्यालय को 24 घंटे, तहसील मुख्यालय में 20 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना।
  11. प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के अन्तर्गत 1.71 करोड़ घरों को बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अन्तर्गत कुल 15781 विशेष शिविर आयोजित कर 32 लाख परिवारों को विद्युत कनेक्शन दिये जा चुके हैं।
  12. ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए सब्सिडाइज्ड सोलर पैक की व्यवस्था किया जाना जिससे कुछ आवश्यक घरेलू उपकरण चल सकें।
  13. ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक स्थलों पर सोलर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था किया जाना।
  14. जल संरक्षण के कार्यों को अभियान के रूप में चलाया जाए।
- **कृषि तथा सम्वर्गीय क्षेत्र**
  1. उत्तर प्रदेश के मृदा स्वास्थ्य में निरन्तर गिरावट के निदान हेतु जनपद/तहसील स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करके इसके माध्यम से कृषकों के खेतों की मिट्टी की जाँच करने के उपरान्त संतुलित उर्वरक प्रयोग की संस्तुति प्रदान किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
  2. उत्तर प्रदेश को फूड पार्क राज्य के रूप में विकसित किया जाना।
  3. फसली ऋण माफी योजनान्तर्गत 86 लाख लघु एवं सीमान्त किसानों के अधिकतम रु. 1 लाख तक के फसली ऋण माफ करने का फैसला लेते हुए 36 हजार करोड़ रु. व्यय किये गये।
  4. किसानों से शत-प्रतिशत गेहूँ खरीद तथा गेहूँ मूल्य के तत्काल भुगतान योजनान्तर्गत गेहूँ खरीद लक्ष्य को 40 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर लगभग 80 लाख मीट्रिक टन किया गया।

5. गत वर्ष की कुल खरीद से लगभग 4.5 गुना अधिक 36.99 लाख मी. टन गेहूँ खरीद की गयी।
6. मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत रु. 1,625 प्रति कुन्तल गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया।
7. आम उपभोक्ता के हित में खाद्यान्न व दलहन को जी.एस.टी. से मुक्त रखा गया।
8. किसानों के कल्याण हेतु एग्रीकल्चर इक्विपमेन्ट को जी.एस.टी. से मुक्त रखा गया एवं रासायनिक उर्वरकों पर 'कर' की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की भारी कमी की गयी।
9. कृषकों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाने हेतु एग्रीकल्चर मार्केटिंग हब एवं नवीन मण्डियों की स्थापना, किसान बाजार का विकास किया जाना आदि।
10. गन्ने के बीज की उन्नत प्रजातियों का विकास।
11. भण्डार गृहों का निर्माण।
12. पारदर्शी किसान योजना का कार्यान्वयन।
13. कृषक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।
14. गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग को बढ़ावा देना।

- **पशुपालन तथा सम्वर्गीय क्षेत्र**
  1. पशुधन विकास हेतु बहुद्देशीय सचल पशुचिकित्सा क्लीनिक का संचालन।
  2. कृत्रिम गर्भाधान का आच्छादन बढ़ाना।
  3. गो तस्करी पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाना।
  4. अवैध पशु वधशालाओं पर रोक।
  5. वर्तमान में स्थापित पशुचिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण एवं अधिक से अधिक पशुचिकित्सालयों की स्थापना।
  6. सहकारिता के माध्यम से दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना।
  7. मत्स्य विकास नीति का प्रभावी कार्यान्वयन।
  8. पशु मृत्यु के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिम के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने हेतु पशुपालकों को पशु बीमा कराने हेतु प्रोत्साहित किया जाना।
- **उद्योग एवं व्यापार**
  1. प्रदेश के औद्योगिक विकास में तीव्रता लाने, उद्यमियों की जिज्ञासाओं व समस्याओं को विभिन्न सम्बन्धित विभागों से निराकरण कराने एवं स्वीकृतियाँ प्रदान कराने हेतु एकल मेज व्यवस्था का कार्यान्वयन।
  2. जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों का आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण।
  3. प्रत्येक जनपद के विशिष्ट उत्पाद जैसे- हस्तशिल्प अथवा कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने एवं बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए ''एक जनपद-एक उत्पाद'' नाम से अभिनव योजना प्रारम्भ की गयी है।
  4. मेक इन इण्डिया की सफलता का लाभ उठाने हेतु प्रदेश में एक समर्पित ''मेक इन यूपी'' विभाग की स्थापना।
  5. व्यापारी हित में पंजीयन की सीमा रु. 5 लाख से बढ़ाकर रु. 20 लाख की गयी।
  6. पंजीयन की पूर्णतः पारदर्शी ऑन-लाइन व्यवस्था जिसमें 3 दिन के अन्दर स्वतः-पंजीयन का प्रावधान।
  7. 1 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए समाधान योजना।
  8. कर आधार बढ़ाने हेतु रु. 5 लाख से अधिक नये व्यापारियों का पंजीकरण का रिकार्ड।

9. औद्योगिक इकाइयों हेतु भूमि आवंटन नीति का प्रभावी कार्यान्वयन।
10. ठेकों और सरकारी कार्यों में होने वाली धांधली और भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू की।
11. 21 एवं 22 फरवरी को सम्पन्न हुई इन्वेस्टर्स समिट में 4.68 लाख करोड़ रुपये के पूंजी निवेश के प्रस्ताव देश के चोटी के उद्योगपतियों से प्राप्त हुए।
12. उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प प्रोत्साहन नीति का प्रभावी कार्यान्वयन।
13. राज्य से निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु उत्तर प्रदेश निर्यात नीति का प्रभावी कार्यान्वयन।
14. मेगा लेदर क्लस्टर योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।
15. कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु 39 असेवित तहसीलों में प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से एक-एक कौशल प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।

- **आवास**
  1. प्रधानमंत्री आवास योजना के कुल आवास 8.85 लाख के सापेक्ष 6.20 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण।
  2. शहरी क्षेत्र के 3.25 लाख से अधिक आवासविहीन लोगों के आवास स्वीकृत हैं, जिसमें लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (नवीन) हेतु 281256 लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (विस्तार) के 19697 तथा भागीदारी में किफायती आवास घटक के अन्तर्गत 24266 आवास स्वीकृत।
  3. वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं लोहिया आवास को मिलाकर कुल 9.10 लाख आवास स्वीकृत।
  4. शहरी बेघरों हेतु आश्रय योजनान्तर्गत शहरी निराश्रितों के लिए 48 शेल्टर होम का संचालन। इसके अतिरिक्त 74 शेल्टर होम निर्माण की प्रक्रिया में हैं।
- **शिक्षा**
  1. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने हेतु नीति निर्धारण करते हुए शिक्षण संस्थाओं का विस्तार किया जाना।
  2. हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाएं नकलविहीन एवं शुचितापूर्ण ढंग से सम्पन्न कराना।
  3. विद्यालयों की ऑनलाइन मान्यता की पारदर्शी व्यवस्था।
  4. प्रथम बार वर्ष 2018 की बोर्ड परीक्षाओं हेतु ऑनलाइन केन्द्र निर्धारण की व्यवस्था।
  5. रु. 25.00 लाख की दर से पण्डित दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ की स्थापना हेतु कुल रु. 3.50 करोड़ की धनराशि 14 राज्य विश्वविद्यालयों को आवंटित की गयी है।
  6. उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में पाठ्यक्रम परिवर्धन के माध्यम से शैक्षणिक गुणवत्ता में वृद्धि करते हुए उन्हें रोजगारपरक बनाया जाना।
  7. ई-लर्निंग को बढ़ावा दिया जाना।
  8. समस्त प्राविधिक संस्थाओं में एकेडमिक मॉनीट्रिंग की एकीकृत व्यवस्था।
  9. कौशल विकास को बढ़ावा देने हेतु 39 असेवित तहसीलों में प्रशिक्षण प्रस्तावों के माध्यम से एक-एक कौशल प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।
- **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य**
  1. सस्ती दर पर उपलब्ध होने वाली जेनेरिक दवाओं की 3 हजार दुकानें खोलने की व्यवस्था की जा रही है।

2. जीवन रक्षक उपकरणों से सुसज्जित 150 एम्बुलेंस की 'एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा' का शुभारम्भ।
3. नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/नये जनपदों में जिला चिकित्सालयों का निर्माण।
4. निमार्णाधीन अस्पतालों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों को पूर्ण कर क्रियाशील करना।
5. ट्रामा सेन्टरों के भवनों का निर्माण एवं उन्हें क्रियाशील किया जाना।
6. जिला चिकित्सालयों में प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न यूनिट का निर्माण एवं उन्हें क्रियाशील किया जाना।
7. चिकित्सा क्षेत्र में निजी निवेश अर्जित करने हेतु नीति निर्धारित करते हुए शिक्षण संस्थाओं का विस्तार।
8. एम्स के तर्ज पर उच्च चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों तथा चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना।

- **ग्राम्य विकास तथा सामाजिक कल्याण**
  1. वित्तीय वर्ष 2017-18 में शौचालय निर्माण की राष्ट्रीय स्तर पर तुलनात्मक प्रगति में प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
  2. प्रदेश के 98498 ग्रामों में से 19591 ग्राम खुले में शौच मुक्त (ओ.डी.एफ.) घोषित।
  3. छात्रवृत्ति पेंशन आदि सम्बन्धी समस्त योजनाओं का इंटरनेट आधारित प्रणाली द्वारा प्रभावी कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण।
  4. वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत प्रदेश के समस्त पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाता संख्या को उनके आधार कार्ड से लिंक किया जा रहा है। ताकि योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।
  5. डॉ. राममनोहर लोहिया समग्र विकास योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।
  6. जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना का प्रभावी कार्यान्वयन।
  7. प्रदेश को खुले में शौच मुक्त किये जाने हेतु हर घर में शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
  8. एण्टी रोमियो स्क्वायड का गठन।
  9. आमजन की सुविधा के लिये यू.पी.-100 सेवा के साथ 108 एम्बुलेंस सेवा तथा 101 अग्निशमन सेवा का एकीकरण।
- **लोक निधि**
  1. प्रदेश में जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवा कर) के रूप में कर संग्रहण की अत्यंत सरल एवं पारदर्शी कर प्रणाली लागू की गयी।
  2. जी.एस.टी. के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा लगाये जा रहे 8 करों को समाप्त कर केवल एक कर लागू किया गया।
  3. आम उपभोक्ता के हित में खाद्यान्न व दलहन को जी.एस.टी. से मुक्त रखा गया जिससे राज्य सरकार पर रु. 700 करोड़ से अधिक अतिरिक्त व्यय भार आया।
  4. रु. 1 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारियों के लिए समाधान योजना।
  5. कर आधार बढ़ाने हेतु रु. 5 लाख से अधिक नये व्यापारियों का पंजीकरण का रिकार्ड।
  6. प्रदेश के विकास हेतु वाह्य सहायतित परियोजनाओं में अधिक से अधिक धनराशि प्राप्त कर प्रभावी कार्यान्वयन।
  7. प्रदेश में विकास हेतु कर एवं करेत्तर राजस्व के रूप में अधिक से अधिक वित्तीय संसाधन जुटाया जाना।

आर्थिक क्षेत्रवार जनपदों की सूची

आर्थिक क्षेत्र	सम्मिलित जनपद		
1	2		
1. पश्चिमी क्षेत्र	1. सहारनपुर	2. बुलन्दशहर	3. मेरठ
	4. गाजियाबाद	5. मुजफ्फर नगर	6. अलीगढ़
	7. मथुरा	8. आगरा	9. मैनपुरी
	10. एटा	11. बरेली	12. बिजनौर
	13. बदायूँ	14. मुरादाबाद	15. शाहजहाँपुर
	16. पीलीभीत	17. रामपुर	18. फर्रुखाबाद
	19. इटावा	20. फिरोजाबाद	21. गौतमबुद्धनगर
	22. हाथरस	23. अमरोहा	24. कन्नौज
	25. बागपत	26. औरैया	27. कासगंज
	28. शामली	29. हापुड़	30. संभल
2. केन्द्रीय क्षेत्र	1. कानपुर (नगर)	2. कानपुर देहात	3. फतेहपुर
	4. लखनऊ	5. उन्नाव	6. रायबरेली
	7. सीतापुर	8. हरदोई	9. खीरी
	10. बाराबंकी		
3. पूर्वी क्षेत्र	1. प्रयागराज	2. वाराणसी	3. मिर्जापुर
	4. जौनपुर	5. गाजीपुर	6. बलिया
	7. गोरखपुर	8. देवरिया	9. बस्ती
	10. आजमगढ़	11. अयोध्या	12. गोण्डा
	13. बहराइच	14. सुल्तानपुर	15. प्रतापगढ़
	16. सोनभद्र	17. महराजगंज	18. सिद्धार्थनगर
	19. मऊ	20. संत रविदास नगर (भदोही)	21. कुशीनगर
	22. अम्बेडकरनगर	23. कौशाम्बी	24. चन्दौली
	25. बलरामपुर	26. श्रावस्ती	27. संत कबीरनगर
	28. अमेठी		
4. बुन्देलखण्ड क्षेत्र	1. बाँदा	2. हमीरपुर	3. जालौन
	4. झाँसी	5. ललितपुर	6. महोबा
	7. चित्रकूट		

सामाजिक स्थिति

उत्तर प्रदेश भारतीय सभ्यता का उद्‌गम स्थल रहा है। अति प्राचीन समय से विभिन्न जाति एवं सामाजिक समूह इस क्षेत्र में आये और यहीं बस गये। इस राज्य में भारतवर्ष की जनसंख्या का 16.51 प्रतिशत भाग निवास करता है तथा भौगोलिक दृष्टि से यह राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं आन्ध्र प्रदेश राज्यों के पश्चात पाँचवे स्थान पर है। इसका भौगोलिक क्षेत्र भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 7.3 प्रतिशत है। इसका सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र 2,40,928 वर्ग किमी0 है।

प्रशासनिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश 18 मण्डलों में विभाजित है जिसमें 75 जनपद, 915 नगर एवं नगर क्षेत्र, 17 नगर निगम, 198 नगर पालिका परिषद्, 438 नगर पंचायतें, 59073 ग्राम पंचायतें, 821 विकास खण्ड, 97814 आबाद ग्राम, 350 तहसीलें, 17671 डाकघर एवं 3068 टेलीफोन एक्सचेंज हैं।

राजनैतिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश लोकसभा में 80 सदस्य, राज्यसभा में 31 सदस्य, विधानसभा में 404 सदस्य तथा विधान परिषद् में 100 सदस्य चुनकर भेजता है। आर्थिक दृष्टि से यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 658.15 लाख कर्मकर थे, जिनमें 190.58 कृषक एवं 199.39 लाख कृषि श्रमिक थे। कुल कर्मकरों में कृषकों एवं कृषि श्रमिकों का प्रतिशत अंश 59.3 था। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति राज्य आय (नवीन शृंखला) वर्ष 2011-12 के प्रचलित भावों पर वर्ष 2017-18 (त्वरित अनुमान) प्रति व्यक्ति आय रु. 55456 है।

जनसंख्या

जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में प्रथम स्थान है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 1998 लाख है जो भारत की वर्ष 2011 की कुल जनसंख्या 12106 लाख का 16. 5 प्रतिशत है।

जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के 29 प्रदेशों में सबसे बड़ा प्रदेश है। विभिन्न प्रदेशों की जनसंख्या सम्बन्धी सूचना तालिका में दृष्टिगत है-

भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों का क्षेत्रफल, जनसंख्या एवं घनत्व-2011

क्र.सं.	राज्य	क्षेत्रफल 2011 (हजार वर्ग किमी०)	जनसंख्या 2011 हजार में	घनत्व 2011 (प्रति वर्ग किमी०)
1	आन्ध्र प्रदेश	275	84581	308
2	अरुणाचल प्रदेश	84	1384	17
3	असम	78	31206	398
4	बिहार	94	104099	1106

5	गोवा	4	1459	394
6	गुजरात	196	60440	308
7	हरियाणा	44	25351	573
8	हिमाचल प्रदेश	56	6865	123
9	जम्मू एवं कश्मीर	222	12541	124
10	कर्नाटक	192	61095	319
11	केरल	39	33406	860
12	मध्य प्रदेश	308	72627	236
13	महाराष्ट्र	308	112374	365
14	मणिपुर	22	2570	115
15	मेघालय	22	2967	132
16	मिजोरम	21	1097	52
17	नागालैण्ड	17	1979	119
18	ओड़िशा	156	41974	270
19	पंजाब	50	27743	551
20	राजस्थान	342	68548	200
21	सिक्किम	7	611	86
22	तमिलनाडु	130	72147	555
23	त्रिपुरा	10	3674	350
24	उत्तर प्रदेश	241	199812	829
25	पश्चिमी बंगाल	89	91276	1028
26	उत्तराखण्ड	53	10086	189
27	झारखण्ड	80	32988	414
28	छत्तीसगढ़	135	25545	189
29	दिल्ली	1	16788	11320
योग	भारत	3287*	1210570	382

* 120849 वर्ग किमी0 विवादित क्षेत्र भी सम्मिलित है।

जनसंख्या घनत्व

उत्तर प्रदेश में वर्ष 1991 में प्रति वर्ग किमी0 पर 548 व्यक्ति थे जो कि 2001 में 690 तथा 2011 में 829 प्रति वर्ग किमी0 हो गये जो कि राष्ट्रीय औसत 382 से अधिक है। इससे स्पष्ट है कि जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से भी व्यक्तियों का भार प्रति किमी0 क्षेत्र के अनुसार बढ़ रहा है।

जनसंख्या वृद्धि

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001-11 की अवधि में कुल जनसंख्या की दशकीय वृद्धि में प्रदेश का भारत के राज्यों में गत दशक की भाँति ग्यारहवाँ स्थान रहा। 2001-11 की अवधि

में उ.प्र. की कुल जनसंख्या की दशकीय वृद्धि में (20.23 प्रतिशत) थी जबकि उक्त अवधि में भारत की दशकीय वृद्धि (17.7 प्रतिशत) से अधिक रही। 1991-2001 की अवधि में उक्त वृद्धि (25.8 प्रतिशत) थी जो उक्त अवधि में भी भारत की दशकीय वृद्धि 21.5 प्रतिशत से अधिक थी।

उत्तर प्रदेश के कुछ मदों के आर्थिक क्षेत्रवार आँकड़े

उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों यथा- पूर्वी, पश्चिमी, केन्द्रीय एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बाँटा गया है। आर्थिक क्षेत्रवार कुछ मदों के आँकड़े निम्न तालिका में दृष्टिगत हैं-

उत्तर प्रदेश के विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के जनगणना 2011 के कुछ प्रमुख मदों के आँकड़े

	आर्थिक क्षेत्र	कुल जनसंख्या (लाखों में)	जनसंख्या का प्रतिशत	भौगोलिक क्षेत्रफल हजार वर्ग किमी०	जनसंख्या का घनत्व (प्रति वर्ग किमी.)	प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या
1	पूर्वी	804	40.0	86(35.6)	931	952
2	पश्चिमी	743	37.2	80(33.2)	930	884
3	केन्द्रीय	355	18.0	46(19.0)	785	895
4	बुन्देलखण्ड	97	4.8	29(12.2)	329	877
	उत्तर प्रदेश	1998	100.0	241(100.00)	829	912

नोट - कोष्ठक में प्रतिशत दर्शाया गया है।

उक्त तालिका से ज्ञात होता है कि पूर्वी क्षेत्र की जनसंख्या 40.0 प्रतिशत है तथा जनसंख्या की दृष्टि से यह सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसके बाद क्रमशः पश्चिमी क्षेत्र (37.2 प्रतिशत) व केन्द्रीय क्षेत्र (18.0 प्रतिशत) तथा सबसे बाद बुन्देलखण्ड क्षेत्र (4.8 प्रतिशत) आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भी प्रदेश के क्षेत्रफल का 35.6 प्रतिशत भाग पूर्वी क्षेत्र में है, जो प्रथम स्थान पर तथा इसके बाद क्रमशः पश्चिमी क्षेत्र (33.2 प्रतिशत) केन्द्रीय क्षेत्र (19.0 प्रतिशत) तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र (12.2 प्रतिशत) क्षेत्रफल का स्थान है।

लिंगानुपात की प्रवृत्ति

स्त्री-पुरुष अनुपात से तात्पर्य प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या से है। वर्ष 1901 से 2011 की अवधि में स्त्री-पुरुष अनुपात के आँकड़े तालिका में दर्शाये गये हैं-

तालिका

उत्तर प्रदेश एवं भारत के स्त्री-पुरुष अनुपात के आँकड़े

वर्ष	उत्तर प्रदेश		भारत	
	समस्त आयु वर्ग	0-6 वर्ष आयु वर्ग	समस्त आयु वर्ग	0-6 वर्ष आयु वर्ग
1	2	3	4	5
1901	938	-	972	-

1911	916	-	964	-
1921	908	-	955	-
1931	903	-	950	-
1941	907	-	945	-
1951	908	-	946	-
1961	907	-	941	976
1971	876	923	930	964
1981	882	935	934	962
1991	876	927	927	945
2001	898	916	933	927
2011	912	902	943	919

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि प्रदेश में प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या वर्ष 1901 की जनगणनानुसार 938 थी इसके पश्चात् वर्ष 1991 तक इसमें कमी एवं मिश्रित प्रवृत्ति रही। वर्ष 2001 से इसमें पुनः वृद्धि आरम्भ हुई और यह बढ़ते हुए वर्ष 2001 एवं 2011 में क्रमशः 898 एवं 912 हो गयी। भारत में वर्ष 2011 में यह संख्या 943 है जबकि वर्ष 2001 में यह 933 ही थी।

साक्षरता प्रतिशत

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरों की संख्या 1144 लाख है जिनमें 682 लाख पुरुष तथा 462 लाख महिला साक्षर हैं तथा प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत 67.7 है जो भारत के संगत अवधि के साक्षरता प्रतिशत 73.0 से कम है जबकि वर्ष 2001 में यह प्रतिशत 56.3 था जो भारत के संगत अवधि में साक्षरता प्रतिशत 64.8 से कम था।

उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों की जनसंख्या

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 4157514 कुल विकलांग व्यक्ति हैं जिसमें 763988 दृष्टिहीनता, 266586 मूक, 1027835 बहरापन, 677713 गति, 76603 मानसिक, 181342 मानसिक मंदता, 946436 अन्य एवं 217011 बहु विकलांगता की श्रेणी में आते है। प्रदेश में विकलांग व्यक्तियों का कुल जनसंख्या का प्रतिशत 2.08 है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या (1998.12 लाख) में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या क्रमशः 413.58 लाख एवं 11.34 लाख थी जो कुल जनसंख्या की क्रमशः 20.7 प्रतिशत तथा 0.6 प्रतिशत थी जबकि इसी अवधि में भारत में यह प्रतिशत क्रमशः 16.6 एवं 8.6 था।

उत्तर प्रदेश में प्रमुख धर्मानुसार जनसंख्या

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 1593.1 लाख (79.8 प्रतिशत) हिन्दू, 384.8 लाख (19.3 प्रतिशत) मुस्लिम, 3.6 लाख (0.2 प्रतिशत) ईसाई, 6.4 लाख (0.3 प्रतिशत) सिक्ख, 2.1 लाख (0.1 प्रतिशत) बौद्ध, 2.1 लाख (0.1 प्रतिशत) जैन एवं 6.0 लाख (0.3 प्रतिशत) अन्य एवं अवर्णित धर्म के व्यक्ति निवास करते हैं।

उत्तर प्रदेश धर्मानुसार जनसंख्या 2011

	धर्म	जनसंख्या	कुल जनसंख्या प्रतिशत में
1.	हिन्दु	159312654	79.73
2.	मुस्लिम	38483967	19.26
3.	ईसाई	356448	0.18
4.	सिक्ख	643500	0.32
5.	बौद्ध	206285	0.10
6.	जैन	213267	0.11
7.	अन्य तथा अवर्णित धर्म	596220	0.30
	कुल जनसंख्या	199812341	100.00

जन्म दर, मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर

एम.आर.एस. बुलेटिन भारत सरकार के अनुसार प्रदेश में वर्ष 2000 में जन्म दर, मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर क्रमशः 32.8, 10.3, 83 थी जो निरंतर गिरते हुए वर्ष 2013 में क्रमशः 27.2, 7.7, एवं 50 हो गयी है एवं पुनः गिरते हुए वर्ष 2015 में क्रमशः 26.7, 7.2 एवं 46.0 हो गयी है एवं पुनः गिरते हुए वर्ष 2016 में क्रमशः 26.2, 6.9 एवं 43.0 हो गयी है। राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2013 में उक्त संख्या क्रमशः 21.4, 7.0, 40 एवं वर्ष 2015 में उक्त संख्या क्रमशः 20.8, 6.5 एवं 37.0 है एवं 2016 में उक्त संख्या क्रमशः 20.4, 6.4 एवं 34.0 रही।

प्रदेश में जन्म दर, मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर सम्बन्धी आँकड़े (प्रति हजार)

मद	वर्ष 2013		वर्ष 2015		वर्ष 2016	
	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत
1	2	3	4	5	6	7
जन्म दर	27.2	21.4	26.7	20.8	26.2	20.4
मृत्यु दर	7.7	7.0	7.2	6.5	6.9	6.4
शिशु मृत्यु दर	50.0	40.0	46.0	37.0	43.0	34.0

प्रदेश के महत्त्वपूर्ण तथ्यात्मक आँकड़े

- क्षेत्रफल - 240928 वर्ग किमी0
- जिलों की संख्या - 75
- मण्डलों की संख्या - 18
- कुल जनसंख्या (वर्ष 2011) - 199812341
  - पुरुष - 104480510
  - महिला - 95331831

- 2001-2011 में जनसंख्या में कुल वृद्धि - 33614420
- 2001-2011 में जनसंख्या में दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर - 20.23
- 2001-2011 में ग्रामीण जनसंख्या में दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर - 18.0
- 2001-2011 में नगरीय जनसंख्या में दशकीय प्रतिशत वृद्धि दर - 28.8
- नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अंश (2011) - 22.3
- जनसंख्या घनत्व - 829
- लिंगानुपात - 912:1000
- कुल जनसंख्या में 0-6 आयु वर्ग की बाल जनसंख्या का प्रतिशत
  - कुल बच्चे - 18.35 प्रतिशत
  - बालक - 18.18 प्रतिशत
  - बालिकाएँ - 18.54 प्रतिशत
- साक्षरता दर 7 वर्ष व अधिक की जनसंख्या के लिए (2011)
  - कुल - 67.7 प्रतिशत
  - पुरुष - 77.3 प्रतिशत
  - महिला - 57.2 प्रतिशत

सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जनपद-2011 (जनसंख्या हजार में)

	अधिकतम			न्यूनतम	
क्र.सं.	जनपद	कुल जनसंख्या	क्र.सं.	जनपद	कुल जनसंख्या
1	प्रयागराज	5954	1	महोबा	876
2	आजमगढ़	4614	2	चित्रकूट	992
3	लखनऊ	4589	3	हमीरपुर	1104
4	कानपुर नगर	4581	4	श्रावस्ती	1117
5	जौनपुर	4494	5	ललितपुर	1222

सर्वाधिक व न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 5 जनपद-2011

अधिकतम			न्यूनतम		
क्र.सं.	जनपद	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)	क्र.सं.	जनपद	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)
1	खीरी	7680	1	हापुड़	660
2	सोनभद्र	6905	2	गाजियाबाद	910
3	हरदोई	5986	3	भदोही	1015
4	सीतापुर	5743	4	शामली	1212
5	प्रयागराज	5482	5	गौतमबुद्ध नगर	1282

सर्वाधिक व न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 जनपद-2011

अधिकतम			न्यूनतम		
क्र.सं.	जनपद	जनसंख्या घनत्व (व्यक्ति/वर्ग किमी.)	क्र.सं.	जनपद	जनसंख्या घनत्व (व्यक्ति/वर्ग किमी.)
1	गाजियाबाद	3674	1	ललितपुर	242
2	वाराणसी	2395	2	सोनभद्र	270
3	लखनऊ	1816	3	हमीरपुर	275
4	संत रविदास नगर	1555	4	महोबा	279
5	हापुड़	2028	5	चित्रकूट	308

सर्वाधिक व न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जनपद-2011

अधिकतम			न्यूनतम		
क्र.सं.	जनपद	दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत	क्र.सं.	जनपद	दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत
1	गौतमबुद्ध नगर	49.11	1	कानपुर नगर	9.92
2	गाजियाबाद	41.27	2	हमीरपुर	11.12
3	श्रावस्ती	30.54	3	बागपत	11.95
4	बहराइच	29.10	4	फतेहपुर	14.05
5	बलरामपुर	27.72	5	देवरिया	14.25

सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जनपद-2011

अधिकतम			न्यूनतम		
क्र.सं.	जनपद	लिंगानुपात	क्र.सं.	जनपद	लिंगानुपात
1	जौनपुर	1024	1	महोबा	851
2	आजमगढ़	1019	2	चित्रकूट	861

3	देवरिया	1017	3	हमीरपुर	861
4	प्रतापगढ़	998	4	श्रावस्ती	862
5	सुल्तानपुर	983	5	ललितपुर	863

सर्वाधिक व न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जनपद-2011

	अधिकतम			न्यूनतम	
क्र.सं.	जनपद	साक्षरता दर	क्र.सं.	जनपद	साक्षरता दर
1	गौतमबुद्ध नगर	80.12	1	श्रावस्ती	46.74
2	कानपुर नगर	79.65	2	बहराइच	49.36
3	औरय्या	78.95	3	बलरामपुर	49.51
4	इटावा	78.41	4	बदायूँ	51.29
5	गाजियाबाद	78.07	5	रामपुर	53.34

सर्वाधिक व न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले 5 जनपद-2011

	अधिकतम			न्यूनतम	
क्र.सं.	जनपद	पुरुष साक्षरता दर	क्र.सं.	जनपद	पुरुष साक्षरता दर
1	गौतमबुद्ध नगर	88.26	1	श्रावस्ती	57.16
2	औरय्या	86.11	2	बहराइच	58.34
3	इटावा	86.06	3	बलरामपुर	59.73
4	गाजियाबाद	85.42	4	बदायूँ	60.98
5	झाँसी	85.38	5	रामपुर	61.40

सर्वाधिक व न्यूनतम महिला साक्षरता वाले 5 जनपद-2011

	अधिकतम			न्यूनतम	
क्र.सं.	जनपद	महिला साक्षरता दर	क्र.सं.	जनपद	महिला साक्षरता दर
1	कानपुर नगर	75.05	1	श्रावस्ती	34.78
2	लखनऊ	71.54	2	बलरामपुर	38.43
3	गौतमबुद्ध नगर	70.82	3	बहराइच	39.18
4	औरय्या	70.61	4	बदायूँ	40.09
5	गाजियाबाद	69.79	5	रामपुर	44.44

नियोजन

प्रदेश के नियोजित विकास हेतु नियोजन प्रक्रिया को वैज्ञानिक आधार के साथ प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने तथा योजना निर्माण हेतु आधारभूत आँकड़ों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही अन्य तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश का गठन किया गया। प्रमुख सचिव नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन इस संस्थान के पदेन अध्यक्ष हैं। वर्ष 2018-2019 में इस संस्थान के अन्तर्गत निम्न प्रभाग कार्यरत हैं :-

1. अर्थ एवं संख्या प्रभाग
2. विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग
3. मूल्यांकन प्रभाग
4. प्रशिक्षण प्रभाग
5. क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग
6. दीर्घकालीन योजना प्रभाग
7. जनशक्ति नियोजन प्रभाग
8. योजना अनुश्रवण एवं मूल्य प्रबन्धन प्रभाग
9. प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग

संस्थान के उपर्युक्त प्रभागों में योजना निर्माण हेतु आधारभूत आँकड़ों का संग्रहण, विश्लेषण, प्रकाशन एवं उपलब्धता सुनिश्चित कराने एवं प्रदेश की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन एवं समीक्षा का महत्त्वपूर्ण कार्य अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा किया जाता है। प्रदेश में कार्यान्वित विकास कार्यक्रमों, योजनाओं के सामयिक मूल्यांकन का कार्य मुख्यतः मूल्यांकन प्रभाग द्वारा किया जाता है।अग्रगामी प्रयोगों द्वारा ग्रामीण विकास के शोध एवं अध्ययन का कार्य विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग द्वारा किया जाता है। प्रयोगों द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय परिस्थितियों में नये विकास कार्यक्रमों की सम्भाव्यता आदि का परीक्षण भी किया जाता है। संस्थान के प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा नियोजन प्रक्रिया, प्रायोजना रचना तथा विकास योजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सम्बन्धी तथा विभिन्न विकास विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की दक्षता में अभिवृद्धि करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रदेश की अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं का अध्ययन एवं विशेष क्षेत्रीय योजनाएं तैयार करने का कार्य क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग द्वारा किया जाता है। प्रदेश में जनशक्ति सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं का अध्ययन एवं विश्लेषण कार्य जनशक्ति नियोजन प्रभाग द्वारा तथा दीर्घकालीन योजनाओं हेतु अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन एवं विश्लेषण तथा दीर्घकालीन योजना की संरचना का कार्य दीर्घकालीन योजना प्रभाग द्वारा किया जाता है।

प्रदेश के विभिन्न विभागों एवं निगमों की चयनित वृहद् परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों का अनुश्रवण एवं परियोजनाओं की लागत प्रबन्धन सम्बन्धी कार्य योजना अनुश्रवण एवं मूल्य प्रबन्धन प्रभाग द्वारा किया जाता है। प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा विभिन्न विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता, तकनीकी सम्भाव्यता तथा आर्थिक एवं सामाजिक लाभप्रदता के परीक्षण का कार्य किया जाता है तथा विभिन्न उच्च स्तरीय समितियों के माध्यम से प्रदेश में विनियोजन हेतु परियोजनाओं का अनुमोदन कराया जाता है।

अर्थ एवं संख्या प्रभाग

उत्तर प्रदेश में आँकड़ों को व्यवस्थित रूप से एकत्रित करने, संकलित करने एवं शासन को उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस प्रभाग की स्थापना वर्ष 1931 में ''ब्यूरो आफ स्टैटिस्टिक्स् एण्ड इकोनामिक रिसर्च'' नाम से की गयी थी। बीच में अनेक बार इस विभाग को पुनर्गठित किया गया। वर्ष 1947 में आर्थिक सलाहकार एवं निदेशक का पद सृजित कर इसे एक सम्पूर्ण विभाग का स्वरूप प्रदान किया गया। वर्ष 1961 में इस विभाग को अर्थ एवं संख्या निदेशालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अंततः वर्ष 1971 में नियोजन के अन्तर्गत राज्य नियोजन संस्थान की स्थापना की गयी तथा उक्त स्थापना के साथ ही यह विभाग अर्थ एवं संख्या प्रभाग के रूप में जाना जाने लगा।

प्रभाग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य

1. प्रदेश की अर्थव्यवस्था की नियमित समीक्षा करना तथा उसके निष्कर्षों से राज्य सरकार को अवगत कराना एवं परामर्श देना।
2. प्रदेश के आर्थिक नियोजन हेतु विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक विषयों पर आँकड़ों का एकत्रीकरण, प्रशोधन, विश्लेषण एवं प्रकाशन।
3. राज्य सरकार की नियोजन प्रक्रिया में वांछित सहयोग देना।
4. केन्द्र तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को उनकी आवश्यकतानुसार आँकड़ों की आपूर्ति।
5. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के सांख्यिकीय कार्यों में सामन्जस्य स्थापित करना तथा व्यवस्थित एवं तार्किक आधार पर सांख्यिकीय कार्यों को समुचित दिशा प्रदान करना।
6. विकास कार्यक्रमों की प्रगति का संकलन, सत्यापन एवं अनुश्रवण कार्य में सहयोग देना।
7. जिला योजनाओं की संरचना एवं अनुश्रवण।

अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों का संक्षिप्त विवरण-

- राज्य आय अनुमान
- सकल स्थायी पूँजी निर्माण
- जिला घरेलू शुद्ध उत्पाद
- उ.प्र. के आय-व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण
- उ.प्र. की आर्थिक समीक्षा
- मण्डलीय सामाजार्थिक समीक्षायें
- जनपदीय सामाजार्थिक समीक्षायें
- विकास खण्ड स्तरीय सामाजार्थिक समीक्षायें

- जिला योजना की संरचना एवं अनुश्रवण
- स्थानीय निकायों के आय-व्ययक वर्गीकरण सम्बन्धी कार्य
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक
- वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण
- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण
- भवन निर्माण सम्बन्धी आंकड़े
- थोक/फुटकर भाव संग्रह
- मजदूरी की दरें
- क्षेत्रीय अधिकारियों के निरीक्षणों पर आधारित स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट का विश्लेषण
- ग्राम्य विकास कार्यों का मासिक प्रगति प्रतिवेदन
- जिलेवार विकास संकेतक उ.प्र.
- उ.प्र. एक झलक (आंकड़ों में)
- सांख्यिकीय डायरी
- अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आंकड़ें
- सांख्यिकीय सारांश, उ.प्र.
- अन्तर जनपदीय आंकड़ें

विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग

विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग की स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी। इस प्रभाग का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को चिन्हित करके, क्रियात्मक शोध पद्धति अपनाते हुये पायलेट प्रोजेक्ट बनाना तथा क्षेत्र की वास्तविक परिस्थितियों में उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए जनसहभागिता को अपनाते हुए उसका क्रियान्वयन करके उपयुक्त माडल विकसित करना है। सफल कार्यक्रमों को शासन के सम्बन्धित विभागों को व्यापक प्रचार तथा ''रेप्लीकेशन'' हेतु हस्तान्तरित किया जाता है।

मूल्यांकन प्रभाग

प्रभाग का गठन एवं उद्देश्य

उत्तर प्रदेश में मूल्यांकन संगठन की स्थापना कार्यकारी दल की संस्तुतियों के आधार पर वर्ष 1965 में की गयी थी। इस प्रदेश में मूल्यांकन संगठन स्थापित करने में कार्यकारी दल की संस्तुतियों का पूर्ण रूपेण अनुसरण किया गया है। मूल्यांकन संगठन की नीति एवं कार्यक्रमों के निर्धारण तथा मूल्यांकन अध्ययनों के सफल संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा एक उच्चस्तरीय राज्य मूल्यांकन सलाहकार परिषद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित की गयी थी, ताकि मूल्यांकन सलाहकार परिषद मूल्यांकन सम्बन्धी कार्य का प्रभावकारी ढंग से सम्पादन कर सके। तत्पश्चात् वर्ष 1972 से मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ.प्र. की स्थापना के फलस्वरूप एक प्रभाग के रूप में स्थापित है।

प्रभाग का कार्य

प्रदेश के विकास में मूल्यांकन प्रभाग की अहम भूमिका है। योजनाएं अपने उद्देश्यों की पूर्ति में किस हद तक सफल रही हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों/दिशा–निर्देशों

के अनुरूप हो रहा है अथवा नहीं एवं योजनाओं के अन्तर्गत सम्पादित कार्यों की वास्तविक स्थिति क्या है, आदि को ज्ञात करने के उद्देश्य से मूल्यांकन दल द्वारा चयनित जनपदों में जाकर लाभान्वितों से साक्षात्कार कर आवश्यक तथ्य संकलित किये जाते हैं। साथ ही जनप्रतिनिधियों एवं सम्बन्धित राज्य स्तरीय/जनपद स्तरीय अधिकारियों/कर्मचारियों से विचार–विमर्श कर योजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जाती है। उपरोक्त समस्त तथ्यों का समावेश करते हुए अध्ययन प्रतिवेदन को अन्तिम रूप प्रदान किया जाता है। अध्ययन प्रतिवेदन में मूल्यांकनोपरान्त प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर योजना को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु सुझाव/संस्तुतियाँ की जाती हैं।

प्रशिक्षण प्रभाग

प्रशिक्षण प्रभाग की स्थापना 1981 में एक स्वतंत्र इकाई के रूप में राज्य नियोजन संस्थान उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत की गयी थी। प्रशिक्षण प्रभाग का मुख्य उद्देश्य नियोजन प्रयासों में वृद्धि करने हेतु एक नई कार्य संस्कृति तथा वातावरण बनाने के साथ-साथ आधुनिकतम नियोजन की तकनीकों एवं प्रक्रियाओं के प्रति जागरुकता लाना तथा प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को ज्ञात कर विभिन्न विकास विभागों के अधिकारियों के उपयोगार्थ विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित कर उनका आयोजन करना है, जिससे आधुनिक तकनीकों का ज्ञान विभिन्न विकास विभागों के प्रत्येक स्तर के अधिकारियों को हो सके। इसके अतिरिक्त प्रभाग प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु भी कार्यक्रम विकसित करता है, जिससे प्रशिक्षण की नई-नई विधियों से प्रदेश के प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत प्रशिक्षकों को समुचित लाभ उपलब्ध कराया जा सके। प्रशिक्षण प्रभाग के संक्षिप्त में निम्नलिखित उद्देश्य हैं-

(1) विकास, प्रशासन तथा राज्य एवं राष्ट्रीय नियोजन से सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रशिक्षण देना।
(2) राज्य नियोजन संस्थान तथा राज्य योजना के नवनियुक्त अधिकारियों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
(3) राज्य स्तर के विकास विभागों हेतु परामर्शी सेवायें एवं उनकी प्रशिक्षण आवश्यकताओं को निर्धारित करना।
(4) वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिए सेमिनार तथा वर्कशाप आयोजित करना।

क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग

प्रदेश में संतुलित सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग की स्थापना वर्ष 1971 में की गयी। इस प्रभाग का प्रमुख कार्य प्रदेश के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों पर व्याप्त क्षेत्रीय विषमताओं एवं समस्याओं को अभिज्ञानित करने हेतु अध्ययन करना है। प्रभाग के प्रमुख कार्यकलापों का विवरण निम्नवत् है :-

1. अखिल भारत, अन्य राज्यों, प्रदेश तथा प्रदेश के आर्थिक सम्भागों की तुलनात्मक स्थिति को विकास संकेतकों के माध्यम से दर्शाने हेतु नियोजन एटलस उत्तर प्रदेश की प्रतिवर्ष संरचना करना।
2. शासन के निर्देशानुसार विकास कार्यक्रमों/परियोजनाओं के स्थलीय सत्यापन/निरीक्षण के आधार पर उसके प्रभाव को अभिज्ञानित करने विषयक अध्ययन सम्पादित करना।
3. प्रदेश में जनपदवार पिछड़े विकास खण्डों का अभिज्ञान।
4. प्रदेश की अन्तर्क्षेत्रीय एवं अन्तर्जनपदीय विषमताओं को अभिज्ञानित करना।

दीर्घकालीन योजना प्रभाग

दीर्घकालीन योजना प्रभाग की स्थापना वर्ष 1971-72 में की गयी थी। प्रभाग का मुख्य उद्देश्य राज्य अर्थव्यवस्था के सर्वांगीण विकास हेतु एक उपयुक्त दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य तैयार करना है, जिसकी पृष्ठभूमि में लघु अवधीय विकास की प्राथमिकतायें तथा उसका स्वरूप निर्धारित किया जा सके। इस उद्देश्य के अनुरूप राष्ट्रीय विकास परिप्रेक्ष्य से तालमेल स्थापित करते हुए प्रदेश की क्षेत्रकीय एवं समग्र (सेक्टोरल एण्ड ओवर आल) अर्थव्यवस्था हेतु अपेक्षित वृद्धि दर, आवश्यक विनियोग एवं योजना परिव्यय, सम्भावित रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन आदि के अनुमान तैयार करना प्रभाग की सहवर्ती प्रतिबद्धतायें हैं। इन्हीं उद्देश्यों एवं अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु समग्र अर्थव्यवस्था एवं उसके विभिन्न क्षेत्रकों के प्रमुख बैरियबुल्स (उत्पादन, उपभोग, विनियोग, बचत आदि) की संरचना तथा कतिपय विशिष्ट पैरामीटर्स/पहलुओं (श्रम-उत्पादन, अनुपात, पूँजी-उत्पादन अनुपात, विकास-रणनीति आदि) से सम्बन्धित बहुआयामी अध्ययनों का सतत् सम्पादन प्रभाग का महत्त्वपूर्ण कार्य है।

जनशक्ति नियोजन प्रभाग

जनशक्ति नियोजन प्रभाग की स्थापना वर्ष 1971 में राज्य नियोजन संस्थान की स्थापना के साथ की गयी थी। इसका कार्य ऐसे अध्ययनों को करना है जिनसे प्रदेश की विभिन्न विकास योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु तकनीकी एवं व्यवसायिक कार्मिकों की उपलब्धता समय से एवं आवश्यकतानुसार सुनिश्चित हो सके तथा बेरोजगारी की समस्या को कम करने हेतु सुझाव दिये जा सकें। साथ ही शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में आवश्यक सुधार लाकर उन्हें अधिक उपयोगी बनाने तथा उपलब्ध जनशक्ति का विकास कार्यों में अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित कर, मानव संसाधन विकास में योगदान प्रदान करना है। प्रभाग द्वारा किये गये अध्ययनों को निम्नलिखित चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :

1. महत्त्वपूर्ण श्रेणी के तकनीकी कार्मिकों का स्टॉफ तथा मांग एवं पूर्ति का आंकलन।
2. विभिन्न स्त्रोतों से उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर प्रदेश की जनशक्ति का आंकलन, रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति तथा इनमें हो रहे परिवर्तनों का तुलनात्मक अध्ययन।
3. विकास कार्यक्रमों का रोजगार के दृष्टिकोण से विश्लेषण तथा रोजगारपरक योजनाओं का लाभार्थियों की आय एवं रोजगार पर प्रभाव।
4. प्रदेश में प्रशिक्षण संस्थाओं की उपयुक्तता तथा प्रशिक्षित जनशक्ति का उपयोग।

योगदान एवं उपयोग

(1) जनशक्ति नियोजन प्रभाग की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं एवं वार्षिक योजनाओं की संरचना में विशेष भूमिका रही है। नियोजन विभाग द्वारा प्रकाशित प्रत्येक वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाओं में प्रदेश में जनसंख्या, श्रमशक्ति, रोजगार, बेरोजगारी की स्थिति के संदर्भ में एक विस्तृत अध्याय तैयार कर सम्मिलित किया जाता है। साथ ही विभिन्न योजनागत कार्यक्रमों के अन्तर्गत सृजित होने वाले रोजगार एवं स्वतः रोजगार का आंकलन भी प्रभाग द्वारा किया जाता है। इस अध्याय तथा रोजगार सृजन के आंकलन पर भारत सरकार के योजना आयोग में गठित श्रम एवं रोजगार डिवीजन के सलाहकार के स्तर पर विस्तृत विचार-विमर्श भी होता रहा है।

(2) प्रभाग द्वारा रोजगारपरक तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का प्रभाव जानने हेतु कुछ विशिष्ट अध्ययन

भी किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/निगमों में रोजगार सृजन के लक्ष्य एवं उपलब्धियों के आंकलन एवं विश्लेषण सम्बन्धी कार्य भी प्रभाग द्वारा किये जाते हैं। प्रदेश में प्रशिक्षित जनशक्ति की मांग एवं पूर्ति, प्रदेश में प्रशिक्षित जनशक्ति का स्टॉक एवं उपयोग तथा रोजगार संरचना में हो रहे परिवर्तनों का अध्ययन कर, उपलब्ध जनशक्ति को और अधिक उपयुक्त बनाने एवं उसकी गुणवत्ता में सुधार लाकर रोजगारपरक बनाने हेतु प्रभाग द्वारा समय-समय पर अध्ययन किये जाते हैं।

(3) प्रभाग द्वारा विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों हेतु आवश्यक प्रशिक्षण सुविधाओं की उपयुक्तता एवं उपयोग तथा विभिन्न पाठ्यक्रमों में समय का अपव्यय आदि से सम्बन्धित अध्ययन भी किये जाते हैं जिसके माध्यम से प्रभाग, प्रदेश में मानव संसाधन विकास हेतु अपना योगदान प्रदान करता है।

योजना अनुश्रवण एवं मूल्य प्रबन्धन प्रभाग

नियोजन विभाग के अन्तर्गत योजना अनुश्रवण एवं मूल्य प्रबन्धन प्रभाग का सृजन मई, 1973 में इस उद्देश्य से किया गया था कि यह प्रभाग प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा चलाई गयी चयनित परियोजनाओं की प्रगति पर दृष्टि रखेगा तथा उनके क्रियान्वयन में आने वाले अवरोधों, समस्याग्रस्त क्षेत्रों तथा कमी के सम्बन्ध में शासन को नियमित रूप से अवगत करायेगा। साथ ही प्रभाग से यह भी अपेक्षा की गयी है कि वह परियोजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा, उनके निर्धारित लक्ष्यानुसार पूर्ण न हो पाने के कारण, भविष्य में सम्भावित अवरोधों की जानकारी तथा लागत एवं समयवृद्धि पर अंकुश आदि के सम्बन्ध में सुझावात्मक टिप्पणी सहित वस्तुस्थिति से शासन एवं उच्च प्रबन्धन को अनुश्रवण टिप्पणी के माध्यम से नियमित रूप से अवगत करायेगा।

यह प्रभाग अपने उद्देश्यों के अनुरूप सीमित साधनों एवं जनशक्ति का उपयोग करते हुए तत्परता से अपेक्षानुसार अपने उत्तरदायित्वों का निष्पादन कर रहा है। वर्तमान में प्रभाग द्वारा निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं :-

1. प्रदेश में विकास विभागों की निर्माणाधीन परियोजनाएं जिनमें 10 प्रतिशत से अधिक लागत वृद्धि हो चुकी है उन परियोजनाओं की रिपोर्ट विभागों द्वारा नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। इन सभी परियोजनाओं की अपर मुख्य सचिव के स्तर पर प्रत्येक त्रैमास समीक्षा किया जाना तथा वस्तु स्थिति से उच्च स्तर को अवगत कराना।
2. प्रदेश में विकास विभागों की निर्माणाधीन परियोजनाएं जिनमें 25 प्रतिशत से अधिक लागत हो चुकी है तथा/अथवा एक वर्ष से अधिक कार्यावधि वृद्धि हो गयी है उन परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रत्येक त्रैमास में कारणों सहित रिपोर्ट तैयार कर माननीय मंत्रि परिषद द्वारा गठित उप समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना।
3. ई-परियोजना प्रबन्धन वेब प्रणाली के अन्तर्गत विकास विभागों की निर्माणाधीन परियोजनाएं अपलोड/अपडेट करने का नियमित अनुश्रवण।
4. रु. 5.00 करोड़ से अधिक लागत के मार्ग/पेयजल/सीवर/डेनेज परियोजनाएं तथा अन्य रु. 1.00 करोड़ से अधिक लागत की निर्माणाधीन परियोजनाओं का ई-परियोजना प्रबन्धन वेब प्रणाली के माध्यम से प्रगति का अनुश्रवण कर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करना तथा अनुश्रवण आख्या को सम्बन्धित विभागों को प्रेषण।

5. समय-समय पर निमार्णाधीन परियोजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों के साथ समीक्षा बैठकें आहूत करना।
6. परियोजनाओं की लागत पुनरीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु सेतु एवं भवन सूचकांकों का निर्धारण किया जाना

प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग

प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग का गठन राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत दिनांक 29.05.1972 को हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश की विभिन्न विकास प्रायोजनाओं हेतु पूँजी विनियोग के प्रस्तावों की वित्तीय सहायता, तकनीक सम्भाव्यता तथा आर्थिक एवं सामाजिक लाभ प्रदता का मूल्यांकन करना है।

प्रभाग का कार्यक्षेत्र

- व्यय वित्त समिति सचिवालय
- पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड (पी.आई.बी.) सचिवालय

व्यय वित्त समिति का संगठन तथा कार्यक्षेत्र

- व्यय के महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों के सभी पहलुओं पर जाँच करके तत्परता से अन्तिम निर्णय लिये जाने के उद्देश्य से दिनाँक 22 अप्रैल 1977 द्वारा व्यय वित्त समिति का गठन किया गया था।
- इस समिति की सदस्यता, कार्य प्रक्रिया, कर्तव्य व कार्य क्षेत्र आदि के सम्बन्ध में दिनाँक 24 जुलाई, 1998 द्वारा आंशिक संशोधन किया गया।

समिति का कार्यक्षेत्र

- योजनाओं/परियोजनाओं में व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं औचित्व के परीक्षण का स्तर निम्नवत है–

क्र.सं.	परियोजना के व्यय के प्रस्ताव	व्यय के प्रस्तावों का मूल्यांकन (अप्रेजल) एवं उनके औचित्य का प्रशिक्षण
1.	रु. 5.00 करोड़ तक	प्रशासकीय विभाग
2.	रु. 5.00 करोड़ से अधिक एवं रु. 25.00 करोड़ तक	प्रशासकीय विभाग (जिस प्रशासकीय विभाग में मुख्य अभियन्ता तैनात हो।)
3.	रु. 5.00 करोड़ से अधिक एवं रु. 25.00 करोड़ तक	पी.एफ.ए.डी. तथा प्रशासकीय विभाग (जिस प्रशासकीय विभाग में मुख्य अभियन्ता न हो)।
4.	रु. 25.00 करोड़ से अधिक	पी.एफ.ए.डी. तथा प्रमुख सचिव वित्त की अध्यक्षता में गठित व्यय वित्त समिति।

पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड एवं उसकी स्थाई समिति का संगठन तथा कार्यक्षेत्र

1. प्रदेश में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड का गठन जनवरी, 1977 में राज्य सरकार द्वारा किया गया था।
2. पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड का मुख्य कार्य प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र में किये जाने वाले पूँजी विनियोग प्रस्तावों का परीक्षण करके अनुमोदन/संशोधन/अस्वीकृत हेतु अपनी संस्तुति देना है।

3. पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड प्रदेश में नये नियमों की स्थापना की आवश्यकता का भी परीक्षण करता है।
4. बोर्ड के विचारार्थ प्राप्त विनियोजन प्रस्तावों की संख्या में काफी अधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सितम्बर 1985 में एक स्थाई समिति का सृजन किया गया था जिसे पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड की स्थाई समिति कहा गया।

जिला योजना की संरचना

भारत का संविधान की धारा-243 य घ में प्रत्येक जनपद की एक जिला योजना समिति गठित किये जाने तथा जनपदों की विकास योजना की संरचना किये जाने का प्रावधान है। प्रदेश में संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार उ.प्र. जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 के साथ पठित उ.प्र. जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, 2007 तथा उ.प्र. जिला योजना समिति नियमावली, 2008 के माध्यम से प्रत्येक जिले में जिला योजना समिति गठित है तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप जनपदों की जिला योजना की संरचना की जा रही है। इस हेतु राज्य के संसाधनों से जिला योजना हेतु उपलब्ध परिव्यय की जनपदवार फांट के साथ ही जनपदों को विस्तृत मार्ग-निर्देश जारी किये जाते हैं। उक्त मार्ग-निर्देशों के क्रम में जनपदों द्वारा तैयार की गयी जिला विकास योजना पर जिला योजना समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है और अनुमोदित जिला योजना नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जाती है।

नियोजन विभाग में प्राप्त जिला योजनाओं को संकलित कर गहन परीक्षण किया जाता है। परीक्षणोपरान्त् उभर कर आई विसंगतियों का निराकरण कराने हेतु नियोजन विभाग में राज्य स्तर पर आयोजित बैठक में जनपदों के मुख्य विकास अधिकारियों एवं जिला अर्थ एवं संख्याधिकारियों द्वारा अपरिहार्य संशोधन किये जाते हैं। उक्त संशोधनों का समावेश जिला योजनाओं में कराते हुए जनपदवार/योजनावार परिव्यय की संकलित अनन्तिम सूचना नियोजन विभाग द्वारा जारी की जाती है, जिस पर सम्बन्धित जनपदों द्वारा जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 की जिला योजना के अन्तर्गत जनपदवार/योजनावार परिव्यय की संकलित सूचना नियोजन विभाग द्वारा जारी की जा चुकी है।

वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2019-20 की जिला योजना संरचना हेतु जनपदों/विभागों को विस्तृत मार्ग-निर्देश जारी किये गये हैं। तदानुक्रम में जनपदों से जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित जिला योजनाएं नियोजन विभाग को प्राप्त होना प्रारम्भ हो गई है। समस्त जनपदों से जिला योजनाएं प्राप्त होने के उपरान्त जनपदवार/योजनावार परिव्यय की संकलित सूचना जारी कर दी जायेगी।

वित्त

बजट 2019-2020 की विशेषताएं

बजट का आकार/प्राप्तियां

- बजट का आकार रु. 4.80 लाख करोड़ रुपये है, जो गत वर्ष से 12.0 प्रतिशत अधिक है।
- 21,212 करोड़ रुपये की व्यय की नई मद का सृजन किया गया है।
- बजट में कुल 4.71 लाख करोड़ की प्राप्तियां अनुमानित हैं जिसमें राजस्व प्राप्ति में रु. 3.92 लाख करोड़ तथा पूंजीगत प्राप्ति रु. 0.79 लाख करोड़ है।

ऋणग्रस्तता

- राज्य की कुल ऋणग्रस्तता वित्तीय वर्ष के अन्त तक 4.73 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है।
- वित्तीय वर्ष में कुल लगभग 63,268 करोड़[1] रुपये का ऋण लिया जाना अनुमानित है।

वित्तीय अनुशासन

- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम (एफ.आर.बी.एम.) के दायरे में रहते हुये तीनों महत्त्वपूर्ण निम्न संकेतक नियन्त्रण में हैं :-
  - राजस्व अधिशेष (सरप्लस) की स्थिति बनी हुयी है;
  - राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत के अन्दर (2.97 प्रतिशत) है;
  - कुल ऋणग्रस्तता 30.0 प्रतिशत से कम (29.98 प्रतिशत) है।
- राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋण के शत-प्रतिशत से भी अधिक (165 प्रतिशत) का उपयोग पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन में किया जायेगा अर्थात राजस्व सरप्लस के एक बड़े अंश का उपयोग भी परिसम्पत्तियों के सृजन में किया जायेगा।

[1] रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से अर्थोपाय अग्रिम 10,000 करोड़ रुपये की धनराशि सम्मिलित नहीं।

प्रमुख विकासात्मक व्यय

- अर्थव्यवस्था के उत्पादन आधार को विस्तृत करने के लिये 77,641 करोड़ रुपये के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है।
- विकास की प्रक्रिया में गति लाने हेतु बिजली हेतु 35.9 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो गत वर्ष से 20.2 प्रतिशत अधिक है।
- किसानों के विकास के लिये सिंचाई परियोजनाओं, बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकासी और अनुरक्षण के लिये पिछले वर्ष आवंटित धनराशि 11.6 प्रतिशत बढ़ाकर 12.2 हजार करोड़ रुपये प्राविधानित की गयी है।
- ग्राम्य विकास हेतु 22.5 हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है।
- पंचायती राज व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये 28.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 22.1 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- नगर विकास तथा नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन के लिये 17.7 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो गत् वर्ष से 20.5 प्रतिशत अधिक है।
- प्रदेश में चिकित्सा तथा परिवार कल्याण के लिए 23.9 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो गत् वर्ष से 10.3 प्रतिशत अधिक है।
- शिक्षा की स्थिति में गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से 73.6 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- मूलभूत ढांचा के सुदृढ़ीकरण हेतु सड़क एवं सेतुओं के बजट प्रावधान में 12.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 19.8 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

ई-कुबेर व्यवस्था

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तावित ई-कुबेर प्रणाली को प्रथमतः प्रयोग के तौर पर कानपुर नगर कोषागार में दिनांक 11 जुलाई, 2017 से लागू किया गया।
- कानपुर नगर कोषागार में ई-कुबेर प्रणाली के सफल क्रियान्वयन के फलस्वरूप, कार्य में सुविधा एवं राज्य सरकार को मिलने वाले लाभ के दृष्टिगत निम्न सारिणी के अनुसार प्रदेश के सभी कोषागारों में ई-कुबेर प्रणाली चरणबद्ध तरीके से लागू की गयीः-

क्र.सं.	ई-कुबेर लागू किये जाने की तिथि	कोषागार का नाम
1.	11 जुलाई, 2017	कानपुर नगर
2.	11 जुलाई, 2018	आगरा, अलीगढ़ प्रयागराज, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, चित्रकूट, गोण्डा, अयोध्या, गोरखपुर, झाँसी, लखनऊ (आदर्श कोषागार कलेक्ट्रट), मेरठ, मिरजापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बाराबंकी।
3.	11 सितम्बर, 2018	जौनपुर, गाजीपुर, चन्दौली, मुजफ्फरनगर, जे.पी. नगर (अमरोहा), बिजनौर, सोनभद्र, भदोही, बुलन्दशहर।
4.	11 अक्टूबर, 2018	उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, कन्नौज, कानपुर देहात, फर्रूखाबाद, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, अमेठी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थनगर, संतकबीर नगर, शाहजहाँपुर।
5.	11 नवम्बर, 2018	पीलीभीत, बदायूँ, मऊ, बलिया, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, कासगंज, एटा, हाथरस, इटावा, औरैया, ललितपुर, जालौन (उरई), प्रयागराज सि.ला.।
6.	11 दिसम्बर, 2018	मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, शामली, सम्भल, हापुड़, बागपत, सीतापुर, लखीमपुर, विधानसभा उ.प्र. लखनऊ, जवाहर भवन लखनऊ, राज्यपाल सचिवालय उ.प्र. लखनऊ, भुगतान एवं लेखाधिकारी नई दिल्ली।

राज्य के संसाधन के स्रोत एवं व्यय की स्थिति
(2019-20 आय-व्ययक अनुमान)

(₹ करोड़ में)

संसाधन के स्रोत	धनराशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशत वितरण	व्यय की मुख्य मदें	धनराशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशत वितरण
1	2	3	4	5	6
1. राज्य का स्वयं कर राजस्व	140176.00	29.1	1. पूँजीगत परिव्यय	77641.13	16.2
2. राज्य करेत्तर राजस्व	30632.96	6.4	2. वेतन (सरकारी कर्मचारी)	63927.26	13.3
3. केन्द्रीय करों में राज्यांश	152863.17	31.8	3. वेतन (सहायता प्राप्त कर्मचारी)	53852.05	11.2
4. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	68062.27	14.2	4. पेंशन (सरकारी कर्मचारी)	32320.59	6.8
5. लोक ऋण*	73268.48	15.3	5. पेंशन (सहायता प्राप्त संस्थायें)	20813.72	4.3
6. ऋण और अग्रिमों की वसूली	5681.60	1.2	6. ब्याज	35373.92	7.4
			7. स्थानीय निकायों को समनुदेशन	14500.02	3.0
			8. ऋणों का प्रतिदान *	35374.48	7.4
			9. ऋण एवं अग्रिम	2728.45	0.6
			10. सब्सिडी	14848.90	3.1
			11. सहायता अनुदान (गैर वेतन)	48315.77	10.1
			12. अन्य राजस्व व्यय	80004.81	16.7
कुल प्राप्तियाँ	**470684.48**	**98.0**	**कुल व्यय**	**479701.10**	**99.9**
7. लोक लेखा (शुद्ध)	9500.00	2.0	13. नकद आहरण (शुद्ध)	483.38	0.1
8. आकस्मिकता निधि (शुद्ध)	0.00	0.0			
कुल प्राप्तियाँ (शुद्ध)	**480184.48**	**100.0**	**कुल व्यय (शुद्ध)**	**480184.48**	**100.0**

*** प्रतिशत अंश में अर्थोपाय अग्रिम की धनराशि सम्मिलित नहीं है।**

प्रमुख विभागों के व्यय की नई मांग
(आय–व्ययक 2019–20)

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	राजस्व लेखे का व्यय	पूँजी लेखे का व्यय		योग
		पूँजीगत	ऋण	
1	2	3	4	5
1. आवास विभाग	–	1000.00	–	1000.00
2. लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन	10.00	–	–	10.00
3. भारी एवं मध्यम उद्योग	0.38	110.00	–	110.38
4. ऊर्जा	5076.92	573.95	–	5650.87
5. भूमि विकास एवं जन संसाधन	600.00	–	–	600.00
6. पशुधन	22.18	2.00	–	24.18
7. चीनी उद्योग	–	29.00	1071.58	1100.58
8. पुलिस	–	2009.00	–	2009.00
9. चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण	11.00	858.00	–	869.00
10. एलोपैथी चिकित्सा	1110.23	–	–	1110.23
11. नियोजन	4.00	1000.04	–	1004.04
12. न्याय	2.00	210.00	–	212.00
13. पर्यटन	–	10.00	–	10.00
14. महिला एवं बाल कल्याण	1334.59	–	–	1334.59
15. लोक निर्माण (सेतु, सड़कें)	77.00	2369.78	–	2446.78
16. वन	202.67	18.93	–	221.60
17. वित्त (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	525.00	–	–	525.00
18. प्राथमिक शिक्षा	0.10	4.90	–	5.00
19. माध्यमिक शिक्षा	7.53	–	–	7.53
20. उच्च शिक्षा	2.63	15.00	–	17.63
21. अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना	317.07	714.68	–	1031.75
22. सिंचाई विभाग	7.00	846.00	–	853.00
23. अन्य	200.89	802.67	56.23	1059.79
योग :	**9511.19**	**10573.95**	**1127.81**	**21212.95**

प्रदेश की प्राप्तियाँ, व्यय एवं प्रमुख वित्तीय संकेतक

(₹ करोड़ में)

मद	2015-16	2016-17	2017-18	पुनरीक्षित अनुमान 2018-19	आय-व्ययक अनुमान 2019-20
1	2	3	4	5	6
1. समेकित निधि					
(क) प्राप्तियां-					
(क) राजस्व लेखा	227075.94	256875.15	278775.45	380021.72	391734.40
(1) स्वयं का कर राजस्व	81106.29	85966.25	97393.00	134300.00	140176.00
(2) केन्द्रीय करों में अंश	90973.66	109427.96	120939.14	141539.97	152863.17
(3) करेत्तर राजस्व	23134.66	28944.07	19794.86	28821.66	30632.96
(4) केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	31861.33	32536.87	40648.45	75360.09	68062.27
(ख) पूंजी लेखा	75239.21	67943.86	47652.34	59503.55	78950.08
(1) ऋणों से प्राप्तियां	74513.58	67685.07	47416.57	54338.46	73268.48
(2) ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां	725.63	258.79	235.77	5165.09	5681.60
योग, प्राप्तियां	**302315.15**	**324819.01**	**326427.79**	**439525.27**	**470684.48**
(ख) व्यय-					
(क) राजस्व लेखा	212735.95	236592.26	266223.52	332774.06	363957.04
(1) सामान्य सेवायें	72227.92	88254.82	105781.67	137011.04	149672.67
(2) सामाजिक सेवायें	82486.46	91861.12	84251.68	111081.78	128748.37
(3) आर्थिक सेवायें	47881.29	45834.16	64634.76	72493.72	71035.98
(4) स्थानीय निकायों को समनुदेशन	10140.28	10642.16	11555.41	12187.52	14500.02
(ख) पूंजी लेखा	91213.39	96832.88	55599.36	116799.23	115744.06
(1) पूंजीगत परिव्यय	64422.72	69789.12	39087.97	88528.15	77641.13
(2) ऋणों का प्रतिदान	17672.76	20302.67	15002.10	20546.73	35374.48
(3) ऋण और अग्रिम	9117.91	6741.09	1509.29	7724.35	2728.45
योग, व्यय	**303949.34**	**333425.14**	**321822.88**	**449573.29**	**479701.10**
समेकित निधि में- बचत (+)/घाटा (-)	(-)1634.19	(-) 8606.13	4604.91	(-)10048.02	(-) 9016.62
2. आकस्मिकता निधि शुद्ध (कन्सालिडेटड फण्ड नेट)	157.21	(-) 176.04	(-) 154.96	0.00	0.00
3. लोक लेखा शुद्ध (पब्लिक एकाउन्ट नेट)	1076.92	8910.85	(-) 2904.09	8100.00	9500.00
4. राजस्व बचत (रेवेन्यू सरप्लस)	14339.99	20282.89	12551.93	47247.66	27777.36
5. राजकोषीय घाटा (फिस्कल डेफिसिट)	58475.01	55988.53	27809.56	43839.75	46910.62
6. शुद्ध राजकोषीय घाटा (डिस्क्राम के पुनर्गठन प्रभाव को हटा कर)	28872.41	41187.24	27809.56	43839.75	46910.62
7. प्राथमिक घाटा (प्राइमरी डेफिसिट)	37027.14	29052.86	(-)1326.27	11969.05	11536.70
8. शुद्ध प्राथमिक घाटा (स्क्राम के पुनर्गठन प्रभाव को हटा कर)	8154.73	14251.57	(-)1326.27	11969.05	11536.70

भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम की ₹ 10,000 करोड़ की धनराशि सम्मिलित है।

राजस्व प्राप्ति : राज्य का कर राजस्व

(केन्द्रीय कर राजस्व में राज्य का अंश तथा राज्य का स्वयं का कर राजस्व)

(₹ करोड़ में)

मद	2015-16	2016-17	2017-18	पुनरीक्षित अनुमान 2018-19	आय-व्ययक अनुमान 2019-20
1	2	3	4	5	6
क. केन्द्रीय करों में राज्य का अंश	90973.66	109427.96	120939.14	141539.97	152863.17
योग, (क)	**90973.66**	**109427.96**	**120939.14**	**141539.97**	**152863.17**
	(52.87)	**(56.00)**	**(55.39)**	**(51.31)**	**(52.16)**
ख. राज्यकर तथा शुल्क					
(1) भू-राजस्व	505.31	760.04	1336.46	850.00	856.00
(2) स्टाम्प और निबन्धन शुल्क	12403.72	11564.01	13397.57	19650.00	19179.07
(3) राज्य उत्पाद शुल्क	14083.54	14273.49	17320.27	25100.00	31517.41
(4) वाणिज्य कर (वैट)	47692.40	51882.88	31112.52	24075.00	24660.00
(5) वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.)	-	-	25373.96	54025.00	52980.10
(6) वाहनों एवं माल तथा यात्री पर कर	4410.53	5148.36	6403.65	8000.00	7863.42
(7) विद्युत कर और शुल्क	1338.26	1555.83	2124.13	2600.00	3120.00
(8) मनोरंजन कर *	622.26	725.79	305.25	-	-
(9) पर्यटन कर *	50.27	55.85	19.19	-	-
योग, (ख)	**81106.29**	**85966.25**	**97393.00**	**134300.00**	**140176.00**
	(47.13)	**(44.00)**	**(44.61)**	**(48.69)**	**(47.84)**
राज्य का कर राजस्व (क+ख)	**172079.95**	**195394.21**	**218332.14**	**275839.97**	**293039.17**
	(100.00)	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**	**(100.00)**

* **माह जुलाई, 2017 से प्रदेश में जी.एस.टी. व्यवस्था लागू होने से मनोरंजन कर एवं पर्यटन कर जी.एस.टी. में समाहित हो गये हैं।**

राजस्व प्राप्ति
(राज्य का करेत्तर राजस्व)

(₹ करोड़ में)

मद	2015-16	2016-17	2017-18	पुनरीक्षित अनुमान 2018-19	आय-व्ययक अनुमान 2019-20
1	2	3	4	5	6
राज्य करेत्तर राजस्व					
(क) राजकोषीय सेवायें, ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश और लाभ	**675.48**	**1251.29**	**1124.26**	**910.09**	**1250.00**
(ख) अन्य करेत्तर राजस्व (1+2+3)	**22459.18**	**27692.78**	**18670.60**	**27911.57**	**29382.96**
1. सामान्य सेवायें	**6113.74**	**5993.32**	**6806.21**	**14088.68**	**15875.21**
(क) पुलिस व जेल	**394.26**	**336.80**	**425.94**	**452.58**	**529.82**
(ख) लेखन सामग्री तथा मुद्रण	22.34	49.39	27.36	20.07	42.47
(ग) लोक निर्माण-कार्य	92.25	60.99	33.99	75.00	80.00
(घ) विविध सामान्य सेवायें	4949.22	4460.40	4841.12	12758.33	14051.00
(ङ) अन्य	655.67	1085.74	1477.80	782.70	1171.92
2. सामाजिक सेवायें	**11264.36**	**14653.22**	**1571.12**	**987.91**	**1290.18**
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	10652.08	14092.31	*432.05	520.00	551.20
(ख) चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य व परिवार कल्याण	242.54	185.93	286.87	196.73	268.54
(ग) अन्य	369.75	374.98	852.20	271.18	470.44
3. आर्थिक सेवायें	**5081.08**	**7046.24**	**10293.27**	**12834.98**	**12217.57**
(क) फसल कृषि कर्म	98.74	63.88	536.98	520.00	133.40
(ख) पशुपालन, डेरी विकास व मत्स्य पालन	43.74	43.66	54.22	49.79	52.46
(ग) वानिकी तथा वन्य प्राणी	629.79	252.97	320-05	425.00	475.00
(घ) सहकारिता	167.50	20.74	9.97	24.12	25.57
(ङ) अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	129.75	70.28	54.00	61.74	65.44
(च) लघु, मध्यम तथा वृहद सिंचाई	651.40	781.80	952.92	1170.00	1692.00
(छ) विद्युत	1325.50	2938.85	4695.85	5700.00	4175.00
(ज) अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	1222.17	1548.39	3258.88	3795.64	4400.00
(झ) सड़क तथा सेतु	652.48	929.48	365.92	950.00	1000.00
(ञ) अन्य	160.00	396.19	44.48	138.69	198.70
योग : राज्य करेत्तर राजस्व	**23134.66**	**28944.07**	**19794.86**	**28821.66**	**30632.96**

* वर्ष 2017-18 से सर्वशिक्षा अभियान सम्बन्धी प्रतिपूर्ति धनराशि मुख्यशीर्ष के सकल व्यय में समायोजित होने के कारण इस मद में अब प्रदर्शित नहीं की जाती है।

राजस्व प्राप्ति
(केन्द्रीय सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान)

(₹ करोड़ में)

मद	2015-16	2016-17	2017-18	पुनरीक्षित अनुमान 2018-19	आय-व्ययक अनुमान 2019-20
1	2	3	4	5	6
1. केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	**8273.90**	**9334.94**	**8968.89**	**11833.08**	**15591.22**
(अ) 13वें/14वें वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार	**8273.90**	**9334.94**	**8968.89**	**11833.08**	**15591.22**
(क) शहरी स्थानीय निकाय/ नगर विकास विभाग	**491.80**	**1667.60**	**2111.57**	**2336.99**	**3136.18**
1. बेसिक अनुदान	491.80	1268.80	2111.57	1820.41	2459.76
2. परफार्मेन्स अनुदान	–	398.80	–	516.58	676.42
(ख) ग्रामीण स्थानीय निकाय/ पंचायती राज विभाग	**3852.59**	**6034.35**	**6179.65**	**8050.34**	**10840.04**
1. बेसिक अनुदान	3852.59	5334.60	6179.65	7148.74	9659.47
2. परफार्मेन्स अनुदान	–	699.75	–	901.60	1180.57
(ग) आपदा राहत (एस.डी.आर.एफ.)	3381.65	531.75	558.00	582.75	615.00
(घ) आपदा राहत (एन.डी.आर.एफ.)	–	1062.09	119.67	863.00	1000.00
(च) अन्य	548.16	39.15	–	–	–
(छ) अन्य वापसियाँ	(–)0.30	–	–	–	–
(ब) अन्य अनुदान	–	–	–	–	–
2. केन्द्र द्वारा समर्थित योजनाएं (सी.एस.एस.)	**21637.97**	**22913.54**	**27730.91**	**60568.35**	**49693.33**
3. राज्य योजनाएं	**1933.16**	**232.33**	**3948.65**	**2917.55**	**2777.72**
(क) केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.)	225.39	219.71	890.24	2400.00	2010.00
(ख) जी.एस.टी. लागू होने से राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति	–	–	2124.00	–	–
(ग) अन्य	1707.77	12.62	934.41	517.55	767.72
4. केन्द्रीय योजनायें	**16.30**	**56.06**	–	**41.11**	–
कुल योग :	**31861.33**	**32536.87**	**40648.45**	**75360.09**	**68062.27**

13वें वित्त आयोग की अवार्ड अवधि वित्तीय वर्ष 2010-11 से 2014-15 है जबकि 14वें वित्त आयोग की अवार्ड अवधि 2015-16 से 2019-20 है।

राजस्व प्राप्ति
(केन्द्र द्वारा समर्थित केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं तथा केन्द्रीय वित्त आयोग अनुदान के सापेक्ष प्राप्त सहायता अनुदान)

(₹ करोड़ में)

मद	2016-17	2017-18	2018-19		आय-व्ययक अनुमान 2019-20
			आय-व्ययक अनुमान	31/01 2019 तक प्राप्ति*	
1	2	3	4	5	6
(क) प्रमुख केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं					
1. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	1746.80	1519.06	2050.00	1054.74	1620.00
2. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	792.67	983.51	1524.60	1071.18	2093.02
3. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) (पूर्व ए.आई.बी.पी.)	73.70	378.10	1257.52	306.58	1550.84
4. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	1234.87	910.30	1723.69	246.22	814.48
5. प्रधानमंत्री आवास योजना	2329.35	4456.03	8230.34	1028.07	6837.81
(क) ग्रामीण	2272.86	4215.95	6900.00	799.16	3805.88
(ख) शहरी	56.49	240.08	1330.34	228.91	3031.93
6. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	701.95	397.52	750.00	625.26	1477.05
7. स्वच्छ भारत मिशन	853.33	3675.43	3452.00	6862.06	4250.00
(क) ग्रामीण	853.33	3073.56	2994.00	6592.64	3600.00
(ख) शहरी	-	601.87	458.00	269.42	650.00
8. राष्ट्रीय आजीविका मिशन	64.04	208.76	390.85	501.88	450.50
(क) ग्रामीण	41.38	136.81	250.80	448.49	362.95
(ख) शहरी	22.66	71.95	140.05	53.39	87.55
9. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	3172.61	3641.28	4640.35	3196.26	4015.12
10. सर्वशिक्षा अभियान	4208.63	3345.86	10931.39	3050.93	9297.57
11. मध्याह्न भोजन (एमडीएम)	1017.36	1004.75	1228.96	635.11	1246.81
12. एकीकृत बाल विकास सेवायें (आंगनवाड़ी एवं पोषाहार मिशन सहित)	2416.45	2247.46	4024.02	2433.27	3568.75
13. महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा				17.20	49.41

14. शहरी पुनरुद्धार मिशन (अमृत-अटल पुनरुद्धार और शहरी रूपांतरण मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन)	520.63	1057.58	2062.50	730.76	1934.23
15. हरित क्रान्ति (आर.के.वी.वाई. सहित)	414.82	456.58	1346.40	479.60	1199.74
16. पर्यटन (डेस्टिनेशन सर्किट)	0.00	0.00	55.66	0.00	52.40
17. अल्पसंख्यकों के विकास हेतु अम्ब्रेला कार्यक्रम जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम	222.53	207.18	1055.33	65.08	1138.99
18. सी.आर.एफ.	219.71	–	2200.00	–	–
19. विशेष केन्द्रीय सहायता (सी.ए.एस.पी.)	–	–	–	1200.00	–
योग (क) :	**19989.45**	**24489.40**	**46923.61**	**23504.20**	**41596.72**
(ख) अन्य केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं	**3212.47**	**1926.87**	**4792.62**	**3259.70**	**8096.61**
(ग) बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	–	**1398.69**	–	–	–
(घ) वापसियाँ	–	**(–) 84.05**	–	–	–
योग (क+ख+ग+घ)	**23201.92**	**27730.91**	**51716.23**	**26763.90**	**49693.33**
(ङ) वित्त आयोग अनुदान					
(1) स्थानीय निकाय (ग्रामीण)	6034.35	6179.65	8050.34	7148.74	10840.04
(2) स्थानीय निकाय (शहरी)	1667.61	2111.58	2336.99	1817.62	3136.18
(3) एस.डी.आर.एफ.	531.75	558.00	582.75	351.46	615.00
योग (ङ) :	**8233.71**	**8849.23**	**10970.08**	**9317.82**	**14591.22**
(च) संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अन्तरण					
(1) एन.डी.आर.एफ.	1062.09	119.67	863.00	157.23	1000.00
(2) अन्य अनुदान	39.15	3948.64	0.00	0.00	2777.72
योग (च)	**1101.24**	**4068.31**	**863.00**	**157.23**	**3777.72**
महायोग (क+ख+ग+घ+ङ+च)	**32536.87**	**40648.45**	**63549.31**	**36238.95**	**68062.27**

* दिनांक 31 जनवरी, 2019 को राज्य सरकार को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार।

राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

मद	2015-16	2016-17	2017-18	पुनरीक्षित अनुमान 2018-19	आय-व्ययक अनुमान 2019-20
1	2	3	4	5	6
(क) सामान्य सेवायें	**72227.92**	**88254.83**	**105781.67**	**137011.04**	**149672.67**
1. करों से वसूली	**2993.33**	**3470.89**	**4009.56**	**4514.57**	**5315.07**
2. ब्याज संदाय एवं ऋण परिशोधन	**28414.65**	**37708.02**	**41368.06**	**58274.65**	**57230.93**
3. सामान्य प्रशासनिक सेवायें	**40819.93**	**47075.92**	**60404.05**	**74221.82**	**87126.67**
1. विधान मण्डल, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद तथा निर्वाचन	487.70	834.46	715.88	1099.83	1246.00
2. लोक सेवा आयोग, सचिवालय सामान्य सेवाएं	509.10	545.40	526.75	775.92	897.50
3. जिला प्रशासन व कोषागार	912.61	1004.64	1114.03	1383.84	1593.93
4. न्याय प्रशासन	1490.17	1647.11	1831.49	2607.93	3054.07
5. जेल	559.24	565.46	612.23	667.17	772.48
6. पुलिस	10792.38	12195.91	13963.48	15593.51	21021.96
7. लोक निर्माण	697.35	512.39	1454.88	2469.61	2878.74
8. पेंशन तथा विविध सामान्य सेवायें	24184.45	28270.19	38518.35	47664.58	53179.13
9. अन्य	1186.93	1500.35	1666.96	1959.43	2482.86
(ख) सामाजिक तथा आर्थिक सेवायें	**130367.74**	**137695.28**	**148886.44**	**183575.50**	199784.35
1. शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	45077.35	52219.91	46140.90	55469.29	60773.63
2. चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	6730.26	7898.23	9499.02	11879.45	13247.79
3. श्रम तथा रोजगार	514.10	635.91	880.39	1199.59	1265.70
4. सहकारिता	461.24	508.68	412.30	622.11	714.18
5. कृषि एवं अन्य कृषि कार्यक्रम आदि	2544.61	2754.93	24310.03	10819.82	6895.37
6. मृदा तथा जल संरक्षण लघु सिंचाई तथा कमान क्षेत्र विकास	2372.63	2352.37	3059.44	3117.50	4501.13
7. पशुपालन, डेरी विकास व मछली पालन	899.91	1141.10	1327.22	1796.00	2060.13
8. वानिकी एवं वन्य जीवन	529.32	560.01	619.56	771.81	909.53
9. ग्राम्य विकास	7714.16	13848.25	17086.30	31037.05	25131.88
10. उद्योग और खनिकर्म	3082.17	672.51	1308.40	3647.90	2878.33
11. मुख्य एवं मध्यम सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं ऊर्जा	25722.27	18288.06	11679.14	15930.69	22760.74
12. परिवहन	3572.60	4825.92	4125.24	4411.61	5096.24
13. अन्य	31147.12	31989.40	28438.50	42872.68	53549.70
(ग) स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन (डेवल्यूशन)	**10140.29**	**10642.16**	**11555.41**	**12187.52**	14500.02
योग (क+ख+ग)	**212735.95**	**236592.26**	**266223.52**	**332774.06**	**363957.04**

राजस्व व्यय

(विकास एवं विकासेत्तर व्यय)

(₹ करोड़ में)

मद	2017-18		2018-19		2019-20	
	वास्तविक व्यय	प्रतिशत वितरण	पुनरीक्षित अनुमान	प्रतिशत वितरण	आय-व्ययक अनुमान	प्रतिशत वितरण
1	2	3	4	5	6	7
1. विकास व्यय (क+ख)	**148886.44**	**55.93**	**183575.50**	**55.17**	**919784.35**	**54.89**
क. सामाजिक सेवायें	**84251.68**	**31.65**	**111081.78**	**33.38**	**128748.38**	**35.37**
ख. आर्थिक सेवायें	**64634.76**	**24.28**	**72493.72**	**21.79**	**71035.97**	**19.52**
1. कृषि और सम्बद्ध क्रिया-कलाप	27265.39	10.24	14314.84	4.30	10810.90	2.97
2. ग्रामीण विकास	17086.30	6.42	31037.05	9.33	25131.88	6.91
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	72.61	0.03	146.93	0.04	156.00	0.04
4. सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं ऊर्जा	14142.15	5.31	18120.99	5.45	26316.00	7.23
5. उद्योग और खनिज	1308.40	0.49	3647.90	1.10	2878.32	0.79
6. परिवहन	4125.24	1.55	4411.61	1.33	5096.24	1.40
7. विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण	56.17	0.02	76.85	0.02	81.97	0.02
8. सामान्य आर्थिक सेवायें	578.50	0.22	737.55	0.22	564.66	0.16
2. विकासेत्तर व्यय-सामान्य सेवायें-	**105781.67**	**39.74**	**137011.04**	**41.17**	**149672.67**	**41.12**
1. राज्य के अंग	2547.37	0.96	3707.76	1.11	4300.07	1.18
2. राजकोषीय सेवायें	4009.56	1.51	4514.57	1.36	5315.07	1.46
3. ब्याज संदाय और ऋण परिशोधन	41368.06	15.54	58274.65	17.51	57230.93	15.72
4. प्रशासनिक सेवायें	19338.33	7.26	22849.48	6.87	29647.47	8.15
5. पेंशन और विविध सामान्य सेवायें	38518.35	14.47	47664.58	14.32	53179.13	14.61
योग (1+2)	**254668.11**	**95.67**	**320586.54**	**96.34**	**349457.02**	**96.02**
3. स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन	11555.41	4.33	12187.52	3.66	14500.02	3.98
कुल योग (1+2+3)	**266223.52**	**100.00**	**332774.06**	**100.00**	**363957.04**	**100.00**

राजस्व व्यय

(वेतन पर व्यय का वर्गीकरण)

(₹ करोड़ में)

मद	2017-18		2018-19 (पु०अनु०)		2019-20(ब०अनु०)	
	व्यय	राजस्व व्यय से प्रतिशत	व्यय	राजस्व व्यय से प्रतिशत	व्यय	राजस्व व्यय से प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
क. राज्य कर्मचारियों का वेतन						
1. मूल वेतन	39343.73	14.78	42835.31	12.87	48790.18	13.41
2. भत्ते*	4145.87	1.56	6013.70	1.81	11877.71	3.26
2.1 महंगाई भत्ता*	2458.76	0.92	3827.07	1.15	7360.79	2.02
2.2 अन्य भत्ते	1687.11	0.63	2186.63	0.66	947.31	0.26
2.3 मकान किराया भत्ता	-	-	-	-	2488.31	0.68
2.4 नगर प्रतिकर भत्ता	-	-	-	-	435.75	0.12
2.5 प्रैक्टिस बंदी भत्ता	-	-	-	-	645.55	0.18
3. 7वें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित वेतन का अवशेष	4.74	0.00	2802.79	0.84	3259.37	0.90
योग क (1+2+3)	**43494.34**	**16.34**	**51651.80**	**15.52**	**63927.26**	**17.56**
(ख) राज्य से सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों की वेतन हेतु सहायता						
1. वेतन हेतु सहायता अनुदान	40664.96	15.27	46434.95	13.95	51348.87	14.11
2. 7वें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित वेतन के अवशेष हेतु सहायता	1.13	0.00	2374.10	0.71	2503.19	0.69
योग ख (1+2)	**40666.09**	**15.28**	**48809.05**	**14.67**	**53852.06**	**14.80**
कुल योग (क+ख)	**84160.43**	**31.61**	**100460.85**	**30.19**	**117779.32**	**32.36**

* मकान किराया, नगर प्रतिकर एवं प्रैक्टिस बंदी से सम्बन्धित भत्तों का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 तक 'अन्य भत्ते' के मद से किया जा रहा है।

राजस्व व्यय
(कृषि तथा सम्बद्ध कार्य-कलाप)

(₹ करोड़ में)

मद	2015-16	2016-17	2017-18	पुनरीक्षित अनुमान 2018-19	आय-व्ययक अनुमान 2019-20
1	2	3	4	5	6
1. फसल कृषि कर्म	2197.29	2329.46	23829.27	9653.20	5554.38
2. मृदा तथा जल संरक्षण	647.91	633.57	596.26	927.20	945.86
3. पशुपालन तथा मछली पालन	810.14	1020.77	1237.77	1684.31	1918.13
4. वानिकी तथा वन्य जीवन	529.32	560.01	619.56	771.81	909.53
5. खाद्य भंडारण तथा भण्डारागार	162.85	222.97	240.36	256.89	305.81
6. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	170.14	182.20	216.34	257.80	288.76
7. सहकारिता	461.24	508.68	412.30	622.11	714.18
8. अन्य	118.94	140.63	113.53	141.52	174.25
योग	**5097.83**	**5599.29**	**27265.39**	**14314.84**	**10810.90**

राजस्व व्यय
(शिक्षा)

निम्नलिखित तालिका में आय-व्ययक शीर्षक ''शिक्षा'' के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की शिक्षा पर किये जाने वाले राजस्व व्यय को दर्शाया गया है। इसमें अन्य शीर्षकों जैसे- कृषि, उद्योग, चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य के अन्तर्गत शिक्षा कार्यक्रमों पर व्यय की गयी धनराशि सम्मिलित नहीं है।

(₹ करोड़ में)

मद	2015-16	2016-17	2017-18	पुनरीक्षित अनुमान 2018-19	आय-व्ययक अनुमान 2019-20
1	2	3	4	5	6
1. प्राथमिक शिक्षा	35613.85	42189.81	35205.63	42155.63	46235.18
2. माध्यमिक शिक्षा	7120.02	7507.32	8195.83	9008.18	10934.61
3. उच्च शिक्षा	1735.92	1840.73	1984.49	3385.08	2559.70
4. तकनीकी शिक्षा	270.65	289.72	347.66	396.27	453.72
5. अन्य	125.37	143.23	153.58	211.29	251.34
योग	**44865.81**	**51970.81**	**45887.19**	**55156.45**	**60434.55**

राजस्व व्यय

(चिकित्सा एवं परिवार कल्याण)

(₹ करोड़ में)

मद	2015-16	2016-17	2017-18	पुनरीक्षित अनुमान 2018-19	आय-व्ययक अनुमान 2019-20
1	2	3	4	5	6
1. एलोपैथिक	3905.13	4393.49	5073.48	6343.65	6779.02
2. आयुर्वेदिक एवं यूनानी	551.46	609.18	750.89	997.42	1129.43
3. होम्योपैथिक	248.19	284.37	332.32	379.16	476.30
4. परिवार कल्याण	3542.55	3925.25	4320.58	4897.26	5934.67
5. राज्य कर्मचारी बीमा योजना	133.73	129.76	137.74	137.28	160.43
6. चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण	1381.92	1927.26	2465.76	3128.59	3628.38
7. सार्वजनिक स्वास्थ्य	375.74	413.71	578.79	688.99	821.79
8. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष घटक योजना	1056.49	1178.51	1132.89	1351.90	1624.50
योग	**11195.21**	**12861.53**	**14792.45**	**17924.25**	**20554.52**

पूँजीगत प्राप्ति

(राज्य सरकार द्वारा लिये जाने वाला ऋण व प्रदत्त ऋण की वसूली)

(₹ करोड़ में)

मद	2015-16	2016-17	2017-18	पुनरीक्षित अनुमान 2018-19	आय-व्ययक अनुमान 2019-20
1	2	3	4	5	6
(क) राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	73919.72	66653.99	43313.40	53338.46	71768.48
1. बाजार कर्ज़	30000.00	41050.00	41600.00	48326.46	55831.48
2. नाबार्ड	1893.44	2000.00	1500.00	4800.00	5800.00
3. राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	7752.05	–	–	–	–
4. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	4498.55	8695.05	2932.95	–	10000.00
5. अन्य संस्थाओं से कर्ज	29775.68	14908.94	280.45	212.00	137.00
(ख) केन्द्रीय सरकार से बाह्य सहायतित परियोजनाओं के लिए ऋण	593.86	1031.08	1103.16	1000.00	1500.00
(ग) ऋणों और अग्रिमों की वसूलियां	725.63	258.79	235.77	5165.09	5681.60
1. सरकारी कर्मचारियों आदि	100.27	102.41	101.80	113.18	114.00
2. बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज*	–	–	–	4891.72	4891.72
3. अन्य	625.36	156.38	133.97	160.19	675.88
(घ) आकस्मिकता निधि से अन्तरण	157.21	–	–	–	–
योग (क+ख+ग+घ)	**75396.42**	**67943.86**	**47652.33**	**59503.55**	**78950.08**

* विद्युत वितरण कम्पनियों को 'उदय' योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्गत बंध पत्रों से प्राप्त धनराशि के 25 प्रतिशत अंश के समतुल्य स्वीकृत ब्याज सहित ऋण रु. 4891.72 करोड़ की वापसी की धनराशि है।

पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

मद	2015-16	2016-17	2017-18	पुनरीक्षित अनुमान 2018-19	आय-व्ययक अनुमान 2019-20
1	2	3	4	5	6
क. पूँजीगत परिव्यय	**64422.72**	**69789.12**	**39087.97**	**88528.14**	**77641.12**
ख. ऋणों का प्रतिदान	**17672.76**	**20302.67**	**15002.10**	**20546.73**	**35374.48**
अ. राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण	**16275.46**	**18862.99**	**13461.13**	**19100.08**	**33777.99**
1. बाजार से	4699.16	4145.58	4422.00	12693.33	13876.93
2. नाबार्ड	1295.98	1418.55	1396.60	1451.71	1624.04
3. राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	3413.37	4531.58	4643.05	4871.64	5122.07
4. भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	6230.50	8695.05	2932.95	–	10000.00
5. अन्य	636.45	72.23	66.53	83.40	3154.95
ब. केन्द्रीय सरकार से ऋण व अग्रिम	**1397.30**	**1439.68**	**1540.97**	**1446.65**	**1596.49**
1. समेकित राज्य योजनान्तर्गत कर्ज/ विशेष सहायता (12वें वित्त आयोग की संस्तुति अनुसार)	1063.82	1063.82	1063.82	1063.82	1063.82
ग. ऋण और अग्रिम	**9117.91**	**6741.09**	**1509.29**	**7724.36**	**2728.46**
1. आवास एवं शहरी विकास	175.00	1014.00	3.00	200.00	16.95
2. सहकारिता	576.19	11.05	10.00	4.25.95	25.00
3. विद्युत परियोजनाएं	6083.12	3700.32	–	615.45	–
4. सरकारी कर्मचारियों आदि	106.79	91.54	88.42	121.34	115.88
5. अन्य	2176.81	1924.18	1407.87	6361.62	2570.63
घ. आकस्मिकता निधि को विनियोग	–	–	–	–	–
योग (क+ख+ग+घ)	**91213.39**	**96832.88**	**55599.36**	**116799.23**	**115744.06**

पूँजीगत परिव्यय एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण और अग्रिम
(विकास एवं विकासेत्तर)

(₹ करोड़ में)

मद	2017-18		2018-19		2019-20	
	वास्तविक व्यय	प्रतिशत वितरण	पुनरीक्षित अनुमान	प्रतिशत वितरण	आय-व्ययक अनुमान	प्रतिशत वितरण
1	2	3	4	5	6	7
1. विकास व्यय (क+ख)	**37780.26**	**93.07**	**90370.55**	**93.89**	**74893.64**	**93.19**
क. सामाजिक सेवायें	**11943.60**	**29.42**	**23317.02**	**24.22**	**22562.54**	**28.07**
ख. आर्थिक सेवायें	**25836.66**	**63.65**	**67053.54**	**69.67**	**52331.10**	**65.12**
1. कृषि और सम्बद्ध क्रिया-कलाप	1819.23	4.48	1030.65	1.07	1778.33	2.21
2. ग्रामीण विकास	2313.12	5.70	4185.30	4.35	5145.10	6.40
3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	591.16	1.46	864.16	0.90	1156.00	1.44
4. सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	3107.32	7.65	7979.59	8.29	8421.20	10.48
5. ऊर्जा	8312.87	20.48	22365.79	23.24	10455.72	13.01
6. उद्योग तथा खनिज	925.76	2.28	6278.30	6.52	1950.63	2.43
7. परिवहन	8324.75	20.51	23637.46	24.56	22564.64	28.08
8. अन्य	442.45	1.09	712.29	0.74	859.48	1.07
2. विकासेत्तर व्यय	**2817.00**	**6.94**	**5881.94**	**6.11**	**5475.94**	**6.81**
योग (1+2)	**40597.26**	**100.01**	**96252.50**	**100.00**	**80369.58**	**100.00**

पूँजीगत व्यय
(पूँजीगत परिव्यय)

(₹ करोड़ में)

मद	2015-16	2016-17	2017-18	पुनरीक्षित अनुमान 2018-19	आय-व्ययक अनुमान 2019-20
1	2	3	4	5	6
क. सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय	**5259.08**	**5727.30**	**2775.78**	**5680.94**	**5174.94**
1. पुलिस	1014.66	1264.83	605.99	833.87	2597.31
2. लोक निर्माण कार्य	1285.20	1113.53	1010.31	1607.44	1846.87
3. अन्य	2959.22	3348.94	1159.48	3239.63	730.76
ख. सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय	**11706.76**	**17150.47**	**11625.13**	**22812.23**	**22390.80**
1. शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	1130.44	2018.30	938.26	2137.74	2164.26
2. चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	2256.01	2922.30	2111.98	2810.94	3329.41
3. जलापूर्ति तथा सफाई	2257.00	3109.02	1811.29	2572.50	6647.27
4. आवास	3695.27	6662.12	5617.21	12401.20	7269.80
5. शहरी विकास	1334.21	886.46	147.65	918.90	1261.80
6. समाज कल्याण तथा पोषण	662.17	1109.70	421.05	960.09	906.84
7. अन्य	371.66	442.57	577.69	1010.86	811.42
ग. आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय	**47456.88**	**46911.35**	**24687.06**	**60034.97**	**50075.38**
1. कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलाप	2271.78	3921.13	1614.43	963.39	1522.10
2. ग्रामीण विकास	4756.88	2249.22	2313.12	4185.30	5145.10
3. सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण	5051.88	5200.76	3107.32	7979.59	8421.20
4. ऊर्जा	18809.10	11735.08	8312.87	21750.34	10455.72
5. उद्योग और खनिज	91.85	152.03	69.39	63.80	67.04
6. परिवहन	15715.45	22653.08	8324.75	23637.45	22564.64
7. अन्य सेवाओं पर	759.94	1000.06	945.18	1455.10	1899.58
कुल योग (क+ख+ग)	**64422.72**	**69789.12**	**39087.97**	**88528.14**	**77641.12**

राज्य की कुल ऋण ग्रस्तता तथा राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों की अदत्त धनराशियां

(₹ करोड़ में)

मद	31 मार्च को शेष				
	2016	2017	2018	पुनरीक्षित अनुमान 2019	आय-व्ययक अनुमान 2020
1	2	3	4	5	6
1. राज्य की कुल ऋणग्रस्तता					
क. लोक ऋण –					
स्थायी ऋण					
1. बाजार ऋण	127967.87	164872.26	202050.26	237356.93	279311.48
2. वित्तीय संस्थाओं से ऋण	8270.25	8910.12	7727.43	11206.15	15447.60
3. भारत सरकार से ऋण	83419.57	78479.40	73398.55	68080.25	62861.69
अ. केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	69782.94	65251.36	60608.32	55736.67	50614.60
ब. केन्द्रीय सरकार से उधार और अग्रिम	13636.63	13228.04	12790.23	12343.58	12247.09
1. 12वें वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार दिनांक 31.03.2004 को अवशेष समेकित कर्ज	8588.34	7524.53	6460.71	5396.89	4333.07
2. बाह्य सहायतित परियोजनाओं के लिए कर्ज	–	3192.13	4094.41	4994.40	6244.40
3. अन्य	5048.29	2511.38	2235.11	1952.29	1669.62
योग, (क)	**219657.69**	**252261.78**	**283176.24**	**316643.33**	**357620.77**
ख. अन्य दायित्व					
1. पावर बाण्ड	34872.73	49674.02	49674.02	49674.02	46592.26
2. भविष्य निधियाँ	47014.66	48733.64	51263.76	54020.36	55254.76
3. जमा और अग्रिम	22367.46	22747.89	24602.47	22170.99	14095.43
4. अन्य देयतायें	23.12	-	-	-	-
योग, (ख)	**104277.97**	**121155.55**	**125540.25**	**125865.37**	**115942.45**
कुल योग, (क+ख)	**323935.66**	**373417.33**	**408716.49**	**442508.70**	**473563.22**
जी.एस.डी.पी. से प्रतिशत	**29.5**	**29.9**	**29.6**	**30.0**	**30.0**
2. राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिम की अदत्त धनराशियां	22458.64	28940.94	27667.43	30226.69	27273.54

आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत नाबार्ड से ऋण

1. नाबार्ड में रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फण्ड (आर.आई.डी.एफ.) का गठन भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में चालू योजनाओं के वित्त पोषण हेतु किया गया।

2. प्रदेश में आर.आई.डी.एफ. से प्राप्त ऋणों का 48 प्रतिशत सिंचाई एवं जल निकासी परियोजनाओं पर, 10 प्रतिशत बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर, 29 प्रतिशत ग्रामीण सड़कों एवं सेतुओं के निर्माण पर, 07 प्रतिशत वर्षा जल प्रबन्धन पर तथा 06 प्रतिशत पशु चिकित्सालय एवं वानिकी के क्षेत्र में उपयोग किया गया है।

(आर.आई.डी.एफ. से वित्त पोषित स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण)

(₹ करोड़ में)

मद	2015-16 (31मार्च तक)	2016-17 (31मार्च तक)	2017-18 (31मार्च तक)
1	2	3	4
1. सिंचाई की परियोजनायें	859.44	1427.77	1164.15
2. ग्रामीण सड़कें	335.47	249.99	262.45
3. ग्रामीण सेतु	33.67	82.86	280.06
4. डेरी विकास की परियोजनायें	983.22	–	–
5. पशुपालन	–	131.91	–
योग (स्वीकृत परियोजनायें) :	**2211.80**	**1892.53**	**1706.66**

एल.टी.आई.एफ. (दीर्घ कालीन सिंचाई निधि)

1. एल.टी.आई.एफ. का सृजन नाबर्ड के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में किया गया।

2. लम्बे समय से अपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को संसाधान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निधि का गठन किया गया।

3. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत प्रदेश की तीन सिंचाई परियोजनाओं - सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना तथा मध्य गंगा नहर परियोजना-द्वितीय तरण हेतु नाबार्ड की दीर्घकालीन सिंचाई निधि से ऋण लेकर पूर्ण किया जाना है।

4. वर्ष 2019-20 के बजट में उक्त तीनों परियोजनाओं के लिये एल.टी.आई.एफ से रु. 4,493 करोड़ का ऋण लिया जाना प्रस्तावित है।

(एल.टी.आई.एफ. से वित्त पोषित स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण)

(₹ करोड़ में)

मद	प्रारम्भ वर्ष/ स्वीकृत वर्ष	अपेक्षित कुल ऋण		परियोजना पूर्ण करने का लक्ष्य	2019-20 में प्रावधान	अभ्युक्ति
		केन्द्र सरकार से अनुदान	एल.टी. आई.एफ.			
1	2	3	4	5	6	7
1. सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना	1982	1166.57	2450.67	दिसम्बर, 2019	1812.56	पूर्वी उ.प्र. में 14 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन होगा।
2. अर्जुन सहायक परियोजना	2009	100.00	1479.86	दिसम्बर, 2019	953.28	बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 14,381 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन होगा।
3. मध्य गंगा नहर परियोजना द्वितीय चरण	2007	92.00	3310.81	दिसम्बर, 2020	1726.99	पश्चिमी उ.प्र. में अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन होगा।

ऋणों का भुगतान (ऋण सेवा)

(₹ करोड़ में)

मद	2015-16	2016-17	2017-18	पुनरीक्षित अनुमान 2018-19	आय-व्ययक अनुमान 2019-20
1	2	3	4	5	6
1. ऋणों का प्रतिदान*					
1. आन्तरिक ऋण	**10044.96**	**10167.94**	**13461.14**	**19100.08**	**23777.99**
1. बाजार से	4699.16	4145.58	4422.00	12693.33	13876.93
2. नाबार्ड	1295.98	1418.55	1396.60	1451.71	1624.04
3. राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	3413.37	4531.58	4643.05	4871.64	5122.07
4. अन्य	636.45	72.23	2999.49	83.40	3154.95
2. केन्द्रीय सरकार से ऋण व अग्रिम	**1397.30**	**1439.68**	**1540.96**	**1446.65**	**1596.49**
योग (1)	**11442.26**	**11607.62**	**15002.10**	**20546.73**	**25374.48**
2. ब्याज					
1. बाज़ार कर्ज	9060.99	11540.26	13967.62	16619.74	20309.14
2. आर.बी.आई. द्वारा दिये गये अल्पकालिक ऋण	3.78	4.28	0.83	5.00	5.00
3. राज्य भविष्य निधि	3532.99	3427.50	3424.03	3450.00	3500.00
4. अल्प बचत ऋण	6332.57	6440.62	6525.94	5815.14	5344.46
5. बीमा तथा पेंशन निधि	207.69	217.58	205.65	214.05	215.17
6. केन्द्रीय सरकार से लिये गये उधार और अग्रिम	1024.16	927.48	849.82	744.50	639.05
7. अन्य देनदारियाँ	1285.69	4377.95	4161.94	5022.27	5361.10
योग- 2 :	**21447.87**	**26935.67**	**29135.83**	**31870.70**	**35373.92**
ऋण सेवा (1+2)	**32890.13**	**38543.29**	**44137.93**	**52417.43**	**60748.40**
राजस्व प्राप्ति	**227075.94**	**256875.15**	**278775.45**	**380021.72**	**391734.00**
ऋण सेवा/राजस्व प्राप्ति*	**14.5%**	**15.0%**	**14.8%**	**13.8%**	**15.5%**

*** भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम की धनराशि सम्मिलित नहीं है।**

सकल राजकोषीय घाटा (ग्रास फिस्कल डेफिसिट) के घटक

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	राजस्व घाटा(-)/ बचत(+)	पूँजीगत परिव्यय	ऋण और अग्रिम की वसूली (शुद्ध)	सकल राजकोषीय घाटा (2+3+4)	सकल राजकोषीय (डिस्काम के लिए एफ.आर.पी. को घटाकर)	सकल राज्य* आय (जी.एस. डी.पी.)	5 का 7 से प्रतिशत	6 का 7 से प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2006-2007	4900.62	13984.12	531.92	9615.42	–	309834	3.10%	–
2007-2008	3449.26	16950.38	293.35	13794.47	–	344346	4.01%	–
2008-2009	1861.84	22345.72	28.92	20512.80	–	400711	5.12%	–
2009-2010	7047.34	25091.23	648.77	18692.66	–	452803	4.13%	–
2010-2011	3508.15	20272.80	483.05	17247.70	–	574124	3.00%	–
2011-2012	6984.53	21573.96	842.40	15431.83	–	637789	2.42%	–
2012-2013	5180.34	23834.29	584.44	19238.39	–	728342	2.64%	–
2013-2014	10066.88	32862.65	883.77	23679.54	–	855135	2.77%	–
2014-2015	22394.27	53297.28	1610.16	32513.17	–	955953	3.40%	–
2015-2016	14339.99	64422.72	8392.28	58475.01	28872.41	1098912	5.32%*	2.63%
2016-2017	20282.89	69789.12	6482.30	55988.53	41187.24	1247658	4.49%*	3.30%+
2017-2018	12551.93	39087.97	1273.52	27809.56	–	1378643	2.02%	–
2018-2019 (पुनरीक्षित अनुमान)	47247.66	88528.15	2559.26	43839.75	–	1476455	2.97%	–
2019-2020 (आय-व्ययक अनुमान)	27777.36	77641.13	-2953.15	46910.62	–	1579807	2.97%	–

* उज्ज्वल डिस्काम एश्योरेन्स योजना 'उदय' के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों की वित्तीय पुनर्संरचना के लिए वर्ष 2015-16 में रु. 29602.60 करोड़ तथा वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान में रु. 14801.29 करोड़ के बाण्ड्स सम्मिलित हैं, जिसे केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देश के अनुसार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम 2004 (यथा संशोधित) में संगत वर्ष के लिये निर्धारित वार्षिक ऋण सीमा से बाहर रखा गया है।

\+ एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान का प्रतिशत सम्बन्धी शर्त पूर्ण करने के कारण वर्ष 2016-17 के लिये राज्य सरकार को 3.25 प्रतिशत की सीमा अनुमन्य है।

प्रमुख सहकारी संस्थाओं, निगमों एवं कम्पनियों इत्यादि में राज्य सरकार का पूँजी निवेश

(₹ करोड़ में)

संस्था का नाम	2015-16	2016-17	2017-18	पुनरीक्षित अनुमान 2018-19	आय-व्ययक अनुमान 2019-20
1	2	3	4	5	6
क. सहकारी संस्थाएं	**2773.99**	**506.26**	**568.99**	**1364.46**	**801.81**
1. सहकारी समितियां	1853.78	12.24	6.00	21.61	15.00
2. सहकारी चीनी मिलें	918.21	490.07	555.59	1337.00	780.58
3. सहकारी कताई मिल संघ	2.00	3.95	7.40	5.85	6.23
ख. निगम एवं कम्पनियां	**24490.64**	**11018.37**	**4146.41**	**12383.91**	**6824.02**
1. प्रादेशिक कोआपरेटिव डेरी फेडरेशन	313.82	803.96	194.80	63.00	231.23
2. उ0प्र0 विद्युत निगम	1561.48	1451.38	2167.39	1824.00	1229.00
3. उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम	1129.51	788.00	686.39	1252.76	2268.89
4. उ0प्र0 जल विद्युत उत्पादन निगम	–	–	0.80	0.15	0.01
5. उ.प्र. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन	1150.00	1395.00	500.00	1604.66	1182.00
6. उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि0	20333.38	6030.65	588.10	7632.79	1907.19
7. उ.प्र. राज्य वस्त्र निगम लि0	0.50	0.85	1.13	1.13	1.22
8. उ.प्र. स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि0	1.10	247.97	3.79	3.17	2.09
9. उ.प्र. स्टेट यार्न कम्पनी लि0	0.85	300.56	4.01	2.25	2.39

राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी

(₹ करोड़ में)

मद	2015-16	2016-17	2017-18	पुनरीक्षित अनुमान 2018-19	आय-व्ययक अनुमान 2019-20
1	2	3	4	5	6
1. लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन	32.29	35.24	34.72	36.18	34.28
2. खादी एवं ग्रामोद्योग	78.08	49.11	29.43	25.00	15.00
3. हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग	184.76	7.00	305.00	156.00	156.00
4. भारी एवं मध्यम उद्योग	4.06	9.39	330.18	620.00	620.00
5. ऊर्जा	5200.00	5673.00	5971.20	8301.42	7921.42
6. औद्यानिक एवं रेशम विकास	67.05	66.47	119.88	324.05	361.96
7. कृषि	1148.37	1129.07	1291.35	2286.43	2856.34
8. भूमि विकास एवं जल संसाधन	224.29	120.69	94.72	139.72	601.37
9. ग्राम्य विकास	106.10	253.67	535.03	1456.31	1491.69
10. लघु सिंचाई	179.31	176.22	47.15	55.44	80.68
11. पंचायती राज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. पशुधन	28.26	66.96	76.04	75.25	64.29
13. दुग्ध विकास	15.39	31.95	18.38	17.88	25.04
14. मत्स्य	10.63	4.05	2.68	4.04	0.00
15. सहकारिता	257.53	307.53	179.00	305.27	360.00
16. खाद्य एवं रसद	0.00	3.43	8.71	47.99	0.30
17. गन्ना विकास (चीनी)	2.18	2.57	0.00	500.00	0.00
18. नियोजन	-	-	33.58	0.00	45.45
19. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	152.86	108.53	207.12	247.62	215.07
20. नगर विकास	0.20	0.11	0.00	0.00	0.00
योग, व्यय	**7691.36**	**8044.99**	**9284.17**	**14598.60**	**14848.89**

ग्रान्ट 81 (जनजाति कल्याण) व ग्रान्ट 83 (अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक योजना) में प्रदत्त सब्सिडी को सम्बन्धित विभाग की सब्सिडी में सम्मिलित कर लिया गया है।

ऊर्जा

(₹ करोड़ में)

मद	2015-16	2016-17	2017-18	आय-व्ययक अनुमान 2018-19	पुनरीक्षित अनुमान 2018-19	आय-व्ययक अनुमान 2019-20
1	2	3	4	5	6	7
1. राजस्व व्यय						
1. सब्सिडी	5200.00	5847.27	5969.76	6702.21	9061.09	9720.00
2. ब्याज भुगतान	38.46	4045.67	4305.71	4301.57	4317.09	4213.28
3. पेंशन निधि को सहायता अनुदान	1800.00	600.00	250.00	100.00	100.00	2500.00
4. ऋण सेवा हेतु अनुदान	1457.67	1121.64	867.10	961.74	961.74	1083.11
5. उदय योजना के अन्तर्गत यू.पी.पी.सी.एल. को सहायता अनुदान	12166.24	7400.65	–	–	–	–
6. उदय योजना के अन्तर्गत ऋण परिवर्तन हेतु सहायता अनुदान	–	–	–	4891.72	4891.72	4891.72
7. उदय योजना के अन्तर्गत यू.पी.पी.सी.एल. में निवेश	17436.37	3700.32	–	–	–	–
8. यू.पी.पी.सी.एल. को घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु सहायता अनुदान	3090.00	–	–	–	–	–
9. अन्य सुरक्षा निदेशालय आदि का भुगतान	30.57	36.28	40.31	54.79	54.79	50.76
योग 1 : राजस्व व्यय	**41219.31**	**22751.83**	**11432.88**	**17012.03**	**19386.43**	**22458.87**
2. पूँजीगत व्यय						
1. विद्युत वितरण	5130.67	6013.06	6834.12	9511.91	18280.39	9024.52
2. विद्युत पारेषण	1450.00	1695.00	708.23	2047.04	2047.04	1500.00
3. ताप विद्युत	1129.51	788.00	686.39	1252.76	1252.76	2867.95
4. जल विद्युत	0.00	0.80	0.80	0.15	0.15	-
5. यू.पी.पी.सी.एल. को ऋण	0.00	3700.32	–	–	615.45	0.00
6. ऋण का प्रतिदान	36.56	37.32	44.79	59.15	59.15	71.03
योग 2 : पूँजीगत व्यय	**7746.74**	**12234.50**	**8274.33**	**12871.01**	**22254.94**	**13463.50**
योग (1) + (2)	**48966.05**	**34986.33**	**19707.21**	**29883.04**	**41641.37**	**35922.37**

नोट:- उपरोक्त तालिका में दर्शित सब्सिडी के अतिरिक्त कृषि विभाग से किसानों को आपूर्तित विद्युत के सापेक्ष वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 एवं 2017-18 में रु. 240.00 करोड़ प्रति वर्ष तथा वर्ष 2018-19 में रु. 600.00 करोड़ की धनराशि कृषि सब्सिडी के रूप में प्राप्त हुई है। वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में कृषि सब्सिडी हेतु प्राविधानित रु. 1200.00 करोड़ की धनराशि आगामी वित्तीय वर्ष में प्राप्त होगी।

मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति, 2019

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम (एफ.आर.बी.एम.), 2004 (यथा संशोधित) के अनुसार प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष एक मध्यकालिक राजकोषीय पुनः संरचना नीति (एम.टी.एफ.आर.पी.) राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक बजट के साथ प्रस्तुत की जाती है। जिसमें राजकोषीय सूचकों के साथ आने वाले तीन वर्षों के पूर्वानुमान का निर्धारण किया जाता है। एम.टी.एफ.आर.पी. 2019 के चल लक्ष्य निम्नवत् हैं:-

वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र.	मद	2018-19 पुनरीक्षित अनुमान	2019-20 बजट अनुमान	अगले तीन वर्षों के लिये		
				2020-21	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5	6	7
1.	**राजस्व प्राप्तियाँ**	**380021.72**	**391734.40**	**442765.33**	**499105.62**	**562872.76**
(i)	स्वयं का कर राजस्व	134300.00	140176.00	159800.64	182172.73	207676.91
(ii)	केन्द्रीय करों में राज्यांश	141539.97	152863.17	174264.01	198660.98	226473.51
(iii)	स्वयं का करेत्तर राजस्व	28821.66	30632.96	32470.94	34419.19	36484.35
(vi)	केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान	75360.09	68062.27	76229.74	83852.72	92237.99
2.	**पूँजीगत प्राप्तियाँ**	**59503.55**	**78950.08**	**80314.20**	**87195.62**	**94765.18**
(i)	ऋण एवं अग्रिम की वसूलियाँ	5165.09	5681.60	867.87	955.75	1051.33
(ii)	लोक ऋण	54338.46	73268.48	79445.33	86239.86	93713.85
	कुल प्राप्तियाँ	**439525.27**	**470684.48**	**523079.53**	**586301.23**	**657637.94**
3.	**राजस्व व्यय जिसमें**	**332774.06**	**363957.04**	**402564.88**	**445393.94**	**498841.21**
4.	**पूँजी व्यय जिसमें**	**116799.23**	**115744.06**	**129961.95**	**146286.09**	**165042.71**
(i)	पूँजीगत परिव्यय	88528.14	77641.13	90063.71	104473.90	121189.73
(ii)	ऋण का प्रतिसंदाय	20546.74	35374.48	36896.95	38510.77	40221.41
(iii)	उधार और अग्रिम	7724.35	2728.45	3001.30	3301.42	3631.57
	कुल व्यय	**449573.29**	**479701.10**	**532526.83**	**591680.03**	**663883.92**
5.	**राजस्व बचत (रेवेन्यू सरप्लस)**	47247.66	27777.36	40200.46	53711.68	64031.55
6.	**राजकोषीय घाटा (फिक्सल डेफिसिट)**	43839.74	46910.62	51995.68	53107.90	59738.42
7.	**प्राथमिक घाटा (प्राइमरी डेफिसिट)**	11969.04	11536.70	13438.11	11080.14	13928.17
8.	**ऋणग्रस्तता**	442508.70	473562.22	525557.90	578665.80	638404.22
9.	**सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)**	**1476455**	**1579807**	**1751848**	**1944551**	**2158452**

मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति, 2019
(राजकोषीय संकेतक)

क्र.	मद	2018-19 पुनरीक्षित अनुमान	2019-20 बजट अनुमान	अगले तीन वर्षों के लिये		
				2020-21	2021-22	2022-23
1	2	3	4	5	6	7
10.	स्वयं का कर राजस्व/ जी.एस.डी.पी.	9.1%	8.9%	9.1%	9.3%	9.4%
11.	स्वयं का करेत्तर राजस्व/ जी.एस.डी.पी.	2.0%	1.9%	1.9%	1.8%	1.6%
12.	राजकोषीय घाटा/ जी.एस.डी.पी.	3.0%	3.0%	3.0%	2.7%	2.7%
13.	कुल ऋणग्रस्तता/ जी.एस.डी.पी.	30.0%	30.0%	30.0%	29.5%	28.8%
14.	वेतन+पेंशन+ब्याज/ राजस्व प्राप्ति	47.4%	52.7%	49.7%	48.5%	47.2%
15.	वेतन+पेंशन+ब्याज/ राजस्व व्यय	54.1%	56.7%	54.7%	54.3%	53.2%
16.	ऋण सेवा*/ राजस्व प्राप्ति	13.8%	15.5%	14.8%	14.1%	13.5%
17.	पूँजीगत परिव्यय/ राजकोषीय घाटा	201.9%	165.5%	173.2%	196.7%	202.9%
18.	राजस्व बचत/ राजस्व प्राप्ति	12.4%	7.1%	9.1%	10.8%	11.4%

जी.एस.डी.पी.: सकल राज्य घरेलू उत्पाद
*** अर्थोपाय अग्रिम सम्मिलित नहीं।**

राज्य के कर राजस्व का प्रति व्यक्ति भार और प्रति व्यक्ति आय में उसका प्रतिशत

क्र.	राज्य	वर्ष 2016-2017		
		प्रति व्यक्ति कर भार (रु. में)	प्रति व्यक्ति आय (प्रचलित भावों पर) (रु. में)	प्रति व्यक्ति आय में प्रति व्यक्ति कर भार का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	14407	123664	11.65
2.	असम	11738	67303	17.44
3.	बिहार	8191	34409	23.81
4.	गुजरात	15997	156527	10.22
5.	हरियाणा	18433	180174	10.23
6.	कर्नाटक	19233	161936	11.88
7.	केरल	20090	163475	12.29
8.	मध्य प्रदेश	13684	74590	18.35
9.	महाराष्ट्र	16285	165491	9.84
10.	ओडिशा	14099	74234	18.99
11.	पंजाब	15599	128890	12.10
12.	राजस्थान	13053	92076	14.18
13.	तमिलनाडु	16698	150036	11.13
14.	उत्तर प्रदेश	11239	50942	22.06
15.	पश्चिम बंगाल	10180	83126	12.25

स्रोतः- स्तम्भ 3 **का स्रोत : अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश।**

भारत तथा उत्तर प्रदेश की निबल आय की तुलनात्मक स्थिति

(आधार वर्ष 2011-12)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रचलित भावों पर निबल आय					वर्ष 2011-12 के भावों पर निबल आय				
	भारत	उ.प्र.	भारत के सापेक्ष उ.प्र. का प्रतिशत	आय के सूचकांक आधार वर्ष 2011-12		भारत	उ.प्र.	भारत के सापेक्ष उ.प्र. का प्रतिशत	आय के सूचकांक आधार वर्ष 2011-12	
				भारत	उ.प्र.				भारत	उ.प्र.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2011-12	7742330	645132	8.3	100.0	100.0	7742330	645132	8.3	100.00	100.0
2012-13	8766345	732995	8.4	113.2	113.6	8094001	673552	8.3	104.5	104.4
2013-14	9897663	833825	8.4	127.8	129.2	8578417	707469	8.2	110.8	109.7
2014-15	10978238	891798	8.1	141.8	138.2	9224343	729686	7.9	119.1	113.1
2015-16	12154034	1008179	8.3	157.0	156.3	9985060	790993	7.9	129.0	122.6
2016-17	13492657	1108017	8.2	174.3	171.8	10681594	847510	7.9	138.0	131.4
2017-18	14849045	1224672	8.2	191.8	189.8	11405563	907236	8.0	147.3	140.6

स्रोतः- अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश।

नोट :- 1. उत्तर प्रदेश के आधार वर्ष 2011-12 पर वर्ष 2016-17 के अनन्तिम व 2017-18 के त्वरित अनुमान।

2. भारत के आधार वर्ष 2011-12 पर वर्ष 2017-18 के अनन्तिम अनुमान।

भारत तथा उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति निबल आय की तुलनात्मक स्थिति
(आधार वर्ष 2011-12)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति निबल आय		भारत के सापेक्ष उ.प्र. का प्रतिशत	वर्ष 2011-12 के भावों पर प्रति व्यक्ति निबल आय		भारत के सापेक्ष उ.प्र. का प्रतिशत
	भारत	उ.प्र.		भारत	उ.प्र.	
1	2	3	4	5	6	7
2011-12	63462	32002	50.4	63462	32002	50.4
2012-13	70983	35812	50.5	65538	32908	50.2
2013-14	79118	40124	50.7	68572	34044	49.6
2014-15	86647	42267	48.8	72805	34583	47.5
2015-16	94731	47062	49.7	77826	36923	47.4
2016-17	103870	50942	49.0	82229	38965	47.4
2017-18	112835	55456	49.1	86668	41082	47.4

स्रोतः- अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश।

नोट :- 1. उत्तर प्रदेश के आधार वर्ष 2011-12 पर वर्ष 2016-17 के अनन्तिम व 2017-18 के त्वरित अनुमान।

2. भारत के आधार वर्ष 2011-12 पर वर्ष 2017-18 के अनन्तिम अनुमान।

उत्तर प्रदेश के योजना व्यय में राष्ट्रीय बचत का योगदान तथा वार्षिक प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय बचत संग्रह

(₹ करोड़ में)

योजनावधि/ वर्ष	राष्ट्रीय बचत का लक्ष्य	शुद्ध संग्रह	प्रदेश का योजना व्यय/ परिव्यय	राष्ट्रीय बचत संग्रह के आधार पर ऋण सहायता	योजना व्यय में ऋण सहायता का प्रतिशत	वार्षिक प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय बचत शुद्ध संग्रह (रुपयों में)
1	2	3	4	5	6	7
2007-08	8000.00	1133.51	25000.00	1955.69	7.82	67.96
2008-09	4600.00	1347.86	34000.00	1212.75	3.57	81.10
2009-10	2600.00	6252.44	37212.00	4985.01	13.40	376.46
2010-11	4200.00	5608.51	41421.00	6860.12	16.56	337.46
2011-12	5500.00	2585.57	47000.00	2229.36	4.74	129.54
2012-13	4000.00	4267.98	57800.00	4571.92	7.91	213.83
2013-14	5000.00	6053.43	69200.00	5008.64	7.24	302.97
2014-15	5500.00	6528.22	113500.00	8626.38	7.60	326.72
2015-16	6000.00	10716.56	120000.00	4916.86	4.10	536.33
2016-17	6000.00	12422.22	141295.70	–	–	621.70
2017-18	6000.00	12700.14	267328.22	–	–	567.47
2018-19	6000.00	*5869.27	–	–	–	258.88

स्रोतः- राष्ट्रीय बचत निदेशालय, उत्तर प्रदेश

* माह 30 सितम्बर, 2018 तक जमा शुद्ध धनराशि के आंकड़े जनपदों के प्रधान डाकघरों में सी.बी.एस. सिस्टम के अपडेशन के कारण पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पा रहा है। प्रदेश के मात्र 54 जनपदों से प्राप्त हुए आंकड़ों के आधार पर शुद्ध संग्रह प्रस्तुत है।

राजस्व

उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। औद्योगिक विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में बहुआयामी विकास होने के बावजूद आज भी प्रमुख उद्यम कृषि ही है, जिससे इस देश की बहुसंख्यक जनता सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। कृषि तथा कृषि पर आधारित अन्य व्यवसायों के लिए भूमि सबसे महत्त्वपूर्ण कारक है। भूमि सम्बन्धी अभिलेखों के समुचित रख-रखाव, बिखरे जोतों की चकबन्दी, कृषि उपज सम्बन्धी आंकड़ों के संकलन, कृषकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, भूमि विवादों के निपटारे, भूमि सुधार सम्बन्धी कार्यक्रमों का सृजन एवं उनका क्रियान्वयन तथा प्रदेश के राजस्व में वृद्धि के लिए विभिन्न देयों की वसूली जैसे महत्त्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन राजस्व विभाग के प्रमुख दायित्व हैं। सामान्य जनता, कृषक, निर्बल वर्ग से सीधे जुड़े होने के कारण राजस्व विभाग प्रदेश शासन के मेरुदण्ड की भांति है। उक्त के अतिरिक्त प्रदेश की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी कानून बनाने एवं उससे सम्बन्धित और आनुषांगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाने का कार्य भी राजस्व विभाग द्वारा किया जा रहा है। राजस्व विभाग के विभिन्न कार्यों के सम्पादन हेतु वर्तमान में निम्न विभागाध्यक्ष कार्यालयों के माध्यम से कार्य हो रहा है, जिसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि निम्नवत है :

राजस्व परिषद

उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना प्रयागराज में सन् 1831 में हुई थी। तत्समय विद्यमान एवं प्रचलित पूर्व व्यवस्थाओं को समाप्त करके की गयी थी, तब से यह परिषद शासन में महत्त्वपूर्ण इकाई के रूप में क्रियाशील है। सन् 1932 में परिषद को नायब तहसीलदारों, तहसीलदारों की नियुक्ति तथा स्थानान्तरण करने तथा जिलाधिकारियों एवं मण्डलायुक्तों के कार्य पर नियंत्रण के अधिकार प्रदान किये गये। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद न्यायिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था को पृथक किया गया। न्यायिक कार्यों का मुख्यालय प्रयागराज तथा प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय लखनऊ रखा गया। न्यायिक कार्य के सदस्य न्यायिक तथा प्रशासनिक कार्य के लिए आई.सी.एस. संवर्ग के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ सदस्य नियुक्त किये गये। सन् 1947 से 1955-56 तक भूमि व्यवस्था आयुक्त का पद सृजित था जिसे समाप्त करके वर्ष 1956-57 में प्रशासनिक सदस्य के रूप में सदस्य (कर) तथा सदस्य (भूमि व्यवस्था) की नियुक्ति परिषद मुख्यालय में की गयी।

वर्ष 1957-58 में परगना अधिकारी, न्यायिक अधिकारी, विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट, बिक्री कर अधिकारी की नियुक्ति व स्थानान्तरण के अधिकार परिषद को प्राप्त हुए। साथ ही आबकारी, निबन्धन, मनोरंजन कर व चकबन्दी अधिकारी के कार्यों पर परिषद का नियन्त्रण रहा, जिसे राज्य सरकार द्वारा बाद में वापस ले लिया गया।

वर्तमान समय में राजस्व परिषद द्वारा भूमि सुधार कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के अन्तर्गत भूमिहीन, आवासहीन, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को कृषि भूमि तथा आवास स्थलों का आवटंन तथा पट्टाधारकों की भूमि पर दबंग व्यक्तियों द्वारा किये गये अवैध कब्जों को हटाकर वास्तविक पट्टाधारकों को कब्जा दिलाने की कार्यवाही, मुख्य देय एवं विविध देयों की वसूली, सीलिंग से अतिरिक्त घोषित भूमि का पात्र व्यक्तियों को आवंटन करने तथा तहसील दिवसों में प्राप्त जनता की शिकायतों का त्वरित निस्तारण, जनपद/मण्डल स्तर पर विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लम्बित वादों को शीघ्र निस्तारण कराने के निर्देश, कृषक दुर्घटना बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना का कार्यान्वयन, तहसीलों/जनपदों/मण्डलों के कार्यालयों में कम्प्यूटर आदि उपलब्ध कराने तथा आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण आदि की कार्यवाही त्वरित गति से चलाई जा रही है।

राजस्व विभाग के प्रमुख कार्य

राजस्व विभाग के प्रमुख कार्य प्रदेश के भूमि सम्बन्धी आंकड़ों का समुचित रखरखाव, कृषि उपज सम्बन्धी आंकड़ों का संकलन, भूमि विवादों के निपटारे, भूमि सुधार सम्बन्धी जनकल्याणकारी विभिन्न कार्यक्रमों का सृजन एवं उनके क्रियान्वयन के साथ-साथ प्रदेश के राजस्व में वृद्धि के लिए कर एवं करेत्तर देयों सहित राजस्व देयों की वसूली करना है। शासन द्वारा निर्धारित विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों में मुख्य देयों तथा विविध देयों की वसूली, अवैध कब्जेदारों को हटाकर वास्तविक पट्टेदारों का कब्जा दिलाया जाना, कृषि एवं आवास भूमि का चिह्नीकरण एवं आवंटन, खतौनी का कम्प्यूटरीकरण, सम्पूर्ण समाधान दिवस, लोक शिकायत तथा एकल खिड़की से प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध निस्तारण सम्मिलित हैं। भूमि सुधार कार्यक्रमों को त्वरित व प्रभावी ढंग से लागू करना, प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सहयोग, अन्य विभागों की सामाजिक, आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन के साथ-साथ दैवीय आपदा में भी राजस्व विभाग की प्रमुख भूमिका है। राजस्व विभाग द्वारा किये जाने वाले मुख्य क्रियाकलाप निम्नवत हैं:

भूमि सुधार कार्यक्रम

भूमि सुधार एक गतिशील प्रक्रिया है। भूमि जैसी दैव प्रदत्त आर्थिक सम्पदा का सम्यक लाभ समाज के सभी वर्ग के लोगों को मिले इसके लिये उ.प्र. सरकार ने समय की मांग के अनुरूप कुछ व्यवहारिक, संतुलित एवं जनोपयोगी कदम उठाये गये हैं। भूमि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत विगत तीन वर्षों की उपलब्धि का विवरण निम्नवत है:

- **कृषि एवं आवास पट्टे में सभी गरीबों को समानता**

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 में कृषि योग्य भूमि पट्टे पर आवंटित करने के लिये संघ के सशस्त्र बल में सक्रिय सेवा में रहते हुये मृत होने वाले व्यक्ति के परिवारजन को प्रथम वरीयता एवं संघ के सशस्त्र बल में सक्रिय सेवा में रहते हुये पूर्णतया विकलांग होने वाले व्यक्ति को द्वितीय वरीयता तथा इसके उपरान्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के भूमिहीन कृषि श्रमिक या गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले को सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों से उच्च वरीयता प्रदान की गयी है।

- **ग्रामीण आवास स्थल आवंटन**

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों एवं ग्रामीण कारीगरों के परिवारों को जिनके पास पर्याप्त आवास उपलब्ध नहीं है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006 की धारा–64 के अन्तर्गत आवास स्थल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। आबादी स्थलों के आवन्टनों में विधवा और विकलांग व्यक्तियों को अधिमान दिये जाने की व्यवस्था दी गयी है।

- **मत्स्य पालन हेतु ताल पोखरों का आवंटन**

मछुआ समुदाय के व्यक्तियों को मत्स्य पालन हेतु तालाबों एवं पोखरों का आवंटन रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु किया गया है। इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत राजाज्ञा में संशोधन करते हुये विस्तृत योजना राजाज्ञा संख्या-3736/1-2/95, दिनांक 17-10-95 में लागू की गयी थी। वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली के अन्तर्गत मत्स्य पालन हेतु पट्टों का आवंटन किया जा रहा है।

- **कुम्हारी कला एवं मूर्ति कला के प्रोत्साहन हेतु कुम्हार जाति एवं इस व्यवसाय में लगे व्यक्तियों को मिट्टी उपलब्ध कराये जाने हेतु मिट्टी का आवंटन**

कुम्हारी कला के व्यवसाय में लगे परिवारों की आर्थिक उन्नति एवं उनके व्यवसाय के लिये ताल, पोखरों एवं अन्य स्थलों, जहां कुम्हारी कला हेतु उपयुक्त चिकनी मिट्टी उपलब्ध हो, का आवंटन दिनांक 23 दिसम्बर, 1993 द्वारा जनवरी, 1994 से किया जा रहा है।

- **वृक्षारोपण हेतु पट्टे**

वृक्षारोपण हेतु हरियाली कार्यक्रम क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में भूमि का पट्टा निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश के अन्तर्गत वृक्षारोपण करने वाले व्यक्तियों को केवल वृक्षों के उपयोग तथा उपज व उनसे होने वाले लाभ हेतु पट्टा दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

उत्तराधिकार में महिलाओं के अधिकार में वृद्धि

कुछ वर्ष पूर्व विधवा को, पुत्रों के समतुल्य अधिकार प्रदान कर तथा पट्टों में पति-पत्नी का नाम संयुक्त रूप से दर्ज करने की व्यवस्था कर, उत्तर प्रदेश सरकार ने लिंग भेद कम करने की दिशा में जो शुरुआती ठोस कदम उठाया था उसे बढ़ाते हुये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006 में निर्धारित उत्तराधिकार के क्रम को संशोधित कर इसे महिलाओं के मालिकाना हक के अनुकूल बनाया गया है।

वर्तमान में विवाहिता पुत्री को भाइयों, अविवाहित बहन एवं भतीजों से उच्च वरीयता प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त अविवाहित बहन को भी भाइयों और भतीजों के समतुल्य अधिकार दिया गया है। पितामही–पितामह को उत्तराधिकार हेतु अब एक श्रेणी में कर दिया गया है। किसी महिला को उत्तराधिकार में पिता से प्राप्त कृषि भूमि में अब उस महिला की मृत्यु हो जाने पर उसके पुत्रों एवं अविवाहिता पुत्री का बराबर का अधिकार होगा।

विकलांगों के लिये आवासीय पट्टों की व्यवस्था

निःशक्त जन अधिनियम, 1995 की धारा–43 के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों को वरीयता के आधार पर रियायती दर पर आवास भूमि आवंटन करने के संकल्प को मूर्तरूप देने के लिये उ.प्र. सरकार

ने राजस्व संहिता–2006 के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले खेतिहर मजदूर, ग्रामीण शिल्पी एवं अनुसूचित जाति एवं आदिम जाति के अन्य व्यक्ति, जिनके पास आवास हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है, के लिये आवासीय भूमि आवंटित करने की व्यवस्था की है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006 की धारा 64 (1) में आबादी स्थलों के आवन्टन के लिए निर्धारित वरीयता क्रम में प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को अधिमान दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

अनाधिकृत कब्जे/अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही

दिनांक 01-05-2017 द्वारा ग्राम सभा/सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने एवं अतिक्रमणकर्ताओं/भू-माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में प्रदेश में चार स्तरीय क्रमशः राज्य, मण्डल, जनपद व तहसील स्तर पर एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया है और इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु एंटी भू-माफिया पोर्टल का विकास किया गया है।

अद्यतन सूचना के अनुसार अब तक प्रदेश में कुल 2,51,304 शिकायतें पोर्टल पर दर्ज की गयीं, जिनमें से 2,48,631 शिकायतें निस्तारित की गयीं और 2,673 शिकायतें निस्तारण हेतु अवशेष हैं। एंटी भू-माफिया अभियान के अंतर्गत 52,079 हे. क्षेत्रफल अवैध अतिक्रमण से अवमुक्त कराया गया है तथा 21,957 राजस्व वाद, 784 सिविल वाद, 3,524 एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी हैं।

खतौनी पुनरीक्षण एवं सहखातेदारों का अंश निर्धारण

प्रदेश में भूमि के बंटवारे के विवादों में कमी लाने एवं सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से उ.प्र. राजस्व संहिता-2006 यथा संशोधित-2016 की धारा-31 (2) तथा उ.प्र. राजस्व संहिता नियमावाली-2016 के नियम-28 के अनुरूप प्रदेश के 110350 राजस्व ग्रामों की खतौनियों में दर्ज खातेदारों/सहखातेदारों का खतौनी पुनरीक्षण एवं अंश निर्धारण का कार्य प्रारम्भ किया गया है।

खतौनी में सहखातेदारों के गाटों के अंश का निर्धारण किये जाने से निम्न लाभ होंगे।

1. खतौनी में सहखातेदारी के गाटों के अंश का निर्धारण किये जाने से कोई भी खातेदार अपने हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय नहीं कर सकेगा।
2. सहखातेदारों के अंश निर्धारण के बटवारे के वादों में कमी आयेगी।
3. अंश के निर्धारण से सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना

राजस्व परिषद द्वारा दिनांक 14 सितम्बर, 2018 से संचालित मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में मद संख्या-03 मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के कार्यान्वयन हेतु धनराशि रु. 15.60 करोड़ तथा मद संख्या-04 मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना हेतु धनराशि रु. 676.40 करोड़ अर्थात् कुल धनराशि रु. 692.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें से कार्यदायी संस्थाओं (बीमा कम्पनियों-दि ओरिएण्टल इं.कं.लि., दि न्यू इण्डिया ए.कं. लि. तथा यूनाइटेड इं.इं.कं.लि.) को अर्धवार्षिक प्रीमियम हेतु कुल धनराशि रु. 337.80 करोड़ प्रदान की गयी है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु योजना के कार्यान्वयन हेतु मद संख्या-03 मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के कार्यान्वयन हेतु धनराशि रु. 15.60 करोड़ तथा मद संख्या-04 मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना हेतु धनराशि रु. 845.00 करोड़ अर्थात कुल धनराशि रु. 861.10 करोड़ का बजट अनुमान प्रस्तावित है।

कृषक दुर्घटना बीमा योजना

कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में शासन द्वारा अनाच्छादित अवधि के स्वीकृत लम्बित दावों के भुगतान हेतु (दिनांक 14 सितम्बर, 2016 के प्रातः 10:00 बजे के पूर्व के) कुल प्राविधानित धनराशि रुपये 25.00 लाख अवमुक्त की गयी थी, जिसका आवंटन प्रदेश के जनपदों को किया जा चुका है, जिससे लगभग 500 लाभार्थी लाभान्वित हुये।

आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु योजना के अनाच्छादित अवधि के स्वीकृत लम्बित दावों के भुगतान हेतु कुल धनराशि रु. 85.00 करोड़ का अनुमान शासन को प्रेषित किया गया है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा आम आदमी बीमा योजना (क्लोज ग्रुप)

भूमिहीन परिवारों, पंजीकृत श्रमिकों तथा असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कराये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा आम आदमी बीमा योजना (क्लोज ग्रुप) का संचालन प्रदेश में भी दिनांक 01.01.2018 से किया जा रहा है। योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्था भारतीय जीवन बीमा निगम है। वार्षिक प्रीमियम रु. 330/- (राज्य सरकार का अंश रु. 165/-) का भुगतान करने पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत रु. 200 लाख का बीमा आवरण तथा रु. 12/- (राज्य सरकार का अंश रु. 6/-) का भुगतान करने पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के अंतर्गत रु. 2.00 लाख का दुर्घटना बीमा आवरण (कुल रु. 4.00 लाख का बीमा आवरण) एक लाभार्थी को प्राप्त हो जाता है। रु. 200/- (राज्य सरकार का अंश रु. 100/-) का भुगतान करने पर सामान्य मृत्यु की दशा में रु. 30,000/- तथा दुर्घटना से मृत्यु की दशा में रु. 75000/- का बीमा आवरण आम आदमी बीमा योजना (क्लोज ग्रुप) के अंतर्गत एक लाभार्थी को प्राप्त होता है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में अभी तक योजनान्तर्गत चयनित 25.00 लाख लाभार्थियों में से 17.71 लाख लाभार्थियों को बीमा आवरण प्रदान कराये जाने तथा गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में बीमित किये गये 5.93 लाख लाभार्थियों के बीमा नवीनीकरण कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना मद में प्राविधानित धनराशि रु. 130.60 करोड़ के सापेक्ष रु. 30.70 करोड़ तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मद में प्राविधानित धनराशि रु. 4.75 करोड़ के सापेक्ष रु. 1.12 करोड़ की धनराशि कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी गयी है। उक्त के अतिरिक्त 4.27 लाख लाभार्थियों के बीमा आवरण हेतु प्रीमियम के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। आम आदमी बीमा योजना (क्लोज ग्रुप) मद में रु. 10.00 करोड़ की धनराशि प्राविधानित की गयी है, परन्तु तकनीकी कठिनाइयों के कारण इस योजना का क्रियान्वयन अभी तक कार्यदायी संस्था द्वारा प्रारम्भ नही किये जाने के कारण अभी तक इस मद में कोई धनराशि व्यय नही हुई है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में लगभग 73.00 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत आच्छादित कराये जाने हेतु रु. 120.45 करोड़ तथा उक्त लाभार्थियों को ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत भी आच्छादित किये जाने हेतु रु. 4.38 करोड़ की धनराशि तथा आम आदमी बीमा योजना (क्लोज ग्रुप) के लिए रु. 10.00 करोड़ की धनराशि का बजट अनुमान प्रस्तावित किया गया है।

राजस्व वादों का निस्तारण एवं राजस्व न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण

राजस्व न्यायालयों में बड़ी संख्या में लम्बित वादों के त्वरित निस्तारण का कार्य शासन के विकास एजेण्डा में शामिल है। यह कार्य शासन की शीर्ष प्राथमिकता में है। शासन के निर्देशानुसार परिषद द्वारा ''राजस्व न्यायालय कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली'' नाम से एक नए पोर्टल का विकास कराया गया है। प्रदेश में तहसील, जनपद एवं मण्डल तथा राजस्व परिषद् स्तर पर राजस्व न्यायालय स्थापित एवं कार्य कर रहे हैं। इस कार्य हेतु साफ्टवेयर एन.आई.सी. राज्य एकक, उत्तर प्रदेश द्वारा विकसित किया गया है। इस साफ्टवेयर में आम जनता/अधिवक्ता, पीठासीन अधिकारी, पेशकार व प्रवर न्यायालयों के अवलोकन एवं कार्य दिवस वार कार्यों के कम्प्यूटरीकरण की व्यवस्था है।

वादकारियों हेतु

- वाद की तिथि अथवा वाद सूची इण्टरनेट पर 24 x 7 उपलब्ध, इसके लिये न्यायालय आने की आवश्यकता नहीं।
- वाद में पारित आदेशों को इण्टरनेट पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था।
- वाद से संबंधित सभी पक्षों को उनके मोबाइल पर अग्रिम सुनवाई की सूचना उपलब्ध कराना।

पीठासीन अधिकारियों/कार्मिकों हेतु

- न्यायालयों पर प्रभावी नियंत्रण की व्यवस्था।
- पोर्टल के मुख पृष्ठ पर न्यायालय से सम्बन्धित समस्त आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था।
- वादों के महत्ता के आधार पर सुनवाई हेतु दैनिक वाद सूची में प्राथमिकता तय करने का विकल्प उपलब्ध कराना।
- तकनीक के उपयोग से न्यायालय कार्मिकों के श्रमसाध्य कार्यों का सरलीकरण जिससे अधिक गुणवत्ता के कार्यों पर अधिक समय व ऊर्जा लगायी जा सके।

जन सामान्य हेतु

- कोई भी व्यक्ति, गांव/पक्षकारों के नाम/ अधिनियम/वर्ष/नियत तिथि/वाद संख्या के आधार पर वाद की अद्यतन स्थिति ज्ञात कर सकता है।

अन्य लाभ

- उच्च प्राधिकारी द्वारा अवर न्यायालयों के वादों की स्थिति को अवलोकित किया जा सकता है। इस प्रणाली के माध्यम से राजस्व न्यायालयों में लम्बित वादों का प्रभावी अनुश्रवण किया जा सकता है।

- इस प्रणाली में वाद से सम्बन्धित पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं द्वारा मोबाइल नंबर अंकित कराये जाने पर वाद से संबंधित सूचना एस.एम.एस. से दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। परिषद् द्वारा उक्त प्रणाली का ''मोबाइल एप'' भी तैयार कर प्रभावी कराया जा चुका है।

वर्तमान में पोर्टल पर राजस्व वादों के निस्तारण की स्थिति निम्न है :

दिसम्बर 2018 के प्रारम्भ मे मण्डलीय न्यायालयों में कुल 1,16,663 वाद लंबित थे एवं दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2018 तक क्रमिक रूप से कुल 28,455 वाद दायर हुए तथा क्रमिक रूप से कुल 21,923 वाद निस्तारित किये गये। इसी प्रकार दिसम्बर, 2018 के प्रारम्भ में जनपदीय न्यायालयों में कुल 11,19,919 वाद लंबित थे एवं दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2018 तक क्रमिक रूप से कुल 18,04,204 वाद दायर हुए तथा क्रमिक रूप से कुल 16,44,343 वाद निस्तारित किए गए।

सम्पूर्ण समाधान दिवस

जन समस्याओं के निस्तारण, प्रमाण पत्रों/चेकों/अन्य सुविधाओं के वितरण केन्द्र के रूप में प्रत्येक तहसील में प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को शासनादेश संख्या-609/1-4-12-111बी-4/2012, दिनांक 16.05.2012 एवं शासनादेश संख्या-1/2017/962/एक/-4-2017-111बी/2012, दिनांक 21.07.2017 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश के सभी जनपदों में ''सम्पूर्ण समाधान दिवस'' का आयोजन किया जा रहा है।

सम्पूर्ण समाधान दिवस के प्रभावी क्रियान्वयन एवं उसके सफल संचालन हेतु समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आई.जी.आर.एस.) संचालित की जा रही है। प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने से लेकर उसके निस्तारण तक की समस्त कार्यवाही ''सम्पूर्ण समाधान दिवस'' के पोर्टल पर फीड किया जाना आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति आई.जी.आर.एस. पोर्टल से अपनी शिकायत पर की गयी कार्यवाही की जानकारी/प्रिन्ट आउट प्राप्त कर सकता है। सम्पूर्ण समाधान दिवस के प्रभावी क्रियान्वयन एवं उसके सफल संचालन हेतु शासन स्तर पर नियमित समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से भी ''सम्पूर्ण समाधान दिवस'' की समीक्षा की जाती है।

दिनांक 01.01.2018 से दिनांक 31.12.2018 तक प्राप्त प्रार्थना-पत्रों एवं उनके निस्तारण की स्थिति सम्पूर्ण समाधान दिवस की वेबसाइट के अनुसार निम्नवत् हैः

प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की संख्या	निस्तारित प्रार्थना-पत्रों की संख्या	निस्तारण हेतु अवशेष प्रार्थना-पत्रों की संख्या
4,33,666	4,18,781	14,885

कम्प्यूटराइजेशन

1. भू-अभिलेख/खतौनी का कम्प्यूटरीकरण (भूलेख)

- चकबंदी से बाहर समस्त 1,05,834 ग्राम खतौनियों को डिजिटाइज कर दिया गया है एवं इसे ऑनलाइन भूलेख पर देखा जा सकता है

- तहसील केन्द्र से कम्प्यूटरीकृत खतौनी के उद्धरण की प्रतिलिपि रु. 15/- शुल्क लेकर उपलब्ध करायी जा रही है।
- डिजीटली हस्ताक्षरित खतौनी का उद्धरण तहसील अथवा जन-सेवा केन्द्रों से नाम मात्र का प्रभार देकर प्राप्त किया जा सकता है।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 में तहसील कम्प्यूटर केन्द्र से 2,27,55,065 तथा सी.एस.सी./ ऑनलाइन 8,29,558 इस प्रकार कुल 2,35,84,623 डिजिटली हस्ताक्षरित खतौनी के उद्धरण निर्गत किये गये।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिनांक 29.01.2019 तक तहसील कम्प्यूटर केन्द से 1,99,35,870 तथा सी.एस.सी./ऑनलाइन 9,87,586 इस प्रकार कुल 2,09,23,456 डिजिटली हस्ताक्षरित खतौनी के उद्धरण निर्गत किये गये।

2. प्रत्येक राजस्व प्लाट की विशिष्ट पहचान/संख्या

- प्रत्येक भूखण्ड/प्लाट के लिये 16 अंकों की व्यवस्था की गयी है।

राजस्व गाटों की विशिष्ट पहचान/संख्या से लाभ

- कोई क्रेता/उद्यमी ऑनलाइन यह देख सकता है कि जिस प्लाट को वह क्रय कर रहा है, उस पर किसका मालिकाना हक है तथा वह भूमि वादग्रस्त अथवा बन्धक तो नहीं है।
- भूमि पंजीकरण के साथ नामान्तरण के दौरान यह देखा जा सकता है कि असंक्रमणीय भूमि का अवैध विक्रय/क्रय (यथा- पट्टा भूमि, तालाब, चारागाह, ग्राम सभा की भूमि इत्यादि) तो नही है।
- सार्वजनिक आधारभूत संरचना हेतु नियोजन के उद्देश्य से तालाबों की सूची, चारागाह, सार्वजनिक भूमि इत्यादि की सूची बनायी जा सकती है।

3. खतौनी में खातेदारों के अंश का निर्धारण

- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (जो 11-2-2016 से प्रभाव में आयी है) में यह व्यवस्था दी गयी है कि खतौनी में अंश निर्धारण किया जाये।
- खतौनी 06 वर्षों के लिए तैयार की जाती है तथा प्रत्येक वर्ष 1/6 खतौनी संशोधित/अद्यावधिक की जाती है।
- खतौनी में खातेदारों की सहमति के उपरांत आधार संख्या एवं अवैयक्तिक भूमि हेतु मोबाइल नम्बर भरे जाने के साथ अंश निर्धारण हेतु निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।
- कोई भू-स्वामी अपने अंश से अधिक भूमि का स्थानान्तरण नही कर सकेगा।
- भविष्य में किसी भी प्लाट का लेन-देन बायोमैट्रिक अथवा ओटीपी आधारित ऑथेन्टिकेशन के उपरांत ही किया जाएगा। इसके द्वारा भूमि के अवैध लेन-देन पर रोक लग सकेगी।
- खतौनी में खातेदारों की सहमति के उपरांत प्रदेश के 18,418 ग्रामों के 8,73,598 खातेदारों के आधार संख्या भरे जा चुके हैं।

4. भू-मानचित्रों का डिजिटाइजेशन

भारत सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एन.एल.आर.एम.पी.) के अंतर्गत भू-मानचित्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य सम्पन्न कराया जा रहा है।

- पायलट आधार पर प्रथम चरण में जनपद मथुरा, गाजियाबाद, हापुड़, जौनपुर एवं बाराबंकी में भू-मानचित्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य सम्पादित कराया गया। सम्बन्धित जनपदों के समस्त ग्रामों के उपलब्ध भू-मानचित्रों को स्कैन एवं डिजिटाइजेशन कर एन.आई.सी. द्वारा तैयार किये गये ''भू-नक्शा'' साफ्टवेयर से लिंक किया जा चुका है। जनपद स्तर पर ''भू-लेख'' के डाटा से पुनः मिलान करवाया जा रहा है।
- अवशेष 70 जनपदों के भू-मानचित्रों के डिजिटाइजेशन कार्य हेतु राजस्व परिषद, उ.प्र. द्वारा प्रदेश के 18 मण्डलों को 06 भागों में विभक्त कर 06 एजेन्सियों द्वारा जनपदों में सम्पादित किया जा रहा है।
- जनपदों से प्राप्त दिनांक 28.01.2019 तक की प्रगति के अनुसार प्रारम्भिक रूप से चिन्हित 1,02,054 राजस्व ग्रामों के 1,16,989 मैपशीट्स के सापेक्ष 93.519 मैपशीट्स को डिजिटाइज्ड कर सत्यापित किया जा चुका है तथा 66,466 ग्रामों की 73,761 मैपशीट्स को खतौनी से लिंक किया जा चुका है। कार्य गतिमान है।

प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना के अंतर्गत राजस्व कर्मियों को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराया जाना

- फसल कटाई प्रयोगों का सम्पादन प्रदेश में राजस्व विभाग में कार्यरत लेखपालों एवं राजस्व निरीक्षकों द्वारा सम्पादित कराया जाता है। इन प्रयोगों की सुतथ्यता एवं पारदर्शिता बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय राजस्व कार्मिकों (लेखपालों एवं राजस्व निरीक्षकों) को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराते हुए इन प्रयोगों से सम्बन्धित सूचनाओं को भारत सरकार द्वारा बनाये गये सी.सी.ई.एग्री एप पर, जिस खेत में यह प्रयोग सम्पादित कराये जा रहे हैं, वहीं पर अपलोड किया जाना है।
- फसल कटाई प्रयोगों का आयोजन कराते हुए इन प्रयोगों से प्राप्त उपज के आंकड़ों के आधार पर, फसल की उपज में कमी की वास्तविक स्थिति का आकलन कर बीमित कृषकों को योजना के प्रावधानों के अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान पारदशी रूप से किया जा सकेगा।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत स्मार्ट फोन क्रय पर आने वाला व्यय केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 50:50 शेयर के रूप में वहन किया जाएगा।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष में पुनर्विनियोग के माध्यम से 30005 स्मार्ट फोन को क्रय किये जाने हेतु कुल रु. 21,90,37,000/- की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
- शासन द्वारा स्मार्ट फोन का क्रय ई-टेन्डरिंग के माध्यम से किये जाने की अनुमति के क्रम में ई-प्रोक्योरमेंट/ई-टेन्डर प्रणाली पर स्मार्ट फोन क्रय हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है। निविदा द्वारा

चयनित संस्था को प्रदेश के 75 जनपदों में राजस्व कार्मिकों (लेखपाल/राजस्व निरीक्षकों) को एम.डी.एम. एवं एग्री एप युक्त स्मार्ट फोन की आपूर्ति करने का क्रयादेश निर्गत किया गया है।

राजस्व विभाग के लेखपालों को लैपटाप उपलब्ध कराया जाना

- राजस्व विभाग के लेखपालों द्वारा जमीदारी विनाश क्षेत्र/जमीदारी विनाश से मुक्त क्षेत्रों के नाम परिवर्तन के प्रतिवेदन, खसरा तैयार किया जाना, क्षेत्रफल के विवरण-पत्र तैयार करना, खरीफ, रबी व जायद फसलों के जिंसवार विवरण तैयार करना, सीमा व भू-मापचिन्हों की सूची तैयार करना, जमीदारी विनाश वाले क्षेत्रों के लिए खतौनी तैयार करना, उत्तराधिकार के निर्विवाद मामलों की सूची तैयार करना, खातों (जोतों), राजस्व व लगान का विवरण तैयार करना, गैर-जमीदारी विनाश क्षेत्रों के लिए खेवट चौशाला तैयार करना, जमीदारी विनाश वाले क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों के लिए उपबन्दोबस्त खेवट (प-19क), स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे (एस.एस.डी.जी.) के अंतर्गत जन-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से प्राप्त आय, जाति, निवास के आवेदनों पर अपनी आख्या प्रस्तुत किया जाना व ग्रामों के प्राप्त नक्शों इत्यादि राजस्व अभिलेखों को संरक्षित एवं सुव्यवस्थित रखने का कार्य आदि सम्पादित किया जाता है। राजस्व विभाग के उक्त कार्यों को ई-गवर्नेन्स के अंतर्गत ऑनलाइन कर आम-जन को तत्परता से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने हेतु प्रदेश के समस्त कार्यरत लेखपालों को लैपटॉप उपलब्ध कराया जाना है।
- लैपटाप क्रय पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदेश के समस्त कार्यरत लेखपालों को लैपटाप उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्नानुसार धनराशि का प्रावधान किया गयाः

  वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट प्रावधान - रु. 2660.79 लाख

  पुनर्विनियोग के माध्यम से आवंटित अवशेष धनराशि - रु. 3336.45 लाख
- ई-टेन्डर प्रणाली पर लैपटाप क्रय हेतु प्रकाशित निविदा में चयनित निविदादाता के क्रय प्रस्ताव पर शासानादेश सं.-106/एक-9-2019-111(ले.सं.)/2014(ले.), दिनांक 05 फरवरी, 2019 द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। चयनित निविदादाता को आपूर्ति हेतु आशय पत्र/क्रयादेश निर्गत किया गया है।

सर्वेक्षण एवं अभिलेख प्रक्रिया की स्थिति

राजस्व परिषद के नियंत्रणाधीन सम्पादित होने वाले महत्त्वपूर्ण कार्यों में प्रदेश मे मण्डलों, जनपदों एवं तहसीलों के सृजन/पुनर्गठन/परिसीमन तथा सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया का कार्य सम्पन्न कराया जाता है। सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया के कार्य हेतु स्वीकृत प्रदेश की 06 सर्वेक्षण इकाइयों द्वारा कार्य सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया नियमावली 1978 के प्राविधानानुसार कराया जाता है, जिसके अंतर्गत सर्वेक्षण हेतु ग्रामों की अधिसूचना निर्गत कराते हुए सर्वेक्षण के उपरांत संबंधित ग्रामों को सर्वेक्षण प्रक्रिया से पृथक करने हेतु डिनोटिफिकेशन की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाती है।

उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 18 मण्डल, 75 जनपद एवं 350 तहसीलें क्रियाशील हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान में प्रदेश के 34 जनपदों में अधिसूचित कुल 1022 ग्रामों में 450 ग्रामों का सर्वेक्षण

एवं अभिलेख क्रिया का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा अवशेष कुल 572 ग्रामों में सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रिया का कार्य गतिमान है।

जनहित गारण्टी अधिनियम-2011

जन-सामान्य की सुविधा के लिए शासन द्वारा जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के अंतर्गत राजस्व विभाग की 06 सेवाओं (आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, किसान बही (मूल), किसान बही (डुप्लीकेट) एवं (भूमि का अविवादित नामान्तरण) प्रदान की जा रही है।

इस अधिनियम के अंतर्गत सेवाओं के समयबद्ध निस्तारण की समय-सीमा निर्धारित करते हुए तहसीलदार/उपजिलाधिकारी एवं जिलाधिकारी को निस्तारण हेतु अधिकृत किया गया है। सेवाओं का समयान्तर्गत निस्तारण न हो पाने की दशा में जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त को अपीलीय अधिकारी बनाया गया है। इस अधिनियम के लागू हो जाने से जन-मानस की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण किया जा रहा है।

जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा दी जा रही सेवाओं के अंतर्गत रेवेन्यू साफ्ट के माध्यम से जनपदों से प्राप्त सूचनानुसार माह दिसम्बर, 2018 में प्रदेश स्तर पर कुल 3036799 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 2874790 आवेदन-पत्रों का निस्तारण किया गया।

इस अधिनियम के अंतर्गत राजस्व विभाग से सम्बन्धित वित्तीय वर्ष 2018-19 में माह अप्रैल, 2018 से माह दिसम्बर, 2018 तक में प्रदेश मे कुल 21672956 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 24563071 आवेदन-पत्रों का निस्तारण किया गया है।

चकबन्दी

प्रदेश में चकबन्दी योजना वर्ष 1954 से प्रारम्भ की गयी। इस योजना का भूमि सुधार, हरित क्रान्ति एवं ग्राम विकास से सीधा सम्बन्ध है। चकबन्दी का उद्देश्य कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि कर कृषकों का जीवन स्तर ऊँचा करना है। इस योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत बिखरे हुए खेतों को इकजाई करके चक प्रदिष्ट किये जाते हैं तथा चकमार्ग, सम्पर्क मार्ग, सिंचाई की नाली, सामान्य आबादी, अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिये आबादी एवं अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु भूमि आरक्षित की जाती है। इस प्रकार चकबन्दी क्रियाओं के चलते हरित क्रान्ति के साथ-साथ सामाजिक परिवेश में भी परिवर्तन हुआ है। विशेष रूप से समाज में उपेक्षित वर्ग को गृह निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराने में इस योजना का उल्लेखनीय योगदान है। सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि का आरक्षण ग्रामवासियों के लिये एक उपलब्धि से कम नहीं है।

विभागीय कार्यकलापों की रिपोर्ट

प्रथम चक्र व द्वितीय चक्र में लिये गये ग्रामों की प्रगति का विवरण निम्नवत है:

प्रथम चक्र

1. प्रथम चक्र में लिये गये ग्राम-	101171
2. प्रथम चक्र में पूर्ण किये गये ग्राम-	100094
3. प्रथम चक्र के अवशेष ग्राम-	1077

द्वितीय चक्र

1. द्वितीय चक्र में लिये गये ग्राम-	27166
2. द्वितीय चक्र में पूर्ण किये गये ग्राम-	24165
3. द्वितीय चक्र के अवशेष ग्राम-	3001
प्रथम व द्वितीय चक्र के कुल अवशेष ग्राम-	**4078**

भूमि अध्यापि निदेशालय

भूमि अध्यापि निदेशालय की स्थापना उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-7-4(9)/86-114-रा.-13, दिनांक 04 जुलाई, 1987 द्वारा राजस्व परिषद के अधीन की गयी। इस शासनादेश द्वारा निदेशक, भूमि अध्यापि को भूमि अध्यापि सम्बन्धी मामलों में निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया गया है एवं रूटीन मामलों में सीधे शासन से पत्र व्यवहार करने हेतु अधिकृत किया गया है। नीति विषयक मामले राजस्व परिषद के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था की गयी है। भूमि अध्यापित निदेशालय में निदेशक (भूमि अध्यापित) के प्रतिवेदक अधिकारी मा. अध्यक्ष, राजस्व परिषद होते हैं।

वर्तमान समय में भूमि अध्यापित निदेशालय द्वारा शासनादेश दिनांक 04 जुलाई, 1987 तथा समय-समय पर इसमें किये गये संशोधनों के अनुसार भूमि अध्यापित सम्बन्धी कार्य किया जा रहा है। शासनादेश संख्या-824/1-13-2008-7-4(9)/86-114-रा.-13, दिनांक 11 जून, 2008 द्वारा उक्त शासनादेश में संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम के अन्तर्गत गठित औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा अन्य अधिकारी, जो अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी से निम्न स्तर के न हों, को निदेशक, भूमि अध्यापि में निहित समस्त भू-अध्यापि कार्यों के निर्वहन हेतु अधिकृत किया गया है।

भूमि अध्यापित निदेशालय का कार्यालय उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अनुभाग-10 में स्थापित है। निदेशालय स्तर पर मुख्य रूप से प्रदेश के 38 जनपदों में स्थापित कुल 49 भूमि अध्यापि इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों की स्थापना का कार्य विभिन्न सेवा नियमावलियों एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार किया जाता है।

भारत सरकार द्वारा पुराने भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 को निरसित करते हुये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या–30 सन् 2013) अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग–2 खण्ड–1 में दिनांक 27.09.2013 को प्रकाशन कराये जाने के पश्चात् दिनांक 01-01-2014 से प्रवृत्त हो गया है।

प्रदेश में भूमि अर्जन कार्यों के सम्पादन हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2016 की अधिसूचना सरकारी गजट में दिनांक 23 नवम्बर, 2016 को प्रकाशित की गयी है। उक्त नियमावली को राजस्व परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए ई-मेल के माध्यम से समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश एवं समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को अवगत कराया जा चुका है।

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–51 की उपधारा (1) और (2) के अन्तर्गत ''भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण'' की स्थापना शासन के राजस्व अनुभाग–13 की अधिसूचना संख्या–907/एक–13–2015–7क (6)/14 दिनांक 03.12.2015 द्वारा किया जा चुका है। कार्यो के सुगम संचालन हेतु प्रदेश के 12 मण्डलों एवं जनपद गौतमबुद्धनगर में प्राधिकरण की स्थापना की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 (माह जनवरी-2019 तक) में प्रदेश में राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं हेतु अधिग्रहीत की जा रही भूमि से प्रभावित किसानों को रु. 542.22 करोड़ का प्रतिकर वितरण किया गया। अवशेष प्रतिकर वितरण की कार्यवाही युद्ध स्तर पर गतिमान है।

जिला गजेटियर विभाग, उत्तर प्रदेश के कार्यकलापों एवं योजनाओं की उपलब्धियों का अद्यावधिक विवरण

गजेटियर्स किसी भी स्थान का परिचयात्मक अभिलेख होते हैं, अतः ब्रिटिश शासनकाल में प्रदेश के सभी जिलों के जिला गजेटियर्स लिखे गये थे। देश की स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा भी इस परम्परा को आगे बढ़ाते हुये सभी प्रदेशों के गजेटियर्स को पुनरीक्षित करने की योजना प्रारम्भ की गयी। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1957 में जिला गजेटियर विभाग की स्थापना के साथ इस योजना का कार्य प्रारम्भ किया गया तथा केन्द्र सरकार द्वारा पोषित इस योजना के अन्तर्गत विभाग द्वारा अब तक प्रदेश के तत्कालीन सभी 55 जिलों के जिला गजेटियर्स एवं 08 जनपदों के पूरक अंक (सप्लीमेन्ट्री वाल्यूम्स) अंग्रेजी भाषा में तैयार कर प्रकाशित कराये गये। जिसमे वर्तमान के उत्तराखण्ड के जनपद शामिल हैं। सन् 2000 में प्रदेश के विभाजन के पश्चात् कुल 47 जिलों के गजेटियर्स अंग्रेजी में तथा मेरठ,ललितपुर एवं फिरोजाबाद का हिन्दी में उपलब्ध है। झंसी, मेरठ तथा कानपुर देहात का हिंदी अनुवाद भी किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कुल 50 जिलों के गजेटियर लिखे जा चुके हैं। जिला गजेटियर विभाग ने प्रदेश का प्रथम वृहद ''राज्य गजेटियर'' पाँच खण्डों में तैयार कर प्रकाशित कराया है।

प्रदेश के सभी जिलों के गजेटियर्स का पुनरीक्षण/लेखन हिन्दी भाषा में कराये जाने की योजना है। इस योजना के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया है कि सर्वप्रथम उन जिलों के गजेटियर्स प्रथमतः तैयार कराये जायें जो कि नवसृजित हैं तथा उन जिलों के गजेटियर्स को पुनरीक्षित किया जाये जिन जिलों से ये नवसृजित जिले सृजित हुये हैं। इस श्रृंखला में गाजियाबाद, मेरठ, ललितपुर, कानपुर देहात तथा फिरोजाबाद के गजेटियर लिखे तथा प्रकाशित कराये जा चुके हैं तथा बिक्री हेतु राजकीय मुद्रणालय में उपलब्ध हैं। झाँसी जिले का गजेटियर प्रेस से प्राप्त डमी प्रति से इण्डेक्स का निर्माण कार्य पूर्ण कर मुद्रण हेतु प्रेस भेज दिया गया था, जो मुद्रणोपरान्त विभाग को प्राप्त हो चुका है।

समस्त जिलों के गजेटियर को जनसामान्य की सुविधा हेतु इन्टरनेट पर उपलब्ध कराये जाने हेतु मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 03.06.2015 को वेबसाइट का उद्घाटन किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में 25 जिलों (1–संतकबीर नगर, 2–महराजगंज, 3–औरय्या, 4–संतरविदास नगर, 5–अमेठी, 6–अम्बेडकरनगर, 7–मऊ, 8–कुशीनगर, 9–कन्नौज, 10–सोनभद्र, 11–चंदौली, 12–चित्रकूट, 13–हापुड़, 14–गौतमबुद्ध नगर, 15–कौशाम्बी, 16–महोबा, 17–शामली, 18–बागपत, 19–श्रावस्ती, 20–अमरोहा, 21–संभल, 22–हाथरस, 23–कासगंज, 24–सिद्धार्थ नगर, 25–बलरामपुर) के गजेटियर लेखन हेतु लक्ष्य निर्धारित कर प्रश्नावली

प्रेषित करते हुए सूचना की माँग की गयी है। उपरोक्त जिलों से मांगी गयी सूचना में से जनपद-कन्नौज, महराजगंज, महोबा, हाथरस, चंदौली, अमेठी, चित्रकूट, श्रावस्ती एवं सोनभद्र कुल 09 जनपदों की सूचना विभाग को प्राप्त हो चुकी है, जिसके परीक्षण के उपरांत श्रावस्ती एवं चंदौली जिलों के गजेटियर का लेखन कार्य किया जा रहा है।

राहत आयुक्त संगठन

राहत आयुक्त संगठन द्वारा भारत सरकार द्वारा अधिसूचित आपदाओं (बाढ़ भूकम्प/सुनामी, सूखा, चक्रवात, कोहरा/शीतलहरी, अग्निकांड, कीट आक्रमण, हिम–स्खलन, ओलावृष्टि, बादल फटना, भू–स्खलन) एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित राज्य–स्तरीय आपदा–बेमौसम भारी वर्षा, आकाशीय विद्युत, आँधी–तूफान तथा लू–प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई, गैस रिसाव, बोरवेल में गिरना एवं मानव वन्य जीव द्वन्द्व से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत/सहायता प्रदान किये जाने का महत्त्वपूर्ण कार्य किया जाता है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचक निधि हेतु निर्धारित मानक एवं दरों के आधार पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा राहत प्रदान किये जाने हेतु धनराशि स्वीकृत की जाती है। राहत आयुक्त संगठन द्वारा इन कार्यों के अलावा आपदा की पूर्व सम्भावना, आपदा आने की स्थिति तथा आपदा के पश्चात की स्थिति में कन्ट्रोल रूम का संचालन किया जाता है जिसके माध्यम से जिलाधिकारीगण/संबंधित अधिकारियों को राहत आदि के संबंध में दिशा–निर्देश दिये जाते हैं।

उ.प्र. राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण

आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 तथा उ.प्र. सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 पारित किया गया है। उक्त अधिनियम में किए गए प्रावधान के तहत मा. मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में उ.प्र. राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण का गठन किया गया है तथा ले.ज. श्री आर.पी. शाही (एवीएसएम) प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नामित किए गए हैं। मुख्य सचिव उ.प्र. शासन, उ.प्र. राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के पदेन मुख्य कार्यपालक अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है।

आपदा प्रबंधन विभाग

1- आपदा प्रबंधन के वर्तमान में दो मुख्य आयाम हैं :-

- आपदा के पूर्व आपदा जोखिम का अनुमान व आकलन करना, उनके बचाव व न्यूनीकरण के लिए उपाय, नीति व योजना तैयार करना तथा इस संबंध में आवश्यक पूर्व तैयारी व क्षमता संवर्धन संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित कराना।
- आपदा के उपरान्त खोज बचाव एवं राहत (आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार राहत प्रदान किया जाना) प्रदान किया जाना व बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था।

2- आपदा प्रबंधन के पूर्व तैयारी के सम्बन्ध में राज्य स्तर पर निम्न व्यवस्थाएं की गई हैं:

- आपदा प्रबन्धन को प्रभावी बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध अधिनियम 2005 के आलोक में उ.प्र. सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रबन्ध अधिनियम 2005 पारित किया गया है।
- उक्त अधिनियम में किए गए प्रावधान के तहत उ.प्र. राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण का गठन किया

गया है, जिसके अध्यक्ष मा. मुख्यमंत्री जी तथा ले.ज. (सेवानिवृत्त) श्री आर.पी. शाही (ए.वी.एस.एम.) प्राधिकरण के उपाध्यक्ष नामित हैं। उक्त के अतिरिक्त मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन पदेन रूप से प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं। उ.प्र. राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के संचालन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है।

- उ.प्र. राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण का कार्य प्रदेश में आपदा जोखिम की पहचान करना, जोखिम न्यूनीकरण के उपाय करना, आपदा से पूर्व तैयारी करना, आपदा से बचाव हेतु लोगों को प्रशिक्षित व जागरूक करना तथा आपदा से बचाव के क्षमता संवर्धन सम्बन्धी योजनाएं इत्यादि तैयार करना है।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 के प्रावधान के अनुसार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण का गठन किया गया है। जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण का मुख्य कार्य जनपद में आपदा जोखिम की पहचान करना, जोखिम न्यूनीकरण के उपाय करना, आपदा से पूर्व तैयारी करना, आपदा से बचाव हेतु लोगों को प्रशिक्षित व जागरूक करना तथा आपदा से सम्बन्धित योजनाएं आदि तैयार करना है।

3- आपदा के उपरांत खोज बचाव एवं राहत हेतु राज्य स्तर पर निम्न व्यवस्थाएं की गयी हैं:

- उ.प्र. शासन के राजस्व विभाग के अधीन राहत आयुक्त संगठन का गठन किया गया है। राजस्व विभाग, राहत आयुक्त संगठन एवं जनपद स्तर पर प्रशासन के समन्वित प्रयास से आपदा के उपरांत खोज बचाव एवं राहत के कार्य सुचारू रूप से सम्पादित किये जाते हैं। खोज, बचाव एवं राहत के कार्य हेतु प्रदेश स्तर पर राज्य आपदा मोचक निधि (एस.डी.आर.एफ.) का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर गठित राज्य आपदा मोचक निधि (एस.डी.आर.एफ.) का वित्त पोषण 75 प्रतिशत भारत सरकार तथा 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उक्त अनुपात 90:10 निर्धारित किया गया है।
- सुदृढ़ आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत खोज, बचाव एवं राहत के कार्यों को सुचारू रूप से निष्पादित किए जाने हेतु तथा राज्य आपदा मोचक निधि (एस.डी.आर.एफ.) की धनराशि को व्यय किए जाने हेतु राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त तथा जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आपदा राहत समिति का गठन किया गया है।

आबकारी

आबकारी विभाग का उद्देश्य

उत्तर प्रदेश में नये उद्यमियों एवं व्यवसायियों को मदिरा व्यवसाय में प्रवेश के अवसर उपलब्ध कराने, उपभोक्ताओं को मानक गुणवत्ता की मदिरा उचित दाम पर उपलब्ध कराने व प्रदेश के राजस्व में समुचित वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पूर्व प्रचलित व्यवस्था में यथावश्यक संशोधन कर वर्ष वर्ष 2019-20 के लिए आबकारी नीति घोषित की गयी है। इस नीति के अन्तर्गत राजस्व वृद्धि के मुख्य उद्देश्य के साथ-साथ निम्न आनुषंगिक बिन्दुओं को समाविष्ट किया गया है-

क- कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन तथा गन्ना उत्पादकों को उचित गन्ना मूल्य का भुगतान।

ख- चीनी एवं अल्कोहल उत्पादक इकाइयों का आधुनिकीकरण एवं नवीनतम तकनीक के प्रयोग से उत्पादकता में वृद्धि जिससे औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहन मिल सके।

ग- एथनाल के उत्पादन से भारत सरकार की विदेशी मुद्रा की बचत।

घ- मदिरा- उद्योग-व्यवसाय से हितबद्ध अनुज्ञापियों द्वारा किये गये पूँजी निवेश पर समुचित लाभार्जन एवं उपभोक्ता-सन्तुष्टि।

ङ- प्रक्रियाओं का सरलीकरण।

गन्ने से शीरा उत्पादन

प्रदेश के कृषि उपज में गन्ने का एक बहुत बड़ा भाग है। इस गन्ने का पूर्णता से उपभोग राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए नितान्त आवश्यक है। गन्ने से चीनी के अतिरिक्त उप उत्पाद के रूप में शीरा भी प्राप्त होता है, जिसका उपयोग अल्कोहल निर्माण होने के साथ-साथ आग्जेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ईस्ट निर्माण, पशु एवं कुक्कुट आहार, कोयला टिकली उद्योग तथा कार्बन एवं ढलाई उद्योगों में किया जाता है। प्रदेश में स्थापित 158 चीनी मिलों में से कार्यरत चीनी मिलों की संख्या 119 हो गयी है। इन सभी चीनी मिलों में इस महत्त्वपूर्ण औद्योगिक उत्पाद शीरे को संरक्षित करने के लिए लगभग 277.14 लाख कु. संचय क्षमता उपलब्ध है।

शीरे का सुरक्षित भण्डारण एवं अधिकतम लाभकारी उपयोग

वर्तमान में प्रदेश में उत्पादित गन्ने की पेराई हेतु 158 चीनी मिलें हैं। जिनमें से शीरा सत्र 2018-19 में 119 चीनी मिलें कार्यरत हैं। चीनी मिलों से निकलने वाले शीरे की खपत के लिए शीरे पर आधारित आसवनियों व अन्य उद्योग पहले प्रदेश में उपयुक्त संख्या में स्थापित नहीं हुए थे। इसके परिणाम-स्वरूप चीनी मिलों को अपनी फैक्ट्री में उत्पादित किन्तु भारी मात्रा में अप्रयुक्त शीरे को फैक्ट्री परिसर से उठाकर

बाहर फिंकवाने के लिए चीनी मिलों को अतिरिक्त धन व्यय करना पड़ता था। शीरे के निस्तारण की समस्या और इस निस्तारण से उत्पन्न प्रदूषण से बचने के लिए विज्ञान की प्रगति के साथ-साथ शीरे पर आधारित आसवनियाँ एवं अन्य उद्योग स्थापित हुये, जिससे अब वर्तमान में चीनी मिलों में उत्पादित सम्पूर्ण शीरे का सदुपयोग हो रहा है। अतः शीरे जैसे बहुउपयोगी कच्चे माल का सुरक्षित भण्डारण प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है। शीरा सत्र 2018-19 (1 नवम्बर 2018 से 31 दिसम्बर 2018 तक) में 124.78 लाख कुन्तल शीरे का उत्पादन हुआ है।

प्रदेश में शीरे के उत्पादन के दो स्त्रोत हैं :–

1. वैक्यूम पैन पद्धति से चीनी बनाने वाली चीनी मिलों द्वारा।
2. खाण्डसारी इकाइयों द्वारा।

अभी तक प्रदेश में खाण्डसारी इकाइयों द्वारा उत्पादित शीरे पर आबकारी विभाग का सीधे कोई नियंत्रण नहीं है, परन्तु खाण्डसारी इकाइयों द्वारा शीरा निर्यात किये जाने हेतु शीरा नियंत्रक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 एवं उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण नियमावली, 1974 के अन्तर्गत चीनी मिलों में उत्पादित शीरे पर राज्य सरकार नियंत्रण रखती है तथा प्रदेश के आबकारी आयुक्त, शीरा नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। नियमानुसार चीनी के किसी कारखाने का अध्यासी कारखाने के भू-गृहादि के भीतर उतनी संख्या और आकार की संग्रहण टंकियाँ रखेगा जिससे कि एक बार में कारखाने के लिए तत्समय रजिस्ट्रीकृत पूर्ण पेराई क्षमता के अनुसार 140 कार्य दिवसों में पेरे जाने वाले सम्पूर्ण गन्ने के 4 प्रतिशत के हिसाब से संगणित शीरे के कुल उत्पादन का कम से कम 60 प्रतिशत या पिछले 04 वर्ष के सर्वाधिक कुल उत्पादन का 60 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, संग्रह कर सके। शीरा वर्ष 2018-19 में प्रदेश में कुल 119 चीनी मिलें कार्यरत हैं। प्रदेश में शीरा वर्ष 2017-18 में 39 चीनी मिलें बन्द तथा 119 चीनी मिलें कार्यरत रही हैं। विगत सत्र में रामपुर, कुठकुईयाँ, गौरी बाजार, आनन्द नगर, नवाबगंज, नन्दगंज, महोली, बरेली, बाराबंकी, छितौनी, मुन्डेरवा, हरदोई, मलियाना, घुघली, औराई, धुरियापार, खलीलाबाद, भटनी, बुढ़वल, देवरिया, बैतालपुर, पिपराइच, रामकोला-के, शाहगंज, छाता, दरियापुर, घाटमपुर, लक्ष्मीगंज, कमलापुर, मझोला, सराया, रसड़ा, आनन्द एग्रोकेम, बस्ती, बघौली, अमरोहा, विडवी, शाकुम्भरी व पड़रौना चीनी मिलें बन्द थी।

ऑन लाइन शीरा संम्भरण की प्रक्रिया

ऑनलाइन शीरा सम्भरण हेतु आसवनी एवं औद्योगिक इकाईयों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है, जिसके परीक्षणोपरान्त शीरे के सम्भरण हेतु ऑनलाइन परमिट आदेश जारी कर दिया जाता है।

नई शीरा नीति वर्ष 2018-19 के मुख्य प्रावधान

- गत वर्ष के अवशेष आरक्षित शीरे को अग्रेनीत करते हुए इस वर्ष की आवश्यकता में समायोजित किया गया है। वर्तमान में आरक्षित शीरे की देयता का 12.5 प्रतिशत निर्धारित की गयी है।
- आरक्षित तथा अनारक्षित शीरे की निकासी के मध्य अनुपात 1:7 रखा गया है जो माहवार निकासी पर लागू रहेगा।

- चीनों मिलों को पेराई सत्र के दौरान आरक्षित शीरे को संचित रखते हुए अनारक्षित शीरे के निस्तारण की सुविधा दी गयी है।
- शीरा सम्भरण को सुगम बनाने के लिये मांग पत्रों को ऑनलाइन व्यवस्था के अन्तर्गत निस्तारण की व्यवस्था की गयी है।
- देशी मदिरा निर्माण के लिए अन्य आसवनियों से देशी मदिरा उत्पादक आसवनियों को आपूर्ति की गयी ई.एन.ए. के समतुल्य मात्रा का आरक्षित शीरा देशी शराब निर्माता आसवनियों को आवंटित आरक्षित शीरे में से समायोजित करके ई.एन.ए. आपूर्तक आसवनी को किये जाने की व्यवस्था की गयी है।
- भारत सरकार द्वारा एथनॉल ब्लेण्डड पेट्रोल (ई.बी.पी.) प्रोग्राम के अर्न्तगत बी-हैवी शीरे से पावर अल्कोहल बनाने पर विशेष बल दिया जा रहा है अतः उत्तर प्रदेश राज्य में बी. हैवी शीरे से एथनाल का उत्पादन किये जाने का निर्णय लिया गया है।
- शीरा वर्ष 2018-19 में अन्य राष्ट्रों से शीरा आयात/निर्यात करने की अनुमति प्रदान की गयी है।
- अन्य राज्यों को शीरे के निर्यात की अनुमति शीरा नियंत्रक के स्तर से प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है।
- शीरे पर प्रशासनिक शुल्क गत वर्ष की भांति रु. 11/- तथा निर्यात पर रु. 15/- प्रति कुन्तल रखा गया है।
- समस्त आसवनियों में शीरे एवं इससे उत्पादित अल्कोहल के सभी चरणों की कार्यवाहियों को वेब कैम व अन्य अत्याधुनिक तकनीकी के माध्यम से रिकॉर्ड रखे जाने की कार्यवाही किये जाने हेतु उन्मुख होने का प्रयास किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिससे विभाग की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का समावेश होगा तथा व्यापार करने की सुगमता को बढ़ावा मिलेगा।

अल्कोहल

आबकारी विभाग देशी/विदेशी मदिरा, बीयर और भांग से राजस्व अर्जित करने वाला विभाग समझा जाता है। वास्तव में प्रदेश में उत्पादित अल्कोहल का 60 से 76 प्रतिशत भाग औद्योगिक विकास हेतु प्रदेश के उद्योगों द्वारा जनोपयोगी महत्त्वपूर्ण पदार्थों के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है अथवा प्रदेश/देश के बाहर निर्यात किया जाता है। प्रदेश के बाहर अल्कोहल के निर्यात से राज्य को राजस्व प्राप्त होने के साथ-साथ कम अल्कोहल उत्पादन वाले राज्यों को राजस्व अर्जन में सहायता मिलती है। वहीं देश के बाहर अल्कोहल निर्यात से देश की प्रगति के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित कराने में प्रदेश को एक महत्त्वपूर्ण स्थान भी प्राप्त हुआ है।

आबकारी विभाग के राजस्व का मुख्य स्रोत अल्कोहल है जो आसवनियों द्वारा उत्पादित किया जाता है। वर्तमान में प्रदेश में 64 आसवनियाँ शीरे एवं 01 आसवनी गैर परम्परागत श्रोतों पर आधारित है। इस प्रकार प्रदेश में कुल 65 आसवनियाँ कार्यरत हैं। इनमें से 05 पेय, 33 औद्योगिक, 25 मिश्रित एवं 02 रासायनिक उद्योगों की सह-आसवनियाँ हैं। प्रदेश में 09 आसवनियाँ सरकारी/सहकारी क्षेत्र में तथा 56 आसवनियाँ निजी क्षेत्र में कार्यरत हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में बीयर उत्पादन हेतु 05 यवासवनियाँ हैं।

वर्ष 2019-20 हेतु घोषित नयी आबकारी नीति के महत्वपूर्ण तथ्य

विशिष्ट जोन, मेरठ के अन्तर्गत सभी 18 जनपदों में स्थित समस्त दुकानों का अनुज्ञापन एक ही अनुज्ञापी को प्रदान किये जाने की पूर्व में प्रचलित सामान्य से भिन्न व्यवस्था को वर्ष 2018-19 में समाप्त करते हुए प्रदेश में एक समान आबकारी नीति लागू की गयी है। इसके अन्तर्गत अनुज्ञापियों के चयन हेतु ऑन लाइन आवेदन पत्र प्राप्त कर ई-लाटरी/ई-टेण्डर के माध्यम से अनुज्ञापियों का चयन किये जाने की प्रणाली लागू की गयी है। मदिरा के व्यवसाय में एकाधिकार समाप्त करने के उद्देश्य से एक अनुज्ञापी को किसी जनपद में दो से अधिक दुकानें आवंटित न किये जाने का निर्णय लिया गया है तथा आबकारी अनुज्ञापन हेतु आवेदक को हैसियत प्रमाण पत्र, अधिकृत आयकर वैल्यूअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं विगत वर्ष की आयकर विवरणी संलग्न करना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे छद्म नामों से अनुज्ञापन प्राप्त करने की दुष्प्रवृत्ति पर रोक लग सके तथा वास्तविक नाम से अनुज्ञापन प्राप्त किया जा सके। विभाग में ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने एवं ढांचागत विकास में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु तथा व्यवस्थापन की प्रक्रिया में गम्भीर एवं वास्तविक आवेदकों को ही सम्मिलित होने का अवसर दिये जाने तथा अवास्तविक एवं अक्षम व्यक्तियों को प्रक्रिया में भाग लेने से रोकने के लिये प्रोसेसिंग फीस में वृद्धि की गयी है। देशी शराब के एम.जी.क्यू. से अधिक उठान करने पर अतिरिक्त बेसिक लाइसेंस फीस लिये जाने की पूर्व प्रचलित व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, जिससे अनुज्ञापी एम.जी.क्यू. से अधिक निकासी लेने के प्रति उदासीन न हो तथा अवैध स्रोतों से मदिरा प्राप्त कर विक्रय करने पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो सके। इसी अनुक्रम में वर्ष 2018-19 के देशी शराब के ऐसे अनुज्ञापियों के लिए अगले वर्ष (2019-20) के लिए नवीनीकरण की व्यवस्था लागू की गयी है, जिन्होंने वर्ष 2018-19 में 31 जनवरी, 2019 तक एम.जी.क्यू. के सापेक्ष 6 प्रतिशत से अधिक का उठान किया हो। इसी प्रकार विदेशी मदिरा में उपभोग के आधार पर 31 जनवरी, 2019 तक प्रतिफल फीस में 40 प्रतिशत की वृद्धि और बीयर में 30 प्रतिशत की उपभोग में वृद्धि प्राप्त करने वाले अनुज्ञापियों के लिये भी 2019-20 हेतु नवीनीकरण की सुविधा अनुमन्य की गयी है। उत्पादन से लेकर फुटकर अनुज्ञापन स्तर तक मदिरा के आवागमन एवं अन्तरण पर सतर्क दृष्टि रखने तथा करापवंचन को रोकने के उद्देश्य से ट्रैक एवं ट्रेस प्रणाली लागू की जा रही है।

देशी मदिरा की थोक आपूर्ति में अधिक से अधिक आसवनियों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु तथा थोक आपूर्तकों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने व मदिरा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु उत्पादक आसवनियों के साथ-साथ अन्य व्यक्तियों को भी अनुज्ञापन स्वीकृत करने की व्यवस्था लागू की गयी है। साथ ही देशी शराब की आपूर्ति में कठिनाई आने पर विशेष परिस्थितियों में प्रदेश के बाहर की आसवनियों के बी.डब्ल्यू.सी.एल.-1 गोदाम खोलने की व्यवस्था लागू की जा रही है। देशी शराब की ओवर रेटिंग पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु देशी मदिरा के अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य को रु. 5 के गुणक में तथा विदेशी मदिरा तथा बीयर के अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य को रु. 10 के गुणक में निर्धारित किया गया है। विदेशी मदिरा तथा बीयर का प्रतिफल शुल्क के निर्धारण हेतु श्रेणियों की संख्या को यथावत रखा गया है। देशी शराब के विक्रय हेतु विभिन्न धारिताओं के स्थान पर मात्र 200 एम.एल. की धारिता में बिक्री किये जाने का निर्णय लिया गया है।

आबकारी अपराधों के छोटे प्रकरणों को प्रशमित करने हेतु आबकारी निरीक्षक स्तर के अधिकारियों को सशक्त किया गया है। इससे न्यायालयों में आबकारी विभाग के मुकदमों की संख्या को कम किया जा सकेगा। अनुज्ञापियों द्वारा अनुज्ञापन शर्तों के विभिन्न प्रकार के उल्लंघन के लिये उनकी गम्भीरता के अनुसार पृथक-पृथक प्रशमन धनराशि नियत कर दी गयी है। उपर्युक्त परिवर्तन तथा लाइसेंस फीस एवं प्रतिफल शुल्क की दरों में संशोधन किये जाने के फलस्वरूप वर्ष 2018-19 के अनुमानित राजस्व 26000 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2019-20 में 29302 करोड़ रुपये राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

अल्कोहल पर आधारित उद्योग तथा निर्माणशालाएँ

अल्कोहल पर आधारित रासायनिक उद्योगों को उनकी कार्य-प्रणाली एवं अनुज्ञापन दिये जाने की दृष्टि से निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है :–

1. एफ.एल.-39 प्रकार के उद्योग : इस श्रेणी में ऐसे उद्योग आते हैं जो अल्कोहल को अन्य रासायनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं अथवा उत्पादन प्रक्रिया में अल्कोहल पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है और अन्तिम उत्पाद के रूप में अल्कोहल से एसिटिक एसिड, ईथर, स्टाइरिन, ब्यूटाइल एसीटेट, पाली इथलीन, इथलीन ग्लाइकाल, विनायल एसीटेट मोनीमर, इथाइलीन ऑक्साइड, डेरीवेटिव्स आदि का उत्पादन करने वाले उद्योग आते हैं। प्रदेश में ऐसे 16 अनुज्ञापन कार्यरत हैं जिन्हें कुल 4059.99 लाख बल्क लीटर एस.डी.एस. का कोटा आवंटित है।

2. एफ.एल.-40 प्रकार के उद्योग : इस श्रेणी में ऐसे उद्योग आते हैं, जिसमें अल्कोहल का प्रयोग विलायक के रूप में अथवा माल तैयार करने में प्रयोग किया जाता है और इस उत्पाद में अल्कोहल नहीं होता है जिसे सामान्यतया पुनः प्रयोग के लिए प्राप्त किया जाता है। इस श्रेणी में सेल्यूलोज और उसके डेरीवेटिव्स, पेक्टिन, लिवर एक्स्ट्रेक्ट आदि निर्माण करने वाले उद्योग आते हैं। प्रदेश में ऐसे 11 उद्योग कार्यरत हैं, जिन्हें 39.69 लाख बल्क लीटर स्पेशल डिनेचर्ड स्प्रिट का कोटा आवंटित है।

3. (क) एफ.एल.-41 प्रकार के उद्योग : इस श्रेणी में ऐसे उद्योग आते हैं, जिसमें अल्कोहल का प्रयोग अन्तिम उत्पाद के एक घटक अथवा वेहिकिल के रूप में किया जाता है और अन्तिम उत्पाद में अल्कोहल उपस्थित रहता है। इस श्रेणी में अल्कोहल से पेण्ट, थिनर, लेकर्स, पालिश परफ्यूम इत्यादि निर्माण करने वाले उद्योग आते हैं। प्रदेश में ऐसे 13 उद्योग कार्यरत् हैं, जिन्हें कुल 51.26 लाख बल्क लीटर स्पेशल डिनेचर्ड स्प्रिट का कोटा आवंटित है। शासनादश संख्या-97/2018/3429ई-2/तेरह-2018-106/2014टी.सी. दिनांक 05.11.2018 द्वारा एम.एण्ड.टी.पी.एक्ट-1955 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली 1956 के निरसित हो जाने के कारण विकृत अल्कोहल प्राप्त कर सौन्दर्य प्रशाधन निर्माण करने वाली इकाईयों को एफ.एल. 41 अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा परिपत्र संख्या-5659-5734/डी-805(ए विविध)/वि.अ.अनु./2018-19/प्रयागराज दिनांक 07.01.2019 निर्गत किया जा चुका है।

3. (ख) एफ.एल.-41 (पेट्रोलियम इकाइयों हेतु) : भारत सरकार द्वारा इंडियन पावर अल्कोहल एक्ट-1948 को रिपील कर दिये जाने के क्रम में शासन ने पेट्रोलियम इकाइयों को पी.ए.-5 के स्थान पर एफ.एल.-41 स्वीकृत किये जाने का निर्णय लेते हुए अधिसूचना संख्या-3285/दो-805 ए/गैसो हाल/मिसलेनियस दिनांक 22.7.2003 जारी की गई। उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में स्थित

31 पेट्रोलियम डिपो को एफ.एल.-41 अनुज्ञापन निर्गत किए गये जिन्हें उक्त अनुज्ञापन के अन्तर्गत 4679.22 लाख लीटर पावर अल्कोहल का कोटा आवंटित किया जा चुका है। वर्तमान में पेट्रोल में 10.0 प्रतिशत इथनॉल का मिश्रण किया जा रहा है।

अल्कोहल, भांग व नारकोटिक पदार्थयुक्त औषधियों की निर्माणशालाएँ : अल्कोहल, भांग व नारकोटिक पदार्थयुक्त औषधियां व सौन्दर्य प्रसाधन सामग्रियों का निर्माण करने वाली फार्मेसियों को मेडिसिनल एण्ड ट्वायलेट प्रिपरेशन (एक्साइज ड्यूटीज) नियमावली, 1956 के प्राविधानानुसार एल.-1, पार्ट टाइम एल.-1 तथा एल.-2 अनुज्ञापन स्वीकृत किये जाते थे। एम.एण्ड.टी.पी. ऐक्ट-1955 निरसित हो जाने के पश्चात वर्तमान में ऐसी इकाइयों को अल्कोहल तथा भांग का कोटा आवंटन के संबंध में औषधीय एक प्रसाधान निर्मितियों के विनिर्माण हेतु नियमावली 2018 विचाराधीन है। उक्त ऐक्ट के निरसित होने से पूर्व एल.-1, 20 तथा पार्ट टाइम एल.-1, 45 तथा एल.-2 की 26 इकाईयाँ कार्यरत थीं। वर्तमान में ऐसी इकाइयों को नियमावली प्रख्यापित होने की प्रत्याशा में माहवार कोटा आवंटित किया जा रहा है तथा इकाईयां जी.एस.टी. प्रणाली के अन्तर्गत अभिकर जमा कर रही हैं।

एथनाल को पेट्रोल में मिश्रित किये जाने की योजना

एथनाल को पेट्रोल में मिश्रित कर व्यापक इस्तेमाल करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश में वर्ष 2001-2002 हेतु पायलट योजना प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत पेट्रोल में 5 प्रतिशत् पावर अल्कोहल का मिश्रण किया जाता था। भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संकल्प संबंधी राजपत्र दिनांक 20.09.2006 द्वारा दिनांक 01.11.2006 से 20 राज्यों एवं चार संघीय राज्यों के समस्त टर्मिनल/डिपो पर पेट्रोल में पावर अल्कोहल मिश्रण किये जाने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 02.01.2013 के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में पेट्रोल में 10.0 प्रतिशत एथनाल का मिश्रण किया जा रहा है। उक्त के क्रम में आबकारी विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में पेट्रोल में एथनाल का मिश्रण हेतु विभिन्न तेल कंपनियों के 31 डिपो को एफ.एल.-41 अनुज्ञापन स्वीकृत किए गये हैं।

आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश की प्रयोगशालाएँ

उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग में कुल 4 प्रयोगशालाएँ कार्यरत हैं। वर्तमान में प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में गोरखपुर, मध्य क्षेत्र में लखनऊ तथा पश्चिमी क्षेत्र मेरठ में एक-एक क्षेत्रीय प्रयोगशालाएँ कार्यरत हैं। इन प्रयोगशालाओं में कार्यों के समन्वय, अनुश्रवण व नियंत्रण हेतु आबकारी मुख्यालय प्रयागराज में एक केन्द्रीय प्रयोगशाला कार्यरत है।

क्षेत्रीय आबकारी प्रयोगशालाओं में आसवनियों, यवासवनियों, चीनी मिलों, मदिरा के अनुज्ञापित दुकानों, अल्कोहल पर आधारित उद्योगों आदि से सम्बन्धित पदार्थों के नमूनों का परीक्षण करके उनकी गुणवत्ता पर समुचित नियंत्रण रखा जाता है। आसवनियों द्वारा उत्पादित शोधित सुरासव, देशी मदिरा, विदेशी मदिरा आदि का श्रेणीकरण एवं विस्तृत रासायनिक परीक्षण करके मानव उपभोग हेतु उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र देने का कार्य प्रयोगशालाओं द्वारा सम्पादित किया जाता है। इन्हीं प्रयोगशालाओं में आबकारी मैनुअल खण्ड-1 के प्रस्तर 781 व 785 के प्राविधानों के अन्तर्गत आसवनियों में प्रयुक्त होने वाले विकारकों एवं विकृत सुरा का परीक्षण किया जाता है। देशी व विदेशी मदिरा में प्रयुक्त होने वाले कैरामल, रंगों व सुगन्धों का परीक्षण उत्तर प्रदेश आबकारी मैनुअल खण्ड-1 के प्रस्तर 713 के प्राविधानानुसार किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रयोगशालाओं में विशुद्ध मद्यसार, मदिरा, शीरा, ताड़ी, एफ.एल.-41 इकाईयों के थिनर आदि के परीक्षण का कार्य भी किया जाता है।

मुख्यालय स्थित केन्द्रीय प्रयोगशाला में अल्कोहल, भांग व नारकोटिक्स पदार्थयुक्त औषधियों के नमूनों के परीक्षण का कार्य किया जाता है। वर्तमान में इन औषधियों के नमूनों में उपस्थित अल्कोहल की मात्रा का परीक्षण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों, आसवनियों, फार्मेसियों व अन्य औद्योगिक इकाइयों के जील व जर्मन मेक अल्कोहलोमीटर सेट तथा थर्मामीटर के मानकीकरण के साथ प्रदेश की आसवनियों के डेनाटोनियम बेन्जोएट/सैकराइड से विकृत विशेष विकृत सुरा/पावर अल्कोहल के नमूनों के परीक्षण का कार्य किया जा रहा है।

प्रवर्तन कार्य

आबकारी विभाग प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा राजस्व अर्जक विभाग है, जो मादक पदार्थों के वैध उपभोग एवं व्यापार से राजस्व अर्जन करते हुए अवैध उपभोग एवं अवैध व्यापार का शमन करता है। सम्प्रति प्रदेश में **14,467** देशी मदिरा की, 5,778 विदेशी मदिरा की, 5,051 बीयर की, 407 मॉडल शॉप्स एवं 2,664 भांग की अनुज्ञापित दुकानें हैं। जहाँ एक तरफ अनुज्ञापित दुकानों से मादक पदार्थों की बिक्री होती है, वहीं दूसरी तरफ असामाजिक तत्वों द्वारा भी अवैध मादक पदार्थों की बिक्री की जाती है, जिससे राजस्व एवं जनस्वास्थ्य की हानि के अतिरिक्त समय-समय पर अवैध शराब पीने से विषाक्त काण्ड द्वारा जन हानि भी हो सकती है। कतिपय अराजक तत्वों द्वारा जाने-अनजाने मिथाइल अल्कोहल विष का प्रयोग भी कर लिया जाता है जिससे जन हानि सम्भव है। अपराध शमन कार्य हेतु प्रत्येक जनपद की आवश्यकतानुसार अपराध निरोधक क्षेत्र में विभाजित किया गया है, जिसमें आबकारी निरीक्षक नियुक्त किये गये हैं। इनके पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक जनपद में जिला आबकारी अधिकारी, मण्डल में उप आबकारी आयुक्त व जोन स्तर पर संयुक्त आबकारी आयुक्त नियुक्त हैं। उक्त के अतिरिक्त केवल अपराध निरोधक कार्य हेतु ही प्रत्येक मण्डल में सहायक आबकारी आयुक्त के अधीन दो आबकारी निरीक्षक, दो हेड कान्स्टेबिल एवं दस कान्स्टेबिल को सम्मिलित कर एक प्रवर्तन इकाई का गठन किया गया है। सम्पूर्ण प्रदेश को पाँच जोन में विभक्त कर इनमें नियुक्त संयुक्त आबकारी आयुक्त द्वारा भी पर्यवेक्षण कार्य हेतु अपना योगदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय स्तर पर आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के अधीन आबकारी अभिसूचना ब्यूरो स्थापित है।

आबकारी नीति में प्रवर्तन अनुभाग से सम्बन्धित विवरण उल्लिखित थे :-

आबकारी नीति वर्ष 2018-19 में संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम की धारा-74 के अन्तर्गत प्रशमनीय अनियमितताओं के प्रकरणों में प्रशमन धनराशि में एकरूपता बनाये रखने की दृष्टि से निम्नानुसार प्रशमन धनराशि का आरोपण किये जाने हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिये जान का प्राविधान किया गया था :-

क्र. सं.	अनियमितता/उल्लंघन का प्रकार	प्रथम बार (रु. में)	द्वितीय बार (रु. में)	तृतीय बार (रु. में)
1	2	3	4	5
1.	निर्धारित समय से पूर्व अथवा पश्चात दुकान का खुला पाया जाना।	2,500	3,000	5,000

2.	अनधिकृत विक्रेता द्वारा बिक्री करते हुए पाया जाना	5,000	7,000	10,000
3.	स्टाक रजिस्टर मांगने पर न प्रस्तुत करना	10,000	15,000	20,000
4.	स्टाक रजिस्टर अद्यतन न भरा जाना	5,000	10,000	15,000
5.	बोतलों और पौव्वों या उनके लेबुलों, सुरक्षा प्रणाली अथवा बार कोड पिल्फर प्रूफ कैप या सील से बिगाड़ करना	10,000	15,000	20,000
6.	अनुज्ञापित परिसर में कैरामल, रंग, सुगंधि, सुरक्षा प्रणाली/श्रिंक स्लीव अथवा बारकोड, लेबुल, कैप्सूल, मुहर अथवा अन्य अपायकर सामग्री का पाया जाना।	20,000	30,000	50,000
7.	बिक्री में वृद्धि हेतु ग्राहक को प्रलोभन देना, जुआ अथवा नृत्य का आयोजन करना।	5,000	7,000	10,000
8.	ड्यूटी पेड स्टाक को अनधिकृत परिसर/गोदाम में संचित करना	20,000	25,000	30,000
9.	लेखानुसार मात्रा से अधिक ड्यूटी पेड स्टाक का पाया जाना	25,000	30,000	50,000
10.	मदिरा का जलापमिश्रण/तनुकरण पाया जाना/ उच्च श्रेणी की मदिरा में निम्न श्रेणी का मदिरा अपमिश्रण।	40,000	50,000	निरस्तीकरण की कार्यवाही
11.	खुली मदिरा की बिक्री किया जाना।	5,000	10,000	15,000
12.	मद्य निषेध दिवसों/बन्दी के दिनों में मदिरा की बिक्री किया जाना।	30,000	40,000	50,000
13.	बिना अनुमति परिसर में परिवर्तन करना।	20,000	25,000	30,000
14.	निर्धारित एम.आर.पी. से अधिक दर पर मदिरा का विक्रय।	10,000	20,000	30,000
15.	अनुज्ञापित परिसर के बाहर नियमानुसार साइनबोर्ड न लगा पाया जाना। साइन बोर्ड में आवश्यक सूचना अंकित न करना अथवा त्रुटिपूर्ण ढंग से अंकित करना।	5,000	10,000	20,000
16.	दुकान में सफाई की समुचित व्यवस्था न पाया जाना।	2,000	5,000	10,000
17.	अन्य कोई अनियमितता, जो क्रमांक 1 से 16 तक अंकित न हो।	2,000	5,000	10,000

विगत 5 वर्षों में प्राप्त आबकारी राजस्व व व्यय का तुलनात्मक विवरण

गत पाँच वर्षों की आबकारी राजस्व प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण निम्न प्रकार है, जिससे स्पष्ट होता है कि इस विभाग ने न्यूनतम व्यय पर अधिकतम राजस्व अर्जित करके कार्य क्षमता एवं दक्षता के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है।

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	निर्धारित राजस्व लक्ष्य	0039 राज्य उत्पाद शुल्क (कुल प्राप्तियाँ)	गतवर्ष की अपेक्षा वृद्धि (प्रतिशत में)	विभाग पर किया गया कुल व्यय	व्यय कुल राजस्व के विरुद्ध (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6
2013-14	12500.00	11643.80	19.02	120.26	1.03
2014-15	14500.00	13482.32	15.78	134.89	1.00
2015-16	17500.00	14083.88	4.46	149.49	1.06
2016-17	19250.00	14273.42	1.34	165.20	1.16
2017-18	20595.00	17320.10	21.30	188.41	1.08
2018-19	29000.00	16756.60 (दिसम्बर 18 तक)	8.47	154.43 (दिसम्बर 18 तक)	0.92

संस्थागत वित्त

दिसम्बर, 1968 में राष्ट्रपति शासन काल के दौरान तत्कालीन श्री राज्यपाल द्वारा यह महसूस किया गया कि व्यावसायिक बैंकों एवं अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदेश में पर्याप्त विनियोजन न किये जाने के परिप्रेक्ष्य में एक ऐसा संगठन स्थापित किया जाये जो इन वित्तीय संस्थाओं एवं व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से विभिन्न प्रशासनिक विभागों/सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्रीय संस्थाओं की परियोजनाओं और विकास कार्यक्रमों के लिए धनराशि जुटाने हेतु समन्वय का कार्य कर सके। तद्नुसार प्रारम्भिक चरण में फरवरी, 1969 में वित्त विभाग में एक ''संस्थागत वित्त प्रकोष्ठ'' का गठन किया गया तथा कार्य की बढ़ोत्तरी के साथ इसे वर्ष 1972 में पूर्णकालिक एवं स्वतंत्र विभाग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया जिसके अधीन यह निदेशालय कार्य कर रहा है।

राज्य के विभिन्न निर्बल वर्गों के कल्याणार्थ प्रतिपादित तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजनाओं के राज्य स्तर पर सुचारु रूप से समन्वयन तथा उनकी प्रगति का समुचित अनुश्रवण कराये जाने का निर्णय लिये जाने के फलस्वरूप जनवरी, 1990 में राज्य सरकार के शासनादेश के माध्यम से संस्थागत वित्त निदेशालय, उ.प्र. का नाम बदल कर संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय, उ.प्र. कर दिया गया। फील्ड स्तर पर इस निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः वाराणसी, मेरठ, कानपुर, प्रयागराज, आगरा एवं गोरखपुर में स्थापित हैं। पुनः वर्ष 2015 में वाह्य सहायतित परियोजना विभाग एवं सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजनाओं से संबंधित कार्यों का समावेश करते हुए निदेशालय का नाम संस्थागत वित्त बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय उत्तर प्रदेश कर दिया गया है।

प्रमुख उत्तरदायित्व एवं कार्य योजना

- वित्तीय समावेशन/बैंक शाखा प्रसार की प्रगति का नियमित अनुश्रवण करना।
- केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं/व्यावसायिक बैंकों एवं प्रशासकीय विभागों तथा सार्वजनिक/सरकारी संस्थाओं के मध्य समन्वय का कार्य करना। विभिन्न कल्याणकारी एवं रोजगारपरक योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में वित्त पोषण से सम्बन्धित मामलों में कार्यदायी/प्रशासकीय विभागों को सहायता देना।
- कमजोर वर्ग के लोगों के लिए रोजगार सृजन के संसाधन जुटाये जाने के परिप्रेक्ष्य में बैंक क्रेडिट से सम्बन्धित योजनाओं को उत्तर प्रदेश लोकधन (देयों की वसूली) अधिनियम के अन्तर्गत उन्हें राज्य पुरोनिधानित घोषित करना।
- सेवा क्षेत्र अवधारणा के अन्तर्गत जनपद के आर्थिक विकास के लिए अग्रणी बैंकों के माध्यम से

वार्षिक ऋण योजनायें तैयार कराना एवं उसके अन्तर्गत वित्त पोषण का सतत् अनुश्रवण करना ताकि सुनियोजित ढंग से प्रदेश का आर्थिक विकास हो सके एवं विभिन्न कार्यक्रमों एवं रोजगारपरक योजनाओं के अन्तर्गत बजटीय भार कम हो सके।

- अग्रणी बैंक योजना के अन्तर्गत गठित विभिन्न जनपद एवं राज्य स्तरीय समितियों की बैठकों में प्रतिभाग करना।
- त्रैमासिक अन्तराल पर होने वाली राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों का समन्वय करना तथा उनमें प्रतिभाग करना।
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से संबंधित सभी गतिविधियों का प्रदेशीय स्तर पर समन्वय करना तथा उनके द्वारा की गयी प्रगति का अनुश्रवण करना।
- बैंकों के ऋण जमानुपात का अनुश्रवण करना एवं बैंकों से सम्बन्धित प्राप्त लोक शिकायतों का निस्तारण कराना।
- वसूली प्रमाण पत्रों के सापेक्ष बैंक के बकायों की वसूली में सहायता प्रदान करना। दैवीय आपदाओं की दशा में बैंक ऋणों की रिशिड्यूलिंग कराने में बैंकों से समन्वय करना।
- भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड/भारत सरकार से संस्थागत वित्त संबंधी नीति विषयक मामलों को उठाया जाना एवं उनका समाधान खोजना।
- नाबार्ड की माइक्रोफायनेसिंग योजनाओं के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों/कृषक क्लब आदि के गठन में आवश्यक सहायता प्रदान करना ताकि प्रदेश में अधिकाधिक संस्थागत वित्त सुलभ हो सके।
- विभिन्न निगमों/सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा वित्तीय संस्थाओं एवं बैंकों से लिए गये ऋण के अतिदेय को एकमुश्त समाधान के माध्यम से निस्तारित कराये जाने में समन्वय की भूमिका अदा करना।
- सामाजिक सुरक्षा समूह बीमा योजनाओं का अनुश्रवण एवं अनुसरण कर उनमें गतिशीलता लाना एवं इन्हें और अधिक जनोन्मुखी, व्यापक, सरल एवं व्यवहारिक बनाने हेतु समय-समय पर सम्बन्धित बीमा कम्पनियों/कार्यदायी विभागों को सुझाव देना।

विभाग द्वारा अनुश्रवण किये जाने वाले कार्यक्रम

1. सहयोग एवं सम्पर्क अभियान (100 दिन)

भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को प्रोत्साहित करने तथा उसमें नई ऊर्जा का संचरण करने हेतु देश में 02 नवम्बर, 2018 से 'सहयोग एवं सम्पर्क अभियान' (100 दिन) शुरू किया गया। इस अभियान में देश के 100 जनपद चिन्हित किये गये, जिसमें प्रदेश के 09 जनपद यथा- वाराणसी, आगरा, भदोही, कानपुर, मेरठा, मुरादाबाद, सहारनपुर, फिरोजाबाद तथा उन्नाव सम्मिलित किये गये। जिनमें 260623 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों से सम्पर्क किये जाने के निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि 131 प्रतिशत रही। अभियान से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों में हुई प्रगति के फलस्वरूप विभिन्न पैरामीटर्स में उ.प्र. ने सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया। अभियान की निर्धारित समयावधि पूर्ण होने के उपरांत विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों में उपलब्धि निम्नवत् रही :

- **59 मिनट ऋण पोर्टल** पर दर्शायी गयी सूचना के अनुसार अभियान के दौरान 1806 इकाइयों को ऋण अनुमोदित किये गये हैं, जिनमें से 1042 इकाइयों को स्वीकृति भी प्राप्त है।
- **ऋणों के पुनर्गठन कार्यक्रम** में उक्त अवधि तक 17514 लाभार्थियों के ऋणों का पुनर्गठन किया गया।
- **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना** के अंतर्गत 3.48 लाख लाभार्थियों को रु. 1784 करोड़ के ऋण बांटे गये।
- **सिडबी की सीजीटीएसएमई योजना** का लाभ भी 2308 लाभार्थियों को उपलब्ध कराया गया।
- **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम** के अंतर्गत अभियान के दौरान 120 इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराया गया।
- **ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों** से प्रशिक्षण प्राप्त 384 लाभार्थियों को अभियान के दौरान ऋण उपलब्ध कराया गया।
- **प्रधानमंत्री जन-धन योजना** के अंतर्गत 2.06 लाख नये खाते खोले गये।
- **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना** के अंतर्गत अभियान की अवधि के दौरान 85709 एवं **प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना** के अंतर्गत 2.68 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों के कार्मिकों को पंजीकृत किया गया।

  उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण देश में उत्तर प्रदेश 13 पैरामीटर्स में से 07 पैरामीटर्स में प्रथम, 02 पैरामीटर्स में तृतीय एवं 04 पैरामीटर्स में चतुर्थ स्थान पर रहा।

2. प्रदेश में बैंकिंग नेटवर्क

प्रत्येक नागरिक को सुगम बैंकिंग सेवायं प्रदान करने के उद्देश्य से संस्थागत वित्त विभाग के प्रभावी अनुश्रवण के फलस्वरूप मार्च, 2019 तक प्रदेश में कुल 18394 बैंक शाखाओं एवं 29695 बैंक मित्रों तथा इण्डियन पोस्ट पेमेन्ट्स बैंक लि. की 73 शाखाओं एवं 17664 एक्सेस प्वाइन्ट्स के माध्यम से प्रदेश के समस्त नागरिकों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है।

उत्तर प्रदेश में जून, 2019 तक कुल कार्यरत बैंक शाखाओं का विवरण निम्नवत् है :

क्र.स.	बैंक का नाम	बैंक शाखाओं की संख्या
1	सार्वजनिक बैंक	11022
2	निजी बैंक	1861
3	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	4286
4	सहकारी बैंक	1583
5	स्मॉल फाइनेन्स बैंक (उत्कर्ष)	117
	कुल	**18869**

3. वार्षिक ऋण योजना

- प्रदेश के एक समान विकास की अवधारण से विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं जैसे- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पं. दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना,

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना तथा कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्यात ऋण, शिक्षा, गृह, ऊर्जा आदि क्षेत्रों के अंतर्गत बैंकों के माध्यम से ऋण वितरण कराये जाने हेतु प्रत्येक जनपद के लिए प्रति वर्ष वार्षिक ऋण योजना तैयार की जाती हैं। संस्थागत वित्त विभाग के गहन अनुश्रवण/अनुसरण के फलस्वरूप वर्ष 2018-19 के दौरान वार्षिक ऋण योजनान्तर्गत रु. 174110.34 करोड़ का ऋण बैंकों द्वारा वितरित किया गया, जो विगत वर्ष 2017-18 को समाप्त समान अवधि में वितरित धनराशि रु. 167611.49 करोड़ से रु. 6498.85 करोड़ अधिक है।

- वर्ष 2019-20 हेतु वार्षिक ऋण योजनान्तर्गत रु. 256388.99 करोड़ के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष जून, 2019 की समाप्ति अवधि तक कुल ऋण वितरण रु. 46105.13 करोड़ (17.98 प्रतिशत है) जो कि विगत वर्ष 2018-19 को समाप्त समान अवधि में वितरित धनराशि रु. 40182.36 करोड़ के सापेक्ष रु. 5922.64 करोड़ अधिक है। योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की शत्-प्रतिशत् पूर्ति हेतु बैंकों से गहन अनुश्रवण/अनुसरण किया जा रहा है।

5. ऋण जमानुपात

प्रदेश में व्यावसायिक बैंकों (ग्रामीण बैंकों सहित) का माह जून, 2019 तक का ऋण जमानुपात 56.73 प्रतिशत से विगत वर्ष की आलोच्य अवधि के ऋण जमानुपात 50.63 प्रतिशत के सापेक्ष 6.10 प्रतिशत की अभिवृद्धि हुई है। बैंकों के ऋण जमानुपात को भारतीय रिजर्व बैंक के मानक 60 प्रतिशत के स्तर पर लाने हेतु गहन अनुश्रवण/अनुसरण किया जा रहा है।

6. प्रदेश में वित्तीय सेवाओं से सम्बन्धित योजनाओं की प्रगति

(क) प्रधानमंत्री जन-धन योजना- प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रत्येक परिवार को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा चलाये गये वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के सभी 75 जनपदों में मार्च, 2019 तक लगभग 5.62 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, जिसमें सक्रिय 5.09 करोड़ खातों के सापेक्ष 4.46 करोड़ खातों को रूपे डेबिट कार्य जारी किये जा चुके हैं। इनमें से 4.27 करोड़ खातों को आधार से जोड़ा जा चुका है। योजनान्तर्गत प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है।

(ख) प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाई.) के अंतर्गत बैंक खाता धारकों, जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष के मध्य है, को वार्षिक प्रीमियम रु. 2.00 लाख के दुर्घटना बीमा का कवरेज उपलब्ध होगा, जो विकलांगता की स्थिति में भी उपलब्ध होगा। योजनान्तर्गत 30 जून, 2019 तक 2.19 करोड़ व्यक्तियों को पंजीकृत किया जा चुका है। योजनान्तर्गत उ.प्र. का देश में प्रथम स्थान है।

(ग) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाई.) के अंतर्गत बैंक के खाताधारकों, जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य है, को रु. 2.00 लाख का जीवन बीमा वार्षिक प्रीमियम रु. 330/- पर उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 30 जून, 2019 तक 52.90 लाख व्यक्ति पंजीकृत किये जा चुके हैं। योजनान्तर्गत उ.प्र. का देश में द्वितीय स्थान है।

(घ) अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.) वृद्धावस्था में आय का स्रोत प्रदान करने के उद्देश्य से 18 से 40 वर्ष के मध्य आयु वर्ग के व्यक्तियों हेतु यह योजना लागू की गयी है, ताकि न्यूनतम 20 वर्ष तक अंशदान का भुगतान करने पर 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात् से उन्हें मासिक पेंशन का

लाभ मिल सके। योजना के प्रारम्भ से 30 जून, 2019 तक 25.21 लाख व्यक्तियों को पंजीकृत किया जा चुका है। योजनान्तर्गत प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है।

दिनांक 08 अगस्त, 2019 को मा. मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की सम्पन्न विशेष बैठक में मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में ऋण खपत की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत प्रदेश का ऋण जमानुपात अखिल भारतीय स्तर पर लाने पर बल दिया गया। इस हेतु मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में बैंकों द्वारा किये जाने वाले ऋण वितरण की नियमित समीक्षा के निर्देश दिये गये।

विगत पांच वर्षों में संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय एवं उसके क्षेत्रीय कार्यालयों को वर्ष वार आवंटित बजट एवं उसके सापेक्ष हुए व्यय का विवरण

वित्तीय वर्ष	आवंटित बजट की धनराशि	वास्तविक व्यय की धनराशि
2014-15	115959000.00	95441200.00
2015-16	426842000.00	410926000.00
2016-17	9642720000.00	7173493000.00
2017-18	7018287000.00	6824158000.00
2018-19	7180933000.00	6823980000.00
योग	**24384741000.00**	**21327998200.00**

वाणिज्य कर

वाणिज्य कर प्रदेश के कर राजस्व का महत्त्वपूर्ण विभाग है। वर्ष 2017-18 में जून, 2017 तक देय वैट, सी0एस0टी0 व प्रवेश कर अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व जमा हुआ है। दिनांक 01.07.2017 से वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक समेकित कर के रूप में **माल एवं सेवा कर (जी0एस0टी0)** लागू हुआ तदुपरान्त जी0एस0टी0 से आच्छादित वस्तुओं एवं सेवाओं पर जी0एस0टी0 राजस्व जमा हो रहा है। पेट्रोल, डीजल, क्रूड आयल, वायुयान ईधन, नेचुरल गैस, मानवीय उपयोग हेतु शराब जी0एस0टी0 से आच्छादित नहीं है, इसलिये उक्त वस्तुएं नॉन जी0एस0टी0 के अन्तर्गत हैं और इन पर पूर्व की भॉति वैट राजस्व जमा हो रहा है। वर्ष 2018-19 में समेकित राजस्व संग्रह रु0 70060.32 करोड़ है। वर्ष 2019-20 का वार्षिक लक्ष्य रु0 77640.10 करोड़ निर्धारित है।

वाणिज्य कर विभाग में कर व्यवस्था के विकास के विभिन्न सोपान

विभाग के स्थापना के समय से अनेक ऐसे निर्णय लिये गये हैं जिनका विभाग के वर्तमान स्वरूप में महत्त्वपूर्ण योगदान है, ऐसे कुछ निर्णयों का उल्लेख निम्न प्रकार हैः-

- दिनांक 01-07-2017 से जी0एस0टी0 अधिनियम लागू किया गया।
- दिनांक 01-04-2018 से इण्टरस्टेट परिवहन के लिये नेशनल ई-वेबिल लागू किया गया।
- दिनांक 15-04-2018 से इण्ट्रास्टेट परिवहन के लिये ई-वेबिल लागू किया गया।
- दिनांक 01-04-2019 से जी0एस0टी0 के अन्तर्गत पंजीयन की सीमा रु. 20 लाख से बढ़ाकर रु. 40 लाख तथा समाधान के व्यापारियों की सीमा रु. 1 करोड़ से बढ़ाकर रु. 1.50 करोड़ कर दिया गया।
- दिनांक 01-04-2019 से सेवाक्षेत्र के रु. 50 लाख टर्नओवर तक के व्यापारियों के लिए समाधान योजना 5 प्रति0 की समाधान योजना लायी गयी।
- **शासनादेश दिनांक 28.12.2018 द्वारा उ0प्र0 व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन।**

मिशनः-

''भ्रमरा इव पादपम्''

उद्देश्यः-

- जी0एस0टी0 अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में माल एवं सेवा की आपूर्ति पर देय कर को जमा कराना।
- नॉन-जी0एस0टी0 गुड्स पर वैट अधिनियम के अन्तर्गत देय कर को जमा कराना।

- राज्य के उद्योगों को प्रोत्साहन देना।
- व्यापारियों के हितों की रक्षा करना।

संगठनः-

वाणिज्य कर विभाग का संगठन मुख्यतः तीन भागों में विभक्त है। प्रथम प्रशासनिक/कर निर्धारण कार्य, द्वितीय न्यायिक कार्य तथा तृतीय प्रवर्तन कार्यों से सम्बन्धित है।

प्रशासनिकः-

उ0प्र0 शासन के कर एवं निबन्धन विभाग के अन्तर्गत वाणिज्य कर विभाग है। वर्ष 2018-19 में श्री आलोक सिन्हा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। कमिश्नर व वाणिज्य कर के विभागाध्यक्ष है। उनके सामान्य प्रशासनिक नियंत्रण में विभाग का कार्य सम्पन्न होता है। वर्ष 2018-19 श्रीमती कामिनी चौहान रतन दिनांक 13.01.2018 से दिनांक 18.01.2019 तक कमिश्नर रहीं हैं। वर्तमान में श्रीमती अमृता सोनी, कमिश्नर के पद पर कार्यरत हैं।

क्षेत्र

विभागीय कार्यों के सुगमता से संचालन हेतु प्रदेश की भौगोलिक सीमा में वाणिज्य कर विभाग 20 जोन, 45 संभाग तथा 436 खण्ड कार्यालयों में विभाजित है। विभागीय कार्यालय 93 स्थलों पर स्थापित हैं, जिन्हें वाणिज्य कर मण्डल कार्यालय कहा जाता है। बड़े करदाताओं की सुविधा हेतु 21 कारपोरेट सर्किल सभी जोन में एवं एक ऑयल कारपोरेट सर्किल मुख्यालय पर स्थापित है।

वाणिज्य कर राजस्व संग्रह

विगत वर्षों में वाणिज्य कर राजस्व संग्रह निम्न प्रकार रहा हैः-

क्र.सं.	वर्ष	राजस्व (करोड़ रु. में)	गत वर्ष वृद्धि की धनराशि (करोड़ रु. में)
1	2	3	4
1	2011-12	32996.83	-
2	2012-13	34869.54	1872.71
3	2013-14	39624.06	4754.52
4	2014-15	42931.54	3307.48
5	2015-16	47690.96	4759.42
6	2016-17	51819.91	4128.95
7	2017-18	58738.12	6918.21
8	2018-19	70060.32	11322.20

प्रवर्तन कार्य

- करापवंचन के प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रदेश के सभी 20 जोन में जोनल स्तर पर एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि.अनु.शा./प्रवर्तन) के कार्यालय स्थापित हैं। इनके अधीन सम्भागीय स्तर पर

ज्वाइंट कमिश्नर (वि.अनु.शा.) के कार्यालय हैं। इन सभी कार्यालयों से अपने-अपने अधिक्षेत्र के सचल दल तथा वि.अनु.शा. इकाइयों के कार्य नियंत्रित व सम्पादित होते हैं। प्रदेश में 150 सचल दल इकाइयाँ सभी जोनल कार्यालयों में तथा 02 वाणिज्य कर मुख्यालय पर कुल 150 सचल दल इकाइयाँ एवं 45 विशेष अनुसंधान शाखा की प्रवर्तन इकाइयाँ कार्यरत हैं।

- विभाग की प्रदेश में स्थापित 150 सचलदल इकाइयों द्वारा वर्ष 2018-19 में अपंजीकृत व्यापारियों के करापवंचित माल के वाहनों की जाँच करके रु. 256,60 करोड़ की जमानत/अर्थदण्ड जमा करायी गयी है जो गतवर्ष में जमा रु. 1.61 प्रतिशत अधिक है।
- विभाग की 45 विशेष अनुसंधान शाखा इकाइयों द्वारा निर्माता व्यापारियों के व्यापार स्थल की जाँच करके वर्ष 2018-19 में रु. 948.66 करोड़ का अपवंचित कर प्रकाश में लाया गया तथा जी0एस0टी0 व्यवस्था के अन्तर्गत सीजर के समय ही उपलब्ध करापवचिंत स्टाक पर देय राजस्व रु0 153.77 करोड़ जमा कराया गया।

पंजीकृत व्यापारियों के लिये मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना

- इस योजना के अंतर्गत विभाग में पंजीकृत सभी व्यापारी स्वतः बीमित माने जाते हैं। इससे सम्बन्धित प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।
- इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत व्यापारी की हत्या व दुर्घटना में मृत्यु/आंशिक व पूर्ण विकलांग हो जाने की स्थिति में पंजीकृत व्यापारी के नामिनी/उत्तराधिकारी/स्वयं व्यापारी को बीमित धनराशि का भुगतान किया जाता है।
- दिनांक 27-10-2017 से बीमित धनराशि को रु. 5 लाख से बढ़ाकर रु. 10 लाख कर दिया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2016-17 के 142 मामलों में तथा वर्ष 2017-18 के 57 दावों का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा सम्बन्धित व्यापारियों के परिजन को प्राप्त कराया गया है। उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2017-18 दिनांक 31.03.2017 से दिनांक 15.06.2017 तक (सांय 6:13 बजे तक) अवधि बाधित रही है जिससे सम्बन्धित 22 प्रकरणों में विभाग द्वारा भुगतान किया जा चुका है।
- उक्त योजना हेतु वर्ष 2017-18 में दिनांक 15.06.2017 से एक वर्ष हेतु दि ओरिएन्टल इंश्योरेन्स कंपनी लि. लखनऊ का चयन दिनांक 14.06.2018 तक किया गया है। इस अवधि में पात्र 110 व्यापारी के परिजन को इस बीमा कंपनी द्वारा भुगतान किया जा चुका है।
- दिनांक 15.06.2018 से विभाग द्वारा ही उक्त बीमा योजना का संचालन किया जा रहा है।
- दिनांक 27.10.2017 से 14.06.2018 तक के प्राप्त दावों में रु. 5 लाख का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा तथा रु. 5 लाख का भुगतान शासन की स्वीकृति के उपरान्त विभाग द्वारा किया जा रहा है।
- दिनांक 15.06.2018 से प्राप्त दावों में प्रत्येक लाभार्थी को रु. 10 लाख की धनराशि शासन से स्वीकृत कराकर विभाग द्वारा दी जा रही है। जिनमें दिनांक 31.07.2019 तक 42 व्यापारी के परिजन लाभान्वित हो चुके हैं।

जी0एस0टी0 राजस्व बढ़ाने हेतु किये गये प्रयास

- जी0एस0टी0 के अन्तर्गत जुलाई, 18 से अक्टूबर, 18 तक वाणिज्य कर विभाग आपके द्वारा कार्यक्रम चलाकर विभाग के अधिकारियों द्वारा व्यापारियों के व्यापार स्थल पर जाकर तकनीकी व व्यवहारिक कठिनाइयों का निदान कराया गया, जिसमें 02 लाख से अधिक व्यापारी लाभान्वित हुए।
- वर्ष 2018-19 में रिफण्ड में आने वाली कठिनाइयों के दृष्टिगत प्रत्येक मण्डल कार्यालय में रिफण्ड का एक पृथक पटल बनाया गया और रसीद दिये जाने की अनिवार्यता की गयी।
- मासिक व त्रैमासिक रिटर्न दाखिल किये जान हेतु लगभग सभी कस्बों में अधिकारी द्वारा कम्प्यूटर व अन्य सामग्री साथ ले जाकर शिविर लगाकर व्यापारियों व स्टेकहोलडर्स को प्रशिक्षित किया गया तथा मण्डल कार्यालयों में भी व्यापारियों व स्टेकहोलडर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गयी। जुलाई व अगस्त 19 में वार्षिक कर विवरणी जीएसटीआर-9 दाखिल करने की प्रक्रिया से अवगत कराने एवं आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक जनपद में व्यापारियों, अधिवक्तागतण व स्टेकहोल्डर्स आदि को प्रशिक्षित हेतु विभिन्न कार्यशालायें आयोजित की गयी हैं।
- जी0एस0टी0 लगने के उपरान्त विगत दो वर्ष में कर निर्धारण एवं प्रवर्तन कार्य में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिससे अधिकारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि हुई, नई प्रणाली में उनकी कार्य गुणवत्ता बनी रही।

विभाग द्वारा किये जा रहे प्रयासों का प्रभाव

- विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार किये गये प्रयासों में वैट के अन्तर्गत विभाग में पंजीकृत 8.4 लाख व्यापारियों में से 6.25 लाख व्यापारियों द्वारा सफलतापूर्वक जी0एस0टी0 में माईग्रेट किया गया, जो देश में सर्वाधिक है। साथ ही जी0एस0टी0 लागू होने के बाद अब तक प्रदेश में 8.63 लाख नये व्यापारियों के द्वारा पंजीयन लिया गया जो देश स्तर पर एक रिकार्ड है। जिससे स्पष्ट है कि जी0एस0टी0 लागू होने के उपरान्त प्रदेश के कर आधार में आशातीत वृद्धि हुई है।

माननीय उच्च न्यायालय में प्रवेश कर सम्बन्धी वाद राज्य के पक्ष में निर्णय

- **दिनांक 04.05.2018 को** उक्त निर्णय के फलस्वरूप वर्ष 99-2000 से वर्ष 2010-11 तक मूल धन रु. 3652.54 करोड़ एवं अनुमानित ब्याज रु. 5910.20 करोड़ कुल देयता रु. 9562.75 करोड़ के सापेक्ष रु. 3561.74 करोड़ जमा। ब्याज की धनराशि सर्वश्री आई0ओ0सी0 की सर्वाधिक है जो विधिक प्रक्रिया में है।

वाणिज्य कर विभाग द्वारा किये जा रहे जनकल्याणकारी कार्य

- व्यापारियों के हित में व्यापारी कल्याण बोर्ड की स्थापना।
- रिटर्न दाखिल करने हेतु ड्यू डेट पर 2 बार एस0एम0एस0 किये जाने की व्यवस्था की गयी है।
- वर्ष 2018-19 में पेट्रोल व डीजल के मूल्य अधिक होने पर दिनांक 04.10.2018 को वैट कर की राशि में रु. 2.5 प्रति लीटर की कमी की गयी फलस्वरूप दिनांक 19.08.2019 तक राज्य सरकार को लगभग रु. 3200 करोड़ के राजस्व प्रभावित हुए।

- यूरिया निर्माता व्यापारियों को छोड़कर नेचुरल गैस पर कर की दर 26 प्रति0 से घटाकर 10 प्रति की गयी। जिससे आम उपभोक्ता की आपूर्ति की गैस के मूल्य तदनुसार कम हुए है।
- प्रदेश में यूरिया के मूल्य अन्य प्रदेशों के समकक्ष किये जाने हतु यूरिया की आपूर्ति में उपयोग नेचुरल गैस पर देय 5 प्रति0 अतिरिक्त कर को समाप्त कर दिया गया जिससे यूरिया प्रति बोरी लगभग 50 रु. सस्ती हो गयी।
- भारत सरकार की प्राथमिकता के अन्तर्गत **व्यापारियों के जीएसटी के रिफण्ड** के प्राप्त 20715 प्रार्थना पत्रों में से 20092 प्रार्थना पत्र 97 प्रतिशत निस्तारित हुए हैं।
- वर्ष 2018-19 में व्यापारियों के देय रिफण्ड का कोषागारों से **रु. 604.18 करोड़** भुगतान किया जा चुका है। **वैट** के अन्तर्गत भी माह तक रु. 620.39 करोड़ के **रिफण्ड** दिये जा चुके हैं।
- लगभग 2 लाख छोटे व्यापारियों को रिटर्न दाखिले, पंजीयन व अन्य ऑनलाइन कार्यों में आ रही कठिनाइयों का निदान **'वाणिज्य कर विभाग आपके द्वार'** योजना के माध्यम से किया गया।
- एक लाख से अधिक छोटे व्यापारियों से व्यक्तिगत संपर्क कर उनकी समस्याओं का निराकरण किया गया तथा उनके ई-मेल आई0डी0 फोन नंबर अपडेट कराये गये। विभिन्न संभागों में 100 से अधिक शिविरों का आयोजन कर व्यापारियों की समस्याओं का निराकरण।
- व्यापारियों के पंजीयन की मौद्रिक सीमा रु. 05 लाख से बढ़ाकर रु. 20 लाख की गयी।
- रु. 01 करोड़ वार्षिक टर्न ओवर तक के व्यापारियों के लिए केवल 01 प्रतिशत कर देयता की समाधान योजना व रेस्टोरेन्ट व्यापारियों के लिए 05 प्रतिशत की समाधान योजना लागू।
- दिनांक 01.04.2019 से सेवाक्षेत्र के रु. 50 लाख टर्नओवर तक के व्यापारियों के लिए 5 प्रति0 की समाधान योजना लागू की गयी।
- जी0एस0टी0 के अन्तर्गत आमजन के उपयोग की अधिकांश वस्तुए कर मुक्त की गयी अथवा 5 प्रतिशत पर रखी गयी तथा विगत 1 वर्ष में 200 से अधिक वस्तुए 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत में लायी गयी। अब 40 से कम वस्तु व वस्तु समूह ही 28 प्रतिशत में रह गए हैं।
- वैट से जी0एस0टी0 में माइग्रेशन करने में छूट गये व्यापारियों को दिनांक 31.01.2019 तक समय दिया जाना व दिनांक बिना लेट फीस के दिनांक 31.03.2019 तक कर विवरणी दाखिल किये जाने की सुविधा प्रदान की गयी।
- वर्ष 2017-18 के जीएसटी की वार्षिकी विवरणी दाखिल किये जाने का अन्तिम दिनांक पुनः बढ़ाकर दिनांक 30.11.2019 किया गया है।

स्टाम्प एवं निबंधन

उत्तर प्रदेश सरकार हेतु राजस्व संग्रह करने वाले प्रमुख विभागों, वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं निबन्धन, आबकारी, मनोरंजन कर, परिवहन कर आदि में स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग का एक महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है।

अठारहवीं सदी में लेखपत्रों के निबन्धन का कार्य शहर के काजी के द्वारा किया जाता था। वर्ष 1773 से सर्वप्रथम निबन्धन प्रणाली आरम्भ की गयी। वर्ष 1864 में निबन्धन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें कुछ लेखपत्रों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से किये जाने की व्यवस्था की गयी। समय-समय पर इस प्रणाली में परिवर्तन होता रहा है। मुख्य रूप से वर्ष 1908 में निबन्धन अधिनियम को संहिताबद्ध किया गया, जो आज तक प्रभावी है।

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग जनता से सीधे सम्पर्क में आने वाला तथा उन्हें सेवायें प्रदान करने वाला अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विभाग है। प्रत्येक वर्ष इस विभाग द्वारा लगभग तीस लाख से अधिक लेखपत्रों का पंजीयन होता है, जिसमें लगभग दो करोड़ लोग विभाग के सम्पर्क में आते हैं।

पक्षकारों के मध्य होने वाले संव्यवहारों में निष्पादित बैनामा, गोदनामा, इकरारनामा, वसीयत आदि विभिन्न प्रकार के लेखपत्रों, जिसमें विवाहों के घोषणा पत्र भी सम्मिलित हैं, का पंजीकरण एवं इन्हें चिरकाल तक सुरक्षित रखने का कार्य निबन्धन विभाग द्वारा किया जाता है। साथ ही इन लेखपत्रों पर देय स्टाम्प शुल्क की प्राप्ति सुनिश्चित की जाती है। निबन्धन विभाग राज्य सरकार के लिए राजस्व अर्जन की दृष्टि से वाणिज्य कर एवं आबकारी विभाग के पश्चात् तीसरा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विभाग है।

निबन्धन विभाग के उद्देश्य

लेखपत्रों के निबन्धन की एक ऐसी व्यवस्था सृजित करना, जिसमें किसी विशेष सम्पत्ति के अन्तरण विषय, पक्षकारों के बीच अधिकारों/दायित्वों की संविदा को सामान्य जनता को सुलभ एवं सार्वजनिक कराना, अनन्त काल तक इनके रिकार्डों को जन सामान्य हेतु सुरक्षित रखना तथा इसके माध्यम से कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना तथा सामाजिक विद्वेष को समाप्त करना क्योंकि जहाँ भी सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होते हैं, वहां सम्बन्धित सम्पत्ति के बैनामा, वसीयत आदि के द्वारा विवादों का तुरन्त समाधान किया जाता है। बैनामा वसीयत आदि के माध्यम से ही पक्षकारों के मध्य निष्पादित लेखपत्रों को वैधानिक महत्त्व प्रदान किया जाना तथा धोखाधड़ी की कार्यवाही को रोकना तथा साथ ही लेखपत्रों को निबन्धन के पश्चात न्यायालयों में वैधानिक साक्ष्य हेतु ग्राह्य भी बनाना संभव है। स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग इस व्यवस्था को उत्तरोत्तर पारदर्शी, त्वरित, आधुनिक, सरल एवं भष्ट्राचार मुक्त बनाने हेतु कटिबद्ध है। ऑन लाइन

रजिस्ट्रेशन इस दिशा में विभाग का एक महत्त्वपूर्ण कदम है। इसके अन्तर्गत न सिर्फ लेखपत्रों का ऑन लाइन रजिस्ट्रेशन होगा बल्कि आम जनता घर बैठे निबन्धित विलेखों के सम्बन्ध में सूचना, नकलों तथा भारमुक्त प्रमाण-पत्र को भी प्राप्त कर सकेंगे।

विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवायें

1. लेखपत्रों का पंजीकरण	उप निबन्धक कार्यालयों तथा जिला निबन्धक कार्यालयों द्वारा
2. स्टाम्प शुल्क का निर्धारण	कलेक्टर की शक्तियों का उपयोग करने वाले अधिकारियों द्वारा
3. स्टाम्प पत्रों/ई-स्टाम्प पत्रों की बिक्री	कोषागार, स्टाम्प विक्रेताओं तथा SHCIL ई-स्टाम्प के माध्यम से
4. दस्तावेज लेखन	विभाग से लाइसेन्स प्राप्त दस्तावेज लेखकों द्वारा
5. सम्पत्ति का मूल्याँकन	जिला कलेक्टर कार्यालयों द्वारा
6. पंजीकृत लेखपत्रों की प्रतिलिपि	उप निबन्धक कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराना
7. भार मुक्ति प्रमाण-पत्र	उप निबन्धक कार्यालयों द्वारा जारी करना
8. विवाह के पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करना	उप निबन्धक कार्यालयों द्वारा
9. वसीयतनामा जमा करना	जिला निबन्धक कार्यालयों द्वारा

संगठनात्मक ढाँचा

स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग का नियंत्रण माननीय मंत्री, स्टाम्प रजिस्ट्रेशन एवं न्याय शुल्क प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन के नेतृत्व में निबन्धन विभाग द्वारा किया जाता है। इसका मुख्यालय प्रयागराज तथा शिविर कार्यालय लखनऊ में स्थित है। इसके विभागाध्यक्ष महानिरीक्षक निबन्धन अपर सचिव/आयुक्त स्टाम्प, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश हैं, जो आई.ए.एस. संवर्ग के सचिव स्तर के अधिकारी हैं। विभागाध्यक्ष पदेन अपर सचिव राजस्व परिषद भी होता है। महानिरीक्षक निबन्धन के सहायतार्थ चार अपर महानिरीक्षक निबन्धन/अपर आयुक्त स्टाम्प के पद सृजित है, जिसमें से दो पदों पर आई.ए.एस./वरिष्ठ पी.सी.एस. संवर्ग के अधिकारी तथा दो पदों पर विभागीय अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं। महानिरीक्षक निबन्धन के साथ मुख्यालय पर वित्त एवं लेखा संवर्ग के एक वित्त एवं लेखाधिकारी व एक सहायक लेखाधिकारी नियुक्त है। विभागीय आकड़ों के संकलन/प्रस्तुतीकरण के लिए एक अर्थ एवं संख्याधिकारी एवं एक अपर सांख्यिकीय अधिकारी भी मुख्यालय पर कार्यरत है। मण्डल/वृत्त स्तर पर उप महानिरीक्षक निबन्धन/उप आयुक्त स्टाम्प के मंडलीय कार्यालय तथा जिले स्तर पर सहायक महानिरीक्षक निबन्धन/सहायक आयुक्त स्टाम्प के नियंत्रणाधीन जिला स्तरीय कार्यालय स्थापित है। इसके अतिरिक्त लेखपत्रों के निबन्धन हेतु प्रदेश में उप निबन्धक के पद सृजित किये गये हैं, जो तहसील क्षेत्राधिकार के स्तर पर निबन्धनकर्ता अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। जिला निबन्धन के पद का दायित्व शासन द्वारा जिले में कार्यरत अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) को पदेन प्रदान किया गया है, जिन्हें रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन का दायित्व सौंपा गया है।

स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग की प्रमुख कार्य योजनायें

विभाग द्वारा अपने अधिष्ठान व्यय के अलावा मुख्य रूप से न्यायिक और न्यायिकेत्तर स्टाम्पों की छपाई एवं ढुलाई सम्बन्धी लागत एवं उनकी बिक्री तथा निवेश प्रमाण पत्रों पर देय स्टाम्प शुल्क का उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि समिति को संक्रमण, वाटर मार्क पेपर की बिक्री आदि पर व्यय का वहन भी किया जाता है। निवेश प्रमाण पत्र पर देय स्टाम्प शुल्क का उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि को संक्रमण पर होने वाले व्यय को सीधे शासन स्तर से ही न्याय विभाग को संक्रमित कर दिया जाता है।

स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग के आय-व्ययक अनुमान को मुख्यतः तीन उप शीर्षकों में विभाजित किया गया है-

1. स्टाम्प न्यायिक

इसके अन्तर्गत निदेशन तथा प्रशासन शीर्षक से विभिन्न कोषागारों में कार्यरत प्रेस मैन तथा शासन में कार्यरत ओ.एस.डी. कार्यालय का अधिष्ठान सम्बन्धी व्यय किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्टाम्पों की लागत शीर्षक से न्यायिक स्टाम्पों की छपाई एवं ढुलाई पर होने वाला व्यय किया जाता है तथा स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय शीर्षक से न्यायिक स्टाम्पों की स्टाम्प वेण्डरों के माध्यम से होने वाली बिक्री पर स्टाम्प वेन्डरों को देय 1 प्रतिशत कमीशन का व्यय किया जाता है।

2. स्टाम्प न्यायिकेत्तर

इसके अन्तर्गत निदेशन तथा प्रशासन शीर्षक से मुख्यालय पर कार्यरत स्टाम्प अनुभाग के कार्मिकों का अधिष्ठान सम्बन्धी व्यय किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्टाम्पों की लागत शीर्षक से न्यायिकेत्तर स्टाम्पों की छपाई एवं ढुलाई पर होने वाला व्यय किया जाता है तथा स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय शीर्षक से न्यायिकेत्तर स्टाम्पों की स्टाम्प वेण्डरों के माध्यम से होने वाली बिक्री पर स्टाम्प वेन्डरों को देय 1 प्रतिशत कमीशन का व्यय किया जाता है। साथ ही स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. के माध्यम से होने वाले ई-स्टाम्पों की बिक्री पर संस्था को देय 0.5 प्रतिशत कमीशन का व्यय किया जाता है। निवेश प्रमाण पत्र पर देय स्टाम्प शुल्क का उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि को संक्रमण पर होने वाला व्यय भी इसी मद के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

3. पंजीकरण

इसके अन्तर्गत निदेशन तथा प्रशासन शीर्षक को दो योजनाओं क्रमशः मुख्यालय तथा जिला व्यय में वर्गीकृत किया गया है। मुख्यालय योजना से स्टाम्प एवं पंजीयन मुख्यालय/शिविर कार्यालय तथा मंडलों एवं जनपदों के उप महानिरीक्षक निबन्धन/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन कार्यालयों के अधिष्ठान सम्बन्धी व्यय किये जाते हैं। इसी प्रकार जिला व्यय योजना से उप निबन्धक कार्यालयों के अधिष्ठान सम्बन्धी व्यय किये जाते हैं। इसी प्रकार जिला व्यय योजना से उप निबन्धक कार्यालयों के अधिष्ठान सम्बन्धी व्यय किये जाते हैं।

गत 5 वर्षो के बजट का तुलनात्मक विवरण

स्टाम्प पंजीकरण विभाग के आय-व्ययक को स्टाम्प , न्यायिक, स्टाम्प न्यायिकेत्तर, पंजीकरण तीन मुख्य शीर्षकों के अन्तर्गत वर्गीकरण करके आय-व्ययक अनुमान में प्रदर्शित किया जाता है। विगत पांच वर्षो के बजट प्राविधान तथा व्यय का तुलनात्मक विवरण निम्नवत् हैः-

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	बजट प्राविधान	कुल व्यय
1	2	3	4
1	2014-15	214.43	197.87
2	2015-16	251.15	241.48
3	2016-17	307.15	275.88
4	2017-18	305.28	267.71
5	2018-19	318.70	277.22

वित्तीय वर्ष 2018-19 की उपलब्धियाँ

राजस्व प्राप्तियाँ

वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभाग के लिए सकल राजस्व प्राप्तियों हेतु रु. 18000.00 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य के सापेक्ष रु. 15719.53 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई।

जनोपयोगी कार्य

- सम्पत्ति पंजीकरण की व्यवस्था जनसामान्य को अपने लेखपत्र का ऑनलाइन साफ्टवेयर के माध्यम से सृजन कर सकता है तथा सृजित दस्तावेज के माध्यम से ऑन लाइन पंजीकरण करा सकता है, जिससे वह किसी मध्यवर्ती के बिना भी अपने लेखपत्र का पंजीकरण करा सकता है।
- विभाग के द्वारा ई-विवाह पंजीकरण प्रारम्भ कर दिया गया है तथा जन सामान्य की सुविधा के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण हेतु सम्बन्धित के विकल्प के अनुसार उप निबन्धक कार्यालय में पंजीकरण सुविधा प्रदान की गयी है।
- सम्पत्ति विवरण सत्यापन विभागीय पोर्टल पर वर्तमान में यह व्यवस्था दी गई है कि कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति को खरीदने से पूर्व सम्पत्ति खोज विकल्प का प्रयोग कर सम्पत्ति का सत्यापन कर सकता है। उक्त से सम्पत्ति पंजीकरण में होने वाली धोखाधड़ी से बचाने में मदद की जा रही है।
- दाखिल खारिज आम जन को दस्तावेजों के निबन्धन के उपरान्त दाखिल खारिज संबंधी कार्यवाही हेतु सुगमता प्रदान किये जाने के दृष्टिगत राजस्व परिषद के पोर्टल को विभागीय पोर्टल से एकीकृत कर दिया गया है। इस व्यवस्था से दो विभागों के मध्य समन्वय सुगम हुआ है एवं दाखिल खारिज की प्रक्रिया साधारण हो जाने से आम जनता को इसका लाभ दिया जा रहा है।
- विभाग के उप निबन्धक कार्यालयों में निबन्धित लेखपत्रों को डिजिटल रूप में संरक्षित किया जा रहा है, जिससे वर्तमान एवं भविष्य में जनसामान्य को आवश्यकता पड़ने पर इन्टरनेट आधारित सेवाओं द्वारा अभिलेख सुलभ कराये जा सके।
- भारत सरकार के Ease of Doing Business कार्यक्रम के अन्तर्गत विभागीय पोर्टल को उद्योग बन्धु को सिंगल विण्डों, निवेश मित्र, ई-डिस्ट्रिक्ट, सी.एम. डैश बोर्ड एवं राजस्व परिषद की वेबसाइट से एकीकृत किया गया है। इस व्यवस्था से प्रदेश में उद्यमियों को सुविधा हुई है एवं राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश की छवि में सुधार हुआ है।

- बैंक ऑफ इंडिया शेयर होल्डिंग लि0 BOISL से शेयर अंतरण में ब्रोकर टर्नवओवर पर स्टाम्प शुल्क अधिग्रहित करने हेतु अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया है, जिससे शेयर अन्तरणों से अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है।
- भारत सरकार के डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम एवं इलेक्ट्रानिक स्टाम्प शुल्क प्रणाली के अन्तर्गत फर्जी स्टाम्पों पर प्रभावी रोक लगाने के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश ई-स्टाम्प नियमावली-2013 को प्रभावी किया गया है। वर्ष 2013 से स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग हेतु केन्द्रीय अभिलेख अनुरक्षण अभिकरण (C.R.A.) नियुक्त किया गया है।
- दिव्यांगजन हेतु ग्राउण्ड फ्लोर पर रजिस्ट्री की सुविधा हेतु समस्त उप निबन्धकों को लैपटॉप उपलब्ध कराये गये हैं एवं इस आशय के निर्देश भी दिये गये कि दिव्यांगजनों को रजिस्ट्री की व्यवस्था ग्राउण्ड फ्लोर पर ही उपलब्ध करायी जाये।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रस्तावित योजनायें

राजस्व प्राप्ति

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्टाम्प पंजीकरण के लिए राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रु. 19179.07 करोड़ निर्धारित किया गया है, जिसके लिए विभाग द्वारा प्रभावी कार्ययोजना निर्मित की गयी है। अवशेष वसूली, स्टाम्पवादों का त्वरित निस्तारण, करापवंचन की रोकथाम करते हुए उक्त निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

पंजीकृत विलेखों की स्कैनिंग तथा डिजिटाइजेशन

स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग में डाक्यूमेन्ट मैनेजमेण्ट सिस्टम को प्रभावी बनाने के लिए विलेखों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने हेतु स्कैनिंग कराये जाने की आवश्यकता है। विभाग के उप निबन्धक कार्यालयों में निबन्धित लेखपत्रों को डिजिटल रूप में संरक्षित किया जाना प्रस्तावित है, जिससे भविष्य में जन सामान्य को इन्टरनेट आधारित सेवाओं द्वारा अभिलेख सुलभ कराये जा सके। इस कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में लेखपत्रों के स्कैनिंग एवं इनडैक्सिंग कार्य हेतु धनराशि रु. 25.00 करोड़ का प्रावधान किया गया था।

कार्यालय भवन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में अनावासीय कार्यालय भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में धनराशि का प्रावधान नहीं किया गया है।

कृषि

विभाग का संक्षिप्त इतिहास

कृषि विभाग की वर्ष 1875 में स्थापना की गयी। प्रारम्भ में कृषि विभाग का कार्य कृषि सम्बन्धी आंकड़ों के संकलन तथा आदर्श प्रक्षेत्रों की स्थापना तक ही सीमित था। वर्ष 1880 में कृषि विभाग को भू-अभिलेख विभाग से सम्बद्ध कर दिया गया। गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट-1919 के पारित होने के उपरांत कृषि क्षेत्र राज्य सरकार के अधीन हो जाने के फलस्वरूप कृषि विभाग को 01 दिसम्बर, 1919 से एक स्वतंत्र विभाग बनाया गया तथा 1 मई, 1920 को इसकी विधिवत स्थापना हुई। विभाग के तत्कालीन क्रियाकलापों में कृषि यथा- उपज पालन, भूमि संरक्षण, गन्ना उत्पादन, उद्यान एवं कोलोनाइजेशन सम्बन्धी गतिविधियों का समावेश था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गन्ना विभाग के गठन के फलस्वरूप गन्ना उत्पादन सम्बन्धी कार्य नवगठित विभाग में समाहित कर दिया गया। वर्ष 1964 में कोलोनाइजेशन योजना समाप्त हो गयी। वर्ष 1974 में औद्यानिकी को पृथक विभाग उद्यान के रूप में सृजित कर दिया गया। इसी क्रम में कृषि विपणन को भी कृषि विभाग से अलग किया गया है।

उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग अपने वर्तमान स्वरूप में विविध संस्थाओं यथा- उ.प्र. बीज विकास निगम, राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, यू.पी. एग्रो, राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान रहमानखेड़ा, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद आदि के सम्मिलित प्रयास से कृषि उत्पादन सम्बन्धी क्रियाकलापों को गति प्रदान करने में प्रयासरत है।

विभाग के दायित्व

कृषि विभाग प्राकृतिक संसाधनों यथा- मृदा, जल एवं जैव विविधता के समुचित संरक्षण, देश/प्रदेश की कृषि उत्पादन नीतियों के विनिर्माण एवं क्रियान्वयन तथा संसाधनों के क्षरण को अक्षुण्ण बनाये रखते हुए उत्तरोत्तर वृद्धि परक उत्पादन के आयाम विकसित करने के लिए उत्तरदायी है। कृषि विभाग का उत्तरदायित्व, क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों के अनुसार तकनीकी प्रसार एवं कृषि निवेश प्रबन्धन के माध्यम से विभिन्न फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि करने तथा प्रदेश में कृषि विकास की दर को तीव्र गति प्रदान करना है। इस हेतु राज्य सरकार, भारत सरकार, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से उपर्युक्त कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का दायित्व कृषि विभाग पर है।

विभाग के उद्देश्य

कृषि विभाग का मूल उद्देश्य कृषि विकास की दर को गति प्रदान करने के साथ-साथ फसलोत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करना है, जिससे प्रदेश के कृषकों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर उनके जीवन-स्तर को ऊपर उठाया जा सके। इसके अतिरिक्त प्रदेश में व्याप्त क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने

के लिए क्षेत्र विशेष के लिए उपयुक्त योजनाओं का क्रियान्वयन एवं कृषकों को रोजगार के नये अवसर प्रदान करना है।

उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किये जा रहे प्रयास

- कृषि उत्पादन की विकास दर प्रति वर्ष 5.1 प्रतिशत बनाये रखते हुए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु कृषि की नवीन तकनीकी का प्रचार-प्रसार तथा कृषकों की कृषि से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान।
- कृषकों को विभिन्न परिस्थितियों में अधिक उत्पादन लेने हेतु विभिन्न योजनाओं के माध्यम से तकनीकी प्रदर्शनों का आयोजन एवं उनके परिणामों से कृषकों को परिचित कराना।
- विभिन्न फसलों की उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि हेतु विभाग द्वारा विभिन्न उपज पालन योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
- कृषकों को कृषि निवेश की आपूर्ति निर्धारित समय-सारिणी के अनुरूप सुनिश्चित करना।
- कृषि उत्पादन के लिए वांछित विभिन्न कृषि निवेशों की गुणवत्ता नियंत्रण पर बल देना।
- दैवीय आपदाओं यथा- बाढ़, सूखे की स्थिति आदि मे उन परिस्थितियों के अनुसार आकस्मिक योजना का निर्माण कर कृषकों को सही समय पर उचित फसल चक्रों की जानकारी देना एवं उसी के अनुरूप कृषि निवेशों की व्यवस्था करना।
- प्रदेश में स्थित समस्याग्रस्त भूमि यथा- जलमग्न, ऊसर, बंजर, बीहड आदि भूमि को उपचारित करके कृषि क्षेत्रफल में वृद्धि करते हुए उपजाऊ बनाना।
- कृषि नीति 201के सफल क्रियान्वयन का सतत् अनुश्रवण कर निर्धारित प्रतिमानों को साकार करना।
- कृषि उत्पादन में प्राकृतिक आपदाओं, कीट/रोग आदि जोखिम के कारण होने वाली क्षति की पूर्ति एवं कृषि में प्रगतिशील तरीकों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रेदश में संचालित कृषि बीमा योजनाओं को व्यापकता प्रदान करना।

विभाग के कार्यक्रम

विभाग द्वारा कार्यक्रमों के नियमित संचालन के लिए क्षेत्रीय भू-जलवायु परिस्थितियों के अनुसार खरीफ, रबी एवं जायद में कार्यक्रमों का निरूपण, नियोजन एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए रणनीति तैयार करने एवं इसे निर्धारित समय-सीमा में क्रियान्वित करने की कार्यवाही की जाती है। कृषि विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए नियमित अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था की गयी है। कृषि निदेशालय स्तर पर प्रत्येक माह मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशकों के साथ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों/मा. कृषि मंत्री की अध्यक्षता में कार्यक्रमों एवं योजनाओं की प्रगति की मासिक समीक्षा की जाती है। मण्डल एवं जनपद स्तर पर भी नियमित समीक्षा की व्यवस्था है। सूचना तकनीक एवं इंटरनेट के सहयोग से क्षेत्रीय अधिकारियों से वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से भी समीक्षा की जाती है।

वर्ष 2018-19 में कृषि विभाग द्वारा क्रियान्वित प्रमुख योजनाएं

(1) नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन-ऑयल सीड (NFSM-OS/TBO)

योजना आयोग भारत सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 2014-15 से यह योजना पूर्व संचालित आइसोपॉम योजना को पुनर्गठित करते हुए मिशन के रूप में संचालित की जा रही है। योजना का प्रमुख

उद्देश्य एग्रो क्लाइमेटिक जोन के आधार पर कार्य योजना तैयार कर तिलहन उत्पादन एवं उत्पादकता में अधिक से अधिक वृद्धि कर तिलहन में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है। योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में क्रियान्वित की जा रही है। योजनान्तर्गत विभिन्न कृषि निवेशों में 50 प्रतिशत तक अनुदान अनुमन्य है। योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में तिलहन उत्पादन बढ़ाने हेतु कम्पोजिट/हाइब्रिड प्रजातियों का बीज वितरण, क्लस्टर प्रदर्शनों का आयोजन, फार्मर फील्ड स्कूल का आयोजन, उन्नत कृषि यंत्रों का वितरण, माइक्रोन्यूट्रियन्ट/जैव उर्वरकों का प्रयोग कराना, बखारी एवं स्प्रिंकलर सेट का वितरण अनुदान पर किया गया। इसी के साथ ट्री बार्न ऑयल सीड को भी योजनान्तर्गत कृषकों को अनुदान उपलब्ध कराकर प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(2) नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन (NFSM)

मिशन का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश में खाद्य सुरक्षा के दृष्टिगत क्षेत्रफल तथा उत्पादकता वृद्धि को टिकाऊ बनाते हुए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना, भूमि की उर्वरता तथा उत्पादकता को बढ़ाना तथा कृषि प्रक्षेत्रों के स्तर पर लाभकारी परिदृश्य स्थापित करना। योजनान्तर्गत चावल घटक-23 जनपद, गेहूं घटक-31 जनपद, दलहन घटक-75 जनपद, कोर्स सीरियल्स (मक्का व जौ)-30 जनपद, न्यूट्री सीरियल्स (ज्वार, बाजरा, सावां व कोदो)-24 जनपद, तथा वाणिज्यिक फसलें (जूट-5 जनपद, कपास-4 जनपद, गन्ना-24 जनपद) सम्मिलित है। योजनान्तर्गत क्लस्टर प्रदर्शन हेतु धान की श्री पद्धति/संकर धान/सहभागी धान/फ्रण्टलाइन प्रदर्शन के लिए रु. 7500 गेहूं के संरक्षित कृषि/ड्रेनेज मैनेजमेंट पर रु. 12,500 तथा गेहूं/दलहन के फ्रण्टलाइन प्रदर्शन/उन्नतशील प्रजातियों के प्रदर्शन पर रु. 5000 की दर से अनुदान देय है। धान संकर बीज पर रु. 2000 अनुदान देय है। गेहूं, धान के प्रमाणित बीज पर रु. 500 प्रति कुण्टल, दलहन के 10 वर्ष से कम आयु वाले प्रजातियों के बीज पर रु. 2200 तथा 10 वर्ष से अधिक की प्रजातियों पर रु. 1200 अनुदान देय है। गेहूं, धान एवं दलहन के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व, कृषि रक्षा रसायन, खरपतवारनाशी पर रु. 500 प्रति हे., दलहन में आई.पी.एम. पर रु. 750 प्रति हे. अनुदान देय है। कोनोवीडर, रोटावेटर, समस्त स्प्रेयर पर रु. 3000, सीडड्रिल, मल्टीक्राप प्लाण्टर, जीरोसीडड्रिल, रिज फरो प्लाण्टर एवं पावर वीडर पर रु. 15000 तथा लेजर लैण्ड लेवलर पर रु. 1,50,000 अनुदान देय है। सिंचाई हेतु पम्पसेट पर रु. 10,000, स्प्रिंकलर सेट पर रु. 7,500, मोबाइल स्प्रिंकलर रेन गेन रु. 15,000 एवं सिंचाई पाइप पर रु. 15,000 तक अनुदान देय है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में धान, गेहूं, दलहन एवं मोटे अनाज घटक के अंतर्गत नई प्रजातियों के प्रमाणित बीज एवं संकर बीज अनुदान पर दिये गये। विभिन्न फसलों के क्लस्टर प्रदर्शन निःशुल्क कराये गये। उन्नत कृषि यंत्र व पम्प सेट एवं एच.डी.पी.ई. पाइप अनुदान पर कृषकों को उपलब्ध कराये गये। इसके अतिरिक्त कृषक प्रशिक्षणों तथा फार्म स्कूल का आयोजन कर कृषकों को प्रशिक्षित किया गया।

(3) नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नालॉजी (NMAET)

योजना आयोग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कृषि प्रसार सुदृढ़ीकरण हेतु वर्ष 2013-14 तक आत्मा मॉडल का क्रियान्वयन किया जा रहा था। वर्ष 2014-15 से आत्मा योजना का नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एण्ड टेक्नालॉजी में संविलीन कर दिया गया है। नवीन योजना के अंतर्गत निम्नलिखित चार सब मिशन संचालित हैं :

- **सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (SMAE)-नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नालॉजी के अंतर्गत यह उप मिशन जागरूकता पैदा करने तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकी के कृषि एवं एलाइड सेक्टर में अधिकाधिक उपयोग पर केन्द्रित है।** पूर्व की उपलब्धियों को प्रसार कार्मिकों की बढ़ी हुई पहुंच के माध्यम से ठोस एवं सुदृढ़ बनाया जा रहा है। एग्री-क्लीनिक एग्री बिजनेस स्कीम के प्रशिक्षित एग्रीप्रीन्यूर्स, कृषि प्रसार में डिप्लोमा प्राप्त इनपुट डीलर्स भी किसानों को प्रसार सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। सूचना प्रसार की विमर्शी एवं मिशन विधियों यथा- पीको प्रोजेक्टर्स, कम कीमत की फिल्मों हैंड-हेल्ड-डिवाइस, मोबाइल आधारित सेवा, किसान कॉल सेन्टर आदि का प्रयोग किया जायेगा और विभिन्न प्रोग्राम्स तथा स्कीमों के प्रसार सम्बन्धी प्रयासों में ग्राम स्तर पर **कृषि तकनीक प्रबन्ध अभिकरण** एवं ब्लॉक टेक्नालॉजी टीम की संस्था द्वारा केन्दाभिमुखता सुनिश्चित की जा रही है।

योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में कृषक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट, किसान मेला, किसान गोष्ठी, कृषक वैज्ञानिक संवाद, प्रदर्शनों का आयोजन, कृषक समूहों का कैपेसिटी बिल्डिंग, फार्म स्कूल का आयोजन आदि कार्य निःशुल्क कराये गये।

- **सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लान्टिंग मैटीरियल (SMSP)**

उच्च गुणवत्ता के बीजों का प्रयोग, कृषि उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाने का सबसे प्रभावी साधन है। इस उप मिशन में आधारीय/प्रमाणित बीज से किसानों को गुणवत्ता युक्त प्रमाणित बीज उत्पादन की तकनीक सिखाने एवं बीजोत्पादन कराया जाता है। बीजोत्पादन तथा उनके रख-रखाव से सम्बन्धित सभी कार्यक्रम इसमें सम्मिलित हैं। इस उप मिशन के अंतर्गत चयनित कृषकों को प्रति एकड़ में लगने वाले बीज दर (धान/गेहूं) पर 50 प्रतिशत का अनुदान अनुमन्य किया जाता है तथा दलहनी एवं तिलहनी फसलों पर प्रति एकड़ बीज दर पर 60 प्रतिशत का अनुदान अनुमन्य है। इसी के साथ-साथ बीजोत्पादन की तकनीक पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

- **सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (SMAM)**

फार्म पावर की उपलब्धता एवं कृषि उत्पादकता में गहरा सम्बन्ध है, इसलिए यह उप मिशन कृषि यंत्रीकरण पर केन्द्रित है। इसमें संस्थागत व्यवस्था यथा- कस्टम हायरिंग, चयनित ग्रामों का यंत्रीकरण,यंत्रों एवं उपकरणों आदि की खरीद के लिए अनुदान तथा पोस्ट हार्वेस्ट तकनीकी एवं नवीन कृषि यंत्र तकनीकी के प्रदर्शन, कृषि यंत्र प्रशिक्षण द्वारा विशेष रूप से सीमान्त एवं लघु कृषकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मिशन अंतर्गत प्रमुख कार्य के रूप में ब्लॉक/ग्राम स्तर पर कस्टम हायरिंग सेन्टरों की स्थापना तथा फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना का कार्य कृषकों को अनुदान उपलब्ध कराकर किया जा रहा है। योजना में कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना हेतु 40 प्रतिशत तथा फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना हेतु 80 प्रतिशत तक अनुदान अनुमन्य है।

- **प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्राप रेज्ड्यू योजना**

फसल अवशेषों को जलाये जाने से रोकने एवं फसल अवशेष जलाने से होने वाले दुष्पारिणामों से कृषकों को अवगत कराने के उद्देश्य से एन.जी.टी. के दिशा-निर्देश के क्रम में इस योजना के अंतर्गत फसल अवशेष प्रबंधन हेतु उन्नत कृषि यंत्रों का वितरण, कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना तथा फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना करायी जा रही है।

- **सब मिशन ऑन प्लान्ट प्रोटेक्शन (SMPP) and Quarantine**

यह कार्यक्रम फसलों को वैज्ञानिक एवं पर्यावरण-मित्रवत तकनीकों को आई.पी.एम. के माध्यम से रोग/कीट मुक्त रखकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए रखा गया है। इस सब मिशन के अंतर्गत आई.पी.एम. प्रयोगशालाओं में बायोपेस्टीसाइड्स/बायोएजेण्ट्स के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है तथा भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार गुण नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित किया जाना है।

- **नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान-एग्रीकल्चर**

नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नालॉजी के अंतर्गत नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान वर्ष 2016-17 में संपूर्ण उत्तर प्रदेश में चलायी जा रही है योजना के माध्यम से केन्द्रीय कृषि पोर्टल एवं प्रदेश कृषि पोर्टल के बीच एकीकृत तरीके से सूचनाओं के आदान-प्रदान के साथ सभी नागरिक/कृषकों को सूचनाएं एवं सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। योजनान्तर्गत ब्लॉक स्तर तक कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों की स्थापना कराते हुए उन्हें इंटरनेट के माध्यम से कृषि विभाग, उ.प्र. एवं केन्द्र सरकार के पोर्टल से कनेक्ट किया जा रहा है।

(4) नेशनल मिशन फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (NMSA)

- **रैनफेड एरिया डेवलपमेंट**

रैनफेड एरिया डेवलपमेंट (आर.ए.डी.) कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वर्षा आधारित क्षेत्रों में उपयुक्त कृषि पद्धतियां अपनाकर टिकाऊ उत्पादकता प्राप्त कर इन क्षेत्रों के कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। वर्ष 2018-19 में आर.ए.डी. के अंतर्गत 6955 हे. भूमि सुधार कर आयवर्धक कृषि पद्धतियों का कार्यक्रम चलाया गया।

- **स्वायल हेल्थ मैनेजमेंट**

इस योजना का उद्देश्य पूर्व में स्थापित मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण, नवीन प्रयोगशालाओं की स्थापना, जैविक/जैव ग्रामों की स्थापना, पोर्टेबल मृदा परीक्षण किट का वितरण तथा मृदा नमूनों के विश्लेषण, परिणामों के आधार पर मानचित्रीकरण करना है।

- **मृदा स्वास्थ्य कार्ड**

मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अंतर्गत चयनित क्षेत्र/ग्राम पंचायत/राजस्व ग्रामों से ग्रिड के आधार पर मृदा नमूनें प्राप्त कर निःशुल्क मृदा परीक्षण कराकर क्षेत्र के समस्त कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जाता है। उक्त स्वास्थ्य कार्ड में सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित आवश्यक पोषक तत्वों की संस्तुति होती है। प्रथम चरण (वर्ष 2015-16 एवं 2016-17) के 169.91 लाख स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड वितरण लक्ष्य के सापेक्ष 170.15 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित करके प्रथम चरण के लक्ष्य को शत्-प्रतिशत् प्राप्त किया जा चुका है। इसी प्रकार द्वितीय चक्र (वर्ष 2017-18 एवं 2018-19) में 233.25 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड लक्ष्य के सापेक्ष 161.65 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण माह मार्च, 2019 तक कराया गया। अवशेष कार्डों का वितरण वर्ष 2019-20 में कराया जा रहा है।

- **परंपरागत कृषि विकास योजना**

योजना का उद्देश्य रसायन एवं पेस्टीसाइड मुक्त कृषि उत्पादों का उत्पादन करना तथा कृषकों

के आर्थिक स्तर में सुधार लाना है। योजनान्तर्गत 50-50 एकड़ के क्लस्टर गठित किये जाते हैं। प्रत्येक क्लस्टर में 50 किसान होते हैं तथा प्रत्येक किसान की एक एकड़ भूमि सम्मिलित होती है। क्लस्टर की अवधि 3 वर्ष है तथा प्रत्येक क्लस्टर को प्रथम वर्ष में रु. 706740, द्वितीय वर्ष में रु. 498670 एवं तृतीय वर्ष रु. 289590 की सुविधा आर्गेनिक फार्मिंग हेतु विभिन्न कार्यों के लिए देय है। इस प्रकार प्रत्येक किसान को रु. 29900 की सुविधा दी जा रही है। यह कार्यक्रम वर्ष 2016-17 में वर्षा आधारित, परम्परागत कृषि कराने वाले, कम उर्वरक प्रयोग किये जाने वाले क्षेत्र, जहां का कृषि उत्पादन कम है, ऐसे 15 जनपदों का चयन योजनान्तर्गत किया गया है, जिसमें बुन्देलखण्ड के समस्त जनपद समाहित हैं। योजनान्तर्गत प्रदेश के चयनित 28750 कृषकों के खेतों में 28750 एकड़ क्षेत्र में 575 क्लस्टर में कार्यक्रम कराये जा रहे हैं। वर्ष 2017-18 से उक्त क्लस्टरों के साथ ही 2250 हे. क्षेत्र में नये 45 क्लस्टर गठित कर जैविक खेती का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

- **नमामिः गंगे योजना**

परम्परागत कृषि विकास योजना की गाइड लाइन के आधार पर उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे स्थित ग्रामों में गंगा नदी के जल समेट क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य से जैविक खेती का क्रियान्वयन वर्ष 2018-19 में प्रारम्भ किया गया। योजना का क्रियान्वयन प्रदेश के 08 जनपदों में 320 ग्रामों में 320 क्लस्टर (प्रति क्लस्टर 50 एकड) गठित कर जैविक खेती कार्यक्रम किया जा रहा है।

(5) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

वर्ष 2015-16 से क्रियान्वित की जा रही इस योजनान्तर्गत हर खेत को पानी के लिए व्यवस्था तथा भूमिगत जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए समुचित उपाय के साथ जल प्रबन्धन का व्यापक प्रचार-प्रसार करके वर्षा आश्रित क्षेत्रों में वाटर सेड के आधार पर भूमि एवं जल संरक्षण के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इस योजना में 4 मुख्य घटक हैं, जो इस प्रकार हैं :

1. ए.आई.बी.पी. (त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम)

इस कार्यक्रम के अंतर्गत सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न कैनाल परियोजनाओं के द्वारा सिंचन क्षमता सृजित करने का कार्य किया जा रहा है।

2. हर खेत को पानी

यह कार्यक्रम भी सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न कैनाल प्रणाली के माध्यम से हर खेत को पानी पहुंचाने का कार्य इसके अंतर्गत किया जा रहा है।

3. प्रति बूंद अधिक फसल (पर ड्राप मोर क्रॉप)

इस कार्यक्रम के अंतर्गत उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा माइक्रो इरीगेशन (ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई) की सुविधा किसानों को उपलब्ध करायी जा रही है। पर ड्राप मोर क्रॉप-अदर इंटरवेंशन के अंतर्गत लघु सिंचाई विभाग द्वारा तालाबों का जीर्णोद्धार तथा कृषि विभाग द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब निर्माण के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। वर्ष 2018-19 में योजनान्तर्गत कृषि विभाग द्वारा 5000 तालाबों का निर्माण कराया गया।

4. जलागम विकास

इस कार्यक्रम के अंतर्गत परती भूमि विकास विभाग द्वारा चेकडैम, टैंक का निर्माण, जल संभरण बांध, तालाब निर्माण तथा अन्य परियोजनाएं/कार्यक्रम सृजन क्षमता विकसित करने हेतु चलाये जा रहे हैं।

(6) नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम

योजना आयोग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अुनरूप राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना को वर्ष 2014-15 में एकीकृत कर नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम का संचालन किया जा रहा है। नेशनल क्रॉप इन्श्योरेन्स प्रोग्राम के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से निम्नवत् दो योजनाएं संचालित की जा रही हैं :

- **प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना**

प्रतिकूल मौसमीय स्थिति में फसल की बुवाई न कर पाने, फसल की बुवाई से कटाई की अवधि में प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कृमियों से फसल नष्ट होने तथा फसल कटाई के उपरांत आगामी 14 दिन की अवधि में खेत में खड़ी हुई फसल की क्षतियों में कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में खरीफ मौसम में फसल- धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, उर्द, मूंग, मूंगफली, तिल, सोयाबीन व अरहर तथा रबी मौसम में- गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसों व आलू को ग्राम पंचायत स्तर पर बीमित करते हुए योजना संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत फसल ऋण लेने वाले सभी ऋण कृषक अनिवार्य आधार पर तथा गैर ऋणी कृषक स्वैच्छिक आधार पर योजना में कवर किये जाते हैं। जनपद स्तर पर फसल की उत्पादन लागत को बीमित धनराशि रखा गया है। फसलें वास्तविक प्रीमियम दर पर बीमित की जाती हैं। खरीफ की फसल हेतु कृषक द्वारा बीमित राशि के 2 प्रतिशत, रबी की फसल हेतु 1.5 प्रतिशत तथा वार्षिक नकदी व औद्यानिक फसल हेतु 5 प्रतिशत तक अधिकतम प्रीमियम वहन किया जाता है। कृषक के अंश से अधिक की प्रीमियम की धनराशि को अनुपात के रूप में राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा बराबर-बराबर वहन किया जाता है। फसलों की क्षति का आंकलन मौसम के अंत में ग्राम पंचायत स्तर पर फसल सम्पादित कराये गये फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आधार पर आंकलित करते हुए भुगतान किया जाता है। योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में खरीफ तथा रबी मौसम में संचालित की जा रही है।

योजना को संचालन करने की अधिसूचना जारी करते हुए निर्धारित समय सारिणी के अनुसार संचालित कराने हेतु समस्त जिलाधिकारियों एवं बीमा एजेन्सियों को निर्देश दिये गये हैं। योजनान्तर्गत खरीफ 2017 में 25.60 लाख बीमित कृषकों द्वारा 23.70 लाख हे. क्षेत्र में फसलों का बीमा कराया गया, जिसमें से योजना के प्रावधानों के अनुरूप 4.01 लाख कृषकों को रु. 244.75 करोड़ की क्षति पूर्ति का भुगतान किया गया। रबी 2017-18 में योजनान्तर्गत 28.13 लाख बीमित कृषकों द्वारा 23.07 लाख हे. क्षेत्र में फसलों का बीमा कराया गया, जिसमें से 1.79 लाख कृषकों को रु. 119.85 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है। खरीफ 2018 में मार्च, 2019 तक 31.00 लाख बीमित कृषकों द्वारा 26.48 लाख हे. क्षेत्र में फसलों का बीमा कराया गया, जिसमें से 4.99 लाख कृषकों को रु. 364.48 करोड़ की क्षतिपूर्ति की गयी। रबी 2018-19 में योजनान्तर्गत 29.70 लाख बीमित कृषकों द्वारा 24.22 लाख हे. क्षेत्र में फसलों का बीमा कराया गया। कृषकों को फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आधार पर देय क्षतिपूर्ति के भुगतान की प्रक्रिया क्रमिक है।

- **पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना**

प्रतिकूल मौसम की परिस्थितियों यथा- कम व अधिक तापमान, वर्षा, आदृता, तेज हवा आदि से

फसल नष्ट होने के आधार पर कृषकों को बीमा कवर के रूप में वित्तीय सहायता देय होती है। योजना में सम्मिलित कृषक, बीमित धनराशि व प्रीमियम दर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अनुरूप इस योजना के अंतर्गत निर्धारित है। फसलों की क्षति का आंकलन फसलों की बुवाई से कटाई तक की समयावधि में प्रत्येक महत्त्वपूर्ण चरण में फसल की आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित मौसमीय परिस्थितियों एवं बीमा इकाई क्षेत्र (ब्लॉक में स्थापित मौसम केन्द्र स्तर) में मौसम की वास्तविक स्थितियों में अंतर के आधार पर फसल की संभावित क्षति को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है। प्रत्येक ब्लॉक में 02 स्वचालित मौसम केन्द्र स्थापित किये गये हैं। जनपद-कुशीनगर, गोरखपुर, कौशाम्बी, बहराइच, बाराबंकी, महराजगंज, बरेली, प्रयागराज व देवरिया में फसल-केला तथा जनपद-फतेहपुर, फिरोजाबाद, बाराबंकी, बरेली, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, शाहजहांपर में फसल-मिर्च को योजना के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।

वर्ष 2018-19 में योजनान्तर्गत 4497 कृषकों द्वारा 2383 हेक्टेयर क्षेत्र में बोई गयी फसल का बीमा कराया गया, जिसमें से अद्यतन स्थिति तक योजना के प्रावधानों के अनुरूप 2629 कृषकों को रु. 167.69 लाख की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया।

(7) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत कृषि सेक्टर के विभिन्न विभागों द्वारा राज्य एवं जनपद स्तर पर योजनाएं तैयार कर क्रियान्वित की जा रही है। भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक प्रमुख योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधन के आधार पर जिला स्तर एवं राज्य स्तर पर कृषि विकास की योजनाएं तैयार कर महत्त्वपूर्ण फसलों के उत्पादन क्षमता एवं उसके वास्तविक उपज के अंतर को कम करके किसानों की आय में वृद्धि करना है। इस योजनान्तर्गत पश्चिमी उ.प्र. के जनपदों में फसल विविधीकरण कार्यक्रम, त्वरित चारा विकास कार्यक्रम, पशुपालन, सिंचाई, मत्स्य, उद्यान, गन्ना, डास्प, रेशम, कृषि शोध इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण कृषि विकास कार्यक्रमों को प्रदेश की आवश्यकतानुसासर संचालित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत कृषि विभाग द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति की योजना, एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम तथा जनपद पीलीभीत में जैविक खेती की योजना जैसी अति महत्त्वपूर्ण योजनाएं चलायी जा रही हैं।

- **पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रान्ति की योजना**

यह योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की उप योजना है। योजना का प्रमुख उद्देश्य पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान्य फसलों की व्यापक वृद्धि की संभावनाओं के दृष्टिगत धान एवं गेहूं का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने, भूमि की दशा सुधारने, सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने, कृषि यंत्रीकरण तथा कृषि उत्पाद की भण्डारण क्षमता को बढ़ाने एवं विपणन सहायता है। यह योजना पूर्वी उत्तर प्रदेश के 14 जनपदों में क्रियान्वित की गयी है, जिसमें धान घटक- प्रयागराज, कौशाम्बी, सोनभद्र, भदोही, वाराणसी, चन्दौली, महराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोण्डा, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर तथा गेहूं के अंतर्गत भदोही, अम्बेडकरनगर, सुल्तानपुर, महराजगंज एवं सिद्धार्थनगर चयनित हैं। योजनान्तर्गत खण्ड प्रदर्शन हेतु धान के मध्यम जल क्षेत्र के लिए 7897 रु. तथा गहरे जल क्षेत्र हेतु रु. 7257 प्रति हे. प्रति प्रदर्शन। उन्नतशील धान प्रदर्शन हेतु रु. 6852 प्रति हे., हाईब्रिड धान प्रदर्शन हेतु रु. 7817 प्रति

हे., गेहूं के खण्ड प्रदर्शन हेतु रु. 4000 प्रति हे.। गेहूं की पंक्तियों में बुवाई के लिए रु. 400 प्रति हे., सम्पदा सृजन के अंतर्गत बोरिंग एवं पम्पसेट हेतु मूल्य का 50 प्रतिशत अनुदान, स्थल विशेष कार्यकलाप के अंतर्गत ड्रम सीडर पर मूल्य का 50 प्रतिशत, पैडी थ्रेसर, मिनी कम्बाइन्ड हारवेस्टर पर मूल्य का 25 प्रतिशत अनुदान, विपणन सहयोग के अंतर्गत कम्युनिटी फार्म स्टोरेज विल्डिंग निर्माण, सीड ड्रायर, सीड ग्रेडर, पोरटेबिल बैक क्लोजर,वेयर विद कम्प्रेशर आदि पर मूल्य का 50 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है।

वर्ष 2018-19 में धान/गेहूं फसल के विभिन्न प्रकार के क्लस्टर प्रदर्शन आयोजित कराए गए। संकर/प्रमाणित बीजों का वितरण किया गया। सूक्ष्म पोषक तत्वों एवं जैव उर्वरकों का वितरण कराया गया। उन्नत कृषि यंत्र, पम्प सेट एवं एच.डी.पी.ई. पाइप अनुदान पर उपलब्ध कराये गये तथा फसल पद्धति आधारित प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। चिन्हित जनपदों में ब्लॉक स्तर पर सामूहिक गोदाम निर्माण का कार्य भी कराया गया।

- **एकीकृत धान्य विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.पी.)**

इस योजना में धान एवं गेहूं के उत्पादन बढ़ाने हेतु कार्यक्रम उन जनपदों में चलाये जा रहे हैं, जहां जिन जनपदों को एन.एफ.एस.एम. तथा बी.जी.आर.ई.आई. योजना में चयनित नहीं किया गया है।

- **पीलीभीत जनपद में जैविक खेती की योजना**

जनपद को जैविक खेती के रूप में विकसित करने हेतु कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक कार्यक्रम के संचालन हेतु 35 क्लस्टर (प्रति क्लस्टर 50 एकड़) गठित कर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रत्येक क्लस्टर को प्रथम वर्ष में रु. 706740, द्वितीय वर्ष में रु. 498670 एवं तृतीय वर्ष में रु. 289590 तीन वर्षों में कुल रु. 1495000 की सुविधा आर्गेनिक फार्मिंग हेतु देय है।

(8) प्रमाणित बीजों पर अनुदान की योजना

प्रदेश के कृषकों को धान, गेहूं एवं दलहन, तिलहन की लोकप्रिय विभिन्न अनुदानित प्रजातियों पर अतिरिक्त अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराकर उक्त प्रजातियों के बीज की बुवाई अधिक से अधिक क्षेत्र में करने हेतु प्रेरित करना। योजनान्तर्गत खरीफ 2018 में समस्त फसलों पर बुन्देलखण्ड के 07 जनपदों में 80 प्रतिशत तक अनुदान तथा शेष 68 जनपदों में 50 प्रतिशत तक अनुदान अनुमन्य किया गया। केन्द्र पोषित योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य से अधिक वितरित बीजों तथा केन्द्रीय योजनाओं से अनाच्छादित जनपदों में विभिन्न फसलों के उन्नतशील प्रमाणित/संकर बीजों के वितरण पर बुन्देलखण्ड में 80 प्रतिशत तक अनुदान तथा शेष 68 जनपदों में 50 प्रतिशत तक अनुदान अनुमन्य किया गया। रबी की समस्त फसलों की प्रजातियों के बीजों पर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा 60 प्रतिशत की सीमा तक अनुदान अनुमन्य किया गया है। वर्ष 2018-19 में 786414 कु. बीज का वितरण किया गया।

(9) संकर बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना

प्रदेश के कृषकों को संकर धान, मक्का एवं बाजरा के प्रमाणित/ट्रुथफुल बीज की विभिन्न प्रजातियों पर अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराकर उक्त प्रजातियों के बीज की बुवाई अधिक से अधिक क्षेत्र में करने हेतु प्रेरित करना है। केन्द्र पोषित योजनान्तर्गत संकर धान, संकर मक्का, संकर बाजरा, संकर ज्वार के

प्रमाणित/ट्रुथफुल बीज पर रु. 10000 प्रति कुं. अथवा मूल्य का 50 प्रतिशत जो भी कम हो, अनुदान देय है। प्रदेश सरकार द्वारा संकर धान पर बुन्देलखण्ड में रु. 8000/कु. अथवा मूल्य का 30 प्रतिशत जो भी कम हो, संकर मक्का, ज्वार एवं बाजरा पर रु. 5000/कु. अथवा मूल्य का 30 प्रतिशत जो भी कम हो, अनुदान अनुमन्य है। प्रदेश के शेष जनपदो में संकर धान पर रु. 5000/कुं. परन्तु कुल अनुदान 50 प्रतिशत तथा संकर मक्का, ज्वार, बाजरा पर रु. 5000/कुं. परन्तु कुल अनुदान 50 प्रतिशत की सीमा तक देय है। समस्त अनुदान, डी.बी.टी. के माध्यम से देय है।

(10) विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण योजना

योजना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को विषैले कीटनाशक रसायनों से होने वाले कुप्रभाव को कम करना, एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन के अंतर्गत जैव रसायन से कृषकों को सुरक्षित एवं विष रहित खाद्यान्न उत्पादन में सहयोग प्रदान करना, किसानों में प्रक्षेत्रों से लाभ के प्रति आत्मविश्वास में वृद्धि करना। योजनान्तर्गत अनुमन्य सुविधायें एवं पात्रता निम्नवत हैं :

- आई.पी.एम. प्रयोगशालाओ मे बायोपेस्टीसाइड्स यथा - ट्राइकोडरमा हारजियेनम, ब्यूवेरिया बैसियाना, एन.पी.वी., स्यूडोमोनास फ्लोरीसेन्स, मेटाराइजियम एनिसोप्ली, वर्टिसिलियम लैकानी एवं बायोएजेण्ट्स यथा- ट्राइकोग्राम कार्ड का उत्पादन कर अनुदान पर कृषकों को उपलब्ध कराना।
- लघु एवं सीमान्त कृषकों, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषक सम्मिलित है, को बायोपेस्टीसाइड्स/बायोएजेण्ट्स पर 75 प्रतिशत अधिकतम रु. 500 प्रति हे. जो भी कम हो, अनुदान अनुमन्य है।
- समस्त कृषकों को बीजशोधक रसायनों पर 75 प्रतिशत अधिकतम रु. 150 प्रति हे. जो भी कम हो, अनुदान अनुमन्य है।
- कीट, रोग एवं खरपतवार नियंत्रण हेतु लघु एवं सीमान्त कृषकों जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषक सम्मिलित हों, को कृषि रक्षा रसायन पर 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 500 प्रति हे., जो भी कम हो, अनुदान अनुमन्य है।
- लघु एवं सीमान्त कृषकों, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिला कृषक सम्मिलित हों, को वैज्ञानिक कृषि हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से कृषि रक्षा यंत्र पर 50 प्रतिशत, जिसमें मानव चालित यंत्र पर रु. 1500 एवं शक्तिचालित यंत्र पर रु. 3000 प्रति यंत्र, जो भी कम हो, अनुदान अनुमन्य है।
- लघु एवं सीमान्त कृषकों, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिला कृषक सम्मिलित हों, को सुरक्षित अन्न भण्डारण हेतु बखारी पर 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 1000 प्रति बखारी, जो भी कम हो, अनुदान अनुमन्य है।
- कृषकों एवं तकनीकी कर्मचारियों को आई.पी.एम. एवं कृषि रक्षा की नई तकनीक की जानकारी हेतु प्रशिक्षण आयोजित करना।

(11) कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषि प्रसार, निवेश व तकनीकी प्रबंधन

- **कृषि सूचना तंत्र के सुदृढ़ीकरण एवं कृषक जागरूकता कार्यक्रम**

योजनान्तर्गत कृषि ब्यूरो के माध्यम से कृषि के प्रचार-प्रसार तथा सूचना तंत्र को सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम चलाये जाते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से आकाशवाणी, दूरदर्शन, निजी रेडियो/

टीवी चैनल, समाचार-पत्र, तकनीकी फिल्मों का निर्माण एवं उनका प्रदर्शन, कृषि निवेश मेले, परम्परागत मेला, एग्रो क्लाइमेटिक मेला, प्रदर्शनी, होर्डिंग, वाल राइटिंग, कृषि साहित्य, किसान सेवा रथ, सी.यू.जी. मोबाइल, मोबाइल पर एस.एम.एस. का प्रेषण, राज्य/मण्डल/जनपद स्तरीय गोष्ठियों का आयोजन, किसान सम्मान दिवस आदि तथा एन.जी.टी. के निर्देश के अनुपालन में फसल अवशेष को जलाने से रोकने के उपायों का प्रचार-प्रसार कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

(12) कृषि के विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग

कृषि के विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के अंतर्गत पारदर्शी किसान योजना के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सीधे अनुदान की धनराशि नकद स्थानान्तरित करने के पश्चात लाभ प्राप्त करने वाले कृषक के खाते में तीन दिन के अंदर धनराशि कोषागार अथवा बैंक खाते से अन्तरित किया जाना साफ्टवेयर के माध्यम से सुनिश्चित कराया जाता है। ''किसान का अधिकार किसान के द्वार'' कृषि विभाग के समस्त कार्यालयों को कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से जोड़ते हुए योजनाओं की ऑनलाइन मॉनीटरिंग, कुशल वित्तीय प्रबन्धन, विभाग के कार्यकलापों में पारदर्शिता लाना तथा कम्प्यूटर तकनीक को कृषकों के लिए उपयोगी बनाते हुए विभाग की पहुंच आम जनता तक सुनिश्चित किया जा रहा है। सूक्ष्म से वृहद स्तर तक के सभी कार्य तुरंत तथा दोष रहित तरीके से सम्पन्न कराया जाना इस कार्यक्रम के माध्यम से संभव बनाया जा रहा है। उक्त के साथ-साथ कम्प्यूटरीकृत आंकड़ों की उपलब्धता सुलभ हो जाएगी, जिससे प्रभावशाली एवं दोष रहित रणनीति तैयार किया जाना सरल होगा। योजनान्तर्गत कृषकों का कृषि पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराकर कृषकों को अनुदान कृषि निवेशों पर डी.बी.टी. द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत माह मार्च, 2019 तक 204 लाख किसानों का पंजीकरण कराया गया।

(13) सोलर फोटोवोल्टिक इरीगेशन पम्प स्थापना की योजना

वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के अधिकाधिक दोहन को बढ़ावा देने, पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने के साथ-साथ पर्यावरणीय अनुकूलता के दृष्टिगत इस योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना प्रदेश मे वर्ष 2013-14 में प्रदेश के 19 जनपदों में नेडा के सहयोग से प्रारम्भ की गयी तथा कुल 900 सोलर पम्पों की स्थापना सफलतापूर्वक करायी गयी। योजना की सफलता तथा कृषकों में इसकी लोकप्रियता के दृष्टिगत वर्ष 2014-15 (क्रियान्वयन वर्ष 2015-16) हेतु 3525 सोलर पम्प, वर्ष 2015-16 (क्रियान्वयन वर्ष 2016-17) में कराया गया तथा 5756 सोलर पम्प स्थापित कराये गये। वर्ष 2016-17 के भौतिक लक्ष्यों को वर्ष 2017-18 में क्रियान्वित करते हुए 4037 सोलर पम्प, वर्ष 2017-18 (क्रियान्वयन वर्ष 2018-19) 5615 सोलर पम्पों तथा वर्ष 2018-19 में 374 सोलर पम्पों की कृषकों के प्रक्षेत्रों पर स्थापना करायी गयी। वर्तमान में योजनान्तर्गत कृषकों को 2 एवं 3 एच.पी. के सोलर पम्प पर 70 प्रतिशत अनुदान तथा 5 एच.पी. के पम्प पर 40 प्रतिशत अनुदान देय है।

(14) मृदा स्वास्थ्य का सुदृढ़ीकरण

योजना का मुख्य उद्देश्य तहसील स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण करना तथा कृषकों को मृदा नमूनों के विश्लेषण उपरांत तत्काल मृदा परीक्षण परिणामों पर आधारित रासायनिक उर्वरक एवं जैविक खादों को संतुलित प्रयोग हेतु मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से संस्तुति देना है। योजनान्तर्गत 182 तहसील स्तरीय मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं में कार्यरत संविदा कर्मियो को मानदेय दिया जाता है।

(15) प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन योजना (एग्री जंक्शन)

कृषि उद्यमिता को विकसित करने की दिशा में क्रियान्वित की जा रही यह योजना वर्ष 2015-16 में प्रारम्भ की गयी। योजनान्तर्गत प्रति केन्द्र लागत रु. चार लाख है, जिसमें रु. 3.50 लाख बैंक से लोन स्वीकृत कराया जाता है तथा रु. 60,000 का अनुदान अनुमन्य है। योजना में कृषि स्नातक अथवा समकक्ष योग्यता वाले युवा बेरोजगारों का चयन किया जाता है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री जक्शन स्थापित कर एक ही स्थान पर समस्त कृषि निवेश एवं मृदा परीक्षण व प्रशिक्षण आदि की सुविधा कृषकों को उपलब्ध करायी जाती है। योजना में पात्र अभ्यर्थियों का चयन कर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है तथा विभाग द्वारा बीज, उवर्रक एवं कृषि रक्षा रसायन के लाइसेंस निःशुल्क प्रदान किये जाते हैं। साथ ही बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने की कार्यवाही भी करायी जाती है। वर्ष 2017-18 में कुल 815 एग्री जंक्शन की स्थापना करायी गयी। वर्ष 2018-19 में 1000 एग्री जंक्शन की स्थापना के लक्ष्य के सापेक्ष माह मार्च, 2019 तक 376 केन्द्रों की स्थापना की गयी।

(16) जनपद हमीरपुर में जैविक खेती के विकास की योजना

पर्यावरण हितैषी तथा रसायनों से मुक्त जैविक खेतों को प्रदेश में प्रोत्साहित करने हेतु बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जनपद हमीरपुर को जैविक खेती के मॉडल जनपद के रूप में विकसित करने हेतु चयनित कर वर्ष 2016-17 में कार्यक्रम चलाया जा रहा है। योजना का उद्देश्य पर्यावरण संतुलन को कायम रखते हुए कम लागत वाली कृषि तकनीकी अपनाकर खेती करना, रसायन एवं पेस्टीसाइड मुक्त कृषि उत्पादों का उत्पादन करना, कृषि को लाभकारी बनाना एवं कृषकों के आर्थिक स्तर में सुधार कर खेती को सम्मानजनक बनाना, जैविक खेती अपनाकर कृषि उत्पादन को स्थायित्व प्रदान करना एवं कृषि निवेशों के मामले में किसान को आत्मनिर्भर बनाना है।

इस योजना के अंतर्गत जैविक खेती हेतु 50-50 एकड़ का क्लस्टर गठित किया जायेगा। प्रत्येक क्लस्टर की योजनावधि 3 वर्ष होगी। प्रत्येक क्लस्टर पर प्रथम वर्ष में रु 7,06,740/-, द्वितीय वर्ष में रु. 4,98,670/- एवं तृतीय वर्ष में रु. 2,89,590/- आर्गेनिक फार्मिंग हेतु कृषकों को देय सुविधा एवं प्रमाणीकरण पर व्यय किया जाएगा। प्रत्येक कृषक को आर्गेनिक फार्मिंग हेतु अधिकतम एक हेक्टेयर की सीमा तक सहायता अनुमन्य होगी। वित्तीय वर्ष 2016-17 में 140 क्लस्टर (प्रति क्लस्टर 50 एकड़) गठित कर जैविक खेती के कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2018-19 में तृतीय वर्ष के उपरांत प्राप्त उत्पादों के पी.जी.एस. आर्गेनिक प्रमाण-पत्र के रूप में 7000 स्कोप प्रमाण-पत्र जारी किये गये।

(17) पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना

योजनान्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों की अनुपजाऊ/कम उपजाऊ भूमि को उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के लिये, उन्हीं से सुधार कराना, परियोजना क्षेत्र में उपलब्ध बीहड़ एव बंजर (कृषि एवं अकृष्य भूमि) तथा ग्राम सभा की भूमि को भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को राजस्व विभाग के सहयोग से आवंटित कराकर अथवा पहले से आवंटित भूमि को खेती योग्य बनाना, खेतिहर एवं भूमिहीन मजदूरो को परियोजना क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। परियोजना क्षेत्र में शत्-प्रतिशत् अनुदान पर बीहड़ एव बंजर भूमि सुधार तथा जल भराव क्षेत्र का उपचार किया जाता है। परियेाजना क्षेत्र में आवश्यकतानुसार कृषि वानिकी/औद्यानीकरण के साथ-साथ उपचारित क्षेत्र में 50 प्रतिशत अनुदान पर फसलोत्पादन कार्यक्रम सम्पादित

किया जाता है। वर्ष 2018-19 में योजनान्तर्गत 45396 हे. भूमि सुधार लक्ष्य के सापेक्ष 48912 हे. क्षेत्र में समस्याग्रस्त भूमि को सुधार कर खेती के अंतर्गत लाया गया।

(18) मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने एवं भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण की योजना

योजना का उद्देश्य क्षारीय एवं ऊसर भूमि को सुधार कर पुनः खेती योग्य बनाने तथा मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर कर भूमि की उर्वरा शक्ति को बढाकर कृषि उत्पादन में वृद्धि क्करना। भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं यथा- एन.एफ.एस.एम., एम.एन.ओ.ओ.पी., आर.के.वी.आई. में 50 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है। चूंकि प्रदेश में लघु एवं सीमान्त कृषकों की क्रय शक्ति अच्छी न होने के कारण वह जिप्सम का प्रयोग नही कर पाते हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान देकर 75 प्रतिशत अनुदान पर जिप्सम वितरण की व्यवस्था की गयी है। किसी एक कृषक को 2 हे. की सीमा तक प्रयोग हेतु ही उपलब्ध करायी जायेगी।

(19) इन्टीग्रेटेड रेन वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट (आर.आई.डी.एफ.)

योजनान्तर्गत प्रदेश के समस्याग्रस्त क्षेत्र में जलागम विकास सिद्धांत पर भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रम इस प्रकार नियोजित एवं निष्पादित कराना कि क्षेत्र में सूखे की विभीषिका कम कराकर कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हो सके। योजनान्तर्गत मानव संसाधन का विकास कर स्थानीय स्तर पर रोजगार भी उपलब्ध कराया जाता है। निर्धारित गाइड लाइन के अनुसार कृषकों को उनके खेतों पर मृदा/नमी संरक्षण हेतु निष्पादित कराये जाने वाले कार्य शत-प्रतिशत अनुदान पर सम्पन्न कराये जाते हैं। वर्ष 2018-19 में आर.आई.डी.एफ.-18 एवं 19 के अंतर्गत 2312 हे. लक्ष्य के सापेक्ष 2524 हे. भूमि का सुधार किया गया।

(20) स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली वितरण योजना

- **बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सिंचाई जल उपयोग की क्षमता बढ़ाने की योजना**

योजनान्तर्गत सिंचाई में जल के उचित मात्रा में प्रयोग हेतु स्प्रिंकलर सिंचाई विधि पम्पसेट सहित लघु सीमांत उत्पादकों को 90 प्रतिशत तथा सामान्य उत्पादकों को 80 प्रतिशत वितरण कराने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत लघु एवं सीमांत उत्पादकों को बुन्देलखण्ड पैकेज से केन्द्रांश अनुदान 50 प्रतिशत की धनराशि तथा 40 प्रतिशत अनुदान की धनराशि राज्यांश के रूप में उपलब्ध करायी जाती है एवं सामान्य श्रेणी के उत्पादकों को 50 प्रतिशत बुन्देलखण्ड पैकेज से तथा 30 प्रतिशत राज्यांश अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। योजना बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समस्त जनपदों में संचालित है। वर्ष 2018-19 में 2739 स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली वितरण लक्ष्य के सापेक्ष 1705 स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली वितरित/स्थापना करायी गयी।

- **प्रदेश के 261 अतिदोहित/क्रिटिकल/सेमी क्रिटिकल विकास खण्डों में सिंचाई जल के उपयोग की क्षमता बढ़ाने की योजना**

योजनान्तर्गत सिंचाई में जल के उचित मात्रा में प्रयोग हेतु स्प्रिंकलर सिंचाई विधि पम्पसेट सहित लघु सीमान्त उत्पादकों को 90 प्रतिशत तथा सामान्य उत्पादकों को 80 प्रतिशत वितरण कराने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत लघु एवं सीमांत उत्पादकों को आर.के.वी.वाई. से अनुदान 50 प्रतिशत की धनराशि तथा 40 प्रतिशत अनुदान की धनराशि राज्यांश के रूप में उपलब्ध करायी जाती है एवं सामान्य श्रेणी के उत्पादकों को 50 प्रतिशत आर.के.वी.वाई. से तथा 30 प्रतिशत राज्यांश अनुदान उपलब्ध कराया

जाता है। योजना प्रदेश के 261 अतिदोहित/क्रिटिकल/सेमी क्रिटिकल विकास खण्डों में संचालित है। वर्ष 2018-19 में 9135 स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली वितरण लक्ष्य के सापेक्ष 2935 स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली वितरित/स्थापना करायी गयी।

(21) मृदा में जीवांश कार्बन बढ़ाने हेतु वर्मी कम्पोस्ट यूनिट स्थापना की योजना

मृदा में जीवांश कार्बन बढ़ाने हेतु वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना प्रदेश के समस्त 97814 राजस्व ग्रामों में कृषकों द्वारा की जानी है। योजनान्तर्गत जागरूक, इच्छुक कृषकों को लाभ दिया जाता है, जो वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन कर अन्य कृषकों को उत्पादन हेतु प्रेरित कर सके। मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाने तथा रसायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम कर फसल उत्पादन लागत कम करने हेतु वर्मी कम्पोस्ट यूनिट स्थापना पर कृषकों को 75 प्रतिशत (रु. 6000/यूनिट) अनुदान योजनान्तर्गत प्रदान किया जा रहा है। वर्ष 2018-19 में 126000 यूनिट की स्थापना लक्ष्य के सापेक्ष 84812 वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना करायी गयी।

(22) फसल ऋण मोचन योजना

समस्त लघु एवं सीमांत किसानों, जिनके द्वारा दिनांक 31.03.2016 तक फसली ऋण प्राप्त किया गया है, एक लाख रुपये तक की सीमा का ऋण मोचन किया गया। वर्ष 2017-18 में बैंकों के माध्यम से तीन चरणों में कुल 34.80 लाख अर्ह किसानों का कुल रु. 20942.22 करोड़ का भुगतान माह मार्च, 2018 तक किया गया। उक्त कार्य हेतु जनपदों में विशेष कैम्पों का आयोजन कर प्रभारी मंत्रियों के द्वारा ऋण माफी प्रमाण-पत्र वितरित किये गये। इसके अतिरिक्त एन.पी.ए. समाधान योजनान्तर्गत कुल 1.26 लाख कृषकों को आच्छादित करते हुए रु. 149.83 करोड़ की धनराशि वितरित की गयी।

वर्ष 2018-19 में माह मार्च, 2019 तक एन.पी.ए., नान एन.पी.ए., शिकायत समाधान एवं फसल ऋण मोचन योजनान्तर्गत छूटे हुए 8.48 लाख पात्र/लाभार्थी कृषकों को रु. 3730.07 करोड़ ऋण मोचन किया गया। इस प्रकार कुल 44.54 लाख कृषकों का कुल रु. 24822.12 करोड़ का ऋण मोचन किया गया।

(23) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

योजनान्तर्गत 108.49 लाख कृषकों को प्रथम किश्त के रूप में रु. 2169.93 करोड़ की धनराशि डी.बी.टी. के माध्यम से हस्तान्तरित की गयी। प्रथम किश्त हेतु चयनित 108.49 लाख कृषकों में से 100.08 लाख कृषकों को द्वितीय किश्त के रूप में रु. 2001.68 करोड़ की धनराशि को सम्मिलित करते हुए कुल रु. 4171.61 करोड़ की धनराशि डी.बी.टी. के माध्यम से कृषकों के खातों में हस्तान्तरित की गयी।

8 गत 5 वर्षों के बजट का तुलनात्मक विवरण

(धनराशि रु. करोड़ में)

क्र. सं.	मद	वर्ष 2014-15	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19
1	वित्तीय स्वीकृति	1676.89	1722.48	1874.39	39499.61	9816.66
2	व्यय	1522.78	1464.26	1576.79	24142.21	8558.85
3	प्रतिशत	90.81	85.01	84.12	61.42	87.19

नोट - वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में कृषकों की ऋण माफी की धनराशि सम्मिलित है।

9. वर्ष 2018-19 की उपलब्धियां

● प्रदेश के समस्त लघु एवं सीमांत किसानों के ऋण को माफ किया जाना

वर्ष 2018-19 में माह मार्च, 2019 तक एन.पी.ए., नान एन.पी.ए., शिकायत समाधान एवं फसल ऋण मोचन योजनान्तर्गत छूटे हुए 8.48 लाख पात्र/लाभार्थी कृषकों का रु. 3730.07 करोड़ ऋण मोचन किया गया। इस प्रकार गत वर्ष में किए गए ऋण मोचन को सम्मिलित करते हुए कुल 44.54 लाख कृषकों का कुल रू. 24822.12 करोड़ का ऋण मोचन किया गया।

● प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

योजनान्तर्गत 108.49 लाख कृषकों को प्रथम किश्त के रूप में रु. 2169.93 करोड़ की धनराशि डी.बी.टी. के माध्यम से हस्तान्तरित की गयी। प्रथम किश्त हेतु चयनित 108.49 लाख कृषकों में से 100.08 लाख कृषकों को द्वितीय किश्त के रूप में रु. 2001.68 करोड़ की धनराशि को सम्मिलित करते हुए कुल रु. 4171.61 करोड़ की धनराशि डी.बी.टी. के माध्यम से कृषकों के खातों में हस्तान्तरित की गयी।

● वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी को दोगुना किया जाना

वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुना करने हेतु तैयार किये गये रोडमैप तथा आठ सूत्रीय रणनीति का क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया। कृषकों की आय दोगुना करने के क्रम में विभाग द्वारा कृषकों को कृषि की नवीनतम तकनीक से प्रशिक्षित करने हेतु वर्ष 2018-19 में किसान पाठशालाओं (द मिलियन फार्मर स्कूल) के 03 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरे प्रदेश में दो सत्रों में आयोजन कराया गया, जिसमे खरीफ वर्ष 2018 में 10.26 लाख तथा रबी वर्ष 2018-19 में 10.65 लाख कृषकों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

कृषकों की आय दोगुना करने हेतु कृषि एवं मनरेगा कनवर्जेन्स के अंतर्गत प्रदेश के 04 संभागों में राज्य स्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

प्रदेश सरकार द्वारा किसानो की आय वर्ष 2022 तक दो गुनी करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कृषि कुंभ-2018 का आयोजन दिनांक 26-28 अक्टूबर तक सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन, कृषि एवं सम्बन्धित विभागों की तकनीकी प्रदर्शनी, सजीव प्रदर्शन तथा फसल अवशेष एवं 14 विभिन्न तकनीकी आयामों पर आधारित सेमिनार आयोजित किये गये। इस कुंभ में देश के विभिन्न राज्यों से लगभग एक लाख कृषकों, वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार के अधिकारियों, विदेशी राजनयिकों, विधायकों, सांसदों सहित भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार के मंत्रीगणों द्वारा सहभागिता की गयी। इस अवसर पर जापान और इजराइल ने सहयोगी देशों के रूप में प्रतिभाग किया। इजराइल की राजदूत द्वारा प्रदेश में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना तथा जापान के उप सहायक मंत्री (कृषि वन एवं मत्स्य मंत्रालय) द्वारा कृषि क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना में सहयोग के सम्बन्ध में MOU (Memorandum of understanding) हस्ताक्षरित किया गया।

● प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ सभी इच्छुक एवं जरूरतमंद किसानों तक पहुंचाते हुए क्षतिपूर्ति की धनराशि किसानों को समय से उपलब्ध कराना

योजनान्तर्गत खरीफ वर्ष 2018 में मार्च, 2019 तक 31.00 लाख बीमित कृषकों द्वारा 26.48 लाख हे. क्षेत्र में फसलों का बीमा कराया गया, जिसमें से 4.99 लाख कृषकों को रु. 364.48 करोड़ की क्षतिपूर्ति की गयी। रबी वर्ष 2018-19 में योजनान्तर्गत 29.70 लाख बीमित कृषकों द्वारा 24.22 लाख हे. क्षेत्र में फसलों का बीमा कराया गया। कृषकों को फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आधार पर देय क्षतिपूर्ति का यथाशीघ्र भुगतान किया जायेगा।

● सभी किसानों को स्वॉयल हेल्थ कार्ड का वितरण किया जाना

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजनान्तर्गत द्वितीय चक्र (वर्ष 2017-18 एवं 2018-19) में 2.33 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण लक्ष्य के सापेक्ष माह मार्च, 2019 तक 161.65 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण कराया जा चुका है।

● किसानों को स्प्रिंकलर सिंचाई का लाभ सुनिश्चित किया जाना

वर्ष 2018-19 में 261 अतिदोहित/क्रिटिकल/सेमी क्रिटिकल विकास खण्डों में सिंचाई जल उपयोग की क्षमता बढ़ाने की योजनान्तर्गत 48 जनपदों में 3934 स्प्रिंकलर सेट, बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत 1891 स्प्रिंकलर सेट एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत 84 कुल 5909 स्प्रिंकलर सेट का वितरण किया गया। प्रदेश सरकार द्वारा ड्रिप/स्प्रिंकलर सेट पर लघु एवं सीमान्त कृषकों को 90 प्रतिशत तथा सामान्य कृषकों को 80 प्रतिशत का अनुदान अनुमन्य किया गया है, इस प्रकार स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली पर क्रमशः रु. 63000 एवं रु. 56000 का अनुदान प्रदान किया जा रहा है।

● मृदा में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाना

परम्परागत कृषि विकास योजनान्तर्गत चयनित 24 जनपदों में कुल 620 क्लस्टरों का चयन कर 31000 एकड़ क्षेत्रफल में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु 31000 कृषकों को लाभान्वित किया जा रहा है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के हमीरपुर जनपद को जैविक खेती के अंतर्गत मॉडल जनपद बनाने हेतु 140 क्लस्टर में कार्यक्रम संचालित कर पूर्ण कर लिया गया है। आर.के.वी.वाई. योजनान्तर्गत पीलीभीत जनपद में जैविक खेती योजनान्तर्गत 35 क्लस्टर का गठन कर कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत चयनित 08 जनपदों में वर्ष 2018-19 में 320 क्लस्टर के गठन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। झांसी व बांदा में भी आर्गेनिक आउटलेट की स्थापना करायी गयी है।

● मृदा में जीवांश कार्बन बढ़ाने हेतु वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना कराया जाना

वित्तीय वर्ष 2018-19 में माह मार्च, 2019 तक 84812 वर्मी कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना करायी गयी। योजनान्तर्गत 75 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य किया गया है।

● बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सिंचन क्षमता बढ़ाने के लिए खेत-तालाब योजना का विस्तार

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में 5000 खेत-तालाबों के निर्माण लक्ष्य के सापेक्ष माह मार्च, 2019 तक 5000 खेत-तालाबों का निर्माण कराया जा चुका है। योजनान्तर्गत निर्मित खेत-तालाबों पर स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली की स्थापना हेतु लघु एवं सीमांत कृषकों को 90 प्रतिशत तथा अन्य कृषकों को 80 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है।

● किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज समय से उपलब्ध कराना

खरीफ वर्ष 2018 में 8.14 लाख कु. प्रमाणित बीज एवं 2.85 लाख कु. संकर बीज का वितरण कराया गया। रबी 2018-19 में 48.12 लाख कु. बीज वितरण लक्ष्य के सापेक्ष 50.04 कु. की उपलब्धता कराते हुए 49.27 लाख कु. का वितरण किया गया।

● बीजों पर अनुदान

प्रदेश सरकार द्वारा रबी 2018-19 में समस्त योजनाओ के अंतर्गत समस्त प्रकार के बीजों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान राज्य सेक्टर से दिये जाने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार की बीज ग्राम योजनान्तर्गत धान्य फसलों पर 25 प्रतिशत एवं दलहनी/तिलहनी फसलों पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान राज्य सेक्टर से दिया गया। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के कृषकों को खरीफ 2018 में विभिन्न फसलों के बीजों पर 80 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया गया।

● प्रदेश में जहां सिंचाई के साधन कम हैं अथवा विद्युत आपूर्ति नही है, उन क्षेत्रों में सोलर फोटोबोल्टैइक इरिगेशन पम्प की स्थापना को बढ़ावा दिया जाना

वर्ष 2017-18 (क्रियान्वयन वर्ष 2018-19) में 5559 सोलर पम्पों की स्थापना करायी गयी। वर्ष 2018-19 में 10000 स्थापना लक्ष्य के सापेक्ष 4533 कृषकों का चयन/सत्यापन कराकर बैक ड्राफ्ट पोर्टल पर अपलोड किये जा चुके हैं तथा सम्बन्धित फर्मों से 419 सोलर पम्पों की आपूर्ति कराते हुए 95 सोलर पम्पों की स्थापना करायी जा चुकी है।

● किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण

माह मार्च, 2019 तक 203.86 लाख किसानों का ऑन लाइन पंजीकरण कराया गया।

● ऑन लाइन लाइसेंस व्यवस्था

विभाग द्वारा उवर्रक, बीज एवं कृषि रक्षा रसायनों की बिक्री हेतु उद्यमियों को लाइसेंस प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन व्यवस्था विभाग द्वारा लागू की गयी।

● प्रदेश में बेरोजगार कृषि स्नातकों को रोजगार सृजन हेतु एग्रीजंक्शन (वन स्टॉप शॉप) की स्थापना

वर्ष 2018-19 में 1000 एग्रीजंक्शन की स्थापना के लक्ष्य के सापेक्ष माह मार्च, 2019 तक 376 केन्द्रों की स्थापना की गयी।

● प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केन्द्र (IRRI) की स्थापना

प्रदेश सरकार की पहल पर देश का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान केन्द्र फिलीपीन्स की शाखा वाराणसी में स्थापित करायी गयी।

● मण्डी अधिनियम में संशोधन

किसानों के लिए बाजार को व्यापक बनाने के दृष्टिकोण से मण्डी अधिनियम में संशोधन किया गया। ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश देश का प्रथम अग्रणी राज्य है। संशोधित अधिनियम में किसानों के खेत से थोक में सीधे खरीद की व्यवस्था, किसानों को अपने उत्पाद पूरे देश में कहीं भी बेचने की व्यवस्था तथा निजी क्षेत्र में मण्डी स्थापित करने की व्यवस्था की गयी है।

● धान एवं गेहूं की किसानों से खरीद

प्रदेश के किसानों की कड़ी मेहनत तथा सरकार के विशेष प्रयासों से प्रदेश की फसल उपज में रिकार्ड वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में गेहूं का क्रय 53.00 लाख मै. टन किया गया। वर्ष 2018-19 में 50.00 लाख मै. टन धान क्रय लक्ष्य के सापेक्ष माह फरवरी 2019 तक 47.95 लाख मै. टन का क्रय किया गया। प्रदेश में प्रथम बार 821 मै.टन मक्का का क्रय किया गया।

● प्राइस सपोर्ट स्कीम

खरीफ 2018 में उर्द 28633 मै. टन एवं मूंगफली 7533 मै.टन की न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद की गयी।

● बुन्देलखण्ड क्षेत्र में खरीफ के आच्छादन में वृद्धि

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के कृषकों को खरीफ 2018 में विभिन्न फसलों के बीजों पर 80 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया गया। फलस्वरूप बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अन्ना प्रथा में कमी आयी है और खरीफ फसलों के आच्छादन में गत वर्ष की तुलना में 1.70 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल की वृद्धि हुयी।

● उर्वरक

वर्ष 2018-19 में खरीफ सीजन में 27.54 लाख मै. टन उर्वरक वितरण लक्ष्य के सापेक्ष 44.44 लाख मै. टन की उपलब्धता कराते हुए 28.06 लाख मै. टन उर्वरकों का वितरण किया गया। रबी 2018-19 में 42.71 लाख मै. टन उर्वरक वितरण लक्ष्य के सापेक्ष 54.83 लाख मै. टन की उपलब्धता कराते हुए माह मार्च तक 45.20 लाख मै. टन उर्वरकों का वितरण किया गया। यूरिया उर्वरक से ए.सी.टी.एन. टैक्स समाप्त कर किसान हित में यूरिया की दरों को अन्य प्रदेशों के समान किया गया।

● कृषि रक्षा रसायन

वर्ष 2018-19 में खरीफ 2018 में 8870 मै. टन/किली. के लक्ष्य के सापेक्ष 12356 मै. टन/किली की उपलब्धता कराते हुए 9139 मै. टन/किली का वितरण किया गया। रबी 2018-19 में 9570 मै. टन/किली. लक्ष्य के सापेक्ष 10760 मै. टन/किली. कराते हुए 7511 मै. टन/किली. का वितरण किया गया।

● फसली ऋण

वर्ष 2018-19 में खरीफ सीजन में 47065.57 करोड़ फसली ऋण वितरण लक्ष्य के सापेक्ष 35885.53 करोड़ तथा रबी सीजन में 70598.36 करोड़ फसली ऋण वितरण लक्ष्य के सापेक्ष माह मार्च, 2019 तक 57865.47 करोड़ फसली ऋण का वितरण किया गया।

● किसान क्रेडिट कार्ड

वर्ष 2018-19 में 39.00 लाख किसान क्रेडिट कार्ड लक्ष्य के सापेक्ष माह मार्च 2019 तक 36.70 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण किया गया।

● कृषि यंत्रों का वितरण

वर्ष 2018-19 में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत माह मार्च 2019 तक कुल 32837 कृषि यंत्रों का वितरण किया गया तथा 138 फार्म मशीनरी बैंक एवं 12 कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना करायी गयी।

● क्राप रेज्ड्यू मैनेजमेण्ट

एन.जी.टी., भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में वर्ष 2018-19 में प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेण्ट ऑफ क्राप रेज्ड्यू योजनान्तर्गत 2300 फार्म मशीनरी बैंक/कस्टम हायरिंग की स्थापना करायी गयी तथा 16406 उन्नत कृषि यंत्रों का वितरण किया गया।

● फसल उत्पादन

वर्ष 2018-19 में खरीफ 2018 के अंतर्गत 196.03 लाख मै. टन खाद्यान्न उत्पादन प्राप्त हुआ तथा रबी 2018-19 में 382.48 लाख मै. टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है।

● डी.बी.टी.

वित्तीय वर्ष 2018-19 में समस्त योजनाओं के अंतर्गत माह मार्च 2019 तक कुल 26.76 लाख लाभार्थियों के बैंक खाते में रु. 531.99 करोड़ का अनुदान डी.बी.टी. के माध्यम से हस्तानांतरित किया गया। इसके अतिरिक्त प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फार इन-सीटू मैनेजमेण्ट ऑफ क्राप रेज्ड्यू योजनान्तर्गत रु. 137.14 करोड़ की धनराशि कृषकों के खातों में हस्तांतरित की गयी।

(10) वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रस्तावित योजना

वर्ष 2018-19 में संचालित की गयी समस्त योजनाएं (जनपद हमीरपुर में जैविक खेती की योजना को छोड़कर) वर्ष 2019-20 में भी संचालित किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2019-20 में वैज्ञानिक खेती एवं जलवायु परिवर्तन प्रभाव प्रबंधन नयी योजना संचालित की जायेगी तथा सोलर फोटोवोल्टिक सिंचाई पम्प की योजना अटल सोलर फोटोवोल्टिक सिंचाई पम्प की स्थापना की योजना के नाम से संचालित की जाएगी।

(11) कृषि नीति 2013

कृषि नीति-2013 का कृषि विकास दर में 5.1 प्रतिशत तक वृद्धि करने तथा ईकोफ्रेन्डली कृषि पद्धति को विकसित कर मृदा स्वास्थ्य में सुधार एवं कृषक परिवार की आय में वृद्धि करना प्रमुख उद्देश्य है। कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उपरोक्त उद्देश्य के साथ कृषि नीति क्रियान्वयन की निम्नवत रणनीति है :

- प्रभावी आगत प्रयोग (इनपुट यूज इफीशिएन्सी), मृदा स्वास्थ्य तथा ऊसर एवं अकृष्य भूमि विकास द्वारा कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना।
- गुणवत्तायुक्त कृषि निवेशों की समय से उपलब्धता को सुनिश्चित करना।
- बेहतर फसल प्रबन्धन, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कृषि निवेश के प्रयोग तथा नवीन तकनीकों को अपना कर कृषि लागत को कम करना।
- मूल्यवर्द्धन द्वारा कृषि उत्पादों के लाभ में वृद्धि करना।
- गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के प्रयोग को बढ़ावा देना।
- निजी क्षेत्र की सहभागिता को सुनिश्चित करना।
- ग्रामीण स्तर पर आधारभूत संरचनाओं के विकास को प्रोत्साहित करना।

- कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर भूमिहीन कृषि मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाना तथा कृषि पर निर्भरता को कम करना।

कृषि नीति-2013 के अंतर्गत उपाय के प्रमुख क्षेत्र :

- प्रदेश की जनसंख्या की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करना।
- प्राकृतिक संसाधन का ईष्टतम उपयोग एवं पर्यावरण प्रबन्धन।
- कृषि निवेश प्रबन्ध-बीज, उर्वरक, कृषि रक्षा, कृषि यंत्र, सिंचाई, कृषि ऋण।
- प्रसार एवं कृषि परामर्श सेवाओं का सुदृढ़ीकरण।
- कृषि विविधीकरण को प्रोत्साहन-औद्यानिकी, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, रेशम पालन एवं गन्ना उत्पादकता को बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन।
- फसलोत्तर प्रबन्धन एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा सुविधाओं का विकास।
- कृषि हितैषी विपणन व्यवस्था को प्रोत्साहन।
- कृषकों के आर्थिक स्तर में उत्थान हेतु कृषि प्रोत्साहन-कृषि निर्यात एवं जैविक कृषि।
- कृषि में जोखिम प्रबन्धन।
- कृषि में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित कर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा।
- ग्रामीण अवस्थापना सुविधाओं का विकास।
- कृषि शिक्षा, शोध एवं मानव संसाधन का विकास।
- संस्थागत सुधार एवं नियोजन व्यवस्था-क्षेत्रीय आधार पर नियोजन।
- अनुश्रवण एवं समीक्षा।

(12) कृषि विभाग के लिए बल योग्य क्षेत्र (विभाग के थ्रस्ट एरिया)

- नई कृषि नीति के अनुसार योजनाओ एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण।
- लघु एवं सीमांत कृषकों को लाभदायक इकाई में परिवर्तित करना।
- मृदा स्वास्थ्य का सुदृढ़ीकरण।
- मृदा सुधार कार्यक्रमों को गति प्रदान करना।
- तकनीकी हस्तांतरण प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण।
- किसान विद्यालय की अवधारण को मूर्त रूप प्रदान करना।
- बीज प्रतिस्थापना दर एवं प्रजाति प्रतिस्थापना दर को बढ़ाना।
- कृषि विधिकरण।
- एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन।
- सस्ती एवं समय से उपयुक्त सिंचाई हेतु संसाधन उपलब्ध करना।
- कृषि में कृषि स्नातक/समकक्ष युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में सहायता।

- कृषि में सार्वजनिक एवं निजी सहभागिता पर आधारित कार्यक्रमों का संचालन।
- कृषि शोध को बढ़ावा देना।
- अन्न सहयोगी संस्थाओं से समन्वय स्थापित करना।
- देशी एवं क्षेत्रीय प्रजातियों एवं कृषि पद्धतियों का संग्रहरण एवं संवर्द्धन करना।

यूपीडास्प (कृषि विविधीकरण परियोजना)

पी.सी.यू., यूपीडास्प कृषि विविधीकरण के कार्यों को सुचारू रूप से सम्पादित करने के उद्देश्य से कृषि विविधीकरण परियोजना (यूपीडास्प) की प्रोजेक्ट कोआर्डिनेशन यूनिट का गठन कार्यालय ज्ञाप संख्या 821/12-3-1996, दिनांक 01 मार्च, 1996 द्वारा पंजीकृत समिति के रूप में किया गया है तथा तत्क्रम में प्रोजेक्ट कोआर्डिनेशन यूनिट का पंजीकरण सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 अंतर्गत दिनांक 12 मार्च, 1996 को एक स्वतंत्र एवं स्वायत्त संस्था के रूप में हुआ है। पंजीकरण का नवीनीकरण 03 बार कराया गया है, जिसकी अविध वर्तमान में दिनांक 12.03.2021 तक नवीकृत है। प्रोजेक्ट कोआर्डिनेशन यूनिट, यूपी डास्प द्वारा विगत 21 वर्षों (1996) से कृषि एवं संवर्गीय विभागों से समन्वय स्थापित कर कृषि विविधीकरण सम्बन्धी कार्य किया जा रहा है।

शासन स्तर पर यूपीडास्प का प्रशासकीय विभाग समन्वय विभाग, उ.प्र. शासन है।

उद्देश्य

माननीय मंत्रिपरिषद के निर्णय के क्रम में शासनादेश संख्या-839/सम-73-2014 दिनांक 16.06.2014 द्वारा प्रोजेक्ट कोआर्डिनेशन यूनिट, यूपीडास्प को प्रदेश में कृषि विविधीकरण सम्बन्धी कार्यों को क्रियान्वित करने हेतु नोडल एजेंसी नामित किया गया है। यूपीडास्प के निम्न उद्देश्य हैं :

- प्रदेश में कृषि विविधीकरण सम्बन्धी परियोजनाओं का गठन, नियोजन व क्रियान्वयन सम्बन्धी कार्य प्रोजेक्ट कोआर्डिनेशन यूनिट द्वारा किया जाएगा।
- प्रदेश में राज्य एवं भारत सरकार व अन्य एजेन्सियों की वे स्वीकृत परियोजनाएं/योजनाएं जिनका स्वरूप कृषि विविधीकरण का होगा, प्रोजेक्ट कोआर्डिनेशन यूनिट व जनपदीय इकाइयों के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी।

यूपीडास्प द्वारा वर्तमान में संचालित योजनाएं

(क) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा वित्त पोषित

1. क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन योजना

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा वित्त पोषित उपयोजना पश्चिमी उ.प्र. के 11 जनपदों यथा- सहारनपुर, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत,मैनपुरी में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन योजना :

कृषि अनुभाग-3, उ.प्र. शासन के शासनादेश संख्या 5176/(II)/12-3-13-100 (28)/ 2013 टी.सी., दिनांक 13.11.2013 द्वारा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन योजना के क्रियान्वयन हेतु यूपीडास्प को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। उक्त के क्रम में यूपीडास्प द्वारा वर्ष 2014-15 से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

लघु सिंचाई विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा वित्त पोषित

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक ''पर ड्राप मोर क्राप-अदर इन्टरवेंशन्स'' के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से पानी पंचायत का गठन :

- उपरोक्त योजना लघु सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 में प्रदेश के 34 जनपदों में क्रियान्वित की गई।
- योजनान्तर्गत यूपीडास्प द्वारा 34 जनपदों में चयनित 199 तालाबों में पानी पंचायत का गठन का कार्य किया गया।
- योजनान्तर्गत रु. 81.18 लाख प्राप्त हुए, जिसमें धनराशि रु. 45.44 लाख का व्यय हुआ।

वर्ष 2018-19 में 10 जनपदों में 71 तालाबों में पानी पंचायत का गठन किये जाने का लक्ष्य है, जिस हेतु रु. 35.5 लाख नियोजित है।

''इस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फार्म क्लस्टर ऑन गंगा बेसिन इन उत्तर प्रदेश - नावेल इनीशिएटिव फॉर डबलिंग फार्मर्स इनकम'' यूपीडास्प द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. के अनुमोदन से (पत्रांक संख्या 826/ए.डी./गंगा बेसिन/यूपीडास्प/2018, दिनांक 10 सितम्बर, 2018) उपरोक्त संदर्भित योजना की वार्षिक कार्य योजना भारत सरकार को प्रेषित की गयी है। प्रस्तावित योजना 03 वर्ष की है, जिसमें रु. 71.40 करोड़ नियोजित है। वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु धनराशि रु. 2356.20 लाख का व्यय प्रस्तावित है। फण्डिंग पैटर्न 60:40 के आधार पर उक्त धनराशि में केन्द्रांश रु. 4113.72 लाख एवं राज्यांश रु. 942.48 लाख नियोजित है। अद्यतन धनराशि अप्राप्त है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रस्तावित योजनाओं का विवरण

(क) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना द्वारा वित्त पोषित

1. क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन योजना

राष्ट्रीय विकास योजना द्वारा वित्त पोषित उपयोजना पश्चिमी उ.प्र. के 11 जनपदों यथा- सहारनपुर, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत,मैनपुरी में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन योजना जिसका विवरण निम्नवत है :

(धनराशि रु. लाख में)

क्र.सं.	गतिविधि	प्रस्तावित लक्ष्य	
		भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4
1	क्लस्टर प्रदर्शन (हे.)	41200	2445.00
2	कृषि यंत्रीकरण (संख्या)	7937	1668.65
3	साइट स्पेसिफिक गतिविधि (संख्या)	4717	1787.00
4	कन्टीजेन्सी/जागरूकता	660	99.35
	प्रशिक्षण/मानीटरिंग इत्यादि (संख्या)		
	योग		**6000.00**

2. क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन योजना की उपयोजना ''रिप्लेसिंग टबैको फार्मिंग विद् अल्टरनेट क्रॉप/क्रॉपिंग सिस्टम'' योजना

(धनराशि रु. लाख में)

क्र.सं.	**गतिविधि**	**प्रस्तावित लक्ष्य**	
		भौतिक	**वित्तीय**
1	2	3	4
1	क्लस्टर प्रदर्शन (हे.)	3300	202.50
2	कृषि यंत्रीकरण (संख्या)	659	137.37
3	साइट स्पेसिफिक गतिविधि (संख्या)	504	149.72
4	कन्टीजेन्सी/जागरूकता	38	10.41
	प्रशिक्षण/मानीटरिंग इत्यादि (संख्या)		
	योग		**500.00**

3. ''इस्टैब्लिशमेंट ऑफ आर्गेनिक फार्म क्लस्टर ऑन गंगा बेसिन इन उत्तर प्रदेश-नावेल इनीशिएटिव फॉर डबलिंग फार्मर्स इनकम'' यूपी डास्प द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. के अनुमोदन से (पत्रांक संख्या 826/ए.डी./गंगा बेसिन/यूपीडास्प/2018, दिनांक 10 सितम्बर, 2018) उपरोक्त संदर्भित योजना की वार्षिक कार्य योजना भारत सरकार को प्रेषित की गई है। योजनान्तर्गत 14000 हे. क्षेत्रफल को सम्मिलित करते हुए 700 क्लस्टर बनाने का लक्ष्य है। योजना 03 वर्ष की है तथा 03 वर्ष हेतु रु. 71.40 करोड़ की है। जिसमें वर्ष 2019-20 हेतु धनराशि रु. 21.44 लाख की योजना प्रस्तावित है।

ग्राम्य विकास

जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है तथा प्रदेश की दो तिहाई से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के सृजन के साथ-साथ वहां पर निवास करने वालों के लिए सतत् रोजगार के अवसर सृजित होते रहें ताकि रोजगार के लिये उनको अपने क्षेत्र से पलायन न करना पड़े। वर्ष 2017-18 में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाकर 7.71 लाख आवासविहीन परिवारों को एक ही वर्ष में आवास उपलब्ध कराकर कीर्तिमान स्थापित किया; जो एक मिसाल है। भारत सरकार द्वारा राज्य को इस कार्य के लिये पुरस्कृत भी किया गया।

2. प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के चौमुखी विकास के लिये ग्राम्य विकास विभाग द्वारा अनेक कार्यक्रम/योजनाएं चलाई जा रही हैं। आजादी के सात दशक से पिछड़े और वंचित गांवों को विकसित करने हेतु ''मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना'' का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजनान्तर्गत पिछड़े राजस्व ग्रामों (मजरे, पुरवे, टोले-बसावट सहित) में अवस्थापना, लाभार्थीपरक व विकास योजनाओं को प्राथमिकता पर संचालित किया गया है।

3. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की स्थायी पात्रता सूची में छूटे हुए पात्र परिवारों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने हेतु ''मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण'' का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा, कालाजार प्रभावित क्षेत्रों, जापानी एन्सेफलाइटिस/अक्यूट एन्सेफलाइटिस सिन्ड्रोम (जे.ई./ए.ई.एस.), तथा वनटांगिया, मुसहर जनजाति प्रभावित परिवारों को लाभान्वित किया जा रहा है।

4. योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ जनसामान्य को मिल सके, इस हेतु ग्राम स्तर तक प्रभावी अनुश्रवण एवं अनुसरण किया जा रहा है।

5. ग्राम्य विकास विभाग द्वारा विभिन्न लक्षित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अलग-अलग योजनाएं यथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि (विधायक निधि), सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन तथा मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना आदि योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

दीनदयाल अन्त्योदय योजना-एन.आर.एल.एम. भारत सरकार की एक महत्त्वाकांशी योजना है। एन.आर.एल.एम. का प्रारम्भ पूर्व में संचालित स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की कमियों जैसे कि

ग्रामीण परिवारों का असामान्य गठन, सदस्यों का अनुपयुक्त क्षमतावर्धन, बैंक द्वारा पर्याप्त ऋण-वितरण का अभाव एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन करने हेतु सक्षम-प्रोफेशनल्स का अभाव इत्यादि को दुरस्त करते हुये किया गया। एन.आर.एल.एम. भारत सरकार द्वारा संचालित बड़े पैमाने पर गहन रूप से समुदाय द्वारा संचालित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। वर्तमान में इस योजना का क्रियान्वयन भारत के समस्त 29 राज्यों में चरणबद्ध क्रियान्वयन रणनीति के तहत किया जा रहा है। मिशन अन्तर्गत बजट व्यवस्था भारत सरकार द्वारा 60 प्रतिशत एवं राज्य सरकार का 40 प्रतिशत के अनुपात में की जाती है।

मिशन का उद्देश्य -

- ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूह एवं समूहों को ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघ के रूप में संगठित करना।
- गठित स्वयं सहायता समूहों एवं उनके संगठनों का प्रशिक्षण एवं क्षमता वर्धन करना।
- ग्रामीण गरीब परिवारों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास कर जीवनयापन का बेहतर अवसर प्रदान करना।
- समूहों एवं उनके संगठनों की आवश्यकताओं एवं जीविकोपार्जन हेतु मिशन की तरफ से रिवाल्विंग फण्ड एवं सामुदायिक निवेश निधि प्रदान करना।
- मिशन के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों को बैंक से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाना।

क्रियान्वयन रणनीति -

- परियोजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य, जिला व विकास खण्ड स्तर पर मिशन प्रबंधन इकाई की स्थापना की जाती है जिसमें योग्य एवं अनुभवी एवं समर्पित प्रोफेशनल्स की नियुक्ति की तैनाती की जाती है।
- कार्यक्रम के क्रियान्वयन के सामुदायिक-प्रचालन नियमावली सहित अन्य प्रचालन नियमावली तैयार की गयी है।
- वृहत स्तर पर सामुदायिक कैडर जैसे- बुक कीपर, समूह सखी, सामुदायिक सन्दर्भ व्यक्ति आदि का विकास करना एवं परियोजना के फैलाव, क्रियान्वयन एवं सामुदायिकरण के लिये सहयोग प्राप्त किया जाता है।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 में उ.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का क्रियान्वयन इन्टेन्सिव रणनीति के अन्तर्गत राज्य के 44 जनपदों के 266 विकास खण्डों में किया जा रहा है। (05 जनपदों के 16 विकास खण्ड माह दिसम्बर 2018 में इन्टेन्सिव घोषित हुये हैं।

मिशन द्वारा ग्रामीण परिवेश की महिलाओं के जीविकोपार्जन हेतु क्रियान्वित कार्यक्रम-

1. महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना

इस विशेष परियोजना के अन्तर्गत 03 वर्षों में 22 जनपदों के 25 विकास खण्डों में 87500 महिला किसानों को सतत् कृषि पद्धतियों एवं गुणात्मक पशुपालन पर प्रशिक्षण दिया जाता है। एक महिला किसान के साथ कम से कम 02 वर्षों तक कार्य कर क्षमता विकास किया जाता है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के अन्तर्गत अब तक 87500 के लक्ष्य के सापेक्ष कुल 83187 महिला किसानों को 22 जनपदों के 25 विकास खण्डों में प्रशिक्षित किया जा चुका है। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु

जीविका बिहार एवं मध्य प्रदेश एस.आर.एल.एम. से लाइवलीहुड सी.आर.पी. (कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन) हेतु एम.ओ.यू. किया गया है।

2. बुन्देलखण्ड क्षेत्र में डेयरी वेल्यू चेन (दुग्ध मूल्य शृंखला)

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में दुग्ध बेचने हेतु महिलाओं की प्रोड्यूसर कम्पनी का गठन प्रस्तावित है। इस योजन का क्रियान्वयन एन.डी.डी.बी. डेयरी सर्विसेज के सहयोग से बुन्देलखण्ड के 05 जनपदों (चित्रकूट, झांसी, बाँदा, हमीरपुर एवं जालौन) में किया जायेगा। इस कम्पनी द्वारा अगले 05 वर्षों में 48000 महिला किसानों के साथ कार्य किया जायेगा। जिससे पंचम वर्ष के अन्त तक प्रतिदिन 1,60,000 लीटर दुग्ध का संग्रह किया जायेगा एवं प्रत्येक महिला को रु. 40,000 प्रतिवर्ष का लाभ होगा।

3. स्टार्ट अप विलेज इंटरप्रोन्योरशिप प्रोग्राम

यह विशेष परियोजना 06 जनपदों (अलीगढ़, मिर्जापुर, वाराणसी, सोनभद्र, खीरी एवं बिजनौर) में कुल 10000 उद्यमियों को विकसित करने हेतु है। इस विशेष परियोजना को मिशन द्वारा ई.डी.आई. अहमदाबाद (नेशनल रिसोर्स आर्गनाइनेशन) एवं कुटुम्बश्री केरल (नेशनल रिसोर्स आर्गनाइजेशन) के साझेदारी से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु प्रति विकास खण्ड लगभग रु. 5.97 करोड़ का बजट है।

4. 70 लाख सौर ऊर्जा कार्यक्रम

यह कार्यक्रम नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एवं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण मंत्रालय, आई.आई.टी. मुम्बई एनर्जी एफिशियेन्सी सर्विस लिमिटेड (ई.ई.एस.एल.) द्वारा उ.प्र. राज्य में संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के 29 जनपदों के 115 विकास खण्डों में लगभग 34 लाख सोलर लैम्प को कम मूल्य पर विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जाना है। इन सौलर स्टण्डी लैम्प की एसेम्बली एवं डिस्ट्रीब्यूशन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है एवं इस कार्य से लगभग रु. 10 करोड़ की आय होगी। वर्तमान में कुल 6 लाख सोलर स्टडी लैम्प को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया गया है, जिससे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लगभग रु. 6 करोड़ की आय हो चुकी है। इसके साथ ही 1000 से अधिक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सौलर लैम्प बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है।

5. आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना

यह योजना प्रदेश के 25 जनपदों के 53 विकास खण्डों में छोटे वाहन के माध्यम से दूर-दराज के ग्रामों को ब्लॉक मुख्यालय एवं कस्बों से जोड़ने हेतु क्रियान्वित की जा रही है। इस योजनान्तर्गत रु. 8.5 लाख तक के 08 से 10 सीटर छोटे वाहनों का संचालन एस.एच.जी. की महिलाओं द्वारा किया जाता है। वर्तमान में कुल 118 वाहनों का संचालन किया जा रहा है।

मिशन द्वारा अभिसरण के माध्यम से किये जा रहे कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य

❖ **स्कूल यूनीफार्म सिलाई-**

- सर्वशिक्षा अभियान, बेसिक शिक्षा, कस्तूरबा विद्यालय आदि स्कूलों के छात्र/छात्राओं की यूनीफार्म की सिलाई (ड्रेस मेकिंग) कार्य से एस.एच.जी. की महिलाओं को जोड़ा जा रहा है।

- वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 4,83,238 स्कूल यूनिफार्म सिलाई का आदेश स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को मिल चुका है।
- इटावा जनपद में आई.टी.आई. एवं समूह की महिलाओं द्वारा स्कूल यूनिफार्म सिलाई का कार्य किया जा रहा है।
- ऊषा सिलाई स्कूल, जन शिक्षण संस्थान, आरसेटी आदि के माध्यम से ट्रेनिंग कराने का प्रयास किया जा रहा है।

❖ **फार्म मशीनरी बैंक-**

फार्म मशीनरी बैंक कृषि विभाग की एक महत्त्वाकांक्षी योजना है, योजनान्तर्गत कृषि विभाग द्वारा ग्रामीण निर्धन समूहों को कृषि उपयोगी संयंत्र क्रय किये जाने हेतु सब्सिडी उपलब्ध करायी जाती है।

- फार्म मशीनरी बैंक योजना की कुल लागत - रु. 10 लाख
- कृषि विभाग द्वारा सब्सिडी - रु. 08 लाख
- समूह अंशदान - रु. 01 लाख
- बैंक द्वारा उपलब्ध ऋण - रु. 01 लाख

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को कृषि विभाग की योजना फार्म मशीनरी बैंक से जोड़ा जा रहा है। अब तक कुल 35 फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना की जा चुकी है।

❖ **स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण**

- स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को शौचालय बनाने हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

❖ **आजीविका सम्बन्धी अन्य गतिविधियाँ**

- प्रदेश के समस्त विकास भवनों एवं विकास खण्ड कार्यालयों में कैफेटेरिया- ''प्रेरणा कैन्टीन'' का संचालन स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से किया जा रहा है। वर्तमान में 209 से ज्यादा प्रेरणा कैन्टीन का संचालन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है।
- जननी सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत जनपद एवं विकासखण्ड स्तरीय चिकित्सालयों में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गर्भवती/प्रसूता महिलाओं को जनपद आजमगढ़, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, आदि द्वारा भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान से प्रत्येक प्रदेश में आयोजित होने वाले मेलों में उ.प्र. के स्वयं सहायता समूहों की सहभागिता करायी जा रहा है।

❖ **विशेष अभिसरण योजना प्रस्ताव**

- पशुपालन विभाग के साथ बैक यार्ड पोल्ट्री पर कार्य किया जा रहा है।
- डी.सी. हैण्डीक्राफ्ट के साथ अभिसरण कर जरी, जरदोजी एवं कास्ट कला के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के आजीविका संवर्धन पर कार्य किया जा रहा है।
- राज्य पोषण मिशन के साथ स्वास्थ्य, पोषण, जल एवं स्वच्छता पर कार्य किया जा रहा है।

- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 1283.11 करोड़ की व्यवस्था बजट में की गयी। दिसम्बर-2018 तक कुल 40438 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, 29640 स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड दिया गया एवं 24823 स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध करायी गयी है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 1250.72 करोड़ की व्यवस्था बजट में प्राविधानित की गयी है एवं कुल 137863 नये स्वयं सहायता समूहों का गठन इन्टेन्सिव विकास खण्डों में, कुल योग 283242 स्वयं सहायता समूहों का गठन इन्टेन्सिव विकास खण्डों, 622 संकुल स्तरीय संघ का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम

योजना का प्रारम्भ – प्रथम चरण 2 फरवरी, 2006 से 22 जनपदों में, दूसरा चरण 15 मई, 2007 से 17 अतिरिक्त जनपदों में तथा तीसरा चरण 01 अप्रैल, 2008 से सभी जनपदों में।

उद्देश्य – इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रमकार्य करना चाहते हैं, को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारण्टीयुक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है।

वित्त पोषण – भारत सरकार द्वारा अकुशल मजदूरी पर शत-प्रतिशत अंश। सामग्री अंश पर भारत सरकार का 75 प्रतिशत अंश एवं राज्य सरकार का 25 प्रतिशत अंश।

योजना के मुख्य बिन्दु

- माँग आधारित योजना। परिवारों का पंजीकरण ग्राम पंचायत में किया जाता है।
- ग्राम पंचायतें/कार्यक्रम अधिकारी रोजगार आवंटित करने के लिए उत्तरदायी हैं।
- श्रमिक को रोजगार उसके निवास के 05 किमी. के अन्दर दिया जायेगा। उससे अधिक दूरी होने पर 10 प्रतिशत अधिक मजदूरी का भुगतान श्रमिक को देय होगा।
- 15 दिन के अन्दर रोजगार न दिये जाने पर नियमानुसार बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जायेगा।
- प्रदेश में मजदूरी दर रु. 175/- प्रति मानव दिवस निर्धारित है।

योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्य

- कंटूर ट्रेंच (समान गहराई वाली खाईं), समोच्च बांध, पत्थर के रोक बांध (बोल्डर चौक), बेलनाकार संरचनाएँ, भूमिगत बांध, मिट्टी के बांध, रोक बांध तथा स्प्रिंगशेड विकास सहित जल संरक्षण एवं जल संचय,
- सूखे से बचाव के लिए वनरोपण और वृक्षारोपण,
- सिंचाई के लिए सूक्ष्म और लघु सिंचाई परियोजनाओं सहित नहरों का निर्माण,
- अनुसूची-1 के प्रस्तर 1ग में निर्दिष्ट परिवारों द्वारा स्वामित्वाधीन भूमि पर सिंचाई सुविधाओं, खेत में बनाए गए तालाब, बागवानी, पौधरोपण, खेत बांध और भूमि विकास का प्रावधान,
- परम्परागत जल निकायों के पुनर्जीवीकरण सहित जलाशयों की गाद निकालना,

- भूमि विकास,
- बाढ़ नियन्त्रण एवं सुरक्षा परियोजनाएँ जिनमें जलभराव से ग्रस्त इलाकों में पानी की निकासी, बाढ़, नालों (चैनलों) को गहरा करना और मरम्मत करना, चौर नवीकरण, तटीय संरक्षण के लिए स्टोर्मवाटर ड्रेनों का निर्माण शामिल है,
- ग्रामों के भीतर जहाँ भी आवश्यक हो, पुलियों और सड़कों की व्यवस्था सहित बारहमासी सड़क संपर्कता मुहैया कराने के लिए ग्रामीण सड़क संपर्कता,
- ब्लॉक स्तर पर ज्ञान संसाधन केन्द्र के रूप में भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत भवन का निर्माण,
- कृषि से सम्बन्धित कार्य जैसे कि एनएडीईपी कम्पोस्टिंग, वर्मी-कम्पोस्टिंग, तरल-जैव खाद,
- पशुधन सम्बन्धी कार्य जैसे कि मुर्गीपालन शेल्टर, बकरी शेल्टर, पक्का फर्श निर्माण, यूरिन टैंक तथा पशुओं के लिए चारे की गाद, पशु आहार पूरक के रूप में अजोला,
- मत्स्यपालन सम्बन्धी कार्य जैसे कि सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जल निकायों में मछली पालन,
- तटवर्ती क्षेत्रों में कार्य जैसे कि मछली सुखाने के यार्ड, बेल्ट वेजीटेबल क्षेत्र,
- ग्रामीण पेयजल सम्बन्धी कार्य जैसे कि सोख्ता गड्ढ़ा, रिचार्ज पिट्स,
- ग्रामीण स्वच्छता सम्बन्धी कार्य जैसे कि वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय, विद्यालय शौचालय, आंगनबाड़ी शौचालय, ठोस व तरल अपशिष्ट सामग्री प्रबन्धन,
- प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण आवास के निर्माण में 90 मानव दिवस का श्रमांश,
- खाद्य गोदामों का निर्माण,
- आंगनबाड़ी केन्द्रों का संनिर्माण,
- खेल के मैदानों का निर्माण,
- राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले कोई अन्य कार्य,
- माह जुलाई, 2014 से भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार योजनान्तर्गत कुल व्यय का 60 प्रतिशत व्यय कृषि से संबंधित कार्यों के लिए किया जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2018-19 की प्रगति

रोजगार सृजन के भौतिक लक्ष्य 20.00 करोड़ मानव दिवस के सापेक्ष दिनांक 27.11.2018 तक 13.00 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजित किया गया है तथा रु. 3758.37 करोड़ की धनराशि व्यय करके 38.12 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिनांक 27.11.208 तक 88 प्रतिशत मजदूरी का भुगतान ससमय किया गया है। ए.बी.पी.एस. से जुड़े श्रमिकों की संख्या को 22 लाख से बढ़ाकर तीन गुना 68.12 लाख किया गया। (कुल 103.93 लाख क्रियाशील श्रमिकों के सापेक्ष 68.12 लाख-66 प्रतिशत) आधार से कुल 103.93 लाख क्रियाशील श्रमिकों के सापेक्ष 97.41 लाख अर्थात् 94 प्रतिशत श्रमिक जोड़े गए। पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु जियो टैगिंग की जा रही है। कुल कराए गए कार्य 52.24 लाख के सापेक्ष कुल 45.68 लाख अर्थात् 88 प्रतिशत कार्यों की जियो टैगिंग की जा चुकी है। तालाबों के निर्माण/जीर्णोद्धार की प्रगति मनरेगा योजनान्तर्गत 20827 तालाबों का चयन किया गया है जिसमें से 15116 तालाबों का कार्य पूर्ण हो चुका

है। योजनान्तर्गत 10,425 आँगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें से लगभग 9213 पूर्ण कराए गये। 05 जनपदों के 34 वनटांगिया ग्रामों में 6608 परिवारों में 6485 जॉब कार्ड निर्गत किये गये हैं। 40801 मानव दिवस लक्ष्य के सापेक्ष 56176 मानव दिवस सृजित किये गये हैं। 34 वनटांगिया ग्रामों में 12 तालाबों के जीर्णोद्धार के लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत संतृप्तिकरण कर लिया गया है। 19 जनपदों में 51509 मुसहर परिवार चिह्नित कर 41696 मुसहर परिवारों को जॉब कार्ड निर्गत किये गये हैं। 727200 मानव दिवस का सृजन किया गया है। नदियों के पुनरुद्धार का कार्य भी प्रगति पर है। योजनान्तर्गत जनपद बरेली में अरिल नदी, चित्रकूट में मंदाकिनी नदी, मिर्जापुर में कर्णवती नदी, भदोही में वरूणा तथा मोरवा नदी एवं पीलीभीत में गोमती नदी के पुनरुद्धार की कार्यवाही की जा रही है। उक्त नदियों के पुनरुद्धार के अंतर्गत कुल 238.06 किमी0 के सापेक्ष 87.18 किमी0 पर कार्य पूर्ण करते हुए 377.53 लाख रुपये धनराशि व्यय की गई है।

वर्ष 2019-20 में श्रम बजट अनुमानित 26.00 करोड़ मानव दिवस सृजन किये जाने का लक्ष्य है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

ग्रामीण आवास योजना की उत्पत्ति राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एनआरईपी-1980) और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आरएलईजीपी-1983) के मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों से हुई थी क्योंकि इन कार्यक्रमों के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के लिए मकानों के निर्माण की अनुमति दी जाती थी। जून, 1985 से आरएलईजीपी की उप-योजना के रूप में इंदिरा आवास योजना शुरू की गई जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के मकानों के निर्माण के लिए निधियों का निर्धारण किया गया। जब अप्रैल, 1989 में जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई) शुरू की गई थी तब इसकी 6 प्रतिशत निधियां अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के मकानों के निर्माण के लिए आवंटित की जाती थी। (वर्ष 1993-94) में जेआरवाई के अंतर्गत मकानों के लिए निर्धारित निधियों को बढ़ाकर 10 प्रतिशत करते हुए गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों को भी इसमें शामिल किया गया। अतिरिक्त 4 प्रतिशत निधियों का उपयोग गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए किया जाना था।

लक्ष्य एवं उद्देश्य

- वर्ष 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार वचनबद्ध है। ग्रामीण आवास परिदृश्य में इस कमी को दूर करने तथा सरकार की इस प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए आईएवाई योजना को वर्ष 2016-17 से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के रूप में पुनर्गठित किया गया है। पीएमएवाई-जी के अन्तर्गत सभी बेघर परिवारों और कच्चे तथा जीर्ण-शीर्ण मकानों में रह रहे परिवारों को वर्ष 2022 तक बुनियादी सुविधायुक्त पक्का आवास उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्य विशेषताएं

- आवास निर्माण के लिए जगह को 20 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर किया गया है जिसमें स्वच्छ रसोई हेतु क्षेत्र भी शामिल है।

- मैदानी क्षेत्रों में इकाई सहायता को रु. 70,000/- से बढ़ाकर रु. 1,20,000/- और आई.ए.पी. जिलों (चन्दौली, सोनभद्र तथा मिर्जापुर) में रु. 75,000/- से बढ़ाकर रु. 1,30,000/- किया गया है।
- केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच इकाई (आवास) सहायता लागत का वहन 60:40 के आधार पर किया जाता है।
- स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) व मनरेगा के साथ तालमेल के जरिए या किसी अन्य समर्पित स्रोत से शौचालयों के लिए सहायता (रु. 12000) का प्रावधान है।
- इकाई सहायता के अलावा आवास के निर्माण के लिए मनरेगा के अंतर्गत 90/95 दिनों की अकुशल मजदूरी का प्रावधान किया गया है।
- ग्राम सभा द्वारा लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 में दर्शाए गए सामाजिक मानदण्डों के आधार पर।
- बुनियादी सुविधाओं अर्थात् शौचालय, पेयजल, बिजली, स्वच्छ व एफिसियेंट ईंधन, ठोस और तरल अपशिष्ट का शोधन इत्यादि की व्यवस्था के लिए अन्य सरकारी योजनाओं के साथ तालमेल करना।
- लाभार्थियों के बैंक/डाकघर खातों में इलेक्ट्रानिक तरीके से सभी तरह का भुगतान किए जाने का प्रावधान, जिसमें वे खाते भी शामिल हैं जिनमें उनकी सहमति से आधार संख्या सम्बद्धता कर दी गयी है।
- पी.एम.ए.वाई.-जी के सम्बंध में लाभार्थियों को आवश्यक जानकारी (ओरिएंटेशन) उपलब्ध कराना।
- वित्तीय वर्ष 2017-18 में, वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 अर्थात दो वर्षों के लक्ष्य एक ही वर्ष में पूरा करने हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत मार्च 2018 तक 8.85 लाख आवासों के लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 02-02-2018 तक शत-प्रतिशत आवास स्वीकृत किये जा चुके हैं, 8.81 लाख आवासों (99.5 प्रतिशत) के लिए प्रथम किश्त, 8.38 लाख आवासों (94.6 प्रतिशत) के लिए द्वितीय किश्त अवमुक्त की जा चुकी है। 61,362 आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।
- योजनान्तर्गत दिनांक 02-02-2018 तक रु. 9807.86 करोड़ की धनराशि उपलब्ध हुई है जिसके सापेक्ष शत-प्रतिशत धनराशि के एफ.टी.ओ. पेमेन्ट हेतु वेरीफाई हो चुके हैं।
- राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थियों को दूसरी किस्त 40 हजार की जगह 70 हजार दी जायेगी ताकि वो शीघ्रता से अपने आवास पूर्ण कर सकें।
- प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को 90 दिन का अकुशल श्रमिक रोजगार (रु. 175 प्रति दिवस की दर से) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से दिये जाने की व्यवस्था की गई।

वित्तीय वर्ष 2018-19 की प्रगति

- ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले 12.82 लाख आवास विहीन/कच्चे आवासों में निवास करने वाले परिवारों को 31 मार्च 2019 तक पक्का आवास उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है जिसमें से 1.10 लाख आवास का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा 29 नवम्बर, 2018 को आवंटित किया गया है।
- उक्त लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 29-12-2018 तक 12.29 लाख आवास स्वीकृत किये जा चुके हैं। स्वीकृत आवासों में से 11.17 लाख आवासों के लिए प्रथम किश्त, 10.53 लाख आवासों के लिए, द्वितीय किश्त 9.38 लाख आवासों के लिए, तृतीय किश्त निर्गत कर 8.99 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
- अवशेष आवास भी 31 मार्च, 2019 तक की निर्धारत समयावधि में पूर्ण कर लिये जाएंगे।
- उल्लेखनीय है कि विगत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 7.71 लाख आवास पूर्ण कर आवास निर्माण में सम्पूर्ण भारत में उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया जो एक मिसाल है। एक वर्ष में इतनी बड़ी संख्या में आवासों का निर्माण पूर्व में कभी नहीं हुआ। भारत सरकार ने भी इस अभूतपूर्व प्रगति की सराहना की तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में उत्कृष्ट कार्य के लिये पुरस्कृत भी किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिनांक 29-12-2018 तक कुल रु. 2665.27 करोड़ की धनराशि व्यय की गयी है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु लगभग 5.00 लाख आवासों के निर्माण हेतु रु. 6240.00 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था बजट में प्राविधानित की गयी है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना का क्रियान्वयन पूर्णतः केन्द्र पोषित योजना के रूप में दिनांक 25-12-2000 से प्रदेश में किया गया था। योजना के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्र में 500 अथवा उससे अधिक आबादी (2001 की जनगणना के आधार पर) की बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ना था। नक्सल प्रभावित जनपदों में सम्पर्क मार्गों के चयन हेतु आबादी का न्यूनतम मानक 250 है। साथ ही पूर्व में निर्मित ग्रामीण सम्पर्क मार्ग (अन्य जिला मार्ग एवं ग्रामीण मार्ग) के उच्चीकरण के कार्य भी योजनान्तर्गत अनुमन्य किये गये थे। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर चिह्नित 500 या उससे अधिक आबादी की समस्त जुड़ सकने योग्य ग्रामीण बसावटों को पक्के मार्गों से एकल सम्पर्कता के आधार पर आच्छादित करने का लक्ष्य पूर्ण कर लिया गया है। नक्सल प्रभावित जनपदों में 250 या उससे अधिक आबादी की ग्रामीण बसावटों को योजनान्तर्गत आच्छादित किये जाने का लक्ष्य भी पूर्ण कर लिया गया है।

प्रदेश की उक्त उपलब्धियों के कारण ही इसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वितीय चरण (पी.एम.जी.एस.वाई-2) के क्रियान्वयन हेतु देश में चयनित किये गये मात्र 08 राज्यों (पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम एवं उत्तर प्रदेश) के साथ सम्मिलित किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा पी.एम.जी.एस.वाई-2 के अन्तर्गत पूर्व निर्मित व जर्जर मार्गों के सुधार के कार्य अनुमन्य किये गये हैं।

- वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत सरकार द्वारा फण्डिंग पैटर्न में बदलाव कर दिया गया है जिसके अनुसार केन्द्रांश 60 प्रतिशत तथा राज्यांश 40 प्रतिशत है। यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2015-16 से ही लागू कर दी गयी है।
- इस योजना के सुचारु रूप से संचालन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन राज्य स्तर पर ग्राम्य विकास विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (यू.पी.आर.आर.डी.ए.) का एक पंजीकृत समिति के रूप में गठन किया गया है। प्रदेश में योजना का क्रियान्वयन मुख्यतः दो कार्यदायी संस्थाओं- लोक निर्माण विभाग तथा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के माध्यम से कराया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदेश के 42 जनपदों में तथा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा शेष 33 जनपदों में योजना क्रियान्वित की जा रही है। योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्थाओं द्वारा प्रत्येक जनपद में कार्य की मात्रा के आधार पर कार्यक्रम क्रियान्वयन इकाइयों का गठन किया गया है।

भौतिक प्रगति

- वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1950 किलोमीटर सड़कें निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया है तथा दिनांक 17.12.2018 तक 1361.46 किमी0 सड़कें बनाई जा चुकी हैं।
- योजना के अन्तर्गत प्रदेश में वर्ष 2017-18 में प्रथम बार नई तकनीकों का प्रयोग कर 1741.60 किलोमीटर सड़कों का निर्माण प्रस्तावित किया गया था जिसमें वेस्ट प्लास्टिक-666.54 किमी., कोल्ड मिक्स-561.42 किमी., नैनों टेक्नोलोजी-457.40 किमी., सी.सी. ब्लाक-25.59 किमी., फ्लाई ऐश-2185 किमी., आरसीसीपी-6.90 किमी. तथा लाईम स्टेब्लाईजेशन 1.50 किमी. सम्मिलित है। योजनान्तर्गत प्रदेश में अद्यतन तक नई तकनीकों का प्रयोग कर अब तक 1456.17 किमी. सड़क का निर्माण किया जा चुका है एवं अन्य कार्य प्रगति पर हैं।
- योजना में निर्मित सड़कें जो लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित की जा चुकी थीं उनमें से जो सड़कें निर्माण के बाद 6वें, 7वें, 8वें वर्ष में है उनका पीरियाडिक रिन्यूवल पीएमजीएसवाई द्वारा कराया जा रहा है। वर्तमान वर्ष में ऐसी अद्यतन 1639.23 किमी. लम्बाई का पीरियाडिक रिन्यूवल का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 219.51 किलोमीटर का कार्य माह मार्च 2019 तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है। इन कार्यों पर इस वर्ष अब तक रु. 139.70 करोड़ व्यय किया जा चुका है तथा इसके अतिरिक्त मार्च 2019 तक रु. 60.00 करोड़ व्यय किया जाना अनुमानित है।
- भारत सरकार से समन्वय स्थापित कर पूर्व वर्षों में निरस्त हुए मार्गों के स्थान पर अन्य क्षतिग्रस्त मार्गों के उच्चीकरण हेतु 124 मार्गों, लम्बाई 939.29 किमी. तथा लागत रु. 676.35 करोड़ दिनांक 31.08.2018 को प्राप्त हुई। इन मार्गों के निर्माण हेतु निविदा प्रक्रिया आमंत्रित कर अग्रेतर कार्यवाही गतिमान है।
- इसके अतिरिक्त भारत सरकार से समन्वय स्थापित कर पूर्व वर्षों में निरस्त हुए मार्गों के स्थान पर अन्य क्षतिग्रस्त मार्गों के उच्चीकरण हेतु 209 मार्गों, लम्बाई 1515.17 किमी. तथा लागत रु. 1001.49 के डी.पी.आर. तैयार कराकर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किए गये।

वित्तीय प्रगति

- वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश सरकार द्वारा दिनांक 17.12.2018 तक रु. 244.63 करोड़ जारी किए जा चुके हैं तथा वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में रु. 1372.04 करोड़ प्रारम्भिक शेष था। इस प्रकार योजना के कार्यों हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल रु. 1616.67 करोड़ की धनराशि उपलब्ध है।
- योजना के कार्यों पर दिनांक 17.12.2018 तक रु. 896.25 करोड़ व्यय किया जा चुका है।
- योजना के कार्यों हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी जा चुकी है।

अनुरक्षण व्यवस्था

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की एक महत्त्वपूर्ण विशिष्टता योजनान्तर्गत निर्मित मार्गों का निर्माणोपरान्त 5 वर्ष तक सुनिश्चित रख-रखाव भी है। मार्गों के निर्माण हेतु गठित किये जाने वाले अनुबन्ध में ही उक्त व्यवस्था अन्तनिर्हित है। मार्ग के पूर्ण होने की तिथि से 6 माह पश्चात् उसके 5 वर्षीय अनुरक्षण की व्यवस्था प्रभावी हो जाती है जिसके लिये राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष विभागीय आय-व्ययक में उचित वित्तीय प्रावधान भी सुनिश्चित किया जाता है। निर्माणोपरान्त 5 वर्ष तक निर्मित मार्गों के अनुरक्षण का दायित्व उसी ठेकेदार का है जिसके द्वारा मार्ग का निर्माण किया गया है। अनुरक्षण के 5 वर्ष समाप्त हो जाने के पश्चात् मार्गों को आगे नियमित अनुरक्षण हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित कर दिया जाता है।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की 05 वर्षीय अनुरक्षणाधीन सड़कों को गड्ढामुक्त रखने हेतु प्रदेश में प्रथम बार अभियान चलाया गया तथा अनुरक्षणाधीन 13867.32 किमी. सड़कों की गड्ढामुक्ति सुनिश्चित की गयी।
- प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता के दृष्टिगत सड़कों के रख-रखाव हेतु अभियान चलाकर अनुरक्षणाधीन सड़कों को अनुरक्षण अवधि में गड्ढामुक्त रखने की कार्यवाही की जा रही है। तत्क्रम में सतत् अनुश्रवण कर जनपदों को अनुपालन की सुनिश्चितता हेतु निर्देश दिये गये हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.)

कार्यक्रम का विवरण

प्रदेश में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु केन्द्र सहायतित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का संचालन केन्द्र एवं राज्य द्वारा 50:50 प्रतिशत वित्त पोषण के आधार पर किया जा रहा था।

भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य की ग्रामीण पेयजल योजनाओं के वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अधिकार, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित, राज्य योजना स्वीकृति समिति में निहित है। इस कार्यक्रम का संचालन एवं अनुश्रवण, ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत गठित राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की गाइडलाइन में 01 नवम्बर, 2018 से संशोधन के उपरान्त प्रदेश को कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि को दो भागों में बांटा गया है- सस्टेनेबिलिटी (क्रियाशीलता) मद एवं सामान्य मद (प्रतिपूर्ति के आधार पर)।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति को पीने, भोजन बनाने एवं घरेलू मूलभूत आवश्यकताओं हेतु शुद्ध पेयजल निरन्तरता के आधार पर उपलब्ध कराना है। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति हेतु प्रस्तावित दिशा निर्देश में वर्णित प्रमुख उद्देश्य निम्नवत् हैं-

- ग्रामीण क्षेत्र की समस्त बस्तियों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
- पेयजल प्रणाली तथा स्रोत सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित करके आपूर्ति एवं उपभोग, दोनों बिन्दुओं पर निर्धारित मानकों के अनुरूप इसकी संपूर्ण योजना अवधि में प्रणाली द्वारा सेवाओं की आपूर्ति।
- जल की गुणता एवं पर्यवेक्षण हेतु ढांचा विकसित कर पेयजल की गुणता संरक्षित करना।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताएं

वर्तमान में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार अब राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत आर्सेनिक एवं फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों, सांसद आदर्श ग्राम तथा स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के अन्तर्गत ओ.डी.एफ. ग्राम पंचायतों के अतिरिक्त किसी अन्य ग्राम हेतु नई पाइप पेयजल योजना का निर्माण नहीं कराया जाना है तथा कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि का उपयोग वर्तमान में निर्माणाधीन ऐसी योजनायें जिनमें 25 प्रतिशत से अधिक प्रगति वाली योजनाओं पर प्राथमिकता पर धन आवंटन किया जा रहा है।

वर्तमान में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य किये जा रहे हैं :

- आर्सेनिक एवं फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों में पेयजल उपलब्ध कराया जाना।
- ए.ई.एस./जे.ई. से प्रभावित ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराया जाना।
- पूर्व से निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं को पूर्ण कराया जाना।
- सांसद आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं को पूर्ण कराया जाना।
- स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के अन्तर्गत ओ.डी.एफ. ग्राम पंचायतों में पेयजल उपलब्ध कराया जाना।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (आच्छादन)

प्रदेश की लगभग 90 प्रतिशत आबादी पेयजल हेतु पूर्णतः हैण्डपम्प पर निर्भर है, परन्तु राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत हैण्डपम्प के स्थान पर पाइप पेयजल योजनाओं का निर्माण कराया जा रहा है। वर्तमान में गुणता प्रभावित पाइप पेयजल योजना से आच्छादित करने हेतु प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में यह निर्णय लिया गया है कि जे.ई./ए.ई.एस. एवं आर्सेनिक/फ्लोराइड बस्तियों की उन निर्माणाधीन योजनाओं, जिनमें 75 प्रतिशत या उससे अधिक कार्य कराया जा चुका है, उन्हें सर्वप्रथम पूर्ण कर लक्षित ग्राम पंचायतों में पेयजल उपलब्ध कराया जाये।

प्रदेश के सांसद आदर्श ग्राम/जे.ई.-ए.ई.एस. तथा आर्सेनिक/फ्लोराइड से प्रभावित ग्रामीण बस्तियों में 50 प्रतिशत से अधिक प्रगति वाली योजनाओं पर धनराशि आवंटन प्राथमिकता पर किया जा रहा है। वर्ष 2018-19 में योजनाओं को पूर्ण करने हेतु निर्धारित लक्ष्य 320 योजनाओं के सापेक्ष 278 योजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है।

वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय ग्रामीण जल सम्पूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माणाधीन योजनाओं में से 400 पाइप पेयजल योजनाओं को पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। राज्य ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन याजनाओं में से 75 पाइप पेयजल योजनाओं को पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 4855 पाइप पेयजल योजनाओं का संचालन व अनुरक्षण ग्राम पंचायत, उत्तर प्रदेश जल निगम एवं जल संस्थान द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत संचालन एवं अनुरक्षण मद में उपलब्ध 15 प्रतिशत प्रावधान के समाप्त किये जाने के दृष्टिगत उपरोक्त परियोजनाओं के सुचारू संचालन एवं अनुरक्षण हेतु नीति-2018 विचाराधीन है।

राज्य/अन्य ग्रामीण पेयजल योजनाएं

राज्य ग्रामीण पेयजल योजना

1. राज्य सरकार द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों से वर्ष 2016-17 में आरम्भ की गयी है। प्रदेश के 31 जनपदों में कुल स्वीकृत लागत रु. 337.85 करोड़ की 160 पाइप पेयजल योजनाएं/ टी.टी.एस.पी. का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2019-20 में उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत 120.00 करोड़ की बजट व्यवस्था प्राविधानित है।
2. बुन्देलखण्ड, विन्ध्य एवं गुणता प्रभावित क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना प्रदेश सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड, विन्ध्य एवं गुणता प्रभावित क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं के माध्यम पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी योजना प्रारम्भ की गयी है। इससे बुन्देलखण्ड, विन्ध्य क्षेत्र, आर्सेनिक एवं फ्लोराइड तथा जे.ई./ए.ई.एस. प्रभावित क्षेत्रों के लगभग 6240 ग्रामों की लगभग 01 करोड़ 55 लाख आबादी लाभान्वित होगी। योजना हेतु कुल आवश्यक धनराशि रु. 14800.00 करोड़ के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुपूरक बजट के माध्यम से रु. 100.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 3000.00 करोड़ का बजट प्रावधान है।
3. मुख्यमंत्री आर.ओ. पेयजल योजना प्रदेश के बस्ती एवं गोरखपुर मण्डल तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समस्त जनपदों के सरकारी प्राथमिक एवं सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अल्ट्राफिल्ट्रेशन तकनीकी पर आधारित जल शोधन संयंत्र के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु सरकार द्वारा यह योजना प्रारम्भ की गयी है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों तथा बस्ती एवं गोरखपुर मण्डल के 07 जनपदों, कुल 14 जनपदों में 28041 विद्यालयों में अल्ट्राफिल्ट्रेशन तकनीकी पर आधारित जल शोधन संयंत्र स्थापित कराया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुपूरक बजट के माध्यम से रु. 50.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 25.00 करोड़ का बजट प्रावधान है।

मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

1. मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित, कालाजार से प्रभावित, जे.ई/ए.ई.एस. से प्रभावित तथा वनटांगिया/मुसहर वर्ग के आवासविहीन या कच्चे/जर्जर आवास में निवास कर रहे 16,716 लाभार्थियों के आवास निर्माण हेतु प्रथम किश्त की धनराशि सम्बंधित जनपदों को निर्गत की जा चुकी है।

2. साथ ही प्रदेश में कुष्ठ रोग से पीड़ित आवासविहीन परिवारों को भी लाभान्वित करने हेतु 3791 परिवारों को अब तक चिह्नित किया जा चुका है।
3. वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रु. 201.201 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था बजट में की गयी है।
4. वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रु. 429.40 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था बजट में प्रावधानित की गयी है।

मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना

उत्तर प्रदेश के ऐसे दूरस्थ गांव, जो प्रदेश के सीमावर्ती (अन्तर्राष्ट्रीय/अन्तर्राज्यीय) क्षेत्र पर स्थित हैं तथा आजादी के बाद से अभी तक इन ग्रामों का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया है तथा वनटांगिया, मुसहर एवं थारू आदि वर्गों के बाहुल्य वाले ग्रामों में अवस्थापना एवं लाभार्थीपरक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पूर्णतः नहीं मिल पाया है, ऐसे पिछड़े राजस्व ग्रामों (मजरे, पुरवे, टोले-बसावट सहित) में अवस्थापना, लाभार्थीपरक व विकास योजनाओं को प्राथमिकता पर आच्छादित करने हेतु ''मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना'' का शुभारम्भ किया गया है।

योजनान्तर्गत भौगोलिक संरचनाओं की दृष्टि से अत्यंत विषम परिस्थितियों से घिरे अति पिछड़े ग्रामों को भी आच्छादित किया गया है। देश की रक्षा में शहीद हुए सेना एवं अर्द्धसैनिकों के ग्रामों को शहीद ग्राम घोषित करते हुए पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जा रहा है। मार्ग को ''गौरव पथ'' का नाम देते हुए ग्राम के तोरण द्वार तथा शहीद हुए सैनिक की मूर्ति स्थापना की कार्यवाही की गई है।

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि (विधायक निधि)

- विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत प्रत्येक मा. सदस्य को उनके क्षेत्र के विकास हेतु वार्षिक रु. 2.40 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है, जिसमें विकास कार्यों हेतु रु. 2.00 करोड़ तथा जी.एस.टी. के भुगतान हेतु रु. 0.40 करोड़ है।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रु. 1008.00 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था विकास कार्यों हेतु एवं जी.एस.टी. के भुगतान हेतु रु. 201.60 करोड़ की व्यवस्था पृथक से बजट में की गयी है। दिनांक 27-12-2018 तक योजनान्तर्गत रु. 352.00 करोड़ का व्यय कर 3528 परियोजनाओं को पूर्ण कराया गया एवं 8587 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।
- वर्ष 2019-20 के लिए रु. 1008.00 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था विकास कार्यों हेतु एवं जी.एस.टी. के भुगतान हेतु रु. 201.60 करोड़ धनराशि बजट में प्राविधानित की गयी है।

अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना (ए.वी.आर.वाई.)

- यह योजना प्रदेश के सभी जिलों में संचालित है। ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधनों के अनुरूप बहुआयामी स्वरोजगार हेतु परियोजनाओं के संचालन पर बल दिया जाता है। सभी वर्ग, धर्म, जाति के लोगों को लाभान्वित किया जाता है। ग्रामीणों में रोजगार हेतु ग्राम से शहरों की ओर होने वाले पलायन की प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से रोजगार परक योजना संचालित है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों को इस योजना में प्राथमिकता दी जाती है।

- योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को प्रति इकाई लागत का 33 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु. 10,000/- अन्य लाभार्थियों के लिए 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु. 7,500/- तक राज्य सहायता/शासकीय अनुदान देय है।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 में योजना के क्रियान्वयन हेतु रु. 12.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। योजनान्तर्गत वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए सतत् एवं लाभकारी रोजगार सृजन के ध्येय से योजना की गाइडलाइन्स में उपयोगी संशोधन की कार्यवाही की गई।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए योजना के क्रियान्वयन हेतु रु. 50.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना

- योजना वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ की गई है।
- वित्तीय संसाधन व्यवस्था शत-प्रतिशत केन्द्र पोषित।
- उद्देश्य-50 प्रतिशत अनुसूचित जाति अथवा अधिक आबादी वाले चयनित ग्रामों को मॉडल ग्राम के रूप में विकसित किया जाना जहाँ आधारभूत भौतिक व सामाजिक अवस्थापना सुविधाएँ समाज के प्रत्येक वर्ग हेतु उपलब्ध हो सकें।
- भारत सरकार व प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों यथा- ग्राम्य विकास, शिक्षा स्वास्थ्य, ऊर्जा, महिला एवं बाल कल्याण एवं पंचायतीराज विभाग आदि द्वारा चलायी जा रही विभिन्न चिह्नित योजनाओं से कन्वर्जेस व गैप फिलिंग कम्पोनेंट द्वारा चयनित ग्रामों का तीन वर्षों की तय सीमा में निर्धारित मानकों पर विकास किया जाना।

योजनान्तर्गत कृत कार्यवाही-

- राज्य स्तरीय समितियों का गठन कर भारत सरकार को सूचना प्रेषित की जा चुकी है।
- जनपदों से विलेज डेवलपमेंट प्लान तैयार कराकर कन्वर्जेन्स व गैप लक्ष्यों को सूचना शासन के संबंधित विभागों को प्रेषित की जा चुकी हैं।
- राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ के माध्यम से क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी प्रमुख कर्मियों का औपचारिक प्रशिक्षण कराया जा चुका है।
- जनपदों के विभिन्न विभागों के अनुश्रवणीय लक्ष्यों का चिह्नीकरण करा लिया गया है।

उत्तर प्रदेश के 24 जनपदों के 260 अनु. जाति बाहुल्य ग्राम योजना में चयनित हैं। योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से रु. 54.60 करोड़ प्राप्त हुए जिससे चयनित ग्रामों में विकास कार्य कराते हुए रु. 35.69 करोड़ धनराशि व्यय करके 140 आदर्श ग्राम के रूप में विकसित कर दिये गये हैं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए योजना के क्रियान्वयन हेतु रु. 87.00 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला मुख्यालय पर विकास भवन तथा विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्डों के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण कराया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में रु. 30.00 करोड़ की व्यवस्था की गयी जिसके सापेक्ष दिनांक 29.12.2018 तक रु. 29.19 करोड़ की स्वीकृतियाँ जारी की जा चुकी हैं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजना के क्रियान्वयन हेतु रु. 30.00 करोड़ का बजट प्रावधान है।

क्षेत्रीय/जिला ग्राम्य विकास संस्थानों के कार्य

1. ग्राम्य विकास कार्यक्रमों से जुड़े हुए सभी स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों के सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक ज्ञान को अद्यावधिक कर इनमें व्यवसायिक क्षमता विकसित करना तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया में दक्ष बनाने के लिये पूर्व सेवाकालीन एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. प्रदेश की क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिये अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये स्थानीय बोलचाल की भाषा एवं परिवेश में प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
3. सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण, केस स्टडी, विकास की क्षेत्रीय आवश्यकताओं का विश्लेषण तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रतिबद्धता एवं समर्पण जैसे गुणों का विकास करना।
4. गोष्ठियों तथा कार्यशालाओं का आयोजन कर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष विचारों/सुझावों को आमंत्रित करना तथा तद्नुसार योजनाओं के लिये दिशा निर्देशक सुझाव प्रस्तुत करना।
5. विकास की विभिन्न योजनाओं का कार्यपरक अध्ययन तथा तथ्यपरक मूल्यांकन करना तथा सफलता एवं असफलता के बिन्दुओं का विश्लेषण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
6. ग्रामीण विकास से सम्बन्धित समस्त योजनाओं तथा ग्रामीण प्रौद्यौगिकी के मुख्य कार्य विधाओं पर निकटवर्ती क्षेत्रों में प्रदर्शन आयोजित करना।
7. ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं के लिये आवश्यकतानुसार परामर्शी सेवाएं प्रदान करना तथा जनसाधारण की कठिनाइयों/समस्याओं को नीति निर्माताओं तक पहुंचाना तथा समस्याओं की ही दिशा में किये जाने वाले प्रयासों को जनसाधारण को बताना।
8. शासन द्वारा संचालित, प्रचलित नये कार्यक्रमों के सम्बन्ध में क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप सन्दर्भ/प्रसार साहित्य का सृजन करना।
9. प्रशिक्षण एवं प्रसार/प्रचार के विभिन्न दृश्य-श्रव्य साधनों का उपभोग करते हुये इनके प्रयोग का प्रशिक्षण देना तथा सरल/सुबोध ढंग से कार्यक्रमों की बातों को जन साधारण में लोकप्रिय बनाना।

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, राजेन्द्र नगर, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश में नवम्बर 1980 में आयोजित एक बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में, उत्तर प्रदेश में राज्य ग्राम्य विकास संस्थान की स्थापना दिनांक 01अप्रैल, 1982 को बख्शी का तालाब, लखनऊ में की गयी। इस संस्थान को प्रदेश में ग्राम्य विकास से सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों एवं कृषि उत्पादन आयुक्त के अधीन सभी विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं परामर्शीय सेवाओं, साहित्य प्रकाशन/प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समन्वय हेतु शीर्ष संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है।

शासनादेश संख्या-5370/38-6-91-51(टी)/टी.सी., दिनांक 13 नवम्बर, 1991 द्वारा राज्य ग्राम्य विकास संस्थान का नाम ''दीनदयाल उपाध्याय ग्राम्य विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान'' कर दिया गया। शासनादेश संख्या-1026/38-6-91-51(टी)/91-टी.सी., दिनांक 30 जुलाई, 1994 द्वारा संस्थान का नाम पुनः परिवर्तित करके ''दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान'' कर दिया गया।

संस्थान के कार्य

- प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये सभी विभागों की शीर्ष नोडल संस्था के रूप में कार्य करना।
- अन्य क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थानों की शीर्षस्थ संस्था के रूप में कार्य करना।
- ग्राम्य विकास से सम्बन्धित अधिकारियों/जनप्रतिनिधियों के लिये अल्पकालिक प्रशिक्षण।
- राज्य स्तरीय/अन्य विविध सेमीनार, कार्यशाला/गोष्ठियों का आयोजन।
- ग्राम्य विकास/प्रशासनिक समस्याओं से सम्बन्धित सूचनाओं का संकलन/प्रसारण एवं उन्हें सम्बद्ध संस्थाओं के उपयोग हेतु उपलब्ध कराना।
- ग्राम्य विकास/प्रशासनिक समस्याओं के संदर्भ में क्रियात्मक अनुसंधान कार्य।
- परामर्शीय सेवाएं उपलब्ध कराना।
- प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था।
- उच्चादेश द्वारा अपेक्षित कार्यक्रमों का अध्ययन/मूल्यांकन।
- प्रचलित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समसामयिक परिवर्तन/संशोधन।
- नये कार्यक्रमों के सम्बन्ध में जिला/मण्डल स्तरीय अधिकारियों के लिये अल्पकालिक प्रशिक्षण सत्रों का प्रयोजन।
- आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना।
- पेयजल एवं स्वच्छता विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- जल संग्रहण विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- सोशल आडिट विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- सहभागी सिंचाई प्रबन्धन विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रम।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में संस्थान द्वारा 41 सत्रों का आयोजन कर 1383 प्रशिक्षणार्थियों को माह-नवम्बर, 2018 तक प्रशिक्षित किया गया।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन

योजना का प्रारम्भ

योजना का प्रारम्भ केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 16 सितम्बर, 2015 को रु. 5142.08 करोड़ के परिव्यय से पूरे भारत में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम) को अनुमोदित किया गया है।

उद्देश्य

राष्ट्रीय रूर्बन मिशन (एनआरयूएम) का उद्देश्य अगले 03 वर्षों में देश भर में 300 ग्रामीण विकास क्लस्टरों का निर्माण करना है। इस मिशन का उद्देश्य स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, आधारभूत सेवाओं में वृद्धि करना और सुव्यवस्थित रूर्बन क्लस्टरों का सृजन करना है।

वित्त पोषण

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजनान्तर्गत सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रूर्बन क्लस्टरों का वित्तपोषण किया जायेगा। ऐसे रूर्बन क्लस्टरों के निर्माण में मदद करने के लिये आवश्यक पूरक वित्तपोषण (सीजीएफ) के रूप में मैदानी क्षेत्रों में प्रति क्लस्टर रु. 30 करोड़ या परियोजना लागत की 30 प्रतिशत तक की राशि, इनमें से जो भी कम हो तथा मरूभूमि, पर्वतीय तथा जनजातीय क्षेत्रों में प्रति क्लस्टर रु. 15 करोड़ या परियोजना लागत की 30 प्रतिशत राशि जो भी कम हो की अतिरिक्त वित्तपोषण सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। योजनान्तर्गत क्रिटिकल गैप फण्डिंग का 60 प्रतिशत अंश केन्द्र सरकार एवं 40 प्रतिशत अंश राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

योजना के मुख्य बिन्दु

- ग्रामीण शहरी अन्तर को समाप्त करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी पर बल देते हुए स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना।
- क्षेत्र में विकास का प्रसार करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना।

योजनान्तर्गत कराये जाने वाले कार्य

- आर्थिक कार्यकलापों से संबंधित कौशल विकास प्रशिक्षण।
- कृषि प्रसंस्करण, कृषि सेवा, भण्डारण और वेयर हाउसिंग।
- डिजिटल साक्षरता।
- हर समय (24 X 7) पाइप द्वारा जलापूर्ति।
- स्वच्छता।
- ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन।
- ठोस अपशिष्ट ट्रीटमेन्ट/वर्मी कम्पोस्ट पिट।
- गांव की नालियां और गलियां बनाना।
- स्ट्रीट लाइट्स।
- पूर्ण रूप से सुसज्जित मोबाइल स्वास्थ्य यूनिट।
- प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का उन्नयन।
- गांव के बीच सड़क सम्पर्क एवं सार्वजनिक परिवहन।
- नागरिक केन्द्रित सेवाएं/ई-ग्राम संपर्कता संबंधी इलेक्ट्रानिक सेवा प्रदायगी के लिए नागरिक सेवा केन्द्र।
- एलपीजी गैस कनेक्शन/विकसित चूल्हे।
- आवश्यकतानुसार अन्य नवोन्मेष कार्य।

पंचायती राज

गाँवों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास से ही प्रदेश का विकास सम्भव है। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम 1947 पारित कर वर्ष 1949 में गाँव सभाओं की स्थापना की गयी। सत्ता के विकेन्द्रीकरण हेतु गठित बलवन्तराय मेहता समिति की संस्तुतियों के आधार पर वर्ष 1961 में प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों का गठन किया गया।

73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में निश्चित समय पर पंचायतों का निर्वाचन सम्पन्न कराने, ग्राम स्तर पर ही आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजनाएं बनाने, अनूसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं तथा पिछड़े वर्गों के लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु उनके लिए आरक्षण सुनिश्चित करने एवं पंचायतों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम 1994 के माध्यम से संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 संशोधित किया गया।

संविधान के 73वें संशोधन के माध्यम से अधिनियम में किए गए प्रावधानों एवं तद्नुसार उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 में की गई व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष के अन्तराल पर पंचायतों के निर्वाचन की व्यवस्था के अनुरूप वर्ष 2015 में ग्राम पंचायतों के चुनाव कराकर उन्हें संगठित कराया गया तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुखों व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्य पदों हेतु निर्वाचन कराये गए। पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों द्वारा आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने एवं उन्हें क्रियान्वित करने का प्रावधान किया गया है ताकि वे क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं तैयार करके उनका क्रियान्वयन कर स्थानीय जनता को अधिकाधिक लाभ पहुँचा सकें।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

केन्द्रीय प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, केन्द्रीय वित्त पोषित सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहायता उपलब्ध कराते हुए व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया जाता है। योजना का क्रियान्वयन वर्ष 1999-2000 में चार जनपदों से प्रारम्भ होकर वर्तमान में

समस्त जनपदों में किया जा रहा है। अभियान का संचालन जनपद स्तर पर जिला पंचायत के नियन्त्रणाधीन जिला स्वच्छता समिति द्वारा किया जाता है। अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में प्रभावी जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा सर्वप्रथम व्यक्तिगत शौचालयों की माँग का सृजन किया जाना है ताकि शौचालयों के निर्माण के उपरान्त उनका उपयोग हो तथा व्यक्तियों में स्वच्छ आदतें भी विकसित हों।

नई योजना स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) दिनाँक 02 अक्टूबर, 2014 से शुरू की गयी है। जिसके द्वारा व्यक्तिगत शौचालयों की इकाई लागत रु. 12,000/- निर्धारित की गयी है, शासनादेश दिनाँक 19.01.2016 के अन्तर्गत फंडिंग पैटर्न निम्नवत् है :-

केन्द्रांश	:	रु. 7200/- 60 प्रतिशत
राज्य सरकार द्वारा राज्यांश	:	रु. 4800/- 40 प्रतिशत
योग - रु.	:	**रु. 12,000/-**

कार्यक्रम के अन्तर्गत उपर्युक्तानुसार शौचालयों की इकाई लागत बढ़ाते हुए ए0पी0एल0 एवं बी0पी0एल0 दोनों परिवारों को लाभान्वित करने की व्यवस्था की गयी है, परन्तु ए0पी0एल0 परिवार के निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले लाभार्थियों के लिए अनुदान की धनराशि अवमुक्त की गयी है :-

1- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति।

2- लघु व सीमान्त किसान।

3- भूमिहीन खेतिहर मजदूर।

4- विकलांग व्यक्ति।

5- वैसा परिवार जिसकी मुखिया महिला हो।

वर्ष 2018-19 में 31 दिसम्बर, 2018 तक भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में रु. 823073.79 लाख तथा राज्य सरकार द्वारा राज्यांश के रूप में रु. 543255.19 लाख अवमुक्त किया गया है, वर्ष 2018-19 में गत वर्ष के शेष सहित कुल रु. 1394881.02 लाख उपलब्ध था, जिसमें से माह दिसम्बर, 2018 तक रु. 1177198.83 लाख का व्यय करते हुये कुल 11451448 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया। वर्ष 2019-20 के लिये रु. 600000.00 लाख (केन्द्रांश व राज्यांश) का आय-व्ययक का प्रावधान किया गया है।

बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण (जिला योजना)

ग्राम पंचायतों के कार्यालयों, उनकी बैठकों के आयोजन तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत अधिकारी आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनके आवास की व्यवस्था का दृष्टिगत रखते हुए पंचायत भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 1000.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया था, जिसमें प्रदेश के 80 पंचायत भवनों का निर्माण कराया जा रहा है।

उक्त योजनान्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 में पंचायत भवन विहीन ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन के निर्माण हेतु कुल रु. 1400.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों का विकास

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास के सम्बन्ध में ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों में नागरिक अवस्थापना उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा अन्त्येष्टि स्थलों के विकास का निर्णय लेते हुए वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 10000.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

डॉ0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना

डॉ0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना चलाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 541.28 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया था, जिसके सापेक्ष धनराशि रु. 306.10 लाख का व्यय किया जा चुका है। आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 404.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना को केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में 60:40 (केन्द्रांशःराज्यांश) के वित्तीय अनुपात में वर्ष 2018-19 से प्रारम्भ किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में योजनान्तर्गत कुल धनराशि रु. 20000.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान के सापेक्ष पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा धनराशि रु. 24924.00 लाख की वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत की गयी है, जिसमें 60 प्रतिशत केन्द्रांश रु. 14954.00 एवं 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में धनराशि रु. 9970.00 लाख सम्मिलित है। आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये धनराशि रु. 21807.50 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

पंचायतीराज विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कार देने की घोषणा की गयी है, जिसके लिये वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रु. 2500.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

प्रत्येक न्याय पंचायत में दो चन्द्र शेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना

प्रदेश की प्रत्येक न्याय पंचायत में पंचायतों के सशक्तिकरण हेतु दो चन्द्र शेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रु. 2000.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

जिला पंचायतों में कांजी हाउसों का निर्माण/स्थापना एवं संचालन

वित्तीय वर्ष 2018-19 में नई माँग/प्रथम अनुपूरक माँग के माध्यम से रु. 1000.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया था। उक्त योजनान्तर्गत आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु रु. 4000.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान

पंचायतों एवं ग्राम सभा की क्षमता व प्रभावशीलता में अभिवृद्धि तथा उनका सुदृढ़ीकरण किये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना को केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में 60:40 (केन्द्रांश : राज्यांश) के वित्तीय अनुपात में वर्ष 2018-19 से प्रारम्भ किया गया है। प्रत्येक वर्ष राज्य द्वारा प्रस्तुत वार्षिक योजना के सापेक्ष राष्ट्रीय स्तर पर योजना की स्वीकृति सेंट्रल एक्सीक्यूटिव कमेटी, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाती हैं।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में योजनान्तर्गत कुल धनराशि रु. 20000.00 लाख का आय- व्ययक प्रावधान के सापेक्ष पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा धनराशि रु. 249.24 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत की गयी है, जिसमें 60 प्रतिशत केन्द्रांश रु. 149.54 करोड़ एवं 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में धनराशि रु. 99.70 करोड़ सम्मिलित है। वर्ष 2018-19 में योजनान्तर्गत ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं के लिये प्रशिक्षण माड्यूल, डाक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण, आई.ई.सी हेतु सन्दर्भ साहित्य, जी.पी.डी.पी. पर पंचायत प्रतिनिधियों/कर्मियों/अधिकारियों/ सन्दर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण, (प्रशिक्षित प्रतिभागी-1,94,745), एक्सपोजर विजिट, पंचायत प्रोत्साहन योजना, राज्य, मंडल एवं जनपद स्तर पर प्रोजेक्ट मैनेजमेण्ट यूनिट की स्थापना, पंचायतों में ई-गवर्नेन्स की स्थापना हेतु सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यथा- प्रिया-सॉफ्ट, नेशनल एसेट डायरेक्ट्री, नेशनल पंचायत पोर्टल, प्लान-प्लस-वी2, एक्शन सॉफ्ट, एम. एक्शन साफ्ट, लोकल गवर्नमेंट डायरेक्ट्री, एरिया प्रोफाइलर के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण का कार्य किया। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 21807.50 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

राज्य वित्त आयोग

पंचायतों की आर्थिक स्थिति त्वरित गति से सुदृढ़ करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुक्रम में प्रदेश के कुल करों की शुद्ध आय का 5.5 प्रतिशत अंश पंचायतों को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 580000.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

14वाँ वित्त आयोग

14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में बेसिक ग्रान्ट की धनराशि रु. 714923.33 लाख का आय-व्ययक प्रावधान था, जिसके सापेक्ष प्राप्त केंद्रांश की धनराशि रु. 714923.33 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 965947.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में परफार्मेन्स ग्रान्ट की धनराशि रु. 90160.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये रु. 118057.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

वित्तीय आवश्यकताओं का स्पष्टीकरण

पंचायती राज विभाग

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र सं	व्यय की मदें	वास्तविक व्यय वर्ष 2017-18	आय-व्ययक वर्ष 2018-19	पुररीक्षित आय-व्ययक वर्ष 2018-19	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2019-20
1.	मतदेय	1501145.40	1718721.28	2838774.09	2197584.28
2.	भारित	-	-	-	-
	योग मतदेय	**1501145.40**	**1718721.28**	**2838774.09**	**2197584.28**
	भारित	-	-	-	-

पंचायती (लेखा) निदेशालय

(धनराशि लाख रुपये में)

क्रम संख्या	व्यय की मदें	वास्तविक व्यय वर्ष 2017-18	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2018-19	पुनरीक्षित अनुमान वर्ष 2018-19	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2019-20
2	आायेजनेत्तर मतदेय	1173.93	1527.57	1527.57	1700.10
	योग	**1173.93**	**1527.57**	**1527.57**	**1700.10**

जिला पंचायतों में वित्तीय नियंत्रण हेतु निदेशक, पंचायती राज लेखा नाम से विभागाध्यक्ष का कार्यालय राज्य स्तर पर स्थापित है। इनके नियंत्रण में जिला पंचायतों में वित्तीय परामर्शदाता/ लेखाधिकारी कार्यरत हैं, जो जिला पंचायतों को वित्तीय मामलों में परामर्श देते हैं और वित्तीय नियंत्रण का कार्य करते हैं। वर्ष 2019-20 में रु. 1700.10 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

राज्य निर्वाचन आयोग

(धनराशि लाख रुपये में)

क्रम संख्या	व्यय की मदें	वास्तविक व्यय वर्ष 2017-18	आय-व्ययक प्रावधान वर्ष 2018-19	पुनरीक्षित अनुमान वर्ष 2018-19	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2019-20
2	मतदेय	1262.21	1548.30	1644.30	6461.71
	योग	**1262.21**	**1548.30**	**1644.30**	**6461.71**

प्रदेश में पंचायतों को संवैधानिक स्तर प्रदान करने, सत्ता के विकेन्द्रीकरण तथा नई पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के प्रयोजन से 73वें संविधान संशोधन की व्यवस्था के अनुपालन में राज्य में तीनों स्तरों यथा- ग्राम, खण्ड एवं जिला स्तर पर पंचायतों के संगठन, संरचना, पंचायतों के स्थानों, पदों के आरक्षण आदि की व्यवस्था लागू की गयी है। पंचायतों के चुनाव समयबद्ध और निष्पक्ष रूप से कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। प्रदेश में वर्ष 2015 में ग्राम प्रधानों, ग्राम पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायत के सदस्यों एवं जिला पंचायत अध्यक्षों तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का निर्वाचन कराया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 1548.30 लाख की पंचायती राज चुनाव हेतु व्यवस्था एवं अधिष्ठान में आय-व्ययक प्रावधान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 6461.71 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक

(धनराशि लाख रुपये में)

क्रम संख्या	व्यय की मदें	वास्तविक व्यय वर्ष 2017-18	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2018-19	पुनरीक्षित अनुमान वर्ष 2018-19	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2019-20
2	मतदेय	95.31	147.69	147.69	4161.63
	योग	**95.31**	**147.69**	**147.69**	**4161.63**

जिला पंचायतों में वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों की समीक्षा किये जाने, जिला पंचायतों पर प्रभावी नियंत्रण रखने तथा पंचायतों का सुदृढ़ीकरण किये जाने के उद्देश्य से शासन स्तर पर जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक का गठन किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 4161.63 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

●

सिंचाई एवं जल संसाधन

मानव जाति के आर्थिक विकास में प्राकृतिक परिस्थितियों एवं भौगोलिक विशेषताओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है। प्रकृति ने मानव के भरण-पोषण हेतु अनेक प्राकृतिक स्रोत भी उपलब्ध कराये हैं, जिनका सदुपयोग कर मानव समाज अधिकाधिक लाभान्वित होने का प्रयत्न करता है। उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतों में जल का प्रमुख स्थान है, जिसके अभाव में केवल मानव ही नहीं वरन् सामान्यतः सम्पूर्ण जीव-जन्तु एवं वनस्पतियों का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाता है। खाद्यान्न उत्पादन हेतु कृषि कार्यों में जल की पूर्ति सामान्यतया वर्षा के जल से ही होती है, किन्तु अनावर्षण, असामयिक अथवा अपर्याप्त वर्षा की स्थिति में समय अनुसार कृत्रिम साधनों द्वारा जल उपलब्ध कराकर उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है एवं सम्भावित क्षति को पर्याप्त मात्रा में कम किया जा सकता है। प्रदेश के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत स्थित है एवं उसके हितकारी प्रभाव के फलस्वरूप प्रचुर जल सम्पदा उपलब्ध है, जिसका सदुपयोग आर्थिक विकास हेतु अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है।

नीति

एक कल्याणकारी शासन प्रणाली में यह निहित होता है कि प्रदेश के कल्याण हेतु ऐसी नीति अपनाई जाये जिसके फलस्वरूप जनता को अधिकाधिक सुविधायें उपलब्ध हो सकें। स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त प्रदेश के सन्तुलित विकास के लिये यह आवश्यक था कि प्रदेश में उपलब्ध जल स्रोतों का कृषि उत्पादन के लिये अधिकाधिक उपयोग किया जाये, भले ही शासन को इस उपयोग में कोई प्रत्यक्ष लाभ न हो सके। अतः प्रदेश के चतुर्मुखी विकास हेतु प्रत्येक अंचल में उपलब्ध सभी स्रोतों का अधिकाधिक उपयोग कर पर्याप्त सिंचन क्षमता सृजित कर उत्पादन में वृद्धि एवं कृषि में स्थिरता लाने हेतु शासन पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत सिंचाई कार्यों के निर्माण पर बल दे रहा है।

दायित्व

प्रदेश में वृहद्, मध्यम एवं राजकीय लघु सिंचाई परियोजनाओं का अनुसंधान एवं निर्माण कर सिंचन सुविधा उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व प्रदेश के सिंचाई विभाग का है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकास योजनाओं तथा पावर कारपोरेशन द्वारा वित्त पोषित जल विद्युत परियोजनाओं के सिविल कार्यों के निर्माण कार्यों का सम्पादन एवं अनुरक्षण भी इसी विभाग के द्वारा किया जाता है। विभाग द्वारा निर्मित एवं अन्य संस्थाओं द्वारा पूर्ण किये गये कार्यों, जो शासन द्वारा स्थानान्तरित किये जाते हैं, के परिचालन एवं अनुरक्षण का कार्य भी सिंचाई विभाग करता है।

सरयू नहर परियोजना

बस्ती, बहराइच, गोण्डा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, संतकबीर नगर, गोरखपुर व महाराजगंज जनपदों के क्षेत्र में सिंचाई साधनों का नितान्त अभाव होने के कारण उस क्षेत्र के 14.00 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय जल आयोग की 72वीं बैठक में सरयू नहर परियोजना को रु. 2765.16 करोड़ की लागत पर अनुमोदित किया गया, तद्नुसार यह परियोजना निर्माणाधीन है। इसके अन्तर्गत घाघरा नदी के बायें तट से 360 घ.मी. प्रति सेकेण्ड क्षमता की 47.135 किमी. लम्बी एक योजक नहर निकाली गयी है, जो घाघरा नदी के पानी को सरयू नदी में लायेगी। सरयू तथा राप्ती नदियों पर एक-एक बैराज बनाया गया है। वहाँ से निकाली गई नहरें उक्त जनपदों में सिंचन सुविधा उपलब्ध करायेंगी। इस परियोजना के अन्तर्गत अयोध्या पम्प नहर, गोला पम्प नहर, उत्तरौला पम्प नहर, डुमरियागंज पम्प नहर 3600 नये नलकूपों व 9000 किमी. नाले का निर्माण एवं साढ़े चार करोड़ वृक्ष लगाने का प्रावधान है, जिससे भू–स्तरीय तथा भूमिगत जलों का सदुपयोग हो सके तथा जलभराव की आशंका न रहे।

इस परियोजना पर कुल 12.00 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। 117 प्रतिशत तीव्रता पर लगभग 9.00 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई खरीफ में तथा 4.8 लाख हे.भूमि की सिंचाई रबी में प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 24000 हे.भूमि में गन्ना उत्पादन को भी प्रश्रय मिलेगा। वर्तमान में सरयू नहर परियोजना के समस्त कार्यों (लखनऊ में सिंचाई संग्रहालय का निर्माण तथा अयोध्या पम्प कैनाल हेतु एप्रोच चैनल के निर्माण को सम्मिलित करते हुये) की परियोजना रु. 7270.32 करोड़ केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार तकनीकी सलाहकार समिति की 103वीं बैठक दिनांक–11.03.2010 तथा राज्य वित्त समिति की बैठक दिनांक–16.07.2010 द्वारा अनुमोदित है। इस परियोजना का वित्त पोषण भारत सरकार के त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। इस परियोजना को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय परियोजना के रूप में सम्मिलित कर लिया गया है। उक्त परियोजना पर कार्यों की पुनरीक्षित लागत रु. 727032.00 लाख है। प्रश्नगत परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अन्तर्गत सम्मिलित है। जिसमें बजट फन्डिंग पैटर्न केन्द्रांश 60 प्रतिशत एवं राज्यांश 40 प्रतिशत निर्धारित है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु इस परियोजना पर रु. 138524.75 लाख का प्रावधान है।

अर्जुन सहायक परियोजना

संक्षिप्त विवरण

परियोजना के अन्तर्गत चौ. चरण सिंह लहचूरा बांध से 73.60 क्यूमेक डिस्चार्ज की अर्जुन फीडर नहर निर्मित की जायेगी, जिससे अर्जुन बांध को पानी दिया जा सकेगा। तत्पश्चात् अर्जुन बांध से 62.32 क्यूमेक डिस्चार्ज की कबरई फीडर नहर निकालकर चन्दावल तथा कबरई बांध को पानी दिया जा सकेगा तथा कबरई बांध की ऊंचाई 9.30 मी. बढ़ाते हुए जल भंडारण क्षमता में वृद्धि की जायेगी। कबरई बांध से 50 किमी. की कबरई मुख्य नहर व 110 किमी. इसकी वितरण प्रणाली द्वारा नये कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति

परियोजना को व्यय वित्त समिति द्वारा दिनांक 24-10-2008 को आहूत बैठक मे रु. 80650.00 लाख की लागत अनुमोदित की गयी थी। श्रमिक, सामग्री एवं भूमि की दरों में वृद्धि होने के कारण परियोजना का पुनरीक्षण वर्ष 2015 की दरों पर धनराशि रु. 259393.04 लाख का किया गया, जिसमें कार्यों की लागत रु. 246568.58 लाख है।

अद्यतन स्थिति

परियोजना कार्यों पर आवंटित धनराशि के अनुरूप सितम्बर 2018 तक 2054.92 हे. भूमि क्रय की जा चुकी है तथा क्रय भूमि पर परियोजना से सम्बन्धित 72 प्रतिशत भौतिक कार्यों को पूर्ण कराया जा चुका है। अवशेष 28 प्रतिशत कार्यों को आवंटन के अनुरूप दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय प्रगति

परियोजना कार्यों को अधिशासी अभियंता, सिंचाई निर्माण खण्ड-कर्वी, मौदहा बांध निर्माण खण्ड-हमीरपुर एवं इस खण्ड द्वारा सम्पादित कराया जा रहा है। परियोजना पर वर्ष 2017-18 हेतु प्राविधानित धनराशि रु. 10000.00 लाख के सापेक्ष रु. 10000.00 लाख का आवंटन माह मार्च, 2018 तक प्राप्त हुआ था, जिसका पूर्ण उपभोग कर परियोजना के कार्य सम्पादित कराये गये। इस प्रकार स्वीकृत परियोजना धनराशि रु. 259393.04 लाख के सापेक्ष माह मार्च, 2018 तक कुल रु. 99065.44 लाख व्यय किया जा चुका है। अवशेष धनराशि रु. 160327.60 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु रु. 74100.00 लाख का निर्माण कार्यक्रम तैयार किया गया है। दिनांक 31.10.2018 तक रु. 32500.00 लाख का धनावंटन प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष रु. 32500.00 लाख का उपभोग करते हुये परियोजना कार्य सम्पादित कराये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु प्रस्तावित धनराशि को पूर्ण आवंटन मानते हुये परियोजना की अवशेष धनराशि रु. 86214.00 लाख को वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक हेतु प्राविधानित किया गया है।

परियोजना से लाभ

परियोजना से जनपद-महोबा, बांदा एवं हमीरपुर के 168 ग्रामों के 149764 कृषक सिंचाई सुविधाओं से लाभान्वित होंगे तथा रबी फसली में 25418 हे. एवं खरीफ फसली में 18963 हे. कुल 44381.00 हे. अतिरिक्त सिंचन क्षमता के सृजन के साथ-साथ महोबा नगर को पेयजल हेतु 20 एम.सी.एम. जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 74578.66 लाख का बजट प्रावधान है।

मध्य गंगा संगठन के अंतर्गत मध्य गंगा नहर परियोजना, द्वितीय चरण

मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) के अंतर्गत वर्षाकाल में गंगा नदी के अतिरिक्त पानी का खरीफ फसली में सिंचन सुविधा उपलब्ध कराने में उपयोग कराना प्रस्तावित है। इसके लिए बिजनौर स्थित मध्य गंगा बैराज के बायें पार्श्व पर पूर्व में निर्मित हेड रेगुलेटर से मुख्य नहर का निर्माण कर गंगा नदी के पानी को इसमे डाईवर्ट कर इस नहर द्वारा पानी का उपयोग किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत

121.80 क्यूमेक क्षमता की 66.20 किमी. लम्बी मुख्य लाईन्ड नहर एवं इससे 50 किमी. लम्बाई की बहजोई शाखा जिसका शीर्ष डिस्चार्ज 60 क्यूमेक तथा 60.00 किमी. लम्बाई की चन्दौसी शाखा जिसका डिस्चार्ज 42.60 क्यूमेक का निर्माण प्रस्तावित है। इस परियोजना के अंतर्गत 1653 किमी. वितरण प्रणाली का निर्माण प्रस्तावित है। परियेजना का कुल सी.सी.ए. 2,25,433 हे. है, जिसके सापेक्ष जनपद अमरोहा, मुरादाबाद एवं सम्भल के 1,46,532 हे. क्षेत्र में सिंचन सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

मध्य गंगा परियोजना (द्वितीय चरण) ए.आई.बी.पी. से वित्त पोषित करने हेतु भारत सरकार के साथ एम.ओ.यू., मूल परियोजना लागत रु. 972.49 करोड़ पर किया गया था। जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर, 2013 में जारी ए.आई.बी.पी. के संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुरूप मार्च, 2013 तक परियोजना पर किये गये व्यय के उपरांत, मूल कार्य लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि पर 20 प्रतिशत वृद्धि स्वीकार करते हुए पुनरीक्षित एम.ओ.यू. कुल रु. 975.31 करोड़ कर दिया गया है, जिसकी वैधता मार्च, 2015 तक थी।

परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई हेतु अन्य कोई नहर प्रणाली उपलब्ध नहीं है तथा कमाण्ड क्षेत्र के 12 विकास खण्डों में से 11 विकास खण्ड ''डार्क ब्लॉक'' श्रेणी के रूप में चिन्हित किए गए हैं। वर्तमान में क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था ट्यूबवेल पर आश्रित है, जो कि निरन्तर गिरते हुए भू-जल स्तर के कारण समुचित/वांछित मात्रा में सिंचाई करने में सक्षम नहीं है। इस परियोजना द्वारा वर्षाकाल में गंगा नदी में उपलब्ध अतिरिक्त जल से उक्त 12 विकास खण्डों में खरीफ की सिंचाई की जाएगी। इससे जहां एक ओर खरीफ की फसलों को सीधे सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, वहीं दूसरी ओर उक्त विकास खण्डों के भू-जल स्तर में भी वृद्धि होगी, जो कि ट्यूबवेल द्वारा रबी की फसलों को भी सिंचन सुविधा उपलब्ध कराने में सहायक होगा।

संशोधित परियोजना लागत रु. 4417.21 करोड़ व्यय वित्त समिति द्वारा दिनांक 07.10.2017 की बैठक में अनुमोदित कर दी गयी है। परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति 22.12.20 को प्रदान की गयी। वित्तीय वर्ष 2018-19 में परियोजना हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्राविधानित धनराशि रु. 1337.56 करोड़ में से रु. 375.93 करोड़ धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है। इसके सापेक्ष माह दिसम्बर तक रु. 346.37 करोड़ का व्यय हो चुका है। परियोजना को भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) के अंतर्गत शामिल करते हुए देश की सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत प्राथमिकता प्रदान की गयी है, जिसे दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। ए.आई.बी.पी., पी.एम.के.एस.वाई. के अंतर्गत वित्त पोषण हेतु नाबार्ड से अनुबन्ध हो चुका है। वितरण प्रणाली से सिंचित होने वाले कमाण्ड क्षेत्र/समादेश क्षेत्र में माइक्रो इरिगेशन से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु रु. 135538.52 लाख का प्रावधान है।

उत्तर प्रदेश वॉटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना (द्वितीय चरण)

उ.प्र. वॉटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग परियोजना प्रथम चरण

- कार्य प्रारम्भ की तिथि 27 मार्च, 2002
- कार्य पूर्ण होने की तिथि 31 अक्टूबर, 2011

परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ एवं जौनपुर जनपदों में पाइलट प्रोजेक्ट के रूप में हैदरगढ़ शाखा नहर (किमी. 22.980 तक) तथा जौनपुर शाखा नहर प्रणालियों के अंतर्गत 3.43 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमाण्ड क्षेत्र में नहरों एवं नालों का पुनरोद्धार/आधुनिकीकरण के कार्य पूर्ण कराये गये हैं। कुल संशोधित स्वीकृत लागत रु. 747.03 करोड़ के सापेक्ष रु. 735.82 करोड़ का व्यय हुआ। उक्त जनपदों में कमाण्ड क्षेत्र में स्थित नालों के अंदर विभिन्न कार्य कराकर ड्रेनेज प्रणाली में सुधार कर जल प्लावन समस्या का भी समाधान किया गया है। सिंचाई विभाग की सूचना प्रबन्ध प्रणली को भी विकसित कर कार्य किया गया है।

उ.प्र. वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना (द्वितीय चरण)

परियोजना से सम्बन्धित रिहैबिलिटेशन एवं आधुनिकीकरण के प्रोजेक्ट रिपोर्ट एण्ड इम्प्लीमेन्टेशन प्लान (पी.आई.पी.) दिनांक 28.01.2013 को व्यय वित्त समिति द्वारा धनराशि रु. 3563.2 करोड़ मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। विश्व बैंक द्वारा परियोजना द्वितीय चरण के कार्यों हेतु रु. 2835.00 करोड़ हेतु अपनी सहमति प्रदान की है। विश्व बैंक तथा भारत सरकार के आर्थिक कार्य विभाग की सहमति से परियोजना के द्वितीय चरण की सहमत लागत 2835 करोड़ के सापेक्ष 70 प्रतिशत (1984 करोड़) का ऋण विश्व बैंक तथा 30 प्रतिशत (851 करोड़) राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है।

लाभान्वित जनपद

परियोजना के अंतर्गत लाभान्वित 16 जनपदों का विवरण निम्न प्रकार है :

- शारदा सहायक कमाण्ड (हैदरगढ़ ब्रान्च किमी. 22.980 डी./एस.)

  जनपद (3 अदद) - बाराबंकी, रायबरेली एवं अमेठी
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र (रोहिनी, जामिनी एवं सजनम बांध कैनाल प्रणाली)

  जनपद (1 अदद) - ललितपुर
- निचली गंगा नहर प्रणाली

  जनपद (12 अदद) - एटा, फिरोजाबाद, कासगंज, मैनपुरी, फर्रूखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर एवं कौशाम्बी

परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्य एवं सम्बन्धित प्रगति

- समानान्तर निचली गंगा नहर (पी.एल.जी.सी.) की क्षमता पुनर्स्थापना के कार्य के अंतर्गत नहर के आंतरिक सेक्शन का कार्य पूर्ण कर नहर को सिंचाई के कार्य हेतु दिनांक 21.06.2014 से संचालित किया जा चुका है। इस कार्य के पश्चात् नहर की क्षमता 4200 क्यूसेक से बढ़कर 6480 क्यूसेक हो गयी है। समानान्तर निचली गंगा नहर की लाइनिंग के कार्यों हेतु 10 लॉट में कुल लागत रु. 1104 करोड़ के अनुबन्ध गठित किये जा चुके हैं। लाइनिंग के कार्य की प्रगति 50 प्रतिशत है। लाइनिंग के पश्चात् समानान्तर निचली गंगा नहर (पी.एल.जी.सी.) की क्षमता 8900 क्यूसेक हो जाएगी।
- हैदरगढ़ शाखा के किमी. 22.98 डाउन प्रणाली के आधुनिकीकरण एवं पुनरोद्धार का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ललितपुर जनपद के अंतर्गत रोहिनी, जामिनी एवं सजनम बांध नहर प्रणालियों के आधुनिकीकरण एवं पुनरोद्धार कार्य हेतु अनुबंध गठित किया गया था, जिसे माह जुलाई, 2015 में पूर्ण होना था। परन्तु ठेकेदार द्वारा मात्र 19 प्रतिशत कार्य कराया गया। वांछित प्रगति न होने के कारण अनुबंध रद्द किया गया। अवशेष कार्यों को 5 लॉटों में पूर्ण करने हेतु अनुबंध किया गया है। कार्य की कुल प्रगति 43 प्रतिशत है।

- शासनादेश सं0 2058/14-27-सिं.4-25 (डब्ल्यू) दिनांक 20.10.2014 के क्रम में सिंचाई विभाग के अंतर्गत फ्लड मैनेजमेंट इन्फारमेशन सिस्टम (एफ.एम.आई.एस.) सेन्टर कमाण्ड सेन्टर न्यू परिकल्प भवन में स्थापित किया जा चुका है। राप्ती बेसिन हेतु फ्लड फोरकास्ट एण्ड इनुनडेशन मेपिंग मॉडल विकसित करने हेतु कन्सलटेन्सी सेवा ली जा रही है, जिसे जून, 2018 में पूर्ण कर लिया गया है। मॉडल विकसित हो जाने के उपरांत राप्ती बेसिन में तीन दिन पूर्व बाढ़पूर्वानुमान किया जाना प्रगति पर है।

- परियोजना अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा परियोजना क्षेत्र (I & II) में 2020 तक कुल 5220 फार्मर वाटर स्कूल स्थापित करने के निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध वर्ष 2016-17 में 240 फार्मर वाटर स्कूल स्थापित एवं एडिप्टिवट्रायल कर किसानों को प्रशिक्षित किया गया। वर्ष 2017-18 हेतु 1160 फार्मर वाटर स्कूल स्थापित किये जा चुके हैं। वर्ष 2018-19 में 2060 फार्मर वाटर स्कूल स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

- परियोजना द्वितीय चरण क्षेत्र में 1024 माइनर लेवल जल उपभोक्ता समिति स्थापित किये जाने के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष अब तक बेतवा संगठन के अंतर्गत बुन्देलखण्ड जिले में 51 माइनर लेवल जल उपभोक्ता समिति, शारदा सहायक संगठन के अंतर्गत बाराबंकी, रायबरेली एवं अमेठी जिले में 264 माइनर लेवल जल उपभोक्ता समिति तथा रामगंगा संगठन के अंतर्गत फर्रूखाबाद एवं कौशाम्बी में 49 जल उपभोक्ता समिति स्थापित की जा चुकी हैं। रामगंगा संगठन के अंतर्गत शेष जनपदों में माह मार्च, 2019 तक जल उपभोक्ता समितियां गठित की जानी प्रस्तावित हैं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक अनुमान में इस परियोजना हेतु रु. 27200.00 लाख का प्रावधान है।

कनहर सिंचाई परियोजना

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की दुद्धीं तहसील अनवरत सूखाग्रस्त रहती है। यहां की जनसंख्या आदिवासी बाहुल्य है तथा सिंचाई का कोई साधन नही है। इस तहसील में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कनहर नदी पर 39.90 मीटर ऊंचा तथा 3.24 किमी. लम्बा बांध बनाकर 0.15 मिलियन एकड़ फीट जल उपयोग करने हेतु कनहर सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है। इस परियोजना में 121.10 किमी. मुख्य नहरें एवं शाखायें तथा 190.00 किमी. लम्बी राजवाहों एवं अल्पिकाओं के माध्यम से 26075 हे. कृषि योग्य क्षेत्र में दोनों फसलों को मिलाकर कुल 35467 हे. क्षेत्र सिंचित करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के क्रियान्वयन से दुद्धी एवं चोपन विकास खण्डों के लगभग 108 ग्रामों के परिवारों की जनसंख्या लाभान्वित होगी तथा सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व में निर्मित 12 बन्धियों को भी अतिरिक्त जल उपलब्ध कराया जाना संभव हो सकेगा।

बदायूँ सिंचाई परियोजना

गंगा नदी एवं रामगंगा नदी के दोआब में स्थित जनपद बरेली की तहसील सदर एवं तहसील आंवला तथा जनपद बदायूँ की तहसील दातागंज व सदर में वर्तमान में नहरों से सिंचाई हेतु कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहां की सिंचाई मुख्यतः भू-जल तथा वर्षा जल पर निर्भर रहती है। विगत कई वर्षों से बदायूँ जनपद के अधिकांश भाग में नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जा रही है। इस कारण से जनपद बदायूँ में एवं जनपद बरेली की आंवला तहसील के अधिकांश भाग में भूगर्भ जल स्तर की स्थिति अत्यंत खराब है, जिससे ग्रीष्म काल में खराब भूगर्भ जल स्तर के कारण अधिकांश नलकूप सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने में प्रायः असफल हो जाते हैं। क्षेत्र में नहरों से खरीफ फसल को सिंचाई सुविधा प्रदन करने के उद्देश्य से बदायूँ सिंचाई परियोजना तैयार की गयी है। परियोजना के अंतर्गत सकल कमाण्ड क्षेत्रफल 66877 हे. (कृषि कमाण्ड का 70 प्रतिशत) है। परियोजना के अंतर्गत रामगंगा बैराज का निर्माण, मुख्य नहर 15.60 किमी., शाखाएं 73.60 किमी. एवं राजवाहे व अल्पिकाएं 380.10 किमी. का निर्माण प्रस्तावित है। बैराज का परिकल्पन 10900 क्यूमेक डिस्चार्ज पर किया गया है। बैराज की लम्बाई 617 मी. है।

परियोजना की कुल लागत आधार मूल्य वर्ष 2011-12 पर रु. 630.04 करोड़ आगणित की गयी थी, जिसे दिनांक 27.04.2012 को व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया गया। उक्त परियोजना 31 मार्च, 2017 तक अवधि में पूर्ण करने हेतु नाबार्ड द्वारा स्वीकृत की गयी थी। परियोजना अब तक प्राप्त आवंटन के सापेक्ष परियोजना की कुल प्रगति अब तक लगभग 63 प्रतिशत है। जिसमें बैराज का निर्माण कार्य अब तक लगभग 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। विगत वर्षों में भूमि की सर्किल दरों में वृद्धि हो जाने व नये शासनादेश के अनुसार प्रतिकर की दर वर्तमान सर्किल दरों के चार गुने का प्रावधान किये जाने के कारण तथा शेड्यूल ऑफ रेट्स के पांच बार पुनरीक्षित होने के कारण तथा परियोजना के पक्के कार्यों के विस्तृत अनुमोदित ड्राइगों के आधार पर सिविल कार्यों की मात्राओं में भी वृद्धि हो जाने के कारण परियोजना की लागत में वृद्धि हो गयी है इस प्रकार पुनरीक्षित परियोजना लागत रु. 2208.22 करोड़ की तैयार कर मार्च, 2016 में अनुमोदन हेतु प्रेषित की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु रु. 6000.00 लाख का प्रावधान है।

जनपद रामपुर में कोसी नहर प्रणाली के विस्तार, रिमोडलिंग एवं आधुनिकीकरण (ई.आर.एम.) के अंतर्गत कोसी नदी पर रामपुर बैराज के निर्माण की परियोजना

जनपद रामपुर में कोसी नहर प्रणाली के स्टेट काल में निर्मित क्षतिग्रस्त वीयर के स्थान पर (ई.आर.एम.) परियोजना के अंतर्गत रामपुर बैराज के निर्माण की परियोजना रु. 216.36 लाख की स्वीकृत हुयी थी। परियोजना के अंतर्गत रामपुर बैराज का निर्माण एवं कोसी नहर प्रणाली की पुनर्स्थापना के कार्य प्रस्तावित हैं। 362 मी. लम्बे कोसी बैराज के साथ ही 197.65 किमी. लम्बी कोसी नहर प्रणाली की पुनर्स्थापना के फलस्वरूप परियोजना से इसकी क्षमता 400 क्यूसेक से बढ़कर 600 क्यूसेक हो जायेगी, जिससे रवी में 8487 हेक्टेयर तथा खरीफ में 13337 हेक्टेयर कुल 21824 हेक्टेयर की सिंचन क्षमता का सृजन होगा। परियोजना पर अभी तक कुल रु. 181.00 करोड़ का व्यय हो चुका है

तथा कार्य प्रगति में है। कार्यों की पुनरीक्षित परियोजना रु. 62690.59 लाख की मुख्य अभियन्ता समिति से स्वीकृत हो चुकी है तथा परियोजना की ई.एफ.सी. प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु रु. 3000.00 लाख का प्रावधान है।

जसराना नवीन नहर परियोजना

जनपद फिरोजाबाद में जसराना तहसील के अन्तर्गत शेखपुर हथवन्त एवं शिकोहाबाद ब्लाक में सेंगर एवं सिरसा नदी के मध्य भाग नहरी सिंचाई सुविधा से वंचित हैं एवं इस क्षेत्र के अधिकांश भाग में भू-जल भी खारा है। फिरोजाबाद शहर में भी पेयजल आपूर्ति हेतु पानी की काफी कमी है। क्षेत्र में नहर द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मा. जनप्रतिनिधियों द्वारा निरन्तर माँग होती रही थी। मा. जनप्रतिनिधियों के अथक प्रयासों से मा. मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत क्षेत्रीय जनता की कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से जसराना नवीन नहर परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

इस परियोजना को मार्च, 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना के क्रियान्वयन से क्षेत्रीय असंतुलन दूर होगा तथा कृषकों के सामाजिक-आर्थिक स्तर में सुधार होगा। क्षेत्र में नहर निर्मित होने एवं चलने से भू-गर्भ जल स्तर में भी आशातीत सुधार आयेगा।

इस परियोजना के अन्तर्गत कार्यों की स्थिति निम्नवत है :

1. मुख्य नहर की लम्बाई 36.120 किमी. के सापेक्ष 36.000 किमी. नहर निर्मित हो चुकी है, शेष .120 किमी. लम्बाई में कार्य प्रगति में हैं।

2. किमी. 0.00 से 21.00 एवं किमी. 22.871 से 27.54 तक लाइनिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। अवशेष रीच में लाइनिंग कार्य प्रगति में है।

3. जसराना फीडर नहर से निकलने वाली शेखपुर हाथवन्त माइनर के हेड से 10.00 तक, जुलाहा माइनर के हेड से किमी. 5.400 तक, प्रतापपुर जखारा माइनर के हेड से किमी. 6.100 तक एवं फरीदा वरौली माइनर के हेड से किमी. 6.500 तक नहर का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस प्रकार इन चार माइनरों की कुल लम्बाई 29.260 किमी. के सापेक्ष 28.00 किमी. लम्बाई में खुदाई का कार्य पूर्ण हो चुका है।

4. मुख्य नहर पर 4 एक्वाडक्ट, एक साइफन एवं 22 पुलों व हैड रेगूलेटर का कार्य पूर्ण हो चुका है।

5. नहर के किमी. 25.200 पर निगम को पानी देने हेतु प्रस्तावित हेड रेगुलेटर कार्य, जुलाहा माइनर एवं शेखपुर हाथवन्त माइनर के हेड रेगुलेटर के निर्माण का कार्य एवं जसराना नवीन नहर के किमी. 25.325 पर क्रास रेगुलेटर के निर्माण के कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

6. अवशेष समस्त कार्य मार्च, 2018 तक कराया जाना प्रस्तावित है।

इस परियोजना की संशोधित लागत रु. 197.7899 करोड़ के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2016-17 तक रु. 150.2479 करोड़ व्यय हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 30.00 करोड़ का धनावंटन प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष अब तक रु. 5.00 करोड़ का व्यय हुआ है। इस प्रकार परियोजना पर अब तक कुल रु. 155.2479 करोड़ व्यय हो चुका है। परियोजना के अंतर्गत कार्य लगभग 94.50 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।

जनपद कन्नौज के विकास क्षेत्र तालग्राम एवं जलालाबाद (डार्कजोन) में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में परियोजना

''जनपद कन्नौज के तालग्राम व जलालाबाद ब्लाक में सतही सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बेवर नहर 150 क्यूसेक क्षमता की प्रणाली से लगभग 30 किमी. नई नहर बनायी जायेगी'' की घोषणा संख्या एवाई-10/ 2015 कम्प्यूटर क्रमाँक जीएच 110001003 मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश द्वारा की गई है।

जनपद कन्नौज के अन्तर्गत छिबरामऊ तहसील के ब्लाक जलालाबाद एवं तालग्राम में सिंचाई विभागीय एवं निजी नलकूपों के माध्यम से हो रही है, जिससे इस क्षेत्र का भूमिगत जल स्तर काफी गिर गया है तथा दोनों ब्लाक डार्कजोन के अन्तर्गत आ गये हैं। जलालाबाद एवं तालग्राम ब्लाक में सी.सी.ए. क्रमशः लगभग 7751 हेक्टे. एवं 27392 हेक्टेयर है।

गंगा नदी पर नरौरा (जनपद बुलन्दशहर) स्थित निर्मित बैराज से निकली निचली गंगा नहर के किमी. 63.33 पर बायें पटरी से बेवर शाखा निकलती है, जिसकी कुल लम्बाई 92.50 किमी. एवं हैड डिस्चार्ज 900 क्यूसेक है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रीस्ट्रक्चरिंग परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत इस शाखा का डिस्चार्ज 900 क्यूसेक से बढ़ाकर 1325 क्यूसेक किया जाना प्रस्तावित है।

जनपद एटा में मोहर घाट पर काली नदी से बैराज बनाकर एक बेवर फीडर चैनल पूर्व से निर्मित है, जिसकी लम्बाई 64.32 किमी. एवं परिकल्पित डिस्चार्ज 350 क्यूसेक है। यह फीडर चैनल बेवर शाखा को किमी. 73.44 पर फीड करती है, यहाँ पर डिस्चार्ज 266 क्यूसेक परिकल्पित है।

परियोजना के अन्तर्गत 75.45 किमी. नई नहरों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, जिसके सापेक्ष 14.000 किमी. में लम्बाई में कार्य प्रगति में है। उक्त परियोजना के अन्तर्गत आपसी समझौते से 121.6765 हेक्टेयर भूमि अर्जित किये जाने का प्रावधान है, जिसके सापेक्ष 47.00 हेक्टेयर भूमि अर्जित कर ली गई है। उक्त नहरों पर प्रस्तावित कुल 137 पक्के कार्यों के सापेक्ष 15 पक्के कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं तथा 06 पक्के कार्य प्रगति में हैं। परियोजना के अन्तर्गत बेवर फीडर के पुनर्स्थापना का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा बेवर फीडर चल रही है। परियोजना के अन्तर्गत शेष कार्य प्रगति में है। परियोजना के कार्य पूर्ण होने पर 3800 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

इस परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवंटित धनराशि रु. 20.00 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु. 61.0154 करोड़ सहित कुल रु. 81.0154 करोड़ व्यय हो चुके हैं। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम त्रैमास हेतु रु. 10.00 करोड़ का धनावंटन प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष रु. 192.00 लाख व्यय हुआ है, परियोजना की भौतिक प्रगति 55.00 प्रतिशत व वित्तीय प्रगति 51.40 प्रतिशत है। अवशेष कार्य प्रगति में है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस परियोजना हेतु रु. 1000.00 लाख का बजट प्रावधान आय-व्ययक अनुमान में उपलब्ध है।

लखनऊ में गोमती नदी का चैनेलाइजेशन

गोमती नदी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मध्य से गुजरती है तथा उसकी जीवन-रेखा है। लखनऊ की जीवन रेखा होने के बावजूद यह नदी अविकसित है तथा इसका पानी भी काफी गन्दा है। विगत वर्षों में भूगर्भ जल के गिरते जल-स्तर एवं जल संसाधनों के अनियमित दोहन से इसके अस्तित्व

पर संकट उत्पन्न हो गया है। गोमती नदी में जल की कमी एवं पर्याप्त बहाव न होने के कारण जलीय प्रदूषण के कारण पर्यावरण को भी गम्भीर हानि हो रही है। वर्तमान में भैंसाकुण्ड के समीप निर्मित बैराज के अपस्ट्रीम में नदी में गऊघाट से पीने के पानी की शहर को आपूर्ति किये जाने के कारण नदी में जल का स्तर बनाये रखा जाता है, जिसके कारण नदी के इस भाग में लगभग 30 वर्ष से कभी सफाई नहीं हो पायी है, जिससे यह भाग एवं इसमें प्रवाहित हो रहा पानी काफी गन्दा हो गया है।

लखनऊ में गोमती नदी का चैनेलाईजेशन (हार्डिंग ब्रिज से वियर तक) की पुनरीक्षित परियोजना जिसकी लागत रु. 1513.51 करोड़ है जो लेखाशीर्षक 4700 के अन्तर्गत व्यय–वित्त समिति से स्वीकृत है। प्रस्तावित परियोजना में गोमती नदी को हार्डिंग ब्रिज से वियर तक डायाफ्राम वाल निर्मित कर चैनेलाईजशन के साथ-साथ नदी के दोनों तटों पर गोमती बैराज के डाउनस्ट्रीम में साइकिल ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक तथा लैण्ड स्केपिंग, रबर डैम, इण्टरसेप्टिंग ट्रंक ड्रेन का निर्माण, ग्रीनरी का कार्य, म्यूजिकल फाण्उन्टेन आदि के कार्य का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त पुलों/बैराज आदि का इल्यूमिनेशन एवं लक्जरी पैसेन्जर बोट का क्रय भी सम्मिलित है। इस पुनरीक्षित परियोजना पर लागत रु. 1513.51 करोड़ के सापेक्ष रु. 1475.194 करोड़ का व्यय हो चुका है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में उक्त परियोजना हेतु रु. 3832.18 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

भौंरट बांध परियोजना

भौंरट बांध परियोजना जनपद ललितपुर के तहसील महरौनी के विकास खण्ड,महरौनी में ग्राम भैरा के समीप जामनी नदी जो कि बेतवा नदी की सहायक नही है, पर वर्तमान जामनी बांध के लगभग 49 किमी. डाउन स्ट्रीम में प्रस्तावित है।

भौंरट बांध परियोजना पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत रु. 21206.49 लाख का बजट प्रावधान है।

केन बेतवा लिंक परियोजना

उ.प्र. एवं म.प्र. के बीच स्थित केन-बेतवा लिंक कमाण्ड में उपलब्ध जल के समुचित उपयोग/ वितरण के सम्बन्ध में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों द्वारा केन्द्र सरकार के तत्वावधान में दिनांक 25.08.2015 को एक एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर हुए। इसके अनुसार म.प्र. एवं उ.प्र. के बीच केन नदी के बटवारे पर सहमति हुई। इस परियोजना को दो फेज में तैयार किया गया। प्रथम फेज के अंतर्गत केन नदी पर दोधन बांध का निर्माण प्रस्तावित किया गया। प्रस्तावित स्थल म.प्र. राज्य के जनपद पन्ना की तहसील बीजापुर में स्थित है। बांध मे जल की उपलब्धता 218.00 टी.एम.सी. आंकलित की गयी है। इसमें से 80.00 टी.एम.सी. बांध के अंदर म.प्र. के उपयोग, 15.00 टी.एम.सी. क्षेत्रीय रिचार्ज को सम्मिलित करते हुए लगभग 123.00 टी.एम.सी. जल उपलब्ध होगा। इस परियोजना का जल दोनों राज्यों के मध्य क्रमशः 60-60 टी.एम.सी. प्राविधानित है। अवशेष जल का उपयोग बांध के नीचे ईकोलॉजिकल व बेतवा वेसिन के लिए किया जाना है।

परियोजना लागत

यह परियोजना वर्ष 2008 के मूल्य पर आगणित लागत रु. 9393.00 करोड़ थी, जो वर्ष 2016 में पुनरीक्षित होकर 18057.08 करोड़ हो गयी है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस परियोजना हेतु रु. 75.00 लाख का बजट प्रावधान है।

बाण सागर बांध परियोजना

उत्तर प्रदेश के पठारी क्षेत्र के बेलन घाटी में स्थित मीरजापुर एवं प्रयागराज जनपद कृषि उपज के दृष्टिगत अत्यन्त पिछड़े जिले हैं। यहाँ की भूमि खेती के लिए बहुत उपजाऊ है परन्तु सिंचाई के पानी की अति आवश्यकता है। इन जनपदों में विश्वसनीय सिंचाई के साधनों की कमी है। बारिश आमतौर पर अक्टूबर एवं नवम्बर महीनों में न के बराबर होती है जिससे खरीफ एवं रबी फसल की उपज कम हो जाती है जिसके कारण संकर बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक आदि का प्रयोग अनावश्यक बढ़ जाता है। सिंचाई संसाधनों का दोहन एवं सिंचाई से कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए घाटी के भीतर सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना ही इस परियोजना का उद्देश्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाणसागर बांध मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोन नदी पर निर्मित है। सोन नदी के पानी को उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले में निर्मित जलाशयों (अदवा, मेजा एवं जिरगो जलाशय) के लिए उपलब्ध कराया जायेगा, जहाँ से यह पानी मीरजापुर और प्रयागराज जिलों के मौजूदा एवं नहरी कमाण्ड क्षेत्र में उपयोग किया जायेगा।

बाणसागर परियोजना तीन राज्यों अर्थात म.प्र., उ.प्र. एवं बिहार के द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित करायी जाने वाली एक बहुउद्देशीय परियोजना है। बाण सागर परियोजना योजना आयोग के पत्र संख्या-II-2(28)/77-1 एण्ड सी.ए.डी., दिनांक 10.08.1978 द्वारा अनुमोदित किया गया था। तदुपरांत 16 सितम्बर, 1973 को म.प्र., उ.प्र. एवं बिहार राज्य द्वारा आपसी समझेते पर हस्ताक्षर किये गये। इस समझौते के अनुसार बाणसागर परियोजना (बांध एवं संयुक्त जल वाहिनी की पुनर्वास लागत सहित) की लागत के लिए लाभार्थी राज्यों द्वारा साझा एवं उपयोग किये जाने वाले पानी की मात्रा के अनुपात (2:1:1) में वहन किया जायेगा। उ.प्र. के हिस्से में जल वितरण निम्नानुसार है :-

बाणसागर जलाशय से	- 1234 एम.सी.एम.	(1.00 एम.ए.एफ.)
कनहर सब-बेसिन से	- 309 एम.सी.एम.	(0.25 एम.ए.एफ.)
योग :	1533 एम.सी.एम.	1.25 एम.ए.एफ.

बाणसागर जलाशय से उ.प्र. के हिस्से का पानी अर्थात 1234 एम.सी.एम. के सापेक्ष 271 एम.सी.एम. (0.22 एम.ए.एफ.) जल पहले से ही सोन पम्प कैनाल के माध्यम से उपभोग किया जा रहा है, जो कि योजना आयोग द्वारा दिनांक 23.02.1974 द्वारा अनुमोदित किया गया था, शेष 963 एम.सी.एम. (0.78 एम.ए.एफ.) बाणसागर पोषक नहर के माध्यम से म.प्र. द्वारा उ.प्र. को पानी दिया जायगा। म.प्र. द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले 963 एम.सी.एम. पानी से मौजूदा सिंचाई के अलावा प्रयागराज एवं मीरजापुर जिलों में अतिरिक्त क्षेत्र 150132 हे. की सिंचाई के लिए उपयोग किया जायेगा।

बाणसागर बांध, संयुक्त जल वाहिनी लम्बाई 22.00 किमी. क्षमता 185 क्यूमेक, संयुक्त पोषक नहर (सिंहावल) लम्बाई 15.24 किमी. क्षमता 72.74 क्यूमेक का निर्माण कार्य म.प्र. सरकार द्वारा निष्पादित किया गया है। उ.प्र. सरकार द्वारा 16.03.1973 के समझौते के आधार पर अंशदान का भुगतान म.प्र. सरकार को किया गया है। उ.प्र. सरकार द्वारा 71.494 किमी. लम्बी बाणसागर पोषक नहर क्षमता 46.46 क्यूमेक जिसमें 2.047 किमी. लम्बी सुरंग क्षमता 46.46 क्यूमेक, अदवा मेजा लिंक नहर, मेजा जिरगो लिंक नहर, मेजा कोटा पोषक नहर का निर्माण एवं जल के कुशल उपयोग के लिए मीरजापुर व प्रयागराज जिले के मौजूदा नहर प्रणाली के पुनरोद्धार का कार्य सम्मिलित है।

इस परियोजना के कार्यों को 03/2019 तक पूर्ण होना प्रस्तावित है, जिसमें कार्यों की लागत रु. 3242.5138 करोड़ (म.प्र. सरकार का अंशदान रु. 469.76 करोड़ सम्मिलित) है। रु. 3148.91 करोड़ माह 03/2018 तक विभिन्न मदों पर खर्च किया जा चुका है। पुनरीक्षित परियोजना वर्ष 2018-19 तक समग्र रूप से पूर्ण करने के लक्ष्य के साथ बनायी गयी है, जिससे 150132 हे. अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित होगी। परियोजना पूर्ण होने पर इसके कमाण्ड में 5.54 लाख टन अनाज के उत्पादन में वृद्धि होगी तथा प्रति वर्ग रु. 887.18 करोड़ का लाभ होगा, जबकि प्रति हे. सिंचाई लागत केवल रु. 228492.32 होगी। परियोजना में से हटाये गये कार्यों की एक अलग से परियोजना प्रस्तावित की जा रही है।

लघु डाल सिंचाई योजना

राजकीय लघु सिंचाई उठाऊ योजनाएं

सिंचाई साधनों में उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु भूजल एवं सतही जल सिंचाई परियोजनाओं के सृजन एवं निर्माण हेतु सिंचाई (यांत्रिक) विभाग निरन्तर प्रयासरत है। प्रदेश में राजकीय नलकूपों के निर्माण की विभिन्न परियोजनाएं वर्तमान में प्रचलित हैं। जिसके द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों के सीमान्त एवं लघु कृषकों को सिंचाई हेतु जल की उपलब्धता उनकी फसल एवं सुविधानुसार मुफ्त प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजकीय लघु सिंचाई के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं हेतु धनराशि रु. 51557.64 लाख की बजट व्यवस्था से निर्माण एवं आधुनिकीकरण के कार्य प्रगति पर हैं।

राजकीय लघु सिंचाई उठाऊ योजनाएं

प्रदेश के प्रत्येक अंचल में वृहद एवं मध्यम योजनाओं के अंतर्गत नहर प्रणलियों द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है। इनके अतिरिक्त जिन स्थानों पर राजकीय नलकूपों का निर्माण किया जाना तकनीकी रूप से साध्य नहीं है, वहां सिंचाई हेतु जल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लघु डाल सिंचाई की व्यवस्था ही एकमात्र विकल्प है, जिस हेतु लघु डाल नहरों का निर्माण महत्त्वपूर्ण है। वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 250 लघु डाल नहरों द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

कार्यरत लघु डाल नहरों का आधुनिकीकरण

वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 1800.00 लाख की प्रस्तावित बजट व्यवस्था से 2.00 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना हेतु आधुनिकीकरण का कार्य प्रगति पर है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 1800.00 लाख का बजट लघु डाल नहरों के आधुनिकीकरण के कार्यों हेतु व्यवस्थित है।

देउम पम्प नहर परियोजना (नाबार्ड पोषित)

जनपद प्रतापगढ़ में देउम पम्प नहर परियोजना (नाबार्ड पोषित) क्षमता 40 क्यूसेक, लागत रु. 1728.59 लाख है। परियोजना के पूर्ण हो जाने पर 1300 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन होगा। वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त परियोजना के अन्तर्गत धनराशि रु. 1158.00 लाख व्यय हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में धनराशि रु. 478.59 लाख से परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में धनराशि रु. 92.00 लाख का बजट परियोजना के अवशेष कार्यों के निर्माण हेतु व्यवस्थित है।

अदसड न्यू पम्प नहर परियोजना (नाबार्ड पोषित)

जनपद चन्दौली में अदसड न्यू पम्प नहर परियोजना (नाबार्ड पोषित) क्षमता 50 क्यूसेक, लागत रु. 3733.80 लाख है। परियोजना के पूर्ण हो जाने पर 2679 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन होगा। वित्तीय वर्ष 2017-18 तक उक्त परियोजना पर धनराशि रु. 2050.00 लाख व्यय हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में धनराशि रु. 1000.00 लाख की प्राविधानित बजट व्यवस्था से परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में धनराशि रु. 685.80 लाख का बजट परियोजना के अवशेष कार्यों के निर्माण हेतु व्यवस्थित है।

चारी न्यू पम्प नहर परियोजना (नाबार्ड पोषित)

जनपद चन्दौली में चारी न्यू पम्प नहर परियोजना (नाबार्ड पोषित) क्षमता 50 क्यूसेक, लागत धनराशि रु. 3277.39 लाख है। परियोजना के पूर्ण हो जाने पर 2347 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन होगा। वित्तीय वर्ष 2017-18 तक उक्त परियोजना के अन्तर्गत धनराशि रु. 2530.52 लाख व्यय हुआ है। इस परियोजना का वित्तीय वर्ष 2018-19 में ही पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में धनराशि रु. 746.87 लाख की प्राविधानित बजट व्यवस्था से परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

धुरियाघाट पम्प नहर परियोजना (नाबार्ड पोषित)

जनपद मिर्जापुर में धुरियाघाट पम्प नहर परियोजना (नाबार्ड पोषित) क्षमता 20 क्यूसेक, लागत धनराशि रु. 1393.24 लाख है। परियोजना के पूर्ण हो जाने पर 2040 हेक्टेयर सिंचन क्षमता का सृजन होगा। वित्तीय वर्ष 2017-18 तक उक्त परियोजना के अंतर्गत धनराशि रु. 858.00 लाख व्यय हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में धनराशि रु. 243.24 लाख की प्राविधानित बजट व्यवस्था से परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में धनराशि रु. 292.00 लाख का बजट परियोजना के अवशेष कार्यों के निर्माण हेतु व्यवस्थित है।

12 लघु डाल नहरों पर ब्रिक लाइनिंग की परियोजना (नाबार्ड पोषित)

जनपद वाराणसी में 12 लघु डाल नहरों पर ब्रिक लाइनिंग की परियोजना (नाबार्ड पोषित) लागत धनराशि रु. 1307.21 लाख है। वित्तीय वर्ष 2017-18 तक उक्त परियोजना के अन्तर्गत धनराशि रु. 1100.00 लाख व्यय हुआ है। इस परियोजना का वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में धनराशि रु. 207.21 लाख की प्राविधानित बजट व्यवस्था से परियोजना का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

डॉ. राम मनोहर लोहिया राजकीय नलकूप आधुनिकीकरण परियोजना (नाबार्ड पोषित)

डॉ. राम मनोहर लोहिया राजकीय नलकूप आधुनिकीकरण परियोजना के अंतर्गत 6000 राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण (नाबार्ड पोषित) की लागत रु. 24340.68 लाख है। इस परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के 67 जनपदों में राजकीय नलकूपों पर आधुनिकीकरण का कार्य होगा। परियोजना का वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूर्ण होना प्रस्तावित है। परियोजना के पूर्ण होने पर 30.00 हजार हे. सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना होगी। परियोजना का वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूर्ण होना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2017-18 तक उक्त परियोजना पर रु. 18860.00 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। वित्तीय वर्ष

2018-19 में उक्त परियोजना हेतु रु. 3790.00 लाख की बजट व्यवस्था से राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में उक्त परियोजना के अवशेष राजकीय नलकूपों का आधुनिकीकरण कार्यों हेतु धनराशि रु. 1718.68 लाख की बजट व्यवस्था व्यवस्थित है।

डॉ. राम मनोहर लोहिया नवीन राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना (नाबार्ड पोषित)

(1) सामान्य

डॉ. राम मनोहर लोहिया नवीन राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना (नाबार्ड पोषित) के अंतर्गत 2000 नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की लागत रु. 57310.56 लाख है। इस परियोजना के अंतर्गत 1.00 क्यूसेक, 50 हे. सी.सी.ए. क्षमता के नलकूपों का निर्माण होगा। इस परियोजना के पूर्ण होने पर 100.00 हजार हे. सिंचन क्षमता का सृजन प्रस्तावित है। परियोजना का वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूर्ण होना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2017-18 तक उक्त परियोजना पर रु. 7132.33 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में उक्त परियोजना हेतु रु. 25000.00 लाख की बजट व्यवस्था से नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में उक्त परियोजना हेतु रु. 18378.23 लाख का बजट परियोजना के अवशेष नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण कार्यों हेतु व्यवस्थित है।

(2) स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान

डॉ. राम मनोहर लोहिया नवीन राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना के अंतर्गत नाबार्ड से वित्त पोषित नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण में से स्पेशल कम्पोनेन्ट के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंततक तक धनराशि रु. 5469.68 लाख से 289 राजकीय नलकूपों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में उक्त परियोजना हेतु रु. 5300.00 लाख की बजट व्यवस्था से 216 नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

नवीन राजकीय नलकूपों का निर्माण/लगाना (मा. मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं/सन्दर्भों की पूर्ति हेतु)

प्रदेश में कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की प्राथमिकता के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं एवं विभिन्न सन्दर्भों की पूर्ति हेतु नवीन राजकीय नलकूप निर्माण परियोजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपद बरेली के आंवला में 27 राजकीय नलकूप, जनपद गोरखपुर में 50 राजकीय नलकूप, जनपद कानपुर देहात में 15 राजकीय नलकूप, जनपद चन्दौली में 36 राजकीय नलकूप, जनपद रामपुर में 31 राजकीय नलकूप, जनपद सिद्धार्थनगर में 04 राजकीय नलकूपों का निर्माण कार्य प्राविधानित बजट धनराशि रु. 3500.00 लाख के सापेक्ष प्रगति पर है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं एवं विभिन्न सन्दर्भों की पूर्ति हेतु धनराशि रु. 3500.00 लाख का बजट नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण कार्यों हेतु व्यवस्थित है।

बाढ़ प्रबंधन कार्य

बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं

उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 240.96 लाख हेक्टेयर है। प्रदेश का लगभग 73.36 लाख हे. क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, जो देश में प्रभावित क्षेत्र 346.16 लाख हे. का लगभग 21 प्रतिशत

है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के सापेक्ष 14.64 लाख हेक्टेयर वन व अन्य क्षेत्र तथा 58.72 लाख हे. को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। अब तक प्रदेश में बाढ़ से सुरक्षा हेतु लगभग 523 अदद कुल तटबंध कुल लम्बाई 3868 किमी. एवं 1380 अदद कटाव निरोधक कार्य (स्टड, स्पर, पिचिंग, डैम्पनर इत्यादि) का निर्माण किया जा चुका है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश के कुल 22.98 लाख हे. क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षित किया जा रहा है, जबकि लगभग 35.74 लाख हे. क्षेत्र अभी सुरक्षित किया जाना है।

वार्षिक योजना (2018-19)

वार्षिक योजना 2018-19 में चलित परियोजनाओं हेतु रु. 1104.3180 करोड़ का पुनरीक्षित बजट प्रावधान स्वीकृत है, जिसमें से भारत सरकार के बाढ़ प्रबन्धन एवं सीमा क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत रु. 264.2161 करोड़ की बजट व्यवस्था स्वीकृत है, उक्त बजट व्यवस्था के सापेक्ष अब तक रु. 86.54244 करोड़ का आवंटन किया गया। नाबार्ड पोषित मद के अंतर्गत रु. 253.92 करोड़ की बजट व्यवस्था स्वीकृत है, उक्त बजट व्यवस्था के सापेक्ष अब तक रु. 120.8664 करोड़ का आवंटन किया गया एवं राज्य पोषित मद के अंतर्गत रु. 586.1819 करोड़ की बजट व्यवस्था स्वीकृत है, उक्त बजट व्यवस्था के सापेक्ष अब तक रु. 319.8549 करोड़ का आवंटन किया गया। दिनांक 31.01.2019 तक कुल रु. 827.26374 लाख का आवंटन किया गया। वर्ष 2018-19 में कुल 228 बाढ़ परियोजनाएं चालू हैं, जिनमें से 100 परियोजनाएं इसी वर्ष एवं शेष 128 परियोजनाएं वर्ष 2019-20 में पूर्ण की जानी प्रस्तावित हैं। इसके अतिरिक्त इस वर्ष 75 नई बाढ़ परियोजनाएं जिनकी लागत रु. 500.36 करोड़ है, स्वीकृत की गई है जिन्हें अगले वर्ष 2019-20 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। नेपाल राष्ट्र की 15 नई परियोजनायें लागत रु. 62.72 करोड़ भी इसी वर्ष स्वीकृत की गई हैं, जिसके व्यय की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। ये परियोजनायें भी अगले वर्ष 2019-20 में पूर्ण की जानी प्रस्तावित है।

कुलपहाड़ स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली

चित्रकूट राजस्व मण्डल, बांदा के अंतर्गत जनपद महोबा में तहसील-कुलपहाड़ अत्यंत पिछड़ी तहसील है। कुलपहाड़ देहात क्षेत्र के समीपवर्ती क्षेत्र में वर्तमान में कोई क्रियाशील सिंचाई परियोजना नहीं है। प्रभावित ग्रामवासियों द्वारा इस क्षेत्र में सिंचाई हेतु एक परियोजना बनाने की प्रबल मांग की गयी है।

इस क्षेत्र मे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अर्जुन जलाशय से सबमर्सिबल पम्प लगाकर स्प्रिंकलर प्रणाली का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। जहां से डिस्ट्रीब्यूशन पाइप लाइन द्वारा रबी एवं खरीफ फसलों हेतु 1350 हे. क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

प्रस्तावित परियोजना में अर्जुन जलाशय में गिरने वाले प्राकृतिक नाले पर एकल चरण में सोलर एनर्जी से चलित पक्का पम्प हाउस का निर्माण प्रस्तावित है। इस योजना से कुलपहाड़, सुगिरा, बागौल, भटेवरा, सोनकपुरा, सेलाखालसा, भिलौनी तथा रमपुराकदीम आदि ग्राम लाभान्वित होंगे।

उक्त योजना की लागत रु. 7648.86 लाख है तथा प्रति हे. लागत रु. 2.83 लाख लगभग आती है। इस योजना से क्षेत्र के कृषक लाभान्वित होंगे तथा खाद्यान्न उत्पादन में अच्छी वृद्धि होगी। उक्त परियोजना का वित्त पोषण बुंदेलखण्ड पैकेज के अंतर्गत स्वीकृत है तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार द्वारा पूर्ण केन्द्रांश निर्गत है। उक्त परियोजना अनुदान संख्या-40 नियोजन विभाग के अंतर्गत

रु. 7649.00 लाख, नीति आयोग द्वारा अनुमोदित है। प्रमुख सचिव (नियोजन) उ.प्र. शासन के पत्रांक-24/2018/114 बी.पी/35-1-2018, दिनांक 29.08.2018 द्वारा रु. 5000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है, जिसके सापेक्ष पूर्ण बजट आवंटन किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 2649.00 लाख का बजट प्रावधान है।

मसगांव एवं चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली

चित्रकूट राजस्व मण्डल, बांदा के अंतर्गत जनपद हमीरपुर में स्थित मौदहा बांध से निकली मौदहा बांध मुख्य नहर के कमाण्ड एरिया में सिंचाई की जाती है। मौदहा मुख्य नहर के किमी. 22.30 पर स्थित मसगांव एवं चिल्ली ग्रामों के लगभग 300.00 हे. रकबे की नहर से सिंचाई नही हो पाती है।

उक्त परियोजना का वित्त पोषण बुंदेलखण्ड पैकेज के अंतर्गत स्वीकृत है तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में पूर्ण केन्द्रांश भारत सरकार का है। उक्त परियोजना अनुदान संख्या-40 नियोजन विभाग के अंतर्गत रु. 1824.00 लाख नीति आयोग द्वारा अनुमोदित है। प्रमुख सचिव (नियोजन) उ.प्र. शासन के पत्रांक-24/2018/114बी.पी./35-1-2018, दिनांक 29.08.2018 द्वारा रु. 1000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है, जिसके सापेक्ष पूर्ण बजट आवंटन किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 824.00 लाख का बजट प्रावधान है।

शहजाद स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना

जनपद ललितपुर के वर्तमान में सिंचाई से वंचित पारौन, रजपुरा, बरौदा डांग, बसवाहा आदि ग्राम समूह के लिए शहजाद बांध स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना तैयार की गयी है।

शहजाद बांध को पूर्ण क्षमता तक भरे जाने से उपलब्ध अतिरिक्त संचित पानी से जनपद ललितपुर के वर्तमान में सिंचाई से वंचित पारौन, रजपुरा, बरौदा डांग, बसवाहा आदि ग्राम समूह के लिए शहजाद बांध स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना द्वारा रबी फसली से लगभग 1014 हे. एवं खरीफ फसली में 726 हे. सिंचाई संभव हो सकेगी।

उक्त परियोजना अनुदान संख्या-40 नियोजन विभाग के अंतर्गत रु. 8988.00 लाख नीति आयोग द्वारा अनुमोदित है। प्रमुख सचिव (नियोजन) उ.प्र. शासन के पत्रांक-24/2018/114बी.पी./35-1-2018, दिनांक 29.08.2019 द्वारा रु. 5000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी हुई है, जिसके सापेक्ष पूर्ण बजट आवंटन किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 3988.00 लाख का बजट प्रावधान है।

पशुधन

पशुपालन विभाग की स्थापना वर्ष 1944 में की गयी, जिसमें पशुधन एवं चारा विकास के कार्यक्रमों को कृषि विभाग में सम्मिलित किया गया। वर्तमान में प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ करने तथा वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुनी किये जाने के उद्देश्य से विभागीय कार्यक्रमों को स्वरोजगार के माध्यम से जोड़कर कृषि के साथ-साथ पशुपालन वृहत्तर योगदान कर रहा है। पशुधन विकास के चार प्रमुख आयाम– उन्नत पशु प्रजनन, पशु स्वास्थ्य, पशु प्रबन्धन एवं पशु पोषण एवं स्वदेशी पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में समग्र प्रयास, पशुधन के चहुँमुखी विकास का प्रमुख आधार है। वर्ष 1999 में पशु विकास को गति प्रदान करने हेतु उ.प्र. पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना एवं गो-सेवा आयोग का गठन किया गया। देश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।

पशुपालन विभाग की संरचना

प्रदेश में प्रथम बार पशुपालन विभाग के अंतर्गत 2 निदेशक के पद सृजित हैं एवं दोनों निदेशक यथा- निदेशक (प्रशासन एवं विकास) तथा निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र) अपने-अपने पदों पर पदासीन हैं। दोनों निदेशकों को विभिन्न योजनाओं की संरचना, स्वीकृति एवं कार्य क्रियान्वयन में सहयोग हेतु चार अपर निदेशक (ग्रेड-1), एक वित्त नियंत्रक एवं एक संयुक्त निदेशक (प्रशासन) का पद भी सृजित है।

मुख्य उद्देश्य

विभाग मुख्य रूप से निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु क्रियाशील है -

1. प्रदेश में दूध, अण्डा, ऊन एवं मांस उत्पादन में वृद्धि कर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना।
2. समन्वित पशु स्वास्थ्य सुरक्षा एवं चिकित्सा कार्यक्रमों की क्षमता का उपयोग कर पशुओं को स्वस्थ रखना। विभिन्न पशु महामारियों के नियंत्रण एवं उन्मूलन हेतु समग्र एवं सघन प्रयास करना।
3. पशुधन एवं कुक्कुट विकास के क्षेत्र में उद्यमिता का विकास किया जाना।
4. प्रदेश के लिए निर्धारित पशु प्रजनन नीति के अनुसार उन्नत प्रजनन एवं कार्यक्रम का संचालन करना।
5. विभिन्न लघु पशुओं (भेड़/बकरी/सूकर आदि) का विकास एवं लघु पशु उत्पादन क्षेत्र में स्वरोजगार का सृजन एवं गरीब ग्रामीणों का आर्थिक स्वावलम्बन सुनिश्चित करना।
6. पशुधन हेतु पर्याप्त चारे एवं पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
7. गरीबी उन्मूलन एवं भुखमरी को समाप्त करने हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाना।
8. गौशालाओं का विकास करना, गोवंशीय पशुओं की अवैध तस्करी/परिवहन को रोकने एवं गोवध निवारण अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सहयोग प्रदान करना।

9. महिला सशक्तिकरण, लिंग भेद एवं असमानता मुक्त करने हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाना।
10. पशुपालन विभाग के कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना।
11. उद्यमिता विकास से सम्बन्धित योजनाओं को संचालित करना।
12. डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं को संचालित करना।

पशुपालन विभाग के प्रमुख कार्यक्रम :-

1. पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें। 2. गाय एवं भैंस विकास। 3. कुक्कुट विकास। 4. भेड़-बकरी विकास। 5. सूकर विकास। 6. अन्य पशुधन विकास। 7. चारा और चरागाह विकास। 8. गौशाला एवं गो सदनों का विकास। 9. गो सेवा आयोग का सुदृढ़ीकरण। 10. पशुपालन प्रचार एवं प्रसार का कार्यक्रम। 11. प्रशासनिक अन्वेषण एवं सांख्यकीय। 12. बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनाएं। 13. उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद का कार्यान्वयन। 14. उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम के अन्तर्गत पशुपालन कार्यक्रम। 15. वेटनरी काउन्सिल का कार्यान्वयन। 16. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनाएं 17. राष्ट्रीय गोकुल मिशन की योजनायें।

उपलब्धियाँ

- वर्ष 2017-18 में उत्तर प्रदेश 290.52 लाख मीट्रिक टन दुग्ध उत्पादन कर देश में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2018-19 में अद्यतन 369.46 लाख मीट्रिक टन (अनन्तिम) दुग्ध का उत्पादन किया गया है।
- वर्ष 2017-18 में 24398.047 लाख अण्डों का उत्पादन किया गया था। वर्ष 2018-19 अद्यतन 32105.50 लाख (अनन्तिम) अण्डों का उत्पादन किया गया है।
- वर्ष 2018-19 में कुक्कुट विकास नीति के अंतर्गत कामर्शियल लेयर्स फार्मिंग योजनान्तर्गत (30,000 पक्षी की एक इकाई) 235 इकाइयां क्रियाशील हैं, जिनसे अद्यतन परियोजना के आरम्भ से 58600.28 लाख अण्डे उत्पादित हुए हैं।
- वर्ष 2018-19 में कामर्शियल लेयर्स फार्मिंग योजनान्तर्गत (10,000 पक्षी की एक इकाई) वर्तमान समय में प्रदेश में 218 इकाइयां क्रियाशील हैं, जिनसे अद्यतन परियोजना के आरम्भ से 7666.32 लाख अण्डे उत्पादित हुए हैं।
- वर्ष 2018-19 में ब्रायलर पैरेन्ट फार्म योजनान्तर्गत (10,000 पक्षी की इकाई) 15 इकाइयां क्रियाशील हैं, जिनसे अद्यतन परियोजना के आरम्भ से 82.00 लाख चूजे उत्पादित हुए हैं। इस नीति के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में क्रमिक 8.40 लाख अतिरिक्त चूजे प्रति माह उत्पादित हो रहे हैं।
- प्रदेश में 81.22 लाख अतिरिक्त अण्डा प्रतिदिन उत्पादित हो रहे हैं तथा 61900 व्यक्तियों को रोजगार मिला है। योजनान्तर्गत अद्यतन प्रदेश में 807.925 करोड़ का निवेश हुआ है।
- बैकयार्ड कुक्कुट योजनान्तर्गत निर्धन व्यक्तियों को भोजन मे पोषक तत्व (प्रोटीन) पूर्ति हेतु अण्डा एवं कुक्कुट मांस का उत्पादन करना एवं स्वरोजगार सृजित करना योजना का मूल उद्देश्य है। वर्ष 2017-18 में 15000 बैकयार्ड कुक्कुट इकाइयों की स्थापना की गयी है। वर्ष 2018-19 में 15000 बैकयार्ड कुक्कुट इकाइयों की स्थापना किया जाना लक्षित था, जिसके

सापेक्ष 10800 कुक्कुट इकाइयां स्थापित की गयी हैं।

- जन-समस्याओं एवं शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु पशुधन समस्या निवारण केन्द्र की स्थापना की गयी है, जिसका टोल फ्री नं0 18001805141 एवं 0522-2741991 है।
- वर्ष 2017-18 में 130 लाख कृत्रिम गर्भाधान किया जाना लक्षित था, जिसके सापेक्ष 126.49 लाख कृत्रिम गर्भाधान किये गये हैं। वर्ष 2018-19 में 160 लाख कृ0ग0 किया जाना लक्षित है, जिसके सापेक्ष अद्यतन 84.50 लाख की क्रमिक पूर्ति माह दिसम्बर तक की गयी है।
- वर्ष 2017-18 में पशु बन्ध्याकरण एवं चिकित्सा क्रमशः 15.81 एवं 318.08 लाख के लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति क्रमशः 17.43 एवं 370.88 लाख किया गया है। वर्ष 2018-19 में पशु बन्ध्याकरण एवं चिकित्सा क्रमशः 27.50 एवं 33.98 लाख के लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति क्रमशः 10.23 एवं 202.47 लाख किया गया है।
- मुंहपका-खुरपका टीकाकरण किया जा रहा है। वर्ष 2017-18 में 953.00 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया था। अद्यतन वर्ष 2018-19 के प्रथम चरण में 476.00 लाख तथा द्वितीय चरण 15 मार्च, 2019 से प्रारम्भ किया जाएगा
- गोकुल ग्राम मिशन अंतर्गत 176 भ्रूण गायों में प्रत्यारोपित किये गये, जिनसे उच्च आनुवांशिक गुणवत्ता युक्त साहीवाल नस्ल के कुल 40 पशु गर्भित पाये गये (6 गभित गायों में एबार्शन एवं 22 गाय ब्याने की प्रक्रिया में हैं) जिनसे अद्यतन 07 नर व 05 मादा संततियां प्राप्त हुई हैं।
- प्रदेश के निराश्रित/बेसहारा गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष 68 जनपदों में एक-एक वृहद गो-संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जा रही है।
- प्रदेश में बुन्देलखण्ड क्षेत्र मे निराश्रित गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु बुन्देलखण्ड के प्रत्येक जनपद में कम से कम 05 गो-आश्रय स्थल स्थापित किये जा रहे हैं।
- पशुपालक/किसान के पशुओं की मृत्यु की दशा में होने वाली क्षति के सापेक्ष पशुधन बीमा से आर्थिक सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है। योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 से अब तक 2.04 लाख पशुओं का बीमा किया गया है। वर्ष 2018-19 में 1.06 लाख पशुओं का बीमा किया जाना लक्षित है।
- रूरल बैक्यार्ड पोल्ट्री डेवलपमेंट योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में 211 मदर यूनिट की स्थापना किया जाना लक्षित था, जिसके सापेक्ष अद्यतन 141 मदर यूनिट की स्थापना की गयी है। वर्ष 2018-19 में 70 मदर यूनिट की स्थापना किया जाना लक्षित है।
- 65 पशु रोग निदान प्रयोगशाला, 15 पशु चिकित्सा पॉलीक्लीनिक एवं जनपद बरेली में भ्रूण प्रत्यारोपण केन्द्र की स्थापना की जा रही है।
- प्रदेश में स्वदेशी पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जनपद-वाराणसी मे गोकुल ग्राम की स्थापना की गयी है एवं जनपद-शाहजहांपुर में गोकुल ग्राम की स्थापना की जा रही है।

पशुधन का स्तर :-

पशुगणना वर्ष 2007 (18वीं पशुगणना) तथा 2012 (19वीं पशुगणना) के अनुसार प्रदेश में

पशुधन संख्या (कुत्तों सहित) क्रमशः रु. 693.69 लाख तथा रु. 746.71 लाख रही, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शित है :

(लाख में)

पशु प्रजाति का विवरण	पशुओं की संख्या वर्ष 2007	पशुओं की संख्या वर्ष 2012	वृद्धि/ह्रास का प्रतिशत
कुल पशुधन	693.69	746.71	7.64
कुल गोवंशीय	190.97	205.66	7.69
1 दूध दे रही	45.47	58.83	29.38
2 सूखी	14.04	23.72	68.95
कुल महिषवंशीय	264.40	306.25	15.83
1 दूध में	91.86	105.38	14.72
2 सूखी	25.75	34.12	32.50
कुल बकरी	148.29	155.86	5.10
कुल भेड़	14.00	13.54	(-) 3.29
कुल सूकर	19.87	13.34	(-) 32.86
अन्य पशुधन	2.13	2.60	22.64
कुत्ते	54.03	49.46	(-) 8.46
कुक्कुट	178.80	186.68	4.41

- 19वीं पशुगणना 2012 में कुल गोवंशीय पशुओं की संख्या में 10.09 लाख छुट्टा गोवंशीय शामिल हैं।

उत्पादकता एवं उत्पादन :-

अ-उत्पादकता :-

वर्ष 2016-17 की सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में विभिन्न पशुजन्य पदार्थों का उत्पादन तथा प्रति पशु औसत उत्पादकता निम्नवत है :

क्र.	पशुजन्य पदार्थ का नाम	पशु प्रजाति का नाम	इकाई	वर्षवार औसत उत्पादन प्रति पशु प्रतिदिन (भारित औसत)	
				वर्ष 2016-17	वर्ष 2017-18
1	दुग्ध उत्पादन	क-स्वदेशी गाय	किग्रा.	2.986	3.022
		ख-विदेशी गाय	किग्रा.	7.150	7.239
		गाय औसत सम्पूर्ण	किग्रा.	3.859	3.912
		ग-भैंस	किग्रा.	4.435	4.485
		ङ-बकरी	किग्रा.	0.768	0.772
		क1-स्वदेशी गाय	किग्रा.	3.421	3.463
		क2-अवर्णित गाय	किग्रा.	2.189	2.219

		ख1-विदेशी गाय	किग्रा.	8.192	8.456
		ख2-क्रास ब्रीड गाय	किग्रा.	7.024	7.091
		ग1-स्वदेशी भैंस	किग्रा.	4.769	4.823
		ग2-अवर्णित भैंस	किग्रा.	3.255	3.286
2	अण्डा उत्पादन	क-अवर्णित	संख्या	141.40	140.8
		ख-उन्नतिशील	संख्या	204.60	224.9
		ग-औसत सम्पूर्ण	संख्या	190.50	204.2
3	ऊन उत्पादन	भेड़	किग्रा.	0.901	0.910

ब-उत्पादन स्तर :- प्रदेश में पशुओं का उत्पादन स्तर निम्नलिखित है :

क्र. सं.	पशुजन्य पदार्थ का नाम	इकाई का नाम	2006-07 का स्तर	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत की उपलब्धि	बारहवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य	वर्ष 2016-17 की पूर्ति	वर्ष 2017-18 का लक्ष्य	वर्ष 2017-18 की पूर्ति	वर्ष 2018-19 का लक्ष्य	वर्ष 2018-19 की पूर्ति माह दिसंबर तक
1	दूध	लाख मी.टन	180.946	225.56	362.455	275.53	303.32	290.52	340.33	223.650
2	अण्डा	मिलियन	948.318	1607.6	1876.579	2288.95	2532.74	2439.80	2918.69	1874.00
3	ऊन	लाख किग्रा.	14.608	14.202	26.233	12.86	14.04	12.99	14.30	9.560

पशुपालन का वर्तमान स्तर :-

प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है और प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 339 ग्राम प्रतिदिन है। प्रति गाय अथवा प्रति भैंस औसत दैनिक उत्पादन क्रमशः 3.785 तथा 4.332 किलोग्राम है। इस प्रकार प्रदेश में प्रति पशु दुग्ध उत्पादन वृद्धि की असीम सम्भावनाएं हैं।

प्रदेश सकल अण्डा उत्पादन में देश में आठवें स्थान पर है। प्रदेश में उत्पादित कुल अण्डे का 35 प्रतिशत अण्डा निजी क्षेत्रों से तथा 65 प्रतिशत बैकयार्ड पोल्ट्री से प्राप्त होता है। प्रदेश में पक्षियों से प्रति पक्षी औसत वार्षिक अण्डा उत्पादन की संख्या 190.5 है। अण्डा/मांस के उत्पादन-खपत के अन्तर को पूरा करने के लिये लगभग 45 लाख अण्डा और 0.30 लाख ब्रायलर पक्षियों का प्रतिदिन निकटस्थ प्रदेशों से आयात करना होता है। इस प्रकार कुक्कुट पालन व्यवसाय के निजी क्षेत्रों में विकास की पूर्ण संभावनायें हैं।

प्रक्रियात्मक रणनीति :-

समस्त विभागीय कार्यक्रमों के लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति तथा उसमें गुणात्मक सुधार लाये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाये जाने हेतु बल दिया गया है :–

- पशुपालन के क्षेत्र में गुणात्मक एवं मात्रात्मक मानव संसाधन विकास हेतु पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार।
- संक्रामक रोगों पर नियंत्रण के लिये सघन टीकाकरण का संचालन एवं पशु चिकित्सा सेवाओं का विस्तार।

- पशुओं में अनुर्वरता निवारण शिविरों का आयोजन करना।
- उन्नत पशु प्रजनन को 32.5 प्रतिशत (128.40 लाख) के स्तर से 66 प्रतिशत (160 लाख) तक वर्ष 2018-19 में बढ़ाना।
- कुक्कुट पालन को बढ़ावा देने के लिये बैकयार्ड कुक्कुट इकाइयों एवं कामर्शियल लेयर इकाइयों की स्थापना।
- कुक्कुट उद्यमिता का विकास करना।
- सूकर एवं भेड़, बकरी पालन को बढ़ावा देकर गरीब ग्रामीणों का आर्थिक उत्थान करना।
- स्वरोजगार के अवसर सृजित करना।

वर्ष 2018-19 हेतु प्राथमिकताएँ

- दुधारू पशुओं की तस्करी रोकने में जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान करना।
- अवैध कत्लखानों को पूरी कठोरता से बन्द किये जाने हेतु नगर निगम विभाग को सहयोग प्रदान किया जायेगा।
- फसलों की क्षति को रोकने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर भूमि आरक्षित कर गोवंश संरक्षण की योजना।
- प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूरों को गोधन योजना के अन्तर्गत गाय व अन्य दुधारू पशु उपलब्ध कराने की योजना।
- कृषकों की आय को दुगुना किये जाने में पशुपालन की अहम भूमिका के दृष्टिगत सहयोग प्रदान करना।
- विभिन्न कार्यक्रमों, यथा– पशु प्रजनन, पशु चिकित्सा तथा स्वास्थ्य में गुणात्मक सुधार लाया जाना एवं पशुपालन सेवाओं का विस्तार करना।
- किसानों को अधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से स्थानीय जरूरतों के अनुरूप पशुपालन की योजनाएँ तैयार करना तथा उनके क्रियान्वयन में किसानों की सहभागिता सुनिश्चित कराना।
- नयी प्रजनन नीति-2017 को लागू करना।
- कुक्कुट विकास नीति 2013 का विस्तारीकरण उपरांत योजना का क्रियान्वयन किया जाना।

ई-गवर्नेन्स के अंतर्गत प्रमुख कार्यक्रम

पशुपालन विभाग अंतर्गत विभाग में एक ई-गर्वर्नेन्स कक्ष कार्यरत है। पशुपालन विभाग की वेबसाइट (http://animalhusb.up.nic.in) कार्यरत है। जिसमें विभागीय क्रियाकलापों, कार्यक्रमों, संस्थाओं एवं विभिन्न प्रशिक्षण आदि की महत्त्वपूर्ण जानकारी इन्टरनेट पर प्रेषित की गयी है। वेबसाइट समय-समय पर अधुनान्त (अपडेट) की जाती है। विभागीय वेबसाइट पर नागरिक अधिकार पत्र, सूचना का अधिकार अधिनियम उपलब्ध है। विभाग द्वारा किये जाने वाले समस्त टेण्डर, टेण्डर फार्म, दर सूचियां विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जाती है। विभाग के टेन्डर वेबसाइट से डाउनलोड कर भरे जा सकते हैं। वेबसाइट पर सभी पशु चिकित्साविदों के अधिष्ठान से सम्बन्धित विवरण एवं वरिष्ठता सूची उपलब्ध है। न्यायालयों के वादों के त्वरित निस्तारण को दृष्टिगत रखते हुए वादों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है, जिससे वादों का अनुश्रवण प्रभावी हो गया है। 19वीं पशु गणना के आंकड़ें भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये हैं।

प्रदेश के पशुपालकों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण एवं गुणवत्तापरक निस्तारण हेतु मुख्यालय पर एक पशुधन समस्या निवारण केन्द्र की स्थापना की गई है, जो पशुपालकों के हित में प्रातः 8 बजे

से रात्रि 8 बजे तक सप्ताह के सातों दिन कार्यरत है। उक्त केन्द्र पूर्णतया ऑनलाइन एवं आधुनिक सूचना तकनीक पर क्रियाशील है। इसके माध्यम से पशुपालकों की पशुधन सम्बन्धी समस्याओं का त्वरित एवं समयबद्ध रूप से निस्तारण किया जा रहा है।

पशुचिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं

परिचयात्मक :

कृषि के साथ-साथ पशुपालन का कार्य ग्रामीण परिवेश में एक सामान्य प्रक्रिया है, परन्तु प्रति व्यक्ति कम कृषि जोत भूमि होने के कारण गावों में जीविकोपार्जन एवं आर्थिक उन्नति हेतु पशुपालन एक प्रमुख साधन है। विभिन्न पशुधन विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में पशु चिकित्सा एवं पशु स्वास्थ्य एक महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। पशुओं को पूर्णतः स्वस्थ रखने एवं गुणवत्तायुक्त पशुजन्य उत्पादों की निरन्तर आवश्यकता अपरिहार्य होने के कारण पशु चिकित्सा एवं पशु स्वास्थ्य का महत्त्व बढ़ गया है।

उद्देश्य :

1. प्रदेश के पशुओं को चिकित्सा सुविधा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध कराना।
2. पशुओं में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण कार्य निष्पादित करना।
3. अनियन्त्रित पशु प्रजनन को रोकने तथा कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा दिये जाने हेतु अवर्णित व अनुपयोगी नर पशुओं का बधियाकरण करना।
4. प्रदेश में स्थापित पशु चिकित्सा पॉली क्लीनिक के माध्यम से गुणवत्तायुक्त विशेषज्ञ पशु चिकित्सा सेवाओं को उपलब्ध कराना।
5. जनपद में स्थापित रोग निदान प्रयोगशालाओं के माध्यम से पशुओं में उत्पन्न होने वाली बीमारियों के निदान हेतु रोगों की जांच, पैथालॉजी की सुविधा उपलब्ध कराना।
6. पशुओं से मानव में फैलने वाली रैबीज जैसी जानलेवा बीमारियों पर नियंत्रण करना।
7. प्रदेश में होने वाली प्रमुख बीमारियों को भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रारूप पर सर्वे का कार्य किया जाना।
8. ''रिण्डरपेस्ट'' जैसी घातक बीमारी का पुनः प्रकोप न होने के उद्देश्य से रूट सर्च एवं विलेज सर्च का कार्य करना।
9. पशु रोग नियंत्रण की योजना (60 प्रतिशत के.पो.) के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्ता के विभिन्न रोगों पर नियंत्रण किया जाना।
10. स्टर्लिटी इन्फर्टीलिटी बीमारियों पर नियंत्रण करना।
11. भारत सरकार की 60 प्रतिशत सहायता पर एफ.एम.डी. फ्री जोन का प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में स्थापना।
12. रोगों की रोकथाम हेतु प्रमुख वैक्सीनों का उत्पादन जैविक औषधि उत्पादन संस्थान द्वारा किया जाना।

कार्यों का विवरण एवं निर्वहन

- **पशु चिकित्सा एवं रोगों की रोकथाम**

(अ) पशु चिकित्सा एवं रोगों की रोकथाम हेतु 2202 पशु चिकित्सालय, 267 'द' श्रेणी पशु औषधालयों तथा 2575 पशु सेवा केन्द्रों से निरन्तर सेवाएँ उपलब्ध करायी जा रही हैं। साथ ही वर्तमान में 12 नवीन पशु चिकित्सालयों की स्थापना अंतर्गत निर्माण कार्य प्रगति पर है। पशुपालकों को पशु चिकित्सा एवं कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा उनके समीप में उपलब्ध कराने, प्रभावी रोग नियंत्रण एवं किसी संक्रामक/महामारी रोग के फैलने की स्थिति में तत्काल रोकथाम, पशुओं में शत-प्रतिशत बांझपन शिविरों के आयोजन, टीकाकरण आदि सुविधाएं पशुपालकों को उपलब्ध कराने हेतु 825 सचल इकाइयां भी क्रियाशील हैं। वर्तमान में लगभग 20,000 पशु संख्या पर एक पशु चिकित्सालय स्थापित है।

- **पालीक्लीनिक की स्थापना**

वर्तमान में विषय विशेषज्ञों द्वारा विशेष पशुचिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु पाँच पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक क्रमशः गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, बड़ौत-बागपत तथा सैफई-इटावा में कार्यरत हैं। जिनके माध्यम से रेडियोलॉजिस्ट, सर्जन एवं गायनोकोलाजिस्ट द्वारा विशेष रोग निदान सेवाएँ (विषय विशेषज्ञों द्वारा) आधुनिक उपकरणों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं।

उक्त कार्य हेतु एक केन्द्रीय प्रयोगशाला निदेशालय पर तथा 10 मंडलीय प्रयोगशालाएं मंडलों पर कार्यरत है, जिनके द्वारा पशुरोगों की जांच एवं डायग्नोसिस की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

- **पशु रोगों के नियंत्रण का कार्यक्रम**

पशुपालन विभाग द्वारा आलोच्य वर्ष 2017-18 से पशुओं के रोगों के नियंत्रण हेतु विभिन्न प्रकार के रोग निरोधक टीकाकरण का कार्य निःशुल्क किया जा रहा है।

पशु रोगों के नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता एस्क्वैड- 60 प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत समस्त जनपदों में वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्ययोपरान्त अवशेष केन्द्रांश का वर्ष 2017-18 में रिवैलीडिशन की धनराशि के सापेक्ष प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में एच.एस. रोग निरोधक टीकाकरण का कार्यक्रम अभियान के रूप में चलाया गया। साथ ही वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में अनुमोदित एच.एस. टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश में सम्प्रति एच.एस. टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

पशु रोगों के नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता-एस्कैड- योजनान्तर्गत पशुओं की विभिन्न रोगों से सुरक्षा हेतु पशुपालकों को जागरूक करते हेतु विविध कार्यक्रम एवं पशुचिकित्साविदों व पैरावेटेनरी कार्मिकों को समय-समय पर आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का कार्य भी किया जाता है।

पशु रोगों के नियंत्रण हेतु राज्यों को सहायता (एस्कैड) योजनान्तर्गत भारत सरकार के निर्देशानुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना में, कुत्तों के काटने से पशुओं में होने वाले रैबीज रोग की रोकथाम हेतु रैबीज रोग निरोधक टीकाकरण एवं पशुओं को अन्तः परजीवी से सुरक्षित रखने हेतु अभियान के रूप में दवापान की व्यवस्था किये जाने के लिए इण्डो पैरासिटिक कंट्रोल कार्यक्रम नामक दो नवीन कार्यक्रमों का प्रदेश के समस्त जनपदों में क्रियान्वयन किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में समस्त 75 जनपदों में भारत सरकार के निर्देशानुसार पी.पी.आर. टीकाकरण एक पृथक कार्यक्रम पी.पी.आर.-सी.पी. (60 प्रतिशत के.पो.) के अन्तर्गत किया जा रहा है।

साथ ही वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय कृषि योजना में

अनुमोदित पी.पी.आर. टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश में सम्प्रति पी.पी.आर. टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2003-04 से 2013-14 तक खुरपका-मुँहपका, रोग नियंत्रण कार्यक्रम 17 जनपदों सम्प्रति 20 जनपदों में कुल 15 चरणों का टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया। भारत सरकार के निर्देशानुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना में खुरपका-मुँहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एफ.एम.डी.-सी.पी.) के विस्तारीकरण के समक्ष वर्ष 2014-15 में प्रश्नगत कार्यक्रम का प्रदेश के समस्त 75 जनपदों को आच्छादित कर 16वें चरण के रूप में निःशुल्क एफ.एम.डी. टीकाकरण अभियान का कार्य किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 23वें चरण के रूप में निःशुल्क एफ.एम.डी.-टीकाकरण अभियान दिनांक 15 सितम्बर 2017 से चलाया गया है। उक्त अभियान के पूर्ण होने के उपरान्त निर्धारित अवधि के अन्तराल पर आगामी चरणों में एफ.एम.डी.-टीकाकरण का नियमित अभियान चलाया जाना प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय महत्ता के कुछ प्रमुख बीमारियों जैसे- टी.बी., ब्रूसैल्ला, पुलोरम डिजीज, स्वाइन फीवर, रैबीज एवं बेवाईन स्टर्लिटी इन्फर्टीलिटी एवं एबार्शन रोगों का नियंत्रण किया जाता है। उक्त रोग के नियंत्रण हेतु प्रदेश में निदेशालय स्तर पर कुक्कुट रोग नियंत्रण प्रयोगशाला तथा टी.बी. ब्रूसैल्ला यूनिट स्थापित है। वर्तमान समय में 9 स्टर्लिटी इन्फर्टिलिटी एवं 10 कैनाईन रैबीज यूनिट एवं 2 पुलोरम डिजीज यूनिट, एक सूकर रोग निदान प्रयोगशाला स्थापित है।

पशु रोगों के नियंत्रण के अंतर्गत नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम एवं ब्रूसैल्लोसिस (एन.सी.बी.पी.) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय पोषण से प्रदेश में प्रजनन योग्य मादा पशुओं में गर्भाधान होने के उपरांत होने वाले संक्रामक गर्भपात (ब्रूसेल्लोसिस) को नियंत्रित करने हेतु विविध कार्यक्रम चलाये जाने की कार्य योजना वर्तमान में अनुमोदित है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में अनुमोदित ब्रूसैल्लोसिस टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश में सम्प्रति ब्रूसैल्लोसिस टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

नेशनल प्रोजेक्ट ऑन रिन्डरपेस्ट सर्विलान्स एण्ड मानिटरिंग (एन.पी.आर.एस.एम.)

यह 100 प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश को जानवरों को पोकनी रोग से मुक्त घोषित किया गया है। परन्तु पूरे प्रदेश में ''रिन्डरपेस्ट'' जैसी घातक बीमारी का पुनः प्रकोप न होने के उद्देश्य से रूट सर्च एवं विलेज सर्च का कार्य किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत रोग से ग्रस्त सम्भावित पशुओं को डे-बुक रजिस्टर में अंकित करना तथा पशुओं पर व्यापक निगरानी रखने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आर.पी. रोग वर्तमान समय में नहीं है, परन्तु यह रोग वायरस द्वारा फैलने वाला बहुत ही भयानक रोग है जिसके संचारित होने की सदैव सम्भावना बनी रहती है, इसलिये इस पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने हेतु निरन्तर निगरानी आवश्यक है।

प्रक्रियात्मक रणनीति

पशु चिकित्सा एवं पशु स्वास्थ्य से सम्बन्धित समस्त कार्यक्रमों के लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति तथा उसमें गुणात्मक सुधार लाये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाये जाने हेतु बल दिया गया है–

- रोग नियंत्रण सम्बन्धी सभी कार्यक्रमों के महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं को चिह्नित कर वार्षिक, त्रैमासिक तथा मासिक लक्ष्यों को निर्धारित कर तदनुसार समीक्षा, मूल्यांकन तथा कार्यक्रम में आने वाली कठिनाइयों के निराकरण हेतु त्वरित प्रभावी कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था की गई है।
- पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी तथा पशुओं में रोगों की रोकथाम सम्बन्धी कार्यक्रमों को

पशुपालकों में लोकप्रिय बनाने तथा उन्हें आधुनिकतम जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पशुपालन प्रचार-प्रसार को और सुदृढ़ किया जा रहा है।

कृषि कार्य में रासायनिक खाद के उपयोग से भूमि की उर्वरता शक्ति लगातार घटती जा रही है जिससे उत्पादन भी प्रभावित होता है। कृषि उपज में वृद्धि लाने, भूमि की उर्वरता शक्ति को बरकरार रखने एवं पौष्टिक खाद्यान्न पैदा करने हेतु पशुपालन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पशुपालन से जैविक खाद की उपलब्धता तथा इसके उपयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी तथा पशुओं से प्रचुर मात्रा में दुग्ध तथा दुग्ध पदार्थों की उपलब्धता भी होगी। विभाग द्वारा जनमानस में प्रचार-प्रसार, कृषकों एवं पशुपालकों को सामयिक जानकारी उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान रणनीति के साथ-साथ समय की मांग, क्षेत्र विशेष की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप योजनाओं को तैयार करने हेतु रणनीति भी तैयार की जा रही है।

पशु रोगों के नियंत्रण के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के लक्ष्य/पूर्ति का विवरण

(संख्या लाख में)

कार्यक्रम	2016-17		2017-18	
	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
टीकाकरण	1655.800	1595.52	1655.80	1485.456
चिकित्सा	302.860	354.73	318.08	370.88

कार्यक्रम	2018-19		2019-20	
	लक्ष्य	पूर्ति	लक्ष्य	पूर्ति
		(माह-नवम्बर, 2018 तक)		
टीकाकरण	1613.44	1163.75	लक्ष्यनिर्धारण की कार्यवाही	
चिकित्सा	333.98	231.62		

रोगों से बचाव हेतु टीकों का उत्पादन

स्वस्थ पशु देश की चल सम्पत्ति हैं। रोगों के निदान से बेहतर बचाव के सिद्धान्त को मानते हुए पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाव के लिए पशु जैविक औषधि संस्थान द्वारा उत्पादित टीका बहुत प्रभावकारी है। मात्र दो रुपये के टीके से पशुपालकों के मूल्यवान पशु की रक्षा होती है। अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से एक गरीब पशु स्वामी को इस निमित्त एक ओर तो मात्र दो रुपये का वहन करना होता है, परन्तु इससे इसके मूल्यवान पशु का जीवन सुरक्षित हो जाता है और दूसरी ओर संक्रामक बीमारी हो जाने पर इसके दुष्प्रभाव से संबंधित क्षेत्र के अन्य पशु भी संक्रमित होने से बच जाते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता से सतत् वृद्धि होती है। पशु-पक्षियों में विभिन्न रोगों के रोकथाम हेतु टीकों के उत्पादन का कार्य निदेशालय स्थित पशु जैविक औषधि संस्थान के द्वारा किया जा रहा है।

पशु जैविक औषधि संस्थान, बादशाहबाग, लखनऊ में विभिन्न प्रकार की विषाणु तथा जीवाणु जनित रोगों से बचाव हेतु विभिन्न प्रकार के टीकों (वैक्सीनों) का उत्पादन प्रदेश के 'ड्रग्स' एवं 'कास्मेटिक्स एक्ट' के अनुसार विधिवत् निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जाता है। संस्थान में इनके उत्पादन के पश्चात् प्रयोगात्मक पशुओं पर इनका परीक्षण तथा विश्लेषण होता है, उच्चतम गुणवत्ता सुनिश्चित होने

पर ही वितरण हेतु इन्हें जारी किया जाता है। प्रदेश के जनपदों से प्राप्त मांग के अनुसार उत्पादित वैक्सीनों का वितरण संस्थान द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

प्रदेश में प्रजनन नीति

पशु प्रजनन नीति के अन्तर्गत प्रजनन योग्य पशुओं के चरणबद्ध रूप से 50-75 प्रतिशत (प्रत्येक गर्मी में आये पशु को) पशुओं को प्रजनन की सुविधा द्वारा आच्छादित करने के लिए विभाग कृत संकल्प है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए अतिहिमीकृत वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान एवं दूरस्थ ग्रामों में नैसर्गिक अभिजनन की सुविधा प्रदत्त की जा रही है। इसके लिए क्षेत्रवार निम्नवत् नस्ल के सांड़ों के वीर्य का उपयोग अनुमोदित है :-

1. दुग्ध विकास हेतु प्रदेश के गोवंश को विदेशी नस्ल के साड़ों के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान कराकर संकर नस्ल तैयार कर दुग्ध की मात्रा बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। इसके लिये बुन्देलखण्ड, मिर्जापुर मण्डल हेतु जर्सी व जर्सी क्रास तथा अन्य क्षेत्रों हेतु होलिस्ट्रीन फ्रीजियन व इनका क्रास अनुमोदित है।
2. विशुद्ध भारतीय मूल के संरक्षण व संवर्द्धन हेतु इनके उच्चवर्गीकरण के लिये शुद्ध भारतीय नस्ल के सांड़ों के वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान किया जा रहा है।
3. विदेशी रक्त को 50 प्रतिशत बनाए रखने के लिये स्वदेशी सांड़ों का वीर्य, संकर प्रजनन हेतु प्रयोग किया जा रहा है तथा संकर नस्ल के सांड़ों से गर्भित कराया जा रहा है।
4. महिषवंश के उच्चवर्गीकरण हेतु मुर्रा व भदावरी नस्ल के सांड़ों के वीर्य द्वारा कृत्रिम गर्भाधान किया जा रहा है।

पशु विकास कार्यक्रम अन्तर्गत चालू योजनाएं

1. गायों/भैसों में कृत्रिम गर्भाधान तथा पशु प्रजनन सुविधा उपलब्ध कराना (जिला योजना)
2. गाय/भैंसों में पशु अनुर्वरता एवं बांझपन की योजना (राज्य योजना)
3. गाय एवं भैंस विकास डेयरी काम्पलेक्स की स्थापना (राज्य योजना)
4. कामधेनु इकाइयों की ब्याजमुक्त ऋण योजना।
5. अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र की योजना।

कुक्कुट विकास कार्यक्रम

परिचयात्मक/उद्देश्य

1. मानव आहार में उच्च गुणवत्ता की पशुजन्य प्रोटीन की उपलब्धता में वृद्धि करना।
2. ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में कुक्कुट पालकों को उन्नतशील कुक्कुट पालन की प्रारम्भिक तथा विशिष्ट प्रशिक्षण की व्यवस्था सुलभ कराना।
3. कुक्कुट को अपनी विशेषताओं के आधार पर ग्रामीण/नगरीय क्षेत्र के छोटे/बड़े कुक्कुट पालकों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
4. कुक्कुट पालकों के पक्षियों में रोगों का समान्य निदान तथा कुक्कुट पक्षियों में विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाव हेतु चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराना।
5. पशु/पक्षी के आहार की गुणवत्ता हेतु विभिन्न आहारों के परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना।

6. कुक्कुट पालकों के कुक्कुट उत्पादों का उचित मूल्य दिलवाने तथा उनके विपणन में सहयोग प्रदान करना।
7. बैकयार्ड कुक्कुट पालन हेतु चूजे तैयार करना।
8. कुक्कुट विकास कार्यक्रम मे उद्यमिता का विकास करना।

उत्पादन स्तर

1. अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद की संस्तुति के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 182 अण्डा तथा 10.82 किग्रा. कुक्कुट मांस मिलना चाहिए।
2. प्रदेश में 17 अण्डा तथा 0.837 किग्रा. कुक्कुट मांस प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष का उत्पादन है।
3. जबकि प्रदेश में 26 अण्डा तथा 0.9873 किग्रा. कुक्कुट मांस प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की दर से उपभोग किया जा रहा है।
4. प्रदेश में अण्डा तथा कुक्कुट मांस के कुल उत्पादन के लगभग 60 प्रतिशत निजी क्षेत्र में कार्यरत आर्गनाइज्ड सेक्टर के कुक्कुट प्रक्षेत्रों तथा 40 प्रतिशत बैकयार्ड क्षेत्र में कार्यरत कुक्कुट प्रक्षेत्रों से होता है।
5. इस प्रकार प्रदेश के उक्त दोनों क्षेत्रों में विकास की असीम संभावनाएं हैं।

वर्तमान मे निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं

1. कामर्शियल लेयर्स फार्म की स्थापना (रारज्य योजना) 5 वर्षों में 123 लाख पक्षी क्षमता के फार्म।
2. ब्रायलर पैरेन्ट फार्म की स्थापना (राज्य योजना) 5 वर्षों में 6 लाख पक्षी क्षमता के फार्म।
3. कुक्कुट प्रक्षेत्र/हैचरी की स्थापना।
4. 30 दिवसीय कुक्कुट प्रशिक्षण, महानगर प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
5. आहार परीक्षण निदान प्रयोगशाला।
6. कुक्कुट रोग निदान प्रयोगशाला।
7. बैकयार्ड कुक्कुट विकास कार्यक्रम (रा.यो./एस.सी.पी./समाज कल्याण विभाग से वित्त पोषित)-राज्य योजना।
8. रूरल बैकयार्ड कुक्कुट विकास कार्यक्रम (60 प्रतिशत केन्द्र पोषित) राज्य योजना।
9. इन्नोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट फार लो इनपुट टेक्नालॉजी बर्ड्स (60 प्रतिशत केन्द्र पोषित)।
10. इन्नोवेटिव पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट फार ब्रायलर बर्ड्स (60 प्रतिशत केन्द पोषित)।

बैकयार्ड कुक्कुट विकास कार्यक्रम (रो.यो./एस.सी.पी./समाज कल्याण विभाग से वित्त पोषित)

यह अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए कार्यक्रम है, जो समाज कल्याण विभाग से वित्त पोषित है। इसके अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन करके उन्हें कुक्कुट पालन ट्रेड में एक सप्ताह का प्रशिक्षण समीप के पशु चिकित्सालय पर दिया जाता है, उन्हें 50 चूजों की एक इकाई खुलवायी जाती है। प्रति इकाई रु. 3000.00 मात्र का पैकेज व्यय आता है, जो पूर्णतः अनुदान है। पैकेज के अन्तर्गत 50 चूजे, कुक्कुट

आहार, दवा, छप्पर की व्यवस्था, प्रशिक्षण एवं चूजों का लाभार्थी के द्वार तक यातायात सम्मिलित है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में 15000 इकाइयाँ खोले जाने का लक्ष्य था। (प्रति जनपद 200 कुक्कुट इकाई) इसके सापेक्ष शत-प्रतिशत 15000 इकाइयाँ खोली गयीं। प्रदेश के समस्त जनपदों में (जनपदवार) निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत पूर्ति कर ली गयी है तथा अनुसूचित जाति के निर्धन/गरीब लाभार्थियों ने अवस्थापना कर रोजगार का सृजन किया।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजनान्तर्गत धनराशि रु. 450.00 लाख का प्रावधान किये जाने का अनुमान है। जिससे 15000 कुक्कुट इकाइयां गठित की जायेंगी।

रूरल बैकयार्ड कुक्कुट विकास कार्यक्रम (60 प्रतिशत केन्द्र पोषित)

भारत सरकार से 60 प्रतिशत केन्द्र पोषित यह योजना एन.एल.एम. (नेशनल लाइव स्टाक मिशन) के अंतर्गत संचालित है। योजनान्तर्गत मदर यूनिटों की स्थापना कराकर चयनित बी.पी.एल. लाभार्थियों को लोइनपुट टेक्नालॉजी के 28 दिवसीय कुक्कुट पक्षी उपलब्ध कराये जाते हैं। एक मदर यूनिट से 300 बी.पी.एल. लाभार्थी चयनित किये जाते हैं, जिसके 20 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के तथा 80 प्रतिशत सामान्य वर्ग से होते हैं। एक मदर यूनिट पर लोइनपुट टेक्नालॉजी के चूजे 28 दिवस तक पालकर उन्हें चयनित बी.पी.एल. लाभार्थियों में वितरित किये जाते हैं। योजनान्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी को 1500 रु. का अनुदान दिया जाता है। जिससे वे इन पक्षियों के लिए छप्पर एवं आहार की व्यवस्था करता है। मदर यूनिट संचालक को मदर यूनिट की स्थापना, आहार देने एवं पानी पिलाने के उपकरणों की व्यवस्था हेतु रु. 60000.00 का अनुदान दिया जाता है। इसके अतिरिक्त चूजों के पालन-पोषण के लिए प्रति चूजा रु. 50.00 निर्धारित है। जिसमें चूजे का मूल्य, आहार, मजदूरी, दवा, वैक्सीन इत्यादि सभी व्यय सम्मिलित हैं।

वर्ष 2017-18 में 211 मदर यूनिट स्थापित कर 63,300 लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसके सापेक्ष 141 मदर यूनिट स्थापित कर 49320 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा सका। वर्ष 2018-19 में अवशेष 70 मदर यूनिट की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके सापेक्ष रु. 1346.4825 लाख की धनराशि उपलब्ध है। वर्ष 2019-20 हेतु भारत सरकार द्वारा लक्ष्य निर्धारित नहीं है।

प्रक्रियात्मक रणनीति

कुक्कुट विकास कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने तथा ग्रामीण क्षेत्र में बैकयार्ड पोल्ट्री को विकसित करने तथा निजी क्षेत्र के बड़े कुक्कुट उद्यमियों को आकर्षित करने हेतु निम्न रणनीति बनायी गयी है :

1. प्रमुख कार्यक्रमों के लक्ष्यों का वार्षिक, त्रैमासिक तथा मासिक निर्धारण पर नियमित समीक्षा एवं मूल्यांकन कर कार्यक्रम में आने वाली कठिनाइयों के निस्तारण पर बल दिया गया है।
2. कुक्कुट स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत संभावित संक्रामक रोगों के बचाव हेतु टीकाकरण तथा न्यू इमरजिंग डिजीज के रोग निदान की सुविधा कुक्कुट पालकों के द्वार पर उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है।
3. प्रक्षेत्र में कुक्कुट विकास को गति देने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में एक कुक्कुट प्रोग्राम

अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो उद्यमियों को इस व्यवसाय में आ रही कठिनाइयों को दूर करने एवं क्रियान्वयन में सहयोग करेंगे।

4. बर्ड फ्लू से बचाव हेतु समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों एवं मण्डलीय अधिकारियों को समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं।
5. कुक्कुट पालन में स्वरोजगार के रूप में अपनाने हेतु कुक्कुट पालन का प्रशिक्षण कराया जा रहा है।

चारा तथा चरागाह विकास

पशुओं के स्वास्थ्य एवं उनकी उत्पादकता तथा प्रतिरोधकता बनाए रखने के लिए भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा पशुपालन विभाग के माध्यम से कृषकों को उन्नतिशील प्रमाणित चारा बीज उपलब्ध कराना तथा अपौष्टिक चारे एवं सेल्यूलोजिक वेस्टेज को उपचारित कर पौष्टिक बनाने की योजना का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2018-19 में पशुओं के आहार पूर्ति हेतु विभाग द्वारा निम्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में चारा विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

(अ) राज्य योजनाएं

1. चारा एवं चरागाह विकास की योजनान्तर्गत ''अतिरिक्त चारा विकास कार्यक्रम'' (रा0यो0)।
2. ''अपौष्टिक चारे एवं सेल्यूलोजिक वेस्टेज को उपचारित कर पौष्टिक बनाने की योजना''। (रा0यो0)।

(ब) केन्द्र पोषित योजनाएं

1. पूँजीगत मद के अन्तर्गत ''राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों/गोसदनों की परती भूमि पर चरागाह विकास की योजना'' (60 प्रति0/40 प्रति0)।
2. राजस्व मद के अन्तर्गत ''राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों/गोसदनों की परती भूमि पर चरागाह विकास की योजना'' (60 प्रति0/40 प्रति0)।

गौशाला विकास

पशुपालन विभागान्तर्गत वर्तमान में राज्य सेक्टर में गोसदनों एवं जिला सेक्टर के अन्तर्गत गौशालाओं के विकास एवं गोसेवा आयोग की स्थापना संबंधी योजनाओं के परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित योजनायें चलाई जा रही हैं-

1. योजना का नाम : गौशालाओं के सुदृढ़ीकरण की योजना (राज्य योजना)

(अ) योजना का उद्देश्य : इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुंदेलखण्ड क्षेत्र में स्थापित पंजीकृत गौशालाओं का सुदृढ़ीकरण कर उन पर संरक्षित एवं पकड़ कर लाए गए गोवंशीय पशुओं का संरक्षण है। गौशालाओं के सुदृढ़ीकरण की योजनान्तर्गत बुंदेलखण्ड की 08 पंजीकृत गौशालाओं के निर्माण कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम किश्त की धनराशि रु. 64.50 लाख (रुपये चौसठ लाख पचार हजार मात्र) प्रति गौशाला की दर से कुल धनराशि 516.00 लाख (रुपए पांच करोड़ सोलह लाख मात्र) की धनराशि आवंटित की गयी है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में अन्तिम किश्त के रूप में रु. 516.00 लाख (रुपए पांच करोड़ सोलह लाख मात्र) की धनराशि का बजट प्रावधान किया गया है।

2. योजना का नाम : उ.प्र. प्रदेश गोसेवा आयोग को सहायता दिया जाना

(अ) योजना का उद्देश्य : प्रदेश में भारतीय नस्ल के गोवंश के संरक्षण/सम्वर्धन तथा विकास को सुनिश्चित करने गो-कल्याण संबंधी अधिनियमों, उ.प्र. गोवध निवारण अधिनियम व पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रदेश में गोपालन को बढ़ावा देने की दृष्टि से वर्ष 1999 में उ.प्र. गोसेवा आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग द्वारा गोशालाओं को स्वावलम्बी बनाने तथा इन्हें सूत्रबद्ध करते हुये इनके कार्यकलापों में विविधीकरण लाते हुये गति प्रदान की जा रही है और इन्हें आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर होने में पथ-प्रदर्शन किया जा रहा है। उक्त योजनान्तर्गत आयोग के कार्यालय के संचालन एवं कार्यकलापों के सुचारू संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु आयोग को सहायता दी जाती है। उ.प्र. गोसेवा आयोग के कार्य संचालन के अर्न्तगत मुख्यतः कार्यालय के संचालन आयोग के मा. अध्यक्ष महोदय एवं अन्य सम्मानित सदस्यों के यात्रा भत्ता, लेखन सामग्री, फार्मो की छपाई, टेलीफोन बिल एवं अन्य मशीनों एवं संयंत्रों का क्रम के साथ-साथ व्यवसायिक और विशेष सुविधाओं हेतु भुगतान इत्यादि सम्मिलित है। इस सम्बन्ध में शासन स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु रु. 55.00 लाख बजट प्रावधान किया गया है।

3. योजना का नाम : बुंदेलखण्ड के 07 जनपदों को छोड़कर प्रदेश के 68 जनपदों में वृहद गोसरंक्षण केन्द्रों की स्थापना (राज्य योजना)

(अ) योजना का उद्देश्य : चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश के निराश्रित/बेसहारा गोवंश की समस्या के निराकरण हेतु बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 07 जनपदों को छोड़कर प्रदेश के शेष 68 जनपदों में एक-एक वृहद गो-संरक्षण केन्द्र की स्थापना किये जाने के लिए रु. 120.00 लाख प्रति जनपद की दर से उपाशयित कुल व्यय भार रु. 8160.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रु. 50.00 लाख प्रति जनपद की दर से कुल रु. 3400.00 लाख (रुपए चौतीस करोड़ मात्र) की धनराशि को सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों को हस्तान्तरित किया जा चुका है एवं जिलाधिकारी स्तर पर भूमि अधिग्रहण कर स्थापना की कार्यवाही की जा रही है।

4. योजना का नाम : बुंदेलखण्ड के 07 जनपदों में गोवंश वन्य विहार की स्थापना।

(अ) योजना का उद्देश्य : बुन्देलखण्ड क्षेत्र में अन्ना पशुओं की समस्या के निराकरण हेतु गोवंशीय पशुओं के लिए संरक्षित स्थल एवं चारागाह की स्थापना वित्तीय वर्ष 2018-19 बुन्देलखण्ड के 07 जनपदों में छुट्टा गोवंश के रख-रखाव हेतु गौवंश वन्य विहारों/वृहद गौसंरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु रु. 9277.00 लाख का बजटीय प्राविधान है।

5. योजना का नाम : प्रदेश के 16 नगर निगमों में छुट्टा गोवंशों के रखरखाव हेतु स्थापित गौशालाओं मे गौवंश के रखरखाव हेतु सहायता की योजना (राज्य योजना)

(अ) योजना का उद्देश्य : वित्तीय वर्ष 2018-19 में नई मांग के माध्यम से प्रदेश के 16 नगर निगमों द्वारा स्थापित गौशालाओं में संरक्षित गौवंशों के भरण पोषण/रखरखाव हेतु रु. 1752.00 लाख की धनराशि का बजट प्रावधान किया गया है।

6. योजना का नाम : पंचगव्य आधारित उत्पादों का अनुसंधान एवं विकास (राज्य योजना)

(अ) योजना का उद्देश्य : योजना का मूल उद्देश्य पंचगव्य आधारित उत्पादों का अनुसंधान एवं

विकास कर अधिक से अधिक मात्रा में उच्च गुणवत्ता की औषधियों एवं अन्य उत्पादों को जन-सामान्य को उपलब्ध कराने एवं उत्पादों से गौपालकों एवं गौशालाओं को स्वावलम्बी बनाना है। संदर्भित योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 200.00 लाख की बजटीय व्यवस्था है।

चर्म शोधन एवं पशु शव के उपयोग

परिचयात्मक/उद्देश्य

मृत पशुओं से वातावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिये पशुपालन विभाग द्वारा मृत पशुओं को वैज्ञानिक विधि से पूर्ण उपयोग करने की योजना चलाई जा रही है। प्रायः मृत पशुओं की खाल उतारकर शेष पशुशव को यों ही छोड़ दिया जाता है जिससे वातावरण प्रदूषण के साथ ही पशुशव से प्राप्त हो सकने वाले अनेक उपयोगी पदार्थ भी नष्ट हो जाते हैं। तथा पशुशव पर मडराने वाले पक्षियों से वायुयान दुर्घटनाओं की सम्भावना बनी रहती है। मुख्यतः पशु शव से प्राप्त हड्डी से उर्वरक, खाद, मांस से पौष्टिक कुक्कुट आहार, पूँछ के बाल से ब्रश, तांत से रैकेट, सींग व खुर से कंघी व बटन, चर्बी से साबुन आदि तथा प्राप्त चमड़े से बहुमूल्य उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं।

चूंकि किसी उद्योग के लिये कुशल कारीगरी की अहम भूमिका होती है, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर पशुपालन विभाग, उ.प्र. द्वारा चर्म से सम्बन्धित प्रशिक्षण देने एवं चमड़े की वस्तुओं के उत्पादन के उद्देश्य से सन् 1960 में आदर्श प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र, बक्शी का तालाब, लखनऊ की स्थापना की गयी। इस केन्द्र पर निम्न प्रकार से प्रशिक्षण एवं उत्पादन कार्य किये जाते हैं-

प्रशिक्षण कार्य

1. पशु शव उपयोग प्रशिक्षण,
2. चर्म शोधन प्रशिक्षण,
3. चर्म पादुका/चर्म सामग्री निर्माण का प्रशिक्षण।

दुग्ध विकास

दुग्ध विकास विभाग की स्वतंत्र रूप से स्थापना वर्ष 1976 में हुई। इससे पूर्व दुग्ध विकास कार्यक्रम सहकारिता विभाग का एक अंग था। वर्ष 1976 में ही राज्य दुग्ध परिषद का गठन उ.प्र. दुग्ध अधिनियम 1976 की धारा-3 के अधीन एक निगमित निकाय के रूप में किया गया। इसका प्रमुख कार्यकलाप मुख्यतः दुग्ध संघों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना, क्षेत्र आरक्षण, दुग्ध मूल्य निर्धारण एवं दुग्ध उत्पाद विनियमन आदेश लागू करना आदि निर्धारित किया गया।

प्रारम्भ में दुग्ध विकास कार्यक्रम के प्रभावी संचालन हेतु वर्ष 1962 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेरी फेडरेशन (पी.सी.डी.एफ.) का एक शीर्ष दुग्ध सहकारी संस्था के रूप में उ.प्र. सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत गठन किया गया। जिसके द्वारा शिशु दुग्ध आहार निर्माणशाला, मुरादाबाद की स्थापना कर उसका संचालन प्रारम्भ किया गया।

वर्तमान में सहकारिता के माध्यम से दुग्ध विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु प्रादेशिक कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि., लखनऊ क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में कार्यरत है। इसके माध्यम से सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों के दुग्ध संघों का विलयन करते हुए 20 दुग्ध संघों के माध्यम से दुग्धशाला विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत सहकारी दुग्ध समितियों का गठन, पुनर्गठन, उनसे दुग्ध उपार्जन व प्रक्रिया उपरान्त नगरीय उपभोक्ताओं को दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। समितियों के दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश सेवायें, क्रत्रिम गर्भाधान व पशु स्वास्थ्य सेवायें भी उपलब्ध करायी जाती हैं ताकि दुग्ध उत्पादन में तद्नुसार वृद्धि सुनिश्चित होने के साथ दुग्ध उत्पादकों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो।

दुग्ध विकास विभाग के उद्देश्य

दुग्ध विकास विभाग का मूल उद्देश्य प्रदेश के ग्रामीण अंचलों के निर्बल वर्ग के किसानों, कृषक मजदूरों एवं भूमिहीनों को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके गांव में ही दुग्ध सहकारिताओं का गठन कर उनके ही माध्यम से दुग्ध उपार्जन से संबंधित कार्यक्रम लागू कर उन्हें अतिरिक्त रोजगार प्रदान करना एवं अधिकतम दुग्ध उपार्जन कर नगरीय क्षेत्र तथा अन्य उपभोक्ताओं को स्वच्छ, शुद्ध एवं विसंक्रमित दूध एवं विभिन्न प्रकार के दुग्ध उत्पादों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना है।

विभाग के कार्यकलाप

विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे विभिन्न कार्यकलाप मुख्य रूप से निम्नानुसार तीन भागों में विभाजित हैं :

(क) रेग्यूलेटरी कार्यकलाप - इसके अंतर्गत विभिन्न नियम/अधिनियम लागू करना, यथा- सहकारी समितियों का निबन्धन, ऑडिट, पंजीयन, निरीक्षण, इंजीनियरिंग आदि कार्य सम्मिलित हैं।

(ख) विकास सम्बन्धी कार्य - प्रदेश में दुग्धशाला विकास के साथ-साथ दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना।

(ग) व्यावसायिक कार्यक्रम - दुग्ध उपार्जन एवं विपणन का क्रियान्वयन दुग्ध सहकारिताओं के माध्यम से करना।

दुग्ध सहकारिताओं की व्यावसायिक कार्यकुशलता एवं क्षमता में वृद्धि

सहकारिता के क्षेत्र में दुग्धशाला विकास कार्यक्रमों का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। सर्वप्रथम वर्ष 1917 में 'कटरा सहकारी दुग्ध समिति' प्रयागराज की स्थापना के साथ प्रदेश में ही नहीं वरन् देश में भी यह पहला अवसर था कि जब दुग्ध व्यवसाय के क्षेत्र में सहकारिता का प्रादुर्भाव हुआ, परन्तु अगले दो दशकों में इस दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। वर्ष 1938 में देश के प्रथम दुग्ध संघ 'लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.' की स्थापना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई। इसके बाद प्रयागराज वर्ष 1941, वाराणसी वर्ष 1947, कानपुर वर्ष 1948, हल्द्वानी जनपद नैनीताल वर्ष 1949 (अब उत्तराखण्ड राज्य में) तथा मेरठ वर्ष 1951 में सहकारी दुग्ध संघ स्थापित होते रहे।

अतः स्पष्ट है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष 1961 तक दुग्धशाला विकास कार्यक्रम को उत्तर प्रदेश में कोई विशेष महत्त्व नहीं मिला और प्रारम्भ से वर्ष 1961 तक मात्र रु. 72.34 लाख की आर्थिक सहायता शासन द्वारा इस कार्यक्रम को उपलब्ध करायी गयी।

प्रदेश में दुग्धशाला विकास को गतिशील बनाने की दिशा में वर्ष 1962 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेरी फेडरेशन लि. की स्थापना एक तकनीकी सलाहकार संस्था के रूप में की गयी थी। वर्ष 1970-71 में आपरेशन फ्लड-1 योजना प्रदेश के 8 जनपदों में लागू की गयी, जिसकी क्रियान्वयन एजेन्सी इस संस्था को बनाया गया। योजनान्तर्गत मेरठ व वाराणसी में एक-एक लाख लीटर दैनिक दुग्ध हैण्डलिंग क्षमता की दो फीडर बैलेन्सिंग दुग्धशालायें एवं 100-100 मीट्रिक टन क्षमता की दो पशु आहार निर्माणशालायें तथा रायबरेली में जर्सी गौ प्रजनन इकाई की स्थापना की गयी।

वर्ष 1975 में गायों की नस्ल सुधार एवं उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि के उद्देश्य से ''फ्रीडम फ्राम हंगर कैम्पेन, ब्रिटेन'' एवं ''प्रदेश सरकार'' के आर्थिक सहयोग से फेडरेशन द्वारा वर्ष 1970 में एक संकर पशु प्रजनन परियोजना प्रारम्भ की गयी।

मात्र 8 जनपदों में सीमित होने के कारण आपरेशन फ्लड-1 योजना का इस कार्यक्रम पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। फलतः उत्तर प्रदेश शासन का ध्यान दुग्धशाला विकास के विस्तारीकरण की ओर गया और दुग्धशाला विकास कार्यक्रम को गतिशील बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा ''उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम 1976'' पारित कर वर्ष 1976 में उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना की गई। वर्ष 1976 में ही सहकारिता विभाग से अलग करते हुए एक पृथक विभाग के रूप में दुग्धशाला विकास विभाग की स्थापना कर दुग्ध आयुक्त का पद सृजित किया गया। दुग्ध आयुक्त को सहकारी अधिनियम एवं इसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत दुग्ध सहकारिताओं के संबंध में निबन्धक के अधिकार प्रदत्त किये गये तथा इन्हें विभागाध्यक्ष व राज्य दुग्ध परिषद का सचिव भी नियुक्त किया गया।

उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला प्रदेश है। दुग्धशाला विकास कार्यक्रम को गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और प्रदेश के त्वरित औद्योगिकीकरण के परिप्रेक्ष्य में देखते हुये प्रत्येक स्तर पर प्रोत्साहित कर रोजगार सृजित किया जाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में दुग्ध विकास कार्यक्रम त्रिस्तरीय ढाँचे के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में जहाँ प्रदेश

में कार्यरत समितियों के लगभग 3 लाख से अधिक ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को, जिनमें अधिकांशतः सीमान्त, भूमिहीन अथवा लघु कृषक हैं, दूध का बेहतर एवं लाभकारी मूल्य दिलाना सम्भव हुआ है। वहीं शहरी उपभोक्ताओं को समुचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता का तरल दुग्ध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराने में भी सफलता मिली है। दुग्धशाला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहकारी दुग्ध समितियों के गठन/पुनर्गठन, उत्पादकों के प्रशिक्षण, दुग्ध उपार्जन, परिवहन, प्रसंस्करण, दुग्ध उत्पादों का उत्पादन, तरल दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद विपणन अर्थात् ''प्री-प्रोडक्शन टू पोस्ट मार्केटिंग'' की समग्र व्यवस्था है।

राज्य दुग्ध परिषद का गठन

''उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम, 1976'' की धारा-3 के अन्तर्गत एक निगमित निकाय के रूप में 'उ.प्र. राज्य दुग्ध परिषद' का गठन किया गया। इसे प्रदेश में दुग्धशाला विकास कार्यक्रम को गतिशील बनाने का दायित्व सौंपा गया। इस संगठन द्वारा लाइसेंसिंग कार्यों के साथ-साथ दुग्धशाला विकास कार्यक्रमों में भी गति प्रदान की गयी। परिषद को प्रथम बार वर्ष 1990 में गैर आपरेशन फ्लड जनपदों, जिन्हें दुग्ध परिषद जनपद कहा गया, में दुग्धशाला विकास कार्यक्रमों को संचालित करने हेतु क्रियान्वयन एजेन्सी घोषित किया गया। इस प्रकार दुग्ध संघों पर प्रभावी नियंत्रण के फलस्वरूप विकास कार्यों में आशातीत सफलता मिली। वर्ष 2004 में दुग्ध विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व व्यावसायिक कार्यों का संचालन समान रूप से आपरेशन फ्लड जनपदों एवं गैर आपरेशन फ्लड जनपदों में करने हेतु प्रादेशिक को-ऑपरेटिव डेरी फेडरेशन को क्रियान्वयन एजेन्सी घोषित किया गया। परिषद के कार्यकलापों में क्षेत्र आरक्षण, दुग्ध मूल्य निर्धारण एवं दुग्ध उत्पाद विनिमय आदेश लागू करना मुख्य है।

कार्यक्रमवार लक्ष्य एवं उपलब्धि :

क्र. सं.	मद का नाम	इकाई	वर्ष 2016-17 लक्ष्य	वर्ष 2016-17 उपलब्धि	वर्ष 2017-18 लक्ष्य	वर्ष 2017-18 उपलब्धि	वर्ष 2018-19 लक्ष्य	वर्ष 2018-19 उपलब्धि (दिसम्बर 2018 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	कार्यरत समिति	(सं. क्रमिक)	15491	6768	16748	6710	10911	7035
2.	समिति सदस्यता	(लाख में) क्रमिक	5.93	3.06	6.99	3.01	4.70	3.16
3.	दुग्ध उपार्जन	(लाख में) किग्रा. प्रतिदिन	7.34	3.49	7.63	3.62	10.15	4.34
4.	दुग्ध बिक्री	(लाख में) लीटर प्रतिदिन	3.92	1.92	3.01	1.69	5.07	1.72

केन्द्र पुरोनिधानित योजना

दुग्ध विकास की राष्ट्रीय योजना (एनडीडीपी)

वर्ष 2014-15 में पूर्व संचालित केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं का पुनर्गठन कर भारत सरकार द्वारा दुग्ध विकास की राष्ट्रीय योजना संचालित की जा रही है। दुग्ध विकास हेतु राष्ट्रीय योजना के उद्देश्य निम्नवत् हैं :

1. गुणवत्तायुक्त दुग्ध उत्पादन हेतु अवस्थापना सुविधाओं का सृदृढ़ीकरण तथा कोल्ड चेन की स्थापना, जिससे कि कृषकों को उपभोक्ताओं से जोड़ना।
2. दुग्ध उपार्जन प्रसंस्करण तथा विपणन हेतु अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना।
3. दुग्ध उत्पादकों हेतु प्रशिक्षण अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना।
4. गांव स्तर पर दुग्ध सहकारी समितियों/उत्पादक कम्पनियों का सृदृढ़ीकरण।
5. तकनीकी निवेश सुविधाओं यथा पशुआहार, मिनरल मिक्सचर उपलब्ध कराते हुए दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना।
6. दक्ष/योग्य (वायबिल) दुग्ध संघों/फेडरेशन के पुनर्जीविकरण में सहयोग प्रदान करना।

हरा चारा उत्पादन एवं वितरण कार्यक्रम

किसानों को अच्छी गुणवत्ता के चारा उत्पादन करने एवं अधिक उत्पादन करने वाली जई, बरसीम चायनीज कैबेज, सारगम, लोबिया, सारगम सूडान एवं मल्टीकट राई ग्रास आदि की उच्च गुणवत्ता वाली प्रजातियों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मिनीकिट किसानों को उपलब्ध कराया जायेगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु रु. 152.04 लाख की वित्तीय सहायता प्रस्तावित है।

राज्य योजनाएं

1. दुग्ध विकास कार्यक्रम हेतु ग्रामीण अवस्थापना सुविधा

(अ) बल्क मिल्क कूलर की स्थापना (सामान्य)

इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण अंचलों में नई गठित, पुनर्गठित समितियों में पांच से दस समितियों को कलस्टर यूनिट बनाने हेतु बल्क मिल्क कूलर लगाया जाएगा, इससे दूध की तत्काल चिलिंग की प्रक्रिया होने से दूध की गुणवत्ता बनी रहेगी।

(ब) ऑटोमैटिक मिल्क कलेक्शन की स्थापना (सामान्य)

इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में अनुसूचित जाति के सदस्यों हेतु नवगठित/पुनर्गठित दुग्ध समितियों को आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर दूध की नाप-तौल, परीक्षण व दुग्ध मूल्य की जानकारी तत्काल दुग्ध उत्पादकों को डिस्प्ले यूनिट पर प्राप्त कराने व पारदर्शिता, समिति के प्रति विश्वास उत्पन्न होने हेतु ऑटोमैटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट की स्थापना।

2. सूचना तकनीकी एवं कम्प्यूटरीकरण योजना

इस योजना में दुग्धशाला विकास विभाग के जनपदीय/मण्डलीय कार्यालयों तथा प्रदेश के समस्त दुग्ध संघों, प्रशिक्षण केन्द्रों, क्षेत्रीय मार्केटिंग कार्यालयों, कार्यदायी संस्थाओं एवं दुग्ध आयुक्त कार्यालय तथा पी.सी.डी.एफ. मुख्यालय आदि के क्रियाकलापों में आधुनिक पद्धति पर एकरूपता लाने हेतु संचार

एवं कम्प्यूटरीकरण व्यवस्था करते हुए मुख्यालय से सभी संस्थानों/कार्यालयों में नेटवर्क स्थापित किये जाने का कार्यक्रम आच्छादित है।

3. दुग्ध उत्पादक सदस्यों को सहकारिताओं के अन्तर्गत प्रोत्साहित करना (गोकुल पुरस्कार)

प्रदेश के जनपदो में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादित कर दुग्ध समिति के माध्यम से दुग्ध संघों को सर्वाधिक दूध विक्रय करने वाले दुग्ध उत्पादक को वित्तीय वर्ष 2018-19 से जनपद स्तर पर रु. 51000.00 एवं प्रदेश स्तर पर दो उत्पादकों को प्रथम पुरस्कार रु. 2.00 लाख एवं द्वितीय पुरस्कार रु. 1.50 लाख नकद तथा प्रमाण-पत्र व गाय-बछड़ा के साथ श्री कृष्ण की मूर्ति की एक शील्ड प्रदान किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 54.00 लाख की धनराशि का प्रावधान है।

4. नन्द बाबा पुरस्कार

''देशी नस्ल की गाय के माध्यम से दुग्ध उत्पादन करने वाले दुग्ध उत्पादक सदस्यों को सहकारिता के अंतर्गत प्रोत्साहित करना (नन्द बाबा पुरस्कार)'' के अंतर्गत वर्ष 2018-19 के आधार पर प्रदेश के 75 जनपदों में देशी नस्ल की गाय से सवार्धिक दूध, दुग्ध समितियों के माध्यम से दुग्ध संघ को वर्ष में कम से कम 1500 ली. दूध का विक्रय करने वाले उत्पादक को नन्द बाबा पुरस्कार वितरण हेतु विकास खण्ड/जनपद स्तर/राज्य स्तर पर क्रमशः रु. 5100.00, रु. 21000.00 एवं रु. 51000.00 पुरस्कार तथा प्रत्येक लाभार्थी को प्रमाण-पत्र एवं प्रतीक-चिन्ह दिये जाने की व्यवस्था है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 136.26 लाख की धनराशि का प्रावधान है।

5. पी.सी.डी.एफ. के सुदृढ़ीकरण हेतु ऋण

दुग्ध विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत नये डेयरी प्लाण्टों की स्थापना एवं पुनरुद्धार हेतु पूंजी निवेश/ ऋण के रूप में वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 15000.00 लाख धनराशि का प्रावधान है।

6. डेरी विकास फण्ड की स्थापना

उत्तर प्रदेश में दुग्ध क्रान्ति लाये जाने के दृष्टिगत डेरी विकास फण्ड की स्थापना हेतु वर्तमान सरकार के लोक कल्याण संकल्प के अंतर्गत प्रदेश में वृहद स्तर पर दुग्ध विकास कार्यक्रमों को संचालित करने एवं दुग्ध विकास से सम्बन्धित गतिविधियों को एक नवीन आयाम व दिशा प्रदान किये जाने की दृष्टि से एक डेरी विकास फण्ड की स्थापना की गयी है।

प्रस्तावित फण्ड के माध्यम से प्रदेश में दुग्ध विकास के उत्थान हेतु विभिन्न गतिविधियों का संचालन कर प्रदेश में दुग्ध व्यवसाय को प्रोत्साहित करने में कोष का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।

7. मथुरा में नवीन डेरी स्थापना

वित्तीय वर्ष 2019-20 में मथुरा में एक लाख लीटर क्षमता की नवीन डेरी की स्थापना हेतु रु. 28119.00 लाख की प्रस्तावित लागत के समक्ष राज्यांश में रु. 5623.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

8. दुग्ध संघों/समितियों के सुदृढ़ीकरण, पुनर्गठन एवं विस्तार (जिला योजना) (सामान्य/एस.सी.पी.)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य दुग्ध उत्पादन में दुग्ध उत्पादक सदस्यों की भागीदारी बढ़ाने हेतु दुग्ध संघों/समितियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण अंचलों

में दुग्ध सहकारी समितियों को गठित व बन्द दुग्ध समितियों को पुनर्गठित कर ग्रामीण दुग्ध समितियों को संचालित करने के लिए कार्यशील पूँजी, प्रबन्धकीय अनुदान, यातायात अनुदान, हेड लोड अनुदान, दुग्ध केन्द्रों एवं समिति पर वांछित अन्य आवश्यक उपकरण, वाहन, दुग्धशाला/अवशीतन केन्द्रों की स्थापना, विस्तार एवं भूमि क्रय आदि की व्यवस्था है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में उक्त मद में अनुदान संख्या-16 व 83 में क्रमशः रु. 4150.00 लाख एवं रु.2142.73 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

9. दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश योजना (जिला योजना) (सामान्य/एस.सी.पी.)

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश की समस्त दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों के दुधारू पशुओं को तकनीकी निवेश सुविधायें (पशु प्रजनन एवं पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम) यथा- डीवार्मिंग, टीकाकरण, नस्ल सुधार कार्यक्रम, प्रचार-प्रसार, काफरैली आदि सुविधा उपलब्ध कराते हुए उनके पशुओं के स्वास्थ्य, नस्ल सुधार करके दुग्ध उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में उक्त मद में अनुदान संख्या-16 व 83 में क्रमशः रु. 300.00 लाख एवं रु. 211.18 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

10 कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम (सामान्य/एस.सी.पी.)

दुग्ध विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित सहकारी प्रशिक्षण संस्थाओं में ए.आई. कार्यकर्ता, प्रबन्ध कमेटी सदस्य, ए.आई. रिफ्रेसर, प्रोग्रेसिव प्रोड्यूसर, क्लीन मिल्क प्रोड्यूसर, मार्केटिंग स्टाफ, ए.एम.सी.यू. व बी.एम.सी. आपरेटर आदि के प्रशिक्षण कार्य आच्छादित हैं। साथ ही उपभोक्ताओं एवं दुग्ध उत्पादकों के जागरूकता हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किये जा रहे हैं।

वर्ष 2019-20 में उक्त मद में अनुदान संख्या-16 एवं 83 में क्रमशः रु. 200.00 लाख व रु. 191.62 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

11. उ.प्र. दुग्ध नीति 2018

शासनादेश संख्या-1/2018/548/53-1-2018-1 (विविध)/2018, दिनांक 07 जून, 2018 द्वारा उ.प्र. दुग्ध नीति-2018 लागू की गयी है। दुग्ध नीति के द्वारा प्रदेश में ग्रामीण अंचल के किसानों को दुग्ध व्यवसाय में अभिरुचि पैदा कर स्वरोजगार में स्थापित करना, दुग्ध उत्पादकों के हितों की रक्षा करना, दुग्ध उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता के दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ उपलब्ध कराना, नये रोजगार का सृजन करना तथा दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करने के लिए अवस्थापना सुविधाओं का विकास, पूंजी निवेश एवं तकनीकी उन्नयन को प्रोत्साहन, मानव संसाधन विकास, बाजार विकास, अनुसंधान एवं विकास, प्रोत्साहन, गुणवत्ता एवं प्रमाणीकरण तथा अनुदान, ऋण एवं रियायतें आदि कार्यक्रम सन्निहित हैं।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में उक्त योजनान्तर्गत प्रथम अनुपूरक के माध्यम से अनुदान संख्या-16 के अंतर्गत धनराशि रु. 500.00 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध है, जिसके सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए अनुदान संख्या-16 में धनराशि रु. 500.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

मत्स्य विकास

पौष्टिक खाद्य पदार्थों की श्रेणी में मछली की अपनी विशेष उपयोगिता है, जिसमें उच्चकोटि का प्रोटीन एवं विभिन्न विटामिन तथा अन्य पोषक तत्व जैसे- फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन आदि का मिश्रण पाया जाता है, जो जन स्वास्थ्य के लिए विशेष उपयोगी है। प्रदेश में मत्स्य विकास हेतु पर्याप्त जल संसाधन की उपलब्धता है, जिसका समुचित उपयोग कर जन सामान्य को पौष्टिक मत्स्य आहार की उपलब्धता सुनिश्चित कराना तथा इस कार्यक्रम से जुड़े व्यक्तियों विशेषतः मछुआ समुदाय के व्यक्तियों का सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान करना विभाग का मुख्य उद्देश्य है। मत्स्य पालन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बेकार पड़ी कृषि हेतु अनुपयुक्त भूमि/तालाब/पोखरों/जलाशयों का उपयोग करके अतिरिक्त आय अर्जित की जा सकती है तथा ग्रामीण अंचल में बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार का साधन जुटाने तथा सामाजिक व आर्थिक दशा सुधारने का एक अच्छा अवसर सुलभ कराया जा सकता है। प्रदेश में मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि लाने हेतु शासन द्वारा ''विजन एण्ड पर्सपेक्टिव प्लान फार द डेवलेपमेन्ट आफ फिशरीज सेक्टर 2013'' का अवधारण करते हुए दस वर्षीय कार्यक्रमों को लागू कराने का संकल्प लिया है, जिसके अन्तर्गत मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा प्रदान करते हुए उसके प्रावधानों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

मत्स्य विकास कार्यों को सुनियोजित रूप से सम्पादित किये जाने की दृष्टि से वर्ष 1947 में उ0प्र0 मत्स्य विभाग की स्थापना पशुपालन विभाग के अन्तर्गत की गयी थी। वर्ष 1966 में मत्स्य विभाग पशुपालन विभाग से पृथक हुआ और स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना अवधि में जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् कुछ तालाब मत्स्य विभाग को हस्तान्तरित हुए, जिनमें विकास कार्य प्रारम्भ किया गया। मत्स्य विकास कार्यों को छठी पंचवर्षीय योजना में मत्स्य पालक विकास अभिकरणों की स्थापना के बाद विशेष गतिमयता प्राप्त हुयी। प्रदेश में मत्स्य बीज की बढ़ती माँग की पूर्ति के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम के द्वारा 09 बड़े आकार की हैचरियों की स्थापना करायी गयी। 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के सभी जनपदों में मत्स्य पालक विकास अभिकरणों की स्थापना करायी गयी और अभिकरणों के माध्यम से मत्स्य पालकों को तालाबों के सुधार/नये तालाबों के निर्माण तथा प्रथम वर्ष के उत्पादन निवेशों हेतु बैंकों से ऋण व शासकीय अनुदान, अल्पकालीन प्रशिक्षण व निःशुल्क तकनीकी जानकारी की सुविधा उपलब्ध करायी जाती थी। वित्तीय वर्ष 2016-17 में माह-जून, 2016 तक यह योजना संचालित थी। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में उपरोक्त समस्त केन्द्र पुरोनिधानित/केन्द्र पोषित योजनाओं को एक अम्ब्रेला में लाते हुये नयी सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम ''ब्लू रिवोल्यूशनः इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज'' आरम्भ की गयी जिसके अन्तर्गत मत्स्य विकास के विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

विभाग के मूल उद्देश्य व कार्यक्रमों की भौतिक प्रगति

विभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य प्रदेश में उपलब्ध जल संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए मत्स्य उत्पादन के साथ-साथ रोजगार के अतिरिक्त साधनों का सृजन तथा स्वरोजगार के संसाधन उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त मछुआ समुदाय के व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु आवास/बीमा/ऋण आदि की सुविधायें भी सुलभ करायी जाती हैं इसी प्रकार मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि लाये जाने के दृष्टिगत मत्स्य पालन विविधीकरण के अभिनव कार्यक्रम संचालित कराये जा रहे हैं।

प्रदेश में उपलब्ध वृहद एवं मध्यमाकार जलाशयों, प्राकृति झीलों तथा ग्रामीण अंचलों के तालाबों का कुल 5.34 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है। इन जल संसाधनों की उपलब्धता तथा मत्स्य पालन के अन्तर्गत लाये गये जल क्षेत्र से सम्बन्धित विवरण निम्नवत् हैः-

बंधा हुआ जल संसाधन	कुल उपलब्ध जल क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	मत्स्य आखेट प्रबंधन एवं मत्स्य पालन के अन्तर्गत उपयोग में लाया गया जल क्षेत्र (लाख हेक्टेयर)	प्रतिशत
1- वृहद एवं मध्यामाकार जलाशय	2.28	2.26	99.12
2- प्राकृतिक झीलें	1.33	0.20	15.03
3- ग्रामीण अंचल के तालाब	1.73	1.20	69.36
योग	**5.34**	**3.66**	**68.53**

ग्रामीण अंचल में मत्स्य पालन को बढ़ावा

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में उपरोक्त समस्त केन्द्र पुरोनिधानित/केन्द्र पोषित योजनाओं को एक अम्ब्रेला में लाते हुये नयी सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम ''ब्लू रिवोल्यूशन : इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज'' आरम्भ की गयी, जिसके अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के मानकों में परियोजना लागत को बढ़ाते हुय मत्स्य पालकों को अधिक से अधिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में केन्द्रीय सहायता 50 प्रतिशत एवं राज्य सहायता व लाभार्थी अंश 25-25 प्रतिशत की दर से मत्स्य विकास के कार्यक्रम संचालित किये जा रहे थे, परन्तु भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 के मध्य सत्र में प्रश्नगत योजना के फंडिंग पैटर्न में परिवर्तन कर दिया गया है। इस कारण केन्द्र सरकार द्वारा लाभार्थीपरक उपयोजनाओं में परियोजना हेतु निर्धारित इकाई लागत की अधिकतम सीमा के सापेक्ष सामान्य वर्ग के लाभार्थी को परियोजना लागत का 24 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता, 16 प्रतिशत राज्यांश तथा 60 प्रतिशत सम्बन्धित लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किये जाने तथा कमजोर वर्ग यथा- महिला एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लाभार्थी को परियोजना लागत का 36 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता का 24 प्रतिशत राज्यांश तथा 40 प्रतिशत सम्बन्धित लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किये जाने की व्यवस्था की गयी है। प्रदेश में मत्स्य विकास योजनाओं को लागू किये जाने से पूर्व मत्स्य उत्पादकता 600 किग्रा0/हेक्टेयर/वर्ष

थी। वर्ष 2017-18 तक 4375 किग्रा./हेक्टेयर/वर्ष के स्तर तक बढ़ाया जा चुका है। वर्ष 2018-19 में ''ब्लू रिवोल्यूशन : इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज योजना'' के माध्यम से प्रदेश की मत्स्य उत्पादकता 4500 किग्रा./हेक्टेयर/वर्ष करने का लक्ष्य निर्धारित है एवं वर्ष 2019-20 में 4500 किग्रा./हेक्टेयर/वर्ष का लक्ष्य प्रस्तावित है।

मत्स्य बीज उत्पादन एवं वितरण

तालाबों में उत्तम मत्स्य प्रजातियों के गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज का संचय मत्स्य पालन कार्यक्रम की सफलता के लिए नितान्त आवश्यक है। मत्स्य बीज उत्पादन का कार्य मत्स्य विकास निगम द्वारा निर्मित 09 बड़े आकार की हैचरियों, मत्स्य विभाग के 37 प्रक्षेत्रों एवं निजी क्षेत्र में स्थापित छोटे आकर की 225 हैचरियों द्वारा किया जा रहा है तथा प्रदेश को मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाने हेतु निजी क्षेत्र में मिनी हैचरियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। भारत सरकार की 'नीली क्रान्ति' योजनान्तर्गत निजी क्षेत्र में एक मिनी हैचरी की स्थापना हेतु रु. 25.00 लाख इकाई लागत पर कुल 40 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है, जिसमें (60 प्रतिशत केन्द्रांश + 40 प्रतिशत राज्यांश) जो कि सामान्य वर्ग रु. 10.00 लाख की सीमा में केन्द्रांश रु. 6.00 लाख, राज्यांश रु. 4.00 लाख तथा शेष रु. 15.00 लाख लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जाता है। इसके अतिरिक्त मत्स्य अंगुलिका उत्पादन हेतु मत्स्य बीज रियरिंग इकाई लागत रु. 6.00 लाख प्रति हेक्टेयर पर कुल 40 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है जिसमें (60 प्रतिशत केन्द्रांश + 40 प्रतिशत राज्यांश) जो कि रु. 2.40 लाख की सीमा में केन्द्रांश रु. 1.44 लाख, राज्यांश रु. 0.96 लाख तथा शेष रु. 3.60 लाख लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जाता है। इसी प्रकार इन योजनाओं में कमजोर वर्ग (महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) के लिए कुल 60 प्रतिशत अनुदान (केन्द्रांश 60 प्रतिशत + राज्यांश 40 प्रतिशत) अनुमन्य है, अर्थात् परियोजना की इकाई लागत के अन्तर्गत परियोजना लागत का 36 प्रतिशत केन्द्रांश, 24 प्रतिशत राज्यांश व 40 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा वहन किये जाने का प्रावधान है।

जलाशयों में मत्स्य विकास

मत्स्य विकास व मत्स्याखेट की दृष्टि से भारत सरकार एवं राष्ट्रीय मात्स्यकीय विकास बोर्ड के मैनुअल के अनुसार जलाशयों को क्षेत्रफल के आधार पर 5 श्रेणी में विभक्त किया गया है तथा उन्हें 10 वर्ष हेतु ई-निविदा/निविदा के माध्यम से निस्तारित किये जाने की व्यवस्था है। श्रेणी 1, 2 एवं 3 के जलाशयों का ठेका उच्चतम ई-निविदा पर पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति/ठेकेदार को ई-निविदा पद्धति से दिये जाने की व्यवस्था है। श्रेणी-4 के जलाशयों तथा 5 के विभागीय तालाबों के निस्तारण की प्रक्रिया चक्र में पंजीकृत मत्स्य जीवी सहकारी समितियों के मध्य निस्तारित किये जाने तथा वांछित मूल्य प्राप्त न होने की दशा में समितियों के साथ-साथ ठेकेदारों को भी सम्मिलित किये जाने एवं उच्चतम निविदा के माध्यम से ठेका दिये जाने की व्यवस्था है।

इन जलाशयों/तालाबों का निस्तारण ई-निविदा/निविदा के माध्यम से कराये जाने हेतु विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। मत्स्य विभाग की प्रबन्ध व्यवस्था में 63 जलाशय एवं 310 तालाब हैं। उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 के 21 तथा उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ के 9 जलाशय हैं। जलाशयों में मत्स्य उत्पादन वृद्धि हेतु मत्स्य अंगुलिका संचय करने का प्रावधान सम्मिलित किया गया है।

मछुआ समुदाय के कल्याणार्थ कार्यक्रम

पिछड़े तथा आर्थिक रूप से कमजोर मछुआ समुदाय के आर्थिक व सामाजिक उत्थान हेतु मत्स्य जीवी सहकारी समितियों का गठन व पंजीकरण, मछुआ दुर्घटना बीमा एवं आवास विहीन मछुआरों के लिए 'ब्लू रिवोल्यूशन : इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज योजना' के तहत मछुआ आवास योजना क्रियान्वित की जा रही हैं। प्रदेश में 1096 प्राथमिक समितियां, 22 जनपद स्तरीय संघ एवं एक प्रदेशीय संघ की स्थापना की गयी है। दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति के सदस्यों तथा सक्रिय मत्स्य पालकों की दुर्घटनावश मृत्यु/स्थाई अपंगता होने की दशा में रु. 2,00,000 व स्थाई आंशिक अपंग होने की दशा में रु. 1,00,000 की धनराशि दिये जाने का प्रावधान है। मछुआ आवास योजना के अन्तर्गत आवास विहीन मछुआरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के समान प्रति आवास रुपये 1.20 लाख की सुविधा अनुमन्य है। भारत सरकार के सहयोग से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है।

ब्लू रिवोल्यूशन : इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज योजना

ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को 40 प्रतिशत अनुदान धनराशि जिसमें केन्द्रांश 24 प्रतिशत व राज्यांश 16 प्रतिशत सम्मिलित हैं। कमजोर वर्ग यथा- महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को अनुदान धनराशि 60 प्रतिशत जिसमें केन्द्रांश 36 प्रतिशत व राज्यांश 24 प्रतिशत सम्मिलित है कि अनुदान सहायता निर्धारित की गयी है। अवशेष धनराशि लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। यह योजना प्रोजेक्ट/डी0पी0आर0 आधारित है। इस योजना के संचालन हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक परियोजना की विस्तृत योजना विवरण (डी0पी0आर0) बनाते हुए लाभार्थीपरक योजना हेतु लाभार्थी द्वारा कार्य कराये जाने की व्यवस्था है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार के सहयोग से संचालित 'ब्लू रिवोल्यूशन : इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज योजना' के अन्तर्गत 19.661 हे0 नये तालाबों का निर्माण तथा 293.09 हे0 तालाबों का सुधार कराया गया, 15.60 हे0 पर मत्स्य बीज रियरिंग इकाई की स्थापना करायी गयी तथा 06 आटो रिक्शा विद आइस बाक्स, 84 बाइसिकल विद आइस बाक्स, 56 मोटर साइकिलें विद आइस बाक्स उपलब्ध करायी गयी। 09 मत्स्य बीज हैचरियों की स्थापना, 01 बृहद फीड मिल, 01 लघु फीड मिल व 10 सोलर पावर एक्वाकल्चर केन्द्र स्थापित कराये गये, 33 जनपदों में 666 मछुआ आवासों का निर्माण कराया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 में ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत 138 फिश सीड रियरिंग यूनिट व 29 मत्स्य बीज हैचरियों की स्थापना करायी गयी। 06 लघु फीड मिल, 15 आर.ए.एस. तथा 03 सोलर पावर आधारित सपोर्ट सिस्टम एक्वाकल्चर की स्थापना कराई गई। आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये सन्दर्भित योजनान्तर्गत कुल रु. 4195.78 लाख का आय-व्ययक अनुमान प्रस्तावित किया जा रहा है।

मत्स्य बीज उत्पादन

मत्स्य पालन कार्यक्रम की सफलता गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज पर निर्भर है। मत्स्य बीज उत्पादन के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम द्वारा 9 बड़े आकार की हैचरियों का निर्माण कराया गया है तथा मत्स्य विभाग के प्रबन्धान्तर्गत 37 विभागीय प्रक्षेत्र/हैचरियां स्थापित हैं। इस

कार्यक्रम में निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से बैंक ऋण/पूंजी निवेश से कुल 225 मिनी हैचरियों का निर्माण कराया जा चुका है, जिसमें से 216 वर्तमान में सक्रिय हैं। जिसके फलस्वरूप वर्ष 2017-18 में सभी स्रोतों से कुल 27128.72 लाख मत्स्य बीज तथा वर्ष 2018-19 में, माह-दिसम्बर, 2018 तक वार्षिक लक्ष्य 28022.30 लाख के सापेक्ष्य 29565.27 लाख मत्स्य बीज उत्पादन सुनिश्चित किया गया है। वर्ष 2019-20 के अन्तर्गत 30000.00 लाख गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज के उत्पादन का लक्ष्य प्रस्तावित है।

मत्स्य बीज वितरण एवं संचय

मछली के उत्पादन में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से उत्तम प्रजाति का मत्स्य बीज मत्स्य पालकों को उनकी माँग पर निर्धारित मूल्य पर वितरित किया जाता है। मत्स्य बीज वितरण की व्यवस्था जिला स्तरीय मत्स्य पालक विकास अभिकरण के माध्यम से की जाती है। वर्ष 2017-18 में 26333.92 लाख मत्स्य बीज वितरित किया गया तथा वर्ष 2018-19 माह दिसम्बर, 2018 तथा 29299.70 लाख मत्स्य बीज का वितरण सुनिश्चित किया गया है। वर्ष 2019-20 में 29632.00 लाख मत्स्य बीज वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त विभागीय जलाशयों में मत्स्य बीज का संचय भी किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 794.80 लाख तथा वर्ष 2018-19 में माह-दिसम्बर, 2018 तक 265.57 लाख मत्स्य बीज का संचय कराया गया है। वर्ष 2019-20 में 368.00 लाख मत्स्य बीज संचय कराये जाने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

मछुआ समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु सहकारी समितियों का गठन

मत्स्य व्यवसाय से जुड़े मछुआ जाति के व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में सुधार लाने हेतु सहकारिता के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से त्रिस्तरीय ढांचा तैयार किया गया है। प्रदेश स्तर पर मत्स्य जीवी सहकारी संघ, जनपद स्तर पर जिला सहकारी मत्स्य विकास एवं विपणन फेडरेशन तथा न्याय पंचायत स्तर पर प्राथमिक मत्स्य जीवी सहकारी समितियां गठित की गई हैं। वर्तमान में 1081 प्राइमरी समितियां, 22 जिला फेडरेशन व 01 प्रादेशिक मत्स्य सहकारी संघ प्रदेश में कार्यरत हैं।

मछुआ दुर्घटना बीमा योजना

प्रदेश में मछुआ दुर्घटना बीमा योजना वर्ष 1985-86 से प्रारम्भ की गयी है। वर्ष 2016-17 में योजनान्तर्गत आच्छादित सदस्यों की दुर्घटनावश मृत्यु/स्थाई अपंगता की दशा में रु. 2.00 लाख तथा दुर्घटना में आंशिक स्थाई अपंग होने की दशा में रु. 1.00 लाख बीमित राशि का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2017-18 में बीमा धनराशि का प्रीमियम रु. 2.88 (रु. 1.44 भारत सरकार व रु. 1.44 राज्य सरकार) प्रति सदस्य की दर से राष्ट्रीय मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0, नई दिल्ली के माध्यम से बीमा कम्पनी को भुगतान किया गया है। लाभार्थी को कोई भी धनराशि स्वयं वहन नहीं करनी पड़ती है। वर्ष 2017-18 में कुल 193.00 मत्स्य पालकों को आच्छादित किया गया है। वर्तमान में उपरोक्त योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लागू है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत सरकार द्वारा बीमा के प्रीमियम की धनराशि रु. 12/- प्रति लाभार्थी की गयी है, जिसमें केन्द्रांश रु. 6/- एवं राज्यांश रु. 6/- है। वर्ष 2018-19 में माह जनवरी, 2019 तक 01 आच्छादित परिवार को रु. 2.00 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है तथा

साथ ही मत्स्य पालकों को आनलाइन डाटा फीडिंग के आधार पर 103333 मत्स्य पालकों को आच्छादित किया जा चुका है, जैसे-जैसे मत्स्य पालकों का डाटा प्राप्त होता रहेगा, आनलाइन डाटा फीडिंग की जाती रहेगी। 103333 मत्स्य पालकों को केन्द्रीय अंश प्राप्त हो गया है। वर्ष 2019-20 तक 2,00,000 मत्स्य पालकों को आच्छादित किये जाने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

मछुआ आवासों का निर्माण

मछुआ आवास योजना के अन्तर्गत आवास विहीन मछुआरों को प्रधानमंत्री आवास योजना के समान दर पर प्रति आवास रुपये 1.20 लाख की सुविधा अनुमन्य है। भारत सरकार के सहयोग से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है तथा प्रदेश में वर्ष 2017-18 तक कुल 24564 मछुआ आवास निर्मित कराये जा चुके है। वर्ष 2018-19 में 600 मछुआ आवासों के निर्माण का लक्ष्य है।

ई गवर्नेन्स के क्रियान्वयन की प्रगति

समस्त जनपदों का ई-मेल, व्हाट्सएप तथा एस.एम.एस. के माध्यम से विभिन्न पटलों द्वारा सूचनायें प्राप्त करने व भेजने की सुविधा है। मत्स्य पालकों की सुविधा एवं समस्या निवारण हेतु टॉल फ्री नम्बर - 1800 180 5661 की भी सुविाा दी गयी है। किसानों को योजनाओं की जानकारी हतु विभागीय वेबसाइट http://fisheries.upsdc.gov.in विकसित करायी गयी है। मत्स्य विभाग की समस्त योजनाओं को आनलाइन करने, उनका एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर विकसित करने, आम जनमानस को विभाग की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु आनलाइन रजिस्ट्रेशन करने एवं मोबाइल ऐप विकसित कराने का कार्य यूपीडेस्को के माध्यम से कराया जा रहा है। आर0के0वी0वाई0 योजना में लाभार्थियों का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से किया जा रहा है। समस्त भुगतान सम्बन्धी प्रक्रिया ई-कुबेर के माध्यम से की जा रही है।

- **ब्लू रिवोल्यूशन : इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज योजना**
- **पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान**

वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस योजना के लिए शासन द्वारा कोई भी बजट स्वीकृत नही किया गया है बल्कि शत प्रतिशत राज्य सहायतित मछुआ आवासों के निर्माण योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रु. 799.20 लाख में से 313 आवासों के निर्माण हेतु रु. 375.60 लाख का पुनर्विनियोग शासन से स्वीकृत कराते हुए वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत की गईं। आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1000 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु कुल रु. 1200.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित की जा रही है।

- **मोबाइल फिश पार्लर योजना**

वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस योजना के लिए शासन द्वारा कुल रु. 16.50 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत है। मा0 मंत्री परिषद से योजना का अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण विगत 02 वित्तीय वर्षों से इस योजना में प्राविधानित धनराशि का व्यय नहीं हो पा रहा है। जिसके कारण न तो शासन से वित्तीय स्वीकृति निर्गत हो पा रही है और न ही प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष व्यय किया जाना संभव हो पा रहा है। इस कारण आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कोई भी धनराशि प्रस्तावित नहीं की जा रही है।

- **विभागीय मत्स्य प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण**

वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस योजना के लिए शासन द्वारा कुल रु. 46.08 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत तथा शासन से कुल रु. 43.533 लाख की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत हैं। जिसके सापेक्ष रु. 37.56 लाख का व्यय हुआ है। आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए इस योजनान्तर्गत रु. 50.00 लाख की धनराशि के रूप में प्रस्तावित की गई है।

- **विस्तार तथा प्रशिक्षण**

मत्स्य उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए योजनाओं के विस्तार के साथ-साथ दक्ष अधिकारी/कर्मचारी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आधुनिकतम ज्ञान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधिकारी/कर्मचारी को समय-समय पर विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण हेतु चयनित कर प्रशिक्षण संस्थान को भेजा जाता है। प्रशिक्षण की यह संस्थायें बैरकपुर (पश्चिम बंगाल), पंतनगर (उत्तराखण्ड) में हैं। प्रशिक्षणार्थियों को उनके प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण भत्ता, यात्रा व्यय तथा अन्य व्ययों हेतु धनराशि की व्यवस्था की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 2.00 लाख का प्रावधान है तथा वर्ष 2019-20 में भी रु. 2.00 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है।

- **अनुसंधान-सामान्य**

मत्स्य विभाग की यह योजना सबसे बड़ी है। विभाग में निहित तालाबों, झीलों, जलाशयों में मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से अनुसंधान कार्यों के सम्पादन हेतु मुख्यालय स्तर पर एक अनुसंधान अधिकारी (उत्प्रेरित प्रजनन) तथा एक अनुसंधान अधिकारी (रसायन) का पद हैं। इनके कार्यों में सहयोग हेतु ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक तथा मत्स्य विकास अधिकारी कार्यरत है। मुख्यालय पर एक अलग से केन्द्रीय प्रयोगशाला तथा मण्डल स्तर पर 11 प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी है, जिनके द्वारा तालाबों की मिट्टी व पानी के नमूनों की जाँच का कार्य निःशुल्क सम्पादित किया जाता है तथा मत्स्य पालकों को तकनीकी परामर्श दिया जाता है।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वेतन भत्तों आदि के मद में वर्ष 2017-18 में रु. 4371.63 लाख का व्यय हुआ है। वर्ष 2018-19 में रु. 6185.29 लाख का बजट स्वीकृत हुआ तथा वर्ष 2019-20 के लिए रु. 7111.65 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है।

- **राज्य स्तरीय एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन**

प्रदेश में विभागीय कर्मचारियों के तकनीकी ज्ञानवर्द्धन एवं कार्य क्षमता में वृद्धि लाने हेतु प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से केन्द्र वित्त पोषित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण कराया गया है, जिसके संचालन पर वर्ष 2017-18 में रु. 6.43 लाख का व्यय हुआ है। वर्ष 2018-19 में रु. 21.29 लाख का बजट स्वीकृत हुआ तथा वर्ष 2019-20 के लिए रु. 29.85 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है।

- **मछुआ आवास योजना (35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों हेतु अनुदान)**

वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस योजना के लिए शासन द्वारा कुल रु. 799.20 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत है चूँकि यह शत प्रतिशत राज्य सहायतित योजना है और इस योजना हेतु बगैर

मांग के शासन द्वारा बजट प्रावधान स्वीकृत किया गया है। प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रु. 799.20 लाख में से 'ब्लू रिवोल्यूशन' योजनान्तर्गत संचालित मछुआ आवासों के निर्माण परियोजना के लिए 313 आवासों के निर्माण हेतु रु. 375.60 लाख का पुनर्विनियोग शासन से स्वीकृत कराया गया। जिसके उपरान्त सन्दर्भित योजनान्तर्गत रु. 423.60 लाख की धनराशि शेष है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2016-17 से मछुआ आवासों के निर्माण हेतु भारत सरकार के सहयोग से 'ब्लू रिवोल्यूशन' योजना संचालित है, जिसके लिए प्रश्नगत योजना में अलग से बजट प्रस्तावित किया गया है। अतः आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए इस योजनान्तर्गत कोई भी धनराशि प्रस्तावित नहीं की जा रही है।

- **प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण योजना**

इस योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में रु. 3.49 लाख का व्यय हुआ है। वर्ष 2018-19 में रु. 3.50 लाख का बजट स्वीकृत हुआ तथा वर्ष 2019-20 के लिए रु. 3.50 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है।

- **मत्स्य पालक कल्याण फण्ड**

शत प्रतिशत राज्य सरकार के सहयोग से वित्तीय वर्ष 2018-19 से यह योजना संचालित है। इस योजनान्तर्गत मत्स्य पालक कल्याण फण्ड की स्थापना के माध्यम से मत्स्य सेक्टर में लक्ष्यों को चिह्नित करते हुए उनके सफल कार्यान्वयन को मत्स्य विभाग, उ.प्र. मत्स्य विकास निगम लि. एवं उ.प्र. मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि. द्वारा कार्यक्रम/योजना संचालित किया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस योजना के लिए शासन द्वारा कुल रु. 2300.00 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत है। मा. मंत्रीपरिषद् से योजना का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु शासन से पत्राचार की कार्यवाही की गयी है। मा. मंत्रीपरिषद् से योजना के संचालन/दिशा-निर्देशों का अनुमोदन प्रतीक्षित है। चूंकि यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार के संकल्प पत्र में है जिसके दृष्टिगत आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना हेतु कुल रु. 2500.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित की जा रही है।

राज्य स्तरीय फिश मार्केट का निर्माण

वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस योजना के लिए शासन द्वारा अनुपूरक मांग के माध्यम से कुल रु. 96.13 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत किया गया है, जिसके सापेक्ष शासन को वित्तीय स्वीकृति निर्गत हो चुकी है। आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना हेतु कुल रु. 100.00 लाख की धनराशि प्रस्तावित की जा रही है।

●

सहकारिता

भारत के ग्रामीण अंचलों में सहकारी आन्दोलन का शुभारम्भ करते हुये सहकारिता के माध्यम से आसान शर्तों पर कर्ज दिलाने की व्यवस्था की आधिकारिक रूप से शुरुआत वर्ष 1904 में सहकारी ऋण समिति अधिनियम बनने से हुई, जो सहकारिता की दिशा में पहला कदम था। इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रारम्भ में केवल दो प्रकार (शहरी क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों) की समितियों का गठन किया गया। इस अधिनियम के पारित होते ही इसके प्रावधानों को उत्साह के साथ लागू करते हुए विभिन्न प्रान्तीय सरकारों द्वारा रजिस्ट्रार नियुक्त किये गये और सहकारिता के सम्बन्ध में प्रभावी शैक्षिक कार्यक्रम चलाये गये, जिससे वर्षानुवर्ष सहकारी आन्दोलन में प्रगति उभर कर आने लगी। इस अधिनियम में आगे चलकर कुछ कमियाँ भी दृष्टिगोचर हुईं, जिन्हें दूर करते हुए तथा सहकारिता के कार्य क्षेत्र में वृद्धि लाते हुए वर्ष 1912 में नया सहकारी अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गठित की जाने वाली समिति के अन्तर को समाप्त कर दिया गया तथा सहकारिता आन्दोलन के प्रसार को समुचित संरक्षण मिल जाने से ऋण देने के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए भी सहकारी समितियों का गठन सम्भव हो सका। तत्पश्चात् सहकारी आन्दोलन के बहुमुखी प्रसार को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1965 में नया सहकारी अधिनियम लागू किया गया। वर्तमान में इसी अधिनियम के अधीन समस्त सहकारी समितियाँ अपने कार्यों का निष्पादन कर रही हैं।

यह विभाग समितियों के लिये एक मित्र, विचारक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है तथा उनके कार्यों में आवश्यक निर्देश देता है एवं पर्यवेक्षण करता है। सहकारी समितियाँ सस्ते ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने एवं निर्बल वर्ग के लोगों को समितियों की अंशपूँजी में विनियोजन हेतु ऋण देने के अतिरिक्त कृषकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विधायन एवं संग्रहण में सहायता करती हैं और क्रय-विक्रय की व्यवस्था कर उत्पादकों को उनकी उपज का अच्छा मूल्य दिलाने में भी सहयोग प्रदान करती हैं। यह समितियाँ किसानों को कृषि कार्य के प्रयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के कृषि निवेशों को उन्हें उचित मूल्य पर उपलब्ध कराती हैं तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं सुलभ कराती हैं।

प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ (पैक्स), जिनकी संख्या वर्तमान में 7479 है, को बहउद्देशीय स्वरूप प्रदान किये जाने हेतु प्रत्येक समिति पर एक गोदाम/दुकान एवं कार्यालय की व्यवस्था है तथा कुछ समितियों में सचिवों हेतु आवासीय सुविधा भी उपलब्ध है।

सहकारी समितियों में धन के गबन आदि के मामले की शीघ्र जाँच एवं निस्तारण करने हेतु सहकारिता विभाग के अंतर्गत विशेष पुलिस अनुसंधान शाखा का गठन किया गया।

सहकारी समितियों के लेखों के सम्प्रेक्षण एवं उनके रखरखाव के सम्बन्ध में उचित मार्गदर्शन का

कार्य मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें उत्तर प्रदेश द्वारा सम्पादित किया जाता है, जो सम्प्रेक्षण के उपरान्त धन के अपहरण, गबन आदि गम्भीर मामलों को निबन्धक एवं समिति पदाधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित करते हैं।

सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत उ.प्र. सहकारी न्यायाधिकरण का गठन भी वर्ष1971 में किया गया है।

सहकारिता विभाग के कार्यकलापों को इन्टरनेट पर भी उपलब्ध करा दिया गया है, जिसकी वेबसाइट इस प्रकार है- cooperative.up.nic.in

कार्य योजना

प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में वर्ष 2017-18 में 1.65 लाख नये कृषक सदस्य बनाये गये। वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिनांक 30.01.2018 तक 0.86 लाख नये सदस्य बनाये गये। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 7.70 लाख नये सदस्यों को सहकारिता आन्दोलन से जोड़ने का लक्ष्य है। सदस्यों के साथ-साथ पदाधिकारियों को भी विस्तृत प्रशिक्षण देने तथा समितियों की व्यवस्था को पारदर्शी बनाकर अधिक से अधिक कृषकों को लाभान्वित किये जाने की योजना है।

वर्ष 2018-19 में प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के माध्यम से दिनांक 30.11.2018 तक रु. 4295.51 करोड़ अल्पकालीन ऋण वितरित किये गये हैं। सहकारी उर्वरक बिक्री केन्द्रों के माध्यम से 39.05 लाख मैट्रिक टन उर्वरक तथा 1.25 लाख कुन्टल प्रमाणित बीज वितरण का लक्ष्य है। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में क्रमशः रु. 324.31 करोड़ तथा रु. 107.97 करोड़ मूल्य की उपभोक्ता वस्तुएं भी जनसामान्य को वितरित किए जाने की योजना है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) द्वारा पुरोनिधानित एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं एवं उनके सदस्यों के विकास की विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही हैं। वर्तमान में 18 जनपदों- हाथरस, मेरठ, अमरोहा, पीलीभीत, झाँसी, शाहजहाँपुर, बलिया, बरेली, सहारनपुर, बाँदा, एटा, प्रयागराज, कौशाम्बी, अम्बेडकरनगर, जालौन, हमीरपुर, महोबा एवं कासगंज में परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं।

कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु तथा कृषकों के हितों के लिए नियमित भुगतान/प्रतिदान करने वाले कृषकों को 3 प्रतिशत की दर से फसली ऋण वितरित करने की योजना है। सामान्य ब्याज दरों में छूट दिये जाने के फलस्वरूप होने वाले अन्तर की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा ब्याज अनुदान के रूप में किए जाने की व्यवस्था है।

गैर लाइसेंस प्राप्त जिला सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेन्स प्राप्त कराने हेतु सहायता मद में वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 2500.00 लाख का प्रावधान हुआ है, जिसका उपभोग भी कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 11448.04 लाख का आय-व्ययक प्रावधान प्रस्तावित है।

(क) सहकारी ऋण एवं अधिकोषण योजना

कृषि उत्पादन कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन में इस योजना की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों/कृषकों को कृषि उत्पादन ऋण, उर्वरक, बीज तथा कीटनाशक दवाएं आदि उपलब्ध कराती हैं। उ.प्र. सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा सिंचाई कार्यों तथा कृषि

संयंत्रों आदि के लिए दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 1984-85 से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों को समितियों का अधिक से अधिक सदस्य बनाकर उन्हें सहकारी ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

(क-1) पैक्स के माध्यम से कृषकों को 3 प्रतिशत ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराने हेतु अनुदान

कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु नियमित भुगतान/प्रतिदान करने वाले कृषकों को 3 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से तथा अन्य को 7 प्रतिशत की दर से पैक्स के माध्यम से फसली ऋण वितरित करने की योजना है, ब्याज दरों में छूट प्रदान करने के फलस्वरूप होने वाले अन्तर की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा ब्याज अनुदान के रूप में की जाती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में योजना हेतु रु. 7500.00 लाख के आय-व्ययक प्रावधान के सापेक्ष रु. 7500.00 लाख एवं वर्ष 2018-19 में रु. 20000.00 लाख के आय-व्ययक प्रावधान के सापेक्ष रु. 20000.00 लाख का उपयोग कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजनान्तर्गत रु. 20000.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

(क-2) 16 कमजोर जिला सहकारी बैंकों को पूँजी पर्याप्तता अनुपात बनाये रखने हेतु वित्तीय सहायता

सहकारी साख व्यवस्था के अस्तित्व को बनाये रखने के साथ-साथ प्रदेश के कृषकों को अनुमन्य कराये जा रहे अनुदानित फसली ऋण पर पड़ने वाले कुप्रभाव से बचाने के लिये अधिकोषण योजनान्तर्गत 16 कमजोर जिला सहकारी बैंकों को पूँजी पर्याप्तता अनुपात बनाये रखने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 2500.00 लाख के आय-व्ययक प्रावधान के सापेक्ष रु. 2500.00 लाख का उपयोग कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजनान्तर्गत रु. 11448.04 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

(क-3) पैक्स कम्प्यूटराइजेशन हेतु

केन्द्र सरकार की योजना के अन्तर्गत पैक्स कम्प्यूटराईजेशन किया जाना है, जिससे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पैक्स का तकनीकी उन्नयन हो सके और वो जिला सहकारी बैंकों के सी.बी.एस. साफ्टवेयर से जुड़ सकें। इस योजनान्तर्गत कुल व्यय का 60 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है। प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 2580 समितियों का कम्प्यूटराइजेशन किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए रु. 7740.00 लाख का व्यय सम्भावित है, इसमें से 60 प्रतिशत रु. 4644.00 लाख केन्द्र सरकार द्वारा, 40 प्रतिशत रु. 3096.00 लाख राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2018-19 में योजनान्तर्गत रु. 3096.00 लाख का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजनान्तर्गत रु. 2496.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

(ख) सहकारी कृषि-निवेश आपूर्ति एवं वितरण योजना

सहकारी कृषि निवेश आपूर्ति एवं वितरण योजना के कार्यक्रम सीधे खेती एवं दूरस्थ ग्रामीण अंचलों तक किसानों से जुड़े हैं। प्रदेश की हरित क्रांति की सफलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषि निवेशों के वितरण में सहकारिता का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। कृषि उत्पादन में यथेष्ट वृद्धि लाने के लिए खरीफ तथा रबी अभियान के अन्तर्गत सहकारी समितियों/संस्थाओं द्वारा प्रमाणित बीजों,

रासायनिक उर्वरकों एवं अल्पकालीन ऋण का वितरण किया जा रहा है। सहकारी समितियों के माध्यम से उर्वरक उत्पादकों विशेष कर इफको एवं कृभकों द्वारा सहकारी विक्रय केन्द्रों को सीधे उर्वरकों की आपूर्ति किए जाने की व्यवस्था की गयी है। इस व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों में समय से उचित दरों पर उर्वरकों की उपलब्धता के फलस्वरूप कृषि उत्पादन की वृद्धि से प्रदेश के किसानों की स्थिति में सुधार हो रहा है। वर्तमान में सहकारी क्षेत्र में 8496 सहकारी विक्रय केन्द्रों द्वारा प्रमाणित बीज, कृषि रक्षा रसायन तथा रासायनिक उर्वरकों का वितरण नकद एवं ऋण के रूप में खरीफ एवं रबी अभियानों के अन्तर्गत किया जा रहा है।

वर्ष 2019-20 हेतु 1.25 लाख कुन्तल उन्नतशील बीज एवं 39.05 लाख मैट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य है।

(ख-1) पी.सी.एफ. द्वारा उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण हेतु अनुदान

रबी एवं खरीफ अभियान के अन्तर्गत यूरिया, डी.ए.पी. एवं एन.पी.के. उर्वरकों की सहकारी समितियों की मांग के अनुरूप समय से आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः ऑफ सीजन में रासायनिक उर्वरकों का अग्रिम भण्डारण कर समस्या के निदान हेतु पी.सी.एफ. को उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण शुल्क, ब्याज की प्रतिपूर्ति तथा उर्वरकों के परिवहन हेतु अनुदान दिए जाने का निर्णय लिया गया। वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 10000.00 लाख एवं वर्ष 2018-19 में रु. 10,000 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ। वित्तीय वर्ष 2018-19 में योजनान्तर्गत रु. 10000.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजनान्तर्गत रु. 15000.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

(ग) एकीकृत सहकारी विकास योजना

समस्त प्रकार की सहकारी समितियों के समग्र विकास के लिये राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.) द्वारा पुरोनिधानित एकीकृत सहकारी विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना के अनुसार अवस्थापना वृद्धि एवं व्यवसायिक क्षमता में वृद्धि हेतु ऋण एवं अंशधन प्रदान किया जाता है, ताकि समितियाँ अपने व्यवसाय में वृद्धि कर सुदृढ़ एवं स्वाश्रयी हो सकें।

एन.सी.डी.सी द्वारा राज्य को अल्पविकसित राज्य की श्रेणी में रखते हुए निर्माण कार्य की योजनाओं हेतु 20% अनुदान, 30% अंशधन एवं 50% ऋण रूप में सहायता दिए जाने का पैटर्न निर्धारित किया गया है।

सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण एवं विस्तार कार्यक्रम

सहकारी आन्दोलन को स्वस्थ दिशा प्रदान करने हेतु सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार आवश्यक है। इन्हीं उद्देश्यों के दृष्टिगत प्रदेश की समस्त पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम को महत्त्व दिया जाता रहा है। उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन लि. लखनऊ (पी.सी.यू.) उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए शीर्ष संस्था है। जिसके द्वारा संचालित मुख्य कार्यक्रमों का विवरण निम्नलिखित है :-

- सचल इकाइयों के माध्यम से सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों/कार्मिकों को स्थलीय प्रशिक्षण देना।
- सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से सहकारी संस्थाओं के पदाधिकारियों/कार्मिकों को

प्रशिक्षण देना।

- सामान्य योजना के अन्तर्गत आन्दोलन को बढ़ाने हेतु प्रचार-प्रसार कार्यक्रम करना। प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु पी.सी.यू. द्वारा स्थापित एवं संचालित 6 प्रशिक्षण केन्द्रों के अतिरिक्त इन्स्टीट्यूट ऑफ कोआपरेटिव एवं कारपोरेट मैनेजमेन्ट रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, लखनऊ, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ, नई दिल्ली द्वारा संचालित इन्दिरा गाँधी सहकारी प्रबन्ध संस्थान, राजाजीपुरम, लखनऊ स्थापित है।

इसके अतिरिक्त ऋण एवं अधिकोषण योजना से सम्बन्धित विशिष्ट प्रशिक्षण हेतु उ.प्र. कोआपरेटिव बैंक लि. द्वारा संचालित सहकारी कृषि स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ एवं उ.प्र. सहकारी ग्राम विकास बैंक द्वारा संचालित उ.प्र. सहकारी ग्राम विकास बैंक, प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ कार्यरत है।

(क) प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान हेतु अनुदान

सहकारिता आन्दोलन के अन्तर्गत जनपद स्तरीय सहकारी संस्थाओं में विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित ''की पर्सनल'' के अभाव में भी आन्दोलन की प्रगति को धक्का लगा है। इसको दूर करने के लिए एक प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान (आई.सी.सी.एम.आर.टी.) का संचालन उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि0 के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2019-20 में रु.25.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

सहकारी समिति अधिनियम का प्रशासन

सहकारी संस्थाओं का संगठन एवं उनके कार्यकलाप उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 से नियंत्रित किये जाते हैं। विभाग द्वारा अधिनियम तथा नियम की धाराओं का प्रकाशन एवं अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। अधिनियम की धाराओं तथा नियमों के अनुपालन कराए जाने के क्रम में क्षुब्ध पक्ष को न्याय दिलाने हेतु उत्तर प्रदेश सहकारी न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। इसी प्रकार अधिसूचित सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों के चयन, अनुशासनिक नियंत्रण एवं सेवा सम्बन्धी अन्य कार्यों हेतु उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवामण्डल गठित है।

(क) उत्तर प्रदेश सहकारी न्यायाधिकरण

उत्तर प्रदेश सहकारी न्यायाधिकरण का गठन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अन्तर्गत वर्ष 1971 में किया गया है, जिसका मुख्य कार्य अपीलों की सुनवाई करके निर्णय देना है। शासनादेश संख्या-2352/12सी-2-95-49/96 टी.सी. दिनांक 24 जुलाई, 1995 द्वारा अध्यक्ष, सहकारी न्यायाधिकरण, उ.प्र. को पूर्ण रूप से विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है। सहकारी न्यायाधिकरण द्वारा सहकारी समिति अधिनियम-1965 की धारा 97 व 98 के प्रावधान के अन्तर्गत आदेश, निर्णय एवं अभिनिर्णय के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई की जाती है।

(ख) उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवामण्डल

वर्ष 1972 से पूर्व प्रदेश की सहकारी संस्थायें अपने सेवा नियमों के अधीन अपने कार्मिकों के सेवा सम्बन्धी प्रकारणों का निष्पादन करती थीं। संस्थाओं के बढ़ते हुये आकार, उनके कार्य-कलापों के प्रसार, आधुनिकीकरण और बदलते परिवेश में यह आवश्यक समझा गया कि कार्मिकों के सेवा नियमों और चयन की प्रक्रिया में एकरूपता लायी जाये, जिससे सहकारी संस्थाओं को अपना कार्य कुशलतापूर्वक संचालन हेतु व्यावसायिक प्रबन्ध सुलभ हो सके। अतः उ.प्र. सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा-122 के अन्तर्गत उ.प्र. सहकारी संस्थागत सेवामण्डल का गठन मार्च, 1972 में किया गया। सेवा मण्डल के कार्यक्षेत्र में, प्रदेश की समस्त शीर्ष संस्थाएं, जिला सहकारी बैंक, जिला

सहकारी संघ एवं केन्द्रीय या प्रारम्भिक समितियाँ, जिनका कार्य क्षेत्र एक से अधिक जिलों या उ.प्र. राज्य में हैं, आते हैं। सेवामण्डल संस्थाओं द्वारा उनके कर्मचारियों हेतु बनाये गये सेवा नियमों का अनुमोदन भी करता है।

विशेष अनुसन्धान शाखा (सहकारिता) उत्तर प्रदेश का गठन

वर्ष 1971-72 से सहकारिता विभाग में विशेष अनुसन्धान शाखा (सह.) की स्थापना करते हुये इसे सी.बी.सी.आई.डी. उ.प्र. से सम्बद्ध किया गया। विशेष अनुसन्धान शाखा (सहकारिता) के द्वारा की जाने वाली विवेचनाओं को सुनियोजित करने के लिये शासनादेश सं. यू.ओ.-7/49-2-108/76, दिनांक 15 जनवरी, 2003 निर्गत कर रु. एक लाख से अधिक गबन के उन मुकदमों का अन्वेषण करने की शक्ति इस शाखा को प्रदत्त की गई है।

विशेष अनुसन्धान शाखा (सहकारिता) का प्रशासनिक नियन्त्रण पुलिस अधीक्षक के अधीन है। शाखा के कार्य संचालन, जाँच एवं अभियोजन एवं प्रशासनिक नियन्त्रण को दृष्टि में रखकर इसके 09 क्षेत्रीय कार्यालयों की क्रमशः लखनऊ, अयोध्या, मेरठ, बरेली, कानपुर, गोरखपुर, झाँसी, आगरा व वाराणसी में स्थापना की गई है। यह क्षेत्रीय कार्यालय उप पुलिस अधीक्षक के स्तर के अधिकारी के अधीन कार्यरत है।

सहकारी प्रकोष्ठ द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में विवेचित अभियोगों में प्रेषित आरोप-पत्रों का औसत 88 प्रतिशत रहा तथा सहकारिता प्रकोष्ठ के विशेष न्यायालयों द्वारा निर्णीत मामलों का सजायावी औसत 48 प्रतिशत रहा है।

उ.प्र. राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग का गठन

भारतीय संविधान में हुए 97वें संशोधन एवं उक्त क्रम में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-13 सन् 2013 द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा-29 में हुए संशोधन के प्रभाव में उ.प्र. राज्य के 10 विभागों यथा- सहकारिता, गन्ना, आवास, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध, उद्योग, रेशम, मत्स्य, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग तथा खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग में गठित एवं संचालित सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी का निर्वाचन कराये जाने का दायित्व ''उ.प्र. राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग'' का है।

आयोग द्वारा अपने गठन के पश्चात् सहकारी समितियों के निर्वाचन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से कराये जाने का सतत् प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में आयोग द्वारा 17121 प्रारम्भिक सहकारी समितियों का चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न कराया जा चुका है। उक्त के अतिरिक्त राज्य के दस विभागों यथा- सहकारिता, गन्ना, आवास, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, दुग्ध, उद्योग, रेशम, मत्स्य, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग तथा खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग का निर्वाचन योग्य/अवशेष समस्त प्रारम्भिक सहकारी समितियों की प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों हेतु दिनांक 26.02.2019 एवं सभापति, उपसभापति तथा अन्य समितियों को भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु दिनांक 27.02.2019 हेतु तिथि एवं कार्यक्रम अधिसूचित किया जा चुका है।

निदेश तथा प्रशासन

उत्तर प्रदेश में सहकारिता विभाग 5 स्तरों पर कार्य करता है :-

1. प्रदेश स्तर,
2. मण्डल स्तर,
3. जिला स्तर,

4. तहसील स्तर,

5. खण्ड स्तर।

1. प्रदेश स्तर

सहकारिता विभाग के विभागाध्यक्ष आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ.प्र. हैं। इनका कार्यालय प्रदेश स्तर पर है जो मुख्यालय कहलाता है। मुख्यालय पर निबन्धक के सहायतार्थ विभिन्न विभागीय योजनाओं से सम्बन्धित मामलों में परामर्श देने के लिए प्रथम श्रेणी के 09 योजनाधिकारी, एक वित्त नियंत्रक तथा द्वितीय श्रेणी के अन्य अधिकारी एवं कार्यालय में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी कार्यरत हैं, जो नीति-निर्धारण एवं कार्य निष्पादन में निबन्धक की सहायता करते हैं।

2. मण्डल स्तर

उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 18 राजस्व मण्डल हैं, जिनमें से 17 राजस्व मण्डलों में प्रथम श्रेणी के अधिकारी नियुक्त हैं, जिनके कार्यक्षेत्र में सहकारी योजनाओं से सम्बन्धित समस्त कार्य आते हैं तथा इन्हीं की देखरेख में सम्पन्न होते हैं। सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत निबन्धक के लगभग समस्त अधिकार इन मण्डलीय अधिकारियों को प्राप्त हैं। मण्डलों में उप आयुक्त एवं उप-निबन्धकों के सहायतार्थ मण्डल स्तर पर एक सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक (उपभोक्ता) की भी नियुक्ति की गयी है, जो उपभोक्ता योजना का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करते हैं। इसके अतिरिक्त मण्डलीय कार्यालयों में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के भी कर्मचारी कार्यरत हैं।

3. जिला स्तर

(अ) जिले में प्रशासनिक संगठन तथा उसकी देख-रेख हेतु प्रत्येक जिले में एक सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक तथा कुछ जिलों में उनके सहायतार्थ एक अतिरिक्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक नियुक्त हैं, जो सहकारिता विभाग से सम्बन्धित समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन अपनी देख-रेख में सम्पादित करते हैं। सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक को सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत निबन्धक के अधिकांश अधिकार भी प्राप्त हैं।

(ब) जिला स्तरीय संगठन के अतिरिक्त सहकारी कृषि योजना के अंतर्गत लखनऊ, रामपुर एवं वाराणसी जिलों में सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक (कृषि) तथा उनके सहायतार्थ तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं।

4. तहसील स्तर

तहसील स्तर पर सहकारी आन्दोलन की देख-रेख एवं समितियों के सफल संचालन हेतु सहकारी निरीक्षक वर्ग-1/अपर जिला सहकारी अधिकारी नियुक्त है। ये अधिकारी अपने तहसील क्षेत्र के अन्तर्गत समस्त सहकारी समितियों एवं योजनाओं के प्रति उत्तरदायी हैं।

5. विकास खण्ड स्तर

विकास खण्डों में प्रशासनिक संगठन तथा उसकी देख-रेख हेतु प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड में एक सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता)/निरीक्षक वर्ग-II नियुक्त है। यह सहायक विकास अधिकारी (सहकारिता) खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक के प्रति विभागीय कार्यों हेतु उत्तरदायी होता है।

●

वन एवं वन्य जीव

उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षारोपण का कुल क्षेत्रफल 22,121 वर्ग किमी. है जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किमी. के सापेक्ष मात्र 9.18 प्रतिशत है। यह राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के मानक स्तर 33.33 प्रतिशत से कम है। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक आबादी वाला प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में वनों का समुचित ढंग से प्रबन्धन करने हेतु वन विभाग की स्थापना वर्ष 1855 में की गई थी। उत्तर प्रदेश की निरन्तर बढ़ती आबादी एवं अन्य विकास कार्यों के लिए भूमि की बढ़ती मांग के फलस्वरूप जहां एक ओर प्रदेश में राष्ट्रीय वन नीति के अपेक्षित स्तर 33.33 प्रतिशत भू-भाग को वनों से आच्छादित करने की सम्भावनाएँ कम हैं, वहीं दूसरी ओर इस घनी आबादी वाले प्रदेश में आम जनता की ईंधन, चारापत्ती, इमारती लकड़ी तथा लघु एवं अन्य कुटीर उद्योगों के लिए वन उपज की माँग एवं सीमित वन संसाधनों से आपूर्ति के बीच अन्तर उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है।

प्रदेश की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु यह आवश्यक है कि उपलब्ध वनों का वैज्ञानिक पद्धति से सघन प्रबन्ध किया जाये। वृक्षों से भूमि संरक्षण तथा जल संरक्षण के साथ-साथ मानव जीवन हेतु शुद्ध पर्यावरण की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। पर्यावरणीय समस्याओं के निवारण हेतु वन विभाग की यह रणनीति रही है कि वन क्षेत्र के बाहर सामुदायिक, सरकारी, अर्द्धसरकारी, निजी भूमि पर अधिक से अधिक वृक्षों का रोपण किया जाये। इस उद्देश्य से प्रदेश में वृक्षाच्छादन बढ़ाने के लिए अवनत वन भूमि, सामुदायिक भूमि, रेल, सड़क व नहर के किनारे खाली पड़ी भूमि, शहरी क्षेत्रों के पार्कों में, राजकीय तथा अन्य रोपण योग्य तथा कृषकों की अनुपजाऊ निजी भूमि पर अधिकाधिक वृक्षारोपण करने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश की विविधतापूर्ण भौगोलिक संरचना एवं जलवायु में पाये जाने वाले वन्य जीवों व जैव विविधता संरक्षण हेतु विभाग द्वारा प्रदेश में स्थापित 1 राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्य जीव विहारों, 1 आरक्षित संरक्षण क्षेत्र तथा 3 प्राणि उद्यानों का प्रबन्धन भी किया जा रहा है।

वन एवं वन्य जीव विभाग द्वारा प्रदेश के ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्याओं को दूर करने, स्थाई प्रकृति की सामुदायिक परिसम्पत्तियों को सृजित कर ग्रामीणों के जीवन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता का उपयोग वन विकास अभिकरण के माध्यम से वृक्षारोपण एवं अन्य विकास कार्य करके कराया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में संयुक्त वन प्रबन्ध के माध्यम से जन सहभागिता को बढ़ाया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश के वन-एक दृष्टि

उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र, वनावरण तथा वृक्षावरण निम्न प्रकार है-

क्षेत्रफल वर्ग किमी.

अ.	वन क्षेत्र	
1.	उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल	2,40,928
2.	अभिलिखित वन क्षेत्र	16,582
	क. आरक्षित वन क्षेत्र	12,071
	ख. संरक्षित वन क्षेत्र	1,157
	ग. अवर्गीकृत वन क्षेत्र	3,354
3.	वनावरण	14,679
	क. अति घना वन क्षेत्र	2,617
	ख. घना वन क्षेत्र	4,069
	ग. खुला वन क्षेत्र	7,993
4.	वृक्षावरण	7,442
5.	वनावरण एवं वृक्षावरण	22,121
6.	भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष वनावरण एवं वृक्षावरण का प्रतिशत	918
ब.	**वन्य जीव परिरक्षण**	
1.	प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क	1
2.	प्रदेश में वन्य जीव विहारों की संख्या	26
3.	आरक्षित संरक्षण क्षेत्र	1
4.	प्रदेश में प्राणि उद्यान	3

स्रोतः- स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017

उत्तर प्रदेश में वर्ष 2015 की तुलना में 676 वर्ग किमी0 वनावरण एवं वृक्षावरण में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मुख्य रूप से वनों के समुचित प्रबन्धन तथा सफल वृक्षारोपणों के कारण हुई है।

वृक्षारोपण योजनायें

राज्य पोषित एवं केन्द्र द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के अन्तर्गत वन विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही बागान योजनाओं का विवरण निम्नवत है-

सामाजिक वानिकी योजना

सामाजिक वानिकी योजना प्रदेश के ग्रामवासियों को प्रकाष्ठ, ईधन एवं चारा पत्ती तथा लघु वन उपज की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध ग्राम समाज एवं सामुदायिक भूमि तथा अवनत वन भूमि पर वृक्षारोपण कार्य कराया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के समुदाय को लाभ पहुँचाने

हेतु स्पेशल कम्पोनेट प्लान तथा अनुसूचित जनजाति हेतु ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत बजट प्रावधान किया जाता है जिससे उन्हें दैनिक पारिश्रमिक के अतिरिक्त जलौनी लकड़ी, फल–फूल तथा पशुओं के लिए चारा–पत्ती आदि सुविधापूर्वक उपलब्ध हो सके।

शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वानिकी योजना

यह योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में कार्यान्वित की जा रही है। वृक्षारोपण पर होने वाला व्यय पूर्णतया राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के समस्त शहरों/नगरों में कल कारखानों तथा वाहनों से हो रहे वायु प्रदूषण को रोकना, मार्गों एवं नगरों का सौन्दर्य बढ़ाना तथा पथिकों को छाया उपलब्ध कराना है। इस योजना के अन्तर्गत प्रमुख रूप से इमली, नीम, पीपल, बरगद, आम, कदम, अशोक, गुलमोहर, अकेसिया तथा अन्य शोभाकार प्रजातियाँ रोपित की जाती हैं।

हरित पट्टी विकास योजना

यह योजना सम्पूर्ण प्रदेश में पर्यावरण सुधार हेतु क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना में कराये गये कार्यों में सुरक्षा एवं सिंचाई की व्यवस्था विशेष रूप से सुनिश्चित की जाती है। वर्ष 2013-14 से वर्ष 2016-17 तक इस योजना में रू0 6721.34 लाख व्यय किया गया है, जिससे 3649 हे0 क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया गया है।

टोटल फारेस्ट कवर योजना

यह योजना जनपद मैनपुरी, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, बदायूँ, रामपुर, इटावा, कन्नौज, लखनऊ, उन्नाव, अयोध्या, आजमगढ़, ललितपुर तथा चित्रकूट को पूर्ण रूप से हरा-भरा किये जाने हेतु कार्यान्वित की जा रही है।

वनावरण सम्वर्द्धन परियोजना

अवनत वन एवं खुले वन क्षेत्रों में वनावरण संवर्द्धन के उद्देश्य से प्रदेश के 18 जनपदों (आगरा, अलीगढ़, शाहजहाँपुर, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, झाँसी, बांदा, कानपुर नगर, लखनऊ, अयोध्या, गोण्डा, वाराणसी, मिर्जापुर, प्रयागराज, गोरखपुर, बस्ती एवं आजमगढ़) में नाबार्ड के वित्त पोषण से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है।

पौधशाला प्रबन्धन योजना

यह योजना सम्पूर्ण प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना में आगामी वर्षों के वृक्षारोपण हेतु पौधशालाओं में उच्च गुणवत्ता के पौध तैयार किये जाते हैं।

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम

भारत सरकार से प्राप्त मार्ग निर्देश के अनुसार जन सहयोग से वनों की सुरक्षा एवं सम्बर्द्धन के कार्य हेतु प्रदेश के प्रत्येक वन प्रभाग में वन विकास अभिकरण (एफ.डी.ए.) का गठन किया गया है। यह योजना वर्ष 2000-01 से कार्यान्वित की जा रही है। इसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर गठित वन विकास अभिकरण (एफ.डी.ए.) के द्वारा अधिकाधिक केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर जनसहभागिता के माध्यम से वानिकी कार्य सम्पादित किया जाता रहा है। भारत सरकार से प्राप्त नवीन मार्ग निर्देशों के अनुसार वर्ष 2010-11 में प्रदेश स्तर पर ''राज्य वन विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश'' का गठन किया गया है। वर्तमान में यह योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार के संयुक्त वित्त पोषण से चलाई जा रही है। भारत सरकार द्वारा ''राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम'' के अन्तर्गत अनुमोदित धनराशि के अनुसार केन्द्रीय सहायता राज्य सरकार के माध्यम

से ''राज्य वन विकास अभिकरण उत्तर प्रदेश'' को उपलब्ध करायी जा रही है, जिसके द्वारा प्रभाग स्तर पर गठित वन विकास अभिकरणों को कार्ययोजना के अनुसार धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 से यह योजना हरित भारत मिशन (ग्रीन इण्डिया मिशन) योजना में समायोजित कर दिया गया है।

इन्टेन्सीफिकेशन ऑफ फारेस्ट मैनेजमेन्ट { नया नाम-फारेस्ट फायर प्रिवेन्शन एण्ड मैनेजमेंट स्कीम (केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित) }

भारत सरकार तथा राज्य सरकार के संयुक्त वित्त पोषण से वनों की सुरक्षा के उद्देश्य से यह योजना कार्यान्वित की जा रही है। योजनान्तर्गत वनों की अग्नि से सुरक्षा, वनों की सुरक्षा हेतु आवश्यक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण एवं प्रबन्ध योजना का निरूपण, फील्ड सर्वे, सीमांकन आदि से सम्बन्धित कार्य कराये जाते हैं। वर्ष 2017-18 में भारत सरकार द्वारा नए मार्ग निर्देश जारी हो गये हैं। नवीन मार्ग निर्देश के अनुसार योजना का नाम परिवर्तित करके 'फारेस्ट फायर प्रिवेन्शन एण्ड मैनेजमेंट स्कीम' कर दिया गया है। वर्ष 2019-20 में फारेस्ट फायर प्रिवेन्शन एण्ड मैनेजमेन्ट स्कीम में रु. 288.36 लाख का आय-व्ययक प्राावधान किया गया है।

वन बन्दोबस्त योजना

प्रदेश के वनों को अतिक्रमण से बचाने हेतु वनों का सर्वे एवं सीमांकन कराये जाने के उद्देश्य से यह योजना आगरा, फिरोजाबाद, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, हरदोई, खीरी, उन्नाव तथा चन्दौली जनपदों में क्रियान्वित की जा रही है।

गौरा हरदो आजममढ़ में वन विहार पार्क का विकास

जनपद आजमगढ़ में बूढ़नपुर तहसील के गौरा हरदो में वन विहार (पार्क) के निर्माण हेतु 'गौरा हरदो आजमगढ़ में वन विहार पार्क का विकास' योजना कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 2018-19 में रु. 100.93 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

जनपद मऊ में वन देवी जैव विविधता क्षेत्र का संरक्षण एवं विकास व वन देवी पार्क का जीर्णोद्धार तथा वन देवी में गेस्ट हाउस के निर्माण कार्य की योजना

मऊ जनपद के एकमात्र वन मनोरंजन पार्क का जीर्णोद्धार करके, यहां की जनता को प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध कराने, जनपद के स्कूली बच्चों को पर्यावरणीय शिक्षा प्रदान करने तथा विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने हेतु यह योजना प्रारम्भ की गयी। वन देवी स्थित वन क्षेत्र की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास परियोजनाओं के निरीक्षण के लिए वन विश्राम गृह का निर्माण कराया जाना है। इस योजना में वर्ष 2017-18 में कोई व्यय नहीं किया गया है। वर्ष 2018-19 मे रु. 100.00 लाख के व्यय का अनुमान है। वर्ष 2019-20 में रु0 100.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

वन्य जीव परिरक्षण योजनायें

प्रोजेक्ट टाइगर

दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को भारत सरकार की योजना- ''प्रोजेक्ट टाइगर'' से वर्ष 1987 में आच्छादित किया गया। कालान्तर में किशनपुर वन्य जीव विहार, कतर्नियाघाट वन्य जीव विहार, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, बिजनौर तथा पीलीभीत टाइगर रिजर्व को भी इसके साथ रखकर इसे संयुक्त रूप से

भारत सरकार की महत्त्वाकांक्षी योजना ''प्रोजेक्ट टाइगर'' योजना के अन्तर्गत लाया गया। वर्तमान में रिजर्व क्षेत्र का प्रबन्धन मुख्यतः ''प्रोजेक्ट टाइगर'' योजना से वित्त पोषित है। यह योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार के संयुक्त वित्त पोषण से बाघ एवं उसके प्राकृतवास के संरक्षण हेतु चलायी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में रु. 2289.15 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स

यह योजना भारत सरकार एवं राज्य सरकार के संयुक्त वित्त पोषण से प्रदेश के समस्त पक्षी विहारों एवं वन्य जीव विहारों के विकास हेतु क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2019-20 में रु. 811.22 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

प्रोजेक्ट एलीफैन्ट

यह योजना भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार एवं राज्य सरकार की संयुक्त सहायता से ''उत्तर प्रदेश एलीफैन्ट रिजर्व'' हेतु चलाई जा रही है। योजना के अन्तर्गत हाथी के प्राकृतवास की सुरक्षा व संरक्षण, अवैध शिकार विरोधी गतिविधियों,मानव वन्य जीव संघर्ष की स्थितियों के अल्पीकरण, स्थानीय समुदायों में वन्य जीव संरक्षण के प्रति चेतना व जागरूकता उत्पन्न करना आदि कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त होती है। वर्ष 2019-20 में रु. 76.95 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

नेशनल प्लान फार कन्जर्वेशन आफ एक्वेटिक ईको सिस्टम

यह योजना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के नेशनल वेटलैण्ड कन्जर्वेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत चलाई जा रही है। योजना भारत सरकार के संयुक्त वित्त पोषण से चलायी जा रही है। इस योजना का उद्देश्य संरक्षित तथा गैर संरक्षित वेटलैंण्ड की सुरक्षा, प्राकृत वास सुधार, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट, शोध, स्थानीय समुदायों के साथ भागीदार प्रबंध एवं जलगुणवत्ता अनुश्रवण आदि मदों में सहायता पहुंचाना है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में रु. 457.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केन्द्र व लायन सफारी पार्क का विकास

इस योजना का औचित्य जन सामान्य के लिए वन्य जीव संरक्षण एवं सम्बर्द्धन के प्रति जागरूकता उत्पन्न किया जाना है। वर्तमान में एशियन बब्बर शेर का अस्तित्व खतरे में है तथा इनके प्राकृतवास मात्र गिर फारेस्ट, गुजरात तक सीमित रह गये हैं। अतः इन्हें उपयुक्त वासस्थल का विकास करके संरक्षण प्रदान किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इटावा जनपद में लायन सफारी की स्थापना से बब्बर शेरों के लिए वैकल्पिक वास स्थल विकसित होगा। क्षेत्र की स्थानीय जलवायु के अनुसार वनस्पतियों का संरक्षण एवं सम्बर्द्धन कर क्षेत्र को बब्बर शेरों के प्राकृतिक वासस्थल के रूप में वन एवं वन्य जीव विकसित करना है। इस योजना में वर्ष 2019-20 में रु. 1243.90 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

दुधवा नेशनल पार्क के वन विश्राम गृहों तथा आन्तरिक मार्गों का सुदृढ़ीकरण

दुधवा नेशनल पार्क के वन विश्राम गृहों तथा आन्तरिक सड़कों का सुदृढ़ीकरण कर इसे सुसज्जित किये जाने के उद्देश्य से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है।

दुधवा नेशनल पार्क में टूरिज्म के विकास एवं वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण एवं सम्बर्द्धन के लिये परीक्षणोपरान्त यथोचित कार्य किये जायेंगे। इस योजना में वर्ष 2019-20 में रु. 100.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्यजीवों का प्रबन्ध

उत्तर प्रदेश में संरक्षित क्षेत्र जहाँ वन्यजीवों की अधिकता है, के संरक्षण एवं इनके प्राकृतिक वास के विकास को समुचित रूप से करने के उद्देश्य से संसाधन उपलब्ध कराया जाना तथा निरन्तर विकास के कारण वन्यजीव के प्राकृत वास पर बढ़ते जैव दबाव के कारण समग्र प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष की बढ़ती हुई घटनाओं के निराकरण के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2013-14 से प्रारम्भ की गयी है। वर्ष 2019-20 में रु. 95.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

ईको पर्यटन का विकास

इस योजना के माध्यम से प्रदेश में ईको पर्यटन को बढ़ावा दिया जाता है। यह योजना प्रदेश के उन क्षेत्रों में लागू की जा रही है जहाँ प्राकृतिक सौन्दर्य की छटा हो, वन एवं वन्य जीवों की बहुतायत हो और पर्यटकों के लिए क्षेत्र आकर्षक हो। परियोजना के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ स्थानीय जनता को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। वर्ष 2019-20 में रु. 10.29 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

गोरखपुर में चिड़ियाघर की स्थापना

इस योजना के अन्तर्गत वन्य जीवों के प्रति जनमानस में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जनपद गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां उद्यान का निर्माण किया जा रहा है। वर्ष 2019-20 में रु. 5000.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

बर्ड फेस्टिवल का आयोजन

उत्तर प्रदेश राज्य में पक्षियों के प्रति आम जनता में जागरूकता उत्पन्न करने एवं विद्यार्थियों को इन जीवों के वास स्थल, क्रियाकलाप तथा विदेशी पक्षियों के माइग्रेशन के विषय में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु 'बर्ड फेस्टिवल' का आयोजन किया जाता है। इस बर्ड फेस्टिवल के आयोजन में वन विभाग के अतिरिक्त उ.प्र. पर्यटन विभाग, सूचना विभाग, एफ.आई.सी.सी.आई., गैर-सरकारी संस्थाओं एवं स्थानीय जनता को भी शामिल किया जाता है। वर्ष 2019-20 में रु. 100.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान, लखनऊ में तितली पार्क

तितलियों का पर्यावरण संरक्षण में महत्त्वपूर्ण योगदान है। ये फूलों के परागण एवं बीजों के अंकुरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तितलियों की संख्या कम होती जा रही है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणि उद्यान, लखनऊ में इस तितली पार्क के माध्यम से आम जन-मानस में तितलियों के बारे में जागरूकता बढ़ाई गयी है। योजना समाप्त हो जाने के कारण वर्ष 2019-20 में कोई व्यय नहीं किया जाना है।

कानपुर प्राणि उद्यान, कानपुर में तितली पार्क

तितलियों का पर्यावरण संरक्षण में महत्त्वपूर्ण योगदान है। ये फूलों के परागण एवं बीजों के अंकुरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तितलियों की संख्या कम होती जा रही है। कानपुर प्राणि उद्यान, कानपुर में इस तितली पार्क के माध्यम से आम जन-मानस में तितलियों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा रही है। इस योजना हेतु वर्ष 2019-20 में रू. 40.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

मूसाबाग वन क्षेत्र, लखनऊ का विकास एवं संरक्षण

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित अवध वन प्रभाग के लखनऊ रेंज के अन्तर्गत एल.आई.टी. (मूसाबाग) वन ब्लाक मूसाबाग वन क्षेत्र में वर्ष 1970 के दशक में स्थापित एल.आई.टी. वन विश्राम गृह, वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय, कर्मचारी आवासीय परिसर, दर्शकों के मनोरंजन हेतु वन चेतना केन्द्र, चिल्ड्रेन पार्क, कैन्टीन तक पहुंचने हेतु आर.सी.सी. पुल, पुरुष एवं महिला शौचालय, पेयजल सुविधा, पौधशाला, वाटर चैनल को इको टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना में वर्ष 2019-20 में रू. 100.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

आचार्य नरेन्द्र देव स्मृति पार्क की स्थापना

जन साधारण को वानिकी कार्यों की जानकारी देने व उनमें अभिरुचि पैदा करने तथा उन्हें मानसिक शान्ति प्रदान करने हेतु जनपद सीतापुर में इलियासग्रांट वन भूमि में आचार्य नरेन्द्र देव स्मृति पार्क की स्थापना की जा रही है। इस योजना में वर्ष 2018-19 में रु. 50.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

दुधवा टाइगर रिजर्व का विकास

वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण के कार्य हेतु रिजर्व के फ्रन्ट लाइन कर्मचारी (वन रक्षक, वन्य जीव रक्षक, वन दरोगा तथा उपराजिक) वन क्षेत्र में स्थित वन चौकियों पर रहते हैं। इन कर्मचारियों के परिवार तथा बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने हेतु सेना में सीमा पर तैनात जवानों की भांति फील्ड हास्टल जैसी सुविधा प्रदान किये जाने हेतु दुधवा टाइगर रिजर्व के अन्तर्गत ट्रांजिट हास्टल का निर्माण कराया जा रहा है। इस योजना में वर्ष 2019-20 में रु. 200.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

मयूर संरक्षण केन्द्र की स्थापना

वृन्दावन जनपद मथुरा में राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण के लिए एक मयूर संरक्षण केन्द्र की स्थापना के उद्देश्य से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2019-20 में रु. 19.54 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

वन्य जीव प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना

वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों, गैर राजकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा विद्यार्थियों को वन्य जीव संरक्षण, मानव-वन्य जीव संघर्ष तथा वन्य जीव रेस्क्यू से सम्बन्धित प्रशिक्षण हेतु लखनऊ मण्डल में ''वन्य जीव प्रशिक्षण केन्द्र'' की स्थापना की जानी है। वर्ष 2019-20 में रु. 10.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

शेखा झील, अलीगढ़ का राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकास

पक्षियों के संरक्षण एवं उनके प्राकृतिक वास के सुधार तथा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु शेखा झील, अलीगढ़ को राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जाना है। इस योजना में वर्ष 2016-17 में रु. 109 लाख व्यय किया गया है। वर्ष 2019-20 में रु. 50.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

वेटलैण्ड्स का पारिस्थितिकीय एवं अवस्थापना विकास

प्रदेश के विभिन्न वेटलैण्ड्स के पारिस्थितिकीय विकास हेतु वेटलैण्ड्स की सफाई, हानिकारक खर-पतवार निकालना, पौध रोपण एवं बीज बुआन, बन्धों का निर्माण तथा अवस्थापना का विकास सम्बन्धी कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। इस योजना में वर्ष 2019-20 में रु. 50.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

सब मिशन आन एग्रो फारेस्ट्री

सब मिशन आन एग्रो फारेस्ट्री एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना है, जिसमें 60 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत राज्यांश का प्रावधान है। योजना का उद्देश्य कृषकों को कृषि वानिकी हेतु प्रोत्साहित कर वृच्छादन बढ़ाना है। इस योजना के मुख्य कार्यों में कृषि वानिकी हेतु उच्चगुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री हेतु पौधशालाओं का विकास, खेतों की मेड़ सीमा पर पंक्ति वृक्षारोपण, कृषि भूमि पर ब्लाक वृक्षारोपण, प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास तथा प्रचार-प्रसार सम्मिलित है। योजना में कृषकों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। आय सृजन के अतिरिक्त साधन तथा ग्रामीण परिवारों विशेष रूप से छोटे किसानों की आजीविका के संसाधनों में वृद्धि होगी। वर्ष 2019-20 में रु. 18710.97 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

कुकरैल वन क्षेत्र के अन्तर्गत इको पर्यटन एवं जैव विविधता केन्द्र की स्थापना

कुकरैल वन क्षेत्र में स्थित पिकनिक स्पॉट क्षेत्र लखनऊ वासियों एवं निकटवर्ती क्षेत्रों के निवासियों के साथ-साथ बाहरी पर्यटकों के लिए भी एक अत्यन्त आनन्दमयी स्थान है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में दर्शक/पर्यटक यहां मनोरंजन एवं मानसिक शान्ति हेतु आते हैं। मनोरंजन के साथ-साथ स्कूल एवं कॉलेजों से आने वाले विद्यार्थियों को पेड़-पौधों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से आर्बोरेटम बनाने की योजना तैयार की गयी है। भारत में पाये जाने वाले वृक्षों की अधिक से अधिक प्रजातियों को एक ही स्थान पर लगाया जायेगा, जिससे पेड़-पौधों में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों,शोधकर्ताओं को अध्ययन में सुविधा मिल सके। पर्यटकों की रुचि को बनाये रखने एवं उन्हें स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नेचर ट्रेल व घास का मैदान/लॉन का रख-रखाव कार्ययोजना में समावेश किया गया है। वर्ष 2019-20 में रु. 500.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

अन्य कार्य

वन विभाग के श्रमिकों के लिए सामूहिक बीमा योजना

उक्त योजना का क्रियान्वयन विश्व खाद्य कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत कार्यरत श्रमिकों के सामूहिक बीमा हेतु आरम्भ किया गया था। वित्तीय वर्ष 2010-11 के पश्चात् विश्व खाद्य कार्यक्रम योजना समाप्त हो जाने के कारण उक्त योजना के अन्तर्गत कोई व्यय नहीं किया गया

है। इस योजना को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभाग में कार्यरत दैनिक श्रमिकों के बीमा हेतु संचालित किये जाने की मंशा के फलस्वरूप रु. 2.35 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

जोखिम भरे कार्य करते समय गम्भीर रूप से घायल अथवा मृत सरकारी सेवकों को मिलने वाली आर्थिक सहायता

इस योजना का औचित्य विभाग के फील्ड कर्मियों, जो कि ड्यूटी के समय गम्भीर रूप से घायल अथवा मृत हो जाते हैं, को आर्थिक सहायता पहुँचाना है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 0.50 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

हिंसक वन पशुओं द्वारा मारे/घायल किये गये व्यक्तियों एवं मवेशियों के मालिकों को मुआवजा प्रदान किया जाना

इस योजना का उद्देश्य हिंसक वन पशुओं द्वारा मारे गये/घायल किये गये व्यक्तियों एवं मवेशियों के मालिकों को मुआवजा प्रदान किया जाना है। दुर्घटना की स्थिति में मृत हुये व्यक्तियों को रु.5.00 लाख एवं गम्भीर रूप से घायल व्यक्तियों को रु.1.00 लाख की अनुग्रह धनराशि मुआवजे के रूप में प्रदान की जाती है। वर्ष 2019-20 में रु. 100.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

वनों का रखरखाव

उक्त योजना के अन्तर्गत वन विभाग के अन्तर्गत गठित उ0प्र0 राज्य वन खेलकूद परिषद के व्यय को वहन किया जाता है। वर्ष 2019-20 में रु. 10.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

वनों की सुरक्षा

इस योजना का उद्देश्य वन क्षेत्रों का सीमांकन एवं सीमा स्तम्भ लगाना आदि है। इस योजना के राजस्व मद एवं पूँजीगत मद को जोड़ते हुए वर्ष 2019-20 में रु. 70.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

सामाजिक वानिकी

विभाग में संचालित सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत कराये गये वृक्षारोपण के अनुरक्षण के उद्देश्य से उक्त योजना क्रियान्वित है। वर्ष 2019-20 में रु. 10.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

इमारती लकड़ी, कोयला तथा अन्य अभिकरणों द्वारा निकाली गई वन उपज

इस योजना का मुख्य उद्देश्य वन उत्पादों के संग्रहण पर होने वाले व्यय को वहन किया जाना है। विभाग में राजस्व संग्रहण हेतु 'रवन्ना बुकों' की छपाई आदि पर होने वाले व्यय को भी इसी योजना के अन्तर्गत वहन किया जाता है। वर्ष 2019-20 में रु. 10.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

वन पार्कों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण

इस योजना के अन्तर्गत विभाग के अन्तर्गत स्थित वन पार्क/वन चेतना केन्द्र यथा- सारनाथ स्थित पार्क, विनोद वन गोरखपुर, नवाबगंज पक्षी बिहार उन्नाव आदि तथा अन्य वन चेतना केन्द्रों के

रखरखाव पर व्यय किया जाता है। वर्ष 2019-20 में रु. 33.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड निधि

वन विभाग के अंतर्गत जैव विविधता के संरक्षण एवं सम्पोषण हेतु जैव विविधता बोर्ड का गठन किया गया है। वर्ष 2019-20 में रु. 50.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

प्रिंस ऑफ वेल्स जुलोजिकल गार्डेन्स लखनऊ को अनुदान

इस योजना का उद्देश्य लखनऊ चिड़ियाघर, जो कि प्रदेश के महत्वपूर्ण चिड़ियाघरों में एक है, को वार्षिक अनुदान प्रदान किया जाता है। वर्ष 2019-20 में रु. 600.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

कानपुर प्राणि उद्यान

प्रदेश के महत्त्वपूर्ण प्राणि उद्यान के रखरखाव तथा अन्य व्यय हेतु योजना कार्यान्वित है। वर्ष 2019-20 में कुल रु.110.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

औद्योगिक एवं पल्पवुड वृक्षारोपण

इस योजना में पूर्व संचालित औद्योगिक एवं पल्पवुड वृक्षारोपण के अन्तर्गत कार्यरत स्टाफ, जो कि मुजफ्फरनगर, मेरठ, बरेली, बिजनौर, पीलीभीत, इटावा, झाँसी, लखीमपुर खीरी, गोण्डा, गाजियाबाद, लखनऊ, अमरोहा एवं चित्रकूट जनपदों में तैनात हैं, के वेतन भत्तों का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2019-20 में रु. 825.80 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

उक्त योजना के अन्तर्गत पूर्व संचालित योजना के अन्तर्गत कराये गये वृक्षारोपण एवं पौधालयों में पौध उगाने हेतु भी व्यय किया जाता है। वर्ष 2019-20 में रु. 40.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थित वन विश्राम भवनों का जीर्णोद्धार

वित्तीय वर्ष 2015-16 से उक्त योजना आरम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थित पर्यटन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण वन विश्राम भवनों के जीर्णोद्धार का कार्य कराया जा रहा है। वर्ष 2019-20 में रु. 69.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

नवाबगंज पक्षी विहार की वन कालोनी के आवासों का उच्चीकरण

पर्यटन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नवाबगंज पक्षी विहार के वन कालोनी के आवासों की स्थिति ठीक नही होने के कारण आवासों के उच्चीकरण का कार्य सम्पादित कराया जा रहा है। वर्ष 2019-20 में रु. 40.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

नई योजनाएं

उत्तर प्रदेश प्रतीकारात्मक वन रोपण निधि प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण

इस योजना के अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग विषयक प्रस्तावों में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित की गयी शर्तों के अनुपालन में

याचक विभागों से क्षतिपूरक वृक्षारोपण, दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण, अतिरिक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण, शुद्ध वर्तमान मूल्य, कैचमेंट ऐरिया ट्रीटमेंट प्लान निधि, वन्य जीव क्षेत्रों के हस्तान्तरण/उपयोग आदि मदों में व अन्य विशेष शर्तों के अनुसार धनराशि प्राप्त की जायेगी, जिसे प्रतिकारात्मक वन रोपण अधिनियम 2016 (2016 का 38) में दिये गये प्रावधानों के अधीन राज्य प्रतिकारात्मक वन रोपण निधि में स्थानान्तरित/जमा किया जाएगा। प्रतिकारात्मक वन रोपण अधिनियम 2016 (2016 का 38) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार उक्त जमा धनराशि एवं अर्जित ब्याज की धनराशि से क्षतिपूरक वनीकरण, शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) एवं अन्य मदों में प्रयोग किया जायेगा। इस योजना हेतु वर्ष 2019-20 में रु. 20000.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है। इस धनराशि की प्रतिपूर्ति राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि से व्यय की धनराशि से की जायेगी।

नेशनल बैम्बू मिशन योजना

नेशनल बैम्बू मिशन एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना है, जिसमें 60 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत राज्यांश का प्रावधान है। इस योजना में वन क्षेत्रों तथा गैर वन क्षेत्रों में बांस वृक्षारोपण कर बांस क्षेत्र को बढ़ाना है। इस योजना के मुख्य कार्यों में बांस वृक्षारोपण हेतु उच्च गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री हेतु पौधशालाओं का विकास, वन क्षेत्रों में बांस वृक्षारोपण, गैर वन क्षेत्रों में बांस वृक्षारोपण, बैम्बू ट्रीटमेंट प्लान्ट/प्रोसेसिंग यूनिट फार वैल्यू एडीशन/प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट/काटेज इण्डस्ट्री/ फर्नीचर मेकिंग (प्राइवेट एवं सरकारी)/ज्वैलरी मेकिंग/स्टिक मेकिंग/डिमोस्ट्रेशन प्लांट/रूरल हाट (प्राइवेट)/कार्बोनाइजेशन प्लान्ट/बिजनेस इन्क्यूवेटर्स/कॉमन फैसलिटी सेन्टर/बैम्बू डिपो/बैम्बू बाजार/इन्क्यूवेशन सेन्टर (सरकारी) प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास तथा प्रचार-प्रसार सम्मिलित है। इस योजना से कृषकों के उत्पादकता, रोजगार के अवसर, आय सृजन, ग्रामीण परिवारों विशेष रूप से छोटे किसानों की आजीविका के संसाधनों में वृद्धि होगी। वर्ष 2019-20 में रु. 2059.50 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में छोड़ी गयी खदानों तथा पठारी/पहाड़ी क्षेत्र में वृक्षारोपण

विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र का अधिकांश भाग पठारी है तथा इस क्षेत्र में वर्षा भी बहुत कम होती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में सामान्यतः सूखे की स्थिति बनी रहती है। भू-गर्भ जल का स्तर भी काफी नीचे पहुंच जाता है। उत्तर प्रदेश के विन्ध्य एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में ऐसी पुरानी खदानें हैं, जिनमें वृक्षारोपण भूमि उपलब्ध हो सकती है। वन एवं वन्यजीव विभाग द्वारा वृक्षारोपण कर वनावरण को बढ़ाया तथा पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ईंधन चारा एवं इमारती लकड़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सकती है। वृक्षारोपण करने से मृदा संरक्षण हो सकेगा तथा जल की निरन्तरता बढ़ेगी। ग्रीन हाऊस गैसों की मात्रा को सीमित कर जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित किया जा सकता है। इस योजना में वर्ष 2019-20 में रु. 100.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल

लघु सिंचाई विभाग द्वारा प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत कृषकों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराकर व तकनीकी मार्गदर्शन देकर निजी लघु सिंचाई साधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। प्रदेश में लगभग 78 प्रतिशत सिंचाई निजी लघु सिंचाई संसाधनों से होती है। अतः प्रदेश के कृषि विकास एवं कृषि उत्पादन में निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम का विशेष महत्त्व है।

लघु सिंचाई विभाग का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु कृषकों को सिंचाई के मामले में आत्म निर्भर बनाना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में मुख्यतः निःशुल्क बोरिंग का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बुन्देलखण्ड तथा प्रदेश के पठारी, कठिन एवं गहरे स्ट्रेटा वाले क्षेत्रों में रिग मशीनों से गहरी बोरिंग तथा एल्यूवियल क्षेत्रों में मध्यम गहराई के नलकूपों के निर्माण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु सामूहिक नलकूपों की योजना भी संचालित है।

लघु सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित हैं :-

- **निःशुल्क बोरिंग**

निःशुल्क बोरिंग योजना फरवरी 1985 से संचालित है। वर्तमान में इस योजना में सामान्य श्रेणी के लघु, सीमान्त तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों हेतु बोरिंग की अनुदान सीमा क्रमशः रु. 5000/-, रु. 7000/- एवं रु. 10000/- जो भी कम हो, अनुमन्य की जा रही है। इसके अतिरिक्त पम्पसेट की स्थापना पर सामान्य श्रेणी के लघु एवं सीमान्त तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषकों को पम्पसेट की वर्तमान इकाई लागत रु. 18000/- के आधार पर इकाई लागत का क्रमशः 25 प्रतिशत अधिकतम रु. 4500/-, 33.33 प्रतिशत अधिकतम रु. 6000/- एवं 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 9000/- अनुदान देय है। उक्त वर्णित अनुदान के अतिरिक्त 25 प्रतिशत लाभार्थियों को जल वितरण हेतु 90 एम0एम0/110 एम0एम0 व्यास का 30 से 60 मी. एच.डी.पी.ई. पाइप सिंचाई सिस्टम, लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 3000/- के अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। यह अनुदान सीमा सभी श्रेणी के लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिये है।

इस योजना में वर्ष 2017-18 में 89817 लाख निःशुल्क बोरिंग पूर्ण की गयी हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में निर्धारित लक्ष्य 74394 के सापेक्ष माह जनवरी, 2019 तक 79542 निःशुल्क बोरिंग पूर्ण करायी गयी हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु इस योजना में रु. 11497.00 लाख का बजट प्रावधान है।

- **मध्यम गहराई के नलकूप की योजना**

प्रदेश में वर्ष 2003-04 तक निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्यतः दो योजनायें क्रमशः उथले नलकूप की निःशुल्क बोरिंग योजना व गहरे नलकूप की योजना चल रही थी। निःशुल्क बोरिंग

योजना में लगभग 30 मीटर तक की गहराई में हैंड बोरिंग सेट द्वारा बोरिंग की जाती है। गहरे नलकूप की योजना में हैवी रिंग मशीन द्वारा 60 मीटर से अधिक गहराई की बोरिंग की जाती है। प्रदेश के ऐसे क्षेत्र जहां पर 31-60 मीटर तक की गहराई में भूजल ग्राही स्त्रोत मिलते हैं, के लिए मध्यम नलकूप योजना वर्ष 2004-05 से प्रारम्भ की गई है। जिसमें नलकूप की लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 75000.00 तथा जल वितरण की स्थापना पर रु. 10000.00 अतिरिक्त अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत निर्मित नलकूपों के ऊर्जीकरण की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए उक्त वर्णित अनुदान के अतिरिक्त प्रत्येक नलकूप पर ऊर्जीकरण हेतु विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रति नलकूप अनुमन्य धनराशि (वर्तमान में रु. 0.68 लाख) अथवा वास्तविक लागत जो भी कम हो, को वर्ष 2012-13 से अनुमन्य कराया जा रहा है। यह धनराशि नलकूप के छिद्रण होने के पश्चात् नलकूप के ऊर्जीकरण हेतु लाभार्थी के नाम सहित उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को उपलब्ध करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस योजना के अन्तर्गत रु. 5870.57 लाख के बजट प्रावधान से निर्धारित लक्ष्य 3833 के सापेक्ष माह जनवरी, 2018 तक रु. 4337.37 लाख व्यय करते हुये 3422 बोरिंग पूर्ण करायी गयी हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु इस योजना में रु. 7044.70 लाख का बजट प्रावधान है।

● **हैवी रिग मशीन द्वारा गहरे नलकूपों का निर्माण**

पठारी, गहरे एवं कठिन स्ट्रेटा वाले क्षेत्रों में विभागीय/प्राइवेट/अन्य सरकारी संस्थाओं की हैवी रिग मशीनों से बोरिंग करके नलकूप निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। इस पर लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 1,00,000/- का अनुदान कृषकों को देने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत निर्मित नलकूपों के ऊर्जीकरण की समस्या के दृष्टिगत उक्त वर्णित अनुदान के अतिरिक्त प्रत्येक नलकूप पर ऊर्जीकरण हेतु विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रति नलकूप अनुमन्य धनराशि (वर्तमान में रु. 0.68 लाख) अथवा वास्तविक लागत जो भी कम हो, को वर्ष 2012-13 से अनुमन्य कराया जा रहा है।

यह धनराशि नलकूप के छिद्रण होने के पश्चात् नलकूप के ऊर्जीकरण हेतु लाभार्थी के नाम सहित उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को उपलब्ध करायी जा रही है। इस योजना में उपरोक्त अनुमन्य अनुदान के अतिरिक्त प्रत्येक नलकूप पर जल वितरण के लिए एच.डी.पी.ई. पाइप सिंचाई प्रणाली की स्थापना हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 0.10 लाख का अनुदान पृथक से दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस योजना के अन्तर्गत रु. 1849.42 लाख के बजट प्रावधान से निर्धारित लक्ष्य 1039 के सापेक्ष माह जनवरी, 2019 तक रु. 1395.79 लाख व्यय करते हुये 842 बोरिंग पूर्ण करायी गयी हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु इस योजना में रु. 3008.47 लाख का प्रावधान है।

● **डॉ. राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना**

डॉ. राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कृषक बाहुल्य समूह को नलकूप निर्माण (ड्रिलिंग, एसेम्बली, सबमर्सिबल पम्प, पम्प हाउस, हौदी इत्यादि) हेतु वास्तविक लागत अधिकतम रु. 4.02 लाख जल वितरण प्रणाली हेतु एच.डी.पी.ई. पाइप सिंचाई सिस्टम के लिये वास्तविक लागत अधिकतम रु. 0.30 लाख तथा ऊर्जीकरण हेतु विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रति नलकूप अनुमन्य धनराशि (वर्तमान में रु. 0.68 लाख) अथवा वास्तविक लागत जो भी कम हो, का अनुदान पृथक-पृथक देय है। यह धनराशि नलकूप के छिद्रण होने के पश्चात् नलकूप

के ऊर्जीकरण हेतु समूह के नाम सहित उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को उपलब्ध करायी जा रही है।

सामान्य श्रेणी के लघु/सीमान्त कृषक बाहुल्य समूह हेतु नलकूप निर्माण (ड्रिलिंग एसेम्बली, सबमर्सिबल पम्प, पम्प हाउस, हौदी इत्यादि) हेतु वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रु. 3.015 लाख जल वितरण प्रणाली हेतु एच.डी.पी.ई. पाइप सिंचाई सिस्टम के लिये वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रु. 0.225 लाख तथा ऊर्जीकरण हेतु विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रति नलकूप अनुमन्य धनराशि (वर्तमान में रु. 0.68 लाख) अथवा वास्तविक लागत जो भी कम हो, का अनुदान पृथक-पृथक देय है। यह धनराशि नलकूप के छिद्रण होने के पश्चात् नलकूप के ऊर्जीकरण हेतु समूह के नाम सहित उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को उपलब्ध करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्पेशल कम्पोनेन्ट योजनान्तर्गत रु. 500.00 लाख तथा सामान्य योजनान्तर्गत रु. 215.60 लाख कुल उपलब्ध बजट प्रावधान रु. 715.60 लाख से निर्धारित लक्ष्य 155 नलकूप निर्माण के सापेक्ष माह जनवरी, 2019 तक रु. 514.88 लाख व्यय करते हुये 134 नलकूप का निर्माण पूर्ण कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना में रु. 1392.00 लाख का बजट प्रावधान है।

- **ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग अन्तर्गत चेकडैम का निर्माण**

प्रदेश में वर्षा जल के इष्टतम उपयोग तथा सिंचाई के साथ-साथ भूगर्भ जल रिचार्ज में अभिवृद्धि हेतु विशेष रूप से बुन्देलखण्ड एवं अन्य पठारी क्षेत्रों में स्थानीय नदी/नालों पर चेकडैम बनाकर यह कार्य किये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस योजना के अन्तर्गत रु. 4000.00 लाख के बजट प्रावधान से माह जनवरी, 2019 तक 16 चेकडैमों के निर्माण कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना में रु. 4570.00 लाख का बजट प्रावधान है।

- **लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण संस्थान भवन का सुदृढ़ीकरण/निर्माण**

प्रदेश स्तर पर लघु सिंचाई विभाग द्वारा किये जा रहे कार्य के प्रशिक्षण हेतु लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण संस्थान का परिसर बख्शी का तालाब, जनपद-लखनऊ में राज्य ग्राम्य विकास संस्थान परिसर के बगल में 2.60 हे. क्षेत्र में स्थित है। इस केन्द्र की स्थापना वर्ष 1962 से वर्ष 1965 के मध्य हुई थी। उक्त परिसर में प्रशिक्षण कक्ष, हॉस्टल, प्रशासनिक भवन, वर्कशाप एवं आवासीय भवन हैं। भवनों की दीवार का निर्माण मिट्टी के गारे से तथा छत आर.बी.डब्ल्यू. की है। विभिन्न चरणों में धन की उपलब्धता के अनुसार इसका सुदृढ़ीकरण किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस योजना में रु. 200.00 लाख का बजट प्रावधान के सापेक्ष सुदृढ़ीकरण/निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना में रु. 369.72 लाख का बजट प्रावधान है।

- **क्षेत्रीय लघु सिंचाई प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना**

लघु सिंचाई कार्यक्रम में हो रहे सर्वोन्मुखी विस्तार के दृष्टिगत प्रशिक्षण की वर्तमान व्यवस्था, जिसके लिये लघु सिंचाई एवं जल प्रयोग प्रशिक्षण संस्थान का परिसर बख्शी का तालाब, जनपद लखनऊ में स्थापित है, अपर्याप्त है। निरन्तर बढ़ते जा रहे संकटग्रस्त विकास खण्डों एवं भूजल परिदृश्य के गम्भीर होते जाने के परिणाम स्वरूप वर्षा जल संचयन, सतही जल के इष्टतम सदुपयोग एवं जल संरक्षण हेतु विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों को लगातार प्रशिक्षित करने तथा कृषकों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रदेश के पूर्वी जोन, पश्चिमी जोन एवं बुन्देलखण्ड में एक-

एक क्षेत्रीय लघु सिंचाई प्रशिक्षण संस्थान परिकल्पित किया गया है। पूर्वी क्षेत्र में कृषि उत्पादकता में वृद्धि पर केन्द्र सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश को सम्मिलित किया गया है। अतः इस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों एवं जियोहाइड्रोलॉजिकल दशाओं के दृष्टिगत जल प्रबन्धन में अनवरत प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से पूर्वी उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जा रहा है। विभिन्न चरणों में धन की उपलब्धता के अनुसार संस्थान की स्थापना की कार्यवाही की जायेगी। वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस योजनान्तर्गत प्राविधानित रु. 100.00 लाख को व्यय करते हुए बाउण्ड्रीवाल के निर्माण की कार्यवाही की गयी है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस योजना में रु. 100.00 लाख का बजट प्रावधान के सापेक्ष निर्माण कार्य किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना में रु. 100.00 लाख का बजट प्रावधान है।

- **बोरिंग गोदाम**

लघु सिंचाई विभाग द्वारा मुख्यतः कृषकों की बोरिंग का कार्य कराया जाता है। यह बोरिंग कार्य विकास खण्ड स्तर पर कार्यरत अवर अभियन्ताओं की देख-रेख में बोरिंग टेक्नीशियन/सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के द्वारा कराया जाता है। इन बोरिंगों के कराने हेतु उपकरण एवं संयंत्रों के रख-रखाव तथा भण्डारण हेतु विकास खण्ड स्तर पर बोरिंग गोदाम की नितान्त आवश्यकता होती है। विभाग का लक्ष्य है कि सभी विकास खण्डों में तथा जिन जनपदों में विभाग को शासकीय भूमि आवंटित हो गयी है वहाँ जनपद स्तरीय बोरिंग गोदामों का निर्माण कराया जाये। उक्त हेतु विभाग द्वारा बोरिंग गोदाम मद में धनराशि का प्रावधान प्रत्येक वर्ष कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस योजना में रु. 50.00 लाख का बजट प्रावधान के सापेक्ष कार्य कराये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना में रु. 50.00 लाख का बजट प्रावधान है।

सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल निर्माण

सौर ऊर्जा चालित नलकूपों को बढ़ावा देने हेतु विभाग द्वारा एक नई योजना प्रस्तावित की गयी है जिसके अन्तर्गत सौर ऊर्जा चालित 5 हार्स पावर के पम्पसेट द्वारा नलकूपों का निर्माण किया जायेगा। यह योजना प्रथम चरण में प्रायोगिक तौर पर प्रारम्भ करते हुए लघु एवं सीमान्त कृषकों के समूह हेतु प्रस्तावित है। इस योजना के अन्तर्गत 5 हार्स पावर के सोलर चालित 342 नलकूप 02 वर्षों में निर्मित किये जाने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित योजना के अधीन प्रदेश के प्रत्येक जनपद में (बागपत, महोबा, सहारनपुर, सन्तरविदास नगर एवं शामली को छोड़कर) दो वर्ष में तीन-तीन नलकूप बनाये जाने का प्रस्ताव है जो सौर ऊर्जा से चालित होंगे। वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में प्रस्तावित 342 नलकूपों हेतु डी0पी0आर0 बनाकर समूहों का गठन करके निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। द्वितीय वर्ष में मूल्यांकन किया जायेगा। मूल्यांकन में सार्थक परिणाम आने पर योजना का विस्तार किया जायेगा। योजना की कुल लागत रु. 1514.73 लाख आंकलित की गयी है, इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 504.19 लाख का बजट प्रावधान है। जिससे प्रदेश के प्रत्येक जनपद में (बागपत, महोबा, सहारनपुर, सन्तरविदास नगर एवं शामली को छोड़कर) एक-एक सामूहिक मिनी ग्रीन ट्यूबवेल का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना में रु. 600.00 लाख का बजट प्रावधान है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक ''हर खेत को पानी'' के अन्तर्गत प्रदेश के कुल 18 जनपदों के ऐसे 69 विकास खण्डों का चयन किया गया है। जो अतिदोहित, क्रिटीकल एवं सेमीक्रिटीकल क्षेत्र से बाहर है तथा वह क्षेत्र जिसमें औसतन वार्षिक वर्षा 750 एम.एम. अथवा उससे अधिक होती है। इस योजना में ऐसे कृषकों को लाभान्वित किया जाना है जो लघु एवं सीमान्त श्रेणी के अन्तर्गत आते है तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला कृषकों को वरीयता प्रदान की जायेगी। इस घटक के अन्तर्गत 60 प्रतिशत अंश भारत सरकार का एवं 40 प्रतिशत अंश राज्य सरकार का है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना में रु. 5000.00 लाख का बजट प्रावधान है।

भूगर्भ जल विभाग, उ.प्र.

भूगर्भ जल विभाग की स्थापना वर्ष 1975 में एक पृथक विभाग के रूप में कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र. के प्रशासनिक नियंत्रण में की गयी। राज्य में भूगर्भ जल संसाधनों के निरन्तर बढ़ते महत्त्व एवं इसके प्रभावी प्रबंधन के दृष्टिगत भूगर्भ जल विभाग को प्रदेश की भूजल सम्पदा के सर्वेक्षण, अनुसंधान, नियोजन, विकास व प्रबन्धन तथा भूगर्भ जल दोहन के नियंत्रण एवं भूगर्भ जल संरक्षण, संचयन व विभिन्न विभागों द्वारा चलायी जा रही रिचार्ज योजनाओं के समन्वय तथा अनुश्रवण हेतु वर्ष 2004 में 'नोडल एजेंसी' घोषित किया गया।

विभाग के मुख्य कार्य दायित्व प्रदेश की भूजल सम्पदा का सर्वेक्षण, आंकलन, प्रबंधन व नियोजन तथा उससे जुड़ी समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन, भूगर्भ जल दोहन पर नियंत्रण, भूजल संरक्षण, संचयन तथा रिचार्ज योजनाओं का तकनीकी समन्वय व अनुश्रवण करना है।

भूगर्भ जल विभाग की पूर्व से संचालित योजनाएं एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रस्तावित योजना/कार्यक्रम निम्नवत है-

1. भूगर्भ जल सर्वेक्षण का विकास, आंकलन एवं सुदृढ़ीकरण

इस योजना के अन्तर्गत विगत वर्षों में किये गये कार्य एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रस्तावित कार्यों का विवरण निम्नवत् है :

अ- हाइड्रोग्राफ स्टेशन नेटवर्क पर भूजल स्तर अनुश्रवण

भूजल स्तर आंकड़ों की आवश्यकता एवं महत्ता के आधार पर भूजल स्तर मापन वर्ष में चार बार यथा- माह जनवरी, मई/जून, अगस्त तथा अक्टूबर/नवम्बर में किया जाता है। वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 में ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में स्थापित हाइड्रोग्राफ स्टेशन पर नियमित भूजल स्तर मापन किया गया। वर्ष 2019-20 में 821 विकास खण्डों एवं 75 शहरी क्षेत्रों में स्थापित हाइड्रोग्राफ स्टेशनों पर भूजल स्तर मापन किया जाना प्रस्तावित है।

ब- विकास खण्डवार भूजल संसाधनों का आंकलन

वित्तीय वर्ष 2018-19 में भूगर्भ जल के नियोजित विकास व प्रबंधन हेतु विकास खण्डवार भूगर्भ जल संसाधनों का आंकलन तथा विकास खण्डों का अतिदोहित, क्रिटिकल, सेमी-क्रिटिकल तथा सुरक्षित श्रेणी में वर्गीकरण, भूजल संसाधन आंकलन समिति-97 (जी0ई0सी0-97) एवं वर्तमान संशोधित गाइडलाइन (जी0ई0सी0-2015) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार 31-03-2017 के आकड़ों के

आधार पर किया जा रहा है। जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिए गए नवीन निर्देशों के अन्तर्गत अब यह आंकलन प्रत्येक दो वर्ष के अन्तराल पर किया जाना है।

ब-1 जनपदीय भूजल रिपोर्ट

वित्तीय वर्ष 2017-18 में मण्डलीय भूजल रिपोर्ट तैयार करके प्रकाशित करने का लक्ष्य रखा गया था। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में जनपदीय भूजल प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 के आंकड़ों पर आधारित रिपोर्ट तैयार कर प्रकाशित करने का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश के 75 जनपदों के वर्ष 2018-19 के आकड़ों पर आधारित जनपदीय भूजल परिदृश्य प्रतिवेदन तैयार कर प्रकाशित किया जाना प्रस्तावित है।

ब-2 भूजल से सम्बन्धित तकनीकी प्रकाशन

वित्तीय वर्ष 2017-18 में जियोफिजिकल सर्वे आधारित रिपोर्ट, लीथोलॉजिकल डाटा रिपोर्ट, रिमोट सेन्सिंग एवं आइसोटोप से सम्बन्धित अध्ययन कर विभिन्न प्रतिवेदनों को प्रकाशित किया गया। भूजल संसाधनों के विविध आयामों को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश के समस्याग्रस्त क्षेत्रों को केन्द्रित करते हुए विभिन्न अध्ययनों के आधार पर भूजल से सम्बन्धित तकनीकी डाक्यूमेन्ट्स तैयार कर प्रकाशित कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है।

ब-3 हाइड्रोग्राफ स्टेशनों का सुदृढ़ीकरण

वर्ष 2017-18 में पीजोमीटर के रख-रखाव के अन्तर्गत 300 पीजोमीटर का रख-रखाव/अनुरक्षण एवं अक्रियाशील पीजोमीटर स्टेशनों के स्थान पर 150 नये पीजोमीटर के निर्माण का लक्ष्य था। वर्ष 2018-19 में 300 पीजोमीटर के रख-रखाव/अनुरक्षण एवं अक्रियाशील पीजोमीटर के स्थान पर 100 नये पीजोमीटर की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

वर्ष 2019-20 में 500 पीजोमीटर के रख-रखाव/अनुरक्षण एवं अक्रियाशील पीजोमीटर के स्थान पर 100 नये पीजोमीटर की स्थापना लक्ष्य का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

ब-4 भूगर्भ जल प्रबन्धन एवं संरक्षण हेतु जन-जागरण एवं भूजल सप्ताह का आयोजन

प्रदेश में भूगर्भ जल के महत्त्व एवं उस पर आसन्न संकट को देखते हुए इसके संरक्षण, प्रबन्धन, विवेक पूर्ण उपयोग एवं विकास तथा विनियमित दोहन के प्रति जन-मानस को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 16 से 22 जुलाई के मध्य भूजल सप्ताह का आयोजन किया जाता है। तत्क्रम में वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 में प्रदेश में उक्त अवधि में भूजल सप्ताह का आयोजन एक जन-जागरूकता अभियान के रूप मे सम्पन्न किया गया। इसके साथ-साथ प्रचार-प्रसार की सामग्री का प्रकाशन एवं वितरण किया गया।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में 75 जनपदों में ''भूजल सप्ताह'' का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही भूजल कार्यशालायें/गोष्ठियों का आयोजन भी किया जाना प्रस्तावित है।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण का विकास, आंकलन एवं सुदृढ़ीकरण योजना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजस्व पक्ष में रु. 7260.00 लाख तथा पूँजीगत पक्ष में रु. 60.00 लाख का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2019-20 में राजस्व पक्ष में रु. 7597.50 लाख एवं पूँजीगत पक्ष में 75.00 लाख का बजट प्रावधान है।

2- शासकीय भवनों पर रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली

प्रदेश के कतिपय विभागों द्वारा अपने संसाधनों से विभागीय भवनों पर रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली की स्थापना की जा रही है, किन्तु पृथक-पृथक ढंग से इस कार्य को किये जाने से इस प्रणाली की स्थापना का कार्य पूर्व निर्मित समस्त शासकीय भवनों में सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। बड़ी संख्या में अभी भी विभिन्न विभागों के पूर्व निर्मित समस्त शासकीय भवनों पर प्रणाली की स्थापना होना शेष है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में 10 शहरों यथा- आगरा, कानपुर, लखनऊ, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, गौतमबुद्धनगर (नोएडा), गाजियाबाद, प्रयागराज एवं वाराणसी में लगभग 30,000 वर्ग मीटर पर शासकीय भवनों में रूफटाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स के निर्माण का लक्ष्य रखा गया। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2019-20 में उक्त 10 शहरों में लगभग 30,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल को आच्छादित करने हेतु यह कार्य प्रस्तावित किया है।

वर्ष 2018-19 में 2702-राजस्व एवं पूँजीगत पक्ष में रु. 300.00 लाख प्रस्तावित किया गया था, जिसके सापेक्ष 2702-राजस्व पक्ष में रु. 3.50 लाख एवं 4702-पूँजीगत पक्ष में रु. 96.50 लाख बजट का प्रावधान है। वर्ष 2019-20 में 2702-राजस्व पक्ष में रु. 3.50 लाख एवं 4702-पूँजीगत पक्ष में रु. 96.50 लाख, इस प्रकार रु. 100.00 लाख का बजट प्रावधान है।

3- भूजल संसाधनों की गुणवत्ता का अनुश्रवण एवं मैपिंग

प्रदेश में भूजल गुणवत्ता की समुचित जानकारी का अभाव है और विभिन्न विभाग अलग-अलग स्तर पर भूजल गुणवत्ता की जाँच कर रहे हैं। प्रदेश में अभी तक मुख्य रूप से पेयजल स्रोतों के गुणवत्ता की जाँच हो रही है, किन्तु सिंचाई नलकूपों के जल नमूनों की गुणवत्ता की जाँच नहीं हो रही है। प्रदेश के अनेक जनपदों में भूजल गुणवत्ता विभिन्न रासायनिक धातुओं से प्रभावित है और ऐसे प्रदूषित भूजल के दुष्प्रभाव जन स्वास्थ्य पर पड़ रहे हैं। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भूजल गुणवत्ता मानीटरिंग स्टेशन चिह्नित किया जाना प्रस्तावित है और इन मानीटरिंग स्टेशनों से भूजल के नमूने प्राप्त कर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित उच्चकोटि की प्रयोगशालाओं यथा- आई0आई0टी0आर0, केन्द्रीय भूजल बोर्ड, रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, केन्द्रीय/राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों के अधीन प्रयोगशालाएं इत्यादि के माध्यम से विभिन्न रासायनिक पैरामीटर्स की जाँच नियमित रूप से की जायेगी। अन्य उच्चकोटि संस्थानों के साथ ही विभागीय प्रयोगशालाओं को आधुनिक उपकरणों से सृदृढ़ करके विभाग स्तर पर आधुनिक तकनीक से विश्लेषण कार्य को आरम्भ करने का लक्ष्य रखा गया है।

4- भूजल जनजागरूकता एवं प्रचार-प्रसार योजना

भूजल जनजागरूकता की आवश्यकता को देखते हुए यह योजना सतत् रूप से संचालित की जा रही है। स्कूली छात्र-छात्राओं, शिक्षकों, विभिन्न स्टेकहोल्डर्स, गैर सरकारी संगठनों सहित जनसामान्य को शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में भूगर्भ जल के आसन्न संकट, बढ़ते भूजल प्रदूषण के प्रति जागरूक करना, भूजल संरक्षण के महत्त्व के प्रति शिक्षित करने के साथ इस प्राकृतिक सम्पदा को संरक्षित करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से यह योजना प्रस्तावित है, जिसमें वृहत् रूप से जन-जागरूकता की विभिन्न

गतिविधियों के साथ प्रत्येक जनपद में गठित 'भूजल सेना' के संचालन हेतु तकनीकी प्रचार-प्रसार सामग्रियों को तैयार कर वितरण कराया जाना भी प्रस्तावित है।

5- राज्य भूजल संरक्षण मिशन

विगत वर्षो में जिस तेजी से प्रदेश की भूजल स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, उसे देखते हुए सस्टनेवल भूजल प्रबन्धन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से समेकित रूप से नियोजित किये जाने की आवश्यकता महसूस की गई है। इस परिकल्पना को मूर्त करने के उद्देश्य से भूजल संसाधनों के समग्र प्रबन्धन एवं संरक्षण हेतु संचालित विभिन्न योजनाओं को एकीकृत कर ''राज्य भूजल संरक्षण मिशन'' योजना स्वीकृत की गई है। राज्य भूजल संरक्षण मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के (111 अतिदोहित, 68 क्रिटिकल, 82 सेमीक्रिटिकल एवं बुन्देलखण्ड तथा विन्ध्य क्षेत्र के शेष 54 विकास खण्ड) कुल 271 विकास खण्डों एवं 22 शहरों में क्षेत्रवार माइक्रो प्लानिंग के आधार पर भूजल संसाधनों के समग्र अध्ययन एवं जल संचयन व प्रबन्धन के विविध उपायों को समेकित रूप से क्रियान्वित किये जाने की योजना है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश के कुल 40 विकास खण्डों, जिसमें बुन्देलखण्ड के 32 विकास खण्ड, पूर्वी क्षेत्र के 04 विकास खण्ड, पश्चिमी क्षेत्र के 04 विकास खण्डों के साथ 03 क्षेत्रीय शहरों को राज्य भूजल संरक्षण मिशन योजना में सम्मिलित किया गया है। उक्त 40 विकास खण्डों में समग्र डाटा बेस के विकास हेतु आकड़ों का एकत्रीकरण, विश्लेषण, मानचित्रीकरण कार्य एक्यूफर पैरामीटर्स का आकलन, (यील्ड टेस्ट/पम्पटेस्ट) तथा विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन तैयार करना आदि कार्यों का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही भूजल संरक्षण एवं प्रबन्धन हेतु उक्त 40 विकास खण्डों की मॉडल डी0पी0आर0 तैयार कर तत्संबंधी मिशन एक्शन प्लान तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में 70 विकास खण्डों, जिसमें पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र के विकास खण्डों तथा 06 नगरीय क्षेत्रों को मिशन योजना में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित हैं।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

प्रदेश की समृद्ध जलवायु, जैव विविधता और प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिक उत्पादन प्राप्त होने के कारण बागवानी फसलों की निरन्तर बढ़ती मांग के फलस्वरूप यह प्राथमिकता का क्षेत्र बनता जा रहा है। प्रदेश की जनता को पोषण सुरक्षा प्रदान करने, गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन में इस सेक्टर का योगदान महत्त्वपूर्ण है। प्रदेश की अधिकांश जोतें छोटी हैं, जिनके लिए बागवानी फसलें वरदान स्वरूप हैं। बागवानी फसलों के मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण के द्वारा न केवल तुड़ाई उपरान्त होने वाली क्षतियों में कमी आती है अपितु उत्पादक को अपने उत्पादन का अधिक मूल्य प्राप्त होता है। औद्यानिक क्षेत्र बहुआयामी है जिसके अन्तर्गत विविध प्रकार के फल, शाकभाजी, पुष्प, मसाले, औषधीय और सगंध फसलें, पान, मशरूम, मौनपालन तथा खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर सम्मिलित हैं। बागवानी का क्षेत्र कृषि के विविधीकरण के लिए एक सक्षम क्षेत्र के रूप में उभरा है जो उत्पादकता में वृद्धि, जीवन स्तर में सुधार तथा रोजगार सृजन, पर्यावरण संतुलन करने में सहायक होने के साथ ही प्रसंस्करण उद्योगों के स्थापित होने का अवसर उपलब्ध करा सकता है।

प्रदेश की प्रमुख बागवानी फसलों में फलों के अन्तर्गत आम, अमरूद, आंवला, नींबू वर्गीय फल, लीची, केला, कटहल, बेर, बेल, पपीता, खरबूजा, तरबूज, आदि तथा शाकभाजी फसलों के अन्तर्गत आलू, टमाटर, बैंगन, गोभी वर्गीय सब्जियां, सब्जी मटर, परवल, कद्दूवर्गीय सब्जियां, सेम, ग्वार, लोबिया, फ्रेन्चबीन, प्याज, पत्ते वाली सब्जियां आदि, मसाले जैसे- धनिया, मेथी, लहसुन, हल्दी, अदरक आदि, पुष्पीय फसलों में गुलाब, जरबेरा, ग्लैडियोलाई, रजनीगंधा, गेंदा आदि, सगंध फसलों में मेंथा, दमिश्क रोज, औषधीय फसलों में तुलसी, एलोवेरा (घृतकुमारी) आदि तथा अनुपूरक उद्यम के रूप में मशरूम उत्पादन, शहद उत्पादन एवं पान की खेती आदि के संहत क्षेत्र विद्यमान हैं।

आलू उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का प्रमुख आलू उत्पादक राज्य है। प्रदेश में देश के कुल उत्पादन का लगभग 35 से 40 प्रतिशत आलू उत्पादित होता है। वर्ष 2017-18 में प्रदेश में 6.15 लाख हैक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 123.23 लाख मीट्रिक टन आलू उत्पादन हुआ। वर्ष 2018-19 में प्रदेश में प्राथमिक सूचना के अनुसार 6.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 162 लाख मीट्रिक टन आलू उत्पादन संभावित है। वर्ष 2019-20 में प्रदेश में 6.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 165 लाख मीट्रिक टन आलू उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग प्रदेश में फल, शाकभाजी, आलू, मसाले, पुष्प, सगंध आदि बागवानी फसलों के विकास, फल-सब्जी संरक्षण विधियों के प्रचार-प्रसार के साथ मधुमक्खी पालन, खाद्य प्रसंस्करण, कुकरी, बेकरी, मेंथा, पान तथा मशरूम की खेती हेतु प्रशिक्षण प्रदान कराने के अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं को सुनियोजित ढंग से कार्यान्वित कर रहा है।

औद्यानिक योजनाओं के प्रमुख उद्देश्य

(1) औद्यानिक फसलों की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में वृद्धि हेतु उपलब्ध नवीनतम तकनीकी को कृषकों तक पहुँचाना तथा उनको अपनाने हेतु प्रेरित करना।

(2) औद्यानिक फसलों के सघनीकरण एवं फसल-चक्र में परिवर्तन कर उत्पादकों को उनके श्रम एवं कम निवेश पर अधिक लाभ पहुँचाना।

(3) वैज्ञानिक संस्तुतियों के अनुसार आवश्यक निवेशों का सामयिक एवं वैज्ञानिक उपयोग कराना।

(4) औद्यानिक फसलों का उचित मूल्य दिलाने तथा सतत् आपूर्ति हेतु भण्डारण, विधायन एवं विपणन की सुविधाओं का विकास करना, प्राथमिक औद्यानिक सहकारी समितियों का गठन कराकर उन्हें प्रभावी बनाना।

(5) फल एवं सब्जी संरक्षण, कुकरी, बेकरी, खाद्य प्रसंस्करण, मशरूम तथा मौन पालन में अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक प्रशिक्षण देकर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना तथा पान विकास के लिए कार्यक्रम चलाना।

(6) बागवानों की तकनीकी समस्याओं का समाधान ढूँढ़ना तथा प्रायोगिक परिणामों को जन साधारण तक पहुँचाना।

(7) सेवारत अधिकारियों/कर्मचारियों तथा कृषकों को नवीनतम् तकनीकी विधाओं में प्रशिक्षण देकर तकनीकी हस्तांतरण को प्रभावी रूप से क्रियान्वित कराना।

(8) क्षेत्र आधारित रणनीति के माध्यम से, जिसमें अनुसंधान, प्रौद्योगिकी प्रोन्नति, विस्तार, फसल कटाई के बाद का प्रबंधन, प्रसंस्करण और विपणन शामिल हैं, बागवानी क्षेत्र को सर्वांगीण विकास प्रदान करना।

रणनीति

ऐसी रणनीति बनाई गई कि फल, शाकभाजी तथा आलू की खेती में प्रति इकाई क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि हो, और अधिक मूल्यवान फलों (आम, अमरूद, केला, आंवला, लीची, अनार, शरीफा, नींबू प्रजाति आदि) तथा शाकभाजी (टमाटर, हरी मटर, शिमला मिर्च, भिण्डी, गोभी कुल, लता वाली तथा अन्य प्रमुख सब्जियों) के उत्पादन पर समयबद्ध कार्यक्रमों द्वारा विशेष बल दिया गया।

प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में इस कोटि के कृषकों एवं लघु-सीमान्त कृषकों के खेतों में फल, शाकभाजी एवं पुष्प विकास को बढ़ावा देकर उनकी आय में वृद्धि कराने का लक्ष्य तय करते हुए जल संचयन एवं गुणवत्ता युक्त उत्पादन की दृष्टि से ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति को अधिक ग्राह्य बनाने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही कौशल विकास कार्यक्रम में प्रदेश के युवाओं को गार्डनर ट्रेनिंग के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

वर्तमान में विभाग द्वारा कृषकों को प्रदत्त सुविधाओं का विवरण

(1) बागवानी फसलों- फल, शाकभाजी, मसाले, आलू एवं अलंकृत बागवानी के लिए उन्नत रोग रहित प्रमाणित रोपण सामग्री- पौध, बीज आदि लाभ-हानि रहित मूल्य पर औद्यानिक उत्पादकों को उपलब्ध कराना।

(2) सघन फल विशेष के क्षेत्रों में फल-पट्टी (आम, अमरूद, आंवला) की घोषणा एवं उनका सर्वांगीण विकास।

(3) औद्यानिक फसलों की खेती, बागों के रेखांकन, कीट-व्याधि के बचाव सम्बन्धी नवीनतम् तकनीक को उपलब्ध करा कर सहयोग देना।

(4) मौन पालन, मशरूम की खेती तथा पान की खेती हेतु प्रशिक्षण एवं अनुदान की सुविधा।

(5) विभाग के अधीन राजकीय सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्रों पर फल-सब्जी संरक्षण कार्य के साथ ही विभिन्न अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं ग्रामीण शिविरों का आयोजन करना।

(6) राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्रों पर फल संरक्षण, कुकरी व बेकरी, कन्फेक्शनरी आदि के अल्प-कालिक एवं दीर्घकालिक प्रशिक्षण की सुविधा।

(7) औद्यानिक फसलों की खेती हेतु प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान की सुविधा।

(8) प्राथमिक औद्यानिक विपणन सहकारी समितियों के माध्यम से उ.प्र. राज्य औद्यानिक विपणन संघ (हॉफेड) के द्वारा श्रेणीकरण, संग्रहण, विपणन आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराना।

(9) लाभार्थी कृषकों के लिए नवीनतम उत्पादन तकनीकों, पुराने बागों के जीर्णोद्धार, फसल तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन एवं विपणन पर स्थानीय रूप से तथा औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम आयोजित कराना।

(10) विभाग द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से चयनित औद्यानिक फसलों के विकास के कार्यक्रमों के अन्तर्गत ऑनलाइन पंजीकरण तथा अनुदान की सुविधा के लाभार्थी कृषकों को डी.बी.टी. के माध्यम से उपलब्ध कराना।

(11) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु अनुदान/राज्य सहायता की सुविधा।

पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र-महोबा

पान एक बहुवर्षीय बेल है। भारत के अतिरिक्त विश्व के अन्य देशों में यथा- थाइलैण्ड, फिलीपीन्स एवं इण्डोनेशिया में पान एक महत्त्वपूर्ण व्यवसायिक फसल है। भारत वर्ष में लगभग 40 हजार हेक्टेयर भूमि में पान की व्यवसायिक खेती की जाती है। यह फसल कृषि एवं व्यापार से जुड़े लोगों के जीविकोपार्जन का एक प्रमुख साधन है।

भारत में पान मुख्य रूप से कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान में उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में इसकी खेती लगभग ढाई हजार हेक्टेयर में की जाती है। उत्तर प्रदेश के 24 जनपदों में इसकी व्यवसायिक खेती की जाती है। जिसमें मुख्य रूप से महोबा, ललितपुर, बांदा, प्रयागराज, उन्नाव, लखनऊ, कानपुर देहात, हरदोई, जौनपुर, मिर्जापुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, गोरखपुर, आजमगढ़ एवं बाराबंकी प्रमुख हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पान के महत्व को देखते हुए वर्ष1981 में पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना जिला योजना के अन्तर्गत 10 एकड़ के फार्म पर महोबा-चरखारी रोड, महोबा जनपद में की गई थी। जिसमें पान से सम्बन्धित शोध कार्य, प्रशिक्षण एवं कृषकों को तकनीकी जानकारी दी जाती है। महोबा में 800 बरेजों का निर्माण प्रतिवर्ष किया जाता है, जिससे उत्पादित पान को प्रदेश के साथ-साथ अन्य प्रदेशों के कृषकों के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण के आयोजन किए जाते हैं, जिसमें बरेजा निर्माण की

तकनीक, कटिंग, उपचार, रोग कीट प्रबन्धन पर प्रशिक्षण दिया जाता है तथा पान उत्पादन में आने वाली समस्याओं का निराकरण किया जाता है।

पान की प्रमुख प्रजातियाँ

1. महोबा देशावरी 2. कलकतिया 3. कपूरा 4. बंगला 5. सागर बंगला 6. सांची 7. नोवाकटक 8. आयुर्वेदिक बंगला 9. पन्ना बंगला 10. ककेर 11. पाली देशी 12. कपूरी मीठा 13. सौंफिया 14. जैसवारी 15. भानूपुरा देशी।

संचालित शोध कार्यक्रम

1. पान की विभिन्न प्रजातियों का संकलन : इस प्रयोग में पान की 15 प्रजातियों का संकलन किया गया है, जिसमें महोबा देशी, कपूरी, बंगला एवं कलकतिया प्रचलित प्रजातियां हैं, जिसकी खेती प्रदेश के कृषकों द्वारा की जा रही है।

2. पान में लगने वाली प्रमुख बीमारी फ्रूट राट एवं लीफ राट का प्रबन्धन : यह पान का प्रमुख फफूंदी से लगने वाला भूमिजनित रोग है, इसके प्रबन्धन के अभाव में 80 से 90 प्रतिशत फसल नष्ट हो जाती है। इसके प्रबन्धन हेतु विभिन्न दवाओं का प्रयोग किया गया, जिसमें बोर्डो मिश्रण 1 प्रतिशत, कॉपर आक्सी क्लोराइड 0.5 प्रतिशत का प्रयोग रोग के प्रबन्धन में प्रभावी पाया गया है, जिसे कृषक अपनाकर उक्त रोग की रोकथाम सफलतापूर्वक कर निरोग एवं स्वस्थ पान का उत्पादन कर रहे हैं। जैविक विधि से उक्त रोग के प्रबन्धन हेतु विवेरिया बैसियाना, ट्राइकोडर्मा बिरडी का भी प्रयोग इस वर्ष किया जा रहा है।

3. औषधीय एवं सगन्ध पौधों का संकलन : सतावर, एलोवेरा, अश्वगंधा, तुलसी, नींबू घास सर्पगन्धा, हरजोड़, गिलोय, पीपली, अडूसा एवं गुलाब की विभिन्न प्रजातियों का संकलन किया गया है, जिसे प्रशिक्षण के दौरान कृषकों को जागरूक करने हेतु प्रदर्शन कर, उत्पादन हेतु प्रेरित किया जाता है। जनपद महोबा में वर्तमान में तुलसी, एलोवेरा एवं सतावर की खेती में कृषक रुचि ले रहे हैं।

4. जैविक दवाओं का निर्माण एवं प्रयोग : इसके अन्तर्गत विभिन्न वनस्पतियों (नीम, अण्डी, शरीफा, करन्ज, पपीता, तम्बाकू आदि) गौमूत्र, गोबर को मिलाकर ब्रह्मास्त्र, अग्निशस्त्र, नीमास्त्र, मटका खाद एवं दसपर्णी अर्क तरल दवायें/खाद का निर्माण केन्द्र में कराकर इसका प्रयोग पान, फलदार पौधों, शोभाकार पौधों के अच्छे उत्पादन एवं इनमें लगने वाले रोग/कीट के प्रबन्धन में किया जा रहा है, जिसके अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। केन्द्र में प्रशिक्षण के दौरान कृषकों को विजिट कराकर उक्त की जानकारी देकर प्रेरित किया जा रहा है, जिसे कृषक अपनाकर प्रयोग कर रहे हैं। वर्तमान में पान कृषक एवं अन्य उक्त जैविक दवाओं को अपनाकर लाभान्वित हो रहे हैं। मुख्यतः ग्राम सिजहरी, मिरतला, नथूपुरा, प्रेमनगर, पलका, शाहपहाड़ी, बड़ीहाट, लिथौराखुर्द, ब्यारजो में उक्त जैविक दवाओं का निर्माण कर प्रयोग किया जा रहा है।

5. सर्वेक्षण कार्य : इसके अन्तर्गत महोबा में स्थित पान बरेजों का स्थलीय सर्वेक्षण कर बरेजों/भीट में व्याप्त समस्याओं जैसे- रोग/कीट, पोषण आदि के सम्बन्ध में मौके पर ही कृषक को निदान के उपाय बताये जाते हैं। अब तक 800 कृषकों से सम्पर्क कर जानकारी प्रदान की गयी है।

प्रदेश में गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन प्रोत्साहन योजना

प्रदेश में गुणवत्तायुक्त पान उत्पादन को प्रोत्साहन योजना वर्ष 2019-20 में प्रदेश के 12 जनपदों यथा- उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ, जौनपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, बलिया, आजमगढ़, कानपुर नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र में क्रियान्वित है। योजनान्तर्गत पान की खेती हेतु 1500 वर्ग मी. में प्रति बरेजा निर्माण लागत की धनराशि रु. 1,51,360 का 50 प्रतिशत धनराशि रु. 75,680 विभिन्न निवेशों पर देय है।

आलू बीज उत्पादन कार्यक्रम

इस कार्यक्रम का उद्देश्य आलू उत्पादकों को उच्चकोटि के रोग रहित आलू बीज उपलब्ध करा कर प्रदेश में आलू उत्पादन तथा उत्पादकता में अभिवृद्धि कराना है। उत्तर प्रदेश आलू के उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। विभाग द्वारा भारत सरकार के केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला (हि.प्र.) से ब्रीडर आलू बीज प्राप्त करके उसका संवर्धन चयनित राजकीय प्रक्षेत्रों पर आधारित प्रथम एवं आधारित द्वितीय श्रेणी में कराया जाता है। इस प्रकार उत्पादित आलू बीज का वितरण आलू उत्पादकों में जनपदीय उद्यान अधिकारियों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।

प्रदेश में स्थित शीतगृहों पर प्रभावी नियंत्रण एवं उनके सफलतापूर्वक संचालन तथा कृषकों के हितों की रक्षा हेतु उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम-1976 लागू है। इसके अनुसार समस्त शीतगृहों का संचालन एवं नियंत्रण किया जाता है। प्रदेश में आलू भण्डारण के लिये कुल कार्यरत 1919 शीतगृह हैं, जिनकी कुल भण्डारण क्षमता लगभग 150.50 लाख मीट्रिक टन है। वर्तमान में शीतगृहों की कुल भण्डारण क्षमता कुल आलू उत्पादन का लगभग 99.55 प्रतिशत है। इस प्रकार प्रदेश में आलू भण्डारण क्षमता की कोई समस्या नहीं है।

शाकभाजी एवं मसाला विकास

कृषकों को उचित मूल्य पर आधारीय प्रमाणित/सत्य बीज (ट्रुथफुल लेवल) उपलब्ध कराये जाने हेतु विभागीय राजकीय प्रक्षेत्रों/औद्यानिक इकाइयों पर रबी, खरीफ एवं जायद मौसम की विभिन्न प्रजातियों के शाकभाजी बीजों के सम्वर्धन का कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाता है। विगत वर्षों में राजकीय प्रक्षेत्रों पर उत्पादन कार्यक्रम का विवरण निम्नानुसार है :

मौसमवार शाकभाजी बीज सम्वर्धन कार्यक्रम

(क्षेत्रफल-हे. में, उत्पादन-कुन्टल में)

वर्ष	रबी		खरीफ		जायद		कुल योग	
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
2014-15	126.35	1150.00	03.00	15.00	38.00	93.09	167.35	1258.09
2015-16	108.00	1150.00	10.25	34.00	52.75	126.50	171.00	1310.50
2016-17	103.00	427.00	08.00	15.43	63.50	105.00	174.50	577.43
2017-18	100.00	435.43	10.00	36.00	67.00	115.70	177.00	587.13
2018-19 (सम्भावित)	75.00	1150.00	07.00	32.00	65.00	113.11	147.00	1295.11
2019-20 (प्रस्तावित)	100.00	1250.00	10.00	45.00	65.00	250.00	175.00	1545.00

लघु एवं सीमान्त कोटि के कृषकों हेतु संकर शाकभाजी का उत्पादन एवं प्रबन्धन की योजना

उत्तर प्रदेश में औद्यानिक फसलों यथा- फल, शाकभाजी, मसालें, पुष्प, आलू, औषधीय एवं सगंध पौधे आदि के व्यापक क्षेत्र हैं। इन फसलों का प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक आय प्राप्त करने, पोषण सुरक्षा प्रदान करने तथा आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन में विशेष महत्त्व है। प्रदेश में 90 प्रतिशत से अधिक लघु एवं सीमान्त कोटि के कृषक हैं। इन कृषकों के लिए खरीफ, रबी एवं जायद मौसम में शाकभाजी की फसल सघनता में वृद्धि कर, अधिक उत्पादन प्राप्त कर इकाई क्षेत्र से अधिक आय प्राप्त करने में लाभकारी है। अतः लघु एवं सीमान्त कृषकों के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु योजना प्रस्तावित की गयी है। योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में धनराशि रु0 2500.00 लाख (रुपये पच्चीस करोड़) की व्यवस्था की गई है।

योजना का उद्देश्य

(1) अल्प अवधि में शाकभाजी उत्पादन से प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक आमदनी प्राप्त करना।

(2) शाकभाजी फसलों से खरीफ, रबी एवं जायद मौसम में फसल सघनता वृद्धि।

(3) छोटी जोत के लघु एवं सीमान्त कोटि के कृषकों के लिए बहुपयोगी व्यवस्था।

(4) शाकभाजी उत्पादन में वृद्धि, पोषण स्तर में सुधार तथा लघु सीमान्त कृषकों के लिए छोटी जोत से निरन्तर आय सृजन।

आच्छादित जनपद - प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में योजना का क्रियान्वयन कराया जायेगा

अनुमन्य क्षेत्रफल - योजनान्तर्गत लघु एवं सीमान्त कोटि के कृषकों को न्यूनतम 0.1 हे. से अधिकतम 2.0 हे. सीमा के अन्तर्गत अनुदान अनुमन्य होगा

अनुदान पैटर्न - मिशन फॉर इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट ऑफ हार्टीकल्चर की आपरेशनल गाइड-लाइन में संकर शाकभाजी उत्पादन की इकाई लागत प्रति हे. धनराशि रु0 50000 निर्धारित है। इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम धनराशि रु0 20000 प्रति हे. संकर टमाटर, संकर पातगोभी, संकर कुकरबिट्स, संकर भिण्डी, संकर फूलगोभी एवं संकर बैगन पर अनुदान अनुमन्य है।

फल पट्टियों का विकास कर बागवानी को बढ़ावा दिये जाने की योजना

प्रदेश के कतिपय जनपदों के क्षेत्र विशेष उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त हैं। इन क्षेत्रों में फल विशेष के गुणवत्तायुक्त उत्पादन तथा क्षेत्र विस्तार को प्रोत्साहित करने हेतु फल पट्टी के रूप में विकसित करने का प्रयास किया गया है। प्रदेश में 3 फलों- आम, अमरूद एवं आंवला के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा फल पट्टी घोषित की गयी है। आम फलपट्टी के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, अमरोहा, प्रतापगढ़, वाराणसी, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई, अयोध्या तथा बाराबंकी के 31 विकास खण्ड आच्छादित हैं। अमरूद फलपट्टी हेतु जनपद कौशाम्बी एवं बदायूँ के 06 विकास खण्ड लिये गये हैं तथा आंवला फलपट्टी के अन्तर्गत प्रतापगढ़ के 2 विकास खण्ड अंगीकृत किये गये हैं। फल विशेष के गुणवत्तायुक्त उत्पादन एवं क्षेत्र विस्तार हेतु फल पट्टियों का विकास कर बागवानी को बढ़ावा देने हेतु योजना का प्रारम्भ वर्ष 2017-18 से किया गया है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में धनराशि रु. 100.00 लाख की व्यवस्था की गई है।

आच्छादित जनपद - प्रदेश के 15 जनपदों में योजना का क्रियान्वयन कराया जायेगा।

औषधीय जड़ी-बूटियों के विकास हेतु हर्बल गार्डन की योजना

इस योजना का प्रारम्भ वर्ष 2002-2003 में हुआ जिसका उद्देश्य लुप्तप्राय हो रही महत्त्वपूर्ण औषधीय जड़ी बूटियों की खेती को बढ़ावा देना, उनको संरक्षित करना व उनके बीज/पौध रोपण सामग्री का उत्पादन करना है ताकि महत्त्वपूर्ण औषधीय फसलों को संरक्षित किया जा सके और उनकी खेती में वृद्धि हो सके। यह योजना वर्ष 2010-11 से प्रदेश के 18 जिलों बाराबंकी, मथुरा, सोनभद्र, हरदोई, पीलीभीत, हमीरपुर, बलरामपुर, गाजीपुर, बहराइच, बस्ती, मुजफ्फरनगर, महराजगंज, बलिया, गोण्डा, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, झाँसी एवं अयोध्या जनपदों में चलाई जा रही है। इस योजना में सतावर तथा सर्पगन्धा के क्षेत्र विस्तार के अन्तर्गत 0.2 हे. क्षेत्रफल की इकाई पर फसल प्रदर्शन हेतु अनुदान क्रमशः रु. 2500/- एवं रु. 6250/- प्रति प्रदर्शन निवेश के रूप में लाभार्थी कृषकों को दिया जाता है।

पर्यावरणीय उद्यान/पार्क की स्थापना

पर्यावरण को संतुलित बनाये रखने के उद्देश्य से उद्यान विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क की स्थापना कराये जाने की स्वीकृति शासन द्वारा प्रदान की गई। लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क की स्थापना वित्तीय वर्ष 2012-13 में जनपद कन्नौज एवं इटावा में की गई। वित्तीय वर्ष 2013-14 में जनपद गाजीपुर में लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क की स्थापना कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसका लोकार्पण वित्तीय वर्ष 2015-16 में किया गया। वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद जौनपुर में लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क की स्थापना की गई जो वित्तीय वर्ष 2016-17 में जनोपयोग में लाया जाने लगा। वित्तीय वर्ष 2017-18 के निमित्त धनराशि रु. 205.06 लाख का प्रावधान कराया गया था, जिसमें रु. 55.06 लाख का पूर्व में स्थापित हो चुके लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्कों के रख-रखाव तथा जनपद गोरखपुर के विन्ध्यवासिनी पार्क में एक नये लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क की स्थापना करने के लिये धनराशि रु. 150.00 लाख आवंटित की गई है। वर्ष 2019-20 में पूर्व में स्थापित हो चुके लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्कों का रख-रखाव तथा एक नये पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क की स्थापना कराये जाने का प्रस्ताव है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कृषकों हेतु औद्यानिक विकास

औद्यानिक फसलों के उत्पादन के प्रोत्साहन हेतु विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषकों हेतु औद्यानिक विकास (राज्य सेक्टर) योजना प्रदेश के सभी जनपदों में क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत कृषक प्रक्षेत्रों पर शाकभाजी, पुष्प, मसालों की खेती, मौनपालन तथा एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन (आई.पी.एम.) आदि कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कृषकों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषकों को कार्यक्रमानुसार लागत का 75 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक सहायता/अनुदान डी.बी.डी. के माध्यम से अनुमन्य है।

बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास की योजना

बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्रों का विकास करने, पर्यावरणीय संतुलन बनाये रखने, माइक्रो क्लाइमेट में सुधार करने तथा भूमिगत जल में वृद्धि करने के साथ-साथ कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने

के उद्देश्य से अधिकाधिक संख्या में कम अवधि में फल देने वाले उद्यानों का रोपण कराया जाना सर्वथा अनुकूल विकल्प है।

उक्त के दृष्टिगत कृषकों एवं बागवानों द्वारा उनके क्षेत्र/जनपद की भूमि, जल संसाधन एवं अन्य सुविधाओं की उपलब्धता के अनुसार अपनी इच्छानुसार फलों का चयन करके उनके द्वारा स्वयं नवीन उद्यानों का रोपण किये जाने को प्रोत्साहित किये जाने की कार्ययोजना तैयार की गयी है। योजनान्तर्गत कृषकों द्वारा उनके स्वयं के द्वारा रोपित उद्यानों के रख-रखाव के फलस्वरूप पौधों की जीवितता सुनिश्चित किये जाने पर प्रति माह निर्धारित धनराशि अनुदान/प्रोत्साहन स्वरूप उपलब्ध करायी जाती है। योजना के प्रमुख बिन्दु निम्नवत हैं :

देय अनुदान : योजनान्तर्गत चयनित लाभार्थियों द्वारा रोपित कराये गये नवीन उद्यानों में पौधों की जीवितता मानक के अनुसार पाये जाने की स्थिति में अधिकतम रु. 3000 प्रति माह प्रति हे. की दर से 36 माह (बाग के फलत में आने की स्थिति) तक लाभार्थी कृषक को अनुदान प्रदान किया जायेगा।

- नवीन उद्यान रोपण हेतु प्रति कृषक 0.2 हे. से 1.0 हे. क्षेत्रफल तक की अनुमन्यता।
- फल उद्यानों के सम्बन्ध में कृषकों को एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की सुविधा प्रदान किया जाना।
- **मण्डल :** झाँसी, चित्रकूटधाम एवं मिर्जापुर।
- **जनपद :** झाँसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, मिर्जापुर, सोनभद्र एवं भदोही।
- **क्षेत्र विस्तार हेतु चयनित ब्लाकों की संख्या :** 59 ब्लाक।
- **क्षेत्र विस्तार हेतु चयनित औद्यानिक फसलें :** अमरूद, कागजी नींबू, मौसमी, आंवला, अनार, बेल, बेर, आम।
- **नवीन उद्यान रोपण का अनुमानित लक्ष्य :** 3615 हेक्टेयर।
- **फलत से पूर्व आय हेतु बागों के भीतर शाकभाजी एवं मसालों की इन्टरक्रापिंग :** 3615 हेक्टेयर।
- **इन्टरक्रापिंग से आय :** अनुमानित रु. 40000 से 60000 तक प्रति वर्ष।
- बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में व्यवसायिक फलों अमरूद, आम, आंवला, नींबू वर्गीय फल, बेर, बेल एवं अनार के अनुमानित 3615 हेक्टेयर में नवीन उद्यानों की स्थापना से लगभग 4,00,000 पौधों का रोपण।
- जैविक प्रमाणीकरण के लिए लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जाना।
- बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र के वातावरण में हरित क्षेत्र को विकसित किया जाना।
- बेराजगार युवाओं को कृषि/औद्यानिकी के क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- पारम्परिक रूप से अपनायी जा रही खेती को अधिक उत्पादन वाले औद्यानिक फसलों में परिवर्तन से कृषकों की आय में वृद्धि।
- लघु एवं सीमान्त कृषक परिवारों के जीवन स्तर में सुधार।
- योजना के पाँचवें वर्ष में विभिन्न फसलों में इन्टरक्रापिंग एवं मुख्य फसल से प्रतिवर्ष अधिक आय प्राप्त कराना।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन

वर्तमान में यह योजना वर्ष 2014-15 से एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के रूप में संचालित है। योजना से आच्छादित 45 जनपदों का विवरण निम्नवत् है :

सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बस्ती, बलिया, कुशीनगर, महराजगंज, सन्तकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, एवं फर्रूखाबाद (प्रथम चरण के 26 चयनित जनपद), सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर, हाथरस, कानपुर नगर, अयोध्या, झाँसी, बरेली, मुरादाबाद, सीतापुर, बाँदा, बाराबंकी, बुलन्दशहर एवं मुजफ्फरनगर (द्वितीय चरण के 14 चयनित जनपद), महोबा, हमीरपुर, जालौन, चित्रकूट एवं ललितपुर (तृतीय चरण के 05 चयनित जनपद)। इसका उद्देश्य राज्य के क्षेत्र के तुलनात्मक विकास और भिन्न जलवायु विशेषताओं के अनुरूप बागवानी को बढ़ावा देना है।

औद्यानिक मिशन के अन्तर्गत आच्छादित फसलें

फलदार - आम, आंवला, अमरूद तथा केला।

पुष्प - गेंदा, गुलाब, जरबेरा आदि।

मसाले - लहसुन व प्याज।

प्रमुख कार्यक्रम

1. उत्कृष्ट पौधरोपण सामग्री का उत्पादन।
2. आलू एवं शाकभाजी बीज उत्पादन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास।
3. अलंकृत/शोभाकार, मसाले एवं सगन्ध पौधों का विकास।
4. आम, अमरूद, लीची, बेर, नींबू वर्गीय फल, केला तथा पपीता का क्षेत्र विस्तार व पुराने रोपित बागों का रख-रखाव।
5. पुराने अनुत्पादक आम, अमरूद, आंवला उद्यानों का जीर्णोद्धार एवं छत्र प्रबन्धन (कैनोपी मैनेजमेंट)।
6. संरक्षित खेती हेतु ग्रीन हाउस, शेड नेड, मल्चिंग आदि की स्थापना को प्रोत्साहन।
7. जैविक खेती का अंगीकरण एवं प्रमाणीकरण।
8. मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन।
9. फल, शाकभाजी उत्पादन हेतु आई0पी0एम0 को प्रोत्साहन, बायो कन्ट्रोल लैब, डिज़ीज फोरकास्टिंग इकाई, प्लान्ट हेल्थ कलीनिक, लीफ टिश्यू एनालिसिस लैब की स्थापना।
10. मानव संसाधन विकास एवं कौशल अभिवृद्धि हेतु विभिन्न अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन तथा अन्य प्रदेशों में बागवानी विकास को देखने हेतु भ्रमण कार्यक्रम।
11. मशरूम इकाइयों की स्थापना तथा स्पॉन उत्पादन को प्रोत्साहन।
12 बागवानी में मशीनीकरण का उपयोग।
13. **तुड़ाई उपरान्त प्रबन्धन-** पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज यूनिट, रेफ्रीजेरैटेड वैन, प्याज भण्डारगृह, राइपेनिंग चैम्बर, मिनीमल प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना तथा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना - 'पर ड्राप मोर क्राप (माइक्रो इरीगेशन)'

प्रदेश में माइक्रो इरीगेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू है जिसके उपघटक ''पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रो इरीगेशन'' का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश नोडल एजेन्सी नामित है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश इस योजना के एक उपघटक ''पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रो इरीगेशन'' का क्रियान्वयन विभाग है।

कार्यक्रम के मुख्य घटक : (अ) टपक (ड्रिप) सिंचाई, (ब) स्प्रिंकलर सिंचाई, (स) प्रशिक्षण।

कार्य क्षेत्र : योजना का कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद हैं जिसमें प्रदेश के चिह्नित अतिदोहित, क्रिटिकल, सेमीक्रिटिकल विकास खण्ड को केन्द्रित करते हुए क्रियान्वित किया जा रहा है।

अनुदान पैटर्न : ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई का कार्य अधिक लागत जन्य होने के कारण प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या 15/2017-1843/58-2017-429/2015 दिनांक 12.07.2015 द्वारा 35 प्रतिशत अतिरिक्त राज्यांश अनुदान (टॉप-अप) के साथ लघु सीमान्त कृषकों को निर्धारित इकाई लागत के सापेक्ष 90 प्रतिशत एवं अन्य कृषकों को 80 प्रतिशत अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। निर्धारित केन्द्रांश, अनिवार्य राज्यांश तथा अतिरिक्त राज्यांश अनुदान निम्नवत है :

लाभार्थी श्रेणी	केन्द्रांश (60%)	अनिवार्य राज्यांश (40%)	अतिरिक्त राज्यांश (टॉप-अप)	कुल राज्यांश (3+4)	कृषकों को उपलब्ध लाभार्थी कुल अनुदान प्रतिशत	अंश
लघु एवं सीमांत कृषक	33	22	35	57	90	10
अन्य कृषक	27	18	35	53	80	20

पात्रता

- व्यक्तिगत लाभार्थी को अधिकतम 5 हे. की सीमा तक अनुदान देय होगा, जिसके लिए लाभार्थी के पास स्वयं की भूमि होनी चाहिये
- योजना का लाभ सरकारी समितियों के सदस्यों, सेल्फ हेल्प ग्रुप इन कार्पोरेटेड कम्पनीज, पंचायती राज संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं, ट्रस्ट्स, उत्पादक कृषकों के समूह के सदस्यों को भी अनुमन्य
- ऐसे लाभार्थियों/संस्थाओं को भी योजना का लाभ अनुमन्य होगा जो संविदा खेती (कान्ट्रेक्ट फार्मिंग) अथवा न्यूनतम 07 वर्ष के लीज एग्रीमेन्ट की भूमि पर बागवानी/खेती करते हैं
- सिंचाई के लिए लाभार्थी के पास पानी का स्रोत उपलब्ध हो
- लाभार्थी कृषक अनुदान के अतिरिक्त अवशेष धनराशि स्वयं के स्रोत से अथवा ऋण प्राप्त कर वहन करने हेतु सक्षम व सहमत हो
- एक लाभार्थी कृषक/संस्था को उसी भू-भाग पर दूसरी बार 07 वर्ष के पश्चात ही योजना का लाभ अनुमन्य होगा

उपलब्धियाँ एवं प्रस्तावित कार्यक्रम

माइक्रो इरीगेशन के अन्तर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति को ग्राह्य बनाये जाने हेतु जनपद

स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय क्रियान्वयन समिति (डी.एल.आई.सी.), प्रदेश स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में अन्तर्विभागीय कार्यकारी दल (आई.डी.डब्ल्यू.जी.) तथा मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्वीकृति समिति (एस.एल.एस.सी.) का गठन नोडल विभाग (कृषि विभाग) द्वारा किया गया है, जिसके अनुसार योजना का सतत् अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाता है।

राज्य में मधुमक्खी पालन की योजना

मधुमक्खी पालन या मौनपालन एक अत्यन्त लाभप्रद व्यवसाय है। मधुमक्खियाँ मधु के अलावा मोम, प्रोपोलिस, रायल जेली तथा डंक विष प्रदान करती हैं एवं सभी औद्यानिक फसलों में पर-परागण कर पैदावार बढ़ाने में सबसे अधिक भूमिका निभाती हैं। प्रदेश के कृषकों एवं बागवानों को मौनपालन व्यावसायिक रूप से अपनाने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में मौनपालन प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रदेश में निम्नांकित मौनपालन केन्द्र एवं उपकेन्द्र संचालित हैं :

(क) केन्द्र - 1. प्रयागराज, 2. सहारनपुर, 3. बस्ती, 4. मुरादाबाद।

(ख) उपकेन्द्र - 1. लखनऊ, 2. प्रयागराज, 3. गोरखपुर, 4. आगरा, 5. बरेली, 6. वाराणसी, 7. सुल्तानपुर, 8. गाजीपुर, 9. जौनपुर, 10. अयोध्या, 11. कानपुर नगर, 12. आजमगढ़।

राजकीय मौनपालन प्रशिक्षण केन्द्रों पर वर्ष में एक दीर्घकालीन प्रशिक्षण सत्र तीन माह का (16 सितम्बर से 15 दिसम्बर तक) तथा तीन अल्पकालीन डेढ़-डेढ़ माह के (16 दिसम्बर से 31 जनवरी तक, 1 फरवरी से 15 मार्च तक, 2 अप्रैल से 16 मई तक) प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त मौनपालन केन्द्रों/उपकेन्द्रों पर 6 दिवसीय आकस्मिक ज्ञानार्जन शिविरों का आयोजन करके मौनपालन का प्रशिक्षण दिया जाता है।

राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना

राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्रों के द्वारा कैटरिंग संस्थानों में समुचित प्रशिक्षण प्राप्त कार्मिकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को खाद्य विज्ञान सम्बंधी विधाओं में प्रशिक्षण देकर दक्ष मानव संसाधन की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। प्रदेश में होटल उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा शिक्षित बेरोजगारों को खाद्य पदार्थों के विभिन्न प्रसंस्करण विधाओं में प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार स्थापित करने के लिए प्रदेश के 10 महानगरों वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, झाँसी, गोरखपुर, कानपुर नगर, अयोध्या, आगरा, बरेली तथा मुरादाबाद में एक-एक राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित हैं। इन राजकीय खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्रों पर खाद्य प्रसंस्करण, बेकरी एवं कन्फेक्शनरी तथा पाककला पाठ्यक्रम में एक वर्षीय रोजगारपरक ट्रेड डिप्लोमा एवं एक मासीय अल्पकालीन बेकरी एवं कन्फेक्शनरी, पाक कला के सम्मिलित पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

फूड एक्सपो, मेले, प्रदर्शनी आदि का आयोजन करने सम्बन्धी योजना

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में एवं प्रदेश के बाहर एग्री एक्सपो, फूड एक्सपो, फूड एण्ड टेक्नोलॉजी एक्सपो, विभिन्न मेले एवं प्रदर्शनियों में खाद्य प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग से सम्बन्धित आयोजनों

में सहभागिता तथा इनमें उत्तर प्रदेश के उत्पादों को प्रदर्शित करने तथा प्रदेश के प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों को प्रचारित करने का प्रस्ताव है। वर्ष 2019-20 में योजनान्तर्गत रु. 36.00 लाख का प्रावधान है।

खाद्य प्रसंस्करण शाखा में संचालित योजनाएं

खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिता विकास प्रशिक्षण की योजना

खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उद्यमिता विकास की असीम सम्भावनाएं हैं। अतः इस क्षेत्र में बेरोजगार नवयुवक-युवतियों को खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने हेतु प्रेरित करना प्राथमिकता का क्षेत्र है ताकि उन्हें आय का स्रोत सुलभ हो सके।

राजकीय सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्रों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण की योजना

इस योजनान्तर्गत प्रति वर्ष राजकीय फल संरक्षण केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण किया जाता है। योजनान्तर्गत 10 केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण (मेरठ, आगरा, बरेली, झाँसी, वाराणसी, मिर्जापुर, गोरखपुर, अयोध्या, गोण्डा व लखनऊ आदि) किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु धनराशि रु. 105.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

ढाबा/फास्ट फूड/रेस्टोरेन्ट प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार सृजन की योजना

पोषणयुक्त विभिन्न व्यंजनों की व्यवहारिक एवं प्रशिक्षण जानकारी युवाओं एवं महिलाओं को उपलब्ध कराना नितान्त आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में केन्द्रों हेतु रु. 30.00 लाख की धनराशि आवंटित है। जिसमें 60 कार्यक्रम संचालित कर 1800 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया जाना है, जिसे शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।

उ.प्र. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017

कृषकों को उनकी आय का उचित एवं लाभकारी मूल्य दिलाना, कच्चे उत्पाद का मूल्य संवर्धन, प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने, उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्द्धात्मक मूल्य पर प्रसंस्कृत उत्पाद सुलभ कराना, रोजगार के नये अवसर सृजित कराना, उपलब्ध मानव शक्ति की क्षमता एवं कौशल में वृद्धि करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 शासनादेश संख्या-33/2017/1105/58-2-2017-600(7)/2017 दिनांक 27.10.2017 द्वारा घोषित की गयी है। योजनान्तर्गत निम्न विवरण के अनुसार सुविधायें/रियायतें अनुमन्य हैं :

- खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्लाण्ट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य का 25 प्रतिशत अधिकतम रु. 50.00 लाख का पूँजीगत अनुदान।
- प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजनान्तर्गत प्रदेश के स्वीकृत मेगा फूड पार्क हेतु पात्र परियोजना लागत का 10 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा अनुमन्य अनुदान धनराशि के अतिरिक्त पूँजीगत अनुदान।
- प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजनान्तर्गत प्रदेश के फल एवं शाक-भाजी आधारित प्रसंस्करण इकाइयों की स्वीकृत परियोजना प्रस्तावों हेतु प्लाण्ट मशीनरी एवं तकनीकी सिविल कार्य का 10 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा अनुमन्य अनुदान धनराशि के अतिरिक्त पूँजीगत अनुदान।
- सूक्ष्म एवं लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्लाण्ट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य तथा स्पेयर्स पार्ट्स हेतु बैंक से लिये गये ऋण के ब्याज दर की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति अधिकतम 05 वर्षों तक।

- अन्य मध्यम एवं वृहद इकाइयों को प्लाण्ट मशीनरी, तकनीकी सिविल कार्य एवं स्पेयर्स पार्ट्स हेतु लिए गये ऋण के ब्याज की दर का 07 प्रतिशत अधिकतम रु. 50 लाख प्रतिवर्ष 05 वर्षों के लिए प्रतिपूर्ति।
- रीफर वाहन के क्रय हेतु लिये गये ऋण की ब्याज दर पर 07 प्रतिशत अधिकतम रु. 50 लाख की प्रतिपूर्ति।
- खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में जागरूकता, उद्यमिता के विकास हेतु न्याय पंचायत स्तर तक प्रशिक्षण कार्यकमों का संचालन एवं इच्छुक अभ्यर्थी को उद्यमिता विकास प्रशिक्षण देकर इकाई स्थापना हेतु परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 01 लाख का अनुदान।
- गुणवत्ता सुधार एवं मानकीकरण यथा- आई0एस0ओ0 14001, 22000 एच0ए0 सी0सी0पी0, सेनेटरी एवं फाइटो सेनेटरी प्रमाणीकरण हेतु शुल्क एवं टेस्टिंग चार्जेज का 50 प्रतिशत अधिकतम 1.50 लाख की प्रतिपूर्ति।
- पेटेण्ट/डिजाइन पंजीकरण हेतु किये गये व्यय का 75 प्रतिशत का अधिकतम 1.50 लाख की प्रतिपूर्ति।
- बाजार विकास हेतु सैम्पुल को विदेश भेजने के व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम 02 लाख की प्रतिपूर्ति।
- निर्यात प्रोत्साहन हेतु परिवहन व्यय का 25 प्रतिशत अधिकतम 10 लाख प्रतिवर्ष 03 वर्षों तक।
- निर्यात हेतु एफ.ओ.बी. मूल्य का 20 प्रतिशत अधिकतम 20 लाख प्रतिवर्ष 03 वर्षों तक।
- खाद्य प्रसंस्करण सम्बन्धी परियोजना प्रस्ताव तैयार करने में किये गये व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम 05 लाख।

राजकीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ

इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1949 में राजकीय फल संरक्षण एवं डिब्बा बंदी संस्थान के नाम से निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की गयी थी :

(1) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के तीव्र विकास हेतु पोस्ट हार्वेस्ट एवं प्रसंस्करण समस्याओं पर शोध करना

(2) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को पर्यवेक्षणीय एवं मध्यम प्रबंधन स्तर के प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराते हुए सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों हेतु अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना

(3) गृहणियों, फल एवं सब्जी उत्पादकों एवं अन्य को स्थानीय उत्पादों के उपयोग हेतु उन्हें लघु अवधि का प्रशिक्षण प्रदान करना

औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बस्ती

पूर्वांचल में बागवानी विकास के उद्देश्य से वर्ष 1956-57 में इस केन्द्र की स्थापना की गई। औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बस्ती पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक महत्त्वपूर्ण बागवानी प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 30.96 हेक्टेयर है जो यहां की जलवायु में उगाये जाने वाले आम, अमरूद, केला, लीची, आँवला, नींबू, बेर, कटहल, बेल, आड़ू, नाशपाती तथा लोकाट आदि

फलदार वृक्षों की लगभग 400 प्रजातियों से आच्छादित है। इसके अतिरिक्त शोभाकार पौधों एवं सब्जी तथा मसाला की फसलों के अन्तर्गत भी आच्छादित है। केन्द्र पर एक प्रयोगशाला, प्लान्ट हेल्थ क्लीनिक, बीजय विधायन संयंत्र, मशरूम स्पान प्रयोगशाला, केन्द्रीय पौधशाला तथा आदर्श पौधशाला भी स्थापित है। इसके अतिरिक्त इस केन्द्र के अधीन ही राजकीय संतति उद्यान, बंजरिया संचालित है एवं फल उत्कृष्टता केन्द बंजरिया, बस्ती वर्ष 2017-18 में स्थापित हुआ है, जिसके अन्तर्गत 20 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर आलू, शाकभाजी बीज तथा कलमी फल पौध उत्पादन का कार्य संचालित है। केन्द्र पर फसल एवं फसल विधि सुधार औद्यानिक फसलों के उत्पादन, पौधशाला प्रबन्धन, मौनपालन और मशरूम स्पान उत्पादन एवं पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक आदि पर वर्ष भर प्रशिक्षण दिये जाने की अवस्थापना सुविधा है।

औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र, मलिहाबाद (लखनऊ)

लखनऊ जनपद के विकासखण्ड माल, मलिहाबाद, काकोरी एवं बख्शी का तालाब आम फल हेतु चयनित हैं। फलों के क्षेत्र में नवीन शोध एवं फल पौध उत्पादन में नवीन तकनीकी को विकसित कर बागवानों को जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गयी।

इस केन्द्र के प्रमुख उद्देश्यों में क्षेत्रीय आम उत्पादकों की समस्याओं पर शोध प्रयोग कर निराकरण, औद्यानिक प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार के माध्यम से उद्यानपतियों को नवीन तकनीकी उपलब्ध कराना है तथा शुद्ध आनुवांशिक उच्च गुणवत्तायुक्त फल पौध उत्पादित कर कृषकों में वितरित करना आदि प्रमुख है। इस केन्द्र पर 72 से अधिक आम की प्रजातियों का जैविक संग्रह है। इनमें स्थानीय, चयनित एवं संकर प्रजातियां सम्मिलित हैं। केन्द्र पर आम, अमरूद, आंवला, लीची के पौधों का स्थानीय जलवायु में उपयुक्तता को दृष्टिगत रखते हुए कलमी पौधे तैयार कर बागवानों/कृषकों को उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

केन्द्र की प्रमुख उपलब्धियाँ

(1) आम में गुजिया कीट नियंत्रण हेतु पॉलीथीन बाइंडिंग सबसे अच्छी पाई गई, जिसका प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण व प्रचार-प्रसार किया गया है तथा आम फलपट्टी के अधिकांश उद्यानपतियों द्वारा इसे अपनाया जा रहा है। आम, अमरूद में आई.पी.एम. विधि का लाभ लिया जा रहा है।

(2) आम के घने एवं अलाभकारी उद्यान को लाभ में लाने हेतु प्रयोग चलाये गये, जिसमें पौधों की तने से चार मी0 की ऊँचाई से काटने व आवश्यक देखभाल से उद्यान पुनः दो साल बाद लाभ में आने लगे हैं।

(3) समय-समय पर उद्यानों का सर्वेक्षण कर मौके पर ही कृषकों को कीट/व्याधियों की पहचान कराकर उचित कीटनाशक रसायनों का समय से छिड़काव करने की सलाह दी जा रही है, जिससे कृषकों को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है।

(4) आम के फल को ईथरेल में पकाने की विधि का प्रशिक्षण एवं प्रचार-प्रसार किया गया, जिससे आम में कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग कम हुआ, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ईथरेल के प्रयोग से आम समान रूप से पके तथा अच्छा रंग, मिठास व स्वाद एवं भण्डारण क्षमता अधिक होने से बाजार में अच्छे मूल्य के कारण कृषकों को लाभ हो रहा है।

(5) लीची पौध प्रसारण में रूट ट्रेनर के प्रयोग से नर्सरी व फील्ड में पौध जीवितता अधिक पायी गयी।

(6) विगत वर्षों में प्रदेश एवं देश में आयोजित आम महोत्सव में भाग लेकर उच्चकोटि के आम प्रदर्शों को प्रदर्शित किया गया, जिसमें सराहनीय प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिह्न प्राप्त हुए।

(7) इस जनपद की आम फलपट्टी क्षेत्र की बलुई भूमि एवं पुराने उद्यान में गमोसिस तथा अन्य दैहिक व्याधियों से पौधे प्रभावित होते हैं, जिनमें कृषकों को 250 ग्राम कापर सल्फेट, 250 ग्राम जिंक सल्फेट एवं 250 ग्राम बोरेक्स तथा 275 ग्राम बुझा हुआ चूना डालने की सलाह उद्यानपतियों को दी गई, इन तत्वों के प्रयोग से कृषकों को लाभ हो रहा है।

(8) केन्द्र पर आम की प्रजातियों के अतिरिक्त आम की संकर किस्मों का भी संकलन है, जिसमें कई संकर प्रजातियां फलत में आ गयी हैं।

(9) आम में लगने वाले भुनगा कीट के नियंत्रण हेतु थायोमेथक्जाम- 0.005 प्रतिशत प्रभावी पाया गया, जिसके छिड़काव हेतु किसानों को सलाह दी गयी।

(10) आम में लगने वाले गुजिया कीट के नियंत्रण हेतु कार्बोसल्फान-0.05 प्रतिशत का फोलियर स्प्रे प्रभावी पाया गया। जिसकी किसानों को संस्तुति की गयी।

(11) आम में लगने वाले फल मक्खी के नियंत्रण हेतु फीरोमोन ट्रेप के प्रभाव का अध्ययन किया गया। परीक्षणों में पाया गया कि फल मक्खी की सक्रियता माह जुलाई में सबसे अधिक देखी गई।

(12) आम के बागों में गत वर्ष एक विशेष प्रकार के बहुभक्षीय कीट (हेलियोथिस/लीफ इटिंग कैटरपिलर) एवं थ्रिप्स कीट का अधिक प्रयोग देखा गया। लीफ इटिंग कैटरपिलर की रोकथाम हेतु क्वीनाल फास 2.0 मिली. अथवा प्रोपेनफास 1.0 मिली. तथा थ्रिप्स कीट के नियन्त्रण हेतु थायोमेथोक्जाम 0.2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से बागवानों को छिड़काव करने की सलाह दी गयी।

ग्राम समृद्धि योजना

भारत सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा विश्व बैंक से सहायतित इण्डिया फूड प्रोसेसिंग एवं वैल्यू एडिशन पाइलट प्रोग्राम जो वर्तमान में ''ग्राम समृद्धि योजना'' के रूप में संचालित होगी। इस हेतु उत्तर प्रदेश राज्य को पांच राज्यों के साथ-साथ कार्यक्रम संचालन के लिए चयनित किया गया है, जो पांच वर्ष की अवधि का होगा। इस योजना का उद्देश्य फूड प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज की स्थापना के लिए वातावरण तैयार करने के साथ-साथ फूड प्रोसेसिंग की छोटी-छोटी संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण तथा उनकी गुणवत्ता में सुधार के कार्यक्रम सम्मिलित हैं। योजनान्तर्गत अधिकतम 10 लाख के प्राप्त प्रस्तावों के सापेक्ष 50 प्रतिशत सामान्य लाभार्थी तथा 75 प्रतिशत महिला एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु बजट में 80 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 20 प्रतिशत राज्यांश के रूप में धनराशि रुपया 1000 लाख का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का संचालन वर्ष 2007-08 से विभाग में प्रारम्भ किया गया। योजना का मुख्य लक्ष्य कृषि एवं संवर्गीय क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित

करते हुए कृषि क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना है। योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों को पृथक-पृथक परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के समस्त जनपदों में क्रियान्वयन कराया जा रहा है।

बुन्देलखण्ड पैकेज

उ.प्र. शासन, नियोजन अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश सं0-25/2018/118 बी.पी./35-1/2008 दिनांक 20.09.2018 द्वारा बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन वित्तीय वर्ष 2018-19 में उद्यान विभाग से सम्बन्धित दो परियोजनाओं 1. माइक्रोइरीगेशन, 2. पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की रु. 6683.00 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रु. 2138.00 लाख की धनराशि निम्न विवरणानुसार प्रदान की गयी है :

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत	वर्ष 2018-19 हेतु विभागीय	अवमुक्त धनराशि
1.	माइक्रोइरीगेशन			
1.1	ड्रिप इरीगेशन सिस्टम	2375.00	430.00	430.00
1.2	स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम	3602.00	1550.00	1550.00
	उपयोग (1)	**5977.00**	**1980.00**	**1980.00**
2.	पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर			
2.1	राइपनिंग चैम्बर (22 चैम्बर, 50 मी.टन क्षमता प्रति)	385.00	88.00	88.00
2.2	प्याज भण्डार गृह (72 भंडार गृह, 25 मी.टन क्षमता प्रति)	63.00	14.00	14.00
2.3	आन फार्म पैक हाउस (81 संख्या)	162.00	36.00	36.00
2.4	छोटी प्रसंस्करण इकाई (96 संख्या)	96.00	20.00	20.00
	उपयोग (2)	**706.00**	**158.00**	**158.00**
	महायोग	**6683.00**	**2138.00**	**2138.00**

उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति-2014

प्रदेश में आलू की खेती के विकास, उत्पादन एवं विपणन को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से ''उ.प्र. आलू विकास नीति-2014, का प्रख्यापन उ.प्र. शासन द्वारा किया गया है।

आलू विकास नीति के उद्देश्य

1. आलू की खेती के लिए गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन कराना।
2. आलू के गुणवत्तायुक्त उत्पादन को प्रोत्साहित कराना।
3. आलू की खेती की आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देना।
4. प्रदेश में बीज एवं खाने के आलू का समुचित भण्डारण सुनिश्चित कराना।
5. बाजार विकास एवं प्रदेश से बाहर आलू के विपणन/निर्यात को प्रोत्साहित करना।
6. आलू आधारित प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना।
7. उत्पादन की वैज्ञानिक विधियों को कृषकों तक पहुँचाने के लिए तकनीकी हस्तान्तरण एवं दक्षता विकास।

आलू विकास नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों हेतु अनुदान/रियायतें दिये जाने का प्रावधान/व्यवस्था है

1. देश के अन्य प्रान्तों में आलू के विपणन को प्रोत्साहित करने हेतु एक दिवसीय आलू प्रदर्शनी एवं बॉयर-सेलर मीट के आयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा उ.प्र. राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ (हॉफेड) को प्रति कार्यक्रम रु. 3.00 लाख देय है।
2. आलू की ग्रेडिंग, पैकिंग हेतु फंक्शनल इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधा के सृजन हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अन्तर्गत इकाई लागत का 40 प्रतिशत अधिकतम रु. 6.00 लाख अनुदान देय है।
3. देश के बाहर ''ताज ब्राण्ड'' से आलू निर्यात किये जाने पर सभी निर्यातकों को परिवहन भाड़ा सहायता के रूप में रु. 200 प्रति कुन्टल का अनुदान मण्डी परिषद के माध्यम से देय है।
4. आलू के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु निर्यातकों को ''ताज ब्राण्ड'' से निर्यात की गयी मात्रा पर ब्राण्ड प्रोत्साहन हेतु रु. 50 प्रति कुन्टल की दर से मण्डी परिषद के माध्यम से अनुदान देय है।
5. क्वालिटी कन्ट्रोल एनालिसिस लैब की स्थापना हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रु. 200 लाख तथा निजी क्षेत्र में 50 प्रतिशत अधिकतम रु. 100 लाख अनुदान देय है।
6. उक्त के अतिरिक्त ''उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति-2014'' में निहित प्रावधानों के अनुसार अन्य अनुमन्य अनुदान/रियायतें नियमानुसार अनुमन्य हैं।

परती भूमि विकास

उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम का संक्षिप्त विवरण

अपघटित भूमि के स्थायी सुधार तथा अकृष्य भूमि यथा- ऊसर, बंजर एवं बीहड़ को कृषि योग्य बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा दिनांक 31 मार्च, 1978 को ''उ.प्र. भूमि सुधार निगम'' की स्थापना की गयी थी। प्रथमतया कृषि विभाग के पास उपलब्ध 03 ऊसर ग्रस्त प्रक्षेत्र (जहाँ कोई उत्पादन नहीं होता था) यथा– पीपरसन्ड, रसूलपुर तथा शिवरी में ऊसर भूमि का सुधार निगम द्वारा प्रारम्भ किया गया। इन प्रक्षेत्रों को सुधार कर बीज उत्पादन का कार्य निगम द्वारा किया जाता रहा है।

उक्त के अतिरिक्त निगम कृषि विभाग द्वारा संचालित ऊसर सुधार एवं अन्य परियोजनाओं के लिए जिप्सम व पायराइट (मृदा सुधारक) के आपूर्ति कराने का कार्य करता रहा है। वर्ष 1992-93 से प्रदेश में विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना प्रथम एवं द्वितीय व यूरोपिन इकनोमिक कम्युनिटी (ई.ई.सी.) सहायतित उत्तर प्रदेश अल्कलाइन लैण्ड रिक्लेमेशन एण्ड डेवलेपमेंट परियोजना की स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसके निष्पादन का दायित्व निगम को देने का निर्णय प्रदेश शासन द्वारा लिया गया। इसके फलस्वरूप निगम के कार्य क्षेत्र में वृद्धि हुई। इस प्रकार वर्ष 1992-93 से विभिन्न परियोजनाएं निगम द्वारा संचालित की जा चुकी हैं। उ.प्र. भूमि सुधार निगम द्वारा वर्तमान में विश्व बैंक पोषित उत्तर प्रदेश सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन तृतीय परियोजना संचालित की जा रही है।

निगम के 'मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन' के अनुसार इसके निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं :

भूमि सुधार, भूमि संरक्षण, भूमि की उपयोगिता बढ़ाने तथा जल स्रोतों को संरक्षित करने के उचित उपाय करना, जैसे :

1. ऊसर सुधार, बीहड़ एवं जल कटाव से प्रभावित भूमि सहित सभी प्रकार की भूमि का सुधार।
2. सतही एवं भूमिगत जल निकास।
3. भूमि क्षरण को रोकने तथा सुधार के उपाय।
4. बंजर एवं रेगिस्तानी भूमि पर वृक्षारोपण का नियोजन एवं देखभाल।
5. बाढ़ एवं सूखे से भूमि के बचाव के उपाय।
6. चरागाहों का सुधार एवं पशुओं द्वारा चराई को नियंत्रित करना।
7. समतलीकरण, लैण्ड शेपिंग तथा ग्रेडिंग।
8. जल प्रबन्ध, सिंचाई स्रोतों का संरक्षण, स्प्रिंकलर सेट एवं गेट पाइन का प्रयोग तथा वाटर हारवेस्टिंग के उपाय।

निगम का प्रशासनिक ढांचा

उ.प्र. भूमि सुधार निगम उ.प्र. सरकार का उपक्रम है जो कि कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कृषि उत्पादन आयुक्त हैं एवं प्रमुख सचिव (परती), प्रमुख सचिव (कृषि) के साथ-साथ प्रमुख सचिव (वित्त), प्रमुख सचिव (सार्वजनिक उद्यम), प्रमुख सचिव (सिंचाई), प्रमुख सचिव (नियोजन), प्रमुख सचिव/सचिव (वाह्य सहायतित परियोजना), प्रमुख सचिव (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी), उ.प्र. शासन अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधियों के अतिरिक्त महानिदेशक (उपकार), कृषि निदेशक तथा प्रबन्ध निदेशक सहित इसके कुल बारह सदस्य हैं।

निगम की वर्तमान गतिविधियाँ

उ.प्र. भूमि सुधार निगम द्वारा पूर्व में संचालित उ.प्र. सोडिक लैण्ड प्रथम परियोजना तथा उ0प्र0 सोडिक लैण्ड द्वितीय परियोजना की उपलब्धियों के दृष्टिगत् विश्व बैंक वित्त पोषण से उ.प्र. सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन तृतीय परियोजना प्रदेश के 32 जिलों (भदोही, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, शाहजहांपुर, उन्नाव, लखनऊ, प्रतापगढ़, प्रयागराज, फतेहपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, औरय्या, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, एटा, मैनपुरी, अलीगढ़, बुलन्दशहर, कासगंज, अम्बेडकर नगर, अमेठी, कौशाम्बी एवं फिरोजाबाद) में संचालित की जा रही है तथा 12 जनपदों में यथा- इटावा, औरय्या, फिरोजाबाद, बाराबंकी, प्रयागराज, कौशाम्बी, रायबरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर, फतेहपुर एवं कानपुर देहात में बीहड़ सुधार परियोजना कार्यान्वित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत 1.30 लाख हे. ऊसर भूमि का सुधार तथा 0.05 लाख हे. बीहड़ क्षेत्र के सुधार के साथ-साथ गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम सम्मिलित किया गया है। विस्तृत विवरण निम्नवत् है :

उ.प्र. सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन तृतीय परियोजना (संक्षिप्त परिचय)

परियोजना का लक्ष्य

ऊसर सुधार	- 1,30,000 हेक्टेयर
बीहड़ पायलट परियोजना	- 5000 हेक्टेयर (फतेहपुर एवं कानपुर देहात)

परियोजना का कार्यक्षेत्र

परियोजना के अन्तर्गत ऊसर सुधार के लिए रिमोट सेसिंग एप्लीकेशन सेन्टर चिह्नित ऊसर बाहुल्य वाले 32 जनपद यथा- आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, सन्त रविदास नगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, अमेठी, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, औरय्या, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, अलीगढ़, बुलन्दशहर, अयोध्या, वाराणसी एवं शाहजहांपुर, चयनित किये गये हैं।

परियोजना अवधि	**- 18 सितम्बर, 2009 से 29 दिसम्बर, 2018**
परियोजना की मूल लागत	**- 1332.81 करोड़**
विश्व बैंक अंश	**- 965.30 करोड़**

राज्यांश - 241.33 करोड़

लाभार्थी अंश - 126.18 करोड़

विश्व बैंक से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता की शर्तें-

विश्व बैंक से आर्थिक सहायता आई.डी.ए. (इन्टरनेशलन डेवलेपमेन्ट एसोसिएशन) क्रेडिट के रूप में प्राप्त होगी। आई.डी.ए. के अन्तर्गत प्रतिदान की शर्तें निम्नांकित हैं–

1. 10 वर्ष की अवधि तक कोई प्रतिदान नहीं।
2. 11 से 20 वर्ष तक प्रति छमाही 1.25 प्रतिशत।
3. 21 से 35 वर्ष तक प्रति छमाही 2.5 प्रतिशत।

परियोजना के कार्यान्वयन से प्राप्त होने वाले लाभ :

1. परियोजना के लाभार्थी

- परियोजना से अनुमानतः 2.40 लाख कृषक लाभान्वित होंगे, जिनमें 33 प्रतिशत अनु.जा. एवं अनुसूचित जनजाति के कृषक तथा 47 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग के कृषक सम्भावित हैं।

उत्पादकता में अनुमानित वृद्धि :

'सी' श्रेणी की ऊसर भूमि में उत्पादकता में वृद्धि :

- धान : लगभग शून्य से 35 कुन्तल प्रति हे. तक
- गेहूँ : लगभग शून्य से 30 कुन्तल प्रति हे. तक

योजना का लाभ प्राप्त किये जाने की पात्रता

1. कृषक परियोजनान्तर्गत आच्छादित जनपदों के चयनित ग्राम में रहता हो।
2. वह ऊसर भूमि का स्वामी/पट्टेदार हो।
3. वह बटाई पर खेती न करता हो।
4. वह समूह में कार्य करने को इच्छुक हो।

परियोजना के प्रमुख घटक

परियोजना को मुख्य रूप से पाँच घटकों में विभाजित किया गया है। घटकवार एवं विभागवार सम्पादित की जाने वाली प्रमुख गतिविधियां निम्नवत हैं-

क्र. सं.	प्रमुख घटक	सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/विभाग	प्रस्तावित प्रमुख कार्य
1.	प्रक्षेत्र विकास एवं भूमि का उपचार	उ.प्र. भूमि सुधार निगम	निगम द्वारा चयनित ग्रामों में लाभार्थियों के सहयोग से स्थल क्रियान्वयन समिति एवं जल उपयोग समूहों का गठन करना व प्रक्षेत्र विकास, बोरिंग विकास, ऊसर सुधार का कार्य व फसलोत्पादन सुनिश्चित करना है। इसके अन्तर्गत

			निगम द्वारा प्रस्तावित बीहड़ भूमि के उपचार हेतु पायलट परियोजना भी सम्मिलित है।
		रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर	कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन हेतु परियोजना ग्रामों के उपग्रही मानचित्र उपलब्ध कराये जायेंगे तथा मृदा सुधार, भूगर्भ जल एवं पर्यावरणीय प्रभावों का वैज्ञानिक पद्धति से अनुश्रवण किया गया है।
2.	जल निकास प्रणाली का सुधार	सिंचाई विभाग	कार्यदायी संस्था द्वारा जल निकास नालों का पुनरोद्धार एवं अनुरक्षण किया जा रहा है।
3.	कृषि सहयोगी सेवाएं	1. कृषि विभाग	कार्यदायी संस्था द्वारा फसल उत्पादन तकनीकी प्रदर्शन, एक्सपोजर विजिट एवं क्षमता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि प्रसार सेवाओं को परियोजना ग्रामों तक पहुँचाना सुनिश्चित करते हुये टिकाऊ कृषि के साथ-साथ खाद्यान्न एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की गयी है।
		2. पशुपालन विभाग	कार्यदायी संस्था द्वारा परियोजना ग्रामों में पशु प्रबन्धन के अन्तर्गत चारा विकास, पशु प्रजनन के अन्तर्गत नैसर्गिक/कृत्रिम गर्भाधान तथा अवर्णित गो-वंशीय नर पशुओं का बधियाकरण द्वारा क्षेत्र में दुग्ध विकास, पशु चिकित्सा कैम्प के माध्यम से टीकाकरण, कृमिनाशक दवापान, गर्भ परीक्षण, अनुपयोगी/प्रजनन रोगों से ग्रसित दुधारू पशुओं की समुचित चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित करना, पशुपालक प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर विजिट द्वारा पशुपालकों को नवीन तकनीकी ज्ञान को इसके अतिरिक्त परियोजना ग्रामों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं भूमिहीन कृषक मजदूरों को बकरी पालन, सूकर पालन की विधाओं से प्रशिक्षित कर सहायता प्रदान की गयी।
4.	बाजार व्यवस्था हेतु	उ.प्र. भूमि सुधार निगम	इस घटक के अन्तर्गत परियोजना क्षेत्र के कृषकों एवं महिलाओं द्वारा अपनाई जा रही

	संस्थागत सुदृढ़ीकरण एवं क्षमता विकास		आर्थिक गतिविधियों के विस्तार हेतु उन्हें विभिन्न समूहों के माध्यम से संगठित करते हुए महिला स्वयं सहायता समूह एवं उत्पादक समूहों का गठन किया जाता है तथा इन समूहों का फेडरेशन भी तैयार कराया जाता है। विभिन्न समूहों के सदस्यों में संस्थागत प्रबन्धन क्षमता एवं सामूहिक क्रय-विक्रय की क्षमता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर भ्रमण आयोजित कराए गए हैं।
		पंचायती राज विभाग	उक्त के अतिरिक्त किसानों को विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से सोडिक हाटों का विकास पंचायती राज विभाग के माध्यम से कराया गया है।
5.	परियोजना प्रबन्धन	उ.प्र. भूमि सुधार निगम	निगम द्वारा उपरोक्त घटकों पर कार्यवाही सम्पादित कराने हेतु प्रबन्धकीय व्यवस्था करना, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, स्वयं सेवी संस्थाओं का चयन एवं सहभागी प्रबन्धन का कार्य एवं परियोजना के कार्यालयों का प्रबंधन एवं परियोजना क्षेत्र में विशेष अध्ययन कराने का कार्य किया गया है।

ग्रामीण अभियंत्रण

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग का सृजन शासन के ग्राम्य विकास के अन्तर्गत वर्ष 1972 में प्रदेश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को सम्पादित कराये जाने के उद्देश्य से किया गया है। ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग का कोई अपना विभागीय आयोजनागत बजट नहीं है। ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग विभिन्न विभागों से निक्षेप के रूप में धनराशि से निर्माण कार्यों का सम्पादन कराता है।

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा निर्माण कार्यों में गुणवत्ता नियन्त्रण हेतु मण्डल स्तर पर मण्डलीय टेस्टिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी है तथा निर्माण कार्यों के सामग्री परीक्षण किये जाने की व्यवस्था की गयी है, जिससे निश्चित रूप से विभागीय निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में वृद्धि होगी एवं अन्य निर्माण एजेन्सी भी उक्त प्रयोगशाला में निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जांच करा सकेगी।

विभाग में ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेन्ट लागू कर निविदा प्रक्रिया में वृहद प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। ई-टेण्डरिंग हेतु अधिक से अधिक ठेकेदारों को पंजीकृत कर निर्माण प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा रहा है, जिससे प्रतिस्पर्धात्मक दरें भी प्राप्त होंगी। ई-टेण्डरिंग हेतु विभागीय अधिकारियों को विभागीय संरचना के अनुसार मैपिंग करते हुए डिजिटल हस्ताक्षर बनवाकर रजिस्टर्ड कर दिया गया है।

विभाग में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुधार हेतु थर्ड पार्टी के रूप में प्रदेश स्थिति इन्जीनियरिंग कालेजों को आबद्ध किया गया है। इस उद्देश्य की पूति हेतु इन्जीनियरिंग कालेजों के विशेषज्ञों द्वारा निरीक्षण कराया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 शासन द्वारा अधिष्ठान सम्बन्धी मतदेय मद के अन्तर्गत कुल रु. 490.32 करोड़ का प्रावधान किया गया है जिसके सापेक्ष रु. 214.66 करोड़ का व्यय किया गया एवं भारित मद के अन्तर्गत धनराशि रु. 7.50 लाख के सापेक्ष शून्य व्यय किया गया।

1. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

यह योजना वर्ष 2001 में प्रारम्भ की गयी थी। प्रारम्भ के समय विभाग को कुल 14 जनपदों का कार्य सौंपा गया था। गुणवत्ता एवं प्रगति के तुलनात्मक अध्ययन उपरान्त शासन द्वारा ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के लिए आवंटित जनपदों की संख्या बढ़ाई गयी तथा वर्तमान में 33 जनपदों में यह कार्य ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा किया जा रहा है।

प्रारम्भ से लेकर अब तक इस योजना के अन्तर्गत 5278 मार्गों का निर्माण करते हुए कुल 20252 किमी0 मार्गों का निर्माण कार्य कराया गया तथा 4312 बसावटों को लाभान्वित किया गया।

इस वर्ष कुल 29 मार्ग लक्षित थे, जिसमें से 23 मार्गों का कार्य पूर्ण किया जा चुका है शेष 06 मार्गों में से 03 मार्ग जनवरी 2020 तक, 01 मार्ग मई 2020 तक एवं 02 मार्गों के एन.ओ.एल.

अभिकरण कार्यालय से निर्गत किये जा चुके हैं, जिनके अनुबन्ध गठन की कार्यवाही प्रगति में है। कुल निर्मित सड़कों में से 4202 सड़कें लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित की जा चुकी है।

पीरियॉडिक मेन्टीनेन्स (रिन्यूवल) के 146 मार्ग है जिसके सापेक्ष 64 मार्गों का कार्य पूर्ण है, शेष मार्ग प्रगति में है।

2. सामान्य योजना

वित्तीय वर्ष 2019-20 के विभिन्न योजनाओं के विभिन्न विभागों से यथा- कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, आयूष विभाग, चिकित्सा विभाग, खेलकूद विभाग, युवा कल्याण विभाग, पर्यटन विभाग, पूर्वांचल विकास निधि, बुन्देलखण्ड विकास निधि, सांसद निधि एवं विधायक निधि आदि कार्यों के डिपाजिट के रूप में माह नवम्बर, 2019 तक कुल उपलब्ध धनराशि रु. 751.91 करोड़ के सापेक्ष रु. 361.17 करोड़ व्यय करते हुए 1484 भवन, 3906 सम्पर्क मार्ग एवं 111 पुलियों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया एवं 2246 भवन, 2926 सम्पर्क मार्ग तथा 65 पुलियों का निर्माण कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है।

3. वर्ष 2019-20 (चयन वर्ष 2018-19) आँगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण

कुल लक्षित 1416 आँगनबाड़ी केन्द्रों में से 304 आँगनबाड़ी केन्द्र पूर्ण कराये जा चुके हैं। शेष 1112 केन्द्र विभिन्न स्तरों पर प्रगति में हैं। कुल स्वीकृति धनराशि रु. 106.64 करोड़ के विरूद्ध 40.47 करोड़ विभाग को प्राप्त हुआ है, जिसके सापेक्ष रु. 15.25 करोड़ व्यय किया जा चुका है।

4. माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत प्रत्येक विधान सभा में रु. 05.00 करोड़ तक के मार्गों का निर्माण कार्य

त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत इस विभाग द्वारा कुल 370 विधान सभाओं के अन्तर्गत कुल 4591 कार्यों के प्राक्कलन शासन को प्रेषित किये गये थे। जिसके सापेक्ष 09 मार्च 2019 (लोकसभा सामान्य निर्वाचन की घोषणा) तक कुल 329 विधानसभाओं में 4032 कार्यों की स्वीकृति प्राप्त हुई थी तथा जिन पर कुल रु. 1552.82 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

रु. 10.00 लाख की लागत के ऊपर सभी कार्यों की ई-निविदाएं आमंत्रित की गयी। लक्षित 4032 कार्यों में से माह नवम्बर, 2019 तक 3009 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 915 कार्य प्रगति में हैं तथा 108 कार्य निरस्त/विवादित है। प्रगति में चल रहे निर्माण कार्यों में सी0सी0 एवं इण्टरलॉकिंग के कार्यों को माह फरवरी, 2020 तक तथा लेपन वाले मार्गों को माह मार्च, 2020 तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है जो प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि इन सभी कार्यों का निरीक्षण प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारियों द्वारा गठित टास्कफोर्स के माध्यम से भी किया जा रहा है।

●

बेसिक शिक्षा

''सभी सुशिक्षित सभ्य बनें, जन-जन का कल्याण करें'' के सर्वमान्य सिद्धान्त के लिए शिक्षा, एक अत्यंत सशक्त एवं प्रभावकारी माध्यम है। शिक्षा ही मानव को सुसंस्कृत एवं सभ्य बनाकर एक प्रगतिशील आदर्श समाज का निर्माण करती है, जो संविधान के प्रति निष्ठा, धर्म-निरपेक्षता एवं लोकतंत्र के आदर्श मूल्यों की प्राप्ति में मार्गदर्शन कर सहायता करती है। बौद्धिक सम्पन्नता एवं राष्ट्रीय आत्म निर्भरता की आधारशिला शिक्षा ही है।

वर्ष 1972 तक शिक्षा निदेशक के अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च तथा प्रशिक्षण स्तर की शिक्षा संचालित थी। शिक्षा के बढ़ते कार्यों, विद्यालयों एवं नये-नये प्रयोगों के कुशल संचालन तथा कार्यक्रम को अधिक गतिशील एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1972 से शिक्षा निदेशालय के विभाजन का निर्णय शासन स्तर पर किया गया, जिसके अन्तर्गत शिक्षा निदेशक (बेसिक), शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) एवं उच्च शिक्षा निदेशक के पदों का सृजन कर इसे तीन खण्डों में विभाजित किया गया, किन्तु वर्ष 1975 में बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा का एकीकरण कर दिया गया, जबकि उच्च शिक्षा विभाग यथावत अलग चलता रहा। वर्ष 1985 में बेसिक शिक्षा को अधिक प्रभावी एवं गतिशील बनाने के लिए पृथक से बेसिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई।

प्राथमिक शिक्षा से संबंधित गैर सरकारी निजी विद्यालयों को मान्यता एवं सामान्य नियंत्रण के कार्य हेतु उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद का गठन 25-07-1972 को किया गया। ऐसे विद्यालयों की देख-रेख हेतु मण्डल स्तर पर मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) तथा जनपद स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा विकास खण्ड स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारियों की व्यवस्था रखी गई। परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन वितरण, सामान्य भविष्य निर्वाह निधि की धनराशि के रख-रखाव एवं सेवानिवृत्त लाभों के भुगतान हेतु बेसिक शिक्षा परिषद में लेखा संगठन की भी स्थापना वर्ष 1986 में की गई, जिसके अन्तर्गत जनपदों के वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा) तथा परिषद मुख्यालय पर वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा का अधिष्ठान स्थापित किया गया।

प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा

संविधान के अनुच्छेद-45 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत यह व्यवस्था बनाई गयी थी कि संविधान को अंगीकृत करके 10 वर्षों के अन्दर 6 से 14 वय वर्ग के सभी बालक/बालिकाओं के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी। वर्ष 1986 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी

थी तब से अब तक शिक्षा विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा को विशेष महत्त्व दिया गया है। प्रारम्भिक शिक्षा के लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रदेश के सभी जनपदों में 'सर्व शिक्षा अभियान' योजना संचालित है।

राज्य सरकार द्वारा 6 से 14 वय वर्ग के सभी बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक 300 आबादी और 1.00 किमी0 की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय की सुविधा तथा 03 किमी0 की दूरी एवं 800 आबादीं पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना का मानक निर्धारित करते हुए विद्यालयों की स्थापना की गई है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों तथा पिछड़े वर्गों के बालक/बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश दिलाने में विशेष बल दिया जाता है। कक्षा 1 से 8 तक के सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रतिवर्ष निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं 02 सेट यूनीफार्म उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त छात्र-छात्राओं को पका-पकाया पौष्टिक मध्यान्ह भोजन नियमित रूप से देने की व्यवस्था की गई है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्कूल बैग उपलब्ध कराने की योजना प्रारम्भ की गई, जिसे वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में भी संचालित किया गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भी उक्त योजना संचालित कराये जाने का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में कक्षा 1 से 8 तक में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को निःशुल्क 1 जोड़ी जूता एवं 2 जोड़ी मोजा तथा 1 स्वेटर उपलब्ध कराये जाने की नवीन योजना प्रारम्भ की गई, जिसे वित्तीय वर्ष 2018-19 में भी संचालित किया गया तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में संचालित कराये जाने का प्रस्ताव है।

छात्र नामांकन एवं अध्यापक-छात्र अनुपात

शैक्षिक सत्र 2018-19 में प्राप्त यू-डायस के कम्प्यूटरीकृत आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में परिषदीय, राजकीय, सहायता प्राप्त एवं गैर सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1-8 तक में छात्र-छात्राओं का कुल नामांकन लगभग 343 लाख है। इसमें से परिषदीय विद्यालयों में छात्र-छात्राओं का नामांकन 158 लाख है तथा अन्य समस्त विद्यालयों में छात्र नामांकन 185 लाख है।

विगत वर्षों के आंकड़ों के विश्लेषण में यह पाया गया कि परिषदीय विद्यालयों में छात्र नामांकन में लगभग 4 लाख की वृद्धि हुयी है। शैक्षिक सत्र 2013-14 में छात्र नामांकन 1.70 लाख था, शैक्षिक सत्र 2016-17 में छात्र नामांकन घटकर 1.52 लाख हो गया। शैक्षिक सत्र 2017-18 में 154 लाख हो गया। इस प्रकार परिषदीय विद्यालयों में छात्र नामांकन में विगत दो वर्षों में लगभग 6 लाख की वृद्धि हुई है। शैक्षिक सत्र 2019-20 में वर्तमान सरकार द्वारा 6-14 आयु वर्ग के समस्त बच्चों का विद्यालयों में नामांकन कराने का लक्ष्य रखा गया है और इस हेतु दिनांक 01-31 जुलाई, 2018 की अवधि में समस्त जनपदों में 'स्कूल चलो अभियान' एवं 'खूब पढ़ो-खूब बढ़ो' कार्यक्रम संचालित किया गया। 'स्कूल चलो अभियान' के अंतर्गत विभाग द्वारा जनपदों में चिन्हित समस्त आउट ऑफ स्कूल बच्चों का विद्यालयों में नामांकन कराने के वृहद प्रयास किये गये तथा नामांकन में आने वाली गिरावट को स्थिर किया गया।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में दिये गये प्रावधानों एवं मानकों के अनुसार विद्यालयों में अध्यापक-छात्र अनुपात स्थापित करने हेतु विगत चार वर्षों में लगभग

2.80 लाख अध्यापकों की भती की गयी है। बड़ी संख्या में अध्यापकों की भर्ती के फलस्वरूप प्रदेश स्तर पर औसत रूप से प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक-छात्र अनुपात 1:29 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में औसत अध्यापक-छात्र अनुपात 1:23 हो गया है। किन्तु विभिन्न जनपदों में अथवा एक ही जनपद के विभिन्न विद्यालयों में अध्यापक-छात्र अनुपात में विगत वर्षों में विषमता उत्पन्न हुई है।

निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक का वितरण

बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रतिवर्ष कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त छात्राओं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत दी जाती हैं। सामान्य वर्ग के बालकों को जो सर्व शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत आच्छादित नहीं हो पाते हैं, उन्हें निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें राज्य सरकार के बजट से दिये जाने का प्रावधान है।

निःशुल्क यूनीफार्म का वितरण

उक्त योजनान्तर्गत परिषदीय विद्यालयों के समस्त वर्ग की बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के समस्त बालकों तथा सामान्य वर्ग के बी.पी.एल. (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार के बालकों को निःशुल्क यूनीफार्म राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुदान से निःशुल्क यूनीफार्म उपलब्ध करायी जाती है।

विद्यालयी खेलकूद तथा स्काउट एवं बालचर कार्यक्रम

शैक्षिक संस्थाओं में शैक्षिक कार्यक्रमों के साथ-साथ शिक्षणेत्तर कार्य-कलापों को भी महत्त्व दिया जाता है। खेलकूद से ही स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। विद्यालयी खेलकूद कार्यक्रम में प्रतिस्पर्धा करने का बढ़ावा मिलता है। इससे अपने ज्ञान व खेल के स्तर के उन्नयन के प्रति उत्कण्ठा पैदा होती है। इस हेतु बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के लिए प्रतिवर्ष प्रतियोगिताएं आयोजन की व्यवस्था है।

स्कूल बैग

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कक्षा 1-8 तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्कूल बैग शत्-प्रतिशत् उपलब्ध करा दिये गये हैं और इसी क्रम में शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 1000.00 लाख का बजट प्रावधान है।

परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को निःशुल्क जूता-मोजा एवं स्वेटर उपलब्ध कराया जाना

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को निःशुल्क जूता एवं मोजा उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्र-छात्राओं हेतु रु. 30000.00 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसे जनपदों को आवंटित किया जा चुका है। वर्ष 2019-20 में उक्त मद में रु. 30000.00 लाख का बजट प्रावधान है।

अलाभित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को असहायतित विद्यालयों में प्रवेश दिलाये जाने की योजना

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकारी अधिनियम-2009 के अन्तर्गत गैर-सहायतित मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिलाये जाने के फलस्वरूप होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति प्रदेश सरकार द्वारा की जाती है। उक्त योजनान्तर्गत गैर सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया वर्ष 2013-14 में प्रारम्भ की गई। इस योजनान्तर्गत अपवंचित एवं गरीब परिवार के बच्चों को भी प्रतिष्ठित विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है। वर्ष 2013-14 में इस प्रक्रिया से मात्र 60 बच्चों का प्रवेश हुआ। वर्ष 2016-17 में कुल प्रवेशित बच्चों की संख्या 17136 थी तथा वर्ष 2017-18 में यह संख्या बढ़कर 27662 हो गयी। वर्ष 2018-19 में इस अधिनियम के अन्तर्गत 50,000 छात्रों के प्रवेश का लक्ष्य है।

उक्त योजना के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने वाले अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के छात्र-छात्राओं को वित्तीय वर्ष 2016-17 में पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तिकायें एवं 02 सेट यूनिफार्म क्रय किये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक छात्र-छात्रा को रु. 5000.00 (रुपये पांच हजार मात्र) की दर से वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गई। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए रु. 800.00 लाख का बजट प्रावधान है, जिसमें से रु. 400.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति शासन द्वारा जारी की गई, जिसे जनपदों को आवंटित किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रुपये 800.00 लाख का बजट प्रावधान है।

साथ ही साथ अलाभित समूह के कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की शिक्षा पर आने वाले व्यय (शुल्क प्रतिपूर्ति) का भी प्रावधान है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 400.00 लाख का बजट प्रावधान है, जिसमें से रु. 200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई, जिसे जनपदों को आवंटित किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रुपये 400.00 लाख का बजट प्रावधान है।

समग्र शिक्षा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 से समग्र शिक्षा लागू की गयी है, जिसमें पूर्व से संचालित सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं टीचर एजूकेशन सम्मिलित किया गया है।

केन्द्र-राज्य अंशदान का प्रतिशत

समग्र शिक्षा भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित योजना है एवं राज्य के सभी जनपदों में संचालित है। वित्तीय पोषण का स्वरूप- भारत सरकार का अंश 60 प्रतिशत एवं राज्य सरकार का अंश 40 प्रतिशत है।

निर्माण कार्य

- वर्ष 2018-19 में भारत सरकार द्वारा 22 प्राथमिक विद्यालयों का उच्चीकरण 100 से अधिक नामांकन वाले विद्यालयों में 4128 अतिरिक्त बालक-बालिका शौचालय, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 14262 इन्सिनरेटर्स के निर्माण एवं 667 विद्यालय भवनों की वृहद्

मरम्मत कार्य की स्वीकृति प्रदान की गयी है। धनराशि की उपलब्धता के आधार पर धनराशि जनपदों को भेजी जा चुकी है। जनपदों में निर्माण की कार्यवाही गतिमान है।

यूनिफार्म

- प्रदेश में संचालित परिषदीय एवं राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् सभी बालिकाओं (कस्तूरबा गांधी विद्यालय सहित), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बालकों एवं गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के बालकों को दो सेट निःशुल्क यूनीफार्म वितरित किये गये।

निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक

- प्रदेश में संचालित परिषदीय/राजकीय/स्थानीय निकाय/शासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं अनुदानित मदरसों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें वितरित की गयीं।

बालिका शिक्षा

कस्तूरबा गांधी विद्यालय- पिछड़े विकास खण्डों में अपवंचित एवं कमजोर वर्ग की बालिकाओं के लिए कक्षा 6-8 तक की निःशुल्क आवासीय शिक्षा हेतु समस्त 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय संचालित हैं, जिनमें कुल 72975 बालिकाएं आवासीय शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु वातावरण सृजन के कार्यक्रम संचालित किये गये हैं।

मीन मंच एवं पावर एंजिल की क्षमता वृद्धि- किशोर-किशोरियों को अभिव्यक्ति के अवसर देने व जीवन कौशल विकसित करने के लिए 45625 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मीना मंच गठित किये गये हैं तथा प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

समेकित शिक्षा

- 67 जनपदों मे गम्भीर रूप से श्रवण बाधित व दृष्टि बाधित दिव्यांग बच्चों की शिक्षा हेतु 08 माह के 78 आवासीय एक्सीलेरेटेड लर्निंग कैम्प्स संचालित किये गये हैं, जिनमें 4501 दिव्यांग बच्चे (2842 श्रवण बाधित व 1659 दृष्टि बाधित बच्चे) अध्ययनरत हैं, जिन्हें आवासीय शिक्षा दी जा रही है।
- 73 जनपदों मे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के चिकित्सीय परीक्षण हेतु 437 मेडिकल एसेसमेंट कैम्प्स का आयोजन किया जा चुका है, जिनमें 28692 बच्चों का मेडिकल एसेसमेंट किया गया और 15087 बच्चों को दिव्यांगता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये गये।
- दिव्यांग बच्चों को सहायक उपस्कर एवं उपकरण उपलब्ध कराने हेतु 72 जनपदों में एलिम्को, कानपुर के सहयोग से 244 मेजरमेंट व डिस्ट्रीब्यूशन कैम्पस का आयोजन किया जा चुका है, जिनमें 12370 दिव्यांग बच्चों को 16657 सहायक उपस्कर एवं उपकरण वितरित कराये गये।

सामुदायिक सहभागिता

स्कूल चलो अभियान- 6-14 वय वर्ग के समस्त बच्चों का शत्-प्रतिशत् नामांकन कराने हेतु 'स्कूल चलो अभियान' कार्यक्रम संचालित किया गया है, जिसके द्वारा परिषदीय विद्यालयों में बच्चों का

नामांकन बढ़ाने के साथ-साथ स्थानीय समुदाय को बच्चों की निरन्तर उपस्थिति हेतु जागरूक किया गया है। कार्यक्रम का शुभारम्भ मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया।

शारदा कार्यक्रम- आगामी शैक्षिक सत्र हेतु शासन द्वारा वृहत एवं व्यापक कार्यक्रम 'शारदा' क्रियान्वित करने हेतु विस्तृत निर्देश जनपदों को जारी किये गये हैं।

हाउस होल्ड सर्वे- शैक्षिक सत्र 2018-19 में दिनांक 11 से 25 अगस्त, 2018 की अवधि में शिक्षकों द्वारा 06-14 वर्ष के आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन करने हेतु 'हाउस होल्ड सर्वे' का कार्य किया गया। सर्वे में 06-14 आयु वर्ग के 33667 बच्चे चिन्हित हुए, जिसमें से 29850 बच्चों का नामांकन कराया जा चुका है। इन बच्चों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो मार्च 2019 में समाप्त होगा तथा तत्पश्चात् इन बच्चों को कक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा।

- **जनपहल रेडियो-** विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों को जागरूक करने एवं उनके कार्य एवं दायित्वों का जानकारी देने हेतु शैक्षिक सत्र 2018-19 में दिनांक 05 सितम्बर, 2018 से 18 मार्च, 2019 तक जनपहल रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा है। 52 एपिसोड का प्रसारण प्रत्येक सोमवार एवं बुधवार को समय 11:30 से 11:45 बजे तक निर्धारित है।
- ऑल इण्डिया रेडिया द्वारा जनपहल रेडियो कार्यक्रम का प्रसारण 14 केन्द्रों से किया जा रहा है।
- **विद्यालय प्रबंध समितियों का गठन-** शैक्षिक सत्र 2018-19 में समस्त 159789 विद्यालयों में नवीन विद्यालय प्रबन्ध समितियों का गठन दिनांक 01 सितम्बर से 30 सितम्बर, 2018 की अवधि में किया गया है। समिति के सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा सदस्यों का प्रशिक्षण विद्यालय स्तर पर माह फरवरी-मार्च, 2019 में आयोजित करने की कार्य योजना है।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु कार्यक्रम

रिमीडियल टीचिंग कार्यक्रम- रिमीडियल टीचिंग, कक्षा 6 (गणित) नेशनल एचीवमेन्ट सर्वे में कक्षा 8 की गणित विषय में न्यूनतम उपलब्धि के 25 जनपदों में गणित विषय के रिमीडियल प्रशिक्षण हेतु मॉड्यूल एवं कार्य पुस्तिकाएं विकसित की गईं, जिसमें से राज्य स्तर पर 75 शिक्षकों को एवं जनपद स्तर एवं विकास खण्ड स्तर पर पूर्व माध्यमिक के गणित के 9351 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

पुस्तकालय- छात्रों में पढ़ने की आदत विकसित करने हेतु प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पुस्तकालय क्रियाशील करने हेतु राज्य स्तर पर गठित समिति एवं भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के साथ सम्मिलित कक्षावार सुझावात्मक सूची के साथ धनराशि जनपदों को प्रेषित की गयी है। कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

खेल-कूद कार्यक्रम- छात्रों में शारीरिक विकास एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना के विकास हेतु समस्त परिषदीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु धनराशि एवं दिशा-निर्देश समस्त जनपदों को प्रेषित किए गए हैं।

राष्ट्रीय अविष्कार अभियान कार्यक्रम- बच्चों में जिज्ञासा एवं स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति को विकसित करने हेतु गत् तीन वर्षों से राष्ट्रीय अविष्कार अभियान कार्यक्रम प्रदेश में संचालित किया जा रहा है। इस वर्ष विकास खण्ड स्तर की प्रतियोगिताएं एवं विज्ञान प्रदर्शनी लगाए जाने हेतु दिशा-निर्देश जनपदों को भेजे जा चुके हैं। इसके साथ ही बच्चों को शैक्षिक भ्रमण राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर कराए जाने सम्बन्धी अनुमोदन प्रदान किए गए हैं, जिस पर क्रियान्वयन किया जा रहा है।

मध्याह्न भोजन योजना

मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28 नवम्बर, 2001 को दिये गये निर्देश के क्रम में प्रदेश में दिनांक 01 सितम्बर, 2004 से पका-पकाया भोजन प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराने की योजना आरम्भ कर दी गयी। योजना की सफलता को दृष्टिगत रखते हुए अक्टूबर, 2007 से इसे शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉकों में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी लागू किया गया एवं 01 अप्रैल, 2008 से समस्त ब्लॉकों मे विस्तारित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त राजकीय/स्थानीय निकाय, सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के कक्षा-8 तक के छात्रों को उपलब्ध कराया जा रहा है। मदरसों में भी योजना आच्छादित है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत संचालित विशेष श्रमिक विद्यालयों में भी योजना को वर्ष 2010-11 में लागू किया गया।

योजना के क्रियान्वयन से भिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश का गठन अक्टूबर, 2006 में निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया गया है :

1. प्रदेश के राजकीय, परिषदीय तथा राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों, ई.जी.एस. एवं ए.आई.ई. केन्द्रों तथा अनुदानित मदरसों में अध्ययनरत बच्चों को पौष्टिक पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराना।
2. पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर बच्चों में शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करना।
3. विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ाना।
4. प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों में विद्यालय में रुकने की प्रवृत्ति विकसित करना तथा ड्रॉप आउट रेट कम करना।
5. बच्चों में भाई-चारे की भावना विकसित करना तथा विभिन्न जातियों एवं धर्मों के मध्य के अन्तर को दूर करने हेतु उन्हें एक साथ बिठाकर भोजन कराना ताकि उनमें अच्छी समझ पैदा हो।

योजनान्तर्गत पके-पकाये भोजन की व्यवस्था

इस योजनान्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मध्यावकाश के समय छात्र-छात्राओं को स्वादिष्ट एवं रुचिकर भोजन प्रदान किया जाता है। योजनान्तर्गत प्रत्येक छात्र को सप्ताह में 04 दिन चावल के बने भोज्य पदार्थ तथा 02 दिन गेहूँ से बने भोज्य पदार्थ दिये जाने की व्यवस्था की गयी है।

- प्राथमिक विद्यालय स्तर पर प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रतिदिन 100 ग्राम खाद्यान्न एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रतिदिन 150 ग्राम खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।
- खाद्यान्न से भोजन पकाने के लिए परिवर्तन लागत की दर प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर हेतु (60 केन्द्रांश तथा 40 राज्यांश) क्रमशः रु. 4.35 व रु. 6.51 प्रति छात्र प्रतिदिन है, जिससे सब्जी, तेल मसाले एवं अन्य सामग्रियों की व्यवस्था की जाती है।

- प्राथमिक स्तर पर उपलब्ध कराये जा रहे भोजन में 450 कैलारी ऊर्जा एवं 12 ग्राम प्रोटीन तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 700 कैलारी ऊर्जा एवं 20 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध होनी चाहिए। परिवर्तित पोषण मानक के अनुसार मेनू में परिवर्तित कर वर्तमान में नया मेनू 02 दिसम्बर, 2015 से लागू किया गया है।
- मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत दिनांक 15 जुलाई, 2015 से छात्रों को अतिरिक्त पोषक तत्व उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत प्रदेश के योजना से आच्छादित समस्त विद्यालयों में सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को प्राथमिक स्तर पर 150 मिली0 एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक छात्र को 200 मिली0 दूध उपलब्ध कराया जाना प्रारम्भ किया गया है। दिनांक 02 दिसम्बर, 2015 से नवीन संशोधित मेनू लागू किया गया है।
- प्रदेश सरकार द्वारा स्वयं के संसाधनों से मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत छात्र/छात्राओं को भोजन परोसने में एकरूपता लाने, सम्मान के साथा भोजन ग्रहण करने तथा छात्रों की सुविधा के दृष्टिगत प्रति छात्र एक अच्छी गुणवत्ता की स्टेनलेस स्टील की खानों वाली थाली एवं एक स्टेनलेस स्टील का गिलास उपलब्ध कराया गया है।

खाद्यान्न की व्यवस्था

मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत भोजन बनाने का कार्य ग्राम पंचायतों/वार्ड समितियों एवं गैर सरकारी संस्थाओं की देख-रेख में किया जा रहा है। भोजन बनाने हेतु आवश्यक खाद्यान्न (गेहूँ/चावल), जो भारतीय खाद्य निगम के द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जाता है, उसे सरकारी सस्ते-गल्ले की दुकान से प्राप्त कर ग्राम पंचायत द्वारा अपनी देख-रेख में विद्यालय परिसर में बने किचेन शेड में भोजन तैयार कराया जाता है। भोजन बनाने हेतु लगने वाली अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था करने का दायित्व भी ग्राम पंचायत का ही है। इस हेतु परिवर्तन लागत भी उपलब्ध करायी जाती है। नगर क्षेत्रों में अधिकांश स्थानों पर भोजन बनाने का कार्य स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है।

योजना का आच्छादन

वर्तमान में प्रदेश के मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत लगभग 1.14 लाख प्राथमिक विद्यालय व 0.54 लाख उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत 1.76 करोड़ बच्चे आच्छादित हैं।

विद्यालयों की संख्या

	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
राजकीय	24	519
परिषदीय	1,13,282	45,687
सहायता प्राप्त	572	7,685
मदरसा	69	481
एस.टी.सी.	513	0
कुल	1,14,460	54,372
	1,68,832	

रसोइयों का मानदेय

योजनान्तर्गत कार्यरत रसोइयों को प्रतिमाह रु. 1,000.00 मानदेय दिये जाने की व्यवस्था की गयी है, जिसका केन्द्रांश रु. 600.00 है जबकि राज्यांश रु. 400.00 है। योजनान्तर्गत वर्तमान में जनपदों में कुल 3,95,092 रसोइये कार्यरत हैं ।

योजनान्तर्गत अनुश्रवण व्यवस्था

योजना के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु प्रदेश में त्रिस्तरीय व्यवस्था की गयी है। राज्य स्तर पर मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा तथा जिला एवं ब्लॉक स्तर पर पर क्रमशः जिलाधिकारी व उप-जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अधिकारियों की टास्क फोर्स गठित है। उक्त टास्क फोर्स द्वारा प्रत्येक माह निरीक्षण किये जाते हैं तथा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित आहूत मासिक टास्क फोर्स बैठक में योजना का पर्यवेक्षण किया जाता है।

उक्त के अतिरिक्त योजना के अनुश्रवण एवं सामुदायिक सहभागिता में वृद्धि हेतु प्रत्येक विद्यालय में 'माँ समूह' का गठन किया गया है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक विद्यालय में छह माताओं (जिनके बच्चे विद्यालय में अध्ययनरत हैं) के समूह का गठन किया गया है, जिनमें से रोस्टर के आधार पर एक माता द्वारा प्रत्येक विद्यालय दिवस में विद्यालय आकर मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता आदि का अनुश्रवण किया जाता है।

आई.वी.आर.एस. प्रणाली आधारित अनुश्रवण प्रणाली

मध्याह्न भोजन योजना के दैनिक आधार पर प्रभावी अनुश्रवण को सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2010-11 से आई.वी.आर.एस. आधारित दैनिक अनुश्रवण प्रणाली आरम्भ की गयी है, जिसके अन्तर्गत प्रतिदिन अध्यापकों को कम्प्यूटर जनित मोबाईल कॉल भेजकर अध्यापकों से उनके विद्यालयों में उस दिन भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों की सूचना प्राप्त की जाती है। इस प्रणाली के दैनिक अनुश्रवण से योजना के नियमित संचालन में सुधार परिलक्षित हुआ है, जिस हेतु इस प्रणाली को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं ।

अन्य बिन्दु

1. जनपद मथुरा में पूर्व से ही अक्षयपात्र संस्था द्वारा मशीनीकृत केन्द्रीयकृत किचेन के माध्यम से 1.78 लाख बच्चों को गरम पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।
2. जनपद लखनऊ में अक्षयपात्र संस्था द्वारा मशीनीकृत केन्द्रीयकृत किचेन के माध्यम से 1 लाख बच्चों को गरम पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।
3. राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या : 1843/79-6-2016, दिनांक 23.12.2016 के माध्यम से मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों को केन्द्रीयकृत किचेन पूर्णतः मशीनीकृत, साफ एवं स्वच्छ तरीके से निर्मित पौष्टिक गरम पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराने की दृष्टि से शासनादेश द्वारा जनपद वाराणसी, आगरा, कानपुर नगर, कन्नौज, अम्बेडकरनगर, गाजियाबाद, इटावा, प्रयागराज, रामपुर, बलिया एवं आजमगढ़ में प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संस्था अक्षयपात्र फाउण्डेशन के माध्यम से मध्याह्न भोजन वितरण कार्यक्रम एवं इन जनपदों में केन्द्रीयकृत किचेन की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. शासनादेश दिनांक 14.12.2018 द्वारा जनपद गोरखपुर में प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्था अक्षयपात्र फाउण्डेशन के केन्द्रीयकृत किचेन के माध्यम से मध्याह्न भोजन कार्यक्रम संचालित कराने का निर्णय लिया गया है।

साक्षर भारत कार्यक्रम

योजना का शुभारम्भ औपचारिक रूप से 8 सितम्बर, 2009 को 'अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस' के अवसर पर हुआ। योजना को भारत सरकार द्वारा 1 अक्टूबर, 2009 से देश में लागू किया गया है।

साक्षर भारत योजना के अन्तर्गत देश के उन 365 जनपदों का चयन किया गया है, जहाँ वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर महिला साक्षरता दर 50 प्रतिशत से कम है। उत्तर प्रदेश में उपर्युक्त आधार पर 70 जनपदों (औरैया, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर एवं हापुड़ को छोड़कर) का चयन किया गया है। योजनान्तर्गत मुख्यतः 15+ वय वर्ग के निरक्षरों को बेसिक साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य है।

उत्तर प्रदेश में उपर्युक्त वय वर्ग में 182 लाख निरक्षरों को साक्षर किए जाने का लक्ष्य है, जिसमें 26 लाख पुरुष एवं 156 लाख महिलाएं सम्मिलित हैं ।

योजना का उद्देश्य

- 15+ वय वर्ग के निरक्षरों को बेसिक साक्षरता (कार्यात्मक साक्षरता) प्रदान करना।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक 'लोक शिक्षा केन्द्र' की स्थापना करना, जिसके माध्यम से कार्यक्रम की गतिविधियों का संचालन करना, सतत् शिक्षा केन्द्र की व्यवस्था कराना, विकास कार्यक्रमों की जानकारी देना एवं खेलकूद मनोरंजन की गतिविधियों का आयोजन करना।
- नवसाक्षरों को उनकी साक्षरता को बनाये रखने के लिए बेसिक सहायता के उपरान्त समतुल्यता कार्यक्रम के माध्यम से औपचारिक शिक्षा से जोड़ा जाना।
- नवसाक्षरों को व्यावसायिक साक्षरता में जन शिक्षण संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
- नवसाक्षरों को जीवन-पर्यंत शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लर्निंग सोसाइटी तैयार कर विभिन्न कार्यक्रमों के अवसर प्रदान करना।

लक्ष्य

- 80 प्रतिशत साक्षरता दर प्राप्त करना।
- जेण्डर गैप के वर्तमान अन्तर को 10 प्रतिशत तक लाना।
- सामाजिक, क्षेत्रीय, जेण्डर भेदभाव में कमी लाना।

भौतिक लक्ष्य

- 15+ आयु वर्ग के कुल का लगभग 40 प्रतिशत 182 लाख निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना, जिसमें लगभग 90 प्रतिशत (156 लाख) महिलाएं एवं 15 प्रतिशत (लगभग 26 लाख) पुरुषों को सम्मिलित किया गया है।

प्राथमिक समूह

ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय एवं अपवंचित समूह।

साक्षर भारत मिशन की प्रगति

राज्य स्तर- राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण का पुनर्गठन करते हुए मा. मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में साधारण सभा का एवं मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है।

जनपद स्तर- जनपद स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु लोक शिक्षा समिति का गठन किया गया है, जिसकी साधारण सभा मा. जिला अध्यक्ष, पंचायत की अध्यक्षता में तथा कार्यकारिणी समिति का गठन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया गया है।

ब्लॉक स्तर- ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रमुख की अध्यक्षता में ब्लॉक लोक शिक्षा समिति का गठन किया गया है, जिसमें खण्ड शिक्षा अधिकारी को समिति का सदस्य-सचिव बनाया गया है।

ग्राम पंचायत स्तर- ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत लोक शिक्षा समिति का गठन किया गया है, जिसका सदस्य सचिव, ग्राम पंचायत स्तर पर परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के वरिष्ठ प्रधानाध्यापक को सदस्य-सचिव बनाया गया है।

- भारत सरकार द्वारा योजना में वित्तीय प्रबन्धन हेतु फण्ड फ्लो मैनेजमेंट के अंतर्गत भारतीय स्टेट बैंक को नोडल बैंक बनाया गया है, जिसके माध्यम से राज्य से ग्राम पंचायत तक कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी समितियों के खातों में धनराशि दी जाएगी।
- कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी स्तरों पर समितियों का गठन करते हुए ग्राम पंचायतों में लोक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना का कार्य पूर्ण कर केन्द्रों का संचालन किया गया है।
- असाक्षरों को बेसिक साक्षरता प्रदान करने के उद्देश्य से 15+ वय वर्ग के असाक्षरों को सर्वेक्षण के माध्यम से चिन्हित करते हुए साक्षरता केन्द्रों का संचालन प्रारम्भ कर दिया गया है।
- योजनान्तर्गत प्रत्येक वर्ष में दो बार आयोजित साक्षरता परीक्षा में अभी तक 133.53 लाख लोग सम्मिलित हुए हैं, जिनमें 102.37 लाख प्रतिभागी सफल घोषित हुए हैं। इस प्रकार सफलता का प्रतिशत 76.33 प्रतिशत रहा है। इन सभी सफल प्रतिभागियों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, भारत सरकार द्वारा प्रमाण-पत्र दिये गये हैं।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, लखनऊ

भारत सरकार की शैक्षिक नीति के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश शासन द्वारा वर्ष-1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गयी है। परिषद की स्थापना का मूल उद्देश्य शैक्षिक शोध, सेवापूर्व एवं सेवारत् प्रशिक्षण की व्यवस्था, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम एवं पाठ्य-पुस्तकों का विकास तथा उनका संशोधन एवं पुनरीक्षण आदि है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित मूल्यों एवं मानवीय मूल्यों तथा प्रारम्भिक, माध्यमिक एवं शिक्षक-शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सम्वर्द्धन हेतु परिषद सतत् प्रयासरत है।

परिषद् के उद्देश्य और प्रमुख कार्य

- शिक्षा के गुणात्मक-उन्नयन की दृष्टि से क्रियात्मक अनुसंधान करना, अनुसंधानों का समन्वयन व क्रियान्वयन करना तथा उन्हें प्रोत्साहन देना।
- सेवा पूर्व/सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन तथा शिक्षक-प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को आवश्यक परामर्श एवं निर्देशन देना।
- नवीनतम शिक्षण विधियों तथा विशिष्ट कार्यक्रमों एवं उनके क्रियान्वयन से सम्बन्धित योजना को विद्यालयों तथा शैक्षिक आयोजकों तक पहुंचाना।
- शैक्षिक कार्यक्रमों के आयोजन हेतु राज्य के शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालयों, अन्य शैक्षिक संस्थाओं और कतिपय अभिकरणों से सहयोग प्रदान करना।
- विद्यालयी शिक्षा के स्तर को उन्नत बनाने की दृष्टि से राज्य प्रशासन तथा अन्य अभिकरणों को परामर्श देना।
- पाठ्यक्रम, पाठ्य-पुस्तकों, शिक्षक-संदर्शिका, प्रशिक्षण मॉड्यूल, शिक्षण-सामग्री तथा अन्य उपयोगी साहित्य का विकास, प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार करना।
- सरकार द्वारा संदर्भित अनुसंधान और प्रशिक्षण संबंधी अन्य कार्यक्रमों का आयोजन।

परिषद् की इकाइयां

- इंस्टीट्यूट ऑफ एडवान्स स्टडी इन एजूकेशन
- कॉलेज ऑफ टीचर एजूकेशन (सी.टी.ई.) वाराणसी, लखनऊ एवं प्रयागराज
- राज्य शिक्षा संस्थान, उ.प्र. प्रयागराज
- आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, उ.प्र. प्रयागराज
- राज्य हिन्दी संस्थान, उ.प्र. वाराणसी
- राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, उ.प्र. प्रयागराज
- मनोविज्ञान प्रयोगशाला, उ.प्र. प्रयागराज
- राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान, उ.प्र. लखनऊ
- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट)
- सेवा पूर्व प्रशिक्षण
- डी.एल.एड. (बी.टी.सी.) प्रशिक्षण-2018
- सी.टी. नर्सरी (प्रशिक्षण सर्टिफिकेट इन टीचिंग (नर्सरी)
- नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग (एन.टी.टी.)
- डिप्लोमा इन फिजिकल एजूकेशन (डी.पी.एड.)
- डिप्लोमा इन गाइडेन्स एण्ड साइकोलॉजी (डी.जी.पी.)
- डी.आई.ओ.एस. द्वारा संचालित डीएलएड प्रशिक्षण (ऑन लाइन)

माध्यमिक शिक्षा

''सभी सुशिक्षित सभ्य बनें, जन-जन का कल्याण करें'' के सर्वमान्य सिद्धान्तों के लिए शिक्षा, एक अत्यन्त सशक्त एवं प्रभावकारी माध्यम है। शिक्षा राष्ट्र के वर्तमान एवं भविष्य निर्माण का अनुपम साधन है। शिक्षा ही मानव को सुसंस्कृत एवं सभ्य बनाकर एक सुन्दर आदर्श समाज का निर्माण करती है, जो संविधान के प्रति निष्ठा, धर्म निरपेक्षता एवं लोकतंत्र के आदर्श मूल्यों की प्राप्ति में मार्गदर्शन कर सहायता करती है। बौद्धिक सम्पन्नता एवं राष्ट्रीय आत्म निर्भरता की आधारशिला शिक्षा ही है। व्यक्ति और समाज के बहुमुखी विकास के लिए शिक्षा की उपादेयता निर्विवाद है।

वर्ष 1972 तक शिक्षा निदेशक के अन्तर्गत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च तथा प्रशिक्षण स्तर की शिक्षा संचालित थी। शिक्षा के बढ़ते कार्यों, विद्यालयों एवं नये-नये प्रयोगों के कुशल संचालन कार्यक्रम को अधिक गतिशील एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1972 से शिक्षा निदेशालय के विभाजन का निर्णय शासन स्तर पर किया गया। जिसके अन्तर्गत बेसिक शिक्षा निदेशक एवं उच्च शिक्षा निदेशक के पदों का सृजन कर इसे तीन खण्डों में विभाजित किया गया, किन्तु 1975 में बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा का एकीकरण कर दिया गया, जबकि उच्च शिक्षा यथावत अलग चलती रही। वर्ष 1985 में बेसिक शिक्षा को अधिक प्रभावी एवं गतिशील बनाने के लए पृथक से बेसिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई। उक्त तीन निदेशालयों के अतिरिक्त प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थाओं को प्रभावी नियंत्रण एवं प्रशासन देने के उद्देश्य से वर्ष 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना की गई तथा इसके लिए भी अलग से एक निदेशक नियुक्त किए गए।

प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा तथा उर्दू एवं प्राच्य भाषा प्रशिक्षण एवं शोध कार्यक्रमों को अधिक गतिशील और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से अलग-अलग निदेशालय स्थापित किए गए हैं। इन पाँच निदेशालयों हेतु एक आय-व्ययक सम्मिलित रूप से बनता था। विभिन्न कार्यक्रमों की जनधारणा, नीति, स्वरूप एवं आकार तथा इसके नियोजन और कार्यान्वयन व आवश्यकताओं आदि को दृष्टिगत रखते हुए शासन ने यह निर्णय लिया कि वर्ष 1986-87 से प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण एवं शोध कार्यक्रमों का अलग-अलग आय-व्ययक तैयार हो। उर्दू का आय-व्ययक माध्यमिक शिक्षा में ही शामिल कर बनाया जाता है।

केन्द्र पुरोनिधानित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य 14 से 18 आयु वर्ग के सभी बालक-बालिकाओं, विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्र-छात्राओं को माध्यमिक स्तर पर गुणवत्तापरक एवं

व्ययभार-वहन योग्य शिक्षा उपलब्ध कराना है। इस हेतु शैक्षिक अवस्थापना सुविधाओं की व्यवस्था की जानी है। अभियान अवधि में माध्यमिक स्तर पर निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है:-

- उचित दूरी पर माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध कराया जाना, जो माध्यमिक विद्यालय के संदर्भ में 5 किमी0 तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हेतु 7 से 10 किमी0 है।
- वर्ष 2019-20 तक सकल छात्र नामांकन अनुपात 100 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य है।
- वर्ष 2020 तक सार्वभौमिक ठहराव।
- माध्यमिक शिक्षा की पहुँच, विशेषकर समाज के सभी वर्गों एवं क्षेत्रों के समस्त बालक-बालिकाओं एवं ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले विशेषकर विकलांग बच्चों तथा अपवंचित श्रेणी जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के लिए सुनिश्चित की जाएगी।

  उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान परिषद् का गठन कर निम्नांकित 5 केन्द्र पुरोनिधान्ति योजनाओं का संचालन किया जा रहा है:

  1. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान,
  2. सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सूचना एवं जनसूचना प्रौद्योगिकी योजना,
  3. राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के व्यवसायिक शिक्षा के विभिन्न ट्रेडो का संचालन,
  4. बालिका छात्रावास योजना,
  5. विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा योजना।

  इनके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण योजनायें संचालित की गई हैं:-

  1. सैनिक स्कूल की स्थापना,
  2. मण्डल/जिला स्तर पर शिक्षा कार्यालय तथा आवासीय भवनों का निर्माण,
  3. राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण, विस्तार, विद्युतीकरण तथा भूमि/भवन क्रय।

शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा से संबंधित कार्य सम्पादित किये जाते हैं। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा स्तर के कार्यालयों और माध्यमिक विद्यालयों को दिशा निर्देश एवं मार्ग-दर्शन देने के अतिरिक्त राज्य योजनाओं और जिला योजनाओं के अन्तर्गत नवीन योजनाओं का बजट प्रारूप तैयार किया जाता है। इन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर दिशा-निर्देश भी दिये जाते हैं। शिक्षा में गुणात्मक सुधार तथा उन्नयन हेतु गोष्ठियों और सम्मेलनों के आयोजन से संबंधित कार्य का सम्पादन किया जाता है।

माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना

अशासकीय मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकों तथा अध्यापकों की नियुक्ति/प्रोन्नतियों हेतु वर्ष 1982 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन किया गया। कालान्तर में आयोग को विघटित करते हुए क्षेत्रीय चयन बोर्डों की स्थापना प्रयागराज, वाराणसी तथा मेरठ में की गई। पुनः इन तीनों क्षेत्रीय चयन बोर्डों को समाप्त करते हुए अधिसूचना सं0- 1891/15-7-1 (72)98 दिनांक 22-4-98 द्वारा उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन किया गया। चयन बोर्ड वर्तमान में प्रयागराज में स्थापित है।

माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत कक्षा 6-8 व कक्षा 9-12 में विभिन्न योग्यता छात्रवृत्ति, छात्र/छात्राओं को प्रोत्साहन करने तथा अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई है। विद्यार्थियों की दयनीय आर्थिक स्थिति का ध्यान में रखते हुए सहायता देने हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई है जो निम्नवत् है-

(रु0 लाख में)

क्र0सं0	छात्रवृत्तियों का नाम	छात्रवृत्तियों की दर
1	2	3
03	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा बच्चों को शैक्षिक सुविधायें और छात्रवृत्तियां	कक्षा 6 से 8 में 40 रु0 प्रतिमाह की दर से प्रति वर्ष 10 माह तक कक्षा 9 से 10 में 60 रु. प्रति माह की दर से प्रति वर्ष 10 माह तक कक्षा 11 से 12 में 140 रु. प्रति माह की दर से प्रति वर्ष 10 माह तक।
04	माध्यमिक विद्यालय में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियां	पूर्व मध्यमा 50 रु. प्रति माह 11 माह के लिए उत्तर मध्यमा 60 रु. प्रति माह की दर से प्रति वर्ष 11 माह तक शास्त्री परीक्षा रु. 90 प्रति माह 11 माह के लिए। आचार्य 120 रु. प्रति माह 11 माह के लिए।
07	राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित संस्थाओं में योग्य छात्रों का छात्र वेतन	कक्षा 9 से 10 में 10 रु. प्रति माह की दर से 12 माह के लिए कक्षा 11 से 12 में 16 रु. प्रति माह की दर से 2 वर्ष के लिए।
08	देश के चुने हुए उ0मा0वि0 में पढ़ने वाले प्रतिभावान बालक/बालिकाओं को विशेष छात्रवृत्तियां देना	कक्षा 9 से 12 में 50 रु. प्रति माह 12 माह के लिए तथा 100 रु. प्रति माह 12 माह के लिए उन छात्रों को जो छात्रावास में रहते हैं। कक्षा 11 से 12 तक 75 रु. प्रति माह के लिए एवं छात्रावासियों के लिए 150 रु. प्रति माह।
09	माध्यमिक स्तर कक्षा 9 - 12 पर अतिरिक्त छात्रवृत्तियों की व्यवस्था	कक्षा 9 से 12 में 15 रु. प्रति माह की दर से प्रति वर्ष 10 माह तक।
11	ग्रामीण क्षेत्रों के माध्यमिक स्तर के कक्षा 9 -10 के प्रतिभावान छात्रों को राष्ट्रीय छात्रवृत्तियाँ	कक्षा 9 से 10 में 50 रु. प्रति माह की दर से प्रति वर्ष 10 माह तक।
13	हाईस्कूल एवं इण्टर छात्रवृत्तियों की दरों में वृद्धि	कक्षा 10 से 11 में 40 रु. प्रति माह की दर से प्रति वर्ष 24 माह तक।

14	माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाईस्कूल तथा इण्टर परीक्षा में उत्तीर्ण प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को विशेष शैक्षिक सुविधायें	हाईस्कूल तथा इण्टर परीक्षा में उत्तीर्ण प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को अगले 2 वर्ष तक मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में विशेष छात्रवृत्तिदी जाती है तथा पाठ्य पुस्तक में क्रमशः रु. 300/- तथा रु. 200/- प्रदान किया जाता है।
18	प्रदेश के मैदानी जिलों में कक्षा 6-8 में 15/- रु0 प्रति माह की दर से 3 वर्ष के लिए योग्यता छात्रवृत्ति	कक्षा 6 से 8 में 15 रु. प्रति माह की दर से 3 वर्ष के लिए।
19	राष्ट्रीय इण्डियन मिलेटरी कालेज देहरादून में अध्ययनरत उ0प्र0 छात्रों का छात्रवृत्ति	
20	पं0 दीनदयाल उपाध्याय विशेष छात्रवृत्ति योजना	म0 शि0 प्र0 उ0प्र0, प्रयागराज से हाईस्कूल परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले एक-एक छात्र-छात्रा को रुपये स्नातकोत्तर तक की शिक्षा हेतु प्रति माह रुपये 2,000=00 की दर से छात्रवृत्ति दिया जाना प्रस्तावित है।

पत्राचार शिक्षा संस्थान, उ०प्र०, प्रयागराज

मानव संस्कृति एवं सभ्यता के विकास के साथ ही शिक्षा का अभ्युदय हुआ है। सामाजिक चेतना, जन समूह की आवश्यकता, देश काल की विशिष्टता, परिस्थिति एवं युग धर्म ने शिक्षा व्यवस्था तथा प्रक्रिया को सदैव प्रभावित किया है। अस्तु सामाजिक न्याय एवं संवैधानिक दायित्व को पूर्ण करने के उद्देश्य से दूर शिक्षा पत्राचार शिक्षा-विधा का अभ्युदय एक स्वाभाविक प्रक्रिया है।

दूर शिक्षा-विधा में समाज के प्रत्येक स्तर के व्यक्ति को उसकी आवश्यकता एवं आकांक्षा के अनुसार स्तरीय शिक्षा प्रदान करने की व्यापक व्यवस्था है और अपनी इसी उदारता के कारण दूर शिक्षा, विद्यार्थी को उसके घर पर शिक्षा प्रदान करने में सफल सिद्ध हुयी है। शिक्षा का अवसर प्रत्येक व्यक्ति को उसकी सुविधा एवं आवश्यकता के अनुसार प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1980-81 में पत्राचार शिक्षा संस्थान, उ0प्र0, प्रयागराज की स्थापना की गयी।

पत्राचार शिक्षा सामान्य योजना (दो वर्षीय योजना)

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के रूप में सम्मिलित होने वाले अभ्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को उन्नत करने के उद्देश्य से वर्ष 1982-83 से यह योजना संचालित है। इण्टरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षा के लिए मानविकी, वैज्ञानिक एवं वाणिज्य वर्ग के परीक्षार्थियों के लिए संस्थान द्वारा 29 विषयों में पत्राचार शिक्षण की व्यवस्था की जाती थी, किन्तु शासनादेश संख्या-6699/15-7-2004-01(87)/2000 दिनांक 29 सितम्बर

2004 द्वारा खेल एवं शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय घोषित किये जाने के बाद अब कुल 30 विषयों में पत्राचार शिक्षण की व्यवस्था की गयी है।

एक वर्षीय पत्राचार शिक्षा योजना

शासन द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 के विनियमों के अध्याय 12 के विनियम के उपखण्ड-4 और 5 को विखण्डित कर उपखण्ड-37(2) जोड़ते हुए उन सभी व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिये जो कक्षा-11 या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हैं, को पत्राचार शिक्षा में पंजीकृत कर एक वर्षीय पत्राचार शिक्षा पाठ्यक्रम का अनुसरण करना अनिवार्य कर दिाय गया है।

110- गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों की सहायता

मद	वास्तविक व्यय वर्ष 2017-18	पुनरीक्षित अनुमान वर्ष 2018-19	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2019-20
राजस्व	629361.93	668311.66	777817.30

इस शीर्षक के अन्तर्गत गैर सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन, मंहगाई तथा क्षतिपूर्ति एवं अनुमन्यता आदि पर व्यय होने वाले मद के लिये अनुदान दिये जाते हैं। अनुदान का आवंटन साख-सीमा योजना के अन्तर्गत कोषाधिकारियों एवं आरिण एव वितरण अधिकारियों के पक्ष में किया जाता है। आहरण एवं वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि की सीमा तक की कोषागारों से अनुदान का आहरण कर सकते है। इसी शीर्षक के अन्तर्गत बालक तथा बालिका विद्यालयों को वेतन भत्ते आदि से संबंधित धनराशियों का प्रावधान किया जाता है।

शिक्षा निदेशालय स्तर पर खेल प्रकोष्ठ का गठन

शासनादेश संख्या- 1667/15-10-07-03-शा0शि0/2005 दिनांक 11 मार्च, 2008 द्वारा सहायक शिक्षा निदेशक (एन0एफ0सी0) के पद को परिवर्तित कर सहायक शिक्षा निदेशक (खेल) कर दिया गया है तथा शिविर कार्यालय में खेल प्रकोष्ठ का गठन कर दिया गया है।

05- राज्य विद्यालय क्रीड़ा संस्थान अयोध्या की स्थापना

इस योजना का उद्देश्य विद्यार्थियों में खेलकूद तथा पाठ्येत्तर कार्यक्रमों के प्रति अभिरुचि तथा मानसिक विकास के साथ-साथ चरित्र निर्माण में सहयोग, जीवन के प्रति सद्भावना तथा कर्तव्य निष्ठा की भावना जागृत करना है। इसके अन्तर्गत जनपद, मण्डल, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिताओं का संचालन किया जाता है।

प्रदेश स्तर पर चुने हुए प्रतिभावन छात्र/छात्रा खिलाड़ियों का नवीनतम तकनीक द्वारा खेलकूद का प्रशिक्षण बढ़ाने की दृष्टि से अयोध्या में राज्य विद्यालयी क्रीड़ा संस्थान, अयोध्या की स्थापना की गयी है।

03- केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय

इस पुस्तकालय की स्थापना वर्ष 1940 में हुई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह है कि पुस्तकालय में शिक्षा संबंधी पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं का अच्छा संकलन किया जाय। इसके

अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत प्रदेश में प्रकाशित पुस्तकों का संकलन भी इस पुस्तकालय में किया जाता है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस पुस्तकालय के नये भवनों का निर्माण कराया गया। वर्ष 2019-20 में वेतनादि मदों में रु. 325.11 लाख का प्रावधान किया गया है।

04- पुस्तकालय की नीति एवं पद्धति का विकास

सचिवालय स्तर पर शिक्षा विभाग के अन्तर्गत एक पुस्तकालय प्रकोष्ठ की स्थापना वर्ष 1980-81 में की गई है। इस प्रकोष्ठ का यह उत्तरदायित्व है कि वह प्रदेश के लिए आधुनिक पुस्तकालय पद्धति के विषय में आवश्यक परियोजनाएं बनायें और प्रशासनिक तथा तकनीकी कार्य करें। वर्ष 2019-20 में रु. 26.18 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

05- अमीरूद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी, लखनऊ

अमीरूद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी, लखनऊ के विकास एवं सुदृढीकरण हेतु शासन ने राजस्व पक्ष में वर्ष 2019-20 में रु. 87.09 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

06- सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान

सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान नामक इस योजना के अन्तर्गत पुस्तकालयों को पुस्तकीय सहायता तथा भवन निर्माण एवं फर्नीचर क्रय हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाती है। प्रतिवर्ष अधिक से अधिक सार्वजनिक पुस्तकालय इस परियोजना से लाभ उठाते हैं। वर्ष 2019-20 में रु. 10.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

07- सार्वजनिक पुस्तकालयों को बाल पुस्तकालयों के विकास हेतु अनुदान

वर्ष 1983-84 में एक नयी परियोजना के माध्यम से प्रदेश के सार्वजनिक पुस्तकालयों को बाल पुस्तकें उपलब्ध करायी जाती हैं ताकि बालक एवं बालिकाओं में स्वाध्याय में रुचि जागृत की जा सके। वर्ष 2019-20 में रु. 1.10 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

वर्तमान राजकीय जिला पुस्तकालयों का विकास तथा नये पुस्तकालयों की स्थापना

इस योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 में रु. 701.26 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

असेवित विकास खण्डों में निजी प्रबंधतंत्रों द्वारा कन्या माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना

वर्ष 1994-95 में प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं को माध्यमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक विकास खण्ड में बालिकाओं हेतु कम से कम एक हाईस्कूल स्तर का विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया।

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1998 तक निर्धारित मानक के पूर्ण करने पर कन्या माध्यमिक विद्यालय खोलने के लिये निजी प्रबन्ध तन्त्र को 5-5 लाख की दो समान किश्तों में 10 लाख अनावर्तक अनुदान दिये जाने की व्यवस्था थी।

सरकार द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर, 1998 से अनावर्तक अनुदान को बढ़ाकर 20.00 लाख कर दिया गया जिसके अन्तर्गत 10-10 लाख की दो समान किश्तों में धनराशि प्रदान करने का प्रावधान किया गया।

असेवित विकास खण्ड में निजी प्रबन्ध तन्त्र द्वारा कन्या माध्यमिक विद्यालय की स्थापना हेतु

अनावर्तक अनुदान योजना के अन्तर्गत 376 कन्या माध्यमिक विद्यालयों को आच्छादित किया गया है।

माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण, विस्तार, विद्युतीकरण तथा भूमि, भवन क्रय योजना

विद्यालय के भवन की शैक्षिक वातावरण तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि विद्यालय का भवन और उसके आस-पास का वातावरण शान्त और आनन्ददायक नहीं होगा तो पढ़ाने में चाहे जितने भी आधुनिक तरीके अपनाये जायें तो भी छात्रों में पढ़ाई के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं कर पायेंगे। वर्तमान में प्रदेश के समस्त जनपदों में अभी भी ऐसे राजकीय माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं जिसके पास या तो अपने निजी भवन नहीं हैं अथवा उनके भवन अपर्याप्त तथा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, जिनके निर्माण/पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। वर्ष 2016-17 में उक्त योजना हेतु 1200.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है, जिसके सापेक्ष शत्-प्रतिशत वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई थी। वर्ष 2017-18 में उक्त योजनान्तर्गत 1200.00 लाख बजट प्रावधान किया गया था तथा इसके सापेक्ष 1200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई थी। वर्ष 2018-19 में योजनान्तर्गत आय-व्ययक प्रावधान रु. 1200.00 लाख है जिसके सापेक्ष शत्-प्रतिशत स्वीकृतियाँ जारी की गयीं। वर्ष 2019-20 में 1200.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

समग्र शिक्षा अभियान

केन्द्र पुरोनिधानित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना को भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के रूप में सर्व शिक्षा अभियान के साथ एकीकृत कर दिया गया है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत संचालित समस्त योजनाओं को तद्नुसार समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार इस योजना को प्रदेश में लागू किया गया है। इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से माध्यमिक स्तर के छात्र-छात्राओं के लिए निर्धारित दूरी पर माध्यमिक स्तरीय शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना, माध्यमिक विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण, गुणवत्ता-विकास तथा सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन है। वर्ष 2009-10 से अद्यतन कुल 1486 राजकीय हाईस्कूल स्थापित कराये गये हैं। तद्नुसार इन विद्यालयों के संचालन हेतु प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकों के पद भी सृजित किये गये हैं।

शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों में माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत अपवंचित वर्ग की बालिकओं के लिए 191 बालिका छात्रावासों के निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई है जिनमें से 80 बालिका छात्रावास निर्मित हो चुके हैं तथा शेष का निर्माण कार्य प्रगति पर है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 21693.82 लाख का बजट प्रावधान है। वर्ष 2019-20 में उक्त योजनान्तर्गत 21693.82 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों के संचालन हेतु 200 राजकीय विद्यालयों में 04 ट्रेडों क्रमशः (रिटेल, आटोमोबाइल, सिक्योरिटी, आई0टी0) के पाठ्यक्रम की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हुई है। तद्नुसार पाठ्यक्रमों का संचालन चयनित विद्यालयों में चयनित संस्थाओं के माध्यम से कराया जा रहा है। योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में रु. 3000.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है, जिसके सापेक्ष रु. 383.28 लाख की स्वीकृति निर्गत की गई थी। वर्ष 2018-19 में

उक्त योजनान्तर्गत रु. 1500.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया था तथा इसके सापेक्ष रु. 266.85 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई थी। वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु भी रु. 1500.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

उर्दू निदेशालय

शासनादेश संख्या-2717/15-13-07(35)/201 दिनांक 15.11.2007 द्वारा निदेशक उर्दू एवं प्राच्य भाषाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ के पद को समाप्त कर दिये जाने के फलस्वरूप निदेशक, उर्दू एवं प्राच्य भाषाएं, उत्तर प्रदेश लखनऊ के पदनाम को बदलकर अब निदेशक, साक्षरता, वैकल्पिक शिक्षा, उर्दू एवं प्राच्य भाषाएं, उत्तर प्रदेश लखनऊ कर दिया गया है।

उर्दू भाषा की शिक्षा एवं उर्दू के विकास का कार्य

प्राथमिक स्तर

प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर अल्पसंख्यक के बच्चों को अपनी मातृभाषा के माध्यम से शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिक विद्यालयों में एक कक्षा में 5 से अधिक छात्र उपलब्ध होने पर उर्दू के एक अध्यापक की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू पढ़ाने के लिए अग्रिम छात्र पंजिका रखने तथा उसे भरे जाने हेतु पूर्व से ही स्थायी निर्देश हैं जिसके नये सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिलाने के समय उसको भाषा पढ़ाने विषयक विवरण अंकित कर सके। सम्प्रति अग्रिम छात्र पंजिका प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा परिषदीय, प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों तथा मान्यता प्राप्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा तथा जिस भाषा के माध्यम से छात्र पढ़ना चाहता है, के संबंध में सूचना देने का प्रावधान किया गया है। विद्यालयों में उर्दू पढ़ाने हेतु समय-सारिणी में पृथक से व्यवस्था की जाती है।

परिषदीय सीनियर बेसिक स्कूलों में कक्षा-6 से 8 तक त्रिभाषा सूत्र योजनान्तर्गत उर्दू भाषा को एक विषय के रूप में पढ़वाने की व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई है।

उर्दू शिक्षा संबंधी अन्य सुविधाएं

उर्दू प्रवीणता परीक्षा :

राजकीय, स्थापनीय निकायों एवं सार्वजनिक निगमों के कर्मचारियों को उर्दू सीखने हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रति वर्ष उर्दू की दो प्रवीणता परीक्षायें जूनियर हाईस्कूल स्तर तथा हाईस्कूल स्तर की रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षायें, उ0प्र0 प्रयागराज द्वारा संचालित होती हैं। इन परीक्षाओं में हाईस्कूल स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले कर्मचारियों को प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण कर्मचारियों को रुपये 700.00, द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण कर्मचारियों को रुपये 500.00 तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण कर्मचारियों को रुपये 400.00 तथा जूनियर हाईस्कूल स्तर की उर्दू की वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर, क्रमशः रु. 300, रु. 200 तथा रु. 100 का पुरस्कार दिये जाने का प्रावधान है।

2- उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र :

भारत सरकार द्वारा संचालित केन्द्रीय भाषा संस्थान मैसूर द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर गैर उर्दू जानकार जूनियर तथा माध्यमिक स्तरों के लिए विभिन्न विषयों के अध्यापकों के लिये उर्दू

तथा अन्य भारतीय भाषाओं में 10 माह का प्रशिक्षण आयोजित होता है। इस योजनान्तर्गत उर्दू शिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ में खोला गया है। यहाँ शिक्षण की अवधि में अध्यापकों को पूरा वेतन तथा रुपया 800/- मासिक छात्रवृत्ति तथा मार्ग व्यय दिया जाता है और प्रोत्साहन स्वरूप इन प्रशिक्षित अध्यापकों को उर्दू भाषा का शिक्षण करने पर 70/- प्रति माह का भुगतान भी केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है यदि वे अपने विद्यालयों में कम से कम 10 छात्रों को उर्दू पढ़ाते हैं।

उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा योजना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन के अनुसार उत्तर प्रदेश में केन्द्र पुरोनिधानित व्यावसायिक शिक्षा योजना वर्ष 1989-90 से प्लस दो स्तर पर (इण्टरमीडिएट) से प्रारम्भ की गयी थी। वर्तमान में उक्त योजनान्तर्गत 892 माध्यमिक विद्यालय आच्छादित हैं।

चयनित विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा 35 ट्रेडों में से प्रत्येक विद्यालय में दो या तीन उपयोगी ट्रेड स्वीकृत किये गये हैं।

व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को हिन्दी अनिवार्य के साथ-साथ वैकल्पिक विषय, सामान्य आधारित विषय तथा व्यावसायिक ट्रेडों में से एक ट्रेड लेना होता है।

ट्रेडों में अध्यापन कार्य अतिथि विषय विशेषज्ञों के माध्यम से कराये जाने की व्यवस्था है। अतिथि विषय विशेषज्ञों के मानदेय वृद्धि के सम्बन्ध में, शासनादेश संख्या-868/ पन्द्रह-10-2018-1 (137)/03 टी0सी0, दिनांक 05 जुलाई, 2018 द्वारा माध्यमिक शिक्षा के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अतिथि विशेषज्ञों के मानदेय की दरों में निम्नवत् वृद्धि करते हुए संशोधन किया गया हैः

(क) इण्टर स्तर पर कार्यरत व्यावसायिक शिक्षक/अतिथि विषय विशेषज्ञ।	रु. 500 प्रति व्याख्यान/अधिकतम रु. 15000/- प्रतिमाह।
(ख) हाईस्कूल स्तर पर कार्यरत व्यावसायिक शिक्षक/अतिथि विषय विशेषज्ञ।	रु. 400 प्रति व्याख्यान/अधिकतम रु. 12000/- प्रतिमाह।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अतिथि विषय विशेषज्ञों के मानदेय भुगतान हेतु रु. 2100.00 लाख का बजट प्रावधान है जिसमें सम्पूर्ण धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। उक्त धनराशि सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षकों को उपलब्ध करा दी गयी है। वर्ष 2019-20 में 3000.00 लाख का बजट का प्रावधान किया गया है।

●

उच्च शिक्षा

सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक विमर्शों पर मानवीय संवेदनाओं एवं मानवता को प्रबोधित कर व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का अवसर उपलब्ध कराने वाली उच्च शिक्षा, वैश्वीकरण से ओत-प्रोत वर्तमान तीव्र परिवर्तनशील परिवेश में नवीन अवसरों एवं चुनौतियों के ऐसे दौर से गुजर रही है, जिसमें एक ओर उच्च शिक्षा के प्रति बढ़ती जनचेतनाओं एवं आकांक्षाओं से वर्तमान संरचना पर बढ़ते दबाव का सामना करना है तो वहीं दूसरी ओर अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा एवं गुणवत्ता के विश्वव्यापी वातावरण में ज्ञान के सृजन के द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ एवं क्षमतायें अर्जित करने के अवसरों को प्राप्त करना भी आवश्यक हो गया है।

सर्वमान्य सत्य है कि ज्ञान-विज्ञान तथा वैश्वीकरण के इस दौर में एक शक्तिशाली एवं सर्वांग विकसित राष्ट्र के निर्माण में सर्वाधिक निर्णायक भूमिका शिक्षा जगत की ही है। उच्च शिक्षा की भूमिका मात्र बुद्धि विलास अथवा अक्षर ज्ञान नहीं है अपितु उच्च शिक्षा की अधोलिखित भूमिकायें स्वीकार की गयी हैं-

1. सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण, उदात्त मूल्यों वाले चारित्रिक गुणों का विकास तथा देश की बहुलतावादी संस्कृति का संवर्द्धन करना।
2. मानव संसाधन का विकास करना एवं वैज्ञानिक तरीके से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित व्यक्तियों को तैयार करना जो विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा में अपनी श्रेष्ठता प्रमाणित कर सकें।
3. अनुसंधान की सुविधाएं उत्पन्न कराना और अन्तरानुशासनिक अध्ययन को प्रोत्साहित करना।
4. समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धान्त पर शिक्षा प्रणाली को विकसित करना।
5. समरसता, धर्मनिरपेक्षता तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रमुखता देना।
6. लोकतांत्रिक संस्थाओं में दृढ़ आस्था रखने वाले जागरूक तथा राष्ट्र समर्पित पीढ़ी को तैयार करना।
7. विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थित उच्च शिक्षा के केन्द्रों एवं संस्थानों के नवीनतम् पाठ्यक्रमों तथा शोध परिणामों की प्राप्ति, उनका विश्लेषण, अनुप्रयोग तथा संवर्द्धन करना।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शासन द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि प्रदेश के उच्च शिक्षा की संस्थाओं को आधुनिकतम संसाधनों से परिपूर्ण उच्च कोटि की शिक्षण व्यवस्था उपलब्ध हो, साथ ही इस बात पर विशेष बल दिया जा रहा है कि छात्र/छात्राओं को व्यवसायपरक कौशल विकास शिक्षा प्रदान की जाये, जिससे प्रदेश का युवा वर्ग स्वावलम्बी बन सके। शिक्षित युवाओं के सरकारी सेवाओं पर निर्भरता में उत्तरोत्तर कमी और उनका देश की समृद्धि में योगदान सुनिश्चित करने के लिए रोजगारपरक पाठ्यक्रमों के विकास पर बल दिया जा रहा है। साथ ही निरोग रहने हेतु योग को एक विषय के रूप में शिक्षा प्रदान करने को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस समय शासन विशेष सक्रियता के साथ सुयोग्य

प्राध्यापकों की नियुक्ति, भवन निर्माण/विस्तार, ई-पुस्तकालयों की स्थापना, महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, सुसज्जित प्रयोगशाला तथा सूचना क्रान्ति की चुनौतियों से निपटने के लिए महाविद्यालयों के कम्प्यूटरीकरण, पुस्तकालयों में मुफ्त वाई-फाई की व्यवस्था, वर्चुवल क्लास रूम की स्थापना पर बल दे रहा है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आधारभूत सुविधाओं के विस्तार एवं नये महाविद्यालयों के भवन निर्माण पर विशेष बल दिया जा रहा है। प्राथमिकता के आधार पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी पूँजी निवेश एवं सहभागिता को प्रोत्साहित करते हुए असेवित क्षेत्रों में महाविद्यालयों की स्थापना पर भी बल दिया जा रहा है। गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा के विकास के लिए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहित करते हुए मानक निर्धारित किये गये हैं।

राजकीय पब्लिक लाइब्रेरी, प्रयागराज

ब्रिटिश शासन के दौरान सन् 1864 ई0 में इस पुस्तकालय की स्थापना तत्कालीन लेफ्टिनेन्ट गवर्नर की स्वीकृति से की गयी थी। वर्तमान पब्लिक लाइब्रेरी भवन जो कि गोथिक स्थापत्य शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, का निर्माण सन् 1864 ई0 में आरम्भ हुआ तथा सन् 1878 ई0 में यह भवन बनकर तैयार हुआ। इस भवन का वास्तविक नाम थार्नहिल मायने मेमोरियल है। उत्तर प्रदेश को उस दौरान 'नार्थ वेस्टर्न प्राविंसेज ऑफ अवध' के नाम से जाना जाता था तथा इसके विधान मण्डल ''लेजिस्टलेटिव काउन्सिल फॉर द नार्थ वेस्टर्न प्राविंसेज ऑफ अवध'' की प्रथम तथा अन्य 13 बैठकें इस पुस्तकालय भवन में सम्पन्न हुईं। पुस्तकालय के 100 वर्ष पूरे होने पर इसके शताब्दी समारोह में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने सम्बोधन में गंगा, जमुना एवं सरस्वती की त्रिवेणी के समान प्रयागराज उच्च न्यायालय, प्रयागराज विश्वविद्यालय एवं राजकीय लाइब्रेरी को आधुनिक त्रिवेणी की संज्ञा प्रदान की थी।

वर्तमान परिदृश्य

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1975 में पुस्तकालय का प्रान्तीयकरण करते हुए इसे उच्च शिक्षा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में शामिल किया गया। पुस्तकालय के व्यवस्थित संचालन हेतु महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा मण्डलायुक्त प्रयागराज मण्डल की अध्यक्षता में दस सदस्यीय पुस्तकालय प्रबन्ध समिति का गठन किया गया है। पुस्तकालय के व्यवस्थित संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभिन्न मानक मदों के अन्तर्गत धनराशि रु. 149.76 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। पुस्तकालय में विभिन्न श्रेणियों के कुल 26 पद सृजित हैं, जिसके सापेक्ष वर्तमान में 21 कर्मचारी कार्यरत हैं। पुस्तकालय में विभिन्न विषय क्षेत्रों एवं भाषाओं में लगभग 60 पत्रिकायें एवं 22 समाचार पत्र पाठकों के सुलभ संदर्भ हेतु उपलब्ध हैं। गत वर्ष लगभग 48 हजार पाठकों द्वारा 54160 पाठ्य सामग्रियों का उपयोग किया गया। पाठकों की मांग पर लगभग 2766 छायाप्रतियां उपलब्ध कराई गई हैं।

पुस्तक संग्रह

पुस्तकालय का पुस्तक संग्रह पुस्तकालय भवन की भांति अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यहाँ पर महत्त्वपूर्ण दुर्लभ पाठ्य सामग्री के साथ ही नवीन पुस्तकों का ऐसा विपुल भण्डार है, जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। पुस्तकालय के संग्रह में लगभग सभी विषय क्षेत्रों से सम्बन्धित हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, फ्रेन्च व अन्य भाषाओं में पुस्तकों की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। पुस्तकालय के संग्रह में विभिन्न विषयों पर लगभग 1.25 लाख पुस्तकें उपलब्ध हैं।

पुस्तकालय द्वारा अर्जित महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ

इन्टरनेट, सोशल मीडिया तथा अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम की चुनौतियों के बावजूद विगत वर्षों में इस पुस्तकालय की पाठक संख्या में प्रति वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा वर्तमान समय में यह उत्तर भारत के सर्वाधिक पाठक संख्या वाले पुस्तकालयों में से एक है।

प्रसिद्ध ऑनलाइन जर्नल ''द सिटीजन'' द्वारा जारी विवरण के अनुसार यह पुस्तकालय देश के दस सर्वाधिक सुन्दर पुस्तकालयों में शामिल हैं।

इण्डिया टुडे द्वारा जारी ऑनलाइन रिपोर्ट में इस पुस्तकालय को देश में छठवां स्थान प्राप्त है।

विश्वविद्यालय ऑनलाइन ज्ञानकोश विकीपीडिया द्वारा इस पुस्तकालय को महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है।

विश्व प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय सूचना डायरेक्टरी ''यूरोपा वर्ड ऑफ लर्निंग'' द्वारा भी इस पुस्तकालय को स्थान प्रदान किया गया है।

राष्ट्रीय सेवा योजना

प्रदेश में भारत सरकार के निर्देश पर राष्ट्रीय सेवा योजना वर्ष 1969-70 में प्रथम बार लागू की गयी। सर्वप्रथम यह योजना स्नातक स्तर के 2500 छात्र/छात्राओं पर लागू की गई जिसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार सामान्य कार्यक्रमों के लिए रु. 250/- प्रति छात्र और विशेष शिविरों के कार्यक्रमों के लिए रु. 450/- प्रति छात्र सात दिवसीय विशेष शिविर हेतु अनुदान दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय सेवा योजना के सफल संचालन के लिए सचिवालय स्तर पर एक कोष्ठक का पुनर्गठन किया गया है जिसका शत-प्रतिशत व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस हेतु वर्ष 2019-20 में रु. 88.37 लाख की व्यवस्था की गई है।

उच्च शिक्षा निदेशालय के दायित्व एवं कर्तव्य

1. प्रदेश के क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालयों तथा समस्त राजकीय महाविद्यालयों के प्रबन्धन, नियन्त्रण तथा उनके विकास कार्य का दायित्व।
2. प्रदेश के समस्त सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में शासकीय व्यवस्था के माध्यम से वेतन वितरण एवं उससे सम्बन्धित अन्य प्रशासनिक कार्य तथा समय-समय पर पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण।
3. सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के अध्यापकों की वर्तमान रिक्तियों तथा आने वाले शिक्षा सत्र के अन्तर्गत संभावित रिक्तियों की सूचना महाविद्यालय से प्राप्त करना तथा सूचित रिक्तियों की विषयवार समेकित सूची उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रयागराज को विज्ञापन एवं चयन हेतु प्रेषित करना।
4. उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित एवं संस्तुत अभ्यर्थियों को रिक्तियों की निर्दिष्ट सूची में से आसन-व्यवस्था हेतु प्रबन्धतन्त्र को नियुक्ति आदेश निर्गत करने हेतु नाम प्रेषित करना।
5. सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम एवं अन्तिम भुगतान की स्वीकृति।

6. सेवानिवृत्त होने पर पेंशन भुगतान आदेश निर्गत करना।
7. उच्च शिक्षा से सम्बन्धित न्यायालयीय वादों का निस्तारण कराना।
8. विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय रखते हुए उच्च शिक्षा के नियमों, परिनियमों एवं अधिनियमों तथा विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के दायित्व का निर्वहन।
9. शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों के अभिलेखों का मुख्यालय की ऑडिट इकाई द्वारा आन्तरिक सम्प्रेक्षण।
10. महाविद्यालयों में उद्घाटित प्रबन्धकीय एवं वित्तीय अनियमितताओं का निवारण।
11. प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में प्राधिकृत नियंत्रक/प्रशासक नियुक्त कराये जाने से सम्बन्धित कार्यवाही।
12. प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के तीन वर्ष से अधिक समय से रिक्त पदों को पुनर्जीवित करते हुये अनुज्ञा प्रदान करना तथा शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना।

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का उन्नयन एवं विकास

1. उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 1980 की धारा 31 (ड) में संशोधन सम्बन्धी विधेयक विधान मण्डल द्वारा पारित किया जा चुका है जिसके फलस्वरूप अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत शिक्षकों को आमेलित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। मानदेय प्रवक्ताओं के आमेलन हेतु साफ्टवेयर का निर्माण एवं आमेलन हेतु समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर ली गयी हैं। प्रक्रियान्तर्गत शीघ्र ही एन.आई.सी. द्वारा ऑनलाइन आमेलन पत्र निर्गत किये जायेंगे। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व 169 मानदेय शिक्षकों को आमेलित किया जा चुका है।
2. स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्राचार्यों की नियुक्ति हेतु यू.जी.सी द्वारा निर्धारित 15 वर्ष की अर्हकारी सेवा तथा 400 ए.पी.आई. अंकों की अनिवार्य अर्हताओं में छूट प्रदान करने हेतु परिनियमों में संशोधन कर प्रावधान किये गये जिससे स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के प्राचार्य के रिक्त पदों पर तैनाती किया जाना सम्भव होगा।
3. प्रदेश की 47 विधान सभा क्षेत्रों में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों के निर्माण के लिये भूमि का चयन एवं स्थापना हेतु निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।
4. प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों के प्रवक्ताओं एवं प्रवक्ता-पुस्तकालय को अनुमन्य मकान किराये भत्ते की दरों में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है।
5. पूर्व प्रधानमंत्री मा. अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्मृति पर डी.ए.वी कालेज कानपुर जहां उनके द्वारा शिक्षा ग्रहण की गयी, में सेण्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना की जा रही है।
6. राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों की स्थानान्तरण नीति का निर्धारण किया गया तथा ऑनलाइन स्थानान्तरण की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी। स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत सहायक प्रोफेसर के स्थानान्तरण उनके द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार किये गये हैं। समस्त स्थानान्तरित शिक्षकों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर संदेश भेजे गये तथा ऑनलाइन एकाउन्ट पर आदेश की प्रति उपलब्ध करायी गयी।

7. राज्य विश्वविद्यालयों में सत्र 2018-19 का शैक्षिक कैलेण्डर शासन स्तर से प्रथम बार निर्धारित कर दिया गया है, जिसके अनुसार 25 जून, 2019 तक समस्त परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए जायेंगे तथा 10 जुलाई से नया सत्र प्रारम्भ कर दिया गया है। सत्र निर्धारण किये जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में पठन-पाठन का कार्य नियमित रूप से होने लगेगा।

8. सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर को अन्तर्राष्ट्रीय बुद्धिस्ट सेंटर एवं सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन हिन्दुइज्म, बुद्धिज्म एण्ड जैनिज्म के रूप में विकसित किये जाने का निर्णय लिया गया है। विश्वविद्यालय में स्थापित किये जा रहे अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध केन्द्र में प्राच्य भाषा एवं विदेशी भाषा केन्द्रों की स्थापना की जाएगी। प्राच्य भाषा के अंतर्गत संस्कृत, पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश एवं विदेशी भाषाओं में नेपाली, तिब्बती, सिंहली, जापानी, थाई एवं कोरियाई भाषाओं एवं संस्कृति का अध्ययन कराया जाएगा। इस हेतु 21 शैक्षिक एवं 24 शिक्षणेत्तर पदों का सृजन किया गया है।

9. महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ के लोकोपयोगी मन्तव्यों एवं उपदेशों को एकत्रित करके योगानुकूल सिद्धांतों एवं प्रयोगों को जीवनोपयोगी कार्य तथा व्यवहार में परिवर्तित करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में महायोगी गुरु श्री गोरक्षनाथ शोधपीठ की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है।

10. पं. दीनदयाल उपाध्याय के व्यक्तित्व, कृतित्व एवं चिन्तन पर शोध कार्य हेतु प्रदेश के 15 राज्य विश्वविद्यालयों में पं. दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ की स्थापना की गयी है। इसके अतिरिक्त शोध कार्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में भाऊराव देवरस शोधपीठ तथा अभिनव गुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ शैव फिलोशिफी एवं एस्थेटिक्स की स्थापना की गयी है। लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय रोजगार अध्ययन पीठ एवं अटल सुशासन पीठ की स्थापना की कार्यवाही गतिमान है। वीर बहादुर सिंह पुर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर में प्रो. राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैया) इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल साइन्स ऑफ स्टडी एण्ड रिसर्च तथा रिसर्च सेण्टर फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एण्ड नैनो साइन्स एण्ड टेक्नोलॉजी की स्थापना की गयी है।

11. सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में मानदेय को बढ़ाकर असिस्टेन्ट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर के लिए क्रमशः रु. 25,000/-, 30,000/- एवं 35,000/- कर दिया गया है। सत्र 2018-19 में अशासकीय महाविद्यालयों में 709 सेवानिवृत्त प्राध्यापकों को शिक्षण हेतु मानदेय के आधार पर रखा गया है।

12. विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य शैक्षणिक सदस्यों की नियुक्ति के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमन 2010 को शासनादेश दिनांक 31.12.2010 द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों में लागू किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 13 जून, 2013, 04 मई, 2016 तथा 11 जुलाई, 2016 द्वारा विनियम 2010 में संशोधन किये गये थे, जिसे आदेश दिनांक 08 अप्रैल 2017 द्वारा समस्त राज्य विश्वविद्यालयों में लागू किया गया है। इस प्रकार शिक्षकों के पदोन्नति हेतु नये मानकों को लागू किया जा चुका है।

13. राज्य विश्वविद्यालयों में शोध कराये जाने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत पीएच.डी.

रेगुलेशन 2016 को समस्त राज्य विश्वविद्यालयों में लागू करने हेतु समस्त राज्य विश्वविद्यालयों की प्रथम परिनियमावलियों में संशोधन राज्य सरकार के स्तर से किये जाने हेतु शासनादेश निर्गत कर दिया गया है।

14. निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि का मानक नगरीय क्षेत्र हेतु 40 एकड़ तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु 100 एकड़ निर्धारित था जिसे सरकार द्वारा संशोधित कर क्रमशः नगरीय क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र में 20 एकड़ एवं 50 एकड़ कर दिया गया है। इस निर्णय से प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना अधिक संख्या में हो सकेगी तथा गुणवत्तापरक स्किल डेवलपमेण्ट युक्त शिक्षा प्राप्त हो सकेगी।

15. विश्वविद्यालयों, शासकीय महाविद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतन निर्धारण एवं अवशेष वेतन भत्तों के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

16. वर्तमान में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 26 मॉडल राजकीय महाविद्यालय एवं राज्य सेक्टर के अन्तर्गत 30 राजकीय महाविद्यालय निर्माणाधीन हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 84 राजकीय महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षाओं/संकाय हेतु अतिरिक्त शिक्षण कक्ष निर्माणाधीन हैं तथा राज्य सेक्टर के अन्तर्गत 08 राजकीय महाविद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षण कक्ष/संकाय निर्माणाधीन हैं।

17. प्रदेश के विश्वविद्यालय, शासकीय महाविद्यालयों, अशासकीय महाविद्यालयों को नैक मूल्यांकन हेतु प्रेरित किया जा रहा है तथा उन राजकीय महाविद्यालयों को आधारभूत सुविधाओं हेतु अनुदान दिए गए हैं जो निकट भविष्य में मूल्यांकन हेतु तत्पर हैं।

18. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग पर नियंत्रण करने, परीक्षाओं की शुचिता, पवित्रता एवं पारदर्शिता तथा शांति व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से परीक्षाओं के आयोजन हेतु परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के सम्बन्ध में शासनादेश निर्गत किया गया। परीक्षाओं में नकल एवं अनुपस्थिति का विवरण प्रतिदिन संकलित कर शासन को प्रेषित किया जा रहा है।

19. प्रदेश के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा दीक्षांत समारोह सम्पन्न करा दिये गये हैं।

20. विज्ञापन संख्या-47 में विज्ञापित 1150 प्रवक्ताओं के पदों की लिखित परीक्षा उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा 15 दिसम्बर, 2018, 05 जनवरी, 2019 एवं 12 जनवरी, 2019 को सम्पन्न करायी गयी।

21. प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की सम्बद्धता/मान्यता में पारदर्शिता लाये जाने हेतु एन.आई.सी. के माध्यम से एक साफ्टवेयर तैयार कराया गया है। उक्त के अतिरिक्त सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों हेतु चयनित प्रवक्ताओं की ऑनलाइन काउन्सिलिंग हेतु एन.आई.सी. के माध्यम से साफ्टवेयर तैयार किया गया है।

प्राविधिक शिक्षा

वर्तमान युग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का उत्कर्षकाल है। नित्य नई प्राविधियाँ विकसित हो रही हैं तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्पर्द्धा से श्रेष्ठता व गुणवत्ता के नवीन आयाम जन्म ले रहे हैं। विकास के ऐसे क्रान्तिक परिदृश्य में प्राविधिक शिक्षा के स्वरूप व स्तर की प्रासंगिकता का विशेष महत्त्व है। प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा सम्बन्धित विकास के लक्ष्यपरक संकल्प व प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा प्रणाली की क्षमता में सुधार, प्रसार तथा गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार की प्रतिबद्धता के साथ उच्च स्तर के तकनीशियन विकसित करके कार्य क्षेत्र की आकांक्षाओं के अनुरूप उनकी सुसंगत आपूर्ति करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश के आर्थिक एवं औद्योगिक विकास के लिये तकनीकी शिक्षा की मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति हेतु समय-समय पर इंजीनियरिंग कालेजों एवं डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं की स्थापना कर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों को तकनीकी जनशक्ति की आपूर्ति एवं क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने की दिशा में प्राविधिक शिक्षा विभाग निरन्तर कार्यशील रहा है। प्राविधिक शिक्षा विभाग प्रौद्योगिकी के आधुनिक विषयों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने एवं विकलांग छात्र/छात्राओं को प्राविधिक शिक्षा में सहभागी बनाने के लिये सतत् प्रयत्नशील है।

उत्तर प्रदेश में वर्तमान में प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन 16 स्नातक/स्नातकोत्तर स्तरीय संस्थायें तथा 793 डिप्लोमा स्तरीय संस्थाएं संचालित हैं। इनके अतिरिक्त 57 डिप्लोमा स्तरीय राजकीय संस्थायें अवस्थापना की स्थिति में हैं। प्राविधिक शिक्षा के गुणात्मक सुधार एवं त्वरित् विकास हेतु शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रमों की परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु प्राविधिक शिक्षा परिषद तथा छात्रों के प्रवेश हेतु सुयोग्य छात्रों के चयन हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद का गठन किया गया है।

डिग्री स्तर

डिग्री स्तर की संस्थाओं का प्रशासनिक नियंत्रण

प्राविधिक विश्वविद्यालय

पूर्ववर्ती महामाया प्राविधिक विश्वविद्यालय, गौतमबुद्ध नगर तथा गौतमबुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को मर्ज कर दिनांक 01.11.2013 को उ.प्र. प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ की स्थापना की गयी। वर्तमान में यह डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ.प्र. लखनऊ के नाम से जाना जाता है। इस विश्वविद्यालय का मुख्य कार्य प्रदेश में स्थापित ऐसे निजी एवं सरकारी संस्थान जो बी.टेक./बी.फार्मा./बी.आर्क./एम.बी.ए./एम.सी.ए./होटल मैनेजमेंट/एम.फार्मा. एवं एम.टेक. पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, को सम्बद्धता प्रदान करना, प्रवेश परीक्षा आयोजित करना, पाठ्यक्रम को निर्धारित करना तथा परीक्षा के उपरान्त अध्ययनरत छात्रों को डिग्री प्रदान करना है।

मदन मोहन मालवीय इंजीनिअरिंग कालेज, गोरखपुर को रूड़की विश्वविद्यालय की भांति मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय, गोरखपुर बनाया गया है जो दिनांक 01.12.2013 से क्रियाशील है।

हरकोर्ट बटलर टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट (एच.बी.टी.आई.), कानपुर को उपर्युक्त की भांति हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर बनाया गया है जो दिनांक 01.09.2016 से क्रियाशील है।

डिग्री स्तर की संस्थाओं का गठन

शासकीय सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग कालेजों की व्यवस्था तथा संचालन का दायित्व संस्था प्रमुख का होता है। उसकी सहायता के लिए रजिस्ट्रार तथा वित्त अधिकारी के पद सृजित हैं।

विश्व बैंक सहायतित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम-द्वितीय चरण (टेकिप-।।।)

भारत सरकार के विश्व बैंक सहायतित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम का तीसरा चरण (टेकिप-।।।) वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रारम्भ है। तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के द्वितीय चरण में मुख्यतः दो सब-कम्पोनेन्ट हैं- सब-कम्पोनेन्ट 1.1 तथा सब-कम्पोनेन्ट 1.2। टेकिप-।।। कार्यक्रम परास्नातक एवं अनुसंधान पर केन्द्रित है।

तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परियोजना चरण (टेकिप-।।।) वर्ष 2017 में प्रारम्भ हुआ। राज्य परियोजना कार्यान्वयन यूनिट (एसपीआईयू) के सभी मंत संस्थानों को फण्ड के आवंटन, उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए तीसरी तिमाही से प्रारम्भ हुआ। कोई भी संस्थान प्रत्यक्ष लाभार्थी नहीं हैं वे पहले पी.एफ.एम.एस. पर पंजीकरण करते हैं और पी.एफ.एम.एस. से सभी विक्रेताओं/लाभार्थियों को भुगतान करते हैं।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) योजना

यह योजना भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 65:35 प्रतिशत वित्त पोषित थी परन्तु वर्तमान में भारत सरकार द्वारा अनुदान का प्रतिशत परिवर्तित कर 60:40 प्रतिशत कर दिया गया है। योजना का उद्देश्य महाविद्यालय/तकनीकी संस्थानों में शिक्षा के स्तर/गुणवत्ता में वृद्धि कर पर्याप्त मात्रा में तकनीकी शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना करना है, जिससे युवाओं को गुणवत्तारक शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। विभाग के अंतर्गत डिग्री सेक्टर में संचालित योजनाओं हेतु अवमुक्त धनराशि का विवरण निम्नवत् हैः

(1) राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, बस्ती एवं गोण्डा के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत सरकार द्वारा प्रत्येक संस्थान हेतु स्वीकृत धनराशि रु. 2.11 करोड़ में राज्यांश सम्मिलित कर शासनादेश दिनांक 28.01.2016 द्वारा रु. 10.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी। तदुपरांत वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि रु. 9.58 करोड़ के सापेक्ष शासनादेश दिनांक 07.02.2018 द्वारा रु. 7.26 करोड़ एवं शासनादेश दिनांक 21.01.2018 द्वारा रु. 2.32 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी।

(2) हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर के सुदृढ़ीकरण/विकास हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि रु. 55.00 करोड़ के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि रु. 16.50 करोड़ में राज्यांश सम्मिलित कर शासनादेश दिनांक 03.01.2017 द्वारा रु. 6.50 करोड़, शासनादेश दिनांक 29.03.2018 द्वारा रु. 10.00 करोड़ एवं शासनादेश दिनांक 31.03.2018 द्वारा रु. 3.40 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।

(3) मदन मोहन मालवीय प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर के सृदृढ़ीकरण/विकास हेतु भारत सरकार द्वारा प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि रु. 6.00 करोड़ में राज्यांश सम्मिलित कर शासनादेश दिनांक 09.03.2015 द्वारा रु. 1.83 करोड़ एवं शासनादेश दिनांक 20.02.2018 द्वारा रु. 7.50 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।

पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया

डिग्री स्तर की संस्थाओं में छात्रों का प्रवेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य अभियंत्रण प्रवेश परीक्षा प्रभाग द्वारा आयोजित किया जाता है जिसमें सम्मिलित होने के लिये न्यूनतम योग्यता विज्ञान/गणित विषयों के साथ इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष है।

शिक्षण सत्र 2003-04 तक बी.टेक., बी.फार्मा, बी.आर्क तथा होटल मैनेजमेंट से सम्बन्धित संस्थाओं में प्रवेश यू.पी. सीट के माध्यम से किये गये थे तथा एम.सी.ए. एवं एम.बी.ए. पाठ्यक्रम में प्रवेश यू.पी.एम. कैट द्वारा कराया गया था। माह दिसम्बर, 2003 में यू.पी. सीट एवं यू.पी.एम. कैट को भंग कर प्रवेश का कार्य डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ.प्र., लखनऊ को सौंपा गया। फलस्वरूप डॉ0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2018-19 हेतु उ.प्र. राज्य प्रवेश परीक्षा का आयोजन कर बी.टेक., बी.फार्मा, बी.आर्क तथा होटल मैनेजमेंट के पाठ्यक्रमों हेतु चयन कराकर 17,979 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिलाया गया।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए सुविधाएं

प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत चल रही समस्त डिग्री स्तरीय संस्थाओं में प्रवेश हेतु अनूसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 21 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 02 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है।

अनूसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर सामान्य वर्ग के पात्र छात्रों को समाज कल्याण विभाग, अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है।

ई-गवर्नेन्स

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ.प्र., लखनऊ से लगभग 593 संस्थान सम्बद्ध हैं जिनमें लगभग दो लाख छब्बीस हजार एक सौ उन्नीस छात्र अध्ययनरत हैं। विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्ध संस्थाओं में बी.टेक., बी0फार्मा, बा.आर्क., बैचलर आफ होटल मैनेजमेण्ट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, एम.बी.ए., एम.बी.ए. (रूरल डेवेलपमेंट), एम.सी.ए., एम.फार्मा एवं एम.टेक. आदि पाठ्यक्रम चलाये जा रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न संस्थाओं की शैक्षिक गतिविधियों पर निगरानी एवं नियंत्रण करने के लिये विश्वविद्यालय ने एक इन्टरैक्टिव वेब एप्लीकेशन की संरचना की है जिसके अन्तर्गत प्रमुख रूप से निम्न कार्य सम्पन्न कराये जा रहे हैंः

1. समस्त छात्रों की कक्षाओं में मासिक उपस्थिति का प्रेषण वेबसाइट के माध्यम से संस्थाओं द्वारा किया जाता है एवं विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों की उपस्थिति के आधार पर वांछित कार्यवाही की जाती है।
2. छात्रों के परीक्षा फार्म इन्टरनेट के माध्यम से जमा कराये जाते हैं।
3. छात्रों की सैत्रिक परीक्षा के अंक का संस्थाओं द्वारा आनलाइन सबमिशन (प्रेषण) किया जाता है।

4. समस्त संस्थाओं द्वारा थ्योरी एवं प्रैक्टिकल विषयों के सैत्रिक अंकों का वेबसाइट के माध्यम से प्रेषण कराया जाता है।
5. प्रायोगिक परीक्षा के अंकों का भी प्रेषण संस्थाओं द्वारा वेबसाइट के माध्यम से किया जा रहा है।
6. विश्वविद्यालय द्वारा सभी छात्रों की परीक्षा के प्रवेशपत्र संस्थाओं के लिये सत्यापन एवं रोललिस्ट आदि संस्थाओं को नेट के माध्यम से प्राप्त करायी जाती है।
7. सभी संस्थाओं में कार्यरत शिक्षकों का बायोडाटा वेबसाइट के माध्यम से जमा कराया जाता है।
8. परीक्षाफल प्राप्त होने के उपरान्त परीक्षाफल पंजिका वेबसाइट के माध्यम से संस्थाओं को प्राप्त कराये जाते हैं।
9. परीक्षाफल की घोषणा एवं छात्रों के परीक्षाफल एवं इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा समस्त छात्रों एवं संस्थाओं से किये जाने वाले सामान्य पत्राचार प्रायः वेबसाइट के माध्यम से किया जाता है।
10. प्रश्न पत्रों का प्रेषण आनलाइन किया जाता है।
11. उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल मूल्यांकन कराया जाता है।

इनके अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा अन्य सामान्य कार्य एवं प्रवेश परीक्षा के उपरान्त विभिन्न संस्थाओं में प्रवेश हेतु आनलाइन काउंसिलिंग का कार्य आदि विश्वविद्यालय द्वारा किये जा रहे हैं। इस कांउसिलिंग की पद्धति के कारण छात्र विभिन्न स्थानों पर अनावश्यक यात्रा एवं असुविधाओं से बच जाते हैं।

विश्वविद्यालय द्वारा अपने से सम्बद्ध संस्थाओं के शैक्षिक नियंत्रण हेतु इस वेब एप्लीकेशन का भरपूर प्रयोग किया जा रहा है।

डिप्लोमा स्तर

डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं का प्रशासनिक नियंत्रण

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय

प्रदेश में चल रही डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं के प्रशासन तथा संचालन का सम्पूर्ण दायित्व प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कानपुर का है, जिसके प्रमुख निदेशक प्राविधिक शिक्षा हैं।

उक्त के अतिरिक्त चार क्षेत्रीय कार्यालय- वाराणसी, लखनऊ, दौराला, (मेरठ) एवं झाँसी में हैं। इन क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यालयाध्यक्ष सम्बन्धित क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक हैं, जिनकी सहायता के लिए एक-एक वित्त एवं लेखाधिकारी का पद सृजित है। इनका मुख्य कार्य क्षेत्रीय डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं का पर्यवेक्षकीय नियंत्रण है।

प्राविधिक शिक्षा परिषद

इस कार्यालय का प्रमुख, परिषद का सचिव होता है तथा इसके अध्यक्ष/उपाध्यक्ष शासन द्वारा नामित किये जाते हैं।

प्राविधिक शिक्षा परिषद का कार्य प्रदेश की पालीटेक्निकों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों की परीक्षा आयोजित कराना तथा निजी क्षेत्र की पालीटेक्निकों को सम्बद्धता प्रदान करना है।

शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान

संस्थान का प्रमुख संस्था का निदेशक होता है।

संस्थान का कार्य संकाय प्रशिक्षण, पाठ्यचर्या विकास/प्रशिक्षण, पाठ्य संसाधन विकास एवं शैक्षिक व तकनीकी कार्य करना है।

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद

यह एक स्वशासी स्ववित्त पोषित संस्था है तथा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन पंजीकृत है। इस परिषद का विभागाध्यक्ष निदेशक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् होता है तथा प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ.प्र. शासन इस परिषद के पदेन अध्यक्ष होते हैं।

यह संस्था प्रदेश की सभी पालीटेक्निकों में प्रवेश के लिये प्रदेश स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन कराती है।

डिप्लोमा स्तर की संस्थाएं

प्रदेश में विभाग के अधीनस्थ 141 राजकीय, 19 अनुदानित एवं 633 निजी क्षेत्र में स्थापित संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है तथा इनके अतिरिक्त 57 राजकीय पालीटेक्निक संस्थाएं अभी अवस्थापना प्रक्रिया में हैं।

मल्टी प्वाइंट इन्ट्री एण्ड क्रेडिट सिस्टम प्रणाली

मल्टी प्वांइट इन्ट्री एण्ड क्रेडिट सिस्टम प्रणाली प्रदेश के चार पालीटेक्किों क्रमशः राजकीय महिला पालीटेक्निक लखनऊ, राजकीय पालीटेक्निक कानपुर, डॉ.अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी फार हैण्डीकैप्ड कानुपर तथा एन.आर.आई.पी.टी. प्रयागराज में लागू है।

डिप्लोमा पाठ्यक्रम में व्याख्याान, प्रयोगात्मक कार्य, गृह कार्य तथा औद्योगिक स्थल की यात्राा एवं स्वाध्याय के माध्यम से प्रशिक्षण पूर्ण कराया जाता है। प्रत्येक विषय को एक निश्चित महत्त्व दिया जाता है। मल्टी प्वांइट इंट्री एण्ड क्रेडिट सिस्टम से डिप्लोमा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों को यह वेटेज प्राप्त करने होते हैं। प्रत्येक विषय को दिये गये वेटेज को ही क्रेडिट सिस्टम कहा गया है।

छात्र को क्रेडिट तभी प्रदान किये जाते हैं जब वह सफलतापूर्वक विषय की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेता है। प्रत्येक छात्र को पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित क्रेडिट अर्जित करने होते हैं तभी छात्र सम्बन्धित पाठ्यक्रम में डिप्लोमा प्राप्त करने हेतु अर्ह होता है।

विकलांगों के लिए प्राविधिक शिक्षा

डॉ. अम्बेडकर इन्स्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फार हैण्डीकैप्ड, कानपुर

राष्ट्रीय नवीन शिक्षा नीति-1986 तथा विकलांगजन (अवसरों की समानता, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता) अधिनियम-1995 के अनुपालन स्वरूप राज्य के शारीरिक विकलांगता से ग्रसित नवयुवकों को तकनीकी शिक्षा से जोड़ कर उनकी समाज के लिये उपादेयता में वृद्धि करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने वर्ष 1997 में तत्कालीन विश्व बैंक सहायतित परियोजना के अंतर्गत कानपुर में डॉ अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी फार हैण्डीकैप्ड (ए.आई.टी.एच.) की स्थापना की गई है। प्रथम चरण में तीन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के साथ इस संस्थान का शुभारम्भ सत्र 1998-99 से किया गया।

विकलांगजन हेतु अन्य पालीटेक्निक संस्थाओं में व्यवस्था

उक्त विशिष्ट संस्था- ए.आई.टी.एच. के अतिरिक्त भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृत ''स्कीम फार इन्टीग्रेटिंग परसन्स विद डिसएबिलिटीज इन दि मेन स्ट्रीम ऑफ टेक्निकल एण्ड वोकेशनल एजूकेशन'' के अंतर्गत राजकीय पालीटेक्निक झाँसी एवं राजकीय महिला पालीटेक्निक मुरादाबाद में भी विकलांग छात्र-छात्राओं को प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, इसके अतिरिक्त अन्य सभी संस्थाओं में भी प्रवेश हेतु 03 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा अनुमन्य है।

महिला पालीटेक्निकों की स्थापना

विभाग तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने व नवीनतम तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधायें प्रदेश की महिलाओं तक पहुँचाने की दिशा में प्रयासरत है।

तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने एवं तकनीकी शिक्षा के आधुनिक विषयों में महिलाओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से प्रदेश में महिलाओं के प्रशिक्षण, विकास एवं नई संस्थाओं की स्थापना पर बल दिया गया है। वर्ष 1982-83 तक प्रदेश में महिलाओं के प्रशिक्षण प्रदान करने की एक मात्र संस्था लखनऊ में थी, जिनकी संख्या वर्ष 1996-97 तक बढ़कर 13 हो गयी। वर्ष 1997-98 में महिलाओं के लिए 04 नई संस्थाएं कुम्हारहेड़ा (सहारनपुर), बादलपुर (गौतमबुद्ध नगर), मेजा (प्रयागराज) तथा अयोध्या में स्वीकृत की गई। वर्ष 1999-2000 में महिलाओं हेतु राजकीय महिला पालीटेक्निक, बलिया में स्वीकृत की गई। नवम्बर, 2000 में उत्तरांचल राज्य गठन के फलस्वरूप 02 संस्थाएं उत्तरांचल राज्य में स्थानान्तरित हो गईं। वर्ष 2001-2002 में शासन द्वारा दौराला (मेरठ) में एक राजकीय महिला पालीटेक्निक स्वीकृत की गई। वर्ष 2007-2008 में चरखारी (महोबा) में 01 राजकीय महिला पालीटेक्निक स्वीकृत किए जाने के फलस्वरूप प्रदेश में महिला संस्थाओं की संख्या 18 हो गई। वर्ष 2012-13 में शासन द्वारा 03 नई राजकीय महिला पालीटेक्निक संस्थायें तिलहर (शाहजहांपुर), रिसिया नानपारा (बहराइच) एवं अरनिया (बुलन्दशहर) खोले जाने की स्वीकृति प्रदान किए जाने के फलस्वरूप प्रदेश में महिला संस्थाओं की संख्या 21 हो गई है। शैक्षिक सत्र 2018-19 में महिला संस्थाओं की प्रवेश क्षमता 4825 रही है।

डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से सह-शिक्षा पालीटेक्निक संस्थाओं में महिलाओं को प्रवेश में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा शैक्षिक सत्र 2002-2003 से प्रदान की गई है। छात्राओं को तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सहभागी बनाने हेतु प्रदेश की पालीटेक्निक संस्थाओं में चल रहे उपयोगी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों एवं रोजगार के अवसरों की जानकारी देने हेतु राजकीय महिला पालीटेक्निक मुरादाबाद, प्रयागराज, लखनऊ तथा राजकीय पालीटेक्निक कानपुर में कैरियर काउन्सिलिंग सेन्टर्स स्थापित किये गये हैं, जिन्हें और अधिक सुदृढ़ एवं कार्यशील बनाने हेतु विभाग प्रयासरत है।

उपरोक्त के अतिरिक्त सत्र 2007-08 से स्ववित्त पोषित आधार पर राजकीय पालीटेक्निक, कानपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग व पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन पाठ्यक्रमों में तथा राजकीय पालीटेक्निक, गाजियाबाद में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में छात्राओं के लिए

प्रातःकालीन कक्षाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

शिक्षण सत्र 2010-11 में 13 राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में द्वितीय पाली (अपरान्ह 2:00 बजे से सायं 8:30 बजे तक) 3690 की प्रवेश क्षमता से स्ववित्त पोषित डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गये थे।

शिक्षण सत्र 2011-12 से 33 राजकीय पालीटेक्निकों में 8110 की प्रवेश क्षमता से प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्राप्त हुई थी, के सापेक्ष वर्ष 2013-14 से 19 संस्थाओं में द्वितीय पाली (अपरान्ह 2:00 बजे से सायं 8:30 बजे तक) 4470 की प्रवेश क्षमता से स्ववित्त पोषित डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा था। वर्तमान में राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं में द्वितीय पाली में प्रवेश प्रक्रिया को शासन स्तर से बंद कर दिया गया है।

भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना

कम्युनिटी डेवलेपमेंट थ्रू पालीटेक्निक स्कीम

यह योजना भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण अंचलों के निवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने, उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये स्थानीय आवश्यकतानुसार अल्पकालीन रोजगारपरक व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा लाभ पहुँचाना है। वर्ष 2009-10 में भारत सरकार द्वारा 53 संस्थाओं में योजना संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है और वर्ष 2010-11 में 06 संस्थाओं को सी.डी.टी.पी. योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रकरण में वर्तमान में कुल 59 संस्थाओं में सी.डी.टी.पी. योजना संचालित है।

वर्ष 2018-19 में उपर्युक्त 59 संस्थाओं में जनशक्ति विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिनांक 31.12.2018 तक कुल 440 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और 4355 प्रशिक्षार्थी विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षणरत हैं।

कम्युनिटी कालेज

कम्युनिटी कालेज शैक्षिक पद्धति की एक पूरक व्यवस्था है जिसके माध्यम से भारत सरकार की एन.वी.ई.क्यू.एफ. (नेशनल वोकेशनल एजूकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क) योजना के अन्तर्गत समाज के व्यक्तियों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाये जाने की योजना है। विभिन्न आयुवर्ग के नवयुवक/युवतियों को कौशल विकास हेतु प्रारम्भिक स्तर पर जागरूक करने एवं रोजगारपरक बनाने हेतु कम्युनिटी कालेज योजना का संचालन किया जा रहा है। कम्युनिटी कालेज योजना के अन्तर्गत शैक्षिक पठन-पाठन का कार्य संस्था द्वारा तथा प्रयोगात्मक प्रशिक्षण का कार्य उद्योग पार्टनर अथवा स्किल नॉलेज प्रोवाइडर द्वारा किया जा रहा है। ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा 15 सेक्टर्स को कम्यूनिटी कालेज हेतु स्पेशलाइजेशन के रूप में चिह्नित किया गया है जिसमें प्रति लेवल 1000 घण्टे का प्रशिक्षण निर्धारित है।

कम्युनिटी कालेज का मुख्य उद्देश्य मॉड्यूलर कोर्स की सहायता से युवक/युवतियों में गुणवत्तापरक शिक्षण-प्रशिक्षण प्रदान कर स्किल गैप को दूर किया जाना है। कम्युनिटी कालेज योजना हेतु स्कूल, कालेज, पालीटेक्निक, आई.टी.आई. एवं इंजीनियरिंग कालेज तथा कौशल ज्ञान प्रदान करने हेतु उद्योग, सर्विस सेक्टर्स, पालीटेक्निक, आई.टी.आई. एवं इंजीनियरिंग कालेज को चयनित किया गया है।

पाठ्यचर्या ए.आई.सी.टी.ई., स्किल नालेज प्रोवाइडर एवं संस्था द्वारा निर्धारित किया जाता है। अंक एवं क्रेडिट संस्था तथा स्किल नालेज प्रोवाइडर द्वारा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ.प्र., लखनऊ को दिया जाता है। कोर्स का सर्टिफिकेशन प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. लखनऊ द्वारा किया जाता है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर सामान्य वर्ग के छात्रों के लिये सुविधायें

प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत चल रही समस्त डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये 21 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये 02 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर सामान्य वर्ग के पात्र छात्रों को समाज कल्याण विभाग, अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जाती है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/प्रतिरक्षा कर्मचारी आश्रित छात्रों को रु. 25/- प्रतिमाह की दर से कुल 10 माह के लिये तथा रु. 50/- पुस्तकीय सहायता प्रदान की जाती है।

प्रथम वर्ष में प्रवेश क्षमता अथवा वास्तविक प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत छात्रों को मेरिट कम मींस छात्रवृत्ति प्रवेश की तिथि से रु. 25/- प्रतिमाह की दर से साढ़े दस माह के लिये दी जाती है। प्रथम वर्ष में छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजित करके योग्यता/परिवार नियोजन 02 बच्चों तक सीमित तथा साधनों के मूल्यांकन के आधार पर स्वीकृत की जाती है।

ई-गवर्नेन्स

निदेशालय प्राविधिक शिक्षा, उ.प्र. कानपुर के द्वारा वेबसाईट की संरचना की गई, जिसके माध्यम से निम्न कार्य सम्पन्न किये जा रहे हैं :

1. प्रदेश में स्थित सभी राजकीय, अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की संस्थाओं की जानकारी (जैसे विभिन्न) पाठ्यक्रम का विवरण, प्रवेश क्षमता तथा सम्पर्क सूची) उपलब्ध कराई गयी है।
2. पालीटेक्निक में प्रवेश से सम्बन्धित जानकारी।
3. विभाग के नागरिक चार्टर तथा मैनुअल भी इस वेबसाइट पर उपलब्ध है।
4. सूचना के अधिकार के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं में सम्पर्क सूची का विवरण उपलब्ध कराया गया है।
5. प्रदेश में निजी क्षेत्र में खोली जा रही संस्थाओं के लिए फार्म तथा अन्य सूचनाओं की भी वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है, ताकि विभिन्न इच्छुक संस्थायें एवं व्यक्तियों की सभी सूचनायें व फार्म आदि एक जगह मिल जायें।
6. इसके अतिरिक्त इस वेबसाइट पर विभाग से सम्बन्धित प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद व शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिंक एड्रैस भी उपलब्ध हैं।

पाठ्यचर्या विकास

विर्ष 1989-90 में पाठ्यचर्या विकास कार्यों को सुचारूप से सम्पादित करने के उद्देश्य से इस

संस्थान में एक पाठ्यचर्या विकास प्रकोष्ठ की स्थापना की गई। आधुनिक उद्योगों/संगठनों की आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रमों के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने की दृष्टि से संस्थान में स्थापित पाठ्यचर्या विकास केन्द्र द्वारा तकनीकी शिक्षा क्षेत्र के अनुभवी विद्वानों, उद्योगों में कार्यरत विशेषज्ञों, सेवायोजकों तथा विषय-अध्यापकों की सहायता से कार्यशालाएं आयोजित कर पाठ्यचर्या विकसित की जाती है। साथ ही प्रत्येक तीन वर्ष के अंतराल पर सम्बन्धित सेवायोजकों से छात्रों में अपेक्षित ज्ञान एवं कौशल के बारे में सर्वेक्षण कराकर उनके द्वारा प्राप्त पश्चनिवेश (फीडबैक) के आधार पर पाठ्यचर्याओं को संशोधित/पुनरीक्षित भी किये जाने का प्रावधान रखा गया है। समस्त पाठ्यचर्याओं में कम्प्यूटर एप्लीकेशन, इण्टरप्रिन्योरशिप डेवलपमेंट, सोर्सेज ऑफ नॉन कन्वेशनल एनजी तथा इनवायरमेंट एण्ड पल्यूशन कन्ट्रोल आदि विषयों का समावेश किया गया है।

वर्ष 2012-13 में 27 पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्यायों को पुनरीक्षित किया गया। साथ ही 20 पाठ्यक्रमों का पुनरावलोकन किया गया। सत्र 2013-14 में 20 पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्याओं का पुनरीक्षण तथा 06 नवीन पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्याओं का निर्माण कार्य एवं 10 पाठ्यचर्याओं के पुनरावलोकन का कार्य किया जा चुका है। सत्र 2014-15 में 07 पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्याओं का पुनरीक्षण, 05 नवीन पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्याओं का निर्माण तथा 09 पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्याओं का पुनरावलोकन का कार्य किया गया तथा 58 पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्याओं को सेमेस्टर प्रणाली में परिवर्तित किया गया है। सत्र 2015-16 में 33पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्याओं का पुनरीक्षण का कार्य किया गया। सत्र 2016-17 में 58 पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्याओं का पुनरीक्षण का कार्य किया गया।

सत्र 2017-18 में 06 पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्याओं यथा- सिविल अभियंत्रण, यांत्रिक अभियंत्रण, इलेक्ट्रिकल अभियंत्रण, इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण, कम्प्यूटर साइंस अभियंत्रण तथा केमिकल अभियंत्रण को एन.एस.क्यू.एफ. मॉडल के अनुसार पुनरीक्षित कर प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ.प्र., लखनऊ के अनुमोदनोपरांत प्रदेश की पालीटेक्निक संस्थाओं मे लागू किया गया।

सत्र 2018-19 में उपरोक्त 06 पाठ्यक्रमों की द्वितीय एवं अन्तिम वर्ष की पाठ्यचर्या का एन.एस.क्यू.एफ. मॉडल के अनुसार पुनरीक्षण का कार्य प्रचलन में है।

सत्र 2019-20 में शासन द्वारा निर्देश प्राप्त होने के उपरांत शेष डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्याओं का भी एन.एस.क्यू.एफ. मॉडल के आधार पर पुनरीक्षण कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

पाठ्य संसाधन विकास

विजन-2030 को पूर्ण करने के लिए प्रदेश में आने वाली समस्याओं के लिए जनसामान्य को लाभ पहुंचाने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के सुचारू रूप से संचालन करने, प्रदेश की छवि को एक प्रोग्रेसिव राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में किये जा रहे प्रयासों को बल दिये जाने के दृष्टिकोण से माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षानुसार अभिनव प्रयोग/पहल/विचारों को साझा करने के लिए देश-विदेश के ख्याति प्राप्त विशेषज्ञों/राजनीतिज्ञों/उद्योगपतियों व वैज्ञानिकों आदि को व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने हेतु शासन की वांछनानुसार इनोवेशन एवं वेस्ट

प्रेक्टिस, गुणवत्ता सुधार एवं नई तकनीक पर आधारित वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिनांक 27 से 31.08.2018 के मध्य उद्यमिता विकास संस्थान, लखनऊ में ''उद्यमिता विकास'' नामक विषय पर आयोजित अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से 16 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

वर्चुअल क्लासरूम/इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया रिसोर्स सेण्टर

वर्चुअल क्लास रूम प्रतिभागियों को संसाधनों से सुसज्जित आनलाइन क्लास रूम के माध्यम से संवाद सीखने एवं समूहों में काम करने की अनुमति देता है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य कम से कम समय में प्रभावपूर्ण ढंग से तकनीकी ज्ञान वेब पोर्टल के माध्यम से अधिक से अधिक छात्रों को दिया जाना एवं विभिन्न संस्थाओं में फैकल्टी की कमी को पूर्ण करते हुए गुणवत्तापरक शिक्षण-प्रशिक्षण दूरस्थ संस्थाओं के छात्रों को उपलब्ध कराये जाने का महत्त्वपूर्ण विकल्प है।

इस योजना के अंतर्गत दो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया रिसोर्स सेण्टर/स्टूडियो (ई.एम.आर.सी.) की स्थापना शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ.प्र. कानुपर एवं राजकीय पालीटेक्निक गाजियाबाद में की गयी है। जिन्हें वर्तमान में प्रदेश के 13 पालीटेक्निक संस्थाओं मे स्थापित वर्चुअल क्लास रूम से जोड़ा गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया रिसोर्स सेण्टर द्वारा तैयार आपरेशनल प्लान/कार्यक्रम के अनुसार सजीव-ई-लेक्चर का प्रसारण विभागीय विषय-विशेषज्ञों द्वारा दिनांक 22.09.2015 से प्रारम्भ कर दिया गया था। 31 मार्च, 2016 तक कुल 92 सजीव ई-व्याख्यान प्रसारित किये गये, जिनमें से 81 रिकार्ड किये गये सजीव ई-व्याख्यान छात्रों के उपयोगार्थ संस्थान के वेबपोर्टल पर उपलब्ध कराये गये हैं।

सत्र 2016-17 में दोनों ई.एम.आर.सी. स्टूडियो के माध्यम से प्रदेश की 13 पालीटेक्निक संस्थाओं में स्थित वर्चुअल क्लास रूम में आमंत्रित विषय-विशेषज्ञों द्वारा कुल 101 सजीव ई-व्याख्यान प्रसारित किये गये, जिनमें से 93 रिकार्ड किये गये सजीव ई-व्याख्यान को वेबपोर्टल पर उपलब्ध कराये गये।

सत्र 2017-18 में दोनों ई.एम.आर.सी. स्टूडियो के माध्यम से प्रदेश की पालीटेक्निक संस्थाओं में स्थित वर्चुअल क्लास रूम में आमंत्रित विषय-विशेषज्ञों द्वारा कुल 101 सजीव ई-व्याख्यान प्रसाहित किये गये हैं।

सत्र 2018-19 में दोनो ई.एम.आर.सी. स्टूडियो के माध्यम से प्रदेश की पॉलीटेक्निक संस्थाओं में स्थित वर्चुअल क्लासरूम में आमंत्रित विषय-विशेषज्ञों के माध्यम से माह मई, 2018 तक कुल 51 सजीव ई-व्याख्यान का प्रसारण कराया जाना प्रस्तावित है।

सत्र 2019-20 में दोनो ई.एम.आर.सी. स्टूडियो के माध्यम से प्रदेश की पालीटेक्निक संस्थाओं में स्थित वर्चुअल क्लास रूम में आमंत्रित विषय-विशेषज्ञों के माध्यम से 125 सजीव ई-व्याख्यान का प्रसारण कराया जाना प्रस्तावित है।

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण

चिकित्सा शिक्षा विभाग का मुख्य उद्देश्य उच्चकोटि की विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ पर्याप्त प्रशिक्षित चिकित्सक, चिकित्सा शिक्षक एवं पैरामेडिकल स्टाफ आदि मानव संसाधन उपलब्ध कराना है। वस्तुतः बिना लोक स्वास्थ्य में सुधार किये मानव जीवन स्तर को उच्च नहीं किया जा सकता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग को उन्नत किया जाना अत्यावश्यक है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सा शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए वर्ष 1984 से चिकित्सा शिक्षा विभाग को एक अलग विभाग के रूप में स्थापित किया गया है।

1- प्रदेश में 13 राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज, कानपुर, आगरा, मेरठ, झाँसी, गोरखपुर, अम्बेडकर नगर, कन्नौज, जालौन, सहारनपुर, आजमगढ़, बांदा एवं बदायूँ, 02 चिकित्सा विश्वविद्यालय-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं उ.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा, 05 स्वायत्तशासी संस्थान-संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा, सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थान, नोएडा एवं सेन्टर आफ बायोमेडिकल मैगनेटिक रेजोनेन्स (सी.बी.एम.आर.), लखनऊ संचालित हैं। सभी मेडिकल कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालय भी हैं, जहां रोगियों को चिकित्सा सुविधायें भी प्रदान की जाती हैं।

2- प्रारम्भ में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के मेडिकल कालेज जिसे सम्बद्ध थे, परन्तु किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात राज्य के कई मेडिकल डेन्टल, नर्सिंग एवं अन्य चिकित्सा पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता किंग जार्ज विश्वविद्यालय से हो रही है। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के अधिनियम में चिकित्सा सम्बन्धी पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्रदान का प्राविधान है, परन्तु अभी तक उस विश्वविद्यालय से कोई संस्था सम्बद्ध नहीं है और यही कारण है कि वह इन संस्थाओं पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रख पाते और संस्थाओं के पाठ्यक्रमों एवं इनकी परीक्षा के स्तर में एकरूपता नहीं हो पायी है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि सम्पूर्ण प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रमों, परीक्षाओं के स्तर एवं उनके प्रशासनिक नियंत्रण में एकरूपता लाई जाए। तद्नुसार ही प्रदेश के सभी राजकीय तथा निजी मेडिकल कालेजों, डेन्टल कालेजों एवं अन्य पैरा मेडिकल कालेज को किसी चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किये जाने के उपरान्त प्रदेश के चिकित्सा का समुचित विकास हो सकेगा और चिकित्सा के क्षेत्र उच्च शिक्षा एवं ज्ञान की खोज में समूह ज्ञान और समूह के प्रयासों के प्रचार-प्रसार हेतु एक सक्रिय वातावरण के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। इससे चिकित्सा क्षेत्र के शोध एवं अनुसंधान की दिशा में भी विकास हो सकेगा। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक

चिकित्सा विश्वविद्यालय मा0 अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ स्थापित किया जाना प्रक्रियाधीन है।

3- जनपद जौनपुर में भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज की स्थापना प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत प्रदेश में स्थापित 25 जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत करते हुए स्वायत्तशासी स्टेट मेडिकल कालेज बनाये जाने के अन्तर्गत फेज-1 के अन्तर्गत यथा- बस्ती, बहराइच, शाहजहांपुर, फैजाबाद एवं फिरोजाबाद का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, शैक्षणिक सत्र 2019-20 से प्रत्येक कालेजों जिनमें 100-100 एम.बी.बी.एस. सीटें संचालित किया जाना प्रस्तावित है तथा फेज-2 के अन्तर्गत यथा- एटा, मिर्जापुर, गाजीपुर, सिद्धार्थनगर, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर तथा देवरिया को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

4- चिकित्सा संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में अति विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है, साथ ही यहां स्नातकोत्तर तथा अति विशिष्टता की डिग्री भी प्रदान की जाती है।

5- शासन द्वारा निजी क्षेत्र में पैरामेडिकल डिग्री कोर्स यथा-नर्सिंग, फार्मेसी, लैबोरेट्री टैक्नोलॉजी इत्यादि खोलने तथा उनके मानक पर स्टेट मेडिकल फैकल्टी के माध्यम से नियंत्रण किया जाता है।

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग का प्रमुख उद्देश्य उच्चकोटि की एलोपैथिक चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु मेडिकल एवं पैरामेडिकल मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, विशिष्ट चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराना तथा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान सम्बन्धी व्यवस्था करना है। एलोपैथिक चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत स्नातक स्तर पर एम.बी.बी.एस. एवं बी.डी.एस. तथा स्नातकोत्तर स्तर की डिप्लोमा एम.डी., एम.एस. तथा एम.डी.एस. उपाधियां प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्ति कुछ विशेषताओं में अति विशिष्ट उपचार पाठ्यक्रम (डी.एम./एम.सी.एच.) भी संचालित है। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा उच्चकोटि की विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ पर्याप्त प्रशिक्षित चिकित्सक, चिकित्सा शिक्षक एवं पैरामेडिकल स्टाफ आदि मानव संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में कार्यवाही की जा रही है।

निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल कॉलेजों में भी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। सभी मेडिकल कॉलेजों से सम्बद्ध चिकित्सालय भी हैं, जहां रोगियों को चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की जाती है। इसके साथ ही हृदय, कैंसर रोग से पीड़ित गंभीर रोगियों के इलाज के लिए क्रमशः हदय रोग संस्थान, कानपुर जे.के. कैंसर संस्थान, कानपुर स्थापित हैं। उपचारिकाओं के विशेष प्रशिक्षण हेतु कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कानपुर भी इस विभाग के अधीन स्थापित है।

उक्त के अतिरिक्ति प्रदेश सरकार के अधीन संजीय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान भी स्थापित है, जिसमें गंभीर रोगियों को अति विशिष्ट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है, साथ ही यहां स्नातकोत्तर तथा अति विशिष्टता की डिग्री भी प्रदान की जाती है। शोध की उपयुक्त व्यवस्था है।

शासन द्वारा निजी क्षेत्र में पैरामेडिकल डिग्री कोर्स यथा- नर्सिंग, फार्मेसी, लैबोरेट्री टेक्नोलॉजी इत्यादि खोलने तथा उनके मानक पर प्रभावी नियंत्रण हेतु नीतिगत निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन पाठ्यक्रमों को राज्य की स्टेट मेडिकल फैकल्टी के माध्यम से नियंत्रित किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

निजी क्षेत्र में संचालित डेंटल कॉलेजों की सूची

क्र. सं.	कॉलेज का नाम	प्रवेश क्षमता बीडीएस	एमडीएस	टिप्पणी
1.	संतोष डेंटल कॉलेज, गाजियाबाद	100	16	कॉलेज वर्ष 1995 में स्थापित हुआ था एवं भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। इनकी सीटों पर आवंटन भारत सरकार द्वारा किया जाता है।
2.	सरदार पटेल इंस्टीट्यूट आफ डेंटल एंड मेडिकल साइंसेज, लखनऊ	100	43	कॉलेज वर्ष 1996 में स्थापित हुआ एवं मान्यता प्राप्त है।
3.	सरस्वती डेंटल कॉलेज, लखनऊ	100	33	वर्ष 1998 में स्थापित हुआ, मान्यता प्राप्त
4.	रामा डेंटल कॉलेज, हास्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, कानपुर	100	32	वर्ष 1996 में स्थापित एवं मान्यता प्राप्त
5.	सुभारती डेंटल कॉलेज, मेरठ	100	34	-तदैव-
6.	कोठीवाल इंस्टीट्यूट आफ डेंटल साइंसेज, मुरादाबाद	100	40	वर्ष 2000 में स्थापित एवं मान्यता प्राप्त
7.	आई.टी.एस. सेंटर फार डेंटल स्टडीज, गाजियाबाद	100	45	-तदैव-
8.	डी.जे. कॉलेज आफ डेंटल स्टडीज एंड टेक्नालोजी, मोदीनगर	100	45	वर्ष 1999 में स्थापित एवं मान्यता प्राप्त
9.	कैरियर डेंटल कॉलेज, लखनऊ	100	40	वर्ष 2001 में स्थापित हुआ। मान्यता प्राप्त
10.	बी.बी.डी. कालेज आफ डेंटल साइंसेज, लखनऊ	100	43	कॉलेज वर्ष 2000 में स्थापित एवं मान्यता प्राप्त
11.	इंस्टीट्यूट आफ डेंटल स्टडीज एंड टेक्नालोजी, मोदीनगर	100	31	वर्ष 2001 में स्थापित, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त
12.	कान्ती देवी डेंटल कॉलेज, मथुरा	100	36	वर्ष 2001 में स्थापित, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त
13.	इंस्टीट्यूट आफ डेंटल साइंसेज, बरेली	100	38	वर्ष 2002 में स्थापित, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त
14.	चन्द्रा डेंटल कॉलेज, बाराबंकी	100	15	वर्ष 2003 में स्थापित, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त

15. श्री बांके बिहारी डेंटल कॉलेज, गाजियाबाद	100	28	वर्ष 2004 में स्थापित, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त
16. महाराणा प्रताप डेंटल कॉलेज एंड हास्पिटल, कानपुर	100	-	वर्ष 2005 में स्थापित, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त
17. डेंटल कॉलेज, आजमगढ़	100	11	वर्ष 2005 में स्थापित, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त
18. तीर्थांकर महावीर डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर, मुरादाबाद	100	45	वर्ष 2005 में स्थापित, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त
19. कालका डेंटल कॉलेज, मेरठ	100	12	वर्ष 2006 में स्थापित एवं मान्यता प्राप्त
20. पूर्वान्चल इन्स्टीट्यूट ऑफ डेण्टल साइंसेज, गोरखपुर	100	-	वर्ष 2006 में स्थापित एवं मान्यता प्राप्त
21. स्कूल ऑफ डेण्टल साइंसेज, शारदा विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा	100	21	वर्ष 2006 में स्थापित एवं मान्यता प्राप्त
22. आई.टी.एस. सेन्टर फार डेण्टल स्टडीज, ग्रेटर नोएडा	100	26	वर्ष 2006 में स्थापित एवं मान्यता प्राप्त
23. इन्द्रप्रस्थ डेण्टल कॉलेज, गाजियाबाद	100	15	वर्ष 2006 में स्थापित एवं मान्यता प्राप्त
योग	**2300**	**649**	

सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय, आगरा

सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, आगरा सम्पूर्ण भारत में सबसे प्राचीनतम तीन मेडिकल स्कूलों में से एक है, जिसकी स्थापना 1854 में ब्रिटिश काल में हुई थी, जिसे थॉमसन हास्पीटल के नाम से जाना जाता था। जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना के चिकित्सकों, को प्रशिक्षण देना था। वर्ष 1872 से जन सामान्य के चिकित्सा छात्रों को एल.एम.पी. पाठ्यक्रम में प्रवेश देने हेतु खोल दिया गया, जिसको उ.प्र. राज्य चिकित्सा संस्थान द्वारा बाद में एल.एस.एम.एफ. के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। सन् 1939 में इस मेडिकल स्कूल को उच्चीकृत कर चिकित्सा महाविद्यालय का मूर्तरूप प्रदान किया गया। जिसका नामकरण उ.प्र. की प्रथम महिला राज्यपाल एवं स्वतन्त्रता सेनानी भारत कोकिला श्रीमती सरोजिनी नायडू के नाम पर सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय किया गया। सरोजिनी नायडू चिकित्सा महाविद्यालय डॉ. भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से सम्बद्ध है, जो पूर्व में आगरा विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाता है। चिकित्सा महाविद्यालय के रूप में परिवर्तित होने के पश्चात काय चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा की प्रथम पारी के चिकित्सक सन् 1944 में उत्तीर्ण हुए।

इस चिकित्सा महाविद्यालय में उत्तर भारत के विभिन्न प्रांतों के मरीज अपनी चिकित्सा के लिए यहाँ आते हैं। आगरा शहर में ताजमहल स्थित होने के कारण यहाँ अति विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन के कारण

भी इसकी विशिष्टता और बढ़ गयी है। यह चिकित्सा महाविद्यालय सभी क्षेत्रों की चिकित्सा सेवाओं में निरन्तर प्रगति करने के कारण राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय रूप से गौरवान्वित होता रहा है।

यह चिकित्सा महाविद्यालय भारतीय मानक परिषद से मान्यता प्राप्त है और इसमें चिकित्सा क्षेत्र के स्नातक एवं परास्नातक छात्र शिक्षण/प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। साथ ही इस संस्था द्वारा नर्सिंग तथा अन्य पैरामेडिकल कोर्स भी संचालित किये जाते हैं। जिसमें उच्चस्तरीय शिक्षण-प्रशिक्षण के साथ-साथ विभिन्न शोध कार्य विश्वसनीय एवं विश्व स्तर पर सम्पादित किये जाते हैं। इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालय में उत्तर प्रदेश शासन से 976 शैय्याऐं स्वीकृत हैं। वर्तमान में 500-600 मरीज हर समय भर्ती रहते हैं। इसके साथ ही इस चिकित्सा महाविद्यालय में लगभग 25 विभाग हैं जिसमें विशिष्टता के आधार पर स्नातक/परास्नातक, प्रयोगशाला प्रावैधिज्ञ, रश्मि किरण प्रावैधिज्ञ, औषधि शास्त्र प्रावैधिज्ञ, उपचारिका पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराया जाता है। जिसके फलस्वरूप यहाँ के प्रशिक्षित छात्र देश-विदेशों में ख्याति प्राप्त संस्थाओं में अपनी उत्कृष्ट सेवायें प्रदान कर रहे हैं।

गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कॉलेज, कानपुर

गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक चिकित्सा महाविद्यालय अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए संपूर्ण विश्व में ख्याति प्राप्त है। इसकी स्थापना कानपुर नगर के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व. श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी के नाम पर हुई। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित होने वाला यह पहला मेडिकल कॉलेज है तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत में स्थापित होने वाले पाँच मेडिकल कॉलेजों में से एक है। इस कॉलेज का प्रस्ताव नवम्बर 1955 में बना और 24 अप्रैल 1956 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने इसका शिलान्यास किया था। स्व. डॉ. एस.एन. माथुर इस कॉलेज के प्रथम प्रधानाचार्य बने। सर्वप्रथम विद्यार्थियों का शिक्षण-प्रशिक्षण किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज, लखनऊ में प्रारम्भ हुआ, क्योंकि इस कॉलेज का भवन निर्माणाधीन था। शासन द्वारा बनाई गई समिति के द्वारा अस्थाई अध्यापकों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति 1 मई, 1957 से प्रारम्भ हुई। प्रथम दो वर्षों तक विद्यार्थियों ने प्री-क्लीनिकल विभागों का शिक्षण प्रशिक्षण किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज, लखनऊ में प्राप्त किया। इसके बाद नियुक्त स्टाफ एवं सभी विद्यार्थी शिक्षण प्रशिक्षण हेतु कानपुर मेडिकल कॉलेज लाये गये। डॉ. सी.बी. सिंह को मुख्य रूप से कानपुर में 1 अगस्त 1957 से शिक्षण प्रारम्भ करवाने का श्रेय जाता है।

इस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन 13 दिसम्बर, 1959 को उ.प्र. के मुख्यमंत्री माननीय डॉ. सम्पूर्णानन्द जी के कर कमलों द्वारा हुआ। प्रारम्भ में यह कॉलेज लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध था लेकिन 1968 में जब कानपुर विश्वविद्यालय स्थापित हो चुका था, तब यह कॉलेज कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हुआ। तब से लेकर आज तक यह कॉलेज चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा सुविधा और विभिन्न शोध कार्यों में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर रहा है।

मोती लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज

मोती लाल नेहरू मेडिकल कालेज की स्थापना इलाहाबाद वर्तमान में परिवर्तित नाम प्रयागराज शहर के मध्य में तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी के द्वारा 5 मई, 1961 को ब्रिटिश काल के राजभवन (गवर्नन हाऊस) को अधिग्रहीत करते हुए की गयी थी। गवर्नर हाऊस में मेडिकल कालेज के प्रशासनिक एवं शिक्षण तथा तत्कालीन जेल के स्थान पर स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय व क्लीनिकल

विषयों का शिक्षण प्रारम्भ किया गया। प्रारम्भ में 50 एम.बी.बी.एस. सीट के शिक्षण की शुरुआत हुई जो कालान्तर में बढ़ते हुए आज 150 एम.बी.बी.एस. सीट एवं 94 पी.जी. सीट्स में परिवर्तित एवं उच्चकृत होते हुए संचालित है।

मेडिकल कालेज, प्रयागराज के समीप स्थित आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े जिलों जो कि पूर्वांचल में स्थित है साथ पडोसी राज्यों मध्य प्रदेश, बिहार एवं झारखण्ड के समीपवर्ती जिलों के मरीजों को तृतीयक श्रेणी की उपचार की चिकित्सा सुविधा विगत कई वर्षों से उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान में इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध (स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय, सरोजनी नायडु चिकित्सालय, बाल चिकित्सालय एवं मनोहर दास नेत्र चिकित्सालय) में 1200 बेड उपलब्ध है साथ ही 23 प्रमुख विभागों में चिकित्सा, जांच एवं उपचार की सुविधा के साथ ही पी.जी. कोर्स एम.सी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त होने पर संचालित है। इसके अतिरिक्त कुछ विभागों में पैरामेडिकल डिप्लोमा के मान्य कोर्स भी संचालित है तथा इस चिकित्सा महाविद्यालय में ट्रामा सेन्टर संचालित है। चिकित्सा महाविद्यालय एवं सम्बद्ध चिकित्सालय निरन्तर शिक्षण चिकित्सा एवं उपचार में अपना प्रभावशाली योगदान दे रहे हैं।

यह उल्लेखनीय होगा कि वर्तमान में मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालयों में 1200 बेड तथा 94 पी.जी. सीट उपलब्ध है। पी.जी. सीटों की संख्या में वृद्धि भी प्रक्रियाधीन (19) है जो कि बढ़कर 113 हो जायेंगी। इसके साथ-साथ गैस्ट्रोइन्ट्रालॉजी में डी0एम0 कोर्स भी संचालित है।

जनपद प्रयागराज जो प्रयाग तीर्थ के नाम से विश्वविख्यापित है तथा इसी जनपद में गंगा, जमुना एवं सरस्वती जैसी पवित्र नदियों का संगम है इसी जनपद में विश्व का सबसे विशाल कुम्भ मेला अयोजित किया जाता है, जिसका पौराणिक एवं वैश्विक स्तर पर अद्वितीय महत्त्व है तथा इस जनपद में मा0 उच्च न्यायालय जो एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है के स्थापित होने के साथ ही पूर्व में इस जनपद को प्रदेश की राजधानी होने का भी गौरव प्राप्त रहा है।

लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज, मेरठ

मेडिकल कॉलेज, मेरठ की स्थापना का कार्य तृतीय पंचवर्षीय योजना में अक्टूबर सन् 1962 में प्रारम्भ किया गया है। मेडिकल कॉलेज का नाम महान स्वतन्त्रता सेनानी लाला लाजपत राय जी के नाम से रखा गया है। जिसका शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. श्री चन्द्र भानु गुप्त जी द्वारा 13 सितम्बर 1963 को किया गया था। कॉलेज एवं चिकित्सालय के निर्माण हेतु 140.77 एकड़ जमीन अधिग्रहण की गयी थी। कॉलेज की इमारतों का निर्माण कार्य जनवरी 1965 में प्रारम्भ किया गया था। लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज, मेरठ में टीचिंग ब्लाक (पाँच मंजिल) का निर्माण वर्ष 1969 में पूर्ण हो गया था। जिसका उद्घाटन मा. राज्यपाल डॉ. बी. गोपाल रेड्डी द्वारा 28 जनवरी 1969 को लाला लाजपत राय जी के जन्मदिवस पर किया गया था। एम.बी.बी.एस. कोर्स का प्रथम सत्र अगस्त 1966 एवं स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा कोर्स जनवरी 1976 से प्रारम्भ किये गये हैं।

महाविद्यालय में एम.बी.बी.एस. की प्रवेश क्षमता वर्तमान में 150 सीट तथा डिग्री/डिप्लोमा की 69 सीटें स्वीकृत हैं। डी.एम. (इन्डोक्राईनोलोजी) की एक सीट स्वीकृत है जिन पर प्रतिवर्ष प्रवेश किये जाते हैं। साथ ही साथ डिप्लोमा इन फार्मेसी/मेडिकल लैब टैक्निीशियन/डिप्लोमा इन एक्सरे टैक्निीशियन बी.एस.सी. नर्सिंग का पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है।

लाला लाजपत राय जी के जन्मदिवस पर दिनांक 28 जनवरी को इस संस्था दीक्षान्त समारोह दिवस है। प्रत्येक वर्ष 28 जनवरी को दीक्षान्त समारोह आयोजित किया जाता है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता इस महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालय से लाभान्वित हो रही है। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी निरन्तर प्रगति कर रहा है।

वर्तमान में मेडिकल कालेज मेरठ में आवश्यक आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित कुल 24 विभाग संचालित है जिनका विवरण निम्नवत हैः-

एनाटोमी, बायोकैमिस्ट्री, फोरेन्सिक मेडिसिन, माइक्रोबायलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, एस.पी.एम., मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, टी.बी. एण्ड चैस्ट, स्किन वी.डी., मानसिक रोग, सर्जरी (जनरल सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी/न्यूरो सर्जरी), आर्थोपेडिक्स, आफथलमोलॉजी, ई.एन.टी., गायनोकोलॉजी, रेडियोडायग्नोसिस, एनेस्थीसिया, डेन्टल सर्जरी, एच.एम.ई. रेडियोथिरेपी, फार्मेसी तथा पी.एम.आर.।

इस महाविद्यालय की स्थापना सन् 1966 में तत्कालीन मुख्यमंत्री, स्व0 श्री चन्द्र भानु गुप्त जी के कर कमलों द्वारा की गयी थी।

महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज, झाँसी

उत्तर प्रदेश शासन के नियंत्रणाधीन यह मेडिकल कॉलेज, झाँसी-कानपुर रोड पर झाँसी रेलवे स्टेशन से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कॉलेज का नाम स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी झाँसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया है। इसकी स्थापना वर्ष 1965 में हुई। तत्कालीन केन्द्रीय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ0 सुशीला नैय्यर द्वारा दिनांक 16.12.1965 को इसकी आधारशिला रखी गयी।

वर्ष 1968 में मेडिकल कॉलेज, झाँसी के लिये 50 छात्रों को प्रथमतः प्रवेश दिया गया तथा इनका पठन-पाठन मेडिकल कॉलेज, मेरठ में प्रारम्भ हुआ। वर्ष 1971 में प्रवेशित छात्रों का पठन-पाठन इसी कॉलेज में प्रारम्भ हुआ। शैक्षणिक सत्र 2011 से 100 छात्रों को प्रवेश दिया जा रहा है। वर्ष 1968 से 2013 तक 3047 छात्रों को एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जा चुका है तथा जून, 2014 तक 2735 छात्रों को एम.बी.बी.एस. की उपाधि प्रदान की जा चुकी है।

वर्ष 1980 से कॉलेज में एनाटामी, फिजियालौजी, फार्माकोलौजी, एस.पी.एम., पैथोलोजी, मेडिसिन, सर्जरी, ऑबस्टेट्रिक एवं गायनाकोलोजी, ऑपथैलमोलोजी, रेडियोलोजी, एनस्थीसियालोजी, ऑर्थोपैडिक्स, ई.एन.टी., पीडियाट्रिक्स विभागों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एम.डी./एम.एस./डिप्लोमा) प्रारम्भ हुये।

बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर

उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के गोरखपुर में बाबा राघवदास मेडिकल कालेज का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. चन्द्र भानु गुप्त द्वारा नवम्बर 1969 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि पूर्वान्चल की जनता को भरपूर स्वास्थ्य सेवा मिल सके। शिलान्यास के बाद कार्य तेजी से प्रारम्भ हो गया और 1972 में 50 छात्रों के पहले बैच का एम.बी.बी.एस. में प्रवेश लिया गया। वर्ष 1973 से यहाँ पर 100 छात्रों की भर्ती होने लगी। प्रारम्भिक अवस्था में शिक्षण कार्य राजकीय पालीटेक्निक, गोरखपुर में शुरू किया गया। लगभग डेढ़ वर्ष तक शिक्षण कार्य राजकीय पालीटेक्निक में चला इस बीच मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय का भवन बनकर तैयार हो गया। जनवरी 1974 में शिक्षण कार्य बाबा राघव

दास मेडिकल कॉलेज भवन में शुरू हो गया और 1975 में चिकित्सकीय कार्य नेहरू चिकित्सालय में होने लगा। चिकित्सकीय कार्य के लिए शुरुआत में 650 बिस्तरों युक्त अस्पताल की व्यवस्था रोगियों के लिए की गयी। बाद में क्षय रोग वार्ड 30 बिस्तर, न्यू बार्न 24 बिस्तर, प्राइवेट वार्ड (24 कमरे) आई.सी.यू. 6 बिस्तर, एपीडेमिक वार्ड नं. 12 (54 बिस्तर) एवं 14 (54 बिस्तर) शुरू हो गये। इसके अतिरिक्त 100 बेड का मस्तिष्क ज्वर वार्ड बन चुका है, एवं 500 बेड का बाल रोग संस्थान निर्माणाधीन है। शुरू से ही यह संस्थान गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है।

वर्ष 1978 में बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज को एम.बी.बी.एस. कोर्स की एम.सी.आई. मान्यता प्राप्त हो गयी। वर्ष 1980 में 08 विभागों में पीजी की सुविधा मिल गयी बाद में यहाँ पर कुल 13 विषयों में स्नातकोत्तर कोर्स शुरू हो गया। वर्ष 2007 के बाद वर्ष 2012 तक एम.डी., एम.एस. के लिए सर्जरी, ऑर्थोपैडिक्स, आब्स एवं गाईना., आफथलमोलोजी, फिजियालोजी, पैथोलोजी, एस.पी.एम. एनेस्थिसिया, पीडियाट्रिक्स, मेडिसिन और स्किन व बी.डी. में एम.सी.आई. की मान्यता मिल गयी है। कुछ विभागों में डिप्लोमा की सुविधायें प्रदान की गयी हैं।

बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर की विकास यात्रा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के लिए ही नहीं बल्कि बिहार व नेपाल के लिए भी काफी लाभदायक रही है। मस्तिष्क ज्वर व बीमार नवजातों के उपचार के लिए यह प्रमुख संस्थान है। इस मेडिकल कॉलेज में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 12 जिलों के रोगी आते हैं। साथ ही बिहार के 5 जिलों और नेपाल के 2 जिलों के रोगियों की चिकित्सा सुविधा के लिए यह प्रमुख संस्थान है। इस संस्थान में मस्तिष्क ज्वर के मरीजों के लिए चिकित्सीय सुविधाएं एवं दवाएं मुफ्त में उपलब्ध करायी जाती हैं।

वर्तमान में इस संस्थान में न्यूरोलोजी, कार्डियोलाजी, नेफ्रोलोजी, एवं ट्रामा से संबंधित मरीजों को चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस चिकित्सालय में कैंसर जैसे घातक बीमारी के इलाज की सुविधा है। इस संस्थान में सेन्ट्रल पैथालोजी में 24 घंटे सभी चिकित्सीय परीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं, साथ ही ब्लड बैंक भी 24 घंटे सुचारु रूप से कार्यरत है तथा जापानी मस्तिष्क ज्वर जैसी गंभीर बीमारी से विकलांग हुए मरीजों के समुचित इलाज के लिए पी.एम.आर. सेंटर की अलग से स्थापना की गयी है। असाध्य रोगों के इलाज के लिए बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में सभी चिकित्सीय सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध हैं। मेडिसिन विभाग के अन्तर्गत एच.आई.वी./एड्स से संबंधित मरीजों की जाँच ए.आर.टी. सेंटर में उपलब्ध है। इस संस्थान में मनोविकास केन्द्र एवं नशा मुक्ति केन्द्र भी उपलब्ध हैं।

हृदय रोग संस्थान, कानपुर

संस्थान का अभ्युदय

प्रदेश में हृदय रोग के उपचार एवं हार्ट सर्जरी के लिए कोई चिकित्सा संस्थान नहीं था। प्रदेश के हृदय रोगी प्रदेश के बाहर दिल्ली, मुम्बई, बंगलौर आदि उपचार के लिए जाते थे। प्रदेश की गरीब जनता के लिए प्रदेश के बाहर जाकर मंहगा इलाज कराया जाना सम्भव नहीं था। अतः प्रदेश सरकार ने कानपुर में हृदय रोग के उपचार के लिए एक चिकित्सा संस्थान विकसित किये जाने का निर्णय लिया। कानपुर में हृदय रोग संस्थान की स्थापना वर्ष 1975 में की गयी। संस्थान भवन का निर्माण जे.के. चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दान स्वरूप किया गया और इस संस्थान का लक्ष्मीपति सिंहानिया हृदय रोग संस्थान नामकरण किया गया।

संस्थान का विकास

संस्थान के समग्ररूप से संचालन हेतु संस्थान के प्रोफेसर-निदेशक को पूर्ण वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार प्रदान किये गये तथा संस्थान के निदेशक को चिकित्सा अधीक्षक भी घोषित किया गया। संस्थान के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार साज-सज्जा, उपकरणों एवं मशीनों की स्थापना की गयी तथा नये पदों का सृजन किया गया। इस तरह प्रदेश में हृदय रोग संस्थान, कानपुर पहला हृदय रोग चिकित्सा का केन्द्र बनकर विकसित हुआ।

शिक्षण-प्रशिक्षण एवं शोध कार्यक्रम

1. यह संस्थान सुपर स्पेशिलिटी हास्पिटल है इसमें डी0एम0 (कार्डियोलॉजी) एवं एम0सी0एच0 (सी0वी0टी0एस0) के पाठ्यक्रम संचालित हैं और पठन-पाठन में शिक्षण-प्रशिक्षण के साथ सुपर स्पेशिलिटी हृदय रोगियों का उपचार एवं निदान कार्य के साथ हृदय शल्य क्रिया भी होती है। डी0एम0 एवं एम0सी0एच0 की डिग्रियाँ कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाती हैं।
2. संस्थान द्वारा चलाया जा रहा डी0एम0 (कार्डियोलॉजी) एवं एम0सी0एच0 (कार्डियोवैक्कुलर तथा थोरैसिक सर्जरी) कोर्स एम0सी0आई0 द्वारा मान्यता प्राप्त है।
3. एम0सी0आई0 द्वारा कार्डियक एनेस्थीसिया की नवसृजित अतिविशिष्टता के शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु एक वर्षीय पी0डी0सी0सी0 (पोस्ट डाक्टरल सर्टिफिकेट कोर्स इन कार्डियक एनेस्थीसिया) पाठ्यक्रम शासन द्वारा प्रारम्भ किया गया है जिसके अन्तर्गत 5 छात्र प्रतिवर्ष प्रशिक्षित हो रहे हैं। निकट भविष्य में डी0एम0 कार्डियक एनेस्थीसिया का त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की योजना है।
4. पैरामेडिकल पाठ्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में डिप्लोमा इन ओ0टी0 टेक्नीशियन तथा डिप्लोमा इनकार्डियालॉजी टेक्नीशियन का कोर्स शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप प्रारम्भ किया गया है। जिसके अन्तर्गत ओ0टी0 टेक्नीशियन एवं कार्डियक टेक्नीशियन के 30-30 अभ्यर्थी वर्ष 2010-11 से प्रशिक्षणरत हैं।
5. विजिटिंग सर्जन के रूप में वर्ष में एक दो बार यूनिवर्सिटी हास्पिटल लुण्ड, स्वीडन से डॉ0 बंशी कौल एक-एक सप्ताह के लिए आकर शिक्षण-प्रशिक्षण, पठन-पाठन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं और छात्र आधुनिकतम तकनीकों से अवगत हो रहे हैं।
6. माह में एक या दो बार एस0जी0पी0जी0आई0 से तथा वर्ष में तीन या चार बार देश के अन्य प्रमुख हार्ट सेन्टरों के प्रख्यात सर्जनों के साथ वर्कशाप आयोजित की जाती है जिससे संस्थान के पठन-पाठन, शिक्षण-प्रशिक्षण का स्तर उच्चस्तरीय हुआ है।
7. डी0एम0 (कार्डियोलॉजी) एवं एम0सी0एच0 (सी0वी0टी0एस0) कोर्स उत्तीर्ण करने के उपरान्त यहां के छात्र देश के प्रमुख हार्ट सेन्टरों में कार्यरत हैं।
8. संस्थान में किये जा रहे शोध कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली कान्फ्रेन्सों में प्रस्तुत करने के साथ-साथ प्रमुख जर्नल्स में प्रकाशित करने का कार्यक्रम भी सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है।

जे.के. कैंसर संस्थान, कानपुर

जे.के. कैंसर संस्थान की स्थापना वर्ष 1955 में जे.के. चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा उदारपूर्ण दान देने के उपरान्त हुई थी। संस्थान की स्थापना जी.एस.वी.एम. मेडिकल कॉलेज, कानपुर में की गई है।

संस्थान की आधार शिला प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद द्वारा 24 मई 1956 को रखी गई तथा संस्थान वर्ष 1961 में बनकर तैयार हुआ।

कोलाम्बो प्लान के अन्तर्गत संस्थान को रेडियम एवं कोबाल्ट (नीडिल्स एवं ट्यूब्स) तथा रेडियोथेरेपी मशीन कोबाल्ट 60 सी-।। मशीन कनाडा सरकार द्वारा उपहार में कैंसर रोगियों के उपचार हेतु प्रदान की गई थी। जिसका उद्घाटन श्री महाबीर प्रसाद तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री उ.प्र. सरकार द्वारा कैनिडियन उच्चायुक्त की उपस्थिति में 4 अप्रैल 1961 को किया गया। पुनश्च रेडियम बिंग का उद्घाटन 13 दिसम्बर 1961 में स्व. जे.एल. रोहतगी, तत्कालीन समाज कल्याण मंत्री भारत सरकार द्वारा किया गया।

जे.के. कैंसर संस्थान का विधिवत उद्घाटन 12 मई 1963 को तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित जवाहर लाल नेहरू के कर कमलों द्वारा किया गया।

इस संस्थान का प्रारम्भिक उद्देश्य कैंसर उपचार से संबंधित अध्ययन तथा शोध को बढ़ावा देना था। प्रारम्भ से ही इस संस्थान में कैंसर ग्रसित रोगियों का उपचार, शल्य चिकित्सा, कीमोथेरेपी तथा रेडियोथेरेपी द्वारा किया जाता रहा है। रेडियोथेरेपी दो तरह से दी जाती थी : ब्रेकीथेरेपी (रेडियम 226 कोबाल्ट 60 नीडिल्स ट्यूब्स) तथा टेलीथेरेपी (सुपरफिशियल, डीप एक्सरे तथा कोबाल्ट यूनिट) द्वारा की जाती रही है।

आधुनिक रेडियोथेरेपी उपकरण जैसे- कोबाल्ट 60 (फिनिक्स, थ्रेट्रान 780 ई), लीनियर एक्सीलिरेटर, मैनुअल तथा रिमोट आफ्टर लोडिग ब्रेकीथेरेपी , 2-डी तथा 3-डी ट्रीटमेन्ट प्लानिंग सिस्टम तथा अन्य आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता के कारण रेडियोथेरेपी उपचार में क्रान्तिकारी परिवर्तन आया है। इससे न सिर्फ रोगियों के ठीक होने के प्रतिशत में बढ़ावा हुआ है अपितु रोगियों के जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ी है।

जे0के0 कैंसर संस्थान को जी0एस0वी0एम0 मेडिकल कालेज कानपुर का अंग मानते हुये छत्रपतिशाहू जी महराज विश्विद्यालय कानपुर से शैक्षणिक उपाधि हेतु समबद्ध किया गया। संस्थान में रोगियों के लिये 106 शैय्याओं की व्यवस्था है। पैथालोजी, बायोकेमिस्ट्री, विकिरण निदान, मेडिकल फिजिक्स, डेन्टल, रेडियोआइसोटोप तथा शल्य चिकित्सा विभाग की स्थापना की गई तथा उक्त विशेषताओं के विशेषज्ञों के पदों का सृजन करते हुये उनकी नियुक्ति की गई।

जे0के0 संस्थान एक ऐसा संस्थान है, जिसमें न केवल उ0प्र0 बल्कि निकटवर्ती प्रदेशों एवं देशों जैसे- मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, नेपाल इत्यादि के रोगियों को चिकित्सा प्रदान की जाती है। संस्थान द्वारा गरीब तथा अनाथ रोगियों का उपचार उ.प्र. सरकार के निर्देशों के अनुरूप निःशुल्क किया जाता है। संस्थान का सम्पूर्ण प्रशासकीय एवं वित्तीय नियंत्रण उ.प्र. सरकार के अधीन है।

नर्सिंग कॉलेज, कानपुर

प्रदेश की विशाल जनसंख्या की स्वास्थ्य परिचर्या की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए शासन

ने पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित उपचारिकाओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कॉलेज आफ नर्सिंग, कानपुर की स्थापना का निर्णय शासनादेश संख्या 201/चिकित्सा-चार-2119/69 दिनांक 22-3-1972 के द्वारा किया गया। प्रारम्भ में इसका संचालन पृथक भवन के निर्माण होने तक लाला लाजपत राय चिकित्सालय, कानपुर से सम्बद्ध पोस्ट सर्टिफिकेट स्कूल में प्रारम्भ हुआ।

राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं सुपर फैसेलिटी हॉस्पिटल, आजमगढ़

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्वांचल में चिकित्सा सुविधाओं की कमी को देखते हुए दिनांक-08.05.2006 को एक शासनादेश द्वारा 500 शैय्यायुक्त राजकीय मेडिकल कालेज एवं सुपर फैसेलिटी हास्पिटल की स्थापना की कार्यवाही आजमगढ़ शहर से 18 किमी0 दूर चक्रपानपुर-कनैला ग्राम सभा, जो कि महापंडित राहुल सांकृत्यायन की जन्मभूमि है, वहां 85 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर प्रारम्भ की गई। मेडिकल कालेज में 100 छात्रों के प्रवेश हेतु एम0सी0आई0 से निरीक्षणोपरान्त वर्ष 2013 में प्रवेश हेतु अनुमति (एल.ओ.पी.) प्राप्त कर सितम्बर 2013 में 100 मेडिकल छात्रों (प्रथम बैच) के प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण कर इनका शिक्षण एवं प्रशिक्षण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। शैक्षणिक वर्ष 2017-18 में पंचम बैच के प्रवेश हेतु एम.सी.आई. से अनुमति प्राप्त हो चुकी है।

राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, कन्नौज

इस चिकित्सा महाविद्यालय को सन् 2012 में एम.बी.बी.एस. के छात्रों के प्रवेश हेतु मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया से मान्यता प्राप्त हुई। जिससे इस चिकित्सा महाविद्यालय में एम.बी.बी.एस. के 100 छात्रों का प्रवेश हुआ। चिकित्सालय में वाह्य रोगी विभाग की शुरुआत सन् 2009 में एवं अन्तः रोगी विभाग की शुरुआत सन् 2011 में हुई। जिससे कन्नौज एवं समीपवर्ती जनपदों के निवासियों को चिकित्सकीय सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस चिकित्सा महाविद्यालय में मरीजों की शल्य क्रिया, प्रसव रक्त की जाँच, रक्तकोष, एक्स-रे, अल्ट्रासाउण्ड, सी.टी. स्कैन आदि की सुविधायें मुहैया करायी जा रही हैं। गरीब मरीजों को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधायें जैसे कि बी.पी.एल. कार्ड धारकों को मुफ्त इलाज एवं जननी सुरक्षा योजना आदि की सुविधायें भी प्रदान की जा रही हैं।

राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, जालौन (उरई)

राजकीय मेडिकल कॉलेज, जालौन (उरई) स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के तहत प्रारम्भ किया गया था, जिसका शिलान्यास वर्ष 2006 में हुआ था एवं ओ.पी.डी. का शुभारम्भ अप्रैल, 2009 से कर दिया गया था। राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन (उरई) उ.प्र. की स्थापना से लगभग एक करोड़ से ज्यादा की आबादी के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधायें मिलना शुरू हो गयी हैं। वर्तमान में इस राजकीय मेडिकल कालेज में एम.बी.बी.एस. के चतुर्थ वर्ष के छात्र अध्ययनरत हैं।

राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, अम्बेडकर नगर

इस चिकित्सा महाविद्यालय को सन् 2011 में एम.बी.बी.एस. के छात्रों के प्रवेश हेतु मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया से मान्यता प्राप्त हुई। जिससे इस चिकित्सा महाविद्यालय में एम0बी0बी0एस0 के 100 छात्रों का प्रवेश हुआ। वर्तमान में 300 छात्र/छात्राएं इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं। चिकित्सालय में वाह्य रोगी सेवा संचालित है। जिससे अम्बेडकर नगर एवं समीपवर्ती जनपदों के निवासियों को चिकित्सकीय सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

इस चिकित्सा महाविद्यालय में मरीजों की शल्य क्रिया, प्रसव, रक्त की जाँच, रक्तकोष, एक्स-रे, अल्ट्रासाउण्ड, सी.टी.स्कैन आदि की सुविधायें मुहैया करायी जा रही है। गरीब मरीजों को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधायें जैसे कि बी.पी.एल. कार्ड धारकों को मुफ्त इलाज एवं जननी सुरक्षा योजना आदि की सुविधायें भी प्रदान की जा रही हैं।

राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय, सहारनपुर

इस चिकित्सा महाविद्यालय को सन् 2015 में एम.बी.बी.एस. के छात्रों के प्रवेश हेतु मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया से मान्यता प्राप्त हुई। जिससे इस चिकित्सा महाविद्यालय में एम.बी.बी.एस. के 100 छात्रों का प्रवेश हुआ। वर्तमान में 100 छात्र/छात्राएँ इस चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत् हैं। चिकित्सालय में वाह्य एवं अन्तःरोगी सेवा संचालित है। जिससे सहारनपुर एवं समीपवर्ती जनपदों के निवासियों को चिकित्सकीय सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है।

इस चिकित्सा महाविद्यालय में मरीजों की शल्यक्रिया, प्रसव रक्त की जाँच, रक्तकोष, एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड आदि की सुविधाएं मुहैया करायी जा रही है। गरीब मरीजों को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं जैसे कि बी.पी.एल. कार्ड धारकों को मुफ्त इलाज एवं जननी सुरक्षा योजना आदि की सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है।

संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ

संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की स्थापना वर्ष 1983 में उत्तर प्रदेश राज्य अधिनियम के अधीन टर्सरी रोगी परिचर्या, शिक्षण एवं शोध संस्थान के राज्य विश्वविद्यालय के रूप में की गई है।

संस्थान के उद्देश्य निम्नवत् निर्धारित हैं-

(क) चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में वर्तमान अतिविशिष्ट विषयों के लिए और ऐसे अन्य विषयों के लिए जिनका भविष्य में आविर्भाव हो, चिकित्सा परिचर्या, शिक्षा एवं उच्च स्तर की शोध सुविधाओं की जिसके अंतर्गत चिकित्सा शिक्षा को जारी रखना भी है, व्यवस्था करने के लिए एक उत्कृष्ट केन्द्र का सृजन करना है।

(ख) अति विशिष्ट विषयों में स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में प्रशिक्षण के प्रतिरूपों का विकास करना जिससे चिकित्सा शिक्षा का उच्च स्तर स्थापित हो सके।

(ग) पैरामेडिकल और सम्बद्ध क्षेत्रों में विशेष रूप से अतिविशिष्ट विषयों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

संस्थान में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 19 ऑपरेशन थियेटर क्रियाशील हैं जिनमें सर्जिकल गैस्ट्रोइन्टोलॉजी, कार्डियक सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, इन्डो सर्जरी, सामान्य अस्पताल, आथ्थलमोलॉजी एवं ई.एन.टी. की शल्य क्रियाएँ सफलता से संचालित की जा रही हैं। संस्थान द्वारा पूर्णरूपेण समाहित चिकित्सा सेवाओं का परिणाम है कि संस्थान में प्रदेश की जनता ही नहीं वरन प्रदेश के समीपवर्ती राज्यों जैसे- मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, राजस्थान के भी काफी संख्या में रोगी अपने उपचार के लिए संस्थान में आते हैं। हमें यह बताते हुए गौरव होता है कि संजय गाँधी संस्थान में समीपवर्ती देशों, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका एवं पाकिस्तान से भी रोगी अपनी चिकित्सा के लिए आते हैं जिन्हें संस्थान द्वारा विशिष्ट चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

संस्थान में अभी हाल में ही आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित हाईएनर्जी लीनियर एक्सीलरेटर स्थापित एवं क्रियाशील किया जा चुका है जो कि देश में किसी भी राजकीय चिकित्सालय/संस्थान में प्रथम है, जिसका उपयोग संस्थान में आने वाले कैंसर रोग से ग्रसित रोगियों की चिकित्सा में किया जा रहा है। इसी के साथ ही साथ संस्थान द्वारा रीजनल कैंसर सेन्टर एवं मेडिकल आंकोलॉजी विभाग एवं टेलीमेडिसीन विभाग स्थापित किया जा चुका है। संस्थान द्वारा देश एवं प्रदेश के विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों को टेलीकान्फ्रेन्सिंग द्वारा चिकित्सकीय परामर्श दिया जा रहा है।

डॉ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ

डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान वर्ष 2006 से एक सोसाइटी के रूप में स्थापित होकर शासन की एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में कार्यरत है। संस्थान चिकित्सालय में इन्डोर एवं आउटडोर की चिकित्सा सेवायें सुचारु रूप से संचालित हैं। भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त करने के उपरान्त संस्थान में डी.एम., एम.सी.एच., एम.डी., एम.एस., पीएच.डी. जैसे स्नातकोत्तर एवं परास्नातकोत्तर (पोस्ट पी.जी.) कोर्स संचालित हैं जिनमें छात्र/छात्रायें अध्ययनरत हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार एवं एम.सी.आई. से प्राप्त अनुमति के क्रम में वर्ष 2017-18 में 150 सीट का एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ हो रहा है।

सेन्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, उ.प्र., लखनऊ

इस शोध एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना वर्ष 2001 में एस0जी0पी0जी0आई0 के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त वित्तीय सहायता से की गयी थी। इस केन्द्र द्वारा किये जा रहे शोध एवं अनुसंधान संबंधी कार्यों के महत्त्व तथा सर्वसमाज के कल्याणार्थ इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2006 में इस केन्द्र को सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत कराकर स्वायत्तशासी केन्द्र के रूप में स्थापित किया गया है।

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा

विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2005 में एस.जी.पी.जी.आई., लखनऊ के अधिनियम-1983 की धारा-3 के अधीन सैटेलाइट केन्द्र के रूप में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को विशिष्ट चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संस्थान के रूप में की गयी थी। जिसे वर्ष 2005 में उ0प्र0 ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई अधिनियम-2005 द्वारा दिनांक 12.12.2005 को वर्ष 2016 में उक्त संस्थान को दिनांक 05.06.2016 को उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा के रूप में परिवर्तित किया गया है।

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ.प्र., लखनऊ

मेडिकल कालेज की स्थापना के साथ-साथ संक्षिप्त इतिहास

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ पूर्व में किंग जार्ज मेडिकल कॉलेज, लखनऊ के रूप में अक्टूबर 1911 में 5 विभागों के साथ स्थापित हुआ था। 16 सितम्बर 2002 में इसे उच्चीकृत करते हुए छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ कर दिया गया। वर्तमान में नाम परिवर्तित कर किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ कर दिया गया है। चिकित्सा विश्वविद्यालय का उद्देश्य चिकित्सा/दन्त विज्ञान के क्षेत्र में विकसित नई विशिष्ट

चिकित्सा सुविधाओं की स्थापना करना एवं सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स केन्द्र सृजित करना एवं सुपर स्पेशियलिटी के विभागों की स्थापना, ट्रामा सेन्टर, परिचर्या प्रशिक्षण केन्द्र का विकास करना, पुनः उत्पादक एवं जनसंख्या नियंत्रक अनुसंधान का विकास करना, जैनेटिक्स विभाग विकसित करना, पर्यावरण एवं प्रदूषण संस्थान विकसित करना, ट्रान्सफ्यूजन चिकित्सा का विकास एवं अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये केन्द्र आदि की स्थापना करना। चिकित्सा विश्वविद्यालय के अन्तर्गत प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल/डेण्टल कॉलेज एवं पैरामेडिकल कोर्सों के लिये सम्बद्धता का प्राधिकार प्रदान किया है। जनपद बलरामपुर में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0 लखनऊ का सेटेलाईट कैम्पस की स्थापना की कार्यवाही प्रगति पर है।

सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थान, सेक्टर-30 नोएडा

संस्थान में माह अक्टूबर, 2013 से वाह्य रोगी सेवायें संचालित हो रही हैं, जिससे प्रतिदिन लगभग 600 रोगी लाभान्वित हो रहे हैं। संस्थान में अन्तः रोगी सेवाएं 01 अप्रैल, 2016 से संचालित हो रही हैं जिससे प्रतिदिन 60-80 मरीज भर्ती रहते हैं। संस्थान में इमरजेन्सी, आई.सी.यू., एन.आई.सी.यू., सी.सी.यू., सी.टी.वी.एस.-आई.सी.यू. एवं एस.आई.सी.यू. की सेवायें संचालित हो रही हैं, जिसमें गम्भीर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। संस्थान में 20 विभाग क्रियाशील हैं एवं सभी विभागों में संकाय सदस्य मरीजों को अपनी सेवायें दे रहे हैं। संस्थान में 01 इमरजेन्सी एवं 03 विभागीय ओ0टी0 क्रियाशील हैं। उपकरण मद में धन उपलब्ध होने के उपरान्त शेष 05 ओ0टी0 भी क्रियाशील कर दी जायेगी। संस्थान में उच्च गुणवत्ता के 07 वेण्टीलेटर क्रिशली है एवं 03 वेण्टीलेटर की आपूर्ति प्रक्रियाधीन है। नियोनेटोलॉजी विभाग में 20 वार्मर बेड एवं 12 फोटोथेरेपी मशीन युक्त एन0आई0सी0यू0 क्रियाशील है। संस्थान में अल्ट्रासाउण्ड, ए0बी0जी0, हार्मोन्स सहित अन्य सभी जांचों की सुविधा उपलब्ध है। संस्थान में 02 डायलिसिस मशीन क्रियाशील है जिससे संस्थान में आने वाले मरीजों हेतु डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। संस्थान में सी0टी0, एम0आर0आई0 एवं कैथलैब आदि की सुविधाएं प्रदान करने हेतु उपकरण क्रय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। संस्थान में शीघ्र ही सी0टी0वी0एस0 ओ0टी0 प्रारम्भ की जायेगी। संस्थान में एण्डोस्कोपी हेतु उच्च गुणवत्तायुक्त सभी एण्डोस्कोप उपलब्ध है, जिससे 0-18 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों की एण्डोस्कोपी की जा रही है। संस्थान में हीमेटोऑन्कोलॉजी विभाग क्रियाशील है, जिसमें थैलेशीमियाँ एवं ब्लड कैंसर आदि का इलाज किया जा रहा है। संस्थान में टी0बी0, ब्लड कल्चर एवं सेन्सटिविटी आदि की जांच हेतु अत्याधुनिक आटोमेटिक मशीने उपलब्ध है। संस्थान में ब्लड बैंक प्रारम्भ करने हेतु सभी सम्बन्धित उपकरणों के क्रयादेश निर्गत किये जा चुके हैं एवं 15 जुलाई, 2017 से ब्लड बैंक पूर्णरूप से क्रियाशील किया जाना प्रस्तावित है। संस्थान में नेत्ररोग विभाग पूर्णरूप से क्रियाशील है, जिसमें सभी उच्च गुणवत्ता की अत्याधुनिक मशीने स्थापित की गयी है। नेत्र विभाग में माह अगस्त से फैको एवं लेजन आदि सेवाएं प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। ई0एन0टी0, ऑर्थोपेडिक्स, फिजियोथेरेपी, पीडियाट्रिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी आदि विभाग क्रियाशील हैं। संस्थान में पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी विभाग क्रियाशील है, जिसमें ई0ई0जी0 एवं ई0एम0जी0 आदि की जांचे उपलब्ध है।

राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर

संस्थान का संचालन तीन चरणों में सम्पादित किया जा रहा है। प्रथम चरण के अन्तर्गत वाह्य रोगी विभाग का संचालन, द्वितीय चरण में न्यूनतम 500 बेड के चिकित्सालय का संचालन तथा तृतीय चरण

में शैक्षणिक सत्र का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में संस्थान व सम्बद्ध चिकित्सालय के अन्तर्गत चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनियुक्ति पर तैनात पी.एम.एच.एस. संवर्ग के विषय विशेषज्ञों के द्वारा ओ.पी.डी. का संचालन दिनांक 02 अप्रैल, 2013 से किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः मेडिसिन, नेत्र रोग, सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, बाल रोग, दन्त रोग, नाक-कान व गला रोग, प्रसूति एवं स्त्री रोग, चर्म रोग के विभाग सम्मिलित हैं। मार्च 2017 तक लगभग 644387 रोगियों को चिकित्सीय सुविधायें प्रदान की जा चुकी हैं। वाह्य रोगी विभाग से प्रतिदिन लगभग 1000-1200 रोगी लाभन्वित हो रहे है। वाह्य रोगी विभाग द्वारा मरीजों को चिकित्सीय सुविधाओं के साथ-साथ औषधियों की सुविधा, एवं ई0सी0जी0 की सुविधा नियमित रूप से प्रदान की जा रही है। चिकित्सालय में आकस्मिक, चिकित्सीय सेवायें एवं आई0पी0डी0 का संचालन 15 अगस्त, 2014 से किया जा रहा है। 30 शैय्यामुक्त आकस्मिक एवं सामान्य वार्ड क्रियाशील हैं तथा प्रसव की सुविधायें भी उपलब्ध हैं। चिकित्सालय में रोगियों को 08 काउन्टर पर औषधि का वितरण नियमित रूप से किये जाने की सुविधा उपलब्ध की गई है।

एम.सी.आई. के मानकों के अनुसार शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों का सृजन किया जा चुका है। संस्थान को संचालित करने के लिए संस्थान की सोसाइटी के बायलॉज का पख्यान करते हुए पंजीकृत कराया जा चुका है। एम.बी.बी.एस. के प्रथम वर्ष के पठन-पाठन हेतु आवश्यक औपचारिकताएं गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय मे बुद्धिज्म एवं हेरिटेज विभाग हेतु चिन्हित संकाय भवन में पूर्ण कर ली गयी हैं। एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम (100 सीट) हेतु एम.सी.आई. का निरीक्षण हेतु आवेदन किया जा रहा है।

सुपर स्पेशियलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट एण्ड हास्पिटल, चक गंजरिया, लखनऊ

जनपद-लखनऊ के चक गंजरिया में 100 एकड़ भूमि पर उच्च स्तरीय कैंसर संस्थान का निर्माण सिग्नेचर बिल्डिंग के रूप में कराये जाने हेतु शासनादेश दिनांक-26.02.2015 द्वारा रु0 854.5145 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी। निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा कराया जा रहा है। कैंसर संस्थान, लखनऊ में ओ.पी.डी. सेवायें प्रारम्भ कर दी गयी हैं।

प्रथम चरण में संस्थान के संचालन हेतु निदेशक तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन किया जा चुका है। संस्थान का संचालन सोसाइटी बायलॉज के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है।

कैंसर-विज्ञान क्षेत्र में, चिकित्सा, शिक्षा एवं शोध की उच्च स्तरीय सुविधाओं सहित एक श्रेष्ठतम केन्द्र, जिसमें कैंसर-विज्ञान एवं उससे संबंधित विशिष्टिताओं एवं अति विशिष्टताओं में एक उच्च स्तरीय चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में अध्यापन के नये तरीकों का विकास करने एवं पराचिकित्सा के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रशिक्षण प्रदापन करने के उद्देश्य से इस अति विशिष्ट कैंसर संस्थान एवं अस्पताल, लखनऊ की स्थापना एक सोसाइटी के अन्तर्गत दिनांक 08.03.2016 को की गयी है। इस हेतु सरकार द्वारा चक गंजरिया, सुल्तानपुर रोड की भूमि में से 100 एकड़ भूमि उपलब्ध करायी गयी थी, जिसमें से अन्य जोनल निर्माण एवं स्थापना सुविधाओं के विकास के पश्चात शेष भूमि पर उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ द्वारा विभिन्न भवनों का निर्माण आदि कराया जा रहा है। जिसमें से वाह्य-रोगी विभाग का भवन लगभग निर्मित हो चुका है, जिसमें रोगी उपचार सेवा को अतिशीघ्र प्रारम्भ किये जाने से संबंधित समस्त अपेक्षित प्रशासनिक एवं साज-सज्जा व उपकरणों आदि की व्यवस्था हेतु कार्यवाही युद्ध स्तर पर चल रही है।

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास

प्रदेश की युवा शक्ति को कुशल कर्मकार के रूप में तैयार करने और उन्हें व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार योग्य बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 में दिनांक : 13 फरवरी, 2010 को पृथक रूप से व्यावसायिक शिक्षा विभाग का गठन किया था। वित्तीय वर्ष 2013-14 में विभाग के नाम में कौशल विकास शब्द को सम्मिलित करते हुए विभाग का नाम व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग कर दिया गया है। विगत 05 वर्षों में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग ने कौशल विकास प्रशिक्षण के क्षेत्र में अभूतपूर्व गुणात्मक सुधार करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्डों के अनुरूप उच्च स्तरीय गुणवत्तापरक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से अनेक नवीन परियोजनायें एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संचालित कराया है।

व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाएं, मुख्य कार्य एवं उपलब्धियाँ निम्नवत हैं–

1. प्रदेश में कुल 300 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं। जिनमें से 48 संस्थानों में महिला शाखा भी संचालित है। इन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की कुल प्रशिक्षण क्षमता 1,34,348 सीटों की है।
2. विगत 01 वर्ष में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एस.सी.वी.टी. में संचालित व्यवसायों की 86,112 प्रशिक्षण सीटों की मान्यता राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.वी.ई.टी.), भारत सरकार से प्राप्त की गई है, जिसके फलस्वरूप राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एन.सी.वी.ई.टी. मान्यता प्राप्त सीटों की संख्या क्रमिक रूप से 1,18,992 हो गई है।
3. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण सत्र अगस्त, 2018 में राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एस.सी.वी.टी), उ.प्र. की ऑन-लाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से कुल उपलब्ध अधिकतम 1,23,319 सीटों के विरुद्ध 1,08,263 सीटों पर अभ्यर्थियों को प्रवेश कराया गया है।
4. प्रदेश के 115 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का भारत सरकार सहायतित पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पी.पी.पी.) योजना के अन्तर्गत उद्योगों की सहभागिता से उच्चीकरण कराया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत उच्चीकरण हेतु भारत सरकार से प्रति संस्थान रु. 2.50 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है।
5. प्रदेश में 2842 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (गैर अनुदानित) स्थापित/संचालित हैं, जिनमें

प्रशिक्षण हेतु 4,23,807 सीटें उपलब्ध हैं। प्रशिक्षण सत्र अगस्त, 2018 में राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एस.सी.वी.टी.), उ.प्र. के माध्यम से कुल उपलब्ध अधिकतम 3,76,591 सीटों के विरुद्ध 2,57,175 सीटों पर अभ्यर्थियों का प्रवेश कराया गया है।

6. विगत 05 वर्षों से प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या उनकी प्रशिक्षण क्षमता में विस्तार करते हुये 80,000 प्रशिक्षण सीटों की वृद्धि नये व पूर्व से संचालित संस्थानों में की गयी है।

7. प्रदेश के सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ई-कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान की गयी है।

8. प्रदेश के 40 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 40 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कराकर संचालित किए गए हैं।

9. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता संवर्धन के उद्देश्य से आई.टी. लैब तथा स्मार्ट क्लास रूम स्थापित कराकर संचालित किये गये हैं। साथ ही साथ प्रदेश के समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षार्थियों को वर्दी/डांगरी तथा बुक बैंक के माध्यम से निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराकर प्रशिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है।

10. शिशिक्षुता प्रशिक्षण योजना के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को उद्योगों में अधिक से अधिक संख्या में नियोजित कर उद्योगों की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान कराने के उद्देश्य से योजना को राष्ट्रीय शिशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एन.ए.पी.एस.) के रूप में ऑन-लाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।

11. राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, साकेत-मेरठ तथा करौंदी-वाराणसी को केन्द्र सरकार के सहयोग से मॉडल आई.टी.आई. के रूप में विकसित किया जा रहा है।

12. प्रदेश सरकार द्वारा उद्योगों में प्रयोग में लाये जा रहे विभिन्न तकनीक व्यावसायिक कौशलों का ज्ञान राजकीय आई.टी.आई. में प्रशिक्षणरत प्रशिक्षार्थियों को उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से विभिन्न प्रतिष्ठित उद्योगों/अधिष्ठानों यथा– एन.टी.पी.सी., भारत इलेक्ट्रानिक्स लि. मेजा ऊर्जा, रिलायन्स पावर, टाटा मोटर्स, मारुति-सुजुकी इण्डिया लि., टोयोटा मोटर्स, इण्डिया यामहा मोटर्स प्रा.लि., महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लि., सैमसंग इण्डिया लि., आई.सी.आई.सी.आई. लि. तथा रॉयल एनफील्ड आदि से एम.ओ.यू. के माध्यम से सहभागिता की गयी है।

13. उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा संचालित प्रशिक्षण सम्बन्धी योजनाओं के अंतर्गत संचालित अल्पकालीन कौशलपरक व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को एकीकृत कर प्रारम्भ किया गया है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने अपने गठन से वर्तमान तक लगभग 9.09 लाख से अधिक युवाओं को प्रवेशित/पंजीकृत किया गया है, जिनमें से 6.56 लाख से अधिक को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

14. उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा वर्तमान तक कुल 4.00 लाख से अधिक युवाओं को दक्षता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जा चुका है, जिनमें से 2.82 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार/स्वरोजगार से जोड़कर सेवायोजित कराया गया है।

15. उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उद्योगों की सहभागिता को बढ़ाने के उद्देश्य से 28 प्रतिष्ठित औद्योगिक इकाइयों के साथ एम.ओ.यू. किए गए हैं।
16. विश्व कौशल प्रतियोगिता, 2019 में प्रतिभाग हेतु राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में प्रदेश के प्रशिक्षार्थियों को भेजा गया, जिनमें से 03 प्रशिक्षार्थियों को स्वर्ण, 03 को रजत, 04 को कांस्य पदक प्राप्त हुए।
17. कजान, रूस में आयोजित हो रही विश्व कौशल प्रतियोगिता, 2019 में प्रथम बार प्रतिभाग हेतु चयनित प्रदेश के 04 प्रशिक्षार्थियों को रूस भेजा जा रहा है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण से सम्बन्धित गतिविधियाँ

भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय के अन्तर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय के अधीन राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.वी.ई.टी.) नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक अधिष्ठानों तथा राजकीय व निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं के माध्यम से निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं का संचालन व क्रियान्वयन किया जाता है :

- शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सी.टी.एस.)
- शिशिक्षुता प्रशिक्षण योजना (ए.टी.एस)
- शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (सी.आई.टी.एस.)
- अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम- उ.प्र. कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित

- **शिल्पकार प्रशिक्षण योजना**

देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण योजना है, जो कि वर्तमान एवं भविष्य की जनशक्ति की आवश्यकताओं की मांग के अनुरूप पूर्ति करने के लिये शिल्पकारों को तैयार कर रही है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सम्पूर्ण रूप से उपरोक्त योजना के क्रियान्वयन में दिन-प्रतिदिन के प्रशासन व अनुश्रवण की जिम्मेदारी एवं आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना विभाग का दायित्व एवं जिम्मेदारी है। साथ ही एन.सी.वी.ई.टी. से सम्बद्धता प्राप्त निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित प्रशिक्षण का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण भी विभाग द्वारा सम्पादित कराये जाते हैं। प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का कार्य भी उनसे वर्तमान मांग के आधार पर किया जाता है, जिससे वर्तमान में उद्योगों, प्रतिष्ठानों की जरूरतों के अनुसार उन्हें दक्ष कामगार उपलब्ध हो सकें।

वर्तमान में प्रदेश के समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत 69 अभियान्त्रिकी/गैर-अभियान्त्रिकी व्यवसायों में 01/02 वर्षीय एवं राज्य स्तरीय अल्प-कालिक व्यवसायों में 03/06 माह का प्रशिक्षण प्रदान कराया जा रहा है। 02 नये व आधुनिक व्यवसाय इण्टरनेट ऑफ थिंग्स (स्मार्ट एग्रीकल्चर) तथा इण्टरनेट ऑफ थिंग्स (स्मार्ट सिटीज) को प्रशिक्षण सत्र अगस्त, 2019 से संचालित कराया जाएगा।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के संचालन के लिये नीति, मापदण्ड, मानक, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, प्रमाणीकरण आदि पूरे देश में एक समान है।

उद्देश्य

1. घरेलू उद्योगों के लिये विभिन्न व्यवसायों में कुशल कारीगरों की नियमित रूप से पूर्ति करते रहना।
2. व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता एवं उत्पादन बढ़ाना।
3. उद्योगों एवं बाजार से तालमेल के आधार पर उनके मांग के अनुरूप प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
4. रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर शिक्षित युवाओं के समक्ष व्याप्त बेरोजगारी कम करना।
5. युवा पीढ़ी में तकनीकी एवं औद्योगिक रुझान का विकास एवं पोषण करना।

- **शिशिक्षुता प्रशिक्षण योजना**

इस योजना का संचालन शिशिक्षु अधिनियम, 1961 के प्रावधान के अन्तर्गत किया जाता है। विद्यमान व्यवस्था में शिशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न माध्यमों तथा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार एवं मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के कार्यालयों द्वारा विभिन्न वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए किया जा रहा है। राज्य सरकार के पक्ष में प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय द्वारा व्यावसायिक शिशिक्षुओं का कार्यक्रम नियन्त्रित किया जाता है। वर्ष 2014 व 2015 में भारत सरकार द्वारा योजना को और प्रभावी बनाने तथा इसका लाभ अधिक से अधिक युवाओं तथा उद्योगों को प्राप्त कराने के दृष्टिगत शिशिक्षु अधिनियम, 1961 में अनेक संशोधन किये गये हैं।

अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं सेवाक्षेत्र की इकाइयों में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या के दृष्टिगत अधिनियम में निर्दिष्ट मानकों के अनुसार शिशिक्षुओं के प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व नियोजक का होता है। शिशिक्षुओं की नियुक्ति के समय नियोजक तथा शिशिक्षु के मध्य एक अनुबंध (कॉन्ट्रेक्ट) भरा जाता है। प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त ही यह कॉन्ट्रेक्ट भी समाप्त हो जाता है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे अभ्यर्थी जो कि फ्रेशर होते हैं अर्थात् औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षित नहीं होते हैं तथा शिशिक्षु अधिनियम, 1961 में निर्दिष्ट व्यवसायों में प्रवेश हेतु निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं, को आधारभूत प्रशिक्षण बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाईडर्स के माध्यम से स्वीकृत संस्थानों में दिया जाता है।

शिशिक्षु अधिनियम के अन्तर्गत आरक्षण की सुविधा भी अनुमन्य है। विकलांगों, समाज के कमजोर वर्ग, महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों को भी प्रशिक्षण से संबंधित चयन में प्राथमिकता दी जाती है।

शिशुक्षु प्रशिक्षण योजना को अधिक प्रभावी रूप में संचालित किये जाने के क्रम में प्रदेश के युवाओं को उद्योगों व सेवा क्षेत्र की इकाइयों में अधिक से अधिक संख्या में नियोजित कर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान कराने के उद्देश्य से योजना को राष्ट्रीय शिशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एन.ए.पी.एस.) के रूप में ऑन-लाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।

एन.ए.पी.एस. के अन्तर्गत वर्ष 2018 से शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत संचालित व्यवसायों की अवधि को परिवर्तित किया गया है, जिसके अन्तर्गत व्यवसायों में प्रशिक्षण की न्यूनतम अवधि 06 माह तथा अधिकतम 02 वर्ष कर दी गई है।

शिशिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि छात्रवृत्ति की दर

क्र0 सं0	प्रशिक्षण वर्ष	छात्रवृत्ति दर/प्रतिमाह (रु0 में)
01	प्रथम	राज्य/केन्द्र शासित सरकारों द्वारा अर्द्ध-कुशल कार्मिक हेतु निर्धारित न्यनूतम मजदूरी का 70 प्रतिशत।
02	द्वितीय	राज्य/केन्द्र शासित सरकारों द्वारा अर्द्ध-कुशल कार्मिक हेतु निर्धारित न्यनूतम मजदूरी का 80 प्रतिशत।
03	तृतीय	राज्य/केन्द्र शासित सरकारों द्वारा अर्द्ध-कुशल कार्मिक हेतु
04	चतुर्थ	निर्धारित न्यनूतम मजदूरी का 90 प्रतिशत।

- **शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण योजना**

देश एवं प्रदेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कुशल अनुदेशकों की कमी को पूर्ण करने के उद्देश्य से एन.सी.वी.टी. द्वारा शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण योजना (सी.आई.टी.एस.) को प्रारम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत अनुदेशकों तथा सी.टी.एस. प्रमाणपत्र धारकों को एन.सी.वी.टी. के निर्दिष्ट व्यवसायों में 1 वर्षीय प्रशिक्षण प्रदान कराया जाता है।

योजना के अन्तर्गत समस्त प्रशिक्षार्थियों को ट्रेड टेक्नोलॉजी में 06 माह का उच्च स्तरीय आधारभूत एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन के सिद्धान्तों पर 06 माह का प्रशिक्षण प्रदान कराया जाता है।

प्रदेश में सी.आई.टी.एस. योजना के अन्तर्गत प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र, अलीगंज, लखनऊ में 03 व्यवसायों यथा- फिटर, इलेक्ट्रीशियन तथा मैकेनिक रेफ्रीजरेशन एण्ड एयर-कन्डीशनिंग व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान कराया जा रहा है। महिलाओं हेतु 01 नये व्यवसाय सीविंग टेक्नोलॉजी में सी.आई.टी.एस. का प्रशिक्षण प्रारम्भ करने हेतु एन.सी.वी.टी. से सम्बन्धन प्राप्त करने की कार्यवाही प्रगतिमान है। एन.सी.वी.टी. से सम्बन्धन प्राप्त होने की दशा में प्रशिक्षण अगस्त 2019 के सत्र से प्रारम्भ कराया जायेगा।

- **अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम**

प्रदेश की युवा शक्ति के कौशल में वृद्धि कर उनके माध्यम से प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि किये जाने तथा उन्हें स्वावलम्बी बनाये जाने के उद्देश्य से रोजगारपरक क्षेत्रों में अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम उ.प्र. कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित किये जा रहे हैं।

केन्द्र सरकार के सहयोग से संचालित योजनाएं

1. केन्द्र पुरोनिधानित ''स्किल्स स्ट्रैन्थनिंग फॉर इण्डस्ट्रियल वैल्यू एनहैंसमेंट'' अर्थात स्ट्राइव परियोजना (विश्व बैंक फण्डिंग) के अंतर्गत 15 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योगों के समन्वय से उच्चीकृत किये जाने हेतु चयनित किया गया है। इस योजना के संचालन का सम्पूर्ण व्ययभार केन्द्र सरकार द्वारा उठाया जाएगा अर्थात केन्द्र व राज्य का वित्तीय अनुपात 100:00 रहेगा।

2. प्रदेश के 115 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों- मैनपुरी, आजमगढ़, गोण्डा, एटा, शाहजहाँपुर, अयोध्या, फतेहपुर, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, चारबाग-लखनऊ, चौकाघाट-वाराणसी, मऊ, चन्दौसी, बदायूँ, फर्रुखाबाद, उरई, देवरिया, बाँदा, मथुरा, पीलीभीत, प्रतापगढ़, महोबा, किला रामपुर, जौनपुर, बिजनौर, गुलावटी- बुलन्दशहर, घाटमपुर-कानपुर नगर, विश्व बैंक (महिला)- आगरा, बच्चापार्क- मेरठ, विश्व बैंक (महिला)- मेरठ, सिम्भावली-हापुड़, विश्व बैंक (महिला)- बरेली, सिविल लाइन-बरेली, अतरौली-अलीगढ़, विश्व बैंक (महिला)-अलीगंज लखनऊ, महिला-रायबरेली, विश्व बैंक (महिला)-कानपुर नगर, कटरा-प्रयागराज, विश्व बैंक (महिला)-प्रयागराज, विश्व बैंक (महिला) चौकाघाट-वाराणसी, रेलवे कालोनी-गोरखपुर, ऑवला-बरेली, बाराबंकी, विश्व बैंक (महिला)-झाँसी, विश्व बैंक (महिला)-गोरखपुर, रसड़ा-बलिया, चरखारी-महोबा, कादीपुर-सुल्तानपुर, अमेठी, जगदीशपुर-अमेठी, गौरीगंज-अमेठी, सिराथू-कौशाम्बी, कैम्पियरगंज-गोरखपुर, खजनी-गोरखपुर, सरसावां-सहारनपुर, मनकापुर-गोण्डा, पट्टी-प्रतापगढ़, महराजगंज, चन्दौली, जेवर-नोयडा, सलोन-रायबरेली, सेवरही-कुशीनगर, नौरंगिया-कुशीनगर, माधोनगर-महराजगंज, मोहम्मदाबाद गोहना-मऊ, ललितपुर, लालगंज-आजमगढ़, पडरौना-कुशीनगर, मुसाफिरखाना-अमेठी, शाहगंज-जौनपुर, सैदपुर-गाजीपुर, फूलपुर-आजमगढ़, फरीदपुर-बरेली, हाथरस, महिला शाखा-सुल्तानपुर, कासगंज, इब्राहिमाबाद-बलिया, छानवे-मिर्जापुर, सम्भल, अतरौली-हरदोई, चन्दन चौकी-लखीमपुर खीरी, मोहम्मदी-लखीमपुर खीरी, गोदलामऊ-सीतापुर, हसनगंज-उन्नाव, आलापुर-अम्बेडकरनगर, जहाँगीरगंज-अम्बेडकरनगर, अकबरपुर-अम्बेडकरनगर, टाण्डा-अम्बेडकरनगर, नवाबगंज-बाराबंकी, फतेहपुर-बाराबंकी, जमुनहा-श्रावस्ती, रेहवां मंसूर महसी-बहराइच, नानपारा-बहराइच, चारबाग (महिला शाखा)- लखनऊ, लखना-इटावा, कन्नौज, मांडा-प्रयागराज, बिहार-प्रतापगढ़, मानिकपुर-चित्रकूट, बिल्हौर-कानपुर, खेकड़ा-बागपत, लिसाढ़-शामली, कैराना-शामली, दादरी-नोयडा, बिल्सी-बदायूँ, पुवांया-शाहजहाँपुर, कोल-अलीगढ़, जलेसर-एटा, आनन्दपुर जारखी-फिरोजाबाद, धामपुर-बिजनौर, नजीबाबाद-बिजनौर, बड़हलगंज-गोरखपुर, मेहदावल-संतकबीर नगर एवं भदोही-सन्त रविदास नगर का उच्चीकरण केन्द्र सरकार द्वारा संचालित पब्लिक प्राइवेट-पार्टनरशिप योजना के अन्तर्गत हो रहा है जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा संस्थानों में उद्योगों एवं संस्थान की सम्मिलित इन्स्टीट्यूट मैनेजमेण्ट कमेटी सोसायटी को ब्याज मुक्त रु. 2.5 करोड़ का ऋण दिया गया है जिसे प्राप्ति वर्ष के 10 वर्षों के स्थगनकाल के उपरान्त उसके आगामी 20 वर्षों में इन्स्टीट्यूट मैनेजमेण्ट कमेटी द्वारा वापस किया जायेगा।

3. प्रदेश में कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार/स्व-रोजगार से जोड़ने तथा प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्र पुरोनिधानित ''स्किल्स एक्वीजीशन एण्ड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाईवलीनेस (संकल्प) योजना'' को उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है। इस परियोजना मे 60 प्रतिशत धनराशि केन्द्रांश के रूप में तथा 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में है।

4. केन्द्र पुरोनिधानित ''राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मॉडल आई.टी.आई. के रूप में उच्चीकरण'' परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश के 02 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, यथा-साकेत-मेरठ एवं करौंदी-वाराणसी को मॉडल आई.टी.आई. के रूप में विकसित कर उच्चीकृत

किया जा रहा है। इस परियोजना में 70 प्रतिशत धनराशि केन्द्रांश के रूप में तथा 30 प्रतिशत राज्यांश के रूप में है।

5. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को समाज की मुख्य धारा में जोड़े रखने के उद्देश्य से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म (एल.डब्लू.ई.) योजना को संचालित किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के जनपद सोनभद्र की तहसील घोरावल में 01 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा जनपद के नक्सल बाहुल्य क्षेत्र चकरिया तथा पीपरखाड़ में एक-एक कौशल विकास केन्द्र स्थापित कर संचालित किया गया है।

6. केन्द्र पुरोनिधानित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.वी.आई.) तथा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डी.डी.यू.-जी.के.वाई.) के अंतर्गत विभिन्न विधाओं में अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन उ.प्र. कौशल विकास मिशन के माध्यम से कराया जा रहा है। डी.डी.यू.-जी.के.वाई. के अंतर्गत प्रशिक्षार्थियों हेतु छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।

7. शिशिक्षुता प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत उद्योगों में प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के दृष्टिगत केन्द्र सरकार द्वारा सम्पूर्ण योजना को राष्ट्रीय शिशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एन.ए.पी.एस.) के रूप में ऑन-लाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। योजनान्तर्गत प्रवेशित होने वाले प्रशिक्षार्थियों को उद्योगों एवं राज्य सरकार द्वारा डी.बी.टी.एल. के अन्तर्गत आधार कार्ड के माध्यम से छात्रवृत्ति सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है।

8. प्रशिक्षार्थियों को रीयल टाइम व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के क्रम में ''ड्यूल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग'' योजना को प्रदेश के 05 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रारम्भ किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत प्रतिष्ठित औद्योगिक इकाइयों एवं अधिष्ठानों के साथ एक एम.ओ.यू. किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षार्थी अपने सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि की अंतिम छमाही में व्यावहारिक प्रशिक्षण अनुबंधित औद्योगिक इकाइयों एवं अधिष्ठानों में प्राप्त करेंगे।

राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एस.सी.वी.टी.)

भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मत्रालय के अन्तर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय के नवीन दिशा-निर्देशों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2014-15 में राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एस.सी.वी.टी.) की स्थापना की गयी है। एस.सी.वी.टी. को सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया है एवं इसका मुख्यालय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज, लखनऊ के परिसर में निर्मित नवीन भवन में स्थापित है। इस संस्था के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं–

1. एस.सी.वी.ई.टी. के प्रशिक्षण कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत जारी किये गये दिशा-निर्देशों को प्रदेश में स्थापित व संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में लागू कराना।
2. व्यावसायिक प्रशिक्षण से सम्बन्धित समस्त प्रकार की परीक्षाओं के लिये परीक्षा बोर्ड का गठन तथा परीक्षाओं का सफल सम्पादन, परीक्षाफल घोषित करना, इत्यादि।
3. प्रदेश में स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित एन.सी.वी.ई.टी. के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अनुश्रवण के दृष्टिगत सतत् निरीक्षण करा कर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उच्च स्तरीय गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक प्रभावी कदम उठाना।

4. एन.सी.वी.ई.टी. के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित कर सफल प्रशिक्षार्थियों को उपलब्ध कराना।
5. एस.सी.वी.टी के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन से सम्बन्धित प्रमाण-पत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित कर सफल प्रशिक्षार्थियों को उपलब्ध करना।
6. प्रदेश के उद्योगों, संस्थानों एवं संस्थाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप नये प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विकास एवं निर्माण करना तथा उनके सम्बन्धन की कार्यवाही को सम्पादित करना।

प्रादेशिक स्टॉफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज, लखनऊ परिसर में निर्मित किये गये प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र के भवन में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.वी.ई.टी.) द्वारा संचालित शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण कार्यक्रम (सी.आई.टी.एस.) के अन्तर्गत 03 व्यवसायों यथा- फिटर, इलेक्ट्रीशियन व मैकेनिक रेफ्रीजरेशन एण्ड एयर-कन्डीशनिंग में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एन.सी.वी.ई.टी. से सम्बन्धन प्राप्त किया गया है। तीनों स्वीकृत व्यवसायों हेतु एन.सी.वी.ई.टी. के मानकों के अनुसार आधुनिक तकनीकी से परिपूर्ण आवश्यक मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र को क्रय कर स्थापित किया गया है। केन्द्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रारम्भ कर संचालित करने के दृष्टिगत विभिन्न श्रेणी के कुल 56 पदों का सृजन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में सी.आई.टी.एस. के अन्तर्गत तीन स्वीकृत व्यवसायों में प्रशिक्षण सत्र सितम्बर, 2015 में कुल 60 प्रशिक्षार्थियों को प्रवेश प्रदान कराया गया है, जिसमें 30 प्रशिक्षार्थी प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत अनुदेशक हैं। प्रशिक्षण सत्र सितम्बर, 2016 में तीन स्वीकृत व्यवसायों में कुल 60 प्रशिक्षार्थियों को प्रवेश प्रदान कराया गया है, जिसमें 24 प्रशिक्षार्थी प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से कार्यरत अनुदेशक हैं। प्रशिक्षण सत्र सितम्बर, 2017 में तीन स्वीकृत व्यवसायों में कुल 148 प्रशिक्षार्थियो को प्रवेश प्रदान कराया गया है, जिसमें 50 प्रशिक्षार्थी प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत अनुदेशक हैं।

सी.आई.टी.एस. प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र के द्वारा विभाग में कार्यरत समस्त अधिकारियों, प्रशिक्षण कार्मिकों तथा अन्य कार्मिकों में से 240 से अधिक को आधुनिक तकनीकी व प्रबन्धन के क्षेत्र में अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस केन्द्र में महिलाओं हेतु 01 नये व्यवसाय सीविंग टेक्नोलॉजी में सी.आई.टी.एस. के प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिये एन.सी.वी.ई.टी. से सम्बन्धन प्राप्त करने की कार्यवाही प्रगतिमान है। सम्बन्धन प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थियों को अगस्त, 2019 के सत्र से प्रवेश प्रदान किया जायेगा।

उ.प्र. कौशल विकास मिशन

उ.प्र. शासन द्वारा प्रदेश में कौशल विकास नीति को जुलाई 2013 से लागू किया गया है। उ.प्र. देश का प्रथम राज्य है जहाँ इस नीति के अन्तर्गत केन्द्र सहायतित (जिससे राज्यांश भी सम्मिलित है)

योजनाओं तथा राज्य सरकार की एक योजना को समेकित रूप से उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। मिशन द्वारा संचालित कौशल विकास कार्यक्रम के द्वारा 14 से 35 आयु वर्ग के युवाओं (जिनमें महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, शारीरिक रूप से अक्षम, गरीब और कम पढ़े लिखे लोग सम्मिलित हैं) को प्रशिक्षित करते हुए उन्हें रोजगार प्रदान कराने में हर सम्भव सहायता प्रदान की जाती है। उ.प्र. कौशल विकास मिशन द्वारा निम्न योजनाओं को एकीकृत रूप से मानकीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा है :

1. स्किल डेवलपमेंट इनीशिएटिव योजना (एस.डी.आई.),
2. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डी.डी.यू.-जी.के.वाई.),
3. स्पेशल सेन्ट्रल एसिस्टेंस टू शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान (एस.सी.ए.-टू-एस.सी.पी.),
4. प्रधानमंत्री जन-विकास कार्यक्रम (पूर्व में एम.एस.डी.पी.),
5. बार्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम (बी.ए.डी.पी.),
6. बिल्डिंग एण्ड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स (बी.ओ.सी.डब्लू.),
7. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.वी.आई.),

इन योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा प्रशिक्षण दर निर्धारित की गयी है। योजनाओं के लिए केन्द्र/राज्य सरकार से प्राप्त धनराशि के अतिरिक्त आवश्यक धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए स्टेट स्किल डेवलपमेंट फंड (एस.एस.डी.एफ.) राज्य सरकार की सहायता से बनाया गया है।

रोजगारपरक और इन्डस्ट्रीज की मांग के अनुरूप कोर्सेज का चयन

मिशन स्तर पर प्रशिक्षण महानिदेशालय, भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे एम.ई.एस. कोर्सेज और इन्डस्ट्रीज की मांग के अनुरूप राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन.एस.डी.सी.) भारत सरकार के क्वालीफिकेशन पैक्स/नेशनल आक्यूपेशनल स्टैन्डर्ड आधारित कोर्सेज में कुल 41 सेक्टर्स में 663 कोर्सेज को चयनित किया गया है।

प्रशिक्षार्थियों के मूल्यांकन (एसेसमेंट) और प्रमाणीकरण (सर्टिफिकेशन) की व्यवस्था

मिशन द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षार्थियों का मूल्यांकन और प्रमाणीकरण राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्थाओं प्रशिक्षण महानिदेशालय, भारत सरकार अथवा एन.एस.डी.सी. द्वारा कराया जाता है। एम.ई.एस. कोर्स का मूल्यांकन प्रशिक्षण महानिदेशालय, भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय शिशिक्षुता प्रशिक्षण निदेशालय, कानपुर के माध्यम से कराया जाता है। क्वालीफिकेशन पैक्स/नेशनल आक्यूपेशनल स्टैन्डर्ड कोर्सेज का एसेसमेंट कराने के लिए एन.एस.डी.सी. से उ.प्र. कौशल विकास मिशन ने अनुबन्ध किया है। संबंधित प्रशिक्षणार्थियों के मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण हेतु अभी तक 33 सेक्टर स्किल काउन्सिल (एस.एस.सी.) से सर्विस लेवल एग्रीमेंट किया जा चुका है। अन्य संबंधित एस.एस.सी. के साथ अनुबन्ध की कार्यवाही की जा रही है।

प्रशिक्षण प्रदाताओं का आबद्धीकरण

वर्तमान तक 177 निजी प्रशिक्षण प्रदाता, 271 राजकीय प्रशिक्षण प्रदाता और 27फ्लैक्सी एम.ओ.यू. प्रशिक्षण प्रदाता मिशन के साथ आबद्ध किए जा चुके हैं।

प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना

मिशन द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं के कुल 2983 प्रशिक्षण केन्द्रों को अनुमोदित किया जा चुका है।

अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियाँ

- उ0प्र0 कौशल विकास मिशन द्वारा प्रदेश की प्रत्येक तहसील में एक-एक कौशल प्रशिक्षण केन्द्र को स्थापित कर संचालित कराया जा रहा है।
- कई बड़ी औद्योगिक इकाइयों यथा- रेमण्ड प्रा.लि. की संस्था स्किल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट द्वारा रेमण्ड्स लि., मुम्बई, कैफे-कॉफी डे, बंगलूरू, फ्यूचर कार्पोरेट रिसोर्स लि. की संस्था फ्यूचर शार्प स्किल्स लि., मुम्बई, जी.4एस., गुड़गाँव, जायकाम इलेक्ट्रानिक्स सिक्योरिटी सिस्टम की संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस सिक्योरिटी ट्रेनिंग एण्ड मैनेजमेंट, मुम्बई, कार्वी डेटा मैंनेजमेंट सर्विसेज लि., हैदराबाद, लावा इन्टरनेशनल-नोएडा तथा इन्टैक्स टेक्नालॉजीज इण्डिया लि.-नोएडा, एल. एण्ड टी. लि, लेमन इलेक्ट्रॉनिक्स लि., माडर्न बी.आर. सिक्योरिटीज फोर्स इण्डिया प्रा. लि., नीसा इण्डस्ट्रियल सर्विसेज लि., सुपटेक लि. तथा बी.एल.सी.सी. हेल्थकेयर लि., कानपुर के साथ फ्लैक्सी एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है। जिससे आगामी 5 वर्षों में लगभग 50-60 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही जावेद हबीब हेयर एण्ड ब्यूटी लि. ट्रान्सपोर्टेशन क्षेत्र की विख्यात कम्पनी ओला कैब (ए.एन.आई. टेक्नोलॉजी प्रा. लि.) तथा स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रसिद्ध कम्पनी मिडमार्क कार्पोरेशन लि. यू.एस.ए. की सहायक कम्पनी जनक हेल्थकेयर के साथ भी फ्लैक्सी एम.ओ.यू. किया गया है। इसके अतिरिक्त लक्जरी क्राफ्ट में प्रशिक्षण एवं रोजगार हेतु हैण्ड डिजाइन प्रा.लि. के साथ भी फ्लैक्सी एम.ओ.यू. किया गया है। यशोदा हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर लि., गाजियाबाद के साथ हेल्थ सेक्टर में फ्लैक्सी एम.ओ.यू. किया गया है।
- सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के दृष्टिगत उ.प्र. कौशल विकास मिशन द्वारा ''स्किल कनेक्ट'' नामक मोबाइल एप को लॉन्च किया गया है। इस एप के माध्यम से समस्त उच्चतर माध्यमिक एवं माध्यमिक स्कूलों की उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के प्रशिक्षण केन्द्रों के साथ जियो टैगिंग कर दी गई है। इस एप का लाभ यह होगा कि प्रशिक्षण केन्द्र अपनी परिधि के स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को कौशल प्रशिक्षण केन्द्र व उनमें संचालित पाठ्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध करायेंगे।
- उ.प्र. कौशल विकास मिशन द्वारा ''स्किल मित्र'' नामक मोबाइल एप को लॉन्च किया गया है। इस एप के माध्यम से मिशन के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए किसी भी पाठ्यक्रम में पंजीकरण की कार्यवाही को ऑन-लाइन पूर्ण कर सकता है।
- उ.प्र. कौशल विकास मिशन प्रदेश के समस्त क्षेत्रों में लगातार रोजगार मेलों का आयोजन करा रहा है। साथ ही साथ प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा सेवायोजित कराये गये युवाओं की सेवाओं का सत्यापन भी करा रहा है।
- विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई, 2018 के अवसर पर प्रदेश के समस्त जनपदों में कार्यक्रमों को आयोजित कराया गया, जिनमें जनपद के समस्त जन-प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर उनसे सेवायोजित प्रशिक्षार्थियों को नियुक्ति-पत्र वितरित कराये गये। माह अप्रैल, 2018 से जनवरी, 2018 तक प्रदेश

के समस्त मण्डल मुख्यालयों तथा कतिपय जनपदों में रोजगार मेलों के आयोजन से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को सेवायोजित किया गया है।

- मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन द्वारा समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ.प्र. शासन एवं विभागाध्यक्ष को निर्देश जारी किये गये हैं कि आउटसोर्सिंग से भरे जाने वाले पदों में उ.प्र. कौशल विकास मिशन द्वारा प्रशिक्षित एवं प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थियों को वरीयता प्रदान की जाये।
- ऊर्जा विभाग, उ.प्र. शासन की मांग के अनुरूप मीटर रीडर के पद के लिए मिशन द्वारा पाठ्यक्रम चलाया जाना प्रस्तावित है। इन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थियों में से योग्य पाये गये अभ्यर्थियों को ऊर्जा विभाग द्वारा सेवायोजित किया जायेगा।
- संस्था सरल रोजगार (टेक महिन्द्रा) मेरा हुनर और सेलेक्ट जॉब्स नामक रोजगार प्रदान करने वाली कम्पनियों के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है।
- उ.प्र. में स्थापित लघु उद्योगों के लिए लाभकारी प्रशिक्षण योजनाओं को संचालित कराये जाने पर विचार किया जा रहा है ताकि स्थानीय स्तर पर ही युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो सकें। इसके लिए टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल साइन्सेज, मुम्बई से स्किल गैप स्टडी कराई गई है और उक्त स्टडी की एनालिसिस करके सेलेबस और मैनुअल तैयार किया गया है। जनपद लखनऊ में चिकनकारी, मेरठ में स्पोर्ट्स गुड्स और वाराणसी में सिल्क हैण्डलूम क्षेत्र में ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स का कार्यक्रम चल रहा है।
- मिशन द्वारा संचालित किये जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम में बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सहभागिता सुनिश्चित करने और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए माह सितम्बर, 2018 को यू.पी.एस.डी.एम. इन्डस्ट्री मीट का आयोजन नोएडा में किया गया, जिसमें 165 से अधिक इण्डस्ट्रीज ने भाग लिया।
- एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत विभिन्न जनपदों हेतु चिन्हित ट्रेड्स में परम्परागत शिल्पकारों के प्रशिक्षण की भी रणनीति बनायी गयी, जिससे कि वे स्वतः रोजगार में सेवायोजित हो सकें।

●

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

स्वस्थ नागरिक राष्ट्र की समृद्धि के आधार स्तम्भ होते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 22 करोड़ है। इसमें हर जाति, वर्ग, सम्प्रदाय के लोग निवास करते हैं। किसी भी देश अथवा प्रदेश की प्रगति का मापदण्ड उस देश अथवा प्रदेश में निवास करने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य की स्थिति से ही जाना जाता है। अपने प्रदेश के नागरिकों को स्वस्थ्य रखने एवं जीवनस्तर सुधारने हेतु स्वास्थ्य विभाग उत्तम सेवायें प्रदान करने के लिये कृतसंकल्प है। प्रदेश में इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध संसाधनों से स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण एवं अधिकाधिक विस्तार कर रहा है। महामारी एवं अन्य घातक बीमारियों पर समय से नियंत्रण पाने के लिये त्वरित एवं सघन प्रयास किये जाते हैं।

प्रदेश के निरोधात्मक, उपचारात्मक एवं संवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवाओं का पर्याप्त रूप से विकास एवं प्रचार करके लोगों को स्वस्थ रखने के लिये अधिकाधिक सफलता प्राप्त की जा रही है। निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवाओं के अन्तर्गत रोके जा सकने वाले संचारीरोगों से प्रभावित रोगियों की संख्या एवं होने वाली मृत्यु को कम करने में वास्तविक प्रगति हुयी है। पूरे प्रदेश एवं देश से चेचक रोग का उन्मूलन हो गया है। पोलियो एवं मलेरिया रोग की रोक-थाम एवं नियंत्रण के लिये सफल एवं सघन प्रयास किये जा रहे हैं। फाईलेरिया एवं मस्तिष्क ज्वर पर प्रभावी नियंत्रण किया जा रहा है। अन्धापन, क्षयरोग, कुष्ठरोग एवं आयोडीन की कमी से होने वाले रोग जैसी प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिये इन्हें राष्ट्रीय कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया था। प्रदेश में इन रोगों से प्रभावित होने वाले रोगियों की संख्या प्रतिवर्ष घटती जा रही है। बच्चों की 7 जानलेवा बीमारियों टिटनेस, डिप्थीरिया, काली खांसी, पोलियो, मिजिल्स, हिपेटाइटिस-बी तथा क्षयरोग जैसे भयानक रोगों से सुरक्षा हेतु व्यापक कार्यक्रम, वृहत प्रशिक्षण योजना के रूप में चलाया जा रहा है। गर्भवती माताओं एवं बच्चों को अल्प रक्तता तथा बच्चों को अंधेपन से बचाने हेतु ठोस कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इन समस्त सेवाओं के प्रभावी संचालन के कारण नागरिकों की औसत आयु में वृद्धि हुयी है और उनका जीवन स्तर सुधरा है। इसके फलस्वरूप जीवन अनुशंसा राष्ट्रीय स्तर पर 27 से बढ़कर 65.5 वर्ष (वर्ष 2011) हो गयी है, जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।

प्रदेश सरकार की विकास नीति ग्रामोन्मुखी है। ग्रामीण क्षेत्रों में घर के निकट ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला सेक्टर योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण स्वास्थ्य इकाइयों की व्यापक व्यवस्था की गयी है। इस कड़ी में सबसे निचले स्तर पर परिवार कल्याण उप केन्द्र स्थापित हैं, जो स्वास्थ्य सेवायें भी प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्रों में प्रति 30,000.00 ग्रामीण जनसंख्या तथा जनजाति क्षेत्रों में 20,000.00 ग्रामीण जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य है, जिससे की ग्रामीण क्षेत्र की जनता को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं

परिवार कल्याण सेवायें सुगमता से उनके घर के समीप सुलभ हो सकें। प्रत्येक विकास खण्ड में 30 शैय्या युक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया जाना है, जिसमें आवश्यक विशिष्ट चिकित्सा सुविधायें जैसे- मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, बालरोग, दन्त, पैथालॉजी, एक्स-रे आदि की व्यवस्था की जा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा उपचारात्मक एवं निरोगात्मक सेवाओं के साथ-साथ विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाता हैं। जनसामान्य को उच्च स्तरीय उपचारात्मक सेवायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला एवं मण्डल स्तर पर जिला चिकित्सालय तथा अन्य चिकित्सालयों में विशिष्ट एवं अति विशिष्ट सेवा इकाइयाँ स्थापित की गयी हैं प्रदेश के नवसृजित जनपदों में कासगंज, हापुड़ एवं संभल 100 बेड के चिकित्सालय की स्थापना की जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के सभी जिलों में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने हेतु जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम तथा बच्चों को 07 तरह की बीमारियों से बचाने हेतु नियमित टीकाकरण तथा आपात चिकित्सा सेवा पहुंचाने हेतु ई.एम.टी.एस. सेवाओं के अन्तर्गत 108 एम्बुलेन्स सेवा संचालित की जा रही है।

- प्रदेश में 108 ई.एम.टी.एस. एम्बुलेंस सेवा के अंतर्गत 988 एम्बुलेंसो का संचालन चयनित संचालनकर्ता फर्म मेसर्स जी.वी.के., ई.एम.आर.आई. द्वारा दिनांक 14.09.2012 से किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 28.11.2015 से 500 अतिरिक्त एम्बुलेंसों को इस सेवा में सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार 108 ई.एम.टी.एस. एम्बुलेंस सेवा के अंतर्गत कुल 1488 एम्बुलेंसों का संचालन किया जा रहा है। दिनांक 14.09.2012 से प्रारम्भ हुई उक्त एम्बुलेंस सेवा से दिनांक 31.12.2018 तक कुल 11565673 (एक करोड़ पन्द्रह लाख पैसठ हजार छह सौ तिहत्तर) रोगियों को एम्बुलेंस की सुविधा से लाभान्वित किया गया है। यह सेवा सरकार द्वारा पूर्णतया निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।
- प्रदेश में ए.एल.एस. एम्बुलेंस सेवा के अंतर्गत 150 ए.एल.एस. एम्बुलेंसों का संचालन चयनित संचालनकर्ता फर्म मेसर्स जी.वी.के., ई.एम.आर.आई. द्वारा दिनांक 13.04.2017 से किया जा रहा है। इस प्रकार ए.एल.एस. एम्बुलेंस सेवा के अंतर्गत कुल 150 एम्बुलेंसों का संचालन किया जा रहा है। दिनांक 13.04.2017 से प्रारम्भ हुई उक्त एम्बुलेंस सेवा से दिनांक 31.12.2018 तक कुल 73185 (तिहत्तर हजार एक सौ पचासी) रोगियों को एम्बुलेंस की सुविधा से लाभान्वित किया गया है। यह सेवा सरकार द्वारा पूर्णतया निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।
- प्रदेश के 140 जिला पुरुष एवं महिला चिकित्सालयों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु स्वतंत्र विद्युत फीडर की स्थापना करायी जा चुकी है। शेष 12 जिला पुरुष एवं महिला चिकित्सालयों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु स्वतंत्र विद्युत फीडर की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

स्टेट एजेन्सी फॉर काम्प्रीहेन्सिव हेल्थ एण्ड इन्टीगेटेड सर्विसेज (साचीज) द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में संचालित की जाने वाली योजना

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना (नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन)

प्रदेश में शासनादेश संख्या-1366/पांच-1-18-5-(19)/2018, दिनांक 13.09.2018 के अनुसार आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन का संचालन एश्योरेन्स मोड (ट्रस्ट मोड) में दिनांक 23.09.2018 से किया जा रहा है। आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के अंतर्गत

एस.ई.सी.सी. डाटा 2011 के अंतर्गत 1.18 करोड़ लाभार्थियों के परिवार को प्रतिवर्ष रु. 5.00 लाख धनराशि तक की फ्लोटर के आधार पर निःशुल्क चिकित्सा सुविधा राजकीय चिकित्सालयों एवं सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों के माध्यम से प्रदान की जा रही है। जिसका वित्त पोषण केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के मध्य 60:40 के अनुपात में वहन किया जा रहा है। भारत सरकार में बैठक के दौरान दिये गये दिशा-निर्देश के अनुसार प्रति लाभार्थी परिवार रु. 1050.00 (अधिकतम) की दर से चिकित्सालयों के क्लेम के निमित्त कुल धनराशि आगणित की गई है। उक्त के अतिरिक्त योजना के अंतर्गत होने वाले प्रशासनिक व्ययों हेतु रु. 50/- प्रति लाभार्थी परिवार की दर से धनराशि का वित्त पोषण केन्द व राज्य सरकार के मध्य 60:40 के अनुपात मे वहन किया जा रहा है। इस प्रकार प्रति लाभार्थी परिवार रु. 1100.00 का व्यय भार अनुमानित है। उपरोक्तानुसार आगणन के फलस्वरूप प्रशासनिक मदों में 1.18 करोड़ लाभार्थियों हेतु कुल रु. 59.00 करोड़ धनराशि तथा सूचीबद्ध चिकित्सालयों द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति हेतु रु. 1239.00 करोड़ धनराशि कुल रु. 1298.00 करोड़ धनराशि का व्यय भार अनुमानित है।

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 85 रक्तकोष स्थापित है। 18 जनपदों में क्षेत्रीय निदान केन्द्र क्रियाशील हैं। उक्त निदान केन्द्रों में विशिष्ट चिकित्सा उपकरण यथा- सी.टी. स्कैन तथा आधुनिक एक्स-रे मशीन स्थापित है। पैथालॉजी लैब भी उन्नति स्तर की है। प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में 19 सी.टी. स्कैन मशीन स्थापित है। प्रदेश के स्वास्थ्य केन्द्रों में कुल 687 एक्स-रे मशीनें स्थापित हैं।

राजधानी में बलरामपुर चिकित्सालय में 10 शैय्याओं का सुपर स्पेशेलिटी विंग की स्थापना की जा चुकी है, जिसमें विभिन्न प्रकार के रोगियों को विशिष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।

डॉ. राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय, लखनऊ तथा यू.एच.एम. चिकित्सालय, कानपुर नगर में एम.आर.आई. मशीन स्थापित एवं क्रियाशील है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखजी चिकित्सालय, लखनऊ में कैथ लैब स्थापित है और यहां हृदय रोगों का निदान एवं उपचार हो रहा है।

प्रदेश के दो राजकीय मानसिक चिकित्सालय क्रमशः बरेली एवं वाराणसी पूर्णरूपेण कार्य कर रहे हैं। आगरा मानसिक चिकित्सालय स्वायत्तः पोषित संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में 38 संवेदनशील जनपदों में एक से दो वर्ष के 2712907 (1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक) बच्चों को जापानी इन्सेफलाइटिस (मस्तिष्क ज्वर) का पहला टीकाकरण किया गया तथा 2395286 का दूसरी डोज का टीकाकरण किया गया।

पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम (आर.एन.टी.सी.पी.) की रणनीति

पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम भारत सरकार के आर्थिक सहयोग एवं मार्गदर्शन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। सेन्ट्रल टी.बी. डिवीजन निर्माण भवन, नई दिल्ली द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति, उ.प्र. को कार्यक्रम के संचालन हेतु धनराशि उपलब्ध कराई जाती है।

राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा जिला स्वास्थ्य समिति के माध्यम से जिला क्षय रोग अधिकारी (आर.एन.टी.सी.पी.) को विभिन्न मदों में आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध करायी जाती है।

1. कार्यक्रम के अन्तर्गत नवीन स्वीकृत सिविल वर्क को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध रूप से सम्पादित कराया जाना है।
2. भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07 मई 2012 के अनुरूप सरकारी एवं निजी क्षेत्र में जाँच/निदान एवं उपचार प्राप्त कर रहे समस्त क्षय रोगियों के आकड़ों एवं समस्त/निजी चिकित्सा इकाइयों का पंजीकरण निःक्षय साफ्टवेयर में शत्-प्रतिशत अंकन सुनिश्चित कराया जाना है।
3. टी.बी.-एच.आई.वी. समन्वय कार्यक्रम के अन्तर्गत शत् प्रतिशत क्षय रोगियों की एच.आई.वी. जाँच सुनिश्चित की जानी है।
4. कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विकेन्द्रीकृत अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण जनपद आगरा, वाराणसी, बरेली एवं लखनऊ में स्थापित क्षेत्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम प्रबन्धन इकाइ (आर.टी.पी.एम.यू.) के माध्यम से किया जाना है।
5. एम.डी.आर.-टी.बी. (मल्टी ड्रग रेजिस्टेन्ट-टी.बी.) के संदिग्ध क्षय रोगियों की खोज हेतु समस्त प्रदेश में भारत सरकार के निर्देशानुसार क्राईटेरिया-सी लागू किया जा रहा है। अतः पी.एम.डी.टी. (प्रोगामेटिक मैनेजमेण्ट ऑफ ड्रग रेजिस्टेन्ट टी.बी.) कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रदेश में भी क्राईटेरिया-सी के अनुसार एम.डी.आर. क्षय रोगियों की खोज सुनिश्चित की जानी है।
6. प्रदेश में चार स्टेट ड्रग स्टोर एवं समस्त जनपदीय ड्रग के माध्यम से क्षय निरोधी औषधियों का वितरण किया जा रहा है। क्षय निरोधी औषधियों के वितरण को और अधिक प्रभावी एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय ड्रग पैकेजिंग इकाई जनपद लखनऊ में स्थापित करायी जा रही है।
7. एम.डी.आर. क्षय रोगियों की त्वरित जाँच एवं निदान हेतु वर्तमान में प्रदेश के 75 जनपदों मे 76 सी.बी.एन.ए.ए.टी. लैब स्थापित एवं क्रियाशील हैं एवं 65 अतिरिक्त सी.बी.एन.ए.ए.टी. लैब स्थापित एवं क्रियाशील की कार्यवाही जनपद स्तर पर प्रक्रियाधीन है।
8. स्टेट टी.बी. डिमान्सट्रेशन एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर (एस.टी.डी.सी.) आगरा को राज्य स्तरीय प्रशिक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु ''उत्कृष्टता के केन्द्र'' के रूप में विकसित किया जा रहा है।
9. इस कार्यक्रम में क्षय रोगियों का उपचार डॉटस पद्धति से किया जाता है जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षित कर्मियों द्वारा अपने सामने औषधियाँ खिलायी जाती हैं। सभी क्षय रोगियों के लिए पंजीकरण के प्रथम दिन ही सम्पूर्ण कोर्स की क्षय निरोधी औषधियां आवंटित कर दी जाती हैं। अनियमित क्षय रोगियों को पर्यवेक्षकीय स्टाफ एवं डॉटस प्रोवाइडर द्वारा इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे उपचार समय से निरन्तर लेते रहें।
10. भारत सरकार द्वारा त्रैमासिक आधार पर क्षय निरोधी औषधियाँ एस.डी.एस.-आगरा, लखनऊ, बरेली तथा वाराणसी द्वारा प्रदेश के समस्त क्षय रोगियों को उपलब्ध करायी जाती हैं।

11. इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी मेडिकल कालेजों, ई.एस.आई. डिस्पेन्सरीज, रेलवे अस्पताल, स्वयं सेवी संस्थाओं एवं निजी चिकित्सकों का सहयोग टी.बी. नोटीफिकेशन के लिए लिया जा रहा है।
12. कार्यक्रम की गुणवत्ता हेतु ई.क्यू.ए. हेतु प्रदेश में दो आई.आर.एल. लैब (एस.टी.डी.सी. आगरा एवं मेडिकल कालेज लखनऊ) की स्थापना की गयी है।
13. सम्भावित क्षय रोगियों का सभी स्वास्थ्य केन्द्रों/निजी चिकित्सकों से माइक्रोस्कोपी सेन्टरों/सी.बी. नॉट पर बलगम परीक्षण हेतु संदर्भन किया जाता है।
14. आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक चिकित्सकों की कार्यक्रम मे सहभागिता तथा उनका कार्यक्रम सम्बन्धी संवेदीकरण।
15. सभी निजी चिकित्सकों का इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन की सहभागिता से कार्यक्रम मे संवेदीकरण एवं आई.एम.ए. को पूर्ण सहयोग।
16. महानगरों में मलिन बस्तियों तथा घनी आबादी वाले क्षेत्रों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बाहुल्य क्षेत्रों में डॉट्स सेन्टर पर सुदृढ़ीकरण, एन.यू.एच.एम. के सहयोग से।
17. उपचार छोड़ने वाले रोगियों को पुनः उपचार पर लाना।
18. राज्य एवं जनपद स्तरीय कार्यक्रम अधिकारी द्वारा कार्यक्रम मानक तथा पर्यवक्षेण की गहन समीक्षा।
19. आर.एन.टी.सी.पी. के अन्तर्गत स्वीकृत रिक्त पदों को भरने हेतु आवश्यक कार्यवाही।
20. प्रदेश में टी.बी.-एच.आई.वी. कॉओर्डिनेशन कार्यक्रम के अन्तर्गत आई.सी.टी.सी. से सम्भावित क्षय रोगियों को जाँच हेतु टी.बी. कार्यक्रम में एवं सभी टी.बी. रोगियों को आई.सी.टी.सी. में सलाह लेने के उद्देश्य से इन्टेन्सीफाइड टी.बी.-एच.आई.वी. पैकेज लागू किया गया है। जिसके अन्तर्गत समस्त टी.वी. मरीजों का एच.आई.वी. जाँच एवं एच.आई.वी. पॉजटिव (टी.बी. सस्पेक्ट) रोगियों के क्षय रोग हेतु बलगम की जाँच की जा रही है।
21. बलगम परीक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बाहरी गुणवत्ता आश्वासन (ई.क्यू.ए.) प्रोटोकाल पूरे प्रदेश में लागू किया गया है, इसके अन्तर्गत के.जी.एम.यू. लखनऊ के माइक्रोबायलाजी विभाग एवं आगरा स्थित स्टेट टी.बी. ट्रेनिंग एण्ड डिमान्सट्रेशन सेन्टर को इन्टरमीडिएट रिफरेन्स लैबोरेटरी (आई.आर.एल.) के रूप में विकसित किया गया है। इन्टरमीडिएट रिफरेन्स लैबोरेटरी (आई.आर.एल.) लखनऊ को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्ति उपरान्त मान्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।
22. बाल क्षय रोगियों की जांच हेतु भारत सरकार से प्राप्त सी.बी. नॉट मशीन द्वारा जाँच की जा रही है।
23. प्रचार-प्रसार मद की ए.सी.एस.एम. स्कीम के तहत भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार समस्त सरकारी एवं प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में अध्यापकों एवं छात्रों को क्षय रोग के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से समस्त जिला क्षय रोग अधिकारियों को ब्लाकवार गतिविधियाँ आयोजित करने के लिए कार्ययोजना तैयार कर गतिविधियाँ संचालित कराने हेतु निदेर्शित किया गया है जिससे समस्त शैक्षणिक संस्थाओं में क्षय रोग के प्रति संवेदीकरण किया जा सके।

24. पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश में एक्टिव केस फाइडिंग कैम्पेन चलाया जा रहा है जिसमें पहले से चिन्हित क्षेत्रों में जहां पर टी.बी. के संदिग्ध मरीजों के पाये जाने की सम्भावना ज्यादा रहती है, उन स्थानों पर प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घर-घर जाकर टी.बी. के लक्षणों के बारे में बताकर संदिग्ध टी.बी. से ग्रसित व्यक्ति की पहचान कर उनकी निःशुल्क जांच व उपचार हेतु निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में संदर्भित किया जाता है।
25. वर्ष 2018-19 में नोडल डी.आर.टी.बी. सेन्टर आगरा, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, झांसी, प्रयागराज एवं गोरखपुर में एम.डी.आर./एक्स.डी.आर. क्षय रोगियों हेतु बीडाक्यूलीन का शुभारम्भ किया जा चुका है।
26. वर्ष 2018-19 में भारत सरकार द्वारा 5 मेडिकल मोबाइल वैन उ.प्र. राज्य को आवंटित/उपलब्ध करायी गयी है, जो प्रदेश के समस्त जनपदों के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में जाकर क्षय रोगियों की जांच करायी जा रही है।
27. 24 मार्च, 2018 को विश्व क्षय रोग दिवस का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मा. मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, भारत सरकार, मा. श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, केन्दीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, कैबिनेट स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह जी, मा. परिवार कल्याण मंत्री, उ.प्र. श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी, मा. राज्य स्वास्थ्य मंत्री, डॉ. महेन्द्र सिंह जी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मा. मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं केन्द्रीय मंत्रियों के द्वारा 65 सीबीएनएएटी मशीन तथा जनपद में 56 डिस्ट्रिक्ट्स डी.आर.टी.बी. सेन्टर का ई-लांच के द्वारा उद्घाटन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में किया गया।
28. सम्पूर्ण प्रदेश में दिनांक 30.10.2017 से क्षय रोगियों हेतु डेली रेजिमैन की औषधियाँ दी जा रही हैं जिसके अन्तर्गत फिक्स डोज कम्बीनेशन का प्रावधान है जिससे कि अब से क्षय रोगी को पहले की अपेक्षा रोजाना कम गोलियों (टेबलेट) का सेवन करना पड़ेगा।
29. वर्ष 2018-19 में दिनांक 01.04.2018 से भारत सरकार द्वारा निक्षय पोषण योजना (न्यूट्रीशियन सपोर्ट) के अंतर्गत पंजीकृत समस्त क्षय रोगियों को डी.बी.टी. के माध्यम से रु. 500/- प्रति माह की दर से भुगतान किया गया।
30. निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा अनिवार्य टी.बी. की अधिसूचना को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डीबीटी) माध्यम से उनके खाते में प्रति टी.बी. मरीज के नोटीफिकेशन पर रु. 500/- तथा मरीज का उपचार पूर्ण कराने पर रु. 500/- का प्रावधान किया गया है।
31. प्रदेश के जनजाति (ट्राइबल) आबादी में ग्रसित क्षय रोगी को सहायता हेतु भारत सरकार द्वारा डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से रु. 750/- प्रतिमाह का प्रावधान किया गया है।
32. प्रदेश के समस्त क्षय रोगियों की एच.आई.वी. की जांच एवं उपचार निःशुल्क की जा रही है।

राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम-उत्तर प्रदेश

प्रदेश में यह कार्यक्रम भारत सरकार की शत प्रतिशत सहायता से वर्ष 1977 से भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार वर्ष 2005 से ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत समायोजित कर चलाया जा रहा है। कार्यक्रम का लक्ष्य प्रदेश की वर्तमान दृष्टिहीनता दर 1.0% को घटाकर 0.3% लाना है। मोतियाबिन्द जनित अंधता को शल्यक्रिया द्वारा दूर किया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा कराये गये अंधता हेतु सर्वेक्षण द्वारा परिणाम प्राप्त हुए हैं कि 62% अंधता, मोतियाबिन्द तथा 20% रिफैक्टिव एरर के कारण होती है। जिसे दूर करने के लिए भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार मोतियाबिन्द की शल्यक्रिया करने तथा 8 से 14 वर्ष के बच्चों के दृष्टिदोष को दूर करने हेतु स्कूल आई स्क्रीनिंग तथा नेत्र बैंकों के माध्यम से कार्निया प्रत्यारोपण का कार्य कराया जाता है। वर्ष 2001-2004 में भारत सरकार द्वारा कराये गये सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश की अंधता की व्यापकता दर 1 प्रतिशत है। अतः इस समय कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष 2020 तक वर्तमान अंधता दर को घटाकर 0.3 प्रतिशत तक लाना है।

उ.प्र. हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना

वर्ष 2019-20 की कार्य योजना

उ.प्र. हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना (वर्ष 2012-2019) में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से सम्बन्धित उन क्रियाकलापों को सम्मिलित किया गया है जो विभाग तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित नहीं हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि विभाग तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों के अतिरिक्त अनेक ऐसे घटक हैं, जिन पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। इन घटकों के पूर्ण विकास न होने की दशा में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा एवं उपचार की सुविधा जन-सामान्य को उपलब्ध कराने में कठिनाई का अनुभव किया जा रहा है, जिसके निराकरण हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश की जनता को दी जा रही सेवाओ को बेहतर, गुणवत्ता एवं जवाबदेही युक्त बनाने हेतु चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में निम्न घटकों को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाये जाने की आवश्यकता है।

उ.प्र. हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना की कार्ययोजना के मुख्य अवयव निम्नवत् हैंः-

गुणवत्ता युक्त प्रबन्धन एवं जवाबदेही व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण : इस अवयव के अन्तर्गत निम्नवत् है-

- विभाग में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फंक्शन का सुदृढ़ीकरण करना।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए सूचनातंत्र का विकास एवं सुदृढ़ीकरण करना।
- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सी.एम.एस.डी. में उपार्जन एवं शृंखलाबद्ध आपूर्ति कुशल प्रबन्धन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करते हुए सतत् दवाओं उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों का उपार्जन के क्षेत्र में क्षमता अभिवृद्धि करना, ई-उपार्जन व्यवस्था लागू करना, वित्तीय प्रबन्धन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करना।
- सार्वजनिक क्षेत्र की चिकित्सा इकाइयों में बेहतर कार्य करने वाली इकाइयों को पुरस्कृत करने तथा

चिकित्सा सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करना।

चिकित्सा इकाइयों में गुणवत्तापरक चिकित्सकीय सेवायें उपलब्ध कराना तथा निजी क्षेत्र की सहभागिता से अभिनव कार्य किया जानाः

इसके अन्तर्गत-

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय में गुणवत्ता आश्वासन एवं सुधार प्रकोष्ठ की स्थापना किया जाना प्राविधानित है। जिसके अंतर्गत प्रदेश के 51 चिकित्सा इकाइयों में एन0ए0बी0एच0 एक्रेडिटेशन हेतु निरन्तर गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम अपनाये जायेंगे।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय में एक पर्यावरण प्रबन्धन प्रकोष्ठ की स्थापना करते हुए प्रदेश की समस्त राजकीय चिकित्सा इकाइयों में संक्रमण नियंत्रण हेतु चिकित्सकीय अपशिष्ट का वैज्ञानिक रीति से निस्तारण करने की व्यवस्था लागू करना एवं प्रशिक्षण प्रदान करना।
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशालय में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रकोष्ठ का गठन करते हुए निजी क्षेत्र की सहभागिता से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार लाने हेतु पहल करना।
- स्वास्थ्य एवं चिकित्सालय प्रबन्धन के क्षेत्र में मानव संसाधन विकसित कर गुणवत्ता अभिवृद्धि का प्रयास करना।

वित्त पोषण एवं वित्तीय प्रबन्धन

विश्व बैंक परियोजना अवयवों एवं गतिविधियों की अनुमानित लागत रु.538.55 करोड़ का 85 प्रतिशत अर्थात रु. 457.78 करोड़ तथा डिस्बर्समेन्ट लिन्कड इण्डिकेटर्स के आधार पर होने वाली फन्डिंग रु. 225.00 करोड़ की धनराशि (कुल धनराशि रु.682.78 करोड़ अर्थात् रु.151.73 मिलियन यू0एस0 डालर) का वित्त पोषण आई0डी0ए0 क्रेडिट के रूप में करेगी। राज्य सरकार को सात वर्षों की अवधि में रु. 80.77 करोड़ की धनराशि राजकोष से 15 प्रतिशत राज्यांश के रूप मे देना होगा। परियोजना की अवधि प्रभावी होने की तिथि से सात वर्ष की होगी, इस प्रकार राज्य सरकार को प्रतिवर्ष औसतन रु.11.54 करोड़ राज्यांश के रूप में देना होगा। परियोजना के विभिन्न अवयवों में व्यय होने वाली धनराशि का प्रतिवर्ष प्रावधान राज्य सरकार के बजट में किया जायेगा। व्यय होने के उपरान्त प्रतिवर्ष विश्व बैंक से प्रतिपूर्ति प्राप्त की जायेगी जो राज्य सरकार के आय-व्ययक में प्राप्तियों के रूप में इंगित की जायेगी। परियोजना का वित्तीय प्रबन्धन राजकीय कोषागार के माध्यम से किया जायेगा। परियोजना दिनांक 30.03.2019 को पूर्ण हो रही है।

आगामी 03 वर्षों हेतु परियोजना की गतिविधियों को संचालित करने हेतु विश्व बैंक से अतिरिक्त वित्त पोषण की कार्यवाही प्रक्रिया में है।

परियोजना संचालन

परियोजना की गतिविधियों का पर्यवेक्षण एवं संचालन प्रोजेक्ट गवर्निंग बोर्ड, प्रोजेक्ट स्टेयरिंग कमेटी तथा परियोजना निदेशक द्वारा उच्च स्तर पर किया जा रहा है। महानिदेशालय स्तर पर परियोजना गतिविधियों का संचालन विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रभारी तथा महानिदेशक द्वारा किया जा रहा है।

प्रोजेक्ट सपोर्ट यूनिट द्वारा परियोजना गतिविधियों के क्रियान्वयन में तकनीकी सहयोग एवं अनुश्रवण प्रदान किया जा रहा हैं।

परियोजना के मुख्य लाभ

- परियोजना के सफल क्रियान्वयन से प्रदेश के 51 चिकित्सालयों को नेशलन एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हास्पिटल (एन.ए.बी.एच.) के एक्रीडिटेशन मानकों के स्तर पर लाने से इन चिकित्सालयों में उपचार कराने वाली जनता को बेहतर गुणवत्ता युक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। चूंकि सरकारी क्षेत्र के चिकित्सालयों में अधिकतर रोगी ग्रामीण क्षेत्रों तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाली जनता आती है जिसे सीधे तौर पर इस परियोजना के क्रियान्वयन से चिकित्सकीय लाभ प्राप्त हो सकेगा।
- परियोजना के अंतर्गत उपार्जन एवं वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण करने से प्रदेश के समस्त चिकित्सालयों को गुणवत्तापरक औषधियों एवं उपकरणों को उचित प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर प्राप्त हो सकेगी। परियोजनान्तर्गत पर्यावरण प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण से प्रदेश के चिकित्सालयों में प्रभावी संक्रमण नियंत्रण संभव हो सकेगा। उपरोक्त कार्यक्रमों एवं योजनाओं से भी प्रदेश की जनता, विशेषकर गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाली जनता जो अधिकतर सरकारी चिकित्सालयों से ही मुफ्त इलाज प्राप्त करती हैं, को गुणवत्तापरक चिकित्सकीय सुविधायें उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

वृहत् प्रशिक्षण कार्यक्रम

यह योजना वर्ष 1978 से प्रदेश में केन्द्रीय सहायता से प्रारम्भ की गयी थी, जिसके अंतर्गत 16 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को संचारी रोगों से बचाव के टीके लगाने का प्रावधान था। इस कार्यक्रम को केन्द सरकार ने वर्ष 1985 में व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम का रूप लेकर आरम्भ किया था।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत शत्-प्रतिशत् गर्भवती महिला एवं 85 प्रतिशत 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं को 6 संक्रामक रोगों से बचाव के टीके लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम के लिए उपकरण एवं रक्षालय आदि का प्रबन्ध भारत सरकार द्वारा किया जाता है तथा क्षेत्र के बहुधन्धी कार्यकर्ताओं द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम निदेशक, परिवार कल्याण के अधीन अपर निदेशक, मातृ एवं शिशु कल्याण की देख-रेख में संयुक्त निदेशक, ई.पी.आई. द्वारा संचालित एवं नियोजित होता है, संयुक्त निदेशक, ई.पी.आई. इसके राज्य स्तरीय कार्यक्रम अधिकारी हैं। जिला स्तर पर इस कार्य के लिए राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम का स्टाफ भी इस कार्य को करता है।

आयुष

आयुर्वेदिक एवं यूनानी पद्धति :– गतिविधियाँ एवं क्रियाकलाप

भारतीय चिकित्सा पद्धति के माध्यम से प्रदेश के जन-जन तक स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार के संकल्पों में से एक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु शासन द्वारा आयुर्वेदिक एवं यूनानी पद्धतियों के सर्वांगीण विकास के लिये गत वर्षों में अनेकानेक महत्त्वपूर्ण योजनाएं क्रियान्वित की जाती रही हैं। जिसका सुखद परिणाम है कि वर्तमान में इन विधाओं का एक समेकित, समन्वित तथा सुगठित तंत्र प्रदेश के सुदूर ग्रामीण अंचलों तक में विकसित हो सका है।

भारतीय चिकित्सा पद्धतियों (आयुर्वेद/यूनानी) के कार्यकलापों एवं गतिविधियों के संक्षेपतः निम्न 3 आयाम हैंः-

1. चिकित्सकीय क्रियाकलाप
2. औषधि निर्माण एवं गुणवत्ता नियन्त्रण
3. शिक्षा एवं प्रशिक्षण

चिकित्सकीय क्रियाकलाप

नवसृजित उत्तरांचल राज्य के गठन के पश्चात् सम्प्रति उत्तर प्रदेश में वर्तमान में आयुर्वेद एवं यूनानी विधा के कुल 2358 चिकित्सालय हैं। इन चिकित्सालयों में कुल 10597 शैय्याएं रोगियों को चिकत्सा हेतु उपलब्ध हैं एवं प्रतिवर्ष लगभग 2.50 करोड़ रोगियों को आयुर्वेदिक/यूनानी पद्धति के इन शासकीय चिकित्सालयों के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

औषधि निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण

प्रदेश के सभी राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी चिकित्सालयों को प्रमाणित एवं गुणकारी औषधियों की आपूर्ति की दृष्टि से वर्तमान में लखनऊ एवं पीलीभीत में राजकीय औषधि निर्माणशालाएं कार्यरत हैं। प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों की गुणवत्ता पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए वर्ष 1977-78 से ड्रग एक्ट लागू कर दिया गया है। प्रदेश में लखनऊ में एक ड्रग टेस्टिंग लैब भी है जो प्रदेश में उपयोग में लाई जा रही औषधियों के संघटन, गुण-दोष आदि का निर्धारण कर गुणवत्ता नियंत्रण में अपनी उपयोगिता सिद्ध करती है।

शिक्षा तथा प्रशिक्षण

प्रदेश में भारतीय चिकित्सा पद्धति के निष्णात् स्नातकों को शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की दृष्टि से लखनऊ, पीलीभीत, झाँसी, बरेली, मुजफ्फरनगर, अतर्रा-बांदा, हंडिया-प्रयागराज तथा वाराणसी में 8 राजकीय आयुर्वेदिक एवं लखनऊ तथा प्रयागराज में 2 राजकीय यूनानी कालेजों के माध्यम से कुल

320 आयुर्वेदिक तथा 100 यूनानी स्नातकों को प्रशिक्षित करने के लिये वर्ष 2017-18 से राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नीट परीक्षा की पात्रता सूची से प्रवेश दिये जाने हेतु निर्णय लिया गया है। इसके पूर्व सी.पी.एम.टी. के माध्यम से प्रवेश दिया जाता रहा है।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी कालेजों में प्रवेश क्षमता एवं कालेज से सम्बद्ध चिकित्सालयों में शैय्याओं का विवरण :-

क्र.सं.	कालेज का नाम	प्रवेश क्षमता	कालेज से सम्बद्ध अस्पतालों में शैय्याओं की संख्या
1.	राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ।	50	220
2.	ललित हरि रा0 आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत।	50	100
3.	बुन्देलखण्ड रा0 आयुर्वेदिक कालेज, झाँसी।	40	100
4.	एस.आर.एम. रा0 आयुर्वेदिक कालेज, बरेली।	40	100
5.	एस.के.डी. रा0 आयुर्वेदिक कालेज, मु. नगर।	30	100
6.	राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, अतर्रा-बांदा।	40	100
7.	लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, हण्डिया-प्रयागराज।	30	100
8.	राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, वाराणसी।	40	110
9.	राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज, प्रयागराज।	60	100
10.	राजकीय तकमिल-उत्तिब कालेज, लखनऊ।	40	100
	योग :	**400**	**1130**

भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश

यह संस्था प्रदेश में आयुर्वेदिक/यूनानी पद्धति से चिकित्सा व्यवसाय कर रहे वैद्यों/हकीमों के पंजीकरण की एकमात्र संस्था है, जो उत्तर प्रदेश इण्डियन मेडिसिन एक्ट 1939 के प्रावधानों के अधीन इनके पंजीकरण का कार्य करती है।

आयुर्वेद विभाग

वित्तीय वर्ष 2018-19 की उपलब्धि (कार्यक्रम)

1. आयुष मिशन के अंतर्गत रु. 12,500.00 लाख की धनराशि का कुल प्रावधान है। इस धनराशि से राजकीय आयुर्वेदिक 4 शैय्या एवं 15/25 शैय्या चिकित्सालयों का उच्चीकरण, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं चिकित्सालय हण्डिया, प्रयागराज एवं अतर्रा बांदा में लाइब्रेरी सुदृढ़ीकरण का कार्य एवं प्रदेश के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में आवश्यक औषधियों की आपूर्ति की जा रही है।
2. राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी कालेजों में सी.सी.आई.एम. के मानकों के अनुसार अधूरे भवन निर्माण हेतु रुपया 1500.00 लाख प्राविधानित धनराशि से राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय

लखनऊ, हण्डिया, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर में छात्रावासों, आवासों एवं चिकित्सालय भवन निर्माण के कार्य किये जा रहे हैं।

3. प्रदेश में आयुष विभाग द्वारा अनुदानित योजनाओं के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश आयुष मिशन विभाग की स्थापना की गई है जिससे आयुष के अंतर्गत प्रदेश में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इसके अन्तर्गत धनराशि 12500 लाख का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2018-19 में है, जिसके अंतर्गत निम्नवत् कार्यक्रम संचालित है।

क. प्रदेश के आयुर्वेदिक एवं यूनानी एवं होम्योपैथी चिकित्सालयों में आवश्यक औषधियों की आपूर्ति की जा रही है।

ख. प्रदेश के 16 जनपदों- लखनऊ, कानपुर नगर, बस्ती, वाराणसी, बरेली, कुशीनगर, कौशाम्बी, सोनभद्र, उरई-जालौन, सन्तकबीरनगर, सहारनपुर, देवरिया, ललितपुर, अमेठी, कानपुर देहात एवं बलिया जनपद में 50 एकीकृत आयुष चिकित्सालय स्थापित किये जा रहे हैं।

ग. प्रदेश में संचालित 4 शैय्या युक्त 23 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 का लक्ष्य

1. राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी कॉलेजों मे सी.सी.आई.एम. के मानकों के अनुसार कालेज एवं कालेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों में पदों का सृजन कराये जाने का लक्ष्य है।
2. सी.सी.आई.एम. मानक के अनुसार राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी कालेजों के अधूरे भवन निर्माण को पूर्ण करवाने हेतु धनराशि रु. 2000.00 लाख आवंटित करने का लक्ष्य है।
3. जिला स्तर पर 16 आयुर्वेदिक कार्यालयों को स्थापित किये जाने का लक्ष्य है।
4. प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों मे 07 चिकित्सालयों की स्थापना का लक्ष्य है। इस कार्य हेतु धनराशि रु. 39.21 लाख की व्यवस्था की गयी है।
5. प्रदेश में स्थित राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों का जहां भूमि उपलब्ध है, वहां पर रु. 250.00 लाख की धनराशि से भवन निर्माण कराये जाने का लक्ष्य है।
6. प्रदेश में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना का लक्ष्य है। इसके अंतर्गत धनराशि रु. 1002.00 लाख का प्रावधान किया गया है।
7. राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, लखनऊ में गठिया उपचार एवं शोध की उन्नति केन्द्र की स्थापना हेतु धनराशि रु. 38.54 लाख की कार्ययोजना है।
8. पूंजीगत मद में धनराशि रु. 2250.00 लाख का प्रावधान निर्माण कार्य में किये जाने का लक्ष्य है।
9. 08 राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों से सम्बद्ध चिकित्सालयों मे इनोवेशन कार्यक्रम संचालित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
10. अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस तथा योग पखवाड़ा कार्यक्रम हेतु रु. 350.00 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया है, जिससे योग के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न की जा सके व जनमानस को स्वस्थ बनाने में मदद मिल सके।

यूनानी विभाग

वित्तीय वर्ष 2018-19 की उपलब्धि (कार्यक्रम)

1. राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालयों में चल रहे निर्माण कार्य हेतु रु. 1327.60 लाख मात्र की धनराशि में से राजकीय तकमील-उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ के पुराने परिसर के अन्तर्गत तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के आवासीय भवन निर्माण कार्य हेतु रु. 381.13 लाख तथा राजकीय तकमील-उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ के नवीन परिसर में 200 छात्राओं के छात्रावास निर्माण कार्य हेतु रु. 677.54 लाख कुल रु. 1058.67 लाख मात्र की धनराशि से निर्माण कार्य वर्तमान में संचालित हैं।
2. राजकीय तकमील- उत्तिब एवं चिकित्सालय लखनऊ के पुराने भवन में स्व. हकीम अब्दुल अज़ीज के नाम से 50 शैय्यायुक्त जिला यूनानी चिकित्सालय की स्थापना के लिए पुराने भवन का जीर्णोद्धार/नवीनीकरण का कार्य किया जा रहा है।
3. राजकीय यूनानी कालेजों में सी.सी.आई.एम. के मानकों को पूर्ण करने हेतु मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र आदि की स्थापना का कार्य किया जा रहा है।
4. राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला लखनऊ में राजकीय यूनानी प्रयोगशाला भवन का निर्माण का कार्य संचालित है।
5. राजकीय यूनानी औषधि निर्माणशाला लखनऊ में नवीन मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र को स्थापित कर निर्माणशाला का उच्चीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जा रहा है।
6. ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत यूनानी चिकित्सालयों के भवनों/बाउन्ड्रीवॉल के निर्माण कार्य संचालित हैं।
7. प्रदेश में राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत यूनानी विधा हेतु रु. 2500.00 लाख मात्र की धनराशि का प्रावधान किया गया है, जिससे आयुष मिशन के विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 का लक्ष्य

1. राजकीय तकमील-उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ तथा राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय प्रयागराज को सी.सी.आई.एम. नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप चालू निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
2. राजकीय तकमील-उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ तथा राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय प्रयागराज को सी.सी.आई.एम. नई दिल्ली के मानकों को पूर्ण किये जाने हेतु मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र की उपलब्धता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
3. राजकीय यूनानी औषधि निर्माणशाला लखनऊ के अन्तर्गत भवन निर्माणशाला एवं भवन प्रयोगशाला के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है।
4. राजकीय यूनानी औषधि निर्माणशाला लखनऊ में मशीनें, सज्जा/उपकरण और संयंत्र की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
5. ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत यूनानी चिकित्सालयों के भवनों/बाउन्ड्रीवाल के निर्माण कार्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस कार्य हेतु रु. 35.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

6. प्रदेश में राष्ट्रीय आयुष मिशन के अन्तर्गत यूनानी विधा के विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस कार्य हेतु धनराशि रु. 1500.00 लाख की व्यवस्था की गयी है। इस धनराशि से औषधियों का क्रय, चिकित्सालयों में स्वच्छता एक्शन प्लान, योग वेलनेंस सेंटर, आयुष ग्राम, आई.ई.सी. एक्टिविटी, चिकित्सालयों का उच्चीकरण के कार्य करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
7. राजकीय यूनानी महाविद्यालयों से सम्बद्ध चिकित्सालयों में यूनानी विधा के अंतर्गत विभिन्न इनोवेशन कार्यक्रम संचालन का उद्देश्य निर्धारित किया गया है।
8. राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ एवं प्रयागराज में यूनानी नर्सिंग व फार्मासिस्ट के पैरा मेडिकल पाठ्यक्रम का संचालन किया जाएगा।

होम्योपैथी विभाग, उत्तर प्रदेश

होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से प्रदेश के जन-जन तक स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराना प्रदेश सरकार के संकल्पों में से एक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु होम्योपैथिक निदेशालय वर्ष 1981 से एक स्वतंत्र विभाग के रूप में कार्यरत है। होम्योपैथिक चिकित्सा विधा ''समः समे समयति'' के मूल सिद्धान्त के आधार पर रोगियों को रोगमुक्त करने में सहयोग देती है। प्रदेश की जनता को बेहतर, सस्ती, रोगों को समूल नष्ट करने वाली त्वरित प्रभावकारी एवं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न डालने वाली चिकित्सा पद्धति होने के कारण आम जनता विशेष कर ग्रामीण जनता जिनमें अधिकतर गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली जनता जिसकी व्यय वहन क्षमता अत्यन्त न्यून है, में बेहद उपयोगी होने के फलस्वरूप इसकी लोकप्रियता में निर्बाध रूप से उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है तथा जन मानस में तीव्र गति से ग्राह्य हो रही है।

होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा

वर्ष 1981 में पृथक होम्योपैथी विभाग की स्थापना के समय विद्यमान मात्र 329 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों के सापेक्ष वर्तमान में यह संख्या 1576 है। उक्त चिकित्सालयों में 121 चिकित्सालय शहरी क्षेत्रों में तथा शेष 1455 चिकित्सालय सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित हैं।

अतः विभाग द्वारा ग्रामीण जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का हर सम्भव सफल प्रयास किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप इसकी लोकप्रियता में निर्बाध रूप से उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है तथा जन मानस में तीव्र गति से ग्राह्य हो रही है। इस तथ्य की पुष्टि इससे होती है कि वर्ष 1983-84 में इस पद्धति द्वारा सेवित रोगियों की संख्या मात्र 18.20 लाख थी जो वर्षानुवर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्त में 263.78 लाख हो चुकी है, जो लगभग 14 गुना से अधिक वृद्धि है।

होम्योपैथिक चिकित्सा शिक्षा

वर्तमान में प्रदेश में कुल 07 होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय जो लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, अयोध्या, गाजीपुर, आजमगढ़ एवं मुरादाबाद जनपदों में स्थापित/कार्यरत हैं। इन सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में बी.एच.एम.एस. डिग्री पाठ्यक्रम संचालित है, जिसमें कुल प्रवेश क्षमता 300 छात्र प्रति वर्ष है। प्रथम वर्ष में प्रवेश नीट मेरिट के आधार पर किया जाता है। उक्त सभी कालेज डॉ. भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा से सम्बद्ध हैं।

इन सभी रा.हो.मे.का. में केन्द्रीय होम्योपैथिक परिषद, नई दिल्ली के मानकों के अनुसार शिक्षण/शिक्षणेत्तर पदों का सृजन हो गया है तथा रिक्त पदों को संविदा के माध्यम से भरा जा चुका है।

उक्त के अतिरिक्त जनपद गोरखपुर तथा अलीगढ़ में 02 नये राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों की स्थापना किये जाने हेतु भवन निर्माणाधीन हैं तथा आवश्यक पदों का सृजन हो चुका है तथा उनके सापेक्ष शिक्षक/शिक्षणेत्तर कार्मिक तैनात हो चुके हैं। वर्तमान में इन मेडिकल कालेजों में ओ.पी.डी. संचालित है।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद

इस संस्था के माध्यम से प्रदेश के होम्योपैथिक चिकित्सकों तथा फार्मासिस्टों का पंजीकरण किया जाता है। परिषद के द्वारा डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स की मान्यता व उसका संचालन किया जाता है।

विभाग के प्रमुख उद्देश्य

1. होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से प्रदेश के जन-जन तक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना।
2. गुणवत्तापरक होम्योपैथिक औषधियाँ उपलब्ध कराया जाना।
3. होम्योपैथिक कालेजों में अपेक्षित अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराते हुए शोध एवं अनुसंधान को प्रोत्साहन देना।
4. गम्भीर व संक्रामक रोगों के प्रति जागरूकता बचाव एवं चिकित्सा उपचार।
5. शिशु मृत्युदर एवं मातृ मृत्युदर को होम्योपैथिक चिकित्सा के माध्यम से कम करना।
6. स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करना।
7. जन साधारण विशेषकर निर्धन वर्ग व संवेदनशील वर्ग को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना।
8. आयुष मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति।

आवश्यकता एवं पूर्ति के सम्बंध में रणनीति

1. सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाये जाने के उद्देश्य से होम्योपैथिक विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के कार्यालयों की स्थापना व सुदृढ़ीकरण कराया जाना।
2. प्रदेश की वर्तमान आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये राजकीय तथा निजी क्षेत्र में नये होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों की स्थापना।
3. केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप वर्तमान होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों का सुदृढ़ीकरण।
4. होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में शिक्षा के स्तर में उन्नयन हेतु प्रदेश में स्थापित राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों जिनमें केवल स्नातक पाठ्यक्रम ही संचालित हैं, में परास्नातक विशेषज्ञता पाठ्यक्रम प्रारम्भ/संचालित किया जाना।
5. सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों तथा वह क्षेत्र जहाँ प्रभावी चिकित्सकीय सेवायें उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ नये राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना।
6. भवन रहित अथवा किराये पर चल रहे राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालयों का भवन निर्माण।
7. होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा/चिकित्सा शिक्षा की सेवाओं को जन सामान्य तक पहुँचाना।

परिवार कल्याण

जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा पूरे देश में वर्ष 1955 से प्रारम्भ किया गया था। प्रदेश में इसका शुभारम्भ वर्ष 1957 में हुआ। चूंकि उस समय प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं तत्समय स्थापित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय से चलाई जाती थीं, अतः केन्द्र सरकार का शत् प्रतिशत पोषित यह कार्यक्रम उसी निदेशालय से संचालित किया गया। शनैः-शनैः, कार्यक्रम का विस्तार हुआ, अतः उसके सुचारु संचालन के लिए स्वास्थ्य निदेशालय में एक पृथक ''राज्य परिवार नियोजन ब्यूरो'' की स्थापना वर्ष 1965 में की गई, जिसका शीर्षस्थ नियंत्रक अधिकारी संयुक्त निदेशक स्तर का अधिकारी होता था। वर्ष 1977 में परिवार नियोजन का नाम बदल कर परिवार कल्याण कर दिया गया है। प्रदेश में कार्यक्रम के विस्तार के साथ ब्यूरो को वर्ष 1986 में परिवार कल्याण निदेशालय तथा वर्ष 1995 में अलग 'परिवार कल्याण महानिदेशालय' के रूप में उच्चीकृत किया गया और उसके अनुरूप प्रभारी के पद को भी उच्चीकृत किया गया। वर्तमान में परिवार कल्याण महानिदेशालय पृथक नियंत्रण इकाई के रूप में कार्य कर रहा है, जिसके कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के लिए अलग-अलग कार्यक्रम अधिकारी हैं।

उद्देश्य

परिवार कल्याण महानिदेशालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम को भारत सरकार के समय-समय पर निर्गत निर्देशों के अधीन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, समीक्षा तथा मूल्यांकन करना और परिवार कल्याण की सेवाओं के विस्तार के लिए अभिनव परियोजनाओं का निर्माण कर उन्हें क्रियान्वित करना है।

कार्यक्रम

परिवार कल्याण महानिदेशालय के माध्यम से सम्पूर्ण प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित सेवायें प्रदान की जा रही हैं :

माताओं की स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवायें

इसके अन्तर्गत गर्भवती माताओं का पंजीकरण, टेटनेस से बचाव के दो टीके, रक्त अल्पता से बचाव एवं उपचार हेतु आयरन फोलिक एसिड की गोलियों का वितरण, प्रसव पूर्व परीक्षण, जटिल प्रसवों का चिह्नीकरण, सुरक्षित प्रसव, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा, आपातकालीन प्रसवों का सन्दर्भन एवं उनकी व्यवस्था, प्रसवोत्तर देखभाल तथा दो बच्चों के बीच समयान्तर हेतु गर्भ निरोधकों आदि की सेवायें उपलब्ध करायी जाती हैं।

नियमित टीकाकरण कार्यक्रम (उत्तर प्रदेश)

- प्रदेश के समस्त जनपदों में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को 10 जानलेवा बीमारियों (पोलियो, टी.बी., गलाघोंटू, टिटनेस, काली खांसी, हैपेटाइटिस-बी, निमोनिया, जे.ई. एवं खसरा) से बचाव तथा गर्भवती महिलाओं को टिटनेस से बचाव हेतु नियमित रूप से निःशुल्क टीकाकरण किया जाता है।
- प्रदेश के संवेदनशील 38 जनपदों में जे.ई. से बचाव हेतु बच्चों को जे.ई. टीकाकरण की दो डोज प्रथम डोज (09-12 माह) एवं द्वितीय डोज (16-24 माह) से निःशुल्क आच्छादित किया जा रहा है। भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार प्रदेश के 38 जनपदों (गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, संतकबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, जौनपुर, लखनऊ, सीतापुर, खीरी, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, गोण्डा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, कानपुर नगर, बरेली, शाहजहाँपुर, मुजफ्फर नगर, शामली, सहारनपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, फतेहपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कानपुर देहात एवं पीलीभीत) में 02 अप्रैल, 2018 से जे.ई. टीकाकरण विशेष अभियान 01 से 15 वर्ष तक के बच्चों हेतु चलाया गया, जिसके अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य 3181729 के सापेक्ष 3396330 बच्चों को जे.ई. टीकाकरण से आच्छादित किया गया।
- नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत एच.एम.आई.एस. डाटा के अनुसार वर्ष 2017-18 में पूर्ण प्रतिरक्षित बच्चों की उपलब्धि का प्रतिशत 82.00 रहा है।
- प्रदेश के 60 जनपदों में सघन मिशन इन्द्रधनुष अभियान के अंतर्गत चार चरण (माह अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 2017 एवं जनवरी 2018) चलाया गया। जिसके अंतर्गत कुल 4518571 बच्चों का टीकाकरण किया गया। साथ ही कुल 932990 गर्भवती महिलाओ को टी.टी. टीकाकरण से आच्छादित किया गया।
- प्रदेश के 74 जनपदो के 3387 ग्रामों में ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत तीन चरण (दिनांक 23 से 27 अप्रैल, 2018, दिनांक 21 से 25 मई, 2018 एवं दिनांक 18 से 22 जून, 2018) सफलतापूर्वक सम्पादित किये गये, जिसके अन्तर्गत कुल 195179 बच्चों का टीकाकरण किया गया एवं कुल 58581 गर्भवती माताओं को टी.टी. टीकाकरण से आच्छादित किया गया।
- विस्तृत ग्राम स्वराज अभियान (ई.जी.एस.ए.) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के 08 आकांक्षात्मक जनपदों (बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, फतेहपुर, चंदौली, सोनभद्र, चित्रकूट एवं सिद्धार्थनगर) में मिशन इन्द्रधनुष अभियान (ई.जी.एस.ए.) के तीन चरण चलाये गये, जिसके अंतर्गत कुल 292736 बच्चों का टीकाकरण किया गया एवं कुल 96920 गर्भवती माताओ को टी.टी. टीकाकरण से आच्छादित किया गया।
- पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत पोलियो विसंक्रमण रोकने हेतु प्रदेश में एन.आई.डी. (नेशनल इम्यूनाइजेशन डे) तथा एस.एन.आई.डी. (सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे) चक्र चलाये जा रहे हैं, जिसके अन्तर्गत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक से निःशुल्क आच्छादित किया जा रहा है। पोलियो विसंक्रमण रोकने हेतु प्रदेश के 06 जनपद (महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती एवं खीरी) जो नेपाल की सीमा से लगे है, में सीमा पर पोलियो के 30 बूथ पूरे वर्ष संचालित किये जा रहे हैं। जो कि अगले वर्षों में भी संचालित रहेंगे।

- प्रदेश के समस्त जनपदों में बाल स्वास्थ्य पोषण माह के अन्तर्गत बच्चों में रतौंधी व रोगाणु से लड़ने की क्षमता बढ़ाने हेतु वर्ष में दो बार माह जून व दिसम्बर में 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन-ए की खुराक से निःशुल्क आच्छादित किया जाता है। माह दिसम्बर, 2017 में चलाये गये अभियान में कुल 21468512 बच्चों को विटामिन 'ए' की खुराक से आच्छादित किया गया।
- प्रदेश के 12 जनपदों (बहराइच, बलरामपुर, गोण्डा, श्रावस्ती, बस्ती, सिद्धार्थनगर, लखनऊ, सीतापुर, खीरी, हरदोई, अयोध्या एवं बाराबंकी) में पी.सी.वी. टीकाकरण किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत जुलाई, 2018 तक कुल 487992 बच्चों को पी.सी.वी. टीकाकरण किया जा चुका है।
- प्रदेश के समस्त जनपदों में वर्ष 2013 से मिजिल्स सर्विलेन्स आउटब्रेक कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
- प्रदेश में ए.एफ.पी. सर्विलेंस उच्च कोटि का बना हुआ है इस स्थिति को लगातार आने वाले वर्षों में कायम रखा जायेगा। इसके साथ ही एन्वायरमेन्टल सर्विलेन्स के तहत प्रदेश में सीरम एकत्र कर पोलियो वायरस की जांच का काम लखनऊ महानगर में वर्ष 2016 से प्रारम्भ कर दिया गया है तथा छह महानगरों (आगरा, प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद, वाराणसी एवं गौतमबुद्ध नगर) में वर्ष 2017-18 में आरम्भ कर दिया गया है।
- प्रदेश के समस्त जनपदों में वी.पी.डी. (वैक्सीन प्रिवेन्टेबिल डिजीज) सर्विलेन्स माह सितम्बर, 2016 वीक नं. 38 से चलाया जा रहा है।
- प्रदेश में 1198 कोल्ड चेन प्वाइन्ट स्थापित हैं, उन सभी कोल्ड चेन प्वाइन्ट से वैक्सीन का वितरण किया जाता है।

मिशन परिवार विकास

24 अप्रैल, 2017 से प्रदेश के 57 जनपदों में मिशन परिवार विकास योजना लागू की गयी है, जिसमें नवीन गर्भ निरोधक इन्जेक्शन (अन्तरा) एवं साप्ताहिक गर्भ निरोधक गोली (छाया) के समावेश के साथ बढ़ी हुई दरों से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाना एवं नवविवाहितों को नयी पहल किट का वितरण किया जाना तथा उपकेन्द्र स्तर पर सास बहू सम्मेलन आयोजित किया जाना सम्मिलित है।

गर्भ निरोधक सेवायें

इसके अन्तर्गत दो बच्चों में अन्तर बनाये रखने हेतु अस्थाई गर्भ निरोधकों, जैसे– ओरलपिल्स, निरोध तथा कॉपर-टी और परिवार नियोजन की स्थाई विधि महिला तथा पुरुष नसबन्दी की सेवाएं दी जा रही हैं। महिला नसबन्दी की नई लैप्रोस्कोपिक विधि प्रदेश में बहुत प्रचलित है। अब पुरुष नसबन्दी की भी नई विधि ''नो स्केलपल वैसेक्टामी'' का विस्तार किया जा रहा है। नसबन्दी के उपरान्त बच्चों की मृत्यु हो जाने पर महिला तथा पुरुष की नस जोड़ने की सेवाएं भी निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती हैं। अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाने हेतु सुरक्षित गर्भ समापन की निःशुल्क सेवाएं भी सरकारी अस्पतालों में प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त नियत दिवस पर नसबन्दी, कॉपर-टी की सेवायें प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त प्रसव के पश्चात् लूप निवेशन की सेवायें भी प्रशिक्षित सेवा प्रदाताओं द्वारा उपलब्ध करायी जाती हैं।

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994

प्रदेश में लिंग चयन एवं कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम हेतु गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम-1994 लागू है, जिसका क्रियान्वयन प्रभावी रूप से किया जा रहा है।

परिवार नियोजन इनडेमिनिटी योजना

नसबन्दी के उपरान्त होने वाली मृत्यु, जटिलताओं एवं असफल नसबन्दी के मुआवजे हेतु परिवार नियोजन इनडेमिनिटी योजना के अन्तर्गत व्यवस्था है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का द्वितीय चरण वर्ष 2012-2017 तक के लिए भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था, जिसे अब मार्च 2020 तक के लिए संचालित किया जा रहा है।

मिशन के उद्देश्य

- मिशन का उद्देश्य प्रदेश के सभी नागरिकों (शहरी एवं ग्रामीण) विशेषतः निर्धन वर्ग तथा समाज का वह संवेदनशील वर्ग, जो सामान्य स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है, उसे सुलभ तथा गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करना है।
- मिशन उद्देश्यो में से मुख्यतया गर्भावस्था तथा प्रसव के तत्काल बाद माताओं की मृत्यु की संख्या को घटाना।
- शिशुओं के जन्म से 1 वर्ष की आयु तक होने वाली मृत्यु को कम करना।
- हर बच्चे को जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिये संपूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना तथा किशोर स्वास्थ्य को बढ़ावा देना।
- परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके।
- माताओं, बच्चों व किशोरों में कुपोषण के स्तर में सुधार लाना।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की योजनायें

1. जननी सुरक्षा योजना।
2. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम।
3. शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम।
4. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम।
5. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम।
6. परिवार नियोजन कार्यक्रम।
7. नियमित टीकाकरण।
8. एम्बुलेन्स सेवाएं।
9. राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम।

राष्ट्रीय कार्यक्रम (कम्युनिकेबिल डिजीज प्रोग्राम्स)

- पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम।
- राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम।
- राष्ट्रीय वेक्टर बॉर्न रोग (मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू तथा कालाजार) की रोकथाम।
- जे.ई./ए.ई.एस. रोग की रोकथाम एवं नियंत्रण।
- आई.डी.एस.पी. कार्यक्रम।

राष्ट्रीय कार्यक्रम (नॉन कम्युनिकेबिल डिजीज प्रोग्राम्स)

- राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम।
- कैसर, डॉयबिटीज, कार्डियोवस्कुलर डिजीजेज एवं स्ट्रोक का नियंत्रण एवं रोकथाम।

- वृद्धावस्था स्वास्थ्य उपचार।
- राष्ट्रीय बधिरता नियंत्रण एवं रोकथाम।
- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम।
- राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम।
- राष्ट्रीय ओरल स्वास्थ्य कार्यक्रम।
- आयोडीन न्यूनता कार्यक्रम।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन

वर्ष 2011 की जनसंख्या सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 199,581,477 है, जिसमें से 44,495,063 की जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। प्रदेश के समस्त जनपदों में नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही है तथा नगरीय क्षेत्रों के विकास के साथ काफी संख्या में अर्ध विकसित मलिन बस्तियां बढ़ती जा रही हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्थापित अर्ध विकसित मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य की मूलभूत सेवायें उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है; जिसके सम्बन्ध में प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या को गुणवत्तापरक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शासनादेश सं0- 1684/5-9-2013-9 (186)/13 दिनांक 07 अक्टूबर 2013 द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन लागू किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसके अन्तर्गत चरणबद्ध रूप से प्रत्येक जिला मुख्यालय तथा 50,000 से अधिक जनसंख्या वाले समस्त शहरों एवं कस्बों को स्वास्थ्य सेवाओं से आच्छादित किया गया है तथा 50,000 से कम जनसंख्या वाले शहरों/कस्बों को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध करायी जा रही हैं। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश में 50,000 से अधिक आबादी वाले जिला मुख्यालय/शहर/कस्बे को सम्मिलित करते हुए कुल 131 शहरी क्षेत्रों हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को एन.एच.एम. की पी0आई0पी0 में सम्मिलित कर प्रेषित की गयी है जिसके सापेक्ष भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 131 शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनसंख्या को गुणवत्तापरक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कुल 592 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 10 नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसमें पूर्व से राज्य बजट से संचालित 147 नगरीय स्वास्थ्य इकाइयां एवं एनआरएचएम कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व से संचालित 231 अरबन हेल्थ पोस्ट सहित कुल 378 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित करने तथा 180 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा वर्ष 2016-17 में 34 नये नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को किराये के भवन में, इस प्रकार कुल 592 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये गए हैं तथा 123 स्वास्थ्य इकाइयों को प्रसव केन्द्र (डिलीवरी प्वाइंट) में परिवर्तित किया गया है। जनपद लखनऊ में पूर्व से क्रियाशील 08 बाल महिला चिकित्सालय तथा जनपद वाराणसी में दो मैटरनिटी होम को नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्तित कर कुल 10 नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को क्रियाशील किया जा रहा है। प्रदेश के 16 बड़े जनपदों में 75 अरबन हेल्थ क्योस्क के सापेक्ष 40 अरबन हेल्थ क्योस्क स्थापित कर क्रियाशील किया जा रहा है। जनपद लखनऊ में 02, प्रयागराज में 06 व जनपद गोरखपुर में 05 ई.यू.पी.एच.सी. के अंतर्गत संचालित की जा रही है। महानगरों/नगरों में स्थापित नगरीय प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में शहरी गरीबों को स्वास्थ्य की मूलभूत सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

जननी सुरक्षा योजना

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2005 से जननी सुरक्षा योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य स्तरीय राजकीय चिकित्सालय के जनरल वार्ड में संस्थागत प्रसव कराने वाली महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में रु. 1400/- व शहरी क्षेत्र में रु. 1000/- एवं बी0पी0एल0 श्रेणी के घरेलू प्रसव हेतु रु. 500/- सहायता राशि के रूप में दिये जाते हैं।
- आशा कार्यकर्त्री पंजीकरण से लेकर प्रसव पूर्व, प्रसव कालीन व प्रसवोत्तर सभी सेवायें उपलब्ध करवाती है, तो आशा को इस कार्य हेतु ग्रामीण क्षेत्र में कुल रु. 600/- एवं शहरी क्षेत्र में कुल रु. 400/- दिये जाते हैं।
- जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत शासनादेश संख्या-3667/5-9-08-9(113)/05 दिनांक 05/03/2008 के द्वारा प्राइवेट नर्सिंग होम/चिकित्सालयों को मान्यता प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है। प्राइवेट नर्सिंग होम/चिकित्सालयों में प्रसव कराने पर बी.पी.एल. श्रेणी की महिलाओं को ही प्रोत्साहित धनराशि अनुमन्य है। मान्यता प्राप्त प्राइवेट नर्सिंग होम/चिकित्सालयों की जननी सुरक्षा योजना में प्रतिभागिता बढ़ाने के लिये ऑपरेशन द्वारा प्रसव कराये जाने पर बी.पी.एल. महिलाओं के सिजेरियन प्रसव रु. 10000.00 की दर से निजी चिकित्सालयों को भुगतान किया जायेगा।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों में 22 अगस्त 2011 से लागू है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसव हेतु आने वाली गर्भवती महिलाओं को गारेन्टेड कैशलेस डिलीवरी सेवा प्रदान करना है।
- महिला से सामान्य अथवा सिजेरियन प्रसव हेतु किसी भी प्रकार का कोई भी यूजर चार्ज नहीं लिया जा रहा है।
- सभी जांचें जैसे- ब्लड, यूरिन, अल्ट्रासोनोग्राफी आदि निःशुल्क प्रदान की जा रही है।
- आवश्यकतानुसार ब्लड ट्रान्सफ्यूजन भी निःशुल्क किया जा रहा है।
- गर्भवती महिलाओं एवं प्रसूताओं (सामान्य एवं सिजेरियन प्रसव) को चिकित्सालय में भर्ती रहने के दौरान निःशुल्क भोजन प्रदान किया जा रहा है। निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने हेतु प्रति लाभार्थी रु. 100.00 प्रति दिन की अधिकतम दर तक धनराशि व्यय की जा सकती है, जिसमें सुबह का नाश्ता एवं दो समय का भोजन सम्मिलित होगा।
- गर्भवती महिला को प्रसव पूर्व घर से चिकित्सा इकाई तक एवं प्रसवोपरान्त चिकित्सा इकाई से घर तक निःशुल्क एम्बुलेन्स 102 के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है।
- प्रसवों के उपरान्त माँ की 42 दिन तक और बच्चे की एक वर्ष तक पूरी देखभाल/टीकाकरण/बीमार होने पर निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था, घर से चिकित्सा इकाई तक एवं चिकित्सा इकाई से घर तक एवं चिकित्सा इकाई से अन्य चिकित्सा इकाई तक पहुँचाने की निःशुल्क सुविधा एम्बुलेन्स 102 के माध्यम से दी जा रही है।
- प्रदेश के 18 मण्डलीय जनपदों में गर्भवती महिलायें एवं अन्य को निःशुल्क रक्त उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 19.08.2017 को ब्लड कलेक्शन एवं ट्रान्सपोर्टेशन वैन का शुभारम्भ किया गया है।

मातृ मृत्यु समीक्षा कार्यक्रम

- एस.आर.एस. सर्वे के अनुसार 2011-13 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का मातृ मृत्यु अनुपात 285 प्रति 1 लाख जीवित जन्म था। वर्ष 2014-16 की एस.आर.एस. सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश का मातृ मृत्यु अनुपात घटकर 201 प्रति 1 लाख जीवित जन्म हो गया है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में वर्ष 2020 तक इसे 170 प्रति 1 लाख जीवित जन्म तक लाने का लक्ष्य रखा गया है।
- मातृ मृत्यु समीक्षा (एम.डी.आर.) कार्यक्रम में प्रत्येक मातृ मृत्यु के कारणों की गहन छानबीन की जाती है, जिससे यह पता चलता है कि मातृ मृत्यु के मेडिकल कारण क्या थे तथा सामाजिक कारण क्या थे।
- उक्त कार्य के लिए प्रत्येक महिला की मृत्यु की रिपोर्ट करने पर संबंधित आशा को रु. 200.00 प्रोत्साहन धनराशि देय होगी।
- समस्त जनपदों में मातृ मृत्यु को कम करने के लिए पी.पी.एच. प्रबन्धन प्रशिक्षण कराया जा रहा है। जिसमें अब तक प्रदेश के 640 चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया गया है।
- वर्ष 2008-09 से अब तक 21 दिवसीय एस.बी.ए. प्रशिक्षण 4071 को दिलाया गया।
- क्लस्टर बेस एस.बी.ए. प्रशिक्षण 476 को प्रशिक्षित किया गया है।
- वर्ष 2018-19 की राज्य कार्य योजना में कुल 1600 एस.बी.ए. प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु प्रस्ताव भेजा गया है।
- एस.बी.ए. प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु दिनांक 09-10 फरवरी, 2018 को दो दिवसीय टी.ओ.टी. प्रशिक्षण दिलाया गया।
- प्रदेश के उच्च प्राथमिकता वाले 25 जनपदों के चिकित्सकों (गायनकोलाजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट एवं बाल रोग विशेषज्ञों) को 04 आर.आर.टी.सी. (अलीगढ़, प्रयागराज, लखनऊ एवं गोरखपुर मेडिकल कॉलेज) के द्वारा मातृ एवं बाल मृत्यु के रोकथाम हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है। जिसमें अब तक 220 चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया गया है।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान

- ''प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान'' प्रत्येक माह की 09 तारीख को ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालयों में चलाया जाता है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का मुख्य उद्देश्य निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं को सभी गर्भवती महिलाओं तक पहुँचाना और उन्हें सुरक्षित संस्थागत प्रसव के लिये प्रेरित करना है।
- जिसमें द्वितीय व तृतीय त्रैमास की गर्भावस्था वाली महिलाओं को न्यूनतम एक जांच चिकित्सक द्वारा प्रदान की जाती है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अन्तर्गत 67 जनपदों के 100 से अधिक प्रसव भार वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पी.पी.पी. मोड पर गर्भवती महिलाओं के लिये अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा माह सितम्बर 2017 से प्रारम्भ की गई है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व क्लीनिक में सभी संदर्भित एच.आर.पी. एवं नियमित आने वाली गर्भवती महिलाओं की जांच क्लीनिक पर उपलब्ध एम.बी.बी.एस. चिकित्सक द्वारा की जा रही है।

प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना

यह योजना दिनांक 01.01.2017 से लागू की गई है। योजना शासन के निर्देशानुसार सिफ्सा द्वारा संचालित की जा रही है। योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा शासनादेश 535/पाँच-9-2015-9(127)/12टी0सी0 दिनांक 06 सितम्बर, 2017 से आच्छादित गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित जन्म के लिये तीन किस्तों में निम्नानुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी-

- गर्भावस्था का शीघ्र पंजीकरण करने पर प्रथम किस्त - रु. 1000/-
- कम से कम एक प्रसव पूर्व जाँच (गर्भावस्था के 6 माह के बाद) द्वितीय किस्त रु. 2000/-
- बच्चे के जन्म का पंजीकरण, बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूर्ण होने पर तृतीय किस्त- रु. 2000/-

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम

स्वस्थ समाज की नींव स्वस्थ बाल्यावस्था में ही पड़ती है। अतः बच्चों की मृत्युदर में कमी लाने, उनके बेहतर जीवन एवं समग्र विकास के लिए जन्म से 19 वर्षों तक के बच्चों हेतु राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रदेश के समस्त जनपदों में वर्ष 2013-14 से संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अन्तर्गत 4 डी.एस.-बर्थ डिफेक्ट्स, डिफीसिएन्सी, डिसीजेज एण्ड डेवलपमेन्ट-डीले लीडिंग टू डिसएबीलिटी के दृष्टिगत रखते हुए स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार एवं संदर्भन सुनिश्चित किया जाना है। कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक ब्लाक में दो मेडिकल टीमें तैनात की गयी हैं, जो वर्ष में दो बार आंगनबाड़ी केन्द्रों पर तथा एक बार सरकारी, परिषदीय एवं सहायता प्राप्त स्कूलों में जा रही हैं तथा बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही हैं। इन टीमों द्वारा बच्चों की लम्बाई, वजन की जाँच, नजर की जाँच तथा स्वास्थ्य परीक्षण आदि किया जाता है एवं आवश्यकतानुसार निःशुल्क उपचार हेतु संदर्भित किया जाता है। टीमों द्वारा व्यक्तिगत स्वच्छता एवं पोषण सम्बन्धी परामर्श भी दिया जाता है।

कार्यक्रम का और विस्तार करते हुए प्रसव इकाइयों पर तैनात चिकित्सकों तथा स्वास्थ्य कर्मियों को जन्म के तुरन्त बाद चिन्हित किये जा सकने वाले जन्मजात दोषों की पहचान के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। नवजात की घरेलू देखभाल करने वाली आशा तथा ग्राम्य स्तर पर उपलब्ध स्वास्थ्य कर्मी महिला (ए.एन.एम.) को भी छोटे बच्चों में होने वाले रोगों तथा जन्मजात दोषों को पहचानने तथा संदर्भन हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

किशोर आयु वर्ग (10-19 वर्ष) कुल आबादी का पाँचवां हिस्सा तथा युवा (10-24 वर्ष) एक तिहाई हिस्सा हैं। किशोर/युवा एक ऐसे वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो देश की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति बदल सकते हैं। किशोरों/युवाओं की विशाल संख्या को ध्यान में रखते हुए देश व प्रदेश को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह जीवंत और रचनात्मक शक्ति बनकर सतत और समावेशी विकास में योगदान कर सके। वर्तमान में हमारे देश में युवा जनसंख्या अधिकतम है, जिसके शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए विशेष योजना की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम मौजूदा क्लीनिक-आधारित दृष्टिकोण के स्थान पर एक समग्र मॉडल की ओर केंद्रित है। इसके अन्तर्गत समुदाय आधारित स्वास्थ्य संवर्धन पर जोर दिया जायेगा। जिसके द्वारा निरोधात्मक, नैदानिक और उपचारात्मक सेवाओं को मजबूत बनाया जा सकेगा। इसमें स्वास्थ्य

सम्बन्धी जानकारी, वस्तुओं और सेवाओं को समुदाय स्तर पर उपलब्ध करवाने का प्रावधान तथा त्रिस्तरीय लोक स्वास्थ्य प्रणाली द्वारा संदर्भन के लिंकेजेज़ बनाना सम्मिलित है। इस रणनीति के अन्तर्गत किशोरों और क्षेत्रीय सेवा प्रदाताओं (जैसे कि अध्यापक, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता- आशा, ए.एन.एम., आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और नेहरू युवा केन्द्र संगठनों के स्वयं सेवक आदि) का समन्वित प्रयास होगा, ताकि किशोरों तक सेवाएं पहुंच सके।

लक्षित समूह

किशोर रणनीति के अन्तर्गत 10 से 14 वर्ष तक और 15 से 19 वर्ष तक के किशोरों का सार्वभौमिक आच्छादन किया जाना है, इसमें शहरी और ग्रामीण, स्कूल जाने वाले और स्कूल न जाने वाले, विवाहित और अविवाहित तथा कमजोर/असेवित वर्ग के किशोर/किशोरी सम्मिलित हैं।

उद्देश्य

इस रणनीति के मुख्य उद्देश्य हैं :

पोषण में सुधार

- किशोर लड़के व लड़कियों में कुपोषण की व्यापकता को कम करना।
- किशोर लड़के व लड़कियों में लौह तत्व की कमी से होने वाले रक्ताल्पता की व्यापकता को कम करना।

यौन और प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार

- यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के संदर्भ में ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार में सुधार लाना।
- किशोर गर्भधारण को कम करना।
- किशोर माता-पिता को जन्म की तैयारियों, जटिलता तत्परता में सुधार और मातृत्व में सहयोग प्रदान करना।

मानसिक स्वास्थ्य में सुधार

- किशोरों की मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी चिंताओं की ओर ध्यान देना।

किशोरों में क्षतियों और हिंसा (लिंग भेद हिंसा सहित) की रोकथाम

- किशोरों में क्षति हिंसा को रोकने के लिए अनुकूल दृष्टिकोण को बढ़ावा देना (इसमें लिंग आधारित हिंसा की रोकथाम भी सम्मिलित है।)

नशावृत्ति की रोकथाम

- किशोरों में नशावृत्ति के प्रतिकूल प्रभाव और परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

गैर संचारी रोगों की रोकथाम

- गैर संचारी रोगों (जैसे कि घात (स्ट्रोक), हृदय रोग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप) की रोकथाम के लिए व्यवहार में परिवर्तन लाना।

साप्ताहिक आयरन एण्ड फोलिक एसिड सम्पूर्ण कार्यक्रम (स्कूल जाने वाले)

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा 6 से 12 तक के सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, मदरसों, अनाथालयों, बाल अपराध गृह आदि के पंजीकृत बच्चों को सम्मिलित किया गया है। इसमें लगभग एक करोड़ से भी अधिक किशोर/किशोरियां लाभान्वित हो रहे हैं।

इस कार्यक्रम को पूरे प्रदेश में लागू किया गया है तथा सभी जनपदों को इस सन्दर्भ में दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त स्कूल जाने वाले किशोर/किशोरियों को साप्ताहिक नीली आयरन की बड़ी गोली (100 मि0ग्रा0 एलेमेन्टल आयरन तथा 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड) खिलाने का प्रावधान है। ये गोलियां एण्टरिक कोटेड है जिससे कि साइड इफेक्ट्स जैसे- गैस्ट्रिक इरीटेशन की शिकायत नहीं होती है। यह कार्यक्रम शिक्षा विभाग के सहयोग से चलाया जा रहा है, इसे सुचारु रूप से चलाने हेतु स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रदेश के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में आयरन की नीली गोली शिक्षकों की निगरानी में किशोर/किशोरियों को खिलायी जाती है।

साप्ताहिक आयरन एण्ड फोलिक एसिड सम्पूर्ण कार्यक्रम (स्कूल न जाने वाले)

प्रदेश के लगभग 27 प्रतिशत (11 से 14 वर्ष) तथा 60 प्रतिशत (15 से 17 वर्ष) के किशोर/किशोरियां स्कूल नहीं जाती हैं। एन.एफ.एच.एस.-3 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 32 प्रतिशत किशोरियां (11 से 14 वर्ष) तथा 68 प्रतिशत (15 से 17 वर्ष) की किशोरियां स्कूल नहीं जाती हैं। अतः विप्स कार्यक्रम स्कूल न जाने वाली किशोरियों में 10 से 19 वर्ष तक की समस्त किशोरियों को आई.सी.डी.एस. की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के माध्यम से साप्ताहिक आयरन की नीली गोली खिलाये जाने का प्रावधान किया गया है।

राष्ट्रीय डी-वर्मिंग डे

प्रदेश के 1 से 19 वर्ष तक के समस्त बच्चों को वर्ष में दो बार माह फरवरी व अगस्त में एल्बेण्डाजॉल 400 मि0ग्रा0 की गोली दिये जाने का प्रावधान किया गया है जिससे बच्चे पेट के कीड़ों से छुटकारा पा सकें तथा एनीमिया जैसी बीमारियों से बच सकें।

किशोरी सुरक्षा योजना

किशोरी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में सरकारी/परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाली कक्षा 6 से 12 तक की किशोरियों को निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन्स का वितरण स्कूल के नोडल अध्यापक/अध्यापिकाओं के द्वारा माह जनवरी 2016 से किया जा रहा है।

माहवारी के विषय से जुड़ी गलत धारणाओं व मिथकों को दूर करने के लिये किशोरियों को व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में जानकारी दिया जाना भी अति महत्त्वपूर्ण है। किशोरियाँ (10 से 19 वर्ष), में बढ़ती गतिशीलता (घूमने फिरने की आजादी) और व्यक्तिगत सहजता के दृष्टिकोण से माहवारी स्वच्छता के विषय में जानकारी दिया जाना महत्त्वपूर्ण है। किशोर अवस्था में शरीर में हो रहे हार्मोन के बदलाव के कारण शारीरिक एवं मानसिक स्तर पर असर पड़ता है तथा उनके अन्दर तरह-तरह की जिज्ञासायें उत्पन्न होती हैं, जिसके बारे में वे संकोचवश सही जानकारी प्राप्त नहीं कर पाती हैं। माहवारी के दौरान साफ-सफाई न रखने तथा कुरीतियों के कारण संक्रमण की सम्भावना रहती है। साथ ही माहवारी के विषय में कम जानकारी की वजह से बालिकाओं का स्कूल में जाना कम हो जाता है अथवा वे स्कूल छोड़ देती हैं। किशोरियों में माहवारी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान, सही जानकारी देकर ही किया जा सकता है।

माहवारी के विषय में जुड़ी गलत धारणाओं व मिथकों को दूर करने तथा किशोरियों में माहवारी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निदान हेतु जानकारी दिया जाना तथा अच्छी गुणवत्ता के सैनेटरी नैपकिन्स उपलब्ध कराया जाना एक महत्त्वपूर्ण कदम है, जिससे कि उनकी गतिशीलता, व्यक्तिगत सहजता एवं उनका आत्मविश्वास बना रहे।

किशोरी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में प्रदेश के सरकारी/परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाली कक्षा 6 से 12 तक की कुल 3401673 किशोरियों को निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन्स वितरित किये जाने का लक्ष्य है।

''102'' नेशनल एम्बुलेन्स सेवा

प्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा 17 जनवरी 2014 को नेशनल एम्बुलेंस सेवा 102 एन.ए.एस. प्रारम्भ किया गया। यह सुविधा चिकित्सालय तथा चिकित्सालय से घर तक परिवहित करने के लिए है। इसके अतिरिक्त योजनान्तर्गत सितम्बर 2015 से कैम्पों में नसबन्दी कराने वाली महिलाओं को सरकारी अस्पताल से घर छोड़ने हेतु भी निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा प्रदान की जा रही है। परिवहन के समय लाभार्थियों को आवश्यक चिकित्सकीय उपचार भी उपलब्ध कराया जाता है। इस सेवा की प्राप्ति के लिए ''102'' नम्बर का टोल फ्री नम्बर भी शासन द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिस पर किसी भी नेटवर्क से निःशुल्क कॉल की जा सकती है। यह सेवा आवश्यकतानुसार एक चिकित्सा इकाई से दूसरे चिकित्सा इकाई तक लाभार्थी को परिवहित करने में भी प्रयोग की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में काल करने पर एम्बुलेंस पहुँचने का अधिकतम समय 30 मिनट निर्धारित किया गया है जबकि शहरी क्षेत्रों में यह अवधि 20 मिनट है। यह सुविधा प्रदेश के सभी जनपदों में पूरे 24 घंटे उपलब्ध है। वर्तमान में योजनान्तर्गत कुल 2270 एम्बुलेंस संचालित हैं। इस योजना से दिसम्बर 2018 तक 321.15 लाख लाभार्थियों को सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

शिशु मृत्यु दर को कम करने की योजनाएं

देश में एवं प्रदेश में शिशु मृत्यु दर के मुख्य कारणों के रूप में प्री-टर्म बर्थ डायरिया, निमोनिया एवं बर्थ एक्सपेक्सिया इत्यादि मुख्य कारण हैं, एवं इन कारणों का चिकित्सकीय प्रबन्ध कर ही नवजात शिशुओं की मृत्यु को रोका जा सकता है। वर्तमान में एस.आर.एस. सर्वे 2015 के अनुसार देश की शिशु मृत्युदर 37 प्रति हजार जीवित जन्म व प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 46 प्रति हजार जीवित जन्म व देश की नवजात मृत्युदर 25 प्रति हजार जीवित जन्म व प्रदेश की नवजात मृत्युदर 31 प्रति हजार जीवित जन्म है। वर्तमान में एस.आर.एस. सर्वे 2016 के अनुसार प्रदेश में शिशु मृत्युदर 43 प्रति हजार जीवित जन्म हो गई है व देश की नवजात मृत्यु दर 24 प्रति हजार जीवित जन्म तथा प्रदेश की नवजात मृत्यु दर 30 प्रति हजार जीवित जन्म हो गयी है। शिशु मृत्यु दर व नवजात मृत्युदर में कमी लाने के दृष्टिगत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत निम्नवत योजनायें संचालित की जा रही हैं–

- **न्यू बार्न केयर कार्नर (एन.बी.सी.सी.)–** प्रदेश के समस्त जिला महिला चिकित्सालयों/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/मान्यता प्राप्त उपकेन्द्रों के प्रत्येक प्रसव कक्ष में नवजात शिशु देखभाल स्थान (न्यू बार्न केयर कार्नर) चरणबद्ध रूप से तैयार किये जा रहे हैं। प्रदेश में वर्तमान में 1820 नवजात शिशु देखभाल स्थान क्रियाशील हैं।
- **नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाई (एन.बी.एस.यू.)–** प्रसव के पश्चात् कमजोर तथा गंभीर नवजात जिन्हें चिकित्सालय में गहन देखरेख में रखना आवश्यक है, के लिये वर्तमान में प्रदेश में सन्दर्भन इकाइयों/जिला महिला चिकित्सालयों में 180 नवजात शिशु स्थिरीकरण इकाई क्रियाशील हैं।

- **सिक न्यू बार्न केयर यूनिट (एस.एन.सी.यू.)–** अति गंभीर शिशुओं की विशेष देखभाल हेतु वर्तमान में प्रदेश के चयनित जिला महिला चिकित्सालयों व मेडिकल कालेजों में एस.एन.सी.यू. स्थापित हैं। वर्तमान में कुल 63 जनपदों में 77 एस.एन.सी.यू. स्थापित हैं।
- **कंगारू मदर केयर (के.एम.सी.)–** कम वजन तथा समय से पूर्व जन्में शिशुओं की विशेष देखभाल से शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश के जिला महिला चिकित्सालयों/मेडिकल कालेजों में संचालित एस.एन.सी.यू. इकाइयों के निकट के.एम.सी. इकाइयों की स्थापना चरणबद्ध रूप से की जा रही है। अभी तक 72 के.एम.सी. इकाइयां क्रियाशील हैं।
- **पोषण पुनर्वास केन्द्र (एन.आर.सी.)–** कुपोषण जैसी गंभीर समस्या से निपटने हेतु चयनित जनपदों के जिला पुरुष चिकित्सालयों व मेडिकल कॉलेजों में कुपोषित बच्चों का उपचार करने हेतु पोषण पुनर्वास केन्द्र स्थापित हैं। वर्तमान में 71 जनपदों में 77 एन.आर.सी. क्रियाशील हो चुकी हैं।
- **होम बेस्ड न्यू बार्न केयर कार्यक्रम (एच.बी.एन.सी.)–** अक्टूबर 2012 से संचालित इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आशाओं द्वारा संस्थागत एवं घरेलू प्रसव के उपरान्त 42 दिनों के भीतर 6-7 बार गृह भ्रमण किये जाते हैं, जिसमें 6-7 माड्यूल प्रशिक्षित आशाओं द्वारा माताओं एवं बच्चों की समुचित देखभाल हेतु जानकारी दी जाती है। वर्तमान में सभी 75 जनपदों में यह लागू कर लिया गया है। वर्तमान में 1,52,005 के सापेक्ष प्रथम चरण में 1,34,353, द्वितीय चरण में 1,31,267, तृतीय चरण में 1,11,229 आशायें कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी हैं व प्रशिक्षित आशाओं में से 74 प्रतिशत आशाओं द्वारा अप्रैल 2018 से सितम्बर-2018 तक 12,75,172 नवजात शिशुओं का गृह भ्रमण कर स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की गई हैं।
- **डायरिया एवं न्यूमोनिया कार्यक्रम –** नवजात शिशु एवं बच्चों में डायरिया एवं न्यूमोनिया मृत्यु का मुख्य कारण है। उक्त को नियंत्रित करने के लिये प्रदेश में वृहद स्तर पर यह कार्यक्रम संचालित किया गया है। डायरिया से होने वाली मृत्यु को जिंक एवं ओ.आर.एस. पैकेट आशाओं के माध्यम से बांटे जा रहे हैं तथा न्यूमोनिया को रोकने के लिये आशाओं के माध्यम से टेबलेट एमाक्सीसीलिन उपलब्ध करायी जा रही है। साथ ही संक्रामक सीजन के दौरान दस्त को रोकने का सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा (आई.डी.सी.एफ.) कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष संचालित किया जाता है।

प्रसूति एवं शिशु कल्याण

इस योजना के अधीन प्रसूति एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत माताओं एवं नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल का कार्य होता है। इस हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में 5243 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर उप-प्रसूतिकायें (ए.एन.एम.) तथा स्वास्थ्य अभ्यागत (दाई) कार्यरत हैं। इनके द्वारा परिवार सन्तुलित रखने तथा प्रसूति के समय मातृ एवं शिशु की स्वास्थ्य रक्षा की जानकारी जन सामान्य को कराई जाती है। स्वास्थ्य उपकेन्द्रों पर गर्भवती माताओं की जाँच, सुरक्षित प्रसव एवं टीकाकरण तथा बच्चों की सात

जानलेवा बीमारियों से बचाव हेतु टीकाकरण का कार्य भी किया जाता है, जिससे ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेष लाभ मिलता है तथा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम करने में सहायता मिलती है। कार्यक्रम से सम्बन्धित कर्मियों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है।

पुनः नस जोड़ने की सुविधा

स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबन्दी के उपरान्त यदि किसी लाभार्थी के साथ ऐसी घटना घटित हो जाती है कि उसकी सभी संतानों की किन्हीं कारणवश मृत्यु हो जाये या निःसंतान या अविवाहित व्यक्ति की नसबन्दी हो जाये तो वह पुनः नस जुड़वा सकता है। पुनः नस जोड़ने की सुविधा निम्न स्थानों पर उपलब्ध है –

1. मेडिकल कॉलेज, आगरा, कानपुर, मेरठ, झाँसी, प्रयागराज तथा गोरखपुर।
2. जिला अस्पताल, बरेली एवं बलरामपुर अस्पताल, लखनऊ।

भारत सरकार द्वारा किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ में एक उत्कृष्ट सेवा एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है। इस केन्द्र पर पुनः नस जोड़ने की सुविधा दी जा रही है।

ग्रीन कार्ड योजना

परिवार कल्याण कार्यक्रम में गति लाने तथा छोटे परिवार की अवधारणा की स्वीकार्यता को बढ़ाये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में दिनांक 01–07–1985 से ग्रीन कार्ड योजना चलायी जा रही है। इसके अन्तर्गत पति अथवा पत्नी को अधिकतम दो बच्चों के बाद नसबन्दी आपरेशन कराने पर एक ग्रीनकार्ड (परिचय पत्र) दिया जाता है, जिसमें पति व पत्नी का नाम, स्थायी पता आदि के विवरण अंकित किये जाते हैं। ग्रीन कार्ड योजना के अन्तर्गत अनुमन्य सुविधाओं को वरीयता के आधार पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इन सुविधाओं का उल्लेख ग्रीन कार्ड में किया गया है। शासनादेश संख्या 876/5-9-2002-9(70)/84 दिनांक 16.07.2002 द्वारा दो बच्चों के बाद नसबन्दी ऑपरेशन कराने वाले ग्रीन कार्ड धारकों को निम्न सुविधाएं अनुमन्य की गई हैं :

क. ग्राम्य विकास द्वारा चलायी जा रही योजनाओं में लाभार्थियों के चयन में ग्रीन-कार्ड धारक को वरीयता दी जाएगी।

ख. ग्रीन कार्ड धारकों के बच्चों को सरकारी अथवा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थानों में प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी और उनके बच्चों को इण्टरमीडिएट तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी।

ग. ग्रीन कार्ड धारकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जायेगी, उन्हें राजकीय चिकित्सालयों के जनरल तथा प्राइवेट वार्डों के आवंटन में वरीयता दी जायेगी।

घ. नगर विकास, आवास विकास विभाग एवं अन्य सरकारी विभागों द्वारा आवासीय भवनों एवं भूखण्डों के आवंटन में ग्रीन कार्ड धारकों को वरीयता दी जायेगी।

ड. सरकारी सस्ते गल्ले की व अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकान/लाइसेन्स देने में भी ग्रीन कार्ड धारकों को वरीयता दी जायेगी।

च. ग्रीन कार्ड धारकों को गृह निर्माण अग्रिम व वाहन अग्रिम में वरीयता दी जायेगी।

4211 - परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

(रु. लाख में)

वास्तविक व्यय	आय व्ययक प्रावधान	पुनरीक्षित अनुमान	आय व्ययक अनुमान
2017-18	2018-19	2018-19	2019-20
14123.33	15740.00	15740.00	17314.00

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम योजनान्तर्गत चिकित्सालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र हेतु 60:40 अनुपात में भारत सरकार से वित्त पोषित योजना है।

ई-गवर्नेंस

परिवार कल्याण विभाग में महानिदेशालय स्तर पर सभी अधिकारियों/अनुभागों को कम्प्यूटर उपलब्ध कराये गये हैं। विभागीय वेबसाईट-यूपीहेल्थ.यूपी.एनआईसी.इन उपलब्ध है। इस वेबसाइट पर विभाग से सम्बन्धित समस्त क्रियाकलापों एवं योजनाओं से सम्बन्धित सूचनायें डाली जा रही हैं तथा इस विभाग में कार्यरत सभी अधिकारियों को ई-मेल आई.डी. भी उपलब्ध करायी गयी है, ताकि जनसाधारण ई-मेल के माध्यम से और अधिक जानकारी प्राप्त कर सके।

नगर विकास

सभ्यता के विकास के साथ शहरीकरण की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। शहरी क्षेत्रों में अवस्थापना तथा मूलभूत नागरिक सुविधाओं पर अपेक्षाकृत अधिक दबाव होने के कारण कालान्तर से ही शहरों के सुनियोजित विकास की आवश्यकता का अनुभव किया जाता रहा है। इसी क्रम में प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों को एक स्वतन्त्र इकाई, नगरीय स्थानीय निकाय के रूप में अंगीकार किया गया है। नगरीय स्थानीय निकायों के क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या को मूलभूत नागरिक सुविधाएँ यथा- स्वच्छ पेयजलापूर्ति, सड़कें/गलियाँ, जल निकासी, सफाई व्यवस्था, कूड़ा निस्तारण, सीवरेज व्यवस्था, मार्ग प्रकाश, पार्क, स्वच्छ पर्यावरण आदि उपलब्ध कराया जाना इन स्थानीय निकायों का कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व है। प्रदेश के नागर स्थानीय निकायों के कार्यों पर प्रशासकीय नियंत्रण के साथ नगरीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं विस्तार हेतु विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों के माध्यम से आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु नगर विकास विभाग का गठन किया गया है। नगर विकास विभाग द्वारा उक्त कार्यों के अतिरिक्त शहरों में सेनिटेशन, पर्यावरण संरक्षण तथा नदियों एवं झीलों में प्रदूषण नियंत्रण आदि का कार्य भी किया जा रहा है। स्वतंत्रता के पूर्व राज्य सरकार स्तर पर इस विभाग का नाम 'लोक स्वास्थ विभाग' था, जिसे बाद में 'स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग'' नाम दिया गया। कालान्तर में इसे आवास एवं नगर विकास विभाग कहा गया। वर्तमान में इस विभाग को दो अलग-अलग विभागों यथा- आवास एवं शहरी नियोजन विभाग तथा नगर विकास विभाग में विभाजित कर दिया गया है।

● नगरीय निकाय निदेशालय

भारत सरकार द्वारा गठित रूरल अरबन रिलेशनशिप कमेटी की संस्तुतियो के आधार पर उप्र.शासन द्वारा सर्वप्रथम वर्ष 1971 में स्थानीय निकाय निदेशालय के गठन की परिकल्पना की गई जो व्यावहारिक रूप में वर्ष 1973 में गठित किया गया स्थानीय निकाय निदेशालय में एक निदेशक होता है, जो अपने अधीनस्थ अन्य कार्मिकों के सहयोग से विभिन्न प्रशासनिक व वित्तीय कार्यों का निर्वहन करता हौ वर्तमान में इसे नगरीय निकाय निदेशालय के नाम से जाना जाता है।

प्रमुख केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं

● अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत)

(1) कवरेज

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन-(अमृत) कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 60 शहर आच्छादित हैं -

(1) 7 शहर (जनसंख्या 10 लाख से अधिक)

(2) 53 शहर (जनसंख्या 1 लाख से 10 लाख तक)

- उक्त का क्रियान्वयन नगर विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है।
- अमृत कार्यक्रम की मिशन अवधि 2015 से 2020 निर्धारित है।

(1) (क) अमृत के अंतर्गत 7 शहर, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है

अमृत के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 07 शहर यथा- कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज तथा मथुरा सम्मिलित हैं।

- अमृत योजना में वित्त पोषण का अनुपात 33.33:36.67:30 अंश केन्द्र सरकार, 33.33 प्रतिशत अंश राज्य सरकार तथा 36.67 प्रतिशत संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा वहन किए जाने का प्रावधान है।
- इन शहरों में स्वीकृत परियोजनाओं के सापेक्ष 3 किश्तों मे भारत सरकार से धनराशि स्वीकृत की जाती है। भारत सरकार से धनराशि सी.ए. अर्थात सेन्ट्रल एसीसटेंस के रूप में प्राप्त होती है।

(1) (ख) अमृत के अंतर्गत 53 शहर, जिनकी जनसंख्या 1 लाख से 10 लाख है

- शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु परियोजना क्रियान्वित की जा रही है।
- इस कार्यान्श में वित्त पोषण का अनुपात 50:30:20 (अर्थात 50 प्रतिशत केन्द्रांश, 30 प्रतिशत राज्यांश व 20 प्रतिशत निकाय अंश)

(2) प्रमुख क्षेत्र

- जलापूर्ति,
- सीवरेज सुविधाएं और सेप्टेज प्रबन्धन,
- विशेष बच्चों के लिए हरित स्थलों, पार्कों और मनोरंजन केन्द्रों का निर्माण और उन्नयन करके शहरों की भव्यता बढ़ाना।

(3) मिशन घटक

अमृत के घटकों में क्षमता निर्माण, सुधार कार्यान्वयन, जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, शहरी परिवहन और हरित स्थल और पार्क शामिल हैं। आयोजन के दौरान, शहरी स्थानीय निकायों को भौतिक अवसंरचना घटकों में कुछ स्मार्ट विशेषताओं को शामिल करने का प्रयास करना होगा। मिशन घटकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

जलापूर्ति

- प्रत्येक परिवार को विरचित जलापूर्ति, संयोजन सहित एक पेयजल का नल सुलभ करना,
- जल शोधन संयंत्रों और भी जगहों पर मीटर लगाने सहित वर्षा जल आपूर्ति प्रणाली,
- शोधन संयंत्रों सहित पुरानी जलापूर्ति प्रणालियों का पुनर्स्थापन,
- विशेषतया पेयजल आपूर्ति और भूमिगत जल पुनः भरण के लिए जलाशयों का पुनरुद्धार,
- उन क्षेत्रों सहित जिनमें जल की गुण्वत्ता संबंधी समस्याएं हैं (उदाहरणार्थ आरसेनिक, फ्लोराइड) दुर्गम क्षेत्रों, पहाड़ी और तटीय शहरों के लिए विशेष जलापूर्ति प्रबंधन।

सीवरेज

- प्रत्येक परिवार को सीवर संयोजन सुलभ करना,
- मौजूदा सीवरेज प्रणालियों और सीवरेज शोधन संयंत्रों के संवर्द्धन सहित विकेन्द्रीकृत, नेटवर्कबद्ध भूमिगत सीवरेज प्रणलियां,
- पुरानी सीवरेज प्रणालियों और शोधन का पुनर्स्थापन,
- लाभकारी प्रयोजनों के लिए जल का पुनर्चक्रण और अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग।

सेप्टेज

- मल गाद प्रबंधन-कम लागत पर सफाई, परिवहन और शोधन,
- सीवर और सेप्टिक टैंकों की यांत्रिकी और जैविक सफाई और प्रचालन की पूरी लागत वसूली।

हरित स्थल और पार्क

- बच्चा हितैषी घटकों के लिए विशेष प्रावधान के साथ हरित स्थल और पार्कों का निर्माण।

क्षमता निर्माण

- इसके दो घटक हैं - व्यक्तिगत और सांस्थानिक क्षमता निर्माण।
- क्षमता निर्माण मिशन शहरों तक सीमित नही होगा, बल्कि अन्य शहरी स्थानीय निकायों तक भी इसका विस्तार किया गया है।
- नए मिशनों के साथ इसके रिएलायनमेंट के बाद व्यापक क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सी.सी.बी.पी.)

धनराशि का आवंटन

- परियोजना निधि-वार्षिक बजटीय आवंटन के 80 प्रतिशत।
- सुधारों के लिए प्रोत्साहन-वार्षिक बजटीय आवंटन के 10 प्रतिशत।
- प्रशासनिक और कार्यालयी व्यय (ए.एण्ड ओ.ई.) के लिए शहरी विकास मंत्रालय की निधि-वार्षिक बजटीय आवंटन के।
- प्रशासनिक और कार्यालयी व्यय (ए.एण्ड ओ.ई.) के लिए राज्य की निधि की निधि-वार्षिक बजटीय आवंटन का 20 प्रतिशत।
- कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि के 75 प्रतिशत धनराशि के उपयोग हो जाने के पश्चात भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित किया जाता है, जिसके परीक्षण के पश्चात भारत सरकार द्वारा आगामी किश्त स्वीकृत की जाती है।

सैप (स्टेट एनुअल एक्शन प्लान)

उत्तर प्रदेश का सैप 3 भागों मे विभाजित है -

सैप 2015-16 - इसके लिए कुल स्वीकृत सैप धनराशि रु. 3287.26 करोड़ है। जिसमें से पेयजल के लिए रु. 1579.19 करोड़ सीवरेज के लिए रु. 1697.62 करोड़ तथा हरित भूमि व पार्क के लिए रु. 70.45 करोड़ का प्रावधान है।

सैप 2016-17 - इसके लिए कुल स्वीकृत सैप धनराशि रु. 3895.16 करोड़ है। जिसमें से पेयजल के लिए रु. 2017.42 करोड़, सीवरेज के लिए रु. 1795.84 करोड़ और हरित भूमि व पार्क के लिए रु. 61.90 करोड़ का प्रावधान है।

सैप 2018-19 - इसके लिए कुल स्वीकृत सैप धनराशि रु. 4239.24 करोड़ है। जिसमें से पेयजल के लिए रु. 1996.02 करोड़, सीवरेज के लिए रु. 2149.46 करोड़ तथा हरित भूमि व पार्क के लिए रु. 93.76 करोड़ का प्रावधान है।

इस प्रकार संपूर्ण सैप में पेयजल के लिए रु. 5532.63 करोड़, सीवरेज के लिए रु. 5642.92 करोड़ तथा पार्क व ग्रीन स्पेस के लिए रु. 246.11 करोड़ आवंटित किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश, सैप की अद्यतन स्थिति

संपूर्ण सैप, रु. 11421.66 करोड़ के सापेक्ष एस.एल.टी.सी. से रु. 11762.11 करोड़ की 665 परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं, जिसमें से रु. 11539.45 करोड़ की 599 परियोजनाएं एस.एच.पी.एस.सी. से स्वीकृत की गयी हैं। रु. 8770.99 करो की वित्तीय स्वीकृति जारी हो चुकी है और रु. 6084.39 करोड़ की निविदायें स्वीकृत हो चुकी हैं। कुल 386 परियोजनाओं पर रु. 846.23 करोड़ का व्यय हो चुका है।

पेयजल के कुल 380687 कनेक्शन किये जा चुके हैं, जिससे कुल 19,03,435 जनमानस लाभन्वित हुए हैं तथा सीवर के कुल 321575 संयोजन किये जा चुके हैं, जिससे कुल 16,07,875 जनमानस लाभान्वित हुए हैं।

स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय

स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय का शुभारम्भ, मा. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 02 अक्टूबर, 2014 को किया गया। मिशन की कुल अवधि 05 वर्ष (वर्ष 2014-2019) की है। मिशन का संचालन शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु देश के सभी 4041 नगरों, जिसमें प्रदेश के सभी 652 नगर निकाय सम्मिलित हैं, में 02 अक्टूबर, 2019 को राष्ट्रपिता महात्म गांधी की 150वीं जयंती के पूर्व शत-प्रतिशत स्वच्छता के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पूर्णरूपेण स्वच्छ किया जाना लक्षित है अर्थात प्रदेश के समस्त नगर निकायों को 02अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौच से मुक्त किया जाना है।

स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय के घटक

● शौचालय निर्माण

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 8,87,906 व्यक्तिगत शौचालय के लक्ष्य के सापेक्ष 8,38,140 की भौतिक प्रगति है। जिसमें निर्मित शौचालयों की संख्या 738669 एवं निर्माणाधीन शौचालयों की संख्या 99471 है।

सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय के 60,058 सीटों का निर्माण कराया गया है। प्रदेश के 652 नगर निकायों में प्रत्येक नगर निकाय में 5 सीटों का महिलाओ के लिए पिंक शौचालय निर्मित कराया गया है।

नगरीय निकायों को व्यक्तिगत शौचालय मद में धनराशि रु. 706.82 करोड़ एवं सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय मद में 181.63 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किया गया है।

● ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत 652 निकायों के 12007 वार्डों में से 10,831 वार्डों में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य शुरू किया गया है। प्रदेश के विभिन्न निकायों में कुल 12

कम्पोस्टिंग प्लान्ट क्रियाशील हैं, जिनकी कुल क्षमता 4,615 टन प्रतिदिन है, जिनसे कि 499 टन खाद प्रतिदिन निर्मित की जाती है।

प्रदेश के नगरीय निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के दृष्टिगत संग्रहण, परिवहन, डस्टबिन आदि कार्य हेतु धनराशि रु. 394.11 करोड़ अवमुक्त किया गया है, जिसमें गंगा किनारे बसे 18 नगर निकायों को विक्रेंदित प्रणाली से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु धनराशि रु. 164.48 करोड़ रुपए अवमुक्त किया जाना सम्मिलित है।

लखनऊ नगर निगम द्वारा प्लास्टिक से फ्यूल बनाने हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।

● आई.ई.सी. गतिविधियां

जन भागीदारी के दृष्टिगत प्रचार-प्रसार माध्यमों से जन-जागरूकता हेतु होर्डिंग, बैनर, दीवार लेखन, हीलियम गैस गुब्बारे, नुक्कड़ नाटक, प्रिन्ट मीडिया, स्वच्छता शपथ, कार्यशाला स्कूलों में छात्रों के मध्य विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन कराया गया।

● स्वच्छ सर्वेक्षण-2018

स्वच्छ सर्वेक्षण 2108 में प्रदेश के 3 शहरों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया गया थ। जिसमें से गाजियाबाद को 'इण्डियाज फास्टेस्ट मूविंग सिटी' अलीगढ़ को 'इण्डियाज बेस्ट सिटी इन इनोवेशन एण्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस' तथा समथर को 'बेस्ट सिटी इन सालिड बेस्ट मैनेजमेंट इन नार्थ जोन' के विषयगत सम्मानित किया गया था।

● स्वच्छ वार्ड प्रतिस्पर्धा-2018

उ.प्र. के स्वच्छ अंतरवार्ड प्रतिस्पर्धा 2018 का आयोजन किया गया। जिसका उद्देश्य निकायो की क्षमता बढ़ाने तथा उनके द्वारा दी जा रही सेवाओं के स्तर में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करना था। स्वच्छता में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने, शहरों को कचरा मुक्त करने, खुले में शौच से मुक्ति, परिणामों और विषयों का मूल्यांकनकर्ता से प्रमाणित कराने जैसे बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए जन-जागरूकता का व्यापक रूप से संचार करना इस प्रतिस्पर्धा का मुख्य लक्ष्य था।

● ए.ई./जे.ई. से प्रभावित जनपदों में स्वच्छता एवं जन-जागरूकता संबंधी कार्य

मुख्य रूप से गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल ए.ई./जे.ई. से प्रभावित हैं। गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल में स्वच्छता के दृष्टिगत जन-जागरूकता के लिए आई.ई.सी. गतिविधियोंका संचालन किया गया तथा गोरखपुर एवं बस्ती में कार्यशाला का आयोजन किया गया।

● प्रतिबंधित प्लास्टिक संबंधी कार्यवाही

1-उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा कचरा अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना संख्या-1056/9-7-18-29 (लखनऊ)/18, दिनांक 15 जुलाई, 2018 द्वारा निम्न प्रतिबंध लगाये गये हैं:

(i) 15 जुलाई, 2018 से समस्त नगर निकायों या राज्य की औद्योगिक नगरीय के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में 50 माइक्रोन से कम घनत्व के प्लास्टिक कैरी बैगों को प्रतिबंधित किया गया है।

(ii) 15 अगस्त, 2018 से समस्त नगर निकायो या राज्य की औद्योगिक नगरीय के आने वाले क्षेत्रों में प्लास्टिक या थर्माकोल से निर्मित कपों, गिलासो, प्लेटों, चम्मचों, टंबलरो के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है।

(iii) 02 अक्टूबर, 2018 से समस्त नगर निकायों या राज्य की औद्योगिक नगरीय के आने वाले क्षेत्रों में समस्त प्रकार के निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैरी बैगों के उपयोग, विनिर्माण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है।

प्रतिबंधित प्लास्टिक के संबंध में नगरीय निकायों द्वारा अभियान चलाया गया है। जिसके अंतर्गत 110 टन प्लास्टिक जब्त की गयी तथा रु. 2.5 करोड़ (दो करोड़ पांच लाख) का जुर्माना किया गया है।

● कॉल सेन्टर की स्थापना

स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के अंतर्गत कॉल सेन्टर (टोल फ्री नम्बर-1800-1800-101) संचालित है, जिसका उद्देश्य स्वच्छता संबंधित शिकायतो का नगर निकायों के माध्यम से समाधान कराना है।

● ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति

राज्य सरकार द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति-2018 का प्राख्यापन किया गया है।

स्मार्ट सिटी मिशन

- स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार द्वारा संचालित केन्द्र पुरोनिधानित योजना है, जिसके अंतर्गत नागरिकों की आकांक्षाओं, आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुरूप शहर को आदर्श रूप में विकसित करना है। इसका उद्देश्य उन प्रमुख शहरों को प्रोत्साहित करना है, जो अपने नागरिकों को गुणवत्तापरक जीवन स्तर के साथ स्वच्छ और सुस्थिर वातावरण प्रदान करते है तथा ''स्मार्ट'' समाधान लागू करते है। योजना की अवधि वर्ष 2015-16 से 2019-20 (5 वर्ष) तक है। योजना का उद्देश्य निकाय में चयनित क्षेत्र का आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचा प्रदान करते हुए नागरिकों के लिए बेहतर जीवन स्तर के साथ-साथ स्वच्छ एवं सुस्थिर वातावरण प्रदान करना और स्मार्ट एप्लीकेशन का प्रयोग करना है।
- प्रदेश के10 निकायों को स्मार्ट सिटी मिशन में चयनित किया गया है। जिसके सापेक्ष 04 निकाय लखनऊ, कानपुर, आगरा एवं वाराणसी मार्च, 2017 तक स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित किये गये थे। सरकार के सतत् प्रयास के फलस्वरूप अलीगढ, झांसी एवं प्रयागराज नगरीय निकाय जून, 2017 में स्मार्ट सिटी कार्यक्रम में चयनित हुए हैं। उक्त के अतिरिक्त 03 अन्य निकायों यथा- मुरादाबाद, सहारनपुर एव बरेली को जनवरी, 2018 में चयनित किया गया है। उक्त चयनित कुल 10 निकायों को एस.पी.वी. का गठन कर लिया गया है।

राष्ट्रीय नदी/झील संरक्षण कार्यक्रम

देश की प्रमुख नदियां म्यूनिसिपल सीवेज, औद्योगिक कचरे तथा मृत जानवरों आदि से प्रदूषित हो रही हैं। गंगा नदी में हो रहे प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से फरवरी, 1985 मे माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में 'केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण' का गठन कर 'गंगा कार्य योजना' (गंगा एक्शन प्लान) के नाम से एक योजना प्रारम्भ की गयी। उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा कार्य योजना हेतु नगर विकास विभाग नोडल विभाग है तथा उत्तर प्रदेश जल निगम, नगर निगम/नगर परिषद तथा जल संस्थान कार्यदायी संस्थाएं हैं।

● **राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एन.जी.आर.बी.ए.)**

भारत सरकार द्वारा पूर्व संचालित राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्य योजनाओं के उद्देश्यों में सुधार करते हुए इनके क्रियान्वयन की रणनीति में सुधार कर गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 20.02.2009 द्वारा गंगा नदी को 'राष्ट्रीय नदी' का दर्जा देते हुए, इनवायरमेन्टल प्रोटेक्शन एक्ट-1986 के अंतर्गत किया गया है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एन.जी.आर.बी.ए.) के अंतर्गत वर्ष 2020 तक घरेलू अवजल को गंगा में गिरने से रोकने हेतु राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में किया गया है।

● **एन.जी.आर.बी.ए./नमामि गंगे**

कार्यक्रम के अंतर्गत प्रयागराज नगर की 10 योजनाएं, वाराणसी नगर की 2 योजनाएं, कानपुर नगर की 3 योजनाएं, मुरादाबाद नगर की 2 परियोजनाएं तथा कन्नौज, गढ़मुक्तेश्वर, अनूपशहर, नरौरा, वृंदावन, रामनगर, चुनार, उन्नाव, शुक्लागंज, बिठूर, गाजीपुर, मिर्जापुर, फतेहगढ़-फर्रूखाबाद, मथुरा, अयोध्या नगर, आगरा, कासगंज, सुल्तानपुर, बरेली एवं मुजफ्फरनगर की एक-एक परियोजना का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। इस प्रकार कुल 37 परियोजनाएं, जिनकी लागत रु. 8462.17 करोड़ है, स्वीकृत हुई हैं। जिसमें भारत सरकार का अंश रु. 7810.64 करोड़ तथा राज्य सरकार का अंश रु. 651.53 करोड़ है। एन.जी.आर.बी.ए./नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 343.00 एम.एल.डी. क्षमता के 11 सीवेज शोधन संयंत्र निर्मित किये जा चुके हैं एवं 579.90 एम.एल.डी. क्षमता के 28 सीवेज शोधन संयंत्र निर्माणाधीन हैं। कुल अवमुक्त धनराशि रु. 1900.70 करोड़ के सापेक्ष रु. 1900.70 करोड़ व्यय हो चुका है। इस वित्तीय वर्ष हेतु रु. 240.00 करोड़ का बजट प्राविधानित है। उक्त 37 योजनाओं में से 8 योजनाएं पूर्ण, 20 योजनाएं निर्माणाधीन तथा 06 योजनाएं निविदा की प्रक्रिया में हैं एवं 03 योजनाएं माह दिसम्बर, 2018 व जनवरी, 2018 में स्वीकृत हुई हैं।

● **औद्योगिक उत्प्रवाह**

घरेलू सीवेज के शोधन कार्यों के अतिरिक्त एन.जी.आर.बी.ए. कार्यक्रम के अंतर्गत मात्र कानपुर नगर में ही टेनरी वेस्ट के शोधन हेतु योजना के कार्य जल निगम द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

● **झील प्रदूषण कार्यक्रम**

माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 13.03.2001 को हुई राष्टीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में प्रदेश में निम्नलिखित झीलों/तालों की योजनाएं प्रस्तावित की गयी है।

1. रामगढ़ ताल (गोरखपुर नगर)
2. मानसीगंगा ताल (गोवर्धन नगर जनपद-मथुरा)
3. लक्ष्मी ताल (झांसी नगर)
4. मदनसागर ताल (महोबा नगर)

झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष हेतु कुल रु. 20.00 करोड़ के सापेक्ष रु. 16.66 करोड़ का बजट शासन द्वारा अवमुक्त किया जा चुका है।

नागर जल सम्पूर्ति

प्रदेश में कुल 652 नागर स्थानीय निकाय हैं, जिनकी 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या 4.14 करोड़ है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या 19.96 करोड़ का लगभग 21 प्रतिशत है। उक्त 652 नगरों में पेयजल सुविधा की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है :

निकाय	नगरों में पाइप पेयजल आपूर्ति की 30 नवम्बर, 2018 की स्थिति (संख्या)			
	कुल	आच्छादित	आंशिक आच्छादित	अनाच्छादित
नगर निगम	17	7	10	-
नगर पालिका परिषद	198	107	90	1
नगर पंचायत	437	287	139	11
योग	**652**	**401**	**239**	**12**

अनाच्छादित 12 नगरीय क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति हेतु नगरीय मानको के अनुसार योजनाएं प्रस्तावित की जानी है।

● **राज्य सेक्टर कार्यक्रम**

प्रदेश के विभिन्न नगरों में पेयजल आपूर्ति में सुधार हेतु राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अंतर्गत नगरीय निकायों हेतु अनुदान के रूप में धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना के अंतर्गत परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति व्यय वित्त समिति/परियोजना संरचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, उ.प्र. शासन द्वारा प्रदान की जाती है। परियोजना का चयन एवं विरचन कार्य सम्बन्धित निकाय की सहमति से जल निगम द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2017-18 में 64 निर्माणाधीन योजनाओं के विरुद्ध रु. 80.64 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियां शासन द्वारा निर्गत की गयी हैं। वर्ष 2017-18 में 64 योजनाओं में से 13 योजनाएं पूर्ण कर जनोपयोगी बनायी गयीं। वर्ष 2018-19 में 02 नयी स्वीकृत योजनाएं सम्मिलित करते हुए कुल 53 योजनाओं के विरुद्ध 30 नवम्बर, 2018 तक रु. 68.82 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियां जारी हुयी हैं तथा कुल वित्तीय स्वीकृति रु. 889.67 करोड़ है एवं उसके विरूद्ध व्यय रु. 764.96 करोड़ है। वर्ष 2018-19 में 30 नवम्बर, 2018 तक 04 योजनाएं पूर्ण कर जनोपयोगी की जा चुकी हैं। शेष 49 योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं।

● **त्वरित आर्थिक विकास कार्यक्रम**

इस योजना के अंतर्गत मा. सांसदों/विधायकों तथा जन प्रतिनिधियों की मांग पर मा. मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से विभिन्न प्रकार के कार्यों की योजनाओं की स्वीकृति नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा प्रदान की जाती है।

वर्ष 2017-18 में 07 निर्माणाधीन योजनाओं के विरुद्ध रु. 6.53 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियां शासन द्वारा निर्गत की गयी है। वर्ष 2017-18 में 07 योजनाओं में से 04 योजनाएं पूर्ण कर जनोपयोगी की जा चुकी हैं। वर्ष 2018-19 में निर्माणाधीन 03 योजनाओं के विरुद्ध 30 नवम्बर, 2018 तक कोई

वित्तीय स्वीकृतियां जारी नहीं हुयी हैं। कुल वित्तीय स्वीकृति रु. 50.64 करोड़ है एवं उसके विरुद्ध व्यय रु. 49.92 करोड़ है।

● जिला योजना नगरीय पेयजल (सामान्य एवं एस.सी.पी.)

जिला योजना के अंतर्गत स्थानीय आवश्यकतानुसार नगरीय क्षेत्रों में रिबोर/नये हैण्डपम्पों का अधिष्ठपन कार्य, पाइप लाइन विस्तार एवं नलकूपों के रिबोर के कार्य जिलाधिकारी की स्वीकृति से कराये जाते हैं। वर्ष 2017-18 में समस्त 75 जनपदों में सामान्य एवं एस.सी.पी. के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं पर रु. 100.00 करोड़ की जारी वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष भौतिक प्रगति 80 प्रतिशत एवं रु. 70.77 करोड़ व्यय हुआ है। वर्ष 2018-19 में समस्त 75 जनपदों में सामान्य एवं एस.सी.पी. के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं रु. 100.00 करोड़ की जारी वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष भौतिक प्रगति 10 प्रतिशत एवं रु. 0.67 करोड़ व्यय हुआ है।

नागर जलोत्सारण

प्रदेश में कुल 652 नागर स्थानीय निकाय हैं, जिनमें जलोत्सारण व्यवस्था की वर्तमान स्थिति निम्न है :

निकाय	कुल नगर	नगर जिनमें सीवर व्यवस्था है	नगर जिनमें सीवर व्यवस्था नहीं है
नगर निगम	17	15	*2
नगर पालिका परिषद	198	45	153
नगर पंचायत	437	3	434
योग	**652**	**63**	**589**

*नगर निगम झांसी/शाहजहांपुर में सीवर व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त सभी 63 नगरों में आंशिक रूप से ही सीवर व्यवस्था उपलब्ध है तथा पूर्ण रूप से सीवर व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही करायी जा रही है।

● राज्य सेक्टर कार्यक्रम

वर्ष 2017-18 में 29 निर्माणाधीन योजनाओं के विरुद्ध रु. 39.01 करोड़ की स्वीकृतियां शासन द्वारा निर्गत की गयी हैं। वर्ष 2017-18 में 29 योजनाओं में से 02 योजनाएं पूर्ण कर जनोपयोगी बनायी गयीं। वर्ष 2018-19 मे 05 नयी स्वीकृत योजनाएं सम्मिलित करते हुए कुल 32 योजनाओं के विरुद्ध 30 नवम्बर, 2018 तक रु. 34.73 करोड़ की स्वीकृतियां जारी हुई हैं तथा कुल वित्तीय स्वीकृति रु. 481.06 करोड़ है एवं उसके विरुद्ध व्यय रु. 440.10 करोड़ है। वर्ष 2018-19 में 30 नवम्बर, 2018 तक 01 योजना पूर्ण कर जनोपयोगी की जा चुकी है। शेष 31 योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं।

● त्वरित आर्थि विकास कार्यक्रम

इस योजना के अंतर्गत मा. सांसदों/विधायकों तथा जनप्रतिनिधियों की मांग पर मा. मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से विभिन्न प्रकार के कार्यों की योजनाओं की स्वीकृति नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा प्रदान की जाती है।

वर्ष 2017-18 में जनपद आगरा की न.पा.परि. शमशाबाद सीवरेज योजना के विरुद्ध कोई वित्तीय स्वीकृतियां जारी नहीं हुयी हैं। कुल वित्तीय स्वीकृति रु. 97.78 करोड़ है एवं उसके विरुद्ध व्यय रु. 92.89 करोड़ है। वर्ष 2017-18 में उक्त योजना को पूर्ण कर जनोपयोगी बनायी जा चुकी है।

राज्य वित्त आयोग

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर प्रदेश के शुद्ध कर राजस्व की 7.50 प्रतिशत धनराशि स्थानीय निकायों के दिये जाने का प्रावधान है, जिसमें नगर निगम का 40 प्रतिशत, नगर पालिका परिषदों का 40 प्रतिशत एवं नगर पंचायतो का 20 प्रतिशत अंश चतुर्थ राज्य वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। जिसके तहत मा. आयोग द्वारा निर्धारित पारदर्शी फार्मूले के आधार पर धनराशि नागर निकायों को आवंटित की जाती है। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 6592.5843 करोड़ (5 प्रतिशत ऑडिट अनुशासन की धनराशि तथा 0.10 प्रतिशत प्रशिक्षण संस्थान की धनराशि को छोड़कर शेष 94.9 प्रतिशत धनराशि) का प्रावधान था। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 6939.5625 करोड़ का बजट प्रावधान है।

14वां वित्त आयोग

14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत प्रदेश की समस्त नागर स्थानीय निकायों को नगरो के विकास आदि के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में बुनियादी अनुदान के रूप में रु. 1820.41 करोड़ का बजट प्रावधान है तथा रु. 516.58 करोड़ निष्पादन अनुदान के रूप में प्राविधानित है। निष्पादन अनुदान केवल उन्हीं निकायों को अनुमन्य होता है, जिन्होंने अपनी निकाय द्वारा मुहैया करायी जाने वाली मूलभूत सुविधाओ के स्तर तथा निर्धारित मानकों को पूरा कर लिया हो।

राज्य सेक्टर/जिला सेक्टर की प्रमुख योजनाएं

डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना

प्रदेश की नागर निकायों द्वारा अपने कार्यालयों, जन सामान्य के लिए मार्ग प्रकाश एवं पेयजल की व्यवस्था किए जाने हेतु पारंपरिक विधुत व्यवस्था का उपयोग किया जा रहा है, जिससे निकायों को काफी धनराशि विद्युत बिलों के भुगतान के रूप में व्यय करना पड़ता है तथा रात्रि में विद्युत की उपलब्धता न होने पर वैकल्पिक व्यवस्थाएं विशेषकर जनरेटरों के माध्यम से मार्ग प्रकाश तथा पेयजल व्यवस्था किए जाने से निकायों द्वारा काफी धनराशि अतिरिक्त रूप से व्यय करना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर इससे पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। उक्त समस्या से निपटने के उद्देश्य से ही प्रदेश की नागर निकायों में सौर ऊर्जा पावर प्लान्ट्स के माध्यम से मार्ग प्रकाश एवं पेयजल की व्यवस्था किए जाने हेतु 'डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना' नाम से वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रदेश सरकार द्वारा योजना प्रारंभ की गयी। उक्त योजना में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 51.1611 करोड़ का बजट प्रावधान है।

कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना

प्रदेश में आवारा पशुओं के खुले में घूमने के कारण होने वाली दुर्घटनाओं के फलस्वरूप पशुओं तथा जनसामान्य को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा ऐसे पशुओं के पुनर्वास हेतु 'कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना' नाम से योजना प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अंतर्गत नागर निकायों में कान्हा गौशाला की स्थापना की जाएगी। इस योजना से सम्बन्धित विस्तृत

दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या-05/2007/4651/नौ-8-2017-21ज/2017, दिनांक 20.09.2017 द्वारा प्रसारित किए गए हैं। उक्त योजना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 40.00 करोड़ का बजट प्रावधान था। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 118.50 करोड़ का बजट प्रावधान है।

2 प्रतिशत स्टैम्प शुल्क

प्रदेश की नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओ के विकास हेतु 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क को नगरीय निकायों को अंतरण हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 501.00 करोड़ का बजट प्रावधान था। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 175.00 करोड़ का बजट प्रावधान है।

पं. दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में छोटी नगर पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं के समग्र विकास हेतु पं. दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना प्रारंभ की गयी है। इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष प्रत्येक जनपद के 01 नगर पंचायत को चयनित करके उसको आदर्श नगर पंचायत बनाने की व्यवस्था की गयी है। अभी तक इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 144 नगर पंचायतों का चयन किया जा चुका है। इस योजनान्तर्गत चयनित नगर पंचायतों में सड़क निर्माण, जल निकासी, पेयजल, बिजली, कम्युनिटी हॉल, पार्क एवं तालाबों का सौन्दर्यीकरण, बच्चों के खेल के मैदान का विकास इत्यादि कार्य किया जा रहा है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 200.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश में 01 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में नगरीय पेयजल योजना

राज्य सेक्टर के इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश में प्रथम बार 01 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में नगरीय पेयजल योजना लागू की गयी है एवं इसके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 25.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश के नगर निगमों में शहीदों की स्मृति में पार्कों/प्रदर्शनी स्थलों/सभागार का विकास/निर्माण

राज्य सेक्टर इस कार्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश में प्रथम बार नगर निगमों में शहीदों की स्मृति में पार्कों/प्रदर्शनी स्थलों/सभागार का विकास/निर्माण हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 15.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

●

नगरीय रोज़गार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

परिचय

मिशन का शुभारम्भ दिनांक 25.06.2015 को आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया। प्रदेश में दिनांक 21 मार्च, 2016 द्वारा योजना को लागू किया गया।

लाभार्थियों हेतु पात्रता मानक

- लाभार्थी चार घटकों में से किसी एक घटक का लाभ प्राप्त किये जाने के लिए पात्र होगा।
- लाभार्थी ऐसे परिवार से होंगे, जिनके परिवार के किसी सदस्य के नाम अपना पक्का घर नहीं होगा।
- लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी एवं अविवाहित पुत्र/पुत्रियाँ शामिल होंगे।
- ऐसे व्यस्क पुरुष/स्त्री जो उपार्जक (रोजी कमाता) हो तथा स्वयं के नाम कोई पक्का आवास न हो, भी योजना में लाभ लेने हेतु पात्र होंगे।
- सीएलएससी घटक में नोडल एजेन्सी नेशनल हाऊसिंग बैंक एवं हडको हैं। इसमें कोई राज्यांश नहीं है। इस घटक के अन्तर्गत अब तक कुल 52990 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है।
- ईडब्ल्यूएस हेतु अधिकतम वार्षिक आय सीमा 3 लाख तक/एलआईजी हेतु आय सीमा 3 से 6 लाख/एमआईजी-1 हेतु वार्षिक आय सीमा 6 से 12 लाख/एमआईजी-2 हेतु वार्षिक आय सीमा 12 से 18 लाख है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बी.एल.सी) घटक के अन्तर्गत अब तक 13,17,669 आवास तथा भागीदारी में किफायती आवास (ए0एच0पी0) घटक में 1,36,533 आवास कुल अद्यतन 14,54,202 आवास भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश लाभार्थी आधारित व्यक्गित आवास निर्माण (बी.एल.सी.) घटक में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है।
- लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बी0एल0सी0) के अन्तर्गत स्वीकृत आवासों के सापेक्ष 7,89,421 आवासों की जियो टैगिंग/ग्राउण्डिंग हो चुकी है एवं निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिसमें 3,00,117 आवास पूर्ण हो चुके हैं। इस घटक के अन्तर्गत 6,05,982 लाभार्थियों को प्रथम/द्वितीय/तृतीय किश्त के रूप में कुल रु. 10289.26 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

- भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटक के अन्तर्गत स्वीकृत आवासों के सापेक्ष 34911 आवासों पर कार्य प्रारम्भ किया गया है, जिसमें से 110 आवास पूर्ण हो चुके हैं।

राज्य नगरीय विकास अभिकरण की उपलब्धियाँ

वित्तीय वर्ष 2019-20 (माह-दिसम्बर, 2019 तक)

दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM)

स्वर्ण जयन्ती शहरी रोज़गार योजना 31 मार्च, 2014 को भारत सरकार द्वारा परिवर्ति कर उसके स्थान पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) वर्तमान में प्रदेश के चयनित 130 शहरों में संचालित की जा रही है। उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश सं0-1926/69-1-13-14(104)/2013 दिनांक 28.02.2014 द्वारा राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) को नोडल और निदेशक राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ0प्र0 को मिशन निदेशक नामित किया गया है।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) के संचालन हेतु वार्षिक कार्य योजना 2019-20 भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के मुख्य उपघटक का विवरण निम्नवत् है-

(i) सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास

इस घटक के अन्तर्गत शहरी गरीबों को गतिशील कर स्वयं सहायता समूहों एवं उनके संघों (ए0एल0एफ0/सी0एल0एफ0) के गठन का लक्ष्य निकायों/शहरों को आवंटित करते हुए समूहों के गठन, प्रशिक्षण एवं देखरेख हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 10 संदर्भ संस्थाओं (आर0ओ0) को आर0एफ0पी0 के माध्यम से इम्पैनल्ड किये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त शहरी आजीविका केन्द्र की स्थापना हेतु शासनादेश एवं विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जा चुके हैं। अब तक स्वीकृत 71 शहरी आजीविका केन्द्र में से 70 केन्द्र क्रियाशील है। वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु 6000 स्वयं सहायता समूहों के गठन का लक्ष्य निर्धारित जिसके सापेक्ष 2938 स्वयं सहायता समूहों का गठन कर लिया गया है एवं 2046 समूहों को रिवाल्विंग फण्ड प्रदान किया गया।

(ii) क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण

इस घटक के अन्तर्गत शासनादेश सं0-979/69-1-13-14(104)/2013 दिनांक 27.06.2014 एवं शासनादेश सं0-226/2015/318/69-1-2015-14(104)/2013, दिनांक 13.03.2015 के द्वारा राज्य स्तर पर राज्य मिशन प्रबन्धन इकाई (एस.एम.एम.यू.) में तथा शहर स्तर पर शहर मिशन प्रबन्धन इकाई (सी.एम.एम.यू.) में विशेषज्ञ रखे जाने हेतु आर.एफ.पी. के माध्यम से मानव संसाधन संस्था (एच.आर.) का चयन किया जा चुका है तथा शासनादेश सं0-226/2015/318/69-1-2015-14(104)/2013, दिनांक 13.03.2015 के अनुक्रम में आउटसोर्स संस्था के माध्यम से 04 राज्य मिशन प्रबन्धक, 115 शहर मिशन प्रबन्धक एवं 189 सामुदायिक आयोजक कार्यरत है जिनको समय-समय पर नामित संस्था द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाता है।

(iii) कौशल प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के माध्यम से रोजगार

इस घटक के अन्तर्गत चयनित शहरी निकायों में प्रशिक्षण के माध्यम से सेवायोजन हेतु वित्तीय

वर्ष 2019-20 में 17000 लाभार्थियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित। शहरों में प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ।

(iv) स्वरोजगार कार्यक्रम

इस घटक के अन्तर्गत शहरी निकायों को योजना के विस्तृत दिशा निर्देश जारी तथा 10000 व्यक्तियों को व्यक्तिगत ऋण तथा 200 समूहों को समूह ऋण के अन्तर्गत लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित एवं निकायों को आवंटित। इस घटक के अन्तर्गत 3782 व्यक्तियों एवं 104 समूहों को बैंकों द्वारा ऋण वितरित किया जा चुका है।

(v) शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता

इस घटक के अन्तर्गत कार्य योजना के अनुसार प्रदेश के 55 शहरों में सर्वेक्षण कार्य पूर्ण, 05 शहरों में सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर एवं 7 शहरों में मॉडल स्ट्रीट वेन्डिंग जोन विकसित किये जाने हेतु कार्य भी प्रगति पर है। शहरी पथ विक्रेताओं हेतु अधिनियम, 2014 के अनुरूप पथ विक्रेताओं हेतु स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा नियमावली बनाई जा चुकी है।

(vi) शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना

इस घटक के अन्तर्गत शहरी बेघरों के आश्रय हेतु सम्बन्धित शहरी निकायों से प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी। प्राप्त प्रस्तावों की स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति का शासनादेश सं0-833/69-1-14-14 (104)/2013, दिनांक 23.05.2014 द्वारा गठन किया जा चुका है। उक्त घटक में सी0 एण्ड डी0एस0 निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था नामित है। निकायों से उच्चीकरण एवं नये निर्माण की अद्यतन 148 परियोजनाएं स्वीकृत है जिसके सापेक्ष 87 शेल्टर होम का निर्माण पूर्ण जिसमें 85 क्रियाशील तथा 61 परियोजनाओं पर निर्माण कार्य प्रगति पर है।

जल सम्पूर्ति

प्रदेश में जल सम्पूर्ति एवं जलोत्सारण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1927 में जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का गठन किया गया था। वर्ष 1946 में इसका नाम स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग कर दिया गया। जून 1975 में यह विभाग उत्तर प्रदेश जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 (अधिनियम संख्या-43, 1975) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश जल निगम में परिवर्तित किया गया।

उद्देश्य एवं कार्यकलाप

1. जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था और सीवेज निस्तारण के लिए योजनाएं तैयार कर, उनका निष्पादन करना, उनको प्रोन्नत करना तथा उन्हें वित्त पोषित करना।
2. राज्य सरकार और स्थानीय निकायों को तथा अनुरोध करने पर निजी संस्थाओं या व्यक्तियों को जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था के सम्बन्ध में सभी आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था करना।
3. राज्य सरकार के निर्देश पर जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था तथा जलोत्सारण के लिए राज्य योजनाएं तैयार करना।
4. जल संस्थानों और स्थानीय निकायों के जिन्होंने धारा 46 के अधीन निगम के साथ कोई करार किया हो, क्षेत्र के भीतर 'टैरिफ', 'कर' तथा 'जल सम्भरण' के परिव्यय का पुनरावलोकन करना और उन पर सलाह देना।
5. अपेक्षित सामग्री का निर्धारण करना और उसे प्राप्त करना तथा उसके उपयोग किए जाने का प्रबन्ध करना।
6. जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सेवाओं के लिए राज्य मानक स्थापित करना।
7. ऐसे सभी कृत्य करना जो यहाँ पर वर्णित नहीं हुए हैं और इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व, स्वायत्त शासन अभियंत्रण विभाग द्वारा किये जा रहे थे।
8. प्रत्येक जल संस्थान या स्थानीय निकाय के जिसमें धारा 46 के अधीन निगम के साथ कोई करार किया है, जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था प्रणाली के तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक तथा अन्य पहलुओं का वार्षिक पुनरावलोकन करना।
9. राज्य में प्रत्येक जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था योजना के तकनीकी, वित्तीय, आर्थिक तथा अन्य संगत पहलुओं का वार्षिक मूल्यांकन करने की सुविधा को स्थापित करना तथा उसका अनुरक्षण करना।

10. जब राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिया जाए, तो किसी जलकल तथा सीवर व्यवस्था प्रणाली को ऐसी शर्तों व निबन्धनों पर और ऐसी अवधि के लिए, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, संचालित करना और अनुरक्षण करना।
11. राज्य में जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के सम्बन्ध में अपेक्षित जन शक्ति तथा प्रशिक्षण निर्धारित करना।
12. निगम अथवा किसी जल संस्थान के कृत्यों को दक्षतापूर्वक चलाने के लिए व्यवहारिक गवेषणा कराना।
13. उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 द्वारा या इसके अधीन निगम को सौंपे गए किन्हीं कृत्यों को करना।
14. ऐसे अन्य कृत्य करना जो गजट में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा निगम को सौंपे जाएं। निगम की समवाय ज्ञापिका (मेमोरेण्डम आफ एसोसिएशन) उसके समवाय नियम (आर्टिकल्स आफ एसोसिएशन) तथा उनके अन्तर्गत निर्गत नियमावली, अनुदेश रेगुलेशन आदि यदि कोई हो।

जल निगम की शक्ति

(1) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निगम को ऐसे कोई भी कार्य करने की शक्ति होगी जो उसे इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन हो।

(2) पूर्ववर्ती उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी शक्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित शक्तियाँ भी होंगी-

1. राज्य में समस्त जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सुविधाओं का, चाहे जिसके द्वारा भी वे संचालित होती हों, निरीक्षण करना।
2. किसी स्थानीय निकाय तथा संचालन अभिकरण में ऐसी आवधिक अथवा विनिर्दिष्ट सूचना प्राप्त करना, जिसे वह आवश्यक समझे।
3. अपने कार्मिकों के लिए तथा स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
4. जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था योजनाओं को तैयार करना और कार्यान्वित करना।
5. राज्य सरकार और स्थानीय निकायों, संस्थाओं या व्यक्तियों को निगम द्वारा प्रदान की गई सभी सेवाओं के लिए फीस की अनुसूची निर्धारित करना।
6. किसी व्यक्ति, फर्म या संस्था के साथ ऐसी संविदा या करार करना, जिसे निगम इस अध्यादेश के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने के लिए आवश्यक समझे।
7. प्रतिवर्ष अपना बजट अभिस्वीकृत करना।
8. जल संस्थानों की अधिकारिता में समाविष्ट अलग-अलग स्थानीय क्षेत्रों और ऐसे स्थानीय

निकायों पर जिन्होंने धारा 46 के अधीन निगम के साथ करार किया हो, प्रयोज्य जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी सेवाओं के लिए टैरिफ का अनुमोदन करना।

9. धन उधार लेना, ऋण पत्र जारी करना, वित्तीय सहायता और अनुदान प्राप्त करना तथा अपनी निधियों का प्रबन्ध करना।

10. स्थानीय निकायों को उनकी जल सम्भरण योजना तथा सीवर व्यवस्था सम्बन्धी योजना के लिए ऋण वितरण करना।

11. इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का संपादन करने के लिए व्यय करना और ऐसे व्यक्तियों या प्राधिकारियों को, जिन्हें निगम आवश्यक समझे, ऋण और अग्रिम स्वीकृत करना।

जल निगम कार्यालयों का विवरण

वर्तमान में प्रदेश में जल निगम में 36 मण्डल एवं 148 खण्डीय कार्यालय कार्यरत हैं। इन कार्यालयों का संचालन लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, गाजियाबाद, झाँसी, कानपुर, आगरा, मुरादाबाद, अयोध्या तथा वाराणसी स्थित क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं एवं मुख्य अभियंता (वि./याँ.) द्वारा किया जाता है। मण्डलों/खण्डीय कार्यालयों का विवरण निम्न प्रकार है :

क्षेत्र	मण्डल	खण्ड
लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर,	27 (सिविल)	120 (सिविल)
गाजियाबाद, झाँसी, कानपुर, आगरा, मुरादाबाद, अयोध्या तथा वाराणसी	09 (वि./याँ.)	28 (वि./याँ.)
योग	**36**	**148**

नागर जल सम्पूर्ति

प्रदेश में कुल 652 नागर स्थानीय निकाय हैं, जिनकी 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या 4.14 करोड़ है जो प्रदेश की कुल जनसंख्या 19.96 करोड़ का लगभग 21 प्रतिशत है। उक्त 652 नगरों में पेयजल सुविधा की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार हैः

निकाय	नगरों में पाइप पेयजल आपूर्ति की 31 जनवरी, 2019 की स्थिति (संख्या)	
	कुल	आच्छादित
नगर निगम	17	17
नगर पालिका परिषद	198	197
नगर पंचायत	437	426
योग	**652**	**640**

शेष 12 नगरीय क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति की स्थिति निम्नवत् है :

जनपद- सिद्धार्थ नगर की न.पं. उस्का बाजार एवं न.पं. डुमरियागंज तथा जनपद जौनपुर की न.पं. बदलापुर में 31 मार्च, 2019 तक पेयजलापूर्ति किया जाना लक्षित है।

जनपद आजमगढ़ की न. पं. माहुल में जमीन उपलब्ध नहीं है।

नवसृजित 8 नगर पंचायतों हेतु नगरीय मानकों के अनुसार योजनायें प्रस्तावित की जानी हैं।

वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर नगरों का वर्गीकरण एवं मानक के अनुसार प्रति व्यक्ति पेयजल सम्पूर्ति की दरों का विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है:

क्र. सं.	नगरों का जनसंख्यावार वर्गीकरण	पेयजल आपूर्ति का निर्धारित मानक (लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन)	मानक के अनुसार नगरों की संख्या	सीवर व्यवस्था युक्त नगरों की संख्या
1.	10 लाख से अधिक	150	7	7
2.	1 लाख से अधिक (तथा जिन नगरों में सीवर व्यवस्था है अथवा संभावित है)	135	54	31
3.	20 हजार से 1 लाख तक	135*/70	277	19
4.	20 हजार से कम	135*/70	314	1
	योग		**652**	**58**

* जलोत्सारण योजना हेतु

नागर जल सम्पूर्ति सेक्टर के मुख्य कार्यक्रम

1. राज्य सेक्टर कार्यक्रम

प्रदेश के विभिन्न नगरों में पेयजल आपूर्ति में सुधार हेतु राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत नगरीय निकायों हेतु अनुदान के रूप में धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति व्यय वित्त समिति/परियोजना संरचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, उ.प्र. शासन द्वारा प्रदान की जाती है। परियोजना का चयन एवं विरचन कार्य सम्बन्धित निकाय की सहमति से जल निगम द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2017-18 में 64 निर्माणाधीन योजनाओं के विरुद्ध रु. 80.64 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियाँ शासन द्वारा निर्गत की गयी हैं। वर्ष 2017-18 में 64 योजनाओं में से 13 योजनायें पूर्ण कर जनोपयोगी बनायी गयीं। वर्ष 2018-19 में 02 नयी स्वीकृत योजनायें सम्मिलित करते हुए कुल 55 योजनाओं के विरुद्ध दिनांक 31 जनवरी, 2019 तक रु. 74.39 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी हुई हैं तथा कुल वित्तीय स्वीकृति रु. 895.23 करोड़ है एवं उसके विरुद्ध व्यय रु. 771.39 करोड़ है। वर्ष 2018-19 में दिनांक 31 जनवरी, 2019 तक 04 योजनायें पूर्ण कर जनोपयोगी की जा चुकी हैं। शेष 51 योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं।

2. त्वरित आर्थिक विकास योजना

इस योजना के अन्तर्गत मा. सांसदों/विधायकों तथा जनप्रतिनिधियों की मांग पर मा. मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से विभिन्न प्रकार के कार्यों की योजनाओं की स्वीकृति नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा प्रदान की जाती है।

वर्ष 2017-18 में 07 निर्माणाधीन योजनाओं के विरुद्ध रु. 6.53 करोड़ की वित्तीय स्वीकृतियाँ शासन द्वारा निर्गत की गयी हैं वर्ष 2017-18 में 07 योजनाओं में से 04 योजनायें पूर्ण कर जनोपयोगी की जा चुकी है। वर्ष 2018-19 में निर्माणधीन 03 योजनाओं के विरुद्ध 31 जनवरी, 2019 तक कोई धनावंटन नहीं हुआ है। कुल वित्तीय स्वीकृति रु. 50.64 करोड़ है एवं उसके विरुद्ध व्यय रु. 49.92 करोड़ है।

जिला योजना नगरीय पेयजल (सामान्य एवं एस.सी.पी.)

जिला योजना के अन्तर्गत स्थानीय आवश्यकतानुसार नगरीय क्षेत्रों में रिबोर/नये हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कार्य, पाइप लाइन विस्तार एवं नलकूपों के रिबोर के कार्य जिलाधिकारी की स्वीकृति से कराये जाते हैं। वर्ष 2017-18 में समस्त 75 जिलों में सामान्य एवं एस.सी.पी. के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं पर रु. 100.00 करोड़ की जारी वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष भौतिक प्रगति 80 प्रतिशत एवं रु. 75.93 करोड़ व्यय हुआ है। वर्ष 2018-19 में समस्त 75 जिलों में सामान्य एवं एस.सी.पी. के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं पर रु. 100.00 करोड़ की जारी वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष भौतिक प्रगति 25 प्रतिशत एवं रु. 5.89 करोड़ व्यय हुआ है।

नागर जलोत्सारण

प्रदेश में कुल 652 नागर स्थानीय निकाय हैं जिनमें जलोत्सारण व्यवस्था की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है:

निकाय	कुल नगर	नगर जिनमें सीवर व्यवस्था है	नगर जिनमें सीवर व्यवस्था नहीं है
नगर निगम	17	15	*2
नगर पालिका परिषद	198	45	153
नगर पंचायत	437	3	434
योग	**652**	**63**	**589**

* झाँसी एवं शाहजहाँपुर में सीवर व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त सभी 63 नगरों में आंशिक रूप से ही सीवर व्यवस्था उपलब्ध है तथा पूर्ण रूप से सीवर व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही करायी जा रही है।

राष्ट्रीय नदी/झील संरक्षण कार्यक्रम

देश की प्रमुख नदियाँ म्यूनिसिपल सीवेज, औद्योगिक कचरे तथा मृत जानवरों आदि से प्रदूषित हो रही हैं। गंगा नदी में हो रहे प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से फरवरी 1985 में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार की अध्यक्षता में, 'केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण' का गठन कर 'गंगा कार्य योजना' (गंगा एक्शन प्लान) के नाम से एक योजना प्रारम्भ की गयी। उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा कार्य योजना हेतु नगर विकास विभाग नोडल विभाग है तथा उत्तर प्रदेश जल निगम, नगर निगम/नगर परिषद तथा जल संस्थान कार्यदायी संस्थायें हैं।

गंगा कार्य योजना (प्रथम चरण)

गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत उ.प्र. में गंगा नदी के तट पर स्थित 6 नगर क्रमशः हरिद्वार-ऋषिकेश (अब उत्तराखण्ड राज्य में), फर्रूखाबाद-फतेहगढ़, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी तथा मिर्जापुर को सम्मिलित किया गया।

गंगा कार्य योजना-प्रथम चरण में रु. 184.84 करोड़ की कुल 106 परियोजनाओं में से जल निगम द्वारा कोर सेक्टर की 56 परियोजनायें रु. 160.84 करोड़ की लागत से निर्मित की गयीं, जिसमें प्रदेश के 5 नगरों में गंगा नदी में प्रवाहित होने वाले कुल 646.30 एम.एल.डी. सीवेज में से 349.50 एम.एल.डी. क्षमता के 9 सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट भी निर्मित किये गये। इनके अतिरिक्त इन नगरों में 27 पम्पिंग स्टेशन, 13 शवदाह गृह, 12 कम लागत के शौचालय तथा 8 नदी घाटों का विकास कार्य भी किया गया।

गंगा कार्य योजना (द्वितीय चरण)

गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण के संतोषजनक परिणामों को देखते हुए गंगा नदी तथा उसकी मुख्य सहायक नदियों यमुना एवं गोमती के तट पर स्थित कुल 23 नगरों (प्रथम चरण के 5 नगरों को सम्मिलित करते हुए) में, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993 में गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत प्रदूषण नियन्त्रण के कार्य प्रस्तावित किये गये। गंगा कार्य योजना के द्वितीय चरण में तीन घटक क्रमशः गंगा कार्य योजना घटक, यमुना कार्य योजना घटक, गोमती कार्य योजना घटक हैं। भारत सरकार द्वारा गंगा कार्य योजना (द्वितीय चरण) के लिये कुल 216 परियोजनायें स्वीकृत की गईं। स्वीकृत परियोजनाओं में से बिजनौर शहर की 3 परियोजनायें व वाराणसी नगर की एक परियोजना ड्राप की गईं एवं शेष 212 में से 210 परियोजनाओं के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। वर्तमान में निम्न 2 परियोजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं:

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत	भौतिक प्रगति 01/2019 तक
1.	गोमती कार्य योजना (द्वितीय चरण)	41333.83	96%
2.	नैनी ब्रिज पर राइजिंग मेन, प्रयागराज	2586.00	80%
3.	अस्सी बी.एच.यू. साउथ डिस्ट्रिक्ट, वाराणसी	1035.86	100%

नोट : क्रमांक 3 की योजना की राइजिंग मेन को रमना एस.टी.पी. से कनेक्ट किया जाना शेष है।

गंगा घटक के अन्तर्गत 35.56 एम.एल.डी. क्षमता के 4 नग, यमुना कार्य योजना प्रथम चरण के अन्तर्गत 402.79 एम.एल.डी. क्षमता के 16 नग, द्वितीय चरण में 54 एम.एल.डी. क्षमता के 2 नग एवं गोमती कार्य योजना प्रथम चरण में 47 एम.एल.डी. क्षमता के 2 नग एवं द्वितीय चरण में 345 एम.एल.डी. क्षमता का 1 सीवेज शोधन संयंत्र निर्मित कर चालू किया जा चुका है। इस प्रकार गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण के तीनों घटकों में 884.35 एम.एल.डी. क्षमता के 25 नग सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट निर्मित किये गये हैं।

इस प्रकार गंगा कार्य योजना में 34 नग सीवेज शोधन संयंत्रों का निर्माण कर कुल 1233.85 एम.एल.डी. शोधन क्षमता विकसित की गई।

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एन.जी.आर.बी.ए.)

भारत सरकार द्वारा पूर्व संचालित राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न कार्य योजनाओं के उद्देश्यों में सुधार करते हुए इनके क्रियान्वयन की रणनीति में सुधार कर गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया तथा भारत सरकार की अधिसूचना, दिनांक 20.02.2009 द्वारा गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा देते हुए, इनवायरमेन्टल प्रोटेक्शन एक्ट-1986 के अन्तर्गत किया गया है। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एन.जी.आर.बी.ए.) के अन्तर्गत वर्ष 2020 तक घरेलू अवजल को गंगा में गिरने से रोकने हेतु राज्य स्तर पर उ.प्र. राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में किया गया है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में लगभग 900 किमी. दूरी तय करती है। फतेहगढ़ के निकट रामगंगा नदी एवं कन्नौज के निकट काली नदी के मिलने पर गंगा नदी में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है। इसी प्रकार गंगा नदी के किनारे बसे मुख्य नगरों यथा– कानपुर, प्रयागराज व वाराणसी के घरेलू सीवेज के कारण भी कन्नौज से वाराणसी तक का क्षेत्र प्रदूषण की दृष्टि से क्रिटिकल हो गया है। प्रथमतः गंगा नदी के किनारे 26 नगर एवं इसकी मुख्य सहायक काली नदी के किनारे 3 एवं रामगंगा नदी के किनारे 2 नगरों को चिह्नित किया गया है। यमुना नदी पर स्थित 10 नगरों व गोमती नदी पर स्थित 3 नगरों को प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं किया गया है।

एन.जी.आर.बी.ए./नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रयागराज नगर की 10 योजनायें, वाराणसी नगर की 2 योजनायें, कानपुर नगर की 3 योजनायें, मुरादाबाद नगर की 2 परियोजनायें तथा कन्नौज, गढ़मुक्तेश्वर, अनूपशहर. नरौरा. वृन्दावन. रामनगर, चुनार, उन्नाव, शुक्लागंज, बिठूर, गाजीपुर, मिर्जापुर, फतेहगढ़-फर्रुखाबाद, मथुरा, अयोध्या नगर, आगरा, कासगंज, सुल्तानपुर, बरेली एवं मुजफ्फरनगर की एक-एक परियोजना का अनुमोदन प्राप्त हुआ है। इस प्रकार कुल 37 परियोजनायें जिनकी कुल लागत रु. 8462.17 करोड़ है, स्वीकृत हुई हैं जिसमें भारत सरकार का अंश रु. 7810.64 करोड़ तथा राज्य सरकार का अंश रु. 651.53 करोड़ है। एन.जी.आर.बी.ए./नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत 343.00 एम.एल.डी. क्षमता के 11 सीवेज शोधन संयंत्र निर्मित किये जा चुके हैं एवं 579.90 एम.एल.डी. क्षमता के 28 सीवेज शोधन संयंत्र निर्माणाधीन हैं। कुल अवमुक्त धनराशि रु. 1900.70 करोड़ के सापेक्ष रु. 1900.70 करोड़ व्यय हो चुका है।

इस वित्तीय वर्ष हेतु रु. 240.00 करोड़ का बजट प्राविधानित है। उक्त 37 परियोजनाओं में से 8 योजनायें पूर्ण, 20 योजनायें निर्माणाधीन तथा 06 योजनायें निविदा की प्रक्रिया में हैं एवं तीन योजनायें माह दिसम्बर, 2018 व जनवरी 2018 में स्वीकृत हुई हैं।

उक्त के अतिरिक्त एन.एम.सी.जी. भारत सरकार द्वारा गंगा की अन्य सहायक नदियों के किनारे स्थित 33 नगरों के नालों के आई.एंड.डी. कार्य व सीवेज शोधन संयंत्र निर्माण हेतु योजना विरचन कराकर निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। उक्त में से 15 योजनायें विरचित कर एस.जी.आर.सी.ए., लखनऊ के माध्यम से ए.एम.सी.जी. भारत सरकार को अनुमोदन हेतु प्रेषित की गयी है जिसमें अयोध्या नगर, मुरादाबाद, सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर एवं बरेली नगर की योजना का अनुमोदन किया जा चुका है।

औद्योगिक उत्प्रवाह

घरेलू सीवेज के शोधन कार्यों के अतिरिक्त एन.जी.आर.बी.ए. कार्यक्रम के अन्तर्गत मात्र कानपुर

नगर में ही टेनरी वेस्ट के शोधन हेतु योजना के कार्य जल निगम द्वारा कराये जाने प्रस्तावित हैं। कानपुर नगर में टेनरी वेस्ट के शोधन हेतु योजना के लिये भारत सरकार की विशेषज्ञ संस्था ''सेन्ट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेन्नई'' द्वारा स्टडी की गयी थी। समय के साथ टेनरी उद्योगों की संख्या बढ़ने के कारण टेनरी उत्प्रवाह की मात्रा में हुई वृद्धि के दृष्टिगत एक उच्चीकृत नये सी.ई.टी.पी. के निर्माण हेतु एन.एम.सी.जी. जलसंसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरोद्धार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 'तमिलनाडु वॉटर इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लि0' (टी.डब्ल्यू.आई.सी.) चेन्नई के माध्यम से तैयार किये गये 20 एम.एल.डी. क्षमता के सी.ई.टी.पी. जो डायल्यूशन तकनीक पर आधारित होगा तथा जिसमें टर्सिरी ट्रीटमेन्ट तकनीक की व्यवस्था होगी, योजना हेतु भारत सरकार द्वारा रु. 554.00 करोड़ स्वीकृत की गयी।

जे.टी.ई.टी.ए., कानपुर द्वारा टेण्डर आमंत्रित किया गया था जिसमें दो फर्मों द्वारा प्रतिभाग किया गया। उक्त कार्य की वित्तीय बिड खोले जाने के उपरान्त वित्तीय मूल्यांकन किया जा रहा है। उक्त कार्य को जे.टी.ई.टी.ए., कानपुर द्वारा ही सम्पादित कराये जायेंगे।

बाह्य सहायतित कार्यक्रम (जे.बी.आई.सी.) आगरा जल सम्पूर्ति गंगाजल परियोजना

आगरा जल सम्पूर्ति योजना गंगाजल (बाह्य सहायतित-जायका) अपर गंगा कैनाल के पालरा हैडवर्क्स, जिला बुलन्दशहर से आगरा तक 130 किमी. पाइप लाइन द्वारा आगरा शहर को 140 क्यूसेक एवं मथुरा शहर को 10 क्यूसेक, कुल 150 क्यूसेक कच्चा जल लाकर जल सम्पूर्ति से सम्बन्धित अन्य कार्य को सम्पादित किया जाना है। योजना के प्रारंभिक आगणन की कुल लागत रु. 1076.98 करोड़ थी, जो मार्च 2007 में स्वीकृत हुई थी। योजना के डी.पी.आर. अनुमानित लागत रु. 2887.92 करोड़ को प्रदेश की वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था जिसे शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार में प्रोजेक्ट के वित्तीय एवं तकनीकी परीक्षण के उपरान्त दिनांक 04.07.2012 को पुनरीक्षित लागत के अनुसार स्वीकृति प्रदान की गयी है। पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष ऋण वृद्धि पर भारत सरकार व जायका के मध्य ऋण अनुबंध मार्च, 2014 में निष्पादित किया जा चुका है। योजना की लागत का 85 प्रतिशत जायका से ऋण के रूप में तथा 15 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना है। योजना में मुख्य रूप से सिकन्दरा, आगरा में 144 एम.एल.डी. क्षमता के वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, इन्टेक वर्क्स, सेटलिंग टैंक, आगरा एवं मथुरा शहरों हेतु फीडर मेन तथा वर्तमान में स्थित वाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के जीर्णोद्धार के कार्य प्राविधानित हैं। वर्तमान में पलरा सैटलिंग टैंक तथा सिकंदरा, आगरा में 144 एम.एल.डी. वाटर ट्रीटमेंट का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। कुल अवमुक्त धनराशि रु. 2653.57 करोड़ के सापेक्ष रु. 2369.33 करोड़ का व्यय वर्तमान तक हो चुका है इस वित्तीय वर्ष हेतु रु. 500.00 करोड़ के सापेक्ष रु. 500.00 करोड़ की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी है। जिसके सापेक्ष रु. 500.00 की स्वीकृतियाँ प्राप्त हो चुकी हैं।

झील प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम

माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 13.03.2001 को हुई राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में प्रदेश में निम्नलिखित झीलों/तालों की योजनायें प्रस्तावित की गयी हैं :

1. रामगढ़ ताल (गोरखपुर नगर)
2. मानसीगंगा ताल (गोवर्धन नगर, जनपद-मथुरा)
3. लक्ष्मी ताल (झाँसी नगर)
4. मदनसागर ताल (महोबा नगर)

उपर्युक्त चार तालों में गोवर्धन नगर (जनपद-मथुरा) के मानसी गंगा ताल के प्रदूषण नियंत्रण कार्यों कें प्राक्कलन अनुमानित लागत रु. 22.71 करोड़ की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा मार्च, 2007 में प्रदत्त है। योजना में 2.76 एम.एल.डी. क्षमता के एस.टी.पी. का निर्माण एवं अन्य कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। योजना स्थानीय निकाय को संचालन एवं रखरखाव हेतु हस्तान्तरित है।

रामगढ़ ताल (गोरखपुर नगर) की योजना भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत, स्वीकृत लागत रु. 124.32 करोड़ व पुनरीक्षित स्वीकृति लागत रु. 196.57 करोड़ है। योजना के अन्तर्गत 2 नग एस.टी.पी. क्षमता 15 एवं 30 एम.एल.डी. का निर्माण पूर्ण है। सीवेज का शोधन हो रहा है योजना की अद्यतन भौतिक प्रगति 92.00 प्रतिशत है। कुल अवमुक्त धनराशि रु. 192.54 करोड़ के सापेक्ष रु. 177.17 करोड़ व्यय हो चुका है। योजना के अन्तर्गत स्वीकृत न्यूट्रीयन्ट इन एक्टिवेशन, गार्डेन एरिया, स्नैक ज्वाइंट, आब्जरवेशन टावर तथा पैडल बोट्स के कार्य को समाप्त तथा एरियेशन सिस्टम के सापेक्ष फ्लोटिंग फॉउन्टेन की स्थापना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो गयी है तथा योजना को पूर्ण किये जाने की समय-सीमा मार्च 2019 तक की वृद्धि की गयी है।

लक्ष्मी ताल (झांसी) की परियोजना की स्वीकृति भारत सरकार के पत्र संख्या जे-16011/3/2003-एनआरसीडी-।। दिनांक 07/10.11.2014 द्वारा रु. 54.13 करोड़ प्रदान की गयी है जिसमें भारत सरकार का अंश रु. 37.89 करोड़ है। योजना में प्रस्तावित 26 एम.एल.डी. क्षमता का सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट निर्माणाधीन है। कुल अवमुक्त धनराशि रु. 25.00 करोड़ के सापेक्ष योजना पर रु. 23.50 करोड़ व्यय हुआ है। योजना की भौतिक प्रगति 42 प्रतिशत है।

जनपद महोबा की मदन सागर ताल परियोजना की स्वीकृति राज्य सरकार से अपेक्षित है।

झील संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वित्तीय वर्ष हेतु कुल रु. 20.00 करोड़ के सापेक्ष रु. 16.66 करोड़ का बजट शासन द्वारा अवमुक्त किया जा चुका है।

अमृत (अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफारमेशन)

राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में शहरी परिवारों को बुनियादी सेवाएं (जलापूर्ति, सीवरेज, शहरी परिवहन इत्यादि) उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से शहरी विकास भारत सरकार द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में दिनांक 25.6.2015 को अमृत योजना प्रारम्भ की गयी है। जिसमें एक लाख की जनसंख्या से अधिक के नगरीय निकाय चयनित किये गये हैं। प्रदेश के 60 नगरीय निकाय इस योजना में आच्छादित हैं, योजना की अवधि 2015-2020 (5 वर्ष) की है।

योजना के अन्तर्गत जलापूर्ति एवं सीवरेज तथा सेप्टेज प्रबन्धन का योजना की अवधि में सार्वभौमिक अच्छादीकरण (यूनिवर्सल कवरेज) करना है।

अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल, जलोत्सारण, जलनिकासी एवं ठोस कूड़ा प्रबन्धन के प्राक्कलन, विरचन व निर्माण के कार्य सम्पादित कराये जाने हेतु उ.प्र. जल निगम/सी. एण्ड डी.एस. को नामित किया गया है।

अमृत योजना के अन्तर्गत 61 पेयजल एवं 95 जलोत्सारण की कुल 256 परियोजनाएं कुल अुनमानित लागत रु. 11190.22 करोड़ की स्वीकृति राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति (एस.एच.पी.एस.सी.) द्वारा प्रदान की जा चुकी है। पेयजल की 109 योजनाओं तथा जलोत्सारण की 53 योजनाएं कुल 162 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कराये जा चुके हैं।

शेष मिशन अवधि वित्तीय वर्ष 2017-20 के लिए रु. 4145.48 करोड़ की धनराशि के सापेक्ष जलापूर्ति हेतु रु. 1996.02 करोड़, जलोत्सारण हेतु रु. 2149.46 करोड़ का सैप भारत सरकार के स्तर पर गठित 17वीं एपेक्स कमेटी द्वारा दिनांक 15.03.2017 को अनुमोदित किया जा चुका है। 05 मई 2017 को माननीय शहरी विकास मंत्री, भारत सरकार व माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की उपस्थिति में सम्पन्न शहरी विकास कार्यक्रम समीक्षा बैठक में हुए विचार विमर्श के अनुरूप तृतीय सैप 2017-20 का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

अब तक कुल अवमुक्त धनराशि रु. 1473.70 करोड़ के विरुद्ध रु. 718.78 करोड़ व्यय हुआ तथा लगभग रु. 3.59 लाख पेयजल गृह संयोजन एवं रु. 2.95 लाख सीवर गृह संयोजन हेतु उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

(जे.एन.एन.यू.आर.एम.) कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत एवं चालू योजनाओं की अद्यतन स्थिति

जे.एन.एन.यू.आर.एम. (यू.आई.जी.) कार्यांश के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 7 नगर निगम नामित : लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, आगरा, मेरठ एवं मथुरा-वृन्दावन को सम्मिलित किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 25 परियोजनाओं हेतु कुल स्वीकृत लागत रु. 6133.95 करोड़ के सापेक्ष उ.प्र. जल निगम को कुल रु. 5961.46 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है, जिसके सापेक्ष रु. 5729.74 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है। स्वीकृत 25 परियोजनाओं में से 20 पूर्ण कर जन उपयोगी बनाई जा चुकी हैं। अपूर्ण 5 योजनायें दिनांक 31.03.2019 में पूर्ण होने की सम्भावना है।

यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यांश के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 43 परियोजनाओं हेतु कुल स्वीकृत लागत रु. 1203.95 करोड़ के सापेक्ष उ.प्र. जल निगम को कुल रु. 1149.916 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है जिसके सापेक्ष रु. 1154.408 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है। स्वीकृत 43 योजनाओं में से 39 योजनायें पूर्ण हो चुकी हैं। शेष 4 योजनायें दिनांक 31.03.2019 में पूर्ण होने की सम्भावना है।

यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यांश के ''ट्रांजीशन फेज'' के अन्तर्गत स्वीकृत 7 योजनाएं कुल स्वीकृत लागत रु. 353.14 करोड़ के सापेक्ष उ.प्र. जल निगम को कुल रु. 304.409 करोड़ की धनराशि प्राप्त हुई है, जिसके सापेक्ष रु. 249.038 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है। स्वीकृत समस्त 7 योजनायें दिनांक 31.03.2019 में पूर्ण होने की सम्भावना है।

ग्रामीण पेयजल सम्पूर्ति

प्रदेश में कुल 97942 आबाद ग्राम हैं, जिनकी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 15.53 करोड़ तथा वर्तमान में आकलित जनसंख्या लगभग 17.00 करोड़ है। वर्ष 2004 में भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश में कुल बस्तियों की संख्या 260110 है।

उक्त समस्त बस्तियों को मानक के अनुसार 40 ली0 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर पेयजल सुविधा हैण्डपम्प/पाइप योजना के माध्यम से उपलब्ध कराई जा चुकी है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में मार्च 2018 तक 2783718 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। प्रदेश में वर्तमान में लगभग प्रत्येक 61 व्यक्ति पर 1 हैण्डपम्प स्थापित किया गया है। इस प्रकार पेयजल की न्यूनतम आवश्यकता 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मानक की दृष्टि से प्रदेश की सम्पूर्ण ग्राम/बस्तियों को संतृप्त किया जा चुका है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल सम्पूर्ति कार्यक्रम

वर्ष 2017-18 के प्रारम्भ में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत कुल 1601 पाइप पेयजल परियोजनायें निर्माणाधीन रहीं जिसके सापेक्ष वर्ष में 436 पाइप पेयजल परियोजनाओं के कार्य पूर्ण किये गये।

वर्ष 2018-19 के प्रारम्भ में कुल 1149 पाइप पेयजल योजनायें निर्माणाधीन रहीं तथा वर्ष में अद्यतन सामान्य एवं गुणवत्ता से प्रभावित क्षेत्रों में 104 नयी परियोजनाओं के कार्य प्रारम्भ किये गये हैं। इनमें सांसद आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में पाइप द्वारा पेयजल आपूर्ति हेतु अनुमोदित 58 परियोजनायें भी सम्मिलित हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत कुल 1253 परियोजनायें निर्माणाधीन हैं। वर्ष 2018-19 में 320 पाइप पेयजल योजनाओं को पूर्ण किये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष माह जनवरी, 2019 तक 442 योजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं।

ए.ई.एस./जे.ई. प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल हेतु कार्य

भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार प्रदेश में 20 जनपद नामतः गोरखपुर, बस्ती, कुशीनगर, महराजगंज, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, देवरिया, बहराइच, गोण्डा, श्रावस्ती, बलरामपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, रायबरेली, कानपुर देहात एवं सहारनपुर जे.ई./ए.ई.एस. से प्रभावित हैं। ए.ई.एस./जे.ई. से सर्वाधिक प्रभावित गोरखपुर एवं बस्ती मण्डल के 7 जनपदों की ए.ई.एस./जे.ई. प्रभावित बस्तियों में 2513 मिनी पाइप पेयजल योजनाओं तथा 18295 इंडिया मार्क-2 हैण्डपंपों के अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्रदेश में जे.ई./ए.ई.एस. से प्रभावित बस्तियों में मानक के अनुरूप इंडिया मार्क-2 हैण्डपम्प स्थापित है।

वर्ष 2017-18 में स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई ग्रामों की सूची में ऐसे 51 ग्रामों में जहाँ उक्त संक्रमण का प्रकोप अधिक रहा तथा पाइप द्वारा पेयजल व्यवस्था नहीं है, सौर ऊर्जा आधारित मिनी पाइप पेयजल योजना की स्थापना की जा चुकी है।

ए.ई.एस./जे.ई. प्रभावित ग्रामों के आच्छादन हेतु वर्ष 2017-18 में 83 पाइप पेयजल परियोजनाओं को पूर्ण किया गया है तथा वर्ष 2018-19 में 263 (3 नयी) पाइप पेयजल परियोजनायें निर्माणाधीन हैं। इन परियोजनाओं में से माह जनवरी, 2019 तक 122 परियोजनाओं पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

राज्य ग्रामीण पेयजल योजना

राज्य सरकार द्वारा अपने वित्तीय संसाधनों से वर्ष 2016-17 में ''राज्य ग्रामीण पेयजल योजना'' आरम्भ की गई है। प्रदेश के 31 जनपदों में कुल स्वीकृत लागत रु. 337.85 करोड़ की 160 पाइप पेयजल योजनाएं/टी.टी.एस.पी. का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2018-19 में जनपद एटा में टी.टी.एस.पी. स्थापना हेतु एक नयी परियोजना स्वीकृत की गई है तथा त्वरित आर्थिक विकास कार्यक्रम

के अन्तर्गत अधूरी 09 एवं बुन्देलखण्ड विशेष योजना की 2 परियोजनाओं को सम्मिलित करते हुये कुल 172 परियोजनायें निर्माणाधीन हैं। निर्माणाधीन परियोजनाओं में से माह जनवरी, 2019 तक 17 परियोजनायें पूर्ण की जा चुकी हैं तथा 23 परियोजनाओं पर 75 प्रतिशत से अधिक की प्रगति अर्जित की चुकी है।

वर्ष 2018-19 में उक्त योजनाओं पर कार्य किये जाने हेतु रु. 120.00 करोड़ का बजट स्वीकृत है जिसके सापेक्ष रु. 120.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। गत वर्ष के अवशेष सहित कुल रु. 148.16 करोड़ की धनराशि उपलब्ध है जिसके सापेक्ष माह जनवरी, 2019 तक रु. 84.84 करोड़ की धनराशि व्यय की गई है।

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज

बुन्देलखण्ड विशेष पैकेज के अन्तर्गत पेयजल सम्बन्धी कार्यों हेतु समस्त धनराशि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में केन्द्र सरकार से नियोजन विभाग, उ.प्र. के माध्यम से प्राप्त होती है। कार्यक्रम के प्रथम चरण के अन्तर्गत प्राप्त पूर्ण धनराशि रु. 91.63 करोड़ का उपभोग किया जा चुका है। प्रथम चरण के अन्तर्गत 2725 हैण्डपम्प एवं 12 पाइप पेयजल योजनाओं के समस्त कार्य पूर्ण हैं।

बुन्देलखण्ड पैकेज के द्वितीय चरण के अन्तर्गत पूर्व में 48 परियोजनाओं का अनुमोदन प्रदान किया गया था, जिसमें 2 परियोजनायें जलस्रोत की असफलता के कारण समर्पित की गईं तथा समर्पित योजनाओं के सापेक्ष 3 अन्य परियोजनायें स्वीकृत की गई हैं। वर्ष 2018-2019 में रु. 54.19 करोड़ की लागत से जनपद महोबा के बरखेड़ा तथा जनपद ललितपुर के पावा ग्राम पेयजल योजना स्वीकृत की गई है। इस प्रकार द्वितीय चरण के अन्तर्गत 51 पाइप पेयजल परियोजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्त तक 44 योजनाओं के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। इस प्रकार वर्ष 2018-19 में कुल 7 परियोजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं, जिसमें से 5 नयी परियोजनायें हैं। माह जनवरी, 2019 तक 2 परियोजनाओं पर 75 प्रतिशत से अधिक की प्रगति अर्जित की जा चुकी है।

गत वर्ष के अवशेष सहित कुल रु. 88.65 करोड़ की धनराशि उपलब्ध है जिसके सापेक्ष माह जनवरी, 2019 तक रु. 11.13 करोड़ की धनराशि व्यय की गई है।

विश्व बैंक सहायतित ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता परियोजना

भारत सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता हेतु संचालित उक्त योजना का वित्त पोषण 50 प्रतिशत विश्व बैंक, 33 प्रतिशत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के केन्द्रांश मद से, 16 प्रतिशत राज्यांश मद से तथा 01 प्रतिशत सामुदायिक सहभागिता से किया जाना है। योजना की अवधि मार्च, 2020 तक है। परियोजना के प्रथम बैच में 10 जनपदों- प्रयागराज, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, बस्ती, कुशीनगर, गोरखपुर, गोण्डा, बहराइच एवं सोनभद्र में पाइप पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन प्रस्तावित था। परियोजना के द्वितीय बैच में परियोजना में जनपद फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, सन्तकबीरनगर एवं वाराणसी को भी सम्मिलित किया गया है।

योजना के बैच-1 में 9 जनपदों में कुल लागत रु. 411.01 करोड़ की 233 पाइप पेयजल योजनायें निर्माणाधीन हैं माह जनवरी, 2019 तक 221 परियोजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है। परियोजनाओं पर कुल रु. 372.64 करोड़ प्राप्त हुये हैं, इसके सापेक्ष आन्तरिक स्रोत को सम्मिलित करते हुये रु. 374.83 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं। बैच-2 के अन्तर्गत 592 ग्राम पंचायतों हेतु प्रस्तावित 380 योजनाओं की स्वीकृति राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति से प्राप्त हो चुकी है। उक्त में से 379 योजनाएं

अवार्ड की जा चुकी हैं एवं 375 योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। बैच-2 के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि रु. 85.93 करोड़ एवं आन्तरिक स्रोत को सम्मिलित करते हुये रु. 135.71 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।

विश्व बैंक पोषित योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 अवशेष (रु. 50.42 करोड़) सहित उपलब्ध रु. 144.16 करोड़ एवं आन्तरिक स्रोत को सम्मिलित करते हुये रु. 196.15 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।

माननीय विधायकों द्वारा चयनित स्थल पर हैण्डपम्प की स्थापना

वर्ष 2017-18 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक मा. सदस्य विधान परिषद एवं विधान सभा सदस्य द्वारा चयनित स्थल पर 100-100 हैण्डपम्प स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। त्वरित आर्थिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ये कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। प्रदेश 66 जनपदों में हैण्डपम्प स्थापना के कार्य जल निगम तथा 9 जनपदों में उत्तर प्रदेश एग्रो द्वारा किये जा रहे है।

कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज उ.प्र. जल निगम का कार्यकलाप

उत्तर प्रदेश जल निगम, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन एक ऐसी संस्था है, जो प्रदेश के निवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन के साथ नगरों की ड्रेनेज व जलोत्सारण योजनाओं का निर्माण कार्य कराती है। उत्तर प्रदेश जल निगम में कार्य भार की कमी को देखते हुए निदेशक मण्डल, उ.प्र. जल निगम की 90वीं बैठक दिनांक 10.03.89 के मद सं. 90.06 में लिए गये निर्णय एवं प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम लखनऊ के कार्यकारी आदेश सं.- 415/पी.-1/173 दिनांक 19.04.89 के द्वारा ''कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ.प्र. जल निगम'' नाम से एक विंग का सृजन किया गया था। शासनादेश सं.-2401/9-3-91-249सी/91 दिनांक 06.06.91 द्वारा इस विंग को राजकीय निर्माण एजेन्सी की श्रेणी में नामित किया गया है। उल्लेखनीय है कि शासनादेश सं.- ई-8-157/दस-2013-1074/2012 दिनांक 12.02.2013 द्वारा अन्य निर्माण एजेन्सियों के साथ ''कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ.प्र. जल निगम'' को प्रथम श्रेणी में रखा गया है।

वर्ष 2018-19 में रु. 2366.37 करोड़ का टर्न ओवर प्राप्त करने का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष माह 01/2019 तक रु. 901.79 करोड़ का टर्न ओवर प्राप्त हुआ। उक्त कार्यों से रु. 99.87 करोड़ की सेन्टेज प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 687 परियोजनायें पूर्ण करने का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया हैं जिसके सापेक्ष माह 01/2019 तक कुल 485 परियोजनायें पूर्ण की गयी हैं।

आवास एवं शहरी नियोजन

आवास वस्तुतः मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि आवासीय समस्या के समाधान के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए प्रदेश सरकार पहले से ही जागरूक है। आवासीय समस्या के समाधान के लिये पूर्व में ''स्वायत्त शासन विभाग'' गठित था जो कालान्तर में ''आवास एवं नगर विकास'' के नाम से पुनर्गठित किया गया। वर्ष 1989 में ''आवास एवं नगर विकास'' विभाग का विघटन कर स्वतन्त्र रूप से ''आवास विभाग'' का गठन किया गया जो नवम्बर, 2002 से नाम परिवर्तन के फलस्वरूप आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के नाम से जाना जाता है।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग का मूल उद्देश्य नगरीय क्षेत्रों के सुनियोजित विकास के साथ-साथ आवासीय समस्या के समाधान हेतु प्रयास करना एवं इस दिशा में किये जा रहे विकास को गति प्रदान करना है। यह विभाग नगरों की आवासीय एवं अन्य समस्याओं के निदान हेतु जहां एक ओर नीतियाँ निर्धारित करता है, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से तीव्र गति से बढ़ रही नगरीय जनसंख्या को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने में भी योगदान प्रदान करता है।

समाज के विभिन्न वर्गों को सुनियोजित रूप से आवास की सुविधा मुहैया कराने हेतु सर्वप्रथम वर्ष 1952 में एक सामाजिक आवासीय योजना का शुभारम्भ किया गया तथा इस योजना के अन्तर्गत पर्याप्त संख्या में आवास निर्माण एवं विकास के प्रयास भी किये गये। कालान्तर में शहरों को सुनियोजित दिशा प्रदान करने के उद्देश्य से एवं भवन निर्माण पर यथेष्ट नियंत्रण हेतु ''उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958'' के अधीन प्रदेश के प्रमुख नगरों को विनियमित क्षेत्र घोषित किया गया तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों एवं निर्देशों के माध्यम से विकास एवं निर्माण कार्यों को सुनियोजित किया जाने लगा। प्रदेश में उक्त अधिनियम के अधीन अब तक कुल 72 विनियमित क्षेत्र घोषित किए जा चुके हैं। प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सुनियोजित रूप से आवास उपलब्ध कराने हेतु ''आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965'' के अधीन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का गठन किया गया एवं इसके साथ-साथ सहकारी क्षेत्र में आवास निर्माण हेतु वर्ष 1969 में ''उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ'' स्थापित किया गया, जो वर्तमान में नाम परिवर्तन के फलस्वरूप ''सहकारी आवास निर्माण एवं वित्त निगम लिमिटेड'' के नाम से कार्यरत है। आवास निर्माण के साथ-साथ नगरों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा ''उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973'' के अधीन सर्वप्रथम वर्ष 1974 में 5 ''कवाल'' (कानपुर, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज एवं लखनऊ) नगरों में विकास प्राधिकरण गठित किये गये और अब तक प्रदेश में कुल 28 विकास प्राधिकरण गठित किये जा चुके हैं।

विशिष्ट महत्त्व के ऐसे क्षेत्र जिनका राज्य सरकार के विचार से नियोजित विकास आवश्यक है, के प्रयोजनार्थ वर्ष 1985 में उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अध्यादेश प्रख्यापित किया गया

था, जो कि वर्ष 1986 में ''उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986'' के रूप में अधिनियमित हुआ। उक्त अधिनियम के अधीन प्रदेश में कुल 4 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठित किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद का गठन वर्ष 1966 में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, 1965 के अधीन किया गया है। परिषद का गठन विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओ को नियोजित ढंग से कार्यान्वित करने तथा राष्ट्रीय एवं राज्य आवास नीति के अनुसार आवास सम्बन्धी कार्यों में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया है।

विकास प्राधिकरण

प्रदेश के विकासशील नगरों का महायोजना के अनुसार सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने हेतु ''उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973'' के अधीन विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया है। प्रदेश में वर्तमान में 29 विकास प्राधिकरण कार्यरत हैं।

विकास प्राधिकरणों के प्रमुख कार्यकलाप

1. विकास क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु महायोजना/परिक्षेत्रीय योजना तैयार करना और उसके अनुसार विकास सुनिश्चित करना।
2. आवासीय एवं अन्य योजनाओं के लिए भूमि और अन्य सम्पत्ति का अर्जन, धारण, प्रबन्धन एवं निस्तारण।
3. अवस्थापना सुविधाओं यथा- जल-आपूर्ति, विद्युत-आपूर्ति, जल एवं मल-निस्तारण तथा अन्य जन-सुविधाओं के प्रावधान हेतु निर्माण, अभियान्त्रिकी, खनन एवं अन्य क्रियायें कार्यान्वित करना।
4. विकास व निर्माण कार्यों हेतु विकास/निर्माण अनुज्ञा जारी करना तथा विकास एवं निर्माण कार्यों का विनियमन।

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण

प्रदेश के विशिष्ट महत्त्व के क्षेत्रों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 के अधीन विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में 4 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कार्यरत हैं।

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के प्रमुख कार्य-कलाप

1. विशेष विकास क्षेत्र के लिए योजना तैयार करना और उसके अनुसार सुनियोजित रीति से विकास को बढ़ावा देना एवं सुनिश्चित करना।
2. विकास योजना को लागू करने के प्रयोजनार्थ, भूमि और अन्य सम्पत्ति को अर्जित करना, धारित करना, विकास करना, प्रबन्ध करना व निस्तारण करना।
3. अवस्थापना सुविधाओं के सम्बन्ध में उपबन्ध करने हेतु कार्यों का निष्पादन करना।
4. राज्य सरकार द्वारा अपेक्षा किए जाने पर विशेष क्षेत्र के प्रबन्धन के लिए उसी रीति से उपलब्ध करना जो नगर पालिकाओं द्वारा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 के अधीन उपबन्धित है।

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग

प्रदेश में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की स्थापना वर्ष 1948 में एक छोटी इकाई के रूप में की गई थी, परन्तु वर्ष 1950 में इसका विकास एक स्वतन्त्र एवं पूर्ण विभाग के रूप में किया गया।

वर्ष 1962 में केन्द्रीय सहायता योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्भागीय नियोजन योजना (रीजनल प्लानिंग स्कीम) प्रारम्भ की गई, जो वर्ष 1969 में राज्य आयोजना में सम्मिलित कर दी गई तथा अब इस विभाग के अधिष्ठान का व्यय राजस्व मद से वहन किया जाता है।

वर्तमान में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के दो प्रमुख भाग हैं। पहला भाग मुख्य संगठन तथा दूसरा भाग सम्भागीय नियोजन योजना है। मुख्य संगठन का कार्य स्थानीय एवं निरन्तर प्रक्रिया के रूप में सम्पादित किया जाता है, जिसके द्वारा प्रदेश के नियोजित विकास के हित में प्राविधिक निदेशन के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। मुख्य संगठन के अन्तर्गत मुख्यतः चार प्रभाग कार्यरत हैं- (1) नगर नियोजन प्रभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, स्थानीय निकायों आदि से सम्बन्धित क्षेत्रों के भौतिक विकास को सुनियोजित व नियंत्रित करने में परामर्श देना व सहायता प्रदान करना है, (2) वास्तुकला प्रभाग द्वारा भवन डिजाइन व स्थल नियोजन सम्बन्धी योजनायें निर्धारित शुल्क लेकर तैयार करना है, (3) प्राविधिक प्रभाग द्वारा आवास एवं नगर विकास के क्षेत्र की योजनाओं के प्राक्कलनों की जाँच, निर्माण योजनाओं का आवश्यकतानुसार निरीक्षण व प्रगति के अनुश्रवण का कार्य सम्पन्न किया जाता है, (4) अनुश्रवण प्रभाग द्वारा राज्य सेक्टर की योजनाओं का अनुश्रवण, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वार्षिक योजना आदि के कार्य सम्पन्न किये जाते हैं।

सम्भागीय नियोजन योजना वर्ष 1962 में प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत तीव्र गति से विकसित हो रहे नगरों की महायोजनायें तैयार की जाती हैं। इस कार्य हेतु मण्डल स्तर पर 12 सम्भागीय नियोजन खण्ड कार्यरत हैं।

महायोजना की प्रगति

प्रदेश में विभिन्न अधिनियमों के अधीन गठित विनियमित क्षेत्रों, विकास क्षेत्रों एवं विशेष विकास क्षेत्रों की महायोजनाएं नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा सम्बन्धित प्राधिकरणों/नियंत्रक प्राधिकारियों के अनुरोध पर तैयार की जाती है। नगरों की महायोजनाएं तैयार किये जाने का कार्य एक निरन्तर प्रक्रिया के अन्तर्गत सम्पादित किया जाता है। महायोजना अवधि पूर्ण हो जाने पर उस नगर की पुनरीक्षित महायोजना तैयार की जाती है। प्रदेश में कुल 915 जनगणना नगर हैं, जिसमें विभिन्न नियोजन अधिनियमों यथा– उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत 28 विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधिनियम 1958 के अन्तर्गत 73 विनयमित क्षेत्र, उत्तर प्रदेश विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत 05 विशेष विकास क्षेत्र प्राधिकरण अधिसूचित हैं, जिनमें कुल 126 नगर शामिल हैं। उक्त में से 90 महायोजनाएं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुमोदित हैं जिससे 103 नगर सम्बद्ध हैं। विभागीय स्तर पर तैयार की जा रही एवं अमृत योजनान्तर्गत कुल 76 नगरों की महायोजनाएं तैयार किये जाने/पुनरीक्षित किये जाने का कार्य विभिन्न चरणों में प्रगति पर है, जबकि 23 नगरों की महायोजनाएं बनाई जानी शेष हैं।

जोनल डेवलपमेन्ट प्लान्स की प्रगति

महायोजना के क्रियान्वयन हेतु जोनल डेवलपमेन्ट प्लान्स/सेक्टर प्लान्स तैयार किया जाना आवश्यक है, जिस हेतु अधिनियमों के अधीन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। जोनल प्लान्स, महायोजना की रूपरेखा के अन्तर्गत तैयार की जाने वाली एक विस्तृत कार्य योजना है, जिसमें जोन्स/सेक्टर स्तर पर भू-उपयोग, सड़कें, पार्क एवं खुले क्षेत्र, सामुदायिक सुविधाएं, सेवायें, सार्वजनिक उपयोगिताओं के

प्रस्ताव शामिल होते हैं। शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में आगरा महायोजना-2021 के अन्तर्गत दो जोन (जोन-2 एवं जोन-6) तथा प्रयागराज महायोजना-2021 के अन्तर्गत एक जोन (जोन बी-4) तथा गाजियाबाद महायोजना-2021 के एक जोन (जोन-1) का जोनल प्लान शासन द्वारा स्वीकृत है। प्रदेश के बारह नगरों में छब्बीस जोनल डेवलपमेन्ट प्लान तैयार किये जाने की कार्यवाही विभिन्न चरणों में प्रगति पर है, जिसके अन्तर्गत आगरा में 01 जोन, मेरठ में 01 जोन, बरेली में 02 जोन, गोरखपुर में 02 जोन, बुलन्दशहर में 01 जोन, हापुड़-पिलखुआ में 03 जोन, रायबरेली में 01 जोन के जोनल प्लान ड्राट स्तर तक तैयार कर लिये गये हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, उ.प्र. प्रभाग

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या को नियन्त्रित करने एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा हरियाणा का क्षेत्र सम्मिलित है, के संतुलित एवं सुव्यवस्थित विकास की परिकल्पना को साकार रूप देने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई क्षेत्रीय योजना-2001 के अनुसार राष्ट्रीय राजधनी क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 302.42 वर्ग किमी. था। कालान्तर में भारत सरकार ने राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 01.10.2013 द्वारा हरियाणा के भिवानी और महेन्द्रगढ़ जिलों और राजस्थान के भरतपुर जिले को एन.सी.आर. में सम्मिलित किया था। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने गजट अधिसूचना दिनांक 24.11.2015 द्वारा हरियाणा के जीद और करनाल जिलों और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले को भी एन.सी.आर. में सम्मिलित किया है। इन अधिसूचनाओं के बाद एन.सी.आर. का कुल क्षेत्रफल लगभग 54000 वर्ग किमी. है। उत्तर प्रदेश प्रभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 7 जनपद सम्मिलित हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 16559 वर्ग किमी. है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का 54000 वर्ग किमी. का लगभग 25 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश उपक्षेत्र में मुजफ्फरनगर जिला सम्मिलित होने के उपरांत पुनः उप क्षेत्रीय योजना तैयार करने/संशोधन करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड की नीति के अनुरूप नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग सेल कार्यालय, गाजियाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश प्रभाग में स्थित एवं कार्यरत विभिन्न विकास अभिकरणों के लिए विकास परियोजनायें चिह्नित करने, उनका नियोजन, अभिकल्पन तथा डी.पी.आर. तैयार कराने में तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है, जिसके अन्तर्गत क्षेत्रीय योजना-2021 तथा विभिन्न महायोजनाओं में अपेक्षित विकास क्रियाओं को क्रियान्वित कराया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 17(1) के अधीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सहभागी राज्यों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र का सब-रीजनल प्लान तैयार किए जाने की अपेक्षा है। तत्क्रम में एन.सी.आर. प्लानिंग सेल, गाजियाबाद द्वारा तैयार किए गए उत्तर प्रदेश प्रभाग के सब-रीजनल प्लान-2021 को एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड द्वारा जुलाई, 2013 में अनुमोदन किया गया है।

अटल मिशन फार रिजूवनेशन एवं अर्बन ट्रान्सफॉरमेशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के चयनित 61 नगरों के जी.आई.एस. बेस्ड मास्टर प्लान बनाया जाना

भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित अमृत योजना अन्तर्गत प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के चयनित 61 नगरों (परिशिष्ट-8 पर सूची संलग्न) की जी.आई.एस.तकनीकी पर महायोजनाएं तैयार किये जाने हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश को नोडल विभाग नामित किया गया है। अमृत योजनान्तर्गत महायोजना तैयार करने के कम्पोनेंट में निम्न तीन भाग सम्मिलित हैं :

(1.) सैटेलाईट इमेज आधारित बेसमैप्स

(2.) जी.आई.एस.आधारित महायोजनाएं

(3.) जी.आई.एस.तकनीकी का प्रशिक्षण

महायोजनायें तैयार करने हेतु सेटेलाइट इमेज आधारित बेसमैप्स तैयार करने का कार्य नेशनल रिमोट सेंसिंग सेन्टर हैदराबाद को आवंटित किया जा चुका है। जी.आई.एस. आधारित महायोजनायें तैयार करने का कार्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (नोडल विभाग) द्वारा किया जा रहा है।

उक्त कार्य पर आने वाला व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा तथा जिसकी 20 प्रतिशत (रु. 973 लाख) धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है। महायोजनाएं तैयार किए जाने सम्बन्धित स्टेट एक्शन प्लान (एस.ए.पी.) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हो चुका है, जिसके क्रम में निविदायें आमन्त्रित की जा चुकी है, अग्रिम कार्यवाही प्रगति पर है। उक्त कार्य को वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप) योजना

राज्य सरकार का यह मत है कि सभी नागरिकों के पास अपना आवास प्राप्त करने का अवसर हो तथा विशेष रूप से दुर्बल वर्ग के व्यक्तियों को यह सुविधा प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन का शुभारम्भ दिनांक 25.06.2015 को किया गया है। यह मिशन वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्र के सभी पात्र परिवारों के लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करेगा। मिशन के अन्तर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) तथा निम्न आय वर्ग (एल.आई.जी.) वाले परिवारों को लाभान्वित किया जाना है। भारत सरकार द्वारा इस मिशन में अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत प्रत्येक ई.डब्ल्यू.एस. हेतु अनुमन्य अनुदान के लिए केन्द्रांश रु. 1.50 लाख (रुपये एक लाख पचास हजार) निर्धारित किया गया है। जबकि रु. 1.00 (रु. एक लाख) अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक इकाई के लिए कुल रु. 2.50 लाख (रु. दो लाख पचास हजार) की सहायता उपलब्ध होगी। प्रत्येक आवास पर अधिकतम रु. 2.00 लाख लाभार्थी से लिया जाएगा। इस सम्बन्ध में शासनादेश सं0-10/2017/2130/आठ-1-17-36 विविध/2017, दिनांक 25.10.2017 के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास (अफोर्डेबल हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप) योजना जारी की गयी है। उक्त योजना के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं से बिड्स आमंत्रण की कार्यवाही प्रगति पर है।

आवास बन्धु

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के नियोजित विकास एवं आवास निर्माण से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं के समाधान, निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने, विकास प्राधिकरणों और आवास एवं विकास परिषद की ''सुविधाप्रदायक'' भूमिका को सुदृढ़ बनाने तथा परियोजना क्रियान्वयन में उत्पन्न कठिनाइयों के निराकरण के उद्देश्य से आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन वर्ष 1997 में ''आवास बन्धु'' का गठन किया गया है। आवास बन्धु, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के लिए एक चिन्तन केन्द्र के रूप में कार्यरत है।

मुख्य कार्यकलाप

1. आवास सेक्टर की आवश्यकताओं एवं चुनौतियों के प्रत्युत्तर में एक नई सोच विकसित करना।

2. आवास क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं की समस्याओं का समाधान।
3. विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद के कार्यकलापों का अनुश्रवण व कार्यपूर्ति मूल्यांकन।
4. लोक शिकायतों का समाधान।
5. सिस्टम सुधार।
6. प्रक्रियाओं एवं पद्धतियों का मानकीकरण।
7. प्रशिक्षण, प्रबन्धन एवं मानव संसाधन विकास।
8. शासन की नीतियों एवं दिशा-निर्देशों का संकलन/प्रकाशन तथा आवास क्षेत्र से सम्बन्धित नवीन सूचनाओं का प्रलेखन, प्रचार एवं प्रसार।

सहकारी आवास निर्माण एवं वित्त निगम लिमिटेड

उ.प्र. सहकारी आवास समिति अधिनियम, 1965 के अधीन सहकारी आवास समितियों की शीर्ष सहकारी समिति के रूप में वर्ष 1969 में उत्तर प्रदेश सहकारी आवास संघ का गठन किया गया था। संघ का कार्य क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य के अतिरिक्त उत्तराखण्ड में होने के फलस्वरूप संघ अब मल्टी स्टेट अधिनियम के अधीन होने के दृष्टिगत सेन्ट्रल रजिस्ट्रार, मल्टी स्टेट अधिनियम, 2002 के अधीन सहकारी आवास निर्माण एवं वित्त निगम लिमिटेड के रूप में कार्यरत है। सहकारी आवास निर्माण एवं वित्त निगम के मुख्य उद्देश्य एवं कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:-

1. आवास योजना को कार्यान्वित करने के लिए भूमि पट्टे पर, विनिमय, क्रय या अन्य प्रकार से प्राप्त करना तथा उसे विकसित करना।
2. सदस्यों की आवश्यकतानुसार आवास बनाना या बनवाना और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराना तथा प्राविधिक सलाह देना व दिलाना।
3. सदस्यों को सीधी खरीद, किराया खरीद (हायर पर्चेज) या किराए के आधार पर आवास उपलब्ध कराना या देना।
4. आवास निर्माण हेतु भूमि क्रय करने तथा आवास निर्माण के लिए सदस्यों को भूमि और भवन बन्धक रखकर ऋण देना।
5. ऋण पत्रों (डिबेन्चर्स) तथा अन्य लेखों द्वारा ट्रस्टी की पूर्व अनुमति से धन प्राप्त करना।
6. डिबेन्चर्स के अतिरिक्त अमानतें लेना तथा अन्य पद्धतियों से ऋण प्राप्त करना।
7. राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में सदस्यों को ऋण प्रदान करना।
8. सहकारी कालोनियों का विकास करना।

लखनऊ मेट्रो रेल कारपोरेशन

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना

परियोजना की पृष्ठभूमि

(1) प्रस्तावना

लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन वर्ष 2013 में हुआ है, जोकि भारत सरकार एवं उ0प्र0 सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में विशेष प्रयोजन साधन उपलब्ध कराने हेतु लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के चरणवार निष्पादन के दायित्व के साथ स्थापित की गई है।

(2) अवस्थिति

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना का प्रथम चरण (फेज-1ए) नार्थ-साउथ कॉरिडोर (चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से मुंशीपुलिया) 22.878 किमी0 तक शहर की व्यस्त व्यावसायिक तथा आवासीय क्षेत्रों हेतु चिह्नित किया गया था एवं इस पर कार्य तीव्र गति से चल रहा है।

नार्थ-साउथ कॉरिडोर की लम्बाई 22.878 किमी0 है जोकि चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से लेकर मुंशीपुलिया तक है। 22.878 किमी0 में से भूमिगत मेट्रो की दूरी 3.440 किमी0 जो कि चारबाग से लेकर के. डी. सिंह बाबू स्टेडियम तक होगा तथा शेष मेट्रो भूमि से ऊपर एलिवेटेड के रूप में होगी। नार्थ-साउथ कॉरिडोर के प्राथमिकता सेक्शन (8.5 किमी0) का व्यवसायिक संचालन 05.09.2017 से शुभारम्भ हो चुका है।

विशेषताएं

नार्थ- साउथ कॉरिडोर :

कुल दूरी	-	22.878 किमी0
एलिवेटेड	-	19.438 किमी0
भूमिगत	-	03.440 किमी0
नाप	-	मानक नाप
ट्रैक्शन	-	25 के.वी. ए.सी. एकल चरण ओ.एच.ई.
गति	-	अधिकतम 80 किमी0 प्रति घण्टा औसत 34 किमी0 प्रति घण्टा
स्टेशनों की संख्या	-	21 (17 एलिवेटेड, 4 भूमिगत)
हेड-वे	-	प्रारम्भ से 7 मिनट तत्पश्चात 2 मिनट का अन्तराल (प्राथमिकता चरण के अंतर्गत 9 मिनट का है)
परिकल्पित पीएचपीडीटी	-	41969 (6 कार ट्रेन सेट)

उद्देश्य

लखनऊ शहर में तीव्र, सुखद, सुरक्षित तथा मितव्ययी मास रेपिड ट्रांजिट सिस्टम उपलब्ध कराना जो प्रतिफल में लखनऊ शहर के विकास एवं समृद्धि में सहयोगी होगा। यह एक विशेष प्रयोजन साधन उपलब्ध कराने हेतु लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के चरणवार निष्पादन के दायित्व के साथ स्थापित की गई है।

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना की वर्तमान अवस्थिति

लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना फेज-1ए के अंतर्गत 22.878 किमी. लम्बे, नार्थ-साउथ कॉरीडोर (चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे से मुंशीपुलिया) के प्राथमिक सेक्शन (ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग, कुल लम्बाई 8.5 किमी.) पर दिनांक 27.09.2014 को निर्माण कार्यों का शुभारम्भ किया गया। लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग तक निर्मित प्राथमिक सेक्शन (8.5 किमी.) पर मेट्रो सेवा का संचालन दिनांक 05.09.2017 से प्रारम्भ किया जा चुका है। अवशेष सेक्शन पर

लक्ष्य के अनुरूप कार्य प्रगति पर है। सम्पूर्ण नार्थ-साउथ कॉरीडोर में कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य 31 मार्च, 2019 है।

भौतिक प्रगति - 93 प्रतिशत (दिनांक 31.12.2018 तक)

वित्तीय प्रगति - 86 प्रतिशत (दिनांक 31.12.2018 तक)

कानपुर मेट्रो रेल परियोजना

भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 19.03.2018 को राज्य सरकार द्वारा प्रेषित डी.पी.आर. का प्रारम्भिक परीक्षण करते हुए कतिपय पृच्छायें की गई थीं, जिसका प्रतिउत्तर दिनांक 17.04.2018 को प्रेषित किया जा चुका है। पुनः भारत सरकार द्वारा एक स्वतंत्र संस्था 'इंस्टीट्यूट ऑफ अरबन ट्रांसपोर्ट' के माध्यम से डी.पी.आर. का परीक्षण कराते हुए दिनांक 16.04.2018 को कतिपय पृच्छायें की गयी थीं, जिसका प्रतिउत्तर दिनांक 30.04.2018 को प्रेषित किया जा चुका है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत 'इंटरनल फाइनेंस डिवीजन' द्वारा दिनांक 16.05.2018 को कतिपय पृच्छायें की गई थी, जिसका प्रतिउत्तर दिनांक 18.05.2018 को प्रेषित किया जा चुका है।

आगरा मेट्रो रेल परियोजना

भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 19.03.2018 को राज्य सरकार द्वारा प्रेषित डी.पी.आर. का प्रारम्भिक परीक्षण करते हुए कतिपय पृच्छायें की गई थीं, जिसका प्रतिउत्तर दिनांक 17.04.2018 को प्रेषित किया जा चुका है। पुनः भारत सरकार द्वारा एक स्वतंत्र संस्था 'इंस्टीट्यूट ऑफ अरबन ट्रांसपोर्ट' के माध्यम से डी.पी.आर. का परीक्षण कराते हुए दिनांक 14.05.2018 को कतिपय पृच्छायें की गई थीं, जिसका प्रतिउत्तर दिनांक 18.05.2018 को भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत 'इंटरनेशनल फाइनेंस डिवीजन' द्वारा दिनांक 28.05.2018 को कतिपय पृच्छायें की गयी थीं, जिसका प्रतिउत्तर दिनांक 31.05.2018 को प्रेषित किया जा चुका है।

वाराणसी मेट्रो रेल परियोजना

वाराणसी मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत 2 कॉरिडोर्स (लम्बाई 29.235 किमी.) का डी.पी.आर. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 09.06.2016 को केन्द्र सरकार के अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया था। भारत सरकार द्वारा माह सितम्बर, 2017 में जारी नयी मेट्रो पॉलिसी के अंतर्गत परीक्षण करने हेतु राज्य सरकार को डी.पी.आर. वापस प्रेषित किया गया है। पूर्व में तैयार किये गये डी.पी.आर. में अधिकांशतः मेट्रो संरेखण भूमिगत था। वाराणसी नगर की विशेष प्रकृति एवं महत्ता के दृष्टिगत इस संरेखण को ऐलिवेटेड रखे जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शासन के निर्देश पर 'रोपवे' को पब्लिक ट्रांसपोर्ट हेतु उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में 'टेक्नोफिजिबिलिटी स्टडी' लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा करायी जा रही है।

गोरखपुर मेट्रो रेल परियोजना

गोरखपुर मेट्रो रेल परियोजना के डी.पी.आर. एवं गोरखपुर नगर के कॉम्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी प्लान को तैयार किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के उपक्रम राइट्स को नामित किया गया है। इस कार्य हेतु लखनऊ मेट्रो रेल कार्पोरेशन द्वारा समन्वयक की भूमिका निभायी जा रही है, जबकि गोरखपुर विकास प्राधिकरण नोडल एजेन्सी है। राइट्स द्वारा माह मई, 2017 से नई मेट्रो रेल नीति, 2017 के

अनुरूप कॉम्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी प्लान, ऑल्टरनेटिव ऐनालिसिस रिपोर्ट व डी.पी.आर. तैयार किये जाने का कार्य कराया जा रहा है। गोरखपुर में यातायातीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत अत्याधुनिक 'लीनियर इन्डक्शन मोटर' युक्त 'लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम' प्रस्तावित किया गया है। कॉम्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी प्लान तथा ऑल्टरनेटिव ऐनालिसिस रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत कर दिया गया है।

प्रयागराज मेट्रो रेल परियोजना

प्रयागराज मेट्रो रेल परियोजना के डी.पी.आर. को तैयार किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के उपक्रम को नामित किया गया है। इस कार्य हेतु लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा समन्वयक की भूमिका निभायी जा रही है, जबकि प्रयागराज विकास प्राधिकरण नोडल एजेन्सी है। राइट्स द्वारा माह नवम्बर, 2016 से डी.पी.आर. तैयार किए जाने का कार्य प्रगति पर है। उक्त के अतिरिक्त राइट्स द्वारा नई मेट्रो रेल नीति, 2017 के अनुरूप ऑल्टरनेटिव ऐनालिसिस रिपोर्ट तैयार करने का कार्य भी प्रगति पर है। उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार की अपेक्षानुसार प्रयागराज नगर के कॉम्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी प्लान को भी मेसर्स अरबन मास ट्रांजिट कम्पनी के माध्यम से अपडेट कराया जा रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिए आवास (शहरी) मिशन का शुभारम्भ दिनांक 25.06.2015 को किया गया है। यह मिशन 2022 तक शहरी क्षेत्र के सभी पात्र परिवारों के लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करेगा। भारत सरकार द्वारा मिशन के चार कम्पोनेन्ट्स मे से अफोर्डेबल-हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप कम्पोनेन्ट्स के अंतर्गत ई.डब्लू.एस. हेतु अनुमन्य अनुदान के लिए केन्द्रांश रु. 1.50 लाख निर्धारित किया गया है जबकि 1.00 लाख अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा। इस प्रकार प्रत्येक ई.डब्लू.एस. इकाई के लिए कुल रु. 2.50 लाख की सहायता उपलब्ध होगी

उ.प्र. शासन के शासनादेश संख्या-1855/आठ-1-17-80 विविध/2010, दिनांक 05 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल-हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप मद के अंतर्गत प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग के व्यक्यिों हेतु विकास प्राधिकरणों तथा उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद के माध्यम से 1.00 लाख ई.डब्लू.एस. भवनों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

पुनः शासनादेश संख्या-986/आठ-1-18-80 विविध/2010, दिनांक 26 जून, 2018 द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल-हाउसिंग-इन-पार्टनरशिप मद के अंतर्गत प्रदेश में आर्थिक दृष्टि से दुर्बल आय वर्ग के व्यक्यिों हेतु विकास प्राधिकरणों तथा उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद के माध्यम से ई.डब्लू.एस. भवनों के निर्माण का संशोधित लक्ष्य निम्नानुसार किया गया है :

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	ई.डब्लू.एस. भवनों की संख्या
1	2018-19	1 लाख 50 हजार
2	2019-20	2 लाख
3	2020-21	50 हजार

हॉइटेक टाउनशिप नीति

प्रदेश में निजी पूंजी निवेश के प्रोत्साहन हेतु हाईटेक टाउनशिप नीति वर्ष 2003 में निर्गत की

गयी थी। प्रत्येक टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 1500 एकड़ एवं न्यूनतम पूंजी निवेश रु. 750 करोड़ निर्धारित किया गया था। नीति के अन्तर्गत दो चरणों में कुल 08 महानगरों में 13 विकासकर्ता कम्पनियों/कन्सॉर्शियम का चयन किया गया (प्रथम चरण वर्ष 2005 में 10 तथा द्वितीय चरण-वर्ष 2009 में 03)। चयनित विकासकर्ताओं के द्वारा 13 हाईटेक टाउनशिप का विकास किया जाना प्रस्तावित है, जिनका कुल अनुमोदित क्षेत्रफल 35482 एकड़ है।

विकासकर्ताओं द्वारा माह दिसम्बर, 2018 तक कुल 10403.91 एकड़ भूमि असेम्बल की जा चुकी है तथा कुल रु. 9111.62 करोड़ का पूंजी निवेश किया जा चुका है।

13 टाउनशिप्स में 1472 ई.डब्ल्यू.एस. भवन एवं 1696 एल.आई.जी. भवन पूर्ण किये गये हैं तथा क्रमशः 2223 दुर्बल आय वर्ग, 2900 अल्प आय वर्ग भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उक्त के अतिरिक्त गाजियाबाद नगर में 144 ई.डब्ल्यू.एस. भवन पूर्ण किये गये हैं तथा क्रमशः 1116 दुर्बल आय वर्ग, 1178 अल्प आय वर्ग भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा लखनऊ नगर में 896 दुर्बल आय वर्ग तथा 896 अल्प आय वर्ग तथा मैसर्स उत्तम स्टील द्वारा बुलन्दशहर नगर में 142 दुर्बल आय वर्ग, 640 अल्प आय वर्ग के भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति

एक 'सेल्फ-कन्टैन्ड' रूप में नियोजित एवं विकसित टाउनशिप, जिसके अन्तर्गत समस्त भौतिक एवं सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं सहित रहने, कार्य करने एवं मनोरंजन सुविधाओं का एकीकृत रूप से प्रावधान हो। इन्टीग्रेटेड टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 एकड़ एवं विस्तार सहित अधिकतम क्षेत्रफल 500 एकड़ हो सकता है।

इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति मूल रूप से शासनादेश संख्या-2711/आठ- 1-05-34 विविध/03 दिनांक 21.05.2005 द्वारा लागू की गयी थी, जिसमें कतिपय व्यवहारिक कठिनाइयां आने के कारण, शासनादेश संख्या- 520/8-3-14-37 विविध/13 दिनांक 04 मार्च, 2014 द्वारा संशोधित की गयी है।

वर्ष 2005 की नीति के अन्तर्गत के कुल 33 निजी विकासकर्ताओं को लाइसेन्स निर्गत किये गये थे, किन्तु अधिकांश विकासकर्ता लाइसेन्स में निर्दिष्ट भूमि की एसेम्बली नहीं कर सके एवं तद्नुसार योजनाओं को भी पूर्ण नहीं किया जा सकता है। उपर्युक्त समस्याओं को विचार में रखते हुए संशोधित नीति-2014 में विभिन्न संशोधन कर इस योजना के संचालन हेतु समुचित प्रावधान किये गये हैं।

मानचित्र स्वीकृत प्रक्रिया का सरलीकरण एवं ऑन-लाइन किये जाने की कार्यवाही

आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों में जनसामान्य की सुविधा हेतु आनलाइन मानचित्र स्वीकृति करने की व्यवस्था लागू कर दी गयी है। सभी प्रकार के मानचित्रों को हाई-रिस्क एवं लो-रिस्क श्रेणी में विभाजित करते हुए लो-रिस्क श्रेणी के भवन मानचित्र आर्किटेक्ट द्वारा सत्यापित होने पर 48 घंटे के अंदर आपत्ति न होने की दशा में स्वतः स्वीकृति होने की व्यवस्था भी साफ्टवेयर में की गयी है। लो-रिस्क (विकसित क्षेत्र के 100 वर्गमीटर तक के आवासीय भवन एवं स्वीकृत तलपट मानचित्र क्षेत्र के समस्त आवासीय भवन) मानचित्र बिना निरीक्षण के ही स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया है। लो-रिस्क के अलावा समस्त भवन मानचित्र एवं तलपट मानचित्र हाई-रिस्क की श्रेणी में रखे गये हैं, जिसमें स्थल निरीक्षण के बाद ही मानचित्र स्वीकृत किये जाते हैं।

उत्तर प्रद्रेश आवास एवं विकास परिषद

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद् का गठन परिषद अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल, 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया था।

परिषद के मुख्य उद्देश्य

1. प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाना एवं इन योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
2. केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यवसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमों तथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना।
3. भूमि अर्जित करना तथा आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, जल सम्भरण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकृत व्यक्तियों की मांग के अनुरूप भूखण्ड अथवा भवन आदि निर्मित करके उनको आवंटित करना।
4. समाज के दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के लिए तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतंत्रता सेनानी वर्ग के व्यक्तियों के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।
5. केन्द्र/राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शापिंग काम्पलेक्स तथा आवासीय कालोनियों का निर्माण करना व तकनीकी सलाह देना।
6. भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना ताकि कास्ट एफेक्टिव टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना।
7. प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी आवास समितियों को प्रोत्साहित करना।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)- ''सबके लिए आवास'' भागीदारी में किफायती आवास घटक के अन्तर्गत

योजना का शुभारम्भ दिनांक 25.06.2016 को किया गया। यह योजना वर्ष 2015-22 के दौरान क्रियान्वित की जानी है। योजना का उद्देश्य शहरी बेघर लोगों को चरणबद्ध घटकों के तहत आवश्यक सेवाओं से युक्त बेहतर आश्रय प्रदान करना है।

योजना का संक्षिप्त परिचय :

1. निजी भागीदारी के जरिये संसाधन के तौर पर भूमि का उपयोग करके मौजूदा झुग्गी वासियों को यथास्थान पुनर्वास।
2. ऋण सम्बन्धी सहायता।
3. भागीदारी में किफायती आवास।
4. लाभार्थी के नेतृत्व वाले आवास के निर्माण/विस्तार के लिये सहायता।

परिषद द्वारा प्रधानमंत्री योजना के अन्तर्गत भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) एवं निजी क्षेत्र की सहभागिता से प्रदेश की गरीब जनता को दुर्बल आय वर्ग के भवनों को उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

राज्यादेश-1855 दिनांक 5 सितम्बर, 2017 के द्वारा आवास विभाग के अधीनस्थ प्रदेश के अभिकरणों को वित्तीय वर्ष 2017-18 में 1.00 लाख नग भवनों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष परिषद के 30000 नग भवन प्रचलित बाईलाज, नियमों एवं निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता के बनाये जाने हैं। राज्यादेश के अनुसार पात्र चयनित लाभार्थियों की सूची उ0प्र0 राज्य नगरीय अभिकरण (सूडा/डूडा) द्वारा आवास बन्धु, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। जिसके आधार पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में इस योजना के अन्तर्गत भवनों का निर्माण किया जाना है। इन भवनों की कीमत रु. 4.50 लाख प्रति भवन निर्धारित है। प्रस्तावित भवन के भूखण्ड का क्षेत्रफल 34.07 वर्ग मीटर तथा भवन का कारपेट एरिया 22.77 वर्ग मी0 है। प्रत्येक भवन में दो कमरे, रसोईघर, शौचालय व एक बालकनी का प्रावधान है। इन भवनों के क्षेत्र में पार्क, खुले स्थान, आन्तरिक सड़कें, आन्तरिक एवं वाह्य विद्युतीकरण, पेय जल, सीवरेज, बरसाती पानी के निस्तारण के साथ-साथ कूड़ा घर एवं सामुदायिक सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी।

बजट प्रावधान

प्रस्तावित भवनों के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार रु. 1.50 लाख तथा राज्य सरकार द्वारा रु. 1.00 लाख की सब्सिडी पात्र लाभार्थियों को प्रदान की जायेगी। अवशेष धनराशि रु. 2.00 लाख एवं निर्माण लागत पर नियमानुसार जी0एस0टी0 पात्र लाभार्थियों द्वारा देय है। राज्यांश के रूप में रु. 1000 करोड़ का ऋण शासन की बजटीय गारण्टी पर हुडको से प्राप्त करने की कार्यवाही प्रगति में है। जनपद लखनऊ हेतु 4752, मुरादाबाद हेतु 288, सुल्तानपुर हेतु 192, मेरठ हेतु 144 अर्थात कुल 5376 नग जी+3 दुर्बल आय वर्ग भवनों के निर्माण हेतु प्रेष्य डी0पी0आर0 पर केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृति डी0पी0आर0 के सापेक्ष परियोजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने का कार्य प्रगति पर है।

उ0प्र0 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2016 (रेरा)

रेरा का संक्षिप्त परिचय

भारत सरकार द्वारा निर्गत भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-2016 जम्मू और कश्मीर को छोड़कर दिनांक 01.05.2016 से पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू किया जा चुका है। रेरा के अन्तर्गत सभी विकासकर्ताओं को पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है। इसमें सभी नवीन एवं चालू परियोजनायें सम्मिलित हैं। विकासकर्ताओं को रेरा के तहत 500 वर्ग मी0 से अधिक क्षेत्रफल अथवा 8 या उससे अधिक फ्लैट्स/भवन निर्मित किये जाने हैं तो उनका पंजीकरण इस अधिनियम के अन्तर्गत कराना अनवार्य है। विकासकर्ता बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के किसी भी परियोजना को क्रियान्वित नहीं कर सकेगा, अन्यथा की स्थिति में विकासकर्ता पर अपराधिक कार्यवाही का भी प्रावधान है। प्रदेश में रेरा के प्रभावी होने से उस व्यक्ति को जो वर्तमान में किसी प्राइवेट बिल्डर्स से किसी प्रकार की भू-सम्पत्ति में क्रय/निवेश करना चाहता है, को रेरा के प्रावधानों के अन्तर्गत सुरक्षा प्राप्त होती है। विकासकर्ता को योजना से सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी रेरा की वेबसाइट पर परियोजना पंजीकरण हेतु उपलब्ध करानी होती है। विकासकर्ताओं द्वारा परियोजना से सम्बन्धित घोषित वायदों से किसी भी प्रकार की भिन्नता होने पर आवंटी उक्त वेबसाइट

पर आन-लाइन शिकायत दर्ज करा सकता है। रेरा अधिनियम में वर्णित धाराओं/उपधाराओं का उल्लंघन करने पर अर्थ-दण्ड अथवा कारावास अथवा दोनों दण्डों का प्रावधान है। इस अधिनियम के अन्तर्गत विकासकर्ता एवं आवंटी के मध्य शासन द्वारा निर्धारित विक्रय अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षरित करने का प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति किसी परियोजना में निवेश करता है जो रेरा में पंजीकृत नहीं है तो उसे रेरा के प्रावधानों के अन्तर्गत सुरक्षा नहीं मिल सकेगी।

रेरा के अन्तर्गत परिषद द्वारा संचालित परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति

परिषद द्वारा अपनी समस्त योजनाओं में रनिंग प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 68 नग परियोजनाओं में 29325 नग सम्पत्तियां, न्यू प्रोजेक्ट के अन्तर्गत 19 नग परियोजनाओं में 7057 नग सम्पत्तियां अर्थात 87 नग परियोजनाओं में 36820 नग सम्पत्तियों का पंजीकरण कराया गया है। 09 नग परियोजनायें रेरा से आच्छादित नहीं है। इस प्रकार परिषद की कुल 87 नग परियोजनायें रेरा में पंजीकृत हैं।

विकास प्राधिकरणों की सूची

क्र.सं.	प्राधिकरण	क्र.सं.	प्राधिकरण
1.	वाराणसी विकास प्राधिकरण	15.	उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण
2.	प्रयागराज विकास प्राधिकरण	16.	झाँसी विकास प्राधिकरण
3.	कानपुर विकास प्राधिकरण	17.	अयोध्या विकास प्राधिकरण
4.	लखनऊ विकास प्राधिकरण	18.	फिरोजाबाद-शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण
5.	आगरा विकास प्राधिकरण	19.	सहारनपुर विकास प्राधिकरण
6.	मेरठ विकास प्राधिकरण	20.	हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण
7.	गोरखपुर विकास प्राधिकरण	21.	मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण
8.	रायबरेली विकास प्राधिकरण	22.	रामपुर विकास प्राधिकरण
9.	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण	23.	उरई विकास प्राधिकरण
10.	मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण	24.	बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण
11.	बरेली विकास प्राधिकरण	25.	खुर्जा विकास प्राधिकरण
12.	मुरादाबाद विकास प्राधिकरण	26.	बागपत-बड़ौत-खेकड़ा विकास प्राधिकरण
13.	अलीगढ़ विकास प्राधिकरण	27.	आजमगढ़ विकास प्राधिकरण
14.	बांदा विकास प्राधिकरण	28.	बस्ती विकास प्राधिकरण

विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की सूची

क्र.सं.	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	क्र.सं.	विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
1.	मीरजापुर-विन्ध्याचल विशेष क्षेत्र वि. प्राधिकरण	4.	शक्तिनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
2.	कपिलवस्तु विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण	5.	कुशीनगर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
3.	चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण		

खाद्य एवं रसद, उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप

संक्षिप्त इतिहास

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं उनको उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से ''नागरिक आपूर्ति एवं राशनिंग विभाग'' की स्थापना की गयी थी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर वर्ष 1946 में उपरोक्त दोनों विभागों को संविलियन कर प्रथम बार ''खाद्य एवं रसद विभाग'' की स्थापना की गयी तथा आयुक्त, नागरिक आपूर्ति एवं आयुक्त, राशनिंग को ''सचिव'' खाद्य एवं रसद विभाग के अधीन कर दिया गया। वर्ष 1947 में पुनः पुनर्गठन करते हुए सचिव एवं आयुक्त के पद को एक कर दिया गया। शनैः-शनैः विभाग के विस्तार एवं कार्यवृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए, ''विभागाध्यक्ष'' की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए, विभागाध्यक्ष के पूर्णकालिक आयुक्त, खाद्य एवं रसद के पद का सृजन 20 अप्रैल, 1967 को किया गया, लेकिन उक्त व्यवस्था अगस्त 1967 को पुनः समाप्त कर दी गयी और आयुक्त के पद को पुनः सचिव के पद के साथ मिलाकर एक कर दिया गया।

वर्ष 1973 में पृथक रूप से खाद्य आयुक्त कार्यालय की स्थापना की गई, परन्तु सचिव एवं आयुक्त का पद एक ही रहा। अप्रैल, 1981 में खाद्य आयुक्त के स्थान पर अल्प अवधि के लिए निदेशक की तैनाती भी की गयी, परन्तु यह व्यवस्था भी जुलाई 1981 तक सीमित रही। तब से लगातार खाद्यायुक्त कार्यालय कार्यरत है। वर्ष 1997 से पृथक रूप से खाद्य आयुक्त के पद पर पूर्णकालिक तैनाती की गयी तथा उक्त व्यवस्था वर्तमान में भी प्रभावी है, जिसके अन्तर्गत विभागाध्यक्ष के रूप में ''खाद्य आयुक्त'' तथा शासन स्तर पर ''प्रमुख सचिव, खाद्य तथा रसद'' कार्यरत हैं।

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ खरीद

(i) गेहूँ का समर्थन मूल्य एवं क्रय केन्द्र

वर्ष 2018-19 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत सीधे किसानों से गेहूँ खरीद की व्यवस्था पूरे प्रदेश में की गयी। इस वर्ष भारत सरकार द्वारा गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य रु. 1735 प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया। मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत 50 लाख मीट्रिक टन गेहूँ क्रय का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष दिनांक 15.06.2018 (क्रय सत्र की समाप्ति पर) तक 52.92 लाख मी. टन गेहूं क्रय किया गया। गेहूं की खरीद हेतु प्रदेश में कुल 6459 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये।

(ii) एजेन्सीवार खोले गये क्रय केन्द्रों की संख्या, लक्ष्य एवं कुल गेहूँ खरीद का विवरण निम्नानुसार है–

रबी क्रय वर्ष 2018-19 में राज्य एजेन्सियों द्वारा खोले गये क्रय केन्द्र, एजेन्सीवार लक्ष्य एवं उसके सापेक्ष कुल गेहूँ क्रय की स्थिति निम्नानुसार है –

(मात्रा लाख मी. टन में)

क्र. सं.	क्रय संस्था का नाम	क्रय केन्द्रों की संख्या	निर्धारित लक्ष्य	कुल खरीद
1.	खाद्य विभाग की विपणन शाखा (पंजीकृत सोसाइटी)	1130	11.00	12.80
2.	उत्तर प्रदेश सहकारी संघ (पी.सी.एफ.)	3792	21.00	24.75
3.	उत्तर प्रदेश राज्य कृषि एवं औद्योगिक निगम (यू.पी. एग्रो)	190	2.00	1.70
4.	उ.प्र. कोऑपरेटिव यूनियन (पी.सी.यू.)	587	5.00	5.05
5.	उ.प्र. राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम (एस.एफ.सी.)	82	1.00	0.91
6.	उ.प्र. कर्मचारी कल्याण निगम	234	2.00	2.28
7.	भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित (एन.सी.सी.एफ.)	101	1.50	0.97
8.	नेशनल एग्रीकल्चरल को-आपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इण्डिया लि. (नैफेड)	130	1.50	0.90
	योग	**6246**	**45.00**	**49.37**
9.	भारतीय खाद्य निगम एवं प्राइवेट प्लेयर्स	213	5.00	3.55
	योग	**6459**	**50.00**	**52.92**

(iii) **गेहूँ का संग्रह**

रबी विपणन वर्ष 2018-19 में प्रदेश में राज्य एजेन्सियों एवं भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिनांक 15.06.2018 तक 52.92 लाख मी. टन गेहूँ क्रय किया गया। अभी तक 52.87 लाख मी. टन गेहूँ का भण्डारण भारतीय खाद्य निगम में किया गया तथा 5334.89 मी. टन गेहूं सम्प्रदान हेतु अवशेष है। वर्ष 2010-11 से स्टेट पूल की समाप्ति के पश्चात् समस्त भण्डारण केन्द्रीय पूल के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम में किया जा रहा है। विगत 10 वर्षों में वर्षवार क्रय किये गये तथा केन्द्रीय पूल में संग्रह किये गये गेहूँ का विवरण निम्नवत है–

(मात्रा लाख मी0 टन में)

क्र. सं.	रबी क्रय वर्ष	कुल क्रय	संग्रह की गयी मात्रा		योग
			स्टेट पूल	सेन्ट्रल पूल	
1.	2009-10	स्टेट एजेन्सी 34.13 भा.खा.नि. 4.69 **योग - 38.82**	34.13	4.69	38.82

2.	2010-11	स्टेट एजेन्सी 16.21 भा.खा.नि. 0.24 **योग - 16.45**	स्टेट पूल समाप्त	भा.खा.नि. 6.82 रा.भ.नि. 9.63 **योग - 16.45**	16.45
3.	2011-12	34.61	-	34.61	34.61
4.	2012-13	50.63	-	50.50	50.50
5.	2013-14	6.83	-	6.81	6.81
6.	2014-15	6.28	-	6.28	6.28
7.	2015-16	22.67	-	22.67	22.67
8.	2016-17	7.97	-	7.97	7.97
9.	2017-18	36.99	-	36.988	36.988
10.	2018-19	52.92	-	52.87	82.87

(iv) गेहूँ की गुणवत्ता पर नियंत्रण एवं केन्द्रों का कोडीफिकेशन

गेहूँ की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गत वर्ष की भांति ही यह निर्णय लिया गया कि इस वर्ष प्रत्येक जनपद, क्रय एजेन्सी एवं क्रय केन्द्र का एक कोड नम्बर आवंटित कर दिया जाय, ताकि गेहूँ के क्रय, उसके संग्रह एवं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण के समय गेहूँ की गुणवत्ता में यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसका उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा सके। इस सम्बन्ध में समस्त जिलाधिकारियों तथा समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रकों को विस्तृत निर्देश प्रसारित किये गये। केन्द्रीय पूल में सम्प्रदान किये गये गेहूँ के वितरण के समय किसी बोरे में यदि गेहूँ की गुणवत्ता एवं मात्रा में कमी पाई जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी सम्बन्धित क्रय एजेन्सी तथा क्रय केन्द्र प्रभारी पर निर्धारित की जाएगी। इस सम्बन्ध में प्रदेश के समस्त जनपदों को कोड नम्बर आवंटित किये गये।

(v) विगत 10 वर्षों एवं वर्तमान वर्ष में गेहूँ का उत्पादन क्षेत्रफल एवं उत्पादकता का विवरण

क्र. सं.	फसल वर्ष	विपणन वर्ष	क्षेत्रफल (लाख हेक्टेयर)	उत्पादन (लाख मी. टन)	उत्पादकता (कु./हे.)
1.	2007-2008	2008-2009	93.99	263.12	27.99
2.	2008-2009	2009-2010	95.13	285.54	30.02
3.	2009-2010	2010-2011	97.32	277.77	28.54
4.	2010-2011	2011-2012	98.01	304.87	31.11
5.	2011-2012	2012-2013	97.93	321.50	32.83
6.	2012-2013	2013-2014	97.85	314.76	32.17
7.	2013-2014	2014-2015	98.39	314.93	32.01

8.	2014-2015	2015-2016	97.65	334.45	34.20
9.	2015-2016	2016-2017	97.39	325.00	33.40
10.	2016-2017	2017-2018	77.39	305.00	33.40
11.	2017-2018	2018-2019	98.97	346.50	35.00

(vi) गेहूँ क्रय केन्द्रों की स्थापना

रबी विपणन वर्ष 2018-19 में प्रदेश में 04 किमी. के रेडियस अर्थात् प्रत्येक 08 किमी. की दूरी पर अनिवार्य रूप से एक क्रय केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था की गयी, जिसके लिए प्रदेश में कुल 6459 केन्द्र स्थापित किये गये।

(vii) गेहूँ के मूल्य का भुगतान

कृषकों को उनके गेहूँ के मूल्य का भुगतान उनके बैंक खातों में सीधे कराने हेतु सभी संस्थाओं द्वारा आर.टी.जी.एस. के माध्यम से भुगतान किया गया। अन्य स्थानों पर जहां आर.टी.जी.एस. की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से भुगतान किया गया। वर्ष 2018-19 में गेहूँ खरीद योजना में दिनांक 15.06.2018 तक कुल 1127195 किसानों को रु. 9231.994189 करोड़ का भुगतान किया गया।

(viii) कृषकों के हित में की गयी कार्यवाही

क्रय केन्द्रों पर कृषक बन्धुओं को सुविधा उपलब्ध कराने व निर्धारित गुणवत्ता का गेहूँ क्रय करने के उद्देश्य से कृषकों के गेहूँ की उतराई व छनाई में आने वाला व्यय रु. 10 प्रति कुं. कृषक द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा, किन्तु इस निमित्त कृषक को रु. 10 प्रति कुं की दर से आर.टी.जी.एस./एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से उसके बैंक एकाउण्ट में भुगतान क्रय एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। यह भुगतान गेहूँ समर्थन मूल्य के अतिरिक्त होगा। उतराई व छनाई के मद में आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति क्रय एजेन्सियों को मण्डी परिषद द्वारा की जायेगी। किसानों की सुविधा के लिए विभाग द्वारा टोल फ्री नं. 18001800150 स्थापित किया गया एवं खाद्यायुक्त कार्यालय, लखनऊ में स्थापित खाद्य नियंत्रण कक्ष में दूरभाष नं. 0522-2288906 स्थापित किया गया। किसानों की सुख-सुविधा हेतु क्रय केन्द्रों पर पानी पीने की, बैठने की, छाया की व्यवस्था की गयी है। योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने के लिए फ्लैक्सी बैनर, पर्चे व पोस्टर तथा इलेक्ट्रानिक व प्रिन्ट मीडिया का उपयोग किया गया।

(ix) ई-उपार्जन

रबी विपणन वर्ष 2018-19 में समस्त क्रय एजेन्सियां, पंजीकृत सहकारी समितियां, मल्टी स्टेट को-आपरेटिव सोसाइटी, भारतीय खाद्य निगम व भारतीय खाद्य निगम के प्राइवेट प्लेयर्स, एन.आई.सी./ भा.खा.नि. द्वारा विकसित साफ्टवेयर पर ऑन-लाइन गेहूँ क्रय की प्रक्रिया अपनायी गयी। एन.आई.सी. के सहयोग से क्रय व्यवस्था से जुडे समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिलवाया गया। समस्त क्रय संस्थायें एवं पंजीकृत सहकारी समितियां एवं मल्टी स्टेट को-आपरेटिव सोसाइटी द्वारा अपने संसाधन से कम्प्यूटर/लैपटॉप, आईपैड, इन्टरनेट कनेक्शन व इस निमित्त अन्य आवश्यक आधारभूत व्यवस्थायें समय से की गयीं।

2- मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान की खरीद

(i) श्रेणीवार धान का समर्थन मूल्य

कृषकों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर किसानों से धान की खरीद की जाती है। धान को दो श्रेणियों- 1. कॉमन तथा 2. ग्रेड-ए में वर्गीकृत किया गया है, जिसका समर्थन मूल्य खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में भारत सरकार द्वारा श्रेणीवार निम्नवत् निर्धारित किया गया है–

क्रमांक	श्रेणी	धान का मूल्य (रु. प्रति कु.)
1.	सामान्य	रु.1750/-
2.	ग्रेड-ए	रु.1770/-

(ii) क्रय संस्थावार धान क्रय केन्द्रों की संख्या

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान की खरीद हेतु खरीफ वर्ष 2018-19 में व्यापक प्रबन्ध किये गये। प्रदेश में निम्नलिखित क्रय संस्थाओं द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित संख्या में क्रय केन्द्र स्थापित कर धान खरीद का कार्य सम्पन्न कराया गया है।

क्र. सं.	क्रय संस्था का नाम	क्रय केन्द्रों की संख्या	क्रय लक्ष्य (लाख मी.टन)	कुल खरीद (लाख मी.टन)
1.	खाद्य विभाग	847	19.00	11.86
2.	उत्तर प्रदेश सहकारी संघ (पी.सी.एफ.)	1400	13.00	5.53
3.	(यू.पी. एग्रो)	100	3.00	0.84
4.	(यू.पी.पी.सी.यू.)	300	5.00	4.05
5.	उ.प्र. आवश्यक खाद्य वस्तु निगम	100	1.50	1.13
6.	कर्मचारी कल्याण निगम	150	4.00	1.67
7.	(एन.सी.सी.एफ.)	109	1.50	1.84
8.	(नैफेड)	68	1.00	0.78
	योग	**3074**	**48.00**	**27.70**
9.	भारतीय खाद्य निगम	99	2.00	0.44
	महायोग	**3173**	**50.00**	**28.14**

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान क्रय नीति शासनादेश सं. 03/2018/1180/29-4-2018-5 (1)/2018 दिनांक 29.09.2018, 08/2018/1506/29-4-2018-5(1)/2018 दिनांक 14.11.2018, 10/2018/1805/29.04.2018-5(1)/2018 दिनांक 24.12.2018 द्वारा निर्गत है, जिसमें दिये गये प्राविधान के अनुसार धान की खरीद राजकीय क्रय केन्द्रों पर नामित क्रय एजेन्सियों के माध्यम से सीधे किसानों से की जा रही है। इस वर्ष धान क्रय नीति में कृषक पंजीकरण अनिवार्य बनाया गया है तथा ई-उपार्जन पोर्टल को राजस्व विभाग के भू-लेख पोर्टल से लिंक कराकर कृषक की भूमि एवं धान के बोये गये रकबे का सत्यापन राजस्व विभाग से ऑनलाइन कराया जायेगा। लघु एवं सीमान्त कृषकों के धान क्रय हेतु 100 कुं. तक सत्यापन से मुक्त रखा गया है।

(iii) क्रय केन्द्रों पर किसानों की सुख-सुविधा हेतु व्यवस्था

क्रय केन्द्रों पर किसानों हेतु सुविधायें यथा– धान के मानक नमूने के प्रदर्शन, नमी मापक यन्त्रों की व्यवस्था, धान की सफाई हेतु पंखा/छन्ना की व्यवस्था एवं कृषकों एवं उनके पशुओं हेतु पेयजल की व्यवस्था आदि के भी निर्देश दिये गये हैं। क्रय केन्द्रों पर निर्धारित गुणवत्ता का धान क्रय करने के उद्देश्य से कृषकों के धान उतराई, छनाई एवं सफाई आदि में आने वाला व्यय रु. 20 प्रति कुं. किसान द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा, किन्तु इस निमित्त कृषक को रु. 20 प्रति कु. की दर से आर.टी.जी.एस./ डिजीटल प्रक्रिया के माध्यम से उसके बैंक एकाउन्ट में भुगतान क्रय एजेन्सी द्वारा किया जाएगा। यह भुगतान धान के समर्थन मूल्य के अतिरिक्त होगा। उतराई, छनाई व सफाई के मद में आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति क्रय एजेन्सियों को मण्डी परिषद द्वारा की जाएगी। इस वर्ष सभी क्रय केन्द्रों पर किसानों के हित में इलेक्ट्रानिक काँटे की व्यवस्था के निर्देश दिये गये हैं। विशेष प्रयास करके कई क्रय केन्द्रों पर पॉवर विनोवर की भी व्यवस्था की गयी। किसानों की सुविधा के लिए टोल फ्री नं.–18001800150 स्थापित किया गया।

(iv) धान क्रय केन्द्रों की स्थापना

खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में प्रदेश में क्रय केन्द्रों का निर्धारण व चयन जिलाधिकारी द्वारा इस प्रकार किया जाएगा कि कृषक को अपना धान विक्रय करने हेतु 08 किमी. से अधिक दूरी न तय करनी पड़े।

(v) धान के मूल्य का भुगतान

कृषकों को उनके धान के मूल्य का भुगतान उनके बैंक खातों में सीधे कराने हेतु सभी क्रय संस्थाओं द्वारा आर.टी.जी.एस. के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। चेक के माध्यम से भुगतान को मान्यता नही प्रदान की जाएगी। वर्ष 2018-19 में धान खरीद योजना में दिनांक 07.01.2019 तक कुल 404720 किसानों को रु. 4927.88 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है।

2- मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत मक्का की खरीद

(i) मक्का का समर्थन मूल्य

कृषकों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम बार मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर किसानों से मक्का की खरीद की जा रही है, जिसका समर्थन मूल्य खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में भारत सरकार द्वारा रु. 1700 प्रति कु. निर्धारित किया गया है। प्रदेश में मक्का क्रय की अवधि दिनांक 15.11.2018 से दिनांक 15.01.2019 तक निर्धारित है।

(ii) मक्का क्रय केन्द्रों की संख्या

मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत मक्का की खरीद हेतु खरीफ वर्ष 2018-19 में व्यापक प्रबन्ध किये गये। खाद्य विभाग द्वारा 100 क्रय केन्द्र स्थापित कर मक्का खरीद का कार्य कराया जा रहा है। दिनांक 06.01.2019 तक निर्धारित क्रय लक्ष्य 01 लाख मी. टन के सापेक्ष 5036.07 मी. टन की खरीद की जा चुकी है।

(iii) मक्का के मूल्य का भुगतान

कृषकों को उनके मक्का का मूल्य का भुगतान उनके बैंक खातों में सीधे कराने हेतु खाद्य विभाग के विपणन शाखा द्वारा आर.टी.जी.एस. के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। चेक के माध्यम से भुगतान को मान्यता नहीं प्रदान की गयी है। वर्ष 2018-19 में मक्का खरीद योजना में दिनांक 06.01.2019 तक कुल 1298 किसानों को रु. 856.13 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013

क. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 सम्पूर्ण प्रदेश में दिनांक 01 मार्च 2016 से लागू है।

ख. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 के अन्तर्गत दो श्रेणी के लाभार्थी प्राविधानित हैं- अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी। दोनों ही श्रेणी के लाभार्थियों को गेहूं रु. 2.00 प्रति किग्रा. तथा चावल रु. 3.00 प्रति किग्रा. की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। अन्त्योदय श्रेणी के लाभार्थियों को 35 किग्रा. खाद्यान्न, जिसके अंतर्गत 20 किग्रा गेहूं तथा 15 किग्रा. चाल प्रति परिवार प्रतिमाह उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों को 05 किग्रा. खाद्यान्न जिसके अंतर्गत 03 किग्रा. गेहूं व 02 किग्रा. चावल प्रति परिवार प्रतिमाह उपलब्ध कराया जा रहा है।

3. जिला शिकायत निवारण अधिकारी- प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत प्रत्येक पात्र व्यक्ति की हकदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में जिला शिकायत निवारण अधिकारी की व्यवस्था की गयी है। जो निम्न प्रकार है:

क. उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली-2017 के प्रस्तर-4(1) के अनुसार ऐसे अपर जिला मजिस्ट्रेट जो खाद्यान्न की आपूर्ति या उसके वितरण में संलग्न न हों, को जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में पदाभिहित किया गया है। समस्त जनपदों में इनकी नियुक्ति की जा चुकी है।

एफ.पी.एस. ऑटोमेशन

- एफ.पी.एस. ऑटोमेशन के अंतर्गत वर्तमान में नगरीय क्षेत्र की समस्त उचित दर दुकानों में ई-पॉस की स्थापना कर लाभार्थियों में खाद्यान्न वितरण कराया जा रहा है।
- माह दिसम्बर, 2018 में नगरीय क्षेत्र की समस्त उचित दर दुकानों के कुल 5886953 लाभार्थियों के सापेक्ष ई-पॉस मशीन के माध्यम से कुल 5159493 ट्रांजेक्शन किया गया, जो 87.63 प्रतिशत है। उक्त कुल ट्रांजेक्शन के अंतर्गत 4691390 आधार बेस्ड ट्रांजेक्शन सम्मिलित है, जो कुल ट्रांजेक्शन के सापेक्ष 90.93 प्रतिशत है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में एफ.पी.एस. ऑटोमेशन हेतु सिस्टम इण्टीग्रेटर के चयन की कार्यवाही ई-टेन्डरिंग के माध्यम से सिस्टम इण्टीग्रेटर संस्थाओं का चयन कर उन्हें कार्यादेश जारी कर दिए गए है तत्क्रम में अग्रेतर कार्यवाही प्रगतिमान है।
- वर्तमान में 66 जनपदों में ग्रामीण क्षेत्रों की 57596 उचित दर दुकानों पर ई-पॉस मशीनें स्थापित की जा चुकी हैं। शेष जनपदों में कार्यवाही प्रगतिमान है।

आधार सीडिंग कार्य की प्रगति

- वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने एवं सही लाभार्थी को ही खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने

के उद्देश्य से एण्ड-टू-एण्ड कम्प्यूटरीकरण योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त राशनकार्ड लाभार्थियों के आधार संख्या की फीडिंग कराई जा रही है।

- दिनांक 22.01.2019 तक प्रत्येक राशनकार्ड के मुखिया के आधार सीडिंग कार्य की प्रदेश स्तर पर प्रगति 98.36 प्रतिशत है, जिसके अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों की प्रगति 99.45 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्र में 98.15 प्रतिशत है। राशन कार्ड के समस्त सदस्यों की आधार सीडिंग की प्रदेश स्तर पर प्रगति 91.97 प्रतिशत है।
- उक्त के क्रम में समस्त जनपदों में आधार वेलिडेशन का कार्य प्रगतिमान है। दिनांक 22.01.2019 तक 74818641 (53.47 प्रतिशत) राशनकार्ड सदस्यों का आधार वेलिडेशन कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

खाद्य प्रकोष्ठ

खाद्य तथा रसद विभाग में खाद्य प्रकोष्ठ की स्थापना शासनादेश संख्या-2278/29-एम.-37/73, दिनांक 22.02.1974 द्वारा की गयी थी। शासन के ज्ञाप संख्या-4133/29-गा.-74, दिनांक 07.01.1975 के अनुसार पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं अपर आयुक्त, खाद्य के निम्नलिखित कर्तव्य निर्धारित किये गये हैंः

(अ) खाद्य तथा रसद विभाग के अंतर्गत सृजित पुलिस प्रकोष्ठ के कार्यों का सकार्य तथा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों का पर्यवेक्षण।

(ब) खाद्य तथा रसद विभाग सम्बन्धी विभिन्न नियंत्रण आदेशों के प्रवर्तन सम्बन्धी जिसमें जमाखोरी, तस्करी तथा मुनाफाखोरी के विरुद्ध कार्यवाही सम्मिलित है, का समन्वय तथा तस्करी रोकने के लिए पुलिस से सम्पर्क स्थापित करके छापे आयोजित करना।

(स) आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत चल रहे मुकदमों की देख-रेख।

(द) अन्य कार्य जो आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग अथवा पुलिस उपमहानिरीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा अभिदिष्ट किये जाएं।

विधिक माप विज्ञान (बाट तथा माप) विभाग

बांट और माप के मानकों के निर्धारण, अन्तर्राज्यीय व्यापार में बाट-माप का नियंत्रण तथा वस्तुओं के तौल-माप में विक्रय या वितरण के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 प्रख्यापित किया गया एवं इस अधिनियम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत विभिन्न नियमों यथा- विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 आदि एवं उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित उ.प्र. विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 के अधीन कार्य किया जाता है।

विधिक माप विज्ञान विभाग के प्रमुख कार्य

- उपभोक्ता के हित संरक्षण के दृष्टिगत व्यापारिक लेन-देन में प्रयुक्त होने वाले बाँट माप, तौलने मापने के उपकरणों के मानकीकरण हेतु सत्यापन/मुद्रांकन एवं नियत कालिक पुनः सत्यापन/मुद्रांकन करना।

- विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 तथा उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 के अन्तर्गत प्रवर्तन कार्य, जिसमे अमानक बाट-माप तथा तौलने मापने के उपकरणों का प्रयोग, कम तौलना एवं मापना आदि पाये जाने पर उपरोक्त अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत चालान/अभिग्रहण करना।
- विधिक माप विज्ञान (पैकेज में रखी वस्तुएं) नियम- 2011 के प्रावधानों के अन्तर्गत पैकेज में रखी वस्तुओं पर वांछित घोषणाओं, पैकेज वस्तु की शुद्ध मात्रा, पैकेज पर अंकित अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर विक्रय आदि की जांच करना एवं अनियमितता पाये जाने पर नियमों के अन्तर्गत चालान/अभिग्रहण करना।
- उपरोक्तानुसार पकड़े गये मामलों में शमनीय मामलों को सम्बन्धित द्वारा शमन हेतु आवेदन करने पर विभागीय स्तर पर शमन कर निस्तारित करना, शमन द्वारा निस्तारित न कराये गये एवं अशमनीय मामलों को न्यायालय में दाखिल/निवेशित करना।

उपभोक्ता हेल्पलाइन

उपभोक्ताओं की सहायता के लिए भारत सरकार के तत्वावधान में विभाग द्वारा उपभोक्ताओं की सहायता के लिए राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन का संचालन किया जा रहा है, जिसका टोल फ्री सं.-1800 1800 300 है।

उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम

उ.प्र. राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम की स्थापना कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत 22 अक्टूबर, 1974 को हुई थी, स्थापना के समय इस निगम को एक करोड़ की अधिकृत अंशपूँजी तथा 50 लाख रुपये की प्रदत्त अंशपूँजी स्वीकृत की गयी थी। वर्तमान में निगम की अधिकृत अंशपूँजी बढ़कर रुपया 5 करोड़ हो गयी है, जिसके विरुद्ध प्रदत्त अंशपूँजी भी रुपया 5 करोड़ हो गयी है तथा अंशपूँजी के विरुद्ध अग्रिम (आवेदन राशि) रुपया 733.86 लाख है।

- **गतिविधियाँ/कार्यकलाप**

निगम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराना, खाद्यान्नों, तेलों, बीजों तथा अन्य कृषि उत्पादों की खरीद, भण्डारण, संचालन, वितरण तथा विक्रय करना एवं रबी/खरीफ क्रय योजना के माध्यम से किसानों को मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत उचित मूल्य दिलाना है, इसके साथ ही भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा सौंपे गये इसी प्रकार के अन्य कार्यों को भी सम्पन्न करना इस निगम का अनुषांगिक उद्देश्य है।

वर्तमान में निगम द्वारा प्रदेश के 17 जनपदों- लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर-खीरी, पीलीभीत, बरेली, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, सम्भल, अमरोहा, बदायूँ, रामपुर, बिजनौर, रायबरेली, उन्नाव, अलीगढ़ एवं हाथरस में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, अन्त्योदय अन्न योजना एवं मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत गेहूँ, चावल तथा चीनी के उठान एवं स.स.ग. विक्रेताओं को वितरण किये जाने सम्बन्धी कार्य तथा शासन की मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत गेहूँ/धान की खरीद का कार्य प्रमुख रूप से किया जा रहा है इसके साथ ही लखनऊ में कुकिंग गैस की एक एजेन्सी का संचालन भी किया जा रहा है।

- **नीतिगत महत्त्वपूर्ण निर्णय**

निगम के निदेशक मण्डल द्वारा पारित निर्णय तथा निगम के आर्टिकिल्स ऑफ एसोसिएशन के अन्तर्गत उल्लिखित प्रावधानों के तहत निगम द्वारा संचालक मण्डल की बैठकों में आवश्यक निर्णय लिये

जाते हैं ताकि निगम के कार्यकलापों को सुचारु ढंग से चलाया जा सके। भारत सरकार एवं राज्य सरकार की अन्य योजनाओं में राज्य सरकार के निर्णय/निर्देशानुसार एवं शासनादेशों के अनुसार महत्त्वपूर्ण कार्य निगम द्वारा किया जाता है। चूँकि उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के नियंत्रणाधीन है। अतः समय-समय पर शासन के सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार निगम द्वारा कार्य किया जाता है।

● **व्यापारिक कार्यकलाप**

● विगत चार वर्षों में निगम द्वारा किये गये टर्नओवर की स्थिति निम्नवत् है-

(अनन्तिम धनराशि लाख रु. में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19 (सितंबर 2018 तक)	वर्ष 2018-19 का लक्ष्य
1.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं अन्त्योदय योजनान्तर्गत खाद्यान्न/ चीनी की आपूर्ति का कार्य	124715.50	87738.69	79024.45	36065.53	63422.99
2.	मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत					
	(1) गेहूँ खरीद योजना	7703.84	5033.38	15590.53	17578.77	29590.65
	(2) धान खरीद योजना	21518.20	10342.89	17264.89	244.17	51724.94
3.	भोजन बनाने वाली गैस	331.75	317.79	377.38	172.56	479.86
4.	अन्य व्यापार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	**154269.29**	**103432.75**	**112257.25**	**54061.03**	**145218.44**

उक्त के अतिरिक्त निगम द्वारा

प्राथमिक विद्यालयों हेतु मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न का उठान कर स.स.ग. विक्रेताओं को वितरण हेतु उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में निगम को खरीद के मद में कोई धनराशि अग्रिम के रूप में नहीं लगानी पड़ती है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में 74418.00 मी. टन एवं वर्ष 2016-17 में 60481.00 मी. टन एवं वर्ष 2017-18 में 72560.58 मी. टन एवं वर्ष 2018-19 (सितंबर 2018 तक) में 34564.46 मी. टन खाद्यान्न स.स.ग. विक्रेताओं को वितरण हेतु उपलब्ध कराया गया।

● विगत 4 वर्षों में मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत गेहूँ एवं धान खरीद की स्थिति-

(अ) गेहूँ खरीद योजना (मात्रा मी. टन में/धनराशि लाख रु. में)

क्र. सं.	विवरण	वर्ष 2015-2016	वर्ष 2016-2017	वर्ष 2017-2018	वर्ष 2018-2019
1.	खरीद लक्ष्य मात्रा	2,00,000	2,00,000	3,00,000	1,50,000
2.	गेहूँ क्रय मात्रा	51,185.96	29,393.94	89,214.51	91,760.10
3.	लक्ष्य के विरुद्ध खरीद का प्रतिशत	25.59%	14.70%	29.74%	61.17%
4.	क्रय मात्रा की धनराशि	7,703.84	4,818.76	14,497.35	15,920.38
5.	शुद्ध लाभ	332.49	179.52	281.28	233.14

(ब) धान खरीद योजना

क्र. सं.	विवरण	वर्ष 2015-2016	वर्ष 2016-2017	वर्ष 2017-2018	वर्ष 2018-2019 (31.12.2018 तक)
1.	खरीद लक्ष्य मात्रा	1,00,000	1,50,000	1,50,000	1,50,000
2.	धान क्रय मात्रा	14,696.94	42,080.58	1,04,019.27	1,03,221.01
3.	लक्ष्य के विरुद्ध खरीद का प्रतिशत	14.69%	28.05%	69.35%	68.81%
4.	क्रय मात्रा की धनराशि	21,518.19	9,849.79	16,197.31	17,899.97
5.	शुद्ध लाभ	83.11	258.05	363.82	

● सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 (31.12.2018 तक) में किये गये व्यवसाय के आवंटन, जमा एवं उठान की स्थिति-

(मात्रा मी. टन में)

क्र.	वस्तु का नाम	आवंटन	जमा	उठान
1.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना			
	गेहूँ	878891	854313	854313
	चावल	585928	570026	570026
3.	अन्त्योदय अन्न योजना			
	गेहूँ	166339	166241	166241
	चावल	124755	124686	124686
4.	मध्याह्न भोजन योजना गेहूँ/चावल	50574		50574

● **भोजन बनाने वाली गैस**

निगम द्वारा जनपद लखनऊ में भोजन बनाने वाली गैस का व्यवसाय किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत वर्ष 2018-19 (31.12.2018 तक) में सिलेन्डरों की औसत मासिक बिक्री 3973 सिलेण्डर हुई है। गैस सिलेण्डरों की बिक्री के साथ-साथ इकाई को और अधिक लाभप्रद स्थिति में लाने के लिए गैस से संबंधित उपकरण भी बाजार से कन्साइनमेंट बेसिस पर क्रय कर बिक्री की जा रही है।

● **व्ययों में मितव्यता**

निगम द्वारा व्ययों की समीक्षा प्रत्येक माह होने वाली मासिक बैठकों में की जाती है। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में निगम द्वारा अपने आय-व्यय बजट में व्यापारिक व्ययों के मदों में रु. 14705.50 लाख तथा प्रशासनिक व्ययों के मद में रु. 3376.05 लाख कुल रु. 18081.55 लाख का प्राविधान निर्धारित किया गया था जिसके सापेक्ष वर्ष 2018-2019 (31.12.2018 तक) में व्यापारिक व्यय रु. 3572.98 लाख एवं प्रशासनिक व्यय में रु. 933.81 लाख कुल रु. 4566.79 लाख का व्यय हुआ इस प्रकार प्राविधानित व्यय के सापेक्ष 25.26 प्रतिशत का व्यय हुआ।

● **कर्मचारी कल्याण योजना**

कर्मचारी की मृत्यु की दशा में उसके उत्तराधिकारी को रु. 6,02,000/- का भुगतान होता है,

इस योजना में कर्मचारी, अधिकारी से कोई धनराशि नहीं ली जाती है। सेवा के दौरान मृत्यु के समय रु. 10,000/- निगम की ओर से मृतक के आश्रितों को तात्कालिक सहायता दी जाती है।

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की स्थापना वर्ष 1965-66 में शासनादेश संख्या-बत्तीस-3/1965-बी, दिनांक 20.03.1965 के अंतर्गत की गयी थी। इस संस्था का निबन्धन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 (1860 का 21) के अंतर्गत 5 मई, 1965 को हुआ। इसकी रजिस्ट्रेशन संख्या-98/1965-66 है। शासनादेश संख्या 1584/29-10-06-नि.-104/2001 दिनांक 19.12.2006 द्वारा निगम की जलपान शाखा को अलग कर एक स्वतंत्र इकाई बनाने का निर्णय लिया गया है। इस नये निगम की पंजीकरण संख्या 2604-2006-2007 है। उ.प्र. सचिवालय सत्कार सेवा संस्था 01 अप्रैल, 2007 से स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है

निगम की स्थापना का उद्देश्य

1. राज्य कर्मचारियों एवं उनके परिवार की दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं डिपो (स्टोर्स) स्थापित कर उनके माध्यम से बाजार भाव से अपेक्षाकृत सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना।

2. राज्य कर्मचारियों को कार्यालय प्रांगण में जलपानगृह खोलकर साफ तथा स्वच्छ वातावरण में बाजार के सापेक्ष सस्ती दरों पर चाय, काफी, मीठा, नमकीन, बिस्कुट, लंच पैकेट एवं शीतल पेय पदार्थ उपलब्ध कराना।

1. निगम का कार्यक्षेत्र (जी.एस.टी. सहित सामग्री का विक्रय)

डिपो व्यवसाय

उ.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा डिपोज के माध्यम से राज्य कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को दैनिक उपयोग की उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध करायी जाती हैं। वर्तमान में निगम द्वारा 161 डिपो संचालित किये जा रहे हैं।

फैमिली बाजार का संचालन

निगम द्वारा व्यापारिक सहयोगी के माध्यम से जनपद लखनऊ, गोरखपुर, आजमगढ, गाजीपुर तथा आयोध्या में 08 फैमिली बाजारों का संचालन किया जा रहा है। वातानुकूलित स्थान पर राज्य कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को डिपो पर सभी प्रकार की दैनिक उपयोग की सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है। फैमिली बाजार के सभी प्रकार के खर्चे यथा- आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय व्यापारिक सहयोगी द्वारा वहन किया जा रहा है।

2. जन-सामान्य हेतु (जी.एस.टी. युक्त सामग्री की आपूर्ति)

(क) संस्थागत व्यवसाय

मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन के शासनादेश सं. 358/29-10-03-नि.-17/2003, खाद्य तथा रसद अनुभाग-10 दिनांक 06 मई, 2003 के क्रम में निगम द्वारा संस्थागत व्यापार किया जा रहा है। निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में माह दिसम्बर, 2018 तक विभिन्न विभागों में की गयी आपूर्ति सामग्री/प्राप्त आदेशों की धनराशि रुपये 57.80 करोड़ है।

(ख) दवा व्यवसाय

शासनादेश संख्या रा-406/29-10-2004-नि.-16/2004 खाद्य तथा रसद अनुभाग-10, दिनांक 02 जुलाई, 2004 के द्वारा निगम को दवा व्यवसाय करने की अनुमति प्रदान की गयी है।

वर्तमान में मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज तथा हृदय रोग संस्थान, कानपुर में दवा की दुकानें व्यापारिक सहयोगी के माध्यम से संचालित की जा रही हैं।

(ग) कामगारों को खाद्यान्न की आपूर्ति

खाद्य एवं रसद अनुभाग-6, उ.प्र. शासन के शासनादेश संख्या-1938/29-6-2008-131 सा/06 टी.सी. दिनांक 03 जून, 2008 द्वारा उ.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण निगम को प्रदेश के कामगारों में निरुद्ध बन्दियों की भोजन व्यवस्था के लिए खाद्यान्न आपूर्ति हेतु नोडल एजेन्सी नामित किया गया है। निगम द्वारा उ.प्र. के विभिन्न कारागारों में निरुद्ध बन्दियों हेतु खाद्यान्न की आपूर्ति की व्यवस्था की जाती है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में माह दिसम्बर, 2018 तक रु. 16.76 करोड़ की आपूर्ति कर रु. 64.47 लाख की आय हुयी है।

(घ) गैस व्यवसाय

निगम द्वारा जनपद अलीगढ में कुकिंग गैस का व्यवसाय व्यापारिक सहयोगी के माध्यम से किया जा रहा है। जिसमें निगम को प्रतिमाह रु. 35 हजार की आय हो रही है।

(च) गेहूं/धान का क्रय व्यवसाय

रबी विपणन वर्ष 2018-19 में निगम द्वारा 232 गेहूं क्रय केन्द्र संचालित किये गये तथा 227924.93 एम.टी. गेहूं का क्रय किया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में निगम द्वारा 149 धान क्रय केन्द्र संचालित किये गये तथा माह दिसम्बर, 2018 तक 135928.40 एम.टी. धान क्रय किया गया है।

(छ) सफेद मिट्टी के तेल का व्यवसाय

शासनादेश संख्या 264/29-7-2010-एम.-11/98 दिनांक 02.02.2010 द्वारा निगम को सुपीरियर सफेद मिट्टी के तेल के विक्रय हेतु नोडल एजेन्सी नामित किया गया है। उक्त व्यवसाय हेतु प्रदेश के जनपदों में व्यवसाय करने के लिए निविदा के माध्यम से व्यापारिक सहयोगी का चयन किया जा चुका है। व्यापारिक सहयोगी द्वारा जनपद स्तरीय डीलर/रिटेलर नियुक्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम

मुख्य कार्यकलाप

1. कृषि उपज, बीज उर्वरक, तथा अन्य अधिसूचित वस्तुओं के वैज्ञानिक भण्डारण एवं परिवहन की व्यवस्था करना।
2. वस्तुओं के क्रय विक्रय, भण्डारण एवं वितरण हेतु राज्य सरकार, केन्द्रीय भण्डारण निगम, किसी सरकारी कम्पनी अथवा सहकारी समिति के एजेन्ट के रूप में कार्य करना।
3. सहकारी संस्थाओं तथा किसानों को भण्डारण शुल्क में क्रमशः 10 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत की छूट।
4. कृषक प्रसार सेवा योजना/Farmer Extension Service Scheme (FESS) का संचालन जिसके तहत कृषकों को उनके अनाज के भण्डारण एवं उनकी सुरक्षा के उद्देश्य से निगम में कार्यरत कुशल तकनीकी कार्मिकों द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षित किया जाता है।
5. कीट परिनाशक सेवा/Disinfestation Extension Service Scheme (DESS) का संचालन जिसके तहत निगम द्वारा किसानों, व्यापारियों, संस्थाओं आदि के घरों, गोदामों आदि में भण्डारित जिन्सों आदि की व्यवस्था मामूली शुल्क रु. 9.50/-प्रतिटन लेकर की जाती है।

माल जमाकर्ता की संस्थावार उपयोगिता

		अक्टूबर, 2019 (In Lakh MT)
1.	खाद्य विभाग (खाद्यान्न)	-
2.	भारतीय खाद्य निगम (खाद्यान्न)	18.85
3.	कृषि निवेश	0.50
4.	स्व प्रबन्धकीय आधार	1.51
5.	अन्य (कृषक, व्यापारी, अन्य)	0.76
	योग-	**21.62**
6.	भारतीय खाद्य निगम (पी0ई0जी0)	11.06
7.	**कुल योग**	**32.68**
	(वर्तमान में कुल क्षमता 39.28 लाख मै0टन के सापेक्ष)	
	उपयोग का प्रतिशत	**83.18**

वर्ष 2017-18 से वर्ष 2018-19 तक की उपलब्धियां

भण्डारण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि

क्र0सं0	वर्ष	भण्डारण क्षमता (लाख मै0टन)	उपयोगिता का प्रतिशत
1	2017-18	38.57	82.08
2	2018-19	44.63	92.78
3	2019-20	39.28	83.18 (अक्टूबर, 19 तक)

गेहूँ/चावल भण्डारण की वर्षवार स्थिति-

क्र0सं0	वर्ष	गेहूँ (लाख मै0टन)	चावल (लाख मै0टन)	उपयोगिता का प्रतिशत
1	2017-18	26.67	18.32	44.99
2	2018-19	37.65	20.41	58.06
3	2019-20	26.14	4.94	31.08 (17 दिसम्बर,19 तक)

पी0ई0जी0 योजनान्तर्गत निजी सहभागियों द्वारा निर्मित क्षमता का वर्षवार विवरण-

क्र0सं0	वर्ष	केन्द्र का नाम	क्षमता (मी0टन)
1	2017-18	इटावा	25000
		झाँसी	15000
2	2018-19	औरय्या	40000
3	2019-20	मैनपुरी-I	10000
		मैनपुरी-II	15000
		सोनभद्र	58000
		संतकबीर नगर	20000

लाभ तथा लाभांश-

क्र0सं0	वर्ष	लाभ (करोड़ रु. में)	राज्य सरकार को भुगतान लाभांश (करोड़ रु. में)	केन्द्रीय भण्डारण निगम को भुगतान लाभांश (करोड़ रु. में)
1	2016-17	45.65	1,18,74,940.00	1,18,74,940.00
2	2017-18	80.17(अनुमानित)	1,18,74,940.00	1,18,74,940.00
3	2018-19	81.61(अनुमानित)	1,18,74,940.00	1,18,74,940.00
		योग	**3,56,24,820.00**	**3,56,24,820.00**

भण्डारण क्षमता का विस्तार-

पी0ई0जी0 योजनान्तर्गत निगम द्वारा स्वयं की भूमि पर निर्मित क्षमता का वर्षवार विवरण :-

क्र0सं0	वर्ष	केन्द्र का नाम	क्षमता (मी0टन)
1	2017-18	बबराला (भीमनगर/संभल)	15000
2	2018-19	-	-
3	2019-20	-	-

वर्ष 2019 से वर्ष 2021 के लक्ष्य

सोलर प्लांट (ग्रिड कनेक्टेड)

निगम मुख्यालय भवन पर 20 किलोवाट सोलर प्लांट (ग्रिड कनेक्टेड) लगवाया जाना प्रस्तावित है जिस पर रु0 13.50 लाख एवं अनुसांगिक व्यय रु0 40,500.00 कुल रु0 13,90,500.00 मात्र का व्यय अनुमानित है। उ0प्र0 शासन की मंशा के अनुरूप पर्यावरण के अनुकूल सोलर पैनल से विद्युत उत्पादन किया जा सकेगा एवं विद्युत उत्पादन करके निगम के विद्युत व्यय को कम किया जा सकेगा।

निगम के 30 वर्ष पुराने 76 गोदामों की छतों पर ए0सी0 शीट के स्थान पर प्री-कोटेड गैल्वनाइज्ड जी0 आई0 जिंक कोटेड शीट्स लगाया जाना प्रस्तावित है।

डब्ल्यू0डी0आर0ए0

किसानों को अधिक से अधिक भण्डारण की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से 13 और भण्डारगृहों को (डब्ल्यू0डी0आर0ए0) भण्डारागार विकास विनियामक प्राधिकरण में पंजीकरण की कार्यवाही प्रक्रिया में है।

मोबाइल धर्मकांटा

निगम द्वारा 12 केन्द्रों पर मोबाइल धर्मकांटों की स्थापना की गयी है, जिसका उपयोग एक से अधिक केन्द्रों पर किया जायेगा तथा आलोच्य वर्ष में ठाकुरद्वारा एवं कोंच केन्द्र पर मोबाइल धर्मकांटा लगाया जाना प्रस्तावित है।

आनलाइन धर्मकांटा

निगम के केन्द्रों पर स्थापित धर्मकांटो को आनलाइन कराया जा रहा है, जिससे नाप-तौल का सुपरविजन प्रधान कार्यालय स्तर से किया जायेगा।

सी0सी0टी0वी0 कैमरे

निगम के 13 क्षेत्रीय कार्यालयों व 111 स्वनिर्मित केन्द्रों में से 07 क्षेत्रीय कार्यालयों व 53 केन्द्रों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से सी0सी0टी0वी0 कैमरों को लगवाया गया है, शेष 06 क्षेत्रीय कार्यालयों व 57 केन्द्रों पर आगामी वर्षों में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगवाये जाने हैं।

मण्डी समितियों में गोदाम निर्माण

1. 40 मण्डी समितियों में से निगम को 37 मण्डी समितियों में गोदाम निर्माण हेतु B.O.T. (Build Operate Transfer) के आधार पर प्राप्त भूमि पर (5000 मै0टन क्षमता प्रति मण्डी) गोदाम का निर्माण कराया जा रहा है।

2. जिसमें से 20 मण्डी समितियों में उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 एवं 12 मण्डी समितियों में उ0प्र0 राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 से कराने तथा 05 मण्डी समितियों में गोदामों का निर्माण निगम द्वारा स्वयं अभियन्त्रण इकाई से कराया जा रहा है।
3. निर्माण एजेन्सियों से गोदाम निर्माण हेतु एग्रीमेन्ट किया जा चुका है तथा निगम द्वारा एग्रीमेन्ट की व्यवस्था के अनुरूप एजेन्सियों को अग्रिम धनराशि का भुगतान भी किया जा चुका है।
4. निर्माण की जा रही क्षमता में 10 प्रतिशत क्षमता किसानों के खाद्यान्न स्टाक के सुरक्षित भण्डारण हेतु डब्ल्यू0डी0आर0ए0 योजना के अन्तर्गत आरक्षित होगी जिसमें किसानों के खाद्यान्न स्टाक का रियायती दरों पर भण्डारण कराकर किसानों को लाभान्वित किया जायेगा।
5. गोदाम निर्माण पर रु0 200.00 करोड़ का व्यय अनुमानित है। निगम द्वारा गोदामों का निर्माण स्वयं के संसाधनों एवं नाबार्ड से शासकीय गारण्टी के आधार पर रियायती दर (3.90 प्रतिशत) पर ऋण प्राप्त कर कराया जायेगा। क्षमता सृजन उपरान्त निगम को आगामी पांच वर्षों में भण्डारण शुल्क से रु0 129.00 करोड़ की आय अनुमानित है।

शीतगृहों में गोदाम निर्माण

सहकारिता विभाग के अधीन बंद पड़े शीतगृहों/सहकारी समितियों की भूमि पर 19 स्थानों पर 1.18 लाख मै0टन भण्डारण क्षमता के सृजन की कार्यवाही प्रस्तावित है, जिस पर रु0 118.00 करोड़ का व्यय अनुमानित है। निगम द्वारा गोदामों का निर्माण स्वयं के संसाधनों एवं नाबार्ड से शासकीय गारण्टी के आधार पर रियायती दर (3.90 प्रतिशत) पर ऋण प्राप्त कर कराया जायेगा। क्षमता सृजन उपरान्त निगम को आगामी पांच वर्षों में भण्डारण शुल्क से रु0 62.88 करोड़ की आय अनुमानित है।

साइलो निर्माण

भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत तृतीय चरण में साइलो निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा इस निगम को नोडल एजेन्सी बनाया गया है। जिसके अन्तर्गत जनपद ललितपुर, पीलीभीत एवं हमीरपुर में 50,000-50,000 मै0टन कुल 1.5 लाख मै0टन के साइलो निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। साइलो निर्माण हेतु दिनांक 16.08.2019 को निविदायें आमंत्रित की गयी है। साइलो निर्माण पर व्यय निजी उद्यमियों द्वारा किया जायेगा। साइलो सृजन उपरान्त निगम को सुपरविजन/प्रीजर्वेशन के रूप में आगामी पांच वर्षों में रु0 07.64 करोड़ की आय अनुमानित है।

सरकार की योजनाओं में निगम का योगदान

डब्ल्यू0डी0आर0ए0 में पंजीकरण

भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा कृषकों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से डब्ल्यू0डी0आर0ए0 (गोदाम विकास नियामक प्राधिकरण) का गठन भण्डारगृहों के विकास एवं भण्डारण के व्यवसाय में सुव्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने हेतु किया गया है, सरकार की मंशा के अनुरूप उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम द्वारा अपने भण्डारगृहों को डब्ल्यू0डी0आर0ए0 में पंजीकरण कराया गया है, उक्त भण्डारगृहों में कृषकों द्वारा अपने कृषि उत्पादों को भण्डारित करने पर उन्हें एन0डब्ल्यू0आर0 (निगोशियेबिल वेयरहाउसिंग रसीद) का लाभ प्राप्त होगा। कृषक एन0डब्ल्यू0आर0 को बंधक रखकर किसी भी बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है अथवा एन0डब्ल्यू0आर0 को किसी अन्य को बेचकर उससे एन0डब्ल्यू0आर0 में उल्लिखित कृषि उत्पाद का मूल्य प्राप्त कर सकता है। निगम द्वारा अधिक से अधिक कृषकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से 08 भण्डारगृहों को डब्ल्यू0डी0आर0ए0 में पंजीकरण कराया जा चुका

है तथा 13 और भण्डारगृहों को डब्ल्यू0डी0आर0ए0 में पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है। इस प्रकार उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम द्वारा कृषकों के उपज का भण्डारण प्रारम्भ करके भारत सरकार एवं उ0प्र0 सरकार की नीति के अनुरूप कृषकों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है।

मूल्य समर्थन योजना एवं सार्वजनिक वितरण योजना

सरकार की मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत क्रय किये गये गेहूँ स्टाक एवं धान से निर्मित चावल स्टाक का अधिकांश भण्डारण निगम द्वारा अपने भण्डारगृहों में किया जा रहा है तथा उक्त स्टाक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निकासी दी जा रही है इस प्रकार निगम द्वारा सरकार की मूल्य समर्थन योजना एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में महत्त्वपूर्ण योगदान देकर उसे सफल बनाया जा रहा है।

सरकार की मंशा के अनुरूप निगम के कार्यों को पारदर्शी एवं सुविधाजनक बनाये जाने हेतु निम्नलिखित कार्य कराये गये/कराये जा रहे हैं-

पारदर्शिता

1. निगम के समस्त टेण्डर ई-टेण्डरिंग के माध्यम से कराये जा रहे हैं।
2. निगम के उपयोगार्थ समस्त वस्तुएं (Government e Market (GeM) के माध्यम से क्रय की जा रही हैं।
3. निगम के प्रधान कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय/भण्डारगृहों के दिन-प्रतिदिन के कार्यों को आनलाइन किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत भण्डारगृहों के प्रत्येक कार्य दिवस की प्राप्ति/निकासी का लाइव विवरण निगम के साफ्टवेयर के माध्यम से क्षेत्रीय कार्यालयों/प्रधान कार्यालय व केन्द्रीय भण्डारण निगम तथा भारतीय खाद्य निगम को प्राप्त होगा।
4. निगम कार्मिकों की उपस्थिति हेतु निगम के प्रधान कार्यालय पर बायोमैट्रिक मशीनें लगायी जा चुकी हैं तथा क्षेत्रीय कार्यालयों एवं भण्डारगृहों पर बायोमैट्रिक मशीनें लगाये जाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है।

सरकार की मंशा के अनुरूप निगम द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु निम्नलिखित कार्य कराये गये/कराये जा रहे हैं-

पर्यावरण संरक्षण

1. निगम के प्रधान कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों/भण्डारगृहों में खाली पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण किया गया है।
2. पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से निगम द्वारा अपने प्रधान कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालयों/भण्डारगृहों पर सोलर प्लान्ट लगवाये जाने का निर्णय लिया गया है।
3. निगम के भण्डारगृहों के गोदामों की छतों पर प्रयुक्त हो रहीं Asbestos Cement Roof Sheet के स्थान पर प्री-कोटेड गैल्वनाइज्ड जी0 आई0 जिंक कोटेड शीट्स लगवाये जाने का निर्णय लिया गया है।

●

समाज कल्याण

समाज कल्याण विभाग का मूल उद्देश्य वर्तमान सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में निर्बल वर्गों के चतुर्दिक विकास की योजनायें बनाना एवं उनको उक्त वर्ग के हितार्थ क्रियान्वित करना है।

शिक्षा, व्यक्ति अथवा समाज की उन्नति की कुंजी है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, विमुक्त जातियों में शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना का संचालन इन वर्गों के लिए किया जा रहा है। प्राइमरी स्तर से स्नातकोत्तर स्तर, प्राविधिक एवं तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु समाज कल्याण विभाग अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करता है।

छात्रवृत्ति प्रदान करने के साथ-साथ इन निर्बल वर्गों के छात्रों को आवासीय सुविधा प्रदान करने हेतु जिला मुख्यालयों पर छात्रावासों का निर्माण एवं संचालन भी इसी उद्देश्य विशेष की कड़ी के रूप में समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। यही नहीं बल्कि अत्यन्त निर्धन परिवार जो अपने प्रतिदिन की भोजन व्यवस्था करने में असमर्थ एवं अनिश्चित भविष्य के शिकार होते हैं, ऐसे परिवारों के बच्चों हेतु समाज कल्याण विभाग, आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन करता है। इन विद्यालयों में गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के साथ-साथ भोजन, कपड़ा एवं आवास भी राज्य सरकार उपलब्ध कराती है।

विभाग के मूल उद्देश्य, कार्यक्रम एवं उपलब्धियाँ

वर्तमान में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सेक्टर के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/विमुक्त जातियों के कल्याण हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जिन्हें मुख्यतः शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यह है कि सदियों से पिछड़े व उपेक्षित, असहाय एवं दुर्बल लोगों का जीवन स्तर इस योग्य बनाया जा सके कि वे भी समाज के अन्य विकसित एवं उन्नत लोगों की बराबरी के स्तर पर आ सकें तथा खुशहाली का जीवन व्यतीत करने के लिए उन सभी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति उन्हें की जा सके, जिसके लिए वे स्वतन्त्र भारत के नागरिक होने के नाते प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में छात्रवृत्ति योजना, बुक-बैंक योजना, विद्यालयों को अनुदान, राजकीय आश्रम पद्धति, विद्यालयों एवं छात्रावासों की स्थापना तथा उत्पीड़न की घटनाओं में आर्थिक सहायता, पुत्रियों की शादी एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की बीमारी हेतु अनुदान दिया जाना मुख्य है। अनुसूचित जाति सब-प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास

निगम द्वारा स्वतः रोजगार योजना, निःशुल्क भूमि/दुकान निर्माण/अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं के विकास की योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा निःशुल्क बोरिंग भी संचालित की जा रही है। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम द्वारा विभागीय निर्माण कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जातियों एवं विमुक्ति जातियों के कल्याण हेतु अनुदान संख्या-80 के लेखा शीर्षक 2225 के राजस्व लेखा में रु. 123632.83 लाख का आय-व्ययक प्रावधान है। अनुदान संख्या-83 के लेखा शीर्षक 2225 के राजस्व लेखा में रु. 220749.27 लाख, लेखा शीर्षक 4225 पूँजी लेखा में रु. 15740.41 लाख तथा लेखा शीर्षक 6225 में रु. 400.40 लाख का आय-व्ययक प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय अंश को सम्मिलित करते हुए अनुदान संख्या-80 में रु. 73114.85 लाख एवं अनुदान संख्या-83 में रु. 130570.00 लाख तथा कुल रु. 203684.85 लाख छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

शैक्षिक कार्यक्रम

प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति के छात्रों को शिक्षा के प्रति अभिप्रेरित करने एवं उन्हें समाज में प्रतिष्ठापरक स्थान दिलाने के उद्देश्य से इन वर्गों के बालक/बालिकाओं को प्रत्येक स्तर पर छात्रवृत्ति दिये जाने की योजना संचालित की जा रही है। क्योंकि सरकार का यह मत है कि किसी भी समुदाय से शिक्षा का प्रचार-प्रसार उसके चतुर्दिक विकास की कुंजी है। योजना के प्रारम्भ में छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण का कार्य जनपद स्तर पर किया जाता था किन्तु अक्टूबर 1991 में इस प्रक्रिया को विकेन्द्रीकृत करते हुए विद्यालय को स्वीकृति एवं छात्रवृत्ति वितरण हेतु अधिकार प्रदान किया गया था। वर्तमान में कक्षा 1 से कक्षा 8 तक योजना संचालित नहीं है।

छात्रवृत्ति योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने, भ्रष्टाचार दूर करने तथा समस्त पात्र लाभार्थियों को त्वरित गति से लाभ पहुँचाने हेतु छात्रवृत्ति वितरण प्रणाली की सम्पूर्ण प्रक्रिया का शैक्षिक सत्र 2007-08 से कम्प्यूटरीकरण किया गया। उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2207/26-3-2012-4(358)/07-टी0सी0-2, दिनांक 26.09.2012 के द्वारा प्रदेश में वितरित की जा रही समस्त छात्रवृत्तियों को निर्धारित समयान्तर्गत वितरण करने एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012 जारी की गयी है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली (चतुर्थ संशोधन) दिनांक 14.04.2016 तथा षष्टम संशोधन दिनांक 26.06.2018 जारी किया गया है। वर्तमान में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पी.एफ.एम.एस.) साफ्टवेयर के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि अंतरित की जा रही है।

कक्षा 9 से 10 एवं दशमोत्तर कक्षाओं में अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति सम्बन्धी अर्हता का निर्धारण केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा किया जाता है एवं वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा 2,50,000/- रुपये वार्षिक अभिभावकों की आय सीमा वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिये जाने की सीमा निर्धारित है। कक्षा 9 से 10 तक पूर्वदशम छात्रवृत्ति की दरें निम्नवत् हैं :

	कक्षा 9 से 10 मासिक दर
अनुसूचित जाति/	**अनावासीय छात्रों हेतु**
	रु. 225/- प्रतिमाह (10 माह हेतु) तथा रु. 750/- एक मुश्त अनुदान
	आवासीय छात्रों हेतु
	रु. 350/- प्रतिमाह (10 माह हेतु)
	रु. 1000/- एक मुश्त अनुदान

दशमोत्तर कक्षाओं में काशनमनी एवं इस प्रकार के ऐसे समस्त शुल्क जो संस्था में पढ़ने वाले छात्रों को संस्था द्वारा वापस किये जाते हैं, को छोड़कर शेष समस्त राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित शुल्कों की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा छात्रों को की जाती है। शुल्क प्रतिपूर्ति छात्रवृत्ति योजना का ही अंग है एवं उसी मद से ही इसका भुगतान होता है। वर्ष 2013-14 से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रों द्वारा अनिवार्य ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गयी है।

पूर्वदशम कक्षा 9 व 10 के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति

कक्षा 9-10 अनुसूचित जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। इसमें शत प्रतिशत वित्तीय व्यवस्था केन्द्र सरकार के माध्यम से वर्ष 2012-13 से सुनिश्चित हो रही है। वित्तीय वर्ष 2012-13 से कक्षा 9 व 10 के अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं की जिनके माता/पिता, अभिभावक की वार्षिक आय रु. 2.50 लाख तक है, उन्हें छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था है। वर्ष 2018-19 से छात्रवृत्ति की पात्रता हेतु माता-पिता की आय सीमा रु. 2.50 लाख वार्षिक की गयी है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के स्तर से जारी शासनादेश संख्या-966, दिनांक 20.06.2014 के क्रम में छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था की गयी है। शासनादेश संख्या-1539/26-3-2014-4(215)/90-टी0सी0-1, दिनांक 10.09.2014 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 से पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पी.एफ.एम.एस.) सॉफ्टवेयर के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि अंतरित की जा रही है।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 18675.00 लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 20500.00 लाख का प्रावधान है।

अस्वच्छ पेशा छात्रवृत्ति

अस्वच्छ पेशा छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 100.00 लाख का प्रावधान था तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 100.00 लाख का प्रावधान है।

अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति

दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2018-19 से दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले जिन छात्र/छात्राओं के अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा रु. 2.50 लाख (रु. दो लाख पचास हजार मात्र) तक है, उन्हें उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग-3 से दिनांक 14.04.2016 व समय-समय पर संशोधित नियमावली के अनुसार निम्नानुसार छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था की गई है। इस नियमावली के अनुसार छात्र/छात्राओं को अनुमन्य अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि शैक्षणिक संस्था के समीपस्थ स्थित बैंक में

खोले गये उनके बचत खाते में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पी.एफ.एम.एस.) सॉफ्टवेयर के माध्यम से अंतरित की जा रही है।

क्र.सं.	ग्रुप का नाम	छात्रवृत्ति की दरें	
		अनावासीय	छात्रावासी
1	2	3	4
1	ग्रुप-1	550/-	1200/-
2	ग्रुप-2	530/-	820/-
3	ग्रुप-3	300/-	570/,-
4	ग्रुप-4	230/-	380/-

बुक-बैंक योजना

50 प्रतिशत केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कालेजों में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को अध्ययन की सुविधा हेतु कोर्स की अनिवार्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 1978-79 से बुक-बैंक की योजना प्रारम्भ की गई। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 0.01 लाख का प्रावधान था तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 0.01 लाख का प्रावधान है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मेरिट उच्चीकृत छात्रवृत्ति दिये जाने की केन्द्र पुरोनिधानित योजना

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को रेमिडियल कोचिंग प्रदान करके उनके शैक्षिक अवरोधों को दूर करने के उद्देश्य से यह योजना प्रदेश के 6 जनपदों प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, झांसी, आगरा, मुरादाबाद के राजकीय इण्टर कालेजों में वर्ष 1988-89 में शिक्षा विभाग द्वारा संचालित हैं। विभाग को शत-प्रतिशत भारत सरकार द्वारा सहायता दी जाती है। इसके अन्तर्गत प्रति छात्र रु. 15000/- वार्षिक छात्रवृत्ति तथा प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं 4 अध्यापकों को शिक्षण हेतु रु. 10000/- वार्षिक मानदेय दिये जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 120.00 लाख का प्रावधान था तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 120.00 लाख का प्रावधान है।

प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें

प्रदेश के समस्त राजकीय प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति एवं विमुक्त जाति के आवासीय विद्यार्थियों को 60 रुपये तथा अनावासीय छात्रों को 50 रुपये प्रतिमाह प्रति छात्र की दर से प्रवेश की तिथि से पूरे वर्ष की छात्रवृत्ति विभाग द्वारा प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 0.00 लाख का प्रतीक प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 0.00 लाख का प्रावधान है।

अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के नवयुवकों को तकनीकी ज्ञान कराने हेतु विभाग द्वारा निम्न औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र एवं एक पालीटेक्निक संचालित हैः

1. गोविन्द वल्लभ पन्त पालीटेक्निक, मोहान रोड, लखनऊ।
2. औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
3. औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, लाल डिग्गी पार्क, गोरखपुर।

उपरोक्त केन्द्र राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है। प्रशिक्षण की अवधि व्यवसाय के अनुसार अलग-अलग है। उपरोक्त संस्थाओं के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 689.94 लाख का प्रावधान था, वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 765.78 लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में 979.88 लाख का प्रावधान है।

विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के वर्तमान पुस्तकालयों, छात्रावासों और पाठशालाओं का सुधार एवं विस्तार

ऐसे संगठन जो अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा में गहरी रुचि लेते हैं और प्राइमरी पाठशालाओं को संचालित कर शिक्षा देते हैं, उन्हें शासन की वित्तीय स्थिति तथा नीतियों के अनुसार आवर्तक अनुदान दिया जाता है। ऐसी संस्थायें जो अनुसूचित जाति में शिक्षा के प्रसार हेतु वाचनालयों/पुस्तकालयों एवं छात्रावासों की भी सुविधायें देते हैं, उन्हें ही अनुदान दिया जाता है।

अनुदान के लिए स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित विद्यालयों में इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि इसमें अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या 50 प्रतिशत से कम न हो।

आवर्तक अनुदान प्राप्त प्राइमरी पाठशालाओं में अनुमन्य अध्यापकों के लिए विभाग द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुसार वेतन के समतुल्य धनराशि प्रत्येक वर्ष आवर्तक अनुदान के रूप में प्रदान की जाती हैं। आवर्तक अनुदान पर अनुदानित छात्रावासों/पुस्तकालयों को आवर्तक व्यय की मदों पर नियमानुसार देय धनराशि आवर्तक अनुदान के रूप में दी जाती है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्तमान में सात पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं, जिनमें प्रशिक्षित/चयनित अभ्यर्थियों का विवरण निम्नवत् है :

(1) श्री छत्रपति शाहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन, लखनऊ

यह केन्द्र वर्ष 1997 से संचालित है। इसकी क्षमता 300 प्रशिक्षार्थियों की है, जिसमें 50 प्रतिशत पिछड़ी जाति, 45 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी होते हैं।

(2) आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र (बालिका), अलीगंज, लखनऊ

यह केन्द्र वर्ष 1994 से स्थापित है। इसकी क्षमता 150 प्रशिक्षार्थियों की है, जिसमें 50 प्रतिशत पिछड़ी जाति, 45 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं 5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी होते हैं। इस प्रशिक्षण केन्द्र में अब तक आई.ए.एस., पी.सी.एस., न्यायिक सेवा एवं अधीनस्थ सेवा में 1016 अभ्यर्थी प्रशिक्षित होकर प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग ले चुके हैं, जिसके सापेक्ष 35 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं।

(3) न्यायिक सेवा प्रशिक्षण केन्द्र, प्रयागराज

यह केन्द्र वर्ष 1979 में प्रारम्भ हुआ है। इस केन्द्र की क्षमता 50 अभ्यर्थियों की है। केन्द्र से अब तक न्यायिक सेवा हेतु 419 अभ्यर्थी प्रशिक्षण ले चुके हैं एवं 42 अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं।

(4) सन्त रविदास आई.ए.एस., पी.सी.एस. पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, वाराणसी

केन्द्र का संचालन अगस्त 2008 से प्रारम्भ हुआ है। इसकी क्षमता 200 अभ्यर्थियों की है तथा यह केन्द्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए संचालित है।

(5) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर आई.ए.एस., पी.सी.एस. पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, अलीगढ़

अनुसूचित जाति के प्रशिक्षार्थियों हेतु केन्द्र का संचालन 15 दिसम्बर, 2009 से प्रारम्भ हुआ है। इस केन्द्र की क्षमता 200 अभ्यर्थियों की है।

(6) डॉ. बी.आर. अम्बेडकर आई.ए.एस., पी.सी.एस. पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, आगरा

अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु संचालित इस केन्द्र का संचालन 25 जनवरी, 2010 से प्रारम्भ हुआ है। इसकी क्षमता 200 अभ्यर्थियों की है।

(7) आई.ए.एस., पी.सी.एस. कोचिंग केन्द्र निजामपुर हापुड़, गाजियाबाद

इस केन्द्र का संचालन वर्ष 2010-11 से प्रारम्भ किया गया है। यह केन्द्र अनुसूचित जाति के प्रशिक्षार्थियों के लिए है। केन्द्र में 200 अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है, जिसमें 120 पुरुष अभ्यर्थी तथा 80 महिला अभ्यर्थी हैं।

विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र

विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र 01 अप्रैल, 1986 से लालगंज, प्रतापगढ़ में चलाया जा रहा है। इस केन्द्र में विमुक्त जातियों को तीन व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है:-

1. हैण्डलूम से सूती वस्त्रों की बुनाई,
2. सिलाई का प्रशिक्षण,
3. हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण।

प्रत्येक ट्रेड में 15-15 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान 150 रु. प्रति माह की दर से प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 34.87 लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 37.62 लाख का प्रावधान है।

प्रदेश के अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विभाग द्वारा राजकीय औद्योगिक आस्थानों का संचालन

प्रदेश में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को शहरी क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु विभाग द्वारा 09 जनपदों– 1. रामपुर, 2. गाजीपुर, 3. फतेहपुर, 4. हरदोई, 5. रानोपाली (अयोध्या), 6. कालपी (जालौन), 7. मुजफ्फरनगर, 8. रामनगर (वाराणसी) एवं 9. बदायूं में औद्योगिक आस्थान संचालित हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 126.40 लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 146.83 लाख का प्रावधान है।

राजकीय उन्नयन बस्तियों का रख-रखाव

वर्ष 1924 में ब्रिटिश काल में घोषित अधिनियम के अंतर्गत अपराधी जातियों को बसाने के उद्देश्य से उन्नयन बस्तियों की स्थापना की गयी। स्वतन्त्रता के बाद उन्हें अन्य नागरिकों की भांति स्वतन्त्र कर दिया गया। इनको भूमि तथा कारखाने में कार्य दिलाकर बसाया गया है ताकि वे अपनी प्रवृत्ति को बदल कर कार्य करें एवं रोजी-रोटी में लग कर आदर्श नागरिक के रूप में जीवन-यापन कर सकें।

कल्याणपुर (कानपुर), फजलपुर (मुरादाबाद) तथा साहबगंज (लखीमपुर खीरी) में उपनिवेश बनाकर इस जाति के लोगों को रोजगार एवं खेतीबारी में लगाकर पुनर्वासित किया गया है। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 223.14 लाख का प्रावधान है तथ वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 239.56 लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 272.06 लाख का प्रावधान है।

अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का क्रियान्वयन

उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार संख्या 4,13,57,608 है। इन जातियों के प्रति सामान्य अस्पृश्यता/छुआछूत की भावना को समाप्त करने के उद्देश्य से नागरिक

अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 तथा अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का क्रियान्वयन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। इस अधिनियम के अंतर्गत उत्पीड़ित अनुसूचित जाति सहायता विभिन्न प्रकार के उत्पीड़न की घटनाओं में न्यूनतम रु. 90,000/- से अधिकतम रु. 8.25 लाख की आर्थिक सहायता विभिन्न चरणों में दिये जाने का प्रावधान किया गया है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 11620.00 लाख का प्रावधान था, वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 4755.00 लाख का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 25000.00 लाख का प्रावधान है।

जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों का संचालन

प्रदेश में अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, पिछड़ी जाति एवं सामान्य वर्ग के बालक/बालिकाओं के शैक्षिक उत्थान के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों की स्थापना की गयी है।

वर्तमान में समाज कल्याण विभाग द्वारा 66 विद्यालय बालकों हेतु तथा 27 विद्यालय बालिकाओं हेतु कुल 93 जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय संचालित हैं। इनमें से 35 जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों का सी.बी.एस.ई. बोर्ड, नई दिल्ली से सम्बद्धीकरण कराया जा चुका है। सभी विद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा, यूनिफार्म, अवकाश आदि की एकरूपता के उद्देश्य से ''परिप्रेक्ष्य शैक्षिक योजना 2017-18'' लागू किया गया है तथा शिक्षण कार्य को प्रभावी एवं आधुनिकतम रूप से कराये जाने हेतु स्मार्ट-क्लासेस की व्यवस्था कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त शत-प्रतिशत अनुदान पर संचालित स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से 3 विद्यालय भी संचालित हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-80 के अंतर्गत अनुसूचित जाति में रु. 3961.10 लाख, विमुक्त जाति में रु. 1426.46 लाख एवं अनुदान संख्या-83 में रु. 19147.63 लाख का प्रावधान है।

अनूसूचित जाति छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावासों का संचालन

1. अपने घर से दूर रहकर अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं की आवासीय समस्या के निदान हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रावासों का निर्माण कराया जाता है। इन छात्रावासों में छात्रों को निःशुल्क आवासीय व्यवस्था, फर्नीचर, विद्युत की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। भोजन बनाने के लिए रसोइयाँ, कहार तथा सफाई के लिए स्वच्छकार की व्यवस्था शासकीय व्यय पर की जाती है परन्तु भोजन आदि पर आने वाला व्यय छात्रों को स्वयं वहन करना होता है।
2. समाज कल्याण विभाग द्वारा कुल 252 छात्रावास निर्मित कराये गये हैं। 225 छात्रावास संचालित हो रहे हैं, अवशेष 27 छात्रावासों को संचालित करने की कार्यवाही की जा रही है।

   इसके अतिरिक्त प्रदेश के जनपदों में नये छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान सं.-80 में रु. 3311.45 लाख तथा अनुदान सं.-83 में रु. 349.60 लाख का प्रावधान है।

अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्यिों के इलाज हेतु अनुदान की व्यवस्था

यह योजना अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु विभाग द्वारा संचालित है।

शासनादेश संख्या- 46/2016/889/26-3-2016, दिनांक 16.03.2016 द्वारा शहरी क्षेत्र में पात्रता हेतु रु. 56460/- तथा ग्रामीण क्षेत्र में पात्रता हेतु रु. 46080/- वार्षिक आय सीमा निर्धारित की गयी है। योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति की पुत्रियों की शादी हेतु रु. 20000/- की आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था है। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 12100.00 लाख का प्रावधान था। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 12100.00 का प्रावधान है तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 13321.00 लाख का प्रावधान है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित निःशुल्क बोरिंग योजना

निःशुल्क बोरिंग योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति गरीबी की रेखा के नीचे मैदानी क्षेत्र में निवास करने वाले लघु एवं सीमान्त कृषकों के खेतों में बोरिंग कराई जाती है। योजनान्तर्गत अनुदान की अधिकतम सीमा बुन्देलखण्ड तथा झांसी मण्डल के जनपदों में बोरिंग की वास्तविक लागत या अधिकतम रु. 7500/- जो भी कम हो तथा अन्य जनपदों में रु. 6000/- प्रति बोरिंग निर्धारित है। अनुदान की अधिकतम सीमा से अधिक लागत आने पर अतिरिक्त व्यय भार लाभार्थी/कृषक द्वारा स्वयं वहन किये जाने का प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत जिन कृषकों के खेतों में बोरिंग कराई जाती है। उन्हें उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित स्वतः रोजगार योजना/एकीकृत तथा ग्राम्य विकास परियोजना के अन्तर्गत/राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम से वित्त पोषित पम्पसेट योजना के अन्तर्गत पम्पसेटों के क्रय हेतु वित्त पोषित भी कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2009-10 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लघु सीमान्त कृषकों को वर्तमान में अनुमन्य अनुदान रु. 6000/- को बढ़ाकर वर्तमान में वास्तविक इकाई लागत या अधिकतम अनुमन्य सीमा की धनराशि रु. 10000/- व्यय करने हेतु शासनादेश संख्या- 2488/क0नि0प्र0/26.03.2010-16(81)/96, दिनांक 23.01.2010 द्वारा कर दिया गया है। इस योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 1500.00 लाख का प्रावधान है।

उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. द्वारा संचालित योजनाएं

स्थापना

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. की स्थापना कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत मार्च, 1975 में हुयी।

उद्देश्य :

मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं :

1. प्रदेश में निवास करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक विकास करना।
2. अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को वित्तीय/प्राविधिक/प्रबन्धकीय एवं विपणन सम्बन्धी सहायता प्रदान करना।
3. संस्थागत वित्त के सहयोग से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अनुदान तथा मार्जिन मनी ऋण की सुविधा प्रदान करना।

अंशपूंजी

वर्तमान में निगम की अधिकृत अंशपूंजी रु. 300.00 करोड़ तथा चुकता अंशपूंजी रु. 230.42 करोड़ है, जिसमें उ.प्र. सरकार का 51 प्रतिशत तथा भारत सरकार का 49 प्रतिशत अंश सम्मिलित है।

पात्रता

1. लाभार्थी अनुसूचित जाति का हो।
2. गरीबी की रेखा से नीचे निवास करता हो।
3. गरीबी की रेखा ग्रामीण क्षेत्र में रु. 46080/- तथा शहरी क्षेत्र में रुपया 56460/- वार्षिक निर्धारित है।

उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण

1. पं. दीन दयाल उपाध्याय स्वतः रोजगार योजना

स्वतः रोजगार योजनान्तर्गत प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे निवास करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों के स्वरोजगार हेतु कृषि/पशुपालन/लघु सिंचाई/कुटीर उद्योग/यातायात तथा सेवा व्यवसाय के क्षेत्र की सभी परियोजनाओं में वित्त पोषण किया जाता है।

सहायता की सीमा

उद्योग सेवा व्यवसाय की किसी भी परियोजना हेतु अधिकतम रु. 15.00 लाख तक की योजनाओं में वित्तीय सुविधा प्रदान की जाती है। परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अथवा रु. 10,000.00 से जो भी कम हो, अनुदान के रूप में अनुमन्य है, परियोजना लागत का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी ऋण 4 प्रतिशत ब्याज दर अनुमन्य है। परियोजना लागत का शेष भाग बैंक ऋण के रूप में गरीब/निर्धन व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाता है।

2. नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजना

नगरीय क्षेत्र दुकान निर्माण योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के पात्र व्यक्तियों की निजी भूमि पर 8×10 फीट साइज की दुकान बनाने हेतु वित्तीय सहायता रु. 78000/- मैदानी क्षेत्र में रु. 82000/- काली मिट्टी वाले क्षेत्रों में अनुमन्य है। निर्माण लागत में रु. 10,000/- अनुदान तथा शेष धनराशि 10 वर्षों में बिना ब्याज के 120 समान मासिक किस्तों में वसूल की जाती है। योजना का संचालन वर्ष 1985-86 से नगरीय क्षेत्रों में किया जा रहा है।

3. कौशल वृद्धि प्रशिक्षण योजना

(क) टंकण/आशुलिपि प्रशिक्षण कार्यक्रम

टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण योजना का संचालन निगम के टंकण आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रति प्रशिक्षार्थी निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ ही साथ रु. 50/- से रु. 100/- प्रतिमाह वृत्तिका भी दी जाती है। यह योजना प्रशिक्षार्थियों द्वारा रुचि न लिये जाने के कारण वर्तमान में बन्द है।

(ख) कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना एवं अन्य योजनायें

वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रशिक्षण योजना का संचालन कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत कौशल विकास विभाग के माध्यम से संचालित है। माह फरवरी, 2014 से प्रशिक्षण योजना कौशल विकास मिशन को हस्तान्तरित की जा चुकी है।

4. धोबी समाज के लिये लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना

अनुसूचित जाति के धोबी समाज के लिये लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना वित्तीय वर्ष 2004-05 से संचालित है। इस योजना में कुल लागत रु. 1.00 लाख तथा रु. 2.16 लाख निर्धारित है जिसमें रु. 10000/- अनुदान तथा शेष धनराशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में है, जिसकी अदायगी 05 वर्षों में समान मासिक किस्तों में की जाती है।

यू.पी. स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.

स्थापना

इस निगम की स्थापना कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत 25 जून, 1976 को हुई थी। कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय वर्तमान में टी.सी. 46/ट, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ में है।

इस निगम के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् हैं-

1. उ.प्र. राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य निर्बल वर्गों के लिए आवास योजनाओं और उससे संबंधित योजनाओं को बनाना और उन्हें कार्यान्वित करना।
2. सिविल अभियन्ता के रूप में कार्यों की जिम्मेदारी लेना, सड़कों और सभी प्रकार के भवनों, बैराजों, बाँधों, जलमार्गों, पुलों, पुलियों, रज्जु मार्गों, विद्युत व सफाई संबंधी संस्थानों तथा नगर एवं ग्राम नियोजन कार्यों का निर्माण, अनुरक्षण तथा सुधार कार्य पूरा करना।
3. सड़कों एवं समस्त प्रकार के भवनों से संबंधित सब प्रकार की ईंटों, खपरैलों, मिट्टी के बर्तनों, सीमेन्ट, पत्थर, बालू, लोहे के सामानों, औजारों व मशीनरी अन्य प्रकार से निर्माण करना, क्रय-विक्रय करना, संस्थापना करना, चालू करना, परिवर्तन करना, सुधार करना, दक्षता से चलाना।
4. राज्य सरकार द्वारा अपने स्वामित्व में लिए गए किन्हीं भी सड़कों, भवनों का क्रय करना, पट्टे पर लेना या निर्माण, अनुरक्षण अथवा उनका प्रबन्ध करने के उद्देश्य से अन्य प्रकार से अधिकार में लेना।
5. उत्तर प्रदेश राज्य में किसी भी परिवहन सेवा को स्थापित करना, बनाये रखना और प्रचालन करना।

अंश पूँजी

इस निगम की अधिकृत अंशपूँजी रु. 5.00 करोड़ है तथा चुकता अंशपूँजी मात्र रु. 15.00 लाख है।

निर्माण कार्य

निगम द्वारा समाज कल्याण विभाग के निर्माण कार्यों के अतिरिक्त राज्य व केन्द्र सरकार के अन्य विभागों के कार्य, निक्षेप कार्य एवं टेण्डर कार्य के रूप में भी कराये जा रहे हैं। वर्तमान में समाज कल्याण विभाग के कार्य-कलापों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :

विभाग के कार्य

1. छात्र/छात्रा छात्रावास (केन्द्र वित्त पोषित)

य.पी. स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन लि. के पास वर्ष 2018-19 में अनुसूचित जाति के केन्द्र वित्त पोषित छात्र/छात्रा छात्रावासों के 04 कार्य हैं जिनकी अद्यावधिक लागत रु. 452.79 लाख के सापेक्ष निगम को रु. 424.53 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है जिसके विरुद्ध माह दिसम्बर, 2018 तक रु. 448.92 लाख की धनराशि व्यय करके 04 छात्रावासों को उपलब्ध

धनराशि के भीतर उपयोग लायक पूर्ण कराया जा चुका है। इन छात्रावासों के समस्त कार्य पूर्ण कराने हेतु रु. 150.55 लाख की धनराशि वांछित है।

2. 480 क्षमता बालिका आश्रम पद्धति विद्यालय

वर्ष 2018-19 में निगम के पास 07 बालिका आश्रम पद्धति विद्यालयों (480 क्षमता) का कार्य है, जिसकी अद्यावधिक लागत रु. 14887.89 लाख के विरुद्ध निगम को रु. 8557.73 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। इन कार्यों पर माह नवम्बर, 2018 तक रु. 7054.10 लाख की धनराशि व्यय हुई है और 02 आश्रम पद्धति विद्यालयों का कार्य पूर्ण हो चुका है। 05 आश्रम पद्धति विद्यालय निर्माणाधीन हैं। इन कार्यों को पूर्ण कराने हेतु अद्यावधिक लागत के अनुसार रु. 6330.16 लाख की धनराशि निगम को प्राप्त होनी वांछित है।

3. मण्डलीय/जनपदीय आश्रम पद्धति विद्यालय (बालक)

वर्ष 2018-19 में निगम के पास 07 मण्डलीय/जनपदीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के कार्य हैं, जिनकी अद्यावधिक लागत रु. 7537.60 लाख मात्र है जिसके विरुद्ध निगम को रु. 6877.58 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। वर्तमान में सभी 07 कार्य निर्माणाधीन हैं। इन कार्यों पर माह नवम्बर, 2018 तक रु. 6460.43 लाख की धनराशि व्यय हो चुकी है तथा इनकी अद्यावधिक स्थिति रु. 990.13 लाख धनराशि प्राप्त होनी वांछित है।

4. आश्रम पद्धति विद्यालय (मरम्मत कार्य)

वर्ष 2018-19 में निगम के पास आश्रम पद्धति विद्यालयों के मरम्मत/सुदृढ़ीकरण के 09 कार्य हैं जिनकी अद्यावधिक लागत रु. 1437.98 लाख के सापेक्ष निगम को रु. 803.74 लाख की धनराशि प्राप्त है। माह नवम्बर, 2018 तक 02 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 07 कार्य निर्माणाधीन हैं तथा रु. 851.92 लाख की धनराशि व्यय हुई है। इन कार्यों को पूर्ण कराने हेतु रु. 634.24 लाख की धनराशि प्राप्त होनी वांछित है।

5. छात्रावास अनुरक्षण

वर्ष 2018-19 में निगम के पास 28 छात्रावासों के अनुरक्षण का कार्य है जिसकी अद्यावधिक लागत रु. 1798.52 लाख के सापेक्ष रु. 1252.64 लाख प्राप्त है। 16 कार्य पूर्ण हैं तथा 12 छात्रावासों में मरम्मत कार्य प्रगति पर हैं। इन कार्यों पर माह नवम्बर, 2018 तक रु. 1252.49 लाख का व्यय हुआ है। इन कार्यों हेतु रु. 397.24 लाख की धनराशि वांछित है।

6. विविध कार्य

वर्ष 2018-19 में निगम को निदेशालय समाज कल्याण परिसर के पीछे एनेक्सी भवन का निर्माण तथा आई.ए.एस./पी.सी.एस. कोचिंग सेन्टर, गोरखपुर के भवन के निर्माण का कार्य स्वीकृत हैं जिनकी कुल लागत रु. 1508.02 लाख के विरुद्ध रु. 1072.23 लाख की धनराशि प्राप्त है। सभी 02 कार्य निर्माणाधीन हैं। इस मद में माह नवम्बर, 2018 तक रु. 478.83 लाख की धनराशि व्यय हुई है तथा रु. 435.76 लाख की धनराशि निगम को प्राप्त होनी वांछित है।

7. जनजाति विकास

निगम के पास जनजाति विकास के वर्ष 2018-19 में 02 आश्रम पद्धति विद्यालय तथा 01 नग छात्र-छात्रावास तथा 01 नग एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय एवं 08 विभिन्न भवनों (कुल 12 नग)

का निर्माण/अनुरक्षण कार्य प्राप्त है। उक्त कार्यों की अद्यावधिक लागत रु. 4309.85 लाख के विरुद्ध रु. 2753.41 लाख की धनराशि प्राप्त है जिसके विरुद्ध माह नवम्बर, 2018 तक रु. 2391.07 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है तथा 03 कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं और 09 कार्य प्रगति पर हैं। इन कार्यों को पूर्ण करने हेतु निगम को रु. 2347.96 लाख की धनराशि प्राप्त होनी वांछित है।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

1. मंत्री के विवेकाधीन कोष से अनुदान

इस योजना के अन्तर्गत समाज कल्याण मंत्री अपने विवेक से निर्धन व्यक्तियों को अनुदान स्वीकृत करते हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 0.35 लाख का प्रावधान है।

2. कश्मीरी विस्थापितों को सहायता

कश्मीर राज्य से भाग कर आये प्रदेश के विभिन्न भागों में से कश्मीरी परिवार के ऐसे व्यक्तियों को जिनके परिवार का एक भी सदस्य नौकरी नहीं करता अथवा कोई भी व्यवसाय नहीं कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा रु. 750/- प्रति परिवार की दर से सहायता दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 27.81 लाख का प्रावधान है।

3. वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवासीय गृह संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता

यह योजना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ की गई है, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम-2007 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण कल्याण नियमावली-2014 प्रख्यापित कर दी गयी है, जिसमें अंकित बिन्दु संख्या-20 के क्रम में प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में वृद्धाश्रम स्थापित किये गये हैं। जिन्हें पी.पी.पी. मॉडल के तौर पर स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से वृद्ध गृह संचालित किये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 5000.00 लाख का प्रावधान है।

वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण हेतु अधिकरण/अपीलीय अधिकरण का संचालन वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ किया गया, जिसके लिए योजना में वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रथम अनुपूरक के माध्यम से रु. 400.00 लाख का प्रावधान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 600.00 लाख का प्रावधान है।

4. राजकीय अशक्त एवं वृद्ध गृह का संचालन

अशक्त एवं वृद्ध गृहों के लिए 50 की क्षमता के आवासीय गृह लखनऊ का संचालन हो रहा है। 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्ध व्यक्तियों को आवासीय सुविधा तथा दैनिक जीवन निर्वहन हेतु शासनादेश संख्या-1282(1)/26-2-2010-100(4)/2007, दिनांक 07.12.2010 द्वारा रु. 1200/- प्रतिमाह भरण-पोषण हेतु, रु. 200/- प्रति माह औषधि हेतु तथा मृत्योपरान्त दाह संस्कार हेतु रु. 4000/- स्वीकृत किया गया है। शासनादेश संख्या- 1305/26-2-2009-100(4)/07 दिनांक 14-5-2009 द्वारा एक राजकीय वृद्ध एवं अशक्त गृह वाराणसी (महिला) निदेशक, महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश को मय परिसम्पत्तियों के साथ हस्तान्तरित कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 66.87 लाख का प्रावधान है ।

5. राजकीय भिक्षुक गृहों का संचालन

भिक्षावृत्ति जैसी सामाजिक कुप्रथा को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 1975 से प्रदेश सरकार ने भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम लागू किया है, इसके अन्तर्गत प्रदेश के 7 जनपदों वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर नगर एवं मथुरा में एक तथा अयोध्या में दो भिक्षुक गृह हैं। (महिलाओं एवं पुरुषों हेतु पृथक-पृथक हैं) इस प्रकार कुल 8 भिक्षुगृहों की स्थापना की गयी है, इनमें प्रत्येक की क्षमता 200 भिक्षुकों की है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 606.81 लाख का प्रावधान है।

6. प्राविधिक तथा तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्तों हेतु राज्य सहायता

प्रदेश में संचालित 47 मान्यता प्राप्त औद्योगिक एवं प्राविधिक शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं को समाज कल्याण विभाग द्वारा आवर्तक अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 1379.18 लाख का प्रावधान है।

7. विविध कार्यों में लगे संगठनों की आर्थिक सहायता

विभिन्न कल्याण कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिये जाने की योजना संचालित है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 1.00 लाख का प्रावधान है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एवं अन्य मुख्य योजनाएं

1. वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना एवं इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा पोषित तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना एवं इन्दिरा गॉधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत 60 से 79 वर्ष के आयु वर्ग के वृद्धजनों को शासनादेश संख्या-1307(1)/26-2-2016, दिनांक 13 जून, 2016 द्वारा राज्यांश के रूप में रु. 100/- प्रति माह प्रति लाभार्थी वृद्धि किये जाने के उपरान्त, 60 से 79 वर्ष के आयु वर्ग के वृद्धजनों को रु. 400/- प्रति माह प्रति व्यक्ति को आर्थिक सहायता अनुमन्य करायी जाती है। 60 से 79 वर्ष के आयु वर्ग के वृद्धजनों को दी जाने वाली सहायता धनराशि रु. 400/- में रु. 200/- केन्द्रांश के रूप में भारत सरकार द्वारा एवं रु. 200/- राज्यांश के रूप में राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इसी प्रकार 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धजनों को रु. 500/- प्रति माह प्रति लाभार्थी के रूप में भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता वहन की जाती है।

शासनादेश संख्या-1539/26-3-2014-4(215)/90-टी0सी0-1, दिनांक 10.09.2014 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 से पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पी.एफ.एम.एस.) सॉफ्टवेयर के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पेंशन की धनराशि अंतरित की जा रही है।

पेंशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 257900.00 लाख का प्रावधान है।

2. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार के मुख्य कमाऊ मुखिया की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को रु. 30,000/- की एकमुश्त सहायता दिये जाने की व्यवस्था है। मृतक की आयु सीमा 18 वर्ष से अधिक एवं 60 वर्ष से कम हो। यह योजना जिलाधिकारी की देखरेख में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा संचालित की जा रही है। उक्त धनराशि

का भुगतान मृतक आश्रित को बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है। मृतक आश्रित को दी जाने वाली सहायता धनराशि रु. 20,000/- केन्द्रांश के रूप में भारत सरकार द्वारा तथा रु. 10,000/- राज्यांश के रूप में राज्य सरकार द्वारा अर्थात कुल धनराशि रु. 30,000/- दिया जाना अनुमन्य है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत धनराशि की अनुपलब्धता होने की दशा में शासनादेश संख्या-1739/26-2-2006 दिनांक 20 जून, 2006 में जनपद स्तर पर योजनान्तर्गत कोषागार नियम-27 (टी.आर.-27) से धनराशि आहरण कर योजना का तत्काल लाभ सुनिश्चित कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। शासनादेश संख्या-27/2526/26-2-2015-100(02)/2007, दिनांक 21.11.2015 को अक्रमित कर शासनादेश सं.-20/2016/1468/26.02.2016-100(02)/2007, दिनांक 10.06.2016 द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत आवेदन स्वीकृति एवं वितरण की ऑनलाइन व्यवस्था की गयी है, जिसके अंतर्गत आवेदन उपरांत लाभार्थियों को उनकी सहायता का भुगतान पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पी.एफ.एम.एस.) के माध्यम से किया जाता है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 50000.00 लाख का प्रावधान है।

3. सामान्य जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति

सामान्य जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले सामान्य विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। शासनादेश संख्या-12(2)/26-3-2013-रिट(23)/2011 दिनांक 07.01.2013 द्वारा 1 जुलाई 2012 से दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले जिन छात्र/छात्राओं के अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा रु. 2.00 लाख (रु. दो लाख मात्र) तक है, उन्हें उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप सं.-12/26-3-2013-रिट(23)/2011, दिनांक 07 जनवरी, 2013 तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली (तृतीय संशोधन) दिनांक 20.09.2014 द्वारा प्रख्यापित नियमावली के अनुसार निम्नानुसार छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था की गई है। नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अर्ह छात्र/छात्राओं को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति नियमानुसार छात्र/छात्राओं के बैंक खाते में प्रतिपूर्ति की जायेगी। सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में पाठ्यक्रमों में शुल्क प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा रु. 50000/- निर्धारित की गयी है।

क्र.सं.	ग्रुप का नाम	छात्रवृत्ति की दरें	
		अनावासीय	छात्रावासी
1	2	3	4
1	ग्रुप-1	550/-	1200/-
2	ग्रुप-2	530/-	820/-
3	ग्रुप-3	300/-	570/-
4	ग्रुप-4	230/-	380/-

सामान्य जाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति

वित्तीय वर्ष 2014-15 में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन के आधार पर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के स्तर से निर्गत शासनादेश संख्या-

966, दिनांक 20.06.2014 के क्रम में पी.एफ.एम.एस. सर्वर से परीक्षणोपरान्त राज्य एन.आई.सी. से प्राप्त डेटा के आधार पर छात्रवृत्ति की धनराशि सीधे छात्रों के खातों में अन्तरित कराई जा रही है। इस योजना में सम्पूर्ण धनराशि राज्य स्तर से अनुदान संख्या-80 में वहन की जा रही है। इस योजना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 2500.00 लाख का प्रावधान है।

5. सामान्य जाति शादी अनुदान योजना

यह योजना सामान्य वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु वर्ष 2006-07 से विभाग में संचालित है। सामान्य वर्ग शादी योजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-46/2016/889/26-3-2016, दिनांक 16.03.2016, द्वारा शहरी क्षेत्र में पात्रता हेतु रु. 56460/- तथा ग्रामीण क्षेत्र में पात्रता हेतु रु. 46080/- वार्षिक आय सीमा निर्धारित की गयी है। योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग की पुत्रियों की शादी हेतु रु. 20000/- की आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था है। गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले सामान्य वर्ग के परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 8250.00 लाख का प्रावधान है।

6. मानवाधिकार हनन के प्रकरणों में आर्थिक सहायता

वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रदेश सरकार द्वारा मानवाधिकार हनन के प्रकरणों में आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु रु. 50.00 लाख का प्रावधान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 50.00 लाख का प्रावधान है।

6. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

वित्तीय वर्ष 2017-18 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को प्रारम्भ किया गया है। योजनान्तर्गत प्रदेश के सामान्य, पिछड़ा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह की व्यवस्था की गयी है। शासनादेश संख्या-40/2019/625 / 26-3-2019-4(188)/93 टी.सी., दिनांक 06.02.2019 द्वारा प्रति जोड़े को रु. 51,000/- निर्धारित किया गया है। जिसके अंतर्गत रु. 35,000/- कन्या के खाते में अन्तरित किया जायेगा तथा रु. 10,000/- आवश्यक सामग्री (कपड़े, बिछिया, चांदी के पायल तथा सात बर्तन) के लिए एवं कार्यक्रम के आयोजन हेतु रु. 6,000/- की धनराशि व्यय की जायेगी। सहायता राशि की उक्त व्यवस्था विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा के पुनर्विवाह के मामले में भी समान रूप से लागू होगी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 25000.00 लाख का प्रावधान है।

मद्यपान को रोकने की दिशा मे मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान विभाग, उ.प्र.

मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान विभाग भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्त की धारा-47 के तहत प्रदेश की वर्तमान नीति के अनुरूप प्रशासनिक स्तर पर वर्तमान में समाज कल्याण विभाग उ.प्र. शासन से सम्बद्ध रहकर विभिन्न शिक्षात्मक कार्यक्रमों से प्रदेश सरकार की मद्यनिषेध की अन्तिमतम नीति के दायित्वों के निर्वहन हेतु सर्वसाधारण में नशा एवं नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों को प्रचारित एवं प्रसारित कर राज्य में मद्यनिषेध के लिए स्वस्थ एवं प्रभावी वातावरण बनाने के निमित्त उपलब्ध सीमित संसाधनों एवं अत्यन्त अल्प स्टाफ की सीमा से सतत शिक्षात्मक एवं प्रेरणात्मक प्रचार-प्रसार कार्य कर रहा है, जिससे वर्तमान में बढ़ रही मद्यपान की प्रवृत्ति के विरुद्ध संचेतना जागृत करने के उद्देश्य से और अधिक प्रयोजनपूर्ण बनाये जाने की नितान्त आवश्यकता है।

प्रदेश के 75 जनपदों में जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान समितियाँ गठित हैं जिनमें प्रत्येक जनपद की समितियों को रु. 1000/- प्रतिवर्ष वार्षिक अनुदान मद्यपान के विरुद्ध शिक्षात्मक कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार को सम्पादित करने के लिए दिया जाता है। ये समितियाँ सरकारी व गैर सरकारी सहयोग से अपने-अपने जनपदों में नशानिषेध के शिक्षात्मक कार्यक्रमों को यथाशक्ति उपरोक्त प्रदत्त अनुदान के आधार पर सम्पादित करती हैं।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में मद्यनिषेध विभाग के लिए मुख्यालय एवं मंडलीय कार्यालयों के लिए रु. 542.55 लाख (रु. पाँच करोड़ बयालीस लाख पचपन हजार मात्र) की धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत की गयी है जिसके सापेक्ष माह नवम्बर 2018 तक रु. 249.30 लाख (रु. दो करोड़ उनचास लाख तीस हजार मात्र) व्यय हुआ है तथा मादक पदार्थ विरोधी कार्यों के लिए भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप नशा निर्व्यसन केन्द्रों के संचालन के माध्यम से भारत सरकार के द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को प्रदेश सरकार की संस्तुति के आधार पर अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। उक्त के अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अथवा अन्य कोई धनराशि विभाग के लिए स्वीकृत नहीं है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में मद्यनिषेध विभाग द्वारा केन्द्र एवं प्रदेश सरकार के अन्य मॉस मीडिया प्रभागों, स्वैच्छिक समाज सेवी संस्थाओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से जो विभिन्न शिक्षात्मक कार्य सम्पन्न किये गये हैं, में से कतिपय ऐसी विधायें एवं कार्यकलाप जो सर्वसाधारण को मद्यपान के दुष्परिणामों के संबंध में शिक्षित करने के उद्देश्य से उल्लेखनीय रही हैं, वे निम्न प्रकार हैं :

- प्रचार शिविर, प्रदर्शन कक्ष, गोष्ठी, अभियान, पदयात्रा के संचालन द्वारा मद्यपान पदार्थ विरोधी शिक्षात्मक कार्य,
- चलचित्र प्रदर्शन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से मद्यपान विरोधी शिक्षात्मक कार्य,
- छात्रों एवं युवाओं को मद्यपान के विरोध की दिशा में सक्रिय किया जाना,
- मलिन बस्तियों में मद्यपान विरोधी शिक्षात्मक कार्य,
- गैर सरकारी संस्थाओं के साथ सहयोग का आदान-प्रदान कर उनके समन्वय से मद्यपान के विरोध की दिशा में किया गया सक्रिय कार्य,
- वॉल पेन्टिंग एवं होर्डिंग्स के माध्यम से मद्यपान विरोधी प्रेरक कार्य,
- बस पैनल्स एवं ट्री गार्ड्स के माध्यम से प्रचार कार्य,
- समाचार-पत्रों में लेखों के प्रकाशन/इलेक्ट्रॉनिक चैनल/दूरदर्शन/आकाशवाणी के माध्यम से प्रचार-प्रसार,
- मद्यपान के विरोध में विशेष महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों के माध्यम से कृत शिक्षात्मक कार्य,
- गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से प्रचार कार्य,
- उपचार हेतु व्यसनियों को प्रेरित किया जाना।

●

अनुसूचित जनजाति कल्याण

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में अनुसूचित जनजातियों के अन्तर्गत प्रदेश में कुल पांच जातियों थारू, बुक्सा, भोटिया, जौनसारी एवं राजी को सूचीबद्ध किया गया। वर्ष 2003 में भारत सरकार द्वारा प्रदेश में निम्नलिखित जातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। 2011 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 1134273 हैः-

क्र.सं.	जाति	जनपद जिनमें निवासरत हैं
1.	गोंड (धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड)	महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र
2.	खरवार/खैरवार	देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र
3.	सहरिया	ललितपुर
4.	परहिया	सोनभद्र
5.	बैगा	सोनभद्र
6.	पंखा, पनिका	सोनभद्र एवं मिर्जापुर
7.	अगरिया	सोनभद्र
8.	पटारी	सोनभद्र
9.	चेरो	सोनभद्र एवं वाराणसी
10.	भुइया, भुनिया	सोनभद्र

वर्ष 1984-1985 तक इन अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक उत्थान के विभिन्न कार्यक्रम/योजनाओं को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जाता था, तत्पश्चात् जनजाति विकास निदेशालय द्वारा किया जा रहा है।

विभाग के मूलभूत उद्देश्य

जनजाति विकास निदेशालय की स्थापना निम्नलिखित मूलभूत उद्देश्यों को लेकर की गयी हैः-

1. गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले जनजाति परिवारों को व्यवसायिक जीवन पद्धति का आकलन कर उनके लिए आर्थिक उन्नति हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन।
2. अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक स्तर में सुधार।
3. अनुसूचित जनजातियों हेतु मानव संसाधन विकास संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित कर रोजगार के अवसर सुलभ कराना।

4. अनुसूचित जनजातियों को समाज की मुख्य सामाजिक, आर्थिक धारा में समाहित करना तथा गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना।
5. अनुसूचित जनजतियों को आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक शोषण से सुरक्षा।
6. शिक्षा के स्तर पर सुधार एवं साक्षरता दर वृद्धि हेतु छात्रवृत्ति, जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय एवं छात्रावासों का संचालन, तकनीकी शिक्षा, कुशल कारीगरी, शिल्प उद्योग के क्षेत्र में प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रमों का समावेश तथा स्वतः रोजगार के अवसरों में वृद्धि हेतु कार्यक्रमों का संचालन।

पारदर्शिता

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में पारदर्शिता बनाये रखने हेतु छात्रवृत्ति वितरण हेतु परिवर्तित विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया लागू की गई है। कक्षा 09 व 10 तथा दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्रों की छात्रवृत्ति उनके बैंक खाते में कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से सीधे स्थानान्तरित की जा रही है। शिक्षण सत्र 2012-13 से अनुसूचित जनजाति के पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति) की सम्पूर्ण धनराशि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा छात्रों के बैंक खाते में सीधे आन्तरित करने की व्यवस्था की गयी है। विस्तृत दिशा-निर्देश हेतु उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली, 2012 प्रख्यापित की जा चुकी है, जिसका छठा संशोधन वर्ष 2017-18 में जारी किया गया। नियमावली के अनुसार मास्टर डाटाबेस में संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों के पंजीकरण, संबंधित छात्र/छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने, शिक्षण संस्थाओं के प्रमुख द्वारा अपनी संस्तुति शिक्षा विभाग के सम्बन्धित जनपदीय/क्षेत्रीय अधिकारी को प्रेषित किये जाने, शिक्षा विभाग के संबंधित अधिकारियों द्वारा संस्था व पाठ्यक्रम की प्रमाणिकता के संबंध में अपनी संस्तुति "छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति" को प्रेषित किये जाने, "छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति" के स्वीकृत आदेश सहित जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को सूचित किये जाने, छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि संबंधित छात्र/छात्राओं के बैंक खाते में अंतरित किये जाने तथा छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के प्रथम चरण का साफ्टवेयर/वेबसाइट को एन.आई.सी. लखनऊ द्वारा लाक किए जाने के सम्बन्ध में समय सीमा निर्धारित करते हुए निर्देश निर्गत किए गये हैं ताकि छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति में पारदर्शिता रहे। वर्ष 2014-15 से कक्षा 9 व 10 एवं दशमोत्तर कक्षाओं की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति तथा शादी अनुदान की धनराशि पब्लिक फाइनेन्शियल मैनेजमेंट सिस्टम (पी.एफ.एम. एस.) साफ्टवेयर के माध्यम से ई-ट्रान्सफर के तहत छात्रों/लाभार्थियों के खातों में सीधे अन्तरित की जा रही है।

विभाग द्वारा संचालित योजनायें/शैक्षिक/आर्थिक कार्यक्रम एवं उपलब्धियों का विवरण

विभाग द्वारा संचालित 09 जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों को शासनादेश दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 के द्वारा नवोदय विद्यालय के पैटर्न पर विकसित कर सी.बी.एस.ई. बोर्ड से सम्बद्ध कर संचालित करने का निर्णय लिया गया है जिसके क्रम में विभाग द्वारा संचालित 09 विद्यालयों को शैक्षिक सत्र 2016-17 से कक्षा 6 से 12 तक संचालित किया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति के बालक/बालिकाओं के लिए संचालित विद्यालयों में छात्र/छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, भोजन, वस्त्र, आवास, स्टेशनरी, दवा आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार कक्षा 6 से 12 तक प्रत्येक कक्षा में 35-35 छात्रों के दो सेक्शन संचालित होंगे। प्रत्येक विद्यालय की कुल छात्र संख्या 490 होगी। इस प्रकार इन विद्यालयों में छात्र/छात्राओं की कुल क्षमता 4410 होगी। जनपद बलरामपुर में 50 छात्रों की क्षमता का एक छात्रावास संचालित है। भारत सरकार की शत प्रतिशत

सहायता से कक्षा 6 से 12 तक (क्षमता 420 छात्र/छात्राएं) के 02 एकलव्य माडल आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित विद्यालयों को भी अनुदान दिया जाता है। पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में उक्त संचालित योजनान्तर्गत विद्यालय में छात्र/छात्राओं की संख्या 1774, छात्रावासों में छात्रों की संख्या 50, पूर्वदशम के छात्र 4962, दशमोत्तर के छात्र 14243 कुल छात्रों की संख्या 19205 को लाभान्वित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के छात्र/छात्राओं की संख्या 1900, छात्रावास में छात्रों की संख्या 50, पूर्वदशम के छात्र 4076 एवं दशमोत्तर के छात्र 15744 कुल छात्रों की संख्या 22000 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

प्रदेश में संचालित परियोजनाओं का विवरण निम्न प्रकार हैः-

1. एकीकृत जनजाति विकास परियोजना चन्दन चौकी लखीमपुर-खीरी।
2. थारू विकास परियोजना विशुनपुर-विश्राम, बलरामपुर।
3. बुक्सा आदिम जनजाति विकास परियोजना, नजीबाबाद, बिजनौर।
4. बिखरी जनजातियों का विकास (बहराइच एवं महराजगंज)
5. एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, सोनभद्र।

अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल रु. 7477-70 लाख की धनराशि व्यय की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु 13225.84 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल रु. 11048-80 लाख की धनराशि का आय-व्ययक में प्रावधान है।

वर्तमान समय में प्रदेश में कुल 15 जातियाँ अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध हैं, जिनमें से बुक्सा, भोटिया, राजी, जौनसारी, थारू पूर्ण उत्तर प्रदेश में गोंड (धुरिया, नायक, ओझा, पठारी एवं राजगोंड) जनपद महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर एवं सोनभद्र में खरवार/खैरवार, जनपद देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र में सहरिया जनपद ललितपुर में, परहिया, बैगा, अगरिया, पठारी, भुइया, भुनिया जनपद सोनभद्र में, पंखा, पनिका, जनपद सोनभद्र एवं मिर्जापुर में तथा चेरो जनपद सोनभद्र एवं वाराणसी में निवासरत अनुसूचित जनजाति घोषित हैं। यह जातियाँ शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से अत्यंत पिछड़ी हुई हैं, इसलिए इनके सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक विकास हेतु सुनियोजित ढंग से योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

दशमोत्तर कक्षाओं की छात्रवृत्ति

दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2018-19 में दशमोत्तर कक्षाओं में पढ़ने वाले जिन छात्र/छात्राओं के अभिभावकों को वार्षिक आय सीमा रु. 2,50,000.00 तक है, उन्हें उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण अनुभाग-3 द्वारा निर्गत नियमावली सं.-2207/26-3-2012-4(358)/07-टी.सी.-02 दिनांक 26 सितम्बर, 2012 तथा समय-समय पर जारी संशोधनों में उल्लिखित नियमों के अनुसार छात्रवृत्ति की सुविधा निम्नवत् दरों के आधार पर अनुमन्य किये जाने की व्यवस्था की गयी है।

क्र.सं.	ग्रुप का नाम	छात्रवृत्ति की दरें	
		अनावासीय	छात्रावासीय
1.	ग्रुप-1	550/-	1200/-
2.	ग्रुप-2	530/-	820/-
3.	ग्रुप-3	300/-	570/-
4.	ग्रुप-4	230/-	380/-

इस योजना के अंतर्गत आय-व्ययक प्रावधान एवं व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

वर्ष 2017-18 में रु. 2200.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान किया गया था, जिसके सापेक्ष रु. 1298.72 लाख की धनराशि व्यय की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 5459.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान किया गया, जिसके सापेक्ष दिनांक 25-01-2019 तक रु. 1126.50 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल रु. 2800.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है।

शोध छात्रवृत्ति

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों के विकास पर किये जाने वाले शोध ा हेतु शोध छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में भारत सरकार से शत-प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2017-18 में इस योजनान्तर्गत रु. 1.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान था। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रु. 1.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान था। वित्तीय वर्ष 2019-2020 में इस योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्रावधान नहीं है।

मेरिट उच्चीकृत योजनान्तर्गत सहायता

अनुसूचित जनजाति के कक्षा 9 से 12 तक के छात्र/छात्राओं के लिए मेरिट उच्चीकृत योजना वर्ष 2007-2008 में स्वीकृत की गयी है। जो भारत सरकार की शत-प्रतिशत सहायता से संचालित की जायेगी। वित्तीय वर्ष 2017-18 से रु. 2.34 लाख का प्रावधान था। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रु. 2.34 लाख का प्रावधान था। वि ीय वर्ष 2019-2020 में रु. 2.34 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है।

संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत विकास कार्यक्रमों का संचालन

इस केन्द्रीय सहायता को एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, चन्दन चौकी, खीरी तथा थारू विकास परियोजना, बलरामपुर द्वारा संचालित कार्यक्रमों पर व्यय किया जाता है। उक्त परियोजनाओं द्वारा अनुसूचित जनजाति के लोगों के शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के कार्यक्रमों सम्बन्धी अवस्थापना मदों पर व्यय किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु रु. 250.00 लाख एवं वन अधिकार अधिनियम 2006 के लागू करने व प्रभावी क्रियान्वयन हेतु रु. 52.30 लाख का तथा योजनान्तर्गत जनजातियों के कल्याण के लिए जिला इकाइयों के संचालन हेतु अनुदान के लिए रु. 2181.22 लाख कुल रु. 2483.52 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान था, जिसके सापेक्ष रु. 1651.23 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु रु. 311.65 लाख एवं वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु रु. 52.30 लाख

का तथा योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए जिला इकाइयों के संचालन हेतु अनुदान के लिए रु. 1713.00 लाख कुल रु. 2076.95 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान था, जिसके सापेक्ष रु. 190.39 लाख की धनराशि माह दिसम्बर 2018 तक व्यय की गयी।

वित्तीय वर्ष 2019-2020 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु रु. 332.10 लाख एवं वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये प्रसार प्रसार किये जाने हेतु रु. 52.30 लाख का तथा इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए जिला इकाइयों के संचालन हेतु अनुदान के लिए रु. 1713.00 लाख कुल रु. 2097.40 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है।

पाकेट प्लान तथा प्रिमिटिव ग्रुप्स योजना

उपर्युक्त के अतिरिक्त पाकेट प्लान तथा प्रिमिटिव ग्रुप्स योजना के अन्तर्गत एकीकृत अनुसूचित जनजाति विकास परियोजना, चन्दनचौकी, खीरी तथा थारू विकास परियोजना, विशुनपुर-विश्राम, जनपद बलरामपुर द्वारा संचालित योजनाओं के लिये शत-प्रतिशत भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त होती है। यह परियोजना वर्ष 1980-1981 से तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही थी। जिसे जून, 1996 से निदेशालय, अनुसूचित जनजाति विकास द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस परियोजना द्वारा जन-चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, स्टाक मैन सेन्टर संचालित है। इसके अतिरिक्त परियोजना के माध्यम से परिवारोन्मुखी आर्थिक विकास कार्यक्रम, कम्प्यूटर व अन्य प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रु. 94.34 लाख के उपलब्ध आय-व्ययक प्रावधान एवं जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु रु. 6334.64 लाख कुल रु. 6428.98 लाख का प्रावधान था, जिसके सापेक्ष रु. 1679.37 लाख की धनराशि व्यय की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु रु. 94.34 लाख एवं जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु रु. 1500.00 लाख कुल रु. 1594.34 लाख का प्रावधान था।

वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रु. 94.34 लाख के उपलब्ध आय-व्ययक प्रावधान एवं जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु रु. 1500.00 लाख कुल रु. 1594.34 लाख का प्रावधान है।

बुक्सा आदिम जनजाति उत्थान

बुक्सा जनजाति को भारत सरकार द्वारा आदिम समूह घोषित किया गया है। अतः इस योजना हेतु भारत सरकार द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। बुक्सा आदिम जनजाति जनपद बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र में निवास करती है। यह परियोजना वर्ष 1980-1981 से तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही थी। जिसे जून, 1996 से निदेशालय, जनजाति विकास द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस परियोजना के माध्यम से परिवारोन्मुखी आर्थिक विकास कार्यक्रम, कम्प्यूटर व अन्य प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2016-2017 में रु. 13.20 लाख का आय-व्ययक प्रावधान था, जिसके सापेक्ष रु. 6.60 लाख की धनराशि व्यय की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रु. 13.20 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में इस योजनान्तर्गत रु. 13.20 लाख का प्रावधान रहा।

बिखरी आबादी वाली जनजातियों का विकास

इस योजना से प्रदेश के अधिकांश जनजाति बाहुल्य जनपदों में निवासरत अनुसूचित जनजातियों को लाभान्वित किया जाता है। यह परियोजना वर्ष 1980-1981 से तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही थी। जिसे जून, 1996 से निदेशालय, जनजाति विकास द्वारा संचालित किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के माध्यम से परिवारोन्मुखी आर्थिक विकास कार्यक्रम, कम्प्यूटर व अन्य प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। इस योजना हेतु विकास मद में वर्ष 2017-2018 में में रु. 90.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2019-2020 में इस योजनान्तर्गत रु. 90.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है।

वनबन्धु कल्याण योजनान्तर्गत

जनजातीय कार्य मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए वनबन्धु कल्याण योजना की अवधारणा की गयी है। इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति के लोगों का शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक विकास किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2017-2018 में योजनान्तर्गत जनजाति के लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के कार्यक्रमों तथा अवस्थापना को सम्पादित किये जाने हेतु राजस्व मद में रु. 95.00 लाख एवं पूजीगत मद में रु. 105.00 लाख कुल रु. 200.00 लाख का प्रावधान था, जिसके सापेक्ष रु. 13.40 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में योजना के संचालन हेतु आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के कार्यक्रमों सम्बन्धी तथा अवस्थापना को सम्पादित किये जाने हेतु राजस्व मद में रु. 95.00 लाख एवं पूंजीगत मद में रु.105.00 लाख कुल रु. 200.00 लाख का प्रावधान किया गया। वित्तीय वर्ष 2019-2020 में योजना के संचालन हेतु आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के कार्यक्रमों सम्बन्धी तथा अवस्थापना को सम्पादित किये जाने हेतु राजस्व मद में रु. 63.00 लाख एवं पूंजीगत मद में रु. 30.00 लाख कुल रु. 93.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है।

मुख्यालय अधिष्ठान

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं के संचालनार्थ निदेशालय स्तर पर अधिकारी/कर्मचारी तैनात हैं जिनके लिए स्थापना अधिष्ठान मद पर व्यय हेतु धनराशि की व्यवस्था की जाती है। वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रु. 217.04 लाख के प्रावधान के सापेक्ष रु. 202.53 लाख की धनराशि व्यय की गई। वर्ष 2018-2019 में रु. 197.68 लाख का प्रावधान है, जिसके सापेक्ष दिनांक 03-12-2018 तक रु. 161.85 लाख की धनराशि व्यय की गयी। वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रु. 288.45 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है।

एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, खीरी व थारू विकास परियोजना, बलरामपुर के अन्तर्गत चिकित्सालयों का संचालन

जनपद खीरी एवं बलरामपुर में संचालित परियोजनाओं द्वारा चिकित्सालयों के संचालनार्थ प्रथम बार राज्य सहायता के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2002-2003 में आयोजनागत पक्ष में रु. 8.35 लाख की व्यवस्था आय-व्ययक में की गयी थी। तभी से निरन्तर इस योजना में व्यवस्था करके योजना संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 3.25 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान किया गया था, जिसके सापेक्ष रु. 3.25 लाख की धनराशि व्यय की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 3.25 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान था, जिसके सापेक्ष दिनांक 31-12-2018 तक रु. 1.46 लाख की

धनराशि व्यय की गयी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना में रु. 6.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है।

एकीकृत जनजाति विकास परियोजना (सोनभद्र) का क्रियान्वयन

अनुसूचित जनजातियों में 10 नई जनजातियों को सूचीबद्ध किये जाने के उपरान्त अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास हेतु जनपद सोनभद्र में एकीकृत जनजाति विकास परियोजना कार्यालय की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक में प्रथम बार रु. 184.02 लाख की व्यवस्था की गयी थी। तब से उक्त योजना निरन्तर संचालित है। वित्तीय वर्ष 2017-2018 में उक्त योजनान्तर्गत अधिष्ठान एवं विकास मद में रु. 53.35 लाख की आय-व्ययक में व्यवस्था की गयी थी, जिसके सापेक्ष रु. 0.93 लाख की धनराशि व्यय की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2018-19 में उक्त योजनान्तर्गत अधिष्ठान एवं विकास मद में कुल रु. 54.08 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान रहा। वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल रु. 61.15 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है।

जिला कार्यालय का जनजाति विकास संबंधी अधिष्ठान

इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु संचालित योजनाओं के संचालनार्थ जनपद स्तर पर कर्मचारी तैनात हैं जिनके लिए स्थापना अधिष्ठान मद पर व्यय हेतु धनराशि की व्यवस्था की जाती है। वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रु. 20.74 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया था, जिसके सापेक्ष रु. 10.68 लाख की धनराशि व्यय की गयी। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 21.81 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान था, जिसके सापेक्ष दिनांक 31-12-2018 तक रु. 10.96 लाख की धनराशि व्यय की गयी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 23.89 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है।

प्रदेश में निवास करने वाली जनजातियाँ जो इस समय अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल हैं, के लिए सहायक अनुदान

प्रदेश में निवास करने वाली ऐसी जनजातियाँ यथा- कोल, घसिया, धनगर/ओरांव जो इस समय अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित हैं, के व्यक्तियों को जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं, को कृषि बागवानी तथा कुटीर उद्योग कार्यक्रमों द्वारा लाभान्वित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2017-2018 में व्यय रु. 10.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान था। वर्ष 2018-19 में रु. 10.10 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान किया गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 10.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान प्रस्तावित है, जिसका योजनावार विवरण निम्न प्रकार है:-

(1) कृषि तथा बागवानी

प्रदेश में निवास करने वाली जनजातियों यथा- कोल, घासिया, धनगर/ओरांव जिनकी जीविका का प्रमुख साधन कृषि है उनकी आर्थिक दशा सुधारने के उद्देश्य से मैदानी क्षेत्र के सोनभद्र, मिर्जापुर, चन्दौली, प्रयागराज, चित्रकूट, झाँसी जनपदों में निवास करने वाली गैर अनुसूचित जनजातियों के लिये कृषि तथा बागवानी के निमित्त अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। यह अनुदान ऐसे व्यक्तियों को स्वीकृत किया जाता है जिनको नयी भूमि का आवंटन किया गया है तथा जिसका धनाभाव के कारण विकास नहीं किया जा सकता है। जनजाति क्षेत्र में कृषि विकास सम्बन्धी योजनाओं के संचालन का दायित्व जनजाति विकास निदेशालय को सौंपा गया है। वर्ष 2017-2018 में धनराशि रु. 5.00 लाख का प्रावधान था। वर्ष 2018-19 में रु. 5.00 लाख की धनराशि का आय-व्ययक में प्रावधान था। वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रु. 5.00 लाख की धनराशि का आय-व्ययक में प्रावधान है।

(2) कुटीर उद्योग

जैसा की पूर्व में उल्लेख किया गया है कि अधिकांश जनजातियाँ कृषि पर निर्भर हैं। जिन गैर अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के पास कृषि भूमि पर्याप्त नहीं है और पुराने धन्धे ही अपनाना चाहते हैं उन्हें नये तकनीकी विकास के साथ उनके धन्धों के पुराने तरीकों में विविध परिवर्तन लाकर उन्हें लघु कुटीर उद्योग स्थापित करने हेतु अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2017-2018 में प्राविधानित धनराशि रु. 5.00 लाख का प्रावधान था। वर्ष 2018-2019 में रु. 5.10 लाख की धनराशि का आय-व्ययक में प्रावधान था। वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रु. 5.00 लाख की धनराशि का आय-व्ययक में प्रावधान है।

छात्रावास

प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को निःशुल्क आवास सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जनपद बलरामपुर के मुख्यालय पर मात्र एक छात्रावास संचालित है। इसके अतिरिक्त बरगदवा महराजगंज में 50 छात्रों की क्षमता के एक जनजाति छात्रावास संचालित किये जाने की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रदान की गयी थी। नीचे दिये गये विवरण के अनुसार आयोजनागत पक्ष में जो धनराशि दर्शायी गयी है, वह छात्रावासों के निर्माण के लिए व्यवस्थित है।

वित्तीय वर्ष 2017-2018 में छात्रावासों के संचालन/निर्माण हेतु रु. 715.65 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया, जिसके सापेक्ष रु. 278.39 लाख की धनराशि व्यय की गयी। वर्ष 2018-19 में छात्रावासों के संचालन/निर्माण हेतु रु. 716.48 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया, जिसके सापेक्ष दिनांक 31-12-2018 तक रु. 3.70 लाख की धनराशि व्यय की गयी।

वर्ष 2019-20 में छात्रावासों के संचालन/निर्माण हेतु रु. 718.37 लाख की धनराशि का प्रावधान है।

जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय

अनुसूचित जनजातियों के बालक/बालिकाओं के शैक्षिक विकास एवं उत्थान के लिये उचित ढंग से शिक्षा दिये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में 09 जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय संचालित किये गये हैं, जहां पर बालक/बालिकाओं की शिक्षा, भोजन, वस्त्र, आवास एवं पुस्तकें आदि की सभी सुविधायें निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

विभाग द्वारा संचालित 09 जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों को शासनादेश दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 के द्वारा नवोदय विद्यालय के पैटर्न पर विकसित कर सी.बी.एस.ई. बोर्ड से सम्बद्ध कर संचालित करने का निर्णय लिया गया है। जिसके क्रम में विभाग द्वारा संचालित 09 विद्यालयों को शैक्षिक सत्र 2016-17 से कक्षा 6 से 12 तक संचालित किया जा रहा है। इन विद्यालयों में छात्र/छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा, भोजन, वस्त्र, आवास, स्टेशनरी, दवा आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार कक्षा 6 से 12 तक प्रत्येक कक्षा में 35-35 छात्रों के दो सेक्शन संचालित होंगे। प्रत्येक विद्यालय की कुल छात्र संख्या 490 होगी। इस प्रकार इन विद्यालयों में छात्र/छात्राओं की कुल क्षमता 4410 होगी।

जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को भोजन व्यवस्था हेतु रु. 2250/- प्रति छात्र प्रति माह, दो सेट सूत्री वस्त्र, तौलिया आदि हेतु रु.1800/- प्रति छात्र प्रति वर्ष, ऊनी वस्त्रों हेतु रु. 2200/- प्रति छात्र प्रति तीन वर्षों हेतु, पाठ्य-पुस्तकों हेतु कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों

को रु. 765 प्रति छात्र प्रतिवर्ष एवं कक्षा 9 से 10 तक के छात्रों को रु. 1500/- प्रति छात्र प्रतिवर्ष तथा कक्षा 11 से 12 तक रु. 3000/- प्रति छात्र प्रतिवर्ष की दर से धनराशि व्यय करने हेतु संशोधित शासनादेश संख्या 114/2015/आर-110 वी.आई.पी./26-3-2015-246 सी.एम./2015 दिनांक 06 अक्टूबर 2015 द्वारा जारी किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 2227.22 लाख की धनराशि का आय-व्ययक में प्रावधान है।

बुक बैंक की स्थापना

वित्तीय वर्ष 2004-2005 से यह योजना प्रारम्भ की गई है। इस योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2017-2018 में रु. 5.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान था, जिसके सापेक्ष धनराशि व्यय नहीं की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 5.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान था। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 5.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है।

पूर्वदशम कक्षाओं में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्तीय सहायता

पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 9 व 10 में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय पूर्व में रु. 2,00,000.00 तक थी, जिसे वित्तीय वर्ष 2018-19 से बढ़ाकर रु. 2,50,000.00 की गयी है, को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को रु. 3000.00 वार्षिक छात्रवृत्ति की धनराशि का भुगतान पी.एफ.एम.एस. प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है।

पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9 व 10) योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में प्राविधानित धनराशि रु. 195.00 लाख का प्रावधान था, जिसके सापेक्ष रु. 85.87 लाख की धनराशि व्यय की गयी थी। वर्ष 2018-19 में प्राविधानित धनराशि रु. 195.00 लाख का प्रावधान था, जिसके सापेक्ष रु. 10.59 लाख की धनराशि व्यय की गयी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 195.00 लाख की धनराशि का आय-व्ययक में प्रावधान किया गया है।

अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को यूनीफार्म एवं साइकिल अनुदान

कक्षा 6, 9 व 11 की अनुसूचित जनजाति की छात्राएं जो विभाग द्वारा संचालित जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों या अन्य किसी आवासीय विद्यालयों में नहीं पढ़ती हैं, बल्कि किसी दूसरे विद्यालय में पढ़ती हैं, को प्रोत्साहन स्वरूप यूनीफार्म एवं बाइसिकिल निःशुल्क उपलब्ध कराने हेतु उपरोक्त योजना वित्तीय वर्ष 2003-2004 से स्वीकृत की गयी है, जिसमें पूर्व में निर्धारित दरों में परिवर्तन करते हुए वित्तीय वर्ष 2018-2019 से साइकिल हेतु रु. 3300.00 तथा यूनीफार्म हेतु रु. 700.00 कुल रु. 4000.00 प्रति छात्रा हेतु निर्धारित की गयी। योजनान्तर्गत वर्ष 2017-18 में रु. 80 लाख आय-व्ययक प्रावधान के सापेक्ष रु. 13.44 लाख की धनराशि व्यय की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 80.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान था। वित्तीय वर्ष 2019-20 में धनराशि रु. 100.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान है।

स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा विद्यालयों के रख-रखाव हेतु सहायता

अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्राइमरी पाठशालाओं एवं बालवाड़ी के संचालनार्थ स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान स्वीकृत करने की योजना वित्तीय वर्ष 1979-1980 से संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत 2017-2018 में रु. 62.79 लाख के उपलब्ध आय-व्ययक प्रावधान के सापेक्ष

रु. 62.79 लाख की धनराशि व्यय की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 42.82 लाख की धनराशि का आय-व्ययक में प्रावधान था, जिसके सापेक्ष दिनांक 31-12-2018 तक रु. 38.86 लाख की धनराशि व्यय की गयी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 70.00 लाख की धनराशि का आय-व्ययक में प्रावधान है।

अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जनजातियों की सहायता

इस योजनान्तर्गत अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जनजाति परिवारों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

एकीकृत जनजाति विकास परियोजना, चन्दनचौकी, खीरी

यह परियोजना वर्ष 1980-1981 से तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही थी। इसे जून, 1996 से निदेशालय, जनजाति विकास द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस परियोजना द्वारा जन-चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, स्टाक मैन सेन्टर संचालित है। इसके अतिरिक्त इस परियोजना के माध्यम से परिवारोन्मुखी आर्थिक विकास कार्यक्रम, कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि के कार्य संचालित किए जा रहे हैं।

जनजाति क्षेत्रीय कार्यक्रम-थारू विकास परियोजना, बलरामपुर

यह परियोजना वित्तीय वर्ष 1980-1981 से तराई अनुसूचित जनजाति विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही थी। इसे जून, 1996 से निदेशालय, जनजाति विकास द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस परियोजना द्वारा जन-चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, स्टाक मैन सेन्टर संचालित हैं। इसके अतिरिक्त परियोजना के माध्यम से परिवारोन्मुखी आर्थिक विकास कार्यक्रम, कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि के कार्य संचालित किये जा रहे हैं।

बिखरी आबादी वाली जनजातियों का विकास

जनपद महराजगंज, बहराइच एवं श्रावस्ती में बिखरी जनजातियों को भारत सरकार से प्राप्त शत-प्रतिशत सहायता से आर्थिक विकास कार्यक्रम जनजाति उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत संचालित हैं, जिसमें परिवारोन्मुखी आर्थिक विकास कार्यक्रम, कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि के कार्य संचालित किये जा रहे हैं। उक्त योजना के संचालन हेतु जिला स्तर पर जनपद बहराइच एवं महराजगंज में जो स्टाफ नियुक्त है, उनके अधिष्ठान व्यय की व्यवस्था उपरोक्त योजनान्तर्गत की जाती है।

अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के विवाह हेतु अनुदान

अनुसूचित जनजाति के गरीब परिवार की बालिकाओं के विवाह हेतु शासनादेश संख्या-46/2016/889/26/3/2016 दिनांक 16.03.2016 में निहित प्रतिबन्धों के अधीन अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के विवाह हेतु आवेदन आनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आमंत्रित/स्वीकृत किये जा रहे हैं तथा देय धनराशि रु. 20,000/- पी.एफ.एम.एस. प्रणाली के माध्यम से लाभार्थी के खाते में हस्तांतरित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2019-2020 में रु. 130.00 लाख की धनराशि अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के विवाह अनुदान हेतु आय-व्ययक में प्रावधान है।

महिला कल्याण तथा बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार

वर्ष 1975 में प्रदेश के 3 विकास खण्डों में गर्भवती तथा धात्री माताओं एवं बच्चों को कुपोषण आदि से बचाने तथा उनके समन्वित विकास के लिये भारत सरकार के सहयोग से समेकित बाल विकास परियोजना प्रारम्भ की गयी। इस कार्यक्रम के संचालन हेतु वर्ष 1988 में प्रदेश स्तर पर बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय की स्थापना की गयी। सम्प्रति इस योजना का सार्वभौमीकरण हो चुका है और प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 897 बाल विकास परियोजनाओं एवं 188259 आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से योजना संचालित है।

विभाग द्वारा 06 माह से 06 वर्ष तक की आयु के बच्चों के सर्वांगीण विकास तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के समुचित पोषण एवं प्रतिरक्षण के लिए 06 सेवायें क्रमशः अनुपूरक पोषाहार, स्वास्थ्य प्रतिरक्षण (टीकाकरण), स्वास्थ्य जाँच, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, स्कूल पूर्व शिक्षा तथा निर्देशन एवं संदर्भ सेवायें प्रदान की जा रही हैं।

प्रदेश में बाल विकास परियोजना/केन्द्रों की स्थिति :

- कुल जनपद : 75
- कुल स्वीकृत परियोजना : 897
- कुल स्वीकृत केन्द्र/मिनी केन्द्र : 188259

अनुपूरक पुष्टाहार

उपलब्ध कराये जा रहे अनुपूरक पुष्टाहार तथा उससे प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों का विवरण निम्नवत हैः-

1. **06 माह से 03 वर्ष तक की आयु के बच्चों को** टेक होम राशन के रूप में एनर्जी डेन्स बर्निंग फूड, एनजी डेन्स मीठा दलिया एवं एनर्जी डेन्स नमकीन दलिया उपलब्ध कराया जाता है, जिससे इन्हें प्रतिदिन 500 कैलारी तथा 14 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होती है।
2. **03 से 06 वर्ष तक की आयु के बच्चों को** मार्निंग स्नैक के रूप में एनजी डेन्स मीठा दलिया, एनजी डेन्स नमकीन एवं एनजी डेन्स लड्डू प्रीमिक्स तथा दोपहर में हॉट कुक्ड फूड उपलब्ध कराया जाता है, जिससे इन्हें प्रतिदिन 500 कैलोरी तथा 15 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होती है।
5. गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को टेक होम राशन के रूप में एनर्जी डेन्स मीठा दलिया एनजी डेन्स नमकीन दलिया एवं एनजी डेन्स लड्डू प्रीमिक्स उपलब्ध कराया जाता है, जिससे इन्हें प्रतिदिन 600 कैलारी तथा 18 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होती है।

लाभार्थियों को उपलब्ध करायी जा रही अनुपूरक पौषाहार की रेसिपी

06 माह से 03 वर्ष आयु के बच्चों हेतु

वीनिंग फूडः

कम्पोजीशन- गेहूं आटा–35%, चीना-25%, चना आटा-10%, मूंगफली-05%, सोयाबीन-15%, वनस्पति तेल-05%, होल मिल्क पाउडर-05%

पोषक तत्व 100 ग्राम मात्रा में – कैलोरी 411.58, प्रोटीन 15.40 ग्राम

मीठा दलियाः

कम्पोजीशन- गेहूं आटा–40%, चीनी-25%, सोया आटा-11%, स्किम्ड मिल्क पाउडर- 08%, वनस्पति तेल-10%, रागी-05%, विटामिन एवं मिनरल्स प्रीमिक्स-01%

पोषक तत्व 100 ग्राम मात्रा में – कैलोरी-421.22, प्रोटीन-13.55 ग्राम

नमकीन दलियाः

कम्पोजीशन- गेहूं आटा–30%, चीनी-12%, सोया आटा-10%, वनस्पति तेल-16%, तुअर दाल-16%, रागी-05%, मूंगफली-06%, मसाले-04%, विटामिन एवं मिनरल्स प्रीमिक्स-01%

पोषक तत्व 100 ग्राम मात्रा में – कैलोरी-446.95, प्रोटीन-14.34 ग्राम

03 वर्ष से 06 वर्ष आयु के बच्चों हेतु

लड्डू प्रीमिक्सः

कम्पोजीशन- गेहूं आटा–40%, चीना-25%, चना आटा-10%, मूंगफली-05%, सोयाबीन-15%, वनस्पति तेल-05%

पोषक तत्व 100 ग्राम मात्रा में – कैलोरी 410.55, प्रोटीन 14.24 ग्राम

मीठा दलियाः

कम्पोजीशन- गेहूं आटा–40%, चीनी-25%, सोया आटा-11%, स्किम्ड मिल्क पाउडर- 08%, वनस्पति तेल-10%, रागी-05%, विटामिन एवं मिनरल्स प्रीमिक्स-01%

पोषक तत्व 100 ग्राम मात्रा में – कैलोरी-421.22, प्रोटीन-13.57 ग्राम

नमकीन दलियाः

कम्पोजीशन- गेहूं आटा–30%, चीनी-12%, सोया आटा-10%, वनस्पति तेल-16%, तुअर दाल-16%, रागी-05%, मूंगफली-06%, मसाले-04%, विटामिन एवं मिनरल्स प्रीमिक्स-01%

पोषक तत्व 100 ग्राम मात्रा में – कैलोरी-446.95, प्रोटीन-14.34 ग्राम

गर्भवती/धात्री महिलाओं हेतु

लड्डू प्रीमिक्सः

कम्पोजीशन- गेहूं आटा–40%, चीना-25%, चना आटा-10%, मूंगफली-05%, सोयाबीन-15%, वनस्पति तेल-05%

पोषक तत्व 100 ग्राम मात्रा में – कैलोरी 410.55, प्रोटीन 14.22 ग्राम

मीठा दलियाः

कम्पोजीशन- गेहूं आटा–40%, चीनी-25%, सोया आटा-11%, स्किम्ड मिल्क पाउडर- 08%, वनस्पति तेल-10%, रागी-05%, विटामिन एवं मिनरल्स प्रीमिक्स-01%

पोषक तत्व 100 ग्राम मात्रा में – कैलोरी-421.22, प्रोटीन-13.55 ग्राम

नमकीन दलिया:

कम्पोजीशन- गेहूं आटा–30%, चीनी-12%, सोया आटा-10%, वनस्पति तेल-16%, तुअर दाल-16%, रागी-05%, मूंगफली-06%, मसाले-04%, विटामिन एवं मिनरल्स प्रीमिक्स-01%

पोषक तत्व 100 ग्राम मात्रा में – कैलोरी-446.95, प्रोटीन-14.34 ग्राम

हॉट कुक्ड फूड

प्रदेश की सभी 897 परियोजनाओं में हॉट कुक्ड फूड योजना लागू हैः

- योजना के अन्तर्गत 03 से 06 वर्ष तक आयु के समस्त बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्र पर दैनिक रूप से प्रातः मार्निंग स्नैक तथा मध्यान्ह मे हॉट कुक्ड फूड वितरण की व्यवस्था है।
- भारत सरकार द्वारा 03 वर्ष से 06 वर्ष तक आयु के बच्चों को अनुपूरक पुष्टाहार दिये जाने के लिए प्रति लाभार्थी रु. 8.00 प्रतिदिन अनुमन्य है। इस धनराशि में से रु. 3.50 प्रति लाभार्थी मार्निंग स्नैक पर तथा शेष रु. 4.50 हॉट कुक्ड फूड पर व्यय किये जाने की व्यवस्था है।
- मार्निंग स्नैक के रूप में दिये जाने वाले पोषाहार यथा- एनर्जी डेन्स मीठा दलिया, एनर्जी डेन्स नमकीन दलिया एवं एनर्जी डेन्स लड्डू प्रीमिक्स से 200 ग्राम कैलारी एवं 07 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होगी तथा हॉट कुक्ड फूड योजना के अंतर्गत मिड-डे-मील योजना की रेसिपी के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इससे लाभार्थियों को 300 कैलोरी व 07 से 08 ग्राम प्रोटीन प्राप्त होगी।
- प्रदेश के 54 जनपदों में आंगनबाड़ी केन्द्रों को प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालयों से सम्बद्ध करके मध्यान्ह भोजन योजना के साथ ही इन केन्द्रों का भोजन तैयार कराकर आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वितरण कराये जाने की व्यवस्था है। शेष 21 जनपदों के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से हाट कुक्ड फूड योजना संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
- हॉट कुक्ड फूड में प्रयुक्त होने वाले कच्चे खाद्यान्न एवं अन्य सामग्रियों आदि का क्रय ग्राम प्रधान/सभासद/स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष/सदस्य एवं आंगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा किया जाता है।

किशोरी बालिकाओं के लिए योजना

भारत सरकार द्वारा **किशोरी शक्ति योजना** एवं न्यूट्रीशन प्रोग्राम फार एडोलेसेन्ट गर्ल्स योजना को सम्मिलित करते हुए प्रदेश के समस्त 75 जनपदों के 897 परियोजनाओं में 11 से 14 वर्ष आयु की स्कूल छोड़ चुकी किशोरी बालिकाओं के लिए स्कीम फार एडोलेसेन्ट गर्ल्स (एस.ए.जी.) योजना संचालित की जायेगी। इस योजना में किशोरी बालिकाओ को उन्हें जीवन कौशल, शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा, सामाजिक-कानूनी मुद्दों तथा मौजूदा सार्वजनिक सेवाओं के बारे में जागरूक करना एवं औपचारिक स्कूली अथवा व्यवसायिक/कौशल प्रशिक्षण आदि गतिविधियों की जानकारी हेतु प्रशिक्षण दिया जाना एवं अनुपूरक पोषाहार में प्रदेश के 22 जनपदों में इनजी डेन्स मीठा दलिया, इनजी डेन्स नमकीन दलिया एवं इनजी डेन्स लड्डू प्रीमिक्स दिया जायेगा तथा अन्य 53 जनपदों में मोटा अनाज (रागी/बाजरा/ज्वार/मक्का/कोदो/कठिया गेहूं) देशी काला चना एवं अरहर दाल तथा देशी घी उपलब्ध कराया जायेगा। इससे प्रदेश में कुल 5.13 लाख किशोरी बालिकाएं लाभान्वित होंगी। परियोजना में स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वीरांगना दल गठित किये जायेंगे, जिसमें 01 वीरांगना सखी तथा 02 वीरांगना सहेली सहित कुल 25-30 लक्षित किशोरियां होंगी।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में गैर पोषण घटक के लिए रु. 9.87 करोड़ तथा पोषण घटक में रु. 146.20 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आई.सी.डी.एस. कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाना है ताकि आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के उद्देश्यों को सफल बनाया जा सके।

आई.सी.डी.एस. कर्मियों का प्रशिक्षण

(1) जिला कार्यक्रम अधिकारियों का प्रशिक्षण

जिला कार्यक्रम अधिकारियों का प्रशिक्षण निपसिड, लखनऊ तथा निपसिड, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ द्वारा किया जाता है।

(2) बाल विकास परियोजना अधिकारियों का प्रशिक्षण

बाल विकास परियोजना अधिकारियों का कार्य प्रशिक्षण निपसिड, लखनऊ द्वारा किया जाता है।

(3) मुख्य सेविकाओं का प्रशिक्षण

मुख्य सेविकाओं के प्रशिक्षण के लिए 4 मध्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन किया जाता है। इन केन्द्रों के स्थान का चयन प्रदेश के विस्तार क्षेत्र को ध्यान में रखकर किया गया है। प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र से उनके निकटस्थ जनपदों को सम्बद्ध किया, जहाँ की मुख्य सेविकायें इन केन्द्रों पर प्रशिक्षित की गयीं। प्रशिक्षण बैच का निर्धारण करते समय सामान्यतः इस बात का ध्यान रखा जाता है कि प्रशिक्षण केन्द्र से सम्बद्ध जनपद की ही मुख्य सेविकायें उस केन्द्र पर भेजी जाएँ, किन्तु आवश्यकतानुसार किसी मुख्य सेविका को प्रशिक्षण हेतु किसी भी केन्द्र पर भेजा गया।

(अ) आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का प्रशिक्षण

आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के संचालन में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की भूमिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है, इसलिए इनके प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। पूरे प्रदेश में 66 आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र स्वीकृत हैं।

(ब) आंगनबाड़ी सहायिकाओं का अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का इन्डक्शन प्रशिक्षण

प्रदेश की अप्रशिक्षित आंगनबाड़ी सहायिकाओं के अभिमुखीकरण प्रशिक्षण तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के इन्डक्शन प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा 25 जिला सचल प्रशिक्षण दल संचालित करने का अनुमोदन किया गया है। जिला सचल प्रशिक्षण दल गठित कर प्रदेश के सभी जनपदों में आंगनबाड़ी सहायिकाओं का अभिमुखीकरण प्रशिक्षण तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को इन्डक्शन कोर्स प्रदान किया जाता है।

सूचना, शिक्षा एवं प्रचार-प्रसार (आई.ई.सी.) कार्यक्रम

आई.सी.डी.एस. कार्यक्रम के अन्तर्गत सूचना, शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए माताओं, परिवारों एवं समुदाय में बच्चों की देखरेख, लालन-पालन एवं पोषण सम्बन्धी अच्छी आदतों के विकास हेतु प्रयास किये जाते हैं।

प्रत्येक वर्ष जनपद/परियोजना/आंगनबाड़ी केन्द्र पर माह जून एवं दिसम्बर में बाल पोषण स्वास्थ्य दिवस स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आयोजित किया जाता है, विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त में परामर्श सत्र का आयोजन, अन्तर्राष्ट्रीय पोषण सप्ताह सितम्बर, 08 मार्च महिला दिवस के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जाता है। साथ ही साथ कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार हेतु, कार्यशाला, प्रदर्शनी, महोत्सव

आदि किया जाता है तथा शिशुओं को विटामिन-ए पिलाई जाती है तथा छूटे हुये बच्चों का टीकाकरण कराया जाता है।

स्कूल पूर्व शिक्षा

03 वर्ष से 06 वर्ष तक के आंगनबाड़ी केन्द्र पर आने वाले सभी बच्चों को विषय वस्तु आधारित ज्ञान प्रदान करने के लिए प्रत्येक केन्द्र पर ''पहल'' पाठ्यक्रम प्रदान करते हुए प्रतिदिन आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री/सहायिका शिशुओं को न्यूनतम् 04 घंटे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शैक्षणिक व क्रियात्मक गतिविधियां करायी जा रही हैं।

आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण

आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन का स्थल

- कुल संचालित केन्द्र - 187997
- विभागीय भवन में संचालित - 24931
- प्राथमिक पाठशाला - 114784
- पंचायत/सार्वजनिक भवन - 23572
- किराये के भवन में - 24710

वित्तीय वर्ष 2018-19 में 5933 आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण का लक्ष्य है, जिसकी धनराशि जनपदों को अवमुक्त की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 500 आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण का लक्ष्य है।

आंगनबाड़ी केन्द्र अपग्रेडेशन

भारत सरकार के निर्देशानुसार विभाग के अंतर्गत निर्मित विभागीय आंगनबाड़ी केन्द्र के भवनों, जहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वहां बेबी फ्रेन्डली शौचालय एवं स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति तथा स्वच्छता एवं क्रेच हेतु एक अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कराया जाना है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 688 पेयजल निर्माण एवं 592 केन्द्रों पर शौचालय के निर्माण हेतु धनराशि जनपदों को अवमुक्त की गयी है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए इस हेतु 1380.00 लाख का बजट प्रस्तावित है।

प्री-स्कूल किट्

समेकित बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत 03 वर्ष से 06 वर्ष तक की आयु के बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान की जाती है। स्कूल पूर्व शिक्षा समेकित बाल विकास परियोजना का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। बच्चों के प्राथमिक विद्यालय में जाने से पूर्व आंगनबाड़ी शिक्षा प्रक्रिया का प्रथम चरण है। इसका उद्देश्य बच्चों की शारीरिक, सामाजिक विकास और नैतिक शिक्षा के साथ ही उनकी भाषा और बुद्धि क्का भी विकास करना है। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर औपचारिक शिक्षा न देकर प्री स्कूल किट् से उपलब्ध सामग्री के द्वारा बच्चों को शिक्षा के प्रति अभिरुचि उत्पन्न की जाती है, जिससे बच्चों की जिज्ञासा शांत होती है और उन्हें रचनात्मक दिशा भी प्राप्त होती है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा वह नींव का पत्थर है, जिस पर बच्चे के उज्ज्वल भविष्य की नीव खड़ी की जा सकती है। प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से शहरी क्षेत्रों, दुर्गम क्षेत्रों तथा मलिन बस्तियों में पात्र बच्चों को प्री स्कूल किट् में उपलब्ध सामग्री के माध्यम से खेल-खेल में स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान की जाती है। भारत सरकार द्वारा प्रति आंगनबाड़ी केन्द्रों/ मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर प्री स्कूल किट् एवं ई.सी.सी.ई. बुक के क्रय हेतु रु. 5,000.00 की धनराशि निर्धारित की गयी है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस हेतु रु. 9412.95 लाख का बजट प्रस्तावित है।

राज्य पोषण मिशन

राज्य सरकार द्वारा कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए राज्य पोषण मिशन का गठन करते हुए इसका शुभारम्भ 01 नवम्बर, 2014 में किया गया। तत्पश्चात् सभी जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा दो-दो राजस्व गांव गोद लेते हुए उन्हें 06 माह में कुपोषण की समस्या के निदान हेतु स्वास्थ्य, आई.सी.डी.एस., पंचायती राज, ग्राम्य विकास तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करने के निर्देश हैं।

मिशन के अन्तर्गत कृत कार्यों की समीक्षा हेतु मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डल स्तरीय पोषण समिति तथा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला पोषण समिति गठित की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में आय-व्ययक में रु. 1400.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

शबरी संकल्प अभियान

शबरी संकल्प पोषण योजना के अन्तर्गत 0-6 माह से पूर्व 03 वर्ष तक आयु के अतिकुपोषित बच्चों की पोषण की स्थिति में सुधार के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण घर संचालित किये जाने हैं तथा 03 से 06 वर्ष आयु के बच्चों को हॉट कुक्ड फूड के अंतर्गत बर्तन आदि की व्यवस्था की आवश्यकता के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रु. 20000.00 लाख धनराशि के प्रावधान हेतु प्रस्ताव है। इस मद की धनराशि शत-प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी।

नेशनल न्यूट्रीशन मिशन

भारत सरकार द्वारा नेशनल न्यूट्रीशन मिशन कार्यक्रम अनुमोदित किया गया है, जिसके द्वारा 0 से 06 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण (बौनापन) के स्तर में 02 प्रतिशत प्रतिवर्ष की कमी, 0 से 06 वर्ष आयु के बच्चों में कुपोषण (अल्पवजन) में 02 प्रतिशत प्रतिवर्ष की कमी, 06 माह से 59 माह तक के बच्चों में एनीमिया के स्तर में 03 प्रतिवर्ष की कमी, 15-49 वर्ष की किशोरी बालिकाओं एवं महिलाओं में एनीमिया के स्तर में 03 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से कमी तथा जन्म के समय कम वजन के बच्चों में 02 प्रतिशत प्रतिवर्ष की कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर वृद्धि निगरानी उपकरण (इन्फेन्टोमीटर, स्टेडियोमीटर, वजन मशीन-वयस्क एवं शिशु) दिया जाना, साथ ही समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्ट फोन उपलब्ध कराया जाना है तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को आई.सी.टी.-आर.टी.एम. के उपयोग हेतु प्रोत्साहन के रूप में रु. 500.00 की धनराशि प्रतिमाह दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की क्षमता वर्धन आईएलए के माध्यम से किया जाना है। समुदाय की सहभागिता बढ़ाने एवं व्यवहार परिवर्तन हेतु समुदाय आधारित गतिविधियों इत्यादि का आयोजन किया जाना है। भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यक्रम के संचालन हेतु 50 प्रतिशत धनराशि आईबीआरडी/एमडीबी द्वारा तथा 30 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार द्वारा और 20 प्रतिशत की धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। प्रदेश में कुपोषण की रोकथाम के लिये मातृ शिशु, बाल मृत्युदर और मातृ-बाल कुपोषण में कमी लाने हेतु उक्त कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आय-व्ययक में रु. 33521.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

महिला कल्याण

हमारे संविधान और उसकी प्रस्तावना में मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और नीति-निर्देशक-तत्व में भी नागरिकों की समानता निहित है जिसके फलस्वरूप इस देश में लैंगिक भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं

है। परन्तु वास्तविकता यह है कि सदियों से चली आ रही सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण अभी भी अधीनस्थ अवस्था में संविधान न केवल महिलाओं को समानता का अधिकार देता है, बल्कि राज्य को यह अधिकार देता है कि समानता लाने के लिए वह महिलाओं के प्रति सकारात्मक विभेदीकरण की योजनायें बना सकते हैं।

इसी परिप्रेक्ष्य में महिलाओं को विभिन्न विकास-सम्बन्धी कार्यक्रमों से सम्बद्ध करके उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति सुधारने में मदद करने के उद्देश्य से वर्ष 1989 में शासन स्तर पर एक अलग महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया, उसके साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा महिलाओं के कल्याण सम्बन्धी किये जा रहे कार्यों की समीक्षा/समन्वय एवं महिलाओं के विकास हेतु पृथक से महिला कल्याण निदेशालय की स्थापना वर्ष 1989-90 में की गयी।

विभिन्न प्रकार की आपदाओं से ग्रस्त एवं सामाजिक कुरीतियों की शिकार महिलाओं एवं बच्चों को विविध प्रकार की आर्थिक सहायता, शिक्षा एवं प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान कर सुसंस्कृत एवं विकसित व्यक्तित्व प्रदान करने जैसा गुरुतर कार्य भी इस विभाग द्वारा किया जा रहा है।

निदेशालय के कार्यकलाप एवं प्रगति विवरण

निदेशालय द्वारा महिलाओं विशेष कर ग्रामीण एवं निर्धन वर्ग की महिलाओं को विकास की धारा से जोड़ने के लिए कई सामाजिक/आर्थिक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। निदेशालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के सम्बन्ध में संक्षिप्त वित्तीय विवरण निम्न प्रकार हैंः–

जनपदों में बाल कल्याण समिति की स्थापना

किशोर न्याय (बालकों की देख रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के अंतर्गत आई.सी.पी.एस. में 75 जनपदों में बाल कल्याण समिति की स्थापना हो चुकी है। जिसके संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में रुपये 2136.00 लाख का बजट अनुमान प्रस्तावित किया गया है।

शहरी तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद बालकों के लिये खुले आश्रय गृह की स्थापना

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के अंतर्गत आई.सी.पी.एस. में स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से शहरी तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद बालकों के लिये खुले आश्रय गृह की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में रुपये 650.00 लाख का बजट अनुमान प्रस्तावित किया गया है।

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये विशेषीकृत यूनिटों की स्थापना

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के अंतर्गत आई.सी.पी.एस. में ऐसे जरूरतमंद बच्चे, जिन्हें विशेष आवश्यकतायें अपेक्षित हैं, ऐसे विकलांगता श्रेणी अन्तःवासियों को संरक्षण दिये जाने के उद्देश्य से 19 राजकीय बाल गृहों में निवासरत् 10-10 विशेषीकृत विकलांग अन्तःवासी बालकों के लिये एक-एक यूनिट की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में रुपये 1141.00 लाख का बजट अनुमान प्रस्तावित है।

विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण की स्थापना

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के अंतर्गत आई.सी.पी.एस. में जनपदों में विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण इकाई की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में रुपये 306.00 लाख का बजट अनुमान प्रस्तावित किया गया है।

किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/गृहों का संचालन

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के अंतर्गत आई.सी.पी.एस.

में वर्तमान गृहों को जरूरतमंद बच्चों के लिये उनकी प्रगति के आधार पर संचालित किया जा रहा है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में रुपये 11292.00 लाख का बजट अनुमान प्रस्तावित किया गया है।

बाल संरक्षण इकाई की स्थापना

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के क्रियान्वयन के लिये आई.सी.पी.एस. के अन्तर्गत राज्य बाल कल्याण इकाई तथा जिला बाल संरक्षण इकाइयों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में रुपये 4830.00 लाख का बजट अनुमान प्रस्तावित किया गया है।

स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से बालगृह/आश्रय गृह (बालक/बालिका/शिशु) की स्थापना

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के अंतर्गत आई.सी.पी.एस. में स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से बालगृह (बालक/बालिका/शिशु/आश्रय गृह) की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में रुपये 900.00 लाख का बजट अनुमान प्रस्तावित किया गया है।

राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी की स्थापना

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के अंतर्गत आई.सी.पी.एस. में मुख्यालय पर राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी की स्थापना हो चुकी है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में रुपये 54.70 लाख का बजट अनुमान प्रस्तावित किया गया है।

किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना

किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 के अंतर्गत आई.सी.पी.एस. में जनपदों में किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रुपये 1768.50 लाख का बजट अनुमान प्रस्तावित किया गया है।

कन्या सुमंगल योजना

बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर में वृद्धि करने तथा उनके भविष्य को उज्ज्वल बनाने, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, बाल विवाह को रोकने के उद्देश्य से तथा महिलाओं एवं जनमानस में सकारात्मक सोच लाने, उनके प्रति सम्मान भाव जाग्रत करने के उद्देश्य से 01 जनवरी, 2019 से प्रदेश में 'कन्या सुमंगला योजना' उत्तर प्रदेश में लागू की गयी है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु रु. 120000.00 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित किया गया है।

किशोर न्याय निधि

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 700.00 लाख की व्यवस्था की गयी है एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु इस योजना में रु. 700.00 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित किया गया है।

परिवीक्षा सेवा क्षेत्र

प्रोबेशन आफ अफेन्डर एक्ट 1953 अपराधी मनोवृत्ति को मनोवैज्ञानिक ढंग से बदलने तथा अपराधी को दण्ड के बजाय सुधारात्मक ढंग से परिवर्तन करने के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। साथ ही किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने का दायित्व मण्डल/जिला स्तर पर तैनात जिला परिवीक्षा अधिकारी/उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारियों को सौंपा गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 3245.21 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित किया गया है।

संस्थाओं/गृहों का संचालन

अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अपराधिक मानसिकता से जुड़े न होने पर भी विभिन्न आयु वर्ग की बालिकाएं, किशोरियाँ अपराध की गिरफ्त में आ जाती हैं अथवा कुछ ऐसी बालिकाएं/किशोरियाँ हैं जिन्हें माता-पिता अथवा संरक्षण के अभाव में विकास के समुचित अवसर प्राप्त नहीं हो पाते। उन्हें संरक्षण प्रदान करने, समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की दृष्टि से आयु-लिंग तथा प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए 14 राजकीय संस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। जिनके लिये वित्तीय वर्ष 2019-20 में आय-व्ययक में रु. 4094.96 लाख प्रस्तावित किया गया है।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना

बच्चे देश का भविष्य हैं। बच्चों का सर्वांगीण विकास एक सार्वभौमिक आवश्यकता है। भारतीय संविधान ने बच्चों को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान किये हैं, जैसे- न्याय के समक्ष समानता, 06 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देना, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों तथा खतरनाक प्रकृति के उद्योगों में नियुक्त न करना। देश की प्रत्येक राज्य सरकारों को बच्चों के विकास के लिए इस प्रकार की नीतियां बनानी चाहिए, जिससे बच्चों के बचपन का दुरुपयोग न हो सके। इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में भी दी गयी है। भारत सरकार/राज्य सरकार बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प है, उनके लिये संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 पारित किया गया है। तद्क्रम में अधिसूचना द्वारा वर्ष 2013 में राज्य आयोग का गठन किया गया साथ ही आयोग के कार्यों के निष्पादन हेतु नियमावली 2015 अधिसूचित की गयी है, जिसका मुख्य उद्देश्य बाल अधिकारों के संरक्षण के सन्दर्भ में विस्तृत कार्यवाही कर उनके संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकारों को संरक्षित किया जाये। इसके लिये वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 637.52 लाख का आय-व्ययक अनुमान प्रस्तावित किया गया है।

स्वाधार आश्रय गृह

जनपद मथुरा में स्वाधार आश्रय गृह के अन्तर्गत ऐसी महिलाओं को रखे जाने की व्यवस्था है जो निराश्रित हैं, अपने पति/बच्चे/परिवार से पृथक कर दी गयी हैं, घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं अथवा किसी दैवीय आपदा के चलते निराश्रित हो गयी हैं, को आश्रय प्रदान किये जाने हेतु स्वाधार आश्रय गृह योजना का संचालित किया जाना प्रस्तावित है। इसका संचालन पुरोनिधानित योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। जिसमें 60 प्रतिशत केन्द्र सरकार एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार का अंश होता है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 500.00 लाख की बजट व्यवस्था प्रस्तावित किया गया है।

उज्ज्वला योजना

यह एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना है, जिसमें 60 प्रतिशत केन्द्र एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार का अंश होता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में रुपये 207.74 लाख का व्यय अनुमानित है तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 में रुपये 150.00 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित किया गया है।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

भारत सरकार की योजना नेशनल मिशन फार वूमेन के तहत 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना बाल लैंगिक अनुपात एवं बालिकाओं को अनिवार्य शिक्षा से जोड़ने तथा बाल लैंगिक अनुपात की दर में वृद्धि हेतु समेकित प्रयास के उद्देश्य से यह योजना प्रदेश के 17 जनपदों में क्रमशः आगरा, बागपत, मथुरा, बुलन्दशहर, मेरठ, झांसी, मुजफ्फर नगर, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, कन्नौज, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर, बरेली, लखनऊ तथा हाथरस में संचालित की जा रही हैं। इस मद में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये रु. 212.50 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित किया गया है।

181 महिला हेल्प लाइन/वन स्टाप सेन्टर

महिला हेल्प लाइन के सार्वभौमिकरण की योजना, हिंसा से प्रभावित महिलाओं को 24 घण्टे तत्काल सहायता प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार के सहयोग से संचालित की जा रही है। इसके लिये वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 2500.00 लाख एवं रु. 15.26 लाख की बजट व्यवस्था प्रस्तावित किया गया है।

महिला शक्ति केन्द्र की स्थापना

यह एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। इसमें 60 प्रतिशत केन्द्र एवं 40 प्रतिशत राज्य सरकार का अंश होता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में रुपये 400.00 लाख का आय-व्ययक स्वीकृत है तथा आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 में रुपये 1080.00 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित किया गया है।

स्टेट रिर्सोस सेन्टर फार वूमेन एण्ड चाइल्ड

स्टेट रिर्सोस सेन्टर फार वूमेन एण्ड चाइल्ड की स्थापना महिला बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा टाटा इन्स्टीट्यूट आफ सोशल सांइसेस मुम्बई के सहयोग से महिलाओं एवं बच्चों के एक उत्कृष्ट केन्द्र की स्थापना की गयी है। एस.आर.सी.डब्लू.सी.ऐसे संसाधन के रूप में कार्य करेगा जिसमें महिला एवं बाल विकास एवं उनके अधिकारों के साथ हिंसा से बचाव के मुद्दे पर विश्वसनीय एवं सार्थक ज्ञान की उपलब्धता होगी। सेन्टर का मिशन-महिला एवं बच्चों का सशक्तिकरण एवं संरक्षण है। इस मद में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये रु. 300.00 लाख की बजट व्यवस्था हो चुकी है।

दहेज से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता

वर्ष 1990-91 में समाज कल्याण विभाग द्वारा दहेज के कारण उत्पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने की योजना संचालित है। वर्ष 1994-95 में यह योजना महिला कल्याण विभाग में स्थानान्तरित होकर अब इस विभाग द्वारा चलाई जा रही है। योजनान्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली महिलाएं जिनके द्वारा थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर दी गई हो अथवा न्यायालय में वाद विचाराधीन हो, पात्रता की श्रेणी में आती हैं। ऐसी उत्पीड़ित महिला को वाद के निस्तारण तक रु. 125-00 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 9.00 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है।

दहेज से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता

वर्ष 1990-91 से समाज कल्याण विभाग द्वारा दहेज के कारण उत्पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान किए जाने की योजना संचालित थी, वर्ष 1994-95 में यह योजना स्थानान्तरित होकर इस विभाग द्वारा व्यवहृत की जा रही है। योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली दहेज से उत्पीड़ित महिलाओं जिनके द्वारा थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी हो अथवा न्यायालय में वाद विचाराधीन हो, को विधिक वाद की पैरवी हेतु रु. 2500/- की एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 8.00 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है।

पति की मृत्युपरान्त महिलाओं से पुनर्विवाह करने पर दम्पत्ति को पुरस्कार योजना

यह योजना वर्ष 1991-92 से समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित है। वर्ष 1994-95 में यह योजना स्थानान्तरित होकर महिला कल्याण विभाग द्वारा व्यवहृत की जा रही है। योजनान्तर्गत प्रचलित नियमावली में व्यवस्था है कि 35 वर्ष से कम आयु की ऐसी महिलाओं से विवाह करने पर दम्पत्ति को प्रोत्साहन स्वरूप रु. 11000-00 का अनुदान दिया जाता है। बशर्ते की यह आयकर दाता न हो। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 45.00 लाख का आय-व्ययक प्रस्तावित है।

रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष

रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष की स्थापना नियमावली 2015 के अन्तर्गत जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं/बालिकाओं जिन्हें तात्कालिक आर्थिक और चिकित्सीय राहत सुनिश्चित करने, पीड़िताओं के भरण पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ-साथ यदि परिस्थितिवश ऐसा अपेक्षित हो, ऐसी पीड़िताओं के अवयस्क बच्चों के भरण पोषण एवं शिक्षा के लिए भी इस कोष का उपभोग किया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष प्रदेश की महिलाओं व बालिकाओं को बहादुरी के कार्य करने तथा खेल के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त करने तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाली 20 महिला प्रधानों को रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार से सम्मानित किये जाने की व्यवस्था है। हेल्प डेस्क की स्थापना किंग जार्ज मेडिकल कालेज एवं लोहिया संस्थान लखनऊ में की गयी है।

पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं को सहायक अनुदान की योजना

इस योजनान्तर्गत ऐसी निराश्रित महिलायें जिनके पति की मृत्यु हो गयी है एवं समाज तथा परिवार से उपेक्षित रहने तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हों। प्रदेश की ऐसी महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर को ऊँचा उठाने के उद्देश्य से वर्ष 1971-72 में यह योजना प्रारम्भ की गई। पूर्व में अनुदान की राशि रु. 150/- प्रति माह थी जिसे वित्तीय वर्ष 2007-08 से प्रति लाभार्थी बढ़ाकर रु. 300/- कर दिया गया है। वर्तमान में यह धनराशि रु. 500.00 कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में योजना ग्राम पंचायत के माध्यम से तथा शहरी क्षेत्रों में तहसील/निकायों के माध्यम से संचालित है।

विभागीय संस्थाओं से मुक्त किये गये अन्तःवासियों के लिए राज सहायता

विभागीय संस्थाओं से स्वतः रोजगार मुक्त होने वाले संवासियों/संवासिनियों को रु. 7000/- का पुनर्वासन अनुदान दिया जाता है। जिसमें 25 प्रतिशत धनराशि नकद तथा शेष 75 प्रतिशत धनराशि से मशीन/उपकरण क्रय कर उपलब्ध कराया जाता है। विवाह के माध्यम से पुनर्वासित संवासिनियों को रु. 15000.00 का पुनर्वासन अनुदान दिया जाता है।

गाजियाबाद, आजमगढ़ एवं गाजीपुर में राजकीय महिला शरणालयों की स्थापना

प्रदेश में राजकीय महिला शरणालयों की संख्या अपर्याप्त होने के कारण समाज में उपेक्षित, बेसहारा, जरूरतमंद बालिकाओं/महिलाओं के संरक्षण व उचित देखभाल के दृष्टिगत जनपद गाजियाबाद, आजमगढ़ एवं गाजीपुर में राजकीय महिला शरणालयों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 300.00 लाख की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में रु. 358.28 लाख की व्यवस्था है।

श्रमजीवी महिला आवासों के निर्माण के लिए स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा दिये गये अनुदान में राज्य सरकार का सहयोग

भारत सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं को श्रमजीवी महिला छात्रावासों के निर्माण हेतु भूमि की लागत का 50 प्रतिशत तथा निर्माण लागत का 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। निर्माण लागत में राज्य सरकार द्वारा अधिकतम 15 प्रतिशत का सहयोग प्रदान किया जाता है। 10 प्रतिशत स्वैच्छिक संगठन स्वयं के साधन से वहन किया जाता है।

स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं को सहायता

स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं के सहयोग से संचालित अनाथालयों/यतीमखानों के संचालतन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रश्नगत योजना के अंतर्गत अनुदान दिया जाता है।

पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजना

उक्त योजनान्तर्गत विधवा पेंशन पा रही महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु एक मुश्त रु. 10,000-00 की सहायता प्रदान की जा रही है।

विभागीय संस्थाओं/गृहों का निर्माण

इस योजनान्तर्गत विभागीय संस्थाओं/गृहों के निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस योजना में रु. 2500.00 लाख की व्यवस्था की गयी है। वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु इस मद में रु. 3500.00 लाख आय-व्ययक प्रस्तावित है।

आशा ज्योति केन्द्र :

रानी लक्ष्मीबाई आशा ज्योति केन्द्र की स्थापना के अन्तर्गत एक ही छत के नीचे महिला हेल्प लाइन, महिला थाना, कानूनी सहायता, कौशल सुधार, अल्पावास पीड़िता के उपचार हेतु चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के 17 जनपदों- आगरा, बरेली, मेरठ, गाजीपुर, गाजियाबाद, कानपुर, कन्नौज, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, मुजफ्फर नगर, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, झांसी, बांदा तथा मिर्जापुर में यह योजना संचालित की जा रही है।

महिला समाख्या कार्यक्रम

उत्तर प्रदेश में महिला समाख्या कार्यक्रम विगत 27 वर्षों से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कार्यरत है। वर्तमान में महिला समाख्या कार्यक्रम 12 जिलों यथा- सीतापुर, औरैया, मथुरा, मुजफ्फर नगर, मऊ, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, चन्दौली, कौशाम्बी, शामली व बुलन्दशहर में संचालित हैं। जिसके अन्तर्गत 5923 महिला संघों का गठन किया गया है। इन संघों में 1,50,000 महिलाएं एवं 30,000 किशोरियों का जुड़ाव है। ये संघ समुदाय स्तर पर महिलाओं को संगठित करने, गतिशील करने, सरकारी योजनाओं के प्रति उन्हें जागृत करने और घरेलू हिंसा व महिलाओं के प्रति अन्य प्रकार के उत्पीड़न को रोकने व उन्हें राहत पहुंचाने के लिये सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। इन संघों के माध्यम से ही महिला समाख्या कार्यक्रम के अन्तर्गत समुदाय स्तर पर अनेक ढांचों का निर्माण हुआ है।

निराश्रित महिलाओं के लिए आश्रय सदन

वृन्दावन मथुरा में संचालित दो आश्रय सदन लीलाकुंज एवं रास बिहारी सदन महिला कल्याण निगम द्वारा संचालित की जा रही हैं। जिसमें विभिन्न राज्यों की वृद्ध माताएं, निराश्रित तथा विधवा महिलाएं रहती हैं। राज्य सरकार द्वारा फूड मनी, पाकेट मनी, औषधि आदि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। निवासरत महिलाओं को कन्ट्रोल रेट पर राशन, आधार कार्ड, पेंशन आदि की सुविधा उपलब्ध है। आश्रय सदन में तैनात डॉक्टरों द्वारा महिलाओं की समय-समय पर जाँच तथा निःशुल्क दवायें उपलब्ध करायी जाती है।

वृद्ध महिला आश्रम की स्थापना

वृन्दावन मथुरा में निगम द्वारा पांच आश्रय सदनों का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त एक नये आश्रय सदन के निर्माण हेतु भूमि आवंटन की कार्यवाही जिला प्रोबेशन अधिकारी, मथुरा द्वारा की जा रही है। इस मद में वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 650.00 लाख की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

उ.प्र. रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष

महिला एवं बाल विकास विभाग, उ.प्र. सरकार द्वारा संचालित उ.प्र. रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अंतर्गत आई.पी.सी. की धारा 304 बी, 326ए, 376 ए, 376सी, 376 डी, पाक्सो अधिनियम की धरा 4, 6 व 14 तथा आई.पी.सी. की धारा 302 के साथ पठित पाक्सो अधिनियम की

धारा 4/6 के प्रकरणों में जघन्य हिंसा की शिकार बालिकाओं/महिलाओं अथवा उनके परिजनों को रु. 1 लाख से लेकर रु. 4 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। इस आर्थिक सहायता को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के आवेदन की आवश्यकता नहीं है। सरकार द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट, चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट व चार्जशीट के आधार पर आर्थिक सहायता प्रदान करने की कार्यवाही स्वतः सम्पादित की जाती है।

कोष नियमावली के अंतर्गत उपरोक्त धाराओं के तहत जघन्य हिंसा की शिकारी पीड़िताओं/उनके अवयस्क बच्चों, सामाजिक पेंशन योजना से आच्छादित समस्त महिला पेंशनर व उनके अवयस्क बच्चों, सरकारी गृहों में रहने वाली निराश्रित महिलाओं व किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत स्थापित सरकारी/गैर सरकारी गृहों के समस्त बच्चों को शैक्षिक व चिकित्सीय सहायता, जो किसी सरकारी कार्यक्रम के अधीन निःशुल्क उपलब्ध नहीं है, हेतु आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है।

उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम लखनऊ

राज्य सरकार के अधीन महिला एवं बाल विकास विभाग, उ.प्र. शासन के शासनादेश संख्या 2079/26-2/87-159-87 दिनांक 12.06.1987 के द्वारा उत्तर प्रदेश महिला कल्याण निगम की स्थापना मार्च, 1988 में प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक रूप से पिछड़ी/कमजोर महिलाओं के सर्वांगीण विकास हेतु कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 614 के अंतर्गत की गयी थी।

निगम के उद्देश्य

- निराश्रित, निर्धन तथा कमजोर वर्ग की महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं सर्वांगीण विकास के लिए बिना हानि-लाभ के आधार पर कार्य करना।
- महिलाओं की शासन द्वारा अनुमोदित योजनाओं में आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- महिलाओं में औद्योगिक जोखिम उठाने की दक्षता एवं उद्यमिता का विकास करना।
- महिलाओं को सहकारिता एवं व्यक्तिगत रोजगार, उद्योग या व्यवसाय स्थापित करने हेतु ऋण तथा मार्जिन मनी के रूप में अनुमोदन की व्यवस्था करना।
- उद्यमी महिलाओं का चयन करके उन्हें स्वावलम्बी बनाने हेतु उन्हें आर्थिक सहायता देना एवं उचित प्रशिक्षण तथा सही मार्गदर्शन दिलाकर कार्यरत करना।
- महिलाओं की कार्यक्षमता के अनुरूप वायेबिल प्रोजेक्ट एवं आदर्श योजनाएं तैयार करना एवं तकनीकी देना।
- मार्जिन मनी स्कीम के अंतर्गत बैंकों अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं से महिलाओं को ऋण उपलब्ध करना।
- विपणन व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करना एवं महिला उद्यमियों के उत्पादों के उचित विपणन हेतु विपणन संस्थाओं एवं बाजारों तक पहुंच स्थापित कराने में सहयोग करना।
- सामाजिक कुरीतियों से पीड़ित महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए उन्हें व्यवसाय हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सहयोग करना।
- इच्छुक महिलाओं को सम्बन्धित व्यवसाय में प्रशिक्षण दिलाना (इस हेतु महिला पॉलीटेक्निक एवं आई.टी.आई. एवं अन्य संस्थाओं से सहायता ली जाएगी)
- महिलाओं को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान कराकर रोजगार तथा स्वतः रोजगार के अवसर प्रदान कराना और साथ ही महिलाओं के आर्थिक तथा सामाजिक विकास हेतु ऐसे कार्यक्रम संचालित कराना, जो उनके लिए हितकर हों।

उत्तर प्रदेश नियंत्रण बोर्ड

अनाथालय और अन्य पूर्व आश्रम (पर्यवेक्षण और नियंत्रण) अधिनियम, 1960 प्रदेश में 19 अक्टूबर, 1991 से लागू है, जिसके क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बोर्ड की स्थापना 16 नवम्बर, 1991 को की गई।

बोर्ड का मूलभूत उद्देश्य अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार आश्रमों के प्रबन्ध से सम्बन्धित विषयों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना है, जिसके अंतर्गत अधिनियम की परिधि में आने वाली संस्थाओं को मान्यता देना, मान्यता का नवीनीकरण करना, उनका निरीक्षण एवं नियंत्रण करना तथा संवासियों का पुनर्वासन तथा गोद/संरक्षण, विवाह, नौकरी, संरक्षकों को सौंपकर कराना एवं उनको उच्चतर शिक्षा दीक्षा एवं सर्वांगीण विकास हेतु अन्य उपयुक्त संस्थाओं से स्थानान्तरण की कार्यवाही सुनिश्चित कराना है। इसके साथ ही संस्था की चल-अचल सम्पत्ति का दुरुपयोग न हो तथा संवासियों एवं कार्यरत कर्मचारियों का किसी प्रकार शोषण न हो, आदि पर निगरानी रखना है। मान्यता न लेने वाली संस्थाओं तथा मान्यता प्राप्त ऐसी संस्थायें जिनका संचालन संतोषजनक नही रहता है, के विरुद्ध क्रमशः दण्डात्मक एवं मान्यता निरस्त कराने की कार्यवाही बोर्ड द्वारा की जाती है।

बोर्ड के नियंत्रणाधीन संस्थायें, यतीमखाना, अनाथालय, कुष्ठ आश्रम आदि श्रेणी की संस्थाये, वे मूलभूत संस्थायें हैं जिनकी स्थापना सैकड़ो वर्ष पूर्व समाजसेवी प्रेमियों द्वारा अपने निजी संसाधनों से की गयी है। ये संस्थायें निजी स्रोतों, दान, चन्दा आदि से संचालित हो रही हैं, जिनका भवन निजी/किराये पर है, इनका मूलभूत उद्देश्य अनाथ, उपेक्षित, परित्यक्त, बालक/बालिकाओं/महिलाओं को संस्था में संरक्षण/शरण देकर उनकी परवरिश करना, उन्हें स्वावलम्बी बनाना तथा यथासम्भव उनका पुनर्वासन सुनिश्चित कराना है।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग

प्रदेश में महिलाओं के उत्पीड़न सम्बन्धी शिकायतों के निदान, विकास की प्रक्रिया में सरकार को सलाह देने तथा उनके सशक्तिकरण हेतु आवश्यक कदम उठाने के उद्देश्य से उ.प्र. राज्य महिला आयोग (संशोधन) अधिनियम-2013 के नाम से प्रख्यापित है। आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष एवं 25 सदस्य प्राविधानित हैं। माननीय अध्यक्ष को राज्य मंत्री एवं माननीय उपाध्यक्ष को उपमंत्री का स्तर प्रदान किया गया है।

आयोग के मुख्य कार्य

- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में प्रत्येक माह के प्रथम बुधवार को महिला जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन।
- दिनांक 11.10.2017 को उ.प्र. राज्य महिला आयोग के सभागार कक्ष में प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा एवं आर्थिक सशक्तिकरण विषयक एक गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें जनपद लखनऊ के विभिन्न महिला डिग्री कालेजों की प्राचार्य अथवा उनकी ओर से नामित प्रवक्ताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया।
- आयोग द्वारा महिलाओं से सम्बन्धित विषयों यथा- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न, दहेज उत्पीड़न एवं ''बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'' के साथ ही सामाजिक जागरूकता सम्बन्धी पहलुओं-स्वच्छता अभियान आदि पर प्रदेश/जनपद की महिलाओं की जागरूकता हेतु दिनांक 28.12.2017 व दिनांक 29.12.2017 को लखनऊ के 8 चयनित स्थलों पर नुक्कड़ नाटकों का आयोजन।

- दिनांक 24.01.2018 को ''राष्ट्रीय बालिका दिवस'' के अवसर पर उ.प्र. राज्य महिला आयोग द्वारा ''बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ'' विषय पर गोमती रिवर फ्रन्ट लखनऊ पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन।
- राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिनांक 31.01.2018 को विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में उ.प्र. राज्य महिला आयोग के पदाधिकारियों/अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया जिसमें घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, प्रवासी विवाह के मुद्दे एवं एसिड अटैक पर परिचर्चा हुई, जिससे आयोग के प्रतिभागियों का ज्ञानवर्धन हुआ। आयोग द्वारा भी इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कालान्तर में कराया जायेगा।

उ.प्र. राज्य समाज कल्याण बोर्ड, लखनऊ

उ.प्र. राज्य समाज कल्याण बोर्ड, लखनऊ केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली के अधीन वर्ष 1954 से कार्यरत एक स्वायत्तशासी संगठन है। बोर्ड द्वारा विगत 60 वर्षों से महिलाओं एवं बच्चों के कल्याणार्थ स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से विभिन्न सामाजिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य बोर्ड द्वारा समय-समय पर समाज से सरोकार रखने वाले प्रमुख ज्वलंत मुद्दों पर भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित की गई है। बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में सामाजिक गतिविधियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज की गई है, जिसमें पंचायत से लेकर मुख्यालय तक बोर्ड के विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन समाज में महिलाओं एवं बच्चों से जुड़े सामाजिक सरोकारों के लिए डॉ. दुर्गाबाई देशमुख के द्वारा किया गया। अपने स्थापना काल से केन्द्रीय बोर्ड के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर प्रत्येक प्रान्त में राज्य बोर्ड स्थापित हैं, जो अपनी गतिविधियों केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली (महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्रालय, भारत सरकार) के आर्थिक सहयोग से संचालित किया जा रहा है।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

(महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार) का परिचय

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना समाज में महिलाओं के कल्याण, विकास और सशक्तिकरण के लिए गैर-सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों के साथ रचनात्मक भागीदारी सुनिश्चित करने तथा इस कार्य के लिए ऐसे अधिक से अधिक संगठनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 1953 में स्थापना की गई। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत गैर-सरकारी/स्वैच्छिक संगठनों को सहायता उपलब्ध कराता है, ताकि वे महिलाओं में शिक्षा, प्रशिक्षण, आश्रय, परामर्श सेवा तथा सहायक सेवाएं उपलब्ध कराकर समाज में उनकी स्थिति को सुदृढ़ बना सकें और उन्हें सशक्त कर सकें।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड राष्ट्रीय बोर्ड राष्ट्रीय संगठन के स्तर पर अत्यधिक प्रगतिशील इकाई के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए प्रयास करना तथा महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा, क्षमता-निर्माण और पूर्ण सशक्तिकरण के लिए सुस्पष्ट और सर्वोत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करना। महिलाओं एवं बालिकाओं के कानूनी तथा मानवाधिकारों के सम्बन्ध में लोगों में जागरूकता बढ़ाना तथा इन्हें प्रभावित करने वाली सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध अभियान चलाना।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा भविष्य में प्रभावी ढंग से स्वैच्छिक प्रयासों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से निम्न उद्देश्यों को सम्मिलित किया गया है :

1. स्वैच्छिक प्रयासों की भावना को और सुदृढ़ करते हुए मानवीय दृष्टिकोण के साथ परिवर्तन के वाहक की भूमिका निभाने का प्रयास करेगा।
2. महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के लिए समर्पित स्वैच्छिक संगठनों/सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक नेटवर्क तैयार करके कार्यक्रमों का संचालन करने का प्रयास करेगा।
3. नये उभरते क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के समक्ष आने वाली नई चुनौतियों का सामना करने के लिए महिलाओं पर केन्द्रित कार्यक्रम संचालित करने का प्रयास करेगा।
4. अब तक अछूते क्षेत्रों में स्वैच्छिक संगठनों को मजबूत करना और महिलाओं से सम्बन्धित योजनाओं का अधिक से अधिक संचालन क्षेत्रों में कराये जाने का प्रयास करना।
5. सामाजिक जांचकर्ता के रूप में अपनी अनुवीक्षण/मानीटरिंग की भूमिका को और सुदृढ़ बनाना तथा स्वैच्छिक क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को मार्गदर्शन देना ताकि सरकारी राशि स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से सीधे लाभार्थियों तक कार्यक्रमों के रूप में पहुंचाई जा सके।

परिवार परामर्श केन्द्र योजना का विवरण

परिवार परामर्श केन्द्रों द्वारा परिवार या समाज में अत्याचारों की शिकार एवं अन्य सामाजिक समस्याओं, पारिवारिक विवादों और कलह से ग्रस्त महिलाओं को परामर्श, सहायता और पुनर्वास सेवा प्रदान की जाती है।

पात्रता की शर्तें

आवेदक संस्था के पास सामाजिक, समरसता एवं महिलाओं से जुड़े मुद्दों और समस्याओं पर कार्य करने का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए।

योजना का विवरण

परिवार परामर्श केन्द्र स्थानीय निकायों, जैसे- पुलिस और अल्पावास गृह संचालित करने वाली संस्थाओं के साथ मिलकर काम करेंगे। परिवार परामर्श केन्द्रों से उपेक्षा की जाती है कि वे संकटग्रस्त महिलाओं तथा उन पर होने वाले अत्याचारों के मामलों में हस्तक्षेप करेंगे। संस्था समाज कार्य अथवा मनोविज्ञान में निष्णात उपाधि (मास्टर डिग्री) प्राप्त दो परामर्शदाता नियुक्त करेगी। दो परामर्शदाताओं में कम से कम एक महिला अवश्य होनी चाहिए।

टिप्पणी

(1) स्वीकृत राशि का 10 प्रतिशत संस्था अपने मैचिंग अंशदान के रूप मे वहन करेगी।

(2) परिवार परामर्श केन्द्र शुरू करने के समय रु. 0.25 लाख का अनावती अनुदान मंजूर किया जाएगा।

परामर्शदाताओं की शैक्षणिक योग्यता

समाज कार्य/मनोविज्ञान में निष्णात उपाधि (मास्टर डिग्री)। जिन पर परामर्शदाताओं के पास निर्धारित शैक्षिक योग्यता नही है, लेकिन वे पांच से अधिक वर्षों से परिवार परामर्श केन्द्र में कार्यरत हैं तथा उन्होंने केन्द्रीय बोर्ड द्वारा आयोजित अभिमुखीकरण प्रशिक्षण और पुनश्चर्या कार्यक्रम में भाग लिया है, तो वे केन्द्रीय बोर्ड के अनुमोदन से परामर्शदाता के रूप में कार्य कर सकते हैं।

परिवार परामर्श केन्द्र कार्यक्रम स्वीकृति की प्रक्रिया

उपरोक्त योजनाएं निरन्तर संचालित होने वाली योजनाएं हैं। सम्बन्धित कार्यक्रम के अंतर्गत संस्थाओं को आगामी वित्तीय वर्ष की स्वीकृति संस्था के कार्यक्रम संचालन स्तर जिसका निर्धारण केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा उ.प्र. राज्य बोर्ड में तैनात क्षेत्रीय अधिकारियों की निरीक्षण आख्या के आधार पर किया

जाता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से कार्यक्रमों का निरीक्षण केन्द्रीय बोर्ड के तैनात क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ-साथ शासन स्तर के अधिकारियों यथा- सीडीपीओ, डीपीओ एवं ब्लॉक स्तर पर नियुक्त अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से कराये जाने का प्रावधान निर्धारित किया गया है।

परिवार परामर्श केन्द्र कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि निर्गत की प्रक्रिया

सम्बन्धित कार्यक्रम की स्वीकृति के उपरांत संस्थाओं से सम्बन्धित सूचना केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली को उपलब्ध कराई जाती है तथा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा संस्थाओं को धनराशि निर्गत करने हेतु प्रावधान व धनराशि केन्द्रीय बोर्ड स्तर से उ.प्र. राज्य बोर्ड को उपलब्ध कराई जाती है। सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत संस्थाओं को स्वीकृति के साथ-साथ प्रथम किश्त की धनराशि के रूप में संस्थाओं को स्वीकृति राशि की 50 प्रतिशत धनराशि कार्यक्रम संचालत हेतु निर्गत की जाती है।

संस्थाओं को द्वितीय किश्त की धनराशि केन्द्रीय बोर्ड द्वारा धनराशि उपलब्ध कराने के सम्मुख संस्थाओं से स्वीकृति-पत्र के अंतर्गत निहित शर्तों की सहमति बाण्ड फार्म व विगत 06 माह में खर्च की धनराशि का ब्यौरा एवं प्रगति आख्या के आधार पर की जाती है।

संस्थाओं को अन्तिम किश्त की धनराशि केन्द्रीय बोर्ड को उपलब्ध कराई गई धनराशि एवं संस्थाओं से सम्प्रेषित लेखे, प्रगति आख्या एवं निरीक्षण आख्या के आधार पर कार्यक्रम की गुणवत्ता को आधार मानते हुए संस्थाओं के लेखे स्वीकार करते हुए संस्थाओं को अन्तिम किश्त की धनराशि निर्गत की जाती है।

उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

बच्चे देश का भविष्य हैं। बच्चों का सर्वांगीण विकास एक सार्वभौमिक आवश्यकता है। भारतीय संविधान ने बच्चों को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान किये हैं, जैसे- न्याय के समक्ष समानता, 06 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा, बलात् श्रम से रोकना, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों तथा खतरनाक प्रकृति के उद्योगों में नियुक्त न करना। प्रत्येक राज्य सरकारें बच्चों के विकास के लिए इस प्रकार की नीतियाँ बनायें जिससे उनके बचपन का दुरुपयोग न हो सके। इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में दी गई है। भारत सरकार/राज्य सरकार बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प है, ताकि उनके संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकार सुरक्षित रहें। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 पारित किया गया है।

तद्क्रम में अधिसूचना द्वारा वर्ष 2013 में राज्य आयोग का गठन किया गया तथा आयोग के कार्यों के निष्पादन हेतु नियमावली 2015 अधिसूचित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य बाल अधिकारों के संरक्षण के सन्दर्भ में विस्तृत कार्यवाही कर उनके संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकारों को संरक्षित किया जाये।

आयोग के कार्य -

- आयोग द्वारा बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु कानूनी उपायों की समीक्षा करना तथा प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अनुशंसा करना।
- समय-समय पर केन्द्र सरकार को बाल अधिकार के संरक्षण सम्बन्धी उपायों पर प्रगति आख्या भेजना।
- बाल अधिकार के हनन की जाँच करना तथा मामलों में कार्यवाही की अनुशंसा करना।
- बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारण जैसे- आतंकवाद, साम्प्रदायिक हिंसा, दंगे, प्राकृतिक

आपदा, घरेलू हिंसा, एड्स, बाल व्यापार, दुर्व्यवहार, प्रताड़ना तथा शोषण (पोर्नोग्राफी) तथा वैश्यावृत्ति आदि मामलों का परीक्षण कर निदान हेतु उपायों की अनुशंसा करना।

- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से सम्बन्धित मामलों में संरक्षण के साथ भी अवसादग्रस्त बच्चे उपेक्षित एवं शोषित बच्चे, वादग्रस्त बच्चे, बाल अपराधी, परिवार विहीन बच्चे एवं कैदियों के बच्चों के लिए उचित शिक्षा सम्बन्धी एवं अन्य उपायों की अनुशंसा करना।
- विभिन्न संधियों एवं अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों का अध्ययन करना एवं समय-समय पर वर्तमान नीतियों की समीक्षा करना, विभिन्न कार्यक्रम एवं बाल अधिकारों से सम्बन्धित गतिविधियों की समीक्षा करना तथा बाल हित में उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अनुशंसा करना।
- बाल अधिकारों के क्षेत्र में शोध कार्य को प्रोत्साहन देना।
- बाल अधिकारों से सम्बन्धित वर्तमान रक्षा उपायों का प्रकाशन, मीडिया गोष्ठी एवं अन्य उपलब्ध माध्यमों से जागरूकता का प्रसार करना।
- केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी द्वारा संचालित अथवा किसी स्वयं सेवा संस्था द्वारा संचालित बाल सम्प्रेक्षण गृहों, बाल सुधार गृहों एवं बच्चों से सम्बन्धित अन्य संसाधनों जहाँ पर बच्चों का इलाज, सुधार एवं संरक्षण हेतु रखा गया है, का निरीक्षण करना।
- ऐसे मामलों में शिकायतों की जाँच करना और नोटिस जारी करना जहाँ -

(क) बाल अधिकारों का हनन अथवा उल्लघंन हो।

(ख) बच्चों के विकास एवं संरक्षण हेतु निर्मित विधियों का क्रियान्वयन न होना।

(ग) बच्चों के कठोर शारीरिक दण्डों के निवारण के लिए बनायी गयी नीति निर्देशिका अथवा निर्देश जिनका उद्देश्य बच्चों का कल्याण एवं लाभ पहुँचाना है, का भली भाँति क्रियान्वयन न होना, ऐसे मामलों में सक्षम प्राधिकारी के साथ अर्थोपाय सुझाना।

(घ) बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु आवश्यक अन्य कार्य एवं उपरोक्त से सम्बन्धित अन्य कार्य।

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम- 2009 की धारा 31 के अन्तर्गत बच्चों के शिक्षा सम्बन्धी प्रदत्त अधिकारों का अनुश्रवण, बच्चों के प्रदत्त अधिकारों/रक्षा उपायों का परीक्षण/समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संस्तुतियाँ करना, बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से सम्बन्धित शिकायतों की पृच्छा एवं निराकरण करना।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक़्फ़

भारत के संविधान में देश को एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी एवं प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र राष्ट्र घोषित किया गया है। संविधान जहां देश के नागरिकों में धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, वहीं धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने धर्म, भाषा तथा संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का अधिकार भी प्रदान करता है। उन्हें अपनी पसन्द की शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने और उनके प्रबन्धन का भी अधिकार देता है।

अल्पसंख्यक समुदाय की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में उनकी विशिष्ट समस्याओं का निराकरण करने तथा उनका शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनेक योजनायें/कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, संचालन तथा समन्वय के लिए अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक़्फ़ विभाग का गठन किया गया है।

प्रदेश में मुस्लिम, सिक्ख, बौद्ध, ईसाई, पारसी एवं जैन समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा प्राप्त है।

प्रदेश में अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारी की सुरक्षा एवं उनकी समस्याओं के निराकरण तथा शासन को परामर्श देने के उद्देश्य से उ.प्र. अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है जिसमें एक अध्यक्ष एवं 8 सदस्य हैं।

अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ उनके आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक विकास हेतु शासन द्वारा उ.प्र. अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लिमिटेड का भी गठन किया गया है।

प्रदेश के मुस्लिम समुदाय के पुरुष एवं महिलाओं को हज हेतु समुचित व्यवस्था तथा सुविधा हेतु शासन द्वारा उ.प्र. राज्य हज समिति का गठन ''द हज एक्ट 2002'' के अन्तर्गत किया गया है।

अल्पसंख्यक कल्याण हेतु मुख्य कार्यक्रम

1- अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना

(क) पूर्वदशम छात्रवृत्ति

पूर्वदशम् कक्षाओं कक्षा 9 एवं 10 में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं हेतु योजनान्तर्गत निर्गत शासनादेश सं0 1611/52-3-2018-14 (2)/2015 दिनांक 29.09.2018 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे सभी छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था के अन्तर्गत छात्रवृत्ति का भुगतान पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से छात्र/छात्रओं के बैंक खातों में किये जाने की व्यवस्था है, जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय रु. 2.50 लाख है, को अधिकतम रु. 3000/- वार्षिक की छात्रवृत्ति से लाभान्वित किये जाने का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजना के अन्तर्गत रु. 2512.00 लाख तथा जिला योजना पक्ष में रु. 1053.00 लाख अर्थात कुल रु. 3565.00 लाख की धनराशि का बजट में प्रावधान है।

(ख) दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना

दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को आगे की शिक्षा के लिए प्रेरित किये जाने के उद्देश्य से योजनान्तर्गत निर्गत संशोधित शासनादेश सं0 1914/52-3-2018-सा (13)/2017 दिनांक 16.10.2018 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जिनके अभिभावकों की अधिकतम वार्षिक आय रु. 2.00 लाख तक है, योजनान्तर्गत अर्ह/पात्र माने जायेंगे। पात्र छात्र/छात्राओं को दो वर्गों (नवीनीकृत एवं नये) के रूप में चिह्नीकरण के आधार पर नवीनीकृत छात्रों हेतु गतवर्ष के परीक्षा परिणाम/अंकों के आधार पर वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध बजट की सीमा तक/के आधार पर पात्र छात्र/छात्राओं को शिक्षा पर होने वाले वास्तविक व्यय अथवा निर्धारित अधिकतम वार्षिक दरों (जो भी कम हो) के आधार पर छात्रवृत्ति हेतु निम्नलिखित निर्धारित मासिक दरों पर तथा शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु समूह-1 के अन्तर्गत अधिकतम रु. 50,000/- तथा समूह 2 के लिए अधिकतम रु. 30,000/-, समूह 3 के लिए अधिकतम रु. 20,000/- एवं समूह 4 के लिए अधिकतम रु. 10,000/- के अन्तर्गत अधिकतम शुल्क प्रतिपूर्ति किये जाने की व्यवस्था है। जिसे पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में किये जाने की व्यवस्था है।

श्रेणी	दर (प्रति माह)	
	दिवाछात्र	छात्रावासीय छात्र
समूह-1	रु. 550/-	रु. 1200/-
समूह-2	रु. 530/-	रु. 820/-
समूह-3	रु. 300/-	रु. 570/-
समूह-4	रु. 230/-	रु. 380/-

वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजना के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में छात्रवृत्ति हेतु रु. 14867.00 लाख एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु रु. 15,000.00 लाख की धनराशि का बजट में प्रावधान है।

2- अल्पसंख्यक समुदाय के निर्धन/निराश्रित अभिभावकों की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान योजना

यह योजना वित्तीय वर्ष 2007-08 से प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना में किसी गरीब अभिभावक की अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु प्रति पुत्री रु. 20,000/- की दर से आर्थिक सहायता दी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजना के अन्तर्गत रु. 7400.00 लाख की धनराशि का बजट में प्रावधान है।

3. मेडिकल/इंजीनियरिंग की परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2005-06 से शासनादेश सं0 2997/52-3-2005-सा (2)/2005 दिनांक 10 फरवरी, 2006 अनुसार जनपद लखनऊ में 100 छात्र/छात्राओं को मेडिकल/इंजीनियरिंग की कोचिंग योजना के लिये कुल फीस (अधिकतम रु.15000/- प्रति अभ्यर्थी) दी जाती है। अभ्यर्थी को कोचिंग में प्रवेश के समय 50 प्रतिशत राशि एवं कोर्स समाप्ति पर 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजना के अन्तर्गत 100 अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किये जाने के लिये बजट में रु. 15.00 लाख की धनराशि का प्रावधान है।

4. अरबी फारसी मदरसों को मान्यता एवं अनुदान सूची पर लिए जाने की योजना

अरबी फारसी मदरसों को मान्यता प्रदान करने तथा इनकी परीक्षाओं को संचालित करने हेतु प्रदेश स्तर पर मदरसा शिक्षा परिषद स्थापित हैं। निरीक्षक, अरबी फारसी मदरसा ही परिषद के पदेन रजिस्ट्रार होते हैं। प्रदेश के तहतानियां, फौकानियां तथा उच्च श्रेणी के मदरसों को मान्यता रजिस्ट्रार स्तर से प्रदान की जाती है।

मान्यता प्राप्त मदरसों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वेतन भुगतान के लिये शासन द्वारा उपलब्ध संसाधनों को देखते हुये समय-समय पर आलिया स्तर के मान्यता प्राप्त अरबी, फारसी मदरसों को अनुदान सूची पर लिया जाता है। वर्तमान में कुल 560 अरबी फारसी मदरसों को शासकीय अनुदान दिया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में 560 मदरसों को वेतन भुगतान हेतु रु. 84428.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

5. अनुदानित मदरसों को पोषण अनुदान दिये जाने की योजना

अनुदानित मदरसों में विद्युत व्यय, जल/भूमिकर, पुस्तक एवं लेखन सामग्री, काष्ठोपकरण अनुषंगिक व्यय तथा भवन के जीर्णोद्धार के लिये निर्धारित शर्तों एवं मानक के अनुसार अनुदान दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 1400.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

6. प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में मदरसा वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम (मदरसा मिनी आई.टी.आई.)

प्रदेश के मान्यता प्राप्त मदरसों में परम्परागत शिक्षा के साथ-साथ अध्ययनरत बालक/बालिकाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मदरसा वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम (मदरसा मिनी आई.टी.आई.) प्रारम्भ की गयी है, जिसके प्रथम चरण में 140 मदरसों में मिनी आई.टी.आई. की स्थापना कर मदरसा प्रबन्ध-तंत्र को परम्परागत शिक्षा के साथ-साथ बालक/बालिकाओं को उनकी अभिरुचि के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिये राज्य सरकार ने प्रथम बार वर्ष 2003-2004 के बजट में रु. 285.60 लाख की वित्तीय सहायता दी थी। इस योजना के अन्तर्गत चयनित मदरसों को तीन ट्रेड़ों पर आधारित मिनी आई.टी.आई. की स्थापना के लिये तीन इन्स्ट्रक्टर, एक लैब असिस्टेण्ट तथा एक अनुचर के लिये राज्य सरकार द्वारा मानदेय दिया जाता था। इस योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित ट्रेड़ों की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष से तीन वर्ष निर्धारित की गयी है, जिसको पूरा करने पर कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बालक/बालिकाओं की परीक्षा लेकर उन्हें प्रमाण-पत्र भी प्रदान किये जाते हैं। इस योजना की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए अनुदेशकों आदि के चयन के लिये जिलाधिकारी के स्तर पर चयन समिति है, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञों को भी रखा गया है। योजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवक/युवतियों को रोजगार भी मिलेगा।

वर्ष 2013-14 में एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वित्त विभाग के शासनादेश सं0-वे0आ0-2-562/दस-54(एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 30 अगस्त, 2013 एवं शासनादेश सं0- 1589/52-3-2013-सा(2)/08 दिनांक 20 सितम्बर, 2013 के क्रम में निदेशालय के आदेश सं0- 4236/अ0स0क0नि0/म0प0म0मि0आई0टी0आई0/2014 दिनांक 25 जनवरी, 2014 के द्वारा व्यावसायिक शिक्षा विभाग की संस्थाओं में कार्यरत उक्त कार्मिकों के पदों हेतु सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अर्हता रखने

वाले कार्मिक को सम्बन्धित पद पर अनुमन्य वेतन बैन्ड एवं ग्रेड वेतन का न्यूनतम तथा राज्य कर्मचारियों को समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते के समान धनराशि तथा अन्यथा की स्थिति में नियुक्त कार्मिकों के मानदेय की दरों को दो गुना कर दिया गया है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 2117.31 लाख धनराशि की बजट में व्यवस्था कराई गई है।

7. अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बहुद्देशीय हब की स्थापना

यह योजना वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ की गयी है। योजना प्रदेश में सबसे अधिक अल्पसंख्यक जनसंख्या वाले 20 जनपदों में लागू की गई है। चयनित जनपद में एक बालक तथा एक बालिका राजकीय मॉडल इण्टर कालेज स्थापित किया जायेगा। योजना के लिये माध्यमिक शिक्षा विभाग का प्राइमरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा का मॉडल लिया गया है। स्थानीय औचित्य तथा आवश्यकता के अनुसार छात्रावास के भी स्थापना की व्यवस्था है। प्रस्तावित मॉडल इण्टर कालेज के मानक केन्द्रीय विद्यालय के होंगे। मॉडल इण्टर कालेज का पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा विभाग का होगा तथा आवर्ती व्यय का वहन और संचालन उन्हीं के द्वारा किया जायेगा।

8. अंत्येष्टि स्थल पर अवस्थापना सुविधाओं का विकास/चहारदीवारी निर्माण हेतु अनुदान

यह योजना वित्तीय वर्ष 2012-13 से आरम्भ की गई है। इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय के सार्वजनिक उपयोग के कब्रिस्तानों एवं अंत्येष्टि स्थलों पर अवैध कब्जों को रोकने एवं जमीन की सुरक्षा एवं संरक्षा के उद्देश्य से चहारदीवारी का निर्माण किया जायेगा।

इसके लिए आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 10000.00 लाख की धनराशि का प्रावधान है।

9. अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में महिला छात्रावास निर्माण/कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों हेतु भवन निर्माण की योजना

अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में लड़कियों की बेहतर शिक्षा के लिये भारत सरकार की शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता से यह योजना वर्ष 1993 से चलायी जा रही है। अब तक 24 छात्रावासों एवं 11 विद्यालय भवनों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में संस्थाओं में 5 छात्रावासों तथा 67 विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु प्रथम किस्त के रूप में रु. 1364.53 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रावधान के सापेक्ष भारत सरकार से रु. 29.46 लाख प्राप्त हुआ था जिसका व्यय कर लिया गया।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में छात्रावास निर्माण हेतु रु. 340.58 लाख एवं विद्यालय भवन निर्माण हेतु रु. 340.58 लाख का बजट प्रावधान कराया गया है।

10. अरबी फारसी मदरसों के अध्यापकों/अध्यापिकाओं के लिए राज्य अध्यापक पुरस्कार योजना

यह योजना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ की गई है। प्रदेश के अरबी फारसी मदरसों के अध्यापकों/अध्यापिकाओं में अध्यापन कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करने तथा शिक्षण के स्तर में सुधार हेतु उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा की भाँति मदरसों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अध्यापक/अध्यापिकाओं को भी राज्य अध्यापक पुरस्कार से पुरस्कृत किये जाने की योजना है। इस योजना के अन्तर्गत तीन श्रेणी के पुरस्कार होंगे, तहतानिया स्तर के 03, फौकानिया स्तर के 03 एवं आलिया स्तर के 03 कुल 09 अरबी फारसी मदरसों के अध्यापक/अध्यापिकाओं को राज्य अध्यापक पुरस्कार हेतु प्रति वर्ष चयनित किए जाने की व्यवस्था है।

राज्य पुरस्कार हेतु चयनित अरबी फारसी मदरसों के अध्यापक/अध्यापिकाओं को रु. 10,000/- नकद पुरस्कार, चाँदी का पदक तथा शाल प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2019-20 में योजना के लिए रु. 7.25 लाख का प्रावधान कराया गया है।

11. अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना

इस योजनान्तर्गत धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसों/मकतबों में आधुनिक विषयों की शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है। यह योजना शत-प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित है। योजना के अन्तर्गत धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसों/मकतबों में आधुनिक विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि) को पढ़ाने के लिए भारत सरकार की गाइड लाइंस दिनांक 01-12-2008 के अनुसार स्नातक शिक्षक को रु. 6,000/- प्रतिमाह तथा परास्नातक के साथ बी0एड0 शिक्षकों को रु.12,000/- प्रतिमाह की दर से मानदेय के भुगतान की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त बुक बैंक की स्थापना हेतु रु. 50,000/-, विज्ञान एवं गणित किट हेतु रु.15,000/-, आलिया तथा उच्च आलिया स्तर के मदरसों के लिए कम्प्यूटर लैब की स्थापना हेतु रु.1.00 लाख प्रति मदरसा का अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।

योजना में कार्यरत शिक्षकों में से स्नातक/परास्नातक शिक्षकों का मानदेय रु. 8000.00 तथा एम.ए. के साथ बी.एड./एम.एड. शिक्षकों का मानदेय रु. 15000.00 करने तथा अतिरिक्त बढ़ी हुयी धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने का निर्णय किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में केन्द्रांश एवं राज्यांश के मानदेय के रूप में कुल रु. 45907.47 लाख की बजट में व्यवस्था कराई गई है।

12. भारत सरकार द्वारा संचालित मेरिट-कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना

योजना वित्तीय वर्ष 2007-08 से प्रदेश में लागू की गई है जो शत-प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे अध्ययनरत छात्र/छात्राएं जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय अधिकतम रु. 2.50 लाख है, स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के 80 व्यावसायिक एवं तकनीकी निर्धारित पाठयक्रमों में अध्ययनरत हों, तथा गत् परीक्षा में कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, अर्ह माने जायेंगे।

योजनान्तर्गत चिह्नित 85 लिस्टेड संस्थानों के पात्र एवं चयनित छात्र/छात्रओं को संस्था द्वारा लिया जाने वाला वास्तविक पाठ्यक्रम शुल्क देय होगा, चाहे वह निर्धारित वार्षिक शुल्क रु. 20000/- से कम अथवा अधिक हो।

योजना के अन्तर्गत छात्रावासीय छात्रों को रु. 10000/- एवं दिवा छात्रों हेतु रु. 5000/- वार्षिक तथा पाठ्यक्रम शुल्क के रूप में रु. 20000/- प्रति छात्र/छात्रा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में दिये जाने की व्यवस्था है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रशासनिक व्यय के मद में रु. 322.65 लाख धनराशि की बजट में व्यवस्था कराई गई है।

13. भारत सरकार द्वारा संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना

यह योजना वित्तीय वर्ष 2007-08 में शासनादेश सं0 जी.आई. 25/52-1-2007-01(140)/07 दिनांक 02 जनवरी, 2008 द्वारा प्रदेश स्तर पर लागू की गई है। जो शत्-प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे अध्ययनरत छात्र/छात्राएं, जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय रु. 2.00 लाख से अधिक न हो तथा गत् परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, अर्ह माने जायेंगे।

योजनान्तर्गत पाठ्यक्रम शुल्क के रूप में छात्रों को कक्षा 11 तथा 12 हेतु रु. 7000/- एवं

व्यावसायिक एवं तकनीकी शुल्क हेतु रु. 10000/- वार्षिक तथा अन्य स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों हेतु रु. 3000/- वार्षिक संस्था के खाते में दिये जाने की व्यवस्था है तथा छात्रवृत्ति के रूप में दी जाने वाली धनराशि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में दिये जाने की व्यवस्था है।

योजना के अन्तर्गत वे सभी 80 पाठ्यक्रम सम्मिलित नहीं हैं जो भारत सरकार द्वारा संचालित मेरिट-कम-मीन्स आधारित छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये हैं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजना के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय के मद में रु. 503.92 लाख की धनराशि का बजट में प्रावधान कराया गया है।

14. भारत सरकार द्वारा संचालित पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना

योजना वित्तीय वर्ष 2008-09 में शासनादेश सं0 जी.आई. 43/52-1-2008-01(137)/2007 दिनांक 29 अप्रैल, 2008 द्वारा प्रदेश स्तर पर लागू की गई है। यह योजना भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 तक 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश आधारित केन्द्र पुरोनिधानित योजना थी। जो वित्तीय वर्ष 2014-15 से शत्-प्रतिशत केन्द्र पोषित कर दी गई है।

इस योजना के अन्तर्गत ऐसे अध्ययनरत छात्र/छात्राएं जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय रु. 1.00 लाख से अधिक न हो तथा गत् परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों (लेकिन कक्षा 1 के छात्र/छात्राओं हेतु न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक के स्थान पर उनके अभिभावक की वार्षिक आय ही आधार होगी) अर्ह माने जायेंगे।

नोट :- इस योजना के अन्तर्गत एडमिशन फीस के रूप में रु. 500/- वार्षिक एवं ट्यूशन फीस के रूप में रु. 350/- प्रतिमाह (अधिकतम रु. 3500/- वार्षिक अधिकतम कोर्स फीस के रूप में तथा मेन्टेनेन्स के रूप में 1000/- वार्षिक अर्थात छात्रवृत्ति के रूप में कुल रु. 5000/- अधिकतम धनराशि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में दिये जाने की व्यवस्था है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में योजना के अन्तर्गत रु. 60000.00 लाख की धनराशि का बजट में प्रावधान कराया गया है।

15. भारत सरकार द्वारा संचालित फ्री-कोचिंग एण्ड एलाइड योजना

योजना वित्तीय वर्ष 2007-08 में शासनादेश सं0 जी.आई. 09/52-1-2007-1(12)/07 दिनांक 30 अगस्त, 2007 द्वारा प्रदेश स्तर पर लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा उच्च पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु तथा रोजगार सम्बन्धी परीक्षाओं की तैयारी हेतु भारत सरकार की स्वीकृति के अनुसार चयनित संस्थाओं को सीधे सहायता दी जाती है।

16. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2008-09 में शासनादेश सं0-05/52-1-2009-1(91)/07 टी0सी0-11 दिनांक 02 जनवरी, 2008 द्वारा एम0एस0डी0पी0 के नाम से 21 जनपदों में लागू की गयी। वर्तमान में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के नाम से यह योजना प्रदेश के 47 जनपदों के 145 विकास खण्डों तथा 89 नगर पंचायत/नगर पालिका एवं 15 जिला मुख्यालयों में लागू है। अल्पसंख्यक समुदाय में शिक्षा, रोजगार और अन्य मूलभूत सुविधाओं के अन्तर को दूर करने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश निरन्तर प्रयत्नशील है। कार्यक्रम के

अन्तर्गत अब शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के सृजन पर अधिकाधिक बल दिया जा रहा है। यह प्रयास है कि परियोजनाओं को तय समय में पूर्ण करके क्रियाशील बनाया जाये जिससे जनसामान्य को इसका लाभ मिल सके, नियमित रूप से गहन समीक्षा के फलस्वरूप दिसम्बर, 2018 तक 84 इण्टर कालेजों, 4 पॉलीटेक्निक, 29 आई.टी.आई., 19 प्राइमरी स्कूल, 21 हॉस्टल, 745 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप केन्द्रों, 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और 37 होम्योपैथिक/यूनानी/आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 9762 आंगनबाडी केन्द्रों सहित 38 टैंक टाइप स्टैन्ड पोस्ट तथा 51 पेयजल परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है। सामाजिक समरसता और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहन दिए जाने के उद्देश्य से प्रदेश में 25 सद्भाव मंडपों का निर्माण कराया गया है।

योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार द्वारा पूँजीगत मद में रु. 45900.00 लाख की धनराशि तथा राजस्व मद में रु. 4760.00 लाख अर्थात कुल रु. 50660.00 लाख की धनराशि का बजट में प्रावधान किया गया है।

उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि. द्वारा संचालित योजनाएं

17. व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं कौशल सुधार योजना

अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवकों/युवतियों को स्वावलम्बी बनाने तथा रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सरकारी तथा गैर सरकारी प्रशिक्षण संस्थाओं के सहयोग से यह योजना चलाई जा रही है, जिसमें इलेक्ट्रानिक्स, कम्प्यूटर, टाइपिंग, वैल्डिंग, मोटर ड्राइविंग, फोटोग्राफी, आटोमोबाइल्स, रैफ्रीजरेशन, एयर कण्डीशनिंग एवं फैशन डिजाइनिंग आदि अनेक उपयोगी व्यवसायों में अल्पकालीन प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों को निगम के टर्मलोन/मार्जिन मनी ऋण योजना के अन्तर्गत सहायता प्रदान कर उन्हें स्वतः रोजगार में स्थापित करने का प्रयास भी किया जा रहा है।

वर्ष 2019-20 में रु.0.01 लाख की धनराशि का प्रावधान है।

18. परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना

इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न व्यावसायिक पाठयक्रमों तथा सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बेहतर अवसर एवं प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से व्यवसायिक कोर्सों तथा नौकरियों के लिये आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये इस वर्ग के प्रतियोगियों को तैयार करने हेतु निगम द्वारा कोचिंग योजना चलाई जा रही है। इस योजना के लिये वही अभ्यर्थी पात्र हैं, जिनके अभिभावकों की आय रुपये 1.00 लाख प्रतिवर्ष से अधिक न हो। व्यावसायिक कोर्सों में प्रवेश हेतु वही अभ्यर्थी पात्र हैं जिन्होंने इण्टरमीडिएट परीक्षा, उ.प्र. बोर्ड से कम से कम 55 प्रतिशत अथवा सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 बोर्ड से कम से कम 65 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु.0.01 लाख का प्रावधान कराया गया है।

19. उ0प्र0 वक़्फ़ विकास निगम की योजनाएं

वक़्फ़ विकास निगम का मुख्य कार्य वक़्फ़ सम्पत्तियों का विकास करना है। निगम द्वारा सर्वे कमिश्नर, वक़्फ़/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के जिला स्तरीय कार्यालयों के सहयोग से विकास हेतु वक़्फ़ सम्पत्तियों का चयन किया जाता है। चयन में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि

सम्पत्ति वक़्फ़ बोर्ड में पंजीकृत हो, उसके स्वामित्व का कोई विवाद न हो, उस पर पहले से कोई कर्ज न हो, प्रस्तावित योजना की आराजी पर स्थित धार्मिक भवनों/कब्रों को क्षति पहुंचने की सम्भावना न हो। आराजी पर अनाधिकृत कब्जा न हो तथा योजना पर व्यय की गयी धनराशि को विकसित की गयी सम्पत्ति की आय से सर्विस एवं सुपरविजन चार्ज सहित निर्धारित अवधि में वापस लिया जाना सम्भव हो।

निगम द्वारा वक़्फ़ भूमि को पट्टे पर लेकर उस पर निर्माण कार्य कराया जाता है तथा विकसित योजना की आय के 70 प्रतिशत भाग से निगम द्वारा निवेशित धनराशि मय 12.50 प्रतिशत सुपरविजन चार्जेज (योजना की लागत पर एक बार) एवं 6 प्रतिशत वार्षिक दर से सर्विस चार्ज वसूल किया जाता है तथा आय का शेष 30 प्रतिशत भाग वक़्फ़ की आवश्यकता एवं उसकी बेहतरी के लिये छोड़ दिया जाता है।

वक़्फ़ परियोजनाओं के निर्माण कार्य की देख रेख के लिये जिला स्तर पर एक निर्माण समिति का गठन किया जाता है, जिसमें सभी सम्बन्धित पक्षों का प्रतिनिधित्व होता है। निगम की धनराशि की वापसी का दायित्व भी इसी समिति का होता है तथा धनराशि की वापसी के पश्चात् उक्त निर्माण समिति भंग कर दी जाती है एवं विकसित की गई सम्पत्ति वक़्फ़ की प्रबन्ध समिति को वापस कर दी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 तक रु. 694.53 लाख की धनराशि निवेशित कर प्रदेश में स्थित 117 वक़्फ़ परियोजनाओं पर 1230 दुकानें, 05 मैरिज हाल, 04 गेस्ट हाउस तथा 23 आवासीय सेट आदि का निर्माण कराया गया है, जिसमें फलस्वरूप वक़्फ़ सम्पत्तियों को रु. 70.00 लाख की अतिरिक्त वार्षिक आय प्राप्त हो रही है।

20. उ0प्र0 वक़्फ़ विकास निगम द्वारा निर्माण एजेन्सी के रूप में कार्य

उ.प्र. वक़्फ़ विकास निगम लि. द्वारा वक़्फ़ सम्पत्तियों के विकास के साथ-साथ विभागीय निर्माण एजेन्सी के रूप में डिपाजिट वर्क का कार्य भी किया जाता है। इसी के क्रम में अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक़्फ़ विभाग द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शासनादेश सं0- 1458/52-1-2018(सामान्य)/ 2018 दिनांक 24 सितम्बर, 2018 द्वारा निर्माण कार्य का 25 प्रतिशत कार्य दिये जाने की व्यवस्था स्थापित की गयी है। वित्तीय वर्ष 2013-14 में रु. 1413.91 लाख, वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 3661.16 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 266.00 लाख का कार्य आवंटित किया गया है। उक्त निर्माण कार्यों से निगम को 12.50 प्रतिशत की दर से सुपरविजन चार्जेज के रूप में आय प्राप्त होती है, जिससे निगम के अधिष्ठान एवं प्रशासनिक व्ययों की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जाती है।

21. उत्तर प्रदेश के हज यात्रियों हेतु व्यवस्थाएं

प्रदेश हज यात्रियों को हज यात्रा हेतु सऊदी अरब भेजने तथा हज सम्बन्धी कार्यों के लिए उ.प्र. राज्य हज समिति का गठन किया गया है।

वर्ष 2018 में उ.प्र. से 31679 हज यात्रियों को सऊदी अरब भेजा गया था। वर्ष 2019 में लगभग 30237 हज यात्रियों का कोटा निर्धारित किया गया है, जिन्हें हज यात्रा पर भेजा गया।

वर्ष 2019-20 में उ0प्र0 राज्य हज समिति के लिए मानक मद संख्या-31-सहायक अनुदान-सामान्य (वेतन) संख्या-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) तथा मद संख्या-53-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता) मद में कुल रु. 313.67 लाख का प्रावधान कराया गया।

पिछड़ा वर्ग कल्याण

धर्म निरपेक्षता और प्रजातांत्रिक प्रणाली को आधार मानकर भारतीय संविधान में देश के सभी नागरिकों को जहाँ समानता का अधिकार दिया गया है। वहीं समाज के कमजोर और अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से ऊंचा उठाने हेतु संविधान की धारा 14, 15, 16, 335, 338, 339, 340, 341 तथा 342 का प्रावधान किया गया है। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के हितार्थ विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। वर्ष 1995-96 तक यह कार्यक्रम प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे थे। उत्तर प्रदेश की लगभग 54 प्रतिशत (सामाजिक न्याय समिति के अनुसार) जनसंख्या पिछड़े वर्ग की है और इतनी बड़ी जनसंख्या के विकास एवं कल्याण हेतु निःसंदेह ही एक स्वतंत्र विभाग की आवश्यकता का अनुभव बहुत पहले से किया जा रहा था। अतः वित्तीय वर्ष 1995-96 में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश संख्या : 4056/बीस-ई-1-95-539(2)/95, दिनांक 12 अगस्त, 1995 द्वारा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की स्थापना स्वतंत्र रूप से की गयी।

उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन शासनादेश संख्याः 22/16/92-कार्मिक, दिनांक 09 मार्च, 1993 को किया गया था, जो राज्याधीन सेवाओं में पिछड़े वर्ग हेतु अनुमन्य आरक्षण सुनिश्चित कराने तथा पिछड़े वर्ग की सूची में अपेक्षित जातियों का समावेश करने अथवा निष्कासित करने की संस्तुति शासन को भेजने का कार्य कर रहा है। वर्तमान में 79 जातियां पिछड़ी जाति के रुप में अधिसूचित हैं।

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम की स्थापना शासनादेश संख्याः 3459/26-3-89-9(51)/89, दिनांक 20 सितम्बर, 1989 द्वारा की गयी है, जो पिछड़े वर्ग के कमजोर लोगों के आर्थिक उत्थान हेतु परियोजनाएं स्थापित करने के लिए उन्हें ऋण उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा है।

वर्ष 2019-20 में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग हेतु दिनांक 10 जून, 2019 को मा.मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सम्पन्न समीक्षा बैठक में लिए गए नए महत्वपूर्ण फैसले

1. छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत उपलब्ध बजट की सीमा से अधिक से अधिक छात्रों को आच्छादित करने की योजना बनायी जाए, इसके लिए मुख्य सचिव के स्तर पर शीघ्र एक बैठक आहूत कराकर सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए संचालित सभी योजनाओं के सभी पहलुओं पर विचार कर एक युक्तियुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए तथा पूरे प्रदेश में छात्रवृत्ति वितरण के लिए एक वृहद आयोजन कराया जाए।
2. कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजनान्तर्गत अधिक से अधिक पात्र आवेदकों को गुणवत्तापूर्ण कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कराया जाए। इसके साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लाभार्थी सेवायोजित हो सकें।

3. शादी अनुदान योजनान्तर्गत उपलब्ध बजट की सीमा मे ज्यादा से ज्याद लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने का प्रयास किया जाए। विभाग प्रयास करे कि लाभार्थियों को उनकी पुत्री के विवाह की तिथि से पहले ही शासकीय सहायता धनराशि उनके खाते में अंतरित कर दी जाए ताकि लाभार्थी इसका विवाह में समुचित उपयोग कर सके।

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत निदेशालय के माध्यम से मुख्यतः पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना, दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, शादी अनुदान योजना, कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना पूर्णतया ऑनलाइन संचालित है तथा छात्रावास निर्माण योजना केन्द्र सरकार के सहयोग से संचालित है।

- **पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना**

समस्त राजकीय विद्यालय, राजकीय सहायता प्राप्त एवं निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, जो उत्तर प्रदेश में स्थित हो, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ऐसे अध्ययनरत छात्र/छात्राएं, जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रु. 2.00 लाख या उससे कम हो, को पूर्वदशम छात्रवृत्ति बजट की उपलब्ध सीमा तक निये जाने का प्रावधान है। इस हेतु छात्र को छात्रवृत्ति प्रबन्धन प्रणाली की वेबसाइट scholarship.up.nic.in पर निर्धारित समयान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन किया जाना होता है। वर्तमान मे कक्षा 1-8 की छात्रवृत्ति योजना स्थगित है, केवल कक्षा 9-10 हेतु संचालित है। कक्षा 9 व 10 तक रु. 150/- प्रति माह, अधिकतम 10 माह हेतु एवं वार्षिक तदर्थ अनुदान रु. 750/- एकमुश्त, अधिकतम रु. 2250/- वार्षिक पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से सीधे छात्रों के बैंक खातों में दिए जाने का प्रावधान है।

- **दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना**

समस्त राजकीय विद्यालय, राजकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, जो उत्तर प्रदेश में स्थित हों, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ऐसे अध्ययनरत छात्र/छात्राएं, जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रु. 2.00 लाख या उससे कम हो, को दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति बजट की उपलब्ध सीमा तक दिये जाने का प्रावधान है। इस हेतु छात्र को छात्रवृत्ति प्रबन्ध प्रणाली की वेबसाइट scholarship.up.nic.in पर निर्धारित समयान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन किया जाना होता है। कोर्स ग्रुप समूह-1 में बी.टेक., एम.बी.ए., एम.बी.बी.एस. कोर्स, समूह-2 में एम.एससी., एम.ए., बी.बी.ए., पी.जी. डिप्लोमा आदि कोर्स, समूह-3 में बी.ए., बी.एससी., बी.काम. आदि कोर्स तथा समूह-4 में इण्टरमीडिएट, आई.टी.आई., पॉलीटेक्निक आदि कोर्स सम्मिलित हैं, जिन्हें कोर्स ग्रुपवार निर्धारित दरों के अनुसार छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से सीधे छात्रों के बैंक खातों में दिए जाने का प्रावधान है।

शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में कोर्स ग्रुप-1 के छात्रों को अधिकतमक रु. 50 हजार, कोर्स ग्रुप-2 के छात्रों को अधिकतम रु. 30 हजार, कोर्स ग्रुप-3 व 4 के तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को अधिकतम रु. 20 हजार व कोर्स ग्रुप-3 व 4 के गैर तकनीकी पाठ्यक्रमों/01 वर्षीय सार्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को अधिकतम रु. 10 हजार अथवा संस्था की सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क अथवा छात्र द्वारा मांग की गई शुल्क, इनमें से जो न्यूनतम हो, दिए जाने का प्रावधान है।

- **शादी अनुदान योजना**

योजनान्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने (शहरी क्षेत्र हेतु अधिकतम आय सीमा रु. 56,460/- व ग्रामीण क्षेत्र हेतु अधिकतम आय सीमा रु. 46,080/-) वाले अन्य पिछड़े वर्ग के परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। शादी योजना में रु. 20,000/- प्रति शादी की सहायता दी जाती है। शादी योजना में लड़की की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष होना आवश्यक है। योजनान्तर्गत विकलांग, विधवा, दैवीय आपदा से ग्रसित एवं भूमिहीनों को प्राथमिकता दी जाती है। यह योजना वर्ष 2016-17 से पूर्णतया ऑनलाइन है, जिसमें लाभार्थी पुत्री की शादी की तिथि के 90 दिन पूर्व तक अथवा 90 दिन बाद तक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, जिसका सत्यापन व अग्रसारण खण्ड विकास अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र हेतु)/उपजिलाधिकारी (शहरी क्षेत्र हेतु) के द्वारा ऑनलाइन किया जाता है। लाभार्थी को अनुदान का भुगतान पी.एफ.एम.एस. पोर्टल के माध्यम से सीधे बैंक खातों में दिए जाने का प्रावधान है। लाभार्थियों के चयन के लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे एक समिति गठित है, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी-उपाध्यक्ष, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी-सदस्य/सचिव और जनपद के समस्त मा. सांसदगण एवं मा. विधायकगण अथवा उनके नामित प्रतिनिधि सदस्य के रूप में नामित हैं।

- **कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना**

अन्य पिछड़े वर्ग के इण्टरमीडिएट पास बेरोजगार युवक/युवतियों, जिनके माता-पिता/अभिभावकों की वार्षिक आय रु. एक लाख तक अथवा उससे कम है, को भारत सरकार की नीलिट से मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का प्रावधान है। 'ओ' लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु भुगतान की जाने वाली धनराशि अधिकतम क्रमशः रु. 15,000/- प्रति प्रशिक्षार्थी तथा सी.सी.सी. कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु रु. 3,500/- अधिकतम सीधे संस्था को भुगतान किये जाने की व्यवस्था है। यदि लाभार्थी द्वारा संस्था को पूरी फीस जमा कर दी गई हो तो जमा रसीद को संस्था से सत्यापित कराने के बाद भुगतान विभाग द्वारा सीधे लाभार्थी को किए जाने की व्यवस्था है। 'ओ' लेवल कम्प्यूटर प्रशिक्षण की अवधि 01 वर्ष तथा 'सी.सी.सी.' कम्प्यूटर प्रशिक्षण की अवधि 03 माह होती है। कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु संस्थाओं के चयन की कार्यवाही निदेशक की अध्यक्षता में एवं लाभार्थियों के चयन के लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से की जाती है।

- **छात्रावास निर्माण योजना**

योजना का उद्देश्य अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब छात्र/छात्राओं को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना है। छात्रावासों का निर्माण शैक्षिक संस्था के परिसर में किया जाता है। वर्तमान मे छात्रावासों का निर्माण 100/50 छात्र/छात्राओं की क्षमता के कराये जाते हैं। वर्तमान में 100 छात्र क्षमता के 01 छात्रावास की निर्माण लागत रु. 207.74 लाख एवं 50 छात्र क्षमता के छात्रावास की निर्माण लागत रु. 131.73 लाख निर्धारित है। यह योजना केन्द्र/राज्य पोषित योजना है। राजकीय शिक्षण संस्थाओं में वित्त पोषण का अनुपात छात्राओं के लिए छात्रावास हेतु 90:10 केन्द्रांश व राज्यांश हैं और छात्रों के लिए छात्रावास हेतु 60:40 केन्द्रांश व राज्यांश है। योजनान्तर्गत 23 प्रतिशत छात्रावासों का निर्माण छात्राओं हेतु किये जाने का प्रावधान है।

राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग

भारत के संविधान में समाज के पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं एवं आरक्षण प्रदान किया गया है, ताकि इन जातियों/वर्गों का बहुमुखी विकास एवं जीवन स्तर अन्य वर्गों के समान हो सके। इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा गठित वी.पी. मण्डल आयोग की संस्तुतियों के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय की 9 सदस्यीय विशेष संविधान पीठ ने ''इन्दिरा साहनी बनाम भारत संघ'' वाद में अपने ऐतिहासिक फैसले 1992 में परमादेश जारी किया कि अन्य पिछड़े वर्गों में जातियों को सम्मिलित/निष्कासित करने के सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे ट्रिब्यूनल या आयोग गठित किये जायेंगे, जो शासन को अपनी संस्तुति करेंगे।

आयोग के कार्य

(क) आयोग अनुसूची में किसी वर्ग के नागरिकों को पिछड़े वर्ग के रूप में सम्मिलित किये जाने के अनुरोधों का परीक्षण करेगा और अनुसूची में किसी पिछड़े वर्ग के गलत सम्मिलित किये जाने या सम्मिलित न किये जाने की शिकायतें सुनेगा और राज्य सरकार को ऐसी सलाह देगा, जैसा वह उचित समझे।

(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या राज्य सरकार के किसी आदेश के अधीन पिछड़े वर्ग के लिए उपबन्धित रक्षोपायों (उत्पीड़न से संरक्षण) से सम्बन्धित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुश्रवण करेगा और ऐसे रक्षोपायों (उत्पीड़न से संरक्षण) की प्रणाली का मूल्यांकन करेगा।

(ग) पिछड़े वर्ग के अधिकारों और रक्षोपायों (उत्पीड़न से संरक्षण) से वंचित किये जाने के सम्बन्ध मे विशिष्ट शिकायतों की जांच करेगा।

(घ) पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और उन पर सलाह देना और उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

(ङ) राज्य सरकार का उन रक्षोपायों (उत्पीड़न से संरक्षण) की कार्यप्रणाली पर वार्षिक व ऐसे अन्य समयों पर जैसा आयोग उचित समझे, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

(च) पिछड़े वर्ग के संरक्षण कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उन रक्षोपायों (उत्पीड़न से संरक्षण) और अन्य उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ऐसे प्रतिवेदन में उन उपायों के सम्बन्ध में जो राज्य सरकार द्वारा किये जाएं, सिफारिश करेगा।

(च) पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण, विकास और अभिवृद्धि के सम्बन्ध में ऐसे अन्य कृत्यों का, जो राज्य सरकार द्वारा दिए जाएं, निर्वहन करना।

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड

प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अधिसूचित पिछड़ी जातियों के बेरोजगार युवक/युवतियों को विभिन्न व्यवसाय/उद्यम/उद्योग स्थापित करने हेतु उ.प्र. पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि., राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली की चैनलाइजिंग एजेन्सी (कार्यकारी शाखा) के रूप में कार्यरत है। निगम द्वारा राष्ट्रीय निगम से आसान ब्याज दर पर टर्मलोन योजनान्तर्गत सामान्य ऋण, शैक्षिक ऋण एवं न्यू स्वर्णिमा तथा माइक्रो फाइनेन्स स्कीम आदि के तहत ऋण प्राप्त कराया जाता है।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण

भारत की जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में विभिन्न दिव्यांगताओं से ग्रसित कुल व्यक्तियों की संख्या 4157514 है। जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 2.08 प्रतिशत है। प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवासरत दिव्यांग व्यक्तियों का दिव्यांगतावार वर्गीकरण निम्नवत् है-

जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में श्रेणीवार दिव्यांगों की संख्या का विवरण-

विवरण		ग्रामीण	शहरी	कुल योग
दिव्यांगजन की कुल जनसंख्या		**3166615**	**990899**	**4157514**
	पुरुष	1803715	560456	2364171
	महिला	1362900	430443	1793343
दृष्टि दिव्यांगता		**579182**	**184806**	**763988**
	पुरुष	307821	100041	407862
	महिला	271361	84765	356126
वाक् दिव्यांगता		**202152**	**64434**	**266586**
	पुरुष	114665	36505	151170
	महिला	87487	27929	115416
श्रवण दिव्यांगता		**753704**	**274131**	**1027835**
	पुरुष	398665	146514	545179
	महिला	355039	127617	482656
अस्थि दिव्यांगता		**543203**	**134510**	**677713**
	पुरुष	355061	86554	441615
	महिला	188142	47956	236098
मानसिक मंदित		**140097**	**41245**	**181342**
	पुरुष	88236	25605	113841
	महिला	51861	15640	67501

मानसिक रुग्ण		**57497**	**19106**	**76603**
	पुरुष	37021	12100	49121
	महिला	20476	7006	27482
अन्य दिव्यांगता		**720020**	**226416**	**946436**
	पुरुष	402738	126226	528964
	महिला	317282	100190	417472
बहु दिव्यांगता		**170760**	**46251**	**217011**
	पुरुष	99508	26911	126419
	महिला	71252	19340	90592

दिव्यांगता की परिभाषा

दिव्यांगजन के समग्र विकास हेतु भारत सरकार द्वारा निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 पारित किया गया है, जो 19 मार्च, 2017 से सम्पूर्ण भारत में प्रभावी है। इस अधिनियम में कुल 17 अध्याय एवं 102 धाराएं हैं। इस अधिनियम की धारा 2(द) में ''संदर्भित निःशक्त व्यक्ति'' की परिभाषा निम्नानुसार दी गयी है :

2(द)''संदर्भित निःशक्त व्यक्ति'' : से प्रमाणकर्ता प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणीकृत विनिर्दिष्ट निःशक्तता के 40 प्रतिशत से अन्यून का अभिप्रेत है।

उक्त अधिनियम– 2016 की धारा–2(यग) में निःशक्तता (दिव्यांगता) की श्रेणियाँ एवं उनकी परिभाषायें निम्नानुसार दी गयी है-

1. शारीरिक निःशक्तता–

(अ) गतिविषयक निःशक्तता (व्यक्ति की सुनिश्चित गतिविधियों को करने में असमर्थता जो स्वयं और वस्तुओं के चालन से सहबद्ध हैं जिसका परिणाम पेशीकंकाली और तंत्रिका प्रणाली या दोनों में पीड़ा है), जिसके अंतर्गत-

(क) ''कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कुष्ठ से रोगमुक्त हो या है किन्तु निम्नलिखित से पीड़ित है-

(i) हाथ या पैरों में सुग्राहीकरण का ह्रास के साथ-साथ आँख और पलक में सुग्राहीकरण का ह्रास और आंशिक घात किन्तु व्यक्त विरूपता नहीं है;

(ii) व्यक्त विरूपता और आंशिक घात किन्तु उनके हाथों और पैरों में विनिर्दिष्ट चलन से सामान्य आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहने के लिए सक्षम है;

(iii) अत्यंत शारीरिक विकृति के साथ-साथ वृद्धावस्था जो उन्हें कोई लाभप्रद व्यवसाय करने से निवारित करती है और ''कुष्ठ रोगमुक्त व्यक्ति'' पद का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा,

(ख) ''प्रमस्तिष्क घात'' से कोई अविकासशील अवस्थाओं का समूह अभिप्रेत है जो अविकासशील तंत्रिका दशाओं से शरीर के चलन और पेशियों के समन्वयन को प्रभावित करती है, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विनिर्दिष्ट चक्रों में क्षति के कारण उत्पन्न होता है साधारणतः जन्म से पूर्व, जन्म के दौरान या जन्म के तुरंत पश्चात होती है;

(ग) ''बौनापन'' से कोई चिकित्सीय या आनुवांशिकी दशा अभिप्रेत है जिसके परिणामस्वरूप किसी वयस्क व्यक्ति की लंबाई चार फिट दस इंच (147 सेमी0) या उससे न्यून रह जाती है;

(घ) ''बहुदुश्पोषण'' से वंशानुगत, आनुवांशिक पेशी रोग का समूह अभिप्रेत है जो मानव शरीर को सचल करने वाली पेशियों को कमजोर कर देता है और बहुदुश्पोषण के रोगी व्यक्तियों के जीन में वह सूचना अशुद्ध होती है या नहीं होती है जो उन्हें उस प्रोटीन को बनाने से निवारित करती है जिसकी उन्हें स्वस्थ पेशियों के लिए आवश्यकता होती है, इसकी विशेषता अनुक्रमिक अस्थिपंजर, पेशी की कमजोरी, पेशी प्रोटीनों में त्रुटि और पेशी कोशिकाओं और टिशुओं की मृत्यु है,

(ङ) ''अम्ल आक्रमण पीड़ित'' से अम्ल या समान संक्षारित पदार्थ के फेंकने द्वारा हिंसक आक्रमण के कारण विरूपित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(आ) दृष्टिगत ह्रास्य–

(क) ''अंधता'' से ऐसी दशा अभिप्रेत है, जिसमें सर्वोत्तम सुधार के पश्चात व्यक्ति में निम्नलिखित स्थितियों में से कोई एक स्थिति विद्यमान होती है-

(i) दृष्टि का पूर्णतया अभाव;

(ii) सर्वोत्तम सुधार के साथ अच्छी आँख दृष्टि संवेदनशील 3/60 या 10/200 (स्नेलन) से अन्यून; या

(iii) 10 डिग्री से अन्यून किसी कक्षांतरित कोण पर दृश्य क्षेत्र की परिसीमा;

(ख) ''निम्न दृष्टि'' से ऐसी स्थिति अभिप्रेत है जिसमें व्यक्ति की निम्नलिखित में से कोई एक स्थिति होती है, अर्थात -

(i) बेहतर आँख में सुधारकारी लेंसों के साथ-साथ 6/18 से अनधिक या 20/60 से कम 3/60 तक या 10/200 (स्नेलन) दृश्य संवेदनशीलता; या

(ii) 10 से अधिक 40 डिग्री तक की दृष्टि अंतरित किसी कोण के क्षेत्र में सीमाएं-

(इ) ''श्रवण शक्ति का ह्रास'' -

(क) ''बधिर'' से दोनों कानों में संवाद आवृत्तियों से 70 डिसबिल श्रव्य ह्रास वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ख) ''ऊँचा सुनने वाला व्यक्ति'' से दोनों कानों से संवाद आवृत्ति में 60 डिसबिल से 70 डिसबिल श्रव्य ह्रास्य व्यक्ति अभिप्रेत है;

(इ) ''अभिवाक और भाषा निःशक्तता'' से लेराइनजेक्टोमी या अफेलिया जैसी स्थितियों से उद्भूत स्थायी निःशक्तता अभिप्रेत है जो कार्बनिक या तंत्रिका संबंधी कारणों के कारण अभिवाक् और भाषा के एक या अधिक संघटकों को प्रभावित करती है।

2. **''बौद्धिक निःशक्तता''** से ऐसी स्थिति, जिसकी विशेषता दोनों बौद्धिक कार्य (तार्किक, शिक्षण, समस्या समाधान) और अनुकूलन व्यवहार में महत्त्वपूर्ण रूप से कमी होना है, जिसके अन्तर्गत दैनिक, सामाजिक और व्यवहार्य की रेंज है, जिसके अन्तर्गत -

(क) ''विनिर्दिष्ट विद्या निःशक्तता'' से स्थितियों का एक ऐसा विजातीय समूह अभिप्रेत है जिसमें भाषा को बोलने या लिखने का प्रसंस्करण करने की कमी विद्यमान होती है जो बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनीय या गणितीय गणनाओं को समझाने में कमी के रूप में सामने आती है। इसके अन्तर्गत बोधक निःशक्तता डायसेलेक्सिया, डायसग्राफिया, डायसकेलकुलिया, डायसप्रेसिया और विकासात्मक अफेसिया भी है;

(ख) ''स्वलीनता स्पफक्ट्रम विकार'' से एक ऐसी तंत्रिका विकास की स्थिति अभिप्रेत है जो आमतौर पर जीवन के पहले तीन वर्ष में उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति के संपर्क करने की, संबंधों को समझने की और दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को प्रभावित करती है और आमतौर पर यह अप्रायिक या घिसे-पटे कर्मकांडों या व्यवहार से सहबद्ध होता है।

3. **मानसिक व्यवहार–** ''मानसिक रुग्णता'' से चिंतन, मनोदशा, बोध, पूर्वाभिमुखीकरण या स्मरणशक्ति का विकार अभिप्रेत है जो जीवन की साधारण आवश्यकताओं को पूरा करने लिये समग्र रूप से निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता की पहचान करने की क्षमता या योग्यता को प्रभावित करता है किन्तु जिसके अन्तर्गत मानसिक मंदता नहीं है जो किसी व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास रुकने या अपूर्ण होने की स्थिति है, विशेषकर जिसकी विशिष्टता बुद्धिमता का सामान्य से कम होना है।

4. **निम्नलिखित के कारण निःशक्तता–**

(क) चिरकारी तंत्रिका दशाएं, जैसे-

(i) ''बहु-स्केलेरोसिस'' से प्रवाहक, तंत्रिका प्रणाली रोग अभिप्रेत है जिसमें मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं के चारों ओर रीढ़ की हड्डी की मायलिन सीथ क्षतिग्रस्त हो जाती है जिससे डिमायीलिनेशन होता है और मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाओं और रीढ़ की हड्डी की कोशिकाओं की एक-दूसरे के साथ संपर्क करने की क्षमता प्रभावित होती है;

(ii) ''पार्किंसन रोग'' से कोई तंत्रिका प्रणाली का प्रगामी रोग अभिप्रेत है, जिसके द्वारा कम्प, पेशी, कठोरता और धीमा, कठिन चलन, मुख्यतया मध्य आयु और वृद्ध व्यक्तियों से संबंध मस्तिष्क के आधारीय गंडिका के अद्यपतन तथा तंत्रिका संचालन डोपामई के ह्रास से संबद्ध हो।

(ख) रक्त विकृति-

(i) ''हेमोफीलिया'' से एक आनुवंशकीय रोग अभिप्रेत है जो प्रायः पुरुषों को ही प्रभावित करता है किन्तु इसे महिला द्वारा अपने पुरुष बालकों को संप्रेषित किया जाता है; इसकी विशेषता रक्त के थक्का जमने की साधारण क्षमता का नुकसान होना है जिससे गौण घाव का परिणाम भी घातक रक्तस्राव हो सकता है।

(ii) ''थेलेसीमिया'' से वंशानुगत विकृतियों का एक समूह अभिप्रेत है जिसकी विशेषता हिमोग्लोबिन की कमी या अनुपस्थित है।

(iii) ''सिक्कल कोशिका रोग'' से होमोलेटिक विकास अभिप्रेत है जो रक्त की अत्यंत कमी, पीड़ादायक घटनाओं और जो सहबद्ध टिशुओं और अंगों को नुकसान से विभिन्न जटिलताओं

में परिलक्षित होता है। ''हेमोलेटिक'' लाल रक्त कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के नुकसान को निर्दिष्ट करता है जिसका परिणाम हिमोग्लोबिन का निकलना होता है।

5. बहुनिःशक्तता (उपर्युक्त एक या एक से अधिक विनिर्दिष्ट निःशक्तता) जिसके अन्तर्गत बधिरता, अंधता जिससे कोई दशा जिसमें कोई व्यक्ति श्रव्य और दृश्य के सम्मिलित ह्रास के कारण गम्भीर संप्रेषण, विकास और शिक्षण संबंधी गम्भीर दशाएँ अभिप्रेत हैं।

6. कोई अन्य प्रवर्ग जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश की संरचना

समाज के असहाय, सुविधाविहीन एवं कमजोर वित्तीय स्थिति वाले दिव्यांग व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास एवं उनके लाभ तथा सहायता के लिए बनाई गयी योजनाओं के सुचारु संचालन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा 12 अगस्त, 1995 को अलग से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का गठन किया गया।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के मुख्य दायित्व

विभाग के उद्देश्य एवं कार्य–

1. दिव्यांगजन के सम्बंध में नीति का निर्धारण करना एवं प्रभावशाली क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
2. योजनाओं के माध्यम से दिव्यांगजन का भौतिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक पुनर्वास कर समाज की मुख्य धारा में शामिल करना।
3. दिव्यांगजन विकास के संबंध में निर्धारित राष्ट्रीय नीतियों, कार्यक्रमों, संस्थाओं के साथ समन्वय कर प्रदेश में प्रभावशाली तरीके से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
4. दिव्यांगजनों के विकास संबंधी कार्य हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय के साथ-साथ गैर सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना।
5. सेवाओं में दिव्यांगजन का आरक्षण एवं उनके सेवायोजन का पर्यवेक्षण करना आदि।

1. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम/योजनाएं

1. संकेत (राजकीय मूक बधिर विद्यालय) लखनऊ, आगरा, बरेली, फर्रुखाबाद, गोरखपुर

लखनऊ, बरेली, फर्रुखाबाद, आगरा, गोरखपुर में एक-एक विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में श्रवण यंत्र की सहायता से छात्रों को शिक्षा दिये जाने के साथ-साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। लखनऊ, बरेली तथा फर्रुखाबाद में जूनियर हाईस्कूल स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। बरेली में आवासीय छात्र संख्या 120 तथा अनावासीय छात्र संख्या 220 (कुल 340) है। फर्रुखाबाद की आवासीय छात्र क्षमता 60 तथा अनावासीय छात्र क्षमता- 40 है (कुल 100) तथा लखनऊ की आवासीय क्षमता 100 छात्र की है। आगरा एवं गोरखपुर में हाईस्कूल स्तर तक की शिक्षा देने की व्यवस्था है। आगरा की आवासीय छात्र क्षमता 50 तथा अनावासीय छात्र क्षमता 100 (कुल 150) तथा गोरखपुर में आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं है अनावासीय छात्र क्षमता 100 है। इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को जिनके अभिभावकों की मासिक आय रु. 1000/- तक होती है, उन छात्र/छात्राओं को आवासीय सुविधा के साथ-साथ रु. 2000/- प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति/छात्रवेतन दिया जाता है।

2. स्पर्श (बालक/बालिकाओं के लिये राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय) लखनऊ, गोरखपुर, बाँदा, सहारनपुर, मेरठ।

लखनऊ/गोरखपुर में बालकों/बालिकाओं के लिए एक-एक, बांदा एवं मेरठ में बालकों हेतु एक-एक इण्टर कालेज संचालित है। इन विद्यालयों की आवासीय छात्र क्षमता 200-200 है तथा अन्य 04 विद्यालयों की आवासीय क्षमता 100-100 है, अनावासीय छात्र क्षमता 25-25 है। जनपद सहारनपुर में बालिकाओं हेतु हाईस्कूल स्तर तक का विद्यालय संचालित है, जिसकी आवासीय छात्र क्षमता 75 तथा अनावासीय छात्र क्षमता 25 है। इन विद्यालयों में 'ब्रेल पद्धति' के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को जिनके अभिभावकों की मासिक आय रु. 1000/- होती है, उन छात्र/छात्राओं को आवासीय सुविधा के साथ-साथ प्रति छात्र/छात्रा रु. 2000/- प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति/छात्रवेतन दिया जाता है, तथा अनावासीय छात्र/छात्राओं को घर से विद्यालय तक आने जाने हेतु निःशुल्क बस सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

3. ममता (मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त बालकों/बालिकाओं का राजकीय विद्यालय) लखनऊ तथा प्रयागराज।

प्रदेश में मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त बालकों/बालिकाओं के लिए एक-एक विद्यालय क्रमशः लखनऊ तथा प्रयागराज में संचालित है। इन विद्यालयों में बालकों एवं बालिकाओं को मनोवैज्ञानिक पद्धति से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। प्रत्येक विद्यालय की आवासीय छात्र क्षमता 50-50 है। इन विद्यालयों में संवासियों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने की दृष्टि से व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जिन संवासियों के अभिभावकों की मासिक आय रु. 1000/- प्रतिमाह तक है उनके भरण पोषण पर शासन द्वारा 2000/- रु. प्रति माह प्रति संवासी की दर से व्यय किया जाता है।

4. प्रयास (शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिये राजकीय विद्यालय) लखनऊ, प्रतापगढ़।

शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिये प्रतापगढ़ तथा लखनऊ में एक-एक विद्यालय संचालित है। प्रत्येक विद्यालय की छात्र क्षमता 50-50 बालकों की है। इन विद्यालयों में हाईस्कूल स्तर की निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। इन विद्यालयों मे पढ़ने वाले छात्रों जिनके अभिभावकों की मासिक आय रु. 1000/- तक होती है उनको आवासीय सुविधा के साथ भरण पोषण हेतु रु. 2000/- प्रतिमाह प्रति छात्र दिया जाता है।

5. उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले दृष्टिबाधित छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावासों का संचालन लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज एवं मेरठ।

दृष्टिबाधित छात्र/छात्राओं द्वारा अपने-अपने क्षेत्र से इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण करने के उपरान्त उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये अनेक कठिनाइयों का सामाना करना पड़ता है, के दृष्टिकोण से उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने के समय आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लखनऊ/गोरखपुर में छात्र/छात्राओं हेतु एक-एक, प्रयागराज/मेरठ में छात्रों हेतु एक-एक कुल छह छात्रावासों की स्थापना की गयी है। प्रत्येक छात्रावास की स्वीकृत क्षमता 200-200 है। उक्त छात्रावासों के संचालन हेतु नियमावली का प्रख्यापन शासन द्वारा किया जा चुका है।

विभिन्न श्रेणी के दिव्यांगों के लिए उक्त 16 विद्यालयों एवं उनके छात्रावासों के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रु. 2278.85 लाख के प्रावधान के सापेक्ष 01 फरवरी, 2019 तक कुल रु. 1688.20 लाख का व्यय किया गया है वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 2920.80 लाख का प्रावधान है।

6. कौशल विकास केन्द्र (दृष्टिबाधितों के लिये राजकीय कर्मशाला) लखनऊ, गोरखपुर तथा बाँदा।

दृष्टिबाधित बेरोजगार व्यक्तियों को कार्य उपलब्ध कराने एवं विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से लखनऊ, गोरखपुर तथा बाँदा में एक-एक कर्मशाला संचालित है। लखनऊ तथा गोरखपुर कर्मशाला में स्वीकृत आवासीय संवासी क्षमता 50-50 तथा अनावासीय संवासी क्षमता 50-50 है। बाँदा में आवासीय संवासी स्वीकृत क्षमता 50 तथा अनावासीय क्षमता 25 है। इन कर्मशालाओं में दृष्टिबाधित व्यक्तियों को वर्क आर्डर के आधार पर कुर्सी बुनाई आदि का कार्य अन्य कार्यालयों में उपलब्ध कराया जाता है जिसके लिये उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता है। इसके साथ ही डिजाइनर मोमबत्तियों, कम्प्यूटर आदि का भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

7. कौशल विकास केन्द्र (शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिये राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र) वाराणसी, प्रयागराज, उन्नाव।

शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों/दिव्यांगों को प्रशिक्षण दिये जाने के उद्देश्य से संचालित कर्मशाला मिर्जापुर से स्थानान्तरित होकर जनपद वाराणसी में संचालित है। इस कर्मशाला में आवासीय संवासियों की क्षमता 60 तथा अनावासीय संवासियों की क्षमता 40 (कुल 100) है। इन संवासियों को आवासीय सुविधा के साथ-साथ रु. 2000/- प्रतिमाह प्रति संवासी की दर से धनराशि भरण पोषण हेतु प्रदान की जाती है। इस कर्मशाला में दिव्यांग व्यक्तियों को कुर्सी बुनाई, सिलाई एवं मोमबत्ती आदि बनाने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

8. कौशल विकास केन्द्र (मूक-बधिरों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र एवं आश्रित कर्मशाला) आगरा।

जनपद आगरा में मूक बधिरों के लिये एक व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र एवं आश्रित कर्मशाला स्थापित है। जिसमें आवासीय संवासियों की क्षमता 25 तथा अनावासीय संवासियों की स्वीकृत क्षमता 25 (कुल 50) है। इन संवासियों को रु. 2000/- प्रतिमाह प्रति संवासी की दर से धनराशि भरण पोषण हेतु प्रदान की जाती है। इस केन्द्र में कुर्सी बुनाई, सिलाई एवं मोमबत्ती बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है।

9. बहुउद्देशीय कौशल विकास केन्द्र मुरादाबाद एवं मेरठ

सभी श्रेणी के दिव्यांगजन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये मुरादाबाद एवं मेरठ जनपद में एक-एक बहुउद्देशीय कौशल विकास केन्द्र की स्थापना की गयी है। इन केन्द्रों की स्वीकृत क्षमता 50-50 (कुल 100) है जिसमें सभी श्रेणी के दिव्यांगजन को बाजार की माँग के अनुरूप अल्प अवधि के विभिन्न व्यावसायिक ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार प्रारम्भ करने योग्य बनाया जाता है। उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु कुल रु. 23.01 लाख के प्रावधान के सापेक्ष

01 फरवरी 2019 तक कुल रु. 12.27 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 23.01 लाख का प्रावधान है।

10. निराश्रित मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र बरेली, गोरखपुर एवं मेरठ।

प्रदेश के निराश्रित मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र बरेली में महिलाओं हेतु तथा गोरखपुर एवं मेरठ में पुरुषों हेतु एक-एक आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गयी है। इन केन्द्रों की आवासीय क्षमता 50-50 है। इन केन्द्रों में मानसिक मंदित दिव्यांगजन को प्रवेश देकर उनको आश्रय प्रदान किये जाने के साथ-साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वावलम्बी बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। जिनके संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु कुल रु. 91.15 लाख का प्रावधान के सापेक्ष 01 फरवरी 2019 तक कुल रु. 73.74 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 153.09 लाख का प्रावधान है।

11. अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान वाराणसी का संचालन

इस संस्थान में सभी श्रेणी के दिव्यांगजन हेतु जनपद वाराणसी में अमरावती पुरुषोत्तम बहुउद्देशीय दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान संचालित है। इस संस्थान में मानसिक मंदित दिव्यांगजन को आवासीय सुविधा के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान कर स्वावलम्बी बनाये जाने का कार्य प्रदान किया जाता है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रु. 62.71 लाख के प्रावधान के सापेक्ष 01 फरवरी 2019 तक कुल रु. 16.69 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 73.20 लाख का प्रावधान है।

12. मनोविकास केन्द्र गोरखपुर

गोरखपुर मण्डल में जापानी इन्सेफलाइटिस से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वासन हेतु जनपद गोरखपुर के बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज के आरोग्य भवन में मनोविकास केन्द्र संचालित है। इस मनोविकास केन्द्र में जापानी इंसेफलाइटिस से ग्रसित दिव्यांगजन को आई0क्यू0 असेसमेन्ट, आक्यूपेशनल थिरेपी यूनिट, फिजियोथैरेपी यूनिट, आडियोलॉजी यूनिट, व्यावसायिक प्रशिक्षण यूनिट, काउन्सिलिंग एवं सोशल एजूकेशनल यूनिट के माध्यम से पुनर्वास सेवायें एवं सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु कुल रु. 21.53 लाख के प्रावधान के सापेक्ष 01 फरवरी 2019 तक कुल रु. 12.50 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 35.76 लाख का प्रावधान है।

13. बचपन डे केयर सेन्टर की स्थापना एवं संचालन

सर्व शिक्षा अभियान से प्राप्त करायी गयी धनराशि से जनपद लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी (प्रत्येक 60 बच्चों की क्षमता) आगरा, सहारनपुर, झाँसी, बरेली, गौतमबुद्ध नगर (प्रत्येक 30 बच्चों हेतु) में बचपन डे केयर सेन्टर संचालित किये गये थे। वर्ष 2008-09 तक इन केन्द्रों का संचालन सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किया गया था, तदुपरान्त वर्ष 2009-10 से दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा उक्त योजना को विभागीय बजट से संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया। बचपन डे केयर सेन्टर में मानदेय पर समन्वयक तथा विशेष अध्यापकों की व्यवस्था है तथा इसके अतिरिक्त प्रत्येक सेन्टर पर 1-1 फिजियोथिरेपिस्ट, साइकोकाउन्सलर, स्पीच ट्रेनर/विशेषज्ञों की सेवायें प्रति विजिट के आधार पर तथा अटेन्डेन्ट, आया, सफाई कर्मी, चौकीदार की सेवायें मानदेय के आधार पर ली जा रही हैं। इन सेन्टर्स

में 03 से 07 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चों को शिक्षण/प्रशिक्षण के साथ-साथ आवागमन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करते हुये सामान्य विद्यालयों में शिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। स्थापित बचपन डे केयर सेन्टर्स के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रु. 332.80 लाख के प्रावधान के सापेक्ष 01 फरवरी 2019 तक कुल रु. 227.39 लाख का व्यय किया गया है । वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 862.30 लाख का प्रावधान है।

14. डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय (लखनऊ)

देश में प्रथम बार विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग विद्यार्थियों को बाधारहित वातावरण में समेकित शिक्षा के अन्तर्गत गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से 'डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय', लखनऊ की स्थापना की गयी है। वर्तमान में विशेष शिक्षा संकाय में दृष्टिबाधितार्थ, श्रवणबाधितार्थ एवं मानसिक मन्दितार्थ बी0एड0 एवं डी0एड0 विशेष शिक्षा पाठ्यक्रमों के संचालन के साथ-साथ बी0ए0, एम0ए0, बी0काम0, एम0काम0, एम0एस0डब्ल्यू0, एम0बी0ए0 तथा विधि संकाय के अन्तर्गत बी0काम0, एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। विश्वविद्यालय में कुल 09 संकाय के अन्तर्गत 29 विभागों के बनने का प्रावधान है जिसमें वर्तमान में 21 विभाग क्रियाशील हैं। विश्वविद्यालय में प्रत्येक पाठ्यक्रम में विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 50 प्रतिशत सीट आरक्षित है जिसमें से पुनः 50 प्रतिशत अर्थात् 25 प्रतिशत सीटें केवल दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु वेतन एवं अन्य आकस्मिक मदों के अन्तर्गत रु. 3591.58 लाख तथा पूँजीगत निर्माण हेतु रु. 630.41 लाख के प्रावधान के सापेक्ष 01 फरवरी 2019 तक कुल रु. 2423.69 लाख का व्यय किया गया है । वित्तीय वर्ष 2019-20 में वेतन एवं अन्य आकस्मिक मदों के अन्तर्गत रु. 4000.00 लाख तथा पँजीगत निर्माण हेतु रु. 49.00 लाख का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त विश्विविद्यालय में विशिष्ट स्टेडियम के निर्माण हेतु रु. 500.00 लाख तथा कृत्रिम अंग एवं पुनर्वासन केन्द्र की स्थापना हेतु रु. 500.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

15. विभिन्न श्रेणी के निराश्रित दिव्यांग व्यक्तियों हेतु भरण पोषण अनुदान (दिव्यांग पेंशन)

प्रदेश में दृष्टिबाधित, मूक, बधिर, मानसिक तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों, जिनका जीवनयापन के लिए स्वयं का न तो कोई साधन है और न ही वे किसी प्रकार का ऐसा परिश्रम कर सकते हैं, के भरण-पोषण हेतु दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान योजना के अन्तर्गत शासन के पत्रांक 914/65-2-2017-21-96 दिनांक 06 जून 2017 द्वारा पेंशन वृद्धि रु. 300/- प्रति माह प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर रु. 500/- प्रति माह की दर से अनुदान दिया जा रहा है।

16. शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण क्रय हेतु अनुदान योजना

शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को अधिकतम रु0 8000/- तक का अनुदान कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण हेतु दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु सामान्य पक्ष के दिव्यांगजनों हेतु रु. 3090.00 लाख व एस0सी0पी0 में रु. 240.00 लाख के प्रावधान के सापेक्ष 1 फरवरी 2019 तक क्रमशः रु. 1417.76 लाख तथा रु. 123.26 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष

2019-20 में सामान्य पक्ष के लाभार्थियों हेतु रु. 3500.00 लाख व एस0सी0पी0 में रु. 240.00 लाख का प्रावधान है।

17. दिव्यांग व्यक्तियों से शादी करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार योजना

इस योजना के अन्तर्गत दम्पत्तियों में युवती के दिव्यांग होने की दशा में रु. 20,000/- तथा युवक व युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रु. 35,000/- तथा दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में रु. 15,000/- की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 264.00 लाख का प्रावधान है।

18. दिव्यांगजन को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को प्रतिपूर्ति

राज्य सरकार द्वारा इस योजना की नियमावली के अनुसार पात्र दिव्यांगजन एवं उसके सहायक को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में उ0प्र0रा0स0परि0नि0 को प्रतिपूर्ति हेतु में कुल रु. 1236.00 लाख का प्रावधान उपलब्ध था। आवश्यकतानुसार रुपया 200.00 लाख का पुनर्वियोग विकलांगों को उ.प्र. राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा व्यय के अवशेष धनराशि की प्रतिपूर्ति मद में कराया गया वर्तमान में रुपया 1036.00 लाख प्रावधान उपलब्ध है तथा उ0प्र0रा0स0परि0नि0 का लम्बित अवशेष धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु कुल रु. 2000.00 लाख का प्रावधान उपलब्ध था। वर्तमान में रु. 2200.00 लाख का प्रावधान उपलब्ध है। उपर्युक्त प्रावधान के सापेक्ष उ0प्र0रा0स0परि0नि0 को प्रतिपूर्ति हेतु 01 फरवरी 2019 तक रु. 1036.00 लाख एवं रुपया 2200.00 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में लम्बित अवशेष धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु कुल रु. 1500.00 लाख उ0प्र0रा0स0परि0नि0 को प्रतिपूर्ति हेतु रु. 2000.00 लाख का प्रावधान है।

19. दक्ष दिव्यांग व्यक्तियों व उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग कर्मचारियों एवं उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 13.00 लाख का प्रावधान के सापेक्ष 01 फरवरी 2019 तक रु. 7.54 लाख का व्यय किया गया है । वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 13.00 लाख का प्रावधान है।

20. स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं को सहायता

दिव्यांगजन सशक्तिकरण के कार्य में लगी स्वैच्छिक संस्थाओं/संगठनों को दिव्यांगता का कारण, बचाव, उपचार, पुनर्वासन एवं दिव्यांगजन विकास विभाग की योजनाओं तथा अधिनियम के प्रावधानों का प्रचार-प्रसार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 33.00 लाख का प्रावधान किया गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 35.00 लाख का प्रावधान है।

21. मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रुग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रुग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण

केन्द्र संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रु. 375.00 लाख के प्रावधान के सापेक्ष 1 फरवरी 2019 तक कुल रु. 73.41 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 500.00 लाख का प्रावधान है।

22. दृष्टिबाधितार्थ अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना

राजकीय दृष्टिबाधित इण्टर कालेज, मोहान रोड, लखनऊ के परिसर में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर राजकीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून के समन्वय से दृष्टिबाधितार्थ अध्यापन डिप्लोमा प्रदान किए जाने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र पर आने वाले व्यय को वहन करने के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु कुल रु. 3.00 लाख के प्रावधान के सापेक्ष 1 फरवरी 2019 तक कुल रु. 2.30 लाख व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 4.00 लाख का प्रावधान है।

23. ब्रेल प्रेस का संचालन

प्रदेश में दृष्टिबाधित छात्र/छात्राओं के पठन-पाठन हेतु ब्रेललिपि में पुस्तकों को प्रकाशित करने हेतु ब्रेल प्रेस का संचालन किया जा रहा है। यह ब्रेल प्रेस उच्च शिक्षा में अध्ययनरत दृष्टिबाधित छात्रों के छात्रावास निशातगंज, लखनऊ में स्थापित की गयी है। इस ब्रेल प्रेस में विभाग द्वारा संचालित दृष्टिबाधित विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन हेतु सम्बन्धित विषयों की पुस्तकों को ब्रेल लिपि में प्रकाशित कराया जा रहा है। ब्रेल प्रेस के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 15.46 लाख के प्रावधान के सापेक्ष 01 फरवरी 2019 तक कुल रु. 10.09 लाख व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 217.85 लाख का प्रावधान है।

24. कुष्ठावस्था पेंशन योजना

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजन हेतु संचालित दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना के अन्तर्गत कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजन को भी पेंशन दिये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए ऐसे सभी दिव्यांगजन पात्र होंगे, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों तथा बी.पी.एल. सीमा के अन्तर्गत आते हों एवं शासन द्वारा संचालित अन्य कोई पेंशन न प्राप्त कर रहे हों, को प्रदेश से सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र (चाहे दिव्यांगता का प्रतिशत कुछ भी हो) मान्य होगा को रु. 2500/- प्रति माह की दर से अनुदान अनुमन्य होगा। इस योजना की नियमावली प्रख्यापित कर दी गयी है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 3000.00 लाख का प्रावधान है।

25. डिसलेक्सिया व अटेंशन डैफिसिट एण्ड हाईपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम से प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण।

डिसलेक्सिया व अटेंशन डैफिसिट एण्ड हाईपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम जैसे छिपी हुई दिव्यांगता से प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु अध्यापकों को प्रशिक्षित करने, उनके अभिभावकों को इस परिप्रेक्ष्य में जागरूक करने एवं समाज में जागरूकता का सृजन कर संवेदनशीलता उत्पन्न करने की एक नवीन एवं महत्त्वपूर्ण योजना विभाग द्वारा प्रारम्भ की गयी है।

उक्त योजना अन्तर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 20.00

लाख के बजट प्रावधान के सापेक्ष 01 फरवरी 2019 तक रु. 19.49 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 20.00 लाख का प्रावधान है।

26. दिव्यांगजन के लिए बाधारहित व्यवस्था हेतु सिपडा- 1995 का कार्यान्वयन

प्रदेश के विभिन्न जन उपयोगी सार्वजनिक कार्यालय/भवनों को चरणबद्ध ढंग से दिव्यांगजन हेतु सुगम्य बनाने एवं वहाँ बाधारहित वातावरण सृजित कर दिव्यांगजन को आसान पहुँच हेतु सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सिपडा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु रु. 500.00 लाख पूंजीगत पक्ष में रु. 0.01 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया है।

27. शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को मोट्राइज्ड ट्राई-साइकिल की योजना

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के प्रतिपूर्ति प्रदेश के समस्त प्रति लोकसभा क्षेत्र में 100-100 दिव्यांगजन को मोट्राइज्ड ट्राई-साइकिल निःशुल्क उपलब्ध करायी जानी है। प्रति मोट्राइज्ड ट्राई-साइकिल रु. 3700.00 की दर से 8000 मोट्राइज्ड ट्राई-साइकिलों हेतु रु. 2960.00 लाख की धनराशि की आवश्यकता है। जनपदों में वितरण शिविर आयोजित किये जाने हेतु चिह्नांकन, वितरण आदि हेतु प्रशासनिक मद में मोट्राइज्ड ट्राई-साइकिल हेतु आवश्यक धनराशि का 10 प्रतिशत की धनराशि की आवश्यकता होगी अतः रु. 3256.00 लाख के बजट का प्रावधान वर्ष 2019-20 में किया गया है।

28. दिव्यांगजन के लिए राज्य निधि का गठन

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 88 में दिव्यांगजन के लिए राज्य निधि के गठन की व्यवस्था दी गयी है। तदक्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुपूरक अनुदान के माध्यम से रु. 500.00 लाख की बजट व्यवस्था की गई है एवं रु. 500.00 लाख के बजट का प्रावधान वर्ष 2019-20 में किया गया है।

29. नवीन बचपन नर्सरी स्कूलों की स्थापना व संचालन

भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनान्तर्गत चयनित 08 जनपदों में प्री-प्राइमरी स्तर पर विभिन्न श्रेणी के दिव्यांग बच्चों के शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु बचपन डे-केयर सेन्टर की स्थापना कराया जाना है। इन 08 जनपदों (सोनभद्र, चन्दौली, श्रावस्ती, बहराइच, चित्रकूट, बलरामपुर, फतेहपुर व सिद्धार्थनगर) में से चित्रकूट जनपद में पूर्व से बचपन डे-केयर सेन्टर स्थापित है, चित्रकूट को छोड़कर 07 नये जनपदों में बचपन डे-केयर सेन्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है तद्नुसार इनकी स्थापना व संचालन हेतु अनावर्ती व आवर्ती मदों में वास्तवित आवश्यकता के दृष्टिगत रु. 1055.25 लाख का बजट प्रावधान वर्ष 2019-20 में किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभाग के महत्त्वपूर्ण लक्ष्य

1. दिव्यांग पेंशन योजना के अन्तर्गत रु. 62102.00 लाख की प्राविधानित धनराशि से लगभग 1035000 दिव्यांगजन को पेंशन दिए जाने का लक्ष्य है।
2. कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगजन को रु. 3000.00 लाख की प्राविधानित धनराशि से लगभग 10,000 दिव्यांगजन को पेंशन दिए जाने का लक्ष्य है।

3. कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण अनुदान योजना में रु. 3740.00 लाख के प्रावधान से लगभग 62300 दिव्यांगजन को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।
4. शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार देने हेतु रु. 264.00 लाख की धनराशि से 1320 दम्पतियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।
5. दुकान निर्माण/संचालन योजना के अन्तर्गत रु. 106.04 लाख की धनराशि से 1060 दिव्यांगजनों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।
6. प्रदेश के विभिन्न जन उपयोगी सार्वजनिक कार्यालय/भवनों को चरणबद्ध ढंग से दिव्यांगजन हेतु सुगम्य बनाने एवं वहाँ बाधारहित वातावरण सृजित कर दिव्यांगजन को आसान पहुँच हेतु सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सिपडा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु रु. 500.00 लाख पूंजीगत पक्ष में तथा राजस्व पक्ष में रु. 0.01 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
7. सुगम्य भारत अभियान योजनान्तर्गत चिह्नित शासकीय एवं जन उपयोगी भवनों का एक्सेस ऑडिट तथा विभिन्न विभागों को दिव्यांगजन के हितार्थ बनाये जाने की दृष्टि से वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु रु. 6500.00 लाख पूँजीगत पक्ष में तथा राजस्व पक्ष में रु. 50.00 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया है।
8. मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रुग्ण निराश्रित दिव्यांगजन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान किये जाने हेतु कुल रु. 500.00 लाख का प्रावधान किया गया है।
9. डिस्लेक्सिया व अटेंशन डैफिसिट एण्ड हाइपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम से प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु रु. 20.00 लाख का प्रावधान किया गया है।
10. सभी मण्डल मुख्यालयों पर समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना किये जाने के उद्देश्य से समेकित विद्यालयों की स्थापना किये जाने हेतु कुल रु. 3000.00 लाख प्राविधानित है।
11. संकेत मूकबधिर बालक/बालिकाओं के लिये जनपद सोनभद्र, कुशीनगर में आवासीय राजकीय विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु कुल रु. 50.00 लाख का प्रावधान है।
12. स्पर्श राजकीय दृष्टिबाधित बालिका इण्टर कालेज की स्थापना हेतु रु. 904.75 लाख का प्रावधान है।
13. डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में विशिष्ट स्टेडियम के निर्माण हेतु रु. 500.00 लाख का प्रावधान है।
14. डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना हेतु रु. 500 लाख का प्रावधान है।
15. दिव्यांगजनों के लिए प्रदेश के प्रत्येक लोक सभा क्षेत्र में 100-100 दिव्यांगजनों को निःशुल्क मोट्राइज्ड ट्राई-साइकिल उपलब्ध कराये जाने हेतु रु. 3256.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

ई-गवर्नेन्स की प्रगति

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ई-गवर्नेन्स की ओर विशेष कार्यवाही की जा रही हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में उपलब्ध कम्प्यूटरों का उपयोग दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारियों को बजट आवंटन, बी.एम.-8 का संकलन एवं बी.एम.-13 तैयार किये जाने, बजट प्रस्ताव, बजट नियन्त्रण, वार्षिक योजना एवं योजनाओं की प्रगति का संकलन कर अनुश्रवण हेतु किया जा रहा है। ई-गवर्नेन्स की धारणा को विकसित करने हेतु मुख्यालय स्तर के अधिकारियों एव कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

दिव्यांगजन सशक्तिकरण अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-85/65-2011-95 (विविध)/ 2005, दिनांक-31 मई, 2011 द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं 1-दिव्यांग व्यक्ति ऋण हेतु आवेदन, 2- दिव्यांग व्यक्ति के शादी प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए आवेदन, 3- दिव्यांग व्यक्ति के कृत्रिम अंग/उपकरण क्रय हेतु सहायता के लिए आवेदन सम्बन्धी सेवाओं को इलेक्ट्रानिक्स डिलीवरी सिस्टम द्वारा पात्र दिव्यांगजनों को उपलब्ध कराये जाने का भी निर्णय लिया गया है। जिसके लिए कामन सर्विस सेन्टर/लोकवाणी केन्द्रों द्वारा सेवा हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदक द्वारा दी गयी सूचनाओं को ई-फार्म्स एप्लीकेशन के माध्यम से इलेक्ट्रानिक विधि से ई-फार्म्स पोर्टल साफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किया जायेगा, तथा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा जाँचोपरान्त आवेदन पत्र को स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा, जिसकी जानकारी आवेदक को किसी भी सेन्टर पर हो सकेगी। इस प्रकार योजनाओं का लाभ पात्र दिव्यांगजनों को ई-गवर्नेन्स के माध्यम से बिना विलम्ब के सुविधापूर्वक प्राप्त हो सकेगा।

सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास

भूमिका

(क) इस विभाग का मुख्य उद्देश्य पूर्व सैनिकों, विधवाओं व उनके आश्रितों के कल्याण एवं पुनर्वास योजनाओं का क्रियान्वयन कराना है साथ ही सेवारत सैनिकों के परिवारों से सम्बंधित समस्याओं का निराकरण भी कराना है। इसके लिए राज्य स्तर पर निदेशालय सैनिक कल्याण के अन्तर्गत प्रदेश में 75 जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय कार्यरत हैं। भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों की पत्नियों व उनके आश्रितों के कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं को सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों के आधार पर जमीनी स्तर पर संचालन किया जाता है।

(ख) वर्तमान समय में देश में प्रत्येक वर्ष लगभग 50 हजार पूर्व सैनिकों, विधवाओं की संख्या में बढ़ोत्तरी हो जाती है। उत्तर प्रदेश में पूर्व सैनिकों, विधवाओं की संख्या चार लाख से अधिक है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :–

(क) पूर्व सैनिक	–	374727
(ख) विधवायें	–	66237
कुल	–	**440964**

(ग) देश में सभी राज्यों (कुल 33) के सापेक्ष उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनपद हैं एवं पूर्व सैनिक, विधवाओं की संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।

(घ) माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2017 के पश्चात् शहीद सैनिकों की विधवा अथवा एक आश्रित को नियुक्ति प्रदान किये जाने का निर्णय दिनांक 19 मार्च, 2018 को लिया गया।

प्रशासनिक व्यवस्था

प्रदेश के पूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों तथा उनके परिवारों के कल्याणार्थ स्थापित सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास विभाग, उत्तर प्रदेश अपने अधीनस्थ कार्यरत जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों के माध्यम से उनकी समस्याओं के निराकरण/पुनर्वास में सहायता एवं परिवारों की सुरक्षा आदि के दायित्वों को सफलतापूर्वक निभा रहा है। इस दिशा में विभिन्न प्रकार के कार्य/योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए ही जिला स्तर पर वर्तमान में 75 जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय स्थापित हैं। सेना से प्रतिवर्ष काफी संख्या में सैनिक सेवानिवृत्त होते रहते हैं; जिनमें से उत्तर प्रदेश के सैनिकों की संख्या 15 से 16 हजार तक होती है। उनके कल्याण एवं पुनर्वास का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है।

सैनिक कल्याण निदेशालय द्वारा सम्पाादित किये जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण

आतंकवादी घटनाओं में शहीद उत्तर प्रदेश के निवासी सैनिक तथा केन्द्रीय पैरामिलिट्रि फोर्सेज के जवान के आश्रितों को सेवायोजन

1. दिनांक 06 मार्च 2019 को सेना के 06 शहीद आश्रितों को जनपद के जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालयों क्रमशः हापुड़–01, चन्दौली–01, मथुरा–02, मैनपुरी–01, सहारनपुर–01 **में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय, लोक भवन, लखनऊ में नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया । सभी शहीद आश्रितों को जनपद के जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में नियुक्ति प्रदान की गई है।**

2. वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 07 शहीद सैनिक आश्रितों को क्रमशः जनपद मथुरा–03, मेरठ–01, एटा–01, बागपत–01 एवं बरेली–01 **में नियुक्ति प्रदान किये जाने की कार्यवाही की जानी है। यह शहीद सैनिकों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि एवं उनके आश्रितों के कल्याणार्थ प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया एक सराहनीय एवं उच्च कदम है।**

द्वितीय विश्वयुद्ध के पूर्व सैनिकों/सैनिक पत्नियों को पेंशन

3. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 04 फरवरी, 2016 से द्वितीय विश्वयुद्ध के सैनिकों, विधवाओं को रू0 4,000 से बढ़ाकर रू0 6,000 प्रतिमाह प्रति पात्र की दर से पेंशन में वृद्धि की गई है। **वित्तीय वर्ष 2019–20 में 2,989 पात्रों को रु0 10.76 करोड़** की धनराशि राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई है।

उत्तर प्रदेश के निवासी द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को वित्तीय वर्ष 2015–16 से वर्तमान समय तक वितरित की गई धनराशि का विवरण :–

क्र0सं0	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष	पात्र	धनराशि
1	द्वितीय विश्व युद्ध पेंशन	2015–16	4576	22,82,30,109
2	द्वितीय विश्व युद्ध पेंशन	2016–17	4247	26,67,74,292.00
3	द्वितीय विश्व युद्ध पेंशन	2017–18	3598	24,12,13,351.00
4	द्वितीय विश्व युद्ध पेंशन	2018–19	3515	20,92,67,691.00
5	द्वितीय विश्व युद्ध पेंशन	2019–20	3073	11,06,28,000.00

प्री–कारगिल युद्ध (वर्ष 1962, 1965, 1971) की वीर नारियों को आर्थिक सहायता

4. उत्तर प्रदेश के प्री–कारगिल (वर्ष 1962, 1965 एवं 1971) के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए वीर सैनिकों की वीर नारियों को वर्ष 2010–11 से एक मुश्त रु0 50 हजार की धनराशि राज्य सरकार द्वारा वितरित की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा **वर्ष 2018–19 में 10 पात्रों को रु0 05 लाख** की धनराशि का आवंटन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011–12 से वर्ष 2018–19 तक **कुल 509** प्री–कारगिल युद्ध की वीर नारियों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

कारगिल युद्ध से पूर्व शहीद हुए सैनिकों की पत्नियों को वित्तीय वर्ष 2015–16 से वर्तमान समय तक वितरित की गई सहायता अनुदान की धनराशि का विवरण :–

क0सं0	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष	पात्र	धनराशि
1.	प्री–कारगिल	2015–16	30	15,00,000.00
2.	प्री–कारगिल	2016–17	20	10,00,000.00
3.	प्री–कारगिल	2017–18	20	10,00,000.00
4.	प्री–कारगिल	2018–19	10	5,00,000.00
5.	प्री–कारगिल	2019–20	–	–

कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के माता–पिता एवं वीर नारियों को आर्थिक सहायता

5. उत्तर प्रदेश में कारगिल युद्ध के शहीदों की संख्या 98 है जिनके विधिक आश्रितों को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013–14 से रु0 7,500 प्रति माह प्रति पात्र की दर से एवं माता अथवा पिता को रु0 5,000 प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता दी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में **98 पात्रों को रु0 51.75 लाख** की धनराशि आवंटित की गयी है।

वर्ष 1986 के पूर्व वीर चक्र शृंखला व सेना मेडल, मेंशन–इन–डिस्पेच के वीरता पुरस्कार विजेताओं को एक मुश्त धनराशि एवं वार्षिकी

6. राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1986 के पूर्व जल, थल एवं वायु सेना के वीरता पुरस्कार विजेताओं को नगद पुरस्कार दिये जाने की स्वीकृति का शासनादेश दिनांक 15 जून, 2018 को जारी किया गया है। शासनादेश के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्री–86 के **19 पात्र वीरता पदक विजेताओं को वार्षिकी की धनराशि का भुगतान** किया गया है। वर्ष 2020–21 में **33 पात्रों के लिये बजट मांग प्रस्तावित** है।

नकद आर्थिक सहायता वीरता पुरस्कार विजेताओं एवं उक्त से संबंधित पृथक सेवा पुरस्कार विजेताओं को देय धनराशि में वृद्धि

7. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उत्तर प्रदेश के निवासी वीरता पुरस्कार विजेताओं को शासनादेश दिनांक 10 जुलाई, 2018 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली एक मुश्त एवं वार्षिकी की धनराशि में वृहद स्तर पर वृद्धि की गई है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में **848 पात्रों को रु0 151.099 करोड़** की धनराशि आवंटित की गयी।

अशोक चक्र शृंखला के अंतर्गत अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एवं शौर्य चक्र से पुरस्कृत नागरिकों को दी जाने वाली एक मुश्त एवं वार्षिकी की धनराशि में वृद्धि

8. सामान्य प्रशासन अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अशोक चक्र शृंखला के अंतर्गत (अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एवं शौर्य चक्र) से अलंकृत प्रदेश के नागरिकों को दी जाने वाली एक मुश्त एवं वार्षिकी की धनराशि में शासनादेश दिनांक 10 अक्टूबर, 2018 के अंतर्गत वृद्धि की गई है ।

शहीद सैनिक परिवार को अनुदान

9. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शहीद सैनिक के परिवार को रु0 20 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

उ0प्र0 पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज़ सहायता संस्थान

10. महामहिम राज्यपाल द्वारा उ0प्र0 पुलिस एवं आर्म्ड फोर्सेज सहायता संस्थान से उ0प्र0 के सैनिक जो अपनी ड्यूटी पर लड़ाई अथवा शांतिकाल में शहीद/अपंग हुए हैं, को निम्नवत् सहायता दी जाती है । **शहीद सैनिक को दी जाने वाली धनराशि रु0 06 लाख में वृद्धि कर वर्ष 2018 में रु0 10 लाख तथा अपंग सैनिकों को दी जाने आर्थिक सहायता की धनराशि रु0 4 लाख में वृद्धि कर रु0 06 लाख की गई है।**

(क) वीरगति प्राप्त होने पर रु0 10 लाख

(ख) अपंग होने पर रु0 06 लाख

दातव्य निधि से दिये जाने वाले अनुदान की सीमा में वृद्धि

11. उत्तर प्रदेश सरकार के अथक प्रयास से सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत विजय निधि से दिये जाने वाले पूर्व सैनिकों/आश्रितों के आय की सीमा रु0 25,000 से बढ़ाकर **रु0 2,50,000** की गई है। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल **480 पात्रों को रु0 10,23,000** का अनुदान दिया गया।

शहीद सैनिकों की पत्नियों को गृहकर से छूट

12. राज्य सरकार द्वारा शहीद हुए सैन्य कर्मियों की विधवाओं के स्वामित्व के आवासीय भवन जिसमें वह स्वयं निवास कर रही हैं **गृहकर से छूट प्रदान** की गई है।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्टाम्प ड्यूटी में छूट

13. उ0प्र0 शासन द्वारा आदेश दिनांक 20 जून 2018 के अतंर्गत जब कि भूतपूर्व सैनिक अथवा शहीद सैनिक के विधिक आश्रित किसी हस्तांतरण अथवा पट्टा विलेखों में संयुक्त अंतरिती हो, को छूट प्रदान किये जाने के लिये सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि **ऐसे विलेखों में भी यदि भूतपूर्व सैनिक अथवा शहीद सैनिक के विधिक आश्रित का अंतरिती के रूप में हिस्सा रु0 20 लाख तक का है तो इस सीमा तक उन्हें छूट लाभ अनुमन्य होगा।**

जिला सैनिक बन्धु की बैठक

14. पूर्व सैनिकों/आश्रितों की समस्याओं के निराकरण हेतु '**ज़िला सैनिक बन्धु**' की बैठक प्रत्येक जनपद में प्रत्येक माह को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रशासन के सहयोग से आयोजित की जाती है जिसमें पूर्व सैनिकों, आश्रितों की समस्याओं का निवारण किया जाता है।

पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह

15. वित्तीय वर्ष 2018–19 में पुनर्मिलन समारोह का जनपद **कौशाम्बी, मेरठ, अलीगढ़, मथुरा, बरेली, पीलीभीत, कानुपर नगर, वाराणसी, गोरखपुर, सीतापुर, अयोध्या, महोबा, अम्बेडकरनगर, लखनऊ** में सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।

16. **वित्तीय वर्ष 2019–20** में पुनर्मिलन समारोह के आयोजन हेतु प्रस्तावित जनपद **आजमगढ़, हरदोई, बहराइच, देवरिया, कुशीनगर, सुल्तानपुर, संतकबीर नगर, बस्ती, आगरा, एटा, श्रावस्ती, मैनपुरी, फतेहगढ़, गाजीपुर एवं बलरामपुर** हैं।

पैराप्लाजिक सेन्टर में भर्ती उत्तर प्रदेश के 100 प्रतिशत विकलांग सैनिकों के उपचार हेतु सहायता

17. उत्तर प्रदेश राज्य के हाथ व पाँव से पूर्णतया दिव्यांग कुल 08 सैनिक पैराप्लाजिक सेन्टर किरकी में 04(बलिया, हाथरस, आगरा, एटा के) एवं मोहाली में 04(देवरिया, अलीगढ़, बस्ती, आजमगढ़ के) आजीवन भर्ती हैं, की सेवा सुश्रुषा एवं औषधि के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य सरकार द्वारा रु0 10 लाख की धनराशि आवंटित की गयी। वर्ष 2019–20 में राज्य सरकार द्वारा रु0 08 लाख की धनराशि पुनर्वास केन्द्र किरकी व मोहाली को स्वीकृत की गई है।

पूर्व सैनिकों के आश्रितों हेतु प्रदेश की कल्याणकारी नीतियों के अंतर्गत निःशुल्क रोजगार परक प्रशिक्षण

18. प्रदेश के पूर्व सैनिक आश्रितों को कम्प्यूटर टैली, फैशन डिजायनिंग, इनफारमेशन टेक्नोलॉजी एवं एस.एस.बी. कोचिंग हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 में कुल 635 पूर्व सैनिक आश्रितों को प्रशिक्षण दिलाया गया जिसके लिये रु. 58.99 लाख की धनराशि का भुगतान किया गया। वित्तीय वर्ष 2019–20 में 639 पात्रों के सापेक्ष रु. 59 लाख का व्यय भार किया जाएगा।

पूर्व सैनिकों को रोजगार

19. 01 जनवरी 2019 से 30 जून 2019 तक पूर्व सैनिकों को निम्नवत् रोजगार प्राप्त कराया गया :–

केन्द्र सरकार	–	127
केन्द्र सरकार के उपक्रम	–	29
राज्य सरकार	–	54
राज्य सरकार के उपक्रम	–	54
बैंक	–	206
स्थानीय निकाय	–	359
प्राइवेट सेक्टर	–	334

जिला सैनिक कल्याण कार्यालय भवन एवं विश्रामगृहों की मरम्मत

20. चालू वित्तीय वर्ष में शासन के आदेशानुसार नामित जनपद यथा– **बहराइच, गोण्डा, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, सीतापुर एवं बस्ती** के आगणन नामित संस्था से बनवाकर शासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु हस्तगत कराये गये हैं।

21. कार्यालय भवन एवं विश्राम गृहों का नव निर्माण **बलरामपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, मेरठ, एवं मऊ** में निर्माण कार्य प्रगति पर है।

जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों के भवन एवं विश्रामगृह का निमार्ण एवं लघु निमार्ण कार्य

22. जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों के भवन, विश्रामगृहों एवं लघु निमार्ण कार्य वित्तीय वर्ष 2014–15 से वर्तमान समय तक निम्नलिखित जनपदों में कराया गया है :

वित्तीय वर्ष 2014–15		वित्तीय वर्ष 2015–16		वित्तीय वर्ष 2016–17		वित्तीय वर्ष 2017–18		वित्तीय वर्ष 2018–19	
धनराशि	जनपद	धनराशि	जनपद	धनराशि	जनपद	धनराशि	जनपद	धनराशि	जनपद
141.00	2	184.00	3	184.0	2	184.00	4	550	4

ई–टेन्डरिंग प्रकिया

23. शासन के निर्देशानुसार हर्ष के साथ अवगत कराया जाता है कि इस विभाग में ई–टेन्डरिंग की प्रक्रिया पूर्ण की गयी। दिसम्बर 2019 में मनाये जाने वाले सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के आयोजन हेतु ई–टेन्डरिंग प्रक्रिया द्वारा टेन्डरों की कार्यवाही हस्तगत है।

आई.जी.आर.एस. (IGRS) एवं सूचना का अधिकार

24. **मा0 मुख्यमंत्री लोक शिकायत अनुभाग** से प्राप्त 60 प्रार्थना पत्रों का सैनिक कल्याण विभाग द्वारा पत्र के माध्यम से एवं वेबसाइट पर शीघ्र उत्तर अपलोड एवं निस्तारण किया गया। विभाग में लम्बित प्रकरण शून्य हैं।

25. **सूचना के अधिकार** के अंतर्गत कुल प्राप्त 504 प्रार्थना पत्रों में 502 पत्रों पर कार्यवाही की गयी।

प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति

26. पूर्व सैनिकों के आश्रितों को प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति का लाभ दिलाये जाने हेतु वर्ष 2018–19 में 212 अभ्यर्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई। वर्ष 2019–20 में आवेदन पत्रों के अग्रसारण की कार्यवाही की जा रही है।

रक्षामंत्री विवेकाधीन कोष के अंतर्गत छात्रवृत्ति

27. वर्ष 2018–19 में रक्षा मंत्री विवेकाधीन कोष के अंतर्गत 3976 अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गयी। वर्ष 2019–20 में आवेदन पत्रों के अग्रसारण की कार्यवाही की जा रही है ।

सशस्त्र सेना झण्डा दिवस

28. प्रत्येक वर्ष 07 दिसम्बर को सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के अवसर पर प्रदेश के नागरिकों से अपील की जाती है कि इस दिवस पर पूर्व सैनिकों, विकलांग सैनिकों, वीर नारियों एवं उनके आश्रितों के प्रति आदर भाव से उदारतापूर्वक योगदान दें ताकि एकत्रित धनराशि से इनके परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा सकें। वित्तीय वर्ष 2017–18 में

रु0 1,54,61,934 एवं वित्तीय वर्ष 2018–19 में रु0 1,39,15,242 की धनराशि झण्डा दिवस पर एकत्रित की गयी। वर्ष 2019–20 में सशस्त्र सेना झण्डा दिवस मनाये जाने की कार्यवाही हस्तगत है।

स्वच्छता अभियान

29. विभाग द्वारा स्वच्छता एवं पेपरलेस नीति का पूर्णतया पालन किया जा रहा है।

उ.प्र. सैनिक पुनर्वास निधि

उत्तर प्रदेश शासन, सैनिक कल्याण अनुभाग की अधिसूचना द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 1983 द्वारा यू.पी. पोस्टवार सर्विसेज रिकॉन्सट्रक्शन फण्ड ट्रस्ट तथा यू.पी. स्पेशल फण्ड ट्रस्ट नामक दो ट्रस्टों को समामेलित कर उ.प्र. सैनिक पुनर्वास निधि का गठन किया गया। भारत सरकार एवं उ.प्र. सरकार द्वारा दी गयी कार्पस धनराशि के प्राप्त ब्याज से इस कार्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश के पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं एवं उनके आश्रितों के कल्याणार्थ विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है।

टाटा एजूकेशन एवं डेवलपमेंट ट्रस्ट, मुम्बई द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जरूरतमंद विद्यार्थियों को सहायता प्रदान की जाती है। इसी क्रम में टाटा ट्रस्ट द्वारा निधि की दो योजनाओं (वार्षिक शैक्षिक सहायता एवं NDA/IMA/OTA/AF Academy/Naval Academy/ Women Entry में उत्तीर्ण होने वाले पूर्व सैनिकों के आश्रितों को सहायता) हेतु वर्ष 2018–19 से तीन वर्षों तक रु. 1.00 करोड़ (प्रतिवर्ष) दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

उ.प्र. सैनिक पुनर्वास निधि द्वारा संचालित योजनाएं

(अ) वार्षिक शैक्षिक सहायता (प्रतिवर्ष) (दरें दिनांक 19 जुलाई 2019 से संशोधित)

(ब) भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता

(स) भू0पू0 सैनिकों द्वारा पुनर्वास हेतु लिये गये ऋण में छूट देना।

(द) NDA/IMA/OTA/AF Academy/Naval Academy/ Women Entry में उत्तीर्ण होने वाले पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना। (दरें दिनांक 19 जुलाई, 2019 से संशोधित)।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण एवं राजनैतिक पेंशन

देश की आजादी की लड़ाई में आत्मोत्सर्ग करने वाले वीर सेनानियों के त्याग एवं बलिदान के प्रति उच्च आदर भाव एवं सम्मान प्रदर्शित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही वर्ष 1947 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन/अनुदान की योजना चलायी गयी। कालान्तर में पेंशन/अनुदान हेतु पेंशन नियमावली प्रख्यापित की गयी, जो 06 अगस्त 1975 से प्रभावी है। इस नियमावली के नियमों के अन्तर्गत प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को जीवनपर्यन्त पेंशन की सुविधा अनुमन्य है। वर्तमान में राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके पात्र आश्रितों को भी पारिवारिक पेंशन की सुविधा अनुमन्य है। वर्तमान में राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मृत्यु के पश्चात् उनके पात्र आश्रितों को दिनांक 01.02.2018 से 5,000 रुपये प्रतिमाह वृद्धि कर वर्तमान में रुपये 20,176/- प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में पेंशन मद में रु. 45,00,00,000/- (रु. पैंतालिस करोड़ मात्र) की आय-व्ययक में व्यवस्था है।

जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की संतानें (पुत्र/पुत्री) स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल में पैदा हुई हैं, उन्हें भी स्वतंत्रता सेनानी का स्तर प्रदान करते हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन अनुमन्य करायी गयी है।

परिवहन सुविधा

वर्ष 1983 से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में पूरे प्रदेश में निःशुल्क यात्रा की सुविधा अनुमन्य की गयी है। वर्ष 1989 से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को एक सहचर के साथ पूरे प्रदेश में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गयी है। वर्तमान में यह सुविधा उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में प्रदेश के बाहर के लिए अनुमन्य की गयी है। इसी प्रकार दिवंगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की विधवाओं को भी एक सहायक के साथ उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा अनुमन्य करायी गयी है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस मद में रु. 20,00,000/- (रु0 बीस लाख मात्र) की आय-व्ययक में व्यवस्था है।

चिकित्सा सुविधा

राज्य सरकार द्वारा राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उनके आश्रितों को राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा व भोजन की सुविधा अनुमन्य करायी गयी है। यह चिकित्सा विभाग द्वारा अपने बजट से दिया जाता है।

मृतक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता

पूर्व में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के दिवंगत होने पर उनके दाह संस्कार हेतु उनके पात्र आश्रितों को रु. 2000/- का अनुदान प्रदान किया जाता था, जिसे राज्य सरकार द्वारा दिंनाक 01-01-2007 से बढ़ाकर रु. 5000/- कर दिया गया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की मृत्यु होने पर उनके सम्मान में शासन की ओर से जिलाधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा सेनानी के पार्थिव शरीर पर पुष्पार्पण किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में इस मद में रु. 6,00,000/- की व्यवस्था है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कल्याणार्थ ''स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद'' की स्थापना 12 फरवरी, 1973 को की गयी है। मा. मुख्यमंत्री जी परिषद के पदेन अध्यक्ष हैं। परिषद में निदेशक/सचिव का एक पद, अनुभाग अधिकारी का एक पद, समीक्षा अधिकारी के चार पद, सहायक समीक्षा अधिकारी के एक पद, लेखाकार/कोषाध्यक्ष, वैयक्तिक सहायक, टंकक एवं ड्राइवर के एक-एक पद तथा अनुसेवक के दो पद अनुमन्य हैं। परिषद द्वारा सेनानियों के कल्याणार्थ समय-समय पर दिये गये सुझावों पर शासन द्वारा विचार किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद हेतु रुपये 1,13,28,000/- (रु0 एक करोड़ तेरह लाख अट्ठाईस हजार मात्र) की आय-व्ययक में व्यवस्था है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन

प्रदेश के वृद्ध एवं निराश्रित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए आवास एवं भोजन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से लखनऊ में एक सेवा सदन की स्थापना भी की गयी है। इसमें 25 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की स्थायी तथा 05 आकस्मिक अभ्यागतों के रहने की व्यवस्था है। सेवा सदन रीवर बैंक कालोनी, लखनऊ में स्थित है। इसी प्रकार से एक सेवा सदन की स्थापना मथुरा जिले में भी की गयी है। लखनऊ स्थित उक्त सदन की देखभाल हेतु अधीक्षक का पद स्वीकृत है। सेवा सदन लखनऊ एवं मथुरा के अधिष्ठान एवं सेनानियों की सुविधा हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक रु. 93,74,000/- (रु. तेरानबे लाख चौहत्तर हजार मात्र) की व्यवस्था है।

स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान

स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले तथा अन्य विशिष्ट सेनानियों की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा शहीद स्मारकों, स्तम्भों तथा मूर्तियों का निर्माण कराया जाता है। यह कार्य 'उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी कल्याण संस्थान' के माध्यम से कराया जाता है। इस कार्य के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 50,00,000/- की आय-व्ययक में व्यवस्था है।

शासन सेनानियों की कठिनाइयों के निराकरण के सम्बन्ध में सतत् प्रयत्नशील है। इसी क्रम में शासन की प्राथमिकताओं, नई कार्यशैली तथा वचनबद्धता के दृष्टिगत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पेंशन प्रकरणों को समयबद्ध ढंग से निस्तारित किया जा रहा है।

लोकतंत्र सेनानी

वर्तमान में सरकार द्वारा असंख्य नौजवानों व साहसी वीरों, जिन्होंने देश में आपातकालीन अवधि में लोकतंत्र की रक्षा के लिए सक्रिय रहते हुए संघर्ष किया एवं इसके फलस्वरूप मीसा/डी0आई0आर0 में कारागार में निरुद्ध रहे, ऐसे राजनैतिक बन्दियों/लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान राशि एवं अन्य सुविधायें प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में 'उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम 2016' दिनांक 22.03.2016 एवं ''उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) अधिनियम, 2018'' दिनांक 10.09.2018 को अधिसूचित किया गया है। वर्तमान में लोकतंत्र सेनानियों एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त यथास्थिति पत्नी/पति को उनके सम्मान में दिनांक 01.07.2018 से रु. 5,000/- वृद्धि करते हुये रु. 20,000 प्रति माह सम्मान राशि, राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा की निःशुल्क सुविधा व उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में एक सहयोगी सहित निःशुल्क यात्रा की सुविधा एवं लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु पर सेनानी की अंत्येष्टि क्रिया राजकीय सम्मान के साथ किये जाने की व्यवस्था अनुमन्य करायी गयी है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में लोकतंत्र सेनानी को दिये जाने वाली सम्मान राशि में रु.1,75,00,00,000/- (रु. एक अरब पचहत्तर करोड़ मात्र) एवं निःशुल्क परिवहन सुविधा मद में रु.4,00,00,000/- (रु. चार करोड़ मात्र) का बजट प्रावधान है।

●

श्रमिक कल्याण एवं सेवायोजन

उत्तर प्रदेश की वर्तमान लोकप्रिय सरकार की प्राथमिकताओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश शासन उनके क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित पहल करता रहा है ताकि औद्योगिक शान्ति की स्थापना से विकास के लक्ष्य की ओर बढ़ना जारी रहे। इसके लिए उद्यमियों और श्रमिकों के बीच प्रभावी सामंजस्य स्थापित करने और निरन्तर अनुकूल वातावरण बनाये रखने के सभी सम्भव प्रयास किये जाते हैं।

श्रम विभाग के अन्तर्गत श्रमिकों के विधिक हितों के संरक्षण और संवर्धन के लिये श्रम आयुक्त संगठन है। श्रमिकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से किया जा रहा है तथा प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय द्वारा बेरोजगार युवकों के पंजीयन तथा उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्त्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन किया जा रहा है।

श्रम आयुक्त संगठन

लगभग 81 वर्ष पूर्व सन् 1937 में उत्तर प्रदेश (जो तत्समय 'संयुक्त प्रान्त' कहलाता था) में कानपुर में एक प्रथक श्रम कार्यालय की स्थापना की गई, ताकि श्रमिकों की समस्याओं का शीघ्र निपटारा हो, श्रम विषयक सांख्यिकी का संकलन किया जाये तथा (राजकीय) श्रम हितकारी केन्द्र संचालित कर श्रमिक वर्ग के लिए कल्याणकारी कार्यों की शुरूआत भी हो। प्रथम स्वदेशी सरकार की इस ऐतिहासिक पहल के बाद विभागीय कार्य-परिधि और गतिविधियों में विस्तार आता गया। पहले से कुछ तेज गति से श्रम विभाग का विस्तार वर्ष 1946 से होना शुरू हुआ और यह क्रम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्वाचित प्रायः सभी लोकप्रिय सरकारों के कार्य-कालों में 20वीं सदी के अंत तक जारी रहा। वहीं ''श्रम कार्यालय'' आज, इक्कीसवीं सदी में प्रादेशिक श्रम विभाग का मुख्य नियंत्रक घटक यानि श्रम आयुक्त संगठन है, जिसके अधीनस्थ मुख्यालय व मण्डल स्तर पर अपर/उप/सहायक श्रम आयुक्त, उप/सहायक निदेशक (कारखाना) तथा उप/सहायक निदेशक (ब्वायलर्स) के अतिरिक्त अन्यान्य विशेषज्ञताएं रखने वाले विभिन्न पदधारक कुछ अन्य अधिकारीगण भी कार्यरत हैं।

श्रम विभाग के प्रमुख उद्देश्य

प्रदेश शासन के श्रम विभाग के अन्तर्गत श्रम आयुक्त संगठन द्वारा श्रमिक हितों के संरक्षण और संवर्धन के लिये निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में अपेक्षित कार्य निष्पादित किये जा रहे हैं :

(1) संराधन तंत्र के माध्यम से औद्योगिक विवादों को त्वरित गति से निस्तारण किया जाना ताकि इकाइयों के कर्मचारियों और उनके नियोजकों के मध्य सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित किये जा सकें तथा औद्योगिक उत्पादन का स्तर बनाये रखते हुए श्रमिक हित संरक्षित हो सकें।

(2) विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत संगठित व असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिये सुनिश्चित हित-लाभ एवं विधिसंगत अधिकारों को संरक्षित रखना और औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षित कार्य-पर्यावरण उपलब्ध कराने की कार्यवाही किया जाना।

(3) श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने, सेवा-शर्तों को विनियमित किये जाने, सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्य-पर्यावरण उपलब्ध कराये जाने, सुनिश्चित वित्तीय हित-लाभ सहित न्यूनतम वेतन का समय से भुगतान सुनिश्चित कराये जाने के लिये श्रम आयुक्त संगठन सतत् प्रयासरत रहता है।

निदेशन एवं प्रशासन

श्रम आयुक्त संगठन के अन्तर्गत मण्डलीय कार्यालयों एवं उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों में स्थापित अन्य कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस योजना के अन्तर्गत श्रम आयुक्त, अपर श्रम आयुक्त, वित्त नियंत्रक, विधि परामर्शी, उप श्रम आयुक्त तथा सहायक श्रम आयुक्त के पद सृजित हैं। मुख्यालय पर तैनात अधिकारियों तथा कर्मचारियो के माध्यम से शासन की नीतियों का पालन तथा प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित किया जाता है। इस योजना से मुख्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतन-भत्तों आदि का वहन किया जाता है, जो विभाग के संचालन के लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

ई–गवर्नेंस के क्रियान्वयन की प्रगति (श्रमायुक्त संगठन)

ई–गवर्नेन्स योजना के अधीन उद्योगों को त्वरित प्रक्रिया के अन्तर्गत स्वीकृतियाँ/अनुमतियाँ/अनापत्तियाँ/रजिस्ट्रेशन/लाइसेन्सिंग इत्यादि निर्धारित समय में समयबद्धता के साथ उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों/जनमानस द्वारा समस्त अधिनियमों के अन्तर्गत ऑनलाइन पंजीकरण एवं नवीनीकरण आदि की सुविधा वर्तमान में विभागीय वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त की जा रही है। इस व्यवस्था को श्रम सुविधा पोर्टल भारत सरकार तथा सिंगल विन्डो सिस्टम से भी जोड़ा गया है। श्रम आयुक्त संगठन के क्रियाकलापों को सम्मिलित करते हुए श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट यूपीलेबर.जीओवी.इन प्रदेश सरकार के डाटा सेन्टर पर स्थापित है।

क्वालिटी सर्किल योजना

''क्वालिटी सर्किल'' एक जैसे कार्य करने वाले ऐसे 5 से 10 लोगों का स्वैच्छिक समूह है, जो अपने कार्य क्षेत्र की गुणवत्ता, उत्पादकता, लागत घटाना और अन्य समस्याओं का पता लगाने, उनका विश्लेषण व समाधान करने के लिये नियमित रूप से आपस में विचार-विमर्श करते हैं और उनका हल ढूँढ़ने का प्रयास करते हैं। इससे उनके कार्य में सुधार होता है तथा श्रमिकों में प्रतिष्ठान के प्रति लगाव की भावना जागृत होती है। इससे प्रतिष्ठान की उत्पादकता एवं श्रमिकों की कार्यकुशलता तथा कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि के साथ-साथ उनमें टीम भावना के साथ कार्यस्थल की तकनीकी समस्याओं को सुलझाने की प्रेरणा का विकास होता है। क्वालिटी सर्किल योजना के गठन में सदस्य, समन्वयक, सुविधाकर्ता, संचालन समिति एवं उच्च प्रबन्धन महत्त्वपूर्ण अंग होते हैं।

उत्पादन प्रोत्साहन योजना

निर्धारित समय में मानक उत्पादन से अधिक उत्पादन करने के लिये प्रोत्साहन हेतु प्रतिष्ठानों में यह योजना लागू की जाती है, जिसके फलस्वरूप उत्पादन के साथ-साथ उत्पादकता में वृद्धि होती है एवं श्रमिकों को भी आर्थिक लाभ होता है, मानक उत्पादन निर्धारण औद्योगिक अभियन्त्रण/कार्य अध्ययन द्वारा निर्धारित करने के पश्चात् योजनाओं के माडल को प्रतिष्ठान के प्रबन्धक एवं श्रमिक प्रतिनिधियों द्वारा आपसी विचार-विमर्श/समझौते के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रतिष्ठान में एक या एक से अधिक प्रकार की उत्पादन प्रोत्साहन योजनाएं अलग-अलग कार्यों की प्रकृति के अनुसार लागू की जा सकती हैं।

कार्यस्थल रख–रखाव के लिए ''5–एस'' योजना

सुव्यवस्थित कार्य–स्थल विकसित करने के लिये कार्य–स्थल व्यवस्थापन आवश्यक है जिसके लिये ''प्रत्येक आवश्यक वस्तु के लिये नियत स्थान और यथास्थान प्रत्येक वस्तु'' का सिद्धान्त अपनाकर कार्य संचालन विकसित किया जाता है, जिससे श्रमिकों की कार्यकुशलता एवं उत्पादकता में वृद्धि तथा दुर्घटनाओं में कमी होती है। श्रमिकों का कार्य के प्रति लगाव बढ़ता है तथा कार्य दशाओं में सुधार होता है। **''5-एस''** पाँच शब्दों क्रमशः सेरी, सीटन, सीसों, सिकेत्सु एवं सित्सुके के प्रथम अक्षर से लिया गया है जो जापानी भाषा के शब्द हैं।

1. पहला ''एस'' सेरी :- जिसका अर्थ है कार्यस्थल से अनावश्यक वस्तुएं छाँटना और उन्हें अलग कर देना।
2. दूसरा ''एस'' सीटन :- जिसका अर्थ है आवश्यक वस्तुओं को क्रमबद्ध रूप से रखना ताकि उपयोग हेतु उन्हें आसानी से उठाया जा सके।
3. तीसरा ''एस'' सीसो :- जिसका अर्थ है अपने कार्यस्थल को पूर्णरूपेण स्वच्छ करना ताकि फर्श, मशीन और उपकरणों के आस-पास स्वच्छ कार्यस्थल रहे।
4. चौथा ''एस'' सिकेत्सु :- जिसका अर्थ है रख-रखाव व्यवस्था तथा कार्य स्थल व्यवस्थापन के उच्च मापदण्ड को बनाये रखना।
5. पाँचवा ''एस'' सित्सुके :- जिसका अर्थ है लोगों को स्वमेव रख–रखाव व्यवस्था अपनाने के लिए प्रशिक्षित करना।

कैजेन

कैजेन जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है निरन्तर सुधार। इसके अन्तर्गत किसी भी प्रतिष्ठान में कार्यरत सभी लोग जैसे- श्रमिक, सुपरवाइजर, मिडिल मैनेजमेन्ट एवं टाप मैनेजमेंट को शामिल करके प्रतिष्ठान के विभिन्न क्षेत्रों/कार्यस्थलों/कार्य पद्धति में वर्तमान में चल रही टेक्निकल मैन्युफैक्चरिंग एक्टीविटीज, मैनेजेरियल एवं आपरेटिंग स्टैण्डर्ड को मेन्टेन रखना एवं वर्तमान में प्रचलित स्टैण्डर्ड को निरन्तर सुधार करते रहना।

कैजेन के द्वारा किसी भी प्रतिष्ठान में स्टैण्डर्ड को मेन्टेन करते हुए पुनः सुधार की प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती रहती है, जिससे प्रतिष्ठान में कार्यरत लोग निरन्तर सुधार के कारण कार्यकुशलता एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिये प्रोत्साहित एवं स्वयं के प्रति अनुशासित हो जाते हैं।

पुस्तकालय

श्रम आयुक्त कार्यालय, उत्तर प्रदेश के मुख्यालय में स्थित पुस्तकालय प्रभाग एक विशाल एवं उच्च कोटि का माना जाता है। पुस्तकालय में विभिन्न विषयों जैसे- लेबर एण्ड इण्डस्ट्रियल लॉ, शासनादेश संग्रह, सर्विस रूल्स, बॉन्डेड/वाइल्ड/वुमेन लेबर, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, कानूनी प्रबन्धन, दर्शन, ऐतिहासिक, विभिन्न साहित्यिक हिन्दी/अंग्रेजी एवं धार्मिक पुस्तकों एवं विभिन्न जर्नल तथा गज़ट आदि का विशाल संग्रह उपलब्ध है। उपरोक्त पुस्तकों/जर्नल की संख्या लगभग 20824 है। मुख्यालय के अतिरिक्त पुस्तकालय का उपयोग उत्तर प्रदेश शासन, क्षेत्रीय अपर/उप/सहायक श्रम आयुक्त कार्यालयों, विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त विभिन्न ट्रेड यूनियन संगठनों, श्रम सलाहकारों, एडवोकेट, रिसर्च स्कॉलर आदि द्वारा किया जाता है।

श्रम अधिनियमों का प्रवर्तन

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत निर्धारित मजदूरी दरों का पुनरीक्षण

प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कुल 65 नियोजन अधिसूचित हैं, जिनमें से 64 अनुसूचित नियोजनों (स्थानीय निकाय को छोड़कर) में मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित की जाती हैं। इनमें से 59 अनुसूचित नियोजनों में मजदूरी की दरें शासकीय अधिसूचना संख्या 194/36-3-2014-07 (न्यू0वे0)/04, दिनांक 28.01.2014 द्वारा पुनरीक्षित की गयी हैं। वर्तमान में परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते सहित इन 59 अनुसूचित नियोजनों में देय मजदूरी का विवरण निम्नवत् है :

			परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता (रुपये में)		दिनांक 01.10.2018 से दिनांक 31.03.2019 तक	
क्र0 सं0	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी (रुपये में)	दिनांक 01.10.2018 से दिनांक 31.09.2018 तक	दिनांक 01.10.2018 से दिनांक 30.03.2019 तक	प्रतिमाह कुल मजदूरी (रुपये में)	दैनिक मजदूरी (रुपये में)
1.	अकुशल	5750.00	1863.42	1925.45	7675.45	295.21
2.	अर्द्ध कुशल	6325.00	2049.77	2118.00	8443.00	324.73
3.	कुशल	7085.00	2296.06	2372.49	9457.49	363.75

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत पंजीयन एवं नवीनीकरण की कार्यवाही में व्यवसायियों को सुगमता प्रदान करने के उद्देश्य से पत्र संख्या-1616-1823/प्रवर्तन-2015 दिनांक 12.06.2015 द्वारा ऑनलाइन पंजीयन 21 दिनों में तथा पत्र संख्या 327-451/प्रवर्तन-2018 दिनांक 03.04.2018 द्वारा पंजीयन एक दिन में और पत्र संख्या-830-85/प्रवर्तन-2018 दिनांक 28.06.2018 द्वारा पंजीयन/नवीनीकरण पूर्णतः ऑटोमेटेड कर दिया गया है।

कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की कार्य स्थितियाँ एवं सुरक्षा

कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की कार्य-स्थितियों में सुधार एवं सुरक्षा हेतु पर्याप्त व्यवस्थायें सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश में कारखाना अधिनियम, 1948 तत्सम्बन्धी नियमावलियों तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन परिसंकटमय रासायनिक पदार्थों के हथलन, भण्डारण व इन रासायनिक पदार्थों से सम्भावित दुर्घटनाओं को नियंत्रण में रखने तथा इन दुर्घटनाओं से सम्भाव्य आपात स्थितियों से कारखाने के स्तर पर निपटने हेतु उसी स्तर पर सुनिश्चित की जाने वाली पूर्व तैयारियों से सम्बन्धित भारत सरकार की नियमावलियों के प्रशासन एवं श्रमिकों को देय वेतन का समय से भुगतान सुनिश्चित कराये जाने हेतु वेतन संदाय अधिनियम, 1936 तथा महिला श्रमिकों को आवश्यकतानुसार मातृका हितलाभ सुनिश्चित कराये जाने हेतु मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961 के प्रशासन व प्रवर्तन का कार्य भी सम्पादित किया जाता है।

कारखाना निदेशालय द्वारा सम्पादित विशेष महत्त्वपूर्ण कार्य

परिसंकटमय कारखानों में सुरक्षा व्यवस्थाएं

वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिसम्बर-18 तक कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत प्रदेश में 17392 कारखाने पंजीकृत हैं। उक्त 17392 कारखानों में से खतरनाक प्रकृति के 4189 व अति खतरनाक प्रकृति के 139 कारखाने हैं, जिनमें कार्यरत श्रमिकों एवं सुरक्षा को न केवल शारीरिक क्षति

होने की सम्भावना है, बल्कि सामान्य पर्यावरण के प्रदूषण को भी खतरा बना रहता है। इन परिसंकटमय कारखानों में सुरक्षा प्रबन्धों एवं व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कराये जाने तथा ऐसे कारखानों में सम्भावित वृहद औद्योगिक दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा इन कारखानों पर सजग दृष्टि रखी जाती है। कारखानों में विषैले एवं परिसंकटमय पदार्थों के प्रयोग एवं भण्डारण से जुड़े जोखिम से वहाँ कार्यरत श्रमिकों व आस-पास के जन-सामान्य को होने वाले खतरों को देखते हुए इन कारखानों में वर्ष में एक बार क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किये जाने के निर्देश हैं, ताकि परिसंकटमय रासायनिक पदार्थों और औद्योगिक क्रियाकलापों के सापेक्ष सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया जा सके।

परिसंकटमय व विषैले रासायनिक पदार्थों के भण्डारण अथवा प्रयोग यदि सम्बन्धित नियमावली में निर्धारित मात्रा के बराबर अथवा इससे अधिक है तो ऐसे परिसंकटमय प्रकृति के कारखानों को वृहद दुर्घटना की आशंका वाले कारखानों की श्रेणी में आच्छादित कर विशिष्ट सुरक्षा प्रबन्ध/सुरक्षा व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाती हैं।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण

भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं सपठित भवन एवं अन्य सन्निर्माण (नियोजन तथा सेवाशर्त विनियमन) नियमावली, 2009 के अन्तर्गत भवन निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कराये जाने का कार्य निदेशक कारखाना कार्यालय के अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। सभी नियोजकों को उक्त अधिनियमों में दी गई व्यवस्थाओं के अनुपालन के निर्देश दिये गये हैं। विभाग द्वारा जो निविदाएं जारी की जाती हैं, उनमें उक्त अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थाओ के अनुपालन हेतु शर्तें उल्लिखित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही निविदा में श्रमिकों को प्रशिक्षित करने तथा सुरक्षा पट्टिकाओं को कार्यस्थल पर जगह-जगह लगाने हेतु धनराशि की व्यवस्था किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। भवन श्रमिकों की सुरक्षा हेतु कार्यस्थल पर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्यूपमेंट जैसे- सेफ्टी शू, हैलमेट, सेफ्टी हारनेश एवं सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी नेट तथा विद्युत के कार्य करने के स्थान पर रबर की मेटिंग डालने, आवागमन के रास्ते अवरुद्ध न होने देने, गड्ढे या आपेनिंग के चारों तरफ सेफ्टी टेप एवं फेसिंग एवं फस्ट-एड बॉक्स की व्यवस्था सुनिश्चित करने, पीने के पानी, शौचालय, कैन्टीन एम्बलेंस वैन की व्यवस्था कार्यस्थल पर सुनिश्चित कराये जाने हेतु निरीक्षकों द्वारा नियोजकों को निरीक्षण के समय निर्देश दिये जा रहे हैं तथा पाये गये उल्लंघनों को निरीक्षण टिप्पणी में दर्शाया जाता है, जिसकी एक प्रति नियोजक को दी जाती है। उल्लंघनों का पालन करने हेतु पर्याप्त समय नियोजकों को दिया जाता है। तीन माह के अंदर पालन न किए जाने की स्थिति में मुख्य निरीक्षक से प्राधिकार प्राप्त कर न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अभियोग दायर किये जाने का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत दण्ड धनराशि एवं सजा दिये जाने की व्यवस्था निहित है।

बंधुआ श्रम

बंधुआ श्रम प्रथा के उन्मूलन हेतु भारत सरकार द्वारा बंधुआ श्रम प्रथा (उत्सादन) अधिनियम- 1976 लागू किया गया है, जिसका क्रियान्वयन प्रदेश सरकार द्वारा पूर्ण संवेदनशीलता और कटिबद्धता के साथ कराया जा रहा है। बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वासन की योजना केन्द्र पुरोनिधानित योजना (50 प्रतिशत केन्द्रांश व 50 प्रतिशत राज्यांश) है। इस योजना के अन्तर्गत अवमुक्त कराये गये बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वासन पर प्रति श्रमिक रु. 20,000/- (रु. दस हजार केन्द्रांश व रु. दस हजार राज्यांश) की धनराशि सम्बन्धित जिले से प्राप्त पुनर्वासन पैकेज के आधार पर बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वासन हेतु प्रदान की

जाती है। उक्त योजना भारत सरकार द्वारा दिनांक 17.05.2016 से संशोधित कर पूर्णतया केन्द्र पोषित योजना की जा चुकी है।

बंधुआ श्रम पुनर्वासन योजना- 2016

भारत सरकार के पत्रांक एस-11012 दिनांक 18-05-2016 द्वारा पूर्व में संचालित बंधुआ श्रमिकों की पुनर्वासन योजना (50 प्रतिशत केन्द्र पोषित) पूर्णरूप से केन्द्रीय वित्त पोषित योजना हो गयी है। संशोधित योजना दिनांक 17.05.2016 से प्रभावी है। योजना को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जिसमें पुनर्वासन धनराशि रु. 1.00 लाख, रु. 2.00 लाख तथा रु. 3.00 लाख निर्धारित की गई है। योजना के अन्तर्गत प्रदेश के सभी 75 जिलों में रुपये 10.00 लाख का नियमित कार्पस निधि जिला अधिकारी के निष्पादन पर रखी जानी है, जो समय-समय पर पुनरीक्षित किया जा सकेगा। इन निधि का उपयोग प्रदेश में अवमुक्त कराये गये बंधुआ श्रमिकों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने हेतु उपयोग में लाया जा सकेगा।

गृह प्रभाग (सामान्य)

औद्योगिक श्रमिकों के लिए गृह निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 1952 में सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना लागू की गई, जिसका प्रारम्भ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 1953 में किया गया। इन गृहों के निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को वित्तीय सहायता निर्माण व्यय के 50 प्रतिशत ऋण तथा 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में की गयी थी। 01 अप्रैल, 1969 से यह धनराशि 70 प्रतिशत ऋण के रूप में तथा 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई गई थी।

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न 12 क्षेत्रीय कार्यालयों के अन्तर्गत 15 जनपदों में कुल 30,647 गृहों का निर्माण कराया गया, जिनमें 29,587 गृहों का प्रशासनिक नियंत्रण विभाग के पास है। उक्त के अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग द्वारा 656 गृह गाजियाबाद में निर्मित किये गये, जिनका कब्जा विभाग को प्राप्त होने के पूर्व ही लोगों ने उनमें अवैध रूप से रहना प्रारम्भ कर दिया था तथा 400 गृह एच.ए.एल., लखनऊ को हस्तान्तरित कर दिये गये थे। विभाग के पास गृहों का विवरण निम्न प्रकार है :

(क) एक कमरे के भवनों की कुल संख्या- 24,777

(ख) दो कमरे वाले भवनों की कुल संख्या- 4,810

श्रमिक बस्तियों में किराये की दरें निम्न प्रकार हैं :

(1) एक कमरे वाले गृहों का किराया

(क) सहायता प्राप्त अनुदानित किराये की दर 10.00 रुपये से 30.00 रुपये प्रतिमाह तक है।

(ख) आर्थिक किराये की दर रुपया 17.50 से रुपया 30.00 प्रतिमाह तक है।

(2) दो कमरे वाले गृहों का किराया

(क) सहायता प्राप्त अनुदानित किराये की दर 14.00 रुपये से 20.00 रुपये प्रतिमाह तक है।

(ख) आर्थिक किराये की दर रुपया 24.50 से रुपया 30.00 प्रतिमाह तक है।

उत्तर प्रदेश में स्थित औद्योगिक श्रमिक बस्तियों में अनाधिकृत कब्जेदारी की समस्या के निदान के सम्बन्ध में शासनादेश सं. 3265/36- चार-90-7(म.आ.)/89/ दिनांक 20 नवम्बर, 1990 को निर्गत किया गया, जिसमें किराये की मानक दर का निर्धारण निम्न प्रकार किया गया है-

(1) एक कमरे वाले गृह का किराया रु0 125/- माह की दर से।

(2.) दो कमरे वाले गृह का किराया रु0 235/- माह की दर से।

उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के कार्यकलाप

उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के लेखों में वित्तीय वर्ष 2017-18 तक प्रदेश में स्थित विभिन्न कारखानों/अधिष्ठानों के कर्मचारियों की अदत्त संचय धनराशि रुपये 7,68,92,634.25 क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त वादों की धनराशि रुपये 12,25,28,813.00 एवं श्रम कल्याण निधि की धनराशि रुपये 6,41,94,049.72 अवशेष थी।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिसम्बर-2018 तक कर्मचारियों की अदत्त संचय धनराशि रुपये 47,97,973.41 प्राप्त हो जाने पर अदत्त संचय की कुल धनराशि रुपये 8,16,90,607.66 हो गई है तथा क्षेत्रीय कार्यालयों से वादों की धनराशि रुपये 12,25,28,813.00 अवशेष है।

उक्त अदत्त संचय, कल्याण निधि, क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त वादों की कुल जमा धनराशि पर अर्जित ब्याज तथा श्रमिक कल्याण भवन शास्त्री नगर, कानपुर के आवंटन से प्राप्त शुल्क की धनराशि से तैयार किये गये वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक से परिषद द्वारा संचालित निम्न योजनाओं के अन्तर्गत दिनांक 31.12.2018 तक निष्पादित किये गये कार्यों की स्थिति निम्नवत है :

1. उत्तर प्रदेश में कार्यरत श्रमिकों के पुत्र/पुत्रियों के प्राविधिक शिक्षा में प्रवेश पाने पर आर्थिक सहायता (छात्रवृत्ति) वितरण सम्बन्धी योजना

इस योजना के अन्तर्गत उ.प्र. में कार्यरत ऐसे औद्योगिक श्रमिक जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अन्तर्गत श्रमिक की परिभाषा से आवर्त होते हैं तथा जिनकी मासिक मजदूरी/वेतन रुपये 15,000/- से अधिक न हो, के पुत्र/पुत्रियों को प्राविधिक शिक्षा में प्रवेश पाने पर प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति वितरित करने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत डिग्री पाठ्यक्रम हेतु धनराशि रुपये 10,000/-, डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु धनराशि रुपये 8,000/- एवं सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम हेतु धनराशि रुपये 5,000/- प्रति लाभार्थी की दर से वितरित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस योजना हेतु प्राविधानित धनराशि रुपये 23.10 लाख के सापेक्ष प्रदेश के विभिन्न मण्डलों से दिनांक 31.12.2018 तक प्राप्त कुल 139 आवेदन-पत्रों में से पात्र कुल 131 लाभार्थियों को रुपये 11.60 लाख की धनराशि लाभार्थियों के बैंक खातों के माध्यम से वितरित की गई।

2. उत्तर प्रदेश में कार्यरत श्रमिकों के मेधावी पुत्र/पुत्रियों को पुरस्कार राशि प्रदान किए जाने सम्बन्धी योजना

इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में कार्यरत औद्योगिक श्रमिकों, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अन्तर्गत श्रमिक की परिभाषा से आवर्त होते हैं तथा जिनकी मासिक मजदूरी/वेतन रुपये 15,000/- से अधिक न हो, के पुत्र/पुत्रियों जिन्होंने हाई स्कूल/इन्टरमीडिएट/स्नातक/स्नातकोत्तर की परीक्षा 60 प्रतिशत या उससे अधिक तथा 75 प्रतिशत एवं उससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण की है, उन्हें पुरस्कार राशि प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत क्रमशः धनराशि रुपये 3,000/- एवं रुपये 5,000/- प्रति लाभार्थी की दर से वितरित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राविधानित धनराशि रुपये 23.00 लाख के सापेक्ष प्रदेश के विभिन्न मण्डलों से दिनांक 31.12.2018 तक प्राप्त कुल 313 आवेदन-पत्रों में से कुल 275 लाभार्थियों को कुल धनराशि रुपये 10.51 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों के माध्यम से वितरित की गई।

3. औद्योगिक अधिष्ठानों के मृतक श्रमिकों की विधवाओं/आश्रितों को आर्थिक सहायता वितरण योजना

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ऐसे औद्योगिक अधिष्ठान जो कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, में कार्यरत श्रमिकों, जिनकी मासिक मजदूरी/वेतन रुपये 15,000/- से अधिक न हो, की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाने की दशा में उसकी विधवा या आश्रित को रुपये 15,000/- की एकमुश्त धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में वितरित किये जाने की व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रुपये 3.30 लाख के सापेक्ष प्रदेश के विभिन्न मण्डलों से दिनांक 31.12.2018 तक प्राप्त कुल 8 आवेदन पत्रों में से 8 लाभार्थियों को रुपये 1.20 लाख की धनराशि लाभार्थियों के बैंक खातों के माध्यम से वितरित की गई।

4. औद्योगिक अधिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों की पुत्रियों को कन्यादान के रूप में आर्थिक सहायता वितरण योजना

प्रदेश के ऐसे औद्योगिक अधिष्ठान, जो कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, में कार्यरत श्रमिकों, जिनकी मासिक मजदूरी/वेतन रुपये 15,000/- से अधिक न हो, की पुत्रियों को कन्यादान के रूप में रुपये 15,000/- की एकमुश्त धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में वितरित किए जाने की व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रुपये 36.00 लाख के सापेक्ष प्रदेश के विभिन्न मण्डलों से दिनांक 31.12.2018 तक प्राप्त कुल 134 आवेदन पत्रों में से पात्र 121 लाभार्थियों को रुपये 18.15 लाख की धनराशि लाभार्थियों के बैंक खातों के माध्यम से वितरित की गई।

5. औद्योगिक अधिष्ठानों के मृतक श्रमिकों की विधवाओं/आश्रिताओं को श्रमिक की अन्त्येष्टि हेतु आर्थिक सहायता योजना

प्रदेश के ऐसे औद्योगिक अधिष्ठान, जो कारखाना अधिनियम 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, के श्रमिकों, जिनकी मासिक मजदूरी/वेतन रुपये 15,000/- से अधिक न हो, की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाने की दशा में श्रमिक की विधवा या आश्रित को अन्त्येष्टि हेतु रुपये 5,000/- की एकमुश्त धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में वितरित किए जाने की व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रुपये 0.10 लाख के सापेक्ष प्रदेश के विभिन्न मण्डलों से दिनांक 31.12.2018 तक कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

6. कानपुर के श्रमिकों एवं उनके परिवार के कल्याण के उद्देश्य से श्रमिक बस्ती शास्त्री नगर में स्थित श्रमिक कल्याण भवन (बरातघर), के आवंटन की योजना

इस योजना के अन्तर्गत श्रमिकों एवं उनके परिवार के कल्याण के उद्देश्य से परिषद द्वारा वर्ष 1991 में श्रमिक बस्ती शास्त्री नगर कानपुर स्थित राजकीय श्रम हितकारी केन्द्र परिसर में एक श्रमिक कल्याण भवन का निर्माण कराया गया है, जिसको कानपुर के श्रमिकों एवं समाज के अन्य वर्ग के व्यक्तियों को आवंटित किया जाता है। वर्तमान में आवंटन की दरें निम्नवत् हैं :

1. राज्य के निजी/सार्वजनिक क्षेत्र के श्रमिकों को	रु. 3000/- प्रतिदिन
2. केन्द्रीय सरकार के श्रमिकों को	रु. 3500/- प्रतिदिन
3. समाज के अन्य वर्ग के व्यक्तियों को	रु. 5000/- प्रतिदिन

वित्तीय वर्ष 2018-19 में श्रमिकों, केन्द्रीय श्रमिकों तथा समाज के अन्य वर्ग के व्यक्तियों के

लिए दिनांक 31.12.2018 तक कुल 54 दिनों के लिए श्रमिक कल्याण भवन आवंटित किया गया, जिससे शुल्क के रूप में रुपये 2,11,500/- की धनराशि प्राप्त हुई।

स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाएं

श्रमिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों को राजयक्ष्मा (टी.बी.) रोग के उपचार हेतु प्रदेश की औद्योगिक महानगरी, कानपुर नगर में दो राजयक्ष्मा (टी.बी.) चिकित्सालय स्थापित हैं।

वर्तमान में कानपुर नगर के राजकीय श्रम हितकारी केन्द्रों एवं क्षय चिकित्सालयों में कार्यरत मिडवाइफ/स्टाफ नर्स आदि चिकित्सा सम्बन्धी पूरा स्टाफ ई.एस.आई. से सम्बद्ध कर दिया गया है। स्टाफ के वेतन-भत्तों का भुगतान श्रम आयुक्त संगठन द्वारा ही किया जाता है।

बाल श्रम

बाल श्रम के उन्मूलन हेतु शासन पूर्णतया दृढ़–संकल्पित है। बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा–3 के अन्तर्गत अनुसूची ''अ'' तथा ''ब'' में उल्लिखित 18 व्यवसायों एवं 65 प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन पूर्ण रूप से वर्जित है।

मा. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या (सिविल) 465/86 एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.12.1996 के अनुपालन में सर्वेक्षणों तथा नियमित निरीक्षणों के माध्यम से प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2018-19 में माह दिसम्बर-2018 तक खतरनाक व्यवसायों तथा प्रक्रियाओं में 475 एवं गैर खतरनाक प्रक्रियाओं में 1071 बाल श्रमिक अर्थात् कुल 1546 बाल श्रमिक चिह्नांकित किये गये। सम्बन्धित 151 नियोजकों के विरुद्ध प्राभियोजन दायर किये गये तथा 69 नियोजकों के विरुद्ध वसूली प्रमाण–पत्र जारी किये गये। इसी अवधि में नियोजकों से रुपये 18.60 लाख की धनराशि वसूल की गई।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना

उत्तर प्रदेश के 46 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्वीकृत है। विगत वित्तीय वर्ष में जिला रामपुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ एवं बलरामपुर के अतिरिक्त सभी जिलों में यह परियोजना बन्द है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मार्च, 2016 में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के पुनरीक्षित दिशा निर्देश उपलब्ध करा दिये गये हैं। पुनरीक्षित गाइड लाइन्स के अनुसार विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु जिन जिलों को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सर्वेक्षण हेतु धनराशि उपलब्ध करा दी गई है, वहाँ पर सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। सर्वेक्षण से प्राप्त परिणामों के आधार पर भविष्य में आवश्यकतानुसार चिह्नित कामकाजी बच्चों के शैक्षिक पुनर्वासन हेतु विशेष केन्द्रों का संचालन किया जाना है।

महिला श्रम

प्रदेश में संगठित/असंगठित क्षेत्र में नियोजित महिला श्रमिकों की कार्यदशाओं तथा उन्हें समान कार्य के लिये समान वेतन की देयता सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रमुख अधिनियम समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 प्रदेश में लागू है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत महिला श्रमिकों के नियोजन में लिंग के आधार पर विभेद न किये जाने तथा समान कार्य के लिये समान वेतन दिये जाने का प्रावधान है।

मातृत्व हितलाभ अधिनियम–1961 में प्राविधानित व्यवस्थाओं के अन्तर्गत महिला श्रमिकों को हितलाभ सुनिश्चित कराये जाते हैं। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत गर्भावस्था के दौरान मृत्यु हो जाने पर नियमानुसार भुगतान कराने, मेडिकल बोनस, गर्भपात हो जाने की दशा में अवकाश, गर्भावस्था के दौरान

बीमार हो जाने की दशा में सवेतन अवकाश, गर्भावस्था के दौरान सेवा से पृथक न करने तथा 12 सप्ताह के सवेतन अवकाश की व्यवस्थाएं प्राविधानित हैं।

उक्त अधिनियम के अतिरिक्त अन्य श्रम अधिनियमों यथा– कारखाना अधिनियम–1948, बीड़ी एवं सिगार अधिनियम–1966, न्यूनतम वेतन अधिनियम–1961, ठेका श्रम विनियमन एवं उन्मूलन अधिनियम–1976 आदि में भी महिला श्रमिकों के हितार्थ प्रावधान किये गये हैं।

उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के परिपालन सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से जिला व तहसील स्तर पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी नियुक्त हैं, जो अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षक घोषित हैं। निरीक्षक को अधिनियम का अनुपालन न करने वाले नियोजकों के विरुद्ध प्राभियोजन एवं निर्देशवाद दायर किये जाने का अधिकार प्रदत्त है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु.18.00 लाख का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

दीनदयाल सुरक्षा बीमा योजना

देश में कुल श्रमिकों के सापेक्ष असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों की संख्या लगभग 93 प्रतिशत है तथा वर्तमान में प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों की संख्या लगभग 4.5 करोड़ है, जो कि प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 21 प्रतिशत है।

वर्तमान सरकार के लोक संकल्प-पत्र में श्रम विभाग से सम्बन्धित बिन्दु सं.1 के अन्तर्गत असंगठित कर्मकारों हेतु दीनदयाल सुरक्षा बीमा योजना का क्रियान्वयन किया जाना है। इस योजना का उद्देश्य किसी भी पंजीकृत कर्मकार की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा उसे शारीरिक नुकसान या अंग-भंग होने की स्थिति में उसे अथवा उसके परिवार के आश्रितों/नामितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराया जाना है। योजना के संचालन हेतु अनुग्रह धनराशि का वितरण योजना में विहित निर्देशों के अनुसार निम्नवत् किया जायेगा-

(1) किसी पंजीकृत कर्मकार की दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में उसके परिवार के आश्रित/नामित को एकमुश्त रु. 2,00,000.00 (रु. दो लाख मात्र) की धनराशि भुगतान की जायेगी।

(2) पंजीकृत कर्मकार के पूर्ण अपंगता या दोनों आँखों की हानि या दोनों हाथ या दोनों पैर के अंग-भंग/नुकसान हो जाने पर उसे रु. 2,00,000.00 (रु. दो लाख मात्र) की धनराशि भुगतान किया जायेगा।

(3) पंजीकृत कर्मकार की एक आँख की दृष्टि या एक हाथ या एक पैर के अंग-भंग/नुकसान होने पर उसे रु. 1,00,000.00 (रु. एक लाख मात्र) की धनराशि भुगतान की जायेगी।

असंगठित कर्मकारों हेतु दीनदयाल सुरक्षा बीमा योजना में प्रति श्रमिक वांछित प्रीमियम धनराशि रु. 25/- के परिकलन के आधार पर वर्ष 2018-19 हेतु अनुमानित 5 लाख कर्मकारों हेतु धनराशि रु. 125.00 लाख के आय-व्ययक का प्रावधान किया गया है।

अटल पेंशन योजना

असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम-2008 की धारा-3 व 4 के अन्तर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकार को असंगठित कर्मकारों हेतु उपयुक्त योजनाएं विरचित (Framing) किया जाना है। असंगठित कर्मकारों के वृद्धावस्था में कोई आय स्रोत उपलब्ध न होने के कारण उन्हें भारत सरकार की अटल पेंशन योजना से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त योजना के अन्तर्गत उन सभी पंजीकृत कर्मकारों को, जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष तक है,

आवर्त किया जाना है। सम्बन्धित कर्मकारों द्वारा 60 वर्ष की आयु तक प्रीमियम जमा किया जाना है, 60 वर्ष की आयु के उपरान्त उन्हें पेंशन की चुनी हुई धनराशि मासिक रूप से देय होगी। पंजीकृत कर्मकार को उसके 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर न्यूनतम रुपये 1,000/- की मासिक पेंशन सुलभ कराये जाने के दृष्टिगत योजना में आने वाले प्रीमियम का व्यय-भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

उक्त योजना में पंजीकृत कर्मकार की मृत्यु होने की स्थिति में उक्त पेंशन उसकी पत्नी को प्रदान की जायेगी। पंजीकृत कर्मकार/ उसकी पत्नी अर्थात दोनों की मृत्यु होने की स्थिति में उसके नामित को न्यूनतम रु. 1.70 लाख की कार्पस निधि अथवा कर्मकार द्वारा स्वयं के अंशदान के आधार पर जितनी पेंशन हेतु अंशदान किया जायेगा, के अनुरूप कार्पस निधि का भुगतान होगा। पंजीकृत कर्मकार की 60 वर्ष से पहले मृत्यु होने की स्थिति में उसके द्वारा जमा की गयी रकम ब्याज सहित उसके नामित को वापस की जायेगी।

प्रदेश में 5 लाख असंगठित कर्मकारों का पंजीयन किये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष विभिन्न आयु वर्ग के पंजीकृत होने वाले कर्मकारों के सापेक्ष 18 से 40 वर्ष की आयु के वर्तमान में 3 लाख कर्मकार चिह्नित होने का अनुमान है, जिसके आधार पर औसत 29 वर्ष की आयु हेतु निर्धारित प्रीमियम धनराशि रु. 626/- अर्द्धवार्षिक जो कि वार्षिक रूप में कुल रु. 1252/- होती है, के आधार पर 1 लाख कर्मकारों के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रु. 1252.00 लाख आय-व्ययक में प्रावधान किया गया है।

असंगठित कर्मकार कल्याण निधि

असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाना उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में है, जिसके दृष्टिगत असंगठित कर्मकारों हेतु किये जाने वाले कार्यों को सुचारु एवं व्यवस्थित ढंग से किए जाने हेतु असंगठित कर्मकार कल्याण निधि का गठन किया गया है।

निधि का प्रबन्धन एवं संचालन बोर्ड द्वारा किया जायेगा। उक्त निधि में निम्नलिखित श्रोतों से प्राप्त धनराशि संचित की जाएगी :

(1) राज्य सरकार द्वारा निधि की स्थापना हेतु किये जाने वाली एक मुश्त धनराशि

(2) भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी सरकारी निकाय अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा दिया गया अनुदान या ऋण या अग्रिम, यदि कोई हो,

(3) केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्राप्त होने वाली धनराशि,

(4) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित/अभिलिखित/संचालित योजनाओं के सापेक्ष प्राप्त होने वाली धनराशि,

(5) केन्द्र/राज्य सरकार से विभिन्न योजनाओं के सापेक्ष समय-समय पर प्राप्त होने वाली सहायता धनराशि/अनुदान,

(6) विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत पंजीयन/लाइसेंसिंग/नवीनीकरण से प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण धनराशि,

(7) अन्य बोर्डों/संस्थाओं/निकायों से प्राप्त होने वाला अनुदान,

(8) लाभार्थियों के पंजीयन/नवीनीकरण से प्राप्त होने वाली धनराशि,

(9) नियोजकों से प्राप्त होने वाला अंशदान,

(10) लाभार्थियों से प्राप्त होने वाला अंशदान,

(11) अन्य स्रोतों से प्राप्त होने वाला अंशदान,

वित्तीय वर्ष 2018-19 में असंगठित कर्मकार कल्याण निधि की स्थापना हेतु रु. 200.00 लाख आय-व्ययक में प्रावधान किया गया है।

नवीन योजना

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा बोर्ड के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिए जाने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रत्येक मण्डल मुख्यालय पर नवोदय विद्यालय के समान आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जाना है। इन आवासीय विद्यालयों के भवनों का निर्माण श्रम विभाग द्वारा किया जायेगा, जिसका व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। विद्यालयों के संचालन से सम्बन्धित समस्त व्यय उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा वहन किया जायेगा।

उक्त के क्रम में प्रदेश के सभी 18 मण्डल मुख्यालयों में निर्माण श्रमिकों के बालक-बालिकाओं के लिये 18 अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में नवीन योजना के माध्यम से रु. 50.00 करोड़ का आय-व्ययक प्रावधान किया गया है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अधीन सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम का उत्तर प्रदेश में 24 फरवरी, 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू के कर–कमलों द्वारा कानपुर में शुभारम्भ हुआ था। यह योजना विद्युत से चलने वाले प्रतिष्ठानों में कम से कम 10 कर्मचारी के कार्य करने वाले कारखानों में लागू हुई। यह योजना मुख्यतः कामगारों व उनके सेवायोजकों के अंशदान पर निर्भर है। इस योजना से आच्छादित श्रमिकों के वेतन से 1.75 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से तथा सेवायोजक से आच्छादित श्रमिकों के वेतन का 4.75 प्रतिशत कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान कर्मचारी राज्य बीमा निगम भारत सरकार के खाते में जमा होता है।

मूलभूत उद्देश्य व लाभ

योजना का मूल उद्देश्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लगे हुए कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित कामगारों एवं उनके परिवार के सदस्यों को योजना में हितलाभ प्रदान करना है।

योजना के हितलाभ निम्नलिखित है :

1. चिकित्सा हितलाभ : बीमांकित व्यक्तियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सम्बन्धी सभी सुविधायें प्रदान की जाती हैं।
2. बीमारी हितलाभ : नकद हितलाभ दिया जाता है।
3. प्रसूति हितलाभ : पूर्ण चिकित्सीय सुविधा तथा चिकित्सा प्रमाण-पत्र दिये जाते हैं।
4. अपंगता हितलाभ : कृत्रिम अंगों की पूर्ति निःशुल्क की जाती है, तथा कम्पनसेशन दिया जाता है।
5. आश्रित हितलाभ : आजीवन पेंशन दी जाती है।
6. अंतिम संस्कार हितलाभ : दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है।

बीमांकित रोगियों एवं परिवार के रोगी सदस्यों को औषधालय से चिकित्सालय एवं चिकित्सालय से अन्य चिकित्सालय तक पहुँचाने हेतु 15 एम्बुलेन्स क्रियाशील हैं।

योजना का वित्त पोषण

इस योजना का सम्पूर्ण व्यय बजट के माध्यम से प्रदेश सरकार वहन करती है, जिसकी प्रतिपूर्ति कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा निर्धारित मानक तक राज्य सरकार को की जाती है। नयी व्यवस्था के अन्तर्गत 'उत्तर प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा योजना चिकित्सा सेवाएं समिति' का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया है। इस नयी व्यवस्था में शत-प्रतिशत व्यय कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा वहन किया जायेगा।

वर्तमान स्थिति के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा विभिन्न व्ययों की अधिकतम सीमा रुपया 3000/- प्रति बीमांकित निर्धारित की है।

1. प्रशासनिक व्यय रुपया 1250/- प्रति बीमांकित
2. गैर प्रशासनिक व्यय रुपया 1550/- प्रति बीमांकित
3. रिवाल्विंग फण्ड व्यय रुपया 200/- प्रति बीमांकित,यह फण्ड क.रा.बी. निगम अपने पास रखता है जिसके द्वारा प्रतिपूर्ति दावों का शत-प्रतिशत भुगतान करता है।

सेवायोजन सेवा

पुनर्वास एवं रोजगार महानिदेशालय के अधीन रोजगार कार्यालयों की स्थापना जुलाई, 1945 में की गई। वर्ष 1952 में गठित शिवाराव समिति की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1956 से रोजगार कार्यालयों का दैनिक प्रशासन प्रदेश सरकारों को स्थानान्तरित कर दिया गया। रोजगार बाजार में उपलब्ध मानवशक्ति की आवश्यकता, सेवारत मानवशक्ति का विवरण एकत्र करने हेतु वर्ष 1959 में संसद द्वारा सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों का अनिवार्य अधिसूचन) अधिनियम–1959 पारित किया गया।

उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 111 सेवायोजन कार्यालय स्थापित हैं तथा समाज के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों यथा– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की रोजगारपरकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से 52 शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित हैं।

सेवायोजन कार्यालय के प्रमुख कार्य निम्नवत् हैं-

1. बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार हेतु ऑन लाइन पंजीयन तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में वैतनिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु अधिसूचित रिक्तियों की पूर्ति हेतु उनके नाम सम्प्रेषित करना।
2. व्यवसाय मार्ग निर्देशन/कैरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार के अवसर, प्रशिक्षण व उच्च शिक्षा के अवसरों के सम्बन्ध में बेरोजगार अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों को सम्यक एवं उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराना तथा रोजगार बाजार में उपलब्ध रोजगार एवं रोजगारपरक पाठयक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराना।
3. स्वतः नियोजन के क्षेत्र में अपना व्यवसाय स्थापित करने हेतु बेरोजगार अभ्यर्थियों को प्रोत्साहित करना एवं ऋण सम्बन्धी सुविधायें प्राप्त करने में उनकी सहायता करना।
4. रोजगार/बेरोजगारी के विभिन्न आयामों के सम्बन्ध में सूचनाओं का विश्लेषण, संकलन, प्रचार एवं प्रसार।
5. समाज के निर्बल वर्ग के अभ्यर्थियों की सेवायोजकता तथा कौशल में वृद्धि करना।
6. मानवशक्ति की भविष्य की आवश्यकताओं का अध्ययन एवं पूर्वानुमान।
7. रोजगार मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्रों में बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान करना।

अल्पसंख्यकों के लिए किये गये कार्य

अल्पसंख्यकों में आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक विकास सुनिश्चित करने के लिए तथा उनकी सेवायोजकता में वृद्धि करने हेतु सेवायोजन कार्यालय द्वारा भी भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है। प्रदेश के समस्त सेवायोजना कार्यालय अल्पसंख्यकों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत हैं। अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों को स्वतः नियोजित कराने तथा बैंक आदि से उन्हें ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में कार्यवाही की जाती है। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में तथा उनके बाहुल्य वाले क्षेत्र में शिविर आयोजित करके व्यवसाय मार्ग निर्देशन भी प्रदान किया जाता है।

बेरोजगार दिव्याँग अभ्यर्थियों हेतु किये गये कार्य

माननीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश सलाहकार परिषद की संस्तुति के अनुसार दिव्याँग अभ्यर्थी को रोजगार सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से 16 जनपदों में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय (विकलाँग) और शेष जनपदों में प्रत्येक रोजगार कार्यालय में विशेष सेल स्थापित हैं, जिनके माध्यम से दिव्याँग अभ्यर्थी को सेवायोजन सहायता उपलब्ध कराने के लिये विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।

स्वतः नियोजन हेतु उत्प्रेरण

सचेतन रोजगार के अवसरों के लगातार संकुचित होते जाने के कारण बेरोजगारों को स्वतः रोजगार के विभिन्न अवसरों की जानकारी प्रदान करते हुए स्वतः रोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है।

स्वतः रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों का पृथक पंजीयन किया जाता है। उनकी/परिवार की आर्थिक स्थिति तथा अभ्यर्थी की अभिरुचि का विवरण रखा जाता है।

स्वतः रोजगार चलाने वाली संस्थाएं/ऋणदायी संस्थाओं को अभ्यर्थियों का प्रार्थना-पत्र अग्रसारित कर ऋण दिलाने हेतु अनुश्रवण किया जाता है।

कैरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रम

बेरोजगारी के मुख्य कारणों में से एक कारण छात्रों द्वारा निरूद्देश्य शिक्षा प्राप्त करना है। छात्रों को रोजगार बाजार में उपलब्ध रोजगार के अवसरों के अनुरूप उच्च शिक्षा/प्रशिक्षण ग्रहण करना चाहिए। इसके निमित्त सेवायोजन विभाग द्वारा कैरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रमों का आयोजन कर बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसरों के अनुरूप विषय चयन मे सहायता, रोजगार बाजार में उपलब्ध अवसरों की जानकारी प्रदान कराना, रोजगारपरक पाठ्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराना तथा योग्यताओं/क्षमताओं में वृद्धि हेतु अल्पकालिक/पूर्णकालिक प्रशिक्षणें एवं पाठ्यक्रमों की जानकारी प्रदान की जाती है।

वर्ष 2018-19 में माह जनवरी, 2019 तक कुल 2308 कैरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रम आयोजित किये गए, जिसमें 277548 प्रतिभागी सम्मिलित हुए।

रोजगार मेला

प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा निजी क्षेत्र में भी बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के प्रयास किये गये हैं। बेरोजगारों एवं नियोजकों को एक ही स्थान पर एकत्र कर रोजगार मेलों का आयोजन किया गया है जिसमें नियोजक अपनी संस्था के कार्य के उपयुक्त बेरोजगारों का चयन करते हैं तथा बेरोजगारों को भी अपनी इच्छानुसार संस्थान का चयन करने की सुविधा रहती है।

रोजगार मेलों हेतु नियोजकों को आमंत्रित किया जाता है। यह भी ध्यान में रखा गया है कि प्रदेश के पिछड़े जनपदों जहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हैं वहाँ भी रोजगार मेले लगें।

वर्ष 2018-19 में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालयों तथा जिला सेवायोजन कार्यालयों हेतु इस वर्ष में कुल 572 रोजगार मेलों के आयोजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

वर्ष 2018-19 में माह जनवरी 2019 तक प्रदेश के विभिन्न सेवायोजन कार्यालयों द्वारा 622 रोजगार मेले आयोजित किये गए, जिनमें 97229 बेरोजगार अभ्यर्थी रोजगार हेतु चयनित हुए।

शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र

समाज के निर्बल वर्ग के अभ्यर्थियों यथा– अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों की रोजगारपरकता में वृद्धि हेतु 52 शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों द्वारा निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जाते हैं :

1. सचिवीय पद्धति, भाषा, आशुलिपिक एवं टंकण में प्रशिक्षण।
2. प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के संबंध में मार्गदर्शन।
3. कम्प्यूटर
4. सामान्य ज्ञान
5. सामान्य गणित

वर्तमान में प्रदेश के 52 जनपदों में केन्द्र स्थापित हैं। प्रदेश के लिए इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण होना आवश्यक है तथा प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाता है व इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के प्रशिक्षणार्थियों को मानदेय निःशुल्क प्रतियोगी साहित्य व साथ ही स्वतः नियोजन हेतु प्रेरित किया जाता है।

सेवायोजन वेब पोर्टल

प्रदेश के बेरोजगार अभ्यर्थियों को सेवायोजन के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग द्वारा sewayojan.up.nic.in वेबपोर्टल का विकास कराया गया है। प्रदेश के अन्तर्गत समस्त सेवायोजन कार्यालय जो कि विभागीय मैनुअल के आधार पर संचालित हो रहे हैं, को इस प्रकार रूपान्तरित किया गया है कि मैनुअल की समस्त भावनाओं का समावेश एवं प्रक्रियाओं को गतिमान एवं जनसामान्य हेतु सुविधाजनक करने हेतु सूचना तकनीक एवं मोबाइल कम्प्यूटिंग का बेहतर उपयोग हो सके। इस वेबपोर्टल में बेरोजगार अभ्यर्थियों के पंजीयन के साथ ही साथ सेवायोजकों को भी पंजीकृत करने का प्रावधान किया गया है।

मॉडल कैरियर सेन्टर

मॉडल कैरियर सेन्टर का कार्यक्षेत्र पूरे प्रदेश के अध्ययनरत छात्र-छात्राओं तथा प्रशिक्षण संस्थानों के अध्ययन कर रहे प्रशिक्षार्थियों से सम्बन्धित है। इस सेन्टर द्वारा वर्तमान परिवेश में शिक्षण, प्रशिक्षण एवं रोजगार के नये उभरते व्यवसायों की जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ उनकी सेवायोजकता में वृद्धि किये जाने की भी व्यवस्था है।

वर्तमान में भारत सरकार के निर्देशों के अन्तर्गत प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय लखनऊ पर संचालित कैरियर काउन्सिलिंग सेल, जिला सेवायोजन कार्यालय गाजियाबाद, क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय मेरठ, विश्वविद्यालय सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी, विश्वविद्यालय सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी, क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय मुरादाबाद तथा विश्वविद्यालय सेवायोजन सूचना एवं मंत्रणा केन्द्र प्रयागराज विश्वविद्यालय प्रयागराज में मॉडल कैरियर सेन्टर स्थापित किये गये हैं।

मॉडल कैरियर केन्द्रों द्वारा वर्ष 2018 में किये गये कार्य की प्रगति

क्रम सं.	व्यक्तिगत काउन्सिलिंग शिविरों की सं.	आयोजित सामूहिक काउन्सिलिंग शिविरों की सं.	सामूहिक काउन्सिलिंग शिविरों में प्रतिभागियों की सं.	आयोजित रोजगार मेलों की सं.	रोजगार मेलों के माध्यम से रोजगार हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सं.
1.	1481	326	14139	53	4953

वार्षिक योजना वर्ष 2018-19

वर्ष 2018-19 में अनुदान सं.-77 के अंतर्गत निम्नलिखित विभागीय कार्यों/योजनाओं हेतु रु. 10308.70 लाख का बजट प्रावधान हुआ है :

1. निदेशालय स्तर पर कार्मिकों के वेतन आदि, दैनिक विभागीय कार्यों के निष्पादन हेतु बजट की व्यवस्था।
2. प्रदेश में संचालित सेवायोजन कार्यालयों के कार्मिको हेतु वेतन आदि, दैनिक विभागीय कार्यों के निष्पादन हेतु बजट की व्यवस्था।
3. प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु रोजगार मेलों का आयोजन।
4. प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा बेरोजगारों को कैरियर काउन्सिलिंग कार्यक्रम का आयोजन कर रोजगार हेतु कैरियर संबंधी मार्गदर्शन दिया जाना।
5. दिव्यांगों को रोजगार सहायता देने हेतु प्रदेश के 16 जनपदों में स्थापित विशिष्ट रोजगार कार्यालयों के वेतन आदि का व्यय।
6. प्रदेश के 52 जनपदों में स्थापित शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों के कार्मिकों हेतु वेतन आदि, दैनिक विभागीय कार्यों के निष्पादन हेतु बजट की व्यवस्था।
7. भारत सरकार की शत्-प्रतिशत् केन्द पुरोनिधानित योजना के अंतर्गत मॉडल कैरियर सेन्टर की स्थापना हेतु बजट प्रावधान।

खेल

प्रदेश में खेल विभाग द्वारा खेल कार्यक्रमों के विकास एवं खिलाड़ियों के खेल में निखार लाने के लिए समुचित अवसर प्रदान करने के दृष्टिकोण से विविध योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं। खेल विभाग द्वारा इसकी पूर्ति हेतु प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आवश्यक अवस्थापना सुविधाएं यथा- स्टेडियम, बहुउद्देशीय क्रीड़ाहाल, तरणताल, बैडमिन्टन, टेनिस, वालीवाल कोर्ट, जिम्नेजियम हाल, हॉकी, फुटबाल जैसे खेलों के लिए खेल मैदान, एथलेटिक्स ट्रैक आदि सुविधाएं प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सृजित की जा रही हैं। इन योजनाओं के फलस्वरूप प्रदेश में क्रीड़ा प्रतिष्ठानों की उपलब्धता और खिलाड़ियों को अन्य खेल सुविधायें उपलब्ध कराने के क्षेत्र में काफी विस्तार हुआ है।

प्रशिक्षण प्रतियोगिता एवं अन्य योजनाओं के संचालन हेतु खेल विभाग अपने सहयोगी विभागों, शिक्षा विभाग, युवा कल्याण विभाग स्वायत्तशासी खेल संघों तथा अन्य खेल आयोजकों के साथ तालमेल से कार्य करता है।

प्रशिक्षण योजनाओं में खेल छात्रावास तथा स्पोर्ट्स कालेज की परिणामजनक योजनाएं हैं। इन योजनाओं में अधिक प्रतिभाओं को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में 16 खेलों के 890 खिलाड़ियों हेतु 44 आवासीय क्रीड़ा छात्रावास 19 जनपदों के स्टेडियम में संचालित हैं। नवागन्तुक खिलाड़ियों को पर्याप्त अवसर एवं कुशल प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में 03 स्पोर्ट्स कालेज गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज, गोरखपुर एवं मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स कालेज सैफई (इटावा) में संचालित हैं। जिसमें कक्षा 06 से कुशल खिलाड़ी बनने का अवसर प्रदान किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार किया जा रहा है। आवासीय क्रीड़ा छात्रावास एवं स्पोर्ट्स कालेजेज के खिलाड़ियों को भोजन, आवास, चिकित्सा, खेल किट, उपकरण, शिक्षा आदि की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है। खिलाड़ीगण इन सुविधाओं का समुचित उपयोग कर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश व देश का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं।

विभाग की उपर्युक्त प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2019-20 में पूँजीगत पक्ष में रु. 7924.67 लाख एवं राजस्व पक्ष में रु. 12656.33 लाख का आय व्ययक प्रावधान है। यद्यपि खेल विभाग प्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजनात्मक योजनाओं से नहीं जुड़ा है फिर भी मुझे यह बताने में अपार हर्ष हो रहा है कि बड़े पैमाने पर खेल अवस्थापनाओं के सृजन की प्रक्रिया में समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए भारी संख्या में रोजगार दिवसों का सृजन भी हो रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश के पदक विजेताओं को प्रदेश के 11 विभागों के अन्तर्गत राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान करने तथा प्रदेश के वृद्ध, अशक्त एवं विपदाग्रस्त भूतपूर्व खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए खेल विभाग कटिबद्ध है, जिसके अन्तर्गत राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2018-19 में एशियन गेम्स में पदक विजेता/प्रतिभागी 45 खिलाड़ियों को रु. 385.00 लाख, कामनवेल्थ गेम्स में पदक विजेता/प्रतिभागी 18 खिलाड़ियों को रु. 260.00 लाख एवं 08 खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार एवं 08 महिला खिलाड़ियों को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार कुल 16 खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए रु. 49.76 लाख नकद धनराशि प्रदान किये गये।

खेलों के विकास एवं उदीयमान खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु राज्य में निजी सहभागिता से खेल अकादमियों को विकसित किये जाने की नीति बनायी गयी है, जिसके अन्तर्गत मान्यता प्राप्त खेलों में प्रत्येक खेल के लिए अधिकतम एक अकादमी विकसित करने हेतु 01 से 05 एकड़ भूमि खेल संघ/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने ओलम्पिक, कामनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, विश्वकप (प्रत्येक 04 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाली प्रतियोगिता) में प्रतिभाग किया हो, को निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

प्रदेश के वृद्ध, अशक्त एवं विपदाग्रस्त भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता के रूप में राज्य स्तर के खिलाड़ियों को रु. 4000/-, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को रु. 6000/- एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को रु. 10000/- दिये जाने की व्यवस्था है। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार एवं खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रदेश के खिलाड़ियों को अथवा खेल जगत में उपलब्धियों के दृष्टिगत पद्मश्री एवं पद्म भूषण से सम्मानित खिलाड़ियों को रु. 20,000/- प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।

खेलों के विकास एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेडियम, बहुउद्देशीय क्रीड़ाहाल, तरणताल, बैडमिन्टन, टेनिस, वालीवाल कोर्ट, जिम्नेजियम हाल, हॉकी, फुटबाल जैसे खेलों के लिए खेल मैदान, एथलेटिक्स ट्रैक आदि सुविधाएं प्रदेश के विभिन्न जनपदों में सृजित करने के साथ-साथ खिलाड़ियों को अन्य खेल सुविधायें भी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में खेल विभाग की स्थापना वर्ष 1974 में हुई थी।

प्रशिक्षण, प्रतियोगिता एवं अन्य योजनाओं के संचालन हेतु खेल विभाग अपने सहयोगी विभागों, शिक्षा विभाग, युवा कल्याण विभाग, स्वायत्तशासी खेल संघों तथा अन्य खेल आयोजकों के साथ तालमेल से कार्य करता है।

प्रदेश के उदीयमान खिलाड़ियों को नवसृजित खेल अवस्थापनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है एवं अधिक से अधिक प्रतिभाओं को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में 16 खेलों के 890 खिलाड़ियों हेतु 44 आवासीय क्रीड़ा छात्रावास 19 जनपदों के स्टेडियम में संचालित हैं। नवागन्तुक खिलाड़ियों को पर्याप्त अवसर एवं कुशल प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में 03 स्पोर्ट्स कालेज गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज, गोरखपुर एवं मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स कालेज सैफई (इटावा) में संचालित हैं। आवासीय क्रीड़ा छात्रावास एवं स्पोर्ट्स कालेजेज के खिलाड़ियों को भोजन, आवास, चिकित्सा, खेल किट, उपकरण, शिक्षा आदि की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है। जिसमें कक्षा 06 से कुशल खिलाड़ी बनने का अवसर प्रदान किया जा रहा है, जिससे राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार किया जा सके।

विभाग की उपर्युक्त प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुये वर्ष 2019-2020 में पूँजीगत पक्ष में रु. 7924.67 लाख एवं राजस्व पक्ष में रु. 12656.33 लाख का आय व्ययक प्रावधान है।

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है, जिसके अन्तर्गत ओलम्पिक गेम्स, 2016 में पदक विजेता खिलाड़ी को एकल वर्ग में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर रु. 6.00 करोड़, रजत रु. 4.00 करोड़, कांस्य रु. 2.00 करोड़ तथा टीम गेम्स में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर रु. 3.00 करोड़, रजत रु. 2.00 करोड़, कांस्य रु. 1.00 करोड़ एवं प्रतिभागी को प्रोत्साहन स्वरूप रु. 10.00 लाख पुरस्कार प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जिसमें खिलाड़ियों को रु. 3,11,000/- नगद पुरस्कार दिये जाने की व्यवस्था है। वर्ष 2018-19 में एशियन गेम्स में पदक विजेता/प्रतिभागी 45 खिलाड़ियों को रु. 385.00 लाख, कामनवेल्थ गेम्स में पदक विजेता/प्रतिभागी 18 खिलाड़ियों को रु. 260.00 लाख एवं 08 खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार एवं 08 महिला खिलाड़ियों को रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार कुल 16 खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए रु. 49.76 लाख नकद धनराशि प्रदान किये गये।

प्रदेश के वृद्ध, अशक्त एवं विपदाग्रस्त भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता के रूप में राज्य स्तर के खिलाड़ियों को रु. 4000/- राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को रु. 6000/- एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को रु. 10000/- दिये जाने की व्यवस्था है। अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार एवं खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रदेश के खिलाड़ियों को अथवा खेल जगत में उपलब्धियों के दृष्टिगत पद्मश्री एवं पद्म भूषण से सम्मानित खिलाड़ियों को रु. 20,000/- प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।

प्रशिक्षण

प्रशिक्षण योजना खेल विभाग का मेरुदण्ड है। खेल विभाग द्वारा प्रदेश के जनपदों में निर्मित विभागीय खेल अवस्थापनाओं यथा- स्पोर्ट्स स्टेडियम, बहुउद्देशीय क्रीड़ा हाल, जिम्नेजियम, तरणताल, सिन्थेटिक बास्केटबाल कोर्ट, हॉकी एस्ट्रोटर्फ (कृत्रिम घास का मैदान) आदि का नियमित एवं अधिकाधिक सदुपयोग करने एवं बालक/बालिकाओं को खेल का ज्ञान देने व उन्हें उच्च स्तर का खिलाड़ी बनाने हेतु लोकप्रिय खेलों के प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है। खेल विभाग में तैनात विभागीय प्रशिक्षकों (क्रीड़ाधिकारी, उपक्रीड़ा अधिकारी, सहायक प्रशिक्षक) द्वारा अपने खेल का प्रशिक्षण शिविर पूरे वर्ष संचालित किया जाता है। जिन जनपदों में खेल विशेष के विभागीय प्रशिक्षक तैनात नहीं होते हैं, वहाँ अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों को नियमानुसार तैनात कर 30 खेलों में प्रशिक्षण शिविरों का संचालन कराया जाता है। अंशकालिक मानदेय प्रशिक्षकों को उनकी योग्यतानुसार मानदेय का भुगतान किया जाता है वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस योजना में कुल 1000.00 लाख रुपये का बजट प्रावधान है।

प्रतियोगितायें/महिला प्रतियोगितायें

विभिन्न प्रशिक्षण शिविरों के संचालन स्वरूप जो बच्चे सामने आते हैं, उनको प्रतिस्पर्धा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभाग द्वारा विभिन्न जनपदों में विभिन्न खेलों की जिला तथा प्रदेश

स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है। इस हेतु विभाग द्वारा पूरे वर्ष का एक कार्यक्रम तैयार किया जाता है। विभाग द्वारा वर्ष 2018-19 में 04 अखिल भारतीय स्तर, 30 राज्य स्तरीय प्रतियोगितायें, 12 खेलों में प्रदेश स्तरीय महिला प्रतियोगितायें, 02 ओपेन राज्य आमंत्रण प्रतियोगिता, 300 जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित की गयीं, जिनमें 47,334 खिलाड़ी लाभान्वित हुए।

वर्ष 2018-19 में पं. दीनदयाल उपाध्याय जन्मशताब्दी के उपलक्ष्य में 75 जनपदों में 2-2 जिला स्तरीय प्रतियोगिता सहित कुल 150 प्रतियोगितायें, 18 मण्डलों में 1-1 राज्य स्तरीय सीनियर पुरुष/महिला प्रतियोगितायें सहित कुल 18 प्रतियोगितायें आयोजित करायी गयीं, जिनमें 17,468 खिलाड़ी लाभान्वित हुए।

24 जनवरी 2019 को 'उत्तर प्रदेश दिवस' के अवसर पर लखनऊ में राज्य स्तरीय सीनियर कबड्डी पुरुष/महिला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 468 खिलाड़ी लाभान्वित हुए।

'खूब खेलो खूब बढ़ो' योजना के अन्तर्गत दिनांक 01 से 15 फरवरी, 2019 के मध्य मण्डल स्तर पर 04 खेलों तथा जिला स्तर पर 02 खेलों की जूनियर वर्ग की बालक/बालिकाओं की जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं आयोजित करायी जायेंगी। इस प्रकार कुल 186 प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जायेगा।

उक्त प्रतियोगिताओं में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान किये गये। उक्त प्रतियोगिताओं के आयोजन से समस्त खिलाड़ियों में प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होती है तथा खेलने का अनुभव एवं सम्बन्धित खेलों के नियमों का ज्ञान होता है जो खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में सहायक सिद्ध होते हैं।

विभागीय प्रतियोगिताओं का निर्धारित कार्यक्रम–2019-20

1. राष्ट्रीय पर्वों (15 अगस्त, 02 अक्टूबर, 26 जनवरी) पर प्रतियोगिताएं	225 जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं
2. खेल दिवस (29 अगस्त) हॉकी के जादूगर स्व0 मेजर ध्यान चंद के जन्म दिवस पर 14 वर्ष से कम आयु के बालकों की हॉकी प्रतियोगिता	75 जिला स्तरीय प्रतियोगिताएं
3. खेल निदेशालय उ.प्र. एवं प्रदेशीय क्रीड़ा संघो के समन्वय से बालक/बालिकाओं की सब जूनियर एवं जूनियर वर्गों की प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताएं	
सब जूनियर वर्ग	22 प्रतियोगिताएं
जूनियर वर्ग	22 प्रतियोगिताएं
4. महिलाओं की प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिताएं	
प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता	12 खेलों में
5. पं. दीनदयाल उपाध्याय जन्मशताब्दी के उपलक्ष्य में 75 जनपदों में 2-2 जिला स्तरीय प्रतियोगिता	150 प्रतियोगिताएं

6. पं. दीनदयाल उपाध्याय जन्मशताब्दी के उपलक्ष्य में
18 मण्डलों में 1-1 प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता 18 प्रतियोगिताएं

7. अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिताएं
1-अखिल भारतीय स्तर 07 प्रतियोगिताएं

दिनांक 15 से 25 मार्च, 2018 तक लखनऊ में गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज के अन्तर्गत निर्मित फ्लड लाइट युक्त सिन्थेटिक हॉकी मैदान एवं पद्मश्री मो0 शाहिद सिन्थेटिक हॉकी स्टेडियम, विजयन्त खण्ड, गोमतीनगर में निर्मित फ्लड लाइट युक्त सिन्थेटिक मैदान में 08वीं हॉकी इण्डिया सीनियर नेशनल पुरुष चैम्पियनशिप (डिवीजन-ए) का आयोजन किया गया। उक्त राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में राज्यों एवं सर्विसेज की कुल 20 टीमों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

दिनांक 20 नवम्बर से 25 नवम्बर, 2018 तक लखनऊ के बी.बी.डी. यू.पी. बैडमिन्टन एकेडमी, विपिन खण्ड, गोमतीनगर में सैयद मोदी इण्टरनेशनल बैडमिन्टन चैम्पियनशिप-2018 का आयोजन में किया गया। उक्त चैम्पियनशिप में चाइना, मलेशिया, सिंगापुर, इन्डोनेशिया, थाईलैण्ड, कोरिया, रूस, आस्ट्रेलिया, श्रीलंका, चेक गणराज्य, जापान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, स्पेन, इंग्लैण्ड, डेनमार्क, नीदरलैण्ड, स्वीडन, मिस्र, इजराइल, भारत सहित कुल 22 देशों में टीमों ने प्रतिभाग किया।

दिनांक 16 से 22 दिसम्बर, 2018 तक लखनऊ के बी.बी.डी. यू.पी. बैडमिन्टन एकेडमी, विपिन खण्ड, गोमतीनगर में 43वीं राष्ट्रीय जूनियर बालक/बालिका चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया। जिसमें समस्त राज्यों की टीमों ने प्रतिभाग किया।

दिनांक 09 से 13 फरवरी, 2019 तक लखनऊ में 35वीं राष्ट्रीय सबजूनियर हैण्डबाल बालिका चैम्पियनशिप का आयोजन किया गया है। जिसमें समस्त राज्यों की टीमों ने प्रतिभाग किया।

आवासीय क्रीड़ा छात्रावास

खेल विभाग की महत्त्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना आवासीय क्रीड़ा छात्रावास है। जिसके अन्तर्गत जिला स्तर, मण्डल व प्रदेश स्तर पर चयन करके उदीयमान खिलाड़ियों का 15 दिवसीय केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर संचालित कराया जाता है। इस शिविर के अन्तिम दिवसों में क्रीड़ा छात्रावासों में प्रवेश हेतु उदीयमान खिलाड़ियों का चयन खेल विशेषज्ञों की समिति द्वारा किया जाता है, उन्हें आवासीय सुविधा, भोजन, शिक्षा, चिकित्सा, खेल किट, उपकरण आदि की नि:शुल्क सुविधा प्रदान की जाती है। एक खिलाड़ी पर प्रतिवर्ष रु. 89,950/- व्यय होता है। वर्तमान में 19 जनपदों में 16 खेलों में 44 छात्रावास हैं। इनमें विभिन्न खेल छात्रावासों में बालकों की संख्या-670 एवं बालिकाओं की संख्या-220, कुल 890 निर्धारित है।

केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर

केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर छात्रावास का एक अंग है। आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में प्रवेश हेतु आयोजित राज्य स्तरीय चयन/ट्रायल्स में निर्धारित संख्या के अनुसार चयनित बालक एवं बालिकाओं का 15 दिवसीय तक केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर संचालित कराया जाता है, जिसमें

खिलाड़ियों को प्रगाढ़ प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। केन्द्रीय प्रशिक्षण शिविर के अन्तिम दो दिनों में अन्तिम चयन/ट्रायल्स आयोजित किया जाता है। उक्त चयन/ट्रायल्स में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनायी जाती है। आवासीय क्रीड़ा छात्रावासों में रिक्त स्थानों के सापेक्ष मेरिट के आधार पर छात्रावासों में प्रवेश दिया जाता है।

विशेष प्रशिक्षण शिविर एवं किट की व्यवस्था

प्रदेशीय खेल संघो द्वारा चयनित प्रदेशीय टीमों को राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भेजा जाता है। खेल विभाग द्वारा प्रदेशीय टीमों को राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने से पूर्व 10-15 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर की सुविधा प्रदान की जाती है। जिससे टीम में तालमेल बन सके एवं उनके खेल में सुधार आ सके तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम गौरवान्वित कर सकें। प्रशिक्षण अवधि में खिलाड़ियों के भोजन एवं आवास आदि की सुविधा पर होने वाले व्यय को खेल विभाग द्वारा वहन किया जाता है। इन प्रदेशीय टीमों के खिलाड़ियों हेतु किट तथा राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के आयोजन स्थल तक आने-जाने का रेल किराया सिंगल फेयर डबल जर्नी के सिद्धान्त के आधार पर आरक्षण शुल्क सहित विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है।

प्रदेशीय क्रीड़ा संघों/क्लबों को प्रतियोगिता के आयोजन हेतु आर्थिक सहायता

खेल के क्षेत्र में खेलों के प्रतिस्पर्धात्मक पक्ष को देखने के लिए देश में राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय खेल महासंघ और प्रदेश स्तर पर प्रदेशीय खेल संघ कार्य करते हैं। प्रदेशीय संघों का प्रमुख कार्य अपने खेलों से सम्बन्धित प्रदेशीय चैम्पियनशिप का आयोजन करना और प्रदेशीय टीमों का चयन कर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप के लिए भेजना होता है। यदा-कदा भारतीय खेल महासंघों द्वारा प्रदेशीय क्रीड़ा संघों को राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजित करने का भार सौंप दिया जाता है। खेल विभाग ऐसे कार्यक्रमों के संचालन हेतु तकनीकी व आर्थिक सहायता प्रदान करता है। यह आर्थिक सहायता उन्हीं प्रदेशीय क्रीड़ा संघों को दी जाती है जो शासन द्वारा निर्धारित गाइड लाइन्स को स्वीकार करते हैं।

इसके अतिरिक्त प्रदेश में क्लब व खेल समितियाँ प्रतियोगिताओं का आयोजन करती हैं। इन प्रतियोगिताओं का मुख्य ध्येय अधिक से अधिक खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर प्रदान करना है। ऐसे संघों व खेल समितियों को भी खेल विभाग द्वारा अनावर्तक अनुदान स्वीकृत किया जाता है।

पुरस्कार (लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार)

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के विशिष्ट खिलाड़ियों को लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित करने की योजना है। इसके अन्तर्गत अलंकृत होने वाले खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र, लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई की कांस्य प्रतिमा, तथा रु. 3,11,000/- की धनराशि नकद प्रदान की जाती है। पुरस्कार की पात्रता के लिए खिलाड़ी को उ.प्र. का मूल निवासी होना चाहिए। खिलाड़ी राष्ट्रीय सीनियर चैम्पियनशिप/राष्ट्रीय खेल में कम से कम 3 बार प्रदेशीय टीम का सदस्य रहा हो तथा जिस वर्ष में पुरस्कृत किये जाने की सिफारिश की जाती है, उस वर्ष में खिलाड़ी द्वारा

पदक अर्जित किया गया हो। चयन में पारदर्शिता लाने हेतु राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग/अर्जित पदकों के आधार पर अंक निर्धारित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अंकों के आधार पर खिलाड़ियों का लक्ष्मण/रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार हेतु चयन किया जाता है।

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार

प्रदेश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है तथा राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कीर्तिमान स्थापित करने वाले खिलाड़ियों को भी नकद पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार एकल एवं टीम गेम्स में अलग-अलग प्रदान किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं जैसे- ओलम्पिक गेम्स, कामनवेल्थ गेम्स, विश्व कप, एशियन गेम्स, एफ्रो एशियन गेम्स तथा सैफ गेम्स में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार की व्यवस्था की गयी है। पुरस्कारों का विवरण निम्न प्रकार है :-

राष्ट्रीय चैम्पियनशिप

एकल गेम्स

वर्गीकरण	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
सीनियर	1,00,000/-	75,000/-	50,000/-
जूनियर	50,000/-	35,000/-	25,000/-
सब जूनियर	25,000/-	15,000/-	10,000/-
टीम गेम्स			
सीनियर	40,000/-	30,000/-	20,000/-
जूनियर	30,000/-	25,000/-	15,000/-
सब जूनियर	15,000/-	10,000/-	5,000/-
राष्ट्रीय खेल (नेशनल गेम्स)			
एकल गेम्स	3,00,000/-	2,00,000/-	1,00,000/-
टीम गेम्स	1,00,000/-	50,000/-	25,000/-

शासनादेशों में राष्ट्रीय खेल/चैम्पियनशिप में नया कीर्तिमान बनाने पर रु. 50,000/- के अतिरिक्त पुरस्कार की व्यवस्था की गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर

एकल गेम्स

वर्गीकरण	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
ओलम्पिक गेम्स	600.00 लाख	400.00 लाख	200.00 लाख
टीम गेम्स			
ओलम्पिक गेम्स	300.00 लाख	200.00 लाख	100.00 लाख

एकल गेम्स

वर्गीकरण	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
1–कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स	50.00 लाख	30.00 लाख	15.00 लाख
2–एफ्रो एशियन गेम्स, विश्वकप	15.00 लाख	10.00 लाख	08.00 लाख
3–सैफ गेम्स	03.00 लाख	02.00 लाख	01.00 लाख

टीम गेम्स

वर्गीकरण	प्रथम	द्वितीय	तृतीय
1–कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स	30.00 लाख	15.00 लाख	10.00 लाख
2–एफ्रो एशियन गेम्स, विश्वकप	10.00 लाख	08.00 लाख	06.00 लाख
3–सैफ गेम्स	01.00 लाख	00.50 लाख	00.25 लाख

एशियन गेम्स एवं कॉमनवेल्थ गेम्स में प्रतिभाग करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को रु. 5.00 लाख प्रोत्साहन स्वरूप प्रति खिलाड़ी की दर से प्रदान किये जाने की व्यवस्था है।

ओलम्पिक गेम्स में प्रतिभाग करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को रु. 10.00 लाख प्रोत्साहन स्वरूप प्रति खिलाड़ी की दर से दिये जाने की व्यवस्था है।

वर्ष 2018-19 में कॉमनवेल्थ गेम्स एवं 18 वें एशियन गेम्स के खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है–

21वें कॉमनवेल्थ गेम्स, गोल्ड कोस्ट, आस्ट्रेलिया में उत्तर प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को वर्ष 2018-19 में दी गई पुरस्कार राशि का विवरण

क्र. सं.	खिलाड़ी का नाम	जनपद	खेल का नाम	अर्जित पदक	पुरस्कार राशि (लाख रु. में)
1.	सुश्री पूनम यादव	वाराणसी	वेटलिफ्टिंग (एकल)	स्वर्ण पदक	50.00
2.	श्री जीतू राई	लखनऊ	शूटिंग (एकल)	स्वर्ण पदक	50.00
3.	श्री सतीश कुमार	बुलन्दशहर	बॉक्सिंग (एकल)	रजत पदक	30.00
4.	श्रीमती सीमा पूनिया	मेरठ	एथलेटिक्स (एकल)	रजत पदक	30.00
5.	सुश्री दिव्या काकरान	मुजफ्फरनगर	कुश्ती (एकल)	कांस्य पदक	15.00
6.	श्री रवि कुमार	मेरठ	शूटिंग (एकल)	कांस्य पदक	15.00
पैरा खेल					
1.	श्री सचिन चौधरी	मेरठ	पैरा पावरलिफ्टिंग	कांस्य पदक	15.00
				कुल	**205.00**

21वें कॉमनवेल्थ गेम्स, गोल्ड कोस्ट, आस्ट्रेलिया में उत्तर प्रदेश के प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को वर्ष 2018-19 में प्रोत्साहन स्वरूप दी गई पुरस्कार राशि का विवरण

क्र. सं.	खिलाड़ी का नाम	जनपद	खेल का नाम	पुरस्कार राशि (लाख रु. में)
1.	श्री विपिन कसाना	गाजियाबाद	एथलेटिक्स	05.00
2.	सुश्री बरखा सोनकर	वाराणसी	बास्केटबाल	05.00
3.	श्री आशीष कुमार	प्रयागराज	जिम्नास्टिक्स	05.00
4.	श्री ललित कुमार उपाध्याय	वाराणसी	हॉकी	05.00
5.	सुश्री वंदना कटारिया	मेरठ	हॉकी	05.00
6.	श्री मो0 शिराज शेख	मेरठ	शूटिंग	05.00
7.	श्री मो0 असब	मेरठ	शूटिंग	05.00
8.	सुश्री सीमा तोमर	बागपत	शूटिंग	05.00
9.	सुश्री सानिया शेख	मेरठ	शूटिंग	05.00
10.	सुश्री वंदना गुप्ता	लखनऊ	भारोत्तोलन	05.00
11.	सुश्री पूर्णिमा पाण्डेय	वाराणसी	भारोत्तोलन	05.00
			कुल	**55.00**

18वें एशियन गेम्स, 2018, जकार्ता, इंडोनेशिया में उत्तर प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को वर्ष 2018-19 में दी गई पुरस्कार राशि का विवरण

क्र. सं.	खिलाड़ी का नाम	स्थान	खेल का नाम	अर्जित पदक	पुरस्कार राशि (लाख रु. में)
1.	श्री सौरभ चौधरी	मेरठ	शूटिंग (एकल)	स्वर्ण पदक	50.00
2.	श्रीमती सुधा सिंह	रायबरेली	एथलेटिक्स (एकल)	रजत पदक	30.00
3.	श्री शार्दूल विहान	मेरठ	शूटिंग (एकल)	रजत पदक	30.00
4.	सुश्री वंदना कटारिया	मेरठ	हॉकी (टीम गेम्स)	रजत पदक	15.00
5.	श्री राकेश कुमार	मेरठ	घुड़सवारी (टीम गेम्स)	रजत पदक	15.00
6.	श्रीमती सीमा पूनिया	मेरठ	एथलेटिक्स (एकल)	कांस्य पदक	15.00
7.	सुश्री दिव्या काकरान	मुजफ्फरनगर	कुश्ती (एकल)	कांस्य पदक	15.00
8.	श्री संतोष कुमार	गाजियाबाद	वुशू (एकल)	कांस्य पदक	15.00
9.	श्री रवि कुमार	मेरठ	शूटिंग (टीम गेम्स)	कांस्य पदक	10.00
10.	श्री राहुल चौधरी	बिजनौर	कबड्डी (टीम गेम्स)	कांस्य पदक	10.00
11.	श्री ललित कुमार उपाध्याय	वाराणसी	हॉकी (टीम गेम्स)	कांस्य पदक	10.00
				कुल	**215.00**

राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों के सम्मान की व्यवस्था

राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान करने के लिए व्यवस्था लागू की गयी है। पुरस्कारों का विवरण निम्न प्रकार है–

(क)- राष्ट्रीय चैम्पियनशिप हेतु (एकल गेम्स/टीम गेम्स में पुरस्कार)

वर्ग	स्वर्ण	रजत	कांस्य
सब–जूनियर	10,000/–	7,500/–	5,000/–
जूनियर	15,000/–	10,000/–	7,500/–
सीनियर	25,000/–	15,000/–	10,000/–

(ख)- अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं (एकल गेम्स/टीम गेम्स में पुरस्कार)

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का नाम	स्वर्ण	रजत	कांस्य
ओलम्पिक गेम्स	5,00,000/–	3,00,000/–	2,00,000/–
कामनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, विश्वकप तथा विश्व चैम्पियनशिप (प्रत्येक 04 वर्षों में आयोजित होने वाली)	1,50,000/–	1,00,000/–	50,000/–

(ग)- सैफ गेम्स एवं राष्ट्रीय खेल हेतु

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का नाम	स्वर्ण	रजत	कांस्य
सैफ गेम्स	50,000/–	35,000/–	25,000/–
राष्ट्रीय खेल	50,000/–	35,000/–	25,000/–

प्रदेश के भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों तथा पहलवानों को वित्तीय सहायता

विभाग द्वारा प्रदेश के खिलाड़ियों के कल्याणार्थ चलायी जाने वाली योजना के अन्तर्गत वृद्ध, अशक्त एवं विपदाग्रस्त खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के उन वृद्ध खिलाड़ियों को जिन्होंने अपने युवा काल में अपने खेल के माध्यम से प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया हो तथा जिनकी समस्त स्रोतों से मासिक आय रु. 20,000/– से अधिक न हो, उन्हें निम्नानुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है:–

1. राज्य स्तर के वे खिलाड़ी, जिन्होंने प्रदेश की अधिकृत टीम का प्रतिनिधित्व किया हो– रु. 4,000/–
2. राष्ट्रीय स्तर के वे खिलाड़ी, जिन्होंने राष्ट्र की अधिकृत टीम का प्रतिनिधित्व किया हो– रु. 6,000/–

3. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के वे खिलाड़ी, जिन्होंने राष्ट्र की अधिकृत टीम के सदस्य होकर ओलम्पिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स तथा विश्व कप खेलों में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया हो- रु. 10,000/-

वित्तीय वर्ष 2018-19

क्र.सं.	स्तर	दर (प्रतिमाह)	लाभान्वित खिलाड़ियों की संख्या
1	अन्तर्राष्ट्रीय	10,000	05
2	राष्ट्रीय	6,000	19
3	राज्य	4,000	122
			कुल 146

विभाग द्वारा अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार एवं खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को अथवा खेल जगत में उपलब्धियों के दृष्टिगत पद्मश्री एवं पद्मभूषण से सम्मानित महानुभाव खिलाड़ियों को रु. 20,000/- प्रतिमास की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

1. अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार, पद्मश्री एवं पद्मभूषण से सम्मानित महानुभाव खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता की पात्रता हेतु आय सीमा की छूट है।
2. उपरोक्त विभिन्न स्तर के खिलाड़ियों को उक्त आर्थिक सहायता में से एक ही वर्ग में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

राज्य में निजी सहभागिता से खेल अकादमियों को विकसित करने की नीति

प्रदेश में खेलों के विकास हेतु शासनादेश संख्या- 2087/बयालिस-2016-16 (विविध) /2013 दिनांक 17 अक्टूबर, 2016 द्वारा राज्य में निजी सहभागिता से खेल अकादमियों को विकसित करने की नीति निर्धारित है। जिसके अन्तर्गत खेल संघ/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों द्वारा भूमि का चिह्नांकन प्राधिकरणों/जिलाधिकारी द्वारा कराते हुए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने पर मान्यता प्राप्त खेलों में एकेडमी विकसित किये जाने हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ

खेलों को प्रोत्साहन देने की दिशा में तथा खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से लखनऊ में कुर्सी रोड पर स्पोर्ट्स कालेज की स्थापना की गयी। उत्तर प्रदेश का यह प्रथम स्पोर्ट्स कालेज है। इसका क्षेत्रफल 153 एकड़ है। इस कालेज में ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र के 12 वर्ष की आयु के बच्चों का चयन कर प्रवेश दिया जाता है और उनके अध्ययन तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था इसी आवासीय संस्था में एक स्थान पर की जाती है और बालकों को एक अच्छा नागरिक बनाने के उद्देश्य से उनके चतुर्मुखी विकास पर बल दिया जाता है। कालेज में एथलेटिक्स, फुटबाल, हॉकी, क्रिकेट, वालीबाल, लॉनटेनिस, तैराकी एवं बैडमिन्टन खेलों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है। स्पोर्ट्स कालेज लखनऊ में छात्रों को कक्षा-06 से 12 तक साहित्यिक वर्ग में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप शिक्षा प्रदान की जाती है। समुचित आवासीय व्यवस्था हेतु बहुमंजिला छात्रावास, डायनिंग हाल, कम्यूनिटी

हाल और स्वास्थ्य केन्द्र की भी सुविधायें उपलब्ध हैं। इन सब उच्चतम सुविधाओं के उपलब्ध होने के कारण स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं हेतु उपयुक्त स्थान है। स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ में कुल-345 प्रशिक्षार्थियों की संख्या निर्धारित है।

वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज, गोरखपुर

लखनऊ स्थित स्पोर्ट्स कालेज की सफलता व खेल क्षेत्र में विशिष्ट योगदान को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा वर्ष 1988-89 में पूर्वान्चल के गोरखपुर नगर में वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कालेज की स्थापना की गयी है। आवासीय संस्था होने के कारण इसका समस्त व्यय भार शासन द्वारा वहन किया जाता है। इस कालेज में कुश्ती (बालक), वालीबाल (बालक एवं बालिका), हॉकी (बालिका) एवं जिम्नास्टिक (बालक एवं बालिका) खेलों में प्रशिक्षण के साथ-साथ प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा एवं उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में कक्षा-06 से 12 तक शिक्षण की व्यवस्था की गयी है। यह कालेज गोरखपुर नगर से लगभग 08 किमी. दूर महराजगंज रोड पर आरोग्य मन्दिर के निकट 48.7 एकड़ भूमि पर स्थित है। स्पोर्ट्स कालेज, गोरखपुर में कुल-320 प्रशिक्षार्थियों की संख्या निर्धारित है।

मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स कालेज, सैफई (इटावा)

लखनऊ एवं गोरखपुर में स्थित स्पोर्ट्स कालेज की सफलता व खेल क्षेत्र में विशिष्ट योगदान को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा वर्ष 2014-15 में सैफई (इटावा) में मेजर ध्यानचन्द स्पोर्ट्स कालेज की स्थापना की गयी है। आवासीय संस्था होने के कारण इसका समस्त व्यय भार शासन द्वारा वहन किया जाता है। इस कालेज में बालक वर्ग में क्रिकेट, फुटबाल, हॉकी, कुश्ती, एथलेटिक्स, तैराकी, कबड्डी तथा बैडमिन्टन (बालक/बालिका) जूडो (बालिका) खेलों में प्रशिक्षण के साथ-साथ प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा एवं उत्तर प्रदेश बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में कक्षा-06 से 12 तक शिक्षण की व्यवस्था की गयी है। स्पोर्ट्स कालेज, सैफई में कुल-560 प्रशिक्षार्थियों की संख्या निर्धारित है।

उक्त स्पोर्ट्स कालेजों में प्रवेश हेतु पहले जिला स्तर पर प्रारम्भिक चयन होने के उपरान्त राज्य स्तर पर चयन ट्रायल्स आयोजित होते हैं। मुख्य चयन परीक्षा में उत्तीर्ण होने के उपरान्त खिलाड़ियों को मेरिट के आधार पर कालेज में प्रवेश प्रदान किया जाता है।

प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण

प्रान्तीय रक्षक दल का गठन शासनादेश संख्या-6588-जेड/8-1060-बी-1947, दिनांक 20-10-1947 के अधीन किया गया था। इसका उद्देश्य सरकारी प्रेरणा से रचनात्मक प्रगति एवं साम्प्रदायिक भेदभाव रहित युवा स्वयं सेवकों का एक शक्तिशाली एवं सुगठित संगठन स्थापित करना था, जिससे ग्रामीणों में आत्मबल और साम्प्रदायिक मेलजोल बढ़े और समस्त जनता में आत्म-सुरक्षा, आत्म-निर्भरता, अनुशासन तथा अपराधों की रोकथाम का भाव उभर करके पारस्परिक सहयोग की भावना युवा वर्ग में विशेष रूप से आये और उन्हें तदनुसार अभ्यस्त भी किया जा सके। तदुपरान्त वर्ष 1948 में उत्तर प्रदेश प्रान्तीय रक्षक दल अधिनियम-1948 के माध्यम से प्रान्तीय रक्षक दल को वैधानिक दर्जा देते हुये इसकी भूमिका एवं उद्देश्यों का पुष्टीकरण भी कर दिया गया।

वर्ष 1952 में कौंसिल आफ फिजिकल कल्चर को प्रान्तीय रक्षक दल में विलीन कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप ग्रामीण खेलकूद, व्यायामशालाओं एवं शारीरिक संवर्द्धन के अन्य मामलों का निर्वहन एवं प्रदेश में युवा आन्दोलन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 'सामुदायिक योजना प्रशासन' समिति की संस्तुतियों के आधार पर वर्ष 1956 में 'युवा आन्दोलन संगठन' की स्थापना की गई, जिससे उत्तर प्रदेश में ग्रामीण युवकों के संगठन 'युवक मंगल दल' बनने लगे।

वर्ष 1971 में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में प्रान्तीय रक्षक दल की प्रेरक एवं सक्रिय भूमिका को मान्यता देते हुये इसे विकास कार्यक्रमों से और अधिक सम्बद्ध करने के उद्देश्य से 'प्रान्तीय रक्षक दल' का नाम परिवर्तित करके 'प्रादेशिक विकास दल' कर दिया गया।

वर्ष 1974 में एक 'जनशक्ति संचालन योजना निदेशालय' की स्थापना की गई, जिसमें श्रम साधनों के समुचित एवं गौरवपूर्ण उपयोग को ध्येय में रखा गया। कालान्तर में वर्ष 1982 में इस जनशक्ति संचालन योजना निदेशालय को परिवर्तित करते हुये 'युवा कल्याण निदेशालय' के रूप में सम्बद्ध किया गया और इसे प्रादेशिक विकास दल के साथ स्थापित किया गया।

प्रदेश सरकार के विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना सं0-1235/79-वि-1-09-01(क) 28-2009, दि0-27-08-2009 द्वारा संयुक्त प्रान्त रक्षक दल एक्ट-1948 में कतिपय संशोधन करते हुए 'उत्तर प्रदेश रक्षक दल (संशोधन) अधिनियम-2009 जारी करते हुए इसका नाम 'उत्तर प्रदेश प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एक्ट' रखा गया, फलस्वरूप प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एवं युवा कल्याण विभाग के रूप में इसका वर्तमान स्वरूप और दायित्व स्पष्ट हुआ।

वित्तीय वर्ष 2017-18 तथा वर्ष 2018-19 की उपलब्धि एवं वर्ष 2019-20 की प्रस्तावित योजनाएं

युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल विभाग द्वारा विशेष रूप से प्रदेश के ग्रामीण युवाओं एवं ग्राम्य जीवन के समग्र विकास हेतु अधोलिखित योजनायें चलायी जा रही हैं :-

1- ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता

गाँव में निवास करने वाले युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करने एवं खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष प्रदेश सरकार द्वारा विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर सभी आयु वर्ग के पुरुषों/ महिलाओं की एथलेटिक्स, वालीबॉल, कबड्डी, भारोत्तोलन एव कुश्ती विधाओं में खुली ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की जाती हैं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में जिला सेक्टर योजनान्तर्गत रु. 250.00 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया है, जिससे सभी आयु वर्ग के पुरुषों/महिलाओं की खुली ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगितायें समस्त विकास खण्ड एवं जनपद स्तरों पर आयोजन किये जाने हेतु धनराशि आवंटित करके खेलकूद प्रतियोगितायें आयोजित की जानी प्रस्तावित हैं :-

2- राजीव गाँधी खेल अभियान योजनान्तर्गत ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता (सम्प्रति खेलो इण्डिया योजना)

पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (सम्प्रति राजीव गाँधी खेल अभियान) योजना के अन्तर्गत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित 21 खेल विधाओं (एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, तैराकी, बैडमिन्टन, टेबिल टेनिस, तीरन्दाजी, वुशू, ताइक्वाण्डो, भारोत्तोलन, साइक्लिंग, मुक्केबाजी, जूडो, कुश्ती, कबड्डी, खो-खो, हॉकी, फुटबाल, वालीबाल, बास्केटबाल, हैण्डबाल एवं टेनिस) में से राज्य द्वारा अंगीकृत 10 विधाओं यथा- एथलेटिक्स, टेबल-टेनिस, तीरन्दाजी, भारोत्तोलन, कुश्ती, कबड्डी, हॉकी, फुटबाल, वालीबाल एवं जूडो की विधाओं में प्रतिवर्ष विकास खण्ड, जनपद, मण्डल, जोन एवं प्रदेश स्तर पर विभिन्न आयु वर्गों में निम्नवत् खेलकूद प्रतियोगितायें आयोजित करायी जाती थीं। यह योजना दिनांक-01.04.2016 से परिवर्तित होकर ''खेलो इण्डिया'' के नाम से संचालित की जा रही है।

3- ग्रामीण खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कार एवं प्रशिक्षण

प्रदेश के ग्रामीण अंचल के खिलाड़ियों की विभिन्न स्तरों पर प्रतियोगिताएं कराकर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग कराने का कार्य विभाग द्वारा कराया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर उनके विजयी होने की स्थिति में उनका मनोबल बनाए रखने एवं उन्हें प्रोत्साहित किए जाने हेतु शासन द्वारा इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 में राजस्व पक्ष में रु. 5.00 लाख का प्रावधान किया गया है। चूंकि भारत सरकार द्वारा खेलकूद प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु बजट अवमुक्त नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप खेलकूद प्रतियोगितायें आयोजित न होने के कारण किसी खिलाड़ी को पुरस्कृत किया जाना सम्भव नहीं हो पाया है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस योजना के अंतर्गत रु. 5.00 लाख का प्रावधान किया गया है, जिससे विजयी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाना प्रस्तावित है।

4- ग्रामीण स्टेडियम की स्थापना, विकास एवं उपकरण

खेलकूद को बढ़ावा देने, खेल प्रतिभाओं को विकसित होने का अवसर सुलभ कराने एवं नियमित अभ्यास हेतु (1) शाहपुरजदीद/(2) काजिमाबादगुन (मेरठ)/(3) लखावटी/(4) अर्नियाखुर्द (बुलन्दशहर)/(5) अतरौली (अलीगढ़) (6) नौहझील/(7) शेरगढ़/(8) मॉट (मथुरा) (9) किरावली (आगरा) (10) किसनी (मैनपुरी) (11) जलेसर-देहात (एटा) (12) सिमराबोरी (बरेली) (13) सिकन्दरपुरकला (शाहजहाँपुर) (14) तेजपुर-पतारा (कानपुर नगर) (15) दुरेड़ी (बांदा) (16) सियरहाँ (वाराणसी) (17) बनपुरवा/(18) भटेवरा /(19) चरियाही (जौनपुर) (20) उसिया/(21) बघॉव/(22) आतमपुरछपरा/(23) उतरौली/(24) बड़हरा-देवकली/ (25) मिर्चाकूसी/(26) शेरपुरकलां/(27) रामपुर-फुफुआंव/(28) गहमर (गाजीपुर) (29) गौरामदनपुरा (बलिया) (30) बड़हलगंज (गोरखपुर) (31) श्रीकान्तपुर/(32) चिउटहरा-लौहरा (आजमगढ) (33) मऊ-मोहनलालगंज/(34) सलेमपुर-गोसाईगंज (लखनऊ)(35) मैनीभावाखेड़ा/ (36) गोसाईखेड़ा/(37) हिलौली (उन्नाव) (38) बछरांवा/(39) सलेथू/(40) सलोन (रायबरेली) (41) करीमनगर/(42) कोठिला-सरैया/(43) तेरवा-गौसगंज/(44) पुरवायां-मजरा (हरदोई) (45) खखरा (खीरी) (46) वैसिंग/(47) कोटडीह-सरैया (फैजाबाद) (48) महरागौरा (गोण्डा) (49) भैंसाही /(50) अचौलिया (बहराइच) (51) टेराकला/(52) बड़ागांव/(53) मंगलपुर-ककरी (बाराबंकी) (54) पतलानिवाड़ी (गाजियाबाद) (55) मंगोलपुर (कानपुर देहात) (56) फतेहापुर (मऊ) (57) जसराना/(58) अलहदादपुर/(59) पैढ़त (फिरोजाबाद) (60) चपचपकी/ (61) कठपुरवा/(62) इमलीपोखर (सोनभद्र) (63) चकमान्धता (भदोही) (64) गिरछा/ (65) पश्चिम-शरीरा (कौशाम्बी) (66) हरसिंहपुर (कासगंज) (67) घोरहा (अमेठी) एवं (68) शामली (शामली) इस प्रकार कुल 68 ग्रामीण स्टेडियम निर्मित होकर विभाग को हस्तान्तरित हो चुके हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त बिसौली (बलिया) ग्रामीण स्टेडियम सम्प्रति निर्माणाधीन है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में 18 नये मिनी स्टेडियमों के निर्माण को सम्मिलित करते हुये सामान्य योजनान्तर्गत रु. 2528.54 लाख तथा एस0सी0एस0पी0 योजनान्तर्गत रु. 3.52 लाख इस प्रकार कुल रु. 2532.06 लाख की धनराशि का प्रावधान किया गया है, जिससे नये मिनी स्टेडियमों के निर्माण तथा पूर्व से निर्माणाधीन ग्रामीण स्टेडियों की बाउण्ड्रीवॉल एवं अवशेष निर्माण कार्यों को पूर्ण कराया जायेगा।

5- खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदान

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा इस योजना पर 50-50 प्रतिशत की धनराशि व्यय करके प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में खेल सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु आउटडोर/इण्डोर स्टेडियम का निर्माण कराये जाने की योजना थी, जो दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से राज्य सरकार को हस्तांतरित हो गयी है।

इस योजना के अन्तर्गत (1) निहस्था (रायबरेली), (2) सरसेना (मऊ) (3) कोरांव/ (4)करछना/(5) हण्डिया/(6) शंकरगढ़ (प्रयागराज) (7) पहाड़गांव (जालौन) (8) गुढ़ा (ललितपुर) (9) दुजाना (गौतमबुद्ध नगर) एवं (10) चिल्लूपुर (आजमगढ़) में इण्डोर स्टेडियम तथा (11) पंजोखरा (शामली) में इण्डोर तथा आउटडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य पूर्ण करके स्टेडियम

विभाग को हस्तान्तरित हो चुके हैं, जिनमें युवाओं की दिन-प्रति दिन की खेल गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है।

6- खेल छात्रावास की स्थापना

वित्तीय वर्ष 2006-07 में इस योजना के अन्तर्गत ग्राम-पंजोखरा/जसाला, विकास खण्ड-कांधला, जनपद शामली में खेल छात्रावास की स्थापना की योजना प्रारम्भ की गई, जिसमें कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य हेतु रु. 40.00 लाख की राशि अवमुक्त करके निर्माण कार्य आरम्भ कराया गया।

इस छात्रावास को युवा कल्याण विभाग के खेल सम्बन्धी कार्यक्रमों के संचालनार्थ प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित किए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 के आयोजनागत पक्ष में सामान्य योजनान्तर्गत रु. 237.18 लाख का प्रावधान किया गया, जिससे कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करके निर्माण कार्य पूरा कराया गया।

7- युवा छात्रावासों की स्थापना

भारत सरकार की इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा भूमि तथा विकास कार्यों के लिये धनराशि उपलब्ध कराई जाती थी तथा भारत सरकार द्वारा युवा छात्रावासों के मुख्य भवन के निर्माण, साज-सज्जा तथा वार्डन/सहायक वार्डन के लिये वित्तीय सहायता दी जाती थी। तद्क्रम में वर्तमान में आगरा एवं लखनऊ में युवा छात्रावास संचालित हैं।

8- विवेकानन्द यूथ एवार्ड

(अ) युवक एवं महिला मंगल दलों हेतु

उपर्युक्त योजना में युवक एवं महिला मंगल दलों के कार्यकलापों/उपलब्धियों के मात्राकरण का आकलन करने हेतु उल्लिखित 10 कार्यक्रमों- खेलकूद, सामाजिक वृक्षारोपण, परिवार कल्याण, अल्प बचत योजना, रक्तदान, नशा मुक्ति, जल संरक्षण, पुस्तकालय/वाचनालय की स्थापना व संचालन, जैविक खेती एवं सौर-ऊर्जा संयंत्र स्थापना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले दलों में से राज्य, जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर सर्वोत्कृष्ट दलों को भी पुरस्कृत किये जाने के क्रम में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये निम्नांकित धनराशि की व्यवस्था कराया जाना प्रस्तावित है :-

क्र0सं0	स्तर का नाम	पुरस्कार की दर	कुल धनराशि
1-	राज्य स्तर (युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दलों को)	प्रथम पुरस्कार - रु. 1,00,000 द्वितीय पुरस्कार - रु. 50,000 तृतीय पुरस्कार - रु. 25,000	2,00,000 1,00,000 50,000
2-	जनपद स्तर (सर्वोत्कृष्ट 01 युवक मंगल दल एवं 01 महिला मंगल दल)	कुल 75 जनपदों हेतु प्रति जनपद 02 दलों को प्रति दल रु. 10,000 की दर से	15,00,000
3-	विकास खण्ड स्तर (सर्वोत्कृष्ट 01 युवक मंगल दल एवं 01 महिला मंगल दल)	कुल 821 विकास खण्डों हेतु प्रति विकास खण्ड 02 दलों को, प्रति दल रु. 3,000	49,26,000

4-	राज्य स्तरीय 02 चल बैजयन्ती शील्ड के क्रय हेतु	रु. 15,000 प्रति की दर से	30,000
		कुल योग-	**68,06,000**

(ब) व्यक्तिगत श्रेणी हेतु पुरस्कार

उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2018-19 में खेलकूद, सामाजिक वृक्षारोपण, परिवार कल्याण, अल्प बचत योजना, रक्तदान, नशा मुक्ति, जल संरक्षण, पुस्तकालय/वाचनालय की स्थापना व संचालन, जैविक खेती, सौर-ऊर्जा संयंत्र स्थापना एवं अन्य जनोपयोगी क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को 'विवेकानन्द यूथ एवार्ड' के अन्तर्गत व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार दिए जाने हेतु रु. 50,000.00 प्रति व्यक्ति की दर से 10 व्यक्तियों हेतु तथा रु. 1,00,000.00 का व्यय, स्मृति चिन्ह, शॉल एवं प्रशस्ति पत्र आदि पर व्यय हेतु भी धनराशि का प्रावधान निम्नवत् कराया जाना प्रस्तावित है:-

प्रदेश में 10 युवाओं को पुरस्कृत किए जाने हेतु रु. 50,000/- प्रति व्यक्ति की दर से प्रस्तावित धनराशि 10 x 50,000 एवं रु. 1,00,000.00 का व्यय, स्मृति चिन्ह, शॉल एवं प्रशस्ति पत्र आदि पर व्यय	रु. 6,00,000.00
योग	**रु. 6,00,000.00**

तदनुसार युवक मंगल दलों एवं महिला मंगल दलों को एवं व्यक्तिगत श्रेणी के पुरस्कार के अन्तर्गत 'विवेकानन्द यूथ एवार्ड' योजना से लाभान्वित कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में (रु. 68.06 + रु. 6.00) रु. 74.06 लाख की धनराशि का प्रावधान कराया जाना प्रस्तावित है।

9- सांस्कृतिक कार्यक्रम

इस योजनान्तर्गत निम्नलिखित घटकों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है:-

क- जनपद एवं मण्डल स्तर

सांस्कृतिक विधाओं से जुड़े युवक एवं महिला मंगल दल के सदस्यों एवं इस विधा से जुड़े हुए अन्य युवा कलाकारों को सांस्कृतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर सुलभ कराए जाने के दृष्टिगत जनपद, मण्डल एवं राज्य स्तर (युवा उत्सव) पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय युवा उत्सव हेतु निर्धारित लोकगीत, लोकनृत्य एवं वाद्यवादन, शास्त्रीय नृत्य एवं शास्त्रीय गायन आदि विधाओं के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर लोकप्रिय परम्परागत सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी सम्मिलित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रु. 7.50 लाख की धनराशि से मण्डल स्तर पर जनपद स्तरीय कलाकारों के कार्यक्रमों के आयोजन में कलाकारों के भोजन, विकास खण्ड से जनपद स्तर तक का मार्ग व्यय, निर्णायकों का मानदेय एवं अन्य अपरिहार्य व्ययों तथा प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजयी कलाकारों को प्रमाण-पत्र दिये जाने हेतु अवमुक्त की गई है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रमों के आयोजन हेतु धनराशि की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है, जिससे कलाकारों के भोजन, विकास खण्ड से जनपद स्तर तक का मार्ग व्यय, निर्णायकों का मानदेय एवं अन्य अपरिहार्य व्यय किये जायेंगे। मार्ग व्यय हेतु साधारण बस का किराया देय होगा। इस प्रतियोगिता के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजयी कलाकारों को प्रमाण-पत्र भी दिया जायेगा।

ख- राज्य स्तर पर युवा उत्सव

युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा उत्सव हेतु निर्धारित 19 विधाओं में यथा- लोकनृत्य, लोकगीत, एकांकी, शास्त्रीय गायन, हिन्दुस्तानी शैली, शास्त्रीय गायन कर्नाटक शैली, सितार वादन, बांसुरी वादन, तबला वादन, वीणा वादन, मृदंग वादन, हारमोनियम वादन, गिटार वादन, मणिपुरी नृत्य, ओडिशी नृत्य, भरतनाट्यम नृत्य, कथक नृत्य, कुचिपुड़ी नृत्य, एक्सटेम्पोर एवं मार्शल आर्ट में प्रतियोगितायें कराई जाती हैं एवं प्रदेश की 02 लोकप्रिय विधाओं में भी कार्यक्रम आयोजित कराये जाते हैं। राज्य स्तरीय युवा उत्सव में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में चयनित कलाकारों को सम्मिलित करते हुये राज्य स्तर पर 03 दिवसीय युवा उत्सव का आयोजन कराया जाता है, जिसमें लगभग 500 से अधिक कलाकारों द्वारा प्रतिभाग किया जाता है। राज्य स्तरीय युवा उत्सव में कलाकारों के चयनोपरान्त उन्हें भारत सरकार द्वारा आयोजित 'राष्ट्रीय युवा उत्सव' में प्रतिभाग कराया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस योजना के अधीन रु. 10.50 लाख की धनराशि से राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन कराया गया, परन्तु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन नहीं किया गया।

तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 25.00 लाख की धनराशि व्यय करके राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन तथा राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश की टीम का प्रतिभाग कराया जायेगा।

ग- राष्ट्रीय स्तर पर भेजे जाने वाले कलाकारों का प्रशिक्षण

राज्य स्तर पर चयनित कलाकारों को राष्ट्रीय युवा उत्सव में सम्मिलित होने से पूर्व 15 दिन का प्रशिक्षण भी दिया जाना आवश्यक है, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर उनके द्वारा अपनी प्रतिभा का सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन किया जा सके। इस हेतु लगभग 75 कलाकारों के 15 दिन के भोजन हेतु रु. 4.50 लाख, आवासीय व्यवस्था हेतु रु. 2.19 लाख, उन्हें आडिटोरियम तक आने-जाने हेतु बस के किराये के लिये रु. 1.20 लाख, प्रशिक्षकों के मानदेय हेतु रु. 1.00 लाख एवं अन्य प्रकीर्ण/विविध व्ययों हेतु रु. 1.61 लाख, इस प्रकार कुल रु. 10.50 लाख की धनराशि वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय करके प्रशिक्षण दिया जायेगा।

घ- राष्ट्रीय युवा उत्सव में विजयी कलाकारों को प्रोत्साहन

राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित युवा उत्सव में विजयी कलाकारों को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है, ताकि अन्य युवा कलाकारों में लोकगीत, लोकनृत्य, वाद्यवादन आदि की विधाओं में प्रवीणता प्राप्त करने की इच्छाशक्ति जागृत हो सके। इस हेतु राष्ट्रीय स्तर पर विजयी कलाकारों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने के फलस्वरूप टीम विधा में क्रमशः रु. 25,000/-, रु. 15,000/- एवं रु. 10,000/- की दर से तथा व्यक्तिगत विधा में रु. 50,000/-,

रु. 30,000/- एवं रु. 20,000- दिया जाना प्रस्तावित है, तदनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस मद में रु. 10.00 लाख का व्यय प्रस्तावित है।

10- युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन

ग्रामीण युवाओं में नेतृत्व के गुणों का विकास करने, उनमें साम्प्रदायिक सौहार्द तथा सामाजिक कार्यों/ सेवाओं में रुचि उत्पन्न करने एवं समाज के प्रति संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कराया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 84.00 लाख की धनराशि से अधिकाधिक युवाओं को उक्त कार्यक्रम से लाभान्वित कराए जाने हेतु विकास खण्ड, जनपद एवं राज्य स्तर पर निम्नांकित आयोजन कराये जायेंगे।

11- प्रान्तीय रक्षक दल का सशक्तिकरण (जवानों की भर्ती एवं प्रशिक्षण)

इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण युवाओं को प्रांतीय रक्षक दल संगठन में भर्ती कर वर्दी एवं 22 दिवसीय प्रारम्भिक प्रशिक्षण देकर एक योग्य नागरिक के रूप में तैयार किया जाता है, ताकि प्रदेश में शान्ति-सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने में एवं सामाजिक कार्यों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त पी0आर0डी0 जवानों का 'स्टेट ऑफ फिटनेस' में बनाए रखने एवं उनका 'टर्न-आउट' ठीक रखने हेतु वर्दी देकर 15 दिवसीय पुनर्प्रशिक्षण दिया जाता है।

12- राष्ट्रीय युवा पुरस्कार

भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दिनांक 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर, गत वित्तीय वर्ष के कार्यों के आधार पर, संस्थागत पुरस्कार रु. 2.00 लाख तथा व्यक्तिगत पुरस्कार रु. 40,000/- दिया जाता है।

13- राजीव गाँधी खेल अभियान सम्प्रति ''खेलो इण्डिया योजना''

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पायका) के स्थान पर राजीव गाँधी खेल अभियान (आ.जी.के.ए.) योजना लागू की गई, परन्तु यह योजना दिनांक 01.04.2016 से परिवर्तित होकर ''खेलो-इण्डिया'' के नाम से संचालित की जा रही है, जिसमें भारत सरकार द्वारा धनराशि सीधे नोडल एजेन्सी के खाते में हस्तान्तरित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल अवस्थापनाओं का सृजन कराया जा रहा है।

●

लोक निर्माण

यह प्रदेश भौगोलिक तथा जनसंख्या के दृष्टिकोण से देश का महत्त्वपूर्ण राज्य है। प्रदेश के औद्योगिक, आर्थिक तथा प्रदेशवासियों के सामाजिक विकास के लिए प्रत्येक गाँव तथा आबादी का मुख्य मार्गों से जुड़ना नितान्त आवश्यक है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय मार्गों, राज मार्गों तथा जिला मार्गों का चौड़ीकरण तथा उनका उचित गुणवत्ता से सुधार कराया जाना आवागमन के दृष्टिकोण से विशेष महत्त्व रखता है। लोक निर्माण विभाग द्वारा ग्रामीण अंचलों में सम्पर्क मार्गों का निर्माण तथा सुधार, अन्य जिला मार्ग, प्रमुख जिला मार्ग तथा राज मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुधार, ग्रामीण अंचलों में पुलों का निर्माण तथा मुख्य मार्गों पर संकरे तथा जर्जर पुलों के पुनर्निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर सम्पादित कराये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 43 जनपदों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के भी कार्य कराये जा रहे हैं। विभाग में मार्गों के निर्माण/सुधार हेतु अत्याधुनिक तकनीक का प्रयोग प्रारम्भ किया गया है।

विभिन्न योजनाओं के सफल संचालन हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न जनपदों में अधीक्षण अभियन्ताओं तथा विभिन्न मण्डलों में मुख्य अभियन्ताओं के कार्यालय स्थापित हैं। इनके द्वारा कार्यों के नियोजन, सम्पादन, गुणवत्ता नियंत्रण आदि के सम्बन्ध में आने वाली बाधाओं को दूर करते हुए कार्यों पर प्रभावी पर्यवेक्षण किया जाता है।

लो.नि.वि. के अन्तर्गत कार्यरत निगम एवं प्राधिकरण

प्रदेश में सेतुओं के निर्माण, भवनों के निर्माण तथा पी.पी.पी./बी.ओ.टी. पद्धति पर मार्गों के सुधार एवं अनुरक्षण आदि के लिए निम्नवत् निगमों एवं प्राधिकरण की स्थापना की गई है:-

(क) उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि.

प्रदेश में पुलों के निर्माण में तीव्रता लाने के लिये वर्ष 1973 में इस निगम की स्थापना की गई थी। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत विभिन्न योजनाओं के अर्न्तगत 60 मीटर से अधिक दर (स्पान) के सेतुओं का निर्माण सेतु निगम द्वारा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 75 सेतुओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

(ख) उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम

भवन कार्यों में आधुनिक तकनीक का प्रयोग व निर्माण कार्य में तीव्रता लाने के लिये वर्ष 1975 में इस निगम की स्थापना की गई थी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजकीय निर्माण निगम का लक्ष्य रु. 6000 करोड़ रखा जाना सम्भावित है।

उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण

प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 में प्रदेश के राज मार्गों के निजी सहयोग से विकास के लिये इस प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य निजी सहभागिता के आधार पर पी0पी0पी0/बी.ओ.टी. पद्धति पर मार्गों एवं सेतुओं का विकास करना है।

मार्ग विकास

प्रदेश के विकास के लिए अवस्थापना सुविधाओं को उपलब्ध कराने में मार्ग व्यवस्था का विशेष महत्त्व है। मार्गों का विकास प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु नितांत आवश्यक है। इस महत्वाकांक्षी योजना को मूर्त रूप देने में लोक निर्माण विभाग की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

प्रदेश में दिनांक 31.03.2018 को विभाग द्वारा अनुरक्षित मार्गों की कुल लम्बाई 2,40,854 किमी. है। लो.नि.वि. के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के मार्गों की लम्बाई का विवरण निम्नवत हैः-

क्रम सं.	मार्ग का विवरण	31.3.2015 तक	31.3.2016 तक	31.3.2017 तक	31.03.2018 तक
1	2	3	4	5	6
1	राष्ट्रीय मार्ग	7572	7572	8328*	8488*
2	राज मार्ग	7597	7147	7202	6892
3	प्रमुख जिला मार्ग	7338	7637	7486	7377
4	अन्य जिला मार्ग	43512	46006	47576	49405
5	ग्रामीण मार्ग	149193	163035	169051	168692
	योग :	**215212**	**231397**	**239643**	**240854**

टिप्पणी : *इसमें 5682 किमी. राष्ट्रीय मार्ग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन है।

मार्ग विकास नीति

यातायात का वर्तमान परिदृश्य तथा भविष्य में मार्ग यातायात में उत्तरोत्तर होने वाली सम्भावित वृद्धि और सामाजिक व आर्थिक दृष्टिकोण से प्रदेश के विकास को प्रगति प्रदान करने हेतु वर्ष 1998 में लागू मार्ग विकास नीति का पुनरीक्षण करते हुए 'नई मार्ग विकास नीति' जिसमें मार्ग यातायात के क्षेत्र में हुए तकनीकी विकास एवं प्रचलित नवीन विधियों को भी अपनाया जाना प्रख्यापित किया गया है। प्रस्तावित मार्ग विकास नीति के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :-

- महत्त्वपूर्ण निर्णय लेने हेतु कम्प्यूटर आधारित भौगोलिक सूचना प्रणाली तथा मार्ग अनुरक्षण प्रबन्धन प्रणाली का समावेश।
- असेट प्रबन्धन प्रणाली का समावेश।
- मार्गों का कोर नेटवर्क सहित राष्ट्रीय मार्ग, राज मार्ग, मुख्य जिला मार्ग, अन्य जिला मार्ग तथा ग्रामीण मार्ग में वर्गीकरण।
- विभिन्न श्रेणी के मार्गों का ज्यामितीय एवं तकनीकी संरचना में इन्डियन रोड कांग्रेस के मानकों का समावेश।
- विशिष्ट क्षेत्र जैसे– क्वैरी अथवा बार्डर रोड्स हेतु विशेष मापदण्ड।
- सड़क सुरक्षा एवं सड़क दुर्घटनाओं को कम करने पर विशेष बल।
- पारदर्शिता के उद्देश्य से इलेक्ट्रानिक निविदा प्रणाली का उपयोग।
- मार्ग निर्माण की विभिन्न गतिविधियों में निश्चित समय सीमा निर्धारण एवं कार्यान्वयन।
- मार्गों के अनुरक्षण के उद्देश्य से विभिन्न विभागों के बीच में स्वामित्व निर्धारण हेतु नीति।

- सेतुओं के निर्माण, अनुरक्षण एवं विस्तारीकरण नीति।
- सूचना तकनीकी के अधिकाधिक उपयोग पर बल।
- मार्ग निर्माण में निजी संस्थानों की सहभागिता की नीति।
- गुणवत्ता नियंत्रण जैसे महत्त्वपूर्ण विषय पर स्पष्ट नीति।

उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति

प्रदेश में ग्रामों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास, त्वरित आवागमन, कृषि व औद्योगिक उत्पादों के उचित विपणन तथा सुचारु वितरण हेतु सुदृढ़ मार्ग व्यवस्था अपरिहार्य है। इसके लिये प्रदेश में पूर्व निर्मित ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का रखरखाव एक बड़ी चुनौती है। प्रदेश में ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का निर्माण लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद तथा जिला पंचायत द्वारा कराया जाता है। ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के समुचित अनुरक्षण हेतु प्रदेश में प्रथम बार ''उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति, 2013'' प्रदेश में शासनादेश दिनांक 22 नवम्बर, 2013 द्वारा लागू नीति संशोधनों सहित प्रचलन में है। इस नीति के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :

- निर्माण करने वाले विभाग द्वारा ही अनुरक्षण का कार्य कराया जायेगा।
- ग्रामीण सम्पर्क मार्गों पर सतह नवीनीकरण कार्य सामान्यतः 08 वर्ष के चक्रानुक्रम के अनुसार किया जायेगा।
- समस्त विभागों द्वारा सम्पर्क मार्गों की इनवेन्ट्री कम्प्यूटरीकृत डाटा बैंक के रूप में रखा जायेगा तथा समय-समय पर अपडेट किया जायेगा।
- सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण हेतु मार्गों का चयन रोड कन्डीशन इन्डेक्स, स्थानीय आवश्यकताओं एवं जन प्रतिनिधियों के सुझाव के आधार पर किया जायेगा।
- विभागों द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित चक्रानुक्रम के अनुसार नवीनीकरण सम्बन्धी कार्य योजना माह मार्च तक अन्तिम कर ली जायेगी। अब ग्रामीण सम्पर्क मार्गों का नवीनीकरण सामान्यतः प्रीमिक्स कार्पेट द्वारा किया जायेगा।
- विशेष मरम्मत सम्बन्धी कार्य योजना दो चरणों में माह मार्च तथा अक्टूबर में अन्तिम की जायेगी।
- स्वीकृत कार्यों पर पूर्ण धनराशि यथासंभव एक बार में अवमुक्त की जायेगी। जिससे टाइम ओवररन तथा कास्ट ओवररन न हो।
- प्रत्येक विभाग द्वारा ग्राम सम्पर्क मार्गों को क्लब करते हुये आवश्यकतानुसार बैच मेन्टीनेन्स कान्ट्रैक्ट जैसी व्यवस्था लागू की जायेगी।
- नवीनीकरण/विशेष मरम्मत कार्यों पर डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड दो वर्ष का होगा।
- अनुश्रवण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति की बैठक प्रत्येक 03 माह एवं शासन स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा समिति की बैठक प्रत्येक 06 माह में अनिवार्य रूप से की जायेगी।

महत्वपूर्ण मार्ग विकास योजनाएं

मार्ग कार्यः

1. केन्द्रीय सड़क निधि योजना

भारत सरकार द्वारा सड़कों के विकास हेतु पेट्रोल व डीजल पर सेस के माध्यम से प्राप्त होने

वाली धनराशि से पोषित केन्द्रीय मार्ग निधि योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश सरकारों को उनके क्षेत्र के अन्तर्गत प्रमुख मार्गों के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश में इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के महत्त्वपूर्ण राज मार्गों/प्रमुख जिला मार्गों/अन्य जिला मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य एवं इन कार्यों पर पड़ने वाले सेतुओं/उपरिगामी सेतुओं के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है।

वर्ष 2019-20 में चालू कार्यों हेतु रु. 2000 करोड़ की बजट व्यवस्था तथा नए कार्यों हेतु रु. 10 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

2. ग्रामीण मार्ग/लघु सेतु के निर्माण हेतु नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ. योजना (मार्ग कार्य)

वर्ष 1996-97 में प्रारम्भ की गई इस योजनान्तर्गत प्रदेश में ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु कार्य स्वीकृत किये जाते हैं। इस योजनान्तर्गत आर.आई.डी.एफ.-2 से 7 तक स्वीकृत कार्यों पर स्वीकृत लागत का 90 प्रतिशत ऋण के रूप में स्वीकृत किया गया है तथा शेष 10 प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया गया है।

वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में आर.आई.डी.एफ. योजना में ग्रामीण मार्गों के नवनिर्माण के चालू कार्यों हेतु रु. 218 करोड़ एवं नये कार्यों हेतु रु. 94 करोड़ की बजट प्रावधान प्रस्तावित है तथा प्रमुख/अन्य जिला मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के चालू कार्यों हेतु रु. 200 करोड़ व नये कार्यों हेतु रु. 100 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

3. उत्तर प्रदेश में इण्डो-नेपाल सीमा पर मार्ग का निर्माण

गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा सामरिक महत्त्व की भारत-नेपाल सीमा पर स्थित सशक्त सीमा बल की चौकियों को जोड़ने हेतु मार्ग निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश के सात जनपदों क्रमशः पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराईच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर एवं महाराजगंज की कुल लम्बाई 640.00 किमी. लम्बाई में रु.1621.00 करोड़ की लागत से वर्ष 2010-11 में सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृत चालू निर्माण कार्यों हेतु रु. 60.48 करोड़ (एकमुश्त व्यवस्था) की धनराशि का प्रावधान प्रस्तावित है एवं परियोजना की भूमि अध्याप्ति के चालू कार्यों हेतु रु. 132.70 करोड़ (एकमुश्त व्यवस्था) की धनराशि का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

4. जिला मुख्यालय को चार लेन मार्ग से जोड़ने की योजना

राज्य सरकार प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों को 4 लेन/2 लेन विद पेव्ड शोल्डर मार्ग से जोड़ने के लिए कटिबद्ध है। वर्ष 2018-19 में इस योजनान्तर्गत रु. 1600 करोड़ की बजट व्यवस्था है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रबन्धन एवं नियोजन की दृष्टि से इस योजना को समाप्त कर दिया गया है। इस योजना के अवशेष कार्यों को राज्य योजना मद से पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

5. विभिन्न श्रेणी के मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण/सौन्दर्यीकरण/उच्चीकरण के कार्यों हेतु संक्षिप्त टिप्पणी

लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में 6892 किमी. राज्य राजमार्ग, 7377 किमी. प्रमुख जिला मार्ग, 49405 किमी. अन्य जिला मार्ग तथा 168692 किमी. ग्रामीण मार्ग है। प्रदेश में यातायात में निरन्तर वृद्धि होने के फलस्वरूप प्रदेश के समस्त राज मार्गों, प्रमुख जिला मार्ग एवं महत्त्वपूर्ण अन्य जिला

मार्गों का कम से कम दो लेन में चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण अत्यंत आवश्यक है। अभी भी लगभग 963 किमी. राज मार्ग, 3613 किमी. प्रमुख जिला मार्ग सिंगल लेन अथवा डेढ़ लेन के हैं तथा 37708 किमी. अन्य जिला मार्ग सिंगल लेन चौड़े हैं। चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कार्य सुनियोजित रूप से किए जाने हेतु वर्ष 2019-20 में केन्द्रीय मार्ग निधि योजना के अतिरिक्त राज्य योजना/नाबार्ड वित्त पोषित (आर.आई.डी.एफ.) के अन्तर्गत लगभग रु. 4145 करोड़ तथा राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत रु.1500 करोड़ प्रस्तावित है।

6. विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामों/बसावटों को सम्पर्क मार्गों से जोड़ने के संबंध में

(क) वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 250 अथवा उससे अधिक आबादी के राजस्व ग्रामों को एकल सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में है। इन ग्रामों को लगभग रु. 1114 करोड़ की लागत से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

(ख) 2 लेन चौड़े मार्गों के दोनों ओर 5 किमी. की परिधि तक वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर 250 अथवा उससे अधिक आबादी की बसावटों को एकल सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। इन बसावटों को लगभग रु. 1351 करोड़ की लागत से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

(ग) मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत चयनित राजस्व ग्रामों एवं वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 500 से अधिक आबादी के उनके मजरों को एकल सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। इनको लगभग रु. 90 करोड़ की लागत से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

इस हेतु वर्ष 2018-19 में नाबार्ड योजनान्तर्गत रु. 420 करोड़, अनजुड़ी बसावट एवं कृषि विपणन योजनान्तर्गत रु. 680 करोड़ एवं पं.दीनदयाल उपाध्याय योजनान्तर्गत रु. 200 करोड़ का प्रावधान है।

7. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम (पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनाएं)

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-56 व 83 के अन्तर्गत पूर्वान्चल विकास निधि एवं बुन्देलखण्ड विकास निधि हेतु क्रमशः रु. 300 करोड़ एवं रु. 200 करोड़ का बजट प्रावधान था। वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूर्वान्चल विकास निधि एवं बुन्देलखण्ड विकास निधि हेतु क्रमशः रु. 300 करोड़ एवं रु. 200 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित है।

8. मार्गों का अनुरक्षण

विभाग के अन्तर्गत सड़कों की कुल लम्बाई 240854 किमी. है, जिसमें से 8488 किमी. राष्ट्रीय मार्ग, 6892 किमी. राज्य राजमार्ग, 7377 किमी. प्रमुख जिला मार्ग, 49405 किमी. अन्य जिला मार्ग व 168692 किमी. ग्रामीण मार्ग सम्मिलित हैं। इन मार्गों में राष्ट्रीय मार्गों को छोड़कर शेष श्रेणी के सभी मार्गों का रख-रखाव लो.नि.वि. के बजट से ही किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के मार्गों पर गड्ढामुक्ति अभियान चलाया गया। इस अभियान के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग के लगभग 44376 किमी. लम्बाई के मार्गों को गड्ढामुक्ति हेतु चिन्हित किया गया, जिसके सापेक्ष शत्-प्रतिशत् लम्बाई में मार्गों को गड्ढामुक्त किया जा चुका है।

राष्ट्रीय मार्ग

उत्तर प्रदेश में कुल 90 राष्ट्रीय मार्ग हैं। जिनकी कुल लम्बाई 11384 किमी. है। इसमें से लोक निर्माण विभाग के अधीन 3740 किमी. तथा पी.आई.यू. मोर्थ के अधीन 181 किमी. तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन 7060 किमी. तथा 403 किमी. लम्बाई सौंपा जाना प्रक्रियाधीन है।

राष्ट्रीय मार्गों पर परियोजनाओं का विवरण

- वर्ष 2018-19 में दिनांक 30.01.2019 तक 83.83 किमी. नवीनीकरण, 28 किमी. सुदृढ़ीकरण, 205.05 किमी. 2 लेन विद पेव्ड शोल्डर का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
- मूल कार्यों की वार्षिक योजना वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को लागत रु. 13779.30 करोड़ की कार्य योजना अनुमोदन हेतु प्रेषित की गयी है। मोर्थ द्वारा रु. 1400.00 करोड़ की वार्षिक योजना अनुमोदित की गयी, जिसके सापेक्ष मोर्थ को रु. 2872.18 करोड़ की डी.पी.आर./आगणन प्रेषित किये गये हैं। मोर्थ द्वारा अब तक रु. 601.07 करोड़ की स्वीकृति निर्गत की गयी।
- जनपद प्रयागराज स्थित फाफामऊ में गंगा नदी पर 06 लेन सेतु निर्माण हेतु रु. 1948.25 करोड़ की विशेष स्वीकृति निर्गत की गयी।
- नवीनीकरण वर्ष 2018-19 के कार्यों हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रु. 125.00 करोड़ (लम्बाई 298.48 किमी.) अनुमोदित की गयी है। इन पर स्वीकृति मोर्थ से प्राप्त होना अपेक्षित है।

सेतु कार्य

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत 60 मीटर से अधिक लम्बाई के दीर्घ सेतुओं का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड द्वारा तथा 60 मीटर से कम लम्बाई के लघु सेतुओं का निर्माण लो.नि.वि. द्वारा किया जाता है। रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण उत्तर राज्य सेतु निगम द्वारा कराया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में 40 नदी सेतु, 35 रेल उपरिगामी सेतु एवं 75 लघु सेतु इस प्रकार कुल 150 सेतु कार्यों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास तथा आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारम्भ की गयी। उत्तर प्रदेश में 1000 से अधिक आबादी के 39,139 तथा 500 से 999 आबादी के 41,452 मजरे हैं। भारत सरकार द्वारा 1000 आबादी से ऊपर के सभी ग्रामीण मजरों को वर्ष 2003 तक तथा 500 से ऊपर की आबादी के सभी मजरों को वर्ष 2007 तक पक्के मार्गों से जोड़ने का लक्ष्य प्रस्तावित था, परन्तु सीमित संसाधनों को देखते हुए प्रथम चरण के लक्ष्य को पूरा किया जाना सम्भव नहीं हो पाया। नव सम्पर्कता के साथ-साथ मार्गों के उच्चीकरण कार्य भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत आच्छादित हैं। प्रदेश में इस योजना का संचालन ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग 43 जनपदों में कार्यदायी संस्था है।

वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 254 मार्ग, लम्बाई 1211 किमी. को रु. 74676 लाख की धनराशि में पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर, 2018 तक रु. 46015 लाख का व्यय करते हुए 206 मार्ग, लम्बाई 856 किमी. को पूर्ण किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत 71 मार्ग, लम्बाई 577 किमी. को रु. 43128 लाख धनराशि में कार्य पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

ई-गवर्नेन्स

लोक निर्माण विभाग लम्बे समय से मार्गों का निर्माण व अनुरक्षण कार्य सम्पादित कर रहा है। आई.टी. क्षेत्र में तीव्र रफ्तार से हो रहे वैश्विक परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्यों में पारदर्शिता लाने हेतु विभागीय वेबसाईट विकसित की गयी है। विभागीय वेबसाईट को शासन के निर्देशानुसार जी.आई.जी.डब्ल्यू. गाईड लाईन्स के अनुरूप जनोपयोगी बनाने हेतु रि-डिजाईन का कार्य किया जा चुका है। जनपदों में स्थित खण्डों को विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत निर्गत स्वीकृतियों एवं आवंटित धनराशि को सर्वसुलभ करने हेतु सूचनायें ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड

1. उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि. की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1973 में प्रदेश के विकास हेतु सेतुओं का निर्माण उच्चतम गुणवत्ता तथा तीव्र गति से कराने हेतु की गयी थी। सेतु निगम ने अपने कार्यकलापों को प्रदेश एवं देश में ही सीमित न रखकर नेपाल, ईराक, यमन आदि तक बढ़ाये हैं।

2. सेतु निगम द्वारा वर्ष 2018-19 में निर्माणाधीन 232 कार्यों में से 61 (31 नदी सेतु + 30 रेल उपरिगामी सेतु) कार्यों को पूर्ण करने का लक्ष्य रखते हुए निक्षेप कार्यों पर रु. 2000 करोड़ व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके सापेक्ष मार्च, 2019 तक व्यय लगभग रु. 1600 करोड़ कर लिया जाएगा एवं अब तक (दिसम्बर, 2018) 34 (15 नदी सेतु + 19 रेल उपरिगामी सेतु) पूर्ण कर लिये गये हैं। वर्ष 2019-20 में 75 कार्यों को पूर्ण करने का लक्ष्य रखते हुए रु. 2500 करोड़ का व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है

उ.प्र. राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (उपशा)

उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-19, सन् 2004 द्वारा किया गया था। उपशा के मुख्य कार्य राज्य राज मार्गो तथा राज्य सरकार द्वारा सौंपे गये अन्य मार्गों का विकास, अनुरक्षण एवं प्रबन्धन एवं रोड सेक्टर में निजी एवं (अन्तर्राष्ट्रीय सहित) संस्थागत निवेश के लिए माडल विकसित करना और इन राजमार्गों के अनुरक्षण एवं उच्चीकरण हेतु संस्थागत संसाधन जुटाना है।

1. उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2018-19 तक निम्न विवरण के अनुसार निजी विकासकर्ताओं के साथ किए गये अनुबन्धों पर कार्य किया जा रहा है :-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लम्बाई (किमी.)	परियोजना (रु करोड़ में)	कंसेशन अनुबंध की तिथि	विकासकर्ता का नाम	भौतिक प्रगति
1.	बरेली-अल्मोड़ा-बागेश्वर मार्ग (एस.एच.-37)	54	355	11.08.2011	मे. पी.एन.सी.बरेली नैनीताल हाईवेज प्रा.लि., आगरा	100 प्रतिशत
2.	वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग (एस.एच.-5ए)	115	1211.96	08.12.2011	मे. ए.सी.पी.टालवेज प्रा.लि. लखनऊ	99 प्रतिशत
3.	मुजफ्फरनगर-सहारनपुर मार्ग (एस.एच.-59)	52.95	752.88	29.05.2015	मे. देवबन्द हाईवेज प्रा.लि., लखनऊ	98 प्रतिशत

2. **पुखराया-घाटमपुर-बिन्दकी मार्ग (एस.एच.-46)-** इस मार्ग की लम्बाई 82.53 किमी. अनुमानित लागत रु. 1136.45 करोड़ है। मार्ग के 04 लेन में उच्चीकरण हेतु निजी विकासकर्ता के चयन की कार्यवाही की जा रही है। तकनीकी बिडों के मूल्यांकन का कार्य पूर्ण हो चुका है। अर्ह बिडर्स से वित्तीय बिडें दिनांक 15.02.2019 तक आमंत्रित हैं।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपशा द्वारा रु. 527.037 करोड़ की मांग के सापेक्ष रु. 40 करोड़ का अनुदान स्वीकृत हुआ है। वर्ष 2019-20 में उपशा द्वारा उपरोक्त मार्गों पर यथासमय भूमि अधिग्रहण/यूटिलिटी शिफ्टिंग/पर्यावरण क्लीयरेंस/ग्राण्ट एवं अन्य विविध मदों में भुगतान हेतु रु. 704.64 करोड़ की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि. को उत्तर प्रदेश सरकार के एक उपक्रम के रूप में अगस्त 1975 में स्थापित किया गया था। उस समय इस निगम को प्रदत्त अंशपूंजी मात्र रु. 5 लाख थी जिसे वर्ष 1977 तक बढ़ाकर रु. 100 लाख कर दिया गया। निगम की अधिकृत अंशपूंजी वर्तमान में रु. 500 लाख है। निर्माण निगम द्वारा अपनी स्थापना के 43 वर्षों में प्रदेश में उत्कृष्टता के नये आयाम स्थापित करने के साथ-साथ पूरे देश में भवन निर्माण के क्षेत्र में एक उच्च स्थान प्राप्त किया जा चुका है।

निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य

निगम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य निर्माण में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर मजदूरों को समुचित मजदूरी एवं आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराना है। निर्माण निगम मुख्य रूप से विभागीय पद्धति पर कार्य कराता है। जिससे निर्माण की उच्च गुणवत्ता तो सुनिश्चित होती ही है साथ ही साथ मजदूरों का शोषण भी रुकता है। निगम प्रदेश में एवं देश में विभिन्न प्रकार के भवनों का निर्माण, भवनों का आधुनिकीकरण, सिंचाई परियोजना से सम्बन्धित निर्माण कार्य, पॉवर सब स्टेशन का कार्य, विद्युतीय एवं सेनेटरी इन्स्टालेशन, औद्योगिक परियोजनाओं के कार्य तथा नगरों एवं गांवों के विकास कार्यों के अन्तर्गत माध्यमिक स्कूल, डिग्री कॉलेज, आधुनिक मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, चिकित्सालय, स्टेडियम, पर्यटन स्थल के विकास कार्य आदि के निर्माण में भी सहभागिता निभाता है।

निगम का मुख्य उद्देश्य निर्माण कार्यों में मितव्ययता, गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ-साथ पारदर्शिता है।

निगम की कार्य प्रणाली

निगम द्वारा मुख्यतः समस्त कार्य विभागीय निर्माण प्रणाली से किये जाते हैं, जिसके अन्तर्गत सामग्री जैसे– ईंट, लोहा, सीमेन्ट का क्रय सीधे निर्माताओं से किया जाता है व अन्य निर्माण सामग्री भी प्रतिष्ठित उत्पादकों/अधिकृत वितरकों से क्रय की जाती है। निर्माण के कार्य छोटे-छोटे श्रमिकों (पी.आर.डब्लू.) के माध्यम से किये जा रहे थे। वर्तमान में ई-टेंडरिंग/ई-प्रोक्योरमेन्ट व्यवस्था से निगम द्वारा निर्माण कार्यों का सम्पादन कराया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम प्रदेश के विभिन्न जनपदों के अतिरिक्त देश के लगभग समस्त राज्यों में निर्माण कार्य कर रहा है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में निगम को आशातीत सफलता प्राप्त हुई है। निगम अपनी उच्च कोटि की गुणवत्ता के कारण आई.एस.ओ. 9001:2008 (क्यू.एम.एस.) एवं आई.एस.ओ. 14001: 2004 (ई.एस.एस.) प्रमाणित संस्था है।

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में सम्पादित कराये जा रहे कार्यो का संक्षिप्त विवरण

वित्तीय वर्ष 2018-19 में निर्माण निगम द्वारा रु. 6610 करोड़ के कार्य सम्पादन का लक्ष्य रखा गया था, जिसके सापेक्ष रु. 2685 करोड़ के कार्य दिसम्बर, 2018 तक सम्पादित कराये गये हैं।

वित्तीय वर्ष 2019-2020 हेतु लक्ष्य एवं कार्य अर्जन का संक्षिप्त विवरण

वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 6000 करोड़ का लक्ष्य रखा जाना सम्भावित है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिसम्बर 2018 तक लगभग रु. 2894 करोड़ के कार्य अर्जित किये गये हैं। निर्माणाधीन कार्यों में मुख्य रूप से स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा, शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, उच्च शिक्षा, खेल विभाग, न्याय विभाग आदि के कार्य निगम द्वारा कराये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त ई.एस.आई. तथा सूडा के कार्य हैं। चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न 43 विभागों के कुल 1151 नं. कार्य प्रगति में तथा अन्य प्रदेशों में कुल 450 कार्य प्रगति में हैं।

लागत में नियन्त्रण

निर्माण सामग्री में प्रयुक्त मुख्य सामग्री उदाहरणार्थ सीमेन्ट व स्टील की क्रय दरों का निर्धारण मुख्यालय स्तर पर किया जाता है। अन्य सामग्री का क्रय विशिष्टियों के अनुसार इकाई स्तर पर सम्बन्धित अंचलीय महाप्रबन्धक के अनुश्रवण में किया जाता है।

गुणवत्ता नियन्त्रण

निर्माण निगम द्वारा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर प्रभावी नियंत्रण रखने के उद्देश्य से कार्य स्थलों पर प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी है, जिनमें निर्माण सामग्रियों का परीक्षण किया जा रहा है। समय-समय पर प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं से भी निर्माण सामग्रियों का परीक्षण कराया जाता है। गुणवत्ता नियंत्रण के लिये निगम आई.एस.ओ. 9001 : 2008 के अन्तर्गत प्रमाणित है। थर्ड पार्टी गुणवत्ता नियंत्रण हेतु आई.आई.टी., एन.आई.टी. अथवा अन्य प्रतिष्ठित अभियन्त्रण संस्थाओं को अनुबन्धित किया जाता है।

कम्प्यूटरीकृत व आधुनिक पर्यवेक्षण प्रणाली

निगम में आधुनिक पर्यवेक्षण प्रणाली के माध्यम से मुख्यालय द्वारा प्रभावी समीक्षा अनुश्रवण किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत मुख्यालय स्तर पर वाणिज्य, वित्त व लेखा, तकनीकी, वास्तुविदीय, मुख्यालय (व्यवस्थापन हेतु) अंचलीय कार्यालयों एवं इकाइयों को कम्प्यूटरीकृत किया जा चुका है। कार्यों की प्रगति पोर्टल सिस्टम के माध्यम से प्राप्त की जा रही है। इकाई स्तर पर डाटा-इन्ट्री करते हुए अंचल एवं मुख्यालय स्तर पर निर्धारित प्रपत्रों पर संकलित आख्या उपलब्ध कराई जाती है।

राज्य सम्पत्ति

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा राज्य मुख्यालय पर मा. मंत्रीगण, मा. विधायकगण, लखनऊ में कार्यरत सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की आवासीय व्यवस्था तथा लखनऊ में सरकारी कार्यालय भवन यथा- विधान भवन, लाल बहादुर शास्त्री भवन (एनेक्सी), बापू भवन, योजना भवन, तथा जवाहर भवन एवं इंदिरा भवन के रख-रखाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। राज्य से दिल्ली, कोलकाता एवं मुम्बई जाने वाले मा. मंत्रीगणों, मा. विधायकगणों, अधिकारियों एवं अन्य महानुभावों के ठहरने हेतु अतिथि गृह अवस्थित हैं, इसी प्रकार मा. सासदों तथा अधिकारियों एवं अन्य महानुभावों के लिए लखनऊ में अतिथि गृह अवस्थित हैं। इन अतिथि गृहों की प्रबन्धकीय तथा रख-रखाव की व्यवस्था भी विभाग द्वारा सम्पादित की जाती है। राज्य सरकार के मा. मंत्रीगण हेतु वाहनों की व्यवस्था भी की जाती है। राज्य अतिथियों एवं भारत सरकार के मा. मंत्रीगण के प्रदेश (लखनऊ) आगमन पर उनकी सुविधानुसार आवास एवं भोजन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाती है।

विभाग के आधारभूत तथ्य-

1.	अतिथि गृहों की संख्या	09
2.	विधायक निवासों की संख्या	10
3.	आवासीय कालोनियाँ	38
4.	अनावासीय कार्यालय भवनों की संख्या	11
5.	सरकारी वाहनों की संख्या	260

अतिथि गृहों की प्रबन्धन-व्यवस्था

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन अतिथि गृहों की कुल संख्या 08 है, जो लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता एवं मुम्बई में अवस्थित हैं। विभाग के नियंत्रणाधीन अतिथि गृहों की भौगोलिक स्थिति के अनुसार विवरण निम्नवत हैं।

क्रमांक	भौगोलिक स्थिति	अतिथि गृहों का नाम	कक्षों की संख्या
1.	लखनऊ	1. राज्य अतिथि गृह, मीराबाई मार्ग, लखनऊ	61
		2. विशिष्ट अतिथि गृह, डालीबाग, लखनऊ	55
		3. अतिविशिष्ट अतिथि गृह, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ	36
		4. राज्य अतिथि गृह, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ	15
		5. अति विशिष्ट राज्य अतिथि गृह, रमाबाई अम्बेडकर स्थल बिजनौर रोड, लखनऊ	04

2.	नई दिल्ली	1. उत्तर प्रदेश भवन	75
		2. उत्तर प्रदेश सदन	54
3.	कोलकाता	1. उ.प्र. राज्य अतिथि गृह, कोलकाता	13
4.	मुम्बई	1. उ.प्र. राज्य अतिथि गृह, मुम्बई	14

विधायक निवासों की प्रबन्धन व्यवस्था

लखनऊ के विधान मण्डल के माननीय सदस्यों के अध्यासन हेतु कुल 09 विधायक निवास अवस्थित हैं। विधायक निवासों की प्रबन्धकीय व्यवस्था के सुचारु संचालन हेतु विभाग का एक व्यवस्थाधिकारी नियुक्त होता है।

आवासीय भवनों की संख्या

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवंटित किये जाने वाले प्रत्येक श्रेणी के कुल भवनों की संख्या-7,069 है। श्रेणीवार भवनों की संख्या निम्नवत् है :

क्रमांक	श्रेणी	भवनों की संख्या
1.	श्रेणी-1	1874
2.	श्रेणी-2	1963
3.	श्रेणी-3	0815
4.	श्रेणी-4	1593
5.	श्रेणी-5	0611
6.	श्रेणी-6	0213
	कुल योग	**7069**

मोटर गाड़ियों का आवंटन एवं रख-रखाव

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा सरकारी वाहनों के आवंटन एवं उनके रखरखाव सम्बन्धी कार्य भी किया जाता है। सम्प्रति राज्य सम्पत्ति विभाग के नियन्त्रण में कुल 260 वाहन हैं। विभाग द्वारा मा. मुख्यमंत्री/मा. मंत्रीगण तथा राज्य मंत्रीगण और उ.प्र. शासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, महाधिवक्ता/अपर महाधिवक्ता इत्यादि के लिए वाहन की व्यवस्था की जाती है।

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन निम्नांकित आवासीय कालोनी तथा अनावासीय भवनः

(क) आवासीय कालोनीः- 1. कालिदास मार्ग एवं अन्य मंत्री आवास, 2. मंत्री आवास/उप मंत्री आवास, 3. माल एवेन्यू, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, 4. गौतमपल्ली, 5. बटलर पैलेस, 6. राजभवन, 7. गोमती नगर, 8. गुलिस्ताँ, 9. दिलकुशा, 10. निराला नगर, 11. डी.एम. कम्पाउण्ड, 12. अलीगंज (एम.जी./एम.आई.जी./से.-आई. व जे. जानकीपुरम), 13. महानगर, 14. डालीबाग, 15. पार्क रोड, 16. लालबाग, 17. कैसरबाग, 18. इन्दिरा नगर, 19. ओ.सी.आर. 20. तालकटोरा, 21. हैवलक रोड, 22. राजेन्द्र नगर, 23. डायमण्ड डेरी, 24. टिकैतराय, 25. कानपुर रोड, 26. ऐशबाग, 27. नैपियर रोड, 28. मोतीझील, 29. बादशाह नगर, 30. बौद्ध विहार, 31. लाप्लास, 32. विष्णुपुरी, 33. कैबिनेट गंज, 34. ओल्ड स्पीकर हाउस, 35. अशोक नगर, 36. दारुलशफा एवं अन्य बंगले, 37. रायल होटल।

(ख) अनावासीय भवनः

● कार्यालय भवन

मुख्य सचिवालय परिसर स्थित कार्यालय भवन, लाल बहादुर शास्त्री भवन (एनेक्सी भवन), लोकभवन, विकास भवन, बापू भवन, इन्दिरा भवन, जवाहर भवन, योजना भवन।

● विधायक निवास

दारूलशफा प्रांगण स्थित विधायक निवास-1 खण्ड 'अ', 'ब' एवं 'स', विधायक निवास-2 (पुराना), विधायक निवास-2 (नया), विधायक निवास-3 (ओ.सी.आर), विधायक निवास-4 (रायल होटल), विधायक निवास-5, विधायक निवास-6 (पार्क रोड), बटलर रोड स्थित, बहुखण्डी मंत्री आवास ब्लाक ए, बी एवं सी, नवनिर्मित दारूलशफा बहुखण्डीय विधायक निवास, नवनिर्मित मंत्री आवास, तिलक मार्ग।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य सम्पत्ति विभाग की अनावासीय/आवासीय योजनाओं के लिए प्रस्तावित आय-व्ययक प्रावधान :-

(पूँजी लेखा के अन्तर्गत- 4059 में रु. 2985.62 लाख तथा 4216 में रु. 2775.30 लाख कुल रु. 5760.92 लाख का प्रस्तावित प्रावधान।

(क) मुख्य अनावासीय योजनाएँ

1. विधान भवन स्थित विधान सभा मण्डप तथा उससे सम्बद्ध लॉबी, गलियारों, कार्यालय कक्षों, कैन्टीन आदि की साज-सज्जा सहित उच्चस्तरीय आधुनिकीकरण का कार्य। वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 80.00 लाख का प्रावधान।
2. सचिवालय भवन एवं योजना भवन का उन्नयन संबंधी कार्य। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रु. 1000.00 लाख धनराशि का प्रावधान।
3. सचिवालय भवनों में केन्द्रीयकृत वातानुकूलन के लिए वित्तीय वर्ष 209-20 में रु. 600.00 लाख धनराशि का प्रावधान।
4. अनावासीय भवनों के जीर्णोद्धार एवं जल वितरण कार्य हेतु एकमुश्त व्यवस्था के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 50.00 लाख धनराशि का प्रावधान।
5. यू.पी.भवन/यू.पी.सदन एवं अन्य अतिथि गृहों के जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरण के लिए रु. 300.00 लाख धनराशि की व्यवस्था आय-व्ययक 2019-20 में कराया जाना प्रस्तावित है।
6. इंदिरा भवन में वातानुकूलन संयंत्र की स्थापना के लिए रु. 30.32 लाख धनराशि का वर्ष 2019-20 में प्रावधान।
7. राज्य सम्पत्ति विभाग के अनावासीय भवनों तथा इनमें लगे उपकरणों का जीर्णोद्धार/सुधारीकरण कार्य के लिए वर्ष 2019-20 में रु. 700.00 लाख धनराशि का प्रावधान।

(ख) मुख्य आवासीय योजनाएँ

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्राधीन अधिकांश कालोनियां 30-40 वर्ष पुरानी हो जाने के कारण इनमें अवस्थित आवासों का उन्नयन/जीर्णोद्धार एवं सुधारीकरण का कार्य कराया जा रहा है। उक्त योजना के अंतर्गत कालोनियों के उन्नयन कार्यों हेतु रु. 950.00 लाख तथा आवासीय भवनों तथा इनमें लगे उपकरणों के जीर्णोद्धार/सुधारीकरण कार्यों हेतु वर्ष 2019-20 में रु. 1724.20 लाख का प्रावधान।

●

ऊर्जा

1. विद्युत आपूर्ति में सुधार

प्रदेश में विद्युत वितरण में भेद-भाव को समाप्त करते हुए सरकार ने प्रदेश के सभी क्षेत्रों में समान विद्युत आपूर्ति शेड्यूल लागू किया। जिला मुख्यालय पर 24 घण्टे तहसील मुख्यालय पर 20 घण्टे, और गाँवों को 18 घण्टे बिजली दी जा रही है। सभी क्षेत्रों में रात में निर्बाध आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की है।

क्षेत्र	वर्ष 2016-17	वर्ष 2017-18	वर्ष 2018-19	वर्ष 2018-19 (माह नवम्बर, 2019 तक)
ग्रामीण क्षेत्र	15:28 घण्टे	17:40 घण्टे	17:22 घण्टे	18:10 घण्टे
तहसील क्षेत्र	17:28 घण्टे	19:52 घण्टे	19:42 घण्टे	22:02 घण्टे
शहरी क्षेत्र	21:37 घण्टे	23:01 घण्टे	23:05 घण्टे	23:24 घण्टे

2. ग्रामीण क्षेत्रों में गाँव/मजरों का विद्युतीकरण तथा अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण

- वर्ष 2017-18 में 61,058 मजरों में बिजली पहुँचाई गयी तथा वर्ष 2018-19 में अवशेष 60,266 मजरों का विद्युतीकरण करके 100 प्रतिशत मजरे विद्युतीकृत किये जा चुके हैं। इस प्रकार दिनांक 01.04.2017 से अब तक कुल 1,21,324 मजरों का विद्युतीकरण किया गया।
- वर्ष 2017-18 में 35,79,646 विद्युत संयोजन दिये गये, वर्ष 2018-19 में 64,89,749 तथा वर्ष 2019-20 में 31.11.2019 तक) 15,72,828 विद्युत संयोजन निर्गत किये जा चुके हैं। इस प्रकार दिनांक 01.04.2017 से अब तक कुल 1,16,42,223 विद्युत संयोजन निर्गत किये गये।
- प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत गरीब परिवारों को निःशुल्क और अन्य ग्रामीण परिवारों को 50 रुपये की 10 मासिक किश्तों में बिजली कनेक्शन देने की सुविधा दी गयी। इस योजना में माह मार्च, 2019 तक लगभग कुल 84.68 लाख इच्छुक घरों को विद्युत संयोजन निर्गत कर दिये गये हैं। वर्ष 2019-20 में 12 लाख अतिरिक्त घरों के संयोजन निर्गत किया जाना लक्षित है।

3. विद्युतीकरण के परिप्रेक्ष्य में अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु वितरण क्षेत्र में विद्युत तंत्र का सुदृढ़ीकरण

- प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूति सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2017-18 में 275 नये 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र शुरू किये जा चुके हैं एवं 529 विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता

बढ़ायी जा चुकी है। वर्ष 2018-19 में 236 नये विद्युत उपकेन्द्र का ऊर्जीकरण एवं 342 विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता बढ़ायी जा चुकी है। वर्ष 2019-20 में अब तक 58 नये विद्युत उपकेन्द्र का ऊर्जीकरण एवं 143 विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता बढ़ायी जा चुकी है। इस प्रकार दिनांक 01.04.2017 से अब तक कुल 569 नये 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये गये एवं कुल 1014 विद्युत उपकेन्द्रों की क्षमता वृद्धि की गयी।

4. उपभोक्ताओं के हित में दी गयी सुविधाओं का विवरण

कृषकों के निजी नलकूपों के सम्बंध में लिये गये निर्णय एवं लागू व्यवस्था

- नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत निजी नलकूप के किसानों द्वारा पूर्व की व्यवस्थानुसार स्वयं परिवर्तक उतार कर वर्कशाप लाने के स्थान पर उनके विद्युत देयक बकाया नहीं होने की दशा में, विभागीय वाहन से ही उनका क्षतिग्रस्त परिवर्तक निर्धारित 48 घण्टे में बदलने की व्यवस्था की गई है।
- पूर्व में डार्क जोन में नये निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबन्ध को हटा लिया गया है, जिससे लगभग एक लाख किसानों को सीधा फायदा हुआ। डार्क जोन मे वर्ष 2017-18 में 1,000 वर्ष 2018-19 में 19415 एवं वर्ष 2019-20 में अब तक कुल 4864 निजी नलकूपों का ऊजीकरण किया जा चुका है। इस प्रकार दिनांक 01.04.2017 से अब तक डार्क जोन में कुल 25,279 निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण किया गया

5. क्षतिग्रस्त ग्रामीण एवं शहरी परिवर्तकों का समयबद्ध प्रतिस्थापन

- 1 मई, 2017 से लागू नई व्यवस्था के अनुसार शहरी क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त परिवर्तक को 24 घण्टे के अन्दर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त परिवर्तक को 48 घण्टे में बदलने की व्यवस्था की गई है।

	वर्ष 2017-18	**वर्ष 2018-19**	**वर्ष 2019-20 से अब तक**
बदले गये खराब ट्रान्सफार्मर	238990	228379	221498
स्थापित हुए नये ट्रान्सफार्मर	19271	26583	3313
अपग्रेड किये गये ट्रान्सफार्मर	11032	3453	83

- क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को वर्कशाप तक पहुँचाने तथा नये परिवर्तकों को वर्कशाप से कार्यस्थल तक लाने का दायित्व विभाग का निर्धारित किया गया है।

6. लाइन लॉस कम करने हेतु किये जाने वाले कार्य

- शहरी क्षेत्रों के अन्तर्गत अधिक लाइन लॉस वाले क्षेत्रों को चिह्नित करके खुले तारों को ए0बी0 केबिल से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। इस कार्य हेतु विभागीय बिजनेस प्लान से वर्ष 2018-19 में रु. 103 करोड़ (लगभग) धनराशि के कार्य स्वीकृत किये गये हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत 79 वितरण खण्डों में 173 चिह्नित स्थानों पर कार्य स्वीकृत किया गया है। वर्ष 2018-19 में 13 स्थानों पर एवं वर्ष 2019-20 में अब तक 89 स्थानों पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 71 स्थानों पर कार्य प्रगति पर है। अद्यतन 739 किमी0 ए0बी0 केबिल स्थापित की जा चुकी है।

ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 एवं अधिक आबादी वाले समस्त मजरों में पूर्व से स्थापित खुले तारों को ए0बी0 केबिल से प्रतिस्थापित किया जा रहा है। इस कार्य हेतु ए0डी0बी0 लोन द्वारा रु. 1389 करोड़ से 26633 मजरों एवं आर.ई.सी./पी.एफ.सी. लोन द्वारा रु. 1675.98 करोड़ से 21770 मजरों में ए0बी0 केबिल लगाये जाने की व्यवस्था की गयी है। उक्त कार्य के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में 19923 मजरों एवं वर्ष 2020-21 में 28480 मजरों में ए0बी0 केबिल लगाया जाना लक्षित है। अब तक पश्मिांचल, दक्षिणांचल एवं मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0 के 3148 मजरों में कुल 6788 किमी0 ए0बी0 केबिल लगाये जाने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

7. विद्युत संयोजन एवं विद्युत बीजकों के निर्गमन तथा भुगतान हेतु दी गयी सुविधायें

- बुन्देलखण्ड क्षेत्र के ग्रामीण निजी नलकूप विद्युत उपभोक्ताओं को एकल रबी फसल की सिंचाई हेतु सीजनल टैरिफ का लाभ एवं अस्थाई विद्युत संयोजन की सुविधा भी प्रदान की गई है।
- गौशालाओं के नलकूपों एवं विभिन्न धर्मों के अध्यात्म केन्द्रों हेतु क्रमशः कृषि एवं घरेलू विद्युत दरों पर आपूर्ति दिये जान का आदेश मा0 विद्युत नियामक आयोग से कराया गया है।
- आसान किश्त योजनान्तर्गत प्रदेश में 11 नवम्बर, 2019 से बकायेदार घरेलू उपभोक्ताओं जिनका अधिकतम भार 4 कि0वा0 तक है, हेतु उनके दिनांक 31.10.2019 तक विद्युत बिलों में मूल धनराशि को किश्तों में भुगतान की सुविधा प्रदान की जा रही है। उभोक्ताओं द्वारा मूल धनराशि के किश्तों में भुगतान के साथ उसके मासिक बिलों के जमा करने के पश्चात उनके बिल में 31.10.2019 तक सरचार्ज की धनराशि को माफ कर दिया जायेगा।
- उपभोक्ताओं की बिजी सम्बन्धित शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु टोल फ्री हेल्पलाइन 1912 शुरू की गई, जिसमें दिनांक 10.12.2019 तक कुल 3409211 शिकायतों में 3380064 शिकायतें समय पर निस्तारित की गई है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में मैनुअल बिलिंग के स्थान पर आनलाईन बिलिंग की व्यवस्था की गई है जिसमें 2.10 करोड़ से अधिक उपभोक्ता संयोजित है।
- विद्युत तन्त्र में सार्वजनिक स्थलों पर जर्जर तारों को बदलने हेतु 'जिला विद्युत विकास निधि योजना' लागू की गयी है। इस योजना से बॉस बल्लियों पर स्थापित विद्युत तन्त्र निर्गत संयोजनों को भी सुदृढ़ किया जा सकेगा।

(8) औद्योगिक उपभोक्ताओं के हित में लिये गये निर्णय

- ''ईज आफ डूइंग बिजनेस'' की व्यवस्था के अन्तर्गत औद्योगिक पोषकों की मानीटरिंग कर उद्योगों को ट्रिपिंग फ्री विद्युत आपूर्ति देने का कार्य हो रहा है।
- नियोजित आउटेज की सूचना औद्योगिक इकाईयों को कम से कम 1 माह पूर्व दिये जाने की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है। जिससे औद्योगिक इकाईयों द्वारा विद्युत व्यवधान के समय के उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव हेतु ससमय निर्णय लिया जा सके।
- निवेशकों/उद्यमियों के विद्युत संयोजनों में हो रहे विलम्ब के दृष्टिगत विद्युत विभाग द्वारा एक बड़ा निर्णय लेते हुए यह व्यवस्था कर दी गई है कि निवेशकों/उद्यमियों द्वारा विभाग को दिये गये

एस्टीमट की धनराशि पर मात्र सुपरविजन चार्जेज जमा करा कर स्वयं ही ''नोटिफाइड ए क्लास कान्ट्रैक्टर'' से कार्य करवा कर सूचित करने के उपरान्त 3 दिनों में मीटर की व्यवस्था करते हुए संयोजन ऊर्जीकृत कर दिया जायेगा। इससे विभाग के भण्डारों में सामानों की उपलब्धता, टेण्डरिंग प्रोसेस एवं शासकीय क्रियान्वयन में लगने वाले समय में बचत होगी एवं औद्योगिक इकाईयों को समय स विद्युत संयोजन निर्गत किया जाना सम्भव होगा।

9. ऊर्जा की आवश्यकता के अनुरूप अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु पारेषण तंत्र का सुदृढ़ीकरण

- **स्थापित पारेषण तंत्र की क्षमता (ट्रान्समिशन कैपेबिलिटी) में वृद्धि**

  प्रदेश की पारेषण क्षमता (ट्रान्समिशन कैपेबिलिटी), जो वर्ष 2016-17 में 16348 मेगावाट थी, को वर्ष 2019-20 में बढ़ाकर 24000 मेगावाट किया गया

- **पारेषण तंत्र की विद्युत आयात क्षमता (टी0टी0सी0) में वृद्धि**

  पारेषण तंत्र की विद्युत आयात क्षमता, जो वर्ष 2016-17 में 8700 मेगावाट थी, को वर्ष 2019-20 में 13400 मेगावाट किया गया।

- **''24X7 पावर फॉर ऑल'' के लक्ष्य की पूर्ति के दृष्टिगत नवीन पारेषण उपकेन्द्रों एवं लाइनों का निर्माण**

  वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अभूतपूर्व उपलब्धि परिलक्षित हुई है। माह नवम्बर, 2019 तक की अवधि में 01 नग 765 के0वी0 (रु. 1000.00 करोड़), 09 नग 400 के0वी0 (रु. 2713.10 करोड़), 27 नग 220 के0वी0 (रु. 3359.47 करोड़) तथा 50 नग 132 के0वी0 (रु. 1668.44 करोड़) विद्युत उपकेद्रों (कुल 89 नग) एवं तत्सम्बन्धी पारेषण लाइनों (कुल लागत रु. 8741.01 करोड़) का ऊर्जीकरण किया गया है।

10. प्रदेश में स्थापित होने वाली तापीय परियोजनाओं से ऊर्जा निकासी हेतु आवश्यक पारेषण तंत्र का टैरिफ बेस्ड कॉम्पेटेटिव बिडिंग के माध्यम से निर्माण

- घाटमपुर विद्युत गृह से ऊर्जा निकासी हेतु टी0बी0सी0बी0 के माध्यम से पारेषण तंत्र विकसित किये जाने हतु बिडिंग प्रक्रिया में मै0 अडानी ट्रान्समिशन लि0 को सफल निविदादाता/विकासकर्ता के रूप में चयनित किया गया है। परियोजना के निर्माण में लगभग रु. 2266.04 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। परियोजना का कार्य प्रगति पर है। लगभग रु. 2021 तक पूर्ण किया जाना है।
- ओबरा 'सी' तापीय परियोजना (क्षमता 2x660 मेगावाट) से ऊजा निकासी हेतु आवश्यक पारेषण तंत्र तथा 400 के.वी. उपकेन्द्र बदायूं एवं तत्सम्बन्धी लाइनों का निर्माण टी0बी0सी0बी0 के माध्यम से किये जाने हेतु बिडिंग प्रक्रिया में मै0 अडानी ट्रान्समिशन लि0 को सफल निविदादाता/ विकासकर्ता के रूप में चयनित किया गया है। सम्पूर्ण परियोजना के निर्माण में लगभग रु. 871.34 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। परियोजना का कार्य प्रगति पर है एवं निर्माण कार्य फरवरी, 2021 तक पूर्ण किया जाना है।
- जवाहरपुर तापीय परियोजना (क्षमता 2x660 मेगावाट) से ऊर्जा निकासी हेतु पारेषण तंत्र तथा 400 के.वी. उपकेन्द्र फिरोजाबाद एवं तत्सम्बन्धी लाइनों का निर्माण टी0बी0सी0बी0 के माध्यम से किय जाने हेतु बिडिंग प्रक्रिया में मै0 पी0जी0सी0आई0एल0 को सफल निविदादाता/विकासकर्ता के रूप में चयनित किया गया है। सम्पूर्ण परियोजना के निर्माण में लगभग रु. 530.06 करोड़ का

निवेश प्रस्तावित है। परियोजना का कार्य प्रगति पर है एवं निर्माण कार्य मार्च, 2021 तक पूर्ण किया जाना है।

- 765 के.वी. जी0आई0एस0 उपकेन्द्र मेरठ व सम्बन्धित लाइनों तथा 400 के.वी. जी0आई0एस0 उपकेन्द्र सिम्भावली व सम्बन्धित लाइनों के टैरिफ बेस्ड कम्पिटिटिव बिडिंग (टी0बी0सी0बी0) के माध्यम से निर्माण हेतु मै0 पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 (पी0जी0सी0आई0एल0) बिडिंग प्रक्रिया में न्यूनतम निविदादाता के रूप में चयनित हुआ है, जिसे सफल निविदादाता घोषित किया जाना प्रक्रियाधीन है। सम्पूर्ण प्रोजेक्ट के निर्माण में लगभग 1339.93 करोड़ (लैवेलाइज्ड टैरिफ रु. 115.909 करोड़) का निवेश प्रस्तावित है। आशय पत्र मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त दिनांक 22.11.2019 को निर्गत किया जा चुका है। परियोजना की पूर्णता अगस्त, 2021 है।
- 765 के.वी. जी0आई0एस0 उपकेन्द्र रामपुर तथा 400 के.वी. जी0आई0एस0 उपकेन्द्र सम्भल व सम्बन्धित लाइनों के टैरिफ बेस्ड कम्पिटिटिव बिडिंग (टी0बी0सी0बी0) के माध्यम से निर्माण हेतु मै0 पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 (पी0जी0सी0आई0एल0) बिडिंग प्रक्रिया में न्यूनतम निविदादाता के रूप में चयनित हुआ है, जिसे सफल निविदादाता घोषित किया जाना प्रक्रियाधीन है। सम्पूर्ण प्रोजेक्ट के निर्माण में लगभग 1093.77 करोड़ (लैवेलाइज्ड टैरिफ रु. 102.917 करोड़) का निवेश प्रस्तावित है। आशय पत्र मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदनोपरान्त दिनांक 22.11.2019 को निर्गत किया जा चुका है। परियोजना की पूर्णता अगस्त, 2021 है।

11. विद्युत उत्पादन क्षेत्र में किये गये कार्य

- वित्त वर्ष 2017-18 में उ0नि0लि0 की इकाईयों का कुल पी0एल0एफ0 69.22 प्रतिशत रहा था जिसे वित्त वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 (माह नवम्बर, 2019 तक) में बढ़ाकर क्रमशः 78.53 प्रतिशत एवं 72.29 प्रतिशत प्राप्त किया गया।
- वित्त वर्ष 2017-18 में उ0नि0लि0 की विद्युत उत्पादन लागत रु. 3.43 प्रति यूनिट रही थी जिसमें वित्त वर्ष 2018-19 एवं वित्त वर्ष 2019-20 (माह सितम्बर, 2019 तक) में कमी लाकर क्रमशः रु. 3.11 प्रति यूनिट तथा रु. 3.10 प्रति यूनिट प्राप्त किया गया। विद्युत उत्पादन लागत में कमी होने के फलस्वरूप वित्त वर्ष 2017-18 के सापेक्ष वित्त वर्ष 2018-19 में लगभग रु. 932.93 करोड़ एवं वित्त वर्ष 2018-19 के सापेक्ष वित्त वर्ष 2019-20 (माह सितम्बर, 2019 तक) में लगभग रु. 17.76 करोड़ की बचत की गई।
- वित्त वर्ष 2017-18 में उ0नि0लि0 की इकाईयों का कुल विशिष्ट सहायक संयत्र खपत 8.54 प्रतिशत रही है जिसमें वित्त वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 (माह नवम्बर, 2019 तक) में कमी लाकर क्रमशः 7.88 प्रतिशत एवं 8.27 प्रतिशत प्राप्त किया गया।
- वित्त वर्ष 2017-18 में उ0नि0लि0 की इकाईयों का कुल विशिष्ट कोयला खपत 0.684 किग्रा0/यूनिट रही थी जिसमें वित्त वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 (माह नवम्बर, 2019 तक) में कमी लाकर क्रमशः 0.646 किग्रा/यूनिट एवं 0.657 किग्रा0/यूनिट प्राप्त किया गया।
- वित्त वर्ष 2017-18 में उ0नि0लि0 की इकाईयों का कुल विशिष्ट तेल खपत 0.877 मि0लि0/यूनिट रही थी जिसमें वित्त वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 (माह नवम्बर, 2019 तक) में कमी लाकर क्रमशः 0.521 मिली0/यूनिट एवं 0.509 मिली0/यूनिट प्राप्त किया गया।

12. नव परियोजनाओं का निर्माण

- राज्य क्षेत्र में नव-परियोजनायें- उ0नि0लि0 द्वारा 1x660 मेगावाट हरदुआगंज, 2x660 मेगावाट जवाहर, 2x660 मेगावाट ओबरा एवं 1x660 मेगावाट पनकी विस्तार कुल 3960 मेगावाट की नई ताप विद्युत परियोजनाओं का कार्य युद्ध स्तर पर जारी। सितम्बर, 2020 से जनवरी, 2022 के मध्य उत्पादन प्रारम्भ होने का लक्ष्य।
- संयुक्त क्षेत्र में नव-परियोजनायें-मेजा ऊर्जा निगम प्रा0 लि0 (एन0टी0पी0सी एवं उ0नि0लि0 का संयुक्त उपक्रम) के अन्तर्गत 2x660 मेगावाट मेजा ताप विद्युत परियोजना की प्रथम इकाई को दिनांक 30.04.2019 को वाणिज्यिक भार पर लिया जा चुका है तथा द्वितीय इकाई को माह मार्च, 2020 को वाणिज्यिक भर पर लिया जाना सम्भावित है। इसके अतिरिक्त नेयवेली उ0प्र0 पावर लि0 (एन0एल0सी0 इण्डिया लि0 एवं उ0नि0लि0 का संयुक्त उपक्रम) द्वारा 3x660 मेगावाट घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना, कुल 1980 मेगावाट का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है उक्त परियोजना से नवम्बर, 2020 से नवम्बर, 2021 के मध्य उत्पादन प्रारम्भ होने का लक्ष्य। इस प्रकार संयुक्त क्षेत्र में कुल 3300 मे0वा0 विद्युत उत्पादन होगा जिसमें से प्रदेश को कुल 2322 मे0वा0 विद्युत प्राप्त होगी।
- प्रदेश सरकार द्वारा राज्य क्षेत्र में उ0नि0लि0 की नई परियोजनाओं पर लगभग रु. 32,300.00 करोड़ तथा संयुक्त क्षेत्र में नई परियोजनाओं पर लगभग रु. 14,535.00 करोड़ यथा कुल 46,835.00 करोड़ का निवेश किया जा रहा है।

13. उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0

- जल विद्युत निगम द्वारा रिहन्द जलाशय पर (350 मेगावाट) क्षमता का फ्लोटिंक पावर प्लान्ट पी0पी0पी0 मोड में निजी विकासकर्ताओं के माध्यम से विकसित करने की कार्यवाही की जा रही है। सोलर इनर्जी कारपोरेशन ऑफ इण्डिया (सेकी) द्वारा विकासकर्ताओं का चयन किया जा चुका है। (50 मे0वा0 शापूरजी पलोन्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कम्पनी प्राइवेट लि0 गुड़गांव) पावर परचेज एग्रीमेन्ट के पश्चात फ्लोटिंग पावर प्लान्ट की स्थापना 21 माह में की जायेगी। इस पावर प्लान्ट की स्थापना से नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन देश के लिए उदाहरण होगा।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत

सौर ऊर्जा स्रोत से विद्युत उत्पादन में निजी भागीदारी को बढ़ावा एवं निजी निवेश को आकर्षित किये जाने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा नीति-2017 घोषित की गयी है। जिसके अन्तर्गत वर्ष 2022 तक 10700 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित है। नीति में ऑनलाइन सिंगल विण्डो क्लियरेंस की व्यवस्था, सोलर पावर परियोजनाओं की स्थापना हेतु भूमि पर 100 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी में छूट, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 10 वर्षों के लिए शत-प्रतिशत छूट, सोलर पावर परियोजनाओं हेतु पर्यावरण क्लियरेंस लिये जाने की छूट एवं थर्ड पार्टी को पावर सेल का प्रावधान है।

अद्यतन उपलब्धि - 899 मेगावाट

आवंटित क्षमता - 1735 मेगावाट

- प्रदेश सरकार द्वारा ग्रिड संयोजित सोलर रूफटॉप परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है, निजी आवासों में नेट-मीटरिंग व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रिड संयोजित रूफटाम सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना पर वर्ष 2019-20 में 01 किलोवाट से 3 किलोवाट क्षमता के सयंत्र पर 40 प्रतिशत एवं 3 किलोवाट से अधिकतम 10 किलोवाट क्षमता तक के सयंत्र पर 20 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान अनुमन्य है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा रु. 15000 प्रति कि.वा. अधिकतम रु. 30000 प्रति उपभोक्ता हेतु राज्य अनुदान प्राविधानित है। वर्तमान में 01 से 10 कि.वाट क्षमता तक रूफटाप सोलर सयंत्र की लागत रु. 38000 प्रति कि.वाट एवं 11 से 100 कि.वाट क्षमता तक के संयंत्रों की लागत रु. 32000 प्रति कि.वाट निर्धारित हुयी है।

  अद्यतन उपलब्धि - 225 मेगावाट

  चालू वित्तीय वर्ष का लक्ष्य - 60 मेगावाट

- पं0 दीन दयाल उपाध्याय सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अन्तर्गत प्रदेश के विकास खण्डों में चयनित 1 से 2 ग्रामीण मुख्य बाजारों में सार्वजनिक मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना करायी जा रही है। सोलर स्ट्रीट लाइट का प्रति संयंत्र मूल्य रु. 22485 है।

  अद्यतन उपलब्धि - 18898 संयंत्र

  चालू वित्तीय वर्ष के लक्ष्य - 6671 संयंत्र, स्थापित संयंत्र - 6120

- सार्वजनिक मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट की योजना क्रियान्वित की जा रही है। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित राजस्व ग्रामों मजरे, पुरवे, टोल-बसावट सहित में वैकल्पिक मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना करायी जा रही है।

  अद्यतन उपलब्धि - 7120 संयंत्र

  चालू वित्तीय वर्ष का लक्ष्य - 6671 संयंत्र, स्थापित संयंत्र - 6615

- राज्यानुदान जिला योजना के अन्तर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों की सार्वजनिक मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना हेतु रु. 7100 प्रति संयंत्र की दर से राज्यानुदान की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत सोलर स्ट्रीट लाइट की प्रति संयंत्र कीमत रु. 22485/- में अनुदान की धनराशि समायोजित करने के पश्चात अवशेष धनराशि मा0 सांसद/विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि, अन्य निधियों एवं एस.सी.आर. के अन्तर्गत प्राप्त करते हुए, उपलब्ध बजटीय प्राविधान की सीमा तक संयंत्रों की स्थापना करायी जाती है।

  अद्यतन उपलब्धि - 96886 संयंत्र

  चालू वित्तीय वर्ष के लक्ष्य - 2100 संयंत्र, स्थापित संयंत्र - 1320

- प्रदेश में कृषि विभाग के सहयोग से विभिन्न क्षमताओं के सोलर पम्प सिंचाई की स्थापना करायी जा रही है। संयंत्रों लागत, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान एवं लाभार्थी अंशदान का विवरण निम्नवत् है-

Type & Capacity of Solar Pump	Approved rate of Solar Pump (Rs.)	State Govt. Subsidy (Rs.)	Central Govt. Subsidy (Rs.)	Total Subsidy (Rs.)	Benefitiary share (Rs.)
2 HP DC Surface	124420	55989 (45%)	31105 (25%)	87094 (70%)	37326 (30%)
2 HP AC Surface	124420	55989 (45%)	31105 (25%)	87094 (70%)	37326 (30%)
3 HP DC Submesible	188600	84870 (45%)	47150 (25%)	132020 (70%)	56580 (30%)
3 HP AC Submesible	184554	83049 (45%)	46139 (25%)	129188 (70%)	55366 (30%)
5 HP AC Submesible	243590	48718 (20%)	48718 (20%)	97436 (40%)	146154 (60%)

  अद्यतन उपलब्धि - 26860 संयंत्र

  चालू वित्तीय वर्ष के लक्ष्य - 15000 संयंत्र

- प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल एवं पंखे की व्यवस्था हेतु सौर ऊर्जा तकनीक के माध्यम से सोलर आर.ओ. वाटर प्लाण्टों की स्थापना करायी जा रही है। प्राथमिक विद्यालयों में 01 कि.वाट सोलर पावर प्लाण्ट के माध्यम से समर्सिबिल पम्प एवं आर.ओ. वाटर प्यूरीफायर को क्रियाशील किया जाता है तथा ओवर हेड टेंक के माध्यम से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति किचिन एवं अन्य आवश्यक बिन्दुओं पर की जाती है। इसी के साथ कक्षाओं में स्थापित पंखों को विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है।

  अद्यतन उपलब्धि - 2227 संयंत्र

  चालू वित्तीय वर्ष के लक्ष्य - 1000 संयंत्र

  जनपदों का चयन प्रक्रिया में है।

- जनपद बहराइच के आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में सौर ऊर्जा आधारित आर्सेनिक रिन्यूबिल प्लाण्ट की स्थापना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में करायी जा रही है। वर्ष 2018-19 में शासन द्वारा रु. 1.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत तथा रु. 50.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है जिसके क्रम में जनपद के दो ग्रामोंः ग्राम कसौली ब्लाक मिहीपुरवा एवं ग्राम खमरिया शुक्ल ब्लाक तेजुवापुर में प्लाण्ट की स्थापना हेतु एलओआई निर्गत हो चुकी है। प्रति प्लाण्ट लागत रु. 68,60,700 है। इस प्रकार 02 संयंत्रों हेतु अवशेष धनराशि रु. 87,21,400/- की मांग अनुपूरक बजट से की गयी है। इस परियोजना के स्थापित होने पर 5000 लीटर प्रतिदिन स्वच्छ पेयजल ग्रामवासियों को उपलब्ध हो सकेगा।
- आफग्रिड सोलर पावर प्लाण्ट के अन्तर्गत विभिन्न क्षमता के सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना बैटरी बैकप के साथ विभिन्न शासकीय संस्थाओं यथा- विद्यालय, पालीटेक्निक, आई.टी.आई. एवं कार्यालयों इत्यादित में करायी जाती है जिससे वहाँ पर निरन्तर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करते हुये डीजल जनरेटर इत्यादि की आवश्यकता को समाप्त किया जा सके।

  अद्यतन उपलब्धि - 4.2 मेगावाट
- सौभाग्य योजना के अन्तर्गत प्रदेश के दूरस्थ एवं दुर्गम ग्रामों/मजरों के अविद्युतीकृत घरों, जिनका विद्युतीकरण पारम्परिक ग्रिड लाइन से किया जाना संभव नहीं है, को उत्तर पावर कार्पोरेशन लि0 की संस्तुति पर सोलर पावर पैक संयंत्रों के माध्यम से विद्युतीकृत किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत अविद्युतीकृत घरों में 05 एल.ई.डी. लाइट, एक सीलिंग फैन, मोबाइल चार्जिंग हेतु एक प्लग की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। सोलर पावर पैक की कीमत रु. 47129 प्रति संयंत्र है। अद्यतन उपलब्धि 33478 संयंत्र स्थापित एवं 25111 संयंत्रों की स्थापना हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।
- प्रदेश में जैव अपशिष्टों से जैव ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से फरवरी, 2018 में नीति जारी की गयी है, जिसके अन्तर्गत बायो डीजल, बायो एथेनाल, मेथेनाल, बायोगैस, बायो सीएनजी, प्रोड्यूसर गैस, बायो कोल की उत्पादन इकाईयों की स्थापना करायी जा रही है। इन उद्यमों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा निवेश के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। साथ ही 10 वर्षों तक एस-जीएसटी की प्रतिपूर्ति तथा भूमि क्रय पर स्टाम्प ड्यूटी में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जा रही है। नीति के अन्तर्गत जैव ऊेर्जा की 12 परियोजनाओं में कुल रु. 2480 करोड़ का निवेश की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसके अतिरिक्त अन्य 05 नई परियोजनाओं के प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं, जिन पर कार्यवाही गतिमान है।
- वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा की बचत/संरक्षण हेतु प्रदेश सरकार द्वारा जुलाई, 2018 में ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता-2018 (यूपीईसीबीसी -2018) की अधिसूचना जारी की गयी। इसी क्रम में ईसीबीसी को भवन संहिता में अंगीकार किये जाने हेतु आवास विभाग द्वारा जनवरी, 2019 में शासनादेश निर्गत किया गया है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के सभी सरकारी एवं वाणिज्यिक भवनों का निर्माण ईसीबीसी मानकों के अनुरूप किया जायेगा।
- कृषकों के आय में बढ़ोत्तरी के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना घोषित की गयी है। कुसुम कम्पानेन्ट-ए के अन्तर्गत कृषक द्वारा अपनी अनुपजाऊ/बंजर भूमि पर स्वयं अथवा विकासकर्ता के माध्यम से 0.5 मेगावाट क्षमता से लेकर अधिकतम 2 मेगावाट क्षमता तक के सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना करायी जा सकती है। इस प्रकार के

सौर पावर प्लाण्ट से उत्पादित विद्युत का क्रय राज्य की विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा 25 वर्षों तक किया जायेगा। इस योजना के प्रथम चरण में 75 मेगावाट की क्षमता के संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

- कुसुम कम्पोनेन्ट-सी के अन्तर्गत निजी ग्रिड संयोजित नलकूपों का सौर ऊर्जीकरण करते हुए नेट मीटरिंग के माध्यम से अतिरिक्त सौर ऊर्जा उत्पादन का लाभ देकर कृषकों की आय में वृद्धि करना प्राविधानित है। कृषक सिंचाई के उपरान्त अतिरिक्त उत्पादित विद्युत का विक्रय राज्य की विद्युत वितरण कम्पनी को कर सकेंगे। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2022 तक 20000 निजी नलकूपों का सौर ऊर्जीकरण किया जाना लक्षित है।
- प्रधानमंत्री जी की डिजिटल इण्डिया अभियान को आगे बढ़ाने हेतु यूपीनेडा द्वारा मोबाइल ऐप ''आदित्य'' विकसित किया गया है। इस ऐप के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को कौशल विकास मिशन की महत्वाकांक्षी योजना के अन्तर्गत सूर्य मित्र प्रशिक्षण, स्वरोजगार आदि हेतु सहायता प्राप्त होगी। प्रशिक्षित सूर्यमित्रों द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्रों का गुणवत्ता परक अनुरक्षण एवं क्रियाशीलता सुनिश्चित हो सकेगी।

उत्तर प्रदेश में ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम

- यूपीनेडा राज्य में ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता के लिए राज्य नामित संस्था (यूपीएसडीए) के रूप में भी काम कर रही है। इसी क्रम में यूपीएसडीए के रूप में समन्वय करते हुए ऊर्जा संरक्षण अधिनियम-2001 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से प्रदेश के लिए डिमाण्ड साइड मैनेजमेंट प्लाण्ट एवं ऊर्जा संरक्षण नीति तैयार की जा रही है।
- ऊर्जा संरक्षण अभियान को सफल बनाने के लिए यूपीनेडा ने समर्पित वेबसाइट www.upsavesenergy.com विकसित की है जिस पर प्रदेश के स्कूलों एवं संस्थानों द्वारा पंजीकरण करते हुए अपने परिसर में ऊर्जा संरक्षण की विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अभियान में प्रतिभाग किया जाता है।
- एसडीए के रूप में यूपीनेडा अत्याधिक ऊर्जा खपत वाले उद्योगों की ऊर्जा खपत एवं उनके द्वारा ऊर्जा की बचत हेतु किये गये प्रयासों का पर्यवेक्षण करता है। परफार्म, एचीव एण्ड ट्रेड (पैट) योजना के प्रथम चर्क में 25 उद्योगों द्वारा समेकित रूप से 0.69 मिलियन टन ऑफ ऑयल समतुल्य अर्थात 8066 मिलयम यूनिट विद्युत ऊर्जा की बचत की गयी है। वर्तमान में इस योजना में उत्तर प्रदेश के 55 उच्च ऊर्जा गहन उद्योग एवं अन्य संगठन शामिल है।
- उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वाणिज्यिक भवनों हेतु एनर्जी कन्जर्वेशन बिल्डिंग कोड की अधिसूचना जारी की गयी है। कोड के अनुपालन से 50 प्रतिशत तक ऊर्जा बचत की जा सकती है।
- डिप्लोमा इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रम में ऊर्जा संरक्षण विषय को शामिल करते हुए पाठ्यक्रम विकसित किया गया है जो 2018-19 के सत्र में सम्मिलित किया गया है। विभिन्न राज्य की पॉलीटेक्निक के अध्यापकों को इस संदर्भ में प्रशिक्षित भी किया गया है।

●

राज्य सड़क परिवहन

परिवहन आयुक्त संगठन का मुख्य कार्य मोटर वाहनों से कर राजस्व वसूल कर राजकोष में जमा कराना है। उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास के लिये परिवहन एवं संचार की सुदृढ़ एवं व्यापक आवश्यक तो है ही साथ ही यह प्रदेश वासियों को सुखी एवं समृद्ध जीवनयापन सुलभ कराने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। प्रदेश की परिवहन एवं संचार व्यवस्था में सड़क-यातायात का विशेष एवं महत्त्वपूर्ण स्थान है और मोटरगाड़ियां प्रदेश के आर्थिक विकास एवं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का आवश्यक अंग बन गयी हैं।

प्रदेश में मोटरगाड़ियों की संख्या में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि व इनके नियन्त्रण में प्राविधिक ज्ञान की उपयोगिता को देखते हुए वर्ष 1945 में वाहन के संचालन को नियमित करने के उद्देश्य से मोटरयान अधिनियम, 1939 की धारा-133 ''ए'' के प्रावधानों के अन्तर्गत परिवहन विभाग की स्थापना की गयी।

वर्ष 1939 से प्रचलित मोटरगाड़ी अधिनियम एवं नियमावलियों के प्रावधानों के अंतर्गत सड़क परिवहन के क्षेत्र में हुये अनुसंधान, विकास एवं आर्थिक तकनीकी प्रगति के सापेक्ष सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई का अनुभव होने लगा था, अतः दिनांक 01 जुलाई, 1989 से मोटरयान अधिनियम-1939 व उ0प्र0 मोटरगाड़ी निमावली-1940 के स्थान पर क्रमशः मोटर वाहन अधिनियम-1988 व उ0प्र0 मोटरयान नियमावली-1998 लागू की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता स्थापित करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली-1989 लागू की गयी है। उक्त अधिनियम एवं नियमावलियों के लागू हो जाने के फलस्वरूप अनेक वाहनों के पंजीकरण, चालक/परिचालक लाईसेंस एवं व्यावसायिक वाहनों के स्वस्थता-प्रमाणपत्र आदि जारी करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया एवं तद्विषयक शुल्कों की दरों में पूरे देश में एकरूपता स्थापित हो गयी है।

प्रदेश में आवागमन एवं यातायात-व्यवस्था में होने वाली प्रगति का अनुमान प्रदेश में मोटरगाड़ी उद्योग में वर्षानुवर्ष प्रत्येक क्षेत्र में हो रहे व्यापक विकास एवं नये पंजीकृत मोटर वाहनों एवं मार्गों पर चलने वाले वाहनों की वर्ष-प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही संख्या से लगाया जा सकता है। वर्ष 1991-92 में जहाँ मार्ग पर चालित सभी प्रकार की मोटर गाड़ियों की संख्या (वर्तमान उत्तराखण्ड राज्य के वाहनों को सम्मिलित करके) 21,51,457 थी और अब (वर्तमान उत्तराखण्ड को छोड़कर) यह संख्या बढ़कर दिसम्बर, 2018 तक 2,93,94,816 हो गयी है। इस प्रकार विगत सत्ताइस वर्षों में इनकी संख्या में लगभग तेरह गुने से भी अधिक की वृद्धि हुई है।

यह भी एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि परिवहन आयुक्त संगठन का मुख्य कार्य राजस्व प्राप्ति है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रु. 6400.00 करोड़ के सापेक्ष रु. 6349.52 करोड़ का राजस्व वसूल कर राजकोष में जमा कराया गया है। वर्ष 2018-19 हेतु राजस्व

अर्जन के लिए रु. 7400.00 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2018 तक रु. 5079.64 करोड़ का राजस्व वसूल कर राजकोष में जमा कराया जा चुका है। आय-व्ययक वर्ष 2019-20 हेतु रु. 7460.00 करोड़ का राजस्व अर्जन के लिए लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है।

प्रशासन की दृष्टि से विभाग का 6 जोन, 19 सम्भागों एवं 75 उपसंभागों में बांटा गया है। जोन स्तर पर उप परिवहन आयुक्त का पद सृजित है एवं सम्भागों के स्तर पर सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा प्रशासनिक नियंत्रण रखा जाता है। उप संभागों पर सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी का संगठन प्रशासन हेतु उत्तरदायी है।

चालक एवं परिचालक लाइसेंस का निर्गमन

चालकों एवं परिचालकों को लाइसेन्स देने का कार्य मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की क्रमशः धारा-9 एवं 30 के अन्तर्गत लाइसेंन्सिग अधिकारी द्वारा किया जाता है। चालकों/परिचालकों को लाइसेंस देने का यह अधिकार संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को प्रदत्त है। सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा अधिकृत किए जाने पर यह कार्य सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) द्वारा भी किया जा सकता है।

- चालक लाइसेन्स लेने से पहले प्रार्थी को लर्निंग लाइसेन्स लेना होता है जो 6 माह की अवधि का होता है तथा सम्पूर्ण भारत के लिये वैध होता है। लर्निंग लाइसेन्स की वैधता की अवधि के अन्दर अभ्यर्थी को मोटरगाड़ी चलाने का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेना होता है। लर्निंग लाइसेंस जारी होने के कम से कम 30 दिनों के बाद ही स्थाई लाइसेंस हेतु आवेदन किया जा सकता है। इसके पश्चात् प्रार्थनापत्र देने पर लाइसेन्सिग अधिकारी द्वारा उसकी परीक्षा ली जाती है और उपयुक्त पाये जाने पर ड्राइविंग लाइसेन्स जारी कर दिया जाता है। ड्राइविंग लाइसेन्स 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले व्यक्तियों को ही मिल सकता है, किन्तु बिना गियर की इंजन क्षमता वाले मोटर साइकिल का ड्राइविंग लाइसेन्स 16-18 वर्ष के बीच की आयु वाले व्यक्तियों को भी उनके अभिभावकों की निर्धारित प्रपत्र पर लिखित सहमति पर प्रदान किया जाता है। प्रदेश के समस्त कार्यालयों द्वारा वर्तमान में स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस निर्गत किये जा रहे हैं।
- परिचालकों को लाइसेन्स जारी करने की प्रक्रिया का विवरण मोटर यान अधिनियम, 1988 के अध्याय-3 एवं उ0प्र0 मोटरयान नियमावली, 1998 के अध्याय-3 में दिया गया है।
- वर्तमान में चालकों/परिचालकों के लाइसेन्स के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के सुविधार्थ प्रत्येक कार्यालय में वृहत् सूचनापट लगाये गये हैं, साथ ही रोड ट्रैफिक सिग्नल की जानकारी हेतु भी प्रत्येक कार्यालय में ट्रैफिक निशानों को चित्रित किया गया है।

वाहन-पंजीयन एवं स्वस्थता-प्रमाणपत्र का निर्गमन

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-39 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रत्येक मोटरगाड़ी को प्रयोग में लाने से पूर्व पंजीकृत कराना आवश्यक है। ट्रान्सपोर्ट गाड़ियों का पंजीयन उस समय तक वैध नहीं माना जाता जब तक कि गाड़ी को विधिवत् स्वस्थता-प्रमाणपत्र धारा-56 के अन्तर्गत फार्म-38 में प्राप्त नहीं हो जाता है। प्रदेश के समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) तथा संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) मोटर गाड़ियों के पंजीयन के लिए पंजीयन अधिकारी हैं।

- **संभाग/उपसंभाग में गाड़ियों का निरीक्षण**-गाड़ियों के निरीक्षण के लिए संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) नियुक्त है। नई ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को प्रथम बार पंजीयन-तिथि से दो वर्ष की अवधि का स्वस्थता-प्रमाणपत्र दिया जाता है और उसके पश्चात् उसके स्वस्थता-प्रमाणपत्र का नवीनीकरण एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है।
- सरकारी गाड़ियों का क्रय, रख-रखाव, मरम्मत, निष्प्रयोज्य घोषित करने व नीलामी संबंधी कार्य जो मुख्यालय में उप परिवहन आयुक्त (प्राविधिक) की देख-रेख में किया जाता था, का विकेन्द्रीकरण किया जा चुका है और अब परिवहन आयुक्त कार्यालय में विशेष मामले ही सन्दर्भित करने की आवश्यकता रह गयी है।
- वाहनों को स्वस्थता-प्रमाणपत्र जारी करने से पूर्व उनकी प्रदूषण मानकों के अन्तर्गत जाँच करके उन्हें प्रदूषणमुक्त होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके लिए विभाग द्वारा जनपदीय कार्यालयों को स्मोक-डेंस्टीमीटर एवं गैस-एनालाइजर्स उपलब्ध कराये गये है।
- **मोटर वाहनों पर पंजीयन-चिह्नों का प्रदर्शन-** केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-51 के अन्तर्गत विभिन्न मोटर वाहनों के पंजीयन-चिह्नों के आकार निर्धारित किये गये हैं। परिवहन गाड़ियों पर प्रदर्शित चिह्न उनके अगले एवं पिछले भाग पर ऊर्ध्वतल से 30 अंश से अधिक झुकाव वाला नहीं होना चाहिए। मोटरसाइकिल और इनवैलिड कैरिज में सामने की ओर वाहन के ऊर्ध्वतल पर हैण्डिल बार के समानान्तर और पीछे की ओर सादी प्लेट पर पंजीयन-चिह्न का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। सामान्यतः यह पंजीयन-चिह्न राज्य एवं पंजीयन-अधिकारी कोड प्रथम पंक्ति में तथा दूसरा भाग उसके ठीक नीचे वाली पंक्ति में प्रदर्शित किए जाने चाहिए। मोटरकारों आदि में वाहन के आगे व पीछे सादी प्लेट पर मध्य में पंजीयन-चिह्न प्रदर्शित किए जाने चाहिए।
- परिवहन वाहन में पहचान-चिह्न वाहन में बाडी के दाहिनी और बाईं ओर पेण्ट करके प्रदर्शित किया जाएगा।
- परिवहन वाहन में यदि वाहन, यात्री वाहन स्टेज या कान्ट्रैक्ट कैरिज है, तो ड्राइवर और पैसेन्जर के बीच स्थापित पार्टीशन में पंजीयन-चिह्न यात्रियों की ओर प्रदर्शित होना चाहिए। यदि पार्टीशन उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी दशा में ड्राइवर-सीट के बाई ओर बाडी के अन्दर रूफ पर अन्दर ऊपर की ओर प्रदर्शित होना चाहिए। यदि वाहन मोटरकैब, मैक्सीकैब है, तो ऐसी दशा में पंजीयन-चिह्न डैश बोर्ड पर प्रदर्शित होना पर्याप्त है।
- ऐसी परिवहन गाड़ी जिसमें एक या अधिक ट्रेलर हों तो अन्तिम ट्रेलर पर प्लेन प्लेट सर्फेस पर पंजीयन-चिह्न प्रदर्शित किया जाएगा। मोटरसाइकिल में आगे की ओर प्रदर्शित पंजीयन-चिह्न वाहन के ऊपर जिसमें मडगार्ड भी शामिल है, पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए, न कि पृथक् पट्टिका पर।
- भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय मोटरयान निमयमावली-1989 के नियम-50 के अन्तर्गत वाहनों के रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट में परिवर्तन करते हुए कलर स्कीम तथा अति सुरक्षा पंजीकरण प्लेट का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार विद्यमान नम्बर प्लेटों में प्राइवेट वाहनों के लिए सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग से नम्बर लिखे जाने हैं एवं अन्य दशाओं में पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग के अंक व अक्षर होंगे।

मोटर दुर्घटनाओं में आर्थिक सहायता

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 की धारा-8 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली-1998 के नियम-30 एवं 31 में किये गये प्रावधान के अनुसार किसी ''सार्वजनिक यान'' (इसके अन्तर्गत ऐसा कोई मोटरयान अभिप्रेत है, जिसका उपयोग भाड़े या पारिश्रमिक पर यात्रियों का वहन करने के लिए किया जाता है या जिसे उपयोग के अनुकूल बना लिया गया है तथा इसके अन्तर्गत बड़ी टैक्सी, मोटर टैक्सी, ठेकागाड़ी और मंजिली गाड़ी भी सम्मिलित है) से दुर्घटना होने की दशा में पीड़ित यात्री या अन्य व्यक्ति के उत्तराधिकारी को राहत देने हेतु जिस जिला मजिस्ट्रेट की अधिकारिता में दुर्घटना हुई हो, उस जिले के जिलाधिकारी राहत के लिए व्यक्तियों की हकदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, यथासाध्य किसी ऐसी अधिकारी से जाँच करायेगा, जो सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट से निम्न श्रेणी का न हो एवं राहत की धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट संस्तुति परिवहन आयुक्त को उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

- उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-1560/30-4-09-167-91 टीसी, दिनांक 31-08-2009 जो दिनांक 28-10-2009 से प्रभावी है, के द्वारा उत्तर प्रदेश मोटरयान, कराधान नियमावली-1998 में किये गये संशोधन एवं प्रख्यापित की गयी उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (छठवां संशोधन) नियमावली, 2009 क नियम-30 की अनुसूची के अनुसार यात्री अथवा अन्य व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु होने या अंग क्षति होने की दशा में अलग-अलग दर से सहायता राशि देय होती है। उदाहरणार्थ-

क- यात्री की मृत्यु की दशा में	रु0 40,000/-
ख- यात्री की दशा में ऐसी पूर्ण स्थायी निःशक्तता जो नियोजन उपजीविका या अन्य किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने में रोक उत्पन्न करे।	रु0 40,000/-
ग- अन्य व्यक्ति की मृत्यु की दशा में	रु0 10,000/-
घ- अन्य व्यक्ति की दशा में ऐसी पूर्ण स्थायी निःशक्तता जो नियोजन उपजीविका या अन्य किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने में रोक उत्पन्न करे।	रु0 10,000/-

- सम्बन्धित जिलाधिकारी जिसकी अधिकारिता में घटना घटित हुई हो, दुर्घटना की जाँच कराकर चेक लिस्ट के अनुसार बिन्दुसार जाँचाख्या जिसमें मृतकाश्रितों के सष्ट नाम/पते व घायलों की हुई अंगक्षति के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाणपत्र के आधार पर देय आर्थिक सहायता हेतु संस्तुति सहित परिवहन आयुक्त को प्रेषित करते हैं।
- सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी संस्तुतियाँ परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को प्रेषित की जाती हैं। पूर्ण जाँचाख्या प्राप्त होते ही परिवहन आयुक्त कार्यालय स्तर पर अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन) द्वारा राहत की धनराशि स्वीकृत की जाती है एवं सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट इसें स्वीकृत, आहरित और राहत के हकदार व्यक्तियों के मध्य वितरित करवाते हैं। आवंटन करने के साथ ही सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) को आवंटन की प्रतिलिपि इस आशय से भेजी जाती है कि वे भुगतान की पुष्टि के सम्बन्ध में जिलाधिकारी से समन्वय कर उपभोग प्रमाण-पत्र भिजवाना सुनिश्चित करें।

रेडियो टैक्सी योजना का संचालन

जन सामान्य को सुरक्षित, आरामदायक, वातानुकूलित एवं व्यक्तिगत सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से रेडियो टैक्सी योजना लागू किये जाने हेतु शासन की अधिसूचना संख्या-1237/तीस-4-2013-346/95टीसी, दिनाँक 10.07.2013 द्वारा उ0प्र0 मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम-2 एवं 124 में संशोधन किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत उ0प्र0 के 13 शहरों- लखनऊ, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, झाँसी, अलीगढ़, गाजियाबाद, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली व गोरखपुर में रेडियो टैक्सी योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के क्रम में दिनाँक 22.11.2013 को तत्कालीन मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार द्वारा लखनऊ शहर में रेडियो टैक्सी योजना का शुभारम्भ किया गया।

रेडियो टैक्सी योजना के लागू होने से इन शहरों के नागरिक, विभिन्न सेवा प्रदाता कम्पनियों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत संचालित उत्तम प्रबन्धन से युक्त वातानुकूलित, आरामदायक रेडियो टैक्सी सेवा का लाभ उठा सकते हैं। रेडियो टैक्सी सेवा प्रदाता के निर्धारित फोन नम्बरों पर रात या दिन किसी भी समय वांछित स्थान पर किराये पर रेडियो टैक्सी बुलायी/बुक करायी जा सकती है।

यात्रियों को रेडियो टैक्सी सेवा रात व दिन प्रत्येक समय उपलब्ध होगी। रेडियो टैक्सी के रूप में संचालित वाहन नई एवं जीपीएस/जीपीआरएस/तकनीकी से युक्त होंगी, ताकि वह यात्रियों की सुरक्षा और आराम को सुनिश्चित करने के लिए रियल टाइम में प्रबन्धक/संचालक द्वारा मानीटर की जा सके। यह टैक्सियाँ सुसंस्कृत व्यवहार हेतु प्रशिक्षित सभ्य चालकों द्वारा चालित होंगी और इनकी व्यक्तिगत पृष्ठभूमि और पात्रताओं का पुलिस द्वारा सत्यापन किया जायेगा।

यान के डैशबोर्ड पर चालक/परिचालक का फोटो तथा उनके सम्पूर्ण विवरण मोबाइल नम्बर सहित प्रदर्शित किया जायेगा। किराये के भुगतान हेतु मूल स्थान से गन्तव्य तक प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया आगणन करने हेतु इनमें इलेक्ट्रॉनिक किराया मीटर लगे होंगे।

वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियन्त्रण

देश में बढ़ते वाहनों की संख्या तथा उनसे उत्पन्न वायुमण्डलीय प्रदूषण विगत कपितय वर्षों से विकराल रूप धारण कर रहा है। इस समस्या के महत्त्व को समझते हुए केन्द्र सरकार द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 में प्रदूषण उत्पन्न करने वाले वाहनों को एक अपराध के रूप में स्वीकारते हुए इस अधिनिमय के अन्तर्गत बनाई गई नियमावली में प्रदूषण-नियंत्रण हेतु मानकों का निर्धारण किया गया है।

भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, नई दिल्ली से सड़क सुरक्षा स्कीम के अन्तर्गत प्रदेश में बढ़ते वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु नये मानक के प्रदूषण मापी यन्त्र वित्तीय वर्ष 2008-2009 में 41 स्मोक मीटर व 41 गैस एनालाइजर, वित्तीय वर्ष 2010-2012 के मध्य 34 स्मोक मीटर व 34 गैस एनालाइजर कुल 75 स्मोक मीटर व 75 गैस एनालाइजर प्राप्त हुए, जिसे भारत सरकार की मन्शा के अनुरूप प्रदेश के समस्त संभागीय/उप संभागीय परिवहन कार्यालयों में सभी प्रकार के वाहनों की जाँच कर प्रदूषण कार्यालय के पत्र दिनांक 21-01-2013 द्वारा संशोधित दरों पर प्रदूषण मुक्त प्रमाण पत्र जारी किये जाने का कार्य किया जा

रहा है। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2015-16 में 10 बोलेरो वाहनों में 04वे गैस एनालाइजर प्रदूषण जाँच संयंत्र लगाकर तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 में 09 बोलेरो वाहनों में 04वे गैस एनालाइजर प्रदूषण जाँच संयंत्र लगाकर प्रदेश के 19 परिवहन अधिकारियों को चेकिंग के दौरान वाहनों का उत्सर्जन मानक जाँच करने तथा प्रदूषण निर्धारित मानक से अधिक पाये जाने पर उन वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

मोटरयानों के 'कर' आरोपण की व्यवस्था का सरलीकरण

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 एव उ0प्र0 मोटरयान कराधान नियमावली 1998 में वर्ष 2009-10 में शासन द्वारा संशोधन करते हुए मोटरयानों पर लगने वाले करों की प्रणाली को सरल किया गया है तथा साथ ही साथ ऐसे संशोधन किये गये हैं, जिससे वाहन स्वामियों को परिवहन कार्यालयों में 'कर' जमा करने हेतु बार-बार नहीं आना पड़े, साथ ही साथ परिवहन कार्यालयों में कार्यों का भार भी कम हो सके।

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा-2 के खण्ड (झ) के अनुसार परिवहन यान से तात्पर्य किसी माल यान या लोक सेवा यान से है। तद्नुसार उक्त अधिनियम के प्राविधानानुसार शैक्षणिक संस्था के नाम से पंजीकृत यान कराधान के उद्देश्य से गैर परिवहन यान की श्रेणी में आता है। इस प्रकार शैक्षणिक संस्था के नाम पंजीकृत मोटर यानों के सन्दर्भ में उक्त अधिनियम की धारा-4 की उपधारा (1) के अनुसार केवल एक बारीय 'कर' जमा करने की व्यवस्था है। स्कूल एवं फैक्ट्री में अनुबन्धित होकर चलने वाले यानों से देय एक बारीय 'कर' में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की गयी है।

अभी तक उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली 1998 के अन्तर्गत समय-समय पर संशोधन किये गये हैं। इसी क्रम में वर्ष 2015 में संशोधन किया गया है, जिसके द्वारा गैर परिवहनयानों के पुनः पंजीयन के समय ग्रीन टैक्स (हरित कर) जमा कराये जाने का प्रावधान किया गया है। ग्रीन टैक्स की दर ऐसे यान के पंजीयन के समय देय एकबारीय 'कर' का 10 प्रतिशत निर्धारित की गयी है। पुनः वर्ष 2015 में ही गैर परिवहन यानों पर आरोपित किये जाने वाले कर की दरों में भी संशोधन किया गया है, जिसके अनुसार रु0 40000 तक मूल्य वाली मोटर साइकिलों पर उनके मूल्य का 7 प्रतिशत, रु0 40000 से अधिक मूल्य की मोटरसाइकिलों पर उनके मूल्य का 10 प्रतिशत, अन्य गैर वातानुकूलित वाहनों पर उनके मूल्य का 7 प्रतिशत, रु0 10 लाख तक के वातानुकूलित वाहनों पर उनके मूल्य का 8 प्रतिशत, रु0 10 लाख से अधिक के वातानुकूलित वाहनों पर उनके मूल्य का 10 प्रतिशत की दर से 'कर' आरोपित किया गया है। इसके साथ ही यदि ऐसे गैर परिवहन यान विद्युत बैटरी अथवा सोलर पॉवर से चालित हैं, तो उन्हें भी कर में छूट प्रदान की गयी है।

परिवहन विभाग की महत्त्वूपर्ण योजनाएं

प्रदेश के परिवहन कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण

प्रदेश के सभी 77 परिवहन कार्यालय (वाराणसी व लखनऊ में एक-एक विस्तार पटल सहित) में कम्प्यूटरीकरण के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। वर्तमान में प्रदेश के सभी परिवहन कार्यालयों में 'वन नेशन-वन आर0टी0ओ0' की संकल्पना पर पूरे देश की वाहन पंजीयन व्यवस्था एवं ड्राइविंग

लाइसेन्स निर्गमन व्यवस्था को सिंगल वेब प्लेटफार्म पर लाने के उद्देश्य से एन0आई0सी0 द्वारा तैयार वेबबेस्ड वाहन 4.0/सारथी 4.0 ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन सिस्टम क्रियान्वित की गयी है। इस व्यवस्था के लागू होने पर ड्राइविंग लाइसेन्स तथा वाहन पंजीयन से सम्बन्धित सेवाओं में अनिवार्य आन लाइन आवेदन एवं फीस पेमेन्ट व्यवस्था लागू की गयी है। इस नयी व्यवस्था से चोरी के वाहनों अथवा पंजीयन निरस्त वाहनों के विवरण एवं ड्राइविंग लाइसेन्स की डुप्लीकेसी को रियल टाइम पर ट्रैक करना सम्भव हो गया है तथा वाहन पंजीयन, फिटनेस, टैक्स पेमेन्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स निर्गमन आदि की सूचना एस0एम0एस0 के माध्यम से वाहन स्वामी/ड्राइविंग लाइसेन्स धारक को उपलब्ध करायी जा रही है।

वाहन चालान की कार्यवाही को पारदर्शी बनाये जाने के उद्देश्य से ई-चालान व्यवस्था लागू की गयी। ई-चालान लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। 31 दिसम्बर, 2018 त 8.50 लाख से अधिक ई-चालान की कार्यवाही की गयी। वाहन स्वामियों को चालान देखने तथा ऑन लाइन जुर्माना भुगतान की सुविधा भी ई-चालान की वेबसाइट http://echallanweb.gov.in/ पर उपलब्ध है।

आनलाइन परमिट व्यवस्था प्रदेश के सभी जनपदों में लागू की गयी है। यह व्यवस्था लागू करने वाला उत्तर प्रदेश, हरियाणा के बाद दूसरा राज्य है। लगभग 13 लाख व्यावसायिक वाहन स्वामी इस व्यवस्था से सीधे लाभान्वित हो रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में कार्यरत कामन सर्विस सेन्टर्स-जनसेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से विभाग की 25 ऑनलाइन सेवाओं को आम जनमानस को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करायी गयी है। इस व्यवस्था का ज्यादा लाभ वैसे लोगों को मिल रहा है, जिनके पास न तो कम्प्यूटर है और न ही किसी प्रकार की नेट बैंकिग या एटीएम कार्ड/क्रेडिट कार्ड की सुविधा है।

वाहनों के फिटनेस चेक हेतु फिटनेस पिट की स्थापना

वर्ष 2013-14 में 15 संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों- वाराणसी, गाजियाबाद, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, बस्ती, उन्नाव, कानपुर देहात, रायबरेली, फिरोजाबाद, बागपत, इटावा, कन्नौज व सीतापुर तथा वर्ष 2014-15 में 09 संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों- महराजगंज, अम्बेडकरनगर, सिद्धार्थनगर, कौशाम्बी, बलरामपुर, हाथरस, औरैया, सुल्तानपुर व कुशीनगर एवं वर्ष 2015-16 में 10 संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों- देवीपाटन-गोण्डा, श्रावस्ती, संतकबीरनगर, प्रयागराज, महोबा, पीलीभीत, बलिया, मिर्जापुर, मथुरा एवं कासगंज में फिटनेस पिट के निर्माण कार्य की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

ड्राइविंग टेस्ट हेतु टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण

वर्ष 2013-14 में 07 संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों- लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, गोण्डा, सीतापुर व हरदोई तथा वर्ष 2014-15 में 21 संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों- महराजगंज, कुशीनगर, अम्बेडकरनगर, कौशाम्बी, बलरामपुर, फतेहपुर, कानपुर-देहात, सुल्तानपुर, बिजनौर, झाँसी, उरई, ललितपुर, अमेठी, अयोध्या, मऊ, इटावा, औरैया, कन्नौज, मथुरा, एटा व फिरोजाबाद में ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण कार्य स्वीकृत किया जा चुका है।

रोड सेफ्टी सेल का गठन

सड़क सुरक्षा का मामला सामान्य जनता से जुड़ा होने के कारण सरकार की प्राथमिकताओं में है। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों से अभी तक यही स्थिति उभर कर सामने आयी है कि गत वर्षों की अपेक्षा सड़क दुर्घटनाओं तथा दुर्घटनाओं में मृतकों व घायलों की संख्या में वृद्धि हुई है। यद्यपि कि वर्ष 2018 में गत वर्षों की अपेक्षा कमी आयी है फिर भी 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' तथा ब्राजीलिया डिक्लेरेशन, जिस पर भारत भी हस्ताक्षरकर्ता देश है, जिसके अनुसार वर्ष 2020 तक सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों की संख्या को 50 प्रतिशत घटाने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करना अत्यंत ही कठिन काम है क्योंकि भारतवर्ष के स्तर पर सड़क दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुयी है। यह अवश्य है कि कतिपय राज्यों में वृद्धि नकारात्मक हुयी है, इस प्रकार तुलनात्मक रूप से वाहनों एवं जनसंख्या में वृद्धि को देखते हुये सड़क दुर्घटनाओं में वास्तविक वृद्धि नहीं परिलक्षित होगी।

सड़क सुरक्षा कोष का गठन

उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण और सड़क सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से 'राज्य सड़क सुरक्षा कोष'' का गठन अधिसूचना सं0-49/2002/30-3-2004-32एम /2013टी0सी0 दिनां 27.04.2014 द्वारा किया गया है।

रोड सेफ्टी सेल का गठन

प्रदेश में सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्यों के सम्यक संचालन एवं उच्चाधिकार प्राप्त समिति सचिवालय के रूप में परिवहन आयुक्त कार्यालय में 'रोड सेफ्टी सेल' का गठन किया गया है। इस हेतु शासन के पत्र सं0-719/187/30-3-15742एम/2014 दिनांक 27.02.2015 के द्वारा पदों का सृजन किया गया है।

इसके अतिरिक्त हेलमेट एवं सीटबेल्ट नियमों के प्रवर्तन हेतु सामान्य चेकिंग के अतिरिक्त प्रत्येक बुधवार को 'हेलमेट एवं सीटबेल्ट डे' के रूप में मनाया जाना एवं नशे की हालत में ड्राइविंग तथा ओवरस्पीडिंग जैसे अपराधों की चेकिंग किये जाने हेतु प्रर्वतन अधिकारियों को ब्रेक एनालाइजर एवं परिक्षेत्र स्तर पर इन्टरसेप्टर वाहन आवंटित किये गये हैं।

सभी व्यवसायिक वाहनों में रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप अनिवार्य रूप से लगाये जाने के निर्देश निर्गत किये गये तथा विशेष अभियान आयोजित किये जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश के इण्टरमीडिएट तक के स्कूलों/कालेजों में यातायात नियमों के पालन हेतु शपथ दिलायी गयी, ताकि सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता उत्पन्न की जा सके। सभी विद्यालयों के 10 मीटर की परिधि में ''नो ट्रैफिक जोन'' घोषित करने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। इसके अनुपालन का दायित्व स्कूल प्रबन्धन/ प्रधानाचार्य को दिया गया है।

सड़क सुरक्षा की दिशा में किये जा रहे प्रयास

भारत सरकार के सहयोग से

इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च (आई0डी0टी0आर0) की स्थापना के सम्बन्ध में - निजी एवं व्यावसायिक दोनों प्रकार के वाहन चालकों को उच्च गुणवत्तापरक प्रशिक्षण दिलाये जाने की समुचित व्यवस्था हेतु आधुनिक प्रशिक्षण एवं सुविधाओं से युक्त इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च (आई0डी0टी0आर0) की राज्यों में स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा एक नीति बनाई गयी है। इस नीति के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में उक्त प्रकार के संस्थान की स्थापना

की जायेगी, जो पूर्णरूपेण भारत सरकार से वित्त पोषित होगी। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार को 10.15 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराना है तथा राज्य के परिवहन विभाग को यथासम्भव वाहन निर्माता के साथ पी0पी0पी0 माडल पर परियोजना को पूर्ण किया जाना तथा सफलतापूर्वक कार्यान्वित किये जाने का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत करना है। योजना के अनुसार भूमि का टाइटिल राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/सोसाइटी की होगी। पट्टे की दशा में पट्टा 99 वर्ष हेतु होगा। जिसमें हल्के एवं भारी मोटर वाहनों की ट्रेनिंग के अतिरिक्त रिफ्रेशर कोर्स एवं अनुसंधान की व्यवस्था होगी।

उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के संस्थान की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा जनपद रायबरेली के तहसील सदर के अन्तर्गत ग्राम दतौली जो कि रायबरेली मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर एवं लखनऊ से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। संस्थान की स्थापना हेतु 11.755 एकड़ भूमि परिवहन विभाग को जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च (आई0डी0टी0आर0) के निर्माण हेतु उपलब्ध भूमि टाटा मोटर्स के सहयोग एवं भारत सरकार के शत-प्रतिशत पोषण से स्थापित की जा रही है। इस कार्य हेतु उ0प्र0 सरकार का टाटा मोटर्स के मध्य द्विपक्षीय अनुबन्ध दिनांक 16.07.2014 को हस्ताक्षरित किया जा चुका है।

सड़क सुरक्षा कोष से

इस योजना के अन्तर्गत बरेली एवं कानपुर नगर में आटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण कराया गया है, जिसके संचालन एवं रख-रखाव हेतु संस्था के चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसमें मोटर साइकिल एवं हल्के मोटरयानों हेतु ड्राइविंग टेस्टिंग की सुविधा पूर्णतः कम्प्यूटराइज्ड उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त दो अन्य जनपदों- आजमगढ़ एवं प्रतापगढ़ में ऐसे आटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक स्थापित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2017-18 में जनपद कानपुर नगर एवं आगरा में इन्सपेक्शन एवं सर्टिफिकेशन सेन्टर की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रत्येक मण्डल में एक-एक ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (डी0टी0आई0) की स्थापना/संचालन कन्फेडरेशन आफ इण्डियन इन्डस्ट्रीज (सी0आई0आई0), कौशल विकास विभाग व परिवहन विभाग के मध्य हुये त्रिपक्षीय मेमोरेन्डम आफ अन्डरस्टैडिंग (एम0ओ0यू0) के अनुसार राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी भूमि पर सड़क सुरक्षा कोष से की जा रही है। जिनका संचालन सी0आई0आई0 के माध्यम से किया जायेगा। वर्ष 2017-18 में प्रथम चरण में 07 जनपदों- गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, मुरादाबाद, मथुरा एवं मिर्जापुर में टी0डी0आई0 के निर्माण हेतु बजट कार्यदायी संस्थाओं को हस्तांतरित किया जा चुका है।

●

नागरिक उड्डयन

इतिहास

राज्य में उड्डयन निदेशालय की स्थापना वस्तुतः सन् 1975 में की गयी थी परन्तु कुछ समय तक इसका कार्यक्षेत्र केवल राजकीय वायुयानों के परिचालन तक सीमित था। इसके अतिरिक्त अन्य उड्डयन सम्बन्धी कार्यकलाप जैसे- उड्डयन प्रशिक्षण एवं वायुयानों का अनुरक्षण आदि सहकारी हिन्दी फ्लाइंग क्लब द्वारा सुनिश्चित किये जाने थे।

अगस्त 1980 में राज्य सरकार के उड्डयन विभाग ने क्लब द्वारा सम्पादित की जा रही समस्त उड्डयन क्रियाओं का भार अपने ऊपर ले लिया। उक्त क्लब के परिसमापनाधीन हो जाने के फलस्वरूप अगस्त, 1980 में राजकीय नागरिक उड्डयन निदेशालय की स्थापना हुई।

वर्ष 2001 द्वारा नागरिक उड्डयन विभाग का पुनर्गठन हुआ, जिसके अन्तर्गत विभाग को अलग-अलग निम्न इकाईयों में पुनर्गठित कर दिया गयाः-

1. परिचालन इकाई।
2. अनुरक्षण, सुरक्षा एवं सामान्य प्रशासन इकाई।
3. उ0प्र0 उड़ान प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर।

उक्त के अतिरिक्त एक इकाई उ0प्र0 एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि पहले प्राविधिक शिक्षा परिषद के अधीन कार्यशील थी, अब नागरिक उड्डयन विभाग के अधीन कार्यशील है। उ0प्र0 उड़ान प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर अब अस्तित्व में नहीं है।

मुख्य कार्यकलाप

उड़ान प्रतिबद्धताएँ

नागरिक उड्डयन विभाग का मुख्य कार्य शासकीय उड़ान प्रतिबद्धताओं को पूरा करना, एविएशन संबंधी बुनियादी ढाँचे का निर्माण/विकास करना तथा एविशन के क्षेत्र में दक्ष श्रमशक्ति सुनिश्चित करना और राज्य की उड्डयन संबंधी नीति निर्धारित करना है।

शासकी उड़ान प्रतिबद्धताओं की पूर्ति हेतु वर्तमान में नागरिक उड्डयन विभाग की फ्लीट में निम्नलिखित 03 वायुयान तथा 03 हेलीकॉप्टर उपलब्ध हैं :

वायुयान (फिक्स्ड विंग)

1.	हॉकर 900 एक्स0पी0	क्रय वर्ष 2009
2.	सुपर किंग एयर बी-200	क्रय वर्ष 2003
3.	किंग एयर बी-200 जी0टी0	क्रय वर्ष 2015

हेलीकॉप्टर (रोटर विंग)

1. बेल-412 ई0पी0 क्रय वर्ष 2008
2. अगुस्ता ग्रैण्ड क्रय वर्ष 2010
3. बेल-412 ई0पी0आई0 क्रय वर्ष 2016

उक्त फ्लीट उन्नत तथा आधुनिक विमानों से सुसज्जित है। सभी विमानों के संचालन तथा अनुरक्षण हेतु नागरिक उड्डयन विभाग आत्मनिर्भर है। विभाग की मेन्टीनेन्स फिसिलिटी डी.जी.सी.ए. सी.ए.आर.-145 के अन्तर्गत अनुमोदित है।

एविएशन ढाँचे का विकास

प्रदेश में एविएशन ढाँचे के अन्तर्गत लखनऊ तथा वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे हैं तथा प्रदेश के 08 स्थानों जैसे- गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज, कानपुर नगर (चकेरी), सहारनपुर (सरसावा), बरेली, गाजियाबाद (हिण्डन) तथा लखनऊ (बक्शी का तालाब) में भारतीय वायुसेना के अधीन हवाई अड्डे हैं :

उक्त के अतिरिक्त प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में 17 हवाई पट्टियाँ राज्य सरकार द्वारा निर्मित की गई हैं :

1. अम्बेडकरनगर, 2. गाजीपुर, 3. सुल्तानपुर, 4. अलीगढ़, 5. मेरठ, 6. फर्रूखाबाद, 7. अयोध्या, 8. कुशीनगर, 9. सोनभद्र, 10. खीरी, 11. श्रावस्ती, 12. मुरादाबाद, 13. इटावा, 14. आजमगढ़, 15. झाँसी, 16. चित्रकूट, 17. कानपुर देहात।

एवएिशन ढाँचे के विकास हेतु प्रदेश में स्थित एयरपोर्ट्स/हवाई पट्टियों को विकसित किया जा जा रहा है जिनका उल्लेख प्रमुख कार्य योजनाओं के अन्तर्गत किया गया है।

एविएशन के क्षेत्र में दक्ष श्रमशक्ति सुनिश्चित करना

नागरिक उड्डयन विभाग के अधीन लखनऊ एयरपोर्ट परिसर में एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्रियाशील है। जो निम्न संस्थाओं से मान्यता प्राप्त है:-

1. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारत सरकार।
2. प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, नागर विमानन, भारत सरकार।
4. नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन।

इंस्टीट्यूट द्वारा एयरक्राफ्ट मेन्टीनेन्स इंजीनियरिंग का त्रिवर्षीय डिप्लोमा प्रशिक्षण मैकेनिकल स्ट्रीम तथा एवियानिक्स स्ट्रीम में प्रदान किया जा रहा है। जुलाई, 2017 से हेलीकॉप्टर स्ट्रीम तथा पावरप्लान्ट स्ट्रीम के पाठ्यक्रम को भी सम्मिलित किया गया है। प्रत्येक पाठ्यक्रम में 30 छात्र/छात्राएं अर्थात् प्रतिवर्ष 90 छात्र/छात्राओं को शिक्षित किया जा रहा है।

प्रमुख कार्य योजनाएं

एयरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास

उत्तर प्रदेश में अप्रैल 2017 में 4 एयरपोर्टस-लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर व आगरा एयरपोर्ट से व्यवसायिक वायु सेवाएं संचालित हो रही थी।

केन्द्र सरकार की नेशनल सिविल एवियशन पॉलिसी अर्थात उड़ान स्कीम के अंतर्गत 4 एयरपोट्स- आगरा, कानपुर, प्रयागराज तथा बरेली के वायु सेना के हवाई अड्डों पर सिविल एयर टर्मिनल बिल्डिंग बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई गई, जिसमें से प्रयागराज तथा बरेली में कार्य पूर्ण कर इसका लोकार्पण भी किया जा चुका है।

वायुसेना के गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरपोर्ट पर उड़ान स्कीम के अंतर्गत सिविल एयर टर्मिनल बिल्डिंग बनाने के लिए एयरपोर्ट का बाहरी विकास जैसे सड़क, बिजली, ड्रेनेज आदि विकसित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सहयोग किया गया। हिंडन एयरपोर्ट पर सिविल एयर टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण पूर्ण कर इसका लोकार्पण भी किया जा चुका है।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश के आपरेशनल एयरपोर्ट्स- लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, प्रयागराज, कानपुर तथा हिंडन की संख्या 7 हो गयी है।

राज्य सरकार की विभिन्न जनपदों में कुल 17 हवाई पट्टियां मौजूद हैं। इन सभी हवाई पट्टियों को उड़ान स्कीम के अंतर्गत एयरपोर्ट में अपग्रेड करने के लिए प्रस्तावित करते हुए वहां से वायु सेवाओं का संचालन प्रारंभ करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से इच्छुक एयरलाइन कंपनियों का चयन किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक हवाई पट्टियों का चयन किया गया है।

नोएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर, गौतमबुद्धनगर का विकास

राज्य सरकार द्वारा जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में 'नोएडा अन्तर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट' के विकास का कार्य कराया जा रहा है। एयरपोर्ट की स्थापना हेतु भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय से साईट क्लीयरेन्स तथा इन-प्रिंसपल अप्रूवल तथा रक्षा मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय से अनापत्ति प्राप्त है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 की उपलब्धियाँ

एयरपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास : वित्तीय वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित एयरपोर्ट का कार्य पूर्ण कराया गया :-

क्र. सं.	जनपद	परियोजना का नाम	लागत (रुपये करोड़ में)	अभ्युक्ति
1.	गाजियाबाद	हिन्डन एयरबेस पर सिविल एयर टर्मिनल बिल्डिंग का विकास तथा सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु भूमि की व्यवस्था आदि।	7.11	कार्य पूर्ण। सिविल इन्क्लेव का लोकार्पण मार्च, 2019 में किया जा चुका है तथा हिण्डन से पिथौरागढ़ की उड़ान आरम्भ हो चुकी है।
2.	प्रयागराज	1. प्रयागराज एयरपोर्ट पर सिविल एयर टर्मिनल बिल्डिंग का विकास।	289.00	कार्य पूर्ण। सिविल इन्क्लेव का लोकार्पण दिसम्बर, 2018 में किया जा चुका है।
		2. प्रयागराज एयरपोर्ट पर कैट-1 आई0एल0एस0 की स्थापना।	214.59	

3. बरेली	बरेली में सिविल एयर टर्मिनल बिल्डिंग का विकास।	70.00	कार्य पूर्ण। सिविल इन्क्लेव का लोकार्पण मार्च, 2019 में किया जा चुका है।
4. कापनुर नगर	कानपुर नगर में सिविल एयर टर्मिनल बिल्डिंग का विकास।	82.24	इन योजनाओं हेतु राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध
5. आगरा	आगरा में सिविल एयर टर्मिनल बिल्डिंग का विकास।	153.67	कराई जा चुकी है। निर्माण कार्य भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कराया जाना शेष है।
6. कानपुर देहात	नई हवाई पट्टी का निर्माण	118.92	कार्य पूर्ण।

भूमि अर्जन

एयरपोर्ट की स्थापना हेतु ''भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पाददर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013'' के अन्तर्गत भूमि के अधिग्रहण हेतु धारा-11 एवं धारा-19 के प्रकाशन के बाद भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण की कुल लागत लगभग 4500 करोड़ रुपये है।

कुल भूमि 1334 हे0 है जिसमें से 1239.1416 हे0 निजी भूमि तथा 94,8584 हे0 भूमि सार्वजनिक/सरकारी है।

निजी भूमि के अधिग्रहण तथा पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु कुल रु. 3952.75 करोड़ की धनराशि जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध करायी जा चुकी है।

उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति-2017 के माध्यम से प्रदेश में एविएशन सेक्टर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में स्थित एयरपोर्ट्स/एयरस्ट्रिप्स को विकसित करने की दिशा में नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है।

औद्योगिक विकास

उत्तर प्रदेश के त्वरित औद्योगिक विकास में अवस्थापना सुविधाओं का महत्त्वपूर्ण योगदान है, अतः उद्योगों को विश्व स्तरीय अवस्थापना सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। चूंकि औद्योगिक विकास में सरकार का मुख्य उद्देश्य विकासयुक्त वातावरण सृजित करने का है, जिसके दृष्टिगत समस्त जनपद मुख्यालयों को आपस में फोर लेन सड़क मार्गों से जोड़ना, यमुना एक्सप्रेस-वे एवं आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के निर्माण के क्रम में लखनऊ से गाजीपुर तक एक्सप्रेस-वे का निर्माण लखनऊ पी.पी.पी. के माध्यम से अन्य एक्सप्रेस-वेज का निर्माण, राजकीय राजमार्गों का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण, केन्द्र सरकार की दिल्ली-मुंबई इण्डस्ट्रियल कोरीडोर व ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर प्रदेश से पास होने हैं इन योजनाओं का अधिकाधिक लाभ प्रदेश के उद्यमियों को उपलब्ध कराना, जेवर (बुलन्दशहर) व कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे का विकास, उद्योगों को गैस पाइप लाइन से अधिकाधिक गैस उपलब्ध कराना, कैप्टिव पावर जेनरेशन को प्रोत्साहित करना, औद्योगिक क्षेत्रों में 24 घण्टे निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना, प्रदेश में नयी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु लैण्ड बैंक के आंकड़ों को सुदृढ़ कर ई-गवर्नेन्स के माध्यम से उद्यमियों को उपलब्ध कराना व निजी क्षेत्र में औद्योगिक आस्थानों का विकास इत्यादि कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

सरकार द्वारा उद्योगों के विकास को फैसिलिटेट करने के उद्देश्य से विश्व स्तरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। वृहद उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा उ.प्र. औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 प्रख्यापित की गयी है। नीति के अन्तर्गत निवेशकर्ताओं एवं उद्यमियों को विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए गये हैं।

उद्योग बन्धु

उद्योग बन्धु की स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 के अंतर्गत दिनांक 30.10.1986 को की गई है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य उद्यमियों तथा शासन के विभिन्न विभागों के मध्य सीधा संवाद एवं समन्वय स्थापित करना, उद्यमियों की समस्याओं का निराकरण तथा प्रदेश में अधिकाधिक औद्योगिक निवेश को आकर्षित करना है।

उद्यमियों की समस्याओं के निराकरण हेतु उद्योग बन्धु स्तर पर समस्या समाधान हेतु तंत्र-स्तरीय समितियों (मा. मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ''उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति'' मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ''राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु समिति'' मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में मण्डलीय उद्योग बन्धु समिति एवं जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उद्योग बन्धु समिति) का

गठन किया गया है। इसके साथ ही अधिशासी निदेशक की अध्यक्षता में उद्योग बन्धु में 'औद्योगिक समाधान दिवस' का आयोजन माह के प्रथम एवं तृतीय वृहस्पतिवार को किया जाता है।

उद्योग बन्धु के पदेन् अध्यक्ष, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त हैं तथा इसके दैनन्दिन के कार्यों का सम्पादन अधिशासी निदेशक/संयुक्त अधिशासी निदेशक द्वारा किया जाता है। उद्योग बन्धु आई.एस.ओ. 9001-2008 प्रमाणित संस्था है।

उ.प्र. एक्सप्रेस-वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

उ.प्र. एक्सप्रेस-वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) का गठन औद्योगिक विकास अनुभाग-4, उ.प्र. शासन की अधिसूचना संख्या-4246/77-4-07-94भा./07टी.सी.दिनांक 27 दिसम्बर, 2007 द्वारा ग्रेटर नोएडा से बलिया तक 08 लेन प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के स्वामित्व एवं क्रियान्वयन हेतु किया गया है। तत्पश्चात् शासन द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न शासनादेशों के अनुसार प्राधिकरण आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य प्रगति पर है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे हेतु भूमि क्रय एवं निविदा चयन की कार्यवाही गतिमान है, डिफेन्स कॉरिडोर के लिए भूमि क्रय की कार्यवाही की जा रही है एवं गंगा एक्सप्रेस-वे (प्रयागराज से मेरठ परियोजना) परियोजना के सम्बन्ध में तकनीकी एवं वित्तीय सम्भाव्यता तलाशने एवं डी.पी.आर. तैयार करने हेतु परामर्शी के चयन की कार्यवाही निकट भविष्य में संभावित है।

यूपीडा द्वारा क्रियान्वित परियोजनाएं

आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस-वे परियोजना

''आगरा से लखनऊ प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, वर्तमान में दिनांक 19.01.2018 से टोल टैक्स वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है, चार वे साइट एमिनिटीज एवं चार पेट्रोल पम्प पूर्णतः क्रियान्वित की जा चुकी है, उक्त एक्सप्रेस-वे ए.जी.एम.एस. लगाने एवं 20 पुलिस चौकियों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, जो दिनांक 31.03.2018 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

- **पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना**

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे जनपद लखनऊ, राष्ट्रीय राज्य मार्ग सं. 731 लखनऊ सुल्तानुपर रोड (ग्राम चांदसराय) से प्रारम्भ होकर जनपद बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या,अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ होते हुए गाजीपुर (ग्राम हैदरिया) में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-31 पर समाप्त होगा। एक्सप्रेस-वे की लम्बाई 340.824 किमी. है। यह एक्सप्रेस-वे 06 लेन चौड़ा (08 लेन में विस्तारणीय) प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस-वे होगा। एक्सप्रेस-वे की आर.ओ.डब्ल्यू. 120 मी. है। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु एक्सप्रेस-वे की सम्पूर्ण लम्बाई को 08 पैकेजों में विभक्त किया गया है।

पूर्ववर्ती सरकार में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिए केवल 35 प्रतिशत भूमि क्रय की गयी थी। माह मार्च, 2017 के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के संरेखण का निर्धारण तथा आगणन में आवश्यक संशोधन किये गये, जिससे पूर्व में गठित आगणन के सापेक्ष रु. 1763 करोड़ की बचत हुई तत्क्रम में सभी 08

पैकेजों की निविदाएं आमन्त्रित की गई, जिनके विरुद्ध कुल 08 पैकेजों के लिए 5 विकासकर्ताओं के साथ रु. 11216 करोड़ के अनुबन्ध निष्पादित किए गए। वर्तमान में परियोजना हेतु 95 प्रतिशत भूमि क्रय की जा चुकी है तथा सभी विकासकर्ताओं द्वारा क्लियरिंग एण्ड ग्रबिंग तथा मिट्टी का कार्य त्वरित गति से किया जा रहा है। वर्तमान समय तक 78.05 प्रतिशत सी.एन.जी. एवं 09 प्रतिशत मिट्टी का कार्य पूर्ण हो गया है।

- **बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना**

प्रदेश के अन्य पिछड़े क्षेत्रों की भांति बुन्देलखण्ड के जनपदों में सुगम, तीव्र एवं सुरक्षित यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने, प्रदेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने तथा औद्योगिक विकास की संभावना सृजित करने हेतु बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे प्रवेश नियंत्रित 04 लेन (06 लेन में विस्तार योग्य, ग्रीन फील्ड) मार्ग विकसित किये जाने की योजना है। इसके लिए शासनादेश सं.-1389/77-3-2018-67एम/18, दिनांक 04 मई, 2018 द्वारा बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के स्वामित्व एवं क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे बुन्देलखण्ड के जनपद चित्रकूट में भरतकूप के निकट झांसी, मिर्जापुर, राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच. 35 के चैनेज 266.600) से प्रारम्भ होकर जनपद बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया एवं इटावा से होते हुए जनपद इटावा की तहसील ताखा के ग्राम कुदरैल के समीप, आगरा, लखनऊ एक्सप्रेस-वे के चैनेज 133.178 पर समाप्त होगा। परियोजना के संरेखण में आने वाले कुल 182 ग्रामों से गुजरने वाली बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे की लम्बाई 296 किमी. और कुल प्रभावित क्षेत्रफल 3461.6269 हे. है। उक्त एक्सप्रेस-वे 04 लेन चौड़ा (06 लेन में विस्तारणीय) होगा तथा आर.ओ.डब्ल्यू. की चौड़ाई 110 मी. होगी, इस परियोजना हेतु दिनांक 31.01.2019 तक 419.984 हे. भूमि क्रय की जा चुकी है।

- **गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना**

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे गोरखपुर बाईपास पर स्थित ग्राम जैतपुर से प्रारम्भ होकर खजनी, बेलघाट, कम्हरियाघाट, राजे सुल्तानपुर, जलालपुर होता हुआ पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के चैनेज-190,600 के समीप जनपद आजमगढ़ में समाप्त होगा। यह एक्सप्रेस-वे 04 लेन चौड़ा (06 लेन में विस्तारणीय) होगा। इस एक्सप्रेस-वे की लम्बाई 91.352 किमी. तथा आर.ओ.डब्ल्यू. की चौड़ाई 110 मी. है।

- **डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर की स्थापना**

भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में 'डिफेंस कॉरीडोर' बनाने हेतु लिये गये सैद्धान्तिक निर्णय के अनुक्रम में प्रारम्भिक प्रस्ताव में कुल 6 नोड आगरा, अलीगढ़, कानपुर, जालौन, चित्रकूट एवं झांसी चिन्हित किए गए हैं। इन 06 नोड में झांसी में 3025.348 हे., चित्रकूट में 500 हे., जालौन में 200 हे., अलीगढ़ में 100 हे., आगरा में 300 हे. एवं कानपुर में 1000 हे. भूमि ली जानी है।

बुन्देलखण्ड प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, जिसके दृष्टिगत बुन्देलखण्ड के विकास एवं रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि प्रथम चरण में जनपद चित्रकूट, झांसी, व जालौन में रक्षा उद्योगों की स्थापना के लिए डिफेन्स इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना स्थापित की जाए, जिसके क्रम में चित्रकूट में 100 हे., झांसी में 871 हे. व जालौन में 200 हे. भूमि चिन्हित कर प्रभावित भू-स्वामियों से आपसी सहमति के आधार पर भूमि क्रय किए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोयडा)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम-1976 के अन्तर्गत संस्थापित नोएडा (नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सीमावर्ती उत्तर प्रदेश की सीमा में उत्तर में एन.एच.-24, पश्चिम में यमुना नदी एवं पूर्व में हिण्डन नदी से बंधे हुए क्षेत्र में नवीन ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र (नोएडा) का सृजन किया गया था, जोकि आज एक सुनियोजित एकीकृत एवं आधुनिक औद्योगिक शहर के रूप जाना जाता है, जो अपने बहुआयामी विकास की ओर निरन्तर प्रगतिरत है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पड़ने वाले 81 ग्रामों को सम्मिलित करते हुए लगभग 20,316.00 हे0 (203.16 वर्ग किमी.) क्षेत्रफल पर विकास की रूप रेखा निर्धारित करने के लिए वर्ष 2031 तक के लिए महायोजना तैयार की गयी है।

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के अधीन वर्ष 1991 में किया गया। जिसमें तहसील सिकन्द्राबाद जिला बुलन्दशहर के 75 गाँव तथा तहसील दादरी जिला गाजियाबाद के 49 गाँव अधिसूचित किए गए थे। इस प्रकार ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में सम्मिलित कुल गाँवों की संख्या 124 है। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत है। वास्तुशिल्प एवं अभियांत्रिकी की आधुनिकतम तकनीकी पर आधारित है तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुरूप ग्रेटर नोएडा का विकास किया जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ यहाँ आवश्यक सुविधाओं, व्यवसायिक क्षेत्रों, व्यापार केन्द्रों, कार्यालयों, सेकेण्डरी स्कूलों, तकनीकी एवं प्राविधिक संस्थानों, अस्पतालों और चिकित्सा सेवा सुविधाओं तथा मनोरंजन के क्षेत्रों का एक आधुनिक एवं व्यापक मूल ढांचा भी उपलब्ध होगा। क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु भूमि अर्जन कर, वाह्य एवं आन्तरिक सड़कों का निर्माण एवं जल निकासी, पेयजल व्यवस्था, विद्युतीकरण, मल निकासी एवं सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लॉन्ट की स्थापना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उद्यानों का विकास एवं पर्यावरण सुधार हेतु वृक्षारोपण आदि प्राधिकरण के मुख्य कार्यक्रम हैं। समस्त नगरीय मूलभूत सुविधाओं का विकास एवं अनुरक्षण का कार्य प्राधिकरण की मुख्य गतिविधियों में सम्मिलित है।

इस क्षेत्र का विकास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उत्तर प्रदेश उप क्षेत्रीय योजना 2021 के प्रावधानों के अनुरूप किया जा रहा है। योजना के प्रथम चरण (2001-2011) लगभग 8500 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित है। महायोजना 2021 के अनुसार वर्ष 2021 तक कुल 22255 हेक्टेयर भूमि को विकसित करने का प्रस्ताव है। महायोजना वर्ष 2021 के अनुसार क्षेत्र की आबादी लगभग 7 लाख तथा महायोजना 2021 के अनुसार क्षेत्र की आबादी लगभग 12 लाख होगी जिसमें क्षेत्र में पड़ने वाले ग्रामों की आबादी भी सम्मिलित है।

- **नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो सिस्टम परियोजना**

नोएडा ग्रेटर नोएडा के मध्य लगभग 29 किमी. लम्बी प्रस्तावित मेट्रो परियोजना की लागत लगभग रु. 5533.00 करोड़ है। उक्त परियोजना की संशोधित डी.पी.आर. एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अनुमोदन शासन द्वारा दिनांक 01.10.2015 को प्रदान किया गया है। तदुपरान्त डी.एम.आर.सी. से नोएडा से ग्रेटर नोएडा परियोजना को टर्नकी कन्सलटेन्सी के आधार पर क्रियान्वित किये जाने हेतु एग्रीमेन्ट दिनांक 18.10.2014 को हस्ताक्षरित किया गया है तथा नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो परियोजना

के निर्माण, संचालन एवं अनुरक्षण हेतु विशेष परियोजना साधन (एसपीवी) एन.एम.आर.सी. का गठन दिसम्बर, 2014 में किया गया है। वर्तमान में एन.एम.आर.सी. द्वारा दिनांक 25.01.2019 को मा. मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन के उपरांत मैट्रो परियोजना का संचालन शुरू किया जा चुका है।

- **दिल्ली मुम्बई औद्योगिक कोरीडोर एक परिकल्पना व उसका विस्तारीकरण डी.एम.आई.सी. परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति :**

डी.एम.आई.सी. परियोजना वर्ष 2007 में प्रारम्भ की गयी थी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के मध्य में जनवरी, 2007 में एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया था।

1. दिल्ली-मुम्बई परिचालन क्षेत्र कुल 1483 किलोमीटर का है जिसका अन्तिम टर्मिनल दादरी, ग्रेटर नोएडा है तथा प्रथम जे.एन. पोर्ट मुम्बई है। गुणवत्ता वाली सुविधाओं का विकास महत्वाकांक्षी मालवाहन क्षेत्र के 150 किलोमीटर रेलवे लाइन के दोनों तरफ विकसित किये जाने की संस्तुति है।
2. पूरे 1483 किलोमीटर परिचालन क्षेत्र में 20 स्थानों को विकास हेतु चिन्हित किया गया है। जिसमें से 7 निवेश जोन व 13 औद्योगिक क्षेत्र है। एक निवेश जोन व एक औद्योगिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पड़ता है। निवेश का पहला स्थल ग्रेटर नोएडा में व औद्योगिक क्षेत्र मेरठ, मुजफ्फरनगर में पड़ता है। निवेश क्षेत्र हेतु 200 वर्ग किलोमीटर तथा औद्योगिक क्षेत्र हेतु 100 वर्ग किलोमीटर चिन्हित किये गये हैं।
3. यह परियोजना उन्मुक्त माल-वाहन परिक्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्रों व विशिष्ट वाणिज्यिक क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए भारत एवं जापान सरकारों के संयुक्त प्रयास से ''विशिष्ट वाणिज्यिक सहभागिता प्रयास'' (एस.ई.पी.आई.) इन क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता के भौतिक एवं सामाजिक मूलभूत सुविधाओं का विकास किये जाने एवं जापानी निवेश को सुविधाजनक बनाये जाने हेतु तैयार की गयी है।
4. उत्तर प्रदेश का 12 प्रतिशत भाग विशिष्ट आर्थिक परिक्षेत्र में पड़ता है जिससे 2,50,000 रोजगार का सृजन हो सकेगा व ग्रेटर नोएडा शहर इस परियोजना का प्रथम नोड व परियोजना का ''गेट-वे'' होगा। परियोजना के विकास के चरण में 250 मिलियन तथा क्रियान्वयन के स्तर पर 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश का अनुमान है जिससे 30 लाख रोजगार का और सृजन होगा।

अर्ली बर्ड परियोजनाओं के सम्बन्ध में

डी.एम.आई.सी. परियोजना को उत्तर प्रदेश में शो केस करने हेतु उ.प्र. सरकार एवं डी.एम.आई.सी.डी.सी. द्वारा तीन परियोजनाओं की पहचान की गयी हैं। कार्यवाही का विवरण निम्नवत है :

ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में इन्टीग्रेटेड औद्योगिक टाऊनशिप का विकास

शासन स्तर पर निर्णय लिया गया कि निवेश क्षेत्र के विकास के प्रथम चरण में ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में हाईटैक औद्योगिक टाऊनशिप का विकास किया जाये, चूंकि प्रस्तावित क्षेत्र की भूमि अधिग्रहीत है। परियोजना का कान्सेप्ट प्लान डी.एम.आई.सी.डी.सी. द्वारा तैयार किया गया है।

दादरी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब (एम.एम.एल.एच.) की परियोजना

मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब हेतु चिह्नित स्थल का अनुमोदन प्रदान कर दिया गया एवं डी.एम.आई.सी.डी.सी. के द्वारा परियोजनाओं के स्थल का विस्तृत विवरण तैयार कर लिया गया है।

प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त परियोजना को क्रियान्वित करने हेतु मैसर्स पी.डब्लू.सी. को डी.पी.आर. तैयार करने का कार्य आवंटित कर दिया गया है। शेष भूमि के अधिग्रहण/क्रय का कार्य प्रगति पर है।

मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब (एम.एम.टी.एच.) की स्थापना

प्रस्तावित स्थल को इन्टीग्रेटेड यातायात हब बनाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया एवं डी.एम.आई.सी.डी.सी. द्वारा स्थल का चिह्नाकन कर लिया गया है। प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण हेतु सर्वे का कार्य पूर्ण कर, प्रारम्भ कर दिया गया है। डी.एम.आई.सी.डी.सी. द्वारा परियोजना का कान्सेप्ट प्लान भी तैयार कर लिया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त परियोजना को क्रियान्वित करने हेतु मैसर्स पी.डब्लू.सी. को डी.पी.आर. तैयार करने का कार्य आवंटित कर दिया गया है।

उ.प्र. शासन द्वारा मल्टी मॉडल ट्रांर्सपोर्ट हब एवं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब को एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड कम्पनी के अन्तर्गत ही विकसित करने का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया है। उ.प्र. शासन द्वारा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब एवं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की भूमि को हस्तान्तरित करने की अनुमति आई.आई.टी.जी.एन.एल. (एस.पी.वी.) में प्रदान की जा चुकी है व भूमि हस्तान्तरण हेतु स्टाम्प शुल्क भी माफ कर दिया गया है।

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-697/77-4-2001-3 (एन)/2001 दिनांक 24 अप्रैल, 2001 द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6,1976) की धारा 2 के खण्ड (ध) के अधीन किया गया है। यमुना एक्सप्रेस-वे के अधिसूचित क्षेत्र में जनपद गौतमबुद्धनगर, बुलन्दशहर, अलीगढ़, हाथरस (महामायानगर), मथुरा व आगरा के कुल 1188 ग्राम अधिसूचित हैं। यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 165.537 किलोमीटर लम्बाई में 06 लेन (08 लेन तक विस्तारणीय) के एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य कराया जाना।

यमुना एक्सप्रेस-वे के उद्देश्य में आगरा के साथ ही पश्चिमी उ0प्र0 के अधिकांश भागों को देश की राजधानी से जोड़ना है। यमुना नदी के पूर्वी भाग पर मुख्य टाउनशिप स्थापित करना तथा प्राधिकरण क्षेत्र के सुनियोजित विकास में औद्योगिक, आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, सरकारी एवं अर्द्धसरकारी क्रियाकलापों में भौतिक मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराया जाना है।

परियोजना हेतु काश्तकारों से उचित दर पर भू-अर्जन के प्रतिकर भुगतान के अतिरिक्त प्रभावित काश्तकारों को पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना सुविधायें प्रदान की जा रही है। अधिग्रहण से प्रभावित मूल काश्तकारों को उनकी अधिग्रहित भूमि का 07 प्रतिशत भूमि आबादी हेतु आवंटन तथा इन ग्रामों में अवस्थापना सुविधाओं में स्कूल, बारात घर, सामुदायिक केन्द्र, सड़क, नाली व सीवर आदि का विकास कराये जाने का प्रावधान है।

महत्त्वपूर्ण

- यमुना एक्सप्रेस-वे के निकट 1000 हे. भूमि पर स्पोर्ट सिटी का निर्माण मेसर्स जे.पी. द्वारा किया गया है, जिसमें फार्मूला वन रेसिंग ट्रैक (बुद्ध इन्टरनेशनल सर्किट) भी निर्मित है। रेसिंग ट्रैक पर अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर की कार रेसिंग जैसी अन्य प्रतियोगितायें भी आयोजित की जाती हैं।

- सेक्टर 17ए में संस्थागत भूखण्डों के कुल 13 भू-खण्डों के कुल क्षेत्रफल 546 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया है। इसी सेक्टर में गलगोटिया यूनिवर्सिटी एवं नोएडा इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी का निर्माण कार्य पूर्ण होकर शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हो चुका है।
- वर्ष 2009 में आवासीय भूखण्डों की योजना के अंतर्गत सेक्टर 18 एवं 20 में 21,000 भूखण्डों का विकास कार्य प्रगति पर है, जिसमें सेक्टर 18 के 26 पाकेटों के अंतर्गत 18 पाकेटों के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं एवं सेक्टर 20 के 17 पाकेटों के अंतर्गत 16 पाकेटों के निर्माण कार्य प्रगति पर हैं व 01 पोकेट का कार्य पूर्ण हो चुका है। दोनों सेक्टरों की अनुमानित जनसंख्या लगभग 1,00,000 सम्भावित है।
- आवासीय ग्रुप हाउसिंग टॉउनशिप योजना के अंतर्गत सेक्टर 18, 22ए एवं 22डी में कुल 2195.69 एकड़ क्षेत्रफल के अंतर्गत 16 भूखण्डों का आवंटन किया गया है जिसकी अनुमानित जनसंख्या लगभग 06 लाख सम्भावित है।
- सेक्टर 22डी में 71.89 एकड़ क्षेत्रफल में दुर्बल आय वर्ग, एल.आई.जी. के अंतर्गत कुल 6380 भूखण्डों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं एम.आई.जी. के कुल 768 फ्लैटों के अंतर्गत निर्माण कार्य पूर्ण हैं।
- यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सेक्टर-24 व 24ए के अंतर्गत क्रमशः 130 व 300 एकड़ भूमि मेसर्स पतंजलि आयुर्वेद लि. एवं मै. पतंजलि फूड एण्ड हर्बल पार्क नोएडा प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में आवंटित की गई है, जिसमें रु. 2,364.57 करोड़ का निवेश व 82500 प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। इसके अतिरिक्त वर्ष 2018-19 में मै. वीवो मोबाइल इण्डिया प्रा.लि., मै. सीहाई टैक्नोलॉजी प्रा.लि., मै. येंगटॉग इलेक्ट्रानिक्स टेक्नोलॉजी इण्डिया प्रा.लि., मै. संस्कार मेडिका इण्डिया प्रा.लि. के पक्ष में कुल रु. 198.35 एकड़ भूमि का आवंटन किया जा चुका है, जिसमें रु. 4790 करोड़ के पूंजी निवेश के साथ-साथ 40,500 प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।
- यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण के प्रस्तावित क्षेत्र के जनपद जेवर के निकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आस-पास विमानन केन्द्र में गैर-विमानन गतिविधियों के लिए, विमानन गतिविधियों के लिए फीजिबिलटी प्लान तैयार किया जा रहा है तथा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बेहतर कनेक्टिविटी उद्देश्य के लिए चिन्हित हिन्टरलैण्ड से मल्टी मोडल ट्रांजिट (पीआरटी, आरआरटीएस, एमआरटीएस, पॉडटैक्सिस, ट्राम, हाईपरलूप आदि) योजना की प्रि-फीजिबिलिटी स्टडी हेतु आरएफपी अपलोड कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि., कानपुर
(अब यूपीसीडा)

निगम का अभ्युदय एवं उद्देश्य

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि. की स्थापना वर्ष 1961 में औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु की गई थी। निगम की अधिकृत पूंजी रु. 4000 लाख एवं चुकता पूंजी रु. 2407.51 लाख है, जिसमें सम्पूर्ण योगदान उत्तर प्रदेश सरकार का है। निगम अपने स्थापना के

वर्ष से ही निरन्तर लाभ अर्जित करते हुए अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इस निगम को शासन द्वारा औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए नोडल एजेन्सी नामित किया गया है। निगम द्वारा प्रमुख रूप से औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है।

वर्तमान में उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) का संविलियन उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) में अधिसूचना संख्या 1285/79-वी-1-18-2(क)8-2018, दिनांक 27.06.2018 के द्वारा प्रभावी हो गया है।

निगम द्वारा प्रमुख रूप से औद्योगिक क्षेत्रों का विकास व अवस्थापना सुविधाओं के क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की भागीदारी सुनिश्चित कराने का कार्य किया जा रहा है। निगम प्रदेश के तीव्र, सर्वांगीण औद्योगिक विकास के लिए मुख्य रूप से निम्न कार्यों को सम्पादित कर रहा है-

1. प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं से युक्त एकीकृत औद्योगिक नगरी एवं औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करके औद्योगिक एवं अन्य सम्बन्धित उपयोगों हेतु भूखण्ड/भवन उपलब्ध कराना।
2. औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित कराने के लिए नोडल संस्था के रूप में कार्य करना।
3. सार्वजनिक/अर्द्ध सार्वजनिक संस्थानों के लिए निर्माण कार्य संचय आधार पर सम्पादित करना।
4. बड़े उद्योगों/अवस्थापना परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण।

औद्योगिक क्षेत्रों का विकास

औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिए भूमि की सर्वप्रथम अपरिहार्य आवश्यकता होती है। उद्यमियों को उचित दर पर नियोजित औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि उपलब्ध कराने का दायित्व निगम को सौंपा गया है। निगम द्वारा औद्योगिक क्षेत्र योजना के अधीन सड़क, नाली, विद्युत लाइनें तथा अन्य प्राथमिक/सहायक अवस्थापना सुविधाओं से युक्त विभिन्न आकारों के विकसित भूखण्ड उद्यमियों को 90 वर्ष के पट्टे पर आवंटित किये जाते हैं। निगम की स्थापना के समय से निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति में योगदान मिला है :

1. उद्यमियों को उचित दरों पर औद्योगिक भूखण्ड उपलब्ध कराना।
2. प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक संभाव्यता का कुशलतम दोहन।
3. प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का समान व संतुलित औद्योगिक विकास।

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा)

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) का सृजन पूर्वान्चल के समग्र एवं सुनियोजित औद्योगिक विकास हेतु उ.प्र. शासन द्वारा ''उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा-3 के अन्तर्गत वर्ष 1989 में किया गया है। इस योजना के विकास हेतु कुल 76 राजस्व ग्राम अधिसूचित किये गये हैं। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) की विकास योजना 2012-2032 के अन्तर्गत लगभग 13,135.00 एकड भूमि वर्ष-2032 तक अधिग्रहीत कर समग्र अवस्थापना सुविधाओं के साथ विकसित की जानी प्रस्तावित है। जिसके अनुसार विकास योजना को 32 सेक्टरों में विभक्त किया गया है, जिसमें 11 सेक्टर आवासीय, 4 आवासीय/व्यवसायिक, 1 आवासीय/औद्योगिक, 1 ट्रांसपोर्ट नगर/व्यवसायिक, 2 संस्थागत, 1 संस्थागत/व्यवसायिक एवं 12 सेक्टर औद्योगिक उपयोग हेतु प्राविधानित हैं।

वर्तमान आर्थिक परिवेश में गीडा द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि गीडा में उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं का उच्चीकरण किया जाय तथा कतिपय आवश्यक विशिष्ट अवस्थापना सुविधाएं इस क्षेत्र में उपलब्ध करायी जायं। न्यू गोरखपुर आवासीय योजना, सहजनवाँ आवासीय योजना, ट्रान्सपोर्ट नगर योजना, संस्थागत योजना एवं व्यवसायिक योजना का विकास, इसी प्रयास की कड़ियां हैं। वर्तमान में 1673.00 एकड़ भूमि अर्जित की जा चुकी है जिसके सापेक्ष लगभग 1539.00 एकड़ भूमि विकसित कर ली गयी है तथा लगभग 1157.36 एकड़ भूमि आवंटित की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 3458.021 लाख की आय हुई थी तथा वित्तीय वर्ष 208-19 में अब तक कुल रु. 2129.10 लाख की आय हुई है।

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण (लीडा)

- लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन उ.प्र. औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिनियम 1976 के अंतर्गत शासनादेश संख्या 1193/77-4-2005/ 193भा-04 टीसी, दिनांक 28.07.2005 द्वारा किया गया है।
- प्राधिकरण के गठन का मुख्य उद्देश्य लखनऊ एवं कानपुर के मध्य सुनियोजित विकास एवं औद्योगिक, व्यवसायिक, आवासीय एवं संस्थागत इत्यादि गतिविधियों के लिये अवस्थापना सुविधाओं का विकास करना है।
- वर्तमान में प्राधिकरण अधिसूचित क्षेत्र में जनपद लखनऊ के 45 एवं जनपद उन्नाव के 39 ग्राम अर्थात कुल 84 ग्राम सम्मिलित हैं।
- प्राधिकरण का अधिसूचित क्षेत्र लगभग 74000 एकड़ (299.96 वर्ग किमी.) है।
- प्राधिकरण अधिसूचित क्षेत्र का मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा दिनांक 18.04.2016 को अनुमोदित किया जा चुका है।
- प्राधिकरण अधिसूचित क्षेत्र में सुनियोजित विकास के उद्देश्य से भवन विनियमावली, 2009 का प्रख्यापन औद्योगिक विकास अनुभाग-4 के अधिसूचना दिनांक 02.07.2009 द्वारा किया जा चुका है।
- एन.सी.आर. प्लानिंग बोर्ड, नई दिल्ली की संस्तुति के आधार पर उ.प्र. शासन द्वारा लखनऊ-कानपुर के मध्य क्षेत्र अर्थात लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी का काउन्टर मैग्नेट एरिया घोषित किया गया है।

सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा)

सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन शासन की अधिसूचना संख्या-8425 भाऊ/18-11-223भा/88, दिनांक 30 नवम्बर 1989, उ.प्र. औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा (3) के अधीन किया गया है। प्राधिकरण का मूलभूत उद्देश्य प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में भूमि अधिग्रहीत कर समस्त औद्योगिक अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करते हुए, उद्यमियों को उदार शर्तों पर औद्योगिक भूखण्ड उपलब्ध कराना है।

औद्योगिक क्षेत्र सतहरिया जनपद-जौनपुर की मछलीशहर तहसील के सतहरिया ग्राम में जनपद मुख्यालय से 47 किमी. की दूरी पर जौनपुर-प्रयागराज राष्ट्रीय मार्ग के दोनों तरफ उत्तरी एवं दक्षिणी सेक्टर में विभक्त है।

औद्योगिक क्षेत्र सतहरिया कुल 508 एकड भूमि पर विकसित है। इस क्षेत्र में कुल 17 किमी0 पक्की सड़कें, 800 किली0 क्षमता का एक वाटर टैंक, 33/11 के.वी.ए. का एक विद्युत सब स्टेशन, पक्की नालियां, एक सामुदायिक सुविधा केन्द्र, फील्ड हास्टल, गेस्ट हाउस, बैंक, पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र, स्कूल, अग्नि शमन केन्द्र आदि औद्योगिक अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध हैं। औद्योगिक क्षेत्र सतहरिया में राज्य सरकार द्वारा उच्चीकृत चिकित्सालय भी स्थापित हैं।

दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ यू0पी0 लि0, (पिकप) लखनऊ

पिकप की स्थापना कम्पनी अधिनियम 1956, के अन्तर्गत राज्य सरकार की कम्पनी के रूप में वर्ष 1972 में की गई। निगम की वर्तमान अंश पूँजी रु. 150 करोड़ है एवं निगम की चुकता अंश पूँजी रु. 135.57 करोड़ है।

निगम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के औद्योगिक विकास हेतु एक औद्योगिक विकास बैंक की भूमिका निभाते हुये वृहद एवं मध्यम उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना तथा प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन अभिकर्ता के रूप में किया जा रहा है।

पिकप का प्रदेश के औद्योगीकरण निवेश में योगदान

निगम द्वारा 1100 औद्योगिक इकाइयों को रु. 1435 करोड़ के ऋण स्वीकृत किये गये जिसके सापेक्ष रु. 1420 करोड़ के ऋण वितरित किये हैं, जिसमें से दिनांक 31.12.2018 तक 862 इकाइयों द्वारा पूर्ण वितरित धनराशि के सापेक्ष रु. 1214 करोड़ का भुगतान निगम को प्राप्त हो चुका है। शेष 238 इकाइयों से रु. 207 करोड़ मूल धनराशि की वसूली हेतु समग्र प्रयास किये जा रहे हैं।

निगम द्वारा संयुक्त क्षेत्र एवं सहायतित क्षेत्र में विभिन्न औद्योगिक घरानों जैसे- टाटा, बिरला, गोयनका एवं भारतीयाज ग्रुप इत्यादि के साथ मिलकर संयुक्त रूप से उद्योग स्थापित एवं ऋण प्रदान किये गये।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम (यू.पी.एफ.सी.), कानपुर

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना भारत सरकार के राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के अंतर्गत वर्ष 1954 में राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य से की गयी थी कि प्रदेश में सर्वांगीण औद्योगीकरण हेतु लघु एवं मध्यम उद्योगों के स्थापनार्थ इकाइयों की भूमि, भवन एवं यंत्र-संयंत्र की खरीद हेतु दीर्घ कालीन ऋण उपलब्ध कराया जा सके। राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार वित्तीय निगम के निदेशक मण्डल का गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है तथा औद्योगिक इकाइयों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु संसाधन जुटाने सम्बन्धी आवश्यक निर्देश समय-समय पर निगम के निदेशक मण्डल द्वारा राज्य सरकार की सहमति से जारी किए जाते हैं।

लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन

उ.प्र. प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों की दृष्टि से औद्योगिक विकास हेतु अत्यन्त संभावनाशील प्रदेश है। प्रदेश की विशाल जनसंख्या जहाँ एक ओर कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराती है वहीं दूसरी ओर एक विशाल बाजार भी उपलब्ध कराती है। इसी प्रकार प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी बनाने हेतु अवसर प्रदान कराती है। ऐसे में प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों के कुशलतम उपयोग द्वारा प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से देश का अग्रणी राज्य बनाने एवं इस प्रकार व्यापक पूँजी निवेश एवं रोजगार सृजन करते हुए प्रदेश की विशाल जनसंख्या का जीवन स्तर समुन्नत करने के दृष्टिकोण से लघु उद्योग विभाग की स्थापना की गई जो कि अब सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग के नाम से जाना जा रहा है। वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के परिणामस्वरूप निरन्तर परिवर्तित हो रहे परिदृश्य में समावेशी विकास सुनिश्चित करने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की भूमिका का विशेष महत्त्व हो गया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जहाँ एक ओर कम पूँजी एवं कम स्थान में व्यापक स्तर पर रोजगार सृजित करते हुए उद्यम स्थापना की सुविधा प्रदान करते हैं वहीं दूसरी ओर पर्यावरणीय दृष्टि से भी अधिक अनुकूल होते हैं। इस प्रकार इन उद्यमों के विकास से जहाँ प्रदेश का समावेशी एवं बहुआयामी विकास होता है वहीं रोजगार सृजन की असीम सम्भावनाएं भी उत्पन्न होती हैं।

विभाग का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में प्रोत्साहनात्मक औद्योगिक वातावरण का सृजन करते हुए उद्यमियों को उद्यम स्थापना से लेकर उत्पादों के विपणन/निर्यात तक हर संभव सहायता प्रदान करना है। प्रदेश में आयुक्त एवं उद्योग निदेशक के अधीन **''उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय''** के अतिरिक्त मण्डलीय स्तर पर **परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय** तथा जिला स्तर पर **''जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र''** स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त लघु उद्योगों के विकास तथा हस्तशिल्प एवं निर्यात प्रोत्साहन में **उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम, भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण तथा उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो** आदि की भी प्रमुख भूमिका है, जो प्रदेश में लघु उद्योग के विकास तथा निर्यात प्रोत्साहन को बढ़ावा देने हेतु सतत् प्रयत्नशील हैं।

वर्तमान में विभाग द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का विकास, हस्तशिल्प एवं निर्यात प्रोत्साहन एवं एक जनपद एक उत्पाद योजना से संबंधित समस्त कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों के माध्यम से जिला स्तर पर कार्ययोजनाओं का प्रचार-प्रसार, सम्बन्धित योजनाओं में पात्र अभ्यर्थियों का चयन, आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, बैंक ऋण स्वीकृत कराना, प्रोजेक्ट स्थापित कराना, प्रोजेक्ट में आ रही समस्याओं के निदान तथा इकाइयों द्वारा किये गये उत्पादन के समुचित विपणन में सहयोग प्रदान करना इत्यादि कार्यों का निस्तारण किया जाता है। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र का वरिष्ठतम अधिकारी उपायुक्त उद्योग होता है, जिसके अधीन सुचारु–रूप से कार्य संचालन हेतु सहायक आयुक्त ऊद्योग अपर सांख्यकीय अधिकारी एवं सहायक प्रबन्धक आदि कार्यरत हैं।

प्रदेश में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान सरकार द्वारा **''उ0प्र0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन नीति–2017''** लागू की गयी है, जिसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास हेतु कई प्रावधान किये गये हैं। इसके अतिरिक्त उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय एवं निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ.प्र. द्वारा क्रियान्वित की जा रही अधिकांश विकास योजनाओं को ऑन लाइन किया गया, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ी है एवं उद्यमियों को बिना किसी रुकावट के सरलता से उद्यम स्थापना में विशेष मदद मिल रही है।

आर्थिक वैश्वीकरण और विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा में नये वातावरण और उदारीकरण के प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में लघु उद्योगों के त्वरित विकास एवं प्रतिस्पर्धा क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से **उ.प्र. निर्यात अवस्थापना विकास योजना, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन (टेक्नालॉजी अपग्रेडेशन) योजना** तथा भारत सरकार के सहयोग से **लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना** विभाग द्वारा संचालित की जा रही हैं। प्रदेश के वृहद औद्योगिक आस्थानों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को विभिन्न अवस्थापना सुविधायें (जैसे– सड़क, नाली, ड्रेनेज आदि) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना सुविधाओं की उच्चीकरण योजना संचालित की जा रही है।

विभाग द्वारा गर्वनमेन्ट ई-मार्केट प्लेस (जेम पोर्टल) को अंगीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश को सरकारी विभागों में देश में सबसे अधिक जेम पोर्टल पर क्रय किये जाने पर भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। अब सरकारी विभागों के लिए जेम पोर्टल पर मौजूद उत्पादों को खरीदना अनिवार्य हो गया है।

प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 14 से 27 नवम्बर, 2018 तक आयोजित 38वें भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विशेष प्रशंसा प्रमाण-पत्र से उत्तर प्रदेश को पुरस्कृत किया गया।

प्रदेश के एमएसएमई उद्यमों की स्थापना में आने वाली समस्याओं के निराकरण हेतु त्रिस्तरीय उद्योग बन्धु की बैठकों के आयोजन की व्यवस्था ''एकलमेज व्यवस्था योजना'' के अन्तर्गत की गई है। लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा जारी की जाने वाली स्वीकृतियों हेतु 'निवेश मित्र पोर्टल' प्रारम्भ किया गया है। उद्यमियों को सुगमतापूर्वक पंजीकरण उपलब्ध कराने हेतु ''उद्योग आधार व्यवस्था (ऑन-लाइन)'' लागू की गयी है।

प्रदेश के जनपदों के विभिन्न विशिष्ट हस्तशिल्पों, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों तथा विनिर्मित उत्पादों की उत्पादन तकनीकी व गुणवत्ता में सुधार, कारीगरों एवं हस्तशिल्पियों के कौशल विकास एवं उत्पादों की ब्राण्डिंग के माध्यम से उन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने व प्रदेश में रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से वर्तमान में सरकार द्वारा **''एक जनपद एक उत्पाद''** नाम से एक महत्वाकांक्षी योजना लागू की गयी है। प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापित कराने हेतु नये कलेवर में **मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना** तथा वयोवृद्ध शिल्पकारों के आर्थिक सहयोग हेतु **मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना** लागू की गयी है। प्रदेश के हस्तशिल्पियों की कार्यकुशलता तथा उनकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए **''विशिष्ट शिल्पकार पेंशन योजना''** एवं **''हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना''** क्रियान्वित की जा रही है। प्रशिक्षित एवं दक्ष हस्तशिल्पियों को तैयार करने हेतु प्रदेश में **''उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (यू.पी.आई.डी.)''** को **''क्राफ्ट डिजाइन शैक्षिक संस्थान''** के रूप मे विकसित किया जा रहा है।

प्रदेश में निर्यात को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से **त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना तथा वायुयान भाड़ा युक्तिकरण सहायता योजना** के अन्तर्गत निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में

भाग लेने हेतु तथा अपना माल विदेशों में भेजने हेतु भाडे के मद में वित्तीय सहायता दी जा रही है। देश की निर्यात में प्रदेश की भागीदारी को दोगुना करके प्रदेश के आर्थिक विकास के पथ को प्रशस्त करने के उद्देश्य से ''**निर्यात नीति-2015**'' लागू की गयी है। इसी क्रम में ''**एक्सपो मार्ट, लखनऊ एवं ग्रेटर नोयडा**'' की स्थापना भी की गई है। विश्व प्रसिद्ध भदोही के कलात्मक ऊनी कालीनों एवं ऊनी दरियों के उत्पादन एवं निर्यात की अभिवृद्धि हेतु भदोही में ''**भदोही कार्पेट बाजार (एक्सपो मार्ट)**'' की स्थापना की गयी है।

वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों में तकनीकी कुशलता बढ़ाने हेतु विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिये जाने के संबंध में **अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों हेतु प्रशिक्षण योजना** तथा **नई एमएसएमई नीति के अन्तर्गत** पारम्परिक कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए **विश्वकर्मा श्रम सम्मान** योजना प्रारम्भ की गयी। जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों की औद्योगिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें आधुनिक रूप में विकसित कर उन्हें कारपोरेट लुक देते हुए उद्यमियों को कॉन्सेप्ट से मार्केट तक हैण्डहोल्डिंग सपोर्ट प्रदान किये जाने हेतु **जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्रों के उच्चीकरण एवं आधुनिकीकरण की योजना** प्रारम्भ की गयी है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना

प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। उद्यमों के त्वरित विकास हेतु विभाग द्वारा कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण, औद्योगिक आस्थानों में अवस्थापना संबंधी सुविधाओं का उच्चीकरण, त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना, लघु उद्योग क्लस्टर विकास योजना, लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना, ब्याज उपादान योजना, हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एकल मेज व्यवस्था आदि उल्लेखनीय हैं।

उपरोक्त व्यवस्था के फलस्वरूप प्रदेश में लघु औद्योगिक इकाइयों के विकास में आशातीत प्रगति हुई है और अब इनके द्वारा आधुनिक वस्तुयें जैसे– इलेक्ट्रॉनिक एवं इन्जीनियरिंग उपकरण, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रौद्योगिकी आदि पर आधारित उद्योगों का भी विकास हो रहा है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना की प्रगति

वर्ष	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना	पूँजी विनियोजन (रु0 करोड़ में)	रोजगार सृजन
2016-17	327175	22813.546	1263767
2017-18	115582	12992.0498	611436
2018-19 (31.12.2018 तक)	83360	9099.694	481579

मध्यम उद्यमों की स्थापना की प्रगति

वर्ष	मध्यम उद्यमों की स्थापना	पूँजी विनियोजन (रु0 करोड़ में)	रोजगार सृजन
2016-17	330	1742.40	13580
2017-18	203	1635.87	27599

2018-19 (31.12.2018 तक)	208	1740.48	25784

लघु उद्योगों के विकास से सम्बन्धित योजनाओं का विवरण

उ.प्र. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पुरस्कार योजना

उक्त योजनान्तर्गत प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के अधिक से अधिक उद्यमियों को उनके हाई टर्नओवर सफल एवं उत्कृष्ट उत्पाद, गुणवत्ता, अनुसंधान एवं विकास हेतु पुरस्कार दिये जाते हैं। जो निम्नवत हैं-

1. **उ.प्र. उद्यमी पुरस्कार –** रु. 1.25 लाख (ड्राफ्ट) स्वर्ण पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र। यह पुरस्कार सभी श्रेणियों में चयनित प्रथम इकाइयों में से मास्टर तालिका के अंकों व सर्वाधिक टर्नओवर के आधार पर सर्वोत्तम इकाई को दिया जाता है।
2. **सूक्ष्म उद्योग श्रेणी – पुरस्कार-**
   प्रथम- रु. 50,000 (नगद), पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र
   द्वितीय- रु. 40,000 (नगद), पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र
3. **लघु उद्योग श्रेणी – पुरस्कार-**
   प्रथम- रु. 50,000 (नगद), पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र
   द्वितीय- रु. 40,000 (नगद), पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र
4. **मध्यम उद्योग श्रेणी – पुरस्कार-**
   प्रथम- रु. 50,000 (नगद), पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र
   द्वितीय- रु. 40,000 (नगद), पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र
5. **सर्विस क्षेत्र – पुरस्कार-**
   प्रथम- रु. 50,000 (नगद), पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र
   द्वितीय- रु. 40,000 (नगद), पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र
6. **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम उद्योगों में विशिष्ट प्रयासों हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमी पुरस्कार –**
   अनु. जाति/अनु. जनजाति – रु. 50,000 (नगद), पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र
   महिला उद्यमी – रु. 40,000 (नगद), पदक, प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र
7. **सूक्ष्म, लघु उद्योगों हेतु विशिष्ट गुणवत्ता उत्पाद –** कुल पुरस्कार संख्या 14 प्रत्येक श्रेणी में एक पुरस्कार रु. 25,000 (नगद) (पदक, प्रशस्ति पत्र)।
8. **सेवा क्षेत्र उद्यमी विशिष्ट पुरस्कार –** कुल पुरस्कारों की संख्या-12 प्रत्येक श्रेणी में एक पुरस्कार रु. 25,000 (नगद) (पदक, प्रशस्ति पत्र)।

सूक्ष्म, लघु उद्यम क्लस्टर विकास योजना

सूक्ष्म, लघु उद्यम क्लस्टर विकास योजना का शुभारम्भ भारत सरकार के परिपत्र संख्या टी.एम./यू.एन.डी./2005, दिनांक 14-03-2006 के द्वारा किया गया जिसका मूल उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों को क्लस्टर के रूप में विकसित करने का है, ताकि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के युग में इकाइयाँ अपनी उत्पादन क्षमता एवं गुणवत्ता का उच्चीकरण कर सकें। यह योजना सार्वजनिक निजी

सहभागिता की मंशा पर आधारित है, ताकि क्लस्टर्स के विकास एवं प्रबन्धन की पूरी जिम्मेदारी लाभार्थियों द्वारा ही उठायी जाये। योजनान्तर्गत प्रथम चरण में भारत सरकार द्वारा क्लस्टर अनुमोदित होने के पश्चात डायग्नोस्टिक स्टडी हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त की जाती है। डायग्नोस्टिक स्टडी, विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात उसे भारत सरकार के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाता है। क्लस्टर प्रोजेक्ट में केन्द्रांश, राज्यांश एवं क्लस्टर एस.पी.वी. का योगदान होता है। सामान्यतः केन्द्रांश 70 प्रतिशत, राज्यांश 10 प्रतिशत, एस.पी.वी.की सहभागिता 20 प्रतिशत रखी गयी है।

उ.प्र. सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना

आर्थिक वैश्वीकरण और विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा के नये वातावरण और उदारीकरण के सम्पूर्ण प्रभाव के परिप्रेक्ष्य में लघु उद्योगों के त्वरित विकास एवं प्रतिस्पर्धा को विकसित करने के उद्देश्य से यह योजना शासनादेश सं0 26/18-2-2007-30 (26)/2003 दिनांक 16.01.2007 द्वारा प्रारम्भ की गई है।

उक्त योजनान्तर्गत निम्नलिखित सुविधायें दी जा रही हैं –

- तकनीक की खरीद और आयात में व्यय की गई धनराशि का 50% अधिकतम रु. 2.50 लाख।
- उत्पादन में वृद्धि एवं गुणवत्ता में सुधार हेतु मशीन/संयंत्रों के क्रय में व्यय की गई धनराशि का 50% अधिकतम रु. 2.00 लाख।
- मशीनों के क्रय हेतु लिये गये ऋण पर ब्याज का 5% प्रतिवर्ष अर्थात अधिकतम रु. 50,000.00 पाँच वर्षों तक।
- आई.एस.ओ./आई.एस.आई. पर व्यय की गई धनराशि का 50% अधिकतम रु. 2.00 लाख।
- परामर्श प्राप्त किये जाने पर व्यय की गई धनराशि का 90% अधिकतम रु. 50,000.00

उक्त शासनादेश में संशोधन करते हुए संशोधित शासनादेश सं. 1747/18-2-2007-30(26)/2003 टी.सी., दिनांक 11.12.2012 द्वारा निम्न मदों में सुविधाएं दी जा रही हैं।

(1) ब्राण्डिंग - इकाई द्वारा शासनादेश में उल्लिखित पात्रता को पूरी करने की स्थित में तीसरे वर्ष के उत्पादन अथवा उसके पश्चात आवेदन करने की स्थिति में सम्बन्धित वर्ष के पूर्ण विपणन का एक प्रतिशत अधिकतम रु. 50,000.00 का अनुदान।

(2) बौद्धिक सम्पदा - यदि कोई उद्यम अपने उत्पाद एवं उत्पाद श्रृंखला हेतु बौद्धिक सम्पदा सुरक्षा का आवश्यक प्रमाणीकरण अथवा ट्रेडमार्क हेतु प्रमाणीकरण प्राप्त करता है तो प्रमाणीकरण हेतु भुगतान किये गये वास्तविक शुल्क का 75 प्रतिशत अधिकतम रु. 2.00 लाख और यदि कन्सलटेन्सी ली गयी हो तो मूल योजना के प्राविधानानुसार कन्सलटेन्सी शुल्क की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

एम.एस.एम.ई. पोर्टल का विकास

वर्तमान युग में प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास के कारण विश्व एक ग्लोबल विलेज बन गया है एवं आम जनमानस इस संचार व सूचना विज्ञान आधारित दुनिया में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बहुत अधिक आश्रित हो गया है, इन परिस्थितियों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भी वर्तमान युग के अनुरूप अपने को ढालने की नितान्त आवश्यकता है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, स्वरोजगारियों व हस्तशिल्पियों को बहुआयामी योजनाओं व व्यवस्थाओं का लाभ सुलभता से प्रदान करना अत्यंत ही महत्त्वपूर्ण है। उद्यमियों एवं हस्तशिल्पियो की इन आवश्यकताओं की सम्पूर्ति में विभाग सदैव प्रयत्नशील रहा है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपलब्ध बजट रु. 5.00 लाख से विभागीय पोर्टल को अद्यावधिक कराये जाने तथा एनआईसी द्वारा विकसित कराये जा रहे माड्यूलों की तकनीकी ऑडिट, सर्वर व डाटा सर्वर इत्यादि कार्यों को कराया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में पोर्टल के अनुरक्षण, विकसित किये जा रहे अन्य माड्यूलों इत्यादि कार्यों हेतु रु. 5.00 लाख की आवश्यकता होगी।

उ.प्र लघु एवं मध्यम उद्यम ब्याज उपादान योजना

देश तथा प्रदेश की अर्थ व्यवस्था तथा रोजगार सृजन में एम.एस.एम.ई. की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। कृषि के पश्चात एम.एस.एम.ई ही सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र है। एम.एस.एम.ई. क्षेत्र को और प्रतिस्पर्धी बनाने, सुदृढ़ करने एवं नव उद्यमियों को इस क्षेत्र की ओर आकृष्ट करने के उद्देश्य से ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम नीति के अन्तर्गत प्रदेश के पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड व मध्यान्चल क्षेत्र के जनपदों में उ.प्र. लघु एवं मध्यम उद्यम ब्याज उपादान योजना'' वर्ष 2016 से संचालित है।

उक्त क्षेत्र के जनपदों में स्थापित होने वाली नई लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्लान्ट एवं मशीनरी क्रय हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज पर उपादान प्रदान किया जाता है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहित कर अधिकाधिक रोजगार के अवसर सृजित हो सकें। योजनान्तर्गत पूर्वान्चल व बुन्देलखण्ड क्षेत्र के जिलों में स्थापित होने वाली लघु एवं मध्यम औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों को 07 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु.3.00 लाख प्रति इकाई प्रतिवर्ष की दर से 05 वर्षों तक तथा मध्यान्चल क्षेत्र के जिलों में 05 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु.3.00 लाख प्रति इकाई प्रतिवर्ष की दर से 05 वर्षों तक ब्याज उपादान उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना

उ.प्र. शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या-16/2017/686/18-2-2017-30(9)/2015, दिनांक 28.09.2017 द्वारा उ.प्र. के सूक्ष्म, लघु उद्यमों को बढ़ावा देने एवं प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से ''मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना'' संचालित किये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है।

योजनान्तर्गत उद्योग क्षेत्र की रु. 25.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाइयों तथा सेवा क्षेत्र की रु. 10.00 लाख तक की कुल परियोजना लागत की सूक्ष्म इकाइयों को कुल परियोजना लागत का 25 प्रतिशत, उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम रु. 06.25 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम रु. 02.50 लाख की सीमा तक मार्जिन मनी उपलब्ध करायी जायेगी, जो उद्यम के 02 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त अनुदान में परिवर्तित हो जायेगी। आवेदन उ.प्र. का मूल निवासी, उसकी आयु 18 से 40 वर्ष तक तथा योग्यता हाईस्कूल एवं किसी बैंक/वित्तीय संस्थान का डिफाल्टर नही होना चाहिए।

'एक जनपद एक उत्पाद' योजना

योजना की संक्षिप्त रूपरेखा एवं उद्देश्य

योजनान्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों तथा हस्तशिल्पी इकाइयों के माध्यम से प्रदेश के समावेशी एवं सतत् आर्थिक विकास हेतु प्रत्येक जनपद से विशिष्ट पहचान रखने वाले उत्पादों का चयन करते हुए उनके कुशलतापूर्वक उत्पादन एवं विपणन हेतु आवश्यक सुविधाओं का विकास किया जायेगा।

इस हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के समन्वय से वित्त पोषण, कौशल विकास, उत्पादन पद्धति/तकनीक/डिजाइन में सुधार, अवस्थापना एवं विपणन सुविधाओं का

विकास, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी आदि से सम्बन्धित गतिविधियां संचालित की जायेंगी। उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु यथावश्यक इस योजनान्तर्गत प्रत्यक्ष हस्तक्षेप (साफ्ट एण्ड हार्ड इन्टरवेंशन) के द्वारा भी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

योजना का औचित्य

भौगोलिक एवं पारिस्थितिकीय विविधता तथा परम्परागत कला कौशल के कारण प्रदेश के विभिन्न जनपदों के उत्पाद राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में पहले से ही लोकप्रिय हैं। प्रदेश का लगभग प्रत्येक जनपद एक विशिष्ट उत्पाद के उत्पादन हेतु जाना जाता है परन्तु स्किल्ड मैन पॉवर, आधुनिक तकनीकी, पूँजी, उत्पादन एवं विपणन से सम्बन्धित अवस्थापना सुविधाओं आदि की कमी के कारण प्रदेश में प्रचुरता से उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का समुचित उपयोग अभी तक नहीं किया जा सका है।

अतः 'एक जनपद एक उत्पाद योजना' के माध्यम से भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं यथा- मुद्रा योजना, पीएमईजीपी,सीएमईजीपी, स्टैंडअप तथा स्टार्टअप के माध्यम से डबटेलिंग करते हुए इकाइयों हेतु वित्त पोषण उपलब्ध कराया जायेगा। मेगा/क्लस्टर विकास योजना ट्रेड इन्फ्रॉस्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम एवं निर्यात परक अवस्थापना सुविधा विकास योजना के माध्यम से अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जायेगा। योजनान्तर्गत हस्तशिल्पियों/उद्यमियों को प्रशिक्षण हेतु उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन उद्यमिता विकास संस्थान एवं यूपी इन्स्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से समन्वय करते हुए प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ-साथ विपणन सुविधाओं के विकास हेतु जिला स्तर, मण्डल स्तर एवं राज्य स्तर पर विपणन सुविधाओं का विकास किया जायेगा। सूक्ष्म, लघु एवं हस्तशिल्पी इकाइयों को विभिन्न राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में प्रतिभाग/एक्सपोजर विजिट/स्टडी टूर के माध्यम से उत्पादकों को अपने उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय मांग एवं गुणवत्ता के अनुरूप उत्पादित किये जाने एवं विपणन/निर्यात हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

योजनान्तर्गत किये जा रहे प्रमुख कार्य

'एक जनपद एक उत्पाद योजना' को आवश्यकतानुसार सहयोग एवं समर्थन उपलब्ध कराया जाता रहेगा। सामान्य सुविधा केन्द्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जनपद के चिन्हित उत्पादों के उत्पादन से लेकर विपणन तक के अवयवों जैसे- कच्चा माल, डिजाइन, गुणवत्ता सुधार, अनुसंधान एवं विकास, पर्यावरण एवं ऊर्जा संरक्षण, पैकेजिंग आदि की सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। ''एक जनपद एक उत्पाद'' कार्यक्रम (ओ.डी.ओ.पी.) के अंतर्गत चिन्हित उत्पादों के समग्र विकास की कड़ी में वित्त पोषण में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चिन्हित ओ.डी.ओ.पी. उत्पादों की विभिन्न विधाओं में कार्यरत अथवा कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए ''एक जनपद एक उत्पाद'' कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त पोषण हेतु सहायता योजना संचालित की गयी है। योजनान्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों व अन्य बैंकों द्वारा वित्त पोषण किया जाएगा तथा उक्त के सापेक्ष प्राप्त क्लेम के विरुद्ध विभाग द्वारा मार्जिन मनी धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जाएगी। अब तक 1600 से अधिक आवेदन-पत्र विभिन्न जिलों से बैंकों को प्रेषित किये जा चुके हैं।

विभिन्न ओडीओपी कार्यक्रमों के माध्यम से अभी तक चयनित उत्पादों की 351 टूल-किट लाभार्थियों को वितरित की जा चुकी है।

योजना को वर्ष 2019-20 में क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

हस्तकला विकास हेतु योजनाओं का विवरण

हस्तशिल्प उद्योग

उत्तर प्रदेश में हस्तशिल्प उद्योग की अपार सफलताएं एवं सम्भावनाएं हैं और उत्तर प्रदेश अपनी परम्परागत शैली के कारण अपने हस्तशिल्प उद्योगों में विशिष्ट स्थान रखता है। मुख्यतः बनारसी शिल्प में ब्रोकड, भदोही व मिर्जापुर में कालीन, लखनऊ में चिकन तथा आगरा का कलात्मक संगमरमर का सामान, मुरादाबाद तथा वाराणसी में पीतल के पात्र, फिरोजाबाद में कलात्मक काँच की वस्तुएं एवं काँच की चूड़ियाँ तथा सहारनपुर में नक्काशीदार लकड़ी का सामान आदि की माँग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक है। देश के कुल निर्यात में हस्तशिल्प की सहभागिता लगभग 45 प्रतिशत से अधिक है। राज्य सरकार ऐसे हस्तशिल्प उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये अनवरत रूप से प्रयत्नशील रही है तथा इसके समुचित विकास हेतु योजनाबद्ध रूप से निम्न योजनाएं चलायी जा रही हैं :

विशिष्ट हस्तशिल्प प्रादेशिक पुरस्कार योजना

यह योजना वित्तीय वर्ष 1977-78 से प्रारम्भ की गई है। वर्तमान में इस योजना का नाम विशिष्ट हस्तशिल्प प्रादेशिक पुरस्कार है। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के उत्कृष्ट हस्तशिल्पियों को उच्च-कोटि की कलात्मक वस्तुओं के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करना है। इसी उद्देश्य से उनके द्वारा निर्मित कलाकृतियों को उत्कृष्टता के आधार पर चयन कर योजनान्तर्गत पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं :

क्र. सं.	योजना का नाम	पुरस्कारों की संख्या	पुरस्कार की धनराशि	पात्रता
1	2	3	4	5
1.	राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार	20	रु. 35000/- प्रति हस्तशिल्पी	उ0प्र0 के हस्तशिल्पी जिनकी
2.	दक्षता हस्तशिल्प पुरस्कार	20	रु. 20000/- प्रति हस्तशिल्पी	उम्र 25 वर्ष या उससे अधिक हो

अल्पसंख्यक समुदाय के दस्तकारों की सहायता करने तथा हस्तकला उन्नयन से सम्बन्धित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की परियोजना के अन्तर्गत सहायता योजना

समाज के अल्पसंख्यक समुदाय के दस्तकारों के उत्थान हेतु प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1984 से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अधीनस्थ सामान्य सुविधा केन्द्र (सी.एफ.सी.) तथा प्रशिक्षण-कम-उत्पादन-कम-प्रसार केन्द्र (टी.पी.ई.सी.) की स्थापना हेतु उ.प्र. सरकार द्वारा रु. 38.88 लाख के अनुदान की स्वीकृति प्रदान कर योजना प्रारम्भ की गई थी।

हस्तशिल्पियों के प्रशिक्षण तथा कौशल उन्नयन हेतु डिजाइन वर्कशाप योजना

(अ) हस्तशिल्पियों के कौशल विकास की प्रशिक्षण योजना

यह योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2007-08 से प्रारम्भ की गयी है। हस्तशिल्प क्षेत्र में परम्परागत विधा से हो रहे कार्य को धीरे-धीरे बेहतर तकनीकी से कराना एवं इस हेतु उनके कौशल विकास की दृष्टि से प्रशिक्षण कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। यह योजना प्रदेश के हस्तशिल्प बाहुल्य वाले जिलों में संचालित की जाती है। जिसके अन्तर्गत 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के व्यक्ति पात्र होते हैं, किन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अधिकतम आयु में 5 वर्ष तक की

शिथिलता दिये जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत परम्परागत शिल्पकारों के कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसमें नवीनतम तकनीक एवं उन्नत किस्म के औजारों व उपकरणों के उपयोग भी सिखाये जाते हैं। यह प्रशिक्षण भारत सरकार के राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार/राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार व दक्षता पुरस्कार प्राप्त शिल्पकारों तथा विकास आयुक्त हस्तशिल्प द्वारा शिल्पगुरु की उपाधि से अलंकृत शिल्पकारों के घरों पर उन्हीं के व्यक्तिगत निर्देशन व संरक्षण में संचालित किया जाता है।

(ब) निर्यात बाजार हेतु डिजाइन वर्कशॉप योजना

यह योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2007-08 से प्रारम्भ की गयी है। उत्तर प्रदेश से कुल निर्यात में हस्तशिल्प उद्योग क्षेत्र की सहभागिता 45 प्रतिशत से अधिक है परन्तु सभी उत्पाद परम्परागत डिजाइनों तक सीमित एवं उन पर आधारित हैं, जिन्हें निरन्तर विकसित हो रही माँग के अनुरूप बनाये जाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु ही प्रमुख निर्यात परक हस्तशिल्प ट्रेडों में डिजाइन वर्कशाप का आयोजन किया जाता है। यह योजना प्रदेश के ऐसे प्रमुख हस्तशिल्प क्षेत्रों में, जहाँ हस्तशिल्पियों द्वारा निर्यात योग्य उत्कृष्ट कलाकृतियाँ बनाई जा रही हैं, संचालित कराई जा रही है।

योजना का नाम	प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षण की धनराशि	प्रशिक्षार्थियों की संख्या	प्रशिक्षण की अवधि	पात्रता
निर्यात बाजार हेतु डिजाइन वर्कशाप योजना	52	रु. 78,00,000/- रु. 1,50,000/- प्रति प्रशिक्षण	1040 (20 प्रशिक्षार्थी प्रति प्रशिक्षण)	15 दिवसीय प्रति प्रशिक्षण	वहीं हिस्तशिल्पी पात्र होंगे जो हस्तशिल्प/ निर्यात से संबंद्ध उत्पादों में अनुभव रखते हैं।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1040 हस्तशिल्पियों को प्रशिक्षण मैपडाईटैक्स संस्था, कानपुर द्वारा एवं उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

विशिष्ट शिल्पकारों के लिये पेंशन योजना

शिल्पियों की बहुलता एवं उनके कला कौशल ने प्रदेश की शिल्प विधा एवं कलाकृतियों को अन्तर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है किन्तु अपनी कार्य–परिस्थितियों व अस्वास्थ्यकर परिवेश में कार्य करने के कारण दस्तकारों की शारीरिक क्षमता अन्य क्षेत्रों के सापेक्ष समय से पहले ही कम हो जाती है। वे गिरते स्वास्थ्य एवं बढ़ती आयु के कारण शारीरिक रूप से शिथिल हो जाते हैं। फलतः उनकी आय जनन क्षमता भी घट जाती है। अतः उनके अनुत्पादक शेष जीवनकाल में राज्य सरकार से आर्थिक सहयोग आवश्यक है। इसी उद्देश्य से विशिष्ट शिल्पकारों के लिये पेंशन योजना संचालित की जा रही है।

योजना का नाम	पेंशन प्राप्त करने हेतु पात्रता	पेंशन स्वरूप धनराशि	अवधि	अभ्युक्ति
विशिष्ट शिल्पकारों के लिये पेंशन योजना	ऐसे ही शिल्पकार/दस्तकार पात्र होते हैं जिन्हें भारत सरकार के शिल्प गुरु के रूप में चयनित किया जाता है अथवा जो राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार/राज्य सरकार के हस्तशिल्प पुरस्कार/दक्षता प्रमाण-पत्र प्राप्त होते हैं। उनकी न्यूनतम आयु 50 वर्ष अवश्य	रु.2000/- प्रति माह	चयनोपरान्त शेष जीवन काल तक	

होनी चाहिए, अधिकतम आयु का कोई प्रतिबन्ध नहीं होता है अर्थात चयनोपरान्त शेष जीवनकाल तक इस पेंशन हेतु वे अधिकृत होते हैं। शारीरिक विकलांग शिल्पकार/दस्तकार होने की स्थिति में न्यूनतम आयु सीमा में दस वर्ष की छूट है, जिसके लिये मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र देय होता है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 197 विशिष्ट हस्तशिल्पियों को पेंशन धनराशि निफ्ट के माध्यम से सीधे हस्तशिल्पी के बैंक खाते में उपलब्ध करायी जा चुकी है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2019-20 में पेंशन दिये जाने का प्रस्ताव है।

हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना

उत्तर प्रदेश में लगभग 30 लाख हस्तशिल्पी हैं। ये विभिन्न हस्तशिल्प जैसे- कालीन, चूड़ी, ताला, जरी एवं जरदोजी, हैण्डलूम चिकनकारी, स्टोन कार्विन, वुड कार्विन, ब्लैक पाटरी, बेंत-बांस, सजर पत्थर, लकड़ी के खिलौने, गेहूँ के डण्ठल की कला, टेराकोटा, पीतल कला, मिट्टी की मूर्ति, वुडन एवं ग्लास वीड्स, ताड़ के पत्ते पर कला, जूट वाल हैंगिंग, पतंग माझा, पंजादरी, पाटरी आदि क्षेत्र में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान कर प्रदेश एवं देश का नाम सम्पूर्ण विश्व में रौशन कर रहे हैं। इसके अन्तर्गत आच्छादित होने वाले शिल्पियों को मेले/प्रदर्शनी में कार्यशाला से प्रदर्शनी स्थल तक ले जाये जाने वाले माल पर आने वाले परिवहन व्यय की व्यय एवं स्टॉल के किराया की प्रतिपूर्ति हेतु अधिकतम रु. 10,000/- राज्य सहायता प्रदान की जाएगी।

विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति-2017 के प्रस्तर 7.10.1 के अंतर्गत प्रदेश के शहरी एवं गामीण क्षेत्र के स्थानीय दस्तकारों तथा पारम्परिक कारीगरों के विकास हेतु **''विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना''** संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत पारम्परिक कारीगर जैसे- बढ़ई, दर्जी, बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, मोची, राजमिस्त्री एवं हस्तशिल्पियों के आजीविका के साधनों का सृदृढ़ीकरण करते हुए उनके जीवन स्तर को उन्नत किया जायेगा। इस कार्य परम्परागत कारीगरों को कौशल वृद्धि करके तथा उन्नत किस्म के टूल किट उपलब्ध कराते हुए उनके वित्त पोषण की भी व्यवस्था की जाएगी।

योजना के निम्न घटक हैं :

क-कौशल वृद्धि प्रशिक्षण

योजना के इस घटक में पारम्परिक कारीगरों की कौशल वृद्धि हेतु उन्हें उ.प्र. कौशल मिशन के आरपीएल से जहां संभव हो सकेगा, जोड़ा जायेगा तथा इससे इतर ऑन जॉब ट्रेनिंग हेतु मास्टर क्राफ्ट्समैन द्वारा प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। इस योजनान्तर्गत आच्छादित पारंपरिक कारीगरों एवं दस्तकारों को उद्यम के आधार पर एक साप्ताहिक कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम निःशुल्क एवं आवासीय होगा। 6 दिवसीय प्रशिक्षण स्थल तहसील अथवा जनपद मुख्यालय पर होगा। प्रत्येक बैच मे अधिकतम 25 प्रशिक्षार्थी होंगे। प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षुओं को श्रम विभाग

द्वारा जारी अर्धकुशल श्रमिक के मजदूरी के आधर पर मानदेय देय होगा। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्था को प्रशिक्षार्थी प्रति दिन की दर से कुल रु. 700/- तथा प्रशिक्षणार्थियों के खान-पान की व्यवस्था हेतु रु. 300/- प्रति प्रशिक्षार्थी प्रति दिन की दर से कुल रु. 1000/- का भुगतान किया जायेगा। प्रशिक्षणोपरांत प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण-पत्र भी दिया जायेगा। प्रशिक्षक, प्रशिक्षण स्थल, प्रशिक्षार्थी के रहने का प्रबंध एवं प्रमाण-पत्र प्रशिक्षण संस्थान इसी प्रदत्त राशि से करेगा। प्रशिक्षण संस्थान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों को भुगतान करेगा।

ख-टूलकिट वितरण

परम्परागत कारीगरों द्वारा प्रयोग किये जा रहे औजार पुरानी तकनीक पर आधारित हैं। सेवा/व्यवस्था के सफल संचालन हेतु आधुनिकतम तकनीक पर आधारित उन्नत किस्म के टूलकिट का वितरण कौशल वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रम के उपरांत सभी प्रशिक्षणार्थियों को किया जायेगा। टूलकिट की ट्रेडवार सूची बनाने तथा उसका मूल्य निर्धारित करने और आपूर्ति करने हेतु आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ.प्र. के स्तर से कार्य किया जायेगा।

ग-मार्जिन मनी ऋण

परम्परागत कारीगरों को अक्सर वित्तीय समस्या का सामाना करना पड़ता है। वित्तीय प्रोत्साहन हेतु योजनान्तर्गत उन्हें रु. 5.00 लाख तक का ऋण तथा उस पर 25 प्रतिशत धनराशि मार्जिन मनी के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी। स्वरोजगार हेतु ऋण राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों व अन्य शेड्यूल्ड कामर्शियल बैंकों के माध्यम से प्रदान किया जायेगा। सेवा/व्यवसाय के 02 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त मार्जिन मनी, उपादान के रूप में परिवर्तित हो जायेगी।

योजना को वर्ष 2019-20 में भी क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना

हस्तशिल्पियों के जीवन स्तर व उनकी आर्थिक स्थिति में गुणात्मक सुधार लाने तथा पारम्परिक कलाओं को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश संख्या-748/18-4-2016-8(ह0शि0)/10टी0सी0, दिनांक 02.06.2016 के माध्यम से समाजवादी हस्तशिल्प पेंशन योजना लागू की गयी थी, जिसका नाम शासनादेश सं0- 1093/18-4-2017-8 (हस्तशिल्प)/10टी0सी0, दिनांक 13.12.2017 द्वारा मुख्यमंत्री हस्तशिल्प पेंशन योजना कर दिया गया है। योजनान्तर्गत चयनित हस्तशिल्पियों को रु. 500/- प्रतिमाह पेंशन दी जायेगी। योजना हेतु पात्रता निम्नवत है :

(1) हस्तशिल्पियों की न्यूनतम आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो (महिला हस्तशिल्पियों एवं शारीरिक रूप से विकलांग हस्तशिल्पियों को न्यूनतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी)।

(2) हस्तशिल्पियों के पास विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत हस्तशिल्प पहचान-पत्र (आर्टीजन कार्ड) होना आवश्यक है।

(3) शिल्पकार के परिवार की वार्षिक आय रु. एक लाख से अधिक न हो।

(4) शिल्पकार सरकारी/अर्ध सरकारी/गैर सरकारी/एन0जी0ओ0/निजी संगठनों में नियमित वेतन भोगी कर्मचारी न हो।

(5) हस्तशिल्पी को एक ही प्रकार की पेंशन योजना का लाभ अनुमन्य होगा। यदि हस्तशिल्पी द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार की अन्य योजनाओं में पेंशन का लाभ प्राप्त किया गया हो, तो वह इस योजना का लाभ पाने हेतु पात्र नहीं होगा।

(6) योजना से आच्छादित हस्तशिल्पी चार पहिया वाहन का मालिक न हो।

औद्योगिक आस्थान योजना

औद्योगिक आस्थान योजनान्तर्गत विभाग द्वारा लघु उद्योगों के विकास हेतु प्रारम्भिक अवस्थापना आवश्यकता हेतु दीर्घकालिक 15 वर्षों की आसान किश्तों पर भूखण्ड/शेड उपलब्ध कराये जाते हैं। औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक आस्थान योजना का शुभारम्भ द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था। औद्योगिक आस्थान योजना के अंतर्गत प्रदेश में लघु उद्योगों की स्थापना, विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए इच्छुक उद्यमियों को भूखण्ड एवं शेडों के साथ-साथ उनमें आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं को सुसज्जित कर उपलब्ध कराया जाता है। प्रदेश की औद्यागीकरण की आवश्यकता एवं महत्ता के परिप्रेक्ष्य में इस योजना के अंतर्गत औद्योगिक आस्थान का विकास ग्रामीण/नगरीय क्षेत्रों में किया गया है।

जिला उद्योग केन्द्र योजना

जिला उद्योग केन्द्र योजना का शुभारम्भ वर्ष 1978-79 में किया गया है। इस योजना का प्रारम्भ निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया है :

1. लघु एवं ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित करके रोजगारों का अधिकाधिक सृजन एवं औद्योगीकरण की गति में अधिक तीव्रता लाना।
2. उद्योगों की स्थापना हेतु इच्छुक उद्यमियों को एक ही छत के नीचे उद्योग स्थापना की समस्त जानकारी एवं सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना।
3. लघु एवं छोटे उद्योगों के विकास के लिये अवस्थापना का प्रबन्धन, तकनीकी उद्यमिता विकास तथा सर्वेक्षण करना।
4. लघु उद्यमियों की विभिन्न स्तरों पर अनुमतियाँ/स्वीकृतियाँ शीघ्र जारी कराने के उद्देश्य से जिला उद्योग बन्धु की स्थापना प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में की गई है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के स्वरोजगार हेतु सामूहिक प्रशिक्षण योजना

यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत यह प्रयास है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिक से अधिक व्यक्तियों को योजना में आच्छादित किया जाये, ताकि वे प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रशिक्षणोपरान्त एक कुशल कारीगर बन सकें।

अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों हेतु सामूहिक प्रशिक्षण योजना

यह योजना अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए लागू की जा रही है। अन्य पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवाओं का स्किल डेवलपमेंट कराकर उनको स्वरोजगार से जोड़ना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है। योजनान्तर्गत प्रत्येक जिले की स्थानीय मांग के अनुरूप ट्रेडों का चयन कर विषय विशेषज्ञों/तकनीकी एक्सपर्ट के माध्यम से प्रशिक्षण कराया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन उद्यमिता विकास संस्थान, उ.प्र. के माध्यम से कराया जाता है।

लाभार्थियों को उनके घर से ट्रेनिंग सेन्टर तक आने-जाने का किराया तथा दोपहर का भोजन एवं सायंकाल की चाय आदि के व्यय का प्रावधान भी किया गया है, जिससे लाभार्थी प्रेरित होकर प्रशिक्षण में प्रतिभाग कर सके।

प्रशिक्षणार्थियों को एक माह का सैद्धांतिक प्रशिक्षण एवं तीन माह का व्यावहारिक प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों/सेवा केन्द्रों पर दिया जायेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ हो जाने के पश्चात् प्रशिक्षणार्थियों को सम्बन्धित ट्रेडों की टूलकिट दी जायेगी। इस प्रकार प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति सम्बन्धित ट्रेडों में कर सकेंगे।

बजट में वृद्धि का औचित्य

1. यह योजना वित्तीय वर्ष 2018-19 से प्रारम्भ की गयी है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 75.00 लाख का बजट हुआ था, जिससे प्रदेश के सभी 75 जिलों में प्रति जिला 14 लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

2. वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति प्रशिक्षण योजना की तर्ज पर इस योजना में भी प्रति जिला 45-45 लाभार्थियों के दो बैच को प्रशिक्षत कराया जाना प्रस्तावित किया जा रहा है।

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी को दृष्टिगत रखते हुए औद्योगिक विकास को गति देने तथा बेरोजगार शिक्षित/प्रशिक्षित एवं तकनीकी (कुशल/अकुशल) व्यक्तियों को अपना उद्यम स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने एवं उन्हें स्वरोजगार युक्त बनाये जाने के दृष्टिकोण से यह योजना संचालित की जा रही है।

योजना को वित्तीय वर्ष 2019-20 में भी क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

उ0प्र0 इन्स्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (यू0पी0आई0डी0)

प्रदेश के हस्तशिल्प व हैण्डलूम क्षेत्र में प्रशिक्षित डिजाइनरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद के मार्गदर्शन में यू0पी0आई0डी0 की स्थापना की गयी है। यू0पी0आई0डी0, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अधीन एक स्वायतशासी संस्था है जिसका उद्देश्य डिजाइन क्षेत्र में सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा व पी0जी0 डिप्लोमा कोर्सेज संचालित कर डिजाइन के क्षेत्र में प्रशिक्षित मैन पावर उपलब्ध कराना है। यू0पी0आई0डी0 को आगामी 5 वर्षों में चरणबद्ध रूप से क्राफ्ट डिजाइन के क्षेत्र में एक स्तरीय स्वायतशासी शैक्षणिक संस्थान के रूप में विकसित किये जाने की योजना है।

योजना का उद्देश्य

- यूपीआईडी को क्राफ्ट डिजाइन क्षेत्र के विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान के रूप में विकसित करना।
- संस्थान द्वारा डिजाइन क्षेत्र में प्रशिक्षित मैन पावर उपलब्ध कराना एवं क्राफ्ट क्षेत्र के समग्र विकास हेतु रिसर्च, डेवलपमेंट।
- प्रारम्भ में विभिन्न अवधियों के सर्टीफिकेट कोर्सेज का संचालन एवं बाद में तीन वर्ष अवधि का क्राफ्ट डिजाइन में डिप्लोमा एवं दो वर्ष का क्राफ्ट एंटरप्रिन्योरशिप में पी.जी. डिप्लोमा कोर्सेज का संचालन।

वर्तमान में संस्थान द्वारा एन.आई.डी./डी.सी.एच. के डिजाइन विशेषज्ञों के माध्यम से विभिन्न अवधियों के सर्टिफिकेट कोर्सेज/प्रशिक्षण कार्यक्रम/वर्कशाप संचालित किये जा रहे हैं।

उद्यमिता विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

उद्यमिता विकास संस्थान उ.प्र., लखनऊ प्रदेश में उद्यमीय वातावरण के सृजन एवं उद्यमिता विकास के क्षेत्र में एक शीर्ष संस्थान है। प्रशिक्षण, शोध, प्रकाशन, कार्यशाला, सेमिनार व गोष्ठी आदि के माध्यम से उद्यमिता संस्कृति को विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। संस्थान की स्थापना उ.प्र. शासन द्वारा केन्द्रीय वित्तीय संस्थाओं (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम) एवं दो व्यवसायिक बैंको (भारतीय स्टेट बैंक तथा पंजाब नेशनल बैंक) के सहयोग से वर्ष 1986 में एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में की गई। संस्थान का मुख्यालय लखनऊ में एवं शाखा कार्यालय गोरखपुर, वाराणसी, देहरादून में स्थित हैं। संस्थान द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सम्पादन के अतिरिक्त प्रदेश की आर्थिक व सामाजिक विकास की दिशा में विभिन्न स्तरों पर नीतिगत परामर्श एवं सुझाव दिये जाते हैं। संस्थान द्वारा भावी एवं कार्यशील उद्यमियों, शिक्षित बेरोजगार युवाओं एवं युवतियों, अकुशल एवं अर्द्धकुशल कारीगरों, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों, विभिन्न संस्थाओ, महाविद्यालयों, तकनीकी संस्थाओं एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रशिक्षकों, शिक्षकों एवं उत्प्रेरकों, औद्योगिक विकास से जुड़े विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। मानव विकास के क्षेत्र में संस्थान की महत्त्वपूर्ण भूमिका के मद्देनजर रखते हुए उ.प्र. सरकार द्वारा उद्यम एवं निवेश नीति-2012 के अंतर्गत राज्य स्तरीय उद्यमिता तथा मानव संसाधन विकास को उच्च संस्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है। संस्थान द्वारा वृहद स्तर पर औद्योगिक विकास से जुड़े विभिन्न विभाग के अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण, कार्यशाला एवं सेमीनार आयोजित कराए जाने की कार्य योजना है।

प्रशिक्षण के अतिरिक्त संस्थान द्वारा परियोजना, अनुश्रवण, सेमीनार, संगोष्ठी, प्रदर्शनी एवं मेला आदि क्रिया-कलापों का आयोजन किया जाता है। उद्यमिता विकास, उद्यम संभावना, औद्योगिक विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर शोध कार्य भी संस्थान द्वारा किया जाता है।

संस्थान को ''सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स'' के रूप में विकसित किये जाने हेतु मुख्य रूप से दो बिन्दुओं पर कार्यवाही की जा रही है :

0.1 ''सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स'' के रूप में अवस्थापना सुविधाओं का विकास।

0.2 प्रदेश के त्वरित औद्योगिक विकास हेतु अधिकारियों, कार्मिकों नव एवं कार्यकारी उद्यमियों की क्षमता वृद्धि हेतु विभिन्न विषयों पर संगोष्ठी, सशक्त प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशाला व अन्य गतिविधियों का संयोजन व संचालन।

सार्वजनिक उद्यम

संक्षिप्त इतिहास

राज्य सरकार ने सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 76/ब्यूरो-31(1)74, दिनांक : 15 जुलाई, 1974 द्वारा संशोधित सामान्य (प्रशासन पुनर्संगठन) विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 31(1)-74- ओ0 एण्ड एम0, दिनांकः 21 फरवरी, 1974 के माध्यम से सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को सचिवालय की मुख्य सचिव शाखा में एक प्रशासकीय इकाई के रूप में स्थापित किया। कालांतार में सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों की संख्या में वृद्धि के साथ उनके प्रबन्धन में व्यावसायिक दृष्टिकोण एवं अधिक लचीलापन लाने के उद्देश्य से सचिवालय से पृथक ब्यूरो को एक तकनीकी शाखा के रूप में शासनादेश संख्याः 292-44-1-174/77, दिनांकः 31.03.81 द्वारा सार्वजनिक उद्यम विभाग के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को निदेशालय का स्तर प्रदान किया गया।

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के विभागाध्यक्ष महानिदेशक हैं।

प्रमुख कार्य योजनायें

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो/विभाग राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों/उपक्रमों एवं उनके प्रशासनिक विभागों के लिये तकनीकी परामर्शदाता के रूप में कार्य कर रहा है तथा सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो /विभाग द्वारा कोई विकास योजनायें आदि संचालित नहीं की जाती हैं।

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा किये जा रहे कार्यों का संक्षिप्त विवरण

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो/विभाग प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों एवं उनके प्रशासनिक विभाग को विशेषज्ञ तकनीकी परामर्श प्रदान कर रहा है। वर्तमान में सार्वजनिक उद्यम द्वारा मुख्यतः प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में शासनादेशों में दी गयी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत सातवाँ वेतनमान, छठा वेतनमान एवं विभिन्न वेतनमानों में मंहगाई भत्ते की अद्यतन किश्त लागू कराये जाने सम्बन्धी कार्य, सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के शीर्ष पदों पर चयन समितियों के माध्यम से पदोन्नति/चयन सम्पादित किये जाने, उपक्रमों/निगमों के अवशेष वार्षिक लेखों को पूर्ण कराये जाने हेतु आवश्यक अनुसरण आदि मुख्य कार्यकलाप सम्पादित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो/विभाग द्वारा उपक्रमों/निगमों एवं उनके प्रशासनिक विभाग द्वारा संदर्भित प्रकरणों पर निर्धारित नीतियों के अंतर्गत परामर्श भी समय-समय पर प्रदान किया जाता है। वर्षानुवर्ष सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के परामर्श सम्बन्धी कार्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है जो सारांशतः निम्नवत् है-

(क) अनुश्रवण एवं गहन अध्ययन

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा उपक्रमों/निगमों के कार्य निष्पादन का त्रैमासिक आधार पर अनुश्रवण किया जाता है। इसके लिये ब्यूरो द्वारा उपक्रम विशेष के कार्यकलापों के अनुरूप रूपपत्रों का निर्धारण किया गया है। निगमों/उपक्रमों से इन रूप-पत्रों पर सूचना प्राप्त कर उनका अनुश्रवण किया जाता है।

(ख) कार्मिक नीतियों के सम्बन्ध में

समस्त सार्वजनिक उद्यमों में कार्मिक नीतियों में एकरूपता लाने एवं उनके कार्यान्वयन में विसंगतियों

को कम करने के उद्देश्य से कार्मिक नीतियों यथा- संगठनात्मक ढाँचा, सेवा शर्तों तथा वेतन एवं भत्तों इत्यादि के सम्बन्ध में निर्देश जारी किया जाता है।

(ग) वित्तीय प्रबन्ध

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की परिधि में आने वाले उपक्रमों/निगमों द्वारा प्रेषित वित्तीय परिणामों के आधार पर फ्लैश रिपोर्ट तैयार करना, वित्त आयोग तथा योजना आयोग से सम्बन्धित कार्य, निगमों / उपक्रमों के अवशेष लेखों के अनुश्रवण इत्यादि का कार्य किया जाता है।

वर्ष 2019-20 के लिये प्रस्तावित योजनाएं तथा विभाग की नीति यदि कोई हो तथा अन्य कोई उल्लेखनीय विवरण

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो राज्य सरकार के निगमों/उमक्रमों एवं उनके प्रशासनिक विभाग के लिए परामर्शदाता के रूप में कार्यरत हैं तथा ब्यूरो द्वारा कोई विकास योजनाएं आदि संचालित नहीं की जाती हैं।

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में सम्पादित कार्यों का संक्षिप्त विवरण

1. सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में मंहगाई भत्ता दिये जाने के प्रकरणों पर सार्वजनिक उद्यम विभाग स्तर पर गठित अधिकृत समिति द्वारा निगमों से प्राप्त प्रस्तावों पर बैठकें कराकर निर्णय लिए गये।
2. सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों से सम्बन्धित कार्मिक, वित्तीय एवं विधिक प्रकरणों पर निगमों के प्रशासनिक विभाग से प्राप्त पत्रावलियों पर शासन को विशेषज्ञ परामर्श प्रदान किया गया।
3. सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा कार्यरत 40 उपक्रमों/निगमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्य चालन परिणाम के आधार पर फ्लैश रिजल्ट्स का संकलन कर प्राप्त सूचना का विश्लेषण एवं संहतीकरण इसके आधार पर संहत वित्तीय स्थिति बनायी गयी।
4. सार्वजनिक उपक्रमों की आहूत संचालक मण्डल की बैठकों में अधिकारियों द्वारा भाग लेकर विभागीय नीतियों/शासनादेशों को दृढ़तापूर्वक प्रतिपादित किया गया।
5. सार्वजनिक उद्यम विभाग के स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा विभिन्न निगमों/उपक्रमों के उच्च अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों के चयन की कार्यवाही करायी गयी।
6. सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में कार्यरत कार्मिकों द्वारा समय-समय पर मा0 उच्च न्यायालय में दायर की गयी रिट याचिकाओं के सम्बन्ध में ससमय प्रति शपथ पत्र दाखिल कराया गया।
7. सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा व अनुश्रवण किया गया।
8. सूचना के अधिकार से सम्बन्धित प्रकरणों में सूचना उपलब्ध करायी गयी।
9. सार्वजनिक उद्यम विभाग के अधीन आडिट प्रकोष्ठ (वाणिज्यिक) स्थापित है। विधान मण्डल स्तर पर गठित सार्वजनिक उपक्रम/निगम की संयुक्त समिति द्वारा आयोजित बैठकों में समिति को सहयोग प्रदान किया गया।

●

भूतत्व एवं खनिकर्म

प्रदेश में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के प्रमुख घटक खनिज संसाधनों की खोज एवं उनके व्यावसायिक स्तर के खनिज भण्डारों पर आधारित उद्योग की स्थापना हेतु शोध व अन्वेषण कार्य के निष्पादन के लिए वर्ष 1955 में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की स्थापना की गयी थी। वर्ष 1963 में इस निदेशालय को खनिजों एवं उप खनिजों के विकास व दोहन पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु खनन प्रशासन का दायित्व सौंपा गया है। खनिज सेक्टर में खनिज विकास के बढ़ते कार्यकलापों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु वर्ष 1985 में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को खनिज सेक्टर का विभागाध्यक्ष घोषित किया गया। वर्ष 1998 में पहली बार खनिजों के संतुलित विकास एवम् खनिज आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु खनिज नीति घोषित की गयी और उसका समय-समय पर मूल्यांकन भी किया जा रहा है। खानिज आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए महत्त्वपूर्ण सूचनाएं निदेशालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी गयी हैं। जिसके फलस्वरूप विभिन्न राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना में रुचि ली जा रही है, जिसके अन्तर्गत जनपद ललितपुर के गिरार क्षेत्र के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्वर्ण धातु के अन्वेषण सम्बन्धी कार्य में मे0 मैक्सटेक रिर्सोसेज प्रा0लि0 द्वारा रिकोनेन्स सर्वे का कार्य किया गया। विगत वर्षों में निदेशालय के भूवैज्ञानिकों द्वारा खोजे गये खनिजों के भण्डारों में से जनपद सोनभद्र के रामगढ़-नौड़िहा क्षेत्र में 13.5 मि0 टन चाइना क्ले के भण्डार को प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स पर तथा जनपद चित्रकूट के मानिकपुर क्षेत्र में 50 मि0 टन पोटाशयुक्त ग्लूकोनिटिक सैण्डस्टोन के भण्डार को रिकोनेन्स परमिट/प्रास्पेक्टिंग लाइसेन्स पर स्वीकृत किया गया है, जिससे भविष्य में राजस्व वृद्धि होने की सम्भावना है।

निदेशालय द्वारा विगत वर्षों में संचालित खनिज अन्वेषण कार्यक्रमों के फलस्वरूप जनपद सोनभद्र में सीमेन्ट ग्रेड लाइम स्टोन लगभग 70 मिलियन टन, डोलोमाईट 21 मिलियन टन, चाइनाक्ले 13.5 मिलियन टन, सिलिमिनाइट 9.8 मि0टन एवं स्वर्ण 2.154 मि0टन, जनपद ललितपुर एवं झांसी में पाइरोफिलाइट, डायस्पोर 0.50 मि0टन, राक फास्फेट 5.1 मि0टन, लौह-अयस्क 100 मि0टन, एस्बेस्ट्स 0.3 मि0टन, सैण्डस्टोन के 608 एकड़ क्षेत्र में ग्रेनाइट 4849.19 लाख घ0मी0 (डायमेन्शनल स्टोन) तथा जनपद प्रयागराज में 15.00 मिलियन टन सिलिका सैण्ड के भण्डारों की खोज की गई। प्रदेश में सीमेण्ट श्रेणी के चूना पत्थर, डोलामाइट, पाइरोफिलाइट, डायस्पोर, ग्रेनाईट, सैण्डस्टोन/ग्रेनाइट (डायमेन्शनल स्टोन) एवं सिलिका सैण्ड के भण्डारों का व्यावसायिक स्तर पर दोहन किया जा रहा है, जिससे प्रदेश में उद्यमिता व रोजगार के अवसर सृजित होने के साथ-साथ प्रदेश के राजस्व में भी वृद्धि हो रही है। गत वर्ष में जनपद चित्रकूट में सिलिका सैण्ड के 18 ब्लाक 35.74 मि0टन एवं जनपद प्रयागराज में सिलिका सैण्ड के 25 ब्लाक

56.271 मि0टन को आक्शनल ब्लाक हेतु उपयुक्त पाया गया तथा जनपद ललितपुर में डायमेन्शनल सैण्ड स्टोन हेतु 300 एकड़ के 17 नये क्षेत्र चिह्नित किये गये। इसके अतिरिक्त जनपद झांसी में 45 मि0टन स्टोन क्वार्ट्ज आक्शन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें सिलिका की मात्रा 90-95 प्रतिशत तक प्राप्त हुई है, जिसका उपयोग सिरेमिक/पाटरी उद्योग में किया जा सकता है, जो व्यावसायिक रूप से उपयोगी है। पत्थर उद्योग के उत्साहवर्धक उत्पादन एवं मांग होने के कारण मिर्जापुर, ललितपुर तथा सोनभद्र में अनेक कटिंग/पॉलिशिंग प्लांट स्थापित किये गये हैं, जिससे प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से हजारों श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं एवं प्रदेश के राजस्व में भी वृद्धि हुई। प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र बुन्देलखण्ड के जनपद ललितपुर के सोनरई क्षेत्र में उर्वरक उद्योग में इस्तेमाल किये जाने वाले रॉक फास्फेट के भण्डारों को भारत सरकार के उपक्रम मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (एम0ई0सी0एल0) के सहयोग से पुनर्मूल्यांकन कर ऑक्शन योग्य ब्लाक बनाने की प्रक्रिया की जा रही है, जिससे भविष्य में राजस्व वृद्धि होने की सम्भावना है।

विभाग के मूलभूत उद्देश्य

(क) खनिज अन्वेषण

प्रदेश में औद्योगिक विकास तथा व्यावसायिक दृष्टिकोण से उपयोगी खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु खनिज अन्वेषण कार्यक्रमों के अन्तर्गत नये खनिज भण्डारों की खोज एवं उपयुक्त खनिज भण्डारों का सिद्धीकरण किया जाना है।

(ख) खनन प्रशासन

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ.प्र. द्वारा प्रदेश में उपलब्ध खनिज संसाधनों की खोज एवं खनिज भण्डारों पर आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु शोध/अन्वेषण कार्य किया जा रहा है। खनन प्रशासन के अन्तर्गत यह विभाग प्रदेश के राजस्व अर्जित करने वाले प्रमुख विभागों में से एक है। खनिज राजस्व एवं उत्पादन की दृष्टि से प्रदेश के 12 जनपदों को खनिज बाहुल्य जनपदों के रूप में चिह्नित किया गया है।

खनन प्रशासन के अन्तर्गत खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम-1957, खनिज परिहार नियमावली 1960, उत्तर प्रदेश उपखनिज परिहार नियमावली-1963 एवं उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2018 आदि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश के विभिन्न जनपदों में खनिजों के वैज्ञानिक ढंग से दोहन किये जाने के लिये परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु विभाग द्वारा क्षेत्र की उपलब्धता, उपयुक्तता पर टिप्पणी सहित तकनीकी संस्तुतियां जिलाधिकारी/शासन को उपलब्ध करायी जाती हैं। खनिज परिहार पर स्वीकृत क्षेत्रों में हो रहे खनन कार्यों का समय-समय पर निरीक्षण/पर्यवेक्षण कर खानों को विनियमित किये जाने का कार्य सम्पादित किया जाता है, ताकि खनिज क्षेत्र का समुचित विकास हो सके एवं खनिजों के खनन से प्रदेश को अधिकाधिक राजस्व की प्राप्ति हो सके।

प्रदेश में मुख्य खनिजों तथा उपखनिजों के खनन के फलस्वरूप प्रदेश को न केवल भारी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति हो रही है, अपितु बड़ी संख्या में लोगों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। खनिज राजस्व के मद में गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 3243.57 करोड़ तथा वर्ष 2018-19 में माह दिसम्बर, 2018 तक रु. 2369.02 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो विगत वित्तीय वर्ष के माह दिसम्बर, 2017 में प्राप्त राजस्व तुलना में रु. 619.00 करोड़ अधिक है। उल्लेखनीय है कि सघन प्रवर्तन के फलस्वरूप गत वर्ष रु. 37.98 करोड़ की प्राप्ति हुयी है।

जनहित की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये शासन द्वारा साधारण मिट्टी के उपयोग हेतु मिट्टी की रायल्टी को शून्य कर दिया गया है। नदी के किनारे स्थित किसानों की भूमि पर बाढ़ के कारण बालू/मौरंग एकत्रित हो जाने से उनकी भूमि कृषि योग्य नहीं रह जाती है। ऐसी भूमि से बालू हटाकर खेत को पुनः कृषि योग्य बनाने के लिये, किसानों के पक्ष में तीन माह की अवधि के लिये अनुज्ञा पत्र स्वीकृत करने के प्रावधान नियमावली 1963 में शामिल किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली-1963 के 41वां संशोधन अधिसूचना संख्या-626/86-2017-57(सा0) दिनांक-13.04.2017 के द्वारा नियम-70(2) में संशोधन कर अन्य प्रदेशों से आने वाले उपखनिजों को वैधता प्रदान की गयी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में प्रदेश के नदी तल में उपलब्ध बालू, मौरंग, बजरी एवं बोल्डर के दीर्घकालीन खनन पट्टों के खनन क्षेत्रों को परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-1875/86-2017-57 (सा0)/2017, दिनांक- 14.08.2017 तथा स्वस्थाने चट्टान किस्म के ईमारती पत्थर (डायमेन्शनल ग्रेनाईट एवं सैण्डस्टोन) के क्षेत्रों को ई निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत करने हेतु शासनादेश संख्या-3236/86-2017-57(सा0)/2017, दिनांक 12.12.2017 निर्गत किया गया है, जिसके अनुपालन में बालू/मौरंग, ग्रेनाईट एवं सैण्ड स्टोन के रिक्त क्षेत्रों को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से विज्ञापित कर खनन पट्टे आवंटन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। वर्तमान में प्रदेश में उपखनिजों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता है तथा आम जनमानस को सुलभ एवं सस्ते दर पर उपखनिज बालू एवं मौरंग उपलब्ध हो रहा है। प्रदेश में माह दिसम्बर, 2018 तक बालू/मौरंग के 709 क्षेत्र विज्ञापित किये गये हैं, जिसमें परीक्षणोपरान्त 512 क्षेत्रों के लिये लेटर ऑफ इन्टेन्ट जारी कर पर्यावरण स्वच्छता-प्रमाण पत्र व अन्य औपचारिकतायें पूर्ण होने के पश्चात् 307 खनन पट्टे स्वीकृत हैं जिनमें खनन संक्रिया संचालित है। पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में दी गयी शर्तों के अनुसार बालू/मौरंग का खनन, सेमी मेकेनाइज्ड या मैनुवल विधि से किया जाता है।

विकास के आगामी लक्ष्य तथा चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित कार्यक्रम

(क) खनिज अन्वेषण

वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभाग द्वारा खनिज अन्वेषण योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित 09 अन्वेषण कार्यक्रम निर्धारित हैं, जिन्हें राज्य भूवैज्ञानिक कार्यक्रयी परिषद् के अनुमोदन के उपरान्त वर्ष 2019-20 में भी संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

1. जनपद ललितपुर के इकौना-दांगली के आसपास के क्षेत्रों में स्थित अल्ट्रामैफिक कॉम्पलेक्स में प्लेटिनम ग्रुप की धातुओं का विस्तृत अन्वेषण कार्यक्रम।
2. जनपद-सोनभद्र के हरदी क्षेत्र के विन्ध्यन कांग्लोमरेट के पश्चिमी ब्लाक में स्वर्ण धातु की खोज हेतु प्रारम्भिक अन्वेषण कार्यक्रम।
3. जनपद ललितपुर के बेरवार क्षेत्र में स्वर्ण धातु की खोज हेतु प्रारम्भिक अन्वेषण कार्यक्रम।
4. जनपद ललितपुर के सोल्दा एवं उल्दना क्षेत्र में लौह धातु के खनिजीकरण हेतु प्रारम्भिक अन्वेषण कार्यक्रम।
5. जनपद ललितपुर के मथुरा डंग क्षेत्र में बेराईट धातु की खोज हेतु प्रारम्भिक अन्वेषण कार्यक्रम।
6. जनपद सोनभद्र की सोन एवं कनहर नदी के साथ पठारी क्षेत्र में खनन से पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरण के सन्तुलन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन।

7. जनपद महोबा के कबरई क्षेत्र में खनन से पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के संतुलन पर पडने वाले प्रभाव का अध्ययन।
8. जनपद झाँसी, ललितपुर व महोबा में डायमेन्शनल ग्रेनाईट व सैण्डस्टोन के क्षेत्रों की खोज हेतु प्रारम्भिक अन्वेषण कार्यक्रम।
9. जनपद ललितपुर के सोनरई क्षेत्र मे बिजावर समूह की चट्टानों में पाये जाने वाले रॉक फास्फेट के भण्डारों को एम.ई.सी.एल. के सहयोग से पुनर्मूल्यांकन कर ऑक्शन योग्य ब्लाक बनाने तथा रॉक फास्फेट के विस्तार की खोज हेतु प्रारम्भिक अन्वेषण कार्यक्रम।

आगामी लक्ष्य

उक्त खनिज अन्वेषण कार्यक्रमों द्वारा प्रदेश में खनिजों के विकास के साथ ही साथ खनिज आधारित औद्योगीकरण पर बल देने तथा बहुमूल्य खनिजों की सम्भावना वाले म्रोतों की खोज हेतु सर्वेक्षण के अन्तर्गत सोना, प्लेटिनम, पैलेडियम की खोज हेतु प्रारम्भिक भूवैज्ञानिक एवं भू-भौतिकीय अन्वेषण प्रस्तावित है। भू-वैज्ञानिक/भू-भौतिकीय अन्वेषण कार्यक्रमों के अतिरिक्त खनिज आँकड़ों का कम्प्यूटरीकरण का कार्य भी सम्मिलित है।

वर्ष 2019-20 में खनिज अन्वेषण कार्यक्रमों के भौतिक लक्ष्य निम्नवत् प्रस्तावित हैं:-

क्रम सं0	विधा	लक्ष्य
1.	वेधन (मीटर)	200
2.	पिटिंग/ट्रेंचिंग (घन मीटर)	अन्वेषण कार्य की आवश्यकतानुसार
3.	विस्तृत भू-वैज्ञानिक मानचित्रीकरण (वर्ग किमी0)	2.0
4.	रीजनल ट्रेवर्सिंग/भू-वैज्ञानिक मानचित्रीकरण 1:12500-50000 (वर्ग किमी0)	80

(ख) खनन प्रशासन

निर्धारित कार्यक्रम

ईंट-भट्ठों के लिये ईंट मिट्टी खनन में पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र लागू किये जाने के कारण ईंट भट्ठा का संचालन आंशिक रूप से प्रभावित रहा है। जैसे-जैसे ईंट मिट्टी खनन के लिये पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाता है, वैसे-वैसे ईंट मिट्टी की रायल्टी जमा कराकर ईंट मिट्टी खनन की अनुमति प्रदान की जा रही है।

आगामी लक्ष्य

वर्ष 2018-19 में रु0 4000.00 करोड़ की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश में अधिकतम खनिज की निकासी हेतु प्रयास किया जायेगा, ताकि खनिज आधारित औद्योगीकरण प्रोत्साहित हो सके और खनिजों से प्राप्त राजस्व में उत्तरोत्तर वृद्धि हो सके। नदी तल में स्थित उपखनिजों बालू/मौरंग के दीर्घकालीन पट्टे ई-निविदा/ई-नीलामी के माध्यम से शासनादेश दिनांक 14.08.2017 अन्तर्गत परिहार स्वीकृत करने की कार्यवाही की जा रही है। आशा है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में बालू/मौरंग के खनन पट्टे स्वीकृत हो जाने के उपरान्त निर्धारित लक्ष्य लगभग रु0 4000.00 करोड़ से अधिक राजस्व प्राप्त हो सकेगा।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग द्वारा वर्तमान में बढ़ती हुयी प्रतिस्पर्धा एवं तकनीकी विकास के परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए ऐसी नीतियाँ और कार्यक्रम क्रियान्वित करने की योजना है, जिससे इस उद्योग में कार्यरत बुनकरों को सहायता, समर्थन, प्रोत्साहन और तकनीकी सुविधा प्रदान की जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभाग के अन्तर्गत संचालित/प्रस्तावित महत्त्वपूर्ण योजनायें निम्नवत हैं :

(1) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम

भारत सरकार द्वारा 12वी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह पूर्ण रूप से केन्द्र सरकार की योजना है। योजनान्तर्गत प्रस्ताव राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को स्वीकृत हेतु प्रेषित किया जाता है। कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न उप-घटक सम्मिलित हैं :

(i) क्लस्टर विकास कार्यक्रम,

(ii) विपणन प्रोत्साहन,

(iii) हथकरघा विपणन सहायता (जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के मेले/प्रदर्शनियों का आयोजन)

(i) क्लस्टर विकास कार्यक्रम

इस उप-घटक में ब्लाक स्तर पर हथकरघा बुनकरों को सम्मिलित कर क्लस्टर विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में 03 क्लस्टर, इसके अतिरिक्त वाराणसी मेगा हैण्डलूम क्लस्टर योजनान्तर्गत 10 क्लस्टर के प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2016-17 में 22 क्लस्टर, वित्तीय वर्ष 2017-18 में 09 एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में 01 क्लस्टर का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत क्लस्टर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जैसे- कानपुर, गोरखपुर, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, अलीगढ़, आगरा, हापुड़, चन्दौली, वाराणसी, बरेली, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, ललितपुर, फर्रूखाबाद, मुरादाबाद और अमरोहा में संचालित हैं।

(ii) विपणन प्रोत्साहन

विपणन प्रोत्साहन उप-घटक के लाभ के लिये प्राथमिक हथकरघा बुनकर सहकारी समिति, शीर्ष बुनकर सहकारी समिति एवं राष्ट्रीय हथकरघा संगठन आदि को विगत तीन वर्षों के औसत बिक्री कारोबार का 10 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन देय होगा। इसमें भारत सरकार का अंश 50 प्रतिशत तथा राज्य सरकार का अंश 50 प्रतिशत का होगा।

(iii) हथकरघा विपणन सहायता (मार्केटिंग प्रमोशन)

हथकरघा विपणन सहायता योजना केन्द्र सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत हथकरघा समितियों/संस्थाओं को उनके उत्पादों की बिक्री हेतु स्थल उपलब्ध कराया जाता है। भारत

सरकार द्वारा स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो/राष्ट्रीय स्तर के मेले/प्रदर्शनी लगाने हेतु शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो/राष्ट्रीय स्तर के मेले/प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है।

(2) संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना

हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित करने एवं बुनकरों में प्रतिस्पर्धा लाने तथा उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित करने के लिये योजना संचालित की जा रही है। योजनान्तर्गत परिक्षेत्र स्तरीय तथा राज्य स्तरीय पुरस्कारों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के नगद पुरस्कार के साथ शील्ड, अंगवस्त्रम, प्रमाण-पत्र प्रदान करने की व्यवस्था है।

परिक्षेत्रीय स्तर पर कुल 39 पुरस्कार में प्रथम श्रेणी के 13 बुनकरों को रु. 20,000.00 प्रति बुनकर, द्वितीय श्रेणी के 13 बुनकरों को रु. 15,000.00 प्रति बुनकर एवं तृतीय श्रेणी के 13 बुनकरों को रु. 10,000.00 प्रति बुनकर तथा राज्य स्तर पर चयनित कुल 12 बुनकरों को प्रथम श्रेणी के 4 बुनकरों को रु. 1,00,000.00 प्रति बुनकर, द्वितीय श्रेणी के 4 बुनकरों को रु. 50,000.00 प्रति बुनकर एवं तृतीय श्रेणी के 4 बुनकरों को रु. 25,000.00 प्रति बुनकर को पुरस्कार प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार योजनान्तर्गत रु. 19.85 लाख की बजट व्यवस्था कराने का प्रावधान है।

3. हथकरघा क्षेत्र के प्रशिक्षार्थियों को सहायता

योजनान्तर्गत भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चौकाघाट वाराणसी के त्रिवर्षीय डिप्लोमा कोर्स के प्रशिक्षार्थियों हेतु प्रति वर्ष भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीटों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के प्रशिक्षार्थियों को 50:50 के आधार पर छात्रवृत्ति की धनराशि देय होती है। जिसमें राज्यांश के रूप में प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए रु. 500.00 प्रति छात्र, द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए रु. 550.00 प्रति छात्र एवं तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए रु. 600.00 प्रति छात्र की दर से 10 माह (जुलाई से अप्रैल) के लिए छात्रवृत्ति की धनराशि प्रदान की जाती है। वर्तमान में वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चौकाघाट वाराणसी के त्रिवर्षीय डिप्लोमा कोर्स हेतु उ0प्र0 हेतु 45 सीटें निर्धारित हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान चौकाघाट वाराणसी के त्रिवर्षीय डिप्लोमा कोर्स हेतु प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु कुल रु. 7.02 लाख (रु. सात लाख दो हजार मात्र) के बजट का प्रावधान है।

4. पावरलूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति-

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के पावरलूम बुनकरों को विद्युत बिलों में छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया था। योजना का क्रियान्वयन हथकरघा विभाग द्वारा परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त कथकरघा एवं ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के समन्वय से किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश के पावरलूम बुनकरों को लाभान्वित कराये जाने के उद्देश्य से धनराशि रु. 15000.00 लाख (रु. एक अरब पचास करोड़ मात्र) को प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ को हस्तगत कराई जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में पावरलूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत **रु. 15000.00 लाख (रु. एक अरब पचास करोड़ मात्र)** का प्रावधान है।

5. हथकरघा बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति-

योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में हथकरघा बुनकरों को पावरलूम

बुनकरों की भांति विद्युत सब्सिडी उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में धनराशि रु. 500.00 लाख की स्वीकृति शासन से प्राप्त हुई जो हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय उ.प्र. कानपुर द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कापोरेशन लि0 लखनऊ को हथकरघा बुनकरों को लाभान्वित कराये जाने हेतु निर्गत कर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में 12703 हथकरघा बुनकरों को विद्युत दरों में छूट की प्रतिपूर्ति हेतु प्रति हथकरघा बुनकर रु. 3936/- वार्षिक के अनुसार 4,99,99,008.00 (रु. चार करोड़ निन्यानबे लाख निन्यानबे हजार आठ मात्र) के बजट की आवश्यकता होगी। अतः वित्तीय वर्ष 2019-20 में हथकरघा बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत रु. 500.00 लाख (रु. पाँच करोड़ मात्र) के बजट का प्रावधान है।

6. मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर सम्मान योजना

हथकरघा बुनकर भारतीय समाज की परम्परागत कला एवं संस्कृति की विरासत को संरक्षित रखने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हथकरघा बुनकरों का पलायन रोकने, कला एवं संस्कृति को संरक्षित रखने एवं लुप्त होने से बचाने हेतु यह आवश्यक है कि हथकरघा बुनकरों को राज्य सरकार से विशेष सुविधा प्रदान कर उनके पलायन को रोका जाये, ताकि वे हथकरघा व्यवसाय में लगे रहें। साथ ही साथ हथकरघा बुनकर पूरे जीवन काल में मेहनत कर भारतीय संस्कृति, परम्परा एवं कला को संरक्षित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान करते हैं। जिसके लिये सरकार की तरफ से हथकरघा बुनकरों को सम्मान प्रदान करना आवश्यक है। हथकरघा बुनकरों की दयनीय आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने एवं उन्हें सम्मान देने हेतु ऐसे हथकरघा बुनकर ही पात्र होंगे, जिनकी न्यूनतम आयु 60 वर्ष हो गयी है, किन्तु अधिकतम आयु का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा अर्थात चयनोपरान्त शेष जीवनकाल तक इस सम्मान हेतु वे अधिकृत होंगे। योजनान्तर्गत रु. 500.00 प्रति बुनकर प्रतिमाह देय है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 3266 हथकरघा बुनकरों को योजना का लाभ दिये जाने का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर सम्मान योजनान्तर्गत प्रति बुनकर रु. 500/- प्रतिमाह की दर से एक वर्ष हेतु प्रति बुनकर रु. 6000/- सम्मान धनराशि देय होगी। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल रु. 200.00 लाख की धनराशि व्यय होने का अनुमान है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2019-2020 मुख्यमंत्री हथकरघा बुनकर सम्मान योजनान्तर्गत कुल धनराशि रु. 200.00 लाख (रु. दो करोड़ मात्र) का बजट का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री पावरलूम उद्योग विकास योजना

योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के परम्परागत पावरलूम उद्योग को आधुनिक एवं उच्चीकृत पावरलूम में परिवर्तित कर बुनकरों के आर्थिक व सामाजिक जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु संचालित की गई है। योजनान्तर्गत पावरलूम बुनकरों को निम्नलिखित मदों में लाभान्वित कराया जायेगा। 1- आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण, 2- कार्यशाला का निर्माण, 3- उच्चीकृत पावरलूम की स्थापना जिसमें 60 प्रतिशत प्रदेश सरकार द्वारा तथा 40 प्रतिशत बुनकर अंश के रूप में वहन किये जाने का प्रस्ताव है तथा इन सीटू अपग्रेडेशन स्कीम फार प्लेन पावरलूम योजना में सामान्य श्रेणी के बुनकरों के लिये 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बुनकरों के लिये 75 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश दिये जाने का प्रस्ताव है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री पावरलूम उद्योग विकास योजनान्तर्गत 105 व्यक्तिगत पावरलूम बुनकरों एवं 20 पावरलूम इकाइयों

के माध्यम से कुल 185 बुनकरों को लाभान्वित कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 207.38 लाख (रु. दो करोड़ सात लाख अड़तिस हजार मात्र) के बजट का प्रावधान है।

8. धुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति

योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रदेश के धुनकरों को विद्युत दर में छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया था। वित्तीय वर्ष 2018-19 में धुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत धनराशि रु. 100.00 लाख का बजट प्राविधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में धुनकरों को विद्युत कर में छूट की प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत धनराशि रु. 100.00 लाख (रु. एक करोड़ मात्र) के बजट का प्रावधान है।

9. उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति-2014 के अन्तर्गत ब्याज उपादान योजना

योजनान्तर्गत पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड में स्थापित होने वाली नई/विस्तारीकृत/विविधीकृत वस्त्र उद्योग यथा– कताई (स्पिनिंग) निर्माण इकाइयों को इकाई की स्थापना हेतु बैंको/वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 07 प्रतिशत की दर से अधिकतम 07 वर्ष तक प्रतिपूर्ति किये जाने का प्रावधान है। इसकी अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रु. 1.00 करोड़ होगी। स्पिनिंग यूनिट को छोड़कर अन्य वस्त्र उद्योग की इकाइयों पर यह उपादान 05 प्रतिशत की दर से अधिकतम 07 वर्षों के लिए प्रति यूनिट अधिकतम 1.00 करोड़ होगी। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में स्थापित होने वाले वस्त्रोद्योगों के लिए प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रु. 50.00 लाख होगी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति-2014 के अन्तर्गत ब्याज उपादान योजनान्तर्गत रु. 650.00 लाख (रु. छह करोड़ पचास लाख मात्र) का बजट प्रावधान है।

10. उत्तर प्रदेश हथकरघा, पावरलूम, रेशम एवं वस्त्र नीति-2017

प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश को आकर्षित कर अधिकाधिक रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा ''उ.प्र., हैण्डलूम, पावरलूम सिल्क, वस्त्र एवं गारमेन्टिंग नीति-2017 बनायी गयी है। नीति अन्तर्गत प्रदेश की वस्त्र इकाइयों को लाभान्वित किये जाने हेतु परिक्षेत्रों के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त किये जा रहे हैं। प्रदेश में स्थापित होने वाली नई/विस्तारीकृत/विविधीकरण करने वाले वस्त्र उद्यमियों को वित्तीय सुविधाओं एवं उपादान योजनाओं का लाभ दिये जाने का निम्नानुसार प्रावधान है :

(क) उत्तर प्रदेश हथकरघा, पावरलूम, रेशम एवं वस्त्र नीति-2017 में अनुमन्य वित्तीय प्रोत्साहन

1- **भूमि की खरीद पर अनुदान-** सरकारी संस्था से भूमि की खरीद पर गौतमबुद्ध नगर में 30 प्रतिशत तथा शेष प्रदेश में 50 प्रतिशत तक अनुदान देय हैं। जो प्रोजेक्ट कास्ट के 5 प्रतिशत तक सीमित होगा।

2- **स्टाम्प ड्यूटी में छूट-** 75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक प्रदेश के आंचलिक क्षेत्रवार।

3- **पूँजीगत उपादान-** प्लान्ट एवं मशीनरी पर किये गये निवेश का 25 प्रतिशत, (2 करोड़ से 100 करोड़ तक)

4- **ब्याज उपादान-**

(अ) 7 प्रतिशत 7 वर्ष तक टफ्स पात्र प्लान्ट एवं मशीनरी की खरीद पर 1.5 करोड़ की सीमा तक।

(ब) 5 प्रतिशत 7 वर्ष तक अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 1 करोड़ की सीमा तक।

5- राज्य जी.एस.टी. पर छूट- 60 से 90 प्रतिशत तक प्रदेश के आंचलिक क्षेत्रवार।

6- इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट- 100 प्रतिशत 10 वर्ष तक देय।

7- ई.पी.एफ. प्रतिपूर्ति- 50 से 60 प्रतिशत इकाई में श्रमिकों की संख्या के आधार पर।

8- अन्य सुविधायें-

(अ) माल भाड़ा प्रतिपूर्ति 25 से 75 प्रतिशत वर्ष के अनुसार।

(ब) मण्डी शुल्क में छूट 5 वर्ष तक।

(स) प्लग एण्ड प्ले सुविधा।

(ख) टेक्सटाइल पार्क एवं औद्योगिक आस्थानों हेतु वित्तीय प्रोत्साहन

1- ब्याज उपादान-

(अ) भूमि की खरीद पर देय वार्षिक ब्याज का 50 प्रतिशत, 7 वर्षों तक प्रतिवर्ष 1 करोड़ की सीमा तक।

(ब) अवस्थापना विकास हेतु देय वार्षिक ब्याज का 60 प्रतिशत 7 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10 करोड़ अधिकतम कुल 50 करोड़ तक देय।

2- स्टाम्प ड्यूटी में छूट-

(अ) वस्त्र इकाइयों द्वारा सरकारी संस्थाओं से भूमि क्रय करने पर गौतमबुद्ध नगर को छोड़कर शेष प्रदेश में 100 प्रतिशत छूट।

(ब) गौतमबुद्ध नगर में 75 प्रतिशत छूट।

(स) 100 प्रतिशत पार्क विकासकर्ता को।

(द) 50 प्रतिशत भूमि के प्रथम खरीददार को।

3- स्टाफ क्वार्टर/हास्टल/डोरमेट्री के निर्माण पर छूट-

(अ) वार्षिक देय ब्याज का 60 प्रतिशत 7 वर्षों तक।

(ब) 100 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी में छूट (गौतमबुद्ध नगर को छोड़कर)

4- अवस्थापना विकास हेतु राज्य सरकार का सहयोग- सम्पर्क मार्ग, ट्रंकड्रेन, विद्युत लाइन, ट्रान्सफारमर एवं विद्युत उप केन्द्र, फायर स्टेशन की व्यवस्था हेतु।

(ग) मेगा एवं सुपर मेगा इकाइयों हेतु सुविधायें-

1- रोजगार सृजन अनुदान- प्रदेश में 15000 सिलाई मशीन स्थापित होने तक मेगा एवं सुपर मेगा श्रेणी की गारमेन्टिंग इकाइयों को रु. 3200 प्रति माह प्रति श्रमिक की दर से रोजगार सृजन अनुदान देय है।

2- वित्तीय सुविधाओं को बढ़ाना- केस-टू-केस आधार अनुमन्य वित्तीय सुविधाओं की सीमा शिथिल किया जायेगा।

3- राज्य जी.एस.टी. में छूट- 80 प्रतिशत पूरे प्रदेश में।

4- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, दिव्यांगों की स्वामित्व वाली इकाइयों को अतिरिक्त सुविधायें देय।

5- उ.प्र. के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, बी.पी.एल. श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने वाली इकाइयों को विशेष सुविधा देय।

6- प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों जैसे- बुन्देलखण्ड, पूर्वान्चल में वस्त्र उद्योग स्थापित करने पर विशेष सुविधा देय।

7- हथकरघा बुनकरों, रेशम की इकाइयों को भी पॉलिसी के अन्तर्गत विशेष सुविधायें प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

नई नीति के अन्तर्गत हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिये भी निम्नलिखित सुविधायें अनुमन्य की गयी हैं :

1- **बुनाई विषय से इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्रों को छात्रवृत्ति-** व्यवसायिक विषयों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने वाले ऐसे छात्र, जो कताई एवं बुनाई विषय से इण्टरमीडिएट (कक्षा-11,12) की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं प्रति वर्ष ऐसे 2000 छात्रों को प्रोत्साहन देने के लिये रु. 500 प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जायेगी।

2- **बुनाई विषय से इण्टरमीडिएट कालेजों को अनुदान-** बुनाई प्रशिक्षण कालेजों के छात्रों को प्रशिक्षित करने हेतु नवीन हथकरघा के क्रय, हथकरघा के विभिन्न उपकरणों के क्रय जैसे- डाबी, जैकार्ड, कच्चा माल यथा- सूत, रंग, रसायन आदि के क्रय हेतु रुपये 5 लाख प्रति कालेज अनुदान दिया जायेगा।

3- **हथकरघा बुनकर के सहायक कर्मियों को मानदेय-**15 से 22 वर्ष की आयु के ऐसे व्यक्ति जो हथकरघा वस्त्रों की बुनाई/रंगाई/डिजाइन आदि कार्यों में बुनकर के सहायक के रूप में कार्य करते हैं, ऐसे सहायक कर्मियों को दो वर्षों तक रुपये 1000/- प्रतिमाह मानदेय दिया जायेगा।

4- **हथकरघा क्लस्टरों को अतिरिक्त अनुदान-** चूंकि हथकरघा एक पारम्परिक उद्योग है, राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से अनुमोदित/स्वीकृत क्लस्टर प्रोजेक्टों में आवश्यकतानुसार पूर्ण कराने के लिये रु. 15 लाख का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जायेगा।

5- **प्रदेश के बाहर देश के बड़े शहरों में विशेष प्रदर्शनियों का आयोजन-** प्रदेश के बाहर देश के बड़े शहरों में उ.प्र. रेशम एवं हैण्डलूम कारीगरों तथा समितियों के उत्पादों की बिक्री के प्रोत्साहन हेतु प्रति वर्ष 4 प्रदर्शनियों का आयोजन कराया जायेगा तथा स्थापित प्रदर्शनियों में भाग लेने हेतु सहायता दिलायी जायेगी। प्रत्येक प्रदर्शनी पर अनुमानित व्यय रुपये 40 लाख होगा।

6- **भारत सरकार की संस्थाओं द्वारा विदेश में आयोजित प्रदर्शनियों के प्रतिभागियों को वित्तीय सहायता-** विदेश में आयोजित ऐसी 02 प्रदर्शनियां जिन्हें विकास आयुक्त, हथकरघा, भारत सरकार द्वारा आयोजित कराया जाता है उनमें प्रदेश के बुनकरों एवं समितियों को प्रतिभाग कराने हेतु एक व्यक्ति के प्रतिभाग करने के कुल व्यय का 90 प्रतिशत सहायता प्रतिपूर्ति के आधार पर दी जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश हथकरघा, पावरलूम, रेशम एवं वस्त्र नीति-2017 के अन्तर्गत धनराशि रु. 5000.00 लाख (रु. पचास करोड़ मात्र) के बजट का प्रावधान है।

11. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना/प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं महात्मा गाँधी बुनकर बीमा योजना

प्रदेश के हथकरघा बुनकरों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना/प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं महात्मा गाँधी बुनकर बीमा योजना भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य हथकरघा बुनकरों को स्वाभाविक मृत्यु के साथ-साथ दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में तथा पूर्ण एवं आंशिक निसक्तता के मामलों में बढ़ा हुआ बीमा कवर एवं उच्चतर बीमा राशि प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना/प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रति बुनकर वार्षिक प्रीमियम रु. 342.00 है।

जिसमें बुनकर का अंश रु. 80.00, भारत सरकार का अंश रु. 162.00 तथा एल.आई.सी. (सामाजिक सुरक्षा निधि) का अंश रु. 100.00 सम्मिलित है एवं महात्मा गाँधी बुनकर बीमा योजना में प्रति बुनकर वार्षिक प्रीमियम रु. 470.00 है। जिसमें बुनकर का अंश रु. 80.00, भारत सरकार अंश रु. 290.00 तथा एल.आई.सी. (सामाजिक सुरक्षा निधि) का अंश रु. 100.00 सम्मिलित है।

योजनान्तर्गत निम्नवत हित लाभ देय हैं :

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना/प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

(18 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र तक)

1. किसी भी कारण से मृत्यु होने पर	2,00,000.00
2. दुर्घटना में मृत्यु होने पर	2,00,000.00
3. सम्पूर्ण अपंगता पर	2,00,000.00
4. आंशिक स्थाई अपंगता होने पर	1,00,000.00

पी.एम.जे.जे.बी.वाई. के तहत जीवन बीमा कवर।

पी.एम.एस.बी.वाई. के तहत कवर दुर्घटनात्मक मृत्यु/अपंगता कवर।

महात्मा गाँधी बुनकर बीमा योजना (51 वर्ष से 60 वर्ष की उम्र तक)

1. साधारण मृत्यु की दशा में	60,000.00
2. दुर्घटना में मृत्यु होने पर	1,50,000.00
3. सम्पूर्ण अपंगता पर	1,50,000.00
4. आंशिक स्थाई अपंगता होने पर	75,000.00

अतिरिक्त लाभ

इस योजना के तहत 'मुफ्त एण्ड आन' लाभ के रूप में लाभार्थी के 9वीं तक की कक्षा में पढ़ रहे अधिकतम 02 बच्चों के लिए 100/- रु. प्रति बच्चे के आधार पर छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है। चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में माह दिसम्बर, 2018 तक कुल 10800 हथकरघा बुनकरों को आच्छादित कर लाभान्वित कराया गया है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में विभाग द्वारा किए गये प्रमुख कार्य

1. आजमगढ़ के मुबारकपुर में हथकरघा उद्योग के लिये विपणन केन्द्र की स्थापना

मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत हथकरघा बुनकरों द्वारा निर्मित माल की समुचित निकासी

हेतु जनपद आजमगढ़ के कस्बा-मुबारकपुर में विपणन केन्द्र की स्थापना योजना संचालित की गयी थी। योजनान्तर्गत स्वीकृत कुल धनराशि रु. 1245.76 लाख के सापेक्ष कार्यदायी संस्था-सी.एण्ड डी.एस., उ.प्र. जल निगम, आजमगढ़ द्वारा धनराशि रु. 1245.23 लाख का व्यय कराकर विपणन केन्द्र का निर्माण कराया गया है। नव निर्मित विपणन केन्द्र में कुल 158 दुकानों का निर्माण कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में योजनान्तर्गत जिलाधिकारी आजमगढ़ की मांग के अनुरूप विपणन केन्द्र के सम्पर्क मार्ग हेतु भूमि की खरीद हेतु शासन से कुल धनराशि रु. 81 लाख की मांग की गयी थी। जिसके सापेक्ष योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में धनराशि रु. 62 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 में धनराशि रु. 19 लाख शासन से प्राप्त कर सहायक आयुक्त हथकरघा मऊ को उपलब्ध करायी गयी है। जिससे विपणन केन्द्र के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु निर्धारित भूमि क्रय किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

2. हथकरघा बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति-

योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 से हथकरघा बुनकरों को पावरलूम बुनकरों की भांति विद्युत सब्सिडी उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में धनराशि रु. 500.00 लाख की स्वीकृति शासन से प्राप्त हुई जिससे 12703 हथकरघा बुनकरों को विद्युत दरों में छूट की प्रतिपूर्ति हेतु प्रति हथकरघा बुनकर रु. 3936/- वार्षिक के अनुसार 4,99,99,008.00 (रु. चार करोड़ निन्यानबे लाख निन्यानबे हजार आठ मात्र) की धनराशि हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय उ.प्र. द्वारा उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि0 लखनऊ को हथकरघा बुनकरों को लाभान्वित कराये जाने हेतु प्रदान की जा चुकी है।

3. उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग नीति-2014 के अन्तर्गत ब्याज उपादान योजना-

योजनान्तर्गत पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड में स्थापित होने वाली नई/विस्तारीकृत/विविधीकृत वस्त्र उद्योग यथा- कताई (स्पिनिंग) निर्माण इकाइयों को इकाई की स्थापना हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 07 प्रतिशत की दर से अधिकतम 07 वर्ष तक प्रतिपूर्ति किये जाने का प्रावधान है। इसकी अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रु. 1 करोड़ होगी। स्पिनिंग यूनिट को छोड़कर अन्य वस्त्र उद्योग की इकाइयों पर यह उपादान 05 प्रतिशत की दर से अधिकतम 07 वर्षों के लिए प्रति यूनिट अधिकतम 1.00 करोड़ होगी। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में स्थापित होने वाले नये वस्त्रोंद्योगों के लिए प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रु. 50.00 लाख होगी। वित्तीय वर्ष 2018-19 में योजनान्तर्गत रु. 500.00 लाख के बजट प्रावधान के सापेक्ष रु. 499.28 लाख की वित्तीय स्वीकृत शासन से हुई हैं। प्राप्त स्वीकृत से 31 इकाइयों को लाभान्वित कराया जा चुका है। शेष 18 इकाइयों को लाभान्वित कराये जाने हेतु धनराशि रु. 300.00 लाख की मांग पुनर्विनियोग के माध्यम से शासन से की गई है।

4. पावरलूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति-

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के पावरलूम बुनकरों को विद्युत बिलों में छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया था। योजना का क्रियान्वयन हथकरघा विभाग द्वारा परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त एवं ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के सहयोग से बुनकरों को लाभान्वित कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश के पावरलूम बुनकरों को लाभान्वित कराये जाने के उद्देश्य से धनराशि रु. 15000.00 लाख (रु. एक अरब पचास करोड़ मात्र) के बजट की स्वीकृत प्राप्त हुई है। स्वीकृत धनराशि रु. 15000.00 लाख (रु. एक अरब पचास करोड़ मात्र) को प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ को निफ्ट के माध्यम से हस्तगत कराई जा चुकी है। जिससे लगभग 86074 पावरलूम बुनकर लाभान्वित होंगे।

वर्किंग ग्रुप की संस्तुतियां

वित्तीय वर्ष 2018-19 में 25,000 बुनकरों को रोजगारपरक बनाने हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष जनवरी-2018 तक 22000 बुनकरों को रोजगार प्रदान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 25,000 बुनकरों को रोजगारपरक बनाने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2018-19 में 64 लाख मीटर कपड़ा उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष जनवरी, 2018 तक 42.40 लाख मीटर कपड़ा उत्पादन किया गया है। वर्ष 2019-20 में 64 लाख मीटर कपड़ा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड स्तरीय क्लस्टर, वाराणसी मेगा हैण्डलूम क्लस्टर, स्पेशल हैण्डलूम एक्सपो, नेशनल हैण्डलूम एक्सपों का आयोजन सेन्ट्रल शेयर स्कीम के अन्तर्गत किया जा रहा है। देश/प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या की वस्त्र आवश्यकता की आपूर्ति को दृष्टिगत रखते हुए पावरलूम उद्योग का विकास भी तेजी से हो रहा है। वर्तमान समय में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण जो बुनकर हथकरघा पर कार्य कर रहे थे, वह भी इस कड़ी प्रतिस्पर्धा के दौर में पावरलूम पर अपना कार्य स्थानान्तरित कर रहे हैं ताकि कम श्रम में उनका उत्पादन और लाभ बढ़ सके। प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पावरलूम बुनकरों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु पूर्व में संचालित पावरलूम उद्योग का विकास योजना (एस.सी.पी.) का क्रियान्वयन किया जा रहा है। हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहित करने हेतु संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। राज्य में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये 3 वर्षीय हैण्डलूम टेक्नालॉजी का डिप्लोमा कोर्स संचालित है, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 से प्रदेश के पावरलूम बुनकरों को विद्युत बिलों में छूट दिये जाने का निर्णय लिया गया था। वर्तमान सरकार द्वारा योजना में संशोधन कर वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश के पावरलूम बुनकरों को लाभान्वित कराये कराये जाने के उद्देश्य से धनराशि रु. 15000.00 लाख की बजट व्यवस्था कराई गई है। जिसका क्रियान्वयन हथकरघा विभाग के परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त एवं ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के संयुक्त सहयोग से कराया जाता हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में हथकरघा बुनकरों को पावरलूम बुनकरों की भांति विद्युत सब्सिडी उपलब्ध कराये जाने हेतु धनराशि रु. 500.00 लाख की बजट व्यवस्था कराई गई थी। स्वीकृत धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. पावर कार्पोरेशन लि0 लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराई जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भी हथकरघा बुनकरों को पावरलूम बुनकरों की भांति विद्युत दर में छूट उपलब्ध कराये जाने हेतु धनराशि रु. 500.00 लाख की बजट व्यवस्था कराई गई है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के परम्परागत पावरलूम उद्योग को आधुनिक एवं उच्चीकृत पावरलूम में परिवर्तित कर उनके आर्थिक व सामाजिक जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु मुख्यमंत्री पावरलूम उद्योग विकास योजना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री पावरलूम उद्योग विकास योजनान्तर्गत 105 व्यक्तिगत पावरलूम बुनकरों एवं 20 पावरलूम इकाइयों के माध्यम से कुल 185 बुनकरों को लाभान्वित कराये जाने हेतु रु. 207.38 लाख (रु. दो करोड़ सात लाख अड़तिस हजार मात्र) के बजट का प्रस्ताव है।

खादी एवं ग्रामोद्योग

प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र के चतुर्मखी विकास के लिए उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग अधिनियम, 1960 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1960) के अन्तर्गत बोर्ड का गठन एक सलाहकार परिषद के रूप में हुआ था। तदुपरान्त उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 1966 (अधिनियम सं0 64 सन् 1966) द्वारा बोर्ड को खादी तथा ग्रामोद्योग की योजनाओं को क्रियान्वित करने का अधिकार भी प्रदान किया गया। इस प्रकार खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में पुनर्गठित हुआ तथा अप्रैल, 1967 में उद्योग निदेशालय उ0प्र0 से समस्त खादी व ग्रामोद्योगी योजनाएं बोर्ड को स्थानान्तरित कर दी गयीं।

खादी तथा ग्रामोद्योग की परिभाषाएं

''खादी'' का तात्पर्य कपास, रेशम या ऊन के हाथ कते सूत अथवा इनमें से दो या सभी प्रकार के सूतों के मिश्रण से भारत में हथकरघे पर बुने गये किसी वस्त्र से है।

''ग्रामोद्योग'' का अर्थ है, ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित कोई भी उद्योग जो बिजली का इस्तेमाल करके या बिना बिजली इस्तेमाल किये कोई वस्तु उत्पादित करता हो या कोई सेवा करता हो जिसमें स्थायी पूंजी निवेश (भवन/कार्यशाला, मशीनरी एवं साजो सामान) प्रति कारीगर रु0 1.00 लाख से अधिक न हो।

खादी एवं ग्रामोद्योग विकास एवं सतत् स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति

खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों, तत्संबन्धी क्रिया-कलापों को सफल क्रियान्वयन, ग्रामोद्योग के उत्पादों एवं योजनाओं को जन सामान्य तक पहुँचाने व उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने, प्रदेश में खादी एवं ग्रामोद्योग व्यवसाय को आकर्षित करने, उसकी क्षमता में सुधार करने, पूँजी निवेश को आकर्षित करने, न्यून-पूँजी निवेश से अत्यधिक रोजगार सृजित करने, उत्पादकता एवं मजदूरी में वृद्धि और कारीगरों के सामाजिक कल्याण एवं समुत्थान करने, विपणन एवं विपणन अवस्थापना सुविधाओं का संवर्धन करने, कृषि आधारित उद्योगों हेतु वैल्यू-चेक-मेकेनिज्म को प्रोत्साहित करने तथा ग्रामीण औद्योगीकरण को सुप्रभावी बनाने, एक जनपद-एक उत्पाद अवधारणा का अधिकार, खादी एवं ग्रामोद्योगी उत्पादों की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट उत्पादों के रूप में पहचान बनाना, प्रदेश में ग्रामोद्योग के विकास हेतु पूँजी निवेश को बढ़ाना एवं उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग विकास एवं सतत् स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति स्वीकृत की गयी है।

खादी एवं ग्रामोद्योग विकास एवं सतत् स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति के मुख्य बिन्दु

- प्रदेश में उपलब्ध औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क/स्टेटस में ग्रामीण उद्योग की स्थापना हेतु भूमि का वरीयता के आधार पर आवंटन किया जायेगा।

- ग्राम सभा की रिक्त भूमि का आवंटन भूमि प्रबन्धक समिति के द्वारा पट्टें हेतु किया जायेगा।
- वैकल्पिक ऊर्जा/जैविक ऊर्जा पर आधारित परियोजनाओं को प्रोत्साहन तथा मिशन बायोगैस, मिशन बायोडीजल, मिशन प्रोड्यूसर गैस, मिशन बायो एथेनाल परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना।
- पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 100 प्रतिशत तथा पश्चिमांचल क्षेत्र में 75 प्रतिशत की दर से स्टैम्प शुल्क पर छूट।
- औद्योगिक नीति के अनुसार बड़े उद्योगों को दी जाने वाली नेट वैट/सी0एस0टी0/जी0एस0टी0 के राज्य अंश के समतुल्य जमा हुई धनराशि की प्रतिपूर्ति कर प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा। यह सुविधा वित्तीय वर्ष में अधिकतम रु0 5.00 करोड़ वार्षिक टर्न ओवर तक सीमित रहेगी।
- नई इकाइयों को इलेक्ट्रिसिटी से 10 वर्ष की अवधि हेतु छूट।
- भारत सरकार के प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैण्ड अप योजना एवं मेक इन इण्डिया योजना से समन्वित किया जाना।
- खादी-अप ब्राण्ड का उपयोग एवं प्रचार-प्रसार।

बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं की वर्ष 2017-18 एवं वर्ष 2018-19 की भौतिक प्रगति

1- गाँधी जयन्ती के अवसर पर खादी की बिक्री पर छूट

वर्ष 1960 में बोर्ड का गठन हुआ था तथा यह योजना वर्ष 1967 में उद्योग निदेशालय से बोर्ड को स्थानान्तरित कर दी गयी है। इस योजना से प्रतिवर्ष लगभग 555 खादी की प्रमाणित संस्थाएं लाभान्वित हो रही है तथा इन संस्थाओं के माध्यम से लगभग 6.56 लाख ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले निर्बल वर्ग की कतकर महिलायें एवं बनुकर अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। मा0 मंत्रिपरिषद के निर्णय के आधार पर गाँधी जयन्ती के अवसर पर 108 कार्यदिवस के लिए 10 प्रतिशत खादी एवं खादी के बने वस्त्रों पर रिबेट राज्य सेक्टर के आय-व्ययक से अनुमन्य किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु 108 कार्यदिवस के लिए रिबेट अनुमन्य किया गया है।

पूज्य महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती के अवसर पर 5 प्रतिशत की विशेष छूट 60 दिनों के लिए खादी की बिक्री पर उपलब्ध करायी गयी हैं तथा 31 मार्च 2019 तक खादी की बिक्री पर छूट बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है।

2- पं0 दीन दयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता

प्रदेश के खादी संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2017-18 में खादी वस्त्रों की बिक्री पर छूट योजना के स्थान पर मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में शासनादेश संख्या 03/2017/673/59-1-2017-126 (खा)/2016टी0सी0 दिनांक 16 अक्टूबर, 2017 द्वारा उत्पादन पर छूट आधारित पं0 दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता शासनादेश निर्गत होने की तिथि से लागू की गयी है। पं0 दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता 15 प्रतिशत की दर से देय है जिसके अन्तर्गत उक्त सहायता कत्तिनों/बुनकरों को बोनस/प्रोत्साहन के रूप में 34 प्रतिशत, संस्था को उत्पादन विकास हेतु 33 प्रतिशत तथा संस्था को विपणन संवर्धन हेतु सहायता के लिए 33 प्रतिशत दिया जायेगा जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में शासन द्वारा इस योजनान्तर्गत रु0 200.00 लाख का प्रावधान किया गया है जिसके सापेक्ष माह जनवरी 2019 तक रु0 1000.00 लाख का भुगतान किया गया। उक्त योजना को लागू किये जाने के फलस्वरूप लगभग रु0 1000.00 लाख की प्रतिवर्ष बचत हो रही है इसके अतिरिक्त प्रदेश के खादी उत्पादन केन्द्रों के उत्पादन में वृद्धि होगी जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

3- विपणन विकास सहायता योजना

प्रदेश में बोर्ड की विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के अन्तर्गत वित्तपोषित इकाइयों के उत्पादों के प्रदर्शन/विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विपणन विकास सहायता योजना संचालित है। जिसके माध्यम से प्रदेश की इकाइयों द्वारा उत्पादित, उच्च गुणवत्ता के उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान की गयी। वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस योजना हेतु अनुदान सं0-83 (एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत रु0 260.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि रु0 260.00 लाख से प्रदेश के समस्त जनपदों के तहसील/ब्लाक स्तर पर योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु होर्डिंग, जागरूकता शिविर, पम्पलेट आदि के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है।

4- ग्रामोद्योग प्रदर्शनियों का आयोजन

प्रदेश में कार्यरत खादी ग्रामोद्योग के उत्पादों को प्रदर्शन एवं विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, आंचलिक प्रदर्शनियों के साथ-साथ जनपद मुख्यालयों पर विभिन्न अवसरों पर लगने वाले मेलों में खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जिससे प्रदेश के उद्यमियों को देश के अन्य राज्यों के उद्यमियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता एवं अन्य जानकारी प्राप्त हो सके तथा वे अपने उत्पादों में बाजार की माँग के अनुरूप सुधार कर सकें। वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस योजना हेतु रु0 100.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है, जिसमें माघ मेला प्रयागराज में राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं लखनऊ जनपद में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी तथा एक वृहद् प्रदर्शनी कानपुर, 15 मण्डल स्तरीय प्रदर्शनी, वाराणसी, विंध्याचल, गोरखपुर, देवीपाटन, अयोध्या, बस्ती, चित्रकूट धाम, झाँसी, आगरा, अलीगढ़, सहारनपुर, मेरठ, बरेली, आजमगढ़ एवं मुरादाबाद में तथा एक लघु प्रदर्शनी जनपद कुशीनगर सहित 19 प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया तथा इस वित्तीय वर्ष में प्रथम बार प्रदेश के उद्यमियों को प्रदर्शनी में निःशुल्क स्टॉल का आवंटन किया गया जिससे कि छोटे-छोटे उद्यमियों को भी प्रदर्शनी में बिक्री का अवसर प्राप्त हुआ। जिसमें माह जनवरी 2019 तक खादी एवं ग्रामोद्योगी उत्पादों की लगभग रु0 1227.74 लाख की बिक्री की गयी। प्रदेश के 75 जनपदों में विभागीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार विभिन्न प्रचार माध्यमों जैसे- समाचार पत्रों में विज्ञापन, होर्डिंग, पम्पलेट/लिफलेट, बैनर तथा जनपद स्तर/तहसील/ब्लाक स्तर पर प्रत्येक जनपदों में 06 जागरूकता शिविर कुल 450 जागरूकता शिविर आयोजित कराते हुए अनुसूचित जाति के लोगों को खादी ग्रामोद्योगी योजनाओं की जानकारी प्रदान करते हुए उद्यमिता के लिए जागरूक किया गया। टी0वी0सी0 एवं डाकूमेंट्री फिल्म का निर्माण कराया गया।

5- उत्पाद विकास, मानकीकरण एवं गुणवत्ता विनिश्चय

ग्रामोद्योग को सफल बनाने हेतु उत्तम गुणवत्ता वाली वस्तुओं का उत्पादन करना आवश्यक है, ताकि ग्रामोद्योगी उत्पाद प्रतियोगिता में उचित स्थान बना सकें। ग्रामीण उद्यमी को जब तक

गुणवत्ता नियंत्रण के महत्व की जानकारी उपलब्ध नहीं करायी जायेगी तथा उत्पाद की टेस्टिंग की सुविधा प्रदान नहीं की जायेगी तब तक उक्त कार्य सम्भव नहीं है, जो कि ग्रामोद्योग को सफल बनाने की कुंजी है।

इसी उद्देश्य से खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 1988-89 में दो गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं क्रमशः लखनऊ एवं खजनी-गोरखपुर में स्थापित की गयीं। जिनके द्वारा गामोद्योगी इकाइयों से सैम्पुल एकत्र करना एवं आवश्यक तकनीकी सुझाव देना, गुणवत्ता सम्बन्धी जानकारी देना, समय-समय पर गाँव/ब्लाक/जनपद स्तर पर गुणवत्ता जागरूकता कैम्प आयोजित करना आदि कार्य किये जा रहे हैं, साथ ही ग्रामीण उद्यमियों को गुणवत्ता नियंत्रण का प्रशिक्षण भी देने का कार्य किया जा रहा है, ताकि उत्पादन के समय भी वह गुणवत्ता नियंत्रित करते हुए उच्चकोटि का उत्पादन करने में सक्षम हो सकें।

6- मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना

राज्य सरकार की जिला योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार सृजन करने हेतु व्यक्तिगत उद्यमशीलता के लिए बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने के अन्तर्गत ब्याज उपादान योजना वर्ष 1994-95 से शुरू की गई है।

इस योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/पालीटेक्निक द्वारा प्रशिक्षित अभ्यर्थियों तथा शासन की अन्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षित अभ्यर्थियों, स्वरोजगार में रुचि रखने वाली महिलाओं एवं व्यवसायिक शिक्षा के अन्तर्गत ग्रामोद्योग विषय लेकर उत्तीर्ण अभ्यर्थी इस योजना के पात्र हैं।

योजना की सफलता को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में 'कर' निबन्धन की अधिसूचना संख्या 224(बी)/क0नि0-6/2015-20बी(57/10) दिनांक 04 अगस्त, 2015 के द्वारा योजना की अवधि 31 मार्च, 2020 तक बढ़ा दी गई है।

योजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :-

1. योजनान्तर्गत ऋण की अधिकतम सीमा रु0 10.00 लाख कर दी गई है।
2. सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों द्वारा बैंक ऋण पर मात्र 4 प्रतिशत ब्याज वहन किया जायेगा शेष ब्याज की राशि योजनान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।
3. आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों (अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक एवं महिलाओं) को जिला योजना के अन्तर्गत ऋण पर ब्याज की पूर्ण धनराशि पर ब्याज उपादान (ब्याज रहित ऋण) के रूप में राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।
4. शासन द्वारा कुल स्वीकृत धनराशि का 1-1-1 प्रतिशत क्रमशः जागरूकता शिविर, प्रचार-प्रसार, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के लिए प्राविधानित होगा।
5. योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के लाभार्थियों को भौतिक लक्ष्य में 20 प्रतिशत मात्राकृत करते हुए आच्छादित किया गया है।

7- कम्बल कारखानों का पुनर्संचालन

बोर्ड द्वारा खादी विकास योजना के अन्तर्गत 14 खादी उत्पादन केन्द्र हैं। इसी प्रकार कम्बल योजना के अन्तर्गत 8 कम्बल कारखानें/उत्पादन केन्द्र हैं, मशीनें एवं उपकरण काफी पुराने तथा

पुरानी तकनीकी के हैं, जिसके कारण उत्पादन केन्द्रों का उत्पादन अपनी पूर्ण क्षमता से नहीं हो पा रहा है साथ ही इन उत्पादन केन्द्रों पर कच्चे माल एवं रिवाल्विंग फण्ड का भी अभाव है। उत्पादन केन्द्रों द्वारा अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य कराये जाने हेतु इन उत्पादन केन्द्रों को आधुनिक उपकरणों से इनके नवीनीकरण का प्रस्ताव रखा गया था। वित्तीय वर्ष 2017-18 में शासन द्वारा कम्बल उत्पादन केन्द्र गोपीगंज, (भदोही) का पुनर्संचालन हेतु रु0 34.55 लाख का प्रावधान किया गया, जिससे कि कम्बल कारखाना गोपीगंज भदोही का पुनर्संचालन कराते हुए उत्पादन योग्य बनाया जा चुका है तथा कम्बल कारखाना गोपीगंज (भदोही) में उत्पादन कार्य प्रारम्भ कराया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में कम्बल कारखानों पुनर्संचालन हेतु प्रावधान किया गया है जिसके अन्तर्गत रु0 92.04 लाख से कम्बल कारखाना खजनी-गोरखपुर एवं रु0 16.18 लाख से कम्बल उत्पादन केन्द्र जौनपुर को उत्पादन योग्य बनाया जा रहा है।

खादी एवं कम्बल योजना की गत वर्षों की प्रगति निम्नवत् है-

(क) कम्बल योजना

प्रदेश के पिछड़े सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में कत्तिनों एवं बुनकरों को जीविका के साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है। यह योजना उद्योग निदेशालय द्वारा वर्ष 1954 में प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र के रूप में मुजफ्फरनर, नजीबाबाद (बिजनौर), मिर्जापुर तथा गोपीगंज (भदोही) में प्रारम्भ की गयी थी। कालान्तर में इन केन्द्रों को कारखाने का स्वरूप प्रदान किया गया। वर्ष 1967 में यह योजना उद्योग निदेशालय से बोर्ड को हस्तान्तरित हुई। बोर्ड ने विस्तार स्वरूप दो उत्पादन केन्द्रों की स्थापना क्रमशः जौनपुर और अदिलाबाद (गाजीपुर) में की। साथ ही वर्ष 1984-85 में दो नये कारखानों की स्थापना क्रमशः खजनी (गोरखपुर) तथा टीकरमाफी (सुल्तानपुर) में हुई। इस प्रकार वर्तमान समय में इसके अन्तर्गत छह कम्बल कारखाने एवं दो उत्पादन केन्द्र हैं। इस समय कारखानों में उत्पादन नहीं हो रहा है। अधिकांशतः मशीनें एवं उपकरण पुराने हो गये हैं जो कि आज के आधुनिक परिवेश के मुताबिक कम्बल उत्पादन करने में सक्षम नहीं हैं। बोर्ड द्वारा प्रथम अवस्था में कम्बल कारखाना गोपीगंज, संतरविदास नगर, भदोही का पुनर्संचालन कराते हुए उत्पादन योग्य बनाया जा चुका है एवं कम्बल कारखाना खजनी-गोरखपुर, तथा कम्बल उत्पादन केन्द्र जौनपुर को पुनर्संचालन कराने योग्य बनाया जा रहा है।

(ख) खादी योजना

खादी योजना वर्ष 1967 से बोर्ड द्वारा संचालित की जा रही है। खादी योजना के माध्यम से समाज के असहाय बेरोजगार एवं विकलांग व्यक्तियों को कम पूँजी निवेश से रोजगार सृजन के स्रोत उपलब्ध कराना है। खादी उत्पादन हेतु सूत कताई के लिए बारह तकला तथा न्यू माडल सोलर चरखों पर सूत कताई का कार्य होता था। जिससे सूत कातने वाले कत्तिनों को अनुमानित रु0 2000.00 की मासिक आय होती थी, परन्तु सोलर चरखा से सूत कातने वाली कत्तिनों को अनुमानित रु0 8000.00 से रु0 10000.00 प्रतिमाह की आय हो रही है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की चयनित कत्तिनों की आय में चार गुना वृद्धि कराने के उद्देश्य से 350 सोलर चरखों का वितरण कराया गया एवं सोलर चरखों के प्रशिक्षण का कार्य प्रस्तावित है।

8- खादी फैशन शो का आयोजन

खादी वस्त्रों को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय फैशन टेक्नालॉजी रायबरेली से खादी वस्त्रों की नई-नई डिजाइनों को विकसित करते हुए रेडीमेड वस्त्रों को तैयार

कराया गया तथा खादी एवं रेशम के वस्त्रों के परिधान को विपणन में प्रोत्साहन देने हेतु इंदिरा गाँधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर, लखनऊ में खादी एक्सपों के अन्तर्गत 6 दिसम्बर 2018 को एक वृहद फैशन शो का आयोजन किया गया जिसमें कि प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया।

9- ई-गवर्नेन्स, कम्प्यूटराइजेशन एण्ड कनेक्टिविटी

शासन की ई-गवर्नेन्स पद्धति को बढ़ावा देने की नीति के अन्तर्गत उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के सम्बन्ध में जनसाधारण को जानकारी उपलब्ध कराने, इण्टरनेट के माध्यम से सूचनाओं के आदान-प्रदान, योजनाओं की समीक्षा, अनुश्रवण, मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, लेखा का रख-रखाव का डिजिटाइजेशन आदि कार्य के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु ''ई-गवर्नेन्स, कम्प्यूटराइजेशन एण्ड कनेक्टिविटी'' प्रस्तावित की गयी थी। समस्त जिला ग्रामोद्योग कार्यालयों एवं परिक्षेत्र कार्यालयों में कम्प्यूटरों की स्थापना करायी जा चुकी है। बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं के वेब-बेस्ड साफ्टवेयरों का विकास कराया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु0 20.00 लाख का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त बजट/पर्सनल इन्फारमेशन मॉनीटरिंग सिस्टम पैकेज, लैटर पैकिंग सिस्टम पैकेज का नवीनीकरण पं0 दीन दयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना पैकेज का विकास, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की वेबसाइट का नवीनीकरण एवं रख-रखाव संबंधी कार्य कराया गया। क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थापित कम्प्यूटरों एवं अन्य उपकरणों का स्थानीय स्तर पर रख-रखाव सुनिश्चित किये जाने एवं बोर्ड मुख्यालय पर स्थापित फॉयरवाल का लाईसेंस नवीनीकरण तथा नेटवर्किंग का अनुरक्षण संबंधी कार्य कराया जा रहा है।

10- कौशल सुधार एवं प्रशिक्षण योजना

ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों, परम्परागत कारीगरों को उनके कौशल में सुधार लाने हेतु प्रशिक्षण तथा नवीनतम तकनीक के उपकरणों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। योजनान्तर्गत सामान्य, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 15 दिवसीय कौशल सुधार प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ताकि उद्यमी बैंक से वित्तपोषण कराकर या स्वयं के स्रोत्रों से स्वरोजगार स्थापित कर जीवनयापन कर सकें। वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश के समस्त प्रशिक्षण केन्द्रों एवं खादी उत्पादन केन्द्रों पर सोलर चरखें से सूत उत्पादन के प्रशिक्षण का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है जिससे कि अधिक से अधिक लोग प्रशिक्षित होकर खादी के उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ कामगारों की आय में वृद्धि हो सके।

11- पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने, ग्रामीण शिक्षितों का शहरों की ओर पलायन को हतोत्साहित करने तथा अधिक से अधिक रोजगार का अवसर गाँवों में ही उपलब्ध कराने एवं उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के निहितार्थ प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तिगत उद्यमियों को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना तैयार की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार सृजन योजना के अन्तर्गत वित्तपोषित/स्थापित इकाइयों को ब्याज उपादान की सुविधा अनुमन्य की जायेगी। आरक्षित श्रेणी के लाभार्थियों को (35 प्रतिशत अनुदान +5 प्रतिशत स्वंय का अंशदान छोड़कर) 60 प्रतिशत ऋण

राशि पर सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत (पुरूष) लाभार्थियों को (10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान एवं +25 प्रतिशत अनुदान राशि का ब्याज छोड़कर) 65 प्रतिशत ऋण धनराशि पर ब्याज उपादान देय है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु0 1000.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

12- खादी एवं ग्रामोद्योग विकास तथा सतत् स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति

खादी एवं ग्रामोद्योग विकास तथा सतत् रोजगार प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत प्रदेश के अन्तर्गत पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र में औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं को देखते हुए स्टैम्प शुल्क पर छूट, उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु जी0एस0टी0 के अन्तर्गत राज्य के अंश तक जमा करायी गयी धनराशि के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति, ग्रामोद्योगीय इकाइयों के लिए एकल विण्डों, अनुमोदान सेल, हेल्प-डेस्क प्रोजेक्ट निर्माण कक्ष की स्थापना, खादी ग्रामोद्योग इकाईयों हेतु मेक इन इण्डिया की तरह खादी-यू0पी0 प्रकोष्ठ की स्थापना पारम्परिक उद्योगों हेतु रु0 5.00 लाख तक के कोलेट्रल फ्री ऋण हेतु क्रेडिट गारन्टी फण्ड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्माल इण्टरप्राइजेज के अन्तर्गत बैंकों को देय सेवा शुल्क भुगतान की प्रतिपूर्ति, आर्थिक रूप से कमजोर परम्परागत कारीगरों को उन्नतशील स्वरोजगार टूल, किट्स/उपकरण वितरण को प्रोत्साहन, परम्परागत विशिष्ट उद्योगों के पुनर्जीवीकरण हेतु स्फूर्ति योजना के साथ एक जनपद एक योजना प्रदेश सरकार के निधि से संचालित किया जाना, 75 प्रतिशत स्वामित्व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/दिव्यांग उद्यमियों इकाइयों को प्रदेश के महानगरों एवं देश के बड़े शहरों में शो-रूम की स्थापना हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु नयी विस्तृत खादी और ग्रामोद्योग विकास एवं सतत् स्वरोजगार प्रोत्साहन नीति अधिसूचना संख्या 135/59-1-2018-158(खा)/2017 दिनांक 09 फरवरी, 2018 द्वारा निर्गत कर दी गयी है जो कि आगामी पाँच वर्षों तक प्रभावी होगी। वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु इस मद में रु0 2500.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य किये गये है एवं शेष कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र की चयनित कत्तिनों के आय में चार गुना वृद्धि कराने के उद्देश्य से 350 सोलर चरखा का वितरण कराया गया एवं सोलर चरखा के प्रशिक्षण का कार्य प्रस्तावित है।
- कुम्हारी उद्योग में लगे कारीगरों को टूल-किट्स वितरण योजना के अन्तर्गत 200 विद्युत चालित कुम्हारी चाक वितरण कराया गया एवं पट्टा आवंटन का कार्य प्रस्तावित है।
- दोना पत्तल मेकिंग उद्योग में लगे कारीगरों को टूल-किट्स वितरण योजना के अन्तर्गत 50 दोना पत्तल मशीन का वितरण किया गया।
- खादी वस्त्रों को प्रोत्साहन किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय फैशन टेक्नालॉजी रायबरेली से खादी वस्त्रों की नई-नई डिजाइनों में विकसित करते हुए रेडीमेड वस्त्रों को तैयार कराया गया तथा खादी एवं रेशम के वस्त्रों के परिधान को विपणन में प्रोत्साहन देने हेतु इंदिरा गाँधी प्रतिष्ठान गोमती नगर, लखनऊ में खादी एक्सपों के अन्तर्गत 6 दिसम्बर 2018 को एक वृहद फैशन शो का आयोजन किया गया जिसमें कि प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के प्रतिभागियों द्वारा भाग लिया गया तथा कार्यक्रम में चार दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया जिसमें रु0 85.00 लाख की बिक्री हुई।
- ऑनलाइन एकल खिड़की हेल्प डेस्क लाइन/ग्रामोद्योग समाधान सेल की स्थापना करायी गयी।

- मण्डलीय ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र अडिग मथुरा में विभागीय भूमि पर गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना करायी जा रही है।
- जनपद मुजफ्फरनगर एवं लखनऊ में उपलब्ध विभागीय भूमि पर खादी एवं ग्रामोद्योग प्लाजा का निर्माण प्रस्तावित है।
- जनपद कानपुर नगर में खादी पार्क की स्थापना कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रत्येक जनपद स्तर पर (जनपद/तहसील/ब्लाक स्तर पर प्रशासनिक/जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जागरूकता कार्यक्रमों/बैठकों का आयोजन जनहित से जुड़े कार्यक्रमों में खादी नीति का प्रचार-प्रसार।

अन्य योजनाएं

1- व्यावहारिक प्रशिक्षण योजना

ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत उद्यमियों का चयन प्रचार प्रसार करके किया जाता है, उसके उपरान्त उनको स्थानीय तौर पर ही 15 दिन का ग्रामोद्योगी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसके अन्तर्गत उद्यमी उत्प्रेरणा, रोजगार चयन, वित्त पोषण प्रक्रिया, गुणवत्ता नियंत्रण, विपणन, आदि उद्योग स्थापना से सम्बन्धित बिन्दुओं पर क्लासरूम प्रशिक्षण एवं क्रियात्मक प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण उपरान्त मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत इनका वित्तपोषण करके ग्रामोद्योगी इकाई स्थापित करायी जाती है। व्यावहारिक प्रशिक्षण योजना हेतु रु0 50.00 लाख की धनराशि आयोजनेत्तर मद में शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु0 50.00 लाख का प्रावधान किया गया है जिसके सापेक्ष स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानीय तौर पर ही सात दिवसीय ग्रामोद्योगी प्रशिक्षण सत्र के आयोजन के माध्यम से लाभार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कराया जा रहा है।

2- ग्रामीण उद्यमियों की पुरस्कार योजना

ग्रामीण उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए उक्त योजना संचालित की गयी है। जिसके अन्तर्गत अच्छी ग्रामोद्योगी इकाईयों के प्रतिनिधि को मण्डल स्तरीय कमेटी से चयन के उपरान्त पुरस्कृत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में धनराशि रु0 10.00 लाख का प्रावधान किया गया है, जिसमें कि प्रदेश के 03 उत्कृष्ठ उद्यमियों एवं प्रदेश के समस्त 19 मण्डलों के उत्कृष्ट उद्यमियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार एवं जनपद स्तर के उत्कृष्ट उद्यमियों को पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।

3- आम आदमी बीमा योजना

प्रदेश के खादी कामगारों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग मुम्बई भारत सरकार द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से समूह बीमा पालिसी योजना (जन श्री बीमा योजना) संचालित की जा रही है। इस योजना द्वारा खादी कामगारों की मृत्यु/विकलांगता की स्थिति में उनको या उनके परिवार की आर्थिक सहायता प्रदान करके भविष्य के लिए सुरक्षा प्रदान की गयी है और खादी कामगारों के बच्चों हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु0 25.00 लाख का प्रावधान किया गया है जिसके सापेक्ष 200000 खादी कामगारों को आच्छादित किया जायेगा।

4- माटीकला बोर्ड

प्रदेश में मिट्टी की वस्तुओं की मांग कम होने से परम्परागत कारीगरों के समक्ष रोजी-रोटी

की समस्या को देखते हुए इस प्राचीन कला को संरक्षित करने एवं बढ़ती बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने तथा स्थानीय स्तर पर अधिकाधिक रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से प्रदेश के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के माटी कला एवं माटी शिल्प कला के उद्यमियों/शिल्पियों के विकास के लिए उ0प्र0 माटीकला बोर्ड का गठन किया गया है। जिसके अन्तर्गत माटीकला एवं माटी शिल्पकला के लिये मिट्टी की उपलब्धताकी नीति, तकनीकी उन्नयन एवं आधुनिकीकरण की प्रभावी योजना बनाना, माटीकला एवं माटी शिल्पकला का कार्य करने वाले कारीगरों के व्यवसाय में वृद्धि एवं आर्थिक विकास के लिये कार्य करना तथा माटीकला एवं माटी शिल्पकला हेतु विपणन सुविधा उपलब्ध कराना है इसके अतिरिक्त जिन्हे पट्टे आवंटित हैं उनके रिकार्ड की सूचना राजस्व विभाग से प्राप्त कर संरक्षित रखना है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

यह योजना खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा 15 अगस्त, 2008 से प्रारम्भ की गयी है। इस योजना को उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित कराया जाता है। योजना के अन्तर्गत रु0 25.00 लाख तक परियोजना लागत के उद्यमों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्र में करने हेतु बैंकों के माध्यम से बेरोजगार व्यक्तियों/संस्थाओं/समितियों का ऋण स्वीकृत कराया जाता है।

परियोजना लागत पर सामान्य (पुरुष) वर्ग के लाभार्थियों का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है जो इकाई के सफल संचालन के उपरान्त तीन वर्ष में अनुदान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, महिलाओं, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक एवं पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को 35 प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त सामान्य (पुरुष) वर्ग के उद्यमियों को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, महिलाओं, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक एवं पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को 5 प्रतिशत अंशदान स्वयं वहन करना होता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में माह जनवरी, 2019 तक रु0 153.22 करोड़ के पूंजी निवेश से 1450 इकाइयों की स्थापना कराकर 18555 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा रु0 190 करोड़ के पूंजीनिवेश से लगभग 2530 इकाइयों की स्थापना कराते हुए 20248 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

●

रेशम विकास

विश्व में उत्पादित होने वाले चार प्रकार के व्यावसायिक रेशम की किस्मों में भारतवर्ष ही एकमात्र ऐसा देश है, जहाँ चारों प्रकार की रेशम (शहतूती, टसर, अरण्डी एवं मूंगा सिल्क) का उत्पादन हो रहा है। मूंगा रेशम का उत्पादन पूरे विश्व में मात्र भारत के असम राज्य में ही किया जाता है। वर्तमान समय में प्रदेश में तीन प्रकार के यथा- शहतूती, टसर एवं अरण्डी रेशम का उत्पादन किया जा रहा है। रेशम उद्योग कृषि पर आधारित कुटीर उद्योगों में अग्रणी स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश की शस्य-श्यामला उर्वरा भूमि, भौगोलिक स्थिति, जलवायु एवं जैव विविधता, रेशम उद्योग हेतु सर्वथा अनुकूल एवं उपयुक्त है। रेशम उद्योग के अन्तर्गत शहतूत, अर्जुन एवं अरण्डी की खेती, रेशम कीटपालन एवं धागाकरण आरि क्रियाकलाप मुख्य हैं। शहतूती रेशम कीट का भोज्य पदार्थ शहतूत की पत्ती, टसर रेशम कीटों का अर्जुन एवं आसन की पत्ती तथा एरी रेशम कीट का अरण्डी की पत्ती है। अतः इस उद्योग हेतु शहतूत, अर्जुन एवं अरण्डी की खेती आवश्यक है। रेशम उद्योग पर्यावरण मित्र उद्योग होने के साथ-साथ श्रमजनित भी है।

प्रदेश के कच्चे रेशम धागे की मांग वर्तमान में उत्पादित धागे से बहुत अधिक है, जिसकी पूर्ति देश के कर्नाटक, पश्चिम बंगाल जैसे अन्य राज्यों तथा विभिन्न देशों से आयातित रेशम के माध्यम से होती है। भारत में उत्पादित कच्चे रेशम की पर्याप्त मात्रा में खपत प्रदेश के परम्परागत रेशम बुनाई क्षेत्रों वाराणसी एवं आजमगढ़ में हो रही है। प्रदेश में रेशम की सुदृढ़ बाजार व्यवस्था उपलब्ध है तथा इस हेतु जनपद वाराणसी के सारंग तालाब स्थित स्थान पर सिल्क एक्सचेंज की स्थापना की गयी है। भारतवर्ष के विकसित रेशम उत्पादन राज्यों यथा- कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर आदि से प्रतिस्पर्धा के आधार पर प्रदेश में रेशम उत्पादन को बढ़ावा दिये जाने एवं कृषकों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु विभाग द्वारा विशेष सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

रेशम उद्योग के अन्तर्गत शहतूत, अर्जुन, अरण्डी की खेती को बढ़ावा देते हुए तीनों प्रकार के रेशम उत्पादन से जुड़ें क्रिया-कलापों हेतु श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। रेशम उत्पादन से जुड़ें कार्यक्रमों में रेशम कीट के भोज्य वृक्षों के विकास हेतु पौध उत्पादन, वृक्षारोपण पत्ती उत्पादन, चाकी कीट पालन, उत्तरावस्था, कीट पालन, कोया उत्पादन तथा पोस्ट ककून के अन्तर्गत धागाकरण आदि प्रमुख क्रियाकलाप सम्मिलित हैं।

शहतूती रेशम का उत्पादन प्रदेश के ज्यादातर तराई, पूर्वांचल एवं पश्चिमी क्षेत्र के जनपदों में किया जा रहा है, टसर रेशम का उत्पादन बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्यांचल क्षेत्र तथा अरण्डी रेशम का उत्पादन यमुना नदी के किनारे स्थित कानपुर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, हमीरपुर, चित्रकूट, जालौन एवं बांदा आदि जनपदों में किया जा रहा है। प्रदेश की ऊष्ण कटिबन्धीय एवं शीतोष्ण जलवायु में शहतूती रेशम के अतिरिक्त ट्रापिकल टसर एवं एरी रेशम के क्रियाकलाप सफलतापूर्वक क्रियान्वित किये जाने हेतु सभी आवश्यक सम्भावनायें विद्यमान हैं।

रेशम निदेशालय, उ०प्र० का मुख्य उद्देश्य

- रेशम उत्पादन के विभिन्न क्रियाकलापों को निजी क्षेत्र में प्रोत्साहित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक रोजगार सृजन।
- रेशम धागे की मांग एवं आपूर्ति के अन्तर को कम करना।
- विभिन्न क्षेत्रों में रेशम उत्पादन की संभावनाओं के अनुरूप योजनाओं/परियोजनाओं की संरचना कर उनका क्रियान्वयन कराया जाना।
- रेशम उद्योग के विकास की सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाना।

प्रादेशिक को-आपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन लिमिटेड का गठन

प्रदेश में अलग रेशम निदेशालय की स्थापना के पश्चात् वर्ष 1987 से वर्ष 1992 तक की उपलब्धियों एवं कृषकों/कीटपालकों द्वारा उत्पादित रेशम कोयों के त्वरित भुगतान में आने वाली कठिनाइयों, रेशम उद्योग के कार्यक्रमों में गतिशीलता लाने एवं दूरस्थ इलाकों में कार्यों का सफलतापूर्वक संचालन आदि को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1992 में ''प्रादेशिक को-आपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन'' का गठन निबन्धन उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 के अधीन दिनांक 14.12.1992 को किया गया जिसकी निबंधन संख्या एल0के0ओ0-सेरी 00241 है और कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश है। पी0सी0एस0एफ0 के गठन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में सहकारी समितियों के माध्यम से रेशम उद्योग के विकास एवं उत्पादित रेशम कोया/धागा के विक्रय की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना है।

रेशम विकास विभाग, उ0प्र0 के अन्तर्गत सृजित अवस्थापना सुविधाए

1.	राजकीय शहतूत उद्यानों की संख्या	- 160
2.	शहतूत उद्यानों का कुल क्षेत्रफल	- 1592.25 एकड़
3.	शहतूत उद्यानों का कुल वृक्षारोपित क्षेत्रफल	- 1070.40 एकड़
4.	राजकीय टसर उद्यानों की संख्या	- 63
5.	राजकीय टसर उद्यानों का क्षेत्रफल	- 3656.62 एकड़
6.	राजकीय टसर उद्यानों का वृक्षारोपित क्षेत्रफल	- 1878.00 एकड़
7.	राजकीय अरण्डी उद्यानों की संख्या	- 05
8.	राजकीय अरण्डी उद्यानों का क्षेत्रफल	- 56.24 एकड़
9.	रेशम कीट बीज उत्पादन केन्द्रों की संख्या	- 21
	(क) शहतूती बीजागार	- 05 (बहराईच-01, औरेया-01, गोरखपुर-01, मेरठ-02)
	(ख) टसर बीजागार	- 12 (सोनभद्र-07, चन्दौली-03, झाँसी-01, ललितपुर-01)
	(ग) एरी बीजागार	- 04 (कानपुर नगर-01, कानपुर देहात-01, फतेहपुर-01, उन्नाव-01)
11.	रेशम कीट बीज उत्पादन की वार्षिक क्षमत	- 24.11 लाख डी0एफ0एल्स0
	(क) शहतूती	- 16.00 लाख डी0एफ0एल्स0

(ख) टसर	-	4.96 लाख डी0एफ0एल्स0
(ग) एरी	-	3.15 लाख डी0एफ0एल्स0
12.चाकी कीटपालन केन्द्रों की संख्या	-	212
13.सामूहिक कीटपालन केन्द्रों की संख्या	-	20
14.सिल्क एक्सचेंज की संख्या	-	01
15.प्रशिक्षण संस्थान	-	01

वर्ष 2018-19 में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ

- जनपद फतेहपुर में नव स्थापित एरी रेशम कीटाण्ड उत्पादन केन्द्र (बीजागार) का संचालन प्रारम्भ किया गया है, जिससे 1.50 लाख डी0एफ0एल्स0 वार्षिक कीटाण्ड उत्पादन का कार्य प्रारम्भ किया गया।
- प्रदेश में शहतूती, टसर एवं एरी बीजागारों में कुल 60.716 लाख डी0एफ0एल्स0 का कीटाण्ड उत्पादन किया गया।
- रेशम उद्योग के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु 05 दिवसीय सिल्क एक्सपों में अन्तर्राज्यीय सिल्क उत्पादों की प्रदर्शनी का आयोजन पर्यटन भवन, गोमती नगर, लखनऊ में आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न प्रान्तो यथा- कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली के सिल्क उत्पादकों द्वारा भाग लिया गया।
- 417 रेशम कीटपालकों/कोया उत्पादकों को नवीन तकनीकी में प्रशिक्षण केन्द्रीय रेशम बोर्ड के प्रशिक्षण संस्थानों में (कर्नाटक, असम एवं झारखण्ड में) कराया गया।
- मा0 वस्त्र राज्यमंत्री, भारत सरकार एवं मा0 मंत्री, रेशम उद्योग, उ0प्र0 सरकार द्वारा पं0 दीनदयाल उपाध्याय रेशम उत्पादकता पुरस्कार से 50 सर्वश्रेष्ठ कीटपालक और उद्यमियों का रु0 11,000/-, प्रशस्ति पत्र एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित करते हुये सिल्क विथिका का विमोचन।

  प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सहयोग से जनपद लखनऊ में क्षेत्रीय रेशम अनुसंधान केन्द्र की स्थापना हेतु राजकीय रेशम फार्म फार्म-ऐन की 2.012 हे0 भूमि केन्द्रीय रेशम बोर्ड, भारत सरकार को निःशुल्क/लीज पर शर्तों के अधीन दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- प्रदेश में 100 से अधिक रेशम सिल्क ग्रामों का चयन कर माडल ग्राम के रूप में विकसित करना।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में संचालित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

1- निदेशन एवं प्रशासन

इस योजनान्तर्गत कर्मचारियों के वेतन भत्ते, निदेशालय तथा परिक्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यालय व्यय, यात्रा भत्ता आदि आवश्यकताओं के दृष्टिगत रखते हुए वचनबद्ध मदों के अन्तर्गत बजट आवंटित किया गया है। वर्ष 2018-19 में इस योजना के अन्तर्गत रु0 2491.68 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान किया गया। प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शत प्रतिशत धनराशि की स्वीकृति प्राप्त कर माह दिसम्बर 2018 तक रु0 1399.63 लाख का व्यय किया गया।

2- माडल चाकी कीटपालन हेतु शहतूत उद्यान की स्थापना

शहतूती फार्मों पर उपलब्ध आवस्थापना सुविधाओं का रखरखाव/मरम्मत, सुदृढ़ीकरण एवं आवश्यकता के आधार पर अन्य विकास कार्य तथा कीटपालन की सफलता हेतु चाकी सामग्री, विशुद्धीकारक, रेशम कीट औषधियों, रासायनिक उर्वरकों, कीटपालन एवं फार्म सम्बन्धित उपकरणों आदि का क्रय किया जाता है। विभागीय फार्मों का रख-रखाव (कर्षण कार्य) एवं उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2018-19 में रु0 492.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान किया गया। प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शत प्रतिशत धनराशि की स्वीकृति प्राप्त कर माह दिसम्बर 2018 तक रु0 296.04 लाख का व्यय किया गया है।

3- टसर रेशम विकास योजना

टसर फार्मों में वृक्षारोपित क्षेत्रफल में कर्षण कार्य जैसे- निराई, गुड़ाई, सिंचाई, प्रूनिंग आदि का कार्य तथा अर्जुन पौध नर्सरी का उत्पादन करते हुए नवीन/अविकसित क्षेत्रों में अर्जुन वृक्षारोपण का कार्य एवं वैज्ञानिक विधि से टसर कीटों का नायलान नेट में चाकी कीटपालन काते हुए स्थानीय कृषकों को कीटपालन हेतु कीटों की आपूर्ति कर रेशम उत्पादन का कार्य सम्पन्न कराया जाता है, जिससे गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को अतिरिक्त आय का सृजन हो। वर्ष 2018-19 में रु0 57.60 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान किया गया है। प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शत प्रतिशत की धनराशि की स्वीकृति प्राप्त कर माह दिसम्बर 2018 तक रु0 32.67 लाख का व्यय किया गया है।

4- रेशम अनुसंधान एवं विकास की योजना

निदेशालय स्तर पर गठित कमेटी द्वारा जनवरी 2018 में लक्षित कार्य पूर्ण हो जाने पर आगामी वर्षों हेतु आप्रसंगिक पाये जाने की संस्तुति की सूचना शासन को प्रेषित की गयी परन्तु वर्ष 2018-19 में योजनान्तर्गत रु0 107.46 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान किया गया है। विभाग की आवश्यकता एवं कृषक हित में जनपद मिर्जापुर में स्थापित रेशम प्रशिक्षण संस्थान को क्रियाशील किये जाने हेतु आवश्यक सुविधाओं का सृजन किये जाने का प्रस्ताव योजनान्तर्गत किया गया है परन्तु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृति हेतु प्रेषित पुर्नविनियोग प्रस्ताव पर वित्त विभाग से सहमति प्राप्त नहीं हुई है तथा प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है।

5- जागरूकता एवं प्रशिक्षण की योजना

रेशम कृषकों को रेशम उत्पादन के प्रति जागरूक करने एवं कौशल अभिवृद्धि के उद्देश्य से इस योजना का संचालन किया जा रहा है। योजनान्तर्गत प्रचार-प्रसार हेतु पम्पलेट/रेशम साहित्य का प्रकाशन, वीडियों फिल्म का प्रदर्शन एवं साईनबोर्ड का कार्य तथा ग्राम/ब्लाक/जनपद/मण्डल/राज्य स्तर पर कृषक मेलों/गोष्ठियों का आयोजन करते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है। इस योजनान्तर्गत नवीनतम तकनीकी प्रौद्योगिकी की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2018-19 में 375 कृषकों को राज्य से बाहर असम (गोहाटी), झारखण्ड (रांची), बरहमपुर (पश्चिम बंगाल) एवं मैसूर (कर्नाटक) में अन्तर्राज्यीय प्रशिक्षण कराया जा रहा है। अन्तर्राज्यीय प्रशिक्षण पर रु0 6000.00 प्रति लाभार्थी की दर से व्यय किया जाता है। इनके द्वारा रेशम के क्रियाकलापों से जनपद स्तर पर कृषकों को जानकारी उपलब्ध कराते हुये रेशम कार्यक्रमों में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश स्तरीय सिल्क एक्सपो के आयोजन के अन्तर्गत प्रदेश के जनपद

लखनऊ में एक सिल्क एक्सपो का आयोजन किया गया तथा सिल्क समग्र वर्कशाप में 35 शहतूती, 06 टसर, 06 एरी रेशम कोया उत्पादकों को एवं 03 धागाकरण उद्यमियों अर्थात् कुल 50 लाभार्थियों को पं0 दीनदयाल उपाध्याय रेशम उत्पादकता पुरस्कार से सम्मानित करते हुए रु0 11000.00 की धनराशि के चेक एवं प्रशस्ति पत्र मा0 वस्त्र राज्य मंत्री, भारत सरकार एवं मा0 मंत्री, रेशम उद्योग, उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रदान किया गया। वर्ष2018-19 में रु0 52.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान एवं पुनर्विनियोग के उपरान्त रु0 5.27 लाख, इस प्रकार कुल रु0 57.27 लाख का बजट उपलब्ध है। उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष शत प्रतिशत धनराशि की स्वीकृति प्राप्त कर माह दिसम्बर 2018 तक धनराशि रु0 24.11 का व्यय किया गया है।

6- प्रादेशिक को-आपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन लि0 लखनऊ को सहायता योजना

उ0प्र0 शासन द्वारा प्रादेशिक को-आपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन लि0 उ0प्र0 में कार्यों को सुचारु रूप से संचालन एवं निरीक्षण करने हुए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जाती है। जिनके मानदेय, यात्रा बीजक, टेलीफोन, चिकित्सा आदि पर योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में रु0 2.00 लाख का आय-व्यपक में प्रावधान किया गया है। प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शत प्रतिशत धनराशि की स्वीकृति प्राप्त है परन्तु वर्तमान में अध्यक्ष नामित न होने के कारण व्यय शून्य है।

7- रेशम कीटाण्ड के विकास की योजना

वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु विभागीय बीजागारों में शहतूती कीटाण्ड उत्पादन हेतु 28.40 लाख डी0एफ0एल्स0 तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड से 12.85 लाख डी0एफ0एल्स0 टसर सेक्टर में 3.18 लाख डी0एफ0एल्स0 विभागीय बीजागारों में उत्पादन तथा केन्द्रीय रेशम बोर्ड से 0.50 लाख डी0एफ0एल्स0 क्रय किये जाने का प्रावधान किया गया। इसी प्रकार एरी सेक्टर में विभागीय बीजागारों में 2.452 लाख डी0एफ0एल्स0 तथा 3.998 लाख डी0एफ0एल्स0 केन्द्रीय रेशम बोर्ड से क्रय किये जाने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार प्रदेश में उत्पादित होने वाले कीटाण्डों के लिये बीजू कोया उत्पादन अर्थात पी-1 फार्म एवं पी-2 (बीजू कोया उत्पादन फार्म) पर आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने, बीजू कोया उत्पादकों से बीजू कोया का क्रय, बीजागार में रेशम कीट बीज उत्पादन हेतु आवश्यक उपकरण/सामग्री क्रय तथा मजदूरी मद के अतिरिक्त केन्द्रीय रेशम बोर्ड से रोग रहित रेशम कीट बीज क्रय पर धनराशि का व्यय किया जाता है। वर्ष 2018-19 में रु0 269.00 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान किया गया। प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष शत प्रतिशत धनराशि की स्वीकृति प्राप्त कर माह दिसम्बर 2018 तक रु0 154.52 लाख का व्यय किया गया।

8- टसर रेशम के लिये नर्सरी पौध उत्पादन की योजना

विभागीय टसर रेशम फार्मों पर 2.0 लाख अर्जुन नर्सरी पौधालय की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में धनराशि रु0 19.73 लाख का प्रावधान किया गया है। प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रु0 19.73 लाख की स्वीकृति जारी की गयी है जिसके अन्तर्गत माह दिसम्बर 2018 तक 4.18 लाख का व्यय किया गया है।

9- एरी रेशम विकास की योजना (जिला योजना)

एरी रेशम कोया उत्पादन की योजना प्रदेश के फतेहपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, हमीरपुर, बाँदा, चित्रकूट, उन्नाव एवं जालौन जनपदों में जिला योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83

(अनुसूचित जाति एव-प्लान) में क्रियान्वित है। योजनान्तर्गत एरी रेशम में अच्छादित जनपदों की आवश्यकतानुसार उनकी मूलभूत आवश्यकताओं के साथ-साथ कृषकों को अरण्डी के पत्तों का उपयोग अरण्डी रेशम कीटपालन में कराते हुए उनकी आय में अतिरिक्त वृद्धि करायी जाती है तथा कृषकों को प्रशिक्षित कर कीटपालन उपकरणों की सुविधा उपलब्ध कराते हुए रेशम कीटपालन कराया जाता है। एरी रेशम फार्मों पर उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं का रखरखाव/मरम्मत, सुदृढ़ीकरण एवं आवश्यकता के आधार पर अन्य विकास कार्य तथा सफल कीटपालन के लिए विशुद्धीकारक, रेशम कीट औषधियों, रसायनिक उर्वरकों, कीटपालन एवं फार्म सम्बन्धित उपकरणों आदि का क्रय किया जाता है। वर्ष 2018-19 में रु0 43.84 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान किया गया। प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रु0 43.84 लाख धनराशि की स्वीकृति जारी की गयी। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष माह दिसम्बर 2018 तक रु0 6.19 लाख का व्यय किया गया।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड से सहायतित योजनायें

1- केन्द्रीय रेशम बोर्ड से सहायतित सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम (अनुदान संख्या-10)

योजनान्तर्गत प्री-ककून में शहतूती सेक्टर के अन्तर्गत शहतूत नर्सरी स्थापना, शहतूत वृक्षारोपण, कीटपालन गृह निर्माण एवं कीटपालन उपकरण सहायता अनुदान तथा पोस्ट ककून सेक्टर के अन्तर्गत ट्विस्टिंग इकाई, आर्म्स डाइंग इकाई, कम्प्यूटर ऐडिड टेक्स्टाइल डिजाइन, इलेक्ट्रानिक जैकार्ड इकाइयों की स्थापना तथा लूम के उच्चीकरण हेतु लाभार्थियों को अनुदान सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु0 147.81 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान किया गया है। प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृति जारी करने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

2- केन्द्रीय रेशम बोर्ड से सहायतित सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम (अनुदान संख्या-83)

अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को योजनान्तर्गत शहतूत सेक्टर के अन्तर्गत शहतूत नर्सरी स्थापना, शहतूत वृक्षारोपण, कीटपालन गृह निर्माण, सिंचाई सुविधा, कीटपालन उपकरण, सोलर लालटेन तथा विशुद्धीकारक क्रय हेतु अनुदान सहायता लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जायेगा। वान्या टसर सेक्टर के अन्तर्गत अर्जुन वृक्षारोपित, चाकी गार्डन के विकास, अर्जुन वृक्षारोपण मेन्टीनेन्स, कीटपालन उपकरण तथा निजी क्षेत्र में टसर बीजागारों के निर्माण हेतु अनुदान सहायता लाभार्थियों को उपलब्ध करायी जायेगी। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु0 41.63 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान किया गया है। प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष स्वीकृति जारी करने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है।

अन्य योजनायें

1- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

भारत सरकार सहायतित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसका राज्य स्तर पर नोडल विभाग कृषि विभाग है, के अन्तर्गत प्रदेश में मात्रात्मक एवं गुणात्मक रेशम उत्पादन हेतु अवस्थापना सुविधाओं का विकास की परियोजना में धनराशि रु0 477.30 लाख तथा पूर्व की स्वीकृत परियोजना के शेष कार्यों हेतु रु0 98.00 लाख, इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल रु0 575.30 लाख की स्वीकृतियाँ जारी की गयी हैं तथा माह दिसम्बर, 2018 तक रु0 281.13 लाख का व्यय किया गया है।

2- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत मनरेगा इण्टर सेक्टोरल कन्वर्जेन्स

मनरेगा इण्टर सेक्टोरल कन्वर्जेन्स अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में रु0 28.03 लाख अवमुक्त हुआ है, जिसके सापेक्ष माह दिसम्बर 2018 तक रु0 13.64 लाख का व्यय किया गया, जिससे 7121 मानव दिवसों का सृजन हुआ है।

वर्ष 2018-19 में भौतिक लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धि का विवरण

क्र0 सं0	मद	इकाई	लक्ष्य	उपलब्धि (माह दिसम्बर 2018 तक)
1-	वृक्षारोपण			
	क- शहतूती	एकड़	4000.00	1319.00
	ख- टसर	एकड़	125.00	34.50
	ग- एरी	एकड़	7700.00	7705.00
2-	रेशम कीट बीज उत्पादन			
	क- शहतूती	लाख डी0एफ0एल्स0	28.40	25.72
	ख- टसर	लाख डी0एफ0एल्स0	3.18	2.75
	ग- एरी	लाख डी0एफ0एल्स0	2.45	1.11
3-	रेशम कीटपालन			
	क- शहतूती	लाख डी0एफ0एल्स0	41.25	29.34
	ख- टसर	लाख डी0एफ0एल्स0	3.68	3.58
	ग- एरी	लाख डी0एफ0एल्स0	6.45	3.39
4-	रेशम कोया उत्पादन			
	क- शहतूती कोया	मे0 टन	2003.03	1320.93
	ख- टसर कोया	लाख संख्या	208.20	188.59
	ग- एरी कोया	मे0 टन	368.54	87.77
5-	रेशम धागा उत्पादन			
	क- शहतूती	मे0 टन	228.36	148.20
	ख- टसर	मे0 टन	23.13	20.95
	ग- एरी	मे0 टन	46.03	10.97

वर्ष 2019-20 में प्रस्तावित कार्यक्रम

उद्देश्य

- रेशम कोया उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि।

- गुणवत्तायुक्त रेशम धागे का उत्पादन।
- रेशम कीट बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता।
- रेशम उत्पादन से अनाच्छादित क्षेत्रों में रेशम का विस्तार।
- रोजगार सृजन में वृद्धि।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में संचालित योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

1- निदेशन एवं प्रशासन की योजना

इस योजनान्तर्गत कर्मचारियों के वेतन भत्ते, निदेशालय तथा परिक्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यालय व्यय, यात्रा भत्ता आदि आवश्यकताओं के दृष्टिगत रखते हुए वचनबद्ध मदों में वर्ष 2019-20 में रु0 2609.77 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

2- माडल चाकी कीटपालन हेतु शहतूत उद्यान की स्थापना

राजकीय शहतूती फार्मों पर उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं का रखरखाव/मरम्मत, सुदृढ़ीकरण/आधुनिकीकरण एवं आवश्यकता के आधार पर अन्य विकास कार्य कराये जाते हैं इन फार्मों में मुख्यतः चाकी रेशम कीटपालन हेतु ''चाकी उद्यान'' का कर्षण कार्य (अर्थात् पौधों की प्रूनिंग/ट्रिमिंग, गुडाई घास निकालना, खाद/रासायनिक खाद का छिड़काव, सिंचाई इत्यादि) विभागीय वार्षिक कलेण्डर के अनुसार कराया जाता है। इसके अतिरिक्त सफल कीटपालन के लिए विशुद्धीकारक, रेशम कीट औषधियों, रसायनिक उर्वरकों, कीटपालन एवं फार्म सम्बन्धित उपकरणों आदि का क्रय भी किया जाता है।

अतः विभागीय फार्मों पर गुणवक्तायुक्त चाकी रेशम तैयार कर रेशम कोया उत्पादकों/कृषकों में वितरण हेतु फार्मों के रखरखाव एवं उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2019-20 हेतु आय-व्ययक में रु0 766.08 लाख का प्रावधान कराया जाना प्रस्तावित है।

3- टसर रेशम विकास योजना

टसर रेशम फार्मों में वृक्षारोपित क्षेत्रफल में कर्षण कार्य जैसे- घास सफाई, थाले बनाना, सिंचाई, पोलर्डिंग आदि का कार्य तथा अर्जुन पौध के उत्पादन का कार्य (नर्सरी स्थापना), नवीन/अविकसित क्षेत्रों में अर्जुन वृक्षारोपण का कार्य एवं वैज्ञानिक विधि से टसर कीटों का नायलान नेट में चाकी कीटपालन कराते हुए स्थानीय कृषकों को कीटपालन हेतु कीटों की आपूर्ति कर टसर कोया उत्पादन का कार्य सम्पन्न कराया जाता है। टसर कीटपालन से गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों को अतिरिक्त आय का सृजन होता है। इस प्रकार विभागीय टसर फार्मों का रख रखाव एवं उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2019-20 हेतु आय-व्ययक में रु0 117.36 लाख का प्रावधान कराया जाना प्रस्तावित है।

4- जागरूकता एवं प्रशिक्षण की योजना

योजनान्तर्गत प्रचार-प्रसार हेतु पम्पलेट/रेशम साहित्य का प्रकाशन, वीडियों फिल्म का प्रदर्शन, साईनबोर्ड एवं वालपेन्टिंग का कार्य तथा ग्राम/ब्लाक/जनपद/मण्डल/राज्य स्तर पर कृषक मेलों/गोष्ठियों, सिल्क एक्सपो तथा चौपाल कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए व्यापक

प्रचार-प्रसार किया जाना प्रस्तावित है, इसके अतिरिक्त प्रदेश में रेशम उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु पं0 दीनदयाल उपाध्याय रेशम उत्पादकता पुरस्कार का आयोजन तथा प्रदेश में एक सिल्क एक्सपो का आयोजन प्रस्तावित है। योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 हेतु आय-व्ययक में रु0 103.50 लाख का प्रावधान कराया जाना प्रस्तावित है।

5- प्रादेशिक को-आपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन लि0 लखनऊ को सहायता योजना

उ0प्र0 शासन द्वारा प्रादेशिक को-आपरेटिव सेरीकल्चर फेडरेशन लि0 उ0प्र0 में कार्यों का सुचारू रूप से संचालन एवं निरीक्षण करने हेतु अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जाती है। जिनके मानदेय, यात्रा बीजक, टेलीफोन, चिकित्सा आदि पर व्यय किया जाता है। योजनान्तर्गत वर्ष 2019-20 हेतु आय-व्ययक में रु0 2.00 लाख का प्रावधान कराया जाना प्रस्तावित है।

6- रेशम कीटाण्ड के विकास की योजना

प्रदेश में रेशम कीटाण्ड की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये पी-1 (बीजू) कीटपालन क्षेत्र एवं बीजागारों के रखरखाव, संचालन एवं सुदृढ़ीकरण/आधुनिकीकरण तथा रेशम कीटाण्ड का क्रय केन्द्रीय रेशम बोर्ड से किया जाएगा। इसलिये इस योजना के स्वरूप में वृद्धि कर वर्ष 2019-20 हेतु आय-व्ययक में रु0 656.48 लाख का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

एरी रेशम विकास की योजना (जिला योजना)

योजनान्तर्गत प्रदेश के एरी क्षेत्र के कृषकों को प्रशिक्षित कर कीटपालन उपकरणों की सुविधा से सुसज्जित करते हुए कीटपालन कार्य तथा उत्पादित कोयों का विक्रय करते हुए अतिरिक्त लाभ अर्जित किये जाने के उद्देश्य से वर्ष 2019-20 हेतु आय-व्ययक में रु0 97.70 लाख का आय-व्ययक में प्रावधान कराया जाना प्रस्तावित है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड से सहायतित योजनायें

1- केन्द्रीय रेशम बोर्ड से सहायतित सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम (अनुदान संख्या-10)

योजनान्तर्गत प्री-ककून में शहतूती सेक्टर के अन्तर्गत शहतूत नर्सरी स्थापना, शहतूत वृक्षारोपण, कीटपालन गृह निर्माण एवं कीटपालन उपकरण सहायता अनुदान लाभार्थियेां को दिया जायेगा तथा पोस्ट ककून सेक्टर के अन्तर्गत टियूस्टिंग इकाई, आर्म्स डाइंग इकाई, कम्प्यूटर ऐडिड टेक्स्टाइल डिजाइन, इलेक्ट्रानिक जैकार्ड इकाइयों की स्थापना तथा लूम के उच्चीकरण हेतु लाभार्थियों को अनुदान सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में धनराशि रु0 1133.85 लाख का आय-व्ययक अनुमान प्रेषित किया गया है।

2- केन्द्रीय रेशम बोर्ड से सहायतित सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम (अनुदान संख्या-83)

अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को योजनान्तर्गत शहतूत सेक्टर के अन्तर्गत शहतूत नर्सरी स्थापना, शहतूत वृक्षारोपण, कीटपालन गृह निर्माण, सिंचाई सुविधा, कीटपालन उपकरण, सोलर लालटेन तथा विशुद्धीकारक क्रय हेतु अनुदान सहायता लाभार्थियों को उपलब्ध कराया जायेगा। वान्या टसर सेक्टर के अन्तर्गत अर्जुन वृक्षारोपित, चाकी गार्डन के विकास, अर्जुन वृक्षारोपण मेन्टीनेन्स, कीटपालन उपकरण तथा निजी क्षेत्र में टसर बीजागारों के निर्माण हेतु अनुदान

स्वरूप सहायता लाभार्थियों को उपलब्ध करायी जायेगी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में धनराशि रु0 481.15 लाख का आय-व्ययक अनुमान प्रेषित किया गया है।

नई योजनायें

1- शहतूती रेशम के लिए नर्सरी पौध उत्पादन योजना

विभागीय राजकीय रेशम फार्मों पर 20 एकड़ क्षेत्रफल में 40.0 लाख कटिंग रोपण कर शहतूत नर्सरी पौधालय हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में धनराशि रु0 17.40 लाख का आय-व्ययक अनुमान प्रेषित किया गया है।

अन्य योजनायें

1- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

भारत सरकार सहायतित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसका राज्य स्तर पर नोडल विभाग कृषि विभाग है, के अन्तर्गत प्रदेश में मात्रात्मक एवं गुणात्मक रेशम उत्पादन हेतु परियोजना, गुणात्मक रेशम उत्पादन हेतु अवस्थापना सुविधाओं के सृजन हेतु रु0 2738.72 लाख एवं रेशम उत्पादन के क्रियाकलापों का निजी क्षेत्र में विस्तारीकरण हेतु रु0 1570.00 लाख तथा रेशम प्रशिक्षण संस्थान, मिर्जापुर को संचालित कराये जाने के लिए आवश्यक सुविधाओं के सृजन हेतु रु0 87.10 लाख इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिये कुल रु0 4395.82 लाख की योजना प्रस्तावित की गई है।

2- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत मनरेगा इण्टर सेक्टोरल कन्वर्जेन्स

मनरेगा इण्टर सेक्टोरल कन्वर्जेन्स अन्तर्गत वर्ष 2019-20 हेतु रु0 218.22 लाख धनराशि माँग का प्रस्ताव किया गया है।

●

मुद्रण एवं लेखन सामग्री

मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज की स्थापना सन् 1857 ई. में की गयी थी जिसके अधीनस्थ राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ की स्थापना सन् 1949 ई. में हुई। इसके अतिरिक्त मुद्रणालयों के निरन्तर विकास एवं प्रसार के फलस्वरूप ऐशबाग, लखनऊ के अन्तर्गत शाखा मुद्रणालय, हजरतगंज, लखनऊ का विस्तार किया गया। राजकीय मुद्रणालय रामपुर की स्थापना सन् 1976 ई. तथा राजकीय मुद्रणालय, वाराणसी की स्थापना सन् 1979 ई. में की गयी। प्रदेश के चतुर्मुखी विकास के परिणामस्वरूप शासन के दिनों-दिन बढ़ते हुए मुद्रण कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए महामहिम राज्यपाल के दैनिक कार्यक्रमों के मुद्रण हेतु राजभवन मिनी प्रेस तथा राजभवन सचिवालय परिसर, लखनऊ के परिसर में स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त राजकीय मुद्रणालयों के कार्यों में निरन्तर वृद्धि को दृष्टि में रखते हुए स्वतंत्र रूप से निदेशालय की स्थापना सन् 1990 ई. में किया गया। तत्पश्चात राजकीय विभागों के मुख्यालय लखनऊ में स्थित होने के कारण तथा उनसे समन्वय स्थापित करने के लिए राजकीय शाखा मुद्रणालय हजरतगंज लखनऊ के परिसर में शिविर कार्यालय की स्थापना वर्ष 2006 में किया गया, जिसके द्वारा समय-समय पर समस्त मुद्रणालयों की कार्य प्रगति की समीक्षा की जाती है।

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग का मुख्य उद्देश्य राज्याधीन विभागों के विभिन्न प्रकार के श्रृंखलाओं के 1600 पंजीकृत प्रपत्र/रजिस्टरों तथा विभिन्न विभागों के लगभग 300 प्रकार के अपंजीकृत प्रपत्र/रजिस्टरों जैसे- शिक्षा, गज़ेटियर, साधारण, असाधारण उर्दू गजट, महालेखाकार के वित्तीय एवं ऑडिट रिपोर्ट, बजट साहित्य, दिग्दर्शक बजट, माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं, परीक्षा सम्बन्धी विभिन्न प्रपत्रों, लोक सेवा आयोग के कार्यों, माननीय उच्च न्यायालय के काजलिस्ट एवं अन्य प्रपत्र समयानुसार लोक सभा, विधान सभा, स्थानीय निकाय एवं पंचायत के निर्वाचन मतपत्रों, विधान मण्डल/परिषद् की कार्यवाहियां, एजेण्डा आदि का मुद्रण/प्रकाशन एवं महामहिम श्री राज्यपाल सचिवालय, सचिवालय प्रशासन, विधान सभा/परिषद् की लेखन सामग्री आदि की सम्पूर्ति का कार्य किया जाता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रान्त के अधीन विभागों के गोपनीय कार्य-कार्मिक विभाग के शासनादेशों, राजाज्ञा, नियुक्तियां, प्रतिवेदन, पुलिस विभाग के जी0डी0, सी0डी0, गोपनीय आख्या, कोषागार एवं विभागीय परीक्षाओं के मुद्रण एवं प्रकाशन के कार्य मांगाधिकारियों के अनुरूप मुद्रण/आपूर्ति किए जाते हैं।

जनहित के उपयोगार्थ शासकीय प्रपत्रों की आपूर्ति में शीघ्रता, गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता लाने के उद्देश्य से मुद्रण कार्यों में अत्याधुनिक कम्प्यूटराइज्ड टेक्नालॉजी एवं साज-सज्जाओं से सुसज्जित करने हेतु राजकीय मुद्रणालयों को प्रदेश सरकार द्वारा आधुनिकीकरण करने का निर्णय लिया गया है।

संगठनात्मक स्वरूप

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 के विभागाध्यक्ष हैं। निदेशालय द्वारा लेखन सामग्री, प्रपत्र तथा अन्य राजकीय प्रकाशनों के मुद्रण, सम्पूर्ति सम्बन्धी निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन, बजट आवंटन एवं विभागीय वित्तीय नियंत्रण का कार्य, प्रदेश के नीतिगत मामलों के क्रियान्वयन के साथ विभाग के महत्त्वपूर्ण कार्यों के निस्तारण का दायित्व निर्वहन किया जाता है। विभाग के अंतर्गत चार राजकीय मुद्रणालय स्थापित हैं। जिसकी देख-रेख पृथक-पृथक इकाइयों में नियुक्त पदों के वरिष्ठतम अधिकारियों द्वारा की जाती है।

मुद्रण-राजकीय मुद्रणालयों का मुद्रण कार्य

मुद्रणालय द्वारा प्रदेश के समस्त माँगाधिकारियों को उनके उपयोगार्थ विभिन्न प्रकार के पंजीकृत एवं अपंजीकृत प्रपत्रों, रजिस्टरों, जिला गज़ेटियर, साधारण गज़ट, असाधारण गज़ट, उर्दू गज़ट, महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज के वित्तीय लेखे एवं ऑडिट रिपोर्ट विषयक पुस्तकें, बजट साहित्य, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकायें एवं विभिन्न संस्थाओं के परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं एवं अन्य परीक्षा से सम्बन्धित प्रपत्र वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं का मुद्रण विभिन्न विभागों के परीक्षा सम्बन्धी गोपनीय कार्य, लोक सभा, विधान सभा, पंचायत एवं स्थानीय निकाय हेतु मत-पत्रों का मुद्रण एवं नम्बरिंग, विधान मण्डल की कार्यवाही, एजेण्डों का मुद्रण/प्रकाशन, सामयिक प्रकाशनों का मुद्रण कार्य प्रमुख है। साथ ही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यों का मुद्रण, उच्च न्यायालय काजलिस्ट का मुद्रण समयबद्ध एवं अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त वाणिज्य स्तर पर कार्य करने वाले शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालयों के मुद्रित प्रपत्रों की सम्पूर्ति कर नगद धनराशि जमा करा ली जाती है तथा अपंजीकृत प्रपत्रों/रजिस्टरों का मुद्रण सशुल्क किये जाने की व्यवस्था है, जिसके परिणामस्वरूप विभाग को राजस्व प्राप्तियां प्राप्त होती हैं।

विभिन्न शाखा प्रेसों में अनुभागवार मशीनें स्थापित हैं, उनका मशीनवार एवं मुद्रण से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं का दैनिक मानक प्रति घंटा निर्धारित है, जिसके अंतर्गत सभी कार्यरत मुद्रण कर्मियों के कार्य का मूल्यांकन किया जाता है, जैसा कि उक्त समस्त मुद्रण प्रक्रियाओं की निर्धारित मानक की प्रतियां पूर्व प्रेषित कर समय-समय पर संज्ञानित कराया जाता रहता है। उक्त दैनिक निर्धारित मानक के आधार पर विभिन्न शाखा प्रेसों का वर्तमान मासिक/वार्षिक मुद्रण कार्य का भौतिक उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं।

राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज

राजकीय मुद्रणालय, प्रयागराज में पंजीकृत/अपंजीकृत प्रपत्रों/रजिस्टरों का मुद्रण, लोक सेवा आयोग एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं का निर्माण एवं मुद्रण, विभिन्न प्रकार के परीक्षा सम्बन्धी प्रपत्र, वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं का मुद्रण, सामयिक प्रकाशन, साधारण/असाधारण गज़टों का हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू में मुद्रण, महालेखाकार के वित्तीय लेखे, ऑडिट आपत्तियों का मुद्रण, अत्यंत गोपनीय परीक्षा सम्बन्धी प्रपत्रों, माननीय उच्च न्यायालय के काजलिस्टों का मुद्रण आदि महत्त्वपूर्ण कार्य हैं, मुद्रित वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं, गज़ट एवं अन्य सामयिक

प्रकाशनों के भंडारण की व्यवस्था है, जिन्हें सम्बन्धित माँगाधिकारियों को सम्पूर्ति किया जाता है, तथा नगद बिक्री की व्यवस्था है। पंजीकृत प्रपत्रों का भण्डारण वर्तमान में निदेशालय के स्टेशनरी हॉल में किया जाता है। यहाँ से जनपद प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ, इटावा, औरैया, फर्रूखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, झाँसी, बाँदा, फिरोजाबाद, कानपुर देहात, कासगंज एवं कौशाम्बी के कतिपय माँगाधिकारियों को सम्पूर्ति करने की व्यवस्था है।

राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ

ऐशबाग लखनऊ मुद्रणालय द्वारा पंजीकृत/अपंजीकृत प्रपत्रों/रजिस्टरों के मुद्रण तथा सचिवालय व सूचना विभाग के आवश्यक मुद्रण कार्य, बजट साहित्य, कार्यपूर्ति दिग्दर्शक बजट, प्लान, माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की उत्तर पुस्तिकाओं, विभागीय परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र आदि का मुद्रण कार्य प्रमुख रूप से किया जाता है। शाखा मुद्रणालय हजरतगंज, लखनऊ द्वारा विधान सभा एवं विधान परिषद् की कार्यवाहियों सहित विभिन्न प्रकार के उपयोगी प्रपत्रों/रजिस्टरों का मुद्रण होता है तथा महामहिम राज्यपाल के दैनिक कार्यक्रम का मुद्रण प्रमुख रूप से किया जाता है। राजभवन शाखा प्रेस लखनऊ में राज्यपाल सचिवालय के कार्य विषयक सामग्री का मुद्रण होता है। मुद्रित प्रपत्रों का भंडारण किया जाता है तथा प्रदेश के जनपद लखनऊ, हरदोई, खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, प्रयागराज, बहराइच, बाराबंकी, गोण्डा, श्रावस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर एवं अमेठी को सम्पूर्ति किये जाने की व्यवस्था है।

राजकीय मुद्रणालय, रामपुर

राजकीय मुद्रणालय, रामपुर द्वारा पंजीकृत/अपंजीकृत प्रपत्रों/रजिस्टरों का मुद्रण एवं निर्माण, माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मुद्रण एवं निर्माण, सामयिक प्रकाशन आदि कार्यों का मुद्रण होता है। मुद्रित प्रपत्रों के भण्डारण की व्यवस्था है। यहाँ से प्रदेश के बरेली, बदायूँ, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, मेरठ, बुलन्दशहर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद, ज्योतिबाफुले नगर, बागपत, गौतमबुद्ध नगर, हापुड़, सम्भल, शामली के कतिपय माँगाधिकारियों को सम्पूर्ति किये जाने की व्यवस्था है।

राजकीय मुद्रणालय, वाराणसी

वाराणसी शाखा द्वारा पंजीकृत/अपंजीकृत प्रपत्रों/रजिस्टरों का मुद्रण एवं निर्माण, माध्यमिक शिक्षा परिषद् की हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मुद्रण एवं निर्माण, सामयिक प्रकाशन आदि कार्यों का मुद्रण होता है। मुद्रित प्रपत्रों के भंडारण की व्यवस्था है। यहाँ से प्रदेश के जनपद गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, वाराणसी, आजमगढ़, बस्ती, देवरिया, मऊ, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, चन्दौली, सन्त रविदास नगर, कुशीनगर, सन्त कबीर नगर के कतिपय माँगाधिकारियों को आवश्यक प्रपत्रो एवं रजिस्टरों की आपूर्ति किये जाने की व्यवस्था है।

विकास की योजनायें

13वीं पंचवर्षीय योजनावधि (2014-18) के अन्तर्गत राजकीय मुद्रणालयों प्रयागराज, लखनऊ (हजरतगंज एवं ऐशबाग), रामपुर एवं वाराणसी के आधुनिकीकरण के निमित्त अत्याधुनिक कम्प्यूटराइज्ड टेक्नालॉजी की मशीनों एवं साज-सज्जाओं की व्यवस्था के लिये 906.52 लाख का परिव्यय स्वीकृत हुआ

है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये मशीन क्रय एवं विविध निर्माण कार्य आदि के लिए पूँजी लेखा में रु. 393.83 लाख स्वीकृत है तथा वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजकीय मुद्रणालय प्रयागराज के नलकूप के निर्माण हेतु रु. 38.73 लाख एवं राजकीय मुद्रणालय में स्थिति श्रम हितकारी केन्द्र की छत पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसके साथ ही मुद्रणालय परिसर में स्थापित मशीनों का हॉल बारिश के समय अनवरत पानी टपकता है, जिससे कभी भी छत बैठ सकती है। इसके मरम्मत हेतु रु. 19.61 लाख एवं नवीन तकनीक की कम्प्यूटराइज्ड मशीनें आदि के क्रय हेतु रु. 1500.00 लाख के प्रस्ताव सहित कुल रु. 1585.17 लाख पूँजी लेखा में प्रस्तावित है। मुद्रणालयों के आधुनिकीकरण हो जाने पर मुद्रण की कार्यक्षमता में वृद्धि आयेगी।

शिशिक्षुओं एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में मुद्रण कार्य प्रणाली में प्रशिक्षण देने का कार्य अप्रेन्टिस एक्ट 1961 के अनुसार किया जा रहा है। जिस हेतु कुल 396 शिशिक्षु प्राविधिक प्रशिक्षण के लिए विभिन्न शाखाओं में पद स्वीकृत हैं। अप्रेन्टिस शिशिक्षुओं का प्रशिक्षण बन्द है। मुद्रण प्रौद्योगिक में आधुनिकीकरण हो जाने के फलस्वरूप नयी तकनीक के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु शिशिक्षु परामर्शदाता जांच कर रहे हैं। कम्प्यूटर प्रशिक्षण औद्योगिक एवं कार्यालयी कर्मचारियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इसके अलावा सचिवालय प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत प्रशिक्षित कराया जा रहा है एवं आधुनिकीकरण योजना के तहत जो मशीन लग रही है, उसको चलाने हेतु मशीन स्थापना के समय प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।

ई-गवर्नेन्स की प्रगति

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग में ई-गवर्नेन्स की प्रगति का विवरण निम्नवत् है :

नेशनल इन्फार्मेटिंक सेन्टर, लखनऊ द्वारा मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तर प्रदेश विभाग की वेबसाइट नेम - एचटीटीपी://डीपीएसयूपी.यूपी.एनआईसी.इन दिनांक 18-4-2008 अपलोड कर दी गई है। जिस पर विभाग की कार्य प्रणाली की सम्पूर्ण सूचनाएं तथा ई-गवर्नेन्स प्लान के अंतर्गत ई-प्रोक्योरमेन्ट/ई-टेण्डरिंग प्रणाली में होने वाले टेण्डरों से सम्बन्धित सूचनाएं (विड डाक्यूमेन्ट एण्ड नियम शर्तों सहित) वेबसाइट पर उपलब्ध है। मुद्रण एवं लेखन सामग्री निदेशालय का कार्यालय प्रयागराज मे स्थित है। इसके अतिरिक्त हजरतगंज लखनऊ में कैम्प कार्यालय स्थापित है। जिसे इण्टरनेट से जोड़ दिया गया है। विभाग के समस्त कार्य सम्बन्धी रूपपत्रों की सूचनाएं हजरतगंज लखनऊ शिविर कार्यालय में इण्टरनेट के माध्यम से लोड (अपडेट) करा दिया गया है तथा समय-समय पर सूचनाएं प्राप्त होने पर अपलोड कराई जाती हैं।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग उत्तर प्रदेश की स्थापना वर्ष 1935 में हुई। उत्तर प्रदेश, देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है तथा गन्ने की खेती एवं चीनी मिलें प्रदेश की अर्थव्यवस्था तथा विकास की मुख्य धुरी हैं। चीनी, गुड़, खाण्डसारी उद्योग के साथ-साथ शीरा, खोई आदि उप-उत्पादों पर आधारित अनेक छोटे-बड़े उद्योगों से करोड़ों लोगों को रोजी-रोटी के अवसर के साथ वर्ष के 7-8 महीनों में घरेलू पशुओं हेतु हरा चारा भी प्राप्त होता है।

वर्ष 2018-19 में प्रदेश का गन्ना क्षेत्रफल 27.94 लाख हेक्टेयर रहा। पेराई सत्र 2018-19 में 121 चीनी मिलें (सहकारी क्षेत्र-24, निजी क्षेत्र-94 तथा निगम-03) संचालित हैं तथा प्रदेश में चीनी मिलों की दैनिक पेराई क्षमता 7.83 लाख टी.सी.डी. है। प्रदेश के 33 लाख से अधिक गन्ना कृषक चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति करते हैं तथा गन्ना फसल ही उनके परिवार की आजीविका का मुख्य साधन है।

गन्ना विकास विभाग का मुख्य उद्देश्य एवं कार्य

1- विभिन्न गन्ना विकास कार्यक्रमों द्वारा कृषि निवेशों के समुचित उपयोग से प्रति इकाई भूमि पर अधिकतम् गन्ना उत्पादन प्राप्त करना।

2- गन्ना कृषकों व चीनी मिलों की आवश्यकतानुसार उन्नतशील गन्ना प्रजातियों का विकास करना तथा गन्ना खेती की विविध तकनीकों को विकसित करना।

3- चीनी मिलों को उनकी आवश्यकतानुसार गन्ने की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु पर्याप्त गन्ना क्षेत्र व गन्ना का आवंटन करना।

4- गन्ना किसानों को उनके द्वारा उत्पादित गन्ने का समितियों के माध्यम से चीनी मिलों को समय से आपूर्ति कराना तथा आपूर्ति किये गये गन्ने के मूल्य का भुगतान कराया जाना।

5- चीनी मिल गेट से 15 किमी0 क्षेत्र के बाहर खांडसारी इकाइयों की स्थापना हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचारोपरान्त लाइसेन्स देना।

6- किसानों को उन्नतिशील गन्ना खेती की नवीनतम् विधियों की जानकारी देना तथा गन्ना कृषकों, मिल व विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रशिक्षण देना।

7- गन्ना किसानों को आवश्यकतानुसार कृषि निवेश, ऋण तथा अनुदान उपलब्ध कराना।

8- प्रदेश में उपलब्ध गन्ना क्षेत्रफल एवं उत्पादन के अनुमान हेतु चीनी मिलवार गन्ना क्षेत्र का

सर्वेक्षण करना। गन्ने की खड़ी फसल के रेन्डम सेम्पुल की क्राप कटिंग कराकर प्रति हेक्टेयर गन्ना उपज का आकलन करना।

9- चीनी मिल क्षेत्रों में नवीनतम गन्ना प्रजातियें की पौधशालायें स्थापित कर गन्ना कृषकों को स्वस्थ्य एवं गुणवत्तापूर्ण गन्ना बीज उपलब्ध कराना।

10- गन्ने की फसल पर रोग एवं कीटों के नियंत्रण हेतु कृषकों को जानकारी देना तथा कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

11- प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक से अधिक गन्ना उपज प्राप्त करने के लिये कृषकों को प्रोत्साहित करने हेतु गन्ना फसल प्रतियोगितायें आयोजित कराना तथा चीनी मिल क्षेत्रों/प्रदेश में अधिकतम गन्ना उपज का आकलन करना।

इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभागीय कार्यों के संचालन, निर्देशन व नियंत्रण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तर प्रदेश का पद सृजित है, जो सहकारी चीनी मिलों व सहकारी गन्ना समितियों का पदेन निबंधक (रजिस्ट्रार) भी होता है।

गन्ना विकास की योजनाएं

गन्ना क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी प्रदेश होने के साथ-साथ कृषकों की आजीविका एवं आय का प्रमुख स्रोत है। गन्ने से न केवल चीनी एवं गन्ना आधारित विविध उत्पाद (चीनी, गुड़, शक्कर, शीरा, खाण्ड, शराब, केक व स्पैन्टवाश) आदि की पूर्ति होती है, बल्कि फसल व्यवसाय से जुड़े अन्य अति महत्त्वपूर्ण व्यवसाय पशुपालन हेतु वर्ष के 7 से 8 महीनों (अक्टूबर से अप्रैल-मई) तक हरा चारा भी उपलब्ध होता है।

चीनी मिलों की संख्या तथा पेराई क्षमता में वृद्धि, औसत पैदावार में वृद्धि के बावजूद उत्पादन लागत का बढ़ना तथा कृषि जोत का सिकुड़ना कुछ ऐसे कारक हैं जो चीनी मिलों को उनकी मांग के अनुसार सम्पूर्ण पेराई सत्र में भरपूर एवं नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने में बाधक है।

12वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2012-17 में औसत गन्ना उत्पादन 79.19 मैट्रिक टन प्रति हे0, औसत शुगर रिकवरी 10.84 प्रतिशत रही है।

गन्ना उत्पादकता तथा चीनी रिकवरी बढ़ाने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में नई योजनाओं का समावेश किया गया है। भारत सरकार द्वारा अनुदानित राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत दिए जाने वाले अनुदानों की तुलना में जिला सेक्टर की योजनाओं में अनुदान अत्यन्त कम है, जिससे कृषक जिला सेक्टर योजनाओं में रुचि नहीं रखते थे। फलस्वरूप 12वीं पंचवर्षीय योजना में जिला सेक्टर का अनुदान भी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के समान कर दिया गया है, जिससे कृषकों में किसी तरह का भ्रम न हो तथा रुचि का अभाव न हो एवं औसत उपज के लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में गन्ना विकास की योजना (जिला योजना) के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों हेतु रु0 1981.45 लाख का व्यय करने का निम्नानुसार प्रस्ताव रखा गया है :-

(अ) गन्ना विकास की योजना

1. **आधार पौधाशाला बीज वितरण कार्यक्रम** - आधार पौधाशाला धारकों को क्षेत्रफल के आधार पर अनुदान न देकर बीज वितरण पर अनुदान दिया जायेगा। जिसके लिये आधार पौधशाला बीज वितरण में रुपया 50 प्रति कुं0 की अनुदान दर से 3.66 लाख कुन्तल बीज वितरण का लक्ष्य है, जिसके लिए रु0 183.19 लाख का व्यय अनुमानित है।
2. **प्राथमि पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम** - प्राथमिक पौधशालाधारकों को क्षेत्रफल के आधार पर अनुदान न देकर बीज वितरण पर अनुदान दिया जायेगा। जिसके लिए प्राथमिक पौधशाला बीज वितरण में रु0 25 प्रति कुं0 की अनुदान दर से 19.04 लाख कुं0 बीज वितरण का लक्ष्य है, जिसके लिए रु0 476.11 लाख का व्यय अनुमानित है।
3. **अभिजनक बीज यातायात कार्यक्रम** - बीज यातायात कार्यक्रम के अन्तर्गत अभिजनक बीज यातायात पर रु0 15 प्रति कुं0 की अनुदान दर से 0.40 लाख कुं0 के लिए रु0 6.03 लाख का व्यय अनुमानित है।
4. **आधार बीज यातायात कार्यक्रम** - आधार बीज यातायात के लिए 3.58 लाख कुं0 बीज पर रु0 7.00 प्रति कुं0 की अनुदान दर से रु0 25.08 लाख का व्यय अनुमानित है।
5. **बीज एवं भूमि उपचार कार्यक्रम** - इस कार्यक्रम में 1.12 लाख हे0 के बीज एवं भूमि उपचार का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए रु0 500 प्रति हे0 की अनुदान दर से रु0 559.93 लाख का व्यय अनुमानित है।
6. **पेड़ी प्रबन्धन कार्यक्रम** - पेड़ी प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत 1.94 लाख हे0 क्षेत्रफल में पेड़ी प्रबन्धन प्रस्तावित है जिसके लिए रु0 150 प्रति हे0 अनुदान दर से रु0 291.55 लाख का व्यय अनुमानित है।
7. **जैव उर्वरक एवं वर्मी कम्पोस्ट का प्रयोग कार्यक्रम** - भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक एवं वर्मी कम्पोस्ट का 0.72 लाख हे0 में प्रयोग करने का लक्ष्य रखा गया है तथा रु0 600.00 प्रति हे0 की अनुदान दर से रु0 434.83 लाख का व्यय अनुमानित है।

अन्तरग्रामीण सड़क निर्माण योजना

प्रदेश में स्थित चीनी मिल क्षेत्रों में यातायात की सुविधा प्रदान कर चीनी मिलों को ताजा गन्ना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना के अन्तर्गत चीनी मिल क्षेत्रों को सम्पर्क मार्ग के माध्यम से मुख्य मार्गों एवं गन्ना क्रय केन्द्रों से जोड़ा जाता है।

- प्रारम्भ में सम्पर्क मार्गों की आवश्यकता के दृष्टिगत सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में चीनी मिलों के ग्रामों को चीनी मिल से सम्पर्क मार्ग द्वारा जोड़े जाने की योजना भारत सरकार, राज्य सरकार एवं लाभान्वित संस्था के अंशदान के आधार पर आरम्भ की गयी थी।

- शासन द्वारा वर्ष 1972-73 में 50 प्रतिशत अंशदायी आधार पर गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत अन्तरग्रामीण सड़क निर्माण योजना प्रारम्भ की गयी है।
- अन्तरग्रामीण सड़कों के निर्माण के अन्तर्गत शासनादेश संख्या 2016 सी0डी0/46-3-14-1000(16)/2010 दिनांक 12.08.2014 के द्वारा फण्डिंग पैटर्न 60:40 में संशोधन करते हुए वित्तीय वर्ष 2014-15 से राजकीय अंशदान 80 प्रतिशत तथा मैचिंग ग्रान्ट के रूप में लाभान्वित संस्थाओं के अंशदान को 20 प्रतिशत कर दिया गया है। 20 प्रतिशत लाभान्वित संस्थाओं का अंश, यथा- चीनी मिल, गन्ना विकास परिषद्, समिति, कृषकों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान से करायी गयी स्वैच्छिक कटौती के धन द्वारा वहन किया जाता है।
- शासनादेश संख्या 2392/23-1-2013-72 सा0/12 दिनांक 22.11.2013 के द्वारा "उत्तर प्रदेश ग्राम सम्पर्क मार्ग अनुरक्षण नीति, 2013" का निर्धारण करते हुये, शासनादेश संख्या 2430 सी0डी0/46-3-13-1000(28)/2010 दिनांक 30.12.2013 द्वारा गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत निर्मित सम्पर्क मार्गों के सुदृढ़ीकरण हेतु आकलित/अनुमानित धनराशि का 20 प्रतिशत लाभार्थी संस्थाओं से वित्त पोषित करने तथा शेष 80 प्रतिशत धनराशि राज्यांश के रूप में स्वीकृत किया गया।
- शासन द्वारा सामान्य मद में एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निमित्त स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मद में अलग-अलग अंशदान स्वरूप धन की स्वीकृति की जाती है। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मद में स्वीकृत धन से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में सड़कों का निर्माण कराया जाता है।

अन्तरग्रामीण सड़क निर्माण योजना (जिला योजना) वर्ष 2019-20

1- अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिए अन्तरग्रामीण सड़कों के निर्माण के अन्तर्गत 80:20 फण्डिंग पैटर्न के आधार पर सामान्य मद अनुदान संख्या-23 में रु0 5694.00 लाख एवं एस0सी0एस0पी0 मद अनुदान संख्या-83 में रु0 3000.00 लाख कुल रु0 8694.00 लाख अनुमानित है, शेष 20 प्रतिशत धन लाभान्वित संस्था द्वारा लगाते हुये लगभग कुल 170.00 किमी. लम्बी सड़कों का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

2- अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिए निर्मित अन्तरग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण/पुनर्निर्माण कार्य के अन्तर्गत 80:20 फण्डिंग पैटर्न के आधार पर सामान्य मद अनुदान संख्या-23 में रु0 1032.00 लाख एवं एस0सी0एस0पी0 मद अनुदान संख्या-83 में रु0 274.00 लाख कुल रु0 1306.00 लाख अनुमानित है, शेष 20 प्रतिशत धन लाभान्वित संस्था द्वारा लगाते हुये लगभग कुल 56 किमी. लम्बी सड़कों का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

चीनी उद्योग, को-जेनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति 2013

प्रदेश में निजी पूँजी निवेश को आकर्षित करने हेतु चीनी उद्योग, को-जेनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति 2013 प्रख्यापित की गयी है, जिसके द्वारा प्रदेश के पूर्वी एवं बुन्देलखण्ड के जनपदों में नई चीनी मिलों की स्थापना के साथ को-जेन इकाई एवं डिस्टलरी को प्रदेश में कहीं भी स्थपित किये जाने पर जोर दिया गया है। इस हेतु पूँजी निवेश की इच्छुक कंपनी/इकाई को विभिन्न करों में छूट/रियायतें दिया जाना प्रस्तावित है। इससे जहाँ प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में चीनी मिलों की स्थापना सुनिश्चित होगी, वहीं को-जेन के माध्यम से ऊर्जा सेक्टर का भी विकास संभव हो सकेगा तथा रोजगार के नये अवसर भी प्राप्त होंगे। मुख्य रूप से नई चीनी मिलें स्थापित होने से गन्ना कृषकों के गन्ने की समय से आपूर्ति एवं गन्ना मूल्य के रूप में अधिक धनराशि प्राप्त होगी जिससे लाभदायक गन्ना खेती को बढ़ावा मिलेगा।

चीनी उद्योग, को-जेनेरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति 2013 के मुख्य प्रावधान

इस नीति के अन्तर्गत प्रदेश के चिह्नित जनपदों यथा- देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, अमेठी, बदायूँ, गाजीपुर, बलिया, इटावा, मैनपुरी, रायबरेली, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, एटा, कन्नौज, फर्रूखाबाद, फिरोजाबाद, बाँदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, झाँसी, जालौन, ललितपुर आदि के साथ-साथ चित्रकूट एवं झाँसी मण्डलों में नई चीनी मिलों की स्थापना, प्रदेश की किसी भी चीनी मिल में क्षमता विस्तारण एवं को-जेन इकाई एवं डिस्टलरी की स्थापना की जा सकेगी।

प्रोत्साहन नीति 2013 के अन्तर्गत प्रस्तावित छूट एवं रियायतों का वितरण निम्नानुसार हैः-

1- ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज उपादान।
2- गन्ना क्रयकर पर छूट।
3- देसी मदिरा हेतु शीरा आरक्षित करने से छूट।
4- शीरे के प्रथम विक्रय की तिथि से 05 वर्ष तक जमा किये जाने वाले वैट एवं केन्द्रीय बिक्री कर के समतुल्य अथवा वार्षिक विक्रय की 10 प्रतिशत धनराशि, जो कम हो के समतुल्य ब्याज मुक्त ऋण।
5- शीरे पर प्रशासनिक शुल्क की छूट।
6- स्टाम्प ड्यूटी एवं भूमि रजिस्ट्री शुल्क में छूट।
7- समिति कमीशन की 75 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति।
8- प्रतिपूर्ति/छूटें/ऋण अधिकतम 5 वर्ष हेतु।

तत्क्रम में अवगत कराना है कि चीनी उद्योग को-जैनरेशन एवं आसवनी प्रोत्साहन नीति-2013 दिनांक 31.03.2018 के अन्तर्गत कुल 33 कम्पनियों के रु. 3699 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे उक्त के सापेक्ष नीति-2013 समाप्त होने की तिथि दिनांक 31.03.2018 तक कुल 10 कम्पनियों की 12 परियोजनाओं के कार्य पूर्ण होकर व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया जा चुका है। जिसके द्वारा प्रस्तुत होने वाले दावें के अनुसार आगामी अनुमन्य 05 वर्षों तक योजना लाभ का भुगतान किया जाना है।

पेराई सत्र 2017-18 एवं 2018-19 में गन्ना मूल्य भुगतान की अद्यतन स्थिति (दिनांक 06.02.2019)

पेराई सत्र 2017-18 के अन्तर्गत देय गन्ना मूल्य रु0 35,463.68 करोड़ के सापेक्ष रु0 34,431.51 करोड़ का भुगतान कराया जा चुका है जो कुल देय का 97.09 प्रतिशत है। वर्तमान में मात्र रु0 1,032.18 करोड़ गन्ना मूल्य भुगतान हेतु अवशेष है। अवशेष गन्ना मूल्य के त्वरित भुगतान हेतु बकायेदार चीनी मिलों को दिनांक 30.11.2017, 02.02.2018, 23.02.2018, 13.04.2018, 07.05.2018 एवं 29.06.2018 को नोटिसें निर्गत की गई हैं तथा चीनी मिल मलकपुर-बागपत एवं मोदीनगर-गाजियाबाद के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 व आई.पी.सी. की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत तथा बृजनाथपुर व सिम्भावली-हापुड एवं चीनी मिल अगवानपुर-मुरादाबाद के विरुद्ध आई.पी.सी. की विभिन्न धाराओं में एफ.आई.आर. दर्ज करायी गई है। इसके अतिरिक्त चीनी मिल मलकपुर-बागपत, मोदीनगर-गाजियाबाद, बुलन्दशहर-बुलन्दशहर, बृजनाथपुर-हापुड, गागलहेडी-सहारनपुर, बिसौली-बदायूँ, गडौरा-महराजगंज, वाल्टरगंज-बस्ती, चिलवरिया-बहराइच एवं शामली-शामली के विरूद्ध अवशेष गन्ना मूल्य की वसूली हेतु गन्ना आयुक्त के स्तर से वसूली प्रमाण-पत्र भी निर्गत किया गया है।

पेराई सत्र 2018-19 के अन्तर्गत प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा 14 दिन पूर्व अवधि तक देय गन्ना मूल्य रु0 13,849.71 करोड़ के सापेक्ष रु0 6,979.32 करोड़ का भुगतान कराया जा चुका है। वर्तमान में रु0 6870.40 करोड़ गन्ना मूल्य भुगतान हेतु अवशेष है। अवशेष गन्ना मूल्य के त्वरित गन्ना मूल्य भुगतान हेतु बकायेदार चीनी मिलों को दिनांक 04.02.2018 को नोटिसे निर्गत की गई हैं।

खाण्डसारी उद्योग का उद्देश्य

उत्तर प्रदेश में खाण्डसारी लाइसेंसिंग योजना का प्रारम्भ वर्ष 1958-59 में इस उद्देश्य से हुआ कि चीनी मिलों को उनके सुरक्षित क्षेत्र में उनकी आवश्यकतानुसार गन्ने की मात्रा उपलब्ध हो सके। इस दृष्टिकोण से योजना के अधीन गुड़ एवं राब तथा खाण्डसारी शक्कर बनाने वाले पावर क्रेशर निर्माताओं को लाइसेंस देने की आज्ञा 1967 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत इन इकाइयों को लाइसेंस देने का प्रावधान किया गया है। वर्ष 1961 में शासन द्वारा शक्कर, गुड़, राब आदि के निर्माताओं द्वारा गन्ने की खरीद पर उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रयकर) अधिनियम 1961 के अधीन क्रयकर के भुगतान हेतु व्यवस्था की गयी थी, जो जी0एस0टी0 में समाहित हो गयी है। इस प्रकार विभाग का मुख्य कार्य उक्त आदेश/अधिनियम के अन्तर्गत इकाइयों को लाइसेंस देना एवं अपीलों का निस्तारण करना है।

●

पर्यटन

पर्यटन के बहुआयामी आकर्षणों से परिपूर्ण उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है, जहाँ पर्यटन-विकास के साथ-साथ निजी क्षेत्र के लिए भी पूँजी-निवेश हेतु विपुल संभावनाएं विद्यमान हैं। ऐसी विशेषताओं के कारण ही इस प्रदेश में हर आयु, वर्ग, सम्प्रदाय तथा क्षेत्र के पर्यटक प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में भ्रमणार्थ आते हैं। अनुमान है कि वर्ष 2018 में लगभग 2,573.74 लाख भारतीय पर्यटक तथा लगभग 39.11 लाख विदेशी पर्यटक प्रदेश के भ्रमण पर आये।

प्रयागराज में आयोजित हो रहे विश्व के विशालतम कुम्भ पर्व को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक महत्त्व को और प्रभावी एवं व्यापक बनाये जाने हेतु इसका व्यापक प्रचार-प्रसार विभिन्न माध्यमों यथा- इलेक्ट्रानिक मीडिया, यू.पी. एवं कुम्भ पर आधारित काफी टेबल बुक, ''द फेथ'' पुस्तिका का विभिन्न भाषाओं में प्रकाशन इत्यादि के माध्यम से किया जा रहा है। मेले की महत्ता एवं विशालता को दृष्टिगत रखते हुए ''ॐ'' के साथ गंगा एवं यमुना नदियों को चित्रित करते हुए उन पर कुम्भ की स्थापना कर एक प्रतीक-चिन्ह का निर्माण कराया गया है, जिसकी फ्रेमिंग कराकर सोविनियर के रूप में विशिष्ट अतिथियों/गणमान्य व्यक्तियों को भेंट स्वरूप प्रदान किया गया है।

प्रदेश के समन्वित एवं नियोजित पर्यटन-विकास व प्रचार-प्रसार हेतु निम्नलिखित पर्यटन-परिपथों का चिह्नांकन किया गया है :

रामायण परिपथ, कृष्ण ब्रज परिपथ, बौद्ध परिपथ, शक्तिपीठ परिपथ, अवध परिपथ, बुन्देलखण्ड परिपथ, जल-विहार परिपथ, वन्य-ईको एवं साहसिक पर्यटन परिपथ, हेरिटेज आर्क, महाभारत परिपथ, जैन परिपथ, सूफी/कबीर परिपथ, आध्यात्मिक परिपथ, स्वतंत्रता संग्राम परिपथ, क्राफ्ट, क्यूजीन एवं कल्चर ट्रेल।

प्रदेश के समन्वित एवं नियोजित विकास में सर्व समावेशी एवं सतत् विकास की अवधारणा के आधार पर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग अनेकता में एकता की भावना को मूर्तरूप प्रदान करते हुए नई पर्यटन नीति-2018, इकाइयों के विनिवेश, प्रो-पुअर पर्यटन विकास कार्यक्रम एवं अन्य बहुआयामी पर्यटन विकास की रणनीति के अन्तर्गत पर्यटन के साथ-साथ विकास के अन्य सेक्टरों को भी सहयोग प्रदान करने की दिशा में अग्रसर होने के कारण उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग को वृहद्त्तर स्वरूप प्राप्त हुआ है।

अयोध्या में आयोजित विश्व स्तरीय कार्यक्रम दीपोत्सव का गिनीज बुक में नाम दर्ज होना, नैमिषारण्य में ''नैमिष शंखनाद'' के अन्तर्गत बौद्धिक चिन्तन, बरसाना में आयोजित होने वाली बहुरंगी होली, प्रो-पुअर पर्यटन विकास हेतु विश्व बैंक से सम्पादित हुआ अनुबन्ध आदि उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की अत्यन्त संवेदनशील, महत्त्वपूर्ण एवं अति विस्तारित भूमिका का परिचायक है। पर्यटन विभाग के दूरदर्शी कार्यक्रम उत्तर प्रदेश को विश्व फलक पर स्थापित करने की दिशा मे अग्रसर हैं।

पर्यटन विभाग के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत हैं:-

- प्रदेश के समन्वित पर्यटन-विकास व प्रचार-प्रसार के लिए पर्यटन-परिपथों का चिह्नांकन और उनके वृहद विकास के लिए पर्यटन महत्त्व के स्थानों का चयन कर पर्यटन संबंधी अवस्थापना सुविधाएँ सुलभ कराने हेतु योजनाओं की संरचना करके उन्हें राज्य/केन्द्र सरकार के संसाधनों से केन्द्रीय योजना, राज्य योजना एवं जिला योजना के माध्यम से कार्यान्वित कराना ताकि प्रदेश में पर्यटकों को अधिकाधिक सुविधाएँ प्राप्त होने के साथ-साथ उनके आगमन में वृद्धि हो सके।
- प्रदेश सरकार द्वारा जिला योजना के अन्तर्गत पर्यटन-विकास के लिए ऐसे पर्यटक स्थलों का विकास किया जाना, जहाँ कम से कम 50 हजार पर्यटक प्रतिवर्ष भ्रमण हेतु आते हों।
- राज्य योजना के अन्तर्गत ऐसे पर्यटक स्थलों का चयन, जो मुख्य परिपथ के अन्तर्गत आते हो, जहाँ विदेशी व भारतीय पर्यटकों का आवागमन वर्ष भर बना रहता है।
- उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परम्परा को संरक्षण व प्रोत्साहन प्रदान करना।
- पर्यटकों को परिवहन, आवास, भोजन एवं मनोरंजन हेतु अच्छी सुविधाएं प्रदान करना एवं प्रदेश भ्रमण की सुखद अनुभूति कराना।
- पर्यटकों के मार्ग-दर्शन के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के पर्यटक स्थलों-स्मारकों एवं संस्कृति-कला-शिल्पजनित विशेषताओं को प्रदर्शित करने वाले तथ्यपूर्ण एवं ज्ञानवर्द्धक पर्यटन साहित्य छपवाना व पर्यटकों को उपलब्ध कराना।
- राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए उत्तर प्रदेश को आदर्श गन्तव्य केन्द्र के रूप में विकसित कराने के प्रयत्नों के क्रम में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देना।
- पर्यटकों को प्रदेश की विशिष्ट सांस्कृतिक परम्परा के माध्यम से अधिकाधिक संख्या में उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से विभिन्न मेले-महोत्सवों एवं संगोष्ठियों का आयोजन करवाना।
- रोजगार-सृजन, गरीबी उन्मूलन एवं स्वच्छता मिशन एवं पूँजी निवेश जैसे महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों को पर्यटन के माध्यम से आगे बढाते हुए पर्यटन को उद्योग के रूप में स्थापित करना।

उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर आए पर्यटकों की संख्या

संख्या लाख में

वर्ष	भारतीय पर्यटक	विदेशी पर्यटक	योग
2014	1842.77	29.10	1871.87
2015	2065.15	31.04	2096.19
2016	2135.44	31.57	2167.01
2017	2339.77	35.56	2375.33
2018(अ)	2573.74	39.11	2612.85

अ-अनुमानित

सार्वजनिक-निजी सहभागिता के अंतर्गत प्रमुख परियोजना

रोप-वे-परियोजना

प्रदेश सरकार द्वारा पी.पी.पी. मॉडल पर रोप-वे की परियोजना उ.प्र. के तीन स्थलों पर चित्रकूट, अष्टभुजा-कालीखोह (विन्ध्याचल) एवं बरसाना (मथुरा) में क्रियान्वित की जा रही है। चित्रकूट एवं विन्ध्याचल में रोप-वे स्थापित करने हेतु नामित नोडल एजेन्सी, उ.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लि. द्वारा उक्त दोनों स्थलों पर विकासकर्ता का चयन कर परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक भूमि, विकासकर्ता का कार्य प्रारम्भ करने हेतु उपलब्ध करा दी गई है। इन परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है। बरसाना (मथुरा) में पी.पी.पी. मॉडल पर रोप-वे की परियोजना के क्रियान्वयन हेतु मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण को नोडल एजेन्सी नामित किया गया है। विकासकर्ता का चयन किया जा चुका है। मे. श्री राधारानी रानी रोप-वे प्रा.लि. द्वारा बरसाना में रोप-वे का निर्माण किया जाना है। प्राधिकरण द्वारा इस परियोजना हेतु मा. सर्वोच्च न्यायालय तथा वन विभाग से सैद्धांतिक अनुमति प्राप्त कर ली गयी है। अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

पर्यटन विभाग की अन्य महत्त्वपूर्ण परियोजना

उ.प्र. प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना

विश्व बैंक सहायतित् उ.प्र. प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना एक अभिनव परियोजना है। इस परियोजना में प्रदेश के दो प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों- आगरा एवं ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत पर्यटन विकास सम्बन्धी गतिविधियों के माध्यम से गरीबी-उन्मूलन तथा रोजगार-सृजन करने की योजना है। इस योजना के अंतर्गत चिन्हित क्षेत्रों में स्थित पर्यटन स्मारकों/स्थलों पर मूलभूत पर्यटक सुविधाओं के सृजन एवं विकास के साथ ही साथ तत्सम्बन्धी क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों के आर्थिक/सामाजिक स्तर के उन्नयन तथा रोजगार-परक अवसर हेतु विभिन्नि गतिविधियां प्रस्तावित हैं।

उक्त परियोजना का लोन एग्रीमेन्ट एवं प्रोजेक्ट एग्रीमेन्ट विश्व बैंक एवं आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के मध्य दिनांक 28-12-2017 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित किया जा चुका है। परियोजना की कुल लागत रु. 371.43 करोड़ (57.14 मिलियन यू.एस. डॉलर) है, जिसमें विश्व बैंक द्वारा 70 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। उपरोक्त योजनान्तर्गत आगरा एवं वृंदावन में कार्य माह जनवरी, 2018 में प्रारंभ करा दिया गया है। उ.प्र. शासन द्वारा परियोजनान्तर्गत आगरा के कार्यों के लिए आगरा विकास प्राधिकरण तथा मथुरा जनपद के लिए मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

ट्रैवल ट्रेड सम्बन्धी कार्य

उत्तर प्रदेश ट्रैवल मार्ट

दिनांक 26 से 28 अगस्त, 2018 तक इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में प्रदेश के पर्यटन को बढ़ावा देने उद्देश्य से उत्तर प्रदेश ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया। इस आयोजन में भाग लेने दुनिया के 23 देशों से प्रतिष्ठित टुअर ऑपरेटर उत्तर प्रदेश में पधारे। ट्रैवल मार्ट का उद्घाटन मा. मुख्यमंत्री जी के कर-कमलों से दिनांक 27-08-2018 को सम्पन्न हुआ। आयोजन के पश्चात इन टुअर ऑपरेटरों को उत्तर प्रदेश के विभिन्न पर्यटक गंतव्यों का फैमिलिराइजेशन टुअर भी कराया गया।

पर्यटन विभाग द्वारा प्रतिवर्ष उ.प्र. ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया जाता है, जिसमें पर्यटन उद्योग से जुड़े राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के टुअर आपरेटर, ट्रैवल एजेन्ट, एयर लाइन्स, होटल उद्योग तथा पर्यटन उद्योग से जुड़ी संस्थाओं द्वारा प्रतिभाग किया जाता है। वर्ष 2019 में भी उत्तर प्रदेश मार्ट का आयोजन किया जायेगा।

दीपोत्सव अयोध्या

मा. मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अंतर्गत दीपोत्सव का आयोजन इस वर्ष पुनः 06 नवम्बर, 2018 को अयोध्या में किया गया। दीपोत्सव आयोजन में कोरिया गणराज्य की प्रथम महिला श्रीमती किम जोंग सुक, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुईं। राम की पैड़ी पर 3,31,052 दिये जलाकर 'गिनीज़ रिकार्ड' विभाग द्वारा बनाया गया। दीपोत्सव के आयोजन में प्रतीकात्मक श्रीराम-सीता का हेलीकाप्टर से रामकथा पार्क में अवतरण, रामकथा पार्क में शोभा यात्रा का आगमन, हेलीकाप्टर से पुष्पवर्षा एवं श्रीराम का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक किया गया तथा सरयू नदी पर भव्य वॉटर प्रोजक्शन-शो के जरिये राम कथा का प्रदर्शन भी किया गया। तदुपरांत रामकथा पार्क में इण्डोनेशिया, श्रीलंका एवं भारतीय रामलीलाओं का मंचन किया गया।

दीपोत्सव का आयोजन अयोध्या की ओर पर्यटकों को आकर्षित करने का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। वर्ष 2017 एवं 2018 में दीपोत्सव का आयोजन अत्यंत लोकप्रिय हुआ तथा देश-विदेश में सराहा गया। इसी कड़ी में वर्ष 2019 में पुनः दीपोत्सव का आयोजन अयोध्या में वृहद स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मार्ट/मीट/सेमिनार/कान्फ्रेंस/कन्वेंशन आदि में प्रतियोगिता

पर्यटन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के पर्यटन गंतव्यों की मार्केटिंग के उद्देश्य से राष्ट्रीय मार्टस/सम्मेलनों एवं संगोष्ठियों में भाग लिया गया है। इसके अंतर्गत वर्ष 2018-19 में आयटो-विशाखापटनम, टी.टी.एफ.-मुम्बई, आई.आई.टी.एम.-पुणे, साटे-नई दिल्ली तथा ए.बी.पी., टूरिज्म फेयर-कोलकाता, इण्डियन ग्लोबल ट्रैवल मार्ट-नई दिल्ली एवं एफ.एच.आर.ए.आई. के 53वें राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टनर स्टेट के रूप में प्रतिभाग किया गया।

पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश के पर्यटन उत्पादों की मार्केटिंग एवं प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से विभाग द्वारा प्रति वर्ष विभिन्न राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पर्यटन मार्ट्स/सम्मेलनों एवं संगोष्ठियों में भाग लिया जाता है। वर्तमान वर्ष में भी अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय मार्ट्स/कन्वेंशन/कांफ्रेन्स आदि में भाग लिया जायेगा।

देव दीपावली

मा. मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुपालन में काशी में देव दीपावली का आयोजन दिनांक 23 नवम्बर, 2018 को सम्पन्न हुआ। देव दीपावली परम्परागत रूप से प्रतिवर्ष वाराणसी में मनायी जाती है। विभाग द्वारा प्रथम बार इस आयोजन में सहभागिता की गयी।

रंगोत्सव

ब्रज में होली का त्योहार बसंत पंचमी से प्रारम्भ होकर चैत्र कृष्ण पक्ष तृतीया के मध्य विविध स्थानों पर भिन्न-भिन्न रूप से मनाया जाता है। होली के प्रमुख आयोजन बरसाना तथा नन्दगांव की लट्ठमार होली, टेसू होली, फालेन की होली, दाऊजी का हुरंगा आदि है। पर्यटन विभाग द्वारा रंगोत्सव से बृज की होली को विश्व पटल पर प्रस्तुत किया जाता है।

ब्रज क्षेत्र में होली का पर्व भव्यतापूर्वक मनाया जाता है। ब्रज क्षेत्र में होली का त्योहार बसंत पंचमी से प्रारम्भ होकर चैत्र कृष्ण पक्ष तृतीया के मध्य विभिन्न स्थानों में आयोजित होता है। इस आयोजन का उद्देश्य पर्यटकों को ब्रज क्षेत्र के भ्रमण हेतु आकर्षित करना है। अतः पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजन भव्यतापूर्ण कराया जाएगा।

कुम्भ का आयोजन

पर्यटन विभाग द्वारा कुम्भ मेला 2019 मे कराये गये कार्य :

टेन्ट सिटी की स्थापना, नैनी ब्रिज की फसाड लाइटिंग, हेरिटेज वॉक, संगम वॉक, कुम्भ वॉक, विचार कुम्भ के अंतर्गत पर्यावरण कुम्भ, नारी शक्ति-कुम्भ, समरसता-कुम्भ एवं युवा-कुम्भ का आयोजन किया गया। मेला क्षेत्र में 29 अस्थाई गेटों का निर्माण, 09 अस्थाई पर्यटन सूचना केन्द्रों का निर्माण, संस्कृति ग्राम का निर्माण, प्रयागराज स्थित सरस्वती कूप में होलोग्राफिक-शो का आयोजन।

पर्यटन पुलिस का गठन

पर्यटन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में पर्यटकों के सुविधार्थ पर्यटन-पुलिस बल का गठन किया गया है। वर्तमान में पर्यटकों के आवागमन को दृष्टिगत रखते हुए आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा झांसी एवं लखनऊ में पर्यटन पुलिस बल की तैनाती की गयी है। पूर्व में स्वीकृत 121 पदों के अतिरिक्त 100 महिला एवं 280 पुरुष अर्थात कुल 380 पर्यटन पुलिस बल कर्मियों के चयन का प्रस्ताव है।

अतिथि सत्कार एवं परिचयात्मक भ्रमण

इसके अंतर्गत विभाग द्वारा ट्रैवल ट्रेड से जुड़े विशिष्ट अतिथियों यथा- ट्रैवल राइटर्स, ट्रैवेल एजेन्ट एवं पर्यटन-विकास से सम्बन्धित अतिथियों को अतिथि-सत्कार की सुविधा प्रदान की गई।

पेईंग गेस्ट एवं बेड एण्ड ब्रेकफास्ट योजना

पेईंग गेस्ट एवं बेड एवं ब्रेकफास्ट योजना के अंतर्गत पर्यटकों को सुविधाजनक आवासीय सुविधा उचित दरों पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। इससे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी सृजित होता है।

रामायण कनक्लेव

अन्तर्राष्ट्रीय रामायण कनक्लेव का आयोजन गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी किया जाना प्रस्तावित है। इस आयोजन में रामकथा के विभिन्न पहलुओं का प्रदर्शन, अंतर्राष्ट्रीय राम-लीलाओं आदि का प्रदर्शन किया जायेगा।

बैलून फेस्टिवल

साहसिक पर्यटक गतिविधियां पर्यटकों के एक बड़े वर्ग, विशेषकर युवा वर्ग को खूब आकर्षित करती है। हॉट एयर बैलून फेस्टिवल एक ऐसा ही आयोजन है, जो साहसिक पर्यटन में रुचि रखने वाले पयर्टकों को उत्तर प्रदेश पर्यटन की ओर आकर्षित करेगा तथा पर्यटन क्षेत्र में एक विविधता भी पैदा करेगा। इस आयोजन के माध्यम से पर्यटन विभाग विशेषकर युवा वर्ग को उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित करने में सफल होगा।

मेले-महोत्सवों को अनुदान

विभाग द्वारा विभिन्न मेले महोत्सवों के आयोजन हेतु प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाता है। जैसे- शिल्पोत्सव-नोएडा, गंगा महोत्सव-वाराणसी, देवा मेला-बाराबंकी, रामायण मेला-अयोध्या, रामायण मेला-चित्रकूट, कपिलवस्तु महोत्सव-सिद्धार्थनगर, गोरखपुर महोत्सव-गोरखपुर, लखनऊ महोत्सव-लखनऊ, ताज महोत्सव-आगरा, ताज कार रैली-आगरा, मगहर महोत्सव-संत कबीर नगर तथा वाजिद अली शाह फेस्टिवल-लखनऊ आदि। इस वर्ष भी प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पर्यटन महोत्सवों का आयोजन कराया जाएगा।

पर्यटन नीति

वर्तमान में उ.प्र. पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन नीति-2018 का कार्य प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत उ.प्र. में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण, ब्रैडिंग, धार्मिक/आध्यात्मिक पर्यटन तथा थीम आधारित पर्यटन जैसे- हेरिटेज टूरिज्म, क्राफ्ट टूरिज्म, वीकेन्ड टूरिज्म,

माइस टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म तथा कारवा टूरिज्म, वैलनेस टूरिज्म तथा वॉटर एवं क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु विशेष ध्यान दिये गये हैं। इस नीति के अंतर्गत निवेश तथा रोजगार सृजन पर विशेष बल दिया गया है। पर्यटन फैसिलिटेशन सेक्टर की स्थापना- गोरखपुर, वृन्दावन, मथुरा, विन्ध्याचल, अयोध्या, नैमिषारण्य में प्रस्तावित है। विभिन्न प्रकार के छूट एवं विशेष पैकेज अनुदान दिए गए हैं।

श्रेणी	सब्सिडी (जो कम हो)	पूँजी-निवेश
1. नया होटल/रिसार्ट	15 प्रतिशत अथवा रु. 7.5 करोड़ 15 प्रतिशत अथवा रु. 10.00 करोड़	रु. 10.00 करोड़ से रु. 50.00 करोड़ रु. 50.00 करोड़ से अधिक
2. नया बजट होटल	15 प्रतिशत अथवा रु. 1.5 करोड़ 20 प्रतिशत अथवा रु. 1.75 करोड़ (जैसी लोकेशन पालिसी मे दर्शाई गयी)	रु. 2.00 करोड़ से रु. 10.00 करोड़
3. नया स्पोर्ट्स रिसार्ट	10 प्रतिशत अथवा रु. 1.00 करोड़	उपकरण लागत रु.1.00 करोड़ से अधिक
4. नया रिजार्ट	20 प्रतिशत अथवा रु. 50.00 लाख	कम से कम रु. 20.00 लाख का निवेश
5. नया वेलनेस सेन्टर	15 प्रतिशत अथवा रु. 7.5 करोड़ 15 प्रतिशत अथवा रु. 10.00 करोड़	रु. 2.00 करोड़ से रु. 50.00 करोड़ रु. 50.00 करोड़ से अधिक
6. नया कन्वेंशन सेन्टर	15 प्रतिशत अथवा रु. 7.5 करोड़ 15 प्रतिशत अथवा रु. 10.00 करोड़	रु. 50.00 करोड़ तक रु. 50.00 करोड़ से अधिक
7. साहसिक पर्यटन परियोजना, क्रूज पर्यटन, इकाई, हाउसबोट	10 प्रतिशत अथवा रु. 1.00 करोड़	उपकरण लागत रु.1.00 करोड़ से अधिक
8. लाइट एण्ड साउण्ड शो/लेजर शो	25 प्रतिशत अथवा रु. 2.5 करोड़	उपकरण लागत रु.1.00 करोड़ से अधिक
9. नया थीम पार्क	10 प्रतिशत अथवा रु. 1.00 करोड़	उपकरण लागत रु. 2.00 करोड़ से अधिक

पर्यटन नीति के अंतर्गत विभिन्न परिवहन एवं आवासीय सुविधाओं को प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। विशेष रूप से धार्मिक एवं विरासत स्थलों का विकास कराये जाने की व्यवस्था की गयी है। पर्यटन से जुड़े उद्योगों को उन्नत तथा सुव्यवस्थित करने हेतु पुराने अधिनियमों को संशोधित व परिष्कृत करते हुए उद्योगों के विकास के लिए और उपयोगी बनाया जायेगा। पर्यटन को उद्देश्यपरक गतिविधि के रूप में विकसित करके प्रदेश का सर्वांगीण विकास किया जाएगा।

हेलीकाप्टर सेवा

उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के पांच प्रमुख स्थलों पर पर्यटक स्थलों- लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा तथा मथुरा में हेलीकाप्टर संचालन का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु उ.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लि. को नोडल नामित किया गया है। उपरोक्त 5 स्थलों पर हैलीपोर्ट निर्माण कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत हो चुकी है।

वायु सेवा

उत्तर प्रदेश राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वायु सेवा संचालित करने हेतु वायु सेवा नीति निर्गत की गयी है। मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में वायु सेवा संचालन के कार्यों के सम्बन्ध में एक समिति गठित की गयी है, जो प्रदेश में वायुसेवा संचालन के कार्यों के त्रैमासिक समीक्षा

करेगी। प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों के मध्य पर्यटकों के सुगमतपूर्वक आवागमन हेतु कतिपय मार्गों पर वायु सेवा संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

हेरिटेज पालिसी

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन नीति प्रदेश में उपलब्ध विरासत महत्व के पुराने किलों/महलों/हवेलियों/कोठियों को हेरिटेज होटल में परिवर्तित करने का उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश में विरासत महत्त्व तथा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संजोये हुये ऐसे अनेक भवन स्थित हैं, जिसे होटल के रूप में संचालित करने हेतु समुचित अनुरक्षण की आवश्यकता है। हेरिटेज पर्यटन नीति के अन्तर्गत हेरिटेज होटल का वर्गीकरण, हेरिटेज होटल को विशेष छूट व सुविधायें, हेरिटेज होटल का वर्गीकरण, पूंजीगत अनुदान, ब्याज अनुदान, स्टैम्प ड्यूटी पर छूट, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क आबकारी लाइसेन्स शुल्क, परिवहन शुल्क, सड़क सम्पर्क मार्ग, प्रचार-प्रसार आदि की व्यवस्था की गयी है।

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड

निगम की स्थापना

उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना वर्ष 1974 में हुई थी। निगम की वर्तमान अधिकृत अंशपूंजी रु. 40.00 करोड़ तथा चुकता अंशपूंजी रु. 32.60 करोड़ है। वर्ष 1974 में निगम की स्थापना के उपरान्त शासन ने पर्यटन निदेशालय द्वारा संचालित की जा रही 08 इकाइयों- वाराणसी, सारनाथ, प्रयागराज, महोबा, अयोध्या, हरिद्वार, लखनऊ तथा आगरा को संचालन हेतु निगम को हस्तान्तरित किया था। निगम की इकाइयों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है, वर्तमान में निगम में कुल 72 इकाइयाँ एवं 08 अपटुअर्स हैं तथा 05 इकाई अन्य कार्यकलापों के लिये हैं, कुल 72 इकाइयों में से 16 इकाइयां बन्द श्रेणी में हैं एवं 11 इकाइयां निगम द्वारा टेकओवर होने के उपरांत भी अभी संचालित नही हुयी। वर्तमान में कुल 45 इकाइयां संचालन में हैं, जिनमें 03 इकाइयों को ठेके के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।

उद्देश्य

निगम की स्थापना के प्रमुख उद्देश्य हैं- पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटकों हेतु आवास गृहों, जलपान-गृहों, मार्गीय सुविधा तथा मनोरंजन स्थलों की स्थापना, विकास व प्रचार करना।

विभिन्न गतिविधियाँ

(अ) होटल व्यवसाय

निगम द्वारा संचालित पर्यटक आवास गृहों-होटल/मोटल के माध्यम से विभिन्न श्रेणी के पर्यटकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुये वातानुकूलित, एयरकूल्ड, साधारण कक्षों तथा डारमेट्री की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त पर्यटकों की सुविधा हेतु निगम द्वारा संचालित इकाइयों में जलपान एवं भोजन की सुविधा के साथ-साथ पर्यटकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए 5 इकाइयों में कम्पोजिट बार तथा 7 इकाइयों में कम्पोजिट बियर बार की सुविधा भी उपलब्ध है। कुछ इकाइयों पर बैंक्वेट हाल/कान्फ्रेंस हाल की सुविधा भी उपलब्ध है।

(ब) अपटुअर्स

निगम द्वारा प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के दृष्टिकोण से अपटुअर्स स्थापित किये गये हैं, जिनका निगम द्वारा संचालित विभिन्न इकाइयों में पर्यटकों को आवासीय कक्षों का आरक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अपटुउर्स का संचालन किया जा रहा है। इन अपटुअर्स के माध्यम से पर्यटकों को निगम द्वारा संचालित किसी भी इकाई का आवासीय आरक्षण

कराने की सुविधा प्रदान की जा रही है। पर्यटकों को आरक्षण सम्बन्धी सूचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उक्त अपटुअर्स एवं निगम की विभिन्न इकाइयों को कम्प्यूटर नेटवर्क से जोड़ा गया है। इस कम्प्यूटर नेटवर्किंग की सुविधा से पर्यटकों को आनलाइन आरक्षण की सुविधा एवं पर्यटन से सम्बन्धित सूचनायें उपलब्ध करायी जा रही हैं।

निगम द्वारा संचालित अपटुअर्स

क उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड में संचालित अपटुअर्स

1. अपटुअर्स, लखनऊ
2. अपटुअर्स, आगरा
3. अपटुअर्स, प्रयागराज
4. अपटुअर्स, वाराणसी
5. अपटुअर्स, हरिद्वार
6. अपटुअर्स, झाँसी
7. अपटुअर्स, लखनऊ एअरपोर्ट

ख अन्य राज्यों में स्थापित अपटुअर्स

1. अपटुअर्स, कोलकाता

ग अन्य कार्यकलाप

- शिल्पग्राम, आगरा एवं फतेहपुर सीकरी, आगरा में वाहन पार्किंग का संचालन किया जा रहा है।
- आगरा फोर्ट में लाइट एण्ड साउण्ड शो का संचालन किया जा रहा है।
- वाराणसी में अरबन हाट का संचालन किया जा रहा है।

निगम के अन्य कार्य-कलाप एवं गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण

(क) अन्य राज्यों में व्यावसायिक समन्वय

निगम की आय में निरन्तर वृद्धि एवं देशी एवं विदेशी पर्यटकों को अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान किए जाने के दृष्टिकोण से अन्य राज्यों के पर्यटन विभागों से व्यावसायिक समन्वय/एम.ओ.यू. किया गया है। इसके लिए राज्यों के पर्यटन निगमों, यथा- बिहार,आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हिमांचल प्रदेश,केरल, पश्चिम बंगाल,तमिलनाडु पर्यटन विकास निगम आदि से एम.ओ.यू. निष्पादित किये गये हैं।

(ख) आनलाइन बुकिंग की सुविधा

उ.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम के व्यवसाय में वृद्धि के दृष्टिकोण से निगम की आवासीय इकाइयों के कक्षों के अग्रिम आरक्षण हेतु इण्टरनेट पर पर्यटन विभाग की वेबसाइट डब्लूडब्लूडब्लू.यूपीटूरिज्म.जीओवी.इन के माध्यम से पर्यटकों को आनलाइन के माध्यम से बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। आनलाइन बुकिंग की सुविधा के अंतर्गत निगम की मुख्य 24 इकाइयों को सम्मिलित किया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत पर्यटकों को किसी भी स्थान (देश-विदेश) से निगम की 24 इकाइयों के किसी कक्ष का आरक्षण क्रेडिट कार्ड तथा नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान करके तत्काल कन्फर्म बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

(ग) आय में वृद्धि हेतु किये जा रहे प्रयास

पर्यटन निगम द्वारा संचालित इकाइयों के आवासीय एवं खान-पान के व्यवसाय में उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु एजेन्सी के माध्यम से प्रिविलेज कार्ड योजना लागू की गयी है। इसके अंतर्गत प्रिविलेज कार्ड धारकों को आवासीय सुविधा पर 25 प्रतिशत एवं खान-पान की सुविधा पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाती है। प्रिविलेज कार्ड योजना का क्रियान्वयन पर्यटकों का ध्यान पर्यटन विभाग की इकाइयों की ओर आकर्षित करने व निगम के व्यवसाय वृद्धि की दिशा में लिया गया एक महत्त्वपूर्ण निर्णय है।

पर्यटन भवन सहित निगम की होटल इकाइयों में रिक्त पड़ी भूमि पर निजी विज्ञापनदाता संस्थाओं के माध्यम से प्रचार-प्रसार पट, होर्डिंग्स एवं एलईडी स्थापित कराये जाने की कार्यवाही गतिमान है।

ओयो रूम्स से अनुबन्ध करते हुए लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी एवं हरिद्वार के होटल इकाइयों के कक्षों की आक्यूपेंसी में वृद्धि हेतु मार्केटिंग का कार्य कराया जा रहा है।

(घ) कुम्भ महोत्सव, 2019 के आकर्षण

कुम्भ महोत्सव, 2019 में पधारने वाले देशी एवे विदेशी पर्यटकों को स्तरीय एवं गुणवत्तापरक आवासीय एवं खान-पान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु टेण्ट कालोनी, टेण्ट सिटी तथा फूड कोर्ट स्थापित किए गए हैं तथा इनकी मार्केटिंग हेतु 'मेक माई ट्रिप' तथा 'बुकिंग डॉट कॉम' के माध्यम से समस्त जानकारी पोर्टल पर लाइव करा दी गयी है एवं देश के विभिन्न प्रांतों में स्थित 550 ट्रैवल एण्ड टूर आपरेटर्स एवं होटल एवं रेस्टोरेन्ट्स से सम्बन्धित प्रतिष्ठित संस्थाओं एवं उ.प्र. इन्वेस्टर समिट में प्रतिभागिता करने वाले निजी उद्यमियों से टेण्ट सिटी के लिए अधिकाधिक व्यवसाय प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उक्त के साथ ही विविध सांस्कृतिक एवं साहसिक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं तथा पर्यटकों हेतु चित्रकूट, विन्ध्याचल, सीतामढ़ी, खजुराहो, वाराणसी एवं सारनाथ के लिए पैकेज टुअर्स का भी संचालन किया जा रहा है।

(च) फूड फेस्टिवल

उत्तर प्रदेश के विभिन्न व्यंजनों को जनमानस तक पहुंचाने हेतु समय-समय पर फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता रहा है, जिसके क्रम में अवध शिल्पग्राम लखनऊ में प्रदेश के विभिन्न जिलों के ख्याति प्राप्त व्यंजनों की बिक्री, जनपद करनाल (हरियाणा) में आयोजित गीता महोत्सव के अवसर पर एवं सूरजकुण्ड (हरियाणा) में प्रदेश के विभिन्न व्यंजनों का प्रदर्शन एवं बिक्री की गयी। साथ ही साथ लखनऊ में मैंगो फूड फेस्टिवल एवं अन्य फूड फेस्टिवल आयोजित किये गये।

(छ) साहसिक पर्यटन

प्रदेश के विभिन्न जनपदों, यथा- गोरखपुर एवं लखनऊ में पैराग्लाईडिंग एवं हाट एयर बैलून का सफल आयोजन किया गया।

(ज) ईको-टूरिज्म

ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के दृष्टिगत वन विभाग की वन्यजीव विहार तथा पक्षी विहार में स्थित सम्पत्तियों पर पर्यटकों को आवासीय एवं परिभ्रमण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही गतिमान है।

(झ) पतंग प्रतियोगिता

लखनऊ-महोत्सव में पतंग प्रतियोगिता भी आयोजित की गयी।

(य) रोप-वे

जनपद चित्रकूट एवं विन्ध्याचल में रोप-वे के संचालन हेतु प्रारम्भ की गयी योजना को अतिशीघ्र प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

(र) आकाशीय परिक्रमा

जनपद मथुरा में गोवर्धन-पूजा के अवसर पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रारम्भ की गयी आकाशीय-परिक्रमा के अत्यंत सफल आयोजन को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के विभिन्न जिलों में हैलीपैड विकसित करते हुए ज्वॉय राइड्स वर्ष 2019 में प्रारम्भ की जायेगी।

(ल) गोरखपुर महोत्सव 2019

जनपद गोरखपुर में पैरामोटरिंग एवं हाट एयर बैलून का संचालन पर्यटकों एवं अतिथियों हेतु किया गया है।

●

पर्यावरण

पर्यावरण निदेशालय का गठन वर्ष 1976 में हुआ था। पर्यावरण विभाग द्वारा प्रदेश के पर्यावरण की सुरक्षा, सुधार एवं संवर्धन हेतु विविध कार्यक्रम चलाये जाते हैं, जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने, पर्यावरणीय शोध, पर्यावरण संगत विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनमानस की भागीदारी सुनिश्चित करने से सम्बन्धित होते हैं।

निदेशालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से मुख्यतः निम्नांकित दायित्वों का निर्वहन किया जाता हैः-

1. पर्यावरणीय जन चेतना के व्यापक प्रसार हेतु कार्यक्रमों का नियोजन एवं क्रियान्वयन।
2. पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।
3. पर्यावरण अपघटन एवं प्रदूषण के संबंध में प्राप्त होने वाली जन शिकायतों के संबंध में वाँछित कार्यवाही करना।
4. प्रदेश के विभिन्न विकास विभागों और विकास प्राधिकरणों को उनकी योजनाओं के सम्बन्ध में पर्यावरणीय दृष्टिकोण से परामर्श देना।
5. प्रदेश के पर्यावरण की स्थिति का विश्लेषण/आँकलन एवं तदनुसार नीतिगत उपायों हेतु परामर्श देना।
6. पर्यावरण विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा समय-समय पर सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में किये गये कार्य

पर्यावरण निदेशालय द्वारा पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण व जन जागरूकता तथा पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम मुख्यतः निम्नांकित मदों के अन्तर्गत चलाये जा रहे हैं :

- **पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण व जन जागरूकता कार्यक्रम**
- पर्यावरण की सुरक्षा एवं इसका संरक्षण तथा संवर्धन तभी सम्भव है, जबकि जन सामान्य को इस बात की समुचित जानकारी हो कि पर्यावरण क्या है, इसका संरक्षण और संवर्धन क्यों आवश्यक है तथा जनमानस में इसकी सुरक्षा, संरक्षण और संवर्धन के कार्यों में सहभागिता के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हो। यह कार्य पर्यावरणीय जनचेतना के व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार के माध्यम से ही सम्भव है। पर्यावरण सरंक्षण एवं संवर्धन के कार्यों में जन सामान्य को सहभागी बनाने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर पर्यावरणीय जन जागरूकता उत्पन्न करने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 15.00 लाख की धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत की गई, जिसके अन्तर्गत क्रियान्वित/प्रस्तावित योजनओं का विवरण निम्नवत् हैः-
- विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून 2018) के अवसर पर आंचलिक विज्ञान नगरी के सहयोग से विभिन्न पर्यावरणीय जागरूकता कार्यक्रम जैसे- चित्रकला प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, पर्यावरण पर

आधारित विज्ञान प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, पर्यावरण के अनुकूल व उत्पादों पर कार्यशाला एवं संगोष्ठी तथा पर्यावरण पर आधारित कठपुतली प्रदर्शन आदि कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया। सरकारी ग्रामीण स्कूलों के विद्यार्थियों के मध्य भी प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया गया। पर्यावरण निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी एवं क्षेत्रीय कार्यालय नोएडा द्वारा भी विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2018 के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया।

- अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस (16 सितम्बर 2018) के अवसर पर पर्यावरण निदेशालय द्वारा आई.टी. कॉलेज, लखनऊ के सहयोग से चित्रकला प्रतियोगिता, विज्ञान प्रश्नोत्तरी, कोलाज मेकिंग एवं इन्वायरो थियेटर का आयोजन कराया गया।
- पर्यावरण निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी द्वारा भी 16 सितम्बर, 2018 के अवसर पर संगोष्ठी एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया।
- लखनऊ महोत्सव, 2018 में पर्यावरणीय विषयक नुक्कड़ नाटकों का आयोजन कराया गया।
- आकाशवाणी लखनऊ के माध्यम से पर्यावरणीय संदेशों का प्रसारण कराया गया।
- सिनेमा थियेटरों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी संदेशों का प्रसारण किया गया।
- कुम्भ मेला 2019 में नुक्कड़ नाटकों का आयोजन एवं उ०प्र०, राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों पर पर्यावरण प्रचार पैनल लगवाये जाने की कार्यवाही चल रही है।

पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण व जागरूकता कार्यक्रम (जिला योजना)

जिला योजनान्तर्गत प्रदेश के 75 जनपदों में विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाये गये, जिनके सापेक्ष कुल रु. 90.00 लाख की धनराशि स्वीकृत हुई।

ग्राम्य स्तर तक पर्यावरणीय जन जागरूकता के प्रसार हेतु जिला योजना के अन्तर्गत पर्यावरणीय शिक्षा, प्रशिक्षण व जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन निम्नानुसार कराया गयाः-

- जनपद के मान्यता प्राप्त विद्यालयों एवं सरकारी कार्यालयों इत्यादि में स्थानीय प्रजाति के वृक्षों जैसे- बरगद, नीम, पीपल, आँवला एवं अशोक इत्यादि प्रजाति के वृक्षों का रोपण इत्यादि।
- नदी सरंक्षण हेतु विशेष अभियान का संचालन।
- पर्यावरण बहुविषयक वाल राइटिंग/होर्डिंग्स की स्थापना।
- पर्यावरण के दृष्टिकोण से संवेदनशील या अपघटित किसी चयनित क्षेत्र का पर्यावरणीय विकास।
- अपघटित/अविकसित पार्कों का पर्यावरण की दृष्टि से सुधार/पर्यावरणीय विकास।
- अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवसों जैसे- विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून), अन्तर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस (16 सितम्बर) तथा पर्यावरण से सम्बन्धित अन्य दिवसों/अवसरों पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों यथा- संगोष्ठी, प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रदर्शनी का आयोजन, प्रतियोगिता, रैली, वृक्षारोपण, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो एवं जनसभा का आयोजन तथा प्रचार-प्रसार सामग्री का निर्माण/वितरण इत्यादि।
- शिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं के माध्यम से पर्यावरणीय जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन।

- स्कूली बच्चों में पर्यावरणीय जागरूकता के लिये विभिन्न कार्यक्रम जैसे- वाद विवाद/भाषण, चित्रकला/पोस्टर और क्विज प्रतियोगितायें, रैली, बाल-मेला, वन मनोरंजन और पर्यावरण प्रदर्शनी इत्यादि का आयोजन।
- विभिन्न लक्षित समूहों हेतु पर्यावरण प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं का आयोजन।
- सांस्कृतिक दलों के सहयोग से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में पर्यावरण विषय पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे- नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो, ड्रामा/नौटंकी इत्यादि का आयोजन।

उपर्युक्त कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में पर्यावरण निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के अतिरिक्त वन विभाग, उ०प्र० एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों का सहयोग लिया जा रहा है।

- **पर्यावरणीय शोध एवं क्रियान्वयन कार्यक्रम**
- **जनपद गोरखपुर में स्थिति रामगढ़ ताल, राप्ती एवं आमी नदी की जल गुणवत्ता पर शोध अध्ययन।**

पर्यावरणीय शोध एवं क्रियान्वयन कार्यक्रम के अन्तर्गत लखनऊ विश्वविद्यालय के माध्यम से जनपद-गोरखपुर में स्थिति रामगढ़ ताल, राप्ती एवं आमी नदी की जल गुणवत्ता पर शोध अध्ययन किये जाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है। प्रस्तावक द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल रु. 27,50,000/- का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इस सम्बन्ध में योजना के प्रथम चरण के कार्यों हेतु रु. 9.00 लाख मात्र की अग्रिम धनराशि का भुगतान किया जाना है।

- **केन्द्र पुरोनिधानित योजना :**

इसके अन्तर्गत निम्नांकित योजनाएं प्रस्तावित/क्रियान्वित की गईं :-

- **परिसंकटमय अपशिष्ट निस्तारण सुविधाओं की स्थापना और अनाधिकृत परिसंकटमय अपशिष्ट निस्तारण स्थलों का उपचार : (केन्द्र 50/राज्य 50)**

उद्योगों से उत्पन्न होने वाले परिसंकटमय अपशिष्ट जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए गम्भीर चुनौती उत्पन्न करते हैं। उद्योगों से उत्पन्न होने वाले परिसंकटमय अपशिष्ट पदार्थों से जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण की सुरक्षा हेतु परिसंकटमय अपशिष्टों के उपचार, भण्डारण और निस्तारण सुविधाओं की स्थापना के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधार पर अनुदान दिये जाने हेतु यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है।

इनके वैज्ञानिक ढंग से समुचित निस्तारण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा परिसंकटमय अपशिष्ट, 1989 (यथा संशोधित) निर्गत किये गये राज्य के पर्यावरण संगत विकास के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018–19 में केन्द्र पुरोनिधानित योजना "परिसंकटमय अपशिष्ट" निस्तारण सुविधाओं की स्थापना तथा परिसंकटमय अपशिष्ट निस्तारण, संरक्षित लैण्ड फिल, समाकलित इलेक्ट्रानिक अपशिष्ठ पुनर्चक्रण एवं उपचार सुविधा तथा सामूहिक जैव चिकित्सीय अपशिष्ट निस्तारण की स्थापना टी.एस.डी.एफ. हेतु रु. 50.00 लाख राज्यांश व समतुल्य केन्द्रांश की सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

- **अन्य कार्यक्रम/योजनाएं :**

- **उ०प्र० जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण का गठन**

प्रदेश में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उ०प्र० जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण का गठन किया गया है। उक्त प्राधिकरण के कार्यों के प्रारम्भिक संचालन हेतु रु. 20.00 करोड़ की धनराशि राज्य सरकार के द्वारा कारपस फण्ड के रूप में प्रदान की जायेगी। कारपस फण्ड के ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि को प्राधिकरण के उद्देश्यों एवं योजना की पूर्ति के लिए संचालित विभिन्न गतिविधियों तथा प्रशासनिक व्यय आदि पर आवश्यकतानुसार वहन निम्नवत् किया जायेगा।

- जलवायु परिवर्तन पर जनरलों/रिपोर्टों का प्रकाशन।
- जलवायु परिवर्तन की पुस्तकालय एवं ई-पुस्तकालय, वर्कशॉप/कान्फ्रेंस/सिम्पोजियम का आयोजन।
- अधिकारियों के क्षमता विकास हेतु देश-विदेश में जलवायु परिवर्तन पर आयोजित वर्कशॉप/कन्फ्रेंस/सिम्पोजियम में प्रतिभाग।
- जलवायु परिवर्तन पर मुख्यालय/मण्डल/जिला स्तर पर जन जागरूकता के कार्यक्रमों का आयोजन।
- जलवायु परिवर्तन पर जन जागरूकता हेतु होर्डिंग्स/इलेक्ट्रानिक व प्रिंट मीडिया में प्रकाशन हेतु व्यय।
- जलवायु परिवर्तन पर शोध/केस स्टडी पर व्यय।
- जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ अधिष्ठान पर व्यय।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण हेतु कोई बजट प्रावधान नहीं हुआ है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

भारत सरकार द्वारा जन स्वास्थ्य की समग्र सुरक्षा के उद्देश्य एवं प्रदूषण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदूषण जनित समस्याओं के प्रभावी निराकरण हेतु अधिनियमित जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा (4) के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 03 फरवरी, 1975 को **''उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड''** का गठन किया गया। वर्ष 1981 में भारत सरकार द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम की धारा-5 के प्रावधानों के अन्तर्गत जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत गठित राज्य बोर्ड को ही वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण का दायित्व सौंपा गया। 13 जुलाई, 1982 से राज्य सरकार द्वारा उक्त राज्य बोर्ड का नाम बदलकर **''उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड''** विनिर्दिष्ट कर दिया गया।

प्रमुख दायित्व एवं कर्तव्य :

1. राज्य में नदियों और कुओं के जल की गुणवत्ता बनाये रखना तथा नियंत्रित क्षेत्रों में वायु प्रदूषण रोकने, नियंत्रित करने, उसे कम करने के लिए व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाना तथा उसका निष्पादन सुनिश्चित करना है।
2. प्रदूषण निवारण, नियंत्रण या उसे कम करने के लिए सम्बद्ध विषयों पर जानकारी एकत्र करना, उसका प्रसार करना, राज्य सरकार को सलाह देना, उससे संबंधित अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देना, उसका संचालन करना, उसमें भाग लेना।
3. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण संबंधी कार्य में लगे या लगाये जाने वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के साथ-साथ सार्वजनिक शिक्षा के कार्यक्रम बनाना।
4. मल तथा व्यावसायिक बहिःस्राव व उत्सर्जन के शुद्धीकरण संयंत्रों की जाँच तथा निरीक्षण करना तथा स्थानीय निकायों व औद्योगिक प्रतिष्ठानों को वर्तमान या नये उत्प्रवाहों व उत्सर्जनों के निस्तारण हेतु सहमति देना।
5. बहिःस्राव व उत्सर्जन के मानक अधिकथित करना और राज्य में जल एवं वायु प्रदूषण का अनुश्रवण करना।
6. मल तथा व्यावसायिक उत्प्रवाहों के शुद्धिकरण हेतु ऐसी प्रक्रियाओं का विकास करना जो टिकाऊ व सस्ता होने के साथ ही साथ कृषि तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल हों।
7. उद्योगों तथा स्थानीय निकायों से जल उपकर एकत्र करना तथा उसे केन्द्रीय सरकार को भेजना।

8. ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो केन्द्रीय बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा विहित किये जायें या उसे समय-समय पर सौंपे जायें।

9. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत समय-समय पर बोर्ड को सौंपे गये कार्यों का निष्पादन।

उद्योगों को सहमति प्रदान करने हेतु नीति का सरलीकरण एवं अधिकारों का प्रतिनिधायन :

पूर्व में बोर्ड मुख्यालय द्वारा समस्त जल एवं वायु सहमति प्रकरणों का निस्तारण किया जाता था तथा क्षेत्रीय कार्यालयों को सहमति आवेदनों के निस्तारण हेतु अधिकृत नहीं किया गया था। तदुपरांत प्रक्रिया के सरलीकरण व प्रतिनिधायन की प्रक्रिया अंतर्गत बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एफ 77184/सीटी/सामान्य नोडल-347/2016, दिनांक 18.04.2016 के द्वारा प्रदूषण के स्तर के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत किया गया है उक्तानुसार लाल श्रेणी में 60 प्रकार के उद्योगों, नारंगी श्रेणी में 83 प्रकार के उद्योगों, हरी श्रेणी के 91 प्रकार के उद्योगों एवं सफेद श्रेणी में 162 प्रकार के उद्योगों को चिह्नित किया गया है तथा यह भी प्राविधानित किया गया है कि हरी एवं नारंगी श्रेणी में चिह्नित उद्योगों का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं सहमति प्रकरण क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से तथा लाल श्रेणी में चिह्नित उद्योगो का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं सहमति प्रकरण का निस्तारण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा।

बोर्ड के कार्यालय ज्ञाप संख्या-जी25268/189/2016-17, दिनांक 06.10.2017 द्वारा लाल श्रेणी के प्रदूषणकारी उद्योगों को एक साथ 05 वर्ष की अवधि हेतु, नारंगी श्रेणी के उद्योगों को एक साथ 05 वर्ष की अवधि हेतु तथा हरी श्रेणी के उद्योगों को एक साथ 10 वर्ष की अवधि हेतु सहमति प्रदान किया जाना निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त सफेद श्रेणी के उद्योगों द्वारा आवेदन की पावती ही सहमति मानी जाती है।

सहमति आवेदन के निस्तारण एवं सहमति शुल्क प्राप्ति की स्थिति :

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं संशोधित जल अधिनियम, 1978 के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न औद्योगिक इकाइयाँ जो मानकों के अनुरूप अपने उत्प्रवाहों को सरिता, भूमि या सीवर में छोड़ रहे हैं या नये उद्योगों को जिनके द्वारा उत्प्रवाहों का निस्तारण उपरोक्त स्थलों में किया जाना प्रस्तावित है, बोर्ड द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र पर आवेदन करने के उपरान्त सहमति प्राप्त कर लेना अनिवार्य है। सहमति आवेदन पत्र के साथ बोर्ड द्वारा निर्धारित सहमति शुल्क भी लिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में रुपया 2238.62 लाख सहमति शुल्क (जल) के लक्ष्य के विरुद्ध दिसम्बर, 2018 तक रुपया 1008.06 लाख एकत्र किया गया। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में दिसम्बर, 2018 तक 5296 उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण की दृष्टि से सहमति (जल) प्रदान की गयी तथा 941 उद्योगों की सहमति औचित्यपूर्ण न होने के कारण अस्वीकृति की गयी तथा उन्हें उचित निर्देश जारी किये गये, जिससे उद्योग अपने शुद्धीकरण संयंत्र का संचालन/रख-रखाव तथा सुदृढ़ीकरण कर उसे मानकों के अनुरूप उत्प्रवाह शुद्धीकृत करने योग्य बनायें।

जल उपकर :

केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्य बोर्डों के आर्थिक संसाधन सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 लागू किया गया है। इसके अन्तर्गत बोर्ड द्वारा

स्थानीय निकायों एवं उद्योगों से उनके जल उपभोग की मात्रा के आधार पर उपकर वसूल किये जाने का प्रावधान किया गया है। भारत सरकार द्वारा जी.एस.टी. प्रभावी होने की तिथि (01.07.2017) से नये उद्योगों के उपकर को रिपील करके जी.एस.टी. में सम्मिलित कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-2019 में दिसम्बर,2018 तक रुपया 1094.58 लाख एकत्र किया गया।

अनापत्ति प्रमाण पत्र :

प्रदेश में नये लगाये जाने वाले उद्योगों तथा वर्तमान उद्योगों में क्षमता विस्तार के लिए यह व्यवस्था की गयी है कि उद्यमी उद्योग लगाने से पूर्व उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से, पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का प्रमुख उद्देश्य यह है कि जिस स्थान पर उद्योग लगाया जाना प्रस्तावित है, वहाँ उसकी स्थापना से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तो नहीं हो जायेगी। अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने से पूर्व उद्योग से प्रदूषण नियंत्रण के प्रस्ताव प्राप्त किये जाते हैं एवं उनकी विस्तृत जाँच कर, अगर प्रस्ताव उपयुक्त हो तो अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करते समय आवश्यकतानुसार शर्तें लगा दी जाती हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उद्योग द्वारा उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व व्यवसायिक उत्स्रवाह, घरेलू उत्स्रवाह एवं वायु उत्सर्जन की शुद्धीकरण व्यवस्था अवश्य कर ली जाये।

वायु प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कार्यवाही :

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं यथासंशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत प्रदेश में वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण का उत्तरदायित्व भी बोर्ड को सौंपा गया है।

वायुमण्डल को स्वच्छ रखने के लिए यह आवश्यक है कि उद्योगों से (मानकों से अधिक) निकलने वाले दूषित एवं प्रदूषक गैसीय उत्सर्जन की रोकथाम की जाये। वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 एवं यथासंशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत किसी भी उद्योग को चलाने तथा उसके द्वारा वायुमण्डल में मानकों के अनुरूप उत्सर्जन के लिए किसी नयी या परिवर्तित चिमनी को उपयोग में लाये जाने के लिए या चिमनी से वायुमण्डल में उत्सर्जन को जारी रखने के लिए वायु अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सहमति प्राप्त कर लेना आवश्यक है। सहमति आवेदन पत्रों के साथ बोर्ड द्वारा वायु नियमावली, 1983 में प्राविधानित सहमति शुल्क भी लिया जाता है।

उत्तर प्रदेश में स्थित परिसंकटमय अपशिष्ट (हैजार्ड्स वेस्ट) जनित करने वाले उद्योगों एवं परिसंकटमय अपशिष्ट निस्तारण की व्यवस्था का विवरण :

प्रदेश में परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबन्धन व सीमा पार संचालन नियम, 2016 के अन्तर्गत 2366 उद्योग वर्तमान में आच्छादित हैं। इन सभी उद्योगों से जनित परिसंकटमय अपशिष्ट के भण्डारण एवं सुरक्षित निस्तारण के लिए उद्योगों को प्राधिकार निर्गमन हेतु राज्य बोर्ड को प्राधिकृत किया गया है।

परिसंकटमय अपशिष्ट के सामूहिक निस्तारण हेतु प्रदेश में निम्नलिखित स्थलों की स्थिति निम्नवत् हैः-

1.	कानपुर (रूमा)	-	क्षमता समाप्त
2.	कानपुर देहात (कुम्भी) 7 हेक्टेयर भूमि में	-	संचालित
3.	कानपुर देहात (कुम्भी) 3 हेक्टेयर भूमि में	-	संचालित
4.	उन्नाव (बन्थर)	-	संचालित

उक्त के अतिरिक्त ज्वलनशील/जलाने योग्य परिसंकटमय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु निम्न व्यवस्था हैः-

1.	उद्योग जिनमे स्वयं का भस्मन संयंत्र स्थापित हैं	21
2.	संयुक्त भस्मन संयंत्र की व्यवस्था है	03

उत्तर प्रदेश में स्थित ग्रॉसली प्रदूषणकारी उद्योगों के सम्बन्ध में आख्या

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 1510 ग्रॉसली प्रदूषणकारी उद्योगों (ऐसे उद्योग जिनका बी.ओ.डी. लोड 100 किग्रा./दिन से ज्यादा या जहरीला उत्प्रवाह है) को चिह्नित किया गया है। यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली 13 प्रमुख नदियों (गंगा, यमुना, गोमती, रामगंगा, हिण्डन, सरयू, काली ईस्ट, काली वेस्ट, घाघरा, राप्ती, सई, रिहन्द एवं शारदा) एवं विभिन्न तालों में अपना उत्प्रवाह निस्तारित करते हैं। इन 1528 उद्योगों की वर्तमान में जल प्रदूषण की दृष्टि से स्थिति निम्नवत् हैः–

1.	उ.प्र. में चिह्नित ग्रॉसली उद्योग	1528
2.	कार्यरत उद्योग जिनमें उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित हैं	1399
	(अ) कार्यरत उद्योग जिनमें उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है तथा बोर्ड के मानकों की पूर्ति भी कर रहे हैं	1042
	(ब) कार्यरत उद्योग जिनमें उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित हैं परन्तु बोर्ड मानकों की प्राप्ति नहीं कर रहे हैं	83
3.	उद्योग जो स्वतः बन्द हैं	244
4.	उद्योग जिन्हें बोर्ड द्वारा बन्द कराया गया	242

जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंध और हस्तन) नियम, 1998 यथासंशोधित

जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 :

जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंध और हस्तन) नियम, 1998 यथासंशोधित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 15046 अस्पताल/नर्सिंग होम तथा अन्य संस्थान चिह्नित किये गये हैं जिनमें से 14842 अस्पतालों/नर्सिंग होम्स व अन्य संस्थानों द्वारा एकल उपचार व्यवस्था कर ली गई अथवा सामूहिक उपचार व्यवस्था से सम्बद्ध हैं। इनमें से 6573 अस्पतालों/नर्सिंग होम तथा अन्य संस्थानों द्वारा प्राधिकार प्राप्त किये गये हैं।

प्रदेश में कुल 17 सामूहिक जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार व्यवस्था स्थापित की गई हैं, यथा- जनपद लखनऊ-2, बरेली-1, गाजियाबाद-1, मेरठ-1, कानपुर-2, प्रयागराज-2, मथुरा-1, आगरा-1, झाँसी-1, वाराणसी-1, बाराबंकी-1, संत कबीर नगर-1, सुल्तानपुर-1 तथा गाजीपुर-01 में व्यवस्थायें स्थापित हैं। उक्त के अतिरिक्त 13 हेल्थ केयर फैसिलिटीज में स्वयं की उपचार व्यवस्था स्थापित है। 17 सामूहिक उपचार व्यवस्था में से 01 सामूहिक उपचार व्यवस्था मानकों के अनुरूप कार्यरत न होने के कारण उसके विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही की गई है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्राधिकार शुल्क रुपया 65.79 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध माह दिसम्बर, 2018 तक कुल रुपया 111.45 लाख एकत्रित किया गया।

नगरीय ठोस अपशिष्ट :

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 1999 एवं तत्पश्चात् प्रख्यापित नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम, 2000 को अधिसूचना दिनांक 08.04.2016 द्वारा अधिक्रान्त करते हुए ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु नया नियम लागू किया गया है, जिन्हें **''ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016''** कहा गया है। यह नियम दिनांक 08.04.2016 से प्रवृत्त है। प्रदेश में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु की गई कार्यवाही एवं प्रस्तावित कार्यवाही निम्नवत् है-

1. स्थानीय निकायों से जनित होने वाले नगरीय ठोस अपशिष्ट के एकत्रण, पृथक्करण, परिवहन, उपचार एवं सुरक्षित निस्तारण किये जाने हेतु भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 जो अधिसूचना दिनांक 08.04.2016 से प्रभावी हैं, का क्रियान्वयन स्थानीय निकायों तथा अनुश्रवण बोर्ड द्वारा किया जाना प्राविधानित है।

2. बोर्ड द्वारा समस्त नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों तथा नगर पंचायतों को उक्त नियम, 2016 में वर्णित प्रावधानों के अनुपालन हेतु निर्देश जारी किया गया है।

3. प्रदेश में वर्तमान में कुल 653 नगर निकाय (नगर निगम-16, नगर पालिका परिषद-199, नगर पंचायत-438) चिह्नित हैं।

4. प्रदेश में जनित कुल नगरीय ठोस अपशिष्ट की मात्रा 15500 टन/दिन है।

5. नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन हेतु प्रदेश में वेस्ट से कम्पोस्ट बनाये जाने के 12 संयंत्र संचालित हैं, जिनकी संयुक्त क्षमता 4615 टन/दिन है।

अभियोजनात्मक कार्यवाही :

बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों/स्थानीय निकायों के विरुद्ध अभियोजनात्मक कार्यवाही की जाती है।

प्रयोगशाला एवं जल-वायु गुणता का अनुश्रवण :

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 01 केन्द्रीय प्रयोगशाला तथा 19 क्षेत्रीय प्रयोगशालायें स्थापित हैं। 02 अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों उन्नाव एवं फिरोजाबाद में वायु प्रयोगशाला की स्थापना का कार्य किया जा चुका है। प्रयोगशालाओं द्वारा वर्तमान में औद्योगिक उत्प्रवाहों के नमूने, नदियों, नालों एवं भूगर्भ जल के नमूनों का परीक्षण तथा परिवेशीय वायु गुणवत्ता एवं ध्वनि प्रदूषण के अनुश्रवण का कार्य संपादित किया जाता है। इन कार्यों के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा अन्य महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं के अन्तर्गत भी जल स्रोतों का अनुश्रवण तथा परिवेशीय वायु गुणता का अनुश्रवण किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नवत् है–

गोमती नदी का अनुश्रवण :

गोमती अनुश्रवण अध्ययन के अन्तर्गत लखनऊ में गोमती नदी के जल में घुलित आक्सीजन की

मात्रा एवं पी.एच. का परीक्षण प्रतिदिन तथा 17 विभिन्न प्रचालकों के लिए परीक्षण प्रतिमाह एक बार नियमित रूप से किया जाता है, जिससे गोमती नदी के जल की गुणवत्ता का अनुश्रवण तथा जल की गुणता का ज्ञान होता रहे।

राष्ट्रीय जल गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम (नेशनल वाटर क्वालिटी मानीटरिंग प्रोग्राम) :

इस परियोजना (पूर्व नाम मीनार्स) के अन्तर्गत प्रदेश की विभिन्न नदियों एवं अन्य जल स्रोतों (तालाब, झील आदि) के 58 चिन्हित स्थलों पर (कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, कौशाम्बी, प्रयागराज, गाजियाबाद, प्रतापगढ़, रायबरेली, सहारनपुर, रेनूकूट, गोरखपुर, देवरिया, ललितपुर, उन्नाव, बुलन्दशहर, बदायूँ, मिर्जापुर, बागपत, हापुड़, मेरठ, गाजीपुर, कन्नौज, नोएडा, सीतापुर, अयोध्या, मथुरा, सोनभद्र, जौनपुर, वृन्दावन, हमीरपुर, झाँसी व मुजफ्फरनगर) जल गुणता अनुश्रवण का कार्य एक माह में एक बार किया जाता है। जिससे विभिन्न नदियों की जल गुणता की जानकारी प्राप्त हो सके। यह परियोजना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा 70 प्रतिशत वित्तपोषित है।

राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम (नेशनल एयर क्वालिटी मानीटरिंग प्रोग्राम) :

इस परियोजना (पूर्व नाम नाकम) के अन्तर्गत प्रदेश के 21 शहरों- गाजियाबाद, गजरौला, आगरा, नोएडा, सोनभद्र, लखनऊ, कानपुर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, बरेली, झाँसी, प्रयागराज, मेरठ, खुर्जा, वाराणसी, सहारनपुर, रायबरेली, मथुरा, हापुड़, गोरखपुर, उन्नाव, ग्रेटर नोएडा, बागपत, मुजफ्फरनगर में 72 चिह्नित स्थलों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण कार्य सम्पादित किया जाता है। यह परियोजना भी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा 50 प्रतिशत वित्तपोषित है। इस योजना में विभिन्न स्थलों की वायु गुणवत्ता की स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है।

ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम :

भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 एवं इससे संबंधित नियमावली के अन्तर्गत ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 एवं संशोधित 2010 प्रख्यापित किये गये हैं जो राजपत्र में प्रकाशन की तिथि 14-02-2000 से प्रवृत्त हो गये हैं।

1. पटाखों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम :

दीपावली पर्व के दौरान जनित ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सम्पूर्ण पर्व के दौरान राज्य के प्रमुख 20 शहरों में ध्वनि प्रदूषण की जाँच का कार्य सम्पादित किया गया।

2. स्वचालित परिवेशीय वायुगुणता अनुश्रवण स्टेशन :

बोर्ड द्वारा प्रदेश के 12 शहरों- लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा, बागपत, बुलंदशहर, हापुड़ एवं मुजफ्फरनगर में एक-एक स्वचालित परिवेशीय वायुगुणता अनुश्रवण स्टेशनों की स्थापना की गई है। इन स्टेशनों से लगातार परिवेशीय वायुगुणता के विभिन्न प्रचालक जैसे- पार्टीकुलेट मैटर (पी.एम. 10 एवं पी.एम. 2.5), सल्फर डाइ आक्साइड, नाइट्रोजन डाई आक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनो आक्साइड गैसों, बेन्जीन, जाइलीन, टाल्वीन के आंकड़े प्राप्त होते हैं।

3. ध्वनि गुणता अनुश्रवण :

बोर्ड द्वारा प्रदेश के 15 शहरों की विभिन्न श्रेणियों- आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं शान्त क्षेत्रों में दिन एवं रात्रि के समय परिवेशीय ध्वनि गुणता अनुश्रवण का कार्य प्रत्येक माह नियमित रूप से किया जा रहा है।

4. स्वचालित परिवेशीय ध्वनिगुणता मापक स्टेशन :

बोर्ड द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से लखनऊ शहर में 10 स्टेशनों को स्थापित किया गया है। यह स्टेशन लोहिया अस्पताल, इंदिरा नगर, तालकटोरा, डी.आर.एम. ऑफिस हजरतगंज, एस.जी.पी.जी.आई., आई.टी. कॉलेज, बोर्ड मुख्यालय विभूति खण्ड, चिनहट औद्योगिक क्षेत्र, आंचलिक विज्ञान केन्द्र अलीगंज तथा चौधरी चरण सिंह अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में स्थापित हैं। इन स्टेशनों से लगातार ध्वनि स्तर के आंकड़े प्राप्त होते हैं।

5. प्रदर्शन पटल :

बोर्ड द्वारा किये जा रहे परिवेशीय वायुगुणता के आंकड़ों को जनमानस में प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से लखनऊ शहर में 5 निम्न स्थलों पर इलेक्ट्रानिक प्रदर्शन पटल स्थापित किये गये हैं–

1. बोर्ड के नवनिर्मित मुख्यालय, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
2. पंजाब नेशनल बैंक, पिकप भवन के सामने, गोमती नगर,
3. आई.आई.टी.आर., महात्मा गांधी मार्ग,
4. सहारा बिल्डिंग, कपूरथला चौराहा,
5. किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी।

प्लास्टिक वेस्ट प्रबन्धन :

1- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18.03.2016 द्वारा अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016 अधिसूचित किये गये हैं जो राजपत्र के प्रकाशन की तिथि दिनांक 18.03.2016 से प्रभावी है।

2- अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और व्ययन की अवसंरचना को विकसित करने और स्थापना के लिए स्थानीय निकाय उत्तरदायी हैं।

3- अपशिष्ट प्लास्टिक नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार प्लास्टिक उत्पादों और बहुस्तरीय पैकेजिंग के विनिर्माण, अपशिष्ट प्लास्टिक के प्रसंस्करण और व्ययन से सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों को प्रवृत्त करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विहित प्राधिकारी है।

4- उ.प्र. शासन द्वारा उत्तर प्रदेश प्लास्टिक एवं अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) नियम, 2000 को उत्तर प्रदेश अध्यायदेश संख्या-10 सन् 2018, दिनांक 15.07.2018 द्वारा संशोधित कर उत्तर प्रदेश प्लास्टिक एवं अन्य जैव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2018 जारी किया गया है।

उत्तर प्रदेश प्लास्टिक एवं अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) नियम, 2000 के अधीन शक्तियों का प्रयोग कर नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासान द्वारा जारी शासनादेश संख्या-1056/6-7-18-29 (लखनऊ)/18 दिनांक 15.07.2018 द्वारा निम्न निर्देश जारी किये गये हैं :

(1) 50 माइक्रान से कम मोटाई के प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात को अधिसूचना के गजट में प्रकाशन की तिथि से नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या राज्य की औद्योगिक नगरी के आने वाले क्षेत्रों में प्रतिषिद्ध किया गया है।

(2) 50 माइक्रान अथवा उससे अधिक मोटाई के निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैरी बैगों, जिनके विनिर्माता का नाम और रजिस्ट्रेशन संख्या न हो एवं अंकित नहीं हो, के उपयोग, विनिर्माण, क्रय-विक्रय, भण्डारण, परिवहन के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात एवं निर्यात को अधिसूचना के गजट में प्रकाशन की तिथि से नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या राज्य की औद्योगिक नगरी के आने वाले क्षेत्रों में प्रतिषिद्ध किया गया है।

(3) प्लास्टिक या थर्मोकोल से निर्मित एक बार उपयोग के पश्चात् निस्तारण योग्य कपों, गिलासों, प्लेटों, चम्मचों, टम्बलरों के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात को नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या राज्य की औद्योगिक नगरी के आने वाले क्षेत्रों में दिनांक 15 अगस्त, 2018 से प्रतिषिद्ध किया गया है।

(4) समस्त प्रकार के निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैरी बैगों के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात को नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या राज्य की औद्योगिक नगरी के आने वाले क्षेत्रों में दिनांक 02 अक्टूबर, 2018 से प्रतिषिद्ध किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स

उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स समर्थित सेवाओं के विस्तार, इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों के विकास तथा ई-गवर्नेन्स को बढ़ावा देने के लिए आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग निरन्तर प्रयासरत है। राज्य में नवयुवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट अप नीति-2016 को अवक्रमित करते हुए उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट अप नीति-2017 प्रख्यापित की गई है। इस नीति के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड एवं पूर्वान्चल क्षेत्र में बी0पी0ओ0 तथा आईटी/आईटीईएस इकाइयों की स्थापना के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन, स्टार्ट-अप्स, इन्क्यूबेटर्स, वेन्चर कैपिलिस्ट, स्टार्ट-अप कार्पस फण्ड, सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा क्षेत्र से सम्बन्धित प्रकरण व्यवहरित किये जाने हैं। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र को इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन (ई0एम0जेड0) घोषित करते हुए इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण इकाइयों के लिए विभिन्न छूट एवं प्रोत्साहनों का प्रावधान किया गया है। इस नीति की सफलता से प्रेरित होकर इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण का विस्तार सम्पूर्ण राज्य में करने के उद्देश्य से पूर्व नीति को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है जिसमें वित्तीय प्रोत्साहनों को अधिक तर्कसंगत बनाया गया है तथा केस-टू-केस प्रकरणों में छूट एवं प्रोत्साहनों हेतु निर्णय लेने हेतु निवेश के अनुसार वर्गीकरण किया गया है। इन्क्यूबेटर्स एवं स्टार्ट-अप इकाईयों के प्रोत्साहन हेतु एक स्वतंत्र स्टार्ट-अप नीति घोषित किये जाने पर भी सक्रियता से विचार किया जा रहा है।

नवयुवाओं के लिए अधिकाधिक रोजगार सृजन हेतु देश के सबसे बड़े इन्क्यूबेटर की स्थापना लखनऊ में किये जाने, सभी सरकारी कान्ट्रेक्ट के लिए ई-टेण्डरिंग को अनिवार्य/बाध्यकारी करने, सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आईटी नीति का प्रभावी क्रियान्वयन करने, प्रदेशवासियों की शिकायतों आदि का समेकित रूप में पंजीकरण उपरान्त उनके त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से लखनऊ में 500 सीटों के एक इनबाउण्ड-आउटबाउण्ड कॉल सेन्टर (मुख्यमंत्री हेल्पलाईन 1076) की स्थापना कराते हुए एक प्लेटफार्म के रूप में संचालित किये जाने तथा सरकारी सेवाओं को समय से लोगों को इलेक्ट्रानिकली उपलब्ध कराने के लिए सिटीजन चार्टर को सशक्त ढंग से लागू करने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

ई-डिस्ट्रिक्ट एवं स्टेट सर्विस डिलीवरी गैटवे (एस.एस.डी.जी.) के अन्तर्गत 32 विभागों की 247 शासकीय सेवायें जन सेवा केन्द्रों/लोकवाणी केन्द्रों/ई-सुविधा केन्द्रों से नागरिकों को प्रदान करने की व्यवस्था किया जाना, प्रदेश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 01 जन सेवा केन्द्र स्थापित कराने के लक्ष्य के साथ कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये 75000 केन्द्रों को डी.ई.जी.एस. एवं डी.एस.पी. के सहयोग से स्थापित किया जाना, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वॉन) 2.0 के अन्तर्गत एमपीएलएस की नवीनतम

टेक्नोलॉजी पर समस्त जनपदों, तहसीलों एवं ब्लॉक मुख्यालयों के विभिन्न कार्यालयों में बैण्डविड्थ उपलब्ध कराये जाने हेतु खुली ई-निविदा के माध्यम से सिस्टम इन्टीग्रेटर (स्वान-1.0 की वर्तमान कार्यदायी संस्था बी.एस.एन.एल. के स्थान पर) के चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ कराना, पूर्व से संचालित स्टेट डाटा सेन्टर के माध्यम से 61 विभागों की 250 सेवायें प्रदान करने के साथ इसकी सृजित क्षमता का पूर्ण उपयोग हो जाने एवं शासन के विभागों में इसकी बढ़ती मांग के क्रम में स्टेट डाटा सेन्टर के सुदृढ़ीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही आदि को इनीशिएट कराया जाना शामिल है।

राज्य में डिजिटल पेमेन्ट को बढ़ावा देने के लिए जन सेवा केन्द्रों को भारत इन्टरफेस फॉर मनी (भीम) एप से इन्टीग्रेट किया जाना, इस हेतु प्रदेश स्थित पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, बैंकिंग अधिष्ठानों एवं सम्बन्धित विभागों को लक्ष्य आवंटित करते हुए निरन्तर समीक्षा किया जाना, प्रदेश में डिजिटल लॉकर के अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक को उनके महत्त्वपूर्ण अभिलेखों जैसे पैन कार्ड, वोटर आई.डी. कार्ड, सरकार द्वारा जारी कोई अन्य पहचान-पत्र, पासपोर्ट, जन्म या शादी के प्रमाण-पत्र आदि को इसमें संरक्षित रखने की सुविधा के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल का डिजिटल लॉकर से इन्टीग्रेशन किया जाना, प्रदेश में शासकीय सेवाओं को यूनीफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेन्स (उमंग) प्लेटफार्म से उपलब्ध कराये जाने की निरंतर समीक्षा के साथ प्रथम चरण में ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की सेवाओं को उमंग प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराये जाने की एन.आई.सी. के माध्यम से कार्यवाही को इनीशिएट कराया जाना, कैपेसिटी बिल्डिंग के अन्तर्गत डिजिटल इण्डिया के प्रचार-प्रसार के लिए जनपदों में डिजिधन मेले का आयोजन किया जाना एवं प्रदेश के समस्त जनपदों तथा राज्य स्तर पर ई-टेण्डर, ई-ऑफिस, सी.एम. हेल्पलाइन, सोशल मीडिया, एम-गवर्नेन्स, ई-डिस्ट्रिक्ट, आई.जी.आर.एस. एवं साइबर सिक्योरिटी लागू किये जाने के क्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जाना तथा भारत सरकार/राज्य सरकार की योजनाओं पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाना आदि सम्मिलित है।

विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संस्थाएं-उ0प्र0 डेवलपमेन्ट सिस्टम्स कारपोरेशन लि0, सेन्टर फार ई-गवर्नेन्स, उत्तर प्रदेश, उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 एवं ई-सुविधा, उ0प्र0 के माध्यम से मुख्यतया योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जा रहा है।

विभाग का आय-व्ययक अनुदान संख्या-7 (भारी एवं मध्यम उद्योग) में सम्मिलित रहता है अतः उद्योग विभाग विगत कई वर्षों से कार्यपूर्ति दिग्दर्शक (परफारमेंस बजट) सदन में प्रस्तुत करता रहा है परन्तु वर्ष 2011-12 से विभाग द्वारा कार्यपूर्ति दिग्दर्शक (परफारमेंस बजट) सदन में पटल पर पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इसी कड़ी में वर्ष 2019-20 का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम्स् कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीडेस्को)

निगम के प्रमुख कार्य

- विभागों को आई0टी0 एवं आई0सी0टी0 आधारित क्षेत्रों में तकनीकी परामर्श के अन्तर्गत कम्प्यूटरीकरण की कार्य-योजना, हार्डवेयर क्रय, सॉफ्टवेयर विकास एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण के सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार कराने में सहयोग करना।
- विभागों में तकनीकी एवं अन्य जनशक्ति के रूप में अपने विशेषज्ञों की निःशुल्क तैनाती के माध्यम से सेवाएं प्रदान करना।

- आई0सी0टी0 योजनाओं को टर्न-की माडल के आधार पर सम्पादित कराना।
- राज्य में कम्प्यूटर शिक्षा एवं प्रशिक्षण का विस्तार।
- विभिन्न विभागों/अधिष्ठानों से प्राप्त अध्ययनों को पूर्ण करना।
- विभागों की माँग पर हार्डवेयर/साफ्टवेयर/जनशक्ति की आपूर्ति।
- शासन द्वारा समय-समय पर आवंटित कार्यों/योजनाओं का निष्पादन।

महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

- शासन द्वारा समय-समय पर आवंटित योजनाओं/कार्यों के सापेक्ष योजनाओं की विशिष्टियों एवं इनमें अब तक की गयी महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों के विवरण संक्षेप में निम्नानुसार हैं-

स्टेट डाटा सेन्टर की स्थापना

- नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत स्टेट डाटा सेन्टर की स्थापना राज्य में की गई है जिसमें विभिन्न जी2सी, जी2जी सेवाओं को इलेक्ट्रानिक डिलीवरी के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने हेतु राज्य के विभिन्न विभागों के डाटा एवं एप्लीकेशन साफ्टवेयर को केन्द्रीयकृत रूप से रखा जा रहा है। यह योजना ई-गवर्नेन्स के क्षेत्र में राज्य की एक महत्त्वपूर्ण कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना है।
- यूपीडेस्को द्वारा इम्प्लीमेंटेशन एजेन्सी के रूप में स्टेट डाटा सेन्टर को स्थापित कराते हुए दिनांक 06-08-2012 से इसे गो-लाइव कराया गया।
- में0 टीसीएस लि0 द्वारा डाटा सेन्टर आपरेटर के रूप में इसकी स्थापना उपरान्त गो-लाइव से 5 वर्षों अर्थात दिनांक 05-08-2017 तक इसका संचालन किया गया है। तत्पश्चात यूपीडेस्को स्तर से इस सेन्टर के संचालन का प्रबन्धन करते हुए दिनांक 01-11-2017 से आगामी तीन वर्षों तक इसके संचालन के लिए निविदा प्रक्रिया से नये डाटा सेन्टर आपरेटर के रूप में मेसर्स बी0वी0जी0 इण्डिया लिमिटेड (बीवीजीआईएल) का चयन किया गया जिसके माध्यम से सेन्टर के संचालन की कार्यवाही करायी जा रही है।
- स्टेट डाटा सेन्टर की कुल क्षमता का अधिकतम उपयोग हो जाने एवं विभागों द्वारा स्टेट डाटा सेन्टर में स्पेस की माँग किये जाने के दृष्टिगत इसकी क्षमता को वर्ष 2016-17 में बढ़ाया गया है। इस बढ़ायी गई क्षमता के अन्तर्गत लगाये गये इन्फ्रास्ट्रक्चर के मैनेजमेन्ट का कार्य मे0 पी0सी0 साल्यूशन्स द्वारा दिसम्बर, 2017 तक कराया गया।
- वर्ष 2012 से 2017 तक मे.डेलाइट तथा वर्तमान में मे.केपीएमजी द्वारा थर्ड पार्टी आडिट का कार्य किया जा रहा है।
- सेन्टर में 10 जीबीपीएस एनकेएन इन्टरनेट लीज लाइन स्थापित है। इसके अतिरिक्त 1 जीबीपीएस एयरटेल की रिडन्डेन्ट इन्टरनेट लीज लाइन है।
- वर्तमान में वाणिज्य कर, समाज कल्याण, बेसिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्थानीय निकाय, सीसीटीएनएस, ग्रामीण अभियंत्रण सेवायें, खाद्य एवं रसद, वन, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स, संस्थागत वित्त, सचिवालय प्रशासन, अग्नि शमन आदि 61 विभागों के एप्लीकेशन्स स्टेट डाटा

सेन्टर में होस्ट कर इनकी लगभग 250 सेवायें आम जन मानस एवं राज्य सरकार के अन्य विभागों को उपलब्ध करायी जा रही हैं।

- स्टेट डाटा सेन्टर विश्वस्तरीय मानकों यथा- आई0एस0ओ0 27001 एवं 20000 से प्रमाणित है तथा इसमें डाटा की अतिरिक्त सुरक्षा हेतु सिक्योरिटी इन्फॉरमेशन एण्ड इवेन्ट मैनेजमेन्ट (एस0आई0ई0एम0) का उपयोग भी किया जा रहा है। डाटा सेन्टर का अपटाईम 99.98 प्रतिशत है।
- यह सेन्टर राज्य के डाटा डिपोजिटरी के रूप में संचालित है। विभागों की 250 से अधिक सेवायें विभिन्न एप्लीकेशन्स के माध्यम से आपरेशन में हैं। सेन्टर एक ऐसा राज्य का प्लेटफार्म है जिसकी विभागों द्वारा बराबर आवश्यकता बताते हुए इसमें स्पेस की मांग की जाती है। इस सेन्टर को संचालित हुए लगभग 6 वर्षो से अधिक की अवधि बीत चुकी है जिसके कारण इसका बड़े पैमाने पर आगमेन्टेशन एवं रि-स्ट्रक्चरिंग की वर्तमान की आवश्यकता के साथ इसके लिए डिजास्टर रिकवरी साइट की व्यवस्था की जा रही है।
- इस सेन्टर की डिजास्टर रिकवरी (डीआर) साइट हेतु नेशनल डाटा सेन्टर, भुवनेश्वर में को-लोकेशन में 04 रैंकों का वार्षिक रेन्टल, 04 रैकां में आई.टी. कम्पोनेन्ट्स की स्थापना एवं एसडीसी में स्थापित 03 रैकां में इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्हान्समेन्ट आदि हेतु धनराशि की इस दृष्टिकोण से आवश्यकता है कि इस सेन्टर/प्लेटफार्म का उपयोग राज्य में तेजी से बढ़ रहा है जिसको संज्ञान में रखते हुए इसको सभी दृष्टिकोण से सुदृढ़/रोबस्ट स्वरूप प्रदान किये जाने की काफी समय से अनिवार्यता समझी जा रही है किन्तु पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता न होने के कारण उक्त कार्यवाही को आवश्यकतानुरूप अभी तक मूर्तरूप नहीं दिया जा सका है।
- स्टेट डाटा सेन्टर में स्पेस की विभागों द्वारा की जा रही मांग को संज्ञानित कर दिनांक 27.01.2017 की बैठक में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा स्टेट डाटा सेन्टर-2.0 को राज्य में दीर्घकालिक उपयोग हेतु स्थापित कर संचालन किए जाने पर सैद्धान्तिक सहमति पूर्व में व्यक्त की गयी है।

शासकीय कार्यालयों का आधुनिकीकरण

- यूपीडेस्को द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय में प्राप्त जन शिकायतों/प्रार्थना पत्रों के डिजिटाइजेशन, स्कैनिंग, अपलोडिंग/लिंकिंग सर्विसेज हेतु मे. कैपिटल बिजनेस सर्विसेज प्रा.लि. नई दिल्ली का चयन किया गया है।
- मे. कैपिटल बिजनेस सर्विसेज प्रा.लि. द्वारा बी-107 लोक भवन में 01 जनवरी, 2019 से जन शिकायतों/प्रार्थना पत्रों के डिजिटाइजेशन एवं स्कैनिंग के कार्य का सम्पादन किया जा रहा है।
- डिजिटाइज्ड एवं स्कैण्ड जन शिकायतों/प्रार्थना पत्रों को आईजीआरएस पोर्टल पर एनआईसी द्वारा अपलोडिंग/लिंकिंग करने हेतु उपलब्ध कराया जाता है।

विभागों की वेबसाइट का नवीनीकरण एवं रख-रखाव

- शासनादेश संख्या-1803/78-2-2013-83 आई.टी./2013 दिनांक 25-11-2013 द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के समस्त विभागों की वेबसाइटों का नवीनीकरण एवं रख-रखाव के कार्य भारत

सरकार की गाइडलाइन्स फार इण्डियन गवर्नमेन्ट वेबसाइट (जीआईजीडब्लू) के अनुरूप विभागों से प्राप्त भुगतान के आधार पर सुनिश्चित कराने हेतु यूपीडेस्को को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

- शासनदेश के अनुसार मैं.सिल्वरटच टेक्नोलाजीज लि0, अहमदाबाद, मै. समीन टेक्माइन्ड्स इण्डिया प्रा.लि., नोएडा, मैं साइबर टेक साफ्टवेयर एण्ड मल्टीमीडिया प्रा.लि., भुवनेश्वर, मै. मार्ग सॉफ्ट्वेयर साल्यूशन प्रा.लि., लखनऊ, मै.ओमनीनेट टेक्नोलॉजीज प्रा.लि., लखनऊ एवं मै. एस्टेक्स टेलीकॉम प्रा.लि., 38, डीएलएफ इण्डस्ट्रियल एरिया, कीर्ति नगर, नई दिल्ली को सूचीबद्ध कर विभागों की वेबसाइटों के व्यय आगणन तैयार करने में सहयोग देने हेतु व्यवस्था की गई है।
- विभिन्न विभागों/उनके अधीन अधिष्ठानों को प्रेषित प्रस्तावों के सापेक्ष 32 विभागों तथा 68 अधिष्ठानों से प्राप्त कार्यादेशों के विरुद्ध अधिकांश की वेबसाइटें अब तक तैयार कर होस्ट की जा चुकी हैं। शेष वेबसाइटों के विकास का कार्य प्रगति पर है।
- जिन विभागों/अधिष्ठानों द्वारा अपनी वेबसाइटों को जीआईजी डब्ल्यू के अनुरूप नवीनीकृत नहीं कराया गया है उनको प्रस्ताव प्रेषित कर कार्यादेश प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की स्थापना एवं संचालन

- प्रदेश सरकार के लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 में निर्धारित संकल्प के समादर में प्रदेश के जन-सामान्य की शिकायतों आदि का समेकित रूप में पंजीकरण कर उनका त्वरित निस्तारण किये जाने के उद्देश्य से राज्य में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की स्थापना एवं संचालन हेतु कॉल सेन्टर एजेन्सी के रूप में मेसर्स नेटवर्क टेकलैब (आई) प्रा0लि0 एवं मेसर्स श्योरविन बीपीओ सर्विसेस लि0 (कन्शार्सियम) का खुली ई-निविदा से चयन कर दिनांक 16.11.2017 को इनके साथ अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया।
- संस्था द्वारा पंचम एवं षष्ठम् तल, साइबर टॉवर, विभूति खण्ड, गोमती नगर (इन्दिरा गाँधी प्रतिष्ठान के सामने) लखनऊ में 500 सीटों (1000 सीटों तक बढ़ाये जाने के प्राविधान के साथ) के एक इनबाउण्ड-आउटबाउण्ड कॉल सेन्टर की स्थापना एवं दिनांक 13.02.2018 से इसका टेस्ट फेज में संचालन प्रारम्भ किया गया।
- आमजन द्वारा टोल फ्री नंम्बर 1076 डायल कर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में अपनी शिकायतें पंजीकृत किये जाने की व्यवस्था है।
- पंजीकृत शिकायतें सर्वप्रथम सम्बन्धित विभाग के लेवल-1 (एल-1) स्तर के अधिकारी को अग्रसारित होने की व्यवस्था है तथा इन शिकायतों के विभाग स्तर से निवारण उपरान्त कॉल सेन्टर से शिकायतकर्ता का संतुष्टिपरक फीडबैक प्राप्त करने के उपरान्त ही इन शिकायतों को समाप्त किया जाता है अन्यथा शिकायत पुनः एल-1 तथा आवश्यकतानुसार एल-2, एल-3 एवं एल-4 स्तर के अधिकारियों के पास निवारण हेतु अग्रसारित की जाती है।
- शिकायतकर्ता के असंतुष्ट रहने की अवस्था में एल-2, एल-3 एवं एल-4 स्तर के अधिकारियों के पास शिकायत को विशेष स्थिति में समाप्त करने का अधिकार है।

- यह काल काल सेन्टर आमजन के लिए 24X7 उपलब्ध है तथा 500 सीटों से दो शिफ्टों में प्रातः 7:00 बजे से रात्रि 11:00 बजे तक तथा आवश्यकतानुसार 20-50 सीटों से रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 7:00 तक संचालित किया जा रहा है।
- कॉल सेन्टर में प्राप्त होने वाली शिकायतें वर्तमान में संचालित इन्टीग्रेटेड ग्रीवेन्स रिड्रेसल सिस्टम (जन सुनवाई पोर्टल) में पंजीकृत किये जाने की व्यवस्था है।
- मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में नागरिकों को शिकायतों के निवारण, सूचनाओं को प्राप्त करने, मांग रखने एवं सुझाव देने की सुविधाओं की उपलब्धता है।
- न्यायालय, अन्य राज्य सरकारों/केन्द्र सरकार, शासकीय कर्मचारियों की सेवाओं, सूचना का अधिकार अधिनियम आदि से सम्बन्धित मामले मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में व्यवहृत नहीं किये जाने का निर्धारण है।
- मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में मा. मुख्यमंत्री जी एवं अन्य अधिकारियों के लिए उपलब्ध डैशबोर्ड से सभी विभागों/जनपदों की परफार्मेन्स का मूल्यांकन किया जा सकने का प्राविधान है।

यूपीस्वान - 2.0

- उ0प्र0 स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क योजना की समीक्षा एवं री-स्ट्रक्चरिंग हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 15.05.2014 को सम्पन्न बैठक के निर्णय के क्रम में यू.पी.डेस्को को स्टेट डेजिग्नेटेड एजेन्सी नामित किया गया था। यूपीडेस्को द्वारा स्वान 2.0 परियोजना की आर.एफ.पी. दिनांक 21.09.2016 को प्रकाशित की गयी किन्तु कोई बिड प्राप्त न हुई।
- शासन के पत्रांक-560(1)/78-2-2017-21 आई.टी./2004 टी.सी दिनांक 28.08.2018 द्वारा एन.आई.सी. का कार्यकाल दिनांक 31.03.2019 तक विस्तारित किये जाने का उक्त स्थितियों में निर्णय हुआ है जिसके क्रम में उक्तानुसार एन.आई.सी./बी.एस.एन.एल, की सेवायें यूपी स्वान-1.0 हेतु प्राप्त की जा रही हैं। यह निर्णय नवीन तकनीकी यथा ओपेक्स मॉडल पर एमपीएलएस टेक्नालॉजी के तहत यूपी स्वान-2.0 परियोजना को यूपीडेस्को के माध्यम से क्रियाशील करने हेतु प्रक्रियात्मक कार्यवाहियों में लगने वाले समय के दृष्टिगत लिया गया है। उक्त निर्णय के अन्तर्गत यूपीस्वान-1.0 का संचालन प्रदेश सरकार के वित्त पोषण से वर्तमान में कार्यदायी संस्था बी.एस.एन.एल. के माध्यम से हो रहा है।
- यूपीस्वान 2.0 के क्रियान्वयन हेतु 885 स्वान पॉप्स हेतु प्रस्तावित 2 एमबीपीएस की बैण्डविड्थ के सथान पर प्रदेश सरकार के दैनिक क्रियाकलापों एवं नागरिकों से सूचनाओं का आदान-प्रदान डिजिटल रूप में प्रोत्साहित किये जाने तथा निकट भविष्य में ई-ऑफिस योजना को प्रदेश भर में क्रियान्वित किये जाने के दृष्टिगत अगस्त,2017 में मुख्य सचिव, महोदय की अध्यक्षता में सचिव, दूरसंचार, भारत सरकार के साथ हुई बैठक में प्रदेश के उपस्थित अधिकांश अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा इस आशय का अभिमत व्यक्त किया गया कि प्रदेश में डिजिटली सूचनाओं के प्रवाह में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है जिसके दृष्टिगत जनपद/तहसील/विकास खण्ड कार्यालयों में स्थित स्वान पॉप्स को न्यूनतम 10 एमबीपीएस एवं मुख्यालय पर स्थापित होने वाले केन्द्र की बैण्डविड्थ 1 जीबीपीएस के स्थान पर 5 जीबीपीएस भविष्य की आवश्यकताओं के दृष्टिगत निर्धारित किया जाना उचित होगा।

- यूपीस्वान-2 के क्रियान्वयन हेतु एस.आई. के चयन के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में दिनांक 07.08.2018 को सम्पन्न बैठक के माध्यम से इन योजना के उक्त समस्त तथ्यों का सिंहावलोकन कर यूपीस्वान-2.0 का क्रियान्वयन ओपेक्स मॉडल पर एमपीएलएस टेक्नालॉजी के तहत सर्विस लेविल एग्रीमेंट के साथ करने, राज्य मुख्यालय पर 5 जीबीपीएस एवं शेष 884 पॉप्स पर 10 एमबीपीएस पर बैण्डविड्थ लेने, यूपीस्वान--2.0 के क्रियान्वयन हेतु ई-निविदा के माध्यम से सिस्टम इन्टीग्रेटर का चयन करने, जनपद/तहसील/विकास खण्ड के अन्तर्गत सम्बन्धित समस्त स्वान पॉप्स पर हार्डवेयर, अन्य सहवर्ती उपकरणों एवं आवश्यक जनशक्ति की व्यवस्था हेतु उक्तानुसार चयनित होने वाली सिस्टम इन्टीग्रेटर संस्था की ही पूर्ण जिम्मेदारी निर्धारित करने का निर्णय हुआ है। यूपीस्वान-2.0 योजना का उद्देश्य प्रदेश अन्तर्गत स्थापित जनपद स्तर से लेकर ब्लाक स्तर तक कार्यालय को एमपीएलएस तकनीकी आधारित 10 एमबीपीएस बैण्डविड्थ कनेक्टिविटी उपलब्ध कराया जाना है।
- उक्त निर्णय के अनुपालन में यूपीडेस्को द्वारा स्वान 2.0 परियोजना के लिए सिस्टम इन्टीग्रेटर के रूप में संस्था के चयन हेतु आर.एफ.पी. को प्रकाशित किया गया है।

आधार परियोजना का कार्य

- नियोजन विभाग उ0प्र0 शासन (आधार परियोजना कार्यान्वयन का नोडल विभाग) द्वारा दिनांक 01.06.2015 को निगम को आधार कार्य के संचालन हेतु स्टेट रजिस्ट्रार नामित किया गया। नोडल विभाग द्वारा प्रदेश के पूर्वी एवं मध्य क्षेत्र के 9 मण्डल के 36 जनपदों का कार्य निगम को आबंटित किया गया। निगम द्वारा दिनांक 30.10.2015 को यू.आई.डी.ए.आई. भारत सरकार के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षर कर ऑन बोर्ड किया गया। निगम द्वारा नामित संस्थाओं के माध्यम से आधार नामंकन का कार्य दिनांक 18.09.2018 तक कराया गया। अब तक लगभग 37 लाख आधार जनरेट किये जा चुके है।
- शासन द्वारा समय-समय पर आबंटित योजनाओं/कार्यों के अतिरिक्त एवं वाणिज्यिक संस्था के रूप में नियम द्वारा वर्तमान में किये जा रहे कतिपय प्रमुख कार्यों/योजनाओं को विशिष्टयों के साथ इनमें अब तक की गयी महत्त्वपूर्ण प्रगति/उपलब्धियों के विवरण संक्षेप में निम्नानुसार हैं:-

हार्डवेयर सम्बन्धी

- यमुना एक्सप्रेस-वे विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा में कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों का अनुरक्षण, राजकीय इन्जीनियरिंग कालेज बिजनौर में वर्चुवल क्लास रूम की स्थापना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में टेबलेट्स की आपूर्ति, फायर सर्विसेज उ0प्र0, लोक निर्माण विभाग, जिला सहकारी बैंक गाजियाबाद के लिए कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों का क्रय, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक के लिए आरटीजीएस एवं संयन्त्रों का क्रय, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक के लिए मोबाइल वैन एटीएम की आपूर्ति, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लास रूम, लाइब्रेरी आटोमेशन एवं कम्प्यूटर केन्द्र की स्थापना, मध्यांचल एवं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में कम्प्यूटर आपूर्ति, पश्चिमांचल एवं मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में बैटरी स्पेयर पार्टस की आपूर्ति का कार्य कराया गया।

- इसके अतिरिक्त प्रदेश के 19 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 40 के वी.के. के सोलर पावर सिस्टम्स की स्थापनोपरान्त अनुरक्षण, उ0प्र0 कार्पोरेशन के स्टेट लोड डिस्पैच हेतु डाटा सेन्टर की स्थापनोपरान्त अनुरक्षण, पश्चिमांचल एवं पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के कम्प्यूटर संयत्रों का अनुरक्षण का कार्य किया गया।

सॉफ्टवेयर सम्बन्धी

विभागीय वेबसाइटों का नवीनीकरण एवं रख-रखाव

- यूपीडेस्को द्वारा नोडल एजेन्सी के रूप में भारत सरकार की गाइडलाइन्स फॉर इन्डियन गवर्नमेन्ट वेबसाइट (जीआईजीडब्ल्यू) के मानकों के अनुसार कुल 32 विभागों एवं विभिन्न विभागों के 68 अधिष्ठानों की वेबसाइटों के नवीनीकरण एवं रखरखाव का कार्य सम्पादित किया गया है जो स्टेट डाटा सेन्टर अथवा विभागीय सर्वर्स पर होस्टेड हैं। कतिपय विभागों/अधिष्ठानों यथा अनुसूचित जनजाति विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, भूतत्व एवं खनिकर्म एवं संस्कृत संस्थानम की वेबसाइटों के नवीनीकरण की कार्यवाही वर्तमान में प्रक्रियाधीन है।
- इसके अतिरिक्त खादी ग्रामोउद्योग, सूचना (सोशल मीडिया से कुम्भ मेला 2019 का प्रचार), वन एवं वन्य जीव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पीसीडीएफ, बेसिक शिक्षा, आईसीडीएस आदि विभागों/अधिष्ठानों के लिए साफ्टवेयर विकास आदि का कार्य कराया गया/जा रहा है।

लघु एवं सीमान्त किसानों की फसली ऋण मोचन

- प्रदेश सरकार के लोग कल्याण संकल्प पत्र 2017 में लघु एवं सीमान्त किसानों के फसली ऋण मोचन का एक संकल्प निर्धारित है जिसके समादर में संस्थागत वित्त विभाग द्वारा कृषि विभाग के सहयोग से इस योजना/कार्य को क्रियान्वित करने की कार्यवाही की जा रही है। जिसमें एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर के रूप में एनआईसी की सेवायें प्राप्त की गई तथा योजनान्तर्गत उ0प्र0 स्टेट डाटा सेन्टर, योजना भवन में स्थापित कन्ट्रोल रूम, संस्थागत वित्त महानिदेशालय के लिए एनआईसी द्वारा संस्तुत हार्डवेयर के प्रोक्योरमेन्ट/आपूर्ति का कार्य यूपीडेस्को के माध्यम से कराया गया है। इसके अतिरिक्त कन्ट्रोल रूम, संस्थागत वित्त महानिदेशालय एवं जनपदों में एनआईसी द्वारा संस्तुत जनशक्ति को भी यूपीडेस्को द्वारा उपलब्ध कराया गया।

दैनिक अनुश्रवण प्रणाली

- मध्याह्न भोजन प्राधिकरण हेतु मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के लगभग 1,62,000 आच्छादित प्राइमरी, अपर प्राइमरी एवं मदरसा स्कूलों मे प्रतिदिन मध्यान्ह भोजन प्राप्त कर रहे छात्रों की संख्या ज्ञात कर तत्सम्बंधी अनुश्रवण हेतु इन्टरैकटिव वायस रेसपोन्स सिस्टम (आईवीआरएस) बेस्ड वैब एप्लीकेशन 'दैनिक अनुश्रवण प्रणाली' का विकास कर उसके संचालन की सेवायें यूपीडेस्को द्वारा प्रदान करायी जा रही हैं।
- आँकड़ों की उपलब्धता के आधार पर अवधिवार यथा-साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक रूप में लाभान्वित छात्रों की एमआईएस रिपोर्ट्स विकसित की गई वेबसाइट पर विभाग के उपयोग हेतु उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

- इसके अतिरिक्त उन स्कूलों की सूची, जहाँ भोजन वितरित नहीं हुआ, की सूचना भी वेबसाइट पर उपलब्ध होती है जिसका मध्याह्न भोजन प्राधिकरण द्वारा भोजन नहीं बनने के कारणों का संज्ञान लेकर भोजन वितरण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपयोग किया जा रहा है।
- उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जहाँ इस योजना का संचालन प्रारम्भ किया गया एवं भारत सरकार द्वारा इसकी सराहना की गई है।
- इस प्रणाली मे इन्टरएक्टिव वायस रेसपोन्स सिस्टम (आई वी आर एस) आदि का उपयोग कर डेली मील काउन्ट का डाटा प्राप्त करने एवं तत्सम्बन्धी अनुश्रवण का कार्य किया जा रहा है।

वूमेन पावर लाइन-1090

- प्रदेश की महिलाओं को समाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वूमेन पावर लाइन-1090 की सेवाओं के लिये उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एस. पी. आई. माडल पर आधारित ''संवेदन'' साल्यूशन को पोर्टल 'डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू 1090 यूपी. इन' के रूप में यूपीडेस्को के माध्यम से संचालित कराया जा रहा है। विभाग द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 के कर कमलों से दिनांक 15.11.2012 को वूमेन पॉवर लाइन पोर्टल का लोकार्पण किया गया था जो कि निरन्तर कार्यशील है।
- वूमेन पावर लाइन 1090 के लिये प्रदान की जा रही सेवाओं के अन्तर्गत टोल फ्री नम्बर 1090 पर महिलाओं के लिये 24X7 हैल्पलाइन संचालित है जिस पर कोई भी महिला, जो किसी भी प्रकार के उत्पीड़न का शिकार हो, प्रदेश के किसी भी स्थान से डायल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। इसमें शिकायतकर्ता की पहचान को गोपनीय रखा जाता है तथा उसे पुलिस थाना/सहायता केन्द्र पर आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
- पीड़ित महिला द्वारा जिसके विरुद्ध शिकायत दर्ज की जाती है ऐसे व्यक्तियों को पुलिस विभाग की वूमेन पावर लाइन-1090 में कार्यरत पुलिस कर्मियों द्वारा काउन्सलिंग कर प्रारम्भ में समझाया एवं सचेत किया जाता है एवं तदुपरान्त आवश्यकतानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की उचित दर दुकानों में ई-पॉस मशीनों की स्थापना

- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 66628 उचित दर दुकानों में ई-पॉस मशीन लगाये जाने का कार्य खाद्य एवं रसद विभाग/आयुक्त कार्यालय से यूपीडेस्को को आवंटित हुआ है। यूपीडेस्को को इस कोर्य हेतु नोडल संस्था बनाया गया है। आवंटित कार्य में यथावांछित कार्यवाही के अन्तर्गत यूपीडेस्को द्वारा सिस्टम इन्टीग्रेटर के रूप में खुली निविदा से 47341 फेयर प्राइस शाप में आटोमेशन हेतु मेसर्स ओएसिस साइबरनेटिक्स प्रा.लि., चेन्नई तथा 19287 फेयर प्राइस शाप में आटोमेशन हेतु मेसर्स आर्मी इन्फोटेक के साथ अनुबन्ध निष्पादित करते हुए कार्य सम्पादित कराया जा रहा है।
- उक्त कार्य के सुचारू सम्पादन हेतु यूपीडेस्को द्वारा स्वयं के व्यय पर में, अर्नेन्स एण्ड यंग एलएलपी कन्सलटेंट की सेवायें ली जा रही हैं।

जनशक्ति सम्बंधी

- मुख्य सचिव कार्यालय, कृषि उत्पादन आयुक्त कार्यालय, गृह विभाग, नियुक्ति विभाग, नियोजन विभाग, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग आदि में पूर्णकालिक रूप से तकनीकी एवं अन्य जनशक्ति को सम्बद्ध कर सेवायें उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- आवास एवं विकास परिषद (आवास), मनोरंजन कर, उ0प्र0 निर्यात प्रोत्साहन बोर्ड(लघु उद्योग), अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (कार्मिक), अग्नि शमन निदेशालय (नागरिक सुरक्षा), संस्थागत वित्त, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी परिषद (कृषि), राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग (सहकारिता), भूमि सुधार निगम (परती विकास एवं जल संसाधन), कौशल विकास मिशन (उ0प्र0 कौशल विकास), आर्थिक बोध एवं संख्या प्रभाग (नियोजन विभाग) आदि में आउटसोर्सिंग के आधार पर जनशक्ति की आपूर्ति/सेवायें प्रदान की गयीं/जा रही हैं।

शिक्षा एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी

- आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक विभाग के शासनादेश दिनांक 13-08-2001 के परिपालन में प्रदेश स्थित शासकीय विभागों द्वारा लोक सेवकों के लिए प्रयोजित, कार्पोरेट कम्प्यूटर ट्रेनिंग, शिक्षित नवयुवक/युवतियों के लिए कैरियर कोर्स के कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम कराये जाते हैं। इसके अन्तर्गत विभिन्न विभागों के 15764 कर्मियों को कार्पोरेट ट्रेनिंग, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, ओबरा, अनपरा के 1200, नरेगा के 4500 कर्मियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण, सचिवालय प्रशासन विभाग के 3300 कर्मियों को ई-पत्रावली प्रशिक्षण, कौशल वृद्धि योजना में 14800 एवं विभिन्न कैरियर कोर्सिज में 25103 व्यक्तियों को प्रशिक्षण एवं प्रोजेक्ट ट्रेनिंग करायी गई हैं। कम्प्यूटर प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यों से निगम को चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में लगभग रु. 13.58 लाख की आय हुई है।

सेण्टर फॉर ई-गवर्नेन्स (सी.ई.जी.), उत्तर प्रदेश

अपट्रॉन बिल्डिंग, गोमती नगर, लखनऊ

नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत ई-गवर्नेन्स योजनाओं के प्रबन्धन, स्टेट ई-मिशन टीम तथा अन्य सूचना प्रौद्योगिकी संस्थाओं को सहायता प्रदान करने के लिये प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अधीन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में 07 मार्च, 2006 से सेंटर फॉर ई-गवर्नेन्स, उ0 प्र0 कार्यरत है जो सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेन्स से सम्बन्धित कार्यों/योजनाओं को सम्पादित करता है।

उद्देश्य एवं विस्तार-

(अ) सीईजी सरकारी विभागों एवं निजी संस्थाओं के साथ ई-गवर्नेन्स के विकास के लिये कार्य करेगा।

(ब) सीईजी सरकार की ई-गवर्नेन्स योजनाओं के लिये मिनी सचिवालय का कार्य करेगा।

(स) सीईजी सभी सरकारी विभागों को ई-गवर्नेन्स के विकास में सहायता प्रदान करेगा।

(द) सीईजी ई-गवर्नेन्स की पहल के लिये समस्त आधारभूत कार्य करेगा।

(य) सीईजी प्रौद्योगिकी के समस्त प्रदर्शन आदि तथा नई तकनीकी के परीक्षण के स्थल की भूमिका निभाएगा।

(र) सीईजी वैश्विक स्तर के उपाय करेगा जिससे राज्य में ई-गवर्नेन्स कुशल से कुशलतर हो सके, इसके लिये सीईजी की ई-गवर्नेन्स में थिंक टैंक की भूमिका होगी।

(ल) सीईजी ई-गवर्नेन्स के कारगर प्रयोग के लिये एक नॉलिज बैंक की स्थापना करेगा जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी की सर्वोत्तम विधाओं को रखा जायेगा, जिनका अनुकरण किया जा सके।

विशेष कार्य क्षेत्र

(अ) सीईजी परीक्षण एवं प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन का मार्ग प्रशस्त करेगा तथा कार्यक्रम स्तर पर आवश्यक साधन-सहायता जुटाएगा।

(ब) नागरिकों तथा विभिन्न प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित सरकारी विभागों के बीच सामंजस्य स्थापित करेगा तथा राज्य सरकार के सचिवालय के रूप में एक स्थाई-परामर्शदाता की भाँति अन्य संस्थाओं को ई-गवर्नेन्स सम्बन्धी जरूरी सूचनायें देगा।

(स) विभिन्न प्रौद्योगिकी योजनाओं में टकराव न हो और एक ही कार्य को अन्य संगठनों द्वारा दोहराया न जाये, सीईजी इस पर भी दृष्टि रखेगा।

(द) सरकार के लिये एक समर्पित एवं कृतसंकल्पीय ई-गवर्नेन्स टीम तैयार करेगा।

(य) ई-गवर्नेन्स के सर्वश्रेष्ठ पहलुओं को उजागर करेगा एवं ई-गवर्नेन्स के प्रति जागरूकता का प्रचार-प्रसार करेगा।

(र) प्रस्तुतीकरणों द्वारा ई-गवर्नेन्स की उपयोगिता को जनमानस में स्थापित करेगा एवं ई-गवर्नेन्स में होने वाले परिवर्तनों से सरकार को अवगत करायेगा।

(ल) देश तथा विदेशों के ई-गवर्नेन्स के विशेषज्ञों के साथ समन्वय स्थापित करेगा तथा निर्दिष्ट ई-गवर्नेन्स की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उपाय करेगा।

सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स की भूमिका

सेन्टर निम्नलिखित कार्य करेगा-

- राज्य के सभी प्रशिक्षण संस्थानों को उनकी गुणवत्ता बढ़ानें में सहायता।
- अन्य संस्थानों के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- ई-गवर्नेन्स के क्षेत्र में सभी सरकारी विभागों को सहायता एवं सपोर्ट प्रदान करना।

सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उ.प्र. द्वारा संचालित योजनाएं

सेन्टर द्वारा अब तक प्रदेश में भारत सरकार द्वारा ई-गवर्नेन्स सम्बन्धी शतप्रतिशत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.), पोषित नेशनल ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं को सम्पादित किया जा रहा था, परन्तु वित्तीय वर्ष 2015-16 में भारत सरकार द्वारा डी-लिंक करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि एन.ई.जी.पी.योजना राज्य के लिये आप्शनल होगी तथा केन्द्र एवं राज्य के बीच कुल आउटले एवं रिक्वायरमेन्ट बैलेन्स अमाउण्ट का फंडिग पैटर्न 50:50 का होगा। वर्तमान में, प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा ई-गवर्नेन्स सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं को उत्तर प्रदेश ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान के अन्तर्गत सम्पादित किया जा रहा है तथा तत्सम्बन्धी व्ययभार स्वयं वहन किया जा रहा है।

इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में किए गए/जा रहे कार्यो की योजनावार भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियों का संक्षिप्त निम्नानुसार हैः-

1- स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वॉन)

नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत आधारभूत अवस्थापना के रूप में प्रदेश में यह योजना वर्ष 2006-07 से प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना में राज्य मुख्यालय पर 1, जनपद मुख्यालयों पर 70, तहसील मुख्यालयों पर 240 एवं विकासखण्ड मुख्यालयों पर 574 अर्थात कुल 885 प्वाइन्ट ऑफ प्रेजेन्स (पीओपी) की स्थापना की गई है जिनमें कम्प्यूटर्स, स्विच, राउटर्स तथा अन्य संयंत्रों को स्थापित कर उनसे समस्त जनपदों, तहसीलों एवं ब्लाकों को 2 एमबीपीएस की नेटवर्क कनेक्टीविटी से जोड़ा गया है। जिला स्तरीय स्वॉन पॉप केन्द्रों को उच्च गति के नेशनल नॉलेज नेटवर्क (एन.के.एन.) से संयोजित (इंटीग्रेट) कर लिया गया है। स्वॉन का उपयोग मुख्यतया वाणिज्य कर, वित्त, कृषि, परिवहन, राजस्व, गृह, सूचना, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, वन ग्राम्य विकास, सांख्यिकी आदि विभागों द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में स्वॉन परियोजनान्तर्गत बैण्ड्विथ सेवा एवं रेण्टड मॉडम सेवा का कार्य बी.एस.एन.एल. के माध्यम से लिया जा रहा है, जिसका अनुबन्ध दिनांक 31.03.2019 तक विस्तारित कर दिया है। प्रदेश के समस्त जनपदों, तहसीलों एवं ब्लॉक मुख्यालयों के विभिन्न कार्यालयों में स्वॉन 2.0 के अन्तर्गत नवीनतम टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराये जाने हेतु आर.एफ.पी. का प्रकाशन यूपीडेस्को के माध्यम से कर दिया गया है।

यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड

- **निगम के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में चालू एवं वर्तमान योजनाओं एवं कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण**

(क) उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों में ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली का क्रियान्वयन

नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत चिन्हित विभिन्न मिशन मोड परियोजनाओं में से ई-प्रोक्योरमेण्ट एक महत्त्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। उत्तर प्रदेश में ई-टेण्डरिंग के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा यूपीएलसी को नोडल एजेन्सी नामित किया था। उ0प्र0 के 5 विभागों में दिनांक 01 जून, 2008 से पायलट परियोजना के रूप मे ई-टेण्डरिंग प्रणाली लागू की गयी थी। वर्तमान सरकार के गठन उपरान्त, पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन तथा शासकीय विभागों में निर्माण कार्यों, सेवाओं/जॉब-वर्क एवं सामग्री के क्रय में प्रतिस्पद्धा सुनिश्चित कराये जाने हेतु दिनांक 01 सितम्बर 2017 के उपरान्त समस्त सभी विभागों/कार्यालयों इत्यादि द्वारा सभी शासकीय निविदायें ई-टेण्डरिंग प्रणाली से ही आमंत्रित किया जाना बाध्यकारी कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में उ0प्र0 शासन के ई-टेण्डर पोर्टल से रु. 1.95 लाख करोड़ मूल्य की 1,87,875 निविदायें आमंत्रित की गईं थीं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में अद्यतन रु. 1.36 लाख करोड़ मूल्य की 1,68,997 निविदायें आमंत्रित की गईं हैं।

प्रदेश में ई-टेण्डरिंग प्रणाली के अन्तर्गत निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि (ईएमडी) की प्राप्ति और भुगतान इन्टरनेट बैंकिंग/नेफ्ट/आरटीजीएस से किये जाने की व्यवस्था लागू की गई है तथा सभी ई-निविदाओं में निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि लागू की गई है तथा सभी ई-निविदाओं में निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि के भुगातन एवं वापसी हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया का ही उपयोग किया जाना आवश्यक है। ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा लगभग 300 से अधिक ई-निविदायें ऑनलाइन भुगतान एवं वापसी प्रक्रिया अपना कर सम्पादित किये गये हैं। अप्रैल 2017

से मार्च 2018 के मध्य इलेक्ट्रानिक टेण्डरिंग करने वाली प्रदेश सरकारों में से उत्तर प्रदेश सरकार को सर्वोत्तम परफार्मेन्स के लिए 'बेस्ट परफारमेन्स अवार्ड' से पुरस्कृत किया गया है।

(ख) आईटी/आईटीईएस उद्योगों तथा स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा देने के लिए ''उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति'' तथा इलेक्ट्रानिक्स उद्योग हेतु ''उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति''

वर्तमान प्रदेश सरकार के गठन के उपरान्त नई ''उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017'' तथा ''उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017'' बनाई गई है। उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017 के अन्तर्गत ''बुन्देलखण्ड तथा पूर्वान्चल क्षेत्र में बी.पी.ओ. तथा आईटी/आईटीईएस इकाइयों की स्थापना हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन'' की व्यवस्था की गयी है। उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र को ''इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन (ई.एम.जेड.)'' घोषित किया गया है। नीति के अन्तर्गत निवेशकों को अनुमन्य किए जाने वाले ''वित्तीय प्रोत्साहनों को रोजगार सृजन से सम्बद्ध'' किया गया है।

''उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017'' में निहित व्यवस्थानुसार उक्त नीति के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं प्रदेश में उद्यमियों तथा सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों को प्रभावी सहायता के लिए एक नीति कार्यान्वयन इकाई (पी0आई0यू0) गठित है, जिसके कन्सल्टेण्ट्स यूपीएलसी में कार्यरत हैं।

ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, सौर ऊर्जा इत्यादि क्षेत्रों पर विशेष ध्यान सहित, सम्पूर्ण राज्य में इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण के विस्तार के उद्देश्य से पूर्व प्रख्यापित ''उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017'' का संशोधन/पुनरीक्षण विचाराधीन है।

- **आईटी सिटी योजना का क्रियान्वयन**

निगम द्वारा लखनऊ में एक सूचना प्रौद्योगिकी नगर की स्थापना कराई जा रही है। यह परियोजना पीपीपी मॉडल पर विकसित की जा रही है तथा मैसर्स एचसीएल आईटी सिटी (लखनऊ) प्रा.लि. इस परियोजना के निजी भागीदार है। परियोजना पर लगभग रु. 1500 करोड़ का पूँजी निवेश अनुमानित है। वर्तमान में इसका निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है।

परियोजना को भारत सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया है और यहाँ पर स्थापित होने वाली इकाइयों को भारत सरकार की **एस.ई.जेड.** योजना के सभी लाभ और प्रोत्साहन प्राप्त होंगे। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित आधुनिकतम प्रशिक्षण के लिए इस आईटी सिटी में 10 एकड़ क्षेत्र में एक कौशल विकास केन्द्र की स्थापना की गई है जिसके द्वारा छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

वर्तमान में इस आईटी सिटी में लगभग 2500 सॉफ्टवेयर कर्मी/विकासकर्ता कार्यरत हैं तथा मार्च 2019 तक इनकी संख्या 3500 हो जाने की आशा है।

- **प्रदेश में आई0टी0 पार्क्स की स्थापना**

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भारत सरकार की संस्था सॉफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क्स ऑफ इण्डिया के सहयोग से लगभग रु. 150 करोड़ के निवेश तथा लगभग 15000 रोजगार

सम्भावनाओं युक्त आईटी पार्क्स की स्थापना मेरठ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ तथा बरेली में की जा रही है।

- **इन्क्यूबेटर्स एवं स्टार्ट-अप इकाइयों की स्थापना**

प्रदेश सरकार प्रत्येक जनपद में इन्क्यूबेटर की स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे स्थानीय युवा अपना स्व-रोजगार स्थापित कर सकें। प्रदेश सरकार द्वारा इन्क्यूबेटर्स एवं स्टार्ट-अप इकाइयों के प्रोत्साहन हेतु एक स्वतंत्र स्टार्ट-अप इकाइयों के प्रोत्साहन हेतु एक स्वतंत्र स्टार्ट-अप नीति घोषित किये जाने पर भी सक्रियता से विचार किया जा रहा है।

स्टार्ट-अप संस्कृति को बढ़ावा तथा उद्यमिता को प्रोत्साहन संस्थानों में 13 इन्क्यूबेटर्स कार्यरत हो गये हैं, जिनमें 145+ से अधिक स्टार्ट-अप इकाइयाँ कार्यरत हैं।

देश के सबसे बड़े स्टार्ट-अप इन्क्यूबेटर की स्थापना लखनऊ में की जानी है, जिसके लिए भूमि मूल्य का भुगतान कर दिया गया है। आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 के पक्ष में भूमि रजिस्ट्री तथा हस्तान्तरण प्रक्रियाधीन है और शीघ्र ही यह कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

- **स्टार्ट-अप नीति के तहत उल्लेखनीय कार्य-प्रदर्शन के लिए भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग को स्टेट स्टार्ट-अप रैंकिंग 2018 के अन्तर्गत 'एस्पायरिंग लीडर' के रूप में सम्मानित किया गया है।**

रु. 1,000 करोड़ के स्टार्ट-अप फण्ड की स्थापना हेतु सिडबी के साथ समझौता-ज्ञापन पर वित्त विभाग द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षर प्रक्रियाधीन है तथा शीघ्र ही हस्ताक्षरित कर लिया जायेगा।

(छ) इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स (ई.एम.सी.) की स्थापना

चीन, ताइवान तथा कोरिया की अनेक कम्पनियाँ उत्तर प्रदेश में अपनी इकाईयां स्थापित करने के लिये आकृष्ट हो रही हैं तथा प्रदेश में इलेक्ट्रानिक निर्माण इकाइयों को आकर्षित करने और इलेक्ट्रानिक्स निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की स्थापना की जा रही है।

(ज) शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली का कार्यान्वयन

सचिवालय परिसर स्थित शासकीय विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली कार्यान्वित किए जाने के पश्चात सचिवालय से सम्बद्ध विभागाध्यक्षों कार्यालयों तथा सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश स्थित जनपद स्तरीय कार्यालयों में भी ई-ऑफिस प्रणाली लागू की जा रही है। यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि. इस कार्य हेतु नामित नोडल संस्था है।

(झ) शासकीय विभागों को कम्प्यूटर हार्डवयेर एवं सॉफ्टवेयर की आपूर्ति

यूपी इलेक्ट्रानिक्स निगम लि0 को विभिन्न शासकीय विभागों को हार्डवेयर की (जेम पोर्टल पर उपलब्ध न होने की दशा में) आपूर्ति एवं एप्लीकेशन सॉफ्ट्वेयर के विकास और उसकी स्थापना के लिए शासन द्वारा अधिकृत किया गया है। निगम द्वारा शासकीय विभागों/उपक्रमों को उचित दरों पर कम्प्यूटर एवं तत्सम्बन्धी उपकरणों तथा एप्लीकेशन सॉफ्ट्वेयर की आपूर्ति की जाती है।

(ट) साफ्टवेयर विकास हेतु इम्पैनेलमेण्ट

शासन के विभिन्न विभागों में उनकी आवश्यकतानुसार सॉफ्ट्वेयर विकसित कर स्थापित करने हेतु निगम में खुली निविदा द्वारा ई-टेण्डरिंग प्रणाली से सॉफ्ट्वेयर विकास करने हेतु सक्षम एवं अनुभवी आई0टी0 कम्पनियों/संस्थाओं को इम्पैनल किया गया है। इनके द्वारा सॉफ्ट्वेयर विकास के कार्यों के साथ-साथ विभागीय आवश्यकता के अनुरूप स्कैनिंग तथा डिजिटाईजेशन आदि का कार्य टर्न-की प्रोजेक्ट भी कार्यान्वित किये जाते है। इन कार्यों हेतु निगम द्वारा सॉफ्ट्वेयर एजेन्सियाँ सूचीबद्ध की गई हैं।

(ठ) विभिन्न शासकीय विभागों में कन्सलटेन्सी प्रदान करने का कार्य

विभिन्न शासकीय विभागों के आई0टी0 सम्बन्धी कार्यों को कन्सलटेन्सी उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत निगम द्वारा अनुभवी तथा प्रतिष्ठित कन्सलटेन्ट कम्पनियों को इम्पैनल किया गया है। इन सूचीबद्ध कन्सलटेन्ट्स के माध्यम से विभिन्न शासकीय विभागों में कम्प्यूटराइजेशन हेतु सिस्टम रिक्वायरमेण्ट स्टडी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, ट्रॉजेक्शन एडवाइजरी, प्रोक्योरमेण्ट एडवाइजरी आदि तैयार कराकर प्रोजेक्ट मानीटरिंग एवं मैनेजमेण्ट इत्यादि का कार्य कराया जा रहा है।

- **सहयोगी कम्पनियों के कार्यकलाप**

(क) अपट्रान इण्डिया लिमिटेड

अपट्रान इण्डिया लिमिटेड में वर्ष 1988-89 से लगातार हो रहे वित्तीय घाटे के कारण इसे वर्ष 1994 में बी0आई0एफ0आर0 द्वारा आदेश दिनांक 19.08.1994 से रूग्ण औद्योगिक इकाई घोषित कर दिया गया था। दिनांक 31.08.2010, को पक्षों को सुनने के उपरान्त, मा. बी.आई. एफ.आर., नई दिल्ली द्वारा अपट्रान इण्डिया लि0 के समापन (वाइडिंग-अप) की संस्तुति की गई थी, जो मा.इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा कम्पनी पिटीशन संख्या 137/1998 में स्वीकार कर ली गई। और कम्पनी के समापन हेतु प्रोविजनल लिक्विेटर की नियुक्ति कर दी गयी थी। मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.03.2014, एवं 22.07.2015 के अनुपालन में अपट्रान इण्डिया लि0 द्वारा स्टेटमेण्ट ऑफ अफेयर्स कार्यालय समापक को प्रस्तुत किए जा चुके हैं। आदेश दिनांक 13-01-2016 द्वारा मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अन्तिम रूप से अपट्रान इण्डिया लिमिटेड के समापन के आदेश पारित करते हुए कम्पनी के समापन हेतु कार्यालय समापक की नियुक्ति की जा चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1998 में अपट्रान इण्डिया लिमिटेड की जनशक्ति को कम करने के उद्देश्य से अपट्रान कर्मियों को शासन के विभिन्न विभागों में शासनादेश दिनांक 22.12.1998 द्वारा तैनात किये जाने की व्यवस्था की गई थी, जिसके तहत लगभग 600 अपट्रान कर्मी शासन के विभिन्न विभागों में संविदा/प्रतिनियुक्ति/ बाडीशापिंग के आधार पर तैनात हो गये थे जिनमें से कुछ अपट्रान कर्मी शासन के विभागों द्वारा संविलीन/समायोजित किये जा चुके हैं एवं कुछ कर्मी इस दौरान सेवा निवृत्त हो गये हैं। कम्पनी की जनशक्ति को कम करने के लिए लागू की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत इच्छुक कर्मियों को सेवा से कार्यमुक्त किया जा चुका है।

आफिसियल लिक्विडेटर द्वारा कम्पनी की कतिपय सम्पत्तियों का अधिग्रहण किया जा चुका है और अपट्रान इण्डिया लिमिटेड का गोमतीनगर स्थित कार्यालय सितम्बर 2016 में सील कर दिया

गया है। इस प्रकार कार्यालय-समापक द्वारा अपट्रान इण्डिया लिमिटेड के समापन की कार्यवाही प्रचलित है।

(ख) अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड

यह कम्पनी बीआईएफआर में एक रुग्ण इकाई के रूप मे पंजीकृत है। कम्पनी दूरभाष एक्सचेंजेस हेतु पावर प्लान्ट्स, बैटरी चार्जर्स, फ्लोट चार्जर्स, इनवर्टर का निर्माण करने हेतु स्थापित की गई थी। वर्तमान में कम्प्यूटर हार्डवेयर साफ्टवेयर एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण का कार्य इस इकाई द्वारा किया जा रहा है। कम्पनी द्वारा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान असम्परीक्षित लेखों के अनुसार रु.1839.65 लाख का विक्रय व्यवसाय (अन्य आय सहित) अर्जित किया गया एवं उसे रु. 92.42 लाख का शुद्ध लाभ हुआ था। उक्त तिथि तक कम्पनी की संचित लाभ रु.40.32 लाख थी।

(ग) श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड

यह कम्पनी मेटल फिल्म रेसिस्टर पावर प्लान्ट्स, बैटरी चार्जर्स, फ्लोट चार्जस, इनवर्टर कन्वर्टर का निर्माण करने हेतु स्थापित की गई थी। वर्तमान में कम्प्यूटर हार्डवेयर साफ्टवेयर एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण का कार्य इस इकाई द्वारा किया जा रहा है। कम्पनी द्वारा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान असम्परीक्षित लेखों के अनुसार रु.3620.20 लाख का विक्रय/व्यवसाय (अन्य आय सहित) किया गया एवं उसे रु.93.15 लाख का अनुमानित शुद्ध लाभ हुआ था। उक्त तिथि तक कम्पनी का संचित लाभ रु. 390.05 लाख था। वर्ष 2005-06 के दौरान कम्पनी द्वारा बैंकों से प्राप्त दीर्घकालीन ऋण एवं कैश क्रेडिट का एक मुश्त समायोजन बैंकों से करा लिया गया है।

(घ) अपलीज फाइनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड

इस कम्पनी का मुख्य व्यवसाय उपभोक्ता वस्तुओं तथा उपकरणों की लीजिंग/हायर परचेज सावधि जमायें प्राप्त करना था। कम्पनी के वर्ष 1997-98 तक के लेखे तैयार किये गये एवं धनराशि के अभाव में अनुवर्ती वर्षों हेतु कम्पनी के लेखे नहीं बनाये जा सके हैं। कम्पनी में धनराशि का अभाव है एवं कम्पनी के व्यवसायिक कार्यकलाप बन्द है।

- **प्रस्तावित मुख्य योजनाओं का संक्षिप्त विवरण**

वर्ष 2019-20 में यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 द्वारा प्रस्तावित प्रमुख कार्यकलाप निम्नवत् हैं :-

(1) सूचना प्रौद्योगिकी नीति का कार्यान्वयन

(अ) सूचना प्रौद्योगिकी नीति-2012 में प्रदत्त व्यवस्था के क्रम में सूचना प्रौद्योगिकी नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मै. के.पी.एम.जी. एडवाईजरी सर्विसिज प्रा0लि0 का चयन कन्सल्टेण्ट के रूप में किया गया था। वर्तमान प्रदेश सरकार के गठन के उपरान्त नई ''उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017'' बनाई एवं प्रख्यापित की गई है। नीति के अन्तर्गत ''बुन्देलखण्ड तथा पूर्वान्चल क्षेत्र में बी.पी.ओ. तथा आईटी/आईटीएस इकाइयों की स्थापना हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन'' की व्यवस्था की गई है। नीति कार्यान्वयन इकाई का गठन किया जा चुका है तथा उनके द्वारा अनुश्रवण की कार्यवाही 05 वर्षों तक की जायेगी। पी.आई.यू. द्वारा आईटी सिटी, आईटी पार्क,

इन्क्यूबेटर की स्थापना, स्टार्ट-अप फण्ड की स्थापना, फण्ड मैनेजमेण्ट तथा स्टार्ट-अप ईकोसिस्टम के प्रोत्साहन का कार्य किया जा रहा है।

(ब) प्रदेश की सूचना प्रौद्योगिकी नीति में प्रदत्त व्यवस्था के क्रम में लखनऊ में सूचना प्रौद्योगिकी नगर परिचालनरत हो गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के मेरठ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर आदि नगरों में आईटी पार्क्स/सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स की स्थापना की जा रही है। वाराणसी में जवाहर लाल नेहरू व्यावसायिक केन्द्र के द्वितीय तल को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना हेतु लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

नव-प्रवर्तन और उद्यमिता परितंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए तथा स्टार्ट-अप संस्कृति के पोषण हेतु विभाग द्वारा मण्डल स्तरीय कार्यशालायें 'स्टार्ट-अप एक्सप्रेस' आरम्भ की जा रही है जो युवा उद्यमियों को अधिक परिपक्व और इन्क्यूबेशन/वित्तपोषण/अन्य प्रोत्साहन हितलाभों को प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्द्धी बनायेगा। वर्ष 2019 में यह आयोजन सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 10 मण्डलों में किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार के अनेक सफल आयोजन वर्ष 2018 में भी किये गये हैं।

(2) उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति का कार्यान्वयन

प्रदेश में इलेक्ट्रानिक निर्माण इकाइयों को आकर्षित करने और इलेक्ट्रानिक्स निर्माण क्षेत्र में पूँजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए ''उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति 2017'' प्रख्यापित की गई है। सन्दर्भगत नीति के अन्तर्गत नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र को ''इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन (ई.एम.जेड)'' घोषित किया है तथा इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण इकाइयों के लिए विभिन्न छूट एवं प्रोत्साहनों की घोषणा की गई है।

ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में विकसित किये जा रहे इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लसटर्स को आवश्यक सहायता प्रदान किये जाने के साथ-साथ इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण क्षेत्र के निवेशकों को भी कन्सल्टेण्ट्स के माध्यम से आवश्यक मार्गदर्शन, सहयोग एवं सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

(3) सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीतियों का प्रचार-प्रसार

प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण क्षेत्र के प्रोत्साहन एवं विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों और इस क्षेत्र में हुई प्रगति का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना अत्यन्त आवश्यक है जिससे कि प्रदेश की ख्याति में वृद्धि हो तथा सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण क्षेत्र निवेश हेतु सम्भावित निवेशकों को आकर्षित और प्रेरित किया जा सके। प्रदेश में आई.टी. और इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण की गतिविधियों/प्रदेश सरकार द्वारा दिये जा रहे प्रोत्साहनों के व्यापक प्रचार-प्रसार से अन्य प्रदेशों में स्थापित आई.टी. क्षेत्र के उद्योगों को उत्तर प्रदेश में इकाइयाँ स्थापित करने हेतु प्रेरित किया जा सकता है। इसके लिए आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा एवं/अथवा उसके अधीनस्थ निगमों द्वारा विभिन्न आयोजनों में प्रतिभाग किया जाता है तथा ''उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति'' तथा उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति की प्रतियाँ तथा इस क्षेत्र में किये गये विकास एवं प्रयासों के प्रचार-प्रसार हेतु पुस्तिकायें/पैम्फलेट्स/ब्रोशर्स छपवा कर विभिन्न आयोजनों में वितरित की जाती हैं।

विभाग द्वारा प्रचार-प्रसार के उक्त कार्यकलाप आगामी वित्तीय वर्ष 2018-19 में भी सम्पादित किये जायेंगे पूर्व की भांति वर्ष 2019-20 में भी देश में विभिन्न आई.टी. प्रदर्शनियों/गोष्ठियों में भाग लिया जाएगा तथा शासन के निर्देशानुसार आई.टी. प्रदर्शनियों का आयोजन इत्यादि भी किया जाएगा।

(4) शासकीय विभागों में ई-टेण्डरिंग प्रणाली

वर्तमान सरकार के गठन उपरान्त, पारदर्शी और स्वच्छ प्रशासन तथा शासकीय विभागों में निर्माण कार्यों, सेवाओं/जॉब-वर्क एवं सामग्री के क्रय में प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित कराये जाने हेतु दिनांक 01 सितम्बर 2017 के उपरान्त समस्त सभी विभागों/कार्यालयों इत्यादि द्वारा सभी शासकीय निविदायें ई-टेण्डरिंग प्रणाली से ही आमंत्रित किया जाना बाध्यकारी कर दिया गया है। उक्त योजना का शासकीय विभागों में क्रियान्वयन निगम द्वारा शासन की नोडल एजेंसी के रूप में किया जा रहा है।

प्रदेश में ई-टेण्डरिंग प्रणाली के अन्तर्गत निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि की प्राप्ति और भुगतान इन्टरनेट बैंकिंग से किये जाने की व्यवस्था लागू की गयी है। तथा सभी ई-निविदाओं में निविदा शुल्क तथा धरोहर धनराशि के भुगतान एवं वापसी हेतु ऑनलाइन प्रक्रिया का ही उपयोग किया जाना आवश्यक है।

आगामी वित्तीय वर्ष में ई-ऑक्शन मॉड्यूल को क्रिवान्वित कर इसे सम्बन्धित विभागों में लागू कराया जाना प्रस्तावित है।

(5) कॉपर्स फण्ड की स्थापना

इन्क्यूबेटर्स/उत्प्रेरकों को बढ़ावा देने तथा स्टार्ट-अप्स को संगठित करने के लिए ''उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2017 के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा रु. 1000 करोड़ के स्टार्ट-अप फण्ड की स्थापना द्वारा, स्टार्ट-अप्स को वित्तीय संसाधनों तक पहुँच प्रदान किए जाने का संकल्प निहित है। प्रस्तावित फण्ड के प्रबन्धन हेतु फण्ड मैनेजर के रूप में सिडबी का चयन किया गया है तथा उनके साथ शीघ्र ही समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जायेगा।

(6) शासकीय कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली का कार्यान्वयन

सचिवालय परिसर स्थित शासकीय विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली कार्यान्वित किए जाने के पश्चात सचिवालय से सम्बद्ध विभागाध्यक्षों कार्यालयों तथा सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश स्थित जनपद स्तरीय कार्यालयों में भी ई-ऑफिस प्रणाली लागू की जा रही है। यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 इस कार्य हेतु नामित नोडल संस्था है।

यह प्रणाली चरणबद्ध रूप से लागू की जा रही है, जिसमें पहले चरण में पायलट जनपदों में ई-ऑफिस का क्रियान्वयन प्रारम्भ कर दिया गया है। लखनऊ एवं पीलीभीत जनपदों के जिलाधिकारी कार्यालयों द्वारा फाइलों का आदान-प्रदान ई-ऑफिस के माध्यम से किया जा रहा है। दूसरे चरण में समस्त मण्डलीय जिले एवं तीसरे चरण में सभी जिलों में ई-ऑफिस प्रणाली को लागू किया जायेगा।

(7) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, विकलांगों, भूतपूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं अन्य विशेष वर्ग के लोगों के लिए किये गये/किये जा रहे कार्यों का विवरण

यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 में उत्तर प्रदेश अनुसूचित

जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड लखनऊ के कार्यादेश के अनुपालन में कौशलवद्धि कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के 2000 शिक्षित बेरोजगार प्रशिक्षणार्थियों को 600 घण्टे का एक कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं वित्तीय वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 में उत्तर प्रदेश महिला निगम लिमिटेड, लखनऊ द्वारा प्रायोजित विकास खण्ड स्तर पर 230 घण्टे का आधारभूत कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजनान्तर्गत लगभग 12300 चयनित महिला लाभार्थियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया गया, ताकि उक्त प्रशिक्षणार्थी स्वरोजगार अथवा रोजगार कार्यालय में पंजीयन कराये जाने के सापेक्ष रोजगार प्राप्त किया जा सके। उक्त के अतिरिक्त पूर्व में शासकीय विभागों के निर्देशानुसार 286 अल्पसंख्यक प्रशिक्षणार्थियों को 06 माह का कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं 387 भूतपूर्व सैनिक आश्रितों को 480 घण्टे का ''ओ लेविल'' समकक्ष कम्प्यूटर प्रशिक्षण निगम द्वारा प्रदान किया गया।

(8) नयी योजनायें

लखनऊ में प्रदेश का सबसे बड़ा इन्क्यूबेटर

प्रदेश सरकार के लोक कल्याण संकल्प पत्र-2017 में निहित संकल्प के अनुरूप, देश का सबसे बड़ा स्टार्ट अप इन्क्यूबेटर राज्य में स्थापित किया जायेगा। यह इन्क्यूबेटर लखनऊ में अमौसी एयरपोर्ट के समीप चिह्नित की गई 40 एकड़ भूमि में से 05 एकड़ भूमि पर तेलंगाना राज्य के टी-हब की भाँति विकसित किया जाना प्रस्तावित है। स्टार्ट-अप इन्क्यूबेटर के अतिरिक्त उक्त भूमि पर एक आई.टी.पार्क, स्टेट डाटा सेन्टर, सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स, स्टेट इनोवेशन सेन्टर, तथा आईटी भवन का निर्माण भी प्रस्तावित है।

ई-सुविधा, उत्तर प्रदेश

ई-सुविधा परियोजना का संक्षिप्त परिचय एवं ई-सुविधा, लखनऊ एवं राज्य के अन्य जनपदों की अद्यतन स्थिति

- ई-सुविधा परियोजना, राज्य के प्रत्येक जनपद के नागरिकों को विभिन्न सरकारी विभागों की शासकीय (जी2सी) एवं प्राइवेट संस्थाओं की व्यवसायिक सेवाओं (बी2सी) को ई-सुविधा केन्द्रों की 'एकल खिड़की' प्रणाली पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परिकल्पित है। वर्तमान में यह व्यवस्था इन्टरनेट एवं ऑन-लाइन इन्टरनेट माध्यम से ई-सुविधा केन्द्रों पर संचालित है एवं भविष्य में समस्त सेवाओं को इन्टरनेट के माध्यम से नागरिकों को उनके आवासों/ घरों पर भी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।
- राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों, अर्द्धसरकारी, संस्थागत विभागों, अधिकृत संस्थाओं, स्ववित्तपोशी इकाईयों, निगमों एवं निकायों की चयनित एवं एकीकृत सूचनाओं सम्बन्धित जानकारी तथा बिलों के निस्तारण एवं भुगतान की शासकीय (जी2सी) एवं प्राईवेट संस्थाओं की व्यवसायिक सेवाओं (बी2सी) को सूचना-प्रौद्योगिकी के माध्यम से कम्प्यूटरीकृत कर जन साधारण को उनके आवास एवं कार्यक्षेत्र के सन्निकट, उस क्षेत्र के परिचित केन्द्र बिन्दु पर स्थापित सुव्यवस्थित एवं सुसृजित ई-सुविधा केन्द्र के सभी काउण्टर्स पर 'एकल खिड़की समस्त सुविधाएं' प्रणाली पर उपलब्ध कराया गया है। ये केन्द्र, विभिन्न आवासीय कॉलोंनी एवं कार्यालय एवं कार्यालय क्षेत्रों के सन्निकट, शहर के प्रचलित स्थलों, पर स्थापित किये गये हैं,ताकि नागरिकों का समय, धन एवं अनावश्यक भागदौड़ से बचत हो सके।

- यह परियोजना, आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, के अधीनस्थ सरकारी सोसाइटी के रूप में सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत गठित की गयी है, जो ई-सुविधा के नाम से प्रचलित है। ई-सुविधा का रजिस्ट्रेशन दिनांक 14.01.05 कराया गया था एवं प्रत्येक 05-05 वर्ष में रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण कराया जाता है। वर्तमान में ई-सुविधा का नवीनीकृत प्रमाण सं0 4661-2014-2015 दिनांक 14.01.2020 तक मान्य है। ई-सुविधा परियोजना, प्रथम चरण में लखनऊ में पॉयलट प्रोजेक्ट के रूप में वर्ष 2006, द्वितीय चरण में वर्ष 2011 एवं तृतीय चरण वर्ष 2016 से शुरू की गयी है।
- ई-सुविधा परियोजना, आई.टी. एवं इले. विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीनस्थ सरकारी सोसायटी के रूप में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत गठित किया गया है जिसकी कार्यकारिणी, अपर मुख्य सचिव, आई.टी. एवं इले. विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित है, जिसमें पदेन सदस्य प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग; प्रमुख सचिव, आवास विभाग; परियोजना निदेशक, ई-सुविधा, उ.प्र. एवं विशेष सचिव, आई.टी. एवं इले. विभाग एवं राज्य समन्वयक, ई-सुविधा, उ.प्र. सदस्य हैं।
- ई-सुविधा सोयायटी द्वारा ई-टेण्डरिंग प्रक्रिया के अन्तर्गत पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (पी0पी0पी0) मॉडल पर, वर्तमान में लखनऊ एवं राज्य के 18 अन्य जनपदों में ई-सुविधा परियोजना का संचालन किया जा रहा है। इस मॉडल में, प्रत्येक अलग-अलग जनपद में ई-सुविधा केन्द्रों को स्थापित किया गया है जिसे सम्मिलित विभागों से अधिग्रहित किये गये निर्मित कक्षों का नवीनीकरण कार्य, नये निर्माण किये गये एवं किये जाने वाल कक्ष आदि के कैपीटल खर्चों को राज्य सरकार स्तर से किया जाता है। इन केन्द्रों के संचालन के लिए समस्त आपरेशनल खर्चों, कम्प्यूटर्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कनेक्टीविटी, मैन-पॉवर, सिक्यूरिटी-सुरक्षा, बिजली बिल, स्टेशनरी, मासिक रिकरिंग व्यय, रखरखाव, अनुरक्षण, प्रचार-प्रसार आदि चयनित कार्यदायी संस्था के माध्यम से किया जाता है।
- ई-सुविधा कार्यदायी संस्था मै0 मेधाज आईटीईएस सोल्यूशन प्रा0लि0, लखनऊ द्वारा ई-सुविधा परियोजना को राज्य के 75 जनपदों में बिल्ड ओन आपरेट ट्रान्सफर (बूट) एवं फ्रैन्चाइजी मॉडल पर क्रियान्वित एवं संचालित करेंगे। उनमें से 19 जनपदों में बिल्ड ओन आपरेट ट्रान्सफर मॉडल (बूट) पर संचालित कर दिया गया है।
- वर्तमान में, राज्य के इन जनपदों में कार्यरत ई-सुविधा केन्द्र, प्रत्येक दिन (अवकाश दिन, रविवार एवं राष्ट्रीय अवकाश छोड़ कर) प्रातः 8:00 बजे से सांय 4:00 बजे तक खुले रहते हैं एवं इन केन्द्रों से लगभग 2.90 लाख से 3.00 लाख उपभोक्ता प्रतिमाह ई-सुविधा सेवाएं प्राप्त करते है एवं बिजली विभाग की लगभग रु. 90.00 करोड़ से 100.00 करोड़ प्रतिमाह राजस्व प्राप्ति होती है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ.प्र. शासन के प्रशासनिक नियंत्रण में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 के अन्तर्गत पंजीकृत स्वायत्तशासी संस्था है, जो वर्तमान स्वरूप में वर्ष 1975 से कार्य कर रही है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास व इसके उपयोग को प्रोत्साहन देना है। परिषद द्वारा शोध परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों, कृषि विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिग कालेजों, उ.प्र. तकनीकी विश्वविद्यालय, चिकित्सा विश्वविद्यालयों, शोध एवं विकास संस्थानों तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालयों आदि के माध्यम से कराया जाता है। उक्त के अतिरिक्त अन्य मदों के कार्यक्रमों को जिला विज्ञान क्लबों, क्षेत्रीय केन्द्रों, सरकारी तथा गैर सरकारी शोध व विकास संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वित कराया जाता है।

वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रबन्धन

परिषद के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार शासन द्वारा गठित कार्यकारिणी समिति में निहित हैं, जिसके अध्यक्ष सचिव/प्रमुख सचिव, अपर सचिव प्रमुख विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ.प्र. शासन होते हैं। जो परिषद के पदेन महानिदेशक भी हैं। उक्त समिति के सदस्य सचिव परिषद के सचिव होते हैं। नीति विषयक निर्णय हेतु मुख्यमंत्री, उ.प्र. अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति की अध्यक्षता में परिषद् की सामान्य सभा भी गठित है। उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर आवश्यकतानुसार परिषद की कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन से शोध, विकास व उपयोग से सम्बन्धित परियोजनाओं व कार्यक्रमों के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों यथा– केमिकल एवं फार्मास्यूटिकल साइंसेज, मेडिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, एग्रीकल्चर एण्ड एलाइड साइंसेज, जैव प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग तथा टेक्नोलॉजी में सलाहकार समितियाँ गठित हैं। उपरोक्त सलाहकार समितियों की संस्तुतियों को परिषद की कार्यकारिणी समिति के समक्ष प्रशासनिक व वित्तीय अनुमोदन/स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ.प्र. के कार्यकलाप एवं उपलब्धियां

देश में आवश्यकता के अनुसार शोध एवं विकास

- परिषद द्वारा मेडिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, इन्वायरमेन्टल साइंसेज, एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंसेज तथा इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में शोध प्रोत्साहन हेतु लगभग 125 शोध प्रायोजनाएं वित्त पोषित की जा रही हैं।
- उक्त प्रयोजनाओं में 125 रिसर्च एसोसिएट्स को प्रायोजना की अवधि तक रु. 20,000/- से रु. 22,000/- तक प्रतिमाह रिसर्च फैलोशिप दी जाती है तथा उनके द्वारा पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त की जाती है।
- लगभग विज्ञान परास्नातक के 30 छात्रों को दो माह (रु. 25,000/- प्रतिमाह) हेतु सी.एस.टी.यू.पी. समर रिसर्च फैलोशिप के अंतर्गत वित्तपोषित किया गया।

प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण एवं राज्य की आवश्यकतानुसार विकास

- 40 अभियांत्रिकी विद्यार्थी प्रोजेक्ट वित्त पोषित किये गये।
- मीठे फलों के रस से सिरका, मैनुअल पैडी प्लान्टर मशीन तथा ऑटोमैटिक क्राप कटिंग मशीन का सजीव प्रदर्शन, प्रशिक्षण व हस्तान्तरण कराया गया।

विज्ञान लोकप्रियकरण कार्यक्रम

- जनमानस में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रचार-प्रसार परियोजना में विभिन्न गतिविधियाँ यथा- राज्य स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता, इकोवाटर लिट्रेसी कैम्पेन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण, पेयजल व प्रदूषण पर आधारित 55 जनपदों के लगभग 500 से अधिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ये सभी कार्यक्रम परिषद द्वारा गठित चार क्षेत्रीय केन्द्रों एवं सभी जनपदों में गठित जिला विज्ञान क्लबों द्वारा आयोजित किये गये।
- विभाग द्वारा वैज्ञानिक सम्मान योजना के अंतर्गत प्रदेश के वैज्ञानिकों को वर्ष 2014-15 हेतु 20 वैज्ञानिकों को विभिन्न पुरस्कार यथा- विज्ञान गौरव, विज्ञान रत्न, युवा वैज्ञानिक सम्मान, बाल वैज्ञानिक सम्मान, विज्ञान शिक्षक सम्मान, नव अन्वेषक सम्मान तथा विज्ञान छात्र पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।
- विभाग द्वारा वैज्ञानिक सम्मान येजना के अंतर्गत प्रदेश के वैज्ञानिकों को वर्ष 2015-16 हेतु 21 वैज्ञानिकों को विभिन्न पुरस्कार यथा- विज्ञान गौरव, विज्ञान रत्न, युवा वैज्ञानिक सम्मान, बाल वैज्ञानिक सम्मान, विज्ञान शिक्षक सम्मान, नवअन्वेषक सम्मान तथा विज्ञान छात्र पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।
- भारत सरकार द्वारा आयोजित चतुर्थ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव-2018, दिनांक 05-08 अक्टूबर, 2018 के आयोजन में परिषद द्वारा निरन्तर मई, 2018 से कार्यक्रम की समाप्ति तक पूर्ण रूप से सहभागिता एवं सफल सम्पादन के लिए विभिन्न स्तर पर सहयोग प्रदान किया गया।
- हैलो यंग साइंटिस्ट फोन-इन क्विज कार्यक्रम द्वारा प्रत्येक रविवार को प्रातः 09:30 बजे से 10:00 बजे तक एफ.एम. रेडियो पर कक्षा-6 से 12 तक के छात्रों के लिए क्विज का कार्यक्रम प्रसारित किया गया।
- 19 सेमिनार/कांफ्रेंस/सिम्पोजियम/वर्कशॉप के प्रस्तावों पर आंशिक अनुदान प्रदान किया गया।
- आई.आई.टी. कानपुर द्वारा विकसित विज्ञान बस के माध्यम से परिषद के प्रांगण में 02 अक्टूबर, 2018 गांधी जयन्ती के अवसर पर सचल विज्ञान कार्यक्रम का शुभारम्भ डॉ. दिनेश शर्मा, मा. उप-मुख्यमंत्री एवं विभागीय मंत्री, उ.प्र. सरकार के कर-कमलों द्वारा किया गया।

जैव प्रौद्योगिकी उन्नति एवं विकास

- बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटी केन्द्र, बक्शी का तालाब पर टिश्यू कल्चर के माध्यम से केले के पौधों, वर्मी कम्पोस्ट व नील हरित शैवाल जैव उर्वरक तथा बायोडीजल इकाई की स्थापना की गई है।
- प्लाण्ट टिश्यू कल्चर तकनीक द्वारा केले के पौधों, वर्मी कम्पोस्ट व नील हरित शैवाल जैव उर्वरक एवं बायोडीजल के उत्पादन हेतु 25 किसान प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन द्वारा लगभग 3500 किसानों को प्रशिक्षित किया गया।
- प्लाण्ट टिश्यू कल्चर तकनीक के माध्यम से लगभग 20 लाख केले के पौधे तैयार कर किसानों को उपलब्ध कराया गया।

- लगभग 250 किसानों को 5 किग्रा. नील हरित शैवाल निःशुल्क वितरण की गयी।
- लगभग 150 किसानों के जानवरों हेतु चारे के रूप में 600 किग्रा. एजोला निःशुल्क वितरण की गयी।
- केन्द्र पर सीड प्रोसेसिंग इकाई की स्थापना की जा रही है।

नक्षत्रशाला एवं विज्ञान पार्क

- खगोल विज्ञान की लोकप्रियता का संवर्धन करने, जनमानस में विज्ञान के प्रति जागरूकता एवं अभिरुचि उत्पन्न करने हेतु प्रदेश में इन्दिरा गांधी नक्षत्रशाला-लखनऊ, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला-गोरखपुर, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला-रामपुर में नक्षत्रशाला तथा 02 मोबाइल नक्षत्रशाला का संचालन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 3.00 लाख दर्शकों द्वारा नक्षत्रशाला का अवलोकन किया गया।
- एस्ट्रोनोमी के प्रचार-प्रसार हेतु एस्ट्रोनॉमर्स क्लब की स्थापना, प्रदर्श एरिया का विकास, टेलीस्कोप की स्थापना खगोलीय घटनाओं जैसे- सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रहण, वीनस एवं नाइट वाचिंग कार्यक्रम तथा क्विज हेतु लगभग 50 कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं।
- जनपद गाजियाबाद के श्यामा प्रसाद मुखजी पार्क मे विज्ञान वाटिका (लघु विज्ञान पार्क) की स्थापना की गई है। पार्क में 25 आंतरिक व 21 वाह्य प्रदर्श स्थापित है। यह प्रदर्श प्रकाश, ध्वनि, चुम्बक, इलेक्ट्रिक, वायु एवं दृष्टि आदि सिद्धांतों पर आधारित हैं। प्रतिदिन जन-सामान्य के अतिरिक्त 200 से अधिक विद्यार्थीगणों द्वारा भ्रमण किया जाता है।

बौद्धिक सम्पदा अधिकार संरक्षण कार्यक्रम

- बौद्धिक सम्पदा अधिकार एवं उसके संरक्षण के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश में बौद्धिक्क सम्पदा संरक्षण नियमों के प्रचार एवं सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पेटेन्ट केन्द्र स्थापित किया गया है।
- बौद्धिक सम्पदा संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 107 लोगों को मार्गदर्शन, 13 पेटेण्ट, 09 कॉपीराइट, 04 डिजाइन एवं 03 ट्रेडमार्क संरक्षित करने हेतु कार्यवाही की गयी।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के आधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के आधुनिक क्षेत्रों में 08 जनपदों में लगभग 300 विज्ञान विषय के छात्रों को विज्ञान के विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण देकर लाभान्वित किया गया।

नव प्रवर्तन सेल

- ग्रास रूट लेवल नव अन्वेषकों हेतु नवप्रवर्तन के प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता हेतु विभिन्न प्रशिक्षण, भ्रमण व स्काउटिंग के लगभग 60 कार्यक्रम आयोजित कराये गये।
- स्कूली छात्राओं में जागरूकता एवं तोड़-फोड़-जोड़ 10 कार्यक्रम आयोजित कराये गये, जिसके माध्यम से 500 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया।
- प्रदेश के विभिन्न जिले में नव-प्रवर्तन की 04 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
- बी.एच.यू., वाराणसी एवं एम.एम.एम.यू., गोरखपुर में नव-प्रवर्तन इनक्यूबेशन सेन्टर की स्थापना की गई।

उत्तर प्रदेश प्रतिभा छात्रवृत्ति परियोजना

- विज्ञान के प्रति छात्र-छात्राओं में अभिरुचि पैदा करने के उद्देश्य से कक्षा 10, 11 एवं 12 स्नातक एवं स्नातकोत्तर विद्यार्थियों हेतु उत्तर प्रदेश प्रतिभा छात्रवृत्ति परियोजना संचालित की जा रही है।

- कक्षा 10, 11 एवं 12 के प्रथम 2000 विद्यार्थियों को रु. 2000/- प्रतिमाह की छात्रवृत्ति, विज्ञान स्नातक को प्रत्येक वर्ष रु. 3000.00 प्रतिमाह एवं स्नातकोत्तर को प्रत्येक वर्ष में रु. 4000.00 छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यक्रम

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के चयनित क्षेत्रों में शोध

- **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में शोध प्रायोजनाओं का कार्यान्वयन**

इस परियोजना के अन्तर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक व सामाजिक विकास में उपयोगी शोध प्रायोजनायें प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों, चिकित्सा विश्वविद्यालयों, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों, परास्नातक महाविद्यालयों, शोध संस्थानों एवं उच्च शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से क्रियान्वित कराये जाने हेतु वित्त पोषित की जाती हैं। प्रायोजनाओं का मूल्याँकन एवं अनुश्रवण परिषद द्वारा किया जाता है।

- **सीएसटीयूपी समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम**

समर रिसर्च फेलोशिप का उद्देश्य प्रदेश में विज्ञान परास्नातक स्तर पर अध्ययनरत छात्रों को शोध एवं विकास के क्षेत्र में प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन देना है। इस फेलोशिप के अंतर्गत प्रदेश में विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को प्रदेश एवं देश के प्रतिष्ठित संस्थानों/विश्वविद्यालयों ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों/प्रोफेसर्स के साथ 02 माह की अवधि के लिए रिसर्च ट्रेनिंग हेतु अवसर उपलब्ध कराया जाता है। चयनित छात्रों को 02 माह के लिए रु. 25000/- मासिक फेलोशिप प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

सी.एस.टी., यू.पी., अभियांत्रिकी विद्यार्थी प्रोजेक्ट अनुदान योजना

परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश में अध्ययनरत् अभियांत्रिकी के अन्तिम वर्ष के विद्यार्थियों के नवाचार तथा स्थानीय एवं पर्यावरण समस्याओं के निराकरण पर आधारित प्रोजेक्ट्स को प्रोत्साहित किये जाने हेतु ''सी.एस.टी., यू.पी., अभियांत्रिकी विद्यार्थी प्रोजेक्ट अनुदान योजना'' का प्रारम्भ किया गया। इस योजना के अन्तर्गग बी.टेक. के विद्यार्थियों द्वारा बनाये जाने वाले प्रोजेक्ट्स में से अधिकतम 100 प्रोजेक्ट्स चयन कर उन्हें रु. 20,000/- की अनुदान राशि प्रदान की जायेगी। सर्वोत्तम 03 प्रोजेक्ट्स को प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः रु. 1,00,000/-, रु. 75,000/- तथा रु. 50,000/- प्रदान किये जायेंगे।

विज्ञान लोकप्रियकरण

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मौलिक विषयों के प्रति विद्यार्थियों की रुचि निरन्तर घटती जा रही है। यह एक राष्ट्रीय समस्या है। परिषद द्वारा इस समस्या के समाधान हेतु प्रदेश में धरातल स्तर पर बच्चों में विज्ञान के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने, तार्किक क्षमता विकसित करने और उनमें वैज्ञानिक ढंग से कल्पनाशीलता विकसित करने का निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। माध्यमिक स्तर तक के बच्चों की प्रतिभा विकास हेतु विभिन्न प्रकार की विज्ञान की प्रतियोगिताएं, ख्याति प्राप्त औद्योगिक प्रतिष्ठानों (इण्डस्ट्री) एवं प्रयोगशालाओं का वैज्ञानिक भ्रमण, विज्ञान रैली, वैज्ञानिक व्याख्यान, वैज्ञानिक चमत्कारों का प्रदर्शन और उनकी व्याख्या आदि के साथ प्रतिभागी बच्चों को विभिन्न विज्ञान साहित्य तथा दैनिक उपयोग से जुड़ी वस्तुओं आदि से पुरस्कृत किये जाने पर आधारित गतिविधियां आयोजित की जाती हैं।

राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार/सिम्पोजियम/वर्कशाप/कांफ्रेंस आदि की संस्तुतियों के प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न विषयों/क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार/सिम्पोजियम/वर्कशाप/कान्फ्रेंस आदि की संस्तुतियों के प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों की संस्तुतियों के प्रकाशन हेतु रु. 50,000 तक एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के लिए रु. 1,00,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

वैज्ञानिक सम्मान योजना

उ.प्र. शासन के द्वारा विज्ञान सम्मान योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में जन्में अथवा उ.प्र. में निरन्तर किसी भी संस्थान/विभाग में 10 वर्षों से कार्यरत वैज्ञानिकों हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ.प्र. के माध्यम से वर्ष 2000 से विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट वैज्ञानिक योगदान के लिए वैज्ञानिक सम्मान दिये जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत सभी सम्मानित वैज्ञानिकों को प्रशस्ति-पत्र, प्रतीक चिन्ह व शाल प्रदान किया जाता है। विज्ञान गौरव सम्मान- एक पुरस्कार धनराशि रु. 05.00 लाख, विज्ञान रत्न सम्मान- दो पुरस्कार धनराशि रु. 02.50 लाख प्रत्येक, युवा वैज्ञानिक सम्मान-पाँच पुरस्कार धनराशि रु. 01.00 लाख प्रत्येक, बाल वैज्ञानिक सम्मान- पाँच पुरस्कार धनराशि रु. 25,000/- प्रत्येक, विज्ञान शिक्षक सम्मान में पाँच पुरस्कार धनराशि रु. 25,000/- प्रत्येक, नवअन्वेषक सम्मान में पाँच पुरस्कार धनराशि रु. 25,000/- प्रत्येक। इसी क्रम में विज्ञान छात्र सम्मान के अन्तर्गत प्रदेश में विभिन्न बोर्डों के विज्ञान विषय में हाईस्कूल में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को रु. 05.00 लाख की धनराशि को एक समान रूप से बराबर मात्रा में वितरित किया जाता है। हाईस्कूल की तरह माध्यमिक स्तर के सभी उन विद्यार्थियों को रु. 10.00 लाख की धनराशि को एक समान रूप से बराबर मात्रा में वितरित किया जाता है।

विज्ञान बस

विद्यार्थियों मे विज्ञान के सिद्धांतों और उनके प्रयोगों में ज्यादा से ज्यादा रुचि उत्पन्न करने व स्वयं करके विज्ञान को बेहतर ढंग से समझने के उद्देश्य से विज्ञान बस विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद, उ.प्र. तथा आई.आई.टी., कानपुर द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित कराई गयी। मा. मुख्यमंत्री जी, उ.प्र. द्वारा दिनांक 11.05.2018 को विज्ञान बस का लोकार्पण किया गया। इसी क्रम में दिनांक 02.10.2018 को मा. उप-मुख्यमंत्री एवं मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उ.प्र., डॉ. दिनेश शर्मा जी द्वारा विज्ञान बस को विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों आदि को समर्पित किया गया।

आई.आई.एस.एफ.-2018

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से ''भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव-2018'' का आयोजन 05 से 08 अक्टूबर, 2018 के मध्य लखनऊ में किया गया। जिसका मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के सुदूर गांवों में निवास करने वाले विद्यार्थियों, शिक्षकों, युवा वैज्ञानिकों, शोधार्थियों, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदो, नव अन्वेषकों, विज्ञान संचारकों, किसानों, युवा उद्यमियों आदि की अधिकाधिक भागीदारी कराना निश्चित किया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उ.प्र. की ओर से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ.प्र. द्वारा विज्ञान बस व मोबाइल नक्षत्रशालाओं का जगह-जगह भ्रमण कराकर विद्यार्थियों को विज्ञान दर्शन कराया गया तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ.प्र. द्वारा मेगा विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा उद्योग प्रदर्शनी-

2018 में नव अन्वेषकों द्वारा विकसित की गयी विभिन्न प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन, केला उत्पादन हेतु प्लान्ट टिश्यू कल्चर तकनीक का प्रदर्शन व विभिन्न प्रकार के टेलीस्कोप के द्वारा आकाश दर्शन कराया गया।

कुम्भ-2019 मेला में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी

जनपद प्रयागराज में कुम्भ-2019 मेला स्थल पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी, प्रयागराज में कुम्भ-2019 मेला स्थल पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी, खगोल विज्ञान के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने हेतु आधुनिक दूरदर्शी उपकरणों द्वारा नक्षत्रों/आकाश दर्शन, सचल विज्ञान बस में स्वयं करें विज्ञान के प्रयोग इत्यादि का प्रदर्शन मेलार्थियों व विद्यार्थियों के बीच अत्यंत आकर्षक ढंग से वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने में सफल रही है।

जैव प्रौद्योगिकी- संगठनात्मक ढाँचा एवं क्षमता विकास

कृषि, उद्योग, खाद्यान्न व पोषक तत्व प्रबन्धन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं ऊर्जा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के बहुआयामी उपयोग के दृष्टिगत रखकर उक्त योजना का प्रारम्भ वर्ष 1998-99 के अन्तिम चरण में किया गया था। शोध एवं विकास परियोजनाओं के साथ-साथ उक्त योजना के अन्तर्गत उ.प्र. जैव प्रौद्योगिकी नीति-2014, उ.प्र. जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड, बायोटेक पार्क, लखनऊ एवं बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटी, लखनऊ जैसी वृहद योजनाएँ विकसित की गयी हैं। महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं का विस्तृत विवरण इस प्रकार है :

- **बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटी केन्द्र, लखनऊ**

जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कृषि व ग्रामीण विकास से सम्बन्धित गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन, प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण हेतु राज्य ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा बक्शी का तालाब, लखनऊ में उपलब्ध करायी गयी भूमि पर परिषद द्वारा बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटी केन्द्र का विकास किया जा रहा है। ऊक्त के अन्तर्गत ग्रामीण अंचलों के उपयोगार्थ तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त पैकेज विकसित किये जायेंगे तथा जनमानस के उपयोग हेतु उत्पाद एवं तकनीकी पर आधारित वृहद प्रशिक्षण सुविधाएँ विकसित की जाएंगी। बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटी केन्द्र से उन्नत जैव स्रोत भी विभिन्न विभागों/प्रयोगशालाओं/शैक्षिक/स्वैच्छिक संस्थाओं, कृषकों व उद्यमियों के परस्पर समन्वय से प्रदेश स्तर पर उपलब्ध कराये जायेंगे।

- **नील हरित शैवाल जैव उर्वरक एवं एजोला उत्पादन व उपयोग परियोजना**

परिषद द्वारा बक्शी का तालाव, लखनऊ स्थित बायोटेक प्रक्षेत्र पर ''नील हरित शैवाल जैव उर्वरक के उत्पादन, प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र का विकास'' परियोजना सितम्बर 2006 से प्रारम्भ की गयी है। वर्ष 2018-19 में बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटी केन्द्र पर 776 किलोग्राम नील हरित शैवाल जैव उर्वरक का उत्पादन किया गया है तथा प्रदेश के विभिन्न जनपदों के किसानों को स्वयं के उत्पादन हेतु 134 किग्रा. शैवाल जैव उर्वरक स्टार्टर कल्चर निःशुल्क वितरित किया गया। प्रदेश के विभिन्न जनपदों यथा-लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव व हरदोई के किसानों को धान के खेत में प्रक्षेत्र प्रदर्शनों हेतु 605 किग्रा. शैवाल जैव उर्वरक निःशुल्क वितरित किया गया। किसानों के प्रक्षेत्रों पर 121 प्रक्षेत्र प्रदर्शन कराये गये, जिनके उपज आंकड़ें एकत्र किये जा रहे हैं, जो काफी उत्साहवर्धक हैं। पशुओं में चारे के रूप में प्रयोग में लाने के लिए एजोला का उत्पादन प्रारम्भ किया गया है। किसानों के उपयोगार्थ

711 किग्रा. एजोला निःशुल्क वितरित किया गया। पशुओं को हरे चारे के रूप में खिलाने से दूध की गुणवत्ता एवं मात्रा में वृद्धि होती है। नील हरित शैवाल जैव उर्वरक एवं एजोला पर कृषकों हेतु तीन हिन्दी साहित्य प्रकाशित किये गये।

- **किसानों का प्रशिक्षण**

नील हरित शैवाल जैव उर्वरक के उत्पादन एवं उपयोग पर किसानों को प्रशिक्षित करने हेतु वर्ष 2018-19 में कुल 6 कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बक्शी का तालाब स्थित बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटी केन्द्र तथा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आयोजित कर लगभग 1000 किसानों/युवाओं/महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया तथा विज्ञान प्रदर्शनियों में प्रतिभाग कर नील हरित शैवाल जैव उर्वरक एवं एजोला कार्यक्रम का सफलतापूर्वक प्रदर्शन भी किया गया। भविष्य में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में और भी किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

- **टिश्यू कल्चर लैब**

बक्शी का तालाब स्थित बायोटेक नेटवर्किंग फैसिलिटी केन्द्र पर निर्मित जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में टिश्यू कल्चर लैब का संचालन कुशलतापूर्वक निरन्तर किया जा रहा है। लैब के संचालन करने के लिये परिषद द्वारा मेसर्स हिन्दुस्तान बायोइनर्जी लि. को पी.पी.पी. मोड के अन्तर्गत लैबोरेट्री दी गयी है। इस टिश्यू कल्चर लैबोरेट्री में उच्च गुणवत्ता के उत्पादकता वाले एवं बीमारियों से मुक्त केले के पौधों को टिश्यू कल्चर द्वारा विकसित किया जा रहा है। टिश्यू कल्चर द्वारा विकसित केले के पौधों को जुलाई 2012 से प्रदेश के किसानों को अनवरत् रूप से उपलब्ध हो रहे हैं। वर्ष 2018-19 में लगभग 20 लाख केले के पौधों का उत्पादन किया गया। उपरोक्त प्रयोगशाला में उत्पादित केले के पौधों से लगभग प्रदेश के 3000 किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। लैब द्वारा आगामी वर्ष में 20 लाख केले के पौधों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

- **बायो-डीजल उत्पादन इकाई**

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के आर्थिक सहयोग से बायो-डीजल उत्पादन इकाई की स्थापना बक्शी का तालाब पर की गयी है। इस इकाई द्वारा किसानों को बायो-डीजल उत्पादन का प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण दिया जाता है। किसानों को जेट्रोफा से बायो-डीजल उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए गत वर्ष 4 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये।

नक्षत्रशाला

इंदिरा गाँधी नक्षत्रशाला, लखनऊ

इंदिरा गाँधी नक्षत्रशाला, लखनऊ दिनांक 09 मई, 2003 से जनसामान्य के लिये संचालित है। वर्तमान में नक्षत्रशाला में प्रत्येक दिन (सोमवार को छोड़कर) चार शो अपराह्न 01.00 बजे, 02.30 बजे, 04.00 बजे एवं सायं 05.00 बजे आयोजित किये जाते हैं एवं प्रत्येक शो हेतु रु. 25 प्रति व्यक्ति की दर से टिकट निर्धारित किया गया है। विकलांगों हेतु प्रवेश निःशुल्क है। ग्रीष्मकाल में सायं 6.00 बजे अतिरिक्त शो भी संचालित किया जाता है।100 या 100 से अधिक व्यक्तियों के समूह हेतु अलग-अलग समय पर शो का आयोजन भी किया जाता है। विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से छात्रों को 30 या उससे अधिक समूह हेतु रु. 10 प्रति विद्यार्थी की दर से प्रवेश शुल्क निर्धारित है। नक्षत्रशाला के प्रदर्श एरिया में स्पेस एवं एस्ट्रोनॉमी से सम्बन्धित एक्जीविट गैलरी है। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में जन-

सामान्य की रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से उ.प्र. एमेच्योर एस्ट्रोनामर्स क्लब की स्थापना की गयी है। इन्दिरा गांधी नक्षत्रशाला, लखनऊ में माह अप्रैल, 2018 से जनवरी, 2019 तक दर्शकों की संख्या 44005 रही। इन्दिरा गांधी नक्षत्रशाला, लखनऊ द्वारा खगोल विज्ञान पर आधारित लगभग 110 आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

- **वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, गोरखपुर**

वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, गोरखपुर को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ.प्र. द्वारा गोरखपुर दिनांक 21.12.2009 से जन-सामान्य हेतु संचालित की जा रही है। नक्षत्रशाला में जन-सामान्य हेतु प्रत्येक दिन 3 शो का आयोजन किया जाता है जिसका समय अपरान्ह 01.00 बजे, 03.00 बजे एवं सायं 05.00 बजे है। रु. 25 प्रति व्यक्ति की दर से टिकट निर्धारित किया गया है। 100 या 100 से अधिक व्यक्तियों के समूह हेतु अलग-अलग समय पर शो का आयोजन भी किया जाता है। विकलांगों हेतू प्रवेश निःशुल्क है। विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से छात्रों को 30 अथवा उससे अधिक व्यक्तियों के समूह हेतु रु. 10.00 प्रति विद्यार्थी की दर से प्रवेश शुल्क निर्धारित है। नक्षत्रशाला प्रत्येक सोमवार को बन्द रहती है।

- **आर्यभट्ट प्लैनेटेरियम, रामपुर**

आर्यभट्ट प्लैनेटेरियम, रामपुर दिनांक 18.09.2012 से संचालित है। वर्तमान मे नक्षत्रशाला में प्रतिदिन चार शो संचालित किये जाते हैं। शो का समय प्रातः 11.30 बजे, 1.00 बजे, 3.00 बजे व 5.00 बजे है। विकलांगो हेतु प्रवेश निःशुल्क है। प्रत्येक शो हेतु रु. 25.00 प्रति व्यक्ति की दर से टिकट निर्धारित किया गया है। 100 या 100 से अधिक व्यक्तियों के समूह हेतु अलग-अलग समय पर शो का आयोजन भी किया जाता है। विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से छात्रों को 30 या उससे अधिक समूह हेतु रु. 10/- प्रति विद्यार्थी की दर से प्रवेश शुल्क निर्धारित है। नक्षत्रशाला प्रत्येक सोमवार को बन्द रहती है।

- **मोबाइल नक्षत्रशाला**

मोबाइल नक्षत्रशाला उ.प्र. के सुदूर जनपदों में खगोल विज्ञान के प्रचार-प्रसार हेतु वर्तमान में दो मोबाइल नक्षत्रशालाओं का संचालन किया जा रहा है। यह नक्षत्रशालायें डिजिटल तकनीक पर आधारित हैं।

विज्ञान छात्रवृत्ति परियोजना

विज्ञान में अभिरुचि बढ़ाने के उद्देश्य से परिषद द्वारा विज्ञान छात्रवृत्ति परियोजना वर्ष 2016-17 में प्रारम्भ की गयी। वर्ष 2016-17 हेतु परीक्षा का आयोजन आई.आई.टी. कानपुर द्वारा वर्ष 2017-18 में (दिनांक 30 मई, 2017) को किया गया।

परियोजना के अंतर्गत कक्षा-10 के पाठ्यक्रम पर आधारित परीक्षा में कक्षा-10 एवं कक्षा 11 के विद्यार्थी तथा कक्षा-12 के पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा-12 एवं बी.एस-सी. (प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय वर्ष) के विद्यार्थी प्रतिभाग कर सकते हैं। कक्षा-10 के पाठ्यक्रम पर आधारित परीक्षा में मेरिट के आधार पर प्रथम 1000 विद्यार्थियों को परीक्षा देने के वर्ष (कक्षा-10 अथवा कक्षा 11) से कक्षा 12 तक प्रतिमाह रु. 2000.00 की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। कक्षा-12 के पाठ्यक्रम पर आधारित परीक्षा में मेरिट के आधार पर प्रथम 1000 विद्यार्थियों को कक्षा-12 में रु. 2000.00 प्रतिमाह, बी.एस-सी.

के प्रत्येक वर्ष में रु. 3000.00 प्रतिमाह एवं एम.एस-सी. के प्रत्येक वर्ष मे रु. 4000.00 प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इस प्रकार कक्षा-10 एवं कक्षा 12 के पाठ्यक्रम पर आधारित परीक्षाओं में मेरिट के आधार पर कुल दो हजार विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। यह छात्रवृत्ति एकमुश्त निर्गत की जाती है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के आधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण

आधुनिक एवं उपयोगी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से स्वरोजगार द्वारा आत्मनिर्भरता और आर्थिक विकास में सतत् वृद्धि हमारे प्रदेश व देश की अपरिहार्य आवश्यकता है। इसी के समाधान हेतु प्रदेश सरकार द्वारा स्वरोजगार के माध्यम से व्यवसायों तथा सूक्ष्म व लघु स्तर के नव उद्यमों के प्रति अपनायी गयी नीतियों व योजनाओं को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से समय-समय पर जारी किये गये आदेश व निर्देश के अनुपालन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ.प्र. द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयुक्त व्यावसायिक/उद्यम रूप से लाभप्रद सिद्ध तकनीकी क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसरों को सृजित और विकसित करने के साथ-साथ उनके उन्नयन हेतु वैज्ञानिक ढंग से 04 साप्ताहिकी तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आयोजित कराये जाते हैं। जिससे अधिकाधिक प्रक्षिणार्थी/लाभार्थी जागरूक होकर आगे बढ़ते हैं और इससे युवाओं तथा उन्नतशील किसानों आदि को भी प्रेरित कर उनको भी स्वरोजगार अपनाने और आत्मनिर्भर बनाने के अवसर सृजित करते हैं।

बौद्धिक सम्पदा संरक्षण कार्यक्रम

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आई.पी.आर.) एवं उनका संरक्षण विषय के महत्त्व को दृष्टिगत करते हुए इनके संरक्षण की क्षेत्रीय सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ0प्र0 में पेटेण्ट सूचना केन्द्र की स्थापना की गयी थी। केन्द्र की उपयोगिता के दृष्टिगत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2005-06 में परिषद के प्लान मद में पेटेण्ट सेल उपमद स्थापित किया गया। परिषद में स्थापित यह पेटेण्ट सूचना केन्द्र बौद्धिक सम्पदा संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। परिषद में पेटेण्ट सूचना केन्द्र निम्न उद्देश्यों पर केन्द्रित कर कार्य सम्पादित कर रहा है :

1. प्रदेश में बौद्धिक सम्पदा के विकास एवं इसके संरक्षण के विषय में जागरूकता उत्पन्न करना।
2. पेटेण्ट सूचना का विश्लेषण कर उसका उपयोग, शोध एवं विकास कार्यक्रम हेतु परामर्शित करना।
3. प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों, शोध संस्थाओं, सरकारी विभागों एवं उद्योगों को पेटेण्ट सर्च की सुविधा उपलब्ध कराना।
4. अन्वेषकों को बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के सरंक्षण के प्रति मार्गदर्शन प्रदान करना।

केन्द्र के मुख्य कार्य बौद्धिक सम्पदा संरक्षण यथा- पेटेण्ट, कॉपीराइट, भौगोलिक संकेतक, ट्रेडमार्क्स, डिजायन रजिस्ट्रेशन आदि विषयों पर जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन करना, महत्त्वपूर्ण विषयों पर ग्रान्ट किये गये पेटेण्ट की एनालिसिस, पेटेण्ट सूचना केन्द्र की सेवाओं का उपयोग पूरे प्रदेश में सुनिश्चित करना, इंटेलेक्चुअल प्रापर्टी राइट्स से संबंधी बुकलेट, ब्रोशर, चार्ट तथा अन्य साहित्य का प्रकाशन, अन्वेषकों को पेटेण्ट सर्च की सुविधा उपलब्ध कराना, बौद्धिक सम्पदा संरक्षण संबंधी आवेदन-पत्रों को फाइल करने के संबंध में मार्गदर्शन/कार्यवाही करना इत्यादि है।

नवप्रर्वतन केन्द्र की स्थापना

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तर प्रदेश स्तर पर नवप्रवर्तकों की सहायता हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उ.प्र. में नवप्रवर्तन केन्द्र की स्थापना की गयी है, जिससे प्रदेश स्तर पर अशिक्षित जन सामान्य अथवा गैर संस्थागत लोगों, किसान, शिल्पकार, कारीगर, मिस्त्री, परम्परागत उपचार करने वाला, माध्यमिक स्तर तक के विद्यार्थी तथा एम.एस.एम.ई. के द्वारा विकसित नवप्रवर्तनों/अन्वेषणों एवं पारम्परिक ज्ञान को बढ़ावा दिया जा सके और उनकी खोजों या अविष्कारों को स्थानीय समस्याओं के निदान में उपयोग किया जा सके और स्थानीय स्तर पर नव अन्वेषकों/नवप्रवर्तकों तथा स्वयंसेवी लोगों को उत्प्रेरित करने के साथ समुचित मार्गदर्शन प्रदान किया जा सके।

सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र, उत्तर प्रदेश

विगत लगभग छह दशक पूर्व उपग्रहीय रिमोट सेन्सिंग तकनीक का प्रादुर्भाव हुआ तथा अन्य विकसित देशों के साथ ही भारत में भी रिमोट सेन्सिंग जैसी नवीनतम तकनीक का उपयोग किया जाने लगा। वर्ष 1981 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्पूर्ण देश में अग्रणी स्थान प्राप्त करते हुए प्रदेश स्तर का प्रथम रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर लखनऊ में स्थापित करने का निर्णय लिया। 14 मई, 1982 में इस केन्द्र की स्थापना एक स्वयात्तशासी संस्था के रूप में हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश स्तर का पहला रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, लखनऊ में इस आशय से स्थापित किया था कि नवीनतम उपग्रहीय एवं वायुवीय रिमोट सेन्सिंग तकनीक तथा पारम्परिक तकनीकों के समन्वय से प्रदेश के विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों सम्बन्धी अध्ययन किए जायें। अपनी स्थापना के तुरन्त बाद से ही रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन्स सेन्टर, उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के समस्त प्राकृतिक संसाधनों की समुचित खोज एवं सुनियोजित प्रबन्धन हेतु नवीनतम रिमोट सेन्सिंग तकनीक द्वारा बहुमूल्य आँकड़े सृजित किए जिससे प्रदेश शासन के विभिन्न उपयोगकर्ता विभाग लाभान्वित हुए हैं।

प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में योगदान हेतु केन्द्र के कार्यकलाप निम्नलिखित संसाधनों के अंतर्गत केन्द्र के 11 प्रभागों के माध्यम से सम्पादित किये जाते हैंः

- मृदा एवं कृषि संसाधन
- जल संसाधन
- भू संसाधन
- वन संसाधन, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी
- भूमि उपयोगिता एवं नगरीय संरचना
- प्राकृतिक संसाधनों सम्बन्धी एकीकृत सर्वेक्षण
- प्रशिक्षण कार्यक्रम
- कम्प्यूटर एवं इमेज प्रोसेसिंग
- शैक्षणिक कार्यक्रम

केन्द्र द्वारा ई-गर्वनेन्स की पद्धति का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। विभिन्न प्राकृति संसाधनों के विस्तृत अध्ययन से सृजित आंकडों एवं तथ्यों को जनमानस तक पहुंचाने हेतु केन्द्र के वेबसाइट डब्लूडब्लूडब्लू,आरएसएसीयूपी.ओआरजी.इन विकसित की गई है, जिस पर समस्त

उपलब्धियों का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराया गया है। सम्पूर्ण प्रदेश के जनपदवार प्राकृतिक संसाधनों संबंधी आंकड़ों का सृजन कर प्रदेश के नियोजन विभाग के सहयोग से नेशनल इन्फारमेटिक्स सेन्टर (एन.आई.सी.) की वेबसाइट एचटीटीपी.जीआईएस.यूपी.एनआईसी.इन पर भी उपलब्ध कराए गए हैं।

मानिटरिंग ऑफ इन्टीग्रेटेड वाटरशेड प्रोग्राम

एन.आर.एस.सी. हैदराबाद, अंतरिक्ष विभाग द्वारा वित्त पोषित परियोजना माह मार्च, 2017 से आरम्भ की गयी थी एवं परियोजना अविध मार्च, 2020 तक है। इस परियोजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में वर्ष 2009-10 से वर्ष 2014-15 के बीच संचालित किये गये आई.डब्लू.एम.पी. परियोजनाओं का अनुश्रवण (मॉनिटरिंग) एवं आंकलन (इवैलूएशन) किया जाना प्रस्तावित है। प्रत्येक परियोजना का अनुश्रवण 5 वर्षों के उपग्रहीय आंकड़ों द्वारा किया जाना है। इस हेतु उच्चविभेदन क्षमता के उपग्रहीय आंकड़ों यथा- लिस-4 तथा कार्टोसेट की प्रोसेसिंग, वॉटरशेड बाउण्ड्री का संशोधन, लैण्डयूज/लैण्डकवर एवं एन.डी.वी.आई. मानचित्र तैयार करना, दृष्टि एप पर आंकलन एवं एसेसमेंट एवं चेंज डिटेक्शन मानचित्र तैयार करना तथा रिपोर्ट तैयार किया जाना प्रस्तावित है।

कम्प्यूटर एवं इमेज प्रोसेसिंग

जियो इन्फारमेटिक्स सुविधा का आधुनिकीकरण एवं नई जियो सर्विसेस का सृजन

वर्ष 2018-19 में जियो इन्फारमेटिक्स सुविधा का आधुनिकीकरण व नई जियो सर्विसेस का सृजन परियोजना के अन्तर्गत इमेज प्रोसेसिंग एवं जी.आई.एस. टेक्नालॉजी की केन्द्रित सुविधा निर्बाध रूप से प्रदान की। नई जियो सर्विसेज के लिए डेटा का अधिग्रहण किया जा रहा है। जियो पोर्टल ''संवेदन'' का प्रबंधन एवं संचालन कार्य प्रगतिशील है। केन्द्र में इन्टरनेट की सुविधा निर्बाध रूप से प्रदान की जा रही है।

उत्तर प्रदेश विलेज इन्फार्मेशन सिस्टम पर आधारित वेब बेस्ट जियोपोर्टल का सृजन

प्रदेश में नेशनल सेन्टर ऑफ जियो इन्फारमेटिक्स (एनसीओजी) प्लेटफार्म का उपयोग कर उत्तर प्रदेश के लगभग सभी विभागों हेतु प्लानिंग, मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हेतु जियो पोर्टल के सृजन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के चयनित विभागों हेतु रोड मैप डाक्यूमेंट तैयार कर विभागों को प्रमुख सचिव के माध्यम से प्रेषित किये गये। केन्द्र के वैज्ञानिकों को नोडल ऑफिसर्स चयनित किये गये तथा उनके द्वारा उनसे सम्बन्धित विभागों से सूचना प्राप्त की गयी। एप्लिकेशन डेवलपमेंट हेतु उपलब्ध जी.आई.एस. डेटा को सम्बन्धित विभागों के पोर्टल में अपलोड किया गया एवं बाईजैग तकनीकी की मदद से मुख्य सचिव द्वारा चिन्हित 70 विभागों के जियो पोर्टल निर्मित किये गये। गृह विभाग हेतु थाना क्षेत्र पता करने एवं एक्सीडेन्टल प्रोन एरिया के नोटिफिकेशन हेतु एक मोबाइल एप तैयार करवाया गया। जी.आई.एस. आधारित वेब प्रणाली विकसित किये जाने हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के नोडल अधिकारियों हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। 31 विभागों को एकीकृत/संशोधित डाटा जियो पोर्टल हेतु बाईसैग गुजरात भेजा गया।

कानून व्यवस्था

अपराध नियन्त्रण की दिशा में किये गये प्रयासों एवं उपलब्धियों का विवरण

- प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ कर जनमानस में सुरक्षा की भावना पैदा करना और अपराधियों के अन्दर कानून के भय का वातावरण व्याप्त करना उत्तर प्रदेश शासन की प्रमुख नीति है। इसके कारण लोगों में सुरक्षा की भावना का व्यापक संचार हुआ है।
- क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत वर्ष में चौथा एवं जनसंख्या के दृष्टिकोण से पहला स्थान है। यहाँ विभिन्न धर्म, सम्प्रदाय, वर्ग एवं जातियों के लगभग 21 करोड़ लोग निवास करते हैं।
- यद्यपि प्रदेश में निवास करने वाले इन समस्त वर्गों एवं सम्प्रदायों के लोगों में अनुकरणीय सामंजस्य, स्नेह एवं विश्वास है किन्तु यदा-कदा कतिपय अवसरों पर तनाव और टकराव की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। प्रदेश में विभिन्न त्यौहारों, धार्मिक जुलूसों एवं मेलों आदि के दौरान संवेदनशीलता के अनुसार पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही सुनिश्चित की गई है।
- वैश्विक आतंकवाद, नक्सलवाद के इस दौर में प्रदेश पुलिस को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विषम परिस्थितियों में भी प्रदेश पुलिस ने अपनी सीमित संसाधनों, कठोर परिश्रम, अनुशासन एवं कर्त्तव्यनिष्ठा से नक्सलियों, आतंकवादियों, असामाजिक एवं समाज विरोधी तत्वों की गतिविधियों पर सतत् प्रभावी नियंत्रण कायम रखा है।
- प्रदेश की जनता को एक सुरक्षित परिवेश प्रदान कर साम्प्रादायिक एवं जातिगत सौहार्द्र कायम रखा गया है। सम्पूर्ण प्रदेशदंगा मुक्त रहा है। संगठित एवं पेशेवर अपराधियों के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही से अपराधियों ने अपनी जमानत तुड़वाकर जेल का रुख किया है।
- अपराधों पर पूर्ण नियंत्रण से प्रदेश में विकास का माहौल बना है। कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है तथा प्रदेश में कानून का राज फिर से स्थापित हुआ है। सभी प्रमुख त्यौहार, मेले आदि सकुशल सम्पन्न हुए है। सोशल मीडिया की सक्रियता से भी अपराधों पर नियंत्रण लगा है तथा पुलिस की छवि उज्ज्वल हुई हैं।

अपराधियों के विरूद्ध जीरो टालरेन्स की नीति

- अपराधियों के विरूद्ध जीरो टालरेन्स की नीति के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रभावी एवं त्वरित कार्यवाही का ही परिणाम है कि प्रदेश में 20 मार्च 2017 से 31.08.19 तक कुल 16,583 अपराधी न्यायालय में आत्मसमर्पण कर अथवा स्वयं जमानत निरस्त कराकर जेल चले गये हैं।

- वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 03 सितम्बर 2019 तक पुलिस व अपराधियों के बीच विभिन्न अवसरों पर कुल 4604 मुठभेड़ हुई जिसमें 10098 अपराधी गिरफ्तार किये गये, 1571 घायल हुए, 94 अपराधी पुलिस की आत्मराक्षार्थ कार्यवाही मारे गये। पुलिस कार्यवाही के दौरान उक्त अवधि में 05 जवान अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए तथा 742 पुलिसकर्मी घायल हुए।
- वर्तमान सरकार के कार्यकाल में दिनांक 16.03.17 से 15.08.19 तक एन0एस0ए0 में 429 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है।
- जून 2017 से सितम्बर 2019 तक प्रदेश पुलिस द्वारा फूट पेट्रोलिंग से 1,55,32,649 संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग करते हुए 5,12,961 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर 1,92,063 अभियोग पंजीकृत कराये गये तथा संलिप्त 2,82,922 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।
- दिनांक 16.03.17 से 15.08.19 तक में वर्ष 2018/17/16 के सापेक्ष वर्ष 2019/18/17 में प्रदेश में डकैती में 24.82%, लूट में 15.54%, हत्या में 7.99%, बलात्कार में 3.10%, रोड-होल्डप में 100%, फिरोती हेतु अपहरण में 6.00%, बलात्कार में 9.93% एवं दहेज मृत्यु में 0.68% की कमी आयी है।
- अपराधों को शत-प्रतिशत दर्ज करने के जनपदों को सख्त निर्देश दिये गये हैं तथा इस उद्देश्य से पहली बार पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में एफआईआर काउण्टर खोले गये हैं।
- प्रदेश पुलिस की सक्रियता के फलस्वरूप दिनांक 01.01.19 से 15.08.2019 तक 127 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 23 अपहर्तों को सकुशल मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की गयी है।
- प्रदेश पुलिस नक्सलवादी/माओवादी गतिविधियों पर समुचित ढंग से नियन्त्रण पाने में सफल रही है। नक्सली घटनाओं के नियन्त्रण हेतु पड़ोसी राज्यों बिहार, झारखण्ड, छत्तीसगढ़ व मध्यप्रदेश से सामन्जस्य बनाया गया है। माओवादी गतिविधियों पर प्रदेश पुलिस द्वारा पर्याप्त नियन्त्रण रखते हुए सीमावर्ती देश नेपाल में माओवादी गतिविधियों पर कड़ी एवं पैनी नजर रखी जा रही है।
- दिनांक 16.03.17 से 15.08.19 तक अवधि में विगत अवधि के सापेक्ष शस्त्र अधि0 में 8.44%, जुआ अधि0 में 6.92%, एनडीपीएस अधि0 में 16.82%, आबकारी अधिनियम में 3.49%, गुण्डा अधिनियम में 2.64%, गैगेस्टर में 4.59% की अधिक कार्यवाही की गयी है।
- दिनांक 16.03.17 से 15.08.19 तक की अवधि में पुलिस द्वारा अवैध आग्नेयास्त्र के विरूद्ध कृत कार्यवाही में फैक्ट्री निर्मित बन्दूक 296, पिस्टल 275, रिवाल्वर 156, रायफल 192, ए0के0 47/56-03, एस0एल0आर0-02, स्टेन/कार्बाइन-05, हैण्ड ग्रेनेड-04, बम-8, टीएमसी-03, कारतूस-91745 व डेओनेटर-11056 एवं देशी निर्मित बन्दूक-486, पिस्टल-46456, रिवाल्वर-1933, रायफल-392, स्टेनगन/कार्बाइन-10, कारतूस-460, बम-3621, टीएमसी-07 व शस्त्र फैक्ट्री 587 बरामद की गयी।

महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश हेतु पहली बार एण्टी रोमियो स्क्वाड का गठन

- महिलाओं व लड़कियों के विरूद्ध होने वाले अपराधों पर सख्ती से अंकुश लगाये जाने हेतु त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही की गई। मुख्यमंत्री के निर्देष पर महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाओं पर पूर्णतया अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्रदेश में पहली बार एण्टी रोमियो स्क्वाड का गठन हर जिले में किया गया।
- इसके अन्तर्गत 22 मार्च 2017 से 02 सितम्बर 2019 तक सार्वजनिक स्थलों, स्कूलों, बाजारों, मॉल्स तथा अस अड्डों आदि की निगरानी करते हुए 64,88,103 व्यक्तियों को चेक कर अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध 4,438 अभियोग पंजीकृत करते हुए 7,340 के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही तथा 27,12,548 को चेतावनी दी गयी। इससे महिलाओं एवं बालिकाओं के अन्दर अभूतपूर्व आत्मविश्वास की वृद्धि हुयी है।
- महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं जागरूकता हेतु महिला सम्मान प्रकोष्ठ माह जुलाई में प्रदेश के समस्त जनपदों अभियान चलाया गया है अभियान के दौरान 18,322 स्कूलों में लगभग 38 लाख 21 हजार बच्चियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
- सरकार द्वारा लखनऊ, गोरखपुर और बदायूँ में 3 महिला बटालियन स्थापित किये जाने का भी निर्णय लिया गया है।
- महिलाओं/बच्चों के मुद्दो (बाल संरक्षण एवं मानव तस्करी, नारी सुरक्षा) पर विभिन्न सरकारी विभागों व संस्थाओं महिला कल्याण, स्वास्थ्य, श्रम, अभियोजन विभाग, चाइल्ड लाइन व बाल कल्याण समिति इत्यादि के साथ समन्वय व सामंजस्य स्थापित हेतु विशेष किशोर पुलिस इकाई व एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स की मासिक समीक्षा बैठकों का सिस्टम विकसित किया गया है।
- महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा हेतु महिला सम्मान प्रकोष्ठ द्वारा प्रदेश व्यापी 3 आपरेशन मुस्कान, आपरेशन आत्मरक्षा एवं आपरेशन डेस्ट्राय चलाये गये।
- आपरेशन मुस्कान के अन्तर्गत दिनांक 18.06.2018 से 18.08.18 तक कुल 2119 से अधिक बच्चे बरामद कर 429 बच्चे बाल कल्याण समिति को सुपुर्द एवं अन्य बच्चे अपने माता-पिता को सुपुर्द किये जा चुके हैं जिनमें 1157 बालक व 962 बालिकाएं हैं।
- आपरेशन आत्मरक्षा माह जून 2018 से 06 माह के लिए उ0प्र0 के समस्त जनपदों में चलाया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत माह जून में लगभग 573308 स्कूल/कालेज जाने वाली छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण कराया जा चुका है।
- महिलाओं एवं लड़कियों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु भारत सरकार द्वारा निर्भया फण्ड की स्थापना की गयी, जिसमें देश के 08 शहरों को चिह्नित किया गया है। इस फण्ड के अन्तर्गत लखनऊ को भी चुना गया है। निर्भया फण्ड के अन्तर्गत लखनऊ को सेफ सिटी प्लान के अन्तर्गत महिलाओं की सुरक्षा हेतु लखनऊ पुलिस वूमेन पावर लाइन-1090 तथा अन्य एजेन्सियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाआं को और उपयोगी एवं सशक्त बनाया जायेगा।

- प्रदेश में महिलाओं एवं बच्चियों के विरूद्ध घटित अपराधों की रोकथाम हेतु पोक्सो एक्ट के अभियोगों में अभियुक्तों को कठोर दण्ड दिलाये जाने के लिए वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगातार पर्यवेक्षण किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप पोक्सो एक्ट के अपराधों में वर्ष 2018 में, वर्ष 2018 में मृत्यु दण्ड के 02, आजीवन कारावास के 67 व अन्य 420 वादों में सजा हुयी है एवं वर्ष 2019 में दिनांक 31.07.19 तक आजीवन कारावास के 44 व अन्य दण्ड के 286 वादों में सजा हुयी है।
- प्रदेश में बच्चों की सुरक्षा के लिए FICCI Smart Policing Award 2019 के अन्तर्गत FICCI Smart Policing Award 2019 से सम्मानित किया गया है।

एटीएस एवं एसटीएफ को और सुदृढ़ किया गया

- प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश ए0टी0एस0 को आतंकी गतिविधियों एवं अपराधियों के विरूद्ध और अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु ए0टी0एस0 के अन्तर्गत एन0एस0जी0 की तर्ज पर जोखिम भरे आपरेश को विशेषज्ञ तरीके से संचालित करने हेतु SPOT (Special Police Operation Teams) का गठन किया गया है।
- जनपदीय पुलिस के (SWAT) कर्मियों को आतंकवादी गतिविधियों तथा कानून-व्यवस्था की विषम परिस्थितयों से निपटने हेतु अत्याधुनिक प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश में वर्तमान में 6 स्वाट टीम तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है।
- डिजिटल इण्डिया की दिशा में प्रदेश में अपराध, अपराधिक गतिविधियों एवं अपराधिक घटनाओं परप्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से यूपी पुलिस द्वारा सेन्ट्रलाइज्ड ऑनलाइन क्रिमिनल डाटाबेस आईडेन्टीफिकेशन ऐप 'त्रिनेत्र (TRINETRA)' विकसित किया गया है। यह देश का पहला ऐप है जिसमें आर्टीफिशयल इण्टेलिजेन्स, न्यूरल नेटवर्क तथा फेस रिकग्निशन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसमें प्रदेश के जेल एवं जनपदों का लगभग 5 लाख से अधिक अपराधियों का डाटा उपलब्ध है तथा प्रतिदिन इन ऑकड़ों में वृद्धि हो रही है। जिसका प्रयोग अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम हेतु किया जा रहा है।
- अपराध तथा अपराधियों के सर्विलांस एवं मॉनिटरिंग के लिए प्रदेश पुलिस द्वारा विकसित किये गये TRINETRA App को FICCI Smart Policing Award 2019 से सम्मानित किया गया है।
- आम नागरिकों को प्रदान की जाने वाली नागरिक सुविधाओं को धरातल पर आसानी से उपलब्ध कराने हेतु UP COP मोबाइल ऐप तैयार कर लॉन्च किया गया है। इससे आमजन को पुलिस विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जा 27 प्रकार की सेवाओं का लाभ मिल रहा है।

सोशल मीडिया पर पैनी नजर

- उ0प्र0 पुलिस सोशल मीडिया के माध्यम से फैलायी जाने वाली अफवाहों को रोकने के लिए प्रदेश के समस्त थानों पर डिजिटल वॉलन्टियर के नाम स व्हाट्सएप ग्रुप बनाये गये। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अभी तक लगभग 02 लाख लोगों को डिजिटल वॉलन्टियर बनाया गया है। जो गुमशुदा लोगों की तलाश करने में काफी सहायक सिद्ध हो रहे हैं हाल ही में जनपद गोरखपुर की महिला को पश्चिम बंगाल से थाना बांसगाँव जनपद गोरखपुर

के डिजिटल वॉलन्टियर की मदद से खोजा गया है तथा जनपद एटा के थाना मलावन के डिजिटल वॉलन्टियर ग्रुप की मदद से 13 वर्षीय किशोरी को उसके परिजनों तक पहुँचाया गया है।

- CCPWC (Cyber Crime Prevention againt Women and Children) योजना के अन्तर्गत Cyber Forensic Lab cum Training Centre Capacity Building Outsourcing Man Power के लिए रु. 470.85 लाख की स्वीकृत किये गये हैं।
- सोशल मीडिया खासकर Whatsapp के माध्यम से फैलने वाली अफवाहों की रोकथाम व उनके खण्डन हेतु पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा दिनांक 13.07.2018 को प्रत्येक थाने पर एक Whatsapp Group बनाकर उसमें डिजिटल वॉलन्टियर को जोड़ने के लिए सभी जनपदों को एक परिपत्र निर्गत किया गया है। उक्त क्रम में अभी तक सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 2,40,000 लोगों को डिजिटल वॉलन्टियर ग्रुप के माध्यम से जोड़ा जा चुका है। हाल ही में बच्चा चोरी की अफवाहों की रोकथाम हेतु पुलिस महानिदेशक महोदय एवं अन्य उच्चाधिकारियों की वीडियों बाइट इन वाट्सएप ग्रुपों में, प्रत्येक थाना क्षेत्र के आमजनों तक बच्चा चोरी की अफवाहों पर ध्यान न देने के पुलिस तथा यूपी 100 की मदद लेने के लिए प्रेषित की गयी।
- उ0प्र0 पुलिस के ट्विटर हैण्डल पर त्वरित रिस्पांस के कारण विदेशों से भी अक्सर भारतीय मूल के लोगों के द्वारा ट्वीट किया जाता रहा है। जिसके दृष्टिगत दिनांक 22.05.2018 को समस्त अप्रवासी भारतीय नागरिकों के लिए एक प्रथक ट्विटर हैण्डल/UPPoINRI लांच किया गया है। उक्त ट्विटर हैण्डल के माध्यम में भारतीय मूल के विदेशों में रह रहे उत्तर प्रदेश के लोगों की समस्या का समाधान कराया जा रहा है।
- सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हुए जनता की समस्याओं का त्वरित निस्तारण कराये जाने के लिए फलस्वरूप वर्ष 2017 में उ0प्र0 पुलिस को 04 Award (FICCI Award for Best Practices in SMART Policing 2017, Police Excellence Award, Social Media For Empowerment, Digital Enabler Award एवार्ड प्राप्त हुए।
- ट्विटर के माध्यम से प्राप्त दिनांक 20.03.2018 से 31.07.2019 तक एफ.आई.आर. पंजीकरण न किये जाने विषयक शिकायतों को निस्तारित करते हुए सम्बन्धित जनपदों को ट्वीटर कर कुल 6,369 एफ.आई.आर. पंजीकृत करायी गयी।
- ट्विवीटर के माध्यम से पुलिस कर्मचारी के विरूद्ध शिकायतों पर 623 पुलिस कर्मियों के निलम्बन, 371 पुलिस कर्मियों का पुलिस लाइन स्थानान्तरण, 107 पुलिस कर्मियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. एवं 693 प्रकरणों में जाँच करायी गयी।

अन्य विशेष अवसरों पर भी हुई सुदृढ़ पुलिस व्यवस्था

- समय-समय पर विशेश आयोजनों में भी पुलिस द्वारा उल्लेखनीय योगदान किया गया है। यथा जनपद लखनऊ में दिनांक 21 एवं 22 फरवरी, 2018 को आयोजित यू0पी0 इन्वेस्टर्स समिट 2018 के विश्वस्तरीय सफल एवं सुरक्षित आयोजन में उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों के नेतृत्व क्षमता एवं समन्वय की महती भूमिका रही जिसकी राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर प्रशंसा की गयी।

- इसी प्रकार विगत 06 नवम्बर, 2018 को भारत बनाम वेस्टण्डीज के मध्य एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय टी-20 क्रिकेट मैच का आयोजन जनपद लखनऊ स्थित स्व0 अटल बिहारी अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (इकाना) में सकुशल सम्पन्न कराया गया।
- प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिनांक 03 अक्टूबर, 2018 से इण्डिया साइंस काग्रेस का आयोजन किया गया जिसमें भारत वर्ष के विभिन्न राज्यों से हजारों वैज्ञानिकों ने प्रतिभाग किया इस अवसर पर अचूक एवं सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित की गयी।
- दिनांक 24 एवं 25 नवम्बर, 2018 को जनपद अयोध्या में शिवसेना द्वारा सम्मान समारोह एवं विश्व हिन्दू परिषद द्वारा आयोजित धर्मसभा आदि वृहद कार्यक्रमों को निर्बाध रूप से सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु अथक परिश्रम से उच्च स्तरीय पुलिस प्रबन्ध किये गये। यह आयोजन पुलिस विभाग के लिए सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील एवं चुनौतीपूर्ण था। उक्त अवसर पर अधिकारी अभिउन्मुख व्यवस्था सुनिश्चित करायी गयी जिससे यह आयोजन अत्यन्त अधिकारी व शान्तिपूर्ण सम्पन्न हो सका।
- दिनांक 08.02.2018 को ग्रेटर नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर में विश्वस्तरीय Vehicle Expo-2018 का आयोजन हुआ, जिसमें विश्व की सभी नामचीन कम्पनियों द्वारा प्रतिभाग किया गया, इस दौरान उच्चस्तरीय त्रुटिरहित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गयी।
- प्रदेश के अन्दर विभिन्न निर्वाचनों में सफल भूमिका निभाने के साथ-साथ पीएसी के जवानों ने प्रदेश के बाहर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ एवं तेलंगाना आदि राज्यों के विधानसभा चुनावों को निष्पक्ष एवं भय मुक्त बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। सितम्बर 2017 से शुरू हुई लखनऊ मैट्रो रेल की अचूक सुरक्षा व्यवस्था करने में भी पीएसी बल महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु राज्य आपदा मोचन बल का गठन

- प्रदेश में दैवीय तथा अन्य आपदाओं में राहत पहुँचाने के लिए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की तर्ज पर राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) के गठन की प्रक्रिया को गति प्रदान की गयी। राज्य आपदा मोचन बल में कुल 3 कम्पनियां क्रियाशील की जा चुकी है तथा 3 अन्य कम्पनियों के गठन की कार्यवाही प्रचलित है। राज्य आपदा मोचन बल में कुल 535 पदों का सृजन किया गया है, जिसके सापेक्ष 350 कर्मचारियों की नियुक्ति/सम्बद्धता की जा चुकी है।
- राज्य आपदा मोचन बल में अत्याधुनिक/विशेष प्रकार के उपकरणों की खरीद हेतु रु. 41 करोड़ तथा वाहनों के क्रय हेतु रु. 4.68 करोड़ की धनराशि प्रदान की गयी है तथा राज्य आपदा मोचन बल के आवासीय भवन का निर्माण कार्य 31 प्रतिशत एवं अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य 16 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है।

कुम्भ मेला

- वर्ष 2019 में प्रयागराज में आयोजित कुम्भ मेला में प्रदेश पुलिस द्वारा उल्लेखनीय योगदान किया गया कुम्भ मेला को पुलिस की सतर्कता व कड़ी चौकसी के कारण पूर्णतया निर्विघ्न एवं शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने में सफलता प्राप्त की गयी। लगभग 3200 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैले कुम्भ क्षेत्र को 10 जोन एवं 20 सेक्टर में विभाजित कर चप्पे-चप्पे की निगरानी

हेतु 1100 सीसी टीवी कैमरा लगाये गये। इसके अलावा 96 कंट्रोल वाच टावर एवं 1242 वायरलेस ग्रिड स्थापित किये गये। सम्पूर्ण मेला क्षेत्र को 40 पुलिस थाने एवं 58 पुलिस चौकियों में विभक्त कर लगभग 21 हजार पुलिस कर्मियों की तैनाती की गयी।

- वर्ष 2019 में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को कुम्भ मेला बन्दोबस्त एवं वीवीआईपी ड्यूटी के कुशल प्रबन्धन हेतु FICCI Smart Policing Award 2019 के अन्तर्गत Special Jury Award For Outstanding Initiative से सम्मानित किया गया है।
- मेला क्षेत्र की सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सम्पूर्ण मेला क्षेत्र में उपरोक्त के अलावा 14 कम्पनी पीएसी कानून व्यवस्था हेतु व 6 बाढ़ राहत पीएसी कम्पनी मेला स्नान क्षेत्र में लगायी गयी। इसके अलावा 2 टीमें एसडीआरएफ व दो कम्पनी उत्तराखण्ड पीएसी की भी तैनात की गयी थी। साथ ही साथ अर्द्ध सैनिक बलों यथा आर0ए0एफ0, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ व एसएसबी की 39 कम्पनियाँ भी तैनात की गयीं। एनडीआरएफ की 10 टीमें, एनएसजी व एसटीएफ एक-एक टीम, एटीएस 2 टीमें, बम निरोधक दस्ते की 5 टीमें, एन्टी सबोटास हेतु 18 टीमें व 4 स्पोर्ट्स टीमें भी लगायी गयीं।
- सम्पूर्ण मेला क्षेत्र पर प्रभावी नियंत्रण हेतु अत्याधुनिक तकनीक एवं व्यवस्थाओं से सुस्ज्जित एक **अत्याधुनिक इंटीग्रेटेट कंट्रोलरूम** की स्थापना की गयी। हाइटेक कुम्भ पुलिस कंट्रोलरूम को एक हजार से अधिक सीसीटीव कैमरा, 80 वैरियेबल मैसेज डिस्प्ले, वायरलेस, यूपी-100, कुम्भ हेल्प लाइन नम्बर 1920, नेटवर्क व वार रूम आदि आधुनिक सुविधाओं से भी जोड़ा गया। इसके माध्यम से भीड़ प्रबन्धन, यातायात नियंत्रण एंव सुरक्षा व्यवस्था संबंधी स्थिति का आकलन करके त्वरित निर्णय लेकर अपेक्षित कार्यवाही की गयी। किसी भी सूचना पर त्वरित कार्यवाही, मुख्य स्थान पर्व, अखाड़ा जुलूस एवं शाही स्नान, विभिन्न अवसरों तथा वीवीआईपी/वीआईपी मूवमेन्ट में बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ। प्रथम बार कुम्भ मेला में डिजिटल हैण्डहेल्ड सेट, स्टैटिक सेट, रिपीटर सेट का प्रयोग किया गया।
- कुम्भ में आने वाले स्नानार्थियों, श्रद्धालुओं की सहायता के लिए **कुम्भ हेल्प लाइन 1920** बनाया गया। इस हेल्पलाइन में 30 वक स्टेशन जिन पर 30 काल टेकर निरन्त उपस्थित रहे, सभी कालों को सुनकर समुचित दिशा-निर्देश दिया गया। डायल-100 नेटवर्क पर 50 बड़े व 200 छोटे वाहनों का प्रयोग करके पीआरवी चलायी गयी थी।
- आपदा प्रबन्धन योजना के दृष्टिकोण से **वॉर रूम** बनाया गया। इस रूम में एनएसजी, एटीएस, एनडीआरएफ, पीएसी, अन्य सरकारी विभागों-लोक निर्माण, विद्युत, स्वास्थ्य आदि के प्रतिनिधि बैठते थे। किसी भी आकस्मिकता पर प्रशासनिक कार्यवाही त्वरित रूप से कार्य करेगा। इसमें 01 स्टैटिक वायरलेस सेट, 05 लेण्ड फोन, 01 इण्टरकाम व एलईडी टीवी लगाया गया।
- सीसीटीवी कैमरा मानीटरिंग रूप के माध्यम से 1056 सीसीटीव कैमरों के नेटवर्क में लगभग 450 कैमरे कुम्भ क्षेत्र में व 550 कैमरे प्रयागराज सिटी व 50 कैमरे शहर के सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिष्ठापित किए गए। यहां पर 5 वीडियो वाल्स, 20 वर्क स्टेशन जिन पर आपरेटर

निरंतर मौजूद रहे। सीसीटीवी मानीटरिंग रूप द्वारा ही महत्त्वपूर्ण स्थानों पर लगे 40 वीएमडीएस कन्ट्रोल की जाती थी। सीसीटीवी के सभी सेक्सन इण्टरकाम से जुड़े थे, किसी भी सेक्सन पर सूचना प्राप्त होते ही त्वरित कार्यवाही की गयी।

- भीड़ प्रबन्धन हेतु आधुनिक कन्ट्रोल रूम के द्वारा यातायात नियमों व योजनाओं, एकल दिशा मार्ग को सम्यक रूप से संचालित किया गया साथ ही ड्रोन के माध्यम से भीड़ नियंत्रण में विशेष सतर्कता वरती गयी।
- वाहनों के समुचित पार्किंग हेतु लगभग 1300 एकड़ क्षेत्र में 95 पार्किंग स्थल व 18 सेटेलाइट बनाये गये। गुमशुदा लोगों की जानकारी हेतु 15 कम्प्यूटरीकृत खोया पाया केन्द्र बनाये गये।
- आग से बचाव हेतु 40 फायर स्टेशन, 40 फायर वाच टावर व 15 सब फायर स्टेशन बनाये गये। विगत 14 जनवरी, 2019 से 4 मार्च, 2019 तक की अवधि में कुल अग्निकांडों की संख्या 55 रही जिसमें 12 करोड़ 58 लाख 99 हजार रुपये मूल्य की सम्पत्ति को आग से बचाया गया तथा 7 व्यक्तियों की जीवन रक्षा की गयी।
- पूर्व में श्रद्धालुओं को गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए पानी में बल्ली और रस्सों से डीप वाटर बैरिकेडिंग का निर्माण किया जाता था। श्रद्धालु रस्सों को पार कर गहरे पानी में चले जाते थे जिससे उनकी डूबने की आशंका बनी रहती थी। साथ ही जल पुलिस कर्मियों को लगातार ठण्डे पानी में खड़े रहकर निगरानी करनी पड़ती थी। नवीन व्यवस्था में श्रद्धालु को गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए बैरिकेडिंग थर्मो-प्लास्टिक के फ्लोटिंग ब्लाक्स को जोड़ कर तथा नीचे जाली लगाकर बनायी गयी परिणामस्वरूप पुलिस कर्मियों द्वारा बैरिकेडिंग पर खड़े रहकर कर्त्तव्यों का निर्वहन किया गया तथा श्रद्धालुओं को सुगम स्नान कराया गया।
- पुरानी व्यवस्था में नावों को आपस में टकराने से रोकने के लिए नदी में रस्से और ड्रम से फ्लोटिंग ड्रम लाइन बनाकर नाव हेतु एकल दिशा मार्ग की व्यवस्था की जाती थी। इस व्यवस्था में नाविक रस्से को उठाकर नाव पार कर ले जाते थे। रात में ड्रम दिखाई न पड़ने के कारण नावों के टकराने की आशंका बनी रहती थी। पुरानी व्यवस्था मं नावों पर चढ़ने के लिए बल्लियाँ, पटरे और बालू की बोरियों से जेट्टी का निर्माण किया जाता था, जो असुविधाजनक व असुरक्षित थी।
- नवीन व्यवस्था में थर्मो-प्लास्टिक के फ्लोटिंग ब्लाक्स को जोड़ कर सौर ऊर्जा का प्रयोग कर, रिफ्लेक्टिव रिवर लाइन बनायी गयी, जिसके परिणाम स्वरूप नावों की यातायात व्यवस्था बहुत ही अच्छी रही वाटर लाइन रिफ्लेक्ट होने से रात्रि में भी नावों के आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई तथा नावों के टकराने की कोई घटना घटित नहीं हुई। नवीन व्यवस्था में थर्मो-प्लास्टिक के फ्लोटिंग ब्लाक्स को जोड़ कर फ्लोटिंग जेट्टी का निर्माण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप श्रद्धालुओं को नाव पर चढ़ने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई साथ ही यह देखने में सुरक्षित एवं आकर्षक है।
- जल यातायात एवं सुगम स्नान कराए जाने हेतु थर्मो-प्लास्टिक के फ्लोटिंग ब्लाक्स को जोड़ कर जीवन रक्षक उपकरणों से सुसज्जित अत्याधुनिक वाटर कन्ट्रोल रूप की स्थापना की

गयी है। इस कन्ट्रोल रूप में चिकित्सक व जीवन रक्षक औषधियों के साथ जल पुलिस व एनडीआरएफ व एसडीआरएफ की टीमें तैनात रही।

- कुम्भ में स्नानार्थियों को रात्रि में स्नान करते समये प्रकाश की व्यवस्थो हेतु गंगा/यमुना में घाटों एवं रीवर लाइन में इसकी आवश्यकतानुसार प्रयोग किया गया और इसके प्रयोग से नाव के संचालन में काफी सुविधा प्राप्त हुई। वाटर कन्ट्रोल रूप पर भी आस्का लाइट का आवश्यकतानुसार प्रयोग किया गया।
- पूर्व में स्नान हेतु अलग घाट की व्यवस्था नहीं थी। इस वर्ष संगम मध्य में स्नान हेतु रेस्क्यू स्टेशन से घाट की व्यवस्था नई तकनीकि से अलग की गयी थी जिससे यात्रियों को सुरक्षित स्नान कराया गया। पूर्व में नावों पर लाइफ जैकेट की व्यवस्था नहीं थी। इस कुम्भ में नावों पर स्नानार्थियों के सुरक्षार्थ प्रत्येक नावों पर लाइफ जैकेट की व्यवस्था की गयी थी।
- इस कुम्भ में जल के अन्दर मोबाइल पाटी, वाटर स्कूटर, रेस्क्यू आपेरशन वोट, जल एम्बुलेंस, डाइविंग सूट के साथ गोताखोरों को नियुक्त किया गया था जिनके द्वारा लगातार चक्रमण किया जाता रहा। नई तकनीकि व जल पुलिस के सहयोगी के रूप बाढ़ राहत पीएसी दल, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एटीएस, उत्तराखण्ड पुलिस व पीएसी के पूर्ण सहयोग रहा। ड्यूटी व्यवस्थापन नियोजित ढंग से जीवन रक्षक उपकरण के साथ तैनात किया गया था। परिणामस्वरूप विश्व स्तरीय ऐतिहासिक कुम्भ मेला 2019 को सकुशल सम्पन्न कराया गया।
- कुम्भ मेला में आने वाले मार्गों, पार्किंग स्थलों से स्नानार्थियों के भीड़ का आकलन, भीड़ नियंत्रण, सर्विलांस व मेला क्षेत्र को कवरेज करने में प्रयोग किया गया, जिसका परिणाम अच्छा रहा।
- मेला क्षेत्र में बड़े महावीरजी मंदिर अक्षयवट, गंगा पण्डाल, गंगा प्रदर्शनी, संस्कृतिग्राम, वैदिक टेण्ट सिटी आदि महत्त्वपूर्ण संस्थानों, पण्डालों व दर्शनीय स्थलों पर 27 बैगेज स्केनर लगाया गया था, जिसका परिणाम अच्छा रहा।
- पारम्परिक पब्लिक एड्रेस सिस्टम के साथ-साथ कुम्भ में प्रथम बार पूर्णतया 15 कम्प्यूटराइज्ड खोया-पाया केन्द्र की स्थापना विभिन्न सेक्टरों में की गयी थी। सभी केन्द्रों को अत्याधुनिक संचार प्रणाली की इण्टर कनेक्टेड किया गया था तथा एलईडी स्क्रीन पर खोये-पाये श्रद्धालुओं की फोटो सहित जानकारी प्रसारित की जा रही थी। खोया-पाया केन्द्र के माध्यम से कुल पाए 23727 व्यक्तियों एवं अन्य माध्यम से 13212 व्यक्तियों की मदद की गयी है।
- सोशल मीडिया का उपयोग पहली बार कुम्भ मेला 2019 के दौरान किया गया जहाँ जागरूकता अभियानों ने काफी हद तक लोगों के बीच लोकप्रियता हासिल की इसके अन्तर्गत ट्वीटर, फेसबुक, वाटसप व यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म का प्रयोग लोगों से जुड़ने के लिए किया गया।
- **Heads of Missions Visit-** 72 देशों के हेड्स आफ मिशन द्वारा कुम्भ का भ्रमण कर संगम तट पर अपने राष्ट्र ध्वज फहराया गया। हेड आफ मिशन समस्त तैयारियों को देखकर बहुत उत्साहित हुए और अपने देश के नागरिकों के साथ कुम्भ का भ्रमण किया।

यूपी 100 सेवा का सुदृढ़ीकरण

- संकल्प पत्र के अनुरूप यूपी 100 परियोजना में व्यापक सुधार एवं विस्तार करने की प्रक्रिया के अन्तर्गत 1600 दो पहिया वाहनों का व्यवस्थापन किया गया तथा डायल 100 सेवा का जनपदीय पुलिस से बेहतर सामंजस्य स्थापित किए जाने के लिए जनपदीय अधिकारियों हेतु मोबाइल एप्लीकेशन, वेब मॉड्यूल एवं डैशबोर्ड यूपी 100 क वाहनों के द्वारा गस्त व्यवस्था के प्रभावी नियोजन एवं पर्यवेक्षण के लिए पैट्रोल मैनेजमेन्ट सिस्टम क्रियान्वित रिस्पान्स टाइम हमारे संकल्प पत्र की घोषणा के अनुरूप 14.00 मिनट रहा।
- यूपी-100 के वाहनों के संचालन, पयर्वेक्षण एवं अनुरक्षण हेतु परिवहन शाखा की 4493 पदों का सृजन किया गया है।
- यूपी-100 सेवा का 112 इमरजेन्सी नंबर, 108 एम्बुलेंस सेवा, 100 अग्निशमन सेवा एवं जीआरपी सेवा के साथ एकीकरण का कार्य कर दिये जान से आम जनता को अलग-अलग बात नहीं करनी पड़ेगी।

पुलिसकर्मियों के कल्याण हेतु विशेष प्रयास

- पुलिस विभाग में भर्ती पदोन्नति प्रक्रिया को पारदर्शी एवं पक्षपात रहित बनाने के लिए सरकार द्वारा नियमावलियों में संशोधन की कार्यवाही की गयी, आरक्षी भर्ती में लिखित परीक्षा को सम्मिलित करने का प्रावधान किया गया है।
- सरकार द्वारा प्रदेश पुलिस के अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों को दिये जा रहे वदी भत्ता/प्रतिपूर्ति भत्ते में वृद्धि करते हुये हेड कान्स्टेबल/कान्स्टेबल एवं उसके समतुल्य पदधारकों के भत्ते को रु. 2250 से बढ़ाकर रु. 3000 तथा चतुर्थ श्रेणी एवं उसके समतुल्य पदधारकों के भत्ते को रु. 1500 से बढ़ाकर रु. 2000 किया गया है।
- सरकार द्वारा पुलिस बल साइकिल भत्ता की वर्तमान दर रु. 100 को बढ़ाकर रु. 200 प्रतिमाह किया गया।
- वर्तमान सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस के शहीदों को दी जाने वाली अनुग्रह धनराशि को 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख किया गया तथा उनके माता पिता को दी जाने वाली धनराशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख किया गया।
- उत्तर प्रदेश पुलिस के राजपत्रित अधिकारियों कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा पौष्टिक आहार भत्ते को बढ़ाने का निर्णय लेते हुए चतुर्थ श्रेणी को दिए जाने वाले पौष्टिक आहार भत्ते को 950 से बढ़ाकर 1350 कर दिया गया है, इसी प्रकार मुख्य आरक्षी व आरक्षियों को 1050 से बढ़ाकर 1500 कर दिया गया, तथा उपनिरीक्षक एवं लिपिक संवर्ग के लिए इस भत्ते को 900 से बढ़ाकर 1200 कर दिया गया है।
- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अराजपत्रित/राजपत्रित पुलिस कर्मियों को ''पुलिस महानिदेशक का प्रशंसा चिह्न'' प्रदान किया जाने की संख्या प्रति वर्ष 200 से बढ़ाकर स्वतन्त्रता दिवस व गणतन्त्र दिवस के अवसर पर 475-475 (रजत-250, स्वर्ण-150, हीरक-75) कुल 950 कर दी गई है।
- सरकार द्वारा ऐसे पुलिस कर्मी जो जोखिम भरा कार्य करने के दौरान कोमा में चले जाते

हैं और उनके अवकाश समाप्त हो जाने से उनके वेतन भुगतान में उत्पन्न कठिनाई के निराकरण के लिए उनको असाधारण पेंशन अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है।

यातायात व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रयास

- सप्ताह में प्रत्येक बुधवार को पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा ''हेलमेट एवं सीटबेल्ट दिवस'' के रूप में मनाये जाने के निर्देश दिये गये।
- ट्रैफिक एप्प 21.06.2018 को लान्च किया गया है। इसका संचालन सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। यूपी ट्रैफिक पुलिस एप्प को डाउनलोड किये जाने हेतु जनमानस में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है। जनमानस इस एप्प के माध्यम से सहायता, यातायात एलर्ट, एडवायजरी व रिक्ट्रक्शन आदि प्राप्त कर अपना सुझाव, शिकायत व फीडबैक दे सकते हैं। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में एप्प द्वारा अब तक कुल 60197 एलर्ट जारी किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त जनपदीय क्रेन संचालक का टेलीफोन नम्बर एवं पता भी अंकित किया गया है। गूगल प्ले स्टोर से UP Traffic Police App अपने एन्ड्रायड फोन में डाउनलोड करके इस सुविधा का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
- इस एप्प में पुलिस कर्मियों हेतु उनके ड्यूटी प्वाइंट से यातायात संबंधी एलर्ट जारी किये जात हैं जो जनपदीय एडमिन के पास वेबसाइट पर जाता है, एडमिन द्वारा तत्काल प्रसारित कर दिया जाता है। ड्यूटी पर तैनात यातायात पुलिस कर्मी द्वारा उस स्थल को Trace किया जा सकता है।

कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण कदम

- जनता को पुलिस विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं को जन सेवा केन्द्रों द्वारा ई-डिलीवरी तथा उत्तर प्रदेश पुलिस के पोर्टल के माध्यम स प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। अब कोई नागरिक स्वेज Article, Complaint Registration, Character Certificate, Tenant Verification, Servant Verification, Police Verification की सुविधाएं ऑनलाइन अथवा ई-डिलीवरी के माध्यम से बिना पुलिस थाने या कार्यालय के चक्कर लगाये पा सकता है।
- जनसेवा केन्द्रों तथा उत्तर प्रदेश पुलिस के विभागीय पोर्टल के माध्यम से पुलिस द्वारा जनता को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के विभागीय शुल्क व यूजर चार्जेज को पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से ऑनलाइन जमा करने की सुविधा प्रदान की गयी। इससे आम नागरिक घर बैठे खोयी वस्तुओं की रिपोर्ट, ऑनलाइन शिकायतों का पंजीकरण, चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन प्रमाण-पत्र तथा वाहन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकेंगे।
- CCPWC- Cyber Crime prevention against women and children हेतु अनुपूरक अनुदान के माध्यम से रु. 490.85 लाख की व्यवस्था करायी गयी है, जिसके सापेक्ष Cyber Forensic Lab cum Training Centre, Capacity Building Outsourcing Man power के लिए आवश्यक धनराशि एवं जरूरी पदों की व्यवस्था के संबंध में कार्यवाही हो रही है।

●

कारागार प्रशासन एवं सुधार

उद्देश्य

समाज में कानून के शासन एवं शान्ति व्यवस्था स्थापित करने में कारागार प्रशासन की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है तथा यह न्यायपालिका एवं पुलिस प्रशासन के साथ आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्त्वपूर्ण अंग है। कारागार प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य कारागारों में निरुद्ध बंदियों का सुरक्षित रख-रखाव करना तथा उनके सुधार के विभिन्न उपाय सुनिश्चित करते हुए उन्हें पुनर्वासन हेतु तैयार करना है, ताकि वे कारागारों में संचालित विभिन्न शैक्षिक एवं कौशल विकास कार्यक्रमों का लाभ लेकर इस योग्य बन सके कि रिहाई के उपरान्त वह समाज में पुनर्स्थापित हो जाये। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रदेश की सभी कारागारों में जहाँ सुरक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है वहीं बंदियों के लिये साक्षरता, शैक्षिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के साथ उनके व्यवहार में सुधार एवं परिमार्जन योग, खेलकूद, व्यायाम, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का निरन्तर आयोजन किया जा रहा है।

कारागार संस्थाऐं तथा वर्गीकरण

प्रदेश के कारागारों का वर्गीकरण बंदी क्षमता तथा बंदियों को दिये गये दण्ड की अवधि के आधार पर किया गया है। वर्तमान में प्रदेश में बंदियों के निरुद्धीकरण हेतु विभिन्न श्रेणी की 71 कारागारें संचालित हैं। कारागार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु संचालित डॉ0 सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ में प्रदेश के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के साथ-साथ अन्य प्रदेशों के कारागार अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाता है। सभी केन्द्रीय कारागारों, आदर्श कारागार लखनऊ तथा कतिपय जिला कारागारों में स्थापित उद्योगों में उत्पादित वस्तुओं के विक्रय एवं जनता में प्रदर्शन हेतु अमीनाबाद, लखनऊ में जेल डिपो स्थापित है।

उत्तर प्रदेश में संचालित 71 कारागारों को सुचारू रूप से संचालित करने तथा उनका प्रभावी पर्यवेक्षण कराने हेतु इन्हें 09 परिक्षेत्रों के अधीन संचालित कराया जा रहा है। परिक्षेत्रीय कार्यालयों के अन्तर्गत कारागारों की श्रेणीवार संख्या निम्न तालिका में तथा विभाग का संगठनात्मक ढांचा अवलोकनीय है।

क्र. सं.	परिक्षेत्र	केन्द्रीय कारागार	जिला कारागार	उप कारागार	आदर्श कारागार	किशोर सदन	नारी बंदी निकेतन	योग
1.	आगरा	01	07	-	-	-	-	08
2.	मेरठ	-	07	01	-	-	-	08
3.	प्रयागराज	01	06	01	-	-	-	08
4.	लखनऊ	-	06	-	01	-	01	08

5. गोरखपुर	-	08	-	-	-	-	08
6. बरेली	01	07	-	-	01	-	09
7. वाराणसी	01	06	-	-	-	-	07
8. कानपुर	01	08	-	-	-	-	09
9. अयोध्या	-	06					06
योग	**05**	**61**	**02**	**01**	**01**	**01**	**71**

कारागार संस्थाओं का संक्षिप्त पचिय

आदर्श कारागार लखनऊ

जनपद लखनऊ में संचालित केन्द्रीय कारागार को वर्ष 1949 में अच्छे आचरण के बंदियों के सुधार हेतु आदर्श कारागार के रूप में स्थापित किया गया। प्रदेश की विभिन्न कारागारों में निरुद्ध अच्छे आचरण के 45 वर्ष से कम आयु के सिद्धदोष बंदियों, जिन्होंने किसी कारागार में कम से कम 01 वर्ष की सजा व्यतीत कर ली हो, को आदर्श कारागार में निरुद्ध करने का प्रावधान है। आदर्श कारागार में निरुद्ध बंदियों को सुधार के 5 सोपानों क्रमशः स्वागत भवन, यमुना भवन, गंगा भवन, आजाद बैरक तथा कृषि फार्म में रखा जाता है। प्रारंभ में बन्दी को 6 माह तक की अवधि के लिए स्वागत भवन में निरुद्ध रहने के पश्चात यमुना भवन में तथा उसके बाद गंगा भवन में स्थानान्तरित किया जाता है। गंगा भवन मे बंदियों को उद्योगों में काम पर लगाया जाता है तथा काम के लिए निर्धारित पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है।

केन्द्रीय कारागार

वर्तमान में प्रदेश में 05 केन्द्रीय कारागार संचालित हैं। प्रदेश में सर्वप्रथम वर्ष 1844 में केन्द्रीय कारागार आगरा, 1848 में केन्द्रीय कारागार बरेली, 1867 में केन्द्रीय कारागार लखनऊ, 1868 में केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़, 1869 में केन्द्रीय कारागार नैनी (इलाहाबाद) तथा वर्ष 1877 में केन्द्रीय कारागार वाराणसी की स्थापना हुयी। प्रदेश में स्थापित उक्त 06 केन्द्रीय कारागारों में से केन्द्रीय कारागार लखनऊ को वर्ष 1949 में आदर्श कारागार के रूप में स्थापित किया गया। केन्द्रीय कारागारों में लम्बी सजा के सिद्धदोष बन्दी निरुद्ध किये जाते हैं जहाँ उन्हें श्रम करने तथा इसके एवज में निर्धारित दरों पर पारिश्रमिक अर्जन के अवसर उपलब्ध होते हैं। वर्तमान में प्रदेश में स्थापित 05 ही केन्द्रीय कारागारों में बंदियों को निरुद्ध रखने हेतु उपलब्ध 7839 की क्षमता के सापेक्ष 11788 बंदी निरुद्ध हो रहे हैं जो डेढ़ गुना हैं।

जिला कारागार

वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सृजित कुल 75 जनपदों में से मात्र 61 जनपदों में जिला कारागार संचालित हो रही हैं। न्याय एवं प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु प्रत्येक जनपद में जिला कारागार की व्यवस्था अत्यन्त आवश्यक है। वर्तमान में 04 जनपदों क्रमशः अम्बेडकर नगर, श्रावस्ती, संतकबीर नगर तथा प्रयागराज में जिला कारागारों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। नवनिर्मित जिला कारागार चित्रकूट का लोकार्पण मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा चुका है तथा यह क्रियाशील हो गयी है। शेष 10 कारागार विहीन जनपदों में जिला कारागारों के निर्माण हेतु भूमि चयन की कार्यवाही प्रचलित है।

उप कारागार

वर्तमान में प्रदेश में दो उप कारागारें क्रमशः उप कारागार महोबा तथा देवबन्द क्रियाशील हैं। उप कारागार

देवबन्द की उपलब्ध बंदी क्षमता 131 है जब कि कारागार मे 244 बंदी निरुद्ध हो रहे हैं। इसी प्रकार उप कारागार महोबा की क्षमता मात्र 175 है तथा यहाँ 418 बंदी निरुद्ध हो रहे हैं।

नारी बंदी निकेतन लखनऊ तथा महिला कारागारें

तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिये दण्डित सिद्धदोष महिला बंदियों को नारी बंदी निकेतन लखनऊ में निरुद्ध किया जाता है, जहाँ उनके सुधार, कल्याण तथा रिहाई के उपरान्त समाज में पुनर्स्थापित तथा पुनर्वासित होने के लिए विभिन्न रोजगारपरक उद्यम संचालित हो रहे हैं। इन उद्यमों में निर्धारित दरों पर श्रम के एवज में पारिश्रमिक दिया जाता है। महिला बंदियों तथा उनके साथ रह रहे बच्चों के लिये पृथक रसोईघर/पाकशाला, स्वास्थ्य परीक्षण कक्ष/अस्पताल तथा क्रेच की सुविधा है। अपनी माता के साथ रह रहे बच्चों को 03 वर्ष की आयु के पश्चात समीपस्थ पाठशाला में शिक्षा ग्रहण करने हेतु भेजने की व्यवस्था है। इन बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु समय-समय पर इन्हें चिड़ियाघर, आंचलिक विज्ञान केन्द्र आदि दर्शनीय तथा शिक्षा परक स्थलों का भ्रमण कराया जाता है। नारी बंदी निकेतन, लखनऊ के अतिरिक्त प्रदेश की 03 कारागारों क्रमशः जिला कारागार लखनऊ, अलीगढ़ तथा अयोध्या में पृथक महिला कारागार स्थापित की गयी हैं। अन्य शेष कारागारों में निरुद्ध महिला बंदियों को अलग अहाते/बैरक में निरुद्ध किया जाता है।

किशोर सदन, बरेली तथा अल्पवयस्क कारागारें

एक वर्ष से अधिक सजा अवधि एवं 19 से 23 वर्ष की आयु के सिद्धदोष अल्पवयस्क बंदियों को किशोर सदन, बरेली में निरुद्ध किया जाता है। किशोर सदन बरेली में निरुद्ध अल्पवयस्क बंदियों को कक्षा 8 तक की शिक्षा प्रदान करने हेतु जूनियर हाईस्कूल की व्यवस्था है। इसके साथ ही स्काउट एवं गाइड, एनसीसी, बैण्ड, सिलाई व चमड़ा उद्योग में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था है। किशोर सदन, बरेली के अतिरिक्त केन्द्रीय कारागार, नैनी एवं 17 जिला कारागारों में पृथक अल्पवयस्क कारागारें स्थापित हैं। शेष जिला कारागारों में इस आयु वर्ग के अल्पवयस्क बंदियों को कारागार में अलग अहाते/बैरकों में निरुद्ध किया जाता है।

डॉ. सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ

कारागार कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु वर्ष 1940 में लखनऊ में स्थापित डॉ. सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण विद्यालय को उच्चीकृत कर डॉ. सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान किया गया है। प्रदेश एवं अन्य राज्यों के सीधी भर्ती के कारागार अधीक्षक, उप कारापाल तथा बंदीरक्षक संवर्ग के कर्मियों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन होता है।

जेल डिपो, अमीनाबाद, लखनऊ

प्रदेश के कारागारों में बंदियों द्वारा उत्पादित औद्योगिक व दस्तकारी उत्पादों का उपयोग कारागारों में होता है। इसके साथ ही अन्य शासकीय विभागों से प्राप्त होने वाली मांग की पूर्ति भी की जाती है। कारागार उत्पादों के आम जनता में प्रदर्शन एवं विक्रय हेतु अमीनाबाद लखनऊ में जेल डिपो संचालित है। जेल डिपो के माध्यम से समय-समय पर प्रदेश के विभिन्न कारागारों में उत्पादित सामग्री तथा जेल जीवन की ऐतिहासिक वस्तुओं तथा बंदियों की कृतियों का प्रदर्शन लखनऊ महोत्सव व कुम्भ मेले में किया गया है। वर्तमान में जनपद प्रयागराज में संचालित कुम्भ मेले में लगाये गये जेल उत्पाद विक्रय तथा प्रदर्शन केन्द्र की प्रशंसा हुयी है तथा केन्द्र में रखे गये उत्पादों का अच्छी मात्रा में विक्रय हुआ है।

शैक्षिक कार्यक्रम

प्रदेश की कारागारों में निरुद्ध होने वाले बन्दियों को साक्षर किये जाने हेतु कारागार विभाग कटिबद्ध रहता है। कारागारों में निरुद्ध निरक्षर बन्दियों को साक्षर करने हेतु ''एक पढ़ाये एक'' तथा ''नया सवेरा'' कार्यक्रम संचालित हैं। इसके साथ ही 24 कारागारों में भारत सरकार द्वारा संचालित साक्षरता मिशन के अन्तर्गत भी साक्षरता कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। बंदियों की प्राथमिक, बेसिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा हेतु पंजीकरण तथा परीक्षा देने के लिए कक्षा-5 से कक्षा 8 की परीक्षाओं हेतु सभी कारागारों को, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षा हेतु 08 कारागारों को तथा इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) से उच्च शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों में सम्मिलित होने हेतु 09 कारागारों को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। वर्ष 2018 में कक्षा-5 से कक्षा 8 तक की परीक्षाओं मे सम्मिलित 1175 बंदियों में से 1170 बंदी उत्तीर्ण हुये। हाई स्कूल की परीक्षा में 77 बंदी परीक्षा में सम्मिलित हुये तथा 48 बंदी उत्तीर्ण हुये। इण्टरमीडिएट की परीक्षा में 70 बंदी परीक्षा में सम्मिलित हुये तथा 50 बंदी उत्तीर्ण हुये। इग्नू की विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित बंदियों द्वारा बडी संख्या में सफलता अर्जित की गयी है। वर्तमान वर्ष में 1705 से अधिक बंदियों द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु पंजीकरण कराया गया है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रदेश के 5 केन्द्रीय कारागारों, आदर्श कारागार लखनऊ एवं जिला कारागार उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली तथा गोरखपुर में स्थापित विभिन्न उद्योगों में कारागारों में निरुद्ध सिद्धदोष बंदियों को कार्य करने तथा निर्धारित दरों पर पारिश्रमिक अर्जन के अवसर उपलब्ध कराये जाते हैं। कारागारों में रंगाई प्रशिक्षक, बुनाई प्रशिक्षक, दरी डिजाइनर, बढ़ई प्रशिक्षक, कम्बल बुनाई प्रशिक्षक, पावरलूम प्रशिक्षक, लोहार गीरी प्रशिक्षक, चर्म प्रशिक्षक, सिलाई प्रशिक्षक, हस्तनिर्मित कागज प्रशिक्षक, प्रिन्टिंग प्रेस प्रशिक्षक के पद सृजित हैं। इसके साथ ही स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से भी बंदियों को रोजगारपरक उद्यमों में लगाया जाता है। अनेक कारागारों में जॉबवर्क आधारित खेलकूद सामग्री निर्माण, रेडीमेड गारमेन्ट, दरदोजी, मसाला पैकिंग तथा सिलाई उद्योग जैसे कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। जिला कारागार मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, बरेली, लखनऊ तथा आदर्श कारागार लखनऊ में ऐसे कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। प्रदेश की गारागारों में निरुद्ध बंदियों को कारागारों में ही विभिन्न उद्यमों में कुशल बनाने हेतु अनेक कौशल विकास कार्यक्रम संचालित हो रहे है। तकनीकी तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नैनी, प्रयागराज के मध्य एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है। इस संस्था द्वारा आवश्यक कम्प्यूटर दान स्वरूप देकर कारागारों में व्यापक रूप से बंदियों को कम्प्यूटर में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

बंदी पारिश्रमिक

कारागारों में निरुद्ध बंदियों को 03 श्रेणियों में क्रमशः अकुशल श्रेणी के बंदियो को रुपया 25/-, अर्द्धकुशल श्रेणी हेतु रुपया 30/- तथा कुशल श्रेणी हेतु रुपया 40/- प्रतिदिन की दर से पारिश्रमिक प्रदान किया जाता है। प्रदेश में प्रचलित बंदी मजदूरी की उपरोक्त दरों में वृद्धि करने की आवश्यकता है तद्नुसार इन दरों में वृद्धि का शासन को प्रेषित प्रस्ताव विचाराधीन है।

बंदियों हेतु सधारात्मक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम

बंदी के अपने पारिवारिक तथा सामाजिक परिवेश से अलग कारागार की चहारदीवारी के अन्दर निरुद्ध होने से उसके अन्दर उत्पन्न एकाकीपन को दूर करने हेतु उसे किसी न किसी रचनात्मक गतिविधि

मे लगाना आवश्यक है। इस हेतु कारागारों में बंदियों की दैनिक दिनचर्या (प्रिजन रूटीन) निर्धारित होने के साथ-साथ उनके लिये व्यायाम, खेलकूद, योगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतिष्ठित संस्थाओं/व्यक्यिों/ धर्मगुरुओं के माध्यम से विभिन्न सुधारात्मक कार्यक्रमों के साथ-साथ प्रवचन एवं व्याख्यान आदि कार्यक्रम आयोजित किये जाने की व्यवस्था है। निरुद्ध बंदियों के भीतर अन्तर्निहित-प्रतिभाओं एवं कौशल को प्रस्तुत करने हेतु समय-समय पर कला एवं लेखन प्रतियोगिता, लोक गायन, कविता एवं कहानी लेखन की सुविधायें दी गयी हैं तथा प्रत्येक कारागार में उनकी भावनाओं के अभिव्यक्तिकरण हेतु अभिव्यक्ति पटल लगाये गये हैं।

बंदियों के खेलकूल कार्यक्रम

कारागारों में निरुद्ध बंदियों की शारीरिक स्वस्थता हेतु खेलकूद तथा उनके खालीपन एवं एकान्त को दूर करने हेतु मनोरंजन की व्यवस्था की गयी है। स्थायी रूप से खेलकूद कैलेण्डर जारी किया गया है। सभी कारागारों में निर्धारित खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन निर्धारित समय सारिणी के अनुसार होता है तथा इनमें अपनी प्रतिभाओं का सफल प्रदर्शन करने पर बंदियों को जोनल स्तर पर मण्डलीय कारागारों/ परिक्षेत्रीय स्तर पर एवं सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में जेल दिवस के अवसर पर प्रतिभा प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है।

मनोरंजन की व्यवस्था

प्रदेश के सभी कारागारों में बंदियों के मनोरंजन हेतु टेलीविजन, पब्लिक एड्रेस सिस्टम तथा संगीत एवं वादन संयंत्रों आदि की व्यवस्था की गयी है। नई बन रही सभी कारागारों में मल्टी परपज हाल बनाये जा रहे हैं जिसमें बंदियों के मनोरंजन हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के साथ-साथ राष्ट्रीय पर्वो यथा स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस एवं महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस एवं धार्मिक पर्वों यथा रक्षाबन्धन, होली, दीपावली, भैय्यादूज, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी आदि पर कार्यक्रमों का आयोजन होता है। बंदियों के लिए आपस में भजन, कीर्तन करने की व्यवस्था भी है। वर्तमान शासन की सुधारवादी नीतियों के अन्तर्गत कारागारों में निरुद्ध बंदियों को वर्तमान परिदृश्य में मनोरंजन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रथम चरण में 43 इंच के 900 अद्द एलईडी टेलीविजन स्थापित कराये गये हैं। इससे बंदी समुदाय उत्साहित हुआ है। चरणबद्ध रूप से कारागारों की आवश्यकताओं की पूर्ति करायी जायेगी।

पठन-पाठन एवं वाचनालय व पुस्तकालय की व्यवस्था

प्रदेश के सभी कारागारों में बंदियों के पठन-पाठन के सुविधा हेतु पुस्तकालय/वाचनालय स्थापित हैं। इन पुस्तकालयों में दैनिक समाचार पत्र, पत्रिकायें, नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा की पुस्तकें, कहानी एवं कविता संग्रह आदि बंदियों के ज्ञानार्जन तथा सुधारात्मक विषयों की उपयोगी पुस्तकों की व्यवस्था की गयी है। प्रदेश की अनेक कारागारों में पुस्तकालयों में पुस्तकों का योगदान स्वयं सेवी संगठनों द्वारा भी दिया गया है। विमटेक फाउण्डेशन द्वारा जिला कारागार गाजियाबाद तथा गौतमबुद्ध नगर में पुस्तकालयों में पुस्तकों एवं अन्य उपयोगी साज-सज्जा करायी गयी है। इसके साथ ही बिडला इन्सटीट्यूट आफ मैनेजेमेंट ग्रेटर नोएडा द्वारा जिला कारागार गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर, अलीगढ़ तथा लखनऊ में पुस्तकालयों की स्थापना करायी गयी है।

बंदियों के मानवाधिकारों का संरक्षण

बंदियों की मूलभूत आवश्यकताओं तथा मानवीय गरिमा के अनुकूल उनके अधिकारों के संरक्षण के प्रति विभाग निरन्तर चिंतनशील रहता है। बंदियों को मात्र अपराधी समझ कर दण्डित करने की पुरानी

मान्यताएं अब समाप्त हो रही हैं तथा कारागारों में दण्ड स्वरूप बंदियों को बेड़ी एवं हथकड़ी लगाने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। बंदियों की मृत्यु के मामलों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से प्राप्त नोटिस एवं शिकायतों की जॉच तत्परतापूर्वक कराई जाती है और उत्तरदायी कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। कारागार में प्रवेश के समय ही प्रत्येक बंदी का जेल चिकित्सक द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप गहन स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है तथा जिला चिकित्सालय के विशेषज्ञों की टीम द्वारा माह में कम से कम दो बार कारागार के अन्दर ही बंदियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है। कारागार में बंदियों को उनके विधिक अधिकारों को सुगम कराने, परिजनों से मुलाकात किये जाने तथा पत्र लिखे जाने का समुचित एवं समान अवसर प्रदान किया जाता है। कारागार में बंदियों को निर्धारित मात्रा में गुणवत्तापरक भोजन तथा पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जाता है। बंदियों के मानवाधिकारों से संबंधित कार्य के सम्पादन हेतु कारागार मुख्यालय में मानवाधिकार अनुभाग गठित किया गया है।

बंदियों हेतु भोजन की व्यवस्था

जेल मैनुअल के प्रावधानों के अनुसार बंदियों को निर्धारित मात्रा में भोजन दिया जाता है। रविवार एवं त्यौहारों के अवसर पर बंदियों को विशेष भोजन दिये जाने की व्यवस्था है तथा बंदियों के भोजन में दाल, रोटी तथा सब्जी दी जाती है तथा सप्ताह में दो बार चावल दिये जाने की व्यवस्था है। इस व्यवस्था में सुधार करते हुए इच्छुक बंदियों को रोटी के स्थान पर रोटी/चावल की मिली-जुली डाइट दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। भोजन को रूचिकर बनाने हेतु सप्ताह में प्रत्येक दिन भिन्न-भिन्न दालें यथा अरहर, उरद/चना, राजमा/उरद तथा सब्जी में मूंग की बड़ी एवं सोयाबीन बड़ी दिये जाने की व्यवस्था है। बंदियों को सामान्यतया दिन में एक बार तथा जाड़े में दो बार चाय दी जाती है। बीमार बंदियों तथा दूध पिलाने वाली गर्भवती महिला बंदियों को चिकित्साधिकारी की संस्तुति पर अतिरिक्त आहार दिया जाता है। महिला बंदियों के साथ रहने वाले बच्चों को अलग से भोजन, दूध तथा फल आदि दिये जाते हैं। बंदियों के भोजन में डालडा घी के उपयोग के स्थान पर वनस्पति तेल का उपयोग हो रहा है।

मुलाकात व्यवस्था

बन्दियों की मुलाकात व्यवस्था को पारदर्शी तथा मुलाकातियों के लिए सुविधाजनक बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं। बन्दियों तथा उनके परिजनों की आपत्तियां/शिकायतें प्राप्त करने हेतु कारागार के मुख्य स्थानों पर शिकायत पेटिकाएं लगायी गयी हैं। शिकायत पेटिकाओं में प्राप्त शिकायत का निराकरण कारागार में तैनात अधिकारियों द्वारा नियममित रूप से किया जाता है। कारागार के मुख्य द्वार के पास मुलाकात के नियमों की जानकारी हेतु सूचना पट लगाये गये हैं। मुलाकात व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाये जाने हेतु ई-प्रिजन कार्ययोजना के अन्तर्गत बंदियों के मुलाकातियों को कम्प्यूटरीकृत मुलाकात पर्ची निर्गत करने की व्यवस्था की गई है। ई-प्रिजन के अन्तर्गत आन लाइन मुलाकात की बुकिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। अन्य प्रदेशों की भांति बंदियों को अपने परिजनों से दूरभाष पर बात करने की सुविधा हेतु 67 कारागारों में बंदी पी0सी0ओ0 स्थापित किये गये हैं। सम्प्रति कारागारों में निरुद्ध बंदियों को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये तथा स्थानीय पुलिस द्वारा पुष्टीकृत 02 टेलीफोन/मोबाइल नम्बरों पर सप्ताह में 02 बार 05 मिनट की अवधि के लिये बात करने की सुविधा उपलब्ध है। शेष 04 कारागारों में बंदी पी0सी0ओ0 स्थापित करने की कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में सभी कारागारों में बंदी पी0सी0ओ0 उपलब्ध हो जायेंगे।

बंदियों की चिकित्सा व्यवस्था

प्रदेश की प्रत्येक कारागार में बन्दियों के समुचित चिकित्सा उपचार हेतु 20 बिस्तर अथवा इससे अधिक क्षमता के अस्पताल संचालित हैं। कारागार चिकित्सालयों में बंदियों की चिकित्सा व्यवस्था हेतु कारागार विभाग के अधिष्ठान में चिकित्सकों के कुल 145 पद सृजित है जिसमें तैनाती स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाती है। यह समस्या होती है कि चिकित्सा विभाग द्वारा कुल सृजित पदों के सापेक्ष चिकित्सकों की तैनाती नहीं की जाती है जिस हेतु चिकित्सा विभाग से निरन्तर तैनाती हेतु अनुरोध किया जाता है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा व्यवस्था हेतु पैरा मेडिकल के विभिन्न पदों के अन्तर्गत फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, नर्स लैब अटेण्डेण्ट तथा डार्करूम अटेण्डेण्ट आदि के पद सृजित हैं। कारागार अस्पताल में आवश्यक साज-सज्जा सामग्री एवं चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था की गयी है। सभी कारागार अस्पताल में आर0ओ0 के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति तथा बंदियों को कारागार के बाहर चिकित्सालयों में लाने ले जाने हेतु एम्बुलेंस की व्यवस्था की गयी है।

कारागार उद्योग

प्रदेश की सभी 05 केन्द्रीय कारागारों, आदर्श कारागार लखनऊ तथा जिला कारागार उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली एवं गोरखपुर में विभिन्न उद्योग स्थापित हैं। कारागारों में उद्योगों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह है कि इन उद्योगों में काम करने के तथा कौशल विकास के अवसर दिये जाये ताकि वे रिहा होने के उपरान्त अपना जीवनयापन कर सकें। वर्तमान में **केन्द्रीय कारागार आगरा** में साबुन, फिनायल, जूता, दरी बुनाई एवं सिलाई उद्योग, **केन्द्रीय कारागार नैनी** में कम्बल, दरी, कपड़ा बुनाई, साबुन, फिनायल, फर्नीचर, लौह एवं सिलाई उद्योग, **केन्द्रीय कारागार बरेली** में कम्बल, दरी, लौह, फर्नीचर, पेण्ट व सिलाई उद्योग, **केन्द्रीय कारागार वाराणसी** में स्टील बर्तन, दरी कपड़ा बुनाई एवं सिलाई उद्योग तथा **केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़** में तम्बू, रंगाई, छपाई, चप्पल, लौह, काष्ठ, दरी एवं सिलाई उद्योग **आदर्श कारागार लखनऊ** में पावरलूम, हस्तनिर्मित कागज, प्रिंटिग प्रेस एवं सिलाई उद्योग तथा **आदर्श कारागार स्थित नारी बंदी निकेतन लखनऊ** में कढ़ाई, बुनाई, सिलाई व मसाला पिसाई उद्योग स्थापित हैं। **जिला कारागार उन्नाव** में दरी एवं सिलाई उद्योग, **जिला कारागार सीतापुर** में दरी उद्योग एवं **जिला कारागार गोरखपुर** में सिलाई उद्योग स्थापित हैं।

कारागार कृषि

प्रदेश की विभिन्न कारागारों में लगभग 592.87 एकड़ कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है, जिसमें खरीफ, रबी तथा जायद की फसलों में मुख्य रूप से बन्दियों हेतु विभिन्न प्रकार की ठोस एवं हरी सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। जिन कारागारों में बड़े कृषि फार्म हैं वे कारागारें अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने पर उनके द्वारा पास के जनपदों की कारागारों को सब्जी आपूर्ति की जाती है। इसके पश्चात भी यदि सब्जी अवशेष रहती है तो उसका खराब होना सम्भावित होता है तो उसका निस्तारण उत्तर प्रदेश के जेल मैनुअल प्रस्तर-931 सी के अनुसार किया जाता है।

कारागार कृषि फार्मों के वैज्ञानिक प्रबन्धन तथा उत्पादन में वृद्धि के दृष्टिगत सिंचाई व्यवस्था हेतु नलकूप, पम्पिंग सेटों की व्यवस्था के साथ-साथ ट्रैक्टर व अन्य कृषि उपकरणों की व्यवस्था की गयी है। वर्ष 2017-18 में प्रदेश के कारागारों में 27,243.22 कुन्तल आलू तथा 48,058.38 कुन्तल हरी सब्जी का उत्पादन हुआ। वर्तमान में प्रदेश की विभिन्न कारागारों में 22 ट्रैक्टर, 97 नलकूप तथा 27 पम्पिंग सेट क्रियाशील हैं।

कारागारों का आधुनिकीकरण

प्रदेश की कारागारों की सुरक्षा, तलाशी तथा संचार व्यवस्था एवं बंदी सुविधाओं को सुदृढ़ करने हेतु विभिन्न कार्ययोजनायें संचालित की जा रही है जिनमें वीडियों कान्फ्रेंसिंग, सीसीटीवी, सर्विलांस, मोबाइल फोन जैमर, एफजी-1 पोल मेटल डिटेक्शन सिस्टम तथा मेटल डिटेक्टर एवं डीप सर्च मेटल डिटेक्टर, वायरलेस सेट, अग्निशमन संयत्र, आर.ओ. प्लाण्ट, बंदी पी.सी.ओ. तथा ई-प्रिजन कार्ययोजना प्रमुख हैं।

वीडियो कान्फ्रेंन्सिंग कार्ययोजना

शासन द्वारा प्रदेश के सभी 70 कारागारों तथा 73 जनपद न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से मा0 न्यायालयों में बंदियों की पेशी किये जाने हेतु वीडियो कान्फ्रेन्सिंग इकाईयों की स्थापना हेतु प्रदत्त स्वीकृति के अनुपालन में 71 जनपद न्यायालयों तथा 68 कारागारों में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग इकाईयाँ स्थापित करा दी गयी हैं। यह प्रयास किया जा रहा है कि स्थापित वीडियो कान्फ्रेन्सिंग इकाईयों से ही विचाराधीन बंदियों की रिमाण्ड की कार्यवाही सम्पादित हो। इस सम्बन्ध में शासन स्तर से जनपदों के जिलाधिकारियों तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों/अधीक्षकों से प्रभावी कार्यवाही किये जाने के निर्देशों के साथ-साथ महानिबन्धक, उच्च न्यायालय इलाहाबाद से भी अधीनस्थ जनपद न्यायाधीशों को भी प्रभावी निर्देश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। अभी तक प्रदेश की कारागारों में स्थापित वीडियों कान्फ्रेन्सिंग इकाईयों लगभग 11.75 लाख बंदियों की रिमाण्ड (पेशी) हुयी है जिसमें से वर्ष 2018 में 583262 पेशी हुयी है। कनेक्टीविटी की व्यवस्था तथा इकाईयों के सुचारू रूप से संचालन के कारण यह संख्या निरन्तर बढ़ रही है। इससे जहाँ बंदियों को प्रस्तुत करने में मानव शक्ति के उपयोग एवं वहनों की व्यवस्था तथा उन पर होने वाले व्यय में कमी आयी है वही बंदियों को लाने ले जाने में सम्भावित जोखिम में पर्याप्त कमी आयी है। वर्ष 2018 में महावार आंकड़े निम्नवत् है। प्रयास किये जा रहे है कि वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से हो रही 45.74 प्रतिशत रिमाण्ड की संख्या को जिला प्रशासन के अधिकारियों तथा जनपदों में मा0 जनपद न्यायाधीशों से अनुरोध कर शीघ्र ही शत-प्रतिशत कराया जाये।

मोबाइल फोन जैमर की व्यवस्था तथा जैमन संचालन हेतु सोलर पावर बैकअप की व्यवस्था

कारागारों में निरुद्ध माफिया, आतंकवादी, तस्कर तथा अन्य खतरनाक प्रकृति के बंदियों द्वारा किसी न किसी प्रकार मोबाइल फोन प्राप्त कर अपने आपराधिक नेटवर्क को संचालित करने के कुप्रयासों पर सशक्त अंकुश लगाने हेतु चरणबद्ध रूप से प्रदेश की सभी कारागारों में मोबाइल फोन जैमन स्थापित किये जाने की कार्ययोजना संचालित की जा रही है। अभी तक 02 चरणो में 24 कारागारों में 271 नग मोबाइल फोन जैमर स्थापित किये गये हैं। अभी तक स्थापित मोबाइल फोन जैमर 3जी तकनीक के मोबाइल फोन को जैम करने की क्षमता के हैं जिन्हें वर्तमान वित्तीय वर्ष में 4जी से उच्चीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

सीसीटीवी सर्विलांस इकाइयां

प्रदेश के कारागारों में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु सीसीटीवी सर्विलांस इकाइयों की स्थापना का कार्य सभी कारागारों में कराया गया है। सभी कारागारों में संवेदनशील स्थलों का चिह्नांकन करते हुये उनमें से कम 30-30 सीसीटीवी कैमरें स्थापित करा दिये गये हैं।

डीप सर्च मेटल डिटेक्टर

अन्य राज्यों की भॉति प्रदेश की कारागारों में भी सूक्ष्मतम धात्विक निषिद्ध सामग्री यथा- मोबाइल, मोबाइल सिम धात्विक औजार आदि की तलाशी हेतु सभी कारागारों में 02-02 अदद आधुनिक डीप सर्च मेटल डिटेक्टर की व्यवस्था पुलिस सुरक्षा मुख्यालय के माध्यम से करायी जा रही है।

मेटल डिटेक्टर एवं मेटल डिटेक्शन सिस्टम की व्यवस्था

कारागारों में किसी प्रकार कोई निषिद्ध सामग्री न पहुँचे इस हेतु तलाशी व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। निषिद्ध वस्तुओं की तलाशी किये जाने हेतु प्रदेश की सभी कारागारों में 01-01 अदद मल्टीजोन डोरफ्रेम तथा 02-02 अदद हैण्डहेल्ड मेटल डिटेक्टर की व्यवस्था करायी गयी है। इसके साथ ही कारागारों में तलाशी हेतु सभी उप कारापालों के पास हैण्ड हेल्ड मेटल डिटेक्टर की व्यवस्था अवश्य रहें। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में 234 अदद हैण्ड हेल्ड मेटल डिटेक्टर कारागारों को उपलब्ध कराये गये है। अति संवेदनशील तथा सूक्ष्मतम धात्विक निषिद्ध सामग्री की तलाशी हेतु ईसीआईएल के माध्यम से प्रदेश की सभी 70 कारागारों में 01-01 अदद एफ जी-1 पोल मेटल डिटेक्शन सिस्टम स्थापित कराया गया है।

वायरलेस सेटों की व्यवस्था

कारागारों में संचार व्यवस्था को सुदृढ करने हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार प्रदेश की कारागारों में स्टेटिक तथा हैण्डहेल्ड वायरलेस सेटों की व्यवस्था करायी गयी है। वायरलेस सेटों की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित किये गये प्रावधान पुलिस रेडियो मुख्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ के माध्यम से करायी गयी है, वायरलेस सेटों के अनुरक्षण की व्यवस्था करने का दायित्व भी पुलिस रेडियो मुख्यालय को दिया गया है।

बंदी पीसीओ की स्थापना

देश के अन्य राज्यों में अन्य राज्यों की कारागारों में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार उत्तर प्रदेश की कारागारों में भी कारागारों में निरुद्ध बंदियों को अपने परिजनों से बात करने की सुविधा हेतु 67 कारागारों में बंदी पीसीओ स्थापित कराये गये हैं।

ई-प्रिजन कार्ययोजना का संचालन

एनआईसी के माध्यम से प्रदेश की सभी कारागारों में ई-प्रिजन कार्ययोजना संचालित करायी जा रही है अभी तक शासन द्वारा स्वीकृत 67 कारागारों में इसका संचालन हो रहा है। ई-प्रिजन कार्ययोजना के अन्तर्गत एनआईसी द्वारा संरचित साफ्टवेयर के माध्यम से कारागारों में कम्प्यूटरीकृत मुलाकात पर्ची के माध्यम से बंदियों की पारदर्शी मुलाकात कराने के साथ-साथ आनलाइन मुलाकात बुकिंग की व्यवस्था करायी गयी है। कार्ययोजना के अन्तर्गत कारागारों के सभी क्रियाकलापों को कम्प्यूटरीकृत कर ई-गवर्नेन्स की व्यवस्था स्थापित करने का लक्ष्य है।

विभागीय बजट व्यवस्था

वित्तीय वर्ष 2019-20 के राजस्व लेखा पक्ष में रु. 11,15,13,58,000/- (रुपये ग्यारह अरब पन्द्रह करोड़ तेरह लाख अट्ठावन हजार मात्र) का बजट प्रावधान है।

न्याय प्रशासन

न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की विकास कार्यक्रमों, योजनाओं एवं महत्त्वपूर्ण कार्यों का विवरण

बिन्दु	अद्यतन कार्यवाही का विवरण
1. जनरल रूल्स सिविल एवं क्रिमिनल में संशोधन	मा. उच्च न्यायालय के प्रस्ताव के क्रम में जनरल रूल्स (क्रिमिनल) 1977 तथा जनरल रूल्स (सिविल्स) 1957 में संशोधन संबंधी अधिसूचना दिनांक 14.08.2018 को निर्गत।
2. एक एफटीसी एडीजे रैंक के कोर्ट गठन	महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराधिक मुकदमों को शीघ्र निस्तारित करने हेतु जनपद वाराणसी में 01 एफटीसी एडीजे रैंक के न्यायालय के गठन संबंधी शासनादेश मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के उपरान्त दिनांक 08.03.2019 को निर्गत।
3. न्यायिक मजिस्ट्रेट रैंक के 81 एफटीसी कोर्ट गठन	महिलाओं के विरूद्ध कारित अपराधिक मुकदमों को शीघ्र निस्तारित करने हेतु न्यायिक मजिस्ट्रेट रैंक 81एफटीसी न्यायालय के गठन संबंधी शासनादेश दिनांक 08.03.2019 को निर्गत।
4. एस0सी/एस0टी0 कोर्ट	65 जनपदों में एक्सक्लूसिव स्पेशन कोर्ट (Exclusive Special Court) गठित करने एवं 09 जनपदों में किसी अपर सत्र न्यायालय को निर्दिष्ट (Specify) किये जाने संबंधी प्रस्ताव पर मा0 मुख्य न्यायाधीश महोदय की सहमति के क्रम में उच्च स्तरीय अनुमोदनोपरान्त अधिसूचना संख्या 08/2019/1084/ सात-न्याय-2-2019-124/89, दिनांक 29.04.2019 को निर्गत।
5. दिव्यांगजन हेतु विशेष न्यायालय	दिव्यांगजनों के विरूद्ध अपराधों के विचारण हेतु मा0 उच्च न्यायालय की सहमति से विशेष न्यायालय को विनिर्दिष्ट करने संबंधी अधिसूचना दिनांक 20.05.2019 को निर्गत।
6. परिवार न्यायालयों में प्रधान न्यायाधीश की नियक्ति	मा0 उच्च न्यायालय के प्रस्तावानुसार लगभग 29 परिवार न्यायालयों में प्रधान न्यायाधीश/अपर प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति पर मा0 मंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त अधिसूचना दिनांक 29.05.2019 को निर्गत।

7. विडिया कान्फ्रेसिंग हेतु मैन पावर का सृजन	अधीनस्थ न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेसिंग हेतु मैन पावर हेतु 71 जनपदों में सिस्टम सहायक के पदों के सृजन पर मा0 मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त आदेश दिनांक 3.6.2019 को निर्गत।
8. न्यायिक क्षेत्राधिकार का परिवर्तन	सिविल न्यायाधीध (कनिष्ठ श्रेणी) के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं को परिवर्तित करके तहसील-बिल्हौर और तहसील-घाटमपुर के क्षेत्रों को जिला रमाबाई नगर (वर्तमान में कानपुर देहात, स्थान-माती) से हटाकर कानपुर नगर में शामिल करने संबंधी प्रस्ताव पर मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त अधिसूचना निर्गत।
9. पाक्सो कोर्ट	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 (अधिनियम संख्या-32, वर्ष 2012) की धारा-28 की उपधारा-1 के अधीन दिनांक 24.10.2013 को निर्गत अधिसूचना के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की संस्तुति के आधार पर मा0 न्याय मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त। तद्नुसार संशोधित अधिसूचना निर्गत।
10. ग्राम न्यायालय	कुल 113 ग्राम न्यायालयों के सापेक्ष पूर्व में 104 ग्राम न्यायालय गठित उक्त के सापेक्ष 04 ग्राम न्यायालय क्रियाशील तथा अवशेष 09 ग्राम न्यायालय का भी गठन किया जा चुका है। 80 ग्राम न्यायालयों को क्रियाशील किये जाने हेतु जिलाधिकारी की भवन की उपलब्धता संबंधी रिपोर्ट मा0 उच्च न्यायालय को प्रेषित। मा0 उच्च न्यायालय के प्रस्तावानुसार 10 ग्राम न्यायालयों में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति का आदेश दिनांक 31.05.2019 को निर्गत। इस प्रकार 14 ग्राम न्यायालय क्रियाशील हो चुके हैं।
11. कामर्शियल कोर्ट	13 कामर्शियल कोर्ट का गठन किया गया है जिसके सापेक्ष 09 संचालित हो चुके हैं। सम्प्रति 04 जनपदों (मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, बरेली, प्रयागराज) के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रचलित है।
12. पाक्सो एक्ट के तहत 218 न्यायालयों का गठन	मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों तथा भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुक्रम में पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत 218 न्यायालय कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13.12.2019 द्वारा गठित।

13. उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अधीन जनपदों में स्थापित ए0डी0आर0 केन्द्रों तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों में नियत मानदेय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी तथा चौकीदार एवं सफाई कर्मियों के कार्यकाल बढ़ाया गया।
14. तृतीय चरण में प्रदेश के 24 जनपदों में स्थायी लोक अदालत का गठन किया गया।
15. मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ के गोमतीनगर में नव निर्मित भवन में न्यायिक कार्य प्रारम्भ हो गया है। नवीन भवन में अतिरिक्त कार्यों को पूर्ण कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए रु. 150.00 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित है।
16. प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालय में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के अन्तर्गत वर्तमान में 371 न्यायालय कक्ष निर्माणाधीन है, इनका निर्माण कार्य जून, 2019 तक पूर्ण कराये जाने की कार्य योजना है।
17. मा. उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ के मा0 न्यायमूर्तिगण हेतु गोमतीनगर लखनऊ में आवासीय भवनों के निर्माण की वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कार्य योजना है।
18. प्रदेश के नवसृजित जनपदों एंव नव सृजित न्यायालयों में न्याय विभाग के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में कुल रु. 175.00 करोड़ की धनराशि उपलब्ध है।
19. प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु सी0सी0टी0वी0 कैमरा की स्थापना के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 75.00 करोड़ की धनराशि मा0 उच्च न्यायालय के निवर्तन पर उपलब्ध करा दी गयी है।
20. महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु अलग न्यायालयों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में आय-व्ययक में रु. 35.87 करोड़ की धनराशि उपलब्ध है।
21. लम्बित वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु विभिन्न न्यायालयों का सृजन किया गया है। उक्त न्यायालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास राज्य के संसाधन से चरणबद्धरूप में कराया जाना प्रस्तावित है। तत्क्रम में वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु राज्य संसाधन से क्रमशः रु. 150.00 करोड़ एवं रु. 400.00 करोड़ की व्यवस्था उपलब्ध है।
22. भारत सरकार के स्वच्छता मिशन के आलोक में अधीनस्थ न्यायालयों में सार्वजनिक शौचालय के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 20.00 करोड़ की धनराशि उपलब्ध है।

लोक आयुक्त

भारतवर्ष एक विकासशील देश है और प्रत्येक प्रदेश में मुख्यतः उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षो में विकास की गति तीव्र हुई है। देश अथवा प्रदेश के विकास में भ्रष्टाचार एक बाधा के रूप में सामने आता है, जिसका प्रभाव विकास के परिणामस्वरूप सामान्य नागरिकों को मिलने वाली सुख–सुविधाओं पर पड़ता है। आम आदमी को शासन के क्रिया–कलापों से उत्पन्न होने वाली शिकायतों के निराकरण एवं लोक सेवकों की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण करते हुए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु लोक आयुक्त प्रशासन एक अत्यन्त सरल, प्रभावी एवं उपयुक्त संस्था के रूप में अपना प्रभाव प्रदर्शित करता जा रहा है।

वर्ष 1975 में प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुतियों पर उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त विधेयक, 1975 पर महामहिम श्री राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन दिनांक 7–9–1975 को अनुमति प्रदान की गयी तथा प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम लोक आयुक्त को दिनांक 14 सितम्बर, 1977 को महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण कराने के उपरांत लोक आयुक्त संस्था अस्तित्व में आयी एवं 42 वर्षों से निरन्तर भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन पर अंकुश रखने में सरकार के हाथों को मजबूती प्रदान कर रही है।

लोक आयुक्त की परिधि में प्रदेश के न केवल मन्त्रीगण, राज्य मन्त्रीगण, विधान मण्डल के सदस्य, शासन के सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण आते हैं वरन् स्वयंशासी संस्थायें, निगम व परिषदों के अध्यक्ष व कर्मचारीगण भी आते हैं। ऐसे समस्त लोक सेवकों के विरुद्व शिकायतों या अभिकथनों को प्रस्तुत करने का अधिकार समस्त नागरिकों को प्राप्त है। लोक आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले परिवाद/अभिकथन पर अन्वेषणोंपरान्त् अपेक्षित कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति प्रेषित करने का अधिकार लोक आयुक्त को प्राप्त है।

लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त की कार्यप्रणाली एवं क्षेत्राधिकार

संक्षिप्त रूप में लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त के समक्ष उत्तर प्रदेश शासन के मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पक्षपातपूर्ण कार्यवाहियों, भ्रष्टाचार, कुप्रशासन से संबंधित शिकायतों या लोक सेवकों के सेवानिवृत्त होने के उपरांत देयकों के भुगतान न होने से संबंधित प्रकरण आम नागरिकों एवं व्यथित व्यक्तियों द्वारा उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 में निर्धारित प्रारूप, शपथ–पत्र व प्रतिभूति की धनराशि जमा कर प्रस्तुत किया जा सकता है। लोक आयुक्त प्रशासन में 2 प्रकार के परिवाद प्रस्तुत किये जाते हैं, जोकि निम्न हैं :–

1. शिकायत – ऐसे परिवाद व्यथित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किये जा सकते हैं। शिकायत की श्रेणी में लोक सेवकों के सेवानिवृत्त होने पर उनके देयकों के भुगतान न होने से संबंधित

प्रकरण आते हैं। सेवानिवृत्त लोक सेवक यदि निगम, स्वायत्तशासी संस्था का है, तो उसे प्रतिभूति जमा करनी होगी।

2. अभिकथन – ऐसे परिवाद जिनमें राज्य सरकार के विभाग के किसी लोक सेवक द्वारा की गई वित्तीय अनियमितता, कुप्रशासन अथवा अनुचित कार्यवाही से शासकीय धन का दुरूपयोग हो रहा है। किसी नागरिक, लोक सेवक, मन्त्री या विधायक से राज्य के किसी मन्त्री, विधायक या किसी स्थानीय निकाय या शीर्षस्थ सहकारी संस्था के अध्यक्ष अथवा राज्य सरकार के कार्यो से सम्बद्व किसी अधिकारी, कर्मचारी या सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम/निगम के अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्व उसके द्वारा किये गये पद के दुरूपयोग या भ्रष्टाचार की, जिसकी उसे निजी जानकारी हो, के संबंध में प्रस्तुत परिवाद को अभिकथन की श्रेणी मे रखा गया है। अभिकथन के मामले में दो हजार रुपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा कराये जाने का प्रावधान है।

क्षेत्राधिकार में आने वाले पदाधिकारी :–

निम्न के विरूद्ध शिकायत या अभिकथन दोनों प्रकार के परिवाद प्रस्तुत किये जा सकते हैं :–

1. प्रदेश के मन्त्रियों, राज्य मन्त्रियों तथा उप मन्त्रियों (मुख्य मन्त्री परिधि में नहीं आते),
2. विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य,
3. शासन के सचिव, जिसमें प्रदेश के अखिल भारतीय सेवा एवं पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारी सम्मिलित है, विशेष सचिव और संयुक्त सचिव, तथा प्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत् कोई भी अधिकारी।

निम्न के विरुद्व केवल अभिकथन रूपी परिवाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है :–

1. क्षेत्र समिति के प्रमुख, 2. जिला परिषद के अध्यक्ष, 3. नगर महापालिका के नगर प्रमुख, 4. नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, 5. उत्तर प्रदेश सहकारी समिति या शीर्ष समिति के अशासकीय अध्यक्ष या प्रबन्ध निदेशक, 6. प्रदेश की निम्नलिखित संस्थाओं की सेवा में या वेतनभोगी प्रत्येक व्यक्ति :–

1. नगर महापालिकायें, 2. नगर पालिकायें, 3. जिला परिषदें, 4. क्षेत्र समितियाँ, 5. नगर क्षेत्र समितियाँ, 6. अधिसूचित क्षेत्र समितियाँ, 7. विकास प्राधिकरण तथा 8. औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

उपरोक्त के अलावा राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के निम्नलिखित निगमों की सेवा में वेतनभोगी प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी :–

1. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद, 2. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, 3. उत्तर प्रदेश भण्डारागार निगम, 4. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, 5. उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 6. उत्तर प्रदेश वन निगम, 7. उत्तर प्रदेश जल निगम, 8. कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली 44 सरकारी कम्पनियाँ एवं उसकी 21 सहायक कम्पनियों में सेवारत वेतनभोगी प्रत्येक व्यक्ति।

उक्त कृत्यों का सम्पादन करने हेतु लोक आयुक्त एक स्वतन्त्र लोक प्राधिकरण है, जिसकी भूमिका शासन द्वारा किये जाने वाले स्वैच्छापूर्ण एवं अनुचित कारणों को चिह्नित करते हुए उनमें सुधार एवं रोकथाम के लिए आवश्यक सुझावों को प्रतिवेदन के माध्यम से शासन के समक्ष प्रस्तुत करके लागू कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करना है।

इस निमित्त लोक आयुक्त प्रशासन में लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त के पद पर नियुक्ति 08 वर्षो तथा उसके पश्चात नये लोक आयुक्त/उप लोक आयुक्त के पद भार ग्रहण करने तक की जाती है। सहयोग के लिए कार्यालय प्रशासन तथा कर्त्तव्यों के संचालन हेतु सचिव, मुख्य अन्वेषण अधिकारी, संयुक्त सचिव, उप सचिव एवं अनुसचिव का एक–एक पद तथा तीन पद अन्वेषण अधिकारी के हैं। इस प्रकार कुल कर्मियों की संख्या 68 है।

प्रदेश की जनसंख्या व आम जनता की शिकायतों के दृष्टिगत कर्मचारियों की संख्या न्यून है, फिर भी दृढ़संकल्प पूर्णमनोयोग एवं परिश्रम के आधार पर यह प्रशासन सीमित संसाधनों के अन्तर्गत भी ठोस एवं प्रभावी ढ़ंग से कार्य कर रहा है।

अधिकांशतः प्राप्त शिकायती प्रकरण :–

1. सेवानिवृत्त लोक सेवकों/अध्यापकों को पेंशन, प्राविडेण्ड फण्ड, सामूहिक बीमा आदि देयकों के लम्बित भुगतान एवं लोक सेवकों की विधवाओं को पारिवारिक पेंशन आदि से संबंधित मामलों का निस्तारण काफी संख्या में सुनिश्चित कराया जाना।
2. मृतकाश्रितों को सेवायोजन दिलाया जाना।
3. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा अंक तालिका या प्रमाण पत्र न जारी करने अथवा योग्य छात्र–छात्राओं को प्राप्त होने वाली छात्रवृत्तियों से संबंधित मामलों में राहत दिलाया जाना।
4. अर्जित भूमि के प्रकरणों में मुआवजा एवं भूमि/आवास के कब्जों के प्रकरणों को शासन, आवास विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों से निस्तारित कराया जाना।
5. आवास विकास परिषद या विकास प्राधिकरणों में भवन/भूखण्ड आवंटन हेतु जमा धनराशियों को वापस कराया जाना।
6. विकलांग एवं निराश्रित लोगों को शासनादेशों के अनुरूप देय पेंशन में सहायता प्रदान किया जाना।
7. ठेकेदारों के निर्विवाद रुके हुए बिलों का भुगतान।

महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ

वर्ष 2006 से राज्य के अन्तर्गत व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्राप्त परिवादों पर शीघ्र जाँच करके अनेक महत्त्वपूर्ण लोक सेवकों के विरूद्ध इस संस्था द्वारा त्वरित गति से जाँच पूर्ण करके अपने प्रतिवेदन सक्षम प्राधिकारियों को भेजे गए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा लोक आयुक्त की संस्तुतियों पर कार्यवाही करने से लोक आयुक्त संस्था में परिवादों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गयी। जहाँ, पूर्व में केवल दो हजार परिवाद वर्ष भर में दाखिल होते थे, वहीं वर्ष 2018 में 3915 परिवाद दाखिल हुए। यह लोक आयुक्त संस्था की कार्य प्रणाली, सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवादों पर लिए गए त्वरित निर्णय और जनता में इस संस्था के प्रति बढ़े विश्वास एवं जागरूकता के परिणाम है।

गत वर्ष से लम्बित 882 परिवादों को वर्ष 2018 में प्राप्त 3915 परिवादों को सम्मिलित करते कुल 4797 परिवादों में से 3169 परिवादों को प्रारम्भिक स्तर पर निस्तारित किया गया तथा 395 परिवाद अन्वेषणोंपरान्त निस्तारित किये गये।

लोक सेवा प्रबन्धन

लोक सेवा प्रबन्धन विभाग के गठन एवं व्यवहृत हो रहे कार्यों के सम्बन्ध में टिप्पणी।

- लोक सेवा प्रबन्धन विभाग का गठन सचिवालय प्रशासन अनुभाग-1 (अधि0) के कार्यालय ज्ञाप-दिनांक 13.01.2011 में किया गया।
- लोक सेवा प्रबन्धन विभाग के अन्तर्गत जनसामान्य को समयबद्ध रूप से सेवायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम–2011 लागू किया गया। इस विभाग में विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावनानुसार सेवायें अधिसूचित किये जाने का कार्य सम्पादित किया जाता है।
- उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 की धारा-3 के अन्तर्गत विभिन्न विभागों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने के उपरान्त अब तक 34 विभागों की 250 सेवाएं तथा समस्त विभागों के लिए 10 सेवायें अर्थात् कुल 260 सेवाएं अधिसूचित की जा चुकी हैं। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सेवाओं से सम्बन्धित प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों का है।
- उ0प्र0 जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 की धारा-3 में जनसामान्य से प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग में नामित किये गये पदाभिहित अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी/द्वितीय अपीलीय अधिकारी द्वारा समयबद्ध रूप से किये जाने की व्यवस्था की गयी है।
- लोक सेवा प्रबन्धन विभाग के अधीन कोई जिला स्तरीय कार्यालय/निदेशालय स्थापित नहीं है। फलस्वरूप इस विभाग में कोई बजट प्रावधानित नहीं है, न ही कोई योजना संचालित होती है।

सामान्य प्रशासन एवं प्रशासनिक सुधार

सामान्य प्रशासन विभाग का गठन वर्ष 1911 से पूर्व का होना पाया जाता है। विभाग द्वारा मिलिटरी एवं डाक तार विभागों के लिये भूमि अधिग्रहण, उत्तर प्रदेश नागरिक परिषद, अन्तर्राज्यीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, सिविल सैन्य सम्मेलन, सेना द्वारा युद्धाभ्यास, गोला चलाने, तोप दागने हेतु क्षेत्र अधिसूचित करना, सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा, लोक सभा/राज्य विधान सभा तथा पंचायत चुनाव के सामान्य तथा उप निर्वाचनों में अवकाश की घोषणा, सैनिकों/रंगरूटों का पूर्ववृत्त एवं चरित्र सत्यापन, गणमान्य व्यक्तियों के निधन पर छुट्टी/राजकीय शोक, भारतीय झंडा संहिता, कैसरबाग कोठियाँ, रामलीला का व्यय तथा धार्मिक संस्थाओं के लिए अनुदान, वीरता पुरस्कार के अन्तर्गत जीवन रक्षा पदक, अशोक चक्र श्रृंखला के पुरस्कार, महारानी अहिल्याबाई होल्कर पुरस्कार, शासन स्तर पर विदेशों में भेजे जाने वाले व्यक्तियों के प्रमाण-पत्र के सत्यापन, डोमीसाईल/स्थायी प्रमाण-पत्र, के प्रमाणीकरण का कार्य किये जाते हैं।

उपर्युक्त अंकित कार्यों में से मुख्य कार्य निम्नवत हैं :-

- **विदेशों को भेजे जाने वाले प्रमाण पत्रों का सत्यापन :-**

विभिन्न प्रकार के रोजगार आदि प्राप्त करने के लिए प्रदेश के बहुत से लोग विदेशों में जाते हैं, जहाँ उन्हें जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, निकाहनामा, विवाह-विच्छेद, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, पावर आफ एटार्नी एवं मृत्यु आदि के प्रमाण पत्रों के सत्यापन की आवश्यकता होती है। ऐसे प्रमाण पत्रों को जिलाधिकारी द्वारा सत्यापनोपरान्त शासन स्तर से सत्यापित किया जाता है। इसके दृष्टिगत वर्ष 2019 के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से विदेशों को जाने वाले प्रमाण-पत्रों से सम्बन्धित अद्यतन 436 सन्दर्भों का निस्तारण किया गया।

- **डोमीसाइल/स्थायी निवास प्रमाण पत्र :**

प्रदेश के विभिन्न जनपदों से शासन से स्थायी निवास प्रमाण पत्र/डोमीसाइल प्रमाण पत्र जारी किये जाने के बारे में मार्गदर्शन की अपेक्षा की जाती है। डोमीसाईल/स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करने का प्रकरण राज्य सरकार के अन्तर्गत है तथा एक निश्चित उद्देश्य, मुख्य रूप से शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश तथा रोजगार आदि पाने के लिए प्राप्त किया जाता है।

- **वीरता पुरस्कार :**

जीवन रक्षा पदक :

यह पदक प्रदेश सरकार की संस्तुति पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऐसे नागरिकों को प्रदान किये जाते हैं, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर जल में डूबते हुए, आग/खानों में बचाव कार्य के

दौरान मानव जीवन की रक्षा की हो। इस पुरस्कार के अंतर्गत तीन प्रकार के रक्षा पदक प्रदान किये जाते हैं, जिनका विवरण निम्नवत है :

1. सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक
2. उत्तम जीवन रक्षा पदक
3. जीवन रक्षा पदक

इस पुरस्कार में भारत सरकार द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक हेतु रु. 1,00,000/-, उत्तम जीवन रक्षा पदक हेतु रु. 60,000/- तथा जीवन रक्षा पदक हेतु रु. 40,000/- की धनराशि प्रदान की जाती है। उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा पदक धारकों को अतिरिक्त धनराशि के रूप में सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक हेतु रु. 5,000/- उत्तम जीवन रक्षा पदक हेतु रु. 2,000/- तथा जीवन रक्षा पदक हेतु रु. 1,000/- की धनराशि दी जाती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त पुरस्कार प्राप्तकर्ता के पुत्र/पुत्री दोनों को ही और यदि पदक प्राप्तकर्ता स्वयं बालक या बालिका है, तो उसे स्नातक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है।

- **अशोक चक्र श्रृंखला :**

इस श्रृंखला में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एवं शौर्य चक्र पुरस्कार भारत सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों को प्रदान किये जाते हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व वीरता, शौर्य का कार्य किया हो अथवा अपने जीवन का बलिदान कर दिया हो। वीरता के इस पुरस्कार में जल, थल तथा वायु सेना, प्रादेशिक सेना आदि के सभी रैकों के अधिकारी/कर्मचारी, सशस्त्र सेनाओं का नर्सिंग स्टाफ तथा पुलिस एवं अग्नि शमन सेवाओं को छोड़कर सभी नागरिकों को पुरस्कार दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा उक्त पुरस्कारों से सम्मानित महानुभावों को राज्य सरकार द्वारा नगद एकमुश्त एवं वार्षिकी का भुगतान किया जाता है। एकमुश्त धनराशि के अन्तर्गत अशोक चक्र हेतु रु0 32.50 लाख, कीर्ति चक्र हेतु रु0 19.50 तथा शौर्य चक्र हेतु रु. 13.00 लाख तथा वार्षिकी के रूप में क्रमशः रु. 1.56 लाख, 1.30 लाख तथा 0.65 लाख की धनराशि प्रदान की जाती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी 3,00,00,000/- की बजट व्यवस्था है।

- **काशी (वाराणसी) की सांस्कृतिक धरोहर ''रामलीला तथा मन्दिरों एवं धार्मिक संस्थाओं'' के लिए अनुदान :**

काशी (वाराणसी) की सांस्कृतिक धरोहर 'रामलीला तथा मन्दिरों एवं धार्मिक संस्थाओं' के लिए अनुदान स्वरूप आल इण्डिया काशीराज ट्रस्ट, वाराणसी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा रु. 5,00,000/- का अनुदान दिया जाता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी 5,00,000/- की बजट व्यवस्था है।

- **सेना द्वारा युद्धाभ्यास, गोला चलाने, तोप दागने हेतु क्षेत्र अधिसूचित करना :**

सेना द्वारा युद्धाभ्यास, गोला चलाने, तोप दागने हेतु अधिनियम, 1938 (अधिनियम संख्या-5 सन् 1938) के अधीन सम्बन्धित जिलाधिकारियों के माध्यम से सेना से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उक्त अधिनियम, 1938 की धारा-9 (1), 9(3), 9(4), एवं 9(2) के अंतर्गत खुले क्षेत्रों में गोला चलाने, तोप दागने के अभ्यास हेतु अर्जुनगंज फील्ड फायरिंग रेंज लखनऊ, रामगंगा फील्ड फायरिंग रेंज जनपद बरेली एवं फील्ड फायरिंग रेंज शाहजहांपुर के सम्बन्ध में अधिसूचना निर्गत की जा चुकी है। आसन फील्ड फायरिंग रेंज जनपद सहारनपुर से प्राप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

- **सिविल सैन्य सम्मेलन :**

सेना तथा सिविल प्रशासन के मध्य विभिन्न प्रकरणों के निस्तारण के लिए सिविल सैन्य सम्पर्क सम्मेलन आयोजित किये जाते हैं। दिनांक 28 जून, 2019 को सेना द्वारा सिविल सैन्य सम्पर्क सम्मेलन, 2019 आयोजित किया गया।

- **अंतर्राज्यीय परिषद :**

माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार की अध्यक्षता में भारत के राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री गण के साथ महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श करने हेतु अंतर्राज्यीय परिषद, सचिवालय द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिसके समन्वय का कार्य प्रदेश स्तर पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया जाता है।

अंतर्राज्यीय परिषद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद सेल का गठन किया गया है।

- **मध्य क्षेत्रीय परिषद :**

क्षेत्रीय परिषद सचिवालय के अंतर्गत मध्य क्षेत्रीय परिषद के सदस्य राज्य उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश हैं। इन प्रदेशों के परस्पर लम्बित प्रकरणों पर मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठकों में विचार-विमर्श कर निर्णय लिये जाते हैं।

- **भारतीय झण्डा संहिता/कोड आफ आर्म्स :**

गौरव का प्रतीक है। वर्तमान में भारतीय झण्डा संहिता, 2002 लागू है, जिसके अंतर्गत इस तिरंगे को सम्मान फहराये जाने के दिशा-निर्देश दिये गये हैं। कोट आफ आर्म्स से सम्बन्धित प्रकरण विभाग भी भारत का राष्ट्रीय झण्डा भारत के लोगों में आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिरूप है। यह हमारे राष्ट्रीय में व्यवहृत किये जाते हैं।

- **सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा :**

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट- 1881 (एक्ट संख्या- 26, सन् 1881) की धारा- 25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों को काम में लाकर, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति दिनांक 08 जून, 1957 के अनुसार राज्य सरकार काम में ला सकती है, के क्रम में प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक अवकाशों की अनुसूची निर्बन्धित अवकाशों की सूची एवं कार्यकारी आदेशों के अन्तर्गत अवकाशों को घोषित एवं राज्य सरकार के असाधारण गजट में प्रकाशित कराया जाता है।

वर्ष 2020 की अवकाश सूची दिनांक 04-11-2019 को निर्गत की गयी है।

1- प्रशासनिक सुधार विभाग का इतिहास :

उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक सुधर के दृष्टिकोण यथा-कार्य प्रक्रियाओं का सरलीकरण, विलम्ब की रोक-थाम, अधिकारों के विकेन्द्रीकरण हेतु उनका प्रतिनिधायन, कार्यालयों पर होने वाले व्यय में अधिक से अधिक मितव्ययता आदि से वित्त विभाग के अधीन 13 अप्रैल, 1923 को कार्यालय निरीक्षणालय का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य संगठन एवं विधि (Organization & Methods) के सिद्धान्तों पर उत्तर प्रदेश शासन के अधीन समस्त सरकारी कार्यालयों के कार्यों का निरीक्षण कर सुझाव दिया जाना था।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्वतंत्रता के बाद अपने प्रथम मुख्यमंत्री पण्डित गोविन्द बल्लभ पन्त की अध्यक्षता में 1952 में एक अनुशासनिक कार्यवाही जाँच समिति (Disciplinary Proceedings Inquiry Committee) की स्थापना की गई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में अन्य संस्तुतियों के अतिरिक्त एक संस्तुति यह भी की थी कि ''संगठन एवं विधि'' (Organization & Methods-O & M) का कार्य करने के लिए सचिवालय स्तर पर एक 'विधि एकक' (Methods Unit) स्थापित किया जाए।

सचिवालय के विभिन्न विभागों में दक्षता के प्रयास स्वयं उत्पन्न हो, इस दृष्टि से मई, 1958 में प्रत्येक शाखा में एक ज्येष्ठ अधिकारी को संगठन एवं विधि (ओ0एण्डएम0) अधिकारी नियुक्त किया गया, जो अपने अन्य दायित्वों के अलावा अपनी शाखाओं के कार्यों का अध्ययन करें और ऐसे तौर तरीके अपनायें जिससे कार्य तत्परता, दक्षता और मितव्ययता से सम्पन्न हो। उक्त व्यवस्था को और अधिक सुचारू रूप से चलाने के लिए अप्रैल, 1960 में संगठन एवं विधि प्रभाग में कुछ पूर्णकालिक अधिकारी नियुक्ति करके एक न्यूक्लियस (Nucleus) बनाया गया ताकि विद्यमान शासकीय व्यवस्थाओं का परीक्षण एवं उनके संगठन एंव पद्धतियों के कार्य अध्ययन के पश्चात कार्य निस्तारण के अच्छे तरीके खोजे जा सकें और अनावश्यक कार्य तथा अपरिहार्य विलम्ब को दूर किया जा सके तथा मानव एवं सामग्री के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके। यह विभाग कार्य मापन एवं उनके आधार पर स्टाफ की आवश्यकताओं का भी परीक्षण करता था और विभिन्न अधिष्ठानों में फालतू कर्मचारियों की भी देखरेख रखता था।

प्रशासनिक सुधार निदेशालय का विवरण :

(**i**) 01 मई, 1976 में नई दिल्ली में हुए मुख्य सचिवों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि राज्यों में प्रशासनिक सुधार विभाग का सुदृढीकरण किया जाय। भारत सरकार में हुये सम्मेलन में लिये हुये निर्णयानुसार संगठन एवं विधि प्रभाग को अतिरिक्त पदों की मांग के कार्य के साथ-साथ मुख्यालय, विभागाध्यक्षों, क्षेत्रीय एवं फील्ड स्तर के कार्यालयों की कार्य प्रणाली का गहन अध्ययन का कार्य, प्रशासन में सुधार एवं गतिशीलता लाने के उद्देश्य से अधिकारों के प्रतिनिधायन, कार्य पद्वति में सरलता लाने, प्रारूप एवं विवरणियों के अभिनवीकरण तथा सरलीकरण, रिकार्डस मैनेजमेंट, जनता की शिकायतों का शीघ्र निवारण तथा नई-नई कार्य प्रणालियों के लागू किये जाने आदि महत्त्वपूर्ण विषय पर कार्य किये जाने का दायित्व सौंपा गया। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग के संगठन एवं विधि को एक निदेशालय का रूप दिये जाने का निर्णय लिया गया। अतः विभाग के शासनादेश संख्या-3153/43-3(8)/1976 लखनऊ, दिनांक 01 अगस्त, 1978 के कार्यालय ज्ञाप द्वारा प्रशासनिक सुधार निदेशालय की स्थापना हुई।

(**ii**) वर्तमान में प्रशासनिक सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव निदेशालय के पदेन निदेशक होते हैं। निदेशाालय में वर्ष 1996 के पूर्व कार्यरत अधिकारी सचिवालय सेवा संवर्ग के थे जो समय-समय पर स्थानान्तरित होते रहते थे जिससे निदेशालय के विशिष्ट कार्यों में व्यवधान होता था। वर्ष 1993 में निदेशालय के राजपत्रित कर्मियों हेतु सेवा नियमावली बनाई गई तथा वर्ष 1996 में लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से प्रथम बार निदेशालय हेतु पाँच शोध अधिकारियों का मूल संवर्ग के रूप में चयन किया गया।

(**iii**) वर्ष 1996 से अब तक निदेशालय के अधिकारियों द्वारा सचिवालय के समस्त विभागों के कार्य अध्ययन को सम्मिलित करते हुये वृहत/लघु प्रकार के 150 से अधिक कार्य अध्ययन किये जा चुके हैं। वर्तमान में निदेशालय द्वारा मुख्यतया सचिवालय/विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/मा0 उच्च न्यायालय/लोक सेवा आयोग/विधान सभा/विधान परिषद आदि के कार्यालयों में विद्यमान जनशक्ति के आधार पर जनशक्ति मूल्यांकन का कार्य व्यवहृत किया जाता है। कार्यभार मूल्यांकन में जनशक्ति मूल्यांकन के साथ-साथ अन्य प्रकरणों यथा-अधिकारों का प्रतिनिधायन कार्यों के पुनरावलोकन पर भी संस्तुतियां की जाती हैं। जनशक्ति मूल्यांकन का कार्य एक तकनीकी प्रकृति का कार्य है जिसके लिये विभागों से डेटा प्राप्त कर उनका विश्लेषण किया जाता है तथा सैम्पलिंग पद्धति से निष्कर्ष निकाला जाता है। तकनीकी प्रकृति का कार्य होने के कारण ही निदेशालय के अधिकारियों की चयन अर्हता में गणित/सांख्यिकीय विषय में स्नातकोत्तर की अनिवार्यता रखी गई है।

राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज :

राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद का गठन शासनादेश संख्या-1818/10-402, दिनांक 11-04-1923 के द्वारा किया गया था। वर्तमान में यह ईकाई उत्तर प्रदेश शासन के प्रशासनिक सुधार विभाग के नियंत्रणाधीन इलाहाबाद में अवस्थित है। मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश इसके प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष हैं। निरीक्षणालय के माध्यम से प्रशासन तथा शासकीय प्रणाली में सुधार एवं गतिशीलता लाने, अधिकारों के प्रतिनिधायन, कार्य-पद्धति में सरलता, प्रारूप तथा विवरणियों के अभिनवीकरण तथा सरलीकरण, अभिलेख प्रबन्धन, जन सामान्य की शिकायतों का निस्तारण तथा नयी कार्य-प्रणाली, स्वच्छ, पारदर्शी, प्रभावी, संवदेनशील प्रशासन के लिए जन-सम्पर्क में आने वाले विभागों में जनता को आवश्यक सेवायें/स्वीकृतियों में आसानी से सहायता एवं सूचना उपलब्ध कराने की दिशा, शासन के समस्त प्रशासकीय विभागों के प्रदेश/मण्डल/जनपद/ब्लाक स्तरीय कार्यालय के माध्यम से संचालित विकास कार्यक्रमों एवं रोजगार से जुड़ी हुई योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यालयों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया, अनुरक्षित अभिलेख आदि का निरीक्षण करके उनमें सुझाव एवं सहायता देने की दिशा में कार्य कराया जाता है। इन कार्यों हेतु मण्डलायुक्त के अधीन प्रत्येक राजस्व मण्डल में 1-1 निरीक्षक भी तैनात किए गये हैं।

●

उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स

उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स संगठन एक स्वयंसेवी संगठन है, जो राष्ट्रप्रेम एवं निष्काम सेवा के सिद्धान्तों पर स्थापित है। अपने गठनकाल से यह विभाग निरन्तर एक प्रशिक्षित तथा अनुशासित समाज के निर्माण हेतु प्रयासरत है। निष्काम सेवा की अविरल भावना से ओत-प्रोत इस संगठन ने अब तक समाज के प्रत्येक वर्ग से लाखों की संख्या में पुरुष एवं महिलाओं को संगठन का सदस्य बनाकर उन्हें देश रक्षा की किन्ही भी विषय परिस्थितियों से जूझने के लिए दक्षता प्रदान की है। वर्ष 1963 में स्थापित होकर यह संगठन अपनी सेवा के 56 गौरवमयी वर्ष पूर्ण कर चुका है। संगठन की इकाइयां उत्तर प्रदेश राज्य के 75 जनपदों में स्थापित है तथा 1,18,348 होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से लगभग 32,000 शस्त्र प्रशिक्षित तथा 4400 महिलायें हैं तथा 1151 कंपनियों तथा 60 स्वतंत्र प्लाटूनों में विभक्त होकर पुलिस के सम्पूरक बल के रूप में कानून व्यवस्था की ड्यूटियों में नियोजित होते हैं। गर्व की बात है कि होमगार्ड्स पूरी लगन एवं निष्ठा से ड्यटी करते हैं। कर्त्तव्य की वेदी पर अब तक 1373 होमगार्ड्स शहीद हुए हैं। अदम्य साहस, सराहनीय कार्यों तथा विशिष्ट सेवाओं के लिए अब तक 122 वैतनिक/अवैतनिक अधिकारियों, कर्मचारियों एवं होमगार्ड्स को विभिन्न पदक से सम्मानित किया जा चुका है।

विभाग की उपलब्धियाँ

होमगार्ड्स विभाग के गठन के बाद से अब तक होमगार्ड्स विभाग द्वारा 56 वर्षों के अपने कार्यकाल में कई क्षेत्रों में कीर्तिमान स्थापित किये गये हैं तथा वर्तमान में यह बल पुलिस और प्रशासन का अपरिहार्य अंग बन चुका है। पुलिस बल के सहायक के रूप में इनके द्वारा शान्ति व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी के अतिरिक्त यातायात, परीक्षा ड्यटी, जेल सुरक्षा ड्यूटी, सचिवालय सुरक्षा ड्यूटी तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग तथा महत्त्वपूर्ण संस्थानों/स्मारकों आदि की सुरक्षा के कार्य में भी होमगार्ड्स संगठन के जवानों को निरन्तर प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

100 डायल में संगठन के होमगार्ड्स वाहन चालक के रूप में तैनात किये गये हैं। अग्रेतर 100 डायल के साथ गार्ड के रूप में चलने हेतु पुलिस विभाग द्वारा मांग की गयी है, जिस पर कार्यवाही का जा रही है।

वर्ष 1963 में होमगार्ड्स बल की स्थापना के समय प्रदेश भर में लगभग 2000 होमगार्ड्स को ड्यूटी पर लगाया गया था, जो अब वर्तमान में प्रदेश में लगभग 90000 होमगार्ड्स प्रतिदिन विभिन्न ड्यूटियो हेतु प्रतिस्थापित हो रहे हैं, जिनकी उपयोगिता दिनों-दिन बढ़ती जा रही है।

विभाग द्वारा 142 इन्सास राइफल भी क्रय किये जा चुके हैं तथा 200 हवलदार प्रशिक्षकों को इस शस्त्र का प्रशिक्षण दिलाया जा चुका है, जो विभाग के प्रशिक्षण केन्द्रों पर स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में वर्तमान परिदृश्य में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी होमगार्ड्स बल की अहम भूमिका प्रारम्भ हो चुकी है, वर्तमान में उन्हें आपदा प्रबंधन के कुशल प्रशिक्षकों से प्रशिक्षित कराकर पारंगत किया जा रहा है।

वर्तमान में 33 विभागीय भवनों में होमगार्ड्स कार्यालय स्थापित हैं, 15 इकाइयों में भवन निर्माण का कार्य चल रहा है एवं 39 इकाईयों के भवन निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत 03 मारूति सियाज़ एवं 09 टाटा सूमो गोल्ड (हल्के वाहन), 54 अदद मल्टी फंक्शनल फैक्स मशीन, 29 मोटर साइकिल, 63 कम्प्यूटर एवं 34 फोटोकॉपियर मशीन एवं अन्य उपयोगी सहवर्ती उपकरणों को क्रय किया गया है।

होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को कानून व्यवस्था ड्यूटियों पर नियुक्त किये जाने के लिए पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार से मुक्त सभी को समान अवसर देने के लिए होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को ड्यूटी एन.आई.सी. द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर से लगायी जाती है तथा सभी होमगार्ड्स को एस.एम.एस. के माध्यम से ड्यूटी की सूचना दी जाती है।

वर्तमान सरकार द्वारा शासनादेश दिनांक 27 अगस्त, 2018 द्वारा होमगार्ड्स स्वयंसेवकों का ड्यूटी भत्ता रु. 375/- से बढ़ाकर रु. 500/- प्रतिदिन किया गया है। कुम्भ मेला, 2019 में ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को रु. 60/- से बढ़ाकर रु. 80/- प्रतिदिन भोजन भत्ता किया गया है तथा होमगार्ड्स स्वयंसेवकों के कल्याण हेतु स्थापित होमगार्ड्स कल्याण कोष में रु. 5 करोड़ बढ़ाकर रु. 10/- करोड़ किया जा रहा है।

होमगार्ड्स संगठन वर्तमान में यातायात व्यवस्था में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसकी सराहना प्रदेश की जनता एवं पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है। शासकीय तथा गैर शासकीय संस्थाओं में सुरक्षात्मक कार्यों हेतु भुगतान के आधार पर विभिन्न प्रतिष्ठानों, निगमों आदि में लगभग 3500 होमागार्ड्स सुरक्षा ड्यूटी पर एवं राज्य के कारागारों की सुरक्षा ड्यूटी पर 1736 सशस्त्र, निःशस्त्र एवं महिला होमगार्ड्स तैनात किये जा रहे हैं।

विभिन्न आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्यों हेतु कार्मिकों का प्रशिक्षण कोलकाता स्थित ''सी'' एक्सपलार्रस इन्स्टीट्यूट पर 5 वैतनिक कामिकों एवं सेविंग सोसाइटी ऑफ इण्डिया पर 35 होमगार्ड्स स्वयंसेवकों तथा विभाग के विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों पर 3000 होमगार्ड्स स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया, जिसके तहत 545 कर्मचारियों एवं होमगार्ड स्वयंसेवकों द्वारा उच्चकोटि का प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के लगभग 30 अत्यधिक बाढ़ प्रभावित जनपदों के लिए प्रदेश के 300 होमगार्ड्स जवानों को तैराकी का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

मृतक आश्रित नियमावली-1974 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2018-2019 में सेवाकाल में दिवंगत कार्मिकों के 08 आश्रितों को सेवायोजन का लाभ प्रदान किया गया है।

होमगार्ड्स संगठन वर्तमान में पुलिस बल के सहयोगी बल के रूप में शासन एवं प्रशासन को अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस बहुमूल्य योगदान तथा अनुशासन के कारण जन-मानस की भूरि-भूरि प्रशंसाएं भी संगठन को प्राप्त हुई हैं। होमगार्ड्स स्वयंसेवकों की समस्याओं के प्रति शासन संवेदनशील है तथा उनके कल्याण हेतु विभाग में कई कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी हैं। आशा की जाती है कि आगामी वर्षों में होमगार्ड्स बल के स्वयंसेवक तथा अधिकारी और अधिक परिश्रम, अनुशासन तथा कर्तव्यनिष्ठा के साथ शान्ति व्यवस्था स्थापना के कार्य में महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करेंगे।

सचिवालय प्रशासन

प्रदेश के राज्य मुख्यालय पर अवस्थित विभिन्न विभागों के कार्यों के सम्पादन में प्रशासनिक अधिकारियों को सहयोग प्रदान करने हेतु मुख्यतः सचिवालय सेवा के अधिकारी एवं कर्मचारी तैनात हैं। सचिवालय प्रशासन विभाग सचिवालय सेवा संवर्ग का प्रशासनिक विभाग है। सचिवालय प्रशासन विभाग न केवल मुख्यालय पर विभिन्न विभागों में सचिवालय सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती व्यवस्था ही देखता है बल्कि सचिवालय परिसर की स्वच्छता, सफाई, आंतरिक सुरक्षा आदि का महत्त्वपूर्ण कार्य भी सम्पादित करता है। आधुनिक परिदृश्य में सुरक्षा व्यवस्था की जटिलताओं के दृष्टिगत सी0सी0टी0वी0, स्मार्ट कार्ड एक्सेस सिस्टम द्वारा अनधिकृत आगन्तुकों की पहचान एवं विभिन्न भवनों में अग्निशमन की प्रभावी व्यवस्था भी सचिवालय प्रशासन विभाग का महत्त्वपूर्ण कार्य है।

वर्ष 2018–19 में सम्पादित महत्त्वपूर्ण कार्य

- उत्तर प्रदेश सचिवालय में ई–आफिस योजनान्तर्गत आरम्भ से भिन्न–भिन्न कार्यों की पत्रावलियों में टिप्पणी और आलेख्य नोटशीट पर लिख कर प्रस्तुत किया जाता रहा है। इसको सरल तथा पारदर्शी बनाये जाने के उद्देश्य मे फिजिकल रूप मे प्रचलित पत्रावलियों को समाप्त करते हुए ई–आफिस योजना दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 से बीस विभागों में तथा 07 मई, 2018 से सचिवालय के समस्त विभागों मे लागू की जा चुकी है। इसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभागों/विभागों मे प्रथम चरण में कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरण स्थापित करते हुए डिजिटल रूप में नई फाइलों मे कार्य किये जा रहे हैं। योजना के प्रारम्भ से अब तक ई–आफिस पोर्टल पर कुल 2,34,529 पत्रावलियाँ खोली और संचालित की गयी हैं। यह कार्य लगातार प्रगति पर है।
- उत्तर प्रदेश सचिवालय में पुरानी पत्रावलियों का डिजिटाईजेशन के अन्तर्गत ई–आफिस पर पुरानी पत्रावलियों का संचालन कराने के लिए दिनांक 29 मार्च, 2019 से डिजिटाईजेशन का कार्य शुरू किया गया है, जिसके अन्तर्गत अभी तक कुल 3,12,337 पत्रावलियाँ और 3,34,64,683 पेज स्कैन्ड किये जा चुके हैं। इस योजना के अन्तर्गत ई–आफिस पर अब तक कुल 2,13,153 पत्रावलियों तथा 2,27,79,405 पेज अपलोड कराये जा चुके हैं। यह कार्य लगातार प्रगति पर है।
- उत्तर प्रदेश सचिवालय में ऑनलाइन इन्वेंटरी मेनेजमेंट सिस्टम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सचिवालय मे उपयोग मे लाये जाने वाले वस्तुओं और सामग्रियों का रख–रखाव

फिजिकल फार्म मे किया जा रहा है। इसके अनुचित माँग और उसकी आपूर्ति पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से ऑनलाइन इंवेंटी मेनेजमेंट सिस्टम तैयार किया गया है। इस सिस्टम के लागू हो जाने पर भण्डार में उपलब्ध तथा दी जाने वाली वस्तुओं/सामग्रियों का लेखा–जोखा सुचारू रूप से हो सकेगा और अनुचित माँग तथा आपूर्ति पर अंकुश रहेगा।

- उत्तर प्रदेश सचिवालय में ऑनलाईन गेट पास प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सचिवालय प्रदेश का शीर्षस्थ संस्थान है। इस संस्थान मे सुरक्षा और अवैध प्रवेश पर अंकुश रखने के उद्देश्य से सचिवालय प्रवेश पत्र नीति का सरलीकरण किया गया है। इस नीति के अन्तर्गत ऑनलाइन गेट पास प्रबंधन प्रणाली दिनांक 28 मार्च, 2019 से लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत ऑनलाइन फार्म भर कर उसकी हार्ड कापी मुख्य स्वागत अधिकारी कार्यालय में जमा करने के उपरान्त ऑनलाइन प्रवेश–पत्र बनाये जा रहें हैं।
- उत्तर प्रदेश सचिवालय में बायोमैट्रिक्स एवं आधार पर आधारित उपस्थिति प्रणाली के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सचिवालय में सभी अधिकारी/कर्मचारी समय से कार्यालय आयें और समय से कार्यालय आकर अपने–अपने शासकीय कार्यों का शीघ्र निस्तारण करें। इसको ध्यान मे रखते हुए मा0 मंत्रि परिषद के आदेश दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 से उत्तर प्रदेश सचिवालय मे बायोमैट्रिक्स एवं आधार पर आधारित उपस्थिति प्रणाली लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश सचिवालय के 93 विभागों मे दिनांक 15 जुलाई, 2019 से बायोमैट्रिक्स एवं आधार पर आधारित उपस्थिति प्रणाली लागू की जा चुकी है।
- समीक्षा अधिकारी की सीधी भर्ती के पदों पर चयन कराए जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप दिनांक 10.04.2017 द्वारा 190 पदों एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक 20.12.2017 द्वारा 66 पदों पर लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्रेषित किया गया। उक्त के अतिरिक्त चयन वर्ष 2019–20 के सापेक्ष चयन कराये जाने हेतु कार्यालय–ज्ञाप दिनांक 05.09.2019 द्वारा 33 पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया है।
- सचिवालय के विभिन्न परिसरों में वाहनों के प्रवेश नियंत्रित करने हेतु पूर्व से स्थापित ''BOOM BARRIER SYSTEM'' के अन्तर्गत कार्यवाही की गई।

उपरोक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त सचिवालय प्रशासन विभाग मे उक्त अवधि में कराये गये कार्यों का विवरण निम्नवत् है :–

1. चयन वर्ष 2017–18 में तथा 2018–19 में समस्त विभागीय चयन की कार्यवाही समय से पूर्ण करायी गयी।
2. चयन वर्ष 2017–18 में तथा 2018–19 के विभिन्न संवर्गों के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग, प्रयागराज और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ को भेजे गये।
3. सचिवालय सेवा के विभिन्न संवर्गों के कुल 63 ए0सी0पी0 के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण कराया गया।

4. सचिवालय सेवा के 48 समीक्षा अधिकारियों एवं 18 कम्प्यूटर सहायकों का स्थायीकरण कराया गया।
5. मृतक आश्रित की नियुक्ति के लम्बित समूह 'ग' के 11 तथा समूह 'घ' के 05 मामले निस्तारित करते हुए नियुक्ति करायी गयी।
6. सचिवालय सेवा के समूह 'क' के 07 अधिकारियों तथा समूह 'ख' के 01 समूह 'ग' के 09 एवं समूह 'घ' के 10 कार्मिकों की विभागीय कार्यवाही का निस्तारण कराया गया।
7. सचिवालय सेवा के विशेष सचिव स्तर के 23 पद, संयुक्त सचिव के 50 पद, उप सचिव के 14, अनुसचिव के 25 पद तथा अनुभाग अधिकारी के 21 पद कुल 133 अस्थायी पदों का स्थायीकरण कराया गया।
8. कर्मचारियों की सेवा–पुस्तिका, जी0पी0एफ0 पासबुकों को अभियान चलाकर अद्यावधिक कराया गया।
9. चक्रीय स्थानान्तरण नीति निर्गत की गयी। इसका अनुपालन कराया जा रहा है।
10. प्रशिक्षण नीति निर्गत की गयी। इसके तहत सचिवालय संवर्ग के अनुभाग अधिकारी से विशेष सचिव स्तर के कुल 137 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्राप्त कराया गया।
11. सचिवालय सेवा संवर्ग के कर्मचारियों के व्यक्तिगत डाटाशीट तैयार करायी जा रही है। अब तक कुल 4638 अधिकारियों/कर्मचारियों की डाटाशीट पूरी कराई जा चुकी है।
12. सचिवालय सेवा, आई0ए0एस0 तथा पी0सी0एस0 संवर्ग के मध्य अनुसचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव/विशेष सचिव के पदों का निर्धारण कराया गया।
13. काफी दिनों से लम्बित ''उ0प्र0 सचिवालय प्रलेखीकरण केन्द्र और पुस्तकालय सेवा नियमावली –2017'' का प्रख्यापन कराया गया और तदुपरान्त इस संवर्ग मे भर्ती/प्रोन्नति की कार्यवाही आरम्भ करायी गयी।
14. मा0 मंत्रीगण के निजी स्टाफ के नियतन का निर्धारण कराया गया।
15. सचिवालय में कार्य करने वाले स्थायी अधिकारियों/कर्मचारियों का स्मार्टकार्ड बनाया गया।
16. श्री लाल बहादुर शास्त्री भवन तथा बापू भवन सचिवालय के आधुनिकीकरण के काफी कार्य लम्बित पड़े थे, उन्हें पूर्ण करवाया गया।
17. विभिन्न राष्ट्रीय पर्वों पर उसका सफल आयोजन कराया गया।
18. उत्तर प्रदेश सचिवालय में तीन नये डिस्पैच काउण्टर बढ़ाये गये।

नियुक्ति एवं कार्मिक

कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा सम्पादित महत्त्वपूर्ण कार्यों का विवरण

क्र0 सं0	शासनादेश का विवरण	विषय
1.	18/21/1/2013/का-2/ 2018, दिनांक 05.04.2018	उत्तर प्रदेश सहायक अभियन्ता सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2018
2.	2/2018/3/1/2015-का-2 दिनांक 05.07.2018	ई.ओ.ई.ए.सी.सी. (डोयक) सोसाइटी द्वारा प्रदत्त सी.सी.सी. प्रमाण-पत्र की समकक्षता के सम्बन्ध में।
3.	4/2018/18/1/2008-का-2 2018, दि0 25.09.2018	उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2018
4.	1/2019/4/1/2002/का-2/ 19टीसी-11, दि0 18.02.2019	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के ऐसे व्यक्तियों, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था से आच्छादित नहीं है तथा उत्तर प्रदेश राज्य के ही मूल निवासी है, को राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर आरक्षण प्रदान करने हेतु व्यवस्थामानक निर्धारित किये जाने के संबंध में।
5.	3/2019/4/1/2002/का-2/ 19टीसी-11, दि0 14.03.2019	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए लागू आरक्षण व्यवस्था हेतु निर्धारित आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र का प्रपत्र-1 व प्रपत्र-II
6.	15/29/2018-का-4-2019, दि0 04.04.2019	वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी किए जाने के सम्बन्ध में।
7.	2/ईएम/2009-का-4-2019, दि0 24.05.2019	सेवा संवर्गों की समस्याओं के सम्बन्ध में।
8.	3/2019/15/20/95-का-4-2019, दि0 25.10.2019	लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को समय से अधियाचन प्रेषित किये जाने क सम्बन्ध में।

अप्रवासी भारतीय प्रकोष्ठ

संक्षिप्त टिप्पणी

- प्रवासी भारतीय विभाग (एन.आर.आई. विभाग) को सौंपे गए कार्य दायित्वों में केन्द्र सरकार द्वारा प्रवासी भारतीयों के देश के विकास में उनके योगदान के सम्मान में मनाये जाने वाले प्रवासी भारतीय दिवस की भांति प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष ''उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस'' का आयोजन किया जाता है।

- तत्क्रम में प्रदेश के प्रथम उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस का सफलतापूर्वक आयोजन दिनांकः 04-06 जनवरी, 2016 को ऐतिहासिक ताज नगरी-आगरा में किया गया। दूसरे एवं तीसरे ''उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस'' का सफलतापूर्वक आयोजन प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2017 एवं 2018 में किया गया जिनमें विश्व के 30 से अधिक देशों में निवास कर रहे उत्तर प्रदेश मूल के सैकड़ों एन.आर.आई/प्रवासी समुदाय द्वारा उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया गया।

- विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस बार पन्द्रहवें प्रवासी भारतीय दिवस-2019 का बृहद आयोजन सांस्कृतिक नगरी-वाराणसी में दिनांक 21, 22 एवं 23 जनवरी, 2019 को किया गया, इस आयोजन में मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्घाटन एवं महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा समापन किया गया। इस आयोजन में प्रदेश सरकार द्वारा ''पार्टनर स्टेट'' की भूमिका का निर्वहन किया गया। इसके अतिरिक्त दिनांक 24 जनवरी, 2019 प्रातःकाल को विशेष ट्रेन से प्रवासी भारतीयों को प्रयागराज लाकर कुम्भ मेला क्षेत्र का भ्रमण कराया गया। इस आयोजन के प्रथम दिवस अर्थात 21 जनवरी, 2019 को ''यूथ प्रवासी भारतीय दिवस'' के कार्यक्रम पूर्वाहन 9:30 बजे से 11:30 बजे तक संपन्न हुआ। इसके उपरांत पार्टनर स्टेट-उत्तर प्रदेश राज्य का पृथक से एक सेशन पूर्वाहन 11:30 बजे से सार्य 5:00 बजे तक किया गया। अप्रवासी भारतीयों के देश के विकास में उनके योगदान के सम्मान में प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने वाले ''उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस'' का आयोजन भी इसी सेशन में किया गया। इस आयोजन में ''यू.पी. पैवेलियन'' भी रखी गयी, जिसमें प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा अपने-अपने विषयवस्तु/उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। इस आयोजन में 7500 से अधिक लोगों द्वारा प्रतिभागिता की गयी। आयोजन की सफलता ने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की सरकार की स्वच्छ एवं प्रगतिशील छवि को प्रस्तुत किया है।

- प्रदेश के कुशल/अर्धकुशल कामगारों को विदेशों मुख्यतः खाड़ी के देशों में रोजगार हेतु जाने के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने हेतु विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश के प्रथम माइग्रेंट रिसोर्स सेन्टर (एम.आर.सी.) एन.आर.आई. सेल (उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम) के क्षेत्रीय कार्यालय, 18-मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ में स्थापित किया गया है।

- प्रदेश के कामगारों को विदेश में रोजगार दिलाने हेतु चयनित प्रक्रिया के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम को विदेश मंत्रालय, भारत सरकार में इमिग्रेशन एक्ट के अंतर्गत रिक्रूटिंग एजेन्ट के रूप में पंजीकृत किया गया, जिससे कि प्रदेश के कुशल/अर्धकुशल कामगारों को विदेश उपयुक्त रोजगार तथा वैध उत्प्रवासन हेतु अधिकाधिक अवसर प्राप्त हो सके। अवैध इमीग्रेशन एवं अवैध भर्ती एजेन्टों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही के लिए स्थानीय प्रशासन को निर्देशित किया जा रहा है।

- उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा विदेशी भर्ती चयन प्रक्रिया का संचालन गाजियाबाद, मेरठ लखनऊ एवं गोरखपुर केन्द्रों से ऑनलाइन www.upfcomra.com के माध्यम से किया जा रहा है।

- रोजगार के लिए विदेश जाने वाले भारतीयों के संरक्षण व गैर पंजीकृत भर्ती एजेंटों की गैर कानूनी गतिविधियों पर लगाम लगाये जाने के सम्बन्ध में कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यशालाओं/बैठकों में प्रदेश सरकार की ओर से विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभागिता की जाती है।

- उत्तर प्रदेश के प्रवासी भारतीयों के हितों एवं कल्याण के पर्यवेक्षण तथा उनसे सम्बंधित प्रकरणों के समाधान में प्रक्रियागत विलम्ब को समाप्त करने के उद्देश्य से 12-सी मॉल एवेन्यू, लखनऊ स्थित उद्योग बन्धु में स्थापित ''यू.पी.एन.आर.आई. शिकायत निवारण केन्द्र'' से वेब पोर्टल - upnrigrs.in का संचालन किया जा रहा है।

विधायी

संक्षिप्त इतिहास

दिनांक 27.10.2006 से पूर्व विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग राज्य के न्याय विभाग का एक अंग था। विधायी विभाग राज्य का एक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विभाग होता है, जिसका कार्य प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुरूप विधायिका द्वारा बनाये जाने वाले नये कानूनों का आलेखन तथा विधीक्षण एवं पुराने कानूनों की समय-समय पर समीक्षा करना होता है। विभाग के महत्त्व को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2006 में केन्द्र सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा यह सुझाव दिया गया कि प्रत्येक राज्य में विधायी विभाग एक अलग विभाग हो, जिसमें विशेषज्ञ विधि-प्रारूपकार भी हों। भारत संघ की सुशासन से सम्बंधित ड्राफ्ट एक्शन प्लान में विधायी विभाग के उपरोक्त बिन्दु को सम्मिलित किया गया और सभी राज्य सरकारों को विधायी विभाग को पृथक करने के निर्देश के साथ-साथ इसमें विशेषज्ञ की नियुक्ति की अपेक्षा की गई।

भारत संघ की उपरोक्त अपेक्षानुसार राज्य का विधायी विभाग दिनांक 27.10.2006 को न्याय विभाग से पृथक किया गया। लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित दो विधीक्षण अधिकारियों की नियुक्ति विधायी विभाग में दिनांक 17 मई, 2017 को हुई है जिनके द्वारा सचिवालय के विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तावित अध्यादेशों/विधेयकों के प्रख्यापन एवं अधिनियमन तथा नियमों, विनियमों एवं अधिसूचनाओं के अंग्रेजी आलेखों के विधीक्षण का कार्य सफलतापूर्वक सम्पादित कराया जा रहा है।

विधायी विभाग का क्रियाकलाप

यहां पर शासन के विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तावित अध्यादेशों/विधेयकों के अंग्रेजी आलेखों का विधीक्षण, प्रख्यापन एवं अधिनियमन तथा नियमों, विनियमों एवं अधिसूचनाओं के अंग्रेजी आलेखों को विधीक्षित किये जाने का कार्य किया जाता है। विधायी विभाग में बजट से सम्बन्धित कार्य भी सम्पादित नही होता है। राज्य सरकार द्वारा गठित एवं विधायी विभाग के अधीन कार्यरत उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग द्वारा अप्रचलित और अनुपयोगी हो चुके कानूनों को निरसित किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सौंपे गये प्रतिवेदन के आधार पर 95 अधिनियमों को उनसे सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों से सहमति प्राप्त करने के पश्चात उत्तर प्रदेश निरसन अधिनियम, 2018 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 39 सन् 2018) के माध्यम से निरसित किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त विधायी विभाग में यू.पी. कोड का निर्माण प्रक्रियाधीन है।

●

संस्कृति निदेशालय

संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश से संबंधित कार्यों का सम्पादन विभागाध्यक्ष के स्तर पर संस्कृति निदेशालय द्वारा किया जाता है। निदेशालय विभाग के अधीनस्थ शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं की देखरेख करता है और निर्देश देता है।

प्रदेश के विभिन्न अंचलों में समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिनमें देश के प्रतिष्ठित कलाकारों के साथ-साथ युवा नवोदित कलाकारों को भी अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का समुचित अवसर प्रदान किया जाता है।

निदेशालय द्वारा महापुरुषों की मूर्तियों का निर्माण, क्षेत्रीय सांस्कृतिक कलाओं के कलारूपों के अभिलेखीकरण के साथ-साथ छोटे एवं नवोदित कलाकारों को सांस्कृतिक मंच प्रदान करने एवं स्थापित करने का प्रयास भी किया जाता है। विभिन्न सांस्कृतिक महोत्सवों में जिला स्तर एवं अन्य स्वायत्तशासी संगठनों के सहयोग से सांस्कृतिक आयोजन किये जाते हैं।

प्रदेश की लोक संस्कृति की लुप्त होती विधाओं को गाँव-गाँव तक पहुँचाना, मंच प्रदान करना एवं इनसे संबंधित सर्वेक्षण/दस्तावेजीकरण आदि का महत्त्वपूर्ण कार्य भी निदेशालय द्वारा किया जाता है।

ऐसे उत्कृष्ट कलाकारों/महानुभावों जिन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से राष्ट्रीय एवं अतंर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव प्राप्त किया हो, को यश भारती सम्मान पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता है।

कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत प्रदेश के 60 वर्ष के वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को जिन्होंने अपना पूरा जीवन कला एवं संस्कृति तथा साहित्य की आराधना में लगा दिया परन्तु वृद्धावस्था एवं खराब स्वास्थ्य के करण अपने जीविकोपार्जन में असमर्थ हो गये हैं। उन्हें रु. 2000/- मासिक पेंशन दी जा रही है, जिसे बढ़ाकर रु. 4000/- किये जाने का प्रस्ताव है।

उ.प्र. राजकीय अभिलेखागार

उ.प्र. राजकीय अभिलेखागार की स्थापना सन् 1949 में प्रयागराज में सेन्ट्रल रिकार्ड आफिस के रूप में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, मण्डलीय एवं जिला स्तर के कार्यालयों एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं में उपलब्ध ऐतिहासिक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण अभिलेखों का स्थानान्तरण तथा स्थानान्तरित अभिलेखों का वर्गीकरण, पैकिंग एवं लेबलिंग तथा समुचित वैज्ञानिक संरक्षण करके सुव्यवस्थित ढंग से कार्टन बाक्स में रखना, शोध-छात्रों को सुविधा देना, शासन को आवश्यक सूचनाएँ उपलब्ध कराना, अभिलेखों की माइक्रोफिल्मिंग एवं फोटोकापी से सम्बन्धित सुविधाएं और व्यक्तिगत अधिकारों से दुर्लभ पाण्डुलिपियों एवं प्रपत्रों को प्राप्त करना है।

वर्ष 2019-20 में कराये जाने वाले कार्यों का विवरण

अभिलेख कक्ष निरीक्षण

उ.प्र. अभिलेख नीति सन् 1990 के अनुपालन में विभिन्न जिलाधिकारी कार्यालयों के अभिलेख कक्षों एवं अन्य शासकीय कार्यालयों के अभिलेख कक्षों का निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है।

अभिलेख स्थानान्तरण

प्रशासनिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण विभिन्न शासकीय कार्यालयों के अभिलेख कक्षों से स्थायी संरक्षण के निमित्त अभिलेख स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है।

अभिलेख प्रदर्शनी

वर्ष 2019-20 में अभिलेखीय जनजागरूकता उत्पन्न करने के लिए सन् 1857 की वीरांगनाएं, प्रथम विश्व युद्ध विषयक, काकोरी के शहीद आदि विषयों पर अभिलेख प्रदर्शनी का आयोजन प्रस्तावित है।

अभिलेख अभिरुचि कार्यक्रम

वर्ष 2019-20 में लखनऊ जनपद के विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं में प्रदेश की समृद्ध अभिलेखीय धरोहर के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए अभिलेखागार के भ्रमण एवं प्रश्नोत्तर कार्यक्रम का आयोजन प्रस्तावित है।

सेमिनार/संगोष्ठी

अभिलेखों के महत्त्व एवं उनके सम्यक् संरक्षण विषय पर सेमिनार एवं संगोष्ठी का आयोजन प्रस्तावित है।

अभिलेख संरक्षण

व्यक्तिगत अधिकार में संरक्षित ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण एवं दुर्लभ अभिलेख/पाण्डुलिपियों का सर्वेक्षण कर उनका सूचीकरण किया जाना प्रस्तावित है।

मौखिक इतिहास योजना

प्रदेश के जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का संस्मरण टेप कर संरक्षित किया जाना प्रस्तावित है।

डिजिटाइजेशन

कार्यालय में संरक्षित विभिन्न विभागों के अभिलेखों का डिजिटाइजेशन प्रस्तावित है।

पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति योजना एवं क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली द्वारा पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति योजना क्रियान्वयन हेतु अनुदान समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार मात्र प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत 04 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 05 अवर लिपिक तथा 10 परिचर के पद शेष रह गये हैं। जिसमें वर्तमान समय में मात्र 01 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अयोध्या, 02 अवर लिपिक तथा 04 परिचर कार्यरत हैं। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों के संचालन हेतु 08 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों के माध्यम से सांस्कृतिक गतिविधियां संचालित हैं।

भातखण्डे संगीत संस्थान अभिमत विश्वविद्यालय, लखनऊ

शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विधाओं में अपनी शिक्षण पद्धति एवं विशिष्ट पाठ्यक्रम के लिए सुविख्यात इस महाविद्यालय की स्थापना वर्ष 1926 में मैरिस कालेज के नाम से हुई। बाद में इसका नाम

बदलकर भातखण्डे हिन्दुस्तानी संगीत महाविद्यालय कर दिया गया। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 26 मार्च, 1966 को इसे अपने नियंत्रण में लिया गया और विश्वविद्यालय घोषित होने तक एक शासकीय संस्था के रूप में गतिशील रहा।

भारत सरकार द्वारा दिनांक 24 अक्टूबर, 2000 को अपनी अधिसूचना में इसे समविश्वविद्यालय घोषित कर देश में इस संस्थान को संगीत शिक्षा के क्षेत्र में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय होने का गौरव प्रदान किया गया है।

संस्थान द्वारा शास्त्रीय (गायन, ताल-वाद्य, नृत्य) संगीत की चारों विद्याओं में बी.पी.ए., एम.पी.ए. एवं पीएच.डी. की डिग्री/उपाधि तथा प्रवेशिका, परिचय, प्रबुद्ध, पारंगत एवं उपशास्त्रीय गायन (ध्रपद-धमार, होरी, ठुमरी, दादरा, संवादिनी, की-बोर्ड, सुगम संगीत) में सार्टिफिकेट डिप्लोमा तथा लोकनृत्य में तीन वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है। संगीत के शिक्षण कार्य के साथ-साथ पूर्व में संचालित वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम संगीत अभिरुचि की विशिष्ट कार्यशाला एवं संगीत संध्या का आयोजन कर रहा है।

संस्थान द्वारा सत्र 2001-02 से विश्वविद्यालय पाठ्यक्रमों के साथ-साथ महाविद्यालय के सार्टिफिकेट/डिप्लोमा की वार्षिक परीक्षाओं का स्वतन्त्र रूप से संचालन किया जा रहा है।

राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश

राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश की स्थापना 08 फरवरी, 1962 को उत्तर प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग की पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्तशासी इकाई के रूप में हुई थी। अकादमी कला एवं कलाकारों की प्रोन्नति एवं प्रोत्साहन के ध्येय की ओर निरन्तर अग्रसर होती हुई कला जगत में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। अकादमी छत्तरमंजिल और (लखनऊ बेंच हाईकोर्ट का पुराना भवन) के मध्य ललित कला अकादमी मार्ग पर लाल बारादरी भवन में स्थित है। यह भवन उ.प्र. राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित एक पुरातात्विक इमारत है। इसका निर्माण सन् 1778-1814 के बीच हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात् सर्वप्रथम इस भवन में राज्य संग्रहालय स्थापित हुआ। राज्य संग्रहालय का अपने भवन में स्थानान्तरण होने के पश्चात् वर्ष 1962 में राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना हुई।

उ.प्र. संगीत नाटक अकादमी, गोमतीनगर, लखनऊ

अकादमी की स्थापना 13 नवम्बर, 1963 को हुई थी। पिछले 54 वर्षों से अकादमी संगीत, नृत्य, नाटक, लोकसंगीत, लोकनाट्य की परम्पराओं के प्रचार-प्रसार, संवर्द्धन एवं परिरक्षण का महत्त्वपूर्ण कार्य कर रही है।

प्रदेश में संगीत, नृत्य, नाटक, लोक विधाओं सम्बन्धी परम्पराओं के विषय में अधिक जागरूकता एवं जानकारी, नवोदित प्रतिभाशाली युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, नवीन प्रतिभाओं का विकास एवं उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण, सांस्कृतिक कार्यकलापों का विकेन्द्रीकरण, प्रदेश के विभिन्न अंचलों में कार्यरत् स्वैच्छिक संस्थानों से सम्पर्क एवं उनके कार्यकलापों में सहायता, लुप्त हो रही विधाओं के परिरक्षण एवं प्रदर्शन की योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न कराना, साथ ही सर्वेक्षण एवं सर्वेक्षण के आधार पर कार्यक्रमों को तैयार कर उन्हें जनता के समक्ष लाना, अकादमी की गतिविधियों में शामिल है।

भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ

हिन्दी भाषी प्रान्तों में प्रतिभावान व महत्त्वाकांक्षी युवक युवतियों को नाट्यकला में प्रशिक्षण देने

के उद्देश्य से भारतेन्दु नाट्य अकादमी की स्थापना अगस्त 1975 में हुई थी। संस्थापक निदेशक पद्मश्री राज बिसारिया के कुशल निर्देशन में अकादमी का प्रशिक्षण कार्य, अंशकालिक प्रशिक्षण के रूप में प्रारम्भ होकर वर्ष 1978 में एक वर्षीय पूर्णकालिक सर्टीफिकेट कोर्स तथा वर्ष 1981 में द्विवर्षीय डिप्लोमा के रूप में स्थापित हुआ, जिसके अन्तर्गत नाट्यकला के विभिन्न पक्षों अभिनय, निर्देशन, रंग-तकनीक एवं नाट्य साहित्य विषयों में गहन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त छात्र-छात्राओं का पलायन रोकने के दृष्टिकोण से वर्ष 1988 में रंगमण्डल की स्थापना की गई।

अकादमी का उद्देश्य रंगमंच के विभिन्न पहलुओं में सैद्धान्तिक व व्यावहारिक गहन प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि इसे व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिये सशक्त पृष्ठभूमि तैयार हो सके। सैद्धान्तिक व व्यावहारिक प्रशिक्षण के द्वारा छात्र-छात्राओं की सृजनात्मकता का विकास करना उसकी कल्पना शक्ति लोक सौन्दर्यबोध के साथ रचनात्मक एवं कलात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करना है।

द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के पश्चात सफल छात्रों को अकादमी द्वारा नाट्य विधा में डिप्लोमा प्रदान किया जाता है। सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र को अकादमी के भूतपूर्व छात्र की स्मृति में स्वर्गीय मृगांक शर्मा मेडल भी दिया जाता है।

अयोध्या शोध संस्थान

अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना संस्कृति विभाग उ.प्र. शासन द्वारा अयोध्या के ऐतिहासिक तुलसी स्मारक भवन, में 18 अगस्त, 1986 को की गयी। यह संस्कृति विभाग की स्वायत्तशाषी संस्था है।

प्रमुख उद्देश्य

1. सामान्य रूप से अवध और विशिष्ट रूप से अयोध्या की कला संस्कृति, साहित्य, लोकसाहित्य, इतिहास और परम्पराओं की पाण्डुलिपियों तथा वस्तुओं और शिल्प तथ्यों का संग्रह, संरक्षण और अध्ययन करना है।
2. अवध की सांस्कृतिक विरासत से सम्बन्धित नष्ट और विलुप्त हो रही पुरालेखीय सामग्री को सुरक्षित रखना।
3. अवध की भारतीय विद्या, कला, संस्कृति और इतिहास में विशेष रूप से अयोध्या, रामायण और तुलसीदास के साहित्य और दर्शन से सम्बन्धित शोध कार्य को प्रोत्साहन देना और पूरा करना।
4. सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, कलात्मक और ऐतिहासिक महत्त्व की पाण्डुलिपियों, पुरालेखीय सामग्री और अन्य वस्तुओं का उनके उन्नयन, संरक्षण और अध्ययन हेतु एक संग्रहालय स्थापित करना।
5. वैष्णव भक्ति, भक्ति आन्दोलन, कला, संस्कृति और सम्बद्ध भाषाई और भारतीय विद्या से सम्बन्धित अन्य विषयों में विशेष रूप से अवध और राम की दन्त कथा के संदर्भ में शोध कार्य करना और स्नातकोत्तर अध्ययन संचालित कराना।
6. महत्त्वपूर्ण मूल पाठों की सूचियों, आलोचनात्मक संस्करणों और अनुवादों तथा शोध कार्यों के परिणामों को प्रकाशित कराना तथा अन्य उपयोगी प्रकाशनों को प्रकाशित कराना।
7. उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने और आगे बढ़ाने के लिए भारत और विदेशों के विश्वविद्यालयों संग्रहालयों, पुस्तकालयों और अन्य शिक्षा संस्थाओं से सहयोग करके कार्य करना।
8. व्याख्यानों, संगोष्ठियों, उत्सवों, सम्मेलनों और अन्य शैक्षिक तथा सांस्कृतिक क्रिया-कलापों का

आयोजन कराना तथा इस सोसाइटी के उद्देश्यों से सम्बंधित क्रिया-कलापों में लगे हुये शोध छात्रों और लेखकों को छात्रवृत्तियाँ, वृत्तिकाएं और पुरस्कार प्रदान करना।

9. धन, वस्तु या सम्प्रति के रूप में अनुदानों, चन्दों, उपहारों, अंशदानों को स्वीकार करना। अयोध्या शोध संस्थान का अपना संविधान है। संस्थान के पदेन अध्यक्ष, प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन हैं। संस्थान के संचालन हेतु सामान्य सभा, कार्यकारिणी परिषद, शोध एवं विकास समिति तथा वित्त समिति गठित है।
10. रोजगार परक योजनाओं का संचालन, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार तथा राज्य सरकार की विभिन्न शिल्प और विकास योजनाओं का संचालन।

भावी योजनाएं

फेलोशिप योजना

1. देश और विदेशों में अध्ययनरत शोध छात्र जो पीएच0डी0 हेतु अनुमन्य हों उनमें इस योजना का संचालन किया जायेगा जिसके माध्यम से रामकथा, रामायण, रामलीला, तुलसी, अयोध्या, अवध आदि से सम्बंधित विभिन्न विषयों पर शोध छात्रों को फेलोशिप प्रदान की जायेगी।

   विश्वविद्यालय में आर0डी0सी0 के माध्यम से संस्थान के उद्देश्यों के आधार पर फेलोशिप स्वीकृत होगी। नियम एवं शर्तें सम्बंधित विश्वविद्यालय की होंगी। संस्थान मात्र आर्थिक सहयोग प्रदान करेगा। नियम एवं शर्तों हेतु कार्यकारिणी की अभिमति से देश और विदेश के विभिन्न विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया है जिनके माध्यम से फेलोशिप का चयन किया जायेगा।
2. अयोध्या शोध संस्थान, अयोध्या एण्ड नेशनल काउन्सिल ऑफ इण्डियन कल्चर ट्रिनिदाद (डब्ल्यू.आई.) के मध्य हुए एम0ओ0यू0 के अन्तर्गत सांस्कृतिक आदान-प्रदान एवं रामलीला प्रस्तुति एवं प्रशिक्षण तथा व्यासों के रामकथा विषयक लेक्चर, प्रदर्शनी एवं शोध कार्य, प्रकाशन, हस्तशिल्प संग्रहालय व पुस्तकालय में आपसी समन्वय स्थापित कर कार्यों को संपादित करवाया जाना।
3. स्कूली बच्चों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण कार्यशाला एवं प्रस्तुतियां करवाया जाना।
4. सांस्कृतिक विरासत का सर्वेक्षण संकलन एवं प्रकाशन कार्य कर विलुप्तप्राय विधाओं का संरक्षण संवर्धन एवं प्रकाशन कार्य।
5. यूनेस्कों द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज घोषित रामलीला के प्रचार-प्रसार, प्रदर्शनी हेतु विद्यालयों में विभिन्न क्षेत्रों की रामलीला प्रस्तुति के प्रदर्शन, प्रशिक्षण एवं प्रस्तुति।
6. रामलीला विरासत के संरक्षण, संवर्धन एवं विकास के लिए रामलीला प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन।
7. संस्थान में संग्रहीत सांस्कृतिक विरासतों के दस्तावेजीकरण का विद्यालय एवं महाविद्यालयों में प्रदर्शन।
8. देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किये गये शोध कार्यों का सर्वेक्षण, संकलन व प्रकाशन।
9. संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु शोध कार्य।

10. पुस्तकालय का विकास कम्प्यूटरीकृत किये जाने का कार्य तथा विभिन्न पुस्तकालयों से संग्रहीत पुस्तकों की जानकारी हेतु परस्पर समन्वय।
11. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन।
12. अवधी साहित्य पर पाठ्यक्रम अनुमोदित करवाकर डिप्लोमा का क्रियान्वयन।
13. मई, 2017 से नित्य पारम्परिक रामलीला का उच्च स्तरीय प्रदर्शन।

उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, लखनऊ

संस्थान की स्थापना

उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना वर्ष 1991 में संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन स्वायत्तशासी संस्था के रूप में की गई है।

संस्थान के क्रिया-कलाप

- संस्थान के क्रिया-कलापों के अन्तर्गत कवि सम्मेलन, जैन संस्कृति पर आधारित व्याख्यान माला, जैन धर्म पर लघु संगोष्ठी, **''जैन विद्या के विविध आयाम''** नामक विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, अंहिंसा एवं पर्यावरण पर संगोष्ठी, विश्व मैत्री दिवस तथा विश्व मैत्री सेवा सम्मान समारोह, पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, आज की समस्यायें एवं तीर्थंकर महावीर जैन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं वाद-विवाद प्रतियोगिता तथा पुरस्कार वितरण, भगवान महावीर जयन्ती के उपलक्ष्य में संगोष्ठी, भजन संध्या एवं डेवलेपमेन्ट ऑफ बुद्धिज्म एण्ड जैनिज्म इन अवध रिलीजन एवं हिस्ट्री एण्ड कल्चर ऑफ अवध नामक विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार आदि का आयोजन कराया जा चुका है।
- संस्थान द्वारा शोध योजनाओं के अन्तर्गत जैन दर्शन के ज्ञानमीमांसा सिद्धान्त का समीक्षात्मक अध्ययन नामक शोध योजना का कार्य सम्पन्न हो चुका है। जैन धर्म एवं दर्शन में प्रकाशित ग्रन्थों की सूची नामक शोध योजना का कार्य सम्पन्न हो चुका है।

सन्दर्भ पुस्तकालय

संस्थान का अपना एक सन्दर्भ पुस्तकालय है जिसमें लगभग 2500 दुर्लभ ग्रन्थ, पुस्तकें एवं पत्रिकायें हैं। पुस्तकालय में जैन विद्या से संबंधित जैन धर्म दर्शन, कला संस्कृति, मूर्ति कला, इतिहास एवं शब्दकोश आदि के सन्दर्भ ग्रन्थ उपलब्ध हैं। संस्थान का यह पुस्तकालय कार्यालय कार्य दिनों में शोधार्थियों एवं जैन विद्वानों के अध्ययनार्थ खुला रहता है।

लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान

उत्तर प्रदेश के जनजातीय एवं लोक संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रदर्शन हेतु लोक एवं जनजाति, कला एवं संस्कृति संस्थान की स्थापना सन् 1986 में की गयी थी जिसके द्वारा लोक संस्कृति की लुप्त होती विधाओं को मंच प्रदान करना, इनमें सम्बन्धित सर्वेक्षण/दस्तावेजीकरण आदि का महत्त्वपूर्ण कार्य किया जाता है। संस्थान द्वारा नियमित मासिक श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष संस्थान द्वारा लुप्तप्राय कला रूपों तथा लोक रूपों तथा लोक संस्कृति के विविध पक्षों का सर्वेक्षण एवं दस्तावेजीकरण प्राथमिकताओं पर रहा है।

उद्देश्य

1. उ0प्र0 की लोक और जनजाति कलाओं एवं शिल्पों का संयोजन एवं विकास

2. लोक कलाओं, संस्कृति एवं शिल्प के क्षेत्र में शोध का विकास एवं बढ़ावा देना, इसके लिए पुस्तकालय, अभिलेखागार, संग्रहालय, पुस्तकें, टेपरिकार्ड्स आदि स्थापित करना
3. लोक कलाओं, संस्कृति एवं शिल्प विकास हेतु भारत की अन्य संस्थाओं एवं विदेश से सहयोग
4. विभिन्न क्षेत्रों की लोक एवं जनजाति कला, संस्कृति, शिल्प की तकनीक एवं आदर्शों का आदान-प्रदान
5. ऐसी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा जो कि लोक एवं जनजाति कला, शिल्प एवं संस्कृति के संरक्षण तथा विकास हेतु प्रशिक्षण देना
6. लोक एवं जनजाति कला, शिल्प एवं संस्कृति के क्षेत्र में सर्वेक्षण, अभिलेखीकरण एवं प्रचार को बढ़ावा देना
7. लोक एवं जनजाति कला, शिल्प एवं संस्कृति के क्षेत्र में सेमिनार कार्यशाला का आयोजन तथा शोध एवं सर्वेक्षण हेतु अनुदान देना
8. जनजाति एवं लोक कला का कार्य संगीत, नृत्य एवं नाटक, त्योहारों तथा शिल्प में लोको राज्य तथा राज्य के बाहर प्रायोजित करना

राष्ट्रीय कथक संस्थान, लखनऊ

राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना संस्कृति विभाग के अन्तर्गत स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में वर्ष 1988-89 में हुई थी। संस्थान का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर कथक के विविध घरानों की परम्पराओं का अभिलेखीकरण, युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहन, वरिष्ठ कलाकारों का संरक्षण, कथक नृत्य का संवर्द्धन एवं लुप्त हो गये व नवीन पक्षों पर शोध और कथक संग्रहालय की स्थापना है।

शिक्षण

छह से 28 वर्ष तक की छात्र-छात्राओं को शिक्षा एवं स्नातक तथा परास्नातक स्तर की शिक्षा और परीक्षा की व्यवस्था है।

यंग प्रोफेशनल ग्रूमिंग कोर्स (कार्यशाला)

इसका उद्देश्य देश के सुप्रसिद्ध कथक आचार्यों द्वारा बाल एवं युवा कलाकारों को नृत्य का उच्च तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना तथा उन्हें कथक के बहुआयामों से परिचित कराना है। इसके लिए कथक संस्थान द्वारा समय-समय पर देश के सुप्रसिद्ध एवं वरिष्ठ कथक आचार्यों को आमंत्रित करके प्रदेश के कथक क्षेत्र के बाल एवं युवा कलाकारों को नृत्य का उच्च तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

संगीत संगम

राष्ट्रीय कथक संस्थान द्वारा कार्यशाला के समापन पर 'संगीत संगम' नामक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसका उद्देश्य प्रशिक्षार्थियों की प्रतिभा को निखारना एवं उन्हें मंच के प्रति जागरूक बनाना है। चालू वित्तीय वर्ष 2018-2019 में माह जनवरी, 2019 में कराया जाना प्रस्तावित है।

कथक शिक्षण प्राप्त कर रही छात्राओं की वार्षिक प्रस्तुति 'रुनझुन'

कथक प्रशिक्षण प्राप्त कर रही छात्राओं का मंच के प्रति आत्मविश्वास जागृत करने तथा प्रस्तुतिकरण के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 'रुनझुन' कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में माह जनवरी, 2019 में कराया जाना प्रस्तावित है।

कला एवं कलाकारों का सर्वेक्षण, अभिलेखीकरण एवं वृद्ध कलाकारों को सहायता योजना

प्रदेश की लोक परम्पराओं को संरक्षित रखने के उद्देश्य से उनका वीडियो अभिलेखीकरण, योग्य छात्रों को कला एवं संस्कृति की व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता दिये जाने की तथा वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को आर्थिक सहायता योजना प्रचलन में है।

तहसील स्तर के कस्बों में प्रेक्षागृहों/खुले मंचों का निर्माण

महानगरों एवं नगरों में किसी न किसी प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियाँ संचालित रहती हैं तथा मनोरंजन के कुछ न कुछ साधन उपलब्ध रहते हैं। प्रदेश के तहसील स्तर के कस्बों में प्रेक्षागृह/खुले मंचों का निर्माण कराया जा रहा है।

फिल्मों का विकास (डाक्यूमेंट्री आडियो विजुअल)

प्रदेश के विपुल सांस्कृतिक धरोहर को जनमानस के लिये संरक्षित व प्रचारित-प्रसारित करने के लिये कला के विविध रूपों एवं प्रदेश के सुविख्यात कलाकारों को डाक्यूमेंट्री फिल्म के निर्माण की योजना गत वित्तीय वर्ष की भांति इस वर्ष भी करायी जानी है।

लोक कलाकारों को वाद्ययंत्रों के क्रय हेतु आर्थिक सहायता

प्रदेश के लोक कलाकारों को उनके कला प्रदर्शन में गुणात्मक सुधार के लिये वाद्ययंत्रों के क्रय के लिये उन्हें आर्थिक सहायता दिये जाने की योजना क्रियान्वित की जा रही है।

कल्चरल क्लब की स्थापना

प्रदेश की लोक कलाओं के संरक्षण एवं उन्नयन तथा लोक संस्कृति की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए लोक कलाकारों के उन्नयन के लिये प्रशिक्षण हेतु स्कूलों/विद्यालय आदि में कल्चरल क्लब की स्थापना की जायेगी।

मा0 अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति संकुल की स्थापना

मा0 अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में सांस्कृतिक समारोह आदि के आयोजन हेतु लखनऊ मुख्यालय में स्मृति संकुल का निर्माण कराया जा रहा है।

सार्वजनिक रामलीला स्थलों में चहारदिवारी का निर्माण

रामलीला की पौराणिकता, अध्यात्मिकता एवं विरासत को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने के दृष्टिगत प्रदेश के रामलीला मैदानों की चहारदीवारी का निर्माण कराये जाने की योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह का जीर्णोद्धार

लखनऊ के कैसरबाग हैरिटेज जोन में स्थित राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह के भवन की सांस्कृतिक एवं गरिमामय विरासत को संरक्षित एवं संवर्द्धित रखने के दृष्टिगत उक्त प्रेक्षागृह का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है।

गुरु गोरक्षनाथ शोध पीठ संस्थान, गोरखपुर की स्थापना

पं0 दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर में गुरु गोरक्षनाथ शोध पीठ संस्थान की स्थापना का कार्य कराया जा रहा है।

पं0 सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला जी के स्मृति भवन की स्थापना

पं0 सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला जी की जन्मस्थली गढ़कोला उन्नाव में विशाल स्मृति भवन, पुस्तकालय एवं अन्य संरचना का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

राज्य पुरातत्त्व निदेशालय

प्रदेश की पुरातात्त्विक सामग्री और स्थलों/स्मारकों के संरक्षण, यथावश्यक पुरास्थलों के उत्खनन, पुरातत्व विषयक प्रकाशन तथा पुरातत्त्व और पुरास्थलों में लोकरुचि जगाने के उद्देश्य से वर्ष 1951 में लखनऊ में पुरातत्त्व विभाग की स्थापना की गयी। राज्य में पुरातत्त्व सम्बन्धी गतिविधियों को और अधिक गति प्रदान करने हेतु 27 अगस्त, 1996 को उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्त्व संगठन का नाम 'उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्त्व विभाग' तथा निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्त्व संगठन को स्वतंत्र विभागाध्यक्ष घोषित करते हुए सचिव, संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के अधीन रखा गया है।

उ0प्र0 राज्य पुरातत्त्व निदेशालय, लखनऊ

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में पुरातात्विक गतिविधियों का संचालन उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निदेशालय द्वारा किया जाता है। पुरातत्व निदेशालय के अन्तर्गत गठित क्षेत्रीय इकाइयों के कार्यों पर नियंत्रण, प्रदेश के विभिन्न भागों में बिखरी पुरासम्पदा की खोज हेतु सर्वेक्षण, महत्त्वपूर्ण पुरास्थलों का उत्खनन, राज्य संरक्षित स्मारकों/स्थलों का अनुरक्षण व रख-रखाव एवं पुरावशेषों के प्रति जनचेतना जागृत करना पुरातत्व निदेशालय के प्रमुख उद्देश्य है।

क्षेत्रीय पुरातत्त्व इकाई, झाँसी

क्षेत्रीय पुरातत्त्व इकाई, झाँसी के अन्तर्गत झाँसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, जालौन, बाँदा, चित्रकूट आदि जिले रखे गये हैं। प्रस्तर उपकरणों, मन्दिरों, मूर्तियों, अभिलेखों, बावली, कूप, तड़ागों और पात्रावशेषों आदि के रूप में प्राचीन पुरासामग्री इस क्षेत्र में जगह-जगह बिखरी हुई है। यहाँ शैव, वैष्णव, शाक्य और जैन धर्मों का विशेष प्रभाव दिखायी देता है। इन सबका व्यापक अन्वेषण कराकर इन्हें प्रकाशित करने, संरक्षित करने तथा विभाग के उद्देश्यों के अनुरूप पुरातत्त्व सम्बन्धी अन्य कार्यों के सम्पादन के लिये झाँसी में क्षेत्रीय पुरातत्त्व इकाई की स्थापना की गई है।

क्षेत्रीय पुरातत्त्व इकाई, आगरा

उत्तर प्रदेश में बृज मंडल का सांस्कृतिक महत्त्व सर्वज्ञात है। वृन्दावन, गोकुल, मथुरा के बंशी बजइया कृष्ण कन्हैया की लीला भूमि लाखों श्रद्धालुओं को हर वर्ष यहां खींच लाती है। आगरा स्थित फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, बुलन्द दरवाजा जैसी मुगल इमारतों की एक झलक पाने को सारी दुनिया के सैलानी बेताब रहते हैं। कुसुम सरोवर, गोवर्धन आदि स्थलों पर जाट राजाओं द्वारा निर्मित छतरियों की छटा देखते ही बनती है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में जगह-जगह प्राचीन पात्रावशेषों, मृण्मूर्तियाँ, सिक्के, पाषाण मूर्तियाँ और अभिलेख आदि मिलते रहते हैं। इनके व्यापक सर्वेक्षण, अभिलेखीकरण, प्रकाशन और संरक्षण/परिरक्षण के लिये आगरा में क्षेत्रीय पुरातत्त्व इकाई की स्थापना की गई है। इसके अन्तर्गत आगरा, अलीगढ़, एटा, इटावा, फिरोजाबाद और मैनपुरी जिलों के कार्य सौंपे गये हैं।

क्षेत्रीय पुरातत्त्व इकाई, प्रयागराज

प्रयागराज मंडल में गंगा यमुना दोआब का ऐसा क्षेत्र सम्मिलित है, जिसमें प्राचीन वत्स राज्य तथा अवध का बड़ा भू-भाग आता है। वत्स राज उदयन की राजधानी कौशाम्बी, जहाँ भगवान् बुद्ध प्रवास काल

में रहे, भीटा, झूंसी, भारद्वाज आश्रम, श्रृंगवेरपुर आदि बहुसंख्यक पुरातात्त्विक महत्त्व के स्थल इस क्षेत्र में विद्यमान हैं। प्रतापगढ़ में सरायनाहर राय आदि से मानव के आज से लगभग 10,000 वर्ष प्राचीन आवासीय स्थलों से नर कंकाल और प्रस्तर उपकरण प्रकाश में आये हैं। ऐसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पुरास्थलों और अवशेषों की खोज, रख-रखाव अध्ययन, प्रकाशन आदि के उद्देश्य से प्रयागराज में क्षेत्रीय पुरातत्त्व इकाई की स्थापना की गयी है।

क्षेत्रीय पुरातत्त्व इकाई, वाराणसी

पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी मंडल का अपना विशेष महत्त्व है। उत्तर भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक राजधानी के रूप में विख्यात वाराणसी नगर का ही पुरातात्त्विक एवं ऐतिहासिक महत्त्व लगभग 3000 वर्ष प्राचीन है। इस नगर और जनपद में जगह-जगह प्राचीन मन्दिर, मूर्तियाँ और अन्य बहुत से मन्दिर विद्यमान हैं। वाराणसी मंडल के सोनभद्र, मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जनपद भी समृद्ध एवं प्राचीन सांस्कृतिक विरासत की दृष्टि से अपनी गौरवशाली परम्परा रखते हैं। मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में चित्रित शौलाश्रय व चुनार, विजयगढ़, शक्तेशगढ़ में सुख्यात दुर्ग, अनेक मंदिर, अभिलेख आदि ज्ञात हैं। शैव, वैष्णव, जैन और बौद्ध धर्म के केन्द्र के रूप में काशी की महिमा सर्वज्ञात है। महाराज गाधि, महर्षि विश्वामित्र और जमदग्नि मुनि की भूमि जनपद गाजीपुर से सम्बद्ध की जाती है। शर्की राजाओं की राजधानी जौनपुर/मछलीशहर की प्राचीन वास्तुकला की एक नई बानगी देती है। सरयू और गंगा के बीच के भाग में सैदपुर, भीतरी, श्रंराडीह जैसे बड़े-बड़े टीले पाये गये हैं। जिनमें प्राचीन सांस्कृतिक सामग्री के विपुल भण्डार छिपे हुये हैं। विन्ध्य की श्रृंखलाओं में पाषाण युगीन मानव के निवास के प्रमाण प्रस्तर उपकरणों के रूप में जगह-जगह मिलते हैं। अतएव इस क्षेत्र में पुरातत्त्व सम्बन्धी गतिविधियों में तेजी लाने के लिए वाराणसी में एक क्षेत्रीय पुरातत्त्व इकाई की स्थापना की गयी है।

क्षेत्रीय पुरातत्त्व इकाई, गोरखपुर

सर्वेक्षण/निरीक्षण

1. जनपद-बस्ती अन्तर्गत ग्राम भुवनीपार में प्राचीन शिव मंदिर तथा विकासखंड-गौर अन्तर्गत ग्राम-महुआडावर स्थित प्राचीन पुरास्थल भुईलाडीह का स्थलीय निरीक्षण।
2. जनपद-कुशीनगर अन्तर्गत ग्राम तुर्कपट्टी में प्राचीन सूर्य मंदिर तथा ग्राम बदुरांव स्थित प्राचीन टीले का स्थलीय निरीक्षण।
3. जनपद-देवरिया अन्तर्गत कस्बा-रूद्रपुर में प्राचीन शिव मंदिर (दुग्देश्वर नाथ) टीले तथा सलेमपुर तहसील अन्तर्गत ग्राम बरठालाला स्थित प्राचीन शिव मंदिर का स्थलीय निरीक्षण।
4. जनपद-बलिया अन्तर्गत तहसील सदर ग्राम-कोरंटाडीह स्थित ब्रिटिशकालीन कोषागार भवन का स्थलीय निरीक्षण।

संग्रहालय निदेशालय

संग्रहालय सांस्कृतिक सम्पदा, ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक धरोहरों को सुरक्षित एवं संरक्षित रखने का वह केन्द्र है जहां प्राचीन कलाकृतियों को संग्रहीत कर राष्ट्र के अतीत की गौरवशाली संस्कृति का दर्शन शोधार्थियों, बुद्धिजीवियों तथा सामान्य जनमानस को कराया जाता है संग्रहालय का कार्य कलाकृतियों एवं पुरावशेषों का संग्रह करना, संरक्षित करना, शोध करना तथा उन्हें प्रदर्शित करना है। संग्रहालय वर्तमान में अनौपचारिक शिक्षा का केन्द्र भी है जो समय-समय पर प्रदर्शनियां, व्याख्यान तथा

संगोष्ठी आयोजित कर सामान्य जनमानस में कला के प्रति अभिरुचि जागृत कर शिक्षा प्रदान करने का कार्य भी करते हैं।

राज्य संग्रहालय, लखनऊ

राज्य संग्रहालय, लखनऊ उ.प्र. का प्राचीनतम् तथा विशालतम् बहुउद्देशीय संग्रहालय है। इसकी स्थापना सन् 1863 ई. में लखनऊ डिवीजन के तत्कालीन कमिश्नर कर्नल एबट द्वारा सींखचे वाली कोठी में की गयी थी। सन् 1883 ई. में यह प्रान्तीय संग्रहालय के रूप में लाल बारादरी में व्यवस्थित हुई। सन् 1950 ई. में इसका नाम प्रान्तीय संग्रहालय के स्थान पर राज्य संग्रहालय रखा गया तथा वर्ष 1963 में नवीन भवन बन जाने के बाद बनारसी बाग स्थित प्राणि उद्यान परिसर में आ गया। इस संग्रहालय के संकलन में लगभग दो लाख से अधिक पुरावशेष हैं, जिसमें पुरातत्व अनुभाग, चित्रकला अनुभाग, प्राणि शास्त्र अनुभाग, मुद्रा अनुभाग, सज्जा कला अनुभाग और धातु मूर्ति अनुभाग आदि प्रमुख हैं। इसके साथ ही राज्य संग्रहालय, लखनऊ में एक वृहद पुस्तकालय भी है, जहां भारतीय संस्कृति, कला, पुरातत्त्व, इतिहास तथा प्राच्य विद्या सम्बन्धित दुर्लभ पुस्तकें हैं, जो विशेष रूप से शोधार्थियों के लिये उपयोगी हैं।

लोक कला संग्रहालय, लखनऊ

लोक कला परम्पराएं हमें विरासत तथा परम्पराओं से प्राप्त होती हैं, जिनका मूल अति प्राचीन है। जन्म से लेकर मृत्यु तक यह हमारे जीवन में रची बसी है और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं, किन्तु सामयिक परिवर्तन के कारण आधुनिकीकरण एवं औद्योगिकीकरण की आंधी में हमारे प्रदेश की लोक कला परम्पराएँ शनैः-शनैः विलुप्त होती जा रही हैं एवं इनका मूल स्वरूप भी परिवर्तित हो रहा है। इसलिए इन प्राचीन लोककला परम्पराओं के मूल स्वरूप को अक्षुण्ण बनाये रखने एवं इनके विशेष दस्तावेजों को संकलित कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखने के उद्देश्य से संस्कृति विभाग, उ.प्र. द्वारा फरवरी, 1989 में लोक कला संग्रहालय की स्थापना कला परिसर कैसरबाग, लखनऊ में की गयी थी। वर्तमान में नवनिर्मित लोक कला संग्रहालय भवन, राज्य संग्रहालय परिसर, चिड़ियाघर, बनारसी बाग, लखनऊ में स्थापित है।

लोक कलाओं के संकलन, संरक्षण तथा प्रदर्शन की दिशा में कार्यरत लोक कला संग्रहालय प्रदेश का एकमात्र संग्रहालय है।

राजकीय संग्रहालय, मथुरा

मथुरा यमुना नदी के दाहिने तट पर प्राचीन धार्मिक केन्द्र के रूप में 12 वन, 24 उपवन तथा 5 पर्वतमालाओं का क्षेत्र रहा है। आदि काल से मथुरा श्री कृष्ण की लीलास्थली के रूप में वैष्णवों की उपासना स्थली रही है। यहाँ पर बौद्ध, शैव व जैनियों ने भी अपने पूजा-स्थलों का निर्माण किया। मथुरा की गणना सप्त महापुरियों में की जाती है। यहाँ क्रमशः नन्द, मौर्य, शुंग, क्षत्रप और कुषाण वंशों का शासन रहा। विभिन्न धर्मों से सम्बन्धित सहस्त्रों मूर्तियाँ मथुरा में बनीं। यह कला लगभग 12वीं शती ई0 तक जारी रही। कालान्तर में उपासना स्थल टीलों में परिवर्तित हो गये। आज मथुरा इन्हीं टीलों पर बसा है, जिनसे अनेक लाल चित्तीदार बलुए पत्थर की तरासी मूर्तियों की धरोहर प्राप्त हुईं। ये मूर्तियाँ मथुरा से बाहर तक्षशिला, सारनाथ, श्रावस्ती, भरतपुर, बोधगया, साँची, कुशीनगर तथा कौशाम्बी तक बिखरी हैं। इस शैली के प्रभाव के प्रमाण दक्षिण पूर्व एशिया तथा चीन तक प्राप्त हुए हैं। ऐसी ही अनेक प्रतिमाएँ राजकीय संग्रहालय, मथुरा में संग्रहीत हैं।

राजकीय संग्रहालय, झाँसी

विंध्याचल की गोद में बसे बुन्देलखण्ड का अतीत गौरवशाली रहा है। बुन्देलखण्ड पुरातात्त्विक दृष्टि से अत्यन्त सम्पन्न है। इस क्षेत्र से प्राप्त होने वाले पाषाण एवं ताम्र उपकरण इस बात का परिचायक हैं कि हजारों वर्ष पूर्व आदि मानव यहाँ विचरण करता था। देश के अतीत का दर्शन संग्रहालय के प्रदर्शों से होता है। ये प्रदर्श हमारे अतीत की समुन्नत विरासत का प्रतिनिधित्व करते हैं। बुन्देलखण्ड की यत्र-तत्र बिखरी कला सम्पदा के संग्रह, संरक्षण अभिलेखीकरण के साथ ही इस क्षेत्र के गरिमामयी इतिहास एवं संस्कृति की जानकारी जनसामान्य को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यहाँ पर उ.प्र. सरकार द्वारा वर्ष 1978 में राजकीय संग्रहालय की स्थापना की गयी। वर्तमान भवन का शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी द्वारा वर्ष 1982 में तथा उद्घाटन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री मोती लाल बोरा द्वारा 29 जनवरी, 1996 को किया गया था।

राजकीय संग्रहालय, झाँसी में लगभग 22000 कलाकृतियाँ संग्रहीत हैं जिनमें प्रस्तर प्रतिमायें, मृण्मूर्तियाँ, धातु मूर्तियाँ, शिलालेख, ताम्र पत्र, सिक्के, मुहरें तथा विभिन्न शैली के लघुचित्र, आभूषण तथा काष्ठ कला से सम्बन्धित वस्तुएं संग्रहीत हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी नयाघाट, अयोध्या

अयोध्या के महत्त्व तथा रामकथा की व्यापकता को दृष्टिगत रखते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली तथा भारतीय जनमानस के श्रद्धा का केन्द्र अयोध्या में संस्कृति विभाग, उ0प्र0 सरकार द्वारा रामकथा संग्रहालय की स्थापना माह जनवरी, 1988 में की गयी तब से निरन्तर अपने उद्देश्यों के प्रति रामकथा संग्रहालय अग्रसर है।

संग्रहालय का उद्देश्य जहाँ एक तरफ रामकथा विषयक सचित्र, पाण्डुलिपियों, मूर्तियों, रामलीला व अन्य प्रदर्श कलाओं से सम्बन्धित सामग्री, अयोध्या परिक्षेत्र के पुरावशेषों, दुर्लभ सांस्कृतिक सम्पदा व प्रदर्श कलाओं, अनुकृतियों, छायाचित्रों का संकलन व परिरक्षण करना है वहीं दूसरी तरफ संकलित सामग्री का वीथिकाओं में प्रदर्शन, छायाचित्रण व अभिलेखीकरण तथा शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत व्याख्यानों, गोष्ठियों, प्रतियोगिताओं व कार्यशालाओं तथा अस्थायी प्रदर्शनियों का आयोजन करना भी है।

संग्रहालय में अभी तक 1020 कलाकृतियों का संकलन हो चुका है तथा 313 कलाकृतियों को संग्रहालय वीथिका में प्रदर्शित किया गया है। संग्रहालय देखने के लिए दर्शको के लिए निःशुल्क व्यवस्था है। प्रतिमाह लगभग 2000 से अधिक दर्शक संग्रहालय का भ्रमण करते हैं। स्थानीय मेलों, विभिन्न त्योहारों, रामनवमी, चौदह कोसी परिक्रमा आदि के अवसरों पर दर्शकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है।

शोधार्थियों की सुविधा के लिए संग्रहालय में एक पुस्तकालय भी है जिसमें अभी तक 857 पुस्तकों को पंजीकृत किया जा चुका है जो संग्रहालय में दिनांक 01 जनवरी, 2015 में नवनिर्मित भवन में संचालित है। तेरहवें वित्त आयोग की योजना की स्वीकृत धनराशि से संग्रहालय वीथिका के गठन का कार्य चल रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार गुमनामी बाबा उर्फ भगवान् जी से सम्बन्धित 425 सामग्री जिला कोषागार अयोध्या से दिनांक 7 अप्रैल, 2016 को संग्रहालय में हस्तान्तरित की गयी हैं। उक्त सामग्री के संरक्षण व प्रदर्शन हेतु वीथिकाओं के गठन का कार्य पूर्ण हो चुका है।

राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर

पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र ऐतिहासिक व पुरातात्त्विक दृष्टि से न केवल भारत, बल्कि विश्व विख्यात

है। शाक्यों का कपिलवस्तु, कोलियों का रामग्राम, मोरियों का पिप्पलीवन एवं मल्लों की राजधानी कुशीनगर तथा पावा भी इसी क्षेत्र में स्थित है, जिनकी शासन पद्धति जनतंत्रात्मक थी। ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि जनतंत्र की प्रथम प्रयोगशाला होने का गौरव भी इस क्षेत्र को ही प्राप्त है। इतना ही नहीं, यहाँ के गणराज्य निःसन्देह यूनानी गणराज्यों से भी प्राचीन थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश बौद्ध धर्म के उद्भव और विकास का हृदय स्थल रहा है। भगवान् बुद्ध के जीवन की घटनाओं से सम्बन्धित स्थान लुम्बिनी, देवदह, कोलियों का रामग्राम, कोपिया एवं तथागत की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर इसके महत्त्वपूर्ण साक्ष्य हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर की परिनिर्वाण स्थली पावा भी इसी क्षेत्र में विद्यमान है। आमी नदी के तट पर स्थित संत शिरोमणि कबीरदास की निर्वाणस्थली मगहर और नाथ पंथ के गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि होने का गौरव भी इस क्षेत्र को प्राप्त है।

पूर्वी क्षेत्र में यत्र-तत्र बिखरी कला सम्पदा के संग्रह, संरक्षण अभिलेखीकरण, प्रदर्शन एवं शोध के साथ ही इस क्षेत्र के गरिमामय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व की जानकारी जन सामान्य को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा वर्ष 1987 में राजकीय बौद्ध संग्रहालय, गोरखपुर की स्थापना की गई। वर्तमान में रामगढ़ताल परियोजनान्तर्गत निर्मित संग्रहालय भवन गोरखपुर रेलवे एवं बस स्टेशन से लगभग 6 किमी0 दक्षिण एवं सर्किट हाउस से लगभग 1 किमी0 दक्षिण-पूर्व में स्थित है।

भारतीय इतिहास, कला संस्कृति और पुरातत्त्व की जानकारी जन-सामान्य को उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य से संग्रहालय द्वारा शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत विविध प्रतियोगिताओं एवं प्रदर्शनी के अतिरिक्त प्रतिष्ठित विद्वानों के व्याख्यान भी आयोजित किये जाते हैं। संग्रहालय द्वारा संग्रहीत कलाकृतियां जहां एक ओर हमारे समृद्ध कला एवं संस्कृति का आभास कराती हैं, वहीं दूसरी ओर वर्तमान पीढ़ी को उनके गौरवमयी विरासत से परिचित भी कराती है।

संग्रहालय में एक संदर्भ पुस्तकालय भी है, जिसमें कला, इतिहास, संस्कृति, पुरातत्त्व, मुद्राशास्त्र एवं प्रतिमाशास्त्र से सम्बन्धित पुस्तकों का संकलन है। भारतीय इतिहास, कला, संस्कृति एवं पुरातत्त्व के विभिन्न विषयों पर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले शोध छात्रों/विद्वतजन को संग्रहालय द्वारा आवश्यक जानकारी तथा संदर्भ पुस्तकालय की सुविधा प्रदान की जाती है।

जनपदीय संग्रहालय, सुल्तानपुर

सुल्तानपुर जनपद के अनेक महत्त्वपूर्ण पुरास्थलों जैसे- शनिचरा, कूंड, भांटी, सोमनाभार, कालू पाठक का पुरवा, अहिरन पलिया, सोहगौली, महमूदपुर आदि स्थलों पर पुरासांस्कृतिक सम्पदा बिखरी दिखायी देती है। यही नहीं इस जनपद के आस-पास के जनपदों में भी धरती के गर्भ से बराबर अतीत की धरोहरें निकलती रहती हैं। इनके विविध आयामों से सम्बन्धित सामग्रियों और बिखरी पुरासांस्कृतिक सम्पदा को संकलित, सुरक्षित, प्रदर्शित, प्रलेखीकृत व प्रकाशन कर उन पर अनुसंधान करने कराने के उद्देश्य से वर्ष 1988-89 में इस संग्रहालय की स्थापना की गई। आज संग्रहालय नगर पालिका के पीछे सुपर मार्केट सुल्तानपुर के प्रथम तल पर प्रतिष्ठित है।

राजकीय बौद्ध संग्रहालय, कुशीनगर

भारत के बौद्ध स्थलों में कुशीनगर (कुशीनारा) का प्रमुख स्थान है। बौद्ध धर्म प्रवर्तक भगवान् बुद्ध ने लगभग 80 वर्ष की अवस्था में अपना अनवरत भ्रमणपूर्ण जीवन व्यतीत करने के पश्चात् यहीं पर शालवन में महापरिनिर्वाण प्राप्त (शरीर त्याग) किया था। असंख्य भारतीय एवं विदेशी पर्यटक

एवं बौद्ध धर्मानुयायी प्रति वर्ष भगवान् बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित करने कुशीनगर आते हैं। कुशीनगर की धार्मिक महत्ता एवं समृद्ध ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक धरोहर ने कई देशों एवं विभागों को इस क्षेत्र में अपने धार्मिक एवं सांस्कृतिक संगठन स्थापित करने की प्रेरणा दी। परिणामस्वरूप यह स्थल सम्पूर्ण विश्व में श्रद्धा एवं आकर्षण का केन्द्र बन गया। कालान्तर में कुशीनगर की पुरातात्त्विक सम्पदा सहित भारतीय संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से संग्रहालय के निर्माण की आवश्यकता प्रतीत हुई। एतदर्थ इस क्षेत्र में यत्र-तत्र बिखरी कला सम्पदा के संग्रह, संरक्षण, अभिलेखीकरण, प्रदर्शन एवं शोध के साथ ही इस क्षेत्र के गरिमामय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व की जानकारी जनसामान्य को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संस्कृति विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा वर्ष 1993-94 में राजकीय बौद्ध संग्रहालय, कुशीनगर की स्थापना की गयी।

संग्रहालय द्वारा संग्रहीत कलाकृतियां जहां एक ओर हमारी समृद्ध कला एवं संस्कृति का आभास कराती हैं, वहीं दूसरी ओर वर्तमान पीढ़ी को उनकी गौरवमयी विरासत से परिचित भी कराती है।

राजकीय पुरातत्त्व संग्रहालय, कन्नौज

उ.प्र. में गंगा नदी के किनारे बसा कन्नौज नगर अपने इत्र व्यवसाय एवं ऐतिहासिकता के कारण देश-विदेश में प्रसिद्ध है। ईसा की छठी शती के उत्तरार्ध से लेकर बारहवीं शती के अंत तक इस नगर को उत्तर-भारत का 'प्रथम नगर' होने का गौरव प्राप्त रहा है। लगभग छह सौ वर्ष तक इस नगर के इतिहास में प्राचीन भारत की राजनीति, धर्म, दर्शन, साहित्य और कला ने बहुमुखी विकास किया। हर्ष ने थानेश्वर से आकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। इस काल में कन्नौज की विशेष उन्नति हुई, चीनी यात्री ह्वेनसांग जिसने उस समय भारतवर्ष कि यात्रा की थी, ने कन्नौज के वैभव तथा हर्ष की दान वीरता का विशद वर्णन किया है।

कन्नौज संग्रहालय समिति द्वारा 25 फरवरी, 1975 को कन्नौज में संग्रहालय की स्थापना की गयी। कन्नौज संग्रहालय में प्रागैतिहासिक अस्थि उपकरण, महाभारतकालीन स्लेटी भूरे चित्रित पात्र, उत्तरी कृष्णमार्जित मृद्भाण्ड, गुप्त, कुषाण, प्रतिहारकालीन प्रतिमाएं जिनमें भैरवरूप में विषपान, सप्त मातृकाएं, तपस्विनी पार्वती, कार्तिकेय, नृत्य गणेश, चामुण्डा, तीर्थंकर प्रतिमाएं आदि संग्रहीत हैं, इनके अतिरिक्त पक्की मिट्टी (टैराकोटा) के बने पुरावशेष जिनमें देव प्रतिमाएं, पशु-पक्षी प्रतिमाएं, पाटल मुद्रा आदि शामिल हैं। संग्रहालय में विभिन्न काल के सिक्के व हस्तलिखित पाण्डुलिपियां भी संग्रहित हैं।

वर्ष 1995-96 में संस्कृति विभाग द्वारा संग्रहालय को अधिग्रहण करने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया। 29 फरवरी, 1996 को पुरातत्त्व संग्रहालय को शासकीय संग्रहालय घोषित करते हुये राजकीय पुरातत्त्व संग्रहालय का स्वरूप प्रदान किया गया।

राजकीय बौद्ध संग्रहालय, पिपरहवा (सिद्धार्थनगर)

पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र ऐतिहासिक व पुरातात्त्विक दृष्टि से न केवल भारत में बल्कि विश्व में विख्यात है। बौद्ध धर्म के इतिहास में पिपरहवा का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन भारत का महत्त्वपूर्ण गणराज्य कपिलवस्तु हिमालय पर्वत के तराई क्षेत्र में स्थिति था। यह वह गणराज्य है जहाँ सिद्धार्थ जैसे होनहार, तेजस्वी राजकुमार ने राजा शुद्धोधन के पुत्र के रूप में जन्म लिया एवं कालान्तर में करुणा एवं प्रेम से ओत-प्रोत होकर सम्पूर्ण विश्व को सद्मार्ग पर चलने को प्रेरित किया। भगवान् बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित प्रमुख स्थलों में से एक इस स्थल की पहचान प्राचीन कपिलवस्तु के रूप में की जाती है। प्राचीन

काल में कपिलवस्तु शाक्यों की राजधानी थी तथा भगवान बुद्ध के पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दस प्रमुख गणराज्यों में इसकी गणना की जाती थी। इस स्थल पर भगवान बुद्ध का बाल्यकाल व्यतीत हुआ था तथा राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में 29 वर्ष की अवस्था में सत्य की खोज के लिये उन्होंने यहां से प्रस्थान किया। बौद्ध साहित्य में इस बात का उल्लेख है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके अस्थि अवशेषों को आठ भागों में विभक्त किया गया था, जिसका एक भाग शाक्यों को भी प्राप्त हुआ। यहां का मुख्य स्तूप मूल रूप से शाक्यों द्वारा भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों के रूप में प्राप्त भाग पर निर्मित किया गया था। यहां पर सर्वप्रथम पुरातात्विक कार्य प्रारम्भ कराने का श्रेय डब्ल्यू.सी. पेपे को है। उत्खनन के परिणामस्वरूप यहां स्थित स्तूप से एक धातु मंजूषा प्राप्त हुई थी, जिस पर ब्रह्मी में लेख है- सुकिति-भतिनं स भगिनिकनम स-पुत-दलनं, इयं सलिल निधने बुधस भगवते सकियान। अर्थात् इस स्तूप का निर्माण उनके शाक्य भाइयों द्वारा अपनी बहनों, पुत्रों एवं पत्नियों के साथ मिलकर किया गया था। यहां से प्राप्त मृण्मुद्राओं (सीलिंग) पर ''देव पुत्र बिहारे कपिलवस्तु भिक्खु संघस'' तथा ''महा कपिलवस्तु भिक्खु संघस'' अंकित है। इससे यह प्रमाणित होता है कि यह स्थल प्राचीन कपिलवस्तु का बौद्ध प्रतिष्ठान था।

राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, मेरठ

वर्ष 1995 में उ0प्र0 शासन द्वारा संग्रहालय निर्माण का निर्णय लिया गया, तत्क्रम में वर्ष 1997 में टास्कफोर्स द्वारा की गई संस्तुतियों के अनुरूप उ0प्र0 शासन के अधीन संग्रहालय निदेशालय द्वारा संचालित राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, मेरठ की स्थापना हुई, जिसका औपचारिक लोकार्पण 10 मई, 2007 को हुआ।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मेरठ का विशिष्ट स्थान है, यहीं से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी फूटी। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी घटनाओं एवं संस्मरणों, जीवन गाथाओं को संरक्षित करना, भावी पीढ़ी को नवीन दिशा प्रदान करना राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, मेरठ का लक्ष्य है। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी घटनाएं कैसी थीं और किस तरह से लड़ी गयीं इसका उल्लेख लिखित रूप से तो किताबों एवं अभिलेखों में मिलता है लेकिन दृश्य रूपों में इसका अभाव है, खासकर 10 मई, 1857 को मेरठ में घटित घटनाएं जो आम जनसामान्य की पहुँच से दूर रही हैं। इन तथ्यों को संग्रहालय में दिखाने का अनूठा प्रयास किया गया है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय, रामपुर

डॉ. भीमराव अम्बेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय, रामपुर का निर्माण वर्ष 1997 में प्रारम्भ किया गया तथा 30 नवम्बर 1999 में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। इसके उपरान्त 12 अगस्त, 2000 को उ0प्र0 शासन के संस्कृति विभाग ने इसे अपने अधिकार में ले लिया और 21 अगस्त, 2004 को इसका औपचारिक लोकार्पण किया गया।

संग्रहालय में एक संदर्भ ग्रन्थालय भी स्थापित है जिसमें डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के जीवन पर आधारित अनेक पुस्तकें उपलब्ध हैं। इसके साथ ही साथ भारतीय इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति से सम्बन्धित पुस्तकें भी संग्रहालय के पुस्तकालय में छात्र/छात्राओं एवं शोधार्थियों के अध्ययन हेतु उपलब्ध हैं। जिससे सम्पर्क कर अनेक विद्वत जन तथा शोधार्थी लाभान्वित होते हैं।

राष्ट्रीय एकीकरण

राष्ट्रीय एकीकरण विभाग का संक्षिप्त इतिहास एवं संरचनात्मक ढॉचा

राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् की स्थायी समिति ने 26 अक्टूबर, 1968 को दिल्ली में हुई अपनी पृथक बैठक में यह सिफारिश की थी कि परिषद के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य स्तर पर एक ''एकीकरण परिषद'' की स्थापना की जाये।

उक्त के अनुसार वर्ष 1968 में राष्ट्रीय एकीकरण विभाग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अधीन कोई विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष/निगम परिषद/आयोग/संस्था कार्यरत नहीं है और न ही मण्डल/जिले/तहसील/ब्लाक स्तर पर कोई कार्यालय स्थापित एवं संचालित है।

गत पाँच वर्षों के बजट का तुलनात्मक विवरण

अन्तर्जातीय विवाह जिसमें दम्पत्ति का एक सदस्य अनुसूचित जाति का हो, प्रोत्साहित करने हेतु केन्द्र पुरोनिधानित योजनान्तर्गत नकद पुरस्कार (के0 50 प्रतिशत, रा0 50 प्रतिशत) योजना।

सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) (हजार रु0 में)

2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
6000	6000	6000	6000	6000

मौलाना आजाद स्मारक अकादमी को अनुदान सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन)

2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1500	1500	1500	1500	1500

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रस्तावित योजनायें

अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह प्रोत्साहन योजना

''अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह के लिये उत्तर प्रदेश अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाहित दम्पति को प्रोत्साहन देने की नियमावली, 1976'' लागू है, जिसके अन्तर्गत ऐसे विवाहित जोड़ों जिनका एक पक्ष अनुसूचित जाति से सम्बन्धित हो, को अन्तर्जातीय विवाह तथा ऐसे विवाहित जोड़ों, जो विवाह के पूर्व अलग-अलग धर्म को मानने वाले रहे हों, को अन्तर्धार्मिक विवाह की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे दम्पति को प्रोत्साहन स्वरूप रुपये 50,000/- का नकद पुरस्कार तथा प्रशस्ति प्रत्र प्रदान किया जाता है। इस सम्बन्ध में विभाग की विज्ञप्ति दिनांक 30 मार्च, 2010 द्वारा प्रदान किया जाता है। इस सम्बन्ध में विभाग की विज्ञप्ति दिनांक 30 मार्च, 2010 द्वारा उक्त नियमावली के नियम 7(2) में किए गए संशोधन के

अनुसार अन्तर्जातीय एवं अन्तर्धार्मिक प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का विकेन्द्रीकरण करते हुए मण्डलायंक्तों को प्रोत्साहन पुरस्कार की धनराशि नियमानुसार स्वीकृति हेतु अधिकृत किया गया है। अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु 60 लाख एवं अन्तर्धार्मिक विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु रु0 10 लाख की बजट व्यवस्था की गई है।

लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस मनाया जाना

लौह पुरुष सरदार बल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस दिनांक 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष ''राष्ट्रीय अखण्डता दिवस'' के रूप में मनाया जाता है। इसके लिये प्रत्येक जनपद को रुपये 5,000/- की धनराशि स्वीकृत की जाती है। इस मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 3,75,000/- की व्यवस्था की गई है।

कौमी एकता सप्ताह का आयोजन

प्रतिवर्ष दिनांक 19 से 25 नवम्बर तक भारत सरकार के दिशा निर्देश पर कौमी एकता सप्ताह मनाया जाता है। इस हेतु प्रदेश के प्रत्येक जनपद को रुपये 5,000/- की धनराशि स्वीकृत की जाती है। इस मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 में रुपये 3,75,000/- की बजट व्यवस्था की गई है।

जिला एकीकरण समितियों का गठन

राष्ट्रीय एकता, भाईचारा एवं धर्म निरपेक्ष लोकतंत्र की भावना बढ़ाने तथा साम्प्रदायिक एकता, सौहार्दपूर्ण वातावरण निरन्तर कायम रखने के उद्देश्य से जनपद स्तर पर अध्यक्ष, जिला पंचायत की अध्यक्षता में जिला एकीकरण समिति का गठन किया गया है। इन समितियो द्वारा प्रमुख त्योहारों एवं उत्सवों जैसे- रक्षा-बन्धन, होली, दिवाली, ईद-बकरीद, क्रिसमस डे तथा बसन्त पंचमी सामूहिक रूप से मनाने की व्यवस्था करना तथा इन अवसरों पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं ऐसे व्यक्तियों जिन्होंने साम्प्रदायिक दंगों की रोकथाम तथा नियंत्रण हेतु अपनी जान खतरे में डालकर दूसरे सम्प्रदाय के सदस्यों की जान बचायी हो एवं अन्तर्जातीय/अन्तर्धार्मिक विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत किये गये नागरिकों को आमंत्रित कर सम्मानित करना ताकि समाज के अन्य लोग उनसे प्रेरणा ले सकें। इसके अतिरिक्त लोक नृत्य, लोकगीत, कठपुतली नृत्य आदि कराये जाने की व्यवस्था की गई है। इस मद में वित्तीय वर्ष 2019-20 में रुपये 15,00,000 की बजट व्यवस्था की गई है।

महान विभूतियों के जन्म दिन पर राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव कार्यक्रमों का आयोजन

प्रदेश के जनपदों के ऐसे ज्ञात-अज्ञात महानुभाव जिन्होंने स्थानीय समाज में भाई-चारे की भावनाओं को विकसित करने तथा विभिन्न सम्प्रदायों के बीच आपसी मेल-मिलाप के माहौल को सुदृढ़ करने में उल्लेखनीय योगदान दिया हो व उनका जन्मदिन धन के अभाव में नहीं मनाया जाता है, के निमित्त रुपये 35,000/- प्रति जनपद धनराशि स्वीकृत की जाती है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2008-09 से प्रारम्भ की गई है। इस मद में वित्तीय वर्ष 2019-20 में रुपये 26,25,000 की व्यवस्था की गई है।

बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन

बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन हेतु प्रत्येक जनपद को रुपये 35,000/- की धनराशि स्वीकृत की जाती है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2009-10

से प्रारम्भ की गई है। इस मद में वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 26,25,000 की बजट व्यवस्था की गई है।

मौलाना आजाद मेमोरियल अकादमी को अनुदान

मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा तथा उनके ऊपर अन्य द्वारा लिखित उर्दू की पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं का अन्य भाषाओं में अनुवाद कर उसे देश के पुस्तकालयों एवं वाचनालयों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मौलाना आजाद स्मारक अकादमी, लखनऊ, जो कि एक गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्था है, को रु. तीन लाख का वार्षिक अनुदान दिया जाता था, जिसे वित्तीय वर्ष 2014-15 में बढ़ाकर रु.15,00,000 किया गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भी रु.15,00,000 की बजट व्यवस्था की गई है।

गुरु गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार

प्रदेश में निवासरत जन सामान्य में से कोई एक महानुभाव, जिन्होंने मानवाधिकारों की रक्षा, सामाजिक न्याय एवं राष्ट्रीय एकीकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया हो तथा इस दिशा में सतत् संलग्न रहे हों, का अभिज्ञान कर उन्हें गुरु गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के रूप में सार्वजनिक रूप से सम्मानित करने के उद्देश्य से प्रति वर्ष 5 जनवरी को राज्य सरकार द्वारा रुपये एक लाख का नकद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना वर्ष 2001 से प्रारम्भ की गई है। उल्लेखनीय है कि इस योजना के अन्तर्गत प्रथम बार वर्ष 2012-13 व वर्ष 2013-14 के लिये गुरु गोविन्द सिंह राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिनांक 18 अक्टूबर, 2014 को क्रमशः श्री वाहिद अली 'वाहिद', लखनऊ तथा श्री काजी जैनुल राशिदीन, मेरठ को प्रदान किया गया। इस मद में वित्तीय वर्ष 2019-20 में भी पूर्व की भाँति रु. 2.00 लाख की बजट व्यवस्था की गई है।

भाषा

प्रदेश की राजभाषा हिन्दी एवं अन्य भाषाओं के प्रयोग, प्रचार-प्रसार एवं विकास का कार्य भाषा विभाग द्वारा किया जा रहा है। शासन स्तर पर इस विभाग द्वारा शासन के समस्त विभागों से प्राप्त अनुवाद कार्य तथा विभागीय मैनुअलों, संकलनों एवं संदर्भ ग्रन्थों आदि का प्रकाशन कार्य कराने के साथ-साथ विभिन्न भाषाओं से सम्बन्धित कार्यकलापों तथा योजनाओं को निम्नलिखित संस्थाओं के माध्यम से संचालित किया जाता है-

(1) उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ

(2) उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम्, लखनऊ

(3) उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी, लखनऊ

(4) उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी, लखनऊ

(5) उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, लखनऊ

(6) हिन्दुस्तानी एकेडमी, प्रयागराज

(7) उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी, लखनऊ

(8) फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी, लखनऊ

(9) राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान, लखनऊ

(10) भाषा प्रकाशन (कोष्ठक), लखनऊ।

उ.प्र. भोजपुरी अकादमी के नाम से एक नयी संस्था के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गयी है। स्थापना और नियमावली का प्रख्यापन प्रक्रियाधीन है। भाषा विभाग के नियंत्रणाधीन भाषायी संस्थाओं के कार्यकलापों एवं कार्यरत स्टाफ आदि के वेतन भत्तों के लिए आवश्यक सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्था शासन द्वारा की जाती है। उक्त संस्थाओं के माध्यम से संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यकलापों के अन्तर्गत हिन्दी, उर्दू तथा संस्कृत भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्यकारों को पुरस्कृत करने के साथ-साथ साहित्यकार कल्याण कोष योजना, प्रकाशन अनुदान योजना, उत्कृष्ट ग्रन्थों का प्रकाशन, साहित्यिक समारोह, पाण्डुलिपियों का प्रकाशन, अभावग्रस्त साहित्यकारों को आर्थिक सहायता।

राजभाषा हिन्दी

प्रदेश में सर्वप्रथम अक्टूबर, 1947 में देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी को अपनी राजभाषा घोषित किया गया। राजभाषा हिन्दी का प्रयोग प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालयों में 26 जनवरी, 1968 से अनिवार्य कर दिया गया है तथा उक्त आदेश का अनुपालन न किया जाना अनुशासनहीनता माना गया

है। अंग्रेजी का प्रयोग करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था की गयी है जिससे हिन्दी की प्रगति को गतिशीलता मिल सके।

द्वितीय राजभाषा उर्दू

उर्दू भाषी अल्पसंख्यकों की भावनाओं का समादर करते हुए सरकार ने वर्ष 1989 में उ.प्र. राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1989 पारित करके उर्दू को निम्नांकित सात विनिर्दिष्ट प्रयोजनों हेतु प्रदेश की द्वितीय राजभाषा घोषित किया है :

(1) उर्दू में अर्जियों और आवेदन-पत्रों की प्राप्ति और उर्दू में उनका उत्तर।

(2) उर्दू में लिखित दस्तावेजों को निबंधन कार्यालयों द्वारा स्वीकार किया जाना।

(3) महत्त्वपूर्ण सरकारी नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का उर्दू में भी प्रकाशन।

(4) सार्वजनिक महत्त्व के सरकारी आदेशों और परिपत्रों को उर्दू में भी जारी किया जाना।

(5) महत्त्वपूर्ण सरकारी विज्ञापनों का उर्दू में भी प्रकाशन।

(6) गजट के उर्दू रूपान्तर का भी प्रकाशन।

(7) महत्त्वपूर्ण संकेत पट्टों का उर्दू में प्रदर्शन।

उक्त प्रयोजनों के कार्यान्वयन हेतु समस्त विभागाध्यक्षों/जिलाध्यक्षों को समय-समय पर शासनादेश जारी किये गये हैं।

क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं का विकास

हिन्दी एवं उर्दू भाषा के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार की भी व्यवस्था की गयी है। इन भाषाओं के प्रोत्साहन हेतु प्रदेश के पाँच जनपदों क्रमशः लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, मुरादाबाद और आगरा में कुल पाँच भारतीय भाषा केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। इन केन्द्रों में कुल 13 भाषाओं यथा- तमिल, तेलुगू, कन्नड, मलयालम, गुजराती, मराठी, बंगला, उड़िया, पंजाबी, सिन्धी, असमिया, कश्मीरी और नेपाली के प्रशिक्षण की व्यवस्था है।

आशुलिपि तथा टंकण प्रशिक्षण केन्द्र

भाषा विभाग के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश सचिवालय में राज्य कर्मचारियों के लिए हिंदी टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सचिवालय तथा लखनऊ स्थित सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों को हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि में प्रशिक्षण दिये जाने हेतु दरबारी लाल शर्मा भवन में हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण केन्द्र चलाया जा रहा है।

उर्दू प्रवीणता परीक्षा

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों में उर्दू भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करने हेतु उर्दू वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा विगत लगभग चालीस वर्षों से शासन द्वारा चलाई जा रही है। जिसके अन्तर्गत हाईस्कूल स्तर की उर्दू वैकल्पिक प्रवीणता परीक्षा में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीण होने वाले अधिकारियों/

कर्मचारियों को क्रमशः 1400/-, 1000/- तथा 800/- रुपये की राशि तथा जूनियर हाईस्कूल स्तर की उर्दू प्रवीणता परीक्षा में उत्तीर्ण अधिकारियों/कर्मचारियों को क्रमशः 600/-, 400/- तथा 200/- रुपये की धनराशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाती है तथा दक्षता प्रमाण-पत्र दिया जाता है।

भाषा विभाग के प्रमुख कार्य

- **प्रकाशन कार्य**

सरकारी कार्यों में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित कराने एवं तद्नुसार कार्य संचालन में सुविधा की दृष्टि से प्रदेश के सरकारी कार्यालयों एवं अधिकारियों को शासन के अद्यावधिक नियमों, विनियमों आदि से अवगत कराने एवं तद्नुसार कार्य सम्पादन में सरकारी प्रयोगार्थ उनकी प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु, भाषा (प्रकाशन) अनुभाग द्वारा शासन के विभागीय मैनुअलों, हैण्डबुकों, नियमावलियों, आदेशों के संकलनों आदि को संशोधित एवं अद्यावधिक कराकर उन्हें प्रकाशित कराया जाता है।

- **अनुवाद एवं पत्रावली कार्य**

शासन की भाषा नीति के अनुरूप राजभाषा हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हिन्दी प्रभाग द्वारा शासन स्तर पर समस्त विभागों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सामान्य, प्रकीर्ण एवं विधायी प्रकृति के शासकीय प्रपत्रों/पत्रों का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद कार्य भाषा विभाग द्वारा सम्पादित किया जाता है।

भाषा विभाग के हिन्दी प्रभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में शासन के विभिन्न विभागों के लगभग 2100 वि.पत्रों का निस्तारण का कार्य सम्पन्न किया गया।

वर्ष 2018-19 में उर्दू प्रभाग द्वारा गजट का उर्दू तर्जुमा एवं पत्रावली का कार्य किया गया।

उ.प्र. भाषा निधि

हिन्दी भाषा एवं साहित्य के संवर्द्धन के उद्देश्य से रु. 10.00 करोड़ की धनराशि से उ.प्र. भाषा निधि की स्थापना की गयी थी। भाषा निधि के बजट से भारतीय भाषा केन्द्रों एवं भाषा संस्थान की योजनाओं का संचालन किया जाता है।

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान

राष्ट्र भाषा हिन्दी के वाङ्मय की श्रीवृद्धि में जिन संस्थाओं का विशिष्ट योगदान है, उनमें उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान सर्वप्रमुख है। उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान राष्ट्रभाषा के अनन्य उपासक, मनीषी व चिन्तक राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन की पुण्य स्मृति का जीवन्त प्रतीक है। हिन्दी भाषा व साहित्य के सर्वतोन्मुखी उन्नयन और आधुनिक ज्ञान-विज्ञान व प्रौद्योगिकी के प्रचार-प्रसार में राष्ट्रभाषा की वर्तमान भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान की स्थापना 30 दिसम्बर, 1976 को हुई थी।

वित्तीय वर्ष 2018-19 से अब तक शासन से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष संस्थान द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत किये गये कार्य-कलापों का विवरण निम्नवत् है :

प्रोत्साहन प्रभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत किये गये कार्यों का विवरण

- **साहित्यिक समारोह योजना**

1. दिनांक 25 अप्रैल, 2018 चन्द्रबली पाण्डेय एवं 'हरिऔध' जयन्ती समारोह, लखनऊ।
2. दिनांक 27, 28 व 29 अप्रैल, 2018 को हिन्दी विभाग, कला संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में **'भारतीय सांस्कृतिक चेतना के प्रमुख आयाम एवं विश्वकवि तुलसीदास'** विषय पर संगोष्ठी, वाराणसी।
3. दिनांक 15 मई, 2018 महावीर प्रसाद द्विवेदी एवं सुमित्रा नन्दन पंत जयन्ती समारोह, लखनऊ।
4. दिनांक 30 व 31 मई, 2018 हिन्दी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में 'हिन्दी पत्रकारिता' : स्वाधीन चेतना और युगबोध' विषय पर संगोष्ठी, लखनऊ।
5. दिनांक 25 व 26 जून, 2018 अज्ञेय, निर्मल वर्मा एवं रमेश चन्द्र शाह का कथेत्तर गद्य विषय पर संगोष्ठी, लखनऊ।
6. दिनांक 1 अगस्त, 2018 को प्रेमचन्द, राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन, मैथिलीशरण गुप्त एवं शिवपूजन सहाय स्मृति समारोह, लखनऊ।
7. दिनांक 14 अगस्त, 2018 को तुलसी जयन्ती समारोह एवं कहानी-कविता प्रतियोगिता पुरस्कार वितरण समारोह।
8. दिनांक 18, 19 व 20 अगस्त, 2018 को विश्व हिन्दी सम्मेलन में सहभागिता, मॉरीशस।
9. दिनांक 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस समारोह एवं काव्य गोष्ठी।
10. 14 नवम्बर, 2018 को अभिनन्दन पर्व-2018 बाल साहित्यकारों का सम्मान।
11. दिनांक 26, 27 नवम्बर, 2018 को शम्भूनाथ सिंह स्मृति समारोह, वाराणसी।
12. दिनांक 28 व 29 नवम्बर, 2018 को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी में कार्यशाला।
13. दिनांक 07-08 दिसम्बर, 2018 को कल्याण (महाराष्ट्र) के वी.के. बिडला महाविद्यालय के साथ हिन्दी एवं मराठी के 21वीं शताब्दी के कथेत्तर गद्य तथा हिन्दी एवं मराठी भाषा के सह-सम्बन्ध पर संगोष्ठी।
14. दिनांक 24 दिसम्बर, 2018 को हिन्दी संस्थान द्वारा आयोजित महामना मदन मोहन मालवीय व अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित एक दिवसीय संगोष्ठी।

- **संस्थाओं के साथ कार्यशाला**

1. दिनांक 28 व 29 नवम्बर, 2018 को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में कार्यशाला।

- **पुरस्कार योजना**

1. उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के वार्षिक सम्मान समारोह का आयोजन दिनांक 24 अक्टूबर, 2018 को यशपाल सभागार, हिन्दी भवन लखनऊ में किया गया।

- **बाल साहित्य संवर्द्धन योजना**

1. बच्चों की प्रिय पत्रिका बालवाणी द्वैमासिक का नियमित प्रकाशन कराया जा रहा है।
2. दिनांक 14 नवम्बर, 2018 को बाल दिवस के अवसर पर अभिनन्दन वर्ष 2017 का आयोजन किया गया, जिसमें सात बाल साहित्यकारों को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

- **साहित्य कल्याण कोष योजना**

1. उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में विषम आर्थिक स्थिति ग्रस्त पांच साहित्यकारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गयी।

- **प्रकाशन अनुदान योजना**

1. उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में तेईस साहित्यकारों को उनकी पाण्डुलिपियों के प्रकाशन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की गयी।

उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम्, लखनऊ

उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम् लखनऊ की स्थापना 31 दिसम्बर 1976 को संस्कृत, पालि एवं प्राकृत भाषाओं तथा उनके साहित्य के समुचित संरक्षण, प्रोत्साहन एवं विकास के लिये की गयी। उ.प्र. संस्कृत संस्थानम् सदैव संस्कृत भाषा के विकास, प्रचार व प्रसार एवं संरक्षण के लिये अपने स्थापना काल से प्रयासरत रहा है। संस्कृत संस्थानम् द्वारा अधोलिखित मुख्य कार्य किये जाते हैं।

- **पुरस्कार योजना**

  इस योजना के अन्तर्गत संस्कृत संस्थानम् द्वारा प्रति वर्ष संस्कृत क्षेत्र के 50 विद्वानों को पुरस्कार दिया जाता है।

- **प्रकाशन योजना**

  संस्थान द्वारा अब तक संस्कृत के ग्रन्थों का प्रकाशन कराया जाता है, जिसमें संस्कृत वाङ्मय का वृहद इतिहास का प्रकाशन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण।

- **पाण्डुलिपि क्रय एवं संरक्षण योजना**

  संस्कृत संस्थानम् में अतिमहत्त्वपूर्ण प्राचीन ताड़पत्र, भोजपत्र सहित 8000 हस्तलिखित ग्रन्थ संरक्षित हैं। पाण्डुलिपियों का विषयक्रम वर्गीकरण कराकर उसके कैटलॉग (पाण्डुलिपि विवरणिका) का प्रकाशन किया गया है।

- **व्याख्यान गोष्ठी**

संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष विभिन्न संस्कृतज्ञों/विद्वानों की जयन्ती जैसे - शंकराचार्य जयन्ती, बुद्ध जयन्ती, व्यास जयन्ती, कालिदास जयन्ती, वाल्मीकि जयन्ती, धनन्वतरि जयन्ती, गीता जयन्ती आदि का आयोजन निरन्तर किया जाता है, जिसमें ख्याति प्राप्त विद्वानों को निमंत्रित किया जाता है। जिनके व्याख्यान एवं गोष्ठी (सेमिनार) से जनसामान्य लाभान्वित होते हैं। इसी वर्ष गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संस्थान द्वारा संस्कृत विद्यालय से सेवानिवृत्त शिक्षकों का भी सम्मान किया गया। इसके अतिरिक्त संस्थान द्वारा संस्कृत नाटकों का भी आयोजन किया गया।

- **संस्कृत सम्भाषण प्रशिक्षण शिविर**

संस्थान द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में जन-जन में संस्कृत के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से सम्पूर्ण प्रदेश के 75 जनपदों के जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों पर बेसिक शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्य चल रहा है। अब तक समस्त जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण केन्द्रों पर कुल 7500 अध्यापकों को प्रशिक्षित

किया जा चुका है, साथ ही विभिन्न बोर्ड के विद्यालयों/गुरुकुलों में भी सम्भाषण प्रशिक्षण निरन्तर चलाये जा रहे हैं। प्रशिक्षित अध्यापकों एवं उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम् के प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षित अध्यापकों के विद्यालय में छात्रों को संस्कृत सम्भाषण सिखाया जाएगा। वर्तमान में कई विद्यालयों में संस्कृत संस्थानम् द्वारा प्रशिक्षित अध्यापक बच्चों को संस्कृत सम्भाषण का प्रशिक्षण दे रहे हैं। प्रशिक्षण के साथ-साथ डायट के प्राचार्यों द्वारा भी इस योजना को निरन्तर चलाये जाने की मांग संस्थाओं के माध्यम से की जा रही है।

- **विक्रय व्यवस्था**

संस्कृत संस्थानम् द्वारा प्रकाशित ग्रन्थों का देश एवं प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों एवं पुस्तक विक्रेताओं के माध्यम से तथा समय-समय पर लगने वाले पुस्तक मेला/प्रदर्शनी आदि में स्टाल लगाकर पुस्तकों का विक्रय किया जाता है। पुस्तकों की बिक्री में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी

उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी की स्थापना दिनांक 17 मार्च, 1998 को एवं अकादमी का रजिस्ट्रेशन अधिनियम संख्या 21,1860 के अधीन दिनांक 05 मार्च, 1999 को हुआ है। अकादमी का मुख्य उद्देश्य पंजाबी भाषा, साहित्य, कला एवं संस्कृति का प्रचार-प्रसार व संवर्द्धन करना है। पंजाबी अकादमी अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निरन्तर कार्य कर रही है। जिसमें प्रतिवर्ष विद्वत संगोष्ठी, काव्य गोष्ठी, युवा वर्ग में पंजाबी भाषा के प्रोत्साहनार्थ छात्रों को पुरस्कृत किया जाना, प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर के कवियों, विद्वानों, साहित्यकारों को आमंत्रित कर कवि सम्मेलनों का आयोजन कराया जाना तथा पंजाबी भाषा में रुचिता लाने हेतु पंजाबी नाटक, लोकगीत, लोकनृत्य सांस्कृतिक जैसे कार्यक्रमों का आयोजन कराया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त लेखकों को प्रोत्साहन, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि को सीखने हेतु सेन्टर का संचालन, पुस्तकों के प्रकाशन आदि का कार्य मुख्यतया किये जाते हैं।

स्थापना काल से प्रतिवर्ष अकादमी की गतिविधियों की वृद्धि के साथ-साथ अकादमी के बजट में भी निरन्तर वृद्धि हुई है।

उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी द्वारा की जाने वाली मुख्य योजनाएं

1. पंजाबी भाषा, साहित्य, संस्कृति एवं कला को प्रोत्साहित किये जाने हेतु सम्मेलनों, गोष्ठियों, कार्यशालाओं का आयोजन।
2. पंजाबी भाषा के मौलिक साहित्यिक एवं हस्तलिखित रचनाओं का प्रकाशन तथा इस प्रयोजनार्थ विद्वानों को सहायता प्रदान करना।
3. पंजाबी भाषा में बाल साहित्य का प्रकाशन।
4. पंजाबी भाषा में संदर्भ ग्रन्थों की रचना एवं उनका प्रकाशन करना।
5. अप्रकाशित श्रेष्ठ साहित्यिक रचनाओं को पंजाबी भाषा में प्रकाशित करना।
6. पंजाबी भाषा के प्रतिभावान छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान करना।
7. पंजीकृत पंजाबी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता देना।

8. पंजाबी भाषा के सुयोग्य लेखकों को रचनाओं के प्रकाशन में सहायता करना।
9. पंजाबी भाषा के बुजुर्ग एवं जरूरतमंद लेखकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
10. महत्त्वपूर्ण साहित्यिक रचनाओं का पंजाबी भाषा में अनुवाद।

उत्तर प्रदेश सिन्धी अकादमी, लखनऊ

सिन्धी भाषा, साहित्य, संस्कृति व कला के प्रचार-प्रसार, विकास, संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए भाषा विभाग, उ.प्र. शासन द्वारा दिनांक 07 फरवरी, 1996 की अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश सिन्धी अकादमी की स्थापना की गयी थी। अकादमी अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निरन्तर कार्य कर रही है। अकादमी द्वारा सिन्धी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए प्रतिवर्ष विद्वत संगोष्ठी, सिन्धी छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन वृत्ति, राष्ट्रीय स्तर के सिन्धी कवि सम्मेलनों, सिन्धी नाटक, सिन्धी लोकगीत अन्य सिन्धी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अकादमी द्वारा लेखकों को प्रोत्साहनार्थ सिन्धी पुस्तकों को प्रकाशित करने एवं पुस्तकों के प्रकाशन हेतु आर्थिक सहयोग देने आदि जैसे कार्य समय-समय पर किये जाते हैं।

शासन द्वारा अकादमी को वित्तीय वर्ष 2018-19 में धनराशि रु. 1,23,06,000.00 (रु. एक करोड़ तेईस लाख छह हजार मात्र) प्राविधानित है।

उ0प्र0 सिन्धी अकादमी की प्रमुख योजनाएं

1. सिन्धी भाषा, साहित्य, संस्कृति एवं कला को प्रोत्साहित किये जाने हेतु सम्मेलनों, गोष्ठियों, कार्यशालाओं का आयोजन करना।
2. सिन्धी भाषा के मौलिक साहित्यिक एवं हस्तलिखित रचनाओं का प्रकाशन तथा इस प्रयोजनार्थ विद्वानों को सहायता प्रदान करना।
3. सिन्धी भाषा में बाल साहित्य का प्रकाशन।
4. सिन्धी भाषा में संदर्भ ग्रन्थों की रचना एवं उनका प्रकाशन करना।
5. अप्रकाशित श्रेष्ठ साहित्यिक रचनाओं को सिन्धी भाषा में प्रकाशित करना।
6. सिन्धी भाषा के प्रतिभावन छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान करना।
7. पंजीकृत सिन्धी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं को आर्थिक सहायता देना।
8. सिन्धी भाषा के सुयोग्य लेखकों को रचनाओं के प्रकाशन में सहायता करना।
9. सिन्धी भाषा के बुजुर्ग एवं जरूरतमंद लेखकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
10. महत्त्वपूर्ण साहित्यिक रचनाओं का सिन्धी भाषा में अनुवाद करना।

उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, लखनऊ

उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, लखनऊ की स्थापना प्रदेश की भाषा नीति के हित में भारत वर्ष के विभिन्न राज्यों व संघीय राज्यों में भारतीय भाषाओं तथा उनके साहित्य के समुचित संरक्षण, प्रोत्साहन एवं विकास के लिए की गयी। वित्तीय वर्ष 2018-19 में रुपये 40.00 लाख (रुपये चालीस लाख) का बजट स्वीकृत किया गया। भाषा संस्थान, इन्जीनियरिंग, स्वास्थ्य, चिकित्सा, तकनीकि, प्रशासनिक, प्रबंधकीय

एवं विधिक तथा अन्य आधुनिक विषयों से संबंधित पाठ्य पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का हिन्दी में मौलिक लेखन, अनुवाद एवं प्रकाशन आदि के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यरत हैं। भाषा संस्थान समय-समय पर संविधान की अनुसूची-8 में उल्लिखित भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करता रहा है तथा सरकारी, अर्द्धसरकारी, स्वायत्तशासी एवं पंजीकृत साहित्यिक एवं स्वैच्छिक संस्थाओं को भाषा और साहित्य के विकास के लिए समारोह, कवि सम्मेलन, संगोष्ठी आदि के आयोजन हेतु आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है।

उक्त के अन्तर्गत संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में दिनांक 16-18 नवम्बर, 2018 को जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में त्रि-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी भारतीय भाषा संगम का आयोजन किया गया, जिसमें सम्पूर्ण भारत से भिन्न-भिन्न भाषा के विद्वानों, आलोचकों, लेखकों एवं शोधार्थियों ने भाग लिया और अपने शोधपरक विचार प्रस्तुत किये तथा दिनांक 26-28 नवम्बर, 2018 को थिंक इण्डिया, लखनऊ के संयुक्त तत्वावधान में शब्द-रंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें कला, साहित्य एवं संस्कृति के क्षेत्रों के विभिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न विषयों पर विभिन्न सत्रों में अपने बहुमूल्य विचार दिये। साथ ही आयोजन में भारतीय भाषाओं की विभिन्न विधाओ में उत्कृष्ट सेवा करने वाले 14 विद्वानों को रु. 5,100.00 की सम्मान राशि, अंगवस्त्र, प्रमाण-पत्र प्रदत्त कर सम्मानित भी किया गया। दिनांक 11 सितम्बर, 2018 को चन्द्र भानु गुप्त महाविद्यालय में हिन्दी में कृषि लेखन पर परिचर्चा एवं संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।

इन्दिरा भवन के कार्यालय कक्ष 721 के वृहद भाग में पुस्तकालय का विशाल संग्रह है, जिसमें हिन्दी भाषा के साथ-साथ कई भारतीय भाषाओं की लगभग 20000 मुद्रित पुस्तकें हैं। संस्थान पुस्तकालय रूप का उपयोग मुख्य रूप से इन्दिरा भवन एवं जवाहर भवन में कार्यरत विभिन्न विभागों के अधिकारी/कर्मचारी व हिन्दी भाषा मे रुचि रखने वाले प्रबुद्ध नागरिक करते हैं।

इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2019-20 में आठवी अनुसूची में वर्णित सभी भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार हेतु साहित्यिक गोष्ठियां, काव्य सम्मेलन, छात्र प्रतियोगितायें एवं साहित्यिक कार्यक्रम आदि आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

हिन्दुस्तानी एकेडमी, प्रयागराज

भारतीय भाषाओं सहित राष्ट्र भाषा हिन्दी, उसके साहित्य तथा ऐसे अन्य रूपों और शैलियों जैसे- उर्दू, ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी एवं बुन्देली के संरक्षण, विकास एवं उन्नति के लिए संचालित हिन्दुस्तानी एकेडमी, प्रयागराज एक ऐतिहासिक संस्था है। जिसकी स्थापना धारा सभा में पारित प्रस्ताव द्वारा 29 मार्च, 1927 को हुई थी।

उद्देश्य

हिन्दुस्तानी एकेडमी का उद्देश्य प्रारम्भ से लेकर वर्तमान समय तक हिन्दी और उर्दू, ब्रज भाषा, भोजपुरी, बुन्देली साहित्य की रक्षा, वृद्धि तथा उन्नति, साहित्य सृजन के कार्य में प्रोत्साहन, कला और विज्ञान के विभिन्न अंगों की पूर्ति के लिए उत्कृष्ट और प्रामाणिक संकलन ग्रन्थ प्रस्तुत करना एवं साहित्यिक मानदण्ड स्थिर करने के मूलभूत उद्देश्यों को सार्थक बनाने का प्रयास करना रहा है।

उक्त सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हिन्दुस्तानी एकेडमी, प्रयागराज अन्य भारतीय भाषाओं से हिन्दी में उच्चकोटि के साहित्य का अनुवाद कराने का कार्य करती आयी है।

उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी

उ.प्र. उर्दू अकादमी की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। उर्दू अकादमी की स्थापना का उद्देश्य उर्दू भाषा का विकास, प्रचार–प्रसार एवं संरक्षण व संवर्धन है। स्थापना के समय अकादमी को रु. 5.10 लाख का अनुदान स्वीकृत करके 19 जनवरी, 1972 में एक नियामावली पंजीकृत कराकर शासन द्वारा साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति नामित की गई थी।

अकादमी के बढ़ते हुए कार्यकलापों को दृष्टिगत रखते हुए शासन ने समय-समय पर आवर्तक अनुदान में वृद्धि की है और वर्ष 2018-19 में रु. 8.37 करोड़ का कुल अनुदान स्वीकृत किया गया है तथा उर्दू आई.ए.एस. स्टडी सेन्टर हेतु रु. 2.00 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

अकादमी के कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैं :

- **प्रदेश के पंजीकृत पुस्तकालयों एवं वाचनालयों को उर्दू पुस्तकें तथा पत्र/पत्रिकायें क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता।**

इस योजना हेतु अकादमी के बजट में रु. 5.00 लाख की धनराशि आवंटित है। जिसके अंतर्गत प्रदेश के पंजीकृत पुस्तकालयों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। उप समिति की बैठक में आवेदन-पत्रों पर अनुदान की संस्तुति की जाती है। अनुदान की न्यूनतम धनराशि रु. 10,000 तथा अधिकतम रु. 12,000 होती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 32 पुस्तकालयों को अनुदान स्वीकृत किया गया है।

- **उर्दू पुस्तकों पर पुरस्कार**

इस मद हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में रु. 40 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है। इस योजनान्तर्गत सम्पूर्ण भारत के लेखकों, कवियों एवं साहित्यकारों को उनकी उर्दू की उत्कृष्ट पुस्तकों पर पुरस्कार के अतिरिक्त साहित्यकारों एवं लेखकों को उनकी साहित्यिक सेवाओं पर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 1 जनवरी से 31 दिसम्बर तक प्रकाशित पुस्तकों को आगामी 15 जनवरी तक आमंत्रित किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत रु. 5.01 लाख मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार, रु. 1 लाख 51 हजार के मजमुई अदवी खिदमात के पाँच पुरस्कार तथा रु. 51-51 हजार पत्रकारिता हेतु मौलाना अब्दुल वहीद सिद्दीकी के दो पुरस्कार, इसके अतिरिक्त उर्दू की श्रेष्ठ पुस्तकों पर क्रमशः रुपये पाँच हजार से पच्चीस हजार तक के पुरस्कार वितरित किये जाते हैं।

- **लेखकों को उनकी पाण्डुलिपियों के प्रकाशन पर आर्थिक सहायता**

इस मद हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में रु. 15 लाख की धनराशि आवंटित की गई है। पाण्डुलिपियों के प्रकाशित हो जाने पर वित्तीय वर्ष के अन्त तक इस मद पर निर्धारित समस्त धनराशि व्यय की जाती है। इसकी स्वीकृति का नियम यह है कि पाण्डुलिपि के 400 प्रतियों के प्रकाशन पर होने वाले कुल अनुमानित व्यय के 75 प्रतिशत की धनराशि अनुदान स्वरूप स्वीकृति की जाती है।

- **उर्दू पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं के प्रकाशन तथा बाल एवं स्वतंत्रता संग्राम संबंधी साहित्य का प्रकाशन**

अकादमी द्वारा विभिन्न शीर्षकों पर अब तक लगभग 500 पुस्तकों का प्रकाशन किया जा चुका है। जिसमें बी.ए. और एम.ए. की पाठ्य-पुस्तकें भी सम्मिलित हैं। जो सस्ते दामों में उपलब्ध हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में लगभग 15 पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। इस मद हेतु रु. 15 लाख की धनराशि आवंटित है। अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की बिक्री तथा प्रचार-प्रसार के लिए देश तथा प्रदेश में आयोजित होने वाले पुस्तक मेलों में भी भाग लिया जाता है।

- **उ0प्र0 के बीमार, वृद्ध तथा आर्थिक रूप से कमजोर उर्दू कवियों तथा लेखकों को आर्थिक सहायता**

वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस मद हेतु लगभग रु. 50 लाख की धनराशि आवंटित की गई है जिसमें वृद्ध एवं बीमार लेखकों/कवियों को उनके इलाज हेतु मासिक तथा एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। लेखकों को 3000 रुपये मासिक सहायता तथा 5000 से 10000 रुपये तक एक मुश्त सहायता दी जाती है।

- **उर्दू छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति**

इस मद हेतु रु. 70 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है, जिसमें कक्षा 6 से पीएच.डी. तक के छात्रों को निर्धारित प्रपत्रों पर आवेदन प्राप्त करके उर्दू विषय में मेरिट के आधार पर प्रत्येक विद्यालय के दो छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृत करने का प्रावधान है।

छात्रवृत्ति की अलग-अलग धनराशि निम्नवत है :

कक्षा 6 से 8 तक 2500 रु. प्रति वर्ष प्रति छात्र

कक्षा 9 से 10 तक 3000 रु. प्रति वर्ष प्रति छात्र

कक्षा 11 से 12 तक 4000 रु. प्रति वर्ष प्रति छात्र

कक्षा बी.ए. प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष रु. 5000 प्रति वर्ष प्रति छात्र

कक्षा एम.ए. प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष रु. 6000 प्रति छात्र

पीएच.डी. 15000 रु. प्रति वर्ष प्रति छात्र

एम.फिल. 8000 रु. प्रति वर्ष प्रति छात्र

- **उर्दू कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र**

नेशनल काउन्सिल बरा-ए-फरोग उर्दू जबान नई दिल्ली (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार) के सहयोग से अकादमी भवन मे उर्दू कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र चलाया जा रहा है, जिसमें 60 छात्र प्रति वर्ष प्रशिक्षण प्राप्त कर अविलम्ब रोजी-रोटी से जुड़ जाते हैं।

- **मासिक ख़बरनामा तथा त्रैमासिक अकादमी पत्रिका का प्रकाशन**

उर्दू अकादमी द्वारा मासिक ख़बरनामा व त्रैमासिक पत्रिकाएं प्रकाशित कराई जाती हैं। जिससे उर्दू भाषी व्यक्यिों को अकादमी के कार्यकलापों एवं उर्दू साहित्यिक लेखों का ज्ञान होता है।

- **प्रदेश के विभिन्न जनपदों में उर्दू कोचिंग स्कूल की स्थापना**

इस योजना के अन्तर्गत रु. 10 लाख की धनराशि आवंटित की गयी है। गत् वर्ष उ.प्र. के विभिन्न जनपदों में लखनऊ सहित 25 सेन्टरों की स्थापना की गई थी। चालू वित्तीय वर्ष में इस मद हेतु अनुदान में वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए अन्य 26 उर्दू कोचिंग स्कूलों की स्थापना प्रस्तावित है। इन उर्दू कोचिंग स्कूलों के माध्यम से सरकारी कर्मियों, वक़ीलों, डॉक्टर, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले इच्छुक व्यक्यिों को उर्दू भाषा का ज्ञान कराया जाता है।

- **उर्दू आई.ए.एस. स्टडी सेन्टर की स्थापना**

जैसा कि शासन के संज्ञान में है कि आर.एम.वाई. उर्दू आई.ए.एस. स्टडी सेन्टर की स्थापना 4 मई, 2015 को की गई थी। शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए रु. 2.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है। इस योजना के अन्तर्गत 60 छात्र/छात्राओं का प्रवेश लिया जाता है। यहां से कोचिंग प्राप्त करने के पश्चात बड़ तादाद में छात्र/छात्राएं रोजी-रोटी से जुड़ जाते हैं। छात्र/छात्राओं को हॉस्टल में रहने तथा मेस में मुफ्त में भोजन की सुविधा उपलब्ध है।

- **उर्दू मॉस कम्युनिकेशन एण्ड मीडिया सेन्टर की स्थापना**

इसके अतिरिक्त उर्दू मॉस कम्युनिकेशन एण्ड मीडिया सेन्टर की स्थापना की गई है। जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया से सम्बन्धित कार्यों की शिक्षा दी जायेगी। इस सेन्टर का उद्घाटन मा. उप-मुख्यमंत्री, डॉ. दिनेश शर्मा द्वारा दिनांक 07 मई, 2018 को कराया जा चुका है।

फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी

फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी की स्थापना वर्ष 1976 में हुई थी। कमेटी के मुख्य उददेश्यों में उर्दू साहित्यकारों को उनकी कृतियों के प्रकाशन हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना, उर्दू में पीएच.डी. तथा डी.लिट्. शोधकर्ताओं को थीसिस की स्वच्छ प्रतियाँ तैयार करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना, महत्त्वपूर्ण साहित्यिक तथा राष्ट्रीय विषयों पर विशिष्ट विद्वानों द्वारा फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल व्याख्यानों को आयोजित करना, उर्दू के प्रतिभावान स्कॉलरों को गोल्ड मेडल प्रदान करना तथा राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से ऐसे अन्य कदम उठाना जिससे उर्दू को बढ़ावा देना सम्भव हो मुख्य रूप से सम्मिलित किये गये।

उर्दू पाण्डुलिपियों के प्रकाशनार्थ आर्थिक सहायता

यह योजना कमेटी की महत्त्वपूर्ण योजना है। इसके अन्तर्गत सम्पूर्ण भारत में रहने वाले भारतीय नागरिकों को उच्च स्तर के उर्दू में हस्तलिखित ग्रन्थों के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एक वित्तीय वर्ष में आर्थिक सहायता हेतु लगभग 150 से 200 तक उर्दू पाण्डुलिपियां प्राप्त होती हैं, जिन पर विषय से सम्बन्धित समीक्षक से समीक्षा कराई जाती है। जिसमें समीक्षक द्वारा पाण्डुलिपियों का परीक्षण करने के उपरान्त कमेटी उन पर आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय लेती है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में अब तक कुल 54 पुस्तकें प्रकाशित होकर कमेटी को प्राप्त हो चुकी हैं। जिन पर लगभग रु. 12.18 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने का लक्ष्य है। जारी वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस योजना पर रु. 25.00 लाख का व्यय सम्मिलित है।

समीक्षकों को पारिश्रमिक

इस मद में आर्थिक सहायता हेतु प्राप्त होने वाली पाण्डुलिपियों पर समीक्षकों से समीक्षा कराये जाने के उपरांत उनको पाण्डुलिपि के परीक्षण हेतु मानदेय का भुगतान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्राप्त हुई पाण्डुलिपियों पर समीक्षकों को मानदेय के रूप में रु. 1.83 लाख का भुगतान किया जा चुका है।

उर्दू में डि.लिट्. तथा पीएच.डी. शोधकर्ताओं को आर्थिक सहायता

इस योजना के अन्तर्गत उर्दू में पीएच.डी. तथा डी.लिट्. करने वाले शोधकर्ताओं को उनकी थीसिस की स्वच्छ प्रतियां तैयार करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना से पूरे भारतवर्ष के शोधकर्ता लाभान्वित होते हैं। प्रत्येक शोधकर्ता को अधिकतम रु. 15 हजार की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वह अपनी थीसिस की स्वच्छ प्रतियां तैयार करके विश्वविद्यालय में प्रस्तुत कर सकें। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 10 पीएच.डी. शोधकर्ताओं को लगभग 1.50 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है। जारी वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस योजना पर रु. 3.75 लाख का व्यय सम्मिलित है।

प्रतिभावान छात्रों को गोल्ड मेडल प्रदान करना

भारतवर्ष के विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रतिभावान उर्दू स्कालरों को प्रोत्साहन अथवा पुरस्कार स्वरूप गोल्ड मेडल प्रदान किया जाता है। विभिन्न विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रतिभावान उर्दू स्कालरों को प्रत्येक वर्ष प्रदान की जाने वाली राशि के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में बी.ए./एम.ए. के 20 छात्र/छात्राओं को 3.00 लाख की सहायता प्रदान की जानी है।

महत्त्वपूर्ण एवं राष्ट्रीय विषयों पर राष्ट्रीय एकीकरण के उद्देश्य से फखरूद्दीन अली अहमद यादगारी भाषणों का आयोजन

कमेटी का एक मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है, जिसके लिए राष्ट्रीय एकता की भावनाओं को जागृत करने तथा आपसी सद्भाव एवं सौहाद्रपूर्ण वातावरण बनाये रखने के लिए कमेटी की ओर से समय-समय पर राष्ट्रीय एकता के विषयों पर विशिष्ट विद्वानों से स्व. फखरूद्दीन अली अहमद यादगारी भाषणों का आयोजन कराया जाता रहा है।

राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान, उत्तर प्रदेश

राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान का गठन वर्ष 1999 में राज्यकर्मियों में साहित्यिक अभिरुचि उत्पन्न करने, उन्हें प्रोत्साहित करने तथा सम्मानित/पुरस्कृत करने के लिए किया गया था। संस्थान द्वारा प्रत्येक वर्ष हिन्दी एवं उर्दू कार्यरत/सेवानिवृत्त 24 साहित्यकारों को एक-एक लाख रुपये की धनराशि से पुरस्कृत किया जाता है तथा समाज के विभिन्न साहित्यकारों को सम्मानित भी किया जाता है। संस्थान द्वारा वर्ष 2000 से लगातार साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिका 'अपरिहार्य' का प्रकाशन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त संस्थान द्वारा विधान भवन में एक पुस्तकालय एवं वाचनालय का संचालन किया जाता है।

संस्थान द्वारा प्रत्येक वर्ष एक साहित्यकार पर वृत्तचित्र का निर्माण किया जाता है एवं राज्यकर्मियों के बीच साहित्यिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। संस्थान द्वारा प्रति माह एवं विभिन्न अवसरों पर साहित्यिक गोष्ठियां एवं विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

सूचना एवं प्रचार

उत्तर प्रदेश सरकार का सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग प्रदेश सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, विकास योजनाओं तथा उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने और जनता की प्रतिक्रियाओं को सरकार तक पहुँचाने में एक सुदृढ़ सेतु की भूमिका निभा रहा है। सूचना विभाग यह कार्य मीडिया की विभिन्न विधाओं जैसे- प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रदर्शनी, होर्डिंग, एल.ई.डी. तथा गीत एवं नाट्य आदि के जरिए जनता तक पहुंच कर सरकार और जनता के बीच एक प्रभावी समन्वयक की भूमिका निभाता है।

शासनादेश दिनांक 30 नवम्बर, 1946 के द्वारा सूचना निदेशालय की स्थापना की गयी। इस विभाग की स्थापना का आशय यह था कि शासन 'प्रेस' के सम्पर्क में रहे और देखे कि प्रेस में भेजे जाने वाले शासकीय समाचार वास्तविक तथ्यों पर आधारित हों। वर्तमान में विभाग का प्रमुख उद्देश्य शासन की जनोपयोगी नीतियों, कार्यकलापों को विभिन्न प्रचार-माध्यमों से आम जनता तक पहुंचाना तथा आम जनता की प्रतिक्रियाओं से शासन को अवगत कराना है। इस प्रकार यह विभाग शासन व जनता के मध्य सम्पर्क-सूत्र के रूप में कार्य करता है।

सूचना क्रांति के इस युग में, जबकि संचार माध्यम बहुत सशक्त एवं आधुनिक तकनीक पर आधारित हो गये हैं और सूचना प्रेषण की गति अत्यधिक तेज हो गयी है, सूचना विभाग का कार्य-दायित्व और महत्त्व बहुत अधिक बढ़ गया है।

विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं, रेडियो, दूरदर्शन, फिल्म, डाक्यूमेंट्री, होर्डिंग, एल.ई.डी., प्रदर्शनी, गीत एवं नाट्य तथा प्रेसनोट के माध्यम से यह विभाग शासन की जनहितकारी नीतियों एवं निर्णयों को विभिन्न स्वरूपों में जन-जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। यह विभाग विभिन्न प्रचारपरक प्रकाशनों द्वारा शासन की नीतियों, संकल्पों, प्रतिबद्धताओं तथा उपलब्धियों की विस्तृत एवं प्रामाणिक जानकारी आम जन तक पहुंचाता है, साथ ही ऐसे विचारपरक प्रकाशन भी करता है, जो जनचेतना को विकसित कर सकें।

देश में और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, लघु एवं मध्यम समाचार-पत्रों की जहां एक ओर संख्या बहुत अधिक है, वहीं दूसरी ओर इनकी अपनी अनेक समस्याएं भी हैं। सूचना विभाग का अधिकतम प्रयास यह रहता है कि सभी समाचार-पत्रों एवं पत्रकारों के लिए यथा-संभव सुविधायें उपलब्ध हो सकें, ताकि उनकी कार्य-प्रणाली में अधिक गतिशीलता आये और वे अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से समाज को एक सकारात्मक दिशा दे सकें।

वर्तमान में सूचना-संकलन एवं इसको अद्यतन रखने के साथ-साथ संदर्भ के रूप में इसके सार्थक उपयोग हेतु इसे जहां संरक्षित किया जाना आवश्यक है, वही सूचनाओं को प्राप्त करने एवं उनके तत्काल प्रेषण की व्यवस्था का भी महत्त्व है। समय से सूचना न मिलने के कारण उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं

हो पाती है। इस उद्देश्य से ही विभाग को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। इस दिशा में अभी तक लखनऊ स्थित मुख्यालय, मुख्यमंत्री सूचना परिसर, सूचना ब्यूरो एवं राज्य सूचना केन्द्र, नई दिल्ली तथा जनपद कार्यालयों में कम्प्यूटर स्थापित कराये जा चुके हैं और देश के सभी भागों में ई-मेल द्वारा समाचार व चित्र त्वरित गति से प्रेषित किये जाते हैं।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की संरचना कुछ इस प्रकार से की गयी है कि शासन की नीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों की जानकारी आम जनता तक सीधे पहुंच सके, ताकि वह जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त कर सकें।

लखनऊ स्थित मुख्यालय द्वारा विभिन्न जनसंचार माध्यमों से समाज के आखिरी व्यक्ति तक सूचनाएं पहुंच सकें, इस निमित्त पत्र सूचना शाखा तथा मुख्यमंत्री सूचना परिसर से प्रेस विज्ञप्तियों के अतिरिक्त लेख, फीचर आदि जारी किये जाते हैं। पारम्परिक जन संचार माध्यम, गीत एवं नाट्य, प्रदर्शनी आदि के माध्यम से दूरस्थ ग्रामीण जनता तक क्षेत्रीय लोक शैलियों के जरिए मनोरंजन करते हुए नाटकों, रूपकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा प्रचार-प्रसार कर कल्याणकारी नीतियों के जनहितकारी संदेश आम जन तक पहुंचाये जाते हैं। फिल्म के माध्यम से भी आम जन को शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया जाता है। होर्डिंग एवं एल.ई.डी. के माध्यम से भी प्रमुख योजनाओं और अद्यतन उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाता है। फोटो-फिल्म प्रभाग द्वारा नियमित रूप से प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों से सम्बन्धित फोटो समाचार पत्रों, दूरदर्शन एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को प्रकाशनार्थ एवं प्रसारणार्थ भेजा जाता है।

प्रकाशन प्रभाग द्वारा तीन नियमित महत्त्वपूर्ण मासिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं, जिनमें विकास परक ''**उत्तर प्रदेश संदेश**'' साहित्य, संस्कृति और विचार की साहित्यिक पत्रिका ''**उत्तर प्रदेश**'' विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उर्दू अदब की ''**नया दौर**'' अत्यधिक लोकप्रिय पत्रिका है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों की उपलब्धियों की संदर्भ पुस्तक ''**उत्तर प्रदेश वार्षिकी**'' तथा शासन के कार्यालयों/दूरभाष की जानकारी से युक्त ''**सूचना डायरी/सूचना निदर्शनी**'' का भी नियमित प्रकाशन किया जाता है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर सरकार के अन्य कार्यक्रमों, उपलब्धियों पर पुस्तकें, प्रसार सामग्री प्रकाशित की जाती है।

प्रेस प्रभाग द्वारा पत्रकारों के कल्याणार्थ अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। समाचारों के संकलन की सुविधा हेतु प्रेस मान्यता प्रदान कर प्रेस कार्ड निर्गत किये जाने की व्यवस्था है। सचिवालय एनेक्सी तथा लोक भवन में मीडिया सेन्टर संचालित है, जो विविध रूपों से पत्रकारगणों को सुविधा प्रदान करता है।

समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों को सचिवालय प्रवेश पत्र उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था प्रेस प्रभाग द्वारा की जाती है। मान्यता प्राप्त पत्र प्रतिनिधियों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा बसों में रियायती यात्रा सुविधा तथा सरकारी कर्मचारियों की तरह उन्हें तथा उनके परिवार को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है।

विज्ञापन प्रभाग द्वारा प्रचार-प्रसार हेतु समाचार पत्रों को समय-समय पर सजावटी एवं वर्गीकृत विज्ञापन निर्गत किये जाते हैं। निरीक्षा शाखा द्वारा समाचार पत्रों की विषयवार कतरनों को प्रतिदिन मा0 मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगणों तथा सम्बन्धित विभाग के सचिवों को भिजवाये जाने की व्यवस्था

है, ताकि मीडिया द्वारा प्रकाश में लाए गये विषयों पर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। साथ ही समाचार पत्रों की प्रतिदिन निरीक्षा भी की जाती है।

राज्य सूचना केन्द्र, हजरतगंज तथा संदर्भ शाखा द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों की सुविधा के लिए संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। ''फिल्म नीति'' के अन्तर्गत गठित ''फिल्म बन्धु'' के माध्यम से प्रदेश में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने और स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करने हेतु व्यवस्था की गयी है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के लखनऊ स्थित मुख्यालय के अतिरिक्त क्षेत्र प्रचार संगठन के अन्तर्गत प्रदेश के 75 जनपदों में से समस्त जनपदों में जिला सूचना कार्यालय संचालित हैं, जो स्थानीय स्तर पर शासन की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार, मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार करते हैं। जनपद स्तर पर प्रदर्शनी, गीत एवं नाट्य के कार्यक्रमों, प्रेस विज्ञप्तियों तथा लेख/फीचर आदि द्वारा प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाता है। जिला स्तरीय ये इकाइयां जिलाधिकारी के निर्देशन में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप मीडिया प्लान बनाकर शासन की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और उपलब्धियों का समुचित प्रचार-प्रसार करती हैं। लाल बहादुर शास्त्री भवन, एनेक्सी तथा लोक भवन में प्रचार-प्रसार के आधुनिक संसाधनों से लैस मीडिया सेण्टर है जिसमें प्रेस कान्फ्रेन्स आयोजित करने के लिए सभागार, पुस्तकालय तथा पत्रकारों के लिए समाचार भेजने हेतु एक अत्याधुनिक कम्प्यूटर रूम जो इण्टरनेट आदि की सुविधा से युक्त है, स्थापित है। यह मीडिया सेण्टर अपने आपमें एक अनूठा एवं मीडियाकर्मियों के लिए सुविधाजनक मीडिया स्थल है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रानिक चैनल्स पर उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित प्रसारित होने वाले समाचारों की रिकार्डिंग आदि का कार्य इलेक्ट्रानिक मीडिया सेल द्वारा किया जाता है जिसे और अधिक सुदृढ़ करने की कार्यवाही की जा रही है।

विभागीय कार्य-कलापों का विवरण

पत्र सूचना शाखा

शासन की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं, उपलब्धियों तथा घोषणाओं की जानकारी विभिन्न प्रचार माध्यमों, समाचार-पत्र, इलेक्ट्रानिक मीडिया, दूरदर्शन, आकाशवाणी आदि द्वारा जनता तक पहुँचाने का कार्य पत्र सूचना शाखा का है। इस शाखा द्वारा प्रेस-नोट, लेख/फीचर तथा समीक्षात्मक आलेख समय-समय पर जारी किये जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस तथा अन्य विशेष अवसरों पर इस शाखा द्वारा विशेष लेख, राउण्ड-अप आदि हिन्दी, अंग्रेजी तथा उर्दू में एक साथ जारी किये जाते हैं। अप्रैल से नवम्बर 2019 तक कुल 4569 विज्ञप्तियाँ जारी की गयी हैं। इनमें हिन्दी में 2956,अंग्रेजी में 579 तथा उर्दू में 1034 विज्ञप्तियाँ जारी की गयीं। प्रेसनोट, विशेष लेख आदि हिन्दी राष्ट्रीय समाचार-पत्रों, आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा समाचार चैनलों को प्रकाशनार्थ/प्रसारणार्थ भेजे गये। प्रदेश में उर्दू भाषी जनता को यह जानकारी समुचित रूप से उपलब्ध कराने का दायित्व विभाग की उर्दू शाखा निर्वहन करती है। इस शाखा में स्थापित उर्दू यूनिट द्वारा प्रचार सामग्री का उर्दू अनुवाद किया जाता है। इस कार्य में समय-समय पर जारी होने वाले विज्ञापनों, प्रचारपरक सामग्री आदि का अनुवाद, शासन की विज्ञप्तियों व संदर्भ चित्रों को वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ ही समाचार पत्रों को प्रेस नोट ई-मेल के माध्यम से भेजने का कार्य भी इसी शाखा द्वारा किया जाता है। यह प्रभाग समस्त शासकीय प्रचार-प्रसार सामग्री को तैयार करने में भी अपनी भूमिका का निर्वाह करता है।

मुख्यमंत्री सूचना परिसर

मुख्यमंत्री सूचना परिसर द्वारा मा. मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से सम्बन्धित प्रेस-विज्ञप्तियाँ इलेक्ट्रानिक तथा प्रिन्ट मीडिया को विभिन्न संचार माध्यमों से उपलब्ध करायी जाती हैं। इसके अतिरिक्त मा. मुख्यमंत्री के उपयोगार्थ भाषण तथा उनकी ओर से भेजे जाने वाले संदेश भी तैयार किए जाते हैं। मा0 मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों की प्रेस विज्ञप्तियों व फोटो को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड भी कराया जाता है। मुख्यमंत्री सूचना परिसर द्वारा मा. मंत्रिपरिषद के निर्णयों के प्रचार-प्रसार का दायित्व निर्वहन भी किया जाता है।

प्रेस प्रभाग

शासन एवं पत्रकारों के मध्य समन्वय स्थापित करने एवं श्रमजीवी पत्रकारों को समाचार संकलन की सुविधा उपलब्ध कराकर शासन की नीतियों का प्रभावी प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने में सहायता देने के उद्देश्य से प्रेस प्रभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य किये जाते हैं-

मीडिया प्रतिनिधियों को प्रेस मान्यता मार्गदर्शिका 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत शासन द्वारा राज्य मुख्यालय और जनपद स्तरीय मान्यता प्रदान करके पत्रकारों को राज्य मुख्यालय तथा प्रदेश के सभी जनपदों में प्रेस मान्यता कार्ड जारी किये जाते हैं। इन कार्डों से पत्रकारों को समाचार संकलन के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर आने-जाने की सुविधा राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा तथा रियायती दरों पर रेल यात्रा की सुविधा प्राप्त होती है। मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सरकारी कर्मचारियों की भांति राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सा सुविधा भी प्राप्त होती है। राज्य मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को एस.जी.पी.जी.आई. में भी निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है।

सभी जिलों में पत्रकारों तथा जिला प्रशासन के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय स्थायी समिति का गठन किया जाता है, जिसके सदस्य सचिव/संयोजक जिला सूचना अधिकारी होते हैं। यह समिति समय-समय पर बैठकें आयोजित करके पत्रकारों के उत्पीड़न से सम्बन्धित शिकायतों पर विचार करती है और यदि कोई शिकायत उच्च स्तरीय जांच के लिए भेजी जाती है तो प्रेस प्रभाग द्वारा उसमें कार्यवाही की जाती है, पत्रकारों द्वारा सीधे भी यदि कोई शिकायत प्रेस प्रभाग में प्राप्त होती है, तो उसका निस्तारण किया जाता है।

महामहिम श्री राज्यपाल, मा. मुख्यमंत्री, मंत्रीगण तथा अन्य विशिष्ट व्यक्तियों और अतिविशिष्ट व्यक्तियों द्वारा आहूत पत्रकार सम्मेलन/पत्रकार भ्रमण आदि के लिए आतिथ्य सत्कार की व्यवस्था भी प्रेस प्रभाग द्वारा की जाती है।

मा. मुख्यमंत्री जी द्वारा पत्रकारों के सम्बन्ध में की गयी घोषणाओं के सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही प्रेस प्रभाग द्वारा की जाती है। प्रेस से सम्बन्धित अन्य आकस्मिक कार्य भी प्रभाग द्वारा संपादित कराया जाता है।

विज्ञापन प्रभाग

शासन की नीतियों, उपलब्धियों, योजनाओं एवं विकास कार्यक्रमों के व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता एवं कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए समाचार पत्रों को समय-समय पर सजावटी/वर्गीकृत विज्ञापन प्रकाशित कराये जाते हैं।

1 अप्रैल, 2018 से 31 जनवरी, 2019 तक लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, चिकित्सा, विशेष भूमि अध्याप्ति, शिक्षा, ऊर्जा, दुग्ध विकास, अवस्थापना विकास एवं अन्य विभागों के कुल 11,005 वर्गीकृत एवं 218 शीर्षकीय विज्ञापन जारी किये गये हैं।

क्षेत्र प्रचार प्रभाग

शासन के विकासपरक कार्यक्रम एवं उपलब्धियों को जन-जन तक पहुँचाने तथा मीडिया एवं जिला प्रशासन विभिन्न इकाइयों के माध्यम से जिला स्तर पर जनता से सीधा सम्पर्क बनाये रखने के उद्देश्य से प्रदेश के समस्त 18 मण्डलों एवं 75 जनपदों में क्रमशः मण्डलीय तथा जिला सूचना कार्यालय स्थापित हैं। जिला सूचना कार्यालय जनपदों में हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों, शासन की योजनाओं तथा उपलब्धियों के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया को अपने स्तर से प्रेस नोट जारी करते हैं।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के लखनऊ स्थित मुख्यालय के अतिरिक्त क्षेत्र प्रचार संगठन जनपद स्तर पर शासन की नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार, मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुसार करते हैं। जनपद स्तर पर प्रदर्शनियों, गीत एवं नाट्य के कार्यक्रम, प्रचार गोष्ठियों, होर्डिंग्स/एल0ई0डी0 प्रेस विज्ञप्तियों तथा लेख/फीचर, सफलता की कहानी आदि द्वारा प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाता है। मण्डल एवं जिला स्तरीय उक्त इकाइयां जिलाधिकारी के निर्देशन में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप मीडिया प्लान बनाकर शासन की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और उपलब्धियों का समुचित प्रचार-प्रसार करती हैं।

जनपदीय इकाइयों को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जनपदों में सी.यू.जी., कम्प्यूटर/प्रिंटर तथा फोटो कॉपियर, फैक्स, कैमरा/वीडियो कैमरा, इनवर्टर एवं प्रचार वाहन आदि उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं। सभी कार्यालय इंटरनेट के माध्यम से मुख्यालय से जोड़े गये हैं। परिणाम स्वरूप जिलों से संबंधित महत्त्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित दैनिक एस0एम0एस0 व पाक्षिक फीकबैक रिपोर्ट नियमित रूप से प्राप्त होती है।

क्षेत्रीय प्रचार संगठन के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में जिला सूचना कार्यालयों को अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में एक ही परिसर में 3 मंजिल के भवन में जिला सूचना कार्यालय, जन सामान्य एवं मीडिया के लोगों के लिए एक सूचना केन्द्र, प्रेस क्लब शासन-प्रशासन के विभिन्न पदाधिकारियों एवं गणमान्य व संगोष्ठियों का भी आयोजन किया जाता है।

सूचना ब्यूरो

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सूचना ब्यूरो द्वारा प्रचार-प्रसार के माध्यम से जनता को प्रदेश सरकार की नीतियों, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों, विकास योजनाओं उपलब्धियों की समुचित जानकारी करायी जाती है:-

- हिन्दी, अंग्रेजी के प्रेस नोट।
- प्रदेश सरकार के बजट हाईलाइट्स तैयार करना।
- विज्ञापन एडवर्टोरियल आदि के लिए आधार सामग्री उपलब्ध कराना एवं तैयार किये गये विज्ञापन एडवर्टोरियल आदि का कंटेट तैयार करना।

- प्रदेश के विकास एवं जनता के कल्याण से सम्बन्धित फीचर एवं लेख तैयार कराकर प्रकाशित करना।
- इलेक्ट्रानिक संचार माध्यमों द्वारा प्रचार-प्रसार किये जाने हेतु प्रचार सामग्री उपलब्ध कराना।
- स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस एवं गाँधी जयंती जैसे राष्ट्रीय पर्वों को मनाये जाने संबंधित शासनादेश का आलेख तैयार करना।
- विभागीय पुस्तिकाओं, पम्फलेट आदि को तैयार करने हेतु आधार सामग्री उपलब्ध कराना।

ग्रामीण प्रसारण शाखा-आकाशवाणी, लखनऊ

विधान सभा मार्ग आकाशवाणी परिसर स्थित ग्रामीण प्रसारण शाखा (सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उ.प्र.) का मुख्य उद्देश्य प्रदेश एवं केन्द्र सरकार में चल रही विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को रेडियो प्रसारण के माध्यम से जन सामान्य तक पहुँचाना ताकि आम आदमी राज्य एवं केन्द्र सरकार की नीतियों से भली-भाँति परिचित हो तथा उनका लाभ लेकर अपने जीवन स्तर को सुधार सकें।

इसी कड़ी में अनुभाग द्वारा आकाशवाणी से दो कार्यक्रम क्रमशः श्रमिक जगत (औद्योगिक कार्यक्रम) सायं 5.35-6.00 बजे तथा लोकायन (ग्रामीण कार्यक्रम) सायं 6.20-6.50 तक प्रसारित किया जाता है। उपरोक्त कार्यक्रमों के माध्यम से ही प्रदेश में चल रहे कल्याणकारी कार्यक्रम तथा योजनाओं को प्रसारित कर जनसामान्य का अंग बनाया गया ताकि वे उनका लाभ लेकर अपने जीवन स्तर को सुधार सकें। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से भेंटवार्ताएं कर 'सफलता की कहानी' भी प्रसारित की गयी ताकि ग्रामीण और शहरी भाई-बहन अपने बीच के व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गयी योजनाओं के लाभ से प्रेरित होकर स्वयं भी उनका लाभ लेने के लिये आगे आयें और अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकें।

उपरोक्त कार्यक्रमों के माध्यम से महिला शिक्षा और सुरक्षा, बालश्रम उन्मूलन, उपभोक्ता संरक्षण, मातृत्व हितलाभ अधिनियम, भूजल-वर्षा जल संरक्षण, दिव्यांगजनों की तरक्की हेतु हर संभव मदद, पर्यावरण सुरक्षा, पर्यटन, उ0प्र0 में कौशल विकास मिशन, कौशल विकास (टेक्सटाइल डिजाइनिंग) कौशल विकास के नये आयाम, प्रदेश में तकनीकी प्रशिक्षण की सुविधाएं, वृद्धजन कल्याण हेतु शासन की योजनाएं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा शहरी आजीविका मिशन, बुनकर कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, शिक्षा का अधिकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, उ0प्र0 की नयी औद्योगिक नीति, निर्यात प्रोत्साहन, लघु उद्योग विकास, खादी ग्रामोद्योग की योजनायें, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, किसान कर्ज माफी योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, भाग्यलक्ष्मी योजना, गोपालक योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री विकास एवं सर्वहित बीमा योजना, हेल्थकार्ड, लाडली योजना, पशुओं का टीकाकरण, उ0प्र0 शौचालय निर्माण योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना, कामधेनु डेरी योजना, उ0प्र0 में एम्बुलेन्स सेवा, निःशुल्क शिक्षा का प्रबन्ध, सौर ऊर्जा, चिकित्सा सुविधा, उ0प्र0 में ई-गवर्नेंस, जन सुविधा केन्द्र, हस्तशिल्प विकास, उ0प्र0 में औद्योगिक विकास का सुनियोजित प्रयास, इसके साथ ही स्टार्टअप इण्डिया, डिजिटल इण्डिया, स्किल इण्डिया, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, जनधन खाता धारकों के लिए बीमा योजना, पोक्सो एक्ट-2019, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवासीय योजना, वरूण मित्र योजना, पीएम यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम, प्रधानमंत्री सम्पन्न योजना पोर्टल, रायतू बंधु योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, मिशन इन्द्रधनुष, सुकन्या समृद्धि योजना। मतदाता जागरूकता,

नशा उन्मूलन, पल्स पोलियो, सड़क सुरक्षा अभियान। अल्पसंख्यक कल्याण, प्रधानमंत्री मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना, आयुष्मान भारत योजना, गंगा हरीतिमा अभियान, मिशन इन्द्रधनुष, जी.एस.टी., दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, सर्वशिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास के कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, सबका साथ सबका विकास प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्वच्छ भारत अभियान, मेक-इन-इण्डिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक भारत-श्रेष्ठ भारत, साइबर अपराध से बचें, भारत नेपाल सम्बन्ध, स्किल इण्डिया, नमामि गंगे, हंड्रेड स्मार्ट सिटीज, अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, सबके लिए आवास, दीनदयाल उपाध्याय श्रमेवजयते, प्रधानमंत्री ग्राम्य सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, गरीब कल्याण योजनायें, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, कुसुम स्कीम, नागरिकता सशोधन अधिनियम 2019, आदि योजनाओं की और कानून की जानकारी वार्ता तथा भेंटवार्ता प्रतिष्ठित व्यक्तियों से बातचीत/सन्देश आदि प्रसारित किये गये तथा आगे भी किये जायेंगे, कार्यक्रम को रोचक बनाने हेतु उसमें संगीतरूपक, नाटक, नौटंकी, लोकगीत, कविता, कहानी, परिचर्चा आदि को भी शामिल किया गया।

राज्य सूचना केन्द्र, लखनऊ

लखनऊ नगर में निदेशालय, सूचना एवं जनसम्पर्क द्वारा स्थापित एक बहुयामी राज्य स्तरीय राज्य सूचना केन्द्र हजरतगंज में स्थापित है। यह लखनऊ में राज्य स्तर का पुस्तकालय है, जहाँ पर दुर्लभ सन्दर्भ ग्रन्थ उपलब्ध हैं जो कि शिक्षारत शोधार्थियों के लिए लाभप्रद है, इसके साथ ही केन्द्र में सभी विषयों पर आधारित लगभग 30,540 पुस्तकों का संकलन है। लगभग 24,000 पुस्तकों की डाटा इन्ट्री कम्प्यूटर में की गयी है। केन्द्र में वर्तमान समय में 43 पत्रिकाएं, जिसमें देशी व विदेशी एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु उपलब्ध है। केन्द्र के वाचनालय में हिन्दी, उर्दू व अंग्रेजी भाषा के 20 समाचार पत्र उपलब्ध हैं। पुस्तकालय एवं वाचनालय में पाठकों, आगंतुकों एवं सदस्यों के बैठने हेतु समुचित व्यवस्था है। केन्द्र के प्रेमचन्द्र कक्ष में प्रतियोगिता से सम्बन्धित पुस्तकों एवं पत्रिकाओं की व्यवस्था के साथ-साथ बंगला साहित्य भी उपलब्ध है। केन्द्र का वाचनालय प्रातः 08:00 बजे से पूर्वाह्न 11:30 बजे तक तथा पुस्तकालय पूर्वाह्न 11:30 बजे से सायं 06:30 बजे तक एवं पुराने समाचार पत्रों को देखने हेतु पूर्वाह्न 11:30 बजे से सायं 06:30 बजे तक खुला रहता है।

अतः राज्य सूचना केन्द्र को अधिक उपयोगी बनाने हेतु शासन/प्रशासन अधिक प्रयासरत है।

प्रकाशन शाखा

प्रकाशन शाखा द्वारा प्रचार-साहित्य के माध्यम से आम जनता को प्रदेश सरकार की नीतियों, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों, विकास योजनाओं तथा उपलब्धियों की समुचित जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस शाखा द्वारा सावधि प्रकाशनों के साथ ही प्रचार-पुस्तिकाएं, फोल्डर काफीटेबल बुक, पुस्तकें तथा एलबम आदि प्रकाशित कराये जाते हैं। इसके साथ ही स्थायी महत्त्व के विचारपरक प्रकाशन एवं मा. मुख्यमंत्री जी के चुने हुए भाषण भी प्रकाशित किये जाते हैं।

नियमित रूप से प्रकाशित होने वाली साहित्यिक पत्रिका **'उत्तर प्रदेश'** (हिन्दी मासिक), **'नया दौर'** (उर्दू मासिक) तथा विकासपरक पत्रिका **'उत्तर प्रदेश संदेश'** (हिन्दी मासिक) तथा विभाग का महत्त्वपूर्ण प्रकाशन **''वार्षिकी उ0प्र0''** का प्रकाशन किया जाता है। 'उत्तर प्रदेश संदेश' के विकास

विशेषांक एवं निर्वाचन विशेषांक प्रकाशित किये गये। विकास एवं विश्वास की नई मिसाल, प्रयागराज कुम्भ नामक फोल्डर, मुख्यमंत्री का जनपदवार भ्रमण, उत्तर प्रदेश बना देश में नम्बर-1, नारी सशक्तिकरण, प्रयागराज कुम्भ-2019 पर आधारित 07 शीट का कैलेण्डर, प्रयागराज कुम्भ-2019, सूचना पंचांग-2019, कुम्भ दर्शन-2019 हिन्दी, कुम्भ डायरेक्टरी-2019 अंग्रेजी, प्रयागराज कुम्भ-2019 पर आधारित ''कुम्भ दिग्दर्शिका-2019'' हिन्दी, प्रयागराज कुम्भ-2019 पर आधारित ''साफ नीयत, सही विकास'' नामक 01 शीट का कैलेण्डर, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित कुम्भ काफी टेबल बुक (हिन्दी एवं अंग्रेजी), उत्तर प्रदेश संदेश, उत्तर प्रदेश मासिक, उत्तर प्रदेश नया दौर, डायरी-2019 वी.आई.पी., डायरी-2019 सामान्य, काफीटेबल बुक, उ0प्र0 सुशासन एवं विकास की नई मिसाल, परिवर्तन के 22 माह एवं फुटकर प्रकाशन भी किया गया है।

मुख्यमंत्री रिकॉर्डिंग यूनिट

माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषणों के ध्वन्यांकन हेतु गठित यह इकाई भाषणों की रिकार्डिंग के पश्चात् रिकार्डेड भाषणों को लिप्यांतरित करती है, और उन्हें सम्पादित करती है। मीडिया के विभिन्न लोगों द्वारा लिये जाने वाले मा. मुख्यमंत्री जी के साक्षात्कारों तथा उच्चादेशों से अन्य महत्त्वपूर्ण बैठकों, गोष्ठियों की सम्पूर्ण रिकार्डिंग कराकर उन्हें लिप्यांतरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य महत्त्वपूर्ण अवसरों पर प्रचार-प्रसार की दृष्टि से विशिष्ट व्यक्तियों से लिये गये साक्षात्कार तथा विभिन्न इलेक्ट्रानिक चैनलों पर प्रसारित होने वाले साक्षात्कार एवं रिपोर्ट आदि भी लिप्यांतरित कर संदर्भ के तौर पर सुरक्षित रखे जाते हैं।

मा. मुख्यमंत्री जी के सभी भाषणों को रिकार्डिंग के पश्चात लिप्यांतरित करके सम्पादन के बाद संदर्भ सामग्री के रूप में सुरक्षित रखा जाता है, साथ ही महत्त्वपूर्ण एवं नीतिगत भाषणों को छांटकर उनका प्रकाशन भी करवाया जाता है। पत्रकारों, संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों एवं विधि संस्थाओं द्वारा मांग किए जाने पर भाषणों की प्रति एवं उनसे संबंधित कैसेट एवं ऑडियो सी.डी. उपलब्ध करवाई जाती है। इसके अतिरिक्त मा. मुख्यमंत्री जी के भाषणों से मुख्य एवं महत्त्वपूर्ण अंश संकलित कर उनका प्रयोग ''उत्तर प्रदेश सन्देश'' एवं विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रचार माध्यमों के द्वारा किया जाता है।

वर्ष 2018-19 में 15 फरवरी, 2019 तक मा. मुख्यमंत्री जी के लगभग 189 भाषण रिकॉर्ड हुए, जिनको लिप्यांतरित व सम्पादित किया गया।

गीत एवं नाट्य योजना

इस योजना के अन्तर्गत सांस्कृतिक कार्यक्रमों यथा- बिरहा, आल्हा, भजन, कव्वाली, कठपुतली-नृत्य, क्षेत्रीय लोकगीत, जादू, नाटक, नौटंकी आदि विधाओं द्वारा शासन की नीतियों, निर्णयों एवं उपलब्धियों का विभिन्न स्थानीय बोली तथा भाषा में सुदूर ग्रामीण अंचलों में प्रचार-प्रसार किया जाता है। गीत एवं नाट्य योजना को विस्तृत रूप देने के उद्देश्य से सूचना निदेशालय स्तर पर पंजीकृत 721 सांस्कृतिक दलों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों तथा सुदूर ग्रामीण अंचलों तक प्रदेश की समस्त योजनाओं एवं उपलब्धियों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है। 1 जनवरी, 2019 से 31 दिसंबर, 2019 तक प्रदेश में कुल 12,942 सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस माध्यम से शासन की विभिन्न जनहितकारी नीतियों, निर्णयों एवं उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किया गया। इस योजना द्वारा प्रचार अभियान के माध्यम से स्वच्छता एवं पेयजल, सामाजिक कल्याण, शौचालय निर्माण, प्रधानमंत्री बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि तमाम जनहितकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार

कराया गया है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उ0प्र0, लखनऊ द्वारा इस विभाग में पंजीकृत दलों से 448 कार्यक्रम 56 जिलों में कराये गये।

अर्ध कुम्भ-2019 हेतु विभाग में पंजीकृत समस्त 721 सांस्कृतिक दलों को सरकार की जनहितकारी नीतियों/निर्णयों/उपलब्धियों आदि के वृहद प्रसार-प्रचार हेतु प्रत्येक दल को दस-दस कार्यक्रम कुल-7210 कार्यक्रम आवंटित कर प्रचार-प्रसार का कार्य किया जा रहा है।

प्रदर्शनी

सूचना विभाग द्वारा समय-समय पर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शासन की नीतियों, उपलब्धियों आदि की जानकारी देने के लिए प्रदर्शनियों का आयोजन करता है। प्रदेश की आम जनता को उनकी सांस्कृतिक तथा विकास सम्बन्धी गतिविधियों की जानकारी एवं आपसी सद्भाव का संदेश प्रसारित करने के उद्देश्य से प्रदर्शनियों का आयोजन काफी उपयोगी सिद्ध हुआ है। शासन की प्रमुख नीतियों, उपलब्धियों, निर्णयों और भावी योजनाओं को आकर्षक चित्रों, कोलाज, पैनल, वर्किंग मॉडल एवं ट्रांसलाइट के माध्यम से प्रदर्शनी किट के रूप में तैयार कराकर उसे जिलों में भी उपलब्ध कराया जाता है, ताकि मेलों तथा अन्य आयोजनों के अवसर पर प्रदर्शनी द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शासन का संदेश पहुंचाया जा सके।

मुख्यालय द्वारा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा राष्ट्रीय नेताओं एवं महान विभूतियों के कार्यों, चिंतन एवं जनहित में उनके क्रियाकलापों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदर्शनी प्रभाग द्वारा उन पर नियमित प्रदर्शनी सामग्री के माध्यम से प्रदेश में प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है।

राम नवमी मेला, अयोध्या श्रावण मेला अयोध्या, देवां मेला बाराबंकी, छोटी दीपावली पर्व अयोध्या, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली, अन्तर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र, बिठूर महोत्सव कानपुर, माघ मेला 2020 प्रयागराज, गोरखपुर महोत्सव 2020, यू0पी0 दिवस, लखनऊ महोत्सव एवं अन्य महत्त्वपूर्ण अवसरों पर विभिन्न जनपदों में प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया है और किया जायेगा। संविधान दिवस पर भी विधानसभा, लखनऊ मण्डल, वाराणसी मण्डल एवं गोरखपुर मण्डल में भी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है।

होर्डिंग्स/एल.ई.डी.

शासन की नीतियों एवं उपलब्धियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार विभिन्न माध्यमों से किया जाता है, जिसमें होर्डिंग्स एक सशक्त माध्यम है। इस माध्यम से शासन की जनकल्याणकारी नीतियों, निर्णयों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों को जनसाधारण तक व्यापक स्तर पर पहुँचाया जाता है।

इसके अतिरिक्त शासन की नीतियों, उपलब्धियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु लखनऊ तथा प्रदेश के कई जनपदों में एल.ई.डी. डिस्पले बोर्ड की स्थापना कराई गई तथा शासन की नीतियों, कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों को आमजन तक पहुंचाने के उद्देश्य से एल.ई.डी. वैन के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराया गया। इसके अतिरिक्त मा0 मुख्यमंत्री जी के महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण भी एल0ई0डी0 डिस्पले बोर्ड एवं एल0ई0डी0 वैन के माध्यम से कराया गया।

राष्ट्रीय समारोह

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश की ओर से दिल्ली परेड में एवं मुख्यालय द्वारा लखनऊ परेड में भव्य झांकी प्रदर्शित करायी जाती है। ये झांकियां

उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक धरोहर तथा महापुरुषों की जीवनी, उद्योग-धन्धे, महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान अथवा विकास कार्यों पर आधारित होती हैं। प्रस्तुत झांकियों पर विभाग को पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं।

इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर आयोजित होने वाली परेड दिल्ली में ''गांधी जयन्ती के 150 वर्ष'' के शीर्षक से सम्बन्धित झांकी प्रदर्शित की गयी। इसी प्रकार लखनऊ आयोजित परेड में ''आस्था का महासंगम, कुम्भ'' शीर्षक पर आधारित एक भव्य एवं आकर्षक झांकी निकाली गयी जो पौराणिक पृष्ठभूमि पर आधारित थी, जिसे काफी सराहा भी गया।

अंजुमन सैर-ए-गुल फरोशां नामक संस्था द्वारा महरौली, दिल्ली में आयोजित ''फूल वालों की सैर'' में प्रतिवर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश के अनेक प्रान्त भाग लेते हैं। उत्तर प्रदेश की ओर से सूचना विभाग द्वारा उक्त कार्यक्रम में हिन्दू-मुस्लिम दोनों समुदायों द्वारा एकता के प्रतीक स्वरूप एक पंखा सूफी संत हजरत ख्वाजा बख्तयार काकी के मज़ार पर तथा दूसरा पंखा पांडव कालीन योगमाया के मंदिर में चढ़ाया जाता है। कार्यक्रम में विभाग को अनेक बार प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुये हैं। सूचना विभाग द्वारा प्रत्येक राष्ट्रीय पर्व मनाये जाते हैं जैसे- स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, शहीद दिवस एवं गाँधी जयन्ती आदि।

अन्वेषण एवं अनुलेखन कक्ष

(सन्दर्भ पुस्तकालय)

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग में आधुनिक सन्दर्भ पुस्तकालय है, जिसमें लगभग 28000 सन्दर्भीय महत्त्व की पुस्तकें हैं। विभाग में इस पुस्तकालय की स्थापना महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगणों, पत्रकारों, लेखकों, शोधकर्ताओं, शासन के उच्च अधिकारियों तथा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को लेखन कार्य हेतु सन्दर्भ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गयी थी।

सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में तेजी से हो रहे बदलाव के कारण बढ़ते हुए सन्दर्भीय महत्त्व को दृष्टिगत रखते हुये सन्दर्भ पुस्तकालय का सुदृढ़ीकरण किया गया है। पुस्तकालय का कम्प्यूटरीकरण किये जाने के प्रस्ताव के साथ सन्दर्भीय महत्त्व के नये प्रकाशनों का क्रय-कार्य भी प्रतिवर्ष की भांति किया जा रहा है।

पुस्तकालय प्रतिदिन विभिन्न स्तर के औसतन दस व्यक्तियों, जिनमें अधिकतर विश्वविद्यालय के शोधार्थी, पत्रकार, लेखक, विभागीय अधिकारी/कर्मचारी, शासन के उच्च अधिकारी आदि को सन्दर्भ एवं शोध सामग्री उपलब्ध कराता है। सन्दर्भ पुस्तकालय के प्रथम तल पर पाठकों के अध्ययन हेतु समुचित व्यवस्था की गई है।

पुस्तकालय में प्रदेश एवं देश तथा अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ पुस्तकें हैं। इयर बुक्स, रिपोर्ट्स, आर्थिक एवं विकास संबंधी विषयों पर पर्याप्त पुस्तकें हैं। साहित्य, संस्कृति एवं कला क्षेत्रों से संबंधित महत्त्वपूर्ण पुस्तकें भी पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। गजेटियर, मास मीडिया, कम्प्यूटर, पत्रकारिता, इतिहास, बायोग्राफीज आदि विषयों पर पुस्तकों का बेहतर संग्रह है, जिसका लाभ शोधार्थी पुस्तकालय स्टाफ के माध्यम से प्राप्त करते हैं। पुस्तकालय के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण हो जाने के परिणामस्वरूप इसकी उपयोगिता और अधिक बढ़ गई है। यह पुस्तकालय समय-समय पर शासन के उच्चाधिकारियों को आवश्यकतानुसार सन्दर्भ सामग्री उपलब्ध कराता है।

इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष की भांति उत्तर प्रदेश सरकार का महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ वार्षिकी

'उत्तर प्रदेश-2018' (हिन्दी एवं अंग्रेजी) का प्रकाशन किया गया तथा बजट 2019-20 पास होने के उपरान्त वार्षिकी **'उत्तर प्रदेश-2019'** के प्रकाशन का कार्य प्रारम्भ किया गया।

निरीक्षा शाखा के कार्य

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग का **निरीक्षा प्रभाग** सूचना सम्बन्धी कार्यों का महत्त्वपूर्ण प्रभाग है। विभाग की यह शाखा शासन को प्रिण्ट मीडिया का 'फीडबैक' उपलब्ध कराती है। इस प्रभाग का कार्य सामान्यतः प्रातः 5.00 बजे से सायं देर तक दो पालियों में होता है।

प्रभाग द्वारा लखनऊ, दिल्ली तथा प्रदेश के प्रमुख स्थानों से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी हिन्दी, अंग्रेजी तथा उर्दू के प्रमुख समाचार पत्र/पत्रिकाओं एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्र/पत्रिकाओं की निरीक्षा (Scrutiny) की जाती है एवं प्रकाशित जन समस्याओं तथा शासन से संबंधित समाचारों, सुझावों को तत्काल शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

निरीक्षा शाखा द्वारा प्रदेश में प्रकाशित समस्त समाचार पत्र/पत्रिकाओं की नियमितता आदि का कार्य प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट-1876 के प्रावधानों के तहत किया जाता है।

निरीक्षा प्रभाग द्वारा प्रतिदिन प्रातः स्थानीय एवं सायं दिल्ली से प्रकाशित समाचारों की क्लिपिंग्स की फाइल बनाकर महामहिम श्री राज्यपाल, मा. उप मुख्यमंत्री जी, सूचना मंत्री जी, समस्त मा. मंत्रीगण, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव सूचना, सूचना निदेशक/सचिव, प्रमुख सचिव, गृह आदि को भेजी जाती हैं। प्रदेश के जनपदों से प्रतिदिन समाचारों की क्लिपिंग्स ई-मेल द्वारा मा0 मुख्यमंत्री कार्यालय में उच्चाधिकारियों को भेजी जाती हैं।

निरीक्षा शाखा में हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू समाचार पत्रों की अति महत्त्वपूर्ण क्लिपिंग्स को प्रतिदिन सूचना विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

फोटो-फिल्म शाखा

फोटो-फिल्म शाखा, उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग का महत्त्वपूर्ण प्रभाग है। इस प्रभाग द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों, योजनाओं, मा. राज्यपाल जी, मा. मुख्यमंत्री तथा प्रदेश सरकार के मंत्रिमण्डल के सदस्यों के कार्यक्रमों का कवरेज कर समाचार-पत्रों को फोटो, दूरदर्शन एवं विभिन्न चैनलों को वीडियो फुटेज उपलब्ध कराया जाता है।

फोटो शाखा

इस शाखा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों, योजनाओं, मा0 राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल जी एवं अन्य विशिष्ट विभूतियों के बड़े चित्रों के साथ ही मन्त्रिमण्डल के सदस्यों द्वारा अन्य बड़े चित्रों की लेमिनेशन एवं फ्रेमिंग के साथ मांग की जाती है। वर्तमान में फोटो शाखा द्वारा 1800 कवरेज किये गये तथा 4500 रंगीन फोटो समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं के लिए जारी किये गये। इसके साथ ही 11000 चित्रों की इलेक्ट्रानिक डेटा ट्रांसफर द्वारा मीडिया को उपलब्ध कराया गया।

फिल्म शाखा

फिल्म शाखा उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश की एक महत्त्वपूर्ण शाखा है, जिसके माध्यम से मा. राज्यपाल जी, मा. मुख्यमंत्री जी तथा सरकार के मंत्रिमण्डल के सदस्यों

के 1800 कार्यक्रमों का वीडियो फुटेज कराकर दूरदर्शन एवं विभिन्न चैनलों को उपलब्ध कराया गया। 18 मार्च, 2018 से 06 फरवरी, 2019 तक विभाग द्वारा विभिन्न चैनलों के माध्यम से मा. मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल की महत्त्वपूर्ण योजनाओं से सम्बन्धित निर्माण कराकर विभिन्न चैनलों के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु उपलब्ध कराया गया।

फिल्म बन्धु

प्रदेश में फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु संशोधित फिल्म नीति-2001 में दी गयी एकल व्यवस्था के अन्तर्गत फिल्म नीति से सम्बन्धित कार्यों को क्रियान्वित करने हेतु ''फिल्म बन्धु उ.प्र.'' का गठन किया गया है।

वर्तमान में फिल्म निर्माताओं को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तथा प्रदेश में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश सरकार द्वारा संशोधित फिल्म नीति-2015 प्रख्यापित की गयी है। फिल्म नीति-2015 के बाद से फिल्म बन्धु, उ.प्र. को लगभग 200 से अधिक फिल्म अनुदान के प्रस्ताव प्राप्त हो गये हैं, जिन पर प्रभावी व आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। इस नीति के माध्यम से प्रदेश में फिल्म-निर्माण के साथ ही स्थानीय कलाकारों को रोजगार व फिल्म इन्डस्ट्री के माध्यम से पूंजी निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ है तथा इसके सकारात्मक परिणाम दृष्टिगोचर हो रहे हैं। उक्त फिल्म नीति के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में 21 फिल्मों को अनुदान प्रदान किया गया। फिल्म नीति-2015 के अन्तर्गत अवधी, ब्रज, बुन्देली, भोजपुरी अथवा हिन्दी फिल्मों के लिए अनुदान की सीमा लागत का क्रमशः अधिकतम 50 प्रतिशत अथवा 25 प्रतिशत तक दिये जाने की व्यवस्था है। इसके अन्तर्गत प्रदेश में निर्मित उपरोक्त उल्लिखित फिल्मों, जिनके कुल शूटिंग दिवसों में से कम से कम आधे दिवस की शूटिंग अथवा दो तिहाई दिवसों की शूटिंग उत्तर प्रदेश में की गयी हो, के लिए अनुदान की अधिकतम सीमा क्रमशः रुपये 1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र) अथवा रु. 2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र) तक दिये जाने की व्यवस्था है।

किसी फिल्म निर्माता द्वारा प्रदेश में ऐसी फिल्म की शूटिंग की जाती है/निर्मित की जाती है, जिसके मुख्य पाँच कलाकार अथवा समस्त कलाकार उत्तर प्रदेश के ही हों, उक्त फिल्म हेतु उन कलाकारों को फिल्म पारिश्रमिक के रूप में दी जाने वाली धनराशि या सम्मिलित रूप से पाँच कलाकारों अथवा समस्त कलाकारों हेतु क्रमशः रु. 25,00,000/- (रु. पच्चीस लाख मात्र) अथवा रु. 50,00,000/- (रु. पचास लाख मात्र) जो भी कम हो, का अतिरिक्त अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

किसी फिल्म निर्माता द्वारा फिल्म शूटिंग के उपरान्त फिल्म की प्रोसेसिंग प्रदेश में ही की जाती है, तो उक्त प्रोसेसिंग पर आने वाली लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रु. 50.00 लाख का अनुदान, जो भी कम हो, अतिरिक्त रूप से दिये जाने की व्यवस्था है।

कोई निवेशक उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में (नोएडा/ग्रेटर नोएडा को छोड़कर) फिल्म प्रशिक्षण संस्थान खोलता है, तो लागत धनराशि का 50 प्रतिशत अथवा रु. 50.00 लाख में से जो भी कम हो, को अधिकतम अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है।

कोई फिल्म निर्माता उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण/फिल्म की शूटिंग के माध्यम से प्रदेश के पर्यटन स्थलों, सांस्कृतिक थीम/विरासत के सम्बन्ध में फिल्म निर्मित करता है, जिससे प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर,

प्रदेश की विशिष्ट पहचान बनती हो उसे रु. 50.00 लाख फिल्म को दिये जाने वाले अनुदान की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

उक्त व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन तथा फिल्म-निर्माताओं को नियमानुसार आवश्यक सुविधाएं यथाशीघ्र उपलब्ध कराने के लिये प्रत्येक जनपद स्तर पर शासन द्वारा निम्नानुसार ''फिल्म-प्रमोशन एण्ड फैसेलिटेशन कमेटी'' का गठन किया गया है :-

1. जिलाधिकारी अध्यक्ष
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सदस्य
3. अपर जिलाधिकारी (जिलाधिकारी द्वारा नामित) सदस्य/नोडल अधिकारी
4. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला सूचना अधिकारी/प्रभारी जिला सूचना अधिकारी-सदस्य/संयोजक
5. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/पर्यटन अधिकारी सदस्य

उक्त कमेटी फिल्म निर्माताओं द्वारा फिल्म की शूटिंग के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर शूटिंग स्थल की अनुमति, फिल्म यूनिट की सुरक्षा व्यवस्था, नियमानुसार भुगतान करने पर शासकीय गेस्ट हाउस/पर्यटन अतिथि गृह में उनके ठहरने की व्यवस्था तथा शूटिंग के बाद शूटिंग दिवसों के संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय से प्रदान किये जाने वाले प्रमाण पत्र के समयबद्ध निर्गमन आदि का अनुश्रवण करती है तथा जनपद में विभागों के स्तर पर आने वाली कठिनाइयों का त्वरित निराकरण भी करती है।

प्रदेश के मूल निवासी 10 छात्रों, जो भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे में अध्ययनरत हैं, को छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान है। इसी प्रकार प्रदेश के मूल निवासी 10 छात्रों, जो सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता में अध्ययनरत हैं, को छात्रवृत्ति प्रदान करने की व्यवस्था। भारतेन्दु नाट्य अकादमी के छात्रों को फिल्म प्रशिक्षण हेतु 03 माह के लिए भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे अथवा सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता में भेजा जाता है।

प्लान सेल

प्लान सेल द्वारा विभाग की योजनाओं को तैयार करने, उनका अनुश्रवण तथा व्यय से सम्बन्धित आंकड़े तथा शासन द्वारा तत्सम्बन्धित अपेक्षित अन्य सूचनाएं एवं आंकड़े तैयार कराकर प्रस्तुत किये जाते हैं।

टी.वी. शाखा

सूचना निदेशालय में सामुदायिक दूरदर्शन योजना **टी.वी. शाखा** के तहत पूर्व में केवल वी.आई.पी. टी.वी. यूनिट ही कार्य करती थी। परन्तु वर्तमान में समय परिवर्तन एवं तकनीकी परिवर्तन के कारण इस शाखा के अन्तर्गत निम्नलिखित तीन यूनिट कार्य कर रही हैंः-

1. वी.आई.पी. टी.वी. यूनिट
2. सेटेलाइट कम्यूनिकेशन सेन्टर एण्ड केबिल नेटवर्क यूनिट
3. इलेक्ट्रानिक मीडिया न्यूज रिकॉर्डिंग यूनिट

वी.आई.पी. टी.वी. यूनिट

निदेशालय, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र., लखनऊ, में चल रही वी.आई.पी. टी.वी. यूनिट के तहत महामहिम राज्यपाल, मा. मुख्यमंत्री, मा. मंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, विशेष सचिव, विधान सभा एवं विधान परिषद के पदाधिकारियों, विरोधी दल के नेताओं,

एडवोकेट जनरल एवं अन्य वी.वी.आई.पी. व वी.आई.पी. के यहाँ शासकीय टी.वी. सेटों, एल.सी.डी., एल.ई.डी., टी.वी. सेटों की स्थापना एवं रख-रखाव का कार्य किया जाता है।

सेटेलाइट कम्यूनिकेशन सेन्टर एण्ड केबिल नेटवर्क यूनिट

आधुनिक युग में इलेक्ट्रानिक मीडिया के अन्तर्गत सेटेलाइट कम्यूनिकेशन और केबिल सिस्टम सूचना क्रान्ति का सबसे महत्त्वपूर्ण माध्यम हो गया है। इस सिस्टम में छत पर बहुत सारे बड़े-बड़े डिश एन्टीना तथा डी.टी.एच. स्थापित करके सीधे सेटेलाइट से कंट्रोल रूम में सिगनल रिसीव करने के बाद कन्ट्रोल रूम में ही उस सिगनल को मॉडीफाइ किया जाता है उसके उपरान्त सिगनल को आप्टिकल फाइबर के माध्यम से विभिन्न स्थानों के लिए ट्रांसमिट कर दिया जाता है। इससे विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक सेकेण्डों में खबरें प्राप्त की जाती हैं तथा भेजी जाती हैं। सूचना विभाग ने इस आधुनिकतम सिस्टम को सचिवालय स्थित अधिकारी भवन के कक्ष संख्या 1, 2 तथा 3 में स्थापित किया है। वर्तमान में इस सेटेलाइट कम्यूनिकेशन सेन्टर एण्ड केबिल नेटवर्क के द्वारा सचिवालय के समस्त भवनों, योजना भवन, शास्त्री भवन, राजभवन, बापू भवन, अधिकारी भवन, बहुखण्डी भवन, सचिव भवन, विधान भवन, मा. मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग, मा. मुख्यमंत्री न्यू सचिवालय लोक भवन तथा सूचना भवन पार्क रोड तक इस नेटवर्क का जाल बिछाया जा चुका है। वर्तमान में इस सेन्टर से 106 सेटेलाइट न्यूज चैनल एवं अन्य चैनलों का प्रसारण आप्टिकल फाइबर लाइनों के माध्यम से किया जा रहा है। कन्ट्रोल रूम में अपग्रेडेशन का कार्य निरन्तर जारी है। साथ ही इसके डिजिटलाइजेशन का प्रयास भी लगातार जारी है। इसी सेटेलाइट कम्यूनिकेशन एण्ड केबिल नेटवर्क यूनिट की आप्टिकल फाइबर लाइनों के माध्यम से ही लोक भवन में इलेक्ट्रानिक मीडिया न्यूज रिकार्डिंग यूनिट में सेटेलाइट न्यूज चैनलों की रिकार्डिंग एवं मानिटरिंग की जाती है। चैनलों का प्रसारण चौबीस घण्टे होता है। भविष्य में जनपथ भवन तक इसका विस्तार करने का प्रस्ताव है। डी.टी.एच. की स्थापना टी0वी0 शाखा द्वारा वी.वी.आई.पी. के कक्षों में, जहाँ पर केबिल कनेक्शन नहीं दिया जा सकता है, ऐसे स्थान पर डी.टी.एच. टाटा स्काई/डिश टीवी की स्थापना कर VVIP को Tv Signal की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है, ताकि शासन से सम्बन्धित समाचारों से अवगत हो सकें।

इलेक्ट्रानिक मीडिया न्यूज रिकॉर्डिंग यूनिट

- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज रिकार्डिंग यूनिट लोकभवन में ग्राउण्ड फ्लोर पर स्थापित समाचार रिकार्डिंग यूनिट है, जिसमें मैनुअल और कम्प्यूटराइज दोनों तरह से काम किया जाता है, जिससे प्रसारित राष्ट्रीय, प्रादेशिक, क्षेत्रीय व अंग्रेजी न्यूज चैनलों की रिकार्डिंग प्रातः 7:00 बजे से रात्रि 12:00 बजे तक होती है।
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज रिकार्डिंग यूनिट में 28 न्यूज चैनलों को सर्वर पीसी के माध्यम से हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है। पहले सीडी व डीवीडी में डाटा स्टोर किया जाता था अब हार्ड डिस्क में प्रतिदिन का डाटा स्टोर किया जा रहा है उस डाटा को सुरक्षित लाइब्रेरी में भेज दिया जाता है जिसे टी0वी0 शाखा अपने पास सुरक्षित रखती है।
- हार्ड डिस्क में स्टोर महत्त्वपूर्ण समाचारों को शासन/प्रशासन द्वारा अवलोकन करने हेतु मांगे जाने पर सी0डी0 आदि बनाकर उपलब्ध कराया जाता है। अवलोकन करने के उपरान्त शासन तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करता है।

- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज रिकार्डिंग यूनिट समाचारों की रिकार्डिंग एवं फीडबैक की उपरोक्त व्यवस्था का उपयोग शासन के लॉ एण्ड आर्डर उसकी विवेचना, स्टोरेज, रिकार्डिंग, डेट एण्ड टाईम, न्यूज डाटा कलेक्शन किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना केन्द्र, नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना केन्द्र, नई दिल्ली में जनसम्पर्क सहित प्रदेश सरकार के विकास कार्यों, प्राथमिकताओं, योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कवरेज हेतु सतत् रूप से प्रयासरत् है। राज्य सूचना केन्द्र, जहां सन्दर्भ सुलभता, प्रदेश के विषय में जानकारी उपलब्ध कराने, महत्त्वपूर्ण विज्ञप्तियों, बैठकों की कवरेज, अति विशिष्ट व्यक्तियों के भ्रमण कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार के लिए कार्यरत है, वहीं सूचना निदेशालय से प्राप्त निर्देशों के क्रियान्वयन में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करता है। राज्य सूचना केन्द्र राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश शासन की योजनाओं, उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने तथा राष्ट्रीय स्तर पर उनका कवरेज कराने के लिए विभिन्न समाचार पत्र-पत्रिकाओं, इलेक्ट्रानिक मीडिया से व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु कार्यरत है। प्रदेश के विभिन्न कार्यक्रमों से सम्बन्धित प्रेस विज्ञप्तियाँ दिल्ली के राष्ट्रीय समाचार पत्रों-पत्रिकाओं, भाषाई समाचार पत्रों, आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं विभिन्न लोकप्रिय चैनल्स को प्रसारण एवं प्रकाशन हेतु उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे सरकार की गतिविधियों को राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित होने वाले पत्र/पत्रिकाओं में प्रमुखता के साथ स्थान मिल सके।

नई दिल्ली एवं एन.सी.आर. में आयोजित राष्ट्रीय महत्त्व के कार्यक्रमों पर आयोजित गोष्ठी/बैठक समारोहों के कवरेज, मा0 मुख्यमंत्री जी के दिल्ली प्रवास पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस आदि कार्यक्रमों के सजीव प्रसारण सहित व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रदेश की महत्त्वपूर्ण योजनाओं/कार्यक्रमों एवं मुख्यमंत्री जी के दिल्ली के समीपस्थ कार्यक्रमों का भी वृहद स्तर पर कवरेज की समुचित एवं सुचारु व्यवस्था की जाती है। प्रातःकालीन सत्र में नई दिल्ली, लखनऊ तथा प्रादेशिक स्तर पर प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में प्रकाशित उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित ध्यानाकर्षण समाचारों की प्रेस कतरनें मा0 मुख्यमंत्री जी, स्थानिक आयुक्त तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को ध्यानार्थ/अवलोकनार्थ प्रेषित की जाती हैं।

लखनऊ स्थित मुख्यालय एवं सूचना परिसर से निर्गत दैनिक प्रेस विज्ञप्तियों को फैक्स/इण्टरनेट के माध्यम से दिल्ली स्थिति प्रेस प्रतिष्ठानों को सुगमता के साथ सुलभ करायी जाती है। इसके अतिरिक्त मा. मुख्यमंत्री जी के दिल्ली के भ्रमण कार्यक्रम एवं दिल्ली से सटे जनपदों में आयोजित कार्यक्रमों का भी व्यापक कवरेज कराया जाता है।

प्रदेश के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पर्यटन तथा औद्योगिक विकास से जुड़े स्थलों की कवरेज प्रेस टुअर के माध्यम से करायी जाती है। शोधार्थियों/प्रदेश की जानकारी चाहने वालों को अद्यतन वांछित उपयोगी संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। सूचना केन्द्र में नई दिल्ली से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं क्रय की जाती हैं। इन्हें पाठकों के पठन हेतु पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 02 बजे तक सुलभ कराया जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मा0 मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों तथा विकास कार्यक्रमों के कवरेज हेतु इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा प्रिंट मीडिया की टीमों को कार्यस्थल पर ले जाने की व्यवस्था की जाती है। साथ ही स्थल भ्रमण कराकर प्रदेश की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, औद्योगिक महत्त्व के जनपदों एवं नगरों का राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक कवरेज कार्य भी कराया जाता है।

मीडिया सेंटर

लाल बहादुर शास्त्री भवन, सचिवालय तथा लोक भवन उत्तर प्रदेश, लखनऊ के भूतल पर वातानुकूलित मीडिया सेंटर संचालित है। यह मीडिया सेंटर शासन और मीडिया के बीच समन्वय और सुविधा प्रदाता का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त विधानसभा में एक सुसज्जित प्रेस रूम और लोकभवन में प्रेस रूम स्थापित है।

मा. मुख्यमंत्री जी, मा. मंत्रीगण तथा शासन के उच्च पदाधिकारियों के महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यक्रमों की सूचना, प्रचार एवं प्रसार हेतु मीडिया को उपलब्ध कराने का कार्य मीडिया सेंटर द्वारा किया जाता है।

मीडिया सेंटरों में एक सुसज्जित प्रेस कान्फ्रेंस हाल भी है, जहां अल्प सूचना पर प्रेस कान्फ्रेंस आयोजित की जा सकती है।

मा0 मुख्यमंत्री जी के दिल्ली प्रवास पर आयोजित प्रेस कान्फ्रेंस आदि कार्यक्रमों के सजीव प्रसारण सहित व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रदेश की महत्त्वपूर्ण योजनाओं/कार्यक्रमों का भी वृहद स्तर पर कवरेज की समुचित एवं सुचारू व्यवस्था की जाती है। प्रातः कालीन सत्र में नई दिल्ली, लखनऊ तथा प्रादेशिक स्तर पर प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में प्रकाशित उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित ध्यानाकर्षण समाचारों की प्रेस कतरनें मा0 मुख्यमंत्री जी, स्थानिक आयुक्त तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को ध्यानार्थ/अवलोकनार्थ प्रेषित की जाती है।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेल

- यह सेल जो कि माननीय मुख्यमंत्री इलेक्ट्रानिक मीडिया सेल, लोकभवन में सी-ब्लॉक के कक्ष सं0-जी-01, जी-02 व जी0-03 के ग्राउण्ड फ्लोर में स्थित है। यह सेल प्रातः 7:00 बजे से रात्रि 12:00 बजे तक कार्य करता है। यह सेल 365 दिन कार्य करता है।
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेल में स्थापित सैटेलाइट द्वारा प्रसारित राष्ट्रीय न्यूज चैनल, प्रादेशिक न्यूज चैनल, क्षेत्रीय न्यूज चैनल व अंग्रेजी समाचार चैनलों की मॉनीटरिंग किया जाता है
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेल में 07 पैनल (एक पैनल पर चार चैनल हैं) कुल 28 चैनलों की मॉनीटरिंग किया जाता है।
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेल द्वारा चैनलों में प्रसारित आपराधिक तथा महत्त्वपूर्ण घटनाओं को सूचना विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये शासकीय मोबइल नं0-95549-61373 के माध्यम से सम्बन्धित जिलों के जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को दूरभाष के माध्यम से अवगत कराया जाता है जिससे सम्बन्धित अधिकारी बतायी गयी घटनाओं का संज्ञान लेकर जनहित में अविलम्ब उचित कार्यवाही करते हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेल में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा समय-समय पर की गयी प्रेस-कांफ्रेंस, कैबिनेट निर्णयों के साथ केन्द्र सरकार के मंत्रियों का प्रदेश में आगमन पर उनके दिये गये महत्त्वपूर्ण बयानों/ सम्बोधन आदि का लिप्यांतरण किया जाता है।
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेल द्वारा चैनलों पर प्रसारित महत्त्वपूर्ण समाचारों को ई-मेल- cmemcup@gmail.com के माध्यम से शासन व प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाता है।

- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सेल में अनुश्रवित महत्त्वपूर्ण समाचारों को हार्ड कॉपी व साफ्ट कॉपी के रूप में सुरक्षित रखा जाता है।

ऑडिट सेल

ऑडिट सेल द्वारा विभाग के जनपदीय कार्यालयों के अभिलेखों का सम्परीक्षण कार्य किया जाता है। सम्परीक्षण के दौरान पायी गयी गम्भीर अनियमितताओं को निदेशक, शासन एवं वित्त एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय के संज्ञान में लाकर उसे नियमित रूप से प्रेषित किया जाता है, जिसकी प्रत्येक त्रैमासिक समीक्षा वित्त एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय द्वारा की जाती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त एक वर्ष से अधिक अवधि के कालातीत भुगतानों का सम्परीक्षण कार्य तथा प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) कार्यालय द्वारा प्रतिवर्ष के विभागीय अनुदान लेखों पर उठायी गयी आपत्तियों के प्रस्तरों की अनुपालन आख्या प्रेषित की जाती है।

लेखा प्रभाग

लेखा प्रभाग द्वारा समस्त विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आय-व्ययक के माध्यम से धन की व्यवस्था करना तथा प्रभागों के प्रस्तावों पर विभागीय कार्यों से सम्बन्धित धनराशियों एवं समाचार पत्रों के बिल बनाकर ई-कुबेर प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्याहरण करना। समस्त विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन बिल तथा उनके सेवाहित लाभों के बिल निर्मित कर प्रत्याहरण के साथ ही मासिक व्यय विवरण की सूचना शासन को प्रस्तुत करना तथा भविष्य निधि लेखों का रख-रखाव करके ब्याज आदि की गणना कर जमा धनराशि को अद्यतन रखना तथा लिये गये अग्रिमों आदि की वसूली करने के साथ ही समस्त कर्मियों की सेवा पुस्तकों का सेवा के अनुसार अंकन/रख-रखाव आदि कार्य आयकर एवं जी.एस.टी. सम्पादित किये जाते हैं।

कम्प्यूटर प्रकोष्ठ

- उत्तर प्रदेश सरकार के समस्त विभागों से प्राप्त निविदाओं को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना।
- विभागीय निविदाओं को ई-टेण्डरिंग की वेबसाइट पर अपलोड करने सम्बन्धी समस्त कार्य।
- मा. मुख्यमंत्री जी के समस्त कार्यक्रमों के वीडियोज को यू-ट्यूब व विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना।
- विभागीय नियमित प्रकाशन उत्तर प्रदेश मासिक, उत्तर प्रदेश संदेश, नया दौर व ई-संदेश को नियमित रूप से विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना।
- प्रतिदिन निरीक्षा शाखा से प्राप्त न्यूज़ क्लिपिंग्स को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना।
- प्रदेश के जनपदीय सूचना कार्यालय से प्रतिदिन प्राप्त होने वाली प्रेस विज्ञप्तियों, न्यूज क्लिपिंग्स आदि को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना।
- विज्ञापन सूचीबद्धता से संबंधित समस्त कार्य।
- विभाग में सूचीबद्ध नियमित व अनियमित समाचार पत्र-पत्रिकाओं का डी.ए.वी.पी. भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर अपडेट करने संबंधी समस्त कार्य।

- विभाग में स्थापित कम्प्यूटरों की प्रतिदिन आने वाली शिकायतों का अनुश्रवण एवं उनका निस्तारण तथा मेन्टेनेंस।
- विभाग में स्थापित इन्टरनेट कनेक्शन (लीजलाइन) के रख-रखाव एवं अनुश्रवण संबंधी कार्य।
- विभागीय विज्ञापन पोर्टल हेतु स्थापित सर्वर का प्रतिदिन बैकअप तथा रख-रखाव संबंधी समस्त कार्य।
- समय-समय पर विभाग द्वारा सौपें जाने वाले विभिन्न महत्त्वपूर्ण कार्यों के सम्पादन संबंधी कार्य।

सोशल मिडिया

सूचना विभाग की गतिविधियों/प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने हेतु विभाग की अधिकारिक वेबसाइट विकसित की गयी है। इस वेबसाइट पर विभाग के कार्यकलापों से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं जनमानस के लिये प्रदर्शित की जाती हैं तथा साथ ही साथ दिन प्रतिदिन उनका अद्यतन भी सुनिश्चित किया जाता है।

- मा0 मुख्यमंत्री सोशल मीडिया हब स्थापित।
- मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर व फेसबुक पेज क्रमशः CM Office, GoUP और Chief Minister Office Uttar Pradesh पर माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से सम्बंधित जानकारी लाइव, फोटोग्राफ व वीडियो के माध्यम से प्रसारित करना।
- उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक ट्विटर व फेसबुक पेज क्रमशः Government of UP पर उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यक्रमों, योजनाओं व निर्णयों से सम्बंधित जानकारी फोटोग्राफ व वीडियो के माध्यम से प्रसारित करना।
- उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के आधिकारिक ट्विटर व फेसबुक पेज information and Public Relations Department, UP पर उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कार्यक्रमों, योजनाओं व निर्णयों से सम्बंधित जानकारी फोटोग्राफ व वीडियो के माध्यम से प्रसारित करना।
- उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारिक यूट्यूब चैनल Government of UP पर माननीय मुख्यमंत्री जी व सरकार के कार्यक्रमों की लाइव कवरेज व वीडियो अपडेशन।
- सूचना विभाग के अधिकारिक वेबसाइट information.up.nic.in पर मा. मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम से सम्बन्धित वीडियो एवं फोटोग्राफ अपलोड करना।
- सूचना विभाग के अधिकारिक वेबसाइट information.up.nic.in का अपडेशन।
- मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा शिकायत निवारण एवं समन्वय प्रणाली आईजीआरएस पर प्रतिदिन आने वाली शिकायतों का प्रिन्ट आउट निकालना एवं उनका निस्तारण संबंधी कार्य।
- मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा समय-समय पर की गयी प्रेस कान्फ्रेंसेज तथा कैबिनेट निर्णय से संबंधित सूचनाओं को विभागीय वेबसाइट पर अपडेट करना।
- विभाग द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं उत्तर प्रदेश संदेश, उत्तर प्रदेश मासिक एवं नया दौर के अतिरिक्त महत्त्वपूर्ण प्रकाशन व अन्य सूचनाओं का विभागीय वेबसाइट पर नियमित रूप से अपलोड करना।
- साप्ताहिक डिजिटल पत्रिका ''ई सन्देश'' का प्रकाशन।
- राजभवन, मा0 मुख्यमंत्री सूचना परिसर, निदेशालय, सूचना ब्यूरो एवं विभिन्न जनपदों द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तियों का हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू का प्रतिदिन विभागीय वेबसाइट पर नियमित रूप से अपलोड करना।

- विभाग द्वारा प्रतिदिन जारी होने वाले वर्गीकृत एवं सजावटी विज्ञापनों का विभागीय वेबसाइट पर अपडेशन।
- प्रतिदिन हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू के समाचार पत्रों की महत्त्वपूर्ण खबरों को अपलोड किया जाता है।
- विभागों द्वारा प्राप्त निविदाओं को प्रतिदिन विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना।
- प्रदेश सरकार की महत्त्वपूर्ण सूचनाओं का सोशल मीडिया पर प्रतिदिन अपलोड करना। सोशल मीडिया के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं एवं सरकारी योजनाओं आदि की जानकारी जनता तक पहुँचाना तथा जनता के विचारों, सुझावों एवं शिकायतों को भी प्राप्त करना।

वाहन एवं टेलीफोन व्यवस्था

प्रदेश के जिला सूचना कार्यालयों में वाहनों की बेहतर व्यवस्था कर दिये जाने के फलस्वरूप शासन की नीतियों, कार्यक्रमों एवं कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार को बल मिला है। सूचना विभाग के मुख्यालय एवं क्षेत्र प्रचार इकाई के अन्तर्गत जिला सूचना कार्यालयों की संचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सी0यू0जी0 मोबाइल फोन एवं ब्रॉडबैण्ड की सुविधा दिये जाने के फलस्वरूप आलोच्य वित्तीय वर्ष में समाचारों के आदान-प्रदान तथा प्रचार-प्रसार में काफी सुगमता रही है। भविष्य में भी इसकी उपयोगिता बढ़ेगी तथा प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में प्रभावशाली प्रगति होगी।

विभाग के सुदृढ़ीकरण हेतु कृत अन्य कार्यवाही

1. अधिकारों का प्रतिनिधायन

जिला सूचना कार्यालयों को सुदृढ़ एवं अधिकार सम्पन्न बनाकर प्रदेश सरकार के प्रचार-प्रसार को प्रभावी बनाया गया है, जिससे कार्य पर प्रभावी नियंत्रण एवं अनुश्रवण बढ़ा है। इस प्रकार जनपदीय अधिकारियों को निदेशक के कतिपय वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार के प्रति निर्धारित करके जनपदीय कार्यालयों को अधिक प्रभावी बनाने का कार्य किया गया है। विभाग में विचाराधीन सूचना का अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरण एवं न्यायालय में लम्बित प्रकरणों का निस्तारण विभागीय पैरवी के माध्यम से तीव्र गति से किया जा रहा है।

2. पारदर्शी व्यवस्था

विभागीय गतिविधियों/प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने हेतु विभाग की वेबसाइट **http://information.up.nic.in** विकसित की गयी है। इस वेबसाइट पर विभाग के कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचनाएं जनमानस के लिये प्रदर्शित की गयी हैं तथा सूचनाओं को निरन्तर अद्यतन भी किया जाता है। उ.प्र. सरकार के समस्त विभागों से प्राप्त निविदाएं तथा सजावटी विज्ञापन जो विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं, उनको भी सूचना विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। समाचार पत्र/पत्रिकाओं से प्राप्त बीजक को एवं विज्ञापनों के भुगतान आदि की व्यवस्था को कम्प्यूटरीकृत कर पारदर्शी बनाया गया है। इसी प्रकार समस्त विभागीय क्रियाकलापों यथा- गीत एवं नाट्य के कार्यक्रमों, स्थापित होर्डिंग्स, जारी किए गये प्रेस नोट्स, समस्त विभागीय प्रकाशन तथा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत समस्त सूचनाओं को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है ताकि विभागीय समस्त गतिविधियों की जानकारी इण्टरनेट के माध्यम से जन सामान्य को आसानी से उपलब्ध हो सके।

3. इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रदर्शित खबरों की मानिटरिंग

मा. मुख्यमंत्री सूचना परिसर में विभिन्न चैनलों पर प्रसारित महत्त्वपूर्ण समाचारों की डी.वी.डी. रिकार्डर के माध्यम से रिकार्डिंग करायी जाती है और महत्त्वपूर्ण समाचारों की एक डी.वी.डी. लाइब्रेरी भी बनायी गयी है। इस सेटअप का निरन्तर सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। इलेक्ट्रानिक मीडिया की रिकार्डिंग और फीडबैक की उपयुक्त व्यवस्था हेतु रिकार्डिंग डेट एण्ड टाइम न्यूज डाटा कलेक्शन का कम्प्यूटरीकृत सेटअप स्थापित करके व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किया गया है ताकि इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा प्रसारित किए जा रहे समाचारों की समुचित मानिटरिंग की जा सके।

4. जनपदीय कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण

जिला सूचना कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु सी0यू0जी0 टेलीफोन की व्यवस्था की गयी है। प्रत्येक जनपद कार्यालय के लिए वाहन की व्यवस्था करायी गयी है तथा जिला सूचना कार्यालयों में कम्प्यूटर तथा ब्राडबैण्ड, फैक्स, फोटोस्टेट मशीन आदि की व्यवस्था भी करायी गयी है, जिससे जनपदीय कार्यालयों की दक्षता एवं समाचार प्रेषण की क्षमता में वृद्धि हुई है।

5. अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों का निस्तारण

विभाग में कर्मचारियों/अधिकारियों के सेवा एवं प्रोन्नति सम्बन्धी प्रकरणों को निस्तारित किया गया है। अधिकारियों/कर्मचारियों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण भी दिलाया गया है। अधिकारियों/कर्मचारियों के कम्प्यूटर प्रशिक्षण से निदेशालय की कार्यशैली में सुधार हुआ है तथा कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है।

6. सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ (R.T.I.)

जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 3 के अन्तर्गत सामान्य नागरिकों को भी लोक निकाय से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। उक्त अधिनियम में दिये गये निर्देशों के क्रियान्वयन करने के लिए विभाग में जन सूचना प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत सामान्य नागरिकों से प्राप्त आवेदन पत्रों से सम्बन्धित सूचना अधिनियम में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत सम्बन्धित को सुलभ कराने एवं सूचना मांगकर्ता के अनुरोध एवं मा. आयोग के निर्देश पर सम्बन्धित को वांछित पत्रावलियों का निरीक्षण/अवलोकन सम्बन्धित प्रभागों से कराने के साथ मा. आयोग में लम्बित वादों की सुनवाई का कार्य सम्पादित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 अप्रैल से दिसम्बर, 2019 तक प्राप्त।

कुल आवेदन - 150

कुल निस्तारण आवेदन - 40, विभागीय स्तर से मा0 सूचना आयोग द्वारा

कुल निस्तारित आवेदन - 18, दिसम्बर - 2019 तक

उत्तर प्रदेश नागरिक सुरक्षा संगठन

राष्ट्रीय भावना एवं निष्काम कर्म से प्रेरित नागरिक सुरक्षा संगठन एक स्वयंसेवी संगठन है। आधुनिक युद्ध सीमाओं के साथ-साथ नागरिक आबादी क्षेत्रों पर भी अत्यंत घातक प्रभाव डालता है, बाह्य युद्ध के समय देश की आन्तरिक व्यवस्था में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो और नागरिकों का मनोबल बना रहे, इस हेतु भारत सरकार द्वारा वर्ष 1962 में चीनी आक्रमण के बाद नागरिक सुरक्षा विभाग की स्थापना देश तथा प्रदेश के सुभेद्य नगरों में की गई है। वर्ष 1968 में भारत सरकार द्वारा ''नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968'' पारित करके संगठन को कोर का स्वरूप प्रदान किया गया। नागरिक सुरक्षा विभाग का पर्यवेक्षण एवं निर्देशन भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की नीतियों एवं संकल्पों पर आधारित है। वर्ष 1965 व वर्ष 1971 के युद्धों के समय तथा कारगिल अभियान के दौरान आंतरिक स्तर पर नागरिक सुरक्षा संगठन ने सफलतापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन किया। वर्ष 2010 में भारत सरकार द्वारा ''नागरिक सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2009'' पारित करके किसी भी प्रकार के ''आपदा प्रबंधन'' का कार्य वैधानिक रूप से नागरिक सुरक्षा विभाग के कार्यों में सम्मिलित किया गया है। नागरिक सुरक्षा भारत सरकार की योजना है, जिसके क्रियान्वयन का दायित्व प्रदेश सरकारों का होता है। भारत सरकार द्वारा संगठन हेतु निर्धारित नीतियों के अन्तर्गत विभाग का संचालन होता है। भारत सरकार की नीतियों के अंतर्गत प्रदेश के 15 सुभेद्य नगरों में नागरिक सुरक्षा की 17 इकाईयाँ स्थापित हैं। भारत सरकार द्वारा प्रदेश में विभाग के संचालन हपर प्राधिकृत मदों पर होने वाले व्यय का 25 प्रतिशत तथा वाह्य संचार सेवा पर होने वाले व्यय का 100 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार द्वारा वर्ष 1996-97 से वहन किया जा रहा है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा

नागरिक सुरक्षा योजना भारत सरकार की योजना है व इस हेतु भारत सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा नगरों को चिह्नित करके श्रेणीबद्ध किया जाता है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 17 नगरों को श्रेणीबद्ध किया गया है। उपरोक्त नगरों में नागरिक सुरक्षा योजना नगर पालिका क्षेत्र तक ही क्रियान्वित है। नागरिक सुरक्षा विभाग का प्रदेश स्तरीय ढाँचा निम्न प्रकार है :

1. नागरिक सुरक्षा निदेशालय

नागरिक सुरक्षा विभाग की विभिन्न इकाइयों पर नियंत्रण व समन्वय हेतु लखनऊ में नागरिक सुरक्षा निदेशालय की स्थापना की गई है। जिसके निदेशक, पुलिस महानिदेशक स्तर के वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो संगठन के विभागाध्यक्ष हैं। निदेशालय का कार्य भारत सरकार व प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित नीतियों का क्रियान्वयन कराना व विभिन्न नागरिक सुरक्षा इकाइयों के कार्यों का पर्यवेक्षण व उनके मध्य समन्वय स्थापित करना है। अन्य अधिकारियों में पुलिस महानिरीक्षक स्तर के संयुक्त निदेशक तैनात हैं। कार्यों के सम्पादन हेतु विभिन्न लिपिक वर्गीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद भी सृजित हैं।

2. केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान

प्रदेश स्तर पर नागरिक सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक वैतनिक व अवैतनिक जनशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है, जिसमें नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवकों तथा वैतनिक अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ-साथ प्रदेश के विभिन्न

विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा महत्त्वपूर्ण औद्योगिक संस्थानों के अधिकारियों/कर्मचारियों को नागरिक सुरक्षा का गहन प्रशिक्षण दिया जाता है। संस्थान में पी.सी.एस. संवर्ग के वरिष्ठ अधिकारी कमाण्डेन्ट होते हैं। संस्थान में चार संकाय- 1. सामान्य नागरिक सुरक्षा, 2. अग्निशमन, 3. बचाव एवं 4. प्राथमिक चिकित्सा हैं, जिनमें व्याख्यान व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु वरिष्ठ प्रशिक्षक, मुख्य अग्निशमन अधिकारी तथा अन्य वैतनिक स्टाफ एवं इनके सहयोग हेतु लिपिक वर्गीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी नियुक्त हैं।

3. नागरिक सुरक्षा जनपद

उत्तर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा संगठन नरौरा (बुलंदशहर), आगरा, हिण्डन-गाजियाबाद, बरेली, गोरखपुर, मथुरा, बक्शी का तालाब (लखनऊ), लखनऊ, मुरादाबाद, सहारनपुर, सरसावां (सहारनपुर), झाँसी, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, मेरठ तथा दीनदयाल उपाध्याय नगरों में कार्यरत हैं। नागरिक सुरक्षा नगरों में वैतनिक व अवैतनिक दोनों प्रकार के पदाधिकारी होते हैं। नागरिक सुरक्षा जनपदों का मुख्य कार्य स्वयंसेवकों को नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण प्रदान करना, जन सामान्य को नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण देना व उन्हें जागरूक करना, अभ्यास/प्रदर्शन का आयोजन करना, जनपद व महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की नागरिक सुरक्षा योजनायें तैयार व पुनरीक्षित करना, हाउस होल्ड रजिस्टरों का रख-रखाव आदि हैं। इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर चलाए जाने वाले अभियानों व जन कल्याण के कार्यों में सक्रिय सहयोग दिया जाता है। नागरिक सुरक्षा उपायों के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार 12 सेवाओं का गठन किया गया है :

1. मुख्यालय सेवा	2. संचार सेवा	3. वार्डेन सेवा
4. हताहत सेवा	5. अग्निशमन सेवा	6. प्रशिक्षण सेवा
7. बचाव सेवा	8. कल्याण सेवा	9. पूर्ति सेवा
10. शव निस्तारण सेवा	11. साल्वेज सेवा (लावारिश सम्पत्तियों की सुरक्षा)	12. डिपो एवं परिवहन सेवा

प्रमुख कार्य योजनाएं

नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 में संगठन के मूल कार्य वाह्य आक्रमण हेतु निर्धारित है। शांतिकाल में भारत सरकार व प्रदेश शासन के निर्देशों के अंतर्गत मानकों के अंतर्गत कार्य किया जाता है।

(क) सभी नागरिक सुरक्षा सेवाओं में स्वयंसेवकों की भर्ती के लक्ष्यों की पूर्ति

(ख) सभी सेवाआं में भर्ती किए गए स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करना।

(ग) जन सामान्य व स्कूल/कालेज के छात्र/छात्राओं को नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण प्रदान करना।

(घ) जनता में जागरूकता उत्पन्न करने के लिये नागरिक सुरक्षा के अभ्यास/प्रदर्शनों का आयोजन।

(ड.) नागरिक सुरक्षा नगरों की नागरिक सुरक्षा योजना तैयार करना।

(च) महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की नागरिक सुरक्षा योजना तैयार करना।

(छ) हाउस होल्ड रजिस्टर का रख-रखाव।

(ज) केन्द्रीय नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ पर आयोजित होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अनुरूप नागरिक सुरक्षा विभाग के वैतनिक/अवैतनिक पदाधिकारियों तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

(झ) सफाई अभियान, पल्स पोलिया अभियान, प्रदूषण मुक्ति अभियान, वातावरण सुरक्षा प्रचार, आगजनी में सहायता, रक्तदान शिविर, गंभीर दुर्घटनाओं/घटनाओं/आपदाओं जैसे-बाढ़, चक्रवात आदि तथा अन्य स्थानीय मामलों में जिला प्रशासन को सक्रिय सहयोग प्रदान करना।

●

धर्मार्थ कार्य

धर्मार्थ कार्य विभाग उत्तर प्रदेश में धार्मिक संस्थाओं तथा मन्दिरों की व्यवस्था आदि से सम्बन्धित कार्यों के निष्पादन हेतु दिनांक 19 दिसम्बर, 1985 को सृजित किया गया है। धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्तियों के अपव्यय को रोकने और हस्तानान्तरण को विनियमित करने हेतु उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था सम्पत्ति अपव्यय निवारण अधिनियम-1962 पुनः अधिनियमित 1976, तथा उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम- 1983 के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यवस्था एवं धार्मिक संस्थाओं मंदिरों की व्यवस्था का कार्य प्रमुख रूप से किया जाता है। धर्मार्थ कार्य विभाग की योजनाओं हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के साथ अनुदान संख्या-84 के अन्तर्गत प्रावधान किया जाता है।

धर्मार्थ कार्य विभाग की प्रमुख कार्य योजनाओं का विवरण निम्नवत् हैः-

1. **कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा-** कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा प्रति वर्ष माह जून से प्रारम्भ होकर माह सितम्बर तक पूर्ण की जाती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पूर्ण करने वाले उ0प्र0 के मूल निवासियों को धर्मार्थ कार्य विभाग की वेबसाइट- www.updharmarthkarya.in पर ऑनलाइन आवेदन किये जाने के पश्चात् रु. 1.00 लाख का अनुदान प्रदान किया जाता है। वर्ष 2018-19 में 1127 यात्रियों द्वारा यात्रा की गई, जिसमें से 537 यात्रियों को रु. 1.00 लाख की दर से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि से अनुदान वितरित किया गया है। अवशेष धनराशि रु. 267 लाख का अनुदान इस वर्ष यात्रा करने वाले यात्रियों को वितरित किया जायेगा।

2. **सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा-** सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा प्रति वर्ष माह जून से प्रारम्भ होकर माह सितम्बर तक पूर्ण की जाती है। सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा पूर्ण करने वाले उ0प्र0 के मूल निवासियों को धर्मार्थ कार्य विभाग की वेबसाइट www.updharmarthkarya.in पर ऑनलाइन आवेदन किये जाने के पश्चात् रु. 10.00 हजार का अनुदान प्रदान किया जाता था। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा सिन्धु दर्शन यात्रियों को रु. 10.00 हजार के स्थान पर रु. 20.00 हजार प्रति यात्री अनुदान प्रदान किये जाने की घोषणा दिनांक 07.03.2019 को की गई थी। मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार शासनादेश दिनांक 06.06.2019 द्वारा सिन्धु दर्शन यात्रियों को रु. 10 हजार के स्थान पर रु. 20 हजार का अनुदान वितरित किये जाने का आदेश निर्गत किया गया है। अतः इस मद में रु. 10 लाख का आय-व्ययक प्रावधान उपलब्ध है।

3. **कैलाश मानसरोवर भवन निर्माण-** कैलाश मानसरोवर यात्रियों/चार धाम यात्रियों की सुविधा हेतु जनपद गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण किया जा रहा है। उक्त भवन की भूमि सहित कुल लागत रु. 108 करोड़ है। भवन निर्माण हेतु उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि0 को निर्माण इकाई नामित किया गया है। कैलाश मानसरोवर भवन एवं भूमि की सम्पूर्ण लागत की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। निर्माण इकाई द्वारा भवन निर्माण की भौतिक प्रगति लगभग 65 प्रतिशत बताई गई है।

उक्त भवन के इंटीरियर फिनिशिंग एवं फर्नीचर की लागत जी.एस.टी. सहित रु. 150 लाख की आय-व्ययक व्यवस्था अनुपूरक मांग के माध्यम से की गयी है, जिसकी स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

4. अयोध्या भजन संध्या स्थल- जनमानस की सुविधा हेतु जनपद अयोध्या में भजन संध्या स्थल का निर्माण किया जा रहा है। इस कार्य हेतु शासन द्वारा रु. 14.67 करोड़ की धनराशि निर्गत की जा चुकी है। पुनरीक्षित लागत कुल 1902.36 करोड़ के सापेक्ष 1.67 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी है। योजना की भौतिक प्रगति 85 प्रतिशत बतायी गयी है। उक्त मद में अवशेष धनराशि जी.एस.टी. सहित रु. 485.97 लाख की आय-व्ययक व्यवस्था अनुपूरक मांग के माध्यम से की गयी है, जिसकी स्वीकृति का प्रस्ताव अपेक्षित है। दिनांक 07.06.2019 को मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा निरीक्षण के दौरान 03 माह के अन्दर योजना को पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं। यह कार्य दीपोत्सव के पूर्व पूर्ण होता है।

5. वैदिक साइंस सेन्टर- जनपद वाराणसी में वैदिक साइंस सेंटर की स्थापना की जा रही है जिसमें 07 प्रभागों की शिक्षा प्रदान की जायेगी एवं वेद पर अनुसंधान के कोर्स चलाये जायेंगे। वैदिक साइंस सेन्टर के भवन निर्माण हेतु प्रथम चरण में धर्मार्थ कार्य विभाग द्वारा रु. 1210.36 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। योजना की भौतिक प्रगति 80 प्रतिशत बतायी गयी है। केन्द्र के संचालन हेतु विभिन्न श्रेणी के 43 पदों का सृजन किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में द्वितीय फेज हेतु रु. 1646.55 लाख का आय-व्ययक प्रावधान है, जिसकी वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

6. श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण/सुन्दरीकरण- श्री काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी के विस्तारीकरण/सुन्दरीकरण की योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना हेतु श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद अधिनियम- 2018 बनाया गया है। उक्त योजनान्तर्गत प्रथम चरण में भवन क्रय मद में रु. 398.67 करोड़ की धनराशि जिलाधिकारी, वाराणसी को स्वीकृत की गई है, जिससे कुल 296 भवन क्रय किये जाने है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस मद में रु. 207 करोड़ का आय-व्ययक प्रावधान है। परियोजना के द्वितीय चरण में निर्माण कार्य हेतु रु. 461 करोड़ का आगणन प्राप्त हुआ है। आगणन का प्रारम्भिक परीक्षण प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा किया जा रहा है। मा0 प्रधानमंत्री जी भारत सरकार द्वारा दिनांक 08.03.2019 को योजना का शिलान्यास किया गया है।

7. चित्रकूट भजन संध्या स्थल/परिक्रमा स्थल- जनमानस की सुविधा हेतु जनपद चित्रकूट में भजन संध्या स्थल एवं कामद्गिरी पर्वत के परिक्रमा स्थल का निर्माण किया जा रहा है। इस कार्य हेतु शासन द्वारा पूर्ण धनराशि रु. 13.75 करोड़ की धनराशि निर्गत की जा चुकी है। योजना की पूर्ण होने की रिपोर्ट तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अपेक्षित है।

8. अयोध्या भजन संध्या स्थल निर्माण कुल 19.50 करोड़ की लागत से अयोध्या भजन संध्या स्थल का निर्माण सरयू तट के पास कराया जा रहा है। भवन का निर्माण उ0प्र0राज0 निर्माण निगम द्वारा किया जा रहा है। अक्टूबर, 2019 में कार्य पूर्ण होना संभावित है।

पांच वर्षों के बजट का तुलनात्मक विवरणः-

(रु. लाख में)

वित्तीय वर्ष	**वर्ष** 2015-16	**वर्ष** 2016-17	**वर्ष** 2017-18	**वर्ष** 2018-19	**वर्ष** 2019-20
बजट प्रावधान	रु. 833 लाख	रु. 1833 लाख	रु. 12365 लाख	रु. 45992.72 लाख	रु. 22346.55 लाख

वर्ष 2019-20 में धर्मार्थ कार्य विभाग की महत्त्वपूर्ण योजनाएं एवं उपलब्धियाँः-

1. **कैलाश मानसरोवर भवन निर्माण-** कैलाश मानसरोवर यात्रियों/चार धाम यात्रियों की सुविधा हेतु जनपद गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण किया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में उक्त भवन के भू-खण्ड हेतु शासनादेश दिनांक 03 मई, 2018 द्वारा रु. 37.66 करोड़ तथा भवन निर्माण हेतु द्वितीय किस्त के रूप में शासनादेश दिनांक 27.12.2018 द्वारा रु. 24.00 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गयी है। भवन निर्माण की लागत रु. 57.99 करोड़ है। भवन का निर्माण उ0प्र0राज0 निर्माण निगम द्वारा किया जा रहा है। भवन निर्माण का कार्य दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण होना सम्भावित है।
2. **वैदिक साइंस सेन्टर-** जनपद वाराणसी में वैदिक साइंस सेंटर की स्थापना की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2017-18 में की गयी है। उक्त केन्द्र के प्रथम चरण का संचालन प्रारम्भ हो चुका है। वैदिक साइंस सेंटर के भवर जी+5 का निर्माण सी.पी.डब्लू.डी. द्वारा किया जा रहा है। भवन का निर्माण दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण होना सम्भावित है।
3. **श्री काशी विश्वनाथ मंदिर विस्तारीकरण/सुन्दरीकरण-** श्री काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र वाराणसी के विस्तारीकरण/सुन्दरीकरण की योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में भूमि/भवनों को क्रय किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है। उक्त क्षेत्र के विकास हेतु श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद का गठन- 2018 में प्रख्यापित अधिनियम के माध्यम से किया गया है। योजनान्तर्गत कुल 296 भवन क्रय किया जाना है जिसके सापेक्ष्य अभी तक कुल 270 भवन क्रय किये जा चुके हैं। निर्माण एजेन्सी, उ.प्र.राज. निर्माण निगम द्वारा परियोजना का डी.पी.आर. रु. 461 करोड़ का प्रस्तुत किया गया है जिसका परीक्षण पी.एफ.ए.डी. द्वारा किया जा रहा है। प्रथम चरण का कार्य दिसम्बर, 2020 तक पूर्ण होना सम्भावित है।
4. **कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा-** कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा प्रति वर्ष माह जून से प्रारम्भ होकर माह सितम्बर तक पूर्ण की जाती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पूर्ण करने वाले उ0प्र0 के मूल निवासियों को धर्मार्थ कार्य विभाग की वेबसाइट- www.updharmarthkarya.in पर ऑनलाइन आवेदन किये जाने के पश्चात् रु. 1.00 लाख का अनुदान प्रदान किया जाता है। इस प्रयोजन हेतु आय-व्ययक में रु. 8 करोड़ का प्रावधान उपलब्ध है।
5. **सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा-** सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा प्रति वर्ष माह जून से प्रारम्भ होकर माह सितम्बर तक पूर्ण की जाती है। सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा पूर्ण करने वाले उ0प्र0 के मूल निवासियों को धर्मार्थ कार्य विभाग की वेबसाइट www.updharmarthkarya.in पर ऑनलाइन आवेदन किये जाने के पश्चात् रु. 20.00 हजार का अनुदान प्रदान किया जाता था। इस प्रयोजन हेतु आय-व्ययक में रु. 10.00 लाख का प्रावधान उपलब्ध है।
6. **अयोध्या भजन संध्या स्थल का निर्माण-** कुल 19.50 करोड़ की लागत से अयोध्या में भजन संध्या स्थल का निर्माण सरयू तट के पास कराया जा रहा है। भवन का निर्माण उ.प्र.राज. निर्माण निगम द्वारा किया जा रहा है। अक्टूबर, 2019 में कार्य पूर्ण होना संभावित है।

●

भारत सरकार के संस्थान, संगठन एवं कार्यालय

एडवरटाइजिंग एण्ड विजुअल पब्लिसिटी	-	महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
एयर फोर्स	-	महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
आल इण्डिया रेडियो	-	विधान सभा मार्ग, लखनऊ
आर्कियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया	-	बाइली ग्रार्डन काटेज, लखनऊ
आर्मी सेन्ट्रल कमान्ड	-	महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
आयुर्वेदिक रिसर्च सेन्टर	-	सीतापुर रोड, लखनऊ
भारत पेट्रोलियम कारर्पोरेशन	-	94, महात्मा गांधी, मार्ग, लखनऊ
सेन्सस प्रोसीजर	-	52, वजीर हसन रोड, लखनऊ
सेन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड ज्यूडीसरी	-	राना प्रताप मार्ग, लखनऊ
सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन	-	नवल किशोर रोड, लखनऊ
सेन्ट्रल ड्रग रिसर्च इन्स्टीट्यूट	-	छतर मंजिल, लखनऊ
सेन्ट्रल हेल्थ एण्ड प्लानिंग	-	9, राना प्रताप मार्ग, लखनऊ
सेन्ट्रल न्यूज एण्ड ब्रोडकास्टिंग डिपार्ट.	-	एम0 जी0 मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ
सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स	-	गोमती नगर, लखनऊ
चीफ पोस्ट मास्टर जनरल	-	हजरतगंज, लखनऊ
सिटी एण्ड विलेज प्लानिंग	-	7, बन्दरिया बाग, लखनऊ
सिविल एविएशन	-	अमौसी, लखनऊ
दूरदर्शन केन्द्र	-	24, अशोक मार्ग, लखनऊ
जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया	-	(नार्थ इण्डिया) सेक्टर- डी, अलीगंज, लखनऊ
ग्राउण्ड रोजवेज	-	बी- 74, सेक्टर- सी, महानगर लखनऊ
हेल्थ एण्ड फैमिली वेलफेयर	-	महानगर, लखनऊ
हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स लिमिटेड (एच. ए. एल.)	-	फैजाबाद रोड, लखनऊ
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारर्पोरेशन	-	4, शाहनजफ रोड, लखनऊ
आईबीपी कारर्पोरेशन लिमिटेड	-	विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ
इनकम टैक्स डिपार्टमेण्ट	-	अशोक मार्ग, लखनऊ
इंडियन आयल कारर्पोरेशन लिमिटेड	-	कपूरथला काम्पलैक्स, अलीगंज, लखनऊ
इनफार्मेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग सेन्ट्रल	-	महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ
इंडियन स्टेण्डर्ड ब्यूरो	-	नवल किशोर रोड, लखनऊ
खादी ग्रामोद्योग कमीशन	-	कैसरबाग, लखनऊ
नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट	-	राना प्रताप मार्ग, लखनऊ
नेशनल कैडेट कार्प्स (एन.सी.सी.)	-	अशोक मार्ग, लखनऊ
नार्थ ईस्टर्न रेलवे	-	अशोक मार्ग, लखनऊ
नार्दन रेलवे	-	चारबाग, लखनऊ
रोड ट्रांसर्पोट एथोरिटी	-	महानगर, लखनऊ
शुगरकेन रिसर्च सेन्टर	-	रायबरेली रोड, लखनऊ
टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेन्ट	-	13 ए, माल ऐवन्यू, लखनऊ
जी. एम. टेलीकाम	-	हजरतगंज, लखनऊ
जी. एम. (लखनऊ टेलीकाम)	-	गांधी भवन, एम. जी. मार्ग, लखनऊ
डायरेक्टर टेलीकाम सेन्टर	-	हजरतगंज, लखनऊ
टेलीग्राफ स्टोर डिर्पोटमेन्ट	-	तालकटोरा रोड, लखनऊ
जी. एम. प्रोजेक्टस (नार्थ)	-	ए-2, सेक्टर बी, अलीगंज, लखनऊ
टूरिज्म डिपार्टमेन्ट	-	सेक्टर सी, अलीगंज, लखनऊ
वेदर	-	अमौसी, लखनऊ

उत्तर प्रदेश के जनपद : एक नज़र में

1. आगरा

- क्षेत्रफल (2011) — 4041 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 4418797
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 2053844
- पुरुष (जनसंख्या) — 2364953
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 22.1 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 868-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1098 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 71.6 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 05 (शमसाबाद, एत्मादपुर, अछनेरा, फतेहपुर सीकरी, बाह)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (आगरा, एत्मादपुर, खेरगढ़, किरावली, फतेहाबाद, बाह)
- विकास खण्डों की संख्या — 15 (फतेहपुर सीकरी, अछनेरा, अकोला, बिचपुरी, बरौली अहीर खंदौली, एत्मादपुर, जगनेर, खेरागढ़, सैंया, शमसादबाद, फतेहाबाद, पिनाहट, बाह, जैतपुरकलाँ)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 894
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — ताजमहल, लाल किला, सिकन्दरा, फतेहपुर सीकरी, एत्माद्दौला, बटेश्वर, मनकामेश्वर, कैलाश, मजार शहीदे सालिस
- हस्तशिल्प — जूता एवं लोहा, पेठा, दालमोठ, कालीन, खेल का सामान

2. अलीगढ़

- क्षेत्रफल — 3650 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3673889
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1721893
- पुरुष (जनसंख्या) — 1951996
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 22.78 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 882-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1007 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 67.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (खैर, अतरौली)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (इगलास, कोयल, अतरौली, खैर, गभाना)
- विकासखण्डों की संख्या — 13 (अतरौली, गंगोरी, विजौली, खैर, चन्दौस टम्पल, गोण्डा,

लोधा, जवां, धनीपुर, अकबराबाद, इगलास, गभाना)

- आबाद ग्रामों की संख्या 1170
- प्रमुख उद्योग हल्की मशीनरी, ताला

3. एटा

- क्षेत्रफल 2431 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 1774480
- महिलाएँ (जनसंख्या) 827141
- पुरुष (जनसंख्या) 947339
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 15.8 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 873-1000
- जनसंख्या घनत्व 723 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 70.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 04 (एटा, अलीगंज, जलेसर, मारहरा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 03 (एटा, अलीगंज, जलेसर)
- विकासखण्डों की संख्या 08 (शीतलपुर, सकीट, जैथरा, अलीगंज, निधौली कलां, अवागढ़, जलेसर, मारहरा)
- आबाद ग्रामों की संख्या 853
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल (पटना पक्षी विहार, जलेसर, अतरंजी खेड़ा, मारहरा)
- हस्तशिल्प खादी वस्त्र, घुंघरू-घंटी, कांचमूँगा मोती, मूँज-बान
- प्रमुख औद्योगिक इकाइयाँ लिप्टन इंडिया लि., न्यूट्रेशिया, न्योली शुगर फैक्ट्री, स्टैंडर्ड हैण्डलूम टेक्सटाइल्स, पीतल-घुंघरू-घंटी उद्योग, आयरन उद्योग

4. फिरोजाबाद

- क्षेत्रफल 2407 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 2498156
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1166110
- पुरुष (जनसंख्या) 1332046
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 19.94 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 867-1000
- जनसंख्या घनत्व 1038 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 71.9 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 03 (टूण्डला, शिकोहाबाद, सिरसागंज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 04 (फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, जसराना, टूण्डला)
- विकासखण्डों की संख्या 09 (ओरांव, एका, फिरोजाबाद, हाथवंत, मदनपुर, नारखी, शिकोहाबाद, जसराना, टूण्डला)
- आबाद ग्रामों की संख्या 791
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल पाढ़म रपड़ी, शाही-मस्जिद, सांती, फिरोजशाह का मकबरा, दिगम्बर जैन मंदिर, गोपाल आश्रम, महावृक्ष अजान, सूफी शाह का मकबरा
- हस्तशिल्प काँच एवं पाटरी

5. मैनपुरी

- क्षेत्रफल — 2760 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1868529
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 875152
- पुरुष (जनसंख्या) — 993377
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 17.0 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 881-1000
- जनसंख्या घनत्व — 677 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 76.0 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (मैनपुरी)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (मैनपुरी, भोगांव, करहल)
- विकासखण्डों की संख्या — 09 (मैनपुरी, घिरोर, कुरावली, बेवर, किशनी, एलाऊ, सुल्तानगंज बरनाहल, करहल)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 820
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — समान पक्षी विहार, समान कटरा पर्यटन स्थल, महाराजा तेज सिंह का किला, महाकवि देव स्मारक, कुसमरा व अस्यौली का किला, माँ शीतला देवी मंदिर, च्यवन ऋषि आश्रम, मारकण्डेय ऋषि आश्रम, कपिल मुनि आश्रम, बेवर भीमसेन मंदिर, देव स्मारक
- औद्योगिक इकाइयाँ — 7519

6. मथुरा

- क्षेत्रफल — 3340 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2547184
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1180059
- पुरुष (जनसंख्या) — 1367125
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 22.8 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 863-1000
- जनसंख्या घनत्व — 763 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 70.04 प्रतिशत
- नगर निगम — 01(मथुरा-वृन्दावन)
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (कोसीकलां)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (मथुरा, मॉठ, छाता, महावन)
- विकासखण्डों की संख्या — 10 (मथुरा, फरह, गोवर्धन, नंदगाँव, छाता, चौमुहा, राया, माट, नौहझील, वल्देव)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 730
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — (वृंदावन, राधाकुंड, बरसाना, नंदगाँव, गोवर्धन, गोकुल, महावन, वल्देव)
- हस्तशिल्प — गिलट के आभूषण, कंठीमाला, पोशाक
- प्रमुख उद्योग — साड़ी छपाई, ब्रास टेप्स एण्ड पोक्स, मिल्क पाउडर, गिलट के आभूषण, विटामिन आधारित उद्योग, सूती सिन्थेटिक धागा

7. आजमगढ़

- क्षेत्रफल — 4054 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 4613913
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 2328909
- पुरुष (जनसंख्या) — 2285004
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 17.17 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 1019-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1138 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 70.9 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (आजमगढ़, मुबारकपुर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 07 (आजमगढ़ सदर, सगड़ी, लालगंज, फूलपुर, मेहनगर, बूढ़नपुर, निजामाबाद)
- विकासखण्डों की संख्या — 22 (अतरौलिया, कोयलसा, हरैया, अहिरौला, फूलपुर, पवई, अजमतगढ़, तहबरपुर, सठियाँव, महाराजगंज, लालगंज, मार्टिनगंज, रानी की सराय, पल्हनी, ठेकमा, बिलरियागंज, मेंहनगर, मिर्जापुर, जहानागंज, तरवां, पल्हना, मुहम्मदपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 3800
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — दुर्वासा आश्रम, देवल आश्रम, चन्द्रमा आश्रम, दतात्रेय आश्रम, पौहारी बाबा, आवंक, पल्हना देवी, बाराहमूर्ति, कोठिया आश्रम, हथियादह, कम्पनीबाग, उद्यान, महामंडलेश्वर
- हस्तशिल्प — काली मिट्टी के बर्तन, बनारसी रेशमी साड़ी
- प्रमुख उद्योग — चीनी, रोलिंग, खाद्य तेल, बर्फ, रेशमी साड़ी, काली मिट्टी के बर्तन चावल मिल, जनरल इंजीनियरिंग आदि

8. बलिया

- क्षेत्रफल — 2981 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3239774
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1566872
- पुरुष (जनसंख्या) — 1672902
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 17.3 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 937-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1087 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 70.9 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (बलिया, रसड़ा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (बलिया, सिकन्दरपुर, रसड़ा, बेल्थरा रोड, बांसडीह, बैरिया)
- विकासखण्डों की संख्या — 18 (रसड़ा, नगरा, सीयर, चिलहर, गड़वार, सोहांव, हनुमानगंज, दुबहड़, बेलहरी, भीमपुरा नं.1, बैरिया, मुरलीछपरा, बांसडीह, बेरुआरबारी, रेवती, मनियर, पन्दह, नवानगर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1839
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — खैराडीह, लखनेश्वरडीह, सुरहाताल, वृत्तिकूट आश्रम, भृगु आश्रम, देवीकुली धाम, परासर मुनि आश्रम, शहीद स्मारक, बसन्तप,

	बालेश्वर शिव मंदिर, असेगानाथ, ब्रह्माइन देवी मंदिर, श्रीनाथ बाबा का मठ, मखदूमइकतुद्दीन आलम की मजार, वृत्तकूट आश्रम पकड़ी, जयप्रकाश नगर, शहीद भवानी, सोनाडीह भवानी, कापिलेश्वरी, जंगली बाबा का मन्दिर, बालकदास बाबा की कुटी, सुदिष्ट बाबा का मन्दिर, डूहा बिहर (मौन बाबा), शहीद पार्क चौक, वैरिया शहीद स्मारक, सुरनापुर शहीद स्थल, शहीद मंगल पाण्डेय
• हस्तशिल्प	टिकुली, सिन्दौरा, हथकरघा, मिट्टी के बर्तन, डलिया, खाची मौनी
• औद्योगिक इकाइयाँ	28

9. मऊ

• क्षेत्रफल	1713 वर्ग किमी.
• जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	2205968
• महिलाएँ (जनसंख्या)	1091259
• पुरुष (जनसंख्या)	1114709
• जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर	18.8 प्रतिशत
• स्त्री-पुरुष अनुपात	979-1000
• जनसंख्या घनत्व	1285 प्रति वर्ग किमी.
• साक्षरता	73.1 प्रतिशत
• नगर पालिका परिषदों की संख्या	01 (मऊ)
• तहसीलों की संख्या एवं नाम	04 (मऊ, घोसी, मोहम्मदाबाद-गोहना, मधुबन)
• विकासखण्डों की संख्या	10 (परदहा, कोपागंज, घोसी, दोहरीघाट, बड़रांव, फतेहपुर, मण्डाव, रतनपुरा, मोहम्मदाबाद गोहना, रानीपुर)
• आबाद ग्रामों की संख्या	1496
• प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल	वन देवी, बेलवरी घाटी, मीर बाबा धाम

10. प्रयागराज

• क्षेत्रफल	5482 वर्ग किमी.
• जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	5954391
• महिलाएँ (जनसंख्या)	2822584
• पुरुष (जनसंख्या)	3131807
• जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर	20.71 प्रतिशत
• स्त्री-पुरुष अनुपात	901-1000
• जनसंख्या घनत्व	1086 प्रति वर्ग किमी.
• साक्षरता	72.3 प्रतिशत
• नगर निगम की संख्या	01
• तहसीलों की संख्या एवं नाम	08 (प्रयागराज सदर, फूलपुर, करछना, बारा, मेजा, कोरांव, सोरांव, हण्डिया)
• विकासखण्डों की संख्या	21 (हण्डिया, धनूपुर, प्रतापपुर, सैदाबाद, बहादुरपुर, बहरिया, फूलपुर, होलागढ़, बरांव, कौढ़िहार, मऊआइमा, सोरांव, चाका, करछना, कौंधियारा, जसरा, शंकरगढ़, कोरांव, माण्डा, मेजा, उरवा)
• आबाद ग्रामों की संख्या	2809

- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — स्वराज भवन, जवाहर प्लेनिटोरियम, भारद्वाज आश्रम, संगम, पातालपुरी मन्दिर, प्रयागराज किला, अशोक स्तम्भ, अक्षयवट, रानीमहल, शिवकुटी, आल सेन्ट्रल कैथेड्रल, प्रयागराज संग्रहालय, प्रयागराज विश्वविद्यालय, खुसरोबाग, मिन्टो पार्क, सरस्वती घाट, नेहरू पार्क, शृंगवेरपुरधाम, प्रतिष्ठानपुरी, लक्ष्यागृह, गढ़वा का किला, मनकामेश्वर मंदिर, सरस्वती कूप, अलोपीदेवी, मंदिर, बेणी माधव मंदिर, नागबासुकी मंदिर, हनुमान मंदिर, शंकर विमान मण्डपम, दुर्वासा ऋषि आश्रम आदि
- प्रमुख उद्योग — राइस मिल, दाल मिल, इलेक्ट्रानिक्स

11. फतेहपुर

- क्षेत्रफल — 4152 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2632733
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1248011
- पुरुष (जनसंख्या) — 1384722
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 14.05 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 901-1000
- जनसंख्या घनत्व — 634 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 67.4 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (फतेहपुर, बिन्दकी)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (फतेहपुर, बिन्दकी, खागा)
- विकास खण्डों की संख्या — 13 (भिटौरा, तेलियानी, हसवा, असोथर, बहुआ, मलवाँ, अमौली, खजुहा, देवमई, ऐराया, हथगाम, धाता, बिजईपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1352
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — भिटौरा, असनी, शिवराजपुर, बावनइमली
- प्रमुख उद्योग — स्टील, घागा, चमड़ा आदि।
- हस्तशिल्प — लकड़ी एवं मिट्टी के खिलौने

12. प्रतापगढ़

- क्षेत्रफल — 3717 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3209141
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1603056
- पुरुष (जनसंख्या) — 1606085
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 17.3 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 998-1000
- जनसंख्या घनत्व — 862 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 70.1 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (बेल्हा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (सदर, पट्टी, रानीगंज, कुण्डा, लालगंज)
- विकासखण्डों की संख्या — 19 (प्रतापगढ़ सदर, मान्धाता, संडा चद्रिका, लालगंज, लक्ष्मणपुर सांगीपुर, पट्टी, आसपुर देवसरा, मगरौरा, शिवगढ़, गौरा, कुण्डा, कालाकांकर, बिहार, बाबागंज, रामपुरसंग्रामगढ़, बेलखरनाथ, डेरवा, मंगापुर उदयपुर)

- आबाद ग्रामों की संख्या — 2183
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — हण्डौर, पंडवासी, अजगरा, महदहा, बारडीह, नमक सायर, कहला, रूरे, सराय नाहरराय, कालाकाँकर, बाबा घुइसरनाथ, चन्द्रिका देवी, शनिदेश, चौहर्जन देवी, बाबा बेलखरनाथ, बेल्हा देवी, ज्वालादेवी, भयहरननाथ, हैदेश्वरनाथ, अम्बेडकर पक्षी विहार।
- निजी एवं सार्वजनिक औद्योगिक इकाइयाँ — ओम अचार मुरब्बा उद्योग, प्रताप फल संरक्षण एवं मुरब्बा उद्योग, मंजू मुरब्बा उद्योग, कमला ट्रान्सफार्मर, वेस्को रबर इंडस्ट्रीज, अभय ग्रामोद्योग, सरकार फूड प्रोडक्ट्स, परमिल्स फार्मास्युटिकल्स, खण्डेलवाल रबर प्रोडक्ट्स, ममता फूड प्रोडक्ट्स, शिवम फूड प्रोडक्ट्स, खण्डेलवाल फूड प्रोडक्ट्स

13. कानपुर नगर

- क्षेत्रफल — 3155 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 4581268
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 2121462
- पुरुष (जनसंख्या) — 2459806
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 9.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 862-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1452 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 79.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (घाटमपुर, बिल्हौर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (सदर, बिल्हौर, घाटमपुर)
- विकासखण्डों की संख्या — 10 (बिधनू, सरसौल, कल्याणपुर, पतारा, घाटमपुर, भीतरगाँव, चौबेपुर, शिवराजपुर, बिल्हौर, ककवन)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 902
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — जाजमऊ, बिठूर, मनकपुर
- प्रमुख उद्योग — चमड़ा, कालीन, सूती, रक्षा सामग्री, मशीनरी, होजरी, वस्त्र, आभूषण

14. कानपुर देहात

- क्षेत्रफल — 3021 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1796184
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 832929
- पुरुष (जनसंख्या) — 963255
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 14.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 865-1000
- जनसंख्या घनत्व — 595 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 75.8 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (झींझक, पुखरायां)

- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (अकबरपुर, भोगनीपुर, सिकन्दरा, डेरापुर, रसूलाबाद)
- विकासखण्डों की संख्या — 10 (अकबरपुर, सरवनखेड़ा, मैथा, डेरापुर, झींझक, सन्दलपुर राजपुर, अमरौधा, मलासा, रसूलाबाद)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 866
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — शुक्ल तालाब, बानेश्वर महादेव, वन चेतना केन्द्र, औनहां
- हस्तशिल्प — हाथ के पंखे, टोकरी, दरी, कंबल आदि
- प्रमुख उद्योग — साबुन, पेन्ट, वनस्पति घी, चमड़ा, मशीनरी आदि

15. इटावा

- क्षेत्रफल — 2311 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1581810
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 735954
- पुरुष (जनसंख्या) — 845856
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 18.1 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 870-1000
- जनसंख्या घनत्व — 638 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 78.4 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (भरथना, जसवन्तनगर, इटावा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (जसवन्तनगर, सैफई, इटावा, भरथना, चकरनगर)
- विकासखण्डों की संख्या — 08 (जसवन्तनगर, बदपुरा, बसरेहर, ताखा, महेवा, सैफई, भरथाना, चकनगर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 686
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — भरेह, पचनदा, मूँज, आसई, चकरनगर, टिक्सी मंदिर, कालीवान, पिलुआ
- हस्तशिल्प — हथकरघा, दरी

16. फर्रुखाबाद

- क्षेत्रफल — 2181 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1885204
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 878964
- पुरुष (जनसंख्या) — 1006240
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 20.0 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 874-1000
- जनसंख्या घनत्व — 864 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 69.0 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (फर्रुखाबाद, कायमगंज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (सदर, अमृतपुर, कायमगंज)
- विकासखण्डों की संख्या — 07 (बढ़पुर, राजेपुर, कमालगंज, मोहम्मदाबाद, नवाबगंज, शमसाबाद, कायमगंज)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 872

- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — संकिसा, कम्पिल, सिंगीरामपुर, हनुमान मंदिर, नीम करोरी, दरगाह शेखपुर
- हस्तशिल्प — जरदोजी, छपाई का फरमा
- प्रमुख उद्योग — आलू, तम्बाकू, चीनी मिल

17. कन्नौज

- क्षेत्रफल — 2093 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1656616
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 774840
- पुरुष (जनसंख्या) — 881776
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 19.37 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 879-1000
- जनसंख्या घनत्व — 792 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 72.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (कन्नौज, छिबरामऊ, गुरसहायगंज)
- विकासखण्डों की संख्या — 08 (कन्नौज, जलालाबाद, ठठिया, छिबरामऊ, सौरिख, तालग्राम, उमर्दा, हसरेन)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 688
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — खाना गौरी शंकर का शिवलिंग, हाजी शरीफ़ की दरगाह, डेगभभका, अर्द्धनारीश्वर, लाख वहोसी पक्षी विहार, पंचवटी मंदिर, विशनगढ़, किला बारादरी।
- प्रमुख उद्योग — इत्र, सेंट

18. गोरखपुर

- क्षेत्रफल — 3321 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 4440895
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 2163118
- पुरुष (जनसंख्या) — 2277777
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 17.8 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 950-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1337 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 70.8 प्रतिशत
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 07 (सदर, बाँसगाँव, चौरीचौरा, सहजनवाँ, खजनी, गोला, कैम्पियरगंज)
- विकासखण्डों की संख्या — 19 (पिपराइच, बांसगाँव, गोला, पाली, पिपरौली, सहजनवाँ, खौराबार, कौड़ीराम, गगहा, खजनी, भटहट, बेलघाट, सरदार नगर बड़हलगंज, उरुवा, ब्रह्मपुर, कौड़िया, चरगावाँ, कैम्पियरगंज)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 2937
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — कुसमही जंगल, रामगढ़ताल, चौरीचौरा, डोहरिया कलां, गोरखनाथ मंदिर, इमामबाड़ा, गीता वाटिका, गीता प्रेस
- हस्तशिल्प — हथकरघा, टेराकोटा

19. कुशीनगर

- क्षेत्रफल — 2905 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3564544
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1746489
- पुरुष (जनसंख्या) — 1818055
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 23.3 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 961-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1227 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 65.2 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (हाटा, कुशीनगर, पडरौना)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (पडरौना, कसया, हाटा, तमकुहीराज, खड्डा, कप्तानगंज)
- विकासखण्डों की संख्या — 15 (पडरौना, बिशुनपुरा, कसया, हाटा, मोतीचक, सेवरही, नेबुहानौरंगिया, कुबेरनाथ, खड्डा, दुदही, फाजिलनगर, सुकरौली, कप्तानगंज, रामकोला, तमकुहीराज)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1579
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — कुशीनगर, बुद्ध की निर्वाण स्थली, फाजिलनगर
- हस्तशिल्प — फर्नीचर, आयल स्पेलर, हथकरघा
- महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ — 897

20. देवरिया

- क्षेत्रफल — 2540 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3100946
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1563510
- पुरुष (जनसंख्या) — 1537436
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 14.2 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 1017-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1222 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 71.1 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (देवरिया, गौरा बरहज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (देवरिया, सलेमपुर, रुद्रपुर, भाटपार रानी, बरहज)
- विकासखण्डों की संख्या — 16 (गौरीबाजार, देवरिया सदर, देसई देवरिया, पथरदेवा, बैतालपुर, रामपुर कारखाना, रुद्रपुर, बरहज, भागलपुर, भटनी, बनकटा, तरकुलवा, भाटपाररानी, भलुबनी, लार, सलेमपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 2019
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — दिगधेश्वरनाथ, दुग्धेश्वरनाथ, देवरहा बाबा, परशुरामधाम

21. महराजगंज

- क्षेत्रफल — 2952 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2684703
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1302949
- पुरुष (जनसंख्या) — 1381754

- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 23.5 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 943-1000
- जनसंख्या घनत्व — 909 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 62.8 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (नौतनवां, महराजगंज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (सदर, फरेन्दा, नौतनवां, निचलौल)
- विकासखण्डों की संख्या — 12 (सदर, परतावल, फरेन्दा, पनियरा, बृजमनगंज, लक्ष्मीपुर, नौतनवा (खानपुर), निचलौल, घुघली, सिसवां, मिठौरा, धानी)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1212
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — इटइवा मन्दिर, लेहड़ा

22. चित्रकूट

- क्षेत्रफल — 3216 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 991730
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 464009
- पुरुष (जनसंख्या) — 527721
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 26.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 879-1000
- जनसंख्या घनत्व — 313 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 65.1 प्रतिशत
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 02(कर्वी, मऊ)
- विकासखण्डों की संख्या — 05 (पहाड़ी, मानिकपुर, मऊ, रामनगर, कर्वी)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 561
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — (राजापुर, तुलसी आश्रम, वाल्मीकि आश्रम, रामघाट, तुलसी स्मारक, गणेशबाग, हनुमान जी मंदिर, शबरी प्रपात, कोठी तालाब)
- नगर पालिका परिषद — 01 (कर्वी)

23. बाँदा

- क्षेत्रफल — 4408 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1799410
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 833534
- पुरुष (जनसंख्या) — 965876
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 19.8 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 863-1000
- जनसंख्या घनत्व — 403 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 66.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (बाँदा, अतर्रा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (बाँदा, अतर्रा, नरैनी, बबेरू)
- विकासखण्डों की संख्या — 08 (तिन्दवारी, जसपुरा, बड़ोखर, खुर्द, नरैनी, महुआ, बबेरू, बिसण्डा, कमासिन)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 657

- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — कालिन्जर का किला
- हस्तशिल्प — सजर पत्थर का कार्य

24. हमीरपुर

- क्षेत्रफल — 4021 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1104285
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 510748
- पुरुष (जनसंख्या) — 593537
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 11.09 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 861-1000
- जनसंख्या घनत्व — 258 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 68.8 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (हमीरपुर, मौदहा, राठ)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (हमीरपुर, मौदहा, राठ, सरीला)
- विकासखण्डों की संख्या — 07 (कुरारा, सुमेरपुर, मौदहा, मुस्करा, राठ, गौहाण्ड, सरीला)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 497
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — सिंह महेश्वर मन्दिर, चौरादेवी मंदिर, ब्रह्मानंद आश्रम, सिटी फारेस्ट, गौरइया देवी मन्दिर, मेहर मंदिर, निरंकारी आश्रम गायत्री शक्तिपीठ, खण्डेह मंदिर, सिसोला के शिव मंदिर, समाधि स्थल, दाता साइधाम, भुइयन देवी मन्दिर झलोखर
- हस्तशिल्प — खादी ग्रामोद्योग
- लघु औद्योगिक इकाइयाँ — 574

25. महोबा

- क्षेत्रफल — 3144 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 875958
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 409600
- पुरुष (जनसंख्या) — 466358
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 15.52 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 878-1000
- जनसंख्या घनत्व — 304 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 65.3 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (महोबा, चरखारी)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (महोबा, कुलपहाड़, चरखारी)
- विकासखण्डों की संख्या — 05 (कवरई, चरखारी, पनवाड़ी, जैतपुर, श्रीनगर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 435
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — चन्द्रिका देवी मन्दिर, सूर्य मन्दिर, उर्मिल डेम, खकरहा मठ, जैन तीर्थंकर, शिव ताण्डव, ऊदल चौक, कीरत ताल
- हस्तशिल्प — गौरा पत्थर, गौरिहारी
- महत्वपूर्ण निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयाँ — 679

26. झाँसी

- क्षेत्रफल — 5024 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1998603
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 941167
- पुरुष (जनसंख्या) — 1057436
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 14.5 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 890-1000
- जनसंख्या घनत्व — 398 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 75.0 प्रतिशत
- नगर निगम — 01 (झाँसी)
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 05 (बरुआसागर, मऊरानीपुर, गुरुसराय, समथर, चिरगांव)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (झांसी, मोठ, मऊरानीपुर, गरौठा, टहरौली)
- विकासखण्डों की संख्या — 08 (चिरगांव, गुरसराय, बामौर, बंगरा, बबीना, बड़ागांव, मोठ, मऊरानीपुर)
- आगाद ग्रामों की संख्या — 745
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — झांसी का किला, रानी महल, गंगाधरराव की छतरी, लक्ष्मी मंदिर, गणेश मंदिर, लक्ष्मीताल, नारायन बाग, राजकीय संग्रहालय, कौमासन का मंदिर, जराय का मठ, बरुआसागर का किला, कम्पनीबाग, स्वर्गाश्रम, बरुआसागर जलाशय, सुकवां-ढुकवा, परीछा बाँध, भसनेह जलाशय, करगुवा जी लक्ष्मीबाई पार्क।
- प्रमुख औद्योगिक इकाइयाँ — वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि. जी. निवास फर्टीलाइजर्स लि., डायमंड सीमेंट फैक्ट्री
- हस्तशिल्प — घरेलू उपयोग की वस्तुएँ आदि।

27. जालौन

- क्षेत्रफल — 4565 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1689974
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 783882
- पुरुष (जनसंख्या) — 906092
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 16.2 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 865-1000
- जनसंख्या घनत्व — 370 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 73.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 04 (कालपी, जालौन, कोंच, उरई)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (जालौन, उरई, कालपी, कोंच, माधवगढ़)
- विकासखण्डों की संख्या — 09 (एटकोच, डकोर, कुठोंद, रामपुरा, माधवगंज जालौन, कदौरा, महेवा, नदीगांव)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 942
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — अक्षरादेवी, चौरासी गुम्बद, लंका मीनार, बारा खम्भा, चन्देल दुर्ग, ताई-वाई महल, केवड़ा बाग, गांधी पार्क, व्यास मंदिर
- हस्तशिल्प — कालीन, दरी, चदरा, चटाई, हाथ कागज

28. ललितपुर

- क्षेत्रफल — 5039 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1221592
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 580581
- पुरुष (जनसंख्या) — 641011
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 24.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 906-1000
- जनसंख्या घनत्व — 242 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 63.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (ललितपुर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (ललितपुर, महरौनी, तालबेहट, मंडावरा)
- विकासखण्डों की संख्या — 06 (मंडावरा, महरौनी, बिरघा, बार, तालबेहट, जखौरा)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 691
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — देवगढ़, दयावतार, माताटीला, राजघाट
- हस्तशिल्प — सिल्क साड़ी, पीतल मूर्तिकला, पत्थर मूर्तिकला
- महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ — ग्रेनाइट (खनन उद्योग), दाल मिल, बारूद फैक्ट्री, भारत एक्सप्लोसिव

29. गोण्डा

- क्षेत्रफल — 4003 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3433919
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1646773
- पुरुष (जनसंख्या) — 1787146
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 23.1 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 922-1000
- जनसंख्या घनत्व — 851 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 58.6 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (करनैलगंज, नबाबगंज, गोण्डा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (करनैलगंज, तरबगंज, गोण्डा, मनकापुर)
- विकासखण्डों की संख्या — 16 (रुपईडीहा, कटरा बाजार, हलधरमऊ, झंझरी, पन्डरी कृपाल, इटियाथोक, मुजेंहना, बभनजोत, मनकापुर, छपिया, कर्नलगंज, परसपुर, बिल्सर, तरबगंज, वजीरगंज, नवाबगंज)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1814
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — तिर्रेमनोरमा, पसका, छपिया, पृथ्वीनाथ, सकरौरा, लकड़मण्डी अरगा, पार्वती
- हस्तशिल्प — मिट्टी के बर्तन, सूत दरी
- प्रमुख उद्योग — चीनी

30. बहराइच

- क्षेत्रफल — 5237 वर्ग किमी.

- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 3487731
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1643847
- पुरुष (जनसंख्या) 1843884
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 29.5 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 891-1000
- जनसंख्या घनत्व 697 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 49.3 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 02 (बहराइच, नानपारा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 04 (बहराइच, कैसरगंज, नानपारा, महसी)
- विकासखण्डों की संख्या 15 (चित्तौरा, कैसरगंज, जरवल, तजवापुर, महसी, हुजूरपुर, बलहा, कारी कोट, शिवपुर, मिहीपुरवा, नवाबगंज, रिसिया, पयागपुर, विशेश्वरगंज, फखरपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1360
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल दरगाह सैय्यद सालार, मसऊद गाजी, राजा सुहेलदेव मंदिर, वन्य जीव विहार (कतर्निया घाट)
- हस्तशिल्प कला कलन चित्रकारी, चिकन इम्ब्राइडरी
- लघु औद्योगिक इकाइयाँ 464

31. बलरामपुर

- क्षेत्रफल 3349 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 2148665
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1033944
- पुरुष (जनसंख्या) 1114721
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 27.74 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 927-1000
- जनसंख्या घनत्व 642 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 49.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 02 (बलरामपुर, उतरौला)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 03 (बलरामपुर, तुलसीपुर, उतरौला)
- विकासखण्डों की संख्या 09 (श्री दत्तगंज, उतरौला, गैण्डासबुजुर्ग, रेहराबाजार, बलरामपुर, तुलसीपुर, गैसड़ी, पचपेड़वा, हरैयासत धरवा)
- आबाद ग्रामों की संख्या 997
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल देवीपाटन मंदिर, तुलसीपुर, विजलेश्वरी मंदिर, बिजुलीपुर, दुःखहरणनाथ मंदिर, बाबा हुर्मतशाह का आस्ताना
- हस्तशिल्प हथकरघा, लकड़ी का कार्य

32. अयोध्या

- क्षेत्रफल 2341 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 2470996
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1211368
- पुरुष (जनसंख्या) 1259628

- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 18.3 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 980-1000
- जनसंख्या घनत्व — 962 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 68.7 प्रतिशत
- नगर निगम — 01 (अयोध्या)
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (रुदौली)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (रुदौली, सदर, मिल्कीपुर, सोहावल, बीकापुर)
- विकासखण्डों की संख्या — 11 (मसौधा, पुराबाजार, सोहावल, मयाबाजार, बीकापुर, तारून, रुदौली, मवई, हैरिंगटनगंज, अमानीगंज, मिल्कीपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1235
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — अयोध्याजी, सूरजकुण्ड, भरतकुण्ड, बिल्वहरिघाट, बहू बेगम का मकबरा, गुलाबबाड़ी, गुप्तारघाट, रत्ना गिरि मंदिर (रौनाही) कम्पनी बाग, अयोध्या के जैन मंदिर, नौगजी कब्र, मणिपर्वत देवकाली मन्दिर, मिलेट्री मन्दिर
- हस्तशिल्प — बाँस, चमड़ा
- लघु औद्योगिक इकाइयाँ — 3985

33. बाराबंकी

- क्षेत्रफल — 4402 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3260699
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1553626
- पुरुष (जनसंख्या) — 1707073
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 22.0 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 910-1000
- जनसंख्या घनत्व — 838 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 61.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (नवाबगंज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (बाराबंकी सदर, फतेहपुर, रामनगर, हैदरगढ़, रामसनेही घाट, सिरौली-गौसपुर)
- विकासखण्डों की संख्या — 17 (निन्दूरा, फतेहपुर, सूरतगंज, रामनगर, देवा, बंकी, हरख, मसौली, सिद्धौर, त्रिवेदीगंज, हैदरगढ़, दरियाबाद, बनीकोडर, महादेवा, सुबेहा, पूरेडलई, सिरौली-गौसपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1817
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — श्री लोधेश्वर महादेव, श्री औसामेश्वर महादेव, श्री कुंतेश्वर महादेव, पारिजात वृक्ष, देवाशरीफ, श्री कोटवाधाम, मझगांव शरीफ, दरगाह सैयद सालार शाह, सतरिख, बांसा शरीफ, नाग देवता, मजीठा, नागेश्वर मन्दिर
- हस्तशिल्प — मिट्टी के बर्तन व हथकरघे से निर्मित वस्त्र
- महत्त्वपूर्ण निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयाँ — इण्डियन पालीफाइबर्स लि. सोमैया आर्गेनिक केमिकल्स लि., सुगर मिल हैदरगढ़, उ.प्र. राज्य चीनी निगम, इकाई बुढ़वल

34. सुल्तानपुर

- क्षेत्रफल — 2673 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2431491
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1204842
- पुरुष (जनसंख्या) — 1226649
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 983-1000
- जनसंख्या घनत्व — 901 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 70.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (सुल्तानपुर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (सदर, लम्भुआ, जयसिंहपुर, कादीपुर)
- विकासखण्डों की संख्या एवं नाम — 14 (बल्दीराय, धनपतगंज, कुरवर, कूरेभार, दूबेपुर, मोतिगरपुर, जयसिंहपुर, कादीपुर, अखण्डनगर, दोस्तपुर, करौंदीकला, भदैया, लम्भुआ, कमेचा)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1708
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — धोपाप, विजेथुआ महावीरन, सीताकुण्ड, देवी मन्दिर लोहरामऊ
- हस्तशिल्प — बाधमण्डी
- प्रमुख उद्योग — सहकारी चीनी मिल

35. बरेली

- क्षेत्रफल — 4120 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 4448359
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 2090694
- पुरुष (जनसंख्या) — 2357665
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 22.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 887-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1080 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 58.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 04 (आँवला, नवाबगंज, बहेड़ी, फरीदपुर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (बरेली, फरीदपुर, नवाबगंज, मीरगंज, बहेड़ी, आँवला)
- विकासखण्डों की संख्या — 15 (क्यारा, बिथरीचैनपुर, मीरगंज, भोजीपुरा, फतेहगंज, नवाबगंज, भदपुरा, भुता, फरीदपुर, बहेड़ी, दमखोदा, आलमपुर, जाफराबाद, शेरगढ़, मंझगवा, रामनगर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1855
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — पुराना किला, शहीद स्मारक, खान बहादुर खान की कब्र, नज्जू खाँ का मकबरा, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, काला इमामबाड़ा
- हस्तशिल्प — फर्नीचर, मांझा, जरी, जरदोजी, सुरमा, खेल का सामान
- लघु औद्योगिक इकाइयाँ — 371

36. बदायूँ

- क्षेत्रफल — 4120 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3127621

- महिलाएँ (जनसंख्या) 1457266
- पुरुष (जनसंख्या) 1670355
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 18.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 872-1000
- जनसंख्या घनत्व 739 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 52.0 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 07 (बदायूं, ककराला, उझांनी, बिल्सी, दातागंज, बिसौली, सहसवान)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 05 (बदायूँ, सहसवान, बिल्सी, दातागंज, बिसौली)
- विकासखण्डों की संख्या 18 (उझानी, सहसवान, दहगवाँ, कादरचौक, बिनावर, दवतोरी, नाधा सालारपुर, वजीरगंज, बिसौली, आसफपुर, इस्लामनगर, जगत, म्याऊ, उसांवा, दातागंज, समरेर, अम्बियापुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1478
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल जामा मस्जिद, घंटाघर, सूरज कुण्ड, सरसोता
- महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ बान बनाना, चमड़े का कार्य, खाण्डसारी, मेंथा तेल, खराद, हथकरघा

37. पीलीभीत

- क्षेत्रफल 3686 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 2031007
- महिलाएँ (जनसंख्या) 959005
- पुरुष (जनसंख्या) 1072002
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 17.5 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 895-1000
- जनसंख्या घनत्व 539 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 61.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 03 (पूरनपुर, बीसलपुर, पीलीभीत)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 03 (पूरनपुर, बीसलपुर, सदर)
- विकासखण्डों की संख्या 08 (अमरिया, ललौरी खेड़ा, मरौरी, पूरनपुर, विलसण्डा, माधौटाण्डा, बीसलपुर, बरखेड़ा)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1295
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल गौरीशंकर का मंदिर, जामा मस्जिद, हजरतशाह जी मियाँ दरगाह, मैनाकोट, राजा वेणु का किला, देवल का मंदिर, राजा मोरध्वज का टीला, बाबा दुर्गानाथ का मंदिर, गुरुद्वारा श्री गुरुसिंह सभा छटी पातशाही, आयुर्वेदिक कॉलेज, वनौषधि, हरबेरियम फार्मेसी, हर्बल गार्डन, मैथाडिस्ट चर्च, मेन बाजार का गेट, बरेली गेट, जसवन्तरी देवी मंदिर आदि।
- हस्तशिल्प बाँसुरी

38. शाहजहाँपुर

- क्षेत्रफल 4388 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 3006538

- महिलाएँ (जनसंख्या) 1400135
- पुरुष (जनसंख्या) 1606434
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 22.0 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 872-1000
- जनसंख्या घनत्व 657 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 59.5 प्रतिशत
- नगर निगम 01 (शाहजहाँपुर)
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 03 (पुवायां, तिलहर, जलालाबाद)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 04 (शाहजहाँपुर, पुवायां, जलालाबाद, तिलहर)
- विकासखण्डों की संख्या 15 (भावलखेड़ा, ददरौला, कांठ, मदनापुर, जलालाबाद, तिलहर, जैतीपुर, खुदागंज, निगोही, पुवायां, बण्डा, खुटार, मिर्जापुर कलान, सिधौली)
- आबाद ग्रामों की संख्या 2089
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल शहीद उद्यान, वनखण्डीनाथ मन्दिर, विश्वनाथ मंदिर, बहादुर खाँ मकबरा, मुमछा आश्रम, श्रीरामचन्द्र मिशन प्रार्थना भवन, विसरात घाट, सुनहरी मजार, मजार अमर शहीद राम प्रसाद विस्मिल, स्मारक अमर शहीद रोशन सिंह, निजामशाह की दरगाह, रायसुखा निदान का फाटक, उदासियों का अखाड़ा, चौकसीनाथ, फूलमती देवी का मन्दिर, सत्संग आश्रम
- हस्तशिल्प कालीन, कारचोबी
- औद्योगिक इकाइयाँ 10,535

39. बस्ती

- क्षेत्रफल 2688 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 2464464
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1209192
- पुरुष (जनसंख्या) 1255272
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 18.2 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 963-1000
- जनसंख्या घनत्व 839 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 67.2 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 01 (बस्ती)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 04 (बस्ती, रुदौल, घौनपुर, हर्रैया)
- विकासखण्डों की संख्या 15 (परशुरामपुर, गौर, हर्रैया, विक्रमजीत, कप्तानगंज, रामनगर, सल्टौआगोपालपुर, रुधौली, साउंघाट, बस्ती सदर, बंकटी, बहादुरपुर, कुदरहा, दुलौलिया, शुभमनगर चंगरेवा बाबू)
- आबाद ग्रामों की संख्या 3158
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल छावनी बाजार, मखैड़ा, अमोढ़ा, नगर बाजार, पैडा, भेद्रेश्वरनाथ, श्रंगीनारी
- प्रमुख उद्योग गन्ना

40. सिद्धार्थनगर

- क्षेत्रफल — 2895 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2559297
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1264202
- पुरुष (जनसंख्या) — 1295093
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 25.4 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 976-1000
- जनसंख्या घनत्व — 884 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 59.2 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (सिद्धार्थनगर, बांसी)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (नौगढ़, बांसी, डुमरियागंज, इटवा, शोहरतगढ़)
- विकासखण्डों की संख्या — 14 (बांसी, बढ़नी, भनबापुर, बर्डपुर, डुमरियागंज, इटवा, जोगिया, खेसरहा, खुनियांव, मिठवल, नौगढ़, लोटन, उस्काबाजार, शोहरतगंढ़)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 2334
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — कपिलवस्तु, भारतभारी, पलटादेवी, मजार शाह अब्दुल रसूल (मीरा बाबा)

41. मिर्जापुर

- क्षेत्रफल — 4405 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2496970
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1184668
- पुरुष (जनसंख्या) — 1312302
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 20.4 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 921-1000
- जनसंख्या घनत्व — 482 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 68.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (मिर्जापुर, चुनार, अहरौरा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (मिर्जापुर, चुनार, लालगंज, मड़िहान)
- विकासखण्डों की संख्या — 12 (सीटी, कोन, छानवे, मझवां, पहाड़ी, लालगंज, हलिया, मड़िहान, नरायनपुर, जमालपुर, राजगढ़, सीखड़)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1745
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — विंध्याचल, विन्डमफाल, लखनियांदरी, सिद्धनाथ की दरी, दुर्गा मन्दिर, टांडाफाल, कुसेहरा काल, सिरसी जलाशय, चुनार किला
- हस्तशिल्प — कालीन, दरी, बर्तन

42. भदोही

- क्षेत्रफल — 1015 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1578213
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 771114

- पुरुष (जनसंख्या) 807099
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 16.6 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 950-1000
- जनसंख्या घनत्व 1555 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 69.0 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 02 (भदोही, गोपीगंज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 03 (भदोही, ज्ञानपुर, औराई)
- विकासखण्डों की संख्या 06 (सुरियावां, भदोही, ज्ञानपुर, औराई, डीघ, अमोली)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1087
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल सीतामणि, सेमराधनाथ, चकवा महावीर, तीलेश्वरनाथ, हरिहरनाथ मंदिर
- हस्तशिल्प कालीन
- महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान, दि काशी सहकारी चीनी मिल

43. सोनभद्र

- क्षेत्रफल 6905 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 1862559
- महिलाएँ (जनसंख्या) 891215
- पुरुष (जनसंख्या) 971344
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 23.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 918-1000
- जनसंख्या घनत्व 274 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 64.0 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 01 (राबर्ट्सगंज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 03 (राबर्ट्सगंज, दुद्धी, घोरावल)
- विकासखण्डों की संख्या 10 (राबर्ट्सगंज, करमा, कोन, घोरावल, चतरा, नगवां चोपन, दुद्धी, म्योरपुर, बभनी)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1391

44. मुरादाबाद

- क्षेत्रफल 2271 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 3126507
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1489476
- पुरुष (जनसंख्या) 1637031
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 26.1 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 909-1000
- जनसंख्या घनत्व 1370 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 59.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 02 (ठाकुरद्वारा, बिलारी)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 03 (मुरादाबाद, कांठ, ठाकुरद्वारा)
- नगर निगम 01 (मुरादाबाद)
- विकासखण्डों की संख्या 08 (बिलारी, डींगरपुर, ठाकुरद्वारा, डिलारी, मुरादाबाद, मुंडापाण्डे, भगतपुरटाण्डा, हजलैट)

- आबाद ग्रामों की संख्या 959
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल सम्भल
- हस्तशिल्प लकड़ी का काम, स्वर्णकारी, वस्त्र रंगाई-छपाई, लाख, कसीदाकारी, पीतल का काम, स्याह कलम तथा नक्काशी

45. बिजनौर

- क्षेत्रफल 4561 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 3682713
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1761498
- पुरुष (जनसंख्या) 1921215
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 17.64 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 917-1000
- जनसंख्या घनत्व 807 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 68.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 12 (बिजनौर, चाँदपुर, धामपुर, नगीना, नजीबाबाद, अफजलगढ़, हल्दौर, नहटौर, शेरकोट, किरतपुर, स्योहारा, नूरपुर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 05 (बिजनौर, धामपुर, नगीना, नजीबाबाद, चाँदपुर)
- विकासखण्डों की संख्या 12 (मोहम्मदपुर देवमल, बढ़ापुर, हलदौर, जलीलपुर, नूरपुर, कोतवाली, अफजलगंज, नजीबाबाद, किरतपुर, अलेहपुर, नहटौर, बूढ़नपुर स्योहारा)
- आबाद ग्रामों की संख्या 2186
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल कण्व आश्रम, बिदुरकुटी, जहानाबाद, दारानगर गंज, सीता का मंदिर, सेना का द्वार, अकबर के नौरत्न, मयूर ध्वज दुर्ग, नजीबुद्दौला का किला, भंडावर का महल, पारसनाथ, ताजपुर का चर्च, नजफे हिन्द (जोगीरामपुरा)
- हस्तशिल्प काष्ठकला, ब्रश, कांच का सामान, हथकरघा

46. रामपुर

- क्षेत्रफल 2367 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 2335819
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1111930
- पुरुष (जनसंख्या) 1223889
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 21.40 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 909-1000
- जनसंख्या घनत्व 987 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 53.3 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 05 (स्वार, रामपुर, विलासपुर, टाण्डा, मिलक)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 06 (रामपुर सदर, विलासपुर, मिलक, शाहबाद, स्वार, टाण्डा)
- विकासखण्डों की संख्या 08 (सैदनगर, पटवई, टाण्डा, चमरौआ, बिलासपुर, मिलक, शाहबाद, स्वार)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1108
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल रजा लाइब्रेरी, किला रामपुर, रठौण्डा मन्दिर, मजार भैसोड़ी शरीफ, कोठी खासबाग, बेनजीर कोठी, शिव मंदिर,

	जामा मस्जिद, मजार हाफिज जमातुल्लाह साहब, रामगंगा, कोसी, भाखड़ा, गांगन, सैजनी, पीलाखार
• महत्त्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ	चीनी, डिस्टलरी, उर्वरक, कागज, प्रिंटिंग, मैन्था एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स, जीरॉक्स, टेलीविजन, व्हीलबेल, कैमिकल्स आदि।
• हस्तशिल्प	जरी, जरदोजी, चाकू, पैचवर्क, पतंग व गार्डेन टूल्स

47. मेरठ

• क्षेत्रफल	2559 वर्ग किमी.
• जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	3443689
• महिलाएँ (जनसंख्या)	1617946
• पुरुष (जनसंख्या)	1825743
• जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर	15.8 प्रतिशत
• स्त्री-पुरुष अनुपात	886-1000
• जनसंख्या घनत्व	1330 प्रति वर्ग किमी.
• साक्षरता	72.8 प्रतिशत
• नगर निगम	01 (मेरठ)
• नगर पालिका परिषदों की संख्या	02 (सरधना, मवाना)
• तहसीलों की संख्या एवं नाम	03 (मेरठ, सरधना, मवाना)
• विकासखण्डों की संख्या	12 (मेरठ, रजपुरा, रोहटा, जानी, खरखोदा, मवाना, हस्तिनापुर परीक्षितगढ़, माछरा, सरघना, सरूरपुर, दौराला)
• आबाद ग्रामों की संख्या	604
• प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल	हस्तिनापुर, सरधना, गागोल तथा परीक्षितगढ़
• प्रमुख उद्योग	07
• हस्तशिल्प	होजरी, कैमिकल्स, कारपेट, हस्तशिल्प
• लघु औद्योगिक इकाइयाँ	1250

48. बुलन्दशहर

• क्षेत्रफल	4512 वर्ग किमी.
• जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर)	3499171
• महिलाएँ (जनसंख्या)	1653911
• पुरुष (जनसंख्या)	1845260
• जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर (1991 के अनुसार)	16.3 प्रतिशत
• स्त्री-पुरुष अनुपात	896-1000
• जनसंख्या घनत्व	804 प्रति वर्ग किमी.
• साक्षरता	68.9 प्रतिशत
• नगर पालिका परिषदों की संख्या	09 (बुलन्दशहर, खुर्जा, सिकन्द्राबाद, गुलावठी स्याना, अनूपशहर, शिकारपुर, डिवाई, जहाँगीराबाद)
• तहसीलों की संख्या एवं नाम	07 (बुलन्दशहर, अनूपशहर, सिकन्द्राबाद, खुर्जा, स्याना, शिकारपुर, डिबाई)
• विकासखण्डों की संख्या	17 (बुलन्दशहर, गुलावठी, स्याना, भवन बहादुर नगर, लखावटी, शिकारपुर, काकोड़, खुर्जा, पहासू, अरनियाँ, सिकन्द्राबाद, अनूपशहर, अगौता, जहाँगीराबाद, ऊँचागाँव, डिबाई, दानपुर)
• आबाद ग्रामों की संख्या	1174

- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — नरौरा, अनूपशहर, राजघाट, कालाआम, गुलावठी, कर्णवास, रामघाट, मालागढ़, अहार, खुर्जा आदि
- हस्तशिल्प — पाटरी उद्योग
- लघु औद्योगिक इकाइयाँ — 602

49. गाजियाबाद

- क्षेत्रफल — 910 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3343334
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1563410
- पुरुष (जनसंख्या) — 1779924
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 53.0 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 887-1000
- जनसंख्या घनत्व — 3674 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 80.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 04 (खोड़ा मकनपुर, मोदीनगर, मुरादनगर, लोनी)
- नगर निगम — 01 (गाजियाबाद)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (गाजियाबाद, मोदीनगर, लोनी)
- विकासखण्डों की संख्या — 04 (रजापुर, लोनी, भोजपुर, मुरादनगर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 192
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — केसरी का टीला, लवणासुर का किला, गढ़मुक्तेश्वर का गंगा मंदिर, पूँठ, दुधेश्वरनाथ मंदिर, गढ़ का नक्का कुआं
- लघु औद्योगिक इकाइयाँ — 1946

50. बागपत

- क्षेत्रफल — 1321 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1303048
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 602978
- पुरुष (जनसंख्या) — 700070
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 11.87 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 861-1000
- जनसंख्या घनत्व — 986 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 72.0 प्रतिशत
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (बागपत, बड़ौत, खेकड़ा)
- विकासखण्डों की संख्या — 06 (बागपत, बड़ौत, छपरौली, खेकड़ा, पिलाना, बिनौली)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 290
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — पुरा महादेव, बरनाना, वालैनी, बड़ा गाँव
- औद्योगिक इकाइयाँ — 218
- नगरपालिका परिषद — 2 (बड़ौत, बागपत)

51. लखनऊ

- क्षेत्रफल — 2528 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 4589838
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 2195362
- पुरुष (जनसंख्या) — 2394476
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 25.79 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 917-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1816 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 77.3 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 00
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (सदर, मोहनलालगंज, बख्शी का तालाब, मलिहाबाद, सरोजनी नगर)
- विकासखण्डों की संख्या — 08 (काकोरी, मलिहाबाद, बक्शी का तालाब, गोसाईगंज, सरोजिनी नगर, माल, चिनहट, मोहनलालगंज)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 803
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — आसिफुद्दौला इमामबड़ा, रेजीडेन्सी, शाहनजफ इमामबाड़ा, छतर मंजिल, लाल बारादरी, रूमी दरवाजा, विधानभवन, चारबाग रेलवे स्टेशन, शहीद स्मारक, अलीगंज महावीर मंदिर, चंद्रिका देवी मंदिर, बुद्धेश्वर शिव मंदिर, मनकामेश्वर मंदिर, खम्मनपीर मजार, सिकन्दरबाग, बेगम हजरतमहल पार्क, रोशनुद्दौला कोठी, बिजली पासी का किला, काकोरी शहीद स्मारक, लोहिया पार्क, अम्बेडकर स्मारक, अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल द्वार, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विहार, समतामूलक चौक, सामाजिक परिवर्तन गैलरी, डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मारक दृश्य स्थल, परिवर्तन चौक, डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल, सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय, मान्यवर श्री कांशीराम जी स्मारक स्थल तथा बौद्ध विहार शान्ति उपवन।
- हस्तशिल्प — चिकन, जरदोजी
- लघु औद्योगिक इकाइयाँ — 1458

52. हरदोई

- क्षेत्रफल — 5986 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 4092845
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1901403
- पुरुष (जनसंख्या) — 2191442
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 20.39 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 868-1000
- जनसंख्या घनत्व — 683 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 64.6 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 07 (हरदोई, साण्डी, बिलग्राम, शाहाबाद, पिहानी, मल्लावाँ, सण्डीला)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (हरदोई, शाहाबाद, संडीला, बिलग्राम, स्वायजपुर)
- विकासखण्डों की संख्या — 19 (सुरसा, बाबन, टड़ियावाँ, हरियावाँ, अहिरोरी, शाहाबाद, पिहानी, टोडरपुर, भरखनी, बिलग्राम, माधौगंज, मल्लावाँ, साण्डी, हरपालपुर, संडीला, भरावन, बेंहदर, कछोना, कोथावाँ)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1907
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — दहरझील, साण्डी

- महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ — 61

53. लखीमपुर खीरी

- क्षेत्रफल — 7680 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 4021243
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1898056
- पुरुष (जनसंख्या) — 2123187
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 25.14 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 894-1000
- जनसंख्या घनत्व — 524 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 60.6 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 04 (लखीमपुर, गोला, मुहम्मदी, पलिया)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (खीरी, निघासन, मोहम्मदी, धौरहरा, गोलागोकरननाथ, पलिया)
- विकासखण्डों की संख्या — 15 (लखीमपुर, बेहजम, फूलबेहड़, बाँकेगंज, नकहा, बिजुआ, मोहम्मदी, पसगवाँ, मितौली, कुम्भी (गोला), धौरहरा, ईसानगर, रमियाबेहड़, निघासन, पलिया)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1706
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — दुधवा नेशनल पार्क, इन्दिरा मनोरंजन पार्क, मेढक मन्दिर, गोला मंदिर
- हस्तशिल्प — पीतल के बर्तन

54. रायबरेली

- क्षेत्रफल — 4043 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2903507
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1408263
- पुरुष (जनसंख्या) — 1495244
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 18.51 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 942-1000
- जनसंख्या घनत्व — 721 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 68.4 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (रायबरेली)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (डलमऊ, लालगंज, महाराजगंज, सदर, ऊँचाहार, सलोन)
- विकासखण्डों की संख्या — 19 (राही, सतांव, हरचन्दपुर, अमाबा, लालगंज, सरेनी, खीरों, जगतपुर, डलमऊ, खजूर गाँव, महराजगंज, बछरावां, शिवगढ़, ऊँचाहार, दीनशाहगौरा, रोहनियाँ, डीह, छतोह, सलोन)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1573
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — जायसी स्मारक, शहीद स्मारक
- औद्योगिक इकाइयाँ — इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज, भवानी पेपर मिल, नेशनल थर्मल पावर, बिरला सीमेन्ट फैक्ट्री, स्पिनिंग मिल, विसाका सीमेन्ट उद्योग, राजश्री इण्डस्ट्रीज

55. सीतापुर

- क्षेत्रफल — 5743 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 4483992

- महिलाएँ (जनसंख्या) 2108728
- पुरुष (जनसंख्या) 2375264
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 23.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 888-1000
- जनसंख्या घनत्व 781 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 61.1 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 06 (सीतापुर, बिसवां, मिसरिख, खैराबाद, महमूदाबाद, लहरपुर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 06 (सीतापुर, बिसवां, मिसरिख, सिधौली, महमूदाबाद, लहरपुर)
- विकासखण्डों की संख्या 19 (एलिया, हरगाँव, लहरपुर, परसेन्डी, खैराबाद, बिसवां, बेहटा, रेउसा, सकरन, सिधौली, कसमण्डा, पहला, महमूदाबाद, रामपुर मथुरा, मिश्रिख, मछरेहटा, गोदलामऊ, पिसावाँ, महोली)
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल दधीचि कुंड, व्यास पीठ, नैमिषारण्य, ललिता देवी मंदिर
- हस्तशिल्प दरी का कार्य
- आबाद ग्रामों की संख्या 2317
- महत्त्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ 30

56. उन्नाव

- क्षेत्रफल 4558 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 3108367
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1478280
- पुरुष (जनसंख्या) 1630087
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 15.19 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 907-1000
- जनसंख्या घनत्व 682 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 66.4 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 03 (उन्नाव, गंगाघाट, बांगरमऊ)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 05 (उन्नाव सदर, सफीपुर, हसनगंज, पुरवा, बीघापुर)
- विकासखण्डों की संख्या 17 (सिकन्दरपुर करन, माखी, बिछिया, सफीपुर, फतेहपुर चौरासी, बांगरमऊ, गंजमुरादाबाद, हसनगंज, औरास, मियाँगंज, नवाबगंज, पुरवा, असोहा, हिलौली, बीघापुर, सिकन्दरपुर-सरोसी, सुमेरपुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1693
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल बक्सर, परियर, बदरका, सचानकोट, नवाबगंज पक्षी बिहार, राज राजेश्वरी श्री विद्या मंदिर, बाल्मीकि आश्रम, चन्द्रिका देवी, दुर्गा, कुशेहरी
- प्रमुख उद्योग चमड़ा उद्योग, राइस मिल

57. वाराणसी

- क्षेत्रफल 1535 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 3676841
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1754984
- पुरुष (जनसंख्या) 1921857
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 17.1 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 913-1000

- जनसंख्या घनत्व — 2395 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 75.6 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (रामनगर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 02 (पिण्डरा, सकलडीहा)
- विकासखण्डों की संख्या — 08 (चिरईगाँव, हरहुआ, पिण्डरा, बड़ागांव, सेवापुरी, काशी विद्यापीठ, अराजीलाइन, चोलापुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1258
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — गंगा के 84 घाट, काशी विश्वनाथ मंदिर, मारकण्डेय महादेव, सारनाथ, बौद्ध मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, रामनगर किला, संकटमोचन मन्दिर, दुर्गा मंदिर, काल भैरव मन्दिर, ज्ञानवापी मस्जिद, आलमगीर मस्जिद (बेनी माधव का करहरा) भारत माता मन्दिर।
- हस्तशिल्प — बनारसी साड़ी, लकड़ी के खिलौने, काला पंखा, ग्लास बीड्स
- महत्त्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ — डीजल रेल इंजन कारखाना, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि., सिन्नी पंखा, बूटी मिक्सी, राइस व फ्लोर मिल, एच डी पी ई बैग।

58. गाजीपुर

- क्षेत्रफल — 3377 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3620268
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1765193
- पुरुष (जनसंख्या) — 1855075
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 19.0 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 952-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1071 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 71.8 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (गाजीपुर, मुहम्मदाबाद, जमानियां)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (सैदपुर, जंगीपुर, सादात, बहादुरपुर, दिलदारनगर)
- विकासखण्डों की संख्या — 18 (गाजीपुर, देवढी, नौली, करण्डा, मरदह, बिरनों, मुहम्मदाबाद, भरावल कोल, बाराचबर, कासिमाबाद, जमानिया, रेवतीपुर, भदोहा, सैदपुर, देवकली, सादात, मनिहारी, जखनिया)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 2737
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — सैदपुर भितरी, लठिया, लार्ड कार्नवालिस का मकबरा, जलालाबाग का किला, पौहारी बाबा आश्रम कुरथा, हथियाराम मठ, भुड़कुड़ा मठ, मौनी बाबा आश्रम, गंगादास आश्रम बयेपुर, देवकली, देवल
- हस्तशिल्प — वाल हैंगिंग
- निजी तथा सार्वजनिक औद्योगिक इकाइयाँ — ओपियम फैक्ट्री, डिस्टलरी, राइस मिलें, बहादुर गंज, कताई मिल

59. जौनपुर

- क्षेत्रफल — 4038 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 4494204
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 2273739
- पुरुष (जनसंख्या) — 2220465

- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 14.9 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 1024-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1113 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 71.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (जौनपुर, मुंगरा बादशाहपुर, शाहगंज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 06 (सदर, मड़ियाहूँ, मछलीशहर, केराकत, शाहगंज, बदलापुर)
- विकासखण्डों की संख्या — 21 (शाहगंज, सुइथाकला, बदलापुर, खुटहन, महराजगंज, सुजानगंज मुंगरा, बादशाहपुर, मछलीशहर, केराकत, गंज-डोभी, मुफ्तीगंज, जलालपुर, करंजाकला, बक्शा, सिकरारा, धर्मापुर, मडियाहूँ, बरसठी, रामनगर, रामपुर, सिरकोनी)।
- आबाद ग्रामों की संख्या — 3287
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — शाही किला, शाहीपुर, अटाला मस्जिद, जामा मस्जिद, लाल दरवाजा, झझरी मस्जिद, बड़ी मस्जिद, शीतला चौकिया धाम, शारदा मंदिर हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, धर्मापुर, काली मंदिर, शिवलिंग गोमतेश्वर महादेव, गौरीशंकर मंदिर, त्रिलोचन महादेव आदि।
- प्रमुख उद्योग — कृषि यन्त्र, खाद्य तेल, राइसमिल, कालीन, ताल जाली, लोहे के समान, फ्लोर मिल

60. सहारनपुर

- क्षेत्रफल — 3689 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 3466382
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1632276
- पुरुष (जनसंख्या) — 1834106
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 19.7 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 890-1000
- जनसंख्या घनत्व — 940 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 70.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 04 (गंगोह, नकुड़, देवबन्द, सरसांवा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 05 (सहारनपुर, रामपुर मनिहारान, देवबन्द, नकुड़, बेहठ)
- विकास खण्डों की संख्या — 11 (बलियाखेड़ी, रामपुर मनिहारान, नानौता, देवबन्द, नागल, मुजफ्फराबाद, सढ़ौली कदीम, सरसाचा, नकुड़, पुवाँरका, गंगोह)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 1242
- हस्तशिल्प — काष्ठ कला, कागज, लुगदी उद्योग, गत्ता उद्योग, घंटी उद्योग

61. मुजफ्फरनगर

- क्षेत्रफल — 2796 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2829865
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1335505
- पुरुष (जनसंख्या) — 1494360
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 19.2 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 893-1000
- जनसंख्या घनत्व — 957 प्रति वर्ग किमी.

- साक्षरता — 70.2 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (मुजफ्फरनगर, खतौली)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (मुजफ्फरनगर, सानसठ, बुढ़ाना)
- विकासखण्डों की संख्या — 09 (बघरा, चरथावल, पुरकाजी, खतौली, जानसठ, मोरना, बुढ़ाना, शाहपुर, मुजफ्फर नगर)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 587
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — नेहरू पार्क, शुक्रताल
- प्रमुख उद्योग — रोलिंग, चीनी, स्टील, कागज

62. अमरोहा

- क्षेत्रफल — 2249 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1840221
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 876772
- पुरुष (जनसंख्या) — 963449
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 22.8 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 910-1000
- जनसंख्या घनत्व — 818 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 63.8 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 05 (बछराचू, हसनपुर, गजरौला, अमरोहा, घनौरा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (अमरोहा, घनौरा, हसनपुर)
- विकास खण्डों की संख्या — 08 (अमरोहा, जौया, नौगाँवा सादात, उझारी घनौरा, गजरौला, हसनपुर, गंगेश्वरी)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 959
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — वासुदेव मन्दिर, बायें का कुआँ, नसीरुद्दीन साहब की मजार, भूरेशाह की दरगाह, शाह विलायत साहब की मजार
- प्रमुख उद्योग — चड्ढा रबड़, शिवालिक सेल्लयूलोज

63. गौतमबुद्धनगर

- क्षेत्रफल — 1282 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1648115
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 757901
- पुरुष (जनसंख्या) — 890214
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 49.1 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 851-1000
- जनसंख्या घनत्व — 1143 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 80.1 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (दादरी)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (गौतमबुद्धनगर, जेवर, दादरी)
- विकासखण्डों की संख्या — 04 (वनकौर, जेवर, विसरख, दादरी)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 304
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — नोएडा फिल्म सिटी, साफ्टवेयर पार्क्स
- प्रमुख उद्योग — आटोमोबाईल, पेण्ट, ऐन्सलियरी इकाइयाँ, न्यूज चैनल्स उद्योग आदि

64. हाथरस

- क्षेत्रफल — 1840 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1564708
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 728581
- पुरुष (जनसंख्या) — 836127
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 17.19 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 871-1000
- जनसंख्या घनत्व — 850 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 71.6 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (सिकन्दराराऊ, हाथरस)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 04 (सासनी, हाथरस, सादाबाद, सिकन्दराराऊ)
- विकासखण्डों की संख्या — 07 (सासनी, सहपऊ, हाथरस, मुरसान, सादाबाद, सिकन्दराराऊ, हसायन)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 655
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — दाऊजी महाराज का मन्दिर, महाकाली मन्दिर (शाहपाउ)
- प्रमुख उद्योग — एसोफीटीडा (हींग), देशी घी, चीनी, रेडीमेड परिधान, केमिकल्स, कृत्रिम मोती, आर्टवेयर

65. औरैया

- क्षेत्रफल — 2016 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1379545
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 639505
- पुरुष (जनसंख्या) — 740040
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 16.99 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 864-1000
- जनसंख्या घनत्व — 685 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 78.9 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 01 (औरैया)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 02 (विधूना, औरैया)
- विकासखण्डों की संख्या — 07 (एरवा कटरा, विधूना, अछल्दा, सहार, अजीतमल, भाग्यनगर, औरैया)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 769
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — राष्ट्रीय चम्बल सैंक्चयूरी
- प्रमुख उद्योग — हैण्डलूम के कपड़ों का उत्पादन

66. कौशाम्बी

- क्षेत्रफल — 1779 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1599596
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 761111
- पुरुष (जनसंख्या) — 838485
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 23.60 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 908-1000
- जनसंख्या घनत्व — 898 प्रति वर्ग किमी.

- साक्षरता 61.3 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 01 (भरवारी)
- नगर पंचायतों की संख्या एवं नाम 00
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 03 (सिराथू, मंझनपुर, चायल)
- विकासखण्डों की संख्या 08 (कड़ा, सिराथू, सरसवां, मंझपुर, कौशाम्बी, मुरतगंज, चायल, नेवादा)
- आबाद ग्रामों की संख्या 729
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल शीतला शक्तिपीठ मन्दिर, प्रभासगिरि (पभोसा), महाराज उदयन के किले के अवशेष, गढ़वा कोसम, दुर्गा देवी मन्दिर (मंझनपुर), संत मलूकदास की समाधि
- प्रमुख उद्योग बालू खनन, कोल्ड स्टोरेज, ईंट-भट्टा उद्योग

67. अम्बेडकर नगर

- क्षेत्रफल 2350 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 2397888
- महिलाएँ (जनसंख्या) 1185478
- पुरुष (जनसंख्या) 1212410
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 18.0 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 978-1000
- जनसंख्या घनत्व 1018 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 72.2 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 03 (टाण्डा, अकबरपुर, जलालपुर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 05 (अकबरपुर, भीटी, टाण्डा, जलालपुर, आलापुर)
- विकासखण्डों की संख्या 10 (भीटी, अकबरपुर, कटेहरी, टाण्डा, बसखारी, रामनगर, बेवाना, जहागीरगंज, जलालपुर, भियाव)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1645
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल शिवलिंगम (बीरी), लोरपुर राजा का किला, एकलव्य स्टेडियम (बसखारी रोड), साहित्य सदन (सेथवा), शिवबाबा
- प्रमुख उद्योग टाण्डा-टेराकोटा, पावरलूम, थर्मल पावर स्टेशन (एन.टी.पी.सी.), अकबरपुर शुगर मिल, राइस मिल, अचल इण्डस्ट्री

68. श्रावस्ती

- क्षेत्रफल 1640 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 1117361
- महिलाएँ (जनसंख्या) 523464
- पुरुष (जनसंख्या) 593897
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 30.6 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 881-1000
- जनसंख्या घनत्व 601 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 46.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 01 (भिनगा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 02 (भिनगा, इकौना)
- विकासखण्डों की संख्या 06 (जमुनहा, गिलौला, इकौना, हरिहरपुर रानी, सिरसिया, लक्ष्मणपुर बाजार)
- आबाद ग्रामों की संख्या 506

- गैर आबाद ग्रामों की संख्या 32
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल जेतवन, मोनेस्ट्री, बुद्ध विहार, महामंगोल मन्दिर, महावीर मन्दिर, सहेत-महेत, शक्तिपीठ
- प्रमुख उद्योग कृषि तथा पर्यटन उद्योग

69. सन्त कबीर नगर

- क्षेत्रफल 1646 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 1715183
- महिलाएँ (जनसंख्या) 845527
- पुरुष (जनसंख्या) 869656
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 20.71 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 973-1000
- जनसंख्या घनत्व 1037 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 66.7 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 01 (खलीलाबाद)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 03 (खलीलाबाद, मेंहदावल, घनघटा)
- विकासखण्डों की संख्या 09 (सेमरियांवा, मेहदावल, वघौली, खलीलाबाद, नाथनगर, हेसरबाजार, सांथा, बेलहरकला, पौली)
- आबाद ग्रामों की संख्या 1582
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल तामा, बखीरा, खलीलाबाद और कबीर निर्वाण स्थली मगहर
- प्रमुख उद्योग पेपर मिल, रिफाइण्ड तेल, काटन टेक्सटाइल, पाटरी, कन्फेक्शनरी, बढ़ईगिरी, ब्रासवेयर, ईंट, एग्रो-उत्पाद, साबुन, मोमबत्ती, खाण्डसारी आदि

70. चंदौली

- क्षेत्रफल 2541 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 1952756
- महिलाएँ (जनसंख्या) 934851
- पुरुष (जनसंख्या) 1017905
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 18.1 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 918-1000
- जनसंख्या घनत्व 770 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 71.5 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 01 (दीनदयाल उपाध्याय नगर)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 03 (सकलडीहा, चन्दौली, चाकिया)
- विकासखण्डों की संख्या 09 (चहनिया, घानपुर, सकलडीहा, नियामाबाद, चन्दौली, बरहनी चकिया, सहाबगंज, नौगढ़)
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल छहानिया, नवगढ़ के जंगल, जल प्रपात, राजदारी एवं देवदारी जल प्रपात, चकिया, चन्द्र प्रभा डैम, नवगढ़ डैम, अर्वताण्ड जल प्रपात एवं चन्द्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सैंक्चयूरी
- प्रमुख उद्योग राइस मिल, लकड़ी उद्योग एवं जंगल उत्पाद आधारित उद्योग
- आबाद ग्रामों की संख्या 1428

71. कासगंज

- क्षेत्रफल 1955 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 1436719
- महिलाएँ (जनसंख्या) 672554
- पुरुष (जनसंख्या) 764165
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 17.05 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 881-1000
- जनसंख्या घनत्व 725 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 61.0 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 03 (कासगंज, सोरों, गंज डुडवारा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 03 (कासगंज, पटियाली, सहावर)
- विकासखण्डों की संख्या एवं नाम 07 (सोरों, सहावर, पटियाली, कासगंज, गंजडुण्डुवारा, सिढ़पुरा, अमापुर)
- आबाद ग्रामों की संख्या 649
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल भगवान वराह मन्दिर, जामा मस्जिद, नदरई का पुल, प्रभु का पार्क, चामुण्डा मन्दिर आदि
- हस्तशिल्प खादी वस्त्र, घुंघरू घंटी, कांचमूंगा, मोती, मूंगबान
- प्रमुख उद्योग कृषि उत्पाद हेतु शीतगृह, सीमेण्ट कारखाना, राइस मिल, कालीन कारखाना, दुग्ध प्लांट, ईंट भट्टा एवं बेकरी आदि

72. अमेठी

- क्षेत्रफल 2329 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 1867678
- महिलाएँ (जनसंख्या) 922443
- पुरुष (जनसंख्या) 945235
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर 18.42 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात 976-1000
- जनसंख्या घनत्व 610 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता 64.3 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या 02 (जायस, गौरीगंज)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम 04 (मुसाफिरखाना, अमेठी, गौरीगंज, तिलोई)
- विकासखण्डों की संख्या एवं नाम 13 (मुसाफिरखाना, अमेठी, गौरीगंज, तिलोई, जगदीशपुर, शुकुलबाजार, भादर, भेटुआ, संग्रामपुर, शाहगढ, जामों, बहादुरपुर, सिंहपुर)
- ग्रामों की संख्या 976
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल मलिक मुहम्मद जायसी की मजार, टीकरमाफी आश्रम, कालिकन धाम, सत्थिन, अहोरवन भवानी
- प्रमुख उद्योग ए.सी.सी. सीमेन्ट फैक्ट्री, भेल, इण्डोगल्फ, एच.ए.एल. गैस प्लान्ट

73. शामली

- क्षेत्रफल 1212 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) 1313647
- महिलाएँ (जनसंख्या) 614259
- पुरुष (जनसंख्या) 699388
- तहसीलों की संख्या 02 (कैराना, शामली)

- विकासखण्डों की संख्या — 05 (ऊन, थाना भवन, शामली, कैराना, कांधला (आंशिक)
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (कैराना, कांधला, शामली)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 281
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — हनुमान टीला, जैन मन्दिर (जलालाबाद), गुरुद्वारा (शामली), पीर बिडौली (झिंझाना), कर्ण का तालाब (कैराना)

74. हापुड़

- क्षेत्रफल — 660 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 1338311
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 629401
- पुरुष (जनसंख्या) — 708910
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 18.5
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 888-1000
- जनसंख्या घनत्व — 2028 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 71.2 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 02 (गढ़मुक्तेश्वर, पिलखुवा)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (हापुड़, गढ़मुक्तेश्वर, धौलाना)
- विकासखण्डों की संख्या एवं नाम — 04 (हापुड़, सिम्भावली, गढ़मुक्तेश्वर, धौलाना)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 329
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — चण्डी मन्दिर, दुग्धेश्वरनाथ मन्दिर, सपनावत साईं मन्दिर

75. संभल

- क्षेत्रफल — 2453 वर्ग किमी.
- जनसंख्या (2011 की जनगणना के आधार पर) — 2199774
- महिलाएँ (जनसंख्या) — 1039728
- पुरुष (जनसंख्या) — 1160046
- जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर — 18.5 प्रतिशत
- स्त्री-पुरुष अनुपात — 888-1000
- जनसंख्या घनत्व — 2028 प्रति वर्ग किमी.
- साक्षरता — 71.2 प्रतिशत
- नगर पालिका परिषदों की संख्या — 03 (चन्दौसी, सम्भल, बहजोई)
- तहसीलों की संख्या एवं नाम — 03 (संभल, चन्दौसी, गुन्नौर)
- विकासखण्डों की संख्या एवं नाम — 08 (रजपुरा, गुन्नौर, जूनावई, असमौली, संभल, पवासा, बनियाखेड़ा, बहजोई)
- आबाद ग्रामों की संख्या — 893
- प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थल — सूर्यकुण्ड, कुरुक्षेत्र, यमतीर्थ, कल्किमन्दिर, शाही मस्जिद, चक्की-पाट
- प्रमुख उद्योग — मैंथा, हड्डी-सींग, कृषियन्त्र, हैण्डीक्राफ्ट, चाँदी का वरक

स्रोतः 1. सांख्यिकीय डायरी- 2018

2. जनपदीय सांख्यिकी पत्रिका 2017 - अर्थ एवं संख्या प्रभाग

भारत के राष्ट्रपति

क्रम	नाम	कार्यकाल		
1.	डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद (1884-1963)	26 जनवरी, 1950	से	13 मई, 1962
2.	डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन् (1888-1975)	13 मई, 1962	से	13 मई, 1967
3.	डॉ0 जाकिर हुसैन (1897-1969)	13 मई, 1967	से	03 मई, 1969
4.	श्री वराहगिरि वेंकट गिरि (1894-1980) (कार्यवाहक)	3 मई, 1969	से	20 जुलाई, 1969
5.	न्यायमूर्ति मुहम्मद हिदायतुल्लाह (1905-1992) (कार्यवाहक)	20 जुलाई, 1969	से	24 अगस्त, 1969
6.	श्री वराहगिरि वेंकट गिरि (1894-1980)	24 अगस्त, 1969	से	24 अगस्त, 1974
7.	डॉ. फखरुद्दीन अली अहमद (1905-1977)	24 अगस्त, 1974	से	11 फरवरी, 1977
8.	श्री बी0डी0 जत्ती (1912-2002) (कार्यवाहक)	11 फरवरी, 1977	से	25 जुलाई, 1977
9.	श्री नीलम संजीव रेड्डी (1913-1996)	25 जुलाई, 1977	से	25 जुलाई, 1982
10.	श्री ज्ञानी जैल सिंह (1916-1994)	25 जुलाई, 1982	से	25 जुलाई, 1987
11.	श्री आर0 वेंकटरामन (1910-2009)	25 जुलाई, 1987	से	25 जुलाई, 1992
12.	डॉ0 शंकर दयाल शर्मा (1918-1999)	25 जुलाई, 1992	से	25 जुलाई, 1997
13.	डॉ0 के0 आर0 नारायणन (1920-2005)	25 जुलाई, 1997	से	25 जुलाई, 2002
14.	डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम (1931-2015)	25 जुलाई, 2002	से	25 जुलाई, 2007
15.	श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल (जन्म 1934)	25 जुलाई, 2007	से	25 जुलाई, 2012
16.	श्री प्रणब मुखर्जी (जन्म 1935)	25 जुलाई, 2012	से	25 जुलाई, 2017
17.	श्री राम नाथ कोविन्द (जन्म 1945)	25 जुलाई, 2017	से	वर्तमान तक

स्रोत : presidentofindia.nic.in/profile-hi.htm

भारत के उपराष्ट्रपति

क्रम	नाम	कार्यकाल
1.	डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन् (1888-1975)	13 मई, 1952 से 12 मई, 1962
2.	डॉ0 जाकिर हुसैन (1897-1969)	13 मई, 1962 से 12 मई, 1967
3.	श्री वी0वी0 गिरि (1894-1980)	13 मई, 1967 से 03 मई, 1969
4.	श्री गोपाल स्वरूप पाठक (1896-1982)	31 अगस्त, 1969 से 30 अगस्त, 1974
5.	श्री बी0 डी0 जत्ती (1912-2002)	31 अगस्त, 1974 से 30 अगस्त, 1979
6.	न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्लाह (1905-1992)	31 अगस्त, 1979 से 30 अगस्त, 1984
7.	श्री आर0 वेंकटरमन (1910-2009)	31 अगस्त, 1984 से 24 जुलाई, 1987
8.	डॉ0 शंकर दयाल शर्मा (1918-1999)	3 सितम्बर, 1987 से 24 जुलाई, 1992
9.	श्री के0 आर0 नारायणन (1920-2005)	21 अगस्त, 1992 से 24 जुलाई, 1997
10.	श्री कृष्णकांत (1927-2002)	21 अगस्त, 1997 से 21 जुलाई, 2002
11.	श्री भैरों सिंह शेखावत (1923-2010)	19 अगस्त, 2002 से 21 जुलाई, 2007
12.	मोहम्मद हामिद अंसारी (जन्म, 1937)	11 अगस्त, 2007 से 10 अगस्त, 2017
13.	श्री एम0 वेंकैया नायडु (जन्म, 1949)	11 अगस्त, 2017 से वर्तमान में

स्रोत : vicepresidentofindia.nic.in/hi/profile

भारत के प्रधानमंत्री

क्रम	नाम	कार्यकाल		
1.	पं. जवाहर लाल नेहरू (1889-1964)	15 अगस्त, 1947	से	27 मई 1964
2.	श्री गुलजारी लाल नंदा (1898-1998) (कार्यवाहक)	27 मई, 1964	से	9 जून, 1964
3.	श्री लाल बहादुर शास्त्री (1904-1966)	9 जून, 1964	से	11 जनवरी, 1966
4.	श्री गुलजारी लाल नंदा (1898-1998) (कार्यवाहक)	11 जनवरी, 1966	से	24 जनवरी, 1966
5.	श्रीमती इंदिरा गांधी (1917-1984)	24 जनवरी, 1966	से	24 मार्च, 1977
6.	श्री मोरारजी देसाई (1896-1995)	24 मार्च, 1977	से	28 जुलाई, 1979
7.	चौ0 चरण सिंह (1902-1987)	28 जुलाई, 1979	से	14 जनवरी, 1980
8.	श्रीमती इंदिरा गांधी (1917-1984)	14 जनवरी, 1980	से	31 अक्टूबर, 1984
9.	श्री राजीव गांधी (1944-1991)	31 अक्टूबर, 1984	से	2 दिसम्बर, 1989
10.	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (1931-2008)	2 दिसम्बर, 1989	से	10 नवम्बर, 1990
11.	श्री चन्द्रशेखर (1927-2007)	10 नवम्बर, 1990	से	21 जून, 1991
12.	श्री पी0वी0 नरसिम्हा राव (1921-2004)	21 जून, 1991	से	16 मई, 1996
13.	श्री अटल बिहारी वाजपेयी (1924-2018)	16 मई, 1996	से	1 जून, 1996
14.	श्री एच0 डी0 देवेगौड़ा (जन्म- 1933)	1 जून, 1996	से	21 अप्रैल, 1997
15.	श्री इन्द्र कुमार गुजराल (1919-2012)	21 अप्रैल 1997	से	19 मार्च 1998
16.	श्री अटल बिहारी वाजपेयी (1924-2018)	19 मार्च 1998	से	22 मई, 2004
17.	डॉ0 मनमोहन सिंह (जन्म- 1932)	22 मई, 2004	से	26 मई, 2014
18.	श्री नरेन्द्र मोदी (जन्म- 1950)	26 मई, 2014	से	वर्तमान तक

स्रोत : pmindia.gov.in/hi/अपने प्रधानमंत्री को जाने

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल

क्र.सं.	नाम	कार्यकाल		
1.	श्रीमती सरोजिनी नायडू	15 अगस्त, 1947	से	02 मार्च, 1949
2.	न्यायमूर्ति श्री बी.बी. मलिक	03 मार्च, 1949	से	01 मई, 1949
3.	श्री एच.पी. मोदी	02 मई, 1949	से	25 जनवरी, 1950
4.	श्री एच.पी. मोदी	26 जनवरी, 1950	से	01 जून, 1952
5.	डॉ. कन्हैया लाल मानिक लाल मुन्शी	02 जून, 1952	से	09 जून, 1957
6.	श्री वराह गिरि वेंकट गिरि	10 जून, 1957	से	30 जून 1960
7.	डॉ. बी. रामाकृष्णा राव	01 जुलाई, 1960	से	15 अप्रैल, 1962
8.	श्री विश्वनाथ दास	16 अप्रैल, 1962	से	30 अप्रैल 1967
9.	डॉ. बेजवाड़ा गोपाला रेड्डी	01 मई, 1967	से	30 जून 1972
10.	न्यायमूर्ति श्री शशी कान्त वर्मा	01 जुलाई, 1972	से	13 नवम्बर 1972
11.	श्री अकबर अली खान	14 नवम्बर, 1972	से	24 अक्टूबर 1974
12.	डॉ. मारी चेन्ना रेड्डी	25 अक्टूबर, 1974	से	01 अक्टूबर, 1977
13.	श्री गनपत राव देवजी तपासे	02 अक्टूबर, 1977	से	27 फरवरी 1980
14.	श्री सी. पी. एन. सिंह	28 फरवरी, 1980	से	31 मार्च, 1985
15.	श्री मो. उस्मान आरिफ	31 मार्च, 1985	से	11 फरवरी, 1990
16.	श्री बी. सत्यनारायण रेड्डी	12 फरवरी, 1990	से	25 मई, 1993
17.	श्री मोती लाल वोरा	25 मई, 1993	से	03 मई, 1996
18.	श्री मोहम्मद शफी कुरैशी	03 मई, 1996	से	19 जुलाई, 1996
19.	श्री रोमेश भण्डारी	19 जुलाई, 1996	से	17 मार्च, 1998
20.	श्री मोहम्मद शफी कुरैशी	17 मार्च, 1998	से	19 अप्रैल, 1998
21.	श्री सूरज भान	20 अप्रैल, 1998	से	23 नवम्बर, 2000
22.	श्री विष्णुकान्त शास्त्री	24 नवम्बर, 2000	से	02 जुलाई, 2004
23.	श्री सुदर्शन अग्रवाल	03 जुलाई, 2004	से	07 जुलाई, 2004
24.	श्री टी.वी. राजेस्वर	08 जुलाई, 2004	से	27 जुलाई, 2009
25.	श्री बी.एल. जोशी	28 जुलाई, 2009	से	23 जून, 2014
26.	डॉ. अज़ीज़ कुरैशी	23 जून, 2014	से	22 जुलाई, 2014
27.	श्री राम नाईक	22 जुलाई, 2014	से	28 जुलाई, 2019
28.	श्रीमती आनंदीबेन मफतभाई पटेल	29 जुलाई, 2019	से	वर्तमान में

स्रोत : राजभवन, लखनऊ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री

क्र.सं.	नाम	कार्यकाल		
1.	पं. गोविन्द वल्लभ पंत	01-04-1946	से	27-12-1954
2.	डॉ. सम्पूर्णानन्द	28-12-1954	से	06-12-1960
3.	श्री चन्द्रभानु गुप्त	07-12-1960	से	01-10-1963
4.	श्रीमती सुचेता कृपलानी	02-10-1963	से	13-03-1967
5.	श्री चन्द्रभानु गुप्त	14-03-1967	से	02-04-1967
6.	चौधरी चरण सिंह	03-04-1967	से	25-02-1968
	राष्ट्रपति शासन	**25-02-1968**	**से**	**25-02-1969**
7.	श्री चन्द्रभानु गुप्त	26-02-1969	से	17-02-1970
8.	चौधरी चरण सिंह	17-02-1970	से	01-10-1970
	राष्ट्रपति शासन	**02-10-1970**	**से**	**18-10-1970**
9.	श्री त्रिभुवन नारायण सिंह	18-10-1970	से	04-04-1971
10.	श्री कमलापति त्रिपाठी	04-04-1971	से	12-06-1973
	राष्ट्रपति शासन	**13-06-1973**	**से**	**08-11-1973**
11.	श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा	08-11-1973	से	30-11-1975
	राष्ट्रपति शासन	**30-11-1975**	**से**	**21-01-1976**
12.	श्री नारायण दत्त तिवारी	21-01-1976	से	30-04-1977
	राष्ट्रपति शासन	**30-04-1977**	**से**	**22-06-1977**
13.	श्री रामनरेश यादव	23-06-1977	से	28-02-1979
14.	श्री बनारसी दास	28-02-1979	से	17-02-1980
	राष्ट्रपति शासन	**17-02-1980**	**से**	**09-06-1980**
15.	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह	09-06-1980	से	19-07-1982
16.	श्री श्रीपति मिश्र	19-07-1982	से	03-08-1984
17.	श्री नारायण दत्त तिवारी	03-08-1984	से	10-03-1985
18.	श्री नारायण दत्त तिवारी	11-03-1985	से	23-09-1985
19.	श्री वीर बहादुर सिंह	24-09-1985	से	24-06-1988
20.	श्री नारायण दत्त तिवारी	25-06-1988	से	05-12-1989
21.	श्री मुलायम सिंह यादव	05-12-1989	से	24-06-1991

22. श्री कल्याण सिंह	24-06-1991	से	06-12-1992
राष्ट्रपति शासन	**06-12-1992**	**से**	**04-12-1993**
23. श्री मुलायम सिंह यादव	04-12-1993	से	03-06-1995 (अपरान्ह)
24. सुश्री मायावती	03-06-1995	से	17-10-1995
राष्ट्रपति शासन	**18-10-1995**	**से**	**17-10-1996**
राष्ट्रपति शासन	**17-10-1996**	**से**	**21-03-1997**
25. सुश्री मायावती	21-03-1997	से	21-09-1997
26. श्री कल्याण सिंह	21-09-1997	से	12-11-1999
27. श्री रामप्रकाश गुप्त	12-11-1999	से	28-10-2000
28. श्री राजनाथ सिंह	28-10-2000	से	08-03-2002
राष्ट्रपति शासन	**08-03-2002**	**से**	**03-05-2002**
29. सुश्री मायावती	03-05-2002	से	29-08-2003
30. श्री मुलायम सिंह यादव	29-08-2003	से	13-05-2007
31. सुश्री मायावती	13-05-2007	से	14-03-2012
32. श्री अखिलेश यादव	15-03-2012	से	19-03-2017
33. श्री योगी आदित्यनाथ	19-03-2017	से	वर्तमान में

स्रोत : गोपन-1

उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष

क्र.सं.	माननीय अध्यक्ष	कार्यकाल		
1.	श्री पुरुषोत्तमदास टण्डन	31-07-1937	से	10-08-1950
2.	श्री नफीसुल हसन	21-12-1950	से	19-05-1952
3.	श्री आत्माराम गोविन्द खेर	20-05-1952	से	10-04-1957
4.	श्री आत्माराम गोविन्द खेर	10-04-1957	से	26-03-1962
5.	श्री मदन मोहन वर्मा	26-03-1962	से	16-03-1967
6.	श्री जगदीश शरण अग्रवाल	17-03-1967	से	16-03-1969
7.	श्री आत्माराम गोविन्द खेर	17-03-1969	से	18-03-1974
8.	श्री वासुदेव सिंह	18-03-1974	से	12-07-1977
9.	श्री बनारसी दास	12-07-1977	से	26-02-1979
10.	श्री श्रीपति मिश्र	07-07-1980	से	18-07-1982
11.	श्री धरम सिंह	25-08-1982	से	15-03-1985
12.	श्री नियाज हसन	15-03-1985	से	09-01-1990
13.	श्री हरि किशन श्रीवास्तव	09-01-1990	से	30-07-1991
14.	श्री केशरी नाथ त्रिपाठी	30-07-1991	से	15-12-1993
15.	श्री धनीराम वर्मा	15-12-1993	से	20-06-1995
16.	श्री बरखू राम वर्मा	18-07-1995	से	26-03-1997
17.	श्री केशरी नाथ त्रिपाठी	27-03-1997	से	14-05-2002
18.	श्री केशरी नाथ त्रिपाठी	14-05-2002	से	19-05-2004
19.	श्री माता प्रसाद पाण्डेय	26-07-2004	से	18-05-2007
20.	श्री सुखदेव राजभर	18-05-2007	से	13-04-2012
21.	श्री माता प्रसाद पाण्डेय	13-04-2012	से	30-03-2017
22.	श्री हृदय नरायण दीक्षित	30-03-2017	से	वर्तमान में

कार्यकारी अध्यक्ष

1.	श्री जगन्नाथ प्रसाद	27-02-1979 से 17-02-1980 तक
2.	श्री यादवेन्द्र सिंह	19-07-1982 से 24-08-1982 तक
3.	श्री बरखू राम वर्मा	20-06-1995 से 17-07-1995 तक
4.	डॉ. वकार अहमद शाह	19-05-2004 से 26-07-2004 तक

* विधानसभा पुस्तकालय में शोध एवं सन्दर्भ अधिकारी द्वारा प्रमाणित।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति

क्र.सं.	नाम	कार्यकाल		
1.	श्री चन्द्र भाल	26 जनवरी, 1950	से	5 मई, 1958 तक
2.	श्री निजामुद्दीन (कार्यकारी सभापति)	6 मई, 1958	से	19 जुलाई, 1958 तक
3.	श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर	20 जुलाई, 1958	से	5 मई, 1964 तक
4.	श्री दरबारी लाल शर्मा (प्रोटेम सभापति)	6 मई 1964	से	4 अगस्त, 1964 तक
5.	श्री दरबारी लाल शर्मा	5 अगस्त, 1964	से	5 मई, 1968 तक
6.	श्री दरबारी लाल शर्मा (प्रोटेम सभापति)	6 मई, 1968	से	1 मार्च 1969 तक
7.	श्री वीरेन्द्र स्वरूप (कार्यकारी सभापति)	2 मार्च, 1969	से	14 मार्च, 1969
8.	श्री वीरेन्द्र स्वरूप	15 मार्च, 1969	से	5 मई, 1974 तक
9.	श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह (कार्यकारी सभापति)	6 मई 1974	से	10 जून, 1974 तक
10.	श्री वीरेन्द्र स्वरूप	11 जून, 1974	से	26 फरवरी, 1980 तक
11.	श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह चंदेल (प्रोटेम सभापति)	18 जून, 1980	से	5 अक्टूबर, 1980 तक
12.	श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह चंदेल	6 अक्टूबर,1980	से	5 मई, 1982 तक
13.	श्री शिव प्रसाद गुप्त (कार्यकारी सभापति)	6 मई, 1982	से	2 मार्च 1983 तक
14.	श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह चंदेल	3 मार्च, 1983	से	5 मई, 1988 तक
15.	श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित (प्रोटेम)	6 मई, 1988	से	5 अप्रैल 1989 तक
16.	श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित	6 अप्रैल, 1989	से	7 मार्च, 1990 तक
17.	श्री शिव प्रसाद गुप्त (प्रोटेम)	13 मार्च, 1990	से	8 अप्रैल, 1990 तक
18.	श्री शिव प्रसाद गुप्त (प्रोटेम)	9 अप्रैल, 1990	से	4 जुलाई, 1990 तक
19.	श्री शिव प्रसाद गुप्ता	5 जुलाई, 1990	से	6 जुलाई, 1992 तक
20.	श्री नित्यानन्द स्वामी (कार्यकारी सभापति)	7 जुलाई 1992	से	9 मई, 1996 तक
21.	श्री नित्यानन्द स्वामी (प्रोटेम सभापति)	23 मई, 1996	से	23 अप्रैल, 1997 तक
22.	श्री नित्यानन्द स्वामी	25 अप्रैल, 1997	से	8 नवम्बर, 2000 तक
23.	श्री ओमप्रकाश शर्मा (प्रोटेम सभापति)	17 नवम्बर, 2000	से	5 मई 2002 तक
24.	श्री कुँवर मानवेन्द्र सिंह (प्रोटेम सभापति)	6 मई 2002	से	2 अगस्त, 2004 तक
25.	चौ. सुखराम सिंह यादव	3 अगस्त, 2004	से	15 जनवरी, 2010 तक
26.	श्री कमला कान्त गौतम (प्रोटेम सभापति)	16 जनवरी, 2010	से	20 जनवरी, 2010 तक
27.	श्री गणेश शंकर पाण्डेय	21 जनवरी, 2010	से	15 जनवरी, 2016 तक
28.	श्री रमेश यादव	11 मार्च, 2016	से	वर्तमान तक

स्रोत : upvidhanparishad.nic.in/pithasinadhikari-sabhapati.htm

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

1.	न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोरगन	(1866-1871)
2.	न्यायमूर्ति श्री राबर्ट स्टुअर्ट	(1871-1884)
3.	न्यायमूर्ति श्री विलियम कोमर पेटहेरम	(1884-1886)
4.	न्यायमूर्ति श्री जॉन एज़	(1886-1898)
5.	न्यायमूर्ति श्री लुईस एडिन कर्शा	(1898)
6.	न्यायमूर्ति श्री आर्थर स्ट्रेची	(1898-1901)
7.	न्यायमूर्ति श्री जॉन स्टेनली	(1901-1911)
8.	न्यायमूर्ति श्री हेनरी रिचर्ड्स	(1911-1919)
9.	न्यायमूर्ति श्री एडवर्ड ग्रीमवुड मिअर्स	(1919-1932)
10.	न्यायमूर्ति श्री शाह मुहम्मद सुलेमान	(1932-1937)
11.	न्यायमूर्ति श्री जॉन गिब थॉम	(1937-1941)
12.	न्यायमूर्ति श्री इकबाल अहमद	(1941-1946)
13.	न्यायमूर्ति श्री कमलकान्त वर्मा	(1946-1947)
14.	न्यायमूर्ति श्री विधु भूषण मलिक	(1947-1955)
15.	न्यायमूर्ति श्री ओ.एच. मूथम	(1955-1961)
16.	न्यायमूर्ति श्री मनुलाल चुनिलाल देसाई	(1961-1966)
17.	न्यायमूर्ति श्री वशिष्ठ भार्गव	(25-02-1966 से 07-08-1966)
18.	न्यायमूर्ति श्री नसीरुल्लाह बेग	(1966-1967)
19.	न्यायमूर्ति श्री विद्याधर गोविन्द ओक	(1967-1971)
20.	न्यायमूर्ति श्री शशिकान्त वर्मा	(1971-1973)
21.	न्यायमूर्ति श्री धात्री शरन माथुर	(1973-1974)
22.	न्यायमूर्ति श्री कुँवर बहादुर अस्थाना	(1974-1977)
23.	न्यायमूर्ति श्री डी.एम. चन्द्रशेखर	(1977-1978)
24.	न्यायमूर्ति श्री सतीश चन्द्रा	(1978-1983)
25.	न्यायमूर्ति श्री महेश नारायण शुक्ल	(1983-1985)
26.	न्यायमूर्ति श्री हृदयनाथ सेठ	(1986)
27.	न्यायमूर्ति श्री के. जगन्नाथ शेट्टी	(1986-1987)

28.	न्यायमूर्ति श्री द्वारका नाथ झा	(1987)
29.	न्यायमूर्ति श्री अमिताव बनर्जी	(1987-1988)
30.	न्यायमूर्ति श्री ब्रह्मनाथ काटजू	(1988-1989)
31.	न्यायमूर्ति श्री बी.पी. जीवन रेड्डी	(1990-1991)
32.	न्यायमूर्ति श्री एम.के. मुखर्जी	(1991-1993)
33.	न्यायमूर्ति श्री एस.एस. सोढी	(1994-1995)
34.	न्यायमूर्ति श्री ए.एल. राव	(1995-1996)
35.	न्यायमूर्ति श्री डी.पी. मोहापात्र	(1996-1998)
36.	न्यायमूर्ति श्री एन.के. मित्रा	(1999-2000)
37.	न्यायमूर्ति श्री श्यामल कुमार सेन	(8-5-2000 से 24-11-2002)
38.	न्यायमूर्ति श्री तरुन चटर्जी	(31-1-2003 से 26-08-2004)
39.	न्यायमूर्ति श्री अजय नाथ रे	(11-1-2005 से 26-1-2007)
40.	न्यायमूर्ति श्री एच.एल. गोखले	(7-3-2007 से 8-3-2009)
41.	न्यायमूर्ति श्री चन्द्रमौलि कुमार प्रसाद	(20-3-2009 से 7-2-2010)
42.	न्यायमूर्ति फरदीनो इनासियो रिबेलो	(26-6-2010 से 30-7-2011)
43.	न्यायमूर्ति सैय्यद रफत आलम	(5-8-2011 से 7-8-2012)
44.	न्यायमूर्ति शिवा कीर्ति सिंह	(17-10-2012 से 18-9-2013)
45.	न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय यशवंत चन्द्रचूड़	(31-10-2013 से 12.05.2016)
46.	न्यायमूर्ति दिलीप बाबासाहेब भोसले	(30-07-2016 से 23-10-2018)
47.	न्यायमूर्ति गोविन्द माथुर	(14-11-2018 से वर्तमान)

स्रोत : allahabadhighcourt.in

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के सदस्य

क्र.सं.	पदाधिकारियों का नाम	पद नाम	फोन नं.
1.	श्रीमती विमला बाथम	अध्यक्ष	0522-2728670
2.	श्रीमती सुषमा सिंह	उपाध्यक्ष	7015084114
3.	श्रीमती अंजू चौधरी	उपाध्यक्ष	9935311226
4.	डॉ. प्रियंवदा तोमर	सदस्य	9968177169, 9837062424
5.	श्रीमती अनीता सिंह	सदस्य	9450611725
6.	श्रीमती सुमन चतुर्वेदी	सदस्य	9412167674, 7500003902
7.	श्रीमती इन्द्रवास सिंह	सदस्य	9415084521, 9628136580
8.	श्रीमती रश्मि जायसवाल	सदस्य	9450658655, 6392610034
9.	श्रीमती सुनीता बंसल	सदस्य	9450453831, 8416832809
10.	श्रीमती निर्मला द्विवेदी	सदस्य	9415823608
11.	श्रीमती राखी त्यागी	सदस्य	9520909331, 9412209331
12.	श्रीमती मीना चौबे	सदस्य	9453886018
13.	श्रीमती निर्मला दीक्षित	सदस्य	9837051064, 9412253817
14.	श्रीमती मीना कुमारी	सदस्य	9412275500, 9927500041
15.	डॉ. कंचन जायसवाल	सदस्य	9415505935, 8707251477
16.	श्रीमती प्रभा गुप्ता	सदस्य	9415497135, 7379231104
17.	श्रीमती पूनम कपूर	सदस्य	9935864392, 9453991287
18.	श्रीमती शशिबाला भारती	सदस्य	9450175739, 7007384469
19.	श्रीमती मनोरमा शुक्ला	सदस्य	9236435872
20.	सुश्री उषारानी गौतम	सदस्य	9838131517
21.	श्रीमती अनिता सचान	सदस्य	9793231222
22.	श्रीमती शशि मौर्या	सदस्य	9451157299, 7398146383
23.	श्रीमती कुमुद श्रीवास्तव	सदस्य	9044252520, 9935117222
24.	श्रीमती अनामिका चौधरी	सदस्य	9415214619, 9450601251
25.	श्रीमती रामसखी कठेरिया	सदस्य	9410840828
26.	श्रीमती संगीता तिवारी	सदस्य	9935453289
27.	श्रीमती अवनी सिंह	सदस्य	9917445555, 9917012222
28.	श्रीमती सुमन सिंह	सदस्य	8929645415, 7459882365

स्रोत : राज्य महिला आयोग, उ0प्र0 वेबसाइट

उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय

1. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़-202 002. (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
2. इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, सी.पी.आई. परिसर, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद, उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
3. एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा-201 313, सेक्टर-125, उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
4. बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, विद्या विहार, रायबरेली रोड, लखनऊ-226 025, उ0प्र0 (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
5. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-221 005, उ0प्र0 (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
6. बांदा यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर एण्ड टेक्नोलॉजी, बांदा-210001, उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
7. बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, रुहेलखण्ड मेडिकल कालेज कैम्पस, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली-243006, उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
8. बेनेट यूनिवर्सिटी, प्लाट न0. 8-11 टेक जोन ।।, ग्रेटर नोएडा-201301, उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
9. भातखण्डे म्यूजिक इन्स्टीट्यूट, कैसरबाग, लखनऊ-220 001 (डीम्ड विश्वविद्यालय)
10. बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, कानपुर रोड, झाँसी- 284 128 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
11. बाबू बनारसीदास वि0वि0, 55, बाबू बनारसीदास नगर, लखनऊ, उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
12. सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट आफ हायर तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ, वाराणसी-221 007 (डीम्ड विश्वविद्यालय)
13. चन्द्रशेखर आजाद विश्वविद्यालय कृषि एवं तकनीकी, नवाबगंज कानपुर- 208002 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
14. छत्रपति शाहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, कल्याणपुर, कानपुर- 208024 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
15. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ- 250 004 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
16. दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट, दयालबाग, आगरा- 282 005 उ0प्र0 (डीम्ड विश्वविद्यालय)
17. दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर- 273 009 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
18. डॉ0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम तकनीकी वि0वि0, सेक्टर-11, जानकीपुरम एक्सटेंशन योजना, लखनऊ-226 031, उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
19. डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, इलाहाबाद रोड फैजाबाद-224 001 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
20. डॉ. राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्स, विभूति खण्ड, गोमती नगर लखनऊ-226 010 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
21. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, पालीवाल पार्क, आगरा-282 002 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
22. डॉ. राममनोहर लोहिया नेशनल लॉ विश्वविद्यालय, सेक्टर डी-1, एल.डी.ए. कानपुर रोड स्कीम लखनऊ-226 012 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
23. एरा यूनिवर्सिटी, सरफराज़गंज हरदोई रोड लखनऊ-226 003 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)

24. जी.एल.ए. वि0वि0, 17 किमी0 स्टोन, एन.एच-2 दिल्ली-मथुरा रोड, पी.ओ. चौमुहान मथुरा-281 406 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
25. गलगोटियाज विश्वविद्यालय, प्लाट नं0-2, सेक्टर 17ए, यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा-201 203, जिला गौतमबुद्ध नगर उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
26. गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा जिला गौतमबुद्ध नगर-201 308 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
27. हरकोर्ट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय, कानपुर-208 002 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
28. आई.आई.एम.टी. वि0वि0, ओ पॉकेट, गंगानगर मवाना रोड मेरठ-250 001 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
29. इन्डियन वेटेरिनरी रिसर्च इन्स्टीट्यूट इज्जत नगर-243 122 उ0प्र0 (डीम्ड विश्वविद्यालय)
30. आई.एफ.टी.एम. वि0वि0, लोधीपुर राजपूत, दिल्ली रोड, मुरादाबाद-244 102 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
31. इन्टीग्रल विश्वविद्यालय, दसौली पोस्ट- बसहा, कुर्सी रोड लखनऊ-226 026 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
32. इन्वर्टिस वि0वि0, इन्वर्टिस ग्राम, बरेली लखनऊ नेशनल हाइवे-24 बरेली-243 123 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
33. जगत्गुरु रामभद्राचार्य विकलांग वि0वि0, चित्रकूट-210 204 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
34. जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
35. जे.पी. इन्स्टीट्यूट सूचना प्रौद्योगिकी ए-10 सेक्टर-62 नोएडा-201 307 उ0प्र0 (डीम्ड विश्वविद्यालय)
36. जे.पी. विश्वविद्यालय, अलीगढ़ रोड, अनूप शहर जिला- बुलन्दशहर -203 390 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
37. जे.एस. वि0वि0, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
38. ख्वाजा मुइनुद्दीन चिस्ती उर्दू, अरबी, फारसी, यूनिवर्सिटी सीतापुर-हरदोई बाइपास रोड, निकट आई.आई.एम लखनऊ-226 013 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
39. किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ-226 003 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
40. मदन मोहन मालवीय तकनीकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर-273 010 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
41. एम.जे.पी. रूहेलखंड विश्वविद्यालय, डोरीलाल अग्रवाल मार्ग, पीलीभीत बाईपास रोड, बरेली-243 006 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
42. महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी-221 002 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
43. महर्षि विश्वविद्यालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, महर्षि बाल विद्या मन्दिर एवं विश्वविद्यालय कैम्पस, सीतापुर रोड पोस्ट-ढिबुरिया लखनऊ-226 020 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
44. मंगलायतन विश्वविद्यालय, 33वां मील अलीगढ़ मथुरा हाईवे, पोस्ट-20वां, अलीगढ़-202 145 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
45. मोहम्मद अली जौहर युनिवर्सिटी, रामपुर उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
46. मोनाड विश्वविद्यालय, पी.ओ.- पिलखुआ, कसमाबाद जिला-हापुड़ - 245 101 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
47. नरेन्द्रदेव कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, नरेन्द्रनगर फैजाबाद-224 229 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
48. नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, कोटवा-जमुनीपुर, दूबवाली जिला-इलाहाबाद-221 505 उ0प्र0 (डीम्ड विश्वविद्यालय)
49. नोएडा इण्टरनेशनल युनिवर्सिटी, प्लाट नं0-1 सेक्टर 17ए, यमुना एक्सप्रेसवे गौतमबुद्ध नगर- 201 301 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)

50. राजीव गाँधी नेशनल एविएशन विश्वविद्यालय, फुर्सतगंज, जिला- रायबरेली उ0प्र0 (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
51. रामा विश्वविद्यालय, रामा सिटी, जी.टी. रोड, मन्धाना, कानपुर-209 217 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
52. रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय एन.एच.-75 निकट पहुज डैम ग्वालियर रोड झाँसी-284 003 उ0प्र0 (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
53. सैम हिग्गिनबोटोम इन्स्टीट्यूट कृषि, तकनीकी एवं विज्ञान (पूर्व में इलाहाबाद कृषि इन्स्टीट्यूट) पोस्ट आफिस कृषि इन्स्टीट्यूट रीवा रोड इलाहाबाद-211 007 उ0प्र0 (डीम्ड विश्वविद्यालय)
54. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी-221 002 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
55. संस्कृति विश्वविद्यालय, 28 किमी0 मथुरा-दिल्ली हाईवे छाता मथुरा उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
56. संतोष विश्वविद्यालय, संतोष नगर गाजियाबाद उ0प्र0 (डीम्ड विश्वविद्यालय)
57. सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं तकनीकी वि0वि0, मेरठ-250 110 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
58. शारदा विश्वविद्यालय, प्लाट नं0-32-34 नालेज पार्क-3, ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्ध नगर-201 306 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
59. शिव नादार विश्वविद्यालय, दादरी गौतमबुद्ध नगर उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
60. शोभित इन्स्टीट्यूट इंजीनियरिंग एवं तकनीकी दुल्हेरा मार्ग, रूड़की रोड, मेरठ-250 010, उ0प्र0 (डीम्ड विश्वविद्यालय)
61. शोभित विश्वविद्यालय आदर्श इन्स्टीट्यूशनल एरिया बाबू विजेन्द्र मार्ग गंगोह जिला-सहारनपुर-247 341 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
62. श्री रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, हदौरी, देवा-लखनऊ रोड, जिला-बाराबंकी उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
63. सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर-272 202 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
64. स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, सुभारतीपुरम, एन.एच.-58 दिल्ली-हरिद्वार मेरठ बाइपास रोड मेरठ-250 005 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
65. श्री वेंकटेश्वर वि0वि0 एन.एच.-24, रजबपुर, गजरौला, जे0पी0 नगर उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
66. तीर्थकर महावीर विश्वविद्यालय, एन.एच.-24, दिल्ली रोड मुरादाबाद-244 001 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
67. दि ग्लोकल विश्वविद्यालय, दिल्ली-यमुनोत्री मार्ग, अकबरपुर, मिजापुर पोल, तहसील-बेहट, सहारनपुर-247 001 उ0प्र0 (प्राइवेट विश्वविद्यालय)
68. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ-226 007 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
69. यू0पी0 किंग जार्ज यूनिवर्सिटी ऑफ डेण्टल साइन्स, लखनऊ-226 003 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
70. उ.प्र.पं.दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान, विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसन्धान संस्थान, मथुरा उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
71. उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय कैम्पस, शान्तिपुरम-(से0-एफ) फाफामऊ, इलाहाबाद-211 013 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
72. उ0प्र0 विकलांग उद्धार डॉ. शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय, मोहान रोड, लखनऊ-226 017 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
73. उ.प्र. यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, सैफई इटावा-206 130 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)
74. इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद-211 002 उ0प्र0 (केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
75. वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर-222 002 उ0प्र0 (राज्य विश्वविद्यालय)

स्रोत : ugc.ac.in

उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त

क्रम	नाम	कार्यकाल		
1.	न्यायमूर्ति श्री विश्वम्भर दयाल	14.09.1977	से	13.09.1982
2.	पद रिक्त	14.09.1982	से	09.01.1983
3.	न्यायमूर्ति श्री मिर्जा मुहम्मद मुर्तजा हुसैन	10.01.1983	से	10.01.1989
4.	पद रिक्त	11.01.1989	से	27.01.1989
5.	न्यायमूर्ति श्री कैलाश नाथ गोयल	28.01.1989	से	28.01.1995
6.	पद रिक्त	29.01.1995	से	08.02.1995
7.	न्यायमूर्ति श्री राजेश्वर सिंह	09.02.1995	से	13.01.2000
8.	पद रिक्त	14.01.2000	से	15.03.2000
9.	न्यायमूर्ति श्री सुधीर चन्द्र वर्मा	16.03.2000	से	15.03.2006
10.	न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र किशोर मेहरोत्रा	16.03.2006	से	31.01.2016
11.	न्यायमूर्ति श्री संजय मिश्रा	31.01.2016 (अपराहन) से		वर्तमान तक

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव

क्र.	नाम	आई.सी.एस./आई.ए.एस.	कब से		कब तक
1.	श्री भोलानाथ झा	आई.सी.एस.	27-03-1947	से	20-05-1949
2.	श्री भगवान सहाय	आई.सी.एस.	13-07-1949	से	20-03-1951
3.	श्री भोलानाथ झा	आई.सी.एस.	21-03-1951	से	25-02-1953
4.	श्री कालिका प्रसाद भार्गव	आई.सी.एस.	26-02-1953	से	15-08-1954
5.	श्री आदित्य नाथ झा	आई.सी.एस.	16-08-1954	से	02-03-1958
6.	श्री गोविन्द नारायण	आई.सी.एस.	03-03-1958	से	02-07-1961
7.	श्री लक्ष्मी चन्द्र जैन	आई.सी.एस.	03-07-1961	से	08-11-1962
8.	श्री रामेश्वर प्रसाद भार्गव	आई.सी.एस.	09-11-1962	से	09-01-1964
9.	श्री कौशल कुमार दास	आई.सी.एस.	10-01-1964	से	09-03-1967
10.	श्री विपिन बिहारी लाल	आई.सी.एस.	14-03-1967	से	25-11-1969
11.	श्री मुसद्दी लाल	आई.सी.एस.	26-11-1969	से	31-12-1972
12.	श्री सतीश चन्द्र	आई.सी.एस.	01-01-1973	से	13-06-1973
13.	श्री ज्ञान प्रकाश	आई.ए.एस.	17-06-1973	से	19-11-1973
14.	श्री बी.डी. सनवाल	आई.ए.एस.	30-11-1973	से	31-08-1975
15.	श्री महमूद वट्ट	आई.ए.एस.	01-09-1975	से	15-12-1976
16.	श्री कृपा नारायण	आई.ए.एस.	16-12-1976	से	31-01-1978
17.	श्री डी.के. भट्टाचार्य	आई.ए.एस.	01-02-1978	से	25-03-1980
18.	श्री आर.बी. सक्सेना	आई.ए.एस.	26-03-1980	से	21-09-1980
19.	श्री त्रिभुवन प्रसाद तिवारी	आई.ए.एस.	22-09-1980	से	30-04-1982
20.	श्री आर.पी. खोसला	आई.ए.एस.	01-05-1982	से	01-06-1983
21.	श्री एस.डी. श्रीवास्तव	आई.ए.एस.	02-06-1983	से	08-03-1984
22.	श्री गिरीश मेहरा	आई.ए.एस.	09-03-1984	से	01-12-1985
23.	श्री जे.ए. कल्याण कृष्णन्	आई.ए.एस.	02-12-1985	से	15-10-1988
24.	श्री शिरोमणि शर्मा	आई.ए.एस.	18-10-1988	से	28-12-1989
25.	श्री आर.के. भार्गव	आई.ए.एस.	28-12-1989	से	12-12-1990
26.	डॉ. वी.के. सक्सेना	आई.ए.एस.	15-12-1990	से	22-12-1992
27.	श्री टी.एस.आर. सुब्रह्मण्यन्	आई.ए.एस.	22-12-1992	से	09-08-1994

28. श्री ब्रजेन्द्र सहाय	आई.ए.एस.	09-08-1994	से	26-06-1995
29. श्री माता प्रसाद	आई.ए.एस.	26-06-1995	से	23-10-1996
30. श्री ब्रजेन्द्र सहाय	आई.ए.एस.	23-10-1996	से	31-07-1997
31. श्री रवीन्द्रशंकर माथुर	आई.ए.एस.	31-07-1997	से	02-04-1998
32. डॉ. योगेन्द्र नारायण	आई.ए.एस.	02-04-1998	से	18-10-2000
33. श्री बी.एन. तिवारी	आई.ए.एस.	01-11-2000	से	31-07-2001
34. श्री ए.पी. वर्मा	आई.ए.एस.	31-07-2001	से	23-05-2002
35. श्री डी.एस. बग्गा	आई.ए.एस.	23-05-2002	से	04-09-2003
36. श्री अखण्ड प्रताप सिंह	आई.ए.एस.	04-09-2003	से	04-12-2003
37. श्री वी.के. दीवान	आई.ए.एस.	06-12-2003	से	30-04-2004
38. श्री वी.के. मित्तल	आई.ए.एस.	30-04-2004	से	30-04-2005
39. श्रीमती नीरा यादव	आई.एस.एस.	30-04-2005	से	06-10-2005
40. श्री आर. रमणी	आई.ए.एस.	06-10-2005	से	03-04-2006
41. श्री नवीन चन्द्र बाजपेई	आई.ए.एस.	03-04-2006	से	16-03-2007
42. श्री शम्भू नाथ	आई.ए.एस.	16-03-2007	से	30-06-2007
43. श्री पी.के. मिश्र	आई.ए.एस.	01-07-2007	से	23-05-2008
44. श्री अतुल कुमार गुप्ता	आई.ए.एस.	23-05-2008	से	31-03-2011
45. श्री अनूप मिश्रा	आई.ए.एस.	31-03-2011	से	23-03-2012
46. श्री जावेद उस्मानी	आई.ए.एस.	23-03-2012	से	31-05-2014
47. श्री आलोक रंजन	आई.ए.एस.	31-05-2014	से	30-06-2016
48. श्री प्रवीर कुमार	आई.ए.एस.	30-06-2016	से	06-07-2016
49. श्री दीपक सिंघल	आई.ए.एस.	06-07-2016	से	13-09-2016
50. श्री राहुल भटनागर	आई.ए.एस.	13-09-2016	से	29-06-2017
51. श्री राजीव कुमार	आई.ए.एस.	29-06-2017	से	30-06-2018
52. श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय	आई.ए.एस.	30-06-2018	से	31-08-2019
53. श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी	आई.ए.एस.	31-08-2019	से	वर्तमान तक

स्रोत : मुख्य सचिव कार्यालय, उ. प्र.

भारत के मुख्य न्यायाधीश

नाम	कार्यकाल
1. हरिलाल जे. कानिया	26 जनवरी, 1950 - 6 नवम्बर, 1951
2. एम. पतंजलि शास्त्री	7 नवम्बर, 1951 - 3 जनवरी, 1954
3. मेहर चंद महाजन	4 जनवरी, 1954 - 22 दिसम्बर, 1954
4. बी.के. मुखर्जी	23 दिसम्बर, 1954 - 31 जनवरी, 1956
5. एस.आर. दास	1 फरवरी, 1956 - 30 सितम्बर, 1959
6. भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा	1 अक्तूबर, 1959 - 31 जनवरी, 1964
7. पी.बी. गजेंद्रगडकर	1 फरवरी, 1964 - 15 मार्च, 1966
8. ए.के. सरकार	16 मार्च, 1966 - 29 जून, 1966
9. के. सुब्बाराव	30 जून, 1966 - 11 अप्रैल, 1967
10. के.एन. वांचू	12 अप्रैल, 1967 - 24 फरवरी, 1968
11. एम. हिदायतुल्लाह	25 फरवरी, 1968 - 16 दिसम्बर, 1970
12. जे.सी. शाह	17 दिसम्बर, 1970 - 21 जनवरी, 1971
13. एस.एम. सीकरी	22 जनवरी, 1971 - 25 अप्रैल, 1973
14. ए.एन. रे	26 अप्रैल, 1973 - 28 जनवरी, 1977
15. एम.एच. बेग	29 जनवरी, 1977 - 21 फरवरी, 1978
16. वाई.वी. चंद्रचूड़	22 फरवरी, 1978 - 11 जुलाई, 1985
17. पी.एन. भगवती	12 जुलाई, 1985 - 20 दिसम्बर, 1986
18. आर.एस. पाठक	21 दिसम्बर, 1986 - 18 जून, 1989
19. ई.एस. वेंकटरमैया	19 जून, 1989 - 17 दिसम्बर, 1989
20. एस. मुखर्जी	18 दिसम्बर, 1989 - 25 सितम्बर, 1990
21. रंगनाथ मिश्र	25 सितम्बर, 1990 - 24 नवम्बर, 1991
22. के.एन. सिंह	25 नवम्बर, 1991 - 12 दिसम्बर, 1991
23. एम.एच. कानिया	13 दिसम्बर, 1991 - 17 नवम्बर, 1992
24. एल.एम. शर्मा	18 नवम्बर, 1992 - 11 फरवरी, 1993
25. एम.एन. वेंकटचलैया	12 फरवरी, 1993 - 24 अक्टूबर, 1994
26. ए.एम. अहमदी	25 अक्टूबर, 1994 - 24 मार्च, 1997
27. जे.एस. वर्मा	25 मार्च, 1997 - 17 जनवरी, 1998
28. एम.एम. पंछी	18 जनवरी, 1998 - 9 अक्टूबर, 1998
29. ए.एस. आनंद	10 अक्टूबर, 1998 - 31 अक्टूबर, 2001
30. एस.पी. भरूचा	1 नवम्बर, 2001 - 5 मई, 2002
31. बी.एन. कृपाल	6 मई, 2002 - 7 नवम्बर, 2002
32. जी.बी. पटनायक	8 नवम्बर, 2002 - 18 दिसम्बर, 2002
33. वी.एन. खरे	19 दिसम्बर, 2002 - 01 मई, 2004

34. एस. राजेन्द्र बाबू	02 मई, 2004	- 31 मई, 2004
35. आर.सी. लाहोटी	1 जून, 2004	- 31 अक्टूबर, 2005
36. वाई.के. सब्बरवाल	1 नवम्बर, 2005	- 13 जनवरी, 2007
37. के.जी. बालाकृष्णन	14 जनवरी, 2007	- 11 मई, 2010
38. एस.एच. कपाड़िया	12 मई, 2010	- 28 सितम्बर, 2012
39. अल्तमश कबीर	29 सितम्बर, 2012	- 18 जुलाई, 2013
40. पी. सदाशिवम	19 जुलाई, 2013	- 26 अप्रैल, 2014
41. आर.एम. लोढ़ा	27 अप्रैल, 2014	- 27 सितम्बर, 2014
42. एच.एल. दत्तू	28 सितम्बर, 2014	- 2 दिसम्बर, 2015
43. टी.एस. ठाकुर	3 दिसम्बर, 2015	- 3 जनवरी, 2017
44. जगदीश सिंह खेहर	4 जनवरी, 2017	- 27 अगस्त, 2017
45. दीपक मिश्रा	28 अगस्त, 2017	- 02 अक्टूबर, 2018
46. रंजन गोगोई	03 अक्टूबर, 2018	- 17 नवम्बर, 2019
47. शरद अरविन्द बोबडे	18 नवम्बर, 2019	- से वर्तमान तक

स्रोत : भारत-2019

भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त

नाम	कार्यकाल
1. सुकुमार सेन	21 मार्च, 1950 - 19 दिसम्बर, 1958
2. के.वी.के. सुंदरम	20 दिसम्बर, 1958 - 30 सितम्बर, 1967
3. एस.पी. सेन वर्मा	01 अक्टूबर, 1967 - 30 सितम्बर, 1972
4. डॉ. नगेंद्र सिंह	01 अक्टूबर, 1972 - 06 फरवरी 1973
5. टी. स्वामीनाथन	07 फरवरी, 1973 - 17 जून, 1977
6. एस.एल. शकधर	18 जून, 1977 - 17 जून 1982
7. आर.के. त्रिवेदी	18 जून, 1982 - 31 दिसम्बर, 1985
8. आर.वी.एस. पेरी शास्त्री	01 जनवरी, 1986 - 25 नवम्बर, 1990
9. श्रीमती वी.एस. रमादेवी	26 नवम्बर, 1990 - 11 दिसम्बर, 1990
10. टी.एन. शेषन	12 दिसम्बर, 1990 - 11 दिसम्बर, 1996
11. एम.एस. गिल	12 दिसम्बर, 1996 - 13 जून, 2001
12. जे.एम. लिंगदोह	14 जून, 2001 - 07 फरवरी, 2004
13. टी.एस. कृष्णामूर्ति	08 फरवरी, 2004 - 15 मई, 2005
14. बी.बी. टण्डन	16 मई, 2005 - 29 जून, 2006
15. एन. गोपालस्वामी	30 जून, 2006 - 20 अप्रैल, 2009
16. नवीन बी. चावला	21 अप्रैल, 2009 - 29 जुलाई, 2010
17. एस.वाई. कुरैशी	30 जुलाई, 2010 - 10 जून, 2012
18. वी.एस. संपत	11 जून, 2012 - 15 जनवरी, 2015
19. एच.एस. ब्रह्मा	16 जनवरी, 2015 - 18 अप्रैल, 2015
20. नसीम जैदी	19 अप्रैल, 2015 - 05 जुलाई, 2017
21. अचल कुमार जोती	06 जुलाई, 2017 - 22 जनवरी, 2018
22. ओम प्रकाश रावत	23 जनवरी, 2018 - 01 दिसम्बर, 2018
23. सुनील अरोड़ा	02 दिसम्बर, 2018 से वर्तमान तक

स्रोत : भारत-2019

संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष

क्र.	नाम	पद अवधि
1.	सर रॉस बार्कर	अक्टूबर 1926 – अगस्त 1932
2.	सर डेविड पेट्री	अगस्त 1932 – 1936
3.	सर आयरे गोर्डन	1937 – 1942
4.	सर एफ. डब्ल्यू राबर्टसन	1942 – 1947
5.	श्री एच.के. कृपलानी	1 अप्रैल 1947 – 13 जनवरी 1949
6.	श्री आर.एन. बनर्जी	14 जनवरी 1949 – 9 मई 1955
7.	श्री एन. गोविन्दराजन	10 मई 1955 – 9 दिसम्बर 1955
8.	श्री वी.एस. हेजमाड़ी	10 दिसम्बर 1955 – 9 दिसम्बर 1961
9.	श्री बी.एन. झा	11 दिसम्बर 1961 – 22 फरवरी 1967
10.	श्री के.आर. दामले	18 अप्रैल 1967 – 2 मार्च 1971
11.	श्री आर.सी.एस. सरकार	11 मई 1971 –1 फरवरी 1973
12.	डॉ. ए.आर. किदवई	5 फरवरी 1973 – 4 फरवरी 1979
13.	डॉ. एम.एल. शहारे	16 फरवरी 1979 – 16 फरवरी 1985
14.	श्री एच.के.एल. कपूर	18 फरवरी 1985 – 5 मार्च 1990
15.	श्री जे.पी. गुप्ता	5 मार्च 1990 – 2 जून 1992
16.	श्रीमती आर.एम. बाथ्यू (खरबुली)	23 सितम्बर 1992 – 23 अगस्त 1996
17.	श्री एस.जे.एस. चटवाल	23 अगस्त 1996 – 30 सितम्बर 1996
18.	श्री जे.एम. कुरैशी	30 सितम्बर 1996 – 11 दिसम्बर 1998
19.	ले.जनरल सुरिन्दर नाथ (सेवानिवृत्त)	11 दिसम्बर 1998 – 25 जून 2002
20.	श्री पी.सी. होता	25 जून 2002 – 8 सितम्बर 2003
21.	श्री माता प्रसाद	8 सितम्बर 2003 – 4 जनवरी 2005
22.	डॉ. एस.आर. हाशिम	4 जनवरी 2005 – 1 अप्रैल 2006
23.	श्री गुरबचन जगत	1 अप्रैल 2006 – 30 जून 2007
24.	श्री सुबीर दत्ता	30 जून 2007 – 16 अगस्त 2008
25.	प्रो. डी.पी. अग्रवाल	16 अगस्त 2008 – 16 अगस्त 2014
26.	श्रीमती रजनी राजदान	16 अगस्त 2014 – 22 नवम्बर 2014
27.	श्री दीपक गुप्ता	22 नवम्बर 2014 – 20 सितम्बर 2016
28.	श्रीमती अल्का सिरोही	20 सितम्बर 2016 – 3 जनवरी 2017
29.	प्रो. डेविड आर. सिम्लिह	4 जनवरी 2017 – 21 जनवरी 2018
30.	श्री विनय मित्तल	22 जनवरी 2018 – 19 जून 2018
31.	श्री अरविन्द सक्सेना (कार्यकारी)	20 जून 2018 – 28 नवम्बर 2018
32.	श्री अरविन्द सक्सेना	28 नवम्बर 2018 से अब तक

स्रोत : भारत-2019

मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

नाम	कार्यकाल
जे.के. टण्डन	1950 - 1957
मिट्ठन लाल	1957 - 1960
लक्ष्मी प्रसाद निगम	20 सितम्बर, 1960 - 1964
आर. चन्द्रा	1964
कृष्ण चन्द्र पुरी	4 अप्रैल, 1964 - फरवरी, 1967
जगमोहन लाल सिन्हा	1 मार्च, 1967 - 6 मार्च, 1967
गुरूशरण लाल श्रीवास्तव	7 मार्च, 1967 - 14 जनवरी, 1968
कुंज बिहारी लाल श्रीवास्तव	15 जनवरी, 1968 - 7 फरवरी, 1968
ओम प्रकाश त्रिवेदी	8 फरवरी, 1968 - जनवरी, 1969
विशम्भर दयाल माथुर	फरवरी, 1969 - 24 मार्च, 1969
प्रेम प्रकाश	25 मार्च, 1969 - 3 सितम्बर, 1972
कैलाश नाथ गोयल	4 सितम्बर, 1972 - फरवरी, 1978
रमेश चन्द्र देव शर्मा	मई, 1978 - फरवरी, 1981
जगदीश चन्द्र पन्त	मई, 1981 - फरवरी, 1988
अखण्ड प्रताप सिंह	18 अप्रैल, 1988 - 27 सितम्बर, 1988
जगदीश चन्द्र पन्त	28 सितम्बर, 1988 - 11 फरवरी, 1990
कल्याण कुमार बक्शी	12 फरवरी, 1990 - 20 मार्च, 1992
मोहिन्दर सिंह	21 मार्च, 1992
शैवाल कुमार मुखर्जी	1 फरवरी, 1993 - 10 मई, 1994
डा. नूर मुहम्मद	12 मई, 1994 - 6 जनवरी, 2003
रवीन्द्र सिंह	19 फरवरी, 2003 - 18 सितम्बर, 2003
विजय शर्मा	24 सितम्बर, 2003 - 13 जून, 2005
अनुज कुमार बिश्नोई	27 अक्टूबर, 2005 - 24 सितम्बर, 2009
उमेश सिन्हा	24 सितम्बर, 2009 - 04 अप्रैल, 2015
अरुण सिंघल	20 अगस्त, 2015 - 29 जुलाई, 2016
टी. वेंकटेश	30 जुलाई, 2016 - 27 मार्च, 2017
लक्कू वेंकटेश्वरलू	04 अक्टूबर, 2017 से 08 अगस्त, 2019
अजय कुमार शुक्ला	08 अगस्त, 2019 से वर्तमान तक

स्रोत : जनपद सचिवालय, लखनऊ

राज्य निर्वाचन आयुक्त

क्र.सं.	आयुक्त/अध्यक्ष का नाम	तैनाती का समय
1.	श्री आर.डी. सोनकर	24 अप्रैल 1994 से 09 दिसम्बर 1996 तक
2.	डॉ. यशपाल सिंह	10 दिसम्बर 1996 से 09 दिसम्बर 2001 तक
3.	श्री अपरमिता प्रसाद सिंह	10 दिसम्बर 2001 से 31 मई 2007 तक
4.	श्री राजेन्द्र भौनवाल	01 जून 2007 से 04 अप्रैल 2012 तक
5.	श्री सतीश कुमार अग्रवाल	11 अप्रैल, 2012 से 19 दिसम्बर 2017 तक
6.	श्री मनोज कुमार	18 जनवरी, 2018 से वर्तमान तक

स्रोत : राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त

1. मा. जावेद उस्मानी, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त
2. मा. श्री सुबेश कुमार सिंह, राज्य सूचना आयुक्त
3. मा. श्रीमती रचना पाल, राज्य सूचना आयुक्त
4. मा. श्री सुभाष चन्द्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त
5. मा. श्री हर्षवर्धन शाही, राज्य सूचना आयुक्त
6. मा. श्री अजय कुमार उप्रेती, राज्य सूचना आयुक्त
7. मा. श्रीमती किरन बाला चौधरी, राज्य सूचना आयुक्त
8. मा. श्री चन्द्र कान्त पाण्डेय, राज्य सूचना आयुक्त
9. मा. श्री प्रमोद कुमार तिवारी, राज्य सूचना आयुक्त
10. मा. श्री नरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, राज्य सूचना आयुत्त
11. मा. श्री राजीव कपूर, राज्य सूचना आयुक्त

स्रोत : upic.gov.in/index-hi.aspx

उ.प्र. के समस्त निगम/आयोगों के अध्यक्ष

क्र.स.	निगम का नाम	अध्यक्ष का नाम
1.	उ.प्र. भूमि सुधार निगम	श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी
2.	उ.प्र. स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लि.	श्री जगदीश मिश्रा
3.	उ.प्र. बीज विकास निगम	श्री अमित मोहन प्रसाद
4.	उ.प्र. अल्पसंख्यक वित्त एवं वि.नि.लि.	---
5.	उ.प्र. वक्फ़ विकास निगम लि.	---
6.	उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद	श्री दीपक कुमार
7.	उ.प्र. राज्य भण्डारण निगम	श्री मुकुट बिहारी वर्मा
8.	उ.प्र. इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि.	श्री आलोक सिन्हा
9.	यू.पी. डेस्को	श्री आलोक सिन्हा
10.	उ.प्र. जल विद्युत निगम लि.	श्री अरविन्द कुमार
11.	यू.पी. पावर कारपोरेशन लि.	श्री अरविन्द कुमार
12.	उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.	श्री अरविन्द कुमार
13.	यू.पी. पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि.	श्री अरविन्द कुमार
14.	उ.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा
15.	उ.प्र. राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि.	श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा
16.	उ.प्र. वन निगम	श्री दारा सिंह चौहान
17.	उ.प्र. राज्य हथकरघा निगम लि.	श्री रमा रमण
18.	यू.पी. स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि.	---
19.	उ.प्र. ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कम्पनी लि.	श्री देवेश चतुर्वेदी
20.	उ.प्र. पुलिस आवास निगम लि.	श्री एच.आर. शर्मा
21.	पिकप	श्री आलोक टण्डन
22.	उ.प्र. वित्तीय निगम	श्री आलोक टण्डन
23.	उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लि.	---
24.	यू.पी. स्टेट यार्न कम्पनी लि.	---
25.	उ.प्र. प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि.	श्री टी. वेंकटेश
26.	उ.प्र. लघु उद्योग निगम लि.	श्री नवनीत सहगल
27.	उ.प्र. महिला कल्याण निगम लि.	---
28.	उ.प्र. मत्स्य विकास निगम लि.	श्री रमाकान्त निशाद
29.	उ.प्र. हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लि.	श्री नवनीत सहगल
30.	उ.प्र. पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लि.	श्री बाबू राम निशाद
31.	उ.प्र. राज्य सेतु निगम लि.	श्री नितिन रमेश गोकरन
32.	उ.प्र. राजकीय निर्माण निगम लि.	श्री नितिन रमेश गोकरन
33.	उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं वि. नि. लि.	श्री लालजी प्रसाद निर्मल
34.	यू.पी. स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि.	श्री बी.एल. वर्मा
35.	उ.प्र. पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि.	---
36.	उ.प्र. (मध्य) गन्ना, बीज एवं वि. निगम लि.	---
37.	उ.प्र. (पश्चिम) गन्ना, बीज एवं विकास निगम लि.	---
38.	उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि.	श्री संजय आर. भूसरेड्डी
39.	उ.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लि.	श्री जितेन्द्र कुमार
40.	उ.प्र. राज्य सड़क परिवहन निगम	श्री राजेश कुमार सिंह

स्रोत : सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, दूसरा तल, जवाहर भवन, लखनऊ

कमांडर-इन-चीफ

नाम	कार्यकाल
1. जनरल सर रॉब, लोकार्ट	15 अगस्त, 1947 - 31 दिसम्बर, 1947
2. जनरल सर रॉय बूचर	1 जनवरी, 1948 - 14 जनवरी, 1949
3. जनरल (बाद में फील्ड मार्शल) के. एम. करियप्पा	15 जनवरी, 1949 - 14 जनवरी, 1953
4. जनरल महाराज राजेंद्र सिंहजी	15 जनवरी, 1953 - 31 मार्च, 1955

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ

नाम	कार्यकाल
1. जनरल बिपिन रावत	31 दिसम्बर, 2019 - अब तक

स्रोत : knowindia.gov.in

थलसेना अध्यक्ष

नाम	कार्यकाल
1. जनरल महाराज राजेंद्र सिंहजी	15 जनवरी, 1953 - 14 मई, 1955
2. जनरल एस.एम. श्रीनागेश	15 मई, 1955 - 7 मई, 1957
3. जनरल के.एस. तिमैया	8 मई, 1957 - 7 मई, 1961
4. जनरल पी.एन. थापर	8 मई, 1961 - 19 नवम्बर, 1962
5. जनरल जे.एन. चौधरी	20 नवम्बर, 1962 - 7 जून, 1966
6. जनरल पी.पी. कुमारमंगलम	8 जून, 1966 - 7 जून, 1969
7. फील्ड मार्शल एस.एच.एफ.जे. मानेकशॉ	8 जून, 1969 - 15 जनवरी, 1973
8. जनरल जी.जी. बेवूर	16 जनवरी, 1973 - 31 मई, 1975
9. जनरल टी.एन. रैना	1 जून, 1975 - 31 मई, 1978
10. जनरल ओ.पी. मल्होत्रा	1 जून, 1978 - 31 मई, 1981
11. जनरल के.वी. कृष्णा राव	1 जून, 1981 - 31 जुलाई, 1983
12. जनरल ए.एस. वैद्य	1 अगस्त, 1983 - 31 जनवरी, 1985
13. जनरल के. सुन्दरजी	1 फरवरी, 1985 - 31 मई, 1988
14. जनरल वी.एन. शर्मा	1 जून, 1988 - 30 जून, 1990
15. जनरल एस.एफ. रोड्रिग्स	1 जुलाई, 1990 - 30 जून, 1993
16. जनरल बी.सी. जोशी	1 जुलाई, 1993 - 19 नवम्बर, 1994
17. जनरल एस. रायचौधरी	20 नवम्बर, 1994 - 30 सितम्बर, 1997
18. जनरल वी.पी. मलिक	1 अक्टूबर, 1997 - 30 सितम्बर, 2000
19. जनरल एस. पद्मनाभन	1 अक्टूबर, 2000 - 30 सितम्बर, 2002
20. जनरल एन.सी. विज	31 दिसम्बर, 2002 - 31 जनवरी 2005
21. जनरल जे.जे. सिंह	1 फरवरी 2005 - 30 सितम्बर 2007
22. जनरल दीपक कपूर	30 सितम्बर 2007 - 30 मार्च 2010
23. जनरल वी. के. सिंह	31 मार्च 2010 - 31 मई 2012
24. जनरल बिक्रम सिंह	1 जून 2012 - 31 जुलाई 2014
25. जनरल दलबीर सिंह	1 अगस्त 2014 - 31 दिसम्बर, 2016
26. जनरल बिपिन रावत	1 जनवरी, 2017 से 31 दिसम्बर, 2019
27. जनरल एम.एम. नरवणे	31 दिसम्बर, 2019 से वर्तमान तक

स्रोत : भारत-2019

नौसेना अध्यक्ष

नाम	कार्यकाल
1. रियर एडमिरल जे. टी. एस. हाल	15 अगस्त, 1947 - 14 अगस्त, 1948
2. एडमिरल सर एडवार्ड पैरी	14 अगस्त, 1948 - 13 अक्टूबर, 1951
3. एडमिरल सर मार्क पीजे	13 अक्टूबर, 1951 - 21 जुलाई, 1955
4. वाइस एडमिरल सर स्टीफन कार्लइल	21 जुलाई, 1955 - 21 अप्रैल, 1958
5. वाइस एडमिरल आर. डी. कटारी	22 अप्रैल, 1958 - 4 जून, 1962
6. वाइस एडमिरल बी. एस. सोमन	4 जून, 1962 - 3 मार्च, 1966
7. एडमिरल ए. के. चटर्जी	3 मार्च, 1966 - 27 फरवरी, 1970
8. एडमिरल एस. एम. नंदा	28 फरवरी, 1970 - 28 फरवरी, 1973
9. एडमिरल एस. एन. कोहली	28 फरवरी, 1973 - 28 फरवरी, 1976
10. एडमिरल जे. एल. करसेटजी	29 फरवरी, 1976 - 28 फरवरी, 1979
11. एडमिरल आर. एल. परेरा	28 फरवरी, 1979 - 28 फरवरी, 1982
12. एडमिरल ओ. एस. डॉसन	28 फरवरी, 1982 - 30 नवम्बर, 1984
13. एडमिरल आर. एच. तहिलियानी	30 नवम्बर, 1984 - 30 नवम्बर, 1987
14. एडमिरल जे. जी. नादकर्णी	30 नवम्बर, 1987 - 30 नवम्बर, 1990
15. एडमिरल एल. रामदास	30 नवम्बर, 1990 - 30 सितम्बर, 1993
16. एडमिरल वी. एस. शेखावत	30 सितम्बर, 1993 - 30 सितम्बर, 1996
17. एडमिरल विष्णु भागवत	30 सितम्बर, 1996 - 30 दिसम्बर, 1998
18. एडमिरल सुशील कुमार	30 दिसम्बर, 1998 - 29 दिसम्बर, 2001
19. एडमिरल माधवेंद्र सिंह	29 दिसम्बर, 2001 - 31 जुलाई, 2004
20. एडमिरल अरुण प्रकाश	31 जुलाई, 2004 - 30 अक्टूबर, 2006
21. एडमिरल सुरीश मेहता	31 अक्टूबर, 2006 - 31 अगस्त, 2009
22. एडमिरल निर्मल वर्मा	31 अगस्त, 2009 - 31 अगस्त, 2012
23. एडमिरल डी.के. जोशी	31 अगस्त, 2012 - 16 अप्रैल, 2014
24. एडमिरल रॉबिन के. धवन	17 अप्रैल, 2014 - 31 मई, 2016
25. एडमिरल सुनील लांबा	1 जून, 2016 से - 31 मई, 2019
26. एडमिरल करमबीर सिंह	31 मई, 2019 से वर्तमान तक

स्रोत : भारत-2019

वायुसेना अध्यक्ष

नाम	कार्यकाल
1. एयर मार्शल सर थॉमस डब्ल्यू. एमहर्स्ट	15 अगस्त, 1947 - 21 फरवरी, 1950
2. एयर मार्शल सर रोनाल्ड आई. चैपमैन	22 फरवरी, 1950 - 09 दिसम्बर, 1951
3. एयर मार्शल सर जेराल्ड ई. गिब्स	10 दिसम्बर, 1951 - 31 मार्च, 1954
4. एयर मार्शल एस. मुखर्जी	01 अप्रैल, 1954, - 08 नवम्बर, 1960
5. एयर मार्शल ए. एम. इंजीनियर	01 दिसम्बर, 1960 - 31 जुलाई, 1964
6. एयर चीफ मार्शल अर्जन सिंह	01 अगस्त, 1964 - 15 जुलाई, 1969
7. एयर चीफ मार्शल पी. सी. लाल	16 जुलाई, 1969 - 15 जनवरी, 1973
8. एयर चीफ मार्शल ओ. पी. मेहरा	16 जनवरी, 1973 - 31 जनवरी, 1976
9. एयर चीफ मार्शल एच. मूलगांवकर	01 फरवरी, 1976 - 31 अगस्त, 1978
10. एयर चीफ मार्शल आई. एच. लतीफ	01 सितम्बर, 1978 - 31 अगस्त, 1981
11. एयर चीफ मार्शल दिलबाग सिंह	01 सितम्बर, 1981 - 03 सितम्बर, 1984
12. एयर चीफ मार्शल एल. एम. कात्रे	04 सितम्बर, 1984 - 01 जुलाई, 1985
13. एयर चीफ मार्शल डी. ए. ला फोंटेन	03 जुलाई, 1985 - 31 जुलाई, 1988
14. एयर चीफ मार्शल एस. के. मेहरा	01 अगस्त, 1988 - 31 जुलाई, 1991
15. एयर चीफ मार्शल एन. सी. सूरी	31 जुलाई, 1991 - 31 जुलाई, 1993
16. एयर चीफ मार्शल एस. के. कौल	01 अगस्त, 1993 - 31 दिसम्बर, 1995
17. एयर चीफ मार्शल एस. के. सरीन	31 दिसम्बर, 1995 - 31 दिसम्बर, 1998
18. एयर चीफ मार्शल ए. वाई. टिपणीस	31 दिसम्बर, 1998 - 31 दिसम्बर, 2001
19. एयर चीफ मार्शल एस. कृष्णास्वामी	31 दिसम्बर, 2001 - 31 दिसम्बर, 2004
20. एयर चीफ मार्शल एस.पी. त्यागी	31 दिसम्बर, 2004 - 31 मार्च, 2007
21. एयर चीफ मार्शल एफ.एच. मेजर	31 मार्च, 2007 - 31 मई, 2009
22. एयर चीफ मार्शल पी.वी. नाइक	31 मई, 2009 - 31 जुलाई, 2011
23. एयर चीफ मार्शल एन.ए.के. ब्राउन	31 जुलाई, 2011 - 31 दिसम्बर, 2013
24. एयर चीफ मार्शल अरुप राहा	01 जनवरी, 2014 - 31 दिसम्बर, 2016
25. एयर चीफ मार्शल बी.एस. धनोआ	01 जनवरी, 2017 - 30 सितम्बर, 2019
26. एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया	30 सितम्बर, 2019 से वर्तमान तक

स्रोत : भारत-2019

केन्द्रीय मंत्रिमण्डल

नाम	विभाग

श्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री, कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय; परमाणु ऊर्जा विभाग; अंतरिक्ष विभाग; और सभी प्रमुख नीतिगत मामले एवं वे सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित न किया गया हो।

कैबिनेट मंत्री

श्री राजनाथ सिंह	रक्षा मंत्रालय
श्री अमित शाह	गृह मंत्रालय
श्री नितिन जयराम गडकरी	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा	रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
श्रीमती निर्मला सीतारमण	वित्त मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
श्री रामविलास पासवान	उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय
श्री रवि शंकर प्रसाद	विधि एवं न्याय मंत्रालय संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
श्री थावरचंद गहलोत	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
डॉ. सुब्रह्मण्यम जयशंकर	विदेश मंत्रालय
श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
श्री अर्जुन मुण्डा	जनजातीय कार्य मंत्रालय
श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय
डॉ. हर्ष वर्धन	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भू-विज्ञान मंत्रालय,
श्री प्रकाश जावड़ेकर	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एवं भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

नाम	विभाग
श्री पीयूष गोयल	रेल मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
श्री धर्मेंद्र प्रधान	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय
श्री मुख्तार अब्बास नकवी	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
श्री प्रहलाद जोशी	संसदीय कार्य मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, खान मंत्रालय
डॉ. महेन्द्र नाथ पांडेय	कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय
श्री गिरीराज सिंह	पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय
श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत	जल शक्ति मंत्रालय

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री संतोष कुमार गंगवार श्रम और रोजगार (स्वतंत्र प्रभार)

श्री राव इन्द्रजीत सिंह सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार),

श्री श्रीपद येस्सो नाईक आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक मंत्रालय (आयुष) (स्वतंत्र प्रभार), रक्षा मंत्रालय (राज्य मंत्री)

डॉ. जितेन्द्र सिंह उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री का कार्यालय, कार्मिक, जनशिकायत एवं पेशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग (राज्य मंत्री)

श्री किरेन रिजिजु युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार), अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (राज्य मंत्री)

श्री प्रहलाद सिंह पटेल संस्कृति मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार), पर्यटन मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार),

श्री राज कुमार सिंह बिजली मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार), नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार), कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (राज्य मंत्री)

श्री हरदीप सिंह पुरी आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार), नागरिक विमानन मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (राज्य मंत्री)

श्री मनसुख मांडविया पोत परिवहन मंत्रालय (स्वतंत्र प्रभार), रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (राज्य मंत्री)।

राज्य मंत्री

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते इस्पात मंत्रालय

श्री अश्विनी कुमार चौबे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

श्री अर्जुन राम मेघवाल संसदीय कार्य मंत्रालय, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

जनरल वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

श्री कृष्ण पाल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

श्री जी. किशन रेड्डी गृह मंत्रालय

श्री परषोत्तम रूपाला कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

श्री रामदास आठवले सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

साध्वी निरंजन ज्योति ग्रामीण विकास मंत्रालय

श्री बाबुल सुप्रियो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

श्री संजीव कु. बालियान पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय

श्री धोत्रे संजय शामराव मानव संसाधन विकास मंत्रालय, संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

श्री अनुराग सिंह ठाकुर वित्त मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

श्री अंगादि सुरेश चन्नाबासप्पा रेल मंत्रालय

श्री नित्यानंद राय गृह मंत्रालय

श्री रतन लाल कटारिया जल शक्ति मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

श्री वी. मुरलीधरन विदेश मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय

श्रीमती रेणुका सिंह सरुता जनजातीय कार्य मंत्रालय

श्री सोम प्रकाश वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

श्री रामेश्वर तेली खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

श्री प्रताप चन्द्र सारंगी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्रालय

श्री कैलाश चौधरी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

सुश्री देबाश्री चौधरी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

स्रोत : cabsec.gov.in

टिप्पणी-12.11.2019 की स्थिति के अनुसार

उत्तर प्रदेश से लोक सभा के सदस्य

नाम	निर्वाचन क्षेत्र
हाजी फजलुर्रहमान	सहारनपुर
प्रदीप कुमार	कैराना
संजीव कुमार बालियान	मुजफ्फरनगर
मलूक नागर	बिजनौर
गिरीश चन्द्र	नगीना (अ.जा.)
डॉ. एस.टी. हसन	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां	रामपुर
डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क	सम्भल
कुंवर दानिश अली	अमरोहा
राजेन्द्र अग्रवाल	मेरठ
डॉ. सत्यपाल सिंह	बागपत
विजय कुमार सिंह	गाजियाबाद
डॉ. महेश शर्मा	गौतमबुद्धनगर
भोला सिंह	बुलन्दशहर (अ.जा.)
सतीश कुमार गौतम	अलीगढ़
राजवीर दिलेर	हाथरस (अ.जा.)
हेमा मालिनी	मथुरा
प्रो0 एस.पी. सिंह बघेल	आगरा (अ.जा.)
राजकुमार चाहर	फतेहपुर सीकरी
डॉ. चन्द्र सेन जादौन	फिरोजाबाद
मुलायम सिंह यादव	मैनपुरी
राजवीर सिंह (राजू भैय्या)	एटा
डॉ. संघमित्रा मौर्या	बदायूँ
धर्मेन्द्र कश्यप	आंवला
संतोष कुमार गंगवार	बरेली
फिरोज वरुण गांधी	पीलीभीत
अरुण कुमार सागर	शाहजहाँपुर (अ.जा.)
अजय कुमार	खीरी
रेखा वर्मा	धौरहरा
राजेश वर्मा	सीतापुर
जय प्रकाश	हरदोई (अ.जा.)
अशोक कुमार रावत	मिश्रिख (अ.जा.)
स्वामी साक्षी जी महाराज	उन्नाव
कौशल किशोर	मोहनलालगंज (अ.जा.)
राजनाथ सिंह	लखनऊ
सोनिया गांधी	रायबरेली
स्मृति इरानी	अमेठी
मेनका संजय गांधी	सुल्तानपुर
संगम लाल गुप्ता	प्रतापगढ़
मुकेश राजपूत	फर्रुखाबाद
डॉ. राम शंकर कठेरिया	इटावा (अ.जा.)

नाम	निर्वाचन क्षेत्र
सुब्रत पाठक	कन्नौज
सत्यदेव पचौरी	कानपुर
देवेन्द्र सिंह 'भोले'	अकबरपुर
भानुप्रताप सिंह वर्मा	जालौन (अ.जा.)
अनुराग शर्मा	झाँसी
कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल	हमीरपुर
आर.के. सिंह पटेल	बांदा
निरंजन ज्योति	फतेहपुर
विनोद कुमार सोनकर	कौशाम्बी (अ.जा.)
केशरी देवी पटेल	फूलपुर
रीता बहुगुणा जोशी	प्रयागराज
उपेन्द्र सिंह रावत	बाराबंकी (अ.जा.)
लल्लू सिंह	अयोध्या
रितेश पाण्डेय	अम्बेडकरनगर
अक्षयवर लाल	बहराइच (अ.जा.)
बृजभूषण शरण सिंह	कैसरगंज
राम शिरोमणि	श्रावस्ती
कीर्तिवर्धन सिंह	गोण्डा
जगदम्बिका पाल	डुमरियागंज
हरीशचन्द्र उर्फ हरीश द्विवेदी	बस्ती
प्रवीन कुमार निषाद	सन्त कबीर नगर
पंकज चौधरी	महाराजगंज
रविंद्र श्यामनारायण शुक्ला उर्फ रविकिशन-	गोरखपुर
विजय कुमार दुबे	कुशीनगर
रमापति राम त्रिपाठी	देवरिया
कमलेश पासवान	बांसगांव (अ.जा.)
संगीता आजाद	लालगंज (अ.जा.)
अखिलेश यादव	आजमगढ़
अतुल कुमार सिंह उर्फ अतुल राय	घोसी
रविन्दर	सलेमपुर
वीरेन्द्र सिंह	बलिया
श्याम सिंह यादव	जौनपुर
भोलानाथ (बी.पी. सरोज)	मछलीशहर (अ.जा.)
अफजाल अंसारी	गाजीपुर
डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय	चन्दौली
नरेन्द्र मोदी	वाराणसी
रमेश चन्द्र	भदोही
अनुप्रिया पटेल	मिर्जापुर
पकौड़ी लाल कोल	राबर्ट्सगंज (अ.जा.)

स्रोतः—निर्वाचन विभाग द्वारा प्राप्त

उत्तर प्रदेश से राज्य सभा के सदस्य

कार्यकाल : 25 नवम्बर 2020 तक

1. डॉ. चन्द्रपाल सिंह यादव
2. श्री जावेद अली खान
3. श्री अरुण सिंह
4. श्री नीरज शेखर
5. श्री पी.एल. पुनिया
6. श्री हरदीप सिंह पुरी
7. श्री रवि प्रकाश वर्मा
8. श्री राजाराम
9. प्रो. रामगोपाल यादव
10. श्री वीर सिंह

कार्यकाल : 04 जुलाई 2022 तक

11. श्री अमर सिंह
12. श्री अशोक सिद्धार्थ
13. श्री कपिल सिब्बल
14. श्री बेनी प्रसाद वर्मा
15. कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि
16. श्री विशम्भर प्रसाद निषाद
17. श्री शिव प्रताप
18. श्री सतीश चन्द्र मिश्र
19. श्री संजय सेठ
20. श्री सुखराम सिंह
21. श्री सुरेन्द्र सिंह नागर

कार्यकाल : 02 अप्रैल 2024 तक

22. श्री अनिल अग्रवाल
23. श्री अनिल कुमार जैन
24. श्री सुधांशु त्रिवेदी
25. श्री अशोक बाजपेयी
26. श्रीमती कान्ता कर्दम
27. श्री जी.वी.एल. नरसिम्हाराव
28. श्रीमती बच्चन जया अमिताभ
29. श्री विजय पाल सिंह तोमर
30. श्री सकलदीप
31. श्री हरनाथ सिंह यादव

स्रोत : निर्वाचन विभाग द्वारा प्राप्त

उत्तर प्रदेश मंत्रिमण्डल

नाम	विभाग
श्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री	गृह, आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, अर्थ एवं संख्या, भूतत्व एवं खनिकर्म, बाढ़ नियंत्रण, कर निबन्धन, कारागार, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गोपन, सतर्कता, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, संस्थागत वित्त, नियोजन, राज्य सम्पत्ति, नगर भूमि, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, प्रशासनिक सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, अवस्थापना, भाषा, वाह्य सहायतित परियोजना, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास, लोक सेवा प्रबन्धन, किराया नियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप तथा प्रोटोकाल।
श्री केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री	लोक निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर, सार्वजनिक उद्यम
डॉ० दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री	माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, विज्ञान एव प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी
श्री सूर्य प्रताप शाही	कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान
श्री सुरेश खन्ना	वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
श्री स्वामी प्रसाद मौर्य	श्रम एवं सेवायोजन, समन्वय
श्री सतीश महाना	औद्योगिक विकास
श्री दारा सिंह चौहान	वन एवं पर्यावरण तथा जन्तु उद्यान
श्री रमापति शास्त्री	समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण
श्री जय प्रताप सिंह	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण
श्री ब्रजेश पाठक	विधायी एवं न्याय तथा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा
श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी	पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास
श्री चेतन चौहान	सैनिक कल्याण, होमगार्ड्स, प्रान्तीय रक्षक दल एवं नागरिक सुरक्षा
श्री श्रीकांत शर्मा	ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत
श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह (मोती सिंह)	ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास
श्री सिद्धार्थनाथ सिंह	खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, वस्त्र उद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्यात प्रोत्साहन, एन.आर. आई. तथा निवेश प्रोत्साहन
श्री मुकुट बिहारी वर्मा	सहकारिता
श्री आशुतोष टण्डन	नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन
श्री नन्द गोपाल गुप्ता ''नन्दी''	नागरिक उड्डयन, राजनैतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक़्फ़ एवं हज
डॉ० महेन्द्र सिंह	जल शक्ति विभाग
श्री सुरेश राणा	गन्ना विकास एवं चीनी मिलें
श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी	पंचायती राज
श्री अनिल राजभर	पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण
श्री राम नरेश अग्निहोत्री	आबकारी एवं मद्यनिषेध
श्रीमती कमला रानी वरुण	प्राविधिक शिक्षा

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

श्री उपेन्द्र तिवारी	खेल एवं युवा कल्याण (स्वतंत्र प्रभार), पंचायती राज (M.O.S.)
ड़ॉ धरम सिंह सैनी	आयुष विभाग (स्वतंत्र प्रभार), खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (M.O.S.)
श्रीमती स्वाती सिंह	महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार
डॉ० नीलकंठ तिवारी	पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य (स्वतंत्र प्रभार), प्रोटोकाल (M.O.S.)
श्री कपिलदेव अग्रवाल	व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास
श्री सतीश द्विवेदी	बेसिक शिक्षा
श्री अशोक कटारिया	परिवहन विभाग (स्वतंत्र प्रभार), संसदीय कार्य (M.O.S.)
श्री श्रीराम चौहान	उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार तथा कृषि निर्यात
श्री रविन्द्र जायसवाल	स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन

राज्य मंत्री

श्रीमती गुलाब देवी माध्यमिक शिक्षा

श्री जय प्रताप निषाद पशुधन, मत्स्य एवं दुग्ध विकास

श्री जय कुमार सिंह जैकी कारागार, लोक सेवा प्रबन्धन

श्री अतुल गर्ग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण

श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह (धुन्नी सिंह) खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति

श्री मोहसिन रजा अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक़्फ़ एवं हज

श्री गिरीश चन्द्र यादव आवास एवं शहरी नियोजन

श्री बलदेव ओलख जल शक्ति

श्री मनोहरलाल मन्नु कोरी श्रम एवं सेवायोजन

श्री संदीप सिंह वित्त, चिकित्सा शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा

श्री सुरेश पासी गन्ना विकास एवं चीनी मिलें

श्री अनिल शर्मा वन एवं पर्यावरण तथा जन्तु उद्यान

श्री महेश गुप्ता नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय राजगार एवं गरीबी उन्मूलन

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ला संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास

श्री विजय कश्यप राजस्व एवं बाढ़ नियंत्रण

डॉ. गिर्राज सिंह धर्मेश समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जन जाति कल्याण

श्री लाखन सिंह राजपूत कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान

श्रीमती नीलिमा कटियार उच्च शिक्षा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

श्री चौधरी उदयभान सिंह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, वस्त्र उद्योग तथा निर्यात प्रोत्साहन

श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय लोक निर्माण

श्री रमा शंकर सिंह पटेल ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत

श्री अजीत सिंह पाल इलेक्ट्रानिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी

जिन राज्य मंत्री गण (स्वतंत्र प्रभार) के सम्मुख आवंटित विभाग में (MOS) अंकित है, वह राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) उस विभाग के राज्य मंत्री होंगे।

स्रोत : गोपन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश (22 अगस्त, 2019 तक संशोधित)

उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्य

(दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 की स्थिति के अनुसार)

सदस्य

विधानसभा	निर्वाचित सदस्य
भारतीय जनता पार्टी (309 सदस्य)	
1. पीलीभीत	श्री अगयश राम सरन वर्मा
2. प्रयागराज	डॉ. अजय कुमार
3. बस्ती	श्री अजय कुमार सिंह 'अजय सिंह'
4. गोण्डा	कुँ. अजय प्रताप सिंह ''लल्ला भइया''
5. सम्भल	श्री अजीत कुमार उर्फ राजू यादव
6. गाजियाबाद	श्री अजीत पाल त्यागी
7. *कानपुर देहात	श्री अजीत सिंह पाल
8. गाजियाबाद	श्री अतुल गर्ग
9. बुलन्दशहर	श्री अनिल कुमार
10. सोनभद्र	डॉ. अनिल कुमार मौर्य
11. अलीगढ़	श्री अनिल पाराशर
12. वाराणसी	श्री अनिल राजभर
13. अम्बेडकरनगर	श्रीमती अनीता
14. बुलन्दशहर	डॉ. अनीता लोधी राजपूत
15. बहराइच	श्रीमती अनुपमा जायसवाल
16. मिर्जापुर	श्री अनुराग सिंह
17. अलीगढ़	श्री अनूप 'प्रधान'
18. प्रतापगढ़	श्री अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा
19. कानपुर नगर	श्री अभिजीत सिंह सांगा
20. फर्रुखाबाद	श्री अमर सिंह
21. खीरी	श्री अरविन्द गिरि
22. बरेली	डॉ. अरुण कुमार
23. आजमगढ़	श्री अरुण कुमार यादव
24. कन्नौज	श्रीमती अर्चना पाण्डेय
25. गाजीपुर	श्रीमती अलका राय
26. मुजफ्फरनगर	श्री अवतार सिंह भडाना
27. वाराणसी	श्री अवधेश सिंह
28. खीरी	श्री अवस्थी बाला प्रसाद
29. लखनऊ	श्री अविनाश त्रिवेदी
30. बिजनौर	श्री अशोक कुमार राणा
31. बलिया	श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल
32. **चित्रकूट	श्री आनन्द शुक्ला
33. हरदोई	श्री आशीष सिंह पटेल 'आशू'
34. लखनऊ	श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी'
35. अयोध्या	श्री इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी
36. आगरा	चौ. उदयभान सिंह
37. बलिया	श्री उपेन्द्र तिवारी
38. मुजफ्फरनगर	श्री उमेश मलिक
39. बिजनौर	श्री ओमकुमार
40. मुजफ्फरनगर	श्री कपिल देव अग्रवाल
41. कानपुर नगर	श्रीमती कमल रानी
42. हापुड़	श्री कमल सिंह मलिक
43. देवरिया	श्री कमलेश शुक्ल
44. बिजनौर	श्रीमती कमलेश सैनी
45. फतेहपुर	श्री करण सिंह पटेल
46. मथुरा	श्री कारिन्दा सिंह
47. देवरिया	श्री काली प्रसाद
48. **सहारनपुर	श्री किरत सिंह
49. पीलीभीत	श्री किशन लाल राजपूत
50. उन्नाव	श्री कुलदीप सिंह सेंगर
51. बदायूं	श्री कुशाग्र सागर
52. बागपत	श्री कृष्णपाल मलिक
53. फतेहपुर	श्रीमती कृष्णा पासवान
54. बरेली	श्री केसर सिंह
55. बलरामपुर	श्री कैलाश नाथ शुक्ल
56. कन्नौज	श्री कैलाश सिंह राजपूत
57. कुशीनगर	श्री गंगा
58. अमेठी	श्रीमती गरिमा सिंह
59. जौनपुर	श्री गिरीश चन्द्र यादव
60. सम्भल	श्रीमती गुलाब देवी
61. जालौन	श्री गौरी शंकर
62. बांदा	श्री चन्द्रपाल कुशवाहा
63. बस्ती	श्री चन्द्र प्रकाश उर्फ सी.ए. चन्द्र प्रकाश शुक्ल
64. चित्रकूट	श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय
65. अमरोहा	श्री चेतन चौहान
66. शाहजहांपुर	श्री चेतराम
67. बरेली	श्री छत्रपाल सिंह गंगवार
68. कुशीनगर	श्री जटाशंकर त्रिपाठी

69. देवरिया — श्री जन्मेजय सिंह
70. लखनऊ — श्रीमती जय देवी
71. देवरिया — श्री जयप्रकाश निषाद
72. सिद्धार्थनगर — श्री जय प्रताप सिंह
73. महराजगंज — श्री जयमंगल
74. झाँसी — श्री जवाहर लाल राजपूत
75. मेरठ — श्री जितेन्द्र पाल सिंह उर्फ बिल्लू
76. आगरा — श्री जितेन्द्र वर्मा
77. आगरा — डॉ. जीएस. धर्मेश
78. सीतापुर — श्री ज्ञान तिवारी
79. महराजगंज — श्री ज्ञानेन्द्र
80. बरेली — डॉ. डी.सी. वर्मा
81. गौतमबुद्धनगर — श्री तेजपाल सिंह नागर
82. शामली — श्री तेजेन्द्र निर्वाल
83. बस्ती — श्री दयाराम चौधरी
84. रायबरेली — श्री दल बहादुर
85. अलीगढ़ — श्री दलवीर सिंह
86. मऊ — श्री दारा सिंह चौहान
87. संत कबीरनगर — श्री दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे
88. मेरठ — श्री दिनेश खटीक
89. जौनपुर — श्री दिनेश चौधरी
90. भदोही — श्री दीनानाथ भाष्कर
91. सुल्तानपुर — श्री देवमणि द्विवेदी
92. सहारनपुर — श्री देवेन्द्र कुमार निम
93. कासगंज — श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह
94. कासगंज — श्री देवेन्द्र सिंह राजपूत
95. बुलन्दशहर — श्री देवेन्द्र सिंह लोधी 'एडवोकेट'
96. बलिया — श्री धनन्जय कन्नौजिया
97. बरेली — श्री धर्मपाल सिंह
98. सहारनपुर — डॉ. धर्म सिंह सैनी
99. बदायूं — श्री धर्मेन्द्र सिंह शाक्य 'पप्पू भैया'
100. रायबरेली — श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह
101. गौतमबुद्धनगर — श्री धीरेन्द्र सिंह
102. गाजियाबाद — श्री नन्द किशोर गुर्जर
103. प्रयागराज — श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी'
104. जालौन — कुं. नरेन्द्र पाल सिंह
105. फर्रूखाबाद — श्री नागेन्द्र सिंह राठौर
106. कानपुर देहात — श्रीमती निर्मला संखवार
107. लखनऊ — डॉ. नीरज बोरा
108. वाराणसी — डॉ. नीलकंठ तिवारी
109. प्रयागराज — श्रीमती नीलम करवरिया
110. कानपुर नगर — श्रीमती नीलिमा कटियार
111. उन्नाव — श्री पंकज गुप्ता
112. गौतमबुद्धनगर — श्री पंकज सिंह
113. आगरा — रानी पक्षालिका सिंह
114. कुशीनगर — श्री पवन कुमार
115. बलरामपुर — श्री पल्टूराम
116. *आगरा — श्री पुरुषोत्तम खण्डेलवाल
117. मथुरा — श्री पूरन प्रकाश एडवोकेट
118. बांदा — श्री प्रकाश चन्द्र द्विवेदी
119. कानपुर देहात — श्रीमती प्रतिभा शुक्ला
120 गोण्डा — श्री प्रतीक भूषण सिंह
121. गोण्डा — श्री प्रभात कुमार वर्मा
122. हरदोई — श्री प्रभाष कुमार
123. मुजफ्फरनगर — श्री प्रमोद उटवाल
124. प्रयागराज — श्री प्रवीण कुमार सिंह
125. गोण्डा — श्री प्रेम नारायण पाण्डेय
126. महराजगंज — श्री प्रेमसागर पटेल
127. गोरखपुर — श्री फतेह बहादुर
128. महराजगंज — श्री बजरंग बहादुर सिंह
129. उन्नाव — श्री बम्बा लाल
130. रामपुर — श्री बल्देव सिंह औलख
131. बरेली — श्री बहोरन लाल मौर्य
132. अयोध्या — श्री बाबा गोरखनाथ
133. पीलीभीत — श्री बाबू राम पासवान
134. गोण्डा — श्री बावन सिंह
135. बुलन्दशहर — श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी
136. झाँसी — श्री बिहारीलाल आर्य
137. हाथरस — श्री बीरेन्द्र सिंह राणा
138. महोबा — श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया
139. उन्नाव — श्री बृजेश कुमार
140. बांदा — श्री बृजेश कुमार प्रजापति
141. बाराबंकी — श्री बैजनाथ रावत
142. लखनऊ — श्री ब्रजेश पाठक
143. सहारनपुर — श्री ब्रिजेश
144. कानपुर नगर — श्री भगवती प्रसाद सागर
145. सोनभद्र — श्री भूपेश चौबे
146. खीरी — श्रीमती मंजू त्यागी

147. फिरोजाबाद — श्री मनीष असीजा
148. हमीरपुर — श्रीमती मनीषा अनुरागी
149. ललितपुर — श्री मनोहर लाल
150. गाजियाबाद — डॉ. मंजू शिवाच
151. कासगंज — श्री ममतेश शाक्य
152. अमेठी — श्री मयंकेश्वर शरण सिंह
153. गोरखपुर — श्री महेन्द्र पाल सिंह
154. सीतापुर — श्री महेन्द्र प्रताप सिंह
155. अमरोहा — श्री महेन्द्र सिंह खड़गवंशी
156. आगरा — श्री महेश कुमार गोयल
157. कानपुर नगर — श्री महेश त्रिवेदी
158. बदायूं — श्री महेश चन्द्र गुप्ता
159. हरदोई — कुं. माधवेन्द्र प्रताप
160. बहराइच — श्रीमती माधुरी वर्मा
161. शाहजहांपुर — श्री मानवेन्द्र सिंह
162. बहराइच — श्री मुकुट बिहारी
163. फिरोजाबाद — डॉ. मुकेश चन्द्र वर्मा
164. जालौन — श्री मूलचन्द्र सिंह
165. *हमीरपुर — श्री युवराज सिंह
166. आगरा — श्री योगेन्द्र उपाध्याय
167. बागपत — श्री योगेश धामा
168. खीरी — श्री योगेश वर्मा
169. कुशीनगर — श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी
170. हरदोई — श्रीमती रजनी तिवारी
171. फतेहपुर — श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया
172. मिर्जापुर — श्री रत्नाकर मिश्र
173. गोण्डा — श्री रमापति शास्त्री
174. मिर्जापुर — श्री रमाशंकर सिंह
175. औरैया — श्री रमेश चन्द्र दिवाकर
176. जौनपुर — श्री रमेश चन्द्र मिश्र
177. बस्ती — श्री रवि कुमार सोनकर
178. भदोही — श्री रविन्द्र नाथ त्रिपाठी
179. झाँसी — श्री रवि शर्मा
180. वाराणसी — श्री रवीन्द्र जायसवाल
181. अलीगढ़ — श्री रवेन्द्रपाल सिंह
182. महोबा — श्री राकेश कुमार गोस्वामी
183. सीतापुर — श्री राकेश राठौर
184. सन्तकबीरनगर — श्री राकेश सिंह बघेल
185. सिद्धार्थनगर — श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह
186. बांदा — श्री राज करन कबीर
187. हरदोई — श्री राजकुमार अग्रवाल
188. **अलीगढ़ — श्री राजकुमार सहयोगी
189. रामपुर — श्रीमती राजबाला
190. प्रयागराज — श्री राजमणि कोल
191. अमरोहा — श्री राजीव तरारा
192. बदायूं — श्री राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया
193. झाँसी — श्री राजीव सिंह 'पारीक्षा'
194. प्रतापगढ़ — श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती
195. बरेली — श्री राजेश अग्रवाल
196. बरेली — श्री राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल
197. मुरादाबाद — श्री राजेश कुमार सिंह (चुन्नू)
198. सुल्तानपुर — श्री राजेश गौतम
199. बदायूं — पं. राधा कृष्ण शर्मा
200. गोरखपुर — डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल
201. सीतापुर — श्री राम कृष्ण भार्गव
202. फिरोजाबाद — श्री रामगोपाल पप्पू लोधी
203. अयोध्या — श्री रामचन्द्र यादव
204. मैनपुरी — श्री राम नरेश अग्निहोत्री
205. रायबरेली — श्री राम नरेश रावत
206. हरदोई — श्री रामपाल वर्मा
207. आगरा — श्री राम प्रताप सिंह
208. बलरामपुर — श्री राम प्रताप उर्फ शशिकान्त वर्मा
209. श्रावस्ती — श्री रामफेरन पाण्डेय
210. ललितपुर — श्री रामरतन कुशवाहा
211. मुरादाबाद — श्री रितेश कुमार गुप्ता
212. शाहजहांपुर — श्री रोशन लाल वर्मा
213. मथुरा — श्री लक्ष्मी नारायण
214. औरैया — श्री लाखन सिंह
215. कौशाम्बी — श्री लाल बहादुर
216. खीरी — श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह
217. फतेहपुर — श्री विकास गुप्ता
218. फतेहपुर — श्री विक्रम सिंह
219. मुजफ्फरनगर — श्री विक्रम सिंह
220. प्रयागराज — श्री विक्रमाजीत मौर्य
221. मुजफ्फरनगर — श्री विजय कुमार कश्यप
222. **मऊ — श्री विजय कुमार राजभर
223. हापुड़ — श्री विजय पाल (आढ़ती)
224. बुलन्दशहर — श्री विजेन्द्र सिंह

225. गोण्डा श्री विनय कुमार द्विवेदी
226. औरैया श्री विनय शाक्य
227. कानपुर देहात श्री विनोद कुमार कटियार
228. एटा श्री विपिन कुमार 'डेविड'
229. गोरखपुर श्री विपिन सिंह
230. गोरखपुर डॉ. विमलेश पासवान
231. शाहजहांपुर श्री वीर विक्रम सिंह 'प्रिन्स'
232. एटा श्री वीरेन्द्र
233. बुलन्दशहर श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही
234. अयोध्या श्री वेद प्रकाश गुप्ता
235. बाराबंकी श्री शरद कुमार अवस्थी
236. *खीरी श्री शशांक वर्मा
237. सीतापुर श्री शशांक त्रिवेदी
238. चन्दौली श्री शारदा प्रसाद
239. गोरखपुर श्री शीतल पाण्डेय
240. कौशाम्बी श्री शीतला प्रसाद ''पप्पू पटेल''
241. मिर्जापुर श्रीमती शुचिस्मिता मौर्य
242. बलरामपुर श्री शैलेश कुमार सिंह 'शैलू'
243. अयोध्या श्रीमती शोभा सिंह चौहान
244. सिद्धार्थनगर श्री श्याम धनी
245. हरदोई श्री श्याम प्रकाश
246. बरेली डॉ. श्याम बिहारी लाल
247. मथुरा श्री श्रीकान्त शर्मा
248. सन्तकबीरनगर श्री श्रीराम चौहान
249. मऊ श्री श्रीराम सोनकर
250. मेरठ श्री संगीत सिंह सोम
251. गाजीपुर डॉ. संगीता बलवन्त
252. गोरखपुर श्रीमती संगीता यादव
253. बुलन्दशहर श्री संजय
254. कौशाम्बी श्री संजय कुमार
255. बस्ती श्री संजय प्रताप जायसवाल
256. बलिया श्री संजय यादव
257. पीलीभीत श्री संजय सिंह गंगवार
258. सोनभद्र श्री संजीव कुमार
259. एटा श्री संजीव कुमार दिवाकर
260. अलीगढ़ श्री संजीव राजा
261. अम्बेडकरनगर श्रीमती संजू देवी
262. अलीगढ़ श्री संदीप कुमार सिंह
263. बाराबंकी श्री सतीश चन्द्र शर्मा
264. सिद्धार्थनगर डॉ. सतीश चन्द्र द्विवेदी
265. कानपुर नगर श्री सतीश महाना
266. कासगंज श्री सत्यपाल सिंह राठौर
267. मेरठ श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले''
268. मेरठ श्री सत्यवीर त्यागी
269. गोरखपुर श्री सन्त प्रसाद
270. इटावा श्रीमती सरिता भदौरिया
271. **बहराइच श्रीमती सरोज सोनकर
272. बाराबंकी श्री साकेन्द्र प्रताप वर्मा
273. चन्दौली श्रीमती साधना सिंह
274. इटावा श्रीमती सावित्री कठेरिया
275. प्रयागराज श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह
276. सुल्तानपुर श्री सीताराम वर्मा
277. बिजनौर श्रीमती सुचि
278. गाजीपुर श्रीमती सुनीता
279. गाजियाबाद श्री सुनील कुमार शर्मा
280. फर्रुखाबाद श्री सुनील दत्त द्विवेदी मे.
281. सीतापुर श्री सुनील वर्मा
282. बहराइच श्री सुभाष त्रिपाठी, एडवोकेट
283. बलिया श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह
284. वाराणसी श्री सुरेन्द्र नारायण सिंह
285. **कानपुर नगर श्री सुरेन्द्र मैथानी
286. शामली श्री सुरेश कुमार
287. अमेठी श्री सुरेश कुमार
288. शाहजहांपुर श्री सुरेश कुमार खन्ना
289. लखनऊ श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव
290. **लखनऊ श्री सुरेश चन्द्र तिवारी
291. देवरिया श्री सुरेश तिवारी
292. सीतापुर श्री सुरेश राही
293. बहराइच श्री सुरेश्वर सिंह
294. बिजनौर श्री सुशांत सिंह, कुंवर
295. फर्रुखाबाद श्री सुशील कुमार शाक्य
296. चन्दौली श्री सुशील सिंह
297. देवरिया श्री सूर्य प्रताप शाही
298. सुल्तानपुर श्री सूर्यभान सिंह
299. मेरठ डॉ. सोमेन्द्र तोमर
300. वाराणसी श्री सौरभ श्रीवास्तव
301. लखीमपुर खीरी श्री सौरभ सिंह
302. लखनऊ श्रीमती स्वाती सिंह

303. कुशीनगर — श्री स्वामी प्रसाद मौर्य
304. लखीमपुर खीरी — श्री हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी
305. हाथरस — श्री हरिशंकर माहौर
306. जौनपुर — डॉ. हरेन्द्र प्रसाद सिंह
307. प्रयागराज — श्री हर्षवर्धन बाजपेयी
308. आगरा — श्रीमती हेमलता दिवाकर कुशवाहा
309. उन्नाव — श्री हृदय नारायण दीक्षित

समाजवादी पार्टी-(50)

1. कन्नौज — श्री अनिल कुमार दोहरे
2. सुल्तानपुर — श्री अबरार अहमद
3. कानपुर — श्री अमिताभ बाजपेई
4. लखनऊ — श्री अम्ब्रीश सिंह पुष्कर, एडवोकेट
5. आजमगढ़ — श्री आलमबदी
6. देवरिया — श्री आशुतोष उपाध्याय
7. सम्भल — श्री इकबाल महमूद
8. मुरादाबाद — हाजी इकराम कुरैशी
9. कानपुर — हाजी इरफान सोलंकी
10. प्रयागराज — श्री उज्जवल रमण सिंह
11. बदायूं — श्री ओमकार सिंह
12. आजमगढ़ — श्री कल्पनाथ पासवान
13. **बाराबंकी — श्री गौरव कुमार
14. जौनपुर — श्री जगदीश सोनकर
15. **रामपुर — डॉ. तज़ीम फातमा
16. बिजनौर — श्री तसलीम अहमद
17. आजमगढ़ — श्री दुर्गा प्रसाद यादव
18. बाराबंकी — श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव
19. *बिजनौर — श्री नईम उल हसन
20. आजमगढ़ — श्री नफीस अहमद
21. सीतापुर — श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा
22. मुरादाबाद — श्री नवाब जान
23. रामपुर — श्री नसीर अहमद खां
24. शामली — श्री नाहिद हसन
25. हरदोई — श्री नितिन अग्रवाल
26. जौनपुर — श्री पारसनाथ यादव
27. सम्भल — श्रीमती पिंकी सिंह यादव
28. चन्दौली — श्री प्रभुनारायण सिंह यादव
29. मैनपुरी — इंजी. बृजेश कठेरिया
30. रायबरेली — श्री मनोज कुमार पाण्डेय
31. बिजनौर — श्री मनोज कुमार पारस
32. अमरोहा — श्री महबूब अली
33. मुरादाबाद — श्री मोहम्मद रिजवान
34. मुरादाबाद — मौ. फईम इरफान
35. रामपुर — मौ. अब्दुल्ला आजम खां
36. बहराइच — श्री यासर शाह
37. मेरठ — श्री रफीक अन्सारी
38. अमेठी — श्री राकेश प्रताप सिंह
39. मैनपुरी — श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव
40. बलिया — श्री राम गोविन्द चौधरी
41. गाजीपुर — श्री वीरेन्द्र यादव
42. शाहजहांपुर — श्री शरदवीर सिंह
43. इटावा — श्री शिवपाल सिंह यादव
44. जौनपुर — श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'
45. आजमगढ़ — डॉ. संग्राम यादव
46. सहारनपुर — श्री संजय गर्ग
47. गाजीपुर — श्री सुभाष पासी
48. **अम्बेडकर नगर — श्री सुभाष राय
49. मैनपुरी — श्री सोवरन सिंह यादव
50. फिरोजाबाद — श्री हरिओउम यादव

बहुजन समाज पार्टी-(18)

1. उन्नाव — श्री अनिल सिंह
2. हापुड़ — श्री असलम अली
3. आजमगढ़ — श्री आजाद अरि मर्दन
4. बलिया — श्री उमाशंकर सिंह
5. आजमगढ़ — श्रीमती बन्दना सिंह
6. मऊ — श्री मुख्तार अंसारी
7. प्रयागराज — मो. मुजतबा सिद्दीकी
8. श्रावस्ती — मो. असलम 'राइनी' एडवोकेट
9. अम्बेडकरनगर — श्री राम अचल राजभर
10. हाथरस — श्री रामवीर उपाध्याय
11. अम्बेडकरनगर — श्री लाल जी वर्मा
12. गोरखपुर — श्री विनय शंकर तिवारी
13. आजमगढ़ — श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली
14. मथुरा — श्री श्याम सुन्दर शर्मा
15. आजमगढ़ — श्री सुखदेव राजभर
16. जौनपुर — श्रीमती सुषमा पटेल
17. सीतापुर — डॉ. हरगोविन्द भार्गव
18. प्रयागराज — श्री हाकिम लाल बिन्द

अपना दल- (सोनेलाल) (09)

1.	सिद्धार्थनगर	श्री अमर सिंह चौधरी
2.	प्रतापगढ़	डॉ. आर. के. वर्मा
3.	प्रयागराज	डॉ. जमुना प्रसाद सरोज
4.	फतेहपुर	श्री जय कुमार सिंह (जैकी)
5.	वाराणसी	श्री नीलरतन सिंह पटेल 'नीलू'
6.	*प्रतापगढ़	श्री राजकुमार पाल
7.	मिर्जापुर	श्री राहुल प्रकाश
8.	जौनपुर	श्रीमती लीना तिवारी
9.	सोनभद्र	श्री हरीराम

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस- (07)

1.	कुशीनगर	श्री अजय कुमार 'लल्लू'
2.	रायबरेली	सुश्री अदिति सिंह
3.	प्रतापगढ़	श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'
4.	सहारनपुर	श्री नरेश सैनी
5.	सहारनपुर	श्री मसूद अख्तर
6.	रायबरेली	श्री राकेश सिंह
7.	कानपुर	श्री सोहिल अख्तर अंसारी

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी- (04)

1.	गाजीपुर	श्री ओम प्रकाश राजभर
2.	वाराणसी	श्री कैलाश नाथ सोनकर
3.	गाजीपुर	श्री त्रिवेणी राम
4.	कुशीनगर	श्री रामानन्द बौद्ध

राष्ट्रीय लोक दल- (01)

1.	बागपत	श्री सहेन्द्र सिंह चौहान

निर्बल इण्डियन शोषित हमारा आम दल-(01)

1.	भदोही	श्री विजय मिश्र

निर्दलीय-(03)

1.	महराजगंज	श्री अमन मणि त्रिपाठी
2.	प्रतापगढ़	श्री रघुराज प्रताप सिंह
3.	प्रतापगढ़	श्री विनोद सरोज

नाम निर्देशित-(01)

1.	लखनऊ	डॉ. डेनजिल जे. गोडिन

रिक्त- 1

****1-** टूण्डला (फिरोजाबाद)

* दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 को उप-चुनाव में निर्वाचित।

** निर्वाचन क्षेत्र सं.-95- टूण्डला, जनपद-फिरोजाबाद से निर्वाचित मा0 सदस्य श्री सत्यपाल सिंह बघेल द्वारा दिनांक 04 जून, 2019 को अपराह्न में त्याग-पत्र देने के कारण रिक्त।

स्रोत : सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश से विधान परिषद के सदस्य

श्री रमेश यादव – सभापति
डॉ. दिनेश शर्मा – नेता सदन
श्री अहमद हसन – नेता विरोधी दल

कार्यकाल : 6 मई, 2020 तक

1. डॉ. असीम यादव
2. श्री संजय कुमार मिश्र
3. श्री केदार नाथ सिंह
4. डॉ. यज्ञदत्त शर्मा
5. श्री ओम प्रकाश शर्मा, नेता शिक्षक दल
6. श्री जगवीर किशोर जैन
7. श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी
8. श्री हेम सिंह पुण्डीर, शिक्षक नेता
9. श्री चेत नारायण सिंह
10. श्री उमेश द्विवेदी
11. श्रीमती कान्ति सिंह

कार्यकाल : 30 जनवरी, 2021 तक

12. डॉ. दिनेश शर्मा
13. श्री अहमद हसन
14. श्री आशु मलिक
15. श्री रमेश यादव
16. श्री रामजतन राजभर
17. श्री वीरेन्द्र सिंह
18. श्री स्वतंत्र देव
19. श्री साहब सिंह सैनी
20. श्री धर्मवीर सिंह अशोक
21. श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी
22. श्री प्रदीप कुमार जाटव
23. श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य

कार्यकाल : 05 जुलाई, 2021 तक

24. श्री श्रीराम सिंह यादव
25. श्रीमती लीलावती कुशवाहा
26. श्री रामवृक्ष सिंह यादव
27. श्री जितेन्द्र यादव

कार्यकाल : 07 मार्च, 2022 तक

28. श्री अरविन्द प्रताप यादव
29. श्री अमित यादव
30. श्री अक्षय प्रताप सिंह
31. श्री आनन्द भदौरिया
32. श्री उदयवीर सिंह
33. श्री जसवन्त सिंह
34. श्री घनश्याम सिंह लोधी
35. डॉ. दिलीप यादव
36. श्री दिलीप सिंह उर्फ कल्लू यादव
37. श्री नरेन्द्र सिंह भाटी
38. श्री परवेज अली पुत्र श्री महबूब अली
39. श्री पुष्पराज जैन उर्फ पम्पी जैन
40. श्री महफुजुर्रहमान उर्फ महफूज खाँ
41. श्री मोहम्मद इमलाक खाँ
42. श्री सैयद मिस्बाहुद्दीन
43. श्रीमती रमा निरंजन
44. श्री रविशंकर सिंह 'पप्पू भैया'
45. श्री राकेश यादव
46. श्री राकेश कुमार यादव उर्फ गुड्डू
47. श्री रमेश मिश्र
48. श्री राजेश कुमार यादव
49. श्री रामअवध यादव
50. श्रीमती रामलली
51. श्री वासुदेव यादव
52. श्री संतोष यादव 'सनी'
53. श्री सुनील कुमार सिंह ''साजन''
54. श्री सी.पी. चन्द
55. श्री शशांक यादव
56. श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह

57. श्री हीरालाल यादव
58. श्री बृजेश कुमार सिंह 'प्रिन्सू'
59. श्री महमूद अली
60. श्री दिनेश प्रताप सिंह पुत्र स्व. महावीर सिंह
61. श्री बृजेश कुमार सिंह उर्फ 'अरुण'
62. श्री विशाल सिंह 'चंचल'

कार्यकाल : 28 अप्रैल, 2022 तक

63. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया
64. श्री जाहिद हसन वसीम बरेलवी
65. श्री मधुकर जेटली

कार्यकाल : 26 मई, 2022 तक

66 डॉ. राजपाल कश्यप
67. श्री अरविन्द कुमार सिंह
68. डॉ. संजय लाठर

कार्यकाल : 06 जुलाई, 2022 तक

69. श्री जगजीवन प्रसाद
70. श्री बलराम यादव
71. श्री केशव प्रसाद मौर्य
72. डॉ. कमलेश कुमार पाठक
73. श्री योगी आदित्यनाथ
74. श्री रणविजय सिंह
75. श्री राम सुन्दर दास निषाद 'एडवोकेट'
76. श्री शतरूद्र प्रकाश
77. श्री अतर सिंह राव
78. श्री दिनेश चन्द्रा
79. श्री सुरेश कुमार कश्यप
80. श्री दीपक सिंह
81. श्री भूपेन्द्र सिंह

कार्यकाल : 12 फरवरी, 2023 तक

82. श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह
83. श्री अरुण पाठक
84. डॉ. जयपाल सिंह व्यस्त
85. श्री सुरेश कुमार त्रिपाठी
86. श्री राजबहादुर सिंह चन्देल

कार्यकाल : 05 मई, 2024 तक

87. श्री यशवन्त
88. श्री विजय बहादुर पाठक
89. श्री विद्या सागर सोनकर
90. डॉ. सरोजनी अग्रवाल
91. श्री नरेश चन्द्र उत्तम
92. श्री भीमराव अम्बेडकर
93. श्री आशीष पटेल
94. श्री अशोक कटारिया
95. श्री अशोक धवन
96. श्री ठाकुर जयवीर सिंह
97. श्री बुक्कल नवाब
98. डॉ. महेन्द्र कुमार सिंह
99. श्री मोहसिन रजा

100. रिक्त- माननीय सदस्य की दिनांक 08 मार्च, 2017 को मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप (बदायूँ स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र।

स्रोत : विधान परिषद सचिवालय, उ.प्र. (दिनांक 31 अक्टूबर, 2019 तक संशोधित)

भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति

नाम		वर्ष
1. श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी	(1878-1972)	1954
2. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन	(1888-1975)	1954
3. डॉ. चंद्रशेखर वेंकटरमन	(1888-1970)	1954
4. डॉ. भगवान दास	(1869-1958)	1955
5. डॉ. मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया	(1861-1962)	1955
6. पं. जवाहरलाल नेहरू	(1889-1964)	1955
7. पं. गोविंद बल्लभ पंत	(1887-1961)	1957
8. डॉ. धोंडो केशव कर्वे	(1858-1962)	1958
9. डॉ. बिधानचंद्र रॉय	(1882-1962)	1961
10. श्री पुरुषोत्तम दास टंडन	(1882-1962)	1961
11. डॉ. राजेंद्र प्रसाद	(1884-1963)	1962
12. डॉ. ज़ाकिर हुसैन	(1897-1969)	1963
13. डॉ. पांडुरंग वामन काणे	(1880-1972)	1963
14. श्री लाल बहादुर शास्त्री (मरणोपरांत)	(1904-1966)	1966
15. श्रीमती इंदिरा गांधी	(1917-1984)	1971
16. श्री वराहगिरि वेंकट गिरि	(1894-1980)	1975
17. श्री कुमारास्वामी कामराज (मरणोपरांत)	(1903-1975)	1976
18. मदर मेरी टेरेसा बोजाक्सहियू (मदर टेरेसा)	(1910-1997)	1980
19. आचार्य विनोबा भावे (मरणोपरांत)	(1895-1982)	1983
20. खान अब्दुल गफ़्फार खाँ	(1890-1988)	1987
21. श्री मरुदुर गोपालन रामचंद्रन (मरणोपरांत)	(1917-1987)	1988
22. डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर (मरणोपरांत)	(1891-1956)	1990
23. डॉ. नेल्सन रोलिहलाहला मंडेला	(1918-2013)	1990
24. श्री राजीव गांधी (मरणोपरांत)	(1944-1991)	1991

25. सरदार वल्लभभाई पटेल (मरणोपरांत)	(1875-1950)	1991
26. श्री मोरारजी रणछोड़जी देसाई	(1896-1995)	1991
27. मौलाना अबुल कलाम आजाद (मरणोपरांत)	(1888-1958)	1992
28. श्री जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा	(1904-1993)	1992
29. श्री सत्यजीत राय (मरणोपरांत)	(1921-1992)	1992
30. श्री गुलजारी लाल नंदा (मरणोपरांत)	(1898-1998)	1997
31. श्रीमती अरुणा आसफ अली (मरणोपरांत)	(1909-1996)	1997
32. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम	(1931-2015)	1997
33. श्रीमती मदुरई शनमुखवादिवु सुब्बालक्ष्मी	(1916-2005)	1998
34. श्री चिदम्बरम सुब्रमण्यम	(1910-2000)	1998
35. लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मरणोपरांत)	(1902-1979)	1999
36. प्रोफेसर अमर्त्य सेन	(जन्म 1933)	1999
37. लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई (मरणोपरांत)	(1890-1950)	1999
38. पंडित रविशंकर	(1920-2012)	1999
39. सुश्री लता दीनानाथ मंगेशकर	(जन्म 1929)	2001
40. उस्ताद बिस्मिल्लाह खां	(1916-2006)	2001
41. पं. भीमसेन गुरुराज जोशी	(1922-2011)	2009
42. प्रो. सी.एन.आर. राव	(जन्म 1934)	2014
43. श्री सचिन रमेश तेंदुलकर	(जन्म 1973)	2014
44. पं. मदन मोहन मालवीय (मरणोपरांत)	(1861-1946)	2015
45. श्री अटल बिहारी वाजपेयी	(1924-2018)	2015

स्रोत : भारत- 2019

नोबेल पुरस्कार विजेता (भारतीय)

रवींद्रनाथ ठाकुर (1861-1941)

रवींद्रनाथ ठाकुर, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। 'गुरुदेव' के नाम से प्रसिद्ध रवींद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई, 1861 को कोलकाता में हुआ। उन्हें उनकी कविताओं की पुस्तक *'गीतांजलि'* के लिए सन् 1913 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। रवींद्रनाथ ठाकुर ने अनेक प्रेमगीत भी लिखे हैं। *गीतांजलि* और *साधना* उनकी महत्त्वपूर्ण कृतियाँ हैं। महान कवि, नाटककार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध 'गुरुदेव' ने भारत के राष्ट्र गान की भी रचना की। सन् 1901 में उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जो बाद में विश्वभारती विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

चंद्रशेखर वेंकटरमन (1888-1970)

भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉ0 चंद्रशेखर वेंकटरमन थे। उन्हें वर्ष 1930 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। रमन का जन्म तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली के पास तिरुवाइक्कावल में हुआ था। उन्होंने चेन्नई के प्रेसीडेंसी कालेज में शिक्षा प्राप्त की। बाद में वह कोलकाता विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर बने। चंद्रशेखर वेंकटरमन ने अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त किए। उन्हें 'सर' की उपाधि से भी सम्मानित किया गया और प्रकाशिकी के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने अपने अनुसंधान में इस बात का पता लगाया कि किस तरह अपसरित प्रकाश में अन्य तरंग, लंबाई की किरणें भी मौजूद रहती हैं। उनकी खोज को रमन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। सन् 1928 में की गई इस खोज से पारदर्शी माध्यम से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणों में आवृत्ति परिवर्तन की व्याख्या की गई है।

हरगोबिंद खुराना (1922-2011)

हरगोबिन्द खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए वर्ष 1968 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। भारतीय मूल के डॉ0 खुराना का जन्म पंजाब में रायपुर (जो अब पाकिस्तान में है) में हुआ था। उन्होंने लिवरपूल विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री ली। सन् 1960 में वह विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बने। उन्होंने अपनी खोज से आनुवांशिक कोड की व्याख्या की और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका का पता लगाया। इसके लिए उन्हें नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

मदर टेरेसा (1910-1997)

मदर टेरेसा को वर्ष 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। मदर का जन्म अलबानिया में स्कोपजे नामक स्थान पर हुआ था, जो अब यूगोस्लाविया में है। उनका बचपन का नाम एग्नस गोंक्सहा बोजाक्सिऊ था। सन् 1928 में वह डाल्विन में आयरलैंड की संस्था 'सिस्टर्स ऑफ लोरेटो' में शामिल हुईं और मिशनरी बनकर सन् 1929 में कोलकाता आ गईं। उन्होंने बेसहारा और बेघर लोगों के दुःख दूर करने का महान व्रत लिया। निर्धनों और बीमारों की सेवा के लिए उन्होंने 'मिशनरीज ऑफ चैरिटी' नाम की संस्था बनाई और भारतीय नागरिक बनकर कुष्ठ रोगियों, नशीले पदार्थों की लत के शिकार लोगों तथा दीन-दुखियों के लिए 'निर्मल हृदय' नाम की संस्था बनाई। यह संस्था उनकी गतिविधियों का केंद्र बनी। उन्होंने पूरी निष्ठा से न सिर्फ

बेसहारा लोगों की निःस्वार्थ सेवा की, बल्कि विश्व शांति के लिए भी प्रयास जारी रखे। उन्हीं की बदौलत भारत शांति के लिए अपने एक नागरिक द्वारा शान्ति के लिए पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने का गौरव प्राप्त कर सका है।

सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर (1910-1995)

भारत में जन्मे इस खगोल भौतिकी विज्ञानी को वर्ष 1983 में भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चेन्नई के प्रेसीडेंसी कालेज में पढ़े सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर नोबेल पुरस्कार विजेता सर सी.वी. रमन के भतीजे थे। बाद में चंद्रशेखर अमेरिका चले गए, जहाँ उन्होंने खगोल भौतिक शास्त्र तथा सौरमंडल से संबंधित विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखीं। उन्होंने 'व्हाइट ड्वार्फ' यानी श्वेत बौने नाम के नक्षत्रों के बारे में सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन नक्षत्रों के लिए उन्होंने जो सीमा निर्धारित की है, उसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। उनके सिद्धांत से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अनेक रहस्यों का पता चला।

अमर्त्य सेन (जन्म 1933)

प्रोफेसर अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले एशियाई हैं। शांति निकेतन में जन्में यह अर्थशास्त्री लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र में पारंगत हैं। उन्होंने कल्याण और विकास के पक्षों पर कई पुस्तकें तथा शोध-पत्र लिखे हैं। एक अलग प्रकार के अर्थशास्त्री के रूप में वह मानवतावादी अर्थशास्त्री माने जाते हैं। उन्होंने भुखमरी, गरीबी, लोकतंत्र, लिंग और सामाजिक समस्याओं पर उत्कृष्ट लेखन से अपनी पहचान बनाई। पहले केनेथ ऐरो नाम के अर्थशास्त्री ने असंभाव्यता सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था और कहा था कि पूर्ण निजी विकल्पों को संपूर्ण समाज के लिए संतोषजनक पसंद बना पाना संभव नहीं है। प्रोफेसर सेन ने दिखाया कि गणितीय आधार पर समाज के कमजोर परिणामों को समाप्त करने के उपाय ढूंढ़े जा सकते हैं।

वेंकटरामन रामकृष्णन (जन्म 1952)

वेंकटरामन रामकृष्णन को वर्ष 2009 में रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें यह पुरस्कार कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की कार्यप्रणाली व संरचना के उत्कृष्ट अध्ययन के लिए दिया गया है। वेंकटरामन तमिलनाडु के चिदंबरम में पैदा हुए थे। उन्होंने वर्ष 1971 में बड़ौदा के एम.एस. विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातक तक की पढ़ाई पूरी की। उन्हें ओहियो विश्वविद्यालय से वर्ष 1971 में पीएच.डी. की डिग्री प्राप्त हुई। उनका झुकाव भौतिकी से जीव विज्ञान की ओर हुआ और उन्होंने वर्ष 1976 से 1978 तक कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय में जीव विज्ञान स्नातक विद्यार्थी के रूप में रोडोस्पीन नामक अणु का अध्ययन किया।

कैलाश सत्यार्थी (जन्म 1954)

कैलाश सत्यार्थी को बच्चों और युवाओं के दमन के विरुद्ध तथा सभी बच्चों की शिक्षा के अधिकार की लड़ाई के लिए वर्ष 2014 का नोबल शांति पुरस्कार दिया गया। उनका जन्म मध्य प्रदेश के विदिशा में हुआ। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री तथा हाई वोल्टेज इन्जीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। वर्ष 1980 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के कैरियर को तिलांजलि देते हुए 'बचपन बचाओ' आन्दोलन की शुरुआत की। उन्होंने बाल श्रम के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व भी किया। यह सभी बच्चों के अधिकारों के संरक्षण और प्रोत्साहन के लिए एकजुटता का विश्वस्तरीय अभियान था।

स्रोत : भारत- 2019

प्रमुख राष्ट्रीय पर्व एवं अन्तर्राष्ट्रीय दिवस

दिनांक	दिवस का नाम
जनवरी 10	विश्व हास्य दिवस
जनवरी 12	राष्ट्रीय युवा दिवस
जनवरी 15	थल सेना दिवस
जनवरी 24	उ०प्र० दिवस
जनवरी 26	गणतंत्र दिवस
जनवरी 30	शहीद दिवस
फरवरी 24	सेंट्रल एक्साइज दिवस
फरवरी 28	राष्ट्रीय विज्ञान दिवस
मार्च 8	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
मार्च 15	विश्व विकलांग दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस
मार्च 18	आर्डनेंस फैक्ट्री डे (भारत)
मार्च 21	विश्व वन्य दिवस
मार्च 21	विश्व रंगभेद समाप्ति के लिये दिवस
मार्च 22	विश्व जल दिवस
अप्रैल 5	नेशनल मैरिटाइम डे
अप्रैल 17	वर्ल्ड हीमोफीलिया डे
अप्रैल 18	वर्ल्ड हेरिटेज डे आजाद हिन्द फौज स्थापना दिवस
अप्रैल 21	सेक्रेट्रीज डे
अप्रैल 22	पृथ्वी दिवस
मई 1	श्रमिक दिवस
मई 3	अन्तर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस
मई का द्वितीय रविवार	माँ दिवस
मई 8	विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, वर्ल्ड रेड क्रास डे
मई 9	वर्ल्ड थैलेसीमिया डे
मई 11	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस
मई 13	इंटर्नेशनल नर्स डे
मई 15	अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस
मई 17	विश्व दूरसंचार दिवस
मई 24	कामनवेल्थ डे
मई 30	पत्रकारिता दिवस
मई 31	एंटी टोबैको डे
जून 4	अबोध बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस
जून 5	विश्व पर्यावरण दिवस
जून 20	पिता दिवस
जून 21	अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस
जून 26	इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग

दिनांक	दिवस का नाम
जुलाई 11	विश्व जनसंख्या दिवस
जुलाई 22	राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस
जुलाई 28	वन महोत्सव दिवस
अगस्त 1	विश्व स्तन पान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस
अगस्त 6	हिरोशिमा दिवस (विश्व शान्ति दिवस)
अगस्त 9	भारत छोड़ो दिवस, नागासाकी दिवस
अगस्त 15	स्वतंत्रता दिवस
अगस्त 29	राष्ट्रीय खेल दिवस
सितम्बर 2	कोकोनट डे
सितम्बर 5	शिक्षक दिवस, संस्कृत दिवस
सितम्बर 8	विश्व साक्षरता दिवस
सितम्बर 14	हिन्दी दिवस
सितम्बर 16	वर्ल्ड ओजोन डे
सितम्बर 21	अल्जीमर डे, इंजीनियर्स डे
सितम्बर 22	रोज डे, कैंसर मरीज कल्याण दिवस
सितम्बर 27	विश्व पर्यटन दिवस
अक्टूबर 1	अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस
अक्टूबर 2	अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस एवं गांधी जयंती
अक्टूबर 3	वर्ल्ड हैबिटेट डे
अक्टूबर 4	विश्व जंतु कल्याण दिवस
अक्टूबर 9	वर्ल्ड पोस्ट आफिस डे
अक्टूबर 10	राष्ट्रीय डाक दिवस
अक्टूबर 14	वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे
अक्टूबर 15	दृष्टिहीनों का मार्ग दर्शन दिवस
अक्टूबर 16	विश्व खाद्य दिवस
अक्टूबर 24	संयुक्त राष्ट्र दिवस, विश्व विकास सूचना दिवस
अक्टूबर 30	विश्व मितव्ययता दिवस
नवंबर 9	लीगल सर्विस डे
नवंबर 14	बाल दिवस
दिसंबर 1	विश्व एड्स दिवस
दिसंबर 4	जलसेना दिवस, विश्व विकलांग दिवस
दिसंबर 10	मानव अधिकार दिवस
दिसंबर 18	अल्पसंख्यक अधिकार दिवस (भारत)
दिसंबर 23	किसान दिवस
दिसंबर 25	क्रिसमस डे

स्रोत : मनोरमा इयर बुक

उ.प्र. विधानसभा की स्थायी समितियाँ

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण एवं समाज कल्याण स्थायी समिति
2. सामान्य प्रशासन स्थायी समिति
3. लोक निर्माण स्थायी समिति
4. सिंचाई स्थायी समिति
5. विद्युत स्थायी समिति
6. शिक्षा स्थायी समिति
7. श्रम स्थायी समिति
8. वन स्थायी समिति
9. राजस्व स्थायी समिति
10. न्याय तथा विधान सम्बन्धी स्थायी समिति
11. कृषि स्थायी समिति
12. आबकारी स्थायी समिति
13. जेल स्थायी समिति
14. चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थायी समिति
15. स्थानीय स्वशासन सम्बन्धी स्थायी समिति
16. सूचना स्थायी समिति
17. रसद स्थायी समिति
18. पुलिस स्थायी समिति
19. यातायात स्थायी समिति
20. उद्योग स्थायी समिति
21. विकास तथा नियोजन स्थायी समिति
22. सहकारी स्थायी समिति
23. महिला कल्याण एवं बाल विकास स्थायी समिति
24. प्रशिक्षण एवं सेवायोजन स्थायी समिति
25. बिक्री कर स्थायी समिति
26. पर्यटन स्थायी समिति
27. स्पोर्ट्स स्थायी समिति
28. क्षेत्रीय विकास स्थायी समिति
29. गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग स्थायी समिति
30. पशुपालन स्थायी समिति

प्रत्येक समिति में कुल 16 सदस्य होंगे।

उ.प्र. सरकार द्वारा वर्ष 2019 में सम्मानित हिन्दी साहित्यकार एवं विद्वान

1. **भारत–भारती सम्मान– रु. 5.00 लाख** (रु. पांच लाख) डॉ. उषा किरण खान
2. **लोहिया साहित्य सम्मान– रु. 4.00 लाख** (रु. चार लाख) डॉ. मनमोहन सहगल
3. **हिन्दी गौरव सम्मान– रु. 4.00 लाख** (रु. चार लाख) डॉ. बदरी नाथ कपूर
4. **महात्मा गाँधी साहित्य सम्मान– रु. 4.00 लाख** (रु. चार लाख) डॉ. श्रीभगवान सिंह
5. **पं. दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान– रु. 4.00 लाख** (रु. चार लाख) डॉ. ओम प्रकाश पाण्डेय
6. **अवन्तीबाई साहित्य सम्मान– रु. 4.00 लाख (रु. चार लाख)** डॉ. (श्रीमती) कमल कुमार
7. **राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन सम्मान– रु. 4.00 लाख** (रु. चार लाख) मणिपुर हिन्दी परिषद, इम्फाल
8. **साहित्य भूषण सम्मान– रु. 2.00 लाख** (रु. दो लाख) (1) जगद्गुरु श्री रामानन्दाचार्य (स्वामी रामभद्राचार्य) (2) डॉ. बद्री प्रसाद पंचोली, (3) श्री जगदीश तोमर, (4) श्री रामदेव लाल 'विभोर, (5) डॉ. ऊषा चौधरी, (6) डॉ. सूर्यपाल सिंह, (7) श्री चन्द्रिका प्रसाद कुशवाहा, (8) डॉ. आद्या प्रसाद द्विवेदी, (9) डॉ. श्याम सुन्दर दुबे, (10) डॉ. भगवान शरण भारद्वाज, (11) श्री वीरेन्द्र आस्तिक, (12) श्री नवनीत मिश्र, (13) श्री अशोक अग्रवाल, (14) डॉ. शशि तिवारी, (15) डॉ. रामसनेही लाल शर्मा 'यायावर', (16) श्री प्रताप नारायण मिश्र, (17) डॉ. इन्दीवर पाण्डेय, (18) डॉ. सुरेश प्रकाश शुक्ल, (19) श्री सुरेश बाबू मिश्र, (20) डॉ. पूरन चंद टंडन।
9. **लोक भूषण सम्मान– रु. 2.00 लाख** (रु. दो लाख), डॉ. शान्ति जैन
10. **कला भूषण सम्मान– रु. 2.00 लाख** (रु. दो लाख), श्री मनोज कुमार सिंह
11. **विद्या भूषण सम्मान– रु. 2.00 लाख** (रु. दो लाख), डॉ. जगमोहन सिंह राजपूत
12. **विज्ञान भूषण सम्मान– रु. 2.00 लाख** (रु. दो लाख), डॉ. प्रेमचन्द्र स्वर्णकार
13. **पत्रकारिता भूषण सम्मान– रु. 2.00 लाख** (रु. दो लाख), डॉ. रमेश चन्द्र त्रिपाठी
14. **प्रवासी भारतीय हिन्दी भूषण सम्मान– रु. 2.00 लाख** (रु. दो लाख), डॉ. उदय नारायण गंगू
15. **हिन्दी विदेश प्रसार सम्मान– रु. 2.00 लाख** (रु. दो लाख), डॉ. बंडार मेणिके विजयतुंग
16. **बाल साहित्य भारती सम्मान– रु. 2.00 लाख** (रु. दो लाख), डॉ. भैरूलाल, श्री सूर्य कुमार पाण्डेय, श्री संजीव जायसवाल 'संजय'
17. **मधुलिमये साहित्य सम्मान– रु. 2.00 लाख** (रु. दो लाख), डॉ. वेदप्रकाश पाण्डेय
18. **पं. श्रीनारायण चतुर्वेदी साहित्य सम्मान – रु. 2.00 लाख** (रु. दो लाख), श्री रणविजय सिंह
19. **विधि भूषण सम्मान– रु. 2.00 लाख** (रु. दो लाख), श्री ब्रजकिशोर शर्मा
20. **सौहार्द सम्मान– रु. 2.00 लाख** (रु. दो लाख), (1) डॉ. सुनील देवधर (मराठी), (2) डॉ. एच. एम. कुमारस्वामी (कन्नड़), (3) डॉ. आजाद मिश्र (संस्कृत), (4) डॉ. श्रीमती टी.सी. वसन्ता (तेलुगू), (5) डॉ. राजेन्द्र सिंह टोकी (पंजाबी), (6) डॉ. (श्रीमती) अहिल्या मिश्र (मैथिली), (7) डॉ. पी. लता (मलयालम), (8) श्रीमती अलमेलू कृष्णन् (तमिल), (9) डॉ. वेद कुमारी घई (डोगरी), (10) डॉ. चन्द्रशेखर (उर्दू), (11) डॉ. राधाकान्त मिश्र (ओड़िया), (12) श्री अग्नि शेखर (कश्मीरी) (13) डॉ. बंशीधर शर्मा (गुजराती) (14) डॉ. भूपेन्द्र राय चौधरी (असमिया) (15) श्री ज्ञान प्रकाश टेकचंदानी 'सरल' (सिंधी)।
21. **पं. मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय स्तरीय सम्मान– रु. 1,00,000=00 (रु. एक लाख)** (1) डॉ. रश्मि कुमार, (2) डॉ. विजय कर्ण।

ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत उत्तर प्रदेश के प्रमुख रचनाकार

क्र.स.	रचनाकारों के नाम
1.	सुमित्रा नंदन पंत
2.	रघुपति सहाय 'फिराक' गोरखपुरी
3.	सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय'
4.	महादेवी वर्मा
5.	नरेश मेहता
6.	अली सरदार जाफरी
7.	कुँवर नारायण
8.	सत्यव्रत शास्त्री
9.	अख़लाक मुहम्मद ख़ान 'शहरयार'
10.	अमरकांत
11.	श्री लाल शुक्ल
12.	केदारनाथ सिंह

यश भारती सम्मान

उ.प्र. के यश भारती सम्मान से सम्मानित महानुभावों का विवरण

क्र. स.	महानुभावों का नाम	सम्मानित वर्ष	विधा
1.	डॉ. हरिवंश राय बच्चन	1994-95	(कवि एवं साहित्यकार)
2.	डॉ. गोपाल दास नीरज	,,	(कवि)
3.	स्व. कैफी आज़मी	,,	(शायर)
4.	श्री मुजफ्फर अली	,,	(फिल्म निर्देशन)
5.	स्व. उस्ताद विस्मिल्ला खां	,,	(शहनाई)
6.	सुश्री गिरिजा देवी	,,	(गायन)
7.	पं. बिरजू महाराज	,,	(कथक)
8.	प्रो. राज बिसारिया	,,	(नाट्य निर्देशन)
9.	स्व. गुलाब बाई	,,	(नौटंकी)
10.	स्व. सितारा देवी	,,	(कथक)
11.	स्व. श्री बी. एम. शाह	,,	(नाट्य निर्देशन)
12.	स्व. श्री फिदा हुसैन नरसी	,,	(फारसी रंगमंच)
13.	स्व. श्री मोहन उप्रेती	,,	(लोक संगीत)
14.	स्व. श्री अवतार सिंह पवार	,,	(मूर्तिकला)
15.	स्व. श्री सतीश चन्द्रा	,,	(चित्रकला)
16.	पं. हरि प्रसाद चौरसिया	,,	(बांसुरी)
17.	स्व. श्री शेख शमशउद्दीन	,,	(जरी कसीदाकारी)

18.	सुश्री रूना बनर्जी	,,	(ग्रामीण महिला उत्थान)
19.	श्री अभिताभ बच्चन	,,	(फिल्म अभिनय)
20.	श्रीमती जया बच्चन	,,	(फिल्म अभिनय)
21.	मो. शाहिद	,,	(हाकी)
22.	सुश्री बछेन्द्री पाल	,,	(पर्वतारोहण)
23.	मो. ज़फर इकबाल	,,	(हाकी)
24.	श्री जसपाल राणा	,,	(शूटिंग)
25.	श्री राज बब्बर	,,	(फिल्म अभिनय)
26.	श्रीमती नादिरा राज बब्बर	1994-95	(नाट्य निर्देशन)
27.	श्री विशम्भर सिंह	,,	(कुश्ती)
28.	श्री पन्ने लाल यादव	,,	(कुश्ती)
29.	श्री रामाश्रय यादव	,,	(कुश्ती)
30.	स्व. श्री जनार्दन सिंह	,,	(कुश्ती)
31.	स्व. श्री बालेश्वर	,,	(भोजपुरी लोक गायन)
32.	श्रीमती शबाना आज़मी	,,	(फिल्म अभिनय)
33.	श्री मलखान सिंह	,,	(कुश्ती)
34.	श्री सुरेन्द्र पाल	,,	(अभिनय)
35.	सुश्री मिलन सिंह (भदौरिया)	,,	(गायन)
36.	सुश्री वन्दना बाजपेई	,,	(गायन)
37.	श्री शकील अहमद	,,	(हाकी)
38.	श्री रनवीर सिंह	,,	(वालीबाल)
39.	स्व. श्री लाल शुक्ल	2005-06	(साहित्य)
40.	पं. मुरारी लाल शर्मा	,,	(लोकनृत्य लोकगीत)
41.	श्री सुभाष वर्मा	,,	(पहलवानी)
42.	सुश्री काव्या गुप्ता	,,	(तैराकी)
43.	श्री देवेश चौहान	,,	(हाकी)
44.	स्व. गोपाल प्रसाद व्यास	,,	(साहित्य)
45.	स्व. ज्ञान चन्द्र जैन	,,	(पत्रकारिता)
46.	श्री अच्युतानंद मिश्र	,,	(पत्रकारिता)
47.	सुश्री मालिनी अवस्थी	,,	(गायन)
48.	श्री राज कुमार	,,	(पर्वतारोहण)
49.	श्री कुलदीप नैयर	,,	(पत्रकारिता)
50.	श्री सोम ठाकुर	,,	(कवि)
51.	स्व. बिली अर्जन सिंह	,,	(वन्य जीव संरक्षण)
52.	श्री राजपाल यादव	,,	(अभिनय)
53.	श्री जनार्दन सिंह यादव	,,	(कुश्ती)
54.	श्री हनुमान प्रसाद शर्मा	,,	(साहित्य)
55.	श्री चन्द्र विजय सिंह	,,	(कुश्ती)
56.	श्री उदय प्रताप सिंह	2006-07	(कवि)
57.	श्री अभिषेक बच्चन	,,	(फिल्म अभिनय)
58.	श्री शीतला सिंह	,,	(पत्रकारिता)
59.	श्री विजय कुमार	,,	(पत्रकारिता साहित्यकार)
60.	डॉ. विवेकी राय	,,	(साहित्यकार)

61.	डॉ. योगेश प्रवीन	,,	(साहित्यकार)
62.	स्व. श्री तालुकेदार यादव	,,	(पहलवान)
63.	श्री राजीव तोमर	,,	(पहलवान)
64.	श्री जगदीश कालीरमन	2006-07	(कुश्ती)
65.	श्री शौकिन्द्र तोमर	,,	(पहलवान)
66.	मोहम्मद कैफ	,,	(खेल)
67.	स्व. कमलेश्वर	,,	(कवि/साहित्यकार)
68.	स्व. डॉ. बृजेन्द्र अवस्थी	,,	(कवि/साहित्यकार)
69.	स्व. कैलाश गौतम	,,	(कवि/साहित्यकार)
70.	स्व. डॉ. उर्मिलेश	,,	(कवि)
71.	पं. छन्नू लाल मिश्र	2012-13	(गायन)
72.	श्री अंशू तोमर	,,	(कुश्ती)
73.	श्री विवेक गुप्ता	,,	(हाकी)
74.	सुश्री डॉ. सरिता शर्मा	,,	(साहित्यकार)
75.	श्री सुरेश रैना	,,	(क्रिकेट)
76.	श्री नरसिंह यादव	,,	(कुश्ती)
77.	प्रो. सत्यमित्र दुबे	,,	(शिक्षा)
78.	श्री आमिर राजा हुसैन	,,	(शायर)
79.	डॉ. राम कृष्ण राजपूत	,,	(साहित्यकार)
80.	स्व. श्री राजेन्द्र यादव	,,	(साहित्यकार)
81.	श्री अभिजीत भट्टाचार्य	,,	(गायन)
82.	श्री मेवालाल यादव	,,	(कुश्ती)
83.	मो. जावेद अली	,,	(गायन)
84.	स्व. श्री मस्तराम कपूर	,,	(साहित्यकार)
85.	श्री जाहिद हसन वसीम बरेलवी	,,	(शायर)
86.	लोधी मो. शफी खां	2013-14	(साहित्य)
87.	श्री हीरा लाल यादव	,,	(लोक गायन)
88.	डॉ. जगदीश गांधी	,,	(शिक्षा)
89.	श्री देवी प्रसाद पाण्डेय 'अडिग'	,,	(साहित्य)
90.	प्रो. माता प्रसाद त्रिपाठी	,,	(साहित्य)
91.	श्री अशोक कुमार सिंह	,,	(हाकी)
92.	श्री वंश गोपाल यादव	,,	(आल्हा)
93.	श्री अनूप जलोटा	,,	(गायन)
94.	पं. राजन मिश्र एवं साजन मिश्र (संयुक्त)	,,	(शास्त्रीय गायन)
95.	श्री रमेश भइया	,,	(समाज सेवा)
96.	पं. विकास महाराज	,,	(सरोद)
97.	श्री शीतला पाण्डेय उर्फ 'समीर'	,,	(फिल्म गीतकार)
98.	श्री लाल बचन यादव	,,	(कुश्ती)
99.	श्री मुनव्वर अंजार	,,	(जूडो)
100.	सुश्री रेखा भारद्वाज	,,	(सुगम संगीत)
101.	श्री धर्मेन्द्र यादव	,,	(मुक्केबाजी)
102.	श्री भगत सिंह	2013-14	(कुश्ती)
103.	श्री योगेन्द्र सिंह यादव	,,	(सैन्य सेवा)

104. श्री विजय पाल यादव	,,	(कुश्ती)
105. श्री राजेश कुमार यादव	,,	(नौकायन)
106. श्री अभिषेक यादव	,,	(मार्शलआर्ट)
107. सुश्री श्वेता प्रियदर्शनी	,,	(शतरंज)
108. मो. हमीदुल्लाह (हामिद हिन्दी)	2014-15	(साहित्य)
109. प्रो. रीता गांगुली	,,	(उपशास्त्रीय गायन)
110. श्री दर्शन सिंह यादव	,,	(समाज सेवा)
111. प्रो. भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी 'वागीश शास्त्री'	,,	(शिक्षा)
112. प्रो. हकीम सैय्यद जिल्लुर्रहमान	,,	(यूनानी चिकित्सा)
113. श्री जयकृष्ण अग्रवाल	,,	(ललित कला)
114. श्री विनोद मेहता	,,	(पत्रकारिता)
115. डॉ. उर्मिल कुमार थपलियाल	,,	(लोक रंगमंच साहित्य)
116. श्री रवीन्द्र जैन	,,	(संगीतकार)
117. श्री योगेश गौड़	,,	(गीतकार)
118. श्री टी. पी. त्रिवेदी	,,	(ज्योतिष विज्ञान)
119. श्री गिरधर लाल मिश्र	,,	(समाज सेवा)
120. श्री राज कुमार वर्मा	,,	(चित्रकार 'माइक्रो पेन्टिंग')
121. डॉ. ज्ञान चतुर्वेदी	,,	(साहित्य)
122. श्री बुद्धि प्रकाश	,,	(योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा)
123. श्री विष्णु यादव	,,	(बिरहा गायन)
124. डॉ. कुमकुम धर	,,	(कथक)
125. श्री विष्णु सक्सेना	,,	(साहित्य)
126. सुश्री शुभा मुदगल	,,	(शास्त्रीय गायन)
127. श्रीकृष्ण कन्हाई व श्री गोविन्द कन्हाई	,,	(स्वर्ण चित्रकार)
128. डॉ. (प्रो.) सी. एस. यादव	,,	(चिकित्सा)
129. श्री राजकुमार	,,	(कुश्ती)
130. डॉ. आर. पी. सिंह	,,	(हाकी एवं फुटबाल)
131. डॉ. राकेश यादव	,,	(चिकित्सा)
132. श्री इफ्तेखार नदीम खान	,,	(कास्ट कला)
133. श्री जसजीत सिंह गिल 'जिम्मी शेरगिल'	,,	(अभिनेता)
134. श्री कैलाश खेर	,,	(सूफी गायन)
135. श्री राहत अली खान साबरी	,,	(गज़ल गीत एवं सूफी गायन)
136. श्री नवाजुद्दीन सिद्दीकी	,,	(अभिनेता)
137. श्री अवनीश कुमार यादव	,,	(वालीबाल)
138. श्रीमती अलका तोमर	,,	(महिला कुश्ती)
139. सुश्री पूनम यादव	,,	(भारोतोलन)
140. सुश्री गीतांजलि शर्मा	2014-15	(नृत्य)
141. श्री खुशबीर सिंह शाद	,,	(शायर)
142. उस्ताद गुलशन भारती	2015-16	(गायन)
143. श्री वजीर अहमद खान	,,	(शतरंज)
144. सुश्री मनु कुमारी पाल	,,	(खेल)
145. मेजर अशोक कुमार सिंह	,,	(नौकायन)
146. श्री नरेन्द्र सिंह राणा	,,	(खेल)

147. श्री चक्रेश कुमार जैन	,,	(हस्तशिल्पी)
148. प्रो. कमला श्रीवास्तव	,,	(लोक संगीत)
149. सुश्री सुधा सिंह	,,	(एथलेटिक्स)
150. डॉ. नवाज देवबन्दी	,,	(शिक्षा)
151. श्रीमती कुमकुम आदर्श	,,	(कथक नृत्य)
152. प्रोफेसर गिरिजा शंकर	,,	(साहित्य)
153. अलीम उल्लाह सिद्दीकी	,,	(चित्रकार)
154. डॉ. सुभाष गुप्ता	,,	(चिकित्सा)
155. श्री अभिन्न श्याम गुप्ता	,,	(खेल)
156. श्री गोपाल चतुर्वेदी	,,	(साहित्य)
157. श्री इकबाल अहमद सिद्दीकी	,,	(गज़ल गायन)
158. डॉ. (ब्रिगे.) टी. प्रभाकर	,,	(चिकित्सा)
159. श्री सर्वेश यादव	,,	(निशानेबाजी)
160. सुश्री स्थवी अस्थाना	,,	(घुड़सवारी)
161. श्री सुनील कुमार राणा	,,	(खेल)
162. श्री सुधीर मिश्रा	,,	(फिल्म निर्देशन)
163. श्री राजू श्रीवास्तव	,,	(हास्य कलाकार)
164. श्री जगबीर सिंह	,,	(हाकी)
165. सुश्री अरूणिमा सिन्हा	,,	(पर्वतारोहण)
166. सुश्री सुरभि रंजन	,,	(गायन)
167. प्रो. रवि कान्त	,,	(चिकित्सा)
168. श्री लाल जी यादव	,,	(कुश्ती)
169. श्री दिनेश लाल यादव 'निरहुआ'	,,	(अभिनय)
170. श्री अनुज चौधरी	,,	(खेल)
171. श्री अनुराग कश्यप	,,	(फिल्म निर्देशन एवं निर्माण)
172. श्री विजय सिंह चौहान	,,	(एथलेटिक्स)
173. सुश्री नाहिद आबिदी	,,	(साहित्य)
174. उस्ताद गुलाम मुस्तफा खाँ	,,	(गायन)
175. श्रीमती सीमा पुनिया	,,	(एथलेटिक्स)
176. श्री मधुकर त्रिवेदी	,,	(पत्रकारिता/साहित्य)
177. श्री अंकित तिवारी	,,	(गायन)
178. मोहम्मद इमरान खान	2015-16	(कवि/शायर)
179. श्री रूद्र प्रताप सिंह	,,	(क्रिकेट)
180. श्री विशाल भारद्वाज	,,	(फिल्म निर्देशन, निर्माण एवं संगीत निर्देशन)
181. श्री अनवर अहमद (अनवर जलालपुरी)	,,	(साहित्य)
182. श्री हेमन्त शर्मा	,,	(पत्रकारिता)
183. श्रीमती अपर्णा कुमार	,,	(पर्वतारोहण)
184. डॉ. सुनील जोगी	,,	(साहित्य)
185. प्रो. अशोक चक्रधर	,,	(साहित्य)
186. डॉ. नरेश त्रेहन	,,	(चिकित्सा)
187. प्रो. इरफान हबीब	,,	(शिक्षा)
188. बेगम हमीदा हबीबुल्लाह	2016-17	(समाज सेवा)

189. श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी	,,	(साहित्य)
190. सुश्री कमर रहमान	,,	(विज्ञान)
191. डॉ. (श्रीमती) सबीहा अनवर	,,	(साहित्य)
192. सुश्री पद्मा गिडवानी	,,	(गायन)
193. श्री संतोष आनन्द	,,	(फिल्म गीतकार)
194. उस्ताद गुलफाम अहमद	,,	(रबाब वादन)
195. डॉ. अनिल कुमार रस्तोगी	,,	(अभिनय)
196. श्री केवल कुमार	,,	(संगीत निर्देशन एवं गायन)
197. पं. विश्वनाथ	,,	(शास्त्रीय संगीत)
198. ले. जनरल अनिल चैत	,,	(सैन्य सेवा)
199. डॉ. सैय्यद मुहम्मद हस्सान	,,	(यूनानी चिकित्सा एवं अनुसंधान)
200. श्री राजकृष्ण मिश्र	,,	(साहित्य)
201. श्री सौरभ शुक्ला	,,	(फिल्म निर्देशन/अभिनय)
202. श्री अनुभव सिन्हा	,,	(फिल्म निर्देशन)
203. नवाब जाफर मीर अब्दुल्लाह	,,	(हस्त शिल्पकला एवं संस्कृति)
204. डॉ. रतीश चन्द्र अग्रवाल	,,	(चिकित्सा)
205. श्री राजेन्द्र सिंह	,,	(जल संरक्षण)
206. सुश्री सुमोना चक्रवर्ती	,,	(अभिनय)
207. सुश्री अनुपमा राग	,,	(संगीत निर्देशन/गायन)
208. सुश्री सोनी चौरसिया	,,	(कथक नृत्य)
209. श्री ज्ञानेन्द्र पाण्डेय	,,	(क्रिकेट)
210. श्री प्रवीन कुमार	,,	(क्रिकेट)
211. श्री पियूष चावला	,,	(क्रिकेट)
212. श्री भुवनेश्वर कुमार	,,	(क्रिकेट)
213. श्री मनोज मुन्तशिर	,,	(फिल्म गीतकार एवं पटकथा लेखन)
214. प्रो. (डॉ.) गौरदास चौधरी	,,	(चिकित्सा)
215. प्रो. राकेश कपूर	2016-17	(चिकित्सा)
216. डॉ. दीपक कुमार अग्रवाल	,,	(चिकित्सा)
217. डॉ. राम रतन बनर्जी	,,	(चिकित्सा)
218. डॉ. आलोक पारीक	,,	(होम्योपैथी चिकित्सक)
219. शेफ गुलाम मोइनुद्दीन कुरैशी	,,	(पाकशास्त्र)
220. श्री गुलाम शर्फुद्दीन अंसारी उर्फ गुलामन	,,	(निर्यातक एवं उद्योगपति)
221. प्रो. (डॉ.) राम मोहन पाठक	,,	(पत्रकारिता एवं शिक्षण)
222. साबरी बन्धु (आफताब-हाशिम)	,,	(कव्वाली गायन)
223. श्री मोहम्मद असलम वारसी	,,	(सूफी गायन)
224. श्री ओमा उपाध्याय	,,	(ज्योतिष)
225. श्री दीपराज राणा	,,	(फिल्म अभिनय)
226. श्री फारूक अहमद	,,	(समाज सेवा)
227. श्री योगेश मिश्र	,,	(पत्रकारिता)
228. श्री काशीनाथ यादव	,,	(भोजपुरी लोक गायन)
229. श्री वेंकट चंगावली	,,	(समाज सेवा)
230. सुश्री सुमन यादव	,,	(खेल)
231. श्री अर्जुन वाजपेई	,,	(पर्वतारोहण)

232. सुश्री गार्गी यादव	,,	(कुश्ती)
233. श्री राम मिलन यादव	,,	(कुश्ती)
234. डॉ. रमाकान्त यादव	,,	(चिकित्सा)
235. श्री अशोक निगम	,,	
236. श्री आत्म प्रकाश मिश्र	,,	(दूरदर्शन)
237. पं. हरि प्रसाद मिश्र	,,	(ज्योतिष विशेषज्ञ एवं राज पुरोहित)
238. डॉ. शादाब रूदौलवी	,,	(शायर)
239. श्री सर्वेश कुमार अस्थाना	,,	(साहित्य)
240. श्री रवि कपूर	,,	(फोटोग्राफी)
241. डॉ. शिवानी मातनहेलिया	,,	(शास्त्रीय संगीत)
242. पं. राम कुमार मिश्र	,,	(शास्त्रीय संगीत)
243. श्री कमाल खान	,,	(गायन)
244. श्री विजय शेखर शर्मा	,,	(मोबाइल बैंकिंग)
245. श्री माहेश्वर तिवारी	,,	(साहित्य)
246. श्री नूर अलस्सबा	,,	(चित्रकला)
247. उस्ताद नाजिर हुसैन	,,	(शास्त्रीय संगीत)
248. डॉ. सैय्यद मोहम्मद बशीर बद्र	,,	(शायरी)
249. श्री मरिन्दर कुमार मिश्रा	,,	(लेखन)
250. श्री वरूण सिंह भाटी	,,	(पैरा एथलेटिक्स)
251. लेफ्टिनेन्ट जनरल ए. के. सिंह	,,	(सैन्य सेवा)
252. डॉ. मन्सूर हसन	,,	(चिकित्सा)
253. श्री रामेश्वर नाथ मिश्र	2016-17	(समाज सेवा)
254. श्री अतुल तिवारी	,,	(फिल्म/नाट्य लेखन एवं अभिनय के क्षेत्र में)
255. श्री दीन मुहम्मद दीन	,,	(साहित्य)
256. श्री प्रमोद कुमार सिंह चौधरी	,,	(समाज सेवा)
257. सुश्री रचना गोविल	,,	(खेल-शूटिंग)
258. श्री सुहास एल. वाई.	,,	(खेल-बैडमिन्टन)
259. श्री अब्बास रज़ा नैय्यर	,,	(साहित्य)
260. सुश्री अर्चना सतीश	,,	(कला)
261. श्री मुराद अली खान	,,	(खेल-निशानेबाजी)
262. सुश्री शिखा	,,	(दूरदर्शन)
263. श्री ब्रायन साइलस	,,	(पियानो वादन)
264. श्री गौरव खन्ना	,,	(खेल-बैडमिन्टन)
265. सुश्री ऋचा जोशी	,,	(लोक गायन)
266. मो. वसी खान अहमद	,,	(शारीरिक सौष्ठव)
267. मास्टर दविन्दर सिंह	,,	(संगीत)
268. श्री आनन्देश्वर पाण्डेय	,,	(खेल)
269. डॉ. राम सिंह यादव	,,	(लेखन और पत्रकारिता)

●

उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बन्धित वेबसाइट्स

Raj Bhawan U.P. (राज भवन उत्तर प्रदेश)	**http://upgovernor.gov.in**
Chief Minister Office (मुख्यमंत्री कार्यालय)	**http://upcmo.up.nic.in**
उत्तर प्रदेश सरकार की नोडल वेबसाइट	**http://up.gov.in**
Vidhan Sabha (विधान सभा)	**http://uplegisassembly.gov.in**
Vidhan Parishad (विधान परिषद)	**http://upvidhanparishad.nic.in**
NEDA (अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत)	**http://upneda.org.in**
Administrative Reforms (प्रशासनिक सुधार)	**http://www.adminreform.upsdc.gov.in**
Agriculture (कृषि)	**http://upagripardarshi.gov.in**
Appointments & Personnel (कार्मिक)	**http://niyuktionline.upsdc.gov.in**
Animal Husbandary (पशुधन)	**http://animalhusb.upsdc.gov.in**
Board of Revenue (राजस्व परिषद)	**http://bor.up.nic.in**
Cane Development (गन्ना विकास)	**http://www.upcane.gov.in**
Commercial Tax (वाणिज्य कर)	**http://comtax.up.nic.in**
Cooperative (सहकारिता)	**http://cooperative.up.nic.in**
Court Cases Monitoring System (न्यायालय विभाग एवं अनुश्रवण)	**http://courtcases.up.nic.in**
Culture (संस्कृति)	**http://upculture.up.nic.in**
Dairy Development (दुग्ध विकास)	**http://updairydevelopment.gov.in**
Dharmarth (धर्मार्थ कार्य)	**http://updharmarthkarya.in**
Election:off.of Chief Electoral officer (निर्वाचनः मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्या.)	**http://ceouttarpradesh.nic.in**
Entertainment Tax (मनोरंजन कर)	**http://etax.up.nic.in**
Environment Information System (पर्यावरण सूचना प्रणाली)	**http://www.upenvis.nic.in**
Estate (राज्य सम्पत्ति)	**http://estate-up.gov.in**
Excise (आबकारी)	**http://www.upexciseonline.in**
U.P. Electronics Corp. Ltd. (यू.पी. इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लि.)	**http://www.uplc.in**
Fisheries (मत्स्य)	**http://fisheries.upsdc.gov.in**
Food & Civil Supplies (खाद्य एवं रसद)	**http://fcs.up.gov.in/Foodportal.aspx**
Forest (वन)	**http://upforest.gov.in**
Geology & Mining Directorate (भूतत्व एवं खनिकर्म)	**http://upmines.upsdc/gov.in/**
Ground Water (भू-जल)	**http://upgwd.gov.in**
Handicapped Welfare (विकलांग कल्याण)	**http://uphwd.gov.in**
High Court, Allahabad, U.P. (उच्च न्या०, इलाहाबाद, उ०प्र०)	**http://www.allahabadhighcourt.in**
Home (गृह)	**http://uphome.gov.in**
Home Guards (होम गार्ड्स)	**http://uphaar.up.nic.in**
Horticulture (उद्यान)	**http://uphorticulture.gov.in**
Housing (आवास विकास विभाग)	**http://awas.up.nic.in**
Information & Public Relation (सूचना एवं जनसंपर्क)	**http://information.up.nic.in**
Information Technology & Electronic (सूचना प्रौद्योगिकी)	**http://upite.gov.in**
Infrastructure & Industrial Development (अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास)	**http://udyogbandhu.com**
Integrated Child Development (समन्वित बाल विकास)	**http://www.icdsupweb.org**
Irrigation & Flood Control (सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण)	**http://idup.gov.in**
Jail Administration (कारागार)	**http://upprison.gov.in**

Khadi & Village Industries (खादी एवं ग्रामोद्योग)	**http://www.upkvib.gov.in**
Labour (श्रम)	**http://uplabour.gov.in**
LandDevelopment & Water Resources (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	**http://upldwr.up.nic.in**
LandRecords (भू-अभिलेख)	**http://upbhulekh.gov.in**
Law (विधायी)	**http://law.up.nic.in**
Lok Ayukta U.P. (लोक आयुक्त उ०प्र०)	**http://lokayukta.up.nic.in**
Mandi Parishad (मण्डी परिषद)	**http://upmandiparishad.upsdc.gov.in**
Medical Education (चिकित्सा एवं शिक्षा)	**http://updgme.in**
Medical Health (चिकित्सा स्वास्थ्य)	**http://up-health.in/hi/**
Minor Irrigation (लघु सिंचाई)	**http://minorirrigationup.gov.in**
Minority Welfare (अल्पसंख्यक कल्याण)	**http://minoritywelfare.up.nic.in**
Nivesh Mitra (निवेश मित्र)	**http://niveshmitra.up.nic.in/**
Panchayati Raj (पंचायती राज)	**http://panchayatiraj.up.nic.in**
Parliamentary Affairs (संसदीय कार्य)	**http://upparliamentaryaffairs.gov.in**
Political Pension (राजनैतिक पेंशन)	**http://politicalpension.up.nic.in**
Program Iplementation (कार्यक्रम क्रियान्वयन)	**http://pid.up.nic.in**
Protocol (प्रोटोकाल)	**protocol.up.nic.in**
Public Enterprise (सार्वजनिक उद्यम)	**http://sarvjanikudyam.up.nic.in**
Public Work Development (लोक निर्माण विभाग)	**http://uppwd.gov.in**
Revenue (राजस्व)	**http://revenue.up.nic.in**
Rural Development (ग्राम्य विकास)	**http://rd.up.nic.in**
Rural Engineering Services (ग्रामीण अभियंत्रण सेवा)	**http://www.upred.gov.in**
Sarva Shiksha Abhiyan (सर्व शिक्षा अभियान)	**http://www.upefa.com**
Science & Technology (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)	**http://www.dstup.gov.in**
Secretariat Administration (सचिवालय प्रशासन)	**http://sadup.gov.in**
Social Welfare (समाज कल्याण)	**http://dirsamajkalyan.in/main.htm**
Sports (खेल)	**http://upsports.gov.in**
Stamp & Registration (स्टाम्प एवं पंजीयन)	**http://igrsup.gov.in**
State Election Commission U.P. (राज्य निर्वाचन आयोग)	**http://sec.up.nic.in**
Uttar pradesh State Information Commission (राज्य सूचना आयोग)	**http://upic.gov.in**
Tourism (पर्यटन)	**http://uptourism.gov.in**
Trade Tax Tribunal (व्यापार कर)	**http://tradetaxtribunal.up.nic.in**
Transport (परिवहन)	**http://www.uptransport.upsdc.gov.in**
Treasuries (कोषागार)	**http://treasuries.up.nic.in**
Uttar Pradesh Budget (उ.प्र. बजट)	**http://budget.up.nic.in**
Uttar Pradesh Police (उ.प्र. पुलिस)	**http://uppolice.gov.in**
Uttar Pradesh State Law Commission, Vidhai (विधायी)	**http://upslc.upsdc.gov.in/**
Vidyut Suraksha (विद्युत सुरक्षा)	**http://vidyutsuraksha.org/**
Women Welfare (महिला कल्याण)	**http://mahilakalyan.up.nic.in**
Uttar Pradesh Rera (उ.प्र. रेरा)	**up-rera.in**
Jansunwai Portal (जनसुनवाई पोर्टल)	**http://jansunwai.up.nic.in**
DefExpo (डेफएक्सपो)	**http://defexpo.gov.in**

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के प्रकाशन

क्र.	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	मूल्य
1—	उर्दू हिन्दी शब्दकोश	मु0मु0 मद्दाह	353=00
2—	हिन्दू धर्म कोश	डॉ0 राजबली पाण्डेय	345=00
3—	भारतीय ज्योतिष	अनु0 शिवनाथ झारखण्डी	300=00
4—	भारतीय ज्योतिष का इतिहास	डॉ0 गोरख प्रसाद	70=00
5—	महाकवि खुसरो	अनु0 अब्दुल सत्तार	100=00
6—	कबीर	डॉ0 विश्वनाथ प्रसाद तिवारी	40=00
7—	रहीम	डॉ0 भालचन्द्र तिवारी	135=00
8—	गोस्वामी तुलसीदास	डॉ0 रामचन्द्र तिवारी	50=00
9—	संत रविदास	वीरेन्द्र पाण्डेय	45=00
10—	गुरूदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की लोकप्रिय कहानियाँ	अनु0 माधवी बन्धोपाध्याय	115=00
11—	लक्ष्मीकांत वर्मा	डॉ0 राजकुमार शर्मा	140=00
12—	विजय सिंह 'पथिक'	राजकुमार भाटी	77=00
13—	रमई काका	डॉ0 रामबहादुर मिश्र	85=00
14—	सुदामा पाण्डेय 'धूमिल'	डॉ0 रमेश प्रताप सिंह	155=00
15—	मीराबाई	डॉ0 सुधाकर अदीब	100=00
16—	शिशुपाल सिंह 'शिशु'	लाखन सिंह भदौरिया	150=00
17—	रामावतार त्यागी	श्री केशव प्रसाद बाजपेयी	105=00
18—	लक्ष्मीशंकर मिश्र 'निशंक'	डॉ0 गोपाल कृष्ण शर्मा	130=00
19—	त्रिलोचन शास्त्री	डॉ0 भारतेन्दु मिश्र	105=00
20—	घाघ और भड्डरी की कहावतें	डॉ0 रमेश प्रताप सिंह	60=00
21—	हिन्दी में पट्कथा लेखन	डॉ0 जाकिर अली 'रजनीश'	150=00
22—	दृश्य कला कोश	डॉ0 हृदय गुप्त	185=00
23—	भारतीय शैक्षिक विचारक	डॉ0 रश्मि श्रीवास्तव	245=00
24—	प्राकृतिक चिकित्सा	डॉ0 पी0डी0 मिश्र एवं डॉ0 बीना मिश्र	180=00
25—	ऑस्टिटोपोरोसिस	प्रो0 अजय सिंह	65=00
26—	एनीमिया : कुछ रोचक जानकारियाँ	डॉ0 ए0के0 त्रिपाठी	50=00
27—	खर्राटे है खतरनाक	डॉ0 सूर्यकान्त/डॉ0 अभिषेक दुबे	82=00
28—	प्रेरक लघु कथाएँ	डॉ0 ए0के0 अग्रवाल	165=00
29—	बालगीत साहित्य (इतिहास एवं समीक्षा)	निरंकार देव सेवक	245=00
30—	और हमने कर दिखाया	प्रेमेन्द्र श्रीवास्तव	60=00
31—	स्वतंत्र दिल्ली	डॉ0 सैयद अतहर अब्बास रिजवी	165=00
32—	मानव शरीर की अस्थियाँ	डॉ0 विपिन चतुर्वेदी	310=00
33—	दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद	डॉ0 शीतला प्रसाद वर्मा	130=00
34—	निराला समग्र	प्रो0 सूर्यप्रसाद दीक्षित	90=00
35—	रामचंद्र शुक्ल	सम्पा0 प्रो0 सत्यदेव मिश्र	15=00
36—	राष्ट्रकवि सोहन लाल द्विवेदी	डॉ0 राष्ट्रबन्धु	40=00
37—	बाबा नागार्जुन	डॉ0 सुरेश चन्द्र गुप्त	72=00
38—	राष्ट्रकवि दिनकर	डॉ0 यतीन्द्र तिवारी	65=00
39—	चंदवरदाई	डॉ0 सुमन राजे	50=00
40—	पालि त्रिपिटक में राजनय	डॉ0 शिवनन्दन मिश्र	120=00
41—	आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी	डॉ0 रामेन्द्र पाण्डेय	50=00
42—	महादेवी वर्मा	डॉ0 उपेन्द्र	70=00
43—	पाश्चात्य दर्शन	डॉ0 ब्रह्मस्वरूप अग्रवाल	100=00
44—	चार्वाक दर्शन	आचार्य आनन्द झा	150=00
45—	भारतीय दर्शन	उमेश मिश्र	190=00
46—	पश्चिमी दर्शन	डॉ0 दीवान चन्द्र	75=00

47– समकालीन भारतीय दर्शन	डॉ0 लक्ष्मी सक्सेना	200=00
48– कांट का दर्शन	प्रो0 सभाजीत मिश्र	120=00
49– नीति विज्ञान के मूल सिद्धान्त	डॉ0 लक्ष्मी सक्सेना	96=00
50– भारतीय दर्शन	डॉ0 देवराज	120=00
51– समकालीन पाश्चात्य दर्शन	डॉ0 लक्ष्मी सक्सेना	130=00
52– अवधी वृहत लोकोक्ति कोश	कमला शुक्ला	300=00
53– भारतीय इतिहास कोश	सच्चिदानन्द भट्टाचार्या एवं के0वी0 माथुर तथा डॉ0 राजेन्द्र पाण्डेय	170=00
54– भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में हिन्दी कवियों का योगदान	सम्पा0 डॉ0 मंजु लता तिवारी	196=00
55– उर्दू भाषा और साहित्य	रघुपति सहाय 'फिराक'	60=00
56– संस्कृत आलोचना	पं0 बलदेव उपाध्याय	100=00
57– प्रसाद समग्र	डॉ0 सूर्यप्रसाद दीक्षित	75=00
58– समाजकार्य	प्रोफेसर राजाराम शास्त्री	150=00
59– सामाजिक वैयक्तिक सेवाकार्य	डॉ0 पी0डी0 मिश्र	150=00
60– समाजकार्य एक समग्र दृश्टि	डॉ0 बालेश्वर पाण्डेय	470=00
61– भारत का समाजशास्त्र	प्रो0 जयकान्त तिवारी	120=00
62– असामान्य व्यवहार	डॉ0 पी0डी0 मिश्र	235=00
63– समाजकार्य के क्षेत्र	गिरीश कुमार	210=00
64– बाल व्यवहार व्यतिक्रम	डॉ0 श्याम बिहारी सिंह	50=00
65– समाज और राजनीति का दार्शनिक अध्ययन	डॉ0 ज्ञान्नजेय द्विवेदी	215=00
66– भारतीय वास्तुकला का इतिहास	कृष्णदत्त वाजपेई	195=00
67– उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास	डॉ0 विशुद्धानन्द पाठक	200=00
68– विश्व इतिहास	डॉ0 रामप्रसाद त्रिपाठी	75=00
69– पश्चिमी एशिया	डॉ0 के0के0 कौल	170=00
70– देवानांप्रिय प्रियदर्शी राजा अशोक	भगवती प्रसाद पांथरी	120=00
71– भारत का सांस्कृतिक इतिहास	डॉ0 राजेन्द्र पाण्डेय	80=00
72– प्राचीन भारत का आर्थिक इतिहास	डॉ0 विशुद्धानन्द पाठक	72=00
73– डॉ0 रामकुमार वर्मा रचनावली (आठ खण्डों में)	सम्पा0 डॉ0 राजलक्ष्मी वर्मा	3000=00
74– अवधी कोश	सम्पा0 स्व0 प्रो0 सरयू प्रसाद अग्रवाल एवं स्व0 प्रो0 भगवती प्रसाद सिंह	370=00
75– प्राचीन भारतीय अभिलेख	डॉ0 दिनेश चन्द्रा	110=00
76– दक्षिण भारतीय संस्कृति	डॉ0 विशुद्धानन्द पाठक	165=00
77– आधुनिक भारत का इतिहास	डॉ0 जगन्नाथ मिश्र	145=00
78– सिंधु सभ्यता	डॉ0 के0के0 थपल्याल	200=00

'साहित्य भारती' (त्रैमासिक पत्रिका)
प्रति अंक मूल्य रु0 25=00
वार्षिक सदस्यता शुल्क रु0 100=00
आजीवन सदस्यता शुल्क रु0 3000=00

'बच्चों की प्रिय पत्रिका बालवाणी' (द्वैमासिक पत्रिका)
प्रति अंक मूल्य रु0 15=00
वार्षिक सदस्यता शुल्क रु0 80=00
आजीवन सदस्यता शुल्क रु0 1000=00

कृपया संस्थान के अधिक से अधिक प्रकाशन क्रय करके राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार–प्रसार में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करें।

सम्पर्क सूत्र :– निदेशक,

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान,
6, महात्मा गांधी मार्ग, हज़रतगंज, लखनऊ–226001
दूरभाष नं0–0522–2614470, 2614471
ई–मेल : directoruphindi@yahoo.in वेबसाइट : www.uphindisansthan.in

शुभकामनाओं सहित
यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0

पंजीकृत कार्यालयः– 10, अशोक मार्ग, लखनऊ
website: http//www.uplc.in, http://www.itpolicyup.gov.in
email:md@uplc.in, uplclko@gmail.com, info@itpolicyup.gov.in
Phone: 0522-2286808, 2286809, 2286812 Fax: 2288583

विभिन्न शासकीय योजनाओं यथाः प्रश्नोत्तर प्रणाली, ई–डिस्ट्रिक्ट, मनरेगा, प्रशासनिक अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, ई–टेण्डरिंग, ई–ऑफिस तथा विधवा पेन्शन, वृद्धावस्था पेन्शन इत्यादि सेवायें डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल सिग्नेचर प्रदाता संस्था

प्रदत्त सेवायेंः–

अ–निम्नलिखित योजनाओं/सेवाओं हेतु शासन द्वारा नामित नोडल संस्था।

1. शासकीय विभागों में ई–प्रोक्योरमेण्ट/ई–टेण्डरिंग प्रणाली (http://etender.up.nic.in) लागू किये जाने हेतु एकल खिड़की निस्तारण व्यवस्था।
2. सचिवालय से सम्बद्ध विभागाध्यक्ष कार्यालयों तथा जनपद स्तरीय कार्यालयों में ई–ऑफिस प्रणाली का क्रियान्वयन।
3. प्रदेश सरकार की ''सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट–अप नीति–2017'' तथा ''उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति–2017'' का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।
4. लखनऊ में आईटी सिटी की स्थापना, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।
5. प्रदेश के विभिन्न नगरों में आईटी पार्क्स की स्थापना, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण।
6. स्टार्ट–अप संस्कृति को बढ़ावा तथा उद्यमिता को प्रोत्साहन के लिए इन्क्यूबेटर्स की स्थापना।

ब– शासकीय विभागों को हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर तथा आईटी कन्सल्टेन्सी सेवायें उपलब्ध कराया जाना।

7. शासकीय विभागों को, सूचीबद्ध कन्सल्टेण्ट्स के माध्यम से कन्सल्टेन्सी सेवायें उपलब्ध कराया जाना।
8. कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की आपूर्ति एवं स्थापना तथा टर्न–की आधार पर परियोजनाओं का क्रियान्वयन।
9. विभिन्न शासकीय विभागों में अधिकारियों/कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान कराया जाना।
10. प्रदेश में आधार कार्ड (Unique Identification Device) हेतु नामित Authentication Service Agency (ASA) संस्था।

लखनऊ में संस्कृत साहित्य के साथ
IAS/PCS की तैयारी का सुनहरा अवसर

फ्री कोचिंग के साथ स्कॉलरशिप

UPSC & UPPCS वर्ष 2020-21 की परीक्षा हेतु

संस्कृत साहित्य के साथ सामान्य अध्ययन पढ़े, देश के विशेषज्ञों द्वारा

सम्पर्क सूत्र : +91-9936469208 / +91-6390006920
वेबसाईट : **http://upsanskritsanthanam.in** पर विजिट करें।
पात्रता : ● यूजीसी के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक के विद्यार्थी।
● संस्कृत साहित्य के स्नातक अभ्यर्थी को छात्रवृत्ति भी दी जायेगी।
नोट : शैक्षिक योग्यता पर आधारित मेरिट अथवा संख्या अधिक होने पर **प्रवेश परीक्षा** के माध्यम से चयन किया जायेगा।
गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा, मेरठ और कानपुर में भी यह योजना प्रस्तावित है।

कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं

- सामान्य अध्ययन एवं संस्कृत साहित्य की, देश के सबसे अनुभवशील विशेषज्ञों द्वारा कोचिंग।
- संस्कृत और सामान्य अध्ययन की अद्यतन पाठ्य सामग्री।
- बहुस्तरीय कक्षा टेस्ट और फुल मॉक टेस्ट सीरीज।
- समसामयिकी की साप्ताहिक कक्षाएं व नोट्स।

उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम्

(भाषा विभाग उत्तर प्रदेश शासनाधीन स्वायत्त संस्था)
राय बिहारी लाल मार्ग, संस्कृत भवन, न्यू हैदराबाद, लखनऊ
वर्तमान पता : कक्ष संख्या-520, पंचमतल, इंदिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

अध्यक्ष
वाचस्पति मिश्र

निदेशक
हरि बख्श सिंह

।। प्रशिक्षण केन्द्र ।।
ऐश्वर्या प्लाजा, तृतीय तल, सेक्टर-एच., अलीगंज, लखनऊ, फोन : **0522-4108436**